अनुसन्धानात्मक प्रकाशन

मनुस्मृति

[हिन्दीभाष्य, प्रक्षिप्तश्लोकानुसन्धाननिर्देश एवं 'अनुशीलन' नामक समीक्षासहित, शास्त्रीयप्रमाणों से अलंकृत तथा मनुस्मृतिसम्बन्धी आलोचनात्मक अध्ययन से युक्त]

[परिवर्धित एवं परिष्कृत संस्करण]

भाष्यकार, अनुसन्धानकर्त्ता एवं समीक्षक—
डॉ० सुरेन्द्रकुमार
आचार्य (संस्कृत-साहित्य, व्याकरण, दर्शन),
एम०ए० (संस्कृत, हिन्दी), पी-एच०डी०

सम्पादक
श्री राजवीर शास्त्री (एम०ए०)

प्रकाशक
आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट
४५५, खारी बावली, दिल्ली-११० ००६

प्रकाशक : **आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट**
४५५, खारी बावली, दिल्ली-११०००६

July	:	**2005**
दयानन्दाब्द	:	१८०
विक्रमाब्द	:	कार्तिक २०६१
सृष्टि संवत		१,९६,०८,५३,१०५

विक्रय केन्द्र : 1. **आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट**
२-एफ, कमलानगर, दिल्ली-७
2. आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट
४५५, खारी बावली, दिल्ली-६
दूरभाष : २३९५३११२, २३९५८३६०

मूल्य : (२५०.००) रुपये

© **सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन**

पूर्व प्रकाशित	७,५००
छठा संस्करण	१०००
अब तक कुल	**८५००**

A Research Publication

THE MANUSMRITI

(Hindi Exposition with interpolated shlokas pointed out, alongwith Anusheelan Commentary embellished with authority from Shastras, and a critical study of The Manusmriti)

[Enlarged and Improved Edition]

Bhashyakar, Researcher and Commentator
Dr. Surendra Kumar
Acharya (Sanskrit Literature, Grammar and Philosophy),
M.A. (Sanskrit, Hindi), Ph.D.

Editor
Shri Rajvir Shastri (M.A.)

Published by :
Arsh Sahitya Prachar Trust
455, Khari Baoli, Delhi-110 006

Published by

Arsh Sahitya Prachar Trust
455, Khari Baoli, Delhi-110006

July 2005
Year of Dayanand 180
Vikrami Samvat : 2061
Srishti Samvat : 1,96,08,53,105

Can be had from :

1. **Arsh Sahitya Prachar Trust,**
   2-F, Kamla Nagar, Delhi-7
2. **Arsh Sahitya Prachar Trust**
   455, Khari Baoli, Delhi-6
   Phone : 23953112, 23958360

Price **Rs. 250.00**

© Reserved with the Publisher

Previous Edition	7500
Sixth Edition	1000
Total	8500

ओ३म्

आर्यसमाज के प्रवर्तक, भारतीय संस्कृति-सभ्यता के उद्धारक

तथा

मनुस्मृति के प्रक्षेपों के सर्वप्रथम निर्देशक

महर्षि दयानन्द सरस्वती

आचार्य राजवीर शास्त्री

अवैतनिक सम्पादक: "दयानन्द सन्देश" मासिक
प्रधान: आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, दिल्ली

मनुस्मृति के अनुसन्धानकर्ता, भाष्यकार एवं समीक्षक

डॉ० सुरेन्द्रकुमार

डॉ० सुरेन्द्रकुमार द्वारा तटस्थ साहित्यिक मानदण्डों के आधार पर मनुस्मृति पर किया गया प्रक्षेपानुसन्धान का जटिल कार्य भारतीय साहित्य, संस्कृति, सभ्यता और इतिहास के लिए अभूतपूर्व और क्रान्तिकारी देन है। इन्होंने मनुस्मृति-सम्बन्धी भ्रान्तियों और विकृतियों का तर्क-प्रमाणयुक्त निराकरण कर भारतीय साहित्य और संस्कृति के गौरव की रक्षा की है।

इनकी सभी रचनाएँ शोध और परिश्रम की द्योतक हैं, जो अग्रलिखित हैं—

१. मनुस्मृति (सम्पूर्ण), २. विशुद्ध मनुस्मृति, ३. वैदिक आख्यानों का वैदिक स्वरूप, ४. हिन्दी काव्यों में वैदिक आख्यान, ५. महर्षि दयानन्द के यजुर्वेदभाष्य में संगति-स्थापना (अनुपलब्ध), ६. मनु का विरोध क्यों, ७. वाल्मीकि-रामायण : प्रक्षेपानु-सन्धान, भाष्य एवं समीक्षा (अप्रकाशित)। पत्र-पत्रिकाओं में अनेक लेख, कविताएँ, कहानियाँ प्रकाशित, जिनमें से आधा दर्जन पुरस्कृत। आकाशवाणी रोहतक से अनेक वार्ताएँ प्रसारित।

"आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट"

की सह संस्थापिका
स्व॰ बुद्धिमति जी आर्या
जिन्होंने आजीवन 'ट्रस्ट' को
प्रभावी संरक्षण व अमूल्य मार्गदर्शन
प्रदान किया

जन्म
1 अप्रैल 1925

निधन
2 अगस्त 2006

प्रस्तुत संस्करण का

प्रकाशकीय

मनुस्मृति का नवीन संस्करण पाठकों को सौंपते हुए मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। लगभग एक वर्ष से यह संस्करण समाप्त था और पाठकों तथा संस्थाओं की मांग दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही थी। ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित मनुस्मृति के अनुसन्धानकार्य और भाष्य को पाठकों ने अत्यधिक पसन्द किया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

मनुस्मृति, ट्रस्ट का एक गौरवपूर्ण और अनुपम प्रकाशन है। ट्रस्ट ने मनुस्मृति के प्रक्षेपों के अनुसन्धान का जो प्रामाणिक कार्य जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया है, ऐसा आजतक किसी ने नहीं किया था। यह नवीन संस्करण और भी विशषताएं लिये हुए है। इसमें मनुस्मृति के मूल्यांकन से सम्बन्धित तथा श्लोकसम्बन्धी समीक्षा से सम्बन्धित लगभग २५० पृष्ठों की नयी सामग्री प्रदान की जा रही है। लेखक ने मनु और मनुस्मृति से सम्बन्धित विवादों, प्रश्नों पर प्रक्षेपरहित नवीन दृष्टिकोण से सप्रमाण और युक्तियुक्त विवेचन किया है। वेदों तथा अन्य शास्त्रग्रन्थों के प्रमाणों से मनु के भावों को उद्घाटित एवं पुष्ट किया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह संस्करण पाठकों और अनुसन्धानकर्त्ताओं के लिए और अधिक उपयोगी सिद्ध होगा।

ट्रस्ट का प्रमुख उद्देश्य है — 'आर्ष साहित्य का प्रचार-प्रसार एवं उसका तथा उस पर किये गये अनुसन्धानकार्य का प्रकाशन'। किन्तु प्रचीन आर्ष साहित्य के सन्दर्भ में आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या उपस्थित होती है, वह है उसमें प्रक्षेपों की मिलावट। वेदों को छोड़कर प्राय: समस्त प्राचीन ग्रन्थों में स्वार्थी और दुर्भावनाग्रस्त लोगों ने प्रक्षेप कर डाले हैं। प्राचीन काल में यह काम अत्यन्त आसानी से हो सकता था, क्योंकि ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रतियां होती थीं। जिसके पास जो प्रति थी, उसने उसमें मनचाही सामग्री जोड़ दी। आज प्रकाशन के युग में भी लोग पूर्ववर्ती लेखकों की पुस्तकों में मनचाहा संशोधन कर डालते हैं।

मैं समझता हूं कि आज हमारे सामने जो सबसे पहली और बड़ी चुनौती है, वह है 'आर्ष साहित्य को प्रक्षेपों से रहित करना'। क्योंकि जब तक उनमें प्रक्षेप हैं, तब तक उन पर तरह-तरह की शंकाएं और आक्षेप उठते रहेंगे। उनकी प्रामाणिकता में सन्देह रहेगा और

उनके प्रचार में वे बाधा बनेंगे। प्रक्षेपों ने प्रचीन साहित्य के वास्तविक स्वरूप को विकृत कर दिया है। उससे प्राचीन भारत की संस्कृति-सभ्यता और इतिहास का स्वरूप भी विकृत हो गया है। यह रूप तभी स्वच्छ हो सकता है, जब अनुसन्धान करके उनके प्रक्षेपों का निदेश किया जाये। इस जटिल कार्य को करने का दायित्व ट्रस्ट ने स्वीकार किया है और इस कार्य की पहले भेंट यह मनुस्मृति है। इसके प्रक्षेपों को निकालने में कृतित्व पर आधारित तटस्थ मानदण्डों को अपनाकर जो परिश्रम किया गया है, उसका अनुमान आपको प्रथम संस्करण से हो गया होगा।

ट्रस्ट की ओर से इसी पद्धति पर वाल्मीकि-रामायण पर भी कार्य चल रहा है। उस कार्य को भी प्रो. सुरेन्द्र कुमार ही सम्पन्न कर रहे हैं। एक-आध वर्ष में ही वह पाठकों के सामने आ जायेगा।

इस जटिल और परिश्रमसाध्य कार्य को सम्पन्न करने के लिए मैं श्री सुरेन्द्र कुमार जी को बहुश: धन्यवाद देता हूं। श्री राजवीर जी शास्त्री ने भी इस कार्य में समय-समय पर अपने सुझाव देकर इसे परिष्कृत करने में सहयोग किया है, एतदर्थ मैं उनका भी आभारी हूं। इनके अतिरिक्त जिन विद्वानों, पाठकों या अन्य व्यक्तियों ने प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से इस कार्य में किसी भी प्रकार का योगदान किया है, उनका भी मैं धन्यवादी हूं। आशा करता हूं कि इस अत्यावश्यक एवं महान् कार्य को पूर्ण करने में ट्रस्ट को सदैव सभी का सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

निवेदक —

धर्मपाल आर्य

संचालक-आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट

२- एफ, कमलानगर, दिल्ली-७

प्रकाशकीय (प्रथम संस्करण)

महर्षि-दयानन्द के ग्रन्थों का अध्ययन करते हुए ऋषि द्वारा उद्धृत मनुस्मृति के श्लोकों में बहुत-सी गम्भीर, महत्त्वपूर्ण, अनुपम बातें मिलीं, जिन्होंने मेरे चित्त पर अपनी महत्ता की छाप छोड़ी और मेरे ऊंचे संस्कार बनाये। मैंने मनुस्मृति को गुरुमुख से भी पढ़ा है और इसका स्वयं भी स्वाध्याय किया है। मेरी इस ग्रन्थ के प्रति अत्यन्त श्रद्धा थी, इसलिये मेरी यह प्रबल इच्छा रही है कि ट्रस्ट की ओर से मनुस्मृति का प्रकाशन किया जाये। लेकिन, मनुस्मृति में विद्यमान प्रक्षेपों ने मेरी इच्छा को साकार नहीं होने दिया। एक महान् तत्त्वद्रष्टा ऋषि के अनुपम ग्रन्थ को प्रक्षेपों ने विकृत कर रखा है, अत: प्रक्षेपयुक्त मनुस्मृति का प्रकाशन करना मनुस्मृति के प्रति अश्रद्धा बढ़ाना और उसके महत्त्व को कम करना है, यह अनुभव करते हुए अभी तक ट्रस्ट की ओर से मनुस्मृति का प्रकाशन नहीं कराया गया था। ट्रस्ट का उद्देश्य आर्ष साहित्य का प्रचार करना है। महर्षि-दयानन्द ने मनुस्मृति को आर्ष ग्रन्थ घोषित करते हुए प्रक्षेपरहित को प्रामाणिक माना है। पर्याप्त समय से मनुस्मृति का विशुद्ध-संस्करण प्राप्त करने की मेरी उत्कट इच्छा रही है। प्रक्षेपरहित विशुद्ध हस्तलेख प्राप्त करने के लिए भी हमने बड़ा भारी प्रयत्न किया और पर्याप्त धनराशि भी उसके लिये व्यय की, किन्तु कोई सफलता नहीं मिली।

प्रक्षेपरहित मनुस्मृति को भी प्रकाशित करने का विचार मन में आया, किन्तु अब तक किये प्रक्षेपों के कार्य को देखकर मन संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि विद्वानों ने प्रक्षेपों का अनुसन्धान करने के लिए न तो कोई 'निश्चित आधार' या 'मानदण्ड' रखे हैं और न उस कार्य में एकरूपता है। वह कार्य मन-मानी-सा लगता है। मैं चाहता था कि स्वयं 'मनुस्मृति' नामक कृति के अनुसार ही कुछ 'नियम' या 'आधार' निश्चित करके प्रक्षेपों का अनुसन्धान किया जाये, जो आधार सर्वसामान्य हों और जिनमें पूर्वाग्रहबद्धता न हो। जिससे पाठकों के मन पर यह प्रभाव पड़े कि यह कार्य मनमाने ढंग से नहीं किया गया है, अपितु नियमबद्ध एवं तटस्थ रूप से किया गया है।

इस रूप में इस कार्य को सम्पन्न करने के लिये मैंने श्री प्रो. सुरेन्द्र कुमार जी से अनुरोध किया। उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया। उन्होंने कई वर्ष तक सतत परिश्रम करके बड़ी योग्यता, विद्वत्ता एवं लग्न का परिचय देकर प्रक्षेपों के अनुसन्धान एवं तत्सम्बन्धी अनुशीलन के कार्य को सम्पन्न किया है। प्रसंग-विरुद्ध, परस्पर विरुद्ध एवं पक्षपातयुक्त बातों के निकल जाने से इस ग्रन्थ पर से अब अविद्या का आवरण दूर हो गया है, शुद्ध और इस विषयक यह अनुपम पुस्तक तैयार हो गयी है। मनुस्मृति के इस रूप को देखकर मैं अत्यन्त हर्षित हूँ। इस शुभ महान् कार्य को सम्पन्न

करने के लिए मैं श्री प्रो. सुरेन्द्रकुमार जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। इस विषय में समय-समय पर श्री पं. राजवीर जी शास्त्री से भी विचार-विमर्श होता रहा है। उन्होंने भी इस कार्य में अपने मूल्यवान् सुझाव एवं सहयोग दिया है, अत: उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं।

प्रक्षेपों को बिना निकाले इस ग्रन्थ का प्रचार होने के कारण अनेक स्थानों पर इसका तिरस्कार भी हुआ है और इस पर जातिवाद के आक्षेप लगाये जाते हैं, पक्षपात के आरोप लगते हैं। मैं समझता हूं कि मनु की मूल मान्यताओं को न समझने के कारण लोग ऐसा करते हैं। मनुस्मृति के वास्तविक रूप में ऐसी बातों की गंध भी नहीं है। मनुस्मृति का तिरस्कार करवाने के जिम्मेदार वे लोग हैं जिन्होंने इसमें प्रक्षेप किये हैं और वस्तुत : वे महान् पापी एवं अपराधी हैं। वे भी कम दोषी नहीं हैं जो बिना सोचे-समझे मनुस्मृति का अनादर करते हैं। महर्षि-दयानन्द ने एक शताब्दी पूर्व मनुस्मृति के प्रक्षेपों की ओर संकेत किया था, किन्तु महर्षि का अनुसरण करने वाले और उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले आर्यों ने उनके इस कार्य को अभी तक पूर्ण नहीं किया, वरना मनुस्मृति का यह तिरस्कार नहीं बढ़ता। सभी विरोधियों के मुंह बंद हो जाते। इस रूप में वे भी दोष के भागी हैं।

महर्षि-दयानन्द ने अपने ग्रन्थों में यदि इस विषय को हेतु-युक्तियों द्वारा न समझाया होता और मार्गदर्शन न दिया होता तो यह कार्य सम्पन्न नहीं होता, अत : विशेषरूप से हम उनके आभारी हैं। उस परमपिता परमात्मा का भी मैं कृतज्ञ हूं जिसकी कृपा से यह शुभकार्य सम्पन्न हुआ है।

प्रक्षेपों के कारण बहुत समय से जो मनुस्मृति का अध्ययन लुप्त हो रहा है, शुद्धरूप प्रस्तुत होने से अब उसका लोप रुककर अध्ययन बढ़ेगा। इस ग्रन्थ में लोगों की रुचि तथा श्रद्धा बढ़ेगी। इस अनुपम ग्रन्थ के मूल्यवान् उपदेशों का महत्त्व समझकर इसके अध्ययन से पाठक अपने जीवन को उत्तम बनायेंगे, इस आशा के साथ मैं ट्रस्ट द्वारा सम्पन्न कराये गये पुरुषार्थ से संतुष्टि अनुभव कर रहा हूं।

अन्त में पाठकों से निवेदन है कि यद्यपि श्री प्रो. सुरेन्द्रकुमार जी ने यह अनुसन्धान-कार्य पक्ष-पातरहित होकर और आधार एवं युक्ति-प्रमाणपूर्वक किया है, फिर भी कहीं-कहीं कुछ भूलों-कमियों का रह जाना सम्भव है, अत : आप उन्हें अवश्य सुझावें और नवीन सुझाव प्रेषित करें, जिससे अग्रिम संस्करण और अधिक परिष्कृत रूप से प्रस्तुत किया जा सके।

ऋषि-चरणों का अनुचर —
(स्वर्गीय) दीपचन्द आर्य
संस्थापक व प्रधान —
आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट

दिनांक २४-५-१९८१ ई.
२ एफ, कमलानगर
दिल्ली -११०००७

प्राक्कथन

मनुस्मृति का यह परिवर्धित एवं परिष्कृत नवीन संस्करण आपके हाथों में है। प्रथम संस्करण का प्रकाशन अत्यल्प शीघ्रता में हुआ था। प्रकाशन के साथ-साथ अग्रिम अनुसन्धान कार्य भी चलता रहा था। भूमिका भाग पहले छप चुका था और प्रक्षेपानुन्धान का कार्य उसके बाद भी होता रहा। इन तथा कुछ अन्य कारणों से प्रथम संस्करण में कुछ कमियां और त्रुटियां रह गयी थीं। उनके लिए हमें खेद है। अग्रिम संस्करणों में उन त्रुटियों को दूर कर दिया गया है। साथ ही पाठकों के लिए बहुत सारी नयी सामग्री भी इसमें दी जा रही है। भूमिका में मनु एवं मनुस्मृति से सम्बन्धित नये विषयों पर भी विचार किया गया है और नये दृष्टिकोण से निर्णय लेने का प्रयास किया गया है। इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि प्रक्षेपानुसन्धान के परिप्रेक्ष्य में मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन किया जाये। उसी आवश्कता की पूर्ति के लिए यह एक प्रयास है। मैं आशा करता हूं कि यह संस्करण पाठकों के लिए और अधिक उपयोगी सिद्ध होगा।

स्मृतियों या धर्मशास्त्रों में मनुस्मृति सर्वाधिक प्रामाणिक आर्ष ग्रन्थ है। मनुस्मृति के परवर्तीकाल में अनेकों स्मृतियां प्रकाश में आयीं किन्तु मनुस्मृति के तेज के समक्ष वे टिक नहीं सकीं —अपना प्रभाव न जमा सकीं, जबकि मनुस्मृति का वर्चस्व आज तक पूर्ववत् विद्यमान है। मनुस्मृति में एक ओर मानव एवं मानव-समाज के लिए सांसारिक श्रेष्ठ कर्त्तव्यों का विधान है, तो साथ ही मानव को मुक्ति प्राप्त कराने वाले आध्यात्मिक उपदेशों का निरूपण भी है, इस प्रकार मनुस्मृति भौतिक एवं आध्यात्मिक आदेशों —उपदेशों का मिलाजुला अनूठा शास्त्र है।

इसके साथ-साथ सभी धर्मशास्त्रों से प्राचीन होने और सृष्टि के प्रारम्भिक काल का शास्त्र होने का गौरव भी मनुस्मृति को ही प्राप्त है। शतपथ, तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी, ताण्ड्य आदि ब्राह्मणों में मनु का उल्लेख होना और "मनुर्वै यत्किञ्चावदत् तद् भैषजम्" अर्थात् — 'मनु ने जो कुछ कहा है, वह भेषज = औषध के समान गुणकारी एवं कल्याणकारी है', आदि वचनों का प्राप्त होना मनुस्मृति को प्राचीनतम और विशिष्ट धर्मशास्त्र सिद्ध करता है। महर्षि-दयानन्द ने मनुस्मृति का काल आदिसृष्टि में माना है। उसका अभिप्राय यही है कि मनु मानव एवं मानव-समाज की मर्यादाओं, व्यवस्थाओं के सर्वप्रथम उपदेष्टा थे। मनु की व्यवस्थाएं सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक रूप में सत्य एवं व्यावहारिक हैं। इसका कारण यह है कि मनुस्मृति वेदमूलक है। पूर्णत: वेद-मूलक होना मनुस्मृति की एक ओर परमविशेषता है। इस विशेषता के कारण भी मनुस्मृति को

सर्वाधिक सम्मान मिला । शास्त्रकारों ने मनुस्मृति के महत्त्व को निर्विवाद रूप में स्वीकार करते हुए ही यह स्पष्ट घोषणा की है कि —

मनुस्मृति-विरुद्धा या सा स्मृतिर्न प्रशस्यते । वेदार्थोपनिबद्धत्वात् प्राधान्यं हि मनोः स्मृतेः ।। (बृह. स्मृति संस्कारखण्ड १३-१४)

अर्थात् — 'जो स्मृति मनुस्मृति के विरुद्ध है, वह प्रशंसा के योग्य नहीं है । वेदार्थों के अनुसार वर्णन होने के कारण मनुस्मृति ही सब में प्रधान और प्रशंसनीय है ।'

इस प्रकार अनेकानेक विशेषताओं के कारण मनुस्मृति मानवमात्र के लिए उपयोगी एवं पठनीय है । किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज ऐसे उत्तम और प्रसिद्ध ग्रन्थ का पठन-पाठन लुप्त-प्राय: होने लग रहा है । इसके प्रति लोगों में अश्रद्धा की भावना घर करती जा रही है । इसका कारण है — 'मनुस्मृति में प्रक्षेपों की भरमार होना' । प्रक्षेपों के कारण मनुस्मृति का उज्ज्वल रूप गन्दा एवं विकृत हो गया है । परस्परविरुद्ध, प्रसंगविरुद्ध एवं पक्षपातपूर्ण बातों से मनुस्मृति का वास्तविक स्वरूप और उसकी गरिमा विलुप्त हो गये हैं । एक महान् तत्त्वद्रष्टा, ऋषि के अनुपम शास्त्र को प्रक्षेपकर्त्ताओं ने विविध प्रक्षेपों से दूषित करके न केवल इस शास्त्र के साथ अपितु महर्षि मनु के साथ भी अन्याय किया है ।

इस अनुसन्धानकार्य एवं भाष्य की विशेषताएं —

(१) प्रक्षिप्त श्लोकों के अनुसन्धान के मानदण्डों का निर्धारण और उन पर समीक्षा —

इस प्रकाशन का सबसे प्रमुख प्रयोजन यही है कि मनुस्मृति के दूषित, गदले, विकृत रूप को दूरकर उसके वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत करना । वैसे तो बाजार में हिन्दी-संस्कृत की टीकायुक्त मनुस्मृति के सैकड़ों प्रकाशन उपलब्ध हैं, और कई सौ वर्षों से मनुस्मृति पर लेखन कार्य होता चला आ रहा है, किन्तु अभी तक इस दृष्टि से और इस रूप में किसी भी लेखक ने कार्य नहीं किया ।

महर्षि-दयानन्द के वचनों से प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्राप्त करके मनुस्मृति के प्रक्षेपों के अनुसन्धान का यह कठिन एवं उलझनभरा कार्य प्रारम्भ किया और कई वर्षों तक सतत प्रयास के परिणामस्वरूप मनुस्मृति के प्रक्षेपों को निकालने का कार्य सम्पन्न हो पाया है । यद्यपि अभी इस अनुसन्धान कार्य को 'अन्तिम' नहीं कहा जा सकता, किन्तु इतना अवश्य है कि अधिकांश प्रक्षेपों के निकल जाने से मनुस्मृति का वह दूषित, विकृत और गदला स्वरूप पर्याप्त रूप में दूर हो गया और उसका उज्ज्वल वास्तविक रूप सामने आया है ।

प्रक्षेपों को निकालने में किसी पूर्वाग्रह या पक्षपात की भावना का आश्रय न लेकर तटस्थता को अपनाया है और ऐसे 'आधारों' या 'मानदण्डों' को आधार बनाया है, जो सर्वसामान्य हैं । ये हैं — (१) अन्तर्विरोध या परस्परविरोध, (२) प्रसंगविरोध, (३) विषयविरोध, (४) अवान्तरविरोध, (५) शैलीविरोध, (६)पुनरुक्ति, (७) वेदविरोध । ये सभी मानदण्ड कृति के अन्त:साक्ष्य पर आधारित हैं ।

मनुस्मृति के सभी श्लोकों को यथास्थान, यथाक्रम रखते हुए जहाँ-जहाँ प्रक्षेप हैं, वहाँ-वहाँ उन पर पूर्वोक्त आधारों के नामोल्लेख पूर्वक 'अनुशीलन' नामक समीक्षा दे दी गयी है, जिससे पाठक स्वयं भी उनकी परीक्षा कर सकें । उपलब्ध मनुस्मृतियों में कुल श्लोक-संख्या २६८५ है । प्रक्षेपानुसन्धान के पश्चात १४७१ श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध हुए हैं और १२१४ श्लोक मौलिक । अध्यायानुसार प्रक्षिप्त एवं मौलिक श्लोकों की तालिका निम्न प्रकार है —

अध्याय	उपलब्ध कुल श्लोक	प्रक्षिप्त	मौलिक शेष
प्रथम अध्याय	१४४ (इस संस्करण के अनुसार)	६६	७८
द्वितीय अध्याय	२२४ (इस संस्करण के अनुसार)	६०	१६४
तृतीय अध्याय	२८६	२०२	८४
चतुर्थ अध्याय	२६०	१७०	९०
पञ्चम अध्याय	१६९	१२८	४१
षष्ठ अध्याय	९७	३३	६४
सप्तम अध्याय	२२६	४२	१८४
अष्टम अध्याय	४२०	१८७	२३३
नवम अध्याय	३२५ (इस संस्करण के अनुसार)	१६८	१५७
दशम अध्याय	१४२ (इस संस्कारण के अनुसार)	१२७	१५
एकादश अध्याय	२६६	२३४	३२
द्वादश अध्याय	१२६	५४	७२
कुल योग	२६८५	१४७१	१२१४

(२) विभिन्न शास्त्रों के प्रमाणों से पुष्ट अनुशीलन समीक्षा —

प्रक्षिप्त श्लोकों के विवेचन के अतिरिक्त लगभग ६०० श्लोकों पर 'अनुशीलन' समीक्षा देकर उसमें श्लोक के भावों, गुत्थियों, विवादों, मान्यताओं तथा अन्यान्य विचारणीय बातों पर मनन किया गया है और अधिक से अधिक स्पष्ट करने तथा सुलझाने का प्रयास किया गया है । अनेक स्थलों पर विषय को तालिकाओं के द्वारा भी स्पष्ट किया गया है । समीक्षा में वेदों, ब्राह्मणग्रन्थों, संहिताओं, उपनिषदों, दर्शनों, व्याकरण एवं सूत्रग्रन्थों, निरुक्त, सुश्रुत तथा कौटिल्य-अर्थशास्त्र आदि के अनेक प्रमाण देकर उनसे मनु की मान्यताओं और भावों का समन्वय स्थापित करते हुए उन्हें और अधिक प्रमाणित एवं पुष्ट किया गया है । अनेक पदों का व्याकरण देकर उनका अर्थ भी उद्घाटित किया है। कौटिल्य-अर्थशास्त्र को आंशिक रूप में ही प्रामाणिक माना गया है । उसे तुलनात्मक रूप में उद्धृत करने का अभिप्राय यह दर्शाना भी है कि मनूक्त विधि—विधान पर्याप्त अवरकाल तक अविरलरूप में मान्य और प्रचलित रहे हैं ।

(३) मनु के वचनों से मनु के भावों की व्याख्या —

उपर्युक्त अनुशीलन के साथ-साथ यह भी प्रयास किया गया है कि जिन श्लोकों या भावों की व्याख्या और स्पष्टीकरण स्वयं मनु के वचनों से प्राप्त हो सकें, उन्हें उनके आधार पर ही समझा और

स्पष्ट किया जाये । ऐसी बहुत सी मान्यताएं हैं, जिन्हें स्वयं मनु ने ही अन्य श्लोकों में यत्र-तत्र स्पष्ट या पुष्ट किया है । ऐसे श्लोकों को अथवा उनकी संख्या को सम्बद्ध श्लोक पर अनुशीलन समीक्षा में तुलना या अन्यत्र व्याख्यात के रूप में दे दिया है । इसके अतिरिक्त श्लोकव्याख्या के बीच में भी बृहत्कोष्ठक के अन्तर्गत ऐसे श्लोकों की संख्या दी हुई है, जिनसे उस विषय पर प्रकाश पड़ता है ।

(४) मनु की मान्यता के अनुकूल और प्रसंगसम्मत अर्थ —

परम्परागत संस्कृत एवं हिन्दी के भाष्यों में कुछ श्लोकों के अर्थ ऐसे किये गये हैं, जो मनुस्मृति की मान्यता के अनुकूल सिद्ध नहीं होते और न प्रसंगसम्मत हैं, जैसे —१।२, ३, ६, २२, १३७ (२।१८); ३।५६ आदि । कुछ श्लोकों के अर्थों में क्रमबद्धता नहीं बन पायी है, जैसे — १।१४–१५, १६, १८, १९ आदि । ऐसे सभी श्लोकों का अर्थ मनु की मान्यता के अनुकूल, प्रसंग एवं क्रमसंगत किया गया है, और उनकी समीक्षा में उस अर्थ की पुष्टि में कारण, युक्तियाँ एवं प्रमाण दिये गये हैं । साथ ही टिप्पणी में उन श्लोकों का प्रचलित अर्थ भी दे दिया गया है, ताकि पाठक उन पर विचार कर सकें । इस भाष्य में ऐसे परिवर्तित अर्थ वाले श्लोकों की संख्या ५४ है । साथ ही टिप्पणी में उन श्लोकों के प्रचलित अर्थ भी दे दिये हैं, ताकि पाठक उन अर्थों पर तुलनापूर्वक विचार कर सकें ।

(५) भूमिका-भाग में मनुस्मृति का नया मूल्यांकन —

ग्रन्थ के प्रारम्भ में मनुस्मृति से सम्बन्धित 'मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन' नामक एक विस्तृत भूमिका दी गयी है । इसमें मनुस्मृति से सम्बन्धित सभी प्रश्नों, यथा — मनु एवं मनुस्मृति का काल, मनुस्मृति का आद्य और वर्तमान रूप, मनुस्मृति के प्रक्षेपों के अनुसन्धान के आधार और उनका परिभाषा-उदाहरण-पूर्वक विवेचन, मनुस्मृति में अध्यायविभाजन, मनु की मौलिक मान्यताएं और उनके कारण, आदि पर युक्ति-प्रमाण-पूर्वक विचार किया गया है । यह विवेचन उक्त विषयों पर एक नया मूल्यांकन है ।

(६) महर्षि-दयानन्द के अर्थ और भावार्थ —

महर्षि-दयानन्द ने अपने ग्रन्थों के लिए मनुस्मृति को प्राथमिक आधार माना है, और लगभग ५१४ श्लोकों या श्लोकखण्डों को प्रमाणरूप में उद्धृत किया है, अनेक श्लोकों के केवल भाव ग्रहण किये हैं । महर्षि मनु के श्लोकों पर महर्षि-दयानन्द का समग्र भाष्य प्रस्तुत करना, इस प्रकाशन की दूसरी प्रमुख विशेषता है । अपने ग्रन्थों में महर्षि-दयानन्द ने मनुस्मृति के जिस-जिस श्लोक का भाष्य किया है, उस श्लोक पर केवल महर्षि का ही भाष्य दिया गया है और शेष श्लोकों पर मेरा भाष्य है । यदि महर्षि ने किसी श्लोक को अपने ग्रन्थों में एक से अधिक बार उद्धृत करके भाष्य किया है, तो उन सभी अर्थों को इसमें उद्धृत कर दिया है । जहां मनु के श्लोकों के केवल भाव ही महर्षि के ग्रन्थों में उपलब्ध हुए, वहां तत्तत्श्लोक पर वे भाव भी संकलित कर दिये हैं । इन सभी बातों से मनु के भावगाम्भीर्य पर अधिकाधिक प्रकाश पड़ेगा । महर्षि के भाष्य से मनु के श्लोकों की अनेक गुत्थियां सुलझ जाती हैं । एक ऋषिकृत ग्रन्थ पर एक ऋषि का ही भाष्य होने से 'सोने में सुगन्ध' वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है और उसका महत्त्व कई गुणा बढ़ जाता है । इसी बात को ध्यान में रखकर महर्षि के भाष्य को उद्धृत किया है ।

इस भाष्य में कुल ४२२ श्लोकों या श्लोकखण्डों पर महर्षि के अर्थ और भावार्थ दिये गये हैं, जिनमें ३४२ श्लोकों पर महर्षि का अर्थ है और ८० श्लोकों पर केवल भावार्थ है । जिन श्लोकों पर महर्षि का केवल भावार्थ है, उन पर पदार्थभाष्य मेरा किया हुआ है ।

(७) प्रथम बार हिन्दी-पदार्थ टीका प्रस्तुत —

पहली बार सम्पूर्ण मनुस्मृति के संस्कृत पदों को रखकर उनके साथ हिन्दी का अर्थ प्रस्तुत किया गया है। इससे विद्यार्थियों को सुगमता होगी और थोड़ी संस्कृत जानने वाले स्वाध्यायी पाठक भी संस्कृत पदों के ज्ञान-मनन पूर्वक श्लोकों का अर्थ आसानी से ग्रहण कर सकेंगे। इस दृष्टि से यह प्रकाशन सर्वसाधारण के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगा।

(८) सभी अनुक्रमणिकाओं एवं सूचियों से युक्त —

किसी भी ग्रन्थ में अनुक्रमणिकाएं और विषयसूचियां अत्यन्त उपयोगी और सुविधाजनक होती हैं। छात्रों और पाठकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकाशन में श्लोकों की उभयपंक्ति-अनुक्रमणिका, विषयानुक्रमणिका, अनुशीलन समीक्षा में विचारित विषयों की सूची, संकेत सूची, शुद्धाशुद्धि पत्र आदि समस्त आवश्यक सामग्री का समावेश किया गया है।

(९) मनुस्मृति के प्रकरणों का उल्लेख —

मनु की यह शैली है कि वे प्रत्येक मुख्य विषय या प्रकरण को प्रारम्भ करते समय उसका स्वयं संकेत करते हैं या समाप्ति पर विषय का संकेत करते हैं। मनु द्वारा प्रदर्शित संकेतों के अनुसार मनुस्मृति में २१ प्रकरण या मुख्यविषय बनते हैं। इस संस्करण में उनका यथास्थान उल्लेख कर उसकी सीमा का भी उल्लेख कर दिया है।

(१०) मौलिक श्लोकों का 'विशुद्ध मनुस्मृति' के नाम से पृथक् संस्करण —

मनुस्मृति का, इस संस्करण में मौलिक सिद्ध हुए श्लोकों को छांटकर प्रक्षिप्त श्लोकों से रहित 'विशुद्ध मनुस्मृति' के नाम से एक पृथक् संस्करण भी प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें मनु के उपदेशों-आदेशों को अविरल रूप से पढ़ने का आनन्द प्राप्त हो सकेगा।

आभार-प्रदर्शन

सर्वप्रथम आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट के संस्थापक एवं संचालक स्वर्गीय सेठ दीपचन्द जी आर्य का मैं सदैव अत्यन्त आभारी रहूँगा, जिनकी सतत प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से मनुस्मृति का यह प्रक्षेप-अनुसन्धान तथा भाष्य का कार्य प्रारम्भ एवं सम्पन्न हुआ, जिन्होंने इस बृहत् ग्रन्थ के प्रथम संस्करण के प्रकाशन का भार अपने कन्धों पर वहन किया। सेठ जी ने प्रक्षेपानुसन्धान-सम्बन्धी सुझाव और मार्गदर्शन देकर इस कार्य को और अधिक परिष्कृत करने में भी सहयोग किया, इसके लिये भी मैं उनका आभारी रहूँगा।

सेठ जी के सुपुत्र और आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट के वर्तमान संचालक श्री धर्मपाल जी आर्य ने इस नवीन संस्करण का प्रकाशन अत्यन्त रुचि, उत्साह, और परिश्रम एवं विवेक से किया है। उनके प्रयत्नों से यह संस्करण सभी तरह से उत्तम बन गया है। मैं इनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूं। श्री पं. राजवीर जी शास्त्री, जिन्होंने इस कार्य में अपने मूल्यवान् सुझाव और अनुसन्धान में सक्रिय सहयोग तथा समय प्रदान किया तथा श्री पं. सुदर्शनदेव जी आचार्य, जिन्होंने इस कार्य को करने की प्रेरणा एवं समय-समय पर उचित सुझाव प्रदान किये हैं, दोनों ही विद्वानों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। इनके साथ-साथ अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कमला शास्त्री के प्रति भी इस बात के लिये आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे सभी पारिवारिक व्यस्तताओं से दूर रखते हुए इस

अनुसन्धान कार्य को सम्पन्न करने के लिए यथावश्यक समय प्रदान करने का सदैव ध्यान रखा और लेखन कार्य में भी यथाशक्ति सहयोग प्रदान किया। प्रूफसंशोधक श्री कर्मवीर जी शर्मा, श्री रामहौसला मिश्र जी ठेकेदार का भी मैं धन्यवादी हूँ, जिन्होंने पूर्ण श्रद्धा तथा पुरुषार्थ से इस कार्य को पूर्ण करने में सहयोग दिया है।

पाठकों से निवेदन

मनुस्मृति के प्रक्षेपों के अनुसन्धान और अनुशीलन का यह कार्य कुछ निश्चित आधारों पर सम्पन्न करने का दायित्व मैंने स्वीकार किया। अपनी अल्पमति के आधार पर यथाशक्ति परिश्रम करके जैसा भी इसे कर पाया हूँ, वह आपके हाथों में है। निःसन्देह, यह अत्यन्त कठिन, उलझनभरा और विवादस्पद कार्य है, जिसे अभी तक इस रूप में किसी के द्वारा सम्पन्न नहीं किया गया, जबकि अब से बहुत पहले यह कार्य हो जाना चाहिए था। ऐसे उलझन भरे कार्य में कहीं-कहीं कमियों और त्रुटियों का रह जाना संभव है, अतः विद्वान् पाठकों से विनम्र अनुरोध है कि वे इस पर मनन करके मेरी त्रुटियों को क्षमा करते हुए, मुझे उनसे अवश्य अवगत करायें और इसविषयक सुझाव प्रदान करें, जिससे अगले संस्करण में अधिक से अधिक परिष्कार किया जा सके।

निवेदक —

स्थान —झज्जर (जिला-रोहतक) **सुरेन्द्रकुमार**

संकेत-सूची

अ. /अष्टा.	अष्टाध्यायी
अथर्व.	अथर्ववेद
आप. ध.	आपस्तम्ब धर्मसूत्र
आप. श्रौ.	आपस्तम्ब श्रौतसूत्र
आश्व. गृ. सू.	आश्वलायन गृह्यसूत्र
आ. /आश्व. श्रौ. सू.	आश्वलायन श्रौतसूत्र
उणा.	उणादिसूत्रपाठः
उपा.	उपासनाविषय
ऋ. /ऋक्	ऋग्वेद
ऋ. दया	ऋषि दयानन्द
ऋ. दया. पत्र वि. / ऋ. पत्र वि. / ऋ. प. वि.	ऋषि दयानन्द के पत्र-विज्ञापन
ऋ. भू. /ऋ. भा. भू.	ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका
ऐ. /ऐत. /ऐ. ब्रा.	ऐतरेय ब्राह्मण
कां.	काण्ड
काठ. /काठ. सं.	काठक संहिता
कौ. अ. /कौटि. अर्थ.	कौटिल्य अर्थशास्त्र
– प्रक. /प्र. अ.	– प्रकरण, अध्याय
कौ.	कौषितकि ब्राह्मण
कौषि. गृ.	कौषितकि गृह्यसूत्र
गो. ब्रा. / गो. पू. /गो. उ.	गोपथ ब्राह्मण, पूर्वार्चिक, उत्तरार्चिक
गो. गृह्य.	गोभिलगृह्यसूत्र
गो. ध.	गौतम धर्मसूत्र
चा. /चाण. सू.	चाणक्यसूत्र
छान्दो.	छान्दोग्योपनिषद्
जै. उ.	जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण
जै. गृ.	जैमिनि गृह्यसूत्र

तां /ताण्ड्य. ब्रा.	ताण्ड्यब्राह्मण
तै. आ.	तैत्तिरीय आरण्यक
तै. /तै. ब्रा. /तैत्ति.	तैत्तिरीय ब्राह्मण
तै. सं. /तैत्ति सं.	तैत्तिरीय संहिता
द. ल. आ.	दयानन्द लघुग्रन्थसंग्रह आर्याभिविनय
द. ल. गो.	दयानन्द लघुग्रन्थसंग्रह गोकरुणानिधि
द. ल. ग्र. /द. ल. ग्र. सं.	दयानन्द लघुग्रन्थसंग्रह
द. ल. पं.	दयानन्द लघुग्रन्थसंग्रह पञ्चमहायज्ञविधि
द. ल. पृ.	दयानन्द लघुग्रन्थ संग्रह पृष्ठ
द. ल. भ्र.	दयानन्द लघुग्रन्थ संग्रह भ्रमोच्छेदन
द. ल. भ्रा. नि.	दयानन्द लघुग्रन्थ संग्रह भ्रान्तिनिवारण
द. ल. वेदांक	दयानन्द लघुग्रन्थ वेदभाष्य के नमूने का अंक
द. ल. वे. ख.	दयानन्द लघुग्रंथ वेदविरुद्धमतखण्डन
द. शा. /द. शा. सं.	दयानन्द शास्त्रार्थसंग्रह
द. ल. शि.	दयानन्द लघुग्रन्थ शिक्षापत्री ध्वान्तनिवारण
द्र.	द्रष्टव्य
दिवा.	दिवादिगण (धातुपाठ)
नि. /निरु.	निरुक्त
पार. गृह्य	पारस्कर गृह्यसूत्र
पू. प्र.	पूना प्रवचन
पू. मी.	पूर्वमीमांसा
पृ.	पृष्ठ
पं. वि.	पञ्चमहायज्ञविधि
प्रपा.	प्रपाठक
बृह. स्मृति.	बृहस्पतिस्मृति
बौधा. ध.	बौधायन धर्मसूत्र
ब्रह्मा.	ब्रह्मावल्ली
भ्वा.	भ्वादिगण (धातुपाठ)
मनु.	मनुस्मृति
मनु. का पु.	मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन
महा.	महाभारत
– आदि.	– आदिपर्व
– भीष्म.	– भीष्मपर्व
– शान्ति.	– शान्तिपर्व
मं.	मण्डल
मैत्रा. सं.	मैत्रायणी संहिता
यजु.	यजुर्वेद

याज्ञ. स्मृ.	याज्ञवल्क्य स्मृति
योग.	योगदर्शन
वा. रामा.	वाल्मीकि-रामायण
– बाल.	– बालकाण्ड
– अयो.	– अयोध्याकाण्ड
– किष्कि.	– किष्किन्धाकाण्ड
– आर./अर	– आरण्यककाण्ड/अरण्यकाण्ड
वासि. ध.	वासिष्ठ धर्मसूत्र
वेदा. सू.	वेदान्त सूत्र
वैशे. / वैशेषिक	वैशेषिक दर्शन
श. /शत .	शतपथ ब्राह्मण
स. प्र.	सत्यार्थप्रकाश (द्वितीयसंस्करण)
– प्र. समु.	प्रथम समुल्लास
सं.	सम्पादक
सं. वि.	संस्कारविधि (द्वितीयसंस्करण)
साम.	सामवेद
सांख्य	सांख्यदर्शन
सू.	सूक्त
सूत्र.	सूत्रस्थान

विशेष – इस ग्रन्थ में पृष्ठसंख्या देते हुए सत्यार्थ-प्रकाश व संस्कारविधि के द्वितीय संस्करण तथा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के प्रथम संस्करण का उपयोग किया गया है। अत : जिन सज्जनों के पास ये संस्करण नहीं हैं, उनकी सुविधा के लिए इन पुस्तकों की पृष्ठ-संख्या देकर सामने उनके प्रकरण वा समुल्लास दिये जाते हैं। पृष्ठसंख्या के अनुसार पाठक उन-उन प्रकरणों वा समुल्लासों को देख लें –

सत्यार्थप्रकाश

१ – ८	निवेदन व भूमिका
९ – २७	प्रथम समुल्लास
२८ – ३६	द्वितीय ”
३७ – ७७	तृतीय ”
७८ – १२३	चतुर्थ ”
१२४ – १३७	पञ्चम ”
१३८ – १७७	षष्ठ ”
१७८ – २०६	सप्तम ”
२०७ – २३१	अष्टम ”
२३२ – २५५	नवम समुल्लास
२५६ – २७०	दशम ”
२७१ – ३९४	एकादश ”
३९५ – ४६१	द्वादश ”
४६२ – ५१८	त्रयोदश ”
५१९ – ५९२	चतुर्दश ”

संस्कारविधि

१३ – २६	सामान्य प्रकरण
२७ – ३८	गर्भाधान संस्कार
३९ – ४१	पुंसवन ”

४२ – ४५	सीमन्तोन्नयन	”
४६ – ५१	जातकर्म	”
५२ – ५४	नामकरण संस्कार	
५५ – ५७	निष्क्रमण	”
५८ – ५९	अन्नप्राशन	”
६० – ६३	चूड़ाकर्म	”
६४ – ६४	कर्णवेध	”
६५ – ७१	उपनयन	”
७२ – ९१	वेदारम्भ	”
९२ – ९७	समावर्तन	”
९८ – १३६	विवाह	”
१३७ – १८७	गृहाश्रम	”
१८८ – १९३	वानप्रस्थाश्रम	”
१९४ – २१७	संन्यासाश्रम	”
२१८ – २२६	अंत्येष्टि	”

ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका

१ – ९	ईश्वरप्रार्थना
९ – २६	वेदोत्पत्ति
२७ – ४१	वेदानां नित्यत्वविचारः
४२ – ८०	वेदविषयविचार
८१ – ८८	वेदसंज्ञाविचार
८८ – ९२	ब्रह्मविद्या
९२ – ११५	वेदोक्त धर्म
११५ – १३६	सृष्टिविद्या
१३६ – १३९	पृथिव्यादिलोकभ्रमण
१३९ – १४२	धारण-आकर्षण
१४३ – १४४	प्रकाश्यप्रकाशक
१४५ – १४८	गणितविद्या
१४८ – १५५	प्रार्थना-याचना-समर्पण
१५५ – १८१	उपासनाविधान
१८१ – १८८	मुक्तिविषय
१८९ – १९८	नौविमानादिविद्या
१९९ – २००	तारविद्या
२०० – २०१	वैद्यकशास्त्रमूल
२०१ – २०७	पुनर्जन्म
२०८ – २१०	विवाह
२१० – २१४	नियोग
२१५ – २३२	राजप्रजाधर्म
२३३ – २३७	वर्णाश्रमधर्म
२३८ – २३८	ब्रह्मचर्याश्रम
२३९ – २४०	गृहाश्रम
२४१ – २४२	वानप्रस्थाश्रम
२४३ – २४५	संन्यासाश्रम
२४५ – २७२	पञ्चमहायज्ञ
२७२ – ३०८	ग्रन्थप्रमाण्याप्रमाण्य
३०९ – ३१२	अधिकारानधिकार
३१३ – ३१९	पठनपाठन
३२० – ३३९	भाष्यकरणशंकासमाधान
३३९ – ३४१	प्रतिज्ञा
३४२ – ३५१	प्रश्नोत्तर
३५२ – ३५२	वैदिक-प्रयोगनियम
३५३ – ३५४	स्वरव्यवस्था
३५५ – ३६९	व्याकरणनियम
३७० – ३७२	अलंकारभेद
३७३ – ३७६	ग्रन्थसंकेत

श्लोकों की संख्याविषयक तथा अन्य ज्ञातव्य बातें –

१. जिन अध्यायों के विभाजन में परिवर्तन नहीं किया गया है (प्रथम, द्वितीय और दशम को छोड़कर), उनमें श्लोकों के साथ दो-दो संख्याएं है । उनमें पहले, सभी श्लोकों की क्रमानुसार संख्या है, और उसके बाद लघुकोष्ठक में मौलिक माने गये श्लोकों की क्रमसंख्या है ।

— प्रथम अध्याय में जिन श्लोकों के साथ तीन-तीन संख्याएं हैं (१ । १२० से १४४ तक), उनमें पहली क्रमानुसार श्लोक संख्या है, दूसरी बृहत्कोष्ठक में द्वितीय अध्याय के उन श्लोकों की प्रचलित संख्या है जो प्रथम में सम्मिलित किये गये हैं, और तीसरी, लघुकोष्ठक में मौलिक श्लोकों की क्रम संख्या है ।

— द्वितीय अध्याय की तीन संख्याओं में पहली क्रमानुसार श्लोक संख्या है, दूसरी बृहत्कोष्ठक में प्रचलित संख्या है, तीसरी लघुकोष्ठक में मौलिक श्लोकों की क्रम संख्या है ।
— दशम अध्याय में दो-दो श्लोक संख्याएं हैं । पहली प्रचलित अध्याय व श्लोक की क्रमसंख्या है । दूसरी लघुकोष्ठक में मौलिक श्लोकों की क्रम संख्या है ।

२. सम्पूर्ण मनुस्मृति वाले संस्करण में मौलिक सिद्ध हुए श्लोकों को मोटे टाइप में और प्रक्षिप्त माने गये श्लोकों को छोटे टाइप में प्रकाशित किया है, जिससे देखते ही श्लोकों की प्रक्षिप्तता एवं मौलिकता का ज्ञान हो सके ।

३. महर्षि दयानन्द के भाष्य वाले श्लोकों में श्लोकों के पद भाष्यकार की ओर से डाले गये हैं । जहां उनका भाष्य या भाव ज्यों का त्यों बिना श्लोकपद डाले उद्धृत किया है, वहां उसे उद्धरण चिन्ह " " के अन्तर्गत रखा गया है । महर्षि के भाव में जहां कहीं किसी श्लोकपद का अर्थ नहीं है, वहां चिन्ह देकर श्लोकार्थ के नीचे भाष्यकार की ओर से उसका अर्थ दिया गया है । उन पदों को पाठक उन-उन चिन्हों के स्थान पर जोड़कर पढ़ें ।

४. टिप्पणी में दर्शाये गये प्रचलित अर्थ कुल्लूक भाष्य पर आधारित पं. हरगोविन्द शास्त्री की हिन्दी टीका से उद्धृत किये गये हैं ।

मनुस्मृति-विषयानुक्रमणिका

विशेष— सितारे के चिह्न से अंकित शीर्षक पूर्णतः प्रक्षिप्त प्रसंगों के हैं।

प्रथम अध्याय श्लोक संख्या
(सृष्टि-उत्पत्ति एवं धर्मोत्पत्ति विषय)

मनुस्मृति-भूमिका १ से ४ तक
महर्षियों का मनु के पास आगमन १
महर्षियों का मनु से वर्णाश्रमधर्मों के विषय में प्रश्न २ – ३
मनु का महर्षियों को उत्तर ४
जगदुत्पत्ति-विषय ५ से १०७, १४४ तक
उत्पत्ति से पूर्व जगत् की स्थिति ५
जगदुत्पत्ति और उसका क्रम ६
*ईश्वर की उत्पत्ति ७
*अप्-तत्त्व की सर्वप्रथम उत्पत्ति ८
*ब्रह्मा की उत्पत्ति ९
*नारायण शब्द की निरुक्ति १०
*ब्रह्मा के स्वरूप का कथन ११
*अण्डे के दो खण्ड करना १२
*अण्ड-खण्डों से लोकों की रचना १३
प्रकृति से महत् आदि तत्त्वों की उत्पत्ति १४-१५
पञ्चमहाभूतों की सृष्टि का वर्णन १६
*ब्रह्मा के शरीर की निरुक्ति १७
सूक्ष्म शरीर से आत्मा का संयोग १८
समस्त विनश्वर संसार की उत्पत्ति १९
पञ्चमहाभूतों के गुणों का कथन २०
वेदशब्दों से नामकरण एवं विभाग २१
उपसंहार रूप में समस्त जगत् की उत्पत्ति का वर्णन २२
वेदों का आविर्भाव २३
*समय आदि की उत्पत्ति २४-२५
धर्म-अधर्म सुख-दुःख आदि का विभाग २६
सूक्ष्म से स्थूल के क्रम से सृष्टि का वर्णन २७
जीवों का कर्मों से संयोग २८ – ३०
चार वर्णों की व्यवस्था का निर्माण ३१
*ब्रह्मा से स्त्री-पुरुष की उत्पत्ति ३२
*मनु की उत्पत्ति ३३
*दश प्रजापतियों की उत्पत्ति ३४– ३५
*पुनः सात मनुओं तथा देवों की सृष्टि ३६
*यक्ष आदि की सृष्टि ३७ – ४१
प्राणियों की उत्पत्ति का प्रकार ४२
जरायुज-जीव ४३
अण्डज-जीव ४४
स्वेदज-जीव ४५
उद्भिज्ज-जीव तथा औषधियां ४६
वनस्पति तथा वृक्ष ४७
गुल्म, गुच्छ, तृण, प्रतान तथा बेल ४८
वृक्षों में अन्तश्चेतना ४९
*सांसारिक गतियों का उपसंहार ५०
*ब्रह्मा का अन्तर्धान ५१
परमात्मा की जाग्रत एवं सुषुप्ति अवस्थाएं ५२
परमात्मा की सुषुप्ति अवस्था में जगत् की प्रलयावस्था ५३ – ५७
*इस शास्त्र का अध्यापन क्रम ५८
*भृगु द्वारा इस शास्त्र का प्रवचन ५९ – ६३
निमेष, काष्ठा, कला, मुहूर्त और दिन रात का काल-परिमाण ६४
सूर्य द्वारा दिन-रात का विभाग ६५
*पितरों के दिन–रात ६६
दैवी दिन-रात उत्तरायण-दक्षिणायन ६७
ब्रह्म के दिन-रात का वर्णन ६८
सतयुग का परिमाण ६९
त्रेता, द्वापर तथा कलियुग का परिमाण ७०
देवयुग का परिमाण ७१
ब्रह्म के दिन-रात का परिमाण ७२ – ७३
सुषुप्तावस्था से जागने पर सृष्टि-उत्पत्ति का प्रारम्भ ७४

सूक्ष्म पञ्चभूतों की उत्पत्ति के क्रम में आकाश की उत्पत्ति ७५
वायु की उत्पत्ति ७६
अग्नि की उत्पत्ति ७७
जल और पृथ्वी की उत्पत्ति ७८
मन्वन्तर के काल-परिमाण ७९ – ८०
*युगानुसार धर्म की पूर्णता एवं ह्रास ८१ – ८६
चारों वर्णों के कर्मों का निर्धारण ८७
ब्राह्मण के कर्म ८८
क्षत्रिय के कर्म ८९
वैश्य के कर्म ९०
शूद्र के कर्म ९१
*सब अंगों में मुख की श्रेष्ठता एवं तद्वत् ब्राह्मणों की श्रेष्ठता और महत्ता का वर्णन ९२ – १०१
*इस शास्त्र की रचना का प्रयोजन १०२ – १०३
*इस शास्त्र के अध्ययन का फल १०४ – १०६
*इस शास्त्र का प्रतिपाद्य १०७
धर्मोत्पत्ति विषय की भूमिका १०८ से ११० तक
सदाचार परम धर्म १०८
आचार-हीन को वैदिक कर्मों की फल-प्राप्ति नहीं १०९
सदाचार धर्म का मूल है ११०
*मनुस्मृति की अध्यायानुसार विषय-सूची १११ – ११८
*भृगु द्वारा इस शास्त्र का प्रवचन ११९
धर्मोत्पत्ति विषय १२० से १४४ तक
विद्वानों द्वारा सेवित धर्म का वर्णन-प्रारम्भ १२०
सकामता-अकामता विवेचन १२१ – १२४
धर्म के मूल स्रोत और आधार १२५
*वेद सर्वज्ञानमय १२६
आत्मानुकूल धर्म का ग्रहण १२७
श्रुति-स्मृति-प्रोक्त धर्म के अनुष्ठान का फल १२८
श्रुति और स्मृति का परिचय १२९
श्रुति-स्मृति का अपमान करने वाला नास्तिक है १३०
धर्म के चार आधार रूप लक्षण १३१
धर्म-जिज्ञासा में श्रुति परमप्रमाण और धर्मज्ञान के पात्र १३२
वेदोक्त सब विधान धर्म हैं १३३ – १३४
*इस शास्त्र के पढ़ने के अधिकारी १३५
ब्रह्मावर्त देश की सीमा १३६
सदाचार का लक्षण १३७
*ब्रह्मर्षि देश की सीमा १३८
सारे संसार के लोग ब्रह्मावर्त के विद्वानों से चरित्र की शिक्षा ग्रहण करें १३९
मध्यदेश की सीमा १४०
आर्यावर्त देश की सीमा १४१
वह आर्यावर्त यज्ञिय देश है, उससे परे म्लेच्छ देश १४२
*द्विज कहां निवास करें १४३
सृष्टि एवं धर्मोत्पत्ति विषय की समाप्ति का कथन, वर्णधर्मों का वर्णन प्रारम्भ १४४

द्वितीय अध्याय
(संस्कार एवं ब्रह्मचर्याश्रम-विषय)

संस्कार १ से ४२ तक
संस्कारों को करने का निर्देश और उनसे लाभ १
'संस्कारों' से बुरे संस्कारों का निवारण २
वेदाध्ययन, यज्ञ, व्रत आदि से ब्रह्म की प्राप्ति ३
जातकर्म संस्कार का विधान ४
नामकरण संस्कार ५
वर्णानुसार नामकरण ६ – ७
स्त्रियों के नामकरण की विधि ८
निष्क्रमण और अन्नप्राशन संस्कार ९
मुण्डन संस्कार १०
उपनयन संस्कार का सामान्य समय ११
उपनयन का विशेष समय १२
उपनयन की अन्तिम अवधि १३
उपनयन से पतित व्रात्यों का लक्षण १४
व्रात्यों के साथ सम्बन्ध विच्छेद

का कथन १५
वर्णानुसार मृगचर्मों का विधान १६
मेखला-विधान १७
मेखलाओं का विकल्प १८
वर्णानुसार यज्ञोपवीत १९
वर्णानुसार दण्डविधान २०
दण्डों का वर्णानुसार मान २१
दण्डों का स्वरूप २२
भिक्षा-विधान २३
भिक्षा-विधि २४
भिक्षा किन से माँगे २५
गुरु को भिक्षा-समर्पण २६
*चारों दिशाओं की ओर मुख करके भोजन करने का फल २७
भोजन से पूर्व आचमन-विधान २८
भोजन सम्बन्धी आवश्यक विधान २९ — ३२
आचमन विधि ३३ — ३८
मेखलादि की पुनर्ग्रहण-विधि ३९
केशान्त संस्कार कर्म ४०
*स्त्रियों के लिए मन्त्ररहित संस्कारों का विधान ४१ — ४२
उपनयन विधि की समाप्ति एवं ब्रह्मचारी के कर्मों का कथन ४३

ब्रह्मचारियों के कर्त्तव्य ४४ से २२४ तक

उपनयन के पश्चात् ब्रह्मचारी को शिक्षा ४४
*वेदाध्ययन की विधि ४५
वेदाध्ययन से पहले गुरु को अभिवादन ४६
गुरु को अभिवादन करने की विधि ४७
अध्ययन के आरम्भ एवं समाप्ति की विधि ४८
वेदाध्ययन के आद्यन्त में प्रणवोच्चारण का विधान ४९ — ५०
'ओ३म्' एवं गायत्री की उत्पत्ति ५१ — ५२
'ओ३म्' एवं गायत्री के जप का फल ५३ — ५९
*मानस जप की श्रेष्ठता ६० — ६२
इन्द्रियसंयम का निर्देश ६३
ग्यारह इन्द्रियों की गणना ६४ — ६६
ग्यारहवीं इन्द्रिय मन ६७
इन्द्रिय-संयम से प्रत्येक कार्य में सिद्धि ६८
विषयों के सेवन से इच्छाओं की वृद्धि ६९
विषय त्याग ही श्रेष्ठ है ७० — ७१
विषयी व्यक्ति को सिद्धि नहीं मिलती ७२
जितेन्द्रिय की परिभाषा ७३
एक भी इन्द्रिय के असंयम से प्रज्ञाहानि ७४
इन्द्रिय संयम से सब अर्थों की सिद्धि ७५
सन्ध्योपासन-समय ७६
सन्ध्योपासना का फल ७७
सन्ध्योपासना न करने वाला शूद्रवत् ७८
प्रतिदिन गायत्री जप का विधान ७९
वेद, अग्निहोत्र आदि में अनध्याय नहीं होता ८० — ८१
स्वाध्याय का फल ८२
समावर्तन तक होमादि-कर्तव्य करने का कथन ८३
पढ़ाने योग्य विषय ८४
प्रश्नादि के बिना उपदेश निषेध ८५
दुर्भावना-पूर्वक प्रश्न-उत्तर से हानि ८६
विद्या-दान किसे न दें ८७
कुपात्र को विद्या-दान का निषेध ८८
विद्यादान सम्बन्धी आख्यान एवं निर्देश ८९ — ९०
*बिना पढ़ाये वेदग्रहण का निषेध ९१
गुरु को प्रथम अभिवादन ९२
*विप्र की श्रेष्ठता-अश्रेष्ठता ९३
गुरु की शय्या और आसन पर न बैठें ९४
बड़ों को अभिवादन से मानसिक प्रसन्नता ९५
अभिवादन और सेवा से आयु, विद्या, यश, बल की वृद्धि ९६
अभिवादन-विधि ९७ — ९९
अभिवादन का उत्तर देने की विधि १००
अभिवादन का उत्तर न देने वाले को अभिवादन न करें १०१
वर्णानुसार कुशल प्रश्नविधि १०२
दीक्षित के नामोच्चारण का निषेध १०३
परस्त्री के नामोच्चारण का निषेध १०४

*पारिवारिक एवं सम्बन्धी जनों का अभिवादन १०५ – १०८
*नागरिकों आदि से मैत्री-व्यवहार १०९
*बालक ब्राह्मण भी वृद्ध क्षत्रियों के पिता के समान ११०
सम्मान के आधार १११ – ११२
किस-किस के लिए मार्ग दें ११३
राजा और स्नातक में स्नातक अधिक मान्य ११४
आचार्य का लक्षण ११५
उपाध्याय का लक्षण ११६
पिता-गुरु का लक्षण ११७
ऋत्विक् का लक्षण ११८
अध्यापक या आचार्य की महत्ता ११९
उपाध्याय, आचार्य, पिता, माता की तुलना १२०
पिता से वेदज्ञाता आचार्य बड़ा होता है १२१ – १२२
आचार्य द्वारा प्रदत्त ब्रह्मजन्म स्थिर होता है १२३
गुरु का सामान्य लक्षण १२४
विद्वान् बालक वयोवृद्ध से बड़ा होता है १२५
उक्त विषय में आंगिरस का दृष्टान्त १२६ – १२७
विद्वत्ता के आधार पर बालक और पिता की परिभाषा १२८
अवस्था आदि की अपेक्षा वेदज्ञानी की श्रेष्ठता १२९
वर्णों में परस्पर श्रेष्ठता के आधार १३०
अवस्था की अपेक्षा ज्ञान से वृद्धत्व १३१
मूर्खता की निन्दा तथा मूर्ख का जीवन निष्फल १३२ – १३३
गुरु-शिष्यों का व्यवहार १३४
पवित्र मन वाला ही वैदिक कर्मों के फल को प्राप्त करता है १३५
दूसरों से द्रोह आदि का निषेध १३६
ब्राह्मण के लिए अपमान-सहन का निर्देश १३७ – १३९
द्विज के लिए वेदाभ्यास की अनिवार्यता १४०
वेदाभ्यास परम तप है १४१ – १४२
वेदाभ्यास के बिना शूद्रत्व प्राप्ति १४३
*द्वितीय जन्म का निरूपण १४४ – १४६
*यज्ञोपवीत से पूर्व वेदमन्त्रोच्चारण का निषेध १४७ – १४९
गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचारी के पालनीय विविध नियम १५०
ब्रह्मचारी के दैनिक नियम १५१
मद्य, मांस आदि का त्याग १५२
अंजन, छाता, जूता आदि धारण का निषेध १५३
जूआ, निंदा, स्त्रीदर्शन आदि का निषेध १५४
एकाकी शयन का विधान १५५
*स्वप्नदोष में प्रायश्चित्त १५६
भिक्षा सम्बन्धी नियम १५७
किनसे भिक्षा ग्रहण करें १५८
किन-किन से भिक्षा ग्रहण न करे १५९
पापकर्म करने वालों से भिक्षा न लें १६०
सायं प्रातः अग्निहोत्र का पुनः विशेष विधान १६१
*भिक्षा और यज्ञ न करने पर प्रायश्चित्त १६२ – १६३
*ब्राह्मण-ब्रह्मचारी के लिए भिक्षा-सम्बन्धी अपवाद १६४ – १६५
गुरु के समीप रहते ब्रह्मचारी की मर्यादाएं १६६
गुरु के सम्मुख सावधान होकर बैठें और खड़े हों १६७
गुरु के आदेशानुसार चलें १६८
गुरु से निम्न स्तर की वेशभूषा रखें १६९
बातचीत करने का शिष्टाचार १७० – १७२
गुरु से निम्न आसन पर बैठें १७३
गुरुका नाम न लें १७४
गुरु की निन्दा न सुनें १७५
*गुरु-निन्दा का फल १७६
गुरु को कब अभिवादन न करें १७७
साथ बैठने न बैठने सम्बन्धी निर्देश १७८
गुरु के साथ कहां-कहां बैठें १७९
गुरु के गुरु से गुरुतुल्य आचरण १८०
अन्य अध्यापकों से व्यवहार १८१

*गुरुपुत्र आदि से व्यवहार १८२ – १८४
*गुरुपत्नियों से व्यवहार १८५ – १८६
युवती गुरुपत्नी के चरणस्पर्श का निषेध और उसमें कारण १८७
युवती के चरण स्पर्श से हानि १८८ – १८९
स्त्रीवर्ग के साथ एकान्तवास निषेध १९०
युवती गुरुपत्नी के अभिवादन की विधि १९१ – १९२
गुरु-सेवा का फल १९३
ब्रह्मचारी के लिए केश सम्बन्धी तीन विकल्प एवं ग्राम-निवास का निषेध १९४
प्रमादवश सोते रहने पर प्रायश्चित्त १९५ – १९६
सन्ध्योपासन का विधान एवं विधि १९७
स्त्री-शूद्रादि के उत्तम आचरण का अनुकरण करें १९८
*त्रिवर्ग सम्बन्धी मान्यताएं १९९ – २१२
निम्नस्तर के व्यक्ति से भी ज्ञान-धर्म की प्राप्ति २१३
उत्तम वस्तुओं का सभी स्थानों से ग्रहण २१४ – २१५
आपत्ति काल में अब्राह्मण से विद्याध्ययन एवं उसके नियम २१६ – २१८
*आजीवन गुरु–सेवा का फल २१९
समावर्तन की इच्छा होने पर गुरुदक्षिणा का विधान एवं नियम २२०
गुरुदक्षिणा में देय वस्तुएं २२१
*गुरु के निधन पर गुरुदक्षिणा का विधान २२२ – २२३
आजीवन ब्रह्मचर्य पालन का फल २२४

तृतीय अध्याय
(समावर्तन, विवाह एवं पञ्चयज्ञविधान-विधान)

समावर्तन १ से ३ तक
ब्रह्मचर्य और वेदाध्ययनकाल १
समावर्तन कब करे २ – ३
विवाह-विषय ४ से ६६ तक
गुरु की आज्ञा से विवाह ४
विवाह-योग्य कन्या ५
विवाह में त्याज्य कुल ६ – ७
विवाह में त्याज्य कन्याएं ८ – ९
विवाह योग्य कन्या १०
*भ्रातृरहित कन्या से विवाह में सावधानी ११
*सवर्ण कन्या के अतिरिक्त विवाह-विधान १२ – १३
*शूद्र-कन्या से विवाह का निषेध और उससे हानियां १४ – १७
आठ प्रकार के प्रचलित विवाह और उनकी विधि २० – २१
वर्णानुसार धर्म्य विवाह २२ – २६
ब्राह्म अर्थात् स्वयंवर विवाह का लक्षण २७
दैव विवाह का लक्षण २८
आर्ष विवाह का लक्षण २९
प्राजापत्य विवाह का लक्षण ३०
आसुर विवाह का लक्षण ३१
गान्धर्व विवाह का लक्षण ३२
राक्षस विवाह का लक्षण ३३
पैशाच विवाह का लक्षण ३४
*द्विजों की कन्यादान की विधि ३५
*विवाहों के गुण लाभ ३६ – ३८
प्रथम चार उत्तम विवाहों से लाभ ३९ – ४०
अन्तिम चार विवाह निन्दनीय ४१
श्रेष्ठ विवाह से श्रेष्ठ सन्तान, बुरों से बुरी ४२
*सवर्ण-असवर्ण कन्या से विवाह करने की विधि ४३ – ४४
ऋतुकाल-गमन सम्बन्धी विधान ४५
स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल ४६
निन्दित रात्रियां ४७
पुत्र और पुत्री प्राप्त्यर्थ रात्रि की पृथक्ता ४८
पुत्र और पुत्री होने में कारण ४९
संयमी गृहस्थ भी ब्रह्मचारी ५०
वर से कन्या का मूल्य लेने का निषेध ५१ – ५२
आर्ष-विवाह में भी गो-युगल लेने का निषेध ५३ – ५४

स्त्रियों के आदर का विधान तथा उसका फल ५५
स्त्रियों का आदर करने से दिव्य लाभों की प्राप्ति ५६
स्त्रियों के शोकग्रस्त रहने से परिवार का विनाश ५७ – ५८
स्त्रियों का सदा सत्कार-सम्मान रखें ५९
पति-पत्नी की परस्पर संन्तुष्टि से परिवार का कल्याण ६०
पति-पत्नी में पारस्परिक अप्रसन्नता से सन्तान न होना ६१
स्त्री की प्रसन्नता पर कुल में प्रसन्नता ६२
कुलों को पतित करने वाले कर्म ६३ – ६६
पञ्चमहायज्ञ-विषय ६७ – २८६ तक
पञ्चमहायज्ञों का विधान ६७
पञ्चमहायज्ञों के अनुष्ठान का कारण ६८ – ६९
पञ्चमहायज्ञों के नाम एवं नामान्तर ७० – ७२
पञ्चयज्ञों के नामान्तर ७३ – ७४
ब्रह्मयज्ञ एवं अग्निहोत्र का विधान ७५
अग्निहोत्र से लाभ ७६
गृहस्थाश्रम की महत्ता एवं श्रेष्ठता ७७ – ७८
गृहस्थ के योग्य कौन ७९ – ८०
पञ्चयज्ञों के मुख्य कर्म ८१
पितृयज्ञ का विधान ८२
* पितृयज्ञ और बलिवैश्वदेव में किसको जिमायें ८३
बलिवैश्वदेव यज्ञ का विधान ८४ – ९२
*बलि रखने से उत्तम गति ९३
अतिथियज्ञ का विधान ९४ – १००
सज्जनों के घर में सत्कारार्थ सदा उपलब्ध वस्तुएं १०१
अतिथि का लक्षण १०२
अतिथि कौन नहीं होते १०३
दूसरों के यहां खाने की भावना से पाप १०४
घर से अतिथि को न लौटायें १०५
अतिथिपूजन सुख-आयु-यशोदायक १०६ - १०७
दोबारा भोजन पकाने पर बलियज्ञ नहीं १०८ – ११२
अतिथियों से भिन्न व्यक्तियों को भोजन ११३
अतिथियों से पहले किनको भोजन दें ११४ – ११५
गृहस्थ दम्पती को सबके बाद भोजन करना और यज्ञशेष भोजन करना ११६ – ११८
*राजा आदि का सत्कार ११९ – १२१
*मृतक श्राद्ध का विधान एवं तत्सम्बन्धी नियम **१२२ से २८४ तक**
*श्राद्ध में अपांक्तेय ब्राह्मण १५० – १६९
*अपांक्तेय ब्राह्मणों को दान देने से फल की अप्राप्ति १७० – १८२
*पांक्तेय ब्राह्मण १८३ – १९२
*पितरों की उत्पत्ति १९३ – २०२
*देवकर्म से पितृकर्म श्रेष्ठ २०३ – २०४
*देवकर्म और पितृश्राद्ध की विधियां २०५ – २३६
*पितरों को कौन सा अन्न प्राप्त नहीं होता २३७ – २३८
*श्राद्ध जिमाते समय सावधानियां २३९ – २४३
*श्राद्ध में अन्य भाग २४४ – २४६
*पिण्डदान-सम्बन्धी विधान २४७ – २४८
श्राद्ध भोजन के बाद की विधियां २४९ – २६६
पितरों को तृप्तिदायक अन्न एवं मांस और तृप्ति की अवधि २६७ – २८०
*त्रैमासिक श्राद्ध का विधान २८१ – २८३
*पिता आदि की वसु आदि संज्ञाएं २८४
*गृहस्थ के लिए दो ही प्रकार के भोजनों का विधान २८५
*उपसंहार २८६

चतुर्थ अध्याय
(गृहस्थान्तर्गत आजीविका एवं व्रत विषय)

आजीविका १ से १२ तक
आयु के द्वितीय भाग में गृहस्थी बने १
गृहस्थी की परपीड़ारहित जीविका हो २
धनसंग्रह जीवनयात्रा चलाने मात्र के लिए हो ३
*जीविकाओं के भेद ४ – ६
*धान्यसंग्रही के भेद ७ – १०
शास्त्रविरुद्ध जीविका न हो ११
सन्तोष सुख का मूल है, असन्तोष दु :ख का १२
स्नातक गृहस्थियों के व्रत १३–२५९
गृहस्थों के लिए सतोगुणवर्धक व्रत १३ – १४
अधर्म से धनसंग्रह न करें १५
इन्द्रियासक्ति-निषेध १६
स्वाध्याय से कृतकृत्यता १७ – २०
पंचयज्ञों के पालन का निर्देश २१ – २४
अग्निहोत्र का विधान २५ – २८
अतिथिसत्कार का विधान २९
सत्कार के अयोग्य व्यक्ति ३०
सत्कार के योग्य व्यक्ति ३१
भिक्षा एवं बलिवैश्वदेव का विधान ३२
*भूख की अवस्था में राजा से धनग्रहण ३३ – ३४
स्वाध्याय में तत्पर रहना ३५
*लाठी, कमण्डलु आदि का धारण ३६
*त्याज्य बातें ३७ – ३९
रजस्वलागमन निषेध एवं उससे हानि ४० – ४१
रजस्वलागमन-त्याग से लाभ ४२
*स्त्री को किन अवस्थाओं में न देखें ४३ – ४४
*मलमूत्रादि त्याग में वर्ज्य बातें ४५ – ५२
*विविध त्याज्य बातें ५३ – ६६
सवारी किन पशुओं से न करें या करें ६७ – ६८
*बालसूर्यदर्शन आदि निषेध ६९ – ७८
दुष्टों का संग न करें ७९
*शूद्र को उपदेश आदि का निषेध ८० – ८३
*अक्षत्रिय राजा से दान का निषेध ८४ – ८६
*अक्षत्रिय राजा से दान लेने से नरकप्राप्ति ८७ – ९१
ब्राह्ममुहूर्त में जागरण ९२
सन्ध्योपासनादि नित्यचर्या का पालन एवं उससे दीर्घायु की प्राप्ति ९५ – १००
*विविध अनध्यायों का विधान १०१ – १२७
स्त्रीगमन में पर्व दिनों का त्याग करें १२८
*खाने के बाद स्नान आदि का निषेध १२९ – १३२
परस्त्री-सेवन का निषेध एवं त्याज्य व्यक्ति १३३
परस्त्री-सेवन से हानियां १३४
*इन तीनों का अपमान न करें १३५ – १३६
आत्महीनता की भावना मन में न लायें १३७
सत्य तथा प्रिय भाषण करें १३८
भद्र व्यवहार करें १३९
हीन, विकलांगों आदि पर व्यंग्य न करें १४०
*गाय आदि का उच्छिष्ट हाथ से स्पर्श-निषेध १४१ – १४४
कल्याणकारी यज्ञ-सन्ध्या आदि कार्य करें १४५
यज्ञ-सन्ध्या आदि कल्याणकारी कार्यों से लाभ १४६
वेदाभ्यास परमधर्म है १४७
वेदाभ्यास का कथन और उसका फल १४८ – १४९
*धार्मिकचर्या की विविध बातें १५० – १५३
वृद्धों का अभिवादन एवं स्वागत १५४

सदाचार की प्रशंसा एवं फल १५५ – १५६
दुराचार से हानि १५७ – १५८
परवश कर्मों का त्याग १५९
सुख-दु:ख का लक्षण १६०
आत्मा के प्रसन्नताकारक कार्य ही करें १६१
माता-पिता-आचार्यादि की हिंसा न करें १६२
नास्तिकता, वेदनिन्दा आदि निषिद्ध कर्म १६३
शिष्य को केवल शिक्षार्थ ताड़ना करें १६४
*ब्राह्मण की हिंसा से नरक १६५ – १६९
अधर्म-निंदा एवं अधर्म से दु:खप्राप्ति १७० – १७४
सत्यधर्म का पालन करें १७५
धर्मवर्जित अर्थ-काम का त्याग १७६
चपलता का त्याग १७७ – १७८
विवाद न करने योग्य व्यक्ति १७९ – १८५
प्रतिग्रह का लालच न रखें १८६
प्रतिग्रह की विधियां १८७ – १८९
दान लेने के अनधिकारी तीन प्रकार के व्यक्ति १९० – १९४
विडाल-व्रतिक का लक्षण १९५
बक-व्रतिक का लक्षण १९६ – २००
दूसरों के स्नान किए जल में न नहायें २०१ – २०२
किन जलों में स्नान करें २०३
यम-सेवन की प्रधानता २०४
*अभक्ष्य भोजन २०५ – २२५
*श्रद्धा से दानकार्य करें २२६
दानधर्म के पालन का कथन २२७ – २३२
वेददान की सर्वश्रेष्ठता २३३ – २३७
धर्मसंचय का विधान एवं धर्म-प्रशंसा २३८ – २४३
उत्तमों की संगति करें २४४ – २४५
श्रेष्ठ स्वभाव वाला बने २४६
*दान सम्बन्धी विविध बातें २४७ – २५४
झूठ बोलने वाला पापी है २५५ – २५६
योग्य पुत्र में गृहकार्यों का समर्पण २५७
आत्मचिन्तन का आदेश एवं फल २५८
विषय का उपसंहार २५९ – २६०

पञ्चम अध्याय
(गृहस्थान्तर्गत-भक्ष्याभक्ष्य-देहशुद्धि-द्रव्यशुद्धि-स्त्रीधर्म विषय)

भक्ष्याभक्ष्य १ से ५६ तक
*ऋषियों का भृगु से प्रश्न १ – ४
द्विजातियों के लिए अभक्ष्य पदार्थ ५ – ९
भक्ष्य पदार्थ १० – २५
*मांस भक्षण की यज्ञीय विधि २६ – ४४
निन्दित भोजन मांस हिंसामूलक होने से पाप है ४५ – ५०
मांसभक्षण प्रसंग में आठ प्रकार के पापियों की गणना ५१ – ५६
गृहस्थान्तर्गत देहशुद्धि विषय ५७ से ११० तक
अशुद्धि के समय ५८ – ५९
*सपिण्डता और समानोदक भाव ६० – ६१
*सूतक और मृतक सम्बन्धी विधान ६२ – ६३
*समीपस्थ बान्धवों की शुद्धि की विधि तथा अवधि ६४ – ७४
*विदेशस्थ बान्धवों की शुद्धि और अवधि ७५ – ७९
*अन्य शुद्धियों की विधि ८० – ९९
*असपिण्डों की प्रेतशुद्धि १०० – १०४
देह-शुद्धि कारक पदार्थों की गणना १०५
सर्वोत्तम शुद्धि अर्थशुचिता १०६
धर्माचरण से विविध चरित्र दोषों की शुद्धि १०७ – १०८
शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि की शुद्धि १०९ – ११०
द्रव्य-शुद्धि विषय १११ से १४६ तक
पात्रों की शुद्धि का प्रकार १११ – ११५
यज्ञ पात्रों की शुद्धि का प्रकार ११६ – ११७
अन्य वस्त्रादि पदार्थों की शुद्धि ११८ – १२६
*शुद्ध और अशुद्ध वस्तुओं की गणना १२७ – १३६
*ब्रह्मचारी और संन्यासियों के लिए शुद्धि-प्रकार १३७

*विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों की शुद्धि का प्रकार १३८ – १४६
गृहस्थान्तर्गत पत्नीधर्म विषय १४७ से १६६ तक
*स्त्री-स्वतंत्रता का निषेध १४७ – १४८
स्त्री के पिता, पति, पुत्र से अलग रहने से हानि की आशंका १४९
पत्नी में कौन से गुण होने चाहिएं १५१
स्त्री पर विवाह के बाद पति का स्वामित्व १५२ – १६२
पूर्वपति को छोड़कर दूसरे श्रेष्ठ पति को अपनाने की निन्दा १६३ – १६४
पति के अनुकूल आचरण से पत्नी अधिक सम्मान्य होती है १६५ – १६६
स्त्री की मृत्यु पर यज्ञपूर्वक अग्नि संस्कार १६७ – १६८
उपसंहार १६९

षष्ठ-अध्याय
(वानप्रस्थ-संन्यासधर्म विषय)
वानप्रस्थ विषय १ से ३२ तक
वानप्रस्थ धारण करें १
वानप्रस्थ धारण का समय २
वानप्रस्थ धारण की विधि ३ – ४
वानप्रस्थ के लिए पञ्चयज्ञों का विधान ५ – ६
अतिथियज्ञ एवं पितृयज्ञ का विधान ७
ब्रह्मयज्ञ का विधान ८
अग्निहोत्र का विधान ९
विशेष यज्ञों का आयोजन करे १०
बलिवैश्वदेव यज्ञ का विधान ११ – १२
पवित्र भोजन करे १३
अभक्ष्य पदार्थ १४ – १५
वानप्रस्थ ग्रामोत्पन्न पदार्थ न खाए १६ – २१
*विविध तपस्याओं का विधान २२ – २५
सांसारिक सुखों में आसक्ति न रखते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करें २६
तपस्वियों के घरों से भिक्षा का ग्रहण २७ – २८
आत्मशुद्धि के लिए वेदमन्त्रों का मनन-चिन्तन २९ – ३२
संन्यास धर्म विषय ३३ से ८५ तक
संन्यास-ग्रहण का विधान ३३ – ३७
परमात्म-प्राप्ति हेतु गृहाश्रम से भी संन्यास ले सकता है ३८ – ४०
वैराग्य होने पर गृहस्थ या ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास-ग्रहण ४१
संन्यासी एकाकी विचरण करे ४२
निर्लिप्त भाव से गांव में भिक्षा ग्रहण करे ४३ – ४४
जीवन-मरण के प्रति समदृष्टि ४५
पवित्र एवं सत्य आचरण करे ४६
अपमान को सहन करे ४७
क्रोध आदि न करे ४८
आध्यात्मिक आचरण में स्थित रहे ४९
भोजन पाने के लिए पाखण्ड न करे ५० – ५१
मुण्डनपूर्वक गेरुवे वस्त्र धारण करके रहे ५२ – ५४
एक समय ही भिक्षा मांगे ५५ – ५६
भिक्षा न प्राप्त होने पर दुःख का अनुभव न करे ५७
प्रशंसा-लाभ आदि से बचे ५८
इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखकर मोक्ष के लिए सामर्थ्य बढ़ाये ५९ – ६०
मनुष्य-जीवन की दुःखमय गति-स्थितियां और उनका चिन्तन ६१ – ६३
अधर्म से दुःख और धर्म से सुख प्राप्ति ६४
योग से परमात्मा का प्रत्यक्ष करे ६५
दूषित आदि प्रत्येक अवस्था में धर्म का पालन आवश्यक ६६
धर्माचरण के बिना बाहरी दिखावे से श्रेष्ठ फल नहीं ६७ – ६९
प्राणायाम अवश्य करे ७०
प्राणायाम से इन्द्रियों के दोषों का क्षय ७१
प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार से दोषों का क्षय ७२
ध्यान से यथार्थ ज्ञान ७३
यथार्थज्ञान से कर्म-बन्धन का विनाश ७४
अहिंसा आदि वैदिक कर्मों से परमात्मा पद की प्राप्ति ७५

अपवित्र शरीर का त्याग ७६ – ७९
निःस्पृहता से सुख एवं मोक्षप्राप्ति ८०
परमात्मा में अधिष्ठान ८१ – ८२
परमात्मा ही सुख का स्थान है ८४
संन्यास विषय का उपसंहार ८५
आश्रम धर्मों की समाप्ति पर उपसंहार ८७
आश्रम धर्मों के पालन से मोक्ष की ओर प्रगति ८८
गृहस्थ की श्रेष्ठता ८९
गृहस्थ समुद्रवत् है ९०
धर्म के दश लक्षण ९२
दशलक्षणात्मक धर्मपालन से उत्तम गति ९३
आश्रम धर्मों एवं ब्राह्मणधर्मों का उपसंहार ९७

सप्तम-अध्याय
(राजधर्म विषय)

राजा की नियुक्ति एवं सिद्धि १ से ३५ तक
राजा बनने का अधिकारी २
राजा बनने की आवश्यकता ३
राजा के आठ विशिष्ट गुण ४
राजा दिव्यगुणों के कारण प्रभावशाली ५ – ७
राजा की अवमानना न करें ८ – १३
दण्ड की सृष्टि और उपयोगविधि १४ – १६
दण्ड का महत्त्व १७ – १८
न्यायानुसार दण्ड ही हितकारी १९ – २५
दण्ड देने का अधिकारी राजा कौन २६
अन्यायपूर्वक दण्ड-प्रयोग राजा का विनाशक २७ – ३२
न्यायानुसार दण्डादि देने से राजा की यशवृद्धि ३३
न्यायविरुद्ध आचरण से यशनाश ३४
राजा की नियुक्ति नामक विषय का उपसंहार ३५
राजा की जीवनचर्या और भृत्यों आदि की नियुक्ति सम्बन्धी विधान ३६
राजा वेदवेत्ता आचार्यों की मर्यादा में रहे ३७
राजा शिक्षक वेदवेत्ताओं का आदर-सत्कार करे ३८
राजा वेदवेत्ताओं से अनुशासन की शिक्षा ले ३९
*अनुशासन विहीन राजाओं के विनाश के उदाहरण ४० – ४१
*अनुशासनप्रिय राजाओं की समृद्धि के उदाहरण ४२
राजा विद्वानों से विद्याएं ग्रहण करे ४३
जितेन्द्रिय राजा ही प्रजाओं को वश में रख सकता है ४४
व्यसनों की गणना ४५ – ४६
दश कामज व्यसन ४७
क्रोधज आठ व्यसन ४८
सभी व्यसनों का मूल लोभ ४९
कामज और क्रोधज व्यसनों में अधिक कष्टदायक व्यसन ५० – ५२
व्यसन मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी ५३
मन्त्रियों की नियुक्ति ५४
राजा को सहायकों की आवश्यकता में कारण ५५
मन्त्रियों के साथ मन्त्रणा करे ५६ – ५९
आवश्यकतानुसार अन्य अमात्यों की नियुक्ति ६० – ६१
अमात्यों के सहयोगी अधिकारियों की नियुक्ति ६२
प्रधान दूत की नियुक्ति ६३
श्रेष्ठ दूत के लक्षण ६४ – ६५
दूत के कार्य ६६ – ६८
राजा के निवास योग्य देश ६९
छ : प्रकार के दुर्ग ७०
पर्वतदुर्ग की श्रेष्ठता ७१ – ७३
दुर्ग का महत्व ७४ – ७५
राजा का निवासगृह ७६
राजा के विवाह योग्य भार्या ७७
पुरोहित का वरण एवं उसके कर्त्तव्य ७८ – ८०
विविध विभागाध्यक्षों की नियुक्ति ८१
राजा स्नातक विद्वानों का सत्कार करे ८२ –
युद्ध के लिए गमन तथा युद्ध सम्बन्धी व्यवस्थाएं

युद्ध में किन को न मारे ९१ – ९३
युद्ध से पलायन करने वाला अपराधी होता है ९४ – ९६
*जीते हुए धन से राजा को 'उद्धार' देना ९७ – ९८
राजा द्वारा चिन्तनीय बातें ९९ – ११०
राजा प्रजा का शोषण न होने दे १११
प्रजा के शोषण से हानि ११२
राष्ट्र के नियन्त्रण के उपाय ११३
नियन्त्रण केन्द्रों और राजकार्यालयों का निर्माण ११४
अवर अधिकारियों आदि की नियुक्ति ११५ – १२०
नगरों में सचिवालय का निर्माण १२१
राजकर्मचारियों के आचरण का निरीक्षण १२२
रिश्वतखोर कर्मचारियों पर दृष्टि रखे १२३
रिश्वतखोर कर्मचारियों को दण्ड १२४
कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण १२५ – १२६
कर-ग्रहण सम्बन्धी व्यवस्थाएं १२७ – १३८
कर-ग्रहण में अतितृष्णा हानिकारक १३९ – १४०
रुग्णावस्था में प्रधान अमात्य को राजसभा का कार्य सौंपना १४१ – १४४
राजा के दैनिक कर्त्तव्य १४५
सभा में जाकर प्रजा के कष्टों को सुने १४६
राज्य सम्बन्धी मन्त्रणाओं के स्थान १४७
मन्त्रणा की गोपनीयता का महत्त्व १४८ – १५०
धर्म, काम, अर्थ सम्बन्धी बातों पर चिन्तन करें १५१
धर्म, अर्थ, काम में विरोध को दूर करे १५२
दूतसम्प्रेषण और गुप्तचरों के आचरण पर दृष्टि १५३
अष्टविध कर्म आदि पर चिन्तन १५४
राज्यमण्डल की विचारणीय चार मूल प्रकृतियां १५५
राज्य मण्डल की विचारणीय आठ और मूल प्रकृतियां १५६
राज्यमण्डल की प्रकृतियों के बहत्तर भेद १५७
शत्रु, मित्र और उदासीन की परिभाषा १५८ – १५९
सन्धि, विग्रह आदि षड्गुणों का वर्णन १६० – १६१
सन्धि और उसके भेद १६२ – १६३
विग्रह और उसके भेद १६४
यान और उसके भेद १६५
आसन और उसके भेद १६६
द्वैधीभाव और उसके भेद १६७
संश्रय और उसके भेद १६८
सन्धि का समय १६९
विग्रह का समय १७०
यान का समय १७१
आसन का समय १७२
द्वैधीभाव का समय १७३
संश्रय का समय १७४ – १७९
राजनीति का निष्कर्ष १८०
आक्रमण के लिए जाना और व्यूहरचना आदि की व्यवस्था १८१ – १८४
त्रिविध मार्ग का संशोधन करे १८५
आक्रमण के समय शत्रु और शत्रुमित्र पर विशेष दृष्टि रखें १८६
व्यूह रचनाएं १८७ – १९३
सेना का उत्साह-वर्धन १९४
शत्रुराजा को पीड़ित करने के उपाय १९५ – १९६
शत्रुराजा के अमात्यों में फूट १९७ – २००
राजा के विजयोपरान्त कर्त्तव्य २०१
हारे हुये राजा से प्रतिज्ञापत्र आदि लिखवाना २०२ – २०७
सच्चा मित्र सबसे बड़ी शक्ति २०८
प्रशंसनीय मित्रराजा के लक्षण २०९
कष्टकर शत्रु के लक्षण २१०
उदासीन के लक्षण २११
राजा द्वारा आत्मरक्षा सबसे आवश्यक २१२ – २१५
मन्त्रणा एवं शस्त्राभ्यास के बाद भोजनार्थ अन्तःपुर में जाना २१६
राजा सुपरीक्षित भोजन करे २१७ – २१९

खाद्य पदार्थों के समान अन्य प्रयोज्य साधनों में सावधानी २२०
भोजन के बाद विश्राम और राजकार्यों का चिन्तन २२१
सैनिकों एवं शस्त्रादि का निरीक्षण २२२
सन्ध्योपासना तथा गुप्तचरों और प्रतिनिधियों के सन्देशों को सुनना २२३
गुप्तचरों को समझाकर सायंकालीन भोजन के लिए अन्त:पुर में जाना २२४
रात्रिशयनकाल २२५ – २२६

अष्टम अध्याय
(राजधर्मान्तर्गत व्यवहार-निर्णय)

८–१ से ९–२५० तक

व्यवहारों अर्थात् मुकद्दमों के निर्णय के लिए राजा का न्यायसभा में प्रवेश १
न्यायसभा में मुकद्दमों को देखे २
अठारह प्रकार के मुकद्दमे ३ – ८
राजा के अभाव में मुकद्दमों के निर्णय के लिए मुख्य न्यायाधीश विद्वान् की नियुक्ति ९
मुख्य न्यायाधीश तीन विद्वानों के साथ मिलकर न्याय करे १०
ब्रह्मसभा (न्यायसभा) की परिभाषा ११
मुकद्दमों के निर्णय में धर्म की रक्षा की प्रेरणा १२
न्यायसभा में सत्य ही बोले और न्याय ही करे १३
अन्याय करने वाले सभासद् मृतकवत् हैं १४
मारा हुआ धर्म मारने वाले को ही नष्ट कर देता है १५
धर्महन्ता वृषल कहाता है १६
धर्म ही परजन्मों में साथ रहता है १७
अन्याय से सब सभासदों की निन्दा १८
राजा यथायोग्य व्यवहार से पापी नहीं कहलाता १९
शूद्र धर्मप्रवक्ता न हो २० – २४
निर्णय में हावभावों से मन की पहचान २५ – २६
बालधन की रक्षा २७
सन्ध्यादि के धन की रक्षा २८ – ३३
'राजा द्वारा सुरक्षित धन' की चोरी करने पर दण्ड ३४ – ३६
गड़े हुये धन का स्वामी ब्राह्मण ३७ – ३८
कर्त्तव्यों में संलग्न व्यक्ति सबके प्रिय ४२
राजा या राजपुरुष विवादों को न बढ़ाये ४३
अनुमान प्रमाण से निर्णय में सहायता ४४ – ४६
ऋण लेने-देने के विवाद का न्याय ८–४७ से ८–१७८
ऋण का न्याय ४७ – ५१
ऋणदाता से ऋण के लेखादि प्रमाणों का मांगना ५२
मुकद्दमों में अप्रामाणिक व्यक्ति ५३ – ६०
साक्षी कौन हों ६१ – ६३
साक्षी कौन नहीं हो सकते ६४ – ६७
विशेष प्रसंगों में साक्षी विशेष ६८
ऐकान्तिक अपराधों में सभी साक्षी मान्य हैं ६९ – ७५
बलात्कार आदि कार्यों में सभी साक्षी हो सकते हैं ७६
साक्ष्यों में निश्चय ७७ – ७९
स्वाभाविक साक्ष्य ही ग्राह्य है ७८
साक्ष्य लेने की विधि ७९ – ८३
साक्षी, आत्मा के विरुद्ध साक्ष्य न दे ८४ – १०८
*साक्षी में शपथ दिलाने का कथन १०९ – ११३
झूठी गवाही वाले मुकद्दमे पर पुनर्विचार ११५
असत्य साक्ष्य के आधार ११८
असत्य साक्ष्य में दोषानुसार दण्डव्यवस्था ११९ – १२५
दण्ड देते समय विचारणीय बातें १२६ – १३०
लेने-देने के व्यवहार में काम आने वाले बाट और मुद्राएं १३१
तोल के पहले मापक त्रसरेणु की परिभाषा १३२
लिक्षा, राजसर्षप और गौरसर्षप की परिभाषा १३३
मध्ययव, कृष्णल, माष और सुवर्ण की परिभाषा १३४
पल, धरण, रौप्यमाषक की परिभाषा १३५

रौप्यधरण, राजतपुराण, कार्षापण की परिभाषा १३६
रौप्यशतमान, निष्क की परिभाषा १३७
पूर्व, मध्यम, उत्तम-साहसों की परिभाषा १३८ – १३९
ऋण पर ब्याज का विधान १४० – १४२
लाभ वाली गिरवी पर ब्याज नहीं १४३
धरोहर सम्बन्धी व्यवस्थाएं (उन पर ऋण ब्याज आदि की व्यवस्था) १४४ – १५०
दुगुने से अधिक मूलधन न लेने का आदेश १५१ – १५२
कौन-कौन से ब्याज न ले १५३
पुन : ऋणपत्रादि लेखन १५४ – १५६
समुद्रयानों का किरायाभाड़ा-निर्धारण १५७
जमानती सम्बन्धी विधान १५८ – १६२
आठ प्रकार के व्यक्तियों से लेन-देन अप्राणिक है १६३
शास्त्र और नियम-विरुद्ध लेन-देन अप्रामाणिक १६४ – १६५
कुटुम्बार्थ लिए गए धन को कुटुम्बी लौटाएं १६६ – १६७
बलात् कराई गई सब बातें अमान्य १६८ – १७८
(२) धरोहर रखने के विवाद का निर्णय (१७९ – १९६)
(३) तृतीय विवाद 'अस्वामिविक्रय का निर्णय (१९७ – २०५)
दूसरे की वस्तु बेच देना १९७ – २०५
(४) चतुर्थ विवाद 'सामूहिक व्यापार' का निर्णय (२०६ – २११)
मिलजुलकर उन्नति या व्यापार करना २०६ – २११
(५) पञ्चम विवाद 'दिए पदार्थ को न लौटाना' का निर्णय (२१२ – २१३)
दान की हुई वस्तु को लौटाना २१२ – २१३
(६) षष्ठ विवाद 'वेतन आदान' का निर्णय (२१४ – २१७)
वेतन देने, न देने का विवाद २१४ – २१७
(७) सप्तम विवाद 'प्रतिज्ञा विलुप्तता' का निर्णय (२१८ – २२१)
कृत प्रतिज्ञा से फिर जाना २१८ – २२१
(८) अष्टम विवाद 'क्रय-विक्रय' का निर्णय (२२२ – २२८)
खरीद-बिक्री का विवाद २२२ – २२८
(९) नवम विवाद 'पालक-स्वामी' का निर्णय (२२९ – २४४)
पशु-स्वामी और ग्वालों का विवाद २२९ – २४४
(१०) सीमा-सम्बन्धी विवाद और उसका निर्णय (२४५ – २६५)
(११) दुष्ट या कटुवाक्य बोलने-सम्बन्धी विवाद और उसका निर्णय (२६६ – २७७)
(१२) दण्ड से घायल करने या मारने सम्बन्धी विवाद और उसका निर्णय (२७८ – ३००)
(१३) चोरी का विवाद और उसका निर्णय (३०१ – ३४३)
चोरों के निग्रह से राष्ट्र की वृद्धि ३०२
चोरों से प्रजा की रक्षा श्रेष्ठ कर्त्तव्य है ३०३ – ३०६
प्रजा की रक्षा किए बिना कर लेने वाला राजा पापी होता है ३०७ – ३१३
चोर की स्वयं प्रायश्चित्त की विधि ३१४ – ३१५
दोषी को दण्ड न देने से राजा पापभागी होता है ३१६
पापियों के संग से पाप ३१७
राजाओं से दण्ड प्राप्त करके निर्दोषता ३१८
विभिन्न चोरियों की दण्ड-व्यवस्था ३१९ – ३३१
साहस और चोरी का लक्षण ३३२ – ३३३
डाकू, चोरों के अंगों का छेदन ३३४
माता-पिता, आचार्य आदि सभी राजा द्वारा दण्डनीय हैं ३३५
अपराध करने पर राजा को साधारण जन से सहस्रगुणा दण्ड हो ३३६
उच्च वर्ण के व्यक्तियों को अधिक दण्ड दे ३३७ – ३४३
(१४) साहस-डाका, हत्या आदि

बलात्कारपूर्वक किए गए अपराधों का निर्णय (३४४ – ३५१)
साहसी व्यक्ति चोर से अधिक पापी ३४५
डाकू को दण्ड न देने वाला राजा विनाश को प्राप्त करता है ३४६
मित्र या धन के कारण साहसी को क्षमा न करे ३४७
*विद्रोह-काल में द्विजातियों को शस्त्र-धारण का आदेश ३४८ – ३४९
आततायी को मारने में अपराध नहीं ३५० – ३५१
(१५) स्त्रीसंग्रहणसम्बन्धी विवाद तथा उसका निर्णय (३५२ – ३८७)
स्त्रीसंग्रहण की परिभाषा ३५७ – ३७०
दम्भपूर्वक व्यभिचार में प्रवृत्त होने पर स्त्री को दण्ड ३७१
दम्भपूर्वक व्यभिचार में प्रवृत्त होने वाले पुरुष को दण्ड ३७२
*वर्णानुसार दण्डव्यवस्था ३७३ – ३८५
पांच महाअपराधियों को वश में करने वाला राजा इन्द्र के समान प्रभावी ३८६ – ३८७
ऋत्विज् और यजमान द्वारा एक दूसरे को त्यागने पर दण्ड ३८८
माता-पिता-स्त्री-पुत्र को छोड़ने पर दण्ड ३८९ – ३९५
*धोबी और जुलाहे की व्यवस्था ३९६ – ३९७
व्यापार में शुल्क एवं वस्तुओं के भावों का निर्धारण ३९८ – ४०२
तुला एवं मापकों की छह महीने में परीक्षा ४०३
नौका-व्यवहार में किराया आदि की व्यवस्थाएं ४०४ – ४०९
*वैश्य और शूद्र से उनके कर्म कराये ४१० – ४१२
*शूद्र से दासता कराये ४१३ – ४१४
*सात प्रकार के शूद्र दास ४१५ – ४२०

नवम अध्याय
(राजधर्मान्तर्गत व्यवहारनिर्णय)
९ – १ से ९ – २५० तक)
(१६) स्त्री-पुरुष धर्म-सम्बन्धी विवाद और उसका निर्णय (९ – १ से १०२
(स्त्री-पुरुष के संयोगकालीन दैनिक कर्त्तव्य)
स्त्री के प्रति कर्त्तव्यपालन न करने वाले पिता, पति, पुत्र निंदा के पात्र ४
थोड़े से कुसंग से भी स्त्रियों की रक्षा अवश्य करें ५ – ६
स्त्री पर ही परिवार की प्रतिष्ठा निर्भर है ७
जाया का लक्षण ८
जैसा पति वैसी सन्तान ९
स्त्रियों की रक्षा बलपूर्वक नहीं हो सकती १०
स्त्रियों को गृह एवं धर्मकार्यों में व्यस्त रखें ११
स्त्रियां आत्मनियन्त्रण से ही बुराईयों से बच सकती हैं १२
स्त्रियों के दूषण में छ :कारण १३
*स्त्रियों का स्वभाव-वर्णन १४ – २४
सन्तानोत्पत्ति सम्बन्धी धर्म २५
स्त्रियां घर की लक्ष्मी हैं २६
स्त्री लोकयात्रा का आधार है २७
घर का सुख स्त्री पर निर्भर है २८ – ३०
पुत्र पर अधिकार के सम्बन्ध में आख्यान ३१
पुत्र पर अधिकार सम्बन्धी मतान्तर ३२
स्त्री-पुरुष की क्षेत्र और बीज रूप में तुलना ३३ – ४८
परस्त्री में पुत्रोत्पत्ति करने पर पुत्र पर स्त्री का या स्त्री-स्वामी का अधिकार ४९ – ५१
पुत्र पर स्त्री या स्त्री-स्वामी के अधिकार में कारण ५२
समझौतापूर्वक पुत्रोत्पत्ति में पुत्र पर स्त्री-पुरुष दोनों का समानाधिकार ५३ – ५६
बड़ी भाभी को गुरुपत्नी के समान, छोटी को पुत्रवधू के समान माने ५७

उनके साथ गमन में पाप ५८
सन्तानाभाव में नियोग से सन्तानप्राप्ति ५९
*नियोग में गमन-विधि ६० – ६१
नियोग से पुत्र प्राप्ति के बाद शरीर-सम्बन्ध नहीं ६२ – ६३
नियोग-विधि का खण्डन ६४ – ६८
सगाई के बाद पति की मृत्यु होने पर अन्य विवाह का विधान ६९ – ७३
स्त्री को जीविका देकर पुरुष प्रवास में जाये ७४
अथवा अनिन्दित कलाओं से स्त्री जीविका कमाये ७५
पति की प्रतीक्षा की अवधि और उसके पश्चात् नियोग ७६ – ८०
पुरुष दूसरी स्त्री से सन्तानप्राप्ति कब करे ८१ – ८७
उत्तम वर मिलने पर कन्या का विवाह शीघ्र कर दें ८८
गुणहीन पुरुष से विवाह न करे ८९
कन्या स्वयंवर विवाह करे ९०
स्वयंवर विवाह में पाप नहीं ९१ – ९५
स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी ९६
*शुल्क से कन्या विवाह-विषयक खण्डन-मण्डन ९७ – १००
पति-पत्नी आमरण साथ रहें १०१
बिछुड़ने के अवसर न आने दें १०२
(१७) दायभाग विवाद-वर्णन (९ — १०३ से २१९)
अलग होते समय दायभाग का बराबर विभाजन १०४
सम्मिलित रहने पर विभाजन का दूसरा विकल्प १०५ – १०७
बड़े भाई का छोटों के प्रति कर्त्तव्य १०८ – १०९
छोटों का बड़े भाई के प्रति कर्त्तव्य ११० – १११
इकट्ठे रहकर अलग होने पर 'उद्धार' अंश का विभाजन ११२ – ११६
सम्मिलित रहकर अलग होते हुए विभाजन की अन्य विधि ११७ – ११९
*नियोग से उत्पन्न पुत्रों के अनुसार दाय-व्यवस्था १२० – १२६
पुत्रिका करने का उद्देश्य १२७ – १२९
पुत्र के अभाव में सारे धन की अधिकारिणी पुत्री १३०
माता का धन पुत्रियों का ही होता है १३१ – १३३
पुत्रिका करने पर पुत्र होने की अवस्था में दायव्यवस्था १३४ – १३७
पुत्र का लक्षण १३८ – १४०
दत्तक पुत्र के दाय-भाग का विधान १४१ – १४४
नियोग से उत्पन्न क्षेत्रज पुत्र के दायभाग का विधान १४५ – १४६
नियोग-विधि के बिना उत्पन्न पुत्र दायभाग का अनधिकारी १४७
*अन्य वर्णों की स्त्रियों में उत्पन्न पुत्रों की दायभाग व्यवस्था १४८ – १५७
*बारह प्रकार के पुत्र १५८
*दाय-भाग के अधिकारी छह पुत्र १५९
*दायभाग के अनधिकारी छह पुत्र १६० – १६५
*औरस पुत्र का लक्षण १६६
*क्षेत्रज पुत्र का लक्षण १६७
*दत्रिम पुत्र का लक्षण १६८
*कृत्रिम पुत्र का लक्षण १६९
*गूढोत्पन्न पुत्र का लक्षण १७०
*अपविद्ध पुत्र का लक्षण १७१
*कानीन पुत्र का लक्षण १७२
*सहोढ पुत्र का लक्षण १७३
*क्रीत पुत्र का लक्षण १७४
*पौनर्भव पुत्र का लक्षण १७५
अक्षतयोनि के पुनर्विवाह का विधान १७६
*स्वयंदत्त पुत्र का लक्षण १७७
*पारशव पुत्र का लक्षण १७८ – १८६
*सपिण्ड के अभाव में दाय के अधिकारी १८७ – १९१
(मातृधन का विभाग)
मातृधन को भाई-बहन बराबर बांट लें १९२ – १९३
स्त्रीधन छ : प्रकार का १९४ – १९५

ब्राह्मादि विवाहों में स्त्रीधन का अधिकारी पति १९६
असुरादि विवाहों में स्त्रीधन के उत्तराधिकारी १९७ – १९८
स्त्रियाँ कुटुम्ब से छिपाकर धन न जोड़ें १९९ – २००
धन के अनधिकारी विकलांग २०१
इन्हें भोजनछादन देते रहें २०२ – २०३
सम्मिलित रहने वाले भाई के कमाये धन की व्यवस्था २०४ – २०९
पुनः एकत्र होकर पृथक् होने पर उद्धार-भाग नहीं २१०
भाई के मरने पर उसके धन का विभाग २११ – २१२
कर्तव्यपालन न करने पर बड़े भाई को उद्धार भाग नहीं २१३
द्रव्यधन से वञ्चित लोग २१४
पितृधन का विषम विभाजन न करे २१५ – २१६
इकलौते सन्तानहीन पुत्र के धन का उत्तराधिकार २१७ – २१९
(१८) द्यूत-सम्बन्धी विवाद का निर्णय (२२० – २५०)
राष्ट्रघातक जूआ आदि का पूर्ण निवारण २२१
जूआ एक तस्करी है २२२
द्यूत और समाह्वय में भेद २२३ – २३०
मुकद्दमों के अन्त में उपसंहार २३१ – २५१
रिश्वत लेकर अन्याय करने वालों को दण्ड २३१
निर्णयों में कपट करने वालों को दण्ड २३२
ठीक निर्णय को किसी दबाव या लालच में आकर न बदले २३३
अमात्यों और न्यायाधीशों को अन्याय करने पर दण्ड २३४
पांच महापातकी और उनको दण्ड २३५ – २५१
राजा द्वारा लोक कण्टकों का निवारण (९ — २५२ से ३२५ तक)
दो प्रकार के तस्कर २५६ – २५७
लोक कण्टकों की गणना २५८ – २६१
गुप्तचरों द्वारा किन स्थानों में अपराधियों का पता लगाये २६४ – २६९
प्रमाण मिलने पर ही दण्ड दे २७०
चोरों के सहयोगियों को भी दण्ड दे २७१ – २७३
सामूहिक हानि होने पर सहयोग न करने वाले को दण्ड २७४ – २७७
विभिन्न अपराधियों को दण्ड २७६ – २९३
सात राजप्रकृतियां २९४ – ३००
राजा के शासन में ही चार युग ३०१ – ३०२
राजा के आठ रूप ३०३
राजा का इन्द्ररूप आचरण ३०४
राजा का सूर्यरूप आचरण ३०५
राजा का वायुरूप आचरण ३०६
राजा का यमरूप आचरण ३०७
राजा का वरुणरूप आचरण ३०८
राजा का चन्द्ररूप आचरण ३०९
राजा का अग्निरूप आचरण ३१०
राजा का धरारूप आचरण ३११ – ३१२
*ब्राह्मण के क्रोध की उग्रता ३१३ – ३२४
वैश्य-शूद्रों के कर्त्तव्य ३२५

दशम अध्याय
(चातुर्वर्ण्य धर्मान्तिर्गत वैश्य शूद्र के धर्म एवं चातुर्वर्ण्य धर्म का उपसंहार)

वैश्यों के कर्त्तव्य ३२६ – ३३४
शूद्र को उत्कृष्ट वर्ण की प्राप्ति ३३५
*वेदोपदेश का अधिकार ब्राह्मण को है १ – ४
*वर्णसंकरों का वर्णन ५ – ६
*भिन्न वर्ण से उत्पन्न 'अपसद' सन्तानें ७ – २३
*वर्णसंकरों की उत्पत्ति में कारण २४
*संकीर्णयोनियों का वर्णन २५ – ४२
*धर्मपालन न करने से शूद्रता को प्राप्त जातियाँ ४३ – ४४
चारों वर्णों से भिन्न व्यक्तियों की संज्ञा ४५
*अपसदों और अपध्वंसजों के कर्म ४६ – ५६

दस्यु अर्थात् अनार्य की पहचान उसके कार्य देखकर करें ५७
अनार्यों युओं के लक्षण ५८ – ६४
कर्मानु र्ण-परिवर्तन ६५
*बीज ः की श्रेष्ठता में निर्णय ६६ – ७३
भ आजीविका के कर्म ७४ – ७६
वैश्य के कर्म ७७ – ७९
मुख कार्य ८०
ल में ब्राह्मण की जीविका ८१ – ९४
ल में क्षत्रिय की जीविका
क कर्म ९५ – ९७
*आपत्काल में वैश्य की आजीविका के कर्म ९८
*आपत्काल में शूद्र की आजीविका के कर्म ९९ – १०८
*दान का लोभ निन्दनीय १०९ – ११४
*धर्मानुकूल सात आय ११५
*दश आजीविकाएं ११६
*ब्राह्मण और क्षत्रिय ब्याज न ले ११७
*– आपत्कालीन कर्म ११८ – १२०
वस्था में शूद्र के १२१ – १३१

ा-अध्याय
प्रायश्चित्त विषय
(११ –४४ से२६५ तक)

*दान एवं यज्ञ सम्बन्धी विधान १ – ६
*सोमयज्ञ का विधान ७ – १०
*अकार्य करके भी धन लाये ११ –१५
त कहीं से भोजन प्राप्त करले १६ –१८
न छीन कर श्रेष्ठों को ः १९ – २०
ड़ित ब्राह्मण की राजा आदि निश्चित कर दे २१ – २३
भिक्षा नहीं २४
न को स्वार्थ के लिए प्रयोग ा पापी २५ – २७
ाल में आपत्काल के धर्म फल नहीं २८ – ३०
*ब्राह्मण अपराधियों को स्वयं दण्ड दें ३१ – ३५
*यज्ञ केअधिकारी लोग ३६ – ४३
प्रायश्चित्त कब किया जाता है ४४ – ४६
प्रायश्चित्त का अर्थ ४७
प्रायश्चित्त क्यों करना चाहिए ५३
*महापातकों का वर्णन ५४
*महापातकों के समान कर्म ५५ – ५८
*उपपातकों का वर्णन ५९ – ६६
*जातिभ्रंश कारक कर्म ६७
*वर्णसंकर बनाने वाले कर्म ६८
*अपात्र करने वाले कर्म ६९
*मलिन करने वाले कर्म ७०
*महापातकों और उपपातकों के प्रायश्चित्त ७१
*ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त ७२ – ८९
*सुरापान का प्रायश्चित्त ९० – १०१
*गुरुस्त्रीगमन का प्रायश्चित्त १०२ – १०६
*उपपातकियों के प्रायश्चित्त १०७ – ११७
*अवकीर्णी का प्रायश्चित्त ११८ – १२३
*जातिभ्रंशकर कर्मों का प्रायश्चित्त १२४
*अपात्र और वर्णसंकर करने वाले कर्मों का प्रायश्चित्त १२५
*क्षत्रिय आदि के वध का प्रायश्चित्त १२६ – १३०
*अन्य पशु–पक्षी–कीट आदि के वधों का प्रायश्चित्त १३१ – १४४
*अभक्ष्य भक्षण का प्रायश्चित्त १४५ – १६०
*चोरी का प्रायश्चित्त १६१ – १६८
*अगम्यागमनीय का प्रायश्चित्त १६९ – १७८
*पतितों से संसर्ग का प्रायश्चित्त १७९ – १९०
व्रात्यों का प्रायश्चित्त १९१
निन्दित कर्म करने वालों का प्रायश्चित्त १९२ – १९६
*अन्य विविध प्रायश्चित्त १९७ – २०२
वेदोक्त कर्मों के त्याग का प्रायश्चित्त २०३
*ब्राह्मण को फटकारने और मारने पर प्रायश्चित्त २०४ – २०८

अविहित कर्मों के लिए प्रायश्चित्त निर्णय २०९
प्रायश्चित्तों का परिचय-वर्णन २१०
प्राजापत्य व्रत की विधि २११
कृच्छ्रसान्तपन व्रत की विधि २१२
अतिकृच्छ्र व्रत की विधि २१३
तप्तकृच्छ्र व्रत की विधि २१४
*पराककृच्छ्र व्रत की विधि २१५
चान्द्रायण व्रत की विधि २१६
यवमध्यम चान्द्रायण व्रत की विधि २१७
*यति चान्द्रायण व्रत की विधि २१८
*शिशु चान्द्रायण व्रत की विधि २१९ – २२१
व्रतपालन के समय यज्ञ करें २२२ – २२४
व्रत-पालन के समय गायत्री आदि का जप करें २२५
मानसपापों के प्रायश्चित्त की विधि २२६
पांच कर्मों से प्रायश्चित्त में पाप-भावना से मुक्ति २२७
सबके सामने अपना अपराध कहने से पाप से मुक्ति २२८
अनुताप करने से पाप-भावना से मुक्ति २२९
तपपूर्वक पुन : पाप न करने के निश्चय से पापभावना से मुक्ति २३०
कर्मफलों पर चिन्तन करने से पाप-भावना से मुक्ति २३१
पापभावना से मुक्ति चाहने वाला पुन : पाप न करे २३२
तप तब तक करें, जब तक मन में प्रसन्नता न आ जाये २३३
*तप की महिमा २३४ – २४४
वेदाभ्यासादि से पापभावनाओं का क्षय २४५
वेदज्ञानाग्नि में पापभावना विनष्ट होती है २४६
*गुप्त पापों का प्रायश्चित्त २४७ – २६२
वेदज्ञान रूपी तालाब में पापभावना का डूबना २६३
वेदवित् का लक्षण २६४
ईश्वर भी एक ज्ञेय वेद है २६५
प्रायश्चित्त विषय का उपसंहार २६६

द्वादश अध्याय

कर्मफल-विधान एवं नि :श्रेयस कर्मों का वर्णन (१२। ३ से ११६ तक)

*ऋषियों का भृगु से प्रश्न १
*भृगु का ऋषियों को उत्तर २
त्रिविध कर्मों का और त्रिविध गतियों का कथन ३
मन कर्मों का प्रवर्तक ४
त्रिविध मानसिक बुरे कर्म ५
चतुर्विध वाचिक बुरे कर्म ६
त्रिविध शारीरिक बुरे कर्म ७
जैसा कर्म उसी प्रकार उसका भोग ८ – ९
*त्रिदण्डी की परिभाषा १० – ११
*क्षेत्रज्ञ और भूतात्मा १२
*फल का अनुभवकर्ता जीवात्मा १३ – २३
प्रकृति के आत्मा को प्रभावित करने वाले तीन गुण २४
जिस गुण की प्रधानता, वैसी ही आत्मा २५ – २६
आत्मा में रजोगुण की प्रधानता की पहचान २७
आत्मा में रजोगुण प्रधानता की पहचान २८
आत्मा में सतोगुण की प्रधानता की पहचान २९ – ३०
सतोगुण को प्रत्यक्ष कराने वाले लक्षण ३१
रजोगुण के लक्षण ३२
तमोगुण के लक्षण ३३ – ३४
तमोगुणी कर्म की संक्षिप्त परिभाषा ३५
रजोगुणी कर्म की संक्षिप्त परिभाषा ३६
सतोगुणी कर्म की संक्षिप्त परिभाषा ३७
तीनों गुणों के प्रधान उद्देश्य व पारस्परिक श्रेष्ठता ३८ – ३९
तीन गुणों के आधार पर तीन गतियां ४०
तीन गतियों के कर्म, विद्या के आधार पर तीन गौण गतियां ४१

तीन गतियों के तीन-तीन भेद और तदनुसार जन्मावस्थाओं के फल
तामस गतियों के तीन भेद ४२ – ४४
राजस गतियों के तीन भेद ४५ – ४७
सात्विक गतियों के तीन भेद ४८ – ५१
विषयों में आसक्ति से और अधर्म-सेवन से दु:खमय जन्मों की प्राप्ति ५२
*कर्मानुसार जीव को योनियों की प्राप्ति ५३ – ७२
*विषयों के सेवन से पापयोनियों की प्राप्ति ७३ – ७४
*पापियों को प्राप्त होने वाले दु:ख ७५ – ८०
आसक्ति-निरासक्ति के अनुसार फल प्राप्ति ८१
नि :श्रेयकर कर्मों का वर्णन ८२
छह नि :श्रेयकर कर्म ८३
(१) आत्मज्ञान का वर्णन
आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ धर्म है ८५
प्रवृत्त-निवृत्त कर्मों का वर्णन ८६ – ९१
(२) इन्द्रिय-संयम का वर्णन
आत्मज्ञान, इन्द्रिय-संयम का कथन और इनसे जन्मसाफल्य ९२ – ९३
(३) वेदाभ्यास का वर्णन ९४
वेद-विरुद्ध-शास्त्र अप्रामाणिक ९५ – ९६
वेद से वर्ण, आश्रम, लोक, काल आदि का ज्ञान ९७
पञ्चभूत आदि सूक्ष्म शक्तियों का ज्ञान वेदों से ९८
वेद सुखों का साधन है ९९
वेदवेत्ता ही सफल राजा, सेनापति व न्यायाधीश हो सकता है १००
वेदज्ञान से परमगति की ओर प्रगति १०२ – १०३
(४ – ५) तप और विद्या का वर्णन
तप से पापभावना का नाश और विद्या से अमृतप्राप्ति १०४
(६) धर्म का वर्णन
धर्मज्ञान के लिए त्रिविध प्रमाणों का ज्ञान १०५
वेदानुकूल तर्क से धर्मज्ञान १०६ – १०७
अविहित धर्मों का विधान शिष्ट विद्वान् करें १०८
शिष्ट विद्वानों की परिभाषा १०९
तीन या दश विद्वानों की धर्मनिर्णायक परिषद् ११०
धर्मपरिषद् के दश सदस्य १११
धर्मपरिषद् के तीन सदस्य ११२
वेद का एक विद्वान् भी असंख्य मूर्खों से धर्म-निर्णय में प्रमाण है ११३
धर्म परिषद् का सदस्य कौन नहीं हो सकता ११४
मूर्खों द्वारा निर्णीत धर्म से पापवृद्धि का भय ११५
नि :श्रेयस् कर्मों का उपसंहार ११६ – ११७
ईश्वरद्रष्टा अधर्म में मन नहीं लगाता ११८
परमेश्वर ही सबका निर्माता, फलदाता और उपास्य है ११९
*इन्द्रियों में आकाश आदि का ध्यान १२० – १२१
परम सूक्ष्म परमात्मा को जानें १२२
परमात्मा के अनेक नाम १२३
सर्वान्तर्यामी परमात्मा ही संसार को चक्रवत् चलाता है १२४
समाधि से ईश्वर एवं मोक्षप्राप्ति १२५
*इस शास्त्र के अध्ययन का फल १२६

अनुशीलन समीक्षा में विचारित विषयों की सूची

प्रथम अध्याय	पृष्ठ संख्या
धर्म का स्वरूप	२
'अन्तरप्रभवाणाम्' पद का मनुसम्मत अर्थ	३ – ४
'प्रश्य सर्वस्य' पदों की सही संगति	७
'कार्यतत्त्वार्थवित्' का संगत अर्थ	८
प्रथम चार श्लोकों की मौलिकता पर विचार	१०
मनुस्मृति के प्रश्न और उत्तर की संगति	११
मनुस्मृति की सांगोपांग शैली	१४
स्वयंभू का सही अर्थ	१५
परमात्मा की प्रकटता से अभिप्राय	१५
सृष्टयुत्पत्ति विषयक वेदमन्त्रों के प्रमाण	१६
१४ – १५ श्लोकों के अर्थ में भ्रांति और सृष्टयुत्पत्ति की प्रक्रिया	२४
'महत्तत्त्व' और मन से अभिप्राय	२४
आत्मन : उदबर्हत् का अर्थ	२५
पञ्चतन्मात्राओं से पञ्चमहाभूतों की उत्पत्ति	२६
१६वें श्लोक का संगत अर्थ	२६
सृष्टि-उत्पत्ति विषय में शास्त्रों में अविरोध या विरोध	२७
पञ्चमहाभूतों के कर्म	२८
१८वें श्लोक का संगत अर्थ	२९
सृष्टि-उत्पत्ति का क्रम	३०
पुरुष के महत्तत्त्व आदि अर्थ	३०
सृष्टि में मनुष्यों की उत्पत्ति	३०
पञ्चमहाभूतों का क्रम और गुण	३१
पञ्चमहाभूतों का उत्पत्तिक्रम और गुणों की तालिका	३१
सृष्टि के प्रारम्भ में नामकरण	३२
२१वें श्लोक के क्रम पर विचार	३२
२१वें श्लोक का संगत अर्थ	३३
२२वें श्लोक का संगत अर्थ	३४
'सूक्ष्मम्' का अर्थ	३४
साध्यों से अभिप्राय	३४ – ३५
यज्ञ का व्यापक अर्थ, वेदों का उद्देश्य	३६
वेदोत्पत्ति विषयक वेदादि के प्रमाण	३८
वेदोत्पत्ति की मान्यता का अन्यत्र वर्णन	३९
जगदुत्पत्ति-प्रयोजन एवं कर्मफल	४१
चातुर्वर्ण्य व्यवस्था निर्माण वेदों से	४२
वर्णोत्पत्ति- विषयक भ्रान्त कल्पना	४४
४२वें श्लोक की शैली एवं अर्थ पर विचार	४९
वृक्षों की चेतनता पर विचार	५१
प्राचीनकाल-परिमाण की आधुनिक काल-परिमाणों से तुलना	६१
६४वें श्लोक की शैली पर विचार	६१
महर्षि दयानन्द द्वारा 'पितर' शब्द की व्याख्या	६२
उत्तरायण-दक्षिणायन का विवेचन	६३
सूर्य जड़ देवता है	६४
चार युगों के परिमाण की तुलनात्मक तालिका	६६
वेदोत्पत्ति-समय पर विचार	६७ – ६८
आकाशोत्पत्ति के विषय में महर्षि दयानन्द लिखते हैं	६९
सृष्टि प्रवाह से अनादि	७१
वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति कर्मणा-वर्णव्यवस्था की सूचक	७७
'ब्राह्मण' नाम कर्मणा वर्ण-व्यवस्था का सूचक	७९
'क्षत्रिय' नाम कर्मणा वर्णव्यवस्था का सूचक	८०
'वैश्य' नाम कर्मणा वर्णव्यवस्था का सूचक	८१
'शूद्र' नाम कर्मणा व्यवस्था का सूचक	८२
मनुस्मृति में वर्णव्यवस्था कर्मानुसार है	८८
१०९ श्लोक की अन्यत्र पुष्टि	९३
भाव का अन्य श्लोकों में स्पष्टीकरण	९३

बूलर द्वारा घोषित प्रक्षिप्तता पर विचार ९८
धर्म के चार लक्षणों का स्वरूप ९९
वेद ९९
स्मृति और शील १००
सदाचार १००
'आत्मन : तुष्टि' 'स्वस्य आत्मन : प्रियम्' का स्पष्टीकरण १००
वेद और श्रुति नाम के कारण १०४
तर्क शब्द का विवेचन १०५
'सान्तरालानाम्' का अर्थ ११०
'पारंपर्यक्रम' से अभिप्राय ११०
१४२ श्लोक का संगत अर्थ ११३
श्लोकार्थ में याज्ञवल्क्य-स्मृति का प्रमाण ११३
'म्लेच्छ' शब्द का अभिप्राय ११३
मनुस्मृति में अध्याय-विभाजन मौलिक नहीं ११६
मनुस्मृति में वर्णों और आश्रम-धर्मों का साथ-साथ वर्णन ११७

द्वितीय अध्याय

'गार्भै :' आदि पदों में अर्थव्यापकता ११९
मनुस्मृति में सोलह संस्कार १२०
'वर्धन' शब्द का विवेचन १२३
जातकर्म में गृहयसूत्रों के प्रमाण १२३
नामकरण में गृहयसूत्रों के प्रमाण १२४
नामकरण काल १२४
६, ७ श्लोकों के संगत अर्थ १२६
जुगुप्सित का संगत अर्थ १२७
निष्क्रमण और अन्नप्राशन में गृहयसूत्रों के प्रमाण १२९
चूड़ाकर्म में प्रमाण १३०
उपनयन में 'ब्राह्मणस्य' आदि पदों का मनुसम्मत अर्थ १३०
उपनयन में शूद्र का उल्लेख क्यों नहीं ? १३१
उच्छिष्ट खाने में दोष १३९
नष्ट उपवीत, दण्ड आदि का जल में प्रक्षेपण क्यों ? १४३
स्त्रियों को वेदाध्ययन एवं उपवीत का अधिकार मनुसम्मत १४४
स्त्रियों के वेदाध्ययन में वेदों के प्रमाण १४५
अध्ययन के आद्यन्त में ओंकारोच्चारण के लाभ १४८ – १४९
ओंकार और महाव्याहृतियों का विवेचन १५० – १५१
'ओम' ईश्वर का मुख्य नाम १५१
गायत्री मन्त्र और उसका अर्थ १५२
'इन्द्रिय' शब्द की व्युत्पत्ति १५६
इन्द्रियों के विषय १५७
'वषट्कार' की व्युत्पत्ति १६३
'स्वाध्याय' से अभिप्राय १६४
'अब्दम्' का संगत अर्थ १६४
आप्त का अर्थ और व्याकरण १६६
प्रीति से अभिप्राय १६७
विद्या के आख्यान का निरुक्त में वर्णन १६८
अभिवादनादि से आयु-बल-यश की वृद्धि कैसे १७१
शुद्धि एवं सन्ध्योपासना आदि से आयुवृद्धि १७२
सदाचार से आयु-बल वृद्धि १७२
विशिष्ट विद्वान् सर्वाधिक सम्मान्य १७८
कल्प से अभिप्राय १७९
ऋत्विज् होने का अधिकारी कौन १८१
११९ श्लोक की निरुक्त से तुलना १८१
ब्रह्मजन्म से अभिप्राय १८२
'जाति' शब्दार्थ का विवेचन १८३
'कवि' शब्द की व्युत्पत्ति १८५
'शिशु आंगिरस १८५
'अनूचान' सबसे महान १८६
अपमान सहन का कथन क्यों १९०
'स्त्रग्वी' शब्द पर विचार १९१
वेदत्याग से कुटुम्ब की शूद्रता कैसे १९२
'ब्रह्मचारी' शब्द की व्युत्पत्ति १९५
ब्रह्मचारी के लिए देव-पितर कौन १९५
'देवता-अभ्यर्चन' से अभिप्राय १९६

ऋण का सही अभिप्राय १९७
पुरुष गुण के आधार पर ऋषि, देव, पितरों में अन्तर १९८
पशु का अर्थ १९८
यज्ञ की समिधाएं २०१
'कर्णौ पिधातव्यौ' मुहावरा २०६
ब्राह्मण से विद्या प्राप्ति २१९

तृतीय अध्याय

समावर्तन से अभिप्राय २२४
समावर्तन का काल और उसके आवश्यक नियम २२४
विवाह से अभिप्राय २२६
मनुस्मृति में स्त्री-पुरुषों के विवाह की आयु २२६
आयुर्वेद के अनुसार विवाह की आयु २२७
वेद में विवाह की आयु २२८
आठ विवाह और मनु की मान्यता २३६
ब्राह्म विवाह का लक्षण एवं विवेचन २३९
ब्राह्म विवाह ही स्वयंवर विवाह २३९
दैव विवाह के लक्षण का स्पष्टीकरण २३९
दैव किसको कहते हैं २४०
ऋत्विज् का प्रसंगानुकूल अर्थ २४०
आर्ष विवाह के विवाद का विवेचन २४१
आर्ष विवाह का लक्षण २४१
ऋषि कौन है ? २४२
प्राजापत्य विवाह का लक्षण एवं विवेचन २४२
प्रजापति किनको कहते हैं २४२
आसुर विवाह का लक्षण एवं विवेचन २४३
'असुर' किसको कहते हैं २४३
गान्धर्व विवाह का लक्षण एवं विवेचन २४४
गन्धर्व किनको कहते हैं २४४
राक्षस विवाह का लक्षण एवं विवेचन २४५
राक्षस किनको कहते हैं २४५
पैशाच विवाह का लक्षण एवं विवेचन २४५
पैशाच किनको कहते हैं २४५
ऋतुदान में वर्जित पर्व २५०
पर्वदिनों में समागम निषेध क्यों २५०
'ऋतुकाल में गमन' गृहस्थ का आवश्यक कर्त्तव्य २५०
ऋतुगमन में निषिद्ध रात्रियां २५१
ऋतुकाल की निश्चित रात्रियों का कारण २५२
'अधिक' शब्द से अभिप्राय २५३
आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से विरोध नहीं २५३
कौन गृहस्थ ब्रह्मचारी २५४
स्त्रीधन विवरण २५४
आर्ष विवाह में शुल्क लेना मनुविरुद्ध २५५
५६वें श्लोक का सही अर्थ २५७
यज्ञ न करने से पाप २६४
स्वर्ग से अभिप्राय २६६
'पितर' से अभिप्राय २६८
पितरों में वेद का प्रमाण २६९
पितरों की गणना और उनका अभिप्राय २६९
देव से अभिप्राय २७१
ऋषि से अभिप्राय २७२
यज्ञ में लवणान्न की आहुति नहीं २७४
अतिथि-सेवा यश-आयु-सुख-सौभाग्य वर्धक २८३
गृहय देवता २८८
यज्ञशेष और शेषभुक् भोजन में अन्तर ३२४

चतुर्थ अध्याय

हव्य-कव्य शब्दों का विवेचन ३३७
दीर्घ सन्ध्या से दीर्घ-आयु आदि की प्राप्ति ३५५
योगदर्शन से जन्मज्ञान की पुष्टि ३७०
कर्मफल का भोक्ता कौन ३७७
धर्मवर्जित अर्थ ३७९
धर्मवर्जित काम ३७९
उत्तरकाल में असुखकारक धर्म ३८०
लोकविरुष्ट धर्म ३८०

धर्म, अर्थ, काम का स्वरूप ३८०
दानग्रहण की धर्मविधि ३८३
तीन प्रकार के असम्मान्य व्यक्ति ३८५
यम-सेवन के बिना पतन कैसे? ३८९
यमों और नियमों की गणना एवं व्याख्या ३८९
कर्मफल का भोक्ता कर्त्ता ४००
२४५ श्लोक में ब्राह्मण शब्द से अभिप्राय ४०२

पंचम अध्याय

'गुञ्जन' का अर्थ शलगम ४१०
परिगणित पदार्थों के अभक्ष्य होने में कारण ४११
४५वें श्लोक की प्रसंगसम्बद्धता पर विचार ४२१
'देहशुद्धिम्' पाठ मौलिक ४२५
दान से शुद्धि ४३८
यज्ञपात्रों का परिचय एवं विवरण ४४१
'संस्थित' शब्द का विवेचन ४५३

षष्ठ अध्याय

वानप्रस्थ-धारण में ब्राह्मणग्रन्थों के प्रमाण ४६०
वानप्रस्थ-धारण में वेद के प्रमाण ४६१
वैतानिक से अभिप्राय ४६३
नक्षत्रों की गणना ४६४
लवण शब्द विवेचन ४६५
वानप्रस्थ के लिए ग्रामोत्पन्न वस्तुओं के निषेध में कारण ४६६
२६वें श्लोक की संगति का विवेचन ४७०
'परिव्राजक' की व्युत्पत्ति ४७३
संन्यास वानप्रस्थ से और सीधे गृहस्थ से भी ४७५
संन्यासी द्वारा अभयदान ४७६
गृहस्थ से संन्यास ४७६
'अनग्निः' का अभिप्राय ४७८
काल की प्रतीक्षा कैसे ४७९
इन्द्रियनिरोध में योग के प्रमाण ४८४
योग की परिभाषा एवं योग से ईश्वरप्राप्ति ४८६
प्राणायाम के लक्षण ४८९
प्राणायाम के भेद ४८९
प्राणायाम-मन्त्र ४९०
प्राणायाम से दोषों का निवारण ४९१
धारणा और प्रतहार-विवेचन में योग के प्रमाण ४९२
दर्शन एवं ध्यान योग विवेचन ४९३
मोक्ष सुख का आश्रय परमात्मा ४९८
धर्म के लक्षणों की विशेष व्याख्या ५०१
ब्राह्मण शब्द का उपलक्षणात्मक प्रयोग ५०३

सप्तम अध्याय

राजा के आठ विशिष्ट गुणों की व्याख्या ५०६
वेद में राजा के आठ गुणों का वर्णन ५०८
दण्ड का आलंकारिक चित्र ५१५
धर्म, अर्थ और काम का स्वरूप ५१५
धर्म का स्वरूप ५१५
'विषमः' का अभिप्राय ५१७
राजा वर्णाश्रम धर्मों का रक्षक होना चाहिए ५२०
राजा की जीवनचर्या और दिनचर्या ५२१
श्लोकार्थ पर विचार ५२१
राजा की जीवनचर्या और कौटिल्य—अर्थ-शास्त्र ५२१
राजा के अनुशासन-विषय में कौटिल्य का मत ५२२
विद्याग्रहण के सम्बन्ध में कौटिल्य के विचार ५२४
कौटिल्य के द्वारा इन्द्रियजय पर प्रकाश ५२५
'तौर्यत्रिकम्', 'मृगया', 'स्त्रियः' शब्दों पर विशेष विचार ५२७
नियुक्ति से पूर्व अमात्यों की परीक्षा-विधियां ५३०
'इतिकर्त्तव्यता' का अभिप्राय ५३३
राजा और अमात्यों के कार्यों

का विभाजन ५३५
कौटिल्य के अनुसार दूत के कार्य ५३५
कृत्य शब्द का राजनीतिपरक अर्थ ५३६
इंगित और आकार का अर्थ ५३६
कौटिल्य–अर्थशास्त्र में चार प्रकार के दुर्ग ५३८
वैतानिक और गृह्यकर्म ५४०
आप्त और बलि का विशेष अर्थ ५४१
कौटिल्य के अनुसार विभागाध्यक्ष ५४२
विपश्चित् का अर्थ ५४२
छिद्र का अर्थ ५४१
कौटिल्य द्वारा उद्धृत श्लोक ५४१
परिषन्थिन का व्याकरण ५४१
राष्ट्रकर्षण से अभिप्राय ५४३
मनुप्रोक्त नियन्त्रण केन्द्र और कार्यालय व्यवस्था तालिका ५४५
कुल का अर्थ ५४६
मनुप्रोक्त कर्मचारी/अधिकारी तालिका ५४८
कौटिल्य के अनुसार मन्त्रियों से सेवकों तक का भरण-पोषण व्यय ५६१
मनुप्रोक्त कर-व्यवस्थाएं सर्वप्राचीन एवं सर्वाधिक मान्य ५६३
'ब्राह्मणान् अर्च्य' का सही अभिप्राय ५६७
राजा की सामान्य दिनचर्या ५६८
मनुप्रोक्त राजा की दिनचर्या तालिका ५६९
कौटिल्य-प्रोक्त राजा की दिनचर्या तालिका ५७०
'नि :शलाके अरण्ये' का अभिप्राय ५७१
मन्त्रणास्थल के सम्बन्ध में कौटिल्य के विचार ५७१
मन्त्र शब्द का राजनीतिपरक अर्थ ५७२
राजा द्वारा धर्म-काम-अर्थ पर चिन्तन ५७३
अष्टविध कर्मों के विवाद का समाधान ५७५
मनुप्रोक्त राजा के अष्टविध कर्म ५७५
पञ्चवर्ग से अभिप्राय ५७६
अनुराग और अपराग ५७६
मध्यम आदि चार मूलप्रकृति रूप राजाओं के लक्षण ५७७
शेष आठ मूल प्रकृतिरूप राजाओं के लक्षण ५७८
बहत्तर प्रकृतियां ५७९
त्रिविध मार्ग का मनुसम्मत अर्थ ५८८
विभिन्न व्यूहों का परिचय ५८९
मनुप्रोक्त युद्ध नीति के अंग व्यूहरचना, शस्त्रास्त्रवर्णन ५९२
'कालज्ञ' का प्रासंगिक और मनुसम्मत अर्थ ६०१
'विषाणहै : मन्त्रै :' पदों के अर्थ पर विचार ६०१
कौटिल्य-अर्थशास्त्र में राजा को भोजन सम्बन्धी निर्देश ६०१
कौटिल्य द्वारा यान आदि के प्रयोग में सावधानी का प्रयोग ६०३
'स्त्रीभि :' पद से अभिप्राय ६०३
'स्त्रीवृत :' का मनुसम्मत अर्थ ६०५
'स्त्रीवृत :' की कौटिल्य के दृष्टिकोण से व्याख्या ६०५
श्लोकवर्णन पर विचार ६०६
'भृत्य' शब्द के अर्थ पर विचार ६०७

अष्टम अध्याय

मन्त्र और ब्राह्मण का विशेष अभिप्राय ६०८
विनीत होने का उद्देश्य ६०८
मुहावरे पर विचार ६०९
न्यायप्रसंग में ब्राह्मण और ब्रह्मसभा से अभिप्राय ६१२
अधर्म शब्द से अभिप्राय ६१६
साक्षी शब्द पर विचार ६३०
साक्षीविशेषों के कथन का उद्देश्य ६३२
अन्त्यज कौन ? ६३२
साक्षी परीक्षा निषेध का कारण ६३३
साहसदण्ड, उनका प्रमाण एवं अर्वाचीन मुद्राओं से तुलना तालिका ६४८
झूठी साक्षियों में अर्थदण्ड एवं उनकी अर्वाचीन मुद्राओं से तुलना तालिका ६४८
तोलने के प्रमाणों का [illegible]

और तालिका ६५३
कौटिल्य द्वारा वर्णित तोलप्रमाण
मुद्राएं और उनकी तालिका ६५४
कौटिल्य द्वारा वर्णित मुद्राएं ६५४
पूर्व, मध्यम और उत्तम
साहस की सीमा ६५५
हिरण्य से विशेष अभिप्राय ६६९
चिन्हों के परिगणन से अभिप्राय ६८४
अन्यत्र विधान से पुष्टि ६९४
रामायण में उद्धृत मनुस्मृति
के श्लोक ७०६
साहस और चोरी का लक्षण ७११
उच्चवर्णानुसार उच्चदण्ड ७१३

नवम अध्याय

जाया शब्द की सिद्धि और इसमें ब्राह्मण
आदि के प्रमाण ७४०
स्त्रियां लक्ष्मी रूप हैं ७४५
नियोग की विधि ७५५
देवर शब्द का अर्थ ७५६
वेदों में नियोग का विधान ६५६
श्लोक की मौलिकता का आधार ७६०
नियोगव्यवस्था प्राचीन परम्परागत
एवं कौटिल्य द्वारा उसका समर्थन ७६२
उद्धार-भाग का विभाजन ७७३
उद्धार-भाग का विधान क्यों ७७३
स्वधा का मनुसम्मत अर्थ ७७७
पुत्रिका धर्म ७७७
पुत्र-पुत्री आत्मा रूप ७७८
पुत्र का अर्थ और उद्देश्य ७८२
१४७ श्लोक की प्रसंगसम्बद्धता
पर विचार ७८५
१७६ श्लोक की मौलिकता एवं
प्रसंगसम्बद्धता में युक्तियां ७९२
द्यूत से हानि ८०४
वेदों में जूए का निषेध ८०४
कुशीलव का अर्थ ८०५
मुहावरे का प्रयोग और उसका अर्थ ८०७
लोककण्टक से अभिप्राय ८१३
'त्रिदिवं यान्ति' मुहावरा ८१३
तस्कर का अर्थ और व्युत्पत्ति ८१४
औपधिक का अर्थ ८१५
हिंसा का अर्थ और व्युत्पत्ति ८१९
अन्यत्र वर्णित भावों की पुष्टि ८२६
वरुण-पाश का अर्थ ८२७
नवम अध्याय के विभाजन पर
विचार ८३२

दशम अध्याय

शूद्र को उत्कृष्ट वर्ण की प्राप्ति ८३५
वेदों में शूद्र को यज्ञ आदि
का विधान ८३५
वर्ण चार हैं ८३९
चार वर्णों में शास्त्रीय प्रमाण ८४०
दस्यु से अभिप्राय ८५०
अनार्य और उसके लक्षण ८५४
कर्मणा वर्णव्यवस्था का अतिस्पष्ट
विधान ८५८
श्लोक की पुष्टि में प्रमाण ८५९
वर्ण परिवर्तन का उदाहरण ८५९

एकादश अध्याय

प्रायश्चित्त का अर्थ और उद्देश्य ८९१
योगदर्शन में 'कृच्छ्र' आदि व्रतों
का उद्देश्य ९३२
महाव्याहृतियुक्त होम मन्त्र ९३६
पवित्रताकारक मन्त्र ९३८
प्रायश्चित्त से पाप-फल नहीं, पाप
भावना से मुक्ति ९३९
इस मान्यता की तुलना ९३९
आपत्काल में दान द्वारा पाप भावना
से मुक्ति पर विचार ९४०
शाकलहोमीय मन्त्र ९४८
त्रयीविद्या से अभिप्राय एवं
अन्यत्र वर्णन ९५०
२६५ श्लोक के भाव का अन्यत्र वर्णन ९५१

द्वादश अध्याय

४८ वें श्लोक के प्रचलित
अर्थ में अशुद्धि ९६५

वें श्लोक के प्रचलित अर्थ
शुद्धि ९६५
वें श्लोक के प्रचलित अर्थ में
द्धे ९६६
तेवशित्व सिद्धि का विवेचन ९६६
श्लोक में पाठ भेद ९७५
राज्यम् का' अर्थ ९७८
श्लोक की वेदमन्त्र से तुलना ९७९
यागी की व्युत्पत्ति एवं अर्थ ९७९
क्र काल से अभिप्राय ९८०
ावना का विनाश ९८४
। का अर्थ ९८४
प्रमाण और उनके लक्षण ९८४
से अभिप्राय ९८६
विद्या ९८९
जाति का अर्थ जन्म ९९०
मूर्खों द्वारा धर्म से हानि ९९०
सर्वत्र परमात्मा के अनुभवज्ञान से
अधर्म निवृत्ति ९९२
परमात्मा ही सब देवताओं का देवता ९९२
परमात्मा के स्वरूप एवं गुणों का वर्णन ९९४
११२ श्लोक की वेदमन्त्रों से तुलना ९९४
परमात्मा के गौण नाम और उनके अर्थ ९९५
१२४ श्लोक के भाव का अन्यत्र वर्णन ९९७
उपर्युक्त स्वरूप वाला परमात्मा जगत् का
उत्पत्ति-कर्त्ता और उसमें वेदों-
उपनिषदों के प्रमाण ९९८
सब प्राणियों में आत्मवत् भाव एवं
परमात्मदर्शन से मुक्ति ९९९

मनुस्मृति

का

पुनर्मूल्यांकन

(भूमिका भाग)

भूमिका — विषयानुक्रम

प्रथम अध्याय — मनुस्मृति-महत्ता, रचयिता, काल, एवं आधरूप

१. मनुस्मृति की महत्ता एवं प्रभाव पृ. १, भारत में मनुस्मृति का प्रभाव एवं महत्त्व ३, विदेशों में मनुस्मृति का प्रभाव ५।

२. मनुस्मृति का मूल प्रवक्ता कौन ? ७, स्वायंभुव मनु ७, वैवस्वत मनु १२, भृगुप्रोक्त १४, ब्रह्मा प्रोक्त १७।

३. मनु और मनुस्मृति काल निर्णय २१, स्वायंभुव मनु का काल २१, मनु के आदिसृष्टि में होने से अभिप्राय २३।

४. वर्तमान मनुस्मृति का रचनाकाल २५, निष्कर्ष ३०।

५. मनुस्मृति को अर्वाचीन मानने के कारण और उनका समाधान ३२, मनुस्मृति और उसकी भाषा ३४।

६. मनुस्मृति का आधरूप ३६।

द्वितीय अध्याय — मनुस्मृति और प्रक्षेप

१. मनुस्मृति के प्रक्षेपों के अनुसंधान की आवश्यकता एवं उपयोगिता ३८। २. प्रक्षेप से अभिप्राय ३८। ३. क्या मनुस्मृति में प्रक्षेप नहीं हैं ? ३९। ४. ग्रन्थों में प्रक्षेप करने की प्रवृत्ति और मनुस्मृति के प्रक्षेपों के मूल में निहित प्रवृत्तियां ४५। ५. प्रक्षेपों के अनुसन्धान के आधार और उनके प्रमाण ५१, विषयविरोध ५४, प्रसंगविरोध ५५, अन्तर्विरोध ६०, पुनरुक्तियां ६२, शैलीगत आधार ६४, अवान्तरविरोध ६९, वेदविरोध ७०। ६. प्रक्षेपों से हानियां एवं भ्रान्तियां ७३।

तृतीय अध्याय — मनु की प्रमुख मौलिक मान्यताएं और उनके आधार

१. कर्मणा वर्णव्यवस्था ७७, २. मांस भक्षण एवं पशुयज्ञ पाप ८८, ३. मृतकश्राद्ध परवर्ती ९१, ४. नियोगप्रथा ९४, ५. स्त्रियों विषयक धारणाएं ९६, ६. शूद्रविषयक धारणाएं १००, ७. स्वर्ग-नरक १०१, ८. प्रेतशुद्धि आडम्बर १०२, ९. वेदविषयक अनध्याय १०४, १०. प्रायश्चित्त अर्थ, उद्देश्य १०६, ११. दायभाग का वितरण १०६, १२. मनुस्मृति में विवाह की आयु १०८, १३. मनुस्मृति में ऋषि, देव, पितर, गन्धर्व, असुर, राक्षस, पिशाच, दस्यु, आर्य-अनार्य ११०, १५. मनु और वेद ११९।

चतुर्थ अध्याय —

१. मनुस्मृति में अध्याय विभाजन अमौलिक १२०, मनुस्मृति के प्रकरण १२४, ३. मनुस्मृति में वर्णाश्रमधर्मों के वर्णन की पद्धति १२५।

पंचम अध्याय — महर्षि दयानन्द और मनुस्मृति

१. मनुस्मृति का गौरववर्धन १२७. २. महर्षि के अर्थों एवं भावों का ग्रहण १२८, ३. सर्वप्रथम प्रक्षेप-निर्देशक १२९, ४. महर्षि के श्लोकों का प्रक्षेपान्तर्गमन १३०।

प्रथम अध्याय

[मनुस्मृति – महत्ता, रचयिता, काल एवं आद्यरूप]

१. मनुस्मृति की महत्ता एवं प्रभाव

भारतीय साहित्य में मनुप्रोक्त स्मृति का 'मनुस्मृति' 'मनुसंहिता' 'मानवधर्मशास्त्र' 'मानवशास्त्र' आदि कई नामों से उल्लेख आता है। मनुस्मृति भारतीय साहित्य में सर्वाधिक चर्चित धर्मशास्त्र है, क्योंकि अपने रचना काल से ही यह सर्वाधिक प्रामाणिक, मान्य एवं लोकप्रिय ग्रन्थ रहा है। स्मृतियों में इसका स्थान सबसे ऊंचा है। यही कारण है कि परवर्ती काल में अनेक स्मृतियां प्रकाश में आयीं किन्तु मनुस्मृति के प्रभाव के समक्ष टिक न सकीं, अपना प्रभाव न जमा सकीं; जबकि मनुस्मृति का वर्चस्व आज तक बना हुआ है।

मनुस्मृति एक विधि-विधानात्मक शास्त्र है. इसमें जहां एक ओर वर्णाश्रम धर्मों के रूप में व्यक्ति एवं समाज के लिए हितकारी धर्मों, नैतिक कर्त्तव्यों, मर्यादाओं, आचरणों का वर्णन है, वहाँ श्रेष्ठ समाज-व्यवस्था के लिए विधानों = कानूनों का निर्धारण भी है, और साथ ही मानव को मुक्ति प्राप्त कराने वाले आध्यात्मिक उपदेशों का निरूपण है। यों कहिये कि यह भौतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षाओं का मिला-जुला अनूठा धर्मशास्त्र है। इस प्रकार यह व्यक्ति एवं समाज के लिए धर्मशास्त्र एवं आचारशास्त्र है, तो साथ ही सामाजिक व्यवस्थाओं को सुचारु रूप में रखने के लिए 'संविधान' भी है।

मनुस्मति को इतना अधिक महत्त्वशाली, सम्मान्य तथा लोकप्रिय बनाने वाले कारणों में जहां इसके व्यक्ति और समाज के लिए हितकारी, व्यावहारिक एवं युक्तियुक्त विधि-विधान हैं, वहां इसकी प्राचीनता एवं वेदानुकूलता भी उल्लेखनीय कारण हैं। सर्वप्राचीन, सर्वाधिक मान्य और श्रद्धेय होने से वेद ही समस्त भारतीय साहित्य के मूलस्रोत हैं तभी तो मनु ने भी वेदों को ही प्रधानरूप से अपनी स्मृति का आधार बनाया है। उनकी दृढ़ मान्यता है कि —

"वेदोऽखिलो धर्ममूलम्" (मनु २।६)

अर्थात् —वेद ही धर्म के मूलाधार हैं।

मन्त्रार्थों के साक्षात्द्रष्टा ऋषि-मुनियों ने वेदों के मौलिक सिद्धान्तों को समझकर ही वेदांग ब्राह्मण, दर्शन, धर्मशास्त्र आदि ग्रन्थों की रचना की, जिससे मानव, ज्ञान को प्राप्त करके अज्ञान को छोड़कर अपने चरमलक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकें। मनु ने भी मनुस्मृति में वर्णों एवं आश्रमधर्मों के रूप में व्यक्ति एवं समाज के लिए हितकारी धर्मों-कर्त्तव्यों, विधानों का वर्णन वेद के आधार पर ही किया है[1] और धर्म जिज्ञासा में वेद को ही परम प्रमाण माना है —

"धर्मजिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः (मनु. २।१३)

अर्थात् – धर्म की जिज्ञासा रखने वालों के लिए वेद ही परम प्रमाण है। उसी से धर्म-अधर्म का निश्चय करें।

मनु की वेदों के प्रति गहन श्रद्धा है। वे वेदों को अपौरुषेय मानते हैं।[2] क्योंकि वेदज्ञान

१. २।८-९।।

२. "विधानस्य स्वयम्भुवः। अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य.... (मनु. १।३)

अपौरुषेय होने से निर्भ्रान्त ज्ञान है, धर्म का मूल स्रोत है एवं परमप्रमाण है, अत : वह कुतर्कों द्वारा खण्डनीय नहीं है । जो कुतर्क आदि का आश्रय लेकर वेदज्ञान का खण्डन, अवमानना या निन्दा करता है, उसे वे 'नास्तिक' जैसे तिरस्कारपूर्ण शब्द से सम्बोधित करते हैं –

ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मो हि निर्बभौ ।।
योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद् द्विज : ।
स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दक : ।। (मनु. २।१०-११)

अर्थात् – श्रुति और स्मृतिग्रन्थों की किसी भी अवस्था में आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं से धर्म की उत्पत्ति हुई है । वही धर्म के मूल स्रोत हैं । जो व्यक्ति तर्कशास्त्र का आश्रय लेकर कुतर्क आदि से उनकी अवमानना-निन्दा करता है, साधु-श्रेष्ठ लोगों को चाहिए कि उसे समाज से बहिष्कृत कर दें; क्योंकि वेद की निन्दा करने वाला वह व्यक्ति नास्तिक है ।

मनुस्मृति को गौरव प्रदान कराने वाले कारणों में यह कारण भी विशेष स्थान रखता है कि मनु अपने समय के एक प्रख्यात, तत्त्वद्रष्टा धर्मवेत्ता ऋषि थे और अपने समय में धर्मनिष्ठ, न्यायकारी प्रजाप्रिय शासक रहे थे । इसका प्रमाण मनुस्मृति की भूमिका में उल्लिखित वचनों से मिलता है । जिज्ञासु ऋषियों ने धर्मज्ञान के लिए महर्षि मनु को चुना, क्योंकि अपने समय के वही एकमात्र अधिकारी एवं विशेषज्ञ विद्वान् थे जो धर्मों को यथार्थरूप में बतला सकते थे । धर्मों के मूलस्रोत अपौरुषेय अचिन्त्य अपरिमित ज्ञान वाले वेदों के ज्ञाता और उनमें निर्दिष्ट धर्मों के ज्ञाता केवल मनु ही हैं, ऐसा ऋषियों ने अनुभव किया[३] । निश्चय ही मनु 'अमितौजा' = अत्यधिक ज्ञानशक्ति से सम्पन्न व्यक्ति थे ।[४] इस बात से भी उनकी अगाध विद्वत्ता का संकेत मिलता है कि उन्होंने धर्मप्रवचन का अधिकार केवल उन्हीं विद्वानों को दिया है "जिन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करते हुए धर्मपूर्वक सांगोपांग वेद पढ़े हैं और जिन्होंने वेदार्थों का प्रत्यक्ष किया है, वे ही धार्मिक और परोपकारी विद्वान् धर्मनिर्णय करने के अधिकारी हैं" । उन्हीं के वचन और आचरण धर्म में प्रमाण माने जा सकते हैं ।[५] जो व्यक्ति धर्मनिर्णय में केवल उपर्युक्त विद्वानों को ही प्रमाण मान रहा है, वह स्वयं विशिष्ट विद्वान् अवश्य रहा होगा, फिर ऐसे अधिकारी विद्वान् द्वारा प्रोक्त धर्मशास्त्र की प्रामाणिकता और महत्ता को कौन नहीं स्वीकार करेगा ?

यही कारण हैं कि समस्त भारतीय साहित्य में मनु के वचनों को आदर की दृष्टि से देखा गया है और प्रामाणिक माना है । यहाँ कुछ भारतीय एवं भारतीयेतर प्रमाण प्रस्तुत किये जाते हैं, जिनसे मनुस्मृति की महत्ता, प्रामाणिकता प्रभावशालिता एवं लोकप्रियता का निश्चय आसानी से किया जा सकता है ।

---

३. "भगवन् . . . धर्मान् न : वक्तुमर्हसि ।। त्वमेकोऽस्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुव : । अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थविन्प्रभो ।। मनु १।२-३ ।।

४. 'स तै : पृष्टस्तथा सम्यक्-अमितौजा" ।। मनु. १।४ ।।

५. यं शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयु : स धर्म : स्यादशंकित : ।। धर्मेणाधिगतो यैस्तु वेद : सपरिबृंहणा : । ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेया : श्रुतिप्रत्यक्षहेतव : ।। मनु. १२।१०८-१०९ ।।

६. १२।११३, १०६, ११०-११२ ।।

(क) भारत में मनुस्मृति का प्रभाव एवं महत्त्व

मनुस्मृति का आद्यरूप क्या था, इस विषय में आगे इसी अध्याय में विचार किया जायेगा। यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि मनु के धर्मशास्त्र का अस्तित्व वैदिक काल से ही रहा है। इसकी पुष्टि कई संहिताग्रन्थों, ब्राह्मणग्रन्थों में लगभग एक जैसे रूप में पाये जाने वाले निम्न वाक्य से हो जाती है —

"मनुर्वै यत्किञ्चावदत् तद् भेषजम्"[७]

अर्थात् – मनु ने जो कुछ कहा है, वह मानवों के लिए भेषज = औषध के समान कल्याणकारी एवं गुणकारी है।

ब्राह्मणग्रन्थों का यह वचन यह सिद्ध करता है कि उस समय मनु के धर्मशास्त्र को प्रामाणिक माना जाता था। धर्मनिश्चय में उसका सर्वाधिक महत्त्व था। एक ही रूप में कई ग्रन्थों में पाया जाने वाला यह वाक्य इस बात की ओर भी इंगित करता है कि मनु का धर्मशास्त्र उस समय इतना लोकप्रिय हो चुका था कि वह औषध के तुल्य हितकारी, गुणकारी के रूप में स्वीकृत था। तभी तो उसके विषय में यह उक्ति भी प्रसिद्ध हो चुकी थी।

निरुक्तशास्त्र में महर्षि यास्क ने दायभाग में पुत्र और पुत्री के समान अधिकार के विषय में किसी प्राचीन ग्रन्थ का श्लोक उद्धृत करके मनु के मत का उल्लेख किया है[८]। मनु का यह समानाधिकार सम्बन्धी मत प्रचलित मनुस्मृति के ९।१३०, १९२, २१२ श्लोकों में वर्णित है[९]। इससे भी मनु के वचनों की विशेष प्रामाणिकता और महत्ता का अनुमान लगाया जा सकता है।

वाल्मीकि रामायण में, बालि और सुग्रीव के परस्पर युद्ध के अवसर पर राम द्वारा बालि का वध किये जाने पर घायल बालि राम के इस कृत्य को अनुचित एवं अधर्मानुकूल ठहराता है। तब राम अपने इस कृत्य का औचित्य सिद्ध करने के लिए मनुस्मृति के वचनों का सहारा लेते हैं और दो श्लोक उद्धृत करके अपने कार्य को धर्मानुकूल सिद्ध करते हैं।[१०] वे दोनों श्लोक प्रचलित मनुस्मृति में किंचित् पाठान्तर से ८।३१६, ३१८ में पाये जाते हैं। इन वचनों से भी ज्ञात होता है कि उस समय मनुस्मृति को धर्मनिश्चय में अत्यधिक प्रामाणिकता, प्रसिद्धि, मान्यता और महत्ता प्राप्त थी।

महाभारत में अनेक स्थलों पर मनु को विशिष्ट प्रामाणिक स्मृतिकार के रूप में वर्णित किया है[११]। महाभारत के निम्न श्लोक से ज्ञात होता है कि उस समय मनु के वचनों को कुतर्क आदि के द्वारा अकाट्य माना जाता था —

पुराणं मानवो धर्मः सांगोपांगचिकित्सकः।
आज्ञासिद्धानि चत्वारि, न हन्तव्यानि हेतुभिः॥ (महा.)

७. तैत्ति सं. २।२।१०।२; ३।१।९।४ ।। तां. ब्रा. २३।१६।७ ।।

८. निरु. ३।४ ।। अर्थ सहित श्लोक द्रष्टव्य है, — मनु. का. पु. प्रथम अध्याय 'मनु कालनिर्णय' शीर्षकान्तर्गत।

९. यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा।
तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धनं हरेत् ।।९।१३०।।
— जैसी अपनी आत्मा है, वैसा ही पुत्र होता है, और पुत्र के समान ही पुत्री होती है; उस आत्मारूप पुत्री के रहते हुए कोई दूसरा धन को कैसे ले सकता है, अर्थात् पुत्र के साथ पुत्री भी धन की अधिकारिणी होती है।। द्रष्टव्य मनु. ९।१९२, और २१२ भी।।

१०. किष्कि. १८।३०, ३२ ।। अर्थसहित श्लोक द्रष्टव्य है — मनु. का. पु. प्रथम अध्याय, 'मनुस्मृति कालनिर्णय' शीर्षकान्तर्गत।

११. महा. आदि. ७३।८९ ।। शान्ति. ३६।३ ।। शान्ति. ५६।३३; ११८।२६; १२१।१०, १२; २०१।३२-३३; २३५।४४, ४६ आदि ।।

अर्थात् — पुराण[१२] अर्थात् ब्राह्मण ग्रन्थ, मनु द्वारा प्रतिपादित धर्म, सांगोपांग चिकित्सक, धार्मिक विद्वानों की आज्ञा से सिद्ध कार्य, इन चारों का हेतुशास्त्र का आश्रय लेकर कुतर्क आदि द्वारा खण्डन नहीं करना चाहिए।

आचार्य बृहस्पति ने तो अपनी स्मृति में स्पष्ट शब्दों में मनुस्मृति को सर्वोच्च स्मृति घोषित किया है। उसकी प्रामाणिकता और महत्ता की उद्घोषणा करते हुए और उसकी प्रशंसा करते हुए वे कहते हैं —

वेदार्थोपनिबद्धत्वात् प्राधान्यं हि मनोः स्मृतम्।
मन्वर्थविपरीता तु या स्मृतिः सा न शस्यते।।
तावच्छास्त्राणि शोभन्ते तर्कव्याकरणानि च।
धर्मार्थमोक्षोपदेष्टा मनुर्यावन्न दृश्यते।। (बृह. स्मृति)

अर्थात् — वेदार्थों के अनुसार रचित होने के कारण सब स्मृतियों में मनुस्मृति ही सबसे प्रधान एवं प्रशंसनीय है। जो स्मृति मनु के अर्थ के विपरीत है, वह प्रशंसा के योग्य अथवा ग्राह्य नहीं है। तर्कशास्त्र, व्याकरण आदि शास्त्रों की शोभा तभी तक है, जब तक धर्म, अर्थ, मोक्ष का उपदेश देने वाला मनु नहीं होता अर्थात् मनु के उपदेशों के समक्ष सभी शास्त्र निस्तेज, प्रभावहीन प्रतीत होते हैं।

इनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक प्रसिद्ध लेखक-व्याख्याकार हुए हैं जिन्होंने अपने मत के समर्थन में या अपनी मान्यता की पुष्टि के लिए मनु के वचनों को उद्धृत किया है और इस प्रकार अपने ग्रन्थ का गौरव बढ़ाया है।

बौद्ध महाकवि अश्वघोष ने, जो राजा कनिष्क का समकालीन था, जिसका कि समय प्रथम शताब्दी माना जाता है, अपनी 'वज्रकोपनिषद्' कृति में अपने पक्ष के समर्थन में मनु के श्लोकों को उद्धृत किया है। विश्वरूप ने अपने यजुर्वेदभाष्य और याज्ञवल्क्य स्मृति भाष्य में मनु के अनेक श्लोकों को उद्धृत किया है। शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्रभाष्य में मनुस्मृति के पर्याप्त उद्धरण दिये हैं।[१३] ५०० ई. में जैमिनि सूत्रों के भाष्यकार शबरस्वामी ने अपने भाष्य में मनु के अनेक वचनों का उल्लेख किया है। याज्ञवल्क्य स्मृति के एक अन्य भाष्यकार विज्ञानेश्वर ने याज्ञ. स्मृति के श्लोकों की पुष्टि के लिए मनु के श्लोकों को पर्याप्त संख्या में उद्धृत किया है[१४]। गौतम, वशिष्ठ, आपस्तम्ब, आश्वलायन, जैमिनि, बौधायन आदि सूत्रग्रन्थों में भी मनु का आदर के साथ उल्लेख है।[१५] आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बहुत-से स्थलों पर मनुस्मृति को आधार बनाया है, और कई स्थलों पर मनु के मतों का उल्लेख किया है।[१६] इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे ग्रन्थ हैं, जिन्होंने अपनी प्रमाणिकता और गौरव बढ़ाने के लिए अथवा मनु के मत को मान्य मानकर उद्धृत किया है।[१७]

अठारहवीं शताब्दी में मनुस्मृति को सर्वाधिक महत्त्व आर्यसमाज के प्रवर्त्तक महर्षि दयानन्द ने

---

१२. निरुक्त ३।१५ में पुराण शब्द का निर्वचन करते हुए कहा है — "पुरा नवं भवतीति" अर्थात् जो पहले नया था, अब नहीं। इस प्रकार पुराण शब्द ब्राह्मण आदि ऐतिहासिक ग्रन्थों का वाचक है। इसी के आधार पर बाद में ऐतिहासिक ग्रन्थों का 'पुराण' नाम रखा गया। यहां पुराण शब्द से १८ पुराणों का ग्रहण नहीं करना चाहिये।

१३. विश्वरूप याज्ञ स्मृ.भाष्य १।४४ ।। वेदा. सू. भाष्य १।३।२८, ३६; २।१।१, ११; ३।१।१४; ३।४।३८; ४।२।६ ।।

१४. याज्ञ. स्मृ. १।७, ५३, ६२, ६८, १३२, १७५, ८०; २।१, २, ५, २१, २६ आदि ।।

१५. गौ. ध. २१।७ ।। वासि. ध. १।२७ ।। आप. ध. २।१४।११ ।। आप. श्रौ. ३।१०।३५ ।। ३।१०।७ ।। आश्व. श्रौ. ९।७।२; १०।७।१ ।। बौ. गृ. १।२४ ।। बौ. ध. ४।१।१४, १६ ।।

१६. कौ. अर्थ. प्र. १।३, १ ।। प्र. १०।३, १४ ।।

१७. जैसे कि स्मृतिचन्द्रिका, निर्णयसिन्धु संस्कारमयूख, श्रीमद्भागवत, दानहेमादि, व्रतहेमादि आदि।

दिया । उन्होंने केवल मनुस्मृति को ही आर्ष एवं प्रामाणिक धर्मशास्त्र घोषित किया और अपने मन्तव्यों का आधार बनाया । उन्होंने अपने ग्रन्थों में मनुस्मृति के लगभग ५१४ श्लोकों या श्लोकखण्डों को प्रमाणरूप में उद्धृत किया है ।

इनके अतिरिक्त ऐसे भी बहुत सारे ग्रन्थ मिलते हैं जिनमें किसी अन्य ग्रन्थ का वचन उद्धृत है, जिनमें कि मनु के मत का उल्लेख है, या मनु के नाम से कोई मान्यता निर्दिष्ट है । यद्यपि इनमें बहुत से श्लोक ऐसे भी हैं जो न तो वर्तमान मनुस्मृति में मिलते हैं और न अन्य किसी स्मृति में । यह भी संभव है कि अपने पक्ष की पुष्टि के लिए लोगों ने मनु के नाम से स्वयं ही श्लोक रच लिये हों । यहां इस विवाद में न पड़कर केवल इतना कहना ही प्रासंगिक होगा कि इन सब बातों से मनु के एकछत्र प्रभाव का संकेत अवश्य मिलता है ।

प्राचीन काल से मनुस्मृति के अनुकूल आचरण को भी प्रतिष्ठा सूचक माना जाता रहा है । वलभी के राजा धारसेन का एक शिलालेख उपलब्ध हुआ है, जो ५७१ ई. का है । उसमें उस राजा को मनु के धर्मनियमों का पालनकर्त्ता कहकर उसकी विशेषता बतलायी गयी है ।

सभी स्मृति-ग्रन्थों एवं धर्मशास्त्रों में प्राचीनकाल से लेकर अब तक सर्वाधिक टीकाएं एवं भाष्य मनुस्मृति पर ही लिखे गये हैं और अब भी लिखे जा रहे हैं । यह भी मनुस्मृति की सर्वोच्चता एवं सर्वाधिक प्रमविष्णता का द्योतक है ।[१८]

आजकल भी पठन-पाठन, अध्ययन-मनन में मनुस्मृति का ही सर्वाधिक प्रचलन है । हिन्दू कोड बिल एवं संविधान का प्रमुख आधार मनुस्मृति को माना जाता है । आजकल भी न्यायालयों में न्याय दिलाने में मनुस्मृति का महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है । सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रसंग में मनुस्मृति का उल्लेख अनिवार्यरूप से होता है और इससे मार्गदर्शन भी प्राप्त किया जाता है ।

(ख) विदेशों में मनुस्मृति का प्रभाव

भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी मनुस्मृति का प्रभाव रहा है और इसे महत्त्व मिला है । कम्पाद्वीप के एक शिलालेख में मनु का निम्न श्लोक उद्धृत मिलता है —

वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी ।
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम् ।। (२ । १३६)

बालि, स्याम और जावा के विधान मनुस्मृति से पर्याप्त साम्यता रखते हैं । वर्मा का 'धम्मथट्' मनुस्मृति से ही प्रेरित प्रतीत होता है । नेपाल का विधि-विधान, आचार, मनुस्मृति का ही अनुकरण करता है ।

फिलिपीन द्वीप के नये लोकसभा भवन के सामने उस देश की संस्कृति के निर्माण में आधारभूत योगदान देने वाले चार व्यक्तियों की मूर्तियां उत्कीर्ण की गयी हैं, जिनमें एक महर्षि मनु की है ।

इस प्रकार मनु और मनु के शास्त्र का महत्त्व एवं प्रभाव देश-विदेश में प्राचीन काल से लेकर आजतक अल्पाधिक रूप में सदैव रहा है । उक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट हो गया है कि स्मृतिग्रन्थों एवं धर्मशास्त्रों में मनुस्मृति ही सर्वाधिक प्रामाणिक, प्रभावशाली, लोकप्रिय एवं मान्यताप्राप्त ग्रन्थ है ।

---

१८. मेधातिथि से लेकर अब तक लगभग दस संस्कृत भाष्य उपलब्ध हैं और संक्षिप्त-तथा-पूर्ण मनुस्मृति पर कुल मिलाकर लगभग तीस हिन्दी टीकाएं उपलब्ध हैं ।

मनुस्मृति अपनी अनेक विशेषताओं के कारण सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर पायी है । किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज ऐसे उत्तम और प्रसिद्ध धर्मशास्त्र का पठन-पाठन क्षीण होता जा रहा है । इसके प्रति लोगों के मन में अश्रद्धा की भावना घर करती जा रही है । इसका कारण है — 'मनुस्मृति में प्रक्षेपों की भरमार होना' । प्रक्षेपों के कारण मनुस्मृति का उज्ज्वलरूप गन्दा एवं विकृत हो गया है । परस्परविरुद्ध, प्रसंगविरुद्ध एवं पक्षपातपूर्ण वर्णनों से मनुस्मृति की गरिमा विलुप्त हो गई है । एक महान् तत्त्वद्रष्टा ऋषि के अनुपम शास्त्र को प्रक्षेपकर्त्ताओं ने विविध प्रक्षेपों से दूषित करके न केवल इस शास्त्र के साथ, अपितु महर्षि मनु के साथ भी अन्याय किया है ।

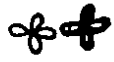

२. मनुस्मृति का मूल प्रवक्ता कौन ?

अतिप्राचीन काल से अद्यावधि पर्यन्त भारतीय वाङ्मय, संस्कृति-सभ्यता, धर्म, आचार-व्यवहार, कानून, पठन-पाठन आदि प्रत्येक क्षेत्र पर अपना न्यूनाधिक प्रभाव बनाये रखने वाले मनुस्मृति या मानवधर्मशास्त्र जैसे विशिष्ट ग्रन्थ का मूल प्रवक्ता या रचयिता सम्बन्धी प्रश्न आज विवादों शंका-संदेहों के भंवर में फंसा हुआ है, यह आश्चर्य की बात है। यद्यपि इस विवाद के बीज पूर्वकालीन साहित्य में भी पाये जाते हैं, किन्तु आधुनिक अनुसन्धान ने इसे वृक्ष का रूप दे दिया तथा लेखकों ने अपनी-अपनी ऊहाओं, कल्पनाओं, अटकलों से इसे विवादास्पद बना दिया।

मनुस्मृति में हुए प्रक्षेप भी इसमें प्रमुख कारण हैं, अत : आज इस बात की अति-आवश्यकता है कि प्रक्षेपों का अनुसन्धान, निर्धारण करके उसके पश्चात् मनुस्मृति सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार किया जाये। तभी निर्भ्रान्त निष्कर्ष निकल सकते हैं।[१९] मनुस्मृति के मूल रचयिता या प्रवक्ता के सम्बन्ध में इस समय चार मत प्रचलित हैं —

१. **मनुस्मृति के मूल रचयिता या प्रवक्ता स्वायम्भुव मनु हैं।**
२. **मनुस्मृति वैवस्वत मनु द्वारा प्रोक्त या रचित है।**
३. **मनुस्मृति भृगुप्रोक्त है।**
४. **मनुस्मृति ब्रह्माप्रोक्त है।**

आगे इन सभी मतों के पक्ष-विपक्ष पर सप्रमाण और प्रक्षिप्त श्लोकों की विवेचनापूर्वक विचार किया जाता है।

१. मनुस्मृति के प्रवक्ता — स्वायम्भुव मनु

अधिकांश विचारक इस मत से सहमत हैं कि मनुस्मृति का मूल प्रवक्ता मनु है और वह भी स्वायम्भुव मनु ही है। मैं भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। इस सम्बन्ध में प्राप्त सामग्री के आधार पर दो प्रकार से विचार किया जा सकता है — क. अन्त :साक्ष्य के आधार पर, और ख. बाह्यसाक्ष्य के आधार पर। प्रथम अन्त :साक्ष्य को ही लेते हैं —

क. अन्त :साक्ष्य के आधार पर

अन्त :साक्ष्यों पर विचार करते समय पहले मनुस्मृति की रचनाशैली को समेक्षना आवश्यक है।

१. मनुस्मृति की शैली — मनुस्मृति के अध्ययन से ज्ञात होता है कि मनुस्मृति की रचनाशैली 'प्रवचनशैली' है, अर्थात् मनुस्मृति मूलत : प्रवचन है। बाद में मनु के शिष्यों ने उनका संकलन करके उसे एक शास्त्र या ग्रन्थ का रूप दिया है। मनुस्मृति के भूमिकारूप, प्रथम अध्याय के पहले चार श्लोकों के "**मनुम् ..... अभिगम्य महर्षय : ..... वचनमब्रुवन्**" [१।१], "**भगवन् सर्ववर्णानां ..... धर्मान्नो वक्तुमर्हसि**" [१।२] "**त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य ..... कार्यतत्त्वार्थवित् प्रभो**" [१।३] "**प्रत्युवाच ..... महर्षीन्**

---

१९. लेखक ने मनुस्मृति के प्रक्षेपों का अनुसन्धान करके अन्त :साक्ष्यसिद्ध सात मानदण्डों के आधार पर [illegible] निर्धारण किया है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए द्रष्टव्य है — मनु. का. पु. द्वितीय अध्याय एवं सम्पूर्ण मनुस्मृति में उन [illegible] पर समीक्षा।

श्रूयताम् इति'' [१।४] आदि वचनों से ज्ञात होता है कि अपने मूलरूप में मनुस्मृति महर्षियों की जिज्ञासा का दिया गया उत्तर है, जो प्रवचनरूप में है । ये सभी श्लोक और विशेषरूप से ''**स : तै : पृष्ट :**'' [१।४] पदप्रयोग यह सिद्ध करता है कि इसे बाद में अन्य व्यक्ति ने संकलित किया है । यह प्रवचनों के रूप में सुना-सुनाया गया है, इसी कारण इसके प्रत्येक प्रसंग के प्रारम्भ या अन्त अथवा दोनों स्थानों पर सुनने-सुनाने वाली क्रियाओं का प्रयोग है, यथा — '**वक्तुमर्हसि**' [१।२], '**श्रूयताम्**' [१।४], '**तत्तथा वोऽभिधास्यामि**' [१।४२], '**एषा समासेन प्रकीर्तिता ... वर्णधर्मान्निबोधत**' [१।१४४ (२।२५], '**एष प्रोक्त ... कर्मयोगं निबोधत**' [२।४३ (६८)], '**स्त्रीविवाहान्निबोधत**' [३।२०], '**एवद्वोऽभिहितं ... श्रूयतामिति**' [३।२८६], '**एषोदिता**' [४।२५९], '**प्रवक्ष्यामि**' [५।५७], '**व : प्रोक्त : ... शृणुत निर्णयम्**' [५।११०], '**उक्तो व : ... धर्मान्निबोधत**' [५।१४६], '**एष वोऽभिहित : ... राज्ञां धर्मं निबोधत**' [६।९७], '**राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि**' [७।१], '**तत्तद्वोऽहं प्रवक्ष्यामि**' [७।३६], '**एष उक्त :**' [८।४०९], '**दायभागं निबोधत**' [९।१०३], '**एषोऽखिल : उक्त :**' [९।३२५], '**एष : कीर्तित : ... परं प्रवक्ष्यामि**' [१०।१३१], '**तान्वोऽभ्युपायान् वक्ष्यामि**' [११।२१०], '**एष वोऽभिहित : ... इमं निबोधत**' [११।२२६], '**समासेन वक्ष्यामि**' [१२।३९], '**इदं निबोधत**' [१२।८२] आदि ।

और मौलिक संकलन वही कहाता है जो मूलप्रवक्ता की बातों का यथावत् रूप में संकलन किया गया हो ।

यह भी ध्यान देने की बात है कि सम्पूर्ण मनुस्मृति में प्रारम्भ से अन्त तक कहने-सुनाने की क्रियाओं में उत्तम पुरुष का प्रयोग है — '**अभिधास्यामि**' [१।४२], '**प्रवक्ष्यामि**' [५।५७], '**राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि**' [७।१], '**अहं प्रवक्ष्यामि**' [७।३६], '**परं प्रवक्ष्यामि**' [१०।१३१], '**वक्ष्यामि**' [११।२१०], '**समासेन वक्ष्यामि**' [१२।३९], आदि ।

इस शैली की पुष्टि निरुक्त में वर्णित इस तथ्य से भी होती है कि अत्यन्त प्राचीन काल में साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों द्वारा प्रवचनों, उपदेशों के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती थी । और वह शिष्य-परम्परा के रूप में सुरक्षित रहती थी, लिपिबद्ध ग्रन्थों को पढ़ाकर नहीं । लिपिबद्ध ग्रन्थों के माध्यम से विद्याओं की शिक्षा की परम्परा पर्याप्त समय पश्चात् आयी, जब लोग उपदेशग्रहण करने में आलस्य उदासीनता और उत्साहहीनता प्रदर्शित करने लगे[२०] । महर्षि दयानन्द की मान्यता के अनुसार सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के समय उपदेशों को लिपिबद्ध करने की परम्परा प्रचलित होने लगी थी ।[२१] इस प्रकार हम कह सकते हैं —

मनुस्मृति की प्रवचन शैली, १।१-४ श्लोकों में वर्णित घटना — जिसमें कि महर्षि लोग केवल मनु के पास धर्मजिज्ञासा लेकर आते हैं और फिर मनु ही उनका उत्तर देते हैं, तथा सम्पूर्ण मनुस्मृति में प्रारम्भ से अन्त तक मनु द्वारा १।४ से प्रारम्भ की गई कहने-सुनाने की क्रियाओं

२०. साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवु :, तेऽवरेभ्यो साक्षात्कृतधर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान् संप्रादु :। उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिलग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिषुर्वेदं च वेदांगानि च ।'' [निरु. १।१९]

२१. उपदेश मञ्जरी, नवम उपदेश, पृ. ६२ ।

का उत्तम पुरुष एकवचन में प्रयोग, ये बातें यह सिद्ध करती हैं कि मनुस्मृति का प्रवक्ता मनु ही है ।

यहां प्रसंगवश १।१-४ श्लोकों से सम्बन्धित शंका का समाधान करना भी आवश्यक है । कुछ लोगों का कथन है कि मनुस्मृति की भूमिका रूप ये श्लोक मौलिक श्लोकों के रूप में परिगणित नहीं किये जाने चाहियें क्योंकि ये मनुप्रोक्त नहीं हैं, और न ही इन्हें प्रामाणिक मानना चाहिये ।

इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि यद्यपि १-४ श्लोक मनुप्रोक्त श्लोकों की भांति मौलिक नहीं है तथापि ये शैली, घटना और प्रश्न के आधार पर मौलिक ही स्वीकार किये गये हैं, क्योंकि भूमिका के रूप में इनका उल्लेख है । (१) मनुस्मृति की शैली से यह विदित होता है कि मनु के भावों (जो प्रवचन के रूप में थे) का संकलन भृगु या किसी अन्य शिष्य ने किया है । संकलयिता ने इन श्लोकों के द्वारा मनु के पास महर्षियों के आने की घटना और उनके प्रश्न का भूमिका के रूप में उल्लेख किया है । (२) घटना मौलिक है । (३) प्रश्न भी मौलिक है, अत : संकलन-शैली के अनुसार ये श्लोक मौलिक ही माने जायेंगे । जैसा कि कुछ टीकाकारों ने पांचवें श्लोक से मौलिक मनुस्मृति का प्रारम्भ माना है, उनका यह विचार भ्रान्तिपूर्ण है । मनुस्मृति संकलित शैली का ग्रन्थ है, इस दृष्टि से ये चारों श्लोक मौलिक संकलितरूप में ही हैं ।

यहां यह भी स्पष्ट कर देना उपयोगी होगा कि इस शैली के आधार पर टीकाकारों ने उन सभी श्लोकों को मौलिक मान लिया है जिनमें मनु के नामपूर्वक वर्णन है । ('**महर्षिर्मनुना भृगु :**' १।६० ।। '**उक्तवान् मनु :** १।११८ ।। '**मनुना परिकीर्तित :**' १।१२६ ।। '**मनुरब्रवीत्**'। ८।३३९ ।। आदि) । उनका कहना है कि मनु के भावों के आधार पर भृगु ने मनुस्मृति को रचा है, अत : इस प्रकार के श्लोक असंगत नहीं लगते । यह विचार भी भ्रान्तिपूर्ण है । क्योंकि, (१) मनुस्मृति, मनु के भावों को लेकर रचा ग्रन्थ नहीं है, अपितु मनु के भावों का यथावत् उसी शैली में संकलन है । (२) संकलन में मौलिक अंशों के बीच में संकलयिता की ओर से कोई बात नहीं कही जाती, अत : '**मनूक्तवान्**' आदि पद वाले श्लोक संकलयिता की ओर से कहे होने के कारण प्रक्षिप्त है, मौलिक नहीं । (३) १।४ में '**श्रूयताम्**' कहकर मनु उत्तर देना आरम्भ करते हैं । इस शैली से सिद्ध है कि इस श्लोक के बाद मनु के द्वारा कहे विचारों का उत्तमपुरुष की शैली के माध्यम से जो कथन है वही मौलिक संकलन है, अन्य द्वारा नामोल्लेख पूर्वक प्रदर्शित वर्णन प्रक्षिप्त है । अत : उन सभी श्लोकों को मूल संकलन से परवर्ती माना जाना चाहिए, जो उत्तमपुरुष की शैली में नहीं है ।

२. प्राचीन काल से अद्यावधि पर्यन्त इस ग्रन्थ-का 'मनुस्मृति' या 'मानवधर्मशास्त्र' नाम प्रचलित होना भी इसे मनुप्रोक्त सिद्ध करता है ।

यह मनु स्वायम्भुव मनु ही है । इस बात को मनुस्मृति में स्पष्ट भी किया है और विभिन्न स्थलों पर मनु के साथ स्वायम्भुव विशेषण का प्रयोग भी किया है ।

३. प्रचलित मनुस्मृति में बीच-बीच में लगभग तीस स्थलों पर मनु का नामोल्लेखपूर्वक वर्णन है । उनमें छह स्थलों पर स्पष्टत : स्वायम्भुव विशेषण का प्रयोग किया है ।[२२] ये उल्लेख भी इसका

---

२२. (क) स्वायंभुव मनु के नामोल्लेख वाले स्थल — १।३२-३३, ५८-६१, १०२ ; ६।५४ ; ८।१२४ ; ९।१५८ ।।
(ख) केवल मनु नामोल्लेख वाले स्थल — १।१-४, ११८, ११९, १२६ ; ३।३६, १५० ; ४।१०३ ; ५।४१ ; ८।१६९, १६८, २०४, २४२, २७९, २९२, ३३९ ; ९।१७, ८८२, १८३, २३९ ; १०।६३, ७८ ; १२।१०७, १२६ ।।
१।१-४ को छोड़कर अन्य सभी श्लोक इस अनुसन्धान कार्य के आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध हुए हैं, तथापि उन्हें एक पारम्परिक जनश्रुति के समान पोषक आधार माना है ।

प्रवक्ता स्वायंभुव मनु को ही सिद्ध करते हैं।

४. निम्न श्लोकों में मनुस्मृति का रचयिता स्वायंभुव मनु को बतलाया गया है—

(क) इदं शास्त्रं तु कृत्वाऽसौ मामेव स्वयमादितः।
विधिवद् ग्राहयामास मरीच्यादींस्त्वहं मुनीन्॥
स्वायम्भुवस्यास्य मनोः षड्वंश्या मनवोऽपरे॥१।५८, ६१॥

(ख) स्वायम्भुवो मनुर्धीमानिदं शास्त्रमकल्पयत्॥१।१०२॥

यतोहि भृगु स्वायम्भुव मनु का पुत्र और शिष्य था। [१।३४-३५; ३।१९४; १२।२;], अतः भृगुवचनों में उल्लिखित मनु भी स्वायम्भुव मनु ही है, जिसको शास्त्र का कर्ता कहा है—

(ग) यथेदमुक्तवान् शास्त्रं पुरा पृष्टो मनुर्मया॥ १।११९॥

(घ) एवं स भगवान्देवो लोकानां हितकाम्यया।
धर्मस्य परमं गुह्यं ममेदं सर्वमुक्तवान्॥१२।११७॥

(ङ) "मानवस्यास्य शास्त्रस्य" १२।१०७॥

(च) "एतन्मानवं शास्त्रम् भृगुप्रोक्तम्" १२।१२६॥

यद्यपि इस अनुसन्धानकार्य के आधार पर ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध हुए हैं, अतः मौलिकवत् प्रामाणिक नहीं है; किन्तु फिर भी इन्हें ऐतिहासिक सन्दर्भ में पारम्परिक जनश्रुति के समान पोषक आधार के रूप में ग्रहण किया है।

५. ऐतिहासिक, ब्रह्मावर्त प्रदेश में स्थित बर्हिष्मती नगरी को स्वायम्भुव मनु की राजधानी मानते हैं। मनुस्मृति में ब्रह्मावर्त प्रदेश को धर्मशिक्षा, सदाचार का केन्द्र घोषित करके सर्वोच्च महत्त्व दिया गया है [१।१३६-१३९ (२।१७-२०)]। इसी क्षेत्र में मनुस्मृति का प्रवचन-प्रणयन हुआ था। इससे भी मनुस्मृति का रचयिता स्वायम्भुव मनु होने का संकेत मिलता है।

(ख) ग्राह्यसाक्ष्य के आधार पर—

मनुस्मृति के अन्तर्गत प्राप्त पूर्वोक्त प्रमाणों, संकेतों के अतिरिक्त भी इस बात के बहुत से आधार मिलते हैं कि मनुस्मृति का प्रवक्ता स्वायंभुव मनु है। यथा—

१. तैत्तिरीय आदि संहिताओं,[२३] ब्राह्मणग्रन्थों से लेकर अर्वाक्कालीन भारतीय वांगमय में स्वायंभुव मनु ही एक धर्मशास्त्रकार या स्मृतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अतः कहा जा सकता है कि मनु के नाम से प्राप्त होने वाले धर्मशास्त्र का रचयिता भी यही मनु है।

२. निरुक्त[२४] में, दायभाग के प्रसंग में किसी प्राचीन ग्रन्थ का श्लोक उद्धृत करके स्वायंभुव मनु के मत का उल्लेख करते हुए कहा है कि 'दायभाग में पुत्र और पुत्री, दोनों का अधिकार होता है'। मनु के नाम से प्राप्त यह मत वर्तमान मनुस्मृति में ९।१३०, १९२ श्लोकों में निर्दिष्ट है। यह प्राचीन उल्लेख भी मनुस्मृति को स्वायंभुव मनुकृत सिद्ध करता है।

---

२३. (क) तैत्ति. सं. २।२।१०।२; ३।१।९।४॥ ता. ब्रा. २३।१६।७॥
(ख) मनु ने ब्राह्मणवाक्यों का भी प्रवचन किया था, इसके भी प्रमाण संहिताओं में मिलते हैं— "आपो वा इदं निरभृजन्। स मनुरेतोदशिष्यत। स एतामिष्टिमपश्यत्तामाहरत्—यामपत . . . । काठ. सं. ११।२॥ द्र. तैत्ति. सं. ३।१।९।३० भी।

२४. निरु. ३।४॥ अर्थसहित श्लोक द्रष्टव्य 'मनुकाल' शीर्षक में।

२५. "अष्टाविंश समासेन विवाहा धर्मतः स्मृताः . . . मनुः स्वायंभुवोऽब्रवीत्॥ (आदि. ७३।८-९) ये वर्तमान मनुस्मृति में ३।२०-३४ तक वर्णित हैं।

३. महाभारत में, कई स्थलों पर स्वायंभुव मनु को एक धर्मशास्त्रकार के रूप में उद्धृत किया है और कुछ स्थलों पर उसके नामोल्लेख के साथ उसके मत और श्लोकों को भी उद्धृत किया है। वे सभी मत और श्लोक प्रचलित मनुस्मृति में पाये जाते हैं। यथा —

(क) दुष्यन्त-शकुन्तला प्रेम-प्रसंग में आठ-विवाहों का विधानकर्त्ता स्वायंभुव मनु को बताया है।[२५]

(ख) शान्ति. ३६ अध्याय में, मनु. १।१-४ श्लोकों की घटना का यथावत् वर्णन करते हुए बताया है कि ऋषिलोग धर्मजिज्ञासा के लिए स्वायंभुव मनु के पास पहुंचे। वहां मनुद्वारा दिये गये उत्तर में कुछ श्लोक ऐसे प्राप्त होते हैं जो वर्तमान मनुस्मृति में भी हैं, उनमें कोई-कोई तो यथावत् है, कोई किंचित् पाठान्तर से है, तो कोई यथावत् भाव वाला है।[२६]

(ग) शान्ति ६७।१५-३० में, आदिकाल में लूटपाट, अराजकता आदि से तंग हुई प्रजा द्वारा मनु को राजा के रूप में वरण करने की घटना दी हुई है। वह मनु ब्रह्मा का पुत्र है, अतः वह भी स्वायंभुव मनु की घटना है।[२७] मनु को राजा बनाने के बाद प्रजा द्वारा जो करनिर्धारण किया गया है, यथा — 'पशु और सुवर्ण का पचासवां भाग कर देंगे', यह करव्यवस्था वर्तमान मनुस्मृति ७।१३० में मिलती है।[२८]

(घ) शान्ति. ३३५।४४, ४६ में एक धर्मशास्त्रकार के रूप में स्वायम्भुव मनु का ही वर्णन है।[२९]

४. इसके अतिरिक्त महाभारत में अनेक स्थलों पर केवल मनु नाम देकर उसके श्लोक या भाव उद्धृत किये हैं। उनमें से बहुत-से श्लोक वर्तमान मनुस्मृति में यथावत् मिलते हैं और भाव तथा उनका गठन भी यथावत् है।[३०]

५. इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में राम बालि-सुग्रीव युद्ध के अवसर पर अपने द्वारा किये बालि के वध को धर्मानुकूल ठहराते हुए मनु का नाम लेकर उसके दो श्लोक उद्धृत करते हैं। वे श्लोक भी वर्तमान मनुस्मृति में हैं।[३१] इन उद्धरणों से यह सिद्ध होता है कि मनुस्मृति मनुप्रोक्त है।

६. विश्वरूप ने याज्ञ स्मृति २।७३, ७४, ८३, ८५ पर भाष्य करते हुए वर्तमान मनुस्मृति के ८।६८, ७०-७१, १०५, १०६, ३०४ श्लोकों को उद्धृत किया है। वहां मनु का नाम स्वायंभुव दिया गया है।

७. विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति के 'मिताक्षरा' भाष्य में, शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्र भाष्य में, शबरस्वामी ने जैमिनी सूत्रों के भाष्य में, बौद्ध महाकवि अश्वघोष ने अपनी कृति 'वज्रकोपनिषद्' में,

---

२५. (क) "सैरेवमुक्तो भगवान् मनुः स्वायंभुवोऽब्रवीत्"। महा. शान्ति. ३६।५।।
(ख) यथावत् श्लोक-महा. शान्ति. में ३६।३५, ४६, ४७; मनुस्मृति में क्रमशः २।११७; २।१३२; २।१३३।। यथावत् भाव — महा. शान्ति में ३६।२०; में १२।१०८-१०९।। पाठान्तरपूर्वक — महा. शान्ति. में ३६।२७, २८; मनु. में ४।२१८, २१७, २२०।। भावग्रहण अन्य श्लोकों में भी है।

२७. महा. आदि. १।३२।।

२८. "पंचाशद्भाग आदेयो राज्ञा पशु-हिरण्ययोः।" ७।१३०।।

२९. (क) "मनुः स्वायंभुवोऽब्रवीत्" आदि. ७३।८-९।। (ख) सैरेवमुक्तो भगवान् मनुः स्वायंभुवोऽब्रवीत् शृणुष्वं यथावृत्तं धर्मं व्याससमासतः।। शान्ति. ३६।६।। (ग) शान्ति १२ अ.।। (घ) स्वायंभुव मनु द्वारा शास्त्ररचना. शान्ति. ३३५।४४, ४६।। आदि।

३०. "मनुना चैव राजेन्द्र गीतौ श्लोकौ महात्मना" शान्ति. ५६।३३।। अन्यत्र-शान्ति. १२ अ.; ११८।२६; १२१।१०, १२।।

३१. क. रामा. किष्कि. १८।३१-३२; मनु. में ८।३१६, ३१८।।

कवि भास ने 'प्रतिमा नाटक' में, गौतम, वसिष्ठ, आपस्तम्ब आदि ने अपने सूत्रग्रन्थों में, [३२] वलभी के राजा धारसेन के शिलालेख में, [३३] धर्मप्रसंग में जो मनु का निर्देश किया है तथा अपनी पुष्टि के लिए जो श्लोक उद्धृत किये हैं, वे मनु के ही हैं और वर्तमान मनुस्मृति में प्राप्त हैं। इनसे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि इसका मूलरचयिता मनु ही है, भृगु आदि कोई अन्य व्यक्ति नहीं। यह स्पष्ट किया ही जा चुका है कि मनु के नाम से उल्लिखित धर्मशास्त्रकार स्वायंभुव मनु ही प्रसिद्ध है।

पक्षान्तरों का विवेचन

२. मनुस्मृति वैवस्वतमनुप्रोक्त—

कुछ आलोचक मनुस्मृति को मनुप्रोक्त तो मानते हैं, किन्तु उस मनु को स्वायंभुव न मानकर वैवस्वत मानते हैं। ऐसा मानने के उनके कुछ निम्न आधार हैं—

१. मनुस्मृति के १।६१-६२ श्लोकों में स्वायंभुव मनु के वंश का वर्णन करते हुए सातवें वैवस्वत मनु तक का उल्लेख है। पहले मनु के काल में सातवें मनु का उल्लेख नहीं हो सकता, अतः यह सातवें वैवस्वत मनु की ही रचना है; ऐसा विद्वानों का विचार है।

२. कौटिल्य अर्थशास्त्र प्र. ८।अ. १२ में, आदिकाल में प्रजाओं द्वारा वैवस्वत मनु को राजा बनाने की घटना है। वहां जो कर व्यवस्था दी है[३४] वह प्रचलित मनुस्मृति ७।१३०-१३२ से मिलती-जुलती है, अतः यह स्मृति वैवस्वतमनुप्रोक्त है।

इन आधारों पर अनुशीलन करने पर इन पर आधारित यह मान्यता स्वयं अमान्य प्रतीत होती है। आइये, इन पर विचार करें।

१. मनुस्मृति के जिन श्लोकों में वैवस्वत मनु का उल्लेख है, वे निम्न हैं—

> स्वायंभुवस्यास्य मनोः षड्वंश्या मनवोऽपरे।
> सृष्टवन्तः प्रजाः स्वाः स्वाः महात्मानो महौजसः॥
> स्वारोचिषश्चोत्तमश्च तामसो रैवतस्तथा।
> चाक्षुषश्च महातेजा विवस्वत्सुत एव च॥ १।६१-६२॥

अर्थात्—इस स्वायंभुव मनु के वंश में महात्मा और महान् तेजस्वी अन्य छह मनु और हुए हैं, जिन्होंने अपने-अपने काल में अपनी प्रजाओं की सृष्टि की थी। वे हैं—स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष और विवस्वत् का पुत्र वैवस्वत।

मनुस्मृति में ये दोनों ही श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। इनकी प्रक्षिप्तता के कई कारण हैं—१. यह कहना चाहिये कि स्वायंभुव मनु पहले ही अपने वंश की भावी छह पीढ़ियों का वर्णन नहीं कर सकते। पूर्व १।५८-६० श्लोकों के वर्णन से यह स्पष्ट है कि स्वायंभुव का शिष्य भृगु यह बात कह रहा है। वह भावी छह पीढ़ियों और उनके कार्यों का भूतकाल में वर्णन कैसे कर सकता है? इस प्रकार ये श्लोक परवर्ती प्रक्षेप हैं और कालविरुद्ध वर्णन हैं। २. इनका पूर्वापर प्रसंग से भी विरोध है। पूर्वापर १।५७ और १।६४ श्लोकों में सृष्टि-उत्पत्ति की अवस्था और उसके काल का वर्णन चल रहा है। बीच के इन श्लोकों के अप्रासंगिक वर्णन ने उस प्रसंगक्रम को भंग कर दिया है। ३. मनुओं के द्वारा चराचर सृष्टि का उत्पादन और पालन सृष्टिक्रमविरुद्ध वर्णन है। यह मनु की

३२. उद्धरणस्थल द्रष्टव्य 'मनुस्मृति महत्ता' शीर्षक की टिप्पणियों में।
३३. ५७१ ई. का शिलालेख।
३४. उद्धरण द्रष्टव्य 'मनुस्मृति का काल' शीर्षक के अन्तर्गत।

१।६, १४-२३ श्लोकों में वर्णित मान्यता के विरुद्ध भी है। ४. इस प्रसंग में भृगु द्वारा मनुस्मृति के प्रवचन का कथन भी असंगत है, क्योंकि इसकी शैली से यह मनुप्रोक्त ही सिद्ध होती है।[३५] इस प्रकार इन प्रक्षिप्त श्लोकों के आधार पर इसे वैवस्वत मनुप्रोक्त नहीं कहा जा सकता।

२. कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो घटना वैवस्वत मनु के नाम से दी गयी है, वह महाभारत शान्ति. ६७।१५-३० में स्वायंभुव मनु के प्रसंग में दी हुई है। कहा नहीं जा सकता कि कौटिल्य अर्थशास्त्रकार ने यह नामान्तर क्यों ग्रहण किया। यह किसी पाठभेद के कारण भी हो सकता है, अथवा यह भी संभव है कि स्वायंभुव मनु की वंश-परम्परा में उत्पन्न होने के कारण वैवस्वत मनु ने इन व्यवस्थाओं को यथावत् और रुचिपूर्वक लागू किया हो, जिससे वे उसके नाम से प्रसिद्ध हो गयी हों। वैसे कुछ वंशावलियों को देखकर और दोनों मनुओं का प्रथम राजा के रूप में वर्णन देखकर कई बार, अन्वेषकों को दोनों की एकता का आभास होने लगता है। ये एकरूपवर्णन भी भ्रान्ति पैदा कर देते हैं। इतिहासानुसंधाताओं ने इसका समाधान प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया है कि स्वायम्भुव मनु सृष्टि के प्रथम राजा थे और वैवस्वत मनु प्रलयोत्तरकालीन समाज के प्रथम राजा हुए हैं।

इनके अतिरिक्त अन्य बहुत-सी युक्तियां भी हैं, जिनका इस प्रसंग में उल्लेख किया जा सकता है और उनसे इसी मान्यता को बल मिलता है कि मनुस्मृति के प्रवक्ता मनु वैवस्वत नहीं अपितु स्वायम्भुव हैं, यथा —

३. मनुस्मृति में ऐसा कोई अन्त :साक्ष्य नहीं मिलता जिसमें वैवस्वत मनु की शास्त्रप्रवक्ता के रूप में चर्चा हो। उपर्युक्त स्थल को छोड़कर अन्यत्र कहीं वैवस्वत का नाम भी नहीं है। उस स्थल पर भी केवल वंशावली है, मनुस्मृति के प्रवचन से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं दिखाया है।

४. मनुस्मृति में मनु के साथ भृगु का उल्लेख मिलता है। यह भृगु भी स्वायंभुव मनु का शिष्य था, वैवस्वत मनु का नहीं।

५. यद्यपि भारतीय साहित्य में दोनों मनु प्रथम राजा के रूप में वर्णित हैं, किन्तु स्वायंभुव मनु की अधिक ख्याति धर्मशास्त्रकार के रूप में है, जबकि वैवस्वत की एक राजा के रूप में।[३६] वैवस्वत का धर्मशास्त्रकार के रूप में उल्लेख नहीं के बराबर है।

६. वाल्मीकि रामायण में वैवस्वत मनु को सूर्यवंश का प्रथम राजा कहा है। उसी ने अयोध्या की स्थापना की।[३७] मनुस्मृति में अयोध्या का, तत्कालीन प्रदेश या भौगोलिक स्थिति का कहीं कोई वर्णन नहीं है, जबकि इसके विपरीत स्वायंभुव के प्रदेश ब्रह्मावर्त का सर्वोच्च महत्त्व प्रदर्शित है।[३८]

७. मनुस्मृति में स्वायंभुव के परवर्ती मनुओं की अथवा वैवस्वत से पूर्व के मनुओं की किसी प्रकार की कोई चर्चा का न होना भी इसे स्वायंभुवकालीन सिद्ध करता है। एक स्थान पर केवल मनु के राज्य का उल्लेख है और वह प्रक्षिप्त है।[३९] शैली के आधार पर वह वैवस्वत के भी बहुत परवर्ती काल का प्रक्षेप सिद्ध होता है। यतोहि, वहां राजा पृथु का भी उल्लेख है, जो वैवस्वत मनु से सातवीं पीढ़ी में हुआ है।[४०]

---

३५. शैली पर विस्तृत विवेचन 'मनु' का रचयिता स्वायंभुव मनु' शीर्षककालगत द्रष्टव्य है।

३६. "मनुर्वैवस्वतो राजा-इत्याह। तस्य मनुष्या विशः।" [शत. १३।४।३।५]

३७. बाल. ५०।२० में वंशपरिचय में प्रथम प्रजापालक कहा है। बाल. ५।६ में कहा है कि मनु ने ही अयोध्या को बसाया — "अयोध्या नाम नगरी तत्रार्याणगोकुलाकुला। मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयम्।"

३८. मनु २।१७-२० ।।

३९. "पृथुस्तु विनयाद्राज्यं प्राप्तवान् मनुरेव च।" ७।४२ ।।

४०. वा. रामा. बाल. ७०।२४ ।।

८. १।७९-८० में मन्वन्तर कालपरिमाण का वर्णन है। यदि मनुस्मृति वैवस्वत मन्वनतर काल की होती तो वहां पूर्व मन्वन्तरों के व्यतीतकाल और नामों का उल्लेख अवश्य मिलता। केवल मन्वन्तर का वर्णन होना इस बात का द्योतक है कि यह प्रारम्भिक मन्वन्तर काल की कृति है, जबकि मन्वन्तर केवल एक कालपरिमाण रूप में प्रचलित हुआ। मनुओं के व्यक्तिगत नामों पर इनका नामकरण बाद में निर्धारित हुआ।

९. मनुस्मृति तथा अन्य ग्रन्थों में वर्णित वंशावलियां भी मनुस्मृति का सम्बन्ध स्वायंभुव से सिद्ध करती हैं। मनुस्मृति में अनेक स्थलों पर मनु का सीधा सम्बन्ध ब्रह्मा से प्रदर्शित किया है। ब्रह्मा को विशेष महत्त्व भी दिया गया है, जैसे ब्रह्मावर्त आदि। वैवस्वत मनु का ब्रह्मा से सीधा सम्बन्ध न कुलवंश से है और न विद्यावंश से,[४१] जबकि स्वायंभुव मनु का है। उसका नाम स्वायंभुव भी स्वयंभू अर्थात् ब्रह्मा का पुत्र या शिष्य होने से 'स्वायंभुव' है। मनुस्मृति में ब्रह्मा से सीधे सम्बन्ध की प्रवृत्ति और उसे महत्त्व प्रदान करने की भावना भी इसे स्वयंभूकृत सिद्ध करती है।

३. मनुस्मृति भृगुप्रोक्त —

मनुस्मृति को भृगुप्रोक्त मानने वालों के लिए आधारभूत सामग्री मनुस्मृति में ही प्राप्त है। परवर्ती ग्रन्थों में भी उसी को आधार बनाकर यह मान्यता प्रदर्शित की गई है। अत: यहां पहले उन्हीं श्लोकों की विवेचना की जानी आवश्यक है, जिनमें इसे भृगुप्रोक्त कहा गया है।

१. पूर्वोक्त विवेचन में मनुस्मृति की शैली पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। उससे यह निष्कर्ष सामने आया है कि इसकी प्रवचन शैली से मनु ही इसके आदि-प्रवक्ता सिद्ध होते हैं। १।१-४ श्लोकों में वर्णित है कि साक्षात्कृतधर्मा ऋषि मानने के कारण ही ऋषि लोग मनु के पास आते हैं और धर्म सम्बन्धी जिज्ञासा करते हैं। जिज्ञासा मनु से की है तो मनु ही उसका उत्तर देते हैं, और यह भी कि वही इस विषय के अपने समय के विशिष्ट विद्वान् हैं। वह उत्तर १।४-५ से प्रारम्भ होकर अन्त तक इसी शैली में चलता है। इस प्रकार किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ऋषियों के प्रश्न का उत्तर दिया जाना न तो शैलीसंगत है और न व्यावहारिक। बीच-बीच में बहुत-से श्लोकों में भृगु द्वारा प्रवचन करने का उल्लेख है। यह बड़ी अटपटी, अव्यावहारिक और अप्रासंगिक बात है कि ऋषिगण विशिष्ट विद्वान् होने के नाते आये तो मनु के पास हैं, प्रश्न भी उन्हीं से करते हैं और तदनुसार प्रारम्भ में उत्तर भी मनु ही देते हैं। किन्तु पुन: भृगु उत्तर देना शुरू कर देते हैं; जबकि अन्त तक शैली वही १।४ से आरम्भ मनु द्वारा उत्तर देने वाली चलती रहती है।

वस्तुत: मनुस्मृति में भृगु से सम्बन्धित सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं। भृगु के शिष्यों ने भृगु को महत्त्व प्रदान करने और मनु से जोड़ने के लिए उनका प्रक्षेप किया है। मनुस्मृति की शैली से, उनके अटपटे वर्णन से, उनकी अव्यावहारिकता से और अप्रासंगिकता से यह निष्कर्ष निकलता है कि वे श्लोक मनुस्मृति में परवर्तीकाल में बलात् डाले गये हैं। किसी भी स्थल पर मनुस्मृति के प्रसंगों से पूर्वापर रूप में उनका तालमेल न होना और विरुद्ध वर्णन होना भी उन्हें बलात् किया गया प्रक्षेप सिद्ध करता है। आगे उनकी प्रक्षिप्तता पर विचार किया जा रहा है।

क. एतद् वोऽयं भृगु: शास्त्रं श्रावयिष्यत्यशेषत:।
एतद्धि मत्तोऽधिजगे सर्वमेषोऽखिलं मुनि:।।

---

४१. द्रष्टव्य वा. रामा. के बाल. ७०।१९-२१ में प्रदर्शित वंशावली। ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान, विवस्वान से मनु वैवस्वत हुआ।

ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिर्मनुना भृगुः ।
तानब्रवीत् ऋषीन् सर्वान् प्रीतात्मा श्रूयतामिति ।। १।५९-६० ।।

अर्थात् — यह भृगु मुनि इस मनुस्मृति शास्त्र को सम्पूर्ण रूप से आप लोगों को सुनायेगा, क्योंकि इसने इस सम्पूर्ण शास्त्र को भलीभांति मुझ मनु से सीखा है । महर्षि मनु के इस प्रकार कहने पर वह महर्षि भृगु जिज्ञासा की दृष्टि से आये उन सब ऋषियों को प्रसन्नचित्त होकर 'सुनिये' ऐसा बोलें ।

प्रक्षिप्तता विवेचन —

उपर्युक्त शैलीगत आधार के अतिरिक्त ये श्लोक इन आधारों पर भी प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं — १. **प्रसंगविरोध** – पूर्वापर १।५७ और १।६४ श्लोकों में सृष्टि-उत्पत्ति की अवस्था और उसके काल का वर्णन है । इन श्लोकों के अप्रासंगिक वर्णन ने उस प्रसंगक्रम को भंग कर दिया है । मनु सृष्टयुत्पत्ति विषयक जानकारी दे रहे हैं । यह प्रकरण १।१४४ (२।२५) में पूरा होगा । एक प्रचलित प्रकरण के पूर्ण हुए बिना, बिना ही प्रसंग के इस शास्त्र का अध्ययन-अध्यापन क्रम बतलाकर भृगु द्वारा शास्त्र सुनाने की बात कहना, विसंगतिपूर्ण, अटपटा एवं बलात् डाला गया प्रक्षेप है । २. **अन्तर्विरोध** — १।५८ और १।६१-६३ श्लोक भी प्रसंग की दृष्टि से इन श्लोकों से सम्बद्ध हैं । उनमें १।६, १४-२३ में वर्णित सृष्टि-उत्पत्ति के क्रम के विरुद्ध वर्णन है । मनुओं से चराचर सृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकती । ३. मनुस्मृति मूलतः प्रवचन होने से उनके लिए मूल संकलन में 'शास्त्र' शब्द का व्यवहार नहीं बनता । यहां 'शास्त्र' पाठ इन्हें परवर्ती प्रक्षेप सिद्ध करता है । (इससे सम्बन्धित विवेचन इसी अध्याय में 'स्वायम्भुव मनु' शीर्षकान्तर्गत १।६१-६२, ब्रह्मा शीर्षकान्तर्गत १।५८ श्लोक पर तथा विस्तृत समीक्षा भाष्य में यथास्थान देखिए) ।

ख. यथेदमुक्तवान् शास्त्रं पुरा पृष्टो मनुर्यथा ।
तथेदं यूयमप्यद्य मत्सकाशान्निबोधत ।। १।११९ ।।

अर्थ — महर्षियों से भृगु मुनि कहते हैं — जैसे पहले मेरे पूछने पर महर्षि मनु ने मुझे इस शास्त्र का उपदेश किया था, वैसे ही आज आप लोग भी मुझसे सुनो ।

प्रक्षिप्तता विवेचन — १. **प्रसंगविरोध** — पूर्वापर १।११० और १।१२०(२।१) श्लोकों में धर्म के स्वरूप के विवेचन का प्रसंग है । उस प्रसंग के मध्य बिना ही प्रसंग के 'मनु से शास्त्र सुनने और स्वयं सुनाने' की बात कहना असंगत है । इससे पूर्वापर प्रसंग भंग हो गया है । २. **शैली** की दृष्टि से यह भृगु से भी भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा रचित है । फिर मनु का तो किसी भी दृष्टि से नहीं हो सकता । (विस्तृत विवेचन भाष्य में द्रष्टव्य है) ।

ग. ५।१-४ श्लोकों में महर्षि लोग भृगु से प्रश्न करते हैं कि अपने धर्म में स्थित रहते हुए भी विद्वानों को मृत्यु क्यों प्रभावित कर लेती है । भृगु उन्हें उत्तर देते हैं कि वेदों के अनभ्यास, सदाचारत्याग, आलस्य और अन्नदोष के कारण विद्वानों को मृत्यु मारती है ।

प्रक्षिप्तता विवेचन — १. **शैली** की दृष्टि से ये श्लोक भृगु से भी परवर्ती किसी अन्य व्यक्ति की रचना हैं । स्मृति के प्रारम्भ में प्रश्न मनु से किया था । मनु के पास ही ऋषि आये थे । भृगु से पुनः प्रश्न और उसके द्वारा उत्तर मनुस्मृति की शैली के अनुरूप नहीं है । २. **प्रसंगविरोध** — अग्रिम प्रसंग भक्ष्याभक्ष्य पदार्थों का है, जबकि इन श्लोकों में मृत्यु का कारण पूछा और बताया जा रहा है । यहाँ प्रश्न और उत्तर की असंगति इन्हें प्रक्षिप्त सिद्ध करती है । (विस्तृत विवेचन भाष्य में द्रष्टव्य है) ।

घ. चातुर्वर्ण्यस्य कृत्स्नोऽयमुक्तो धर्मस्त्वयानघ ।
कर्मणां फलनिर्वृत्तिं शंस नस्तत्त्वत: पराम् ।।
स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवो भृगु: ।
अस्य सर्वस्य शृणुत कर्मयोगस्य निर्णयम् ।। १२।१-२ ।।

प्रक्षिप्तता विवेचन — २. **प्रसंगविरोध** — इससे पूर्व ११।२६६ श्लोक में मौलिक शैली से पूर्वविषय की समाप्ति और अग्रिम कर्मविधि विषय के प्रारम्भका संकेत है। उसके बाद पुन: प्रश्नोत्तर करना असंगत भी है और मनु की शैली के विपरीत भी। २. ये भी भृगु से परवर्ती व्यक्ति की रचना है।

ङ. इत्येतन्मानवं शास्त्रं भृगुप्रोक्तं पठन्द्विज: ।
भवत्याचारवान्नित्यं यथेष्टां प्राप्नुयाद् गतिम् ।। १२।१३६ ।।

अर्थ — इस भृगु द्वारा प्रोक्त मानवशास्त्र को पढ़ने वाला द्विज सदा आचारवान् रहता है और इच्छित गति को प्राप्त करता है।

प्रक्षिप्तता विवेचन — १. इस श्लोक में मनुस्मृति के लिए किया गया 'शास्त्र' शब्द का व्यवहार इसे परवर्ती प्रक्षेप सिद्ध करता है (द्रष्टव्य इसी अध्याय में ब्रह्मा शीर्षकान्तर्गत १।५८ पर विवेचन)। २. यह श्लोक भी इसे भृगु से परवर्ती व्यक्ति द्वारा रचित सिद्ध करता है। ३. यद्यपि इसमें इस स्मृति को मनुरचित कहा है, फिर भी भृगु का नाम महत्त्वप्राप्ति की इच्छा से जोड़ दिया है। ४. इस प्रकार का उपसंहार मनु की शैली के अनुरूप नहीं है। वे केवल प्रस्तुत विषय का फल प्रदर्शित करते हैं (१२।१२५ में)।

इस प्रकार भृगु के नाम के उल्लेख वाले सभी श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। यह कहना चाहिए कि इस प्रकार तो ये श्लोक भृगुरचित भी नहीं अपितु किसी परवर्ती व्यक्ति ने रचकर मिलाये हैं। इस आधार पर यदि भृगुकृत मानें तो फिर यह भृगु से भी बाद के किसी व्यक्ति की रचना माननी पड़ेगी।

२. यहां कुछ लोग यह शंका उठा सकते हैं कि जैसे मनु के नामोल्लेख वाले श्लोकों को पारम्परिक जनश्रुति के समान आधार मानकर इसका कर्त्ता स्वायंभुव मनु माना है, ऐसे ही भृगु के श्लोकों को भी आधार क्यों न माना जाये?

इसका स्पष्ट-सा उत्तर है कि भृगु नामोल्लेख वाले श्लोकों का मनुस्मृति में कोई प्रसंग ही नहीं जुड़ता। वे सभी बलात् डाले हुए लगते हैं। इसके मूल में भृगु के शिष्यों की शायद यह भावना रही है कि उसे मनु के प्रसिद्ध शास्त्र से जोड़कर कम-से-कम प्रवचनकर्त्ता के रूप में तो महत्त्व मिल जाये। यद्यपि यह मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि भृगु ने मनुस्मृति का प्रवचन किया होगा। लेकिन उसके प्रवचन के आधार पर, उसके पश्चात् मनुस्मृति का संकलन हुआ, यह कथन बिल्कुल निराधार है। हो सकता है, प्रवचनों का आद्य संकलन भी भृगु ने किया हो, क्योंकि वह मनु के समकालीन था। किन्तु मौलिक संकलन में भृगु के नाम की कोई गुंजायश नहीं बनती।

३. प्रतीत होता है कि भृगु की अपनी कोई पृथक् संहिता रही है, जो आज उपलब्ध नहीं है। महाभारत शान्ति. ५७।५१ में निम्न श्लोक भृगु के नाम से उद्धृत है —

राजानं प्रथमं विन्देत् ततो भार्यां ततो धनम् ।
राजन्यसति लोकस्य कुतो भार्या कुतो धनम् ।।

यह श्लोक वर्तमान मनुस्मृति में नहीं है। इसी प्रकार विश्वरूप ने याज्ञवल्क्य स्मृतिभाष्य १।१८७, २५२ में जो श्लोक भृगु के नाम से उद्धृत किये हैं, वे भी मनुस्मृति में नहीं है। अपरार्क ने भृगु के नाम से निम्न श्लोक दिया है जिसमें मनु का नाम है —

येषु पापेषु दिव्यानि प्रतिशुद्धानि यत्नतः।
कारयेत सज्जनैस्तानि नाभिशस्तं त्यजेन् मनुः।।
(याज्ञवल्क्यस्मृति २।९६)।।

४. यदि वर्तमान मनुस्मृति भृगु संहिता होती तो इसका प्रारम्भ मनु के पास आने की घटना से न होकर भृगु के पास आने की घटना से अथवा उनसे की गई जिज्ञासा से होता, जैसा कि नारद, अग्नि, विष्णु, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति आदि की स्मृतियों में है।[४२] मनुस्मृति का मनु की घटना से प्रारम्भ भी यह संकेत देता है कि यह भृगुसंहिता या भृगु की रचना नहीं, मनु की है। ऐसा उदाहरण अन्य किसी स्मृति में नहीं पाया जाता, जैसा मनुस्मृति में भृगु को जोड़कर प्रस्तुत किया है।

५. कई ग्रन्थों में भविष्यपुराण का एक श्लोक उद्धृत मिलता है, जो इस बात का विवरण देता है कि स्वायम्भुव शास्त्र अर्थात् मनुस्मृति के आधार पर चार संहिताओं का निर्माण हुआ था — १. भृगुसंहिता, २. नारदसंहिता, ३. बृहस्पति संहिता, ४. आंगिरस संहिता।[४३] इनमें अन्तिम तीन उपलब्ध हैं, भृगुसंहिता उपलब्ध नहीं है। इन तीनों का प्रारम्भ भी उन-उन प्रणेताओं के नामों से है, यही शैली भृगुसंहिता की रही होगी। स्पष्ट है कि मनुस्मृति से भिन्न कोई भृगुसंहिता रही है।

इन प्रमाणों और संकेतों से यह स्पष्ट हुआ कि प्रचलित मनुस्मृति भृगुप्रोक्त नहीं है। भृगु मनु का पुत्र और शिष्य था। मनु की विद्यापरम्परा से भी सम्बधित रहा है। प्रतीत होता है कि भृगुसंहिता का प्रचलन नहीं हो पाया तो भृगुपरम्परा के शिष्यों ने अपनी परम्परा की प्रसिद्ध स्मृति मनुस्मृति में भृगु के नाम का समावेश कर दिया। उसे भृगु के प्रवचन का रूप दे दिया। परिणामतः भृगुसंहिता विलुप्त हो गयी।

४. मनुस्मृति ब्रह्माप्रोक्त —

एक मान्यता यह भी है कि वर्तमान मनुस्मृति मूलतः ब्रह्माप्रोक्त है। यद्यपि इस मान्यता को मानने वाले विचारकों की संख्या कम है। इसका स्रोत भी मनुस्मृति ही है। इसलिए यहां उस स्रोत-रूप श्लोक पर ही विचार करना चाहिए।

मनुस्मृति में केवल एक स्थान पर यह उल्लेख आता है। स्वायंभुव मनु कहते हैं — 'इस ब्रह्मा ने इस मनुस्मृति शास्त्र को रचकर सबसे पहले मुझ मनु को ही विधिपूर्वक पढ़ाया, और फिर मैंने मरीचि आदि दश मुनियों को ग्रहण कराया।' श्लोक है —

इदं शास्त्रं तु कृत्वाऽसौ मामेव स्वयमादितः।
विधिवद् ग्राहयामास मरीच्यादींस्त्वहं मुनीन्।। १।५८।।

---

४२. अत्रि स्मृति का प्रारम्भ — ''हुताग्निहोत्रमासीनमत्रिं वेदविदां वरम्-इदं वचनमब्रुवन्''
विष्णु स्मृति में — ''विष्णुमेकाग्रमासीनं . . . पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे।।''
याज्ञ. स्मृति में — ''योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं संपूज्य मुनयोऽब्रुवन्।।
बृहस्पति स्मृति में — ''राजा . . . भगवन्तं गुरुं श्रेष्ठं पर्यपृच्छद् बृहस्पतिम्।।'

४३. हेमाद्रि तथा संस्कारमयूख आदि ग्रन्थों में भविष्य पुराण का यह श्लोक मिलता है —
भार्गवीया नारदीया च आहस्पत्यांगिरस्यपि।
स्वायंभुवस्य शास्त्रस्य चतस्रः संहिताः मताः।।

मनुस्मृति के प्रसंग में यह श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होता है । इसकी प्रक्षिप्तता पर विचार करने से पूर्व यह स्पष्ट करना भी प्रासंगिक होगा कि भारतीय ऐतिहासिक परम्परा के अनुसार ब्रह्मा को आदिगुरु माना जाता है । इस कारण प्रत्येक विद्यावंश उसी से प्रारम्भ होता है । यदि ब्रह्मा से मनु ने इस विषय की शिक्षा प्राप्त की हो तो इसे मानने में कोई आपत्ति नहीं । किन्तु यह कहना आपत्तिजनक है कि इस शास्त्र को ब्रह्मा ने रचा, फिर उसे ही मनु को दिया, और मनु ने अन्य ऋषियों को । यह कथन मनुस्मृतिसम्मत नहीं है ।

इस विवेचन को पढ़ते हुए आपने देखा कि मनुस्मृति में मनुस्मृति के प्रणेता के सम्बन्ध में तीन विरोधी मान्यताएं यत्र-तत्र उल्लिखित हैं । कहीं मनु को, कहीं भृगु को, तो कहीं ब्रह्मा को इसका प्रवक्ता कहा है । यह निश्चित है कि इसका रचयिता है एक ही । स्पष्ट है कि प्रक्षिप्त श्लोकों के कारण ही यह विवाद उभरा है । अत : अब इस श्लोक की प्रक्षिप्तता पर और उसके सन्दर्भ में इस पक्ष पर विचार किया जाता है । वस्तुत : मनुस्मृति को अधिक मान्यता, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि दिलाने की भावना से मनुस्मृति-परम्परा के व्यक्तियों ने इसे ब्रह्मा के साथ जोड़ने का प्रयास किया है और इसी प्रवृत्ति के कारण इस श्लोक का प्रक्षेप किया गया है ।

यह श्लोक अनेक आधारों पर प्रक्षिप्त सिद्ध होता है — १. **प्रसंगविरोध** —(क) इस श्लोक में ब्रह्मा शब्द का उल्लेख नहीं है । टीकाकारों ने पूर्व श्लोकों से इस पद की अनुवृत्ति ग्रहण की है । पूर्व श्लोकों में १।५०-५१ को छोड़कर कहीं भी ब्रह्मा का वर्णन नहीं अपितु सृष्टिकर्त्ता ब्रह्म का है । १।५०-५१ श्लोक प्रक्षिप्त हैं । वहां से अनुवृत्ति भी ग्रहण नहीं की जा सकती क्योंकि उसके बाद ब्रह्म के वर्णन वाले कई श्लोक आ गये हैं । (ख) यहां यह श्लोक असंगत भी है, यतोहि पूर्वापर १।५७, १।६४ श्लोकों में सृष्टि-उत्पत्ति की अवस्था और उसके काल परिमाण का प्रसंग है । उस प्रसंग को भंग करके बिना ही किसी चर्चा के यह कथन नितान्त अनावश्यक एवं अप्रासंगिक है ।

२. **अन्तर्विरोध** — यह श्लोक अगले १।५९-६३ श्लोकों से सम्बद्ध हैं, अत : इन सभी श्लोकों का यह एक ही प्रसंग है । इन श्लोकों में मनुओं से चराचर सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है, जो सृष्टिक्रमविरुद्ध एवं मनु की पूर्ववर्णित मान्यता १।६, १४-२३ के विरुद्ध है ।

इस श्लोक में ब्रह्मा को इस शास्त्र का कर्त्ता कहने के कारण मनुस्मृति में पूर्वोक्त मनु, भृगु वाली मान्यताओं से विरोध आ गया है । इस श्लोक से उत्पन्न विरोध को दूर करने के लिये टीकाकारों ने पर्याप्त प्रयास किया है किन्तु उन का वह प्रयास 'तथाकथित' ही रहा । उनका कहना है कि इसके मूल प्रवक्ता ब्रह्मा हैं तथापि इसे मनुकृत इसलिए कहा जाता है कि — (अ) मनु को ब्रह्मा ने शास्त्राशय रूप विधिनिषेध का अध्यापन कराया और मनु ने उसका प्रतिपादन करने वाला ग्रन्थ इस रूप में बनाया । (आ) दूसरे मत के अनुसार — इस ग्रन्थ के रचयिता ब्रह्मा ही हैं, तथापि मनु ने इसका ज्ञान प्राप्त कर स्वरूप तथा अर्थ के साथ इसे मरीचि आदि के लिए प्रकाशित किया । अत : यह मानवशास्त्र कहलाया । ये दोनों ही समाधान निराधार एवं अयुक्तियुक्त हैं । इसके विश्लेषण के लिए १।१-४ श्लोकों पर गहन दृष्टिपात करना होगा । इन श्लोकों के भाव और भाषा पर ध्यान देने से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं —

(क) मनुस्मृति अपने मूलरूप में कोई पूर्वनिबद्ध शास्त्र नहीं अपितु मूलरूप में, जिज्ञासा का प्रवचन के रूप में दिया गया उत्तर है, जिसका बाद में संकलन हुआ है । महर्षि लोग मनु के पास आकर धर्मों को क्रमश : जानने की जिज्ञासा प्रकट करते हैं । [१।१-२] और मनु उसका उत्तर देते हैं [१।४] ।

(ख) इसके मूल प्रवक्ता भी मनु ही हैं । यही कारण है कि मनु अपने ज्ञान के अनुसार सीधे वेद से विज्ञात बातों का ही मनुस्मृति में दिग्दर्शन कराते हैं [१।२३-२४, ८७, १२५, १२९] । यदि यह ज्ञान ब्रह्मा की परम्परा से प्राप्त होता या ब्रह्मा द्वारा प्राप्त होना इसकी विशेषता मानी जाती तो ऋषि लोगों को यहां मनु के लिये 'वेदों का ज्ञाता' कहने की आवश्यकता नहीं थी । वे यही कहते कि 'आप को ही ब्रह्मा से इस ज्ञान को प्राप्त करने का अहोभाग्य प्राप्त हुआ है, अत : आपसे ही पूछने आये हैं । किन्तु ऐसा किसी प्रकार का संकेत न करके यहां उनकी व्यक्तिगत विद्वता का ही संकेत स्पष्ट हो रहा है कि वे स्वयं ज्ञाता हैं इसलिए अपने ज्ञान के आधार पर ही उन्हें उत्तर देना है — वेदों में खोजा हुआ अपना ही आशय बताना है, दूसरे का नहीं ।

(ग) यदि ब्रह्मा से यह ज्ञान प्राप्त किया होता, और ब्रह्मा के नाम के कारण ऋषियों को उस ज्ञान के प्रति आकर्षण होता, अथवा मनु को ब्रह्मा के नाम से उसमें कोई विशिष्टता या ख्याति की बात नजर आती तो मनु सभी बातों के साथ 'ब्रह्मा ने मुझे यह कहा, यह बताया या इसे उचित ठहराया, इसे नहीं' आदि कहते या उनके मत का उल्लेख करते । किन्तु मनुस्मृति में एक स्थल [९।१३८] को छोड़कर ब्रह्मा के मत का कोई उल्लेख नहीं है । कहीं भी ब्रह्मा के मत का उल्लेख न होना यह सिद्ध करता है कि मनुस्मृति की रचना के साथ ब्रह्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है । ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि धर्माधर्म को प्रदर्शित करते समय या तो ऋषि-मुनियों के मत का उल्लेख किया है या अपने मत का ही । जब ऋषि-मुनियों की मान्यता के अनेक स्थानों पर संकेत हैं ['आहु मनीषिण : (१।१७) 'धर्मस्य मुनयो गतिम्' (१।११० ।। २।८८, १२४) आदि]—तो यदि ब्रह्मा का इसके साथ तनिक भी सम्बन्ध होता, तो उसका उल्लेख प्रमुखता से आता, क्योंकि ब्रह्मा को इस विषय का मूल प्रवक्ता और अध्यापयिता का स्थान दिया है । इससे सिद्ध हो जाता है कि मनुस्मृति के मूल प्रवक्ता स्वयं मनु हैं, ब्रह्मा का इसकी रचना से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

(घ) मनुस्मृति की शैली से यह सिद्ध होता है कि मनुस्मृति अपने मूलरूप में कोई निबद्धशास्त्र के रूप में नही थी । जब शास्त्र के रूप में नहीं थी तो इसके लिए मूल-संकलन से 'शास्त्र' संज्ञा का व्यवहार नहीं बनता । जब 'शास्त्र' का व्यवहार नहीं बनता तो 'ब्रह्मा ने इस शास्त्र की रचना की' यह प्रयोग भी नही बनता । इस प्रयोग के न बनने से मनुस्मृति का ब्रह्मा से कोई सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता । इस प्रकार इन श्लोकों में वर्णित शास्त्र शब्द ही असंगत है ।

(ङ) मनुस्मृति अपने मूलरूप में ऋषियों की जिज्ञासा का दिया गया उत्तर है, जो प्रवचन के रूप में है । संकलन के बाद ही मनुस्मृति ने 'शास्त्र' का रूप ग्रहण किया और मौलिक संकलन वही कहा जा सकता है जो मूलप्रवक्ता की बातों का यथावत् रूप में संकलन हो, जबकि शास्त्र' संज्ञा का प्रयोग मौलिक नहीं हो सकता । क्योंकि, जो प्रवचन अभी किसी संकलन के या शास्त्र के रूप में नहीं आये हैं, उन्हें मनु 'शास्त्र कहकर कैसे पुकारते ? स्पष्ट है कि मनु के प्रवचनों द्वारा 'संकलन' का रूप लेने के बाद जब वे 'शास्त्र' के रूप में विख्यात हो गये, तब जाकर इस प्रकार के श्लोक मिलाये गये जिनमें इसे 'शास्त्र' शब्द से व्यवहृत किया गया है ।

इस प्रकार ५८—५९ श्लोकों में 'शास्त्र' शब्द का प्रयोग उन्हें परवर्ती प्रक्षेप सिद्ध करता है ।

(च) कुछ विद्वानों की पूर्व प्रदर्शित उन दो युक्तियों के आधार पर यदि इसे मनुकृत माना जा सकता है तो युक्ति देने वाले उन विद्वानों को चाहिए कि वे इसे अन्तिम रूप में भृगुकृत माने (भृगुसंकलित नहीं) । क्योंकि यदि आशय समझ कर — पढ़कर उसे बतलाने के कारण मनु इसके रचयिता हैं तो भृगु ने भी मनु के आशय को महर्षियों के समक्ष अपने शब्दों में कहा है

[५८–६०] । इस प्रकार तो भृगु इसके रचयिता हुए । इस प्रकार ये युक्तियाँ स्वयं युक्तिदाताओं की मान्यता को खंडित कर रही हैं, अत : मान्य नहीं हैं । इन युक्तियों से यह बात पूर्णत : स्पष्ट हो गई है कि मौलिक श्लोकों के अनुसार मनुस्मृति की रचना के साथ ब्रह्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है, यह मौलिक रूप से मनुकृत है और ब्रह्मा से सम्बन्ध जोड़ने वाले सभी प्रसंग परवर्ती काल के प्रक्षेप हैं ।

इस प्रकार सभी मतों के पक्ष-विपक्ष पर विचार करने के अनन्तर यही निष्कर्ष सामने आता है कि मनुस्मृति के मूल प्रवक्ता या रचयिता स्वायम्भुव मनु हैं ।

३. मनु और मनुस्मृति : काल निर्धारण

मनुस्मृति में हुए प्रक्षेपों ने जिन बातों को सर्वाधिक क्षति पहुचायी है, उनमें एक है — 'मनु और मनुस्मृति का कालनिर्णय' । लेखकों ने मनुस्मृति में प्राप्त वर्णनों पर विचार किया है और उनके अनुसार ही काल का अनुमान लगाया है । कालनिर्णय के लिए आधार बनाये गये उन वर्णनों पर आगे विचार किया जायेगा, जिनके आधार पर मनुस्मृति को अर्वाचीन घोषित किया है । यहां प्रथम, मनु और फिर वर्तमान मनुस्मृति के कालनिर्धारण सम्बन्धी अन्य आधारों पर विचार किया जाता है ।

पूर्वोक्त विवेचन से यह मत स्थिर हो गया है कि स्मृति, धर्म- नियम आदि के प्रसंग में प्राप्त होने वाला मनु स्वायम्भुव मनु ही है । इस समस्त विवेचन और ग्रन्थ में मनु नाम से यही अभिप्रेत होगा ।

(क) प्राचीन भारतीय साहित्य में स्वायंभुव मनु का काल —

१. मनु के काल का अनुमान लगाने में मनुस्मृति तथा मनुस्मृति से भिन्न भारतीय साहित्य में प्राप्त वंशावलियां ही सहायक हैं । मनुस्मृति में तीन स्थानों पर मनु के वंश की चर्चा है — (क) ब्रह्मा से विराज, विराज से मनु, मनु से मरीचि आदि दश ऋषि उत्पन्न हुए [१/३२–३५] । (ख) ब्रह्मा से मनु ने धर्मशास्त्र पढ़ा, मनु से मरीचि, भृगु आदि ने । यह विद्यावंश के रूप में वर्णन है । [१/५८–६०] (ग) हिरण्यगर्भ = ब्रह्मा के पुत्र मनु हैं और मनु के मरीचि आदि । [३/१९४] । यद्यपि मनुस्मृति के प्रसंगों में ये तीनों ही स्थल प्रक्षिप्त होते हैं, किन्तु पारम्परिक जनश्रुति के रूप में यदि इन्हें स्वीकार करें तो स्वायंभुव मनु पुत्र या शिष्य के रूप में ब्रह्मा से दूसरी पीढ़ी में उल्लिखित है । यही तथ्य इसके स्वायंभुव (स्वयंभू = ब्रह्मा, उसका पुत्र या शिष्य) विशेषण से स्पष्ट होता है ।

२. महाभारत तथा पुराणों में भी वंशावलियां प्राप्त हैं, उनमें भी मनु को ब्रह्मा का पुत्र बताया गया है अथवा शिष्य के रूप में उसका सीधा सम्बन्ध ब्रह्मा से वर्णित है ।[४४]

प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा को आदि सृष्टि में माना जाता है और भारत का प्रत्येक कुलवंश तथा विद्यावंश ब्रह्मा से ही प्रारम्भ होता है । इस प्रकार मनु का काल भी आदिसृष्टि का स्थिर होता है ।

३. इसी मान्यता को निरुक्त ने मनु का मत उद्धृत करते हुए एक श्लोक से पुष्ट किया है —

अविशेषेण पुत्राणां दायो भवति धर्मतः ।
मिथुनानां विसर्गादौ मनुः स्वायंभुवोऽब्रवीत् ।। ३।४ ।।

अर्थात — 'दायभाग में पुत्र और पुत्री, दोनों का अधिकार होता है' —यह विसर्गादौ = सृष्टि के आदि काल में स्वायम्भुव मनु ने कहा है ।

---

४४. महा. आदि १।३२ ; शान्ति. ३३५।४४ ।।

यहां स्पष्टत : मनु का काल आदिसृष्टि बताया गया है । महर्षि दयानन्द इसी मत का समर्थन करते हुए लिखते हैं —महर्षि मनु आदिसृष्टि में हुए ।

४. भारतीय चतुर्युग और मन्वन्तर कालगणना पद्धति [मनु. १/६४–७३, ७९, ८०] के अनुसार सृष्टि-उत्पत्ति को हुए एक अरब, छियानवे करोड़, आठ लाख, तरेपन हजार पिचासी वर्ष (१,९६,०८,५३,०८५) बीत चुके हैं और छियासीवां सृष्टिसंवत् इस वर्ष अर्थात् ईस्वी सन् १९८५ और विक्रम सं. २०४२ में चल रहा है । इकहत्तर (७१) चतुर्युगियों का एक मन्वन्तर होता है । स्वायंभुव, स्वारोचिष, औत्तमि, तामस, रैवत, चाक्षुष — ये छह मन्वन्तर बीत चुके हैं । सातवां वैवस्वत मन्वन्तर इस समय चल रहा है । इस मन्वन्तर की चतुर्युगी में यह कलियुग का समय चल रहा है ।[४५]

इस सृष्टि-उत्पत्ति के समय को सुनकर पाश्चात्य और आधुनिक लोग अत्यधिक आश्चर्य करते हैं और विश्वास भी नहीं करते । उन्हें यह जिज्ञासा होती है कि कालगणना का इतना हिसाब कैसे रखा गया । इसके उत्तर में उन्हें एक व्यवहार में प्रचलित प्रमाण सम्पूर्ण देश में उपलब्ध हो जायेगा । भारतीयों ने वर्षों की बात तो छोड़िये पल और प्रहर तक का हिसाब रखा है । ज्योतिषीय पंचांगों में यह आज भी उपलब्ध है । विवाह आदि धार्मिक कृत्यों में संस्कार के समय एक संकल्प की परम्परा है । उसमें 'आर्यावर्ते वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे अमुक प्रहरे' आदि बोलकर विवाह का संकल्प किया जाता है । इस प्रकार परम्पराबद्ध रूप से समय का हिसाब सुरक्षित है ।[४६]

उपलब्ध भारतीय वंशावलियों के अनुसार ब्रह्मा को आदि वंशप्रवर्तक माना जाता है और मनु उससे दूसरी पीढ़ी में परिगणित हैं । इस प्रकार इस सृष्टि में जब से मानवसृष्टि का प्रारम्भ हुआ है, स्वायंभुव मनु उस आदिसृष्टि या आदि समाज के व्यक्ति सिद्ध होते हैं ।

(ख) आधुनिक मतों के अनुसार स्वायंभुव मनु का काल —

आधुनिक इतिहासकारों ने प्राचीन मतों को अमान्य मानकर नये सिरे से समग्र इतिहास पर विवेचन प्रारम्भ किया हुआ है । ये इतिहासकार अधिकतर पाश्चात्य विद्वानों की कल्पनाओं एवं कार्यपद्धति से प्रभावित हैं । यद्यपि इनके मतों में अनुसन्धान के आधार पर परिवर्तन आता रहता है, तथापि अब तक स्थिर हुए कुछ आधुनिक मतों का यहाँ उल्लेख किया जाता है ।

श्री के. एल. दफ्तरी स्वायंभुव मनु का काल २६७० ई. पू. मानते हैं ।[४७] श्री त्र्यं. गु. काले ने पुराणों के आधार पर मनु का काल ३१०२ ई. पूर्व निर्धारित किया है ।[४८] लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने ज्योतिर्विज्ञानीय तत्त्वों के आधार पर प्राचीन वैदिक साहित्य का कालनिर्णय करने का प्रयास

४५. मनु. १।६४-७३, ७९, ८० श्लोकों में चतुर्युगी और मन्वन्तर कालगणना का पूर्ण विवरण है । विस्तार के लिए पाठकगण उनकी समीक्षाएं देखें ।

४६. पाश्चात्य और आधुनिक लोग सृष्टि उत्पत्ति के इस समय पर अविश्वास करते हैं । वे प्रत्येक आधुनिक वैज्ञानिक बात को ही प्रामाणिक समझते हैं । उनके लिए इस सृष्टि संवत् की पुष्टि हेतु एक वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत है । यह एक सुखद आश्चर्य की बात है कि सृष्टि-उत्पत्ति के विषय में आधुनिक वैज्ञानिकों की मान्यता बदल गयी है,और उन्होंने जो नयी मान्यता प्रस्तुत की है, वह भारतीय प्राचीन मान्यता से मिलती-जुलती है । प्रसिद्ध वैज्ञानिक मैडम क्यूरी ने रेडियम धातु की खोज की है । मिट्टी में मिलने वाले रेडियम के कणों का परीक्षण और अध्ययन करके, उनमें नियत समय में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर, वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि 'इस पृथ्वी को बने हुए लगभग दो अरब वर्ष हो चुके हैं ।' (रेडियम — भगवती प्रसाद श्रीवास्तव, साहित्य रसायन, पृ. ५७, प्रकाशक-कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय) ।

४७. रामचन्द्रकालनिर्णय, पृ. ५५ ।

४८. पुराण निरीक्षण, पृ. ३१५ ।

किया है । उनके अनुसार कृतिका नक्षत्र में वसन्तारम्भ के समय ब्राह्मण ग्रन्थों की रचना हुई और मृगशिरा नक्षत्र के काल में वैदिक मन्त्रसंहिताओं की रचना हुई । खगोल और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कृतिका और मृगशिरा नक्षत्रों में वसन्तारम्भ क्रमश : आज से ४५०० एवं ६५०० वर्षों पूर्व हुआ था । इस प्रकार इन ग्रन्थों का काल क्रमश : २५०० ई. पू. तथा ४५०० ई. पू लगभग निर्धारित होता है ।[४९] इस आधार पर मनु का काल भी ब्राह्मणग्रन्थों से पूर्व इसी कालावधि में निर्धारित होगा ।

स्वरचित 'धर्मशास्त्र का इतिहास' में, धर्मशास्त्र और स्मृतिग्रन्थों के प्रसिद्ध विवेचक डा. पी. वी. काणे ने शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय संहिता आदि का काल ई. पू. ३०००–१००० वर्ष माना है । मनु की जीवनस्थिति इससे पूर्व की होने के कारण मनु का काल भी इनसे प्राचीन होगा ।

मनु के आदिसृष्टि में होने से अभिप्राय —

आदि सृष्टि से यहां यह अभिप्राय नहीं है कि जब से संसार बना, वही काल यहाँ अभीष्ट है । यहाँ आदिसृष्टि से अभिप्राय मानव सृष्टि और मानवसमाज की संरचना से है । भारतीय इतिहास में ब्रह्मा से पूर्व कोई वंश परम्परा नहीं मिलती । इसका काल जो भी माना जाये, किन्तु इस वंशप्रवर्तक की दृष्टि से ब्रह्मा आदिसृष्टि का कहलाता है । इसी आधार पर मनु को आदिसृष्टि का कहा जाता है ।

विश्व के समग्र साहित्य में ऋग्वेद को सभी विद्वान् सबसे प्राचीन मानते हैं । उसके बाद ब्राह्मण ग्रन्थों का समय माना जाता है । इस कारण वेदों को और वैदिक साहित्य को आदि सृष्टि का कहा जाता है । ब्राह्मणग्रन्थों, तैत्तिरीय आदि संहिताओं[५०] में धर्मप्रवक्ता के रूप में मनु का बहुधा उल्लेख आता है । अत : मनु का काल ब्राह्मणग्रन्थों से पूर्व ही स्थिर होता है । प्राप्त प्राचीन वाङ्मय के आधार पर तो मनु का काल आदि सृष्टि या आदि समाज का निर्धारित होता ही है, आधुनिक मतों से भी यही भाव ध्वनित होता है ।

इसके अतिरिक्त मनु मानव व्यवस्थाओं के आदिकालीन व्याख्याता थे । इस कारण भी उन्हें आदिकाल का माना जाता है ।

वेदो में मनु शब्द —

पाश्चात्य एवं पाश्चात्य विचारधारा के अनुगामी आधुनिक विद्वान् मनु पर विचार करते समय उसका उल्लेख एवं जीवन-परिचय वेदों में खोजते हैं । उनका कथन है कि ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर व्यक्तिवाचक मनु शब्द आया है । कहीं उसे पिता कहा है, कहीं प्रारम्भिक यज्ञकर्त्ता, तो कहीं अग्निस्थापक के रूप में उसका वर्णन है ।[५१]

इस चर्चा का उत्तर मनु के मन्तव्य के अनुसार दिया जाये तो अधिक प्रामाणिक होगा । मनु वेदों को ईश्वरप्रदत्त अर्थात अपौरुषेय मानते हैं । सृष्टि के प्रारम्भ में ईश्वर ने अग्नि, वायु, आदित्य के माध्यम से वेदों का ज्ञान दिया । अपौरुषेय होने के कारण वेदज्ञान पूर्णत : चिन्त्य नहीं है, और अपरिमित है ।[५२] प्रारम्भ में वेदों से ही शब्द ग्रहण करके व्यक्तियों और वस्तुओं का नामकरण किया

४९. गीता रहस्य में ।

५०. तैत्ति. सं. २।२।१०।२ ; ३।१।९।४ ।। तां. ब्रा. २३।१६।७ ।। तैत्ति सं. ३।१।९।३० ।। काठ सं. ११।२ ।।

५१. ऋग १।८०।१६ ; १। ४।२ ; २।३३।१३ ; ८।६३।१; ८।३०।१; १०।६३।७ ।।

५२. मनु. १।२३ ; १।४

गया ।[५३] मनु द्वारा वेदों को अपौरुषेय घोषित करने के उपरान्त उसी मनु का वेद में इतिहास ढूंढना मनु के साथ ही अन्याय है, और मनु से पूर्व वेदों का रचनाकाल होने से कालविरुद्ध भी है ।

वेदों में मनु शब्द विभिन्न अर्थों में आया है । कहीं वह ईश्वर का पर्यायवाची है,[५४] कहीं मनुष्य के लिये है,[५५] कहीं मननशील विद्वान् के लिये है ।[५६] विचारकों को जहां इसके व्यक्तिवाचक होने का आभास होता है, वह वस्तुत : ईश्वरवाचक प्रयोग है । अधिक विस्तार में न जाते हुए, इस विषय में मनुस्मृति का ही एक प्रमाण देकर इस बात को प्रमाणित किया जाता है । ईश्वर का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि उस परमेश्वर को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जिनमें एक नाम 'प्रजापति मनु' भी है —

एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम् ।
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ।।१२/१२३ ।।

इस प्रकार मनु के मन्तव्य के अनुसार वेदों में 'प्रजापति' 'पिता' आदि विशेषणों से संबोधित मनु ईश्वर ही है । इस आधार पर वेद में मनु का परिचय खोजना मनु के दृष्टिकोण के विरुद्ध है ।

५३. मनु. १।२२ ।।

५४. ऋग्. १।८०।१६ ; (स्वामी दयानन्द भाष्य)

५५. ४।२६।४ ; ५।२।१२ ; ६।२१।११ , ८।४७।४ ।।

५६. ऋग्. १।८०।१६ ; १।३३९।९ ; २।३३।१३ ; (स्वामीदयानन्द भाष्य) ।। निरुक्त एवं ब्राह्मणों ने इन अर्थों की पुष्टि की है — 'मनु : मननात्' निरु. १२।३४. 'ये विद्वांसस्ते मनव :' श्रत. ८।६।३।१८ ।।

४. वर्तमान मनुस्मृति का रचनाकाल

आधुनिक विचारकों का मत है कि वर्तमान में प्रचलित मनुस्मृति का यह छन्दोबद्ध रूप पर्याप्त अवरकालीन है । इसकी कालावधि ईस्वी पूर्व प्रथम से द्वितीय शती मानी गयी है । उपर्युक्त विवेचन में सप्रमाण यह स्पष्ट किया गया है कि मनुस्मृति के मूलप्रवक्ता स्वायंभुव मनु हैं, और अधिकांश विद्वान् इसी मत को ही मानते हैं । इस तथ्य को तो सभी स्वीकार करेंगे ही कि जिसकी जो कृति है वह उसी के काल की होगी, अत : इस बात में तो कोई संदेह ही नहीं होना चाहिये कि मूलत : मनुस्मृति उसके प्रवक्ता स्वायंभुव मनु के काल की ही है । हाँ, यह बात अवश्य विचारणीय है कि उसका प्रारम्भिक रूप क्या रहा होगा । मनुस्मृति के आद्यरूप पर विचार इस अध्याय के अन्त में किया जायेगा । यहाँ पहले, वर्तमान में प्रचलित मनुस्मृति के छन्दोबद्ध रूप के काल पर विचार किया जाता है । यद्यपि अन्य प्राचीन ग्रन्थों की तरह मनुस्मृतिविषयक काल का कहीं कोई उल्लेख न होने के कारण सुनिश्चित रूप से समय का निर्धारण करना कठिन है, फिर भी प्राचीन ग्रन्थों में पाये जाने वाले उद्धरणों, नामोल्लेखों को आधार मानकर उसका अनुमान लगाया जा सकता है । अब यहाँ विद्वानों द्वारा इस विषय में आधाररूप में अपनाये गये तथ्यों पर तथा इसके कालनिर्धारण में सहयोगी अन्य आधारों एवं संकेतों पर विचार किया जा रहा है —

(क) अर्वाचीन आधार एवं संकेत — प्रथम ईस्वी सन् से लेकर १३०० ईस्वी तक के भारतीय साहित्य पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि इस कालावधि में प्रचलित मनुस्मृति पर्याप्त लोकप्रिय एवं प्रभावी रही है । इस पर अनेक विद्वानों ने संस्कृत भाष्य लिखे, जिनमें कुल्लूक भट्ट की मन्वर्थमुक्तावली टीका आज अधिक प्रचलित [११५०–१३०० ई.] है । मेधातिथि का मनुभाष्य सबसे प्राचीन भाष्य उपलब्ध है, जिसका काल ८२५–९०० ई. के मध्य माना जाता है । इसके अतिरिक्त मनुस्मृति पर सर्वज्ञनारायण की मन्वर्थविवृति [लगभग १४०० ई.], गोविन्दराज की मनुटीका [लगभग १२००–१३०० ई.], नन्दन की नन्दनी और राघवानन्द की टीका उपलब्ध है ।

विश्वरूप [७९० –८५० इ.] ने अपने याज्ञवल्क्य स्मृति भाष्य और यजुर्वेदभाष्य में मनुस्मृति के लगभग दो सौ श्लोक उद्धृत किये हैं ।[५७] इससे परवर्ती मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर [१०४० –११०० ई.] ने भी अपने भाष्य में मनुस्मृति के सैंकड़ों श्लोक उद्धृत किये हैं ।[५८] शंकराचार्य ने अपने वेदान्तसूत्र भाष्य में मनुस्मृति के कई श्लोक अपने विचारों की पुष्टि के लिए ग्रहण किये हैं और कुछ श्लोकों के साथ तो मनु के नाम का स्पष्ट उल्लेख है ।[५९] ५०० ई. में [कुछ के मतानुसार २०० –४०० ई.] जैमिनिसूत्र भाष्य में शबरस्वामी द्वारा मनु के मतों का उल्लेख किया मिलता है ।[६०] बौद्ध महाकवि अश्वघोष ने अपनी 'वज्रकोपनिषद्' रचना में अपने विचारों की पुष्टि के लिए मनु के श्लोकों को उद्धृत किया है ।[६१] यह राजा कनिष्क [७८ ई.] का समकालीन था ।

ईस्वी पूर्व के ग्रन्थों पर दृष्टिपात करते हैं तो यद्यपि याज्ञवल्क्य स्मृति में विषयों का वर्गीकरण नये ढंग से किया है और बहुत सारे नये विषय भी अपनाये हैं, किन्तु मनु से मिलते हुए जो भी विषय हैं उनमें ऐसा लगता है जैसे मनुस्मृति को सामने रखकर ही उनका अपने शब्दों में संक्षेपीकरण किया हो ।[६२] इसका काल १०२ ई. पू. माना जाता है । इस विषय में सभी विद्वान् एकमत हैं कि मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति से पर्याप्त प्राचीन रचना है । इसी प्रकार आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र को [१०० –३०० ई. पू.] पढ़ने पर प्रतीत होता है कि अपने बहुत-से नये विषयों के प्रस्तुतीकरण के साथ-साथ प्राचीन बातों के वर्णन में मनुस्मृति को आधार बनाकर वर्णन किया है ।[६३] बहुत-से स्थलों पर मनु के मत का नामपूर्वक उल्लेख है ।[६४] वर्तमान मनुस्मृति में ७ / १०५ पर पाया जाने वाला निम्न श्लोक कौटिल्य अर्थशास्त्र प्र १० / अ. १४ में लगभग उसी रूप में पाया जाता है —

नास्य छिद्रं परो विद्यात् विद्याच्छिद्रं परस्य तु ।
गूहेत्कूर्म इवांगानि रक्षेद्विवरमात्मनः ।।

भासकृत 'प्रतिमानाटक' [२०० –३०० ई. पू. कुछ के मत में ४०० –५०० ई. पू.] में रावण के मुख से उच्चारित वाक्य से यह संकेत मिलता है कि उससे पूर्व 'मानवधर्म शास्त्र' एक प्रसिद्धिप्राप्त शास्त्र था—

''रावण :– काश्यपगोत्रोऽस्मि सांगोपांगवेदमधीये मानवीयं
धर्मशास्त्रं, माहेश्वरं योगशास्त्रम् . . . . च'' (पृ. ७९)

---

५७. विश्वरूप ने याज्ञ. स्मृ. १।४५ तथा २।७३, ७४, ८३, ८५ श्लोकों के भाष्य पर मनु. के ८।६८, ७०, ७१, १०५, १०६, ३४० श्लोक उद्धृत किये हैं ।

५८. याज्ञ. स्मृ. १।७, ५३, ६२, ६९, ७२, ७८, ८०; २।१, २, ५, २१, २६ आदि श्लोकों के भाष्य पर मनु. के २।१०, ३।५, ३।४४, ९।६९, ३।४९; ८।१२८, ८।१३, ८।४-७, ८।३५०-३५१, ८।१२९ श्लोक उद्धृत किये हैं ।

५९. शंकराचार्य ने १।३।२८; १।३।३६; २।१।१; २।१।११; ३।४।३८; ४।२।६ सूत्रों पर मनु. के १।२१; १०।४ तथा १२।६; १२।९१; १२।१०५-१०६; २।८७; १।२७ श्लोक उद्धृत किये हैं । ३।१।१४ पर मनु का नामोल्लेख है और २।१।१ में 'मनुर्वै यत्किञ्चिदवदत्' यह ब्राह्मणवाक्य उद्धृत करके मनु की प्रशंसा है ।

६०. धर्मशास्त्र का इतिहास — पी. वी. काणे ।

६१. वही ।

६२. द्रष्टव्य यथा — याज्ञ. स्मृ. के २।७, १।१५, १।३५; २।२३ आदि श्लोकों में मनु. २।१२, २।६९, १।१४१, १४३, १४४; ८।४० के श्लोकों का संक्षिप्त भाव ।

६३. द्रष्टव्य अर्थशास्त्र प्र. ३।अ. ६, २।४, ३।५, १४।२८ दिनचर्या प्र. ५७ में मनु. ७।३९, ७।३५ तथा ४३, ७।३७-२२५ दिनचर्या, ७।१५५ श्लोकों का यथावत् भाव ।

६४. द्रष्टव्य प्र. ८।अ. १२, १।१, १०।१४ आदि ।

इतिहासकार शूद्रकरचित 'मृच्छकटिकम्' नाटक को ई. पू. तीसरी शताब्दी की रचना मानते हैं। इसमें मनु के किसी ग्रन्थ का श्लोक उद्धृत करते हुए 'ब्राह्मण अवध्य है' मनु का यह मत मनु के नामोल्लेखपूर्वक दिया है —

अयं हि पातकी विप्रो न वध्यो मनुरब्रवीत्।
राष्ट्राद्स्मात्तु निर्वास्यो विभवैरक्षते: सह ।। मृच्छ ९।३९ ।।

(ख) प्राचीन आधार एवं संकेत — परम्परागत मान्यताओं के अनुसार और अधिक प्राचीन माने जाने वाले साहित्य में भी मनुस्मृति के श्लोकों के उद्धरण मिलते हैं —

१. महाभारत में अनेक स्थलों पर स्मृतिकार के रूप में स्वायंभुव मनु या मनु का उल्लेख आता है। बहुत से ऐसे श्लोक हैं जो मनु के नाम से उद्धृत हैंऔर वे प्रचलित मनुस्मृति में यथावत् पाये जाते हैं। ऐसे श्लोक, जो मनु के नाम के बिना भिन्न-भिन्न धर्मवर्णन प्रसंगों में उद्धृत हैं, और जो मनुस्मृति में यथावत् रूप में पाये जाते हैं, उनकी संख्या भी पचासों है। इसके अतिरिक्त किंचित् पाठभेद वाले और यथावत् गृहीत भाव वाले श्लोकों की संख्या भी पचासों में है। उदाहरण के रूप में कुछ श्लोकों का टिप्पणी में विवरण दिया जाता है।[६५] अनुसन्धान करने पर और भी मिलेंगे।

---

६५. (अ) स्वायंभुव मनु के नाम वाले श्लोक —

महा. आदि. ७३ । ८-९, शान्ति. ३६ ।.५-८, ३३५ । ४४-४६, अध्यायं १२: १२१ ।. २६: १२१ । १०, १२ आदि ।

(आ) मनु के नाम से उद्धृत मनुस्मृति के श्लोक —

महाभारत में	मनुस्मृति में
शान्ति. ७६ । २४	९ । ३२१
आदि. ७३ । ९-१०,	३ । २१

(इ) मनु के नाम के बिना उद्धृत मनुस्मृति के श्लोक —

महाभारत में	मनुस्मृति में	महाभारत में	मनुस्मृति में
आदि. ७४ । ४०	४ । ९४	१०८ । १७-२०	२ । १४४-१४६
शान्ति. ३४ । २	११ । ४४	१२१ । ६०	८ । ३३५
३५ । ४-५	११ । ७५-७६	१३० । १०	४ । २०
३५ । ६	११ । ७९	१३० । २०	८ । ४४
३५ । १६	११ । ९०	१३९ । २२	४ । १७३
३६ । २७	४ । २१८	१४० । ७, ८, २४	७ । १०२-१०६
३६ । ३४	३ । २१७	२६१ । ४	११ । २३७
३६ । ४३	२ । १४०	२७४ । ७-९ ३-३५	११ । १-४ ७ ११-४०
३६ । ४७	७ । १४१	२९५ । ३१ ३७ ३५	४ । २३८ २३९ ;
३७ । ६	४ । ९९	३३-४३	११ । १५० १७७, ९०
३८ । ४०	। २७१	१०३ १०४ ७२ ७५, ७९ ;
१८८ । २८ (आधा)	९ । २३१	२६४ । ३४	८ । ३७२
१९१ । ८	८ । ३०४	२३४ । ८, ८-१३	११ । १४५, १४४
२८ । ४९	। २७४	२४३ । २१-२२	४ । ३२ ; ३ । २८४ ;
४८ । ५०-५१	१७ । ३७-१८३		४ । १७१-२८४ ;
७४ । १४	६ । १२७	२४४ । १०-२१	६ । २२-२३
८७ । २८	७ । १३९	२४८ । ७८	६ । ३५

इन सब प्रमाणों से वर्तमान मनुस्मृति की स्थिति महाभारत से पूर्व सिद्ध होती है। महाभारत के अन्तरंग प्रमाणों के आधार पर और भारतीय परम्परा से महाभारत के युद्ध का काल पांच हजार वर्ष से पूर्व माना जाता है और महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास को उस युद्ध का समकालीन माना जाता है। इस प्रकार मनुस्मृति का काल उससे भी पूर्व स्थिर होता है।

इतिहास के आधुनिक विद्वान् महाभारत का रचनाकाल और युद्ध काल भिन्न-भिन्न मानते हैं उनके अनुसार महाभारत का रचनाकाल १००-६०० ई. सन् के मध्य हैं। एक नयी खोज के अनुसार यह काल १०० ई. पू. तक माना जाने लगा है।[६६]

२. वाल्मीकि रामायण किष्कि. १८/३०, ३२ में मनु के नामोल्लेख पूर्वक दो श्लोक उद्धृत पाये गये हैं — **'श्रूयते मनुना गीतौ श्लोकौ चरित्र-वत्सलौ'** [वा. रामा. किष्कि. १८/३०] यहां स्पष्टत : मनु द्वारा 'गाये और श्लोक' पद पठित हैं (क) बालि-सुग्रीव द्वन्द्व युद्ध में राम दूर खडे होकर छुपकर बालि की हत्या कर देते हैं। मरणासन्न बालि राम के इस कृत्य को अधर्मानुकूल बताता है। उसका उत्तर देते हुए राम मनु के निम्न दो श्लोक उद्धृत करते हुए अपने कृत्य को धर्मानुकूल सिद्ध करते हैं। ये दोनों श्लोक वर्तमान मनुस्मृति में किंचित् पाठ भेद पूर्वक ८/३१६, ३१८ में पाये जाते हैं —

राजभिर्धृतदण्डाश्च कृत्वा पापानि मानवा : ।
निर्मला : स्वर्गमायान्ति सन्त : सुकृतिनो यथा ।।

.. ९०।१६	८।१६	२४४।१५.	६।४-५
.. ९१। ६	९।३०१	२६४।११-१३	४।२२४-२२६
.. ९१।२१	४।१७२-१७३		
..१०८।५-९, १२	२।२२९-२३४		

(ई) मनुस्मृति के भावों का यथावत् वर्णन करने वाले श्लोक —

महाभारत में	मनुस्मृति में	महाभारत में	मनुस्मृति में
शान्ति. ३६।२०	१२।११०, ११२	शान्ति. २०१।३२-३३,	१२।८,
.. ३६।२८	४।२१७, २२०	२४३।२-४,	४।७-९,
.. ५६।२४,	९।३१३,३१९	२४३।७-८,	४।२९-३१
.. ७२।१२,	९।६९	२४४।८-९	६।१८
.. ८७।३-५,	७।११४-११७	२४४।१२-१५,	६।१७,२०,२९,
.. ८७।१८	७।१२८	२४४।२३-२४,	६।३८
.. ८८।४-५,	७।१२९	२४४।४-५,	६।४३-४४
.. ९५।१८	४।१७२	२४४।१७,	६।४०
.. १६५।२४,	११।२४	२४४।७,	६।४३-४४
१६५।५६-५९	११।१२६-३१		
.. १६५।६६	८।३७१, ३७३		

६६. श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य ने अपनी 'महाभारत मीमांसा' में शोधपूर्ण लेख प्रस्तुत करते हुए कहा है कि 'एक ग्रीक क्रॉय मोस्टोम' नामक यूनानी लेखक ५० ई. में दक्षिण के पाण्डय देश में आया था। उसने अपने संस्मरण में लिखा है कि भारत में एक लाख श्लोकों का 'इलियड' [= ऐतिहासिक महाकाव्य] है। इसमें सन्देह नहीं कि इलियड से उसका अभिप्राय 'महाभारत' से ही है।'

शासनाद् वापि मोक्षाद् वा स्तेन : पापात् प्रमुच्यते ।।
राजात्वशासन् पापस्य तदवाप्नोति किल्बिषम् ।।

(ख) इनके अतिरिक्त वा. रामा. अयो. १०७/१२ में एक और श्लोक मिलता है, जो मनु. ५/१३८ में प्राप्त है । चतुर्थ पाद में पाठभेद के अतिरिक्त यह ज्यों का त्यों है । वहां यह श्लोक मनु के नाम के बिना उद्धृत है —

पुम्नाम्नो नरकाद् यस्मात् पितरं त्रायते सुत : ।
तस्मात् पुत्र इति प्रोक्त : पितृन् य : पाति सर्वत : ।।

भारतीय प्राचीन मान्यता के अनुसार वाल्मीकि रामायण राम के समकालीन है और राम का काल लाखों वर्ष पूर्व माना जाता है । पाश्चात्य एवं आधुनिक भारतीय विद्वान् रामायण का रचनाकाल ई. पू. तीसरी शताब्दी से छठी ईस्वी तक मानते हैं । हालांकि आजकल कुछ पाश्चात्य और उनके अनुयायी भारतीय लोगों ने यह एक नया विवाद उत्पन्न कर दिया है कि वाल्मीकि रामायण महाभारत से परवर्ती है । प्रसंगवश यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक समझता हूं कि ऐसे अनेक प्रमाण हैं, जिनके आधार पर महाभारत रामायण से परवर्ती रचना सिद्ध होती है । 'महाभारत रामायण से पूर्व की रचना है' यह मत कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने दिया है और उनके कुछ भारतीय अनुयायियों ने उनकी हां में हां मिला दी है । भाषा का आधार मानकर वे लोग ऐसा कहते हैं । लेकिन यह कोई अकाट्य आधार नहीं है, और न उनके पास इसकी सिद्धि के लिये ठोस प्रमाण हैं । यहाँ इस विषय को उठाना प्रासंगिक नहीं है, अत : दो चार प्रमाण देकर ही इस चर्चा को समाप्त किया जाता है । इस विवेचना में उसी पुरानी भारतीय मान्यता को स्वीकार किया गया है कि महाभारत वाल्मीकि से परवर्ती रचना है । वाल्मीकि रामायण को महाभारत से पूर्व सिद्ध करने वाले प्रमाण हैं —(क) रामायण में महाभारत की घटनाओं या कौरवों, पाण्डवों का कहीं उल्लेख नहीं, जबकि महाभारत में वाल्मीकि, उसकी रामायण, राम सम्बन्धी घटनाओं तथा उसके पात्रों का उल्लेख है, (ख) महाभारत में अनेक स्थलों पर घटनावर्णन, उपमाएं, श्लोकार्ध रामायण से मिलते हैं (ग) निम्न दो श्लोक महाभारत में वाल्मीकि रामायण के प्राप्त होते हैं —

अ. **ब्रह्मघ्ने च सुरापे च चौरे भग्नव्रते तथा ।**
निष्कृतिर्विहिता राजन् कृतघ्ने नास्ति निष्कृति : ।।
महा. शान्ति. १७२/२५ ।।

रामायण में यह किष्कि. ३४/१२ पर है । वहाँ ब्रह्मघ्ने के स्थान पर 'गोघ्ने' पाठभेद है । 'राजन' के स्थान पर 'सदृश :' पाठ है ।अन्य यथावत् है ।

आ. **न हन्तव्या : स्त्रियश्चेति तदव्रवीषि प्लवंगम ।**
पीडाकरममित्राणां यच्च कत्तव्यमेव तत् ।।
महा. ७/१४३/६६ ।। (वा. रामा. में युद्ध. ८१/२८ में)

३. मनुस्मृति में केवल वेदों [१।२१, २३; ३।२; ११।२६२-२६४; १२।१११-११२ आदि] और वेदांगों [२।१४०, २४१] का ही उल्लेख मिलता है । यह उल्लेख भी एक विद्या के रूप में है न कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा रचित ग्रन्थ के रूप में । इसकी पुष्टि के लिए दो तर्क दिये जा सकते हैं —(क) इन विद्याओं के साथ न तो कहीं रचयिता का संकेत है और न ग्रन्थरूप का । (ख) १२।१११ में इन विद्याओं के ज्ञाताओं का **'हेतुक : 'तार्की' 'नैरुक्त : धर्मपाठक :'** आदि विद्याविशेषणों से परिगणन किया है, न कि ग्रन्थज्ञाता के रूप में । एक-एक विद्या पर विभिन्न

आचार्यों के ग्रन्थ प्राप्त हो रहे हैं । किसी भी ग्रन्थ का उल्लेख न होना और अन्य ब्राह्मण, उपनिषद् आदि विधाओं का उल्लेख न मिलना यह सिद्ध करता है कि यह स्मृति इन सबसे पूर्व की रचना है । (मनुस्मृति में प्राप्त होने वाले अन्य विद्या-विषयों, व्यक्तियों के नामों एवं स्थानों के विषय में समाधान इसी अध्याय में आगे 'मनुस्मृति को अर्वाचीन मानने के कारण और उनका समाधान' शीर्षक में देखिये) ।

४. मनुस्मृति का आधार केवल वेद ही हैं । मनु सीधे वेद से विज्ञात बातों को ही धर्मरूप में वर्णित करते हैं और उसी को आधार मानने का परामर्श देते हैं [१/४, २१, २३; २/१२८, १२९, १३०, १३२; १२/९२-९३, ९४, ९७, ९९, १००, १०६, ११०-११२, ११३ आदि] । वेद और मनुस्मृति के बीच अन्य किसी ग्रन्थ का उल्लेख न मिलना यह इंगित करता है कि यह मूलत: उस समय की रचना है जब धर्म में केवल वेदों को ही आधारभूत महत्त्व प्राप्त था, अन्य ग्रन्थों को इस योग्य प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी । यह समय अत्यन्त प्राचीन ही था ।

५. विभिन्न स्मृतियों में तो मनु का उल्लेख भी है और प्रशंसा भी, अनेक सूत्रग्रन्थों में भी मनु के नाम का तथा उसके मत का उल्लेख प्राप्त होता है । इनमें आश्वलायन श्रौतसूत्र [९/७/२; १०/७/१], आपस्तम्ब श्रौतसूत्र [३।१।७; ३/१०/३५], वासिष्ठ धर्मसूत्र [१/१७] आपस्तम्ब धर्मसूत्र [२/१४/११] बौधायन धर्मसूत्र [४/१/१४, ४/२/१६] गौतम धर्मसूत्र [२१/७], आदि उल्लेखनीय हैं ।

६. अतिप्रचीन काल में इस सम्पूर्ण देश का नाम आर्यावर्त था । महाभारत के अनुसार दुश्यन्त-शकुन्तला के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा [आदि. २/९५-९६; ७४/१३१] महाभारत में इस देश को भारतवर्ष ही कहा गया है ।[६७] मनुस्मृति में आर्यावर्त नाम का उल्लेख इसे महाभारत आदि ग्रन्थों से पुरातन और प्रारम्भकाल का इंगित करता है ।

७. रामायण काल में भी आर्यावर्त की वह मनुस्मृतिप्रोक्त स्थिति नहीं रह गयी थी, अत: रामायण मनुस्मृति से बाद की रचना है ।

८. इसी प्रकार ब्रह्मावर्त प्रदेश और उसका मनुप्रोक्त महत्त्व प्रारम्भिक काल में था । रामायण, महाभारत तक इस प्रदेश का नाम बदल चुका था । इस ग्रन्थ में उसका उल्लेख न होना भी उन्हें मनुस्मृति के बाद की रचना सिद्ध करता है ।

निष्कर्ष --

उपर्युक्त आधारों और युक्तियों पर विचार करने के उपरान्त जो निष्कर्ष निकलता है, वह यह है कि वर्तमान में प्रचलित यह छन्दोबद्ध मनुस्मृति भी अत्यन्त प्राचीन है । उपलब्ध लौकिक भाषा के ग्रन्थों से तो यह प्राचीन है ही, कुछ वैदिक ग्रन्थों से भी प्राचीन है ।

आधुनिक मतों पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो उन पर 'मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना' वाली कहावत चरितार्थ होती दिखायी पड़ती है । एक-एक बात को लेकर लगभग सभी प्रसिद्ध विद्वानों के अलग-अलग मत हैं । कहीं कोई एकरूपता नहीं । फिर इन मतों की स्थिरता का भी कोई भरोसा नहीं है । बहुत जल्दी-जल्दी ये बदलते जा रहे हैं । फिर भी, उनके आधार पर भी यह निष्कर्ष सामने आया है कि यह छन्दोबद्ध मनुस्मृति रामायण, महाभारत आदि से प्राचीन है ।

स्मृतियों को प्राचीन मानने में आधुनिक विद्वानों को शायद इस कारण संकोच अनुभव होता है कि

---

६७. महा. भीष्म अ. ९-१० तक ।

वे पाश्चात्य विद्वानों द्वारा पहले से ही निर्धारित की गयी धारणाओं को मानकर चलते हैं । पाश्चात्य विद्वानों और उनके समर्थक भारतीय विद्वानों ने कालनिर्धारण करने के लिए पहले से ही कुछ सीमा-रेखाएं और उनके पूर्वापर क्रम बना लिये हैं कि अमुक संहिता काल है, अमुक सूत्रकाल, अमुक स्मृतिकाल है, आदि-आदि । लेकिन यह धारणा समीचीन प्रतीत नहीं होती । सूत्रकाल में छन्दोबद्ध रचनाएं भी हुई हैं और छन्दोबद्ध रचनाओं के साथ-साथ सूत्रग्रन्थों की रचनाएं भी । यह मानना भी ठीक नहीं है कि सूत्रग्रन्थ पूर्ववर्ती रचनाएं हैं और स्मृतियां उनके बाद की । इस बात को स्पष्ट और पुष्ट करने के लिए एक प्रमाण देना पर्याप्त रहेगा । आधुनिक इतिहासकार सूत्रग्रन्थों का काल ३०० से ६०० ई. पू. तक मानते हैं और सबसे प्राचीन स्मृतियां गौतम और वासिष्ठ स्मृतियों को मानते हैं। इनका काल ६०२ ई. पू. निर्धारित करते हैं । यही विद्वान् यास्ककृत निरुक्त का काल ८०० ई. पू. तक मानते हैं । निरुक्त ३ /४ में जो दायभाग से सम्बन्धित मनु का मत दिया गया है ।वह किसी प्राचीन स्मृतिग्रन्थ का वचन है और अनुष्टुप् छन्द में है[६८] । इसका अभिप्राय यह हुआ कि उनके मतानुसार भी ८०० ई. पू. से पहले भी स्मृतिग्रन्थ थे । जब किसी अन्य स्मृतिकार ने मनु का मत अपनी स्मृति में श्लोकबद्ध किया है तो इसका मतलब है कि उस समय स्मृतियां श्लोकबद्ध रूप में थीं । काल की दृष्टि से प्राचीन होने के कारण मनु की स्मृति पहले ही श्लोकबद्ध हो चुकी होगी, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता । इस प्रकार छन्दोबद्ध मनुस्मृति के प्रचीन होने की पुष्टि हो जाती है ।

यहाँ कुछ लोगों को यह शंका उत्पन्न होगी कि 'रामायण को आदिकाव्य माना जाता है और वाल्मीकि को आदिकवि । उन्हीं के मुख से प्रथम छन्द का उद्‌भव हुआ था'। यह कथन पूर्णत : अयुक्तियुक्त है । ऐसा सोचना इस कारण भी गलत है कि उससे पूर्व वेदों, संहिताओं में रामायण में प्रयुक्त अनुष्टुप् छन्द के अनेक उदाहरण पहले से ही उपलब्ध हैं[६९] । रामायण को आदिकाव्य कहने से अभिप्राय केवल यही है कि काव्यात्मक शैली में, लौकिक साहित्य में वह प्रथम रसमय काव्य है । रामायण की प्रारम्भिक भूमिका में 'मा निषाद प्रतिष्ठां त्वम . . .' [बाल. २ /१५] के प्रसंग में यह भाव नहीं है कि वाल्मीकि यह सोचने लगे कि मेरे मुख से निकला यह वाक्य गद्य रूप है अथवा श्लोकरूप, अपितु वहां भाव यह है कि 'मैंने भावावेश में यह दुर्भावना युक्त अपवाक्य क्या, और क्यों कह डाला ।' टीकाकारों ने इस प्रसंग की गलत व्याख्या करके उस रूप में प्रस्तुत किया है ।

उस प्रसंग में ब्रह्मा के अवतरण की पौराणिक काल्पनिक कथा ने इस व्याख्या को यह दिशा दी है । यह कथा उस प्रसंग में प्रक्षिप्त सिद्ध होती है । और रामायण में उद्धृत मनुस्मृति के श्लोकों को देखकर स्वत : ही यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुस्मृति रामायण से भी प्राचीन है ।

६८. आचिशेषेव पुत्राणां दायो भवति धर्मत : ।
मिथुनानां विसर्गादौ मनु : स्वायंभुवोऽब्रवीत् ।। ९।४ ।।

६९. लोकप्रसिद्ध अनुष्टुप् छन्द का लक्षण है — 'पंचमं लघु सर्वत्र, सप्तमं द्विचतुर्थयो : । षष्ठं गुरुर्विजानीयात् एतदनुष्टुप् लक्षणम् ।' इस लक्षण के आधार पर वेद का श्लोक देखिए —
(क) वेद में — यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति ।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ।। यजु. ४०।६ ।।

५. मनुस्मृति को अर्वाचीन मानने के कारण और उनका समाधान –

इस विश्लेषण के बाद यह प्रश्न उठता है कि जब मनुस्मृति को प्राचीन सिद्ध करने के इतने आधार उपलब्ध हैं, तो फिर किस कारण से उसे अर्वाचीन माना जा रहा है ? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि इसके जिम्मेदार आलोचक उतने नहीं है जितने कि मनुस्मृति में प्राप्त होने वाले अर्वाचीनसाधक संकेत हैं । यहाँ उन्हीं कारणों पर प्रकाश डालते हुए उनका समाधान प्रस्तुत किया जा रहा है । मनुस्मृति में निम्न वर्णन इसको प्राचीन मानने में बाधा पहुंचाते हैं —

१. **परवर्ती राजाओं के नाम** —मनुस्मृति में मनु से परवर्ती अनेक राजाओं के नाम उदाहरण के रूप में पाये जाते हैं, यथा — वेन, नहुष, पिजवनपुत्र सुदास, सुमुख, नेमि [७/४१] । मनु, पृथु, कुबेर, विश्वामित्र [७/४२] । सुदास [८/११०] । पृथु [९/४४] वेन [९/६६] । विश्वामित्र और चण्डाल कथा [१०/१०८] ।

२. **परवर्ती स्मृतिकारों या ऋषियों के नाम** — मनुस्मृति में प्रसंगानुसार अनेक स्मृतिकारों और ऋषियों के मतों का उल्लेख है, या धर्मसिद्धि में उनके उदाहरण प्रस्तुत किये हैं, यथा — अत्रि, उतथ्यपुत्र गौतम, शौनक, भृगु [३/१६] । वसिष्ठ [८/११०;८/१४०] । वत्स [८/११६] । वसिष्ठ —अक्षमाला, शारंगी —मन्दपाल ९/२४] । दक्षप्रजापति द्वारा कश्यप, धर्मराज, सोम राजाओं को कन्यादान [९/१२८-१२९] । अजीगर्त —शुन :शेप [१०/१०५] । वामदेव [१०/१०६] । भरद्वाज-वृधु बढ़ई [१०/१०७] ।

३. **परवर्ती स्थानों के नाम** — कुछ ऐसे स्थानों का नाम मनुस्मृति में पाया जाता है जो, ऐतिहासिक दृष्टि से बाद में स्थापित हुए हैं, यथा —कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल, शूरसेनक प्रदेशों वाला ब्रहमर्षि देश [१/१३८ (२/१९)] । इन्ही देशों के वीरों का युद्ध में स्थाननिर्धारण [७/१९३] ।

४. **अर्वाचीन पौराणिक मान्यताओं का वर्णन** — कुछ ऐसी मान्यताएं भी मनुस्मृति में पायी जाती हैं, जो बहुत आधुनिक हैं, यथा —क. गंगा और कुरुक्षेत्र में पापनिवृत्ति के लिए जाना [८/९२] ख. आठ और बारह वर्ष की कन्या का विवाह [९/९४] ।

इन वर्णनों या उल्लेखों के समाधान के प्रसंग में कुछ बातें ऐसी हैं, जो सामान्यरूप से सबके साथ लागू होती हैं — (क) इस प्रकार के सभी परवर्ती वर्णन समय-समय पर किये जाने वाले परिवर्तनों, परिवर्धनों और मान्यताओं को शास्त्रसम्मत सिद्ध करने की प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप किये गये प्रक्षेप हैं । अपने-अपने प्रसंगों में ये स्थल स्पष्टत : बाद में किये गये प्रक्षेप सिद्ध होते हैं । कहीं इनका प्रसंग से तालमेल नहीं है, तो कहीं मनु का अन्यत्र वर्णित मान्यता से विरोध है । इस प्रकार इन्हें काल निर्धारण में आधार नहीं माना जा सकता । पीछे कई स्थानों पर विस्तार से स्पष्ट किया गया है कि मनुस्मृति मूलत : मनु के प्रवचन हैं, और बाद में इन्हें संकलित किया गया है । सही संकलन वही माना जायेगा जो वक्ता के ही भावों को प्रदर्शित करे । इस प्रकार शैली से यह बात स्पष्ट होती है कि मनु के प्रवचनों में मनु से परवर्ती व्यक्तियों का (समकालीन पीढ़ियों को छोड़कर) उल्लेख संभव नहीं । फिर भी मिलता है तो इसका अभिप्राय है कि ये स्थल बाद में किसी ने मिलाये हैं । (ग) इन वर्णनों के आधार पर यह नहीं माना चाहिये कि यह परवर्ती काल में किया गया संकलन है या पुनर्संस्करण है, अपितु मौलिक रूप को आधरूप मानते हुए इन्हें परवर्ती प्रक्षेप मानना चाहिये । (घ) उपर्युक्त स्थल अन्य मानदण्डों के आधार पर भी प्रक्षिप्त सिद्ध हुए है । इस सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन भाष्य में यथास्थान द्रष्टव्य

है। यहाँ इनकी प्रक्षिप्तता को सिद्ध करने वाले कालक्रम संबन्धी तथ्यों को संक्षेप से प्रस्तुत किया जाता है —

१. प्राचीन ग्रन्थों में प्राप्त वंशावलियों के अनुसार मनु या स्वायंभुव मनु का ब्रह्मा के बाद की पीढ़ी में उसके पुत्र या शिष्य के रूप में वर्णन आता है। इस को सृष्टि में सर्वप्रथम राजा माना गया है। इस प्रकार अन्य सभी राजा और ऋषि स्वत : मनु से परवर्ती सिद्ध होते हैं। कुछ राजाओं और ऋषियों की वंशावली अत्यन्त स्पष्ट उपलब्ध है। उससे यह कथन और अधिक पुष्ट हो जाता है। इन राजाओं में नहुष, नेमि या निमि, मनु और पृथु राजा, स्वायंभुव मनु के वंशज वैवस्वत मनु के सूर्यवंश में उत्पन्न होने वाले अन्य राजा हैं। मनु विवस्वान् का, पृथु अनरण्य का, नहुष अम्बरीष का, निमि इक्ष्वाकु का पुत्र था।[७०] कुबेर रावण का भाई था।[७१] विश्वामित्र गाधि राजा का पुत्र था।[७२] वेन अंगदेश का उद्दण्ड राजा हुआ है, जो कर्दमपुत्र अंनग का पुत्र था।[७३] पिजवनपुत्र सुदास उत्तरपांचाल का राजा था, जो राम से भी कई पीढ़ी पश्चात्वर्ती है।[७४]सुमुख का निश्चित विवरण अज्ञात है। इस प्रकार ये मनु से बहुत पीढ़ी पीछे हुए हैं।

२. ऋषियों के नाम, विद्यावंश के आधार पर, अनेक कालों में उसी एक-एक नाम से मिलते हैं, अत : यह कहना कठिन है कि इन प्रसंगों में गृहीत वसिष्ठ, भरद्वाज, वामदेव आदि कौन से काल के ऋषि अभिप्रेत हैं, किन्तु फिर भी इस नाम से सर्वप्रथम पाये जाने व्यक्ति भी मनु से परवर्ती हैं। वसिष्ठ, भृगु, अत्रि, मनु के ही पुत्र होने से परवर्ती हैं।[७५] अजीगर्त भृगुकुल में उत्पन्न ब्राह्मण है, और उसी का पुत्र शुन :शेप है। यह राजा हरिश्चन्द्र के समय का है।[७६] कश्यप, मरीचि के पुत्र थे।[७७] ये मनु की तीसरी पीढ़ी में हैं।

इनके अतिरिक्त ८/१४० में वर्णित वसिष्ठ शब्द व्यक्ति-वाचक न होकर 'अर्थशास्त्र के ज्ञाता विद्वान्' अर्थ में प्रयुक्त पद है। 'यो वसति धनादि कर्मसु सो ऽतिशयस्तम् उत्तमं विद्वांसम्' निरुक्ति के अनुसार वहां उपर्युक्त अर्थ समीचीन है। इस अर्थ की पुष्टि ८/१५७, ३९८ श्लोकों के वर्णन से भी हो जाती है। १/२३ में वर्णित अग्नि, वायु, रवि और ३/१५१-१५३ में वर्णित आंगिरस ऋषि मनु से प्राचीन होने के कारण उल्लेख्य हैं।

३. कुरुक्षेत्र आदि स्थानों का नामकरण तो मनु से बहुत अधिक परवर्ती है। यह नामकरण महाभारतकालीन है और कौरवों के पूर्वज राजा कुरु के नाम पर प्रचलित वंश के आधार पर रखा हुआ है। कुरु राजा, वैवस्वत मनु की पुत्री इला के वंश में अनेक पीढ़ियों के बाद हुआ है।[७८] इसी प्रकार अन्य प्रदेशों का नामकरण भी परवर्ती है। इस प्रकार मनु के प्रवचनों में अत्यधिक परवर्ती स्थानों का उल्लेख संभव नहीं हो सकता। उक्त दोनों श्लोक मनुस्मृति में प्रसंगविरुद्ध भी हैं।

४. इसी तथ्य के आधार पर 'कुरुक्षेत्र जाने की' मान्यता के वर्णन का समाधान भी हो जाता है। जब मनु के समय कुरुक्षेत्र नहीं था तो वहाँ जाने का वर्णन करना संभव ही नहीं। अत : यह भी

---

७०. वाल्मीकि रामायण बाल. ७०।२०, २४, ४२; ७१।३।।
७१. वही, बाल. २०।१८।
७२. वही, बाल. ३४।६।।
७३. महाभारत शा. ५९।९६-९९।।
७४. प्राचीन च. कों. पृ. १०५६।।
७५. मनु. १।३५।।
७६. ऐत. ब्रा. ७।१५-१७।।
७७. वाल्मीकि रामा. ७१।१९-२८
७८. महाभारत आदि. ८९।४३।।

परवर्ती प्रक्षेप है । ९ /९४ में बाल विवाहों का वर्णन मनु की पूर्व वर्णित मान्यताओं के विरुद्ध है । अधिक जानकारी के लिए भाष्य में उक्त श्लोक तथा ३ /४ श्लोक पर विस्तृत समीक्षा द्रष्टव्य है । यह श्लोक प्रसंगविरुद्ध भी है । यही स्थिति अन्य अर्वाचीन वर्णनों की समझनी चाहिये ।

५. मनुस्मृति में विभिन्न जातियों के नाम —कुछ लोगों का कथन है कि मनुस्मृति में यवन, वाल्हीक, कम्बोज, चीन आदि जातियों का उल्लेख है । यवन, कम्बोज, गान्धार लोगों का विवरण प्रियदर्शी अशोक के पाचवें शिलालेख में भी आता है, अत : मनु तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व हो सकते हैं ।

मनुस्मृति में इन जातियों का उल्लेख १० /४३-४४ में आता है । दशम अध्याय का वर्णसंकरों का सम्पूर्ण प्रसंग परवर्ती प्रक्षेप है । यह मनु की पूर्ववर्णित मान्यता के विरुद्ध है । मनु ने चार वर्णों की व्यवस्था दी है, और स्पष्ट शब्दों कहा है कि पाचवां कोई वर्ण नहीं है [१ /३१, ८७-९१ ; १० /४ ।।] । वे इन्हीं वर्णों के धर्मों का विधान कर रहे हैं [१ /२] । इस प्रकार इन जातियों के उल्लेख का मनुस्मृति में कोई प्रसंग ही उपस्थित नहीं होता । जब मनु के समय में और उनके मतानुसार चार वर्णों को छोड़कर कोई जाति-उपजाति नहीं है, तो उस काल में इन जातियों के अस्तित्व का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता । उपर्युक्त दोनों श्लोकों में तो इन जातियों के शूद्र होने के कारण बताये हैं और भूतकाल का वर्णन है । इस वर्णन पद्धति से ही स्पष्ट है कि यह चतुर्वर्णव्यवस्था के लागू होने और फिर उसमें विकार आने के बाद की स्थिति का वर्णन है । इस प्रकार ये श्लोक मनुकालीन ही नहीं हैं ।

६. मनुस्मृति में इतरधर्मस्मृतियों का उल्लेख —

कुछ लोग १२ / ९५ श्लोक के **'या वेदबाह्याः स्मृतयः'** पदों से अन्य स्मृतियों का अनुमान करते हुए यह कल्पना करते हैं कि मनु का यह संकेत उस समय की बौद्ध, जैन स्मृतियों की ओर है ।

ऐसा सोचने वाले की यह कल्पना पूर्णत : निराधार है । यहां मनु का केवल इतना ही अभिप्राय है कि जो वेदानुकूल नहीं है, वह मान्य नहीं, चाहे वह किसी की रचना हो । क्योंकि, उन्होंने अपनी स्मृति को वेदानुकूल घोषित किया है और वेदों को ही धर्म का मूल स्रोत और परमप्रमाण माना है [२ /६, ८, ९, १०, ११, १२, १३ आदि] । १२ /९६ के **'उत्पद्यन्ते व्यवन्ते च'** आदि वचनों से स्पष्ट है कि मनु वेदविरुद्ध विचार रखने वालों के लिए यह एक शाश्वत कथन कर रहे हैं । यदि बौद्ध, जैन आदि का उस समय अस्तित्व होता तो उन्हें उनका नामोल्लेख करने में क्या संकोच था ? जब इस तरह का कहीं कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है तो निराधार कल्पना करने से कोई लाभ नहीं, भ्रान्ति ही पैदा होगी ।

७. मनुस्मृति और उसकी भाषा —

यह कहा जाता है कि मनुस्मृति की भाषा बड़ी सहज, सरल लौकिक भाषा है । वह पाणिनि के व्याकरण का अनुगमन करती है । अत : वर्तमान मनुस्मृति पर्याप्त अर्वाचीन है ।

यह ठीक है कि मनुस्मृति की भाषा सहज और सरल लौकिक भाषा है । लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस कारण इसको अर्वाचीन भाषा कहा जाये । मनुस्मृति एक धर्मशास्त्र है, जिसका सम्बन्ध सर्वमान्य रूप से सभी जनों से है । इसमें लोगों के आचार-विचार से सम्बन्धित निर्देश हैं । अत : ऐसे ग्रन्थ की भाषा का सहज, सरल होना स्वाभाविक भी है, और आवश्यक भी । प्राचीन काल

में साहित्यिक भाषा के रूप में वैदिक भाषा का प्रयोग था तो व्यवहार में लौकिक संस्कृत का प्रयोग था।

मनुस्मृति में कुछ पूर्वपाणिनीय प्रयोग भी मिलते हैं। इसमें पाये जाने वाले वैदिक प्रयोग और वैदिक प्रयोगशैली, इसे मूलत: पाणिनि पूर्व एवं वैदिककालीन संकलन सिद्ध करते हैं। यथा — (क) **'मेत्युक्त्वा'** [८।५७ [**'मे + इत्युक्त्वा'** सन्धि पाणिनीय नहीं है। इसमें इकार का पूर्वरूप छान्दस है। (ख) **'हापयति'** [३/७१] का 'छोड़ता है' अर्थ है। यहां प्रेरणार्थक न होकर प्रकृत्यर्थ (मूल अर्थ) में 'णिच्' छान्दस है। (ग) २/१६९-१७१ श्लोकों में **'मौञ्जीबन्धन'** और **'मौञ्जिबन्धन'** पदों के प्रयोग में विकल्प से ह्रस्व छान्दस प्रयोग है। (घ) **'उपनयनम्'** के अर्थ में **'उण्नायनम्'** प्रयोग [२/३६] पूर्व पाणिनीय है। यहां दीर्घ को, पाणिनि ने व्याकरणसम्मत न होते हुए भी शिष्टप्रयोग मानकर **'अन्येषामापि दृश्यते'** [अ. ६/३/१३७] सूत्र में स्वीकार कर लिया है। (ङ) १/२० में **'आद्यास्य'** प्रयोग है। यह **'आद्यस्य-आद्यस्य'** होना चाहिये था किन्तु पहले **'आद्यस्य'** का सुप्लुक् छान्दस प्रयोग के कारण माना गया है ('सुपां सुलुक् ...' अ. ०७/१ '३९)। **(च) वैदिक भाषा की प्रयोग शैली** —/**आ हैव स नखाग्रेभ्य:**' [२/१६८], **'पुत्रका इति होवाच'** [२/१५१] आदि।

इसकी भाषा के विषय में एक संभावना यह भी दिखायी पड़ती है कि पहले इसमें वैदिक प्रयोगों की अधिकता थी, जो धीरे-धीरे बदली जाती रही। क्योंकि यह सर्वसामान्य जनों से सम्बन्ध रखने वाला ग्रन्थ था, अत: इसकी भाषा में भी समयानुसार परिवर्तन होता रहा। ऐसे उदाहरण हमारे सामने विद्यमान हैं, जिनसे यह संभावना पुष्ट होती है। वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य, वंगीय और उत्तरपश्चिमोत्तरीय, ये तीन संस्करण प्रसिद्ध हैं एवं प्रचलित हैं। इनमें दाक्षिणात्य पाठ में अभी भी वैदिक प्रयोगों का बाहुल्य है, जबकि अन्य संस्करणों में अधिकांश को बदलकर लौकिक कर दिया गया है। यही स्थिति मनुस्मृति के साथ भी संभव है। ऐसा इसलिए भी संभव प्रतीत होता है कि कालक्रम की दृष्टि से मनु सब ऋषियों से प्राचीन हैं और उनकी स्मृति सर्वाधिक प्रसिद्ध रही है। फिर उनकी स्मृति का संकलन पर्याप्त अर्वाचीन समय में हुआ हो, यह बात बुद्धिसम्मत नहीं लगती। कुछ आधुनिक विद्वानों की यह मान्यता और भी विचित्र लगती है कि 'मनु से उत्तरवर्ती वसिष्ठ, गौतम आदि ऋषियों की स्मृतियां मनुस्मृति से प्राचीन हैं, 'उनका संकलन पहले हो चुका था, आदि। यदि भाषा की दृष्टि से इन स्मृतियों में कुछ पूर्वापर क्रम अनुभव भी होता है तो उसका कारण उनकी प्राचीनता और मनुस्मृति की नवीनता नहीं, अपितु मनुस्मृति के बहुप्रचलित और सामान्यजनों के व्यवहारोपयोगी होने के कारण समय-समय पर उसकी भाषा में और प्रयोगों में किया गया परिवर्तन है। अन्य स्मृतियों में, उनकी अप्रसिद्धि और अल्पप्रचलन के कारण ऐसा कम हो पाया है।

६. मनुस्मृति का आद्यरूप

मनुस्मृति का आद्यरूप क्या रहा होगा ? इस प्रश्न पर विचार करते हुए विचारकों ने कई मत प्रस्तुत किये हैं। कोई इसका आदिरूप गद्यबद्ध मानते हैं, कोई सूत्रबद्ध, तो कोई पद्यबद्ध मानते हैं। मेरा विचार है कि इसकी शैली से इस प्रश्न का जो समाधान मिलता है, वह अधिक संतोषजनक एवं प्रामाणिक है। मनुस्मृति की शैली पर इस अध्याय के मध्य में (मनुस्मृति का रचयिता कौन है, इस प्रश्न के उत्तर में) पर्याप्त विस्तार से सप्रमाण प्रकाश डाला जा चुका है। उस निष्कर्ष के अनुसार मनुस्मृति, मूलत : मनु के प्रवचन हैं, जिन्हें बाद में संकलित किया गया है। आदि से अन्त तक मनुस्मृति की प्रवचनशैली और संकलित रूप है। निरुक्त के प्रमाण से इस विचार को पुष्टि मिलती है जिसमें यह कहा गया है कि प्राचीन काल में उपदेशों-प्रवचनों से ही शिक्षा दी जाती थी, लिपिबद्ध ग्रन्थों को पढ़ाकर नहीं। जब लोग उपदेशों से प्रमाद करने लगे तो ग्रन्थों का निर्माण हुआ और उनके माध्यम से शिक्षा दी जाने लगी।[७८]

१. प्रवचन गद्यरूप में ही होते हैं। अत : निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मनुस्मृति का आद्यरूप गद्यरूप था। गद्यरूप से इसे पद्यबद्ध किया गया।

इसकी पुष्टि के लिए शैली के अतिरिक्त मनुस्मृति के अन्य दो अन्तरंग प्रमाण भी मिलते हैं, जिनसे यह ज्ञात होता है कि यथावत् रखने में कुछ कठिनाई आयी तो उस क्रम को बदल दिया गया अथवा क्रम बदल गया। यदि मूलरूप पद्यबद्ध होता तो जिस क्रम से विषयों का परिगणन किया गया है, उसी क्रम में उनकी व्याख्या होती। यथा — (क) ८/६ में अठारह मुकदमों का परिगणन करते हुए **'पारुष्ये दण्डवाचिके'** पदप्रयोग करते हुए 'दण्ड की कठोरता' और 'वाणी की कठोरता' इस क्रम से इन अभियोगों का वर्णन है। किन्तु इनकी विस्तृत व्याख्या में पहले **'वाक्पारुष्य'** का वर्णन है [८/२६६–२७७], फिर **'दण्डपारुष्य'** का [८/२७८–३००]। इस प्रकार क्रम बदल गया। शायद यह क्रम छन्द-आग्रह के कारण बदलना पड़ा।

यद्यपि टीकाकारों ने इसका व्याकरणसम्मत समाधान प्रस्तुत किया है कि **'अल्पाच्तरं पूर्वम्** [अ. २/२/३४] के नियमानुसार 'अल्पाच्' होने के कारण छन्द में दण्ड का परिगणन पहले किया है। इसे मानने में कोई आपत्ति भी नहीं है। किन्तु जहां इनका व्याख्याक्रम एक निर्धारित शृंखला में है, तो उस क्रम को तोड़कर 'अल्पाच्' को महत्त्व देने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। स्वतन्त्र परिगणन में ही यह नियम समीचीन कहलायेगा। ऐसा लगता है कि यदि इस नियम के बिना उपयुक्त क्रम में **'वाग्दाण्डिके'** प्रयोग द्वारा इन्हें रखा जाता तो छन्दोभंग अवश्य होता। शायद इसी विवशता के कारण उसका क्रम बदलकर 'दण्डवाचिके' प्रयोग करना पड़ा।

(ख) १२/८३ में छह नि :श्रेयसकर कर्मों का परिगणन इस क्रम से है — **वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, इन्द्रियसंयम, धर्मक्रिया और आत्मचिन्ता**। किन्तु इनकी व्याख्या का क्रम इस प्रकार है — **आत्मज्ञान** [१२/८५-९२] **शम** = इन्द्रियसंयम [१२/९२], **वेदाभ्यास** १२/९२-१०२], **तप और ज्ञान** = विद्या [१२/१०४], **धर्म** [१२/१०५-११५]। लगता है, इनकी व्याख्या का क्रम गद्यरूप में इसी क्रम से था, किन्तु छन्दोबद्ध करते समय परिगणन

७८. निरु. १।१९।। 'मनुस्मृति का मूल प्रवक्ता' शीर्षकान्तर्गत पूर्व उद्धृत।

वाले श्लोकों में इसी क्रम से छन्दरचना न बन पाने के कारण यह क्रम बदलना पड़ा।

२. मनुस्मृति का आद्यरूप सूत्रबद्ध नहीं था। सूत्रबद्ध होने की पुष्टि न तो इसकी शैली से होती है, और न मनु के उद्धरण ही कहीं सूत्ररूप में प्राप्त होते हैं। यह भी कि सूत्रग्रन्थों के साथ प्रायः 'सूत्र' पद जुड़ा होता है। प्राचीन ग्रन्थों से लेकर अब तक उनमें मनु के शास्त्र का 'मानवधर्मशास्त्र या 'मनुस्मृति' के नाम से उल्लेख मिलता है, न कि 'मानवधर्मसूत्र' नाम से।

३. 'मानवधर्मसूत्र' नामक ग्रन्थ को कुछ लोग मनुरचित मानते हैं, लेकिन मनुस्मृति से उसका पूर्ण साम्य नहीं है। उस सूत्रग्रन्थ को किसी बहुत बाद के व्यक्ति ने मनु के नाम से रचा है, और वह भी अपने विचारों का मिश्रण करके। यह सूत्ररूप आद्यरूप नहीं है। यह तो पद्यरूप को देखकर रचा गया है, अथवा आद्य गद्यरूप को देखकर।

४. ग्रन्थों की सूत्रशैली अधिक प्राचीन नहीं है, अपितु गद्य और पद्यरूप ही अधिक प्राचीन हैं। सूत्रों से प्राचीन ग्रन्थ गद्यरूप में उपलब्ध होते हैं, जैसे — ब्राह्मणग्रन्थ, आरण्यक, उपनिषद् आदि। वर्तमान महाभारत कईस्थलों पर गद्यरूप में है। अन्य अर्वाचीन ग्रन्थ कौटिलीय अर्थशास्त्र, नारदगद्यस्मृति आदि गद्यरूप में ही हैं। अतः मनुस्मृति का प्रारम्भिक रूप गद्यरूप होना माना जा सकता है।

५. ऐसी परम्परा प्रत्येक काल में रही है कि महापुरुषों ने प्रवचन या उपदेश दिये हैं और उनके शिष्यों ने उनका संकलन करके गद्य या पद्य का रूप दिया है। प्रायः सभी धर्मों के ग्रन्थ उनके मान्य पुरुषों के उपदेश हैं, जिन्हें बाद में संकलित किया गया है। महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिये थे, लेकिन उनका संकलन 'धम्मपद' के नाम से पद्यरूप में है। कहा जाता है कि यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तू के नाम से मिलने वाले ग्रन्थ उनके शिष्यों द्वारा संकलित हैं। महर्षि दयानन्द के नाम से मिलने वाली 'उपदेश मञ्जरी' या 'पूना प्रवचन' नामक पुस्तक मूलतः उनके उपदेश हैं, जो अन्य व्यक्ति द्वारा संगृहीत और सम्पादित हैं। इसी प्रकार मनुस्मृति का संकलन हुआ है।

६. सुनिश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि मनु के गद्यरूप प्रवचन, पद्यरूप में कब आये। किन्तु प्राप्त उद्धरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मनुस्मृति का यह पद्यरूप भी अतिप्राचीन है। मनुस्मृति में भृगु का नाम बार-बार आता है। हो सकता है, मनु के शिष्य भृगु ने ही इन्हें पद्यबद्ध किया हो और यह भी संभव है कि संकलन के अनन्तर स्मृति-सुविधा के लिए मनु के आदिशिष्यों ने इन्हें पद्यबद्ध किया हो। यहपद्यरूप भी काफी प्राचीन है क्योंकि मनु के नाम से बहुत पहले ही यह रूप प्रसिद्ध हो चुका था। क्योंकि रामायण,[७९], महाभारत[८०] में मनु के द्वारा ही श्लोक गाये जाने का कथन है। इसका अभिप्राय यह है कि इन ग्रन्थों के रचनाकाल में इन श्लोकों की मनु के नाम से प्रसिद्धि हो चुकी थी।

७. नारद स्मृति की भूमिका में आता है कि मनु ने एक धर्मशास्त्र बनाया था जिसमें एक लाख श्लोक थे। १०८० अध्याय और २४ प्रकरण थे। नारद ने इसका १२००० श्लोकों में संक्षेप करके इसे मार्कण्डेय को पढ़ाया। मार्कण्डेय ने इसका संक्षेप ८००० श्लोकों में कर दिया। फिर सुमति भार्गव ने इसे ४००० श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया। नारदस्मृति का यह अवतरण ग्रन्थ के महत्त्ववर्धन के लिए ही है। इस प्रकार संक्षेप किया जाना मौलिकता के अनुरूप नहीं है। न ऐसी कोई प्रामाणिक शास्त्रीय परम्परा ही है।

---

७९ "श्रूयते मनुना गीतौ श्लोकौ चरित्रवत्सलौ।" वा. रामा. १८।३० ॥

८० "मनुना चैव राजेन्द्र गीतौ श्लोकौ महात्मना।" महा. शा. ५६।२४ ॥

द्वितीय अध्याय

[मनुस्मृति और प्रक्षेप—प्रक्षेपों के अनुसन्धान की आवश्यकता, प्रक्षेप-लक्षण, प्रक्षेप कैसे हैं ?, निहित प्रवृत्तियां, मानदण्ड और प्रक्षेपों से हानि]

१. मनुस्मृति के प्रक्षेपों के अनुसन्धान की आवश्यकता एवं उपयोगिता

मनुस्मृति क स्वरूप को प्रक्षेपों से विकृत देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि इसके प्रक्षेपों का अनुसंधान किया जाये । प्रक्षेपों के अनुसन्धान और उनके पृथक्करण से ही मनुस्मृति का वास्तविक श्रेष्ठरूप प्रकाश में आयेगा । यह अनेक प्रकार से उपयोगी सिद्ध होगा —इस अनुसन्धान से जहां एक ओर साहित्यिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कार्य यह होगा कि भारतीय साहित्य का एक प्रमुख ग्रन्थ प्रामाणिक रूप में उपलब्ध होगा, वहां आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति चाहने वाले या अपने जीवन को सन्मार्ग पर ले चलने वाले व्यक्तियों के लिए भी यह भ्रान्तिरहित रूप में पथ-प्रदर्शन करने वाला सिद्ध होगा । सांस्कृतिक दृष्टि से —मनुकालीन भारतीय समाज और संस्कृति की सही झांकियों को प्रस्तुत करेगा और वर्तमान समाज को अच्छी मर्यादाओं तथा व्यवस्थाओं का दिग्दर्शन करायेगा । सबसे अधिक लाभ ऐतिहासिक दृष्टि से यह होगा कि प्रक्षिप्तांशों से दूषित मनुस्मृति को आधार बनाकर इतिहासकारों ने प्राचीन काल का जो इतिहास लिखा है, जिसमें मांसभक्षण, पशुयज्ञ, जाति-पांति, छुआ-छूत, ऊंच-नीच जैसी घिनौनी बाते हैं ; उस इतिहास का शुद्ध, उज्ज्वल और वास्तविक स्वरूप हमारे सामने आयेगा । इस प्रकार मनुस्मृति पर अनुसन्धान कार्य होने से आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए ; भारतीय समाज, संस्कृति, साहित्य और इतिहास के लिए, बहुत बड़ा योगदान होगा । प्राचीन साहित्य, जो कि भारत की एक अमूल्य और गौरवपूर्ण निधि है ; उसके एक विशिष्ट ग्रन्थ का उचित मूल्यांकन हो सकेगा ।

और, मनुस्मृति से सम्बन्धित आन्तरिक समस्याओं, जैसे — रचयिता, रचनाकाल मौलिक मान्यताए, आदि.को सुलझाने में भी न्यूनाधिक रूप में सहयोग अवश्य प्राप्त हो सकेगा ।

२. प्रक्षेप से अभिप्राय

प्रक्षेप का अर्थ है — 'बीच में की गई मिलावट' । किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गये मूल ग्रन्थ मे अन्य द्वारा मिलाये गये विचारों को 'प्रक्षेप' या 'क्षेपक' कहा जाता है । मनुस्मृति में वे श्लोक जो मनु से भिन्न व्यक्तियों ने रचकर मिला दिए हैं, उनको 'प्रक्षिप्त' माना गया है । यह आवश्यक नहीं कि प्रक्षेप 'विरोधी विचारों' से युक्त अथवा बुरा ही हो, वह ग्रन्थकार के समर्थक विचारों वाला और अच्छे विचारों का भी होता है ।

३. क्या मनुस्मृति में प्रक्षेप नहीं हैं ?

कुछ व्यक्ति मनुस्मृति में प्रक्षेप नहीं मानते । उनका विचार है कि मनुस्मृति का यह उपलब्ध स्वरूप वास्तविक है । किन्तु उनका यह विचार पूर्णत : भ्रान्तिपूर्ण है । उपलब्ध मनुस्मृति को देखकर यह निश्चितरूप से कहा जा सकता है कि इसमें प्रक्षेपों की भरमार है और ये प्रक्षेप एक साथ न होकर समय-समय पर हुए हैं । इसकी सिद्धि के लिए निम्न युक्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं —

(१) उपलब्ध मनुस्मृति में विषय-विरुद्ध, परस्परविरुद्ध, प्रसंगविरुद्ध तथा अनेक पुनरुक्तियां पायी जाती हैं । आश्चर्य की बात तो यह है कि कहीं-कहीं तो त्रिकोणात्मक 'परस्पर विरोध' भी है ; या पहले श्लोक में जो विधान है, उससे अगले ही श्लोक में उसका विरोध है । इस विडम्बनापूर्ण स्थिति को देखकर भी यह कहना कि मनुस्मृति में प्रक्षेप नहीं हैं, दुस्साहस और मिथ्या-आग्रह ही कहलायेगा । एक मध्यमस्तरीय लेखक की रचना में भी ये त्रुटियां नहीं होतीं । उसके लेखन में वैचारिक ऐकमत्य, विषय और प्रसंग की सुसंगति, अविरोध तथा स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है । फिर मनुसदृश तत्त्वद्रष्टा विद्वान् की रचना में इस प्रकार की त्रुटियों का होना सर्वथा असम्भव है । महर्षि मनु अपने समय के सर्वाधिक प्रख्यात और धर्म-सम्बन्धी विषय के मर्मज्ञ विद्वान् थे । इसी कारण ऋषि लोग जिज्ञासा के समाधान के लिए एकत्रित होकर उनके पास आये थे । वे निवेदन करते हुए कहते हैं —

भगवन् सर्ववर्णानां यथावदनुपूर्वशः ।
अन्तरप्रभवाणां च धर्मान्नो वक्तुमर्हसि ।।
त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः ।
अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थवित्प्रभो ।। (१।२, ३ ।।)

अर्थात् — हे भगवन् ! आप सब वर्णों और आश्रमों के धर्मों को ठीक-ठीक बतलाने में समर्थ (योग्य) हैं । और क्योंकि ईश्वररचित, अचिन्त्य और अपरिमित ज्ञान से युक्त वेदरूपी विधान के धर्मतत्त्व (व्यावहारिक तत्त्व) तथा अर्थ के जानने वाले आप ही एक मात्र विद्वान् हैं (अत : आप हमें इन धर्मों का उपदेश कीजिये) ।

इससे स्पष्ट है कि महर्षि मनु अपने समय के प्रख्यात एवं इस विषय के सबसे अधिक अधिकारी विद्वान् थे । अत : ऐसे विद्वान् की रचना में उक्त प्रकार की त्रुटियां नहीं हो सकतीं । फिर भी उक्त त्रुटियां पाई जाती हैं तो इसका सीधा-सा अभिप्राय है कि मनुस्मृति में प्रक्षेप हैं । (इनके उदाहरण द्वितीय अध्याय में 'प्रक्षेपों के अनुसन्धान के आधार और प्रमाण' शीर्षक के अन्तर्गत देखें) ।

(२) मनुस्मृति में एक ओर तो गम्भीर, युक्तियुक्त, साधार, दुराग्रह एवं पक्षपातरहित अरूढ़ तथा संतुलित शैली है ; वहीं बीच-बीच में अतिसामान्य, अयुक्तियुक्त, निराधार, अतिशयोक्तिपूर्ण, दुराग्रह एवं पक्षपातपूर्ण तथा रूढ़ शैली के श्लोक भी आ जाते हैं । नि :सन्देह, उक्त विरोधी भिन्नताएं एक ही रचयिता की शैली में नहीं हो सकतीं । स्पष्ट है कि दूसरी शैली की रचनाएँ मनुसदृश विद्वान् द्वारा रचित न हो कर अन्यो द्वारा रचित हैं, अत : वे प्रक्षेप हैं ।

(३) मनुस्मृति में मनु से परवर्ती व्यक्तियों, जातियों एवं स्थानों के उल्लेख हैं । इसी प्रकार कहीं-कहीं मनु द्वारा निर्धारित मौलिक व्यवस्थाओं से भिन्न व्यवस्थाओं का वर्णन है । किसी-किसी श्लोक में "**मनुरब्रवीत्**" "**मनोरनुशासनम्**" आदि पदों का प्रयोग है, जो स्पष्टत : अन्य रचयिता की ओर संकेत करता है । इस प्रकार के सभी श्लोक परवर्ती होने से प्रक्षिप्त हैं । वे किसी

भी अवस्था में मनु द्वारा स्वयंप्रोक्त नहीं कहला सकते।

(४) मनुस्मृति की उपलब्ध प्रतियां भी मनुस्मृति में प्रक्षेप होने के प्रत्यक्ष प्रमाण देती हैं। बहुत से श्लोक ऐसे हैं जो प्राचीन प्रतियों में नहीं किन्तु अर्वाचीन प्रतियों में है। ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि उत्तरकालीन प्रतियों में श्लोकों की संख्या बढ़ती ही गई है। जब प्राप्त हस्तलिखित प्रतियों में ही यह हाल है तो व्यतीत दीर्घकाल में प्रक्षेप न हुए हों यह कैसे हो सकता है? उदाहरण के रूप में कुछ श्लोक प्रस्तुत हैं —

(क) निम्न श्लोक द्वितीय अध्याय में अठारहवें श्लोक के पश्चात् केवल मेधातिथि के भाष्य में ही पाया जाता है —

विरुद्धा च विगीता च दुष्टार्थादिष्टकारणे ।।
स्मृतिर्नं श्रुतिमूला स्याद्या चैषाऽसम्भवश्रुति : ।।

अर्थ — निर्दिष्ट कारण में प्रत्यक्ष से विरुद्ध, असंगत एवं असम्भव अर्थ का प्रतिपादन करने वाली स्मृति वेद-विरुद्ध स्मृति कहलाती है।

(ख) निम्न श्लोक मेधातिथि आदि तीन प्राचीन भाष्यकारों के भाष्य में नहीं हैं, उनसे अर्वाचीन अन्य प्रतियों में ही पाया जाता है; जो इस बात का ज्वलन्त प्रमाण है कि उनके भाष्यों के पश्चात् ही प्रक्षेप के रूप में डाला गया है—

सायं प्रातर्द्विजातीनामशनं स्मृतिनोदितम् ।
नान्तरे भोजनं कुर्यादग्निहोत्रसमो विधि : ।।

(मनु. २।५२ के पश्चात्)
(इस संस्करण में २।२७ के पश्चात्)

अर्थ — स्मृति ने द्विजों के लिये अग्निहोत्र के समान प्रात : और सायं दो बार ही भोजन करने का विधान किया है। बीच में भोजन कभी न करें।

(ग) मनुस्मृति की लगभग ३० – ३५ प्रतियाँ हस्तलिखित रूप में विभिन्न पुस्तकालयों में उपलब्ध हैं। उनमें बहुत से श्लोक ऐसे हैं जो थोड़ी ही प्रतियों में पाये जाते हैं। ऐसे भी श्लोक पर्याप्त हैं जो केवल एक-एक प्रति में ही प्राप्त हैं, यथा —

निम्न श्लोक प्रयाग की एक ही प्रति में है —

परोक्षं सत्कृपापूर्वं प्रत्यक्षं न कथंचन ।
दुष्टानुचारा च गुरोरिह वाऽमुत्र चैत्यध : ।।

(२।२०० के पश्चात् इस संस्करण में २।१७५ के बाद)

अर्थ — शिष्य पीठ पीछे गुरु का नाम सत्कार पूर्वक ले और सामने किसी भी प्रकार न लेवे। गुरु से दुष्टाचरण करने वाला शिष्य दोनों लोकों में अधोगति को प्राप्त करता है।

(घ) ऐसे ही कुछ श्लोक —

येऽप्यतीता : स्वधर्मेभ्य : परपिण्डोपजीविन : ।
द्विजत्वमधिकांक्षन्ति तांश्च शूद्रानिवाचरेत् ।।

(८।१०२ के पश्चात्)

अर्थ — जो अपना धर्म-कर्म छोड़कर दूसरे के टुकड़ों पर जीते हैं और अपने आपको द्विज कहलाना चाहते हैं, उनके साथ शूद्रों के समान व्यवहार करे।

तदस्त्रं सर्ववर्णानामनिवार्यं च शक्तितः ।
तपोवीर्यप्रभावेण अवध्यानपि बाधते ।।
(११।३३ के पश्चात्)

अर्थ — ब्राह्मण की वाणी का अस्त्र वह अस्त्र है, जिसे कोई भी वर्णस्थ व्यक्ति अपने सामर्थ्य से नहीं हटा सकता । और यह अस्त्र तप की शक्ति से सम्पन्न होने के कारण न मारने योग्य शत्रुओं को भी मार देता है ।

(५) प्रतीत होता है कि अन्य पुस्तकों से लेकर भी कुछ श्लोक मनुस्मृति में मिला दिये हैं । महाभारत (अश्वमेध पृ. ३८० पूना प्रकाशन) का निम्न श्लोक मनुस्मृति की केवल चार प्रतियों में ही उपलब्ध होता है, जो अप्रासंगिक रूप से मिलाया गया है —

पुराणं मानवो धर्मः सांगोपांगचिकित्सकः ।
आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः ।।
(१२।११० के पश्चात्)

अर्थ — पुराण = ब्राह्मण ग्रन्थ, मनुप्रोक्तधर्म, अंग सहित उपांगों का विद्वान् चिकित्सक और साधु आदि की आज्ञा से सिद्ध, इन चार बातों को तर्क से नहीं काटना चाहिए ।

यह श्लोक इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मनुस्मृति में प्रक्षेप हैं । अभी तक यह मनुस्मृति के श्लोकों में सर्वसम्मत रूप से घुल-मिल नहीं पाया है । अतएव इसे कोष्ठक में दिया जाता है ।

(६) प्रक्षेपकर्त्ताओं ने न केवल नवीन श्लोक ही क्षेपक के रूप में डाले हैं, अपितु अभीष्ट ढंग से पाठभेद भी किये हैं । कुछ पाठभेद तो प्रतिलिपि में प्रमाद, अथवा असावधानी के कारण हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे पाठभेद तो जानबूझकर किये गये हैं । निम्न पाठ भेदों के उदाहरण इस बात के पोषक हैं —

(क) दशम अध्याय में वर्णित वर्णसंकरों के धर्म मनुप्रोक्त अर्थात् मौलिक नहीं हैं । वे श्लोक उस परवर्ती काल के प्रक्षेप हैं, जब वर्णव्यवस्थाओं में विकृति आकर जाति-पांति की परम्परा चल पड़ी थी । संकर जातियों को हेय माना गया और उनके भी कर्त्तव्य गढ़कर (जो कर्त्तव्य न होकर घृणित निन्दित विकृतियां हैं) मनुस्मृति में मिला दिये गये और उन्हें मौलिक सिद्ध करने के लिए १।२ में **'अन्तरप्रभवाणाम्'** पद के स्थान पर **'संकरप्रभवाणाम्'** पद डाल दिया गया । यह पाठभेद दो-चार हस्तलिखित पुस्तकों में मिलता है । यद्यपि टीकाकारों ने **'अन्तरप्रभवाणाम्'** का अर्थ भी 'वर्णसंकर' किया है, किन्तु यह भी सर्वथा गलत है । इसका सही अर्थ 'आश्रमों के' होना चाहिए (इसके लिए देखिए १।२ पर 'अनुशीलन' नामक समीक्षा) । शायद पहले उक्त पद का सही अर्थ 'आश्रम' ही प्रचलित था, प्रक्षेपकर्त्ता ने उसे जड़-मूल से हटाने का प्रयास किया । वह तो नहीं हट पाया किन्तु उस पाठभेद से टीकाकारों में यह भ्रान्ति पनप गई कि वे **'अन्तरप्रभवाणाम्'** का ही 'वर्णसंकर' अर्थ करने लग गये ।

(ख) इसी प्रकार १२।८२ में **'धर्मक्रियाऽऽत्मचिन्ता च'** के स्थान पर **'अहिंसा गुरुसेवा च'** पाठ कर दिया गया है । यह,गुरु को महत्त्व मिलता रहे, इस प्रवृत्ति से किया गया । यह पाठ मनुस्मृति के प्रसंगानुकूल नहीं है — (अ) इस ८३वें श्लोक में नि :श्रेयसकर कर्मों की परिगणना है । परिगणना के बाद इन छह कर्मों के विषय में १२।८५-११५ श्लोकों में व्याख्यान है । उस व्याख्यान में 'अहिंसा' और 'गुरुसेवा' का कहीं उल्लेख नहीं है, अपितु आत्मज्ञान और धर्मक्रिया का है । (आ) मनु ने सात्विक कर्मों को ही नि :श्रेयसकर्म माना है । इस श्लोक में अन्य सभी कर्म तो नहीं हैं, केवल

इन्हीं दो में पाठभेद कर दिया गया है । सात्विक कर्मों का वर्णन १२।३१ में है । वही पाठ यहां ग्रहण करना मनुसम्मत एवं मौलिक पाठ है और वही मुक्ति-दायक है । इस प्रकार '**अहिंसा गुरुसेवा च**' पाठ परिवर्तित पाठ है ।

(ग) इसी प्रकार ५।५७ श्लोक के प्रथम पाद में '**प्रेतशुद्दिम्**' पाठ प्रचलित संस्करणों में प्रचलित है । इसके स्थान पर '**देहशुद्दिम्**' पाठ होना चाहिये, ऐसा मनु की शैली और विषयविवेचन से संकेत मिलता है । प्रतीत होता है कि अन्य प्रक्षेपों के समान कालान्तर में जब प्रेत-जन्म आदि में शुद्दि-क्रिया एक कर्मकाण्ड का रूप ले गयी, तब यह पाठभेद करके प्रेतादि विषयक श्लोक मिला दिये गये । इस पाठ की अमौलिकता और '**देहशुद्दिम्**' पाठ की मौलिकता निम्न प्रमाणों एवं युक्तियों से सिद्द होती है — (अ) मनु की यह शैली है कि वे जिस विषय का प्रारम्भ जिस विषय-संकेत से करते हैं उसी संकेत से उसकी समाप्ति करते हैं [द्रष्टव्य ३ । २८६ और ४ । २५९ ।। ८ । १ और ९।२५० ।। १०।१३१ और ११।२६६ आदि], लेकिन यहां उस शैली से विपरीत, विषय का प्रारम्भ प्रेतशुद्दि से दर्शाया गया है [५।५७] और समाप्ति '**शारीरशुद्दि**' से [५।११०] । विषय समाप्ति सूचक श्लोक के पदों से यह सिद्द होता है कि यह '**शारीरशुद्दि**' का विषय था न कि प्रेतशुद्दि का । अत : इस श्लोक में समानार्थक 'देहशुद्दि' शब्द ही मनुसम्मत सिद्द होता है । (आ) मनु ने इस प्रसंग का वर्णन भी देह [५।१०५], गात्र [५।१०९], शरीर [११०] आदि शब्दों से किया है, जो यह सिद्द करता है कि यह वर्णन प्रेतविषयक नहीं अपितु देहशुद्दि-विषयक है । (इ) प्रचलित पाठ के अनुसार यदि प्रेतशुद्दि पाठ को सही मानकर यहाँ इसी विषय का प्रसंग मान लिया जाये तो यह आपत्ति आती है कि प्रेतशुद्दि-विषय में दन्तोत्पत्तिकालीन शुद्दि, सूतकशुद्दि, मन, आत्मा आदि की शुद्दि का वर्णन क्यों किया ? प्रेत के मन और आत्मा होते ही नहीं । इस प्रकार विषयसंकेतक श्लोक में और वर्णन में तालमेल का न होना भी यह सिद्द करता है कि प्रक्षेपों का समायोजन करने के लिये यह पाठभेद बाद में किया गया है । शैलीशृंखला में जुड़ा हुआ पाठ '**देहशुद्दिम्**' ही है, और मन तथा आत्मा आदि शरीर से सम्बन्ध रखने वाले पदार्थ हैं । अत : इसी पाठ को मान्य पाठ के रूप में स्वीकार किया है ।

इन प्रमाणों से यह सिद्द हो जाता है कि मनुस्मृति में पाठभेदों के रूप में भी प्रक्षेप किये गये हैं । इस प्रकार के पाठभेद अन्य स्थानों पर भी हैं ।

(७) मनुस्मृति का अध्यायविभाजन मौलिक अर्थात् मनुकृत नहीं है । यह परवर्तीकाल में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है (इसके विषय में विस्तार से जानने के लिए देखिए — 'मनुस्मृति में अध्यायविभाजन' शीर्षक) । विभाजन करते समय अध्यायों की समाप्ति में एकरूपता लाने के लिए विभाजनकर्ता अथवा किसी अन्य परवर्ती व्यक्ति ने मनुस्मृति में कुछ परिवर्तन-परिवर्धन भी किये हैं, जैसे प्रथम अध्याय में १११ से ११८ श्लोकों में विषय-सूची जोड़ दी, अष्टम अध्याय के अन्त में उस विषय के बीच में ही विषयसमाप्तिसूचक श्लोक एकरूपता लाने के लिए भ्रान्तिवश डाल दिया (८।४२०), आदि । यह परिवर्तन व परिवर्धन मनुस्मृति के प्रसंगों एवं शैलियों से ज्ञात हो जाता है । यह परिवर्तन इस बात का संकेत देता है कि मनुस्मृति में परवर्ती लोगों ने मनमाने ढंग से श्लोक मिलाये हैं । इससे यह स्पष्टत : सिद्द है कि मनुस्मृति में प्रक्षेप हैं ।

(८) मनुस्मृति में पाये जाने वाले 'अवान्तरविरोध' भी मनुस्मृति में प्रक्षेप होने के प्रमाण देते हैं । एक ही प्रक्षिप्त प्रसंग में जो परस्पर अनेक विरोध हैं, उन्हें 'अवान्तरविरोध' कहा गया है । एक ही

प्रक्षिप्त प्रसंग में जो अनेक विरोध या भिन्न-भिन्न मान्यताएं मिलती हैं उनके विश्लेषण से निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं — (१) अनेक विरोधों या मान्यताओं वाले प्रसंग किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं हो सकतीं, (२) ऐसे विरोधात्मक और विभिन्न मान्यतात्मक वर्णन मनु सदृश तत्त्वद्रष्टा ऋषि की रचनाएं नहीं हो सकतीं, (३) ये भिन्न-भिन्न मान्यताएं भिन्न-भिन्न लोगों द्वारा डाली गयी हैं, (४) और भिन्न-भिन्न कालों में (जब जैसी मान्यता का प्रचलन हुआ) मिलायी गयी है (५) जहां विभिन्न-विरोधी मान्यताएँ अधिक हैं, इसका मतलब वे उतने ही अधिक विवादास्पद विषय थे, और विवादास्पद विषयों में ही लोगों को मान्यता परिवर्तित करने का तथा अपनी मान्यता लागू करने का अधिक ध्यान रहता है। इन तथ्यों से यह बात सिद्ध हुई कि मनुस्मृति में प्रक्षेप हुए हैं और वे भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न-भिन्न कालों में किये गये हैं। इस अवस्था को देखकर प्रक्षेपों से नहीं नकारा जा सकता।

(९) सभी भाष्यकारों ने न्यूनाधिक रूप में मनुस्मृति में प्रक्षेप होना स्वीकार किया है, उनमें कुल्लूकभट्ट ने सम्पूर्ण मनुस्मृति में १७० श्लोक प्रक्षिप्त माने हैं, अतएव उन्हें बृहत्कोष्ठकों एवं भिन्न संख्याओं में दिया है। परवर्ती सभी पौराणिक पण्डितों ने उन प्रक्षेपों को यथावत् स्वीकार किया है। कुल्लूकभट्ट और उससे परवर्ती अन्य तदनुसारी टीकाकारों-भाष्यकारों ने जो प्रक्षिप्त श्लोक स्वीकार किये हैं उनका अध्यायानुसार विवरण निम्नप्रकार है —

प्रथम	अध्याय में	—११
द्वितीय		—११
तृतीय		— २१
चतुर्थ		—१९
पंचम		—२२
षष्ठ		— ६
सप्तम		—१६
अष्टम		—३०
नवम		— ६
दशम		— २
एकादश		—१४
द्वादश		—१२
प्रक्षिप्त श्लोकों की कुल संख्या		—१७०

इसी प्रकार मनुस्मृति पर कार्य करने वाले बूलर और जौली सदृश पाश्चात्य विद्वानों ने भी मनुस्मृति में प्रक्षेप स्वीकार किये हैं और कुछ प्रक्षेपों को पृथक् दर्शाया भी है। आर्यसमाज के प्रवर्तक महर्षि दयानन्द सरस्वती ने मनुस्मृति के प्रक्षेपों की ओर विशेष रूप से सबसे पहले ध्यान आकृष्ट किया। उनके पश्चात् इस दिशा में आर्यसमाज के कुछ विद्वानों ने प्रक्षेप निकालने के प्रयास किये हैं। इस प्रकार सिद्धान्ततः सभी वर्गों के व्यक्ति मनुस्मृति में प्रक्षेपों को स्वीकार करते हैं। अब प्रश्न केवल प्रक्षिप्त और मौलिक श्लोकों के पृथकीकरण और उनके मानदण्डों का रह जाता। इस विषय में आगे विचार किया जायेगा।

उपर्युक्त विवेचन एवं युक्तियों से यह निश्चित हो जाता है कि मनुस्मृति में प्रक्षेप अवश्य हैं । ये प्रक्षेप समय-समय पर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा किये गये हैं । क्योंकि मनुस्मृति की भाषा सरल और लोकप्रचलित भाषा है, अत : उसमें आसानी से श्लोक मिल जाते हैं और भाषा में विशेष अन्तर प्रकट नहीं हो पाता । फिर भी विशेष अध्ययन से भाषा की प्रयोग-शैली के आधार पर कुछ प्रक्षिप्तों का ज्ञान हो जाता है ।

४. ग्रन्थों में प्रक्षेप करने की प्रवृत्ति और मनुस्मृति के प्रक्षेपों के मूल में निहित प्रवृत्तियाँ —

प्रक्षेप की समस्या लगभग सम्पूर्ण भारतीय साहित्य के साथ है । स्वार्थी लोग अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए, अपने विकृत आचरण को शास्त्रसम्मत सिद्ध करने के लिए अथवा स्वाभिमत व्याख्या एवं विचारों की सिद्धि के लिए ग्रन्थों में प्रक्षेप करते रहे हैं । कभी-कभी किसी ग्रन्थ में संशोधन, परिवर्धन या व्यवस्थापन की प्रवृत्ति भी इसमें प्रमुख कारण बनती है । कभी-कभी ग्रन्थ के रूप को विकृत करना भी प्रक्षेपकर्त्ताओं का उद्देश्य होता है । इस प्रकार से ग्रन्थों में प्रक्षेप होते रहते हैं । प्राचीन काल में यह कार्य आसानी से हो जाता था, क्योंकि ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रतियां होती थीं । जिसके पास जो प्रति हुई उसमें उसने मनमाने ढंग से प्रक्षेप कर दिया और अग्रिम प्रतियां उसके अनुसार तैयार करवा दीं । इसी प्रकार अग्रिम प्रतियों में प्रक्षिप्त श्लोक या विचार मिलते रहते थे । यही कारण है कि हस्तलिखित ग्रन्थों की प्रतियों में परस्पर अन्तर और पाठभेद मिलते हैं । संस्कृत के प्राचीन धार्मिक ग्रन्थों, साहित्यिक काव्यों तथा अपभ्रंश और हिन्दी काव्यों, सभी की यह अवस्था है ।

वैसे तो प्राय : समस्त प्राचीन लौकिक संस्कृत-साहित्य में प्रक्षेप हुए हैं किन्तु धर्मशास्त्रों में प्रक्षेप करने की विशेष प्रवृत्ति रही है, क्योंकि उनके विधानों का व्यक्ति और समाज के साथ सीधा और प्रतिदिन का सम्बन्ध था । विधानों को बदलने और विकृत करने के लिए स्वार्थी लोगों ने अनेक जाली ग्रन्थों को रचने का भी प्रयास किया है । फिर प्रक्षेप करने से ऐसे लोग कैसे बाज आ सकते थे ? पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय ने मनुस्मृति की भूमिका में दो-तीन घटनाओं का विवरण दिया है । उनसे लोगों की प्रक्षेप करने की प्रवृत्तियों का और ग्रन्थों को विकृत करने के स्वार्थपूर्ण षड्यन्त्रों का ज्ञान हो जाता है । वे इस प्रकार हैं —

"हिन्दुओं में दायभाग का नियम बड़ा जटिल है । इसका यह कारण नहीं कि प्राचीन स्मृतियों का उद्देश्य ही इनको जटिल करना था । वस्तुत : उन्होंने तो सुगम और सरल नियम बनाये, पीछे से जटिलता आ गई । हिन्दू (आर्य) एक प्राचीन जाति है । समय-समय पर दायभाग के विषय में झगड़े हुए । भिन्न-भिन्न पक्षों ने अवश्य ही अपने-अपने पक्ष के लिए पंडितों से सहायता ली । इन्होंने अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए प्रक्षिप्त डाल दिया । यह केवल कल्पना नहीं है किन्तु इसके लिए ऐतिहासिक प्रमाण भी हैं । 'दत्तक मीमांसा' को नन्दपण्डित ने इसी उद्देश्य से बनाया था । यह बहुत थोड़े दिनों का ग्रन्थ ब्रिटिश-राज्य स्थापित होने से सौ-सवा सौ वर्ष से अधिक पुराना नहीं है । ब्रिटिश राज्य के आरम्भ में भूल से इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो गया और अंग्रेजी न्यायालयों ने इसको प्रमाण मान लिया । इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूरी सभा ने सर जान एज के सभापतित्व में एक फैसला दिया था । उसमें इस बात को विस्तार पूर्वक सिद्ध किया गया है कि नन्द पण्डित के क्षेपकों को आदर की दृष्टि से नहीं देखना चाहिये । कहते हैं कि 'दत्तक-मीमांसा' एक धेवते को दायभाग से वंचित करने के लिए लिखी गई थी ।

'दत्तक चन्द्रिका' एक दूसरी पुस्तक है, जिसके विषय में सभी बंगाली विद्वानों को पता है कि यह रघुमणि विद्याभूषण का बनाया हुआ जाल है । रघुमणि कोलब्रुक साहब के साथी थे । बंगाल के एक राजा थे । उन्होंने एक लड़का गोद रखा था । पीछे से उनके अपना लड़का हो गया । उनके मरने पर प्रश्न हुआ कि राजा का अधिकार किसको मिले । गोद में रखे हुए लड़के का पक्ष सिद्ध करने के

लिए रघुमणि महोदय ने पुस्तक लिख दी । यदि पुस्तक न होती तो पुराने विधान से एक तिहाई मिलता । यह मुकदमा आगे नहीं चला क्योंकि सन्धि हो गई । इसका अन्तिम श्लोक इस प्रकार है —

र-म्येषा चन्द्रिकादत्तपद्मलेर्देशिका ल-घु ।
म-नोरमा सन्निविशैरंगिणां धर्मतार-णि :

इन पंक्तियों के पहले और पिछले अक्षरों से 'रघुमणि' शब्द बनता है ।

१८३२ ई. में कलकत्ता संस्कृत कालेज के पण्डितों ने एक और जाल रचा । जैनियों का एक मुकदमा था । इनकी व्यवस्था मानी जाया करती थी । इन्होंने एक पुस्तक लिखकर कालिज के पुस्तकाध्यक्ष को रिश्वत देकर पुस्तकालय के रजिस्टर में दर्ज करा दी । डाक्टर एच. एच. विल्सन कालेज के मन्त्री थे । उनको सन्देह हो गया । पुस्तक पकड़ी गई । पंडित महोदय ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया । इस दिन से वहां पंडितों से व्यवस्था देने का अधिकार छीन लिया गया (देखिये —सरकार शास्त्री लिखित 'हिन्दू ला' पृ. १८७) ।''

जिस व्यक्ति की प्रक्षेप करने की बदनीयत हो जाती है फिर वह किसी की अच्छाई-बुराई, लाभ-हानि को नहीं देखता । वह केवल अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्य को ही दृष्टिगत रखता है और उसकी पूर्ति के लिए सभी संभव दुष्कृत्य करता है । जैसे धन का लोभी व्यापारीअब मिलावट करने की प्रवृत्ति पर आ जाता है तो वह मनुष्यों के खाद्य-पदार्थों में कंकड़-मिट्टी, लकड़ी का बुरादा, गोबर, रंग, चर्बी, आदि अखाद्य, घृणित वस्तुओं की मिलावट करते समय नहीं हिचकिचाता । मिलावट से लोगों को होने वाली हानियों और कठिनाइयों की चिन्ता उसे छू तक नहीं पाती । वस्तु, समय और लालच के अनुसार वह मिलावट करता रहता है । यही अवस्था ग्रन्थों में प्रक्षेप की रहती है । प्रक्षेप करने से कितना भारी नुकसान हो सकता है, इसकी चिन्ता किये बिना प्रक्षेपक अपने उद्देश्यानुसार प्रक्षेप करते रहते हैं और ऐसा करने के लिये वे सभी प्रकार के हथकण्डे अपनाते हैं । कहीं नया श्लोक जोड़ दिया, कहीं सम्पूर्ण नया प्रसंग ही रचकर जोड़ दिया तो कहीं विरोधी मान्यता का प्रक्षेप कर दिया । कहीं मूल मान्यताओं की स्वाभिमत व्याख्या कर दी तो कहीं से श्लोक को निकाल दिया या पाठभेद कर दिया ।

ठीक यही अवस्था मनुस्मृति के साथ रही है । क्योंकि धर्मशास्त्रों में मनुस्मृति ही सर्वाधिक मान्यता-प्राप्त ग्रन्थ था, अत : यह ग्रन्थ प्रक्षेप-कर्त्ताओं के षड्यन्त्रों और आक्रमणों का प्रमुख लक्ष्य रहा । प्राचीन काल से लेकर प्रकाशन युग तक मनुस्मृति में प्रक्षेपों की मिलावट होती आई है । जैसे-जैसे परम्पराएं शिथिल या विकृत होती गईं, लोगों ने अपने आचरण या परम्पराओं को शास्त्रसम्मत सिद्ध करने के लिए मनुस्मृति में तदनुरूप विचारों के प्रक्षेप कर दिये । स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ को साधने के लिए मिलावटें कीं । जब-जब धार्मिक या मत-मतान्तरों की उथल-पुथल हुई, उनका आक्रमण मनुस्मृति जैसे प्रमुख धार्मिक ग्रन्थों पर विशेष रूप से हुआ और उन्हें विकृत करने के लिए मिलावटें की गईं । मनुस्मृति के उन प्रक्षेपों के अनुसन्धान के लिए जहां एक ओर आधारों का निर्धारण करना आवश्यक है, वहां साथ ही प्रक्षेपों के मूल में निहित प्रवृत्तियों का अध्ययन-विश्लेषण करना भी आवश्यक है । क्योंकि व्यक्ति किसी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर ही इस प्रकार का प्रयास करता है, यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है । यह आवश्यक नहीं कि प्रक्षेप विरोधी या स्वार्थपूर्ण ही होते हैं, समर्थन और प्रशंसा में भी प्रक्षेप होते हैं । स्वाभिमत विचारों को स्थान देने की प्रवृत्ति से या अभावपूर्ति की प्रवृत्ति से अच्छे विचारों के भी प्रक्षेप कर दिये जाते हैं । मनुस्मृति के प्रक्षेपों को निकालते समय यह भी विचार किया गया है कि उनके मूल में प्रक्षेप करने की कोई प्रेरक-प्रवृत्ति है

अथवा नहीं, और जहां कोई प्रेरक-प्रवृत्ति नहीं प्रतीत हुई उन्हें प्रक्षिप्त घोषित नहीं किया है। मनुस्मृति के प्रक्षेपों का अध्ययन-विश्लेषण करने पर मनुस्मृति के प्रक्षेपों के मूल में जो प्रेरक-प्रवृत्तियां दृष्टिगत हुई वे निम्न हैं —

(१) मनुस्मृति को गौरव और महत्त्व प्रदान करने की प्रवृत्ति — मनुस्मृति में जहां कहीं भी इसकी प्रशंसा, महत्ता या विशेषताओं का वर्णन करने वाले श्लोक वर्णित हैं अथवा जहां इसे ब्रह्मा के साथ जोड़ा गया है, वे सभी श्लोक इस परम्परा के शिष्यों या प्रशंसकों द्वारा इसके गौरव और महत्त्व को बढ़ाने की प्रवृत्ति से किये गये प्रक्षेप हैं। यह एक मान्य तथ्य है कि मनु सदृश सुलझा हुआ उच्चकोटि का ऋषि कभी स्वयं अपने ग्रन्थ की बढ़-चढ़कर प्रशंसा नहीं कर सकता। ये प्रशंसात्मक श्लोक परवर्ती हैं। मध्यकालीन सम्पूर्ण साहित्य में यह प्रवृत्ति परिलक्षित होती है कि सभी विद्वानों ने अपने विषय का ब्रह्मा के साथ किसी न किसी प्रकार जुड़े होने का अवश्य उल्लेख किया है। भरत ने अपने नाट्यशास्त्र का उद्भव ब्रह्मा से माना है। महाभारत को पांचवां वेद घोषित किया गया। उस समय के समाज में इनसे जुड़े किसी भी शास्त्र को आसानी से मान्यता मिल जाती थी। मनुस्मृति में भी इस प्रकार के वर्णनों के मूल में यही प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। क्योंकि जहां भी इसे ब्रह्मा से जोड़ने का कथन है या उसकी प्रशंसा है, वे श्लोक प्रासंगिक और शैली के अनुरूप सिद्ध नहीं होते। तत्तत् स्थानों पर इस विषयक विस्तृत विवेचन किया हुआ है।यहां केवल कुछ उदाहरण ही प्रदर्शित किये जा रहे हैं, जिनमें उपर्युक्त प्रवृत्ति लक्षित होती है —

(क) ब्रह्मा से सम्बन्ध जोड़ने वाले श्लोक —

इदं शास्त्रं तु कृत्वासौ मामेव स्वयमादितः।
विधिवद्ग्राहयामास मरीच्यादींस्त्वहं मुनीन्॥ (१।५८॥)

अर्थ — मनु जी कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रारम्भ में इस धर्मशास्त्र को बनाकर प्रथम विधिवत् मुझे उपदेश किया। फिर मैंने मरीचि आदि मुनियों को पढ़ाया।

प्रजापतिरिदं शास्त्रं तपसैवासृजत्प्रभुः॥ (११।२४३॥)

अर्थ —इस शास्त्र की रचना प्रजापति ने तप से ही की थी।

(ख) प्रशंसात्मक —

इदं स्वस्त्ययनं श्रेष्ठमिदं बुद्धिविवर्धनम्।
इदं यशस्यमायुष्यमिदं निःश्रेयसं परम्॥ (१।१०६॥)

अर्थ — यह शास्त्र कल्याण करने वाला, श्रेष्ठ, बुद्धि बढ़ाने वाला, यश देने वाला, आयुवर्धक और परम कल्याण (मोक्ष) को प्राप्त कराने वाला है।

इत्येतन्मानवं शास्त्रं भृगुप्रोक्तं पठन्द्विजः।
भवत्याचारवान्नित्यं यथेष्टां प्राप्नुयादगतिम्॥ (१२।१२६॥)

अर्थ —इस भृगुप्रोक्त धर्मशास्त्र को जो द्विज पढ़ता है, वह सदाचारी बनता है और इच्छानुसार गति को प्राप्त करता है।

(२) मनु के व्यक्तित्व को अलौकिक सिद्ध करने की प्रवृत्ति — मनुस्मृति में स्वयं मनु की प्रशंसा या उल्लेख करने वाले श्लोक भी आते हैं। मनु के द्वारा समस्त स्थावर-जंगम जगत् की उत्पत्ति कहने (१।३५-४५) वाले श्लोकों के मूल में मनु के शिष्यों या पक्षधरों द्वारा उन्हें अलौकिक

व्यक्तित्ववाला पुरुष सिद्ध करने की प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ती है । इस प्रकार की अनर्गल बातें भी मनु स्वयं नहीं कह सकते ।

(३) ख्याति और महत्ता के लिए मनुस्मृति के साथ भृगु का सम्बन्ध जोड़ने की प्रवृत्ति — मनुस्मृति में कहीं भी किसी भी रूप में भृगु के नाम का उल्लेख होना न तो शैली के अनुरूप ठीक जंचता है, न मनुस्मृति की मान्यताओं एवं प्रसंगों के अनुकूल । फिर भी कई स्थानों पर मनुस्मृति को भृगु के साथ जोड़कर बड़े अटपटे ढंग से इसे भृगु का प्रवचन जताया गया है । मनुस्मृति एक ख्यातिप्राप्त ग्रन्थ था, समाज में इसकी सर्वोच्च मान्यता थी । प्रतीत होता है कि भृगु के शिष्यों ने भृगु की ख्याति और महत्ता के लिए या इसे 'भृगु-संहिता' बनाने के लिए उसके प्रवचनों या नाम को इसमें जोड़ दिया है । इस प्रकार के कुछ श्लोक हैं —

एतद्वोऽयं भृगुः शास्त्रं श्रावयिष्यत्यशेषतः ।
एतद्धि मत्तोऽधिजगे सर्वमेषोऽखिलं मुनिः ।। (१।५९ ।।)

अर्थ — मनु जी कहते हैं कि मुझ से भृगुमुनि ने इस धर्मशास्त्र को पढ़ा है । ये भृगुमुनि आपको सम्पूर्ण धर्मशास्त्र सुनायेंगे ।

ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिर्मनुना भृगुः ।
तानब्रवीदृषीन्सर्वान्प्रीतात्मा श्रूयतामिति ।। (१।६० ।।)

अर्थ — तत्पश्चात् मनुजी के कहने पर भृगुमुनि प्रसन्न होकर उन सब ऋषियों को उपदेश देने लगे कि अब आप सब सुनें ।

श्रुत्वैतानृषयो धर्मान्स्नातकस्य यथोदितान् ।
इदमूचुर्महात्मानमनलप्रभवं भृगुम् ।। (५।१ ।।)

अर्थ — महर्षियों ने स्नातक के पूर्वोक्त धर्मों को सुनकर अग्नि के समान प्रभावशाली, महात्मा भृगु से यह कहा ।

इत्येतन्मानवं शास्त्रं भृगुप्रोक्तं पठन्द्विजः ।। (१२।१२६ ।।)

अर्थ — इस भृगुप्रोक्त धर्म-शास्त्र को जो द्विज पढ़ता है, (वह सदाचारी बनता है, इत्यादि) ।

(४) मनु की मान्यताओं का विरोध करने की प्रवृत्ति — मनुस्मृति में कहीं-कहीं इस प्रकार के श्लोक भी हैं जिनमें मनु की मान्यता का खण्डन है । पहले मनु की मान्यता है, फिर उसका निषेधपूर्वक खण्डन है । ऐसे सभी श्लोकों के मूल में मनु की मान्यताओं का विरोध करने की प्रवृत्ति है, यथा —

(क) ९।५९ से ६३ श्लोकों में नियोग का विधान है, किन्तु अगले ही ६४-६८ श्लोकों में निन्दा प्रदर्शनपूर्वक नियोग का निषेध है ।

(ख) ५।४५ से ५५ श्लोकों में मांसभक्षण का निषेध करते हुए मांसभक्षक को पापी माना है, किन्तु ५६वें श्लोक में ही मांसभक्षण, मदिरापान में कोई दोष नहीं होना कहा है ।

(५) स्वाभिमत मान्यताओं को उस शास्त्र के अनुकूल सिद्ध करने की प्रवृत्ति — क्योंकि मनुस्मृति एक प्रसिद्ध एवं सर्वमान्य शास्त्र रहा है, इसलिए उसमें कोई मान्यता न हो तो लोग उसे स्वीकार करने के लिए शायद तैयार नहीं होंगे या उस मान्यता को पुष्ट करने के लिए मनुस्मृति का प्रमाण चाहेंगे, इस आपत्ति से मुक्त होने के लिए और अपनी मान्यता को मनुस्मृति-सिद्ध

बनाने के लिए कुछ ऐसे प्रक्षेप किये गये हैं, जो उन स्थानों पर संगत भी नहीं हो रहे हैं और मनुस्मृति की मान्यता के अनुकूल भी नहीं जंचते । मनुस्मृति ने प्रकृति से महत्, महत् से अहंकार आदि तत्त्वों की प्रक्रिया से सृष्टि-उत्पत्ति वर्णित की है (१।१४ –२१),किन्तु नवीन वेदान्तियों ने अपनी मान्यता को मनुस्मृतिसम्मत बनाने के लिए मनुस्मृति की मौलिक मान्यता से पूर्व अण्डे के द्वारा ब्रह्मा की उत्पत्ति और ब्रह्मा से सारे संसार की उत्पत्ति वाली मान्यता का प्रक्षेप कर दिया (१।९, १२, १३, ३२ से ४५) । इस प्रकार के वर्णन अपनी मान्यता के प्रचार की दृष्टि से किये गये हैं ।

(५) स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने विचारों के प्रक्षेप की प्रवृत्ति — मनुस्मृति एक आध्यात्मिक और सात्त्विक गुणों का दिग्दर्शन कराने वाला शास्त्र भी है । लेकिन उसके उद्देश्य को देखे बिना, उसकी मान्यताओं से विरोध होते हुए भी स्वार्थी व्यक्तियों ने अपनी विकृत परम्पराओं, स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों को शास्त्रसम्मत बनाने की प्रवृत्ति से उनका प्रक्षेप किया है । श्राद्धवर्णन का प्रसंग, मांसभक्षण, मद्यपान, हिंसा, पशुयज्ञ, बहुविवाह आदि के विधान इसी प्रवृत्ति की उपज हैं । ऐसे प्रक्षेप अधिकांशत : वाममार्गियों द्वारा किये गये हैं,या ऐसे आचरण वाले लोगों द्वारा किये गये हैं ।

(७) पक्षपात की प्रवृत्ति — मध्यकाल में ब्राह्मणों का विद्या पर एकाधिकार हो गया था और शेष वर्ण अशिक्षा के कारण दिन-प्रतिदिन अज्ञानाश्रित हो गये । प्रत्येक कर्त्तव्य के लिए ब्राह्मणों ने उचित-अनुचित को न देखकर अपनी सुविधा और सुख के अनुसार कर्त्तव्यों का विधान करना शुरू कर दिया और निम्नवर्णों पर अधिकाधिक बन्धन डाल दिये । इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण विचार भी मनुस्मृति में मिलते हैं । छुआछूत, ऊंच-नीच, स्त्री-शूद्रों के प्रति घृणा, निन्दा और दमन के विचारों वाले सभी श्लोकों में पक्षपात की प्रवृत्ति निहित है । ब्राह्मणों को विशेषाधिकार, विशेष महत्व और विशेष प्रशंसा इसी प्रवृत्ति से उपजी बातें हैं ।

(८) अभाव-पूर्त्ति की प्रवृत्ति —कोई भी शास्त्र या विधान अपने समय की व्यवस्थाओं या परिस्थितियों के अनुसार ही बनता है । समय बीतने पर कुछ नयी परम्पराएं, नयी समस्याएं या नयी बातें समाज में आ जाती हैं । किन्तु समाज प्रत्येक निर्णय के लिए उसी पुरातन शास्त्र की ओर देखता है । ऐसी अवस्था में उन अर्वाक्कालीन बातों के वर्णनाभाव को देखकर या किसी बात का वैसे अभाव अनुभव करके लोग शास्त्रों में मिलावट कर देते हैं । मनुस्मृति में भी इस प्रवृत्ति से अनेक प्रक्षेप हुए हैं —

(क) मनुस्मृति में युवावस्था में ही विवाह का वर्णन है, किन्तु परवर्ती काल में जब विधर्मी आक्रमणों या कुरीतियों के प्रभाव से लड़कियों का जीवन असुरक्षित जान पड़ने लगा तो बालविवाह की प्रथा प्रचलित हो गई । लोगों ने मनुस्मृति में उस विधान का अभाव देखकर उसे भी स्वयं जोड़ दिया —

त्रिंशद्वर्षोद्वहेत्कन्यां हृद्यां द्वादशवार्षिकीम् ।
त्र्यष्टवर्षोऽष्टवर्षां वा धर्मे सीदति सत्वर : ।। (९।९४ ।।)

अर्थ — गृहस्थ धर्म का लोप न चाहता हुआ तीस वर्ष का पुरुष शीघ्र ही १२ वर्ष की मनोहारिणी कन्या से और २४ वर्ष का आठ वर्ष की कन्या से विवाह करे ।

(ख) इसी प्रकार मनु ने एक समय एक ही विवाह का विधान किया है (५।१६७-१६८),किन्तु परवर्तीकाल में बहुविवाह की प्रथा चल पड़ी । दायभाग के विधानों में केवल एक विवाह के अनुसार ही दायभाग का विभाजन था । विभिन्न वर्ण की स्त्रियों से उत्पन्न पुत्रों के लिए दायभाग के विधानों

का अभाव देखकर परवर्ती लोगों ने तत्सम्बन्धी विधानों को भी जोड़ दिया —

चतुरोंऽशान्हरेद्विप्रस्त्रीनंशान्क्षत्रियासुत : ।
वैश्यापुत्रो हरेदद्व्यंशमंशं शूद्रासुतो हरेत् ।। (९।१५३ ।।)

अर्थ — ब्राह्मणी का पुत्र चार भाग, क्षत्रिया का पुत्र तीन भाग, वैश्या का पुत्र दो भाग और शूद्रा का पुत्र एक भाग लेवे ।

इसी प्रकार समय-समय पर प्रचलित रूढ़िवादिताओं और अन्धविश्वासों से प्रेरित विधान भी इसी प्रवृत्ति के कारण प्रक्षिप्त हुए हैं ।

(९) **परिष्कार एवं व्यवस्थापन की प्रवृत्ति** — मनुस्मृति जिस व्यवस्थित रूप में आज उपलब्ध है, यह इसका मौलिक स्वरूप नहीं है । मनुस्मृति को अध्यायों में परवर्तीकाल में विभाजित किया गया है । विभाजन कर्ता ने अपनी बुद्धि के अनुसार इसे विभाजित किया और अध्यायों के अन्त में समाप्ति सूचक श्लोकों की शैली की एकरूपता बनाये रखने के लिए कुछ स्थानों पर अपनी ओर से ही श्लोक मिला दिये । ऐसा एक श्लोक है —

एवं सर्वानिमान् राजा व्यवहारान्समापयन् ।
व्यपोह्य किल्बिषं सर्वं प्राप्नोति परमां गतिम् ।। (८।४२० ।।)

अर्थ — इस प्रकार राजा इन सब विवादों को समाप्त कराकर सब प्रकार के दोषों (पापों) को दूर करता है और उत्तम गति को प्राप्त करता है ।

इस प्रकार कुछ श्लोक तो एकरूपता के लिए मिलाये गये हैं (इनका विस्तृत विवेचन 'मनुस्मृति का अध्याय विभाजन' शीर्षक में यथास्थान देखिये) और कुछ मनुस्मृति के परिष्कार के लिए । प्रथम अध्याय में १०७, १११-११८ तक विषय-सूची का वर्णन करने वाले श्लोक विभाजन की व्यवस्था को परिष्कृत रूप देने के लिए ही बनाकर मिलाये गये हैं, जिससे मनुस्मृति में वर्णित विषयों का एक स्थान से ही ज्ञान हो सके ।

(१०) **स्वाभिमत स्पष्टीकरण एवं व्याख्या की प्रवृत्ति** — मनुस्मृति में जहां-कहीं भी ऐसे वर्णन हैं जो अतिशयोक्तिपूर्ण, महिमात्मक अथवा नये ढंग की व्याख्या वाले, कही हुई बातों को पुन : भिन्न प्रकार स्पष्ट करने वाले, वे उक्त प्रवृत्ति के कारण किये गये प्रक्षिप्त हैं । यथा —

(क) ग्यारहवें अध्याय में ५४-१९० श्लोकों में प्रायश्चित का विधान, वर्गीकरण और विधियाँ मनुसम्मत नहीं हैं । किसी अन्य परवर्ती व्यक्ति ने अपने ढंग से उनका वर्णन किया है ।

(ख) १२।८६-९० श्लोकों में निवृत्त कर्मों का स्पष्टीकरण प्रासंगिक नहीं है । यह किसी परवर्ती व्यक्ति ने परिवर्धन की दृष्टि से जोड़ दिया है ।

इस प्रकार सभी प्रक्षिप्त श्लोकों के मूल में कोई-न-कोई प्रवृत्ति अवश्य दृष्टिगोचर होती है, जिसकी प्रेरणा से प्रक्षेपकों ने मनुस्मृति में प्रक्षेप किये हैं । कहीं-कहीं कई-कई प्रवृत्तियाँ भी एक साथ दिखाई पड़ती हैं । इस तरह प्रवृत्तियों के परिज्ञान से श्लोकों की प्रक्षिप्तता और अधिक स्पष्ट हो जाती है ।

५. प्रक्षेपों के अनुसन्धान के आधार और उनके प्रमाण

'मनुस्मृति में प्रक्षेप हैं,' यह मान्यता स्थिर हो जाने और उन प्रक्षेपों के अनुसंधान की आवश्यकता एवं उपयोगिता पर विचार कर लेने के पश्चात् अब प्रक्षेपों के अनुसंधान का प्रश्न आता है। विचारणीय बात यह है कि मनुस्मृति में हुये प्रक्षेपों को कैसे पहचाना जाये और किस प्रकार उन्हें अमौलिक घोषित किया जाये? यह प्रश्न बड़ा जटिल एवं गम्भीर है। ऐसा कोई प्रत्यक्ष साधन नहीं है, जो श्लोकों को स्पष्टत: निर्णीत कर दे कि अमुक प्रक्षिप्त है और अमुक मौलिक। यदि यह कार्य इतना सरल होता तो अभी तक कभी का निर्णय हो चुका होता। इस प्रकार अत्यन्त कठिन एवं उलझनपूर्ण होते हुए भी इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए एक उपाय यह निकाला है कि कृतित्व के आधार पर कुछ सुनिश्चित 'मानदण्ड' या 'आधारों' का निर्धारण किया जाये जिनकी कसौटी पर खरे उतरने वाले श्लोकों को ही मौलिक माना जाये और इतर श्लोकों को प्रक्षिप्त। सुनिश्चित आधारों के बिना किया गया कार्य प्रामाणिककोटि में नहीं आ सकता। यद्यपि इससे पूर्व भी मनुस्मृति के प्रक्षेपों को निकालने के लिए अनेक प्रयास हुए हैं। इनमें आर्यसमाज के विद्वानों ने विशेष रूप से प्रयत्न किया है, जिनमें तुलसीराम स्वामी, स्वामी श्रद्धानन्द, चन्द्रमणि विद्यालंकार, सत्यकाम सिद्धान्तशास्त्री, गंगाप्रसाद उपाध्याय के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त बूलर और डा. जे. जौली आदि कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने भी मनुस्मृति के प्रक्षेपों को दूर करने का प्रयास किया है। किन्तु फिर भी यह समस्या सुलझ नहीं पायी। अभी तक प्रक्षेपों को निकालने के लिए जो प्रयास हुए हैं उनमें सबसे बड़ी कमी यह रही है कि अनुसन्धानकर्त्ताओं ने कोई सुनिश्चित सर्वमान्य आधार निर्धारित नहीं किये। कुछ विद्वानों ने जो आधार अपनाये हैं, वे एकपक्षीय होने के कारण सर्वमान्य नहीं बन सके। संक्षेप में मनुस्मृति के प्रक्षेपों को निकालने के लिए अभी तक किये गये प्रयासों में निम्न त्रुटियाँ रह गई हैं —

१. प्रक्षेप निकालने के लिए अनुसन्धानकर्त्ताओं ने ऐसे आधार निश्चित नहीं किये जो सर्वमान्य हों और जो सभी वर्गों में मान्य हो सकें। बिना 'आधारों' के निकाले गये प्रक्षेपों को देखकर पाठकों की ओर से यह आक्षेप उठा कि प्रक्षेपानुसन्धाताओं ने श्लोकों को मनमाने ढंग से निकाला और रखा है। जिसे अपने विचारों के अनुकूल समझा उसे रखा और प्रतिकूल को 'प्रक्षिप्त' घोषित कर दिया। विशेष रूप से यह उन आर्यसमाजी विद्वानों के लिये कहा जाता है, जिन्होंने आर्यसामाजिक विचारों के आधार पर श्लोकों को रखा और निकाला है

२. सुनिश्चित आधारों के बिना प्रक्षेप निकालने वालों से यह भूल हुई है कि उन्होंने कुछ मौलिक श्लोकों को भी निकाल दिया, और इसी प्रकार कुछ प्रक्षिप्त श्लोक भी शेष रह गये।

३. कुछ विद्वानों ने कुछ 'आधार' भी अपनाये हैं, किन्तु वे विद्वान् उन 'आधारों' को सब स्थानों पर लागू ही नहीं कर सके। कई स्थानों पर वे गलत ढंग से लागू किये हैं।

४. निकाले गये प्रक्षिप्त श्लोकों के साथ विद्वानों ने उनकी प्रक्षिप्तता के कारणों का विवरण नहीं दिया। इससे पाठकों को उनकी पद्धति का न तो ज्ञान ही हो पाया और न वे उस कार्य से आश्वस्त एवं सन्तुष्ट ही हो पाये।

५. कुल्लूकभट्ट ने यद्यपि प्रक्षेप निकालने की प्रवृत्ति से मनुस्मृति पर कोई कार्य नहीं किया तथापि उसने १७० श्लोकों को प्रक्षेप कोटि में रखा है। इन श्लोकों को बृहत्कोष्ठकों और पृथक्संख्या में दिखाया गया है। कुल्लूकभट्ट ने ये श्लोक तत्कालीन हस्तलिखित प्रतियों में प्राप्त अन्तर के आधार पर प्रक्षिप्त माने हैं। यह कहना चाहिये कि ये श्लोक तो वे प्रक्षिप्त श्लोक हैं जो तब तक मनुस्मृति में

घुल-मिल नहीं पाये थे । इनसे पूर्व घुले-मिले श्लोकों पर कुल्लूक ने कोई संकेत नहीं दिया, अत : उसके द्वारा दर्शाये गये प्रक्षेपों के बावजूद भी प्रक्षेप-अनुसंधान कार्य में कोई वास्तविक योगदान नहीं हो सका । कुल्लूक का काल बहुत अर्वाचीन है । मनुस्मृति में प्रक्षेप चिर-काल से होते रहे हैं । कुल्लूक के प्रक्षेपों को तो पौराणिकों ने भी मान लिया है, किन्तु कुल्लूक का प्रयास संकेतमात्र है ।

इन कमियों के कारण अभी तक मनुस्मृति के प्रक्षेपों का अनुसन्धानकार्य प्रतिष्ठित नहीं हो सका । अब पुन : इस अनुसन्धान को नये सिरे से करने का यह एक और प्रयास किया गया है और प्रक्षिप्त श्लोकों के अनुसन्धान के लिए कुछ ऐसे सुनिश्चित 'आधार' या 'मानदण्ड' निर्धारित किये गए हैं जो सर्वसामान्य हैं । इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक और महत्त्वपूर्ण समझता हूँ कि आधार विशुद्धरूप से कृतित्व पर आधारित हैं । इसके पीछे किसी प्रकार का कोई आग्रह या मतवाद नहीं है । इसलिए आशा की जाती है कि ये सर्वमान्य हो सकेंगे । जैसे कृति सब के लिये समान है, वैसे कृतित्व को परखने के ये 'आधार' या 'मानदण्ड' भी सबके लिये समान हैं । ये सभी वर्ग के व्यक्तियों पर समानरूप से लागू होते हैं और सभी व्यक्ति उन आधारों को समानरूप से श्लोकों पर परख सकते हैं । जिन श्लोकों या प्रसंगों पर ये लागू हुए हैं, वहां तत्तत् 'आधार' का कारणपूर्वक प्रदर्शन किया गया है । उसे पढ़कर पाठक स्वयं भी इसकी परीक्षा कर सकेंगे । एक-एक प्रक्षिप्त श्लोक या प्रक्षिप्त प्रसंग पर कई-कई आधार भी एक साथ लागू होते हैं । ऐसे स्थलों पर उन सभी आधारों को लागू करके दर्शा दिया गया है । इससे उन श्लोकों की प्रक्षिप्तता और अधिक दृढ़ता से सिद्ध हो सकेगी तथा प्रक्षिप्त भाग के विवेचन में किसी सन्देह का अवसर नहीं रहेगा । जो युक्तियां या आधार स्वल्प रूप में या आंशिक रूप में लागू होती हैं, उनका भी उल्लेख उदारता से इसलिए कर दिया गया है कि वे अन्य युक्तियों या आधारों के साथ मिलकर उनकी प्रभाववृद्धि या पुष्टि करने में सहायक होंगी, उनका मण्डन करेंगी ।

इस प्रकार प्रक्षेप निकालने के इस जटिल कार्य को अधिकाधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया गया है और पूर्णत : तटस्थता का अनुसरण किया है । फिर भी यह सम्भव हो सकता है कि कुछ प्रक्षिप्त श्लोक दृष्टिगत न हो पाये हों, अर्थात् कुछ श्लोक इन 'आधारों' की पकड़ में न आ सके हों । यतो हि, प्रक्षेप करने वाले व्यक्तियों ने अपने श्लोकों को मनुस्मृति के श्लोकों के साथ मिलाने की यथा सम्भव कोशिशें की हैं, अत : हो सकता है कि कुछ श्लोक इतने घुला-मिला दिये हों, जो इन आधारों की पकड़ में न आ सके हों । इन आधारों की सीमा से बाहर के श्लोकों को, चाहे वे कैसी ही मान्यता वाले हैं, हमने प्रक्षेपों की दृष्टि से नहीं देखा है । यहां यह भी स्पष्ट कर देना उपयुक्त होगा कि जितने भी श्लोक प्रक्षिप्त निकाले गये हैं, उनकी प्रक्षिप्तता पर विचार करने के साथ-साथ उनकी पृष्ठभूमि में प्रक्षेप करने की प्रेरक-प्रवृत्ति क्या हो सकती है, इसका भी विचार किया गया है । क्योंकि व्यक्ति किसी विशेष प्रवृत्ति से ही प्रेरित होकर प्रक्षेप करता है । इस प्रकार यह अनुसन्धान-कार्य कई प्रकार से पुष्ट है —

(१) सुनिश्चित 'आधारों' के आधार पर प्रक्षेप निकालने से,

(२) प्रक्षिप्त श्लोकों पर एक ही नहीं अपितु कई-कई आधार लागू होने से,

(३) प्रक्षिप्त श्लोकों के मूल में प्रक्षेप की प्रवृत्ति पर ध्यान रखने के कारण ।

इस प्रकार जो श्लोक प्रक्षिप्त निकाले हैं, उनके मौलिक होने की या प्रक्षिप्तों के बचे रहने की गुंजायश नहीं के बराबर रह जाती है ।

कुछ श्लोक इस प्रकार के भी है जो स्थानभ्रष्ट हो गये है । प्रसंगविरोध के आधार पर पाठक उन्हें

प्रसंगविरुद्ध कह सकते हैं, किन्तु उन्हें प्रक्षेप नहीं माना जा सकता ; क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि में प्रक्षेप करने की कोई प्रेरक-प्रवृत्ति ही प्रतीत नहीं होती । न उसका किसी प्रक्षिप्त प्रसंग से सम्बन्ध है, और न उसका मनुस्मृति की मान्यता अथवा शैली से विरोध ही आता है । ऐसे श्लोकों पर टिप्पणी देकर उन्हें यथावत् रख दिया गया है । इस प्रकार के स्थानभ्रष्ट कहे जा सकने वाले श्लोक बहुत थोड़े हैं । कुछ उदाहरणों द्वारा इस नीति को स्पष्ट कर देना उपयुक्त रहेगा —

(क) अण्ड्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां तु या स्मृता : ।
ताभि : सार्धमिदं सर्वं संभवत्यनुपूर्वश : ।। (१।२७ ।।)

अर्थ — पांच महाभूतों की कारणभूत विपरिणामी पांच तन्मात्राएं कही गई हैं । उनके साथ यह सम्पूर्ण जगत् सूक्ष्म से स्थूल और फिर स्थूलतरादि क्रम से उत्पन्न होता है ।

इसमें एक साधारण वर्णन है । इसमें प्रक्षेप करने की कोई प्रेरक-प्रवृत्ति प्रतीत नहीं होती और न इसमें अन्तर्विरोध है । क्योंकि इसमें किसी प्रकार का आग्रह ही नहीं है । प्रचलित पुस्तकों में यह जिस स्थान पर है वहां पूर्वापरप्रसंग की दृष्टि से असंगत है । पूर्वापर प्रसंग कर्मों का है । किन्तु फिर भी इसे प्रक्षिप्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह एक अविरोधी और सहज वर्णन है ।

(ख) सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्-पृथक् ।
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे ।। (१।२१ ।।)

अर्थ — उस परमात्मा ने सृष्टि के प्रारम्भ में ही वेद के शब्दों से सब वस्तुओं के नामों, सबके भिन्न-भिन्न कर्मों और उनके विविध विभागों को बनाया ।

यह श्लोक भी क्रम की दृष्टि से असंगत है । वेदों की उत्पत्ति तो २३वें में कही है, जबकि वेदशब्दों से नामकरण और विभाजन पहले ही बता दिया । और २३वें तक अभी उत्पत्ति का ही प्रसंग है । वेदों के साथ उत्पत्ति-प्रसंग की पूर्णता होती है और नामकरण आदि उत्पत्ति के बाद की बातें हैं । इस प्रकार यह भी स्थानभ्रष्ट प्रतीत हुआ और इसे २३वें के पश्चात् (**अग्निवायुरविभ्यस्तु** . . . . . के बाद) उपयुक्त क्रम में रखने के लिये टिप्पणी देदी है । इससे यह क्रम बन गया कि ब्रह्म ने वेद उत्पन्न किये फिर वेदों के द्वारा ही नामकरण और कर्मों का विभाजन हुआ । इस प्रकार यह श्लोक अगले कर्मों के प्रसंग "**कर्मणां च विवेकार्थम्**" (१।२६) से संगतिबद्ध रूप में जुड़ जाता है । इसका भी किसी प्रक्षिप्त विचार से सम्बन्ध नहीं है, और न किसी मान्यता से विरोध है । इस प्रकार प्रक्षेप की प्रवृत्ति से रहित श्लोकों को यथावत् रूप में रख दिया गया है ।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रक्षेप की प्रवृत्ति से रहित किन्तु प्रक्षिप्त प्रसंग से सम्बद्ध जो श्लोक हैं, वे श्लोक इस कोटि में ग्रहण नहीं किये गये हैं । उन्हें प्रक्षेपान्तर्गत ही स्वीकार किया है ।

पाठ-भेद की समस्या भी ऐसी समस्या है जिसका प्रक्षिप्तता के साथ भी पर्याप्त सम्बन्ध है । बहुत से स्थानों पर प्रक्षेपकर्त्ताओं ने नया श्लोक मिलाने की अपेक्षा मौलिक श्लोक में ही पाठभेद कर दिया है । कुछ पाठभेद असावधानी से भी हुए हैं । पाठभेदों को पहचानना या उसका मौलिक रूप देना यद्यपि अपने आप में पृथक् और महत्त्वपूर्ण कार्य है, जो अत्यन्त कठिन है । फिर भी कुछ प्रक्षिप्त पाठभेदों को पहचानने की कोशिश की गई है । कोई प्रामाणिक पाठ उपलब्ध न होने के कारण मनुस्मृति की मान्यता, प्रसंग, विषय और शैली के अनुकूल जो पाठ उचित प्रतीत हुआ तथा जो अर्थ की दृष्टि से अधिक उपयुक्त और संगत लगा, उसे ही अपनाया है । अर्थ पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख पाठभेदों में जहां भी परिवर्तन है, वहां 'अनुशीलन' नामक समीक्षा में उस पर प्रकाश डाला गया है ।

प्रक्षेपानुसन्धान की कार्यप्रणाली का उल्लेख करने के पश्चात् अब 'आधारों' पर दृष्टिपात करना शेष रह जाता है । प्रक्षेपों के अनुसंधान के लिए कुल सात आधार निर्धारित किये गये हैं । इनमें प्रथम छह अन्त :साक्ष्य के आधार पर हैं अर्थात् मनुस्मृति की रचना शैली और मान्यताओं से इन आधारों के अन्तर्गत आने वाले श्लोकों की प्रक्षिप्तता सिद्ध होती है । सातवें आधार का स्वयं मनु ने अनेक स्थानों पर संकेत दिया है । उस संकेत के अनुसार केवल 'वेदों' को बाह्यसाक्ष्य के रूप में प्रमाण माना गया है । वे आधार निम्न हैं —

१. **विषय-विरोध ।**
२. **प्रसंग-विरोध ।**
३. **अन्तर्विरोध (परस्परविरोध) ।**
४. **पुनरुक्तियां ।**
५. **शैलीविरोध या शैलीगत आधार ।**
६. **अवान्तरविरोध (सहयोगी आधार के रूप में) ।**
७. **वेद-विरुद्ध ।**

परिभाषाओं और उदाहरणों सहित इनका विस्तृत विवेचन इस प्रकार है —

१. विषय-विरोध

मनुस्मृति कुछ मुख्य विषयों में निबद्ध है । मनु ने किसी भी विषय का प्रारम्भ या समापन करते समय अथवा दोनों ही स्थानों पर उस वर्ण्यविषय का संकेत स्वयं ही किया है । मनुस्मृति के अध्यायों का विभाजन भी लगभग मुख्य विषयों के अनुसार ही किया हुआ है, जैसे-—प्रथम अध्याय में सृष्ट्युत्पत्ति एवं धर्मोत्पत्ति, द्वितीय में संस्कार और ब्रह्मचर्याश्रम, तृतीय अध्याय में गृहस्थ (विवाह और पंचयज्ञ विधान), षष्ठ में वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि । निश्चित विषयवाले उन वर्णनों में संकेतित विषय से भिन्न अथवा विपरीत जो श्लोक हैं, वे विषयविरुद्ध हैं ; और इस विषय-विरोध के आधार पर वे प्रक्षिप्त कहलायेंगे । वे मौलिक इसलिए नहीं माने जा सकते, क्योंकि जब मनु ने स्वयं अपने विषय को एक निश्चित सीमा में बाँधा हुआ है और साथ ही उनका संकेत भी दिया हुआ है, तो वे स्वयं विषयबाह्य वर्णन नहीं कर सकते । अत : ऐसे श्लोक मौलिक न होकर बाद में मिलाये गये हैं । यथा —

(क) **मातुलांश्च पितृव्यांश्च श्वशुरानृत्विजो गुरून् ।**
असावहमिति ब्रूयात्प्रत्युत्थाय यवीयस : ।।
मातृष्वसा मातुलानी श्वश्रूरथ पितृष्वसा ।
संपूज्या गुरुपत्नीवत् समास्ता गुरुभार्यया ।।
भ्रातुर्भार्योपसंग्राह्या सवर्णाह्यन्यहन्यपि ।। २।१३०-१३२ ।।
(इस संस्करण के अनुसार २।१०५-१०७)

अर्थ — (ब्रह्मचारी) मामा, चाचा, श्वसुर और ऋत्विज् आदि बड़ों को और ये छोटे भी हों तब भी उठकर 'मैं अमुक हूं' इस प्रकार नामोच्चारण पूर्वक नमस्कार करें । मौसी, मामी, सासू और बूआ,ये गुरुपत्नी के समान पूज्य हैं । उसे बडे भाई की सवर्णा स्त्री का प्रतिदिन चरणस्पर्श करके अभिवादन करना चाहिये ।

पूर्व श्लोकों में उपनयन संस्कार का विधान करने के पश्चात् २।६८ (इस संस्करण में २।४३) वें

श्लोक में '**कर्मयोगं निबोधत**' कहकर ब्रह्मचारी के कर्त्तव्यों का वर्णन करने का कथन किया गया है। फिर २।१६४ (इस संस्करण में २।१३९)वें श्लोक में कहा है—"**अनेन क्रमयोगेन ..... गुरौ वसन् संचिनुयाद् ब्रह्माधिगमिकं तप:**" अर्थात्—'इस पूर्वोक्त विधान के अनुसार ब्रह्मचारी गुरु के पास रहता हुआ वेदज्ञान-प्राप्तिकारक तप का संचय करे.' इससे यह स्पष्ट हुआ कि गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचारी को जो कर्त्तव्य निभाने हैं, केवल उन्हीं का यहां वर्णन है। इसके अतिरिक्त २।६९ (इस संस्करण में ४४वां), १०८ (८३वां), १७५ (१५०वां), १९१-२०३ (१६६-१७८), २१९ (१९४वां), २४१-२४४ (इस संस्करण में २१६-२१९) श्लोकों से भी यही स्पष्ट होता है। ब्रह्मचारी को उपनयन संस्कार के अनन्तर समावर्तन तक गुरुकुल में ही रहने का विधान है। इसके लिए यह भी आदेश है कि सूर्यास्त के बाद गांव में न रहे [२।२१९ (इस सं. में १९४वां)]। उक्त श्लोकों में विहित कर्त्तव्य ब्रह्मचारी पर लागू ही नहीं होते। न तो ब्रह्मचारी का मामा, चाचा, मौसी आदि से सम्बन्ध पड़ता है और न भाई की पत्नी से। फिर वह कैसे प्रतिदिन चरणस्पर्श करके नमस्कार करेगा? इन श्लोकों में तो सास-ससुर को भी नमस्कार का विधान है। बताइये ब्रह्मचारी के सास-ससुर कहां से होंगे? यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि ये वाक्य विधिवाक्य हैं, अर्थवाद नहीं। इस प्रकार ब्रह्मचर्याश्रम विषय के अन्तर्गत गृहस्थ के कर्त्तव्यों का उल्लेख विषय-विरुद्ध है। अत: ये प्रक्षिप्त हैं।

(ख) इसी प्रकार ब्रह्मचर्याश्रम के कर्त्तव्यों के वर्णन में २।२२५-२३७ (इस संस्करण में २।२००-२१२) तक आचार्य, पिता और माता की सेवा का प्रसंग है—

त्रिष्वप्रमाद्यन्नेतेषु त्रींल्लोकान्विजयेद् गृही।
दीप्यमान: स्ववपुषा देववद्दिवि मोदते॥
॥ २।२३२। (२।२०७)

अर्थ—इन तीनों (आचार्य, माता, पिता) की सेवा में सावधान रहने वाला गृहस्थी तीनों लोकों को जीत लेता है और शरीर से तेजस्वी होकर देवताओं के समान स्वर्ग में आनन्द से रहता है।

ब्रह्मचारी के कर्त्तव्यों के बीच गृहस्थियों के कर्त्तव्यों का उल्लेख विषयविरुद्ध है। इस श्लोक मे तो 'गृही' शब्द स्पष्टरूप से उल्लिखित है। इस प्रकार यह सारा ही प्रसंग प्रक्षिप्त है।

(ग) **निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधि:।**
तस्य शास्त्रेऽधिकारो स्मिन् ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित्॥
॥ २।१६। (इस संस्करण में १।१३५)

अर्थ—गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि पर्यन्त जिसके लिए संस्कारों का वेद-मन्त्रों में विधान किया गया है, उसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का इस (मनुस्मृति) शास्त्र में अधिकार जानना चाहिए; अन्य किसी का नहीं।

२।१ (इस संस्करण के अनुसार १।१२०) में मनु ने धर्मोत्पत्ति का विषय प्रारम्भ करने का संकेत दिया है,और २।२५ (१।१४४) में इस विषय की समाप्ति का संकेत है। धर्मोत्पत्ति के वर्णन में बिना ही प्रसंग के 'मनुस्मृति के पढ़ने के 'अधिकार-अनधिकार' का कथन विषय-विरुद्ध है, अत: यह श्लोक प्रक्षिप्त कहा जायेगा।

२. प्रसंगविरोध

इस अनुसन्धान कार्य में मनुस्मृति के मुख्य विषयों को 'विषय' और प्रचलित वर्णन के छोटे-छोटे

प्रमाणों या किसी चर्चा के क्रम को 'प्रसंग' की संज्ञा दी गई है । प्रचलित प्रसंग में पूर्वापर प्रसंग से भिन्न चर्चा वाले अथवा भिन्न प्रसंग को प्रारम्भ करने वाले श्लोक, एक प्रसंग के उक्त हो जाने के अनन्तर पुन : नये सिरे से तद्विषयक चर्चा या प्रसंग की शुरुआत करने वाले श्लोक, (उपसंहार और विकल्पों को छोड़कर), क्रमबद्ध वर्णन वाले प्रसंगों में यथोचित क्रम के पश्चात् अथवा पूर्व ही वर्णित क्रमविरुद्ध श्लोक, उपयुक्त स्थल अथवा प्रसंग के बिना ही कहे गये श्लोक 'प्रसंग-विरुद्ध' हैं ।

(क) प्रचलित प्रसंग में पूर्वापर प्रसंग से भिन्न चर्चा —

अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुषदैविके ।
रात्रि : स्वप्नाय भूतानां चेष्टायै कर्मणामह : ।। (१।६५ ।।)

पित्र्ये रात्र्यहनी मास : प्रविभागस्तु पक्षयो : ।
कर्मचेष्टास्वह : कृष्ण : शुक्ल : स्वप्नाय शर्वरी ।। (१।६६ ।।)

दैवे रात्र्यहनी वर्षं प्रविभागस्तयो : पुन : ।।
अहस्तत्रोदगयनं रात्रि : स्याद्दक्षिणायनम् ।। (१।६७ ।।)

अर्थ —सूर्य मानवीय तथा दैवी दिन-रातों का विभाग करता है । रात प्राणियों के सोने के लिए और दिन चलने-फिरने आदि चेष्टा तथा कार्यों के लिए होता है (१।६५) । मनुष्यों का महीना पितरों का एक दिन-रात होता है । और मास का जो दो पक्षों में विभाग है, उसमें कृष्णपक्ष कर्म करने के लिए पितरों का दिन और शुक्लपक्ष सोने के लिए रात होती है (१।६६) । मनुष्यों का एक वर्ष देवों का एक दिन-रात होता है । उसमें छ : मास उत्तरायण देवों का दिन और छ : मास दक्षिणायन देवों की रात्रि होती है (१।६७) ।

इनमें ६६वां श्लोक पूर्वापर प्रसंग से भिन्न चर्चा का वर्णन कर रहा है, अत : प्रसंगविरुद्ध है । इस श्लोक ने पूर्वापर प्रसंग को भंग कर दिया है । ६५वें श्लोक में **'मानुषदैविके'** पदों के उल्लेख से यह स्पष्ट है कि आगे मनुष्य और देवताओं के दिन-रात का वर्णन करना ही रचयिता को अभीष्ट है । संकेत के अनुसार मनुष्यों के दिन-रात का वर्णन तो ६५वें में ही वर्णित हो चुका । अब देवताओं के दिन-रात का वर्णन शेष रहा, वह ६७वें में वर्णित है । किन्तु प्रक्षेपकों ने उस क्रम को भंग करके बीच में पितरों के दिन-रात का वर्णन डाल दिया, जबकि इसको कहने की कहीं चर्चा ही नहीं है । इस प्रकार ६६वां श्लोक प्रसंगविरुद्ध है । मृतकश्राद्ध की मान्यता रखने वाले व्यक्तियों ने अपनी 'मृत-पितर' सम्बन्धी मान्यता को शास्त्रसम्मत सिद्ध करने के लिए यह प्रक्षेप किया है ।

(ख) प्रचलित एक प्रसंग को भंग करके पूर्वापर से भिन्न नये प्रसंग का प्रारम्भ —

एक प्रसंग का प्रारम्भ —

चतुर्णामपि वर्णानां प्रेत्य चेह हिताहितान् ।
अष्टाविमान्समासेन स्त्रीविवाहान्निबोधत ।। (३।२० ।।)
ब्राह्मो दैवस्तथैवार्ष : प्राजापत्यस्तथासुर : ।
गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधम : ।। (३।२१ ।।)

अर्थ — चारों वर्णों के लिए लोक तथा परलोक में हित तथा अहित करने वाले आठ विवाह संक्षेप से ये जानने चाहिए — (१) ब्राह्म (२) दैव (३) आर्ष (४) प्राजापत्य (५) आसुर (६) गान्धर्व (७) राक्षस (८) पैशाच ।।

इस पूर्वप्रसंग को भंग करके मध्य में ही एक नये प्रसंग का प्रारम्भ —

यो यस्य धर्म्यो वर्णस्य गुणदोषौ च यस्य यौ ।
तद्वः सर्वं प्रवक्ष्यामि प्रसवे च गुणागुणान् ।। (३।२२ ।।)

X X X X

पृथक्पृथग्वा मिश्रौ वा विवाहौ पूर्वचोदितौ ।
गान्धर्वो राक्षसश्चैव धर्म्यौ क्षत्रस्य तौ स्मृतौ ।।(३।२६ ।।)

अर्थ — जिस वर्ण के लिए जो विवाह धर्मानुकूल है और जिस विवाह के जो गुण तथा दोष हैं और उत्पन्न सन्तान के भी जो गुण-दोष हैं, उन सब को तुम्हारे लिए कहूँगा । अलग-अलग अथवा मिलाकर पहले बताए गान्धर्व और राक्षस विवाह क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त माने गये हैं ।

३।२०-२१ से प्रारब्ध पहले वाले मौलिक भग्नप्रसंग का पुनः प्रारम्भ —

आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम् ।
आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकीर्तितः ।।(३।२७।।)
यज्ञे तु वितते सम्यगृत्विजे कर्म कुर्वते ।
अलंकृत्य सुतादानं दैवं धर्मं प्रचक्षते ।।(३।२८ ।।)

अर्थ — विद्या और शील वाले वर को बुलाकर, वस्त्रादि से युक्त एवं सम्यक् सत्कार करके कन्या देना 'ब्राह्म' विवाह कहलाता है (३।२७) । ऋत्विक् के द्वारा विस्तृत यज्ञ-कर्म करने पर वस्त्राभूषणादि से अलंकृत करके कन्या का दान करना 'दैव' विवाह कहलाता है (३।२८) ।

यहां २०वें श्लोक में मनु ने आठ विवाहों को कहने का संकेत दिया है और २१वें में उन विवाहों के नामों का उल्लेख है । इसके पश्चात् प्रसंग के अनुसार उपयुक्त यह था कि उनकी परिभाषाएं वर्णित हों — जो कि २७ से ३४ श्लोकों में हैं । किन्तु उस प्रसंग को बीच में ही तोड़कर प्रक्षेपक ने एक नया प्रसंग २२ से २६ श्लोकों में चलाया है, जिसमें यह बताया गया है कि किस वर्ण के लिए कौन-कौन सा विवाह धर्मानुकूल है । मनु को वर्णानुसार विवाह की श्रेष्ठता मान्य नहीं है, अपितु वे विधि के रूप में ही विवाह की श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता मानते हैं । यह मान्यता उन्होंने विधिवर्णन वाले श्लोकों में ही स्पष्टतः दर्शायी है । ३९ से ४२ श्लोकों से भी यही सिद्ध होता है । इस प्रकार मध्यवर्ती प्रसंग प्रसंगविरुद्ध है, अतः प्रक्षिप्त है । ये श्लोक ऊंच-नीच और पक्षपात की भावना से प्रेरित प्रक्षेप हैं ।

(ग) क्रमबद्ध वर्णन वाले प्रसंगों में यथोचित क्रम के पश्चात् आने वाले क्रम-विरुद्ध श्लोक —

द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत् ।
अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत्प्रभुः ।। (१।३२ ।।)

अर्थ — वह ब्रह्मा अपने शरीर के दो भाग करके आधे से पुरुष और आधे से नारी बन गये, फिर उस नारी में 'विराट्' को उत्पन्न किया ।

X X X

अहं प्रजाः सिसृक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम् ।
पतीन्प्रजानामसृजं महर्षीनादितो दश ।। (१।३४ ।।)

अर्थ — मैंने (मनु ने) प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से कठिन तपस्या की और फिर दश प्रजापति महर्षियों को उत्पन्न किया ।

X X X

एवमेतैरिदं सर्वं मन्नियोगान्महात्मभि: ।
यथाकर्म तपोयोगात्सृष्टं स्थावरजंगमम् ।। (१।४१ ।।)

अर्थ — इस प्रकार इन महर्षियों ने मेरी आज्ञा से तप करके फिर सारे स्थावर जंगम जगत् को उत्पन्न किया ।

यहां विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि मनुस्मृतिकार एक निश्चित प्रक्रिया से क्रमश : प्रकृति, महत्, अहंकार, पञ्चतन्मात्राएं, इन्द्रियां और मन, पञ्चमहाभूत, इन तत्त्वों से स्थावर-जंगम सृष्टि की उत्पत्ति मानता है (१ । १४-२१) । पिछले श्लोकों में इसी क्रम से सृष्टि-उत्पत्ति दर्शाते हुए १ । १६-१८ श्लोकों द्वारा सभी प्रजाओं की 'उत्पत्ति हो चुकी' दर्शायी जा चुकी है । फिर १ । १९-२१ श्लोकों द्वारा संक्षेप में अन्य समस्त संसार की उत्पत्ति का कथन कर दिया । इस प्रकार प्रजाओं (प्राणियों) और अन्य जगत् की उत्पत्ति का क्रमबद्ध प्रसंग पूरा हो गया । इसके पश्चात् १।२२-३१ श्लोकों में उत्पन्न हुए प्राणियों के साथ कर्मसंयोग आदि का प्रसंग चला है । फिर एक नया प्रसंग शुरू किया गया है, जिसमें ब्रह्मा द्वारा अभी स्त्री और पुरुष का निर्माण होना कहा जा रहा है । मनु द्वारा अभी प्रजाओं को उत्पन्न करने की इच्छा ही की जा रही है । महर्षियों द्वारा स्थावर और जंगम जगत् की उत्पत्ति कही जा रही है ! जबकि पिछले श्लोकों में प्राणियों की उत्पत्ति होने पर उनके कर्मों का भी विवेचन किया जा चुका । इस प्रकार यह प्रसंग क्रमविरुद्ध है । यदि यह मौलिक होता तो १ । १६ में प्राणियों की उत्पत्ति दर्शाने से पूर्व इसका क्रमोचित वर्णन होता । लेकिन क्रम में यह जुड़ नहीं पाया । अत : प्रक्षेपक को बाद में डालना पड़ा । इस प्रकार इन श्लोकों की क्रमविरुद्धता इन्हें प्रक्षिप्त सिद्ध कर रही है । अन्य 'अन्तर्विरोध' आदि आधारों पर भी ये प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं । ये श्लोक ब्रह्मा द्वारा सृष्टि उत्पन्न करने वाली नवीन वेदान्त की मान्यता से प्रभावित पौराणिक कल्पना की देन हैं । मिथ्या कल्पनाओं द्वारा ब्रह्मा के साथ सम्बन्ध जोड़कर मनु और मनुस्मृति आदि को अलौकिक सिद्ध करने की भी प्रवृत्ति इनमें लक्षित होती है ।

(घ) क्रमबद्ध वर्णन वाले प्रसंगों में यथोचित क्रम से पूर्व ही आने वाले क्रमविरुद्ध श्लोक —

तदण्डमभवद्धैमं सहस्रांशुसमप्रभम् ।
तस्मिञ्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामह : ।। १ ।९ ।।

अर्थ — वह 'अप्' तत्त्व हिम-सा शुभ्र और सूर्य-सा चमकीला अण्डाकार बन गया । उसमें से सब लोकों के पितामह स्वयं ब्रह्मा उत्पन्न हुए ।

X X X X

तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम् ।
स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद्द्विधा ।। १ । १२ ।।

अर्थ — उस अण्डे में भगवान् ने परिवत्सर (कल्प का शतांशसमय) तक निवास किया और तत्पश्चात् ध्यान से उस अण्डे के दो विभाग कर दिए ।

X X X X

ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिवं भूमिं च निर्ममे ।
मध्ये व्योमदिशश्चाष्टावपां स्थानं च शाश्वतम् ।। १ । १३ ।।

अर्थ — अण्डे के उन दो खण्डों से द्युलोक,पृथिवी की रचना की और इनके मध्य में आकाश, आठ दिशाओं और जलों के शाश्वत स्थान (अन्तरिक्ष) को बनाया ।

यह १ । ९, १२, १३ श्लोकों का एक प्रसंग है । इसमें एक अण्डे के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति दर्शायी गयी है । ब्रह्मा ने उस अण्डे में रहकर उसको दो टुकड़ों में विभक्त कर दिया । उसके उन टुकड़ों से द्युलोक, पृथिवीलोक, आकाश, समुद्र आदि बने ।

मनुस्मृति की सृष्टि-उत्पत्ति प्रक्रिया और उसके क्रम के बारे में पिछले 'ग' भाग में पर्याप्त विवेचन किया गया है । इस उदाहरण को समझने के लिए भी उसे ध्यान में रखना आवश्यक है । महत् आदि तत्त्वों की प्रक्रिया और क्रम से सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन करते हुए १ । १५-२१ श्लोकों में पूर्णत : सृष्टि के बनने का क्रम आता है । उनका निर्माण १४ से २१ श्लोकों में है,लेकिन इस प्रसंग में उनके बनने से पूर्व ही द्युलोक, पृथ्वीलोक आदि की स्थूल सृष्टि बनी दिखा दी । प्रश्न उठता है कि जब उसके प्राकृततत्त्व ही नहीं बने हैं तो ये पृथ्वी आदि किस वस्तु से बन गये ? यदि यह प्रसंग मौलिक होता तो इसका वर्णन क्रमोक्ति ढंग से १।१५ के पश्चात् अथवा १८ के पश्चात् होता । लेकिन वहां यह नहीं जोड़ा जा सका, अत : पूर्व ही डाल दिया । इस प्रकार क्रमविरोधिता के कारण उक्त श्लोकों का यह प्रसंग 'प्रसंगविरुद्ध' है । ये श्लोक अन्तर्विरोध के आधार पर भी प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं । इस प्रकार की सृष्टि-उत्पत्ति की पौराणिक कल्पना नवीन वेदान्त के आधार पर की जाती है । उसी आग्रह के कारण यहाँ ये प्रक्षेप किये गये प्रतीत होते हैं ।

(ङ.) उपयुक्त स्थल अथवा प्रसंग के बिना ही कहे गये श्लोक —

जगतश्च समुत्पत्तिं संस्कारविधिमेव च ।
व्रतचर्योपचारं च स्नानस्य च परं विधिम् ।। (१।१११ ।।)
देशधर्मान् जातिधर्मान् कुलधर्मांश्च शाश्वतान् ।
पाखण्डगणधर्मांश्च शास्त्रेऽस्मिन्नुक्तवान् मनु : ।। (१।११८ ।।)

अर्थ — मनुस्मृति में जगदुत्पत्ति, संस्कारों की विधि, व्रतचर्या और स्नान की विधि क्रमश: कही है ।

इस शास्त्र में मनु ने देश, जाति और कुलों के धर्मों तथा पाखण्डियों के अवैदिक कर्मों का वर्णन किया है ।

यह १११-११८ श्लोकों का एक प्रसंग है । इसमें मनुस्मृति की विषय सूची दी गई है । यहां विचारणीय बात यह है कि विषयसूची का उपयुक्त स्थान या तो किसी ग्रन्थ के प्रारम्भ में होता है, या फिर अन्त में ही । बिना ही पूर्वापर प्रसंग के कहीं भी विषयसूची का कथन कर देना किसी भी विद्वान् का कार्य नहीं हो सकता । इन श्लोकों के लिए यह उपयुक्त स्थल नहीं है, अपितु बलात् ठूंसे हुए प्रतीत होते हैं । इस आधार पर यह प्रसंग प्रक्षिप्त है । दो अन्य प्रमाण भी इनको प्रक्षेप सिद्ध करने में दिए जा सकते हैं — (१) मनुस्मृति की ऐसी शैली ही नहीं है जिसमें विषयसूची का प्रदर्शन करने का अवसर आ सके । इसकी प्रवचन शैली है और प्रत्येक प्रवचन या विषय,पूर्वापर विषयों से शृंखलावत् जुड़े हैं । मनु की यह शैली है कि वे किसी विषय को प्रारम्भ या समाप्त करते समय अथवा दोनों स्थानों पर उसका संकेत करते हैं । शैली की अखण्डता के कारण उसमें साथ-साथ ही विषयों का संकेत होता रहता है, अत : पृथक् से विषयसूची की आवश्यकता ही नहीं रहती । इसीलिए मनु ने

कहीं मनुस्मृति के विषयों की सूची प्रदर्शित करने के लिए कोई प्रसंग भी प्रारम्भ नहीं किया। इस प्रकार यहां जो ये श्लोक वर्णित हैं, ये मनु की इस शैली के नहीं हैं, इस कारण भी ये प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। (२) जिस स्थान पर ये वर्णित हैं, यहां पूर्वापर प्रसंग सृष्टि-उत्पत्ति और धर्मोत्पत्ति का है। क्रमशः ये १।५ और १।१०८ तथा २।१ से प्रारम्भ होकर २।२५ में समाप्त हुए हैं, इन विषय-संकेतों के अनुसार इनका बीच में वर्णन विषय और प्रसंगविरुद्ध भी है; क्योंकि ये क्रमबद्ध प्रसंगों को भंग कर रहे हैं। इस आधार पर भी ये प्रक्षिप्त हैं।

इस प्रकार उपयुक्त स्थल और प्रसंग के बिना कहे गये श्लोक 'प्रसंगविरुद्ध' प्रक्षेप माने गये हैं। परवर्तीकाल में मनुस्मृति को अध्याय-अनुसार व्यवस्थित करने वाले व्यक्ति ने ही ये श्लोक जोड़े लगते हैं।

३. अन्तर्विरोध (परस्परविरोध)

मनुस्मृति में जिन बातों में विरोध आता है अथवा एक मान्यता का दूसरी मान्यता जहां खण्डन करती है उसे 'अन्तर्विरोध' कहा गया है। ऐसे वर्णन वाले श्लोकों में, निश्चित है कि एक ही मान्यता मौलिक है, दूसरी प्रक्षिप्त। मनुस्मृति एक ही लेखक की रचना है। उसमें वर्णित मान्यताओं में किसी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए, और किसी विशिष्ट विद्वान् की रचना में तो ऐसे विरोधों की आशा ही नहीं की जा सकती। फिर भी यह त्रुटि स्पष्टतः मिलती है। स्पष्ट है कि एक मान्यता अवश्य प्रक्षिप्त है। ऐसे वर्णनों में मौलिक मान्यता को मनुप्रोक्त मानकर दूसरी को 'अन्तर्विरुद्ध' या 'परस्परविरुद्ध' आधार पर प्रक्षिप्त माना गया है। कुछ अन्तर्विरोधी उदाहरण प्रस्तुत हैं—

(क) नवम अध्याय के ५७-६२ श्लोकों में स्त्रियों के लिए आपत्कालीन धर्म बतलाये हुए हैं। सन्तान के अभाव में यहाँ नियोग का विधान किया है। यह मान्यता शैली के अनुरूप और मौलिक है। एक श्लोक में विधान है—

देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ्नियुक्तया।
प्रजेप्सिताऽधिगन्तव्या संतानस्य परिक्षये।। (९।५९।।)

अर्थ—सन्तान का क्षय (अभाव) होने पर अपने पति की या समाज की आज्ञा से देवर वा अन्य सपिण्ड पुरुष से इच्छित सन्तान प्राप्त कर लेनी चाहिये।

किन्तु जैसे ही यह प्रसंग पूर्ण होता है, इस विचार के विरोधी व्यक्तियों ने इसके खण्डन में श्लोक मिला दिये हैं। उन श्लोकों में नियोग का निषेध है। इसे गर्हित और साधुपुरुषों द्वारा निन्दित कहा है, और इसके प्रचलन में विकृत कारण का उल्लेख दर्शाया है। ये ६४ से ६८ तक पांच श्लोक खण्डन के प्रसंग के हैं। इस प्रसंग के दो श्लोक प्रस्तुत हैं—

नान्यस्मिन् विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः।
अन्यस्मिन् हि नियुञ्जाना धर्मं हन्युः सनातनम्।। (।।९।६४।।)

अर्थ—द्विजाति लोग विधवा नारी को अन्य देवर अथवा सपिण्ड पुरुष में नियोग की आज्ञा न दें। जो नियोग कराते हैं, वे सनातन धर्म को नष्ट करते हैं।

अयं द्विजैर्हि विद्वद्भिः पशुधर्मो विगर्हितः।
मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति।। (९।६६।।)

अर्थ—इस नियोग-प्रथा को विद्वानों ने पशुधर्म कहा है। यह राजा वेन के समय मनुष्यों में

प्रचलित हुआ है ।

इनमें ६४-६८ श्लोकों का प्रसंग मौलिक नहीं है । इसे बाद में किसी ने खण्डन के लिए मिलाया है । अत : 'अन्तर्विरोध' या 'परस्पर विरोध' के कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं । वेद में जिस का कथन हो, उसको थोड़े समय से प्रचलित कहना ठीक नहीं । मनुस्मृति स्वयं आदि सृष्टि की है । इस लेख से यह सिद्ध है कि मनु का पूर्व लेख नियोग-प्रतिपादन का है।राजा वेन मनु से बहुत बाद का है ।[1]

(ख) 'अहिंसापालन' अथवा **'हिंसानिषेध'** की मान्यता मनुस्मृति की उन मान्यताओं में से एक है जिन पर मनुस्मृतिरूपी प्रासाद टिका हुआ है । जो व्यक्ति हिंसा, मांसभक्षण तथा पशुयज्ञ को मनुस्मृतिसम्मत मानते हैं वे मनु और मनुस्मृति के साथ अन्याय करते हैं, और वे वस्तुत : इनके साथ ईमानदार नहीं है । मनु ने प्रत्येक प्रकार की हिंसा को पाप माना है और स्थान-स्थान पर अहिंसा-पालन के लिए बल दिया है । अहिंसा की मान्यता मनुस्मृति की कितनी दृढ़ आधारभूत मान्यता है, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि मनु ने गृहस्थी-जनों के लिए जो नैत्यिक पञ्चमहायज्ञों का अनिवार्य विधान किया है, उसके मूल में हिंसा-निवृत्ति की भावना ही है । गृहस्थों द्वारा प्रतिदिन अज्ञान और विवशतावश होने वाली छोटी-छोटी हिंसाओं के प्रायश्चित्त के लिए ही पञ्चमहायज्ञों का करना आवश्यक बताया है –

पञ्चसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्कर : ।
कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन् ।। (३ । ६८ ।।)

अर्थ– गृहस्थी के यहां चूल्हा, चक्की, झाड़ू, ओखली, जल का घड़ा, ये पांच हिंसा के स्थान हैं । इनको व्यवहार में लाता हुआ गृहस्थी हिंसा के पापों से बंधता है ।

तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महर्षिभि : ।
पञ्च क्लृप्ता महायज्ञा : प्रत्यहं गृहमेधिनाम् ।। (३ । ६९ ।।)

अर्थ – उनके प्रायश्चित्त के लिए महर्षियों ने गृहस्थी के लिए क्रमश : पांच महायज्ञों का दैनिक विधान किया है ।

इसके अतिरिक्त मनु ने अनेक स्थानों पर हिंसा का स्पष्ट निषेध भी किया है और हिंसक की निन्दा की है ।–

(अ) वर्जयेन् मधुमांसं च प्राणिनां चैव हिंसनम् ।। २ ।१७७ ।।
(इस संस्करण में १५२ वां)

अर्थ – मद्य-पान, मांस-भक्षण तथा प्राणियों की हिंसा को छोड़ देवे ।

(आ) – हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासौ सुखमेधते ।। (४ ।१७० ।।)

अर्थ – जो नित्य हिंसा के कर्मों में रत रहता है, वह इस संसार में सुख प्राप्त नहीं करता है ।

(इ) नाकृत्वा प्राणिनां हिंसा मांसमुत्पद्यते क्वचित्
न च प्राणिवध : स्वर्ग्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत् (।। ५ ।४८ ।।)

अर्थ – प्राणियों की हिंसा के बिना कहीं मांस की उत्पत्ति सम्भव नहीं है । और प्राणियों का वध

---

१. महाभारत में वेन नाम के दो राजाओं का उल्लेख आता है । एक – वैवस्वत मनु के दश पुत्रों में से एक था (महा. आ. ७०।१३) । दूसरा — अंग देश का एक दुष्टकर्मा राजा था, जो कर्दमपुत्र अनंग का पुत्र था । इससे राजा पृथु का जन्म हुआ (शा. ५९ ।९६-९९) । इस प्रकार दोनों ही राजा स्वायम्भुव मनु से पर्याप्त परवर्ती हैं । यहां अंगराजा वेन का ही वर्णन है ।

सुख देनेवाला नहीं है । इसलिए मांस को सर्वथा छोड़ देना चाहिए ।

मनु ही वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंसा के लिए सलाह देने वाले व्यक्ति को भी पाप का भागीदार घोषित किया है । मांसप्राप्ति में किसी भी रूप से सम्बद्ध व्यक्ति मनु के मत से 'घातक' है । मनु ने हिंसा से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों को 'घातक' घोषित करके अपनी अहिंसा की दृढ़ मान्यता को अशंकित रूप से स्पष्ट कर दिया है । वे 'घातक' (पापी) ये हैं --

(ई) अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी ।
संस्कर्त्ता चोपहर्त्ता च खादकश्चेति घातका : ।। (५ । ५१ ।।)

अर्थ -- सलाह देने वाला, काटने वाला, मारने वाला, खरीदने और बेचने वाला, पकाने वाला, लानेवाला और खाने वाला, ये सभी घातक (पापी) हैं ।

अहिंसा के समर्थन में और हिंसा की निन्दा में इतना सब कुछ लिखने वाले व्यक्ति के ग्रन्थ में कहीं मांसभक्षण की बात को मौलिक मान लिया जाये तो यह दुस्साहस ही कहा जायेगा । इतनी स्पष्ट मान्यता होते हुए भी मनुस्मृति में मांसभक्षण, पशुयज्ञ और हिंसापरक श्लोकों को मिला दिया गया --

(अ) नानिष्ट्वा नवसस्येष्ट्या पशुना चाग्निमान् द्विज : ।
नवान्नमद्यान्मांसं वा दीर्घमायुर्जिजीविषु : ।। (४ । २७ ।।)

अर्थ -- अग्नियाँ नवान्न और मांस की लोलुप होती हैं । अतएव जो द्विज नये अन्न और पशु-मांस से अग्नि में हवन नहीं करते, उनके प्राणों को ही अग्नियां खाना चाहती हैं ।

(आ) पांचवें अध्याय में ११ से ४७ तक मांसभक्षण का विधान ।

(इ) तृतीय अध्याय में १२२ से २८४ तक श्राद्ध में विभिन्न मांसों के खाने का विधान ।

ये तथा मनुस्मृति के सभी हिंसा-समर्थक श्लोक उपर्युक्त मौलिक मान्यता के विरुद्ध होने के कारण 'अन्तर्विरोध' आधार पर प्रक्षिप्त हैं । इन श्लोकों का प्रक्षेप स्वार्थी पंडितों तथा वाममार्गियों ने किया है । (अन्य प्रमुख अन्तर्विरोधों को जानने के लिए देखिये -- 'मनुस्मृति की प्रमुख मौलिक मान्यताएं' शीर्षक विवेचन) ।

४. पुनरुक्तियां —

पहले कही हुई बात को विशिष्ट अभिप्राय के बिना पुन : कहना पुनरुक्ति है । ये पुनरुक्तियां बिल्कुल ज्यों की त्यों तो नहीं हैं, किन्तु अनेक स्थानों पर प्रक्षेपकर्त्ताओं ने अपने भाव को सिद्ध करने के लिए पूर्व प्रोक्त अंशों को आवश्यकतानुसार ग्रहण कर लिया है । उन्हें पढ़कर यह प्रतीत होता है कि इस अंश को पुन : ग्रहण करने की नितान्त आवश्यकता नहीं थी । अनावश्यक रूप से पुनरावृत्त वे अंश उसके प्रक्षेप होने का संकेत देते हैं । यथा --

(क) मनु सृष्ट्युत्पत्ति का वर्णन करते हुए, क्रमानुसार जगत की प्रकटावस्था के माध्यम से ही परमात्मा की प्रकटता-रूप उत्पत्ति का वर्णन करते हैं --

तत : स्वयंभूर्भगवानव्यक्तो व्यंजयन्निदम् ।
महाभूतादिवृत्तौजा : प्रादुरासीत्तमोनुद : ।। (१ । ६ ।।)

अर्थ -- तब अपने कार्यों को सम्पन्न करने में स्वयं समर्थ, महत्, पञ्चमहाभूत आदि तत्वों को उत्पन्न करने की अमित शक्ति से युक्त, स्थूलरूप में प्रकट न होने वाला परमात्मा इस समस्त संसार को प्रकटावस्था में लाते हुए ही प्रकट हुआ ।

इससे अगला ही श्लोक है --

योऽसावतीन्द्रियग्राह्य : सूक्ष्मोऽव्यक्त : सनातन : ।
सर्वभूतमयोऽचिन्त्य : स एव स्वयमुद्बभौ ।।(१ । ७ ।।)

अर्थ – जो यह परमात्मा इन्द्रियों से ग्रहण न कर सकने योग्य, सूक्ष्म, अव्यक्त, सनातन, सब प्राणियों का आश्रयस्थान और अचिन्त्य है ; वही अपने आप उत्पन्न हुआ ।

इस श्लोक में कोई नयी बात न होकर कुछ नए विशेषणों के साथ छठे श्लोक के भावों को ही पुन : कह दिया है । छठे श्लोक में परमात्मा का प्रकट होना कहा था, इसमें भी केवल परमात्मा की उत्पत्ति कही है । '**अव्यक्त :**' की ज्यों की त्यों और '**स्वयम्भू :**' को '**स एव स्वयमुद्बभौ**' के रूप में पुनरुक्ति है । इस प्रकार 'पुनरुक्ति' के आधार पर यह श्लोक प्रक्षिप्त है ।

यह पुनरुक्ति क्यों की गई ? प्रसंगानुसार यह स्पष्ट कर देना भी इसको प्रक्षेप समझने में पोषक सिद्ध होगा । छठे श्लोक में परमात्मा की प्रकटता या उत्पत्ति, जगत् की प्रकटता के रूप में ही मानी है अर्थात् वैसे तो परमात्मा अव्यक्त है, प्रकट जगत् से ही उसका होना अनुमित होता है । किन्तु अग्रिम ७-१३ श्लोक पौराणिक कल्पना के आधार पर किये गये प्रक्षेप हैं जिनमें ब्रह्मा की उत्पत्ति दर्शायी गयी है । उसे सिद्ध करने के लिए ही सातवें श्लोक में '**योऽसौ**' कहकर एक नया प्रसंग शुरू किया गया । उसकी भूमिका के लिए प्रक्षेपक को विवश होकर यह पुनरावृत्ति करनी पड़ी, अन्यथा एक बार छठे श्लोक में कहने के बाद उसकी आवश्यकता ही नहीं रही थी । यह ब्रह्मा की उत्पत्ति का प्रसंग मनुस्मृति की उत्पत्ति-प्रक्रिया (१४-२१) के विरुद्ध है । इसे मनुस्मृतिसम्मत बनाने के लिए यह प्रसंग डाला गया है । किन्तु कपड़े के पैबन्द की तरह यह स्पष्टत : प्रक्षिप्त दिखाई पड़ रहा है ।

(ख) पतिं या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता ।
सा भर्तृलोकमाप्नोति सद्भि : साध्वीति चोच्यते ।।(५ । १६५ ।।

(या) जो स्त्री (मन :-वाक्-देह-संयता) मन, वाणी और शरीर को संयम में रखकर (पतिम् न + अभिचरति) पति के विरुद्ध आचरण नहीं करती (सा) वह (भर्तृलोकम् + आप्नोति) पतिलोक अर्थात् पति के हृदय में आदर का स्थान प्राप्त करती है (च) और (सद्भि : 'साध्वी' + इति उच्यते) श्रेष्ठ लोग उसको 'पतिव्रता या अच्छी पत्नी' कहकर प्रशंसा करते हैं ।। १६५ ।।

इस श्लोक को ९ । २९ में अक्षरश : पुनरुक्ति है, जो अनावश्यक है । अत : ९ । २९ स्थल पर यह पुनरुक्ति प्रक्षेप माना गया है ।

(ग) ५ । १३४ श्लोक भी ९ । ३० में अक्षरश : पुनरुक्त है । यह अन्य आधारों पर भी प्रक्षिप्त सिद्ध होता है, अत : दोनों स्थानों पर ही प्रक्षिप्त माना गया है ।

(घ) ८ । ३४२ में शस्त्र औषध आदि चुराने वाले चोरों को देशकाल के अनुसार दण्ड देने का कथन हो चुका है —

महापशूनां हरणे शस्त्राणामौषधस्य च ।
कालमासाद्य कार्यं च दण्डं राजा प्रकल्पयेत् ।(८ । ३२४ ।।)

अर्थ — हाथी आदि बड़े पशुओं, शस्त्रों तथा औषध की चोरी पर राजा समय और कार्य के अनुसार दण्ड देवे ।

इसकी पुनरुक्ति —

सीताद्रव्यापहरणे शस्त्राणामौषधस्य च ।
कालमासाद्य कार्यं च राजा दण्डं प्रकल्पयेत ।। (९ । २९३ ।।)

अर्थ — खेती के उपकरण हल आदि, शस्त्रों तथा ओषध की चोरी करने पर राजा समय और कार्य के अनुसार दण्ड देवे ।

यहां पहले पद को छोड़कर शेष बातों की यथावत् पुनरुक्ति है । पूर्व श्लोक अपने प्रसंग में है और यह अप्रासंगिक रूप से उक्त है । इस प्रकार 'पुनरुक्ति' होने से यह प्रक्षिप्त है ।

५. शैलीगत आधार अथवा शैली-विरोध —

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सम्पूर्ण मनुस्मृति का प्रणेता एक ही व्यक्ति है । मनुस्मृति की शैली गम्भीर, संतुलित, साधार, युक्तियुक्त एवं पक्षपात की भावना से रहित है; किन्तु बीच-बीच में अतिसामान्य, निराधार, अयुक्तियुक्त,अतिशयोक्तिपूर्ण और पक्षपातपूर्ण शैली के श्लोक भी आजाते हैं । यह निश्चित है कि यह विरोधी भिन्नता एक ही प्रणेता की शैली में नहीं हो सकती । मनु एक विद्वान् ऋषि थे, अत : कहा जा सकता है कि दूसरी शैली के श्लोक मनुप्रोक्त न होकर प्रक्षिप्त हैं । मनुस्मृति के अनुशीलन से जो शैलियां मनुसम्मत प्रतीत नहीं हो पाईं,उन्हें दो विभागों में रखा गया है ।

१. **मनु की शैली से भिन्न शैलियां —**

क. रचना-शैली-सिद्ध भिन्नताएं ।

२. **वर्णन-शैली से विरुद्ध शैलियां —**

ख. निराधार एवं अयुक्तियुक्त शैली ।

ग. अतिशयोक्तिपूर्ण शैली ।

घ. पक्षपातपूर्ण शैली (घृणा, निन्दा, अपशब्द, ऊंच-नीच, स्पृश्यास्पृश्यप्रेरित) ।

मनुसम्मत मौलिक शैलियां न होने के कारण इन शैलियों के श्लोकों को प्रक्षिप्त माना गया है । मनु की मौलिक शैलियों की विस्तृत समीक्षा 'मनुस्मति की शैलियां' शीर्षक विवेचन में की गई है । शैलियों के निर्धारण की पद्धति पर भी वहीं विचार किया गया है । यहां केवल संक्षिप्त स्पष्टीकरण के साथ उनके उदाहरण ही प्रदर्शित किये जा रहे हैं ।

(क) रचना-शैलीसिद्ध भिन्नता —

रचना की दृष्टि से मनुस्मृति की 'प्रवचनशैली' है, अर्थात् मनुस्मृति मूलत : प्रवचन है । मनुस्मृति में प्रवचन के लिए जितने भी विषय या प्रकरण चुने गये हैं उनके प्रारम्भ या समापन में अथवा दोनों स्थानों पर क्रमश : उनके प्रारम्भ करने और समापन करने का प्रयोग किया है । इन सभी स्थानों पर 'सुनने-सुनाने' की क्रियाओं का प्रयोग किया है । ये सभी प्रवचन एक शैली में शृंखलावत् जुड़े हुए हैं । इस शैली के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकलते हैं —

(अ) मनुस्मृति मूलत : कोई पूर्वनिबद्ध शास्त्र नहीं था । मनु द्वारा ऋषियों की जिज्ञासा के उत्तर में जो प्रवचन दिये गये, उनका संकलन होने पर वह 'शास्त्र' कहलाया । इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रवचनों को कोई प्रवक्ता स्वयं 'शास्त्र' नहीं कह सकता, अथवा क्रमश : दिये जा रहे अपने प्रवचनों को ग्रन्थ के रूप में वर्णित नहीं कर सकता है । यह रूप तो बाद में बनता है । इसलिए मनुस्मृति में जहां भी इसे पूर्वनिबद्ध 'शास्त्र' या 'ग्रन्थ' के रूप में वर्णित किया है,वे श्लोक परवर्ती काल में किये गये प्रक्षेप हैं, जबकि मनुस्मृति संकलित होकर निबद्ध 'शास्त्र' या 'ग्रन्थरूप में आ चुकी थी । यथा —

(१) इदं शास्त्रमधीयानो ब्राह्मण : शंसितव्रत : ।
मनो वाग्देहजैर्नित्यं कर्मदोषैर्न लिप्यते ।।(१ । १०४ ।।)

अर्थ — इस शास्त्र को पढ़कर इसके अनुसार कर्त्तव्य व्रतों को करने वाले ब्राह्मण को मन वाणी और देह के कर्मों से उत्पन्न होने वाले दोष (पाप) नहीं लगते ।

(२) नै : श्रेयसमिदं कर्म यथोदितमशेषत : ।
मानवस्यास्य शास्त्रस्य रहस्यमुपदिश्यते ।। (१२ । १०७ ।।)

अर्थ — मोक्ष-प्राप्ति के साधक सब कर्मों का वर्णन कर दिया । अब मानवशास्त्र के रहस्य का उपदेश किया जाता है ।

इस प्रकार के श्लोक मनुस्मृति-परम्परा के शिष्यों द्वारा प्रशंसा और महत्त्ववर्धन की दृष्टि से मिलाये गये हैं ।

(आ) इस प्रकार इस शैली में, मूल प्रवचनों के संकलन में स्वयं मनु का नाम भी प्रयुक्त नहीं हो सकता और न भृगु का नाम आना ही युक्तसंगत जंचता है । इसलिए जो भी श्लोक मनु और भृगु के नाम से वर्णित हैं, वे इस शैली के आधार पर प्रक्षिप्त हैं । उनकी भाषा-प्रयोग-शैली भी यही सिद्ध करती है कि वे मनुप्रोक्त बातों का मूलसंकलन नहीं हैं । वे उनके नाम से किसी अन्य व्यक्ति ने बनाये हैं । कुछ लोगों का विचार है कि उनका आशय मनु का आशय है, अत : उनके नाम से उनका उल्लेख है । यह भी युक्तिसंगत बात नहीं है कि वह मनु का आशय है । संभव है किसी अन्य व्यक्ति ने अपना आशय मनु के नाम से वर्णित कर दिया हो । यह तो एक ऐसा छिद्रद्वार बन जाता है कि चाहे कोई भी अपने अभीष्ट आशय को मनु का आशय बताकर कितने ही श्लोक बनाकर मिला दे ; अत : यह मान्य नहीं है । वास्तविकता भी यही है कि परवर्ती लोगों ने मनु के नाम पर अपने आशयों को मिलाया है । यदि यह मानें कि मनु के शिष्य भृगु ने उनके आशयों का वर्णन उनके नाम से किया है, तो इसमें भी कई संदेह रह जाते हैं — (१) इसका मतलब भृगु ने वास्तविक रूप में मनु के प्रवचनों का संकलन नहीं किया, (२) यदि वास्तविक रूप में है, तो कहीं बिना नाम के, और कहीं नामोल्लेखपूर्वक, दो पद्धतियां क्यों अपनायी हैं ? जब संकलन शैली में अन्य अधिकतर बातों का वर्णन मूलरूप में हुआ है तो कहीं-कहीं मनु का नाम देकर विधान करने की क्या आवश्यकता थी ? (३) और भृगु नाम वाले श्लोक मनु के संकलन में कैसे आये ? मनुस्मृति में उनकी क्या तुक है ?

इस प्रकार मनुस्मृति को प्रक्षेपकों ने मनचाहा 'भण्डारघर' बना लिया है । इस शैली से यह निश्चित हो जाता है कि इस प्रकार मनु और भृगु नाम वाले सभी श्लोक मूलरूप नहीं हैं, अपितु परवर्तीकाल में उनके शिष्यों ने रचकर डाल दिये हैं । जैसे, मनु के नाम वाले श्लोक —

१. य : कश्चित्कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्तित :
स सर्वोऽभिहितो वेदे, सर्वज्ञानमयो हि स : ।।
(२ । ७ ।।)
(इस संस्करण में १ । १२६)

अर्थ — मनु ने जिस किसी का जो भी धर्म (कर्त्तव्य) बताया है वह सब वेदोक्त है । क्योंकि वेद सम्पूर्ण ज्ञान से युक्त है ।

२. दश स्थानानि दण्डस्य मनु : स्वायंभुवोऽब्रवीत् ।
त्रिषु वर्णेषु यानि स्युरक्षतो ब्राह्मणो व्रजेत् ।।(८ । १२४ ।।)

अर्थ – स्वायम्भुव मनु ने दण्ड के दश स्थान बताए हैं । जिन पर क्षत्रियादि तीन वर्ण वालों को दण्ड देना चाहिये । और ब्राह्मण को दण्ड के बिना ही छोड़ देना चाहिए ।

३. ऋणे देये प्रतिज्ञाते पञ्चकं शतमर्हति ।
अपह्नवे तद्द्विगुणं तन्मनोरनुशासनम् ।।(८ । १३९)

अर्थ – मनु का ऋणादि के विवाद में यह दण्ड का प्रकार है कि यदि ऋण लेने वाला न्यायसभा में आकर ऋण को स्वीकार कर लेता है, तो उस पर पांच प्रतिशत दण्ड करे और यदि वहां भी झूठ बोले या छिपावे तो दश प्रतिशत देना चाहिए ।

भृगु के नाम से वर्णित श्लोक –

१. एतद्वोऽयं भृगुः शास्त्रं श्रावयिष्यत्यशेषतः ।
एतद्धि मत्तोऽधिजगे सर्वमेषोऽखिलं मुनिः ।।(१ । ५९ ।।)

अर्थ – यह भृगुमुनि आप सब को सम्पूर्ण धर्मशास्त्र सुनायेंगे । इस मुनि ने यह समस्त शास्त्र मुझ से पढ़ा है ।

२. स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवो भृगुः ।
श्रूयतां येन दोषेण मृत्युर्विप्राञ्जिघांसति ।। (५ । ३ ।।)

अर्थ – उस धर्मात्मा भृगु मुनि ने महर्षियों से कहा कि जिस दोष के कारण विप्रों (विद्वानों) को मृत्यु मारना चाहती है, उसे सुनिये ।

३. इत्येतन्मानवं शास्त्रं भृगुप्रोक्तं पठन्द्विजः ।
भवत्याचारवान्नित्यं यथेष्टां प्राप्नुयाद्गतिम् ।।(१२ । १२६ ।।)

अर्थ – इस भृगु-प्रोक्त मानव-धर्मशास्त्र को पढ़ता हुआ द्विज सदाचारी बन जाता है और इच्छानुसार गति कोप्राप्त करता है ।

(इ) जैसा कि अभी 'क' खण्ड में दर्शाया गया है कि मनु की शैली किसी भी विषय अथवा प्रकरण के प्रारम्भ अथवा समाप्ति पर,या दोनों ही स्थानों पर,उद्दिष्ट विषय का संकेत देने की है । यदि किसी स्वतन्त्र प्रकरण में अथवा एक प्रकरण की समाप्ति होने पर, प्रारम्भ की गई चर्चाओं के आद्यन्त में, उस विषय का संकेत नहीं मिलता,तो उससे यह संकेत मिलता है कि वह प्रकरण मनु की शैली का नहीं है । यथा –

१. प्रथम अध्याय के १११-११८ श्लोकों में मनुस्मृति की विषयसूची का प्रसंग एक स्वतंत्र और पूर्वापर प्रसंग से भिन्न प्रसंग है, किन्तु इस प्रसंग के न तो पूर्व ही उद्दिष्ट विषय का संकेत है और न समाप्ति पर । अतः यह मनु की शैली का प्रसंग नहीं है ।

२. ग्यारहवें अध्याय के १-४३ श्लोकों में स्वतन्त्र दान का तथा अन्य फुटकर प्रसंग हैं, किन्तु उसके प्रारम्भ और समाप्ति पर विषय का संकेत नहीं है । ४३ श्लोकों में वर्णित विषय का कोई संकेत न होना, इस प्रसंग को मनु की शैली का सिद्ध नहीं करता । अतः यह भी प्रक्षिप्त है ।

(ई) निराधार एवं अयुक्तियुक्त शैली –

जहां कारण-कार्य या साधन-साध्य का पारस्परिक सम्बन्धरहित वर्णन किया गया हो, जिस विधान की कोई बुद्धिसंगत स्थिति न हो अथवा तो तर्क के आधार पर पुष्ट नहीं होता, ऐसा वर्णन निराधार एवं अयुक्तियुक्त शैली का है । मनु ने प्रत्येक विधान और वर्णन को साधार एवं युक्तियुक्त ढंग से

वर्णित किया है और धर्मनिर्णय के लिए तर्क को भी एक प्रमुख आधार माना है (१२।१०६, ११९)। मनु के इस दृष्टिकोण के अनुसार उक्त शैली के श्लोक मनुकृत न मानकर प्रक्षिप्त माने गये हैं। यथा –

धान्यं हृत्वा भवत्याखु : कांस्यं हंसो जलं प्लव : ।
मधु दंश : पय : काको रसं श्वा नकुलो घृतम् ।।(१२ । ६२ ।।)

अर्थ – धान्य चुराने वाला चूहा, कांसा चुराने वाला हंस, जल की चोरी करने वाला जलमुर्गा, मधुचोर डांस, दूधचोर कौआ, रस चुराने वाला कुत्ता और घी चुराने वाला नेवला बनता है।

यहां उक्त चोरियों का और उनके फलस्वरूप में वर्णित जन्मों का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है, अत: यह कथन निराधार एवं अयुक्तियुक्त है।

प्रत्यग्निं प्रतिसूर्यं च प्रतिसोमोदकद्विजान् ।
प्रतिगां प्रतिवातं च प्रज्ञा नश्यति मेहत : ।।(४ । ५२ ।।)

अर्थ – अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, जल, ब्राह्मण और गाय तथा वायु इनकी ओर मुख करके लघुशंका करने वाले व्यक्ति की बुद्धि नष्ट होती है।

यहां भी उक्त वस्तुओं की ओर मुख करने का और बुद्धि नष्ट होने का कोई युक्तियुक्त सम्बन्ध नहीं है। इसी प्रकार निम्न विधान भी अयुक्तियुक्त और निराधार है –

मृदं गां दैवतं विप्रं घृतं मधु चतुष्पथम् ।
प्रदक्षिणानि कुर्वीत प्रज्ञातांश्च वनस्पतीन् ।।(४ । ३९ ।।)

अर्थ – मिट्टी, गाय, देवमूर्ति, ब्राह्मण, घी, शहद, चौराहा और प्रसिद्ध वृक्ष, इनको दांयभाग की ओर रखता हुआ बायीं ओर से जाये।

विनाद्भिरप्सु वाप्यार्त : शारीरं संनिवेश्य च ।
सचैलो बहिराप्लुत्य गामालभ्य विशुद्यति ।(११ ।२०२ ।।)

अर्थ – पीड़ित व्यक्ति जल के विना और जल में शरीर के मल-मूत्र को त्यागकर वस्त्ररहित स्नान करे और जल से बाहर आकर गौ कर स्पर्श करे, इस प्रकार वह शुद्ध होता है।

(ग) अतिशयोक्तिपूर्ण शैली —

अभिष्ट सिद्धि की प्रवृत्ति से जहां किसी बात को आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णित किया गया है, वह अतिशयोक्तिपूर्ण शैली है। मनु की शैली में संतुलित वर्णन है। मनुस्मृति एक विधानशास्त्र है, अत: उसमें वर्णित प्रत्येक विधान, प्रत्येक धर्म-अधर्म का कथन यथावत् होना चाहिए। कहीं-कहीं यह यथावत्ता नहीं है, यथा —

अवगूर्य त्वब्दशतं सहस्रमभिहत्य च ।
जिघांसया ब्राह्मणस्य नरकं प्रतिपद्यते ।। ११ । २०६ ।।

अर्थ — ब्राह्मण को मारने की इच्छा से दंड को उठाने मात्र से सौ वर्ष तक और दंडप्रहार करके मारने वाला हजार वर्ष नरक में रहता है।

शोणितं यावत : पांसून्गृह्णाति महीतले ।
तावन्त्यब्दसहस्राणि तत्कर्ता नरके वसेत् ।।(११ । २०७ ।।)

अर्थ — ब्राह्मण के शरीर से निकले रक्त से पृथ्वी के जितने रजकण भीगें, दण्डप्रहार करके ब्राह्मण के शरीर से रक्त निकालने वाला व्यक्ति उतने ही सहस्र वर्ष पर्यन्त नरक में पड़ा रहता है ।

अतिशयोक्तिपूर्ण शैली होने से ये श्लोक मनुप्रोक्त नहीं हैं, अत एव प्रक्षिप्त हैं ।

(ध) पक्षपातपूर्ण शैली —

जहां किसी वर्ग, व्यक्ति या बात की, उपयुक्त आधार या कारण के बिना विशेष पक्षधरता अपनायी गई है ; अथवा किसी वर्ग या व्यक्ति की घृणा, निन्दा, ऊंच-नीच, छूआ-छूत आदि से प्रेरित होकर अनुपयुक्त अवमानना की गई हो ; वह पक्षपातपूर्ण शैली है । मनु की शैली में उपयुक्त 'आधार' या कारण के आधार पर ही प्रशंसा या निन्दा है, पूर्वाग्रहबद्धता-पूर्वक पक्षपात की प्रवृत्ति से नहीं । बीच-बीच में पक्षपात की भावना से ओतप्रोत श्लोक भी आते हैं वे मनुप्रोक्त नहीं है —

ब्राह्मणवर्ग के लिए विशेष पक्षपात —

(अ) स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वंवस्ते स्वं ददाति च ।
आनृशंस्याद् ब्राह्मणस्य भुञ्जते हीतरे जना : ॥(१ । १०१ ।।)

अर्थ —ब्राह्मण जो कुछ खाता है, पहनता है, देता है, वह सब उसका ही है — यह सब ब्राह्मण का ही है । अन्य जो लोग खाते हैं, वे सब ब्राह्मणों की कृपा से खाते हैं ।

ब्राह्मणं दशवर्षं तु शतवर्षं तु भूमिपम् ।
पितापुत्रौ विजानीयाद् ब्राह्मणस्तु तयो : पिता ।।(२ । १३५ ।।)

(इस संस्करण में २ । ११०)

अर्थ —दश वर्ष का ब्राह्मण और सौ वर्ष का क्षत्रिय, पिता-पुत्र के बराबर हैं । उनमें ब्राह्मण पिता के तुल्य है ।

स्त्रियों के लिए पक्षपात-पूर्ण विधान —

(आ) विशील : कामवृत्तो वा गुणैर्वा परिवर्जित :
उपचर्य : स्त्रिया साध्व्या सततं देववत्पति : ।।(५ । १५४ ।।)

अर्थ — पतिव्रता स्त्री को दुष्टस्वभाव वाले, परस्त्रीगामी और गुणहीन पति की भी सदा देवताओं के समान पूजा सेवा करनी चाहिए ।

अछूत की भावना से प्रेरित पक्षपातपूर्ण शैली —

न विप्रं स्वेषु तिष्ठत्सु मृतं शूद्रेण नाययेत् ।
अस्वर्ग्या ह्याहुति : सा स्याच्छूद्रसंस्पर्शदूषिता ।।(५ । १०४ ।।)

अर्थ – जब तक अपने वर्ग के व्यक्ति विद्यमान हैं, तबतक ब्राह्मण के शव को शूद्रों से नहीं उठवाना चाहिये । क्योंकि शूद्र के स्पर्श से दूषित शरीर की आहुति स्वर्ग में नहीं पहुँचाती ।

घृणा और निन्दायुक्त शैली –

(ई) वृषलीफेनपीतस्य नि :श्वासोपहतस्य च ।
तस्यां चैव प्रसूतस्य निष्कृतिर्न विधीयते ।।(३ । १९ ।।)

अर्थ – विवाह करके शूद्र स्त्री के अधरपान करने वाले का, और जिसके मुख पर शूद्रा का श्वास लगा हो, जो शूद्रा के गर्भ में उत्पन्न हुआ हो ; उसका कभी (निस्तार) नहीं हो सकता ।

ऊंच-नीच की भावना से प्रेरित पक्षपातपूर्ण शैली –

(उ) सहासनमभिप्रेप्सुरुत्कृष्टस्यापकृष्टज : ।

कट्यां कृताङ्के निर्वास्य : स्फिचं वास्यावकर्तयेत् ।।(८ । २८१ ।।)

अर्थ – जो शूद्र ब्राह्मण के समान आसन पर बैठना चाहे तो उसकी कमर पर दगवाकर उसे देश निकाला दे दे अथवा नितम्बों को कटवा दे ।

उपर्युक्त सभी श्लोक पक्षपातपूर्ण शैली के होने से मनुप्रोक्त सिद्ध नहीं होते, अत : प्रक्षिप्त हैं ।

६. अवान्तरविरोध —

मनुस्मृति में कुछ प्रसंग ऐसे हैं, जिनमें अन्धाधुन्ध मिलावट हुई है । एक प्रक्षिप्त प्रसंग के अन्तर्गत ही अनेक पारस्परिक विरोध पाये जाते हैं । इन विरोधों से कुछ निष्कर्ष सामने आते हैं — (१) विवादास्पद विषयों में ही अधिक प्रक्षेप हुए हैं, (२) इतने विरोध किसी एक लेखक की रचना मे नहीं हो सकते, (३) प्रक्षेप भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा —(४) भिन्न-भिन्न समयों में किये गये हैं (५) ऐसे विरोधात्मक वर्णन मनुसदृश विद्वान् की रचना नहीं हो सकते हैं (६) अत : वह प्रसंग प्रक्षिप्त और अप्रामाणिक है । एक प्रक्षिप्त प्रसंग में ही परस्पर पाये जाने वाले विरोध को 'अवान्तर विरोध' कहा गया है । यह आधार एक सहयोगी आधार के रूप में लिया गया है । इसके प्रदर्शन से उपर्युक्त निष्कर्ष स्पष्ट हो जाते हैं, और उस प्रसंग की अप्रामाणिकता और प्रक्षिप्तता पुष्ट हो जाती है । जैसे —

३ । १२२ से २४८ तक श्राद्ध-वर्णन का प्रसंग है, जो अन्तर्विरोध, प्रसंगविरोध आदि के आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होता है । साथ ही उस प्रसंग में प्राप्त होने वाले अवान्तरविरोध उसकी प्रक्षिप्तता और अप्रामाणिकता को पुष्ट कर देते हैं और यह संकेत देते हैं कि स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ के अनुसार पूर्वापर प्रसंग देखे बिना ही मनचाहे प्रक्षेप करके अपनी मान्यताओं को शास्त्रसम्मत सिद्ध करने के प्रयास किये हैं । इस प्रसंग में कुछ अवान्तरविरोध इस प्रकार हैं —

(अ) १२९ वें श्लोक में कहा गया है कि देवकर्म में वेदहीन ब्राह्मण को नहीं जिमाना चाहिए, और १४९ में कह दिया कि श्राद्धदाता देवकर्म में जिमाते समय वेदादि के पढ़े लिखे की परीक्षा न करें अर्थात् ब्राह्मणमात्र होना ही पर्याप्त है ।

(आ) सम्पूर्ण प्रसंग में मांसभक्षण का विधान है और मांस की भरपूर प्रशंसा है, किन्तु १५२ में मांसविक्रेता ब्राह्मण को जिमाने का निषेध कर दिया । यदि मांसभक्षण पवित्र और प्रशंसनीय कार्य है तो मांसविक्रेताओं को निन्द्य क्यों माना गया ?

(इ) १५१ वें श्लोक में श्राद्ध-कर्म में ब्रह्मचारी को जिमाने का निषेध है, और १८६, १९२, २३४ में श्राद्ध में जिमाने का विधान है । इतना ही नहीं इनमें उसे पंक्तिपावन (श्राद्ध की पंक्ति को पवित्र करने वाला) तक माना है ।

(ई) १९६ –१९७ श्लोकों में शूद्रादि सभी वर्णों के लिए श्राद्ध करना कहा है, और २४१ आदि में शूद्र के स्पर्श का निषेध, शूद्र के देखने मात्र से श्राद्ध के पुण्य का नष्ट हो जाना आदि प्रदर्शित है ।

(उ) १३८ में मित्र ब्राह्मण को श्राद्ध में जिमाने का निषेध है, किन्तु १४४ में जिमाने का विधान है ।

(ऊ) १६७ –१७३ तक के श्लोकों में विभिन्न मांसों से कई-कई मास, वर्ष और अनन्त काल तक पितरों की तृप्ति मानी है । यदि एक बार के श्राद्ध से इतनी तृप्ति हो जाती है तो उनको पुन : पाक्षिक मासिक श्राद्ध की क्या आवश्यकता रह जाती है ?

७. वेद-विरुद्ध —

मनुस्मृति के १ । ३ ।। २ । ६ (इस संस्करण में १ । १२५) ९–१५ ।। १२ । ९३–९९, १०९–११३ श्लोकों से यह विदित होता है कि मनु वेद को ही धर्म का मूलाधार मानते हैं और उनकी मनुस्मृति भी वेदानुकूल है । अन्य परवर्ती स्मृतियों ने भी मनुस्मृति को वेदानुकूल घोषित किया है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुस्मृति में कोई मान्यता वेदविरुद्ध नहीं होनी चाहिए । जो वेदविरुद्ध होगी, वह मनु की मान्यता के आधार पर प्रक्षिप्त ही मानी जायेगी । यहां यह स्पष्टीकरण भी उपयुक्त होगा कि वेद की मान्यताओं को निर्विवाद रूप में स्पष्ट करना अपने आप में एक जटिल कार्य है, अत : वेदों की जो मान्यताएँ बिल्कुल स्पष्ट हैं, उन्हीं के अनुसार इस आधार का उपयोग किया गया है । विशेषत : उन विधानों में तो इस आधार का उपयोग करना अति-आवश्यक हो गया है जिनमें वेदों को उद्धृत करके वर्णन है । कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं —

(१) भिन्न श्लोकों में स्त्री-शूद्रों को वेदमन्त्रों के पठन-श्रवण का निषेध है—

(क) अमन्त्रिका तु कार्येयं स्त्रीणामावृदशेषत : ।।
(२।६६ ।।) (२ । ४१ इस संस्करण में)

अर्थ —स्त्रियों के संस्कार के लिए ये समस्त-कर्म बिना मन्त्र के करे ।

(ख) सायं त्वन्नस्य सिद्धस्य पत्न्यमन्त्रं बलिं हरेत् ।।(३ । १२१ ।।)

अर्थ —सायंकाल पाकशाला में बनाये अन्न से पत्नी मन्त्रोच्चारण किये बिना बलि देवे ।

(ग) नाविस्पष्टमधीयीत न शूद्रजनसन्निधौ ।।(४ । ९९ ।।)

अर्थ — वेदों को अस्पष्ट न पढ़े और शूद्र के सामने न पढ़े ।

इन श्लोकों में वेदविषयक विधान स्वयं वेदविरुद्ध हैं । वेद में वेदाध्ययन सभी के लिए विहित है —

(क) "यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्य : ।
ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ।।(यजुर्वेद २६ । २)

अर्थात् — "परमेश्वर कहता है कि (यथा) जैसे मैं (जनेभ्य :) सब मनुष्यों के लिये (इमाम्) इस (कल्याणीम्) कल्याण अर्थात संसार और मुक्ति के सुख देने हारी (वाचम्) ऋग्वेद आदि चारों वेदों की वाणी का (आवदानि) उपदेश करता हूँ वैसे तुम भी किया करो । यहां कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द से द्विजों का ग्रहण करना चाहिए क्योंकि स्मृत्यादि ग्रन्थों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही को वेदों के पढ़ने का अधिकार लिखा है, स्त्री और शूद्र आदि वर्णों का नहीं ? (उत्तर) — (ब्रह्मराजन्याभ्याम्) इत्यादि, देखो परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय (आर्याय) वैश्य (शूद्राय) शूद्र और (स्वाय) अपने भृत्य वा स्त्री आदि (अरणाय) और अतिशूद्र आदि के लिए भी वेदों का प्रकाश किया है ।" (स. प्र. समु. तृतीय, पृ. ७४)

(ख) सभी व्यक्तियों को वेद पढ़ने का अधिकार होने और यज्ञ आदि वैदिक क्रियाएं करने का अधिकार होने में वेदमन्त्र के साथ-साथ वेद के अंग 'निरुक्त का प्रमाण —

"यज्ञियास : पञ्चजना : मम होत्रं जुषध्वम् ।।"
(ऋग्. १० । ५३ । ४)

इस मन्त्र में पठित 'पञ्चजना :' पद की व्याख्या करते हुए यास्क ऋषि स्पष्ट करते हैं —

''**गन्धर्वा : पितरो देवा असुरा रक्षांसीत्येके । चत्वारो वर्णा :, निषाद : पञ्चम इति औपमन्यव : । निषाद : कस्माद् ? निषन्नं अस्मिन् पापकमिति नैरुक्ता पञ्चजनीनया विशा ।**'' (३ । ८)

अर्थात् — 'गन्धर्व, पितर, देव, असुर, राक्षस, ये पांच प्रकार के व्यक्ति हैं, इन सब को यज्ञ करने का अधिकार है; ऐसा कुछ आचार्य मानते हैं । औपमन्यव का मत है कि चार वर्ण — ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा निषाद = पापी इन सबको यज्ञ का अधिकार है । निषाद को 'निषाद' क्यों कहते हैं ? क्योंकि इस व्यक्ति के मन में पाप की भावना रहती है । इस प्रकार सभी मनुष्यों के ये पांच वर्ग हैं ।' यज्ञ में मन्त्रपाठ अवश्य होता है ।

(ग) स्त्रियों को वेदाध्ययन, विद्याप्राप्ति एवं ब्रह्मचर्याश्रम के विधान में वेद का प्रमाण —

'**ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम् ।**'

(अथर्व. ३ । २४ । ११ । १८)

''जैसे लड़के ब्रह्मचर्य-सेवन से पूर्णविद्या और सुशिक्षा को प्राप्त होके युवती, विदुषी, अपने अनुकूल, प्रिय, सदृश स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं, वैसे (कन्या) कुमारी (ब्रह्मचर्येण) ब्रह्मचर्य सेवन से वेदादिशास्त्रों को पढ़ पूर्णविद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवक होके पूर्ण युवावस्था में अपने सदृश, प्रिय विद्वान् (युवानम्) पूर्ण युवावस्थायुक्त पुरुष को (विन्दते) प्राप्त होवे । इसलिए स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य और विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिए ।

(प्रश्न) क्या स्त्री लोग भी वेदों को पढ़ें ?

(उत्तर) अवश्य, देखो श्रौतसूत्र आदि में —

'**इमं मन्त्रं पत्नी पठेत् ।।**

अर्थात् — 'स्त्री यज्ञ में इस मन्त्र को पढ़ें । जो वेदादि शास्त्रों को न पढ़ी होवे तो यज्ञ में स्वरसहित मन्त्रों का उच्चारण और संस्कृतभाषण कैसे कर सके । भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषणरूप गार्गी आदि वेदादिशास्त्रों को पढ़के पूर्ण विदुषी हुई थीं, शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है ।'

(स. प्र. तृतीय समु. पृ. ७५)

(आ) मनुस्मृति के पंचम अध्याय के २६ से ४२ श्लोकों में वेद का साक्ष्य देकर हिंसा का विधान है, वह साक्ष्य मिथ्या और वेदविरुद्ध है । वेद में तो हिंसा का निषेध है —

'**यजमानस्य पशून् पाहि**' (यजु. १।१)

मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे' (यजु. ३६ । १८)

अत : वेदविरुद्ध होने से मनुस्मृति के सभी हिंसापरक श्लोक प्रक्षिप्त कहलायेंगे ।

अन्त में यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक समझता हूँ कि उपर्युक्त आधारों के अतिरिक्त और भी 'आधार' बन सकते थे, या बन सकते हैं किन्तु अभी केवल सात ही आधारों पर कार्य किया है । अन्य आधारों का निर्माण कुछ का तो इसीलिए नहीं किया जा सकता कि वे दोषपूर्ण प्रतीत होते हैं । उदाहरण के रूप में यह बहुत संभव है कि कुछ श्लोक स्थानभ्रष्ट हो गये हों, लेकिन हम यदि स्वयं उनका क्रम निश्चित करदें तो फिर कोई सीमित आधार नहीं रह जायेगा । कोई किसी श्लोक को कहीं रखेगा, कोई कहीं । ऐसे श्लोक जो स्थानभ्रष्ट प्रतीत हुए और उनमें प्रक्षेप की कोई प्रवृत्ति लक्षित नहीं हुई, उन्हें उसी स्थान पर रखकर अपनी टिप्पणी देदी है । इसी प्रकार कुछ आधारों का निर्माण करना संभव ही नहीं लगा, जैसे — किसी एक पदभाग या पंक्ति के रूप में किये गये प्रक्षेपों को निकालना । इसी प्रकार मौलिक बचे श्लोकों में भी कुछ रचनाएं इस प्रकार की हैं जो निर्धारित

आधारों की सीमा में नहीं आतीं, किन्तु वे इतनी साधारण बातें हैं कि उन्हें मनु सदृश महर्षि की रचना कहने में सन्देह होता है।

इतना कार्य करने के बाद भी इस विषय में कार्य करना शेष रह जाता है। फिर भी अब जैसा संभव हो सका, मनुस्मृति के गदलेपन और विकृति को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया गया है, और इसमें कोई गर्वोक्ति की बात भी नहीं है कि इन 'आधारों' से मनुस्मृति का शुद्धिकरण करने से इसका गदलापन तो निश्चितरूप से दूर हो ही गया है।

६. प्रक्षेपों से हानियां एवं भ्रान्तियां

प्रक्षेपकों ने मनुस्मृति में स्वाभिमत प्रक्षेप करके अपना स्वार्थ एवं उद्देश्य तो सिद्ध कर लिया, किन्तु इस दुष्कृत्य से मनुस्मृति को गहरा आघात पहुंचा है। मनुस्मृति का अध्ययन करने से यह ज्ञात हो जाता है कि उसका मौलिक रूप अत्यन्त शुद्ध, परिष्कृत, मानवतापूर्ण, पक्षपातदुराग्रहरहित एवं उच्चाशयों से युक्त था। प्रक्षिप्तों ने उस स्वरूप को विकृत करके गदला और भद्दा बना दिया। मनु की मौलिक व्यवस्थाओं को परिवर्तित करके मनु के उद्देश्य को संकीर्ण एवं कुण्ठित रूप दे दिया। प्रक्षिप्त वर्णनों के कारण आज मनुस्मृति को पाठकों की आक्षेपात्मक आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। इसे घृणा की दृष्टि से देखा जाता है और अध्ययन के योग्य ग्रन्थ नहीं माना जाता। इस प्रकार प्रक्षिप्तों के कारण एक सुन्दर ग्रन्थ का अपमान हो रहा है। साथ ही अनेक भ्रान्तियाँ भी पनप गयी हैं। प्रक्षिप्तों के कारण हुई हानियों और भ्रान्तियों का अनुमान निम्न बातों से लगाया जा सकता है —

(१) भारतीय संस्कृति के स्वरूप में विकृति —

मनुकालीन समाज की संस्कृति अत्यन्त उच्च आदर्शों से अनुप्राणित, पक्षपात और दुराग्रहरहित व्यवस्थाओं से युक्त, मानवता और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत थी। वर्णव्यवस्था का आधार कर्म थे (१।८७-९१)। घृणा की भावना व्यक्तियों के प्रति न होकर दुष्कर्मों के प्रति थी। परवर्ती काल में व्यवस्थाएँ और परम्पराएँ विकृत एवं शिथिल हो गईं। वर्णव्यवस्था कर्मणा न रहकर जन्मना मानी जाने लगी। ज्ञान-विद्या पर ब्राह्मणों का एकमात्र आधिपत्य हो गया। उन्होंने अपने को सर्वोच्च तथा पवित्र घोषित किया और स्त्री, शूद्र को घृणास्पद तथा अस्पृश्य बताया। अवान्तर काल की इन विकृत-व्यवस्थाओं को शास्त्रसम्मत सिद्ध करने के लिए मनुस्मृति तथा अन्य शास्त्रों में स्थान-स्थान पर उनका प्रक्षेप कर दिया और उन वर्णनों को पढ़कर ही आज यह माना जाने लगा कि ये विकृतियाँ मनुकालीन समाज में भी थीं। इन प्रक्षिप्तों के आधार पर ही आलोचक आज यह आक्षेप करते हैं कि मनुकालीन समाज में जाति-पाँति, स्पृश्यास्पृश्य की भावना, स्त्री-शूद्रों के प्रति हीनदृष्टि थी। शूद्रों के प्रति पक्षपात और विद्वेषपूर्ण व्यवहार था। माँसभक्षण, पशुयज्ञ, बहुविवाह, आदि का प्रचलन था। इस प्रकार प्रक्षेपों के कारण प्राचीन संस्कृति का स्वरूप भद्दा एवं विकृत हो गया। इतिहासकार तत्कालीन समाज और संस्कृति का जो इतिहास प्रस्तुत कर रहे हैं वह इन्हीं प्रक्षिप्तों पर आधारित होने से वास्तविक नहीं कहा जा सकता।

(२) रचनाकाल-सम्बन्धी भ्रान्तियाँ —

यद्यपि मनुस्मृति के रचनाकाल के सम्बन्ध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं तथापि प्राप्त प्रमाणों के आधार पर यह अवश्य कहा जा सकता है कि मनुस्मृति उपलब्ध समस्त लौकिक संस्कृत-साहित्य से प्राचीन है और कुछ वैदिक साहित्य से भी (विस्तृत विवेचन पूर्व वर्णित है)। किन्तु कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने इसे महाभारत से भी परवर्ती और कुछ ने इसे शुंगकालीन माना है। यह रचनाकाल-सम्बन्धी भ्रान्ति कुछ प्रक्षिप्त श्लोकों के कारण ही हुई है। महाभारत से परवर्ती मानने वाले इतिहासकार निम्न श्लोकों को आधार मानते हैं —

> कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पञ्चाला : शूरसेनका : ।
> एष ब्रह्मर्षिदेशो वै ब्रह्मावर्तादनन्तर : ।। (२।१९ ।।)

अर्थ — ब्रह्मावर्त से मिला हुआ कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल और शूरसेनक देशों का प्रदेश ब्रह्मर्षि-देश कहलाता है ।

कुरुक्षेत्रांश्च मत्स्यांश्च पञ्चालांशूरसेनजान् ।
दीर्घाल्लघूंश्चैव नरानग्रानीकेषुयोजयेत् ।। (७।१९३ ।।)

अर्थ — कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल, शूरसेनक देशों में उत्पन्न सैनिकों को, जो लम्बे या छोटे कद के होते हैं, उनको सेना के अगले भाग में रखें ।

इन श्लोकों में कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल, शूरसेनक नामों का उल्लेख है, अत : विद्वानों का विचार है कि मनुस्मृति इनसे परवर्ती है । किन्तु ये दोनों ही श्लोक परवर्ती हैं ।

इसी प्रकार कुछ अत्याधुनिक परम्पराओं के कारण, कुछ वाममार्गीय परंपराओं के कारण मनुस्मृति को शुंगकालीन घोषित किया गया, जैसे- बालविवाह का विधान, मद्य-मांस का विधान आदि । वे इस प्रकार के श्लोक हैं —

त्रिंशद्वर्षोद्वहेत्कन्यां हृद्यां द्वादशवार्षिकीम् ।
त्र्यष्टवर्षोऽष्टवर्षां वा धर्मे सीदति सत्वर : ।। (९।९४ ।।)

अर्थ — गृहस्थ-धर्म का लोप न चाहता हुआ तीस वर्ष का पुरुष शीघ्र ही १२ वर्ष की सुन्दर कन्या और २४ वर्ष का आठ वर्ष की कन्या से विवाह करे ।

न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने ।
प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ।। (५।५६ ।।)

अर्थ — माँस-भक्षण, शराब पीना और व्यभिचार में कोई दोष नहीं है । यह तो प्राणियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, किन्तु इनसे निवृत्ति होना अतिलाभदायक है ।

ये श्लोक भी प्रक्षिप्त हैं । इस प्रकार प्रक्षिप्त श्लोकों ने मनुस्मृति के काल के सम्बन्ध में विवाद पैदा कर दिया और अनेक इतिहासकारों को इसका कालनिर्णय करने में भ्रान्ति का शिकार होना पड़ा है ।

(३) साहित्यिक अवमूल्यन

अपने मौलिक रूप में मनुस्मृति उत्कृष्ट एवं शिक्षाप्रद ग्रन्थ है । इसमें मनु के हितकारी, शान्तिप्रद और मार्गदर्शक प्रवचन हैं । इनमें अधिकांश प्रवचन ऐसे हैं, जिन्हें जीवन के शाश्वत और सार्वभौमिक सिद्धान्त कहा जा सकता है । इसी कारण भारतीय साहित्य में मनुस्मृति का शीर्षस्थान रहा; किन्तु आज प्रक्षिप्तों के कारण इसे रूढ़िवादी ग्रन्थ माना जाने लगा है, और विभिन्न विकृतियों के कारण इसे साहित्य में सम्मानित स्थान और महत्व नहीं दिया जाता । प्रक्षेपों से मनुस्मृति की साहित्यिक गरिमा का हनन हुआ है ।

(४) प्रामाणिकता में सन्देह

विभिन्न विरोधी बातों के प्रक्षेपों के कारण आज पाठक मनुस्मृति की प्रामाणिकता में ही संदेह करने लगे हैं । मनुस्मृति का रचयिता कौन है, और क्या यह मनुस्मृति वास्तविक है, इत्यादि प्रश्न प्रक्षेपों के कारण और अधिक उलझ गये हैं । जैसे —

निम्न श्लोक से मनुस्मृति मनुप्रोक्त सिद्ध होती है -

मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षय : ।
प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमब्रुवन् ।। (१।१ ।।)

अर्थ — एकाग्रचित्त होकर बैठे मनु जी के सामने महर्षि उपस्थित हुए और उनका योग्य सत्कार करके मनु जी से इस प्रकार कहने लगे ।

किन्तु निम्न श्लोक इसे भृगुप्रोक्त सिद्ध करता है —

एतद्वोऽयं भृगुः शास्त्रं श्रावयिष्यत्यशेषतः ।। (१।५९ ।।)

अर्थ — इस धर्म-शास्त्र को भृगुमुनि आप सब ऋषियों को सम्पूर्णस्वरूप में सुनायेंगे ।

निम्न श्लोकों से मनुस्मृति मूलतः ब्रह्माप्रोक्त सिद्ध होती है —

प्रजापतिरिदं शास्त्रं तपसैवासृजत्प्रभुः ।। (११।२४३ ।।)

अर्थ — प्रजापति ने इस धर्मशास्त्र को तपस्या करके बनाया ।

इदं शास्त्रं तु कृत्वासौ मामेव स्वयमादितः ।
विधिवद्ग्राहयामास मरीच्यादींस्त्वहं मुनीन् ।।(१।५८ ।।)

अर्थ — मनुजी कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रारम्भ में इस धर्मशास्त्र को बनाकर प्रथम विधिपूर्वक मुझे उपदेश दिया । और फिर मैंने मरीचि आदि मुनियों को पढ़ाया ।

इसी प्रकार अन्य परस्परविरोधी, प्रसंगविरोधी वर्णन भी मनुस्मृति में मिलते हैं, जिन्हें पढ़कर पाठक का सिर चकराने लगता है और फिर उसे इसकी प्रामाणिकता में सन्देह पैदा होता है ।

(५) मनु के व्यक्तित्व पर आंच —

महर्षि मनु को धर्मप्रवक्ता के रूप में सभी ने सर्वोच्च स्थान दिया है । परवर्ती शास्त्रों, ऋषि-महर्षियों ने एकमत से मनु के विधानों को प्रमाण माना है और उन्हें प्रमाणिक, अधिकारी विद्वान् । **''यद्वै किंच मनुरवदत् तद् भैषजम्''** (जो कुछ मनु ने कहा है, वह औषध है —तै. सं. २।२।१०२) कहकर उन्हें सर्वाधिक आदर दिया । किन्तु परवर्ती पक्षपात —दुराग्रहबद्ध, रूढ़, अन्धविश्वास और घृणा-विद्वेष से प्रेरित प्रक्षेपों के कारण पाठकों की दृष्टि में मनु की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई । पाठकों के लिए प्रक्षेपों की परीक्षा तो सम्भव न हो सकी, किन्तु उन्होंने यह अवश्य मान लिया कि इस प्रकार का वर्णन करने वाला व्यक्ति कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं हो सकता । इस प्रकार के प्रक्षेपों ने मनु के व्यक्तित्व का हनन किया है ।

(६) मनुस्मृति के प्रति घृणा का दृष्टिकोण —

ऊपर-वर्णित घिनौनी और अमानवीय बातों का मनुस्मृति में उल्लेख देखकर आज के व्यक्ति इसके प्रति उपेक्षा और घृणा की भावना रखने लगे हैं । कोई-कोई इसे 'स्वार्थी ब्राह्मणों का पोथा' कहकर मजाक उड़ाते है । विशेषतः निम्नवर्ग तो इस के प्रति इसलिए आक्रोश प्रकट करते हैं, क्योंकि इसमें उनके प्रति पक्षपात और विद्वेष का वर्णन है । स्त्रियों की निन्दा देखकर स्त्रीवर्ग की भी इस ग्रन्थ के प्रति उदासीनता की भावना है । यह सब प्रक्षेपों के कारण है ।

इस प्रकार प्रक्षेपों के कारण मनुस्मृति को विभिन्न हानियां हुई हैं और उस के सम्बन्ध में भ्रान्तियां जन्मी हैं । अतः यह आवश्यक है कि मनुस्मृति के प्रक्षेपों का अनुसन्धान करके उन्हें दूर किया जाये जिससे मनुस्मृति का मौलिक शुद्ध रूप सामने आ सके । प्रक्षेपों के निकल जाने पर ही मनु एवं मनुस्मृति के प्रति जनता की श्रद्धा जाग सकती है तभी मनुकालीन भारतीय संस्कृति और इतिहास का वास्तविक चित्र सामने आ सकता है ।

———— ○ ————

तृतीय अध्याय

मनु की प्रमुख मौलिक मान्यताएं और उनकी मौलिकता के आधार

पिछले अध्याय में, मनुस्मृति में पाये जाने वाले प्रक्षिप्त श्लोकों और उनके अनुसंधान में सहायक 'मानदण्डों' पर लक्षण-उदाहरण सहित पर्याप्त विवेचन प्रस्तुत करके प्रक्षेपानुसन्धान की पद्धति को स्पष्ट कर दिया गया है और भाष्य में भी उन-उन श्लोकों या मान्यताओं पर यथास्थान आधारभूत समीक्षा दी है, फिर भी इस विषय में बार-बार ये शंकाएं उठायी जाती हैं कि 'अमुक मान्यता को मौलिक क्यों माना गया ?' 'अमुक मान्यता को प्रक्षिप्त क्यों माना गया है ?' 'आप जिसे प्रक्षिप्त घोषित कर रहे हैं, क्यों न उसे मौलिक स्वीकार किया जाये ?' आदि-आदि ।

पीछे यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि कृतित्व के आधार पर निर्धारित प्रसंगविरोध, अन्तर्विरोध आदि सात मानदण्डों के अनुसार जो मान्यता मनुस्मृति-विरुद्ध सिद्ध होती है, वह प्रक्षिप्त मानी गयी है और मनुस्मृति-संगत मान्यता मौलिक । यहां मनु की कुछ प्रमुख मान्यताओं का, मनुस्मृति में प्राप्त होने वाले उससे सम्बन्धित समग्र पक्ष-विपक्षात्मक विवरण को एकत्ररूप में प्रस्तुत करके, और अधिक विवेचन किया जाता है, जिससे ये मान्यताएं और इनको मौलिक मानने की पद्धति और अधिक स्पष्ट हो सके ।

मनुस्मृति की किसी भी मान्यता को मौलिक और प्रक्षिप्त मानने में सर्वसामान्य कारण या तर्क निम्न हैं —

१. मनुस्मृति के प्रतिपाद्य, उसकी आधारभूत भावनाओं —जो कि प्रसंग, विषय और शैली की दृष्टि से पूर्वापर क्रम से संगत हैं — के अनुकूल वर्णन या मान्यताएं मौलिक हैं, और इनके विरुद्ध प्रक्षिप्त हैं । ये प्रक्षिप्त 'अन्तर्विरोध' या 'परस्परविरोध' वर्ग के अन्तर्गत आते हैं ।

२. मनुस्मृति कुछ निधारित विषयों या प्रकरणों में आबद्ध है । किसी भी विषय के प्रारम्भ, अन्त अथवा दोनों स्थानों पर मनुस्मृति में उसका संकेत स्वयं किया गया है । उन विषय-संकेतों से सम्बद्ध वर्णन मौलिक है और उनसे बाह्य वर्णन प्रक्षिप्त हैं । ये प्रक्षेप 'विषयविरोध' वर्ग के अन्तर्गत आते हैं ।

३. मनुस्मृति के पूर्वापर प्रसंगक्रम से जुड़े हुए श्लोक मौलिक हैं, और उससे तालमेल न रखने वाले अथवा उस क्रम को भंग करने वाले श्लोक प्रक्षिप्त हैं । ये 'प्रसंगविरोध' के अन्तर्गत आते हैं ।

४. मनुस्मृति की संरचना और वर्णन पद्धति की कुछ सुनिश्चित शैलियां भी पायी जाती हैं ।[1] उन शैलियों में ढले या अनुकूल वर्णन मौलिक हैं और उनसे विरुद्ध प्रक्षिप्त । इन सभी को 'शैलीगत आधार' के अन्तर्गत रखा गया है ।

५. मनु ने अपनी स्मृति का मूलस्रोत या आधार वेद को माना है,[2] अत : स्पष्ट है कि मनुस्मृति में वेदानुकूल पायी जाने वाली मान्यताएं मौलिक हैं और उसके प्रतिकूल पायी जाने वाली प्रक्षिप्त हैं । यह बात मनु ने स्वयं भी स्वीकार की है ।[3] इस प्रकार के प्रक्षेपों को 'वेदविरोध' की संज्ञा दी गयी है

६. प्रक्षेप करने का कोई न कोई कारण अवश्य होता है । वह प्रक्षेप करने के पीछे 'निहितप्रवृत्ति'

१. शैलियों के परिज्ञान के लिए मनु. का पु., तृतीय अध्याय में शैलीगत आधार और चतुर्थ अध्याय में 'मनुस्मृति की शैली' शीर्षक द्रष्टव्य है ।

२. १।१२९ (२।१०) ; १।३ / १।१२५ (२।६), १।१२७, १२८, १३०-१३४ (२।८, ५, ११-१५) ; १।२१ ३१ ; १२।१०८, १०९, ११३, आदि ।

३. १२।९५-९६ ।।

कही जा सकती है । प्रक्षिप्त निर्धारण में इस प्रवृत्ति को भी ध्यान में रखा गया है । इसको ध्यान में रखना इसलिए भी आवश्यक है कि प्राचीनकाल में स्मृति या हस्तलेखों के द्वारा ही विद्याएं या शास्त्र सुरक्षित रखे जाते थे । इसकी बहुत अधिक संभावना है कि किसी श्लोक में स्मृतिदोष से पूर्वापरक्रम में परिवर्तन आ गया हो, और फिर वैसा ही लेखबद्ध हो गया हो, अथवा हस्तलेख में त्रुटित होकर स्थानभ्रष्ट हो गया हो ।

इन तर्क या आधारों में से किसी श्लोक पर एक आधार ही लागू होता है, तो कहीं एक से अधिक भी । इन आधारों के अनुसार मनुस्मृति में मौलिक सिद्ध होने वाली कुछ प्रमुख मान्यताएं निम्न हैं —

१. मनुस्मृति में वर्णव्यवस्था कर्मणा मान्य है, जन्मना नहीं —

मनुस्मृति में अनेक स्थलों पर स्पष्ट और सांकेतिक रूप में ऐसे वर्णन हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि मनु वर्णव्यवस्था का निर्धारण मूलत : कर्म से मानते हैं, जन्मना नहीं । किसी भी वर्ण में उत्पन्न बालक को माता-पिता अपने वर्ण या अन्य किसी भी वर्ण में दीक्षित करा सकते हैं, किन्तु शैक्षणिक काल में अन्तत : वर्ण का निश्चय, उसके गुण, कर्म, स्वभाव-संस्कार आदि के आधार पर आचार्य करता है । बाद में कर्मों या व्यवसाय के आधार पर उसमें परिवर्तन हो सकता है ।

(क) इस मान्यता के विधायक या संकेतक स्थल —

इस मान्यता को प्रदर्शित करने वाले निम्न स्थल मनुस्मृति में प्राप्त हैं । ये सभी मनुस्मृति की आधारभूत भावना के अनुरूप, संकेतित विषय के अन्तर्गत, प्रसंगसम्मत और शैली के अनुकूल हैं —

१।३१, ८७-९१ ; २।११-१४ (३६-३९), ७८(१०३), १०१(१२६), १४३(१६८) ; ४।२४५ ; १०।६५ ।।

इन सभी स्थलों का अनुशीलन और विश्लेषण करने के अनन्तर इस विषयक निम्न निष्कर्ष स्पष्ट होते हैं —

(१) (क) यदि मनु जन्म से ही किसी वर्ण को श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ मानते तो उन्हें वर्णों के कर्मों का निश्चय करने की आवश्यकता नहीं थी; क्योंकि जो व्यक्ति जन्म के आधार पर ही श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ माना जा रहा है तो वह वैसा ही रहेगा, चाहे कर्म करे या न करे । यतो हि शैशवावस्था और कौमार्यावस्था में भी वह वर्णों के लिए प्रतिपादित कर्मों को नहीं करता है, अपितु बहुत बार तो अज्ञान में विरोधी कर्म भी कर देता है । जब उस अवस्था में उसे जन्मत : ब्राह्मण या धर्म की प्रत्यक्ष मूर्ति माना जा रहा है [१।९८] तो बाद में कर्मों के न करने या विरोधी कर्मों के करने से भी उसका ब्राह्मणत्व नष्ट नहीं होना चाहिए । लेकिन मनुस्मृति के सभी विधि-निषेध वचनों, व्यवस्थाओं और वर्णों के लिए कर्मों के निश्चय से स्पष्ट होता है कि मनु धर्म-अधर्म, कर्म और अवस्थाओं से ही वर्णव्यवस्था या व्यक्ति की श्रेष्ठता मानते हैं, जन्म से नहीं । यदि जन्म से ही श्रेष्ठत्व स्वीकार कर लिया जाये तो मनुस्मृति की सम्पूर्ण कर्मव्यवस्था ही व्यर्थ हो जायेगी । कोई पालन करे या न करे व्यवस्थाओं का कोई महत्त्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि उनका श्रेष्ठत्व-अश्रेष्ठत्व तो जन्म से ही निर्धारित हो ही चुका । लेकिन मनु ने कर्म के आधार पर वर्णव्यवस्था मानी है । निम्न श्लोकों में उनकी अत्यधिक स्पष्ट घोषणा द्रष्टव्य है —

> शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम् ।
> क्षत्रियाज्जातमेवं तु विद्याद्वैश्यात्तथैव च ।। (१०।६५ ।।)

अर्थात् —श्रेष्ठ-अश्रेष्ठ कर्मों के अनुसार शूद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र हो जाता है अर्थात् गुणकर्मों

के अनुकूल कोई ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण रहता है तथा जो ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के गुण वाला हो तो वह क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो जाता है । इसी प्रकार शूद्र के घर उत्पन्न भी मूर्ख हो तो वह शूद्र रहता है और जो उत्तम गुणयुक्त हो तो यथायोग्य ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो जाता है । इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य का भी वर्ण-परिवर्तन समझना चाहिए ।

कर्मणा वर्णव्यवस्था का अतिस्पष्ट विधान — मनु ने इस श्लोक में अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में वर्णव्यवस्था को कर्मों पर आधारित माना है । इस मान्यता के सम्बन्ध में अन्य विवेचन २।३१, ८७-९१ ; १०७, ११।११४ श्लोकों में और उनकी समीक्षा में देखिये ।

(ख) श्लोक की पुष्टि में प्रमाण — प्राचीन काल में कर्मानुसार वर्णव्यवस्था प्रचलित थी । इसके अनेक प्रमाण और उदाहरण मिलते हैं । आपस्तम्ब धर्मसूत्र १।५।१०-११ में इसी मान्यता को स्पष्ट किया है —

''धर्मचर्य्यया जघन्यो वर्ण : पूर्वं पूर्वं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ ।। १ ।।
अधर्मचर्य्यया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ ।। २ ।।

धर्माचरण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम-उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है और वह उसी वर्ण में गिना जावे कि जिस-जिस के योग्य होवे ।। १।।

वैसे अधर्माचरण से पूर्व अर्थात् उत्तम वर्णवाला मनुष्य अपने से नीचे-नीचे वाले वर्ण को प्राप्त होता है और उसी वर्ण में गिना जावे ।। २ ।।'' (स. प्र. चतुर्थ समु.)

(२) अपने धर्म-कर्मों को पालन न करने पर कोई भी व्यक्ति शूद्र बन जाता है, ऐसा मनु का मत है । यथा —(अ) वेद न पढ़ने पर द्विज शूद्रता को प्राप्त करता है **(योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् । स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वय: ।।(२।१६८)** । (आ) सन्ध्योपासना न करने वाला व्यक्ति शूद्रवत् होता है **(न तिष्ठति तु य : पूर्वां नोपास्ते यश्च पश्चिमाम् । स शूद्रवद् बहिष्कार्य : सर्वस्मात् द्विजकर्मण : ।।(२।१०३)** । (इ) यथोक्त आयुसीमा तक उपनयन में दीक्षित न होकर द्विज न बनने वाले व्यक्ति 'व्रात्य' संज्ञक शूद्र कहलाते हैं [२।३७-४०] । (ई) नीचों की संगति से ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त करता है **(उत्तमान्नुत्तमान्गच्छन् हीनान् हीनांश्च वर्जयन् । ब्राह्मण : श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शूद्रताम् ।।** (४।२४५) । इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि न तो मनु ने व्यक्ति को जन्म से ही अश्रेष्ठ माना है और न जन्मना आधार पर वर्णव्यवस्था मानी है, यदि जन्मना इनका निर्धारण होता तो उक्तरूप से वे निम्न न बनते ।

(३) इसके साथ ही शूद्रता को प्राप्त व्यक्ति यदि अपने कर्मों को सुधार लेता है और त्रुटियों के लिए प्रायश्चित्त कर लेता है तो वह पुन : अपने वर्ण का हो सकता है । मनु ने यह मान्यता, 'व्रात्य' संज्ञक शूद्रों के लिए और वर्णविरुद्ध कार्यों के कारण ब्राह्मण-वर्ण से बहिष्कृत ब्राह्मणों के लिए विहित प्रायश्चित्तों में प्रकट की है [११।१९१-१९६] । इस व्यवस्था से भी मनु की वर्णव्यवस्था कर्मानुसार ही सिद्ध होती है ।

(४) मनु ने व्यक्ति की प्रतिष्ठा और बड़प्पन, गुणों की योग्यता के आधार पर माना है [२।१३६ १३७, १५४, १५६] । मनु की यह मान्यता भी यह स्पष्ट करती है कि मनु जन्म के आधार पर श्रेष्ठता या उच्चता अथवा वर्णव्यवस्था नहीं मानते, अपितु कर्म या गुणों को ही आधार मानते हैं ।

(५) मनु ने वर्णों के कर्म बतलाते हुए **''लोकानां विवृद्धयर्थम्''** (समाज की वृद्धि के लिए १।३१) और **''सर्वस्यास्य तु गुप्त्यर्थम्''** (इस समस्त जगत् की सुरक्षा के लिए १।८७) को

कर्मनिर्धारण का कारण बतलाया है । इन कारणों पर विशेष ध्यान देने पर यहां यह स्पष्ट मान्यता प्रकट हो जाती है कि मनु कर्मों के आधार पर ही वर्ण-व्यवस्था मानते हैं, जन्म के अनुसार नहीं । क्योंकि, यदि जन्म से ही व्यक्ति श्रेष्ठ-अश्रेष्ठ, उच्च-निम्न निर्धारित हो गये तो उससे समाज या जगत् की क्या वृद्धि होगी ? केवल उच्च लोगों की वृद्धि होगी । अपितु वृद्धि भी कहां होगी, जो जिस स्तर का होगा वहीं रहेगा । उसे अपने स्तर की उन्नति का अवसर ही कहां मिलेगा ? यदि जन्मना वर्ण-व्यवस्था मानें तो इन कारणों का कथन निरर्थक होगा । इन कारणों के कथन से एक और संकेत मिलता है — वह यह कि चार वर्णों के अनुसार प्रजाएं नहीं बनायीं अपितु प्रजाओं की वृद्धि के लिये (प्रजाओं के लिए) चार वर्ण बनाये अर्थात् पहले प्रजाएं बनीं जो जन्मना समान थीं, फिर उनमें से गुण कर्मानुसार चार वर्ण निर्मित किये गये, जिससे समाज-व्यवस्था में बंधकर वृद्धि करता रहे । इस प्रयोगपद्धति से भी कर्मणा वर्णव्यवस्था सिद्ध होती है ।

(६) 'वर्ण' शब्द का अर्थ और व्युत्पत्ति ही यह सिद्ध करते हैं कि मनु की व्यवस्था जन्मना न होकर कर्मणा है । निरुक्त में 'वर्ण' शब्द की व्युत्पत्ति दी है . . . **'वर्णो वृणोते :'** (२।१।४) अर्थात् कर्मानुसार जिसका वरण किया जाये वह 'वर्ण' है । इस पर प्रकाश डालते हुए महर्षि दयानन्द ने भी स्पष्ट किया है —

> **''वर्णो वृणोतेरिति निरुक्तप्रामाण्याद्वरणीया वरीतुमर्हा : ।**
> **गुणकर्माणि च दृष्ट्वा यथायोग्यं व्रियन्ते ये ते वर्णा : ।''**
>
> (ऋ. भा. भू. वर्णाश्रमधर्मविषय)

अर्थात् —गुण-कर्मों को देखकर यथायोग्य अधिकार जिसको दिया जाये वह वर्ण है ।

(७) वर्णों के नाम उनके कर्मानुसार रखे गये हैं । नामों की व्युत्पत्ति स्वयं उनके कर्मों का बोध कराती है (इसके लिए विस्तृत समीक्षा १।८७-९१ श्लोकों पर द्रष्टव्य है) ।

(क) 'ब्राह्मण' नाम कर्मणा वर्णव्यवस्था का सूचक — वर्णों के नामों की व्याकरणानुसारी रचना और व्युत्पत्ति से भी यह बात सिद्ध होती है कि मनु ने कर्मानुसार ही वर्णों का नामकरण दिया है और नामों से वर्णों के कर्मों का भी बोध होता है । 'ब्रह्मन्' प्रातिपदिक से 'तदधीते तद्वेद' (अष्टा. ४।२।५९) अर्थ में 'अण्' प्रत्यय के योग से 'ब्राह्मण' शब्द बनता है । इसकी व्युत्पत्ति है — **'ब्रह्मणा वेदेन परमेश्वरस्य उपासनेन च सह वर्तमानो विद्यादि उत्तमगुणयुक्त : पुरुष :'** अर्थात् वेद और परमात्मा के अध्ययन और उपासना में तल्लीन रहते हुए विद्या आदि उत्तम गुणों को धारण करने से व्यक्ति 'ब्राह्मण' कहलाता है । मनु ने भी इन्हीं कर्मों को ब्राह्मण के प्रमुख कर्मों के रूप में वर्णित किया है ।

ब्राह्मणग्रन्थों के वचनों में भी वर्णों के कर्मों का वर्णन पाया जाता है । निम्न वचनों में ब्राह्मण के कर्त्तव्य उद्दिष्ट हैं —

(अ) **"आग्नेयो ब्राह्मण :"** (तां. १५।४।८) । **"आग्नेयो हि ब्राह्मण :"** (काठ. २९।१०) = ब्राह्मण श्रेष्ठ व्रतों = यज्ञादि से सम्बन्ध रखने वाला अर्थात् यज्ञकर्त्ता ब्राह्मण होता है ।

(आ) **"ब्राह्मणो व्रतभृत्"** (तै. सं. १।६।७।२) । **"व्रतस्य रूपं यत् सत्यम्"** (श. १२।८।२।४) = ब्राह्मण श्रेष्ठ व्रतों = कर्मों को धारण करने वाला होता है । सत्य बोलना व्रत का एक रूप है ।

(इ) **"गायत्रो वै ब्राह्मणा :"** (ऐ १।२८) । **"गायत्रो यज्ञ :"** (गो. पू. ४।२४) । **'गायत्रो त्रै बृहस्पति :"** (तां. ५।१।१५) = ब्राह्मण गायत्र होता है । गायत्र वेद, यज्ञ और परमात्मा को कहते हैं ।

(ख) 'क्षत्रिय' नाम कर्मणा व्यवस्था का सूचक —(१) क्षणु — हिंसा अर्थ वाली (तनादि) धातु से 'क्त :' प्रत्यय के योग से 'क्षत :' शब्द की सिद्ध होती है और 'क्षत' उपपद में त्रैङ् = पालन करने अर्थ में (भ्वादि) धातु से **'अन्येष्वपि दृश्यते'** (अष्टा. ३।२।१०१) सूत्र से 'उ :' प्रत्यय, पूर्वपदान्त्याकारलोप होकर 'क्षत्र' शब्द बना। 'क्षत्र एव क्षत्रिय :' स्वार्थ में 'इय :' होने से 'क्षत्रिय :' अथवा क्षत्रस्य-अपत्यं वा, **'क्षत्राद् घ :'** (अ. ४।१।१३८) सूत्र से जन्म लेने अर्थ में 'घ :' प्रत्यय होकर क्षत्रिय शब्द बना। **'क्षदति रक्षति जनान् क्षत्र :'** जो जनता की रक्षा का कार्य करता है अथवा, **'क्षण्यते हिंस्यते नश्यते पदार्थो येन स 'क्षत :' = घातादि :, तत स्त्रायते रक्षतीति क्षत्र :** = आक्रमण, चोट, हानि आदि से लोगों की रक्षा करने वाला होने से क्षत्रिय को 'क्षत्रिय' कहते हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में — **'क्षत्रं राजन्य :'** (ऐ. ८।२ ; ३।४) **'क्षत्रस्य वा एतद्रूपं यद् राजन्य :'** (श १३।१।५।३) = क्षत्रिय 'क्षत्र' का ही रूप है, जो प्रजा का रक्षक होता है।

(२) यहां अपत्यार्थ में 'इय्' आदेश के योग से क्षत्रिय आदि शब्द बनाने में यह शंका उत्पन्न होती है कि क्या मनु जन्म के आधार पर वर्ण मानते हैं ? इस शंका के निराकरण के लिए पुष्ट समाधान है। वंश केवल जन्म से ही नहीं अपितु विद्याजन्म से भी वंश चलता है। अष्टाध्यायी २।१।१९ में **'संख्यावंश्येन'** सूत्र में विद्या से जन्म माना है। मनुस्मृति २।११९ — १२३ श्लोकों में स्पष्टत : विद्या के आधार पर जन्म माना है। इस प्रकार गुणग्राहिता, कार्यकारणभाव और विद्या के आधार पर भी अपत्य आदि सम्बन्ध होते हैं। जैसे सूर्य, वरुण आदि की कोई पत्नी या अपत्य आदि नहीं होते, किन्तु फिर भी कार्य-कारण और गुणग्राहिता आदि के आधार पर अदिति का पुत्र आदित्य, सूर्य की पत्नी सूर्या आदि, और — वरुणानी, मैत्रावरुण : आदि प्रयोग होते हैं।

(३) क्षत्रिय के विस्तृत कर्त्तव्यों का वर्णन ७।१ से ९।२२५ श्लोकों में है।

(ग) **'वैश्य' नाम कर्मणा व्यवस्था का सूचक** — (१) **''विश :मनुष्यनाम''** (निघं. २।३) उससे भावार्थ में 'यत्', उससे स्वार्थ में 'अण्'। अथवा 'विश्' प्रातिपदिक से अपत्यार्थ में 'यञ्' छान्दस प्रत्यय से 'वैश्य' शब्द बना। **''यो यत्र-तत्र व्यवहारविद्यासु प्रविशति स : 'वैश्य :' व्यवहारविद्याकुशल : जनो वा''** = जो विविध व्यावहारिक व्यापारों में प्रविष्ट रहता है या विविध विद्याओं में कुशल जन 'वैश्य' होता है।

ब्राह्मण ग्रन्थों में —

''एतद् वै वैश्यस्य समृद्धं यत् पशव :'' (तां. १८।४।६) **''तस्मादु बहुपशुर्वैश्यदेवो हि जागतो (वैश्य :)''** (तां ६।१।१०) = पशुपालन से वैश्य की समृद्धि होती है, यह वैश्य का कर्त्तव्य है।

(२) वैश्य के विस्तार से कर्त्तव्यों का वर्णन द्रष्टव्य है ९।२२५–३३३ में।

(घ) **'शूद्र' नाम कर्मणा व्यवस्था का सूचक** — (१) शुच्–शोकार्थक (भ्वादि) धातु से **'शुचेर्दश्च'** (उणा. २।१९) सूत्र से 'रक्' प्रत्यय, उकार को दीर्घ, च को द होकर 'शूद्र' शब्द बनता है। **शूद्र : = शोचनीय : शोच्यां स्थितिमापन्नो वा, सेवायां साधुर अविद्यादिगुणसहितो मनुष्यो वा** = शूद्र वह व्यक्ति होता है जो अपने अज्ञान के कारण किसी प्रकार की उन्नत स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाया और जिसे अपनी निम्न स्थिति होने की तथा उसे उन्नत करने की सदैव चिन्ता बनी रहती है, अथवा स्वामी के द्वारा जिसके भरण की चिन्ता की जाती है, ऐसा सेवक मनुष्य। ब्राह्मण ग्रन्थों में भी यही भाव मिलता है — **''असतो वा एष सम्भूतो यद् शूद्र :''** (तै. ३।२।३।९) असत : = अविद्यात :। अज्ञान और अविद्या से जिसकी निम्न

जीवनस्थिति रह जाती है, जो केवल सेवा आदि कार्य ही कर सकता है, ऐसा मनुष्य शूद्र होता है।

(२) वह उत्तम कर्मों से उच्च वर्ण को भी प्राप्त कर सकता है।

[९।३५ ।। १०।६५]

(३) शूद्र के कुछ विस्तृत कर्त्तव्यों का वर्णन ९।३३४–३३५ श्लोकों में है। उन श्लोकों से मनु की शूद्र-सम्बन्धी यह मान्यता और भी स्पष्ट हो जाती है कि वे शूद्र को जन्मना नहीं मानते तथा न घृणास्पद मानते हैं।

(८) मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं इसमें अन्य प्रमाण भी हैं — (क) शूद्र को वे हीन नहीं मानते अपितु **'शुचि'** : = पवित्र **'उत्कृष्ट शुश्रूषुः** आदि विशेषणों से सम्बोधित करते हैं [९।३३५]। सबके घरों में सब प्रकार की सेवा करने वाला भला अपवित्र, अछूत, हीन कैसे हो सकता है? (ख) मनु व्यक्ति को शूद्र इसलिए मानते हैं कि वह पढ़ता नहीं। उसका वेदाध्ययन रूपी दूसरा ब्रह्मजन्म नहीं होता।२।१२६ में अज्ञानता के कारण ही यह कथन किया है — **''यथा शूद्रस्तथैव सः''**। ब्राह्मण – क्षत्रिय – वैश्यों को द्विज इसलिए कहा जाता है कि उनका ब्रह्मजन्म रूपी दूसरा जन्म होता है — **'द्विर्जायते इति द्विजः**। शूद्र को 'एकजातिः' न पढ़ने के आधार पर कहा जाता है। देखिए प्रमाण — **'ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णाः द्विजातयः। चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रः नास्ति तु पंचमः।।'** १०।४ ।। (ग) मनु कर्मों के आधार पर मनुष्यों के दो वर्ग मानते हैं — जो श्रेष्ठ धर्माकूल आर्य परम्पराओं में दीक्षित हैं, वे चारों वर्ण आर्य हैं। (२) इनमें अदीक्षित शेष सब दस्यु हैं [१०।४५]। (घ) मनु कर्म के आधार पर ही व्यक्ति को श्रेष्ठ = आर्य और अश्रेष्ठ = अनार्य = मानते हैं। १०।५७–५८ में वे कर्मों के आधार पर इनकी पहचान करने को कहते हैं। ये सब बातें मनु की कर्मणा वर्णव्यवस्था की मान्यता को सिद्ध करती हैं।

(९) १।३१ में भी मनु ने अपनी 'कर्मणा वर्णव्यवस्था' की मान्यता का संकेत दिया है। १।१६, २३, २६–३० श्लोकों के द्वारा यह कहा जा चुका है कि एक साथ अनेक प्रजाएं उत्पन्न हुईं — ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि के रूप में प्रजाएं उत्पन्न नहीं हुईं, अपितु समान मनुष्यों के रूप में हुईं। फिर उन बहुत सारे मनुष्यों में से समाज की वृद्धि के लिए, एक व्यवस्था के रूप में चार वर्णों का मुख; बाहु, जंघा और पैर की साम्यता से (गुणकर्मानुसार) निर्माण किया। १।३१ में आलंकारिक रूप में यह कथन है। उक्त अंगों का जो स्थान और कार्य शरीर में है, समाज में वही स्थान क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का बनाया। इस प्रकार योग्यता के आधार पर लोगों को चार वर्णों में विभक्त करके उनके कर्म भी योग्यतानुसार निश्चित किये। यह वर्णनक्रम (अनेक प्रजाओं की उत्पत्ति और फिर उनमें वर्णव्यवस्था) और आलंकारिक कथन कर्मानुसार वर्णव्यवस्था का संकेत देता है। इन अनेक प्रमाणों से 'कर्मणा वर्णव्यवस्था' मनु की मौलिक मान्यता सिद्ध होती है, अतः इसकी विरोधी 'जन्मना वर्णव्यवस्था' वाली मान्यता अन्तर्विरोध के आधार पर प्रक्षिप्त कहलायेगी।

(१०) **ब्राह्मणग्रन्थों में कर्मणा वर्णव्यवस्था के स्पष्ट वर्णन मिलते हैं। यथा —**

(अ) **''सः (क्षत्रियः) ह दीक्षमाण एव ब्राह्मणतामभ्युपैति।।''** (ऐ. ७।२३)

क्षत्रिय दीक्षित होकर ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है।

(आ) **''तस्मादपि (दीक्षितम्) राजन्यं वा वैश्यं वा ब्राह्मण इत्येव ब्रूयात्, ब्राह्मणो हि जायते यो यज्ञाज् जायते।।''** (शत. ३।२।१।४०)

चाहे कोई क्षत्रियपुत्र हो अथवा वैश्यपुत्र, यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करके (उपनयनसंस्कार में) वह ब्राह्मण ही कहलाता है अर्थात् ब्रह्मचर्याश्रम में वेदाध्ययन के समय यज्ञ में दीक्षित होकर सभी व्यक्ति ब्राह्मण कर्म वाले होते हैं। बाद में कर्मानुसार क्षत्रिय और वैश्य बनते हैं।

(११) वर्ण-परिवर्तन के उदाहरण — ऐतरेय ब्राह्मण २।१९ में कवष-ऐलूष नामक व्यक्ति की एक घटना वर्णित है, जो वर्ण-परिवर्तन का ज्वलन्त प्रमाण है। जन्मना निम्न जाति का व्यक्ति ऋषित्व के कारण ऋषियों में परिगणित होकर उच्चवर्णस्थ कहलाया —

(क) "ऋषयो वै सरस्वत्यां सत्तमासत,ते कवषमैलूषं सोमादनयन्, दास्याः पुत्रः कितपोऽब्राह्मणः कथं नो मध्ये दीक्षिष्टेति। . . . स बहिर्धन्वो दृढ़ह पिपासया वित्त एतदपोनप्त्रीयमपश्यत् — 'प्रदेवन्ना ब्रह्मणे गातुरेतु इति।।"

अर्थात् — 'ऋषि लोगों ने सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में भाग लेने आये हुए कवष ऐलूष को ऋषियों ने सोम से वञ्चित कर दिया। यह सोचकर कि यह दासी का पुत्र, कपट-आचरण वाला, अब्राह्मण किस प्रकार हमारे मध्य दीक्षित हो गया! (यज्ञ से बाहर निकाल देने पर) वह कवष-ऐलूष पिपासा से संतप्त हुआ बाहर जंगल में चला गया। वहां उसने 'अपोनप्त्र' देवता वाले सूक्त का 'अर्थदर्शन किया' फिर ऋषियों ने वेदार्थद्रष्टा होने के कारण उसे पुनः अपने मध्य बुलाकर यज्ञ में दीक्षित कर लिया।

यह सूक्त ऋक्. १०।३० वाँ है और वेद में इस सूक्त पर इसी ऋषि का नाम उल्लिखित है। इस ऋषि द्वारा दृष्ट अन्य १०।३१ –३४ सूक्त भी हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि सूक्तों पर लिखित ऋषि उन-उन सूक्तों के अर्थद्रष्टा हैं।

(ख) छान्दोग्योपनिषद् में जाबाल की कथा आती है, जो अज्ञात कुल के होते हुए गुण-कर्मों से ब्राह्मण बन गये। इसी प्रकार चांडाल कुल के मातङ्ग ऋषि ब्राह्मण हो गये। वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र क्षत्रियराजा के ब्राह्मण होने का वर्णन आता है। इस प्रकार गुण-कर्म से वर्णव्यवस्था और वर्णपरिवर्तन परम्परा से भी सिद्ध है।

(१२) वर्ण चार हैं—(क) मनु ने चार वर्णों की मान्यता अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में उद्घोषित की है। मनुस्मृति में सर्वत्र वर्णनात्मक रूप में चार वर्णों का ही वर्णन है। चार वर्णों की दीक्षा से रहित अन्य सभी व्यक्ति दस्यु हैं [१०।४५]। अन्य वर्णसंकर आदि संज्ञक कोई वर्ण नहीं। इस मान्यता की पुष्टि के लिए मनुस्मृति के निम्न श्लोक भी द्रष्टव्य है— १।३१, ८७-९१।३।२०।।५।५७।। ७।६८ ।। १०।४५, ६५, १३१।। १२।९७ आदि।

(ख) चार वर्णों में शास्त्रीय प्रमाण—अन्यत्र शास्त्रग्रन्थों में भी चार वर्णों का ही उल्लेख आता है। इन चार वर्णों से शेष व्यक्ति आर्येतर हैं, जिन्हें निषाद, असुर, राक्षस आदि विभिन्न वर्गकृत नामों से अभिहित किया जाता है—

(अ) "ऊर्जादः उत यज्ञियासः पंचजनाः मम होत्रं जुषध्वम्।"
(ऋक् १०।५३।४)

"पंचजनाः—चत्वारो वर्णाः निषादः पंचम इति औपमन्यवः।"
(निरु. ३।२।७)

चार वर्ण = ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इनसे भिन्न पांचवें निषादजन, ये वेदोक्त पांच प्रकार के मनुष्य हैं।

(आ) "चत्वारो वर्णा: । ब्राह्मणो राजन्यो वैश्य: शूद्र:"
(श. ब्रा. ५ । ५ । ४ । ९)
"चत्वारो वै पुरुषा ब्राह्मणो राजन्यो वैश्य: ।।"
(मैत्रा. सं. ४ । ४ । ६)

कर्मणा-चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था का आधार वेद —

यजुर्वेद के पुरुषसूक्त में चार वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन आया है । इन मन्त्रों से मनु का भाव और स्पष्ट हो जाता है तथा ब्रह्मा के अंगों से चार वर्णों की उत्पत्ति की भ्रान्ति का भी निराकरण हो जाता है । जैसा कर्मों-गुणों के आधार पर आलंकारिक वर्णन वेद में है,वैसा ही मनुस्मृति में है । मन्त्र निम्न है—

(क) "यत्पुरुषं व्यदधु: कतिधा व्यकल्पयन् ।
मुखं किमस्यासीत् किं बाहू किमूरू पादा उच्येते ।।
(यजु. ३१ । १०)

(यत्पुरुषं.) पुरुष उसको कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान् ईश्वर कहाता है (कतिधा व्य.) जिसके सामर्थ्य का अनेक प्रकार से प्रतिपादन करते हैं क्योंकि उसमें चित्रविचित्र बहुत प्रकार का सामर्थ्य है, अनेक कल्पनाओं से जिसका कथन करते हैं (मुखं किमस्यासीत्) इस पुरुष के मुख अर्थात् मुख्य गुणों से इस संसार में क्या उत्पादन हुआ है (किं बाहू) बल वीर्य्य, शूरता और युद्ध आदि विद्यागुणों से किसकी उत्पत्ति हुई है (किमूरू) व्यापार आदि मध्यम गुणों से किसकी उत्पत्ति होती है? इन चारों प्रश्नों के उत्तर ये हैं कि—

(ख) ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहू राजन्य: कृत: ।
ऊरू तदस्य यद्वैश्य: पद्भ्यां शूद्रो अजायत ।।
(यजु. ३१ । ११)

(ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्) इस पुरुष की आज्ञा के अनुसार जो विद्या, सत्य-भाषण आदि उत्तमगुण और श्रेष्ठकर्मों से ब्राह्मवर्ण उत्पन्न होता है, वह मुख्य कर्म और गुणों के सहित होने से मनुष्यों में उत्तम कहाता है (बाहू राजन्य: कृत:) और ईश्वर ने बल-पराक्रम आदि पूर्वोक्त गुणों से युक्त क्षत्रिय वर्ण को उत्पन्न किया है (ऊरू तदस्य.) खेती, व्यापार और सब देशों की भाषाओं को जानना तथा पशुपालन आदि मध्यम गुणों से वैश्य वर्ण सिद्ध होता है (पद्भ्यां शूद्रो.) जैसे पग सबसे नीच अंग है वैसे मूर्खता आदि नीच गुणों से शूद्रवर्ण सिद्ध होता है ।" (ऋ. भू. १२५-१२६)

(ग) इस आलंकारिक वर्णन की पुष्टि के लिए वेदों के व्याख्याग्रन्थ ब्राह्मणों के प्रमाण भी उपलब्ध हैं । निम्न वचनों में ब्राह्मण को समाज या मनुष्यों का मुखरूप बताया है, मुख से उत्पन्न हुआ नहीं —

(अ) "ब्राह्मणो मनुष्याणां मुखम् ।" (तां. १ । ६ । १)
= ब्राह्मण मनुष्यों का मुख है ।
(आ) "अस्य सर्वस्य ब्राह्मणो मुखम्" (श. ६ । ९ । १ । १४)

(ख) जन्मना वर्णव्यवस्था के विधायक स्थल और इस विषयक शंकाओं का निराकरण —

मनुस्मृति में जन्मना वर्णव्यवस्था खोजने वाले व्यक्ति प्रमुखत : निम्नस्थलों से इस विषयक आधार ग्रहण करते हैं —

(१) १ । २ में '**अन्तरप्रभवाणाम्**'और १ । १३७ (२ । १८) में '**सान्तरालानाम्**' पदों से वर्णसंकरों का वर्णन है । इस प्रकार मनु वर्णसंकरों के धर्मों का वर्णन भी करते हैं और जन्मना वर्ण तथा जातियां मानते हैं ।

(२) १ । ९८-१०० श्लोकों में जन्म के आधार पर ब्राह्मण की प्रशंसा है ।

(३) २ । ११-१४ (२ । ३६-३९) उपनयनविषयक श्लोकों में शूद्र का उल्लेख नहीं है । इसका अभिप्राय यह है कि मनु जन्म से ही शूद्र मानते हैं । जन्म से अन्य वर्णों के नामों का उल्लेख भी मनु की जन्मना-मान्यता की प्रवृत्ति को प्रकट करता है ।

(४) दशम अध्याय में जन्म से ही माने गये वर्णसंकरों का तथा अन्य विविध जातियों का वर्णन है ।

इनका उत्तर क्रमश: दिया जाता है —

(क) इन श्लोकों में टीकाकारों ने '**अन्तरप्रभवाणाम्**' पद का — ''संकीर्ण जातियों या वर्णसंस्कारों के'' यह अर्थ अशुद्ध किया है । इस पद का अर्थ 'आश्रमों के' होना चाहिये । इसकी पुष्टि में निम्न युक्तियाँ हैं —

२ । १८ [इस संस्करण के अनुसार १ । १३७] में '**अन्तरप्रभवाणाम्**' के पर्यायवाची रूप में '**सान्तरालानाम्**' शब्द का प्रयोग किया है । जैसे यहाँ वर्णों के साथ '**अन्तरप्रभवाणाम्**' शब्द का प्रयोग है, वैसे ही उक्त श्लोक में भी वर्णों के कथन के साथ-साथ '**सान्तरालानाम्**' शब्द का प्रयोग है । उस श्लोक में '**सान्तरालानाम्**' शब्द का अर्थ 'आश्रम' है, अत : यहां भी उसके पर्यायवाची शब्द '**अन्तरप्रभवाणाम्**' शब्द का अर्थ '**आश्रमों के**' होना चाहिये । यद्यपि २।१८ [१।१३७] श्लोक में भी टीकाकारों ने '**सान्तरालानाम्**' शब्द का अर्थ 'संकीर्ण जाति' या 'वर्णसंकर'किया है, किन्तु वह मनु की मान्यता के विरुद्ध है । यतो हि, उस श्लोक में धर्म के चार मूलाधारों में से एक आधार 'सदाचार' [२ । ६, १२ या १ । १२५, १३१] का लक्षण किया है और बताया गया है कि ''ब्रह्मावर्त देश के निवासी वर्णों और आश्रमों का जो परम्परागत श्रेष्ठ आचरण है, वह 'सदाचार कहलाता है'' । इस श्लोक में 'सान्तराल' शब्द का 'वर्णसंकर' य 'संकीर्ण जाति' अर्थ इसलिए ग्रहण नहीं हो सकता क्योंकि वर्णसंकरों का आचरण 'सदाचार' ही नही हो सकता और न ही उनके आचरण को उन श्लोकों में 'सदाचार' के रूप में माना है ।

इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वर्णसंकरों के धर्मवर्णन-प्रसंग में अनेक स्थानों पर उनके आचरण को निन्दनीय और गर्हित कहा है । उस प्रसंग में संकीर्ण जातियों के लिए प्रयुक्त विशेषणों में कुछ इस प्रकार हैं — ''**मातृदोषविगर्हितान्**'' = माता के दोष से निन्दित जन्म वाले [१० । ६], ''**क्रूराचारविहारवान्**'' = क्रूर आचार-व्यवहार वाले [१० । ९], ''**अधमो नृणाम्**'' = मनुष्यों में नीच [१० । १२], ''**अव्रतांस्तु यान्**'' = व्रतहीन [१० । २०], ''**पापात्मा भूर्जकण्टक :**'' = पापी आत्मा वाले भूर्जकण्टक [१० । २१], ''**ततो ऽप्यधिकदूषितान्**' = उनसे भी अधिक दूषित आचरण वाले [१०।२९], ''**जनयन्ति [illegible]**'' = निन्दित

सन्तानों को जन्म देते हैं [१० । २९] । इसी प्रकार संकीर्ण जातियों का 'अपसद' (नीच) 'अवध्वंसज' (पतितोत्पन्न) आदि शब्दों द्वारा नामकरण करना भी यह सिद्ध करता है कि रचयिता इन्हें निन्दित आचरण वाला मानता है । इनके अतिरिक्त उस प्रसंग में वर्णसंकरों के जो पशुहिंसा आदि धर्म बतलाये हैं, वे मनु के मत में धर्म न होकर दुष्कर्म हैं, जिनकी मनु ने स्थान-स्थान पर निन्दा की है । फिर उनके आचरण को 'सदाचार' कैसे कहा जा सकता है ? और न उन्हें 'धर्म' कहा जा सकता है । इससे यह बोध होता है कि उक्त श्लोक में 'सान्तराल' शब्द का 'वर्णसंकर' अर्थ करना संगत नहीं है, और मनु के विरुद्ध भी है । अत : वहां उसका 'आश्रम' अर्थ होना चाहिए । उसके पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त होने से इस श्लोक में 'अन्तरप्रभव' का अर्थ भी 'आश्रम' ही समीचीन है ।

(ख) मनुस्मृति में वर्णों के धर्मों के साथ-साथ विस्तृत और विशिष्ट रूप से आश्रमों के धर्मों का ही कथन है, वर्णनसंकरों के धर्मों का नहीं । यह भी ध्यान देने की बात है कि इस श्लोक में जिस क्रम से वर्णों और आश्रमों के धर्मों को बतलाने की इच्छा व्यक्त की है, ठीक उसी क्रम से ही मनुस्मृति में उसका उल्लेख है । आश्रमों और वर्णों का क्रम साथ-साथ चलता है, जैसे — द्वितीय अध्याय में — ब्रह्मचर्याश्रम का वर्णन है, तृतीय से पञ्चम् तक गृहस्थ का, षष्ठ में वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम का वर्णन है । साथ-साथ छठे अध्याय तक ब्राह्मण के कर्त्तव्य भी उक्त हो जाते हैं । फिर क्षत्रियों के शेष कर्त्तव्यों का वर्णन ७ । १ । से ९ । ३२५ तक है । वैश्य के अतिरिक्त कर्त्तव्यो का कथन ९ । ३२६ से ३३३ [इस संस्करण में १० । १-६] तक तथा शूद्रों के कर्त्तव्यों का वर्णन ९ । ३३४-३३५ [इस संस्करण में १० । ७-८] में है । यदि 'अन्तरप्रभवाणाम्' का 'आश्रम' अर्थ न करके 'वर्णसंकर' अर्थ लिया जाये तो प्रश्न उठेगा कि जब प्रारम्भ में आश्रमों के धर्म पूछने का प्रश्न ही नहीं है तो इतने विस्तृत और प्रधान रूप से आश्रमों के धर्मों का विधान क्यों किया गया है ? वर्णों और आश्रमों के धर्मों का साथ-साथ और प्रधानतापूर्वक वर्णन करने की मनु की यह शैली भी यह संकेत देती है कि इस श्लोक में वर्णों और आश्रमों के विषय में प्रश्न है, वर्णसंकरों के विषय में नहीं ।

(ग) मनुस्मृति में सर्वत्र वर्णों के साथ आश्रमों का उल्लेख करने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, वर्णसंकरों की नहीं । १२ । ९७ में भी वर्णों के साथ आश्रमों का उल्लेख है — **''चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोका : चत्वारश्चाश्रमा : पृथक्''** । इसी प्रकार ७ । ३५ में भी राजा को वर्णों और आश्रमों के धर्मों का रक्षक कहा है, वर्णसंकरों का उल्लेख ही नहीं —

स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषामनुपूर्वश : ।
वर्णानामाश्रमाणां च राजा सृष्टोऽभिरक्षिता ।।

इस प्रवृत्ति के अनुसार भी यहाँ वर्णों के साथ प्रयुक्त 'अन्तरप्रभव' शब्द का अर्थ 'आश्रम' ही सिद्ध होता है ।

(घ) मनुस्मृति में दशम अध्याय को छोड़कर वर्णों के साथ अथवा स्वतन्त्र रूप से कहीं भी वर्णसंकरों की चर्चा या उल्लेख नहीं है । नामकरण संस्कार [२ । २६-३५ या २ । १-१०] विवाहविधि [३ । २०] आदि प्रसंगों में जहाँ शूद्रों के लिए भी विधान किए हैं, वहां भी इनका उल्लेख नहीं है । दशम अध्याय में भी जो इनका वर्णन है वह वस्तुत : मौलिक न होकर प्रक्षिप्त है (विस्तृत जानकारी के लिए दशम अध्याय के श्लोकों की समीक्षा देखिए) । यतो हि, वह विषय प्रसंगविरुद्ध रूप से वर्णित है । मनु की विषय-संकेत-शैली से भी दशम अध्याय का वर्णसंकरों का प्रसंग प्रक्षिप्त सिद्ध होता है । वर्णों के धर्म-कथन का विषय प्रारम्भ करते हुए वे कहते

है — "**वर्णधर्मान्निबोधत**" १ । १४४ [अन्य संस्करणों में २ । २५] । इसी प्रकार इस विषय की समाप्ति का संकेत करते हुए कहा — "**एष धर्मविधिः कृत्स्नश्चातुर्वर्ण्यस्य कीर्तितः**" १० । १४२ [अन्य संस्करणों में १० । १३१] । दोनों ही स्थानों पर वर्णों के धर्मों के वर्णन का कथन है, आपद्धर्म का नहीं । यहां बीच में वर्णसंकरों के वर्णन करने का न तो प्रसंग था और न ही अभीष्टता, किन्तु फिर भी किसी ने इस वर्णन को अलात् मिलाया है ।

इसी प्रकार १० । १५ [अन्यत्र १० । ४] में स्पष्ट शब्दों में मनु ने उद्घोषित किया है कि आर्यों के समाज में केवल चार वर्ण हैं, पांचवां कोई नहीं है । इनसे भिन्न सभी दस्यु हैं, चाहे वे आर्य भाषाएं बोलते हों अथवा म्लेच्छ भाषाएं [१० । ५६(१० । ४५)] । यहां वर्णसंकरों का कोई उल्लेख नहीं । इससे वर्णसंकरों का वर्णन [१० । ५-७३] मनुस्मृतिसम्मत या मौलिक सिद्ध नहीं होता । जब यह मनुस्मृतिसम्मत ही सिद्ध नहीं होता तो इस ग्रन्थ में किसी शब्द से 'वर्णसंकर' अर्थ ग्रहण करना ही अनुपयुक्त एवं विरुद्ध है । अतः यहां भी 'वर्णसंकर' अर्थ न होकर 'आश्रम' अर्थ ही मनुस्मृतिसम्मत है ।

(ङ) मनु ने संक्षिप्त भूमिका के रूप में १ । ८७-९१ श्लोकों में एक-एक वर्ण का नामोल्लेख तथा उनका कर्मवर्णन किया है । उससे स्पष्ट संकेत मिल जाता है कि मनु मनुष्य-समाज में चार वर्णों के अतिरिक्त कोई वर्ण नहीं मानते । इन श्लोकों से यह भी संकेत मिलता है कि मनुस्मृति में मनु को केवल इन्हीं चार वर्णों के धर्मों का कथन अभीष्ट है, अन्य किसी वर्णसंकर आदि का नहीं । अतः यहाँ भी 'अन्तरप्रभव' का अर्थ वर्णसंकर करना मनु की मौलिकता के विरुद्ध है, इसका 'आश्रम' अर्थ ही प्रकरणसंगत है ।

(च) प्रतीत होता है कि जब वर्णसंकरों के प्रसंग का प्रक्षेप हुआ तो उन लोगों ने तदनुसार ही अन्तरप्रभव' और 'सान्तराल' शब्दों के अर्थों को भी परिवर्तित करके 'वर्णसंकर' अर्थ प्रचलित कर दिया । यही नहीं, अपने आशय के अनुसार ऐसे लोगों ने पाठभेद करने का भी प्रयास किया । तीन-चार हस्तलिखित प्रतियों में '**अन्तर-प्रभवाणाम्**' पद के स्थान पर '**संकरप्रभवाणाम्**' पाठभेद भी मिलता है । यह पाठभेद वर्णसंकर सम्बन्धी प्रक्षिप्त श्लोकों को मौलिक सिद्ध करने का ही एक प्रयास था । यह पाठभेद तो प्रचलित नहीं हो पाया किन्तु इस पाठभेद के अनुसार अर्थ की भ्रान्ति अवश्य प्रचलित हो गई ।

२. १ । ९८-१०० श्लोक, १ । ९२-१०७ तक चलने वाले श्लोकों के बीच आते हैं और पूर्वापर दृष्टि से उनसे सम्बद्ध भी हैं । ये सभी श्लोक पूर्वापर प्रसंग से असम्बद्ध हैं, और सांकेतिक सृष्ट्युत्पत्ति विषय से बाह्य हैं । इन श्लोकों में मनुस्मृति को शास्त्र कहा गया है । शैली के आधार पर यह प्रयोग इन श्लोकों को परवर्ती सिद्ध करता है ।

३. (क) **उपनयन में शूद्र का उल्लेख क्यों नहीं** — ११-१३ श्लोकों में मनु ने उपनयन संस्कार का विधान करते हुए शूद्र का उल्लेख नहीं किया । यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं तो शूद्र का उल्लेख क्यों नहीं किया ? इसका समाधान इस प्रकार है —

(अ) इस प्रश्न में ही इसका उत्तर भी निहित है । उपनयन में शूद्र का उल्लेख न करने से यह संकेत मिलता है कि मनु उपनयन और वेदारम्भ की दीक्षा से पूर्व किसी को जन्म से शूद्र नहीं मानते । यह द्विज-दीक्षा का संस्कार है और वे द्विज तीन ही प्रकार के होते हैं । जो व्यक्ति जिस वर्ण की दीक्षा दिलाना चाहे वह इन तीनों में उसी वर्ण में प्रवेश ले सकता है । पुनः शिक्षा-दीक्षा के उपरान्त आचार्य अन्तिम रूप से उनके वर्णों का निश्चय करता है [२ । १२१ (१४६), १२३ (१४८)] ।

(आ) जो व्यक्ति इन तीनों वर्णों के गुणों को धारण नहीं कर सकता और वेदारम्भ तथा उपनयन रूप ब्रह्मजन्म को ग्रहण नहीं कर सकता वह शूद्र रह जाता है। उपनयन से पूर्व अर्थात द्विजजन्म से पूर्व सभी वर्णों के बालक शूद्र ही होते हैं — **'जन्मना जायते शूद्र :, संस्कारात् द्विज उच्यते'**। इस प्रकार कोई भी बालक किसी वर्ण में दीक्षित हो सकता है। मनु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है —

चतुर्थ : एकजातिस्तु शूद्र : ।। १० ।४ ।।

इस प्रकार उपनयन आदि से पूर्व शूद्र का कोई निर्धारण न होने से उसके उल्लेख की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। द्विज की 'पतित' या 'शूद्र' होने की स्थिति अध्ययन के बाद आती है। द्विजों के अध्ययन और कार्यों में असमर्थ व्यक्ति ही शूद्र है [२ । १४-१५ (३९-४०)]

(इ) मनु जन्मना वर्णव्यवस्था नहीं मानते, इसकी पुष्टि में यह भी एक प्रबल युक्ति है कि मनु ने उपनयन के प्रसंग में शूद्र के उपनयन का निषेध नहीं किया। अगर वे जन्म से ही शूद्र का अस्तित्व और वर्णनिर्धारण मानते तो इस प्रसंग में पृथक् से उसके उपनयन का निषेध करते।

(ख) 'ब्राह्मणस्य' आदि पदों का मनुसम्मत अर्थ —

(अ) ११-१३ श्लोकों में 'ब्राह्मणस्य' आदि पदों का प्रचलित टीकाओं में ब्राह्मण के बालक का, 'राज्ञ :' या 'क्षत्रियस्य'= क्षत्रिय के बालक का, 'वैश्यस्य' 'विश :'= वैश्य के बालक का, यह अर्थ मिलता है। यह अर्थ श्लोक के पदप्रयोग के विरुद्ध है और मनु की मान्यता के विरुद्ध भी। श्लोक के पदों में 'बालक' अर्थ देने वाला कोई पद नहीं है जिससे कि 'ब्राह्मण के बालक' आदि अर्थ किये जायें। इसी प्रकार मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हुए कर्मणा वर्ण-परिवर्तन मानते हैं [देखिए १० । ६५ ।। १ । ८७-९१ । १ । १०७ श्लोक और उन पर समीक्षा]। इन अर्थों से ऐसा प्रतिभासित होता है जैसे जन्म के आधार पर वर्ण-प्रवेश है और वह भी ब्राह्मण का ब्राह्मण वर्ण में, क्षत्रिय का क्षत्रिय वर्ण में, वैश्य का वैश्य मे। यह उक्त मान्यता से मेल नहीं खाता।

(आ) यहां ये पद वस्तुत : जातिवाचक न होकर वर्णसंज्ञावाचक हैं। जिनका अर्थ है 'ब्राह्मण — वर्ण का दीक्षाकाल' आदि। मनुसम्मत मान्यता के आधार पर अध्याहार से इनका अर्थ 'ब्राह्मण वर्ण को धारण करने के इच्छुक का' आदि अर्थ किये गये हैं। इस अर्थ का संकेत मनु के **'ब्रह्मवर्चसकामस्य'** [२ । १२] आदि पदों से भी प्राप्त होता है। इस अर्थ की व्यापकता के अन्तर्गत दोनों प्रकार के भावों का समावेश हो जाता है, जो वंशपरम्परानुसार अपने वर्ण में दीक्षा दिलाना चाहे वह भी इस व्यवस्थानुसार दीक्षा करा सकता है, और जो परिवर्तनपूर्वक अपने बालक को दूसरे वर्ण में दीक्षित कराना चाहे तो, वह भी उस निर्धारित समय-व्यवस्थानुसार करा सकता है।

(इ) यहां यह शंका हो सकती है कि इतने अल्पवयस्क बच्चों के साथ 'इच्छुक' पद का सम्बन्ध नहीं बनता ? इसका स्पष्ट-सा उत्तर है कि माता-पिता की इच्छा के आधार पर ये प्रयोग हैं। प्रारम्भ में माता-पिता अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं उसी के अनुसार सभी संस्कार करते हैं। पुन : उसकी शिक्षा-दीक्षा को परखकर वर्ण का अन्तिम निश्चय आचार्य करता है [२ । १२१ (१४६), १२३ (१४८)] : देखिये मनु ने इसी व्यवहार के आधार पर पांच वर्ष के बालक के लिए **'ब्रह्मवर्चसकामस्य' 'बलार्थिन :, 'वैश्यस्य इह अर्थिन :** [२ । १२] पदों का प्रयोग किया है, जबकि इतने अल्पवय बालकों को ब्रह्मवर्चसकामना आदि की इच्छा, गम्भीरता एवं परिणाम का ज्ञान नहीं होता। इस प्रमाण के आधार पर प्रस्तुत भाष्य का अर्थ भी मनु के वर्णनानुरूप ही है।

४. उपर्युक्त विवेचन (संख्या १) से यह स्पष्ट हो गया कि मनुस्मृति में वर्णसंकरों का वर्णन

करना इसका प्रतिपाद्य नहीं है, न यह मान्यता मनु की आधारभूत मान्यताओं से मेल खाती है । अन्य शैली आदि विभिन्न कारणों से भी दशम अध्याय का वर्णसंकरों का प्रसंग परवर्ती एवं प्रक्षिप्त सिद्ध होता है । उनके वर्णन की शैली विधि-विधानात्मक न होकर ऐतिहासिक है । इस प्रकार वह वर्णन मनुविहित नहीं कहला सकता ।

२. मांसभक्षण एवं पशुयज्ञ पाप है —

मनु मांस-भक्षण एवं पशुयज्ञ को निन्द्य एवं पाप मानते हैं।उक्त दोनों बातें उनके मुख्य उद्देश्य, प्रतिपाद्य एवं मनुस्मृति की आधारभूत भावना के ही विरुद्ध हैं ।

(क) उक्त मान्यता के विधायक एवं संकेतक स्थल —

मांसभक्षण एवं पशुयज्ञ पाप है — २ । १५२ (१७७) ; ३ । ६८-६९ ; ४ । २, ६८, १७०, २४६ ; ५।५, ४५-४९, ५१ ।।

इन पर विचार करने के बाद निम्न निष्कर्ष सामने आते हैं —

१. 'अहिंसापालन' अथवा 'हिंसानिषेध' की मान्यता मनुस्मृति की उन मान्यताओं में से एक है, जिन पर मनुस्मृतिरूप प्रासाद टिका हुआ है । यदि इन्हें मनुविहित मान लिया जाये तो मनुस्मृति की आधारभूत व्यवस्था ही खंडित हो जायेगी । मनु द्वारा विभिन्न स्थलों पर किये गये हिंसानिषेध और अहिंसापालन के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि

(अ) सर्वप्रकार की हिंसा या मांसभक्षण मनुविरुद्ध है, (आ) पशुयज्ञ मनुविरुद्ध है, और (इ) यज्ञ के उद्देश्य से पशुहिंसा करना भी मनुविरुद्ध है । यथा — (क) मनु ने गृहस्थियों और वानप्रस्थियों के लिए अनिवार्य रूप से पांच महायज्ञों का विधान किया है । इन यज्ञों के विधान का मुख्य उद्देश्य हिंसा की निवृत्ति ही है —

> पञ्चसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युदस्करः ।
> कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन् ।।
> तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महर्षिभिः ।
> पञ्च क्लृप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम् ।। (३ । ६८, ६९ ।।

जो व्यक्ति दैनिक जीवनचर्या में अज्ञानवश होने वाली छोटी-छोटी हिंसाओं की निवृत्ति के लिए भी प्रायश्चित्त का विधान करता है, जिसमें परप्राणीपीड़ा की भावना भी नहीं है,और जो आजीविका भी ऐसी अपनाने का विधान करता है जिसमें किसी प्राणी को पीड़ा न पहुँचे [४ । ४][४], जो पशुओं की सवारी करते हुए उनको चाबुक भी इस प्रकार मारने के लिए कहता है जिससे वे संतप्त न हों [४ । ६८][५], वह व्यक्ति पशुओं की हिंसा और मांसभक्षण का विधान कदापि नहीं कर सकता । यह सर्वथा असंभव है । आश्चर्य की बात तो यह है कि छोटी-छोटी हिंसाओं के प्रायश्चित के लिए अर्थात् उनके पाप की शुद्धि के लिए ही मनु पांच यज्ञों का विधान कर रहे हैं और फिर लोग यज्ञों में ही हिंसा करने को मनुसम्मत सिद्ध करना चाहते हैं । यदि ऐसा है तो यज्ञों से पाप-शुद्धि ही क्या हुई ?

२. मनु ने ५ । ४९ में अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया है — "**निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात्**" = सब प्रकार के मांस-भोजन से दूर रहे । इसके अतिरिक्त अन्य अनेक स्थानों पर भी मांसभक्षण का स्पष्ट निषेध है और हिंसक की निन्दा तथा अहिंसक की प्रशंसा एवं अहिंसा की प्रेरणा है —

---

४. "अद्रोहेणैव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः — विप्रो जीवेत ।"

५. विनीतैस्तु व्रजेन्नित्यम् . . . प्रतोदेनातुदन्नृशम् ।"

(क) "वर्जयेत् मधुमांसं च प्राणिनां चैव हिंसनम् ।।" (२ । १५२ [१७७])
(ख) "वर्जयेत् मधुमांसम्" (६ । १४)
(ग) "हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासौ सुखमेधते ।" (४ । १७०)
(घ) "यो अहिंसकानि भूतानि हिनस्ति आत्मसुखेच्छया ।
स जीवंश्च मृतश्चैव न क्वचित् सुखेमेधते" । (५ । ४५ ।।)
(ङ.) "अहिंस्रः दमदानाभ्यां जयेत् स्वर्गं तथाव्रतः । (४ । २४६)
(च) "विचरेत् नियतः नित्यं सर्वभूतानि-अपीडयन् ।।" (६ । ५२)
(छ) "अहिंसया च भूतानां अमृतत्वाय कल्पते ।" (६ । ६०)
(ज) "यो बन्धनवधक्लेशान्प्राणिनां न चिकीर्षति ।
स सर्वस्य हितप्रेप्सुः सुखमत्यन्तमश्नुते ।। (५ । ४६)

३. इतना ही नहीं, मांसप्राप्ति में किसी भी प्रकार का सहयोग देने वाले व्यक्ति को मनु घातक = पापी कहकर संबोधित करते हैं । निम्न श्लोक में आठ प्रकार के व्यक्तियों को पापियों में परिगणित किया गया है —

(क) अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी ।
संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः ।। (५ । ५१)

(अनुमन्ता) मारने की आज्ञा देने वाला (विशसिता) मांस काटने वाला (निहन्ता) पशु को मारने वाला (क्रय-विक्रयी) पशुओं को मारने के लिए मोल लेने-बेचने वाला (संस्कर्त्ता) पकाने वाला (उपहर्त्ता) परोसने वाला (च) और (खादक :) खाने वाला, (इति घातका :) ये सब हत्यारे और पापी हैं ।। ५१ ।।

४. भक्ष्याभक्ष्य प्रसंग [५।५, ८, ९, १०, २४, २५] श्लोकों से ज्ञात होता है कि मनु तामसिक, राजसिक और 'अमेध्यप्रभव' = अशुद्धस्थानोत्पन्न सभी पदार्थों को अभक्ष्य मानते हैं । बासी भोजन, लहसुन, प्याज आदि तामसिक, राजसिक भोजन के अन्तर्गत आते हैं तथा गन्दे स्थान में उत्पन्न पदार्थ और रक्त चर्बी आदि से युक्त मांस आदि अमेध्यप्रभव है । कुछ प्रमाण प्रस्तुत हैं —

(क) लशुनं गृञ्जनं चैव पलाण्डुं कवकानि च ।
अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवाणि च ।। (५।५ ।।)
(ख) नाकृत्वा प्राणिनां हिंसा मांसमुत्पद्यते क्वचित् ।
न च प्राणिवधः स्वर्ग्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत् ।। (५ । ४८ ।।)
(ग) समुत्पत्तिं च मांसस्य वधबन्धौ च देहिनाम् ।
प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात् ।। (५ । ४९ ।।)

५. मनु सात्विक गुणों, पदार्थों को ही ग्राह्य और प्रशंसनीय मानते हैं और राजस-तामस को निन्द्य ।[६] । सात्विक गुणों से ही मोक्ष प्राप्ति संभव है ।[७] यही मनु का धर्मशास्त्र के प्रवचन का उद्देश्य है — "आर्हमीयं क्रियते तनुः" [२ । ३ (२८)] तथा तामसिक-राजसिक पदार्थों का भक्षण करना मनु के मुख्य प्रतिपाद्य और उद्देश्य के ही विरुद्ध है ।

६. तृतीय अध्याय के यज्ञ-प्रसंगों में मनु ने कहीं भी मांसयज्ञ का विधान नहीं किया है । और वानप्रस्थ के प्रसंग में तो स्पष्टत : कह दिया है कि अन्नों से ही यज्ञ करे और वह भी 'मेध्य' = शुभ अन्न से —

६. २ । ५ ।। ५ । २४ ।। १२ । ७, २८, २९, ३२, ३३, ३५, ३६ ।।
७. १२ । ७, ३१, ३७ ८३ ।।

मुन्यन्नै : विविधै : मेध्यै : शाकमूलफलेन वा ।
एतानेव महायज्ञान् निर्वपेत् विधिपूर्वकम् ।। (६ । ५ ।।)

मनु की मान्यता को समझने के लिए इन प्रमाणों से अधिक और क्या प्रमाण मिल सकते हैं । इसके बाद भी जो लोग मांसभक्षण और पशुयज्ञ को मनुसम्मत मानते हैं, वे मनु और मनुस्मृति के साथ अन्याय करते हैं ।

७. मांसभक्षण और पशुयज्ञ के विरोध में वेद के प्रमाण — इस प्रसंग में मांस भक्षण की सिद्धि के लिए प्रक्षेपकर्त्ताओं ने यज्ञ की आड़ ली है । यज्ञों का विधान वेदों में है । अत :यहाँ वेदों के ही यज्ञसम्बन्धी प्रमाण प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जिनसे पता चलेगा कि अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए स्वार्थी लोगों ने मिथ्या ही यज्ञ और वेद को बदनाम किया है —

(क) **'अध्वर'** शब्द ऋग्वेद में-१ । २३ । १७ ।। १ । १३५ । ७ ।। १ । ४४ । १३ ।। ३ । २४ । २ ।। ७ । ७२ ।४ ।। ७ । ६ । ८ ।, यजुर्वेद में- ३७ । १९ ।। ३ । ११ ।। २१ । ४७ आदि अनेक स्थानों पर यज्ञार्थ में प्रयुक्त हुआ है । इस शब्द की निरुक्ति करते हुए ऋषि यास्क लिखते हैं —**''अध्वर इति यज्ञनाम, ध्वरति हिंसाकर्मा तत्प्रतिषेध :''**[नि. ३ । १७ ।। १ । ७] अर्थात् 'अध्वर = यज्ञ का नाम है । 'ध्वर' हिंसार्थक धातु से बना है । जिसमें हिंसा न हो उसे अध्वर = यज्ञ कहते हैं । इस संज्ञा से स्पष्ट है कि यज्ञों में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती । यज्ञ के नाम पर पशुहिंसा करना स्वार्थी लोगों की उदरपूर्ति-हेतु कल्पना है ।

(ख) यजुर्वेद को कर्मकाण्ड का वेद माना जाता है । उसके प्रथम मन्त्र में ही पशुओं की अहिंसा की कामना है — **''यजमानस्य पशून् पाहि''** [यजु. १।१] अर्थात् 'यज्ञ करने वाले के पशुओं की रक्षा कीजिए ।'

(ग) **मांसाहारियों को यज्ञ सम्पादन का अधिकार नहीं** — यज्ञों में मांसविधान की चर्चा तो बहुत दूर की बात है । वेदों में,यज्ञ-विधान प्रसंगों में केवल यज्ञीय प्रवृत्ति के अन्नाहारी (मांसाहारी नहीं) व्यक्तियों को ही यज्ञ करने का विधान है । निम्न वेदमंत्र प्रमाणरूप में उल्लेखनीय है ।

''ऊर्जाद : उत यज्ञियास : पञ्चजना : मम होत्रं जुषध्वम् ।''
(ऋ. १०।५३।४)

अर्थात् केवल अन्नाहारी (मांसाहारी नहीं), और यज्ञीय प्रवृत्ति वाले पांचों प्रकार के (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद) व्यक्ति यज्ञ-सम्पादन करें ।

निरुक्तकार ने 'ऊर्ज' की व्युत्पत्ति और अर्थ दिये हैं — **'ऊर्गिति अन्ननाम, ऊर्जयति इति सत : ।''** (निरु. ३।२।७) अर्थात् 'ऊर्ज्' अन्न को कहते हैं, क्योंकि यह शरीर को प्राणशक्ति प्रदान करता है ।

८. इन सभी स्थलों की मनुस्मृति के विषय, प्रसंग के साथ अनुकूलता है, और शैली के अनुरूप भी है ।

(ख) मांससमर्थक स्थल और उनका विवेचन —

(अ) ३।१२३, २६७-२७२ में विविध मांसों से मृतकश्राद्ध में तृप्ति ।
(आ) ४।२६-२८ में नये अन्न या मांसभक्षण के समय उनसे यज्ञ करना ।
(इ) ५।६, ७, ११-२३, २६-४४, ५०, ५२-५६ में विभिन्न मांसों का विधान और उनको

यज्ञपूर्वक खाने की विधि तथा खण्डन-मण्डन ।

१. इन श्लोकों में वर्णित मान्यताओं का उक्त मान्यताओं से विरोध है, अत : ये मान्य नहीं ।

२. 'अ' भाग के श्लोक विषयविरुद्ध हैं । क्योंकि वहां पञ्चयज्ञों का विषय है, मृतकश्राद्ध वर्णन का नहीं । (विस्तृत विवेचन संख्या ३ पर देखिये, इसी मान्यता की समीक्षा में)

३. 'अ' भाग के श्लोक मृतकश्राद्ध सम्बन्धी प्रसंग के अंश हैं, और यह प्रसंगविरुद्ध है । 'अ' भाग के ५।११-२३ श्लोकों ने ५।१०, १४ के प्रसंग को भंग किया है, और ५।२६-४४ श्लोकों में नये सिरे से मांसभक्षण की विधि-अविधि का प्रसंग प्रारम्भ किया है । यह भी अप्रासंगिक है ।

४. तीनों स्थलों की शैली निराधार, अतिशयोक्तिपूर्ण एवं अयुक्तियुक्त है ।

५. इन मांस-समर्थक प्रसंगों में परस्पर विरुद्ध विधान भी हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि ये प्रसंग अनेक व्यक्तियों द्वारा भिन्न-भिन्न समय में रचकर मिलाये गये हैं ।

३. मृतक व्यक्तियों का श्राद्ध मनुसम्मत नहीं —

(क) जीवितश्राद्ध का वर्णन करने वाले स्थल —

३।८०-८२ ; ४।३०-३१ ।।

मनु ने पञ्चयज्ञों के प्रसंग में श्राद्ध का क्रमबद्ध रूप से वर्णन किया है । वह श्राद्ध जीवितों पर ही घटता है, मृतकों पर नहीं । मनु कहते हैं — 'श्राद्धों से पितरों का पूजन करें । यह श्राद्ध प्रतिदिन करें । माता-पिता आदि वयोवृद्धों को प्रसन्न रखते हुए उन्हें अन्न, जल, फल-मूल आदि देकर यह श्राद्धकार्य करें । यही पितृयज्ञ कहाता है ।' इन श्लोकों में श्राद्ध के लिए ऋषि, पितर, देव, मनुष्य आदि सभी जीवितों की ही गणना है । ४।३०-३१ में ऐसे ही लोगों को हव्य = भोज्य पदार्थों का दान, कव्य = उपयोगी धन, वस्त्र आदि का दान देने का विधान है । प्रमुख श्लोक द्रष्टव्य हैं । —

(क) ऋषय: पितरो देवा भूताम्यतिथयस्तथा ।
आशासते कुटुम्बिभ्यस्तेभ्य: कार्यं विजानता ।। (३।८० ।।)

(ख) स्वाध्यायेनार्चयेदृषीन्होमैर्देवान्यथाविधि ।
पितॄन्श्राद्धैश्च नृनन्नैर्भूतानि बलिकर्मणा ।। (३।८१ ।।)

(ग) कुर्यादहरह: श्राद्धमन्नाद्येनोदकेन वा ।
पयोमूलफलैर्वाऽपि पितृभ्य: प्रीतिमावहन् ।। (३।८२ ।।)

इस विषय में विस्तृत विवेचन किया जाता है — पितृयज्ञ के दो भेद हैं — एक तर्पण, दूसरा श्राद्ध । 'येन कर्मणा विदुषो देवान्, ऋषीन्, पितॄंश्च तर्पयन्ति = सुखयन्ति तत्तर्पणम्' । अर्थात् जिस कर्म से विद्वान्रूप देव, ऋषि और पितरों को सुखयुक्त करते हैं, उसे तर्पण कहते हैं । 'यत्तेषां श्रद्धया सेवनं क्रियते तत् 'श्राद्धम्' । अर्थात् जो इन लोगों का श्रद्धा से सेवन करना है, वह श्राद्ध कहाता है ।

श्राद्ध का अर्थ है — श्रद्धा से किया गया कार्य, जैसे श्रद्धापूर्वक माता-पिता की सेवा-शुश्रूषा करना, भोजन देना आदि । यही पितरों का तर्पण या पितृयज्ञ है । यह तर्पण आदि कर्म विद्यमान अर्थात् जो प्रत्यक्ष हैं उन्हीं में घटता है, मृतकों में नहीं । क्योंकि, उनकी प्राप्ति और उनका प्रत्यक्ष होना दुर्लभ है । इसी से उनकी सेवा भी किसी प्रकार से नहीं हो सकती । और जो उनका नाम लेकर देवे वह पदार्थ उनको कभी नहीं मिल सकता, इसलिए मृतकों को सुख पहुंचाना सर्वथा असम्भव है . . . . .

तर्पण आदि कर्म में सत्कार करने योग्य तीन हैं — देव, ऋषि और पितर। 'पितर' से अभिप्राय मृतकों से नहीं अपितु जीवितों से है। **''पान्ति पालयन्ति रक्षन्ति अन्न-विद्या-सुशिक्षा-आदिदानै; ते पितर:''** = जो अन्न विद्या, सुशिक्षा आदि से पालन-पोषण और रक्षण करते हैं वे 'पितर' कहलाते हैं। इसमें ब्राह्मणों के प्रमाण द्रष्टव्य हैं –

(अ) ''देवा वा एते पितर:'' (गो. उ. १।२४)

(आ) ''स्विष्टकृतो वै पितर:'' (गो. उ. १।२५)

अर्थात् सुख सुविधाओं द्वारा पालन-पोषण करने वाले और हितसम्पादन करने वाले विद्वान् व्यक्ति 'पितर' कहलाते हैं।

ये श्लोक अपने-अपने प्रसंग में सहज ढंग से उक्त हैं, और विषय तथा शैली के अनुकूल हैं।

(ख) मृतकश्राद्ध के विधायक स्थल –

(अ) ३।१२२-२८४ तक मृतकश्राद्ध का एक स्वतन्त्र प्रसंग है।

इस प्रसंग का अपने पूर्वापरप्रसंग से न तो तालमेल है, न यह विषय संकेत के अनुसार है, और न मनु की मूल भावना के अनुकूल है। ऐसा निम्न कारणों से ज्ञात होता है —

१. **अन्तर्विरोध** — इस प्रसंग में वर्णित विधानों के मनुस्मृति के अन्य विधानों से अनेक अन्तर्विरोध हैं —(१) १२२ से २८४ श्लोकों में मृतकश्राद्ध का विधान है। यह मान्यता मनुविरुद्ध है। मनु ने पितृयज्ञ के रूप में जीवितों का श्राद्ध और वह भी दैनिक रूप में विहित किया है [३।८०-८२] [विस्तृत रूप में द्रष्टव्य है ३।८५ पर अनुशीलन समीक्षा]। मनु के अनुसार 'पितृ' या 'पितर' शब्द का अर्थ भी 'बुजुर्ग' 'पालक' है। देखिए ९।२८; २।१२६; [२।१५१] में 'पितृ' शब्द का प्रयोग 'बुजुर्गों' के लिये किया है। (२) दैनिक पितृयज्ञ या श्राद्ध घर पर विहित है, जबकि इन श्लोकों में वर्णित श्राद्ध को वनों, नदीतीरों, एकान्त स्थानों [२०७] पर करने का कथन है। यह भिन्नता मनु की व्यवस्था के विरुद्ध है। (३) मनु ने पितृयज्ञ को ही श्राद्ध माना है और उससे भिन्न कोई क्रिया पितृयज्ञ में नहीं मानी [८०-८२] जब कि इन श्लोकों में **''पितृयज्ञं तु निर्वर्त्य''** कहकर **''पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धं कुर्यात् मासानुमासिकम्''** [१२२] के विधान से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्णन करने वाला इस विधान को पितृयज्ञ से भिन्न क्रिया मानता है। यह अतिरिक्त पृथक् श्राद्ध का विधान मनु की व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। (४) पितृयज्ञ के प्रसंग में केवल अन्न, जल, फल-मूल से ही श्राद्ध करना कहा है [८२], जब कि इस प्रसंग में मांस से श्राद्ध करना अधिक फलदायक माना है [२६६-२७२]। (५) इस प्रसंग में अनेक श्लोकों में मांसभक्षण का विधान है [१२३, २२७, २५७, २६६-२७२]। यह मान्यता मनुस्मृति की मौलिक मान्यता के ही विरुद्ध है। मनु ने मांसभक्षण को पाप और मांसभक्षक को पापी कहा है [५।४३-५१] और हिंसा करने वाले के लिए पायश्चित्तों का विधान किया है [३।६८-६९]। [विस्तृत समीक्षा ४।२६-२८ श्लोकों पर देखिये]। (६) मनु कर्त्ता को ही स्वयं फल का भोक्ता मानते हैं [४।२४०]।

इस प्रसंग में श्राद्धकर्त्ता द्वारा पितरों का निस्तार [२२०-२२२], एक के श्राद्ध से सात पीढ़ी के वंशजों को पुण्यफल-प्राप्ति [१४६], आदि कथन उक्त मान्यता के विरुद्ध हैं। (७) १३६, १३७, १५२-१५६, १६४-१६६, १८२ आदि श्लोकों में वर्णव्यवस्था को जन्मना मानने के

संकेत हैं, जबकि मनुकर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं। [१।८८; २।१४३ (१६८), १२२-१२३ (१४७-१४८)]। उक्त श्लोकों में वर्णित कर्म ब्राह्मणों के नहीं हो सकते। यदि उनमें ये कर्म हैं तो वे मनु की व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण नहीं कहला सकते। (८) २।८१ [१०६] में वेदाध्ययन को सर्वदा पुण्यदायक माना है, जबकि इस प्रसंग में श्राद्ध में वेदपाठ निषिद्ध है [१८८]। [९] प्रथम अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति परमात्मा द्वारा पञ्चभूतों के माध्यम से मानी है [१।६, १४-२०], जबकि इस प्रसंग में मरीचि आदि ऋषियों से चराचर जगत् की उत्पत्ति कही है, जो प्रकृतिविरुद्ध बात है [२०१]। (१०) १।९१ में शूद्रों का कर्म द्विजों की सेवा करना कहा है, जबकि इस प्रसंग में शूद्रों का श्राद्ध के पदार्थों से स्पर्श करना भी निषिद्ध है [२४१]। १९७ में शूद्रों के पितर सुकाली माने जाते हैं। जब शूद्रों के लिए श्राद्ध में स्पर्श तक का निषेध है तो शूद्रों के यहां कौन से ब्राह्मण श्राद्ध खायेंगे? यदि नहीं खाते हैं तो फिर शूद्रों के लिए श्राद्ध का विधान क्यों? (११) इस सम्पूर्ण प्रसंग में पितरों के लिए हव्य-कव्य आदि देने का विधान है किन्तु मनु के मत में जीवित व्यक्तियों को दिये जाने वाले भोज्य एवं हितार्थ देय वस्त्र, धन आदि दान 'हव्य-कव्य' कहलाते हैं। ४।३०-३१ में देखिए मनु ने स्पष्ट: जीवित, धार्मिक विद्वानों को हव्य-कव्य देने का कथन किया है। यह सम्पूर्ण प्रसंग उक्त मान्यता के विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है।

२. **प्रसंगविरोध**—(१) ११७ वें श्लोक में गृहस्थी को '**शेषभुक्**' होने के लिए कहा है और ११८ वें श्लोक में '**यज्ञशेषभुक्**' होने के लिए कहा है। २८५ वें श्लोक में इन्हीं बातों का विकल्प रूप में कथन है। यह कहना चाहिए कि २८५ वां श्लोक इनका 'अर्थवाद' रूप है। बीच के इन श्लोकों ने उस पूर्वापर प्रसंग को भंग करके एकवाक्यात्मक वर्णन को तोड़ दिया है।

(२) ११७-११८ और २८५ श्लोक में अतिथि यज्ञ से सम्बन्धित प्रसंग है, जिसमें गृहस्थी को कैसा भोजन करना चाहिए, यह स्पष्टीकरण है। इसके बीच में संबन्धियों की पूजा, राजा-स्नातक की पूजा [११९, १२०], बलिवैश्वदेव का विधान [१२१], पितृश्राद्ध का विधान [१२२-२८४], पूर्वापर प्रसंग-विरुद्ध है।

(३) १२२ वें श्लोक में "**पितृयज्ञं तु निर्वर्त्य**" कहकर नये सिरे से पितृश्राद्ध का प्रसंग शुरू किया गया है। यदि यह प्रसंग मौलिक होता तो प्रसंगक्रम की दृष्टि से पितृयज्ञ के प्रसंग [३।८१, ८२] के साथ होना चाहिए था, किन्तु ऐसा न होकर खण्डित क्रम में इसका वर्णन है। यह क्रम की असंगति इसे मौलिक सिद्ध नहीं करती। इस प्रकार इन प्रसंगविरोधों के आधार पर ये सभी ११९ से २८४ श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

३. **विषयविरोध**—६७ वें श्लोक में "**वैवाहिकेऽग्नौ कुर्वीत . . . पञ्चयज्ञविधानं च**" कहकर दैनिक पञ्चयज्ञों के वर्णन का संकेत किया है और समाप्तिसूचक "**एतत् वः अभिहितं सर्वं विधानं पाञ्चयज्ञिकम्**" श्लोक से भी यही सिद्ध है कि ६७ से २८६ श्लोकों का विषय केवल दैनिक पञ्चयज्ञों का विधान करना है। १२२ से २८४ श्लोकों में दैनिक पञ्चयज्ञों से भिन्न मासिक, त्रैमासिक आदि श्राद्धों का वर्णन है। यह वर्णन मनु के विषय-संकेत से बाह्य होने से विषयविरुद्ध है, अतः प्रक्षिप्त है।

इस प्रकार मृतकश्राद्ध की मान्यता मनुविहित न होकर अन्य द्वारा प्रक्षिप्त है। मनु द्वारा वर्णित श्राद्ध से अभिप्राय केवल जीवित वयोवृद्धों की सेवा-सुश्रूषा से है।

४. नियोग प्रथा मनुविहित एवं वैदिक है —

(क) इस प्रथा के विधायक स्थल —

मनु ने ९।५६-५९, ६२, ६३ श्लोकों में बहुत स्पष्ट शब्दों में नियोग का विधान किया है। वे कहते हैं कि सन्तान का अभाव होने पर (पति के मरने पर अथवा जीते हुए भी सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होने पर) स्त्री को अथवा विधवा को देवर अर्थात् पति के भाई से अथवा उसके वंशस्थ पुरुष से सन्तान प्राप्त कर लेनी चाहिए। प्रमुख श्लोक है —

देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यंगनियुक्तया।
प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये।। (९।५९।।)

(१) नियोग का अर्थ है — 'सन्तान प्राप्ति के लिए किसी स्त्री अथवा विधवा को किसी अन्य पुरुष से शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने की स्वीकृति देना।' नियोग के लिए 'नियुक्त करना' या 'नियोग की विधि' से अभिप्राय यह है कि जैसे समाज और परिवार में प्रसिद्धिपूर्वक विवाह होता है, उसी प्रकार नियोग भी होता है। इन्हीं के समक्ष पुत्र आदि प्राप्त करने के सम्बन्ध में निश्चय होते हैं। उस निश्चय के अनुसार चलना 'विधि' है और अन्यथा चलना 'विधि का त्याग' है। मनु ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह शारीरिक सम्बन्ध केवल सन्तान प्राप्ति के लिए ही है, विलासिता के लिए नहीं। सन्तान प्राप्ति के पश्चात् यदि वे स्त्री-पुरुष सम्बन्ध स्थापित करते हैं तो दण्डनीय होते हैं [९।६२-६३]।

यह परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। इसमें वेदों, इतिहास और परम्पराओं के प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं —

(२) वेदों में नियोग का विधान और इतिहास के प्रमाण —

(क) उदीर्ष्व नार्यभिजीवलोकं गतासुमेतमुप शेष एहि।
हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभि सं बभूथ।।
(ऋ. ।मं. १०। सू. १८। मं. ८।।)

अर्थ — "(नारि) विधवे तू (एतं गतासुम्) इस मरे हुए पति की आशा छोड़ के बाकी पुरुषों में से (अभि जीवलोकम्) जीते हुए दूसरे पति को (उपैहि) प्राप्त हो, और (उदीर्ष्व) इस बात का विचार और निश्चय रख कि जो (हस्तग्राभस्य दिधिषोः) तुम विधवा के पुनः पाणिग्रहण करने वाले नियुक्त पति के सम्बन्ध के लिए नियोग होगा तो (इदम्) यह (जनित्वम्) जना हुआ बालक उसी नियुक्त (पत्युः) पति का होगा और जो तू अपने लिये नियोग करेगी तो यह सन्तान (तव) तेरी होगी। ऐसे निश्चययुक्त (अभि सम्बभूथ) हो और नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे।"
(स. प्र. चतुर्थ समु.)

(ख) (प्रश्न) नियोग मरे पीछे ही होता है वा जीते पति के भी?
(उत्तर) जीते भी होता है —
अन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत्।। ऋ. मं. १०। सू. १०।।

जब पति सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि हे सुभगे! सौभाग्य की इच्छा करनेहारी स्त्री तू (मत्) मुझ से (अन्यम्) दूसरे पति की (इच्छस्व) इच्छा कर क्योंकि अब मुझ से सन्तानोत्पत्ति की आशा मत कर। तब स्त्री दूसरे से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करे परन्तु उस विवाहित महाशय पति की सेवा में तत्पर रहे। वैसे ही स्त्री भी जब रोगादि दोषों से ग्रस्त होकर

सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपने पति को आज्ञा देवे कि हे स्वामी ! आप सन्तानोत्पत्ति की इच्छा मुझसे छोड़ के किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कीजिए ।

जैसा कि पाण्डु राजा की स्त्री कुन्ती और माद्री ने किया और जैसा व्यास जी ने चित्रांगद और विचित्रवीर्य के मरजाने के पश्चात् उन अपने भाइयों की स्त्रियों से नियोग करके अम्बिका में धृतराष्ट्र और अम्बालिका में पाण्डु और दासी में विदुर की उत्पत्ति की । इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण है ।" (स. प्र. चतुर्थ समु.)

(३) देवर शब्द का अर्थ और प्राचीन परम्परा का संकेत —

मनुस्मृति या वैदिक साहित्य में देवर शब्द का प्रचलित — 'पति का छोटा भाई' अर्थ न होकर विस्तृत अर्थ है । निरुक्त में 'देवर' शब्द की निरुक्ति निम्न दी है —

"**देवरः कस्मात् द्वितीयो वर उच्यते ।।**" (३।१५)

अर्थात् — "देवर उसको कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता है, चाहे छोटा भाई या बड़ा भाई अथवा अपने वर्ण वा अपने से उत्तम वर्ण वाला हो । उससे नियोग करे,उसी का नाम देवर है ।"

(म. दयानन्द,' स. प्र. ११६)

आजकल यह केवल पति के छोटे भाई के अर्थ में रूढ़ हो गया है । इस रूढ़ि का कारण कदाचित यह है कि स्त्री के विधवा हो जाने पर अधिकतर मृत-पति के छोटे भाई से ही उसका सम्बन्ध कर दिया जाता है । यह नियोगविधि का ही एक परिवर्तित रूप है । इस परम्परा से प्राचीन काल में नियोगप्रथा के अस्तित्व के संकेत मिलते हैं ।

(४) यहां यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक है कि इन दोनों मान्यताओं में 'नियोग-व्यवस्था' मनु की मौलिक मान्यता है । इसमें निम्न पोषक प्रमाण हैं — (क) नियोग-विधान की मान्यता पूर्वविहित और आधारभूत है । (ख) विषयसंकेतक श्लोकों में इस प्रसंग को प्रारम्भ और समाप्त करने का संकेत है [९।५६ और ९।१०३] । ये श्लोक अपने पूर्वापर प्रसंगों से श्रृंखलावत् जुड़े हैं, जो सिद्ध करते हैं कि यह मान्यता मौलिक है । (ग) ९।१४५-१४६ में नियोग से उत्पन्न पुत्र को दायभाग का पूर्ण अधिकार विहित है । यह भी इस मान्यता को मनुसम्मत सिद्ध करता है, और (घ) नियोग-विधि का त्याग करके उत्पादित पुत्र को धनाधिकार से ९।१४७ में वंचित किया गया है । इससे यह सिद्ध होता है कि मनु नियोग को ही स्वीकार्य मानते हैं, नियोगत्याग को नहीं ।

(ख) इस परम्परा के खण्डनात्मक स्थल —

ज्यों ही नियोग प्रथा का विधान पूर्ण होता है, उसके पश्चात् इसका खण्डन करने वाले श्लोक हैं । ९।६४-६८ श्लोकों में इस प्रथा का खण्डन करते हुए कहा गया है कि 'नियोग नहीं कराना चाहिये, यह धर्महनन करना है । राजा वेन के समय यह पशुधर्म प्रचलित हुआ है', आदि-आदि ।

१. स्पष्ट है कि विधान के पश्चात् किया गया यह खण्डन परवर्ती है । विधान मौलिक और खण्डन उसकी प्रतिक्रिया में होता है, अतः यह नियोगविरोधी वर्णन मनुकृत नहीं है ।

२. पिछले प्रमाणों से यह भी सिद्ध हो गया है कि यह प्रथा वेदोक्त है, अतः अतिप्राचीन भी है । इन श्लोकों में इसे वेन राजा के समय की कहना गलत है । आचार्य कौटिल्य ने भी इसका विधान अपने अर्थशास्त्र में किया है । इसका अभिप्राय यह है कि आचार्य कौटिल्य तक नियोग-व्यवस्था प्रचलित एवं मान्यता प्राप्त रही है । उन्होंने प्र. ६०।अ. ४ में कारण प्रदर्शनपूर्वक विभिन्न नियोगों का विधान किया है ।

इनके अतिरिक्त ये खण्डनात्मक श्लोक निम्न कारणों से मौलिक सिद्ध नहीं होते

१. **विषयविरोध** — विषय-संकेतक श्लोकों [९।५६, १०३] के निर्देशानुसार यह विषय स्त्रियों के लिए आपत्कालीन धर्मों और आपत्काल में सन्तानप्राप्ति का है। नियोग की मान्यता उस विषय से सम्बद्ध है, अत: मौलिक है। खण्डन की मान्यता का संकेतित विषय से कोई सम्बन्ध नहीं, अत: प्रक्षिप्त है।

२. **शैलीगत आधार** — ६६-६७ श्लोकों में राजा वेन के समय नियोग के विस्तार का कथन है। राजा वेन मनु से परवर्ती है, अत: ये श्लोक भी किसी व्यक्ति द्वारा रचकर मिलाये गये हैं। राजा वेन अंग देश का राजा था। इसके पिता का नाम अनंग था। यह मनु से बहुत पीढ़ियों पश्चात् हुआ [महा. शान्ति. ५९।९६-९९]।

विस्तार से समझाने के लिए उपर्युक्त मान्यताओं का पक्ष-विपक्ष की विवेचना पूर्वक विश्लेषण किया गया। इसी प्रकार अन्य मान्यताओं के विषय में समझना चाहिये। यहां कुछ अन्य मान्यताएं संक्षेप से प्रस्तुत की जा रही हैं, किन्तु विस्तारभय से उनका समग्र विश्लेषण नहीं किया जा रहा है। वह मनुस्मृति भाष्य में यथास्थान देखा जा सकता है।

५. स्त्रियों के सम्बन्ध में मनु की धारणा —

(क) बहुत से आलोचक मनु पर यह आक्षेप लगाते हैं कि मनु का स्त्रियों के प्रति बड़ा ही संकीर्ण, पक्षपातपूर्ण और निम्न दृष्टिकोण है। मनुस्मृति में कुछ ऐसे प्रक्षिप्त स्थल हैं जिनके कारण लोगों की यह धारणा बनी है, यथा — २।४१-४२ (६६-६७); ५।१४७, १४८, १५३-१६२, १६४, १६६; ९।२, ३, १४-२४, आदि।

(१) किन्तु प्रक्षिप्तों के अतिरिक्त मनुस्मृति के प्रसंग, विषय, शैली के अनुकूल ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि मनु ने स्त्रियों को अत्यधिक सम्मान, श्रद्धा और उच्चता प्रदान की है। वे स्त्रियों को घर की स्वामिनी, गृहलक्ष्मी, देवी, गृहशोभा के विशेषणों से संबोधित करते हैं; और उन्हें घर के सुख का आधार मानते हैं। उनका सम्मान करने और उन्हें प्रसन्न रखने की प्रेरणा देते हैं। यहां मनुस्मृति में प्राप्त श्लोकों के आधार पर मनु की उन धारणाओं को स्पष्ट किया जाता है। निम्न श्लोकों में मनु द्वारा वर्णित स्त्रियों का उज्ज्वल, सम्माननीय और उच्चस्तरीय रूप द्रष्टव्य है —

(क) पिता, भाई, पति आदि द्वारा स्त्रियों का सत्कार करना चाहिए —

(क) पितृभि : भ्रातृभिश्चैता ..... पूज्या भूषयितव्याश्च। (३।५५)

(ख) नारियों के सत्कार से दिव्यलाभों व दिव्यगुणों की प्राप्ति —

(ग) यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता :।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला : क्रिया :।

(ग) वस्त्रों, आभूषणों से नारियों को सदा सत्कृत रखें —

तस्मादेता : सदा पूज्या : भूषणाच्छादनाशने :। (३।५९)

(घ) नारी की प्रसन्नता में कुल का कल्याण निहित है —

सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च।
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्।। (३।६०)

(ङ.) स्त्रियों के शोकग्रस्त रहने से परिवार का विनाश —

शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्।

न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा ।।
५७ ।। (३७) (३।५७)

(च) स्त्रियाँ घर की लक्ष्मी और शोभा हैं —

प्रजनार्थं महाभागाः पूजार्हा गृहदीप्तयः ।
स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ।। (९।२५)

(छ) स्त्रियाँ घर के सुख का आधार हैं —

अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा ।
दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ह ।। (९।२८)

(ज) स्त्रियाँ घर की स्वामिनी हैं —

अर्थस्य संग्रहे चैनां व्यये चैव नियोजयेत् ।
शौचे धर्मेऽन्नपक्त्यां च परिणाह्यस्य वेक्षणे ।। (९।११)

सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया ।
सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ।। (५।१५०)

(२) मनु स्त्री और पुरुष में न तो कोई पक्षपातपूर्ण अन्तर करते हैं, न स्त्री को पुरुष की दासी या अधीनता में बंधी रहने वाली मानते हैं । वे दोनों को ही एक-दूसरे की भावनाओं का समान रूप से आदर करने वाली बातें कहते हैं; अपितु स्त्रियों को अधिक आदरपूर्वक रखने की बातें कहते हैं । नीचे कुछ श्लोक प्रमाणरूप में दिये जा रहे हैं, जिनसे इन बातों की पुष्टि होती है कि (अ) मनु की स्त्रियों के प्रति पक्षपातपूर्ण, दमनात्मक, अस्वतन्त्रतापूर्वक रखने की भावना नहीं है, अपितु समानता की भावना है ।

स्त्रियों पर बन्धन डालकर रखने की प्रवृत्ति की व्यर्थता का कथन और स्त्रियों द्वारा स्वयं अपने विवेक से ही अपने आचरण को बनाने का समर्थन —

(क) स्त्री को कोई भी दमनपूर्वक नहीं रख सकता —

न कश्चिद् योषितः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम् । (९।१०)

(ख) स्त्री स्वयं अपनी रक्षा करने से सुरक्षित हो सकती है —

अरक्षिता गृहे रुद्धा पुरुषैराप्तकारिभिः ।
आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः ।। (९।१२)

(३) बिना किसी पक्षपात के, स्त्री-पुरुष दोनों को समानस्तर का मानते हुए मनु ने स्त्री-पुरुषों को ऐसे सुझाव दिये हैं, जिनसे स्त्री की पुरुष के पूर्ण अधीन रहने की मान्यता स्वतः खण्डित हो जाती है —

(क) स्त्री-पुरुष मिलकर रहें —

अन्योन्यस्य अव्यभिचारो भवेदामरणान्तिकः ।
एषः धर्मः समासेन ज्ञेयः स्त्रीपुंसयोः परः ।। (९।१०१)

(ख) स्त्री-पुरुष कभी न बिछुड़ें —

तथा नित्यं यतेयातां स्त्रीपुंसौ तु कृतक्रियौ ।
यथा नाभिचरेतां तौ वियुक्तौ इतरेतरम् ।। (९।१०२)

(ग) स्त्री-पुरुष समान हैं, अतः सभी कार्य मिलकर करें

प्रजनार्थं स्त्रियः सृष्टाः सन्तानार्थं च मानवाः ।
तस्मात्साधारणो धर्मः श्रुतौ पत्न्या सहोदितः ।।
(९।९६)

इन मान्यताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि १४७-१४८ श्लोकों में जो दमनात्मक आग्रह से प्रेरित होकर आज्ञा दी है । यह मनु की मान्यता नहीं हो सकती । यह मनु की व्यवस्थाओं के विरुद्ध है ।

(४) मनु ने स्त्रियों को कहीं भी हीनभावना से नहीं देखा है, अपितु कहीं-कहीं तो पुरुषों से बढ़कर उन्हें सम्मान दिया है । कुछ उदाहरण देखिए —

(क) स्त्री के लिए मार्ग छोड़ देना चाहिए —
"स्त्रियाः पंथा देयः ।" [(२।११३ (२।१३८)] ।
(ख) पत्नी से लड़ाई-झगड़ा नहीं करना चाहिए —
"भार्यया ... विवादं न समाचरेत्" [४।१८०] ।

(ग) पत्नी आदि पर झूठा दोषारोपण नहीं करना चाहिए और न अपशब्द कहने चाहिएँ । यदि कोई ऐसा करे तो वह दण्डनीय है —**"मातरं पितरं जायाम् ... आक्षारयन् शतं दण्डयः"** [८।१८०] ।

(ख) स्त्रियों को वेदाध्ययन एवं यज्ञोपवीत का अधिकार मनुसम्मत —

कुछ श्लोकों में स्त्रियों के लिए गुरुकुलवास, वेदाध्ययन, मन्त्रपूर्वक क्रियाओं का निषेध मिलता है; यथा २।४१-४२ (६६-६७) ९।१८ आदि । ये सभी प्रक्षिप्त हैं । अन्य अनेक स्थलों पर यहां तक कि स्वयं वेद में भी स्त्रियों के लिए सभी धार्मिक कार्यों और वेदाध्ययन का विधान है ।

(१) मनु प्रत्येक धर्मकार्य में स्त्री-पुरुष का समान अधिकार समझते हैं । २।४ [२।२९] श्लोक में जातकर्म के अवसर पर बालक के लिए चाहे वह कन्या हो अथवा पुत्र, दोनों के ही लिए मन्त्रोच्चारणपूर्वक शहद चटाने का विधान है **"मन्त्रवत् प्राशनं चास्य"** । इससे स्पष्टतः सिद्ध है कि मनु मन्त्रोच्चारण या श्रवण आदि कार्यों में स्त्री-पुरुष का भेद नहीं करते । इसी प्रकार नामकरण आदि भी यज्ञ और मन्त्रपूर्वक करने का विधान है [२।८] । इस प्रकार ४१ वें श्लोक में स्त्रियों के लिए मन्त्रों के निषेध का विधान इस मान्यता के विरुद्ध है ।

(२) इसी प्रकार ३।२८ में अग्निहोत्रपूर्वक स्त्रियों का दैवविवाह करने का विधान किया है । अग्निहोत्र में मन्त्रोच्चारण हुआ ही करता है । इससे यह स्पष्ट होता है कि मनु स्त्रियों की क्रियाएं मन्त्ररहित नहीं मानते । स्त्रियों की अन्त्येष्टि भी अग्निहोत्र से विहित है [५।१६७], विवाह भी स्वस्तिमन्त्रपूर्वक यज्ञ से विहित है [५।१५२] । ४१ वें श्लोक में स्त्रियों के लिए मन्त्ररहित क्रियाओं का विधान इस विधान के विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है ।

(३) मनु ने घर में अग्निहोत्र आदि धर्मकार्यों के आयोजन की मुख्य जिम्मेदारी स्त्री को ही सौंपी है और यह आदेश दिया कि पुरुष को प्रत्येक धर्मकार्य स्त्री को साथ लेकर करना चाहिए — (क) **"शौचे धर्मे अन्नपक्त्यां च"** (घर की शुद्धि, धर्मकार्यों का आयोजन और भोजन बनाना आदि की

जिम्मेदारी स्त्री को सौंपे) [९।११] (ख) "**अपत्यं धर्मकार्याणि**" [९।२८] (सन्तानोत्पत्ति और उनका पालन, अग्निहोत्र आदि धर्मकार्य स्त्री के अधीन होते हैं)। (ग) "**तस्मात् साधारणो धर्म : श्रुतौ पत्न्या सहोदित :**" [९।९६] (साधारण से साधारण धर्मकार्य में भी पत्नी को सम्मिलित करना चाहिए)। इसी प्रकार २।१-३ [२।२६-२८] श्लोकों में मनु ने संस्कारों को सभी के लिए समान रूप से आवश्यक मानते हुए शारीरिक एवं संस्कार-सम्बन्धी दोषों को हटाने वाला कहा है। वहां स्त्री-पुरुष का कोई भेद नहीं माना। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं — एक तो यह कि सभी संस्कार मन्त्रपूर्वक होते हैं। अत : चाहे वह संस्कार स्त्री का हो अथवा पुरुष का, मन्त्रपूर्वक ही करना चाहिए। दूसरी यह कि संस्कार, द्विजाति वर्ग के सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक हैं, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष। इन दोनों श्लोकों में स्त्रियों के लिए मन्त्ररहित क्रियाओं का विधान, विवाह को ही उपनयन संस्कार मानना, पतिसेवा को ही ब्रह्मचर्याश्रम मानना घर के कामों को ही अग्निहोत्र मानना, उक्त विधानों के विरुद्ध हैं, अत : प्रक्षिप्त हैं।

(४) स्त्रियों के वेदाध्ययन में स्वयं वेदों के प्रमाण — इन श्लोकों में स्त्रियों के लिए वेदमन्त्रों का उच्चारण न करने आदि का कथन है। अत : यहां यह विचार कर लेना भी उपयोगी रहेगा कि इस विषय में स्वयं वेद क्या कहते हैं।

(क) वेदों में सभी के लिए वेदवाणी का विधान है — "**यथेमां वाचं कल्याणीम् आवदानि जनेभ्य : । ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय . . . .**" (यजु. २६।२) अर्थात् — "परमेश्वर कहता है कि (यथा) जैसे मैं (जनेभ्य :) सब मनुष्यों के लिए (इमाम्) इस (कल्याणीम्) कल्याण अर्थात् संसार और मुक्ति के सुख देनेहारी (वाचम) ऋग्वेदादि चारों वेदों की वाणी का (आवदानि) उपदेश करता हूँ वैसे तुम भी किया करो . . . . . (ब्रह्मराजन्याभ्याम्) ब्राह्मण, क्षत्रिय (अर्याय) वैश्य (शूद्राय) शूद्र और (स्वाय) अपने भृत्य वा स्त्रियां आदि (अरणाय) और अतिशूद्रादि के लिए भी वेदों का प्रकाश किया है।" [स. प्र. ७४]।

(ख) इसी प्रकार अथर्ववेद में "**ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्**" [३।५।१८] अर्थात् ब्रह्मचर्याश्रम में रहकर वेदों को पढ़ने और ब्रह्मचर्य को पालन करने के उपरान्त गृहस्थ की कामना करने वाली कन्या युवक पति का वरण करती है।

(ग) स्त्रियों के उपनयन में ऋग्. १०।१०९।४ मन्त्र भी प्रमाण है — "**भीमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता**" — इन प्रमाणों में स्त्रियों के लिए ब्रह्मचर्याश्रम, गुरुकुलवास आदि विधान सिद्ध होते हैं।

(घ) वैदिक काल के इतिहास पर यदि दृष्टि डालकर देखें तो उससे भी स्त्रियों के लिए मन्त्रनिषेध आदि की बातें सिद्ध नहीं होतीं। ऐसी बहुत-सी ऋषिकाएं हुई हैं जो मंत्रद्रष्टा थीं। जिन-जिन सूक्तों के मन्त्रों का उन्होंने अर्थ-रहस्य जाना, उन सूक्तों पर उनके नाम ऋषि के रूप में आज भी उपलब्ध हैं। अकेले ऋग्वेद में ही इस प्रकार की लगभग ३० ऋषिकाओं के नाम आते हैं। उनमें अदिति, जुहू इन्द्राणी, घोषा, गोधा, अपाला, रोमशा, लोपामुद्रा आदि उदाहरण के रूप में उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार उपनिषदों में गार्गी, मैत्रेयी ब्रह्मतत्त्वज्ञाता देवियों का वर्णन आता है। मनु ने अपनी स्मृति को वेदानुकूल और वेदाधारित माना है [१।१२५-१३२ (२।६-१३); १२।९४, ९५ २७, ९९, १०९, ११२, ११३ आदि]। अत : स्वयं वेद में विहित इन मान्यताओं के विरुद्ध होने से उपर्युक्त आक्षेप मान्य नहीं है।

६. शूद्र के विषय में मनु की धारणा —

(१) शूद्र अस्पृश्य नहीं — मनु ने शूद्र का कर्त्तव्य द्विजातियों की सेवा करना बताया है [१।९१]। इसी कर्त्तव्यनिर्धारण से मनु की यह मान्यता स्पष्ट हो जाती है कि मनु शूद्र को अस्पृश्य या घृणास्पद नहीं मानते।

(२) वस्तुत: जो व्यक्ति पढ़-लिख नहीं पाता और ऊपर के किसी वर्ण के योग्य नहीं होता वही शूद्र कहलाता है। इसी कारण २।१२६ में अज्ञानता के प्रतीकरूप में शूद्र की उपमा दी है — "**यथा शूद्रस्तथैव स:**"।

(३) शूद्र को धर्मपालन का अधिकार — शूद्र को धर्मपालन का अधिकार है। २।२१३ (२३९) में "**अन्त्यादपि परं धर्मम्**" कहकर शूद्र आदि से भी धर्म की शिक्षा ग्रहण करने को कहा है।

(४) शूद्र को वेदाध्ययन का अधिकार — शूद्र को वेदाध्ययन का अधिकार भी है। यह स्वयं यजु. २६।२ "**यथेमां वाचं कल्याणीम् . . . शूद्राय चार्याय च**" से संकेत मिलता है। इसकी व्याख्या पिछले 'स्त्री-वेदाध्ययन' सम्बन्धी प्रसंग में की जा चुकी है। वहां द्रष्टव्य है।

(५) वेदों में शूद्र को यज्ञ आदि का विधान — ऋक्. १०।५३।४-५ में "**पञ्चजना: मम होत्रं जुषध्वम्**" कहकर शूद्र को भी यज्ञ करने का आदेश है। निरुक्त ३।२।७ में 'पञ्चजना:' की व्याख्या में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निरग्निभोजी निषाद की गणना की है। इस पर विस्तृत विवेचन 'कर्मणा वर्णव्यवस्था' विषय में किया जा चुका है।

(६) मनुस्मृति में कहीं-कहीं शूद्र के प्रति घृणा, आक्रोश, असम्मान प्रकट करने वाले वर्णन हैं। ये सभी वर्णन परवर्ती प्रक्षेप हैं। मनु की यह शैली है कि वे अधर्मी, पापी या दोषी व्यक्ति को छोड़कर किसी के प्रति आक्रोश का भाव प्रकट नहीं करते। प्रत्येक विधान सहज और निर्लिप्त भाव से करते हैं। यथा, १।९१ का विधान सहज वर्णन है। मनु ने निम्न श्लोक में द्विजों को भी यह आदेश दिया है कि वह वृद्ध शूद्र का सम्मान पहले करें —

"**सोऽत्र मानार्ह: शूद्रोऽपि दशमीं गत:**" [२।११२ (१३७)]

(७) शूद्र पवित्र है और उत्कृष्ट वर्ण प्राप्त कर सकता है —

शुचिरुत्कृष्टशुश्रूषुर्मृदुवागनहंकृत:।
ब्राह्मणाद्याश्रयो नित्यमुत्कृष्टां जातिमश्नुते ।। (९।३३५।)

(शुचि:) शुद्ध-पवित्र [शरीर एवं मन से], (उत्कृष्टशुश्रूषु:) अपने से उत्कृष्ट वर्ण वालों की सेवा करने वाला, (मृदुवाक्) मधुरभाषी (अनहंकृत:) अहंकार से रहित (नित्यं ब्राह्मण + आदि-आश्रय:) सदा ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न शूद्र भी (उत्कृष्टां जातिम् + अश्नुते) उत्तम ब्रह्मजन्मान्तर्गत द्विजवर्ण को प्राप्त कर लेता है।।

इस श्लोक के वर्णन से मनु की शूद्र के प्रति यह धारणा स्पष्ट हो जाती है कि वे शूद्र को हीन नहीं मानते अपितु पवित्र, उत्कृष्ट और उत्तम कर्मों से उच्चवर्ण प्राप्त करने का अधिकारी मानते हैं। यह मान्यता १०।६५ में भी वर्णित है।

(८) उपनयन प्रसंग २।११-१४ (३६-३९) में कहीं भी शूद्र के लिए उपनयन का निषेध नहीं है। इससे यह संकेत मिलता है कि जन्म से कोई शूद्र नहीं होता। शूद्र कुल में उत्पन्न बालक भी द्विज वर्णों में उपनयन करा सकता है।

इस संक्षिप्त विवेचन से शूद्र के प्रति मनु की धार : स्पष्ट हो जाती है । इस विषयक कुछ विवेचन 'मनु की कर्मणा वर्णव्यवस्था' मान्यता शीर्षक में भी द्रष्टव्य है ।

(७) स्वर्ग और नरक —

(क) स्वर्ग या स्वर्गलोक से मनु का अभिप्राय — मनु इस संसार से भिन्न कोई स्वर्ग या नरकलोक नहीं मानते । सुख की प्राप्ति का नाम स्वर्ग है और दु :ख की प्राप्ति का नाम नरक है, जो इसी संसार में, जीवन में प्राप्त होते रहते हैं । इसमें प्रमाण हैं —

(१) मनु ने 'स्वर्ग' शब्द का प्रयोग इहसुख और मोक्षसुख दोनों सुखों के लिए किया है । ३।७९ श्लोक में अक्षय सुख अर्थात् मोक्ष के लिए 'स्वर्ग' शब्द का प्रयोग है और उसके पर्यायवाची रूप में इहसुख के लिए 'सुख' का प्रयोग है ।

(२) सुख के अर्थ या पर्यायवाची रूप में अन्यत्र भी स्वर्ग शब्द का प्रयोग किया है —

(क) "**अस्वर्ग्यं चातिभोजनम्** ।" २।३२ [२।५७]

(ख) "**दाराधीनस्तथा स्वर्ग : पितृणामात्मनश्च ह** ।" (९।२८ ।।)

(ग) "**स्वर्ग-आयुष्य-यशस्यानि व्रतानीमानि धारयेत्** ।"(४।१३ ।।)

(३) अक्षय सुख अर्थात् मोक्षसुख के लिए स्वर्ग का प्रयोग —

(क) ३।७९ श्लोक में "**स्वर्गमक्षयमिच्छता**" ।

(ख) **इदमन्विच्छतां स्वर्गम्, इदमानन्त्यमिच्छताम्** ।" (६।८४ ।।)

(४) मनु ने १२।९, ३९-५२ श्लोकों में मृत्यु के बाद जीव को उसके कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली योनियों का वर्णन किया है । उस प्रसंग में स्वर्गलोक या स्वर्गयोनि विशेष का कोई उल्लेख नहीं है ।

(५) व्याकरण शास्त्रानुसार 'स्वर्ग' शब्द 'स्वर्' उपपद में 'गम्लृ-गतौ' धातु से '**ड प्रकरणेऽन्येष्वपि दृश्यते** अ. ३।२४८ वार्तिकसूत्र से 'ड :' प्रत्यय के योग से बनता है । गति के ज्ञान-गमन-प्राप्ति तीन अर्थ होते हैं । 'स्व :' सुख का अनुभव होना, सुख में प्रविष्ट होना, सुख की प्राप्ति होना ही स्वर्ग अर्थात् सुख है ।

(६) इसी प्रकार 'स्वर्गलोक' का अर्थ है । 'लोकृ दर्शने' धातु से लोक शब्द बनता है जिसका अर्थ 'स्थान' है । जहां स्वर्ग प्राप्त होता है — सुख प्राप्त होता है वह स्वर्गलोक है ।

(ख) नरक की कल्पना मनुविरुद्ध – ४।८१, ८७-९१ श्लोकों में इक्कीस नरक योनियों की गणना है और अक्षत्रिय राजा से दान लेने वाले को इन योनियों की प्राप्ति बतलायी है । मनु के मत में 'नरक' नाम की कोई योनि या स्थान विशेष नहीं है । यह मान्यता निम्न प्रमाणों के आधार पर मनुविरुद्ध और प्रक्षिप्त सिद्ध होती है —

(१) नरक शब्द स्वर्ग का विपरीतार्थक है । मनु ने २।३२ [२।५७] में सुख और ३।७९ में स्वर्ग शब्द का प्रयोग सुख और 'अक्षय सुख' के लिए किया है और ९।२८ में "**दाराधीनस्तथा स्वर्ग : पितृणामात्मनश्च ह**" कहकर 'वर्तमान जीवन के सुख' के अर्थ में किया है । इससे स्पष्ट है कि स्वर्ग के विपरीतार्थक शब्द 'नरक' का अर्थ कोई योनि या स्थानविशेष नहीं, अपितु दु :ख ही है । निरुक्त में महर्षि यास्क ने भी 'नरक' शब्द की इसी रूप में निरुक्ति की है — "**नरकं न्यरकं नीचैर्गमनम् इति वा**" अर्थात् दु :ख, अध :पतन या अवनति का नाम

नरक है [निरुक्त १।३।११]।

(२) मनु ने मृत्यु के उपरान्त जीव की केवल दो अवस्थाएं मानी हैं — एक तो संसार में स्थावर-जंगम योनियों में जन्म [६।६३, ७४, १२।९, ३९-५२] या ब्रह्मप्राप्ति [४।१४९; ६।८१ १२।११६, १२५]। इससे भी यही स्पष्ट है कि मनु के मत में नरक नाम की कोई पृथक् योनि या स्थान नहीं है।

(३) मनु ने १२।९, ३९ से ५२ श्लोकों में मृत्यु के बाद जीव को उसके कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली योनियों की गणना की है। इस गणना में नरकयोनि का उल्लेख न होना भी यह सिद्ध करता है कि मनु 'नरक' को नहीं मानते। १२।५२, ७४, ८१, श्लोकों में तो मनु ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में अपना मत व्यक्त किया है कि व्यक्ति कर्मों के अनुसार पूर्वोक्त योनियों में ही शरीर-धारण करके इसी संसार में सुख-दुःख भोगता है। अतः नरकों की कल्पना मनुविरुद्ध है।

८. प्रेतशुद्धि आदि का आडम्बर मनुविहित नहीं —

प्रेतशुद्धि, सूतकशुद्धि के नाम पर कुछ लोगों ने एक आडम्बर खड़ा कर दिया है। अशुद्धि को दूर करने का सीधा-सा मतलब इतना ही है कि प्रेत, सूतक या किसी भी अन्य अशुद्धि से सम्पर्क होने पर जल आदि से शरीर की शुद्धि होती है और मन की अशान्ति रूपी अशुद्धि, जप आदि से दूर होती है [५।१०५, १०७, १०९]। बिना सम्पर्क के, दूर बैठे अशुद्धि मानना कोरा आडम्बर और अयुक्तियुक्त है। प्रेतशुद्धि और सूतकशुद्धि आदि के आडंबर का विधान करने वाला प्रसंग ५।५८-१०४ तक है। यह प्रसंग विभिन्न आधारों के अनुसार विषय, प्रसंग और शैली के विपरीत तथा मनुविहित सिद्ध न होकर प्रक्षिप्त सिद्ध होता है उसके विश्लेषण से ये निष्कर्ष सामने आते हैं —

(१) प्रस्तुत विषय के प्रारम्भ का संकेत देने वाला श्लोक ५।५७ वां है और समाप्ति का संकेत देने वाला श्लोक ५।११० वां है। इन श्लोकों में दिये गये **"देहशुद्धिम् .... प्रवक्ष्यामि"** **"एष शौचस्य वः प्रोक्तः शारीरस्य विनिर्णयः"** संकेतों के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि यह "शरीर और शरीर से सम्बन्धित मन, बुद्धि, आत्मा आदि की शुद्धि" को कहने का विषय है [इसकी पुष्टि के लिए ५।५७ की समीक्षा भी पढ़िये]।

इस आधार पर इस विषय में वही श्लोक मौलिक माने जा सकते हैं जो इस विषयसंकेत से सम्बद्ध हों। अपने संकेत के अनुसार ही मनु ने १०५-१०६ श्लोकों में पहले भूमिका रूप में शुद्धिकारक पदार्थों की गणना की है, फिर १०९ में अशुद्ध शरीर की **'अद्भिः गात्राणि शुद्ध्यन्ति'** कहकर शुद्धि होना कहा है। क्रोध, लालच, अधर्माचरण आदि से मनुष्य के मन, बुद्धि, आत्मा आदि भी अशुद्ध हो जाते हैं, संकेतानुरूप, शरीरसम्बन्धी इन अवयवों की शुद्धि भी कह दी है। इस प्रकार १०५ से ११० श्लोक विषयानुरूप हैं। इस बीच में ५८ से १०४ तक जितने श्लोक हैं, इनमें शरीर की शुद्धि का वर्णन न होकर आशौच मनाने की अवधि, सपिण्ड एवं असपिण्डों के आशौच की विधि, सूतक-अशुद्धि, परदेश में रहने वालों की अशुद्धि आदि का वर्णन है, जो विषयविरुद्ध है।

(२) उपर्युक्त विषय का संकेत देने वाले श्लोकों के आधार पर मनु की एक मान्यता भी बन जाती है कि वे 'अशुद्धि के सम्पर्क से शरीरादि की अशुद्धि होना' ही मानते हैं और उसकी शुद्धि का उपाय है — **"अद्भिः गात्राणि शुद्ध्यन्ति"** [१०९] अर्थात् 'शरीर की शुद्धि जलों से होती है' आदि। ५८ से १०४ श्लोकों में जो भी कुछ वर्णित है वह मनु की इस मान्यता के विरुद्ध है और न इससे तालमेल खाती है — (क) ५८ से ६० श्लोक, जिनमें सपिण्ड-असपिण्ड के भेद से प्रेतशुद्धि

और अशुद्धि मानने की १-१० दिन तक ही चार अवधि दर्शाकर उसको एक 'धार्मिककृत्य' के रूप में वर्णित किया है, वे मनु की उक्त मान्यता के विरुद्ध हैं । क्योंकि मनु केवल शरीर की अशुद्धि मानते हैं और यह सपिण्ड और असपिण्ड सबको समान रूप से होती है तथा उसकी अनेक दिनों की अवधि नहीं होती । शरीर अशुद्ध हुआ तो जल से धोने से वह शुद्ध हो गया । इस प्रकार इन श्लोकों की व्यवस्था मनु-सम्मत ही सिद्ध नहीं होती, अत : ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं । शेष श्लोक इन पर आधारित हैं, अत : आधारभूत श्लोकों के प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाने पर वे स्वत : प्रक्षिप्त कहलायेंगे । (ख) ७४, से ८४ श्लोकों में परदेश में रहने वालों की शुद्धि कहना भी मनुविरुद्ध है । जब किसी अशुद्धि का सम्पर्क ही नहीं हुआ तो फिर उनके शरीर की अशुद्धि ही कहां हुई ? (ग) ८५-८७, १०३ श्लोकों में शूद्र को अस्पृश्य अर्थात अपवित्र माना है । मनु ऐसा नहीं मानते । वे शूद्र को शुचि :' अर्थात् 'पवित्र' मानते हैं [९।३३५] । अत : इन श्लोकों की मान्यता मनुविरुद्ध है ।

(३) ५८ से १०४ श्लोकों की मान्यता है — 'सपिण्ड, असपिण्ड के भेद से चार अवधियों के [५८-६०] अनुसार 'शुद्धि मनाना' । यह अयुक्तियुक्त वर्णन है, क्योंकि मृतक के सम्पर्क से यदि शरीर की अशुद्धि मानी गयी है तो वह सपिण्ड-असपिण्डों की समान होगी और उसकी शुद्धि जल से हो जायेगी । इसके लिए न तो अवधि की कोई सार्थकता है और न सपिण्ड-असपिण्ड का भेद ही बनता है । यदि मानसिक अशुद्धि अर्थात् मन का शोक मानने की बात है,तो मन के शोक के लिए कोई अवधि निश्चित नहीं हो सकती और न ही इस अवधि में सबकी वह दूर हो सकती है । अत : यह व्यवस्था ही अयुक्तियुक्त है । मनु की व्यवस्थाएं युक्ति-युक्त होती हैं । इस विरोध के आधार पर भी ये श्लोक मनुसम्मत नहीं माने जा सकते ।

(४) प्रसंगविरोध के आधार पर यदि इन श्लोकों को परखें तो ये सभी प्रसंगविरुद्ध सिद्ध होते हैं । ५७ वें और ११० वें श्लोक में 'शरीर और शरीर-सम्बन्धी अवयवों की अशुद्धि की शुद्धि' कथन करने का संकेत है । उनके अनुसार इस प्रसंग का क्रम इस प्रकार बनता है —

(क) शरीर एवं शरीर-सम्बन्धी अवयवों की अशुद्धि की शुद्धि कहने के विषय का संकेत [५७] —

(ख) फिर १०५ में भूमिका रूप में शुद्धिकारक पदार्थों का पारिगणन —

(ग) फिर शरीर एवं शरीर-सम्बन्धी शुद्धियों का वर्णन [१०६-१०९], जो कि सर्व-सामान्य विधि के रूप में भावगाम्भीर्य से युक्त संक्षिप्त वर्णन है । इसमें शरीर-सम्बन्धी आत्मा, मन, बुद्धि, चरित्र की शुद्धि का उल्लेख है ।

इस प्रकार मनु की मान्यता एवं विषय-संकेत [५७ तथा ११०] के अनुसार यह एक संगत क्रम बनता है । ५८ से १०४ श्लोकों ने उस क्रम को ही भंग कर दिया है और शरीरादि की शुद्धि से भिन्न अशुद्धि को 'धार्मिककृत्य' के रूप में मनाने की एक पृथक् पूर्वापर प्रसंग से भिन्न ही व्यवस्था विहित की है । शुद्धि की बात कहने के लिए पहले शुद्धिकारक पदार्थों का उल्लेख ही प्रासंगिक बनता है । इस आधार पर ५७ के बाद १०५ वां श्लोक प्रसंग की दृष्टि से सम्बद्ध सिद्ध होता है । शेष बीच के सभी श्लोक प्रसंग-विरुद्ध प्रसंगभञ्जक होने के कारण प्रक्षिप्त हैं ।

९. वेदविषयक अनध्याय या निर्धारित अवधि में वेदाध्ययन और उसका उत्सर्जन मनुसम्मत नहीं —

उक्त विधान करने वाले श्लोकों का प्रसंग ४।९५-१२७ में आता है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में वेदों का अनध्याय करना, श्रावणी पर सीमाबद्ध वेदाध्ययन और उसका उत्सर्जन, शुक्लपक्ष और कृष्ण पक्ष में वेद और वेदांगों के अध्ययन का विभाजन आदि बातें, मनु की मूलभावना, और शैली के अनुरूप नहीं है। इस प्रसंग के विश्लेषण से निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं —

(१) प्रतीत होता है कि वर्ष में साढ़े चार मास तक वेदाध्ययन करना, फिर उनका उत्सर्जन करना, बीच में विराम करना, शुक्ल पक्ष में वेदाध्ययन और कृष्ण पक्ष में वेदांगों का अध्ययन करना, ये व्यवस्थाएँ मनु से परवर्ती काल की हैं, जबकि मनुद्वारा विहित व्यवस्थाओं में शिथिलता आ गई थी। इन व्यवस्थाओं का मनुप्रोक्त व्यवस्थाओं से तालमेल नहीं बैठता, अपितु विरोध आता है। यथा — (क) मनु ने 'वेदों का अध्ययन' सभी द्विजों का आवश्यक और नैत्यिक कर्म माना है [१-८७-९०]। यदि पूर्वोक्त कर्मों का पालन कोई द्विज नहीं करता तो वह अपने वर्ण से पतित हो जाता है। विशेषरूप से वेदाभ्यास को छोड़ने वाला द्विज शूद्रकोटि में गिना जाता है — **''योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्। स जीवन्नेव शूद्रत्वं आशु गच्छति सान्वयः''** [२।१४३ (१६८)] (ख) मनु ने वेदाध्ययन को नैत्यिक दिनचर्या कहा है और इस पवित्र कार्य में कभी अनध्याय नहीं माना है — **''ओदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके। नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चैव हि''** ।। [२।८० (१०५)] **''नैत्यके नास्त्यनाध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम्। ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्याय वषट्कृतम्''** ।। [२।८१ (१०६)] (ग) नैत्यिक वेदाध्ययन के विधायक अन्य प्रमाण भी दृष्टव्य हैं —

(अ) यः स्वाध्यायमधीतेऽब्दं विधिना नियतः शुचिः।
तस्य नित्यं क्षरत्येष पयो दधि घृतं मधु।।
२।८२ ।। (२।१०७)

(आ) आ हैव स नखाग्रेभ्यः परमं तप्यते तपः।
यः स्त्रग्व्यपि द्विजोऽधीते स्वाध्यायं शक्तितोऽन्वहम्।।
(२।१४२ [१६७])

इसी प्रकार ग्रहस्थों के व्रतों में भी स्पष्ट निर्देश है —

(इ) सर्वान् परित्यजेदर्थान् स्वाध्यायस्य विरोधिनः।
यथातथाध्यापयंस्तु सा ह्यस्य कृतकृत्यता।। (४।१७।।)

(ई) बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च।
नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान्।। (४।१९।।)

(उ) ''स्वाध्याये चैव युक्तः स्यात् नित्यम्'' (४।६४)

(ऊ) ''स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यात्'' (३।७५)

इन प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनु प्रत्येक व्यक्ति के लिए वेदों का अध्ययन नित्यप्रति आवश्यक मानते हैं। मनु ने पांच महायज्ञों का जो प्रतिदिन विधान किया है, उनमें 'ब्रह्मयज्ञ' संध्योपासना और वेदाध्ययन का ही नाम है। इस प्रकार के प्रमाण मनुस्मृति में पर्याप्त मिलते हैं।

९५-१२७ श्लोकों में साढ़े चार मास वेद पढ़ना, फिर उनका उत्सर्जन गांव से बाहर करना, शुक्लपक्ष में वेद पढ़ना और कृष्णपक्ष में वेदांगों को पढ़ना आदि जो व्यवस्थाएँ दी गई हैं वे पूर्वमान्यताओं से तालमेल नहीं रखतीं और विरुद्ध भी हैं। जब प्रतिदिन ही वेद पढ़ने का विधान है तो फिर उनको साढ़े चार मास तक पढ़ने के लिए प्रारम्भिक अनुष्ठान करना, फिर उत्सर्जन का अनुष्ठान करना आदि बातों का अवसर ही नहीं आता। अत: ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं। इस प्रसंग में कुछ और भी अन्तर्विरोध हैं —

(२) ९५, १०८ श्लोकों में शूद्र के पास वेद न पढ़ने का विधान 'शूद्र को वेद पढ़ने का विधान नहीं है' इस मान्यता पर आधारित है। यह मान्यता मनुविरुद्ध है और वेदविरुद्ध भी (इसके विस्तृत ज्ञान के लिए २।१४४-१४९ (१६९-१७४) श्लोकों पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक समीक्षा देखिये, और इसी अध्याय में मान्यता संख्या ६ भी]।

(३) १०९-१११, ११७, १२४, श्लोकों में मृतकश्राद्ध की मान्यता है। यह भी मनुविरुद्ध है [इसके लिए ३।११९-२८४ श्लोकों पर समीक्षा द्रष्टव्य है, और इसी अध्याय में मान्यता संख्या ३ भी]।

(४) ११२ में सूतक की मान्यता है। सूतक का वर्णन मनुप्रोक्त नहीं सिद्ध होता [इसके लिए द्रष्टव्य है ५।५८-१०४ श्लोकों पर 'विषयविरोध' शीर्षक समीक्षा क्योंकि सूतकविधान इसी प्रसंग के ६१-६२ श्लोकों में आता है]।

(५) ११३ वें श्लोक में संध्याकालों में वेद न पढ़ने का कथन है, जबकि पांचयज्ञों का विधान और संध्योपासना का विधान संध्याकालों में ही किया है [२।७६–७८ (१०१-१०३), १५१ (१७६), ४।९२–९४]।

(६) ११३–११४ वें श्लोकों में पर्वदिनों में वेदाध्ययन निषिद्ध है, जबकि ४।२५; ६।९ में इन पर्वों के दिन विशेषयज्ञों को रचाने का विधान है और यज्ञ वेदमन्त्रों द्वारा ही सम्पन्न होते हैं।

(७) ११६ वें श्लोक में श्मशान में वेद न पढ़ने का कथन है जबकि ५।१६७ में अन्त्येष्टि कर्म यज्ञसम्पादन द्वारा विहित है और यज्ञ में वेदमन्त्रों का उच्चारण होता है।

(८) ११२ वें में मांसभक्षण का वर्णन मनुविरुद्ध है [द्रष्टव्य–४।२६-२८ श्लोकों पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक समीक्षा और इसी अध्याय में मान्यता संख्या २ भी]।

(९) १२३–१२५ श्लोकों में वेदों की ध्वनियों का परस्पर विरोध दर्शाना मनु के २।७६–७८ [५१–५३] श्लोकों के विरुद्ध है। जब तीनों से एक-एक पाद निकालकर बनाया गया गायत्रीमन्त्र एक साथ उच्चारित किया जा सकता है तो वेदों की ध्वनि में क्या आपत्ति है? मनु-अनुसार सभी वेद ईश्वरप्रोक्त हैं।

(१०) १०१ से १२६ श्लोकों में वेदों के अनध्यायों का विधान ही मनु के २।७९–८१ [१०४–१०६] के विरुद्ध है। इन श्लोकों में मनु ने वेदाध्ययन में अनध्याय का निषेध किया है। इस प्रकार इन अन्तर्विरोधों के आधार पर ९५ से १२७ तक सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. **विषयविरोध** – (१) १०१ से १२७ श्लोक विषयबाह्य हैं। इनका 'सतोगुणवर्धन' से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ये व्रत हैं. अत: प्रक्षिप्त हैं [विस्तृत विवेचन ४।३३–३४ पर द्रष्टव्य]। (२) ये श्लोक इसलिए भी विषयविरुद्ध हैं क्योंकि शिष्यों को वेदाध्यापन का विषय द्वितीय अध्याय का है [२।४४–४८ (६९–७३), १३९ (१६४), १४०–१४१ (१६५–१६६), ३।१–२]। यहाँ गृहस्थियों के व्रतों का विषय है [४।१३]। अत: इस स्थान पर शिष्यों के अध्यापन-

अनध्यापन, अध्याय-अनध्याय का वर्णन विषयविरुद्ध है। यह द्वितीय अध्याय में ही संगत कहा जा सकता था।

३. **वेदविरोध** – ९९, १०८ श्लोकों की शूद्र के पास वेद न पढ़ने की मान्यता स्वयं वेदविरुद्ध है। वेद में शूद्र को यज्ञ करने और मन्त्रश्रवण का विधान है। प्रमाणार्थ द्रष्टव्य २।४२ और ९।३३५ की 'वेदविरोध' शीर्षक समीक्षाएँ और इसी अध्याय में मान्यता संख्या ६ भी।

४. **शैलीगत आधार** — (१) इस प्रसंग के १०३ वे श्लोक में 'मनुरब्रवीत्' पद से स्पष्टत: यह मनुभिन्न व्यक्ति द्वारा प्रोक्त सिद्ध होता है। (२) इस प्रसंग के १०१ से १२७ श्लोकों की शैली रूढ़ि पर आधारित है। ११४ व १२४ की शैली अयुक्तियुक्त है।

१०. प्रायश्चित का अर्थ, उद्देश्य एवं फल —

'प्रायश्चित्त' शब्द प्राय-चित पदों से समास में **'पारस्कर प्रभृतीनि च संज्ञायाम्'** (अष्टा, ६।१।१५७) से सुट् आगम के योग से सिद्ध हुआ है। **तपादि साधनपूर्वकं किल्विषनिवारणार्थं चित्तम्=निश्चयम्, प्रायश्चित्तम्'**। जब व्यक्ति किसी निन्दनीय या अकर्त्तव्य कार्य को करके मन में उसके करने के प्रति खिन्नता अनुभव करता है, तब वह उसके दण्ड रूप में स्वयं तप = कष्टसहन करता हुआ यह निश्चय करता है कि पुन: मैं यह पाप नहीं करूंगा।' यह प्रायश्चित्त कहलाता है। ऐसा करने से मन में खिन्नता का भार नहीं रहता। जैसे कोई व्यक्ति किसी को अचानक गलत बात कह जाये और कहने के बाद उसे दु:ख अनुभव हो तो वह खेद प्रकट करता है। इससे उसके मन में खिन्नता नहीं रहती और आगे वैसा न करने के लिए सावधान हो जाता है। इसी प्रकार प्रायश्चित्त से पाप क्षीण नहीं होता अपितु पाप-भावना क्षीण होती है प्रायश्चित करने वाला व्यक्ति किये हुए पाप-कर्म पर पश्चात्ताप का अनुभव करता है उसके दण्ड के रूप में तपश्चरण करता है। वह उस पाप को न करने के लिए निश्चय करता है और सावधान रहता है [११।२२९–२३०]। इस प्रकार प्रायश्चित्त से मनुष्य की पापवृद्धि रुक जाती है और वह धर्म की ओर उन्मुख होता जाता है।

यही मान्यता प्रायश्चित्त की परिभाषा वाले ११।२३० और ११।२३२ श्लोकों से सिद्ध होती है। और, दूसरा मनु का प्रमाण यह है कि मनु किये हुए अधर्म के फल को किसी अवस्था में निष्फल नहीं मानते —

''न त्वेव कृतोऽधर्म: कर्तुर्भवति निष्फल:।'' (४।१७३।।)

इन प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रचलित टीकाओं में जहां जिस श्लोक पर 'पाप से छूट जाना' आदि मान्यता वाले अर्थ किये हैं, वे मनुसम्मत नहीं हैं।

११. दायभाग का वितरण —

मनु ने दायभाग में पुत्र, पुत्री, पिता, माता सभी का अधिकार माना है। माता-पिता के जीवित रहते सारी सम्पत्ति उन्हीं की रहती है। पुत्र उसे बांट नहीं सकते [९।१०४]। हाँ, यदि पिता चाहे तो अपने जीते जी अपनी सम्पत्ति को सन्तानों में बांट सकता है। मातापिता की मृत्यु के उपरान्त दायभाग के बंटवारे के कई विकल्प विहित हैं। सभी पुत्र मिलकर जिस प्रकार सहमत हों, उसी

विधि को अपना सकते हैं। यथा —

१. सभी भाई मिलकर पैतृक सम्पत्ति को बराबर-बराबर बांट लें [९। १०४]।

२. अथवा इकट्ठे रहना चाहें तो ज्येष्ठ पुत्र सम्पूर्ण पैतृक सम्पत्ति को ग्रहण कर ले। वह छोटे भाइयों के साथ माता-पिता के समान कर्त्तव्यों को निभाकर उनका पालन-पोषण करे। छोटे भी उसको माता-पिता के समान आदर दें [९। १०५]। कर्त्तव्य न निभाने पर बड़ा भाई दण्डनीय होता है, [९। २१३] और बड़े के स्थान पर आदरणीय नहीं होता [९। ११०]।

३. बड़े भाई की छत्रछाया में रहकर यदि बाद में भाई अलग होना चाहें तो पैतृक धन का विभाजन इस प्रकार होगा — कुल धन में से बड़े को धन का बीसवां भाग अतिरिक्त मिलेगा, मध्यम को उससे आधा, छोटे को चौथाई। यह उद्धारभाग कहलाता है [९। ११२]।

समझने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत है — मान लिया कि पैतृक सम्पत्ति ९६० रुपये है। उसमें बड़े भाई का बीसवां भाग (९६० ÷ २० = ४८) ४८ रु. 'उद्धार' निकलेगा, मझले भाई का चालीसवां भाग (९६० ÷ ४० = २४) २४ रु. होगा, छोटे भाई का अस्सीवां भाग (९६० ÷ ८० = १२) १२ रु. 'उद्धार' होगा। 'उद्धार' का 'धन' बंटने के बाद शेष को सभी भाई बराबर बांट लेंगे, यथा —४८ + २४ + १२ = ८४, ९६० − ८४ = ८७६, ८७६ ÷ ३ = २९२. इस प्रकार २९२ −२९२ रु. प्रत्येक के हिस्से में आये। इस विधि से बड़े भाई को २९२ + ४८ = ३४० रु., उसमें मझले भाई को २९२ + २४ = ३१६ रु., छोटे भाई को २९२ + १२ = ३०४ रु. प्राप्त हुए। यह उद्धारभाग बड़ों को तभी मिलेगा जब वे अपने छोटे भाइयों का पितृवत् पालन करेंगे।

उद्धार-भाग का विधान क्यों ? ९। १०४ में पैतृक सम्पत्ति का समान विभाजन बतलाया है। इस श्लोक में उद्धार अंश के विभाजन के बाद समान-भाग का विभाजन है। यह विरोध प्रतीत होता है, किन्तु विरोध है नहीं। यह वर्णन विभाजन के द्वितीय विकल्प [१०५] के प्रसंगान्तर्गत है। यह तभी प्राप्त होता है जब बड़े भाई अपने से छोटों का पालन-पोषण करें। सम्मिलित रहत हुए पिता के समान छोटों के निर्माण में श्रम करें। इसी श्रम के परिणामस्वरूप बड़े को अलग होते समय यह अधिक भाग मिलता है क्योंकि उसने छोटों की अपेक्षा अधिक कष्ट उठाये होते हैं।

इस उद्धारभाग को निकालने के बाद शेष बचे धन को बराबर-बराबर बांट लिया जाता है। [९। ११६]

४. अथवा उद्धार भाग न निकालें तो बड़ा भाई दो भाग सम्पत्ति ले, मध्यम डेढ़ और छोटा एक भाग ग्रहण करे। [९। ११७]।

५. सभी भाई,बहनों को अपने-अपने भाग में से चतुर्थांश दायभाग प्रदान करें [९। ११८]। माता का जो निजी धन होता है, उस पर कुमारी लड़कियों का ही अधिकार होता है। [९। १३१]। माता की मृत्यु पर माता के अधिकार में स्थित धन को सभी पुत्र और विवाहित पुत्रियाँ बराबर बांट लें [९। १९२] यह धन छह प्रकार का होता है।स्त्रीधन का विवरण मनु ने ९। १९४ −१९७ में दिया है— (१) **अध्यग्नि** = विवाह संस्कार के अवसर पर दिया गया धन, (२) **अधि-आवाहनिकम्** = पति के घर आते हुए पिता के घर से कन्या को प्राप्त धन, (३) प्रीतिकर्म में प्राप्त धन = प्रसन्नता आदि के अवसर पर पति द्वारा प्रदत्त धन, (४) कन्या को भाई से प्राप्त धन, (५) पिता से प्राप्त धन, (६) माता से प्राप्त धन।

६. अपुत्रवान् पिता-माता की दायभागीय सम्पूर्ण सम्पत्ति की अधिकारिणी उसकी कन्या ही होगी।

वह सम्पत्ति अन्य किसी को नहीं दी जा सकती [९ । १३०] ।

७. अपुत्रवान् रहने पर पुत्री के पुत्र अर्थात् धेवते को गोद लेकर उसे भी सम्पूर्ण दायभाग दिया जा सकता है । यदि इसके बाद किसी दम्पती को पुत्र प्राप्त हो जाता है तो धेवते और पुत्र को समान भाग मिल जायेगा [९ । १३१, १३४] ।

८. नपुंसक, जन्म से अंधे, बहरे, पागल, वज्रमूर्ख और गूंगे, किसी इन्द्रिय से पूर्ण विकलांग होने के कारण असमर्थ पुत्र, ये धन के भागी नहीं होते । अन्य भाई इनके धन का संरक्षण करते हुए इनका पूर्ण पालन-पोषण करें । हां, यदि ये विवाह करलें तो इनके पुत्र अपने पिता के उस धन के अधिकारी हैं [९ । २०१–२०३] ।

९. जूआ, चोरी, डाका, आदि दुष्कर्मों में प्रवृत्त व्यक्ति दायभाग से वंचित हो जाते हैं [९ । २१४] ।

१२. मनुस्मृति में विवाह की आयु—

कुछ लोग मनुस्मृति के निम्न श्लोक के आधार पर मनुस्मृति में बालविवाह या अल्पायुविवाह की मान्यता को स्वीकार करते हैं । वस्तुत : यह उस समय का परवर्ती श्लोक है, जब युद्धों, अराजकता आदि कारणों से कन्याओं की सुरक्षा चिन्ताजनक बन गयी थी । उस भय या चिन्ता को दूर करने के लिए शास्त्रों में इस प्रकार के विधान ही कर दिये गये —

त्रिंशद्वर्षोद्वहेत्कन्यां हृद्यां द्वादशवार्षिकीम् ।
त्र्यष्टवर्षोऽष्टवर्षां वा धर्मे सीदति सत्वर : ।। (९ । ९४)

अर्थ — गृहस्थ धर्म का लोप न चाहता हुआ तीस वर्ष का पुरुष शीघ्र ही १२ वर्ष की मनोहारिणी कन्या से और २४ वर्ष का पुरुष आठ वर्ष की कन्या से विवाह करे ।

इसका निराकरण मनु द्वारा विहित समावर्तन ३ । १–३, विवाह ३ । ४–६२ तथा स्त्रीधर्म ५ । १४७–१६६, ९ । १–१०२ वर्णनों से हो जाता है । उन प्रसंगों के अध्ययन से इस विषयक निम्न निष्कर्ष सामने आते हैं –

(१) मनुस्मृति में स्त्री-पुरुषों के विवाह की आयु — अत्यन्त प्रसिद्धि के कारण मनु ने यहाँ विवाह की आयु का उल्लेख नहीं किया है, किन्तु अन्यत्र इसका स्पष्ट उल्लेख है । प्रसंगवश उस पर यहां विस्तृत विवेचन किया जाता है ।

वेदों में तथा अन्य शास्त्रों में मनुष्य की औसत आयु एक सौ वर्ष मानी गई है । इसी आधार पर वेदों में सौ वर्षों से अधिक स्वस्थेन्द्रियों से युक्त जीवन-प्राप्ति की प्रार्थना की गयी है — **'तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् । पश्येम शरद : शतं जीवेम शरद : शतं शृणुयाम शरद : शतं प्रब्रवाम शरद : शतम् अदीना : स्याम शरद : शतं भूयश्च शरद : शतात् ।।'** [यजु. ३६ । २४]

(क) इस औसत आयु के आधार पर मनु ने मनुष्य-जीवन को चार अवस्थाओं में विभाजित करके उसकी अवधि निधारित की है —

चतुर्थमायुषो भागमुषित्वाद्यं गुरौ द्विज : ।
द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत् ।।
(४ । १ ।। ५ । १६९ ।।)

वनेषु च विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः ।
चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा संगान्परिव्रजेत् ।।(६ । ३३ ।)

सौ वर्ष की आयु के इस प्रकार २५-२५ वर्ष के चार भाग होते हैं । आयु के प्रथमभाग में अर्थात् २५ वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए । द्वितीय भाग में अर्थात् २५ के पश्चात् गृहस्थ बनकर रहे । पुत्र का पुत्र होने पर अथवा त्वचा, केश पक जाने पर [६ । २] गृहस्थ से वानप्रस्थ बनकर तृतीयभाग में अर्थात् ७५ वर्ष तक वनस्थ रहे उसके,पश्चात् चतुर्थ भाग में संन्यासी बन जाये ।

इन विधानों से मनु ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि पुरुष की विवाह की आयु कम से कम २५ वर्ष है । उससे पूर्व विवाह नहीं होना चाहिए ।

(ख) स्त्री के विवाह की आयु — इसका संकेत मनु ने ९ । ९० श्लोक में दिया है — **''त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्यृतुमतीसती । ऊर्ध्वं तु कालादेतस्माद्विन्देत सदृशं पतिम् ।''**

अर्थात्-मासिक धर्म प्रारम्भ होने के पश्चात् तीन वर्ष पर्यन्त प्रतीक्षा करने के उपरान्त कन्या स्वयंवर कर सकती है ।

कन्याओं को मासिक धर्म सामान्यतः १३-१५ वर्ष की अवस्था में प्रारम्भ होता है । तीन वर्ष के अनन्तर यह काल १६-१८ की आयु का होता है । अतः कन्या के विवाह की कम से कम आयु १६ वर्ष है । २५ वर्ष का पुरुष १६ वर्ष की कन्या से विवाह करे । इससे अधिक आयु में इतने ही अनुपात से विवाह होना चाहिए । क्योंकि प्रजनन सामर्थ्य एवं शरीर-रचना की दृष्टि से १६ वर्ष की कन्या २५ वर्ष के पुरुष के तुल्य होती है ।

(ग) मनु ने विवाहोपरान्त स्त्री के कर्त्तव्यों का जो वर्णन किया है, जैसे — गृहकार्यों में दक्ष होना, घर की साज-सज्जा, शुद्धि आदि में चतुर होना, आय-व्यय की संभाल रखना [५ । १५०], गृह-स्वामिनी होना, सभी वस्तुओं की संभाल, धार्मिक अनुष्ठानों का संयोजन [९ । ११, २६-२८, ९६, १०१], इनसे भी यह ज्ञात होता है कि ये किसी अल्पायु के लिए नहीं अपितु समझदार युवती के लिए विहित कर्त्तव्य हैं । इससे भी यह सिद्ध होता है कि कन्या की विवाह योग्य आयु १६-१७ वर्ष या इससे ऊपर ही है ।

(२) आयुर्वेद के अनुसार विवाह की आयु — इस विषय में वैद्यक ग्रन्थ सर्वोत्तम प्रमाण हैं, क्योंकि उनमें शरीर के आधार पर उचित-अनुचित का विवेचन होता है । आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'सुश्रुत' में शरीर की वृद्धि और क्षीणता के आधार पर चार अवस्थाएं प्रदर्शित की हैं और तदनुसार विवाह की आयु निर्धारित की है —

''चतस्रो अवस्थाः शरीरस्य वृद्धिः, यौवनम्, संपूर्णता, किंचित् परिहाणिः चेति । आषोडशात् वृद्धिः, आपञ्चविंशतेः यौवनम्, आचत्वारिंशतः संपूर्णता, ततः किञ्चित् परिहाणिः चेति ।'' [सुश्रुत सूत्रस्थान ३५ । २५ ।।] = शरीर की चार अवस्थाएं हैं, सोलहवें वर्ष से चौबीस तक वृद्धि = बढ़ोत्तरी की अवस्था, पच्चीसवें वर्ष से यौवन का प्रारम्भ होता है,और चालीसवें में यौवन की परिपक्वता होती है । उसके पश्चात् शरीर की धातुओं में कुछ-कुछ क्षीणता आने लगती है ।

यह युवावस्था ही विवाह की अवस्था होती है । इससे पूर्व शरीर की धातुओं में अपरिपक्वता होती है । बालविवाह से उन शरीर की धातुओं का विकास रुक जाता है, वहां गर्भ और सन्तान सम्बन्धी अनेक आशंकाएं हो जाती हैं ; जैसे —गर्भ का न रहना, गर्भस्राव, गर्भपात, दुर्बल सन्तान का जन्म, जन्म के बाद शीघ्र मृत्यु, सन्तान का अस्वस्थ रहना आदि । इसी कारण सुश्रुतकार ने २५ वर्ष से पूर्व

पुरुष का, १६ वर्ष से पूर्व कन्या के विवाह का निषेध किया है। कुशल वैद्य २५ वर्ष के पुरुष और १६ वर्ष की कन्या को प्रजनन में समसामर्थ्य वाले बताते हैं। निम्न प्रमाणों में ये मान्यताएं द्रष्टव्य हैं —

पञ्चविंशे ततो वर्षे पुमान्नारी तु षोडशे।
समत्वागतवीर्यौ तौ जानीयात् कुशलो भिषक्।।
(सुश्रुत सूत्र. ३५।१०।।)

ऊनषोडश वर्षायामप्राप्तः पञ्चविंशतिम्।
यद्याधत्ते पुमान् गर्भं कुक्षिस्थः स विपद्यते।।
जातो वा न चिरं जीवेत् जीवेद्वा दुर्बलेन्द्रियः।
तस्मादत्यन्तबालायां गर्भाधानं न कारयेत्।।
(सुश्रुत श. १०।४७-४८।।)

(३) वेद में विवाह की आयु — वेद में ब्रह्मचारिणी कन्या द्वारा युवक पुरुष को वरण करने का कथन है। उपर्युक्त प्रमाणों में युवावस्था २५ वर्ष के अनन्तर बतलायी गयी है। इस प्रकार वेदों में २५ वर्ष के अनन्तर ही विवाह की आयु मानी गयी है। मन्त्र निम्न है —

"ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं निन्दते पतिम्।।"
(अथर्ववेद ११।५।१८।।)

अर्थात् — "जैसे लड़के पूर्ण ब्रह्मचर्य और पूर्ण विद्या पढ़ पूर्ण जवान होके अपने सदृश कन्या से विवाह करें, वैसे कन्या भी अखण्ड ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या पढ़ युवति हो, अपने तुल्य पूर्ण युवावस्था वाले पति को प्राप्त होवे।" (सं. वि. वेदारम्भप्रकरण)

१३. मनुस्मृति में मनुष्यों के ऋषि, पितर, देव आदि विभिन्न वर्ग —

मनु द्वारा २।११५-१३१ श्लोकों में वर्णित विभिन्न अध्यापयिता विद्वान् ही स्तर के अनुसार ऋषि देव और पितर हैं। इनमें किसी विद्या के साक्षात् द्रष्टा, विशेषज्ञ, 'ऋषि' कहलाते हैं। दिव्य-गुण-आचरण की प्रधानता वाले विद्वान् 'देव', और पालक गुण की प्रधानता वाले वयोवृद्ध व्यक्ति एवं माता-पिता आदि गुरुजन 'पितर' होते हैं। कुछ वर्ग, स्वभाव एवं प्रवृत्ति के आधार भी बनते है। देवों का नाम दिव्य स्वभाव की प्रधानता के कारण भी है। इसी प्रकार असुर, गान्धर्व, राक्षस, पिशाच भी स्वभाव संस्कार और प्रवृत्ति के कारण प्रसिद्ध होते हैं। मनुस्मृति में इनकी यत्र-तत्र चर्चा आती है। सभी वर्णनों के साररूप में, इनके विषय में मनु की मान्यता प्रदर्शित की जाती है —

(क) ऋषि कौन ?

'ऋषी गतौ' धातु से 'इन' प्रत्यय और 'इगुपधात् किन्' के योग से 'ऋषि' शब्द की सिद्धि होती है। गति के ज्ञान, गमन और प्राप्ति, ये तीन अर्थ हैं। ऋषि सबसे उच्चस्तर का विद्वान् व्यक्ति होता है। वेदमन्त्रों के अर्थों का द्रष्टा, धर्म और ईश्वर का साक्षात्कार करने वाला आप्तपुरुष, ऋषि कहलाता है। वह वेदों और विद्याओं के गूढ़ ज्ञान को प्रत्यक्ष कराने की योग्यता उसमें होती है। वही [illegible]

(क) निरुक्तकार ने ऋषि की निरुक्ति की है —"**ऋषिः दर्शनात्। स्तोमान् ददर्श इत्यौपमन्यवः।**" [निरु. २।११] अर्थात् ऋषि वेदार्थों और विद्याओं के रहस्यों को प्रत्यक्ष करने-कराने वाला होता है। औपमन्यव आचार्य का मत है कि मन्त्रद्रष्टा होने से ऋषि होता है। इसी प्रकार "**साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः।**" अर्थात् ऋषि धर्म और ईश्वर के साक्षात्कर्ता होते हैं। [निरु. १।२०]।

(ख) ब्राह्मणों में भी ऋषि की यही विशेषताएं वर्णित की हैं —

(अ) "**यो वै ज्ञातोऽनूचानः स ऋषिरार्षेयः।**"
(श. ३।३।४।१९)

(आ) "**एते वै विप्रा यदृषयः।।**
(श. १।४।२।७)

(ग) महर्षि मनु ने भी ऋषिचर्चा के प्रसंग में इन्हीं विशेषताओं का उल्लेख किया है —

(इ) **न हायनैर्नपलितैः न वित्तेन न च बन्धुभिः।**
ऋषयश्चक्रिरे धर्मं योऽनूचानः स नो महान्।।
(२।१२९।।)

(ई) **ऋषयो दीर्घसन्ध्यत्वात् दीर्घमायुरवाप्नुयुः।**
प्रज्ञां यशश्च कीर्तिं च ब्रह्मवर्चसमेव च।। (४।९४)

(उ) **आर्षं धर्मोपदेशम् च।।** (१२।१०६।।)

(ऊ) "**अथ यदेवानुब्रवीत। तेनर्षिभ्यः ऋणं जायते, तद्धूयेभ्य एतत् करोत्यृषीणां निधिगोप इति ह्यनूचानमाहुः।।**"
(शत. १।७।५।३)

"**अथार्षेयं प्रवृणीते। ऋषिभ्यश्चैवैनमेतद्देवेभ्यश्च निवेदयत्यं महावीर्यो यज्ञं प्रापदिति तस्मादार्षेयं प्रवृणीते।।**" (शत. १।४।५।३)

"**अर्थ** — सब विद्याओं को पढ़के जो पढ़ाना है 'ऋषिकर्म' कहाता है, उस पढ़ने और पढ़ाने से ऋषियों का ऋण अर्थात् उनको उत्तम-उत्तम पदार्थ देने से निवृत्त होता है और जो इन ऋषियों की सेवा करता है वह उनको सुख देने वाला होता है। यही व्यवहार अर्थात् विद्याकोश की रक्षा करने वाला होता है। जो सब विद्याओं को जानके सबको पढ़ाता है; उसको ऋषि कहते हैं।

जो पढ़के पढ़ाने के लिये विद्यार्थी का स्वीकार करना है सो आर्षेय अर्थात् ऋषियों का कर्म कहाता है। उसे उस कर्म को करता हुआ उन ऋषियों और देवों के लिए प्रसन्न करने वाले पदार्थों का निवेदन तथा सेवा करता है, वह विद्वान् अति पराक्रमी होके विशेष ज्ञान को प्राप्त होता है। जो विद्वान् और विद्या को ग्रहण करने वाला है उसका 'ऋषि' नाम होता है।"
(द. ल. ग्र. सं. २४५-२४७)

(ख) देव कौन ?

'**दिवु = क्रीड़ा-विजिगीषा-व्यवहार-द्युति-मोद-मद-स्वप्न-कान्ति-गतिषु**' (दिवादि) धातु से '**पचाद्यच्**' से 'यच्' प्रत्यय अथवा 'दिवु-मर्दने' (चुरादि) या 'दिवुपरिकूजने' (चुरादि) धातु से 'अच्' प्रत्यय के योग से 'देव' शब्द निष्पन्न होता है। देव वह और चेतन दोनों के होने से (विस्तृत विवरण १।६७ की समीक्षा में देखिए)। इस आधार पर देव शब्द से चेतन देव अभीष्ट है। शतपथ में आता है —

(अ) "द्वयं वा इदं न तृतीयमस्ति सत्यं चैवानृतं च । सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्याः 'इदमहमनृतात् सत्यमुपैमीति' तन्मनुष्येभ्य देवानुपैति ।

(शतपथ १ । १ । १ । ४-५)

"दो लक्षणों से मनुष्यों की दो संज्ञाएं होती है अर्थात् देव और मनुष्य । वहां सत्य और झूठ दो कारण हैं । जो सत्य बोलने, सत्य मानने और सत्य कर्म करने वाले हैं, वे 'देव' और वैसे ही झूठ मानने और झूठ कर्म करने वाले 'मनुष्य' कहाते हैं । जो झूठ से अलग होके सत्य को प्राप्त होवें वे देवजाति में गिने जाते है ।।" (द. ल. ग्र. सं. २४५-२५५)

(आ) विद्वांसो हि देवाः ।। (शत. ३ । ७ । ६ । १०)

(इ) ये ब्राह्मणाः शुश्रुवांसोऽनूचानास्ते, मनुष्यदेवाः ।। (शत. २।४।३।१४ ।।)

(ई) सत्यसंहिता वै देवाः ।। (ऐ. ब्रा. १ । १६)

अर्थात् विद्वान् मनुष्यों को देव कहते हैं । निरुक्त में देव शब्द की निरुक्ति करते हुए लिखा है — **'देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवतीति वा । यो देवः स देवता"** [निरु. ७ । १५] अर्थात् दान देने से, प्रकाश करने से, प्रकाश होने से, द्युस्थानीय होने से 'देव' कहाते हैं । देव को ही देवता कहा जाता है । इस प्रकार विद्याओं से प्रकाशित और विद्याओं का दान देने वाले, दिव्यगुण एवं उत्तम आचरण वाले विद्वानों को 'देव' कहा जाता है । यथा — **"मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव ।"** (प्रपा. ७ । ११) ।

मनुस्मृति में भी ऐसे ही विद्वानों को देव कहा है । निम्न श्लोक द्रष्टव्य हैं —

(उ) **ते तमर्थमपृच्छन्त देवानागतमन्यवः ।**
देवाश्चैतान्समेत्योचुर्न्याय्यं वः शिशुरुक्तवान् ।।२।१३१ ।।

(ऊ) **न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः ।**
यो वै युवाऽप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ।।२।१२७ ।।

२. 'देवता-अभ्यर्चनं' से अभिप्राय —

निरुक्त में कहा गया है कि **"यो देवः, सा देवता"** [७।४।१५] देव को ही देवता कहा जाता है । देव शब्द से तल् और टाप् प्रत्यय के प्रयोग से देवता शब्द सिद्ध हुआ है । चेतन देवों के सन्दर्भ में देव शब्द का सबसे प्रमुख अर्थ 'परमात्मा' होता है । क्योंकि परमात्मदेव ही सब देवताओं का देवता है । जड़ देव उपयोग के योग्य होते हैं, चेतन देव (विद्वान्, माता, पिता आदि) सत्कार और सेवा के द्वारा प्रसन्न करने योग्य । लेकिन उपासना के योग्य केवल एक परमात्मा ही होता है, अन्य नहीं । अतः यज्ञ 'देवताभ्यर्चनम्' से अभिप्राय परमात्मदेव की उपासना करने से है । यदि कहीं अग्नि, इन्द्र, वरुण आदि नामों से देवताओं की स्तुति का वर्णन मिलता है तो वह भी उनके माध्यम से परमात्मा की ही स्तुति अभिप्रेत है । क्योंकि ये परमात्मा की ही दिव्यशक्तियों या गुण हैं, उसी के प्रयोग हैं । भिन्न-भिन्न देवों की स्तुति से अभिप्राय होता है परमात्मा के उस-उस गुण की स्तुति करना । इस प्रकार सभी देव एक परमात्मा में ही समाहित होते हैं । निरुक्तकार ने इसको इस प्रकार स्पष्ट किया है —

(अ) **"महाभाग्याद्देवतायाः एक आत्मा बहूधा स्तूयते ।**
एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति ।

कर्मजन्मान : आत्मजन्मान : आत्मैवैषां रथो भवति ।।
आत्माश्व : आत्मायुधम्, आत्मेषव : सर्वं देवस्य देवस्य ।"

(निरुक्त ७।१।४)

अर्थात् — एक परमात्मा देव ही मुख्य देव है । सर्वशक्तिमत्त्वादि अनेक-विध ऐश्वर्यों से युक्त होने के कारण अनेक नामों-गुणों से उसकी स्तुति की जाती है, अन्य सभी देव इस महादेव परमात्मा के प्रत्यंगरूप हैं । उनका इसी में समाहार हो जाता है । उस एक अद्वितीय परमेश्वर के ही प्रकाश, धारण, उत्पादन करने से वे सब व्यवहार के देव प्रकाशित हो रहे हैं, इनका जन्म और कर्म ईश्वर के सामर्थ्य से होता है । इनका रथ अर्थात् जो रमण का स्थान, अश्व अर्थात् शीघ्र सुखप्राप्ति का कारण, गमनहेतु, आयुध = शत्रुओं का नाश करके विजय प्राप्त कराने हारा, इषु = वाण के समान सब दुष्टगुणों और दु:खों का छेदन करने वाला शस्त्र, वही परमात्मा है । परमात्मा ने जितना-जितना जिस-जिस में दिव्यगुण रखा है उतना-उतना ही उन द्रव्यों में देवपन है, अधिक नहीं । इस प्रकार अन्य सब देवता परमेश्वरवाची ही हैं ।

इसमें वेदों के प्रमाण हैं --

(आ) **इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य: सुपर्णो गुरुत्मान् ।**
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहु: ।।

(ऋ. १०।१६४।४६)

(इ) **तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद् वायुस्तदु चन्द्रमा: ।**
तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म ता आप: स प्रजापति: ।।

(यजु. ३२।१ ।।)

स्वयं मनुस्मृति के प्रमाण देखिए —

(ई) **आत्मैव देवता: सर्वा सर्वमात्मन्यवस्थितम् ।**
आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम् ।।

(१२।११९ ।।)

(उ) **एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम् ।**
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ।।

(१२।१२३ ।।)

(ऊ) मनु ने अनेक स्थानों पर उपास्य के रूप में केवल परमात्मा को ही स्वीकार किया है । प्रमाणरूप में द्रष्टव्य हैं — २।७६-७८ (२।१०१-१०३), ४।९२-९३, १२।११८, ११९, १२२, १२५ ।।

इस सम्पूर्ण विवेचन और प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि मनुस्मृति में २ । १५१ [१७६] आदि श्लोकों में **'देवता-अभ्यर्चनम्'** का अर्थ परमात्मदेव की उपासना अर्थात् संध्या करने से है । अन्य अर्थ भ्रान्तिपूर्ण हैं । इस श्लोक में शिव, विष्णु की प्रतिमाओं के पूजन की कल्पना मनगढ़न्त है और अप्रामाणिक है ।

इस प्रकार—देव, सात्विक, प्रवृति के [१२ । ४०] विद्वानों को कहते हैं, और अग्निहोत्र को भी देवयज्ञ के नाम से अभिहित किया जाता है । यज्ञ का विशेष अनुष्ठान और उसमें यज्ञ कर्म करने वाले विद्वान् व्यक्ति को कन्यादान करना, ये दोनों बातें 'दैव' इस संज्ञा के अनुरूप ही हैं । यह विधि देवों = विद्वानों के कर्मानुरूप और सम्मत है, अत: ३ । २८ में इस प्रकार के विवाह को दैवविवाह

कहा है ।

जड़ देवता—

चेतन देवों के अतिरिक्त, सूर्य, अग्नि, वायु, पृथिवी,अन्तरिक्ष, द्युलोक, चन्द्रमा, नक्षत्र, दशप्राण = प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, बारह मास—ये जड़ देवता कहलाते हैं । निरुक्त में 'देव' शब्द की निरुक्ति इस प्रकार दी है—"**देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा, द्युस्थानो भवतीति वा ।**" (७ । ४ । १५) अर्थात्—'दान देने वाले, प्रकाशित करने वाले, प्रकाशित होने वाले या द्युस्थानीय को देवता कहते हैं ।' सूर्य द्युस्थानीय है और अपने प्रकाश से सब मूर्तिमान् द्रव्यों को प्रकाशित करता है, अत : देव या देवता है ।

शतपथ ब्राह्मण में देवताओं पर प्रकाश डालते हुए जड़ और चेतन-रूप में ३३ देवता परिगणित किये हैं—

"**स होवाच महिमान एवैषामेते त्रयस्त्रिंशत्त्वेव देवा इति । कतमे ते त्रयस्त्रिंशत् इति ? अष्टौ वसव :, एकादश रुद्रा :, द्वादशादित्यास्त एकत्रिंशत् इन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशाविति ।**

कतमे वसव इति ? अग्निश्च, पृथिवी च, वायुश्च, अन्तरिक्षं च, आदित्यश्च द्यौश्च, चन्द्रमाश्च, नक्षत्राणि च, एते वसव : ।

कतमे रुद्रा इति ? दशेमे पुरुषे प्राणा : (प्राण :, अपान :, व्यान :, समान : उदान :, नाग :, कूर्म : कृकल :, देवदत्त :, धनञ्जयश्च) आत्मा-एकादशस्ते ।

कतम आदित्या इति ? द्वादश मासा : संवत्सरस्य एते आदित्या : ।

(३) **कतम इन्द्र, कतमः प्रजापतिरिति । स्तनयित्नुरेवेन्द्रो, यज्ञः प्रजापतिरिति तदाहुः । यदयमेक इव पवते । कतम एको देव इति ? स ब्रह्मेत्यदित्याचक्षते ।** (शत. कां. १४ । प्रपा. १६) '

(ग) पितर कौन ?

पान्ति पालयन्ति रक्षन्ति अन्न-विद्या-सुशिक्षा-आदिदानैः ते पितरः "=जो अन्न विद्या, सुशिक्षा आदि से पालन-पोषण और रक्षण करते हैं,वे 'पितर' कहलाते हैं । इसमें ब्राह्मणों के प्रमाण द्रष्टव्य हैं—

(अ) "**देवा वा एते पितरः**" (गो. उ. १ । २४)

(आ) "**स्विष्टकृतो वै पितरः**" (गो. उ. १ । २५)

अर्थात् सुखसुविधाओं द्वारा पालन-पोषण करने वाले और हितसम्पादन करने वाले विद्वान् व्यक्ति 'पितर' कहलाते हैं ।

(इ) "**मर्त्याः पितरः**" (श. २ । १ । । ३ । ४)

जीवित मनुष्य ही 'पितर' हैं अर्थात् मृत नहीं ।

इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि मृत पितरों की मान्यता मात्र कल्पना और भ्रान्ति है । माता-पिता-पितामह-आचार्य आदि ही 'पितर' कहलाते हैं ।

मनुस्मृति में स्थान-स्थान पर इन्हीं व्यक्तियों को पितर कहा है । ४ । २५७ में उनके ऋण से उऋण होने के लिए कहा है—"**महर्षि-पितृ-देवानां गत्वानृण्यं यथाविधि**" । यह जीवितों के साथ ही सम्भव हो सकता है । मनुस्मृति के अन्य प्रमाण भी द्रष्टव्य हैं—

(ई) अध्यापयामास पितॄन् शिशुराङ्गिरसः कविः ।
पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान् ।। २ । १२६ ।।
(उ) पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्त्विकी गतिः ।। १२ । ४९ ।।
(ऊ) पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम् ।। १२ । ९४ ।।
(ए) दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितॄणामात्मनश्च ह ।। ९ । २८ ।।
(ऐ) ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा ।
आशासते कुटुम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्यं विजानता ।। ३ । ८० ।।

मनु ने ४ । ३०—३१ में जीवित, धार्मिक, वेदवित् विद्वानों को ही हव्य-कव्य देने का विधान किया है । ये श्लोक मनु की इस मान्यता को सिद्ध करते हैं कि हव्य-कव्य जीवित व्यक्तियों को ही दिये जाते हैं । यही श्राद्ध है । हव्य-कव्य आदि श्राद्ध-सम्बन्धी बातों का मृतक पितृश्राद्ध से कोई सम्बन्ध नहीं ।

(औ) पितरों में वेद का प्रमाण—

ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिस्रुतम् ।
स्वधास्थ तर्पयत मे पितॄन् ।।
(यजु. २ । ३४)

"अर्थ—पिता वा स्वामी अपने पौत्र, स्त्री, नौकरों को सब दिन के लिए आज्ञा देके कहे कि—(तर्पयत से पितॄन्) जो मेरे पिता पितामह आदि, माता, मातामह आदि तथा आचार्य और इनसे भिन्न भी विद्वान् लोग अवस्था अथवा ज्ञान से वृद्ध, मान्य करने योग्य हों, उन सबकी आत्माओं को यथायोग्य सेवा से प्रसन्न किया करो । सेवा करने के पदार्थ ये हैं—(ऊर्जं वहन्ती) जो उत्तम-उत्तम जल (अमृतम्) अनेक विध रस (घृतम्) घी (पयः) दूध (कीलालम्) अनेक संस्कारों से सिद्ध किये रोगनाश करने वाले उत्तम-उत्तम अन्न (परिस्रुतम्) सब प्रकार के उत्तम-उत्तम फल हैं, इन सब पदार्थों से उनकी सेवा सदा करते रहो (स्वधास्थ) हे पूर्वोक्त पितृलोगो ! तुम सब हमारे अमृतरूप पदार्थों के भागों से सदा सुखी रहो ।" (द. ल. ग्र. सं. २४५—२५५)

(अं) पितरों की गणना और उनका अभिप्राय—

"जिनकी पितृसंज्ञा है और जो सेवा के योग्य हैं वे निम्न हैं—

१—सोमसदः । २—अग्निष्वात्ताः । ३—बर्हिषदः । ४—सोमपाः । ५—हविर्भुजः । ६—आज्यपाः । ७—सुकालिनः । ८—यमराजा । ९—पितृपितामहप्रपितामहाः । १०—मातृपितामहप्रपितामहयः । ११—सगोत्राः । २—आचार्यादिसम्बन्धिनः ।

१—**सोमसदः**—'**सोमे ईश्वरे सोमयोगे वा सीदन्ति ये सोमगुणाश्च**' से '**सोमसदः**' = जो ईश्वर और सोमयज्ञ में निपुण और शान्ति आदि गुण सहित हैं, वे 'सोमसद्' कहाते हैं

२—**अग्निष्वात्ताः**—'**अग्निरीश्वरः, सुष्ठुतया आत्तो गृहीतो यैस्ते यद्वा अग्नेर्गुणज्ञानात् पृथिवी = जल-व्योम-यान-यन्त्ररचनादिका पदार्थविद्या सुष्ठुतया आत्ता गृहीता यैः ते 'अग्निष्वात्ताः**' = अग्नि जो परमेश्वर वा भौतिक अग्नि, उनके गुणज्ञान करके जिन्होंने अच्छे प्रकार अग्निविद्या सिद्ध की है उनको 'अग्निष्वात्त' कहते हैं ।

३ — **बर्हिषद** :— '**बर्हिषि सर्वोत्कृष्टे ब्रह्मणि शम-दमादिषूत्तमेषु गुणेषु वा सीदन्ति**' ते '**बर्हिषद** :' = जो सबसे उत्तम परब्रह्म में स्थिर होके शम, दम, सत्य, विद्या आदि उत्तम गुणों में वर्तमान हैं, उनको '**बर्हिषद**' कहते हैं ।

४ — **सोमपा** :— '**यज्ञेन उत्तमौषधिरसं पिबन्ति पाययन्ति वा**' ते '**सोमपा** :' = जो यज्ञ करके सोमलता आदि उत्तम औषधियों के रस के पान करने और कराने वाले हैं, तथा जो सोमविद्या को जानते हैं, उनको 'सोमपा' कहते हैं ।

५ — **हविर्भुज** :— '**हविर्हुतमेव यज्ञेन शोधितवृष्टिजलादिकं भोक्तुं भोजयितुं वा शीलमेषां**' ते '**हविर्भुज** :' = जो अग्निहोत्र आदि यज्ञ करके वायु और वृष्टिजल की शुद्धि द्वारा सब जगत् का उपकार करते और जो यज्ञ से अन्नजलादि की शुद्धि करके खाने पीने वाले हैं, उनको 'हविर्भुज' कहते हैं ।

६ — **आज्यपा** — '**आज्यं घृतम्, यद्वा 'अज् गतिक्षेपणयो :' धात्वर्थात् आज्यं विज्ञानम् ददानेन पान्ति रक्षन्ति पालयन्ति रक्षयन्ति ये विद्वांस :**' ते '**आज्यपा** :' = घृत, स्निग्धपदार्थ और विज्ञान को कहते हैं । जो उनके दान से रक्षा करने वाले हैं, उसको 'आज्यप' कहते हैं ।

७ — **सुकालिन** :— '**ईश्वरविद्योपदेशकरणस्य ग्रहणस्य च शोभन : कालो येषां ते । यदा ईश्वरज्ञानप्राप्त्या सुखरूप : सदैव कालो येषां**' ते '**सुकालिन** :' = मनुष्य-शरीर को प्राप्त होकर ईश्वर और सत्यविद्या के उपदेश का जिनका श्रेष्ठ समय और जो सदा उपदेश में ही वर्तमान हैं, उनको सुकालिन् कहते हैं ।

८ — **यमराजा** :— '**ये पक्षपातं विहाय न्यायव्यवस्थाकर्तार : सन्ति**' ते '**यमराजा** :' = जो पक्षपात को छोड़कर सदा सत्य न्यायव्यवस्था ही करने में रहते हैं, उनको 'यमराज' कहते हैं ।

९ — **पितृ-पितामह-प्रपितामहा** :—(**पितृ**) '**ये सुष्ठुतया श्रेष्ठान् विदुषोगुणान् वासयन्त : तत्र वसन्तश्च, अनन्तधना : स्वान् जनान् धारयन्त : पोषयन्तश्च, चतुर्विंशतिवर्षपर्यन्तेन ब्रह्मचर्येण विद्याभ्यासकारिण : स्वे जनकाश्च सन्ति, ते पितर : 'वसव :' विज्ञेया ईश्वरोऽपि**' = जो वीर्य के निषेकादि कर्मों को करके उत्पत्ति और पालन करे और चौबीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्याश्रम से विद्या को पढ़े, उसका नाम 'पिता' अथवा 'वसु' है । (**पितामह**) '**ये पक्षपातरहिता दुष्टान् रोदयन्त : चतुश्चत्वारिंशत् वर्षपर्यन्तेन ब्रह्मचर्यसेवनेन कृतविद्याभ्यासा : ते 'रुद्रा :' स्वे पितामहाश्च ग्राह्या : तथा रुद्र ईश्वरोऽपि**' = जो पिता का पिता हो और चवालीस वर्ष पर्य्यन्त ब्रह्मचर्य से विद्याभ्यास कर पक्षपातरहित होकर दुष्टों को रुलाने वाला है, उसका नाम 'पितामह' और 'रुद्र' है । (**प्रपितामह**) '**आदित्यवत् उत्तमगुण प्रकाशका : विद्वांसोऽष्टचत्वारिंशत् वर्षेणब्रह्मचर्येण सर्व-विद्यासम्पन्ना : सूर्यवत् विद्याप्रकाशका : त आदित्या : स्वे प्रपितामहाश्च ग्राह्या : तथा आदित्यो विनाशीश्वरो वात्र गृह्यते**' = जो पितामह का पिता और आदित्य के समान उत्तम गुणों का प्रकाशक अड़तालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्याश्रम से विद्या पढ़के सब जगत् का उपकार करता हो, उसको 'प्रपितामह' अथवा 'आदित्य' कहते हैं । तथा जो पित्रादिकों के तुल्य पुरुष हैं उनकी भी पित्रादिकों के तुल्य सेवा करनी चाहिये ।

१० — **मातृ-पितामही-प्रपितामह्य** :— **पित्रादिसदृश्यो मात्रादय : सेव्या** : =

पित्रादिकों के समान विद्या स्वभाव वाली स्त्रियों की भी अत्यन्त सेवा करनी चाहिये । माता, दादी, परदादी आदि ।

११ — **सगोत्रा :**— **'स्वसमीपं पुत्रादयस्ते श्रद्धया पालनीया :'** = जो सपीपवर्ती ज्ञाति के पुरुष हैं, वे भी सेवा करने के योग्य है ।

१२ — **आचार्यादिसम्बन्धिन :**— **'ये गुर्वादिसरुयन्ता : सन्ति ते हि सर्वदा सेवनीया :'** = जो पूर्णविद्या के पढ़ाने वाले और श्वसुरादि सम्बन्धी तथा उनकी स्त्री हैं, उनकी यथायोग्य सेवा करनी चाहिए" । (द. ल. ग्रं. २४५-२५५)

इस प्रकार उपर्युक्त गुण वाले जीवित व्यक्तियों को ही 'पितर' कहा जाता है, उनकी सेवा करना ही पितृयज्ञ है । मृतपितरों की कल्पना, भ्रान्ति एवं अज्ञानता है ।

प्रजापति, प्रजा अर्थात् सन्तान के पालन में तत्पर माता-पिता आदि गृहस्थ विद्वानों को ही कहते हैं । उन्हें 'पितर' भी कहा जाता है । इसमें ब्राह्मणों और निरुक्त के प्रमाण हैं — **"प्रजा अपत्यनाम"** निघ. २।२ ।। **प्रजापति : पाता वा पालयिता वा"** निरु. १०।४१ ।। **"पितर : प्रजापति :"** गो. उ. ६।१५ ।। **"पुरुष : प्रजापति :"** शत. ६।२।१।२३ ।। प्रजाओं को उत्पन्न करके उनका पालन करने के कारण पुरुष प्रजापति होता है । पितर अर्थात् माता-पिता आदि प्रजापति होते हैं । सन्तानों का पालन करने वाले माता-पिता आदि गृहस्थ विद्वानों द्वारा अनुमोदित, सम्मत और उनके आचरणानुरूप होने से ३।३० में वर्णित इस प्रकार के विवाह का नाम 'प्राजापत्य विवाह' है ।

(घ) असुर कौन ?

'न सुरा-असुरा :' अर्थात् जो देवताओं के समान नहीं हैं । जो देवताओं के समान नि :स्वार्थ, निर्वैर, परहित, परोपकार, त्याग, तप, सहिष्णुता आदि भावनाओं वाले नहीं हैं । जो अपने देह और प्राणों के ही पोषण में, अपने ही स्वार्थ, सुख-सुविधा, धन और हितसाधनमें तत्पर रहते हैं; उसकी पूर्ति के लिए तरह-तरह के छल-प्रपंच माया-जाल आदि रचते हैं, ऐसे व्यक्ति 'असुर' कहलाते हैं । इनमें निरुक्त और ब्राह्मणों के प्रमाण उल्लेखनीय हैं — **"असुरता : स्थानेष्वस्ता, स्थानेभ्य इति वा, असुरिति प्राणानामास्त : शरीरे भवति, तेन तद्वन्त : ।"** निरु. ३ ।७ ।। **"(असुरा :) स्वेष्वेवास्येषु जुह्वतश्चेरु :"** शत. ११।१।८।१ ।। **मायात्येसुरा : (उपासते)"** शत. १०।५।२।१० ।। **असु क्षेपणे (अदादि) धातु से 'असेरुरन्'** (उणादि १।४२) से 'उरन्' प्रत्यय से 'असुर' शब्द बना । 'असुर से 'सम्बन्ध रखने वाला' अर्थ में अण्' प्रत्यय लगकर 'आसुर' बनता है । इस प्रकार दूसरे की भावनाओं की उपेक्षा करके धन और स्वार्थ-साधन में तत्पर व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित, सम्मत अथवा उनके आचरणानुरूप होने से ३।३१ में उस विवाह का नाम 'आसुर विवाह' है ।

(ङ.) गन्धर्व कौन ?

गन्धर्व की व्युत्पत्ति है **"गाम् = वाचम् धरतीति गन्धर्व :"** अर्थात् गाने की उत्तम वाणी को धारण करने वाला । संगीत अर्थात् गाने, बजाने, नाचने की कला में प्रवीण लोगों को, जो विलासी, आमोद-प्रमोद में व्यस्त, शृंगारप्रिय और कामुकप्रवृत्ति-प्रधान हैं, 'गन्धर्व' कहते हैं । ब्राह्मणों के निम्न प्रमाणों में इस पर प्रकाश डाला गया है — **"रूपमिति गन्धर्वा : (उपासते)** शत. १०।५।२।२० ।। **"योषित् कामा वै गन्धर्वा :"** शत. ३।२।४।६ ।। **"स्त्रीकामा वै गन्धर्वा :"** ऐत. १।२७७ ।। कौ. १२।३ ।। **गन्धो मे, मोदो मे प्रमोदो मे । तन्मे युष्मासु**

(गन्धर्वेषु) जै. उ. ३।२५।४ ।। ऐसे व्यक्तियों से अनुमोदित, सम्मत या उनके आचरणानुरूप होने से ३।३२ में वर्णित उस विवाह का नाम 'गान्धर्व विवाह' है ।

(च) राक्षस कौन ?

रक्ष्-पालने धातु से '**सर्वधातुभ्योऽसुन्**' (उणादि ४।१८९) सूत्र से 'असुन्' प्रत्यय और 'इदम्' अर्थ में अण् प्रत्यय के योग से राक्षस शब्द सिद्ध होता है । निरुक्त ४।१८ में राक्षस की निरुक्ति देते हुए कहा है — "**रक्ष : रक्षितव्यमस्माद्, रहसि क्षणोतीति वा, रात्रौ नक्षते इति वा ।**" अर्थात् जिससे धन-सम्पत्ति, प्राण आदि की रक्षा करनी पड़े, जो एकान्त अवसर पाकर हानि पहुंचाते और जो रात्रि में लूट-पाट, चोरी-व्यभिचार आदि दुष्ट कर्मों में सक्रिय हो जाते हैं, वे राक्षस हैं । इस प्रकार अपने स्वार्थ-साधन के लिए दूसरों की हानि करने वाले, दूसरों को सताने और पीड़ित करने वाले, अत्याचारी, अन्यायी, बलात्कारी स्वभावी और मांस-मदिरामोजी तमोगुणी [१२।४४] व्यक्ति 'राक्षस' कहलाते हैं । ऐसे व्यक्तियों के आचरणानुरूप, उनसे अनुमोदित या सम्मत होने से ३।३३ में विहित उस विवाह का नाम 'राक्षस विवाह' है ।

(छ) पिशाच कौन ?

पिश्-अवयवे (तुदादि) धातु से 'क' प्रत्यय होने से 'पिशम्' पद बना । 'पिश्' उपपद से आङ्-पूर्वक 'चमु-अदने' धातु से 'ड :' प्रत्ययपूर्वक 'पैशाच' शब्द बनता है । अथवा 'पिशित्' पूर्वपद से 'अश्' धातु से अण्, 'इत्' का लोप, शकार को चकार होकर पैशाच बनता है । '**ये पिशितम् = अवयवीभूतं, पेशितं वा मांसं रुधिरादिकम् आचमन्ति भक्षयन्ति ते 'पैशाचा :'**। प्राणियों का कच्चा मांस, रक्त तक खाने वाले, हिंसक, दुराचारी, अनाचारी, मलिन संस्कारों वाले, अत्यन्त तमोगुणी [१२।४४], अत्यन्त निम्न और घृणित स्वभाव के व्यक्ति 'पिशाच' कहलाते हैं । ऐसे व्यक्तियों के आचरणानुरूप या उनसे अनुमोदित, सम्मत होने से ३।३४ में वर्णित उस विवाह का नाम 'पिशाच विवाह' है ।

(ज) दस्यु कौन ?

वेदों में और प्राचीन संस्कृत-साहित्य में 'दस्यु' शब्द का पर्याप्त प्रयोग आता है । यहाँ मनु ने स्पष्ट किया है कि दस्यु कौन है । वेदों में मनुष्यों के दो वर्ग उक्त हैं — 'आर्य' = श्रेष्ठ और 'दस्यु' = अश्रेष्ठ । मनु ने यहां बताया है कि आर्यों के चार वर्णों से भिन्न अर्थात् वर्णाश्रम धर्मों में अदीक्षित [१०।४५७], धर्म का पालन न करके अधर्माचरण करने वाले चारों वर्णों से अवशिष्ट सभी लोग दस्यु हैं । दस्यु शब्द का अर्थ और व्युत्पत्ति भी इनके इसी आचरण पर प्रकाश डालते हैं — 'दसु-उपक्षये' धातु से '**यजिमनिशुन्धिदसिजनिभ्यो युच्**' (उणादि ३।२०) से युच् प्रत्यय के योग से 'दस्यु' शब्द बनता है । निरुक्त ७।२३ में इसकी व्युत्पत्ति है — "**दस्यु दस्यते : क्षयार्थात् . . . उपदासयति कर्माणि**" = दस्यु वह है जो शुभकर्मों से क्षीण है या शुभकर्मों में बाधा डालता है । मनु का श्लोक निम्न है —

मुखबाहूरुपज्जानां या लोके जातयो बहि : ।
म्लेच्छवाचश्चार्यवाच : सर्वे ते दस्यव : स्मृता : ।।(१०।४५ ।।)

(लोके) लोक में (मुख-बाहु + उरु-पद्-जानाम्) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों से (बहि :) श्रेष्ठ कर्त्तव्यपालन न करने के कारण बहिष्कृत या इनमें अदीक्षित (या जातय :) जो जातियां हैं (म्लेच्छवाच : च आर्यवाच :) चाहे वे म्लेच्छभाषाएं बोलती हैं या आर्यभाषाएं (ते सर्वे) वे सब

(दस्यव : स्मृता :) 'दस्यु' कहलाती हैं ।

(झ) आर्य और अनार्य —

चारों वर्णों में किसी एक वर्ण में दीक्षित, श्रेष्ठ संस्कारों, स्वभाव एवं आचरण वाला व्यक्ति आर्य कहलाता है । इसके विपरीत अनार्य होता है । मनु ने निम्न श्लोक में अनार्य के लक्षण दिखाये हैं —

वर्णापेतमविज्ञातं नरं कलुषयोनिजम् ।
आर्यरूपमिवानार्यं कर्मभिः स्वैर्विभावयेत् ।। १०।५७ ।।

(वर्ण-अपेतम्) वर्णों की दीक्षा से रहित अथवा वर्णों से बहिष्कृत (आर्यरूपम् + इव + अनार्यम्) श्रेष्ठ रहन-सहन और स्वभाव का दिखावा करने वाले किन्तु वास्तव में श्रेष्ठलक्षणों से रहित अनार्य (कलुषयोनिजम्) [कलुषयोनौ = दुष्टयोनौ जायते इति कलुषयोनिज :, तम्] दुष्टसंस्कारों वाले व्यक्ति से उत्पन्न दुष्टसंस्कारी या दुष्टप्रवृत्ति वाले (स्वैः कर्मभिः विभावयेत्) उसके अपने कर्मों से पहचान ले अर्थात् जो श्रेष्ठ कर्मों को न करता हो और अश्रेष्ठ कर्मों को करता हो, वह अनार्य है ।

(१) मनु ने प्रत्येक व्यक्ति को किसी-न-किसी वर्ण की दीक्षा ग्रहण कर उत्तम धर्मानुकूल आचरण का पालन करने का कथन किया है । कुछ व्यक्ति इतने दुष्टसंस्कारों के होते हैं कि उनकी धर्माचरण में रुचि नहीं बनती । वे किसी भी वर्ण की दीक्षा को स्वीकार नहीं करते [**'वर्णापेतम्'**], उनमें स्वभावगत अश्रेष्ठता, कठोरता, निर्दयता होती है और धार्मिक क्रियाओं के प्रति उपेक्षा भावना रहती है । ऐसे व्यक्ति ही अनार्य या दस्यु हैं । दुष्टसंस्कारयुक्त व्यक्तियों से उत्पन्न होने वाले दुष्टसंस्कारी व्यक्तियों = कलुषयोनिजों या दस्युओं में ये संस्कार इतने प्रबल हो जाते हैं कि वे किसी-न-किसी रूप में प्रकट होकर उनकी पहचान करा देते हैं । ४।४१-४२ में मनु ने दुष्ट कर्मों से दुष्टसंस्कारी सन्तानों की उत्पत्ति की ओर संकेत किया है । वही कलुषयोनिज या दस्यु होते हैं —

इतरेषु तु शिष्टेषु नृशंसानृतवादिनः ।
जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रह्मधर्मद्विषः सुताः ।।
... भवति प्रजा निन्दितैर्निन्दिता नृणाम् –।।''

(२) इस श्लोक में उच्च-निम्न जातिपरक अर्थ करना मनुसम्मत नहीं है । यहां स्पष्टतः सभी ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख है जो आर्यरूप में अनार्य होते हैं, दुष्टोत्पन्न होने से दुष्ट गुण-कर्म स्वभाव वाले होते हैं । चाहे वे किसी भी वर्ण में हों 'कलुषयोनिज' ही कहलायेंगे ।

१४. मनु और वेद —

मनु ने वेदों को अपौरुषेय मानते हुए उनको अपनी स्मृति का और धर्म का मूलस्रोत माना है । उन्हें पढ़ने का मानवमात्र को अधिकार है और प्रत्येक स्थिति में वे पठनीय हैं (इस विषयक विस्तृत विवेचन द्वितीय अध्याय में 'वेद विरोध' शीर्षकान्तर्गत देखिए) ।

चतुर्थ अध्याय

[मनुस्मृति में अध्यायविभाजन, प्रकरण एवं वर्णाश्रमधर्मवर्णन पद्धति]

१. मनुस्मृति में अध्याय-विभाजन मौलिक नहीं —

मनुस्मृति में अध्यायों का विभाजन मौलिक अर्थात् मनुकृत नहीं है अपितु परवर्तीकाल में किसी ने किया है । ऐसा प्रतीत होता है कि मनुस्मृति परम्परा के ही किसी व्यक्ति ने सुविधा की दृष्टि से मनुस्मृति को अपने ढंग से व्यवस्थापित किया और उसमें कुछ परिवर्तन-परिवर्धन भी किये । आजकल प्राप्त होने वाली सभी प्रतियां अध्यायों में विभक्त मिलती हैं । यह मनुस्मृति का वास्तविक रूप नहीं है । इससे यह स्पष्ट होता है कि मनुस्मृति का यह विभाजन भी काफी पहले हो चुका था । अत्यन्त प्राचीन होने के कारण ही मनुस्मृति की प्रति अध्याय रहित रूप अर्थात् मौलिक स्वरूप में नहीं मिलती । अध्याय-विभाजन करने वाले व्यक्ति से मनुस्मृति के अध्याय-विभाजन में दो स्थानों पर भूल हुई है । अध्याय-विभाजन पूर्णत : निर्भ्रान्त या उचित नहीं है । आश्चर्य तो यह है कि आज तक किसी भी विद्वान् का ध्यान इस त्रुटि की ओर नहीं गया, वही गलत अध्याय-विभाजन प्रचलित रहता रहा है । इन त्रुटियों का विवेचन करने से पूर्व अध्याय-विभाजन की अमौलिकता पर चर्चा कर लेना उपयोगी होगा ।

मनुस्मृति की रचना-शैली ही यह सिद्ध करती है कि उसमें अध्याय-विभाजन की गुंजाइश नहीं है । मनुस्मृति की प्रवचन-शैली है,और ये सभी प्रवचन श्रृंखला की कड़ियों के समान जुड़े हुए हैं । मूलत : इस शैली में न तो अध्याय-विभाजन हो सकता है और न उसकी आवश्यकता सिद्ध होती है । अध्याय विभाजन इसलिए भी नहीं हो पाता कि मनु जिस किसी भी विषय या प्रसंग को प्रारम्भ करते हैं उसके प्रारंभ, अन्त अथवा दोनों स्थलों पर उस विषय का संकेत देते हैं । अधिकांश संकेत-स्थलों पर ऐसा है कि उसी श्लोक की एक पंक्ति में पूर्व विषय की समाप्ति का संकेत है और दूसरी में ही अगले विषय के प्रारंभ होने का संकेत । कुछ स्थानों पर तो श्लोक के एक पाद में एक विषय के आरम्भ या समापन का संकेत है और शेष तीन पादों में दूसरे विषय के आरम्भ या समापन का संकेत, यथा —

(अ) तृतीय अध्याय का अन्तिम २८६वां श्लोक है —

एदद्वोऽभिहितं सर्वं विधानं पाञ्चयज्ञिकम् ।
द्विजातिमुख्यवृत्तीनां विधानं श्रूयतामिति ।। (३।२८६ ।।)

अर्थ — यह पांच महायज्ञों का समस्त विधान आपको बताया, और अब द्विजातियों की मुख्य आजीविकाओं का विधान सुनिए ।

यहां पहली पंक्ति में 'पञ्चयज्ञविधान' विषय की समाप्ति का संकेत है और दूसरी ही पंक्ति में द्विजातियों की वृत्तियों के विषय को प्रारम्भ करने का संकेत किया है ।

(आ) इसी प्रकार निम्न श्लोक की प्रथम पंक्ति में राजधर्म विषय की समाप्ति का संकेत है और द्वितीय में वैश्य-शूद्रों के कर्त्तव्यों को प्रारम्भ करने का —

एषोऽखिल: कर्मविधिरुक्तो राज्ञ: सनातन: ।
इमं कर्मविधिं विद्यात् क्रमशो वैश्य-शूद्रयो: ।।(९।३२५ ।।

अर्थ — यह राजा की सनातन और सम्पूर्ण कार्य करने की विधि कही । अब वैश्यों और शूद्रों की विधि को आगे वर्णित रूप में जानें ।

(इ) निम्न श्लोक में पूर्व के तीन पादों में पूर्व कहे चतुर्विध कर्म के विषय की समाप्ति का संकेत और अन्तिम एक पाद में अगले विषय को प्रारम्भ करने का —

एष वोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः ।
पुण्योऽक्षयफलः प्रेत्य राज्ञां धर्मं निबोधत ।।(६।९७ ।।)

अर्थ — यह चार प्रकार का आश्रम धर्म आप से कहा । इस धर्म के पालन करने स पुण्य तथा कर मोक्ष पद की प्राप्ति होती है । अब इसके आगे राजाओं के कर्त्तव्य-कर्मों को सुनिए ।

इससे यह स्पष्ट होता है कि इस शैली में अध्याय-विभाजन अभीष्ट नहीं है,और जब पूर्वापर विषय । साथ-साथ संकेत होता रहता है तो अध्यायानुसार बांटने की आवश्यकता भी नहीं रहती । नुस्मृति की रचना-शैली अखण्ड है । यदि हम अध्याय-विभाजन करते हैं तो या तो श्लोक को तोड़ना ड़ेगा या दूसरे विषय की संकेतिक पंक्ति पहले अध्याय में ही रखनी पड़ेगी जैसे कि प्रचलित स्करणों में रखी हुई है । एक विषय पूर्व विषय के साथ जो शृंखला की कड़ी के समान जुड़ा हुआ है ही यह सिद्ध करता है कि रचयिता को मूलत : अध्याय-विभाजन अभीष्ट नहीं था । अत : यह माना ाना चाहिये कि मनुस्मृति की आरंभिक प्रतियां उस अखण्ड शैली में ही रही होंगी । अध्याय-विभाजन हो जाने पर वह परम्परा बंद हो गई और अध्यायों में विभाजित रूप चल पड़ा ।

अध्यायों का विभाजन सुविधा के लिए किया गया और इसमें सुविधा है भी, अत : उसे हम भी रिवर्तित नहीं करना चाहते । किन्तु, उसमें प्रथम और नवम अध्याय के विभाजन में त्रुटि हुई है और अष्टम अध्याय के विभाजन में भ्रान्ति, इनका निवारण करना आवश्यक है । नवम अध्याय में भी कुछ परिवर्तन किया गया है ।

(क) प्रथम और द्वितीय अध्यायों के विभाजन में परिवर्तन —

अध्याय-विभाजनकर्त्ता ने मुख्य विषयों के अनुसार अध्यायों का विभाजन किया प्रतीत होता है । प्रत्येक अध्याय में एक-दो मुख्य विषय हैं, जैसे प्रथम अध्याय में — सृष्ट्युत्पत्ति एवं धर्मोत्पत्ति, द्वितीय अध्याय में — संस्कार एवं ब्रह्मचर्याश्रम, तृतीय में — विवाह एवं पञ्चयज्ञविधान, आदि । किन्तु प्रथम अध्याय का विभाजन गलत हुआ है, वह द्वितीय अध्याय के पच्चीसवें श्लोक के पश्चात् होना चाहिये । यतोहि —

(अ) मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के मुख्य दो विषय हैं — सृष्ट्युत्पत्ति और धर्मोत्पत्ति । दोनों की पारस्परिक सम्बद्धता के कारण मनु ने इन दोनों विषयों को एक ही मानकर वर्णित किया है । १ । २ में महर्षियों ने मनु से वर्ण एवं आश्रमों के धर्मों का कथन करने की प्रार्थना की थी । धर्मों का कथन करने से पूर्व धर्म-सम्बन्धी अन्य आवश्यक जानकारी का भी भूमिका के रूप में कथन करना आवश्यक था । १ । ४-५ से मनु ने सृष्टि-उत्पत्ति का विषय प्रारम्भ किया और फिर १ । १०८ से तथा २ । १ धर्म का प्रसंग प्रारंभ किया । यह क्रम इसलिए अपनाया क्योंकि धर्मोत्पत्ति जगदाश्रित है । इस दृष्टि से मनु ने पहले सृष्टि-उत्पत्ति का वर्णन किया । २ । २५ में यह संयुक्त विषय समाप्त होता है । वहां मनु स्वयं संकेत देते हैं —

एषा धर्मस्य वो योनिः समासेन प्रकीर्तिता ।
संभवश्चास्य सर्वस्य वर्णधर्मान्निबोधत ।।

अर्थ — यह धर्म जानने के समस्त कारणों को संक्षेप में वर्णन कर दिया और इस जगत् की उत्पत्ति का भी वर्णन किया। अब वर्णों के धर्मों को सुनिए।

जब मनु ने इस विषय का समापन एक साथ किया है तो स्पष्ट है कि इस विषय को खण्डित करना गलत है। इस विषय की समाप्ति के बाद ही प्रथम अध्याय की समाप्ति होनी चाहिए। वर्तमान संस्करणों में १।११९ वें श्लोक पर ही अध्याय समाप्त करना उक्त संकेतक श्लोक के विरुद्ध है।

(आ) परम्परागत अध्याय-विभाजन में एक और त्रुटि यह है कि इसमें धर्म के प्रसंग को भी भंग कर रखा है। १।८७-९१ श्लोकों में वर्णों के कर्मविभाजन के साथ ही सृष्ट्युत्पत्ति का प्रसंग पूर्ण हो जाता है और फिर १।१०८-११० श्लोकों में धर्म की चर्चा भूमिका के रूप में की गई है, फिर २।१ में '**यो धर्मस्त्वं निबोधत**' कहकर धर्मोत्पत्ति का प्रसंग प्रारम्भ किया गया है। अध्याय-विभाजनकर्त्ता ने धर्म की भूमिका के १।१०८-११० श्लोकों को तो प्रथम अध्याय में रख दिया और धर्मोत्पत्ति विषय द्वितीय अध्याय में आ गया। इस प्रकार प्रसंग भी भंग हो गया या विभाजित हो गया।

(इ) धर्म का विषय द्वितीय अध्याय में परिगणित होने से मुख्यविषयों के अनुसार अध्याय-विभाजन का वैज्ञानिक आधार भी नहीं बनता। इस प्रकार द्वितीय अध्याय में खण्डित विषय धर्मोत्पत्ति, संस्कार और ब्रह्मचर्याश्रम, ये कई विषय हो जाते हैं।

इन त्रुटियों को देखते हुए प्रथम अध्याय का विभाजन २।२५ के पश्चात् ही होना चाहिए। इससे प्रथम अध्याय का एक मुख्य और पूर्ण विषय होगा — सृष्ट्युत्पत्ति एवं धर्मोत्पत्ति; तथा द्वितीय अध्याय का विषय रहेगा — संस्कार एवं ब्रह्मचर्याश्रम। इस प्रकार करने से धर्म का प्रसंग तथा मुख्य विषय खण्डित नहीं होंगे और मनुस्मृति की संकेत शैली के अनुरूप अध्याय का विभाजन होगा।

• इसीलिए हमने मनुसम्मत विधि के अनुसार २।२५ वें के पश्चात् ही प्रथम अध्याय का विभाजन किया है। इन २५ श्लोकों को प्रथम अध्याय में ही परिगणित कर लिया है। इस प्रकार प्रथम अध्याय के श्लोक बढ़कर १४४ हो गये हैं और द्वितीय अध्याय से २५ घट गये हैं। इस संस्करण में श्लोकों की संख्या इसी ढंग से दी गई है।

(ख) अष्टम अध्याय के विभाजन में भ्रान्ति —

अष्टम अध्याय के विभाजन में जो त्रुटियाँ एवं भ्रान्तियां हुई हैं, वे ये हैं —

(अ) अष्टम अध्याय का विषय है — राजधर्म के अन्तर्गत 'अठारह प्रकार के व्यवहारों (मुकद्दमों) का निर्णय'। ८।४-७ श्लोकों में इनको एक-एक करके गिनाया भी है। ८।१-३ श्लोकों में इस विषय को प्रारम्भ करने का संकेत है और ९।२५० में इस विषय को संकेतपूर्वक समाप्त किया है —

उदितोऽयं विस्तरशो मिथो विवदमानयोः।
अष्टादशसु मार्गेषु व्यवहारस्य निर्णयः॥

अर्थ — यह परस्पर विवाद करने वालों के १८ प्रकार के मुकद्दमों के निर्णय का विस्तृत वर्णन किया गया।

लेकिन अध्याय-विभाजनकर्त्ता ने अष्टम अध्याय को विभाजित करते समय इस एक विषय को खण्डित कर दिया है। अठारह व्यवहारों में से पन्द्रह व्यवहार (स्त्री-संग्रहण तक) तो आठवें अध्याय

में चले गये। इस प्रकार इन अध्यायों का विभाजन मनु की विषय-संकेत-शैली के विरुद्ध है।

(आ) अध्याय-विभाजन करने वाले अथवा किसी परवर्ती व्यक्ति को, ८।४१९ पर अध्याय-विभाजन करते समय यह भ्रान्ति हो गई है कि यहाँ व्यवहार-निर्णय का विषय समाप्त हो गया है। और उसने देखा कि यहां विषय-समाप्ति-सूचक कोई श्लोक भी नहीं है,इसलिए उसने अपनी ओर से यह श्लोक रचकर मिला दिया —

एवं सर्वानिमान् राजा व्यवहारान्समापयन्।
व्यपोह्य किल्बिषं सर्वं प्राप्नोति परमां गतिम्।। (८।४२०।।)

अर्थ — इस प्रकार राजा इन पूर्वोक्त समस्त विवादों को समाप्त कराकर सब प्रकार के दोषों को दूर कर देता है और उत्तम गति को प्राप्त करता है।

प्रक्षेपक को यहां भ्रान्ति हुई है, यहां व्यवहार समाप्त नहीं हुए हैं,अपितु अभी तीन व्यवहार नवम अध्याय में शेष हैं। जब वे पूर्ण हो गये,तब मनु ने अपना समाप्ति-सूचक श्लोक भी दिया है, जिसे ऊपर उद्धृत किया जा चुका है। यह श्लोक मनु की शैली के अनुसार भी उपयुक्त सिद्ध नहीं होता। सभी संस्करणों में इसी प्रकार विषय-समाप्ति की जा रही है। आश्चर्य है कि इस भ्रान्ति की ओर अभी तक विद्वानों का ध्यान नहीं गया है।

इस भ्रान्ति की पुष्टि एक और भ्रान्ति से भी होती है।

(इ) वह है विषय-सूची बनाने वाले की। विषय-सूची चाहे अध्यायविभाजनकर्त्ता ने बनायी है अथवा किसी अन्य परवर्ती ने, उसे मुख्य और गौण विषयों का सम्यक् ज्ञान नहीं था। 'व्यवहार-निर्णय' राजधर्म के अन्तर्गत एक मुख्य और विस्तृत विषय है, फिर उसके अठारह गौण विषय हैं। किन्तु विषयसूची के श्लोकों को देखकर लगता है कि विषयसूची के निर्माता को 'व्यवहार-निर्णय' एक भिन्न विषय लगा है, जो आठवें में पूर्ण हुआ मान लिया और नवम अध्याय में शेष तीन व्यवहारों को स्वतन्त्र विषय मानकर पृथक्-पृथक् विषय के रूप में वर्णित कर दिया —

राज्ञश्च धर्ममखिलं कार्याणां च विनिर्णयम्।।(१।११४।।)
साक्षिप्रश्नविधानं च धर्मं स्त्रीपुंसयोरपि।
विभागधर्मं द्यूतं च कण्टकानां च शोधनम्।।(११५।।)

अर्थ — (आठवें अध्याय में) साक्षियों के प्रश्नों का विधान, (नवम अध्याय में) पति-पत्नी के धर्म, विभागधर्म, जुए सम्बधी, और कण्टकभूत दोषों के दूरीकरण सम्बन्धी बातों का वर्णन है। (सातवें अध्याय में) राजा के सब धर्म तथा (८ वें अध्याय में) सब कार्यों (मुकद्दमों) का निर्णय कहा है।

'साक्षिप्रश्नविधान' 'स्त्रीपुरुषधर्म' 'विभागधर्म' और 'द्यूत' विषय व्यवहार-निर्णय के अन्तर्गत ही आने वाले विषय हैं, पृथक् नहीं। शायद बीच में खण्डित हो जाने के कारण यह भ्रान्ति हुई है। वस्तुत: ७, ८ और नवम अध्यायों में राजधर्म ही वर्णित है, और ये ७।१ से प्रारम्भ होकर ९।३२५ में समाप्त हैं। उसके पश्चात् वैश्य और शूद्र के कुछ कर्मों का वर्णन है।

(ग) नवम अध्याय के विभाजन पर विचार —

वर्तमान में उपलब्ध मनुस्मृतियों में नवम अध्याय में ३३६ श्लोक उपलब्ध होते हैं। सातवें, आठवें और नवम अध्याय के ७२५ श्लोक एक राजनीति का विषय है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि मनुस्मृति का अध्याय-विभाजन भी प्रकरणानुसार हुआ है, किन्तु कुछ अध्यायों के विभाजन

में विभाजनकर्त्ता द्वारा भूलें हुई हैं । प्रकरण को समझे बिना अध्याय-विभाजन कर दिया है । इसी प्रकार इस अध्याय में भी भूल हुई है । विषय के साथ ९ । ३२६ से ९ । ३३६ श्लोक जिनमें वैश्य-शूद्रों के कर्त्तव्यों का वर्णन है, जोड़ दिये हैं । इनके साथ ही चातुर्वर्ण्यधर्म [२ १४४ (२ । २५) से ९ । ३३६ तक] समाप्त हो जाते हैं और फिर दशम अध्याय में चातुर्वर्ण्यधर्म का उपसंहार है । क्योंकि वैश्य-शूद्र-धर्मवर्णन के ग्यारह श्लोकों के प्रकरण का कोई एक अध्याय उपयुक्त नहीं जंचता, अत : हमने इन श्लोकों को दशम अध्याय में उपसंहार-वर्णन के साथ सम्मिलित कर दिया है । ९ । ३२५ श्लोक के कथनानुसार यहीं इस राजधर्मात्मक अध्याय को समाप्त कर दिया है ।

अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या इसके अध्यायों का विभाजन नये सिरे से किया जाये अथवा प्रक्षिप्त श्लोकों के संशोधन के साथ इसे प्रचलित रूप में स्वीकार कर लिया जाये ? इस के उत्तर में यही विचार किया गया है कि प्रधानत : प्रचलित को ही रखलिया जाये । क्योंकि, इसके परिवर्तन से कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा और आठवाँ अध्याय अत्यन्त विस्तृत हो जायेगा, उसमें लगभग सात-सौ श्लोक हो जायेंगे जबकि नवम में १०-११ ही रह जायेंगे । अत : इन भ्रान्तियों की ओर ध्यान दिलाकर इस विभाजन को यथावत् रख लिया गया है । सही बात तो यह है कि मनुस्मृति की शैली के अनुसार अथवा विषयों के अनुसार संतुलित अध्यायों में विभाजन नहीं हो सकता क्योंकि विषयानुसार अध्याय बांटने में किसी अध्याय में तो ६००—७०० श्लोक होंगे और किसी में ५०—६०, और अध्यायों की संख्या भी बढ़ जायगी । इसलिए प्रथम और नवम अध्याय को छोड़कर शेष प्रचलित विभाजन को ही स्वीकार कर लिया, जिससे प्रचलित संस्करणों से बहुत अधिक अन्तर न पड़े और श्लोकों को मिलाने में असुविधा का सामना न करना पड़े । यद्यपि, वर्तमान में सभी ग्रन्थ और उद्धरण प्रचलित संस्करणों की संख्या के अनुसार ही हैं ।

२. मनुस्मृति के प्रकरण और उनकी सीमा का निर्धारण —

मनुस्मृति को उसकी संकेत-शैली के अनुसार कुछ मुख्य विषयों में अवश्य बांटा जा सकता है । यद्यपि इस प्रकार करने से भी संकेतक श्लोक मुख्यविषय के अनुसार विभाजित होंगे, लेकिन उससे विषय या प्रसंग का ज्ञान होता जायेगा । वैसे छोटे-छोटे प्रसंग भी मनुस्मृति में अनेक हैं, उनकी गणना की जाये तो पूरी विषयसूची तैयार हो जायेगी, इसलिए यहां उनका उल्लेख करना विस्तारभय से संभव नहीं है । मुख्य या स्वतन्त्र विषयों का विभाजन निम्न प्रकार किया जा सकता है —

मुख्यविषय का नामकरण	श्लोक सीमा
१. भूमिका	१ । १ से १ । ४ तक
२. सृष्ट्युत्पत्ति एवं धर्मोत्पत्ति	१ ।५ से २ । २५ तक (इस प्रकाशन में १ । ५ से १४४ तक)
३. संस्कार	२ । २६ से २ । ६८ तक (इसमें २ । १ से २ । ४२)
४. ब्रह्मचर्याश्रम	२ । ६९ से २ । २४९ तक (इसमें २ । ४५ से २ । २२४ तक)
५. गृहस्थान्तर्गत विवाह	३ । १ से ३ । ६६ तक
६. गृहस्थान्तर्गत पञ्चयज्ञविधान	३ । ६७ से ३ । २८६ तक
७. गृहस्थान्तर्गत वृत्तियां	४ । १ से ४ । १३ तक

८.	गृहस्थान्तर्गत स्नातकों के व्रत	४ । १४ से ४ । २६० तक
९.	गृहस्थान्तर्गत भक्ष्याभक्ष्य	५ । १ से ५ । ५६ तक
१०.	गृहस्थान्तर्गत शुद्धिविषय	५ । ५७ से ५ । १४६ तक
११.	गृहस्थान्तर्गत स्त्रीधर्म	५ । १४७ से ५ । १६९ तक
१२.	वानप्रस्थाश्रम	६ । १ से ६ । ३२ तक
१३.	संन्यासाश्रम	६ । ३३ से ६ । ९७ तक
१४.	राजधर्मान्तर्गत राजा की सिद्धि और कर्त्तव्य	७ । १ से ७ । २२६ तक
१५.	राजधर्मान्तर्गत १८ प्रकार के व्यवहारों=मुकद्दमों का निर्णय	८ । १-३ से ९ । २५० तक
१६.	राजधर्मान्तर्गत लोककण्टकों का निवारण	९ । २५१-२५२ से ९ । ३२५ तक
१७.	वैश्य-शूद्रों के कर्त्तव्य	९ । ३२६ से ९३६ तक
१८.	वर्णों के आपद्धर्म	१० । १ से १० । १३१ तक
१९.	प्रायश्चित्त-विधान	११ । ४४ से ११ । २६५ तक
२०.	कर्मफलविधान	१२ । १ से १२ । ८२ तक
२१.	कर्मफलविधानान्तर्गत नि:श्रेयस्कर कर्मों का वर्णन	१२ । ८३ से १२ । ११६ तक

हमने प्रचलित अध्यायों के विभाजन को रखते हुए इन मुख्य विषयों के शीर्षक तथा विषय की अवधि भी साथ-साथ दिखा दी है । इसके अतिरिक्त मनु के संकेतानुसार अवान्तर विषयों के भी शीर्षक दे दिये हैं । इससे विषय या प्रसंग के परिज्ञान में सरलता होगी ।

३. मनुस्मृति में वर्णों और आश्रम धर्मों के वर्णन की पद्धति —

मनुस्मृति में वर्णों और आश्रमों के धर्मों का छठे अध्याय की समाप्ति तक साथ-साथ वर्णन चलता है। विषयसंकेतक श्लोक के **'वर्णधर्मान्निबोधत** [१ । १४४ (२ । २५)] और उपसंहारात्मक **''एष वोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विध:''** [६ । ९७] पदों को पढ़कर यह जिज्ञासा होती है कि मनु से प्रश्न वर्णों और आश्रमों [१ । २] दोनों का किया था, फिर विषय-संकेतक श्लोकों में केवल वर्णधर्म की ही बात क्यों कही ? इसका समाधान मनु-शैली और अन्य श्लोकों से हो जाता है । उसे इस प्रकार समझना चाहिए —

(१) मनुस्मृति की यह शैली है कि उसमें आश्रमों के धर्म वर्णों के साथ-साथ चलते हैं । वर्णों के सुदीर्घ विषय के अन्तर्गत ही आकर वे छठे अध्याय में ब्राह्मण वर्ण के धर्मों के साथ-साथ ही समाप्त हो जाते हैं । और छठे अध्याय में आश्रमधर्मों की पूर्णता के साथ-साथ ब्राह्मण वर्ण के धर्म और व्यावहारिक कर्त्तव्य भी पूर्ण हो जाते हैं । छठे अध्याय तक के चारों आश्रमों के धर्म और व्यावहारिक कर्त्तव्य सभी द्विजों के लिए एक सदृश पालनीय हैं । जो विधान इन अध्यायों में कहे हैं, ब्राह्मण के यही धर्म-कर्म हैं [१ । ८८] ।

उसके पश्चात् शेष वर्णों के व्यावहारिक कर्त्तव्यों का कथन —'क्षत्रियों' के लिए सप्तम, अष्टम अध्याय और नवम के ३२५ वें श्लोक तक पूर्ण होता है । वैश्यों का ९ । ३२६ से ३३३ [६

संस्करण में १० । १ से १० । ८ तक] तथा शूद्र के कर्त्तव्यों का कथन ९ । ३३४-३३५ [इस संस्करण में १० । ९-१० तक] पूर्ण हो जाता है ।

(२) इस मध्य द्वितीय अध्याय में ब्रह्मचर्याश्रम, तृतीय से पञ्चम अध्यायों में गृहस्थाश्रम, षष्ठ में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम का वर्णन है । आश्रमधर्मों को वर्णधर्मविषय के अन्तर्गत मानकर उन-उन विषयों के प्रसंग-संकेतक श्लोकों तथा उपसंहारात्मक श्लोकों से उसका कथन भी किया है [२ । ४३ (२ । ६८), २ । २२४ (२ । २४९), ३ । २, ६७, २८६, ४ । १, २५९, ५ । १६९, ६ । १ ३३, ८७-६०] आदि ।

(३) इसी प्रकार इन अध्यायों में 'द्विज', 'विप्र', 'ब्राह्मण' शब्दों का स्थान-स्थान पर पर्यायवाचीरूप में प्रयोग है ।

(४) मनु ने संभवत : इसी शैली के अनुरूप १ । २ और १ । १३७ [२ । १८] में आश्रम के लिए पर्यायवाची रूप में 'अन्तरप्रभव' और 'सान्तराल' शब्दों का प्रयोग किया है, इसका अर्थ बनता है — **'वर्णानाम् अन्तरे प्रभव :=उत्पत्ति :-स्थिति : येषां ते अन्तरप्रभवा : = आश्रमा : ।'** इसी शैली के अनुरूप आश्रमों का वर्णधर्मों के अन्तर्गत ही कथन है । यही मनु की शैली है ।

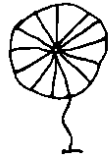

पंचम अध्याय

[महर्षि दयानन्द और मनुस्मृति तथा उनके द्वारा प्रक्षेपनिर्देशन]

१. महर्षि दयानन्द द्वारा मनुस्मृति का गौरव बढ़ाना —

यद्यपि मनुस्मृति को अपने रचना-काल से ही सर्वोत्कृष्ट और प्रामाणिक धर्मशास्त्र के रूप में मान्यता प्राप्त है; किन्तु आधुनिक काल में मनुस्मृति की न तो पूर्वसदृश प्रतिष्ठा ही रह गयी है और न पूर्ववत् अकाट्य प्रामाणिकता। प्रक्षेपों से विकृत और गदली हो जाने के कारण मनुस्मृति का गौरव विनष्ट हो रहा था। महर्षि-दयानन्द ने उस गौरव की रक्षा की और उसे बढ़ाया। सर्वप्रथम, मनुस्मृति के प्रक्षेपों से विकृत स्वरूप की ओर संकेत करके लोगों का यह दृष्टिकोण बदला कि 'उपलब्ध गदला रूप मनुस्मृति का वास्तविक रूप है' और यह भी बताया कि इसमें अनेक प्रक्षेप हुए हैं; प्रक्षेपों से रहित मनुस्मृति ही मान्य और अनुकरणीय है। फिर उसे आर्ष और प्रामाणिक घोषित किया तथा उसकी वेदानुकूलता की पुष्टि की। काशी-शास्त्रार्थ में महर्षि-दयानन्द ने कहा था —

"मनुस्मृत्यादीन्यपि वेदमूलानि सन्ति, तस्मात्तेषामपि प्रामाण्यमस्ति न तु वेदविरुद्धानां वेदाप्रसिद्धानां चेति।"

अर्थात् — मनुस्मृति आदि भी वेदमूलक हैं, इससे इनका भी प्रमाण है। क्योंकि जो-जो वेदविरुद्ध और वेदों से असिद्ध हैं, उनका प्रमाण नहीं होता।

(द. शा. सं. पृ. २१)

महर्षि-दयानन्द ने अपने ग्रन्थों में मनुस्मृति के ५१४ श्लोकों या श्लोक-खण्डों को प्रमाण रूप में उद्धृत किया है। एवं बहुत सारे श्लोकों के भावों को ग्रहण किया है। इससे ही यह सिद्ध होता है कि महर्षि-दयानन्द की मनुस्मृति के प्रति गहरी निष्ठा थी और वे उसे प्रामाणिक आर्ष ग्रन्थ मानते थे। इतने अधिक प्रमाण उद्धृत करके उन्होंने यह संकेत कर दिया कि धर्मप्रमाण में मनुस्मृति का महत्त्वपूर्ण स्थान है और उसे छोड़ा नहीं जा सकता। महर्षि ने वेदों के बाद यदि किसी शास्त्र के सर्वाधिक प्रमाण दिए हैं, तो वह मनुस्मृति ही है। महर्षि ने अपनी समस्त वैदिक मान्यताओं की व्याख्या मनुस्मृति के श्लोकों से की है। मनुस्मृति के सम्बन्ध में जो मिथ्या भ्रान्तियाँ फैल चुकी थीं, महर्षि ने उन सबका उत्तर वेद के प्रमाणों से दिया और मनुस्मृति का परिमार्जित तथा उज्ज्वल स्वरूप हमारे समक्ष रखा। इस शास्त्र से महर्षि की तथा महर्षि से इस शास्त्र की प्रतिष्ठा चहुँ ओर फैल गई। असंख्य मत-मतान्तरों के प्रबल झंझावात के घोर अन्धकार तथा वेग के सामने अविचल तथा निर्भय रहने का महर्षि को जहां अदम्य साहस परमेश्वर की उपासना से, ज्ञान की ज्योति वेद-ज्ञान से, तथा तर्कशक्ति दर्शनों के गहन अध्यायन से मिली थी, वहां महर्षि के मनोबल को बढ़ाने वाला यह धर्मशास्त्र ही था। महर्षि जो वैदिक-वाङ्मय का मन्थन कर सके, तदर्थ कुशाग्रबुद्धि तथा तर्कणा शक्ति को देने वाला यही परमोपयोगी धर्मोपदेश था। अन्य मतों की धज्जियाँ उड़ाने तथा अन्धविश्वास का समूल उन्मूलन करने का धैर्य **'यस्तर्केणानुसन्धत्ते स धर्मो वेद नेतरः'** (मनु. १२।१०६) इत्यादि मनु के सत्य-वचनों ही से प्राप्त हुआ था। महर्षि ने जो ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्य के विषय में 'वेदानुकूल को प्रामाणिक तथा वेद-प्रतिकूल को अप्रामाणिक' मानने की मान्यता प्रस्तुत की है, इसका भी मूलाधार मनुस्मृति ही है। महर्षि ने काशी शास्त्रार्थ में सत्य ही कहा था — "जो-जो मनु ने कहा है, सो-सो औषधों का औषध है।"

महर्षि-दयानन्द द्वारा अत्यधिक प्रमाणों को उद्धृत-गृहीत किये जाने पर, धर्म-निर्णय के सन्दर्भ में मनुस्मृति की चर्चा पुन : बढ़ी और सभी वर्गों के लोगों का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट हुआ । इस प्रकार महर्षि-दयानन्द ने आधुनिक युग में मनुस्मृति के गौरव को पुनरुज्जीवित किया है ।

महर्षि दयानन्द ने मनुस्मृति की वैदिक मान्यताओं को ही नहीं स्वीकार किया, प्रत्युत मनु की वर्णन-शैली को भी उपादेय समझकर ग्रहण किया है । मनु की यह शैली है कि वे किसी भी विषय का वर्णन करने से पूर्व तथा अन्त में भी निर्देश अवश्य करते हैं । महर्षि ने भी सत्यार्थप्रकाशादि में इस शैली को अपनाकर आदि तथा अन्त में विषयों का निर्देश किया है । इसी प्रकार, जैसे मनु ने प्रथम ब्रह्मचर्य, गृहस्थादि के धर्मों का वर्णन क्रमश : किया है, वैसे ही महर्षि ने सत्यार्थप्रकाश में प्रथम ब्रह्मचर्यआश्रम के नियमों शिक्षणविधि तथा पठन-पाठन, गृहस्थ आदि का वर्णन किया है ।

२. महर्षि के अर्थ एवं भावों का ग्रहण —

महर्षि ने वेदानुकूल मान्यताओं को परखा और उन्हें प्रस्तुत किया । उनकी पुष्टि के लिए उन्होंने अपने ग्रन्थों में मनुस्मृति के लगभग ५१४ श्लोकों या श्लोकखण्डों को उद्धृत किया है। अनेक श्लोकों के केवल भाव ग्रहण किये हैं । अपने ग्रन्थों में महर्षि ने मनुस्मृति के जिस-जिस श्लोक का भाष्य किया है, उस श्लोक पर महर्षि का भाष्य देदिया गया है, शेष श्लोकों पर मेरा भाष्य है । जहां महर्षि का भाव मिला वहां मैंने अपने भाष्य के नीचे उनका भाव भी दे दिया है, ताकि एक ऋषि की मान्यता को ऋषि के भाव से, अधिक गाम्भीर्य पूर्वक समझा जा सके । एक ऋषिकृत ग्रन्थ पर ऋषि का भाष्य हो जाने से 'सोने में सुगन्ध' वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है और उसका महत्त्व भी कई गुणा बढ़ जाता है ।

महर्षि के श्लोकों के अर्थ में वैशिष्ट्य है, और गाम्भीर्य है । उन्होंने मनु की मूल भावना को समझा है । इस प्रसंग में एक प्रमाण देना पर्याप्त होगा । मनु का निम्न श्लोक जितना प्रसिद्ध है, उसका अर्थ उतना ही अव्यावहारिक रूप में प्रसिद्ध है —

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता : ।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला : क्रिया : ।।
(३ । ५६)

यहां सभी टीकाकारों ने यह अर्थ किया है — 'जहां नारियों की पूजा होती है, वहां देवता रमण करते हैं ।' इस प्रकार अदृश्य देवताओं की कल्पना की गयी है । इस कल्पना से इसका अर्थ अविश्वसनीय, अव्यावहारिक, असंगत एवं हास्यास्पद बन गया । किन्तु महर्षि ने 'देवता :' का निरुक्त शास्त्र के आधार पर अर्थ ग्रहण करते हुए कहा है कि **'जिस घर में नारियों की पूजा अर्थात् सत्कार होता है, वहां देवता अर्थात् दिव्यगुण, दिव्य लाभ, दिव्यसन्तानें, दिव्यभोग आदि प्राप्त होते हैं ।** यह प्रत्यक्ष देखा भी जाता है कि जिस घर में नारियां सत्कृत और प्रसन्न रहती हैं, उस घर का वातावरण अनेक सुखों से भरा-पूरा होता है । कितना व्यावहारिक और प्रासंगिक अर्थ है ! (विस्तृत विवेचन भाष्य में यथास्थान देखिए) ।

इस भाष्य में, श्लोकों पर महर्षि दयानन्द के ३४२ अर्थ उद्धृत किये हैं और ८० श्लोकों पर केवल भाव उद्धृत किया है । इस प्रकार ४२२ श्लोकों पर ऋषि के अर्थ और भाव हैं । महर्षि के जो अर्थ या भाव आंशरश : उद्धृत किये हैं, उन पर उद्धरणचिह्न अंकित हैं । अर्थों में श्लोकों के मूल पद महर्षि के नहीं हैं, अपितु पदार्थ सुविधा और भाष्य की एकरूपता के लिए लेखक की ओर से संयुक्त किये

हैं। महर्षि के अर्थ या भाव में यदि कोई बृहत्कोष्ठक में शब्द है तो वह भी लेखक की ओर से ही रखा गया है, महर्षि का नहीं है।

महर्षि के अर्थों की अक्षुण्णता बनी रहे, इसका भी ध्यान रखा गया है। अपने ग्रन्थों में श्लोकों का अर्थ या भाव देते समय यदि महर्षि ने किसी पद को छोड़ा हुआ है, तो इस भाष्य में उस स्थान पर टिप्पणी के चिह्न देकर उनके अर्थ के ठीक बाद वह पद देकर मैंने उसका अर्थ कर दिया है। पाठक भाष्य पढ़ते समय उसे उस स्थान पर संयुक्त करके अर्थ को समझ लें।

३. सर्वप्रथम प्रक्षेप-निर्देशक —

यह श्रेय भी सर्वप्रथम महर्षि-दयानन्द को ही जाता है कि उन्होंने प्राचीन ग्रन्थों में हुए प्रक्षेपों को पहचाना और उनका संकेत दिया। यों तो मेधातिथि, कुल्लूकभट्ट आदि ने भी पाठभेद के रूप में प्राप्त श्लोकों को प्रक्षिप्तरूप में दर्शाया है, किन्तु निहित स्वार्थी प्रवृत्तियों से हुए प्रक्षेपों की ओर सबसे पहले महर्षि-दयानन्द ने ही ध्यान आकृष्ट किया और इस दृष्टि से कुछ प्रक्षिप्त श्लोकों को पृथक् उद्धृत भी किया तथा प्रक्षिप्त श्लोकों को निकालने की प्रेरणा भी दी। मनुस्मृति में हुए प्रक्षेपों के बारे में उन्होंने अपने उपदेशों व ग्रन्थों में अनेक स्थानों पर उल्लेख किये हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं —

(क) "अब मनु जी का धर्मशास्त्र कौन-सी स्थिति में है, इसका विचार करना चाहिए। जैसे ग्वाले लोग दूध में पानी डालकर उस दूध को बढ़ाते हैं और मोल लेने वालों को फंसाते हैं, उसी प्रकार मानवधर्मशास्त्र की अवस्था हुई है। उसमें बहुत-से दुष्ट क्षेपक श्लोक हैं, वे वस्तुत: भगवान मनु के नहीं हैं।"

(पू. प्र. पृ. ९१)

(ख) "एक दिन स्वामी जी यह उपदेश दे रहे थे कि वर्णभेद गुण पर निर्भर है, न कि जन्म पर; और अपने कथन की पुष्टि में मनुस्मृति के कुछ श्लोक पढ़ रहे थे. इस पर एक मनुष्य ने कहा कि मनुस्मृति में अन्य श्लोक इसके विरुद्ध भी हैं। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि वे प्रक्षिप्त हैं।"

(द. जी. दे. पृ. ३५७)

कुछ प्रक्षिप्त श्लोकों का स्वग्रन्थों में निर्देश —

(ग) सत्यार्थप्रकाश में निम्न श्लोकों की प्रक्षिप्त रूप में समीक्षा की है —

१. **प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसम् . . . . . ।।(५ । २७ ।।)**

अर्थ —यज्ञ में प्रोक्षण से शुद्ध किए मांस को खावे।।

२. **न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने ।**
प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ।।(५ । ५६ ।।)

(पृ. २८३, एकादश समु.)

अर्थ — मांस के खाने, शराब-पीने और शास्त्रविरुद्ध मैथुन (व्यभिचार) में कोई दोष नहीं है। ये सब प्राणियों की स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ हैं। इनसे निवृत्त होना अत्यन्त लाभप्रद है।

३. **पुराणानि खिलानि च ।। ३ । २३२ ।।(स. प्र. पृ. ३२६)**

(घ) "ब्राह्मण लोगों में विद्या की कमी होती गई और अभिमान बढ़ता गया। . . . . . जब देखा कि हमारा मन्त्र चल गया और सब लोग हमारी आज्ञा को मानते हैं; तब उन्होंने अनेक प्रकार के व्रत, उपवास, उद्यापन, श्राद्ध और मूर्तिपूजन आदि वेदविरुद्ध कर्मों में लोगों को चलाना प्रारम्भ कर दिया, जिससे अनायास अपनी आजीविका चल सके। सर्वसाधारण, ब्राह्मणों से विमुख न हो जावें, इसलिए ऐसे-ऐसे श्लोक गढ़े गए —

अविद्वांश्चैव विद्वांश्च ब्राह्मणं दैवतं महत् ।
प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाग्निर्दैवतं महत् ।।(९ । ३१७ ।।)

अर्थ — ब्राह्मण चाहे विद्वान् हो अथवा मूर्ख, बड़ा देवता है । जैसे अग्नि हवन के लिए हो अथवा न हो, फिर भी बड़ा देवता है ।

श्मशाने चापि तेजस्वी पावको नैव दुष्यति ।
हूयमानश्च यज्ञेषु भूय एवाभिवर्धते ।।(९ । ३१८ ।।)

अर्थ —तेजस्वी अग्नि का तेज श्मशानों में भी नष्ट नहीं होता है और यज्ञों में हवि को प्राप्त करके तो वह अग्नि अधिक बढ़ जाता है ।

अग्नि के दृष्टान्त से प्रकट किया है कि ब्राह्मण चाहे विद्वान् हो या मूर्ख, वह साक्षात् देवता है । प्राचीन ग्रंथों में इस प्रकार के बनावटी श्लोक डालकर और नवीन रचनायें करके ब्राह्मणों ने अपनी शक्ति बढ़ाई और मन्वादि स्मृतियों में भी अपने महत्त्व के वाक्य मिला दिए । यथा —

एवं यद्यप्यनिष्टेषु वर्त्तन्ते सर्वकर्मसु ।
सर्वथा ब्राह्मणा : पूज्या : परमं दैवतं हि तत् ।।(९ । ३१९ ।।)

(पू. प्र. पृ. १३४)

अर्थ —इस प्रकार चाहे ब्राह्मण कैसे भी अनिष्ट कर्मों में रत रहें, फिर भी वे सब प्रकार से पूज्य हैं । क्योंकि वह बड़ा देवता है ।

(ङ) "मनुस्मृति के प्रक्षिप्त श्लोक और उससे पृथक् स्मृति ग्रन्थ (अपठनीय हैं)" ।

(ऋ. भू. ग्रन्थप्रामाण्य.)

उपर्युक्त घोषणा, विद्वान्, आर्षभक्त तथा मत-मतान्तरों के जाल से विमुक्त, स्वार्थहीन, निष्पक्ष महर्षि-दयानन्द ही कर सके हैं, जिन्होंने वेद-ज्ञान के सूर्यसम प्रकाश में सत्यासत्य का निर्णय कर लिया था । और सत्यासत्य के निर्णय का माप -दण्ड भी हमारे लिए स्पष्ट किया । महर्षि दयानन्द ने प्राचीन शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर बहुत ही स्पष्ट लिखा है कि —

तदप्रामाण्यमनृतव्याघातपुनरुक्तदोषेभ्य : ।।(न्यायदर्शन २ । ५७ ।।)

अर्थात् —वह प्रमाण के योग्य नहीं होता, जिसमें मिथ्या बातों का वर्णन, परस्पर विरोधी तथा पुनरुक्त बातों का वर्णन हो ।

ये उद्धरण इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि महर्षि-दयानन्द ने मनुस्मृति के बिगड़े हुए रूप को पहचाना था और उसके सुधार के लिए सर्वप्रथम प्रयास किये थे । इस प्रकार साहित्य के अन्दर होने वाले प्रक्षेपों का निर्देश देने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति महर्षि-दयानन्द थे । उनकी इस अभूतपूर्व महत्त्वपूर्ण देन के लिए साहित्य-क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कृतज्ञता अनुभव करनी चाहिए ।

४. महर्षि-दयानन्द द्वारा उद्धृत श्लोकों का प्रक्षेपान्तर्गमन —

महर्षि-दयानन्द द्वारा स्वग्रन्थों में की गई प्रेरणाओं से प्रेरित होकर ही मनुस्मृति के प्रक्षेपों को दूर करने का यह प्रयास किया जा रहा है । यह कहना चाहिए कि महर्षि-दयानन्द के उद्देश्य की पूर्ति करना ही इस कार्य का लक्ष्य है । इससे पूर्व भी आर्यसमाज के कुछ विद्वानों ने मनुस्मृति के प्रक्षेप निकालने के प्रयास किये हैं, किन्तु उनमें कुछ सुनिश्चित आधार न अपनाने के कारण भ्रान्तियाँ एवं दोष रह गये हैं । कुछ एक ने तो महर्षि-दयानन्द द्वारा उद्धृत सम्पूर्ण प्रसंगों को ही प्रक्षिप्त घोषित कर दिया है । बिना किसी आधार के इस प्रकार करना दुस्साहस मात्र कहा जायेगा । कुछ विद्वानों ने

प्रक्षिप्त कोटि में आने वाले विभिन्न श्लोकों को भी मौलिक मानलिया है, जिन्हें हमने सप्रमाण प्रक्षिप्त सिद्ध किया है । हमने जो आधार अपनाये हैं, प्रसंगानुसार उनकी एक बार पुन : चर्चा कर देना उपयुक्त रहेगा । वे ये हैं —

१. विषय-विरोध
२. प्रसंग-विरोध
३. अन्तर्विरोध
४. पुनरुक्तियाँ
५. शैली-विरोध
६. अवान्तर-विरोध
७. वेद-विरोध

इस कार्य को करते हुए हमारे सामने भी एक विवशता उत्पन्न हो आई है । उसे स्पष्ट कर देना हम स्वयं आवश्यक समझते हैं । वह यह कि प्रक्षेपों को निकालने को लिए जो 'आधार' हमने निर्धारित किये हैं, उनमें महर्षि दयानन्द द्वारा उद्धृत कुछ श्लोक भी आ गये हैं । महर्षि दयानन्द द्वारा उद्धृत श्लोक कैसे प्रक्षेपान्तर्गत आये है, अथवा उन्हें प्रक्षिप्त क्यों स्वीकार किया जा रहा है तथा उन्हें मान लेने पर क्या उलझन पैदा हो जायेगी, इन बातों का स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है —

१ — मनुस्मृति के प्रक्षेपों को निकालने के इस उलझनपूर्ण और महाकठिन कार्य को पूर्ण करने के लिए हमने जो उपर्युक्त 'आधार' या 'मानदण्ड' निर्धारित किये हैं, वे विशुद्ध रूप से कृतित्व पर आधारित हैं, और वे सर्वमान्य हैं । इस अनुसन्धान कार्य को करते हुए किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं अपनाया है । यह प्रयत्न किया गया कि कृति की शैली के अनुसार ही उसका वास्तविक रूप प्रकाश में आये और यह कार्य सभी वर्ग के व्यक्तियों में समानरूप से मान्य हो सके । यदि ऐसा नहीं हो पाया तो इस कार्य की न तो कोई विशेष उपयोगिता ही सिद्ध होगी और न ही यह न्यायोचित ही होगा । इसलिए पक्षपातरहित होकर हमें यह कार्य करना पड़ा । महर्षि दयानन्द ने भी पक्षपातरहित को ही धर्म माना है । हमने उनकी इस बात को मानते हुए पक्षपातरहितता दिखाई है । उपर्युक्त आधारों की सीमा में आने वाले महर्षि दयानन्द द्वारा उद्धृत कुछ श्लोकों को हमने इस कारण प्रक्षिप्त कोटे में रखा है कि यदि कुछ श्लोकों को इन नियमों से मुक्त कर दिया जाये तो फिर ये 'आधार' ही व्यर्थ सिद्ध होंगें और आधाररहित रूप में किया गया कार्य कभी प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता ।

२ —महर्षि दयानन्द द्वारा उद्धृत जितने श्लोक प्रक्षेपान्तर्गत आये हैं उनका मनुस्मृति की किसी मान्यता से विरोध नहीं है.अपितु वे प्रकरणविरोध के आधार पर प्रक्षिप्त कोटि में आते हैं । इसे महर्षि की त्रुटि नहीं कहा जा सकता और न ही इस बात पर कोई आपत्ति की जा सकती है ; क्योंकि, एक तो महर्षि ने स्वतन्त्ररूप से मनुस्मृति के प्रक्षेप निकालने का कार्य नहीं किया और दूसरी बात यह है कि मनुस्मृति के उद्धरण लेते समय,प्रकरण.इस दृष्टि से उनके विचार का विषय नहीं रहा । महर्षि स्वयं मनुस्मृति में अनेक प्रक्षेपों का होना मानते हैं । इसी अध्याय में इस विषय में उनकी सम्मतियां उद्धृत की जा चुकी हैं । इसी कारण उन्होंने अपने ग्रन्थों में मनुस्मृति केश्लोकों के साथ यह शैली अपनायी है कि —उद्धृत श्लोकों के साथ अध्याय और संख्या का उल्लेख नहीं किया । इस प्रकार हमारा यह कार्य उनके विरुद्ध नहीं जाता ।

३ — प्रक्षेपों के अन्तर्गत आने वाले महर्षि के कुछ श्लोक ऐसे हैं जो प्रसंग की दृष्टि से अपने पूर्व श्लोकों से सम्बद्ध हैं और वे पूर्व के आधारभूत श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं, अत : उनके साथ सम्बद्ध

होने के कारण महर्षि द्वारा उद्धृत श्लोक भी प्रक्षेपान्तर्गत आ जाते हैं।

महर्षि दयानन्द द्वारा उद्धृत जो श्लोक प्रक्षेपान्तर्गत आये हैं, वे श्लोक तथा उनके प्रक्षेपान्तर्गमन के कारण या आधार निम्न हैं —

१. आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः।
ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥(१।१०॥)

(उद्धृत —स. प्र. पृ. १९)

अर्थ —'अप्' तत्त्व का नाम नारा है, और अप् तत्त्व परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। वे अप् तत्त्व परमात्मा के अयन = निवासस्थान हैं अर्थात् परमात्मा उनमें व्यापक है, अतः परमात्मा का नाम 'नारायण' है॥

आधार —महर्षि द्वारा उद्धृत इस श्लोक का स्वतन्त्र रूप से किसी मान्यता से विरोध नहीं है, किन्तु जिस पूर्वापर प्रसंग से यह सम्बद्ध है, वह प्रसंग अनेक 'आधारों' के आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होता है अतः, उससे जुड़ा होने के कारण यह श्लोक भी प्रक्षेपान्तर्गत आ जाता है। वह प्रसंग निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है —(१) मनुस्मृति में जगत् की उत्पत्ति 'महत्' आदि तत्त्वों के द्वारा सूक्ष्म से स्थूल, स्थूलतर और स्थूलतम के क्रम से मानी है [१।१४-२४]। ७-१३ श्लोकों के इस प्रसंग में अपने शरीर से प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से 'अपः' की सृष्टि, उनसे अण्डे का निर्माण [८-९], अण्डे से ब्रह्मा की उत्पत्ति [९, ११], फिर अण्डे के दो टुकड़े करके द्युलोक, भूमिलोक आदि का निर्माण [१२-१३] आदि जगदुत्पत्ति की प्रक्रिया उक्त मान्यता के विरुद्ध है। (२) ७—१३ श्लोकों का यह प्रसंग प्रसंगविरुद्ध भी है, यतो हि १४-१८ श्लोकों में अभी सूक्ष्मतत्त्वों की उत्पत्ति कही जा रही है। उनकी उत्पत्ति के पश्चात् ही स्थूल सृष्टि की उत्पत्ति संभव है। किन्तु इस प्रसंग में सूक्ष्मतत्त्वों की उत्पत्ति कहने से पूर्व ही स्थूलसृष्टि — समुद्र, द्युलोक, पृथिवीलोक [१३] और अण्डाकाररूप ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति प्रदर्शित कर दी। यह क्रमविरुद्ध वर्णन इसे प्रसंगविरोधी प्रक्षेप सिद्ध करता है। (३) यह प्रसंग इस प्रकार भी प्रसंगविरुद्ध सिद्ध होता है कि इस प्रसंग के १३ वें श्लोक की १४ वें से संगति नहीं जुड़ती। १३ वें में लोकों की रचना का वर्णन है, जबकि १४ से प्रकृति से 'महत्' आदि की उत्पत्ति का वर्णन प्रारम्भ किया है। १४ वें के भाषा-प्रयोग को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह श्लोक छटे से सम्बद्ध है। क्योंकि छठे श्लोक में जगदुत्पत्ति के रूप में ही परमात्मा की प्रकटता दिखलाते हुए 'तमोनुदः' 'महाभूतादि वृत्तौजाः' विशेषण पठित है। इससे यह संकेत मिलता है कि इसके बाद प्रकृति से 'महत्' 'पञ्चभूत' आदि महाभूतों की उत्पत्ति प्रदर्शित करना ही रचयिता को अभीष्ट है। अण्डे आदि की उत्पत्ति दर्शाना अभीष्ट नहीं है (जैसा कि ९—१३ श्लोकों में वर्णित है), और वह उत्पत्ति १४ वें श्लोक से प्रदर्शित है, अतः छठे से १४वां श्लोक सम्बद्ध है। इस प्रकार बीच का यह ७—१३ श्लोकों का प्रसंग प्रसंगविरोधी सिद्ध होता है।

प्रकरण-विरोध — इस श्लोक का प्रकरणविरोध सिद्ध होता है, यतो हि इसमें 'नारायण' शब्द की व्युत्पत्ति दर्शायी गई है। यहां पूर्वापर प्रसंग में 'नारायण' शब्द की कोई चर्चा नहीं है। यहां पूर्वापर प्रसंग सृष्टि-तत्त्वों की उत्पत्ति का है। उसके बीच में किसी नाम की व्युत्पत्ति दर्शाना प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता। यदि यह कहा जाये कि ८ वें श्लोक में 'आपः' शब्द आया था उसके प्रसंग से नारायण शब्द की उत्पत्ति दर्शा दी, तो इसका स्पष्ट-सा उत्तर यह है कि मनु की इस प्रकार की शैली नहीं है। यदि ऐसी शैली होती तो वे श्लोक में पठित 'स्वयंभूः' 'भगवान्' आदि नामों और विशेषणों की व्युत्पत्ति भी दर्शाते।

२. मरीचिमत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम् ।
प्रचेतसं वसिष्ठं च भृगुं नारदमेव च ।।(१ । ३५ ।।)
३. एते मनूंस्तु सप्तान्यानसृजन्भूरितेजसः ।
देवान्देवनिकायांश्च महर्षींश्चामितौजसः ।।(१ । ३६ ।।)

(उद्धृत —पूनाप्रवचन पृ. ९४)

अर्थ — मनु ने जिन दश प्रजापति महर्षियों को उत्पन्न किया, उनके नाम इस प्रकार है —मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेतस, वसिष्ठ, भृगु और नारद । (१ । ३५) ।। इन महर्षियों ने सात दूसरे बहुत तेजस्वी मनुओं को उत्पन्न किया और देव, देवसमूह तथा अपरिमित शक्तिसम्पन्न महर्षियों को उत्पन्न किया । (१ । ३६)

प्रकरण-विरोध — (१) सृष्टि-उत्पत्ति का वर्णन १४ –२२ श्लोकों में वर्णित हो चुका । उसके पश्चात् २५ —३० श्लोकों में उत्पन्न प्रजाओं के कर्मों की व्यवस्था का भी वर्णन किया जा चुका है । इससे यह स्पष्ट होता है कि सृष्टि-उत्पत्ति का प्रसंग १४ –२२ श्लोकों में ही पूर्ण हो चुका । प्रसंग के पूर्ण होने के बाद पुनः भिन्न पद्धति से उसी सृष्टि-उत्पत्ति के प्रसंग को प्रारम्भ करना प्रसंगविरुद्ध है । ३२-४१ श्लोकों में पुनः सृष्टिरचना का वर्णन है, ये श्लोक भी उसके अन्तर्गत हैं और उन्हीं से सम्बद्ध हैं, अतः प्रक्षेपान्तर्गत कहे जायेंगे ।

ये श्लोक इस प्रकार भी प्रक्षेपान्तर्गत आते हैं कि ये ३३ –३४ श्लोकों से सम्बद्ध हैं । (१) ३३ –३४ श्लोकों में ब्रह्मा के आधे शरीर से पुरुष की उत्पत्ति, आधे से स्त्री की, और उसमें विराट् की उत्पत्ति, विराट् से मनु और मनु से अन्य मनुओं की उत्पत्ति प्रदर्शित है । ये श्लोक १ । १६, १९, २३, २६ –३१ के विरुद्ध हैं, इन श्लोकों में एक साथ अनेक प्राणियों की उत्पत्ति का होना प्रदर्शित है, ब्रह्मा के वंश से नहीं । (२) और फिर जब उक्त श्लोकों में सभी प्राणियों की उत्पत्ति दिखा ही दी है तो यहां फिर प्राणियों की उत्पत्ति दर्शाना स्वतः प्रसंगविरुद्ध है । (३) ३२-४१ श्लोकों के इस प्रसंग में महर्षियों से चर-अचर, स्थावर-जंगम जगत् की उत्पत्ति कहना प्रकृतिविरुद्ध भी है । इस प्रकार इन श्लोकों का यह प्रसंग प्रक्षिप्त है और ये श्लोक पूर्वापर रूप से इस प्रसंग से सम्बद्ध हैं ये भी प्रक्षेपान्तर्गत आ जाते हैं ।

४. निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः ।।(२ । १६)

(सं. वि. पृ. २७)

महर्षि ने इस श्लोक की यह एक ही पंक्ति उद्धृत की है । अग्रिमपंक्ति में सिद्धान्त विरोध आने से उन्हें वह ग्राह्य नहीं थी । यहां महर्षि को केवल यह दिखलाना ही अभीष्ट है कि संस्कार, निषेक से अन्त्येष्टि पर्यन्त, सोलह होते हैं । मनुस्मृति में यह श्लोक पूर्वापर धर्ममूलवर्णन के प्रसंग के विरुद्ध है । यहां शास्त्राधिकार का प्रसंग नहीं है और न सोलह संस्कारों का । इसमें मनुस्मृति को 'शास्त्र' संज्ञा से अभिहित करना भी इसे शैली की दृष्टि से परवर्ती सिद्ध करता है (द्र. शैलीगत आधार मनु. का पुन. द्वितीय अध्याय में) ।

५. वसून् वदन्ति तु पितॄन् रुद्रांश्चैव पितामहान् ।
प्रपितामहांस्तथादित्यांश्रुतिरेषा सनातनी ।।(३ । २८४ ।।)

(उद्धृत —पञ्चमहायज्ञविधि)

अर्थ —वसुओं को पितर, रुद्रों को पितामह और आदित्यों को प्रपितामह कहते हैं । यह प्राचीनकाल से सुनते आए हैं ।

प्रकरण-विरुद्ध —(१) ११६ –११८ श्लोकों में गृहस्थी के लिए अतिथि को खिलाकर खाने का विधान है,या फिर यज्ञशेष अन्न खाने का विधान है । २८५ वें श्लोक में 'यज्ञशेष' अन्न का लक्षण वर्णित है । यह कहना चाहिए कि ११६-११७ श्लोकों के ११८ और २८५ श्लोक अर्थवादरूप हैं, या दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि ११८ वें श्लोक की वाक्यपूर्ति २८५ वें में होती है । बीच के श्लोकों ने उस वाक्यक्रम को भंग कर दिया है, अत: ये श्लोक प्रसंगविरुद्ध हैं ।

(२) इस श्लोक में मनु से विरुद्ध कोई मान्यता नहीं है, किन्तु यह श्लोक जिस पूर्व वर्णन से प्रसंग की दृष्टि से सम्बद्ध है,वह १२२ से २८३ श्लोकों का वर्णन मृतकश्राद्ध का विधायक है । यह प्रसंग अनेक 'आधारों' के आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होता है । उस प्रकरण से जुड़ा होने के कारण यह श्लोक भी प्रक्षेपान्तर्गत आ जाता है ।

६. **दशसूनासमं चक्रं दशचक्रसमो ध्वज: ।**
दशध्वजसमो वेशो दशवेशसमो नृप: ।।[४ । ८५ ।।]

(उद्धृत — सं वि. १५१)

अर्थ —दस कसाइयों के समान एक तेली, दस तेलियों के समान एक कलार, दस कलारों के समान एक वेश्याजीवी और दस वेश्याजीवियों के समान एक राजा होता है ।

आधार — यह श्लोक प्रसंग की दृष्टि से ८४ वें श्लोक से सम्बद्ध है । ८४ वें श्लोक में यह अक्षत्रिय से उत्पन्न राजा कसाई, तेली, कलार एवं भेष बदलकर जीविका करने वाला, इनसे दान न लेने का विधान है । ८५ वें में उनकी तुलनात्मक शैली में निन्दा है । ८४ वें श्लोक में जन्मना वर्ण-व्यवस्था की मान्यता प्रदर्शित की है,जो मनु की कर्मणा वर्णव्यवस्था [१ । ८७–९१ ; २ । ६८ (४३), १२६ (१०१) १४६ –१४८ (१२१ –१२३) : ४ । २४५] की मान्यता के विरुद्ध है । ८४ वां श्लोक इस आधार पर प्रक्षिप्त है । उसके साथ जुड़ा होने के कारण ८५ वां श्लोक भी प्रक्षिप्त कहा जायेगा ।

७. **गुरो: प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन् ।**
प्रेतहारै: समं तत्र दशरात्रेण शुद्ध्यति ।।[५ । ६५ ।।]

(उद्धृत —स. प्र. ३० पत्रविज्ञा. १०१)

अर्थ — मृत गुरु के पितृमेध (अन्त्येष्टि) को करने वाला शिष्य मृतशरीर को उठाने वालों के साथ दश रात-दिन में शुद्ध होता है ।।

प्रकरणविरुद्ध —५ । ५७ वें श्लोक में मनु ने देहशुद्धि और द्रव्यों की शुद्धि के विषय को कहने का कथन किया है । भूमिका रूप में शुद्धिकारक पदार्थों का वर्णन १०५ –१०७ श्लोकों में वर्णित है उसके बाद १०९ वें में शरीर-शुद्धि का उपाय विहित है । इस प्रकार प्रसंगक्रम की दृष्टि से ५७ के बाद उसकी भूमिकारूप १०५ –१०७ श्लोक होने चाहियें । बीच के ५८ से १०४ श्लोकों ने उस क्रम को भंग करके सपिण्ड-असपिण्ड भेदों से मृतकशुद्धि तथा सूतकशुद्धि का वर्णन किया है । शुद्धिकारक पदार्थों के कथन से पूर्व ही शुद्धि के उपायों का वर्णन करना प्रसंगक्रम की दृष्टि से असंगत है, अत: बीच के ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं । इनके अन्तर्गत आने से यह श्लोक भी प्रक्षिप्त कहलायेगा ।

८ **उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तौ पादौ च पञ्चमम् ।**
चक्षुर्नासा च कर्णौ च धनं देहस्तथैव च ।।[८ । १२५ ।।]

(स. प्र. १८१ पृ. स उद्धृत)

अर्थ — मनु ने दण्ड के दस स्थान बताये हैं — जननेन्द्रिय, पेट, जीभ, दोनों हाथ, दोनों पैर, आँख, नाक, दोनों कान, धन और शरीर ।

प्रकरणविरुद्ध —(१) यहां पूर्वापर प्रसंग ८ । १२२ और १२६ –१३१ श्लोकों में अर्थदण्ड का चल रहा है । बीच में शरीरदण्डों का कथन करना पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध है । (२) १२४ वां श्लोक वर्णन-शैली के आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होता है । उसमें प्रयोग — "**दश स्थानानि दण्डस्य मनु : स्वायम्भुवोऽब्रवीत्**" । स्पष्ट है कि इस श्लोक का प्रवक्ता स्वयं मनु नहीं है, कोई अन्य व्यक्ति है । अत : इस आधार पर यह श्लोक भी प्रक्षिप्त है । १२५ वां श्लोक प्रसंग की दृष्टि से १२४ वें से सम्बद्ध है । उसका अर्थवाद है । अत : उसके प्रक्षिप्त होने पर १२५ वां स्वत : प्रक्षिप्त कहलायेगा ।

९. **अहन्यहन्यवेक्षेत कर्मान्तान्वाहनानि च ।**
आयव्ययौ च नियतावाकरान्कोशमेव च ।।(८ । ४१९ ।।)

१०. **एवं सर्वानिमान् राजा व्यवहारान् समापयन् ।**
व्यपोह्य किल्बिषं सर्वं प्राप्नोति परमांगतिम् ।।(८ । ४२० ।।)

(उद्धृत —स. प्र. पृ. १७५)

अर्थ — राजा प्रतिदिन राज-कार्यों, हाथी आदि सवारियों, आय-व्यय के लेखों, खानों और खजानों का निरीक्षण करे । (८ । ४१९)

इस प्रकार राजा इन सब विवादों को समाप्त कराता हुआ सब प्रकार के दोषों (पापों) को दूर कर देता है और उत्तम गति को प्राप्त करता है । (८ । ४२०)

प्रकरणविरुद्ध — ८ । ३ श्लोक से अठारह प्रकार के व्यवहारों (मुकद्दमों) का वर्णन शुरू हुआ था, जो ९ । २५० में समाप्त होता है । आठवें अध्याय के अन्त में केवल पन्द्रह व्यवहार ही समाप्त हो पाये हैं, और व्यवहारों के समाप्ति-सूचक ये श्लोक सभी व्यवहारों की समाप्ति का संकेत देकर उसका फलकथन कर रहें हैं । प्रसंग या विषय समाप्त होने से पूर्व ही उसकी समाप्ति का संकेत करना कभी मौलिक रूप से नहीं हो सकता, अत : ये प्रसंगविरुद्ध और अशुद्ध हैं । अठारह व्यवहारों का समाप्तिसूचक मौलिक श्लोक ९ । २५० वां यथास्थान उपलब्ध है । ये अध्यायों की समाप्ति पर समाप्ति या उपसंहार-सूचक श्लोकों की एकरूपता बनाये रखने के लिए प्रक्षेप किये प्रतीत होते हैं । यहां विषय समाप्त न होने के कारण अध्यायकार को कोई समाप्तिसूचक श्लोक नहीं दिखाई पड़ा, अत : उसने स्वयं इस प्रकार का श्लोक रचकर मिला दिया ।

इस प्रकार तटस्थ आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध हुए प्रकरणों के बीच में आने के कारण महर्षि के ये श्लोक मनुस्मृति के सन्दर्भ में प्रक्षिप्तकोटि में आ जाते हैं ।

मनुस्मृति शुद्धाशुद्धि-पत्र

पृष्ठसंख्या	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्धरूप
८	१५	द्योतनाथ	द्योतनार्थ
१९	१८	सष्टि	सृष्टि
२४	५	पेर	पैर
२५	२२	प्रविष्ठ	प्रविष्ट
२८	२४	जवात्मा	जीवात्मा
३०	१०	उत्पत्ति का नाम	उत्पत्ति का क्रम
४०	१८	किय	किया
४१	३०	(छपना छूट गया है)	प्राप्त हो गया ।।
४६	२	नसजन्	नसृजन्
५२	२०	` काल	के काल
६८	१७	आं लोग	आर्यलोग
८०	१९	इय प्रत्यय	इय् आदेश
८५	२०	व्रताचारण	व्रताचरण
१०९	१६	अथात्	अर्थात्
,,	१७	नादयों, जा	नदियों, जो
,,	१८	दश, नदा	देश, नदी
,,	१९	दाक्षण दशीय	दक्षिण देशीय
१०९	२०	दाना नदियों क	दोनों नदियों के
,,	२१	आया, आयावर्त्त	आर्यों, आर्यावर्त्त
,,	२६	पूव	पूर्व
,,	२७	दृषद्वता जा, पूवभाग, स ाकलक	दृषद्वती जो, पूर्वभाग, से निकलके
,,	२८	पूव, आर, म	पूर्व, और, में
११२	२	आच ण	आचरण
१३८	३	हयदइ मुख :	हयुदइ.मुख :
१५८	५	रसन	रसना
१५९	१	अधम	अधर्म
१५९	१६	चातन् केवलान्	चैतान्केवलान्
१७६	१८	चरणर्स्प	चरणस्पर्श
१९१	२४	आ ह + एव नखाग्रेभ्य :	आ नखाग्रेभ्य : ह + एव
१९२	१९	अरिक्षा	अशिक्षा
१९५	३२	२७६	१७६
२०९	११	दबवाना	दबाना

२१४	३२	करान	करना
२१७	२	स्पप्त :	स्पष्टत :
२२१	२७	विद्यमाम	विद्यमान
२२५	२९	दिजो	द्विजो
२२८	२९	तिता	पिता
२३६	३३	दै	दैव
२५०	३१	ग न	गमन
२७०	२२	विज्ञनम्	विज्ञानम्
२७०	३२	श्रष्ठान	श्रेष्ठान्
३२४	१६	यज्ञाहु	यज्ञाहुति
३४२	२२	नैनामी तु	नैनमिक्षेत्
३५२	३२	अन्यादपि	अन्त्यादपि
३५७	१२	अनधयय	अनध्याय
३६१	३२	श्रयम्	श्रमम्
३६६	२१	दुलभाम्	दुर्लभाम्
३६७	१२	मूख	मूर्ख
३६९	८	चपेच्च	उपेच्च
३७५	३	ईष्या	ईर्ष्या
३७८	२९	चवारमेत्	चैवारमेत्
४६२	२	चाग्निपरिदम्	चाग्निपरिच्छदम्
४८८	२५	व्यहृति	व्याहृति
४९३	१४	छटे	छोटे
५१२	१८	दिण्ड ;, सव,	दण्ड :, सर्वा :,
५२३	२२	सुदा	सुदास
५२५	८	स्थापयित	स्थापयितुम्
५२६	२०	ि वास्व न :	दिवास्वप्न :
५३९	१२	प्रकाट	प्रकोटा
५५८	२	जितेन्द्रय	जितेन्द्रिय
५६२	८	(अध्वानम्)	(अध्वानम्) मार्ग की दूरी आदि
५६३	३०	नियुत	नियुक्त
५६३	३१	किक्मदनी	की आमदनी
५८६	२४	यथा तु यानमतिष्ठेद	यदा तु यानमातिष्ठेद
५९०	१३	सवदिक्षु	सर्वदिक्षु
५९४	२३	युद्धन	युद्धेन
५९४	२४	समस्त :	समस्तै :
५९६	१	सवषाम्	सर्वेषाम्
५९६	३	नाना	बनाना

शुद्धाशुद्धि-पत्र

५९८	१२	धर्मज्ञं न	धर्मज्ञं च
५९८	१७	छटे	छोटे
६०३	३	प्रयनं	प्रयत्न
६०६	२२	सौंप वे	सौंप देवे
६०८	३	राजधर्मान्तर्ग	राजधर्मान्तर्गत
६१७	३२	अनयौ	अनर्थौ
६२१	५	घतयेत	घातयेत्
६२६	३०	लेख	के लेख
६३२	२३	(असंभवे) उक्त स्थानों में पूर्वोक्त साक्षी न होने पर,	(स्त्रिया : अपि असंभवे) उक्त स्थानों में स्त्री की विद्यमानता न होने पर,
६४५	११	विरद्ध	विरुद्ध
६४९	६	ये दण्डों	इन दण्डों
६५३	१	रप्यधरण	राप्यधरण
६५८	२४	लौटान	लौटाने
६६७	४	चतुर्मगं	चतुर्भागं
६७३	८	निक्षेपस्य	निक्षिप्तस्य
६८३	१४	('अमृते मृति :' पदों का अर्थ छूट गया है)	(अमृते मृति :) मरण-पोषण का व्यय न लेने पर यह दूध ही उसकी जीविका है ।
७०८	१४	..... बड़ा घड़ा	दश बड़े घड़ों
७३१	१२	सवस्व	सर्वस्व
७३१	१५	जा वाला	जाने वाला
७३४	६	नारित	नास्ति
७७१	२५	पता	पिता
७७४	२२	अश, त्वषाम्	अंश, त्वेषाम्
७७८	२५	जसी	जैसी
७७८	२८	पुत्रा	पुत्री
७८२	१४	न्यूकं	न्यरकं
८१५	१२	आाद	आदि
८३९	२६	विद्याध्यायन	विद्याध्ययन
८४९	१९	शदृशान्	सदृशान्
८४९	२८	लिखा	लिखी
८५०	१२	आर्यवर्त	आर्यावर्त
८५२	२४	हन्तु :	हन्यु :
८५३	२७	मान्यता से	मान्यता के
८५४	२५	जायते	जायन्ते

८५६	४	तत्र	यत्र
८५७	१	वर्णव्यवस्था है	वर्णव्यवस्था की है ।
८५८	५	मूख	मूर्ख
८६१	२७	द्विजों के	द्विजों में
८६२	१७	लेली	शैली
८६२	२४	ब्राह्मनयोनिस्था :	ब्रह्मनयोनिस्था :
८६४	२३	धर्मवैनैपुणम्	धर्मनैपुणम्
८६५	३	सन्	सन
८६८	९	जीविता +	जीवित +
८६८	१९	नार्त्तोऽत्तं	नार्त्तोऽत्तु
८७०	११	धातु	धान्य
८७०	२८	न ल —	न ले —
८७२	३२	क जो	कि जो
८७३	३	वर्णों की	वर्णों के
८७४	१६	दीक्षित हो सके	दीक्षित न हो सके
८७४	२७	जी के	जी ने
८७४	२८	अनु.	मनु.
८७६	३१	संस्कारर्हमति	संस्कारमर्हति
८७८	२२-२३	कारण अयुक्तियुक्त है ।	कारण मनुसम्मत नहीं है ।
८८१	१	यज्ञार्थ	यज्ञार्थं
८८१	१९	विद्येत्	विद्येत
८८४	१०	न यस्मिन्	न तस्मिन्
८८६	२३	कुयाद्	कुर्याद्
८८८	१७	ब्राह्मवादिषु	ब्रह्मवादिषु
८८८	२०	उपसेविनाम्	उपसेविनाम्
८८९	११	श्लोकों से	श्लोकों के
८८९	११	यज्ञप्रसंगों	यज्ञप्रसंगों में
८९६	१४	जैहमयं	जैहम्यं
९०४	९	पातकिनस्तेव	पातकिनस्त्वेव
९०४	१८	मास	मासं
९०६	८	कुर्य :	कुर्यु :
९१९	२४	नार्थ	नार्थं
९२१	६	पायश्चित्त	प्रायश्चित्त
९३०	३	न्हें	उन्हें
९३७	३०	पृथक्ता	पृथक्ता
९४१	१९	प्रत्येक	प्रेत्य
९४२	६, ८	कम	कर्म

९४२	२९	फल-फूल	फल-मूल
९५४	१७	अधम	अधर्म
९५४	२७	मानसा	मनसा
९५६	२४	तन्मत्राओं	तन्मात्राओं
९५९	११	रजोगुण प्रधानता	सतोगुण प्रधानता
९६१	१४	ज्ञयम्	ज्ञेयम्
९६२	१४	अथसंग्रह, धर्म :	अर्थसंग्रह, धर्म :
९६३	२६	कम करने	कर्म करने
९६७	१८	सावभौतिक :	सार्वभौतिक :
९६७	१९	सव :	सर्व :
९६९	१	क्रव्यदा :	क्रव्यादा :
९७०	९	पस्करहयुम्	हयुपस्करम्
९७४	४	चदु र्जयम्	च दुर्जयम्
९७७	५	प्रत्य	प्रेत्य
९७८	१२	आवश्यता	आवश्यकता
”	२४	यथाय	यथार्थ
९८६	२६	धम	धर्म
९९०	१	धम	धर्म
”	१४	समतानाम्	समेतानाम्
९९२	६	अधर्म	अधर्मे
९९७	१८	अहलादक	आह्लादक
९९९	२७	न्नित्य	न्नित्य

अथ मनुस्मृतिः

अथ प्रथमोऽध्यायः

[हिन्दीभाष्य-'अनुशीलन'-समीक्षाभ्यां सहितः]

(सृष्टि-उत्पत्ति एवं धर्मोत्पत्ति विषय १।५ से १।१४४ तक)

मनुस्मृति-भूमिका

(१।१ से १।४ तक)

महर्षियों का मनु के पास आगमन—

मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महर्षयः।
प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमब्रुवन् ॥ १ ॥ (१)

(महर्षयः) महर्षि लोग (एकाग्रम्+आसीनम्) एकाग्रतापूर्वक बैठे हुए (मनुम्) मनु के (अभिगम्य) पास जाकर, और उनका (यथान्यायम्) यथोचित (प्रतिपूज्य) सत्कार करके (इदम्) यह (वचनम्) वचन (अब्रुवन्) बोले—॥ १ ॥

महर्षियों का मनु से वर्णाश्रम-धर्मों के विषय में प्रश्न—

भगवन्सर्ववर्णानां यथावदनुपूर्वशः।
अन्तरप्रभवाणां च धर्मान्नो वक्तुमर्हसि ॥ २ ॥ (२)

(भगवन्) हे भगवन्! आप (सर्ववर्णानाम्) सब वर्णों=ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र (च) और (अन्तरप्रभवाणाम्) सभी वर्णों के अन्दर होने वाले अर्थात् आश्रमों=ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के [वर्णानां अन्तरे प्रभवः=उत्पत्तिः, स्थितिः येषां ते अन्तरप्रभवाः=आश्रमाः] (धर्मान्) धर्मों-कर्त्तव्यों को (यथावत्) ठीक-ठीक रूप से (अनुपूर्वशः) और क्रमानुसार अर्थात् वर्णों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के क्रम से तथा आश्रमों को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के क्रम से (नः) हमें

(वक्तुम्) बतलाने में (अर्हसि) समर्थ हो ॥ २ ॥ (इस दूसरे श्लोक के प्रश्न की पूर्ति १।३ में होगी ।)+

अनुशीलन : मनुस्मृति एक धर्मशास्त्र है [धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः २। १० (१। १२६)]। तदनुसार इसमें धर्म का ही प्रतिपादन है। मनुस्मृति में धर्म के स्वरूप तथा इस श्लोक में आये आधारभूत शब्द 'अन्तरप्रभवाणाम्' पर यहां सप्रमाण विचार किया जाता है—

(१) **धर्म का स्वरूप**—(क) व्याकरण की दृष्टि से 'धृञ्-धारणे' धातु से 'अर्तिस्तु सुहुसृधृ०' [उणादि १।१४०] सूत्र से प्राप्त 'मन्' प्रत्यय के योग से 'धर्म' शब्द सिद्ध होता है। 'धारणात् धर्म इत्याहुः' 'ध्रियते अनेन लोकः' आदि व्युत्पत्तियों के अनुसार 'जिसे आत्मोन्नति और उत्तम सुख के लिए धारण किया जाये' अथवा 'जिसके द्वारा लोक को धारण किया जाये अर्थात् व्यवस्था या मर्यादा में रखा जाये', उसे धर्म कहते हैं। इस प्रकार आत्मा की उन्नति करने वाला, मोक्ष या उत्तम व्यावहारिक सुख देने वाला सदाचरण, कर्त्तव्य अथवा श्रेष्ठ विधान (कानून), नियम, धर्म है।

(ख) मनुस्मृति में धर्म को व्यापक अर्थ में ग्रहण किया गया है। स्थूल रूप से उसे दो अर्थों में वर्गीकृत किया जा सकता है—

१. मुख्य अर्थ (आध्यात्मिक उद्देश्यसाधक)
२. गौण अर्थ (लौकिक व्यवहार-साधक)

१. आध्यात्मिक क्षेत्र में, आत्मा के उपकारक, निःश्रेयससिद्धि अर्थात् मोक्ष-प्राप्ति कराने वाले 'आचरण' को 'धर्म' कहते हैं। यह धर्म का मुख्य अर्थ है। यही धर्म सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं सार्वजनीन है, जो त्याज्य नहीं है। इसी का प्रतिपादन करना धर्मशास्त्रों का प्रमुख उद्देश्य है। मनु ने इस धर्म का वर्णन निम्न श्लोक में किया है—

वेदाभ्यासः, तपः, ज्ञानम्, इन्द्रियाणां च संयमः ।
धर्मक्रिया, आत्मचिन्ता च निःश्रेयसकरं परम् ॥ १२।८३॥

निम्न प्रमाणों से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है—

(अ) **धर्मं शनैः संचिनुयात्'''परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन्** ॥४।२३८॥

(आ) **धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम् ॥** ४।२४२ ॥

(इ) **धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।**
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥ ६।९२ ॥

+[प्रचलित अर्थ—हे भगवन् ! सब वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र) और 'अम्बष्ठादि' अनुलोमज, 'सूत' आदि प्रतिलोमज, तथा 'भूर्जकण्टक' आदि संकीर्ण जातियों के यथोचित धर्मों को क्रमशः कहने के लिये आप योग्य हैं (अतः उन्हें कहिए) ॥ २ ॥]

मनुस्मृति में धर्मपालन के परिणामस्वरूप जो फलप्राप्ति दिखायी है, वह भी इस अर्थ की मुख्यता की ओर संकेत करती है—

(ई) **एतद्धो ऽभिहितं सर्वं निःश्रेयसकरं परम्।**
अस्मादप्रच्युतो विप्रः प्राप्नोति परमां गतिम्॥ १२।११६॥

(उ) **अनेन विप्रो वृत्तेन वर्तयन् वेदशास्त्रवित्।**
व्यपेत कल्मषो नित्यं ब्रह्मलोके महीयते ॥४।२६०॥

इस अर्थ की सिद्धि में प्रमाणरूप में १। १२८, २।१३४ [२। १५६], २।२२४ [२४६], ४। १३८, १५६, १७५, २३८, २३६, २४२, २४३, २६० ॥ ८।१६, १७, ८३ आदि श्लोक भी द्रष्टव्य हैं।

२. व्यावहारिक क्षेत्र में, त्रिविध=आत्मिक, मानसिक, शारीरिक उन्नति कराने वाले, मानवत्व और देवत्व का विकास करने वाले, उत्तम सुखसाधक श्रेष्ठ व्यावहारिक कर्त्तव्य, मर्यादाएँ और विधान (कानून) धर्म कहलाते हैं। ये व्यावहारिक क्षेत्र के होने के कारण कर्म हैं. जिनमें देश-काल-परिस्थितिवश कुछ परिवर्तन भी आ जाते हैं। इसमें निम्न प्रमाण भी द्रष्टव्य हैं—

(अ) **न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्** ॥४।१३८॥
(आ) **योषितां धर्ममापदि** ॥९।५६॥
(इ) **एष धर्मः स्त्रीपुंसयोः** ॥९।१०१, १०३॥
(ई) **द्यूतधर्म निबोधत** ॥ ९।२२० ॥
(उ) **दण्डं धर्मं विदुः बुधाः** ॥७।१८॥
(ऊ) **राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि** ॥७।१॥
(ए) विवाह—'**ब्राह्मो धर्मः**', '**दैवं धर्मम्**', '**आर्षः धर्मः**', '**आसुरः धर्मः**।
॥ ३। २७—३१। आदि-आदि ॥

दर्शनशास्त्रों में धर्म के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। उनके अनुसार धर्म की परिभाषा निम्न है—

(अ) "**यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः** (वैशेषिक १। १। २)

अर्थात्—जिसके आचरण से (अभ्युदयः) मनुष्य की त्रिविध=आत्मिक, मानसिक व शारीरिक उन्नति और व्यावहारिक उत्तम सुख की प्राप्ति एवं वृद्धि हो तथा (निःश्रेयससिद्धिः) मोक्षसुख की सिद्धि हो (सः धर्मः) वह आचरण या कर्त्तव्य धर्म है।

(आ) "**चोदनालक्षणो धर्मः**" (पूर्वमीमांसा १। १। २)

अर्थात्—(चोदनालक्षणः) वेदों में मनुष्यों को करने के लिए जो कर्त्तव्य विहित किये हैं, वह (धर्मः) धर्म है।

(२) 'अन्तरप्रभवाणाम्' पद का मनु-सम्मत अर्थ—

इस श्लोक में मेधातिथि, कुल्लूकभट्ट और उनके अनुयायी सभी टीकाकारों ने '**अन्तरप्रभवाणाम्**' पद का—"संकीर्ण जातियों या वर्णसङ्करों के" यह अर्थ अशुद्ध किया है। इस पद का अर्थ 'आश्रमों के' होना चाहिये। इसकी पुष्टि में निम्न युक्तियां हैं—

(क) २। १८ [इस संस्करण के अनुसार १। १३७] में '**अन्तरप्रभवाणाम्**' के पर्यायवाची रूप में 'सान्तरालानाम्' शब्द का प्रयोग किया है। जैसे यहां वर्णों के साथ '**अन्तरप्रभवाणाम्**' शब्द का प्रयोग है, वैसे ही उक्त श्लोक में भी वर्णों के कथन के साथ-साथ 'सान्तरालानाम्' शब्द का प्रयोग है। उस श्लोक में 'सान्तरालानाम्' शब्द का अर्थ 'आश्रम' है, अतः यहां भी उसके पर्यायवाची शब्द '**अन्तरप्रभवाणाम्**' शब्द का अर्थ 'आश्रमों के' होना चाहिये। यद्यपि २। १८ [१। १३७] श्लोक में भी टीकाकारों ने 'सान्तरालानाम्' शब्द का अर्थ 'संकीर्ण जाति' या 'वर्णसङ्कर' किया है, किन्तु वह मनु की मान्यता के विरुद्ध है। यतो हि, उस श्लोक में धर्म के चार मूलाधारों में से एक आधार 'सदाचार' [२। ६, १२ या १। १२५, १३१] का लक्षण किया है, और बताया है कि "ब्रह्मावर्त देश के निवासी वर्णों और आश्रमों का, जो परम्परागत श्रेष्ठ आचरण है, वह 'सदाचार' कहलाता है"। इस श्लोक में 'सान्तराल' शब्द का 'वर्णसङ्कर' या 'संकीर्ण जाति' अर्थ इसलिए ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि वर्णसङ्करों का आचरण 'सदाचार' ही नहीं हो सकता और न ही उनके आचरण को उन श्लोकों में 'सदाचार' के रूप में माना है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वर्णसङ्करों के धर्मवर्णन-प्रसङ्ग में अनेक स्थानों पर उनके आचरण को निन्दनीय और गर्हित कहा है। उस प्रसङ्ग में संकीर्ण जातियों के लिए प्रयुक्त विशेषणों में कुछ इस प्रकार हैं—"**मातृदोषविगर्हितान्**"=माता के दोष से निन्दित जन्म वाले' [१०। ६], "**क्रूराचारविहारवान्**" =क्रूर आचार-व्यवहार वाले'[१०। ९], "**अधमो नृणाम्**"=मनुष्यों में नीच'[१०। १२], "**अव्रतांस्तु यान्**"=व्रतहीन' [१०। २०], "**पापात्मा भूर्जकण्टकः**"=पापी आत्मा वाले भूर्जकण्टक'[१०। २१],"**ततोऽप्यधिकदूषितान्**"=उनसे भी अधिक दूषित आचरण वाले'[१०। २९] "**जनयन्ति विगर्हितान्**"=निन्दित सन्तानों को जन्म देते हैं' [१०। २९]। इसी प्रकार संकीर्ण जातियों का 'अपसद' (नीच) 'अपध्वंसज' (पतितोत्पन्न) आदि शब्दों द्वारा नामकरण करना भी यह सिद्ध करता है कि रचयिता इन्हें निन्दित आचरण वाला मानता है। इनके अतिरिक्त उस प्रसंग में वर्णसंकरों के जो पशु-हिंसा आदि धर्म बतलाये हैं, वे मनु के मत में धर्म न होकर दुष्कर्म हैं, जिनकी मनु ने स्थान-स्थान पर निन्दा की है। फिर उनके आचरण को 'सदाचार' कैसे कहा जा सकता है? और न उन्हें 'धर्म' कहा जा सकता है। इससे यह बोध होता है कि उक्त श्लोक में 'सान्तराल' शब्द का 'वर्णसंकर' अर्थ करना संगत नहीं है, और मनु के विरुद्ध भी है। अतः वहां उसका 'आश्रम' अर्थ होना चाहिए। उसके पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त होने से इस श्लोक में 'अन्तरप्रभव' का अर्थ भी 'आश्रम' ही समीचीन है।

(ख) मनुस्मृति में वर्णों के धर्मों के साथ-साथ विस्तृत और विशिष्ट रूप से आश्रमों के धर्मों का ही कथन है, वर्णसंकरों के धर्मों का नहीं। यह भी ध्यान देने की बात है कि इस श्लोक में जिस क्रम से वर्णों और आश्रमों के धर्मों को बतलाने की इच्छा व्यक्त की है, ठीक उसी क्रम से ही मनुस्मृति में उसका उल्लेख है। आश्रमों और वर्णों का क्रम साथ-साथ चलता है, जैसे—द्वितीय अध्याय में—ब्रह्मचर्याश्रम का वर्णन है, तृतीय से पञ्चम तक गृहस्थ का, षष्ठ में वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम का वर्णन है। साथ-साथ छठे अध्याय तक ब्राह्मण के कर्त्तव्य भी उक्त हो जाते हैं। फिर क्षत्रियों के शेष कर्त्तव्यों का वर्णन ७। १ से ६। ३२५ तक है। वैश्य के अतिरिक्त कर्त्तव्यों का कथन ६। ३२६ से ३३३ [इस संस्करण में १०। १–६] तक, तथा शूद्रों के कर्त्तव्यों का वर्णन ६। ३३४-३३५ [इस संस्करण में १०। ७-८] में है। यदि **'अन्तरप्रभवाणाम्'** का 'आश्रम' अर्थ न करके 'वर्णसंकर' अर्थ लिया जाये, तो प्रश्न उठेगा कि जब प्रारम्भ में आश्रमों के धर्म पूछने का प्रश्न ही नहीं है, तो इतने विस्तृत और प्रधान रूप से आश्रमों के धर्मों का विधान क्यों किया गया है? वर्णों और आश्रमों के धर्मों का साथ-साथ और प्रधानतापूर्वक वर्णन करने की मनु की यह शैली भी यह संकेत देती है कि इस श्लोक में वर्णों और आश्रमों के विषय में प्रश्न है, वर्णसंकरों के विषय में नहीं।

(ग) मनुस्मृति में सर्वत्र वर्णों के साथ आश्रमों का उल्लेख करने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, वर्णसंकरों की नहीं। १२। ९७ में भी वर्णों के साथ आश्रमों का उल्लेख है—**"चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाः चत्वारश्चाश्रमाः पृथक्"** इसी प्रकार ७। ३५ में भी राजा को वर्णों और आश्रमों के धर्मों का रक्षक कहा है, वर्णसंकरों का उल्लेख ही नहीं—

स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषामनुपूर्वशः।
वर्णानामाश्रमाणां च राजा सृष्टोऽभिरक्षिता॥

इस प्रवृत्ति के अनुसार भी यहां वर्णों के साथ प्रयुक्त 'अन्तरप्रभव' शब्द का अर्थ 'आश्रम' ही सिद्ध होता है।

(घ) मनुस्मृति में, दशम अध्याय को छोड़कर, वर्णों के साथ अथवा स्वतन्त्र रूप से कहीं भी वर्णसंकरों की चर्चा या उल्लेख नहीं है। नामकरण संस्कार [२। २९-३५ या २। १-१०], विवाहविधि [३। २०] आदि प्रसङ्गों में, जहाँ शूद्रों के लिए भी विधान किये हैं, वहां भी इनका उल्लेख नहीं है। दशम अध्याय में भी जो इनका वर्णन है, वह वस्तुतः मौलिक न होकर प्रक्षिप्त है (विस्तृत जानकारी के लिए दशम अध्याय के श्लोकों की समीक्षा देखिए)। यतो हि, वह विषय प्रसंगविरुद्ध रूप से वर्णित है। मनु की विषय-संकेत-शैली से भी दशम अध्याय का वर्णसंकरों का प्रसंग प्रक्षिप्त सिद्ध होता है। वर्णों के धर्म-कथन का विषय प्रारम्भ करते हुए वे कहते हैं—**"वर्णधर्मान्निबोधत"** १। १४४ [अन्य संस्करणों में २। २५]। इसी प्रकार इस विषय की समाप्ति का संकेत करते हुए कहा—**"एष धर्मविधिः कृत्स्नश्चातुर्वर्ण्यस्य कीर्तितः"** १०। १४२ [अन्य संस्करणों में १०। १३१]। दोनों ही स्थानों पर वर्णों के धर्मों के वर्णन का कथन

है, आपद्धर्म का नहीं। यहां बीच में वर्णसंकरों के वर्णन करने का न तो प्रसंग था और न ही अभीष्टता, किन्तु फिर भी किसी ने इस वर्णन को बलात् मिलाया है।

इसी प्रकार १०।१५ [अन्यत्र १०।४] में स्पष्ट शब्दों में मनु ने उद्घोषित किया है कि आर्यों के समाज में केवल चार वर्ण हैं, पांचवां कोई वर्ण नहीं है। इनसे भिन्न सभी दस्यु हैं, चाहे वे आर्य भाषाएं बोलते हों अथवा म्लेच्छ भाषाएं [१०।५६ (अन्यत्र १०।४५)]। यहां वर्णसंकरों का कोई उल्लेख नहीं। इससे वर्णसंकरों का वर्णन [१०।५–७३] मनुस्मृतिसम्मत या मौलिक सिद्ध नहीं होता। जब यह मनुस्मृतिसम्मत ही सिद्ध नहीं होता, तो इस ग्रन्थ में किसी शब्द से 'वर्णसंकर' अर्थ ग्रहण करना ही अनुपयुक्त एवं विरुद्ध है। अतः यहां भी 'वर्णसंकर' अर्थ न होकर 'आश्रम' अर्थ ही मनुस्मृतिसम्मत है।

(ङ) मनु ने संक्षिप्त भूमिका के रूप में १।८७–९१ श्लोकों में एक-एक वर्ण का नामोल्लेख तथा उनका कर्मवर्णन किया है। उससे यह स्पष्ट संकेत मिल जाता है कि मनु मनुष्य-समाज में चार वर्णों के अतिरिक्त कोई वर्ण नहीं मानते। इन श्लोकों से यह भी संकेत मिलता है कि मनुस्मृति में मनु को केवल इन्हीं चार वर्णों के धर्मों का कथन करना अभीष्ट है, अन्य किसी वर्णसंकर आदि का नहीं। अतः यहाँ भी 'अन्तरप्रभव' का अर्थ वर्णसंकर आदि करना मनु की मौलिकता के विरुद्ध है, इसका 'आश्रम' अर्थ ही प्रकरणसंगत है।

(३) प्रतीत होता है कि जब वर्णसङ्करों के प्रसंग का प्रक्षेप हुआ, तो उन लोगों ने तदनुसार ही 'अन्तरप्रभव' और 'सान्तराल' शब्दों के अर्थों को भी परिवर्तित करके 'वर्णसंकर' अर्थ प्रचलित कर दिया। यही नहीं, अपने आशय के अनुसार ऐसे लोगों ने पाठभेद करने का भी प्रयास किया। तीन-चार हस्तलिखित प्रतियों में '**अन्तरप्रभवाणाम्**' पद के स्थान पर '**संकरप्रभवाणाम्**' पाठभेद भी मिलता है। यह पाठभेद वर्णसंकर सम्बन्धी प्रक्षिप्त श्लोकों को मौलिक सिद्ध करने का ही एक प्रयास था। यह पाठभेद तो प्रचलित नहीं हो पाया, किन्तु इस पाठभेद के अनुसार अर्थ की भ्रान्ति अवश्य प्रचलित हो गई।

त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयम्भुवः।
अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थवित्प्रभो॥ ३॥ (३)

(हि) क्योंकि (प्रभो) वेदज्ञ होने से धर्मोपदेश में समर्थ हे विद्वन्! (अस्य सर्वस्य) इस सब [१।५—१।१४ (२।२५) में वर्णित] समस्त जगत् के, (अचिन्त्यस्य) जिनका चिन्तन से पार नहीं पाया जा सकता अथवा जिनमें असत्य कुछ भी नहीं है, और (अप्रमेयस्य) जिनमें अपरिमित सत्यविद्याओं का वर्णन है, उन (स्वयम्भुवः विधानस्य) स्वयम्भू [१।६] परमात्मा द्वारा रचित [१।२३] विधानरूप वेदों के (कार्य-तत्त्वार्थवित्) कार्य=कर्त्तव्यरूप धर्मों या प्रतिपाद्य विषयों के, तत्त्वार्थवित्=यथार्थरूप अथवा उनके

रहस्यों को, और [द्वितीयार्थ में] वेदार्थों को जानने वाले (एकः त्वम्) एक आप ही हैं [अर्थात् इस समय धर्मों के विशेषज्ञ विद्वान् आप ही दृष्टिगोचर हो रहे हैं, अतः आप ही उन्हें कहिये] ॥

अभिप्राय यह है कि वेद सब सत्यविद्याओं के विधायक ग्रन्थ हैं, इस प्रकार वे जगत् के विधान रूप अर्थात् संविधान हैं। महर्षि लोग प्रशंसा-पूर्वक मनु से कह रहे हैं कि उन विधानरूप वेदों में कौन-कौन से करने योग्य कार्य अर्थात् कर्त्तव्यरूप धर्म विहित हैं, उन्हें भलीभांति समझने वाले विशेषज्ञ विद्वान् आप हैं, अतः हमें वर्णों और आश्रमों के धर्मों को बतलाइये। (यह श्लोक १।२ का पूरक वाक्य है। दूसरे श्लोक में वर्णाश्रम धर्मों का प्रश्न है, अतः इसमें उन्हीं का ज्ञाता बताकर मनु की प्रशंसा की है। यही मनुस्मृति का प्रतिपाद्य विषय है—'धर्मों का कथन')॥ ३ ॥ ❀

"स्वयम्भू जो सनातन वेद हैं, जिनमें असत्य कुछ भी नहीं और जिनमें सब सत्यविद्याओं का विधान है, उनके अर्थ को जानने वाले केवल आप ही हैं।" (ऋ० भू० ५८)

अनुशीलन : कुल्लूकभट्ट आदि प्रायः सभी टीकाकारों ने इस श्लोक का अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण अर्थ किया है। उनके अर्थों में निम्न त्रुटियां हैं—

(१) 'अस्य सर्वस्य' सर्वनामों को वेद के साथ जोड़ दिया है।

(२) कुल्लूकभट्ट ने 'कार्यं' का 'अग्निष्टोम आदि यज्ञकार्य' तथा—

(३) 'तत्त्वार्थवित्' का 'ब्रह्म के ज्ञाता' ये असंगत, सीमित और मनुस्मृति से असम्मत अर्थ किये हैं।

इनकी पुष्टि के लिए विस्तृत विचार करना आवश्यक है—

(१) **'अस्य सर्वस्य' पदों की सही संगति**—(क) यहां 'अस्य सर्वस्य' पदों का अर्थ 'इस सब जगत् के' होना उपयुक्त एवं प्रासंगिक है। 'अस्य' या 'इदम्' शब्दों का जब स्वतन्त्र रूप से प्रयोग होता है, तो मुख्यरूप से उसके तीन अभिप्राय होते हैं—(१) उपस्थित या निकट की वस्तु की ओर संकेत, (२) निकट रूप से स्थित जगत्, (३) पूर्वापर विषय या वस्तु की ओर संकेत। इन तीनों ही अर्थों के आधार पर यदि इन पदों को परखा जाये, तो इनका वेद के साथ सम्बन्ध न होकर 'जगत्' अर्थ ही व्यञ्जित होता है। यतोहि अगला वक्ष्यमाण विषय या अग्रिम प्रसंग जगत् का है, अतः वेद के साथ इन पदों को नहीं जोड़ा जा सकता। इन से 'जगत्' की ओर ही संकेत है। 'अस्य' 'इदम्' आदि पदों का प्रयोग स्वतन्त्ररूप से 'जगत्' के लिये करने की संस्कृत भाषा की सदैव प्रवृत्ति रही है। १।५ में "आसीत् इदम्" का प्रयोग भी 'जगत्' के लिए ही किया है।

❀ [प्रचलित अर्थ—क्योंकि हे प्रभो ! एक आप ही इस सम्पूर्ण अपौरुषेय, अचिन्त्य तथा अप्रमेय वेद के अग्निष्टोमादि यज्ञकार्य और ब्रह्म के जानने वाले हैं ॥३॥]

(ख) इसके अतिरिक्त सृष्टि-उत्पत्ति के इसी प्रसंग में दो अन्य स्थानों पर भी इन पदों का प्रयोग 'जगत्' अर्थ में ही किया है। यथा—सृष्टि-उत्पत्ति के पूर्ण होने पर—"**सर्वस्य अस्य तु सर्गस्य**" [१।८७], इस विषय को समाप्त भी इन्हीं पदों के स्वतन्त्र प्रयोग से किया है—"**संभवश्च अस्य सर्वस्य**" [इस सम्पूर्ण संसार की उत्पत्ति कही। २।२५, इस संस्करण में १।१४४]। (ग) शैली के आधार पर भी इन पदों का यहां 'जगत्' अर्थ सिद्ध होता है। १।५ से मनु ने जो सृष्टि-उत्पत्ति का विषय प्रारम्भ किया है, वह इन पदों के ही अनुसार है। इस श्लोक में कथन है कि 'इस जगत् के विधान = वेद के आप ज्ञाता हैं'। मनु ने इसीलिए धर्मों का कथन करने से पूर्व 'जगत्' के स्वरूप को बतलाना प्रारम्भ किया, जिससे धर्मोत्पत्ति, धर्म की आवश्यकता, महत्त्व एवं स्वरूप का परिज्ञान होकर उसके प्रति प्रेरित हो सकें। मनु ने यहां साङ्गोपाङ्ग शैली अपनायी है। '**अस्य सर्वस्य**' पदों के द्वारा ही १।५ से प्रारम्भ होने वाले सृष्ट्युत्पत्ति-विषय का संकेत है, और इन्हीं पदों के प्रयोगपूर्वक इस विषय को समाप्त किया है—"**संभवश्च अस्य सर्वस्य**" [२।२५ या १।१४४] (घ) इस श्लोक में 'विधान' शब्द का वेदों के लिए जो प्रयोग किया है वह भी साभिप्राय होने से सार्थक है, तथा निमित्त-निमित्ती भाव-द्योतनार्थ प्रयुक्त है। वेद 'विधान' हैं और विधान किसी निमित्त से विहित होता है, अतः '**अस्य सर्वस्य**' पदों से संकेतित जगत् उनका निमित्ती है। 'वेद जगत् के लिये एक विधान है' यह भाव मनु ने अन्य स्थानों पर भी प्रकट किया है, १२।९४ में वेदों को पितृ-दैव-मनुष्यों का सनातन 'चक्षु' कहा है (**पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम्**)। यहां वेद के लिये '**चक्षुः**' शब्द का प्रयोग लगभग 'विधान' के समान अर्थ देने वाला है। जैसे 'चक्षु' कहने से यह बोध होता है कि यह इन्द्रिय प्राणियों को दिखाने के लिए है, उसी प्रकार 'विधान' कहने से भी यह बोध होता है कि यह किन्हीं के मार्गदर्शन के लिए है। इस प्रकार 'विधानस्य' के साथ प्रयुक्त '**अस्य तु सर्गस्य**' पदों से 'जगत्' अर्थ का ही संकेत मिलता है।

(२—३) '**कार्यतत्त्वार्थवित्**' **का संगत अर्थ**—(क) 'कार्य' का 'अग्निष्टोम आदि यज्ञकार्य' अर्थ करना, और 'तत्त्व' का अर्थ 'ब्रह्म' करना भी अप्रासंगिक और मनुस्मृति से असम्मत है। 'कार्य' से इस श्लोक में अभिप्राय 'कर्त्तव्यों, प्रतिपाद्य विषयों' या 'समस्त व्यावहारिक तत्त्वों' अर्थात् 'धर्मों से है। मनुस्मृति में [१।२] जिज्ञासा और प्रश्न का विषय 'धर्म' है, तो उसका प्रतिपाद्य या उत्तर का विषय भी 'धर्म' होगा। केवल यज्ञ या ब्रह्म का वर्णन करना, मनुस्मृति का प्रतिपाद्य नहीं है, और न इनके बारे में स्वतन्त्र रूप से जिज्ञासा ही प्रकट की गयी है। यज्ञादि धर्म के अङ्ग हैं, और स्वतः धर्मों के अन्तर्भूत हो जाते हैं। केवल यज्ञों और ब्रह्म को ही वेदों का कार्य या साध्य मान लेने से वेदों की उपयोगिता सीमित हो जाती है, जब कि मनु की मान्यता इसके विपरीत है। मनु केवल यज्ञ या ब्रह्म के लिए ही वेदों की प्रकटता नहीं मानते, अपितु संसार के समस्त श्रेष्ठ व्यवहारों = धर्मों और ज्ञान-विज्ञान आदि का साधक मानते हैं। इसकी पुष्टि के लिए निम्न श्लोक प्रमाण रूप में द्रष्टव्य है—

(अ) १। २१ में वेदों के द्वारा ही समस्त पदार्थों का नामकरण, उनके कर्मों का विधान, स्थितियों का विभाजन बताकर वेदों की बहुमुखी और व्यापक उपयोगिता को स्वीकार किया है—

"सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक्।
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे॥

(आ) १२। ९७ में चारों वर्णों, आश्रमों एवं तीनों कालों का ज्ञान वेदों से माना है।

(इ) शब्द, स्पर्श आदि सूक्ष्म शक्तियों की वैज्ञानिक सिद्धि वेदों द्वारा ही मानी है (१२। ९८)।

(ई) १२। ९९ में समस्त व्यवहारों का सर्वोपरि साधक-शास्त्र वेद को ही कहा है।

(उ) राजनीति की शिक्षा देने वाला [७। ४३, १२। १००], धर्माधर्म का ज्ञान देने वाला [१२। १०९—११३] जगत् के श्रेष्ठ व्यवहारों का साधक [१। २३] शास्त्र वेद ही को कहा है।

(ऊ) १२। ९४ में वेदों को पितृ-देव-मनुष्यों का 'चक्षु' (धर्म-अधर्म, ज्ञान-विज्ञान आदि का दर्शाने वाला) कहा है।

इनके अतिरिक्त और भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे, जिनमें मनु ने वेदों के कार्य या उद्देश्य को व्यापक माना है। अतः कुल्लूकभट्ट द्वारा केवल यज्ञ या ब्रह्म को ही वेदों का कार्य कहना मनु की धारणा के प्रतिकूल है।

(ख) मनुस्मृति उपनिषदों की भांति केवल आध्यात्मिक ग्रन्थ हीनहीं है जिसमें केवल यज्ञ और ब्रह्म का ही दिग्दर्शन कराया गया हो; अपितु समाज का विधान या धर्मशास्त्र भी है। यही कारण है कि मनुस्मृति में इनका वर्णन अङ्गीरूप में न होकर अंगरूप में है। १। १२५—१३४ [२। ६—१५] श्लोकों में मनु ने धर्म का निकास वेद से माना है। मनु का प्रमुख वचन है—**'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्'** १। १२५। यज्ञ और ब्रह्मप्राप्ति का इसके अन्दर स्वतः ही अन्तर्भाव हो जाता है, क्योंकि ये भी मनुष्यों के धर्म हैं। इस प्रकार कुल्लूकभट्ट का अर्थ मनुस्मृति-प्रतिपाद्य के अनुरूप नहीं है।

(ग) और यह अर्थ अप्रासंगिक भी है। १। २ में मनु से वर्णों और आश्रमों के धर्मों का प्रश्न है। श्लोकों की संगति ध्यान देने योग्य है—'आप वर्णों और आश्रमों के सब धर्मों को बतलाने में समर्थ हैं [१। २] तथा जगत् के विधानरूप वेदों के कर्त्तव्यरूप धर्मों को जानने वाले आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं [१। ३]। इस प्रकार जो यहां प्रश्न रूप में प्रष्टव्य है, उस के मनु वेदज्ञ होने से ज्ञाता हैं, और जिसके वे ज्ञाता हैं, वही उनसे प्रष्टव्य हो सकता है। वही मनुस्मृति में प्रतिपादित है। मनुस्मृति में धर्मों का प्रतिपादन है। उसी का प्रश्न है। उसी प्रश्न के उत्तर के मनु ज्ञाता हैं, इसी लिए उनसे वह प्रश्न किया गया है। स्मृति में मनु से प्रश्न तो धर्मों का किया है, जबकि

उन्हें विशेषज्ञ विद्वान् बताया जा रहा है केवल यज्ञों और ब्रह्म का! और मनुस्मृति में प्रतिपादन है मुख्य रूप से धर्मों का! यह विसंगति पूछे गये प्रश्न और आगे प्रतिपादित विषय की एकरूपता से ही दूर हो सकती है। वस्तुतः यहाँ मनु को 'वेदों के अर्थों का ज्ञाता और वेद के प्रतिपाद्य या वेद में विहित धर्मों का समझने वाला' कहना ही अभिप्रेत है। इसकी पुष्टि बारहवें अध्याय के १०८–११४ श्लोकों से भी हो जाती है, जिनमें वेदवेत्ता को ही धर्म का उपदेश करने का आदेश है, अन्य को नहीं। इसी योग्यता के कारण ही महर्षि लोग मनु के पास जिज्ञासा लेकर पहुंचे हैं। और उन्हीं धर्मों को समझने की योग्यता का वे वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार इस भाष्य में प्रस्तुत अर्थ अधिक संगत, युक्तियुक्त और मनुसम्मत है।

मनु का महर्षियों को उत्तर—

स तैः पृष्टस्तथा सम्यगमितौजा महात्मभिः।
प्रत्युवाचार्च्य तान्सर्वान्महर्षीञ्छ्रूयतामिति ॥ ४ ॥ (४)

(तैः) उन (महात्मभिः) महर्षि लोगों द्वारा (सम्यक्) भलीभांति श्रद्धासत्कारपूर्वक (तथा) उपर्युक्त प्रकार से (पृष्टः) पूछे जाने पर, (सः अमितौजाः) वह अत्यधिक ज्ञानसम्पन्न महर्षि मनु (तान् सर्वान् महर्षीन्) उन सब महर्षियों का (आर्च्य) यथाविधि सत्कार करके (श्रूयताम् इति) 'सुनिए' ऐसा (प्रत्युवाच) उत्तर में बोले ॥ ४ ॥

अनुशीलन : प्रथम चार श्लोकों की मौलिकता पर विचार— यद्यपि १–४ श्लोक मनुप्रोक्त श्लोकों की भांति मौलिक नहीं हैं, तथापि ये शैली, घटना और प्रश्न के आधार पर मौलिक ही स्वीकार किये गये हैं, क्योंकि भूमिका के रूप में इनका उल्लेख है। (१) मनुस्मृति की शैली से यह विदित होता है कि मनु के भावों (जो प्रवचन के रूप में थे) का संकलन भृगु या किसी अन्य शिष्य ने किया है। संकलयिता ने इन श्लोकों के द्वारा मनु के पास महर्षियों के आने की घटना और उनके प्रश्न का भूमिका के रूप में उल्लेख किया है। (२) घटना मौलिक है। (३) प्रश्न भी मौलिक है, अतः संकलन-शैली के अनुसार ये श्लोक मौलिक ही माने जायेंगे। जैसा कि कुछ टीकाकारों ने पांचवें श्लोक से मौलिक मनुस्मृति का प्रारम्भ माना है, उनका यह विचार भ्रान्तिपूर्ण है। मनुस्मृति संकलित शैली का ग्रन्थ है. इस दृष्टि से ये चारों श्लोक मौलिक संकलितरूप में ही हैं।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना भी उपयोगी होगा कि इस शैली के आधार पर टीकाकारों ने उन सभी श्लोकों को मौलिक मान लिया है जिनमें मनु के नामपूर्वक वर्णन है (**'महर्षिमनुना भृगुः'** १। ६० ॥ **'उक्तवान् मनुः'** १। ११८ ॥ **'मनुना परिकीर्तितः'** १। १२६ ॥ **मनुरब्रवीत्** ८। ३३६ ॥ आदि)। उनका कहना है कि मनु के भावों के आधार पर भृगु ने मनुस्मृति को रचा है, अतः इस प्रकार के श्लोक असंगत नहीं लगते। यह विचार भी भ्रान्तिपूर्ण है। क्योंकि, (१) मनुस्मृति मनु के भावों को लेकर रचा

ग्रन्थ नहीं है, अपितु मनु के भावों का यथावत् उसी शैली में संकलन है। (२) संकलन में मौलिक अंशों के बीच में संकलयिता की ओर से कोई बात नहीं कही जाती; अतः **मनूक्तवान्** आदि पद वाले श्लोक संकलयिता की ओर से कहे होने के कारण प्रक्षिप्त हैं, मौलिक नहीं। (३) १।४ में **'श्रूयताम्'** कहकर मनु उत्तर देना आरम्भ करते हैं। इस शैली से सिद्ध है कि इस श्लोक के बाद मनु के द्वारा कहे विचारों का उत्तमपुरुष की शैली के माध्यम से जो कथन है, वही मौलिक संकलन है, अन्य द्वारा नामोल्लेख-पूर्वक प्रदर्शित वर्णन प्रक्षिप्त है। अतः उन सभी श्लोकों को मूल संकलन से परवर्ती माना जाना चाहिए जो उत्तमपुरुष की शैली में नहीं हैं।

(जगदुत्पत्ति-विषय)

[१।५ से १०७, १४४]

उत्पत्ति से पूर्व जगत् की स्थिति—

आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्।
अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः॥ ५॥ (५)

(इदम्) यह सब जगत् (तमोभूतम्) सृष्टि के पहले प्रलय में अन्धकार से आवृत=आच्छादित था।.....उस समय (अविज्ञेयम्) न किसी के जानने (अप्रतर्क्यम्) न तर्क में लाने और (अलक्षणम् अप्रज्ञातम्) न प्रसिद्ध चिह्नों से युक्त इन्द्रियों से जानने योग्य था और न होगा। किन्तु वर्त्तमान में जाना जाता है और प्रसिद्ध चिह्नों से युक्त जानने के योग्य होता और यथावत् उपलब्ध है। (स० प्र० २१३)

(सर्वतः) सब ओर (प्रसुप्तम् इव) सोया हुआ-सा पड़ा था॥५॥

अनुशीलन : मनुस्मृति के प्रश्न और उत्तर की संगति—प्रायः सभी टीकाकारों ने यहाँ यह शंका उठायी है कि महर्षियों ने धर्मविषयक प्रश्न किया था। [१।२] किन्तु मनु ने सृष्ट्युत्पत्ति का वर्णन अप्रासंगिक रूप से क्यों किया? कुछ आलोचकों ने इस वर्णन को अप्रासंगिक के साथ-साथ विशृंखलित भी माना है और कुछ अनुसन्धाताओं ने इसे प्रक्षिप्त ही घोषित कर डाला। वस्तुतः यह वर्णन न तो अप्रासंगिक है, न विशृंखलित और न प्रक्षिप्त। आलोचकों ने इस वर्णन को उक्त आरोपों से मढ़कर भूल की है। मनुस्मृति की शैली को पहचानने के पश्चात् यह निश्चित हो जाता है कि यह वर्णन प्रासंगिक, शृङ्खलाबद्ध एवं मौलिक है। इसकी सिद्धि में निम्न युक्तियाँ एवं प्रमाण हैं—

(१) मनुस्मृति की शैली—मनुस्मृति कुछ प्रमुख विषयों में विभाजित है और इसकी यह शैली है कि जब कोई भी विषय प्रारम्भ होता है तो उसके प्रारम्भ, अन्त अथवा दोनों स्थानों पर उसका संकेत होता है। यहाँ भी **'अस्य सर्वस्य'** [१।३] पदों

से अगले [१।५] वक्ष्यमाण विषय के प्रारम्भ का संकेत किया और अन्त में १।१४८ [२।२५] में 'संभवश्चास्य सर्वस्य' कहकर इस विषय का समापन संकेत भी दिया है। उसी श्लोक में फिर साथ ही अगले विषय का संकेत भी है। इस प्रकार इस विषय का प्रारम्भ और समापन का संकेत मनु ने स्वयं ही दे दिया है, और इस तरह यह विषय पृष्ट प्रश्न से और अगले विषय से शृङ्खलाबत् जुड़ा हुआ है। इस स्थिति में इसे अप्रासंगिक या विशृङ्खलित नहीं कहा जा सकता। जिन आलोचकों ने इसे प्रक्षिप्त कहा है वे मनु की शैली को नहीं पकड़ पाये।

(२) शैली के आधार पर इस प्रसङ्ग के व्यवस्थित और प्रासंगिक सिद्ध हो जाने के पश्चात् अब यहाँ प्रश्न उठता है कि आलोचकों अथवा टीकाकारों को इस प्रसङ्ग को अप्रासंगिक, विशृङ्खलित एवं प्रक्षिप्त कह देने की भ्रान्ति कैसे हुई? और मनु ने ऋषियों द्वारा धर्मों की जिज्ञासा प्रस्तुत करने पर सृष्ट्युत्पत्ति का वर्णन क्यों प्रारम्भ किया? इसके उत्तर में निम्न स्पष्टीकरण दिये जा सकते हैं—

(क) मनु ने प्रश्न के अनुसार ही उत्तर के विषय को चुना है और यह वर्णन २-३ श्लोकों के प्रश्न में निहित अवान्तर जिज्ञासाओं के समाधान के लिए प्रारम्भ किया गया है, जो पूर्णतः व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध है। टीकाकारों द्वारा प्रश्न-वर्णन करने वाले २-३ श्लोकों का सही और संगत अर्थ न समझने के कारण ही यह भ्रान्ति और शङ्का उत्पन्न हुई है।

टीकाकारों ने द्वितीय श्लोक को तो एकमात्र स्वतन्त्र प्रश्न माना है और तृतीय श्लोक को स्वतन्त्र प्रशंसा-वाक्य। संगति की दृष्टि से दोनों को असम्बद्ध रखते हुए उन्होंने इनका अर्थ निम्न प्रकार किया है—

द्वितीय श्लोक—"हे भगवन्! ब्राह्मणादि चतुर्वर्णों और 'अम्बष्ठ' आदि अनुलोमज, 'सूत' आदि प्रतिलोमज तथा 'भूर्जकण्टक' आदि संकीर्ण जातियों के यथोचित धर्मों को क्रमशः कहने के लिये आप योग्य हैं (इसलिये उनको कहिये)।"

तृतीय श्लोक—"क्योंकि हे प्रभो! एक आप ही सम्पूर्ण अपौरुषेय, अचिन्त्य तथा अप्रमेय वेद के अग्निष्टोम आदि यज्ञकार्य के और ब्रह्म के जानने वाले हैं।"

टीकाकारों द्वारा ऊपर प्रदर्शित अर्थ करने से यहां विषय-वर्णन की सङ्गति का क्रम नहीं बन पाता। द्वितीय श्लोक में मनु से प्रश्न तो धर्मों के विषय में है और तृतीय श्लोक में उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें विद्वान् बताया जा रहा है—वेद में विहित अग्निष्टोम आदि यज्ञों का और ब्रह्म का। जबकि सङ्गत बात तो तभी मानी जा सकती है जब जिस विषय का प्रश्न किया हो, उस समय उसी विषय में उसकी विद्वत्ता की प्रशंसा की जाये। यह क्या कि मनु से प्रश्न किसी अन्य विषय का किया जा रहा है और उनको विद्वान् किसी अन्य विषय का बताया जा रहा है!

(ख) इसी प्रकार एक त्रुटि यह हुई कि तृतीय श्लोक के 'अस्य सर्वस्य' सर्वनामों

को वेदों का विशेषण मानकर अर्थ किया है, जबकि ये 'जगत्' अर्थ के संकेत देने वाले हैं।

वस्तुतः ये दोनों ही श्लोक सम्बद्ध और एकवाक्यात्मक हैं। तृतीय श्लोक, द्वितीय श्लोक के वाक्य का पूरकवाक्य है। उनमें द्वितीय श्लोक में किये गये प्रश्न के सन्दर्भ में कारणपूर्वक मनु की प्रशंसा है कि 'हम आपके पास ही जिज्ञासा लेकर आये हैं।' तृतीय श्लोक में जाकर यह वाक्य पूर्ण होता है—'क्योंकि आप ही इस विषय के एकमात्र विशिष्ट विद्वान् हैं।' फिर चतुर्थ-पञ्चम श्लोकों से मनु जो उत्तर देना शुरू करते हैं, उसका चुनाव उन्होंने इन्हीं श्लोकों के **'अस्य सर्वस्य'** पदों के अनुसार ही किया है। इन श्लोकों का अर्थ इस प्रकार करना चाहिए—

"हे भगवन्! आप सब वर्णों एवं आश्रमों के धर्मों को ठीक-ठीक और क्रमशः बतलाने में समर्थ हैं, क्योंकि, हे प्रभो! इस जगत् के विधानरूप अपौरुषेय, अचिन्त्य और अपरिमितज्ञानयुक्त वेदों के प्रतिपाद्य अथवा व्यावहारिक तत्त्व अर्थात् धर्मों और वेदार्थों के ज्ञाता एकमात्र आप ही हैं। (अतः हमें वर्णों एवं आश्रमों के धर्मों का प्रवचन कीजिए)।" इस प्रकार वेदों में जिन बातों को धर्म बतलाया है, उनको या वेदों में विहित धर्मों को जानने वाले विशिष्ट विद्वान् मनु हैं। अथवा वेदों का प्रतिपाद्य धर्म भी है, यतोहि १।१२५, १३१ [२।६, १२] श्लोकों में धर्म का मूलस्रोत वेद को ही माना है, इसलिए भी मनु इस विषय के विद्वान् हैं। इसी विषय का मनु को प्रवचन करना है और इसी विषय में उनसे प्रश्न किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि जो पृष्ट-विषय है, उसी के सन्दर्भ में मनु की प्रशंसा है, जो प्रशंसित एवं पृष्ट-विषय है उसी का मनुस्मृति में प्रतिपादन है, यह सुसंगति बन जाती है।

(ग) इन श्लोकों में संक्षेप में मनु से यह कहा है कि 'इस जगत् के विधानरूप अपौरुषेय वेदों के धर्मों को जानने वाले आप हैं, अतः हमें वर्णों एवं आश्रमों के धर्मों को कहिए।' मनु ने श्लोकों में अन्तर्निहित जिज्ञासाओं के अनुसार ही अपने उत्तर को प्रारम्भ किया—'यह जगत्, जिसके लिए वेदों को विधानरूप में रचा, इसकी क्या स्थिति है? [१।५–८७], वेद जगत् के विधानरूप कैसे हैं? क्योंकि वे ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं से कर्मों, नामों का विभाजन तथा निर्धारण किया गया है [१।२१, २३, ८७—९१] वेदों से धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है और यह धर्म किन लक्षणों वाला है? [१।१२०—१४४ या २।१—२५]' इस प्रकार तृतीय श्लोक से उद्भावित होने वाली जिज्ञासाओं का १।१४४ [२।२५] तक कथन करके फिर द्वितीय श्लोक के मुख्य प्रश्न 'धर्मों के वर्णन' पर आते हैं और १।१४४ [२।२५] में **'वर्णधर्मान् निबोधत'** कहकर उनका वर्णन शुरू करते हैं। इस प्रकार तृतीय श्लोक के असंगत अर्थ के कारण इस वर्णन को अप्रासङ्गिक कहने की भ्रान्ति हुई है। (विस्तृत जानकारी के लिए १।३ श्लोक पर 'अनुशीलन' नामक समीक्षा देखिए)।

(३) १।५ से १।१४४ (अन्य संस्करणों के अनुसार २।२५) श्लोकों का यह वर्णन मनुस्मृति की भूमिका-रूप है। और जिस प्रकार भूमिका में लेखक अपने विषय

से सम्बद्ध सभी आवश्यक संभावित बातों की जानकारी दिया करता है, इसी प्रकार मनु ने धर्मों से सम्बद्ध सभी आवश्यक संभावित जिज्ञासाओं के समाधान के लिए इस वर्णन को प्रारम्भ किया है। विषय की दृष्टि से यह आवश्यक भी था। मनु ने इस वर्णन में जिन बातों का संक्षेप में वर्णन किया है, धर्मों का अध्ययन करते समय वे शङ्काएं सभी के मन में उठती स्वाभाविक हैं, अतः भूमिका के वर्णन में, मनु ने पहले ही उनके विषय में अपना मत प्रकट कर दिया है। जैसे—मनुस्मृति में जिन धर्मों का वर्णन किया जा रहा है उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? [१।१२९ या २।१०] उस धर्म का क्या लक्षण है? [१।१२५, १३१ या २।६, १२] जिस जगत् में धर्म की आवश्यकता है उसकी क्या स्थिति है? उसमें कर्मानुसार जीवों की गतियाँ किस प्रकार हैं? [१।५-८७, १।४२-५०] जिससे व्यक्ति धर्म के प्रति प्रेरित हो सके। धर्मोत्पत्ति जगदाश्रित है, इसलिए धर्मोत्पत्ति से पूर्व जगदुत्पत्ति का वर्णन है। वेदों को धर्म का स्रोत इसलिए माना है क्योंकि वे अपौरुषेय हैं [१।२१-२३]। इस जगत् का उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयकर्त्ता सर्वशक्तिमान् परमात्मा है, वही वेदों और वेदों के द्वारा धर्मों का विधान करने वाला है, अतः उस ईश्वर द्वारा विहित धर्मों का मनुष्यों को पालन करना चाहिए, इत्यादि बातों की जानकारी के लिए ही मनु जी ने यह वर्णन भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया है। संध्या के मन्त्रों में 'ऋतञ्च सत्यञ्च' आदि तीन मन्त्र हैं, उनको वेदोत्पत्ति, भाववृत्त अर्थात् सृष्टि-उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का वर्णन करने वाला कहा गया है, एवं इन मन्त्रों को 'अघमर्षण' अर्थात् पाप दूरीकरणार्थ कहा जाता है। क्योंकि धर्माचरण से अधर्म की निवृत्ति होती है। अतः मनुस्मृति में कथित ये श्लोक अप्रासङ्गिक नहीं हैं। अघमर्षण मन्त्रों में वेद की उत्पत्ति ईश्वर से बताई है।

(४) **मनुस्मृति की साङ्गोपाङ्ग शैली**—मनु ने साङ्गोपाङ्ग शैली अपनायी है। प्राचीन शास्त्रों में इस शैली का प्रचलन था यथा—**'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' 'जन्माद्यस्य यतः'** (वेदान्त १।१–२)। इस शैली की यह पद्धति है कि सबसे महान् तत्त्व परमेश्वर के वर्णन को प्रारम्भ करके क्रमानुसार अपने विषय पर लाया जाता है। इससे दो बातों का संकेत मिलता है कि उस शास्त्र का चरमप्रयोजन ब्रह्मतत्त्व को प्राप्त करना है और उस विषय का उस परम तत्त्व से सम्बन्ध है। इसी प्रकार मनुस्मृति में भी धर्मों का सम्बन्ध ईश्वर से दर्शाया है, क्योंकि धर्म वेदों के माध्यम से ईश्वर द्वारा निर्दिष्ट हैं, और इन धर्मों का पालन करके मोक्षप्राप्ति या आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाना इन शास्त्रों का चरम-उद्देश्य है। जैसे कहा भी है—**"ब्राह्मीयं क्रियते तनुः** [२।२६ या इस संस्करण में २।१]।

जगदुत्पत्ति और उसका क्रम—

ततः स्वयम्भूर्भगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्।
महाभूतादिवृत्तौजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः॥ ६॥ (६)

(ततः) तब (स्वयम्भूः) अपने कार्यों को करने में स्वयं समर्थ, किसी

दूसरे की सहायता की अपेक्षा न रखने वाला (अव्यक्तः) स्थूल रूप में प्रकट न होने वाला (तमोनुदः) 'तम' रूप प्रकृति का प्रेरक = प्रकटावस्था की ओर उन्मुख करने वाला (महाभूतादि वृत्तौजाः) अग्नि, वायु आदि महाभूतों को, 'आदि' शब्द से महत् अहङ्कार आदि को भी [१।१४-१५] उत्पन्न करने की महान् शक्ति वाला (भगवान्) परमात्मा (इदम्) इस समस्त संसार को (व्यञ्जयन्) प्रकटावस्था में लाते हुए ही (प्रादुरासीत्) प्रकट हुआ ॥ ६ ॥ +

अनुशीलन : (१) **स्वयम्भू का सही अर्थ**—यहां कुल्लूकभट्ट आदि टीकाकारों ने 'स्वयम्भूः' का अर्थ 'स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाला' (स्वेच्छया शरीरपरिग्रहं करोति) यह विरुद्ध अर्थ किया है। इसी श्लोक में परमात्मा के लिए 'अव्यक्तः' विशेषण प्रयुक्त है, जिसका अर्थ है—'जो कभी स्थूल रूप में प्रकट नहीं होता।' इससे स्पष्ट है कि परमात्मा सदा सूक्ष्म रूप में ही रहता है, कभी शरीरधारण नहीं करता। इसके विरुद्ध होने से कुल्लूक का उक्त अर्थ अमान्य है।

इस प्रसङ्ग में महर्षि दयानन्द द्वारा प्रदत्त 'स्वयम्भू' शब्द की व्युत्पत्ति उल्लेखनीय है—"(भू सत्तायाम्) 'स्वयम्' पूर्वक इस धातु से 'स्वयम्भू' शब्द सिद्ध होता है। 'यः स्वयं भवति स स्वयंभूरीश्वरः' जो आप से आप ही है, किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ है, इससे उस परमात्मा का नाम "स्वयम्भू' है।" (स० प्र० प्र० समु०) प्रमाण रूप में इसी श्लोक की समीक्षा में वेदमन्त्र 'घ' भाग देखिए।

(२) **परमात्मा की प्रकटता से अभिप्राय**—परमात्मा के प्रकट होने से भी यहां तात्पर्य 'जगत् को प्रकटावस्था में लाते हुए ही प्रकट होने' से है। इसी भाव की ओर इंगित करने के लिए ही मनु ने **'व्यञ्जयन् इदम्'** पाठ का प्रयोग किया है। यदि मनु को स्वतन्त्र रूप से अथवा बिना जगत् की प्रकटता के ही परमात्मा की प्रकटता अभीष्ट होती तो वे परमात्मा की प्रकटता के साथ जगत् की व्यक्तता वर्णित नहीं करते, अपितु पहले स्वतन्त्र रूप से परमात्मा की उत्पत्ति दर्शाते, परमात्मा की उत्पत्ति के बाद फिर जगत् की उत्पत्ति का वर्णन करते। जगत् की प्रकटता को देखकर ही परमात्मा की सत्ता प्रतीत होती है। जगत् को प्रकटावस्था में लाना ही परमात्मा की प्रकटता या उत्पत्ति है, जगत् को प्रलयावस्था में लाना उसकी अप्रकटता है। १।५२—५४ श्लोकों में परमात्मा की इन्हीं अवस्थाओं को क्रमशः 'जाग्रत्' और 'सुषुप्ति' कहा है। इन श्लोकों से उक्त बातों की पुष्टि भलीभांति हो जाती है। अतः इस श्लोक में किसी शरीरधारी के रूप में परमात्मा की उत्पत्ति प्रदर्शित करना, अशुद्ध एवं मनुस्मृति के विरुद्ध है।

+ [प्रचलित अर्थ—तब स्वयम्भू (स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले), अव्यक्त = इन्द्रियों के अगोचर (नेत्र आदि इन्द्रियों से नहीं किन्तु योग से प्रत्यक्ष होने योग्य), अपरिमित सामर्थ्य वाले और अन्धकार दूर करने वाले (प्रकृति प्रेरक), भगवान् आकाश आदि महाभूतों को व्यक्त करते हुए प्रकट हुए ॥ ६ ॥]

(३) **सृष्ट्युत्पत्ति विषयक वेदमन्त्रों के प्रमाण**—नीचे प्रमाण रूप में वेदों के सृष्ट्युत्पत्ति एवं पुरुषसूक्त के कुछ ऐसे मन्त्र उद्धृत किये जा रहे हैं, जिनसे सृष्ट्युत्पत्ति विषय पर प्रकाश पड़ता है। इनमें परमेश्वर को निराकार, अजन्मा आदि दर्शाया गया है। मनु ने इन्हीं भावों को १।५—६ श्लोकों में संकलित किया है—

(क) "**तम आसीत् तमसा गूढमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्।**
तुच्छ्येनाभ्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिना जायतैकम्॥

(ऋ० १०।१२९।३)

यह सब जगत् सृष्टि से पहिले अन्धकार से आवृत, रात्रिरूप में जानने के अयोग्य आकाशरूप सब जगत् तथा तुच्छ अर्थात् अनन्त परमेश्वर के एकदेशी आच्छादित था, पश्चात् परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से कारणरूप से कार्यरूप कर दिया॥"

(स० प्र० २०७)

(ख) "**नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्।**
किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरम्॥

(ऋ० १०।१२९।१)

(नासदासीत्) जब यह कार्यसृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी तब एक सर्वशक्तिमान् परमेश्वर और दूसरा जगत् का कारण अर्थात् जगत् बनाने की सामग्री विराजमान थी, उस समय (असत्) शून्यनाम आकाश अर्थात् जो नेत्रों से देखने में नहीं आता सो भी नहीं था, क्योंकि उस समय उसका व्यवहार नहीं था (नो सदासीत् तदानीं०) उस काल में सत् अर्थात् सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण मिलाके जो प्रधान कहाता है, वह भी नहीं था (नासीद्रजः) उस समय परमाणु भी नहीं थे तथा (नो व्योमा०) विराट् अर्थात् जो सब स्थूल जगत् के निवास का स्थान है सो भी नहीं था (किमाव०) जो यह वर्त्तमान जगत् है, वह भी शुद्ध ब्रह्म को नहीं ढक सकता जैसे कोहरा का जल पृथिवी को नहीं ढक सकता। उस जल से नदी में प्रवाह नहीं चल सकता, और न कभी वह गहरा और उथला हो सकता है। इससे क्या जाना जाता है कि परमेश्वर अनन्त है और जो यह उसका बनाया जगत् है सो ईश्वर की अपेक्षा से कुछ भी नहीं है।"

(ऋ० भू० ११७)

(ग) "**प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते।**"

(यजु० ३१।१९)

जो प्रजा का पति अर्थात् सब जगत् का स्वामी है वही जड़ और चेतन के भीतर और बाहर अन्तर्यामी रूप से सर्वत्र व्याप्त हो रहा है, जो सब जगत् को उत्पन्न करके अपने आप सदा अजन्मा रहता है।" (ऋ० भू० १३३)

(घ) निम्न वेद-मन्त्र में परमेश्वर को 'स्वयम्भू' विशेषण से अभिहित करते

हुए सूक्ष्म, अन्तर्यामी, शरीररहित, जन्म-मरण रहित और सृष्टि तथा वेदार्थों का प्रकाशक कहा है—

स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् ।
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥
(यजु० ४० । ८)

(ङ) **"हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।**
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥
(ऋ० १० । १२१ । १)

हे मनुष्यो ! जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का आधार और जो यह जगत् हुआ है और होगा, उसका एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत् की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था और जिसने पृथिवी से लेके सूर्य्यपर्यन्त जगत् को उत्पन्न किया है।"
(स० प्र० २०७)

(च) **"पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् ।**
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ (यजु० ३१ । २)

(पुरुष एवे०) जो पूर्वोक्त विशेषणसहित पुरुष अर्थात् परमेश्वर है, सो जो जगत् उत्पन्न हुआ था जो होगा और जो इस समय में है, इस तीन प्रकार के जगत् को वही रचता है, उससे भिन्न दूसरा कोई जगत् का रचने वाला नहीं है, क्योंकि वह (ईशान) अर्थात् सर्वशक्तिमान् है (अमृत) जो मोक्ष है उसका देने वाला एक वही है, दूसरा कोई नहीं; सो परमेश्वर (अन्न) अर्थात् पृथिव्यादि जगत् के साथ व्यापक होके स्थित है और इससे अलग भी है क्योंकि उसमें जन्म आदि व्यवहार नहीं हैं और अपने सामर्थ्य से सब जगत् का उत्पन्न भी करता है और आप कभी जन्म नहीं लेता।"
(ऋ० भू० १२०)

(छ) **"तस्य त्वष्टा विदधद् रूपमेति ।"** (यजु० ३१ । १७)

जब जगत् उत्पन्न नहीं हुआ था तब वह ईश्वर के सामर्थ्य में कारणरूप से वर्तमान था। जब-जब ईश्वर अपने सामर्थ्य से इस कार्यरूप जगत् को रचता है, तब-तब कार्यजगत् रूप गुणवाला होके स्थूल बनके देखने में आता है।" (ऋ० भू० १३१)

ईश्वर की उत्पत्ति—

योऽसावतीन्द्रियग्राह्यः सूक्ष्मोऽव्यक्तः सनातनः ।
सर्वभूतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयमुद्बभौ ॥ ७ ॥

(यः असौ) जो यह (अतीन्द्रियग्राह्यः) आत्मा के द्वारा अनुभव किया जा सकने वाला (सूक्ष्मः) सूक्ष्मरूप (अव्यक्तः) अव्यक्त (सनातनः) नित्य (सर्वभूतमयः) सब प्राणियों का आश्रयस्थान और (अचिन्त्यः) चिंतन द्वारा पार न पाया जा सकने वाला है (स एव) वही (स्वयम्) पहले स्वयं (उद्बभौ) प्रकट हुआ ॥ ७ ॥

अप्-तत्त्व की सर्वप्रथम उत्पत्ति—

सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात्ससृक्षुर्विविधाः प्रजाः ।
अप एव ससर्जाऽऽदौ तासु बीजमवासृजत् ॥ ८ ॥

(स्वात् शरीरात्) अपने शरीर=प्रकृति से (विविधाः प्रजाः) अनेक प्रकार की प्रजाओं को (सिसृक्षुः) सृष्टि करने की इच्छा वाले (सः) उस परमात्मा ने (अभिध्याय) ध्यान करके (आदौ) पहले (अपः एव) अप्-तत्त्व को ही (ससर्ज) रचा, और फिर (तासु) उन अप्तत्त्वों में (बीजम्) शक्तिरूपी बीज को (अवासृजत्) छोड़ा ॥ ८ ॥

ब्रह्मा की उत्पत्ति—

तदण्डमभवद्धैमं सहस्रांशुसमप्रभम् ।
तस्मिञ्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः ॥ ९ ॥

(तत्) फिर वह बीज (सहस्रांशुसमप्रभम्) हजारों सूर्यों की ज्योति के समान (हैमम् अण्डम्) सुनहरी अण्डे के रूप में (अभवत्) परिणत हो गया (तस्मिन्) फिर उसमें (सर्वलोकपितामहः) सब लोगों के पितामह के समान (ब्रह्मा) ब्रह्मा (स्वयम्) अपने आप (जज्ञे) उत्पन्न हुए ॥ ९ ॥

'नारायण' शब्द की निरुक्ति—

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ।
ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥ १० ॥

(आपः नारा इति प्रोक्ताः) जल और जीवों का नाम नारा है॰ (ताः)वे+(अयनं यत्+अस्य) अयन अर्थात् निवासस्थान हैं जिसका (तेन नारायणः स्मृतः) इसलिये सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम 'नारायण' है ॥१०॥ (स० प्र० १९)

॰ (वै) क्योंकि (आपः) अप् नामक प्रकृति की प्रथम विक्षोभावस्था अथवा जीव (नरसूनवः) परमात्मा से उत्पत्ति=जन्मादि धारण करते हैं।

\+ (पूर्वम्) सर्वप्रथम।

ब्रह्मा के स्वरूप का कथन—

यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम् ।
तद्विसृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीर्त्यते ॥ ११ ॥

(यत् तत्) जो वह उपर्युक्त (कारणम्) सृष्टि का कारण (नित्यम्) नित्य (अव्यक्तम्) अव्यक्त (सद्-असद्+आत्मकम्) सत्-असत् स्वरूप परमात्मा है (तद्+विसृष्टः) उससे उत्पन्न (पुरुषः) पुरुष (लोके) लोक में (ब्रह्मा+इति) 'ब्रह्मा' इस नाम से (कीर्त्यते) पुकारा जाता है ॥ ११ ॥

अण्डे के दो खण्ड करना—

तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम् ।
स्वयमेवाऽऽत्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद्द्विधा ॥ १२ ॥

(तस्मिन्+अण्डे) उस अण्डे [१।९] में (परिवत्सरम्) एक वर्ष तक=ब्रह्मा

के वर्षप्रमाण के अनुसार ३६० ब्राह्मदिन तक (उषित्वा) निवास करके (सः भगवान्) उस भगवान् ने (स्वयम्+एव+आत्मनः ध्यानात्) स्वयं ही अपने ध्यान से (तत्+अण्डम्) उस अण्डे को (द्विधा+अकरोत्) दो टुकड़ों में कर दिया ॥ १२ ॥

अण्ड-खण्डों से लोकों की रचना—

ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिवं भूमिं च निर्ममे ।
मध्ये व्योम दिशश्चाष्टावपां स्थानं च शाश्वतम् ॥ १३ ॥

(च) और (सः) उस ब्रह्मा ने (ताभ्यां शकलाभ्याम्) उन दोनों टुकड़ों से (दिवं भूमिं च) द्युलोक और पृथिवीलोक की (च) और (मध्ये) बीच में (व्योमः दिशः च अष्टौ) आकाश और आठों दिशाओं की (च) तथा (अपां शाश्वतं स्थानम्) जलों के नित्य स्थान—समुद्रों की (निर्ममे) रचना की ॥ १३ ॥

अनुशीलन : ७ से १३ श्लोकों का यह प्रसङ्ग एक भिन्न प्रसङ्ग के रूप में वर्णित है और यह मौलिक न होकर प्रक्षिप्त है। निम्न 'आधारों' की कसौटी पर यह प्रक्षिप्त सिद्ध होता है—

१. **शैलीगत आधार**—(१) मनुस्मृति में सृष्टि-उत्पत्ति का वर्णन एक निश्चित और संक्षिप्त शैली से हुआ है। यह देखने में आया है कि मनु जहाँ भी कहीं सृष्ट्युत्पत्ति का प्रारम्भ अथवा प्रलय दर्शाते हैं, वहां वे सीधे मन=महत्तत्त्व की ही उत्पत्ति और विलय का उल्लेख करते हैं, यथा—(क) प्रलयदशा के अनन्तर सृष्ट्युत्पत्ति के लिए प्रवृत्त होता हुआ परमात्मा—**'सृजतिमनः सवात्मकम्'** [१।७४] **'मनः सृष्टिं विकुरुते चोद्यमानं सिसृक्षया'** [१।७५] (ख) प्रलयदशा आने पर भी सीधे मन का उल्लेख है—**'तस्मिन् स्वपिति सुस्थे तु कर्मात्मानः शरीरिणः। स्वकर्मभ्यो निवर्तन्ते मनश्च ग्लानिमृच्छति'** ॥ [१।५३] इसी प्रकार इस प्रसंग में भी मनु की वर्णनशैली की पद्धति के अनुसार परमात्मा के सृष्टिरचना में प्रवृत्त होने के बाद, मन=महत् का ही सर्वप्रथम उल्लेख है [१।६, १४]। इन बातों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि मनु की वर्णनशैली के अनुसार यहाँ छठे श्लोक में परमात्मा की प्रकटता के पश्चात् सर्वप्रथम मन की उत्पत्ति दर्शाने वाला चौदहवां श्लोक ही होना चाहिए। बीच के ये श्लोक अप्रासंगिक रूप से ब्रह्मा, द्युलोक आदि की उत्पत्ति का वर्णन कर रहे हैं, अतः मनु की वर्णनशैली के अनुरूप न होने से प्रक्षिप्त हैं। (२) इन श्लोकों की भाषाशैली भी यह स्पष्ट करती है कि ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं—(क) छठे श्लोक में स्वाभाविक क्रम से और साधारण ढंग से परमात्मा की उत्पत्ति कह दी है, और फिर इसके बाद आनेवाला वर्ण्य विषय इसी क्रम और शैली से १४ वें श्लोक से प्रारम्भ होता है। बीच में **'योऽसौ'** [१।७]—'जो यह परमात्मा·····वह ही पहले स्वयं उत्पन्न हुआ'—**'स एव स्वयमुद्बभौ'** (१।७) कहकर पुनः परमात्मा की उत्पत्ति बतलाने का प्रसंग प्रारम्भ करके उसमें ब्रह्मा की उत्पत्ति का कथन करना यह सिद्ध करता है कि प्रचलित प्रसंग को तोड़कर **'योऽसौ'** के द्वारा एक नये भिन्न प्रसंग की रचना की गई है, और उसे यहां क्षेपक के रूप में बलात् डाल दिया है। **'स एव स्वयमुद्बभौ'** वाक्यखण्ड की रचना

ही यह स्पष्ट करती है कि इसके मूल में किसी भिन्न कल्पना या प्रसंग को प्रारम्भ करने की आग्रहबद्धता है। अन्यथा छठे श्लोक में इसी अभिप्राय का कथन हो चुकने पर पुनः उसी भाव को इतने आग्रह के साथ कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। सातवें श्लोक के इस भाव के प्रसंग का अगले श्लोकों में 'सः' [१।८] 'तत्' [१।९] 'ताः' [१।१०] 'यत्तत्' [१।११] 'तस्मिन्' [१।१२] 'ताभ्याम्' [१।१३] आदि सर्वनामों के द्वारा विस्तार किया गया है, लेकिन १४ वें श्लोक से यह सम्बन्ध टूट-सा जाता है, जिससे यह लगता है कि इन श्लोकों का यह एक भिन्न प्रसंग है, जिसका न तो छठे श्लोक से प्रवाह जुड़ता है और न १४ वें से। यदि यह मौलिक क्रम होता तो १।७ में **'योऽसौ'** कहकर पूर्वश्लोक के भाव को पुनः और नये ढंग से कहने की आवश्यकता नहीं थी, अपितु 'तत्' या 'सः' पदों के द्वारा उसी प्रवाहक्रम में जुड़ा होता, जैसे सातवें श्लोक से ८—१३ श्लोक एक प्रवाहक्रम में जुड़े हैं। यह भाषाशैली की प्रवाहभङ्गता इस प्रसंग को प्रक्षिप्त सिद्ध करती है। (ख) १४ वें श्लोक की प्रथम पंक्ति की शब्दावली तो अत्यन्त स्पष्ट रूप से ७–१३ श्लोकों के प्रसंग को प्रक्षिप्त सिद्ध कर रही है तथा यह संकेत दे रही है कि १४ वें श्लोक का छठे से प्रसंग जुड़ता है, तेरहवें से नहीं। वह है—**"उद्बबर्ह आत्मनश्चैव मनः'** अर्थात् फिर परमात्मा ने स्वाश्रय से महत् को उत्पन्न किया। यहां **'च'** **'एव'** प्रसंगसंयोजक अव्यय हैं। इस अर्थ से यह स्पष्ट हुआ कि इस श्लोक से पूर्व प्रकृतिप्रेरक परमात्मा की उत्पत्ति का वर्णन होना चाहिए, फिर **"आत्मनश्चैव मनः"** और प्रकृति के बाद मन=महत् की उत्पत्ति हुई। १३ वें श्लोक में पृथिवी, द्युलोक आदि का वर्णन है, अतः उसके बाद **"आत्मनः च एव"** का प्रयोग संगत ही नहीं होता। इस प्रकार छठे श्लोक के बाद १४ वां होना चाहिए, बीच के ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं। (ग) छठे श्लोक में परमात्मा के लिये **'इदं महाभूतादिव्यञ्जयन्'** इन महाभूत आदि तत्त्वों को उत्पन्न करते हुए पठित है, जो यह संकेत देता है कि मनु को परमात्मा द्वारा ब्रह्मा की उत्पत्ति अभीष्ट नहीं है, या वे अग्रिम प्रसङ्ग में ब्रह्मा आदि अन्य किसी की उत्पत्ति का वर्णन नहीं दिखाना चाहते, अपितु महत् महाभूत आदि तत्त्वों की उत्पत्ति और उन्हीं का वर्णन [illegible] चाहते हैं। इसके द्वारा [illegible] अग्रिम [illegible]

[illegible] अयुक्तियुक्त है और उनमें अव्याप्ति दोष है, यदि अण्डे की कल्पना द्वारा उसके दो टुकड़ों से द्युलोक, पृथिवी और समुद्र की रचना मानी जाये, तो अनेक प्रश्न उठेंगे, कि जब अण्डे का निर्माण हुआ तो क्या संसार के प्रत्येक स्थान में वह अण्डा व्याप्त था अथवा कुछ स्थान को घेरे था? यदि सम्पूर्णरूप से व्याप्त था तो टुकड़े होने पर इतना आकाश का स्थान कैसे निकल आया? और यदि कुछ स्थान को घेरे था, तो बाकी स्थान में क्या था? यदि वहाँ आकाश था, तो अण्डे के टुकड़े करने के बाद आकाश का निर्माण क्या? यह कैसे हुआ कि अण्डे के एक टुकड़े से तो केवल पृथिवी बनी और शेष

एकटुकड़े से सारे सूर्य-चन्द्र आदि ग्रह बने जबकि सूर्य पृथिवी से बहुत बड़ा है। शेष ग्रह, पर्वत आदि ब्रह्माण्ड की चीजें कैसे, किससे बनीं; यह बताया ही नहीं। दिशाएँ कोई पृथक् वस्तुविशेष नहीं हैं, जिनका निर्माण करना पड़े। इस प्रकार अण्डे की प्रक्रिया से सृष्टिरचना की कल्पना अयुक्तियुक्त है, जो मनुसदृश विशेषज्ञ विद्वान् के वर्णन में स्थान नहीं पा सकती।

२. **पुनरुक्ति**—शब्दों एवं भावों की दृष्टि से पुनरुक्ति मात्र है। छठे श्लोक के भाव को सातवें श्लोक में कुछ नये विशेषणों को साथ जोड़कर पूर्ववत् कह दिया है, जिससे कोई नया अर्थ व्यक्त नहीं होता। पूर्व श्लोक में "**ततः स्वयम्भू**..... **अव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्**.....**प्रादुरासीत्**" (तब उत्पन्न होने में स्वयं समर्थ परमात्मा इस संसार को प्रकट करते हुए प्रकट हुआ) कहा गया है। सातवें श्लोक में भी परमात्मा के उत्पन्न होने की बात कही है। शब्दों की पुनरावृत्ति भी—'**अव्यक्तः**' की ज्यों की त्यों, '**स्वयम्भूः प्रादुरासीत्**' की '**स एव स्वयमुद्बभौ**' के रूप में है। स्पष्ट है कि एक नया प्रसङ्ग रचने के लिए "**योऽसौ**" कहकर पुनः भूमिका बनायी गयी है, जिससे ब्रह्मा की उत्पत्ति कही जा सके। इस प्रकार पुनरुक्ति होने से यह श्लोक मौलिक नहीं है, और क्योंकि शेष ८–१३ श्लोकों के वर्णन का यह आधारभूत श्लोक है, अतः इस पर आधारित होने से वे भी मौलिक नहीं हैं।

३. **अन्तर्विरोध**—अन्तर्विरोध के आधार पर यह प्रसङ्ग मौलिक सिद्ध नहीं होता—(१) छठे श्लोक में अव्यक्त परमात्मा द्वारा ही समस्त जगत् की और महाभूत आदि तत्त्वों की उत्पत्ति कही है। इन श्लोकों में ब्रह्मा के द्वारा [९, १३] सृष्टि की उत्पत्ति कहना उसके विरुद्ध है। (२) छठे श्लोक में '**व्यञ्जयन् इदं प्रादुरासीत्**' अर्थात् इस जगत् को प्रकट करते हुए ही परमात्मा की प्रकटता या उत्पत्ति दर्शायी है, जबकि सातवें श्लोक में पहले परमात्मा की स्वतन्त्र रूप से उत्पत्ति दिखाई है और फिर बाद में शेष जगत् की उत्पत्ति। दोनों मान्यताओं में यह पर्याप्त विरोध है। (३) मनु [illegible] स्वयं सृष्टिकर्त्ता माना है [१। ६, १९, ५२—५४, [illegible] (५) 'अव्यय' [illegible] कहा है। इन श्लोकों [illegible] रूप में ईश्वर को अनादि कहना, ब्रह्मा के माध्यम से सृष्टिरचना मानना, ९, १७ श्लोकों में उसे एकदेशीय मानना उक्त मान्यताओं के विरुद्ध है। उक्त विशेषणों से निर्दिष्ट ईश्वर न कभी जन्म धारण कर सकता है, न वह सर्वव्यापक होते हुए एकदेशी हो सकता है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना उपयोगी रहेगा कि छठे श्लोक में परमात्मा का जो प्रकट होना कहा है, वह जगत् की प्रकटता के रूप में ही अपने को प्रकट करना है, न कि किसी शरीरी के रूप में। सृष्टि को उत्पन्न करने के लिये सक्रिय होना ही उसकी उत्पत्ति और प्रकटता है और सक्रिय न होना ही प्रलय दशा है। १। ५२-५४ श्लोकों में परमात्मा की इन अवस्थाओं को जाग्रत और सुषुप्ति के रूप में

वर्णित किया है। इन श्लोकों से 'ब्रह्मा शरीर धारण करके सृष्टि रचता है और फिर अन्तर्धान हो जाता है' [१।७—१२, ५१], इस प्रक्षिप्त भ्रान्ति का भी खण्डन हो जाता है। (४) बीज से एक अण्डा बनना, अण्डे में केवल एक ब्रह्मा की उत्पत्ति और अण्डे से लोकों का निर्माण तथा ब्रह्मा से विराट्, विराट् से मनु के वंशक्रम से जो सृष्टि-उत्पत्ति की कल्पना का प्रसङ्ग है [१।७-१२, ३२—४१, ५०, ५१], यह मनु-वर्णित मौलिक और मुख्य प्रसङ्ग से अनेक प्रकार से खण्डित होने से विरुद्ध सिद्ध होता है—(क) मनु ने समस्त स्थावर जङ्गम जगत् की उत्पत्ति महत्, अहंकार और पञ्चभूतों के क्रम से मानी है [१।१४—१६, १८, १९, २०, २१, ७४—७८], जबकि इस प्रसङ्ग में स्थावर की उत्पत्ति अण्डे से [१।१२, १३] तथा प्राणियों की विराट् द्वारा [३२—४०] मानी है। (ख) मनु ने एकसाथ अनेक प्राणियों और पदार्थों की रचना स्वीकार की है—**'सर्वमेतद् विकुर्वाणो मनोरेत्य व्यजायत'** [१।१६] **'सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक्-पृथक्'** **'अग्निवायुरविभ्यस्तु'** [१।२१] [१।२३] **'द्वन्द्वैरयोजयच्चेमाः सुखदुःखादिभिः प्रजाः'** [१।२७] **'यं तु यस्मिन् कर्मणि'** [१।२८] **'ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निरवर्तयत्'** [१।३१] इनसे सिद्ध है कि केवल ब्रह्मा और उसके वंश से सृष्टि का प्रारम्भ मनुविरुद्ध प्रक्षिप्त कल्पना है। आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि इतने अधिक श्लोकों में मनु ने एकसाथ स्पष्ट शब्दों में विभिन्न प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति कही है, और वह भी उस श्लोक से पूर्व वर्णित है, जहां से ब्रह्मा द्वारा सृष्टि उत्पन्न करने की बात शुरू की है। [१।३२—४०], फिर भी प्रक्षेपक ने कैसे ब्रह्मा के वंश से सृष्टि-उत्पत्ति का वर्णन करने का दुस्साहस किया और अपने मन में यह सन्तोष कर लिया कि पाठक उसे भी मौलिक मान लेंगे! ये प्रमाण तो ब्रह्मा के वंश द्वारा सृष्ट्युत्पत्ति-वर्णन वाले श्लोकों [१।३२—४०] से पूर्व के हैं। इनके अतिरिक्त अन्य अनेक प्रमाण हैं, जो केवल ब्रह्मा की उत्पत्ति और फिर उसके वंश से अन्य सृष्टि की उत्पत्ति की मान्यता को एक कपोलकल्पित, निराधार और मनुविरुद्ध सिद्ध करते हैं—(ग) 'जरायुज, अण्डज, उद्भिज, स्वेदज प्राणियों और स्थावरों की एकसाथ सृष्टि होना [१।४३—४९] **'कर्मात्मानः शरीरिणः'** [१।५३—५४] आदि। (घ) यदि ब्रह्मा और विराट् के वंश से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाये तो सृष्टि के प्रारम्भ में परमात्मा द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का विभाजन कैसे होगा? जिस पर सारी मनुस्मृति ही आधारित है। वर्णों के धर्मों का प्रश्न भी नहीं बनेगा! (ङ) वेदों के साक्षात्कर्त्ता अग्नि, वायु, आदित्य किस वंश के होंगे? (च) जब ब्रह्मा ने अपने अर्द्ध-भाग से नारी की रचना करके विराट् को उत्पन्न किया, तो विराट् ने किस स्त्री से मनु को उत्पन्न किया? (छ) प्रथम श्लोक में वर्णित, मनु के पास प्रश्नकर्त्ता के रूप में आने वाले महर्षि लोग किस प्रकार उत्पन्न हुए और किस वंश के थे? (ज) जब केवल मनु से ही वंश चला तो मनु द्वारा वर्णित आठ प्रकार के विवाहों [३।२०—४२] की परम्परा कहां और कैसे बनेगी? माता और पिता की पीढ़ियां, जिनका विवाह-सम्बन्ध में छोड़ने का आदेश है [३।५], कहां से बनेंगी? इस प्रकार इन प्रश्नों की युक्तियां

ब्रह्मा के प्रसङ्ग को प्रक्षिप्त सिद्ध करती हैं। (५) मनु ने सृष्टि-उत्पत्ति और उसके क्रम का वर्णन प्रसङ्गानुसार १।७३–८० श्लोकों में पुनः किया है। वहां ब्रह्मा की उत्पत्ति का कोई उल्लेख नहीं है। वह वर्णन यहां के ब्रह्मा के प्रसङ्ग से रहित वर्णन से ही मेल खाता है। इससे सिद्ध है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति से सम्बद्ध प्रसङ्ग मनुकृत नहीं है। यह मौलिक होता तो उस क्रम में भी कहीं न कहीं इसका उल्लेख अवश्य होता।

४. **प्रसंगविरोध**—यह प्रसङ्ग 'प्रसङ्गविरोध' के आधार पर भी असङ्गत और प्रक्षिप्त सिद्ध हो रहा है—(१) मनु ने समस्त स्थावरजङ्गम जगत् की उत्पत्ति महदादि के क्रम से मानी है। वह क्रम तो १।१६ में पूर्ण होता है और द्युलोक, पृथ्वी तथा समुद्र आदि स्थावर जगत् तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति उस क्रम के पूर्ण होने से पूर्व ही कह दी, जो सम्भव ही नहीं। इस प्रकार यह सम्पूर्ण ७—१३ श्लोकों का प्रसङ्ग असङ्गत होने से प्रसङ्ग-विरुद्ध है। (२) यहां पांचवें श्लोक से सृष्टि-उत्पत्ति का प्रसङ्ग प्रचलित है। उसके बीच में ईश्वर के **'ब्रह्मा' 'नारायणः'** नामों की व्युत्पत्ति देना अप्रासङ्गिक है। कोई यह कहे कि 'नामों का प्रसङ्ग आने पर व्युत्पत्ति का भी उल्लेख कर दिया, इसमें अप्रासङ्गिकता की कोई बात नहीं है', इसका स्पष्ट-सा उत्तर यह है कि यों तो मनु ने परमात्मा के लिए अनेक विशेषणों का उपयुक्त प्रसङ्गों में उल्लेख किया है, किन्तु कहीं भी उनकी व्युत्पत्ति दर्शाने की प्रवृत्ति परिलक्षित नहीं होती, जैसी कि विशेष रूप से इन दो नामों के साथ है। इस प्रसङ्ग में आये **'स्वयम्भूः' 'भगवान्' 'अव्यक्तः' 'तमोनुदः'** [१।६] आदि नामों या विशेषणों की व्युत्पत्ति भी नहीं दिखाई है। यदि व्युत्पत्ति दिखाने की मनु की मौलिक प्रवृत्ति होती, तो क्रम से प्राप्त उक्त नामों और विशेषणों की व्युत्पत्ति अवश्य दर्शाते। इस प्रकार इन दो नामों की व्युत्पत्ति का प्रदर्शन सृष्ट्युत्पत्ति प्रसङ्ग में असङ्गत एवं अमौलिक है। (इस प्रसङ्ग की प्रक्षिप्तता के लिए १।३२–४१. ५०–५१ श्लोकों की समीक्षा भी द्रष्टव्य है)।

प्रकृति से महत् आदि तत्त्वों की उत्पत्ति—

उद्बबर्हाऽऽत्मनश्चैव मनः सदसदात्मकम्।
मनसश्चाप्यहंकारमभिमन्तारमीश्वरम् ॥ १४ ॥ (७)
महान्तमेव चाऽऽत्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च।
विषयाणां ग्रहीतॄणि शनैः पञ्चेन्द्रियाणि च ॥ १५ ॥ (८)

(च) और फिर उस परमात्मा ने (आत्मनः एव) स्वाश्रयस्थित प्रकृति से (सद्-असद्+आत्मकम्) जो कारणरूप में विद्यमान रहे और विकारी अंश से कार्यरूप में जो अविद्यमान रहे, ऐसे स्वभाव वाले (मनः) 'महत्' नामक तत्त्व को (च) और (मनसः अपि) महत्तत्त्व से (अभिमन्तारम्) 'मैं हूँ' ऐसा अभिमान करने वाले (ईश्वरम्) सामर्थ्यशाली (अहंकारम्) 'अहंकार' नामक तत्त्व को (च) और फिर उससे (सर्वाणि त्रिगुणानि) सब त्रिगुणात्मक पांच तन्मात्राओं—शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध को

[१। १६, २७] (च) तथा (आत्मानम् एव महान्तम्) आत्मोपकारक अथवा निरन्तर गमनशील 'मन' इन्द्रिय को (च) और (विषयाणां ग्रहीतॄणि) विषयों को ग्रहण करने वाली (पञ्चेन्द्रियाणि) दोनों वर्गों की पांचों ज्ञानेन्द्रियों—आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा एवं चकार से पांच कर्मेन्द्रियों—हाथ, पैर, वाक्, उपस्थ, पायु, को [२। ६४—६६] (शनैः) यथाक्रम से (उद्बबर्ह) उत्पन्न कर प्रकट किया ॥१४,१५॥ [शेष उत्पत्ति अगले श्लोक में है]*

अनुशीलन : '१४-१५ श्लोकों के अर्थ में भ्रान्ति और सृष्ट्युत्पत्ति की प्रक्रिया—इन दोनों श्लोकों के अर्थ को सही रूप में न समझने के कारण टीकाकारों एवं आलोचकों को भ्रान्ति का शिकार होना पड़ा है। टीकाकारों ने सृष्टि-उत्पत्ति की प्रक्रिया का यहाँ प्रतिक्रम से वर्णन माना है और **'मनः सदसदात्मकम्'** का संकल्प-विकल्पात्मक मन अर्थ किया है, और फिर 'मन से पूर्व अहंकार, अहंकार से पूर्व महत्' इत्यादि रूप में अर्थ किया है। लेकिन वह 'प्रतिक्रम' भी क्रमबद्ध रूप से नहीं सिद्ध हो पाया; क्योंकि १५वें श्लोक में महत्तत्त्व के बाद इन्द्रियों का वर्णन आ गया। इस अर्थ की भ्रान्ति के कारण आलोचकों ने इन श्लोकों को विशृङ्खलित और भ्रामक घोषित कर दिया। वस्तुतः इन श्लोकों के अर्थ को सही रूप में नहीं समझा गया है। मनुस्मृति का और सांख्यदर्शन का सृष्टि-उत्पत्ति का क्रम मिलता है—**'सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः। प्रकृतेर्महान् महतोऽहंकारः, अहंकारात् पंचतन्मात्राणि, उभयमिन्द्रियम्। पञ्चतन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः॥'**

(सांख्य १। ६१)

(सत्त्व) शुद्ध (रज) मध्य (तमः) जाड्य अर्थात् जड़ता, तीन वस्तु मिलकर जो एक संघात है उसका नाम प्रकृति है। उससे महत्तत्त्व = बुद्धि, उससे अहंकार, उससे पाँच तन्मात्रा, सूक्ष्मभूत और दश इन्द्रियां तथा ग्यारहवां मन, पांच तन्मात्राओं से पृथिव्यादि पांच भूत ये चौबीस, और पच्चीसवां पुरुष अर्थात् जीव और परमेश्वर है। इनमें से प्रकृति अविकारिणी और महत्तत्त्व, अहंकार तथा पांच सूक्ष्मभूत प्रकृति का कार्य और इन्द्रियों, मन तथा स्थूल भूतों का कारण है। पुरुष न किसी की प्रकृति = उपादानकारण और न किसी का कार्य है।" (स० प्र० २०६) यही क्रम यहां है।

(२) **'महत्तत्त्व' और 'मन'** से अभिप्राय—'मन' 'महत्' 'बुद्धि' इन शब्दों का

---

* [प्रचलित अर्थ—ब्रह्मा ने परमात्मा से सत्-असत् आत्मा वाले 'मन' की सृष्टि की तथा मन से पहले 'अहम्=मैं' इस अभिमान से युक्त एवं अपने कार्य को करने में समर्थ अहंकार की सृष्टि की ॥ १४ ॥ अहंकार से पहले आत्मोपकारक 'महत्' तत्त्व = बुद्धि की तथा सम्पूर्ण त्रिगुण (सत्त्व, रजस् और तमस् से युक्त) विषयों की और रूप-रस आदि विषयों को ग्रहण करने वाली नेत्रादि पांच ज्ञानेन्द्रियों तथा गुदा आदि पांच कर्मेन्द्रियों की तथा पांच शब्दतन्मात्रा आदियों की सृष्टि की ॥१५॥]

पर्यायवाची रूप में प्रयोग विभिन्न शास्त्रों में मिलता है। यहां प्रथम पंक्ति में पठित 'मन' शब्द से अभिप्राय 'महत्' नामक आद्य कार्यतत्त्व से है। 'मन' इन्द्रिय प्रथमकार्य हो ही नहीं सकता। प्रकृति का प्रथम विकार 'महत्' है, अतः यहां उसे ही 'मन' शब्द से व्यवहृत किया है। इसमें सांख्यदर्शन का प्रमाण भी है— **"महत् आख्यम् आद्यं कार्यं तन्मनः"** [१।७२] अर्थात्—प्रकृति का जो सर्वप्रथम कार्य है, उसे 'महत्' कहते हैं और उसे 'मन' भी कहा जाता है। इस प्रकार इन दोनों शब्दों का प्रयोग पर्याय के रूप में हुआ है।

१५वें श्लोक की प्रथम पंक्ति में पठित 'महान्तम्' से अभिप्राय 'मन' इन्द्रिय से है। इसकी पुष्टि 'आत्मानम्' विशेषण से हो हो जाती है। 'मन इन्द्रिय' का ही आत्मा के साथ सम्बन्ध रहता है। 'अत् सातत्यगमने' धातु के अनुसार 'आत्मानम्' का अर्थ 'निरन्तर गमनशील' बनता है। मन का यही स्वभाव है। इस प्रकार दोनों श्लोकों का अर्थ निर्भ्रान्त और उचितक्रमयुक्त बन जाता है। चरकशास्त्र में, शारीर-१।६२—६६ श्लोकों में इसी प्रक्रिया के अनुसार वर्णन किया है।

(३) **'आत्मनः उद्बबर्ह' का अर्थ**—यहां 'आत्मनः उद्बबर्ह' पद प्रयोग से यह भ्रान्ति नहीं होनी चाहिए कि मन आदि तत्त्व परमात्मा के किसी अंश से बने हैं, जैसा कि नवीन वेदान्त में माना जाता है। मनु० १२।२८ में प्रकृति के पर्यायवाची रूप में 'आत्मा' पद का प्रयोग किया है। यह 'आत्मा' नामक प्रकृति सत्त्व-रज- तम युक्त है, और इसका प्रथम विकार 'महान्' है। यहां श्लोक का अभिप्राय है—'इन तत्त्वों को अपने आश्रय या स्वाश्रयस्थित प्रकृति से उत्पन्न कर प्रकट किया।' व्यापक ब्रह्म अपने भीतर व्याप्य प्रकृति और परमाणु कारण से स्थूल जगत् को बनाकर बाहर स्थूलरूप कर, आप उसी में व्यापक होके साक्षीभूत आनन्दमय हो रहा है।" (स० प्र० २१२) "जो जिससे सूक्ष्म होता है, वही उसकी आत्मा है अर्थात् स्थूल में सूक्ष्म व्यापक होता है, जैसे लोहे में अग्नि प्रविष्ट होके उसके सब अवयवों में व्याप्त होता है।" (ऋ० भू० ४१) इस प्रकार महत् आदि की 'प्रकृति' आत्मा है. अतः यहाँ **'आत्मनः'** से अभिप्राय **'प्रकृति'** से है। इसकी पुष्टि में १।५३, ५४ और ५७ श्लोक प्रमाण हैं। वहां यह स्पष्ट किया गया है कि प्रलयावस्था के समय यह समस्त जगत् अपने प्रकृतिरूप में होकर सर्वव्यापक परमात्मा के आश्रय में लीन हो जाता है। पुनः उत्पत्ति के समय परमात्मा उन्हें अपने आश्रय से निकाल कर जिलाता है=तत्त्वों को संयुक्त करता है।

पञ्चमहाभूतों की सृष्टि का वर्णन—

तेषां त्ववयवान्सूक्ष्मान् षण्णामप्यमितौजसाम्।
सन्निवेश्याऽऽत्ममात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे॥ १६॥ (९)

(तेषां तु) ऊपर [१४—१५ में] वर्णन किये गये उन तत्त्वों में से (अमित-ओजसाम्) अत्यधिक शक्तिवाले (षण्णाम्+अपि) छहों तत्त्वों के (सूक्ष्मान् अवयवान्) सूक्ष्म अवयवों=शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये

पांच तन्मात्राएं तथा छठे अहंकार के सूक्ष्म अवयवों को (आत्ममात्रासु) उनके आत्मभूत तत्त्वों के विकारी अंशों अर्थात् कारणों में मिलाकर (सर्वभूतानि) सब पांचों सूक्ष्म महाभूतों—आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी की (निर्ममे) सृष्टि की ॥ १६ ॥+

अनुशीलन : (१) **पञ्चतन्मात्राओं से पंचमहाभूतों की उत्पत्ति**—जो जिससे सूक्ष्म होता है, वह उस स्थूल की आत्मा होता है। अहंकार से पञ्चतन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई है; अतः अहंकार पञ्चतन्मात्राओं की आत्मा कहलायेगा। इस प्रकार पञ्चभूतों की रचना की प्रक्रिया और क्रम यह बना—पञ्चतन्मात्राओं के आत्मरूप तत्त्व अहंकार के विकारी अंश और आकाश के सूक्ष्म अवयवों=शब्दतन्मात्राओं के मिलने से 'आकाश' नामक सूक्ष्म महाभूत की रचना हुई। वायु के आत्मभूत तत्त्व आकाश के विकारी अंश तथा वायु के सूक्ष्म अवयवों स्पर्शतन्मात्राओं के मिलने से 'वायु' नामक महाभूत की रचना हुई। अग्नि के आत्मभूत तत्त्व वायु के विकारी अंश के साथ अग्नि के सूक्ष्म अवयव अर्थात् रूपतन्मात्राओं के संयोग से 'अग्नि' नामक महाभूत की रचना हुई। जल के आत्मभूततत्त्व-अग्नि के विकारी अंश के साथ जल के सूक्ष्म अवयव अर्थात् रसतन्मात्रा के संयोग से 'जल' नामक महाभूत बना और पृथिवी के आत्मभूत तत्त्व जल के विकारी अंश के साथ पृथिवी के सूक्ष्म अवयव अर्थात् गन्धतन्मात्रा के संयोग से 'पृथिवी' नामक सूक्ष्म महाभूत की रचना हुई। [द्रष्टव्य १। ७५—७८ श्लोक]

(२) **१६ वें श्लोक का संगत अर्थ**—सभी टीकाकारों ने इस श्लोक का त्रुटिपूर्ण और असङ्गत अर्थ किया है। (१) टीकाकारों ने इसमें **'सर्वभूतानि निर्ममे'** 'सब प्राणियों की सृष्टि की' यह अर्थ किया है। यहां यह अर्थ करने की न तो संगति ही है और न प्राणियों की उत्पत्ति कह देने से उत्पत्ति का प्रसङ्ग समाप्त-सा हो जाता है। पुनः १९, २० श्लोकों में समग्र जगत् की जो एकसाथ उत्पत्ति दर्शायी है, वह पुनरुक्ति-सी हो जाती है; और छः सूक्ष्म अवयवों से प्राणिजगत् की उत्पत्ति मानने से १९वें श्लोक के सात अवयवों द्वारा जगत्-रचना के कथन से भिन्नता आती है। यहां संगत अर्थ पञ्चभूतों की उत्पत्ति का ही है। अभी सृष्टि-उत्पत्ति के मूलतत्त्वों के वर्णन का प्रसंग चल रहा है। १५वें श्लोक में इन्द्रियों की उत्पत्ति कह दी है। उसके पश्चात् पञ्चभूतों का क्रम आता है, उनका संकेत इस श्लोक में है। इस प्रकार सभी तत्त्वों की उत्पत्ति का क्रमबद्ध वर्णन पूरा हो जाता है। इसकी पुष्टि १। ७४—७८ श्लोकों से होती है। इन श्लोकों में पञ्चभूतों की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन ठीक इसी प्रकार

+ [प्रचलित अर्थ—अनन्त शक्ति वाले उन छह (अहंकार, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द) के सूक्ष्म अवयवों को उन्हीं के अपने-अपने विकारों में मिलाकर सब प्राणियों की सृष्टि की ॥१६॥]

किया है। इस तरह अर्थ करने से संगति तथा क्रमबद्धता आ जाती है और विरोध आदि त्रुटियां दूर हो जाती हैं।

(३) सृष्टि-उत्पत्ति विषय में शास्त्रों में अविरोध या विरोध—

प्रसङ्ग से यहां यह जिज्ञासा पैदा होती है—

"(प्रश्न) सृष्टि-विषय में वेदादि शास्त्रों का अविरोध है वा विरोध ?

(उत्तर) अविरोध है।

(प्रश्न) जो अविरोध है तो—

"तस्माद्वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधिभ्योऽन्नम्, अन्नाद्रेतः, रेतसः पुरुषः, स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः॥" (ब्रह्मा० १)

यह तैत्तिरीय उपनिषद् का वचन है। उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश = अवकाश अर्थात् जो कारणरूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा था, उसको इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्न होता है। वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहाँ ठहर सकें। आकाश के पश्चात् वायु, वायु के पश्चात् अग्नि, अग्नि के पश्चात् जल, जल के पश्चात् पृथिवी, पृथिवी से ओषधि, ओषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात् शरीर उत्पन्न होता है; यहां आकाशादि क्रम से; और छान्दोग्य में अग्न्यादि; ऐतरेय में जल आदि क्रम से सृष्टि हुई। वेदों में कहीं पुरुष, कहीं हिरण्यगर्भ आदि से; मीमांसा में कर्म; वैशेषिक में काल; न्याय में परमाणु; योग में पुरुषार्थ; सांख्य में प्रकृति और वेदान्त में ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है। अब किसको सच्चा और किसको झूठा मानें ?

(उत्तर) इसमें सब सच्चे, कोई झूठा नहीं। झूठा वह है जो विपरीत समझता है, क्योंकि परमेश्वर निमित्त और प्रकृति जगत् का उपादान कारण है। जब महाप्रलय होता है, उसके पश्चात् आकाशादि क्रम अर्थात् जब आकाश और वायु का प्रलय नहीं होता और अग्नि आदि का होता है अग्नि आदि क्रम से और जब विद्युत् = अग्नि का भी नाश नहीं होता तब जल क्रम से सृष्टि होती है। अर्थात् जिस-जिस प्रलय में जहां-जहां तक प्रलय होता है, वहां-वहां से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। पुरुष और हिरण्यगर्भ आदि सब नाम परमेश्वर के हैं। परन्तु विरोध उसको कहते हैं कि एक कार्य में एक ही विषय पर विरुद्ध वाद होवे। छः शास्त्रों में अविरोध देखो इस प्रकार है—मीमांसा में—"ऐसा कोई भी कार्य जगत् में नहीं होता कि जिसके बनाने में कर्म चेष्टा न की जाये," वैशेषिक में—"समय न लगे बिना बने ही नहीं", न्याय में—"उपादान कारण न होने से कुछ नहीं बन सकता", सांख्य में—"तत्त्वों का मेल न होने से नहीं बन सकता", और वेदान्त में "बनाने वाला न बनावे तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न न हो सके" इसलिए सृष्टि छः कारणों से बनती है। उन छः कारणों की व्याख्या एक-एक की एक शास्त्र में है। इसलिए उनमें विरोध कुछ भी नहीं। जैसे छः पुरुष मिलके एक छप्पर उठाकर भित्तियों पर धरें

वैसा ही सृष्टिरूप कार्य की व्याख्या छः शास्त्रकारों ने मिलकर पूरी की है।"
(स० प्र० २१६—२२०)

ब्रह्मा के शरीर की निरुक्ति—

यन्मूर्त्यवयवाः सूक्ष्मास्तस्येमान्याश्रयन्ति षट्।
तस्माच्छरीरमित्याहुस्तस्य मूर्तिं मनीषिणः॥ १७॥

(यत्) क्योंकि (षट् सूक्ष्माः मूर्त्यवयवाः) प्रकृति रूपी मूर्ति के छः सूक्ष्म अवयव और (इमानि) उनकी कार्यभूत इन्द्रियाँ और पञ्चमहाभूत, ये (तस्य आश्रयन्ति) उस परमात्मा के आश्रित रहते हैं (तस्मात्) इसी कारण (मनीषिणः) मनीषी लोग (तस्य मूर्तिम्) उस परमात्मा की प्रकृतिरूपी मूर्ति को (शरीरम् इति आहुः) उसका 'शरीर' कहते हैं॥ १७॥

अनुशीलन : यह श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त है—

प्रसङ्गविरोध—(१) यहां सृष्ट्युत्पत्ति का क्रमानुसार वर्णन चल रहा है। उसके मध्य में उस क्रम को भङ्ग कर 'शरीर' का निर्वचन करने की कोई प्रासंगिकता ही सिद्ध नहीं है। (२) उपर्युक्त श्लोकों में न तो 'मूर्ति' शब्द ही आया है और न 'शरीर' शब्द, जिसके सन्दर्भ में निर्वचन करने की आवश्यकता प्रतीत हो। बिना चर्चा के ही 'शरीर' का निर्वचन देना अप्रासङ्गिक है, अतः मौलिक भी नहीं है।

सूक्ष्म-शरीर से आत्मा का संयोग—

तदाविशन्ति भूतानि महान्ति सह कर्मभिः।
मनश्चावयवैः सूक्ष्मैः सर्वभूतकृदव्ययम्॥ १८॥ (१०)

(तदा) तब जगत् के तत्त्वों की सृष्टि होने पर (सह कर्मभिः) अपने-अपने कर्मों के साथ (महान्ति भूतानि) शक्तिशाली सभी सूक्ष्म महाभूत (च) और (सूक्ष्मैः अवयवैः मनः) समस्त सूक्ष्म अवयवों अर्थात् इन्द्रियादि के साथ मन (सर्वभूतकृत्+अव्ययम्) सब भौतिक प्राणि-शरीरों को जन्म=जीवनरूप देने वाले अविनाशी आत्मा को [क्योंकि जीवात्मा के संयोग से ही समस्त शरीरों में जीवन आता है और उसके वियोग से समाप्त हो जाता है।] (आविशन्ति) आवेष्टित करते हैं [और इस प्रकार सूक्ष्म शरीर की रचना होती है]॥ १८॥❀

अनुशीलन : (१)**पञ्च महाभूतों के कर्म**—पञ्चभूतों में आकाश का कर्म अवकाश देना है, वायु का गति, तेज का पाक, जल का एकत्रीकरण और पृथिवी का कर्म धारण करना है।

❀ [प्रचलित अर्थ—विनाशरहित एवं सब भूतों के कर्त्ता उस ब्रह्म से अपने-अपने कर्मों से युक्त पञ्चमहाभूत आकाश आदि और सूक्ष्म अवयवों के साथ मन की सृष्टि हुई॥ १८॥]

(२) **१८वें श्लोक का संगत अर्थ**—प्रायः सभी टीकाकारों ने इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार किया है—'विनाश-रहित एवं सब भूतों के कर्त्ता उस ब्रह्म से अपने-अपने कर्मों से युक्त पञ्चमहाभूत आकाश आदि और सूक्ष्म अवयवों के साथ मन की सृष्टि हुई।'

इस अर्थ में निम्न त्रुटियाँ आती हैं—

(क) १।१४–१५ में मन की उत्पत्ति स्पष्ट रूप से कही जा चुकी है, दो श्लोकों के बाद पुनः मन की उत्पत्ति कहने की क्या आवश्यकता थी? इस प्रकार यह अनावश्यक पुनरुक्ति बन जाती है।

(ख) टीकाकारों के इन अर्थों से वर्णन की कोई क्रमबद्ध संगति नहीं जुड़ती। १४-१५ श्लोकों में मन आदि तत्त्वों की उत्पत्ति वर्णित कर दी। १६वें में सब प्राणियों की उत्पत्ति दिखा दी। १७वें में परमात्मा के प्रकृति रूपी शरीर का निर्वचन दिखा दिया। फिर १८वें में पुनः मन आदि की उत्पत्ति कह दी। १९वें में फिर एक बार समस्त जगत् की उत्पत्ति दर्शा दी। इस प्रकार कोई क्रम नहीं बनता।

(ग) १६वें श्लोक में छः तत्त्वों द्वारा प्राणिजगत् की रचना का कथन करने से और १९वें में सात तत्त्वों द्वारा समस्त जगत् की उत्पत्ति का कथन करने से, भिन्न कथन होने से विरोध आता है।

(घ) मनु ने जब सृष्ट्युत्पत्ति का विषय प्रारम्भ करके सभी तत्त्वों की उत्पत्ति दर्शायी है, तो यह भी आवश्यक है कि उन तत्त्वों का आत्मा के साथ संयोग भी प्रदर्शित होना चाहिए। जीव के साथ तत्त्वों का संयोग प्रदर्शित न करने पर उत्पत्ति-वर्णन अधूरा ही रह जाता है, और मनुस्मृति में तो इस बात का वर्णन और भी आवश्यक है, क्योंकि मानव धर्म ही मनुस्मृति का अभीष्ट विषय है। केवल स्थूल जगत् की उत्पत्ति दर्शाना इसका मुख्य विषय नहीं है। किन्तु प्रचलित टीकाओं में श्लोक के अर्थ जिस प्रकार किये गये हैं, उनमें कहीं यह प्रसङ्ग नहीं आता। इस प्रकार यह अभाव पाठकों को खटकता है।

इस भाष्य में प्रस्तुत अर्थों के अनुसार ये सब त्रुटियां दूर हो जाती हैं तथा अन्य शास्त्रों की भांति सृष्ट्युत्पत्ति-वर्णन में पूर्णता और क्रमबद्धता भी बनी रहती है।

(ङ) **सूक्ष्म शरीर के घटक**—"पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच सूक्ष्मभूत और मन तथा बुद्धि इन सत्रह तत्त्वों का समुदाय 'सूक्ष्मशरीर' कहाता है। यह सूक्ष्म शरीर जन्म-मरणादि में भी जीव के साथ रहता है।" (स० प्र० नवम समु०) पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच सूक्ष्मभूत १।१४-१५ में परिगणित हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान ये पांच प्राण हैं।

समस्त विनश्वर संसार की उत्पत्ति—

तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां महौजसाम्।
सूक्ष्माभ्यो मूर्तिमात्राभ्यःसम्भवत्यव्ययाद् व्ययम्॥१९॥ (११)

[इस प्रकार] (अव्ययात्) विनाशरहित परमात्मा से और द्वितीयार्थ में सृष्टि के मूल कारण अविनाशिनी प्रकृति से (तेषां तु) उन्हीं [१४-१५ में वर्णित] (महौजसाम्) महाशक्तिशाली (सप्तानां पुरुषाणाम्) सात तत्त्वों—महत्, अहंकार तथा पाँच तन्मात्राओं के (सूक्ष्माभ्यः मूर्तिमात्राभ्यः) जगत् के पदार्थों का निर्माण करने वाले सूक्ष्म विकारी अंशों से (इदम् व्ययम्) यह दृश्यमान विनाशशील विकाररूप जगत् (सम्भवति) उत्पन्न होता है ॥ १६ ॥

अनुशीलन : यह समस्त विनाशशील जगत् संक्षेप में निम्न प्रक्रिया से प्रकटरूप में आता है। गत श्लोकों में यही प्रक्रिया और क्रम बतलाया है—

(१) **सृष्टि-उत्पत्ति का क्रम** —"जब सृष्टि का समय आता है, तब परमात्मा उन परमसूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है। उसकी प्रथम अवस्था में जो परमसूक्ष्म प्रकृतिरूप कारण से कुछ स्थूल होता है उसका नाम महत्तत्त्व, और जो उससे कुछ स्थूल होता है, उसका नाम अहंकार और अहंकार से भिन्न-भिन्न पांच—सूक्ष्मभूत, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ; वाक्, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, ये पाँच कर्म इन्द्रियां हैं, और ग्यारहवां मन कुछ स्थूल उत्पन्न होता है। और उन पंच-तन्मात्राओं से अनेक स्थूलावस्थाओं को प्राप्त करते हुए क्रम से पाँच स्थूलभूत जिनको हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, उत्पन्न होते हैं। उनसे नाना प्रकार की ओषधियाँ, वृक्ष आदि, उनसे अन्न, अन्न से वीर्य और वीर्य से शरीर होता है, परन्तु आदि सृष्टि मैथुनी नहीं होती, क्योंकि जब स्त्री-पुरुषों के शरीर परमात्मा बनाकर उनमें जीवों का संयोग कर देता है, तदनन्तर मैथुनी सृष्टि चलती है।" (स प्र० २२२)

(२) **पुरुष के महत्तत्त्व आदि अर्थ**—निरुक्त २। १। ३ में पुरुष की व्युत्पत्ति दी है—"पुरिशयः=पुरुषः।" इस आधार पर अपने कार्यपदार्थों में सूक्ष्मरूप से शयन करने अर्थात् स्थित रहने से महत्तत्त्व आदि सूक्ष्म तत्त्व 'पुरुष' कहलाते हैं। शत० ब्राह्मण में 'वायु' और 'अग्नि' महाभूत को 'पुरुष' संज्ञा से अभिहित किया है। [१३.६.२. १, १०.४.१.६]।

(३) **सृष्टि में मनुष्यों की उत्पत्ति**—

"(प्रश्न) मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई वा पृथिवी आदि की?

(उत्तर) पृथिवी आदि की, क्योंकि पृथिवी आदि के विना मनुष्य की स्थिति और पालन नहीं हो सकता।" (स० प्र० २२३)

"(प्रश्न) सृष्टि के आदि में एक वा अनेक मनुष्य उत्पन्न किये थे?

(उत्तर) अनेक, क्योंकि जिन जीवों के कर्म ऐश्वरी सृष्टि में उत्पन्न होने के थे उनका जन्म सृष्टि के आदि में ईश्वर देता, क्योंकि **"मनुष्या ऋषयश्च ये। ततो मनुष्या अजायन्त"** यह यजुर्वेद में लिखा है। इस प्रमाण से यही निश्चय है कि आदि में अनेक अर्थात् सैंकड़ों, सहस्रों मनुष्य उत्पन्न हुए और सृष्टि में देखने से भी निश्चित होता है कि मनुष्य अनेक माँ-बापों की सन्तान हैं।" (स० प्र० २२३)

पञ्चमहाभूतों के गुणों का कथन—

आद्यादस्य गुणं त्वेषामवाप्नोति परः परः।
यो यो यावतिथश्चैषां स स तावद्गुणः स्मृतः ॥ २० ॥ (१२)

(एषाम्) इन [१६वें में चर्चित] पञ्चमहाभूतों में (आद्य+आद्यस्य गुणं तु) पूर्व-पूर्व के भूतों के गुण को (परः परः) परला-परला अर्थात् उत्तरोत्तर बाद में उत्पन्न होने वाला भूत प्राप्त करता है (च) और (यः) जो-जो भूत (यावतिथः) जिस संख्या पर स्थित है (सः सः) वह-वह (तावद्गुणः) उतने ही अधिक गुणों से युक्त (स्मृतः) माना गया है ॥ २० ॥

अनुशीलन : **पञ्च महाभूतों का क्रम और गुण**—जैसे, पञ्च-महाभूतों का निश्चित क्रम है—१. आकाश, २. वायु, ३. अग्नि, ४. जल, ५. पृथिवी। उनमें आकाश प्रथम स्थान पर है, इस प्रकार उसका केवल एक अपना शब्द गुण ही है। वायु द्वितीय स्थान पर है, अतः उसके दो गुण हैं—एक अपने से पहले वाले आकाश का शब्द तथा दूसरा अपना स्पर्श गुण। इसी प्रकार तृतीय स्थानीय अग्नि में दो अपने से पहले वाले आकाश और वायु नामक भूतों के क्रमशः शब्द, स्पर्श गुण हैं,तथा तीसरा अपना रूप गुण। चतुर्थ स्थानीय जल के इसी प्रकार चार गुण हैं—शब्द, स्पर्श, रूप और रस। पंचमस्थानीय पृथिवी में पांच गुण हैं—शब्द, स्पर्श रूप, रस और गन्ध। इसे तालिका द्वारा निम्न प्रकार स्पष्ट किया जाता है—

पञ्चमहाभूतों का उत्पत्तिक्रम और गुणों की तालिका

(श्लोक १। २०, ७५—७८ के वर्णनानुसार)

	१	२	३	४	५
पञ्च महाभूतों का उत्पत्ति-क्रम →	आकाश	वायु	अग्नि	जल	पृथिवी
१. आकाश का निजी गुण →	शब्द	शब्द	शब्द	शब्द	शब्द
२. वायु का निजी गुण →	×	स्पर्श	स्पर्श	स्पर्श	स्पर्श
३ अग्नि का निजी गुण →	×	×	रूप	रूप	रूप
४. जल का निजी गुण →	×	×	×	रस	रस
५. पृथिवी का निजी गुण →	×	×	×	×	गन्ध
प्रत्येक महाभूत में कुल गुण →	१	२	३	४	५

वेदशब्दों से नामकरण एवं विभाग—

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक्।
वेदशब्देभ्य एवाऽऽदौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे ॥ २१ ॥ (१३)

(सः) उस परमात्मा ने (सर्वेषां तु नामानि) सब पदार्थों के नाम [यथा-गो-जाति का 'गौ', अश्वजाति का 'अश्व' आदि] (च) और (पृथक्-पृथक् कर्माणि) भिन्न-भिन्न कर्म [यथा—ब्राह्मण के वेदाध्यापन, याजन; क्षत्रिय का रक्षा करना; वैश्य का कृषि, गोरक्षा, व्यापार आदि (१। ८७—९१) अथवा मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के हिंस्र-अहिंस्र आदि कर्म (१। २९—३०)] (च) तथा (पृथक् संस्थाः) पृथक्-पृथक् विभाग [जैसे—प्राणियों में मनुष्य, पशु-पक्षी आदि (१। ४२—४९)] या व्यवस्थाएं [यथा—चार वर्णों की व्यवस्था (१। ३१, १। ८७—९१)] (आदौ) सृष्टि के प्रारम्भ में (वेदशब्देभ्यः एव) वेदों के शब्द से ही (निर्ममे) बनायीं अर्थात् मन्त्रों के द्वारा यह ज्ञान दिया ॥ २१ ॥+

अनुशीलन : (१) इस श्लोक के अर्थ पर प्रकाश डालते हुए महर्षि दयानन्द ने लिखा है—

"इस वचन के अनुकूल आर्य लोगों ने वेदों का अनुकरण करके जो व्यवस्था की, वह सर्वत्र प्रचलित है। उदाहरणार्थ—सब जगत् में सात ही वार हैं, बारह ही महीने हैं और बारह ही राशियां हैं, इस व्यवस्था को देखो (पू० प्र० ८९)

वेद में भी कहा है—

शाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ (यजु० ४०। ८)

अर्थात् आदि सनातन जीवरूप प्रजा के लिए वेद द्वारा परमात्मा ने सब विद्याओं का बोध किया है।" (स० प्र० २०८)

(२) **सृष्टि के प्रारम्भ में नामकरण**—अभिप्राय यह है कि सृष्टि के प्रारम्भ में वेदशब्दों के द्वारा ही मनुष्यों को नाम, कर्म, विभाग आदि का ज्ञान हुआ। परमात्मा ने वेदशब्दों के रूप में यह सब ज्ञान दिया। 'निर्ममे' से यहां भाव, नाम, कर्म, विभाग आदि का ज्ञान वेदशब्दों में अन्तर्निहित करके लोगों को अवगत कराने से है।

(३) **२१वें श्लोक के क्रम पर विचार**—प्रतीत होता है कि यह श्लोक मूलक्रम से खण्डित होकर आगे-पीछे हो गया है। इस श्लोक का किसी प्रक्षेप की प्रवृत्ति से या

+ [प्रचलित अर्थ—हिरण्यगर्भ उसी ब्रह्मा ने सबों के नाम (यथा—'गो' जाति का 'गौ' और 'अश्व' जाति का 'अश्व') और कर्म (यथा—'ब्राह्मणों' का वेदाध्ययन आदि, क्षत्रियों का वेदाध्ययन तथा रक्षण आदि) तथा लौकिक व्यवस्था (यथा—कुम्हार का घट आदि बनाना, बुनकर का कपड़ा बुनना, नापित का क्षौर करना आदि) को पहले वेद-शब्दों से ही जानकर पृथक्-पृथक् बनाये ॥ २१ ॥]

प्रक्षिप्त प्रसंग से कोई सम्बन्ध न होने के कारण इसे प्रक्षिप्त नहीं कहा जा सकता। यह श्लोक क्रम की दृष्टि से २३वें (अग्निवायुरविभ्यस्तु·····) के पश्चात् होना चाहिए। प्रसंग और क्रम की दृष्टि से वहीं ठीक बैठता है, क्योंकि वेदों की रचना होने के बाद ही उनसे नाम, कर्म आदि का ज्ञान होगा, पूर्व नहीं। वेदों की रचना का होना २३वें श्लोक में कहा जा रहा है और उनसे नाम आदि का निर्माण पहले ही वर्णित हो गया। इस प्रकार उचित क्रम नहीं बनता।

इसके अतिरिक्त वर्तमान प्रतियों में जो यह २१वें श्लोक के रूप में है, यहां पूर्वापर प्रसंग उत्पत्ति की प्रक्रिया का है; इस श्लोक से वह भंग हो रहा है। २०वें में सृष्टि-उत्पत्ति की प्रक्रिया है, २२वें में उस प्रसंग का उपसंहार रूप में संक्षिप्त एकत्र कथन है। इन कथनों के बीच में वेदों के द्वारा नाम, कर्म आदि का ज्ञान होने का कथन करना असंगत है। इस क्रम में यह आपत्ति भी है। किन्तु इससे इसे प्रक्षिप्त नहीं समझ लेना चाहिए, यतो हि इस श्लोक का प्रक्षिप्त प्रसंग या प्रवृत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः यह स्थानभ्रष्ट मात्र प्रतीत होता है।

(४) २१वें श्लोक का संगत अर्थ—कुल्लूकभट्ट ने इस श्लोक की व्याख्या करते हुए व्यवस्थाओं के उदाहरण में—'कुम्हार का घड़ा बनाना, जुलाहे का कपड़ा बनाना' ये उदाहरण गलत और मनुविरुद्ध दिये हैं। यहां व्यवस्थाओं से अभिप्राय है जैसे—चार वर्णों की व्यवस्था। इसे १।३१ में मनु ने कर्मानुसार परमात्मा-निर्मित माना है। इसी प्रकार राज्यव्यवस्था आदि भी हो सकती है। मनु ने केवल चार वर्णों को माना है। उनके मत में कुम्हार, जुलाहा आदि कोई जाति-उपजाति नहीं है, और न ही ये जातियां या उनके ये कार्य ईश्वर-रचित हैं। मनु के अनुसार तो 'शिल्पकार्य' वैश्य का कार्य है; चाहे वह किसी भी प्रकार का शिल्पकार्य करे वैश्य ही कहलायेगा; कुम्हार या जुलाहा नहीं। मनु की व्यवस्था के अनुसार जो व्यक्ति आज बर्तन बनाने का कार्य कर रहा है, वह कल कपड़े बनाने का कार्य भी कर सकता है, परसों कोई अन्य; फिर भी वह वैश्य ही कहलायेगा; कुम्हार या जुलाहा नहीं। क्योंकि मनु ने ऐसी जातियों और उनके नामों का निर्धारण ही नहीं किया। जाति-उपजाति की कल्पनाएं वर्ण-व्यवस्थाओं की शिथिलता के पश्चात् कार्यरूढ़ि के आधार पर अवर समाज द्वारा की गई हैं। अतः उन्हें ईश्वररचित व्यवस्था मानकर मनु के श्लोक में उदाहरण-रूप में देना गलत एवं मनु की व्यवस्था के विरुद्ध है।

उपसंहार रूप में समस्त जगत् की उत्पत्ति का वर्णन—

कर्मात्मनां च देवानां सोऽसृजत्प्राणिनां प्रभुः।
साध्यानां च गणं सूक्ष्मं यज्ञं चैव सनातनम्॥ २२॥ (१४)

[इस प्रकार १।५—२० श्लोकों में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार] (सः प्रभुः) उस परमात्मा ने (कर्मात्मनां च देवानाम्) कर्म ही स्वभाव है

जिनका ऐसे सूर्य, अग्नि, वायु आदि देवों के (प्राणिनाम्) मनुष्य, पशु-पक्षी आदि सामान्य प्राणियों के (च) और (साध्यानाम्) साधक कोटि के विशेष विद्वानों के (गणम्) समुदाय को [१। २३ में वर्णित] (च) तथा (सनातनं सूक्ष्मं यज्ञम् एव) सृष्टि-उत्पत्ति काल से प्रलय काल तक निरन्तर प्रवाहमान सूक्ष्म संसार अर्थात् महत् अहंकार पञ्चतन्मात्रा आदि सूक्ष्म रूपमय और सूक्ष्मशक्तियों से युक्त संसार को (असृजत्) रचा ॥ २२ ॥ ❀

अनुशीलन : (१) २२वें श्लोक का संगत अर्थ—कुल्लूकभट्ट आदि टीकाकारों ने 'साध्य' का अर्थ 'सूक्ष्मम्' विशेषण को उसके साथ जोड़कर 'सूक्ष्म देवयोनि-विशेष' किया है। यह मिथ्या कल्पना मात्र है, क्योंकि मनुष्यों से भिन्न कोई देवयोनि जगत् में नहीं होती। १।४३–४९ श्लोकों में मनु ने सभी योनिगत प्राणियों का दिग्दर्शन कराया है। उनमें ऐसी कोई योनि उल्लिखित नहीं है। इस प्रकार की कल्पना मनु के उक्त श्लोकों के विरुद्ध जाती है। वस्तुतः, मनुस्मृति में जहां कहीं भी प्राणियों में देव, ऋषि, पितर आदि का उल्लेख आता है, वे मनुष्यों के स्तरविशेष हैं। योग्यता एवं स्तरविशेषानुसार ये मनुष्यों की ही संज्ञाएं हैं।

(२) **'सूक्ष्मम्' का अर्थ**—यहां 'सूक्ष्मम्' विशेषण को भी साध्यों के साथ जोड़ना सङ्गत नहीं है। सृष्टि-उत्पत्ति-प्रक्रिया का वर्णन करने के उपरान्त उस सम्पूर्ण प्रसङ्ग का इस श्लोक में उपसंहार किया है, और एकत्र रूप में यह संकेत दिया है कि इस प्रकार परमात्मा ने जड़-चेतन, सूक्ष्म और स्थूल, विशेष और सामान्य आदि विभिन्न रूपों में समस्त संसार को रचा है।

(३) **'साध्यों' से अभिप्राय**—यहां प्राणियों से पृथक् साध्यों की पृथक् से गणना उनकी विशिष्टता की ओर इङ्गित करने के लिए की है। सृष्टि के प्रारम्भ में सभी प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं, उनमें साधक कोटि के विशिष्ट संस्कारी व्यक्ति भी होते हैं। मनुस्मृति के श्लोक में इस शब्द को समझने के लिए साध्यकोटि के व्यक्तियों में जैसे अग्नि, वायु, रवि आदि ऋषियों का नाम उद्धृत किया जा सकता है। ये भी साधक कोटि के अत्यन्त विशिष्ट संस्कारी जीव थे। तभी तो अनेक मनुष्यों में केवल इन्हीं को वेदज्ञान प्रकट करने का श्रेय मिला। निरुक्तकार ने 'ऋषि' शब्द के निर्वचन के प्रसंग में आचार्य औपमन्यव के मत का उल्लेख करते हुए इन तपस्वी साधकों को तपस्या में लीन रहने की साधना के परिणामस्वरूप वेदज्ञान की प्राप्ति का कथन किया है। उससे इनके साध्यकोटि के व्यक्ति होने की बात और पुष्ट हो जाती है। यथा—

"**ऋषिः दर्शनात्। स्तोमान् ददर्श इति औपमन्यवः। तद्यदेनांस्तपस्यमानान्ब्रह्म स्वयम्भ्वभ्यानर्षत् ऋषयोऽभवंस्तद्ऋषीणामृषित्वमिति विज्ञायते।**" (नि० २। ३। १२)

❀ [प्रचलित अर्थ—उस ब्रह्मा ने देव (इन्द्रादि), कर्मस्वभाव, प्राणी, अप्राणी पत्थर आदि, साध्यगण और सनातन यज्ञ (अग्निष्टोम आदि) की सृष्टि की ॥ २२ ॥]

अर्थात् वेदमन्त्रों का अर्थ-दर्शन करने से ऋषि होता है, ऐसा औपमन्यव का मत है। प्रारम्भिक अग्नि आदि ऋषियों को तपस्या करते हुए अपौरुषेय वेदों का साक्षात्कार हुआ, अतः वे ऋषि प्रसिद्ध हुए।

इन तपस्वी साधकों को साधना में लीन रहते हुए वेदज्ञान-प्राप्ति होने की चर्चा ब्राह्मणग्रन्थों में भी आती है—

(क) "**तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्त, अग्नेर्ऋग्वेदः, वायोर्यजुर्वेदः, सूर्यात् सामवेदः।**" (शत० ११।५।२।३)

(ख) "**अजान्ह वै पृश्नीँस्तपस्यमानान् ब्रह्म स्वयंभू अभ्यानर्षत्तदृषयोऽभवन्।**" (तै० आ० २।८)

अगले ही श्लोक में मनु ने भी इनका उल्लेख किया है। इस साधक कोटि में अन्य अनेक व्यक्तियों को भी माना जाता है। इसमें कुछ अन्य प्रमाण द्रष्टव्य हैं—

१. "**साध्याः देवाः साधनात्**" (निरुक्त १२।४०)

२. "**साध्या नाम देवाः (=विद्वांसः) आसन्**" (ताण्ड्य ब्रा० ८।३।५)

महर्षि-दयानन्द ने इस शब्द को और भी स्पष्ट कर दिया है—

१. **साधनसाध्याः (देवाः=विद्वांसो जनाः)** (यजु० २९।११)

२. **साधनं योगाभ्यासादिकं कुर्वन्तो ज्ञानिनः (जनाः)** (यजु० ३१।९)

३. **अन्यैर्विद्यार्थं संसेवितुमर्हाः (विद्वांसो जनाः)** (ऋग्० १।१६४।५०)

४. **साध्याः ज्ञानिनः, ऋषयो मन्त्रद्रष्टारश्च** (ऋ० भू० ९१ सृष्टिविद्याविषयः)

इस प्रकार 'साध्य' का अर्थ 'साधक कोटि के विद्वान् विशेष' ही है। और मनुस्मृति की भी अन्तःसाक्षी है—"**पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्त्विकी गतिः**' [मनु० १२।४९] अर्थात् जो मध्यम सत्त्वगुणी जीव हैं, वे पितर व साध्य=कार्यसिद्धि के लिये सेवन करने योग्य अध्यापकादि का जन्म पाते हैं। वेदों का ज्ञान देने वाले प्रारम्भिक ऋषि भी संसार के प्रथम अध्यापक=शिक्षक थे।

साध्यकोटि के विद्वानों का वर्णन और सृष्टि के प्रारम्भ में साध्यकोटि के व्यक्तियों के उत्पन्न होने का उल्लेख वेद के पुरुषसूक्त में भी आता है—

१. "**यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः**" (यजु० ३१।१६)

२. "**तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन् पुरुषं जातमग्रतः।**
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये॥" (यजु० ३१।९)

३. "**यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत।**" (यजु० ३१।१४)

"जो ब्रह्माण्ड का रचन-पालन और प्रलय करना रूप यज्ञ है, उसी को जगत् बनाने की सामग्री कहते हैं। पुरुष ने उत्पन्न किया जो यह ब्रह्माण्डरूप यज्ञ है।"

(ऋ० भू० १२७–१२८)

(४) **यज्ञ का व्यापक अर्थ और वेदों का उद्देश्य**—इसी प्रकार प्रचलित टीकाओं में किया गया यज्ञ शब्द का अर्थ भी संकुचित है। इस श्लोक में यज्ञ शब्द का 'हवन' यह सीमित अर्थ न होकर व्यापक अर्थ 'जगत्' है। इसकी पुष्टि में निम्न युक्तियाँ दी जा सकती हैं—(क) मनु ने केवल होम-सम्पादन के लिए ही वेदों की उत्पत्ति नहीं स्वीकार की है, अपितु संसार के समस्त ज्ञान-विज्ञान, धर्म, व्यवहार आदि की सिद्धि के लिए वेदों की उत्पत्ति मानी है। मनुस्मृति में अनेक स्थलों पर उन्होंने ऐसे आशय दिये हैं। कुछ प्रमाणों से यह बात पुष्ट हो जायेगी—

(अ) १२।९७ में चारों वर्णों, आश्रमों एवं तीनों कालों का ज्ञान वेदों से ही माना है।

(आ) शब्द, स्पर्श आदि सूक्ष्म शक्तियों की वैज्ञानिक सिद्धि वेदों द्वारा ही मानी है। (१२। ९८)

(इ) संसार के समस्त व्यवहारों का सर्वोत्तम साधकग्रन्थ वेद को कहा है। (१२। ९९)

(ई) १२। ९४ में वेद को पितृ, देव, मनुष्यों का 'चक्षु' अर्थात् धर्म-अधर्म,-ज्ञान-विज्ञान आदि का दर्शनिवाला कहा है।

(उ) इसी प्रकार राजनीति की शिक्षा देने वाला (७। ४३; १२। १००) शास्त्र भी वेद ही है।

(ऊ) वेद सभी धर्मों का स्रोत एवं आधार है। (२।६—१५)

(ए) १।२१ में वेदों के द्वारा ही संसार के समस्त पदार्थों का नामकरण, विभाग, कर्मनिर्धारण यह सिद्ध करता है कि वेदों की उत्पत्ति केवल होम-सम्पादन के लिए ही नहीं, अपितु जगत् में समस्त सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए है।

(ऐ) १। ३ में वेदों को सब सत्यविद्याओं का विधान करने वाला ग्रन्थ कहना, अथवा जगत् का संविधान और समस्त व्यवहारों का साधक ग्रन्थ कहना भी वेदों की उपयोगिता को व्यापक सिद्ध करता है।

इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि वेदों की उपयोगिता के विषय में मनु की व्यापक दृष्टि है, यदि उसे केवल होम तक ही सीमित किया जायेगा तो उक्त मान्यताओं से उस का विरोध आयेगा। इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि १। २३ में प्रयुक्त **यज्ञसिद्ध्यर्थम्** पद का अर्थ भी 'होमसिद्धि के लिए' न होकर 'जगत् में समस्त व्यवहारों, धर्मों और ज्ञान-विज्ञान की सिद्धि के लिए' अथवा 'जगत् की सिद्धि के लिए' यह अर्थ होगा। इसी प्रकार यहां भी यज्ञ का व्यापक अर्थ 'जगत्' ही ग्रहण होगा। इस में दोनों श्लोकों की यह सुसंगति भी बन जाती है कि 'परमात्मा ने संसार को रचा (१।२२) और उस संसार की सिद्धि के लिए अथवा संसार में समस्त सिद्धियां

प्राप्त करने के लिये वेदों को रचा (१।२३)।' (ख)पुरुषसूक्त(यजु० ३१) में भीइसी शैली में ब्रह्माण्डरूप यज्ञ की उत्पत्ति का वर्णन है। यज्ञ के 'जगत्' अर्थ में निम्न प्रमाण हैं—

(अ) "यज्ञो वै भुवनम्" (तै० सं० ३।३।७।५)

(आ) "विराट् (संसारः) वै यज्ञः" (श० १।१।१।२२)

(इ) "वैराजः यज्ञः" (गो० पू० ५।२४; गो० उ० ६।१५)

(ई) महर्षि दयानन्द ने (यजु० १३।१४) मन्त्र-भाष्य करते हुए जगत् को ही यज्ञ कहा है—"देवाः यज्ञं अतन्वत"—पुरुष ने उत्पन्न किया जो यह ब्रह्माण्ड रूप यज्ञ है। (ऋ० भू० ६३, सृष्टिविद्याविषयः)

(ग) यहां 'यज्ञम्' के साथ 'सनातनम्' विशेषण का प्रयोग भी 'जगत्' अर्थ का पोषक है। क्योंकि, यज्ञ की क्रिया के रूप में सनातनता कभी नहीं हो सकती, अतः यह विशेषण हवन अर्थ में जुड़ता ही नहीं। न जुड़ने के कारण टीकाकारों ने खींचातानी कर के इसे जोड़ने का प्रयास किया कि—'वेदोक्त कर्म होने से अथवा कल्पान्तर में भी यज्ञों का व्यवहार होनेके कारण यज्ञ सनातन हैं।' लेकिन इस प्रकार तो सभी वेदोक्त क्रियाएं सनातन हैं, यज्ञों की ही उनसे क्या विशिष्टता होगी? अतः यह प्रयास निष्फल ही है। इस के अतिरिक्त मनु ने १।५७ में 'सनातन' के बिल्कुल पर्यायवाची शब्द के रूप में 'अजस्रम्' (सञ्जीवयति चाजस्रम्) विशेषण का प्रयोग 'जगत्' के लिये किया है, जो यहां भी यज्ञ के साथ 'सनातनम्' शब्दप्रयोग के 'जगत्' अर्थ का पोषक है।

वेदों का आविर्भाव—

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्।
दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थमृग्यजुःसामलक्षणम्॥ २३॥ (१५)

उस परमात्मा ने (यज्ञसिद्ध्यर्थम्) जगत् में समस्त धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि व्यवहारों की सिद्धि के लिए अथवा जगत् की सिद्धि अर्थात् जगत् के समस्त रूपों के ज्ञान के लिए [यज्ञे जगति प्राप्तव्या सिद्धिः यज्ञसिद्धिः, अथवा यज्ञस्य सिद्धिः यज्ञसिद्धिः] (अग्नि-वायु-रविभ्यः तु) अग्नि, वायु और रवि से अर्थात् उन के माध्यम से (ऋग्यजुःसामलक्षणं त्रयं सनातनं ब्रह्म) ऋग्=ज्ञान, यजुः=कर्म, साम=उपासना रूप त्रिविध ज्ञान वाले नित्य वेदों को (दुदोह) दुहकर प्रकट किया॥ २३॥ ❀

"जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि चारों महर्षियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराये और उस ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा से ऋग्यजु० साम और अथर्व का ग्रहण किया। (स० प्र० २०३)

❀ प्रचलित श्लोक—उस ब्रह्मा ने यज्ञों की सिद्धि के लिए अग्नि, वायु और सूर्य से नित्य ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्रमशः प्रकट किया॥ २३॥

"अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्। दुदोह यज्ञसिद्धयर्थं ऋग्यजुः सामलक्षणम् ॥ १ । ३ ॥ अध्यापयामास पितॄन् शिशुरांगिरसः कविः । २ । १५१ (इस संस्करण में २।१२६) अर्थात् इसमें मनु के श्लोकों की भी साक्षी है कि पूर्वोक्त अग्नि, वायु, रवि और अंगिरा से ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा था। जब ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा था तो व्यासादि और हम लोगों की तो कथा क्या ही कहनी है।" (ऋ० भू० १६)

अनुशीलन : (१) प्रस्तुत श्लोक में यज्ञ शब्द का 'जगत्' अर्थ है। इसकी पुष्टि के लिए १। २२ की समीक्षा देखिए।

(२) **वेदोत्पत्ति विषयक वेदादि के प्रमाण**—महर्षि मनु ने अपनी स्मृति का मूलस्रोत वेद को माना है। वे वेदों को अपौरुषेय मानकर इस श्लोक में परमेश्वर से ही वेदोत्पत्ति मानते हैं। मनु ने यह मान्यता वेदों से ही ग्रहण की है। देखिए स्वयं वेद भी इस मान्यता को वर्णित कर रहे हैं—

(क) **तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे।**
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॥ (यजु० ३१। ७)

अर्थ—उस सच्चिदानन्दस्वरूप, सब स्थानों में परिपूर्ण, जो सब मनुष्यों द्वारा उपास्य और सब सामर्थ्य से युक्त है, उस परब्रह्म से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और छन्दांसि=अथर्ववेद ये चारों वेद उत्पन्न हुए।

(ख) **यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकषन्।**
सामानि यस्य लोमानि अथर्वाङ्गिरसो मुखम्।
स्कम्भं तं ब्रूहि कतमःस्विदेव सः ॥ (अथर्व १०।४।२०)

अर्थ—जो सर्वशक्तिमान् परमेश्वर है, उसी से (ऋचः) ऋग्वेद (यजुः) यजुर्वेद (सामानि) सामवेद (आङ्गिरसः) अथर्ववेद, ये चारों उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार रूपकालङ्कार से वेदों की उत्पत्ति का प्रकाश ईश्वर करता है कि अथर्ववेद मेरे मुख के समतुल्य, सामवेद लोमों के समान, यजुर्वेद हृदय के समान, और ऋग्वेद प्राण के समान है (ब्रूहि कतमःस्विदेव सः) चारों वेद जिससे उत्पन्न हुए हैं सो कौनसा देव है? उसको तुम मुझसे कहो, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि (स्कम्भं तम्) जो सब जगत् का धारणकर्त्ता परमेश्वर है, उसका नाम स्कम्भ है, उसी को तुम वेदों का कर्त्ता जानो।

(ऋ० भा० भू० वेदोत्पत्ति विषय)

ब्राह्मणों ने भी इस मान्यता को यथावत् स्वीकार किया है—

(ग) "**एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्।**
यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः ॥" (शत० १४।५)

अर्थात्—उस महान् शक्तिशाली परमात्मा के निश्वासरूप में प्रकट ये चारों वेद हैं, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अङ्गिरा से प्रकट अथर्ववेद के नाम से प्रसिद्ध हैं।

(घ) "**तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्त, अग्नेर्ऋग्वेदो, वायोर्यजुर्वेदः, सूर्यात्सामवेदः।**" (श० ११।५।२।३)

अर्थात्—उन तपस्वी ऋषियों के माध्यम से परमात्मा ने अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद, सूर्य से सामवेद इस प्रकार त्रयीविद्यारूप चार वेद प्रकट किये।

(३) **वेदोत्पत्ति की मान्यता का अन्यत्र वर्णन**—मनु ने वेदों को अपौरुषेय माना है, जैसा कि इस श्लोक में वर्णन है। अपनी इस मान्यता की पुष्टि मनु ने अन्यत्र भी अनेक स्थानों पर की है, द्रष्टव्य हैं—१।३,२१॥ ११।२६४–२६५॥ १२।९४ श्लोक।

समयादि की उत्पत्ति—

कालं कालविभक्तीश्च नक्षत्राणि ग्रहांस्तथा।
सरितः सागराञ्छैलान्समानि विषमाणि च॥ २४॥

तपो वाचं रतिं चैव कामं च क्रोधमेव च।
सृष्टिं ससर्ज चैवेमां स्रष्टुमिच्छन्निमाः प्रजाः॥ २५॥

[फिर उस परमात्मा ने] (स्रष्टुम्+इच्छन्) सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा से (कालम्) समय (च) और (कालविभक्तीन्) समयविभागों—निमेष, काष्ठा, कला, दिन-रात आदि को (नक्षत्राणि) नक्षत्रों—अश्विनी, भरणी आदि को (तथा ग्रहान्) तथा ग्रहों—सूर्य, चन्द आदि को (सरितः) नदियों (सागरान्) समुद्रों (शैलान्) पर्वतों (च) और (समानि विषमाणि) ऊँचे-नीचे स्थानों को (तपः वाचं रतिं च) और तप, वाणी, प्रसन्नता (च) तथा (कामं क्रोधं एव) काम, क्रोध को, (इमाः प्रजाः) इन सब प्रजाओं को (च) और (इमां सृष्टिम्) शेष सारी सृष्टि को (ससर्ज) रचा॥२४, २५॥

अनुशीलन : ये दोनों श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—(१) पूर्वापर प्रसङ्ग के विरुद्ध हैं। २१ वें श्लोक में वेदों के द्वारा कर्मों का ज्ञान कराये जाने का कथन है, तदनुसार २६ वें में कर्मों के विवेचन का वर्णन है। कर्मों के प्रसङ्ग के बीच में सृष्टि-उत्पत्ति का वर्णन उस पूर्वापर प्रसङ्ग को भङ्ग कर रहा है। (२) सृष्ट्युत्पत्ति वर्णन का प्रसङ्ग २२ वें में पूर्ण हो चुका है, उसके बाद वेदोत्पत्ति और कर्मों का प्रसङ्ग है। उस प्रसङ्ग के समाप्त हो जाने पर पुनः नये सिरे से उन बातों का वर्णन करना असङ्गत है।

२. **शैलीगत आधार**—(१) सृष्टि-उत्पत्ति के पूर्व-प्रसङ्ग में यह स्पष्ट हो जाता है कि मनु ने प्राणि-शरीरों की रचना का वर्णन करने के लिए कुछ विस्तृत शैली अपनायी, लेकिन शेष जड़ जगत् की उत्पत्ति का संकेत मात्र दिया है [१।१९, २१]। इन श्लोकों में जड़ पदार्थों की उत्पत्ति का गणनापूर्वक विस्तृत उल्लेख इन्हें मनु की शैली का सिद्ध नहीं करता। (२) गणना या वर्णन की शैली अयुक्तियुक्त भी है। इसमें

अव्याप्ति दोष स्पष्टतः दिखाई पड़ता है। कुछ पदार्थों एवं भावों की रचना का तो उल्लेख है और लोभ, मोह,वृक्ष आदि बहुत से शेष पदार्थों का संकेत ही नहीं। पदार्थों के उल्लेख का कोई सुनिश्चित आधार भी नहीं है। मनु की शैली में इस प्रकार की कमियां नहीं हैं, अतः ये श्लोक मनु की शैली के नहीं हैं। (३) शब्दों का प्रयोग भी इन्हें प्रक्षिप्त सिद्ध कर रहा है। १।१६, १८ ,२२ में मनुष्यों-प्राणियों की उत्पत्ति कही जा चुकी है और उसके बाद वेदज्ञान की प्राप्ति का कथन भी हो चुका। किन्तु इन श्लोकों में—'**सृष्टुमिच्छन् इमाः प्रजाः**' कहा जा रहा है अर्थात् अभी परमात्मा प्रजाओं की सृष्टि की इच्छा ही कर रहा है। यह प्रयोग इन्हें मनु की शैली का सिद्ध नहीं करता। ये बाद में असङ्गत रूप से जोड़ दिये हैं।

धर्म-अधर्म, सुख-दुःख आदि का विभाग—

कर्मणां च विवेकार्थं धर्माधर्मौ व्यवेचयत्।
द्वन्द्वैरयोजयच्चेमाः सुखदुःखादिभिः प्रजाः ॥ २६ ॥ (१६)

(च) और फिर (कर्मणां विवेकार्थम्) कर्मों के विवेचन के लिए (धर्म-अधर्मौ) धर्म-अधर्म का (व्यवेचयत्) विभाग किया (च) तथा (इमाः प्रजाः) इन प्रजाओं को(सुखदुःखादिभिः द्वन्द्वैः) सुख-दुःख आदि द्वन्द्वों [=दो विरोधी गुणों या अवस्थाओं के जोड़ों] से (अयोजयत्) संयुक्त किया ॥२६॥

अनुशीलन : धर्म-अधर्म के विभाग की चर्चा निम्न वेदमन्त्र में आती है। वही भाव यहां मनु ने ग्रहण किया है —

"**दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापतिः**" (यजु० १९।७७)

(प्रजापतिः) सब जगत् का अध्यक्ष जो ईश्वर है सो (सत्यानृते) सत्य जो धर्म और असत्य जो अधर्म है (व्याकरोत्) उनको ईश्वर ने अपनी सर्वज्ञ विद्या के ठीक-ठीक विचार से देखके सत्य और झूठ को अलग-अलग किया है।' (ऋ० भा० भू० ९७)

सूक्ष्म से स्थूल के क्रम से सृष्टि का वर्णन—

अव्ययो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां तु याः स्मृताः।
ताभिः सार्धमिदं सर्वं सम्भवत्यनुपूर्वशः ॥२७॥ (१७)

(दशार्धानाम् तु) दश के आधे अर्थात् पांच महाभूतों की ही (याः) जो (विनाशिन्यः) विनाशशील अर्थात् अपने अहङ्कार कारण में लीन होकर नष्ट होने के स्वभाव वाली (अव्ययः मात्राः स्मृताः) सूक्ष्म तन्मात्राएं कही गई हैं (ताभिः) उनके (सार्धं) साथ अर्थात् उनको मिलाकर ही (इदं सर्वम्) यह समस्त संसार (अनुपूर्वशः) क्रमशः—सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से स्थूलतर, स्थूलतर से स्थूलतम के क्रम से (संभवति) उत्पन्न होता है ॥ २७ ॥

अनुशीलन : २७ वें श्लोक के क्रम पर विचार—प्रतीत होता है कि

मूल प्रति में खण्डित हो जानेके कारण यह श्लोक स्थानभ्रष्ट हो गया है।प्रसंग और क्रम की दृष्टि से यह १९वें के पश्चात् होना चाहिए, क्योंकि--(१) "**कर्मणां च विवेकार्थं**" इस श्लोक के पश्चात् इसका कोई क्रम नहीं जुड़ता। यहां प्रसंग को भंग करता है। (२) भूतों और तन्मात्राओं की उत्पत्ति और उनसे जगत् की उत्पत्ति का क्रम तथा प्रसंग १९वें तक पूर्ण हो जाता है। इस दृष्टि से भी यहां संगत है। (३) २० वें में '**एषाम्**' कहकर तन्मात्राओं व पञ्चभूतों का ही वर्णन है। इस प्रयोग से यह संकेत मिलता है कि उससे पूर्व तन्मात्राओं के वर्णन का श्लोक होना चाहिए,जो प्रचलित पाठ में नहीं है। और इस प्रसंग में ऐसा और कोई दूसरा श्लोक है नहीं, जिसमें पञ्चतन्मात्राओं का वर्णन हो। यही एक श्लोक ऐसा है जिसमें पञ्चतन्मात्राओं का वर्णन है। इस प्रकार २०वें श्लोक के '**एषाम्**' पद से प्राप्त होने वाले एक श्लोक के अभाव का संकेत [illegible] श्लोक का २७वीं संख्या पर असंगत होना, ये दोनों बातें इस श्लोक का उपयुक्त १९वें के पश्चात् नियत करती हैं। अतः यह इसी क्रम से रखा जाना चाहिए। [illegible] मूल में प्रक्षेप की कोई भी प्रेरक-प्रवृत्ति संभव न होने के कारण इसे प्रक्षिप्त नहीं माना गया है।

जीवों का कर्मों से संयोग—

यं तु कर्मणि यस्मिन् स न्ययुङ्क्त प्रथमं प्रभुः।
स तदेव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः ॥२८॥ (१८)

(सः प्रभुः) उस परमात्मा ने (प्रथमम्) सृष्टि के आरम्भ में (यं तु) जिस प्राणी को (यस्मिन् कर्मणि) जिस कर्म में (न्ययुङ्क्त) लगाया (पुनः पुनः) प्रत्येक सृष्टि-उत्पत्ति समय में [१। ८०] (सः) वह फिर (सृज्यमानः) उत्पन्न होता हुआ अर्थात् जन्म धारण करता हुआ (तदेव) उसी कर्म को ही (स्वयम्) अपने आप (भेजे) प्राप्त करने लगा ॥ २८ ॥

हिंस्राहिंस्रे मृदुक्रूरे धर्माधर्मावृतानृते।
यद्यस्य सोऽदधात्सर्गे तत्तस्य स्वयमाविशत् ॥ २९ ॥ (१९)

(हिंस्र+अहिंस्रे) हिंसा [सिंह, व्याघ्र आदि का] अहिंसा [मृग आदि का] (मृदु-क्रूरे) दयायुक्त और कठोरतायुक्त(धर्म-अधर्मौ) धर्म तथा अधर्म (अनृत-ऋते) असत्य और सत्य (यस्य) जिस प्राणी का (यत्) जो कर्म (सर्गे) सृष्टि के प्रारम्भ में (सः अदधात्) उस परमात्मा ने धारण कराना था (तस्य तत्) उस को वही कर्म (स्वयम्) अपने आप ही (आविशत्) प्राप्त हो गया ॥ २९ ॥

अनुशीलन : **जगदुत्पत्ति-प्रयोजन एवं कर्मफल**—सृष्टि के आरम्भ में प्राणियों के कर्मों की भिन्नता के कारण और जगत्-रचना के प्रयोजन पर प्रकाश डालते हुए महर्षि-दयानन्द लिखते हैं—

"(प्रश्न) जगत् के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है ?

(उत्तर)·····प्रलय के पूर्व सृष्टि में जीवों के किये पाप-पुण्य कर्मों का फल ईश्वर कैसे दे सकता, और जीव क्योंकर भोग सकते थे ?" (स० प्र० २१३)

"(प्रश्न) ईश्वर ने किन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्हीं को सिंह आदि क्रूर जन्म, किन्हीं को हरिण, गाय आदि पशु, किन्हीं को वृक्षादि कृमि, कीट, पतंग आदि जन्म दिये हैं; इससे परमात्मा में पक्षपात आता है ?

(उत्तर) पक्षपात नहीं आता, क्योंकि उन जीवों के पूर्व सृष्टि में किये हुए कर्मानुसार व्यवस्था करने से जो कर्म के बिना जन्म देता तो पक्षपात आता।"

(स० प्र० २२३—२२४)

यथर्तुलिंगान्यृतवः स्वयमेवर्तुपर्यये।
स्वानि स्वान्यभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः ॥ ३० ॥ (२०)

(यथा) जैसे (ऋतवः) ऋतुएं (ऋतुपर्यये) ऋतु-परिवर्तन होने पर (स्वयम् + एव) अपने आप ही (ऋतुलिंगानि) अपने-अपने ऋतुचिह्नों—जैसे, वसन्त आने पर कुसुम-विकास, आम्रमञ्जरी आदि को (अभिपद्यन्ते) प्राप्त करती हैं (तथा) उसी प्रकार (देहिनः) देहधारी प्राणी भी (स्वानि स्वानि कर्माणि) अपने-अपने कर्मों को प्राप्त करते हैं अर्थात् अपने-अपने कार्यों में संलग्न हो जाते हैं ॥ ३० ॥

चार वर्णों की व्यवस्था का निर्माण—

लोकानां तु विवृद्ध्यर्थं मुखबाहूरुपादतः।
ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निरवर्तयत् ॥ ३१ ॥ (२१)

[फिर उस परमात्मा ने] (लोकानां तु) प्रजाओं अर्थात् समाज की (विवृद्ध्यर्थम्) विशेष वृद्धि=शान्ति, समृद्धि एवं प्रगति के लिए (मुखबाहु-ऊरु-पादतः) मुख, बाहु, जंघा और पैर के गुणों की तुलना के अनुसार क्रमशः (ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं च शूद्रम्) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण को (निरवर्तयत्) निर्मित किया। अर्थात् चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था का निर्माण किया ॥ ३१ ॥ ❀

अनुशीलन : (१) **चातुर्वर्ण्यव्यवस्था-निर्माण वेदों से**—वेद में पुरुषसूक्त में चार वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन आया है। मनु ने इस श्लोक में ठीक उसी प्रकार वर्णों की उत्पत्ति दर्शायी है। इन मन्त्रों से मनु का भाव और स्पष्ट हो जाता है

❀ [**प्रचलित अर्थ**—लोक-वृद्धि के लिए ब्रह्मा ने मुख, बाहु, ऊरु और पैर से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की सृष्टि की ॥ ३१ ॥]

तथा ब्रह्मा के अंगों से चार वर्णों की उत्पत्ति की भ्रान्ति का भी निराकरण हो जाता है। जैसा कर्मों-गुणों के आधार पर आलंकारिक वर्णन वेद में है, वैसा ही मनुस्मृति में है। मन्त्र निम्न हैं—

"यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्।
मुखं किमस्यासीत् किं बाहू किमूरू पादा उच्येते॥
(यजु० ३१।१०)

(यत्पुरुषं०) पुरुष उसको कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान् ईश्वर कहाता है (कतिधा व्य०) जिसके सामर्थ्य का अनेक प्रकार से प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि उसमें चित्रविचित्र बहुत प्रकार का सामर्थ्य है, अनेक कल्पनाओं से जिसका कथन करते हैं (मुखं किमस्यासीत्) इस पुरुष के मुख अर्थात् मुख्य गुणों से इस संसार में क्या उत्पन्न हुआ है (किं बाहू) बल वीर्य्य, शूरता और युद्ध आदि विद्यागुणों से किसकी उत्पत्ति हुई है (किमूरू) व्यापार आदि मध्यम गुणों से किसकी उत्पत्ति होती है? इन चारों प्रश्नों के उत्तर ये हैं कि—

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहू राजन्यः कृतः।
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत॥
(यजु० ३१।११)

(ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्) इस पुरुष की आज्ञा के अनुसार जो विद्या, सत्यभाषण आदि उत्तमगुण और श्रेष्ठकर्मों से ब्राह्मणवर्ण उत्पन्न होता है, वह मुख्य कर्म और गुणों के सहित होने से मनुष्यों में उत्तम कहाता है (बाहू राजन्यः कृतः) और ईश्वर ने बल-पराक्रम आदि पूर्वोक्त गुणों से युक्त क्षत्रिय वर्ण को उत्पन्न किया है (ऊरू तदस्य०) खेती, व्यापार और सब देशों की भाषाओं को जानना तथा पशुपालन आदि मध्यम गुणों से वैश्य वर्ण सिद्ध होता है (पद्भ्यां शूद्रो०) जैसे पग सबसे नीच अङ्ग है वैसे मूर्खता आदि नीच* गुणों से शूद्रवर्ण सिद्ध होता है।" (ऋ० भू० १२५-१२६)

(२) इस आलंकारिक वर्णन की पुष्टि के लिए वेदों के व्याख्याग्रन्थ ब्राह्मणों के प्रमाण भी उपलब्ध हैं। निम्न वचनों में ब्राह्मण को समाज या मनुष्यों का मुखरूप बताया है, मुख से उत्पन्न हुआ नहीं—

(अ) ब्राह्मणो मनुष्याणां मुखम्। (तां० १।६।१)
ब्राह्मण मनुष्यों का मुख है।

(आ) अस्य सर्वस्य ब्राह्मणो मुखम्। (श० ३।६।१।१४)

---

* यहां महर्षि दयानन्द द्वारा प्रयुक्त 'नीच' शब्द 'उच्च' का विलोमार्थकहै, जो संस्कृत 'निम्न' का पर्यायवाची है, यह आजकल की भाषा और व्यवहार में प्रयुक्त 'नीच' घृणार्थक नीच अर्थ में नहीं है। इसका अर्थ है—'गुणों के अनुपात में निम्न गुणों वाला।'

इस समाज या जगत् का ब्राह्मण मुखरूप है अर्थात् सर्व प्रमुख स्थान वाला है।

(३) **वर्णोत्पत्ति-विषयक भ्रान्त कल्पना**—इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कुल्लूक भट्ट ने एक अत्यन्त अविश्वसनीय कल्पना की है, और उसे उसी प्रकार के अन्ध-विश्वास से पुष्ट किया है। उन्होंने इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार किया है—'ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण को पैदा किया, बाहुओं से क्षत्रिय को, जंघाओं से वैश्य और पैर से शूद्र को पैदा किया है'। इस अन्ध कल्पना पर कभी किसी का विश्वास न होने, शायद इसलिए उन्होंने यह वाक्य भी जोड़ा—"**दैव्या च शक्त्या मुखादिभ्यो ब्राह्मणादिनिर्माणं ब्रह्मणो न विशङ्कनीयं श्रुतिसिद्धत्वात्। तथा च श्रुतिः—ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्**" [ऋक् १०।९०।१२]। अर्थात्—ब्रह्मा के मुख आदि से ब्राह्मण आदि का निर्माण दिव्य-शक्ति से हुआ है, इसमें किसी प्रकार की शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह बात वेदों से सिद्ध है, वेद में कहा है—'ब्राह्मण इस परमात्मा का मुख हुआ।' वस्तुतः यहां आलंकारिक वर्णन है, जिसका अर्थ इस प्रकार बनता है कि परमात्मा ने मुख, बाहु, जंघा और पैर के गुणों के साम्य के अनुसार क्रमशः चारों वर्णों का निर्माण किया है। जैसे—७।४ में इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, चन्द्र आदि आठ वस्तुओं के अंश से राजा का निर्माण होना कहा है। स्पष्ट है कि इनसे राजा की रचना नहीं हो सकती, किन्तु आलंकारिक रूप में यहां राजाओं में इनके गुणों का होना अभिप्रेत है। ठीक इसी प्रकार यहां भी गुणों के साम्य के आधार पर वर्णों की रचना का कथन है। कुल्लूक ने जिस पद को प्रमाण रूप में दिया है उसका अर्थ भी 'उत्पन्न होना' नहीं बनता, अपितु आलंकारिक रूप में 'ब्राह्मण मुखस्थानीय रूप में था, यह अर्थ ही संगत होता है। दिव्य शक्ति भी अपनी एक निश्चित प्रक्रिया में काम करती है। दिव्य शक्ति होने का यह मतलब नहीं कि वह सृष्टिक्रम-विरुद्ध रूप में कुछ भी कर डाले, अतः कुल्लूक का यह विश्वास भी बुद्धिसंगत नहीं है। शैली और प्रसंग के अनुसार भी यदि विचार किया जाये तो इसका आलंकारिक ही अर्थ बनता है, कुल्लूक भट्ट और उनके अनुसरणकर्त्ताओं का अर्थ असंगत सिद्ध होता है—(१) सृष्टि-उत्पत्ति-क्रम में १।१६,१९,२२ में मनुष्यादि प्राणियों की उत्पत्ति का होना कहा जा चुका है और उसके पश्चात् ऋषियों से वेदज्ञान की प्रकटता [१।२३], प्रजाओं की सुख-दुःखादि से संयुक्ति [१।२६] आदि भी दिखायी जा चुकी है फिर दोबारा उत्पत्ति कैसी? (२) मनुस्मृति में ब्रह्मा का प्रसंग प्रक्षिप्त है, अतः उसका नाम जोड़कर अर्थ करना भी उचित नहीं (इसके लिए १।७–१३ पर समीक्षा देखिए।) और परमात्मा सूक्ष्म, अव्यय होने से शरीर धारण नहीं करता। अतः उसके मुखादि की कल्पना भी नहीं हो सकती, उनसे उत्पत्ति आदि की कल्पना का तो फिर प्रश्न ही नहीं। (३) यदि ब्रह्मा के माध्यम से यह उत्पत्ति मानी जाये, तो उस प्रसङ्ग से भी यह अन्ध-कल्पना सिद्ध नहीं होती। यतोहि, ब्रह्मा के प्रसङ्ग में सृष्टि-उत्पत्ति का क्रम—'ब्रह्मा से विराट्, विराट् से मनु और मनु से अन्य सृष्टि'—[१।३२–४१] इस रूप में उल्लिखित है। उससे भी अनेक प्रकार से विरोध आता है—(क) मनु की उत्पत्ति बाद में

हुई दर्शायी गयी है और ब्राह्मण आदि की उत्पत्ति पहले ही दिखा दी। (ख) जबउक्त ब्रह्मा की वंश-परम्परा से सारी सृष्टि-उत्पत्ति मानी है, तो ब्राह्मण आदि पहले ही क्यों और किससे पैदा हुए? (ग) यदि ब्राह्मण आदि को पहले उत्पन्न कर दिया था तो फिर विराट्, मनु आदि की उत्पत्ति की ब्रह्मा को क्या आवश्यकता थी? सृष्टि तो उन्हीं से चल जाती। (घ) जब मुख आदि से ब्राह्मण आदि की रचना कर डाली तो फिर 'विराट् को भी क्यों न किसी अङ्ग से बनाया? उनके जन्म के लिए पहले स्त्री-रचना की क्यों आवश्यकता हुई? [१।३२]। इस प्रकार अनेकों युक्तियों से कुल्लूकभट्ट और उनके अनुसरणकर्त्ताओं की कल्पना गलत और असंगत सिद्ध होती है, अतः आलंकारिक अर्थ ही मनु-अभिप्रेत मानना चाहिए।

ब्रह्मा से स्त्री-पुरुष की उत्पत्ति—

द्विधा कृत्वाऽऽत्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्।
अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत्प्रभुः॥ ३२॥

वह ब्रह्मा (आत्मनः+देहम्) अपने शरीर के (द्विधा कृत्वा) दो भाग करके (अर्धेन पुरुषः) आधे से पुरुष और (अर्धेन नारी) आधे से स्त्री (अभवत्) हो गया (तस्याम्) फिर उस स्त्री में (सः प्रभुः) उस ब्रह्मा ने (विराजम्) 'विराट्' नामक पुरुष को (असृजत्) उत्पन्न किया॥ ३२॥

मनु की उत्पत्ति—

तपस्तप्त्वाऽसृजद्यं तु स स्वयं पुरुषो विराट्।
तं मां वित्तास्य सर्वस्य स्रष्टारं द्विजसत्तमाः॥ ३३॥

(द्विजसत्तमाः) हे श्रेष्ठ ब्राह्मणो! (सः विराट् पुरुषः) उस विराट् नामक पुरुष ने (तपः तप्त्वा) तपस्या करके (यं तु असृजत्) जिसको उत्पन्न किया (तम्) उसे (अस्य सर्वस्य) इस सब संसार के रचयिता (माम्) मुझ मनु को (वित्त) समझो अर्थात् वह मैं मनु ही हूँ॥ ३३॥

दश प्रजापतियों की उत्पत्ति—

अहं प्रजा सिसृक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्।
पतीन् प्रजानामसृजं महर्षीनादितो दश॥ ३४॥

(प्रजाः सिसृक्षुः तु अहम्) प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा वाले मैंने (मनु ने) (सुदुश्चरम् तपः तप्त्वा) कठोर तपस्या करके (आदितः) पहले (प्रजानां पतीन्) प्रजाओं के पतिरूप (दश महर्षीन्) दश महर्षियों को (असृजम्) उत्पन्न किया॥३४॥

मरीचिमत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम्।
प्रचेतसं वसिष्ठं च भृगुं नारदमेव च॥ ३५॥

[वे दश प्रजापति ऋषि ये हैं]—मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वसिष्ठ, भृगु और नारद॥ ३५॥

पुनः सात मनुओं तथा देवों की सृष्टि—

एते मनूंस्तु सप्तान्यानसृजन्भूरितेजसः ।
देवान्देवनिकायांश्च महर्षींश्चामितौजसः ॥ ३६ ॥

(एते मनूंस्तु) इन दश मनुओं ने (भूरितेजसः) अत्यधिक तेजस्वी (अन्यान् सप्तान्) अन्य सात मनुओं को (असृजन्) उत्पन्न किया (च) और (देवान्) देवताओं (देवनिकायान्) देवगणों (च) तथा (अमितौजसः) महातेजस्वी (महर्षीन्) महर्षियों को भी उत्पन्न किया ॥ ३६ ॥

यक्ष आदि की सृष्टि—

यक्षरक्षःपिशाचांश्च गन्धर्वाप्सरसोऽसुरान् ।
नागान्सर्पान्सुपर्णांश्च पितॄणां च पृथग्गणान् ॥ ३७ ॥
विद्युतोऽशनिमेघांश्च रोहितेन्द्रधनूंषि च ।
उल्कानिर्घातकेतूंश्च ज्योतींष्युच्चावचानि च ॥ ३८ ॥
किन्नरान्वानरान्मत्स्यान्विविधांश्च विहंगमान् ।
पशून्मृगान्मनुष्यांश्च व्यालांश्चोभयतोदतः ॥ ३९ ॥
कृमिकीटपतंगांश्च यूकामक्षिकमत्कुणम् ।
सर्वं च दंशमशकं स्थावरं च पृथग्विधम् ।
एवमेतैरिदं सर्वं मन्नियोगान्महात्मभिः ॥ ४० ॥
यथाकर्म तपोयोगात्सृष्टं स्थावरजंगमम् ॥ ४१ ॥

(च) फिर (यक्ष-रक्षः-पिशाचान्) यक्ष, राक्षस, पिशाचों को (गन्धर्व+अप्सरसः+सुरान्) गन्धर्व, अप्सराओं और राक्षसों को (च) और (नागान् सर्पान् सुपर्णान्) नाग, सर्प, गरुड़ों को (पितॄणां पृथक् गणान्) पितरों के पृथक्-पृथक् गणों को, (च) और (विद्युतः) बिजली, (अशनि) गिरने वाली बिजलियों; (मेघान्) बादलों को, (रोहित) सीधे इन्द्रधनुषों, (इन्द्रधनूंषि) टेढ़े इन्द्रधनुषों को, (उल्का) उल्काओं, (निर्घात) उत्पात की आवाजों, (केतून्) पुच्छल तारों (च) और (ज्योतींषि उच्च+अवचानि) छोटे-बड़े तारों को; (किन्नरान् वानरान् मत्स्यान्) किन्नरों, वानरों, मछलियों को (विविधान् विहङ्गमान्) विविध प्रकार के पक्षियों को, (पशून् मृगान् मनुष्यान्) ग्राम्यपशुओं, वन्य-पशुओं, मनुष्यों को (उभयोदतः व्यालान्) दोनों ओर दाँत वाले हिंसक पशुओं को; (कृमि-कीट-पतंगान्) छोटे कीड़ों, बड़े कीड़ों, उड़ने वाले कीड़ों (यूका-मक्षिक-मत्कुणम्) जूं, मक्खी, खटमलों (च सर्वं दंशमशकम्) और सब डंसने वाले मच्छरों को (च पृथक्-विधम् स्थावरम्) विविध प्रकार के स्थावरों को उत्पन्न किया। (एवम्) इस प्रकार (एतैः महात्मभिः) इन [१।३५] दश प्रजापति मनुओं ने (मत् नियोगात्) मेरे आदेश से (तपोयोगात्) तपोबल के द्वारा (इदं सर्वं स्थावरजंगमम्) यह सब स्थावर-जंगम जगत् (यथाकर्म) कर्मानुसार (सृष्टम्) रचा ॥ ३७–४१ ॥

अनुशीलन : ३२ से ४१ तक के श्लोकों का यह प्रसंग निम्न आधार पर प्रक्षिप्त है—

१. **प्रसंगविरोध**—(१) **सात मनुष्यों से चराचर जगत् की उत्पत्ति नहीं**—इसमे सृष्टि-उत्पत्तिके एक साथ दो प्रसंग चल रहे हैं—एक, अव्यक्त-सूक्ष्म परमात्मा द्वारा महत् आदि तत्त्वों से सृष्टि की रचना वाला—जो ५,६, १४-२३, २७-३१, ४२-४६, ५२-५७, ६७–७८ श्लोकों में वर्णित है। दूसरा, ब्रह्मा और ब्रह्मा के वंशीय मनु द्वारा समस्त जगत् की उत्पत्ति के कथनवाला; यह ७-१३, २४-२५, ३२-४१, ५०-५१, ५८-६३ श्लोकों में वर्णित है। इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते कि दो प्रसंगों में से एक ही मौलिक हो सकता है, दोनों नहीं। क्योंकि, दोनों में परस्पर-विरोध है और दोनों प्रसंगों के श्लोकों का क्रम भी नहीं जुड़ता। न दोनों प्रसंगों के श्लोकों की शैली ही मेल खाती है। इन दोनों में अव्यक्त-सूक्ष्म परमात्मा द्वारा तत्त्वों से सृष्टि-रचना का प्रसङ्ग ही मौलिक माना जा सकता है, यतो हि—(क) १। ५-६ में उसी परमात्मा से सृष्टि-उत्पत्ति बतलानी शुरू की थी और युक्तियों के आधार पर वही सृष्टि उत्पन्न करने में समर्थ माना जा सकता है, (ख) तत्त्वों द्वारा सृष्टि-उत्पत्ति का क्रम ही युक्तियुक्त है। १। ५-६ में 'महाभूतादि वृत्तौजाः' 'तमोनुदः' आदि विशेषणों से मनु ने इसी क्रम का संकेत दिया है, ब्रह्मा के वंश का नहीं। (ग) ब्रह्मा के प्रसंग वाले श्लोकों का, जहाँ भी वे क्षेपक के रूपमें डाले गये हैं, वहाँ के पूर्वापर श्लोकों से क्रम और संगति नहीं जुड़ती। उन्होंने मूल प्रसंग को स्थान-स्थान पर भंग कर दिया है। (घ) ब्रह्मा के प्रसंग वाले श्लोकों की शैली कल्पना पर आश्रित, अयुक्तियुक्त, अविश्वसनीय, सुनिश्चित आधार से रहित, अपरिष्कृत और गाम्भीर्यरहित है, जबकि मूलप्रसंग के श्लोकों की शैली में ये कमियाँ नहीं हैं। (ङ) किसी मनुष्य के द्वारा (जैसे मनु और दश प्रजापतियों द्वारा) स्थावर और पशु-पक्षी, कीट आदि की सृष्टि प्रकृतिविरुद्ध और अमान्य है। इन युक्तियों से यह स्पष्टतः सिद्ध हो जाता है कि मनुस्मृति में ब्रह्मा का प्रसंग मौलिक नहीं है। इस प्रकार ३२-४१ श्लोकों का यह प्रसङ्ग भी ब्रह्मा के प्रसंग का अंश होने के कारण प्रक्षिप्त है। (२) ये श्लोक पूर्वापर प्रसङ्ग के विरुद्ध हैं—उसे भंग कर रहे हैं। २४ वें श्लोक से कर्मों की चर्चा प्रारम्भ की थी। उसी क्रम में ३१ वें श्लोक में कर्मानुसार समाज में चार वर्णो का निर्माण दिखाया है। इसके बाद इनके कर्मों को बतलाना था। किन्तु मनु ने प्रसङ्ग बदलकर पहले प्राणियों के वर्ग और जन्मक्रम का वर्णन करना आवश्यक समझा, अतः ४२ वें श्लोक में इस प्रसङ्ग-परिवर्तन का उल्लेख कर दिया है। प्रथम पंक्ति में कर्म की चर्चा ३१ वें के आधार पर ही की गई है। अतः ३१ वें के पश्चात् ४२ वां श्लोक ही संगत है। ये उस सङ्गति को भंग करने के कारण प्रसङ्गविरुद्ध हैं। (३) १। १४-२३ श्लोकों में समस्त जगत् की उत्पत्ति का कथन हो चुका है, और इसी श्लोक के साथ जगदुत्पत्ति का यह प्रसङ्ग पूर्ण हो चुका। प्रसङ्ग समाप्त होने पर पुनः स्थावर-जंगम जगत् की उत्पत्ति कहना या एक भिन्न प्रसङ्ग प्रारम्भ करना, अप्रासङ्गिक है। इस दृष्टि से भी ये श्लोक प्रसंगविरुद्ध हैं।

२. **अन्तर्विरोध**—इन श्लोकों की मान्यता के साथ त्रिकोणात्मक विरोध मिलता

हैं—(क) १।५-६, १४-२३ श्लोकों में अव्यक्त-सूक्ष्म परमात्मा द्वारा तत्त्वों से सृष्टि रचना कही है, (ख) १।७–१३, ५० और-"एवं सर्वं स सृष्ट्वेदं मां च अचिन्त्य–पराक्रमः" 'इस प्रकार यह ब्रह्मा इस समस्त संसार को और मुझे (मनु को) उत्पन्न करके' [१।५१] के अनुसार इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा से मानी है। तथा (ग) (३४-४१ श्लोकों में मनु और उससे उत्पन्न दशप्रजापतियों को इस जड़-जंगम जगत् का रचयिता कहा है। ये तीनों ही मान्यताएँ एक-दूसरे का विरोध करने वाली हैं। स्पष्ट है कि कोई एक मान्यता ही मौलिक होनी चाहिए। १।७-१३ और इन ३२-४२ श्लोकों पर दी गई युक्तियों और प्रमाणों के आधार पर अव्यक्त-सूक्ष्म परमात्मा से सृष्टि-उत्पत्ति वाली मान्यता ही मौलिक सिद्ध होती है। शेष दोनों मान्यताएँ उसके विरुद्ध होने के कारण मनुप्रोक्त और मौलिक न होकर प्रक्षिप्त हैं।

३. **शैलीगत आधार**—मनु की शैली से इन श्लोकों की शैली भिन्न है—(१) मौलिक सृष्ट्युत्पत्ति-प्रसंग (१।५–६, १४–२३) के श्लोकों की शैली साधार, परिष्कृत, युक्तियुक्त (एक सुनिश्चित प्रकृतिसिद्ध प्रक्रिया के अनुसार सृष्ट्युत्पत्ति दर्शाने वाली) है। किन्तु इन श्लोकों की शैली निराधार सृष्टिक्रम से विरुद्ध, अपरिष्कृत और अयुक्तियुक्त है—(क) इन श्लोकों में सृष्ट्युत्पत्ति की कोई सुनिश्चित प्रक्रिया नहीं है। (ख) ३२ वें श्लोक में ब्रह्मा के आधे भाग से पुरुष और आधे से स्त्री की रचना का वर्णन भी अयुक्तियुक्त, अविश्वसनीय, कपोल-कल्पित और अंधविश्वास पर आधारित है। (ग) ब्रह्मा ने तो अपने आधे भाग से निर्मित स्त्री में विराट् को उत्पन्न किया, लेकिन विराट् ने मनु को किस स्त्री द्वारा जन्म दिया [३२-३३], इसका उल्लेख ही नहीं। (घ) इसी प्रकार मनु ने दशप्रजापतियों को (३४), दशप्रजापतियों ने सात मनुओं को (३५-३६) किस स्त्री से जन्म दिया और वह स्त्री किससे पैदा हुई? (ब्रह्मा से तो केवल एक ही स्त्री का निर्माण बतलाया है। जिससे विराट् हुआ, इन बातों का उल्लेख नहीं, केवल कल्पना दिखा दी है। (ङ) मनुष्यों से पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि तथा जड़ वस्तुओं का जन्म होना प्रकृतिविरुद्ध है (३७–४१)। ये बातें इन श्लोकों की शैली को निराधार, अयुक्तियुक्त और अपरिष्कृत सिद्ध करती हैं। इनका वर्णन केवल रूढ़ और अन्धकल्पना पर आधारित है, (२) मौलिक प्रसंग में सृष्ट्युत्पत्ति का वर्णन गम्भीर और संक्षिप्त शैली से किया है। इसीलिए मनु ने प्राणियों और स्थावरों की गणना भी नहीं की, किन्तु इन श्लोकों में परिगणना शैली अपनायी है, न तो इनके वर्णन में संक्षिप्तता है और न गम्भीरता। इस दृष्टि से भी ये श्लोक मनुप्रोक्त नहीं सिद्ध होते। (१।७–१३ की समीक्षाएं भी इस सन्दर्भ में द्रष्टव्य हैं)

इस प्रकार अनेक आधारों और युक्तियों से ये श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। और इनके साथ-साथ ब्रह्मा से सम्बद्ध प्रसंग भी मनुस्मृति का मौलिक प्रसंग सिद्ध नहीं होता।

प्राणियों की उत्पत्ति का प्रकार—

येषां तु यादृशं कर्म भूतानामिह कीर्तितम् ।
तत्तथा वोऽभिधास्यामि क्रमयोगं च जन्मनि ॥ ४२ ॥ (२२)

(इह) इस संसार में (येषां भूतानाम्) जिन मनुष्यों का—वर्णगत मनुष्यों का (यादृशं कर्म) जैसा कर्म (कीर्तितम्) वेदों में कहा है (तत्) उसे (तथा) वैसे ही (१ । ८७–९१) (च) और (जन्मनि) उत्पन्न होने में (क्रमयोगम्) जीवों का जो एक निश्चित प्रकार रहता है, उसे (वः) आप लोगों को (अभिधास्यामि) कहूँगा ॥ ४२ ॥

अनुशीलन : ४२ वें श्लोक की शैली एवं अर्थ पर विचार—

(१) सृष्टि-उत्पत्ति का प्रसंग समाप्त होकर वह प्रसंग कर्मों के वर्णन की ओर चला गया था। किन्तु सृष्टि के सम्बन्ध में कुछ ऐसी बातें अभी शेष रह गई थीं, जिनसे अवगत कराना, मनु को आवश्यक लगा। इसलिए वे प्रसंग को बदलकर पुनः सृष्टि-उत्पत्ति पर लाये हैं, जिससे शेष अग्रिम बातों की जानकारी दे सकें। पहले उस प्रसंग को बदलने का संकेत कर दिया है। मनु की यह एक शैली है कि जब भी वे कोई भिन्न प्रसंग शुरू करते हैं, उसका संकेत देते हैं। इस कारण प्रसंग-भिन्नता का दोष नहीं आता।

(२) यहां '**कीर्तितम्**' से 'वेदों में कहा है' यह भाव अभिप्रेत है। १। ३, २१, ८७ श्लोकों से यह पुष्ट होता है। इन श्लोकों में मनु ने यह भाव प्रकट किया है कि—परमात्मा ने जो भी कर्म आदि बनाये, उनका ज्ञान वेदों के द्वारा करवाया। यहां वेदों में कहे कर्मों को ही मनु बतलायेंगे, यतो हि १। ३ में मनु को '**कार्यतत्त्वार्थवित्**' कहकर वेदों द्वारा प्रतिपादित धर्म-अधर्मों को ही जानने की इच्छा प्रकट की थी। (३) '**क्रमयोगम्**' से यहां क्रमानुसार अर्थ लेना उचित नहीं है। जीवों के उत्पन्न होने में जो एक 'निश्चित प्रकार' रहता है, जैसे—मनुष्यादि जरायु से पैदा होते हैं। पक्षी, सर्प आदि अण्डों से, इत्यादि यहां '**क्रमयोगं च जन्मनि**' का इसी से अभिप्राय है।

जरायुज-जीव—

पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चोभयतोदतः ।
रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः ॥ ४३ ॥ (२३)

(पशवः) ग्राम्यपशु गौ आदि (मृगाः) अहिंसक वृत्ति वाले वन्यपशु हिरण आदि (च) और (उभयोदतः व्यालाः) दोनों ओर दांत वाले हिंसक वृत्ति वाले पशु सिंह, व्याघ्र आदि (च) तथा (रक्षांसि) राक्षस (पिशाचाः) पिशाच (च) तथा (मनुष्याः) मनुष्य (जरायुजाः) ये सब 'जरायुज' अर्थात् झिल्ली से पैदा होने वाले हैं ॥ ४३ ॥

अनुशीलन : राक्षस और पिशाच का लक्षण ३।३३, ३४ श्लोकों की समीक्षा में द्रष्टव्य है।

अण्डजाः पक्षिणः सर्पा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः ।
यानि चैवंप्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च ॥ ४४ ॥ (२४)

(पक्षिणः) पक्षी (सर्पाः) सांप (नक्राः) मगरमच्छ (मत्स्याः) मछलियां (च) तथा (कच्छपाः) कछुए (च) और (यानि) अन्य जो (एवं प्रकाराणि) इस प्रकार के (स्थलजानि) भूमि पर रहने वाले (च) और (औदकानि) जल में रहने वाले जीव हैं, वे सब (अण्डजाः) 'अण्डज' अर्थात् अण्डे से उत्पन्न होने वाले हैं ॥ ४४ ॥

स्वेदज-जीव—

स्वेदजं दंशमशकं यूकामक्षिकमत्कुणम् ।
ऊष्मणश्चोपजायन्ते यच्चान्यत्किञ्चिदीदृशम् ॥ ४५ ॥ (२५)

(दंशमशकम्) डंक से काटने वाले डांस और मच्छर आदि (यूका) जूं (मक्षिक) मक्खियां (मत्कुणम्) खटमल (यत् च अन्यत् किञ्चित् ईदृशम्) जो और भी कोई इस प्रकार के जीव हैं, जो (ऊष्मणः) ऊष्मा अर्थात् सीलन और गर्मी से (उपजायन्ते) पैदा होते हैं, । वे सब (स्वेदजम्) 'स्वेदज' अर्थात् पसीने या सीलन से उत्पन्न होनेवाले कहाते हैं ॥ ४५ ॥

अनुशीलन : संस्कृत के शब्दकोशों के अनुसार, और जैसा कि इस श्लोक से भी ज्ञात होता है, यहां स्वेद शब्द का अर्थ व्यापक है । प्राकृतिक पदार्थों में उत्पन्न क्लिन्नता = सीलन या तापयुक्त सीलन प्राणियों के शरीर से उत्पन्न पसीना और नवमेघ कृत सेचन, ये सब 'स्वेद' कहलाते हैं । इन स्वेदरूपों से श्लोकोक्त तथा अन्य बहुत से लघु जीव उत्पन्न होते हैं । वे सब 'स्वेदज' कहलाते हैं ।

उद्भिज्ज जीव तथा ओषधियां—

उद्भिज्जाः स्थावराः सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिणः ।
ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः ॥ ४६ ॥ (२६)

(बीजकाण्डप्ररोहिणः) बीज और शाखा से उत्पन्न होने वाले (सर्वे स्थावराः) सब स्थावर जीव [एक स्थान पर टिके रहने वाले] वृक्ष आदि (उद्भिज्जाः) 'उद्भिज्ज'—भूमि को फाड़कर उगने वाले कहाते हैं । इनमें—(फलपाकान्ताः) फल आने पर पककर सूख जाने वाले और (बहुपुष्पफलोपगाः) जिन पर बहुत फूल-फल लगते हैं, । (ओषध्यः) वे 'ओषधि' कहलाते हैं ॥ ४६ ॥

वनस्पति तथा वृक्ष—

अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः।
पुष्पिणः फलिनश्चैव वृक्षास्तूभयतः स्मृताः॥ ४७॥ (२७)

(ये अपुष्पाः फलवन्तः) जिन पर बिना फूल आये ही फल लगते हैं, (ते) वे (वनस्पतयः स्मृताः) 'वनस्पतियां' कहलाती हैं। [जैसे-बड़=वट, पीपल, गूलर आदि] (च) और (पुष्पिणः फलिनः एव) फूल लगकर फल लगने वाले (उभयतः) दोनों से युक्त होने के कारण (वृक्षाः) वे उद्भिज्ज स्थावर जीव 'वृक्ष' (स्मृताः) कहलाते हैं॥ ४७॥

गुल्म, गुच्छ, तृण, प्रतान तथा बेल—

गुच्छगुल्मं तु विविधं तथैव तृणजातयः।
बीजकाण्डरुहाण्येव प्रताना वल्ल्य एव च॥ ४८॥ (२८)

(विविधम्) अनेक प्रकार के (गुच्छ) जड़ से गुच्छे के रूप में बनने वाले 'झाड़' आदि (गुल्मम्) एक जड़ से अनेक भागों में फूटने वाले 'ईख' आदि (तथैव) उसी प्रकार (तृणजातयः) घास की सब जातियां, (बीज-काण्डरुहाणि) बीज और शाखा से उत्पन्न होने वाले (प्रतानाः) उगकर फैलने वाली 'दूब' आदि (च) और (वल्ल्यः) उगकर किसी का सहारा लेकर चढ़ने वाली बेलें (एव) ये सब स्थावर भी 'उद्भिज्ज' कहलाते हैं॥ ४८॥

वृक्षों में अन्तश्चेतना—

तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्महेतुना।
अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः॥ ४९॥ (२९)

(कर्महेतुना) पूर्वजन्मों के बुरे कर्मफलों के कारण (बहुरूपेण तमसा) बहुत प्रकार के अज्ञान आदि तमोगुण से (वेष्टिताः) आवेष्टित=घिरे हुए या भरपूर (एते) ये स्थावर जीव [४६-४८] (सुख-दुःख-समन्विताः) सुख और दुःख के भावों से संयुक्त हुए (अन्तःसंज्ञाः भवन्ति) आन्तरिक चेतना वाले होते हैं। अर्थात् इनके भीतर चेतना तो होती है, किन्तु चर प्राणियों के समान बाहरी क्रियाओं में प्रकट नहीं होती। अत्यधिक तमोगुण के कारण चेतना और भावों का प्रकटीकरण नहीं हो पाता॥ ४९॥

अनुशीलन : वृक्षों की चेतनता पर विचार—मनु ने यहां वृक्षादि में चेतना तो स्वीकार की है, किन्तु वह चेतना बाह्यरूप में प्रकट होने वाली न होकर केवल आन्तरिक मानी है। दूसरी बात यह है कि ये अत्यधिक तमोगुण से वेष्टित हैं।

यद्यपि सुख-दुःख के भावों से युक्त चेतना इनमें है, किन्तु तमोगुणाधिक्य के

कारण उनकी अनुभूति इनमें नहीं है। जैसे मूर्च्छित प्राणी में चेतना होते हुए भी सुख-दुःख का ज्ञान नहीं होता। अतः वृक्षों के साथ सुख-दुख का व्यवहार नहीं है। सुख-दुःख की अनुभूति उसी को होती है जो पञ्चेन्द्रियों से संयुक्त होता है, और उन इन्द्रियों के साथ उनके विषय का सम्बन्ध होता है, अन्यथा नहीं। सांख्यदर्शन में कहा है—

पञ्चावयवयोगात्सुखसंविच्छिः ॥ ५ । २७ ॥

"जब पांचों इन्द्रियों का पांच विषयों के साथ सम्बन्ध होता है, तभी सुख वा दुःख की प्राप्ति जीव को होती है। जैसे बधिर को गाली प्रदान, अन्धे को रूप वा आगे से सर्प, व्याघ्रादि भयदायक जीवों का चलाजाना, शून्य बहिरी वालों को स्पर्श, पिन्नस रोग वाले को गन्ध और शून्य जिह्वा वाले को रस प्राप्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार उन जीवों की भी व्यवस्था है।" (स०प्र० द्वादश समु०) इसी प्रकार वृक्षों को पीड़ा की अनुभूति नहीं होती और इसी कारण वृक्षों के काटने आदि में हिंसा तथा हिंसाजन्य पाप नहीं होता।

सांसारिक गतियों का उपसंहार—

एतदन्तास्तु गतयो ब्रह्माद्याः समुदाहृताः।
घोरेऽस्मिन्भूतसंसारे नित्यं सततयायिनि ॥ ५० ॥

(अस्मिन्) इस (घोरे) दुःखों से भरे (नित्यं सततयायिनि) निरन्तर प्रवाहमान=प्रवाह से अनादि (भूतसंसारे) प्राणियों के संसार में (ब्रह्मा+आद्याः एतद्+अन्ताः तु गतयः) ब्रह्मा से लेकर इन स्थावर योनियों की स्थिति पर्यन्त [१ । ४९] की गतियां-अवस्थाएं (समुदाहृताः) कह दी हैं ॥ ५० ॥

ब्रह्मा का अन्तर्धान—

एवं सर्वं स सृष्ट्वेदं मां चाचिन्त्यपराक्रमः।
आत्मन्यन्तर्दधे भूयः कालं कालेन पीडयन् ॥ ५१ ॥

(सः अचिन्त्यपराक्रमः) वह अनन्त शक्तिवाला ब्रह्मा (एवं सर्वं सृष्ट्वा) इस प्रकार समस्त संसार की रचना करके (च) और (माम्) मुझ मनु को उत्पन्न करके (कालं कालेन भूयः पीडयन्) प्रलयकाल को सृष्टि-उत्पत्ति के काल से पीड़ित करते हुए (आत्मनि अन्तर्दधे) परमात्मा में अन्तर्धान हो गया ॥ ५१ ॥

अनुशीलन : ये ५०–५१ वें श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं। ये ब्रह्मा के प्रसंग से सम्बद्ध हैं और इनमें मनु को अलौकिक व्यक्ति सिद्ध करने की चेष्टा है—

१. **प्रसङ्गविरोध**—(१) इन श्लोकों के द्वारा यहाँ तक संसार की रचना दिखाकर और ब्रह्मा का अन्तर्धान दिखाकर उस विषय का उपसंहार कर दिया है। जबकि अगले १ । ८० वें श्लोक तक अभी परमात्मा द्वारा सृष्टि रचने की प्रक्रिया का वर्णन चल ही रहा है। प्रसंग-समाप्ति से पूर्व ही ब्रह्मा का अन्तर्धान दिखाकर उपसंहार करना, प्रसंगविरुद्ध है।

२. **अन्तर्विरोध—'ब्रह्मा' व्यक्तिविशेष से सृष्टि उत्पत्ति नहीं**—ये श्लोक ब्रह्मा द्वारा जगदुत्पत्ति करने के प्रसङ्ग से सम्बद्ध हैं, और ब्रह्मा का प्रसंग अनेक आधारों और युक्तियों के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध हो चुका है (देखिये १।७–१३, ३२–४१ श्लोकों पर समीक्षा), अतः ये भी प्रक्षिप्त हैं। (२) १।६ में स्पष्टरूप से अव्यक्त परमात्मा द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति बतलायी है, और जगत् को प्रकट करने के रूप में ही उसकी प्रकटता (जगत् के पदार्थों और कार्यविधि द्वारा 'परमात्मा है' इस प्रकार का निश्चय होना आदि) दिखलायी है। इन श्लोकों में ब्रह्मा द्वारा सारे संसार की उत्पत्ति कहना और शरीरधारी के रूप में उसका जन्म तथा फिर अन्तर्धान होने का कथन, उसके विरुद्ध है। इसी प्रकार १।१६, ५४, ५७॥ ६।६५, ७३, ९१ श्लोकों में भी, जहाँ सृष्टिकर्त्ता परमात्मा को सूक्ष्म, अव्यय और सर्वव्यापक कहा गया है, विरुद्ध है। क्योंकि इन विशेषणों से प्रतिपाद्य परमात्मा शरीर के रूप को धारण नहीं करता। (३) अगले ही १।५२–५४ श्लोकों में परमात्मा के सृष्टि-उत्पत्ति में लीन होने को उसकी 'जागृतावस्था' और प्रलय करके निवृत्त होने की अवस्था को 'शयनावस्था' कहकर आलंकारिक रूप से वर्णन करना, इस बात को सिद्ध करता है कि सृष्टि-रचयिता परमात्मा अव्यक्त और अव्यय रहता हुआ कभी शरीरधारण और अन्तर्धान नहीं करता। वह एक ही अवस्था में रहते हुए केवल जागता (सृष्टि-उत्पत्ति के लिए प्रवृत्त होता) और सोता (प्रलय करके निवृत्त होता) है, जैसे—कोई मनुष्य कार्यों के सम्पादन के लिए जागता है और निवृत्त होकर सोता है; किन्तु उसकी जीवनावस्था एक ही प्रकार की बनी रहती है। इन श्लोकों में प्रदर्शित ब्रह्मा के रूप में परमात्मा द्वारा शरीरधारण और फिर अन्तर्धान, उक्त श्लोकों के विरुद्ध है। (४) १।५२–५४ श्लोकों से यह मान्यता स्पष्ट हो जाती है कि सृष्टिकर्त्ता परमात्मा अव्यक्त-अव्यय और सूक्ष्म है तथा वह सृष्टि को उत्पन्न करके प्रलय तक नवीन सृष्टि-पदार्थों की रचना, स्थिति और संहार करने में प्रवृत्त (जागता) रहता है, और फिर प्रलयकाल में ही निवृत्त (सोता) होता है। ५१ वें श्लोक में वर्णित 'सृष्टिकर्त्ता ब्रह्मा का मनु को रचकर ही अन्तर्धान होना' वाली मान्यता उक्त मान्यता के विरुद्ध सिद्ध होती है, क्योंकि प्रलयकाल तक सृष्टि के कार्य चलते रहते हैं। उक्त मान्यता के अनुसार तो वही सृष्टिकर्त्ता अव्यक्त परमात्मा ही उन्हें चलाता है—प्रलयावस्था तक। किन्तु ५१ वें की मान्यतानुसार बीच में ही ब्रह्मा के अन्तर्धान हो जाने पर फिर उन्हें कौन चलायेगा? ५२ वें श्लोक के अनुसार तो ब्रह्मा के अन्तर्धान होने पर इस समस्त जगत् को चेष्टारहित हो जाना चाहिए था। यदि यह कहें कि एकबार उत्पन्न करके फिर परमात्मा अव्यक्त रूपमें रहकर ही चलाता रहता है, तो यह संचालन तो बिना ब्रह्मा की उत्पत्ति के पहले भी कर सकता था! अतः यह भी असंगत कल्पना ही लगती है कि मनु को उत्पन्न करके अन्तर्धान हो गया। यदि अन्तर्धान होना था तो वह 'विराट्' को उत्पन्न करके क्यों नहीं हुआ? (इस प्रसंग के मतानुसार) सृष्टि का वंश तो उससे चल ही जाना था! (५) ६८-७३ श्लोकों के भी ये विरुद्ध हैं। वहाँ ब्रह्मा के दिन-रात का प्रमाण बतलाते हुए सृष्टि-स्थिति के पूर्णकाल

चार अरब, बत्तीस करोड़ वर्षों की कालावधि को ब्रह्मा का एक दिन माना है। इसका अभिप्राय यह है कि इस सम्पूर्ण कालावधि पर्यन्त ब्रह्मा (परमात्मा) जागता रहता—सृष्टिसञ्चालन में प्रवृत्त रहता है [५२-५७]। यहां मनु को उत्पन्न करके ब्रह्मा का अन्तर्धान हो जाना, उसकी कुछ कालावधि तक की स्थिति का संकेत देता है, जो उक्त वर्षों से मेल नहीं खाती। इस प्रकार कालगणना से ब्रह्मा के इस कथन का विरोध पड़ता है। अतः निश्चित है कि यह परमात्मा से भिन्न सृष्टिकर्त्ता के रूप में वर्णित ब्रह्मा, मनु-सम्मत नहीं है, और न ही इसके वर्णनों की मान्यताएँ मनुस्मृति के प्रसंगों से मेल खाती हैं; अतः ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

परमात्मा की जाग्रत एवं सुषुप्ति अवस्थाएँ—

यदा स देवो जागर्ति तदेदं चेष्टते जगत्।
यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सर्वं निमीलति ॥५२॥ (३०)

(यदा) जब (सः देवः) वह परमात्मा [१। ६ में वर्णित] (जागर्ति) जागता है अर्थात् सृष्ट्युत्पत्ति के लिए प्रवृत्त होता है (तदा) तब (इदं जगत् चेष्टते) यह [१। ४२–४६ में वर्णित] समस्त संसार चेष्टायुक्त [प्रकृति से समस्त विकृतियों की उत्पत्ति पुनः प्राणियों का श्वास- प्रश्वास चलना आदि चेष्टाओं से युक्त] होता है, (यदा) और जब (शान्तात्मा) यह शान्त आत्मा वाला सभी कार्यों से शान्त होकर (स्वपिति) सोता है अर्थात् सृष्टि-उत्पत्ति, स्थिति के कार्य से निवृत्त हो जाता है (तदा) तब (सर्वम्) यह समस्त संसार (निमीलति) प्रलय को प्राप्त हो जाता है ॥ ५२ ॥

परमात्मा की सुषुप्ति अवस्था में जगत् की प्रलयावस्था—

तस्मिन्स्वपिति सुस्थे तु कर्मात्मानः शरीरिणः।
स्वकर्मभ्यो निवर्तन्ते मनश्च ग्लानिमृच्छति ॥ ५३ ॥ (३१)

(सुस्थे) सृष्टि-कर्म से निवृत्त हुए (तस्मिन् स्वपिति तु) उस परमात्मा के सोने पर (कर्मात्मानः) कर्मों—श्वास-प्रश्वास, चलना-सोना आदि कर्मों में लगे रहने का स्वभाव है जिनका, ऐसे (शरीरिणः) देहधारी जीव भी (स्वकर्मभ्यः, निवर्तन्ते) अपने-अपने कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं (च) और (मनः) 'महत्' तत्त्व (ग्लानिम्) उदासीनता=सब कार्य-व्यापारों से विरत होने की अवस्था को या अपने कारण में लीन होने की अवस्था को (ऋच्छति) प्राप्त करता है ॥ ५३ ॥

अनुशीलन : मन शब्द से यहाँ 'महत्तत्त्व' अर्थ अभिप्रेत है। इसकी पुष्टि के लिए १। १४–१५ श्लोकों की समीक्षा द्रष्टव्य है।

युगपत्तु प्रलीयन्ते यदा तस्मिन्महात्मनि।
तदायं सर्वभूतात्मा सुखं स्वपिति निर्वृतः ॥ ५४ ॥ (३२)

(तस्मिन् महात्मनि) उस सर्वव्यापक परमात्मा के आश्रय में (यदा) जब (युगपत् तु प्रलीयन्ते) एकसाथ ही सब प्राणी चेष्टाहीन होकर लीन हो जाते हैं (तदा) तब (अयं सर्वभूतात्मा) यह सब प्राणियों का आश्रय-स्थान परमात्मा (निर्वृतः) सृष्टि-संचालन के कार्यों से निवृत्त हुआ-हुआ (सुखं स्वपिति) सुखपूर्वक सोता है ॥ ५४ ॥

तमोऽयं तु समाश्रित्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः ।
न च स्वं कुरुते कर्म तदोत्क्रमति मूर्तितः ॥ ५५ ॥

(अयं तु) यह जीव तो (तमः समाश्रित्य) अज्ञान का आश्रय कर (स+इन्द्रियः) इन्द्रियों सहित (चिरं तिष्ठति) बहुत समय तक रहता है (च) किन्तु (स्वं कर्म न कुरुते) अपने कर्म नहीं करता है (तदा) फिर उसके पश्चात् (मूर्तितः) शरीर से (उत्क्रमति) निकल जाता है ॥ ५५ ॥

यदाणुमात्रिको भूत्वा बीजं स्थास्नु चरिष्णु च ।
समाविशति संसृष्टस्तदा मूर्तिं विमुञ्चति ॥ ५६ ॥

(यदा) जब (अणुमात्रिकः भूत्वा) अणुमात्रिक होकर (स्थास्नु) स्थिरताशील स्थावर जीवों में (च) और (चरिष्णु) विचरणशील जीवों में (बीजम्) बीज के रूप में (संसृष्टः) अपने सूक्ष्म अवयवों से संयुक्त होकर (समाविशति) प्रवेश करता है (तदा) तब (मूर्तिम्) शरीर को (विमुञ्चति) धारण करता है ॥ ५६ ॥

अनुशीलन : (१) अणुमात्रिक होने से अभिप्राय यहां पुर्यष्टकयुक्त होने से लिया जाता है और भूत, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, वासना, कर्म, वायु तथा अविद्या ये मिलकर पुर्यष्टक कहलाते हैं।

(२) ५५-५६ श्लोक प्रक्षिप्त हैं। इनमें नवीन वेदान्तवाद के प्रभाव से प्रसङ्ग को मोड़ देने का प्रयास किया गया है। निम्न आधारों पर ये श्लोक अमौलिक सिद्ध होते हैं—

१. **प्रसङ्गविरोध**—(१) पूर्वापर श्लोकों के प्रसङ्ग से इनकी संगति नहीं है। ५२ वें श्लोक से परमात्मा की जागृति और सुषुप्ति का वर्णन करने का प्रसङ्ग चला था। इस प्रसङ्ग के अनुसार ५१वें में जागृति का वर्णन हुआ है, ५३-५४ में सुषुप्ति का। दोनों अवस्थाओं का वर्णन करके ५७वें में उन्हीं दोनों अवस्थाओं का उपसंहार किया है। इससे सिद्ध है कि बीच में ५५-५६ श्लोकों में जीव के वर्णन का या जीव की उत्क्रमण और शरीरधारण की स्थिति के कथन का यहां प्रसङ्ग ही नहीं था, ये अनावश्यक रूप से डाल दिये गये हैं। श्लोकों के वर्णन के अनुसार यहां ५४ के पश्चात् ५७ वां श्लोक संगत है। (२) परमात्मा की जागृति और सुषुप्ति से जगत् के प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह ५२–५४ श्लोकों में संकेत से संक्षिप्त शैली में बतला दिया है। ५३ वें श्लोक में प्राणियों का कर्मों से निवृत्त होना, मन का ग्लानि को प्राप्त होना—जो कि शरीर से जीव के उत्क्रमण के पश्चात् ही होता है, यह सब दिखाकर ५४वें श्लोक में—'फिर जीव

उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं' इस कथन के द्वारा पूर्वोक्त जीव की चर्चा को पूर्ण एवं समाप्त कर दिया है। एक चर्चा की पूर्णता एवं समाप्ति-संकेत के पश्चात् पुनः भिन्न प्रकार से उसी चर्चा को प्रारम्भ करना, अन्य व्यक्ति के मत का द्योतक है। अतः वह प्रसङ्ग-विरुद्ध है। इस दृष्टि से ये श्लोक भी प्रसंगविरुद्ध हैं।

२. **अन्तर्विरोध**— सृष्टि-उत्पत्ति-प्रसंग [१।५-६, १४-२४] में प्राणिशरीरों की रचना दिखाते हुए मनु ने सात तत्त्वों (महदादि) और उनके विकारों जैसे—मन = महत्तत्त्व और उसके सूक्ष्म अवयवों से, मुख्यरूप से शरीररचना मानी है। वहां अणु-मात्रिक पद्धति का कोई संकेत नहीं है, अपितु अविनाशी आत्मा के साथ संयोग का वर्णन है, जबकि (१।१८-१९) यहां पुर्यष्टक पद्धति से शरीर-रचना दिखलाई है। पूर्वमान्यता और इस मान्यता की भिन्नता होने के कारण यह कथन अन्तर्विरुद्ध है, अतः ये दोनों श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

एवं स जाग्रत्स्वप्नाभ्यामिदं सर्वं चराचरम्।
सञ्जीवयति चाजस्रं प्रमापयति चाव्ययः॥ ५७॥ (३३)

(सः अव्ययः) वह अविनाशी परमात्मा (एवम्) इस प्रकार [५१-५४ के अनुसार] (जाग्रत्-स्वप्नाभ्याम्) जागने और सोने की अवस्थाओं के द्वारा (इदं सर्वं चर-अचरम्) इस समस्त जड़-चेतन जगत् को क्रमशः (अजस्रं सञ्जीवयति) प्रलयकाल तक निरन्तर जिलाता है (च) और फिर (प्रमापयति) मारता है अर्थात् कारण में लीन करता है॥ ५७॥

अनुशीलन : मान्यता एवं भावसाम्य के लिए इसकी पुष्टि में १२।१२४ श्लोक भी द्रष्टव्य है।

इस शास्त्र का अध्यापन क्रम—

इदं शास्त्रं तु कृत्वाऽसौ मामेव स्वयमादितः।
विधिवद् ग्राहयामास मरीच्यादींस्त्वहं मुनीन्॥ ५८॥

(असौ) इस ब्रह्मा ने (इदं शास्त्रं तु कृत्वा) इस 'मनुस्मृति' शास्त्र को रचकर (आदितः) सबसे पहले (माम्+एव) मुझ मनु को ही (विधिवत् स्वयं ग्राहयामास) विधि-अनुसार स्वयं पढ़ाया (तु) और फिर (अहम्) मैंने (मरीच्यादीन् मुनीन्) मरीचि आदि दश मुनियों [१।३५] को पढ़ाया॥ ५८॥

भृगु द्वारा इस शास्त्र का प्रवचन—

एतद् वोऽयं भृगुः शास्त्रं श्रावयिष्यत्यशेषतः।
एतद्धि मत्तोऽधिजगे सर्वमेषोऽखिलं मुनिः॥ ५९॥

(अयं भृगुः) यह भृगु मुनि (एतत् शास्त्रम् अशेषतः) इस मनुस्मृति शास्त्र को सम्पूर्ण रूप से (वः) आप लोगों को (श्रावयिष्यति) सुनायेगा (हि) क्योंकि (एषः मुनिः)

इस मुनि ने (एतत् सर्वम् अखिलम्) इस सम्पूर्ण मनुस्मृति शास्त्र को भलीभांति (मत्तः+ अधिजगे) मुझ मनु से पढ़ा है ॥ ५९ ॥

ततस्तथा स तेनोक्तो महर्षिर्मनुना भृगुः ।
तानब्रवीद्दृषीन्सर्वान्प्रीतात्मा श्रूयतामिति ॥ ६० ॥

(ततः) उसके बाद (तेन मनुना तथा उक्तः) उस महर्षि मनु के द्वारा इस प्रकार कहने पर (सः महर्षिः भृगुः) वह महर्षि भृगु (प्रीतात्मा) प्रसन्नचित्त होकर (तान् सर्वान् ऋषीन्) जिज्ञासा की दृष्टि से आये उन सब ऋषियों को (श्रूयताम्+इति अब्रवीत्) 'सुनिये' ऐसा बोले ॥ ६० ॥

स्वायम्भुवस्यास्य मनोः षड् वंश्या मनवोऽपरे ।
सृष्टवन्तः प्रजाः स्वाः स्वा महात्मानो महौजसः ॥ ६१ ॥

(अस्य स्वायम्भुवस्य मनोः) इस स्वायम्भुव मनु के (वंश्याः) वंश के (अपरे महात्मानः महौजसः षड् मनवः) अन्य महात्मा तथा महान् ओजस्वी छः मनु और हुए हैं, जिन्होंने (स्वाः स्वाः प्रजाः सृष्टवन्तः) अपने-अपने काल में अपनी-अपनी प्रजाओं की सृष्टि की थी ॥ ६१ ॥

स्वारोचिषश्चोत्तमश्च तामसो रैवतस्तथा ।
चाक्षुषश्च महातेजा विवस्वत्सुत एव च ॥ ६२ ॥

उनके नाम हैं—स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष और महातेजस्वी (विवस्वत् सुतः) विवस्वत का पुत्र—वैवस्वत ॥ ६२ ॥

स्वायम्भुवाद्याः सप्तैते मनवो भूरितेजसः ।
स्वे स्वेऽन्तरे सर्वमिदमुत्पाद्याऽऽप्युपचराचरम् ॥ ६३ ॥

(स्वायम्भुव+आद्याः एते सप्त भूरितेजसः मनवः) स्वायम्भुव आदि इन सात महातेजस्वी मनुओं ने (स्वे स्वे अन्तरे) अपने-अपने सृष्टिकाल में (इदं सर्वं चराचरम् उत्पाद्य) इस समस्त चराचर जगत् को उत्पन्न करके (आपुः) उसका पालन किया ॥६३॥

अनुशीलन : भृगु के शिष्यों और मनुस्मृति-परम्परा के व्यक्तियों ने प्रसिद्धि के लिए भृगु को मनुस्मृति के साथ जोड़ने और मनु तथा मनुस्मृति को अधिक मान्यता, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि के लिए ब्रह्मा के साथ जोड़ने तथा मनु के वंश को अलौकिक सिद्ध करने की प्रवृत्ति से इन श्लोकों का प्रक्षेप किया है। ये ५८ से ६३ श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—ये पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध हैं। ५२-५७ तक के पूर्व श्लोकों में परमात्मा की जाग्रत्-सुषुप्ति अवस्थाओं का आलङ्कारिक वर्णन है। जाग्रत्-सुषुप्ति अवस्थाएं दिन-रात सापेक्ष होने से उन अवस्थाओं की अवधि का कथन करना ही आवश्यक और प्रसंगप्राप्त था, अतः ६४-७३ श्लोकों में वह वर्णित है कि परमात्मा जिस दिन-रात में जागता और सोता है, उसकी कितनी अवधि है। इस प्रकार ५२-५७ और

६४-७३ श्लोक एक ही प्रसंग की शृङ्खला में जुड़े हुए हैं, तथा ५२-५७ श्लोक ६४-७३ श्लोकों की पृष्ठभूमि भी हैं। ६८ वें श्लोक में इस दिन-रात के प्रसंग को वर्णित करने का संकेत भी कर दिया है, जिससे ६४-७३ श्लोकों का प्रसंग ५२-५७ श्लोकों से और भी सुनियोजित ढंग से जुड़ा होने का प्रमाण मिलता है। इन ५८ से ६३ श्लोकों ने उस प्रसंग को भंग कर दिया है। इनमें पूर्वापर श्लोकों से सम्बद्ध भी कोई बात नहीं है; अतः ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. **अन्तर्विरोध**—(१) **मनुस्मृति भृगुप्रोक्त और पूर्वनिबद्ध शास्त्र नहीं**—मनुस्मृति के मूल रचयिता मनु हैं, ब्रह्मा नहीं। ५८वें श्लोक में इसके मूलरचयिता ब्रह्मा को बताया गया है; यह विचार पूर्वोक्त विचार के विरुद्ध है। इस अन्तर्विरोध के कारण ५८वां श्लोक प्रक्षिप्त है। और क्योंकि, शेष ५९—६३ श्लोक उसी पर आधारित हैं, अतः उसके प्रक्षिप्त होने से वे स्वतः ही प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं। इस श्लोक में आये विरोध को दूर करने के लिए टीकाकारों ने पर्याप्त प्रयास किया है, किन्तु उन का वह प्रयास 'तथाकथित' ही रहा। उनका कहना है कि इसके मूल प्रवक्ता ब्रह्मा हैं, तथापि इसे मनुकृत इसलिए कहा जाता है कि —(अ) मनु को ब्रह्मा ने शास्त्राशय रूप विधि-निषेध का अध्यापन कराया और मनु ने उसका प्रतिपादन करने वाला ग्रन्थ इस रूप में बनाया। (आ) दूसरे मत के अनुसार—इस ग्रन्थ के रचयिता ब्रह्मा ही हैं, तथापि मनु ने इसका ज्ञान प्राप्त कर स्वरूप तथा अर्थ के साथ इसे मरीचि आदि के लिए प्रकाशित किया। अतः यह मानवशास्त्र कहलाया। ये दोनों ही समाधान निराधार एवं अयुक्ति-युक्त हैं। इसके विश्लेषण के लिए १। १—४ श्लोकों पर गहन दृष्टिपात करना होगा। इन श्लोकों के भाव और भाषा पर ध्यान देने से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं—

(क) मनुस्मृति अपने मूलरूप में कोई पूर्वनिबद्ध शास्त्र नहीं है, अपितु मूलरूप में, जिज्ञासा का प्रवचन के रूप में दिया गया उत्तर है, जिसका बाद में संकलन हुआ है। महर्षि लोग मनु के पास आकर धर्मों को क्रमशः जानने की जिज्ञासा प्रकट करते हैं [१। १—२] और मनु उसका उत्तर देते हैं [१। ४]।

(ख) इसके मूल प्रवक्ता भी मनु ही हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए १। ३ श्लोक विशेष सहायक हैं। महर्षि लोग प्रश्न पूछने के बाद अपने इस आशय को कि हम आपके पास ही यह जिज्ञासा लेकर क्यों आये हैं, स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि 'आप इस जगत् के विधानरूप, अचिन्त्य और अप्रमेय वेदों के धर्मों=व्यावहारिक तत्त्वों के ज्ञाता हैं, इसलिए हम आपके पास आये हैं। मनु अपने समय के इस सामाजिक विषय के विशिष्ट विद्वान् थे। वे स्वयं इस विषय के ज्ञाता हैं, अतः एव वे बतलाने में समर्थ हो सकते हैं कि कौनसा कार्य वेदों के अनुसार धर्म है, और कौनसा अधर्म। इसी कारण ऋषि लोग मनु के पास आये हैं और अपनी जिज्ञासा प्रकट की है, न कि इसलिए कि उन्होंने ब्रह्मा से इसका ज्ञान प्राप्त किया है। यही कारण है कि मनु अपने ज्ञान के अनुसार सीधे वेद से विज्ञात बातों का ही मनुस्मृति में दिग्दर्शन कराते हैं [१। २३—२४,८७,१२५, १२९]। यदि यह ज्ञान ब्रह्मा की परम्परा से प्राप्त होता या ब्रह्मा द्वारा

प्राप्त होना इसकी विशेषता मानी जाती, तो ऋषि लोगों को यहां मनु के लिए 'वेदों का ज्ञाता' कहने की आवश्यकता नहीं थी। वे यही कहते कि 'आप को ही ब्रह्मा से इस ज्ञान को प्राप्त करने का अहोभाग्य प्राप्त हुआ है, अतः आपसे ही पूछने आये हैं'। किन्तु ऐसा किसी प्रकार का संकेत न करके उनकी व्यक्तिगत विद्वत्ता का ही यहां संकेत स्पष्ट हो रहा है कि वे स्वयं ज्ञाता हैं, इसलिए अपने ज्ञान के आधार पर ही उन्हें उत्तर देना है—वेदों में खोजा हुआ अपना ही आशय बताना है, दूसरे का नहीं।

(ग) यदि ब्रह्मा से यह ज्ञान प्राप्त किया होता और ब्रह्मा के नाम के कारण ऋषियों को उस ज्ञान के प्रति आकर्षण होता अथवा मनु को ब्रह्मा के नाम से उसमें कोई विशिष्टता या ख्याति की बात नजर आती, तो मनु सभी बातों के साथ 'ब्रह्मा ने मुझे यह कहा, यह बताया या इसे उचित ठहराया, इसे नहीं' आदि कहते या उनके मत का उल्लेख करते। किन्तु मनुस्मृति में ब्रह्मा के मत का कोई उल्लेख नहीं है। कहीं भी ब्रह्मा के मत का उल्लेख न होना यह सिद्ध करता है कि मनुस्मृति के साथ ब्रह्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है। ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि धर्माधर्म को प्रदर्शित करते समय या तो ऋषि-मुनियों के मत का उल्लेख किया है, या अपने मत का ही। जब ऋषि मुनियों की मान्यता का अनेक स्थानों पर संकेत है ['आहु मनीषिणः' (१। १७) 'धर्मस्य मुनयो गतिम्' (१। ११०॥ २। ८८, १२४) आदि]—यदि ब्रह्मा का इसके साथ तनिक भी सम्बन्ध होता, तो उसका उल्लेख तो प्रमुखता से आता क्योंकि ब्रह्मा को इस विषय का मूल प्रवक्ता और अध्यापयिता का स्थान दिया है। इससे सिद्ध हो जाता है कि मनुस्मृति के मूल प्रवक्ता स्वयं मनु हैं, ब्रह्मा का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

(घ) मनुस्मृति की शैली से यह सिद्ध होता है कि मनुस्मृति अपने मूलरूप में कोई निबद्धशास्त्र के रूप में नहीं थी। जब शास्त्र के रूप में नहीं थी, तो इसके लिए मूल-संकलन में 'शास्त्र' संज्ञा का व्यवहार नहीं बनता। जब 'शास्त्र' का व्यवहार नहीं बनता, तो 'ब्रह्मा ने इस शास्त्र की रचना की' यह प्रयोग भी नहीं बनता। इस प्रयोग के न बनने से मनुस्मृति का ब्रह्मा से कोई सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता।

(ङ) मनुस्मृति अपने मूलरूप में ऋषियों की जिज्ञासा का दिया गया उत्तर है, जो प्रवचन के रूप में है। यह प्रवचनों के रूप में सुना-सुनाया गया है, अत एव प्रत्येक प्रसंग के आरम्भ और अन्त में सुनने-सुनाने के अर्थवाली क्रियाओं का प्रयोग है, यथा—**'वक्तुमर्हसि'** [१। २] **'श्रूयताम्'** [१। ४] **'वोऽभिधास्यामि'** [१।४२] **'तं निबोधत'** [१। १२०] **'एतद्वोऽभिहितं सर्वं** [३।२८६] **'विधानं श्रूयताम्'** [३।२८६] **'ममेदं सर्व-मुक्तवान्'** [१२।११७] इत्यादि। मनु के शिष्यों ने उसका संकलन किया है, यह प्रारम्भ के १। १—४ श्लोकों की शैली बतला देती है। **'स तैः पृष्टः'** प्रयोग इसे संकलन सिद्ध करता है। संकलन के बाद ही मनुस्मृति ने 'शास्त्र' का रूप ग्रहण किया। और मौलिक संकलन वही कहा जा सकता है, जो मूलप्रवक्ता की बातों का यथावत् रूप में संकलन हो, जबकि 'शास्त्र' संज्ञा का प्रयोग मौलिक नहीं हो सकता। क्योंकि, जो प्रवचन अभी

किसी संकलन के या शास्त्र के रूप में ही नहीं आये हैं, उन्हें मनु 'शास्त्र' कहकर कैसे पुकारते ? स्पष्ट है कि मनुके प्रवचनों द्वारा 'संकलन' का रूप लेनेके बाद, जब वे 'शास्त्र' के रूप में विख्यात हो गये, तब जाकर इस प्रकार के श्लोक मिलाये गये जिनमें इसे 'शास्त्र' शब्द से व्यवहृत किया गया है।

इस प्रकार ५८—५९ श्लोकों में 'शास्त्र' शब्द का प्रयोग उन्हें परवर्ती प्रक्षेप सिद्ध करता है।

(च) कुछ विद्वानों की पूर्व-प्रदर्शित उन दो युक्तियों के आधार पर यदि इसे मनुकृत माना जा सकता है, तो युक्ति देने वाले उन विद्वानों को चाहिए कि वे इसे अन्तिम रूप में भृगुकृत मानें (भृगुसंकलित नहीं)। क्योंकि, यदि आशय समझ कर—पढ़कर उसे बतलाने के कारण मनु इसके रचयिता हैं, तो भृगु ने भी मनु के आशय को महर्षियों के समक्ष अपने शब्दों में कहा है [५८-६०]। इस प्रकार तो भृगु इसके रचयिता हुए। इस प्रकार ये युक्तियां स्वयं युक्तिदाताओं की मान्यता को खंडित कर रही हैं, अतः मान्य नहीं हैं। इन युक्तियों से यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो गई है कि मौलिक श्लोकों के अनुसार, मनुस्मृति के साथ ब्रह्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है, यह मौलिक रूप से मनुकृत है, और ब्रह्मा से सम्बन्ध जोड़ने वाले सभी प्रसंग परवर्ती काल के प्रक्षेप हैं।

(२) ६३ वें श्लोक में मनुओं द्वारा चर-अचर जगत् की उत्पत्ति और उसके पालन करने का कथन १। ६, १४—२३ श्लोकों के प्रसंग के विरुद्ध है; उनमें चराचर जगत् की उत्पत्ति और पालन, अव्यक्त-सूक्ष्म परमात्मा द्वारा महदादि तत्त्वों के क्रम से माना है। यह कथन प्रकृति-विरुद्ध भी है। कोई भी शरीरधारी मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, धरती, पर्वत आदि की सृष्टि नहीं कर सकता (द्रष्टव्य—३२—४१ श्लोकों पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक टिप्पणियां)। इस प्रकार ६३ वां श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होता है। इस पर आधारित ५८—६२ श्लोक इसके प्रक्षिप्त सिद्ध होने से स्वतः प्रक्षिप्त हो जाते हैं।

(३) जैसे, इस मनुस्मृति के रचयिता मनु को ब्रह्मा का प्रपौत्र [१।३२—३३] और शिष्य [१। ५८] कहकर भावी छह मनुओं [१। ६१—६३] का भूतकाल में वर्णन करना कालविरुद्ध और असंगत वर्णन है, उसी प्रकार भृगु को स्वायम्भुव मनु का पुत्र [१।३५] और शिष्य [५८—५९] कहकर उसके द्वारा मनु के भावी वंश का भूत-काल की शैली में वर्णन करना [६०—६३] भी कालविरुद्ध, असंगत एवं अन्तर्विरुद्ध कथन है। इन अन्तर्विरोधों के आधार पर ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं।

निमेष, काष्ठा, कला, मुहूर्त्त और दिन-रात का काल-परिमाण—

निमेषा दश चाष्टौ च काष्ठा त्रिंशत्तु ताः कलाः।
त्रिंशत्कला मुहूर्तः स्यादहोरात्रं तु तावतः॥ ६४॥ (३४)

(दश च अष्टौ च) दश और आठ मिलाकर अर्थात् अठारह

(निमेषाः) निमेषों [=पलक झपकने का समय] की (काष्ठा) एक काष्ठा होती है (ताः त्रिंशत्तु) उन तीस काष्ठाओं की (कला) एक कला होती है (त्रिंशत्कलाः) तीस कलाओं का (मुहूर्त्तः स्यात्) [४८ मिनट का] होता है, और (तावतः तु) उतने ही अर्थात् ३० मुहूर्तों के (अहोरात्रम्) एक दिन-रात होते हैं ॥ ६४ ॥

अनुशीलन : (१) **प्राचीन काल-परिमाण की आधुनिक काल परिमाणों से तुलना**—आधुनिक काल-विभाग के अनुसार इस समय को निम्न प्रकार बांटा जा सकता है—८/४५ सैकेण्ड का निमेष, ३⅓ सैकेण्ड की १ काष्ठा, १ मिनट ३६ सैकेण्ड की १ कला, ४८ मिनट का १ मुहूर्त्त और २४ घण्टे के एक दिन-रात होते हैं।

(२) **६४ वें श्लोक की शैली पर विचार**—यहां पाठकों को यह शंका हो सकती है कि जब मनु की शैली किसी भी विषय और प्रसंग के प्रारम्भ, अन्त अथवा दोनों स्थानों पर उसका संकेत देने की है (जैसा कि भूमिका में प्रदर्शित है), तो यह काल-प्रमाण का प्रसंग बिना संकेत के क्यों प्रारम्भ कर दिया गया? इसके उत्तर में स्पष्ट कर देना उपयोगी होगा कि इस प्रसंग का भी कई स्थानों पर संकेत है। ५२-५७ श्लोकों में परमात्मा की जाग्रत् और सुषुप्ति अवस्थाओं की प्रसंग से चर्चा की थी। उसी से यह कालप्रमाण का प्रसंग सम्बद्ध है। वे श्लोक इसकी भूमिकावत् हैं। आलंकारिक वर्णन करते समय सृष्टिकाल को परमात्मा की जाग्रत् अवस्था माना है और सुषुप्ति को प्रलय अवस्था। ये अवस्थाएं दिन और रात की अपेक्षा रखती हैं, अतः परमात्मा का दिन कितना और रात कितनी होती है, यह बतलाना आवश्यक हुआ। उसे ही कहने के लिए प्रारम्भ में मानुष-दिन-रात का वर्णन करते हुए [६४-६५] ६८ वें श्लोक में परमात्मा के दिन-रात का वर्णन करने का संकेत दे दिया है, और ७३ वें में इस चर्चा को समाप्त किया है। इस प्रकार इन श्लोकों के प्रसंग की कड़ी सुनिश्चित क्रम के पूर्वापर प्रसंगों से जुड़ी हुई है।

सूर्य द्वारा दिन-रात का विभाग—

अहोरात्रे विभजते सूर्य्यो मानुषदैविके।
रात्रिः स्वप्नाय भूतानां चेष्टायै कर्मणामहः ॥ ६५ ॥ (९५)

(सूर्य्यः) सूर्य (मानुष-दैविके) मानुष=मनुष्यों के और दैवी=देवों के (अहोरात्रे) दिन-रातों का (विभजते) विभाग करता है, उनमें (भूतानां स्वप्नाय रात्रिः) प्राणियों के सोने के लिए 'रात' है और (कर्मणां चेष्टायै अहः) कामों के करने के लिए 'दिन' होता है ॥ ६५ ॥

पितरों के दिन-रात—

पित्र्ये रात्र्यहनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः।
कर्मचेष्टास्वहःकृष्णः शुक्लः स्वप्नाय शर्वरी ॥ ६६ ॥

(पित्र्ये) पितरों के लिए (मासः) मनुष्यों का एक मास (रात्र्यहनी) रात-दिन के समान है, अर्थात् मनुष्यों के ३० दिन-रात का एक मास पितरों के एक दिन-रात होते हैं (तु पक्षयोः प्रविभागः) उनमें दो पक्षों का विभाग किया जाता है (कर्मचेष्टासु कृष्णः अहः) पितरों के काम करने के लिए 'कृष्णपक्ष' उनके दिन के समान है और (शुक्लः स्वप्नाय शर्वरी) 'शुक्लपक्ष' सोने के लिए उनकी रात है ॥ ६६ ॥

अनुशीलन : यह श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त है—

१. **प्रसंगविरोध**—(१) पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध होने से यह श्लोक प्रक्षिप्त है। ६४-६५ श्लोकों में दिन-रात का प्रमाण बतलाते हुए मनुष्य और दैविक दिन-रातों का वर्णन करने का संकेत किया है। तदनुसार ६५ वें श्लोक में मनुष्य दिन-रातों की चर्चा की है, और शेष दैविक दिन-रात का वर्णन ६७ वें में है। ६५ वें श्लोक के संकेत के अनुसार ६७ वां श्लोक ही होना चाहिए। ६६ वां श्लोक बिना संकेत के वर्णित है और पूर्वापर प्रसंग को भंग कर रहा है। अतः प्रसंगविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है।

२. **शैलीगत आधार**—६४–७३ श्लोकों के प्रसंग की शैली से यह स्पष्ट होता है कि पितरों से सम्बद्ध वर्णन मनु को अभीष्ट नहीं है, क्योंकि ६४–६५ में दिन-रात बतलाये हैं, वे भी मानुष और दैविक ही हैं। और ६८ से ७२ श्लोकों में जो युगों का वर्णन है, वह भी केवल मानुष और दैविक ही है; पितरों के युगों की वहां चर्चा तक नहीं है। यदि पितरों का वर्णन प्रासंगिक और मौलिक होता, तो युगों के प्रमाण में उनकी भी अवश्य चर्चा होती। अगले युग के प्रमाणों में पितरों की चर्चा न होना, इन्हें मौलिक और मनुसम्मत सिद्ध नहीं करता; अतः यह प्रक्षिप्त है।

३. **अन्तर्विरोध**—'मृत पितर' नामक कल्पना निराधार–३।८०–८२ श्लोकों के वर्णन से मनु की यह मान्यता स्पष्ट हो रही है कि पितर नामक कोई भिन्न योनि नहीं है, प्रत्युत माता-पिता आदि बुजुर्गों को ही पितर कहा जाता है; उक्त श्लोकों में मनु ने अन्न, फल, जल आदि से पितरों का दैनिक श्राद्ध विहित किया है, जिसका अभिप्राय माता-पिता आदि की श्रद्धापूर्वक की गई दैनिक सेवा से है। इस श्लोक में पितरों का वर्णन भिन्न योनि के रूप में दर्शाया गया है, अतः उक्त श्लोकों की मान्यता से इसका विरोध है।

महर्षि-दयानन्द द्वारा 'पितर' शब्द की व्याख्या—

(क) "तीसरा पितृयज्ञ अर्थात् जिसमें जो विद्वान्, ऋषि जो पढ़ने-पढ़ाने हारे पितर माता-पिता आदि वृद्ध ज्ञानी और परमयोगियों की सेवा करनी ॥"

(स० प्र० ४ समु०)

(ख) "(तर्पयत मे पितृन्) जो मेरे पिता पितामहादि, माता मातामहादि तथा आचार्य और इनसे भिन्न भी विद्वान् लोग, अवस्था अथवा ज्ञानवृद्ध, मान्य करने योग्य हों, उन सब के आत्माओं को यथायोग्य सेवा से प्रसन्न किया करो ॥

(पञ्चमहायज्ञविधिः)

(ग) "जो सोमसदादि [**सोमसदः, अग्निष्वात्ताः, बर्हिषदः, सोमपाः, हविर्भुजः; आज्यपाः, सुकालिनः, यमराजाः, पितृपितामहप्रपितामहाः, मातृ-पितामही-प्रपितामह्यः, सगोत्राः आचार्यादिसम्बन्धिनः**] पितर विद्यमान अर्थात् जीवते हैं, उनको प्रीति से, सेवनादि से तृप्त करना।" (पञ्चमहायज्ञविधिः)

(घ) **"वसून् वदन्ति वै पितृन्"** ॥(मनु० ३।२८४)

और मनु जी ने भी कहा है कि पितरों को वसु, पितामहों को रुद्र, और प्रपितामहों को आदित्य कहते हैं, यह सनातनश्रुति है।" (पञ्चमहायज्ञविधिः)

(ङ) मनुस्मृति में भी मृतक का नाम पितर नहीं है, प्रत्युत पितरों की उत्पत्ति क्रमानुसार बताई है। देखिये—

"पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्त्विकी गतिः॥" (मनु०)

जो मध्यम सत्त्वगुण युक्त होकर कर्म करते हैं, वे जीव यज्ञकर्त्ता, वेदार्थवित्, विद्वान्, वेद, विद्युत् आदि और कालविद्या के ज्ञाता, रक्षक, ज्ञानी और (साध्य) कार्य-सिद्धि के लिये सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते हैं।" (सत्यार्थ० नवम समु०) [विशेष समीक्षा ३।८२ पर देखिए]।

दैवी दिन-रात उत्तरायण-दक्षिणायन—

दैवे रात्र्यहनी वर्षं प्रविभागस्तयोः पुनः।
अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्याद्दक्षिणायनम् ॥ ६७ ॥ (३६)

(वर्षम्) मनुष्यों का एक वर्ष (दैवे रात्रि-अहनी) एक दैवी 'दिन-रात' होते हैं (तयोः पुनः प्रविभागः) उन दैवी 'दिनरात' का भी फिर विभाग है—(तत्र+उदगयनम् अहः) उसमें सूर्य की भूमध्य रेखा से उत्तर को ओर स्थिति अर्थात् 'उत्तरायण' दैवी दिन कहलाता है, और (दक्षिणायनम् रात्रिः स्यात्) सूर्य की दक्षिण की ओर स्थिति अर्थात् 'दक्षिणायन' दैवी रात है ॥ ६७ ॥

अनुशीलन : (१) **उत्तरायण-दक्षिणायन का विवेचन**—इस श्लोक में दैवी दिन-रातों का वर्णन किया गया है। यहाँ देव शब्द से कोई लौकिक-अलौकिक प्राणिविशेष अभिप्रेत नहीं है, अपितु जड़-देवता सूर्य का आलंकारिक वर्णन है। ६५ वें श्लोक में स्पष्ट शब्दों में सूर्य को मानुष और दैवी दिन-रातों का विभागकर्त्ता बतलाया गया है। उसी के क्रम से यहां उत्तरायण और दक्षिणायन रूपी दिन-रातों का वर्णन है। सूर्य के ये दोनों अयन छः-छः मास निम्न प्रकार से होते हैं—

१. उत्तरायण
- १. भूमध्यरेखा से उत्तर की ओर सूर्य की स्थिति का काल।
- २. मकररेखा से उत्तर कर्करेखा की ओर स्थिति का काल।
- ३. माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़—इन छह मासों का समय।
- ४. शिशिर, वसन्त और ग्रीष्म ऋतु का काल।

२. दक्षिणायन
- १ भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर सूर्य की स्थिति का काल।
- २. कर्क रेखा से दक्षिण मकररेखा की ओर स्थिति का काल।
- ३. श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, आग्रहायण, पौष—इन छह मासों का समय।
- ४. वर्षा, शरद्, हेमन्त ऋतुओं का काल।

मानुष दिन उज्ज्वल एवं तीव्र प्रकाशमय होता है और रात्रि अनुज्ज्वल एवं मन्द प्रकाश (तारे चन्द्र आदि का प्रकाश) वाली होती है। इसी प्रकार उत्तरायण के समय ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के प्रकाश और ताप में तीव्रता की अधिकता होती है, अतः यह अयन दिन के समान है। दक्षिणायन के समय हेमन्त ऋतु में सूर्य के प्रकाश और ताप में स्वल्पता एवं मन्दता होती है, अतः वह अयन रात्रि के समान है। इस प्रकार दैवी दिन-रातों का आलंकारिक वर्णन है।

(२) **सूर्य जड़ देवता है**—निरुक्त में 'देव' शब्द की निरुक्ति इस प्रकार दी है—**"देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा, द्युस्थानो भवतीति वा।"** (७।४।१५) अर्थात्—'दान देने वाले, प्रकाशित करने वाले, प्रकाशित होने वाले या द्युस्थानीय को देवता कहते हैं।' सूर्य द्युस्थानीय है और अपने प्रकाश से सब मूर्तिमान् द्रव्यों को प्रकाशित करता है, अतः देव या देवता है।

शतपथ ब्राह्मण में देवताओं पर प्रकाश डालते हुए जड़ और चेतन रूप में ३३ देवता परिगणित किये हैं। उनमें वसुसंज्ञक देवताओं में 'सूर्य' को भी परिगणित किया है—

"स होवाच महिमान एवैषामेते त्रयस्त्रिंशत्त्वेव देवा इति। कतमे ते त्रयस्त्रिंशत् इति? अष्टौ वसवः, एकादश रुद्राः, द्वादशादित्यास्त एकत्रिंशत्' इन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशाविति।

कतमे वसव इति? अग्निश्च, पृथिवी च, वायुश्च, अन्तरिक्षं च, आदित्यश्च, द्यौश्च, चन्द्रमाश्च, नक्षत्राणि च, एते वसवः।

कतमे रुद्रा इति? दशेमे पुरुषे प्राणाः (प्राणः, अपानः, व्यानः, समानः, उदानः, नागः, कूर्म, कृकलः, देवदत्तः, धनञ्जयश्च) आत्मा-एकादशस्ते।

कतम आदित्या इति? द्वादश मासाः संवत्सरस्य एते आदित्याः।

(३) **कतम इन्द्र, कतमः प्रजापतिरिति। स्तनयित्नुरेवेन्द्रो, यज्ञः प्रजापतिरिति।**

तदाहुः । यदयमेक इव पवते । कतम एको देव इति ? स ब्रह्मेत्यादित्या-चक्षते । (शत० कां० १४ । प्रपा० १६)

इसके अतिरिक्त दिव्यगुण और दिव्य कर्म वाले व्यक्ति भी देव कहाते हैं यथा—"मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव, ।" (प्रपा० ७।११) [विस्तृत समीक्षा ३।८२ पर द्रष्टव्य है]।

ब्रह्म के दिन-रात का वर्णन—

ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत्प्रमाणं समासतः ।
एकैकशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत ॥ ६८ ॥ (३७)

[मनु महर्षियों से कहते हैं कि] (ब्राह्मस्य तु क्षपा+अहस्य) ब्राह्म = परमात्मा के दिन-रात का (तु) तथा (एकैकशः युगानाम्) एक-एक युगों का (यत् प्रमाणम्) जो कालपरिमाण है (तत्) उसे (क्रमशः) क्रमानुसार और (समासतः) संक्षेप से (निबोधत) सुनो ॥ ६८ ॥

अनुशीलन : ब्राह्मदिन व ब्राह्मरात्रि का विशेष परिमाण (१।७२) में द्रष्टव्य है।

सतयुग का परिमाण—

चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगम् ।
तस्य यावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः ॥ ६९ ॥ (३८)

(तत् चत्वारि सहस्राणि वर्षाणां कृतं युगम् आहुः) उन दैवी [६७वें में जिनके दिन-रातों का वर्णन है] चार हजार दिव्य वर्षों का एक 'सतयुग' कहा है। (तस्य) इस सतयुग की (यावत्+शती सन्ध्या) जितने दिव्य सौ वर्ष की अर्थात् ४०० वर्ष की 'सन्ध्या' होती है और (तथाविधः) उतने ही वर्षों का अर्थात् ४०० वर्षों का (सन्ध्यांशः) 'संध्यांश' का समय होता है ॥६९॥

अनुशीलन : **चार युगों का परिमाण**—किसी भी युग के पूर्वसन्धि-काल को 'संध्या' और उत्तरसन्धि काल को 'संध्यांश' कहा जाता है। श्लोक के अनुसार सतयुग का कालपरिमाण—४०००+४०० (संध्यावर्ष)+४०० (संध्यांशवर्ष) = ४८०० दिव्यवर्ष बनता है। इसे मानुषवर्षों में बदलने के लिए ३६० से गुना करना पड़ेगा। इस प्रकार ४८००+३६०=१७२८००० मानुष वर्षों का एक सतयुग होता है।

त्रेता, द्वापर तथा कलियुग का परिमाण—

इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यांशेषु च त्रिषु ।
एकापायेन वर्त्तन्ते सहस्राणि शतानि च ॥ ७० ॥ (३९)

(च) और (इतरेषु त्रिषु) शेष अन्य तीन—त्रेता, द्वापर, कलियुगों

में (ससंध्येषु ससंध्यांशेषु) 'संध्या' नामक कालों में तथा 'संध्यांश' नामक कालों में (सहस्राणि च शतानि एक-अपायेन) क्रमशः एक-एक हजार और एक-एक सौ घटा देने से (वर्तन्ते) उनका अपना-अपना कालपरिमाण निकल आता है, अर्थात् ४८०० दिव्यवर्षों का सतयुग होता है, उसकी संख्या में से एक सहस्र और संध्या ४०० वर्ष व संध्यांश ४०० वर्ष में से एक-एक सौ घटाने से ३००० दिव्यवर्ष + ३०० संध्यावर्ष + ३०० संन्ध्यांशवर्ष = ३६०० दिव्यवर्षों का त्रेतायुग होता है इसी—२००० + २०० + २०० = २४०० दिव्यवर्षों का द्वापर और १००० + १०० + १०० = १२०० दिव्यवर्षों का कलियुग होता है ॥ ७० ॥

देवयुग का परिमाण—

यदेतत्परिसंख्यातमादावेव चतुर्युगम् ।
एतद् द्वादशसाहस्रं देवानां युगमुच्यते ॥ ७१ ॥ (४०)

(यद् + एतत्) जो यह (आदौ) पहले [६९-७० में] (चतुर्युगम्) चारों युगों को (परिसंख्यातम्) कालपरिमाण के रूप में गिनाया है (एतद्) यह (द्वादशसाहस्रम्) बारह हजार दिव्य वर्षों का काल [मनुष्यों का एक चतुर्युगी का काल] (देवानाम्) देवताओं का (युगम्) एक 'युग' (उच्यते) कहा जाता है ॥ ७१ ॥

अनुशीलन : चार युगों के परिमाण की तुलनात्मक तालिका—१२००० दिव्यवर्षों की एक चतुर्युगी होती है। उसे मानुष वर्षों में बदलने लिए ३६० से गुणा करने पर १२०००×३६० = ४३,२०,००० मानुष वर्षों की एक चतुर्युगी होती है। दोनों श्लोकों के कालपरिमाण को तालिका के रूप में इस प्रकार रखा जा सकता है—

दिव्यवर्ष	संध्यावर्ष	संध्यांशवर्ष	कुल दिव्यवर्षोंको गुणा करनेसे	मानुषवर्ष	युगनाम
४००० +	४०० +	४०० =	४८०० ×	३६० =	१७,२८,००० सतयुग
३००० +	३०० +	३०० =	३६०० ×	३६० =	१२,९६,००० त्रेतायुग
२००० +	२०० +	२०० =	२४०० ×	३६० =	८,६४,००० द्वापरयुग
१००० +	१०० +	१०० =	१२०० ×	३६० =	४,३२,००० कलियुग
१०००० +	१००० +	१००० =	१२००० —	३६० =	४३,२०,००० एकचतुर्युगी

ब्रह्म के दिन-रात का परिमाण—

दैविकानां युगानां तु सहस्रं परिसंख्यया ।
ब्राह्ममेकमहर्ज्ञेयं तावतीं रात्रिमेव च ॥ ७२ ॥ (४१)

(दैविकानां युगानाम् तु) देवयुगों को (सहस्रं परिसंख्यया) हजार से गुणा करने पर जो कालपरिमाण निकलता है, जैसे—चार मानुषयुगों के दिव्यवर्ष १२००० होते हैं, उनको हजार से गुणा करने पर १,२०,००,००० दिव्यवर्षों का (ब्राह्मम्) परमात्मा का (एकं अहः) एक 'दिन' (च) और (तावतीं रात्रिम्) उतने ही दिव्यवर्षों की उसकी एक 'रात' (ज्ञेयम्) समझनी चाहिए ॥ ७२ ॥

अनुशीलन : चार मानुष युगों के दिव्यवर्ष—१२०००×१००० = १,२०,००,००० दिव्यवर्षों का ब्रह्म का एक दिन अथवा रात्रि हुई। यह १,२०,०० ०००×३६०=४,३२,००,००,००० मानुषवर्षोंका कालपरिमाण बनता है। चार अरब बत्तीस करोड़ मानुष वर्षों का सृष्ट्युत्पत्ति काल है, जो परमात्मा की जाग्रत् अवस्था (सृष्टि में प्रवृत्त रहना) का दिन है। इतना ही काल सुषुप्ति अवस्था (सृष्टिकार्यों से निवृत्त होकर प्रलय रखना) का रात्रि-काल है (यही १।५२—५७ श्लोकों में आलंकारिक रूप से वर्णित है)।

तद्वै युगसहस्रान्तं ब्राह्मं पुण्यमहर्विदुः।
रात्रिं च तावतीमेव तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ ७३ ॥ (४२)

जो लोग (तत् युगसहस्रान्तं ब्राह्मं पुण्यम्+अहः) उस एक हजार दिव्य युगों के परमात्मा के पवित्र दिन को (च) और (तावतीम् एव रात्रिम्) उतने ही युगों की परमात्मा की रात्रि को (विदुः) समझते हैं (ते वै) वे ही (अहोरात्रविदः जनाः) वास्तव में दिन-रात=सृष्टि-उत्पत्ति और प्रलय के काल-विज्ञान के वेत्ता लोग हैं ॥ ७३ ॥

अनुशीलन : वेदोत्पत्ति-समय पर विचार—महर्षि दयानन्द ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में १। ६८ से ७३ श्लोकों को उद्धृत करके उनका भाव निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है—

"प्रश्न—वेदों की उत्पत्ति में कितने वर्ष हो गये हैं?

उत्तर—एक वृन्द, छानवे करोड़, आठ लाख, बावन हजार, नव सौ, छहत्तर अर्थात् १,९६,०८,५२,९७६ वर्ष वेदों की और जगत् की उत्पत्ति में हो गये हैं और यह संवत् ७७ सतहत्तरवाँ वर्त्त रहा है।

प्रश्न—यह कैसे निश्चय होय कि इतने ही वर्ष वेद और जगत् की उत्पत्ति में बीत गये हैं?

उत्तर—यह जो वर्तमान सृष्टि है इसमें सातवें (७) वैवस्वत मनु का वर्त्तमान है। इससे पूर्व छः मन्वन्तर हो चुके हैं—स्वायंभुव १, स्वारोचिष २, औत्तमि ३, तामस ४, रैवत ५, चाक्षुष ६, ये छः तो बीत गये हैं और ७ (सातवां) वैवस्वत वर्त्त रहा है और सावर्णि आदि ७ (सात) मन्वन्तर आगे भोगेंगे। ये सब मिलके १४ (चौदह)

मन्वन्तर होते हैं और एकहत्तर चतुर्युगियों का नाम मन्वन्तर धरा गया है, सो उस की गणना इस प्रकार से है कि (१७,२८,०००) सत्रह लाख अट्ठाईस हजार वर्षों का सतयुग रक्खा है ; (१२,९६,०००) बारह लाख, छानवे हजार वर्षों का नाम त्रेता; (८,६४,०००) आठ लाख चौंसठ हजार वर्षों का नाम द्वापर और (४,३२,०००) चार लाख, बत्तीस हजार वर्षों का नाम कलियुग रक्खा है तथा आर्यों ने एक क्षण और निमेष से लेके एक वर्ष पर्यन्त भी काल की सूक्ष्म और स्थूल संज्ञा बांधी है, और इन चारों युगों के (४३,२०,०००) तितालीस लाख, बीस हजार वर्ष होते हैं, जिनका चतुर्युगी नाम है।

एकहत्तर (७१) चतुर्युगियों के अर्थात् (३०,६७,२०,०००) तीस करोड़, सतसठ लाख, बीस हजार वर्षों की एक मन्वन्तर संज्ञा की है और ऐसे-ऐसे छः मन्वन्तर मिलकर अर्थात् (१,८४,०३,२०,०००) एक अर्ब, चौरासी करोड़, तीन लाख, बीस हजार वर्ष हुए और सातवें मन्वन्तर के भोग में यह (२८) अट्ठाईसवीं चतुर्युगी है। इस चतुर्युगी में कलियुग के (४९७६) चार हजार नौ सौ छहत्तर वर्षों का तो भोग हो चुका है और बाकी (४,२७,०२४) चार लाख सत्ताईस हजार चौबीस वर्षों का भोग होने वाला है। जानना चाहिए कि (१२,०५,३२,९७६) बारह करोड़, पांच लाख, बत्तीस हजार, नव सौ छहत्तर वर्ष तो वैवस्वत मनु के भोग हो चुके हैं और (१८,६१,८७,०२४) अठारह करोड़ एकसठ लाख, सत्तासी हजार, चौबीस वर्ष भोगने के बाकी रहे हैं। इनमें से यह वर्तमान वर्ष (७७) सतहत्तरवां है, जिस को आर्यलोग विक्रम का (१९३३) उन्नीस सौ तेतीसवां संवत् कहते हैं।

जो पूर्व चतुर्युगी लिख आये हैं, उन एक हजार चतुर्युगियों की ब्राह्मदिन संज्ञा रखी है और उतनी ही चतुर्युगियों की रात्रि संज्ञा जाननी चाहिए। सो सृष्टि की उत्पत्ति करके हजार चतुर्युगी पर्यन्त ईश्वर इसको बना रखता है, इसी का नाम ब्राह्मदिन रक्खा है; और हजार चतुर्युगी पर्यन्त सृष्टि को मिटाके प्रलय अर्थात् कारण में लीन रखता है, उस का नाम ब्राह्मरात्रि रक्खा है। अर्थात् सृष्टि के वर्तमान होने का नाम दिन और प्रलय होने का नाम रात्रि है। यह जो वर्तमान ब्राह्मदिन है, इसके (१,९६,०८,५२,९७६) एक अर्ब, छानवे करोड़, आठ लाख, बावन हजार, नव सौ छहत्तर वर्ष इस सृष्टि की तथा वेदों की उत्पत्ति में भी व्यतीत हुए हैं और (२,३३,२२,७०,२४) दो अर्ब, तेतीस करोड़, बत्तीस लाख, सत्ताईस हजार, चौबीस वर्ष इस सृष्टि को भोग करने के बाकी रहे हैं। इनमें से अन्त का यह चौबीसवां वर्ष भोग रहा है। आगे आने वाले भोग के वर्षों में से एक-एक घटाते जाना और गत वर्षों में क्रम से एक-एक वर्ष मिलाते जाना चाहिये। जैसे आज पर्यन्त घटाते बढ़ाते आये हैं।" (ऋ० भू० पृष्ठ २३-२४)

सुषुप्तावस्था से जागने पर सृष्टि-उत्पत्ति का प्रारम्भ—

तस्य सोऽहर्निशस्यान्ते प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते।
प्रतिबुद्धश्च सृजति मनः सदसदात्मकम् ॥७४॥ (४३)

(सः प्रसुप्तः) वह प्रलय-अवस्था में सोया हुआ-सा [१। ५२-५७]

परमात्मा (तस्य अहर्निशस्य+अन्ते) उस [१। ६८-७२] दिन-रात के बाद (प्रति-बुध्यते) जागता है=सृष्टयुत्पत्ति में प्रवृत्त होता है (च) और (प्रति-बुद्धः) जागकर (सद्-असद्+आत्मकम्) जो कारणरूप में विद्यमान रहे और जो विकारी अंश से कार्यरूप में अविद्यमान रहे, ऐसे स्वभाव वाले (मनः) 'महत्' नामक प्रकृति के आद्यकार्यतत्त्व की (सृजति) सृष्टि करता है ॥ ७४ ॥

अनुशीलन : (१) यहां सृष्टि-उत्पत्ति का नया प्रसंग प्रारम्भ नहीं किया गया है, अपितु पूर्वोक्त प्रसंग में [१। १४-१६] तत्त्वों की उत्पत्ति के साथ भूतों की उत्पत्ति-प्रक्रिया का वर्णन नहीं हो पाया था, उसी शेष वर्णन को यहां विस्तार से दर्शाया है।

(२) इस श्लोक में मन का अर्थ 'महत्तत्त्व' है,जो सृष्टि-उत्पत्ति में प्रकृति का प्रथम कार्य है। इसकी पुष्टि के लिए विस्तृत समीक्षा १। १४-१५ के अनुशीलन में देखिए।

सूक्ष्म पञ्चभूतों की उत्पत्ति के क्रम में आकाश की उत्पत्ति—

मनः सृष्टिं विकुरुते चोद्यमानं सिसृक्षया।
आकाशं जायते तस्मात्तस्य शब्दं गुणं विदुः ॥ ७५ ॥ (४४)

(सिसृक्षया) सृष्टि को रचने की इच्छा से फिर वह परमात्मा (मनः सृष्टिं विकुरुते) महत्तत्त्व की सृष्टि को विकारी भाव में लाता है=अहंकार के रूप में विकृत करता है (तस्मात्) फिर उस के विकारी अंश से (चोद्यमानम् आकाशं जायते) प्रेरित हुआ-हुआ 'आकाश' उत्पन्न होता है। (तस्य) उस आकाश का (गुणं शब्दं विदुः) गुण 'शब्द' को मानते हैं ॥ ७५ ॥

अनुशीलन : आकाशोत्पत्ति के विषय में महर्षि दयानन्द लिखते हैं—

"उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश अवकाश अर्थात् जो कारणरूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा है, उसको इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्न-सा होता है। वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती। क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहां ठहर सकें?" (स० प्र० अष्टम समु०)

वायु की उत्पत्ति—

आकाशात्तु विकुर्वाणात्सर्वगन्धवहः शुचिः।
बलवाञ्जायते वायुः स वै स्पर्शगुणो मतः ॥ ७६ ॥ (४५)

(आकाशात् तु विकुर्वाणात्) उस आकाश के विकारोत्पादक अंश से (सर्वगन्धवहः) सब गन्धों को वहन करने वाला (शुचिः) शुद्ध और (बल-

वान्) शक्तिशाली (वायुः) 'वायु' (जायते) उत्पन्न होता है (सः वै) वह वायु निश्चय से (स्पर्शगुणः) 'स्पर्श' गुणवाला (मतः) माना गया है ॥७६॥

अग्नि की उत्पत्ति—

वायोरपि विकुर्वाणाद्विरोचिष्णु तमोनुदम् ।
ज्योतिरुत्पद्यते भास्वत्तद्रूपगुणमुच्यते ॥ ७७ ॥ (४६)

(वायोः+अपि) उस वायु के भी (विकुर्वाणात्) विकारोत्पादक अंश से (विरोचिष्णुः) उज्ज्वल (तमोनुदम्) अन्धकार को नष्ट करने वाली (भास्वत्) प्रकाशक (ज्योतिः+उत्पद्यते) 'अग्नि' उत्पन्न होती है (तत्+रूप गुणम्+उच्यते) उसका गुण 'रूप' कहा है ॥ ७७ ॥

जल और पृथिवी की उत्पत्ति—

ज्योतिषश्च विकुर्वाणादापो रसगुणा स्मृताः ।
अद्भ्यो गन्धगुणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादितः ॥ ७८ ॥ (४७)

(च) और (ज्योतिषः विकुर्वाणात्) अग्नि के विकारोत्पादक अंश से (रसगुणाः आपः स्मृताः) 'रस' गुण वाला जल उत्पन्न होता है और (अद्भ्यः) जल से (गन्धगुणा भूमिः) 'गन्ध' गुण वाली भूमि उत्पन्न होती है (इति+एषा सृष्टिः+आदितः) यह इस प्रकार प्रारम्भ से लेकर [१।१४ से] यहां तक वर्णित सृष्टि उत्पन्न होने की प्रक्रिया है ॥ ७८ ॥

अनुशीलन : ७५ से ७८ तक के श्लोकों की प्रक्रिया को और स्पष्ट रूप से समझने के लिए १।१६ पर 'अनुशीलन' में सं० १ समीक्षा भी द्रष्टव्य है।

मन्वन्तर के काल-परिमाण—

यत्प्राग्द्वादशसाहस्रमुदितं दैविकं युगम् ।
तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिहोच्यते ॥ ७९ ॥ (४८)

(प्राक्) पहले श्लोकों में [१।७१] (यत्) जो (द्वादशसाहस्रम्) बारह हजार दिव्य वर्षों का (दैविकं युगम्+उदितम्) एक 'देवयुग' कहा है (तत्+एकसप्ततिगुणम्) उससे इकहत्तर गुना समय अर्थात् १२०००×७१=८,५२,००० दिव्यवर्षों का अथवा ८,५२,००० दिव्यवर्ष×३६०=३०,६७,२०,००० मानुषवर्षों का (इह मन्वन्तरम् उच्यते) यहां एक 'मन्वन्तर' का कालपरिमाण माना गया है ॥ ७९ ॥

मन्वन्तराण्यसंख्यानि सर्गः संहार एव च ।
क्रीडन्निवैतत्कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः ॥ ८० ॥ (४९)

(परमेष्ठी) वह सबसे महान् परमात्मा (असंख्यानि मन्वन्तराणि)

असंख्य 'मन्वन्तरों' को (सर्गः) सृष्टि-उत्पत्ति (च) और (संहारः एव) प्रलय को (क्रीडन् इव) खेलता हुआ-सा (पुनः पुनः) बार-बार (कुरुते) करता रहता है ॥ ८० ॥

अनुशीलन—१।७९–८० श्लोकों को उद्धृत करके इनके भाव को महर्षि दयानन्द ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है—

"इन श्लोकों में दैव-वर्षों की गणना की है अर्थात् चारों युगों के बारह हजार (१२०००) वर्षों की दैवयुग संज्ञा की है। इसी प्रकार असंख्यात मन्वन्तरों में कि जिनकी संख्या नहीं हो सकती अनेक बार सृष्टि हो चुकी है और अनेक बार होयगी। सो इस सृष्टि को सदा से सर्वशक्तिमान् जगदीश्वर सहज स्वभाव से रचना, पालन और प्रलय करता है और सदा ऐसे ही करेगा।" (पृ० २४)

सृष्टि प्रवाह से अनादि—

"(प्रश्न) कभी सृष्टि का प्रारम्भ है वा नहीं ?

(उत्तर) नहीं, जैसे दिन के पूर्व रात और रात के पूर्व दिन तथा दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन बराबर चला आता है, इसी प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय और प्रलय के पूर्व सृष्टि तथा सृष्टि के पीछे प्रलय और प्रलय के आगे सृष्टि, अनादिकाल से चक्र चला आता है। इसका आदि वा अन्त नहीं। किन्तु जैसे दिन वा रात का आरम्भ और अन्त देखने में आता है, उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का आदि-अन्त होता रहता है; क्योंकि जैसे परमात्मा, जीव, जगत् का कारण, [ये] तीन स्वरूप से अनादि हैं, वैसे जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और वर्तमान प्रवाह से अनादि है। जैसे नदी का प्रवाह वैसा ही दीखता है, कभी सूख जाता है कभी नहीं दीखता, फिर बरसात में दीखता और उष्णकाल में नहीं दीखता, ऐसे व्यवहारों को प्रवाहरूप जानना चाहिए।"

(स० प्र० २२३)

मनुप्रोक्त काल-परिमाण की तालिका

(श्लोक १।६४ से १।८० तक वर्णित)

पलक गिरने का समय	१ निमेष	८/४५ सेकेण्ड
१८ निमेष	१ काष्ठा	३⅓ सेकेण्ड
३० काष्ठा	१ कला	१ मिनट ३६ सेकेण्ड
३० कला	१ मुहूर्त्त	४८ मिनट या दो घड़ी
३० मुहूर्त्त	१ दिनरात	२४ घण्टे या ६० घड़ी
१५ दिनरात	१ पक्ष (मानव)	
२ पक्ष	१ मास (मानव)	
६ मास	१ अयन (मानव) (उत्तरायण या दक्षिणायन)	१ दिन या रात (दिव्य)
२ अयन (१२ मास)	१ वर्ष (मानव)	१ दिनरात (दिव्य)
३६० दिनरात (दिव्य)	३६० वर्ष (मानव)	१ वर्ष (दिव्य)

४,००० दिव्यवर्ष × ३६०	= १४,४०,००० मानववर्ष	सतयुग का प्रमुखकाल-परिमाण
४०० ,, ,,	= १,४४,००० ,,	सतयुग का संध्याकाल
४०० ,, ,,	= १,४४,००० ,,	सतयुग का संध्यांशकाल
४,८०० ,, ,,	= १७,२८,००० ,,	सतयुग का पूर्ण काल-परिमाण

३,००० दिव्यवर्ष × ३६०	= १०,८०,००० मानववर्ष	त्रेता का प्रमुख काल-परिमाण
३०० ,, ,,	= १,०८,००० ,,	त्रेता का संध्याकाल
३०० ,, ,,	= १,०८,००० ,,	त्रेता का संध्यांशकाल
३,६०० ,, ,,	= १२,९६,००० ,,	त्रेता का पूर्ण काल-परिमाण
२,००० दिव्यवर्ष × ३६०	= ७,२०,००० मानववर्ष	द्वापर का प्रमुख काल-परिमाण
२०० ,, ,,	= ७२,००० ,,	द्वापर का संध्याकाल
२०० ,, ,,	= ७२,००० ,,	द्वापर का संध्यांशकाल
२,४०० ,, ,,	= ८,६४,००० ,,	द्वापर का पूर्ण काल-परिमाण
१,००० दिव्यवर्ष × ३६०	= ३,६०,००० मानववर्ष	कलि का प्रमुख काल-परिमाण
१०० ,, ,,	= ३६,००० ,,	कलि का संध्याकाल
१०० ,, ,,	= ३६,००० ,,	कलि का संध्यांशकाल
१,२०० ,, ,,	= ४,३२,००० ,,	कलि का पूर्ण काल-परिमाण
१२,००० दिव्यवर्ष × ३६०	= ४३,२०,००० मानववर्ष	एक चतुर्युगी (मानव) का समय या देवों का एक युग
१२,००० × ७१ ,, × ३६०	= ३०,६७,१०,००० ,,	एक मन्वन्तर का समय
१,२०,००,००० ,, × ३६० (१००० दिव्य युग)	= ४,३२,००,००,००० ,,	ब्रह्म का एक दिन या एक रात का काल-परिणाम अर्थात् सृष्टि की समयावधि या एक प्रलय की समयावधि।
२,४०,००,००० दिव्यवर्ष × ३६०	= ८,६४,००,००,००० मानववर्ष	ब्रह्म का एक दिनरात का काल अर्थात् एक सृष्टि-उत्पत्ति और प्रलय की कालावधि

युगानुसार धर्म की पूर्णता एवं ह्रास—

चतुष्पात्सकलो धर्मः सत्यं चैव कृते युगे ।
नाधर्मेणागमः कश्चिन्मनुष्यान्प्रति वर्तते ॥ ८१ ॥

(कृते युगे) सतयुग में (सकलः धर्मः च सत्यम्) समस्त धर्म एवं सत्य (चतुष्पात्) चार पैरों वाला अर्थात् तप, ज्ञान, यज्ञ तथा दान वाला होता है (मनुष्यान् प्रति कश्चित् आगमः अधर्मेण न वर्तते) मनुष्यों में कोई भी लाभप्राप्ति अधर्म के द्वारा नहीं की जाती ॥ ८१ ॥

इतरेष्वागमाद्धर्मः पादशस्त्ववरोपितः ।
चौरिकानृतमायाभिर्धर्मश्चापैति पादशः ॥ ८२ ॥

(इतरेषु) अन्य तीन युगों— त्रेता, द्वापर, कलि में (आगमात्) अधर्म के द्वारा लाभप्राप्ति करने के कारण (पादशः तु + अवरोपितः) एक-एक चरण घटता जाता है (च) और (चौरिक-अनृत-मायाभिः) चोरी, झूठ, धोखा करना आदि के कारण (धर्मः) धर्म (पादशः) चौथाई-चौथाई (अपैति) कम होता जाता है ॥ ८२ ॥

अरोगाः सर्वसिद्धार्थाश्चतुर्वर्षशतायुषः ।
कृते त्रेतादिषु ह्येषामायुर्ह्रसति पादशः ॥ ८३ ॥

(कृते) सतयुग में मनुष्य (अरोगाः) रोगरहित (सर्वसिद्धार्थाः) जिनके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, ऐसे तथा (चतुर्वर्षशतायुषः) चार सौ वर्ष की आयु वाले होते हैं, और (त्रेतादिषु) त्रेता, द्वापर, कलियुगों में (एषाम्+आयुः) इनकी आयु (पादशः ह्रसति) चौथाई-चौथाई घटती रहती है ॥ ८३ ॥

वेदोक्तमायुर्मर्त्यानामाशिषश्चैव कर्मणाम् ।
फलन्त्यनुयुगं लोके प्रभावश्च शरीरिणाम् ॥ ८४ ॥

(मर्त्यानाम्) मनुष्यों की (वेदोक्तम्) वेदों में कही हुई (आयुः च कर्मणाम् आशिषः) आयु तथा कर्मों के फल (च) और (शरीरिणाम् प्रभावः) देहधारियों पर होने वाले समस्त प्रभाव ये (लोके) इस संसार में (अनुयुगम्) युगों के अनुसार ही अर्थात् अच्छे युग में अच्छाई अधिक और बुरे युग में बुराई अधिक, इस प्रकार (फलन्ति) फलदायक होते हैं ॥ ८४ ॥

अन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रेतायां द्वापरेऽपरे ।
अन्ये कलियुगे नृणां युगह्रासानुरूपतः ॥ ८५ ॥

(कृतयुगे) सतयुग में (अन्ये धर्माः) दूसरे धर्म माने हैं (त्रेतायां द्वापरे अपरे) त्रेता और द्वापर में उससे भिन्न धर्म हैं (कलियुगे अन्ये) कलियुग में दूसरे धर्म हैं (युगह्रासानुरूपतः नृणाम्) इस प्रकार युग के ह्रास के अनुसार मनुष्यों के धर्म भी बदलते रहते हैं। [वे निम्न श्लोक में हैं—] ॥ ८५ ॥

तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते।
द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कलौ युगे॥ ८६॥

(कृतयुगे) सतयुग में (तपः परम्) तप को सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है (त्रेतायाम्) त्रेतायुग में (ज्ञानम्+उच्यते) ज्ञान को श्रेष्ठ धर्म कहा है (द्वापरे) द्वापर युग में (यज्ञम्+एव+आहुः) यज्ञ को ही श्रेष्ठ धर्म कहते है (कलौ युगे एकं दानम्) कलियुग में दान ही एकमात्र श्रेष्ठ धर्म है॥ ८६॥

अनुशीलन : ८१ से ८६ श्लोकों का यह प्रसंग निम्न आधारों की कसौटी पर प्रक्षिप्त सिद्ध होता है—

१. **प्रसंगविरोध**—सृष्टयुत्पत्ति (१।५-२३) के पश्चात् २४ से ३१ श्लोकों में कर्मों की रचना, प्राप्ति आदि का वर्णन करते हुए प्रसंग कर्मचर्चा का चल पड़ा था। पर, क्योंकि सृष्टि-उत्पत्ति और उसकी प्रक्रिया आदि से सम्बद्ध कुछ कथनीय बातें और भी रह गई थीं, जिन्हें बताना मनु आवश्यक समझते थे, अतः १।४२ श्लोक में यह कहकर कि प्राणियों के जो कर्म हैं, उन्हें आगे कहूंगा, पहले जन्म-उत्पत्ति के निश्चित प्रकार को कहूँगा, (**येषां तु यादृशं कर्म भूतानामिह कीर्तितम्। तत्तथा वोऽभिधास्यामि क्रमयोगं च जन्मनि**) उस कर्मचर्चा के प्रसंग को बदलकर 'सृष्टि में जन्म या उत्पत्ति के निश्चित प्रकार' के प्रसंग को ४३ वें से शुरू कर दिया। इस संकेतक श्लोक के अनुसार ही मनु ने ४३ से ८० श्लोकों में उक्त प्रसंग की पहले चर्चा की है। संकेतक श्लोकानुसार ८० वें श्लोक में यह मध्यचर्चित प्रसंग पूर्ण होने के पश्चात् फिर वही बीच में छूटा हुआ 'कर्मचर्चा से सम्बद्ध प्रसंग' शुरू होना चाहिए था, जो ८७ वें श्लोक से प्रारम्भ है बीच में इन श्लोकों ने उस संकेतसिद्ध प्रसंग को भंग कर दिया है। इनमें अनावश्यक तथा अप्रासंगिक 'युग के फलों' का वर्णन है, जिसका न तो संकेतक [१।४२] श्लोक में ही वर्णन करने का संकेत है, न पूर्वापर प्रसंगों की शैली से सम्बन्ध है। यतो हि पूर्व प्रसंग भी सृष्टि रचना से सम्बद्ध है और इनसे अगला भी [कर्मों की सृष्टि का ८७—९१], जबकि इनमें रचना से सम्बद्ध वर्णन न होकर फलप्रदर्शन है। इस दृष्टि से ८० वें श्लोक के पश्चात् ८७ वां श्लोक प्रासंगिक और क्रमसिद्ध है, अतः ये प्रक्षिप्त हैं।

२. **शैलीगत आधार**—(१) भाषा-प्रयोग-शैली से भी ८० वें श्लोक के पश्चात् ८७वें श्लोक का क्रम सिद्ध होता है। ८०वें श्लोक में कहा है कि 'परमात्मा इस सम्पूर्ण जगत् को बार-बार रचता है और संहार करता है।' इस श्लोक की क्रमसंगति के अनुसार ही ८७ वें श्लोक में—'**सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गुप्त्यर्थम्**' पद का प्रयोग किया गया है। इसकी संगति है—'इस सब जगत् की रक्षा के लिए अर्थात् जो अभी इन पिछले श्लोकों [५—८०] में वर्णित हुआ है, इस जगत् की रक्षा के लिए। इस प्रकार '**सर्वस्यास्य**' प्रयोग ८७ वें श्लोक को ८०वें से सम्बद्ध सिद्ध करता है। (२) दूसरी दृष्टि से भी देखें तो भी उक्त क्रम बनता है, क्योंकि ८१—८६ श्लोकों में जगत् का वर्णन ही नहीं है, अतः इन श्लोकों के बाद '**अस्य सर्वस्य**' पद का प्रयोग ही नहीं बनेगा। यह तो

उन्हीं श्लोकों के बाद बन सकता है, जिनमें पहले जगत् का वर्णन हो, और वह ८० वें श्लोक तक है। (३) इसके साथ-साथ ८१ वें श्लोक की ८० वें से कोई संगति नहीं है, और ८६ वें श्लोक की भी ८७ वें से कोई संगति नहीं है। पूर्वापर प्रसंगों से इनका टूटा हुआ होना भी यह स्पष्ट करता है कि ये प्रसंग को तोड़कर डाले गये 'क्षेपक हैं। इस प्रकार शैली से ८० और ८७ की ही संगति सिद्ध होती है।

३. **विषयविरोध**—१। ४–५ श्लोकों में सृष्टि-उत्पत्ति-पूर्वक धर्मोत्पत्ति के विषय का प्रारम्भ और १। १४४ वें में 'यह समस्त जगत् की उत्पत्ति और धर्म का निकास संक्षेप से कहा' **(एषा धर्मस्य वो योनिः समासेन प्रकीर्तिता। संभवश्चास्य सर्वस्य·····)** कहकर विषयसमाप्ति के संकेत से यह ज्ञात होता है कि १। ४–१४४ श्लोकों का विषय सृष्ट्युत्पत्ति और धर्मोत्पत्ति का है। इस संकेत के अनुसार इस बीच इन्हीं से सम्बद्ध विषय मौलिक हो सकता है, अन्य नहीं। ८१-८६ श्लोकों का वर्णन किसी भी उत्पत्ति या उसकी-प्रक्रिया से सम्बद्ध नहीं है। इनमें युगानुसार फलकथन है, यह विषय इस अध्याय का है नहीं। इस प्रकार ये श्लोक विषय-भिन्नता के कारण विषयविरुद्ध हैं, अतः एव प्रक्षिप्त हैं।

४. **अन्तर्विरोध—युग या काल धर्म-अधर्म में कारण नहीं**—इन श्लोकों के वर्णन का मनुस्मृति की मौलिक मान्यताओं से अनेक प्रकार से विरोध आता है। (१) इन श्लोकों में युग या काल को धर्म-अधर्म का कारण माना है, जबकि मनुस्मृति का सारा ढांचा ही कर्म को धर्म-अधर्म का कारण मानने के सिद्धान्त पर आश्रित है। मनुस्मृति के अनुसार तो जब भी जो व्यक्ति बुरा कर्म (अधर्म) करेगा, उसे बुरा फल मिलेगा और अच्छा कर्म करेगा, अच्छा फल मिलेगा। मनुस्मृति में प्रोक्त धर्म वेदविहित हैं [१२३–२४, १२६], और वेद नित्य हैं [१। ४, २३—२४, १२। ९४], अतः वेदोक्त धर्म-अधर्मों का फल भी नित्य और एकजैसा है। इस प्रकार इन श्लोकों में प्रदर्शित 'युग के अनुसार धर्म-अधर्म और फल की मान्यता' मनुस्मृति के मूल उद्देश्य के ही विरुद्ध है, अतः ये श्लोक मौलिक नहीं हो सकते। (२) जब धर्म युगानुरूप चौथाई घटता ही है [१। ८२] अर्थात् स्वाभाविकरूप से घटता ही है, तो वह प्रत्येक स्थिति में घटेगा ही, यह उसकी स्वाभाविकता जो हुई! फिर मनुस्मृति में धर्मपालन का कथन करने की क्या आवश्यकता है? (३) १। २४-२६ श्लोकों में मनु ने कर्मानुसार सृष्टि के प्रारम्भ में शरीरों की प्राप्ति दर्शायी है। यदि सतयुग में लोगों का सब सिद्धियों से युक्त होना माना जाये [१। ८१–८३] तो उस समय दुःख और अधर्म क्यों थे? जब कि वह तो सतयुग का समय था। (४) ८५-८६ वें श्लोक में चारों युगों में क्रमशः तप, ज्ञान, यज्ञ और दान को ही धर्म माना है, जो कि मनुस्मृति की आधार-भूत मान्यता के ही विरुद्ध है। मनु ने अनेक श्लोकों में तप, ज्ञान, यज्ञ, और दान को शाश्वतकालीन और समानरूप से धर्म माना है और साथ-साथ उनके पालन का आदेश दिया है। [२।१६६-१६७ (२।१४१-१४२), २।१७५ (१५०)। ३। ६७, ६९–७६;

४।१६–२०, २२७, २३३; ६।४–१२, ३०, ७५ आदि] मनुस्मृति में कहीं भी युग के अनुसार धर्म का पालन करने के लिए चर्चा नहीं है। (५) ९।३०१–३०२ श्लोकों में मनु ने राजा के आचरण को ही चारों युगों के रूप में माना है। इन श्लोकों में मनु की दो मान्यताएँ स्पष्ट हुई–

(क) मनु कर्म के अनुसार धर्म-अधर्म या अच्छा-बुरा युग मानते हैं, युग या काल को धर्म-अधर्म का कारण नहीं मानते। (ख) इन श्लोकों के आलंकारिक वर्णन से यह स्पष्ट है कि मनु युगों को केवल 'कालप्रमाण' के रूप में ही स्वीकार करते हैं, गत श्लोकों में वर्णित रूप में नहीं। यदि इन श्लोकों के अनुसार मनु को युगफल अभीष्ट होता, तो वे ९।३०१–३०२ श्लोकों में कर्म करने के आधार पर राजा के युगों का आलंकारिक वर्णन न करते, उन्हें राजा के आचरण विशेष नहीं मानते, अपितु युग के अनुसार राजाओं के आचरण में परिवर्त्तन मानते। वे इस प्रकार हैं—

कृतं त्रेतायुगं चैव द्वापरं कलिरेव च।
राज्ञो वृत्तानि सर्वाणि राजा हि युगमुच्यते॥
कलिः प्रसुप्तो भवति स जाग्रद्द्वापरं युगम्।
कर्मस्वभ्युद्यतस्त्रेता विचरंस्तु कृतं युगम्॥

सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलि, ये सब राजा के ही आचरणविशेष हैं; इसलिए राजा को ही युग कहा जाता है। उद्यमरहित राजा कलियुग होता है, जागकर भी कार्य न करने वाला राजा द्वापर, कार्यों में उद्यत रहना त्रेता और इस प्रकार के सुप्रबन्ध से कार्य करना कि राजा निश्चिन्त होकर विचरता रहे, वह सतयुग है।

इस प्रकार अनेक अन्तर्विरोध भी इन श्लोकों को प्रक्षिप्त सिद्ध करते हैं। ये रूढ़ एवं अन्ध मान्यताओं का प्रक्षेप करने की भावना से प्रक्षिप्त किये गये श्लोक हैं।

चारों वर्णों के कर्मों का निर्धारण—

सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गुप्त्यर्थं स महाद्युतिः।
मुखबाहूरुपज्जानां पृथक्कर्माण्यकल्पयत्॥ ८७॥ (५०)

(अस्य सर्वस्य सर्गस्य) इस [५–८० पर्यन्त श्लोकों में वर्णित] समस्त संसार की (गुप्त्यर्थम्) गुप्ति अर्थात् सुरक्षा, व्यवस्था एवं समृद्धि के लिए (सः महाद्युतिः) महातेजस्वी परमात्मा ने (मुख-बाहु-उरु-पद्-जानाम्) मुख, बाहु, जंघा और पैर की तुलना से निर्मितों के अर्थात् क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों के (पृथक् कर्माणि+अकल्पयत्) पृथक्-पृथक् कर्म बनाये॥ ८७॥

अनुशीलन: **'वर्ण' शब्द की व्युत्पत्ति कर्मणा वर्णव्यवस्था की सूचक**—(१) मनु ने वेद के आधार पर वर्णव्यवस्था का विधान किया है। यजु० ३१।१०–११ में जो वर्णव्यवस्था प्रदर्शित की है, मनु ने उसी को यथावत् प्रस्तुत किया

है। यह व्यवस्था जन्मना न होकर कर्मणा है। इस श्लोक में और १।३१ में भी यह स्पष्ट किया है कि समाज में चारों वर्णों का निर्माण मुख, बाहु, ऊरु और पैर की तुलना के अनुसार हुआ है, और तदनुसार ही कर्मों का निर्धारण किया है [१।८८–९१]।जो व्यक्ति इन कर्मों का पालन करेगा, वह उस-उस वर्ण का अधिकारी होगा। (विस्तृत विश्लेषण के लिए १।३१ की अनुशीलन समीक्षा और १। ९२–१०७, २। ११–१३, १०। ६५ की अन्तर्विरोध शीर्षक समीक्षा द्रष्टव्य है)।

(२) स्वयं 'वर्ण' शब्द इस व्यवस्था को कर्माधारित व्यवस्था सिद्ध करता है। निरुक्त में वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति दी है—"**वर्णो वृणोतेः**" [२।१।४] अर्थात् कर्मानुसार जिसका वरण किया जाये वह 'वर्ण' है। इस पर प्रकाश डालते हुए महर्षि दयानन्द लिखते हैं—

> "**वर्णो वृणोतेरिति निरुक्तप्रामाण्याद् वरणीया वरीतुमर्हाः**
> **गुणकर्माणि च दृष्ट्वा यथायोग्यं ब्रियन्ते ये ते वर्णाः।**"
>
> (ऋ० भा० भू० वर्णाश्रमधर्मविषय)

अर्थात्—गुण-कर्मों को देखकर यथायोग्य अधिकार जिसको दिया जावे, वह 'वर्ण' है।

(३) वर्णों के नामों की व्युत्पत्ति से भी वर्णों के कर्मों का बोध होता है। शब्द में जो भाव है, वही उस वर्ण का प्रमुख कर्म है। उन कर्मों को अपनाने से ही व्यक्ति उस वर्ण का अधिकारी बनता है। (विस्तृत विश्लेषण १।८८–९१ श्लोकों के अनुशीलन में देखिए)।

ब्राह्मण के कर्म—

> **अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा।**
> **दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत्** ॥ ८८ ॥ (५१)

"(ब्राह्मणानाम्) ब्राह्मणों के (अध्ययनम्,अध्यापनम्) पढ़ना-पढ़ाना (तथा) तथा (यजन याजनम्) यज्ञ करना-कराना, (दानं च प्रतिग्रहम् एव) दान देना और लेना, ये छः कर्म (अकल्पयत्) हैं" ॥८८॥ (स० प्र० ८९)

"(एक) निष्कपट होके प्रीति से पुरुष पुरुषों को और स्त्री स्त्रियों को **पढ़ावें (दो)**—पूर्ण विद्या पढ़ें, **(तीन)**—अग्निहोत्रादि यज्ञ करें, (चार)—यज्ञ करावें, (पांच)—विद्या अथवा सुवर्ण आदि का सुपात्रों को दान देवें, (छठा)—न्याय से धनोपार्जन करने वाले गृहस्थों से दान लेवें भी"।

"इनमें से तीन कर्म पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, धर्म में; और तीन कर्म पढ़ाना, यज्ञ कराना, दान लेना जीविका हैं। परन्तु—

प्रतिग्रहः प्रत्यवरः ॥ मनु० ॥

जो दान लेना है, वह नीच कर्म है। किन्तु पढ़ाके और यज्ञ कराके जीविका करनी उत्तम है।" (सं० वि० १७४)

अनुशीलन : **'ब्राह्मण' नाम कर्मणा वर्णव्यवस्था का सूचक**—वर्णों के नामों की व्याकरणानुसारी रचना और व्युत्पत्ति से भी यह बात सिद्ध होती है कि मनु ने कर्मानुसार ही वर्णों का नामकरण किया है, और नामों से वर्णों के कर्मों का भी बोध होता है। 'ब्रह्मन्' प्रातिपदिक से 'तदधीते तद्वेद' (अष्टा० ४।२।५९) अर्थ में 'अण्' प्रत्यय के योग से 'ब्राह्मण' शब्द बनता है। इसकी व्युत्पत्ति है—**'ब्रह्मणा वेदेन परमेश्वरस्य उपासनेन च सह वर्तमानो विद्यादि उत्तमगुणयुक्तः पुरुषः'** अर्थात् वेद और परमात्मा के अध्ययन और उपासना में तल्लीन रहते हुए विद्या आदि उत्तम गुणों को धारण करने से व्यक्ति 'ब्राह्मण' कहलाता है। मनु ने भी इन्हीं कर्मों को ब्राह्मण के प्रमुख कर्मों के रूप में वर्णित किया है।

ब्राह्मणग्रन्थों के वचनों में भी वर्णों के कर्मों का वर्णन पाया जाता है। निम्न वचनों में ब्राह्मण के कर्त्तव्य उद्दिष्ट हैं—

(क) **आग्नेयो ब्राह्मणः** (तां० १५।४।८)। **आग्नेयो हि ब्राह्मणः** (काठ० २६।१०)
=यज्ञाग्नि से सम्बन्ध रखने वाला अर्थात् यज्ञकर्त्ता ब्राह्मण होता है।

(ख) **ब्राह्मणो व्रतभृत्** (तै० सं० १।६।७।२)। **व्रतस्य रूपं यत् सत्यम्** (श० १२।८।२।४)
=ब्राह्मण श्रेष्ठ व्रतों=कर्मों को धारण करने वाला होता है। सत्य बोलना व्रत का एक रूप है।

(ग) **गायत्रो वै ब्राह्मणः** (ऐ० १।२८)। **गायत्रो यज्ञः** (गो० पू० ४।२४)। **गायत्रो वै बृहस्पतिः** (तां० ५।१।१५)
=ब्राह्मण गायत्र होता है। गायत्र वेद, यज्ञ और परमात्मा को कहते हैं।

क्षत्रिय के कर्म—

प्रजानां रक्षणं दानमिज्याऽध्ययनमेव च।
विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः॥ ८९॥ (५२)

'दीर्घ ब्रह्मचर्य से (अध्ययनम्) साङ्गोपांग वेदादि शास्त्रों को यथावत् पढ़ना, (इज्या) अग्निहोत्र आदि यज्ञों का करना (दानम्) सुपात्रों को विद्या, सुवर्ण आदि और प्रजा को अभयदान देना, (प्रजानां रक्षणम्) प्रजाओं का सब प्रकार से सर्वदा यथावत् पालन करना·····(विषयेषु + अप्रसक्तिः) विषयों में अनासक्त होके सदा जितेन्द्रिय रहना—लोभ, व्यभिचार, मद्यपानादि, नशा आदि दुर्व्यसनों से पृथक् रहकर विनय सुशीलता आदि शुभ कर्मों में सदा प्रवृत्त रहना।" ॥ ८९ ॥ + (स० प्र० १७५)

+ (क्षत्रियस्य समासतः) ये संक्षेप से क्षत्रिय के कर्म हैं॥ ८९॥

"न्याय से प्रजा की रक्षा अर्थात् पक्षपात छोड़के श्रेष्ठों का सत्कार और दुष्टों का तिरस्कार करना, सब प्रकार से सबका पालन, दान, विद्या धर्म की प्रवृत्ति और सुपात्रों की सेवा में धनादि पदार्थों का व्यय करना (इज्या) अग्निहोत्रादि यज्ञ करना वा कराना (अध्ययन) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना तथा पढ़ाना और विषयों में न फंसकर जितेन्द्रिय रहके सदा शरीर आत्मा से बलवान् रहना।" (स० प्र० पृ० ६०)

अनुशीलन : **'क्षत्रिय' नाम कर्मणा वर्णव्यवस्था का सूचक**—(१) क्षणु—हिंसा अर्थ वाली (तनादि) धातु से 'क्तः' प्रत्यय के योग से 'क्षतः' शब्द की सिद्धि होती है और 'क्षत' उपपद में त्रैङ्=पालन करने अर्थ में (भ्वादि) धातु से 'अन्येष्वपि दृश्यते' (अष्टा० ३।२।१०१) सूत्र से 'डः' प्रत्यय, पूर्वपदान्त्याकारलोप होकर 'क्षत्र' शब्द बना। 'क्षत्र एव क्षत्रियः' स्वार्थ में 'इयः' होने से क्षत्रियः अथवा क्षत्रस्य-अपत्यं वा, 'क्षत्राद् घः' (अ० ४।१।१३८) सूत्र से जन्म लेने अर्थ में 'घः' प्रत्यय होकर क्षत्रिय शब्द बना। **'क्षदति रक्षति जनान् क्षत्रः'** जो जनता की रक्षा का कार्य करता है अथवा, **क्षण्यते हिंस्यते नश्यते पदार्थो येन स 'क्षतः'=धातादिः, ततस्त्रायते रक्षतीति क्षत्रः**=आक्रमण, चोट, हानि आदि से लोगों की रक्षा करने वाला होने से क्षत्रिय को 'क्षत्रिय, कहते हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में—**क्षत्रं राजन्यः** (ऐ० ८।२; ३।४) **क्षत्रस्य वा एतद्रूपं यद् राजन्यः** (श० १३।१।५।३)=क्षत्रिय 'क्षत्र' का ही रूप है, जो प्रजा का रक्षक होता है।

(२) यहां अपत्यार्थ में 'इय' आदेश के योग से क्षत्रिय आदि शब्द बनाने में यह शंका उत्पन्न होती है कि क्या मनु जन्म के आधार पर वर्ण मानते हैं? इसकी शंका के निराकरण के लिए पुष्ट समाधान है। वंश केवल जन्म से ही नहीं अपितु विद्याजन्म से भी वंश चलता है। अष्टाध्यायी २।१।१९ में **'संख्यावंश्येन'** सूत्र में विद्या से जन्म माना है। मनुस्मृति २।११९—१२३ श्लोकों में स्पष्टतः विद्या के आधार पर जन्म माना है। इस प्रकार गुणग्राहिता, कार्यकारणभाव, विद्या के आधार पर भी अपत्य आदि सम्बन्ध होते हैं। जैसे सूर्य, वरुण आदि की कोई पत्नी या अपत्य आदि नहीं होते, किन्तु फिर भी कार्य-कारण और गुणग्राहिता आदि के आधार पर अदिति का पुत्र आदित्य, सूर्य की पत्नी सूर्या आदि तथा वरुणानी, मैत्रावरुणः आदि प्रयोग होते हैं। विस्तृत चर्चा 'मनुस्मृति-अनुशीलन' में देखिए।

(३) क्षत्रिय के विस्तृत कर्त्तव्यों का वर्णन ७।१ से ९।२२५ श्लोकों में है।

वैश्य के कर्म—

पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च।
वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च॥ ९०॥ (५३)

"(पशुरक्षा) गाय आदि पशुओं का पालन-वर्धन करना (दानं)

विद्या-धर्म की वृद्धि करने कराने के लिए धनादि का व्यय करना (इज्या) अग्निहोत्रादि यज्ञों का करना (अध्ययन) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना (वणिक्पथ) सब प्रकार के व्यापार करना (कुसीद) एक सैकड़े में चार, छः, आठ, बारह, सोलह वा बीस आनों से अधिक ब्याज और मूल से दूना अर्थात् एक रुपया दिया हो तो सौ वर्ष में भी दो रुपये से अधिक न लेना और न देना (कृषि) खेती करना (वैश्यस्य) ये वैश्य के कर्म हैं" ॥ ९० ॥

(सं० प्र० ९१)

"(अध्ययनम्) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना (इज्या) अग्निहोत्रादि यज्ञों का करना (दानम्) अन्नादि का दान देना, ये तीनों धर्म के लक्षण और (पशूनां रक्षणम्) गाय आदि पशुओं का पालन करना उनसे दुग्धादि का बेचना (वणिक् पथम्) नाना देशों की भाषा, हिसाब, भूगर्भविद्या, भूमि, बीज आदि के गुण जानना और सब पदार्थों के भावाभाव समझना (कुसीदम्) ब्याज का लेना * (कृषिमेव च) खेती की विद्या का जानना, अन्न आदि की रक्षा, खात और भूमि की परीक्षा, जोतना, बोना आदि व्यवहार का जानना, ये चार कर्म वैश्य की जीविका।"

(स० वि० १७६)

*"सवा रुपये सैकड़े से अधिक, चार आने से न्यून ब्याज न लेवे, न देवे। जब दूना धन आ जाये, उससे आगे कौड़ी न लेवे, न देवे। जितना न्यून ब्याज लेवेगा उतना ही उसका धन बढ़ेगा और कभी धन का नाश और कुसन्तान उसके कुल में न होंगे"।

(स० वि० पृ० १७६ पर ऋ० दया० की टिप्पणी)

अनुशीलन : **'वैश्य' नाम कर्मणा व्यवस्था का सूचक**—(१) **"विशः मनुष्यनाम"** (निघं० २।३) उससे भावार्थ में 'यत्', उससे स्वार्थ में 'अण्'। अथवा 'विश्' प्रातिपदिक से अपत्यार्थ में यञ् छान्दस प्रत्यय से 'वैश्य' शब्द बना। **"यो यत्र तत्र व्यवहारविद्यासु प्रविशति सः 'वैश्यः' व्यवहारविद्याकुशलः जनो वा**=जो विविध व्यावहारिक व्यापारों में प्रविष्ट रहता है या विविध व्यावहारिक विद्याओं में कुशल जन 'वैश्य होता है।

ब्राह्मण ग्रन्थों में—

"एतद् वै वैश्यस्य समृद्धं यत् पशवः" (तां० १८।४।६) **"तस्माद् बहुपशुर्वैश्यवदेवो हि जागतो (वैश्यः)** (तां ६।१।१०)=पशुपालन से वैश्य की समृद्धि होती है, यह वैश्य का कर्त्तव्य है।

(२) वैश्य के विस्तार से कर्त्तव्यों का वर्णन द्रष्टव्य है ९।२२५–३३३ में।

शूद्र के कर्म—

एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत्।
एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया॥ ९१॥ (५४)

"(प्रभुः) परमेश्वर ने (शूद्रस्य) जो विद्याहीन—जिसको पढ़ने से विद्या न आ सके, शरीर से पुष्ट, सेवा में कुशल हो, उस शूद्र के लिए (एतेषामेव वर्णानाम्) इन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों की (अनसूयया) निन्दा से रहित प्रीति से (शुश्रूषाम्) सेवा करना, (एकमेव कर्म) यही एक कर्म (समादिशत्) करने की आज्ञा दी है" ॥ ९१ ॥

(सं० वि० १७७)

अनुशीलन : 'शूद्र' नाम कर्मणा व्यवस्था का सूचक—(१) शुच्—शोकार्थक (भ्वादि) धातु से 'शुचेर्दश्च' (उणा० २।१९) सूत्र से 'रक्' प्रत्यय, उकार को दीर्घ, च को द होकर 'शूद्र' शब्द बनता है। **शूद्रः=शोचनीयः शोच्यां स्थितिमापन्नो वा, सेवायां साधुर् अविद्याविगुणसहितो मनुष्यो वा**=शूद्र वह व्यक्ति होता है जो अपने अज्ञान के कारण किसी प्रकार की उन्नत स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाया, और जिसे अपनी निम्न स्थिति होने की तथा उसे उन्नत करने की सदैव चिन्ता बनी रहती है अथवा स्वामी के द्वारा जिसके भरण-पोषण की चिन्ता की जाती है, ऐसा सेवक मनुष्य। ब्राह्मण ग्रन्थों में भी यही भाव मिलता है—"असतो वा एष सम्भूतो यत् शूद्रः" (तै० ३।२।३।९) असतः=अविद्यातः। अज्ञान और अविद्या से जिसकी निम्न जीवनस्थिति रह जाती है, जो केवल सेवा आदि कार्य ही कर सकता है, ऐसा मनुष्य शूद्र होता है।

(२) शूद्र के कर्त्तव्यों के प्रसङ्ग में, शूद्र के प्रति मनु की धारणा क्या है, इस बात पर भी प्रकाश पड़ जाता है। मनु ने वहां शूद्र के लिए शुचिः='पवित्र' (शरीर एवं मन से), उत्कृष्ट शुश्रूषुः='उत्तम सेवा करने वाला' जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। इससे स्पष्ट होता है कि मनु की शूद्र के प्रति हीन भावना नहीं है। सबकी सेवा करने वाला व्यक्ति अपवित्र कैसे कहा जा सकता है?

(३) शूद्र जन्मना नहीं होता, किन्तु वह व्यक्ति शूद्र होता है, जो उपनयन में दीक्षित होकर ब्रह्मजन्म अर्थात् वेदाध्ययन रूपी द्वितीय जन्म को प्राप्त नहीं कर सका। द्विजों को द्विज इसलिए कहा जाता है कि उनका अध्ययनरूपी दूसरा ब्रह्मजन्म उपनयन के समय होता है "**द्विर्जायते इति द्विजः।**" शूद्र का यह दूसरा जन्म न होने से उसका पर्यायवाची शब्द 'एकजातिः'=एक जन्म वाला है। इससे सिद्ध हुआ कि मनु जन्मना नहीं, व्यक्ति को कर्मणा शूद्र मानते हैं। देखिए मनु ने यह मान्यता १०।४ में प्रकट की है—

"**चतुर्थः एकजातिस्तु शूद्रः।**"

(४) वह उत्तम कर्मों से उच्च वर्ण को भी प्राप्त कर सकता है।

[९।३३५॥ १०।६५]

(५) शूद्र के कुछ विस्तृत कर्तव्यों का वर्णन ९।३३४–३३५ श्लोकों में है। उन श्लोकों से मनु की शूद्र-सम्बन्धी यह मान्यता और भी स्पष्ट हो जाती है कि वे शूद्र को जन्मना नहीं मानते तथा न घृणास्पद मानते हैं।

सब अंगों में मुख की श्रेष्ठता एवं तद्वत् ब्राह्मणों की श्रेष्ठता और महत्ता का वर्णन—

ऊर्ध्वं नाभेर्मेध्यतरः पुरुषः परिकीर्तितः।
तस्मान्मेध्यतमं त्वस्य मुखमुक्तं स्वयंभुवा॥ ९२॥

(नाभेः ऊर्ध्वम्) नाभि के ऊपर (पुरुषः) पुरुष शरीर को (मेध्यतरः परिकीर्तितः) अपेक्षाकृत अधिक पवित्र माना गया है (तस्मात्) इस विचार के अनुसार (स्वयम्भुवा) ब्रह्मा ने (अस्य मुखम्) इस पुरुष के मुख को (मेध्यतमम् उक्तम्) सर्वाधिक पवित्र कहा है॥ ९२॥

उत्तमाङ्गोद्भवाज्ज्यैष्ठ्याद् ब्रह्मणश्चैव धारणात्।
सर्वस्यैवास्य सर्गस्य धर्मतो ब्राह्मणः प्रभुः॥ ९३॥

(उत्तमांगो+उद्भवात्) उत्तम अंग=मुख से उत्पत्ति होने के कारण (ज्यैष्ठ्यात्) चारों वर्णों में सबसे पहले उत्पन्न होने से या सबसे बड़ा होने के कारण (च) और (ब्रह्मणः धारणात्) वेद को धारण करने के कारण (अस्य सर्वस्य+एव सर्गस्य) इस सम्पूर्ण संसार का ही (ब्राह्मणः) ब्राह्मण (धर्मतः) धर्म से (प्रभुः) स्वामी है॥९३॥

तं हि स्वयंभूः, स्वादास्यात्तपस्तप्त्वादितोऽसृजत्।
हव्यकव्याभिवाह्याय सर्वस्यास्य च गुप्तये॥ ९४॥

(तं हि) उस ब्राह्मण को (स्वयम्भूः) ब्रह्मा ने (तपः तप्त्वा) तपस्या करके (स्वात्+आस्यात्) अपने मुख से (हव्य-कव्य-अभिवाह्याय) हव्य=देवों का भाग कव्य=पितरों का भाग उन तक पहुंचाने के लिए (च) और (अस्य सर्वस्य गुप्तये) इस सम्पूर्ण संसार की रक्षा के लिए (आदितः+असृजत्) सबसे पहले उत्पन्न किया॥ ९४॥

यस्यास्येन सदाश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः।
कव्यानि चैव पितरः किं भूतमधिकं ततः॥ ९५॥

(यस्य+आस्येन) जिस ब्राह्मण के मुख के द्वारा (त्रिदिवौकसः) देवता लोग (हव्यानि) हव्य भागों को (च) और (पितरः कव्यानि) पितर लोग कव्यभागों को (सदा+अश्नन्ति) सदा खाया करते हैं (ततः अधिकं किं भूतम्) उससे अधिक श्रेष्ठ कौन प्राणी होगा?॥ ९५॥

भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः ।
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ॥ ९६ ॥

(भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः) सभी स्थावरों और जंगम भूतों में प्राणधारी जीव श्रेष्ठ हैं (प्राणिनां बुद्धिजीविनः) प्राणधारियों में बुद्धि से कार्य करने वाले जीव श्रेष्ठ हैं (बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः) बुद्धिजीवी प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ हैं और (नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः) मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ माने गये हैं ॥ ९६ ॥

ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः ।
कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः ॥ ९७ ॥

(च) और (ब्राह्मणेषु विद्वांसः) ब्राह्मणों में विद्वान् श्रेष्ठ हैं (विद्वत्सु कृतबुद्धयः) विद्वानों में कर्त्तव्य बुद्धि रखने वाले श्रेष्ठ हैं (कृतबुद्धिषु कर्त्तारः) कर्त्तव्य बुद्धि रखने वालों में कर्त्तव्यों को आचरण में लाने वाले और (कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः) उन आचरणकर्त्ताओं में भी ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ हैं ॥ ९७ ॥

उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्वती ।
स हि धर्मार्थमुत्पन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ९८ ॥

(विप्रस्य उत्पत्तिः+एव) ब्राह्मण का जन्म होना ही (धर्मस्य शाश्वती मूर्तिः) धर्म की शाश्वत मूर्ति के रूप में है अर्थात् उसका शरीर ही मानो धर्म की प्रत्यक्ष मूर्त्ति है (हि) क्योंकि (सः धर्मार्थम्+उत्पन्नः) वह धर्म-वृद्धि के लिए उत्पन्न होकर (ब्रह्मभूयाय कल्पते) मोक्ष-प्राप्ति के योग्य बनता है ॥ ९८ ॥

ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्यामधिजायते ।
ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये ॥ ९९ ॥

(ब्राह्मणः) ब्राह्मण (जायमानः हि) पैदा होते ही (पृथिव्याम्+अधिजायते) पृथिवी पर सबसे बड़ा होता है, क्योंकि (सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये) सब प्राणियों के धर्मरूप खजाने की रक्षा करने के लिए (ईश्वरः) वही समर्थ है ॥ ९९ ॥

सर्वं स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किंचिज्जगतीगतम् ।
श्रैष्ठ्येनाभिजनेनेदं सर्वं वै ब्राह्मणोऽर्हति ॥ १०० ॥

(जगतीगतं यत् किंचित्) संसार भर में जो भी कुछ है (इदं सर्वं ब्राह्मणस्य स्वम्) यह सब ब्राह्मण का ही धन है (श्रैष्ठ्येन+अभिजनेन) सब वर्णों में श्रेष्ठ और पूर्वोत्पन्न होने से बड़ा होने के कारण (इदं सर्वं) इस सब धन का (वै) निश्चय से (ब्राह्मणः+अर्हति) ब्राह्मण अधिकारी है ॥ १०० ॥

स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च ।
आनृशंस्याद् ब्राह्मणस्य भुञ्जते हीतरे जनाः ॥ १०१ ॥

[सभी धन ब्राह्मण का होने के कारण] (ब्राह्मणः स्वम्+एव भुङ्क्ते) ब्राह्मण अपना ही खाता है (स्वं वस्ते) अपना ही पहनता है (च) और (स्वम् ददाति) अपना

ही दान करता है (इतरे जनाः हि) दूसरे लोग तो (ब्राह्मणस्य आनृशंस्यात् भुञ्जते) ब्राह्मण की दया के कारण ही सब पदार्थों का भोग करते हैं ॥ १०१ ॥

इस शास्त्र की रचना का प्रयोजन—

तस्य कर्मविवेकार्थं शेषाणामनुपूर्वशः ।
स्वायम्भुवो मनुर्धीमानिदं शास्त्रमकल्पयत् ॥ १०२ ॥

(तस्य) उस ब्राह्मण के (अनुपूर्वशः शेषाणाम्) और क्रमशः शेष वर्णों—क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के (कर्मविवेकार्थम्) कर्मों के ज्ञान के लिए (स्वायम्भुवः धीमान् मनुः) ब्रह्मा के पुत्र बुद्धिमान् मनु ने (इदं शास्त्रम् अकल्पयत्) इस मनुस्मृति शास्त्र को बनाया है ॥ १०२ ॥

विदुषा ब्राह्मणेनेदमध्येतव्यं प्रयत्नतः ।
शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यङ्नान्येन केनचित् ॥ १०३ ॥

(विदुषा ब्राह्मणेन) विद्वान् ब्राह्मण को (इदं प्रयत्नतः अध्येतव्यम्) इस शास्त्र का प्रयत्नपूर्वक अध्ययन करना चाहिए (च) और (शिष्येभ्यः सम्यक् प्रवक्तव्यम्) शिष्यों के लिए अच्छी प्रकार उपदेश करना चाहिए (अन्येन केनचित् न) अन्य किसी वर्ण के व्यक्ति को इसका प्रवचन नहीं करना चाहिए ॥ १०३ ॥

इस शास्त्र के अध्ययन का फल—

इदं शास्त्रमधीयानो ब्राह्मणः शंसितव्रतः ।
मनोवाग्देहजैर्नित्यं कर्मदोषैर्न लिप्यते ॥ १०४ ॥

(इदं शास्त्रम्+अधीयानः) इस शास्त्र को पढ़ता-पढ़ाता हुआ (शंसितव्रतः ब्राह्मणः) श्रेष्ठ व्रताचरण करने वाला ब्राह्मण (नित्यं) कभी भी (मनः+वाक्-देहजैः कर्मदोषैः) मानसिक वाचिक और शारीरिक कर्मदोषों से (न लिप्यते) लिप्त नहीं होता ॥ १०४ ॥

पुनाति पङ्क्तिं वंश्यांश्च सप्त-सप्त-परावरान् ।
पृथिवीमपि चैवेमां कृत्स्नामेकोऽपि सोऽर्हति ॥ १०५ ॥

[इस शास्त्र को पढ़ने-पढ़ाने वाला ब्राह्मण] (पंक्तिम्) श्राद्ध की पंक्ति को (च पर+अवरान् सप्त-सप्त वंश्यान्) और आने वाली पुत्र-प्रपौत्र आदि, पहली पिता-दादा आदि सात-सात पीढ़ियों को (पुनाति) पवित्र करता है (च) और (इमां कृत्स्नां पृथिवीम्+अपि) इस सम्पूर्ण पृथ्वी को भी (सः एकः+अपि अर्हति) वह अकेला पाने का अधिकारी बन जाता है ॥ १०५ ॥

इदं स्वस्त्ययनं श्रेष्ठमिदं बुद्धिविवर्धनम् ।
इदं यशस्यमायुष्यमिदं निःश्रेयसं परम् ॥ १०६ ॥

(इदं स्वस्त्ययनम्) यह शास्त्र कल्याण करने वाला है (इदं श्रेष्ठं बुद्धि-

विवर्धनम्) यह बुद्धि बढ़ाने वाला श्रेष्ठ साधन है (इदं यशस्यम्+आयुष्यम्) यह यश बढ़ाने वाला, आयु देने वाला है (इदं निःश्रेयसं परम्) यह मोक्ष प्राप्त कराने में परम श्रेष्ठ साधन है॥ १०६॥

इस शास्त्र का प्रतिपाद्य—

अस्मिन्धर्मोऽखिलेनोक्तो गुणदोषौ च कर्मणाम्।
चतुर्णामपि वर्णानामाचारश्चैव शाश्वतः॥ १०७॥

(अस्मिन्) इस मनुस्मृति शास्त्र में (अखिलेन धर्मः) संपूर्ण धर्म को (च) और (कर्मणां गुणदोषौ) कर्मों के गुण-दोषों को (च) तथा (चतुर्णाम्+अपि वर्णानां शाश्वतः आचारः) चारों वर्णों का सनातन आचार-व्यवहार (उक्तः) कहा गया है॥ १०७॥

अनुशीलन : इन श्लोकों में पक्षपातपूर्ण ढंग से ब्राह्मण की अयुक्ति-पूर्ण निराधार प्रशंसा की प्रवृत्ति लक्षित होती है। ये ९२ से १०७ तक के श्लोक निम्न आधारों की कसौटी पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—(१) १। ४२ वां श्लोक प्रसंग का संकेत देने वाला श्लोक है, और १। १४४ वां श्लोक इस अध्याय के विषयों का संकेत देता है। इन दोनों श्लोकों से इस अध्याय का वर्ण्यविषय और उसका क्रम निश्चित हो जाता है। ४२ वें श्लोक में—विवक्षित कर्मचर्चा के प्रसंग को मध्य में ही छोड़कर पहले शेष सृष्ट्युत्पत्ति सम्बन्धी बातों की जानकारी देने का कथन है, और उसके बाद कर्मचर्चा को पूर्ण करने का संकेत है। तदनुसार ८० श्लोक तक सृष्टि-सम्बन्धी जानकारी देकर ८७ से ९१ श्लोकों में कर्मों की सृष्टि का वर्णन किया है। अब इसके बाद धर्मसम्बन्धी वर्णन ही होना चाहिए। क्योंकि, १४४ वें श्लोक में इस अध्याय के केवल दो ही विषय संकेतित हैं—सृष्ट्युत्पत्ति और धर्मोत्पत्ति। तदनुसार ९१ वें श्लोक में कर्मोत्पत्ति-कथन के साथ सृष्टि-उत्पत्ति विषय का वर्णन पूर्ण हो जाने पर धर्मसम्बन्धी प्रसंग शुरू होना चाहिए, जो १०८ से प्रारम्भ हुआ है, और १। १२० में इस प्रसंग को संकेतपूर्वक प्रारम्भ किया गया है। ये दोनों विषय परस्पर सम्बद्ध विषय हैं, अतः उसी सम्बद्धता के क्रम से इन्हें रखा गया है। ९२ से १०७ श्लोकों में वर्णित ब्राह्मण की महिमा [९२—१०५] और शास्त्र की महिमा [१०६-१०७] की चर्चाएं उक्त श्लोकों में संकेतित क्रम को भंग कर रही हैं। उक्त संकेतक श्लोकों में इनके प्रसंग का कोई उल्लेख भी नहीं है। अतः पूर्वापर कर्म-धर्म के प्रसंग से असम्बद्ध होने के कारण ये श्लोक असंगत और प्रक्षिप्त हैं।

(२) प्रसंग की पूर्वापर क्रमबद्धता भी द्रष्टव्य है। ८७—९१ श्लोकों में वर्णों के कर्मों का उल्लेख है और कर्मोल्लेख करके १०८—११० श्लोकों में तदनुसारी आचरण को ही परम धर्म कहा है। इस प्रकार पूर्वापर श्लोक प्रसंग और वर्णनशैली की एक क्रमबद्धता से जुड़े हैं। इन [९२—१०७] ने उस क्रमबद्धता को तोड़ दिया है, और ब्राह्मण तथा शास्त्र-महिमा की असंगत एवं पूर्वापर प्रसंग की दृष्टि से

अनावश्यक बातों का वर्णन किया है। अतः पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध होने के कारण भी ये प्रक्षिप्त हैं।

(३) १०२ से १०७ श्लोकों में—इस शास्त्र को पढ़ने के अधिकारी, शास्त्र की महिमा, इस शास्त्र में क्या वर्णित है, आदि चर्चाएं हैं। वर्णन की दृष्टि से ये बातें या तो ग्रन्थ के प्रारम्भ में होती हैं या अन्त में, किसी भी प्रसंग को तोड़कर बीच में नहीं। मनुस्मृति का प्रारम्भ और अन्त इस प्रकार की शैली में है कि न तो वहां इन चर्चाओं को अवसर ही मिल सकता है, और न ये रचयिता का अभीष्ट सिद्ध करतीं हैं। वहां इनका प्रक्षेप सम्भव नहीं हुआ, अतः प्रक्षेपकर्त्ता ने यहां प्रसंग को तोड़कर उक्त चर्चाओं का उल्लेख कर दिया है। इस प्रकार इनका स्थानभ्रष्ट वर्णन ही इन्हें अप्रासङ्गिक सिद्ध करता है। इन प्रसंगविरोधों के आधार पर ये ९२—१०७ श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं।

२. **विषय-विरोध**—१।१—४ श्लोकों से प्रारंभ किये गये विषय का समापन करते हुए मनु १।१४४ में कहते हैं—'यह धर्म की उत्पत्ति और सम्पूर्ण जगत् की उत्पत्ति मैंने कही'। स्पष्ट है कि—जब मनु ने अपने विषय की एक सीमा निश्चित कर दी है और उसका संकेत भी कर दिया है, तो इस परिधि के श्लोकों में उक्त दोनों विषयों से सम्बद्ध वर्णन ही होना चाहिए; तभी वे विषयसंगत कहलायेंगे। इन श्लोकों के वर्णन उक्त दोनों विषयों से असम्बद्ध हैं, अतः विषय-विरुद्ध होने से ये प्रक्षिप्त हैं।

३. **शैलीगत आधार**—(१) १०२ से १०७ श्लोकों में मनुस्मृति की एक पूर्व-निबद्ध शास्त्र के रूप में प्रशंसा है और मौलिक रूप में उसे 'शास्त्र' संज्ञा से व्यवहृत किया है। मनुस्मृति की शैली से यह सिद्ध होता है कि यह अपने मौलिक रूप में न तो कोई निबद्धशास्त्र था और न इसके लिए मनु द्वारा 'शास्त्र' संज्ञा का व्यवहार ही करने का अवसर था (इसके लिए देखिए १।५८—६३ श्लोकों पर 'अन्तर्विरोध' में समीक्षा—'ख')। मनुस्मृति अपने मूलरूप में प्रवचन था, इस प्रकार न तो यह शास्त्र था, और न मौलिक रूप से प्रवचनों में इसे शास्त्र कहकर पुकारा या प्रशंसित किया जा सकता था। प्रवचनों के सङ्कलन के पश्चात् शास्त्ररूप में निबद्ध होने के पश्चात् ही मनुस्मृति से सम्बद्ध इस प्रकार के श्लोक मिलाये गये हैं जिनमें इसकी शास्त्ररूप में प्रशंसा है, या 'शास्त्र-संज्ञा' का व्यवहार है। इस प्रकार स्पष्ट है कि 'शास्त्र' प्रयोग वाले ये श्लोक परवर्ती प्रक्षेप हैं। शेष पूर्व के ९२—१०१ श्लोक भी इनसे सम्बद्ध हैं और इनकी भूमिका हैं [१०२ से सिद्ध], अतः इनके प्रक्षिप्त सिद्ध होने से वे भी स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं।

(२) मनु की यह शैली है कि वे जिस किसी विषय या प्रसङ्ग को प्रारम्भ करते हैं तो उसके प्रारम्भ, अन्त अथवा दोनों स्थानों पर उसके कथन का संकेत देते हैं। इस शैली के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बिना संकेत के जो प्रसङ्ग हैं, वे मनुकृत नहीं हैं। इन श्लोकों का प्रसङ्ग भी ऐसा है जिसके प्रारम्भ या अन्त में आरम्भ या समापन का कथन नहीं है। अतः ये मनु की शैली के नहीं हैं।

(३) मनुस्मृति की प्रवचन शैली है। इसमें सभी प्रसङ्ग क्रमशः शृङ्खलाबद्ध हैं। इस शैली में न तो विषयसूची का ही कहीं प्रसङ्ग आ सकता है और न मूलरूप में उसकी कोई विषयसूची बन सकती है। १०७ वें श्लोक में जो विषयों का उल्लेख है, यह परवर्तीकाल में डाला गया है।

(४) इस प्रसङ्ग में ९२ से १०१ श्लोकों में ब्राह्मण की महिमा का, १०२ से १०६ में मनुस्मृति की शास्त्ररूप में महिमा का प्रसङ्ग चलाया है। इस प्रकार महिमा का लम्बा प्रसङ्ग चलाने की शैली मनु की नहीं है, वे केवल अर्थवाद रूप में ही संक्षिप्त पद्धति से प्रशंसा या निन्दा करते हैं।

(५) इस प्रसङ्ग के ९४–९५ (देवों-पितरों द्वारा ब्राह्मण के मुख से हव्य, कव्य भक्षण करना), १०५ (सात-सात पिछली-अगली पीढ़ियों को पवित्र करना) श्लोकों की शैली अयुक्तियुक्त और निराधार है; ९८, १००, १०४, १०५, १०६ की अतिशयोक्तिपूर्ण तथा ९४, ९५, ९९, १००, १०१, १०३ श्लोकों की शैली पक्षपात से प्रेरित है। मनु की शैली में ये त्रुटियाँ नहीं हैं।

(६) १०२ में "स्वायंभुवो मनुर्धीमानिदं शास्त्रमकल्पयत्" प्रयोग से स्पष्ट है कि इसका रचयिता कोई मनु से भिन्न व्यक्ति है। अतः यह मनुकृत न होने से प्रक्षिप्त है, शेष इससे सम्बद्ध होने से स्वतः प्रक्षिप्त कहलायेंगे।

४. **अन्तर्विरोध**—(१) इन श्लोकों में जन्मना वर्णव्यवस्था का वर्णन है जबकि मनु की मौलिक मान्यता कर्मणा वर्णव्यवस्था मानने की है। विशेषकर ९८, ९९ श्लोकों में तो उत्पन्न होते ही ब्राह्मण को विशिष्ट व्यक्ति मान लिया है। इस जन्मना वर्णव्यवस्था का मनु से निम्न प्रकार विरोध आता है—

मनुस्मृति में वर्णव्यवस्था कर्मानुसार है—

(क) यदि मनु जन्म से ही किसी वर्ण को श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ मानते तो उन्हें वर्णों के कर्मों का निश्चय करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो व्यक्ति जन्म के आधार पर ही श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ माना जा रहा है तो वह वैसा ही रहेगा, चाहे कर्म करे या न करे। यतो हि शैशवावस्था और कौमारावस्था में भी वह वर्णों के लिए प्रतिपादित कर्मों को नहीं करता है, अपितु बहुत बार तो अज्ञान में विरोधी कर्म भी कर देता है। जब उस अवस्था में उसे जन्मतः ब्राह्मण या धर्म की प्रत्यक्ष मूर्ति माना जा रहा है [९८], तो बाद में कर्मों के न करने या विरोधी कर्मों के करने से भी उसका ब्राह्मणत्व नष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन मनुस्मृति के सभी विधि-निषेध वचनों, व्यवस्थाओं और वर्णों के लिए कर्मों के निश्चय से यह स्पष्ट होता है कि मनु धर्म-अधर्म, कर्म और व्यवस्थाओं से ही वर्णव्यवस्था या व्यक्ति की श्रेष्ठता मानते हैं, जन्म से नहीं। यदि जन्म से ही श्रेष्ठत्व स्वीकार कर लिया जाये तो मनुस्मृति की सम्पूर्ण कर्मव्यवस्था ही व्यर्थ हो जायेगी। कोई पालन करे या न करे व्यवस्थाओं का कोई महत्त्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि उनका श्रेष्ठत्व-अश्रेष्ठत्व तो जन्म से निर्धारित हो ही चुका। लेकिन मनु ने कर्म के

आधार पर वर्णव्यवस्था मानी है। निम्न श्लोकों में उनकी अत्यधिक स्पष्ट घोषणा द्रष्टव्य है—

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम्।
क्षत्रियाज्जातमेवं तु विद्याद्वैश्यात्तथैव च ॥ १०।६५ ॥

अर्थात्—श्रेष्ठ-अश्रेष्ठ कर्मों के अनुसार शूद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र हो जाता है अर्थात् गुणकर्मों के अनुकूल कोई ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण रहता है तथा जो ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के गुण वाला हो तो वह क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो जाता है। इसी प्रकार शूद्र के घर उत्पन्न भी मूर्ख हो तो वह शूद्र रहता है और जो उत्तम गुण-युक्त हो तो यथायोग्य ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो जाता है। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य का भी वर्ण-परिवर्तन समझना चाहिए।

(ख) अपने धर्म-कर्मों को पालन न करने पर कोई भी व्यक्ति शूद्र बन जाता है, ऐसा मनु का मत है। यथा—(अ) वेद न पढ़ने पर द्विज शूद्रता को प्राप्त करता है (**योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्। स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥** २।१६८)। (आ) संध्योपासना न करने वाला व्यक्ति शूद्रवत् होता है (**न तिष्ठति तु यः पूर्वां नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्। स शूद्रवद् बहिष्कार्यः सर्वस्मात् द्विजकर्मणः ॥** २।१०३)। (इ) यथोक्त आयुसीमा तक उपनयन में दीक्षित न होने पर द्विज बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति 'व्रात्य' संज्ञक शूद्र कहलाते हैं [२।३७-४०]। (ई) नीचों की संगति से ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त करता है (**उत्तमानुत्तमान्गच्छन् हीनान् हीनांश्च वर्जयन्। ब्राह्मणः श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शूद्रताम् ॥** (४।२४५)। इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि न तो मनु ने व्यक्ति को जन्म से ही श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ माना है और न जन्मना आधार पर वर्णव्यवस्था मानी है, यदि जन्मना इनका निर्धारण होता तो उक्तरूप से वे निम्न न बनते।

(ग) इसके साथ ही शूद्रता को प्राप्त व्यक्ति यदि अपने कर्मों को सुधार लेता है और त्रुटियों के लिए प्रायश्चित्त कर लेता है, तो वह पुनः अपने वर्ण का हो सकता है। मनु ने यह मान्यता, 'व्रात्य' संज्ञक शूद्रों के लिए और वर्णविरुद्ध कार्यों के कारण ब्राह्मण-वर्ण से बहिष्कृत ब्राह्मणों के लिए विहित प्रायश्चित्तों में प्रकट की है [११। १९१—१९६]। इस व्यवस्था से भी मनु की वर्णव्यवस्था कर्मानुसार ही सिद्ध होती है।

(घ) मनु ने व्यक्ति की प्रतिष्ठा और बड़प्पन गुणों की योग्यता के आधार पर माना है [२। १३६, १३७, १५४, १५६]। मनु की यह मान्यता भी यह स्पष्ट करती है कि मनु जन्म के आधार पर श्रेष्ठता या उच्चता अथवा वर्णव्यवस्था नहीं मानते, अपितु कर्म या गुणों को ही आधार मानते हैं।

(ङ) मनु ने वर्णों के कर्म बतलाते हुए "**लोकानां विवृद्धयर्थम्**" (समाज की वृद्धि के लिए १। ३१) और "**सर्वस्यास्य तु गुप्त्यर्थम्**" (इस समस्त जगत् की सुरक्षा के लिये २। ८७) को कर्मनिर्धारण का कारण बतलाया है। इन कारणों पर विशेष ध्यान

देने पर यहां यह स्पष्ट मान्यता प्रकट हो जाती है कि मनु कर्मों के आधार पर ही वर्ण-व्यवस्था मानते हैं, जन्म के अनुसार नहीं। क्योंकि, यदि जन्म से ही व्यक्ति श्रेष्ठ-अश्रेष्ठ, उच्च-निम्न निर्धारित हो गये तो उससे समाज या जगत् की क्या वृद्धि होगी? केवल उच्च लोगोंकी ही वृद्धि होगी। अपितु वृद्धि भी कहां होगी, जो जिस स्तर का होगा वहीं रहेगा। उसे अपने स्तर की उन्नति का अवसर ही कहां मिलेगा? यदि जन्मना वर्ण-व्यवस्था मानें तो इन कारणों का कथन निरर्थक होगा। इन कारणों के कथन से एक और संकेत मिलता है—वह यह कि चार वर्णों के अनुसार प्रजाएं नहीं बनायीं, अपितु प्रजाओं की वृद्धि के लिये (प्रजाओं के लिये) चार वर्ण बनाये, अर्थात् पहले प्रजायें बनीं, जो जन्मना समान थीं, फिर उनमें से गुण कर्मानुसार चार वर्ण निर्मित किये गये, जिससे समाज-व्यवस्था में बंधकर वृद्धि करता रहे। इस प्रयोगपद्धति से भी कर्मणा वर्णव्यवस्था सिद्ध होती है।

(च) (१) 'वर्ण' शब्द का अर्थ और व्युत्पत्ति ही यह सिद्ध करते हैं कि मनु की व्यवस्था जन्मना न होकर कर्मणा है। निरुक्त में 'वर्ण' शब्द की व्युत्पत्ति दी है...'वर्णो वृणोतेः' (२।१।४) अर्थात् कर्मानुसार जिसका वरण किया जाये, वह 'वर्ण' है। इस पर प्रकाश डालते हुए महर्षि दयानन्द ने भी स्पष्ट किया है—

> "वर्णो वृणोतेरिति निरुक्तप्रामाण्याद्वरणीया वरीतुमर्हाः
> गुणकर्माणि च दृष्ट्वा यथायोग्यं व्रियन्ते ये ते वर्णाः।"
>
> (ऋ० भा० भू० वर्णाश्रमधर्मविषय)

अर्थात्—गुण-कर्मों को देखकर यथायोग्य अधिकार जिसको दिया जाये वह वर्ण है।

(२) वर्णों के नाम उनके कर्मानुसार ही रखे गये हैं। नामों की व्युत्पत्ति स्वयं उनके कर्मों का बोध कराती है (इसके लिए विस्तृत समीक्षा १। ८७–९१ श्लोकों पर देखिए)।

(३) ब्राह्मणग्रन्थों में कर्मणा वर्णव्यवस्था के स्पष्ट वर्णन मिलते हैं। यथा—

(अ) **सः (क्षत्रियः) ह दीक्षमाण एव ब्राह्मणतामभ्युपैति।**" (ऐ० ७।२३)
क्षत्रिय दीक्षित होकर ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है।

(आ) "**तस्मादपि (दीक्षितम्) राजन्यं वा वैश्यं वा ब्राह्मण इत्येव ब्रूयात्, ब्राह्मणो हि जायते यो यज्ञाज् जायते॥**" (शत० ३।२।१।४०)

चाहे कोई क्षत्रियपुत्र हो अथवा वैश्यपुत्र, यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करके (उपनयन-संस्कार में) वह ब्राह्मण ही कहलाता है, अर्थात् ब्रह्मचर्याश्रम में वेदाध्ययन के समय यज्ञ में दीक्षित होकर सभी व्यक्ति ब्राह्मण कर्म वाले होते हैं। बाद में कर्मानुसार क्षत्रिय और वैश्य बनते हैं।

(छ) मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं, इसमें अन्य प्रमाण भी हैं—(क) शूद्र

को वे हीन नहीं मानते अपितु 'शुचिः'=पवित्र 'उत्कृष्ट शुश्रूषु' आदि विशेषणों से सम्बोधित करते हैं [६।३३५]। सबके घरों में सब प्रकार की सेवा करने वाला भला अपवित्र, अशुद्ध, या हीन कैसे हो सकता है? (ख) मनु व्यक्ति को शूद्र इसलिए मानते हैं कि वह पढ़ता नहीं। उसका वेदाध्ययन रूपी दूसरा ब्रह्मजन्म नहीं होता। ब्राह्मण—क्षत्रिय—वैश्यों को द्विज इसलिए कहा जाता है कि उनका ब्रह्मजन्म रूपी दूसरा जन्म होता है—'द्विर्जायते इति द्विजः। शूद्र को 'एकजातिः' न पढ़ने के आधार पर कहा जाता है। देखिए प्रमाण—"ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णाः द्विजातयः। चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रः नास्ति तु पंचमः॥' १०।४॥ (ग) मनु कर्मों के आधार पर मनुष्यों के दो वर्ग मानते हैं—(१)जो श्रेष्ठ धर्मानुकूल आर्य परम्पराओं में दीक्षित हैं वे चारों वर्ण आर्य हैं। (२) इनमें अदीक्षित शेष सब दस्यु हैं [१०।४५]। (घ) मनु कर्म के आधार पर ही व्यक्ति को श्रेष्ठ=आर्य और अश्रेष्ठ =अनार्य मानते हैं। १०।५७–५८ में वे कर्मों के आधार पर इनकी पहचान करने को कहते हैं। ये सब बातें मनु की कर्मणा वर्णव्यवस्था की मान्यता को सिद्ध करती हैं।

(ज) १।३१ में भी मनु ने अपनी 'कर्मणा वर्णव्यवस्था' की मान्यता का संकेत दिया है।१।१६,२३,२६—३० श्लोकों के द्वारा यह कहा जा चुका कि एकसाथ अनेक प्रजाएं उत्पन्न हुईं—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि के रूप में प्रजाएं उत्पन्न नहीं हुई, अपितु समान मनुष्यों के रूप में हुई। फिर उन बहुत सारे मनुष्यों में से समाज की वृद्धि के लिए, एक व्यवस्था के रूप में चार वर्णों का मुख, बाहु, जंघा और पैर की साम्यता से (गुणकर्मानुसार) निर्माण किया। १।३१ में आलंकारिक रूप में यह कथन है। उक्त अंगों का जो स्थान और कार्य शरीर में है, समाज में वही स्थान क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का बनाया। इस प्रकार योग्यता के आधार पर लोगों को चार वर्णों में विभक्त करके उनके कर्म भी योग्यतानुसार निश्चित किये। यह वर्णन-क्रम (अनेक प्रजाओं की उत्पत्ति और फिर उनमें वर्णव्यवस्था) और आलंकारिक कथन कर्मानुसार वर्णव्यवस्था का संकेत देता है। इन अनेक प्रमाणों से 'कर्मणा वर्णव्यवस्था' मनु की मौलिक मान्यता सिद्ध होती है, अतः इसकी विरोधी 'जन्मना वर्णव्यवस्था' वाली मान्यता अन्तर्विरोध के आधार पर प्रक्षिप्त कहलायेगी। [इस मान्यता के विषय में १।३१,८७–९१॥ २।११॥ १०।६५ की समीक्षा भी द्रष्टव्य है।]

(२) ९४ वें श्लोक में ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति कही है। ९३ में भी उसे 'उत्तमाङ्गोद्भव' कहा है तथा ९२ में भी ब्रह्मा की चर्चा है। ब्रह्मा का प्रसङ्ग मौलिक नहीं है। इस प्रसङ्ग का मनुस्मृति की मान्यताओं से अनेक प्रकार से विरोध है। (इसके लिये द्रष्टव्य हैं—१।७–१३, ३२–४१, ५०–५१ श्लोकों पर समीक्षा) इस प्रकार ये तीनों श्लोक भी प्रक्षिप्त हैं, और शेष प्रसङ्ग इनसे सम्बद्ध होने के कारण स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जायेगा।

(३) इसी प्रकार ९४-९५ में पितरों को पृथक् योनि विशेष के रूप में मानना

भी मनु-विरोधी मान्यता है (इसके लिये विस्तृत समीक्षा देखिये—३।११९—२८४ श्लोकों पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक) इस अन्तर्विरोध के कारण ९४-९५ श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं।शेष पूर्वापर प्रसङ्ग इनसे सम्बद्ध होने के कारण स्वतः प्रक्षिप्त कहलायेंगे।

(४) १०५ वें श्लोक में पूर्वापर सात-सात पीढ़ियों की पवित्रता मानी है। इसका ४।२४० की मान्यता से विरोध है, क्योंकि वहां कर्त्ता को फल का भोक्ता स्वयं माना है। और यदि एक व्यक्ति मनुस्मृति को पढ़कर पूर्वापर सात-सात पीढ़ियों को पवित्र कर लेता है तो फिर अगली सात पीढ़ियों को मनुस्मृति पढ़ने की क्या आवश्यकता है ? उनका जीवन तो उस एक अध्येता ने पवित्र कर ही दिया। इस अन्तर्विरोध के कारण १०५ वां श्लोक प्रक्षिप्त है। शेष पूर्वापर श्लोक इससे सम्बद्ध हैं, अतः साथ की रचना होने से वे भी स्वतः प्रक्षिप्त कहे जायेंगे।

(धर्मोत्पत्ति विषय की भूमिका)

(१। १०८ से ११० तक)

सदाचार परम धर्म—

आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च।
तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्द्विजः ॥१०८॥ (५५)

(श्रुत्युक्तः च स्मार्तः+एव) वेदों में कहा हुआ और स्मृतियों में भी कहा हुआ जो (आचारः) आचरण है (परमः धर्मः) वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, (तस्मात्) इसीलिए (आत्मवान् द्विजः) आत्मोन्नति चाहने वाले द्विज को चाहिए कि वह (अस्मिन्) इस श्रेष्ठाचरण में (सदा नित्यं युक्तः स्यात्) सदा निरन्तर प्रयत्नशील रहे ॥ १०८ ॥

उपरोक्त श्लोक देकर स्वामी जी ने निम्न अर्थ दिया है—

"कहने सुनने-सुनाने, पढ़ने-पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और वेदानुकूल स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना। इसलिये धर्माचार में सदा युक्त रहे।" (स० प्र० ५२)

"जो सत्य-भाषणादि कर्मों का आचरण करना है, वही वेद और स्मृति में कहा हुआ आचार है।" (स० प्र० २६०)

आचारहीन को वैदिक कर्मों की फलप्राप्ति नहीं—

आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते।
आचारेण तु संयुक्तः संपूर्णफलभाग्भवेत् ॥ १०९ ॥ (५६)

(आचारात् विच्युतः विप्रः) जो धर्माचरण से रहित [द्विज] है वह

(वेदफल न अश्नुते) वेद-प्रतिपादित धर्मजन्य सुखरूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता, और जो (आचारेण तु संयुक्तः) विद्या पढ़के धर्माचरण करता है, वही (सम्पूर्णफलभाक् भवेत्) सम्पूर्ण सुख को प्राप्त होता है ॥ १०९ ॥ (स० प्र० ५२)

अनुशीलन . १०९ श्लोक की अन्यत्र पुष्टि—ऋषियों की मान्यताएं शृङ्खलावत् एक संगति में जुड़ी होती हैं और वे प्रसङ्गवश, उन वचनों की पुष्टि स्वयं कर देते हैं। मनु ने इस श्लोक की मान्यता की पुष्टि अन्य श्लोकों में भी की है। उनसे इसकी व्याख्या पर भी प्रकाश पड़ता है। उदाहरण के लिए देखिए इस श्लोक के भाव का अन्य श्लोकों में स्पष्टीकरण—

(क) **यस्य वाङ्मनसी शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सर्वदा।**
स वै सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम् ॥ १।१३५ [२।१६०] ॥

(ख) **वेदास्त्यागाश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च।**
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित् ॥ २।७२ (२।९७) ॥

इन श्लोकों में उक्त वेद और वेदोक्त कर्मों में आचरणहीन व्यक्ति को सिद्धि नहीं मिलती, आचारवान् को मिलती है। इस प्रकार सदाचार से ही धर्म में गति होती है। सदाचार धर्म का मूल है—

एवमाचारतो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिम्।
सर्वस्य तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम् ॥ ११० ॥ (५७)

(एवम्) इस प्रकार (आचारतः) धर्माचरण से ही (धर्मस्य) धर्म की (गतिम्) प्राप्ति, सिद्धि एवं अभिवृद्धि (दृष्ट्वा) देखकर (मुनयः) मुनियों ने (सर्वस्य तपसः परं मूलम्) सब तपस्याओं का श्रेष्ठ मूल आधार (आचारम्) धर्माचरण को ही (जगृहुः) स्वीकार किया है ॥ ११० ॥

मनुस्मृति की अध्यायानुसार विषय-सूची—

जगतश्च समुत्पत्तिं संस्कारविधिमेव च।
व्रतचर्योपचारं च स्नानस्य च परं विधिम् ॥ १११ ॥
दारोपगमनं चैव विवाहानां च लक्षणम्।
महायज्ञविधानं च श्राद्धकल्पं च शाश्वतम् ॥ ११२ ॥
वृत्तीनां लक्षणं चैव स्नातकस्य व्रतानि च।
भक्ष्याभक्ष्यं च शौचं च द्रव्याणां शुद्धिमेव च ॥ ११३ ॥
स्त्रीधर्मयोगं तापस्यं मोक्षं संन्यासमेव च।
राजश्च धर्ममखिलं कार्याणां च विनिर्णयम् ॥ ११४ ॥
साक्षिप्रश्नविधानं च धर्मं स्त्रीपुंसयोरपि।
विभागधर्मं द्यूतं च कण्टकानां च शोधनम् ॥ ११५ ॥

वैश्यशूद्रोपचारं च संकीर्णानां च संभवम् ।
आपद्धर्मं च वर्णानां प्रायश्चित्तविधिं तथा ॥ ११६ ॥
संसारगमनं चैव विविधं कर्मसंभवम् ।
निःश्रेयसं कर्मणां च गुणदोषपरीक्षणम् ॥ ११७ ॥
देशधर्मान्जातिधर्मान्कुलधर्मांश्च शाश्वतान् ।
पाखण्डगणधर्मांश्च शास्त्रेऽस्मिन्नुक्तवान्मनुः ॥ ११८ ॥

(च) और (जगतः समुत्पत्तिम्) जगत् की उत्पत्ति [प्रथम अध्याय में]; (संस्कार विधिम्+एव) संस्कारों की विधि (व्रतचर्या) ब्रह्मचारी के व्रतों की विधि (उपचारम्) गुरुसेवा, अभिवादन आदि शिष्टता के व्यवहार [द्वितीय अध्याय में]; (च) और (स्नानस्य परं विधिम्) स्नान=समावर्तन संस्कार की श्रेष्ठ विधि, (दाराधिगमनम्) विवाह के लिए स्त्री-प्राप्ति (च) और (विवाहानां लक्षणम्) विवाहों के लक्षण (पञ्चयज्ञविधानम्) पाँच यज्ञों का विधान (शाश्वतं श्राद्धकल्पम्) श्राद्ध की सनातनविधि [तृतीय अध्याय में]; (वृत्तीनां लक्षणम्) वृत्तियों के लक्षण (च) तथा (स्नातकस्य व्रतानि) स्नातक गृहस्थियों के व्रत [चतुर्थ अध्याय में]; (च) और (भक्ष्याभक्ष्यं शौचं द्रव्याणां शुद्धिः) भक्ष्याभक्ष्य, शरीरशुद्धि, द्रव्यों की शुद्धि; (स्त्रीधर्मयोगम्) स्त्रियों के धर्म [पञ्चम अध्याय में]; (तापस्यं संन्यासं मोक्षम् एव) वानप्रस्थ, संन्यासियों के धर्म एवं मोक्षविधान [षष्ठ अध्याय में];

(च) और (राज्ञः अखिलं धर्मम्) राजा के सभी धर्म [सप्तम अध्याय में]; (कार्याणां विनिर्णयम्) अभियोगों के फैसले, (साक्षिप्रश्नविधानम्) गवाहों से प्रश्न पूछने की विधि [अष्टम अध्याय में]; (स्त्रीपुंसयोः अपि धर्मम्) स्त्री-पुरुषों के धर्म (विभागधर्मम्) दायभाग के बटवारे के नियम (द्यूतम्) जुए का वर्णन (कण्टकानां शोधनम्) चोर, डाकू आदि लोककण्टकों का निवारण, (वैश्यशूद्रोपचारम्) वैश्यशूद्रों के व्यवहार [नवम अध्याय में]; (च) और (संकीर्णानां संभवम्) वर्णसंकरों की उत्पत्ति (वर्णानाम् आपद्धर्मम्) वर्णों के आपत्कालीन धर्म [दशम अध्याय में]; तथा (प्रायश्चित्तविधिम्) प्रायश्चित्त करने की विधि [ग्यारहवें अध्याय में]; (च) और (कर्मसंभवं त्रिविधं संसारगमनम्) कर्मों के आधार पर तीन प्रकार की संसार की गतियां (निःश्रेयसम्) मुक्ति-वर्णन (कर्मणां गुणदोषपरीक्षणम्) कर्मों के गुण-दोषों की परीक्षा [द्वादश अध्याय में]; (देशधर्मान्) देश के धर्मों को (शाश्वतान् जातिधर्मान् कुलधर्मान्) सनातन जातिधर्मों एवं कुलधर्मों को (च) और (पाखण्डगणधर्मान्) पाखण्डी लोगों के धर्मों को (मनुः) मनु ने (अस्मिन् शास्त्रे उक्तवान्) इस शास्त्र में कहा है ॥ १११–११८ ।

अनुशीलन : मनुस्मृति की विषयसूची का प्रसंग निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगविरोध—(१) ये श्लोक पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध हैं । यहाँ पूर्व [१०८-११०] और पश्चात् के [१२०–१४४] श्लोकों का प्रसंग धर्मसम्बन्धी है । बीच में ये विषय-सूची

से सम्बद्ध श्लोक उसे भंग कर रहे हैं और इनमें अप्रासंगिक वर्णन है; अतः प्रसंगविरुद्ध होने से ये प्रक्षिप्त हैं। (२) यदि विषयसूची मौलिक होती तो इसे या तो ग्रन्थके आरम्भ में होना चाहिए था या अन्त में, बीच में विषयसूची की कोई संगति सिद्ध नहीं होती। यह असंगतता भी इन्हें प्रक्षिप्त सिद्ध करती है। (३) इस प्रसंग के १११ वें श्लोक की ११० वें से और ११८ वें की १२० वें से [११९ वां प्रक्षिप्त है] कोई संगति नहीं जुड़ती, जिससे ये प्रसङ्गक्रम से खण्डित लगते हैं, अतएव मौलिक नहीं हैं।

(४) वर्णनक्रम और भाषाशैली से यह प्रसंग पूर्व श्लोकों [९२ से १०७] से जुड़ा हुआ है। १०७ वें श्लोक में विषयसूची प्रारम्भ की थी, पर क्योंकि उसमें आचार शब्द आ गया और १०८—११० श्लोकों में आचार का वर्णन है, अतः उनसे जोड़कर प्रक्षिप्तों को मौलिक सिद्ध करने के लिए उस विषयसूची को १०८—११० श्लोकों के पीछे कर दिया। लेकिन १११ श्लोकों की ११० से शृंखला बिल्कुल भी नहीं जुड़ पाई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि इन १०८—११० श्लोकों का पूर्वापर श्लोकों से कोई सम्बन्ध नहीं है। १११ वें श्लोक के 'च' की अनुवृत्ति उसे १०७ से जोड़ रही है। इस प्रकार यह तथा पूर्व ९२—१०७ श्लोकों का प्रसंग मूल प्रसंगों को खण्डित करके मिलाया हुआ है, अतः ये प्रक्षिप्त हैं।

२. **विषयविरोध**—१। १–५ प्रारंभिक श्लोकों में सृष्ट्युत्पत्ति का विषय प्रारम्भ करने से और १।१४४ समाप्ति सूचक श्लोक के **'एषा धर्मस्य वो योनिः समासेन प्रकीर्तिता संभवश्चास्य सर्वस्य.....॥'** कथन द्वारा यहां श्लोकों का विषय सृष्ट्युत्पत्ति और धर्मोत्पत्ति सिद्ध होता है। इस सीमा में इन विषयों से सम्बद्ध श्लोक ही विषयसंगत कहलायेंगे, अन्य विरुद्ध होंगे। १११ से ११८ श्लोकों में मनु द्वारा संकेतित विषयों से असम्बद्ध वर्णन है, अतः ये विषयविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं।

३. **शैलीगत आधार**—(१) मनु की यह शैली है कि जब भी वे कोई विषय या प्रसंग प्रारम्भ करते हैं, उसके प्रारम्भ, अन्त या दोनों स्थानों पर उसका संकेत देते हैं। इस विषयसूची के श्लोकों के प्रसंग के प्रारम्भ या अन्त में कोई संकेत नहीं है। इस प्रकार ये मनुकृत नहीं हैं, अतः प्रक्षिप्त हैं।

(२) मनुस्मृति की मौलिक शैली 'प्रवचन शैली' है। मनुस्मृति के सभी विषय और प्रसंग इसी शैली में हैं और वे पूर्वापर रूप से जुड़े हुए हैं। इस शैली में विषयसूची का न तो मौलिक रूप से कथन हो सकता है और न कहीं मध्य में उसे अवसर या स्थान की गुंजाइश है। इस प्रकार विषयसूची के कथन का इस शैली से ही तालमेल नहीं खाता। यह 'संकलन के पश्चात् किसी ने सुविधा की दृष्टि से रचकर मिला दी है।

(३) ११८ वें श्लोक में मनुस्मृति के लिए 'शास्त्र' संज्ञा का प्रयोग है। मौलिक रूप से यह प्रयोग व्यवहृत नहीं हो सकता (देखिए—९२—१०७ श्लोकों पर 'शैलीगत आधार' शीर्षक में समीक्षा संख्या—१)। यह इस श्लोक को परवर्ती प्रक्षेप सिद्ध करता है। इसके प्रक्षिप्त होने से इससे जुड़े हुए शेष सभी श्लोक भी स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो

जाते हैं इसी प्रकार (४) **'उक्तवान्मनुः'** प्रयोग भी यह सिद्ध करता है कि यह श्लोक मनु से भिन्न व्यक्ति द्वारा रचित है, अतः मनुकृत न होने से प्रक्षिप्त है।

४. **अन्तर्विरोध**—(१) इन श्लोकों में प्रदर्शित विषय-सूची का ग्रन्थ के वर्णन से तालमेल नहीं बैठता। इस प्रकार दोनों में विरोध आता है—अध्यायक्रम से प्रोक्त विषयों का उल्लेख करके ११८ वें श्लोक में प्रदर्शित विषय—देशों के धर्म, जातियों के धर्म (यदि जाति का अर्थ यहाँ 'वर्ण' लें तो वह भी नहीं बनता, क्योंकि वर्णधर्मों के कथन की चर्चा १०७ वें में आ चुकी), कुलों के धर्म, पाखण्डियों के धर्म, ये इस ग्रन्थ में हैं ही नहीं (२) एक ही विषय के अन्तर्गत आने वाले प्रसंगों को विभिन्न विषयों के रूप में परिगणित किया गया है। जैसे—११५ वें श्लोक में वर्णित 'साक्षिप्रश्नविधान', 'स्त्रीपुरुषधर्म', 'विभागधर्म', 'द्यूत' ये ११४ वें में प्रदर्शित 'कार्यविनिर्णय' के अन्तर्गत ही हैं, पृथक् नहीं हैं। (३) कुछ मुख्य विषयों और प्रसंगों का उल्लेख ही नहीं है, जैसे—प्रथमाध्याय में धर्मोत्पत्ति का, द्वादश अध्याय में त्रिविध गतियों और धर्मनिश्चय विधि का। इस प्रकार ये त्रुटियाँ इस प्रसंग को मौलिक सिद्ध नहीं करतीं।

भृगु द्वारा इस शास्त्र का प्रवचन—

यथेदमुक्तवान्शास्त्रं पुरा पृष्टो मनुर्मया।
तथेदं यूयमप्यद्य मत्सकाशान्निबोधत ॥ ११९ ॥

[महर्षियों से भृगु मुनि कहते हैं—] (यथा) जैसे (पुरा मया पृष्टः मनुः इदं शास्त्रम् उक्तवान्) पहले मेरे पूछने पर महर्षि मनु ने मुझे इस शास्त्र का उपदेश किया था (तथा) वैसे ही (अद्य) आज (यूयम्+अपि) आप लोग भी (मत् सकाशात्) मुझ से (निबोधत) सुनो ॥ ११९ ॥

अनुशीलन : प्रसिद्धि के लिये भृगु को मनुस्मृति के साथ जोड़ने के लिए इस श्लोक का प्रक्षेप किया गया है। यह निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त है—

१. **प्रसंगविरोध**—(१) पूर्वापर प्रसंग [१०८–११० और १२०–१४४] धर्मसम्बन्धी चल रहा था, उसके बीच में इस कथन की कोई प्रासंगिकता ही नहीं थी। इसमें प्रसंगान्तरित चर्चा है, जिससे वह प्रसंग भंग हो जाता है। अतः प्रसंगविरुद्ध है। (२) श्लोकोक्त कथन का यहां वैसे भी कोई प्रसंग नहीं है जिसके आधार पर यह स्पष्टीकरण देना पड़े कि 'पहले मैंने मनु से जैसे सीखी थी, वैसे ही तुम भी इसे सुनो' आदि। यह असंगत कथन ही इसे अप्रासंगिक सिद्ध करता है।

२. **विषयविरोध**—श्लोकोक्त वर्णन इस अध्याय के विषयों से असम्बद्ध है, अतः विषयविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है (देखिए ९२—१०७ श्लोकों पर 'विषयविरोध' शीर्षक समीक्षा)।

३. **शैलीगत आधार**--'**यथेदम् उक्तवान्छास्त्रं पुरा पृष्टो मनुर्मया**' प्रयोग स्पष्टतः मनुकृत न होकर अन्यरचित है। इसी प्रकार मनुस्मृति में मनुस्मृति के लिए ही उक्त 'शास्त्र' संज्ञा परवर्ती प्रयोग है। यह भी इसे प्रक्षिप्त सिद्ध करता है। (द्रष्टव्य है ९२—१०७ श्लोकों पर 'शैलीगत आधार' शीर्षक में समीक्षा संख्या—१)

४. **अन्तर्विरोध**—(१) मनुस्मृति मनुप्रोक्त ही है, अन्य प्रोक्त नहीं। इस श्लोक में भृगुप्रोक्त कहना उक्त मान्यता के विरुद्ध है (देखिए १। ५८—६३ श्लोकों पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक पर समीक्षा संख्या—१)। (२) महर्षि लोग आये तो थे मनु से प्रश्न पूछने और वह भी इसलिए कि वे इस विषय के विशेष ज्ञाता हैं [१।१—४] और यहां उत्तर दे रहे हैं—भृगु। यह बेतुकी, परस्पर विरोधी कल्पना है।

धर्मोत्पत्ति विषय

(१। १२० से १४४ तक)

विद्वानों द्वारा सेवित धर्म का वर्णन-प्रारम्भ—

विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागिभिः।
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत ॥१२०॥ [२।१] (५८)

(अद्वेषरागिभिः सद्भिः विद्वद्भिः नित्यं सेवितः) जिसका सेवन रागद्वेषरहित [श्रेष्ठ] विद्वान् लोग नित्य करें (यो हृदयेन+अभ्यनुज्ञातः धर्मः) जिसको हृदय अर्थात् आत्मा से सत्य कर्त्तव्य जाने वही धर्म माननीय और करणीय है। ❀

❀ (तं निबोधत) उसे सुनो॥ १२०॥ (स० प्र० २५६)

"जिसको सत्पुरुष रागद्वेषरहित विद्वान् अपने हृदय से अनुकूल जानकर सेवन करते हैं, उसी पूर्वोक्त को तुम लोग धर्म जानो।"

(सं० वि० पृ० १८५)

सकामता-अकामता विवेचन—

कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता।
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥१२१॥ [२।२] (५९)

(हि) क्योंकि (इह) इस संसार में (कामात्मता) अत्यन्त कामात्मता (च) और (अकामात्मता) निष्कामता (प्रशस्ता न अस्ति) श्रेष्ठ नहीं है। (वेदाधिगमः च वैदिकः कर्मयोगः) वेदार्थज्ञान और वेदोक्त कर्म (काम्यः) ये सब कामना से ही सिद्ध होते हैं॥ १२१॥ (स० प्र० २५६)

"अत्यन्त कामातुरता और निष्कामता किसी के लिए भी श्रेष्ठ

नहीं, क्योंकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान और वेदविहित कर्मादि उत्तम कर्म किसी से न हो सकें, इसलिये।" (स० प्र० ४८)

संकल्पमूलः कामो वै यज्ञाः संकल्पसंभवाः।
व्रतानि यमधर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः॥ १२२ [२१३] (६०)

जो कोई कहे कि मैं निष्काम हूं वा हो जाऊं तो वह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि—) (सर्वे) सब काम (यज्ञाः व्रतानि यमधर्माः) यज्ञ❀, सत्य-भाषणादि व्रत, यम-नियम रूपी धर्म आदि (संकल्पजाः) संकल्प ही से बनते हैं (कामः वै) निश्चय से प्रत्येक कामना (संकल्पमूलः) संकल्पमूलक होती है अर्थात् संकल्प से ही प्रत्येक इच्छा उत्पन्न होती है] ॥ १२२ ॥

(स० प्र० २५६)

❀ (संकल्पसंभवाः) संकल्प से सम्भव होते हैं (च) और.....

अनुशीलन : यम और नियम ४। २०४ की समीक्षा में द्रष्टव्य है।

अकामस्य क्रिया काचिद् दृश्यते नेह कर्हिचित्।
यद्यद्धि कुरुते किंचित्तत्तत्कामस्य चेष्टितम् ॥१२३॥[२१४](६१)

(हि) क्योंकि (यत् यत् किंचित् कुरुते) जो-जो हस्त, पाद, नेत्र, मन आदि चलाये जाते हैं (तत्तत् कामस्य चेष्टितम्) वे सब कामना ही से चलते हैं। (अकामस्य) जो इच्छा न हो तो❀ (काचिद्क्रिया) आंख का खोलना और मींचना भी (न दृश्यते) नहीं हो सकता ॥ १२३ ॥ (स० प्र० २५६)

❀(इह) इस संसार में (कर्हिचित्) कभी भी।

"मनुष्यों को निश्चय करना चाहिये कि निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच, विकास का होना भी सर्वथा असम्भव है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो-जो कुछ भी करता है, वह-वह चेष्टा कामना के बिना नहीं है।"

(स० प्र० ५२)

तेषु सम्यग्वर्तमानो गच्छत्यमरलोकताम्।
यथा संकल्पितांश्चैव सर्वान्कामान्समश्नुते ॥१२४॥ [२१५] (६२)

(तेषु) उन वेदोक्त कर्मों में (सम्यक् वर्त्तमानः) अच्छी प्रकार संलग्न व्यक्ति (अमरलोकतां गच्छति) मोक्ष को प्राप्त करता है (च) और (यथा संकल्पितान् सर्वान् एव कामान्) संकल्प की गई सभी कामनाओं को (समश्नुते) भलीभांति प्राप्त करता है ॥ १२४ ॥

अनुशीलन : बूलर द्वारा घोषित प्रक्षिप्त पर विचार—बूलर आदि पाश्चात्य विद्वानों ने १२१ से १२४ श्लोकों को प्रक्षिप्त माना है। उनकी युक्ति है कि यहां सकामता और निष्कामता का कोई प्रसंग नहीं है, अतः ये श्लोक प्रसंगविरुद्ध हैं।

उनकी युक्ति मान्य नहीं है, क्योंकि १२५ वें श्लोक में धर्म का लक्षण कहा है और उनमें वेद का सर्वप्रथम एवं प्रमुख स्थान है। ये श्लोक अगले श्लोकों की भूमिका के रूप में हैं, १२१ वें श्लोक में जो 'वेदाधिगमः' शब्द का प्रयोग किया है, उससे यह संकेत मिलता है। इस प्रकार इनमें प्रसंगविरोध नहीं आता।

धर्म के मूलस्रोत और आधार—

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्।
आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥१२५॥ [२।६] (६३)

(अखिलः वेदः) सम्पूर्ण वेद अर्थात् चारों वेद (च) और (तद्-विदाम्) उन वेदों के पारंगत [**जिन्होंने** २।१ से २।२२४ में प्रोक्त विधिपूर्वक वेदाध्ययन किया है] विद्वानों के (स्मृति-शीले) रचे हुए स्मृतिग्रन्थ अर्थात् वेदानुकूल धर्मशास्त्र और श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न स्वभाव (च) और (साधूनाम् एव आचारः) श्रेष्ठ-सत्याचरण करने वाले पुरुषों का 'सदाचरण' (च+एव) और ऐसे ही श्रेष्ठ-सदाचरण वाले व्यक्तियों की (आत्मनः—तुष्टिः) अपनी आत्मा की संतुष्टि एवं प्रसन्नता अर्थात् जिस काम के करने में आत्मा में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न न हो, अपितु सात्त्विक संतुष्टि और प्रसन्नता का अनुभव हो, ये चार (धर्ममूलम्) धर्म के मूलस्रोत=उत्पत्ति-स्थान या आधार हैं ॥१२५॥*

"इसलिये सम्पूर्ण वेद, मनुस्मृति तथा ऋषिप्रणीत शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार और जिस-जिस कर्म में अपना आत्मा प्रसन्न रहे अर्थात् भय, शंका, लज्जा जिसमें न हो उन कर्मों का सेवन करना उचित है। देखो! जब कोई मिथ्याभाषण चोरी आदि की इच्छा करता है, तभी उसके आत्मा में भय, शंका, लज्जा अवश्य उत्पन्न होती है इसलिए वह कर्म करने योग्य नहीं है।" (स० प्र० २५७)

अनुशीलन : धर्म के चार लक्षणों का स्वरूप—यह श्लोक मनुस्मृति के प्रमुख आधारभूत श्लोकों में से एक है। यहां मनु द्वारा वर्णित धर्म के चार लक्षणों पर मनूक्त मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाता है तथा उनके स्वरूप को स्पष्ट किया जाता है—

१. **वेद**—धर्म के चार मूलस्रोतों या साक्षात् लक्षणों में सर्वप्रथम स्थान वेद

*[प्रचलित अर्थ—सब वेद, उन्हें (वेदों को) जानने वालों (मनु आदि) की स्मृति और ब्राह्मणत्व आदि तेरह प्रकार के शील या राग-द्वेष-शून्यता, महात्माओं का आचरण और अपने मन की प्रसन्नता (जहां धर्मशास्त्रों में अनेक पक्ष कहे गये हैं, वहां जिस पक्ष वाले विधान को स्वीकार करने में अपना मन प्रसन्न हो), ये सब धर्म के मूल हैं।]

का है [१।१२५(२।६)]। चारों वेद धर्मनिर्णय में परमप्रमाण हैं [१।१३२(२।१३)]। इनको श्रुति भी कहा जाता है [१।१३२(२।१३)]। वेद अपौरुषेय अर्थात् ईश्वर-रचित हैं [१।२३॥ १२।९९] और इन्हीं के द्वारा संसार की वस्तुओं, धर्मों का प्रथम ज्ञान प्राप्त होता है [१।२१]। वेद सब सत्य विद्याओं के भण्डार हैं [१।३,२१॥१२।९४, ९७-९९, आदि]। क्योंकि चारों वेद धर्म के प्रथम मूलस्रोत हैं, अतः इनका कुतर्क आदि का सहारा लेकर खण्डन नहीं करना चाहिए [१।१२९(२।१०), १।१३०(२।११)] और इस प्रकार जो वेदों की अवमानना करता है, वह नास्तिक है तथा समाज से बहिष्कार्य है [१।१३०(२।११)]। त्रयीविद्यारूप चारों वेदों—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदको 'अखिलवेद' कहा गया है [१।२३॥ ११।२६४॥ १२।११२]।

२. **स्मृति और शील**—चारों वेदों के ज्ञाता विद्वानों द्वारा रचित स्मृतियाँ और उनका श्रेष्ठ गुणसम्पन्न स्वभाव, धर्म का दूसरा मूलस्रोत है। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहते हैं [१।१२९(२।१०)]। जिन विद्वानों ने पूर्ण ब्रह्मचर्य और धर्मपालन पूर्वक साङ्गोपाङ्ग वेदों का अध्ययन-मनन किया है, वही प्रामाणिक धर्म-शास्त्र के प्रणेता हो सकते हैं तथा वही धर्म-विषयक संशय में प्रमाण हैं, अन्य नहीं—

> **अनाम्नातेषु धर्मेषु कथं स्यादिति चेद् भवेत् ।**
> **यं शिष्टा ब्राह्मणाः ब्रूयुः स धर्मः स्यादशंकितः ॥१२।१०८॥**
> **धर्मेणाधिगतो यैस्तु वेदः सपरिबृंहणः ।**
> **ते शिष्टा ब्राह्मणाः ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः ॥१२।१०९॥**

स्मृतियाँ वेदानुकूल होने पर ही प्रामाणिक हैं, इसी प्रकार स्वभाव भी। वेद विरुद्ध स्मृतियाँ अमान्य हैं [१२।१०६॥ १२।९४]।

३. **सदाचार**—धर्म का तीसरा मूलस्रोत 'सदाचार' है। श्लोक के पूर्व पदों में उक्त भाव के अध्याहार और निम्नलिखित प्रमाणों से यह सिद्ध है कि 'वेदवेत्ता विद्वानों का 'श्रेष्ठ–सत्याचरण' ही 'सदाचार' है। क्योंकि धर्म के दूसरे लक्षण में वेदवेत्ताओं के स्वभाव को ही धर्म का स्रोत माना है। स्वभावानुसारी आचरण होता है। इस प्रकार यह भी वेदवेत्ताओं का होना चाहिए। इसकी पुष्टि स्वयं मनु ने की है। १।१३६ (२।१७) में दिव्यगुणों से युक्त विद्वानों द्वारा सुशोभित देश को 'ब्रह्मावर्त' कहा है। उस देश में रहने वाले उन विद्वानों के आचरण को ही 'सदाचार' माना है[१।१३७(२।१८)]। उन्हीं से समस्त शिक्षाएं ग्रहण करने का कथन है [१।१३९(२।२०)]। १।१२० में भी रागद्वेष से रहित सदाचारी विद्वानों द्वारा सेवित और उन द्वारा हृदय से मान्य आचरण को धर्म माना है। वेदों में अपारङ्गत विद्वानों का आचरण 'सदाचार' नहीं कहा जा सकता।

४. **'आत्मनः तुष्टि' और 'स्वस्य-आत्मनः प्रियम्' का स्पष्टीकरण**—धर्म का चौथा मूलस्रोत 'आत्मा की संतुष्टि' और 'अपनी आत्मा का प्रिय' कार्य है। इस स्रोत की स्पष्ट परिभाषा विचारणीय है। यहां प्रश्न उठता है कि सभी व्यक्तियों की

आत्मा का प्रिय कार्य धर्म है अथवा एक स्तर विशेष की सीमा तक के व्यक्तियों की आत्मा का प्रिय कार्य ? उत्तर में निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि हर किसी की आत्मा का प्रिय कार्य धर्म नहीं, अपितु वेदानुकूल आचरण वाले सद्गुणसम्पन्न, धार्मिक, पवित्रात्मा विद्वानों की उनकी अपनी आत्मा की संतुष्टि, प्रसन्नता और प्रियता के अनुकूल जो कार्य है, वही धर्म है। हर किसी के प्रिय को धर्म मानने में निम्न आपत्तियां आती हैं—

(क) चारों धर्म के स्रोतों की उच्चता, गम्भीरता का स्तर समानप्रायः होना चाहिए। यह नहीं कि एक अत्युन्नत स्तर का हो और एक निम्नतम। एक ओर वेद धर्म के स्रोत हैं और दूसरी ओर हर किसी की आत्मा ही प्रमाण है। इस प्रकार तो व्यक्तियों की संख्या के अनुसार आत्मा के प्रिय कार्य भी पृथक्-पृथक् हो जायेंगे।

(ख) अगर यह कहें कि 'आत्मा की प्रसन्नता' का अभिप्राय यह है कि 'मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे कष्ट दे तो मुझे भी औरों के साथ कष्टदायक व्यवहार नहीं करना चाहिए।' तो यह बात उन व्यवहारों में तो लागू हो जाती है जिनमें भय, शङ्का, लज्जा, पीड़ा का सम्बन्ध है, अन्य व्यवहारों में नहीं। इसमें अव्याप्ति-दोष आता है। जैसे कोई व्यक्ति संध्योपासन, अग्निहोत्र, विद्याप्राप्ति, शुद्धि आदि कर्त्तव्यपालन नहीं करता और अतिइन्द्रियासक्ति, अन्धविश्वास, अन्धमान्यता आदि से ग्रस्त है, तो वह चाहेगा कि मैं इन बातों के संदर्भ में किसी को कुछ नहीं कहता, तो दूसरे मुझे भी न कहें। दूसरों के कहने से वह पीड़ा का अनुभव करेगा; जब कि धर्मविहित बात अवश्य कथनीय और पालनीय होती है। उनको दण्डपूर्वक भी कराने का विधान है।

(ग) इसी प्रकार जो दुष्टसंस्कारी, राक्षससंस्कारी, तमोगुणी प्राणी हैं, बाल्यकाल से ही जो जीवहत्या, मांस-भक्षण आदि कार्य करते आ रहे हैं, उनमें इन कार्यों के प्रति भय, शङ्का, लज्जा की अनुभूति दृष्टिगोचर नहीं होती। अतः उनकी 'आत्मा के प्रिय' को धर्म नहीं माना जा सकता।

इन आपत्तियों के होने से यह कहा जा सकता है कि सभी की आत्मा का प्रिय धर्म नहीं, अपितु सद्गुणसम्पन्न, धार्मिक, पुण्यात्मा विद्वानों की आत्मा के प्रिय कार्य ही धर्म हैं। इसकी पुष्टि में निम्न प्रमाण उल्लेखनीय हैं—

(घ) मनु ने धर्मकथन में अविद्वानों को प्रमाण नहीं माना, अपितु उनको मानने से हानि की आशङ्का प्रकट की है, केवल विशेषस्तर के विद्वानों को ही प्रमाण माना है [१२।११३-११५]। अतः अविद्वानों की आत्मा का प्रिय कार्य धर्म का लक्षण नहीं हो सकता।

(ङ) मनु ने प्रत्येक बात में वेदानुकूलता को ही धर्म में प्रमाण माना है, अन्य को नहीं [१।१२७ (२।८), १।१२८ (२।९)॥ १२।९४]। इस प्रकार वेदानुकूलता से हीन 'आत्मा के प्रिय कार्य' धर्म के लक्षण नहीं हो सकते।

(च) यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि मनु ने जहां-जहां आत्मा की संतुष्टि की बातें कही हैं, वे द्विजों के कर्त्तव्यों के प्रसङ्ग में कही हैं; उनसे भिन्न निम्नस्तरीय व्यक्तियों के लिए नहीं। मनु की व्यवस्था के अनुसार द्विजों को विद्वान्, धर्मात्मा, और सद्गुण-सम्पन्न अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार भी इस शब्द से व्याख्या से, उक्त अर्थ पुष्ट होता है।

(छ) **आत्मा का प्रिय क्या है ?**—जिस कार्य में आत्मा को भय, शङ्का, लज्जा का अनुभव नहीं होता, ऐसे कर्म ही वस्तुतः आत्मा के प्रसन्नताकारक कर्म हैं। इससे भिन्न कर्म 'आत्मा के प्रिय' नहीं कहे जा सकते [८।९६]। और ऐसे कर्म केवल सात्त्विक कर्म हैं, देखिए १२।२७, ३७ श्लोक। इनसे विपरीत रजोगुणी और तमोगुणी कार्य आत्मा में प्रसन्नता नहीं करते [१२।३३,३५]। यदि प्रसन्नता अनुभव होती है तो वह वास्तविक नहीं है। मनु ने स्वयं स्पष्ट करते हुए कहा है—

(अ) "सत्त्वस्य लक्षणं धर्मः" ॥१२।३८॥

वे सतोगुण निम्न हैं—

वेदाभ्यासस्तपोज्ञानं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
धर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्त्विकं गुणलक्षणम् ॥१२।३१॥

इस प्रमाणयुक्त विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि सतोगुणी कार्यों से ही 'आत्मा की प्रसन्नता या संतुष्टि' होती है। सतोगुणी व्यक्तियों की प्रसन्नता ही धर्म का लक्षण हो सकता है। अतः श्लोकोक्त अर्थ ही मनुसम्मत है।

५. यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि वेद से उत्तरवर्ती सभी धर्मस्रोतों में वेदानुकूलता का होना मनु ने अनिवार्य माना है। मनु ने प्रत्येक धर्म को श्रुतिप्रामाण्य के आधार पर ग्रहण करना विहित किया है—

सर्वं तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा ।
श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान् स्वधर्मे निविशेत वै ॥ १।१२७(२।८)

६. 'धर्म क्या है' इसके ज्ञान के लिए १।२ की समीक्षा देखिए।

[इन सभी बातों पर विस्तृत विवेचन 'मनुस्मृति–अनुशीलन' में भी द्रष्टव्य है]।

वेद सर्वज्ञानमय—

यः कश्चित्कस्यचिद्धर्मो मनुना परिकीर्तितः ।
स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः ॥ १२६ ॥ [२ । ७]

(यः कश्चित् कस्यचिद् धर्मः) जो किसी का कोई धर्म (मनुना परिकीर्तितः) मनु ने कहा है (सः सर्वः) वह सब (वेदे अभिहितः) वेद में कहा हुआ है (हि) यतो हि (सः) वह वेदज्ञान (सर्वज्ञानमयः) सब प्रकार के ज्ञान से युक्त है ॥ १२६ ॥

अनुशीलन : १२६ वां श्लोक निम्न 'आधारों' पर प्रक्षिप्त है—

१. **शैलीगत आधार**—(१) मनुस्मृति अपने मूलरूप में कोई ग्रन्थ या शास्त्र के रूप में नहीं थी। इसकी प्रवचनशैली इसे मौलिक रूप से प्रवचनों के रूप में ही सिद्ध करती है। इस श्लोक में भूतकालिक क्रिया के प्रयोग से इसे मूलतः एक ग्रन्थ या शास्त्र के रूप में इंगित किया है। स्पष्ट है कि प्रवचनों के संकलन के पश्चात् मनुस्मृति के 'संकलन' रूप में निबद्ध होने पर ही यह प्रशंसात्मक श्लोक बनाकर डाला गया है, अतः प्रक्षिप्त है। (इसके लिए विस्तृत समीक्षा १। ५८—५९ श्लोकों पर 'शैलीगत आधार' शीर्षक में संख्या—१ में देखिए) (२) १२६ वें श्लोक में **'मनुना परिकीर्तितः'** प्रयोग यह स्पष्ट करता है कि यह श्लोक मनु से भिन्न व्यक्ति द्वारा रचित है, अतः प्रक्षिप्त है।

२. **प्रसंगविरोध**—(१) पूर्वापर प्रसंग-विरुद्ध है। पूर्वापर श्लोकों में धर्म के मूल का कथन और स्पष्टीकरण है। १२५ वें में धर्म के मूल बतलाये थे फिर १२७—१२९ में उन स्रोतों को ग्रहण करने का कथन और विवेचन है। बीच में इस श्लोक से उनका क्रम भंग हो रहा है, अतः प्रसंगविरुद्ध है। (२) १२६ वें में कहा है कि मनु ने 'जो भी जिसका धर्म कहा है' लेकिन अभी तक धर्म कोई नहीं कहा है। उक्त कथन या तो सभी धर्मों के कहे जाने के पश्चात् प्रासंगिक कहा जा सकता है या धर्म-कथन के प्रसंग के प्रारम्भ में। यहां इन दोनों में से कोई प्रसंग नहीं है। धर्मों के कथन का प्रसंग १। १४४ में **'वर्णधर्मान्निबोधत'** कहने के अनन्तर २। १ से शुरू होता है। उसके पूर्व ही भूतकालिक प्रयोग असंगत है। इस प्रकार यह श्लोक अप्रासंगिक होने से प्रक्षिप्त है। आत्मानुकूल धर्म का ग्रहण—

सर्वं तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा।
श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान्स्वधर्मे निविशेत वै ॥ १२७ ॥ [२।८] (६४)

(विद्वान्) [विद्वान्] मनुष्य (इदं सर्वं तु निखिलं समवेक्ष्य) सम्पूर्ण शास्त्र, वेद, सत्पुरुषों का आचार, अपने आत्मा के अविरुद्ध विचार कर [१। १२५ में वर्णित] (ज्ञानचक्षुषा) ज्ञान नेत्र करके (श्रुतिप्रामाण्यतः) श्रुतिप्रमाण से (स्वधर्मे वै निविशेत) स्वात्मानुकूल धर्म में प्रवेश करे ॥ १२७ ॥

(स० प्र० २५६)

श्रुति-स्मृति-प्रोक्त धर्म के अनुष्ठान का फल—

श्रुतिस्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन्हि मानवः।
इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम् ॥ १२८ ॥ [२।९] (६५)

(हि) क्योंकि (मानवः) जो मनुष्य (श्रुति-स्मृति-उदितम्) वेदोक्त धर्म और जो वेद से अविरुद्ध स्मृत्युक्त (धर्मम्+अनुतिष्ठन्) धर्म का अनुष्ठान करता है, वह (इह कीर्त्ति च प्रेत्य अनुत्तमं सुखम्) इस लोक में कीर्त्ति और मरके सर्वोत्तम सुख को (अवाप्नोति) प्राप्त होता है ॥ १२८ ॥

(स० प्र० २५७)

श्रुति और स्मृति का परिचय —

श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः।
ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मो हि निर्बभौ ॥१२९॥ [२।१०] (६६)

(श्रुतिः तु वेदः विज्ञेयः) श्रुति को वेद समझना चाहिए, और (धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः) धर्मशास्त्र को स्मृति समझना चाहिए (ते) ये श्रुति और स्मृति शास्त्र (सर्वार्थेषु) सब स्थितियों और सब बातों में (अमीमांस्ये) कुतर्क न करने योग्य हैं अर्थात् इनमें प्रतिपादित बातों का कुतर्क का सहारा लेकर खण्डन नहीं करना चाहिए, [इस अर्थ की पुष्टि अगले १३० वें श्लोक की शब्दावली से होती है, देखिए उसका अर्थ], (हि) क्योंकि (ताभ्याम्) उन दोनों प्रकार के शास्त्रों से (धर्मः) धर्म (निर्बभौ) उत्पन्न हुआ है ॥ १२९ ॥

अनुशीलन : **वेद और श्रुति नाम के कारण**—वेदों के, वेद और श्रुति ये दो नाम क्यों पड़े, इसके उत्तर में महर्षि दयानन्द लिखते हैं—

"(प्रश्न) वेद और श्रुति ये दो नाम ऋग्वेदादि संहिताओं के क्यों हुए हैं ?

(उत्तर) अर्थ भेद से, क्योंकि एक विद् धातु ज्ञानार्थक है, दूसरी विद् धातु सत्तार्थक है, तीसरे विद्लृ का लाभ अर्थ है, चौथे विद् का अर्थ विचार है । इन चार धातुओं से करण और अधिकरण कारक में 'घञ्' प्रत्यय करने से वेद शब्द सिद्ध होता है। तथा (श्रु) धातु श्रवण अर्थ में है। जिनके पढ़ने से यथार्थ विद्या का विज्ञान होता है, जिनको पढ़के विद्वान् होते हैं, जिनसे सब सुखों का लाभ होता है और जिनसे ठीक-ठीक सत्यासत्य का विचार मनुष्यों को होता है, इससे ऋक् संहिता आदि का वेद नाम है। वैसे ही सृष्टि के आरम्भ से आज पर्यन्त और ब्रह्मा आदि से लेके हम लोग पर्यन्त जिससे सब सत्यविद्याओं को सुनते आते हैं, इससे वेदों का नाम श्रुति पड़ा है।"

(ऋ० भू० २०-२१)

'जैसे छन्द और मन्त्र ये दोनों शब्द एकार्थवाची अर्थात् संहिता भाग के नाम हैं, वैसे ही निगम और श्रुति भी वेदों के नाम हैं।" (ऋ० भू० ७९)

श्रुति-स्मृति का अपमान करने वाला नास्तिक है—

योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद् द्विजः।
स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ १३० ॥ [२।११] (६७)

(यः द्विजः) जो कोई मनुष्य (ते मूले) वेद और वेदानुकूल आप्त-ग्रन्थों का (हेतुशास्त्राश्रयात्) तर्कशास्त्र के आश्रय से (अवमन्येत) अपमान करे (सः) उसको (साधुभिः बहिष्कार्यः) श्रेष्ठ लोग जातिबाह्य कर दें, क्योंकि (वेदनिन्दकः) जो वेद की निन्दा करता है (नास्तिकः) वही नास्तिक कहाता है ॥ १३० ॥ (स० प्र० २५६)

"जो तर्कशास्त्र के आश्रय से वेद और धर्मशास्त्र का अपमान करता अर्थात् वेद से विरुद्ध स्वार्थ का आचरण करता है, श्रेष्ठ पुरुषों को योग्य है कि उसको अपनी मण्डली से निकालके बाहर कर देवें, क्योंकि वह वेदनिन्दक होने से नास्तिक है।" (द० ल० वे० ख० ४८)

"जो वेद और वेदानुकूल आप्त पुरुषों के किये शास्त्रों का अपमान करता है, उस वेदनिन्दक नास्तिक को जाति, पंक्ति और देश से बाह्य कर देना चाहिये" (स० प्र० ५३)

अनुशीलन : **'तर्क शब्द का विवेचन**— श्लोक १२६ और १३० में मनु ने वेदों और वेदवेत्ता व वेदानुसारी आचरण वाले ऋषियों द्वारा प्रणीत धर्मशास्त्रों को 'तर्कशास्त्र का सहारा लेकर अपमान न करने योग्य' कहा है। यहाँ तर्क से अभिप्राय 'उचित तर्क' से नहीं, अपितु 'कुतर्क से है। यह बात निम्न प्रमाणों से स्पष्ट होती है—

(क) मनु ने 'अवमन्येत' क्रिया का प्रयोग किया है, जिससे उनका भाव यह है कि तर्कशास्त्र की आड़ लेकर कुतर्क से उनका अपमान न करे।

(ख) कुछ चीजें तर्क से परे होती हैं, जैसे-ईश्वररचित जगत् की प्रलयावस्था मनुष्य बुद्धि से 'अप्रतर्क्य' है अर्थात् बुद्धिगम्य नहीं है [१।५]। इसी प्रकार ईश्वर-प्रदत्त वेदज्ञान भी 'अचिन्त्य', 'अप्रमेय' 'अप्रतर्क्य' अर्थात् मनुष्य-बुद्धि द्वारा पूर्णतः बुद्धिगम्य नहीं है [१।३, २१, २३]। मनु उसे पूर्णतः तर्कानुकूल अर्थात् युक्तिसंगत मानते हैं, अतः वेदज्ञान पर तर्क करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। यदि कोई उसका खण्डन करता है, तो वह कुतर्क ही करता है।

(ग) मनु और अन्य शास्त्र भी तर्क को धर्म निश्चय में प्रमाण मानते हैं। शास्त्रों ने तर्क को एक ऋषि का रूप दिया है। किन्तु तर्क करने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है, यह भी निर्धारित कर दिया है। तत्त्वज्ञानी शास्त्रवेत्ता व्यक्ति ही तर्क करने की योग्यता रखते हैं, अन्य नहीं। मनु कहते हैं कि तर्क से धर्म का ज्ञान प्राप्त करें। साथ ही तर्क के योग्य कौन व्यक्ति हैं, यह भी स्पष्ट करते हैं—

(घ) प्रत्यक्षं चानुमानं च शास्त्रं च विविधागमम्।
त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मशुद्धिमभीप्सता॥ १२।१०५॥

(ङ) आर्षं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना।
यस्तर्केणानुसंधत्ते सः धर्मं वेद नेतरः॥ १२।१०६॥

(च) त्रैविद्यो हेतुकस्तर्की.....परिषद् स्याद्दशावरा॥ १२।१११॥

(छ) निरुक्तशास्त्र में तर्क को ऋषि के रूप में वर्णित करते हैं। उसके द्वारा वेदमन्त्रार्थों का निश्चय बतलाया है। लेकिन वहीं मनु वाली मान्यता भी स्पष्ट कर दी है कि अतपस्वी, अनृषि और अल्पविद्या वाले लोग तर्क की योग्यता नहीं रखते—

'अपि श्रुतिरतोऽपि तर्कतः, न तु पृथक्त्वेन मन्त्रा निर्वक्तव्याः, प्रकरणशः एव तु

निर्वक्तव्याः नह्येषु प्रत्यक्षमस्त्यनृषेरतपसो वा। पारोवर्यवित्सु तु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति' इत्युक्तं पुरस्तात्।

मनुष्या वा ऋषिवूत्कामत्सु वेदानब्रुवन्, को न ऋषिर्भविष्यतीति ? तेभ्य एतं तर्कमीषिं प्रायच्छन् मन्त्रार्थचिन्ताम्यूहमभ्यूहम्। (परिशिष्ट ११। १३)

इस आधार पर उपर्युक्त योग्यताओं से रहित व्यक्ति को मनु और शास्त्र तर्क करने के अयोग्य मानते हैं। विशेषरूप से वेद और वेदानुकूल शास्त्रों के सन्दर्भ में। इसी आशय से इन श्लोकों में वेदादि को अमीमांस्य और तर्क से अनवमाननीय कहा है।

धर्म के चार आधाररूप लक्षण—

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः।
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ॥१३१॥ [२।१२](६८)

"(वेदः स्मृतिः सदाचारः) वेद, स्मृति, सत्पुरुषों का आचरण (च) और (स्वस्य आत्मनः प्रियम्), अपने आत्मा के ज्ञान से अविरुद्ध प्रियाचरण (एतत् चतुर्विधं धर्मस्य लक्षणम्) ये चार धर्म के* लक्षण हैं अर्थात् इन्हीं से धर्म लक्षित होता है" ॥ १३१ ॥ (स० प्र० २५७)

* (साक्षात्) सुस्पष्ट या प्रत्यक्ष कराने वाले.....

"श्रुति—वेद, स्मृति—वेदानुकूल आप्तोक्त मनुस्मृत्यादि शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार जो सनातन अर्थात् वेद द्वारा परमेश्वर प्रतिपादित कर्म और अपने आत्मा में प्रिय अर्थात् जिसको आत्मा चाहता है जैसा कि सत्यभाषण, ये चार धर्म के लक्षण अर्थात् इन्हीं से धर्माधर्म का निश्चय होता है। जो पक्षपातरहित न्याय सत्य का ग्रहण असत्य का सर्वथा परित्याग रूप आचार है, उसी का नाम धर्म और इसके विपरीत जो पक्षपातसहित अन्यायाचरण, सत्य का त्याग और असत्य का ग्रहणरूप कर्म है, उसी को अधर्म कहते हैं" (स० प्र० ५३)

अनुशीलन—(क) धर्म एवं धर्म के मूलस्रोतों पर प्रामाणिक विस्तृत विवेचन १। १२५ पर द्रष्टव्य है।

(ख) ऋषि दयानन्द ने धर्म की व्याख्या दार्शनिक आधार ग्रहण करके निम्न प्रकार दी है—

(अ) **यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः।** (वैशे० १। १। २)

जिसके आचरण करने से संसार में उत्तम सुख और निःश्रेयस अर्थात् मोक्ष-सुख की प्राप्ति होती है, उसी का नाम धर्म है।"

(आ) **चोदना लक्षणोऽर्थो धर्मः।** (पू० मी० १। १।२) और

'(चोदना०) ईश्वर ने वेदों में मनुष्यों के लिये जिसके करने की आज्ञा दी है, वही धर्म और जिसके करने की प्रेरणा नहीं की है, वह अधर्म कहाता है। परन्तु वह धर्म अर्थयुक्त अर्थात् अधर्म का आचरण जो अनर्थ है, उससे अलग होता है। इससे धर्म का ही जो आचरण करना है वही मनुष्यों में मनुष्यपन है। (ऋ० भू० ११५)

धर्मजिज्ञासा में श्रुति परमप्रमाण और धर्मज्ञान के पात्र—

अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते।
धर्मजिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥१३२॥ [२।१३] (६६)

(अर्थकामेषु+असक्तानाम्) जो पुरुष अर्थ—सुवर्णादि रत्न और काम—स्त्री सेवनादि में नहीं फंसते हैं (धर्मज्ञानं विधीयते) उन्हीं को धर्म का ज्ञान होता है (धर्मजिज्ञासामानाम्) जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करें, वे (प्रमाणं परमं श्रुतिः) वेद द्वारा धर्म का निश्चय करें, क्योंकि धर्म-अधर्म का निश्चय बिना वेद के ठीक-ठीक नहीं होता॥ १३२ ॥ (स० प्र० ५३)

"परन्तु जो द्रव्यों के लोभ और काम अर्थात् विषय-सेवा में फंसा हुआ नहीं होता, उसी को धर्म का ज्ञान होता है। जो धर्म को जानने की इच्छा करें उनके लिए वेद ही परम प्रमाण है।" (स० प्र० २५७)

"धर्मशास्त्र में कहा है कि—'अर्थ और काम में जो आसक्त नहीं, उनके लिये धर्मज्ञान का विधान है।" (द० ल० वे० ख० ६)

"जो मनुष्य सांसारिक विषयों में फंसे हुए हैं उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता। धर्म के जिज्ञासुओं के लिए परम प्रमाण वेद है।"

वेदोक्त सब विधान धर्म हैं— (पू० प्र० १०५)

श्रुतिद्वैधं तु यत्र स्यात्तत्र धर्मावुभौ स्मृतौ।
उभावपि हि तौ धर्मौ सम्यगुक्तौ मनीषिभिः ॥१३३॥ [२।१४] (७०)

(यत्र तु श्रुतिद्वैधं स्यात्) जहां कहीं श्रुति=वेद में दो पृथक् आदेश विहित हों (तत्र) ऐसे स्थलों पर (उभौ) वे दोनों ही विधान (धर्मौ स्मृतौ) धर्म माने हैं (मनीषिभिः) मनीषी विद्वानों ने (तौ उभौ अपि सम्यक् धर्मौ उक्तौ) उन दोनों को ही श्रेष्ठ धर्म स्वीकार किया है॥ १३३ ॥

उदितेऽनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा।
सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुतिः ॥१३४॥ [२।१५] (७१)

(उदिते) सूर्योदय के समय (च अनुदिते) और सूर्यास्त के समय (तथा) तथा (समयाध्युषिते) समय के अतिक्रमण हो जाने पर अर्थात् प्रत्येक समय अथवा किसी भी निर्धारित किये समय में [जैसे विशेष उपलक्ष्य में

आयोजित यज्ञ] (सर्वथा यज्ञः वर्तते) सब स्थितियों में यज्ञ कर लेना चाहिए (इति इयं वैदिकी श्रुतिः) इस प्रकार ये तीनों ही धर्म हैं, ऐसी वैदिक मान्यता है ॥ १३४ ॥

अनुशीलनः अर्थभेद-एक मत के अनुसार यहाँ प्रातः के तीन यज्ञसमयों का विकल्प है - 'उदिते'=सूर्योदय होने पर, 'अनुदिते'=सूर्योदय से पूर्व नक्षत्र दीखने तक, 'समयाध्युषिते' = नक्षत्रदर्शन बन्द होने से सूर्यदर्शन से पूर्व तक। ऐसा अर्थ करने पर सायंकाल का परिगणन नहीं होता। इस टीका का अर्थ ही व्यापक एवं पूर्ण है।

इस शास्त्र के पढ़ने के अधिकारी—

निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः।
तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिञ्ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित् ॥ १३५ ॥ [२।१६]

(निषेक+आदि+श्मशानान्तः) गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टिपर्यन्त (मन्त्रैः+यस्य विधिः उदितः) मन्त्रपूर्वक जिसके लिए विधियां कही गई हैं (तस्य) उसी अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का (अस्मिन् शास्त्रे अधिकारः ज्ञेयः) इस मनुस्मृति शास्त्र में अधिकार समझना चाहिए (अन्यस्य कस्यचित् न) अन्य किसी [शूद्र आदि] का नहीं ॥ १३५ ॥

"मनुष्यों के शरीर और आत्मा के उत्तम होने के लिए निषेक अर्थात् गर्भाधान से लेके श्मशानान्त अर्थात् अन्त्येष्टि मृत्यु के पश्चात् मृतक शरीर का विधिपूर्वक दाह करने पर्यन्त १६ संस्कार होते हैं।" (स० वि० २७)

अनुशीलन : यह श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त है—

१. **प्रसंगविरोध**—(१) यह पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध है। यहाँ पूर्वापर प्रसंग धर्म के लक्षण और उनके विवेचन का चल रहा था। १२७—१३४ में अन्य लक्षणों का विवेचन करके १३६-१३७ में अवशिष्ट 'सदाचार' का विवेचन किया है। इस धर्म के चार लक्षणों के विवेचन के प्रसंग को इस श्लोक ने भंग कर दिया है और बीच में अप्रासंगिक रूप से शास्त्र के अधिकार का वर्णन किया है। पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध होने के कारण यह प्रक्षिप्त है। (२) यदि यह श्लोक मौलिक होता तो स्थान की दृष्टि से इसे या तो ग्रन्थ के प्रारम्भ में होना चाहिए था अथवा अन्त में। इस कथन की यहां बीच में कोई संगति सिद्ध नहीं होती। इसलिए भी यह असंगत एवं प्रक्षिप्त है।

२. **शैलीगत आधार**—मौलिक रूप में मनुस्मृति में मनुस्मृतिके ही लिए 'शास्त्र' संज्ञा का व्यवहार नहीं बनता। इस संज्ञा का व्यवहार मनुस्मृति के 'संकलन' रूप में निबद्ध होने के पश्चात् किया गया है (विस्तारपूर्वक विवेचन के लिये देखिये १। ५८-५९ श्लोकों पर 'शैलीगत आधार' शीर्षक समीक्षा) इस दृष्टि से यह श्लोक परवर्ती है, मौलिक नहीं, अतः प्रक्षिप्त है।

३. **विषयविरोध**—१। ४-५ और १। १४४ 'संकेतक' श्लोकों के अनुसार यह धर्मोत्पत्ति का विषय प्रचलित है इससे सम्बद्ध श्लोक ही यहां विषयसंगत कहलायेंगे, अन्य

असंगत होंगे। इस विषयक्षेत्र में शास्त्र के अधिकार का कथन विषयविरुद्ध है, अतः प्रक्षिप्त है।

ब्रह्मावर्त्त देश की सीमा—

सरस्वतीदृषद्वत्योर्देवनद्योर्यदन्तरम्।
तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्तं प्रचक्षते॥ १३६॥ [२। १७] (७२)

(देवनद्योः सरस्वती-दृषद्वत्योः) देव अर्थात् दिव्यगुण और दिव्य आचरण वाले विद्वानों के निवास से युक्त सरस्वती और दृषद्वती नदी-प्रदेशों के (यत्+अन्तरम्) जो बीच का स्थान है (तम्) उस (देवनिर्मितम्-देशम्) दिव्यगुण एवं आचरण वाले विद्वानों द्वारा बसाये और निवास से सुशोभित देश को ('ब्रह्मावर्तम्' प्रचक्षते) 'ब्रह्मावर्त' कहा जाता है॥१३६॥

[देव शब्द का 'दिव्यगुण और आचरण युक्त विद्वान्' शास्त्रप्रसिद्ध अर्थ है। अधिक जानकारी के लिए ३। ८२ पर 'देव' विषयक समीक्षा देखिए]।

महर्षि दयानन्द ने ब्रह्मावर्त्त के स्थान पर आर्यावर्त्त पाठ ग्रहण करके निम्न व्याख्या दी है—

"(देवनद्योः सरस्वती-दृषद्वत्योः) देवनदियों—देव अर्थात् विद्वानों के संग से युक्त सरस्वती और दृषद्वती नदियों, उनमें सरस्वती नदी जो पश्चिम प्रान्त में वर्तमान उत्तर देश से दक्षिण समुद्र में गिरती है, जिसे सिन्धु नदी कहा जाता है और पूर्व में जो उत्तर से दक्षिण देशीय समुद्र में गिरती है, जिसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं; इन दोनों नदियों के (यत् अन्तरम्) बीच (देवनिर्मितम्) विद्वानों आर्यों द्वारा सुशोभित (देशम्) स्थान (आर्यावर्त्तं प्रचक्षते) 'आर्यावर्त्त' कहलाता है"॥ १३६॥ ऋ० दया० पत्र वि० पृ० ९९—हिन्दी में अनूदित)

उन्होंने सत्यार्थप्रकाश में इस श्लोक के साथ १४१वां या २।२२वां श्लोक संयुक्त करके उसकी व्याख्या इस प्रकार की है—'उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल, पूर्व और पश्चिम में समुद्र तथा सरस्वती, पश्चिम में अटक नदी, पूर्व में दृषद्वती जो नेपाल के पूर्व भाग पहाड़ से निकलके बंगाल के आसाम के पूर्व और ब्रह्मा के पश्चिम ओर होकर दक्षिण के समुद्र में मिली है, जिसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं और जो उत्तर के पहाड़ों से निकलके दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में अटक मिली है। हिमालय की मध्यरेखा से दक्षिण और पहाड़ों के भीतर और रामेश्वर पर्यन्त विन्ध्याचल के भीतर

जितने देश हैं उन सबको आर्यावर्त्त इसलिए कहते हैं कि यह आर्यावर्त्त देव अर्थात् विद्वानों ने बसाया और आर्यजनों के निवास करने से आर्यावर्त्त कहाया है।" (पृ० २२४)

सदाचार का लक्षण—

तस्मिन्देशे य आचारः पारंपर्यक्रमागतः।
वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥१३७॥ [२।१८] (७३)

(तस्मिन् देशे) उस ब्रह्मावर्त्त देश में (वर्णानां सान्तरालानां पारम्पर्यक्रमागतः यः आचारः) वर्णों और आश्रमों का जो परम्परागत अर्थात् वेदों के प्रारम्भ से लेकर उत्तरोत्तर क्रम से पालित जो आचार है। (सः) वह (सदाचारः+उच्यते) सदाचार कहलाता है ॥ १३७ ॥ ❀

अनुशीलन : सान्तरालानाम् का संगत अर्थ—(१) इस श्लोक में टीकाकारों ने 'सान्तरालानाम्' पद का 'वर्णसंकर या संकीर्ण जातियां' अर्थ अशुद्ध एवं मनुविरुद्ध किया है। यहां परम्परागत आचार को 'सदाचार' के रूप में परिभाषित किया है, जब कि वर्णसंकरों के आचार को मनुस्मृति में 'सदाचार' के अन्तर्गत ही नहीं माना, प्रत्युत निन्द्य आचार कहा है [१०। ५–७३]। अतः यहां इस पद का अर्थ 'आश्रम' ही करना चाहिए। मनुस्मृति का प्रतिपाद्य विषय वर्णों और आश्रमों के धर्मोंका वर्णन करना है, वही प्रतिपादित है। प्रतिपाद्य विषय से भिन्न विषय को लक्षण के अन्तर्गत ग्रहण करने की कोई संगति भी सिद्ध नहीं होती। इस दृष्टि से भी 'आश्रम' अर्थ ही उपयुक्त है। १। २ श्लोक में प्रयुक्त 'अन्तरप्रभवाणाम्' पद भी 'आश्रम' अर्थ का पोषक है और पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त हुआ है (विशेष जानकारी के लिए १। २ पर 'अनुशीलन' देखिए)।

(२) **'पारंपर्यक्रम' से अभिप्राय**—यहां परम्परागत से अभिप्राय 'सृष्टि-प्रारम्भ में वेदों के विधानों से प्रचलित आचरण' से है क्योंकि वर्णों-आश्रमों की परम्परा और किसी से प्रारम्भ नहीं हुई अपितु वेदों से ही हुई है [१। २३,३१] वेदों से ही वर्ण-व्यवस्था, नामकरण आदि किये गये [१।२१,८७] ऐसी मनु की मान्यता है। इसकी पुष्टि इस बात से भी हो जाती है कि मनु वेदविहित आचरण को ही 'सदाचार मानते हैं [४। १५५, १। १०८ आदि]

ब्रह्मर्षिदेश की सीमा—

कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पञ्चालाः शूरसेनकाः।
एष ब्रह्मर्षिदेशो वै ब्रह्मावर्तादनन्तरः ॥ १३८ ॥ [२। १९]

❀ [**प्रचलित अर्थ**—उस देश में ब्राह्मण आदि और अम्बष्ठ रथकार आदि वर्ण संकर जातियों का कुलपरम्परागत जो आचार है, वही 'सदाचार' कहा जाता है ॥ १३७ ॥ (२। १८)।]

(कुरुक्षेत्रं मत्स्याः पञ्चालाः च शूरसेनकाः) कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल और शूरसेनक (एषः) इनको मिलाकर बना (ब्रह्मावर्तात् + अनन्तरः) ब्रह्मावर्त्त से मिला हुआ (ब्रह्मर्षिदेशः) 'ब्रह्मर्षि देश' है ॥ १३८ ॥

अनुशीलन : यह श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. **प्रसंगविरोध**– (१) यह श्लोक प्रचलित पूर्वापर प्रसंग को भंग करके मिलाया गया है। इसका प्रसंगविरोध अत्यन्त स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। धर्म के लक्षणों का विवेचन करते हुए १३६ वें श्लोक में 'सदाचार' का विवेचन प्रारम्भ किया है। पहले १३६ वें श्लोक में 'सदाचार' के आधारभूत देश ब्रह्मावर्त की सीमा बतलायी और फिर १३७ में उस देश के निवासी वर्णों और आश्रमस्थों के परम्परागत आचरण को 'सदाचार' के रूप में प्रमाण माना। इसी बात को १३८ वें में पूर्ण किया है। चूंकि इस देश में रहने वाले ब्राह्मणों का चरित्र आदर्श है, अतः उनसे सब लोग अपना-अपना **चरित्र सीखें**। इन तीनों श्लोकों के वाक्य परस्पर जुड़े हुए हैं और वह 'सदाचार' की चर्चा भी १३६ वें में जाकर पूर्ण होती है। इस श्लोक ने उस चर्चा के क्रम को भंग कर दिया है और सदाचार के विवेचन में पृथक् देश की सीमा का अप्रासंगिक कथन किया है। (२) इस श्लोक के आने से 'सदाचार' का विवेचन अव्यवस्थित हो गया। १३६ वें में सदाचार के आधार स्थान की सीमा वर्णित की और १३७ वें में उसे सदाचार माना। अब, जिसे सदाचार माना है उसी को सीखने का कथन होना चाहिए, किन्तु १३८ में ब्रह्मर्षि देश का वर्णन आ गया और फिर यह कहा गया कि इस देश के ब्राह्मणों से चरित्र की शिक्षा लें। 'सदाचार' तो ब्रह्मावर्त के निवासियों का आचरण हुआ, किन्तु शिक्षा ब्रह्मर्षि देश वालों से; यह बेतुकी बात हो गई। इस प्रकार इस श्लोक से विवेचन अस्त-व्यस्त हो गया है। अतः यह श्लोक मौलिक नहीं है।

२. **विषय-विरुद्ध**—१२० वें (२।१) में विषय का प्रारम्भ करते हुए उसका संकेत भी दिया है कि—**'यो धर्मः तं निबोधत'** अर्थात् 'धर्म के विषय में सुनो'। १४४ वें [२।२२५] में इस विषय की समाप्ति का संकेत है—**'एषा धर्मस्य यो योनिः समासेन प्रकीर्तिता।'** ब्रह्मावर्त की सीमा का वर्णन तो 'सदाचार' नामक धर्म के लक्षण के विषय को परिभाषित करने के लिये किया गया है। अतः विषयसंगत है। किन्तु धर्म के विषय के अन्तर्गत किसी देश की सीमा को प्रदर्शित करना विषयान्तर बात है, अतः यह श्लोक विषयविरुद्ध है।

सारे संसार के लोग ब्रह्मावर्त के विद्वानों से चरित्र की शिक्षा ग्रहण करें—

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः।
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥१३९॥[२।२०](७४)

(एतद् देशप्रसूतस्य) इसी ब्रह्मावर्त देश [१३६—१३७] में उत्पन्न हुए (अग्रजन्मनः सकाशात्) ब्राह्मणों=विद्वानों के सान्निध्य से (पृथिव्यां-

सर्वमानवाः) पृथिवी पर रहने वाले सब मनुष्य (स्वं स्वं) अपने-अपने (चरित्रं शिक्षेरन्) आचरण अर्थात् कर्त्तव्यों की शिक्षा ग्रहण करें ॥ १३९ ॥

महर्षि दयानन्द ने उसी आर्यावर्त के पाठ के अनुसार अर्थ किया है—

"इसी आर्यावर्त में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों अर्थात् विद्वानों से भूगोल के सब मनुष्य—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, म्लेच्छ आदि सब अपने अपने योग्य विद्या चरित्रों की शिक्षा और विद्याभ्यास करें।" (स० प्र० २७३)

मध्यदेश की सीमा—

हिमवद्विन्ध्ययोर्मध्यं यत्प्राग्विनशनादपि ।
प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीर्तितः ॥१४०॥ [२।२१] (७५)

(हिमवद्-विन्ध्ययोः मध्यं) [उत्तरमें] हिमालय पर्वत [और दक्षिण में] विन्ध्याचल के मध्यवर्ती (विनशनात्+अपि यत् प्राक्) विनशन प्रदेश=सरस्वती नदी के लुप्त होने के स्थान से लेकर जो पूर्वदिशा का देश है (च) और (प्रयागात् प्रत्यक्) प्रयागप्रदेश से पश्चिम में जो देश है, वह (मध्यदेशः प्रकीर्तितः) 'मध्यदेश' कहा जाता है ॥ १४० ॥

आर्यावर्त्त देश की सीमा—

आसमुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात् ।
तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावर्तं विदुर्बुधाः ॥१४१॥[२।२२] (७६)

(आ-समुद्रात्तु वै पूर्वात्) जो पूर्व समुद्र से लेकर (आ-समुद्रात्तु पश्चिमात्) पश्चिम समुद्रपर्यन्त विद्यमान (तयोः एव गिर्योः अन्तरम्) उत्तर में हिमालय और दक्षिण में स्थित विन्ध्याचल का मध्यवर्ती देश है, उसे (बुधाः आर्यावर्त्तं विदुः) विद्वान् आर्यावर्त्त कहते हैं ॥ १४१ ॥

(ऋ० दया० पत्र० विज्ञा० ६६ हिन्दी-अनुवाद)

वह आर्यावर्त्त यज्ञिय देश है, उससे परे म्लेच्छ देश—

कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः ।
स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वतः परः ॥१४२॥[२।२३](७७)

(तु) और (यत्र) जिस देश में (स्वभावतः कृष्णसारः चरति) स्वाभाविक रूप से कृष्णमृग विचरण करता है (सः) वह [१४१ में वर्णित] आर्यावर्त देश (यज्ञियः देशः ज्ञेयः) यज्ञों से सम्बद्ध=पवित्र, श्रेष्ठ अथवा श्रेष्ठ कर्मों वाले व्यक्तियों से युक्त देश है, ऐसा समझना। (अतः परः तु)

इस आर्यावर्त से आगे=परे तो (म्लेच्छदेशः) म्लेच्छभाषाभाषी व्यक्तियों अथवा अशिक्षित व्यक्तियों के देश हैं ॥१४२॥ ❀

"जो आर्यावर्त देश से भिन्न देश हैं वे दस्युदेश और म्लेच्छ देश कहाते हैं।" (स० प्र० २२५)

अनुशीलन : १४२ का सङ्गत अर्थ—(१) इस श्लोक का अन्य टीकाओं या भाष्यों में जो अर्थ मिलता है, वह प्रासङ्गिक सिद्ध नहीं होता। (क) यतोहि, उस अर्थ के अनुसार इस श्लोक में 'यज्ञिय' और 'म्लेच्छ' देशों की एक परिभाषा-सी बन जाती है, जब कि यहां पूर्वापर प्रसङ्ग में यज्ञिय और म्लेच्छ देश की परिभाषाओं का कोई प्रसङ्ग नहीं बनता। (ख) यहाँ पूर्ववर्णन कुछ देशों की सीमाओं का है, और १४१ में उस प्रसङ्ग में आर्यावर्त की सीमा बतलायी है, अतः इस श्लोक का सम्बन्ध भी उसी के साथ बनता है। यह उसके प्रसङ्ग से विच्छिन्न श्लोक नहीं है। इस श्लोक में 'सः' पद इसे पूर्व श्लोक के साथ जोड़ने का संकेत करता है और 'तु' पद यह संकेत देता है कि उसी श्लोक की इसके साथ अनुवृत्ति है। पूर्व देश की विशेषता इसमें प्रदर्शित की है, इस प्रकार यह श्लोक उसका अर्थवाद है। (ग) पहले श्लोक में वर्णित देश का नाम 'आर्यावर्त' है और इस श्लोक में भी उसे यज्ञीय परम्पराओं के आधार पर आर्यों=श्रेष्ठों या श्रेष्ठ परम्परा वाले व्यक्तियों का देश बताया है। "**यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म**" [शत० १।७।१।५] प्रमाण के अनुसार सभी श्रेष्ठ कर्मों को यज्ञ कहते हैं। उसके साथ इस श्लोक में कृष्ण-मृग विचरण करने की एक प्राकृतिक विशेषता भी अलग से कह दी है। इस प्रकार इस भाष्य का अर्थ प्रासङ्गिक एवं मनुसम्मत है।

(२) श्लोकार्थ में याज्ञवल्क्य स्मृति का प्रमाण—

इस भाष्य में जो अर्थ किया गया है वही प्राचीन मान्यता के अनुरूप है, इसकी पुष्टि याज्ञवल्क्य स्मृति के एक श्लोक से हो जाती है। इस श्लोक में यज्ञीय देश की परिभाषा नहीं है, और न कृष्ण मृग को यज्ञीय देश का आधार या लक्षण माना गया है, अपितु कृष्णमृग का विचरण करना आर्यावर्त की एक विशेषता मात्र प्रदर्शित की गई है। प्राचीन मान्यता भी यही है। धर्मों के कथन का प्रारम्भ करते हुए याज्ञवल्क्य स्मृति में इस बात को इसी रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा है—

मिथिलास्थः स योगीन्द्रः क्षणं ध्यात्वाऽब्रवीन्मुनीन्।
यस्मिन् देशे मृगः कृष्णः तस्मिन् धर्मान् निबोधत ॥ आचा० २॥

अर्थात्—मिथिला निवासी उस योगीश्वर याज्ञवल्क्य ने थोड़ी देर विचार करके मुनियों से कहा—'जिस देश में काला मृग विचरण करता है या पाया जाता है, उस (आर्यावर्त) देश में अनुष्ठेय धर्मों को सुनो'॥

(२) **'म्लेच्छ' शब्द का अभिप्राय**—इस श्लोक में प्रयुक्त 'म्लेच्छ' शब्द विचार-

---

❀ [**प्रचलित अर्थ**—जहाँ पर काला मृग स्वभाव से ही विचरण करता है, वह यज्ञीय' देश है, इसके अतिरिक्त म्लेच्छ देश है ॥१४२॥]

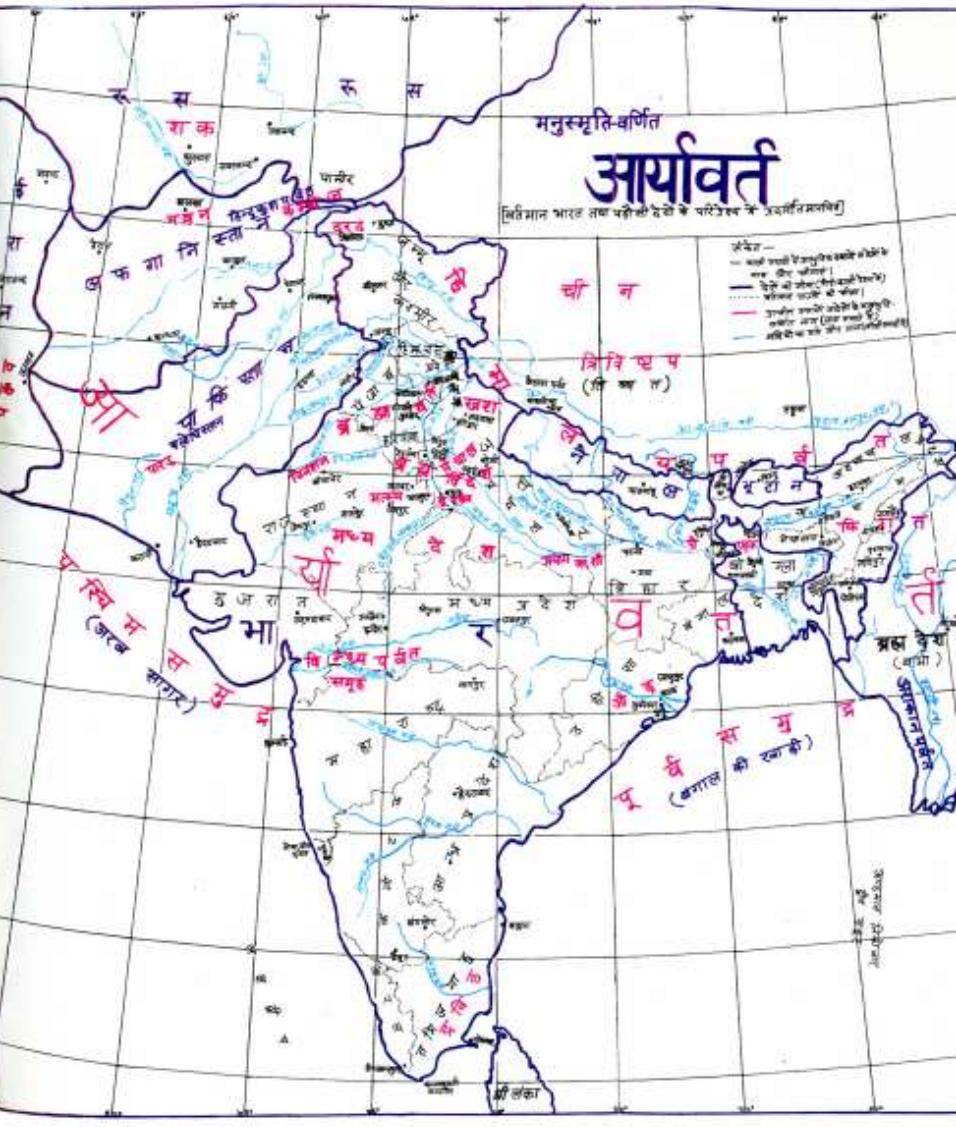
मनुस्मृति-वर्णित
आर्यावर्त
रूस
रूस
शक
पामीर
चीन
त्रिविष्टप
(तिब्बत)
भूटान
ब्रह्मदेश
(बर्मा)
अराकान पर्वत
पूर्व समुद्र
(बंगाल की खाड़ी)
पश्चिम समुद्र
(अरब सागर)
मध्य देश
विन्ध्य पर्वत
समूह
श्रीलंका

मानचित्र का विवरण

(क) आर्यावर्त की सीमाएँ—

पूर्व में, समुद्र तक और पश्चिम में, पश्चिम समुद्र तक। उत्तर में, हिमवान् (हिमालय) पर्वत (पश्चिम में हिन्दूकुश से लेकर पूर्व में असम और अराकान पर्वतमाला तक भारत की सम्पूर्ण उत्तरी सीमा पर फैली हुई पूरी पर्वत श्रेणी को हिमवान् पर्वत कहा जाता रहा है। कैलाश पर्वत आदि इसी के अंग हैं)। दक्षिण में, विन्ध्य पर्वत (आधुनिक भूगोलवेत्ताओं के अनुसार विन्ध्य पर्वत पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बिहार तक लगभग ७०० मील तक फैला हुआ है सतपुड़ा आदि इसी के भाग हैं)। इन दोनों पर्वत प्रदेशों और उनके मध्यवर्ती भूभाग को "आर्यावर्त" कहा गया है (मनु० २।२२)।

मनुस्मृति में संक्षेप में आर्यावर्त का विस्तार प्रदर्शित किया गया है। इसमें परिगणित चारों दिशाओं के अन्तिम प्रदेशों से आर्यावर्त की सीमा सुनिश्चित हो जाती है और अन्य सभी प्रदेशों का उन्हीं में अन्तर्भाव हो जाता है। उत्तर में शक और चीन देशों से लेकर दक्षिण में द्रविड (तमिलनाडु) तक पश्चिम में पह्लव (ईरान) प्रदेश से लेकर पूर्व में किरात प्रदेश (ब्रह्मपुत्र का पूर्व भाग) तक इसका विस्तार था। पश्चिम से पूर्व समुद्र भी इतना ही फैला है।

यहाँ प्रश्न होता है कि मनु ने केवल कुछ प्रदेशों का ही वर्णन क्यों किया? उत्तर में कहा जा सकता है कि यहाँ प्रसंगानुसार ही केवल आर्यों की व्यवस्था के उद्भव स्थान और उसको पूर्वतः अपनाने वाले केन्द्रीय भाग का वर्णन किया है, जिसे परवर्ती साहित्य में "धर्मदेश" भी कहा गया है। आर्यावर्त के प्रदेशों में परिगणित प्रदेश "मध्यप्रदेश" संज्ञा सापेक्षिक है, जो इस बात का संकेत देती है कि उस समय प्राच्य, प्रतीच्य, उदीच्य और दाक्षिणात्य प्रदेश भी आर्यावर्त के भाग थे, किन्तु उनमें कहीं-कहीं अनार्य या आर्यों से बहिष्कृत लोग भी बसते थे, जबकि केन्द्रीय भाग में ऐसा नहीं था (मनु० १०।४५)। १०।४३-४४ प्रक्षिप्त श्लोकों को यदि अनुश्रुति

के समान मान लिया जाये तो उनसे भी यही जानकारी मिलती है कि इन श्लोकों में परिगणित देश या जातियाँ इन श्लोकों की रचना से पूर्व आर्य थीं। इससे आर्य देशों के सुदीर्घ विस्तार का ज्ञान होता है (द्र० महा० अनु० ३५.१७-१८)।

(ख) आर्यावर्त के प्रदेश या जनपद—

(१) **ब्रह्मावर्त**— मनुस्मृति में ब्रह्मावर्त प्रदेश को सर्वोच्च महत्त्व का प्रदेश माना है। वहाँ के निवासियों का आदर्श आचरण ''सदाचार'' है। सदाचार की शिक्षा का यह एकमात्र केन्द्र है (२।१६-१८,२०)। भौगोलिक दृष्टि से यह एक लघु प्रदेश था, जो सरस्वती और दृषद्वती देवनदियों के मध्यवर्ती भूखण्ड पर स्थित था। महाभारत में भी इसे ''धर्मक्षेत्र'' कहा है।

वैदिक एवं लौकिक संस्कृत वाङ्मय में प्राप्त उल्लेखों के अनुसार, सरस्वती नदी, हिमालय पर्वतश्रेणी में शिवालिक-पहाड़ियों से उद्भूत होकर शिमला पटियाला (वर्तमान पंजाब प्रान्त) तथा सिरसा (वर्तमान हरियाणा प्रान्त) के क्षेत्रों से प्रवाहित होकर ब्रह्मावर्त की पश्चिमोत्तरीय सीमाओं का निर्माण करती थी। इसकी भौगोलिक स्थिति बदलती रही है। वैदिक साहित्य के अनुसार यह पश्चिम समुद्र में गिरती थी, जबकि अवान्तर साहित्य के अनुसार यह राजपूताना (वर्तमान पश्चिमी राजस्थान) की मरुभूमि में विलुप्त हो गयी थी। यही स्थान ''विनशन'' नाम से प्रसिद्ध हुआ (तैत्ति० सं० ७.२.१.४; शत० ब्रा० १.४.१.१४; ऐत० ब्रा० १९.१.२; कौषी० ब्रा० १२.२.३; महा० वन० ८२.१११, शल्य० ३७.१)।

हिमालय पर्वतश्रेणी में शिवालिक-पहाड़ियों से ही उद्भूत दृषद्वती नदी, ब्रह्मावर्त की पूर्वी और दक्षिणी सीमाओं का निर्माण करती हुई यमुना के समानान्तर प्रवाहित होकर कुरुक्षेत्र के दक्षिण की ओर से होती हुई सरस्वती नदी में मिलती थी (महा० वन० ५.२; ८३.४; २०४, २०५)। दोनों ही नदियों के तट ऋषियों, मुनियों, विद्वानों के निवास एवं आश्रमों से सुशोभित थे। इनके तटों पर यज्ञों का अनुष्ठान किया जाता था। इसी कारण मनु ने इनको ''देवनदी'' कहा है। सम्प्रति, दोनों ही नदियों की पहचान को लेकर भूगोलवेत्ताओं में मतभेद है। कुछ घग्घर को सरस्वती, चितंग या रक्षी को दृषद्वती

मानते हैं। अभी इन पर सुनिश्चित शोध की आवश्यकता है।

(२) ब्रह्मर्षि देश— ब्रह्मावर्त के साथ लगते पूर्व दक्षिण प्रदेश को "ब्रह्मर्षि देश" नाम दिया गया है। इसमें निम्न जनपद परिगणित हैं—कुरुक्षेत्र (वर्तमान हरियाणा में इसी नाम से प्रसिद्ध एक जिला नगर और उसके पार्श्ववर्ती प्रदेश), मत्स्य (वर्तमान राजस्थान में जयपुर और अलवर तथा भरतपुर का कुछ क्षेत्र), पंचाल (वर्तमान उत्तरप्रदेश के बरेली, बदायूँ और फर्रुखाबाद जिलों के क्षेत्र), शूरसेन (मथुरा और आसपास का क्षेत्र) (मनु० २।१९)।

हमारे शोधकार्य के अनुसार यह श्लोक प्रक्षिप्त घोषित हुआ है। इसकी पुष्टि भौगोलिक वर्णन से भी हो जाती है। यतोहि कुरुक्षेत्र ब्रह्मावर्त प्रदेश के अन्तर्गत आ जाता है, और शेष तीनों जनपद "मध्यदेश" की सीमा में समाविष्ट है। अतः इसकी पृथक् भौगोलिक संरचना मनुसम्मत सिद्ध नहीं होती। प्रतीत होता है, ब्रह्मावर्त के अनुकरण पर परवर्ती काल में यह नामकरण किया गया और उसके उपरान्त मनुस्मृति में इसका प्रक्षेप हुआ।

(३) मध्यदेश— उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में विंध्यपर्वत, पूर्व में प्रयाग प्रदेश (आधुनिक इलाहाबाद) और पश्चिम में विनशन स्थान (वर्तमान पश्चिमी राजस्थान की मरुभूमि में सरस्वती नदी के लुप्त होने का स्थल) इनका मध्यवर्ती भूभाग "मध्यदेश" कहलाता था (मनु० २।२१)। यहाँ प्रयाग से नगर और जनपद दोनों का ग्रहण किया गया है, जिसमें काशी भी सम्मिलित थी।

(ग) अन्य जनपद—

मनु० १०।४३-४४ श्लोकों में बारह जातियों का नामोल्लेख है, जो देशाधारित या देश विशेष की संज्ञाएँ भी हैं। इनसे इन जनपदों के अस्तित्व का संकेत मिलता है। यद्यपि हमारे शोधकार्य के अनुसार ये श्लोक भी प्रक्षिप्त हैं, तथापि सम्पूर्णता के लिए मानचित्र में इनको प्रदर्शित कर दिया गया है। वे हैं—

(१) पौण्ड्रक— बंगाल के दीनाजपुर, मालदह, राजशाही और बोगरा तथा रंगपुर (बाग्ला देश) के पश्चिमी क्षेत्र। राजधानी पुण्ड्रवर्धनपुर, आधुनिक "महास्थान" (जिला बोगरा)।

(२) औड्र— आधुनिक उड़ीसा का पुरी—भुवनेश्वर का क्षेत्र

और पूर्वी उत्तरी क्षेत्र। उत्तर में जाजपुर तक था।

(३) **किरात**—ब्रह्मपुत्र की पूर्वी घाटी का क्षेत्र।

(४) **द्रविड**—दक्षिण में कावेरी नदी के आसपास का क्षेत्र। वर्तमान तमिलनाडु प्रदेश।

(५) **पल्हव**—वर्तमान ईरान (फारस) का पूर्वी क्षेत्र।

(६) **पारद**—वर्तमान बलूचिस्तान (पाकिस्तान) में हिंगुला नदी प्रदेश और हिंगुलाज प्रदेशीय क्षेत्र।

(७) **शक**—शकों का मूलस्थान मध्य एशिया था। इनका निवास सायर और आक्सस (वक्षु) नदियों (वर्तमान रुस में) के समीपस्थ प्रदेश में माना जाता है। चीन की यूची जाति द्वारा खदेड़े जाने के बाद इन्होंने पश्चिमी सीमान्त प्रदेशों में अपने प्रदेश बसाये और शनैःशनैः भारत के भीतरी प्रदेशों पर विजय प्राप्त की।

(८) **यवन**—मूलतः यवन यूनान के निवासी थे। भारत से इनके सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन काल में थे। वहाँ से आकर कुछ यवन (यूनानी) आक्सस (वक्षु) नदी और हिन्दू कुश पर्वत के मध्यप्रदेश में बस गये थे। इस कारण उस क्षेत्र को "यवन देश" कहा गया है। बलख (अफगानिस्तान) इनकी राजधानी का क्षेत्र रहा है।

(९) **कम्बोज**—दक्षिण-पश्चिम कश्मीर, वर्तमान "पामीर" और "बदख़्शां" का क्षेत्र (अफगानिस्तान)।

(१०) **दर**—उत्तर-पश्चिम कश्मीर का गिलगित, हुंजा प्रदेश।

(११) **खश**—गढ़वाल और उसका उत्तरवर्ती क्षेत्र।

(१२) **चीन**—वर्तमान चीन देश।

इनके अतिरिक्त भी दशम अध्याय में बहुत-सी ऐसी जातियों का उल्लेख है, जिन नाम पर परवर्ती काल में जनपदों का नाम पड़ा। जैसे-अन्ध्र, अम्बष्ठ, मगध आदि। वहाँ इन जातियों को देशाधारित न मानकर "वर्णसंकर" सन्तान होने के कारण उस-उस नाम से विहित किया गया है। इस कारण इस मानचित्र में उन जातियों या जनपदों का उल्लेख नहीं किया गया है।

णीय है। यहाँ म्लेच्छ शब्द का उत्तरकाल में रूढ़ 'अपवित्र' या 'नीच' अर्थ नहीं है। 'म्लेच्छ अव्यक्तभाषी' अर्थवान् धातु से 'घञ्' प्रत्यय के योग से म्लेच्छ शब्द बनता है। जिसका अर्थ है—'ऐसे अशिक्षित लोग जो अस्पष्ट–अशुद्ध भाषा बोलते हैं।' दूसरे शब्दों में इनको हम यह भी कह सकते हैं—'जिन्होंने वर्णाश्रम धर्मानुसार शिक्षा-दीक्षा प्राप्त नहीं की है, ऐसे व्यक्ति।' उपर्युक्त प्रसङ्ग देशों की सीमा बतलाने का है, अतः मनु कहते हैं कि उपर्युक्त देशों की सीमा के आगे म्लेच्छ व्यक्तियों के देश हैं। उस समय अशिक्षित देश भी थे, तभी तो मनु संसार के उन सभी देशों के लोगों को 'ब्रह्मावर्त' में आकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं [१।१३९ (२।२०)]। यह सीमावर्णन का प्रसंग होने से उन लोगों के प्रति इस श्लोक में कोई हीन मान्यता का भाव प्रदर्शित नहीं किया गया है। मनु व्यक्तियों को हीन अगर मानते हैं तो कर्मणा मानते हैं, जन्मना नहीं; चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। ऊपर 'म्लेच्छ' का जो अर्थ प्रदर्शित किया है उसकी पुष्टि के लिए उनका ही एक प्रमाण प्रस्तुत है—

मुखबाहूरुपज्जानां या लोके जातयो बहिः।
म्लेच्छवाचः आर्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥१०।४५॥

यहाँ 'म्लेच्छों' के लिए 'म्लेच्छवाचः' प्रयोग ध्यान देने योग्य है।

द्विज कहाँ निवास करें—

एतान्द्विजातयो देशान्संश्रयेरन्प्रयत्नतः।
शूद्रस्तु यस्मिन्कस्मिन्वा निवसेद् वृत्तिकर्शितः ॥१४३॥ [२।२४]

(द्विजातयः) द्विजाति अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग (एतान् प्रयत्नतः संश्रयेरन्) इन उपर्युक्त देशों में प्रयत्न करके आश्रय ग्रहण करें—निवास करें (वृत्तिकर्शितः शूद्रः तु) जीविका के अभाव से पीड़ित शूद्र तो (यस्मिन् कस्मिन् वा निवसेत्) जिस किसी देश में जाकर निवास कर सकता है॥ १४३॥

अनुशीलन : १४३ वां श्लोक निम्न आधार के अनुसार प्रक्षिप्त है—

(१) इस श्लोक से यह ध्वनित होता है कि द्विज आर्यावर्त से बाहर न जायें या न बसें। यह परवर्ती रूढ़िवादी मान्यता है। मनु ने अष्टम अध्याय में स्वयं देश-विदेशों में नौकाओं द्वारा व्यापार करने का उल्लेख किया है [८।१५७,४०६]। और प्राचीन इतिहास इस बात का साक्षी है कि द्विजों के अन्य देशों में शासन और विवाह-सम्बन्ध आदि रहे हैं। यह मान्यता निम्न प्रकार मनुविरुद्ध है—

अन्तर्विरोध—(क) १।१३९ [२।२०] में मनु ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 'ब्रह्मावर्त के निवासी विद्वानों से पृथिवीमण्डल के समस्त मानव अपने-अपने चरित्रों-धर्मों की शिक्षा ग्रहण करें।' इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं (क) पृथिवीमण्डल के अन्य देशों में भी वर्णव्यवस्था थी और मनु उन सभी वर्ण वाले व्यक्तियों को ब्रह्मावर्तनिवासी विद्वानों से अपने आचरणों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं। (ख) अन्य देशों के जो लोग शिक्षा ग्रहण करके जायेंगे तो वे भी वैसा ही आचरण रखेंगे जैसा ब्रह्मावर्त के विद्वानों का वर्णानुसारी आचरण है। इस प्रकार शिक्षा-दीक्षा

के अनुसार प्रत्येक देश में वर्णव्यवस्था होगी। यहां द्विजों के लिए केवल 'आर्यावर्त देश को ही निवास योग्य' कहना उक्त मान्यता के विरुद्ध है।

(ग) मनु कर्म के आधार पर वर्ण का निश्चय मानते हैं, देश के आधार पर नहीं। कर्म के अनुसार वर्णव्यवस्था को अपनाकर व्यक्ति कहीं किसी स्थान पर रहता हुआ श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ कलहायेगा (इस मान्यता के लिए प्रमाण द्रष्टव्य हैं १। ९२—१०७ श्लोकों पर अनुशीलन समीक्षा में 'अन्तर्विरोध' आधार पर)। इस प्रकार देश के आधार पर द्विजों और शूद्रों के कर्त्तव्यों का कथन मनु की इस मान्यता के विरुद्ध है।

(घ) मनु की ये व्यवस्थाएं केवल आर्यावर्तदेशीय लोगों के लिए ही नहीं हैं अपितु समस्त संसार के लिए हैं—"**सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गुप्त्यर्थं स महाद्युतिः। मुखबाहूरुपज्जानां पृथक् कर्माण्यकल्पयत्।**" (१। ८७) अतः इन्हें देश की सीमाओं तक बांधना मनु के उद्देश्य के ही विरुद्ध है। इस प्रकार यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

(ङ) मनु देश के आधार पर वर्णव्यवस्था नहीं मानते अपितु शास्त्रानुसार कर्म-व्यवस्था के आधार पर मानते हैं। इसीलिए मनु ने १०। ५६ [अन्यत्र १०। ४५] में यह स्पष्ट कर दिया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों की दीक्षा से रहित जो लोग हैं, चाहे वे आर्य-भाषाएं ही क्यों न बोलते हों, वे दस्यु हैं। इस वचन से यह भी अध्याहार होता है कि चाहे वे आर्यभाषाभाषी लोग आर्यावर्त या अन्य किसी भी देश में रहते हों, यदि उन्होंने वर्णों में दीक्षा नहीं ली है तो दस्यु हैं; और चाहे वे अन्यत्र देश में हैं, यदि दीक्षित हैं तो दस्यु नहीं, आर्य हैं। इस मान्यता के आधार पर भी यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

(२) आर्यावर्त देश को छोड़कर अन्य देशों में आर्यों के जाने, बसने, व्यापार करने, विवाहादि सम्बन्ध बनाने के विषय में मनुस्मृति को आधार मानकर महर्षि दयानन्द ने जो अपने विचार दिये हैं, उनके कुछ उद्धरण निम्न हैं—

(क) "इसी आर्यावर्त में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों अर्थात् विद्वानों से भूगोल के सब मनुष्य—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दस्यु, म्लेच्छ आदि सब अपने-अपने योग्य विद्याचरित्रों की शिक्षा और विद्याभ्यास करें।" (स० प्र० २७३)

(ख) "मनुस्मृति में जो समुद्र में जाने वाली नौका पर कर लेना लिखा है वह भी आर्यावर्त से द्वीपान्तर में जाने के कारण है। और जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था उसमें सब भूगोल के राजाओं को बुलाने को निमन्त्रण देने के लिये भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चारों दिशाओं में गये थे, जो दोष मानते होते तो कभी न जाते। सो प्रथम आर्यावर्तदेशीय लोग व्यापार, राजकार्य्य और भ्रमण के लिये सब भूगोल में घूमते थे। और जो आजकल छूतछात और धर्म नष्ट होने की शंका है वह केवल मूर्खों के बहकाने और अज्ञान बढ़ने से है॥" (स० प्र० दशम समु०)

सृष्टि एवं धर्मोत्पत्ति विषय की समाप्ति का कथन, वर्णधर्मों का वर्णन प्रारम्भ—

एषा धर्मस्य वो योनिः समासेन प्रकीर्तिता।
सम्भवश्चास्य सर्वस्य, वर्णधर्मान्निबोधत॥१४४॥ [२।२५] (७८)

(एषा) यह (धर्मस्य योनिः) धर्म की उत्पत्ति [१।१२० से १३६ तक (अथवा २। १ से २। २०)] (च) और (अस्य सर्वस्य संभवः) इस समस्त जगत् की उत्पति [१।५ से ६१ तक] (समासेन) संक्षेप से (वः प्रकीर्तिता) आप लोगों को कही, अब (वर्णधर्मान्) वर्ण-धर्मों को (निबोधत) सुनो—॥१४४॥

अनुशीलन : (१) **मनुस्मृति में अध्याय-विभाजन मौलिक नहीं**—प्रथम अध्याय की समाप्ति इस श्लोक के बाद होनी चाहिए, ११६ वें श्लोक के पश्चात् अध्याय की समाप्ति करना त्रुटिपूर्ण है। मनुस्मृति में अध्यायों का विभाजन मौलिक न होकर परवर्ती है।

विभाजनकर्त्ता ने विषयों को अध्यायों का आधार बनाया है, जैसे—प्रथमाध्याय में सृष्ट्युत्पत्ति और धर्मोत्पत्ति विषय हैं, द्वितीय में ब्रह्मचर्याश्रम के धर्म, तृतीय में गृहस्थ से सम्बद्ध धर्म, आदि। किन्तु प्रथम अध्याय का विभाजन विषयसंगत नहीं है। पता नहीं विभाजनकर्त्ता की किस भ्रान्ति के कारण यह त्रुटि रह गयी है। प्रथम अध्याय में एक-दूसरे से सम्बद्ध दो विषय हैं—सृष्ट्युत्पत्ति और धर्मोत्पत्ति। पारस्परिक घनिष्ठ सम्बद्धता के कारण मनु ने इन दोनों विषयों को एक मुख्य विषय मानकर वर्णित किया है। १।२ में मनु से महर्षियों ने धर्मों के कथन करने की प्रार्थना की थी। धर्मकथन के लिए भूमिका के रूप में धर्मोत्पत्ति, धर्मस्रोत आदि का भी बतलाना आवश्यक था, और ये जगदाश्रित हैं—जगदुत्पत्ति के पश्चात् ही धर्म की उत्पत्ति, आवश्यकता और स्थिति बनती है—अतः इस दृष्टि से आवश्यक समझकर मनु ने सृष्टि-उत्पत्ति का भी वर्णन किया है। १।४—५ में इस सृष्ट्युत्पत्ति विषय का संकेत-पूर्वक प्रारम्भ है और १। ६१ में कर्मों की रचना के साथ वह पूर्ण होता है तथा १०८ वें श्लोक से धर्म का प्रसंग प्रारम्भ होकर १। १४४ [अन्य संस्करणों के अनुसार २। २५] में समाप्त होता है। १। १४४ में मनु ने एकसाथ ही इन विषयों की पूर्णता का संकेत दिया है—"एषा धर्मस्य वो योनिः·····संभवश्चास्य सर्वस्य·····" जब मनु ने स्वयं उसका समापन एकसाथ और १४३ वें के बाद कहा है, तो स्पष्ट है कि इससे पूर्व उस विषय को खण्डित नहीं किया जा सकता। यदि इन दोनों विषयों में एक सृष्ट्युत्पत्ति विषय की पूर्णता पर ही अध्याय-विभाजन किया जाता, तो उसे भी एक ही विषय से युक्त होने के कारण स्वीकार्य मान लिया जा सकता था किन्तु परम्परागत अध्याय-विभाजन में तो प्रसंग भी तोड़ रखा है। धर्म के भूमिका रूप १०८—११० श्लोक तो प्रथम अध्याय में रह गये और शेष धर्म-वर्णन प्रसंग द्वितीय अध्याय में चला गया। इस प्रकार प्रसंग ही विखण्डित हो जाता है। १४४ वें के बाद अध्याय में विभाजन होने से न तो प्रसंग ही खण्डित होगा और न विषय, अपितु मनु के संकेत के अनुसार अध्याय की पूर्णता होती है। द्वितीय अध्याय के ये २५ श्लोक प्रथम अध्याय में परिगणित हो जाने से द्वितीय अध्यायों का विभाजन भी वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित रूप से हो जायेगा। अन्य अध्यायों की भांति उसका—'ब्रह्मचर्याश्रम के धर्म' यह एक ही मुख्य

विषय रह जायेगा। इस प्रकार कई त्रुटियों के कारण परम्परागत अध्यायविभाजन गलत है, प्रथम अध्याय की समाप्ति १।१४४ (२।२५ अन्य प्रकाशनों में) के बाद होना चाहिए (अन्य जानकारी के लिये भूमिका में 'अध्याय-विभाजन' शीर्षक अध्याय पढ़िये)

(२) मनुस्मृति में वर्णों और आश्रमधर्मों का साथ-साथ वर्णन—

यहां केवल 'वर्णधर्मान्निबोधत' और १०।१३१ में "एषा धर्मविधिः कृत्स्नश्चातुर्वर्ण्यस्य कीर्तितः" इस उपसंहारात्मक पद को पढ़कर यह जिज्ञासा होती है कि मनु से प्रश्न वर्णों और आश्रमों [१।२] दोनों का किया था फिर विषय-संकेतक श्लोकों में केवल वर्णधर्म की ही बात क्यों कही? इसका समाधान मनु-शैली और अन्य श्लोकों से हो जाता है। उसे इस प्रकार समझना चाहिए—

(१) मनुस्मृति की यह शैली है कि उसमें आश्रमों के धर्म वर्णों के साथ-साथ चलते हैं। वर्णों के सुदीर्घ विषय के अन्तर्गत ही आकर वे छठे अध्याय में ब्राह्मण वर्ण के धर्मों के साथ-साथ ही समाप्त हो जाते हैं। और, छठे अध्याय में आश्रमधर्मों की पूर्णता के साथ-साथ ब्राह्मण वर्ण के धर्म और व्यावहारिक कर्त्तव्य भी पूर्ण हो जाते हैं। छठे अध्याय तक के चारों आश्रमों के धर्म और व्यावहारिक कर्त्तव्य सभी द्विजों के लिए एक सदृश पालनीय हैं। जो विधान इन अध्यायों में कहे हैं, ब्राह्मण के वही धर्म-कर्म हैं [१।८८]।

उसके पश्चात् शेष वर्णों के व्यावहारिक कर्त्तव्यों का कथन—'क्षत्रियों' के लिए सप्तम, अष्टम अध्याय और नवम के ३२५ वें श्लोक तक पूर्ण होता है। वैश्यों का ९।३२६ से ३३३ [इस संस्करण में १०।१ से १०।८ तक] तथा शूद्र के कर्त्तव्यों का कथन ९।३३४-३३५ [इस संस्करण में १०।९-१० तक] पूर्ण हो जाता है।

(२) इस मध्य द्वितीय अध्याय में ब्रह्मचर्याश्रम, तृतीय से पञ्चम अध्यायों में गृहस्थाश्रम, षष्ठ में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम का वर्णन है। आश्रमधर्मों को वर्णधर्म-विषय के अन्तर्गत मानकर उन-उन विषयों के प्रसंगसंकेतक श्लोकों तथा उपसंहारात्मक श्लोकों से उसका कथन भी किया है [२।४३ (२।६८), २।२२४ (२।२४९), ३।२, ६७, २८६, ४।१, २५९, ५।१६९, ६।१, ३३, ८७-९०] आदि।

(३) इसी प्रकार इन अध्यायों में द्विज विप्र, ब्राह्मण शब्दों का स्थान-स्थान पर पर्यायवाचीरूप में प्रयोग है।

(४) मनु ने संभवतः इसी शैली के अनुरूप १।२ और १।१३७[२।१८] में आश्रम के लिए पर्यायवाची रूप में 'अन्तरप्रभव' और 'सान्तराल' शब्दोंका प्रयोग किया है, इसका अर्थ बनता है—'वर्णानाम् अन्तरे प्रभवः उत्पत्तिः स्थितिः येषां ते अन्तरप्रभवाः== आश्रमाः।" इसी शैली के अनुरूप आश्रमों का वर्णधर्मों के अन्तर्गत ही कथन है। यह मनु की शैली है। [इस विषय पर विस्तृत विवेचन मनुस्मृति-अनुशीलन में द्रष्टव्य है]।

इति महर्षि मनुप्रोक्तायां सुरेन्द्रकुमारकृतहिन्दीभाषाभाष्यसमन्वितायाम् अनुशीलन-समीक्षा-विभूषितायाञ्च मनुस्मृतौ 'जगदुत्पत्ति-वर्णोत्पत्तिः' नामात्मकः प्रथमोऽध्यायः॥

अथ द्वितीयोऽध्यायः

[हिन्दीभाष्य-'अनुशीलन' समीक्षाभ्यां सहितः]

(संस्कार एवं ब्रह्मचर्याश्रम-विषय)

(संस्कार २।१ से २।४३ तक)

संस्कारों को करने का निर्देश और उनसे लाभ—

वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैर्निषेकादिर्द्विजन्मनाम्।
कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥१॥ [२।२६] (१)

इसी से सब मनुष्यों को उचित है कि (वैदिकैः पुण्यैः कर्मभिः) वेदोक्त पुण्यरूप कर्मों से (द्विजन्मनाम्) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने सन्तानों का (निषेकादिः शरीरसंस्कारः कार्यः) निषेकादि [=गर्भाधान आदि] संस्कार करें, जो (इह च प्रेत्य पावनः) इस जन्म वा परजन्म में पवित्र करने वाला है ॥ १ ॥ (स० प्र० २५७)

अनुशीलन : संस्कारों के उद्देश्य और लाभ पर प्रकाश डालते हुए ऋषि दयानन्द लिखते हैं—"जिस करके शरीर और आत्मा सुसंस्कृत होने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त हो सकता है और सन्तान अत्यन्त योग्य होते हैं। अतः संस्कारों का करना सब मनुष्यों को अति उचित है।" (सं० वि० भूमिका)

संस्कारों से बुरे संस्कारों का निवारण—

गार्भैर्होमैर्जातकर्मचौलमौञ्जीनिबन्धनैः।
बैजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानामपमृज्यते ॥ २॥ [२।२७] (२)

(गार्भैः) गर्भशुद्धिकारक गर्भकालीन अर्थात् गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन संस्कारों से (जातकर्मचौल-मौञ्जीनिबन्धनैः) [जाते जन्मनि शैशवावस्थायां क्रियते यत् संस्कारकर्म तत् जातकर्म] जन्म होने पर शैशवावस्था में जो संस्कार किये जाते हैं, वे जातकर्म कहलाते हैं। उनमें जातकर्म [२।४] नामकरण [२।५–८], निष्क्रमण [२।९], अन्न-प्राशन [२।९]; और चौल अर्थात् चूडाकर्म [२।१०], तथा मेखला-बन्धन अर्थात् उपनयन एवं वेदारम्भ आदि [२।११–४३ ॥ २।४४,४६–२२४]

(होमैः) यज्ञ से सम्पन्न किये जाने वाले संस्कारों से (द्विजातीनाम्) द्विज बालकों के (बैजिकम्) बीज-सम्बन्धी=परम्परागत पैतृक-मातृक अंशों से उत्पन्न होने वाले (च) और (गार्भिकम्) गर्भकाल में माता-पिता से प्राप्त होने वाले (एनः) बुरे आचरण के संस्कारजन्य दोष एवं शारीरिक अशुद्धियां (अपमृज्यते) दूर हो जाते हैं अर्थात् इन संस्कारों के करने से बालकों के बुरे संस्कार मिटकर शुद्ध-श्रेष्ठ संस्कार बनते हैं ॥२॥❀

अनुशीलन : इस श्लोक के अर्थ की व्यापकता पर और संस्कारों की संख्या सम्बन्धी मान्यता पर विस्तृत विवेचन करना पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। क्योंकि, प्रचलित टीकाओं में इस श्लोक का अर्थ संकुचित एवं अपूर्ण मिलता है तथा मनु ने संस्कार कितने माने हैं, इस विषय में अनेक लेखकों को भ्रान्ति हुई है।

(क) **'गार्भैः' आदि पदों में अर्थव्यापकता**—(१) सर्वप्रथम संस्कारों के परिगणन प्रसङ्ग में मनु की शैली को समझ लेना उपयोगी होगा। क्योंकि उस समय संस्कार बहुप्रचलित सर्वप्रसिद्ध कृत्य थे, अतः मनु ने कहीं किसी संस्कार का केवल नामोल्लेख ही कर दिया, जैसे—निषेक संस्कार [२।१–२ में] किन्तु विधि नहीं दी। कहीं सांकेतिक रूप में एक सम्बन्ध के संस्कारों का परिगणन कर दिया है, जैसे 'गार्भैः' कहने से सभी गर्भकालीन संस्कारों=गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन का अन्तर्भाव हो गया, तो कहीं इस श्लोक में सबका नामोल्लेख न करके विधिवर्णन में उनका कथन कर दिया है, जैसे नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन का [२।४–६]। जिस संस्कार के विषय में मनु को जितना स्पष्टीकरण अभीष्ट था, उतना ही किया है।

(२) इस शैली के समझने के पश्चात् अब इस श्लोक के शब्दों के अर्थ की व्यापकता पर विचार किया जाता है। (क) इस श्लोक में 'गार्भैः' शब्द बहुवचनान्त है, जिसका अर्थ है—'गर्भ-सम्बन्धी' या 'गर्भकालीन सभी संस्कार'। अगर मनु को केवल गर्भाधान संस्कार का परिगणन करना ही अभीष्ट होता तो वे बहुवचन का प्रयोग नहीं करते। यह बहुवचनान्त प्रयोग ही यह सिद्ध करता है कि मनु इस शब्द से सभी गर्भकालीन संस्कारों के परिगणन की अभीष्टता का संकेत करना चाहते हैं। वे गर्भकालीन संस्कार तीन हैं—१. गर्भाधान, २. पुंसवन, ३. सीमन्तोन्नयन।

(ख) इसी प्रकार इस श्लोक में 'जातकर्म' भी केवल एक संस्कार का वाचक न होकर जन्म के उपरान्त शैशव काल में होने वाले सभी संस्कारों का उपलक्षण है। यह इस बात से सिद्ध होता है कि मनु ने विधिवर्णन प्रसंग में जातकर्म के पश्चात् उन सभी का पृथक्-पृथक् उल्लेख किया है। वे हैं—१. जातकर्म [२। ४], २. नामकरण [२। ५-८]; निष्क्रमण [२। ६], अन्नप्राशन [२। ६]।

❀[प्रचलित अर्थ—गर्भ शुद्धिकारक हवन, चूडाकरण और मौञ्जीबन्धन (यज्ञोपवीत) संस्कारों से द्विजों के वीर्य एवं गर्भ से उत्पन्न दोष नष्ट हो जाते हैं ॥२७॥

(ग) इसी प्रकार 'मौञ्जीबन्धन' भी अपने अन्तर्गत दो संस्कारों का अन्तर्भाव किये हुए है—एक उपनयन और दूसरा—वेदारम्भ। क्योंकि ब्रह्मचारी उपनयनदीक्षा के अवसर पर मेखला धारण करता है और वेदाध्ययन समाप्ति पर्यन्त उसे धारण कर रखता है। इस प्रकार इस नाम में व्यापक भाव है।

(३) **मनुस्मृति में सोलह संस्कार—**

इस विवेचन के उपरान्त अब इस जिज्ञासा का समाधान भी निकल आता है कि मनु ने अपनी स्मृति में कितने संस्कारों का उल्लेख किया है। कोई मनुसम्मत १२ संस्कार मानते हैं, तो कोई कम-अधिक। वास्तविकता यह है कि मनु ने सांकेतिक, नामोल्लेख या विधिवर्णन के रूप में १६ संस्कारों का वर्णन किया है। पाठकों के परिज्ञान के लिए उनके **वर्णनस्थल** एवं अर्थ का यहां तालिका के रूप में दिग्दर्शन कराया जाता है—

सोलह संस्कारों की विवरण-तालिका

संस्कार संख्या	नाम	संस्कार का उद्देश्य एवं विधि	मनुस्मृति में वर्णनस्थल
		(प्रत्येक संस्कार यज्ञपूर्वक सम्पन्न होता है)	
१.	**गर्भाधान संस्कार**	सन्तानप्राप्ति के लिए वीर्यनिषेचन द्वारा गर्भस्थापन करना (गृहाश्रमी होने पर)	[२।२ में 'गार्भैः' पद से और २।१, २।११७ में]।
२.	**पुंसवन**	स्त्री के गर्भाधान के चिह्न प्रकट होने पर दूसरे या तीसरे मास में पुत्रोत्पत्ति के उद्देश्य से यज्ञपूर्वक की जानेवाली विधि।	[२।२ में 'गार्भैः' पद के अन्तर्गत]
३.	**सीमन्तोन्नयन**	गर्भ के चतुर्थ मास में गर्भस्थिरता, पुष्टि एवं स्त्री के आरोग्य के लिए की जाने वाली विधि।	[,, ,,]
४.	**जातकर्म**	शिशुजन्म के समय किया जाने वाला संस्कार जिसमें सोने की शलाका से बालक को असमान मात्रा में थोड़ा-सा मधु और घृत चटाया जाता है।	[२।४ में]

५.	नामकरण	जन्म के १० वें, बारहवें या किसी भी सुखमय दिन में बालक का नाम रखना।	[२।५–८ में]
६.	निष्क्रमण	अधिक से अधिक चतुर्थ मास में बालक को घर से बाहर भ्रमण कराने के लिए निकालना प्रारम्भ करना।	[२।६ में]
७.	अन्नप्राशन	लगभग छठे मास में बालक को अन्न आदि सुपाच्य पौष्टिक भोजन का प्रारम्भ कराना।	[२।६ में]
८.	मुण्डन (चूडाकर्म)	प्रथम या तृतीय वर्ष में बालक का मुण्डन संस्कार कराना अर्थात् प्रथम बार सिर के केश उतारना।	[२।३५ में]
९.	उपनयन	बालक को शिक्षा के लिए गुरु के समीप गुरुकुल में ले जाकर छोड़ना और गुरु द्वारा उसे यज्ञोपवीत की दीक्षा देना।	[२।११–४३ में]
१०.	वेदारम्भ	गुरु के पास रहकर श्रेष्ठ शिक्षा-दीक्षा ग्रहण करते हुए वेदों को पढ़ना।	[२।४४–२२४ में]
११.	केशान्त	युवावस्था के प्रारम्भ में केशकर्त्तन कराना।	[२।४०]
१२.	समावर्तन	वेदों का अध्ययन और शिक्षा प्राप्त करके गृहाश्रम को धारण करने के लिए स्नातक बनकर गुरुकुल को छोड़ घर में आना।	[३।१–३ में, २।२२०–२२२ भी द्रष्टव्य]
१३.	विवाह एवं गृहाश्रम संस्कार	गृहस्थाश्रम में जाने के लिए स्त्री और पुरुष का सम्बन्ध होना (२५ वर्ष की आयु के पश्चात्)। विवाहोपरान्त गृहस्थ के धर्म और कृत्यों का पालन करते हुए सन्तानोत्पत्ति करना।	[३।४–६२ में] [३।६७–२८६, सम्पूर्ण चतुर्थ और पंचम अध्यायों में]
१४.	वानप्रस्थ	सन्तानों के स्वावलम्बी होने पर या ५० वर्ष की आयु के पश्चात् घर को त्याग कर वन में रहते हुए तपस्या एवं ईश्वरभक्ति करना। वनस्थ की दीक्षा लेने का संस्कार।	[६।१–३२ में]

१५.	**संन्यास**	सांसारिक भोग आदि की भावनाओं का और सर्वस्व का त्याग करके, पूर्ण वैरागी बन, परोपकारार्थ विचरण करने की दीक्षा लेना तथा ब्रह्म में लीन रहकर मोक्ष-प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना।	[६।३३–९७ में, १२।८२–१२५ भी द्रष्टव्य]
१६.	**अन्त्येष्टि**	प्राणों के निकल जाने पर शरीर का दाहकर्म होना।	[५।१६७ में]

(४) **'एनः' का अर्थ**—एनः का अर्थ यहां पापक्षीणता नहीं है अपितु 'बुरे आचरण से उत्पन्न दुष्ट संस्कार' यह अर्थ है। **'ईयते प्राप्यते दुःखम् अनेन इति एनः अधर्माचरणम् तज्जन्यः संस्कारदोषः शरीराशुद्धिश्च।'** 'इण्गतौ' धातु से 'इणः आगसि' (उणादि ४।१९८) सूत्र से असुन् प्रत्यय और नुडागम से 'एनस्' शब्द सिद्ध होता है। इसकी पुष्टि २।७७ [२।१०२] श्लोक से भी हो जाती है। वहाँ 'एनस्' के प्रयोग के साथ 'मलम्' का भी पर्यायवाची रूप में प्रयोग है जिसका अर्थ संस्कारदोष की मलिनता का नष्ट हो जाना है।

वेदाध्ययन, यज्ञ, व्रत आदि से ब्रह्म की प्राप्ति—

स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः।
महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः॥ ३॥ [२।२८] (३)

"(स्वाध्यायेन) सकल विद्या पढ़ने-पढ़ाने (व्रतैः) ब्रह्मचर्य सत्यभाषणादि नियम पालने (होमैः) अग्निहोत्रादि होम, सत्य का ग्रहण, असत्य का त्याग और सब विद्याओं का दान देने (त्रैविद्येन) वेदस्थ कर्म-उपासना-ज्ञान विद्या के ग्रहण (इज्यया) पक्षेष्ट्यादि करने (सुतैः) सुसन्तानोत्पत्ति (महायज्ञैः) ब्रह्म, देव, पितृ, वैश्वदेव और अतिथियों के सेवन रूप पंचमहायज्ञ और (यज्ञैः) अग्निष्टोमादि तथा शिल्पविद्याविज्ञानादि यज्ञों के सेवन से (इयं तनुः) इस शरीर को (ब्राह्मी क्रियते) ब्राह्मी अर्थात् वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधार रूप ब्राह्मण का शरीर बनता है। इतने साधनों के बिना ब्राह्मण-शरीर नहीं बन सकता" ॥ ३ ॥ (स० प्र० ४८)

"(स्वाध्यायेन) पढ़ने-पढ़ाने (जपैः) विचार करने-कराने, नानाविध होम के अनुष्ठान, सम्पूर्ण वेदों को शब्द, अर्थ, सम्बन्ध, स्वरोच्चारणसहित पढ़ने-पढ़ाने (इज्यया) पौर्णमासी इष्टि आदि के करने, पूर्वोक्त विधिपूर्वक (सुतैः) धर्म से सन्तानोत्पत्ति (महायज्ञैः च) पूर्वोक्त ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेवयज्ञ और अतिथियज्ञ (यज्ञैश्च) अग्निष्टोमादि यज्ञ, विद्वानों का

संग-सत्कार, सत्यभाषण, परोपकारादि सत्कर्म और सम्पूर्ण शिल्पविद्यादि पढ़के दुराचार छोड़ श्रेष्ठचार में वर्तने से (इयम्) यह (तनूः) शरीर (ब्राह्मी) ब्राह्मण का (क्रियते) किया जाता है।" (स० प्र० ८६)

"मनुष्यों को चाहिए कि धर्म से वेदादिशास्त्रों का पठन-पाठन, गायत्रीप्रणवादि का अर्थ विचार, ध्यान, अग्निहोत्रादि होम, कर्म-उपासना ज्ञानविद्या, पौर्णमास्यादि इष्टि, पंचमहायज्ञ, अग्निष्टोम आदि, न्याय से राज्यपालन, सत्योपदेश और योगाभ्यासादि उत्तम कर्मों से इस शरीर को (ब्राह्मी) अर्थात् ब्रह्मसम्बन्धी करें। (सं० वि० १८१)

जातकर्म संस्कार का विधान—

प्राङ्नाभिवर्धनात्पुंसो जातकर्म विधीयते।
मन्त्रवत्प्राशनं चास्य हिरण्यमधुसर्पिषाम् ॥ ४ ॥ [२।२९] (४)

(पुंसः) बालक का (जातकर्म) जातकर्म संस्कार (नाभिवर्धनात्-प्राक्) नाभि काटने से पहले (विधीयते) किया जाता है (च) और इस संस्कार में (अस्य) इस बालक को (मन्त्रवत्) मन्त्रोच्चारणपूर्वक (हिरण्य-मधु-सर्पिषाम्) सुवर्ण, शहद और घी अर्थात् सोने की शलाका से [असमान मात्रा में] शहद और घी (प्राशनम्) चटाया जाता है ॥ ४ ॥

अनुशीलन : **'वर्धन' शब्द का विवेचन**—(१) 'वर्धनम्' शब्द 'वर्ध छेदनपूरणयोः' धातु से ल्युट् प्रत्यय के योग से बना है, अतः उसका अर्थ 'काटना' है। बालक के उत्पन्न होने के पश्चात्, नाभि काटने से पूर्व, इस संस्कार की श्लोकोक्त प्रक्रिया सम्पन्न की जाती है। वह इस प्रकार की जाती है। बालक के उत्पन्न होने पर प्रथम गर्भाशय की झिल्ली से उसके नाभिस्थ नाल को पृथक् किया जाता है और सिरे को बांध दिया जाता है। पुनः नाभि से कुछ इंच छोड़कर उस नाल को दो स्थानों से अच्छी प्रकार बांधा जाता है, जिससे कि बालक का रक्त न बहे। शेष भाग को काटकर पृथक् कर दिया जाता है। इसी को 'नाभिवर्धन' क्रिया कहते हैं। इस क्रिया से पूर्व शहद और घी चटाना विहित है। दूसरा इसका अभिप्राय यह है कि नाभिवर्धन से पूर्व जातकर्म संस्कार प्रारम्भ किया जाता है। प्रसव समय निकट आने पर बालक का पिता प्रसूता पर जलप्रोक्षण करता है (द्र० पार०गृ० सूत्र १।१६।१; गोभिल०२।७, १३।१७) पुरोहितयज्ञस्थल पर बैठ पुण्याहवाचन करता है।

(२) महर्षि दयानन्द ने संस्कारविधि में इस प्रक्रिया को इस प्रकार विहित किया है— "तत्पश्चात् घी और मधु दोनों बराबर मिलाके जो प्रथम सोने की शलाका कर रक्खी हो उस से बालक की जीभ पर—'ओ३म्' यह अक्षर लिखके उस के दक्षिण कान में "वेदोसीति"—तेरा गुप्त नाम वेद है, ऐसा सुनाके पूर्व मिलाये हुए घी और

मधु को उस सोने की शलाका से बालक को नीचे लिखे मन्त्र से थोड़ा-थोड़ा चटावे।" (सं० वि० ४७)

ओं प्र ते ब्रवामि मधुनो घृतस्य वेद सवित्रा प्रसूतं मघोनाम्।
आयुष्मान् गुप्तो देवताभिः शतं जीव शरदो लोके अस्मिन् ॥
[आश्व गृ० सू० १। ५१। १] (सं० वि० ४०)

(३) **जातकर्म में गृह्यसूत्रों के प्रमाण**—

गृह्यसूत्रों ने मनुविहित विधि को ही ग्रहण किया है। आश्वलायन गृह्यसूत्र १।१५।१ में जातकर्म में निम्न विधान वर्णित है—"**कुमारं जातं पुराऽन्यैरालम्भात् सर्पिमधुनी हिरण्यनिकाषं हिरण्येन प्राशयेत्॥**" अर्थात्—बालक के जन्म के पश्चात् दूसरों के हाथों में देने से पूर्व उसे स्वर्णपात्र में मिलाकर सोने की शलाका से शहद और घी चटाये।

नामकरण संस्कार—

नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वाऽस्य कारयेत्।
पुण्ये तिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते ॥५॥[२।३०](५)

(अस्य) इस बालक का (नामधेयं तु) नामकरण संस्कार (दशम्यां वा द्वादश्याम्) दशवें वा बारहवें दिन (वा) अथवा (पुण्ये तिथौ वा मुहूर्ते) किसी भी पुण्य=अनुकूल अर्थात् सुविधाजनक तिथि या मुहूर्त्त में (वा) अथवा (गुणान्विते नक्षत्रे) शुभगुण वाले नक्षत्र में (कारयेत्) करावे ॥५॥

अनुशीलन : नामकरण में गृह्यसूत्रों के प्रमाण—गृह्यसूत्रों में नामकरण की विधि कुछ परिवर्तन के साथ मिलती है—

(क) "**नाम चास्मै दद्युः। घोषवदाद्यन्तरन्तःस्थमभिनिष्ठानान्तं द्व्यक्षरम्। चतुरक्षरं वा। युग्मानि त्वेव पुंसाम्। अयुजानि स्त्रीणाम्॥**"
(आश्व० गृह्य० १।१५।४–१०।)

(ख) "**दशम्यामुत्थाप्य पिता नाम करोति। द्व्यक्षरं चतुरक्षरं वा घोषवदाद्यन्तरन्तःस्थं दीर्घाभिनिष्ठानान्तं कृतं कुर्यात् न तद्धितम् अयुजाक्षरम्–आकारान्तं स्त्रियं।**" (पार० गृह्य० १। १७। १–४)

भावार्थ—दशवें दिन पिता नामकरण संस्कार कराता है। बालक का नाम दो अक्षर का या चार अक्षर का हो और वह घोषसंज्ञक अर्थात् पांचों वर्गों के दो-दो अक्षर छोड़ के तीसरे, चौथे, पाँचवें [ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, ये स्पर्श] और अन्तस्थ अर्थात् य, र, ल, व से युक्त, दीर्घस्वरान्त नाम रखे। और नाम कृदन्त रखें तद्धितान्त नहीं। विषमाक्षर और आकारान्त नाम स्त्रियों के होने चाहिएं।

(ग) महर्षि दयानन्द ने नामकरण का निम्न काल दिया है—

नामकरण का काल—"जिस दिन जन्म हो, उस दिन से लेके १० दिन छोड़ ११ में या १०१ एक सौ एक में अथवा दूसरे वर्ष के आरम्भ में जिस दिन जन्म हुआ हो नाम धरे"। (सं० वि० नामकरण संस्कार)

वर्णानुसार नामकरण—

मङ्गल्यं ब्राह्मणस्य स्यात्क्षत्रियस्यबलान्वितम्।
वैश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम् ॥६॥[२।३१](६)

शर्मवद्ब्राह्मणस्य स्याद्राज्ञो रक्षासमन्वितम्।
वैश्यस्य पुष्टिसंयुक्तं शूद्रस्य प्रेष्यसंयुतम् ॥७॥ [२।३२](७)

(ब्राह्मणस्य मङ्गल्यं स्यात्) ब्राह्मण का नाम शुभत्व-श्रेष्ठत्व भाव-बोधक शब्दों से [जैसे—ब्रह्मा, विष्णु, मनु, शिव, अग्नि, वायु, रवि, आदि] रखना चाहिए (क्षत्रियस्य) क्षत्रिय का (बल+अन्वितम्) बल-पराक्रम-भावबोधक शब्दों से [जैसे—इन्द्र, भीष्म, भीम, सुयोधन, नरेश, जयेन्द्र, युधिष्ठिर आदि] (वैश्यस्य धनसंयुक्तम्) वैश्य का धन-ऐश्वर्य भाव-बोधक शब्दों से [जैसे—वसुमान्, वित्तेश, विश्वम्भर, धनेश आदि] और (शूद्रस्य तु) शूद्र का (जुगुप्सितम्) रक्षणीय, पालनीय भावबोधक शब्दों से [जैसे—सुदास, अकिंचन] नाम रखना चाहिए। अर्थात् व्यक्ति के वर्णसापेक्ष गुणों के आधार पर नामकरण करना चाहिए ॥६॥

[अथवा] (ब्राह्मणस्य शर्मवद् स्यात्) ब्राह्मण का नाम शर्मवत्= कल्याण, शुभ, सौभाग्य, सुख, आनन्द, प्रसन्नता भाव वाले शब्दों को जोड़-कर रखना चाहिए। जैसे—देवशर्मा, विश्वामित्र, वेदव्रत, धर्मदत्त, आदि] (राज्ञः रक्षासमन्वितम्) क्षत्रिय का नाम रक्षक भाव वाले शब्दों को जोड़-कर रखना चाहिए [जैसे—महीपाल, धनञ्जय, धृतराष्ट्र, देववर्मा, कृतवर्मा] (वैश्यस्य पुष्टिसंयुक्तम्) वैश्य का नाम पुष्टि-समृद्धि द्योतक शब्दों को जोड़कर [जैसे—धनगुप्त, धनपाल, वसुदेव, रत्नदेव, वसुगुप्त] और (शूद्रस्य) शूद्र का नाम (प्रेष्यसंयुतम्) सेवकत्व भाववाले शब्दों को जोड़कर रखना चाहिए [जैसे—देवदास, धर्मदास, महीदास।]

---

*[प्रचलित अर्थ—ब्राह्मण का मङ्गल-सूचक शब्द से युक्त, क्षत्रिय का बल-सूचक शब्द से युक्त, वैश्य का धन-वाचक शब्द से युक्त और शूद्र का निन्दित शब्द से युक्त नामकरण करना चहिए ॥२।३१॥ ब्राह्मण का 'शर्मा' शब्द से युक्त, क्षत्रिय का रक्षा-शब्द से युक्त, वैश्य का पुष्टि शब्द से युक्त और शूद्र का प्रेष्य (दास)शब्द से युक्त उपनाम (उपाधि) करना चाहिए ॥२।३२॥]

अर्थात् व्यक्तियों के वर्णगत कार्यों के आधार पर नामकरण करना चाहिए ॥७॥❀

"जैसे ब्राह्मण का नाम विष्णुशर्मा, क्षत्रिय का विष्णुवर्मा, वैश्य का विष्णुगुप्त और शूद्र का विष्णुदास, इस प्रकार नाम रखना चाहिये। जो कोई द्विज शूद्र बनना चाहे तो अपना नाम दास शब्दान्त धर ले।"

(ऋ० प० वि० ३४६)

अनुशीलन : ६, ७ श्लोकों के संगत अर्थ—प्रचलित टीकाओं में इन दोनों श्लोकों के अर्थों में निम्न त्रुटियां पायी जाती हैं—

(१) प्रचलित टीकाओं में इन दोनों श्लोकों का जिस पद्धति से अर्थ किया गया है उससे दोनों श्लोकों का अन्तर स्पष्ट नहीं होता। इन टीकाओं के अर्थ के अनुसार पहले श्लोक में चारों वर्णों का क्रमशः मङ्गलयुक्त, बलयुक्त, धनयुक्त और निन्दायुक्त नाम रखने का विधान है और द्वितीय में शर्मायुक्त, रक्षायुक्त, पुष्टियुक्त और दासयुक्त नाम रखने का कथन है। यहां सन्देह होता है कि पहले और दूसरे श्लोकों में ये भिन्न-भिन्न विधान क्यों हैं? तथा यह शङ्का होती है कि इस प्रकार के शब्दों को संयुक्त करके नाम रखने की परम्परा प्राचीन काल में अधिक नहीं मिलती। स्वयं मनु का नाम भी इस परम्परा के अनुसार नहीं है और दूसरा कोई विधान मनु ने दिया नहीं है, यह विरोध क्यों? इन अर्थों के अनुसार दूसरे श्लोक में एकरूपता नहीं बनती। शर्मा और दास तो उपाधियाँ मान लीं तथा रक्षा और पुष्टि को भाव मानकर अर्थ किया है। या तो सभी वर्णों के साथ उपाधियों का ही कथन होना चाहिए था या भावों का ही।

(२) कुछ टीकाकारों ने द्वितीय श्लोक में 'शर्मवत्' का अर्थ—'शर्मा' उपाधिधारी, 'रक्षासमन्वितम्' का 'वर्मा' उपाधिधारी और 'पुष्टिसंयुक्तम्' का 'गुप्त' उपाधिधारी तथा 'प्रेष्यसंयुतम्' का दास उपाधिधारी नामकरण, यह भ्रान्तिपूर्ण अर्थ किया है।

(३) प्रायः सभी टीकाकारों ने 'जुगुप्सितम्' शब्द का 'निन्दायुक्त' यह अशुद्ध और मनुविरुद्ध अर्थ किया है।

इन त्रुटियों का निराकरण निम्नप्रकार से किया जा सकता है—

(१) वस्तुतः इन श्लोकों में विकल्प पूर्वक दो विधान हैं और दोनों में पर्याप्त अन्तर है। इन विधानों में दो प्रकार से भिन्नता है—

(क) प्रथम श्लोकमें इच्छित वर्णानुसार व्यक्तिपरक गुणों या प्रवृत्तियों के आधार पर नामकरण करने का विधान है। जैसे ब्राह्मण वर्ण के लोगों में शुभत्व और श्रेष्ठत्व के गुण होते हैं, अतः उसी प्रकार के भावबोधक शब्दों से उनका नामकरण करना चाहिए। क्षत्रिय वर्ण के लोगों में बल-पराक्रम प्रधान गुण होना चाहिए, अतः उनका नामकरण भी ऐसे शब्दों से करना चाहिए जिनमें इन भावों का आभास हो। इसी प्रकार वैश्यों में धनयुक्त होना उनका मुख्य गुण होता है, अतः उनका नाम भी धनवान्-ऐश्वर्यवान्

होने के भावों को प्रकट करने वाले शब्दों द्वारा होना चाहिये। इसी प्रकार शूद्र द्विजों के आश्रय में रहता है, उन्हीं के आश्रय से उसका पालन एवं रक्षा होती है। अतः उसका नामकरण ऐसे शब्दों से किया जाना चाहिए जिनमें उसके रक्षणीय और पालनीय होने के भाव झलकें।

दूसरे श्लोक में व्यक्तियों के वर्णगत कर्मों के आधार पर नामकरण करने का विधान है, जैसे ब्राह्मण का कार्य उपकार द्वारा लोगों का कल्याण करना, विद्यादान द्वारा सुख देना आदि है तो उसके नाम में भी इस प्रकार के भावों का बोधक शब्द जोड़ने का कथन है। इसी प्रकार क्षत्रिय का कार्य रक्षा करना, वैश्य का पालन-पोषण करना, शूद्र का सेवा करना है तो उनके नामों के साथ भी तत्तत् भावबोधक शब्दों को जोड़ने का विधान है। शुभ-श्रेष्ठ, बलवान्, धनवान् होना, और आश्रित या रक्ष्य होना, ये वर्णों के व्यक्तिसापेक्ष गुण या प्रवृत्तियां हैं और सुखी बनाना, कल्याण करना, रक्षा करना, पालन-पोषण करना, सेवा करना, ये व्यक्तियों के वर्णगत कार्य हैं। इस प्रकार प्रथम श्लोक में गुण और प्रवृत्ति के अनुसार नामकरण करने का विधान है और द्वितीय में कार्यानुसार।

(ख) दूसरा अन्तर यह है कि प्रथम श्लोक में गुण या प्रवृत्ति का बोध कराने वाले शब्दों से ही नाम रखने का विधान है, जबकि दूसरे श्लोक में कार्यानुसारी भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को नाम के साथ जोड़ने का कथन है। दोनों ही प्रकार की परम्परा प्राचीनकाल में चलती रही है। इनके उदाहरण श्लोकों के अर्थों के साथ दर्शाये जा चुके हैं। इस प्रकार अर्थ की स्पष्टता से सभी सन्देहों, शंकाओं व त्रुटियों का निराकरण हो जाता है।

(२) जिन टीकाकारों ने 'शर्मवत्, शब्द को शाब्दिक रूप में ग्रहण करके शर्मा, वर्मा, गुप्त और दास उपाधि-संयुक्त करने सम्बन्धी अर्थ किया है, उन्होंने इस श्लोक के अर्थ को संकुचित बना दिया है, और ठीक प्रकार से नहीं समझा है। शायद उन्हें यह भ्रान्ति इस लिये हो गयी है कि अर्वाचीन युग में केवल इन्हीं शब्दों का प्रयोग परम्परा में अधिक प्रचलित रहता रहा है। इस श्लोक में 'शर्मवत्, से अभिप्राय 'शर्मा' शब्द लगाने से नहीं है, अपितु इस भाव का कोई भी शब्द नाम के साथ जोड़ने से है। यहां इन शब्दों को शाब्दिक रूप में नहीं लेना चाहिये अपितु इनके भाव को ग्रहण करना चाहिए। इस बात में श्लोकोक्त 'रक्षा' और 'पुष्टि' भाववाचक शब्दों का प्रयोग प्रत्यक्ष प्रमाण है। यदि मनु को यहां 'शर्मा' शब्द अभीष्ट होता तो वे क्षत्रिय के साथ 'रक्षा' शब्द का उल्लेख न करके 'वर्मा' शब्द का ही उल्लेख करते। इसी प्रकार वैश्य के साथ 'गुप्त' का; किन्तु उन्होंने इन शब्दों को भाववाचक रूप में ग्रहण किया है, जिसका अभिप्राय यह हुआ कि उक्त भावों वाले किन्हीं भी शब्दों को नाम के साथ जोड़ें। उनमें शर्मा, वर्मा, गुप्त, दास भी अन्तर्गत हो जाते हैं। केवल इन्हीं शब्दों को जोड़ें ऐसा अभिप्राय नहीं है जैसे—ब्राह्मण के नाम में शर्मा जोड़कर देवशर्मा भी रखा जा सकता है और मित्र, प्रिय आदि जोड़कर देवमित्र, देवप्रिय आदि भी। इसी प्रकार क्षत्रिय के नाम में वर्मा जोड़कर

प्रतापवर्मा भी रखा जा सकता है और इन्द्र, पाल, निधि आदि जोड़कर प्रतापेन्द्र, विजयेन्द्र, महीपाल, बलनिधि आदि भी। इस प्रकार इस श्लोक का व्यापक भाव है। उसे संकुचित करना भ्रान्तिपूर्ण है।

(६) **जुगुप्सित का संगत अर्थ**—प्रथम श्लोक में 'जुगुप्सितम्' शब्द का 'निन्दा या 'घृणायुक्त' अर्थ करना भी उचित नहीं है। यह शब्द 'गुपु रक्षणे' धातु से स्वार्थ में 'सन्' प्रत्यय के योग से बना है। स्वार्थ में होनेवाले प्रत्यय का अपना कोई विशेष अर्थ नहीं होता, अपितु धातु के मूलार्थ का ही बोध कराता है। अतः 'गुप्' धातु के 'रक्षा करने' अर्थ के अनुसार यहां 'जुगुप्सितम्' का रक्षणीय, पालनीय, आश्रय देने योग्य भाव वाला यह अर्थ बनता है। इस शब्द का यही मूलार्थ है। निन्दावाचक अर्थ भी प्रचलित है, किन्तु वह प्रचलन की दृष्टि से परवर्ती है। 'जुगुप्सा' शब्द का आज निन्दा, घृणा आदि अर्थ अधिक प्रचलित है। इसलिए हमारे मन में यही अर्थ पहले बैठ जाता है, किन्तु मनुस्मृति के श्लोक में यह अर्थ अभिप्रेत न होकर 'रक्षणीय' अर्थ अभीष्ट है। यही अर्थ मनुस्मृति की व्यवस्थाओं के अनुरूप है, यतो हि मनु ने शूद्र को जो सब वर्णों की सेवा का कार्य सौंपा है (१।९१) और वह उन्हीं के आश्रय से या उन्हीं की सुरक्षा में अपना निर्वाह करता है (१।९१, ९।३३४, १०।९९)। इस शब्द का निन्दा अर्थ न होने में एक और प्रमाण यह है कि मनुस्मृति में शूद्र के प्रति घृणा या निन्दा की भावना कहीं नहीं है अपितु उसकी स्वल्पयोग्यता के अनुसार निर्लिप्त भाव से उसके कर्मों का कथन है और उसे शुद्ध-श्रेष्ठ और उत्तम गति के योग्य माना है (९।३३५) अगले श्लोक में 'प्रेष्य-संयुतम्' शब्द से भी किसी प्रकार का निन्दा-घृणारूप भाव प्रकट न होकर शूद्र के 'सेवकत्व' रूप कर्म का संकेत है। अतः यहां 'जुगुप्सितम्' का 'निन्दायुक्त' अर्थ करना मनुसम्मत और उचित नहीं है।

स्त्रियों के नामकरण की विधि—

स्त्रीणां सुखोद्यमक्रूरं विस्पष्टार्थं मनोहरम्।
मंगल्यं दीर्घवर्णान्तमाशीर्वादाभिधानवत् ॥ ८ ॥ [२।३३](८)

(स्त्रीणाम्) स्त्रियों का नाम (सुखोद्यम्) उच्चारण किया जा सकने वाला (अक्रूरम्) कोमल वर्णों वाला (विस्पष्टार्थम्) स्पष्ट अर्थ वाला (मनोहरम्) मन को आकर्षक लगने वाला (मंगल्यम्) मंगल अर्थात् शुभ-भावयुक्त (दीर्घवर्णान्तम्) अन्त में दीर्घ अक्षर वाला, तथा (आशीर्वाद+अभिधान-वत्) आशीर्वाद का वाचक होना चाहिये [जैसे—कल्याणी, वन्दना, विद्यावती, कमला, विमला, सुशीला, सुषमा, भाग्यवती, सावित्री, यशोदा, प्रियंवदा आदि] ॥ ८ ॥

"जो स्त्री हो तो एक, तीन वा पांच अक्षर का नाम रखे श्री, ह्री, यशोदा, सुखदा, सौभाग्यप्रदा इत्यादि।" (सं० वि० नामकरण सं०)

निष्क्रमण और अन्नप्राशन संस्कार—

चतुर्थे मासि कर्त्तव्यं शिशोर्निष्क्रमणं गृहात्।
षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि यद्वेष्टं मङ्गलं कुले ॥९॥ [२।३४](९)

(शिशोः) बालक का (गृहात् निष्क्रमणम्) घर से [प्रथम बार] बाहर निकालने का 'निष्क्रमण संस्कार' (चतुर्थे मासि) चौथे मास में (कर्त्तव्यम्) करना चाहिए और (अन्नप्राशनम्) अन्न खिलाने का संस्कार—'अन्नप्राशन' (षष्ठे मासि) छठे मास में (वा) अथवा (यत् कुले इष्टं मंगलम्) जब भी परिवार में अभीष्ट अथवा शुभ समय प्रतीत हो, तब करे ॥ ९ ॥

"निष्क्रमण संस्कार उस को कहते हैं कि जो बालक को घर से जहां का वायुस्थान शुद्ध हो वहां भ्रमण कराना होता है। उसका समय जब अच्छा देखे तभी बालक को बाहर घुमावें अथवा चौथे मास में तो अवश्य भ्रमण करावें।" (सं० वि० ५५)

अनुशीलन : निष्क्रमण और अन्नप्राशन में गृह्यसूत्रों के प्रमाण—
इन संस्कारों के विषय में गृह्यसूत्रों में निम्न उल्लेख मिलता है—

(क) "**चतुर्थे मासि निष्क्रमणिका सूर्यमुदीक्षयति तच्चक्षुरिति।**"
(पार० गृह्य० १।७५।५-६)

=चतुर्थ मास में निष्क्रमण संस्कार करे। बालक को बाहर ले जाकर सूर्यदर्शन कराये।

(ख) "**जननाद्यास्तृतीयो ज्योत्स्नस्तस्य तृतीयायाम्।**" (गो० गृह्य० ५।८।१)

=या फिर जन्म के पश्चात् तीसरे शुक्लपक्ष की तृतीया को निष्क्रमण करे।

(ग) "**षष्ठे मासि अन्नप्राशनम्। दधिमधुघृतमिश्रितमन्नं प्राशयेत्।**"
(आश्व० गृह्य० १।१६।१-५)

=छठे मास में बालक को अन्नप्राशन कराये और दही, शहद, घी मिश्रित भोजन चटाये।

"छठे महीने बालक को अन्नप्राशन करावे।" (सं० वि० ५८)

मुण्डन संस्कार—

चूडाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः।
प्रथमेऽब्दे तृतीये वा कर्त्तव्यं श्रुतिचोदनात् ॥१०॥ [२।३५] (१०)

(सर्वेषाम्+एव द्विजातीनां चूडाकर्म) सभी द्विजातियों=ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्णों के इच्छुकों का [माता-पिता की इच्छा के आधार पर यह प्रयोग है] चूडाकर्म=मुण्डन संस्कार (धर्मतः) धर्मानुसार (श्रुतिचोदनात्) वेद की आज्ञानुसार (प्रथमे+अब्दे) प्रथम वर्ष में (वा तृतीये) अथवा

तीसरे वर्ष में [अपनी सुविधानुसार] (कर्त्तव्यम्) कराना चाहिए ॥ १० ॥

"यह चूडाकर्म अर्थात् मुण्डन बालक के जन्म से तीसरे वर्ष वा एक वर्ष में करना। उत्तरायणकाल शुक्लपक्ष में जिस दिन आनन्दमंगल हो उस दिन यह संस्कार करें।" (सं० वि० ६०)

अनुशीलन : चूडाकर्म में प्रमाण—गृह्यसूत्रों में चूडाकर्म अर्थात् मुण्डन का यही काल विहित है—

(क) "तृतीये वर्षे चौलम्।" (आश्व० गृह्य० १।१७।१)

=तृतीय वर्ष में मुण्डन संस्कार किया जाता है।

(ख) "सांवत्सरिकस्य चूडाकरणम्।" (पार० गृह्य० २।१।१)

=एक वर्ष के बालक का मुण्डन किया जाता है।

उपनयन संस्कार का सामान्य समय—

गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम्।
गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विशः ॥११॥ [२।३६](११)

(ब्राह्मणस्य) ब्राह्मण वर्ण के इच्छुक का [माता-पिता की इच्छा के आधार पर प्रयोग है] (उपनायनम्) उपनयन=गुरु के पास पहुंचाना अर्थात् यज्ञोपवीत संस्कार (गर्भाष्टमे+अब्दे) गर्भ से आठवें वर्ष में (कुर्वीत) करे, (राज्ञः) क्षत्रिय वर्ण के इच्छुक का (गर्भात्+एकादशे) गर्भ से ग्यारहवें वर्ष में, और (विशः) वैश्य वर्ण के इच्छुक का (गर्भात् द्वादशे) गर्भ से बारहवें वर्ष में उपनयन संस्कार करना चाहिए ॥११॥ ❀

अनुशीलन : (१) 'ब्राह्मणस्य' आदि पदों का मनुसम्मत अर्थ—

(क) ११-१३ श्लोकों में 'ब्राह्मणस्य' आदि पदों का प्रचलित टीकाओं में ब्राह्मण के बालक का, राज्ञः या क्षत्रियस्य=क्षत्रिय के बालक का, वैश्यस्य या विशः= वैश्य के बालक का, यह अर्थ मिलता है। यह अर्थ श्लोक के पदप्रयोग के विरुद्ध है और मनु की मान्यता के विरुद्ध भी। श्लोक के पदों में 'बालक' अर्थ देने वाला कोई पद नहीं है, जिससे कि 'ब्राह्मण के बालक' आदि अर्थ किये जायें। इसी प्रकार मनु कर्मणा वर्ण-व्यवस्था मानते हुए कर्मणा वर्ण-परिवर्तन मानते हैं [देखिए १०।६५॥१।८७-९१।१।१०७ श्लोक और उन पर समीक्षा]। इन अर्थों से ऐसा प्रतिभासित होता है जैसे जन्म के आधार पर वर्णप्रवेश है और वह भी ब्राह्मण का। ब्राह्मण वर्ण में, क्षत्रिय का क्षत्रिय वर्ण में, वैश्य का वैश्य वर्ण में। यह उक्त मान्यता से मेल नहीं खाता।

(ख) यहां ये पद वस्तुतः जातिवाचक न होकर वर्णसंज्ञावाचक हैं। जिनका अर्थ है 'ब्राह्मण—वर्ण का दीक्षाकाल' 'क्षत्रियवर्ण का दीक्षाकाल' आदि। मनुसम्मत मान्यता

❀ [प्रचलित अर्थ—ब्राह्मण-बालक का गर्भ से आठवें वर्ष में, क्षत्रिय-बालक का गर्भ से ग्यारहवें वर्ष में और वैश्य-बालक का गर्भ से बारहवें वर्ष में 'उपवीत' (यज्ञोपवीत) संस्कार करना चाहिये ॥३६॥

के आधार पर अध्याहार से इनका अर्थ 'ब्राह्मण वर्ण को धारण करने के इच्छुक का' आदि अर्थ किये गये हैं। इस अर्थ का संकेत मनु के **'ब्रह्मवर्चसकामस्य'** [२।१२] आदि पदों से भी प्राप्त होता है। इस अर्थ की व्यापकता के अन्तर्गत दोनों प्रकार के भावों का समावेश हो जाता है। जो वंशपरम्परानुसार अपने वर्ण में दीक्षा दिलाना चाहे वह भी इस व्यवस्थानुसार दीक्षा करा सकता है और जो परिवर्तनपूर्वक अपने बालक को दूसरे वर्ण में दीक्षित कराना चाहे तो, वह भी उस निर्धारित समय-व्यवस्थानुसार करा सकता है।

(ग) यहां यह शंका हो सकती है कि इतने अल्पवयस्क बच्चों के साथ 'इच्छुक' पद का सम्बन्ध नहीं बनता? इसका स्पष्ट-सा उत्तर है कि माता-पिता की इच्छा के आधार पर ये प्रयोग हैं। प्रारम्भ में माता-पिता अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं उसी के अनुसार सभी संस्कार करते हैं। पुनः उसकी शिक्षा-दीक्षा को परखकर वर्ण का अन्तिम निश्चय आचार्य करता है [२।१२१ (१४६), १२३ (१४८)]। देखिए मनु ने इसी व्यवहार के आधार पर पांच वर्ष के बालक के लिए **'ब्रह्मवर्चसकामस्य' 'बलार्थिनः, 'क्षत्रियस्य इह अर्थिनः'** [२।१२] पदों का प्रयोग किया है, जबकि इतने अल्पवयस्क बालकों को ब्रह्मवर्चसकामना आदि की इच्छा, गम्भीरता एवं परिणाम का ज्ञान नहीं होता। इस प्रमाण के आधार पर प्रस्तुत भाष्य का अर्थ भी मनु के वर्णनानुरूप ही है।

(२) **उपनयन में शूद्र का उल्लेख क्यों नहीं**—११-१३ श्लोकों में मनु ने उपनयन संस्कार का विधान करते हुए शूद्र का उल्लेख नहीं किया। यहां प्रश्न उठता है कि यदि मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं तो शूद्र का उल्लेख क्यों नहीं किया? इसका समाधान इस प्रकार है—

(क) इस प्रश्न में ही इसका उत्तर भी निहित है। उपनयन में शूद्र का उल्लेख न करने से यह संकेत मिलता है कि मनु उपनयन और वेदारम्भ की दीक्षा से पूर्व किसी को जन्म से शूद्र नहीं मानते। यह द्विज-दीक्षा का संस्कार है और वे द्विज तीन ही प्रकार के होते हैं। जो व्यक्ति जिस वर्ण की दीक्षा दिलाना चाहे, वह इन तीनों में से उसी वर्ण में प्रवेश ले सकता है। पुनः शिक्षा-दीक्षा के उपरान्त आचार्य अन्तिम रूप से उनके वर्णों का निश्चय करता है [२।१२१ (१४६), १२३ (१४८)]।

(ख) जो व्यक्ति इन तीनों वर्णों के गुणों को धारण नहीं कर सकता और वेदारम्भ तथा उपनयन रूपी ब्रह्मजन्म को ग्रहण नहीं कर सकता वह शूद्र रह जाता है। उपनयन से पूर्व अर्थात् द्विजजन्म से पूर्व सभी वर्णों के बालक शूद्र ही होते हैं—'जन्मना जायते शूद्रः, संस्कारात् द्विज उच्यते'। इस प्रकार कोई भी बालक किसी वर्ण में दीक्षित हो सकता है। मनु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—

चतुर्थः एकजातिस्तु शूद्रः ॥१०।४॥

इस प्रकार उपनयन आदिसे पूर्व शूद्र का कोई निर्धारण न होने से उसके उल्लेख

की आवश्यकता नहीं रहती। द्विजों के 'पतित' या 'शूद्र' होने की स्थिति बाद में आती [२।१४–१५ (३९-४०)]।

(ग) मनु जन्मना वर्णव्यवस्था नहीं मानते, इसकी पुष्टि में यह भी एक प्रबल युक्ति है कि मनु ने यहां शूद्र के उपनयन का निषेध नहीं किया। अगर वे जन्मना शूद्र की स्थिति और वर्णव्यवस्था मानते तो यहां पृथक् से निषेध करते। [द्रष्टव्य १।३१, ८७-९१, १०७॥१०।६५ की कर्मणाव्यवस्था-सम्बन्धी समीक्षा]

(३) गृह्यसूत्रों में भी उपनयन का विधान मनु के अनुसार है, यथा—

"**अष्टमे वर्षे ब्राह्मणमुपनयेत्**। १। **गर्भाष्टमे वा**। २। **एकादशे क्षत्रियम्**।३। **द्वादशे वैश्यम्**। ४। (आश्वलायन गृह्यसूत्र)—जिस दिन जन्म हुआ हो अथवा जिस दिन गर्भ रहा हो उससे आठवें वर्ष में ब्राह्मण के, जन्म वा गर्भ से ग्यारहवें वर्ष में क्षत्रिय के और जन्म वा गर्भ से बारहवें वर्ष में वैश्य के बालक का यज्ञोपवीत करें॥" (सं० वि० ६५)

उपनयन का विशेष समय—

ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्यं विप्रस्य पञ्चमे।
राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्येहार्थिनोऽष्टमे॥१२॥ [२।३७](१२)

(इह ब्रह्मवर्चस-कामस्य) इस संसार में जिसको ब्रह्मतेज=ईश्वर, विद्या आदि की शीघ्र एवं अधिक प्राप्ति की कामना हो, ऐसे (विप्रस्य) ब्राह्मण वर्ण की इच्छा रखने वाले का [माता-पिता की इच्छा के आधार पर प्रयोग है] उपनयन संस्कार (पञ्चमे कार्यम्) पांचवें वर्ष में ही करा देना चाहिये (इह बलार्थिनः राज्ञः) इस संसारमें बल-पराक्रम आदि क्षत्रिय-विद्याओं की शीघ्र एवं अधिक प्राप्ति की कामना वाले क्षत्रिय वर्ण के इच्छुक का (षष्ठे) छठे वर्ष में और (इह+अर्थिनः वैश्यस्य) इस संसार में धन-ऐश्वर्य की शीघ्र एवं अधिक कामना वाले वैश्य वर्णके इच्छुक का (अष्टमे) आठवें वर्ष में उपनयन संस्कार करा देना चाहिये॥ १२॥ ❀

"जिसको शीघ्र विद्या, बल और व्यवहार करने की इच्छा हो और बालक भी पढ़ने में समर्थ हुए हों तो ब्राह्मण के लड़के का जन्म वा गर्भ से पांचवें, क्षत्रिय के लड़के का जन्म वा गर्भ से छठे और वैश्य के लड़के का जन्म वा गर्भ से आठवें वर्ष में यज्ञोपवीत करें।" (सं० वि० पृ० ६५)

❀ [**प्रचलित अर्थ**—वेदाध्ययन और ज्ञानाधिक्य आदि तेज के लिये ब्राह्मण-बालक का गर्भ से पांचवें वर्ष में, हाथी, घोड़ा और पराक्रम आदि प्राप्ति के लिये क्षत्रिय-बालक का गर्भ से छठे वर्ष में और अधिक धन तथा खेती आदि की प्राप्ति के लिये वैश्य-बालक का गर्भ से आठवें वर्ष में 'यज्ञोपवीत' संस्कार करना चाहिये॥ ३७॥]

अनुशीलन : श्लोकार्थ एवं मान्यता-सम्बन्धी समीक्षा ११ वें श्लोक पर देखिए।

उपनयन की अन्तिम अवधि—

आषोडशाद्ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवर्तते।
आद्वाविंशात्क्षत्रबन्धोराचतुर्विंशतेर्विशः ॥१३॥ [२।३८] (१३)

(ब्राह्मणस्य) ब्राह्मण वर्ण को धारण करने की इच्छा रखने वाले का (आ-षोडशात्) सोलह वर्ष तक (क्षत्रबन्धोः) क्षत्रिय वर्ण के इच्छुक का (आ-द्वाविंशात्) बाईस वर्ष तक (विशः) वैश्य वर्ण के इच्छुक का (आ-चतुर्विंशतेः) चौबीस वर्ष तक (सावित्री न+अतिवर्तते) यज्ञोपवीत का अतिक्रमण नहीं होता अर्थात् इन अवस्थाओं तक उपनयन संस्कार कराया जा सकता है ॥। १३ ॥ ※

अनुशीलन : (१) श्लोकार्थ एवं मान्यता-सम्बन्धी समीक्षा ११ वें श्लोक पर देखिये।

(२) आश्वलायन गृह्यसूत्र में उपनयन काल के अतिक्रमण का विधान निम्न है—

"**आषोडशात् ब्राह्मणस्यानतीतकालः ॥ ५ ॥ आद्वाविंशात् क्षत्रियस्य, आचतुर्विंशाद्वैश्यस्य** ॥ ६ ॥ (आश्व० गृह्यसूत्र १।१९।६)—ब्राह्मण के सोलह, क्षत्रिय के बाईस और वैश्य के बालक का चौबीस वर्ष से पूर्व-पूर्व यज्ञोपवीत होना चाहिये।"

(सं० वि० ६५)

उपनयन से पतित व्रात्यों का लक्षण—

अत ऊर्ध्वं त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः।
सावित्रीपतिता व्रात्या भवन्त्यार्यविगर्हिताः ॥१४॥ [२।३९] (१४)

(यथाकालम्+असंस्कृताः) निर्धारित समय पर संस्कार न होने पर (अतः+ऊर्ध्वम्) इस [२। १३] अवस्था के बीतने के बाद (एते त्रयः+अपि) ये तीनों [ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य] ही (सावित्रीपतिताः) सावित्री-यज्ञोपवीत से पतित हुए (आर्यविगर्हिताः) आर्य=श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा निन्दित (व्रात्याः भवन्ति) 'व्रात्या'=व्रत से पतित व्रात्यसंज्ञक कहलाते हैं ॥ १४ ॥

अनुशीलन : "**अतः ऊर्ध्वं पतितसावित्रीका भवन्ति** ॥ ६ ॥

(आश्व० गृ० सू० १। १९। ६)

※ [प्रचलित अर्थ—सोलह वर्ष तक ब्राह्मण की, बाईस वर्ष तक क्षत्रिय की और चौबीस वर्ष तक वैश्य की सावित्री का उल्लंघन नहीं होता। (अतः उक्त अवस्था होने के पहले ही तीनों वर्णों का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिये) ॥ । ३८]

यदि पूर्वोक्त काल में इनका यज्ञोपवीत न हो तो वे पतित माने जावें।"
(सं० वि० ६५)

व्रात्यों के साथ सम्बन्धविच्छेद का कथन—

नैतैरपूतैर्विधिवदापद्यपि हि कर्हिचित्।
ब्राह्मान्योनांश्च सम्बन्धानाचरेद् ब्राह्मणः सह ॥१५॥
[२।४०] (१५)

(ब्राह्मणः) द्विजों में कोई भी व्यक्ति (एतैः+अपूतैः सह) इन पतितों के साथ (कर्हिचित् आपदि+अपि हि) कभी आपत्काल में भी (विधिवत्) नियम पूर्वक (ब्राह्मान्) विद्याध्ययन-अध्यापन-सम्बन्धी (च) और (यौनान्) विवाह-सम्बन्धी (सम्बन्धान्) व्यवहारों को (न आचरेत्) न करे ॥ १५ ॥

वर्णानुसार मृगचर्मों का विधान—

कार्ष्णरौरववास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणः।
वसीरन्नानुपूर्व्येण शाणक्षौमाविकानि च ॥१६॥[२।४१](१६)

(ब्रह्मचारिणः) तीनों वर्णों के ब्रह्मचारी (आनुपूर्व्येण) क्रमशः (कार्ष्णरौरव-वास्तानि चर्माणि) [आसन के रूप में बिछाने के लिए] काला मृग, रुरुमृग और बकरे के चर्म को (च) तथा [ओढ़ने-पहरने के लिये] (शाणक्षौम-आविकानि) सन, रेशम और ऊन के वस्त्रों को (वसीरन्) धारण करें ॥ १६ ॥

"एक-एक मृगचर्म उनके बैठने के लिए··· देना चाहिए।" (सं०वि०७५)

मेखला-विधान—

मौञ्जी त्रिवृत्समा श्लक्ष्णा कार्या विप्रस्य मेखला।
क्षत्रियस्य तु मौर्वी ज्या वैश्यस्य शणतान्तवी ॥१७॥[२।४२](१७)

(विप्रस्य) ब्राह्मण की (मेखला) मेखला=तगड़ी (मौञ्जी) 'मूंज' नामक घास की बनी होनी चाहिए (क्षत्रियस्य मौर्वी ज्या) क्षत्रिय की धनुष की डोरी जिससे बनती है उस 'मुरा' नामक घास की, और (वैश्यस्य) वैश्य की (शणतान्तवी) सन के सूत की बनी हो जो (त्रिवृत् समा) तीन लड़ों को एकत्र बांटकरके (श्लक्ष्णा कार्या) चिकनी बनानी चाहिए ॥१७॥

"आचार्य सुन्दर चिकनी प्रथम बनाके रखी हुई मेखला को बालक के कटि में बांधे।"

"ब्राह्मण की मूंज वा दर्भ की, क्षत्रिय की धनुषं संज्ञक तृण या वल्कल की और वैश्य की ऊन वा शण की मेखला होनी चाहिए।"(सं० वि० ७५)

मेखलाओं का विकल्प—

मुञ्जालाभे तु कर्तव्याः कुशाश्मन्तकबल्वजैः ।
त्रिवृता ग्रन्थिनैकेन त्रिभिः पञ्चभिरेव वा ॥१८॥ [२।४३](१८)

(मुञ्जालाभे तु) यदि उपर्युक्त मूंज आदि न मिलें तो [क्रमशः] (कुश+अश्मन्तक-बल्वजैः) कुश, अश्मन्तक और बल्वज नामक घासों से (त्रिवृता) उसी प्रकार तिगुनी=तीन बटों वाली करके (एकेन ग्रन्थिना) फिर एक गांठ लगाकर (वा) अथवा (त्रिभिः पञ्चभिः+एव) तीन या पांच गांठ लगाकर (कर्त्तव्याः) मेखलाएं बनानी चाहिएँ ॥१८॥

वर्णानुसार यज्ञोपवीत—

कार्पासमुपवीतं स्याद्विप्रस्योर्ध्ववृतं त्रिवृत् ।
शणसूत्रमयं राज्ञो वैश्यस्याविकसौत्रिकम् ॥१९॥[२।४४](१९)

(विप्रस्य) ब्राह्मण का (उपवीतम्) यज्ञोपवीत (कार्पासम्) कपास का बना (राज्ञः) क्षत्रिय का (शणसूत्रमयम्) सन के सूत का बना और (वैश्यस्य) वैश्य का (आविक-सौत्रिकम्) भेड़ की ऊन के सूत का बना (स्यात्) होना चाहिए, वह उपवीत (ऊर्ध्ववृतम्) दाहिनी ओर से बायीं ओर का बटा हुआ, और (त्रिवृत्) तीन लड़ों से तिगुना करके बना हुआ होना चाहिए ॥१९॥

वर्णानुसार दण्डविधान—

ब्राह्मणो बैल्वपालाशौ क्षत्रियो वाटखादिरौ ।
पैलवौदुम्बरौ वैश्यो दण्डानर्हन्ति धर्मतः ॥२०॥ [२।४५](२०)

(ब्राह्मणः) ब्राह्मण (बैल्व-पालाशौ) बेल या ढाक के (क्षत्रियः) क्षत्रिय (वाट-खादिरौ) बड़ या खैर के (वैश्यः) वैश्य (पैलव+औदुम्बरौ) पीपल या गूलर के (दण्डान्) दण्डों को (धर्मतः) नियमानुसार (अर्हन्ति) धारण कर सकते हैं ॥२०॥

दण्डों का वर्णानुसार मान—

केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्यः प्रमाणतः ।
ललाटसंमितो राज्ञः स्यात्तु नासान्तिको विशः ॥२१॥[२।४६](२१)

(प्रमाणतः) माप के अनुसार (ब्राह्मणस्य दण्डः) ब्राह्मण का दण्ड (केशान्तिकः) केशों तक (राज्ञः ललाटसंमितः) क्षत्रिय का माथे तक (कार्यः) बनाना चाहिए (तु) और (विशः) वैश्य का (नासान्तिकः स्यात्) नाक तक ऊंचा होना चाहिये ॥२१॥

दण्डों का स्वरूप—

ऋजवस्ते तु सर्वे स्युरव्रणाः सौम्यदर्शनाः ।
अनुद्वेगकरा नृणां सत्वचोऽनग्निदूषिताः ॥२२॥[२।४७](२२)

(ते तु सर्वे) वे सब दण्ड (ऋजवः) सीधे (अव्रणाः) बिना गाँठ वाले (सौम्यदर्शनाः) देखने में प्रिय लगने वाले (नृणाम् अनुद्वेगकराः) मनुष्यों को बुरे या डरावने न लगने वाले (सत्वचः) छालसहित और (अनग्निदूषिताः) बिना जले-झुलसे (स्युः) होने चाहियें ॥२२॥

अनुशीलन : २० से २२ तक के श्लोकों का भाव महर्षि-दयानन्द ने निम्न प्रकार दिया है—

"ब्राह्मण के बालक को खड़ा रख के भूमि से ललाट के केशों तक पलाश वा बिल्ववृक्ष का, क्षत्रिय को वट वा खदिर का ललाट भ्रू तक, वैश्य को पीलू वा गूलर वृक्ष का नासिका के अग्रभाग तक दंड प्रमाण और वे दंड चिकने, सूधे हों, अग्नि में जले, टेढ़े, कीड़ों के खाये हुये नहीं हों ." (सं० वि० ७५)

भिक्षा-विधान—

प्रतिगृह्य प्सितं दण्डमुपस्थाय च भास्करम् ।
प्रदक्षिणं परीत्याग्निं चरेद् भैक्षं यथाविधि ॥२३॥]२।४८](२३)

(ईप्सितं दण्डं प्रतिगृह्य) ऊपर वर्णित [२०-२२] दण्डों में अपने योग्य दण्ड धारण करके (च) और (भास्करम् उपस्थाय) सूर्य के सामने खड़ा होके (अग्निं प्रदक्षिणं परीत्य) यज्ञाग्नि की प्रदक्षिणा—परिक्रमा करके (यथाविधि) विधि-अनुसार [२।२४-२५] (भैक्षं चरेत्) भिक्षा मांगे ॥२३॥

भिक्षा-विधि—

भवत्पूर्वं चरेद् भैक्षमुपनीतो द्विजोत्तमः ।
भवन्मध्यं तु राजन्यो वैश्यस्तु भवदुत्तरम् ॥२४॥[२।४९](२४)

(उपनीतः द्विजोत्तमः) यज्ञोपवीत संस्कार में दीक्षित ब्राह्मण (भवत्पूर्वं भैक्षं चरेत्) 'भवत्' शब्द को वाक्य के पहले जोड़कर, जैसे—'भवान् भिक्षां ददातु' या 'भवती भिक्षां ददातु' कहकर भिक्षा मांगे (तु) और (राजन्यः) क्षत्रिय (भवत्-मध्यम्) 'भवत्' शब्द को वाक्य के बीच में लगाकर, जैसे—'भिक्षां भवान् ददातु' या 'भिक्षां भवती ददातु' कहकर भिक्षा मांगे (तु) और (वैश्यः) वैश्य (भवत्+उत्तरम्) 'भवत्' शब्द को वाक्य के बाद में जोड़कर, जैसे—'भिक्षां ददातु भवान्' या 'भिक्षां ददातु भवती' कहकर भिक्षा मांगे ॥२४॥

"ब्राह्मण का बालक यदि पुरुष से भिक्षा मांगे तो 'भवान् भिक्षां ददातु' और जो स्त्री से मांगे तो 'भवती भिक्षां ददातु' और क्षत्रिय का बालक 'भिक्षां भवान् ददातु' और स्त्री से 'भिक्षां भवती ददातु', वैश्य का बालक 'भिक्षां ददातु भवान्' और 'भिक्षां ददातु भवती' ऐसा वाक्य बोले।"
(सं० वि० ७७)

भिक्षा किन से मांगे—

मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं निजाम्।
भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या चैनं नावमानयेत् ॥२५॥[२।५०](२५)

[इन ब्रह्मचारियों को] (मातरं वा स्वसारम्) माता या बहन से (वा मातुः निजां भगिनीम्) अथवा माता की सगी बहन अर्थात् सगी मौसी से (च) और (या एनं न+अवमानयेत्) जो इस भिक्षार्थी का अपमान न करे उससे (प्रथमं भिक्षां भिक्षेत) पहले भिक्षा मांगे ॥२५॥

अनुशीलन : श्लोक २३ और २५ का भाव महर्षि-दयानन्द ने निम्न प्रकार ग्रहण किया है—

"तत्पश्चात् ब्रह्मचारी यज्ञकुण्ड की प्रदक्षिणा करके कुण्ड के पश्चिम भाग में खड़ा रहके माता-पिता, बहन-भाई, मामा-मौसी, चाचा आदि से लेके जो भिक्षा देने में नकार न करें उनसे भिक्षा मांगे।" (सं० वि० ७७)

गुरु को भिक्षा-समर्पण—

समाहृत्य तु तद्भैक्षं यावदन्नममायया।
निवेद्य गुरवेऽश्नीयादाचम्य प्राङ्मुखः शुचिः ॥२६॥[२।५१](२६)

(तत् भैक्षं तु समाहृत्य) उस भिक्षा को आवश्यकतानुसार लाकर (यावत्+अन्नम्) जितनी भी वह भोज्य सामग्री हो उसे (अमायया) निष्कपट भाव से (गुरवे निवेद्य) गुरु को निवेदित करके (शुचिः) स्वच्छ होकर (प्राङ्मुखः) पूर्व की ओर मुख करके (आचम्य) आचमन करके (अश्नीयात्) खाये ॥२६॥

"जितनी भिक्षा मिले वह आचार्य के आगे धर देवी, तत्पश्चात् आचार्य उसमें से कुछ थोड़ा-सा अन्न लेके वह सब भिक्षा बालक को दे देवे और वह बालक उस भिक्षा को अपने भोजन के लिए रख छोड़े।"
(सं० वि० ७८)

चारों दिशाओं की ओर मुख करके भोजन करने का फल—

आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङ्क्ते यशस्यं दक्षिणामुखः ।
श्रियं प्रत्यङ्मुखो भुङ्क्ते ऋतं भुङ्क्ते ह्युदङ्मुखः॥२७॥ [२।५२]

(प्राङ्मुखः) पूर्व की ओर मुख करके खाने वाला (आयुष्यं भुङ्क्ते) अधिक आयु को भोगता है (दक्षिणामुखः यशस्यं भुङ्क्ते) दक्षिण की ओर मुख करके खाने वाला अधिक यश को पाता है (प्रत्यङ्मुखः श्रियं भुङ्क्ते) पश्चिम की ओर मुख करके खाने वाला धन को भोगता है और (उदङ्मुखः ऋतं भुङ्क्ते) उत्तर की ओर मुख करके खाने वाला सत्य को प्राप्त करता है ॥२७॥

अनुशीलन : २७ वां श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होता है—

१. **अन्तर्विरोध**—२६ वें श्लोक में उपनयन विधि में केवल पूर्वाभिमुख होकर खाने का विधान है, जबकि, इसमें चारों दिशाओं में खाने का निर्देश है। यह पूर्व विधान से भिन्न होने के कारण विरुद्ध है।

२. **प्रसंगविरोध**—२६ वें श्लोक में केवल पूर्वाभिमुख होकर खाने की चर्चा थी। प्रसंगानुसार उसका महत्त्व दर्शाना तो प्रासंगिक हो सकता था, किन्तु इस श्लोक में चारों ही दिशाओं का महत्त्व दर्शाया गया है। इनमें तीन दिशाओं की कोई चर्चा या प्रसंग नहीं है। अतः प्रसंग के बिना ही इनका वर्णन करना प्रसंगविरुद्ध है।

३. **शैलीगत आधार**—इस श्लोक की शैली निराधार, अयुक्तियुक्त एवं अतिशयोक्तिपूर्ण है। भोजन करने का दिशाओं के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, और न यश, आदि की प्राप्ति का कोई सम्बन्ध है। और यदि इतने सस्ते में ये लाभ प्राप्त हो सकते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिएँ, क्योंकि सभी किसी न किसी दिशा में मुख करके ही भोजन करते हैं। यदि इतनी आसानी से ये चीजें प्राप्त हो सकती हैं तो फिर इनकी प्राप्ति के लिए कठिन प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है? इसके अनुसार तो कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहना चाहिए! यह इस प्रकार की शैली मनु की नहीं है।

भोजन से पूर्व आचमन विधान—

उपस्पृश्य द्विजो नित्यमन्नमद्यात्समाहितः ।
भुक्त्वा चोपस्पृशेत्सम्यगद्भिः खानि च संस्पृशेत् ॥२८॥[२।५३](२७)

(द्विजः) द्विज (नित्यम्) प्रतिदिन (उपस्पृश्य) आचमन करके (समाहितः) एकाग्र मन से (अन्नम्+अद्यात्) भोजन खाये (च) और (भुक्त्वा) खाकर (सम्यक्) अच्छी प्रकार (उपस्पृशेत्) कुल्ला करे (च) तथा (अद्भिः खानि संस्पृशेत्) जल से नाक, मुख, नेत्र आदि इन्द्रियों का स्पर्श करे अर्थात् धोये ॥ २८ ॥

"नित्य·····भोजन के पूर्व शुद्ध जल का आचमन किया करे।"
(सं० वि० ७६)

भोजन-सम्बन्धी आवश्यक विधान—

पूजयेदशनं नित्यमद्याच्चैतदकुत्सयन्।
दृष्ट्वा हृष्येत्प्रसीदेच्च प्रतिनन्देच्च सर्वशः॥ २९॥[२।५४](२८)

(नित्यम्) प्रतिदिन खाते हुए (अशनं पूजयेत्) भोज्य पदार्थ का आदर करे (च) और (एतद्+अकुत्सयन्+अद्यात्) इसे निन्दाभाव से रहित होकर अर्थात् श्रद्धापूर्वक खाये (दृष्ट्वा हृष्येत् च प्रसीदेत्) भोजन को देख कर मन में उल्लास और प्रसन्नता की भावना करे (च) तथा (सर्वशः प्रतिनन्देत्) उसकी सर्वदा प्रशंसा करे॥२९॥

पूजितं ह्यशनं नित्यं बलमूर्जं च यच्छति।
अपूजितं तु तद् भुक्तमुभयं नाशयेदिदम्॥ ३०॥[२।५५](२९)

(हि) क्योंकि (पूजितम् अशनम्) श्रद्धा-आदरपूर्वक किया हुआ भोजन (नित्यं बलं च ऊर्जं यच्छति) सदैव बल और स्फूर्ति देने वाला होता है (तु तत्+अपूजितम्) और वह अनादरपूर्वक (भुक्तम्) खाया हुआ (इदम् उभयं नाशयेत्) इन दोनों, बल और स्फूर्ति को नष्ट करता है॥३०॥

नोच्छिष्टं कस्यचिद्दद्यान्नाद्याच्चैव तथान्तरा।
न चैवात्यशनं कुर्यान्न चोच्छिष्टः क्वचिद् व्रजेत्॥ ३१॥
[२।५६](३०)

(न कस्यचित्+उच्छिष्टं दद्यात्) न किसी को अपना झूठा पदार्थ दे (च) और (तथा एव न अन्तरा अद्यात्) उसी प्रकार न किसी भोजन के बीच आप खावे (न चैव अति-अशनं कुर्यात्) न अधिक भोजन करे (च) और (न उच्छिष्टः क्वचिद् व्रजेत्) न भोजन किये पश्चात् हाथ मुख धोये बिना कहीं इधर-उधर जाय॥३१॥ (स० प्र० पृ० २६७)

अनुशीलन : **उच्छिष्ट खाने में दोष**—उच्छिष्ट भोजन के प्रसङ्ग में महर्षि दयानन्द ने विस्तृत प्रकाश डाला है, जो उल्लेखनीय है—

प्रश्न—एकसाथ खाने में कुछ दोष है वा नहीं?

उत्तर—दोष है। क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव और प्रकृति नहीं मिलती। जैसे कुष्ठी आदि के साथ खाने से अच्छे मनुष्य का रुधिर बिगड़ जाता है, वैसे दूसरे के साथ खाने में भी कुछ बिगाड़ ही होता है; सुधार नहीं।

प्रश्न—"**गुरोरुच्छिष्टभोजनम्**" इस वाक्य का क्या अर्थ होगा?

उत्तर—इसका यह अर्थ है कि गुरु के भोजन किये पश्चात् जो पृथक् अन्न शुद्ध स्थित है, उसका भोजन करना अर्थात् गुरु को प्रथम भोजन कराके शिष्य को भोजन करना चाहिए।

प्रश्न—जो उच्छिष्ट मात्र का निषेध है तो मक्खियों का उच्छिष्ट सहत, बछड़े का उच्छिष्ट दूध और एक ग्रास खाने के पश्चात् अपना भी उच्छिष्ट होता है, पुनः उनको भी न खाना चाहिए।

उत्तर—सहत कथन मात्र ही उच्छिष्ट होता है परन्तु वह बहुत ही ओषधियों का सार ग्राह्य; बछड़ा अपनी माँ के बाहर का दूध पीता है भीतर के दूध को नहीं पी सकता इसलिये उच्छिष्ट नहीं परन्तु बछड़े के पिये पश्चात् जल से उसकी माँ का स्तन धोकर शुद्ध पात्र में दोहना चाहिए। और अपना उच्छिष्ट अपने को विकारकारक नहीं होता। देखो ! स्वभाव से यह सिद्ध है कि किसी का उच्छिष्ट का कोई भी न खाये। जैसे अपने मुख, नाक, आँख, उपस्थ और गुह्येन्द्रियों के मलमूत्रादि के स्पर्श से घृणा नहीं होती वैसे किसी दूसरे के मलमूत्र के स्पर्श में होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह व्यवहार सृष्टिक्रम से विपरीत नहीं है। इसलिये मनुष्यमात्र को उचित है कि किसी का उच्छिष्ट अर्थात् झूठा न खाय।

प्रश्न—भला स्त्री-पुरुष भी परस्पर उच्छिष्ट न खावें ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि उनके भी शरीरों का स्वभाव भिन्न-भिन्न है"।

(स० प्र० दशम समुल्लास)

अनारोग्यमनायुष्यमस्वर्ग्यं चातिभोजनम्।
अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥३२॥[२।५७](३१)

(अतिभोजनम्) अधिक भोजन करना (अनारोग्यम्) स्वास्थ्यनाशक (अनायुष्यम्) आयुनाशक (अस्वर्ग्यम्) सुख-नाशक (अपुण्यम्) अहितकर (च) और (लोकविद्विष्टम्) लोगों द्वारा निन्दित माना गया है (तस्मात्) इसलिए (तत्) उस अधिक भोजन करने को (परिवर्जयेत्) छोड़ देवे ॥३२॥

आचमन-विधि—

ब्राह्मेण विप्रस्तीर्थेन नित्यकालमुपस्पृशेत्।
कायत्रैदशिकाभ्यां वा न पित्र्येण कदाचन ॥३३॥[२।५८](३२)
अङ्गुष्ठमूलस्य तले ब्राह्मं तीर्थं प्रचक्षते।
कायमङ्गुलिमूलेऽग्रे दैवं पित्र्यं तयोरधः ॥३४॥[२।५९](३३)

(विप्रः) द्विज (नित्यकालम्) प्रतिदिन आचमन करते समय (ब्राह्मेण तीर्थेन) ब्राह्मतीर्थ [हाथ के अंगूठे के मूलभाग का स्थान, जिससे कलाई भाग

की ओर से आचमन ग्रहण किया जाता है] से (वा) अथवा (काय-त्रैदशिकाभ्याम्) कायतीर्थ=प्राजापत्य [कनिष्ठा अंगुली के मूलभाग के पास का स्थान] से या त्रैदशिक=देवतीर्थ [=अंगुलियों के अग्रभाग का स्थान] से (उपस्पृशेत्) आचमन करे, (पित्र्येण कदाचन न) पितृतीर्थ [अंगूठे तथा तर्जनी के मध्य का स्थान] से कभी आचमन न करे ॥३३॥

(अंगुष्ठमूलस्य तले) अंगूठे के मूलभाग के नीचे का स्थान (ब्राह्म-तीर्थं प्रचक्षते) ब्राह्मतीर्थ (अंगुलिमूले कायम्) अंगुलियों के मूलभाग का स्थान कायतीर्थ (अग्रे दैवम्) अंगुलियों के अग्रभाग का स्थान दैवतीर्थ और (तयोः+अधः पित्र्यम्) अंगुलियों और अंगूठे का मध्यवर्ती मूल भाग का स्थान पितृतीर्थ (प्रचक्षते) कहा जाता है ॥३४॥

त्रिराचामेदपः पूर्वं द्विः प्रमृज्यात्ततो मुखम् ।
खानि चैव स्पृशेदद्भिरात्मानं शिर एव च ॥३५॥ [२।६०] (३४)

(पूर्वं अपः त्रिः+आचमेत्) पहले जल का तीन बार आचमन करे (ततः) उसके बाद (मुखं द्विः प्रमृज्यात्) मुख को दो बार धोये (च) और (खानि एव) नाक, कान, नेत्र आदि इन्द्रियों को (आत्मानं च शिरः एव) हृदय और सिर को भी (अद्भिः) जल से (स्पृशेत्) स्पर्श करे ॥३५॥

अनुष्णाभिरफेनाभिरद्भिस्तीर्थेन धर्मवित् ।
शौचेप्सुः सर्वदाचामेदेकान्ते प्रागुदङ्मुखः ॥३६॥ [२।६१]

(शौचेप्सुः धर्मवित्) पवित्रता का इच्छुक धर्मात्मा व्यक्ति (अनुष्णाभिः+अफेनाभिः+अद्भिः) ठंडे, झागरहित जल से (एकान्ते प्राग्+उदङ्मुखः) एकान्त स्थान में पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके (सर्वदा तीर्थेन आचमेत्) सदैव तीर्थस्थान से ही आचमन करे ॥३६॥

हृद्गाभिः पूयते विप्रः, कण्ठगाभिस्तु भूमिपः ।
वैश्योऽद्भिः प्राशिताभिस्तु, शूद्रः स्पृष्टाभिरन्ततः ॥३७॥ [२।६२]

(विप्रः हृद्गाभिः) ब्राह्मण हृदय तक गए हुए (भूमिपः कण्ठगाभिः) क्षत्रिय कण्ठ तक गए हुए (वैश्यः प्राशिताभिः) वैश्य मुख में गए हुए (शूद्रः अन्ततः स्पृष्टाभिः) शूद्र ओठों से स्पर्श किए हुए (अद्भिः पूयते) आचमन के जल से पवित्र होता है ॥३७॥

अनुशीलन : ३६-३७ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—३६ वें श्लोक के विधान का मनुस्मृति के आचमनवर्णन संबन्धी अन्य विधानों से तालमेल नहीं बैठता—(१) २।१६७ श्लोक में दोनों संध्याओं में आचमन करके गायत्री का जप करने का विधान है। २।७६–७७ में भी दोनों संध्याओं में गायत्री के जप का विधान है। इन श्लोकों में किसी दिशाविशेष की ओर मुख करके

आचमन या संध्या करने का निर्देश नहीं है, जिससे यह संकेत मिलता है कि जप या संध्या किसी भी दिशा की ओर मुख करके की जा सकती है। जिस ओर मुख करके व्यक्ति संध्या करेगा उसी स्थिति में ही आचमन करेगा। यहां जो पूर्व या उत्तराभिमुख होकर भी आचमन करने का विधान है, इसकी उक्त वर्णन से तालमेल न बैठनेके कारण अन्त-विरुद्धता आ जाती है। (२) इस श्लोक में जो एकान्त में आचमन करने का निर्देश है, उसका भी विरोध बनता है। २। २६ में उपनयन संस्कार के अवसर पर आचमन करने का विधान किया है। इसी प्रकार सभी संस्कारों और यज्ञों में भी लोगों के बीच आचमन किया जाता है। अतः एकान्त में आचमन का निर्देश देने वाली विधि इससे तालमेल न खाने से इनके विरुद्ध है।

२. **प्रसंगविरोध**—२। १, २, ११—१४, ४३ श्लोकों से पहले स्पष्टरूप से सिद्ध है कि यहां द्विजातियों के कर्मों का और उन्हीं की उपनयन विधि के वर्णन का प्रसंग है, शूद्र का इस विधि से कोई संबन्ध ही नहीं है। किन्तु ३७ वें श्लोक में शूद्र की आचमन शुद्धि का भी वर्णन किया जा रहा है। इससे इस श्लोक की प्रसंगविरुद्धता स्पष्ट होती है।

३. **शैलीगत आधार**—३७वें श्लोक की शैली अयुक्तियुक्त, निराधार एवं अति-शयोक्तिपूर्ण है। चारों वर्णों के व्यक्तियों में कोई शरीररचना की भिन्नता नहीं है, जो कोई तो आचमनजल के स्पर्शमात्र से शुद्ध हो जाये और कोई कण्ठ, हृदय या मुख में जाने मात्र से। यह तो मात्र एक प्रक्रिया है। इसी से जीवन की शुद्धता मान लेना अति-शयोक्ति है। यदि इसी से इतनी शुद्धता मिल जाती है तो फिर अन्य वैदिक क्रियाओं की क्या आवश्यकता रह जायेगी ?

उद्धृते दक्षिणे पाणावुपवीत्युच्यते द्विजः।
सव्ये प्राचीन आवीती, निवीती कण्ठसज्जने ॥३८॥[२।६३](३५)

(द्विजः) द्विज (दक्षिणे पाणौ उद्धृते) दाहिने हाथ को ऊपर रखने की अवस्था में [अर्थात् जब द्विज यज्ञोपवीत को दायें हाथ और कन्धे के नीचे लटकाकर तथा बायें कन्धे के ऊपर रखकर पहनता है, तब] (उपवीति) 'उपवीती' (सव्ये) बायें हाथ को ऊपर रखकर पहनने की अवस्था में (प्राचीन आवीती) 'प्राचीन आवीति' और (कण्ठसज्जने) गले में माला के समान पहनने की अवस्था में (निवीती) 'निवीती' (उच्यते) कहलाता है॥ ३८॥

मेखलादि की पुनर्ग्रहण-विधि—

मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डलुम्।
अप्सु प्रास्य विनष्टानि गृह्णीतान्यानि मन्त्रवत् ॥३९॥[२। ६४](३६)

(मेखलाम्+अजिनं दण्डम्+उपवीतं कमण्डलुम्) मेखला, मृगचर्म, दण्ड, यज्ञोपवीत, कमण्डलु (विनष्टानि) इनके बेकार होने पर (अप्सु प्रास्य) इन्हें बहते जल में फेंककर (अन्यानि) दूसरे नयों को (मन्त्रवत् गृह्णीत) मन्त्रपूर्वक धारण करे ॥ ३९ ॥

अनुशीलन : नष्ट उपवीत, दण्ड आदि का जल में प्रक्षेपण क्यों— इस श्लोक में वर्णित पदार्थों को मनु ने जल में डालने का जो विधान किया है उससे 'बहते जल' से अभिप्राय है। क्योंकि स्थिर जल में किसी पदार्थ को डालने से गन्दगी बढ़ती है। स्थिर जल गन्दा भी होता है। इसी लिए मनु ने स्नान आदि सभी प्रयोगों के लिए बहते जल के प्रयोग का ही विधान किया है (द्रष्टव्य ४। २०३ श्लोक)।

केशान्त संस्करण कर्म—

केशान्तः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते।
राजन्यबन्धोर्द्वाविंशे वैश्यस्य द्व्यधिके ततः ॥४०॥ [२६५] (३७)

(ब्राह्मणस्य) ब्राह्मण के (षोडशे) सोलहवें (राजन्यबन्धोः द्वाविंशे) क्षत्रिय के बाईसवें (वैश्यस्य) वैश्य के (ततः द्व्यधिके) [उससे दो वर्ष अधिक] अर्थात् चौबीसवें (वर्षे) वर्ष में (केशान्तः विधीयते) केशान्त कर्म=क्षौर मुंडन हो जाना चाहिए।

अर्थात् इस विधि के पश्चात् केवल शिखा को रखके अन्य दाढ़ी मूंछ और शिर के बाल सदा मुंडवाते रहना चाहिए अर्थात् पुनः कभी न रखना और जो शीतप्रधान देश हो तो कामचार है, चाहे जितना केश रखे। और जो अति उष्ण देश हो तो सब शिखा सहित छेदन करा देना चाहिये, क्यों कि शिर में बाल रखने से उष्णता अधिक होती है और उससे बुद्धि कम हो जाती है। डाढ़ी मूंछ रखने से भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं होता और उच्छिष्ट भी बालों में रह जाता है। ॥ ४० ॥ (स० प्र० २५८)

स्त्रियों के लिए मन्त्ररहित संस्कारों का विधान—

अमन्त्रिका तु कार्येयं स्त्रीणामावृदशेषतः।
संस्कारार्थं शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम् ॥ ४१ ॥ [२। ६६]

(स्त्रीणाम् इयम् आवृत्) स्त्रियों की यह संस्कार की क्रिया (शरीरस्य संस्कारार्थम्) शरीर की पवित्रता के लिए (यथाकालं यथाक्रमम्) यथासमय और उपयुक्त क्रमानुसार (अशेषतः अमन्त्रिका कार्या) पूर्णतः मन्त्ररहित करनी चाहिए ॥ ४१ ॥

वैवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारो वैदिकः स्मृतः।
पतिसेवा गुरौ वासो गृहार्थोऽग्निपरिक्रिया ॥ ४२ ॥ [२। ६७]

(स्त्रीणां वैवाहिकः विधिः) स्त्रियों का विवाह संस्कार (वैदिकः संस्कारः

स्मृतः) उनका वेदोक्त (उपनयन) संस्कार कहा है [अर्थात् उनके लिए पृथक् से उपनयन संस्कार की आवश्यकता नहीं] (पति-सेवा गुरौ वासः) पति की सेवा करना गुरुकुल-वास है (गृहार्थः+अग्निपरिक्रिया) घर के काम ही अग्निहोत्रादि धार्मिक क्रियायें हैं [अर्थात् पृथक् से उनके लिए गुरुकुल-निवास और यज्ञादि की आवश्यकता नहीं] ॥ ४२ ॥

अनुशीलन : ४१ एवं ४२ वां श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. **अन्तर्विरोध : स्त्रियों को वेदाध्ययन एवं उपवीत का अधिकार मनुसम्मत**—मनुस्मृति के विभिन्न विधानों से ऐसे संकेत मिलते हैं कि जिनसे यह स्पष्ट होता है कि मनु प्रत्येक धर्मकार्य में स्त्री-पुरुष का समान अधिकार समझते हैं। उक्त दोनों श्लोकों में वर्णित बातें मनुविरोधी हैं—(१) २।४ [२।२६] श्लोक में जातकर्म के अवसर पर बालक के लिए चाहे वह कन्या हो अथवा पुत्र, दोनों के ही लिए मन्त्रोच्चारणपूर्वक शहद चटाने का विधान है **"मन्त्रवत् प्राशनं चास्य"**। इससे स्पष्टतः सिद्ध है कि मनु मन्त्रोच्चारण या श्रवण आदि कार्यों में स्त्री-पुरुष का भेद नहीं करते। इसी प्रकार नामकरण आदि भी यज्ञ और मन्त्रपूर्वक करने का विधान है [२।८]। इस प्रकार ४१ वें श्लोक में स्त्रियों के लिये मन्त्रों के निषेध का विधान इस मान्यता के विरुद्ध है।

(२) इसी प्रकार ३।२८ में अग्निहोत्रपूर्वक स्त्रियों का दैवविवाह करने का विधान किया है। अग्निहोत्र में मन्त्रोच्चारण हुआ ही करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मनु स्त्रियों की क्रियाएं मन्त्ररहित नहीं मानते। स्त्रियों की अन्त्येष्टि भी अग्निहोत्र से विहित है [५।१६७,] विवाह भी स्वस्तिमन्त्रपूर्वक यज्ञ से विहित है[५।१५२]। ४१ वें श्लोक में स्त्रियों के लिए मन्त्ररहित क्रियाओं का विधान इस विधान के विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है।

(३) मनु ने घर में अग्निहोत्र आदि धर्मकार्यों के आयोजन की मुख्य जिम्मेदारी स्त्री को ही सौंपी है और यह आदेश दिया है कि पुरुष को प्रत्येक धर्मकार्य स्त्री को साथ लेकर करना चाहिए—(क) **"शौचे धर्मे अन्नपक्त्यां च"**(घर की शुद्धि, धर्मकार्यों का आयोजन और भोजन बनाना आदि की जिम्मेदारी स्त्री को सौंपे) [९।११] (ख) **"अपत्यं धर्मकार्याणि"** [९।२८] (सन्तानोत्पत्ति और उनका पालन, अग्निहोत्र आदि धर्मकार्य स्त्री के अधीन होते है)। (ग) **"तस्मात् साधारणो धर्मः श्रुतौ पत्न्या सहोदितः"** [९।९६] (साधारण से साधारण धर्मकार्य में भी पत्नी को सम्मिलित करना चाहिए)। इसी प्रकार २।१—३ [२।२६—२८] श्लोकों में मनु ने संस्कारों को सभी के लिए समान रूप से आवश्यक मानते हुए शारीरिक एवं संस्कार-सम्बन्धी दोषों को हटाने वाला कहा है। वहां स्त्री-पुरुष का कोई भेद नहीं माना। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं—एक तो यह कि सभी संस्कार मन्त्रपूर्वक होते हैं,

अतः चाहे वह संस्कार स्त्री का हो अथवा पुरुष का, मन्त्रपूर्वक ही करना चाहिए। दूसरी यह है कि संस्कार द्विजाति वर्ग के सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक हैं, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष। इन दोनों श्लोकों में स्त्रियों के लिए मन्त्ररहित क्रियाओं का विधान, विवाह को ही उपनयन संस्कार मानना, पतिसेवा को ही ब्रह्मचर्याश्रम मानना, घर के कामों को ही अग्निहोत्र मानना, उक्त विधानों के विरुद्ध हैं, अतः ये प्रक्षिप्त हैं।

२. **प्रसंगविरुद्ध**—२। ४३ [२। ६८] वें श्लोक में इस प्रसंग को समाप्त करते हुए अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि—**"एषः प्रोक्तः द्विजातीनाम् औपनायनिको विधिः"** अर्थात् 'यह द्विजों के उपनयन संस्कार की विधि कही है।' इससे ज्ञात होता है कि यहां केवल उपनयन संस्कार की विधि का प्रसंग है। इन दोनों श्लोकों में उपनयन संस्कार की विधि न होकर प्रसंगभिन्न बातें हैं, अतः ये प्रसंगविरुद्ध हैं।

३. **वेदविरुद्ध—स्त्रियों के वेदाध्ययन में वेद के प्रमाण**—इन श्लोकों में स्त्रियों के लिए वेदमन्त्रों का उच्चारण न करने आदि का कथन है। अतः यहां यह विचार कर लेना भी उपयोगी रहेगा कि इस विषय में स्वयं वेद क्या कहते हैं। (क) वेदों में सभी के लिए वेदवाणी का विधान है—**"यथेमां वाचं कल्याणीम् आवदानि जनेभ्यः। ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय·····"** (यजुः २६।२) अर्थात्—"परमेश्वर कहता है कि (यथा) जैसे मैं (जनेभ्यः) सब मनुष्यों के लिए (इमाम्) इस (कल्याणीम्) कल्याण अर्थात् संसार और मुक्ति के सुख देनेहारी (वाचम्) ऋग्वेदादि चारों वेदों की वाणी का (आवदानि) उपदेश करता हूँ वैसे तुम भी किया करो। ····· ·····(ब्रह्मराजन्याभ्याम्) ब्राह्मण, क्षत्रिय (अर्याय) वैश्य (शूद्राय) शूद्र और (स्वाय) अपने भृत्य वा स्त्रियां आदि (अरणाय) और अतिशूद्रादि के लिए भी वेदों का प्रकाश किया है।" [स० प्र० ७४]। (ख) इसी प्रकार अथर्ववेद में **"ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्"** [३। ५। १८] अर्थात् ब्रह्मचर्याश्रम में रहकर वेदों को पढ़ने और ब्रह्मचर्य को पालन करने के उपरान्त गृहस्थ की कामना करने वाली कन्या युवक पति का वरण करती है'—(ग) स्त्रियों के उपनयन में ऋग्० १०। १०९। ४ मन्त्र भी प्रमाण है— **"भीमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता"**—इन प्रमाणों से स्त्रियों के लिए ब्रह्मचर्याश्रम, गुरुकुलवास आदि विधान सिद्ध होते हैं। (घ) वैदिक काल के इतिहास पर यदि दृष्टि डालकर देखें तो उससे भी स्त्रियों के लिए मन्त्रनिषेध आदि की बातें सही सिद्ध नहीं होतीं। ऐसी बहुत-सी ऋषिकाएं हुई हैं जो मन्त्रद्रष्टा थीं। जिन-जिन सूक्तों के मन्त्रों का उन्होंने अर्थ-रहस्य जाना, उन सूक्तों पर उनके नाम ऋषि के रूप में आज भी उपलब्ध हैं। अकेले ऋग्वेद में ही इस प्रकार की लगभग ३० ऋषिकाओं के नाम आते हैं। उनमें अदिति, जुहू, इन्द्राणी, घोषा, गोधा, अपाला, रोमशा, लोपामुद्रा आदि उदाहरण के रूप में उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार उपनिषदों में गार्गी, मैत्रेयी ब्रह्मतत्त्वज्ञाता देवियों का वर्णन आता है। मनु ने अपनी स्मृति को वेदानुकूल और वेदाधारित माना है [१। १२५—१३२ (२।६—१३); १२। ९४, ९५, ९७, ९९, १०९, ११२, ११३ आदि] इस आधार पर भी ये श्लोक मनुविरुद्ध हैं, अतः प्रक्षिप्त हैं।

४. **प्रवान्तरविरोध**—इन दोनों श्लोकों में परस्पर भी विरोध है, जो इस बात को प्रकट करता है कि ये पृथक्-पृथक् व्यक्तियों द्वारा प्रक्षेप किये गये हैं। ४१ वें में तो कहा है कि 'ये क्रियाएं मन्त्ररहित करनी चाहिए" किन्तु ४२ वें में इन क्रियाओं को स्त्रियों के लिए परोक्षरूप से निषिद्ध कर दिया है। इसमें विवाह को ही उपनयन संस्कार पतिसेवा को ही गुरुकुलवास, घर के कामों को ही अग्निहोत्र कहा है। इस आधार पर भी ये रचनाएं मनुसदृश विद्वान् की सिद्ध नहीं होतीं।

उपनयन विधि की समाप्ति एवं ब्रह्मचारी के कर्मों का कथन—

एष प्रोक्तो द्विजातीनामौपनायनिको विधिः।
उत्पत्तिव्यञ्जकः पुण्यः, कर्मयोगं निबोधत ॥४३॥ [२।६८](३८)

(एषः) यह [२।११—४२] (द्विजातीनाम् उत्पत्तिव्यञ्जकः) द्विजातियों के द्वितीय जन्म को प्रकट करने वाली अर्थात् मनुष्यों को द्विज=ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बनाने वाली (पुण्यः) कल्याण-कारक (औपनायनिकः विधिः) उपनयन संस्कार की विधि (प्रोक्तः) कही, (कर्मयोगं निबोधत) [अब उपनयन में दीक्षित होने वाले द्विज ब्रह्मचारियों के] कर्त्तव्यों को सुनो—॥ ४३ ॥

अनुशीलन : 'उत्पत्तिव्यंजकः' के अधिक स्पष्टीकरण एवं पुष्टि के लिए द्रष्टव्य हैं २।१२१—१२५ (१४६—१५०) श्लोक और उनकी समीक्षाएं।

(ब्रह्मचारियों के कर्त्तव्य)

२।४४ से २।२२४ तक

उपनयन के पश्चात् ब्रह्मचारी को शिक्षा—

उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्षयेच्छौचमादितः।
आचारमग्निकार्यं च सन्ध्योपासनमेव च ॥४४॥[२६९](३९)

(गुरुः) गुरु (शिष्यम् उपनीय) शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कार करके (आदितः) पहले (शौचम्) शुद्धि=स्वच्छता से रहने की विधि (आचारम्) सदाचरण और सद्व्यवहार (अग्निकार्यम्) अग्निहोत्र की विधि (संध्योपासनम्+एव) और सन्ध्या-उपासना की विधि (शिक्षयेत्) सिखाये ॥ ४४ ॥

"सन्ध्यायन्ति सन्ध्यायते वा परब्रह्म यस्यां सा सन्ध्या" अर्थात् भलीभांति जिसमें परमेश्वर का ध्यान करते हैं, अथवा जिसमें परमेश्वर का ध्यान किया जाये, वह 'सन्ध्या' है।

इस प्रकार गायत्री मन्त्र का उपदेश करके संध्योपासन को जो स्नान, आचमन, प्राणायाम आदि क्रिया हैं, सिखलावें। प्रथम स्नान, इसलिए है

कि जिससे शरीर के बाह्य अवयवों की शुद्धि और आरोग्य आदि होते हैं।"
(स० प्र० ३६)

वेदाध्ययन की विधि—

अध्येष्यमाणस्त्वाचान्तो यथाशास्त्रमुदङ्मुखः।
ब्रह्माञ्जलिकृतोऽध्याप्यो लघुवासा जितेन्द्रियः॥ ४५॥ [२।७०]

(अध्येष्यमाणः) पढ़ने की इच्छा वाला (यथाशास्त्रम् आचान्तः) जब शास्त्रोक्त विधि से आचमन करले (उदङ्मुखः) उत्तर की ओर मुख किये हो (ब्रह्माञ्जलिकृतः) ब्रह्माञ्जलि [दोनों हाथों को जोड़े हुए] बांधे हो (लघुवासा) हलके वस्त्र-धारण किये हुए, और (जितेन्द्रियः) एकाग्रचित्त हो तब (अध्याप्यः) पढ़ाने योग्य होता है अथवा तब पढ़ाना चाहिए॥ ४५॥

अनुशीलन : यह श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. **अन्तर्विरोध**—इस श्लोक की व्यवस्था का मनु की अन्य व्यवस्थाओं के साथ तालमेल नहीं बैठता, अपितु विरोध भी आता है—(१) २। १७८ [२०३] श्लोक में कहा गया है कि 'शिष्य गुरु के साथ ऐसे स्थान पर बैठे जहां गुरु की ओर से आने वाली वायु शिष्य की ओर, और शिष्य की ओर से आने वाली वायु गुरु की ओर न आ रही हो।' इस श्लोक के आधार पर यदि केवल उत्तराभिमुख होकर ही पढ़ाने का विधान मान लिया जाये तो उक्त व्यवस्था ही नहीं बनेगी क्योंकि अनेक बार उत्तर-दक्षिण की हवा चलती है। अतः यह विरोध आता है। (२) अध्ययन की जो व्यावहारिक विधि आवश्यक थी वह ४६ वें श्लोक में वर्णित है। ४५ वें श्लोक का ४६ वें श्लोक से कोई सम्बन्ध नहीं है, वह स्वतन्त्र विधिवाक्य है। कोई कहे कि ४५वें श्लोक के 'ब्रह्माञ्जलिकृतः' का ४६ वें में अर्थवाद है, सो यह बात नहीं। ४६ वें श्लोक में "संहत्य हस्तौ अध्येयम्" यह स्वतन्त्र विधि है तथा "स हि ब्रह्माञ्जलिः स्मृतः" यह उस विधि का नामोल्लेख है। दो श्लोकों में ब्रह्माञ्जलि का विधान कोई संगत भी प्रतीत नहीं होता, अतः ४५ वां श्लोक प्रक्षिप्त है। ४६ वें को इस लिए प्रक्षिप्त नहीं कह सकते क्योंकि ७२ वें के साथ वह प्रसंग की दृष्टि से सम्बद्ध है। (३) मनुस्मृति में अन्यत्र अनेक स्थानों पर यज्ञ, संध्या, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञानुष्ठानपूर्वक विवाह आदिका विधान है। इन प्रसंगों में भी वेद-मन्त्रों का उच्चारण होता है। वहां कहीं भी इस प्रकार की कोई शर्त नहीं है कि किस ओर मुख होना चाहिए। अतः यहां उत्तराभिमुख की शर्त भी मनुसम्मत प्रतीत नहीं होती, क्योंकि यह युक्तियुक्त एवं व्यावहारिक नहीं है।

वेदाध्ययन से पहले गुरु को अभिवादन—

ब्रह्मारम्भेऽवसाने च पादौ ग्राह्यौ गुरोः सदा।
संहत्य हस्तावध्येयं स हि ब्रह्माञ्जलिः स्मृतः॥४६॥[२।७१](४०)

(ब्रह्मारम्भे च अवसाने) वेद पढ़ने के आरम्भ और समाप्ति पर (सदा

गुरोः पादौ ग्राह्यौ) सदैव गुरु के दोनों चरणों को छूकर नमस्कार करे [२।४७] (हस्तौ संहत्य अध्येयम्) दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन करने के बाद [गुरु से] पढ़ना चाहिये; (सः हि ब्रह्माञ्जलिः स्मृतः) इसी [हाथ जोड़ने] को 'ब्रह्माञ्जलि' कहा जाता है ॥४६॥

गुरु को अभिवादन करने की विधि—

व्यत्यस्तपाणिना कार्यमुपसंग्रहणं गुरोः ।
सव्येन सव्यः स्प्रष्टव्यो, दक्षिणेन च दक्षिणः ॥४७॥ [२।७२] (४१)

(गुरोः उपसंग्रहणम्) गुरु के चरणों का स्पर्श (व्यत्यस्तपाणिना कार्यम्) हाथों को अदल-बदल करके [प्रणामकर्ता का बायां हाथ नीचे रह कर गुरु के बायें पैर का स्पर्श करे और उसके ऊपर से दायां हाथ दायें चरण को स्पर्श करे] करना चाहिए (सव्येन सव्यः) बायें हाथ से बायां चरण (च) और (दक्षिणेन दक्षिणः) दायें हाथ से दायां पैर का (स्प्रष्टव्यः) स्पर्श करना चाहिए ॥ ४७ ॥

अध्ययन के आरंभ एवं समाप्ति की विधि—

अध्येष्यमाणं तु गुरुर्नित्यकालमतन्द्रितः ।
अधीष्व भो इति ब्रूयाद्विरामोऽस्त्विति चारमेत् ॥ ४८ ॥
[२।७३] (४२)

(गुरुः नित्यकालम्) गुरु सदैव पढ़ाते समय (अतन्द्रितः) आलस्यरहित होकर (अध्येष्यमाणं तु) पढ़ने वाले शिष्य को ('भो अधीष्व' इति ब्रूयात्) 'हे शिष्य पढ़ो' इस प्रकार कहे (च) और ('विरामः+अस्तु' इति आरमेत्) 'अब विराम करो' ऐसा कहकर पढ़ाना समाप्त करे ॥ ४८ ॥

वेदाध्ययन के आद्यन्त में प्रणवोच्चारण का विधान—

ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सर्वदा ।
स्रवत्यनोङ्कृतं पूर्वं, पुरस्ताच्च विशीर्यति ॥ ४९ ॥ [२।७४] (४३)

(सर्वदा ब्रह्मणः आदौ च अन्ते प्रणवं कुर्यात्) [शिष्य] सदैव वेद पढ़ने के आरम्भ और अन्त में 'ओ३म्' का उच्चारण करे (पूर्वम् अनोङ्कृतम्) आरम्भ में ओंकार का उच्चारण न करने से (स्रवति) पढ़ा हुआ बिखर जाता है [=भलीभांति ग्रहण नहीं हो पाता] (च) और (पुरस्तात् विशीर्यति) बाद में 'ओ३म्' का उच्चारण न करने से पढ़ा हुआ स्थिर नहीं रहता ॥ ४९ ॥

अनुशीलन : अध्ययन के आद्यन्त में ओंकारोच्चारण के लाभ—(१)

'ओ३म्' का उच्चारण करने से यहाँ मनु का अभिप्राय ओंकारोच्चारणपूर्वक मन को एकाग्र या समाहित करने से है। अन्यत्र भी मनु ने सन्ध्योपासन और अध्ययन से पूर्व समाहित या एकाग्रचित्त होने के लिए कहा है [२।७६]। यह बिल्कुल सही मनोवैज्ञानिक बात है कि यदि छात्र मन को एकाग्र करके अध्ययन नहीं करता तो उसे पूर्णज्ञान ग्रहण नहीं होता, कुछ बिखरता रहता है और कुछ-कुछ ही ग्रहण होता है। इसी प्रकार अध्ययन के पश्चात् भी एकाग्रता न रखने से पढ़ा हुआ स्थिर नहीं हो पाता। मन के एकदम अन्यत्र जाने से संचित ज्ञान में गौणता और भुलावा-सा आ जाता है, जबकि अध्ययन की समाप्ति पर अधीत विषय के प्रति एकाग्रता बनाये रखने से वह स्थिर हो जाता है। २।७४ में इसी भाव को दूसरे ढङ्ग से स्पष्ट किया है कि यदि एक भी इन्द्रिय एकाग्रता को छोड़कर अपने विषय में लग जाती है तो उसके साथ ही व्यक्ति की बुद्धि भी उतनी कम होने लगती है।

(२) इसमें कुछ योगदर्शन के प्रमाण और उन पर आधारित विचार उल्लेखनीय हैं—

(क) यह 'प्रणव' अर्थात् 'ओम्' शब्द उस अनादि-अनन्त, सर्वव्यापक सृष्टि-रचयिता परमात्मा का सबसे मुख्य नाम है। वह सबका आदि गुरु है। उसका स्मरण आदि-अन्त में करने से उसके सर्वज्ञता के गुणों की ओर प्रवृत्ति होकर बहुज्ञ बनने की भावना आती है। ["**स एषः पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्**" "**तस्य वाचकः प्रणवः**" योगदर्शन १।२६,२७]।

(ख) **तज्जपस्तदर्थभावनम्**। योग १।२८॥

"इसी नाम का जप अर्थात् स्मरण·····करना चाहिए कि जिससे उपासक का मन एकाग्रता, प्रसन्नता और ज्ञान को यथावत् प्राप्त होकर स्थिर हो।"

(ऋ० भू० उपासना विषय)

प्राक्कूलान्पर्युपासीनः पवित्रैश्चैव पावितः।
प्राणायामैस्त्रिभिः पूतस्तत ओंकारमर्हति॥५०॥ (२।७५)

(प्राक्कूलान् पर्युपासीनः) पूर्व की ओर मुख वाले कुशासन पर बैठकर (पवित्रैः चैव पावितः) कुशनिर्मित पवित्रों से (छींटे देने के लिए कुशाओं को एकत्र करके बनाये गए गुच्छे से) पवित्र होकर (त्रिभिः प्राणायामैः पूतः) तीन प्राणायामों को करने पर (ततः+ओंकारम्+अर्हति) तब ओंकार का उच्चारण करने योग्य होता है॥ ५०॥

अनुशीलन : यहश्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. **प्रसंगविरोध**—यह पूर्वापरप्रसङ्गविरुद्ध है और पूर्वापरप्रसङ्ग को भङ्ग कर रहा है। ४६ वें श्लोक में 'ओंकार' का विधान है और ५१ में ओंकार के स्वरूप और महत्त्व का वर्णन है, क्योंकि ओंकार का स्मरण करना आवश्यक है। इस प्रकार ५१ वाँ श्लोक ४६ वें का अर्थवाद है। ५० वें श्लोक ने उस सम्बद्धता को भङ्ग किया है और बीच में ओंकार-उच्चारण की शर्त का अनावश्यक वर्णन किया है। अतः यह प्रक्षिप्त है।

२ **अन्तर्विरोध**—ओंकार भी वेदों से लिया गया शब्द है और गायत्री मन्त्र भी [२।५१–५३(७६–७८)]। एक तो मनु ने पुण्यदायक धर्मयुक्त बातों के लिए कहीं भी कोई शर्त नहीं लगायी है, और दूसरी बात यह है कि गायत्री, वेदाध्ययन को सब अवस्थाओं में आवश्यक तथा पुण्यदायक माना है (२।७६–८१ (१०१–१०६)] और ये व्यावहारिक भी नहीं हैं। क्या जब भी व्यक्ति ओंकार को जपेगा, चलते-फिरते इन शर्तों को पूरी कर सकेगा? इस प्रकार यह व्यवस्था मनु की मान्यताओं के विरुद्ध है।

'ओ३म्' एवं गायत्री की उत्पत्ति—

अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः।
वेदत्रयान्निरदुहद् भूर्भुवःस्वरितीति च॥ ५१॥ [२७६] (४४)

(प्रजापतिः) परमात्मा ने (अकारम् उकारं च मकारं) ओ३म् शब्द के 'अ' 'उ' और 'म्' अक्षरों को [अ+उ+म्=ओम्] (च) तथा (भूः भुवः स्वः इति) 'भूः' 'भुवः' 'स्वः' गायत्री मन्त्र की इन तीन व्याहृतियों को (वेदत्रयात् निरदुहत्) तीनों वेदों से दुहकर साररूप में निकाला है।

[द्वितीय 'इति' का प्रयोग पादपूर्त्यर्थ है] ॥ ५१ ॥

अनुशीलन : **ओंकार और व्याहृतियों का विवेचन**—इस श्लोक में प्रतिपादित मनु की मान्यता की निरुक्तकार ने भी विभिन्न आचार्यों के मतों का उल्लेख करते हुए पुष्टि की है। '**चत्वारि वाक् परिमिता पदानि**" [ऋ० १।१६४।४५] मन्त्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं—"**कानि तानि चत्वारि पदानि? ओंकारः, महाव्याहृतयश्च इति आर्षम्।**"[१३।९] अर्थात् वाक्स्वरूप ब्रह्म या वेद का वर्णन करने वाले वे चार पद कौन से हैं? ओंकार अर्थात् 'ओम्' अक्षर और 'भूः' 'भुवः' 'स्वः' ये तीन महाव्याहृतियाँ। इनको यास्क ने मनु के समान महत्त्व दिया है।

(१) 'ओम्' अक्षर के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए "**ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः**" [ऋ० १।१६४।३९] मन्त्र की व्याख्या में आचार्य शाकपूणि और ब्राह्मण ग्रन्थ का वचन उद्धृत करते हुए कहा है कि अक्षर वह 'ओम्' ही है और यह 'ओम्' अक्षर त्रयी विद्यारूप चारों वेदों का प्रतिनिधि है—"**कतमत्तदेतत् अक्षरम्? ओमित्येश वागिति शाकपूणिः। 'एतद्ध वा एतदक्षरं यत्सर्वा त्रयी विद्या प्रतिपत्तिः' इति च ब्राह्मणम्।**" [१३।९]।

महर्षि दयानन्द ने इसी आधार पर 'ओम्' को ईश्वर का सर्वप्रमुख नाम माना है—

"जो प्रकार उकार और मकार के योग से 'ओम्' यह अक्षर सिद्ध है, सो यह परमेश्वर के सब नामों में उत्तम नाम है। जिसमें सब नामों के अर्थ आ जाते हैं। जैसा पिता-पुत्र का प्रेम-सम्बन्ध है, वैसे ही ओंकार के साथ परमात्मा का सम्बन्ध है। इस एक नाम से ईश्वर के सब नामों का बोध होता है।" (द० ल० प० पृ० २३२)

(२) "अब तीन महाव्याहृतियों के अर्थ संक्षेप से इस प्रकार हैं—

'भूरिति वै प्राणः' 'यः प्राणयति चराचरं जगत् सः भूः स्वयंभूरीश्वरः' —जो सब जगत् के जीवन का आधार प्राण से भी प्रिय और स्वयंभू है, उस प्राण का वाचक होके 'भूः' परमेश्वर का नाम है। **भुवरित्यपानः' यः सर्वं दुःखमपानयति सोऽपानः'**—जो सब दुःखों से रहित जिसके सङ्ग से जीव सब दुःखों से छूट जाते हैं, इस लिये उस परमेश्वर का नाम 'भुवः' है। **'स्वरिति व्यानः' 'यो विविधं जगद् व्यानयति व्याप्नोति स व्यानः'**—जो नानाविध जगत् में व्यापक होके सबको धारण करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम स्वः' है।" (स० प्र० ३८)

त्रिभ्यः एव तु वेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत्।
तदित्यृचोऽस्याः सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापतिः ॥५२॥[२।७७](४५)

(परमेष्ठी प्रजापतिः) सबसे महान् परमात्मा ने (तत्+इति+अस्याः सावित्र्याः ऋचः) 'तत्' इस पद से प्रारम्भ होने वाली सावित्री ऋचा [=गायत्री मन्त्र] का (पादं पादम्) एक-एक पाद [प्रथम पाद है—'तत्सवितुर्वरेण्यम्,' द्वितीय पाद—'भर्गो देवस्य धीमहि', तृतीय पाद—'धियो यो नः प्रचोदयात्'] (त्रिभ्यः+एव तु वेदेभ्यः) तीनों वेदों से (अदूदुहत्) दुहकर सार रूप में बनाया है ॥५२॥

'ओ३म्' एवं गायत्री के जप का फल—

एतदक्षरमेतां च जपन्व्याहृतिपूर्विकाम्।
संध्ययोर्वेदविद्विप्रो वेदपुण्येन युज्यते ॥ ५३ ॥[२।७८] (४६)

(एतत्+अक्षरम्) इस [ओम्] अक्षर को (च) और (व्याहृतिपूर्विकाम्) 'भूः भुवः स्वः' इन व्याहृतियों सहित (एताम्) इस गायत्री ऋचा [=मन्त्र] को ["ओ३म् भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यम्, भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्।" इस मन्त्र को] (वेदवित् विप्रः) वेदपाठी द्विज (सन्ध्ययोः जपन्) दोनों संध्याओं—प्रातः, सायंकाल में जपते हुए (वेदपुण्येन युज्यते) वेदाध्ययन के पुण्य से ही युक्त होता है ॥ ५३ ॥

अनुशीलन : **'ओम्' ईश्वर का मुख्यनाम**—(१) यह 'ओम्' अक्षर परमेश्वर का सब से मुख्य वाचक नाम है। पुष्टि के लिए इसमें योगदर्शन का प्रमाण है—

(क) तस्य वाचकः प्रणवः ॥ १ । २७ ॥

"जो ईश्वर का ओंकार नाम है, सो पिता-पुत्र के सम्बन्ध के समान है, और यह नाम ईश्वर को छोड़के दूसरे अर्थ का वाची नहीं हो सकता। ईश्वर के जितने नाम हैं, उनमें ओंकार सब से उत्तम नाम है।"

(ख) तज्जपस्तदर्थभावनम् । १ । २८ ॥

"इसलिए इसी नाम का जब अर्थात् स्मरण और उसी का अर्थ विचार सदा करना चाहिए कि जिससे उपासक का मन एकाग्रता, प्रसन्नता, और ज्ञान को यथावत् प्राप्त होकर स्थिर हो।" (ऋ० भू० उपासना विषय)

इसमें अन्य शास्त्रों के प्रमाण भी उल्लेखनीय हैं—

(ग) "**ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत**"। (छान्दोग्य उपनिषद्)

(घ) "**ओमिति-एतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपाख्यानम्**।"(माण्डूक्य उपनिषद्)

(ङ) "**ओं खम्ब्रह्म**"। यजु० ४०। १७॥

(कभी नष्ट न होने वाले उपासनीय परमेश्वर का 'ओम्' यह नाम है।)

(२) मनुस्मृति में अन्यत्र भी अनेक स्थानों पर ओम् और सावित्री के जप का विशेष विधान है। तुलनार्थ द्रष्टव्य है—११। २२२, २२५, २६५ श्लोक।

(३) गायत्री मन्त्र और उसका अर्थ—

ओ३म् भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि।
धियो यो नः प्रचोदयात्। (यजुर्वेद ३६। ३॥ ऋग्वेद ३। ६२। १०)॥

अर्थ—'(ओ३म्) यह मुख्य परमेश्वर का नाम है, जिस नाम के साथ अन्य सब नाम लग जाते हैं (भूः) जो प्राण का भी प्राण (भुवः) सब दुःखों से छुड़ाने हारा (स्वः) स्वयं सुख-स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने हारा है, उस (सवितुः) सब जगत् की उत्पत्ति करने वाले, सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक, समग्र ऐश्वर्य के दाता (देवस्य) कामना करने योग्य, सर्वत्र विजय कराने हारे परमात्मा का जो (वरेण्यम्) अतिश्रेष्ठ ग्रहण और ध्यान करने योग्य (भर्गः) सब क्लेशों को भस्म करने हारा, पवित्र, शुद्धस्वरूप है (तत्) उसको हम लोग (धीमहि) धारण करें (यः) यह परमात्मा (नः) हमारी (धियः) बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म, स्वभावों में (प्रचोदयात्) प्रेरणा करे।' (सं० वि० ७५)

(४) २। ५१ की समीक्षा भी द्रष्टव्य है। उससे इस श्लोक का भाव और अधिक स्पष्ट हो सकेगा।

सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेतत्त्रिकं द्विजः।
महतोऽप्येनसो मासात्त्वचेवाहिर्विमुच्यते॥ ५४॥ [२। ७९]

(द्विजः) द्विज (एतत् त्रिकम्) इन तीनों अर्थात्, व्याहृतियों और गायत्री मन्त्र को (बहिः) बाहर एकान्त में (सहस्रकृत्वः तु अभ्यस्य) एक हजार बार प्रतिदिन जपते हुए (महतः+अपि+एनसः) बड़े भारी पाप से भी (मासात्) एक मास में (अहित्वचा+इव) सांप की केंचुली के समान (विमुच्यते) छूट जाता है॥ ५४॥

एतयर्चा विसंयुक्तः काले च क्रियया स्वया।
ब्रह्मक्षत्रियविट्योनिर्गर्हणां याति साधुषु॥ ५५॥ [२। ८०]

(ब्राह्मण-क्षत्रिय-विट्-योनिः) ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णमें जन्मा कोई द्विज (एतया+ऋचा) इस गायत्री मन्त्र से (च) और (काले स्वया क्रियया) समयानुसार होने वाली संस्कार आदि क्रियाओं से (विसंयुक्तः) रहित होता हुआ (साधुषु गर्हणां याति) श्रेष्ठ लोगों में निन्दा का पात्र बनता है ॥ ५५ ॥

ओंकारपूर्विकास्तिस्रो महाव्याहृतयोऽव्ययाः ।
त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम् ॥ ५६ ॥ [२ । ८१]

(ओंकारपूर्विकाः तिस्रः अव्ययाः महाव्याहृतयः) जिनके पहले ओंकार = 'ओम्' है, ऐसी अविनाशिनी महाव्याहृतियां—'भूः भुवः, स्वः, (च) और (त्रिपदा सावित्री) तीन पाद वाला गायत्री मन्त्र (ब्रह्मणः मुखं विज्ञेयम्) इसे वेद का मुख समझना चाहिए ॥ ५६ ॥

योऽधीतेऽहन्यहन्येतांस्त्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितः ।
स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान् ॥ ५७ ॥ [२ । ८२]

(यः) जो व्यक्ति (एतान्) इनको अर्थात् ओंकारसहित तीन महाव्याहृतियों और गायत्री को (त्रीणि वर्षाणि अहनि+अहनि अतन्द्रितः अधीते) तीन वर्ष तक प्रति दिन आलस्यरहित होकर जपता है (सः) वह (वायुभूतः खमूर्तिमान्) वायुरूप = इच्छानुसार विचरण करने वाला और आकाशरूप = सूक्ष्मशरीरी होकर (परम्ब्रह्म अभ्येति) परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है ॥ ५७ ॥

एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः ।
सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनात्सत्यं विशिष्यते ॥ ५८ ॥ [२ । ८३]

(एकाक्षरं परं ब्रह्म) एक अक्षर अर्थात् 'ओम्' ही परब्रह्म है (प्राणायामः परं तपः) प्राणायाम करना ही श्रेष्ठ तप है (सावित्र्याः तु परं नास्ति) गायत्री से बढ़कर दूसरा कोई मन्त्र नहीं है (मौनात् सत्यं विशिष्यते) मौन की अपेक्षा सत्यभाषण विशिष्ट है ॥ ५८ ॥

क्षरन्ति सर्वा वैदिक्यो जुहोतियजतिक्रियाः ।
अक्षरं दुष्करं ज्ञेयं ब्रह्म चैव प्रजापतिः ॥ ५९ ॥ [२ । ८४]

(वैदिक्यः सर्वाः जुहोतियजतिक्रियाः) वेदोक्त सब हवन, यज्ञ आदि क्रियायें (क्षरन्ति) विनष्ट हो जाती हैं (अक्षरं च प्रजापतिः ब्रह्म एव) 'ओम्' यह अक्षर और प्रजापति परमात्मा को ही (दुष्करं ज्ञेयम्) अविनाशी जानना चाहिए ॥ ५९ ॥

मानस जप की श्रेष्ठता—

विधियज्ञाज्जपयज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः ।
उपांशुः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥ ६० ॥ [२ । ८५]

(विधियज्ञात्) विधियज्ञ अर्थात् अमावस्या, पूर्णिमा आदि विशेष उपलक्ष्यों पर

किये जाने वाले यज्ञों से (जपयज्ञः) जपयज्ञ=स्पष्टोच्चारण पूर्वक जप करना (दशभिर्गुणैः विशिष्टः) दश गुना विशेष है (उपांशु शतगुणः स्यात्) उपांशु=जिसमें धीरे-धीरे ओठों से ही उच्चारण किया जाये, वह सौगुना विशेष है (मानसःसाहस्रः स्मृतः) मानस-जाप=[अर्थ एवं ध्यानपूर्वक मन में किया जानेवाला जप] हजार गुना विशेष है ॥ ६० ॥

ये पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञसमन्विताः ।
सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् ॥ ६१ ॥ [२ । ८६]

(विधियज्ञसमन्विताः) विधियज्ञ सहित (ये चत्वारः पाकयज्ञाः) जो चार पाक-यज्ञ [पितृयज्ञ, होम, बलिवैश्वदेव और अतिथियज्ञ] (ते सर्वे जपयज्ञस्य) वे सब जपयज्ञ की (षोडशीं कलां नार्हन्ति) सोलहवीं कला के योग्य भी नहीं हैं ॥ ६१ ॥

जप्येनैव तु संसिध्येद् ब्राह्मणो नात्र संशयः ।
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ ६२ ॥ [२ । ८७]

(ब्राह्मणः जप्येन+एव संसिध्येत्) ब्राह्मण तो जप के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है (अत्र न संशयः) इसमें कोई सन्देह नहीं (ब्राह्मणः अन्यत् कुर्यात् वा न कुर्यात्) ब्राह्मण अन्य कुछ विहित [यज्ञ दान आदि] कर्म करे या न करे (मैत्रः[1] उच्यते) फिर भी परमात्मा का अतिशय प्रिय कहलाता है ॥ ६२ ॥

अनुशीलन : ५४—६२ श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

अन्तर्विरोध—५४ से ६२ श्लोकों का यह एक प्रसंग है और ये सभी श्लोक परस्पर सम्बद्ध हैं। इनमें गायत्री आदि की महिमा का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से किया है जो मनु की मान्यताओं से विरोध में जाता है और अन्य व्यवस्थाओं से तालमेल नहीं खाता—

(१) ७९, ८२ श्लोकों में कुछ अवधियों का निश्चित समय बतलाकर उतने काल तक गायत्री जाप करने से बड़े से बड़े पापों से मुक्ति और ब्रह्मप्राप्ति होना कहा है। पहली बात तो यह कि मनु केवलमात्र गायत्री जप से ही नहीं अपितु परमात्मध्यान, इन्द्रियसंयम आदि अनेक नैःश्रेयस कर्मों की सिद्धि से मुक्ति प्राप्त होना मानते हैं १२। ८२-१२५), अतः यह मान्यता मनुविरुद्ध है। दूसरी बात यह है कि मनु ने गायत्री जाप का ब्रह्मचारी के लिए प्रतिदिन के लिए ही अनिवार्य विधान किया है (२। ५३ [७८] ७६-८१ [१०१–१०६], १९७ [२२२]) अतः वह २५ या ३६ वर्ष तक जबतक ब्रह्म-चारी रहेगा, तब तक इसका जप करेगा, फिर इस अवधि के निश्चय की जरूरत नहीं पड़ेगी और यदि इतने से ही पापों से मुक्ति और ब्रह्म प्राप्ति हो जाति है, तो ब्रह्मचारी

---

१. 'मैत्रः' की व्याख्या—मित्रस्य=परमात्मनो ऽयं सम्बन्धी। मित्रप्राति० 'तस्येदमिति' सूत्रेणाण् प्रत्ययः।

अपने ब्रह्मचर्य काल में कहीं इससे बढ़कर जाप करेगा, फिर उसको स्वतः ये लाभ प्राप्त हो जायेंगे; इस प्रकार भी उस के लिए इनकी आवश्यकता नहीं है।

(२) ५६ वें श्लोक में गायत्री को वेद का मुख बतलाया है और इसे अनश्वर कहा है। ५१-५३ श्लोकों में गायत्री को वेद से निकला हुआ वर्णित ही कर चुके हैं। जिन अनेक श्लोकों में मनु ने वेदों को अपौरुषेय माना है (१। २३; १२। ९३—९५) उनसे वेदमन्त्र गायत्री की नित्यता भी स्वतः सिद्ध है, अतः यह कथन भी अनावश्यक है।

(३) ८३ वें श्लोक में ओंकार को ही परब्रह्म कहना १। २३; २। ५१[७६[१२। ९३-९४ श्लोकों के विरुद्ध है; जिनमें ओंकार को वेदों से निकला और वेदों को परमात्म-रचित माना है। परमात्मप्रदत्त ज्ञान या शब्द परमात्मा कैसे हो सकता है? प्राणायाम को परम तप कहना २। १३९—१४३ [१६४—१६८] श्लोकों के विरुद्ध है, जिन में वेदाभ्यास को सबसे बढ़कर तप माना गया है। इसी प्रकार सावित्री से बढ़कर किसी भी वस्तु को न बताना उन सभी श्लोकों के विरुद्ध है, जिनमें वेद और ईश्वर को सर्वोपरि बतलाया है (२।५१—५३ [७६—७८], १३९—१४३[१६४—१६८] १२। ९१—९३ आदि)।

(४) ८४ वें श्लोक में वैदिक यज्ञादि क्रियाओं को नाशवान् कहना सम्पूर्ण मनु-स्मृति के प्रतिपाद्य के ही विरुद्ध है। क्योंकि मनु वेदोक्त कर्मों को ही धर्म मानते हैं (१। १२५, १२८—१३२ [२। ६, ९—१३]) और धर्मपालन से ही परजन्म की श्रेष्ठता तथा मुक्तिप्राप्ति मानते हैं (४। २३८—२४३; ४। १४; १२। ८२—१२५) १। १२१—१२३ [२। २—५] श्लोकों में स्पष्टतः कहा है कि यज्ञ, व्रत, यमधर्म आदि में स्थित रहने से व्यक्ति मोक्ष-सुख को प्राप्त कर लेता है। फिर ये क्रियाएँ निष्फल या नाशवान् कैसे हुईं? इस प्रकार यह मान्यता विरुद्ध है।

(५) ८५—८६ श्लोकों में जपयज्ञ और अन्य यज्ञों की तुलना मनु की मान्यताओं के विरुद्ध है, क्योंकि मनु ने तो पांचों यज्ञों को समान रूप से अनिवार्य, आवश्यक और पुण्यप्रद माना है (२। १५१ [१७६] ३। ७०—७५; ४। २१—३२; ६। ५—१२ आदि)। ये दोनों श्लोक ८४ से सम्बद्ध हैं और उसके अर्थवाद हैं। अतः उसके प्रक्षेप होने के कारण ये भी स्वतः प्रक्षिप्त कहलायेंगे।

(६) ८० वें श्लोक में 'योनिः' शब्द के प्रयोग से यह संकेत मिलता है कि इस श्लोक का रचयिता द्विजों को जन्मना मानता है। ८७ वें श्लोक में भी ब्राह्मण की जप-मात्र से सिद्धि मानने की पृष्ठभूमि में 'जन्मना' श्रेष्ठता' का संकेत है। जन्मना वर्ण-व्यवस्था मानना मनुविरुद्ध मान्यता है (इसके लिए विस्तृत विवेचन १। ९२ से १०७ श्लोकों पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक में देखिये)।

(७) ८० वें श्लोक में गायत्री-जप न करने वाले के लिए केवल निन्दामात्र होना ही उसका फल दर्शाया है, जबकि २। ७८ [१०३] में ऐसे व्यक्ति को मनु ने शूद्र मानकर द्विजों से बहिष्कृत करदेने का आदेश दिया है। एक ही प्रसंग में यह भिन्नता भी विरोध की सूचक है।

(८) ८७ वें श्लोक में केवल 'जप' से ही ब्राह्मण की सिद्धि कहना और अन्य कर्मों की छुट देना उन सभी आधारभूत विधानों के विरुद्ध है जिनमें मनु ने सभी द्विजों के लिए पांचों यज्ञों का अनिवार्य विधान किया है और ब्राह्मण के यजन-याजन कर्म निश्चित किये हैं (१। ८८)। स्वाध्याय, व्रत, यज्ञ, वेदाध्ययन, संस्कार आदि से ही ब्राह्मण वस्तुतः ब्राह्मण बनता है (२। ३ [२८])। यदि इनका पालन नहीं करेगा तो वह ब्राह्मण ही कैसे हुआ? इस प्रकार इन अन्तर्विरोधों के आधार पर ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. **शैलीगत आधार**—इन सभी श्लोकों की शैली अतिशयोक्तिपूर्ण है और ६२ वें की पक्षपातपूर्ण भी है।

इन्द्रिय-संयम का निर्देश—

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु।
संयमे यत्नमातिष्ठेद्विद्वान्यन्तेव वाजिनाम् ॥६३॥ [२।८८] (४७)

(विद्वान् यन्ता वाजिनाम् इव) जैसे विद्वान्-सारथि घोड़ों को नियम में रखता है वैसे (विषयेषु+अपहारिषु) मन और आत्मा को खोटे कामों में खींचने वाले विषयों में (विचरताम्) विचरती हुई (इन्द्रियाणां संयमे) इन्द्रियों के निग्रह में (यत्नम्) प्रयत्न (आतिष्ठेत्) सब प्रकार से करे ॥६३॥

(स० प्र० पृ० ४८)

"मनुष्य का यही मुख्य आचार है कि जो इन्द्रियां चित्त को हरण करने वाले विषयों में प्रवृत्त कराती हैं उनको रोकने में प्रयत्न करे, जैसे घोड़े को सारथि रोककर शुद्ध मार्ग में चलाता है; इस प्रकार इनको अपने वश में करके अधर्म-मार्ग से हटाकर धर्ममार्ग में सदा चलाया करें।'

(स० प्र० पृ० २५६)

जैसे सारथि घोड़े को कुपथ में नहीं जाने देता वैसे विद्वान् ब्रह्मचारी आकर्षण करने वाले विषयों में जाते हुए इन्द्रियों के रोकने में सदा प्रयत्न किया करे"। (सं० वि० पृ० ८४)

अनुशीलन—**इन्द्रिय की व्युत्पत्ति**'—'इदि—परमैश्वर्ये' धातु से **ऋज्रेन्द्राग्रवज्र०**' (उणादि० २। २८) सूत्र से रन् प्रत्यय के योग से 'इन्द्र' शब्द सिद्ध होता है। 'इन्द्र' प्रातिदिक से '**इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रदृष्टमिन्द्र**.....**इति वा**' (अ० ५। २। ९३) से 'घच्' प्रत्यय निपातित है। **इन्द्रियवान् इन्द्रः, आत्मा तत्करणं ज्ञानकर्म-ऐश्वर्यप्राप्तेः साधनम् लिङ्गं चिह्नं वा तदिन्द्रियम्, शरीरावयवम्**। अर्थात् =शरीर के वे अवयव जो आत्मा के ज्ञान-कर्म-ऐश्वर्यादि की प्राप्ति के साधन या चिह्न हैं, वे इन्द्रिय हैं। आंख, नाक, कान, व हाथ, पैर, आदि मन सहित ग्यारह इन्द्रियां हैं।

ग्यारह इन्द्रियों की गणना—

एकादशेन्द्रियाण्याहुर्यानि पूर्वे मनीषिणः।
तानि सम्यक्प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ ६४ ॥ [२।८६] (४८)

(पूर्वे मनीषिणः) पहले मनीषि-विद्वानों ने (यानि एकादश+इन्द्रियाणि+आहुः) जो ग्यारह इन्द्रियां कहीं हैं (तानि यथावत्+अनुपूर्वशः) उनको यथोचित क्रम से (सम्यक् प्रवक्ष्यामि) ठीक-ठीक कहता हूँ ॥ ६४ ॥

श्रोत्रं त्वक्चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पञ्चमी।
पायूपस्थं हस्तपादं वाक्चैव दशमी स्मृता ॥६५॥ [२।९०] (४९)

(श्रोत्रं त्वक्चक्षुषी जिह्वा) कान, त्वचा, नेत्र, जीभ, [(च) और (पञ्चमी) पांचवीं (नासिका) नासिका [=नाक] (पायु-उपस्थं हस्तपादम्) गुदा, उपस्थ (=मूत्र का मार्ग) हाथ, पग (वाक्) वाणी (दशमी स्मृता) ये दश इन्द्रिय इस शरीर में हैं ॥ ६५ ॥ (सं० वि० पृ० ८४)

बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैषां श्रोत्रादीन्यनुपूर्वशः।
कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैषां पाय्वादीनि प्रचक्षते ॥६६॥ [२।९१] (५०)

(एषाम्) इनमें※ (श्रोत्रादीनि पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि) कान आदि पांच ज्ञानेन्द्रिय और (पायु-आदीनि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि) गुदा आदि पांच कर्मेन्द्रिय, (प्रचक्षते) कहाती हैं ॥ ६६ ॥ (सं वि० पृ० ८४)

※ (अनुपूर्वशः) क्रमशः.....

ग्यारहवीं इन्द्रिय मन—

एकादशं मनो ज्ञेयं स्वगुणेनोभयात्मकम्।
यस्मिञ्जिते जितावेतौ भवतः पंचकौ गणौ ॥६७॥ [२।९२] (५१)

(एकादशं मनः) ग्यारहवां मन है※ (स्वगुणेन उभयात्मकम्) वह अपने स्तुति आदि गुणों से दोनों प्रकार के इन्द्रियों से सम्बन्ध करता है (यस्मिन् जिते) जिस मन के जीतने में (एतौ) ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय दोनों ※ (जितौ) जीत लिये जाते हैं ॥ ६७ ॥ (सं० वि० पृ० ८४)
※ (ज्ञेयम्) ऐसा समझना चाहिए.....। ※(पञ्चकौ गणौ) पांचों-पांचों इन्द्रियों के दोनों समुदाय अर्थात् दसों इन्द्रियां.....।

अनुशीलन : चरक में इन्द्रियां एवं इन्द्रियों के विषय—इन्द्रियों के अधिष्ठान एवं विषयों पर चरक शास्त्र में प्रकाश डाला गया है। विशेष ज्ञानकारी के लिए विवरण प्रस्तुत है। ज्ञानेन्द्रियां हैं—

(क) "तत्र चक्षुः श्रोत्रं घ्राणं रसनं स्पर्शनम्-इति पञ्चेन्द्रियाणि ।
पञ्चेन्द्रियद्रव्याणि खं वायुर्ज्योतिरापः भूरिति ।

पञ्चेन्द्रियाधिष्ठानान्यक्षिणी कर्णौ नासिके जिह्वा त्वक् चेति ॥
पञ्चेन्द्रियार्थाः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः ॥

(सूत्रस्थाने) (अ० ८। ५-६)

अर्थात्—चक्षु, श्रवण, घ्राण, रसना, स्पर्श ये पांच इन्द्रियां हैं। क्रमशः तेज, आकाश, पृथ्वी, जल और वायु ये पांच इन्द्रियों के द्रव्य हैं। क्रमशः आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा इनके अधिष्ठान हैं। रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श क्रमशः इन्द्रियों के अर्थ =विषय हैं।

(ख) कर्मेन्द्रियां—

हस्तपादं गुदोपस्थं जिह्वेन्द्रियमथापि च ।
कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैव, पादौ गमनकर्मणि ॥

पायूपस्थौ विसर्गार्थे, हस्तौ ग्रहणधारणे ।
जिह्वा वाग् इन्द्रियं वाक् च ॥

अर्थात्—हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, और जिह्वा ये पांच कर्मेन्द्रिय हैं। हाथों का कार्य ग्रहण करना, पावों का चलना, गुदा का मलत्याग, उपस्थ का मूत्रत्याग और जिह्वा का कार्य बोलना है। (शारीरस्थान १। २३-२४)

(ग) मन ग्यारहवीं इन्द्रिय है। उसका कार्य चिन्तन, विचार, संकल्प आदि करना है—

चिन्त्यं विचार्यमूह्यं च ध्येयं संकल्प्यमेव च ।
यत्किञ्चिन्मनसो ज्ञेयं तत्सर्वं ह्यर्थसंज्ञकम् ॥

(विमानस्थान १। १६)

इन्द्रिय-संयम से प्रत्येक कार्य में सिद्धि—

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंशयम् ।
संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥६८॥ [२।९३] (५२)

(इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन) जीवात्मा इन्द्रियों के साथ मन लगाने से (असंशयम्) निःसंदेह (दोषम्+ऋच्छति) दोषी हो जाता है (तु तानि सन्नियम्य एव) और उन पूर्वोक्त [२। ६५-६७] दश इन्द्रियों को वश में करके ही (ततः) पश्चात् (सिद्धिं नियच्छति) सिद्धि को प्राप्त होता है ॥६८॥

"जीवात्मा इन्द्रियों के वश होके निश्चित बड़े-बड़े दोषों को प्राप्त होता है।" (स० प्र० पृ० ४८)

"जो इन्द्रिय के वश होकर विषयी, धर्म को छोड़कर अधर्म करने हारे अविद्वान् हैं, वे मनुष्यों में नीचजन्म बुरे-बुरे दुःखरूप जन्म को पाते हैं।"
(स० प्र० पृ० २५४)

"इन्द्रियों को विषयासक्ति और अधर्म में चलाने से मनुष्य निश्चित दोष को प्राप्त होता है और जब इनको जीतकर धर्म में चलाता है तभी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है।" (स० प्र० पृ० २५८)

विषयों के सेवन से इच्छाओं की वृद्धि—

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति।
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥६९॥ [२।९४] (५३)

यह निश्चय है कि (कृष्णवर्त्मा हविषा एव) जैसे अग्नि में ईन्धन और घी डालने से (भूय एव+अभिवर्धते) [अग्नि] बढ़ता जाता है (कामानाम्+उपभोगेन कामः न जातु शाम्यति) वैसे ही कामों के उपभोग से काम शान्त कभी नहीं होता किन्तु बढ़ता ही जाता है। इसलिए मनुष्य को विषयासक्त कभी नहीं होना चाहिए॥ ६९॥ (स० प्र० पृ० २५८)

विषय त्याग ही श्रेष्ठ है—

यश्चैतान्प्राप्नुयात्सर्वान्यश्चैतान्केवलांस्त्यजेत्।
प्रापणात्सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥७०॥ [२।९५] (५४)

(यः+एतान् सर्वान् प्राप्नुयात्) जो इन सब इच्छाओं या सब विषयों का उपभोग करे (च) और (यः एतान् केवलान् त्यजेत्) जो इन सब को त्याग दे (सर्वकामानां प्रापणात्) [इन दोनों बातों में] सब इच्छाओं या विषयों को प्राप्त=उपभोग करने से (परित्यागः) सर्वथा त्याग देना (विशिष्यते) अधिक अच्छा है॥ ७०॥

न तथैतानि शक्यन्ते संनियन्तुमसेवया।
विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः ॥७१॥ [२।९६] (५५)

(विषयेषु प्रजुष्टानि एतानि) विषयों में आसक्त इन इन्द्रियों को (असेवया) विषयों के सेवन के बिना (तथा संनियन्तुं न शक्यन्ते) वैसे आसानी से वश में नहीं किया जा सकता। (यथा नित्यशः ज्ञानेन) जैसे कि नित्यप्रति ज्ञानपूर्वक वश में किया जा सकता है। मनुष्य विषयसेवन से दोषों को प्राप्त होता है और विषयत्याग से सिद्धि को प्राप्त करता है, [२।६८] इत्यादि विषयत्याग के ज्ञान से इन्द्रियों को वश में किया जा सकता है॥ ७१॥

विषयी व्यक्ति को सिद्धि नहीं मिलती—

वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च ।
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित् ॥७२॥ [२।९७] (५६)

(विप्रदुष्टभावस्य) जो अजितेन्द्रिय दुष्टाचारी पुरुष है, उस पुरुष के (वेदाः त्यागः यज्ञाः नियमाः तपांसि) वेद पढ़ना, त्याग करना, यज्ञ (=अग्निहोत्रादि) करना, नियम (ब्रह्मचर्याश्रम) आदि करना, तप [=निन्दास्तुति, और हानि-लाभ आदि द्वन्द्व का सहन] करना आदि कर्म (कर्हिचित्) कदापि (सिद्धिं न गच्छन्ति) सिद्ध नहीं हो सकते ॥७२॥ (सं० वि० पृ० ८४)

"जो दुष्टाचारी अजितेन्द्रिय पुरुष है उसके वेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते।"

(सं० वि० पृ० ४९)

"जो अजितेन्द्रिय पुरुष है उसको विप्रदुष्ट कहते हैं। उसके करने से न वेदज्ञान, न त्याग, न यज्ञ, न नियम और न धर्माचरण सिद्धि को प्राप्त होते हैं। किन्तु ये सब जितेन्द्रिय धार्मिक जन को सिद्ध होते हैं।"

(स० प्र० पृ० २५८)

अनुशीलन : इस भाव की पुष्टि और तुलना के लिए देखिए १।१०९ और २।१३५ श्लोक।

जितेन्द्रिय की परिभाषा—

श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः ।
न हृष्यति ग्लायति वा, स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥७३॥ [२।९८] (५७)

(जितेन्द्रियः स विज्ञेयः) जितेन्द्रिय उसको कहते हैं कि (यः नरः) जो [मनुष्य] (श्रुत्वा) स्तुति सुनके हर्ष और निन्दा सुनके शोक (स्पृष्ट्वा) अच्छा स्पर्श करके सुख और दुष्ट स्पर्श से दुःख (दृष्ट्वा) सुन्दर रूप देख के प्रसन्न और दुष्टरूप देख अप्रसन्न (भुक्त्वा) उत्तम भोजन करके आनन्दित और निकृष्ट भोजन करके दुःखित (घ्रात्वा न हृष्यति ग्लायति) सुगन्ध में रुचि दुर्गन्ध में अरुचि न [illegible] ७३ ॥ (स० प्र० पृ० २५८)

एक भी इन्द्रिय के असंयम से प्रज्ञाहानि—

इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यद्येकं क्षरतीन्द्रियम् ।
तेनास्य क्षरति प्रज्ञा दृतेः पादादिवोदकम् ॥७४॥ [२।९९] (५८)

(सर्वेषाम् इन्द्रियाणां तु) सब इन्द्रियों में यदि (एकम् इन्द्रियं क्षरति) एक भी इन्द्रिय अपने विषय में आसक्त रहने लगती है तो (तेन) उसी के

कारण (अस्य प्रज्ञा क्षरति) इस मनुष्य की बुद्धि ऐसे नष्ट होने लगती है (हृतेः पादात्+उदकम् इव) जैसे चमड़े के बर्त्तन=मशक में छिद्र होने से सारा पानी बहकर नष्ट हो जाता है ॥ ७४ ॥

इन्द्रिय-संयम से सब अर्थों की सिद्धि—

वशे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा ।
सर्वान्संसाधयेदर्थानक्षिण्वन्योगतस्तनुम् ॥७५॥ [२।१००] (५६)

(इन्द्रियग्रामम्) पांच कर्मेन्द्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय [इन दश इन्द्रियों के समूह को] (च) और (मनः) ग्यारहवें मन को (वशे कृत्वा) वश में करके (योगतः तनुम्=अक्षिण्वन्) युक्ताहार विहार रूप योग से शरीर की रक्षा करता हुआ (सर्वान् अर्थान् संसाधयेत्) सब अर्थों को सिद्ध करे ॥ ७५ ॥

(स० प्र० पृ० २५८)

"ब्रह्मचारी पुरुष सब इन्द्रियों को वश में करके और आत्मा के साथ मन को संयुक्त करके योगाभ्यास से शरीर को किंचित्-किंचित् पीड़ा देता हुआ अपने सब प्रयोजनों को सिद्ध करे।" (सं० वि० पृ० ८४)

अनुशीलन : 'योग' के अर्थ के सम्बन्ध में विवेचन देखिए ६।६५ पर अनुशीलन में।

सन्ध्योपासन-समय—

पूर्वां सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्सावित्रीमर्कदर्शनात् ।
पश्चिमां तु समासीनः सम्यगृक्षविभावनात् ॥७६॥[२।१०१](६०)

(अर्कदर्शनात् पूर्वां संध्याम्) दो घड़ी रात्रि से लेके सूर्योदय पर्यन्त प्रातः संध्या (सम्यक्+ऋक्षविभावनात् तु पश्चिमाम्) सूर्यास्त से लेकर [अच्छी प्रकार] तारों के दर्शन पर्यन्त सायंकाल में [(समासीनः) भली-भाँति स्थित होकर] (सावित्रीं जपन् तिष्ठेत्) सविता अर्थात् सब जगत् की उत्पत्ति करने वाले परमेश्वर की उपासना गायत्र्यादि मन्त्रों के अर्थ विचारपूर्वक नित्य करें ॥ ७६ ॥ (द० ल० पं० पृ० २३६)

संध्योपासना का फल—

पूर्वां संध्यां जपंस्तिष्ठन्नैशमेनो व्यपोहति ।
पश्चिमां तु समासीनो मलं हन्ति दिवाकृतम् ॥७७॥[२।१०२](६१)

[मनुष्य] (पूर्वां संध्यां जपन् तिष्ठन्) प्रातःकालीन संध्या में बैठकर जप करके (नैशम्+एनः व्यपोहति) रात्रिकालीन मानसिक मलिनता या दोषों को दूर करता है (तु पश्चिमां समासीनः) और सायंकालीन संध्या करके

(दिवाकृतं मलं हन्ति) दिन में सञ्चित मानसिक मलिनता या दोषों को नष्ट करता है। [अभिप्राय यह है कि दोनों समय संध्या करने से पूर्ववेला में आये दोषों पर चिन्तन-मनन और पश्चात्ताप करके उन्हें आगे न करने के लिए संकल्प किया जाता है तथा गायत्री-जप से अपने संस्कारों को शुद्ध-पवित्र बनाया जा सकता है] ॥ ७७ ॥❀

अनुशीलन : 'एनः' शब्द का यहाँ 'संस्कारजन्य दोष' अर्थ है। इस पर विस्तृत समीक्षा २। २[२। २७] पर द्रष्टव्य है।

संध्योपासन न करनेवाला शूद्रवत्—

न तिष्ठति तु यः पूर्वां नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्।
स शूद्रवद् बहिष्कार्यः सर्वस्माद् द्विजकर्मणः ॥७८॥ [२।१०३] (६२)

(यः) जो मनुष्य (पूर्वां न तिष्ठति च पश्चिमां न उपास्ते) नित्य प्रातः और सायं संध्योपासन को नहीं करता (सः शूद्रवत्) उसको शूद्र के समान समझकर (सर्वस्मात् द्विजकर्मणः बहिष्कार्यः) [समस्त] द्विजकुल से अलग करके शूद्रकुल में रख देना चाहिए ॥ ७८ ॥ (द० ल० पं० पृ० २३६)

प्रतिदिन गायत्री-जप का विधान—

अपां समीपे नियतो नैत्यकं विधिमास्थितः।
सावित्रीमप्यधीयीत गत्वाऽरण्यं समाहितः ॥७९॥ [२।१०४] (६३)

(अरण्यं गत्वा) जंगल में अर्थात् एकान्त देश में जा (समाहितः) सावधान होके (अपां समीपे नियतः) जल के समीप स्थित होके (सावित्रीम्+अपि+अधीयीत) सावित्री अर्थात् गायत्री मन्त्र का उच्चारण, अर्थ-ज्ञान और उस के अनुसार अपने चाल-चलन को करे ॥ ७९॥ (स० प्र० ४१)

❀(नैत्यकं विधिम्+आस्थितः) नित्यचर्या का अनुष्ठान करता हुआ अर्थात् नित्यकर्मों के समान अनिवार्य रूप से.....

वेद, अग्निहोत्र आदि में अनध्याय नहीं होता—

वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके।
नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चैव हि ॥८०॥ [२।१०५] (६४)

(वेदोपकरणे चैव) वेद के पठन-पाठन में (च) और (नैत्यके स्वाध्याये) नित्यकर्म में आने वाले गायत्री जप या संध्योपासना [२। ७९] में (होम-मन्त्रेषु चैव) तथा यज्ञ करने में (अनध्याये अनुरोधः न अस्ति) अन-

---

❀ [प्रचलित अर्थ—प्रातःकाल की संध्या में बैठकर जप करता हुआ मनुष्य रात्रि में किये हुए पापों को नष्ट करता है, तथा सायंकाल की संध्या में बैठकर जप करता हुआ मनुष्य दिन में किये पापों को नष्ट करता है ॥ १०२ ॥]

ध्याय का विचार या आग्रह नहीं होता अर्थात् इन्हें प्रत्येक स्थिति में करना चाहिए, इनके साथ अनध्याय का विचार लागू नहीं होता ॥ ८० ॥

"वेद के पढ़ने-पढ़ाने, संध्योपासनादि पंचमहायज्ञों के करने और होममन्त्रों में अनध्यायविषयक अनुरोध (आग्रह) नहीं है।" (स० प्र० पृ० ४६)

"वेद-पाठ, नित्यकर्म और होम-मन्त्रों में अनध्याय नहीं है। नित्य-कर्म का अभिप्राय यह है कि अपने मन का लक्ष्य परमेश्वर को बनाया जावे इसलिए प्रत्येक कर्म की समाप्ति पर यह कहा जाता है कि मैं इस कर्म या इसके फल को परमेश्वर के अर्पण करता हूँ।" (पू० प्र० पृ० १४४-१४५)

नैत्यके नास्त्यनध्यायो, ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम्।
ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्यायवषट्कृतम् ॥८१॥ [२।१०६] (६५)

(नैत्यके अनध्यायः न+अस्ति) नित्यकर्म में अनध्याय नहीं होता जैसे श्वासप्रश्वास सदा लिये जाते हैं, बन्ध नहीं किये जाते, वैसे नित्यकर्म प्रतिदिन करना चाहिये, न किसी दिन छोड़ना (हि) क्योंकि* (अनध्याय-वषट्कृतं ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यम्) अनध्याय में भी अग्निहोत्रादि उत्तमकर्म किया हुआ पुण्यरूप होता है ॥

* (तत् ब्रह्मसत्रं स्मृतम्) उसे ब्रह्मयज्ञ माना गया है.....।

जैसे झूठ बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में सदा पुण्य होता है, वैसे ही बुरे कर्म करने में सदा अनध्याय और अच्छे कर्म करने में सदा स्वाध्याय ही होता है ॥ ८१ ॥ (स० प्र० ४६)

अनुशीलन : 'वषट्कार' की व्युत्पत्ति—'वह्' धातु से 'डषटि' के योग से 'वषट्' शब्द बनता है। यह अव्यय है। वषट् का अर्थ यज्ञादि धार्मिक क्रिया या आहुति है। इस प्रकार **'अनध्यायवषट्कृतम् ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यम्'** पंक्ति का अर्थ बना—'अनध्याय की स्थिति में भी की गई धार्मिक क्रिया' या अग्निहोत्रादि में आहुति दान आदि कर्म' ब्रह्मयज्ञ में दी गई उपासना रूप आहुति के सदृश पुण्यकारक होता है। ईश्वर का स्मरण होने से वह पुण्यदायक ही होता है।

स्वाध्याय का फल—

यः स्वाध्यायमधीतेऽब्दं विधिना नियतः शुचिः।
तस्य नित्यं क्षरत्येष पयो दधि घृतं मधु ॥८२॥
[२।१०७] (६६)

(यः) जो व्यक्ति (अब्दं स्वाध्यायम्) जलवर्षक मेघस्वरूप स्वाध्याय को [वेदों का अध्ययन एवं गायत्री का जप यज्ञ, उपासना आदि

[२।७६—८१] (शुचिः) स्वच्छ-पवित्र होकर, (नियतः) एकाग्रचित्त होकर (विधिना) विधिपूर्वक (अधीते) करता है (तस्य एषः) उसके लिए यह स्वाध्याय (नित्यं) सदा (पयः दधि घृतं मधु क्षरति) दूध, दही, घी और मधु को बरसाता है।

अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार इन पदार्थों का सेवन करने से शरीर तृप्त, पुष्ट, बलशाली और नीरोग हो जाता है, उसी प्रकार स्वाध्याय करने से भी मनुष्य का जीवन शान्तिमय, गुणमय, ज्ञानमय और पुण्यमय या आनन्दमय हो जाता है, अथवा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनकी सिद्धि हो जाती है॥ ८२॥ ❀

अनुशीलन : (१) **स्वाध्याय से अभिप्राय**—इस श्लोक में आलंकरिक वर्णन है। यहाँ दूध, घी और मधु को उपलक्षण या प्रतीक रूप में लिया गया है और इस वाक्य का मुहावरे के रूप में प्रयोग है। आयुर्वेद के अनुसार दूध का मुख्य गुण तृप्ति करना, दही का पुष्टि करना, घी का बल-आयु को बढ़ाना और शहद का शरीर-दोषों का नाश करना मुख्य गुण है। इनके अनुसार वेद के स्वाध्याय में भी मानवजीवन को शान्तिमय, गुणमय, ज्ञानमय, आनन्दमय बनाने वाले गुण हैं। यही आलंकारिक वर्णन का अभिप्राय है। कुछ टीकाकारों ने इन्हें क्रमशः धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्रतीक माना है। यहाँ मनु ने वेद के मन्त्र का भाव ज्यों का त्यों अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है। तुलना कीजिए; वेद का मन्त्र है—

पावमानीर्यो अध्येत्यृषिभिः संभृतं रसम्।
तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरं सर्पिः मधूदकम्॥ ऋ० ९। ६७। ३२॥

(२) **'अब्दम्' का संगत अर्थ**—इस श्लोक में 'अब्दम्' शब्द का प्रयोग भी यौगिक है [अपो ददाति इति अब्दम् मेघस्वरूपम्] और इसका अर्थ 'वर्ष' न होकर 'वृष्टिकारक मेघस्वरूप' यहाँ संगत होता है। 'अब्दम्' शब्द का 'वर्ष' अर्थ करते हुए टीकाकारों ने जो यह अर्थ किया है कि 'जो मनुष्य जितेन्द्रिय तथा पवित्र होकर एक वर्ष तक भी विधिपूर्वक वेदाध्ययन करता है, उसे वह सर्वदा दूध, दही, घृत तथा मधु देता है' यह अर्थ मनु के अभिप्राय के अनुकूल और प्रसंगानुकूल नहीं जंचता। यह अर्थ करने से निम्न आपत्तियाँ रह जाती हैं—(क) वेदाध्ययन, यज्ञ, उपासना को मनु ने द्विजमात्र का आवश्यक कर्म माना है [१। ८८—९०] और सभी स्थानों पर उसे अनिवार्य घोषित करते हुए सदैव करते रहने का आदेश है [२। ७७—८१ (१०२—१०६)]। अतः मनु द्वारा उसके कुछ समय के महत्त्व को दर्शाने की आवश्यकता ही नहीं प्रतीत

❀ [**प्रचलित अर्थ**—जो मनुष्य जितेन्द्रिय तथा पवित्र होकर एक वर्ष तक भी विधि पूर्वक वेदाध्ययन करता है उसे यह सर्वदा दूध, दही, घी, तथा मधु देता है (जिन से वह देवों तथा पितरों को तृप्त करता है और वे सब इच्छा तथा जपयज्ञ को पूर्ण करने वाले होते हैं)॥ २। १०७॥]

होती। (ख) मनु ने ये सभी कर्म ब्रह्मचारियों के नौ, अठारह या छत्तीस वर्ष तक नित्य-कर्म के रूप में विहित किये हैं [३। १—२]।

जब इतने वर्षों तक ब्रह्मचारी-द्विजों को ये कर्म अनिवार्य रूप से करने ही हैं तो यहाँ एक वर्ष तक के सीमित काल का उल्लेख करने का कोई प्रसंग ही नहीं बनता। (ग) 'अब्दम्' का अर्थ 'वर्ष' करने से श्लोक में 'नित्यम्' शब्द का प्रयोग भी संगत नहीं बैठता। यदि वर्ष भर की सीमाका निर्धारण ही कर दिया है,तो ये लाभ स्वाध्यायी को वर्ष भर ही मिलेंगे, सदा कैसे मिल सकते हैं? यदि एक वर्ष तक स्वाध्याय करने से ये लाभ सदा मिल सकते हैं तो फिर एक वर्ष से अधिक स्वाध्याय की आवश्यकता और विधानों की क्या जरूरत है? शायद इसी उलझन को अनुभव करते हुए कुछ टीकाकारों ने तो श्लोकार्थ में 'नित्यम्' शब्द का अर्थ ही छोड़ दिया। वस्तुतः यहाँ यौगिकार्थ रूप में 'अब्द' का प्रयोग है। जैसे बादल वर्षयिता है, वैसे ही स्वाध्याय को भी इन लाभों का वर्षयिता=दाता माना है। श्लोक में 'क्षरति' क्रिया का प्रयोग भी इस शब्द के 'मेघ' अर्थ का पोषक है। आलंकारिक क्रिया का प्रयोग होने से अर्थ तदनुरूप ही ग्रहण करना उचित है।

(३) 'स्वाध्याय' शब्द से मनु का अभिप्राय वेदों का निरन्तर साङ्गोपाङ्ग अध्ययन, संध्योपासना और अग्निहोत्र से है। यह उन्होंने स्वयं २। ७९—८१ [२। १०४—१०६] श्लोकों में स्पष्ट कर दिया है। इसके अतिरिक्त निम्न श्लोकों में भी स्पष्टतः वेदाध्ययन आदि को ही 'स्वाध्याय' कहा है—[२। १४०—१४३(२। १६५—१६८); ४। १७—२०, १४७—१४९; ११। २४५॥]

समावर्तन तक होमादि कर्त्तव्य करने का कथन—

अग्नीन्धनं भैक्षचर्यामधःशय्यां गुरोर्हितम्।
आसमावर्तनात्कुर्यात्कृतोपनयनो द्विजः ॥८३॥ [२।१०८](६७)

(कृतः+उपनयनः द्विजः) यज्ञोपवीत संस्कार में दीक्षित द्विज (अग्नीन्धनम्) अग्निहोत्र करना (भैक्षचर्याम्) भिक्षावृत्ति (अधःशय्याम्) भूमि में शयन (गुरोः हितम्) गुरु की सेवा (आसमावर्तनात्) समावर्तन संस्कार [वेदाध्ययन समाप्त करके घर लौटने तक ३।१—३] तक (कुर्यात्) करता रहे॥ ८३॥

पढ़ाने योग्य शिष्य—

आचार्यपुत्रः शुश्रूषुर्ज्ञानदो धार्मिकः शुचिः।
आप्तः शक्तोऽर्थदः साधुः स्वोऽध्याप्या दश धर्मतः ॥ ८४॥
[२।१०९] (६८)

(आचार्यपुत्रः) अपने आचार्य [गुरु] का पुत्र (शुश्रूषुः) सेवा करने वाला (ज्ञानदः) किसी विषय के ज्ञान का देने वाला (धार्मिकः) धर्मनिष्ठ व्यक्ति (शुचिः) छल-कपटरहित आचरण वाला (आप्तः) घनिष्ठ व्यक्ति मित्र आदि (शक्तः) विद्या ग्रहण करने में समर्थ अर्थात् बुद्धिमान् पात्र (अर्थदः) धन देने वाला (साधुः) हितैषी (स्वः) अपने परिवार का, सम्बन्धी आदि (दश धर्मतः अध्याप्याः) ये दश धर्म से अवश्य पढ़ाने योग्य हैं ॥८४॥

अनुशीलन : आप्त का अर्थ और व्याकरण—आप्त का शास्त्रों में अधिक प्रचलित अर्थ 'यथार्थवक्ता' 'सत्यवक्ता' है, किन्तु साथ ही घनिष्ठ व्यक्ति भी अर्थ प्रचलित है। मनु० में देखिए अ० ८। १ श्लोक। 'आप्लृ-व्याप्तौ' धातु से 'क्त' प्रत्यय के योग से 'आप्त' शब्द सिद्ध होता है। यत् प्रत्ययान्त शब्द आप्त्या का निर्वचन करते हुए निरुक्तकार ने लिखा है—"आप्त्या—आप्नोते" [१६।२।१६] इस प्रकार उक्त अर्थमें आप्त की व्युत्पत्ति हुई—'आप्नोति हृदये आत्मीयत्वेन स आप्तः।'

प्रश्नादि के बिना उपदेश निषेध—

नापृष्टः कस्यचिद् ब्रूयान्न चान्यायेन पृच्छतः।
जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत् ॥ ८५ ॥
[२।११०](६९)

(न, अपृष्टः) कभी बिना पूछे (च) वा (अन्यायेन पृच्छतः) अन्याय से पूछते वाले को जो कि कपट से पूछता हो (कस्यचिद् न ब्रूयात्) ऐसे किसी को उत्तर न देवे (मेधावी) उनके सामने* बुद्धिमान्+(जडवत् आचरेत्) जड़ के समान रहे, हाँ जो निष्कपट और जिज्ञासु हों उनको बिना पूछे भी उपदेश करे ॥ ८५ ॥ (स० प्र० पृ० २५९)

*(जानन् अपि हि) जानते हुए भी.....

+ (लोके) लोक में.....।

दुर्भावनापूर्वक प्रश्न-उत्तर से हानि—

अधर्मेण च यः प्राह यश्चाधर्मेण पृच्छति।
तयोरन्यतरः प्रैति विद्वेषं वाऽधिगच्छति ॥८६॥ [२।१११] (७०)

"(यः) जो (अधर्मेण) अन्याय, पक्षपात, असत्य का ग्रहण, सत्य का परित्याग, हठ, दुराग्रह.....इत्यादि अधर्म कर्म से युक्त होकर छल-कपट से (पृच्छति) पूछता है (च) और (यः) जो (अधर्मेण) पूर्वोक्त प्रकार से (प्राह) उत्तर देता है, ऐसे व्यवहार में विद्वान् मनुष्य को योग्य है कि न उससे पूछे और न उसको उत्तर देवे। जो ऐसा नहीं करता तो (तयोः+

अन्यतरः प्रैति) पूछने वा उत्तर देने वाले दोनों में से एक मर जाता है अर्थात् निन्दित होता है। (वा) अथवा (विद्वेषम्) अत्यन्त विरोध को (अधिगच्छति) प्राप्त होकर दोनों दुःखी होते हैं ॥" ८६ ॥ (द० ल० अ० पृ० ३४७)

अनुशीलन : **प्रैति से अभिप्राय**—'प्रैति' का प्रयोग यहाँ मुहावरे के रूप में हुआ है। मरजाने से अभिप्राय यह भी है कि बिना उत्तर दिये सम्बन्ध तोड़ कर चले जाना। यह स्वाभाविक ही है कि जब कोई दुर्भावना से पूछता या उत्तर देता है, तो उनमें से कोई एक व्यक्ति किनारा कर लेता है। यदि ऐसा नहीं करते तो उनमें दूसरी अवस्था विवाद और विरोध की आ जाती है।

विद्या-दान किसे न दें—

धर्मार्थौ यत्र न स्यातां शुश्रूषा वाऽपि तद्विधा।
तत्र विद्या न वक्तव्या शुभं बीजमिवोषरे ॥८७॥ [२।११२] (७१)

(यत्र धर्मार्थौ न स्याताम्) जहाँ धर्म और अर्थप्राप्ति न हो (वा) और (तद्विधा शुश्रूषा अपि) गुरु के अनुरूप सेवाभावना भी न हो (तत्र विद्या न वक्तव्या) ऐसे को विद्या का उपदेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि (ऊषरे शुभं बीजम्+इव) वह ऊसर भूमि में श्रेष्ठ बीज बोने के समान है। जैसे बंजर भूमि में बोया हुआ बीज व्यर्थ होता है उसी प्रकार उक्त व्यक्ति को दी गई विद्या भी व्यर्थ जाती है ॥ ८७ ॥

कुपात्र को विद्यादान का निषेध—

विद्ययैव समं कामं मर्तव्यं ब्रह्मवादिना।
आपद्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिणे वपेत् ॥ ८८ ॥
[२।११३] (७२)

(कामम्) चाहे (ब्रह्मवादिना) वेद का विद्वान् (विद्यया+एव समं मर्त्तव्यम्) विद्या को साथ लेकर मर जाये (हि) किन्तु (घोरायाम् आपदि+अपि) भयंकर आपत्तिकाल में भी (एनाम् इरिणे तु न वपेत्) इस विद्या को बंजर भूमि में न बोये अर्थात् जहां विद्या फलवती न हो, जो उसका विनाश या दुरुपयोग करे, ऐसे कुपात्र के लिये न दे, उसे न पढ़ाये ॥ ८८ ॥

विद्यादान-सम्बन्धी आख्यान एवं निर्देश—

विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेवधिस्तेऽस्मि रक्ष माम्।
असूयकाय मां मा दास्तथा स्यां वीर्यवत्तमा ॥ ८९ ॥
[२।११४] (७३)

[एक आख्यान प्रचलित है कि एक बार] (विद्या ब्राह्मणम्+एत्य +आह) विद्या विद्वान् ब्राह्मण के पास आकर बोली—(ते शेवधिः अस्मि, माम्, रक्ष) "मैं तेरा खजाना हूँ, तू मेरी रक्षा कर (माम् असूयकाय मा दाः) मुझे मेरी उपेक्षा, निन्दा या ईर्ष्या द्वेष करने वाले को मत प्रदान कर (तथा वीर्यवत्तमा स्याम्) इस प्रकार से ही मैं वीर्यवती=महत्त्वपूर्ण और शक्तिसम्पन्न बन सकूंगी" ॥ ८९ ॥

यमेव तु शुचिं विद्यान्नियतब्रह्मचारिणम् ।
तस्मै मां ब्रूहि विप्राय निधिपायाप्रमादिने ॥९०॥[२।११५](७४)

(यम्+एव तु शुचिं नियतब्रह्मचारिणम्) "जिसे तुम छल-कपट रहित शुद्ध श्रद्धाभाव से युक्त, जितेन्द्रिय और ब्रह्मचारी (विद्यात्) समझो (तस्मै अप्रमादिने निधिपाय मां ब्रूहि) उस आलस्यरहित और इस खजाने की रक्षा एवं वृद्धि करने में समर्थ विप्र वेदभक्त जिज्ञासु शिष्य को मुझे पढ़ाना" ॥ ९० ॥

अनुशीलन : विद्या के आख्यान का निरुक्त में वर्णन—८८-९० श्लोकों में मनु ने जिस विद्या के आख्यान को वर्णित किया है, यह प्राचीन काल में बहु-प्रचलित मार्गनिर्देशक आख्यान था। निरुक्त शास्त्र में महर्षि यास्क ने किसी प्राचीन ग्रन्थ के कुछ श्लोक उद्धृत किये हैं जिनमें कुछ विस्तार से इसी आख्यान का वर्णन है। भाव एवं शब्दसाम्य द्रष्टव्य है। श्लोक इस प्रकार हैं—

१. **विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवधिष्टेऽहमस्मि ।**
असूयकायानृजवेऽयताय न मा ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम् ॥

२. **य आवृणोत्यवितथेन कर्णाविदुःखं कुर्वन्नमृतं संप्रयच्छन् ।**
तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न द्रुह्येत् कतमच्चनाह ॥

३. **अध्यापिता ये गुरुं नाद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा ।**
यथैव ते न गुरोर्भोजनीयास्तथैव तान्न भुनक्ति श्रुतं तत् ॥

४. **यमेव विद्याः शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नम् ।**
यस्ते न द्रुह्येत् कतमच्चनाह तस्मै मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन् ॥
(निरु० २ । १ । ४)

बिना पढ़ाये वेदग्रहण का निषेध—

ब्रह्मयस्त्वननुज्ञातमधीयानादवाप्नुयात् ।
स ब्रह्मस्तेय संयुक्तो नरकं प्रतिपद्यते ॥ ९१ ॥ [२।११६]

(यः तु) जो मनुष्य (अधीयानात्) किसी पढ़ने-पढ़ाने वाले से (अननुज्ञातं ब्रह्म

अवाप्नुयात्) उसकी बिना आज्ञा या स्वीकृति के वेदज्ञान को ग्रहण करता है (सः) वह (ब्रह्मस्तेयसंयुक्तः) वह वेदज्ञान की चोरी का भागीदार होकर (नरकं प्रतिपद्यते) नरक में जाता है ॥ ९१ ॥

अनुशीलन : यह श्लोक निम्न 'आधारों' के आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होता है—

१. **अन्तर्विरोध**—(१) २। ८०–८१ [२। १०५–१०६] श्लोकों में वेद का अध्ययन-अध्यापन, श्रवण-आवण सभी अवस्थाओं में पुण्यदायक माना है, अतः इस श्लोक में विना आज्ञा के वेद श्रवण करने का विधान मनु की उक्त मान्यता के प्रतिकूल है। (२) २। १६६ [२। १९१] में मनु ने गुरु की प्रेरणा अथवा विना प्रेरणा किये छात्र को वेदाध्ययन में संलग्न रहने का आदेश दिया है। इस विधान से यह स्पष्ट होता है कि वेदाध्ययन या श्रवण के लिए कोई भी बन्धन मनुसम्मत नहीं है (३) इसी प्रकार नरकसम्बन्धी मान्यता भी मनुसम्मत नहीं है। इसके लिये देखिये ४। ८७ से ९१ श्लोकों पर 'अनुशीलन' समीक्षा। इन अन्तर्विरोधों के आधार पर यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

गुरु को प्रथम अभिवादन—

लौकिकं वैदिकं वाऽपि तथाऽध्यात्मिकमेव च।
आददीत यतो ज्ञानं तं पूर्वमभिवादयेत् ॥९२॥ [२।११७] (७५)

(यतः) जिससे (लौकिकम्) लोक में काम आने वाला—शस्त्रविद्या, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान आदि सम्बन्धी (वा) अथवा (वैदिकम्) वेदविषयक (तथा) तथा (आध्यात्मिकम्+एव) आत्मा-परमात्मा सम्बन्धी (ज्ञानम्) ज्ञान (आददीत) प्राप्त करे (तम्) उसको (पूर्वम्+अभिवादयेत्) पहले नमस्कार करे ॥ ९२ ॥

विप्र की श्रेष्ठता-अश्रेष्ठता—

सावित्रीमात्रसारोऽपि वरं विप्रः सुयन्त्रितः।
नायन्त्रितस्त्रिवेदोऽपि सर्वाशी सर्वविक्रयी ॥ ९३ ॥ [२।११८]

(सावित्रीमात्रसारः) केवल गायत्रीमन्त्र के सार का ज्ञाता (सुयन्त्रितः विप्रः अपि वरम्) जितेन्द्रिय ब्राह्मण भी श्रेष्ठ है, किन्तु तीन वेदों का ज्ञाता (सर्वाशी) जो सब कुछ खाने वाला हो (सर्वविक्रयी) सब वस्तुओं का व्यापार करने वाला हो (अयन्त्रितः) अजितेन्द्रिय हो (न) वह श्रेष्ठ नहीं है ॥ ९३ ॥

अनुशीलन : यह श्लोक निम्न प्रकार से प्रक्षिप्त है—

१. **प्रसंगविरोध**—यह श्लोक प्रसंग के विरुद्ध है। पूर्वापर श्लोकों में अभि-

वादन विधि का वर्णन कियागया है। इस श्लोक से वह क्रम टूट रहा है और न इसमें वर्णित बातों का यहां कोई सम्बन्ध है। अतः प्रसंगविरुद्ध होने से यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

२. **अन्तर्विरोध**—इस श्लोक में कहा है कि 'सब कुछ बेचने वाला' सब कुछ खाने वाला तीन वेदों का ज्ञाता अजितेन्द्रिय ब्राह्मण भी श्रेष्ठ नहीं है।' यहाँ सभी बातें मनुविरुद्ध हैं। विक्रय अर्थात् व्यापार का कार्य ब्राह्मण का नहीं है, यह वैश्य का कर्त्तव्य है [१।८८, ९।३२६—३३२]। जो विक्रय कार्य करेगा, मनु की व्यवस्था के अनुसार वह ब्राह्मण ही नहीं कहला सकता। इसी प्रकार द्विजातियों को मनु ने सब कुछ खाने की छूट नहीं दी है, तामसिक पदार्थों एवं माँस आदि का निषेध करते हुए भक्ष्य-अभक्ष्य के नियम निर्धारित किये हैं [५।५, ८, ९, १०, २४, २५, ४३—५१]। इस आधार पर सब कुछ खाने वाले को ब्राह्मण तो क्या, द्विजातियों के अन्तर्गत भी नहीं माना जाता। ये कथन मनु की व्यवस्था के विरुद्ध जा रहे हैं, अतः यह श्लोक परवर्ती प्रक्षेप है।

गुरु की शय्या और आसन पर न बैठे—

शय्यासनेऽध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत्।
शय्यासनस्थश्चैवैनं प्रत्युत्थायाभिवादयेत्॥ ९४॥ [२।११९](७६)

(श्रेयसा) गुरुजन आदि बड़ों द्वारा (अध्याचरिते) प्रयोग में लायी जाने वाली (शय्या—आसने) शय्या पलंग आदि और आसन पर (न समाविशेत्) न बैठे (च) और (शय्यासनस्थः) यदि अपनी शय्या और आसन पर लेटा या बैठा हो तो (एनम्) इन गुरुजन आदि बड़ों को (प्रत्युत्थाय+अभिवादयेत्) उनके आने पर उठकर नमस्कार करे॥ ९४॥

बड़ों को अभिवादन से मानसिक प्रसन्नता—

ऊर्ध्वं प्राणा ह्युत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति।
प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यते॥९५॥[२।१२०](७७)

(स्थविरे+आयति) विद्या, पद, आयु आदि में बड़ों के आने पर (यूनः प्राणाः) छोटों के प्राण (उत्क्रामन्ति) ऊपर को उभरने-से लगते हैं अर्थात् प्राणों में हलचल घबराहट-सी उत्पन्न होने लगती है (हि) किन्तु (प्रत्युत्थान-अभिवादाभ्याम्) उठने और नमस्कार करने से (पुनः) फिर से (तान् प्रतिपद्यते) शिष्य प्राणों को सामान्य-स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर लेता है अर्थात् प्राणों की घबराहट, हलचल और उभराव दूर हो जाते हैं॥९५॥*

*[**प्रचलित अर्थ**— युवा लोगों के प्राण वृद्ध लोगों के आने पर ऊपर चढ़ते हैं और अभ्युत्थान तथा प्रणाम करने से वह युवा पुरुष उन्हें पुनः प्राप्त कर लेता है॥ १२०॥]

अभिवादन और सेवा से आयु, विद्या, यश, बल की वृद्धि—

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः।
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम् ॥९६॥ [२।१२१] (७८)

(अभिवादनशीलस्य) अभिवादन करने का जिसका स्वभाव और (नित्यं वृद्धोपसेविनः) विद्या वा अवस्था में वृद्ध पुरुषों का जो नित्य सेवन करता है (तस्य आयुः विद्या यशः बलं चत्वारि वर्धन्ते) उसकी आयु, विद्या, कीर्त्ति और बल, इन चारों की नित्य उन्नति हुआ करती है ॥ ९६ ॥

(सं० वि० पृ० ८५)

"जो सदा नम्र सुशील विद्वान् और वृद्धों की सेवा करता है उसका आयु, विद्या, कीर्ति और बल ये चार सदा बढ़ते हैं और जो ऐसा नहीं करता उनके आयु आदि चार नहीं बढ़ते"। (स० प्र० पृ० ४९)

अनुशीलन : अभिवादनादि से आयु-विद्या-बल-यश की वृद्धि कैसे ? यहां प्रश्न उठता है कि अभिवादनशील और नित्यवृद्धोपसेवी व्यक्ति के आयु, विद्या, यश और बल कैसे बढ़ते हैं ? इनका परस्पर क्या सम्बन्ध है ? इन मान्यताओं का उत्तर मनु के भावों से खोजकर यहां स्पष्ट किया जाता है। उससे पूर्व, उत्तर से सम्बन्धित दो बातों को स्पष्ट करना आवश्यक है—एक तो यह कि जो व्यक्ति अभिवादनशील और सेवा करने की प्रवृत्ति का होता है, वह स्वभाव से ही विनम्र एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अधिक गुणग्राही होता है। उस पर सेव्य और अभिवाद्य व्यक्तियों के गुणों का प्रभाव आता रहता है। दूसरी बात यह है कि वृद्ध व्यक्तियों से यहां वयोवृद्ध व्यक्तियों के साथ-साथ विशेषरूप से विद्या-अनुभववृद्ध विद्वान् व्यक्तियों से अभिप्राय है। मनु ने यह मान्यता २। १२६–१३१ [२। १५१—१५६] श्लोकों में स्पष्ट कर दी है, विशेष रूप से निम्न श्लोक में तुलनात्मक रूप में—

न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः।
यो वै युवाऽप्यधीयानस्तं देवा स्थविरं विदुः ॥ २॥ १३१ [२।१५६]

इनके स्पष्टीकरण के उपरान्त अब उन चार लाभों पर विचार किया जाता है—

(१) मनु ने २। ९७ से १०१ [२। १२२ से १२६] में अभिवादन का विधान किया है और इसे प्रत्येक विद्यार्थी और व्यक्ति के लिए अच्छा गुण माना है। अभिवादनशील और वृद्धसेवी व्यक्ति विनम्र होता है। उसके आदर करने के स्वभाव, विनम्रता और सेवा-सुश्रूषा, सुशीलता आदि गुणों के कारण उसकी सभी स्थानों पर प्रशंसा होती है। इस प्रकार उसका यश बढ़ता है।

(२) अभिवादनशील और सेवा शुश्रूषा करने वाले व्यक्ति के इन गुणों से प्रभावित होकर विद्वानों की स्वाभाविक रूप से अधिक विद्या प्रदान करने की भावना बनती है। वह अपने इन गुणों के प्रभाव से विद्या-अनुभव-वयोवृद्ध विद्वानों से उनकी

बुद्धि में अन्तर्निहित ज्ञान को जैसे स्वतः आकृष्ट कर लेता है। एक बहुत उपयुक्त उदाहरण द्वारा मनु ने इस बात को स्वयं समझाया है—

यथा खनन् खनित्रेण नरोवार्यधिगच्छति।
तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति॥ २। १९३ [२। २१८]

इन गुणों से रहित व्यक्ति को विद्या नहीं आती। यही कारण है कि विद्या प्राप्ति के इच्छुक व्यक्तियों में मनु ने और सभी शास्त्रों ने सेवा भावना को आवश्यक माना है—"**धर्मार्थौ यत्र न स्यातां शुश्रूषा वाऽपि तद्विधा। तत्र विद्या न वक्तव्या॥** २।८७ [२। ११२], "**शुश्रूषुः·····अध्याप्या दश धर्मतः**" । २।८४ [२। १०९]। इस प्रकार विद्यावृद्धि होती है। अभिवादनशील और सेवाभावी के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का स्नेह उमड़ पड़ता है और वह चाहता है कि मैं इसका जितना हो सके भला करूं।

(३–४) जो विद्यार्थी या व्यक्ति अभिवादनशील, शुश्रूषु होकर विद्या-अनुभव-वयोवृद्ध व्यक्तियों के सान्निध्य में रहेगा, तो उसे उनसे धर्म अर्थात् सदाचार शुद्धि, ईश्वरोपासना, श्रेष्ठ गुण और अनुभव, योगसिद्धि आदि का ज्ञान एवं शिक्षा-दीक्षा प्राप्त होगी। ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ 'उपसेविनः' पद का प्रयोग है जिसका विशेष अर्थ है—'वृद्धों के समीप रहकर सेवा करना'। इन बातों को स्पष्ट करने के लिए मनु के उदाहरण प्रस्तुत हैं—

उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्षयेत् शौचमादितः।
आचारमग्निकार्यं च संध्योपासनमेव च॥ २। ६४ [२। ६९]

यही शिक्षाएं अभिवादनशील और विद्या-वयोवृद्धों के समीप गुरुवत् प्राप्त होती रहती हैं। तन, मन की शुद्धि से [५। १०९] नीरोग होकर, सदाचार, अग्निहोत्र-सन्ध्योपासना आदि धर्मपालन से आयु एवं बल की वृद्धि होती है। इसकी पुष्टि में मनु के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं—

(क) शुद्धि एवं संन्ध्योपासना आदि से आयुवृद्धि—

१. **उत्थायावश्यकं कृत्वा कृतशौचः समाहितः।**
पूर्वां संध्यां जपन् तिष्ठेत् स्वकाले चापरां चिरम्॥

२. **ऋषयो दीर्घसन्ध्यत्वात् दीर्घमायुरवाप्नुयुः।**
प्रज्ञां यशश्च कीर्त्तिं च ब्रह्मवर्चसमेव च॥ ४। ९३-९४॥

(ख) सदाचार से आयु-बल वृद्धि—

१. **आचाराल्लभते ह्यायुः आचारादीप्सिताः प्रजाः॥**

२. **सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः।**
श्रद्दधानोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति॥ ४।१५६, १५८॥

सदाचार से आयुवृद्धि और दुराचार से अल्पायु-वर्णन सम्बन्धी अन्य श्लोक ४। १५७, ४। १३४, १। ४१-४२ भी द्रष्टव्य हैं।

(ग) धार्मिक-सात्त्विक व्रतों से आयु-यश आदि की वृद्धि—

१. **स्वर्गायुष्ययशस्यानि व्रतानीमानि धारयेत्** ॥ ४। १३।

(वे व्रत ४।१४ से २५८ तक विहित हैं)

इन सब बल-आयु-वर्धक बातों का ज्ञान-अनुभव, विद्या-अनुभव-वयोवृद्ध व्यक्तियों के सान्निध्य से प्राप्त होता है, और उनका सान्निध्य अभिवादनशीलता, सेवा-शुश्रूषा से प्राप्त होता है। इस प्रकार श्लोकोक्त गुणों से बल और आयु की वृद्धि होती है।

अभिवादन-विधि—

अभिवादात्परं विप्रो ज्यायांसमभिवादयन्।
असौ नामाहमस्मीति स्वं नाम परिकीर्तयेत् ॥९७॥ [२।१२२] (७९)

(विप्रः) द्विज (ज्यायांसम्+अभिवादयन्) अपने से बड़े को प्रणाम करते हुए (अभिवादात् परम्) अभिवादनसूचक शब्द के बाद ('अहं असौ नामा अस्मि' इति) 'मैं अमुक नाम वाला हूँ' ऐसा कहते हुए (स्वं नाम परिकीर्तयेत्) अपना नाम बतलाये, जैसे—अभिवादये अहं देवदत्तः..... [शेष विधि। ९९ में है] ॥ ९७ ॥

नामधेयस्य ये केचिदभिवादं न जानते।
तान्प्राज्ञोऽहमिति ब्रूयात्स्त्रियः सर्वास्तथैव च ॥ ९८ ॥ [२।१२३]

(ये केचित्) जो कोई (नामधेयस्य अभिवादं न जानते) अभिवादन का उत्तर देते समय नामोच्चारण पूर्वक अभिवादन करना नहीं जानते (च) और (तथैव) उसी प्रकार (सर्वाः स्त्रियः) सब स्त्रियों को भी (प्राज्ञः) बुद्धिमान् व्यक्ति ('अहम् इति ब्रूयात्') 'मैं हूँ' बस इतना ही कहे अर्थात् नाम का उच्चारण न करे॥ ९८ ॥

अनुशीलन : यह श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त है—

१. **प्रसंगविरोध**—यह श्लोक पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध है। इसके द्वारा पूर्वापर श्लोकों का क्रम भंग हो रहा है। ९७ वें श्लोक में अभिवादन की विधि बतलानी शुरू की थी और यह कहा कि 'अभिवादन करते समय अपने नाम का उच्चारण करे।' ९९ वें श्लोक में इससे आगे की विधि का वर्णन करते हुए कहा गया है कि 'फिर अपने नाम के अन्त में 'भोः' शब्द का प्रयोग करे।' इस प्रकार ९७ वें श्लोक से प्रारम्भ अभिवादन की विधि ९९ वें में पूर्ण होती है। इस श्लोक के कारण वह क्रम ही टूट

गया है। इस श्लोक में वर्णित बातों का अभिवादन-विधि के बीच में कहने का कोई प्रसंग भी नहीं बनता। अतः यह प्रसंगविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है।

अन्तर्विरोध—(१) श्लोक में कहा है कि जो लोग नामोच्चारणपूर्वक अभिवादन का उत्तर देना नहीं जानते उन्हें बिना नाम बताये ही नमस्कार करे, जबकि २। १०१ [२। १२६] में ऐसे व्यक्तियों को नमस्कार न करने का आदेश है। (२) इसी प्रकार इस श्लोक में सभी स्त्रियों को बिना नाम बताये ही नमस्कार करने का कथन है, जबकि २। १६१ [२। २१६] में गुरुपत्नियों को पूर्णविधि से नामोच्चारणपूर्वक नमस्कार करने का विधान है। इन दोनों ही विधानों के विरुद्ध होने से यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

भोःशब्दं कीर्तयेदन्ते स्वस्य नाम्नोऽभिवादने।
नाम्नां स्वरूपभावो हि भो भाव ऋषिभिः स्मृतः ॥९९॥ [२।१२४] (८०)

[२। ९७ में विहित प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर] (अभिवादने) अभिवादन में (स्वस्य नाम्नः अन्ते) अपना नाम बताने के पश्चात् ('भोः' शब्दं कीर्तयेत्) 'भोः' यह शब्द लगाये (हि) क्योंकि (ऋषिभिः) ऋषियों ने (भोभावः नाम्नां स्वरूपभावः स्मृतः) 'भोः' के अभिप्राय को नामों के स्वरूप का द्योतक ही माना है अर्थात् 'भोः' संबोधन के उच्चारण में ही नाम का अन्तर्भाव स्वतः हो जाता है [२।१०३]। जैसे—"अभिवादये अहं देवदत्तः 'भोः' ॥९९॥

अभिवादन का उत्तर देने की विधि—

आयुष्मान्भव सौम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादने।
अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरः प्लुतः ॥१००॥ [२।१२५] (८१)

(अभिवादने) अभिवादन का उत्तर देते समय (विप्रः) द्विज को (सौम्य 'आयुष्मान् भव' इति वाच्यः) 'हे सौम्य! आयुष्मान् हो' ऐसा कहना चाहिए (च) और (अस्य नाम्नः+अन्ते अकारः पूर्वाक्षरः प्लुतः) नमस्कार करने वाले के नाम के अन्तिम अकार आदि स्वरों को पहले अक्षर सहित प्लुत की ध्वनि [तीन मात्राओं के समय] में उच्चारण करे। जैसे—'देवदत्त' नाम में अन्तिम स्वर अकार है, जो 'त्' में मिला हुआ है। इस प्रकार 'त्' सहित अकार को अर्थात् अन्तिम 'त' को ही प्लुत बोले। उदाहरण है—"आयुष्मान् भव सौम्य देवदत्त ३" अथवा "आयुष्मान् भव सौम्य यज्ञदत्त ३" ॥ १०० ॥

अभिवादन का उत्तर न देने वाले को अभिवादन न करें—

यो न वेत्त्यभिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम्।
नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शूद्रस्तथैव सः ॥१०१॥ [२।१२६] (८२)

(यः विप्रः) जो द्विज (अभिवादस्य प्रत्यभिवादनम्) अभिवादन करने के उत्तर में अभिवादन करना नहीं जानता अर्थात् नहीं करता (विदुषा सः न+अभिवाद्यः) बुद्धिमान् आदमी को उसे अभिवादन नहीं करना चाहिए, क्योंकि (सः यथा शूद्रः तथा+एव) वह शूद्र के समान है ॥ १०१ ॥

वर्णानुसार कुशल प्रश्नविधि—

ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत्क्षत्रबन्धुमनामयम् ।
वैश्यं क्षेमं समागम्य शूद्रमारोग्यमेव च ॥१०२॥ [२।१२७] (८३)

[मिलने पर, अभिवादन के बाद] (ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत्) ब्राह्मण से कुशलता—प्रसन्नता एवं वेदाध्ययन आदि की निर्विघ्नता, (क्षत्रबन्धुम्+अनामयम्) क्षत्रिय के बल आदि की दृष्टि से स्वास्थ्य के विषय में, (वैश्यं क्षेमम्) वैश्य से क्षेम—धन आदि की सुरक्षा और आनन्द के विषय में, (च) और (शूद्रम्+आरोग्यम्+एव) शूद्र से स्वस्थता के विषय में (पृच्छेत्) पूछे। अभिप्राय यह है कि वर्णानुसार उनके मुख्य उद्देश्यसाधक व्यवहारों की निर्विघ्नता के विषय में प्रधानता से पूछे ॥ १०२ ॥

दीक्षित के नामोच्चारण का निषेध—

अवाच्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानपि यो भवेत् ।
भोभवत्पूर्वकं त्वेनमभिभाषेत धर्मवित् ॥१०३॥ [२।१२८] (८४)

(दीक्षितः) उपनयन में दीक्षित (यः यवीयान्+अपि भवेत्) यदि कोई छोटा भी हो तो उसे (नाम्ना अवाच्यः) नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिए (धर्मवित्) व्यवहार में चतुर व्यक्ति को चाहिए कि वह (एनं 'भो' 'भवत्' पूर्वकम् अभिभाषेत) अपने से छोटे व्यक्ति को 'भो' 'भवत्' जैसे आदरबोधक शब्दों से सम्बोधित करे ॥ १०३ ॥

परस्त्री के नामोच्चारण का निषेध—

परपत्नी तु या स्त्री स्यादसम्बन्धा च योनितः ।
तां ब्रूयाद्भवतीत्येवं सुभगे भगिनीति च ॥१०४॥ [२।१२९] (८५)

(या परपत्नी च योनितः असम्बन्धा स्त्री स्यात्) जो कोई दूसरे की पत्नी और योनि से सम्बन्ध न रखने वाली स्त्री अर्थात् बहन आदि न हो (ताम्) उसे ('भवति' 'सुभगे' 'भगिनी' इति+एवं ब्रूयात्) 'भवति!' [=आप] 'सुभगे!' [=सौभाग्यवति!] 'भगिनी!' [=बहन] इस प्रकार के शब्दों से सम्बोधित करे ॥ १०४ ॥

पारिवारिक एवं सम्बन्धी जनों का अभिवादन—

मातुलांश्च पितृव्यांश्च श्वशुरानृत्विजो गुरून् ।
असावहमिति ब्रूयात्प्रत्युत्थाय यवीयसः ॥१०५॥ [२।१३०]

(मातुलान् पितृव्यान् श्वशुरान् ऋत्विजः च गुरून्) मामा, चाचा, श्वशुर, ऋत्विज और गुरुजन आदि बड़ों को (यवीयसः) यदि ये छोटे भी हों तो भी (प्रत्युत्थाय) उठकर ('अहम् असौ इति' ब्रूयात्) 'मैं अमुक' इस प्रकार नामोच्चारण पूर्वक नमस्कार करे ॥ १०५ ॥

मातृष्वसा मातुलानी श्वश्रूरथ पितृष्वसा ।
संपूज्या गुरुपत्नीवत्समास्ता गुरुभार्यया ॥ १०६ [२।१३१]

(मातृष्वसा) मौसी (मातुलानी) मामी (श्वश्रूः) सास (अथ) और (पितृष्वसा) बूआ (गुरुपत्नीवत् संपूज्या) ये गुरुपत्नी के समान ही पूजनीय हैं (ताः गुरुभार्यया समाः) क्योंकि वे गुरुपत्नी के समान स्तर की ही हैं ॥ १०६ ॥

भ्रातुर्भार्योपसंग्राह्या सवर्णाहन्यहन्यपि ।
विप्रोष्य तूपसंग्राह्या ज्ञातिसम्बन्धियोषितः ॥१०७॥ २।१३२॥

(सवर्णा भ्रातुःभार्या) बड़े भाई की सवर्णा [=अपने वर्ण की] स्त्री का (अहनि-अहनि) प्रतिदिन (उपसंग्राह्य) चरणस्पर्श करके अभिवादन करना चाहिए, और (ज्ञाति-सम्बन्धियोषितः तु) जातिवालों तथा सम्बन्धियों की पत्नियों का तो (विप्रोष्यसंग्राह्या) केवल परदेश से लौटकर ही चरणस्पर्श करके अभिवादन करना चाहिए, अन्यथा बिना चरणस्पर्श किये ही अभिवादन करे ॥ १०७ ॥

पितुर्भगिन्यां मातुश्च ज्यायस्यां च स्वसर्यपि ।
मातृवद् वृत्तिमातिष्ठेन्माता ताभ्यो गरीयसी ॥१०८॥ [२।१३३]

(पितुर्भगिन्याम्) पिता की बहन अर्थात् बूआ (च) और (मातुः) माता की बहन अर्थात् मौसी के साथ (च) तथा (ज्यायस्यां स्वसरि+अपि) बड़ी बहन के साथ भी (मातृ-वत् वृत्तिम्+आतिष्ठेत्) माता के समान बर्ताव करे, किन्तु (माता ताभ्यः गरीयसी) माता उन सबसे अधिक बड़ी [आदरणीय] है ॥ १०८ ॥

नागरिकों आदि से मैत्री-व्यवहार—

दशाब्दाख्यं पौरसख्यं पञ्चाब्दाख्यं कलाभृताम् ।
त्र्यब्दपूर्वं श्रोत्रियाणां स्वल्पेनापि स्वयोनिषु ॥१०९॥[२।१३४]

(पौरसख्यं दश-अब्द-आख्यम्) नगर या ग्रामवासियों के साथ समान मित्रता का बर्ताव दश वर्ष की आयु के अन्तर तक होना चाहिए (कलाभृतां पञ्च-अब्द-आख्यम्) कलाओं के जानने वालों में पांच वर्ष के अन्तर तक (श्रोत्रियाणां त्रि-अब्दपूर्वम्) वेदपाठियों के साथ

तीन वर्ष के अन्तर तक समान मित्रता का व्यवहार होना चाहिए [अर्थात् उक्त अन्तरों में बड़े-छोटे का अधिक विचार नहीं करना चाहिए] (स्वयोनिषु स्वल्पेन + अपि) किन्तु अपने कुल वालों में आयु का थोड़ा अन्तर होने पर भी छोटे-बड़े का व्यवहार रखना चाहिए ॥ १०९ ॥

बालक ब्राह्मण भी वृद्ध क्षत्रियों के पिता के समान—

ब्राह्मणं दशवर्षं तु शतवर्षं तु भूमिपम् ।
पितापुत्रौ विजानीयाद् ब्राह्मणस्तु तयोः पिता ॥११०॥ [२।१३५]

(दशवर्षं तु ब्राह्मणम्) दश वर्ष के तो ब्राह्मण को (शतवर्षं तु भूमिपम्) और सौ वर्ष के क्षत्रिय को (पितापुत्रौ विजानीयात्) क्रमशः पिता और पुत्र समझना चाहिए (तयोः ब्राह्मणः तु पिता) उनमें ब्राह्मण ही पिता है ॥ ११० ॥

अनुशीलन : १०५ से ११० तक के श्लोक निम्न 'आधारों' के आधार पर प्रक्षिप्त हैं—

१. **विषय-विरोध**—१०५ से १०९ श्लोक विषयविरुद्ध हैं। द्वितीय अध्याय का मुख्यविषय ब्रह्मचर्याश्रम है [२। ४४ (२। ६९), ३। १—२]। २। ४३—४४ [२। ६८—६९] श्लोकों में स्पष्टतः गुरु के पास रहते हुए ब्रह्मचारी के कर्त्तव्यों का कथन करने का संकेत किया है। और २।१३९ [२।१६४] में भी कहा है—"**अनेन क्रमयोगेन**·····
·····**गुरौ वसन् संचिनुयात् ब्राह्मिगमिकं तपः**" अर्थात्—इन पूर्वोक्त विधियों के अनुसार ब्रह्मचारी गुरु के पास रहता हुआ वेदज्ञान की वृद्धि के लिए तप करे। इसके अतिरिक्त २।८३ [१०८], १५०[१७५], १६९—१७८[१९४—२०३], १९४[२१९], २१६—२१९[२४१—२४४] आदि श्लोकों से भी यही स्पष्ट होता है कि इस अध्याय में केवल गुरुकुल में रहने वाले ब्रह्मचारी के कर्त्तव्यों का विषय है। किन्तु इन श्लोकों में जो कर्त्तव्य विहित हैं वे गुरुकुल के ब्रह्मचारी के न होकर गृहस्थ के हैं। गुरुकुलमें ब्रह्मचारी का मामा, चाचा, ऋत्विज, बूआ आदि से सम्पर्क नहीं पड़ता और न ब्रह्मचारी के सास-ससुर ही होते हैं। गुरुकुल में रहते हुए भाई की स्त्री की भी वह प्रतिदिन कैसे वन्दना करेगा ? इस प्रकार से विषयविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं। यहां यह ध्यान देने की बात है कि ये अर्थवाद नहीं हैं अपितु विधिवाक्य हैं। अर्थवाद के रूप में तो सम्बद्ध बातें विषयसम्मत मानी जा सकती हैं।

२. **अन्तर्विरोध**—(१) २। १११—११२ [२। १३६—१३७] श्लोकों में गुणों की अधिकता के आधार पर ज्येष्ठत्व माना है। इसी प्रकार २। १२५—१३१ [२। १५०—१५६] श्लोकों के वर्णन से भी यही सिद्ध होता है कि मनु गुणों के आधार पर व्यक्ति को बड़ा मानते हैं। ११० वें श्लोक में जन्म के आधार पर ब्राह्मण को बड़ा कहना मनु की उक्त मान्यता के विरुद्ध है। (२) मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं। कर्मों की श्रेष्ठता के कारण ही उन्होंने ब्राह्मण को सभी वर्णों में श्रेष्ठ कहा है।

११० वें श्लोक में दश वर्ष के बालक को क्षत्रिय के पिता-तुल्य कहना जन्मना वर्ण-व्यवस्था पर आधारित है, अतः यह मनु के विरुद्ध है। (इसके लिए विस्तृत समीक्षा २।१३२—१०७ श्लोकों पर देखिए)।

३. **शैलीगत आधार**—११० वें श्लोक की शैली अतिशयोक्तिपूर्ण एवं पक्षपातपूर्ण है। मनु की शैली में ये त्रुटियां नहीं हैं। इस आधार पर भी यह प्रक्षिप्त है।

सम्मान के आधार—

वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी।
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम् ॥१११॥[२।१३६](८६)

(वित्तं बन्धुः वयः कर्म) एक—धन, दूसरे—बंधु, कुटुम्ब, कुल, तीसरी—आयु, चौथा—उत्तम कर्म (पञ्चमी विद्या भवति) और पांचवीं—श्रेष्ठविद्या (एतानि मान्यस्थानानि) ये पांच मान्य के स्थान हैं, परन्तु (यद्-यद्+उत्तरं गरीयः) [जो-जो परला है वह अतिशयता से उत्तम है] धन से उत्तम बन्धु, बन्धु से अधिक आयु, आयु से श्रेष्ठ कर्म और कर्म से पवित्र विद्या वाले उत्तरोत्तर अधिक माननीय हैं॥ १११॥

(स० प्र० पृ० २५६)

अनुशीलन : **विशिष्ट विद्वान् सर्वाधिक सम्मान्य**—लौकिक और वैदिक क्षेत्र, दोनों में ही विशिष्ट विद्वान्व्यक्ति सर्वाधिक सम्मान्य होता है। अन्य प्रमाणों से भी यह बात स्पष्ट होती है—

"**यथा ज्ञानपदीषु विद्वातः पुरुषविशेषो भवति, पारोवर्यवित्सु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति।**" (निरु० १।१४)=जगत् में अधिक विद्याज्ञाता सबसे विशेष माना जाता है, इसी प्रकार वेदविद्यावेत्ताओं में भी जो अधिक वेदविद्या का ज्ञाता है, वह अधिक सम्मान्य एवं महान् है।

पञ्चानां त्रिषु वर्णेषु भूयांसि गुणवन्ति च।
यत्र स्युः सोऽत्र मानार्हः शूद्रोऽपि दशमीं गतः ॥११२॥ [२।१३७] (८७)

(त्रिषु वर्णेषु) तीनों वर्णों में अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों में परस्पर (पञ्चानां यत्र भूयांसि गुणवन्ति स्युः) उक्त [२।१११] पांच गुणों में उत्तरोत्तर स्तर वाले अधिक गुण जिसमें हों (अत्र सः मानार्हः) समाज में वह कम गुणवालों के द्वारा सम्मान करने योग्य है (दशमीं गतः शूद्रः+अपि) तथा दशमी अवस्था अर्थात् नब्बे वर्ष से अधिक आयुवाला शूद्र भी सब के द्वारा सम्मान देने योग्य है॥ ११२॥

किस-किस के लिए मार्ग दें—

चक्रिणो दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रियाः ।
स्नातकस्य च राज्ञश्च पंथा देयो वरस्य च ॥११३॥[२।१३८](८८)

(चक्रिणः) सवारी अर्थात् रथ, गाड़ी आदि में बैठे हुए को (दशमी-स्थस्य) दशमी अवस्था वाले अर्थात् नब्बे वर्ष से अधिक आयु वाले को (रोगिणः) रोगी को (भारिणः) बोझ उठाये हुए को (स्त्रियः) स्त्री को (च) और (स्नातकस्य) स्नातक को (राज्ञः) राजा को (च) तथा (वरस्य) दूल्हे को (पन्था देयः) पहले रास्ता दे देना चाहिए ॥ ११३ ॥

राजा और स्नातक में स्नातक अधिक मान्य—

तेषां तु समवेतानां मान्यौ स्नातकपार्थिवौ ।
राजस्नातकयोश्चैव स्नातको नृपमानभाक् ॥११४॥[२।१३९] (८९)

(तेषाम् तु) उन [२ । ११३] सब के (समवेतानाम्) एकत्रित होने पर (स्नातक-पार्थिवौ मान्यौ) स्नातक और राजा सबके सम्मान के योग्य हैं (च) और (राजस्नातकयोः एव) राजा तथा स्नातक में भी (स्नातकः) स्नातक ही (नृपमानभाक्) राजा के द्वारा सम्मान पाने योग्य है अर्थात् स्नातक विद्वान् सबसे अधिक सम्मान का पात्र है ॥ ११४ ॥

आचार्य का लक्षण—

उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विजः ।
सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ ११५ ॥ [२ । १४०] (९०)

(यः उपनीय तु) जो यज्ञोपवीत कराके (सकल्पं च सरहस्यम्) कल्पसूत्र और वेदान्तसहित (शिष्यं वेदम् + अध्यापयेत्) शिष्य को वेद पढ़ावे (तम् + आचार्यं प्रचक्षते) उसको 'आचार्य' कहते हैं ॥ ११५ ॥

(द० ल० वे० पृ० ४)

"जो ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य गुरु अपने शिष्य को यज्ञोपवीत आदि धर्म क्रिया कराने के बाद वेद को अर्थ और कलासहित पढ़ावे तो ही उसको आचार्य कहना चाहिए।" (द० ल० शि० पृ० ८९)

अनुशीलन : कल्प से अभिप्राय— यहां 'कल्प' से किसी ग्रन्थ-विशेष से अभिप्राय नहीं है, अपितु वेदोक्त यज्ञ, धर्मक्रियाओं आदि का निरूपण जिसमें होता है, उस विद्या विशेष से है।

उपाध्याय का लक्षण—

एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः ।
योऽध्यापयति वृत्त्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते ॥ ११६ ॥ [२।१४१] (९१)

(यः) जो (वृत्ति+अर्थम्) जीविका के लिए (वेदस्य एकदेशम्) वेद के किसी एक भाग या अंश को (अपि वा पुनः वेदांगानि) या फिर वेदांगों= शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्दशास्त्र और ज्योतिष विद्याओं को (अध्यापयति) पढ़ाता है (सः उपाध्यायः उच्यते) वह 'उपाध्याय' कहलाता है ॥ ११६ ॥

अनुशीलन : वेदांगों से यहां तत्तत् विद्याविशेष ग्रहण करनी चाहिए, कोई ग्रन्थविशेष नहीं।

पिता-गुरु का लक्षण—

निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि ।
सम्भावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते ॥ ११७ ॥
[२।१४२] (९२)

(यः) यथाविधि) जो विधि-अनुसार (निषेकादीनि कर्माणि करोति) गर्भाधान आदि संस्कारों को करता है (च) तथा (अन्नेन संभावयति) अन्न आदि भोज्य पदार्थों द्वारा बालक का पालन-पोषण करता है (स विप्रः) वह विद्वान् द्विज (गुरुः+उच्यते) 'गुरु' कहलाता है ॥ ११७ ॥

"जो वीर्यदान से लेके भोजनादि कराके पालन करता है, इससे पिता को 'गुरु' कहते हैं।" (द० ल० आ० पृ० २७६)

"निषेक—अर्थात् ऋतु-प्रदान यह प्रथम संस्कार है। पिता निषेक करता है, इसलिए पिता ही मुख्य गुरु है।" (पू० प्र० पृ० ७७)

ऋत्विक् का लक्षण—

अग्न्याधेयं पाकयज्ञानग्निष्टोमादिकान्मखान् ।
यः करोति वृतो यस्य स तस्य तस्यर्त्विगुहोच्यते ॥११८॥[२।१४३](९३)

(यः वृतः) जो ब्राह्मण किसी के द्वारा वरण किये जाने पर (तस्य) उस वरण करने वाले के (अग्न्याधेयम्) अग्निहोत्र (पाकयज्ञान्) बलिवैश्वदेव आदि तथा पूर्णिमा आदि विशेष उपलक्ष्यों पर किये जाने वाले यज्ञों को (अग्निष्टोम+आदिकान् मखान्) अग्निष्टोम आदि बड़े यज्ञों को (करोति) करता है (सः तस्य ऋत्विक् उच्यते) वह उस वरण करने वाले [यजमान] का 'ऋत्विक्' कहलाता है ॥ ११८ ॥

अनुशीलन : ऋत्विज् का अधिकारी कौन—ऋत्विज् कैसे होने चाहिएं, इस पर महर्षि दयानन्द ने प्रकाश डाला है, जो उद्धरणीय है—"ऋत्विजों के लक्षण—अच्छे विद्वान्, धार्मिक, जितेन्द्रिय, कर्म करने में कुशल, निर्लोभ, परोपकारी, दुर्व्यसनों से रहित, कुलीन, सुशील, वैदिक मत वाले, वेदवित् एक, दो, तीन अथवा चार का वरण करें।" (सं० वि० सामान्य प्र०)

अध्यापक या आचार्य की महत्ता—

य आवृणोत्यवितथं ब्रह्मणा श्रवणावुभौ।
स माता स पिता ज्ञेयस्तं न द्रुह्येत्कदाचन ॥ ११६ ॥[२।१४४[(९४)

(यः ब्रह्मणा) जो गुरु या आचार्य वेदज्ञान के द्वारा (उभौ श्रवणौ अवितथम् आवृणोति) दोनों कानों को भलीभांति परिपूर्ण करता है [सुनाता-पढ़ाता है] (सः माता सः पिता ज्ञेयः) उसे माता, पिता समझना चाहिए (तं कदाचन न द्रुह्येत्) और उससे कभी द्रोह [=ईर्ष्या-अपमान] न करे ॥ ११६ ॥

अनुशीलन : ११६ की निरुक्त से तुलना—निरुक्त शास्त्र में महर्षि यास्क ने किसी प्राचीन ग्रन्थ का श्लोक उद्धृत किया है, जो मनु के श्लोक से भाव और शब्दों की दृष्टि से पर्याप्त मिलता-जुलता है। तुलना कीजिए—

य आवृणोत्यविथेन कर्णौ-अदुःखं कुर्वन्नमृतं संप्रयच्छन्।
तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न द्रुह्येत् कतमच्चनाह ॥ (निरु० २।१।४)

उपाध्याय, आचार्य, पिता, माता की तुलना—

उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता।
सहस्रं तु पितॄन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ १२० ॥ [२।१४५)

(दश उपाध्यायान् आचार्यः) दश उपाध्यायों की अपेक्षा आचार्य (शतम् आचार्याणां पिता) सौ आचार्यों की अपेक्षा पिता (सहस्रं पितॄन् तु माता) हजार पिताओं की अपेक्षा माता (गौरवेण+अतिरिच्यते) गौरव में अधिक है ॥ १२० ॥

अनुशीलन—यह श्लोक प्रक्षिप्त है—

१. **प्रसंगविरोध**—यह पूर्वापरप्रसंगविरुद्ध है। इसने पूर्वापर प्रसंग के क्रम को भंग किया है। पहले श्लोक में 'गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचारी के माता-पिता कौन होते हैं' यह बतलाया है और इससे अगले श्लोक में जन्म देनेवाले पिता और आचार्यरूप पिता की तुलना दिखाई है। उस क्रम को भंग करके इस श्लोक में उपाध्याय आदि से चर्चा प्रारम्भ करना असंगत है, अतः यह प्रसंगविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है।

२. **अन्तर्विरोध**—इस श्लोक में जन्म देने वाले माता-पिता को अधिक उच्च कहा है, जबकि अगले १२१—१२३ [१४६—१४८] श्लोकों में कारण-प्रदर्शन पूर्वक स्पष्टतः आचार्य को माता-पिता से उच्च माना है तथा माता-पिता की गौणता का

कारण भी दिखलाया है। यहां प्रसंग भी गुरुकुल का है अतः गुरु को ही उच्च दिखाना प्रसगानुकूल मान्यता मानी जा सकती है। इस विरोध के आधार पर यह भी यह श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होता है।

पिता से वेदज्ञानदाता आचार्य बड़ा होता है—

उत्पादकब्रह्मदात्रोर्गरीयान्ब्रह्मदः पिता।
ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम् ॥ १२१ ॥ [२।१४६] (९५)

(उत्पादक-ब्रह्मदात्रोः) उत्पन्न करने वाले पिता और विद्या या वेदज्ञान देनेवाले पिता आचार्य [११५] में (ब्रह्मदः पिता गरीयान्) वेदज्ञान देनेवाला आचार्यरूप पिता ही अधिक बड़ा और माननीय है (हि) क्योंकि (विप्रस्य) द्विज का (ब्रह्मजन्म) [शरीर-जन्म की अपेक्षा] ब्रह्मजन्म=उपनयन में दीक्षित करके वेदाध्ययन एवं ईश्वरज्ञान कराना ही (इह च प्रेत्य शाश्वतम्) इस जन्म और परजन्म में स्थिर रहने वाला है अर्थात् शरीर तो इस जन्म के साथ ही नष्ट हो जाता है किन्तु योग तथा विद्या के संस्कार मुक्तिप्राप्ति तक साथ देते हैं ॥ १२१ ॥

अनुशीलन : ब्रह्मजन्म से अभिप्राय—आचार्य उपनयन संस्कार के द्वारा वेदाध्ययन और ईश्वरज्ञान कराके एक जन्म प्रदान करता है, जिसे इस श्लोक में 'ब्रह्मजन्म' की संज्ञा दी है। यह जन्म शाश्वत सुखदायक है अर्थात् मुक्तिपर्यन्त इस जन्म और परजन्मों में सुखदायक है। इसी जन्म के कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज (**द्विर्जायते इति द्विजः**) कहा जाता है। यह अनुष्ठान वेदाधारित ही है; द्रष्टव्य है प्रमाणरूप में एक मन्त्र=जिसका भाव मनुस्मृति के २।११-१२, ४३, ४४ आदि में भी आता है—

आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः।
तं रात्रीस्तिस्र उदरे बिभर्त्ति तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः ॥
(अथर्व० ११।५।१)

"आचार्य ब्रह्मचारी को प्रतिज्ञापूर्वक समीप रखके तीन रात्रि पर्यन्त संध्योपासनादि सत्पुरुषों के आचार की शिक्षा कर उसके आत्मा के भीतर गर्भरूप विद्यास्थापन करने के लिए उसको पूर्ण विद्वान् करदेता और जब वह पूर्ण ब्रह्मचर्य और विद्या को पूर्ण करके घर को आता है तब उसको देखने के लिए सब विद्वान् लोग सम्मुख जाकर बड़ा मान्य करते हैं (स० वि० ९४)

कामान्माता पिता चैनं यदुत्पादयतो मिथः।
संभूतिं तस्य तां विद्याद्यद्योनावभिजायते ॥ १२२ ॥ [२।१४७] (९६)

(माता च पिता यत् एनं मिथः उत्पादयतः) माता और पिता जो इस

बालक को मिलकर उत्पन्न करते हैं, वह (कामात्) सन्तान-प्राप्ति की कामना से करते हैं (यत्+योनौ+अभिजायते) वह जो माता के गर्भ से उत्पन्न होता है (तस्य तां संभूतिं विद्यात्) उसका वह साधारणरूप से संसार प्रकट होना मात्र जन्म है, अर्थात् वास्तविक जन्म तो उपनयन में दीक्षित करके शिक्षा के रूप में आचार्य ही देता है, जिससे मनुष्य वास्तव में मनुष्य बनता है ॥१२२॥

आचार्य द्वारा प्रदत्त ब्रह्मजन्म स्थिर होता है—

आचार्यस्त्वस्य यां जातिं विधिवद्वेदपारगः।
उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या साऽजरामरा ॥१२३॥ [२।१४८] (९७)

(वेदपारगः आचार्यः) वेदों में पारंगत आचार्य [२।११५ (२।१४०)] (विधिवत्) विधि-अनुसार (सावित्र्या) गायत्रीमन्त्र की दीक्षापूर्वक [२।४४, ४६, ५१-५३] अर्थात् उपनयन संस्कार से [२।११-१२] (अस्य) इस विद्यार्थी या व्यक्ति के (यां जातिम् उत्पादयति) जिस जन्म अर्थात् ब्रह्म-जन्म को प्रदान करता है [द्रष्टव्य २।१२१, १२२, १२५ श्लोक] (सा तु) वही जन्म तो (सत्या) वास्तविक मनुष्य जन्म है, (सा+अजरा+अमरा) वह जन्म अजरता=कभी क्षीण न होना और अमरता—मृत्यु अर्थात् विनाश को न प्राप्त होना आदि गुणों से युक्त है अर्थात् वेद और ईश्वर-ज्ञान-रूपी जन्म में दीक्षित होकर मनुष्य अजर-अमर मुक्ति पद को प्राप्त कर लेता है। यही मनुष्य का सत्य अर्थात् वास्तविक उद्देश्य है। सुशिक्षा के बिना मनुष्य 'मनुष्य' नहीं बनता ॥ १२३ ॥

अनुशीलन : **'जाति' शब्दार्थ का विवेचन**—'जन्' धातु से 'क्तिन्' प्रत्यय के योग से 'जाति' शब्द निष्पन्न होता है। यहां यह 'जन्म' के पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त है और 'ब्रह्मजन्म' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, अन्य किसी जातिविशेष के लिए नहीं—

(क) पूर्वापर श्लोकों में इन्हीं गुण वाले ब्रह्मजन्म का प्रसंग है। १२१ में माता से प्राप्त जन्म की अपेक्षा ब्रह्मजन्म को उत्कृष्ट एवं शाश्वत बतलाया है। १२२ और १२३ श्लोक उसके अर्थवाद हैं। १२२ में माता-पिता से प्राप्त जन्म कम महत्त्व वाला किस कारण से है, यह स्पष्ट किया है। १२३ में ब्रह्मजन्म किस कारण से उत्कृष्ट है, यह स्पष्ट किया है। इस प्रकार उसी अर्थ की इसमें क्रमशः अनुवृत्ति है।

(ख) १२५ में भी ब्रह्मजन्म का कथन है, जो आचार्य या गुरु द्वारा प्राप्त होता है, उसे ही 'जाति' कहते हैं।

(ग) इस श्लोक में 'जाति' ब्रह्मजन्म के अर्थ में प्रयुक्त है। इसकी सिद्धि मनु द्वारा प्रयुक्त विशेषणों से ही हो जाती है। 'सत्या, अजरा, अमरा' विशेषण अन्य किसी जाति में नहीं घटते अपितु ब्रह्मजन्म में ही घटते हैं, क्योंकि यही मुक्तिप्राप्ति में साधक होता है। देखिए—

"**ब्राह्मीयं क्रियते तनुः**" [२।३(२।२८), २।४३ (२।६८); २।२२४ (२।२४६); ४।१४; ४।१४८, १४६; ६।८१-८५ आदि]।

(घ) जाति का अर्थ 'जन्म' है। इसकी पुष्टि मनु स्वयं ६।२०१ श्लोक द्वारा करते हैं। वहां "**जात्यन्धबधिरौ**" अर्थात् 'जन्म से अंधे और बहरे' यह प्रयोग 'जन्म' अर्थ में है। इस प्रकार यहां भी 'जाति' शब्द का 'जन्म' अर्थ ग्रहण करना ही मनु-सम्मत है। इसी अर्थ में १०।४ में भी इसका प्रयोग है—

१. "**चतुर्थः एकजातिस्तु शूद्रः**" [१०।४॥]

गुरु का सामान्य लक्षण—

अल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः।
तमपीह गुरुं विद्यात् श्रुतोपक्रियया तया ॥१२४॥ [२।१४६](६८)

(यः यस्य) जो कोई जिस किसी का (श्रुतस्य अल्पं वा बहु उपकरोति) विद्या पढ़ाकर थोड़ा या अधिक उपकार करता है (तम्+अपि+इह) उसको भी इस संसार में (तया श्रुत+उपक्रियया) उस विद्या पढ़ाने के उपकार के कारण (गुरुं विद्यात्) गुरु समझना चाहिए॥ १२४॥

विद्वान् बालक वयोवृद्ध से बड़ा होता है—

ब्राह्मस्य जन्मनः कर्त्ता स्वधर्मस्य च शासिता।
बालोऽपि विप्रो वृद्धस्य पिता भवति धर्मतः ॥१२५॥[२।१५०](६६)

(ब्राह्मस्य जन्मनः कर्त्ता) ईश्वरज्ञान एवं वेदाध्ययन के जन्म को देने वाला (स्वधर्मस्य च शासिता) और उसके अपने धर्म का उपदेश देने वाला (विप्रः) विद्वान् (बालः+अपि) बालक अर्थात् अल्पायु होते हुए भी (धर्मतः) धर्म से (वृद्धस्य पिता भवति) शिक्षा प्राप्त करने वाले दीर्घायु व्यक्ति का पिता अर्थात् गुरु के समान बड़ा होता है॥ १२५॥

उक्त विषय में आङ्गिरस का दृष्टान्त—

अध्यापयामास पितॄञ्छिशुराङ्गिरसः कविः।
पुत्रका इतिहोवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान् ॥१२६॥[२।१५१](१००)

[इस प्रसंग में एक इतिवृत्त भी है] (आङ्गिरसः शिशुः कविः) अंगिरा

वंशी 'शिशु' नामक बालक (पितॄन्) अपने पिता के समान चाचा आदि पितरों को (अध्यापयामास) पढ़ाया (ज्ञानेन परिगृह्य) ज्ञान देने के कारण (तान् 'पुत्रकाः' इति ह उवाच) उनको 'हे पुत्रो इस शब्द से सम्बोधित किया ॥ १२६ ॥

अनुशीलन :(१) 'कवि' शब्द की व्युत्पत्ति—कविः शब्द 'कु–शब्दे' (अदादि) धातु से 'अच इः' (उणादि ४। १३९) सूत्र से 'इः' प्रत्यय लगने से बनता है। इसकी निरुक्ति है—

'क्रान्तदर्शनाः क्रान्तप्रज्ञा वा विद्वांसः' (ऋ० द० ऋ० भू०)

"कविः क्रान्तदर्शनो भवति" (निरुक्त १२। १३)

इस प्रकार विद्याओं के सूक्ष्म तत्त्वों का द्रष्टा, बहुश्रुत ऋषि व्यक्ति कवि होता है। इसे 'अनूचान' भी इस प्रसंग में कहा है [२। १२९] ब्राह्मणों में भी कवि के इस अर्थ पर प्रकाश डाला है—

"ये वा अनूचानास्ते कवयः" (ऐ० २। २)। **"एते वै कवयो यद्दृषयः"** (श० १। ४। २। ८)। **"ये विद्वांसस्ते कवयः"** (७। २। २। ४)। **शुश्रुवांसो वै कवयः"** (तै० ३। २। २। ३)।

(२) शिशु आङ्गिरस—यह अंगिरावंश का एक विद्वान् बालक था। बाल्यावस्था में मन्त्रद्रष्टा होने के कारण यह गुणाभिधान 'शिशु' नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। इसका यह आख्यान ताण्ड्य ब्राह्मण १३।३।२३-२४ और पञ्चविंश ब्राह्मण १३।३।२४ में यथावत् आता है। वहां इसे 'मन्त्रकृतां मन्त्रकृत्' कहा है। ऋ० ९।११२ सूक्त इसी शिशु ऋषि द्वारा दृष्ट है। सामवेद में "यत्सोम चित्रम्" [साम० उ० ३।२।१३] तृच् को इसके द्वारा दृष्ट होने के कारण ही 'शैशव साम' कहा गया है।

ते तमर्थमपृच्छन्त देवानागतमन्यवः।
देवाश्चैतान्समेत्योचुर्न्याय्यं वः शिशुरुक्तवान् ॥१२७॥[२।१५२](१०१)

(आगतमन्यवः ते) [उक्त संबोधन को सुनकर] गुस्से मे आये हुए उन पितरों ने (तम्+अर्थं देवान् अपृच्छन्त) उस 'पुत्र' सम्बोधन के अर्थ अथवा औचित्य के विषय में देवताओं=बड़े विद्वानों से पूछा (च) और तब (देवाः समेत्य एतान् ऊचुः) सब विद्वानों ने एकमत होकर इनसे कहा कि (शिशुः वः न्याय्यम् उक्तवान्) तत्त्वदर्शी शिशु आङ्गिरस ने तुम्हारे लिए 'पुत्र' शब्द का सम्बोधन ठीक ही किया है ॥ १२७ ॥

विद्वत्ता के आधार पर बालक और पिता की परिभाषा—

अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः।
अज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम् ॥१२८॥[२।१५३](१०२)

(अज्ञः वै बालः भवति) चाहे सौ वर्ष का भी हो परन्तु जो विद्या-विज्ञान से रहित है वह बालक और (मन्त्रदः पिता भवति) जो विद्या-विज्ञान का दाता है उस बालक को भी वृद्ध [=पिता] मानना चाहिए (हि) क्यों कि सब शास्त्र, आप्त विद्वान् (अज्ञं बालम्+इति) अज्ञानी को बालक (मन्त्रदं तु पिता इत्येव आहुः) और ज्ञानी को पिता कहते हैं ॥ १२८ ॥ (स० प्र० २५६)

"अज्ञ अर्थात् जो कुछ नहीं पढ़ा, वह निश्चय करके बालक होता है, और जो मन्त्रद अर्थात् दूसरे को विचार देनेवाला, विद्या पढ़ा विद्याविचार में निपुण है, वह पिता-स्थानीय होता है, क्योंकि जिस कारण सत्पुरुषों ने अज्ञजन को बालक कहा और मन्त्रद को पिता ही कहा है, इससे प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम सम्पन्न होकर ज्ञानवान् अवश्य होना चाहिए। (सं० वि० पृ० ८५)

अवस्था आदि की अपेक्षा वेदज्ञानी की श्रेष्ठता—

न हायनैर्न पलितैर्न वित्तेन न बन्धुभिः।
ऋषयश्चक्रिरे धर्मं योऽनूचानः स नो महान् ॥१२६॥ [२।१५४] (१०३)

(हायनैः) अधिक वर्षों के बीतने (पलितैः) श्वेत बाल के होने (वित्तेन) अधिक धन से (बन्धुभिः) बड़े कुटुम्ब के होने से (न) वृद्ध नहीं होता (ऋषयः धर्मं चक्रिरे) किन्तु ऋषि-महात्माओं का यही नियम है कि (नः यो अनूचानः स महान्) जो हमारे बीच में विद्या-विज्ञान में अधिक है, वही वृद्ध पुरुष कहाता है ॥ १२६ ॥ (स० प्र० पृ० २५६)

धर्मवेत्ता ऋषिजनों ने न वर्षों, न पके केशों वा झूलते हुए अङ्गों न धन और न बन्धु-जनों से बड़प्पन माना, किन्तु यही धर्म निश्चय किया कि जो हम लोगों में वाद-विवाद में उत्तर देनेवाला अर्थात् वक्ता हो, वह बड़ा है।" (सं० वि० पृ० ८५)

अनुशीलन : 'अनूचान' सबसे महान्—अनु+वच्+लिट् उसको कानच् होकर शब्दसिद्धि होती है। इस श्लोक में स्थापित मान्यता वैदिक क्षेत्र में यथावत् मान्य रही है। निरुक्त के निम्न वचनों में यही भाव है —

(क) "यथा जानपदीषु विज्ञातः पुरुषविशेषो भवति, पारोवर्यवित्सु तु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति।" (१।१४) "तस्माद् यदेव किञ्चिदनूचानः अभ्यूहति आर्षं तद् भवति।" (परिशिष्ट १३।११)।

अर्थात्—जैसे जगत् में अधिक विद्याओं का ज्ञाता विशेष व्यक्ति माना जाता है उसी प्रकार वेदवेत्ताओं में वेदविद्याओं का अधिक ज्ञाता प्रशंसनीय अर्थात् सबसे

महान् माना जाता है। वेद-वेदांगों में पारगत विद्वान् तर्क द्वारा जिस मन्त्रार्थ का अनुसन्धान करता है, वह ऋषिदृष्ट अर्थ ही होता है।

(ख) शतपथ ब्राह्मण में भी 'अनूचान' व्यक्ति को विद्वानों में महान् माना है—

"यो वै ब्राह्मणानामनूचानतमः स एवां वीर्यवत्तमः" ॥ ४। ६। ६। ५॥

अर्थात्—जो ब्राह्मणों में परम विद्वान् है, वही इनमें अत्यन्त बलवान् अर्थात् सब से महान् है।

वर्णों में परस्पर ज्येष्ठता के आधार—

विप्राणां ज्ञानतो ज्यैष्ठ्यं क्षत्रियाणां तु वीर्यतः।
वैश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः ॥१३०॥ [२।१५५] (१०४)

(विप्राणां ज्ञानतः) ब्राह्मण ज्ञान से (क्षत्रियाणां तु वीर्यतः) क्षत्रिय बल से (वैश्यानां धनधान्यतः) वैश्य धन-धान्य से और (शूद्राणां जन्मतः एव ज्यैष्ठ्यम्) शूद्र जन्म अर्थात् अधिक आयु से वृद्ध [=बड़ा] होता है ॥१३०॥

(स० प्र० पृ० २५६)

अवस्था की अपेक्षा ज्ञान से वृद्धत्व—

न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः।
यो वै युवाऽप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥१३१॥ [२।१५६] (१०५)

(तेन वृद्धः न भवति) उस कारण से वृद्ध नहीं होता (येन+अस्य शिरः पलितम्) कि जिससे इसका शिर झूल जाये, केश पक जावें (यः+वै युवा+अपि+अधीयानः) किन्तु जो जवान भी पढ़ा हुआ विद्वान् है (तं देवा स्थविरं विदुः) उसको विद्वानों ने वृद्ध जाना और माना है ॥ १३१ ॥

(सं० वि० पृ० ८५)

"शरीर के बाल श्वेत होने से बूढ़ा नहीं होता किन्तु जो युवा विद्या पढ़ा हुआ है, उसी को विद्वान् लोग बड़ा जानते हैं।" (स० प्र० पृ० २५६)

मूर्खता की निन्दा तथा मूर्ख का जीवन निष्फल—

यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः।
यश्च विप्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नाम बिभ्रति ॥१३२॥ [२।१५७] (१०६)

(यथा काष्ठमयः हस्ती) जैसे काठ का कठपुतला हाथी, वा (यथा-चर्ममयः मृगः) जैसे चमड़े का बनाया हुआ मृग हो (यः+च अनधीयान विप्रः) वैसे बिना पढ़ा हुआ विप्र अर्थात् ब्राह्मण वा बुद्धिमान् जन होता है (ते त्रयः नाम बिभ्रति) उक्त वे हाथी, मृग और विप्र तीनों नाममात्र धारण करते हैं ॥ १३२ ॥ (सं० वि० पृ० ८५)

"जो विद्या नहीं पढ़ा है वह जैसा काठ का हाथी, चमड़े का मृग होता है, वैसा अविद्वान् मनुष्य जगत् में नाममात्र मनुष्य कहाता है।"
(स० प्र० पृ० २५६)

यथा षण्ढोऽफलः स्त्रीषु यथा गौर्गवि चाफला।
यथा चाज्ञेऽफलं दानं तथा विप्रोऽनृचोऽफलः ॥१३३॥ [२।१५८] (१०७)

(यथा स्त्रीषु षण्ढः अफलः) जैसे स्त्रियों में नपुंसक निष्फल है अर्थात् सन्तानरूपी फल को नहीं प्राप्त कर सकता (यथा गवि गौः अफला) और जैसे गायों में गाय निष्फल है अर्थात् जैसे गाय गाय से सन्तानरूपी फल को नहीं प्राप्त कर सकती (च) और (यथा अज्ञे दानम्) जैसे अज्ञानी व्यक्ति को दान निष्फल होता है (तथा) वैसे ही (अनृचः विप्रः अफलम्) वेद न पढ़ता हुआ अथवा वेद के पाण्डित्य से रहित ब्राह्मण निष्फल है, अर्थात् उसका ब्राह्मणत्व सफल नहीं माना जा सकता, क्योंकि वेदाध्ययन ही ब्राह्मण का सबसे प्रधान कर्म है ॥ १३३ ॥

गुरु-शिष्यों का व्यवहार—

अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोऽनुशासनम्।
वाक्चैव मधुरा श्लक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥१३४॥[२।१५९](१०७)

(अहिंसया+एव भूतानाम्) (विद्वान् और विद्यार्थियों को योग्य है कि) वैरबुद्धि छोड़के सब मनुष्यों के (श्रेयः+अनुशासनं कार्यम्) कल्याण के मार्ग का उपदेश करें (च) और (मधुरा श्लक्ष्णा वाक् प्रयोज्या) उपदेष्टा मधुर, सुशीलतायुक्त वाणी बोलें (धर्मम्+इच्छता) जो धर्म की उन्नति चाहे वह सदा सत्य में चले और सत्य ही का उपदेश करे ॥ १३४ ॥
(स० प्र० पृ० ४६)

"इसलिये विद्या पढ़ विद्वान् धर्मात्मा होकर निर्वैरता से सब प्राणियों के कल्याण का उपदेश करे और उपदेश में वाणी मधुर और कोमल बोले। जो सत्योपदेश से धर्म की वृद्धि और अधर्म का नाश करते हैं वे पुरुष धन्य हैं।" (स० प्र० पृ० २५६)

पवित्र मन वाला ही वैदिक कर्मों के फल को प्राप्त करता है—

यस्य वाङ्मनसो शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सर्वदा।
स वै सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम् ॥१३५॥[२।१६०](१०९)

(यस्य वाङ्मनसी) जिस मनुष्य के वाणी और मन (शुद्धे च सम्यग्गुप्ते सर्वदा) शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं (सः वै) वही (सर्वं वेदान्तोप-

गतं फलं प्राप्नोति) सब वेदान्त अर्थात् सब वेदों के सिद्धान्तरूप फल को प्राप्त होता है ।। १३५ ।। (स० प्र० ४९)

अनुशीलन : इस भाव की पुष्टि और तुलना के लिए १।१०९, २।७२ श्लोक भी द्रष्टव्य हैं।

दूसरों से द्रोह आदि का निषेध—

नारुंतुदः स्यादार्तोऽपि न परद्रोहकर्मधीः ।
ययास्योद्विजते वाचा नालोक्यां तामुदीरयेत् ॥१३६॥ [२।१६१](११०)

मनुष्य (आर्तः+अपि) स्वयं दुःखी होता हुआ भी (अरुंतुदः न स्यात्) किसी दूसरे को कष्ट न पहुंचावे (न परद्रोहकर्मधीः) न दूसरे के प्रति ईर्ष्या या बुरा करने की भावना मन में लाये (अस्य यया वाचा उद्विजते) इस मनुष्य के जिस वचन से कोई दुःखित हो (ताम् अलोक्यां न उदीरयेत्) उस ऐसी लोक में अप्रशंसनीय वाणी को न बोले ।। १३६ ।।

ब्राह्मण के लिए अपमान-सहन का निर्देश—

सम्मानाद् ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव ।
अमृतस्येव चाकाङ्क्षेदवमानस्य सर्वदा ॥१३७॥[२।१६२](१११)

(ब्राह्मणः) ब्राह्मण (विषात्+इव) विष के समान (सम्मानात्) उत्तम मान से (नित्यम्+उद्विजेत) नित्य उदासीनता रखे (च) और (अमृतस्य+इव) अमृत के समान (अवमानस्य सर्वदा आकांक्षेत्) अपमान की आकांक्षा सर्वदा करे अर्थात् ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के लिए भिक्षा मात्र मांगते भी कभी मान की इच्छा न करे ।। १३७ ।। (सं० वि० पृ० ८५)

"संन्यासी जगत् के सम्मान से विष के तुल्य डरता रहे। और अमृत के समान अपमान की चाहना करता रहे। क्योंकि, जो अपमान से डरता और मान इच्छा करता है, वह प्रशंसक होकर मिथ्यावादी और पतित हो जाता है। इसलिए चाहे निन्दा, चाहे प्रशंसा, चाहे मान, चाहे अपमान, चाहे जीना, चाहे मृत्यु, चाहे हानि, चाहे लाभ हो, चाहे कोई प्रीति करे, चाहे कोई वैर बांधे, चाहे अन्न, पान, वस्त्र, उत्तम स्थान न मिले चाहे शीत उष्ण कितना ही क्यों न हो इत्यादि सबका सहन करे और अधर्म का खण्डन तथा धर्म का मण्डन सदा करता रहे। इससे परे उत्तम धर्म दूसरे किसी को न माने।" (सं० वि० पृ० २१६)

"वही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विष के तुल्य सदा डरता है और अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता है।" (स० प्र० पृ० ५०)

अनुशीलन : **अपमान सहन का कथन क्यों ?**—अभिप्राय यह है कि सम्मान या लोकैषणा की भावना मनुष्यमात्र को संसार में फंसाती है। जब तक मनुष्य में यह भावना रहती है, वह विरक्त नहीं हो सकता—सांसारिक मोहों को नहीं त्याग सकता। इसी भावना से अहंकार को बल मिलता है और वह उग्र होता चला जाता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्यमात्र का और विशेषतः ब्राह्मण का उद्देश्य ब्रह्म-प्राप्ति करना है [२।३, अन्यत्र २।२८], अहंकार ब्रह्मप्राप्ति में सर्वाधिक बाधक है। अपमान की कामना और सहिष्णुता से अहंकार क्षीण होता है, संसार से विरक्ति की भावना बढ़ती है, अपमान को सहने अर्थात् निन्दा सहने से दुर्गुणों का ह्रास होकर चरित्र में निर्मलता आती है। इनसे ब्रह्मप्राप्ति के उद्देश्य को पाने में सहायता मिलती है। ६।५७-५८ में मनु ने स्वयं इस मान्यता का कारण स्पष्ट किया है। इन भावों की पुष्टि के लिए ६।४७-४८ भी द्रष्टव्य हैं—

(क) **अभिपूजितलाभांस्तु जुगुप्सेतैव सर्वशः।**
अभिपूजितलाभैश्च यतिर्मुक्तोऽपि बध्यते ॥ ६।५८॥

(ख) **अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कञ्चन ॥**६।४७॥

सुखं ह्यवमतः शेते सुखं च प्रतिबुध्यते।
सुखं चरति लोकेऽस्मिन्नवमन्ता विनश्यति ॥१३८॥[२।१६३](११२)

(हि) क्योंकि (अवमतः सुखं शेते) अपमान को सहन करने का अभ्यासी मनुष्य सुखपूर्वक सोता है (च) और (सुखं प्रतिबुध्यते) सुखपूर्वक जागता है अर्थात् जागृत अवस्था में भी सुखपूर्वक रहता है।अभिप्राय यह है कि मानव को सर्वाधिक रूप में व्यथित करने वाली मान-अपमान और उन से उत्पन्न होने वाली भावनाएँ उस व्यक्ति को सोते तथा जागते व्यथित नहीं करती, वह निश्चिन्त एवं शान्तिपूर्वक रहता है। (अस्मिन् लोके सुखं चरति) वह इस संसार में सुखपूर्वक विचरण करता है, तथा (अवमन्ता) अपमान में व्यथित होने वाला व्यक्ति (विनश्यति) [चिन्ता और शोक के कारण] विनाश को प्राप्त होता है ॥१३८॥

अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनैः।
गुरौ वसन्सञ्चिनुयाद् ब्रह्माधिगमिकं तपः ॥१३९॥ [२।१६४] (११३)

(अनेन क्रमयोगेन) इसी प्रकार से [उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार] (संस्कृतात्मा द्विजः) कृतोपनयन द्विज कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या* (शनैः) धीरे-धीरे (ब्रह्माधिगमिकं तपः) वेदार्थ के ज्ञानरूप उत्तम तप को (संचिनुयात्) बढ़ाते चले जायें ॥ १३९ ॥ (स० प्र० ५०)

* (गुरौ वसन्) गुरु के सामीप अर्थात् गुरुकुल में रहते हुए·····

द्विज के लिए वेदाभ्यास की अनिवार्यता—

तपोविशेषैर्विविधैर्व्रतैश्च विधिचोदितैः।
वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना ॥१४०॥ [२।१६५] (११४)

(द्विजन्मना) द्विजमात्र को (विधिचोदितैः तपोविशेषैः च विविधैः व्रतैः) शास्त्रों में विहित विशेष तपों [ब्रह्मचर्यपालन, वेदाभ्यास, धर्म-पालन, प्राणायाम, द्वन्द्वसहन आदि २। १४१—१४२ (१६६—१६७); ६—७०—७२] और विविध व्रतों [२। १४६—१६४ में प्रदर्शित] का पालन करते हुए (कृत्स्नः वेदः) सम्पूर्ण वेदज्ञान को (सरहस्यः) रहस्य पूर्वक अर्थात् गूढार्थज्ञान-चिन्तनपूर्वक (अधिगन्तव्यः) अध्ययन करके प्राप्त करना चाहिए ॥ १४० ॥

वेदाभ्यास परम तप है—

वेदमेव सदाभ्यस्येत्तपस्तप्स्यन्द्विजोत्तमः।
वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥१४१॥ [२।१६६] (११५)

(द्विजोत्तमः) द्विजोत्तम अर्थात् ब्राह्मणादिकों में उत्तम सज्जन पुरुष (सदा तपः तप्स्यन्) सर्वकाल तपश्चर्या करता हुआ (वेदम् + एव अभ्यस्येत्) वेद का ही अभ्यास करे (हि) जिस कारण (विप्रस्य) ब्राह्मण वा बुद्धिमान् जन को (वेदाभ्यासः) वेदाभ्यास करना (इह) इस संसार में (परं तपः उच्यते) परम तप कहा है ॥ १४१ ॥ (सं० वि० ८५)

आ हैव स नखाग्रेभ्यः परमं तप्यते तपः।
यः स्रग्व्यपि द्विजोऽधीते स्वाध्यायं शक्तितोऽन्वहम् ॥१४२॥[२।१६७] (११६)

(यः द्विजः) जो द्विज (स्रग्वी-अपि) माला धारण करके अर्थात् गृहस्थी होकर भी (अनु + अहम्) प्रतिदिन (शक्तितः स्वाध्यायम् अधीते) पूर्ण शक्ति से अर्थात् अधिक से अधिक प्रयत्नपूर्वक वेदों का अध्ययन करता रहता है (सः) वह (आ नखाग्रेभ्यः ह + एव) निश्चय ही पैरों के नाखून के अग्रभाग तक अर्थात् पूर्णतः (परमं तपः तप्यते) श्रेष्ठ तप करता है ॥१४२॥

अनुशीलन : स्रग्वी शब्द पर विचार—मनु ने माला आदि अलंकृत करने वाली वस्तुओं का धारण करना ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध किया है, [२। १५२ (१७७) ॥], किन्तु गृहस्थेच्छुक के लिए समावर्तन के अवसर पर माला धारण करने का विधान है [३। ३] "स्रग्विणं तल्पमासीनम्·····। प्रतीत होता है कि माला धारण करना गृहस्थाश्रम में प्रवेश की द्योतक एक परम्परा थी। शायद वही परम्परा आज वर-वधू द्वारा परस्पर माला डालने के रूप में प्रचलित है। यह माल्यार्पण

विवाह संस्कार से पूर्व होता है। इस प्रकार 'स्नग्वी' प्रयोग गृहस्थ के लिए रूढ शब्द है, अतः यहां इससे गृहस्थ अर्थ ग्रहण किया गया है।

वेदाभ्यास के विना शूद्रत्व प्राप्ति—

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्।
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥१४३॥[२।१६८](११७)

(यः द्विजः) जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य (वेदम् अनधीत्य) वेद को न पढ़कर (अन्यत्र श्रमं कुरुते) अन्य शास्त्र में श्रम करता है (सः) वह (जीवन्+एव) जीवता ही (सान्वयः) अपने वंश के सहित ❀ (शूद्रत्वं गच्छति) शूद्रपन को प्राप्त हो जाता है ॥ १४३ ॥ (सं० वि० ८५)

❀ (आशु) शीघ्र ही····· ।

"जो वेद को न पढ़के अन्यत्र श्रम किया करता है, वह अपने पुत्र-पौत्र सहित शूद्रभाव को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है।" (स० प्र० ५०)

अनुशीलन : वेद त्याग से कुटुम्ब की शूद्रता कैसे ? यहां शंका उत्पन्न होती है कि वेदाध्ययन में श्रम न करने वाले व्यक्ति के साथ उसका कुटुम्ब क्यों और कैसे शूद्रत्व को प्राप्त करता है ? इसका उत्तर यह है कि ऐसा व्यक्ति शूद्र नहीं बनता, अपितु 'शूद्रत्व' को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति वेदाध्ययन में यत्न न करके अन्यत्र श्रम करता है, उसमें विद्वत्ता और धार्मिकता का ह्रास होता जायेगा। अविद्वत्ता के कारण वह शूद्रपन के स्तर पर आ जायेगा। जब घर का प्रमुख व्यक्ति विद्वान् नहीं होगा तो उसके आश्रित पुत्र-पौत्रादि भी अशिक्षा से ग्रस्त होकर शूद्रभाव को प्राप्त करेंगे। द्विजों का मुख्य उद्देश्य वेदाध्ययन है। इसे त्यागकर अन्य कार्यों में श्रम करने वाला व्यक्ति द्विजत्वरहित हो जाता है। जैसे शूद्र वेदाध्ययन से रहित होता है वैसा ही वह व्यक्ति हो जाता है।

द्वितीय जन्म का निरूपण—

मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीयं मौञ्जिबन्धने।
तृतीयं यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्रुतिचोदनात् ॥ १४४ ॥ [२। १६९]

(श्रुतिचोदनात्) वेद में कहे अनुसार (द्विजस्य) द्विज का (मातुः+अग्रे+अधिजननम्) माता से पहला जन्म (द्वितीयं मौञ्जीबन्धने) दूसरा मेखला बांधने के संस्कार अर्थात् उपनयन में (तृतीयं यज्ञदीक्षायाम्) तीसरा यज्ञ की दीक्षा लेने से होता है ॥१४४॥

तत्र यद् ब्रह्मजन्मास्य मौञ्जीबन्धनचिह्नितम्।
तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते ॥ १४५ ॥[२।१७०]

(तत्र) उन तीनों जन्मों में (अस्य) इस ब्रह्मचारी का (यत् मौञ्जीबन्धनचिह्नितं) मेखलाबन्धन के चिह्नवाला जो ब्रह्मजन्म माना है (तत्र) उस समय (अस्य) इस की (सावित्री माता तु+आचार्य पिता उच्यते) गायत्री को तो माता और आचार्य को पिता के समान कहा गया है ॥ १४५ ॥

वेदप्रदानादाचार्यं पितरं परिचक्षते ।
न ह्यस्मिन्युज्यते कर्म किञ्चिदामौञ्जिबन्धनात् ॥१४६॥ [२।१७१]

(वेदप्रदानात्) वेदज्ञान देने के कारण (आचार्यं पितरं परिचक्षते) आचार्य को पिता कहा गया है (आ-मौञ्जीबन्धनात्) मेखलाबन्धन अर्थात् उपनयन संस्कार से पूर्व (अस्मिन्) इस द्विज पर (किंचिद् कर्म न युज्यते) किसी यज्ञ आदि की जिम्मेदारी नहीं होती ॥ १४६ ॥

यज्ञोपवीत से पूर्व वेदमन्त्रोच्चारण का निषेध—

नाभिव्याहारयेद् ब्रह्म स्वधानिनयनादृते ।
शूद्रेण हि समस्तावद्यावद्वेदे न जायते ॥ १४७ ॥ [२।१७२]

(यावत्) जबतक [द्विज का] (वेदे न जायते) वेद में जन्म नहीं होता अर्थात् उपनयन संस्कार नहीं होता (तावत्) तब तक वह (शूद्रेण हि समः) शूद्र के ही समान होता है [इसलिए] (स्वधानिनयनात् ऋते) मृतक संस्कार के सिवाय (ब्रह्म न+अभि-व्याहारयेत्) वेद का उच्चारण अथवा वैदिककर्म न कराये ॥ १४७ ॥

कृतोपनयनस्यास्य व्रतादेशनमिष्यते ।
ब्रह्मणो ग्रहणं चैव क्रमेण विधिपूर्वकम् ॥ १४८ ॥ [२ । १७३]

(कृत-उपनयनस्य+अस्य) उपनयन संस्कार होने पर ही इस ब्रह्मचारी के लिए (व्रतादेशनम्) व्रतों के आदेश का पालन करना (च) और (विधिपूर्वकम्) विधि के अनुसार (क्रमेण ब्रह्मणः ग्रहणम् एव इष्यते) क्रमशः वेदज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक है ॥ १४८ ॥

यज्ञस्य विहितं चर्म यत्सूत्रं या च मेखला ।
यो दण्डो यच्च वसनं तत्तदस्य व्रतेष्वपि ॥ १४९ ॥ [२ । १७४]

(अस्य) इस ब्रह्मचारी के (यत् चर्म, यत् सूत्रम्) जो-जो चर्म जो यज्ञोपवीत (च) और (या मेखला) जो मेखला (यः दण्डः) जो दण्ड (च) तथा (यत् वसनं विहि-तम्) जो वस्त्र विहित किये हैं [२ । १६—४८] (तत्-तत् अपि अस्य व्रतेषु) वह सब भी इसके व्रतों के अन्तर्गत ही हैं । १४९ ॥

अनुशीलन : १४४ से १४९ तक के श्लोकों का यह प्रसंग निम्न आधारों पर प्रक्षिप्त है—

१. **अन्तर्विरोध—शूद्र को मन्त्रोच्चारण का विधान मनुसम्मत**—(१) १४४ वें श्लोक में द्विजातियों के तीन जन्मों का होना दर्शाया गया है। यह मान्यता पूर्ववर्ती मान्यताओं से भिन्न है और एक नयी कल्पना है। २।१२२—१२३ [२।१४७—१४८] श्लोकों में मनु ने द्विजों के दो ही जन्म माने हैं—प्रथम माता-पिता से तथा दूसरा आचार्य द्वारा उपनयन संस्कार से। 'द्विज' शब्द से भी यह मान्यता स्पष्ट होती है—

'द्विर्जायते इति द्विजः' अर्थात् जिसका उपनयन संस्कार के अवसर पर दूसरा जन्म होता है, इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता है। इन श्लोकों में द्विजों के [तीन जन्मों की कल्पना उक्त मान्यता से भिन्न होने के कारण विरुद्ध है।

(२) इसी प्रकार १४५ वें श्लोक के कुछ भिन्नतायुक्त वर्णन से भी ये श्लोक अन्यप्रोक्त प्रतीत होते हैं। यहां 'सावित्री' को माता के रूप में वर्णित किया है और 'आचार्य' को पिता के रूप में, जबकि कुछ ही श्लोक पूर्व ११६ [१४४] वें श्लोक में गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचारी के लिए आचार्य को ही संयुक्तरूप से माता-पिता घोषित किया है। इस प्रकार यह भिन्नता भी एक पारस्परिक विरोध है।

(३) १४६—१४७ श्लोकों के वर्णन से यह संकेत मिलता है कि ये श्लोक 'शूद्रों को वेद न पढ़ाने-सुनाने' की भावना से प्रेरित हैं। तभी तो १४७ वें में उपनयन से पूर्व बालक को शूद्र के समान वेदश्रवण का अनधिकारी कह दिया है। यह विचार भी विरुद्ध है। मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं। मनु की व्यवस्था के अनुसार जो पढ़-लिख नहीं पाता वह व्यक्ति शूद्र है, तथापि उसके लिए किसी धर्मकार्य का निषेध नहीं है। वह प्रत्येक धर्म का पालन कर सकता है। तभी तो २। २१३ [२। २३८] में —'अन्यादपि परं धर्मम्' अर्थात् 'शूद्र से भी श्रेष्ठ धर्म की शिक्षा लेने' के लिए कहा है [इस सम्बन्ध में १। १०७ पर 'अन्तर्विरोध' समीक्षा भी द्रष्टव्य है]

(४) १४६—१४७ श्लोकों में यह कहना भी मनु की मान्यता के विरुद्ध है कि उपनयन से पूर्व वेदमन्त्रों का व्यवहार न कराये, क्योंकि इससे पूर्व के सभी जातकर्म, नामकरण आदि संस्कार वेद-मन्त्रों के उच्चारणपूर्वक ही होते हैं। २। ४ [२। २६] में मनु ने स्वयं मन्त्रोच्चारणपूर्वक संस्कार करने का संकेत दिया है— "मन्त्रवत् प्राशनं चास्य।"

(५) २। ८०—८१ [२। १०५—१०६] श्लोकों में मनु ने वेदाध्ययन को सदा सब अवस्थाओं में पुण्यदायक माना है। इन श्लोकों में उपनयन से पूर्व वेद का व्यवहार न करने का कथन उक्त श्लोकों की मान्यता के विरुद्ध है। इस प्रकार इन अन्तर्विरोधों के कारण १४४—१४७ श्लोक प्रक्षिप्त हैं। १४८ वां श्लोक १४६—१४७ से और १४९ वां श्लोक १४८ के 'व्रतादेशन' प्रसंग से जुड़ा होने के कारण स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाता है।

२. **वेदविरुद्ध**—१४६-१४७ श्लोकों में जो शूद्र को वेदाध्ययन-श्रवण का अनधिकार होने की भावना का संकेत है, वह स्वयं वेद की मान्यताओं के विरुद्ध है। वेद में शूद्र को भी वेद पठन-श्रवण का उल्लेख है। इसके लिए विस्तृत समीक्षा २। ४१-४२ [२।६६-६७] श्लोकों पर 'वेदविरुद्ध' शीर्षक पर देखिए। मनुस्मृति के मूल आधार वेद है, अतः वेदविरुद्ध मान्यता होने के कारण ये प्रक्षिप्त हैं।

गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचारी के पालनीय विविध नियम—

सेवेतेमांस्तु नियमान्ब्रह्मचारी गुरौ वसन् ।
सन्नियम्येन्द्रियग्रामं तपोवृद्ध्यर्थमात्मनः ॥ १५० ॥ [२।१७५] (११८)

(गुरौ वसन्) गुरु के समीप अर्थात् गुरुकुल में रहते हुए (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी (आत्मनः तपोवृद्ध्यर्थम्) अपने विद्यारूप तप की वृद्धि के लिये (इन्द्रियग्रामं सन्नियम्य) इन्द्रियों के समूह [२ । ६४-६७] को वश में करके (इमान्+तु नियमान् सेवेत) इन आगे वर्णित नियमों का पालन करे ॥१५०॥

अनुशीलन : 'ब्रह्मचारी' शब्द की व्युत्पत्ति—ब्रह्मचारी शब्द 'ब्रह्मन्' शब्द उपपद में होने से 'चर गतौ' (भ्वादि) धातु से णिनिः प्रत्यय के योग से बनता है। विग्रह है—**ब्रह्मणि वेदे चरितुं शीलं यस्य सः ब्रह्मचारी**=वेदाध्ययन में जो निरन्तर रहता है वह 'ब्रह्मचारी' कहलाता है। प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्याश्रम है। इस आश्रम में रहते हुए ब्रह्मचारी यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात् दीक्षित होकर गुरुकुल में अपने गुरु के साथ निवास करता है, तथा जबतक गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट नहीं हो जाता तब तक वेदाध्ययन के साथ-साथ ब्रह्मचर्याश्रम के नियमों का पालन करता है।

ब्रह्मचारी के दैनिक नियम—

नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्याद्देवर्षिपितृतर्पणम् ।
देवताऽभ्यर्चनं चैव समिदाधानमेव च ॥१५१॥[२।१७६](११९)

[ब्रह्मचारी] (नित्यम्) प्रतिदिन (देव-ऋषि-पितृ-तर्पणम्) विद्वानों, ऋषियों, ज्ञानवयोवृद्ध व्यक्तियों की अभिवादन आदि प्रसन्नताकारक कार्यों, से तृप्ति=संतुष्टि (च) और (स्नात्वा शुचिः) स्नान करके, शुद्ध होकर (देवता+अभ्यर्चनम्) परमात्मा की उपासना (च) तथा (समिद्+आधानम्) अग्निहोत्र भी (कुर्यात्) किया करे ॥ १५१ ॥*

अनुशीलन : ब्रह्मचारी के लिए देव-ऋषि-पितर कौन ?—कई व्याख्याकारों ने इस श्लोक का अर्थ भ्रान्तिपूर्ण एवं मनुमान्यता से विरुद्ध किया है। इस श्लोक में गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचारी के लिए देव-ऋषि-पितृ-तर्पण और 'देवता-अभ्यर्चन' का कथन है। यहां इन शब्दों के अर्थ एवं श्लोकाभिप्राय को विवेचनापूर्वक स्पष्ट करना आवश्यक है, जिससे किसी प्रकार की भ्रान्ति उत्पन्न न हो—

(१) देव, ऋषि, पितर ये विद्वानों और पालन-पोषणकर्त्ता ज्ञानवयोवृद्ध व्यक्तियों के स्तर विशेष हैं। पितृयज्ञ में 'मातृपितृतर्पण' की मान्यता को स्वीकारने

---

*[प्रचलित अर्थ—ब्रह्मचारी नित्य स्नान कर देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण, शिव और विष्णु आदि देव-प्रतिमाओं का पूजन तथा प्रातः एवं सायंकाल हवन करे ॥ १७६॥]

वाले व्यक्ति भी इस बातको शतप्रतिशत रूपमें स्वीकार करते हैं कि पितृयज्ञ का विधान केवल गृहस्थों-वनस्थों के लिए ही है, ब्रह्मचारी के लिए नहीं। लेकिन मनु ने ब्रह्मचारी के लिए भी 'देवर्षिपितृतर्पण' की बात कही है तो इसका स्पष्ट अभिप्राय यह हुआ कि 'पितृतर्पण' का अर्थ मृतकों के लिए श्राद्ध करना नहीं है, अपितु यह एक ऐसा कार्य है जिसे ब्रह्मचारी भी कर सकते हैं। गुरुकुल में रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए कौन देव, ऋषि और पितर हो सकते हैं, इसका २। ११५—१३१ श्लोकों में मनु ने गुरुजनों का वर्णन करके स्वयं संकेत दे दिया है। बाद में बताये हुए ब्रह्मचारी के कर्त्तव्य उन्हीं विभिन्न स्तरीय गुरुजनों के साथ लागू हो सकते हैं। अतः वे ही उसके देव, ऋषि, पितर हैं, न कि कोई कल्पित देव या मृत पितर आदि। विभिन्नस्तरीय इन संज्ञा शब्दों के अर्थज्ञान और इनके स्वरूप को समझने के लिए ३। ८२ की समीक्षा में प्रमाणयुक्त विवेचन देखिये।

(२) 'देवता-अभ्यर्चन' से अभिप्राय—

निरुक्त में कहा गया है कि "**यो देवः सा देवता**" [७। ४। १५] देव को ही देवता कहा जाता है। देव शब्द से तल् और टाप् प्रत्यय के योग से देवता शब्द सिद्ध हुआ है। चेतन देवों के सन्दर्भ में देव शब्द का सबसे प्रमुख अर्थ 'परमात्मा' होता है। क्योंकि परमात्मदेव ही सब देवताओं का देवता है। जड़ देव उपयोग के योग्य होते हैं, चेतन देव (विद्वान्, माता, पिता आदि) सत्कार और सेवा के द्वारा प्रसन्न करने योग्य, लेकिन उपासना के योग्य केवल एक परमात्मा ही होता है, अन्य नहीं। अतः यहां 'देवताऽभ्यर्चनम्' से अभिप्राय परमात्मदेव की उपासना करने से है; यदि कहीं अग्नि, इन्द्र, वरुण आदि नामों से देवताओं की स्तुति का वर्णन मिलता है तो वह भी उनके माध्यम से परमात्मा की ही स्तुति अभिप्रेत है। क्योंकि ये परमात्मा की ही दिव्यशक्तियां या गुण हैं, उसी के प्रत्यङ्ग हैं। भिन्न-भिन्न देवों की स्तुति से अभिप्राय होता है परमात्मा के उस-उस गुण की स्तुति करना। इस प्रकार सभी देव एक परमात्मा में ही समाहित होते हैं। निरुक्तकार ने इसको इस प्रकार स्पष्ट किया है—

(अ) "**महाभाग्याद्देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते।**
एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति।
कर्मजन्मानः आत्मजन्मानः, आत्मैवैषां रथो भवति,
आत्माश्वः, आत्मायुधम्, आत्मेषवः, सर्वं देवस्य देवस्य।" (निरुक्त ७।१।४)

अर्थात्—एक परमात्मा देव ही मुख्य देव है। सर्वशक्तिमत्त्वादि अनेक-विध ऐश्वर्यों से युक्त होने के कारण अनेक नामों-गुणों से उसकी स्तुति की जाती है, अन्य सभी देव इस महादेव परमात्मा के प्रत्यङ्गरूप हैं। उनका इसी में समाहार हो जाता है। उस एक अद्वितीय परमेश्वर के ही प्रकाश, धारण, उत्पादन करने से वे सब व्यवहार के देव प्रकाशित हो रहे हैं। इनका जन्म, कर्म और ईश्वर के सामर्थ्य से होता है। इनका रथ अर्थात् जो रमण का स्थान, अश्व अर्थात् शीघ्र सुखप्राप्ति का कारण, गमनहेतु; आयुध =

शत्रुओं का नाश करके विजय प्राप्त कराने हारा; इषु=बाण के समान सब दुष्टगुणों और दुःखों का छेदन करने वाला शस्त्र, वही परमात्मा है। परमात्मा ने जितना-जितना जिस-जिस में दिव्यगुण रखा है उतना-उतना ही उन द्रव्यों में देवपन है अधिक नहीं। इस प्रकार अन्य सब देवता परमेश्वरवाची ही हैं।

इसमें वेदों का प्रमाण है—

(आ) इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्।
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः॥
(ऋ० १०। १६४। ४६)

(इ) तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद् वायुस्तदु चन्द्रमाः।
तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः॥ (यजु० ३२। १॥)

स्वयं मनुस्मृति के प्रमाण देखिए—

(ई) आत्मैव देवताः सर्वा सर्वमात्मन्यवस्थितम्।
आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम्॥ १२। ११९॥

(उ) एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम्।
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्॥ १२। १२३॥

(ऊ) मनु ने अनेक स्थानों पर उपास्य के रूप में केवल परमात्मा को ही स्वीकार किया है। प्रमाणरूप में द्रष्टव्य हैं—२।७६–७८ (२।१०१–१०३), ४।९२-९३, १२।११८, ११९, १२२, १२५॥

इस सम्पूर्ण विवेचन और प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि 'देवता-अभ्यर्चनम्' का यहां अर्थ परमात्मदेव की उपासना अर्थात् संध्या करने से है। अन्य अर्थ भ्रान्तिपूर्ण हैं। इस श्लोक में शिव, विष्णु की प्रतिमाओं के पूजन की कल्पना मनगढ़न्त है और अप्रामाणिक है।

(३) तर्पण का सही अभिप्राय—

'तृप्-तृप्तौ' धातु से ल्युट् प्रत्यय के योग से 'तर्पण' शब्द सिद्ध होता है। जिस का अर्थ है—प्रसन्न करना। "येन कर्मणा विदुषः देवान्, ऋषीन्, पितॄंश्च तर्पयन्ति=सुखयन्ति, तत् तर्पणम्।"=जिस कर्म से विद्वान् देवों, ऋषियों और पितरों को तृप्त अर्थात् सुख और प्रसन्नतायुक्त करते हैं, वह तर्पण है। इसी प्रकार 'यत्तेषां श्रद्धया सेवनं क्रियते तत् श्राद्धम्' श्रद्धा से उनकी सेवा आदि करना श्राद्ध कहलाता है। इस प्रकार तर्पण करना मृत में नहीं अपितु जीवित व्यक्ति में ही संभव होता है। मनु इस श्लोक में यह कहना चाहते हैं कि ब्रह्मचारी को प्रतिदिन विद्वान्, देवों, ऋषियों और पितरों को प्रसन्न करने वाले सेवा, अन्न-भोजन, दान, अभिवादन, मधुरभाषण आदि कार्य करने चाहिएँ, यही उनका तर्पण है। ब्रह्मचारी का यह कर्त्तव्य है। इस प्रकार के

आचरण से उसे विद्या की प्राप्ति शीघ्र और सुगमता से होती है। तर्पण के इस अर्थ की पुष्टि में मनु के निम्न श्लोक प्रत्यक्ष प्रमाण हैं—

(अ) यथा खनन् खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति।
तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति ॥ २। १६३॥

(आ) स्वाध्यायेनार्चयेत्-ऋषीन् होमैर्देवान् यथाविधि।
पितॄन् श्राद्धैश्च नृनन्नैर्भूतानि बलिकर्मणा ॥३। ८१॥

(इ) कुर्यादहरहः श्राद्धम् अन्नाद्येनोदकेन वा।
पयोमूलफलैर्वापि पितृभ्यः प्रीतिमावहन् ॥ ३। ८२ ॥

(४) प्रमुख गुण के आधार पर ऋषि, देव, पितरों में अन्तर—

इस प्रकार २। ११५—१३१ श्लोकों में वर्णित विभिन्न अध्यापनिता विद्वान् ही स्तर के अनुसार ऋषि, देव और पितर हैं। इनमें किसी विद्या के साक्षात् द्रष्टा, विशेषज्ञ 'ऋषि' कहलाते हैं। दिव्य-गुण आचरण की प्रधानता वाले विद्वान् 'देव' और पालक गुण की प्रधानता वाले वयोवृद्ध व्यक्ति एवं माता-पिता आदि गुरुजन 'पितर' होते हैं। ब्रह्मचारी को इनकी सेवा करनी चाहिए।

मद्य, मांस आदि का त्याग—

वर्जयेन्मधुमांसं च गन्धं माल्यं रसान्स्त्रियः।
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम् ॥१५२॥[२।१७७](१२०)

ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी (मधु-मांसं गन्धं माल्यं रसान् स्त्रियः) गंध,❀ माला, रस, स्त्री और पुरुष का संग (सर्वाणि यानि शुक्तानि) सब खटाई (प्राणिनां हिंसनम्) प्राणियों की हिंसा.....(वर्जयेत्) छोड़ देवें ॥ १५२ ॥

❀(मधु-मांसम्) मदकारक मदिरा आदि पदार्थ और मांस...
(स० प्र० पृ० ५०)

अनुशीलन : मधु का अर्थ—इस श्लोक में मधु का अर्थ मदिरा है। 'माद्यते इति सतः' जो मद=नशा उत्पन्न करे अर्थात् मदिरा भांग आदि पदार्थ। मांस के साथ इस शब्द का प्रयोग और वह भी निषेधात्मक रूप में होने से इस अर्थ की पुष्टि स्वतः हो जाती है। शहद अर्थवाचक मधु को मनु अभक्ष्य नहीं मानते। यतो हि जातकर्म में उसका भक्षण के लिए विधान है—

"मन्त्रवत् प्राशनं चास्य हिरण्यमधुसर्पिषाम्" २। ४ [२। २६]

अंजन, छाता, जूता आदि धारण का निषेध—

अभ्यञ्जनं चाक्षणोरुपानच्छत्रधारणम्।
कामं क्रोधं च लोभं च नर्तनं गीतवादनम् ॥१५३॥[२।१७८](१२१)

(अभ्यंगम्) अंगों का मर्दन—बिना निमित्त उपस्थेन्द्रिय का स्पर्श (अक्ष्णोः च अञ्जनम्) आंखों में अञ्जन (उपानत्-छत्र-धारणम्) जूते, और छत्र का धारण (कामं क्रोधं लोभं च) काम, क्रोध लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष; [चकार से मोह, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, का ग्रहण किया है।] (च) और (नर्त्तनं गीत-वादनम्) नाच, गान, बाजा बजाना [इनको भी छोड़ देवे' यह पूर्वश्लोक से अनुवृत्ति आती है] ॥१५३॥ (स० प्र० पृ० ५०)

जूआ, निन्दा, स्त्रीदर्शन आदि का निषेध—

द्यूतं च जनवादं च परिवादं तथाऽनृतम्।
स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्भमुपघातं परस्य च ॥१५४॥[२।१७९](१२२)

(द्यूतम्) द्यूत (जनवादम्) जिस किसी की कथा (परिवादम्) निन्दा (अनृतम्) मिथ्याभाषण (स्त्रीणां प्रेक्षण+आलम्भम्) स्त्रियों का दर्शन, आश्रय (परस्य उपघातम्) दूसरे की हानि आदि कुकर्मों को सदा छोड़ देवें। ॥ १५४ ॥ (स० प्र० ५०)

एकाकी शयन का विधान—

एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्क्वचित्।
कामाद्धि स्कन्दयन्रेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः ॥१५५॥[२।१८०](१२३)

(सर्वत्र एकः शयीत) सर्वत्र एकाकी सोवे (रेतः क्वचित् न स्कन्दयेत्) वीर्यस्खलित कभी न करे (कामात् हि रेतः स्कन्दयन्) काम से वीर्यस्खलित कर दे तो जानो कि (आत्मनः व्रतं हिनस्ति) अपने ब्रह्मचर्य व्रत का नाश कर दिया ॥ १५५ ॥ (स० प्र० पृ० ५०)

स्वप्नदोष में प्रायश्चित्त—

स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः।
स्नात्वाऽर्कमर्चयित्वा त्रिः पुनर्मामित्यृचं जपेत् ॥ १५६ ॥ [२ । १८१]

(ब्रह्मचारी द्विजः) ब्रह्मचारी द्विज (अकामतः स्वप्ने शुक्रं सिक्त्वा) अनजाने में स्वप्न में वीर्यस्खलित होने पर (स्नात्वा) स्नान करके (अर्कम्+अर्चयित्वा) सूर्य की पूजा करके ('पुनर्माम्' इति ऋचं त्रिः जपेत्) "पुनर्मामैत्विन्द्रियम्" इस ऋचा को तीन बार जपे ॥ १५६ ॥

अनुशीलन : यह श्लोक निम्न-रूप से प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगविरोध—१५०, [१७५] वें श्लोक में इस प्रसंग को प्रारम्भ करते समय ब्रह्मचारी के कुछ नियमों का कथन करने का संकेत किया है। तदनुसार अग्रिम सभी श्लोकों में ब्रह्मचारी के नियमों का वर्णन है। किन्तु इस श्लोक में कोई नियम न होकर प्रायश्चित्त का वर्णन किया है। प्रायश्चित्त का वर्णन करना इसलिए भी मनुसम्मत

और प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता क्योंकि अन्य नियमों के वर्णन के साथ कहीं उनके न करने पर प्रायश्चित्त का वर्णन नहीं है। यदि यह प्रासंगिक होता तो अन्य नियमों के साथ भी उनके उल्लंघन का प्रायश्चित्त दर्शाया गया होता। इस प्रकार अप्रासंगिक होने के कारण यह प्रक्षिप्त सिद्ध होता है।

२. अन्तर्विरोध—इस अध्याय में और सम्पूर्ण मनुस्मृति में ही मनु ने केवल ईश्वर की पूजा—उपासना और अग्निहोत्र आदि का विधान किया है। जड़ पदार्थों की पूजा का कहीं वर्णन नहीं है। इस श्लोक में सूर्य की पूजा का कथन करना, इसे मनु की मान्यताओं के अनुकूल सिद्ध नहीं करता। अतः यह परवर्ती विधान है।

३. शैलीगत आधार—मनुस्मृति की शैली के आधार पर भी यह श्लोक यहाँ मौलिक सिद्ध नहीं होता। मनुस्मृति में दश अध्यायों में धर्मों के विधान हैं, और एकादश अध्याय में प्रायश्चित्त का विषय दिया है। जब प्रायश्चित्त-विधान के लिए मनु ने एक पृथक् विषय दिया है तो इस प्रकार के प्रायश्चित्त का वर्णन वहीं होना चाहिए। इस निश्चित की गई शैली से भी यह प्रतीत होता है कि यह श्लोक मनु की शैली के अनुरूप नहीं है।

भिक्षासम्बन्धी नियम—

उदकुम्भं सुमनसो गोशकृन्मृत्तिकाकुशान्।
आहरेद्यावदर्थानि भैक्षं चाहरहश्चरेत् ॥ १५७ ॥[२।१८२](१२४)

(उदकुम्भम्) पानी का घड़ा (सुमनसः) फूल (गोशकृत्) गोबर (मृत्तिका) मिट्टी (कुशान्) कुशाओं को (यावत्+अर्थानि) जितनी आवश्यकता हो उतनी ही (आहरेत्) लाकर रखे (च) और (भैक्षम्) भिक्षा भी (अहः+अहः चरेत्) प्रतिदिन-प्रतिदिन मांगकर खाये ॥ १५७ ॥

किनसे भिक्षा ग्रहण करे—

वेद-यज्ञैरहीनानां प्रशस्तानां स्वकर्मसु।
ब्रह्मचार्याहरेद्भैक्षं गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम् ॥१५८॥[२।१८३](१२५)

(ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी (स्वकर्मसु प्रशस्तानाम्) अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में सावधान रहने वालों के और (वेदयज्ञैः+अहीनानाम्) वेदाध्ययन और पञ्चमहायज्ञों से जो हीन नहीं अर्थात् जो प्रतिदिन इनका पालन करते हैं ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों के (गृहेभ्यः) घरों से (प्रयतः) प्रयत्न पूर्वक (अन्वहम्) प्रतिदिन (भैक्षम् आहरेत्) भिक्षा ग्रहण करे ॥ १५८ ॥

किन-किन से भिक्षा ग्रहण न करे—

गुरोः कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुलबन्धुषु।
अलाभे त्वन्यगेहानां पूर्वं पूर्वं विवर्जयेत् ॥ १५९ ॥[२।१८४] (१२६)

ब्रह्मचारी (गुरोः कुले न भिक्षेत) गुरु के परिवारों तथा मित्रों में भी भिक्षा न मांगे (अन्य गेहानाम् अलाभे तु) अन्य घरों से यदि भिक्षा न मिले तो (पूर्व-पूर्वं विवर्जयेत्) पूर्व-पूर्व घरों को छोड़ते हुए भिक्षा प्राप्त कर ले अर्थात् पहले मित्रों, परिचितों या घनिष्ठों के घरों से भिक्षा मांगे, वहां न मिले तो सम्बन्धियों में, वहां भी न मिले तो गुरु के परिवार से भिक्षा मांग सकता है ॥ १५९ ॥

पापकर्म करने वालों से भिक्षा न लें—

सर्वं वाऽपि चरेद् ग्रामं पूर्वोक्तानामसम्भवे ।
नियम्य प्रयतो वाचमभिशस्तांस्तु वर्जयेत् ॥ १६० ॥ [२।१८५]१२७]

(पूर्वोक्तानाम्+असंभवे) पूर्व [२ । १५८-१५९] कहे हुए घरों के अभाव में (सर्वं वा+अपि ग्रामं चरेत्) सारे ही गांव में भिक्षा मांग ले (तु) किन्तु (प्रयतः) प्रयत्नपूर्वक (वाचं नियम्य) अपनी वाणी को नियन्त्रण में रखता हुआ (अभिशस्तान्) पापी व्यक्तियों को (वर्जयेत्) छोड़ देवे अर्थात् पापी लोगों के सामने किसी भी अवस्था में भिक्षा-याचना के लिए वाणी न खोले ॥ १६० ॥

सायं-प्रातः अग्निहोत्र का पुनः विशेष विधान—

दूरादाहृत्य समिधः सन्निदध्याद्विहायसि ।
सायम्प्रातश्च जुहुयात्ताभिरग्निमतन्द्रितः ॥ १६१ ॥ [२ । १८६]१२८)

(दूरात् समिधः आहृत्य) दूरस्थान अर्थात् जंगल आदि से समिधाएं लाकर (विहायसि संनिदध्यात्) उन्हें खुले [=हवादार] स्थान में रख दे (ताभिः) और फिर उनसे (अतन्द्रितः) आलस्यरहित होकर (सायं च प्रातः) सायंकाल और प्रातःकाल दोनों समय (अग्निं जुहुयात्) अग्निहोत्र करे ॥ १६१ ॥

"अग्निहोत्र सायं-प्रातः दो काल में करे। दो ही रात-दिन की संधि-वेला हैं, अन्य नहीं।" (स० प्र० पृ० ४१)

अनुशीलन : यज्ञ की समिधाएं—समिधाएं किस-किस वृक्ष की और कैसी होनी चाहिएं, इसके ज्ञान के लिए महर्षि दयानन्द का उद्धरण विशेष उपयोगी है—

"पलाश, शमी, पीपल, बड़, गूलर, आंब [आम] बिल्व आदि की समिधा वेदी के प्रमाण छोटी-बड़ी कटवा लेवें। परन्तु ये समिधा कीड़ा लगी, मलिन देशोत्पन्न और

अपवित्र पदार्थ आदि से दूषित न हों, अच्छे प्रकार देख लेवें, और बराबर और बीच में चुनें। (सं० वि० सामान्य प्र०)

भिक्षा और यज्ञ न करने पर प्रायश्चित्त—

अकृत्वा भैक्षचरणमसमिध्य च पावकम्।
अनातुरः सप्तरात्रमवकीर्णिव्रतं चरेत्॥ १६२॥ [२। १८७]

(अनातुरः) स्वस्थ होते हुए भी यदि ब्रह्मचारी (सप्तरात्रम्) सात दिन तक (भैक्षचरणं अकृत्वा) बिना भिक्षा मांगे (च) तथा (पावकम् असमिध्य) अग्निहोत्र बिना किये रहे तो वह (अवकीर्णिव्रतं चरेत्) 'अवकीर्णी' नामक [११। ११८] प्रायश्चित्त व्रत करे॥ १६२॥

भैक्षेण वर्तयेन्नित्यं नैकान्नादी भवेद्व्रती।
भैक्षेण व्रतिनो वृत्तिरुपवाससमा स्मृता॥ १६३॥ [२। १८८]

(व्रती) ब्रह्मचारी (नित्यं भैक्षेण वर्तयेत्) प्रतिदिन भिक्षा मांगकर ही खाये (एक-अन्नादी न भवेत्) किसी एक ही मनुष्य का अन्न खाने वाला न बने (व्रतिनः भैक्षेण वृत्तिः) ब्रह्मचारी द्वारा भिक्षा से वृत्ति चलाने को (उपवाससमा स्मृता) उपवास के समान ही माना है॥ १६३॥

ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए भिक्षा सम्बन्धी अपवाद—

व्रतवद्देवदैवत्ये पित्र्ये कर्मण्यथर्षिवत्।
काममभ्यर्थितोऽश्नीयाद् व्रतमस्य न लुप्यते॥ १६४॥ [२। १८९]

ब्रह्मचारी (देवदैवत्ये व्रतवत्) देवताओं के उद्देश्य से किये हुए यज्ञ आदि कर्म में व्रत के समान (अथ) और (पित्र्ये कर्मणि ऋषिवत्) पितृकर्म = श्राद्ध आदि में ऋषि के समान (कामम् [-अभ्यर्थितः) आदरपूर्वक बुलाये जाने पर (अश्नीयात्) भोजन कर ले (अस्य व्रतं न लुप्यते) इस प्रकार से इसका व्रत भंग नहीं होता॥ १६४॥

ब्राह्मणस्यैव कर्मैतदुपदिष्टं मनीषिभिः।
राजन्यवैश्ययोस्त्वेवं नैतत्कर्म विधीयते॥ १६५॥ [२। १९०]

किन्तु (मनीषिभिः) विद्वानों ने (एतत् कर्म) यह कर्म [यज्ञ और श्राद्ध में भोजन करना] (ब्राह्मणस्य [-एव उपदिष्टम्) ब्राह्मण के लिए ही विहित किया है (एतत् कर्म एवम्) यह कर्म इस प्रकार से (राजन्यवैश्ययोः तु न विधीयते) क्षत्रिय और वैश्य के लिये विहित नहीं किया है॥ १६५॥

अनुशीलन : १६२ से १६५ श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—(१) १६२ वें श्लोक में 'अवकीर्णी व्रत' का विधान न तो मनुप्रोक्त है न मनुस्मृति सम्मत, अपितु परवर्ती विधान है। इस विरोध के आधार पर यह श्लोक प्रक्षिप्त है। विस्तृत जानकारी के लिये ११। ५४ से १६० श्लोकों पर समीक्षा देखिये। (२) १६४-१६५ वें श्लोको में देवकर्म और मृतक पितृ-श्राद्ध का विधान भी मनुविरुद्ध है। मनु ने केवल जीवित माता-पिता आदि की सेवा शुश्रूषा को ही श्राद्ध माना है [३। ८२]। इस मान्यता के विरुद्ध होने से ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं। 'मृतकश्राद्ध मनुविरोधी है' इस मान्यता को विस्तृत रूप में जानने के लिये ३। ११६ से २८४; २। १५१ श्लोकों पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक समीक्षा देखिए।

२. **प्रसंगविरोध**—(१) १६३ वां श्लोक प्रसंगविरुद्ध है। १६० वें श्लोक तक भिक्षा-सम्बन्धी वर्णन पूर्ण करके १६१ वें श्लोक में यज्ञ की चर्चा प्रारम्भ हो चुकी थी। क्रमबद्ध प्रसंग पूर्ण होने के बाद दो श्लोकों के अनन्तर पुनः भिक्षा का महत्त्व बतलाना अप्रासंगिक है। यदि यह श्लोक प्रासंगिक एवं मौलिक होता तो इसे १६० से संयुक्त होना चाहिये था, किन्तु ऐसा नहीं है। अतः यह अप्रासंगिक रूप से वर्णित होने के कारण प्रक्षिप्त है। (२) इसी प्रकार १६२ वां श्लोक भी अप्रासंगिक है। १५० [१७५] वें श्लोक में इस प्रसंग को प्रारम्भ करते समय ब्रह्मचारी के नियमों का कथन करने का संकेत किया है। अन्य श्लोकों में तदनुसार नियमों का कथन है किन्तु इसमें प्रायश्चित्त का विधान है। यदि इस प्रकार प्रायश्चित्त का विधान प्रासंगिक होता तो अन्य नियमों के साथ भी उनके उल्लंघन पर प्रायश्चित्त का विधान दिया होता। ऐसा न होने से यह मनुसम्मत एवं प्रासंगिक सिद्ध नहीं होता।

३. **शैलीगत आधार**—मनुस्मृति में यह शैली निश्चित है कि दश अध्यायों में धर्मों का वर्णन है, एकादश में प्रायश्चित्त का विषय। जब प्रायश्चित्त का विषय-पृथक् से वर्णित है तो इस प्रकार मध्य में प्रायश्चित्त का निर्देश देना मनु की शैली के अनुरूप नहीं है। यही कारण है कि इस प्रकार के एक-दो प्रक्षिप्त विधानों को छोड़कर बीच में कहीं भी प्रायश्चित्त का विधान मनु ने नहीं किया है। इस आधार पर भी १६२ वां श्लोक मौलिक सिद्ध नहीं होता।

गुरु के समीप रहते ब्रह्मचारी की मर्यादाएँ—

चोदितो गुरुणा नित्यमप्रचोदित एव वा।
कुर्यादध्ययने यत्नमाचार्यस्य हितेषु च ॥ १६६ ॥[२।१९१](१२९)

(गुरुणा चोदितः) गुरु के द्वारा प्रेरणा करने पर (वा) अथवा (अप्रचोदितः एव) बिना प्रेरणा किये भी [ब्रह्मचारी] (नित्यम्) प्रतिदिन (अध्ययने) पढ़ने में (च) और (आचार्यस्य हितेषु) गुरु के हितकारक कार्यों में (यत्नं कुर्यात्) यत्न करे ॥ १६६ ॥

गुरु के सम्मुख सावधान होकर बैठे और खड़ा हो—

शरीरं चैव वाचं च बुद्धीन्द्रियमनांसि च।
नियम्य प्राञ्जलिस्तिष्ठेद्वीक्षमाणो गुरोर्मुखम् ॥१६७॥ [२।१९२] (१३०)

[गुरु के सामने बैठने या खड़े होने की अवस्था में ब्रह्मचारी] (शरीरं च वाचं च बुद्धि+इन्द्रिय+मनांसि एव च) शरीर, वाणी, ज्ञानेन्द्रियों और मन को भी (नियम्य) वश में करके अर्थात् सावधान होकर (गुरोः मुखं वीक्षमाणः) गुरु के सामने देखता हुआ (प्राञ्जलिः) हाथ जोड़कर (तिष्ठेत्) बैठे और खड़ा होवे ॥ १६७ ॥

गुरु के आदेशानुसार चले—

नित्यमुद्धृतपाणिः स्यात्साध्वाचारः सुसंयतः।
आस्यतामिति चोक्तः सन्नासीताभिमुखं गुरोः ॥१६८॥ [२।१९३](१३१)

(नित्यम्+उद्धृतपाणिः स्यात्) सदा उद्धृतपाणि रहे अर्थात् ओढ़नेके वस्त्र से दायां हाथ बाहर रखे [ओढ़ने के वस्त्र को इस प्रकार ओढ़े कि वह दायें हाथ के नीचे से होता हुआ बायें कंधे पर जाकर टिके, जिसे दायां कन्धा और हाथ वस्त्र से बाहर निकला रह जाये] (साधु+आचारः) शिष्टसम्य आचरण रखे (सुसंयतः) संयमपूर्वक रहे ('आस्यताम्' इति उक्तः सन्) गुरु के द्वारा 'बैठो' ऐसा कहने पर (गुरोः अभिमुखं आसीत) गुरु के सामने उनकी ओर मुख करके बैठे ॥ १६८ ॥

गुरु से निम्न स्तर की वेशभूषा रखे—

हीनान्नवस्त्रवेषः स्यात्सर्वदा गुरुसन्निधौ।
उत्तिष्ठेत्प्रथमं चास्य चरमं चैव संविशेत् ॥ १६९ ॥ [२।१९४](१३२)

(गुरु-सन्निधौ) गुरुके समीप रहते हुए (सर्वदा) सदा (हीन+अन्न+वस्त्र+वेषः स्यात्) अन्न=भोज्यपदार्थ, वस्त्र और वेशभूषा गुरु से सामान्य रखे (च) और (अस्य प्रथमम् उत्तिष्ठेत्) इस गुरु से पहले जागे (च) तथा (चरमं संविशेत्) बाद में सोये ॥ १६९ ॥

बातचीत करने का शिष्टाचार—

प्रतिश्रवणसम्भाषे शयानो न समाचरेत्।
नासीनो न च भुञ्जानो न तिष्ठन्न पराङ्मुखः ॥१७०॥[२।१९५](१३३)

(प्रतिश्रवण+संभाषे) प्रतिश्रवण अर्थात् गुरु की बात या आज्ञा का उत्तर देना या स्वीकृति देना, और संभाषा—बातचीत, ये (शयानः न समा-

चरेत्) लेटे हुए न करे (न+आसीनः) न बैठे-बैठे (न भुञ्जानः) न कुछ खाते हुए (च) और (न तिष्ठन्) न दूर खड़े होकर (न पराङ्मुखः) न मुंह फेरकर ये बातें करे [करणीय शिष्ट स्थितियों का वर्णन १७१-१७२ में है] ॥ १७० ॥

आसीनस्य स्थितः कुर्याद्बभिगच्छंस्तु तिष्ठतः ।
प्रत्युद्गम्य त्वाव्रजतः पश्चाद्धावंस्तु धावतः ॥१७१॥[२।१९६](१३४)

(आसीनस्य स्थितः) बैठे हुए गुरु से खड़ा होकर (तिष्ठतः तु अभि-गच्छन्) खड़े हुए गुरु के सामने जाकर (आव्रजतः तु प्रति+उद्गम्य) अपनी ओर आते हुए गुरु से उसकी ओर शीघ्र आगे बढ़कर (धावतः तु पश्चात् धावन्) दौड़ते हुए के पीछे दौड़कर (कुर्यात्) प्रतिश्रवण और बात-चीत [२ । १७०] करे ॥ १७१ ॥

पराङ्मुखस्याभिमुखो दूरस्थस्यैत्य सन्तिकम् ।
प्रणम्य तु शयानस्य निदेशे चैव तिष्ठतः ॥१७२॥ [२।१९७](१३५)

(पराङ्मुखस्य+अभिमुखः) गुरु यदि मुँह फेरे हों तो उनके सामने होकर (च) और (दूरस्थस्य अन्तिकम् एत्य) दूर खड़े हों तो पास जाकर (शयानस्य तु) लेटे हों (च) और (निदेशे एव तिष्ठतः) समीप ही खड़े हों तो (प्रणम्य) विनम्र होकर प्रतिश्रवण और बातचीत करे ॥ १७२ ॥

गुरु से निम्न आसन पर बैठे—

नीचं शय्यासनं चास्य सर्वदा गुरुसन्निधौ ।
गुरोस्तु चक्षुर्विषये न यथेष्टासनो भवेत् ॥ १७३ ॥ [२।१९८] (१३६)

(गुरुसन्निधौ) गुरु के समीप रहते हुए (अस्य) इस ब्रह्मचारी का (शय्या+आसनम्) बिस्तर और आसन (सर्वदा) सदा ही (नीचम्) गुरु के आसन से नीचा या साधारण रहना चाहिए (गुरोः तु चक्षुः विषये) और गुरु की आंखों के सामने (यथेष्टासनः न भवेत्) कभी मनमाने आसन से न बैठे अर्थात् शिष्टतापूर्वक बैठे ॥ १७३ ॥

गुरु का नाम न ले—

नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम् ।
न चैवास्यानुकुर्वीत गतिभाषितचेष्टितम् ॥ १७४ ॥ [२।१९९] (१३७)

(परोक्षम् अपि) पीछे से भी (अस्य) अपने गुरु का (केवलं नाम न +उदाहरेत्) केवल नाम न ले [अर्थात् जब भी गुरु के नाम का उच्चारण

करना पड़े तो 'आचार्य' 'गुरु' आदि सम्मानबोधक शब्दों के साथ करना चाहिए, अकेला नाम नहीं] (च) और (अस्य) इस गुरु की (गति+भाषित+चेष्टितम्) चाल, वाणी तथा चेष्टाओं का (न अनुकुर्वीत) अनुकरण= नकल न उतारे ॥ १७४ ॥

गुरु की निन्दा न सुने—

गुरोर्यत्र परीवादो निन्दा वाऽपि प्रवर्त्तते।
कर्णौ तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ॥१७५॥[२।२००] (१३८)

(यत्र) जहां (गुरोः परीवादः अपि वा निन्दा प्रवर्त्तते) गुरु की बुराई अथवा निन्दा हो रही हो (तत्र) वहां (कर्णौ पिधातव्यौ) अपने कान बन्द कर लेने चाहियें अर्थात् उसे नहीं सुनना चाहिये (वा) अथवा (ततः अन्यतः गन्तव्यम्) उस जगह से कहीं अन्यत्र चला जाना चाहिए ॥ १७५ ॥ ❀

अनुशीलन : 'कर्णौ पिधातव्यौ' मुहावरा—इस श्लोक में "कर्णौ पिधातव्यौ" मुहावरे के रूप में प्रयुक्त है। इसका अभिप्राय कान बन्द कर लेना नहीं है अपितु 'न सुनना' या 'ध्यान न देना' है। इसका हिन्दी में अनूदित मुहावरा आज भी उसी अर्थ में प्रचलित है—'कान बन्द रखना' अर्थात् ध्यान न देना या न सुनना। इस के विपरीत 'कान धरना' या कान खुले रखना' मुहावरे प्रचलित हैं। जिन का अर्थ है—ध्यान से सुनना।

गुरु-निन्दा का फल—

परीवादात्खरो भवति श्वा वै भवति निन्दकः।
परिभोक्ता कृमिर्भवति कीटो भवति मत्सरी ॥१७६॥ [२।२०१]

(परीवादात् खरः भवति) गुरु की बुराई करने वाला शिष्य अगले जन्म में गधा बनता है (निन्दकः वै श्वा भवति) निन्दा करने वाला कुत्ता बनता है (परिभोक्ता कृमिः भवति) गुरु के धन का उपभोग करने वाला छोटा कीड़ा बनता है और (मत्सरी कीटः भवति) गुरु से ईर्ष्या करने वाला बड़ा कीड़ा बनता है ॥ १७६ ॥

अनुशीलन—यह १७६ वां श्लोक निम्न रूप से प्रक्षिप्त है—

१. **अन्तर्विरोध**—मनु ने १२।९, २५—५२, ७४ श्लोकों में यह स्पष्ट मान्यता दी है कि व्यक्ति सत्त्व, रज, तमोयुक्त कर्मों की अधिकता के आधार पर उत्तम, मध्यम, अधम अथवा तिर्यक् स्थावर और मनुष्य आदि योनियों को प्राप्त करता है, न कि केवल किसी एक ही कर्म से। और फिर किसी कर्म के आधार पर मनु ने कोई एक योनि भी निश्चित नहीं की है। इस श्लोक में एक ही कर्म से योनि का निश्चय कर

❀ [प्रचलित अर्थ—जहां गुरु की बुराई या निन्दा होती हो वहां ब्रह्मचारी कान बन्द करले या वहां से अन्यत्र चला जाये ॥ २ ०० ॥]

देना और केवल इन्हीं कर्मों से ही इन योनियों के प्राप्त होने का कथन करना, उक्त मान्यता के विरुद्ध होने से यह श्लोक प्रक्षिप्त है। (२) २। ११७ [२। १४२] में गुरु द्वारा अन्न आदि से पालन-पोषण करने का निर्देश भी है। इस श्लोक में गुरु के पदार्थों का उपभोग करने वाले को अगले जन्म में कृमि होना बताया है। यह उक्त वर्णन से विरुद्ध है।

२. **शैलीगत आधार**—इस श्लोक में त्रुटियों के कारण विभिन्न योनियों की प्राप्ति का कथन निराधार, अयुक्तियुक्त एवं अतिशयोक्ति पूर्ण है। इस प्रकार की शैली मनु की नहीं है।

गुरु को कब अभिवादन न करे—

दूरस्थो नार्चयेदेनं न क्रुद्धो नान्तिके स्त्रियाः।
यानासनस्थश्चैवैनमवरुह्याभिवादयेत् ॥१७७॥ [२।२०२] (१३९)

(एनम्) शिष्य अपने गुरु को (दूरस्थः) दूर से (न+अर्चयेत्) नमस्कार न करे (न क्रुद्धः) न क्रोध में (न स्त्रियाः अन्तिके) जब अपनी स्त्री के पास बैठे हों न उस स्थिति में जाकर अभिवादन करे (च) और (यान+आसनस्थः) यदि सवारी पर बैठा हो तो (अवरुह्य) उतरकर (एनम्) अपने गुरु को (अभिवादयेत्) अभिवादन करे॥ १७७॥

साथ बैठने न बैठने सम्बन्धी निर्देश—

प्रतिवातेऽनुवाते च नासीत गुरुणा सह।
असंश्रवे चैव गुरोर्न किंचिदपि कीर्तयेत्॥ १७८॥ [२।२०३] (१४०)

(प्रतिवाते) शिष्य की ओर से गुरु की ओर आने वाली वायु में (च) और (अनुवाते) उसके विपरीत अर्थात् गुरु की ओर से शिष्य की ओर आने वाली वायु की दिशा में (गुरुणा सह न+आसीत) गुरु के साथ न बैठे (च) तथा (गुरोः असंश्रवे एव) जहां गुरु को अच्छी प्रकार न सुनाई पड़े ऐसे स्थान में (किंचित्+अपि न कीर्तयेत्) कुछ बात न करे॥ १७८॥

गुरु के साथ कहां-कहां बैठे—

गोऽश्वोष्ट्रयानप्रासादस्तरेषु कटेषु च।
आसीत गुरुणा सार्धं शिलाफलकनौषु च ॥१७९॥ [२।२०४] (१४१)

(गो+अश्व+उष्ट्रयान—प्रासादस्तरेषु) बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, ऊंटगाड़ी पर और महलों अथवा घरों में बिछाये जानेवाले बिछौने पर (च) और (कटेषु) चटाइयों पर (च) तथा (शिला-फलकनौषु) पत्थर, तख्ता, नौका पर (गुरुणा सार्धम् आसीत) गुरु के साथ बैठ जाये॥ १७९॥

गुरु के गुरु से गुरुतुल्य आचरण—

गुरोर्गुरौ सन्निहिते गुरुवद्वृत्तिमाचरेत् ।
न चानिसृष्टो गुरुणा स्वान्गुरूनभिवादयेत् ॥१८०॥[२।२०५](१४२)

(गुरोः गुरौ सन्निहिते) गुरु के भी गुरु यदि समीप आ जायें तो (गुरुवत् वृत्तिम् आचरेत्) उनसे अपने गुरु के समान ही आचरण करे (च) और (स्वान् गुरून्) अपने माता-पिता आदि गुरुजनों के आने पर (गुरुणा अनिसृष्टः न अभिवादयेत्) गुरु से आदेश पाये बिना अभिवादन करने न जाये ॥ १८० ॥

अन्य अध्यापकों से व्यवहार—

विद्यागुरुष्वेतदेव नित्या वृत्तिः स्वयोनिषु ।
प्रतिषेधत्सु चाधर्मान्हितं चोपदिशत्स्वपि ॥१८१॥[२।२०६](१४३)

(विद्यागुरुषु) विद्या पढ़ाने वाले सभी गुरुओं में (स्वयोनिषु) अपने वंश वाले सभी बड़ों में (च) और (अधर्मान् प्रतिषेधत्सु उपदिशत्सु+अपि) अधर्म से हटाकर धर्म का उपदेश करने वालों में भी (नित्या एतत्+एव वृत्तिः) सदैव यही [ऊपर वर्णित] बर्ताव करे ॥ १८१ ॥

गुरुपुत्र आदि से व्यवहार—

श्रेयःसु गुरुवद्वृत्तिं नित्यमेव समाचरेत् ।
गुरुपुत्रेषु चार्येषु गुरोश्चैव स्वबन्धुषु ॥ १८२ ॥ [२ । २०७]

(श्रेयःसु) बड़े लोगों में (च) और (आर्येषु गुरुपुत्रेषु) श्रेष्ठ गुरुपुत्रों में (च) यथा (गुरोः स्वबन्धुषु एव) गुरु के रिश्तेदारों में भी (नित्यं गुरुवत् एव वृत्तिं समाचरेत्) सदैव गुरु के समान ही वर्ताव करे ॥ १८२ ॥

बालः समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकर्मणि ।
अध्यापयन्गुरुसुतो गुरुवन्मानमर्हति ॥ १८३ ॥ [२ । २०८]

(गुरुसुतः) गुरु का पुत्र (बालः वा समानजन्मा) चाहे छोटा हो अथवा समान आयु वाला हो (वा) अथवा (यज्ञकर्मणि शिष्यः) यज्ञकर्म में दीक्षित होकर शिष्य बन चुका हो (अध्यापयन्) वह पढ़ाता हुआ (गुरुवत् मानम्+अर्हति) गुरु के समान सम्मान का अधिकारी है ॥ १८३ ॥

उत्सादनं च गात्राणां स्नापनोच्छिष्टभोजने ।
न कुर्याद्गुरुपुत्रस्य पादयोश्चावनेजनम् ॥ १८४ ॥ [२ । २०९]

(गुरुपुत्रस्य) गुरुपुत्र के (गात्राणाम् उत्सादनम्) अंगों का दबाना (स्नापन+उच्छिष्टभोजने) नहलाना, झूठा भोजन करना (च) और (पादयोः अवनेजनम्) पैरों का धोना (न कुर्यात्) ये कार्य न करे ॥ १८४ ॥

गुरुपत्नियों से व्यवहार—

गुरुवत्प्रतिपूज्याः स्युः सवर्णा गुरुयोषितः।
असवर्णास्तु संपूज्याः प्रत्युत्थानाभिवादनैः॥ १८५ ॥[२। २१०]

(सवर्णाः गुरुयोषितः) गुरु के अपने वर्ण की पत्नियां (गुरुवत् प्रतिपूज्याः स्युः) गुरु के समान ही पूजनीय हैं (असवर्णाः तु) और भिन्न वर्ण की गुरुपत्नियों का तो (प्रत्युत्थान+अभिवादनैः) केवल उठने और नमस्कार करने से ही (संपूज्याः) आदर करना चाहिए॥ १८५ ॥

अभ्यञ्जनं स्नापनं च गात्रोत्सादनमेव च।
गुरुपत्न्या न कार्याणि केशानां च प्रसाधनम्॥ १८६ ॥ [२। २११]

(अभ्यञ्जनम्) उबटन लगाना (स्नापनम्) स्नान कराना (च) और (गात्र+उत्सादनम् एव) शरीर दबाना (च) तथा (केशानां प्रसाधनम्) बालों को संवारना (गुरुपत्न्या न कार्याणि) ये कार्य गुरुपत्नियों के नहीं करने चाहियें॥ १८६ ॥

अनुशीलन : १८२ से १८६ श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—(१) १८२ से १८४ श्लोकों में गुरुपुत्र के साथ भी गुरु जैसा व्यवहार करने का निर्देश है, चाहे वह शिष्य ही क्यों न हो। यह निर्देश २। ९२ [११७], १२४-१३१ [१४९—१५६] श्लोकों की मान्यता के विरुद्ध है। इन श्लोकों में कहा गया है कि पढ़ाने वाला ही गुरु और बड़ा होता है और वही आदर के योग्य है। १२६ [१५१] वें श्लोक में आङ्गिरस का उदाहरण देकर तो मनु ने इस मान्यता को और अधिक स्पष्ट कर दिया है। अतः गुरुपुत्र को गुरु द्वारा भी आदर देना आदि बातें मौलिक नहीं हैं। (२) १८५ वें श्लोक में जो सवर्ण और असवर्ण पत्नियों के साथ पृथक्-पृथक् व्यवहार का विधान है, यह बहुपत्नीप्रथा भी मनुसम्मत नहीं है। मनु ने ५। १६७-१६८१ श्लोकों में अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में यह वर्णन किया है कि एक पत्नी के मरणोपरान्त ही द्विज दूसरी से नियोग कर सकता है। इस प्रकार बहुपत्नी रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके साथ-साथ इस बात से भी यह श्लोक परवर्ती प्रक्षेप सिद्ध होता है कि केवल इसी श्लोक में सवर्ण-असवर्ण पत्नियों के साथ पृथक्-पृथक् व्यवहार करने का कथन है, अन्यत्र जहां भी गुरुपत्नियों के साथ व्यवहार के निर्देश का कथन है, वहां कहीं भी सवर्ण-असवर्ण का भेद नहीं दर्शाया गया है [२।१८७—१९२ (२।२१२—२१७)]। (३) १८६ वें श्लोक में गुरुपत्नी के तैलमर्दन आदि के निषेध का विधान भी मौलिक नहीं है, क्योंकि जब २।१५२, १५४, १८७ [२।१७७, १७९, २१२] में स्त्रियों का दर्शन, स्पर्शन, आलिंगन ब्रह्मचारी के लिये पूर्णतः निषिद्ध कर चुके हैं तो फिर गुरुपत्नी की इस प्रकार की सेवाएं करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके साथ-साथ यह बात भी विचारणीय है कि मनु ने ब्रह्मचारी को केवल गुरु की सेवा करने का ही आदेश दिया है, गुरुपत्नी

की सेवा करने का वर्णन कहीं नहीं किया है। इस प्रकार इन विरोधों के कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

युवती गुरुपत्नी के चरणस्पर्श का निषेध और उसमें कारण—

गुरुपत्नी तु युवतिर्नाभिवाद्येह पादयोः।
पूर्णविंशतिवर्षेण गुणदोषौ विजानता ॥१८७॥ [२।२१२] (१४४)

(पूर्णविंशतिवर्षेण) जिसके बीस वर्ष पूर्ण हो चुके हैं ऐसे (गुणदोषौ विजानता) गुण और दोषों को समझने में समर्थ युवक शिष्य को (युवतिः गुरुपत्नी तु) जवान गुरुपत्नी का (पादयोः न अभिवाद्या) चरणों का स्पर्श करके अभिवादन नहीं करना चाहिए [अर्थात् बिना चरणस्पर्श किये ही उसका अभिवादन करे। उसकी विधि २। १९१ में वर्णित है] ॥ १८७॥

युवति के चरण स्पर्श से हानि—

स्वभाव एष नारीणां नराणामिह दूषणम्।
अतोऽर्थान्न प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चितः ॥१८८॥ [२।२१३] (१४५)

(इह) इस संसार में (एषः स्वभावः) यह स्वाभाविक ही है कि (नारीणां नराणां दूषणम्) स्त्री-पुरुषों का परस्पर के संसर्ग से दूषण हो जाता है—दोष लग जाता है (अतः अर्थात्) इस कारण (विपश्चितः) बुद्धिमान् व्यक्ति (प्रमदासु) स्त्रियों के साथ व्यवहारों में (न प्रमाद्यन्ति) कभी असावधानी नहीं करते अर्थात् ऐसा कोई वर्ताव नहीं करते जिससे सदाचार के मार्ग से भटक जाने की आशंका हो ॥ १८८ ॥ ❀

अविद्वांसमलं लोके विद्वांसमपि वा पुनः।
प्रमदा ह्युत्पथं नेतुं कामक्रोधवशानुगम् ॥१८९॥ [२।२१४](१४६)

(लोके) संसार में (प्रमदाः) स्त्रियाँ (काम-क्रोध-वश+अनुगम्) काम और क्रोध के वशीभूत होने वाले (अविद्वांसम्) अविद्वान् को (वा) अथवा (विद्वांसम्+अपि) विद्वान् व्यक्ति को भी (उत्पथं नेतुम्) उसके मार्ग से उखाड़ने में अर्थात् उद्देश्य से पथभ्रष्ट करने में (हि) निश्चय से (अलम्) पूर्णतः समर्थ हैं ॥ १८९ ॥

अभिप्राय यह है कि स्त्रियों में हाव-भाव और रूप सौन्दर्य के द्वारा

❀ [**प्रचलित अर्थ**—स्त्रियों का यह स्वभाव है कि इस जगत् में शृङ्गार-चेष्टाओं के द्वारा व्यामोहित कर पुरुषों में दूषण उत्पन्न कर देती हैं, अत एव विद्वान् पुरुष स्त्रियों के विषय में असावधानी नहीं करते किन्तु सर्वदा उनसे अलग ही रहते हैं ॥ २१३ ॥]

पुरुषों को मोहित कर लेने का पूर्ण सामर्थ्य है। उनके इन गुणों के कारण पुरुष उनके संसर्ग से स्वयं अथवा उन्हीं के प्रयत्न से सदाचार के मार्ग से भ्रष्ट हो सकता है।

स्त्रीवर्ग के साथ एकान्तवास निषेध—

मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्।
बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति ॥१९०॥[२।२१५](१४७)

[मनुष्य को चाहिए कि] (मात्रा स्वस्रा वा दुहित्रा) माता, बहन अथवा पुत्री के साथ भी (विविक्त+आसनः न भवेत्) एकान्त आसन पर न बैठे या न रहे, अर्थात् एकान्तनिवास न करे क्योंकि (बलवान्+इन्द्रिय-ग्रामः) शक्तिशाली इन्द्रियां (विद्वांसम्+अपि) विद्वान्=विवेकी व्यक्ति को भी (कर्षति) खींचकर अपने वश में कर लेती हैं अर्थात् अपने-अपने विषयों में फंसाकर पथभ्रष्ट कर देती हैं ॥ १९० ॥

"इस वाक्य का अर्थ—इन्द्रियां इतनी प्रबल हैं कि माता तथा बहनों के साथ रहने में भी सावधान रहना चाहिए।" (पू० प्र० १५)

युवति गुरुपत्नी के अभिवादन की विधि—

कामं तु गुरुपत्नीनां युवतीनां युवा भुवि।
विधिवद्वन्दनं कुर्यादसावहमिति ब्रुवन् ॥१९१॥[२।२१६] (१४८)

(कामं तु) अच्छा तो यही है कि (युवा) युवक शिष्य (युवतीनां गुरुपत्नीनाम्) जवान गुरुपत्नियों को (असौ+अहम्+इति ब्रुवन्) 'यह मैं अमुक नाम वाला हूँ' ऐसा कहते हुए (विधिवत्) पूर्ण विधि के अनुसार [२।९७, ९९] (भुवि) भूमि पर झुककर ही (वन्दनं कुर्यात्) अभिवादन करे ॥ १९१ ॥

विप्रोष्य पादग्रहणमन्वहं चाभिवादनम्।
गुरुदारेषु कुर्वीत सतां धर्ममनुस्मरन् ॥ १९२ ॥[२।२१७] (१४९)

शिष्य (सतां धर्मम्+अनुस्मरन्) श्रेष्ठों के धर्म को स्मरण करते हुए अर्थात् यह विचारते हुए कि स्त्रियों को अभिवादन करना शिष्ट व्यक्तियों का कर्त्तव्य है (गुरुदारेषु) गुरुपत्नियों को (अन्वहम् अभिवादनं कुर्वीत) प्रतिदिन अभिवादन करे (च) और (विप्रोष्य) परदेश से लौटकर (पादग्रहणम्) चरणस्पर्श कर अभिवादन करे ॥ १९२ ॥

गुरु सेवा का फल—

यथा खनन्खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति।
तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति ॥१९३॥ [२।२१८](१५०)

(यथा खनित्रेण खनन् नरः) जैसे फावड़े से खोदता हुआ मनुष्य (वारि+अधिगच्छति) जल को प्राप्त करता है (तथा) वैसे (शुश्रूषुः) गुरु की सेवा करने वाला पुरुष (गुरुगतां विद्याम्) गुरुजनों ने जो विद्या प्राप्त की है, उसको (अधिगच्छति) प्राप्त होता है ॥ १९३ ॥ (सं० वि० ८५)

ब्रह्मचारी के लिए केश-सम्बन्धी तीन विकल्प एवं ग्रामनिवास का निषेध—

मुण्डो वा जटिलो वा स्यादथवा स्याच्छिखाजटः।
नैनं ग्रामेऽभिनिम्लोचेत्सूर्यो नाभ्युदियात्क्वचित् ॥१९४॥[२।२१९](१५१)

ब्रह्मचारी (मुण्डः वा जटिलः वा स्यात्) चाहे तो सब केश मुंडवा कर रहे, चाहे सब केश रखकर रहे (अथवा) या फिर (शिखाजटः) केवल शिखा रखकर [शेष केश मुंडवाकर] (स्यात्) रहे। (एनम्) इस ब्रह्मचारी को (क्वचित् ग्रामे) किसी निवास स्थान में रहते (सूर्यः) सूर्य (न अभिनिम्लोचेत्) न तो अस्त हो (न=अभ्युदियात्) न कभी उदय हो अर्थात् प्रमाद के कारण उसके निवास स्थान पर रहते-रहते सूर्य अस्त नहीं होना चाहिए और न ही सोते-सोते सूर्योदय होना चाहिए, अपितु उससे पूर्व ही संध्योपासन आदि नित्यकर्मों के लिये वन-प्रदेश में निकल जाना चाहिए [२। ७९, ७८, ७७, ७६] ॥ १९४ ॥

प्रमादवश सोते रहने पर प्रायश्चित्त—

तं चेदभ्युदियात्सूर्यः शयानं कामचारतः।
निम्लोचेद्वाऽप्यविज्ञानाज्जपन्नुपवसेद्दिनम् ॥१९५॥ [२।२२०](१५२)

(तं चेत्) यदि उसे (कामचारतः शयानम्) इच्छानुसार सोते हुए (सूर्यः अभि+उदियात्) सूर्य का उदय हो जाये (अपि वा) अथवा (अविज्ञानात् निम्लोचेत्) अनजाने में या प्रमाद के कारण सूर्य अस्त हो जाये तो (दिनं जपन्+उपवसेत्) दिनभर गायत्री का जप करते हुए उपवास करे=खाना न खाये ॥ १९५ ॥

सूर्येण ह्यभिनिर्मुक्तः शयानोऽभ्युदितश्च यः।
प्रायश्चित्तमकुर्वाण युक्तः स्यान्महतैनसा ॥१९६॥[२२१](१५३)

(यः) जो (सूर्येण अभिनिर्मुक्तः) प्रमाद में सूर्य के अस्त हो जाने

पर (च) और (शयानः+अभ्युदितः) सोते-सोते सूर्य उदय होने पर (प्रायश्चित्तम् अकुर्वाणः) प्रायश्चित्त नहीं करता है वह (महता+एनसा युक्तः स्यात्) बड़े अपराध का भागी बनता है अर्थात् उसे बड़ा दोषी माना जायेगा, क्योंकि संध्याकालों में ब्रह्मचारी के लिये सबसे परमावश्यक कर्म संध्योपासन का विधान है और इस कर्म में प्रमाद करने से ब्रह्मचारी के पापों में फंसने का भय रहता है ॥ १९६ ॥

अनुशीलन : 'एनः' के अर्थज्ञान के लिए २ । २ [२ । २७] पर भी समीक्षा द्रष्टव्य है ।

संध्योपासन का विधान एवं विधि—

आचम्य प्रयतो नित्यमुभे संध्ये समाहितः ।
शुचौ देशे जपञ्जप्यमुपासीत यथाविधि ॥१९७॥[२।२२२] (१५४)

ब्रह्मचारी (नित्यम्) प्रतिदिन (उभे संध्ये) प्रातः और सायं दोनों संध्याकालों में [२ । ७६, ७७] (शुचौ देशे) शुद्ध स्थान में (आचम्य) आचमन करके (प्रयतः) प्रयत्नपूर्वक (समाहितः) एकाग्र होकर (जप्यं जपन् उपासीत) परमेश्वर का जप करते हुए उपासना करे ॥ १९७ ॥

"नित्य संध्योपासन.....के पूर्व शुद्ध जल का आचमन किया करे।" (सं० वि० ७६)

स्त्री-शूद्रादि के उत्तम आचरण का भी अनुकरण करे—

यदि स्त्री यद्यवरजः श्रेयः किंचित्समाचरेत् ।
तत्सर्वमाचरेद्युक्तो यत्र वाऽस्य रमेन्मनः ॥१९८॥[२।२२३] (१५५)

(यदि स्त्री यदि+अवरजः) यदि कोई स्त्री अथवा शूद्र भी (किंचित् श्रेयः समाचरेत्) कोई श्रेष्ठ कार्य करें (तत्सर्व+आचरेत्) उनसे शिक्षा लेकर उस पर आचरण करना चाहिए (वा) अथवा (यत्र) जिस शास्त्रोक्त कर्म में (अस्य मनः रमेत्) इसका मन रमे उस श्रेष्ठ कार्य को करता रहे ॥ १९८ ॥

त्रिवर्ग-सम्बन्धी मान्यताएँ—

धर्मार्थावुच्यते श्रेयः कामार्थौ धर्म एव च ।
अर्थ एवेह वा श्रेयस्त्रिवर्ग इति तु स्थितिः ॥ १९९ ॥ [२ । २२४]

(इह) इस संसार में (धर्मार्थौ श्रेयः उच्यते) कोई धर्म और अर्थ को कल्याणकारी कहते हैं (कामार्थौ) कोई काम और अर्थ को (च) और (धर्मः+एव) कोई धर्म

को ही (वा) अथवा (अर्थः+चैव श्रेयः) कोई अर्थ को ही श्रेय कहते हैं (त्रिवर्गः इति तु स्थितिः) 'धर्म, अर्थ और काम इन तीनों का वर्ग ही इस संसार में श्रेयस्कर है' यही वास्तविक सिद्धान्त है ॥ १९९ ॥

अनुशीलन : धर्म, काम, अर्थ के स्वरूप के लिए ७ । २६ की समीक्षा देखिए ।

आचार्यश्च पिता चैव माता भ्राता च पूर्वजः ।
नार्तेनाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणेन विशेषतः ॥ २०० ॥ [२ । २२५]

(आचार्य+च पिता च एव माता पूर्वजः भ्राता) आचार्य, पिता, माता तथा बड़ा भाई (आर्तेन+अपि न अवमन्तव्याः) स्वयं दुःखी होते हुए भी किसी को इनका अपमान नहीं करना चाहिए (विशेषतः ब्राह्मणेन) विशेषरूप से ब्राह्मण को तो कभी इनका अपमान नहीं करना चाहिए ॥ २०० ॥

आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः ।
माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता स्वो मूर्तिरात्मनः ॥ २०१ ॥ [२।२२६]

[क्योंकि] (आचार्यः ब्रह्मणः मूर्तिः) आचार्य वेद-ज्ञान देने से ब्रह्मा की मूर्ति रूप है (पिता प्रजापतेः मूर्तिः) पिता पालन करने से प्रजापति की मूर्ति है (माता पृथिव्याः मूर्तिः) माता पालन व सहनशीलता के कारण पृथिवी की मूर्ति है (स्वः भ्राता आत्मनः मूर्तिः) अपना बड़ा भाई सहायक होने से अपनी आत्मा की ही मूर्ति है ॥ २०१ ॥

यं मातापितरौ क्लेशं सहेते सम्भवे नृणाम् ।
न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि ॥२०२॥ [२२७]

(मातापितरौ) माता और पिता (नृणां संभवे) सन्तानों को उत्पन्न और पालनपोषण करने में (यं क्लेशं सहेते) जिस कष्ट को सहन करते हैं (तस्य निष्कृतिः) उसका बदला (वर्षशतैः+अपि) सौ वर्षों में भी (न कर्तुं शक्या) नहीं चुकाया जा सकता ॥ २०२ ॥

तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा ।
तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते ॥ २०३ ॥ [२ । २२८]

(तयोः) उन दोनों अर्थात् माता-पिता का (च) और (आचार्यस्य) आचार्य का (नित्यम्) प्रतिदिन (सर्वदा) हर समय (प्रियं कुर्यात्) प्रिय कार्य करता रहे (तेषु तुष्टेषु एव) इन तीनों के संतुष्ट होने में ही (सर्वं तपः समाप्यते) सब तप पूर्ण हो जाता है ॥ २०३ ॥

तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परमं तप उच्यते ।
न तैरनभ्यनुज्ञातो धर्ममन्यं समाचरेत् ॥ २०४ ॥ [२ । २२९]

(तेषां त्रयाणां शुश्रूषा) आचार्य, माता और पिता इन तीनों की सेवा करना

ही (परमं तपः उच्यते) श्रेष्ठ तप कहा गया है (तैः+अनभ्यनुज्ञातः) इनकी अनुमति के बिना (अन्यं धर्मं न समाचरेत्) अन्य किसी धर्म का आचरण न करे ॥ २०४ ॥

त एव हि त्रयो लोकास्त एव त्रय आश्रमाः ।
त एव हि त्रयो वेदास्त एवोक्तास्त्रयोऽग्नयः ॥ २०५ ॥ [२ । २३०]

(ते+एव हि त्रयः लोकाः) वे ही तीनों—पृथ्वी, आकाश, अन्तरिक्ष लोक हैं (ते+एव त्रयः आश्रमाः) वे तीनों ही तीन—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं संन्यास आश्रम हैं (ते एव हि त्रयः वेदाः) वे ही तीन—ऋक्, यजुः, साम, वेद हैं (ते+एव त्रयः+अग्नयः उक्ताः) वे ही तीन अग्नियां [२ । २०६] मानी हैं ॥ २०५ ॥

पिता वै गार्हपत्योऽग्निर्माताऽग्निर्दक्षिणः स्मृतः ।
गुरुराहवनीयस्तु साऽग्नित्रेता गरीयसी ॥ २०६ ॥ [२।२३१]

(पिता वै गार्हपत्यः+अग्निः) पिता गार्हपत्य अग्नि [=गृहपति के द्वारा यज्ञ में प्रज्वलित की जाने वाली अग्नि जिसे पिता अपने बाद में अपनी सन्तान को सौंप देता है] के समान है (माता दक्षिणः अग्निः स्मृतः) माता दक्षिण अग्नि [=यज्ञ में दक्षिण की ओर स्थापित की जाने वाली अग्नि] के समान है (गुरुः तु आहवनीयः) और गुरु आहवनीय=आहुति देने योग्य यज्ञ की अग्नि के समान है (सा अग्नित्रेता गरीयसी) इन तीनों अग्नियों का समूह सर्वश्रेष्ठ है । अर्थात् जिस प्रकार यज्ञ की इन तीन अग्नियों का श्रेष्ठ फल है, वही फल इन तीनों की सेवा में है ॥ २०६ ॥

त्रिष्वप्रमाद्यन्नेतेषु त्रींल्लोकान्विजयेद्गृही ।
दीप्यमानः स्ववपुषा देववद्दिवि मोदते ॥ २०७ ॥ [२।२३२]

(गृही) गृहस्थी व्यक्ति (एतेषु त्रिषु+अप्रमाद्यन्) इन तीनों की सेवा में प्रमाद न करता हुआ (स्ववपुषा दीप्यमानः) अपने शरीर से देदीप्यमान होता हुआ (दिवि देववत् मोदते) द्युलोक में=स्वर्ग में देवता के समान प्रसन्नता को प्राप्त होता है ॥ २०७ ॥

इमं लोकं मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम् ।
गुरुशुश्रूषया त्वेवं ब्रह्मलोकं समश्नुते ॥ २०८ ॥ [२।२३३]

[मनुष्य] (इमं लोकं मातृभक्त्या) इस पृथिवी लोक को माता की सेवा करने से (मध्यमं तु पितृभक्त्या) मध्यम आकाश लोक को पिता की सेवा करने से (एवम्) इसी प्रकार (गुरुशुश्रूषया) गुरु की सेवा करने से (ब्रह्मलोकं समश्नुते) मोक्ष को प्राप्त करता है ॥ २०८ ॥

सर्वे तस्याहृता धर्मा यस्यैते त्रय आहृताः ।
अनाहृतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्याफलाः क्रियाः ॥ २०९ ॥ [२ । २३४]

(यस्य एते त्रयः आहृताः) जिसने इन तीनों—आचार्य, माता, पिता का आदर

रखा है (तस्य सर्वे धर्माः आदृताः) मानों उसने सभी धर्मों का आदर किया है अर्थात् सभी धर्मों का पालन किया है (यस्य तु एते अनादृताः) जिसने इनका आदर नहीं रखा (तस्य सर्वाः क्रियाः अफलाः) उसकी सब श्रेष्ठ क्रियाएं निष्फल रहती हैं ॥ २०९ ॥

यावत् त्रयस्ते जीवेयुस्तावन्नान्यं समाचरेत् ।
तेष्वेव नित्यं शुश्रूषां कुर्यात्प्रियहिते रतः ॥ २१० ॥ [२ । २३५]

(ते त्रयः यावत् जीवेयुः) वे तीनों जब तक जायें (तावत् अन्यं न समाचरेत्) तब तक [इनकी सेवा-शुश्रूषा को छोड़कर] किसी अन्य धर्म का प्रमुखता से पालन न करे (प्रियहिते रतः) उनके प्रिय आचरण में लगा रहकर (तेषु+एव नित्यं शुश्रूषां कुर्यात्) उनकी ही सदा सेवा करता रहे ॥ २१० ॥

तेषामनुपरोधेन पारत्र्यं यदनाचरेत् ।
तत्तन्निवेदयेत्तेभ्यो मनोवचनकर्मभिः ॥ २११ ॥ [२ । २३६]

(तेषाम्+अनुपरोधेन) उन माता, पिता, आचार्य के अविरुद्ध उनकी अनुमति से (मनो-वचन-कर्मभिः) मन, वचन और कर्म के द्वारा (यद्-यद् पारत्र्यम् आचरेत्) जो-जो परलोक को शुभ करने वाला कार्य करे (तत्-तत्) उस सबको (तेभ्यः) उनसे (निवेदयेत्) प्रकट कर दे ॥ २११ ॥

त्रिष्वेतेष्वितिकृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते ।
एष धर्मः परः साक्षादुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥ २१२ ॥ [२ । २३७]

(एतेषु त्रिषु हि) इन तीनों की सेवा करने से ही (पुरुषस्य इतिकृत्यं समाप्यते) पुरुष के सब कर्त्तव्य पूर्ण हो जाते हैं (एषः साक्षात् परः धर्मः) यही पुरुष का साक्षात् सर्व श्रेष्ठ धर्म है (अन्यः उपधर्मः उच्यते) अन्य सभी धार्मिक कार्य इसकी अपेक्षा गौण धर्म हैं ॥ २१२ ॥

अनुशीलन : १९९ से २१२ तक के श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त हैं—

१. **विषयविरोध**—ये २०० से २११ श्लोक विषयविरुद्ध हैं। द्वितीय अध्याय का विषय ब्रह्मचर्याश्रम एवं ब्रह्मचारी ही के कर्त्तव्यों से सम्बद्ध है [२ । ४४ (२ । ६९), ३ । १—२, २ । ४३—४४ (२ । ६८—६९)] श्लोकों में स्पष्टतः गुरु के पास रहते हुए ब्रह्मचारी को जो कर्त्तव्य करने चाहिएँ, उन्हीं का कथन करने का संकेत दिया है। और २ । १३९ [२ । १६४] में भी कहा—"**ज्ञानेन क्रमयोगेन**.....**गुरौ वसन् संचिनुयात् ब्रह्माधिगमिकं तपः**" अर्थात्—इन पूर्वोक्त विधियों के अनुसार ब्रह्मचारी गुरु के पास रहता हुआ वेदज्ञान की वृद्धि के लिए तप करे। इसके अतिरिक्त २ । ८३ [१०८], १५० [१७५], १६९–१७८ [१९४–२०३], १९४ [२१९], २१६–२२१ [२४१–२४६] श्लोकों से भी स्पष्ट होता है कि इस अध्याय में केवल उन्हीं कर्त्तव्यों का जो गुरुकुल में रहते पालन करने होते हैं कथन है। किन्तु इन श्लोकों में जो

कर्त्तव्य कहे हैं वे ब्रह्मचारियों के न होकर घर में रहने वालों के हैं। २०७ वें श्लोक में तो स्पष्टतः **"विजयेत् गृही"** शब्द का प्रयोग है। इसी प्रकार प्रतिदिन माता-पिता का प्रिय आचरण करना [२०३], उनकी प्रतिदिन सेवा करना [२१०] उनकी आज्ञा लेकर प्रत्येक धर्मकार्य करना [२११], आदि बातें घर से दूर गुरुकुल में रहते हुए संभव ही नहीं हैं। ये गृहस्थ के कर्त्तव्य हैं। इस प्रकार यहां ये विषयविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं। यहां यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि ये श्लोक अर्थवाद के रूप में न होकर विधि-वाक्य हैं।

२. **अन्तर्विरोध**—(१) १९९ वें श्लोक में विभिन्न आचार्यों का मत प्रदर्शित करते हुए किसी के मत से केवल धर्म-अर्थ को कल्याणकारक कहा है, किसी के मत से केवल 'अर्थ' को ही। यह मान्यता मनु के अनुकूल नहीं है। मनु 'धर्म' को सर्वत्र अनिवार्य मानते हैं। ४। १७६ में तो उन्हों ने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया है—**"परित्यजेत् अर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ"** अर्थात् धर्म से रहित अर्थ और काम का परित्याग कर देवे।' फिर केवल 'अर्थ' को ही कल्याणकारक मानने का मत मनु को कैसे स्वीकार्य हो सकता है? मनु ने धर्म-काम-अर्थ तीनों को आवश्यक और समन्वित रूप से साध्य माना है। वे किसी शुभकार्य के परिणामस्वरूप तीनों की ही अभिवृद्धि का उल्लेख करते हैं, यथा—**"समीक्ष्यकारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थकोविदम्।"** **"त्रिवर्गेणाभिवर्धते।"** [७।२६-२७]। इस प्रकार इस मान्यता से विरोध होने के कारण यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

(२) इसी प्रकार माता-पिता, आचार्य की सेवा में ही तप की पूर्णता कहना [२०४], इसी में सब कर्त्तव्यों की समाप्ति मानना [२१२], इन्हीं की सेवा को परमधर्म कहना [२१२], आदि बातें मनुस्मृति के १। १०८; २। १४१ [२। १६६], ४। १४७ श्लोकों के विरुद्ध है, जिनमें प्राणायाम, वेदाभ्यास आदि को तप और परमधर्म घोषित किया है।

(३) २१० में इनके जीते जी अन्य कर्त्तव्यों को न करने का कथन करना मनुस्मृति की सारी व्यवस्थाओं के ही विरुद्ध है। इस प्रकार मनुस्मृति में विहित सारे विधान अनावश्यक सिद्ध हो जाते हैं।

(४) इसी प्रकार, २०५, २०६ श्लोकों में इन्हीं तीनों को तीन लोक, तीन वेद, तीन आश्रम कहना भी मनुस्मृति की मूल मान्यता के विरुद्ध है। यदि वे ही तीनों वेद और आश्रम मान लिये जायें तो फिर वेदों और आश्रमों की आवश्यकता ही नहीं रहती!

(३) **प्रसंगविरोध**—इन श्लोकों से प्रसंग भी भंग हो रहा है। १९८ वें श्लोक में स्त्रियों और निम्नस्तर के व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले श्रेष्ठ कर्मों का अनुकरण करने का निर्देश है। २१३ वें श्लोक में उसी चर्चा को अर्थवाद के रूप में विस्तार करते हुए वर्णित किया है कि निम्नस्तर के व्यक्ति से विद्या और धर्म का भी ग्रहण कर

लेवे। १९८ वें श्लोक की चर्चा २१३ वें से सम्बद्ध है। इन श्लोकों ने उसे तोड़ दिया है। इस प्रकार प्रसंगविरुद्ध वर्णन के कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

निम्नस्तर के व्यक्ति से भी ज्ञान-धर्म की प्राप्ति—

श्रद्दधानः शुभां विद्यामाददीतावरादपि।
अन्त्यादपि परं धर्मं स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि ॥२१३॥[२।२३८](१५६)

(शुभां विद्यां श्रद्दधानः) उत्तम विद्या प्राप्ति की श्रद्धा करता हुआ पुरुष (अवरात्+अपि आददीत) अपने से न्यून से भी विद्या पावे तो ग्रहण करे (अन्त्यात्+अपि परं धर्मम्) नीच जाति से भी उत्तम धर्म का ग्रहण करे, और (दुष्कुलात् अपि स्त्रीरत्नम्) निंद्यकुल से भी स्त्रियों में उत्तम स्त्री का ग्रहण करे, यह नीति है॥ २१३॥ (सं० वि० ८५)

उत्तम वस्तुओं का सभी स्थानों से ग्रहण—

विषादप्यमृतं ग्राह्यं बालादपि सुभाषितम्।
अमित्रादपि सद्वृत्तममेध्यादपि काञ्चनम् ॥२१४॥[२।२३९](१५७)

(विषात्+अपि+अमृतं ग्राह्यम्) विष से भी अमृत का ग्रहण कर लेना चाहिए, और (बालात्+अपि सुभाषितम्) बालक से भी उत्तम वचन को ग्रहण कर लेना चाहिए, और (अमित्रात्+अपि सद्-वृत्तम्) वैरी से भी श्रेष्ठ आचरण सीख लेना चाहिए, तथा (अमेध्यात्+अपि काञ्चनम्) अशुद्ध स्थान से भी स्वर्ण या मूल्यवान् वस्तु को प्राप्त कर लेना चाहिए॥ २१४॥

"विष से भी अमृत का ग्रहण करना, बालक से भी उत्तम वचन को ले लेना।" (सं० वि० ८५)

स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या धर्मः शौचं सुभाषितम्।
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥२१५॥[२।२४०](१५८)

(स्त्रियः) उत्तम स्त्री (रत्नानि) नाना प्रकार के रत्न (विद्या) विद्या (धर्मः) सत्य (शौचम्) पवित्रता (सुभाषितम्) श्रेष्ठभाषण (च) और (विविधानि शिल्पानि) नाना प्रकार की शिल्पविद्या अर्थात् कारीगरी (सर्वतः समादेयानि) सब देश तथा सब मनुष्यों से ग्रहण करें" ॥ २१५॥
(स० प्र० ९६)

अनुशीलन : इस अध्याय का विषय विद्या या शिक्षा प्राप्ति का है। २१३–२१५ श्लोकों में विद्या-सम्बन्धी बात प्रमुखतः कहते हुए साथ ही अन्य सामान्य शिक्षाप्रद बातें भी कह दी हैं जो कि लोकोक्तिवत् प्रसिद्ध हैं। विद्या से सम्बद्ध होने के कारण ये सभी वचन प्रासंगिक एवं विषयसंगत हैं।

आपत्ति काल में अब्राह्मण से विद्याध्ययन एवं उसके नियम—

अब्राह्मणादध्ययनमापत्काले विधीयते।
अनुव्रज्या च शुश्रूषा यावदध्ययनं गुरोः ॥२१६॥ [२।२४१] (१५९)

(आपत्काले) आपत्ति काल में (अब्राह्मणात्) अब्राह्मण अर्थात् क्षत्रिय आदि से भी (अध्ययनम्) विद्या ग्रहण करना (विधीयते) विहित है (यावत् अध्ययनम्) शिष्य जब तक पढ़े तब तक (गुरोः अनुव्रज्या च शुश्रूषा) गुरु की आज्ञा का पालन और सेवा करे ॥ २१६ ॥

अनुशीलन : **अब्राह्मण से विद्या** प्राप्ति—अब्राह्मण से विद्याप्राप्ति की परम्परा मनु के पश्चात् भी रही है। यद्यपि विद्यादान ब्राह्मण का प्रमुख कर्त्तव्य रहा है किन्तु अन्य वर्णों से भी विद्या प्राप्त की जा सकती है इसकी पुष्टि मनु निम्न श्लोकों में पहले भी कर चुके हैं—

(क) **श्रद्दधानः शुभां विद्यामाददीतावरादपि।**
अन्त्यादपि परं धर्मं स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि ॥ २। २१३ (२३८)

(ख) **स्त्रियः रत्नान्यथो विद्या.....समादेयानि सर्वतः ॥** २।२१५(२४०)

(ग) सुश्रुत ने भी इसका समर्थन किया है (सूत्रस्थान द्वि० अ०)

"ब्राह्मणस्त्रयाणां वर्णानामुपनयनं कर्त्तुमर्हति, राजन्यो द्वयस्य, वैश्यो वैश्यस्येवेति। शूद्रमपि कुलगुणसम्पन्नं मन्त्रवर्जमुपनीतमध्यापयेदित्येके।' = ब्राह्मण तीनों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य; क्षत्रिय, क्षत्रिय और वैश्य; तथा वैश्य एक वैश्य वर्ण को यज्ञोपवीत कराके पढ़ा सकता है। और जो कुलीन शुभलक्षणयुक्त शूद्र हो तो उसको मन्त्रसंहिता छोड़के सब शास्त्र पढ़ावे, शूद्र पढ़े परन्तु उसका उपनयन न करे यह मत अनेक आचार्यों का है (स० प्र० तृ० समु०)। उपनयन और मन्त्रसंहिताओं का निषेध यह इसलिए है कि वह निश्चित समय पर इस संस्कार का अधिकार खो बैठता है इसी कारण वह शूद्र कहलाता है, किन्तु पढ़ना उसको भी चाहिए।

नाब्राह्मणे गुरौ शिष्यो वासमात्यन्तिकं वसेत्।
ब्राह्मणे चानूचाने काङ्क्षन्गतिमनुत्तमाम् ॥२१७॥ [२।२४२] (१६०)

(अनुत्तमां गतिं काङ्क्षन् शिष्यः) प्रति उत्तमगति चाहने वाले शिष्य को चाहिए कि वह (अब्राह्मणे गुरौ) अब्राह्मण गुरु के यहाँ (च) और (अनु+ अनूचाने ब्राह्मणे) वेदों में अपारंगत सांङ्गोपाङ्ग वेदों के अध्यापन में असमर्थ ब्राह्मण गुरु के समीप भी (आत्यन्तिकं वासं न वसेत्) आजीवन निवास न करे [क्योंकि इनके पास शिष्य की प्रगति रुक जाती है। सांगो-

पांच वेदों के ज्ञाता विद्वान् के पास रहकर ही उन्नति की उत्तम गति तक पहुंच सकता है] ॥ २१७ ॥

यदि त्वात्यन्तिकं वासं रोचयेत गुरोः कुले ।
युक्तः परिचरेदेनमाशरीरविमोक्षणात् ॥२१८॥ [२।२४३] (१६१)

(यदि तु) यदि ब्रह्मचारी शिष्य (गुरोः कुले) गुरुकुल में (आत्यन्तिकं वासं रोचयेत) जीवन-पर्यन्त निवास करना चाहे तो (आशरीर-विमोक्षणात्) शरीर छूटनेपर्यन्त (एनम्) अपने गुरु की (युक्तः परिचरेत्) प्रयत्न पूर्वक सेवा करे ॥ २१८ ॥

आजीवन गुरु-सेवा का फल—

आ समाप्तेः शरीरस्य यस्तु शुश्रूषते गुरुम् ।
स गच्छत्यञ्जसा विप्रो ब्रह्मणः सद्म शाश्वतम् ॥२१९॥ [२ । २४४]

(यः तु) जो ब्रह्मचारी (आ समाप्तेः शरीरस्य) शरीर के त्याग होने तक अर्थात् मृत्युपर्यन्त (गुरुं शुश्रूषते) गुरु की सेवा करता है (सः) वह (विप्रः) विद्वान् व्यक्ति (ब्रह्मणः शाश्वतं सद्म) परमात्मा के नित्यपद मोक्ष को (अञ्जसा गच्छति) शीघ्र प्राप्त करता है ॥ २१९ ॥

अनुशीलन : प्रस्तुत श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त है—

अन्तर्विरोध—(१) इस श्लोक में केवल गुरु-सेवा से ही ब्रह्म की प्राप्ति बतलायी है। मनु केवल एक ही कर्म से नहीं अपितु सभी निःश्रेयस कर्मों के पालन से मोक्ष-प्राप्ति मानते हैं [१२। ८३, ३१]। (२) मनु ने १२। ८३ और ३१ में जो निःश्रेयस कर्म परिगणित किये हैं यह कर्म उनमें परिगणित नहीं है, अतः यह मनु की मान्यता से संगत नहीं है इस लिए प्रक्षिप्त है। (३) इसमें गुरुसेवा को अनावश्यक महत्त्व दिया है। यदि मृत्युपर्यन्त केवल गुरुसेवा करना ही मोक्षदायक है तो फिर अन्य मनुस्मृति-विहित विधानों की क्या आवश्यकता रहेगी? इस प्रकार यह श्लोक मनु की मूलव्यवस्था एवं धारणा के ही विरुद्ध है।

समावर्तन की इच्छा होने पर गुरुदक्षिणा का विधान एवं नियम—

न पूर्वं गुरवे किञ्चिदुपकुर्वीत धर्मवित् ।
स्नास्यंस्तु गुरुणाऽऽज्ञप्तः शक्त्या गुर्वर्थमाहरेत् ॥२२०॥[२।२४५](१६२)

(धर्मवित्) विधि का ज्ञाता शिष्य (स्नास्यन् तु) स्नातक बनने [समावर्तन कराने] की इच्छा होने पर (गुरुणा+आज्ञप्तः) गुरु से आज्ञा प्राप्त करके (शक्त्या) शक्ति के अनुसार (गुर्वर्थम्) गुरु के लिए (आहरेत्) दक्षिणा प्रदान करे। किन्तु (पूर्वं गुरवे किंचित् न उपकुर्वीत) समावर्तन

से पहले गुरु को दक्षिणा या भेंट रूप में कुछ नहीं देना चाहिए ॥ २२० ॥

गुरुदक्षिणा में देय वस्तुएं—

क्षेत्रं हिरण्यं गामश्वं छत्रोपानहमासनम् ।
धान्यं वासांसि वा शाकं गुरवे प्रीतिमावहेत् ॥२२१॥[२।२४६] (१६३)

[शिष्य यथाशक्ति] (क्षेत्रम्) भूमि (हिरण्यम्) सोना (गाम्) गाय (अश्वम्) घोड़ा (छत्र+उपानहम्+आसनम्) छाता, जूता, आसन (धान्यम्) अन्न [वासांसि] वस्त्र (वा) अथवा (शाकम्) शाक (गुरवे) गुरु के लिए (प्रीतिम्+आवहेत्) प्रीतिपूर्वक दक्षिणा में दे ॥ २२१ ॥

गुरु के निधन पर गुरुदक्षिणा का विधान—

आचार्ये तु खलु प्रेते गुरुपुत्रे गुणान्विते ।
गुरुदारे सपिण्डे वा गुरुवद् वृत्तिमाचरेत् ॥ २२२ ॥ [२ । २४७]

(आचार्ये तु खलु प्रेते) आचार्य की यदि मृत्यु हो जाये तो (गुणान्विते गुरुपुत्रे) गुणवान् गुरुपुत्र में (गुरुदारे) गुरुपत्नी में (वा) अथवा (सपिण्डे) गुरु के वंश वाले योग्य व्यक्ति में (वृत्तिम्) दक्षिणा देने के कर्त्तव्य को (गुरुवत्) गुरु के समान (आचरेत्) करे अर्थात् गुरु की मृत्यु हो जाने पर उक्त व्यक्तियों को गुरु के स्थान की दक्षिणा दे दे ॥ २२२ ॥

एतेष्वविद्यमानेषु स्नानासनविहारवान् ।
प्रयुञ्जानोऽग्निशुश्रूषां साधयेद्देहमात्मनः ॥ २२३ ॥ [२ । २४८]

(एतेषु+अविद्यमानेषु) इन [गुरुपुत्र, गुरुपत्नी और सपिण्ड व्यक्ति] के विद्यमान न होने पर शिष्य (स्नान-आसन-विहारवान्) स्नान, आसन [=संध्योपासन के लिए बैठना] तथा अन्य नित्यकर्म करता हुआ (अग्निशुश्रूषां प्रयुञ्जानः) अग्निहोत्र करते हुए (आत्मनः देहं साधयेत्) अपने शरीर को साधे—तपस्या से संयमित करे ॥ २२३ ॥

अनुशीलन : २२२ एवं २२३ वां श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होता है—

अन्तर्विरोध—२२३ वें श्लोक के वर्णन से यह प्रकट होता है कि यदि गुरुपुत्र, गुरुपत्नी और गुरु का कोई सपिण्ड व्यक्ति विद्यमान न हो तो शिष्य गुरु की अग्नि के पास रहकर ही जीवन पर्यन्त अपनी देह को साधे। इससे यह भी संकेत मिलता है कि वह गृहस्थाश्रम में भी न जाये। यह बात मनुस्मृति की व्यवस्थाओं से अनेक प्रकार से विरुद्ध जाती है। ३।२ में ही मनु ने ब्रह्मचर्याश्रम के पश्चात् सभी को गृहस्थ में जाने का निर्देश दिया है। जहाँ तक गुरु की बात है, एक गुरु के दिवंगत हो जाने पर अन्य

गुरु को स्वीकार किया जा सकता है। अन्य गुरुको स्वीकार न किया जाये, मनुस्मृति में ऐसा कोई बन्धन नहीं है। अपितु २। २१५ [२४०] के इस कथन से—"**स्त्रियः रत्नान्यथो विद्या**.....**समादेयानि सर्वतः**" तो विभिन्न गुरुओं से विद्या प्राप्त कराने का विधान है। इसी प्रकार २। ११५–११६ [१४०--१४१]; १२४ [१४६] श्लोकों में भी विभिन्न गुरुओं से विद्या प्राप्त कर लेने का संकेत है। जब विभिन्न गुरुओं से विद्या प्राप्त करने की छूट है तो एक ही गुरु के भरोसे उसकी अनुपस्थिति में जीवनभर बैठकर तपस्या करने वाली बात मनुस्मृति सम्मत सिद्ध नहीं होती। २२२ वां श्लोक प्रसंग की दृष्टि से इससे सम्बद्ध है तथा उसका २२०-२२१ श्लोकों के कथन से भी विरोध है, अतः वह भी प्रक्षिप्त है।

आजीवन ब्रह्मचर्य पालन का फल—

एवं चरति यो विप्रो ब्रह्मचर्यमविप्लुतः।
स गच्छत्युत्तमस्थानं न चेहाजायते पुनः॥ २२४॥ [२। २४६] (१६४)

(यः विप्रः) जो द्विज विद्वान् (एवम्) उपर्युक्त प्रकार से (अविप्लुतः) अखण्डित रूप से (ब्रह्मचर्यं चरति) ब्रह्मचर्याश्रम का सेवन करता है (सः उत्तमं स्थानं गच्छति) वह उत्तम स्थान अर्थात् ब्रह्म के पद को प्राप्त करता है (च) और (इह) इस संसार में (पुनः न आजायते) पुनर्जन्म नहीं लेता अर्थात् प्रवाह से चलने वाले जन्म-मरण से छूट जाता है। [क्योंकि मोक्षसुख भी कर्मों का फल है, अतः वह सान्तकर्मों का अनन्त फल नहीं हो सकता। अतः मोक्ष-सुख की अवधि पूरी होने पर जीव का फिर जन्म अवश्य होता है।] ॥ २२४ ॥

इति महर्षि-मनुप्रोक्तायां सुरेन्द्रकुमारकृत हिन्दीभाष्यसमन्वितायाम्
'अनुशीलन' समीक्षाविभूषितायाञ्च मनुस्मृतौ
संस्कार—ब्रह्मचर्याश्रमात्मको द्वितीयोऽध्यायः॥

अथ तृतीयोऽध्यायः

[हिन्दीभाष्य-अनुशीलनसमीक्षाभ्यां सहितः]

(समावर्त्तन, विवाह एवं पञ्चयज्ञविधान-विषय)

[समावर्त्तन ३। १—३ तक]

ब्रह्मचर्य और वेदाध्ययन काल—

षट्त्रिंशदाब्दिकं चर्यं गुरौ त्रैवेदिकं व्रतम्।
तदर्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा॥ १॥ (१)

(गुरौ) गुरु के समीप रहते हुए ब्रह्मचारी को (त्रैवेदिकं व्रतम्) ज्ञान कर्म, उपासना रूप त्रिविध ज्ञानवाले वेदों के अध्ययन सम्बन्धी ब्रह्मचर्य व्रत का (षट्त्रिंशद्+आब्दिकम्) छत्तीस वर्ष पर्यन्त (तत्+अर्धिकम्) उस से आधे अर्थात् अठारह वर्ष पर्यन्त (वा) अथवा (पादिकम्) उन छत्तीस के चौथे भाग अर्थात् नौ वर्ष पर्यन्त (वा) अथवा (ग्रहण+अन्तिकम्+एव) जब तक विद्या पूरी न हो जाये तब तक (चर्यम्) पालन करना चाहिए॥ १॥

"आठवें वर्ष से आगे छत्तीसवें वर्ष पर्यन्त अर्थात् वेद के साङ्गोपाङ्ग पढ़ने में बारह-बारह वर्ष मिलके छत्तीस और आठ मिलके चवालीस अथवा अठारह वर्षों का ब्रह्मचर्य और आठ पूर्व के मिलके छब्बीस वा नौ वर्ष तथा जब तक विद्या पूरी ग्रहण न कर लेवे तब तक ब्रह्मचर्य रक्खे।" (स० प्र० ४४)

समावर्तन कब करे—

वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वाऽपि यथाक्रमम्।
अविप्लुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममावसेत्॥ २॥ (२)

(वेदान् वेदौ वा वेदं यथाक्रमम्+अधीत्य) ब्रह्मचर्य से चार, तीन, दो अथवा एक वेद को यथावत् पढ़ (अविप्लुतब्रह्मचर्यः) अखण्डित ब्रह्मचर्य का पालन करके (गृहस्थाश्रमम्+आवसेत्) गृहाश्रम को धारण करे॥ २॥ (सं० वि० ६८)

"जब यथावत् ब्रह्मचर्य आचार्यानुकूल वर्त्तकर धर्म से चारों, तीन वा दो अथवा एक वेद को साङ्गोपाङ्ग पढ़के जिसका ब्रह्मचर्य खण्डित न हुआ हो वह पुरुष वा स्त्री गृहाश्रम में प्रवेश करे।" (स० प्र० ७८)

अनुशीलन : (१) **समावर्तन से अभिप्राय**—गुरु के समीप रहकर, ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करते हुए वेदों एवं वेदाङ्गशास्त्रों की शिक्षा प्राप्त कर गुरुकुल से घर वापिस लौटने का नाम 'समावर्तन' है। यह प्रधानतया गृहस्थ धारण के उद्देश्य से किया जाता है। 'सम्' और 'आ' उपसर्गपूर्वक 'वृत्–वर्त्तने' (भ्वादि) धातु से ल्युट् प्रत्यय के योग से समावर्तन शब्द निष्पन्न होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है—'वापिस लौटना'। यह एक संस्कार है, जिसको 'स्नान' भी कहा जाता है। इसीकारण समावर्तन करने वाले को 'स्नातक' कहा जाता है। स्नातक तीन प्रकार के होते हैं—"**त्रय एव स्नातका भवन्ति। विद्यास्नातको व्रतस्नातको विद्याव्रतस्नातकश्चेति।**"

पार० गृह्यसूत्र २। ५। ३२॥

अर्थात्–स्नातक (=गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके घर लौटने वाले शिक्षित व्यक्ति) तीन प्रकार के होते हैं—१. विद्यास्नातक=जो विद्या को समाप्त करके किन्तु ब्रह्मचर्यव्रत को पूर्ण न करके समावर्तन करते हैं, २. व्रतस्नातक=जो ब्रह्मचर्य व्रत को समाप्त करके किन्तु विद्या को पूर्ण किये बिना स्नातक बनते हैं, ३. विद्याव्रतस्नातक= जो विद्या तथा ब्रह्मचर्य व्रत दोनों को पूर्ण करके स्नातक बनते हैं।

(२) **समावर्तन का काल और उसके आवश्यक नियम**—उपर्युक्त ३। १–२ श्लोकों में मनु ने समावर्तन के काल और उसके लिए आवश्यक नियमों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार समावर्तन के लिए प्रमुख दो नियम हैं—

१. त्रयीविद्यारूप चारों वेदों के अध्ययन-काल में ३६, १८ और ९ वर्षों की तीन अवधि निर्धारित की हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम से कम नौ वर्ष तक गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करना अनिवार्य है [३। १]।

२. इसके साथ-साथ यह भी अनिवार्य है कि द्विज कम से कम एक वेद का साङ्गोपांग अध्ययन अवश्य करे। उससे अधिक दो, तीन, चार वेदों का अध्ययन करना उसकी इच्छा पर निर्भर है [३। २]।

इन दोनों नियमों को पूर्ण करके ही द्विज के लिए स्नातक बनकर गृहाश्रम को धारण करने का विधान है, अन्यथा नहीं।

इन तथा मनु के अन्य वचनों के अनुसार समावर्तन का काल कम से कम २५ वर्ष के अनन्तर निर्धारित होता है। इसे दो प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है—

(क) उपनयन संस्कार में [२। ११-१३(२। ३६-३८)] मनु ने उपनयन काल में कई-कई विकल्पात्मक विधान दिये हैं। सामान्य अवस्था में सबसे कम आयु ८ वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन होता है। ९ वर्ष कम से कम एक वेद के साङ्गोपाङ्ग अध्ययन का

काल है। वेद के अध्ययन से पूर्व उन्हें समझने के लिए प्रारम्भिक शिक्षा एवं सामान्य वेदाङ्गों [=शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष (छह)] का गम्भीर ज्ञान भी आवश्यक है [२। ११५(२। १४०)]।

इसमें वर्णोच्चारण शिक्षा से लेकर दर्शन-उपनिषदों तक ७–८ वर्ष का समय लगता है। इस प्रकार ८+८+९=२५ वर्षों का कम से कम प्रारम्भिक वेद का पूर्ण शिक्षाकाल बनता है।

(ख) मनु ने २५ वर्ष तक गुरुकुल–निवास का विधान किया है उसके पश्चात् गृहस्थ में जाने का कथन है—"**चतुर्थमायुषो भागमुषित्वाद्यं गुरौ द्विजः। द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत्॥**" [४। १] यह आयु का पहला भाग २५ वर्ष तक का समय है। तब तक विद्यार्थी गुरुकुलवास करे। पुनः समावर्तन कर गृहस्थ बने। [इस विषय में विस्तृत विवेचन ३। ४ की समीक्षा में पढ़िये]।

इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में कम से कम २५ वर्ष तक अध्ययन काल अवश्य होता है। उसके पश्चात् ही समावर्तन करना मनुसम्मत है।

तं प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः।
स्रग्विणं तल्प आसीनमर्हयेत्प्रथमं गवा॥ ३॥ (३)

(तं स्वधर्मेण प्रतीतम्) जो स्वधर्म अर्थात् यथावत् आचार्य और शिष्य का धर्म है उससे युक्त (पितुः ब्रह्मदायहरम्) पिता=जनक वा अध्यापक से ब्रह्मदाय अर्थात् विद्यारूप भाग का ग्रहण (स्रग्विणम्) और माला का धारण करने वाले (तल्प आसीनम्) अपने पलंग में बैठे हुए आचार्य को (प्रथमं गवा अर्हयेत्) प्रथम गोदान से सत्कार करे। वैसे लक्षणयुक्त विद्यार्थी को भी कन्या का पिता गोदान से सत्कृत करे॥ ३॥

(स० प्र० ७८)

अनुशीलन: 'स्रग्वी' शब्द 'गृहस्थी' के लिए रूढ है और इसका मुहावरे के रूप में प्रयोग होता है। देखिए २। १४२ पर विस्तृत विवेचन।

(विवाह-विषय)

[३। ४ से ३। ६६ तक]

गुरु की आज्ञा से विवाह—

गुरुणाऽनुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि।
उद्वहेत द्विजो भार्यां सवर्णां लक्षणान्विताम्॥ ४॥ (४)

(यथाविधि समावृत्तः) यथावत् उत्तम रीतिसे ब्रह्मचर्य और विद्या

को ग्रहण कर (गुरुणा+अनुमतः स्नात्वा) गुरु की आज्ञा से स्नान करके (द्विजः) ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य (सवर्णाम्) अपने वर्ण की (लक्षणान्विताम्) उत्तम लक्षण युक्त (भार्याम्) स्त्री से (उद्वहेत) विवाह करे ॥ ४ ॥
(सं० वि० ९९)

"गुरु की आज्ञा से स्नान कर गुरुकुल से अनुक्रम पूर्वक आके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने वर्णानुकूल सुन्दरलक्षणयुक्त कन्या से विवाह करे।"
(स० प्र० ७८)

अनुशीलन : (१) **विवाह से अभिप्राय**—'वि' उपसर्ग पूर्वक 'वह्–प्रापणे, धातु से 'घञ्' प्रत्यय के योग से विवाह और 'उद्' उपसर्ग से इसका पर्यायवाची 'उद्वाह' शब्द बनता है। जिनका अर्थ है—'विशेष विधि पूर्वक एक-दूसरे को प्राप्त करके पारस्परिक जिम्मेदारी को वहन करना।' यह एक शास्त्रसम्मत सामाजिक विधान है। इसमें स्त्री-पुरुष सुख-सुविधा हेतु और गृहस्थ के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए दम्पती के रूप में एक-दूसरे के साथ रहने का निश्चय करते हैं और पारस्परिक दायित्वों को निभाते हैं। इस प्रकार रहकर सन्तानोत्पत्ति के द्वारा मानव वंश की अभिवृद्धि करते हैं।

इसको मनुस्मृति में 'पाणिग्रहण' संस्कार भी कहा गया है। इसका भी यही अभिप्राय है कि उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए एक-दूसरे का हाथ पकडना अर्थात् सहारा देना।

(२) **मनुस्मृति में स्त्री-पुरुषों के विवाह की आयु**—अत्यन्त प्रसिद्धि के कारण मनु ने यहां विवाह की आयु का उल्लेख नहीं किया है, किन्तु अन्यत्र इसका स्पष्ट उल्लेख है। प्रसंगवश उस पर यहां विस्तृत विवेचन किया जाता है।

वेदों में तथा अन्य शास्त्रों में मनुष्य की औसत आयु एक सौ वर्ष मानी गई है। इसी आधार पर वेदों में सौ और सौ वर्षों से अधिक स्वस्थेन्द्रियों से युक्त जीवन-प्राप्ति की प्रार्थना की गयी है—'**तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतम् अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्॥**" [यजु० ३६। २४]

(क) इस औसत आयु के आधार पर मनु ने मनुष्य-जीवन को निम्न चार अवस्थाओं में विभाजित करके उसकी अवधि निर्धारित की है—

चतुर्थमायुषो भागमुषित्वाद्यं गुरौ द्विजः।
द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत्॥ ४। १॥ ५। १६९॥

वनेषु च विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः।
चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा सङ्गान्परिव्रजेत्॥ ६। ३३॥

सौ वर्ष की आयु के इस प्रकार २५-२५ वर्ष के चार भाग होते हैं। आयु के

प्रथमभाग में अर्थात् २५ वर्ष तक ब्रह्मचर्यपालन करना चाहिए। द्वितीय भाग में अर्थात् २५ के पश्चात् गृहस्थ बनकर रहे। पुत्र का पुत्र होने पर अथवा त्वचा, केश पक जाने पर [६। २] गृहस्थ से वानप्रस्थ बनकर, तृतीयभाग में अर्थात् ७५ वर्ष तक वनस्थ रहे। उसके पश्चात् चतुर्थ भाग में संन्यासी बन जाये।

इन विधानों से मनु ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि पुरुष की विवाह की आयु कम से कम २५ वर्ष है। उससे पूर्व विवाह नहीं होना चाहिए।

(ख) **स्त्री के विवाह की आयु**-इसका संकेत मनु ने ९।९० श्लोक में दिया है—"**त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्यृतुमती सती। ऊर्ध्वं तु कालादेतस्माद्विन्देत सदृशं पतिम्।**"

अर्थात्-मासिक धर्म प्रारम्भ होने के पश्चात् तीन वर्ष पर्यन्त प्रतीक्षा करने के उपरान्त कन्या स्वयंवर कर सकती है।

कन्याओं को मासिक धर्म सामान्यतः १३-१५ वर्ष की अवस्था में प्रारम्भ होता है। तीन वर्ष के अनन्तर यह काल १६-१८ की आयु का होता है। अतः कन्या के विवाह की कम से कम आयु १६ वर्ष है। २५ वर्ष का पुरुष १६ वर्ष की कन्या से विवाह करे। इससे अधिक आयु में इतने ही अनुपात से विवाह होना चाहिए। क्योंकि प्रजनन सामर्थ्य एवं शरीर-रचना की दृष्टि से १६ वर्ष की कन्या २५ वर्ष के पुरुष के तुल्य होती है।

(ग) मनु ने विवाहोपरान्त स्त्री के कर्त्तव्यों का जो वर्णन किया है, जैसे—गृहकार्यों में दक्ष होना, घर की साज-सज्जा, शुद्धि आदि में चतुर होना, आय-व्यय की संभाल रखना [५। १५०], गृह-स्वामिनी होना, सभी वस्तुओं की संभाल, धार्मिक अनुष्ठानों का संयोजन [९। ११, २६-२८, ९६, १०१], इनसे भी यह ज्ञात होता है कि ये किसी अल्पायु के नहीं अपितु समझदार युवती के लिए विहित कर्त्तव्य हैं। इससे भी यह सिद्ध होता है कि कन्या की विवाह योग्य आयु १६-१७ वर्ष से ऊपर ही है।

(३) **आयुर्वेद के अनुसार विवाह की आयु**—इस विषय में वैद्यक ग्रन्थ सर्वोत्तम प्रमाण होते हैं, क्योंकि उनमें शरीर के आधार पर उचित-अनुचित का विवेचन होता है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'सुश्रुत' में शरीर की वृद्धि और क्षीणता के आधार पर चार अवस्थाएं प्रदर्शित की हैं, और तदनुसार विवाह की आयु निर्धारित की है—

"**चतस्रो अवस्थाः शरीरस्य वृद्धिः, यौवनम्, संपूर्णता, किंचित् परिहाणिः चेति। आषोडशात् वृद्धिः, आपञ्चविंशतेः यौवनम्, आचत्वारिंशतः संपूर्णता, ततः किञ्चित् परिहाणिः चेति।**" [सुश्रुत सूत्रस्थान ३५। २५॥]=शरीर की चार अवस्थाएं हैं, सोलहवें वर्ष से चौबीस तक वृद्धि=बढोतरी की अवस्था, पच्चीसवें वर्ष से यौवन का प्रारम्भ होता है और चालीसवें में यौवन की परिपक्वता होती है। उसके पश्चात् शरीर की धातुओं में कुछ-कुछ क्षीणता आने लगती है।

यह युवावस्था ही विवाह की अवस्था होती है। इससे पूर्व शरीर की धातुओं

में अपरिपक्वता होती है। बालविवाह से, जहां शरीर की धातुओं का विकास रुक जाता है, वहां गर्भ और सन्तान सम्बन्धी अनेक आशंकाएं हो जाती हैं; जैसे—गर्भ का न रहना, गर्भस्राव, गर्भपात, दुर्बल सन्तान का जन्म, जन्म के बाद शीघ्र मृत्यु, सन्तान का अस्वस्थ रहना आदि। इसी कारण सुश्रुतकार ने २५ वर्ष से पूर्व पुरुष का, १६ वर्ष से पूर्व कन्या के विवाह का निषेध किया है। कुशल वैद्य २५ वर्ष के पुरुष और १६ वर्ष की कन्या को प्रजनन में समसामर्थ्य वाला बताते हैं। निम्न प्रमाणों में ये मान्यताएं द्रष्टव्य हैं—

पञ्चविंशे ततो वर्षे पुमान्नारी तु षोडशे।
समत्वागतवीर्यौ तौ जानीयात् कुशलो भिषक्॥ सुश्रुत सूत्र० ३५। १०॥

ऊनषोडश वर्षायामप्राप्तः पञ्चविंशतिम्।
यद्याधत्ते पुमान् गर्भं कुक्षिस्थः स विपद्यते॥

जातो वा न चिरं जीवेत् जीवेद्वा दुर्बलेन्द्रियः।
तस्मादत्यन्तबालायां गर्भाधानं न कारयेत्॥ सुश्रुत श० १०।४७-४८॥

(४) **वेद में विवाह की आयु**—वेद में ब्रह्मचारिणी कन्या द्वारा युवक पुरुष को वरण करने का कथन है। उपर्युक्त प्रमाणों में युवावस्था २५ वर्ष के अनन्तर बतलायी गयी है। इस प्रकार वेदों में भी २५ वर्ष के अनन्तर ही विवाह की आयु मानी गयी है। मन्त्र है— **"ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्॥"** अथ० ११।५।५॥

अर्थात्—"जैसे लड़के पूर्ण ब्रह्मचर्य और पूर्ण विद्या पढ़ पूर्ण जवान होके अपने सदृश कन्या से विवाह करें, वैसे कन्या भी अखण्ड ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या पढ़ युवति हो, अपने तुल्य पूर्ण युवावस्था वाले पति को प्राप्त होवे।" (सं० वि० वेदारम्भप्रकरण)

विवाह-योग्य कन्या—

असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः।
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने॥ ५॥ (५)

(या मातुः असपिण्डा) जो स्त्री माता की छह पीढ़ी (च) और (पितुः असगोत्रा) पिता के गोत्र की न हो (सा) वही (द्विजातीनाम्) द्विजों के लिए (दारकर्मणि) विवाह करने में ❀ (प्रशस्ता) उत्तम है॥ ५॥

❀ (मैथुने) मैथुन के लिए (सं० वि० ६६)

"जो कन्या माता के कुल की छः पीढ़ियों में न हो और पिता के गोत्र की न हो उस कन्या से विवाह करना उचित है" (स० प्र० ७६)

विवाह में त्याज्य कुल—

महान्त्यपि समृद्धानि गोऽजाविधनधान्यतः।
स्त्रीसम्बन्धे दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत् ॥ ६ ॥ (६)

(स्त्रीसंबन्धे एतानि दशकुलानि) विवाह में नीचे लिखे हुए दश कुल (गो+अजा+अवि+धनधान्यतः समृद्धानि महान्ति+अपि) चाहे वे गाय ❀ आदि पशु धन और धान्य से कितने ही बड़े हों (परिवर्जयेत्) उन कुलों की कन्या के साथ विवाह न करे ॥ ६ ॥ (सं० वि० ९९)

❀(अजा) बकरी (अवि) भेड़.....

"चाहे कितने ही धन, धान्य, गाय, अजा, हाथी, घोड़े, राज्य, श्री, आदि से समृद्ध ये कुल हों तो भी विवाह-सम्बन्ध में निम्नलिखित दश कुलों का त्याग कर दे।" (स० प्र० ८०)

हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशार्शसम्।
क्षय्यामयाव्यपस्मारिश्वित्रिकुष्ठिकुलानि च ॥ ७ ॥ (७)

वे दश कुल ये हैं—(हीनक्रियम्) एक=जिस कुल में उत्तम क्रिया न हो (निष्पुरुषम्) दूसरा—जिस कुल में कोई भी उत्तम पुरुष न हो (निश्छन्दः) तीसरा-जिस कुल में कोई विद्वान् न हो (रोमश+अर्शसम्) चौथा जिस कुल में शरीर के ऊपर बड़े-बड़े लोम हों, पांचवां—जिस कुल में बवासीर (क्षयी) छठा—जिस कुल में क्षयी (राजयक्ष्मा) रोग हो (आमयावी) सातवां—जिस कुल में अग्निमन्दता से आमाशय रोग हो (अपस्मारि) आठवां—जिस कुल में मृगी रोग हो (श्वित्रि) नववां—जिस कुल में श्वेतकुष्ठ (च) और (कुष्ठि कुलानि) दशवां—जिस कुल में गलितकुष्ठ आदि रोग हों उन कुलों की कन्या अथवा उन कुलों के पुरुष से विवाह कभी न करे ॥ ७ ॥ (सं० वि० ९९)

"जो कुल सत्क्रिया से हीन, सत्पुरुषों से रहित वेदाध्ययन से विमुख, शरीर पर बड़े-बड़े लोम अथवा बवासीर, क्षयी, दमा, खांसी, आमाशय, मिरगी, श्वेतकुष्ठ और गलितकुष्ठयुक्त कुलों की कन्या वा वर के साथ विवाह होना न चाहिये क्योंकि ये सब दुर्गुण और रोग विवाह करने वाले में भी प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिये उत्तम कुल के लड़के और लड़कियों का आपस में विवाह होना चाहिए।" (स० प्र० ८०)

विवाह में त्याज्य कन्याएं—

नोद्वहेत्कपिलां कन्यां नाधिकांगीं न रोगिणीम्।
नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम् ॥ ८ ॥ (८)

नर्क्षवृक्षनदीनाम्नीं नान्त्यपर्वतनामिकाम् ।
न पक्ष्यहिप्रेष्यनाम्नीं न च भीषणनामिकाम् ॥ ९ ॥ (९)

(कपिलाम्) पीले वर्ण वाली (अधिक+अङ्गीम्) अधिक अङ्गवाली जैसी छंगुली आदि (रोगिणीम्) रोगवती (अलोमिकाम्) जिस के शरीर पर कुछ भी लोम न हों (अतिलोमाम्) जिसके शरीर पर बड़े-बड़े लोम हों (वाचाटाम्) व्यर्थ अधिक बोलने हारी (पिङ्गलाम्) जिसके पीले बिल्ली के सदृश नेत्र हों, तथा (ऋक्ष-वृक्ष-नदी-नाम्नीम्) जिस कन्या का ऋक्ष=नक्षत्र पर नाम अर्थात् रेवती रोहिणी इत्यादि, ❀ नदी=जिसका गंगा, यमुना इत्यादि (अन्त्य-पर्वत-नामिकाम्) पर्वत—जिसका विंध्याचला इत्यादि (पक्षी +अहि-प्रेष्य-नाम्नीम्) पक्षी अर्थात् कोकिला, हंसा इत्यादि, अहि अर्थात् उरगा, भोगिनी इत्यादि, प्रेष्य—दासी इत्यादि और जिस कन्या का (भीषणनामिकाम्) कालिका, चंडिका इत्यादि नाम हो (न) उससे विवाह न करे ॥ ८, ९ ॥ (सं० वि० ९९) ❀

❀ (वृक्ष) तुलसिया, गेंदा, गुलाबा, चंपा, चमेली आदि वृक्ष नाम वाली। (स० प्र० ८०)

न पीले वर्ण वाली, न अधिकाङ्गी अर्थात् पुरुष[1] से लम्बी-चौड़ी अधिक

---

१. महर्षि-दयानन्द ने (३।८) श्लोक के 'अधिकांगी' शब्द के दो अर्थ किये हैं—(१) अधिक अङ्ग वाली, जैसी छंगुली आदि। (२) पुरुष से लम्बी चौड़ी। इस पर पौराणिकों का यह आक्षेप मिथ्या है कि इस शब्द के दोनों अर्थ नहीं बन सकते। देखिये इन अर्थों की सिद्धि—

(१) **अधिकाङ्गीम्=अधिकान्यंगानि यस्यास्ताम्** । अर्थात् जिसके अधिक अङ्ग हैं, वह छंगुली आदि। इस अर्थ में 'अधिक' शब्द विशिष्ट वाची तथा 'अङ्ग' शब्द अवयववाची है।

(२) **अधिकाङ्गीम्=अधिकम् अङ्गं=शरीरं यस्यास्ताम्** । अर्थात् जिसका शरीर अधिक=लम्बा चौड़ा है, उसको। इस अर्थ में अधिक, 'अध्यारूढ= बढ़ा हुआ अर्थ में और 'अङ्ग' शब्द अङ्ग समुदाय शरीर अर्थ का बोधक है। इन अर्थों में प्रमाण—

(क) 'अधिकम्' अष्टाध्यायी (५। २। ७३) सूत्र में 'अध्यारूढ' शब्द का उत्तर-पदलोप और 'कन्' प्रत्यय से इस की सिद्धि की है। और निरुक्त में 'अधि' शब्द का 'उपरिभाव' अर्थ भी बताया है। **'अधीत्युपरिभावमैश्वर्यं वा।'** (निरुक्त १। ३)

❀ [प्रचलित अर्थ—कपिल (भूरे) वर्णवाली, अधिक (या कम) अङ्गों वाली (यथा—छह अंगुलियों वाली या चार या तीन अंगुलियों वाली आदि), नित्य रोगिणी रहने वाली, बिल्कुल रोम से रहित या बहुत अधिक रोमवाली, अधिक बोलने वाली और भूरी-भूरी आंखों वाली कन्या से विवाह न करे ॥ ८ ॥]

बलवाली, न रोगयुक्ता, न लोमरहित न बहुत लोमवाली न बकवाद करने हारी और भूरे नेत्र वाली, न ऋक्ष अर्थात् अश्विनी, भरणी, रोहिणीदेई, रेवतीबाई चित्तारि आदि नक्षत्र नाम वाली; तुलसिया, गेंदा, गुलाबा, चंपा चमेली आदि वृक्ष नाम वाली; गंगा, जमना आदि नदी नाम वाली; चांडाली आदि अन्त्य नाम वाली, विन्ध्या, हिमालया, पार्वती आदि पर्वत नाम वाली; कोकिला, मैना आदि पक्षी नाम वाली; नागी, भुजंगा आदि सर्प नाम वाली; माधोदासी, मीरादासी आदि प्रेष्य नाम वाली और भीमकुंअरि, चण्डिका, काली आदि भीषण नाम वाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिए, । क्योंकि ये नाम कुत्सित तथा अन्य पदार्थों के भी हैं ।" (स० प्र० ८०)

विवाहयोग्य कन्या—

अव्यङ्गाङ्गीं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम् ।
तनुलोमकेशदशनां मृदङ्गीमुद्वहेत्स्त्रियम् ॥ १० ॥ (१०)

(अव्यङ्ग+अङ्गीम्) जिसके सरल सूधे अङ्ग हों, विरुद्ध नहीं (सौम्यनाम्नीम्) जिसका नाम सुन्दर अर्थात् यशोदा, सुखदा आदि हो (हंस-वारणगामिनीम्) हंस और हथिनी के तुल्य जिसकी चाल हो (तनु-लोम-केशदशनाम्) सूक्ष्म लोम, केश और दांत युक्त (मृदु+अङ्गीम्) जिसके सब अङ्ग कोमल हों, वैसी (स्त्रियम् उद्वहेत्) स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए ॥ १० ॥ (स० प्र० ८१)

"किन्तु जिसके सुन्दर अंग, उत्तम नाम, हंस और हस्तिनी के सदृश चाल वाली, जिसके सूक्ष्म केश और सूक्ष्म दांत हों, जिस के सब अंग कोमल हों, उस स्त्री से विवाह करे" (सं० वि० ९९)

भ्रातृरहित कन्या से विवाह में सावधानी—

यस्यास्तु न भवेद् भ्राता न विज्ञायेत वा पिता ।
नोपयच्छेत तां प्राज्ञः पुत्रिकाधर्मशङ्कया ॥ ११ ॥

(ख) 'अङ्ग' शब्द अवयव अर्थ में तो प्रसिद्ध ही है किन्तु अङ्गी=शरीर के लिए भी आता है। जैसे 'येनाङ्गविकारः' (अ० २।३।२०) सूत्र में पाणिनि मुनि ने 'अङ्गी अर्थ में अङ्ग' शब्द का प्रयोग किया है। महाभाष्य में महर्षि-पतञ्जलि लिखते हैं-'अंगं शब्दोऽयं समुदायशब्दः।' इस पर कैयट लिखते हैं—'अङ्गान्यस्य सन्तीत्यर्श-आदित्वादच्प्रत्ययान्तोऽत्रांगशब्दो निर्दिष्टः।'

अतः 'अङ्ग' शब्द का केवल अवयव अर्थ मानकर महर्षि के अर्थ पर आक्षेप करने वालों को प्रथम शास्त्रीयाध्ययन भलीभांति करना चाहिये। महर्षि दयानन्द व्याकरणादि के उद्भट विद्वान् तथा योगी थे, वे शास्त्रविरुद्ध अर्थ कैसे कर सकते थे?

—सम्पादक

(यस्याः तु भ्राता न भवेत्) जिस लड़की का कोई भाई न हो (वा) अथवा (पिता न विज्ञायेत) जिसके पिताका ज्ञान न हो (ताम्) ऐसी कन्या से (प्राज्ञः) बुद्धिमान् मनुष्य (पुत्रिकाधर्मशङ्कया) पुत्रिकाधर्म [पुत्रिका उसको कहा जाता है जिसके ज्येष्ठ पुत्र को उसका नाना गोद ले लेता है] की शंका से (न उपयच्छेत) विवाह न करे ॥११॥

सवर्ण कन्या के अतिरिक्त विवाह-विधान—

सवर्णाग्रे द्विजातीनां प्रशस्ता दारकर्मणि ।
कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः क्रमशो वराः ॥ १२ ॥
शूद्रैव भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विशः स्मृते ।
ते च स्वा चैव राज्ञश्च ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः ॥ १३ ॥

(अग्रे) प्रथम रूप में (द्विजातीनाम्) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन द्विजों को (दार-कर्मणि) विवाह के लिए (सवर्णा प्रशस्ता) अपने वर्ण की स्त्री उत्तम है (तु) किन्तु (कामतः प्रवृत्तानाम्) कामभावनाओं के आधार पर या उनके वशीभूत होकर विवाह में प्रवृत्त होने वाले लोगों के लिए [जैसे केवल मात्र सुन्दरता, आकर्षण प्रेमके कारण विवाह करना] (इमाः क्रमशः वराः स्युः) ये आगे कही स्त्रियां क्रमशः विवाह के लिए श्रेष्ठ हैं— (शूद्रस्य भार्या शूद्रा एव) शूद्र व्यक्ति की पत्नी केवल शूद्रा ही हो (विशः सा च स्वा च स्मृते) वैश्य की पत्नी शूद्रवर्ण की स्त्री और अपने वर्ण की दोनों वर्णों में से हो सकती है, ऐसा विधान है (च) और (राज्ञः ते च स्वा च एव) क्षत्रिय की पत्नी उन दोनों वर्णों अर्थात् शूद्र या वैश्य वर्ण की और अपने क्षत्रिय वर्ण की हो सकती है (अग्रजन्मनः) ब्राह्मण की (ताः च स्वा च) वे अर्थात् शूद्रा वैश्या, क्षत्रिया सभी वर्णों की स्त्रियां पत्नी बन सकती हैं, और अपने ब्राह्मण वर्ण की स्त्री भी। इस प्रकार ब्राह्मण चारों वर्णों में विवाह कर सकता है ॥ १२, १३ ॥

शूद्र कन्या से विवाह का निषेध और उससे हानियां—

न ब्राह्मणक्षत्रिययोरापद्यपि हि तिष्ठतोः ।
कस्मिंश्चिदपि वृत्तान्ते शूद्रा भार्योपदिश्यते ॥ १४ ॥

(आपदि+अपि हि तिष्ठतोः) आपत्ति में पड़े हुए (ब्राह्मणक्षत्रिययोः) ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए (कस्मिंश्चित्+अपि वृत्तान्ते) किसी भी विधान या अवस्था में (शूद्रा भार्या न उपदिश्यते) शूद्रा को पत्नी बनने का विधान नहीं है ॥ १४ ॥

हीनजातिस्त्रियं मोहादुद्वहन्तो द्विजातयः ।
कुलान्येव नयन्त्याशु ससन्तानानि शूद्रताम् ॥ १५ ॥

(द्विजातयः) द्विजाति लोग (मोहात्) मोह या काम में फंसकर (हीनजाति-स्त्रियम् उद्वहन्तः) हीन जाति की स्त्री से विवाह करके (ससंतानानि कुलानि+एव आशु शूद्रताम्) सन्तान सहित अपने कुलों को ही शीघ्र शूद्रता को (नयन्ति) प्राप्त कराते हैं अर्थात् ऐसे परिवार शीघ्र शूद्र बन जाते हैं ॥ १५ ॥

शूद्रावेदी पतत्यत्रेरुतथ्यतनयस्य च ।
शौनकस्य सुतोत्पत्त्या तदपत्यतया भृगोः ।। १६ ।।

(शूद्रावेदी पतति) 'द्विज शूद्र-स्त्री के साथ विवाह करने से पतित हो जाता है' (अत्रेः च उतथ्यतनयस्य) यह अत्रि ऋषि और उतथ्य ऋषि के पुत्र गौतम का मत है (सुतोत्पत्त्या, शौनकस्य) 'उसमें सन्तान उत्पन्न करने से पतित होता है' यह शौनक ऋषि का मत है (तत्+अपत्यतया, भृगोः) 'पुत्र का पुत्र भी यदि शूद्रा से उत्पन्न होता है, तब वह पतित होता है' यह भृगु ऋषि का मत है ।। १६ ।।

शूद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम् ।
जनयित्वा सुतं तस्यां ब्राह्मण्यादेव हीयते ।। १७ ।।

(शूद्रां शयनम्+आरोप्य) शूद्रा स्त्री के साथ रमण करके (ब्राह्मणः) ब्राह्मण (अधोगतिं याति) पतित हो जाता है (तस्यां सुतं जनयित्वा) उसमें संतान उत्पन्न करके तो (ब्राह्मण्यात्+एव हीयते) अपने ब्राह्मणपन से ही गिर जाता है=उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है ।। १७ ।।

दैवपित्र्यातिथेयानि तत्प्रधानानि यस्य तु ।
नाश्नन्ति पितृदेवास्तन्न च स्वर्गं स गच्छति ।। १८ ।।

(यस्य तु) जिस व्यक्ति के यहां (दैव-पित्र्य+आतिथेयानि) देव, पितर और अतिथियों को उद्देश्य करके किये गये यज्ञ आदि कर्म (तत् प्रधानानि) उस शूद्र स्त्री की प्रधानता में होते हैं (तत् पितृदेवाः न+अश्नन्ति) उसके भागों को पितर् और देव ग्रहण नहीं करते (च) और (सः स्वर्गं न गच्छति) उसे स्वर्ग प्राप्त नहीं होता ।। १८ ।।

वृषलीफेनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च ।
तस्यां चैव प्रसूतस्य निष्कृतिर्न विधीयते ।। १९ ।।

(वृषली-फेन-पीतस्य) जिसने शूद्र स्त्री के होठों के रस का पान कर लिया है उसकी (च) और (निःश्वासोपहतस्य) जिसके मुख पर उसके सांसों का स्पर्श हुआ हो (च) तथा (तस्यां प्रसूतस्य) उस शूद्र स्त्री से जो उत्पन्न हुआ हो; उसकी (निष्कृतिः न विधीयते) कभी शुद्धि नहीं हो सकती, वह पतित ही रहता है ।। १९ ।।

अनुशीलन : ११ से १९ तक के श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. **प्रसंगविरुद्ध**—६—९ श्लोक तक विवाह में अयोग्य कन्याओं को बताकर श्लोक १० में योग्य कन्या के गुण लिखे हैं । ११ वें श्लोक में पुनः अयोग्य का कथन है । यहाँ ९ वें तक अयोग्य का प्रसंग समाप्त हो गया था, १० वें श्लोक में कन्या के गुणों का कथन है । २० वें श्लोक का प्रसंग १० वें के साथ है ११ वें के साथ नहीं है । अतः प्रसंग-विरुद्ध है । यह श्लोक १० वें श्लोक का अपवाद माना जाय तो इसका अर्थ होगा कि जिसके भाई नहीं हों, उस कन्या के साथ विवाह न करे । अर्थात् वह कन्या अवि-

वाहित ही रहे या अयोग्य वर ही उसे प्राप्त हो। ऐसा होना कन्या के साथ अन्याय ही है। धर्मानुसार यह उचित व्यवस्था नहीं होगी। जिस कन्या का पिता अविज्ञात हो उसके ज्येष्ठ पुत्र को अविज्ञात नाना कैसे गोद लेगा? अतः 'पुत्रिका धर्मशङ्कया' के प्रचलित अर्थ के साथ परस्पर विरोध है। यदि इस वचन का अर्थ यह किया जाये कि उस कन्या की पुत्रियाँ ही होंगी तब भी विरुद्ध है क्योंकि मनुवर्णित पुत्रोत्पति के कारणों की मान्यता से भी इसका मेल नहीं है [३। ४८-४९]

२. **अन्तर्विरोध**—(१) ११ वां श्लोक ९। १२७ के विधान के विरुद्ध है।

(२) १२-१३ श्लोकों में कामभावना से प्रेरित होकर विवाह करने वालों के लिए कौनसा विवाह श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ है, यह बतलाया है और वर्णानुसार उनका निश्चय किया है। ये दोनों ही बातें मनुस्मृतिसम्मत सिद्ध नहीं होतीं। यहां विचारणीय बात यह है कि जब कामभावना में आसक्त होकर ही विवाह किया जा रहा है तो उसमें किस वर्ण के साथ किस वर्ण की स्त्री का विवाह होना चाहिए, यह निश्चय करने का अवसर ही नहीं रहता, और न ही उसमें किसी वर्ण के साथ विवाह होने पर श्रेष्ठता और किसी अन्य वर्ण के साथ विवाह होने पर अश्रेष्ठता वाली ही बात रहती है। इसी बात को ३। ३२ में मनु ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है—"**इच्छया अन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च। गान्धर्वः स तु विज्ञेयो मैथुन्यः कामसम्भवः॥**" काम से प्रेरित विवाह में तो एक दूसरे की इच्छा से संयोग होता है और वह किसी भी वर्ण के पुरुष या स्त्री का किसी भी वर्ण की स्त्री या पुरुष से हो सकता है। अतः इस आधार-व्यवस्था का निश्चय करना मनुस्मृति की मौलिक धारणा के अनुकूल नहीं है। दूसरी बात यह है कि मनु ने काम विवाह को चाहे वह किसी का किसी के साथ हो, निन्दित माना है [३। ४१]। इन श्लोकों में उच्च वर्ण के पुरुष द्वारा निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करने को श्रेष्ठ मानना [**इमाः स्युः क्रमशो वराः**" ३। १२] उक्त मान्यता के विरुद्ध है। अतः ये दोनों श्लोक परवर्ती काल के प्रक्षेप हैं।

(३) १२—१३ श्लोकों में जो निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह होना श्रेष्ठ माना है और १४-१९ श्लोकोंमें फिर शूद्रा स्त्रीसे ब्राह्मण, क्षत्रिय द्वारा विवाह करना निन्दित माना है, यह मान्यता भी मनुस्मृति की अन्य मान्यताओं के प्रतिकूल है। यद्यपि मनु ने प्राथमिक रूप में सवर्ण भार्या का ही विधान किया है [३। ४], किन्तु सवर्णा से विवाह न करके अन्य वर्ण की स्त्री से विवाह करना मनु के मत से निन्दनीय है, ऐसी बात नहीं है। २। २१३, २४० [२।२३८, २६५] श्लोकों में "**स्त्री रत्नं दुष्कुलादपि**" "**स्त्रियो रत्नानि ..... समादेयानि सर्वतः**" अर्थात् किसी भी वर्ण की श्रेष्ठ स्त्री से विवाह किया जा सकता है, यह कहकर सभी वर्णों की स्त्रियों से विवाह करने की छूट दी है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी भी वर्ण में विवाह करें, वह विवाह अश्रेष्ठ या निन्दनीय नहीं कहा जा सकता। इन श्लोकों में शूद्रा से विवाह करने को निन्दनीय कहना और निम्न वर्ण की स्त्रियों से विवाह को उचित ठहराकर अपने से उच्च वर्ण में विवाह को अनुचित मानना, उक्त मान्यताओं के विरुद्ध है।

(४) मनु की यह भी मान्यता है कि वे वर्णानुसार कई विवाहों को तो अश्रेष्ठ मानते ही हैं, साथ ही विधि में भी श्रेष्ठता-अश्रेष्ठता मानते हैं। देखिए ३।२० में उन्होंने विवाह-विधियों को हितकारी और ("प्रेत्य चेह हिताहितान्") कहा है, और इसी संकेतानुसार ३।३९–४२ श्लोकों में हितकारी विधि के अनुसार किये विवाहों के गुण और अहितकारी विधि के अनुसार किये गये विवाहों के दोष बताये हैं। ३।२० में "चतुर्णामपि वर्णानाम्" पद विशेष ध्यान देने योग्य है। ये विधियां चारों वर्णों पर लागू हैं। इस मान्यता के अनुसार ११—१९ श्लोकों के विधान मनुविरुद्ध सिद्ध होते हैं।

(५) १२–१४ श्लोकों में शूद्रा के प्रति घृणा, अस्पृश्यता की भावना दर्शायी है और शूद्रा को तथा उसके सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों को अपवित्र माना है। शूद्रा के श्वास लग जाने मात्र से द्विजाति भ्रष्ट हो जाता है। ये मान्यतायें भी मनुसम्मत नहीं हैं। मनु ने कहीं भी शूद्र के प्रति घृणा, नीचता, अस्पृश्यता या अपवित्रता का भाव प्रकट नहीं किया है। मनु की व्यवस्थाओं पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जायेगा कि ये बातें मनु-विरुद्ध हैं। मनु ने शूद्र का कार्य 'तीन वर्णों की सेवा करना' निर्धारित किया है [१।९१, ९।३३४; १०।९९]। जब घर में रहते हुए शूद्र प्रत्येक प्रकार का सेवा-कार्य करेगा तो यह निश्चित ही है कि उसका स्पर्श आदि भी होगा। इससे सिद्ध है कि मनु शूद्र को शारीरिक दृष्टि से घृणास्पद या अस्पृश्य नहीं मानते। यदि ऐसा मानते होते तो शूद्रों को सेवा का कार्य नहीं सौंपते। ९।३३५ में मनु ने शूद्र के लिए शुचिः (=पवित्र) विशेषण का प्रयोग किया है, जो यह सिद्ध करता है कि इन श्लोकों में वर्णित भावनायें मनु की नहीं हैं।

(६) १८ वें श्लोक में शूद्रा की प्रधानता से होने वाले देव, पितृश्राद्ध कर्मों में पितरों द्वारा हव्य-कव्य का ग्रहण न करने का कथन करना भी मनुविरुद्ध है। मनु मृतक श्राद्ध को ही नहीं मानते, अतः यह कथन प्रक्षिप्त है (इस मान्यता की विस्तृत विवेचना के लिए देखिये ३।११९ से २८४ श्लोकों पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक समीक्षा)। प्रतीत होता है कि १२—१३ श्लोकों के प्रक्षेप के पश्चात् उनके खण्डन के लिए १४—१९ श्लोकों का प्रक्षेप हुआ है। इस प्रकार अन्तर्विरोधों के आधार पर यह सम्पूर्ण प्रसंग प्रक्षिप्त सिद्ध होता है।

३. शैलीगत आधार—(१) इस प्रसंग के १६ वें श्लोक में महर्षि अत्रि, गौतम और भृगु के मत का उल्लेख किया है। ये तीनों ही मनु से परवर्ती हैं। १।३५ वें श्लोक के अनुसार तो अत्रि और भृगु, मनु की सन्तान हैं, अतः ये स्पष्ट परवर्ती हैं। परवर्ती व्यक्तियों का मत अपने से पूर्ववर्ती व्यक्ति की रचना में कभी मौलिक नहीं हो सकता है। इस आधार पर ये मनु की रचनायें न होकर परवर्ती प्रक्षेप हैं। (२) इस सम्पूर्ण प्रसंग में शूद्र के प्रति पक्षपातपूर्ण भावना प्रदर्शित की गई है और १७ से १९ श्लोकों में अतिशयोक्तियुक्त कथन हैं। यह पक्षपात और अतिशयोक्तिपूर्ण शैली मनुसम्मत नहीं हैं।

६ से ९ श्लोकों में सभी वर्णों के लिए विवाह में त्याज्य कुलों एवं स्त्रियों का सर्वसामान्य विधान कर दिया है। इसके बाद 'वे विवाह कौन से हैं' यह प्रसंग अपेक्षित था, जिसको प्रारम्भ करने का संकेत २० वें श्लोक में—**"चतुर्णाम् अपि वर्णानां प्रेत्य चेह हिताहितान्·····स्त्रीविवाहान् निबोधत।"** कहकर किया है। किसी भी प्रसंग या विषय को प्रारम्भ करने की मनु की यही शैली है। अभी चारों वर्णों के विवाहों का उल्लेख तो किया ही नहीं है, जबकि १२ से १९ श्लोकों में किस वर्ण को कौन से वर्ण से विवाह करना श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ है, यह विधान प्रसंग से पूर्व ही कर दिया। विवाहों के वर्णित किये जाने के पश्चात् ही इसे संगत कहा जा सकता था। प्रसंग में उपयुक्त क्रम से पूर्व ही यह वर्णन करना प्रसंगविरुद्ध है, अतः ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

आठ प्रकार के प्रचलित विवाह और उनकी विधि—

चतुर्णामपि वर्णानां प्रेत्य चेह हिताहितान्।
अष्टाविमान्समासेन स्त्रीविवाहान्निबोधत ॥ २० ॥ [११]

(चतुर्णाम्+अपि वर्णानाम्) चारों वर्णों—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के (प्रेत्य च+इह हित+अहितान्) परलोक में और इस लोक में हित करने वाले [३।३९-४०] तथा अहित करने वाले [३।४१-४२] (इमान् अष्टौ स्त्रीविवाहान्) इन आठ प्रकार के स्त्रियों के साथ होनेवाले विवाहों को (समासेन) संक्षेप से (निबोधत) जानो, सुनो ॥ २० ॥

अनुशीलन : आठ विवाह और मनु की मान्यता—इस विषय संकेतक श्लोक में मनु ने स्त्री-पुरुषों के दाम्पत्य सम्बन्ध में चारों वर्णों के लिए विशेष प्रक्रिया और योग्यतानुसार (जिस व्यक्ति पर जो लागू हो सकती है) आठ विवाह विधियों का उल्लेख किया है। यद्यपि वर्णों के लिए यहां उल्लेख है किन्तु उनमें से प्रथम चार विवाहों को ही मनु चारों वर्ण वालों के लिए हितकारी [३। २०], उत्तम और धर्मानुकूल मानते हैं। शेष चारों—आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पैशाच को निन्दित, अहितकारी [३। २०], और अधर्मानुकूल मानते हुए उन्हें 'दुर्विवाह' की संज्ञा से अभिहित करते हैं [३। ३९-४२]। निन्दित विवाहों को अपनाने वाले व्यक्ति और उनकी प्रजा भी निन्द्य होती है, अतः वे निषिद्ध हैं [३। ४२]।

इसी प्रकार आर्ष विवाह में प्रचलित 'गोयुगल' देने की प्रथा को भी मनु अमान्य घोषित करते हैं। बिना कुछ ले-देकर आर्ष विवाह करना ही धर्मानुकूल है [३।५३-५४] [द्रष्टव्य ३। २९ की समीक्षा भी]

ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः।
गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥ २१ ॥ (१२)

(ब्राह्मः दैवः तथा+एव+आर्षः प्राजापत्यः तथा आसुरः) ब्राह्म, दैव,

आर्ष, प्राजापत्य, आसुर (गान्धर्वः राक्षसः च एव अधमः पैशाचः च अष्टमः) गान्धर्व, राक्षस और +पैशाच ये विवाह आठ प्रकार के होते हैं ॥ २१ ॥ (सं० वि० ६६)

+ (अधमः) सबसे निन्दनीय.....

वर्णानुसार धर्म्य विवाह—

यो यस्य धर्म्यो वर्णस्य गुणदोषौ च यस्य यौ ।
तद्वः सर्वं प्रवक्ष्यामि प्रसवे च गुणागुणान् ॥ २२ ॥

(यस्य वर्णस्य यः धर्म्यः) जिस वर्ण का जो धर्मानुकूल विवाह है (च) और (यस्य यौ गुणदोषौ) जिसके जो गुण और दोष हैं (च) तथा (प्रसवे गुण+अगुणान्) उनके अनुसार पुत्रोत्पत्ति करने में जो गुण और दोष हैं (तत् सर्वं वः प्रवक्ष्यामि) वह सब तुमसे कहूँगा ॥ २२ ॥

षडानुपूर्व्या विप्रस्य क्षत्रस्य चतुरोऽवरान् ।
विट्शूद्रयोस्तु तानेव विद्याद्धर्म्यानराक्षसान् ॥ २३ ॥

(आनुपूर्व्या विप्रस्य षट्) गिनाये हुए क्रम से ब्राह्मण के लिए पहले छह ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, विवाह धर्मानुकूल हैं (अवरान् चतुरः क्षत्रस्य) अन्तिम चार असुर, गान्धर्व, राक्षस और पैशाच क्षत्रिय के लिए (विट्+शूद्रयो तु अराक्षसान् तान् एव धर्म्यान् विद्यात्) वैश्य और शूद्र के लिए 'राक्षस विवाह को छोड़कर शेष अन्तिम तीन [आसुर, गान्धर्व, पिशाच] को धर्मानुकूल विवाह समझें ॥ २३ ॥

चतुरो ब्राह्मणस्याद्यान्प्रशस्तान्कवयो विदुः ।
राक्षसं क्षत्रियस्यैकमासुरं वैश्यशूद्रयोः ॥ २४ ॥

(कवयः) विचारशील विद्वान् (आद्यान् चतुरः) प्रारम्भ के चार विवाहों [ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य] को (ब्राह्मणस्य) ब्राह्मण के लिए (प्रशस्तान् विदुः) श्रेष्ठ मानते हैं (क्षत्रियस्य राक्षसम्) क्षत्रिय के लिए 'राक्षस विवाह' (वैश्यशूद्रयोः एकम्+आसुरम्) वैश्य और शूद्र के लिए 'आसुर विवाह' को ही श्रेष्ठ मानते हैं ॥ २४ ॥

पञ्चानां तु त्रयो धर्म्या द्वावधर्म्यौ स्मृताविह ।
पैशाचश्चासुरश्चैव न कर्तव्यौ कदाचन ॥ २५ ॥

(इह) इस लोक या व्यवहार में (पञ्चानां तु) अन्तिम पांच विवाहों में से (त्रयः धर्म्याः) तीन [प्राजापत्य, गान्धर्व, राक्षस] विवाह धर्मानुकूल हैं (द्वौ—अधर्म्यौ स्मृतौ) शेष दो [आसुर, पैशाच] विवाह अधर्मानुकूल हैं (पैशाचः च आसुरः) पैशाच और आसुर विवाह (कदाचन न कर्तव्यौ) कभी नहीं करने चाहिएँ ॥ २५ ॥

पृथक्पृथग्वा मिश्रौ वा विवाहौ पूर्वचोदितौ ।
गान्धर्वो राक्षसश्चैव धर्म्यौ क्षत्रस्य तौ स्मृतौ ॥ २६ ॥

(पूर्वचोदितौ गान्धर्वः च राक्षसः विवाहौ) पहले कहे हुए गान्धर्व और राक्षस विवाह (पृथक्-पृथक् वा) अलग-अलग रूप में (वा) अथवा (मिश्रौ) जब दोनों के लक्षण एक साथ ही मिलते हों तब भी (तौ) वे दोनों (क्षत्रस्य धर्म्यौ स्मृतौ) क्षत्रिय के लिए धर्मानुकूल माने हैं ॥ २६ ॥

अनुशीलन : २२ से २६ तक के श्लोक प्रक्षिप्त हैं—

१. **प्रसंगविरुद्ध**— ये श्लोक पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध हैं और पूर्वापर प्रसंग को भंग कर रहे हैं। २० वें श्लोक में आठ विवाहों को कहने के प्रसंग को प्रारम्भ करने का संकेत करके २१ वें में आठों विवाहों को गिनाया है। नामों का उल्लेख करने के पश्चात्, स्पष्ट है कि उनके लक्षणों का वर्णन करना अपेक्षित और संगत है, जो २७ वें श्लोक से प्रारम्भ है, किन्तु उस क्रम को तोड़कर बीच में इन श्लोकों में किस वर्ण को कौनसा विवाह करना उचित है, कौनसा अनुचित, यह अप्रासंगिक वर्णन कर दिया है, अतः स्पष्टतः प्रसंगविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है।

२. **अन्तर्विरोध**—(१) २० वें श्लोक में इस प्रसंग को प्रारम्भ करते समय मनु ने जिन शब्दों का उल्लेख किया है ("**चतुर्णामपि वर्णानां प्रेत्य चेह हिताहितान्**") उनसे दो बातें स्पष्ट होती हैं—एक तो यह कि ये विवाह चारों वर्णों के लिए ही समान रूप से पालनीय हैं। दूसरी यह कि 'हिताहितान्' कहकर मनु इन्हीं विधियों में ही श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता मानते हैं। इसकी पुष्टि में ३९ से ४२ श्लोक भी प्रबल प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। उनमें स्पष्टतः भी वर्णों के लिए प्रथम चार विवाहों को प्रशंसनीय माना है और अन्तिम चार को निन्दित। इन श्लोकों में पृथक्-पृथक् वर्णों के लिए पृथक्-पृथक् विवाह निश्चित करना, आसुर, गान्धर्व आदि विवाहों को भी क्षत्रिय-वैश्यों के लिए श्रेष्ठ, धर्मानुसार मानना, उक्त व्यवस्था के विरुद्ध है। इस आधार पर ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

३. **अवान्तरविरोध**—इनमें अवान्तरविरोध भी द्रष्टव्य है। जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि ये रचनाएँ न तो मनुसदृशविद्वान् की रचना हैं और न किसी एक ही व्यक्ति की। २३ वें श्लोक में ब्राह्मण को आरम्भ के छह; क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को राक्षस विवाह को छोड़कर पिछले चार विवाह अच्छे कहे हैं, जबकि अगले ही २४ वें श्लोक में इससे भिन्न रूप में ब्राह्मण को चार अच्छे, क्षत्रिय को राक्षस विवाह अच्छा और वैश्य तथा शूद्र को आसुर विवाह अच्छा बताया है। २५ वें श्लोक में इन श्लोकों से भिन्न ही विधान है और २६ वें में एक अलग ही मान्यता है। इस विरोध के आधार पर भी यह प्रसंग प्रक्षिप्त है। ज्ञात होता है कि ये श्लोक भिन्न-भिन्न व्यक्तियों ने एक-दूसरे के खण्डन के लिए भिन्न-भिन्न समय में प्रक्षेप किये हैं।

ब्राह्म अर्थात् स्वयंवर विवाह का लक्षण—

आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम्।
आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकीर्तितः ॥ २७ ॥ (१३)

(श्रुतिशीलवते, अर्चयित्वा) कन्या के योग्य सुशील, विद्वान् पुरुष का सत्कार करके (आच्छाद्य) कन्या को वस्त्रादि से अलंकृत करके (स्वयम् आहूय) उत्तम पुरुष को बुला अर्थात् जिसको कन्या ने प्रसन्न भी किया हो (कन्यायाः दानम्) उसको कन्या देना (ब्राह्मः धर्मः प्रकीर्तितः) वह 'ब्राह्म विवाह' कहाता है ॥ २७ ॥ (सं० वि० ९९)

अनुशीलन : (१) **ब्राह्म-विवाह का लक्षण एवं विवेचन**—विद्वान् एवं श्रेष्ठ गुण-कर्म-स्वभाव के वर को, जिसको कन्या ने स्वयं वरण कर प्रसन्न किया हो, आदरपूर्वक बुलाकर, वस्त्र आदि से अलंकृत कर, दोनों के आदर-सत्कार पूर्वक कन्या प्रदान करना 'ब्राह्म-विवाह' है। इस विवाह में कोई लेन-देन नहीं होता। 'स्वयम् आहूय' पदों से यह व्यंजित है कि कन्या द्वारा वर का चुनाव किया जाता है। सामान्यतः इसमें माता-पिता की भी सहमति होती है [किन्तु स्वयंवर में यह अनिवार्य नहीं है ९।९०-९१]। इसमें कन्या की इच्छा प्रमुख होती है। यह विवाहों में सबसे उत्तम विधि है। वेदों में पारंगत विद्वानों द्वारा अनुमोदित, सम्मत या उनके आचरणानुरूप होने से इस का नाम 'ब्राह्म' है।

(२) **ब्राह्म-विवाह ही स्वयंवर विवाह**—कन्या द्वारा स्वयं पसन्द और प्रसन्न करके विवाहार्थ बुलाने के कारण ब्राह्म-विवाह ही स्वयंवर विवाह है। प्राचीन साहित्य में स्वयंवर प्रथा थी और इसको सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। विवाहों में यह ही सर्वश्रेष्ठ है। ९। ९०-९१ में भी मनु ने कन्या को इसी स्वयंवर विवाह को करने का निर्देश दिया है—**'विन्देत सदृशं पतिम्'**=अपने सदृश योग्य पति का वरण करे।

दैवविवाह का लक्षण—

यज्ञे तु वितते सम्यगृत्विजे कर्म कुर्वते।
अलंकृत्य सुतादानं दैवं धर्मं प्रचक्षते ॥ २८ ॥ (१४)

(विततेतु यज्ञे) विस्तृत यज्ञ में (सम्यक् ऋत्विजे कर्म कुर्वते) बड़े-बड़े विद्वानों का वरण कर उसमें कर्म करने वाले विद्वान् को (अलंकृत्य सुतादानम्) वस्त्र, आभूषण आदि से कन्या को सुशोभित करके देना (दैवं धर्मं प्रचक्षते) वह 'दैव विवाह' + ॥ २८ ॥ (सं० वि० ९६)※

+(प्रचक्षते) कहा जाता है।

अनुशीलन : (१) **दैव विवाह के लक्षण का स्पष्टीकरण**—

※[प्रचलित अर्थ—ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ में विधिपूर्वक कर्म करते हुए ऋत्विक् के लिए (वस्त्रालङ्कार आदि से) अलंकृत कन्या का दान करने को धर्मयुक्त 'दैव-विवाह' कहते हैं॥ २८ ॥

श्लोकोक्त वचनों से अभिप्राय स्पष्ट हुआ कि 'विवाह के उद्देश्य से आयोजित यज्ञ में विवाह के उद्देश्य से सम्मिलित होकर, यज्ञीय क्रियाओं को सम्पन्न करने वाले विद्वान् व्यक्ति का वरण कर (या पूर्व वरण किये हुए और आकर यज्ञकर्म सम्पादित करते हुए विद्वान् को) वस्त्र, आभूषणों आदि से अलंकृत कर कन्या प्रदान करना दैव विवाह है।

(२) **देव किनको कहते हैं?** —देव, सात्त्विक प्रवृत्ति के [१२।४०[विद्वानों को कहते हैं [द्रष्टव्य २।१२७ (२।१५२) श्लोक और ३। ८२ पर 'देव' शीर्षक समीक्षा], और अग्निहोत्र को भी देवयज्ञ के नाम से अभिहित किया जाता है। यज्ञ का विशेष अनुष्ठान और उसमें यज्ञ कर्म करने वाले विद्वान् व्यक्ति को कन्यादान करना, ये दोनों बातें 'दैव' इस संज्ञा के अनुरूप ही हैं। यह विधि देवों=विद्वानों के कर्मानुरूप और सम्मत है, अतः इसका नाम 'दैव विवाह' है।

(३) **ऋत्विक् का प्रसंगानुकूल अर्थ**—ऋत्विक् शब्द यद्यपि 'यज्ञ करने वाले ब्राह्मण विद्वान्' के लिए अधिक प्रसिद्ध है, किन्तु यहां प्रसंगविशेष से इस शब्द का विशेष अर्थ है। निरुक्त में ऋत्विक् की एक व्युत्पत्ति यह भी दी है—**'ऋतुयाजी भवतीति वा'** [निरु० ३।४।१९]। **ऋतौ=कालविशेषे, अवसरविशेषे याजो=यजनशीलः याजनशीलो वा।** ऋतु शब्द के 'कालविशेष' और 'उद्देश्यविशेष' अर्थ भी हैं। अवसरविशेष या उद्देश्यविशेष के लिए यजन करने वाला भी ऋत्विक् कहलाता है। इस प्रकार विवाह प्रसंग में 'ऋत्विक्' शब्द का अर्थ हुआ—'विवाह के उद्देश्य से आयोजित यज्ञ में, विवाह के उद्देश्य से यजन करने वाला अर्थात् यज्ञीय क्रियाओं को सम्पादित करने वाला विद्वान् द्विज, जिसका विवाहार्थ वरण किया जाता है।' विवाह-यज्ञ में 'वर' ही प्रमुख रूप से यज्ञीय क्रियाओं को सम्पन्न करता है। प्रायः सभी क्रियाएँ वर पर केन्द्रित होती हैं।

प्रचलित टीकाओं में ऋत्विक् शब्द का प्रसिद्धार्थ 'यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण विद्वान्' ग्रहण करके 'ऋत्विज्' को ही कन्यादान करना दैवविवाह बतलाया गया है। यह अर्थ मनुवचन से विरुद्ध है और प्रसंगानुकूल नहीं है। यतो हि, (१) मनु ने ये सभी विवाह-विधियां चारों वर्णों के लिए विहित की हैं [३।२०] उनमें प्रथम चार सभी के लिए उत्कृष्ट हैं और अन्तिम चार सभी के लिए निन्द्य हैं [३।३९–४२], (२) आठ विवाहों में किसी भी विवाह का किसी वर्णविशेष के लिए निर्धारण नहीं है अपितु योग्यता और प्रक्रियानुसार है। दैवविवाह को केवल 'ऋत्विक्' के लिए मानना उसके उद्देश्य को सीमित करना है, जो मनुसम्मत नहीं। अन्य विवाह-विधियां जब सभी वर्णों के लिए हैं, तो दैव विवाह केवल ऋत्विक् व्यक्तियों के लिए वर्णित हो, यह बात प्रसंगानुकूल नहीं है। इससे 'ऋत्विक्' शब्द के उपर्युक्त अर्थ की पुष्टि होती है।

आर्षविवाह का लक्षण—

एकं गोमिथुनं द्वे वा वराद्आदाय धर्मतः।
कन्याप्रदानं विधिवदार्षो धर्मः स उच्यते॥ २९॥ (१५)

जो (वरात्) वर से (धर्मतः) धर्मानुसार (एकं गोमिथुनं वा द्वे) एक गाय बैल का जोड़ा अथवा दो जोड़े (आदाय) लेकर (विधिवत् कन्या प्रदानम्) विधि अनुसार अर्थात् यज्ञादिपूर्वक कन्या का दान करना है (सः) वह (आर्षः धर्मः उच्यते) 'आर्षविवाह' कहलाता है ॥ २९ ॥

"एक गाय बैल का जोड़ा अथवा दो जोड़े वर से लेके धर्मपूर्वक कन्यादान करना वह आर्ष विवाह।" (सं० वि० ९९)

अनुशीलन : यह मनु का अपना विधान नहीं है। मनु की मान्यता ३। ५३ में है। इस पर स्वामी दयानन्द ने भी संस्कारविधि में टिप्पणी देकर लिखा है—

"यह बात मिथ्या है, क्योंकि आगे मनुस्मृति में निषेध किया है और युक्ति विरुद्ध भी है। इस लिए कुछ भी न ले-देकर दोनों की प्रसन्नता से पाणिग्रहण होना आर्ष विवाह है।" (सं० वि० पृ० ११९ विवाहप्रकरण)

(१) **आर्षविवाह के विवाद का विवेचन**—आर्ष विवाह में कुछ आचार्यों के मत में 'वर से एक गौ का जोड़ा लेकर कन्या प्रदान करने' का कथन है, जैसा कि इस श्लोक में है। किन्तु मनु ने इस विचार का ३। ५३-५४ में तीव्र शब्दों में खण्डन किया है।

इस श्लोक में गोयुगल का विधान होने और ३। ५३ में उसका निषेध होने से व्याख्याकारों ने यह जिज्ञासा और आपत्ति प्रकट की है कि फिर आर्षविवाह का लक्षण क्या है, मनु ने इसको स्पष्ट नहीं किया। अनेक व्याख्याकारों ने इसका समाधान नहीं किया है। कुल्लूकभट्ट ने इसका समाधान करते हुए कहा है कि 'इस श्लोक में 'धर्मतः' पद पठित है, जिसका अभिप्राय है कि विवाह में दान देने के धर्म का पालन करने के लिए गोयुगल ले लेना चाहिए, लालचवश नहीं। मनु ने अग्रिम ३। ५१-५४ श्लोकों में लालचवश शुल्क लेने का निषेध किया है, धर्मविधि को पूरा करने के लिए विहित वस्तु को लेने का नहीं।'

यह समाधान बुद्धिसंगत और मनुसम्मत सिद्ध नहीं होता। यह बात तो ठीक है कि ३। ५१-५४ श्लोकों में मनु ने लालचवश धन आदि लेने का तीव्र शब्दों में निषेध किया है किन्तु इस श्लोक में विहित गोयुगल लेने के कथन को एक मत के रूप में प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट शब्दों में इसका खण्डन भी किया है—

आर्षे गोमिथुनं शुल्कं केचिदाहुः मृषैव तत् ॥ ३। ५३ ॥ मनु कहना चाहते हैं कि थोड़ा या बहुत, कैसा भी लेन-देन 'कन्या को बेचने' के समान है, अतः नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार यह समाधान संतोषजनक नहीं है [३। ५४ की समीक्षा में एतत् सम्बन्धी विवेचन द्रष्टव्य है]।

(२) **आर्षविवाह का लक्षण**—अब प्रश्न उठता है कि आर्षविवाह का लक्षण

क्या होगा ? क्या मनु ने उसे स्पष्ट किया है? उत्तर में हम कह सकते हैं कि इस विधि निषेध में ही इसका लक्षण स्पष्ट हो गया है, अतः उसको पृथक् से कहने की आवश्यकता नहीं रही। परिशेषन्याय से स्पष्ट हुआ कि 'बिना किसी लेन-देन के केवल विवाह संस्कारपूर्वक [विधिपूर्वक ३। २६] पूर्णतः सादगी से कन्या प्रदान करना, आर्ष-विवाह है।' इस श्लोक में कन्या के अलंकरण आदि की भी चर्चा नहीं है, जबकि २७, २८, ३० में है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस विवाह में वस्त्र, आभूषण आदि से अलंकृत करने का भी कथन नहीं है। यह विवाह उनके बिना पूर्णतः सादगी से ही होता है। केवल विवाहसंस्कार करके ही वर-वधू ऋषित्व के अनुरूप अर्थात् त्याग, तप, गम्भीर निष्ठा की भावना से प्रेरित होकर गृहस्थधारण का निश्चय करते हैं। ऋषिजन-सम्मत, अनुमोदित और उनके आचरणानुरूप होने से इसका नाम आर्ष है।

(३) **ऋषि कौन हैं ?**—मन्त्रद्रष्टा या किसी विद्या के तत्त्वद्रष्टा=विशेषज्ञ विद्वान् व्यक्तियों को ऋषि कहा जाता है। इस विषयक विस्तृत विवेचन ३।८२ को 'ऋषि' शीर्षक समीक्षा में देखिए।

प्राजापत्य विवाह का लक्षण—

सहोभौ चरतां धर्ममिति वाचाऽनुभाष्य च।
कन्याप्रदानमभ्यर्च्य प्राजापत्यो विधिः स्मृतः॥ ३०॥ (१६)

(अभ्यर्च्य) कन्या और वर को, यज्ञशाला में विधि करके ('उभौ धर्मं सह चरताम्' इति) सब के सामने 'तुम दोनों मिलके गृहाश्रम के कर्मों को यथावत् करो' ऐसा (वाचा-अनुभाष्य) कहकर (कन्याप्रदानम्) दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पाणिग्रहण होना (प्राजापत्यः विधिः स्मृतः) वह प्राजापत्य विवाह कहाता है॥ ३०॥ (सं० वि० ९९)

अनुशीलन : (१) **प्राजापत्य-विवाह का लक्षण एवं विवेचन**—वर-वधू को 'तुम साथ रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करो' यह कहकर कन्या को अलंकृत करके विधिपूर्वक प्रदान करना, प्राजापत्य-विवाह है। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के पदों से यह व्यंजित होता है कि यह विवाह दोनों के माता-पिताओं के स्तर पर खोज करके निश्चित किया जाता है। इसमें वर-वधू की इच्छा गौण होती है या माता-पिता की इच्छा में ही ढली होती है। माता पिता जहाँ विवाह उपयुक्त समझते हैं, उसका निश्चय कर, विवाह सम्पन्न करके उन्हें गृहस्थ पालन की स्वीकृति दे देते हैं। इसमें भी कोई लेन-देन नहीं होता।

(२) **प्रजापति किनको कहते हैं ?**—प्रजापति, प्रजा अर्थात् सन्तान के पालन में तत्पर माता-पिता आदि गृहस्थ विद्वानों को कहते हैं। उन्हें 'पितर' भी कहा जाता है। इसमें ब्राह्मणों और निरुक्त के प्रमाण हैं—"**प्रजा अपत्यनाम**" निघ० २। २॥ **प्रजापतिः पाता वा पालयिता वा**" निरु० १०। ४१॥ "**पितरः प्रजापतिः**" गो० उ० ६। १५॥

"**पुरुषः प्रजापतिः**" शत० ६।२।१।२३॥ प्रजाओं को उत्पन्न करके उनका पालन करने के कारण पुरुष प्रजापति होता है। पितर अर्थात् माता-पिता आदि प्रजापति होते हैं ['पितर' पर विस्तृत विवेचन ३। ८२ की समीक्षा में द्रष्टव्य है]। सन्तानों का पालन करने वाले माता-पिता आदि गृहस्थ विद्वानों द्वारा अनुमोदित, सम्मत और उनके आचरणानुरूप होने से उसका नाम 'प्राजापत्य' है।

आसुर विवाह का लक्षण—

ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा कन्यायै चैव शक्तितः।
कन्याप्रदानं स्वाच्छन्द्यादासुरो धर्म उच्यते॥ ३१॥ (१७)

(ज्ञातिभ्यः च कन्यायै) वर की जाति वालों और कन्या को (शक्तितः द्रविणं दत्त्वा) यथाशक्ति धन देके + (कन्याप्रदानम्) होम आदि विधि कर कन्या देना (आसुरः धर्मः उच्यते) 'आसुर विवाह' कहाता है॥ ३१॥

(सं० वि० १००)

+ (स्वाच्छन्द्यात्) अपनी इच्छा से अर्थात् वर या कन्या की प्रसन्नता और इच्छा का ध्यान न रखके·····

अनुशीलन : (१) **आसुर-विवाह का लक्षण एवं विवेचन**—धन के लोभी माता-पिता कन्या या लड़के की इच्छाओं की उपेक्षा करके या उन्हें महत्त्व न देकर, परस्पर धन ले-देकर, अपनी इच्छा से जो विवाह कर देते हैं, वह 'आसुर-विवाह' है। मनु इसे निन्दनीय और अधर्म मानते हैं [३।४१-४२]।

(२) **असुर किनको कहते हैं?** 'न सुराः—असुराः' अर्थात् जो देवताओं के समान नहीं हैं। जो देवताओं के समान निःस्वार्थ, निर्वैर, परहित, परोपकार, त्याग, तप, सहिष्णुता आदि भावनाओं वाले नहीं हैं। जो अपने देह और प्राणों के ही पोषण में, अपने ही स्वार्थ, सुख-सुविधा, धन और हितसाधनमें तत्पर रहते हैं, उसकी पूर्ति के लिए तरह-तरह के छल-प्रपंच माया-जाल आदि रचते हैं, ऐसे व्यक्ति 'असुर' कहलाते हैं। इसमें निरुक्त और ब्राह्मणों के प्रमाण उल्लेखनीय हैं—"**असुरताः स्थानेष्वस्ता, स्थानेभ्य इति वा असुरिति प्राणानामास्तः शरीरे भवति, तेन तद्वन्तः।**" निरु० ३।७॥ "**(असुराः) स्वेष्वेवास्येषु जुह्वतश्चेरुः**" शत० ११।१।८।१॥ **माय्यात्येसुराः (उपासते)**" शत० १०।५।२।१०॥ **असु क्षेपणे** (अदादि) धातु से '**असेरुरन्**' (उणादि १।४२) से 'उरन्' प्रत्यय से 'असुर' शब्द बना। 'असुर से 'सम्बन्ध रखने वाला' अर्थ में अण्' प्रत्यय लगकर 'आसुर' बनता है। इस प्रकार दूसरे की भावनाओं की उपेक्षा करके धन और स्वार्थ-साधन में तत्पर व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित, सम्मत अथवा उनके आचरणानुरूप होने से इसका नाम 'आसुर-विवाह' है।

गान्धर्व विवाह का लक्षण—

इच्छयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च।
गान्धर्वः स तु विज्ञेयो मैथुन्यः कामसम्भवः ॥ ३२ ॥ (१८)

(वरस्य च कन्यायाः) वर और कन्या की (इच्छया+अन्योन्य-संयोगः) इच्छा से दोनों का संयोग होना (मैथुन्यः) और अपने मन में यह मान लेना कि हम दोनों स्त्री-पुरुष हैं (कामसंभवः) यह काम से हुआ (सः तु गान्धर्वः विज्ञेयः) वह 'गान्धर्व विवाह' कहाता है ॥३२॥ (सं० वि० १००)

अनुशीलन : (१) **गान्धर्व-विवाह का लक्षण एवं विवेचन**—लड़का और लड़की दोनों की इच्छा से परस्पर संयोग होकर शारीरिक सम्बन्ध स्थापित होना और अपने आपको पति-पत्नी के रूप में मानकर विवाह कर लेना, यह 'गान्धर्व-विवाह' है। यह कामभावना से होता है। मनु इसको निन्दनीय और अधर्मानुकूल मानते हैं[३।४१-४२]। मनु ने यद्यपि इसमें धन आदि लेने-देने की बात नहीं कही है, किन्तु कौटिल्य अर्थ-शास्त्र के अनुसार ऐसा विवाह करने वाले व्यक्ति को विवाह के समय कन्या के माता-पिता को बदले में धन देना पड़ता है [प्रक० ५८। अ० २]।

(२) **गन्धर्व किन को कहते हैं ?** गन्धर्व की व्युत्पत्ति है **"गाम् = वाचम् धरतीति गन्धर्वः"** अर्थात् गाने की उत्तम वाणी को धारण करने वाला। संगीत अर्थात् गाने, बजाने, नाचने की कला में प्रवीण लोगों को, जो विलासी, आमोद-प्रमोद में व्यस्त शृङ्गारप्रिय और कामुकप्रवृत्ति-प्रधान हैं 'गन्धर्व' कहते हैं। ब्राह्मणों के निम्न प्रमाणों में इस पर प्रकाश डाला गया है—**"रूपमिति गन्धर्वाः (उपासते)** शत० १०। ५। २। २०॥ **"योषित्कामा वै गन्धर्वा"** शत० ३। २। ४। ३॥ **"स्त्रीकामा वै गन्धर्वाः"** ऐत० १। २७७॥ कौ० १२। ३॥ **गन्धो मे, मोदो मे, प्रमादो मे। तन्मे युष्मासु (गन्धर्वेषु)** जै० उ० ३। २५। ४॥ ऐसे व्यक्तियों से अनुमोदित, सम्मत या उनके आचरणानुरूप होने से इस विवाह का नाम 'गान्धर्व' है।

राक्षस विवाह का लक्षण—

हत्वा छित्त्वा च भित्त्वा च क्रोशन्तीं रुदतीं गृहात्।
प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ॥ ३३ ॥ (१९)

(हत्वा छित्त्वा च भित्त्वा) हनन, छेदन अर्थात् कन्या के रोने वालों का विदारण कर (क्रोशन्तीं रुदतीं गृहात् प्रसह्य कन्याहरणम्) क्रोशती, रोती, काँपती और भयभीत हुई कन्या का+बलात्कार हरण करके विवाह करना (राक्षसः विधिः उच्यते) वह 'राक्षस विवाह'❀ ॥३३॥ (सं. वि १००)

\+ (गृहात्) घर से.....
❀ (उच्यते) कहा जाता है।

अनुशीलन : (१) **राक्षस विवाह का लक्षण एवं विवेचन**—कन्या के पक्ष वालों से मार-पीट, लड़ाई-झगड़ा आदि करके रोती-चिल्लाती कन्या को बलात् उठा ले जाकर उससे विवाह करना 'राक्षस-विवाह' है। मनु के अनुसार यह विवाह भी निन्दनीय और अधर्म है [३। ४१-४२]। यद्यपि मनुस्मृति में इस विवाह में किसी लेन-देन का कथन नहीं है किन्तु कौटिल्य अर्थशास्त्र के वर्णनानुसार अपहरणकर्त्ता को विवाह के बदले में कन्या के माता-पिता को धन देना पड़ता है [प्रक० ५८। अ० २]

(२) **राक्षस किनको कहते हैं ?** रक्ष्-पालने धातु से **'सर्वधातुभ्योऽसुन्'** (उणादि ४। १८९) सूत्र से 'असुन्' प्रत्यय और 'इदम्' अर्थ में अण् प्रत्यय के योग से राक्षस शब्द सिद्ध होता है। निरुक्त ४। १८ में राक्षस की निरुक्ति देते हुए कहा है—"**रक्षः रक्षितव्यमस्माद्, रहसि क्षणोतीति वा, रात्रौ नक्षते इति वा।**" अर्थात् जिससे धन-सम्पत्ति, प्राण आदि की रक्षा करनी पड़े, जो एकान्त अवसर पाकर हानि पहुँचाता और जो रात्रि में लूट-पाट, चोरी-व्यभिचार आदि दुष्ट कर्मों में सक्रिय हो जाते हैं, वे राक्षस हैं। इस प्रकार अपने स्वार्थ-साधन के लिए दूसरों की हानि करने वाले, दूसरों को सताने और पीड़ित करने वाले, अत्याचारी, अन्यायी, बलात्कारी, स्वभाव के और मांस-मदिराभोजी तमोगुणी [१२। ४४] व्यक्ति 'राक्षस' कहलाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के आचरणानुरूप, उनसे अनुमोदित या सम्मत होने से इसका नाम 'राक्षस विवाह' है।

पैशाच विवाह का लक्षण—

सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति।
स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचश्चाष्टमोऽधमः॥ ३४॥ (२०)

(सुप्तां मत्तां वा प्रमत्ताम्) जो सोती, पागल हुई वा नशा पीकर उन्मत्त हुई कन्या को (रहः यत्र+उपगच्छति) एकान्त पाकर दूषित कर देना (सः विवाहानाम् अधमः पापिष्ठः पैशाचः) यह सब विवाहों में नीच से नीच=**महानीच, दुष्ट अतिदुष्ट, 'पैशाच विवाह' है॥ ३४॥**

(सं०वि० १००)

अनुशीलन : (१) **पैशाच-विवाह का लक्षण एवं विवेचन**—सोती हुई, पागल हुई या नशे में उन्मत्त कन्या को एकान्त अवसर में पाकर दूषित कर देना और उससे विवाह करना, वह 'पैशाच विवाह' है। वह सब विवाहों में अत्यन्त नीच दुष्टतापूर्ण और पापरूप विवाह है। कौटिल्य के अनुसार उसमें भी विवाह करने वाले को विवाह के बदले कन्यापक्ष को धन देना पड़ता है [प्रक० ५८। अ० २]।

(२) **पिशाच किनको कहते हैं ?**—पिश् अवयवे (तुदादि) धातु से 'क' प्रत्यय होने पर 'पिशम्' पद बना। 'पिश' उपपद से आङ् पूर्वक 'चमु-अदने' धातु से 'ङः' प्रत्यय-पूर्वक 'पैशाच' शब्द बनता है। अथवा 'पिशित' पूर्वपद से 'अश्' धातु से अण्, 'इत' का लोप, शकार को चकार होकर पैशाच बनता है। **'ये पिशितम्=अवयवीभूतं, पेशितं**

वा मांसं रुधिरादिकम् आचमन्ति भक्षयन्ति ते पैशाचाः। प्राणियों का कच्चा मांस, रक्त तक खाने वाले, हिंसक, दुराचारी, अनाचारी, मलिन संस्कारों वाले, अत्यन्त तमोगुणी [१२। ४४], अत्यन्त निम्न और घृणित स्वभाव के व्यक्ति 'पिशाच' कहलाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के आचरणानुरूप या उनसे अनुमोदित, सम्मत होने से इस विवाह का नाम 'पैशाच' है।

द्विजों की कन्यादान की विधि—

अद्भिरेव द्विजाग्र्याणां कन्यादानं विशिष्यते।
इतरेषां तु वर्णानामितरेतरकाम्यया॥ ३५॥

(द्विजाग्र्याणाम् अद्भिः एव) ब्राह्मण वर्ण वालों का जल लेकर संकल्प करने से (इतरेषां तु वर्णानाम्+इतरेतर-काम्यया) अन्य वर्णों का परस्पर की इच्छा से (कन्यादानम्) विवाह होना (विशिष्यते) श्रेष्ठ है॥ ३५॥

विवाहों के गुण-लाभ—

यो यस्यैषां विवाहानां मनुना कीर्तितो गुणः।
सर्वं शृणुत तं विप्राः सर्वं कीर्तयतो मम॥ ३६॥

(एषां विवाहानाम्) इन विवाहों में (यस्य यः गुणः मनुना कीर्तितः) जिस विवाह का जो गुण मनु ने कहा है (विप्राः) हे विद्वानो! (तं सर्वं मम कीर्तयतः शृणुत) उस सबको मुझसे कहते हुए सुनो॥ ३६॥

दश पूर्वान्परान्वंश्यानात्मानं चैकविंशकम्।
ब्राह्मीपुत्रः सुकृतकृन्मोचयेदेनसः पितॄन्॥ ३७॥

(सुकृतकृत् ब्राह्मीपुत्रः) अच्छे कर्म करने वाला ब्राह्मविवाह के विधि से उत्पन्न पुत्र (दश पूर्वान् परान् वंश्यान् पितॄन्) दश पहले पिता-पितामह आदि पूर्वजों को और दश आने वाले पुत्र-पौत्र आदि को (च) और (एकविंशकम् आत्मानम्) इक्कीसवें अपने आपको (एनसः मोचयेत्) पाप से छुड़ाता है॥ ३७॥

दैवोढाजः सुतश्चैव सप्त-सप्त परावरान्।
आर्षोढाजः सुतस्त्रींस्त्रीन्षट् षट् कायोढाजः सुतः॥ ३८॥

(च) और (दैवोढाजः सुतः) दैव विवाह की विधि से विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र (सप्त-सप्त परावरान्) सात-सात पिछली और आने वाली पीढ़ियों को (आर्षोढाजः सुतः त्रीन्-त्रीन्) आर्ष विवाह की विधि से विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र तीन पिछली और तीन आने वाली पीढ़ियों को (कायोढाजः सुतः) प्राजापत्य विवाह की विधि से विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र (षट्-षट्) छः पिछली और छः आने वाली पीढ़ियों को पाप से छुड़ाता है॥ ३८॥

अनुशीलन—३५ से ३८ श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—३४ वें श्लोक में विवाहों की परिभाषा का प्रसंग पूर्ण हो चुका है। इसके बाद उनके गुण-दोषों के विवेचन का प्रसंग अभीष्ट और संगत है, वह ३९ से ४२ श्लोकों में वर्णित है। अतः बीच में ३५ वें में विवाह की विधि का कथन, पुनः पीढ़ियों के पार उतारने का कथन या पुत्रों के गुणों का कथन अप्रासंगिक है। यद्यपि ३६-३८ श्लोकों में भी विवाहों के गुणों का वर्णन प्रतीत होता है, किन्तु यह मौलिक नहीं। है। इसकी पुष्टि में प्रसंग की दृष्टि से दो बातें कही जा सकती हैं—एक तो यह कि इन श्लोकों में विवाहों के गुणों का वर्णन परोक्षरूप से है, जबकि पुत्रों के गुणों का वर्णन प्रत्यक्ष है, और फिर अवगुणों का वर्णन ही नहीं। दूसरी यह कि सभी विवाहों के गुण-दोषों का सामूहिक विवेचन ३९ से ४२ श्लोकों में क्रमबद्ध और पूर्णरूप से किया गया है, अतः ये ही श्लोक मौलिक एवं प्रासंगिक हैं; ३५-३८ श्लोक नहीं।

२. **अन्तर्विरोध**—(१) ३५ वें श्लोक में विवाह की विधि बतायी गई है, जबकि २७ से ३४ श्लोकों में जो विवाहों का वर्णन है, वे स्वयं एक प्रकार की विधियां हैं। यह विधि उनसे भिन्न होने के कारण विरुद्ध है। और जब एक बार विधियां कह दीं, तो पुनः विधि कहने की आवश्यकता भी नहीं रहती। इस आधार पर ३५ वां श्लोक प्रक्षिप्त है।

(२) ३७—३८ श्लोकों में एक ही पुत्र द्वारा अपनी अगली और पिछली कई-कई पीढ़ियों के पाप से छुड़ाने की बात का वर्णन ४। २४० के विरुद्ध है। उस श्लोक में मनु ने कर्त्ता को ही स्वयं पाप-पुण्यों का भोक्ता कहा है। जब कर्त्ता स्वयं भोक्ता है, तो दूसरा व्यक्ति उसके पापों को कैसे दूर कर सकता है?

(३) यदि एक ही पुत्र को अनेक पीढ़ियों के पापों को छुड़ाने वाला मान लिया जाये, तो फिर उन आगे आने वाली पीढ़ियों को धर्म पर चलने की आवश्यकता ही क्या रह जायेगी? क्योंकि उनके पापों को तो वह पुत्र दूर कर ही चुका है। इस प्रकार तो यह मान्यता सम्पूर्ण मनुस्मृति के विरुद्ध हो जाती है। क्योंकि मनुस्मृति में तो स्थान-स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का पालन करने के लिए कहा है। इन अन्तर्विरोधों के आधार पर ३६—३८ श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

३. **शैलीगत आधार**—(१) ३६ वें श्लोक में "**यो यस्यैषां विवाहानां मनुना कीर्तितो गुणः। तं सर्वं शृणुत ..... कीर्तयतो मम॥**" पदों से यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि इनको कहने वाला मनु नहीं अपितु मनु से भिन्न कोई व्यक्ति है। अतः स्पष्टतः ये परवर्ती प्रक्षिप्त श्लोक हैं। (२) ३७—३८ श्लोकों में एक ही पुत्र द्वारा अनेक अगली-पिछली पीढ़ियों के उद्धार का कथन अयुक्तियुक्त और अतिशयोक्तिपूर्ण है। यह शैली मनु की नहीं है।

प्रथम चार उत्तम विवाहों से लाभ—

ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुर्ष्वेवानुपूर्वशः ।
ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसंमताः ॥ ३९ ॥ (२१)

❀ (ब्राह्म+आदिषु चतुर्षु विवाहेषु) ब्राह्म, दैव, आर्ष और प्राजापत्य इन चार विवाहों में पाणिग्रहण किये हुए स्त्री-पुरुषों से (पुत्राः जायन्ते) जो सन्तान उत्पन्न होते हैं वे (ब्रह्मवर्चस्विनः शिष्टसंमताः) वेदादि विद्या से तेजस्वी, आप्त पुरुषों के संगति से अत्युत्तम होते हैं ॥ ३९ ॥

(सं० वि० १००)

❀ (अनुपूर्वशः) क्रमशः प्रारम्भ के·····

अनुशीलन : यह वर्णन बालकों के उत्तम संस्कारों की सम्भावना के आधार पर भावी जीवन के लिए किया गया है। वे बालक भविष्य में अर्थात् बड़े होकर उक्तगुणों वाले बनते हैं।

रूपसत्त्वगुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः ।
पर्याप्तभोगा धर्मिष्ठा जीवन्ति च शतं समाः ॥ ४० ॥ (२२)

वे पुत्र वा कन्या (रूप-सत्त्वगुण+उपेताः) सुन्दर रूप, बल-पराक्रम, शुद्ध बुद्धि आदि उत्तम गुणयुक्त (धनवन्तः) बहुधन युक्त (यशस्विनः) पुण्य कीर्तिमान् (च) और (पर्याप्तभोगाः) पूर्ण भोग के भोक्ता (धर्मिष्ठाः) धर्मात्मा होकर (शतं समाः जीवन्ति) सौ वर्ष तक जीते हैं ॥ ४० ॥

(सं० वि० १००)

अन्तिम चार विवाह निन्दनीय—

इतरेषु तु शिष्टेषु नृशंसानृतवादिनः ।
जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्रह्मधर्मद्विषः सुताः ॥ ४१ ॥ (२३)

(इतरेषु तु शिष्टेषु दुर्विवाहेषु) चार विवाहों से जो बाकी रहे चार-आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पैशाच, इन चार दुष्ट विवाहों से उत्पन्न हुए (सुताः) सन्तान (नृशंसा+अनृतवादिनः) निन्दित कर्मकर्त्ता, मिथ्यावादी (ब्रह्मधर्मद्विषः) वेदधर्म के द्वेषी बड़े नीच स्वभाववाले (जायन्ते) होते हैं ॥ ४१ ॥ (सं० वि० १००)

श्रेष्ठ विवाहों से श्रेष्ठ सन्तान, बुरों से बुरी—

अनिन्दितैः स्त्रीविवाहैरनिन्द्या भवति प्रजा ।
निन्दितैर्निन्दिता नृणां तस्मान्निन्द्यान्विवर्जयेत् ॥ ४२ ॥ (२४)

(अनिन्दितैः स्त्रीविवाहैः प्रजा अनिन्द्या भवति) श्रेष्ठ विवाहों से

सन्तान भी श्रेष्ठ गुण वाली होती है (निन्दितैः नृणां निन्दिता) निन्दित विवाहों से मनुष्यों की सन्तानें भी निन्दनीय कर्म करने वाली होती हैं (तस्मात्) इसलिए (निन्द्यान् विवर्जयेत्) निन्दित विवाहों को आचरण में न लावे ॥ ४२ ॥

इसलिए मनुष्यों को योग्य है कि जिन निन्दित विवाहों से नीच प्रजा होती है उनका त्याग और जिन उत्तम विवाहों से उत्तम प्रजा होती है, उन को किया करें।" (सं० वि० १०२)

सवर्ण-असवर्ण कन्या से विवाह करने की विधि—

पाणिग्रहणसंस्कारः सवर्णासूपदिश्यते।
असवर्णास्वयं ज्ञेयो विधिरुद्वाहकर्मणि ॥ ४३ ॥

शरः क्षत्रियया ग्राह्यः प्रतोदो वैश्यकन्यया।
वसनस्य दशा ग्राह्या शूद्रयोत्कृष्टवेदने ॥ ४४ ॥

(पाणिग्रहणसंस्कारः) हाथ पकड़कर विवाह की विधि पूरा करने का संस्कार तो (सवर्णासु + उपदिश्यते) केवल अपने वर्ण की स्त्रियों में विहित है (असवर्णासु) अपने वर्ण से भिन्न वर्ण की स्त्रियों से शादी करने में (उद्वाहकर्मणि) विवाह संस्कार में (अयं विधिः ज्ञेयः) यह आगे कहा विधान समझना चाहिए...(उत्कृष्टवेदने) अपने से ऊंचे वर्ण वाले व्यक्ति के साथ विवाह करने में (क्षत्रियया शरः ग्राह्यः) क्षत्रिय कन्या को [हाथ पकड़ने की अपेक्षा] बाण पकड़ना चाहिए (वैश्यकन्यया प्रतोदः) वैश्य वर्ण की कन्या को बैल आदि को हांकने का चाबुक (शूद्रया वसनस्य दशा ग्राह्या) शूद्र कन्या को वस्त्र का किनारा पकड़ना चाहिए ॥ ४३, ४४ ॥

अनुशीलन—४३—४४ श्लोक प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—(१) २० २१, २७—३४ श्लोकों मे जो विवाह कहे हैं, उन की विधियां भी साथ-साथ निर्दिष्ट हैं। यह कहना चाहिए कि उन विवाहों का भेद उन की विधि की भिन्नता पर ही आधारित है। इन श्लोकों में विवाह की उनसे भिन्न विधियां उक्त हैं, यह भिन्नता विरोधसूचक है। और फिर जब विवाहों की विधि एक बार कह दी है, तो पुनः विधि के कथन की आवश्यकता ही नहीं थी। (२) २०;२१,२७—३४ श्लोकों में जो विधियां कही हैं, वे सभी वर्णों के लिए समान हैं। उनमें मनु ने कोई सवर्ण-असवर्ण का भेद नहीं किया है, (३। २०)। इन श्लोकों में वर्णों और सवर्ण-असवर्ण का भेद उक्त मान्यता के विरुद्ध है। (३) जो विधियां इन श्लोकों में कही हैं वे अन्तिम तीन विवाहों में तो लागू ही नहीं हो सकतीं। 'गान्धर्व विवाह' में स्त्री-पुरुष का स्वेच्छा से संयोग होता है। 'राक्षस विवाह' में अपहरण किया जाता है। 'पैशाच विवाह' बलात्कारपूर्वक सम्बन्ध स्थापित करने को कहते हैं। अतः इन श्लोकों में उक्त

विधियों को करने का इन तीन विवाहों में अवसर ही नहीं रहता। इस प्रकार इन विधियों का मनु की पूर्वोक्त श्लोकों की व्यवस्था से तालमेल ही नहीं बैठता। इससे स्पष्ट है कि ये विधान परवर्ती काल के हैं। इन अन्तर्विरोधों के कारण ये दोनों श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

ऋतुकाल-गमन सम्बन्धी विधान—

ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा।
पर्ववर्जं व्रजेच्चैनां तद्व्रतो रतिकाम्यया॥ ४५॥ (२५)

(ऋतुकालाभिगामी स्यात्) सदा पुरुष ऋतुकाल में स्त्री का समागम करे (स्वदारनिरतः सदा) और अपनी स्त्री के बिना दूसरी का सर्वदा त्याग रक्खे, वैसे स्त्री भी अपने विवाहित पुरुष को छोड़कर अन्य पुरुषों से सदैव पृथक् रहे (तद्व्रतः) जो स्त्रीव्रत अर्थात् अपनी विवाहित स्त्री ही से प्रसन्न रहना है, जैसे कि पतिव्रता स्त्री अपने विवाहित पुरुष को छोड़ दूसरे पुरुष का संग कभी नहीं करती (रतिकाम्यया) वह पुरुष जब ऋतुदान देना हो तब (एनां पर्ववर्जं व्रजेत्) पर्व अर्थात् जो उन ऋतुदान के सोलह दिनों में पौर्णमासी, अमावस्या, चतुर्दशी वा अष्टमी आवे उसको छोड़ देवे। इनमें स्त्री-पुरुष रति-क्रिया कभी न करें॥ ४५॥ (सं० वि० २९)

अनुशीलन : (१) **'ऋतुदान में वर्जित पर्व'**—ऋतुदान में वर्जित पर्व अमावस्या, पौर्णमासी, अष्टमी तथा चतुर्दशी हैं। इनका वर्णन ४। १२८ में है। वहां भी यह निषेध है।

(२) **पर्वदिनों में समागम-निषेध क्यों ?**—इन पर्वों के दिनों में समागम का निषेध इसलिए है क्योंकि इन दिनों को मनु ने धार्मिक दिन के रूप में मनाने का विधान करते हुए इन दिनों में विशेष यज्ञों का आयोजन एवं वेदादि ग्रन्थों के स्वाध्याय का विधान किया है [४। २५॥ ६। ९॥ ३। ३॥]। इन धार्मिक कृत्यों के पालन के अवसर पर जितेन्द्रिय रहना, संयम रखना आवश्यक है, क्योंकि अजितेन्द्रियावस्था में इन धार्मिक कर्मों के फल की सिद्धि नहीं होती [२। ७२ (२। ९७)]।

(३) **'ऋतुकाल में गमन' गृहस्थ का आवश्यक कर्त्तव्य**—गृहस्थ हो जाने पर व्यक्ति के लिए ऋतुकाल में स्त्रीगमन=सहवास करना, आवश्यक कर्त्तव्य है; इसीलिए मनु ने कहा है—'ऋतुकालाभिगामी स्यात्' 'पर्ववर्जं व्रजेत्'। इस पर प्रकाश डालते हुए आचार्य कौटिल्य ने कारणपूर्वक इस कर्त्तव्य को आवश्यक बतलाया है और इसको गृहस्थ का धर्म विधान माना है। इस का पालन न करने पर उसके लिए दण्डव्यवस्था भी निर्धारित की है। वे कहते हैं— ऋतुकाल में गमन करने से स्त्रियों के पथभ्रष्ट होने और उनका आचरण दूषित होने की आशंका होती है। ऋतुकाल में गमन न करना अपने

गृहस्थ धर्म का पालन न करना है, और ऐसे व्यक्ति को कर्त्तव्य पालन न करने पर ६६ पण दण्ड दिया जाना चाहिये।—"**तीर्थोपरोधो हि धर्मघ्नः इति कौटिल्यः।**" [प्रक० ६०। अ० ४] "**तीर्थगृहगमनागमने द्रव्यवतिदंण्डः।**" [प्रक० ५८। अ० २]। किन्तु कामनारहित स्व स्त्री के साथ भी बलात् गमन न करे—"**नाकामामुपेयात्**" [प्रक० ५८। अ० २]।

इसी कारण मनु ने पति के दीर्घप्रवास काल में स्त्री को नियोग द्वारा सन्तान प्राप्त करने की स्वीकृति दी है [९। ७५]। कौटिल्य ने भी इसका समर्थन और विधान किया है [अर्थशास्त्र प्रक० ६०। ४]।

स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल—

ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोडश स्मृताः।
चतुर्भिरितरैः सार्धमहोभिः सद्विगर्हितैः॥ ४६॥ (२६)

(स्त्रीणां स्वाभाविक ऋतुः) स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल (षोडश रात्रयः स्मृताः) सोलह रात्रि का है अर्थात् रजोदर्शन दिन से लेके सोलहवें दिन तक ऋतु समय है (इतरैः सद्विगर्हितैः चतुर्भिः अहोभिः सार्धम्) उनमें से प्रथम की चार रात्रि अर्थात् जिस दिन रजस्वला हो उस दिन से लेके चार दिन निन्दित हैं॥ ४६॥ (सं० वि० २९)

प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ रात्रि में पुरुष स्त्री का स्पर्श और स्त्री पुरुष का स्पर्श और स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध कभी न करे अर्थात् उस रजस्वला के हाथ का छुआ पानी भी न पीवे, न वह स्त्री कुछ काम करे, किन्तु एकान्त में बैठी रहे। क्योंकि इन चार रात्रियों में समागम करना व्यर्थ और महा रोगकारक है।" (सं० वि० २९)

निन्दित रात्रियां—

तासामाद्याश्चतस्रस्तु निन्दितैकादशी च या।
त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः॥ ४७॥ (२७)

(तासाम्+आद्याः चतस्रः तु निन्दिताः) जैसे प्रथम की चार रात्रि ऋतुदान देने में निन्दित हैं (या एकादशी च त्रयोदशी) वैसे ग्यारहवीं और तेरहवीं रात्रि भी निन्दित हैं (शेषा तु दशरात्रयः प्रशस्ता) और बाकी रही दश रात्रि सो ऋतुदान में श्रेष्ठ हैं॥ ४७॥ (सं० वि० २९)

अनुशीलन : (१) **ऋतुगमन में निषिद्ध रात्रियां**—४६ वें श्लोक में स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल का समय १६ रात्रि का माना है। उनमें रजोदर्शन के दिन की रात्रि सहित प्रथम चार रात्रियां निन्दित हैं। इसी प्रकार रजोदर्शन के दिन

से ग्यारहवीं और तेरहवीं रात्रि भी ऋतुदान में निन्दित हैं। इस प्रकार सोलह रात्रियों में से दश रात्रियां ऋतुदान के लिए श्रेष्ठ बचती हैं।

किन्तु इन दश रात्रियों के बीच यदि कोई पर्व अर्थात् अमावस्या, पौर्णमासी, अष्टमी और चतुर्दशी का दिन आये तो उसकी रात्रि में ऋतुदान न करे, ऐसा स्पष्ट निर्देश ४। १२८ और ३। ४५ में है। इस प्रकार कभी सात-आठ तो कभी दश रात्रियां ऋतुदान के लिए शेष बचती हैं।।

२. **ऋतुकाल की निश्चित रात्रियों का कारण**—रजोदर्शन काल में स्त्रीगमन से व्यक्ति की प्रज्ञा, तेज, बल, ज्योति आयु की हानि होती है। द्रष्टव्य ४। ४०-४२ श्लोक।

पुत्र-और पुत्री प्राप्त्यर्थ रात्रि की पृथक्ता—

युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु।
तस्माद्युग्मासु पुत्रार्थी संविशेदार्तवे स्त्रियम्॥ ४८॥ (२८)

(युग्मासु पुत्राः जायन्ते) युग्म अर्थात् समसंख्या की रात्रियों-छठी, आठवीं, दशमी, द्वादशी, चतुर्दशी, षोडशी में समागम करने से पुत्र उत्पन्न होते हैं (अयुग्मासु रात्रिषु स्त्रियः) विषम संख्या वाली अर्थात् पांचवीं, सातवीं नवमी, पन्द्रहवीं रात्रियों में लड़की उत्पन्न होती है (तस्मात्) इसलिए (पुत्रार्थी) पुत्र की इच्छा रखने वाले पुरुष (आर्तवे युग्मासु स्त्रियं संविशेत्) ऋतुकाल में समरात्रियों में स्त्री से समागम करे॥ ४८॥

"जिनको पुत्र की इच्छा हो वे छठी, आठवीं, दशमी, बारहवीं, चौदहवीं और सोलहवीं, ये छः रात्रि ऋतुदानमें उत्तम जानें। परन्तु इनमें भी उत्तर-उत्तर श्रेष्ठ है और जिनको कन्या की इच्छा होवे पांचवीं, सातवीं, नवमी और पन्द्रहवीं, ये चार रात्रि उत्तम समझें[1]। इससे पुत्रार्थी युग्म रात्रियों में ऋतुदान देवे।" (सं० वि० २९)

पुत्र और पुत्री होने में कारण—

पुमान्पुंसोऽधिके शुक्रे स्त्री भवत्यधिके स्त्रियाः।
समेऽपुमान्पुंस्त्रियौ वा क्षीणेऽल्पे च विपर्ययः॥ ४९॥ (२९)

(पुंस अधिके शुक्रे पुमान्) पुरुष के अधिक वीर्य होने से पुत्र (स्त्रियाः अधिके स्त्री) स्त्री का आर्त्तव अधिक होने से कन्या (समे+अपुमान्) तुल्य होने से नपुंसक पुरुष व वन्ध्या स्त्री (क्षीणे च अल्पे विपर्ययः) क्षीण और

१. "रात्रि गणना इसलिए की है कि दिन में ऋतुदान का निषेध है।"
(सं० वि० २९ पर टिप्पणी)

अल्पवीर्य से गर्भ का न रहना वा गिर जाना (भवति) होता है ॥ ४९ ॥
(सं० वि० २९)

❀ (वा पुम्+स्त्रियौ) अथवा लड़का-लड़की का जोड़ा.....

अनुशीलन : (१) **अधिक शब्द से अभिप्राय**—यहां अधिक शब्द से 'मात्राधिक्य' अभिप्राय नहीं है, अपितु 'सामर्थ्याधिक्य' अभिप्राय है। पुरुष के वीर्य में अधिक सामर्थ्य अथवा पुरुष-बीज के अधिक सामर्थ्यशाली होने पर पुत्रोत्पत्ति होती है। पुरुष की तुलना में स्त्री बीज के अधिक सामर्थ्यशाली होने पर पुत्री, समान सामर्थ्य होने पर लड़का-लड़की का जोड़ा अथवा नपुंसक सन्तान और क्षीण सामर्थ्य या अल्प-सामर्थ्य का बीज होने पर गर्भपात, गर्भ का न रहना आदि होते हैं।

(२) **आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान से विरोध नहीं**—अधिकतर लोगों का विचार है कि मनु की मान्यता का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की मान्यता से विरोध आता है। लेकिन मूलतः ऐसा नहीं है। आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान के मतानुसार पुरुष के वीर्य में दो प्रकार के शुक्राणु होते हैं—१, एक्स, २. वाई। स्त्री के रज में केवल एक्स कीटाणु होते हैं। पुरुष का 'वाई' शुक्राणु जब स्त्री के 'एक्स' कीटाणु से मिलता है तब लड़का होता है।'एक्स' के 'एक्स' से मिलने पर लड़की। संभोग के पश्चात् ये शुक्राणु गर्भ नलिकाओं में दौड़कर स्त्री के डिम्ब में प्रवेश करते हैं। जो शुक्राणु पहले प्रवेश कर जाता है, वही सन्तान रूप बनता है।

यहां भी मूल बात यह है कि जो शुक्राणु जितना प्रबल होगा वह उतना ही पहले जाकर डिम्ब में प्रवेश करेगा। पुरुष-शुक्रकीट अधिक प्रबल होंगे तो वे दौड़ कर पहले प्रवेश करेंगे।यदि स्त्री को जन्म देने वाले कीट प्रबल होंगे तो वे प्रथम प्रवेश करेंगे। यहां भी सामर्थ्य की अधिकता ही पुत्र-पुत्री की उत्पत्ति में मूलाधार है। इसीलिए आयुर्वेद-चिकित्सा में पुत्र-प्राप्ति चाहने वालों को पुरुषशुक्रसामर्थ्यवर्धक औषधियां प्रदान की जाती हैं।

संयमी गृहस्थ भी ब्रह्मचारी—

निन्द्यास्वष्टासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन्।
ब्रह्मचार्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन् ॥ ५० ॥ (३०)

(निन्द्यासु) निन्दित छह [३। ४७] रात्रियों में (च) और (अन्यासु अष्टासु रात्रिषु) इनसे भिन्न शेष दश रात्रियों में से किन्हीं आठ[1] रात्रियों में (स्त्रियः वर्जयन्) स्त्रियों को छोड़ते हुए अर्थात् उनसे समागम न करते हुए (यत्र तत्र=आश्रमे वसन्) गृहस्थाश्रम में भी रहते हुए भी वह (ब्रह्म-

१. रजोदर्शन से लेकर पहली चार रात्रियां और पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्दशी तथा अष्टमी की रात्रियां, ये आठ रात्रियां स्वामी दयानन्द ने निन्दित कही हैं। (द्रष्टव्य सं० वि० २९)

चारी+एव भवति) ब्रह्मचारी ही होता है ॥ ५० ॥

"जो पूर्व निन्दित आठ रात्रि कह आये हैं, उनमें जो स्त्री का संग छोड़ देता है, वह गृहाश्रम में बसता हुआ भी ब्रह्मचारी ही कहाता है।" (सं० वि २६)

अनुशीलन : **कौन गृहस्थ ब्रह्मचारी**—निन्दित छह और शेष कोई भी आठ रात्रियां अर्थात् चौदह रात्रियों को छोड़कर, सोलह में से शेष बचीं केवल किन्हीं दो ही श्रेष्ठ रात्रियों में समागम करने वाला गृहस्थ ब्रह्मचारी ही होता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के आचरण में संयम और जितेन्द्रियता आदि गुणों की प्रधानता होती है ॥

वर से कन्या का मूल्य लेने का निषेध—

न कन्यायाः पिता विद्वान्गृह्णीयाच्छुल्कमण्वपि ।
गृह्णञ्छुल्कं हि लोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ॥ ५१ ॥ (३१)

(विद्वान् कन्यायाः पिता) बुद्धिमान्, कन्या के पिता को चाहिए कि वह कन्या के विवाह में (अणु+अपि शुल्कं न गृह्णीयात्) थोड़ा सा भी शुल्क=मोल वा धन न ले (लोभेन शुल्कं गृह्णन् हि) लोभ में आकर शुल्क लेने पर (नरः) वह मनुष्य (अपत्यविक्रयी स्यात्) सन्तान को बेचने वाला ही कहाता है ॥५१॥

स्त्रीधनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः ।
नारी यानानि वस्त्रं वा ते पापा यान्त्यधोगितम् ॥५२॥ (३२)

(ये बान्धवाः) जो वर के बान्धव=पिता, भाई आदि रिश्तेदार (मोहात्) लोभ या तृष्णा के वशीभूत होकर (स्त्रीधनानि) कन्याओं के धनों को (नारीयानानि वा वस्त्रम्) कन्या पक्ष या कन्याओं को सवारी या वस्त्रों को लेकर (उपजीवन्ति) उपभोग करके जीते हैं (ते पापाः अधोगतिं यान्ति) वे पापी लोग नीचगति को प्राप्त होते हैं ॥ ५२ ॥

अनुशीलन : **स्त्रीधन विवरण**—३। ५२ में चर्चित स्त्रीधन का विवरण मनु ने ९। १९४-१९७ में दिया है। प्रमुखतः यह धन छह प्रकार का होता है—(१) अध्यग्नि=विवाह संस्कार के अवसर पर दिया गया धन, (२) अधि-आवाहनिकम्=पति के घर आते हुए पिता के घर से कन्या को प्राप्त धन, (३) प्रीतिकर्म में प्राप्त धन=प्रसन्नता आदि के अवसर पर पति द्वारा प्रदत्त धन, (४) कन्या को भाई से प्राप्त धन, (५) पिता से प्राप्त धन, (६) माता से प्राप्त धन। विस्तृत विवरण नवम अध्याय में द्रष्टव्य है ।

आर्ष-विवाह में भी गो-युगल लेने का निषेध—

आर्षे गोमिथुनं शुल्कं केचिदाहुर्मृषैव तत् ।
अल्पोऽप्येवं महान्वाऽपि विक्रयस्तावदेव सः ॥ ५३ ॥ (३३)

(केचित्) कुछ लोगों ने (आर्षे) आर्ष-विवाह में (गोमिथुनं शुल्कम्) एक बैलों के जोड़े का शुल्क रूप में लेने का (आहुः) कथन किया है (तत्) वह (मृषा+एव) गलती है—मिथ्या ही है (अपि+एवम्) क्योंकि इस प्रकार (अल्पः+अपि वा महान्) थोड़ा अथवा अधिक धन लेना-देना है (सः तावत्) वह निश्चय से (विक्रयः एव) बेचना ही है[1] ॥ ५३ ॥

"कुछ भी न ले-देकर दोनों की प्रसन्नता से पाणिग्रहण होना आर्ष विवाह है।" (सं० वि० पृ० ११६, विवाह प्रकरण में टिप्पणी)

यासां नाददते शुल्कं ज्ञातयो न स विक्रयः।
अर्हणं तत्कुमारीणामानृशंस्यं च केवलम् ॥ ५४ ॥ (३४)

(ज्ञातयः) कन्या के पिता आदि या रिश्तेदार (यासां शुल्कं न+आददते) जिन कन्याओं के विवाह के लिए वर पक्ष से शुल्क नहीं लेते अर्थात् वरपक्ष से विवाह करके बदले में बिना कुछ धन लिए विवाह कर देते हैं (सः विक्रयः न) इस प्रकार का विवाह 'कन्याओं को बेचना' नहीं कहलाता (तत् कुमारीणां अर्हणम्) ऐसा विवाह वास्तव में कन्याओं का पूजा-सत्कार करना है (च) और (केवलम् आनृशंस्यम्) कन्याओं के प्रति वास्तव में दया और स्नेह प्रदर्शित करना है, बिना कुछ लिये वर को कन्या देना उसका आदर बढ़ाना है ॥ ५४ ॥

अनुशीलन : आर्षविवाह में शुल्क लेना मनुविरुद्ध—३। २९ में आर्षविधि की जो व्यवस्था विहित है, ५१ से ५४ श्लोकों में उसके विरुद्ध और खण्डनात्मक वर्णन है। यहां यह शंका उपस्थित होती है कि कौन-सी मान्यता मौलिक या कौन सी सही मानी जाये या इनमें कौन सी प्रक्षिप्त होनी चाहिए।

इन श्लोकों की शैली, शब्दावली को देखकर इसका समाधान उपलब्ध हो जाता है। मनुस्मृति का उद्देश्य ही हितकारी धर्मविधान करने का है, अहितकारी बात धर्म नहीं, इसलिए मनु उसको अधर्म घोषित करके उसका निषेध करते हैं। इस प्रसंग में

---

१. आजकल दहेज के भयंकर परिणाम स्थान-स्थान पर देखने, सुनने और पढ़ने में आ रहे हैं। धन-लोभी दानव धनप्राप्ति के लालच में कितनी ही स्त्रियों को सता रहे हैं, जला रहे हैं, मौत के घाट उतार रहे हैं। विवाह एक व्यापार बनता जा रहा है। दाम्पत्य जीवन स्वर्ग न रहकर नरक का भयावह रूप धारण करता जा रहा है। महर्षि मनु ने विवाह में शुल्क लेने-देने की परम्परा में ऐसी ही भयंकर दशाओं का पूर्वदर्शन किया था। अतः विवाह में प्रत्येक प्रकार के लेन-देन का निषेध किया है, ताकि लालच की भावना न रहे और कहा है कि विवाह एक सम्मान की बात है, लोभ की नहीं। गृहस्थ के सुख का आधार नारियां ही हैं। उनकी प्रसन्नता और आदर में ही गृहस्थ स्वर्ग है, निरादर और यातना देने में नरक है, कुलों की अवनति और विनाश है।

सम्पूर्ण मनुस्मृति से भिन्न शैली और शब्दावली है। तदनुसार उक्त शंका का समाधान इस प्रकार है—

(१) मनु ने ३। २०-३४ में जो आठ विवाह प्रदर्शित किये हैं, वे उनके स्वयंकृत विधान नहीं हैं, अपितु उस समय जो किसी रूप में प्रचलित थे, उनका वर्णन मात्र किया है। इसी लिए मनु ने प्रसंग-संकेतक श्लोक ३। २० में "प्रेत्य चेह हित+अहितान्" का प्रयोग किया है। अहितकर कोई धर्म नहीं होते, फिर भी यहां उनका वर्णन है, जिससे स्पष्ट होता है कि ये विधान नहीं, मात्र प्रचलित प्रथायें हैं। अन्तिम चार विवाहों के लिए प्रयुक्त नाम भी इन्हें धर्म विधान सिद्ध नहीं करते, वे हैं आसुर, गान्धर्व, राक्षस 'अधम पैशाच'। इनकी जो विधियां हैं वे भी मनुस्मृति की मान्यताओं के अनुसार निन्दनीय हैं। ३।४१-४२ में भी मनु ने इनकी निन्दा की है। उन्हें अनार्यों की परम्परा माना है, और निषेध रूप में विहित कर दिया है।

(२) इतना ही नहीं ३। ३२-३४ में विहित कार्यों के लिए मनु ने ८। ३५२-३५७, में कठोर दण्डों का विधान भी किया है। वे इन बातों को बलात्कार व व्यभिचार मानते हैं [८। ३४५-३४६ ३५२-३५७], और ३। ३१ में वर्णित 'आसुर विवाह' का ३५१-५४ में खण्डन 'विक्रय के रूप में' कहकर किया है।

(३) अब प्रश्न उठता है कि मनु की मान्यता क्या है, और इनमें धर्मविधान कौन से हैं। इसके उत्तर स्पष्ट हैं—(क) ३। २० में मनु ने जिन आरम्भिक चार विवाहों को इस जन्म और परजन्म के लिए हितकारी माना है। वे ही मनुविहित धर्मविधानात्मक विवाह हैं। देखिए ३। ३९-४० में केवल आरम्भिक चार विवाहों की मनु ने स्वीकृति दी है। इनमें भी आर्ष विवाह की परम्परा को मनु धर्म नहीं मानते, अतः उसमें सुधार करके अपनी मान्यता ५१–५४ में स्पष्ट कर दी है। (ख) दायभाग प्रकरण में भी मनु ने अपनी इस मान्यता की पुष्टि कर दी है। 'आसुर' आदि चार विवाहों में निःसन्तान स्त्री के धन का अधिकार उसके मरने पर पति को नहीं होता, क्योंकि वे विवाह मनु के अनुसार वैधानिक एवं धर्म्य नहीं हैं [९।१९७]। प्रारम्भिक चार विवाहों में निःसन्तान पत्नी की मृत्यु पर उसके धन का अधिकार पति को है, क्योंकि मनु के मत में ये विवाह धर्मानुकूल हैं [९। १९६]। इस प्रकार इन श्लोकों और पूर्व के श्लोकों में विरोध होते हुए भी मान्यता प्रदर्शन के कारण दोनों लौकिक ही हैं।

स्त्रियों के आदर का विधान तथा उसका फल—

पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा।
पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः॥ ५५॥ (३५)

(पितृभिः भ्रातृभिः पतिभिः तथा देवरैः) पिता, भ्राता, पति और देवर

को योग्य है कि (एताः पूज्याः च भूषयितव्याः) अपनी कन्या, बहन, स्त्री और भोजाई आदि स्त्रियों की सदा पूजा करें अर्थात् यथायोग्य मधुर-भाषण, भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि से प्रसन्न रक्खें (बहुकल्याणम्+ईप्सुभिः) जिन को कल्याण की इच्छा हो वे स्त्रियों को क्लेश कभी न देवें ॥ ५५ ॥ (सं० वि० १४७)

स्त्रियों का आदर करने से दिव्य लाभों की प्राप्ति—

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ ५६ ॥ (३६)

(यत्र) जिस कुल में (नार्यः तु पूज्यन्ते) नारियों की पूजा अर्थात् सत्कार होता है (तत्र) उस कुल में (देवताः) दिव्यगुण=दिव्य भोग और उत्तम सन्तान (रमन्ते) होते हैं (यत्र) और जिस कुल में (एतास्तु न पूज्यन्ते) स्त्रियों की पूजा नहीं होती है (तत्र सर्वाः अफलाः क्रियाः) वहां जानो उन की सब क्रिया निष्फल हैं ॥ ५६ ॥ (सं० वि० १४८)❀

"जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है उसमें विद्यायुक्त पुरुष होके, देव संज्ञा धराके आनन्द की क्रीड़ा करते हैं और जिस घर में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहां सब क्रिया निष्फल हैं।" (स० प्र० ६६)

अनुशीलन : ५६ श्लोक का सही अर्थ—प्रचलित टीकाओं में इस श्लोक का अर्थ कपोलकल्पित, असंगत तथा मनु-असम्मत है। (१) टीकाकार किन्हीं देवताओं की कल्पना कर उनकी प्रसन्नता की बात तो कहते हैं, किन्तु उसके साथ दूसरी पंक्ति की संगति नहीं लगा पाते। अगर पहली पंक्ति में देवताओं की प्रसन्नता की बात है तो दूसरी में नारियों के अनादर से उनकी अप्रसन्नता की बात होनी चाहिए थी, किन्तु श्लोक में है कि 'उनकी सब क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं।' इस प्रकार उनके अर्थ में संगति और तालमेल नहीं बैठता। (२) देवताओं की कल्पना मनु की मान्यता के विरुद्ध है [द्रष्टव्य ३। ८२ पर 'देव' विषयक अनुशीलन]। (३) पूजा का अर्थ यहां सत्कार और सम्मान देना है। वस्तुतः यहां 'देवताः' का अर्थ 'दिव्यगुण' 'दिव्यसन्तान' या 'दिव्यभोग' है। [प्रमाण २। १५१ (२। १७६) पर द्रष्टव्य] यही अर्थ पूर्वापर प्रसंग से सिद्ध होता है। जहां नारियों का सत्कार-सम्मान होता है, वहां नारियां प्रसन्न रहती हैं। उनकी प्रसन्नता से घर का वातावरण प्रसन्न एवं सुख-शान्तिमय होता है। नारी

❀ [प्रचलित अर्थ—जिस कुल में स्त्रियों की पूजा (वस्त्र, भूषण तथा मधुर वचनादि द्वारा आदर-सत्कार) होती है, उस कुल पर देवता प्रसन्न होते हैं और जिस कुल में इन (स्त्रियों) की पूजा नहीं होती, उस कुल में सब कर्म निष्फल होते हैं ॥५६॥]

पर ही घर की सुख-शान्ति निर्भर है [३। ५५, ६०, ६२। ९। २८], वही घर की अधिष्ठात्री देवी है [९।२६-२७], माता के रूप में वह निर्मात्री है [९।२७-२८]। इस प्रकार घर की सुख-शान्ति से घर में उत्तम भोग, उत्तम सन्तान, उत्तम शिक्षा, ऐश्वर्य, सुख-सफलता आदि दिव्यगुण पनपते हैं। जहां इसके विपरीत नारियों का अनादर होता है, उस परिवार में अशान्तिके कारण सब क्रियाओं में असफलता प्राप्त होती है। परिवार में उन्नति, सुख आदि नहीं हो पाते। इसी भाव की विस्तृत व्याख्या मनु ने स्वयं ३। ५७-५८, ५९, ६० में भी की है।

इस प्रकार इस भाष्य का अर्थ संगत, मनुसम्मत एवं युक्तियुक्त है।

स्त्रियों के शोकग्रस्त रहने से परिवार का विनाश—

शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्।
न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा॥ ५७॥ (३७)

(यत्र) जिस कुल में (जामयः) स्त्रियां (शोचन्ति) अपने-अपने पुरुषों के देरयागमन, अत्याचार वा व्यभिचार आदि दोषों से शोकातुर रहती हैं (तत्कुलम् आशु विनश्यति) वह कुल शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाता है (तु) और (यत्र एताः न शोचन्ति) जिस कुल में स्त्रीजन पुरुषों के उत्तम आचरणों से प्रसन्न रहती हैं (तत्+हि सर्वदा वर्धते) वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है॥ ५७॥

"जिस घर वा कुल में स्त्री लोग शोकातुर होकर दुःख पाती हैं, वह कुल शीघ्र नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है और जिस घर वा कुल में स्त्री लोग आनन्द से उत्साह और प्रसन्नता में भरी हुई रहती हैं, वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है।" (स० प्र० ९६)

जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः।
तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः॥ ५८॥ (३८)

(यानि गेहानि) जिन कुल और घरों में (अप्रतिपूजिताः जामयः) अपूजित अर्थात् सत्कार को न प्राप्त होकर स्त्रीलोग (शपन्ति) जिन गृहस्थों को शाप देती हैं (तानि) वे कुल तथा गृहस्थ (कृत्याहतानि[1]+इव) जैसे विष देकर बहुतों को एक बार नाश कर देवें वैसे (समन्ततः विनश्यन्ति) चारों ओर से नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं॥ ५८॥ (सं० वि० ५८)

---

१. 'कृत्या' शब्द दुष्क्रिया अर्थ का भी बोधक है। देखिये महर्षि-दयानन्द का वेद-भाष्य (यजु० ३५। ११) (सम्पादक)

"जो विवाहित स्त्रियां पति, माता, पिता, बन्धु और देवर आदि से दुःखित होके जिन घर वालों को शाप देती हैं, वे जैसे किसी कुटुम्ब भर को विष देके मारने से एक बार सबके सब मर जाते हैं, वैसे उनके पति आदि सब ओर से नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं।" (ऋ० पत्र० वि० ४४४)

स्त्रियों का सदा सत्कार-सम्मान रखें—

तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः।
भूतिकामैर्नरैर्नित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥ ५९ ॥ (३९)

(तस्मात्) इस कारण (भूतिकामैः नरैः) ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले पुरुषों को योग्य है कि (एताः) इन स्त्रियों को (सत्कारेषु च उत्सवेषु) सत्कार के अवसरों और उत्सवों में (भूषण+आच्छादन+अशनैः) भूषण, वस्त्र, खान-पान आदि से (सदा पूज्याः) सदा पूजा अर्थात् सत्कारयुक्त प्रसन्न रखें ॥ ५९ ॥ (सं० वि० १४८)

"इसलिए ऐश्वर्य की कामना करने हारे मनुष्यों को योग्य है कि सत्कार और उत्सव के समय में भूषण, वस्त्र और भोजन आदि से स्त्रियों का नित्यप्रति सत्कार करें।" (स० प्र० ९६)

पति-पत्नी की परस्पर संतुष्टि से परिवार का कल्याण—

सन्तुष्टो भार्यया भर्त्ता भर्त्रा भार्या तथैव च।
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ ६० ॥ (४०)

हे गृहस्थो! (यस्मिन् कुले) जिस कुल में (भार्यया भर्त्ता संतुष्टः तथैव भर्त्रा भार्या नित्यम्) भार्या से प्रसन्न पति तथा पति से भार्या सदा प्रसन्न रहती है (तत्र वै) उसी कुल में (ध्रुवं कल्याणम्) निश्चित कल्याण होता है। और दोनों परस्पर अप्रसन्न रहें तो उस कुल में नित्य कलह वास करता है ॥ ६० ॥ (सं० वि० १४७)

"जिस कुल में भार्या से भर्त्ता और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न रहती है, उसी कुल में सब सौभाग्य और ऐश्वर्य निवास करते हैं।
(स० प्र० ९५)

पति-पत्नी में पारस्परिक अप्रसन्नता से सन्तान न होना—

यदि हि स्त्री न रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत्।
अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्तते ॥ ६१ ॥ (४१)

(यदि हि स्त्री न रोचेत) यदि स्त्री पुरुष पर रुचि न रखे (पुमांसं न

प्रमोदयेत्) वा पुरुष को प्रहर्षित न करे तो (अप्रमोदात् पुनः पुंसः) अप्रसन्नता से पुरुष के शरीर में (प्रजनं न प्रवर्तते) कामोत्पत्ति न होके संतान नहीं होते और होते हैं तो दुष्ट होते हैं ॥ ६१ ॥ (सं० वि० १४७)

"जो स्त्री पति से प्रीति और पति को प्रसन्न नहीं करती तो पति के अप्रसन्न होने से काम उत्पन्न नहीं होता।" (स० प्र० ६५)

स्त्री की प्रसन्नता पर कुल में प्रसन्नता—

स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलम्।
तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ ६२ ॥ (४२)

(स्त्रियां तु रोचमानायाम्) जो पुरुष स्त्री को प्रसन्न नहीं करता तो उस स्त्री के अप्रसन्न रहने से (सर्वम्+एव न रोचते) सब कुल भर अप्रसन्न, शोकातुर रहता है (तु) और (स्त्रियां रोचमानायाम्) जब पुरुष से स्त्री प्रसन्न रहती है तब (तत् सर्वं कुलं रोचते) सब कुल आनन्दरूप दीखता है। ॥ ६२ ॥ (स० वि० १४७)

'स्त्री की प्रसन्नता में सब कुल प्रसन्न होता है, उसकी अप्रसन्नता में सब अप्रसन्न अर्थात् दुःखदायक हो जाता है।" (स० प्र० ६५)

कुलों को पतित करने वाले कर्म—

कुविवाहैः क्रियालोपैर्वेदानध्ययनेन च।
कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥ ६३ ॥

(कुविवाहैः) निन्दित विवाहों के करने से (क्रियालोपैः) यज्ञ आदि क्रियाओं के न करने से (च) और (वेद+अनध्ययनेन) वेद के न पढ़ने से (च) तथा (ब्राह्मण+अतिक्रमेण) ब्राह्मणों का निरादर करने या उनकी आज्ञा न मानने से (कुलानि) सभी कुल (अकुलतां यान्ति) पतित या नष्ट हो जाते हैं ॥ ६३ ॥

शिल्पेन व्यवहारेण शूद्रापत्यैश्च केवलैः।
गोभिरश्वैश्च यानैश्च कृष्या राजोपसेवया ॥ ६४ ॥
अयाज्ययाजनैश्चैव नास्तिक्येन च कर्मणाम्।
कुलान्याशु विनश्यन्ति यानि हीनानि मन्त्रतः ॥ ६५ ॥

(शिल्पेन) कारीगरी की जीविका करने से (व्यवहारेण) व्यापार करने से (केवलैः शूद्रा-अपत्यैः) केवल शूद्र स्त्री संतानों से (च) और (गोभिः च अश्वैः) गौ, बैल तथा घोड़ों का व्यापार करने से (यानैः) सवारियों का व्यापार करने से या उनसे जीविका चलाने से (कृष्या) कृषि करने से (राजा+उपसेवया) राजा की नौकरी करने से (च) तथा (अयाज्ययाजनैः) यज्ञ कराने के अयोग्य व्यक्तियों का यज्ञ कराने से (कर्मणां

नास्तिक्येन) श्रेष्ठ कर्मों के प्रति नास्तिक भावना रखने से (यानि हीनानि मन्त्रतः) जो परिवार वेदमन्त्रों से रहित हैं (कुलानि+आशु विनश्यन्ति) ऐसे कुल शीघ्र ही नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं ॥ ६४,६५ ॥

मन्त्रतस्तु समृद्धानि कुलान्यल्पधनान्यपि ।
कुलसंख्यां च गच्छन्ति कर्षन्ति च महद्यशः ॥ ६६ ॥

(तु) और (मन्त्रतः समृद्धानि कुलानि) वेदमन्त्रों से समृद्ध कुल (अल्पधनानि+अपि) बहुत थोड़े धनवाले होते हुए भी (कुलसंख्यां गच्छन्ति) विशिष्ट कुलों में गिने जाते हैं (च) और (महत्+यशः कर्षन्ति) महान् यश को प्राप्त करते हैं ॥ ६६ ॥

अनुशीलन : ६३ से ६६ तक सभी श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—(१) ६४ वां श्लोक मनुस्मृति की आधारभूत व्यवस्था के ही विरुद्ध है। इसमें निर्दिष्ट शिल्प, कृषि एवं पशुरक्षा कर्म वैश्य के और राजा की सेवा क्षत्रिय का कर्म है [१।८९, ९०॥ ९।३२५—३३२ आदि], और इन्हीं के आधार पर मनु ने वैश्य और क्षत्रिय आदि के वर्णभेद को माना है तथा स्थान-स्थान पर अपने इन कर्त्तव्यों के पालन से श्रेष्ठ गति की प्राप्ति होना कहा है। इस श्लोक में इनके आधार पर कुल का विनाश मानना मनुस्मृति की आधारभूत व्यवस्था के ही विरुद्ध जाता है। इस प्रकार यह श्लोक प्रक्षिप्त है। अन्य पूर्वापर तीनों श्लोक इससे सम्बद्ध होने के कारण स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि ६४ वें की क्रिया ६५ वें में पूर्ण होती है और ६६ वें के '**मन्त्रतस्तु समृद्धानि**' शब्द ६५ वें के '**यानि हीनानि मन्त्रतः**' शब्दों से सम्बद्ध हैं।

२. **प्रसङ्गविरोध**—विवाहों के गुण-अवगुणों, लाभ-हानियों का वर्णन विवाहों के उल्लेख के बाद ३९—४२ श्लोकों में उक्त हो चुका है, अतः यहाँ पुनः उनका विवेचन करना प्रासंगिक नहीं है। (२) यहाँ पूर्वापर प्रसंग विवाह के पश्चात् स्त्री के साथ कैसा व्यवहार होने से क्या परिणाम होता है [५५—६२], तथा पति-पत्नी के क्या कर्त्तव्य हैं [६७], इन बातों का है। इस बीच कुलों की उन्नति-अवनति का विवेचन संगतसिद्ध नहीं होता।

३. **पुनरुक्ति**—इन श्लोकों में कुछ बातों की पुनरुक्ति मात्र है, यथा—६३ वें श्लोक में उक्त '**क्रियालोपैः**' पद की ६५ वें में '**अयाज्ययाजनैः नास्तिक्येन च कर्मणाम्**' के रूप में तथा ६३ वें श्लोक में पठित '**वेदानध्ययनेन**' पद की '**यानि हीनानि मन्त्रतः**' के रूप में पुनरुक्ति ही है। इस प्रकार की पुनरुक्तियाँ मनु-सदृश विद्वान् की भावगाम्भीर्ययुक्त रचनाओं में उपलब्ध नहीं होतीं। अतः ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

(पञ्चमहायज्ञ-विषय)

[३।६७ से ३।२८६ तक]

पञ्चमहायज्ञों का विधान—

वैवाहिकेऽग्नौ कुर्वीत गृह्यं कर्म यथाविधि।
पञ्चयज्ञविधानं च पक्तिं चाऽन्वाहिकीं गृही ॥ ६७ ॥ (४३)

(गृही) गृहस्थी पुरुष (वैवाहिके अग्नौ) विवाह के समय प्रज्वलित की जाने वाली अग्नि में (गृह्यं कर्म यथाविधि) गृहस्थ के सभी कर्त्तव्यों को [जैसे पाचन, यजन आदि] उचित विधि के अनुसार (कुर्वीत) करे (च) और (पञ्चयज्ञविधानम्) होम, देव आदि [३।७०] पांचों यज्ञों को (च) तथा (आन्वाहिकीं पक्तिम्) प्रतिदिन का भोजन पकाना ये भी करे ॥ ६७ ॥

पञ्चमहायज्ञों के अनुष्ठान का कारण—

पञ्च सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः।
कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन् ॥ ६८ ॥ (४४)

(चुल्ली) चूल्हा (पेषणी) चक्की (उपस्करः) झाड़ू (कण्डनी) ओखली (च) तथा (उदकुम्भः) पानी का घड़ा (गृहस्थस्य पंच सूनाः) गृहस्थियों के ये पांच हिंसा के स्थान हैं (याः तु वाहयन्) जिनको प्रयोग में लाते हुए गृहस्थी व्यक्ति (बध्यते) हिंसा के पापों से बंध जाता है ॥ ६८ ॥

तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महर्षिभिः।
पञ्च क्लृप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम् ॥ ६९ ॥ (४५)

(क्रमेण) क्रम से (तासां सर्वासां निष्कृत्यर्थम्) उन सब [३।६८] हिंसा दोषों की निवृत्ति या परिशोधन के लिए (गृहमेधिनां प्रत्यहम्) गृहस्थी लोगों के प्रतिदिन करने के लिए (महर्षिभिः पञ्चमहायज्ञाः क्लृप्ताः) महर्षियों ने पांच महायज्ञों का विधान किया है ॥ ६९ ॥

पञ्चमहायज्ञों के नाम एवं नामान्तर—

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्।
होमो दैवो बलिर्भौतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ॥ ७० ॥ (४६)

(अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः) पढ़ना-पढ़ाना, संध्योपासन करना [सावित्रीमप्यधीयीत २।७९ (२।१०४)] 'ब्रह्मयज्ञ' कहलाता है (तु) और (तर्पणं पितृयज्ञः) माता-पिता आदि की सेवा-सुश्रूषा तथा भोजन आदि से तृप्ति

करना 'पितृयज्ञ' है (होमः दैवः) प्रातः सायं हवन करना 'देवयज्ञ' है (बलिः भौतः) कीटों, पक्षियों, कुत्तों और कुष्ठी व्यक्तियों तथा भृत्यों आदि आश्रितों को देने के लिए भोजन का भाग बचाकर देना 'भूतयज्ञ' या 'बलिवैश्वदेवयज्ञ' कहलाता है (अतिथिपूजनम्) अतिथियों को भोजन देना और सेवा द्वारा सत्कार करना (नृयज्ञः) 'नृयज्ञ' अथवा 'अतिथियज्ञ' कहाता है ॥ ७० ॥

पंचैतान्यो महायज्ञान्न हापयति शक्तितः ।
स गृहेऽपि वसन्नित्यं सूनादोषैर्न लिप्यते ॥ ७१ ॥ (४७)

(यः) जो (एतान् पञ्चमहायज्ञान् शक्तितः न हापयति) इन पाँच महायज्ञों को यथाशक्ति नहीं छोड़ता (सः) वह (गृहे+अपि वसन्) घरमें रहता हुए भी (नित्यम्) प्रतिदिन (सूनादोषैः न लिप्यते) चुल्ली=चूल्हा आदि में हुए हिंसा के दोषों से लिप्त नहीं होता [यतो हि यज्ञों के पुण्यों से उनका शमन होता रहता है] ॥ ७१ ॥

देवताऽतिथिभृत्यानां पितृणामात्मनश्च यः ।
न निर्वपति पञ्चानामुच्छ्वसन्न स जीवति ॥ ७२ ॥ (४८)

(यः) जो गृहस्थी व्यक्ति (देवता+अतिथि+भृत्यानां पितृणां च आत्मनः पञ्चानाम्) अग्नि आदि देवताओं को [हवन के रूप में], अतिथियों को [अतिथि यज्ञ के रूप में], भरण-पोषण की अपेक्षा रखने वाले या दूसरों की सहायता पर आश्रित कुष्ठी, भृत्य आदि के लिए [भूतयज्ञ या बलिवैश्वदेव यज्ञ के रूप में], माता-पिता, पितामह आदि के लिए [पितृयज्ञ के रूप में] और अपनी आत्मा के लिए [ब्रह्मयज्ञ के रूप में] इन पांचों के लिए (न निर्वपति) उनके भागों को नहीं देता है, अर्थात् पांच दैनिक महायज्ञों को नहीं करता है (सः) वह (उच्छ्वसन् न जीवति) सांस लेते हुए भी वास्तव में नहीं जीता अर्थात् मरे हुए व्यक्ति के समान है ॥ ७२ ॥

पञ्चयज्ञों के नामान्तर—

अहुतं च हुतं चैव तथा प्रहुतमेव च ।
ब्राह्म्यं हुतं प्राशितं च पंचयज्ञान्प्रचक्षते ॥ ७३ ॥ (४९)

(पञ्चयज्ञान्) इन पांच यज्ञों को (अहुतं हुतं प्रहुतं ब्राह्म्यं हुतं च प्राशितं एव) 'अहुत', 'हुत', 'प्रहुत', 'ब्राह्म्यहुत' और प्राशित भी (प्रचक्षते) कहते हैं ॥ ७३ ॥

जपोऽहुतो हुतो होमः प्रहुतो भौतिको बलिः।
ब्राह्म्यं हुतं द्विजाग्र्यार्चा प्राशितं पितृतर्पणम् ॥ ७४ ॥ (५०)

(अहुतः जपः) 'अहुत' 'जपयज्ञ' अर्थात् 'ब्रह्मयज्ञ' को कहते हैं (हुतः होमः) 'हुतः' होम अर्थात् 'देवयज्ञ' है (प्रहुतः भौतिकः बलिः) 'प्रहुत' भूतों के लिए भोजन का भाग रखना अर्थात् 'भूतयज्ञ' या 'बलिवैश्वदेवयज्ञ' है (ब्राह्म्यं हुतम्) 'ब्राह्मयहुत' (द्विजाग्र्यार्चा) विद्वानों की सेवा करना अर्थात् 'अतिथियज्ञ' है (प्राशितं पितृतर्पणम्) 'प्राशित' माता-पिता आदि का तर्पण =तृप्ति करना 'पितृयज्ञ' है ॥ ७४ ॥

ब्रह्मयज्ञ एवं अग्निहोत्र का विधान—

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यादैवे चैवेह कर्मणि।
दैवकर्मणि युक्तो हि बिभर्तीदं चराचरम् ॥ ७५ ॥ (५१)

(स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यात्) मनुष्य को चाहिए कि वह पढ़ने-पढ़ाने और संध्योपासन अर्थात् ब्रह्मयज्ञ में नित्य लगा रहे अर्थात् प्रतिदिन अवश्य करे (च) और (दैवे कर्मणि एव) देवकर्म अर्थात् अग्निहोत्र भी अवश्य करे (हि) क्योंकि (इह) इस संसार में रहते हुए (दैवकर्मणि युक्तः) अग्निहोत्र करनेवाला व्यक्ति (इदं चर+अचरं बिभर्ति) इस समस्त चेतन और जड़ जगत् का पालन-पोषण करता है ॥ ७५ ॥

अनुशीलन : अग्निहोत्र से जल-वायु की शुद्धि होकर भक्ष्य पदार्थों की शुद्धि एवं पुष्टि होती है और उससे प्रजाओं तथा अन्य पदार्थों का कल्याण होता है। इस प्रकार चर और अचर जगत् का पोषण होता है। अगले ही श्लोक में इसका स्पष्टीकरण है।

अग्निहोत्र से लाभ—

अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते।
आदित्याज्जायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥ ७६ ॥ (५२)

[वह पालन-पोषण और भला इस प्रकार होता है] (अग्नौ सम्यक् प्रास्ता+आहुतिः) अग्नि में अच्छी प्रकार डाली हुई घृत आदि पदार्थों की आहुति (आदित्यम्+उपतिष्ठते) सूर्य को प्राप्त होती है-सूर्य की किरणों से वातावरण में मिलकर अपना प्रभाव डालती है, फिर (आदित्यात्+जायते वृष्टिः) सूर्य से वृष्टि होती है (वृष्टेः+अन्नम्) वृष्टि से अन्न पैदा होता है (ततः प्रजाः) उससे प्रजाओं का पालन-पोषण होता है ॥ ७६ ॥

अनुशीलन : यज्ञ न करने से पाप—होम न करने से पाप और करने से सृष्टि का उपकार होता है। इसको स्पष्ट करते हुए ऋषि दयानन्द लिखते हैं—

"प्रश्न—क्या इस होम करने के बिना पाप होता है ?

उत्तर—हां, क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गन्ध पैदा होके वायु और जल को बिगाड़कर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को दुःख प्राप्त करता है, उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है। इसलिए उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगन्ध वा उससे अधिक वायु और जल में फैलाना चाहिए।"

(स० प्र० तृतीय समु० होम प्रकरण)

गृहस्थाश्रम की महत्ता एवं ज्येष्ठता—

यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः।
तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः॥ ७७॥ (५३)

(यथा वायुं समाश्रित्य) जैसे वायु के आश्रय से (सर्वजन्तवः वर्तन्ते) सब जीवों का वर्त्तमान सिद्ध होता है (तथा) वैसे ही (गृहस्थम्+आश्रित्य) गृहस्थ के आश्रय से (सर्वे+आश्रमाः) ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी अर्थात् सब आश्रमों का (वर्त्तन्ते) निर्वाह होता है॥ ७७॥ (सं० वि० १४६)

यस्मात्त्रयोऽप्याश्रमिणो दानेनान्नेन चान्वहम्।
गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही॥ ७८॥ (५४)

(यस्मात्) जिस से (त्रयः+अपि+आश्रमिणः) ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी, इन तीन आश्रमियों को (अन्नेन दानेन अन्वहम्) अन्न-वस्त्रादि दान से नित्यप्रति (गृहस्थेन+एव धार्यन्ते) गृहस्थ धारण-पोषण करता है (तस्मात्) इसलिए (गृही-आश्रमः ज्येष्ठः) व्यवहार में गृहाश्रम सबसे बड़ा है॥ ७८॥ (सं० वि० १४६)

"जिससे गृहस्थ ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी तीन आश्रमों को दान और अन्नादि देके प्रतिदिन गृहस्थ ही धारण करता है, इससे गृहस्थ ज्येष्ठाश्रम है अर्थात् सब व्यवहारों में धुरंधर कहाता है।"

(स० प्र० १२२)

अनुशीलन : गृहस्थी की ज्येष्ठता-सम्बन्धी मान्यता का कथन तथा ७७ श्लोक के समान आलंकारिक विधि में वर्णन ६। ८६-६० में द्रष्टव्य है।

गृहस्थ के योग्य कौन—

स सन्धार्यः प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता।
सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुर्बलेन्द्रियैः॥ ७६॥ (५५)

स्त्री-पुरुषो ! जो तुम (अक्षयं स्वर्गम् इच्छता च सुखम् इच्छता)

अक्षय* मुक्ति-सुख और इस संसार के सुख की इच्छा रखते हो (यः दुर्बलेन्द्रियैः अधार्यः) जो दुर्बलेन्द्रिय और निर्बुद्धि पुरुषों के धारण करने योग्य नहीं है (सः नित्यं प्रयत्नेन संधार्यः) उस गृहाश्रम को नित्य प्रयत्न से धारण करो ॥ ७६ ॥ (सं० वि० १५०)

"इसलिए जो मोक्ष और संसार के सुख की इच्छा करता हो, वह प्रयत्न से गृहाश्रम का धारण करे ॥" (स० प्र० १२२)

अनुशीलन : स्वर्ग से अभिप्राय—इस श्लोक के प्रसंग में यहां मनु की स्वर्ग या स्वर्गलोक-सम्बन्धी मान्यताओं को स्पष्ट करदेना उपयोगी होगा, क्योंकि प्रायः इस सम्बन्ध में भ्रान्ति पायी जाती है। मनुस्मृति की मान्यताओं के सन्दर्भ में भी वह भ्रान्ति न हो, इसलिए यहां इस विषय पर विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। मनु इस संसार से भिन्न कोई स्वर्ग या नरकलोक नहीं मानते। सुख की प्राप्ति का नाम स्वर्ग है और दुःख की प्राप्ति का नाम नरक है, जो इसी संसार में जीवन में प्राप्त होते रहते हैं। इसमें प्रमाण हैं—

(१) मनु ने 'स्वर्ग' शब्द का प्रयोग इहसुख और मोक्षसुख दोनों सुखों के लिए किया है। इस श्लोक में अक्षय सुख अर्थात् मोक्ष के लिए 'स्वर्ग' शब्द का प्रयोग है और उसके पर्यायवाची रूप में इहसुख के लिए 'सुख' का प्रयोग है।

(२) सुख के अर्थ या पर्यायवाची रूप में अन्यत्र भी स्वर्ग शब्द का प्रयोग किया है—

(क) "**अस्वर्ग्यं चातिभोजनम्**।" २। ३२ [२। ५७]

(ख) "**दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितॄणामात्मनश्च ह**।" ६। २८ ॥

(ग) "**स्वर्ग-आयुष्य-यशस्यानि व्रतानीमानि धारयेत्**।" ४। १३ ॥

(३) अक्षय सुख अर्थात् मोक्षसुख के लिए स्वर्ग का प्रयोग—

(क) प्रस्तुत ३। ७६ श्लोक में "**स्वर्गमक्षयमिच्छता**"।

(ख) **इदमन्विच्छतां स्वर्गम्, इदमानन्त्यमिच्छताम्**।" ६। ८४ ॥

(४) मनु ने १२। ६, ३६–५२ श्लोकों में मृत्यु के बाद जीव को उसके कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली योनियों का वर्णन किया है। उस प्रसंग में स्वर्गलोक या स्वर्गयोनि विशेष का कोई उल्लेख नहीं है।

(५) व्याकरण शास्त्रानुसार 'स्वर्ग' शब्द 'स्वर्' उपपद में 'गम्लृ-गतौ' धातु से 'ड प्रकरणेऽन्येष्वपि दृश्यते अ० ३। २ ४८ वार्तिकसूत्र से 'डः' प्रत्यय के योग से बनता

---

* अक्षय इतना ही मात्र है कि जितना समय मुक्ति का है। उतने समय में दुःख का संयोग, जैसे विषयेन्द्रिय के संयोगजन्य सुख में होता, वैसा नहीं होता।" (ऋषि दया० सं० वि० टिप्पणी गृहास्थाश्रम प्रकरण)

है। गति के ज्ञान-गमन-प्राप्ति तीन अर्थ होते हैं। 'स्वः' सुख का अनुभव होना, सुख में प्रविष्ट होना, सुख की प्राप्ति होना ही स्वर्ग अर्थात् सुख है।

(६) इसी प्रकार 'स्वर्गलोक' का अर्थ है। 'लोकृ दर्शने' धातु से लोक शब्द बनता है, जिसका अर्थ 'स्थान' है। जहां स्वर्ग प्राप्त होता है—सुख प्राप्त होता है वह स्वर्गलोक है। नरकसम्बन्धी विवेचन ४। ९१ की अन्तर्विरोध समीक्षा में देखिए।

ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा।
आशासते कुटुम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्यं विजानता॥ ८०॥ (५६)

(ऋषयः पितरः देवाः भूतानि तथा अतिथयः) ऋषि-मुनि लोग, माता पिता, अग्नि आदि देवता, भृत्य तथा कुष्ठी आदि और अतिथि लोग (कुटुम्बिभ्यः आशासते) गृहस्थों से ही आशा रखते हैं अर्थात् सहायता की अपेक्षा रखते हैं (विजानता तेभ्यः कार्यम्) अपने गृहस्थ-सम्बन्धी कर्त्तव्यों को समझने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह इनके लिए सहायता कार्य करे॥ ८०॥

अनुशीलन : ऋषि, देवता, देव और पितर के अर्थज्ञान के लिए ३।८२ की समीक्षा देखिए।

पञ्चयज्ञों के मुख्य कर्म—

स्वाध्यायेनार्चयेदर्षीन्होमैर्देवान्यथाविधि।
पितॄञ्श्राद्धैश्च नृनन्नैर्भूतानि बलिकर्मणा॥ ८१॥ (५७)

(स्वाध्यायेन ऋषीन्) स्वाध्याय से ऋषिपूजन (यथाविधि होमैः देवान्) यथाविधि होम से देवपूजन (श्राद्धैः पितॄन्) श्राद्धों से पितृपूजन (अन्नैः नॄन्) अन्नों से मनुष्यपूजन (च) और (बलिकर्मणा भूतानि) वैश्वदेव बलि से प्राणी मात्र का सत्कार करना चाहिए॥ ८१॥ (द० ल० ग्र० २३)

अनुशीलन : इस श्लोक पर महर्षि दयानन्द ने प्रकाश डालते हुए लिखा है—

(१) "इन श्लोकों से क्या आया कि होम जो है, सो ही देवपूजा है, अन्य कोई नहीं। और होमस्थान जितने हैं, वे ही देवालयादिक शब्दों से लिए जाते हैं।

पूजा नाम सत्कार। क्योंकि **'अतिथिपूजनम्' 'होमैर्देवानर्चयेत्'**—अतिथियों का पूजन नाम सत्कार करना, तथा देव परमेश्वर और मन्त्र, इन्हीं का सत्कार, इसका नाम है पूजा, अन्य का नहीं।" (द० शा० ५४)

"इस कथन से अर्वाचीन देवालय अर्थात् मन्दिरों को कोई न समझे, देवालय का अर्थ तो यज्ञशाला ही है।" (पू० प्र० ६७)

श्राद्ध का अर्थ है—श्रद्धा से किया गया कार्य, जैसे श्रद्धापूर्वक माता-पिता की सेवा-सुश्रूषा करना, भोजन देना आदि। यही पितरों का तर्पण या पितृयज्ञ है।

(२) स्वाध्याय-विषयक विस्तृत विवेचन एवं अर्थ ३। ८२ पर देखिए।

पितृयज्ञ का विधान—

कुर्यादहरहः श्राद्धमन्नाद्येनोदकेन वा।
पयोमूलफलैर्वापि पितृभ्यः प्रीतिमावहन्॥ ८२॥ (५८)

गृहस्थ व्यक्ति (अन्नाद्येन वा उदकेन अपि वा पयः+मूल+फलैः) अन्न आदि भोज्य पदार्थों से और जल तथा दूध से कन्दमूल, फल आदि से (पितृभ्यः प्रीतिम् आवहन्) माता-पिता आदि बुजुर्गों से अत्यन्त प्रेम करते हुए (अहः+ अहः श्राद्धं कुर्यात्) प्रतिदिन श्राद्ध=श्रद्धा से किये जाने वाले सेवा-सुश्रूषा, भोजन देना आदि कर्त्तव्य करे॥ ८२॥

अनुशीलन : यहाँ पितृयज्ञ पर विस्तार से विचार किया जा रहा है। इससे श्राद्ध और तर्पणविषयक बातों पर स्पष्ट प्रकाश पड़ेगा तथा मृतकश्राद्ध और तर्पण सम्बन्धी भ्रान्तियाँ भी दूर हो सकेंगी। तीसरा 'पितृयज्ञ' अर्थात् जिसमें जो देव, विद्वान्, ऋषि जो पढ़ने-पढ़ाने हारे पितर माता-पितादि वृद्ध ज्ञानी और परम योगियों की सेवा करनी होती है। इस विषय में विस्तृत विवेचन किया जाता है—पितृयज्ञ के दो भेद हैं—एक तर्पण, दूसरा श्राद्ध। **'येन कर्मणा विदुषो देवान्, ऋषीन्, पितॄंश्च तर्पयन्ति=सुखयन्ति तत्तर्पणम्'**। अर्थात् जिस कर्म से विद्वान्रूप देव, ऋषि और पितरों को सुखयुक्त करते हैं, उसे तर्पण कहते हैं। **'यत्तेषां श्रद्धया सेवनं क्रियते' तत् 'श्राद्धम्'**। अर्थात् जो इन लोगों का श्रद्धा से सेवन करना है, वह श्राद्ध कहाता है। यह तर्पण आदि कर्म विद्यमान अर्थात् जो प्रत्यक्ष हैं, उन्हीं में घटता है, मृतकों में नहीं। क्योंकि, उनकी प्राप्ति और उनका प्रत्यक्ष होना दुर्लभ है। इसी से उनकी सेवा भी किसी प्रकार से नहीं हो सकती। और जो उनका नाम लेकर देवे वह पदार्थ उनको कभी नहीं मिल सकता, इसलिए मृतकों को सुख पहुँचाना सर्वथा असम्भव है·····तर्पण आदि कर्म में सत्कार करने योग्य तीन हैं—देव, ऋषि और पितर।" (द० ल० ग्र० मं० २४५)

(१) 'पितर' से अभिप्राय—

[illegible] विद्या, सुशिक्षा आदि से पालन-पोषण और रक्षण करते हैं, पितर कहलाते हैं। इस [illegible] ब्राह्मणों के प्रमाण द्रष्टव्य हैं—

(अ) **"देवा वा एते पितरः"** (गो० उ० १। २४)

(आ) **"स्विष्टकृतो वै पितरः"** (गो० उ० १। २५)

अर्थात् सुखसुविधाओं द्वारा पालन-पोषण करने वाले और हितसम्पादन करने वाले विद्वान् व्यक्ति 'पितर' कहलाते हैं।

(इ) 'मर्त्याः पितरः' (श० २।१।३।४)

मनुष्य ही 'पितर' हैं अर्थात् मृत नहीं।

इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि मृत पितरों की मान्यता मात्र कल्पना और भ्रान्ति है। माता-पिता-पितामह-आचार्य आदि ही 'पितर' कहलाते हैं।

मनुस्मृति में स्थान-स्थान पर इन्हीं व्यक्तियों को पितर कहा है। ४।२५७ में उनके ऋण से उऋण होने के लिए कहा है— महर्षि-पितृ-देवानां गत्वानृण्यं यथाविधि। यह जीवितों के साथ ही सम्भव हो सकता है। मनुस्मृति के अन्य प्रमाण भी द्रष्टव्य हैं—

(ई) अध्यापयामास पितॄन् शिशुराङ्गिरसः कविः।
पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान्॥ २।१२६॥

(उ) पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्त्विकी गतिः॥ १२।४६॥

(ऊ) पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम्॥ १२।६४॥

(ए) दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितॄणामात्मनश्च ह॥ ६।२८॥

(ऐ) ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा।
आशासते कुटुम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्यं विजानता॥ ३।८०॥

मनु ने ४।३०—३१ में जीवित, धार्मिक, वेदवित् विद्वानों को ही हव्य-कव्य देने का विधान किया है। वे श्लोक मनु की इस मान्यता को सिद्ध करते हैं कि हव्य-कव्य जीवित व्यक्तियों को ही दिये जाते हैं। यही श्राद्ध है। हव्य-कव्य आदि श्राद्ध-सम्बन्धी बातों का मृतक पितृश्राद्ध से कोई सम्बन्ध नहीं।

(ओ) पितरों में वेद का प्रमाण—

ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिस्रुतम्।
स्वधास्थ तर्पयत मे पितॄन्॥ (यजु० २।३४)

"अर्थ—पिता वा स्वामी अपने पौत्र, स्त्री, नौकरों को सब दिन के लिए आज्ञा देके कहे कि—(तर्पयत मे पितॄन्) जो मेरे पिता पितामह आदि, माता, मातामह आदि तथा आचार्य और इनसे भिन्न भी विद्वान् लोग अवस्था अथवा ज्ञान से वृद्ध, मान्य करने योग्य हों, उन सबकी आत्माओं को यथायोग्य सेवा से प्रसन्न किया करो। सेवा करने के [illegible] को उत्तम-उत्तम जल (अमृतम्) अनेक विध रस (घृतम्) दूध (पयः) दूध (कीलालम्) अनेक संस्कारों से सिद्ध किये रोगनाश करने वाले उत्तम-उत्तम अन्न (परिस्रुतम्) सब प्रकार के उत्तम-उत्तम फल हैं, इन सब पदार्थों से उनकी सेवा सदा करते रहो (स्वधास्थ) हे पूर्वोक्त पितृलोगो! तुम सब हमारे अमृतरूप पदार्थों के भोगों से सदा सुखी रहो।" (द० ल० ग्र० सं० २४५—२५५)

(अं) पितरों की गणना और उनका अभिप्राय—

"जिनकी पितृसंज्ञा है और जो सेवा के योग्य हैं वे निम्न हैं—

१—सोमसदः। २—अग्निष्वात्ताः। ३—बर्हिषदः। ४—सोमपाः। ५—हविर्भुजः ६—आज्यपाः ७—सुकालिनः। ८—यमराजाः। ९—पितृपितामहप्रपितामहाः। १०—मातृपितामहीप्रपितामह्यः। ११—सगोत्राः। २—आचार्यादिसम्बन्धिनः।

१—**सोमसदः**—'**सोमे ईश्वरे सोमयागे वा सीदन्ति ये सोमगुणाश्च**' ते '**सोमसदः**'=जो ईश्वर और सोमयज्ञ में निपुण और शान्ति आदि गुण सहित हैं, वे 'सोमसद्' कहाते हैं।

२—**अग्निष्वात्ताः**—'**अग्निरीश्वरः सुष्ठुतया आत्तो गृहीतो यैस्ते यद्वा अग्नेर्गुणज्ञानात् पृथिवी=जल-व्योम-यान-यन्त्ररचनादिका पदार्थविद्या सुष्ठुतया आत्ता गृहीता यैः**' ते '**अग्निष्वात्ताः**'=अग्नि जो परमेश्वर वा भौतिक अग्नि, उनके गुणज्ञात करके जिन्होंने अच्छे प्रकार अग्निविद्या सिद्ध की है, उनको 'अग्निष्वात्त' कहते हैं।

३. **बर्हिषदः**—**बर्हिषि सर्वोत्कृष्टे ब्रह्मणि शम-दमादिषूत्तमेषु गुणेषु वा सीदन्ति**' ते '**बर्हिषदः**'=जो सबसे उत्तम परब्रह्म में स्थिर होके शम, दम, सत्य, विद्या आदि उत्तम गुणों में वर्तमान हैं, उनको 'बर्हिषद्' कहते हैं।

४—**सोमपाः**—'**यज्ञेन उत्तमौषधिरसं पिबन्ति पाययन्ति वा**' ते '**सोमपाः**'=जो यज्ञ करके सोमलता आदि उत्तम औषधियों के रस के पान करने और कराने वाले हैं, तथा जो सोमविद्या को जानते हैं, उनको 'सोमपा' कहते हैं।

५—**हविर्भुजः**—'**हविर्हुतमेव यज्ञेन शोधितवृष्टिजलादिकं भोक्तुं भोजयितुं वा शीलमेषां**' ते '**हविर्भुजः**'=जो अग्निहोत्र आदि यज्ञ करके वायु और वृष्टिजल की शुद्धि द्वारा सब जगत् का उपकार करते और जो यज्ञ से अन्नजलादि की शुद्धि करके खाने पीने वाले हैं, उनको 'हविर्भुज्' कहते हैं।

६—**आज्यपाः**—'**आज्यं घृतम्, यद्वा 'अज् गतिक्षेपणयोः' धात्वर्थात् आज्यं विज्ञानम्, तद्दानेन पान्ति रक्षन्ति पालयन्ति रक्षयन्ति ये विद्वांसः**' ते '**आज्यपाः**'=घृत, स्निग्धपदार्थ और विज्ञान को कहते हैं। जो उनके दान से रक्षा करने वाले हैं, उसको 'आज्यप' कहते हैं।

७—**सुकालिनः**—'**ईश्वरविद्योपदेशकरणस्य ग्रहणस्य च शोभनः कालो येषां ते। यदा ईश्वरज्ञानप्राप्त्या सुखरूपः सदैव कालो ऐषां**' ते '**सुकालिनः**'=मनुष्य-शरीर को प्राप्त होकर ईश्वर और सत्यविद्या के उपदेश का जिनका श्रेष्ठ समय और जो सदा उपदेश में ही वर्तमान हैं, उनको सुकालिन् कहते हैं।

८—**यमराजाः**—'**ये पक्षपातं विहाय न्याय्यव्यवस्थाकर्त्तारः सन्ति**' ते '**यमराजाः**'=जो पक्षपात को छोड़कर सदा सत्य न्यायव्यवस्था ही करने में रहते हैं, उनको 'यमराज' कहते हैं।

९—**पितृ-पितामह-प्रपितामहाः**—(**पितृ**) '**ये सुष्ठुतया श्रेष्ठान् विदुषो गुणान् वासयन्तः तत्र वसन्तश्च, विज्ञानादि अनन्तधनाः स्वान् जनान् धारयन्तः पोषयन्तश्च,**

चतुर्विंशतिवर्षपर्यन्तेन ब्रह्मचर्येण विद्याभ्यासकारिणः स्वे जनकाश्च सन्ति, ते पितरः 'वसवः' विज्ञेया ईश्वरोऽपि'=जो वीर्य के निषेकादि कर्मों को करके उत्पत्ति और पालन करे और चौबीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्याश्रम से विद्या को पढ़े, उसका नाम 'पिता' अथवा 'वसु' है। (पितामह) **'ये पक्षपातरहिता दुष्टान् रोदयन्तः चतुश्चत्वारिंशत् वर्षपर्यन्तेन ब्रह्मचर्यसेवनेन कृतविद्याभ्यासाः ते 'रुद्राः' स्वे पितामहाश्च ग्राह्याः तथा रुद्र ईश्वरोऽपि'**=जो पिता का पिता हो और चवालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य से विद्याभ्यास कर पक्षपातरहित होकर दुष्टों को रुलाने वाला है, उसका नाम 'पितामह' और 'रुद्र' है। (प्रपितामह) **'आदित्यवत् उत्तमगुणप्रकाशकाः विद्वांसो ऽष्टचत्वारिंशत् वर्षेण ब्रह्मचर्येण सर्वविद्यासम्पन्नाः सूर्यवत् विद्याप्रकाशकाः त आदित्याः स्वे प्रपिता महाश्च ग्राह्याः तथा आदित्यो ऽविनाशीश्वरो ऽत्र गृह्यते'**=जो पितामह का पिता और आदित्य के समान उत्तम गुणों का प्रकाशक अड़तालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्याश्रम से विद्या पढ़के सब जगत् का उपकार करता हो, उसको 'प्रपितामह' अथवा 'आदित्य' कहते हैं। तथा जो पित्रादिकों के तुल्य पुरुष हैं उनकी भी पित्रादिकों के तुल्य सेवा करनी चाहिये।

१०—**मातृ-पितामही-प्रपितामह्यः—पित्रादिसदृश्यो मात्रादयः सेव्याः**= पित्रादिकों के समान विद्या स्वभाव वाली स्त्रियों की भी अत्यन्त सेवा करनी चाहिये। माता, दादी, परदादी आदि।

११—**सगोत्राः—'स्वसमीपं पुत्रादयस्ते श्रद्धया पालनीयाः'**=जो समीपवर्ती ज्ञाति के पुरुष हैं, वे भी सेवा करने के योग्य हैं।

१२—**आचार्यादिसम्बन्धिनः—'ये गुर्वादिसख्यन्ताः सन्ति ते हि सर्वदा सेवनीयाः'**—जो पूर्णविद्या के पढ़ाने वाले और श्वसुरादि सम्बन्धी तथा उनकी स्त्री हैं, उनकी यथायोग्य सेवा करनी चाहिए"। (द० ल० ग्रं० २४५—२५५)

इस प्रकार उपर्युक्त गुण वाले जीवित व्यक्तियों को ही 'पितर' कहा जाता है, उनकी सेवा करनी ही पितृयज्ञ है। मृतपितरों की कल्पना भ्रान्ति एवं अज्ञानता है।

(२) **'देव' से अभिप्राय—**

'दिवु=क्रीड़ा-विजिगीषा-व्यवहार-द्युति-स्तुति-मोद-मद-स्वप्न-कान्ति-गतिषु' (दिवादि) धातु से **'पचाद्यच्'** से **'अच्'** प्रत्यय अथवा 'दिवु-मर्दने' (चुरादि) या 'दिवु-परिकूजने' (चुरादि) धातु से 'अच्' प्रत्यय के योग से 'देव' शब्द निष्पन्न होता है। देव जड़ और चेतन दो प्रकार के होते हैं (विस्तृत विवरण १। ६७ की समीक्षा में देखिए)। इस श्लोक में देव शब्द से चेतन देव अभीष्ट हैं। शतपथ में आता है—

(अ) **"इयं वाऽइदं न तृतीयमस्ति सत्यं चैवानृतं च। सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्याः 'इदमहमनृतात् सत्यमुपैमीति' तन्मनुष्येभ्य देवानुपैति।**

(शतपथ १।१।१।४—५)

"दो लक्षणों से मनुष्यों की दो संज्ञाएं होती हैं अर्थात् देव और मनुष्य। वहां सत्य और झूठ दो कारण हैं। जो सत्य बोलने, सत्य मानने और सत्य कर्म करने वाले हैं वे 'देव' और वैसे ही झूठ मानने और झूठ कर्म करने वाले 'मनुष्य' कहाते हैं। जो झूठ से अलग होके सत्य को प्राप्त होवें वे देवजाति में गिने जाते हैं।"

(द० ल० ग्र० सं० २४५—२५५)

(आ) **विद्वांसो हि देवाः** (शत० ३। ७। ६। १०)

(इ) **ये ब्राह्मणाः शुश्रुवांसोऽनूचानास्ते मनुष्यदेवाः॥**

(शत० २। ४। ३। १४॥

(ई) **सत्यसंहिता वै देवाः** (ऐ० ब्रा० १। १६)

अर्थात् विद्वान् मनुष्यों को देव कहते हैं। निरुक्त में देव शब्द की निरुक्ति करते हुए लिखा है—"**देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा, द्युस्थानो भवतीति वा। यो देवः स देवताः**" [निरु० ७।१५] अर्थात् दान देने से, दीप्त होने से, प्रकाशित करने से, द्युस्थानीय होने से 'देव' कहाते हैं। देव को ही देवता कहा जाता है। इस प्रकार विद्याओं से प्रकाशित और विद्याओं का दान देने वाले, दिव्यगुण एवं उत्तम आचरण वाले विद्वानों को 'देव' कहा जाता है।

मनुस्मृति में ऐसे ही विद्वानों को देव कहा है। निम्न श्लोक द्रष्टव्य हैं—

(उ) **ते तमर्थमपृच्छन्त देवानागतमन्यवः।**
देवाश्चैतान्समेत्योचुर्न्याय्यं वः शिशुरुक्तवान्॥ २। १२७॥

(ऊ) **न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः।**
यो वै युवाऽप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः॥ २। १३१॥

(३) ऋषि से अभिप्राय—

'ऋषी गतौ' धातु से 'इन्' प्रत्यय और 'इगुपधात् कित्' के योग से 'ऋषि' शब्द की सिद्धि होती है। गति के ज्ञान, गमन और प्राप्ति, ये तीन अर्थ हैं। ऋषि सबसे उच्चस्तर का विद्वान् व्यक्ति होता है। वेदमन्त्रों के अर्थों का द्रष्टा, धर्म और ईश्वर का साक्षात्कार करने वाला आप्तपुरुष ऋषि कहलाता है। वेद, वेदार्थों और विद्याओं के गूढ़ ज्ञान को प्रत्यक्ष कराने की योग्यता उसमें होती है। वही धर्मोपदेष्टा होता है।

(क) निरुक्तकार ने ऋषि की निरुक्ति की है—"**ऋषिः दर्शनात्। स्तोमान् ददर्श इत्यौपमन्यवः।**" [निरु० २। ११] अर्थात् ऋषि वेदार्थों और विद्याओं के रहस्यों को प्रत्यक्ष करने-कराने वाला होता है। औपमन्यव आचार्य का मत है कि मन्त्रद्रष्टा होने से ऋषि होता है। इसी प्रकार '**साक्षात्कृतधर्माणः ऋषयो बभूवुः।**" अर्थात् ऋषि धर्म और ईश्वर के साक्षात्कर्त्ता होते हैं। [निरु० १। २०]।

(ख) ब्राह्मणों में भी ऋषि की यही विशेषताएं वर्णित की हैं—

(अ) "यो वै ज्ञातोऽनूचानः स ऋषिरार्षेयः।" (श० ४। ३। ४। १६)

(आ) "एते वै विप्रा यद्दृषयः।" (श० १। ४। २। ७)

(ग) महर्षि मनु ने भी ऋषिचर्चा के प्रसंग में इन्हीं विशेषताओं का उल्लेख किया है—

(इ) न हायनैर्नपलितैः न वित्तेन न च बन्धुभिः।
ऋषयश्चक्रिरे धर्मं योऽनूचानः स नो महान्॥ २। १२६॥

(ई) ऋषयो दीर्घसन्ध्यत्वात् दीर्घमायुरवाप्नुयुः।
प्रज्ञां यशश्च कीर्तिं च ब्रह्मवर्चसमेव च॥ ४। ६४॥

(उ) आर्षं धर्मोपदेशम् च॥ १२। १०६॥

(ऊ) "अथ यदेवानुब्रवीत। तेनर्षिभ्य ऋणं जायते, तद्धयेभ्य एतत् करोत्यृषीणां निधिगोप इति ह्यनूचानमाहुः॥" (शत० १। ७। ५। ३)

"अथार्षेयं प्रवृणीते। ऋषिभ्यश्चैवैनमेतद्देवेभ्यश्च निवेदयत्यं महावीर्यो यो यज्ञं प्रापदिति तस्मादार्षेयं प्रवृणीते॥" (शत० १। ४। ५। ३)

"अर्थ—सब विद्याओं को पढ़के जो पढ़ाना है 'ऋषिकर्म' कहाता है, उस पढ़ने और पढ़ाने से ऋषियों का ऋण अर्थात् उनको उत्तम-उत्तम पदार्थ देने से निवृत्त होता है और जो इन ऋषियों की सेवा करता है, वह उनको सुख करने वाला होता है। यही व्यवहार अर्थात् विद्याकोश की रक्षा करने वाला होता है। जो सब विद्याओं को जानके सबको पढ़ाता है; उसको 'ऋषि' कहते हैं।

जो पढ़के, पढ़ाने के लिये विद्यार्थी का स्वीकार करना है, सो आर्षेय अर्थात् ऋषियों का कर्म कहाता है। जो उस कर्म को करता हुआ उन ऋषियों और देवों के लिए प्रसन्न करने वाले पदार्थों का निवेदन तथा सेवा करता है, वह विद्वान् अति पराक्रमी होके विशेष ज्ञान को प्राप्त होता है। जो विद्वान् और विद्या को ग्रहण करने वाला है उसका 'ऋषि' नाम होता है।" (द० ल० ग्र० सं० २४५–२५५)

इस प्रमाणयुक्त विस्तृत विवेचन से यह सिद्ध हो गया है कि पितर, ऋषि, देव जीवित मनुष्यों के स्तरविशेष पर आधारित या विशेषगुणों के आधार पर रखी गई संज्ञाएं हैं। संक्षेप में विद्या के प्रत्यक्षदर्शन के प्रमुख गुण वाले 'ऋषि', आचरण में दिव्य-गुणों की प्रधानता के गुण वाले विद्वान् 'देव' और पालक गुण वाले वयोवृद्ध विद्वान् या पिता आदि 'पितर' हैं।

पितृयज्ञ और बलिवैश्वदेव में किसको जिमाये—

एकमप्याशयेद्विप्रं पित्र्यर्थे पाञ्चयज्ञिके।
न चैवात्राशयेत्किञ्चिद्वैश्वदेवं प्रति द्विजम्॥ ८३॥

(पाञ्चयाज्ञिके पित्र्यर्थे) प्रतिदिन के पांच यज्ञों के अन्तर्गत आने वाले पितृयज्ञ के

निमित्त तो चाहे (एकम्+अपि विप्रम् आशयेत्) एक भी विद्वान् ब्राह्मण को जिमादे= भोजन खिला दे (च+एव) किन्तु (वैश्वदेवं प्रति) बलिवैश्वदेव यज्ञ के निमित्त (कंचित् द्विजं न आशयेत्) किसी ब्राह्मण को भोजन न कराये ॥ ८३ ॥

अनुशीलन : यह श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त है—

१. **अन्तर्विरोध**—(१) ८२ वें श्लोक में दैनिक रूप से अन्न, जल, फल-मूल आदि से पितरों के लिए श्राद्ध करने का कथन है, जिसका अभिप्राय माता-पिता आदि वयोवृद्धों की सेवा-सुश्रूषा करना है। मनु ने वयोवृद्धों को ही 'पितर' कहा है, देखिए २। १२६ [२। १५१] में 'पितृन्' शब्द के प्रयोग को। इस श्लोक में न तो ब्राह्मणों को जिमाने की ही चर्चा है और न ही ब्राह्मणों का भोजन कराने का कोई प्रसंग। अतः ८३ वें श्लोक में पितृयज्ञ में एक ब्राह्मण को भोजन कराने का कथन करना ८२ वें श्लोक के विरुद्ध है। (२) ८३ वें श्लोक में पितरों के लिए एक ब्राह्मण को भोजन कराने का कथन करना मृतकश्राद्ध की मान्यता पर आधारित है, यह मान्यता मनुविरुद्ध है [देखिए ३।११९ से २८४ श्लोकों पर अन्तर्विरोध समीक्षा]। (३) इसी प्रकार वैश्वदेव यज्ञ में ब्राह्मण को भोजन कराने का निषेध करना भी व्यवस्था से तालमेल नहीं खाता, क्योंकि ८४—९२ श्लोकों में वैश्वदेव यज्ञ के विधान में जिमाने या न जिमाने का कोई उल्लेख नहीं है और इस यज्ञ में ब्राह्मण को जिमाने या न जिमाने के कथन की कोई संगति ही नहीं है, क्योंकि यह तो भूतों के लिए मात्र बलि निकालकर रखने का यज्ञ है। इस प्रकार यह श्लोक इन अन्तर्विरोधों के आधार पर प्रक्षिप्त है।

बलिवैश्वदेव यज्ञ का विधान—

वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्येऽग्नौ विधिपूर्वकम्।
आभ्यः कुर्याद्देवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम् ॥ ८४ ॥ (५९)

(ब्राह्मणः) ब्राह्मण एवं द्विज व्यक्ति (गृह्ये अग्नौ) पाकशाला की अग्नि में (विधिपूर्वकम्) विधिपूर्वक (सिद्धस्य वैश्वदेवस्य) सिद्ध=तैयार हुए बलिवैश्वदेव यज्ञ के भाग वाले भोजन का (अन्वहम्) प्रतिदिन (आभ्यः देवताभ्यः होमं कुर्यात्) इन देवताओं=ईश्वरीय दिव्यगुणों के चिन्तन-पूर्वक आहुति देकर हवन करे ॥ ८४ ॥

"चौथा वैश्वदेव—अर्थात जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनार्थ बने उसमें से खट्टा लवणान्न और क्षार को छोड़के घृत, मिष्टयुक्त अन्न लेकर चूल्हे से अग्नि अलग धर निम्नलिखित मन्त्रों से विनयपूर्वक होम नित्य करे (सत्यार्थ० चतुर्थ समु०)

अनुशीलन : **यज्ञ में लवणान्न की आहुति नहीं**—यज्ञ में लवण-युक्त पदार्थ की आहुति डालने का विधान नहीं है। लवणयुक्त भोजन को स्वयं के लिए

प्रयोग करना चाहिए और लवणरहित अन्न, पदार्थ, मिष्टान्न आदि की यज्ञ में आहुति देनी चाहिए। मनु ने ६। १२ में यह मान्यता स्पष्ट की है।

अग्नेः सोमस्य चैवादौ तयोश्चैव समस्तयोः।
विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो धन्वन्तरय एव च॥ ८५॥ (६०)

(आदौ) प्रथम (अग्नेः सोमस्य च एव) अग्नि=पूज्य परमेश्वर और सोम=सब पदार्थों को उत्पन्न और पुष्ट करके सुख देने वाले 'सोमरूप' परमात्मदेव के लिए ['ओम् अग्नये स्वाहा' 'ओं सोमाय स्वाहा' इन मन्त्रों द्वारा] (च) और (तयोः समस्तयोः) उन्हीं देवों के सर्वत्र व्याप्त रूपों के लिए सयुक्त रूप में ['ओम् अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा' इस मन्त्र के द्वारा] अग्नि =जो प्राण अर्थात् सब प्राणियों के जीवन का हेतु है और सोम=जो अपान अर्थात् दुःख के नाश का हेतु है (च) और (विश्वेभ्यः देवेभ्यः एव) विश्वदेवों=संसार को प्रकाशित या संचालित करनेवाले ईश्वरीय गुणों के लिए ['ओं विश्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा' इस मन्त्र द्वारा] (च) तथा (धन्वन्तरये एव) धन्वन्तरि=जन्म-मरण आदि के अवसर पर आने वाले रोगों का नाश करने वाले ईश्वर के गुण के लिए ['ओं धन्वन्तरये स्वाहा' इस मन्त्र से] बलिवैश्वदेव यज्ञ में आहुति देवे॥ ८५॥

कुह्वै चैवानुमत्यै च प्रजापतय एव च।
सहद्यावापृथिव्योश्च तथा स्विष्टकृतेऽन्ततः॥ ८६॥ (६१)

(च) और (कुह्वै) अमावस्या की अधिष्ठात्री ईश्वरीय शक्ति अर्थात् कृष्णपक्ष का रचनेवाला परमेश्वर की शक्ति के लिए ['ओं कुह्वै स्वाहा' मन्त्र से] (च) तथा (अनुमत्यै) पूर्णिमा की अधिष्ठात्री ईश्वरीय शक्ति अर्थात् शुक्लपक्ष का निर्माण करने वाली परमेश्वर की शक्ति के लिए या परमेश्वर की चितिशक्ति के लिए [ओं अनुमत्यै स्वाहा मन्त्र से] (प्रजापतये एव) सब जगत् को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर के सामर्थ्य गुण के लिए ['ओं प्रजापतये स्वाहा' मन्त्र से] (सहद्यावापृथिव्योः) ईश्वर द्वारा उत्पादित द्युलोक और पृथिवी लोक की पुष्टि के लिए [ओं सहद्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा' मन्त्र से] (तथा अन्ततः) और अन्त में (स्विष्टकृते) अभीष्ट सुख देने वाले ईश्वर गुण के लिए ['ओं स्विष्टकृते स्वाहा' मन्त्र से] आहुति देवे॥ ८६॥

एवं सम्यग्घविर्हुत्वा सर्वदिक्षु प्रदक्षिणम्।
इन्द्रान्तकाप्पतीन्वुभ्यः सानुगेभ्यो बलिं हरेत्॥ ८७॥ (६२)

(एवम्) इस प्रकार (सम्यक् हविः हुत्वा) अच्छी तरह उपर्युक्त

आहुतियाँ देकर (सर्वदिक्षु प्रदक्षिणम्) सब दिशाओं में घूमकर (सानुगेभ्यः इन्द्र+अन्तक+अप्पति+इन्दुभ्यः) परमेश्वर के सहचारी गुणों इन्द्र=सर्व प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त होना, अन्तक=यम अर्थात् न्यायकारी होना, या प्राणियों के जन्म-मरण का नियन्त्रण रखने वाला गुण, अप्पति=वरुण अर्थात् सबके द्वारा वरणीय सबसे श्रेष्ठ परमात्मा, इन्द्र=सोम अर्थात् आनन्द-दायक होना इनके लिए स्मरणपूर्वक [क्रमशः 'ओं सानुगायेन्द्राय नमः' मन्त्र से पूर्व दिशा में, ओं सानुगाय यमाय नमः' से दक्षिण दिशा में, 'ओं सानुगाय वरुणाय नमः' से पश्चिम दिशा में, 'ओं सानुगाय सोमाय नमः' से उत्तर दिशा में] (बलिं हरेत्) भोजन के भाग अर्थात् बलि को रखे ॥ ८७ ॥

मरुद्भ्य इति तु द्वारि क्षिपेदप्स्वद्भ्य इत्यपि ।
वनस्पतिभ्य इत्येवं मुसलोलूखले हरेत् ॥ ८८ ॥ (६३)

(मरुद्भ्यः इति तु द्वारि) मरुत्=जीवन के संचालक प्राणरूप परमात्मा के स्मरणपूर्वक ['ओं मरुद्भ्यो नमः' मन्त्र से] द्वार पर (अद्भ्यः इति+अपि अप्सु) सर्वत्र व्याप्त और सम्पूर्ण जगत् के आश्रय रूप परमात्मा के स्मरणपूर्वक ['ओम् अद्भ्यो नमः से], जलों में (क्षिपेत्) बलि भाग को डाले (एवम्) इसी प्रकार (वनस्पतिभ्यः) वनस्पतियों के समीप [ओं वनस्पतिभ्यो नमः' से], (मुसल+उलूखले) मूसल और ऊखल के समीप (हरेत्) बलि रखे ॥ ८८ ॥

उच्छीर्षके श्रियं कुर्याद् भद्रकाल्यै च पादतः ।
ब्रह्मवास्तोष्पतिभ्यां तु वास्तुमध्ये बलिं हरेत् ॥ ८९ ॥ (६४)

(श्रियं उच्छीर्षके) सबके द्वारा सेव्य परमात्मा की सेवा से राज्यश्री अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति के लिये ['ओं श्रियै नमः' से] ईशान कोण की ओर (च) और (भद्रकाल्यै पादतः) परमात्मा की कल्याणकारी शक्ति की प्राप्ति के लिए ['ओं भद्रकाल्यै नमः' से] पृष्ठभाग अर्थात् नैर्ऋत्य कोण की ओर (कुर्यात्) बलिभाग रखे (तु) और (ब्रह्मवास्तोष्पतिभ्याम्) ब्रह्म—वेदविद्या की प्राप्ति के लिए वेदविद्या के दाता परमात्मा के लिए वास्तोष्पति=गृहसम्बन्धी पदार्थों के दाता ईश्वर से सहायता के लिए ['ओं ब्रह्मपतये नमः' 'ओं वास्तुपतये नमः' इन से] (वास्तुमध्ये बलिं हरेत्) घर के मध्य-भाग में बलिभाग रखे ॥ ८९ ॥

विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो बलिमाकाश उत्क्षिपेत् ।
दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नक्तंचारिभ्य एव च ॥ ९० ॥(६५)

(च) और (विश्वेभ्यः देवेभ्यः) संसार के साधक गुणों की प्राप्ति के

लिए संसार के संचालक परमात्मा या विद्वानों के दिव्य गुणों की प्राप्ति लिए (आकाशे बलिम् उत्क्षिपेत्) ['ओ विश्वेभ्यः देवेभ्यः नमः' से] आकाश की ओर या घर के ऊपर बलिभाग रखे (च) तथा (दिवाचरेभ्यः भूतेभ्यः) दिन में विचरण करने वाले प्राणियों के लिए ['ओं दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यः नमः'] (नक्तंचारिभ्यः एव) और रात्रि में विचरण करने वाले प्राणियों के लिए ['ओं नक्तंचारिभ्यो भूतेभ्यो नमः' मन्त्र से] बलि रखे ॥ ९० ॥

पृष्ठवास्तुनि कुर्वीत बलिं सर्वात्मभूतये।
पितृभ्यो बलिशेषं तु सर्वं दक्षिणतो हरेत् ॥ ९१ ॥ (६६)

(सर्वात्मभूतये) सब प्राणियों में व्याप्त या आश्रयरूप परमात्मा की सत्ता का स्मरण करने के लिए ['ओं सर्वात्मभूतये नमः' से] (पृष्ठवास्तुनि बलिं कुर्वीत) घर के पृष्ठभाग में बलिभाग रखे (सर्वं बलिशेषं तु) शेष बलि-भाग को (पितृभ्यः) माता-पिता, आचार्य, अतिथि, भृत्य आदिकों को सम्मानपूर्वक भोजन कराने की भावना को स्मरण करने के लिए [ओं पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः' इस मन्त्र से] (दक्षिणतः हरेत्) घर के दक्षिण भाग में रखे ॥ ९१ ॥*

शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्।
वायसानां कृमीणां च शनकैर्निर्वपेद् भुवि ॥ ९२ ॥ (६७)

(च) और (शुनां पतितानां श्वपचां पापरोगिणां वायसानां च कृमीणां) कुत्ता, पतित, चांडाल, पापरोगी, काक और कृमी इन छः नामों के छः भाग (भुवि शनकैः निर्वपेत्) पृथिवी में धरे ॥ ९२ ॥ (सं० वि० १६४)

इस प्रकार 'श्वभ्यो नमः, पतितेभ्यो नमः, श्वपचेभ्यो नमः, पापरोगिभ्यो नमः, वायसेभ्यो नमः, कृमिभ्यो नमः' से बलि धरकर पश्चात् किसी दुःखी बुभुक्षित प्राणी अथवा कुत्ते, कौवे आदि को दे देवे। यहां नमः शब्द का अर्थ अन्न अर्थात् कुत्ते, चाण्डाल, पापरोगी, कौवे और कृमि अर्थात्

---

* महर्षि-दयानन्द ने ८५ से ९१ श्लोकों का भाव ग्रहण करके स० प्र० १०० से १०२, पञ्चमहायज्ञविधि द० ल० ग्र० २५८—२६३ तथा सं० वि० १६२—१६४ पर बलिवैश्वदेव यज्ञ का वर्णन किया है, इन सभी श्लोकों में दिये गये मन्त्र तथा उनका भाव वहीं से ले लिया गया है, विधियां भी वहीं हैं। विस्तृत होने के कारण उस वर्णन को यहां उद्धृत नहीं किया जा रहा है। विशेष अध्ययन के लिए पाठक उक्त पुस्तक में देख सकते हैं।

चींटी आदि को अन्न देना यह मनुस्मृति आदि की विधि है—
(सत्यार्थ० चतुर्थ समु०)

बलि रखने से उत्तम गति—

एवं यः सर्वभूतानि ब्राह्मणो नित्यमर्चति ।
स गच्छति परं स्थानं तेजोमूर्ति पथर्जुना ॥ ९३ ॥

(यः ब्राह्मणः) जो ब्राह्मण (एवं नित्यं सर्वभूतानि अर्चति) इस उपर्युक्त प्रकार से प्रतिदिन सब प्राणियों की पूजा करता है (सः) वह (तेजोमूर्तिः ऋजुना पथा) तेजस्वी बनकर सीधे-सरल मार्ग से (परं स्थानं गच्छति) उत्तम स्थान को अर्थात् मुक्ति को प्राप्त करता है ॥ ९३ ॥

अनुशीलन : यह श्लोक निम्न 'मानदण्ड' के आधार पर प्रक्षिप्त है-

१. **प्रसंगविरोध**—इस श्लोक ने पूर्वापर वर्णनक्रम को भंग कर दिया है। ९२ वें श्लोक में बलिवैश्वदेव का विधान पूर्ण हुआ है, और ९४ वें में "**कृत्वा एतत् बलिकर्म**" शब्दों के प्रयोग से यह स्पष्ट हो रहा है कि बलिवैश्वदेव यज्ञ की विधि की पूर्णता के बाद यह श्लोक होना चाहिए। तभी दोनों श्लोकों का भाषा के अनुसार वाक्यक्रम जुड़ेगा। इन दोनों के बीच में ९३ वें श्लोक में बलिवैश्वदेव के फल का कथन संगत नहीं बैठता, अतः यह प्रक्षिप्त है।

२. **अन्तर्विरोध**—इस श्लोक में केवल बलिवैश्वदेव से ही मुक्ति होना कहा है। जबकि मनु अनेक नैःश्रेयस कर्मों से मुक्ति मानते हैं [१२। ८२—११६]। अतः इस श्लोक का कथन मनुसम्मत न होने से प्रक्षिप्त है।

अतिथियज्ञ का विधान—

कृत्वैतद् बलिकर्मैवमतिथिं पूर्वमाशयेत् ।
भिक्षां च भिक्षवे दद्याद्विधिवद् ब्रह्मचारिणे ॥ ९४ ॥ (६८)

(एतत् बलिकर्म कृत्वा) उपर्युक्त [३। ८४—९२] बलिवैश्वदेव यज्ञ करके (पूर्वम् अतिथिम् आशयेत्) पहले अतिथि को भोजन खिलाये (च) तथा (भिक्षवे ब्रह्मचारिणे विधिवत् भिक्षां दद्यात्) भिक्षा के लिए आये हुए ब्रह्मचारी के लिए विधिपूर्वक भिक्षा देवे ॥ ९४ ॥

यत्पुण्यफलमाप्नोति गां दत्त्वा विधिवद्गुरोः ।
तत्पुण्यफलमाप्नोति भिक्षां दत्त्वा द्विजो गृही ॥ ९५ ॥

(गुरोः विधिवत् गां दत्त्वा) गुरु के लिए विधि अनुसार गौ दान देने से (यत् पुण्यफलम् आप्नोति) जिस पुण्यरूप फल को गृहस्थी प्राप्त करता है (तत् पुण्यफलं गृही द्विजः) उसी पुण्यरूप फल को गृहस्थी द्विज (भिक्षां दत्त्वा आप्नोति) भिक्षा देकर प्राप्त करता है ॥ ९५ ॥

भिक्षामप्युदपात्रं वा सत्कृत्य विधिपूर्वकम् ।
वेदतत्त्वार्थविदुषे ब्राह्मणायोपपादयेत् ॥ ९६ ॥

गृहस्थी व्यक्ति (विधिपूर्वकं सत्कृत्य) विधि के अनुसार सत्कार करके (वेद-तत्त्वार्थविदुषे) वेद के सिद्धान्त और अर्थ को जानने वाले विद्वान् (ब्राह्मणाय) ब्राह्मण के लिए (भिक्षां वा उदपात्रम्) भिक्षा और जलपात्र को (उपपादयेत्) समर्पित करे॥९६॥

नश्यन्ति हव्यकव्यानि नराणामविजानताम् ।
भस्मीभूतेषु विप्रेषु मोहाद्दत्तानि दातृभिः ॥ ९७ ॥

(दातृभिः) दाता व्यक्तियों द्वारा (भस्मीभूतेषु विप्रेषु मोहात् दत्तानि) जिनका ब्राह्मणपन नष्ट हो गया है ऐसे ब्राह्मणों को मोह=अज्ञान या मोहवश दिये गये (हव्यकव्यानि) हव्य=होम आदि द्वारा देवताओं को दिये गये दान और कव्य=पितरों को दिये गये पदार्थों का दान (अविजानतां नराणाम्) ऐसे अज्ञानी लोगों के (नश्यन्ति) निष्फल हो जाते हैं ॥ ९७ ॥

विद्यातपःसमृद्धेषु हुतं विप्रमुखाग्निषु ।
निस्तारयति दुर्गाच्च महतश्चैव किल्बिषात् ॥ ९८ ॥

(विद्यातपः समृद्धेषु विप्रमुखाग्निषु) विद्या और तपस्या से समृद्ध विद्वानों की मुखरूपी अग्नि में (हुतम्) आहुति के समान दिया गया दान (महतः दुर्गात् च किल्बिषात् एव) महान् क्लेश और महान् पाप से (निस्तारयति) निश्चय से तारता है ॥९८॥

अनुशीलन : ९५ से ९८ श्लोक निम्न 'मानदण्डों' के आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—(१) ९४ वें श्लोक में बलिवैश्वदेव यज्ञ की समाप्ति के पश्चात् **"अतिथिं पूर्वम् आशयेत्"** कहकर आगे अतिथियज्ञ का वर्णन करने का संकेत दिया है। इस श्लोक में जितना आवश्यक था उतना भिक्षा का भी विधान कर दिया। अब पहले, यह प्रसङ्ग बुद्धिसङ्गत सिद्ध होता है, कि आये हुए अतिथि का किस प्रकार सत्कार करे, जो ९९ वें श्लोक में उक्त है। इस प्रकार ९४ वें श्लोक के साथ ९९ श्लोक की संगति बैठती है। बीच में भिक्षा का फल, कैसे ब्राह्मणों को हव्य-कव्य देने चाहिए आदि बातों के वर्णन ने इस संगति को भंग कर दिया है, अतः ये श्लोक प्रसंगविरुद्ध हैं। (२) जब ९४ और ९९ वें श्लोक में पूर्वापर प्रसंग अतिथियज्ञ या अतिथि सम्बन्धी है, तो इस प्रसंग में भिक्षा का फल-कथन या कैसे ब्राह्मणों को हव्यकव्यों का दान देना चाहिए, यह प्रसंग स्वतः अप्रासंगिक है। अतः प्रसंगविरुद्ध होने से ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. **अन्तर्विरोध**—(१) ९६—९८ श्लोकों में विद्या आदि से युक्त और विद्या आदि से रहित ब्राह्मणों का जो भेद किया गया है, उससे यह संकेत मिलता है

कि ये श्लोक उस काल की रचना हैं जब कर्मणा वर्णव्यवस्था शिथिल होकर जन्मना भी मानी जाने लगी थी। क्योंकि मनु तो अध्ययन-अध्यापन कर्म वालों को ही ब्राह्मण मानते है [१।८७-८८; १०। ७४–७६]। अतः विद्यारहित का ब्राह्मण होना ही नहीं बनता। इस प्रकार यह वर्णन मनु की मान्यता के विरुद्ध सिद्ध होता है। (२) ९८ वें श्लोक में पापों से तारने वाली बात का वर्णन भी मनु के ४। २४० श्लोक के विरुद्ध है। उस श्लोक में तथा १२। ३—९ श्लोकों में प्रत्येक कर्म का फल अवश्य प्राप्त होना कहा है।

३. **शैलीगत आधार**—९५ वें श्लोक में गायदान के समान भिक्षा-दान का फल कहना, ९७ वें में दानफल का नष्ट होने का कथन, ९८ वें में पापों से तर जाने का कथन, निराधार, अयुक्तियुक्त एवं अतिशयोक्तिपूर्ण है। मनु के विधानों में ये त्रुटियां नहीं मिलतीं।

संप्राप्ताय त्वतिथये प्रदद्यादासनोदके।
अन्नं चैव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपूर्वकम्॥ ९९॥ (६९)

(तु) और (संप्राप्ताय अतिथये) आये हुए अतिथि के लिए (विधिपूर्वकं सत्कृत्य) व्यवहारोचित विधि के अनुसार सत्कार करके (यथाशक्ति) शक्ति के अनुसार (आसन+उदके च अन्नम् एव) आसन और जल तथा अन्न भी (प्रदद्यात्) प्रदान करे॥ ९९॥

शिलानप्युञ्छतो नित्यं पञ्चाग्नीनपि जुह्वतः।
सर्वं सुकृतमादत्ते ब्राह्मणोऽनर्चितो वसन्॥ १००॥

(शिलान्[1] अपि उञ्छतः) शिलाएं=[कटे हुए खेत में बची अन्न की बालियां] बुगकर जीविका चलाते हुए (नित्यं पञ्चाग्नीन्+अपि जुह्वतः) प्रतिदिन पांच महायज्ञों को करते हुए भी उसके घर में (ब्राह्मणः+अनर्चितः वसन्) यदि कोई ब्राह्मण-अतिथि बिना सत्कार किये रह जाता है तो वह (सर्वं सुकृतम्+आदत्ते) उसके सारे पुण्य को हर ले जाता है॥ १००॥

अनुशीलन : यह श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. **प्रसंगविरोध**—९९ वें श्लोक में, आये हुए अतिथि का यथाशक्ति सत्कार करने का कथन है और १०१ वें श्लोक में उस 'यथाशक्ति' भाव की अर्थवाद रूप में व्याख्या है। बीच में असत्कृत अतिथि का फलकथन असंगत है, और उससे इनका क्रम भंग हो गया है, अतः प्रसंगविरुद्ध होने से यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

२. **अन्तर्विरोध**—इस श्लोक में 'असत्कृत अतिथि द्वारा गृहस्थी के सब पुण्योंका

---

१. पाणिनि धातुपाठ में 'शिलान्' पद में 'शिल षिल उञ्छे' (तुदादि०) उञ्छ अर्थ लिखा है और "भूमौ पतितस्यैकैकस्य कणस्योपादानम् उञ्छः" अर्थात् खेत कटने के बाद खेत में पड़े हुए एक-एक कण का ग्रहण करना उञ्छ कहलाता है। लोक में 'शिल्ला' शब्द से इसका अब भी व्यवहार होता है। (सम्पादक)

हरण कर ले जाने का कथन' मनु की मान्यता के विरुद्ध है। मनु ने ४। २४० में कर्त्ता को कर्मों का स्वयं भोक्ता माना है, अतः कोई दूसरा किसी के पुण्यों या अपुण्यों को नहीं ले सकता इस प्रकार अन्तर्विरोध के कारण यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

३. **शैलीगत आधार**—इस श्लोक में 'सारे पुण्यों का हरण केवल असत्कार मात्र से कर लेना' आदि कथन की शैली अयुक्तियुक्त और अतिशयोक्तिपूर्ण है, अतः यह मौलिक नहीं है।

सज्जनों के घर में सत्कारार्थ सदा उपलब्ध वस्तुएं—

तृणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च सूनृता।
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन॥ १०१॥ (७०)

(तृणानि) बैठने के लिए आसन (भूमिः) बैठने या सोने के लिए स्थान (उदकम्) पानी (च) और (सूनृता वाक्) सत्कारयुक्त मीठी वाणी (एतानि+अपि) सत्कार करने की ये बातें या वस्तुएं तो (सतां गेहे) श्रेष्ठ सभ्य व्यक्तियों के घर में (कदाचन न+उच्छिद्यन्ते) कभी भी नष्ट नहीं होतीं अर्थात् श्रेष्ठ-सभ्य व्यक्ति इनके द्वारा तो अवश्य ही सत्कार करते हैं॥ १०१॥

अतिथि का लक्षण—

एकरात्रं तु निवसन्नतिथिर्ब्राह्मणः स्मृतः।
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते॥ १०२॥(७१)

(ब्राह्मणः) विद्वान् व्यक्ति (एकरात्रं तु निवसन्) जो एक ही रात्रि तक पराये घर में रहे तो उसे (अतिथिः स्मृतः) अतिथि कहा गया है (यस्मात् हि अनित्यं स्थितः) क्योंकि जिस कारण से वह नित्य नहीं ठहरता है अथवा जिसका आना अनिश्चित होता है, इसी कारण से उसे (अतिथिः उच्यते) अतिथि कहा जाता है॥ १०२॥

"जिसके आगमन की कोई नियत तिथि न हो और स्थिति भी जिस की अनियत हो, वह अतिथि कहलाता है। अतिथियज्ञ का अधिकारी वही है, जो विद्वान् हो एवं जिसका आना, जाना और ठहरना अनियत हो, वह चाहे किसी वर्ण का हो उसकी सेवा करना यह एक श्रेष्ठ कर्म है।"

(पू० प्र० १४३)

अतिथि कौन नहीं होते—

नैकग्रामीणमतिथिं विप्रं साङ्गतिकं तथा।
उपस्थितं गृहे विद्याद्भार्या यत्राग्नयोऽपि वा॥ १०३॥ (७२)

(यत्र भार्या अपि वा अग्नयः) जिसके घर में पत्नी हो और पंचयज्ञों की अग्नि जहां प्रज्ज्वलित रहती हो अथवा जहां पाकाग्नि प्रज्ज्वलित होती हो ऐसे (एकग्रामीणं तथा साङ्गतिकं विप्रं गृहे उपस्थितम्) एक गांव में रहने वाला तथा मित्र विद्वान् यदि घर में आया हुआ हो तो (अतिथिं न विद्यात्) उसे अतिथि के रूप में न समझे ॥ १०३ ॥

दूसरों के यहां खाने की भावना से पाप—

उपासते ये गृहस्थाः परपाकमबुद्धयः ।
तेन ते प्रेत्य पशुतां व्रजन्त्यन्नादिदायिनाम् ॥ १०४ ॥ (७३)

(ये गृहस्थाः) यदि गृहस्थ होके (परपाकम् उपासते) पराये घर में भोजनादि की इच्छा करते हैं तो (ते अबुद्धयः तेन) वे बुद्धिहीन गृहस्थ अन्य से प्रतिग्रह रूप पाप करके (प्रेत्य) जन्मान्तर में (अन्नादिदायिनां पशुतां व्रजन्ति) अन्नादि के दाताओं के पशु बनते हैं क्योंकि अन्य से अन्न आदि का ग्रहण करना अतिथियों का काम है, गृहस्थों का नहीं ॥ १०४ ॥

(सं० वि० १५०)

अनुशीलन : जो गृहस्थ लोभ-लालच के वशीभूत होकर यही मनाते रहते हैं कि अपनी बचत हो जाए और दूसरों के यहां खाने का अवसर मिलता रहे। ऐसी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर जो जीवन भर दूसरों के भोजन में मन रखते हैं, उन्हें परजन्म में पशुत्व प्राप्त होता है। क्योंकि उनमें पशुत्व के संस्कार प्रबल और प्रभावी हो जाते हैं।

घर से अतिथि को न लौटाये—

अप्रणोद्योऽतिथिः सायं सूर्योढो गृहमेधिना ।
काले प्राप्तस्त्वकाले वा नास्यानश्नन्गृहे वसेत् ॥ १०५ ॥(७४)

(गृहमेधिना) गृहस्थी को चाहिए कि (सूर्योढः अतिथिः अप्रणोद्यः) सायंकाल सूर्य अस्त होते देख आये हुए अतिथि को वापिस न लौटाये और (काले प्राप्तः वा अकाले) चाहे समय पर आये अथवा असमय पर (अस्य गृहे अनश्नन् न वसेत्) इस गृहस्थी के घर में कोई अतिथि बिना भोजन के नहीं रहे ॥ १०५ ॥

अतिथिपूजन सुख-आयु-यशोदायक—

न वै स्वयं तदश्नीयादतिथिं यन्न भोजयेत् ।
धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्ग्यं वाऽतिथिपूजनम् ॥ १०६ ॥(७५)

(यत् अतिथिं न भोजयेत्) जिस पदार्थ को अतिथि को नहीं खिलावे

(तत् वै स्वयं न अश्नीयात्) उसे गृहस्थी स्वयं भी न खावे, अभिप्राय यह है कि जैसा स्वयं भोजन करे वैसा ही अतिथि को भी दे (अतिथिपूजनम्) अतिथि का सत्कार करना (धन्यं यशस्यम् आयुष्यं वा स्वर्ग्यम्) सौभाग्य, यश, आयु और सुख को देने और बढ़ाने वाला है ॥ १०६ ॥

अनुशीलन : अतिथिसेवा यश-आयु-सुख-सौभाग्य वर्धक—जिस प्रकार अभिवादनशील और वृद्धसेवी व्यक्तियों के यश, विद्या, आयु, बल बढ़ते हैं, उसी प्रकार मनु द्वारा विहित [४। १०६] विद्वान्, धार्मिक, सद्गुण सम्पन्न अतिथियों की सेवा करने से यश मिलता है। उनके सान्निध्य से अच्छे आचरण की, धर्म की, श्रेष्ठ गुणों की शिक्षा से आयु, सौभाग्य और सुख बढ़ते हैं, [२। ९६ (२। १२१) की अनुशीलन समीक्षा भी द्रष्टव्य]।

आसनावसथौ शय्यामनुव्रज्यामुपासनाम्।
उत्तमेषूत्तमं कुर्याद्धीने हीनं समे समम् ॥ १०७ ॥ (७६)

जब गृहस्थ के समीप अतिथि आवें तब (आसन+आवसथौ) आसन, निवास (शय्याम्+अनुव्रज्याम्+उपासनाम्) शय्या, पश्चात् गमन और समीप में बैठना आदि सत्कार जैसे का वैसा अर्थात् (उत्तमेषु+उत्तमं, समे समं, हीने हीनं कुर्यात्) उत्तम का उत्तम, मध्यम का मध्यम और निकृष्ट का निकृष्ट करे, ऐसा न हो कि कभी न समझें ॥ १०७ ॥ (सं० वि० १५०)

दोबारा भोजन पकाने पर बलियज्ञ नहीं—

वैश्वदेवे तु निर्वृत्ते यद्यन्योऽतिथिरागच्छेत्।
तस्याप्यन्नं यथाशक्ति प्रदद्यान्न बलिं हरेत् ॥ १०८ ॥ (७७)

(वैश्वदेवे तु निर्वृत्ते) वैश्वदेव यज्ञ के समाप्त होने पर अर्थात् भोजन बनने और उसकी यज्ञ में आहुतियां दे देने के पश्चात् भी (यदि+अन्यः+अतिथिः+आगच्छेत्) यदि कोई और अतिथि आ जाये तो (तस्य+अपि यथाशक्ति अन्नं प्रदद्यात्) उसको भी यथाशक्ति भोजन करावे (बलिं न हरेत्) दुबारा भोजन बनाने के बाद बलिभाग नहीं निकाले ॥ १०८ ॥

अनुशीलन : श्लोक ९४ से १०८ तक के विषय में सत्यार्थप्रकाश चतुर्थ समुल्लास में निम्न प्रकार लिखा है—"अब पांचवीं अतिथिसेवा—अतिथि उसको कहते हैं कि जिस की कोई तिथि निश्चित न हो अर्थात् अकस्मात् धार्मिक सत्योपदेशक सब के उपकारार्थ सर्वत्र घूमनेवाला पूर्ण विद्वान् परमयोगि-संन्यासी गृहस्थ के यहाँ आवे तो उसको प्रथम पाद्य, अर्घ्य और आचमनादि तीन प्रकार का जल देकर पश्चात् आसन पर सत्कारपूर्वक बिठालकर खान, पान आदि उत्तमोत्तम पदार्थों से सेवासुश्रूषा करके, प्रसन्न करे। पश्चात् सत्संग करे। उनसे ज्ञान-विज्ञान आदि जिनसे धर्म, अर्थ, काम और

मोक्ष की प्राप्ति होवे ऐसे-ऐसे उपदेशों का श्रवण करे और अपना चाल-चलन भी उनके सदुपदेशानुसार रक्खे"।

संस्कार विधि गृहाश्रम के अतिथियज्ञ प्रकरण में निम्न प्रकार लिखा है—

"पांचवां जो धार्मिक;, परोपकारी, सत्योपदेशक, पक्षपात रहित, शान्त, सर्व हितकारक विद्वानों की अन्नादि से उनसे प्रश्नोत्तर आदि करके विद्या प्राप्त होना 'अतिथियज्ञ' कहाता है, उसको नित्य किया करें।"

ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के पञ्चमहायज्ञान्तर्गत अतिथियज्ञ-विधान में निम्न प्रकार लिखा है—"अब पांचवां अतिथियज्ञ अर्थात् जिसमें अतिथियों की यथावत् सेवा करनी होती है उसको लिखते हैं। जो मनुष्य पूर्ण विद्वान् परोपकारी, जितेन्द्रिय, धर्मात्मा सत्यवादी, छल-कपट रहित और नित्य भ्रमण करके विद्याः धर्म का प्रचार और अविद्या अधर्म की निवृत्ति सदा करते रहते हैं, उनको अतिथि कहते हैं। इसमें वेदमन्त्रों के अनेक प्रमाण हैं।"

न भोजनार्थं स्वे विप्रः कुलगोत्रे निवेदयेत्।
भोजनार्थं हि ते शंसन्वान्ताशीत्युच्यते बुधैः॥ १०९॥

(विप्रः) द्विज (भोजनार्थम्) अच्छा भोजन पाने के लिए (स्वे कुलगोत्रे न निवेदयेत्) अपने कुल और गोत्र की दुहाई न दे अर्थात् अपने बड़े कुल या प्रतिष्ठित वंश की प्रशंसा करके अच्छा भोजन पाने की प्रवृत्ति प्रकट न करे (हि) क्योंकि (भोजनार्थं ते शंसन्) भोजन पाने के लिए उन कुल-गोत्रों की प्रशंसा करने वाला व्यक्ति (बुधैः) विद्वानों द्वारा ('वान्ताशी' इति उच्यते) 'उगलकर खाने वाला' इस निन्दित विशेषण से सम्बोधित किया जाता है॥ १०९॥

न ब्राह्मणस्य त्वतिथिर्गृहे राजन्य उच्यते।
वैश्यशूद्रौ सखा चैव ज्ञातयो गुरुरेव च॥ ११०॥

(ब्राह्मणस्य गृहे) ब्राह्मण के घरपर आये हुए (राजन्यः वैश्यशूद्रौ) क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र (सखा) मित्र (च) तथा (ज्ञातयः) रिश्ते-नातेदार (च) और और (गुरुः एव) गुरु भी (अतिथिः न उच्यते) अतिथि नहीं कहलाते हैं॥ ११०॥

यदि त्वतिथिधर्मेण क्षत्रियो गृहमाव्रजेत्।
भुक्तवत्सु च विप्रेषु कामं तमपि भोजयेत्॥ १११॥

(यदि तु+अतिथिधर्मेण) यदि अतिथि के रूप में (क्षत्रियः गृहम्+आव्रजेत्) क्षत्रिय भी घर में आ जाये (विप्रेषु भुक्तवत्सु) तो ब्राह्मण अतिथियों के भोजन कर लेने पर (तम्+अपि कामं भोजयेत्) उसको भी इच्छानुसार भोजन करा देवे॥ १११॥

वैश्यशूद्रावपि प्राप्तौ कुटुम्बेऽतिथिधर्मिणौ।
भोजयेत्सह भृत्यैस्तावानृशंस्यं प्रयोजयन्॥ ११२॥

(कुटुम्बे) परिवार अर्थात् घर पर (वैश्यशूद्रौ=अपि अतिथिधर्मिणौ प्राप्तौ) वैश्य और शूद्र भी अतिथि के रूप में आ जायें तो (तौ) उन दोनों वर्ण वालों को (आनृ-

शंस्यं प्रयोजयन्) कृपाभावना रखता हुआ (भृत्यैः सह भोजयेत्) सेवकों के साथ भोजन करा दे ॥ ११२ ॥

अनुशीलन :१०९ से ११२वें तक के श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—(१) १०८ वें श्लोक में 'यदि वैश्वदेव यज्ञ करने के पश्चात् कोई अतिथि आ जाये तो उसे भी भोजन करादेवे, दोबारा बलि न रखे।' यह कहने से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि अतिथियों के भोजन के सम्बन्ध में सभी विधान पूर्ण हो चुके हैं। उसके बाद उससे भिन्न अन्य विकल्पात्मक विधान ११३—११६ में वर्णित हैं। एक प्रसंग के पूर्ण हो जाने पर पुनः ११०—११२ श्लोकों में अतिथि की परिभाषा का कथन, किसको किस प्रकार खिलाना चाहिए आदि बातों का वर्णन प्रसंगविरुद्ध है। (२) 'किसको अतिथि नहीं मानना चाहिए' यह प्रसंग पहले ही १०३ वें श्लोक में वर्णित हो चुका है। इन श्लोकों में फिर से उसी प्रकार की बातों का वर्णन किया है।यदि ये श्लोक मौलिक होते तो ये १०३ के साथ सम्बद्ध होने चाहियें थे। किन्तु वहाँ न होकर प्रसंगसमाप्ति पर पुनः इनका वर्णन करना यह सिद्ध करता है कि ये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परवर्ती काल में जोड़े गये हैं।

२. **पुनरुक्ति**—१०३ में सांगतिक अर्थात् मित्र को अतिथि मानना एक बार कहा जा चुका है। उसके बाद "**इतरान् अपि सख्यादीन्·····गृहमागतान्····· भोजयेत्**" [११३] के अतिरिक्त विकल्पात्मक विधान से भी यही संकेत मिलता है कि मनु ने मित्र को अतिथि से भिन्न माना है। ११० वें श्लोक में अन्य व्यक्तियों के साथ पुनः एक बार 'सखा' को अतिथि न मानने का निर्देश है—एक बार इस बात का कथन होने पर उसी प्रसंग का पुनः कथन करना पुनरुक्ति मात्र है—इससे स्पष्ट होता है कि यह मनु की रचना न होकर अन्य व्यक्ति की है। इस प्रकार यह श्लोक तथा इससे प्रसंग की दृष्टि से सम्बद्ध १११ और ११२ वाँ श्लोक स्वतः ही प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं।

३. **अन्तर्विरोध**—(१) मनु ने १०३ श्लोक में जिन व्यक्तियों को अतिथि न मानने का निर्देश दिया है, उससे ज्ञात होता है कि मनु वर्ण के आधार पर किसी विशिष्ट वर्ण के व्यक्ति को ही अतिथि नहीं मानते, अपितु सभी को अतिथि मानते हैं। यदि मनु को वर्ण के आधार पर अतिथि रूप अभीष्ट होता तो वे उस श्लोक में या उसके साथ वर्ण के आधार पर ही अतिथि मानने का निर्देश देते। ११०—११२ श्लोकों में पूर्व व्यवस्था से भिन्न वर्णाधारित व्यवस्था है। यह भिन्नता विरोध की सूचक है। (२) मनु ने वैश्य और शूद्र की स्थिति में पर्याप्त अन्तर माना है। वैश्य द्विजों में परिगणित है, जबकि शूद्र द्विजों से निम्न है। ११२ वें श्लोक में वैश्य-शूद्र को समान स्थिति वाला दिखलाना, मनु की व्यवस्था से तालमेल नहीं रखता। इससे संकेत मिलता

है कि इस प्रसंग का वर्णन किसी अन्य व्यक्ति की व्यवस्था है। (३) १०९ वें श्लोक में कुल-गोत्र को कहकर भोजन की इच्छा न करने का कथन है। इस विधान से यह प्रतीत होता है कि यह उस परवर्तीकाल का विधान है जब कुल और गोत्र के आधार पर बड़प्पन माना जाने लगा था। मनु के अनुसार तो बड़प्पन के केवल पांच आधार हैं—वित्त, बन्धु, अवस्था, कर्म और विद्या [२। १११—११२ (१३६—१३७)]। इनमें कहीं कुल-गोत्र के आधार पर बड़प्पन का उल्लेख नहीं है। जब मनु के समय में बड़प्पन के ये आधार ही नहीं थे, तो उनके आधार पर विधान करने का अवसर ही नहीं आता। इस आधार पर १०९ वाँ श्लोक परवर्ती काल का प्रक्षेप है। (४) ४। २९—३० में अतिथि सेवा का विधान वर्णानुसार नहीं अपितु कर्मानुसार है। ये श्लोक उसके भी विरुद्ध हैं।

अतिथियों से भिन्न व्यक्तियों को भोजन—

इतरानपि सख्यादीन्सम्प्रीत्या गृहमागतान्।
सत्कृत्यान्नं यथाशक्ति भोजयेत्सह भार्यया॥ (११३)(७८)

(संप्रीत्या) प्रीतिपूर्वक (भार्यया सह गृहम्+आगतान् इतरान् सख्यादीन् अपि) पत्नी के साथ घर में आये अन्य मित्र आदि को भी (सत्कृत्य) सत्कारपूर्वक (यथाशक्ति अन्नं भोजयेत्) शक्ति के अनुसार भोजन करावे॥ ११३॥

अतिथियों से पहले किन को भोजन दें—

सुवासिनीः कुमारीश्च रोगिणो गर्भिणीः स्त्रियः।
अतिथिभ्योऽग्र एवैतान्भोजयेदविचारयन्॥११४॥(७९)

(सुवासिनीः च कुमारीः) नव विवाहिता और अल्पवयस्क कन्याओं (रोगिणः) रोगियों को (गर्भिणीः स्त्रियः) गर्भवती स्त्रियों को (एतान्) इन्हें (अतिथिभ्यः+अग्रे+एव) अतिथियों से पहले ही (अविचारयन्) बिना किसी संदेह के अर्थात् बड़े-छोटे को पहले-पीछे भोजन कराने का विचार किये बिना (भोजयेत्) खिला दे॥ ११४॥

अदत्त्वा तु य एतेभ्यः पूर्वं भुङ्क्तेऽविचक्षणः।
स भुञ्जानो न जानाति श्वगृध्रैर्जग्धिमात्मनः॥ ११५॥

(यः अविचक्षणः) जो मूर्ख गृहस्थ (एतेभ्यः अदत्त्वा) इन्हें भोजन न देकर (पूर्वं भुङ्क्ते) पहले स्वयं खा लेता है (सः) वह (आत्मनः श्वगृध्रैः जग्धिम्) अपने को कुत्ते और गीधों द्वारा खाये जाने को (न जानाति) नहीं जानता। अर्थात् ऐसे व्यक्ति को मरने पर कुत्ते, गीध खाते हैं॥ ११५॥

अनुशीलन : यह श्लोक निम्न प्रकार से प्रक्षिप्त सिद्ध होता है—

१. **प्रसंगविरोध**—दम्पती को भोजन कब करना चाहिए, यह विधान तो ११६ वें श्लोक में किया है, किन्तु इस श्लोक में उससे पूर्व ही भोजन करने का फल-कथन पहले ही कर दिया। यह स्पष्टतः असंगत है। अर्थवाद विधिवाक्य के पश्चात् आता है, पहले नहीं। इस आधार पर यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

२. **अन्तर्विरोध**—इस श्लोक के वर्णन से यह ज्ञात होता है, जैसे कि वर्णन करने वाला मृत्यु के उपरान्त शरीर की अन्त्येष्टि क्रिया होना नहीं मानता। यह मान्यता मनुविरुद्ध है। मनु ने मरने पर दाहक्रिया का विधान किया है [५। १६७—१६८]। जब शरीर का दाह हो गया तो उसका कुत्तों; गीधों द्वारा खाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस विरोध के आधार पर यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

३. **शैलीगत आधार**—इस श्लोक की शैली अयुक्तियुक्त एवं अतिशयोक्ति-पूर्ण है। न तो कुत्तों, गीधों से शरीर को खाये जाने वाली बात बुद्धिसंगत है और न केवल पहले खाने मात्र से ही इतने अधिक कष्ट का होना मान्य है।

गृहस्थ दम्पती को सबके बाद भोजन करना और यज्ञशेष भोजन करना—

भुक्तवत्स्वथ विप्रेषु स्वेषु भृत्येषु चैव हि।
भुञ्जीयातां ततः पश्चादवशिष्टं तु दम्पती॥ ११६॥ (८०)

(अथ विप्रेषु भुक्तवत्सु) विद्वान् अतिथियों द्वारा भोजन कर लेने पर (च) और (स्वेषु भृत्येषु एव हि) अपने सेवकों आदि के खा लेने पर (ततः पश्चात्) उसके बाद (अवशिष्टम् तु) शेष बचे भोजन को (दम्पती भुञ्जीयाताम्) पति-पत्नी खायें॥ ११६॥

देवानृषीन्मनुष्यांश्च पितॄन्गृह्याश्च देवताः।
पूजयित्वा ततः पश्चाद् गृहस्थः शेषभुग्भवेत्॥ ११७॥ (८१)

(देवान्) दिव्यगुण सम्पन्न विद्वानों को, (ऋषीन्) विद्या के प्रत्यक्ष-कर्त्ता मन्त्रार्थद्रष्टा ऋषियों को, (मनुष्यान्) साधारण मनुष्यों को (च) और (पितॄन्) जीवित माता-पिता आदि पालक व्यक्तियों को (च) तथा (गृह्याः देवताः) ईश्वरीय दिव्यगुणों [३। ८४—९०] के चिन्तनपूर्वक यज्ञ में आहुति देकर और गृहस्थ द्वारा भरण-पोषण की अपेक्षा रखने वाले असहाय, अनाथ, कुष्ठी, भृत्य [३। ९१—९२] आदि को (पूजयित्वा) भोजन-दान द्वारा सत्कृत करके और उनका भाग निकालकर (गृहस्थः) गृहस्थ (ततः पश्चात्) उसके बाद (शेषभुक् भवेत्) इनसे शेष बचे भोजन को खाने वाला हो अर्थात् उस शेष भोजन को खाया करे॥ ११७॥ ❀

❀[प्रचलित अर्थ—देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों, पितरों, गृहस्थित शालिग्राम आदि प्रतिमाओं की पूजा (देवर्षिपितृतर्पण, अतिथ्यादि भोजन, प्रतिमादि पूजन) कर गृहस्थ शेष बचे हुए अन्न का भोजन करे॥ ११७॥]

अनुशीलन : गृहदेवता – (१) यहां 'गृहदेवता' से अभिप्राय श्लोक ३।८४—९१ में वर्णित ईश्वरीय दिव्य गुणों से है, जिनके स्मरण, आहुतिपूर्वक गृहस्थ के आश्रय की अपेक्षा रखने वाले प्राणियों के लिए भोजन का भाग निकाला जाता है। इसी अभिप्राय को मनु ने "**भूतानि बलिकर्मणा**" [३।८१] पदों से तथा ३।७२ में 'भृत्यानाम्' पद से स्पष्ट किया है।

(२) देवता, ऋषि, पितर शब्दों के विस्तृत अर्थज्ञान के लिए ३।८२ की समीक्षा तथा भूमिका देखिए।

अघं स केवलं भुङ्क्ते यः पचत्यात्मकारणात्।
यज्ञशिष्टाशनं ह्येतत्सतामन्नं विधीयते ॥ ११८ ॥ (८२)

(यः केवलम् आत्मकारणात् पचति) जो व्यक्ति केवल अपना पेट भरने के लिए ही भोजन पकाता है (सः) वह (अघं भुङ्क्ते) केवल पाप को खाता है अर्थात् इस प्रवृत्ति से स्वार्थ आदि की पाप भावना ही बढ़ती है (हि) क्योंकि (एतत्) यह उपर्युक्त [११७] (यज्ञशिष्ट+अशनम्)यज्ञों से शेष भोजन ही (सताम्+अन्नं विधीयते) सज्जनों का अन्न माना गया है। इसके विपरीत बिना यज्ञ का भोजन असत्पुरुषों का भोजन है ॥ ११८ ॥

राजा आदि का सत्कार—

राजर्त्विक्स्नातकगुरून्प्रियश्वशुरमातुलान्।
अर्हयेन्मधुपर्केण परिसंवत्सरात् पुनः ॥ ११९ ॥

(राजा+ऋत्विक्+स्नातक-गुरून्) राजा, ऋत्विज्=पुरोहित, स्नातक, गुरु को (प्रिय श्वशुर-मातुलान्) प्रिय मित्र अथवा दामाद, श्वशुर और मामा को (परिसंवत्सरात् पुनः) एक वर्ष के पश्चात् आने पर (मधुपर्केण अर्हयेत्) उनका मधुपर्क [=दही, दूध, घी, शहद, मीठा, इन पाँच पदार्थों के मिश्रण से बनाया गया द्रव-पदार्थ जो सम्मान के लिए भेंट किया जाता है] से सत्कार करें ॥ ११९ ॥

राजा च श्रोत्रियश्चैव यज्ञकर्मण्युपस्थितौ।
मधुपर्केण सम्पूज्यौ न त्वयज्ञ इति स्थितिः ॥ १२० ॥

(राजा च श्रोत्रियः[1]) राजा और वेदपाठी (यज्ञकर्मणि उपस्थितौ एव) यदि यज्ञ कर्म में आवें तभी (मधुपर्केण संपूज्यौ) मधुपर्क द्वारा पूजनीय हैं (अयज्ञे तु न इति स्थितिः) यज्ञ से भिन्न समय में मधुपर्क से पूजनीय नहीं हैं, ऐसी मान्यता है ॥ १२० ॥

सायं त्वन्नस्य सिद्धस्य पत्न्यमन्त्रं बलिं हरेत्।
वैश्वदेवं हि नामैतत्सायं प्रातर्विधीयते ॥ १२१ ॥

---

१. 'श्रोत्रियंश्छन्दोऽधीते' (अ० ५।२।८४) इस सूत्र से 'छन्दोऽधीते' इस वाक्यार्थ में 'श्रोत्रियन्' शब्द का निपातन किया है। अतः वेद पढ़ने वाले को 'श्रोत्रिय' कहते हैं। (सं०)

(सायं तु+अन्नस्य सिद्धस्य) सायंकाल के भोजन के पक जाने पर (पत्नी+अमन्त्रं बलिं हरेत्) पत्नी मन्त्रोच्चारण किये बिना इस भोजन में से बलिभाग निकाल कर रखे (हि) यतो हि (एतत् वैश्वदेवं नाम) यह बलिवैश्वदेव नामक यज्ञ (सायं-प्रातः विधीयते) सायं और प्रातःकाल दोनों समय करना विहित है ॥ १२१ ॥

मृतकश्राद्ध का विधान एवं तत्सम्बन्धी नियम—

पितृयज्ञं तु निर्वर्त्य विप्रश्चेन्दुक्षयेऽग्निमान् ।
पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धं कुर्यान्मासानुमासिकम् ॥ १२२ ॥

(अग्निमान् विप्रः) अग्निहोत्री द्विज को चाहिए कि (पितृयज्ञं तु निर्वर्त्य) दैनिक पितृयज्ञ करके (मास+अनुमासिकम्) प्रतिमास (इन्दुक्षये) चन्द्रमा के क्षीण होने वाले दिन अर्थात् अमावस्या को (पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धं कुर्यात्) 'पिण्डान्वाहार्यक=पिण्ड+अनु+आहार्यक—पिण्डदान देने के पश्चात् जिसमें ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाये, उस श्राद्ध को करे ॥ १२२ ॥

पितृणां मासिकं श्राद्धमन्वाहार्यं विदुर्बुधाः ।
तच्चामिषेण कर्तव्यं प्रशस्तेन प्रयत्नतः ॥ १२३ ॥

(बुधाः) विद्वान् लोग (पितृणां मासिकं श्राद्धम्) पितरों के मासिक श्राद्ध को (अन्वाहार्यं विदुः) 'पिण्डान्वाहार्यक' नामक श्राद्ध कहते हैं (च तत्) और इस श्राद्ध को (प्रयत्नतः) यत्नपूर्वक (प्रशस्तेन आमिषेण) उत्तम मांस के द्वारा सम्पन्न करना चाहिए [३।२६६–२७२] ॥ १२३ ॥

तत्र ये भोजनीयाः स्युर्ये च वर्ज्या द्विजोत्तमाः ।
यावन्तश्चैव यैश्चान्नैस्तान् प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ १२४ ॥

(तत्र) उस पितृयज्ञ के श्राद्ध में (ये द्विजोत्तमाः भोजनीयाः स्युः) जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जिमाने चाहिएं (च) और (ये वर्ज्याः) जिनका जिमाना वर्जित है (च) तथा (यावन्तः) जितने जिमाने चाहिएं (च) और (यैः अन्नैः) जितने प्रकार के भोजनों से जिमाने चाहिएं (तान्) इन सब बातों को (अशेषतः) पूर्णरूप से (प्रवक्ष्यामि) कहूँगा— ॥ १२४ ॥

द्वौ दैवे पितृकार्ये त्रीनेकैकमुभयत्र वा ।
भोजयेत् सुसमृद्धोऽपि न प्रसज्जेत विस्तरे ॥ १२५ ॥

(सुसमृद्धः+अपि) धनवान् व्यक्ति भी (दैवे द्वौ) देवयज्ञ के उद्देश्य से जिमाने में दो ब्राह्मणों को (पितृकार्ये त्रीन्) पितृयज्ञ में तीन को (वा) अथवा (उभयत्र) एक+एकम्) दोनों यज्ञों में केवल एक-एक ब्राह्मण को ही (भोजयेत्) जिमाये (विस्तरे न प्रसज्जेत) अधिक विस्तार में न पड़े अर्थात् इससे अधिक को जिमाने का प्रयत्न न करे ॥ १२५ ॥

सत्क्रियां देशकालौ च शौचं ब्राह्मणसम्पदः ।
पञ्चैतान्विस्तरो हन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम् ॥ १२६ ॥

(विस्तरः) अधिक विस्तार की भावना (सत्क्रियाम्) सत्कार (च) और (देश-कालौ) देश, काल (शौचम्) पवित्रता (ब्राह्मणसंपदः) सुपात्र ब्राह्मणों का मिलना (पञ्च+एतान् हन्ति) इन पांच बातों को नष्ट कर देती है (तस्मात्) इस कारण (विस्तरं न+ईहेत) विस्तार की इच्छा श्राद्धदाता न करे ॥ १२६ ॥

प्रथिता प्रेतकृत्यैषा पित्र्यं नाम विधुक्षये ।
तस्मिन् युक्तस्यैति नित्यं प्रेतकृत्यैव लौकिकी ॥ १२७ ॥

(पित्र्यं नाम) पितृयज्ञ के नाम से प्रसिद्ध (एषा प्रेतकृत्या विधुक्षये प्रथिता) यह मरे हुए पिता आदि से सम्बन्ध रखने वाली क्रिया अमावस्या के दिन करने के लिए प्रसिद्ध है (तस्मिन् नित्यं युक्तस्य) इस क्रिया को सदा करने वाले को (लौकिकी प्रेतकृत्या एति) लौकिक प्रेतकृत्या प्राप्त होती है अर्थात् पुत्र-पौत्र धन-धान्य आदि की प्राप्ति होती है ॥ १२७ ॥

श्रोत्रियायैव देयानि हव्यकव्यानि दातृभिः ।
अर्हत्तमाय विप्राय तस्मै दत्तं महाफलम् ॥ १२८ ॥

(दातृभिः) दाताओं को चाहिए कि वे (अर्हत्तमाय श्रोत्रियाय विप्राय एव) सुयोग्य वेदपाठी ब्राह्मण को ही (हव्य-कव्यानि) देवयज्ञ के उद्देश्य से दिये जाने वाले और पितृयज्ञ के उद्देश्य से दिये जाने वाले दान (देयानि) दें, क्योंकि (तस्मै दत्तं महाफलम्) उसको दिया गया दान ही महान् पुण्यफल को देता है ॥ १२८ ॥

अनुशीलन : हव्य-कव्य पर विस्तृत विवेचन ४। ३१ की समीक्षा में द्रष्टव्य है।

एकैकमपि विद्वांसं दैवे पित्र्ये च भोजयेत् ।
पुष्कलं फलमाप्नोति नामन्त्रज्ञान् बहूनपि ॥ १२९ ॥

(दैवे च पित्र्ये) देवकर्म और पितृकर्म में (विद्वांसम्) सुयोग्य वेदविद्वान् को (एकैकम्+अपि भोजयेत्) जो एक-एक को भी जिमाता है (पुष्कलं फलम्+आप्नोति) वह बहुत फल को पा लेता है (अमन्त्रान् बहून्+अपि न) लेकिन वेदहीन बहुत-से ब्राह्मणों को भी जिमाने से फल नहीं मिलता ॥ १२९ ॥

दूरादेव परीक्षेत ब्राह्मणं वेदपारगम् ।
तीर्थं तद्धव्यकव्यानां प्रदाने सोऽतिथिः स्मृतः ॥ १३० ॥

(वेदपारगं ब्राह्मणं दूरात्+एव परीक्षेत) वेद में पारंगत विद्वान् ब्राह्मण को श्राद्धदाता दूर से ही अर्थात् बुलाने से पहले ही अच्छी प्रकार परीक्षा कर ले और फिर बुलाये (हि) क्योंकि (तत्) वही (तीर्थम्) तीर्थ के समान पापों से तारनेवाला है (हव्य

कव्यानां प्रदाने) और हव्य-कव्यों का दान करने के लिए (सः अतिथिः स्मृतः) उसे ही श्रेष्ठ अतिथि माना गया है ॥ १३० ॥

सहस्रं हि सहस्राणामनृचां यत्र भुञ्जते ।
एकस्तान् मन्त्रवित् प्रीतः सर्वानर्हति धर्मतः ॥ १३१ ॥

(यत्र) जिस श्राद्ध में (अनृचाम्) वेदों के न जानने वाले (सहस्राणां हि सहस्रम्) हजारों का गुना एक हजार अर्थात् दस लाख ब्राह्मण भी (भुञ्जते) भोजन करते हैं (तान् सर्वान् प्रीतः एकः मन्त्रवित् धर्मतः अर्हति) उन सबकी तुलना में भोजन आदि से संतुष्ट-प्रसन्न हुवा एक वेद का विद्वान् ब्राह्मण धर्मात्मा होने के कारण अधिक फल देता है ॥ १३१ ॥

ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि कव्यानि च हवींषि च ।
न हि हस्तावसृग्दिग्धौ रुधिरेणैव शुद्ध्यतः ॥ १३२ ॥

(हवींषि च कव्यानि) हव्य और कव्य (ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि) उत्तम ज्ञानी व्यक्ति को ही देने चाहिएँ (हि) क्योंकि (असृग्-दिग्धौ हस्तौ) खून से सने हाथ (रुधिरेण एव न शुध्यतः) खून से धोने से शुद्ध नहीं होते अर्थात् मूर्खता में किये गये पापों की शुद्धि मूर्ख व्यक्तियों को जिमाने से नहीं हो सकती। यह तो ज्ञानी व्यक्तियों को जिमाने से होती है ॥ १३२ ॥

यावतो ग्रसते ग्रासान् हव्यकव्येष्वमन्त्रवित् ।
तावतो ग्रसते प्रेत्य दीप्तशूलर्ष्ट्ययोगुडान् ॥ १३३ ॥

(अमन्त्रवित्) वेद का न जानने वाला ब्राह्मण (हव्यकव्येषु) हव्य-कव्यों में (यावतः ग्रासान् ग्रसते) जितने ग्रास खाता है (प्रेत्य) मरकर श्राद्ध करने वाला (तावतः) उतने ही (दीप्तशूलर्ष्टि-अयोगुडान्) तपे हुए दुधारे अस्त्रों और लोहे के गोलों को खाता है अर्थात् उसे इतने भयंकर कष्ट मिलते हैं ॥ १३३ ॥

ज्ञाननिष्ठा द्विजाः केचित्तपोनिष्ठास्तथाऽपरे ।
तपः स्वाध्यायनिष्ठाश्च कर्मनिष्ठास्तथाऽपरे ॥ १३४ ॥

ज्ञाननिष्ठेषु कव्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यत्नतः ।
हव्यानि तु यथान्यायं सर्वेष्वेव चतुर्ष्वपि ॥ १३५ ॥

(केचित् द्विजाः) कोई ब्राह्मण (ज्ञाननिष्ठाः) ज्ञान-साधना में तल्लीन रहने वाले हैं (तथा) और (अपरे तपोनिष्ठाः) कुछ दूसरे तपस्या में संलग्न रहते हैं (च) और (तपः-स्वाध्याय-निष्ठाः) कुछ तपस्या और वेद के स्वाध्याय में प्रयत्नशील रहने वाले हैं (तथा) तथा (अपरे) कुछ दूसरे (कर्मनिष्ठाः) यज्ञादि कर्मों में लगे रहने वाले हैं। इस प्रकार ये चार प्रकार के ब्राह्मण हैं। (कव्यानि) श्राद्धसम्बन्धी दान-सत्कार (यत्नतः) यत्नपूर्वक (ज्ञाननिष्ठेषु) ज्ञानी ब्राह्मणों को ही (प्रतिष्ठाप्यानि)

देने चाहिएँ (हव्यानि तु) और देवकर्म सम्बन्धी दान-सत्कार तो (सर्वेषु+एव चतुर्षु+अपि यथान्यायम्) सभी चारों प्रकार के ब्राह्मणों को यथायोग्यता के अनुसार दे देने चाहिएँ ॥ १३४, १३५ ॥

अश्रोत्रियो पिता यस्य पुत्रः स्याद् वेदपारगः ।
अश्रोत्रियो वा पुत्रः स्यात् पिता स्याद् वेदपारगः ॥ १३६ ॥
ज्यायांसमनयोर्विद्याद्यस्य स्याच्छ्रोत्रियः पिता ।
मन्त्रसम्पूजनार्थं तु सत्कारमितरोऽर्हति ॥ १३७ ॥

(यस्य पिता अश्रोत्रियः) जिसका पिता वेद का विद्वान् न हो (पुत्रः वेदपारगः स्यात्) और पुत्र वेद का विद्वान् हो (वा) अथवा (पुत्रः अश्रोत्रियः स्यात्) पुत्र वेद का विद्वान् न हो तथा (पिता वेदपारगः स्यात्) उसका पिता वेद का विद्वान् हो तो (अनयोः) इनमें (यस्य पिता श्रोत्रियः स्यात्) जिसका पिता वेद का विद्वान् हो उसे (ज्यायांसं विद्यात्) बड़ा समझना चाहिए [श्राद्धदान के लिए] (मन्त्रसंपूजनार्थम् तु) किन्तु वेद-मन्त्रों के पूजन के लिए (इतरः) दूसरा ही [जिसका पिता विद्वान् न हो किन्तु स्वयं विद्वान् हो वह] (सत्कारम् अर्हति) सत्कार पाने योग्य है ॥ १३६, १३७ ॥

न श्राद्धे भोजयेन्मित्रं धनैः कार्योऽस्य संग्रहः ।
नारिं न मित्रं यं विद्यात्तं श्राद्धे भोजयेद् द्विजम् ॥ १३८ ॥

(मित्रं श्राद्धे न भोजयेत्) मित्र ब्राह्मण को श्राद्ध में न जिमावे (अस्य धनैः संग्रहः कार्यः) ऐसे मित्र का तो केवल धन देकर ही आदर-सत्कार करना चाहिए (यं न अरिं न मित्रं विद्यात्) जिसे न तो शत्रु समझे न मित्र समझे (तं द्विजं श्राद्धे भोजयेत्) उस ब्राह्मण को श्राद्ध में जिमावे ॥ १३८ ॥

यस्य मित्रप्रधानानि श्राद्धानि च हवींषि च ।
तस्य प्रेत्य फलं नास्ति श्राद्धेषु च हविःषु च ॥ १३९ ॥

(यस्य) जिस व्यक्ति के यहां (श्राद्धानि च हवींषि) कव्य और हव्य अर्थात् श्राद्धदान और देवयज्ञ के उद्देश्य से दिये जाने वाले दान (मित्रप्रधानानि) मित्रों को उद्दिष्ट करके दिये जाते हैं (तस्य श्राद्धेषु च हविःषु च प्रेत्य फलं नास्ति) उसके श्राद्ध = कव्यों और हव्यों का परलोक में फल नहीं मिलता ॥ १३९ ॥

यः सङ्गतानि कुरुते मोहाच्छ्राद्धेन मानवः ।
सः स्वर्गाल्लिप्यते लोकाच्छ्राद्धमित्रो द्विजाधमः ॥ १४० ॥

(यः मानवः) जो मनुष्य (मोहात्) मोहभावना में आकर (श्राद्धेन संगतानि कुरुते) श्राद्ध के द्वारा मित्रों को प्रसन्न करता है या श्राद्ध में मित्रों को जिमा अपनी मित्रता को सुदृढ़ करता है (सः द्विज+अधमः श्राद्धमित्रः) वह द्विजों में नीच श्राद्ध में

मित्रता बनाने वाला व्यक्ति (स्वर्गात् लोकात् च्यवते) स्वर्गलोक के अधिकार से पतित हो जाता है ॥ १४० ॥

सम्भोजनी साऽभिहिता पैशाची दक्षिणा द्विजैः ।
इहैवास्ते तु सा लोके गौरन्धैवैकवेश्मनि ॥ १४१ ॥

(द्विजैः) विद्वानों ने (सा संभोजनी दक्षिणा) मित्रों को भोजन और दान रूप में दी जाने वाली उस दक्षिणा को (पैशाची अभिहिता) पिशाचों द्वारा की जाने वाली क्रिया कहा है (तु) और (अन्धा गौ एकवेश्मनि इव) जैसे अन्धी गाय एक घर में ही पड़ी रहती है कहीं इधर-उधर नहीं जा सकती, ऐसे ही (सा) वह दानक्रिया (इहैव लोके आस्ते) इसी लोक में रह जाती है, अर्थात् परलोक में जाकर शुभ फल नहीं देती ॥ १४१ ॥

यथेरिणे बीजमुप्त्वा न वप्ता लभते फलम् ।
तथाऽनृचे हविर्दत्त्वा न दाता लभते फलम् ॥ १४२ ॥

(यथा+ईरिणे बीजम्+उप्त्वा) जैसे बंजरभूमि में बीज बोकर (वप्ता) बीज बोने वाला (फल न लभते) उसके उत्पत्ति रूप फल को नहीं प्राप्त कर पाता है (तथा) वैसे ही (अनृचे) वेद के अविद्वान् को (हविः दत्त्वा) हव्य-कव्य देकर (दाता फलं न लभते) दानी व्यक्ति कोई फल नहीं पाता ॥ १४२ ॥

दातुश्च प्रतिगृहीतुश्च कुरुते फलभागिनः ।
विदुषे दक्षिणां दत्त्वा विधिवत् प्रेत्य चेह च ॥ १४३ ॥

(विधिवत् विदुषे दक्षिणां दत्त्वा) दाता व्यक्ति विधिपूर्वक विद्वान् व्यक्ति को दक्षिणा देकर (दातुन् च प्रतिगृहीतुन्) दान देने वालों और दान लेने वालों-दोनों को (प्रेत्य च इह फलभागिनः कुरुते) परलोक में और इस लोक में दोनों ही जगह फल का भागी बनाता है ॥ १४३ ॥

कामं श्राद्धेऽर्चयेन्मित्रं नाभिरूपमपि त्वरिम् ।
द्विषता हि हविर्भुक्तं भवति प्रेत्य निष्फलम् ॥ १४४ ॥

श्राद्ध में मित्र से भिन्न कोई सुयोग्य व्यक्ति न मिलने पर (कामम्) चाहे (श्राद्धे मित्रम् अर्चयेत्) श्राद्ध में मित्र का ही श्राद्ध-दान से सत्कार कर दे (अपि तु) किन्तु (अरिम् अभिरूपं न) शत्रु विद्वान् भी हो तो उसको न जिमावे (हि) क्योंकि (द्विषता भुक्तं हविः) शत्रु के द्वारा खाया गया श्राद्ध (प्रेत्य निष्फलं भवति) परलोक में फलरहित ही रहता है ॥ १४४ ॥

यत्नेन भोजयेच्छ्राद्धे बह्वृचं वेदपारगम् ।
शाखान्तगमथाध्वर्युं छन्दोगं तु समाप्तिकम् ॥ १४५ ॥

(श्राद्धे) श्राद्ध में (बहु+ऋचम्) जो बहुत ऋचाओं=मन्त्रों का ज्ञाता हो,

(वेदपारगम्) जो वेदों में पारंगत हो, (शाखान्तगम्) जो वेदों की शाखाओं—ब्राह्मण, उपनिषदों आदि का ज्ञाता हो, (अथ) अथवा (अध्वर्युम्) यज्ञों का ज्ञाता ऋत्विज हो, (छन्दोगं तु समाप्तिकम्) जिसने वेदों को आद्यन्त पढ़ा हो, ऐसे ब्राह्मण को (यत्नेन भोज- येत्) यत्नपूर्वक जिमावे—॥ १४५ ॥

एषामन्यतमो यस्य भुञ्जीत श्राद्धमर्चितः।
पितॄणां तस्य तृप्तिः स्याच्छाश्वती साप्तपौरुषी ॥ १४६ ॥

(एषाम्+अन्यतमः अर्चितः) इनमें [३।१४५] से कोई एक भी ब्राह्मण पूजित होकर (यस्य श्राद्धं भुञ्जीत) जिसके श्राद्ध को खाता है (तस्य पितॄणां साप्तपौरुषी शाश्वती तृप्तिः स्यात्) उस श्राद्ध देने वाले के पितरों की सात पीढ़ी तक निरन्तर तृप्ति होती है ॥ १४६ ॥

एष वै प्रथमः कल्पः प्रदाने हव्यकव्ययोः।
अनुकल्पस्त्वयं ज्ञेयः सदा सद्भिरनुष्ठितः ॥ १४७ ॥

(हव्यकव्ययोः प्रदाने) हव्य-कव्यों के देने में (एषः वै प्रथमः कल्पः) यह ऊपर वर्णित विधान प्रथम कोटि का मान्य विधान है (सदा सद्भिः+अनुष्ठितः अयम् अनुकल्पः ज्ञेयः) सदा श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा किया जाने वाला द्वितीय कोटि का श्राद्धसम्बन्धी विधान निम्न है ॥ १४७ ॥

मातामहं मातुलं च स्वस्रीयं श्वशुरं गुरुम्।
दौहित्रं विट्पतिं बन्धुमृत्विग्याज्यौ च भोजयेत् ॥ १४८ ॥

(मातामहम्) नाना को (मातुलम्) मामा को (स्वस्रीयम्) भानजे को (श्वशुरम्) ससुर को (गुरुम्) गुरु को (दौहित्रम्) धेवते को (विट्पतिम्) दामाद को (बन्धुम्) बन्धु-बान्धवों को (च) और (ऋत्विक्+याज्यौ) ऋत्विज तथा यज्ञकर्त्ता को भी (भोजयेत्) श्राद्ध में जिमा देवे ॥ १४८ ॥

न ब्राह्मणं परीक्षेत दैवे कर्मणि धर्मवित्।
पित्र्ये कर्मणि तु प्राप्ते परीक्षेत प्रयत्नतः ॥ १४९ ॥

(धर्मवित्) धर्म की मर्यादा को जानने वाला गृहस्थ व्यक्ति (दैवे कर्मणि देवकर्म के उद्देश्य से किये जाने वाले दान आदि कार्यों में (ब्राह्मणं न परीक्षेत) ब्राह्मण की योग्यताओं की विशेष परीक्षा न करे (तु) किन्तु (पित्र्ये कर्मणि प्राप्ते) पितृकर्म=श्राद्ध के अवसर पर (प्रयत्नतः परीक्षेत) सावधानी पूर्वक परीक्षा करे ॥१४९॥

श्राद्ध में अपांक्तेय ब्राह्मण—

ये स्तेनपतितक्लीबा ये च नास्तिकवृत्तयः।
तान् हव्यकव्ययोर्विप्रानब्रवीन्मनुरब्रवीत् ॥ १५० ॥

(ये स्तेन+पतित+क्लीबाः) जो चोर, पतित, नपुंसक हैं (च) और (ये नास्तिकवृत्तयः) जो नास्तिक स्वभाव वाले हैं (तान् विप्रान्) इन ब्राह्मणों को (हव्य-कव्ययोः) हव्य-कव्यों के देने के लिए (मनुः अनर्हान् अब्रवीत्) मनु ने अयोग्य कहा है ॥ १५० ॥

जटिलं चानधीयानं दुर्बलं कितवं तथा ।
याजयन्ति च ये पूगांस्तांश्च श्राद्धे न भोजयेत् ॥ १५१ ॥

(अनधीयानं जटिलं च) अध्ययन से रहित ब्रह्मचारी को अर्थात् जो वेशभूषा आदि से ब्रह्मचारी बना हो किन्तु पढ़ता न हो (दुर्बलम्) किसी रोग के कारण क्षीण शरीर बल वाले (तथा) तथा (कितवम्) जुआरी को (च) और (ये पूगान्[1] याजयन्ति) जो बहुत सारे लोगों का यज्ञ कराते हों (तान् श्राद्धे न भोजयेत्) उन्हें श्राद्ध में न जिमावे ॥ १५१ ॥

चिकित्सकान् देवलकान्मांसविक्रयिणस्तथा ।
विपणेन च जीवन्तो वर्ज्याः स्युर्हव्यकव्ययोः ॥ १५२ ॥

(चिकित्सकान्) वैद्यों को (देवलकान्) पुजारियों को (तथा) तथा (मांस-विक्रयिणः) माँस बेचने वाले को (च) और (विपणेन जीवन्तः) जो व्यापार करके जीविका करते हों (हव्यकव्ययोः वर्ज्याः स्युः) इनको हव्य-कव्य नहीं देने चाहिएँ ॥ ॥ १५२ ॥

प्रेष्यो ग्रामस्य राज्ञश्च कुनखी श्यावदन्तकः ।
प्रतिरोद्धा गुरोश्चैव त्यक्ताग्निर्वार्धुषिस्तथा ॥ १५३ ॥

(ग्रामस्य राज्ञः च प्रेष्यः) गांव का और राजा का नौकर (कुनखी) बिगड़े नाखूनों वाला (श्यावदन्तकः) काले दाँत वाला (च) और (गुरोः प्रतिरोद्धा एव) गुरु का विरोध करने वाला (त्यक्ताग्निः) जिसने पंचयज्ञाग्नियों का त्याग कर दिया है (तथा) तथा (वार्धुषिः) ब्याजखोर—ये श्राद्ध में जिमाने के लिए वर्जित हैं ॥१५३॥

यक्ष्मी च पशुपालश्च परिवेत्ता निराकृतिः ।
ब्रह्मद्विट् परिवित्तिश्च गणाभ्यन्तर एव च ॥ १५४ ॥

(यक्ष्मी) तपेदिक का रोगी (पशुपालः) पशुओं का पालन करके जीविका करने वाला (परिवेत्ता) बड़े भाई के अविवाहित रहते उससे पूर्व विवाह करने वाला [३।१७१] (निराकृतिः) देवताओं या यज्ञादि शुभ कार्यों का खण्डन करने वाला

---

१. 'पूग' शब्द का अर्थ—'नानाजातीया अनियतवृत्तयोऽर्थकामप्रधानाः संघाः' अर्थात् विभिन्न जातियों के मनुष्यों का ऐसा समूह, जिनकी आजीविका नियत न हो और अर्थ—काम-प्रधान हो। (सम्पादक)

(ब्रह्मद्विट्) ब्राह्मणों या वेदों का द्वेषी (च) और (परिवित्तिः) छोटे भाई के विवाह कर लेने पर अविवाहित बचा बड़ा भाई [३। १७१] (च) और (गणाभ्यन्तर एव) किसी धर्मविरुद्ध समुदाय का सदस्य—इन्हें भी श्राद्ध में नहीं जिमाना चाहिए ॥१५४॥

कुशीलवोऽवकीर्णी च वृषलीपतिरेव च ।
पौनर्भवश्च काणश्च यस्य चोपपतिर्गृहे ॥ १५५ ॥

(कुशीलवः) नाचने-गाने वाला (अवकीर्णी) व्यभिचारी (च) और (वृषलीपतिः+एव) शूद्रा स्त्री का पति (पौनर्भवः) किसी स्त्री के दूसरे पति से उत्पन्न पुत्र (काणः) काणा (च) तथा (यस्य गृहे उपपतिः) जिसके घर उसकी स्त्री का जार रहता हो—इन्हें भी श्राद्ध में नहीं जिमाना चाहिए ॥ १५५ ॥

भृतकाध्यापको यश्च भृतकाध्यापितस्तथा ।
शूद्रशिष्यो गुरुश्चैव वाग्दुष्टः कुण्डगोलकौ ॥ १५६ ॥

(यः भृतक+अध्यापकः) जो वेतन लेकर पढ़ाता हो (तथा) तथा (यः) जो (भृतक+अध्यापितः) वेतन लेने वाले से पढ़ा हो (शूद्रशिष्यः) शूद्र का शिष्य (गुरुः च एव) और शूद्र का गुरु (वाग्दुष्टः) दुष्ट वाणी बोलने वाला (कुण्डगोलकौ) कुण्ड=असली पिता के होते हुए भी जो जार से उत्पन्न हुआ हो, गोलक=जो असली बाप की मृत्यु के पश्चात् जार से पैदा हुआ हो—ये भी श्राद्ध में नहीं जिमाने चाहिएँ ।
॥ १५६ ॥

अकारणपरित्यक्ता मातापित्रोर्गुरोस्तथा ।
ब्राह्मैर्यौनैश्च सम्बन्धैः संयोगं पतितैर्गतः ॥ १५७ ॥

(मातापित्रोः तथा गुरोः अकारणपरित्यक्ता) माता, पिता तथा गुरु को बिना कारण छोड़ देनेवाला (च) और (पतितैः ब्राह्मैः यौनैः संबन्धैः गतः) पतित व्यक्तियों के साथ [२। १५ (४०), ९। २३७–२३९] पठन-पाठन संबन्धी तथा विवाह-सम्बन्धी सम्बन्ध स्थापित करने वाला—ये श्राद्ध में नहीं जिमाने चाहिएं ॥ १५७ ॥

अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी ।
समुद्रयायी बन्दी च तैलिकः कूटकारकः ॥ १५८ ॥

(अगारदाही) घर में आग लगाने वाला (गरदः) विष देने वाला (कुण्डाशी) कुण्ड नामक संतान [३। १७४] के साथ खाने-पीने वाला (सोमविक्रयी) सोम औषधि का व्यापार करने वाला (समुद्रयायी) समुद्र की यात्रा करके परदेश में जाने वाला (च) और (बन्दी) खुशामद के गीत गाकर जीविका चलाने वाला—चारण, भाट आदि (तैलिकः) तेली (कूटकारकः) झूठी गवाही देने वाला—ये भी श्राद्ध में जिमाने के लिये वर्जित हैं ॥ १५८ ॥

मित्रा विवदमानश्च कितवो मद्यपस्तथा ।
पापरोग्यभिशस्तश्च दाम्भिको रसविक्रयी ॥ १५९ ॥

(च) और (पित्रा विवदमानः) पिता के साथ झगड़ा करने वाला (कितवः) धूर्त (तथा) तथा (मद्यपः) शराब पीने वाला (पापरोगी) पापों से हुए कुष्ठ आदि रोगों वाला (च) और (अभिशस्तः) श्राप से ग्रस्त या कलंकी (दाम्भिकः) पाखण्डी (रसविक्रयी) रसों को बेचने वाला—ये भी श्राद्ध में वर्जित हैं ॥ १५९ ॥

धनुःशराणां कर्त्ता च यश्चाग्रेदिधिषूपतिः ।
मित्रध्रुग्धूतवृत्तिश्च पुत्राचार्यस्तथैव च ॥ १६० ॥

(च) और (धनुः शराणां कर्त्ता) धनुष और बाणों को बनाने वाला (च) तथा (यः अग्रेदिधिषूपतिः) मृत बड़े भाई की स्त्री को कामवासना के वशीभूत होकर पत्नी बनाने वाला व्यक्ति [३ । १७३] (मित्रध्रुग्) मित्र से धोखा करने वाला (धूतवृत्तिः) जुआरी (तथा च) और (पुत्राचार्यः) अपने पुत्र को आचार्य अर्थात् गुरु बनाकर पढ़ने वाला—ये सभी श्राद्ध में नहीं जिमाने चाहिएँ ॥ १६० ॥

भ्रामरी गण्डमाली च श्वित्र्यथो पिशुनस्तथा ।
उन्मत्तोऽन्धश्च वर्ज्याः स्युर्वेदनिन्दक एव च ॥ १६१ ॥

(भ्रामरी) मृगीरोगी (गण्डमाली) गण्डमाला का रोगी (श्वित्री) श्वेतकुष्ठ का रोगी (अथ) और (पिशुनः) चुगुलखोर (उन्मत्तः) पागल (च) तथा (अन्धः) अन्धा (वेदनिन्दकः एव) वेद की निन्दा करने वाला (वर्ज्याः स्युः) ये श्राद्ध में वर्जित हैं ॥ १६१ ॥

हस्तिगोऽश्वोष्ट्रदमको नक्षत्रैर्यश्च जीवति ।
पक्षिणां पोषको यश्च युद्धाचार्यस्तथैव च ॥ १६२ ॥

(हस्ति-गो-अश्व-उष्ट्र-दमकः) जो हाथी; बैल, घोड़ा, ऊंट आदि को सिखाने वाला हो (च) तथा (यः नक्षत्रैः जीवति) जो नक्षत्र, राशि आदि बताकर जीविका करता हो (यः च) और जो (पक्षिणां पोषकः) पक्षियों को पालने वाला हो (च) और (युद्धाचार्यः) युद्धविद्या सिखाने वाला—ये भी श्राद्ध में जिमाने के लिए वर्जित हैं ॥१६२॥

स्रोतसां भेदको यश्च तेषां चावरणे रतः ।
गृहसंवेशको दूतो वृक्षारोपक एव च ॥ १६३ ॥

(च) और (यः स्रोतसां भेदकः) जो झरनों को तोड़नेवाला हो (तेषाम् आवरणे रतः) तथा जो उन्हें रोकने वाला हो (गृहसंवेशकः) घर बनाकर जीविका चलाने वाला (दूतः) दूत का काम करने वाला (च) और (वृक्षारोपकः एव) पेड़-पौधों को लगाने वाला, ये सभी श्राद्ध में वर्जित हैं ॥ १६३ ॥

श्वक्रीडी श्येनजीवी च कन्यादूषक एव च ।
हिंस्रो वृषलवृत्तिश्च गणानां चैव याजकः ॥ १६४ ॥

(श्वक्रीडी) कुत्तों को पालने वाला (श्येनजीवी) बाज पक्षी से जीविका चलाने वाला (च) तथा (कन्यादूषकः एव) कन्या के साथ बलात्कार करने वाला (हिंस्रः) हत्यारा (वृषलवृत्तिः) शूद्र की नौकरी करने वाला (गणानां चैव याजकः) अनेक समुदायों के यज्ञ कराने वाला—ये भी श्राद्ध में वर्जित हैं ॥ १६४ ॥

आचारहीनः क्लीवश्च नित्यं याचनकस्तथा ।
कृषिजीवी श्लीपदी सद्भिर्निन्दित एव च ॥ १६५ ॥

(आचारहीनः) आचार से पतित (च) और (क्लीवः) नपुंसक (तथा नित्यं याचनकः) तथा जो प्रतिदिन मांगकर खाने वाला हो (कृषिजीवी) खेती करके जीविका चलाने वाला (श्लीपदी) मोटे पाँव [हाथीपांव] की बीमारी वाला (च) और (सद्भिः निन्दितः एव) सज्जनों द्वारा निन्दित—ये भी श्राद्ध में वर्जित हैं ॥ १६५ ॥

औरभ्रिको माहिषिकः परपूर्वापतिस्तथा ।
प्रेतनिर्यातकश्चैव वर्जनीयाः प्रयत्नतः ॥ १६६ ॥

(औरभ्रिकः) भेड़-बकरियों को पालकर जीविका चलाने वाला (माहिषिकः) भैंसों से जीविका चलाने वाला (तथा परपूर्वापतिः) विधवा स्त्री का पति अथवा अन्य से विवाहित स्त्री का उसके बाद होने वाला पति (च) और (प्रेतनिर्यातकः) मुर्दों को ढोने वाला (प्रयत्नतः वर्जनीयाः) इन्हें श्राद्ध में यत्नपूर्वक छोड़ देना चाहिए ॥ १६६ ॥

एतान् विगर्हिताचारानपाङ्क्तेयान् द्विजाधमान् ।
द्विजातिप्रवरो विद्वानुभयत्र विवर्जयेत् ॥ १६७ ॥

(एतान्) इन उपरिवर्णित [३ । १४८–१६६] (गर्हित+आचारान्) निन्दनीय आचरण वाले (अपांक्तेयान्) श्राद्ध की पंक्ति में बैठाने के अयोग्य (द्विजाधमान्) नीच ब्राह्मणों को (द्विजातिप्रवरः विद्वान्) द्विजातियों में श्रेष्ठ विद्वान् व्यक्ति (उभयत्र) दोनों स्थानों पर अर्थात् देवकर्म और पितृकर्म में (विवर्जयेत्) छोड़ देवे ॥ १६७ ॥

ब्राह्मणस्त्वनधीयानस्तृणाग्निरिव शाम्यति ।
तस्मै हव्यं न दातव्यं न हि भस्मनि हूयते ॥ १६८ ॥

(अनधीयानः ब्राह्मणः तु) बिना पढ़ा-लिखा ब्राह्मण तो (तृणाग्निः+इव शाम्यति) तिनकों की आग की तरह है, जो शीघ्र ही बुझ जाती है (तस्मै) उसको (हव्यं न दातव्यम्) हव्य आदि दान-भाग नहीं देना चाहिए (हि) क्योंकि (भस्मनि न हूयते) राख में कभी आहुति नहीं दी जाती। अभिप्राय यह है कि जैसे राख में आहुति देना निरर्थक है, वैसे ही राख के समान ब्राह्मणत्व-रूपी तेज से हीन ब्राह्मण को भी दान देना निष्फल होता है ॥ १६८ ॥

अपाङ्क्यतदाने यो दातुर्भवत्यूष्मं फलोदयः ।
दैवे हविषि पित्र्ये वा तत्प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ १६९ ॥

(दैवे हविषि वा पित्र्ये) देवयज्ञकर्म अथवा पितृकर्म में (अपाङ्क्तदाने) पंक्ति में बैठने के अयोग्य ब्राह्मणों को हव्य-कव्य देने से (दातुः यः ऊर्ध्वं फलोदयः भवति) दाता को जो परलोक में फल मिलता है (तत्) उसे (अशेषतः प्रवक्ष्यामि) सम्पूर्ण रूप से कहता हूँ—॥ १६९ ॥

अपाङ्क्तेय ब्राह्मणों को दान देने से फल की अप्राप्ति—

अव्रतैर्यद् द्विजैर्भुक्तं परिवेत्तादिभिस्तथा ।
अपाङ्क्तेयैर्यदन्यैश्च तद्वै रक्षांसि भुञ्जते ॥ १७० ॥

(अव्रतैः) व्रतों के पालन से रहित [ब्रह्मचर्य, यज्ञ आदि व्रत] (तथा परिवेत्ता + आदिभिः) तथा परिवेत्ता संज्ञक [३। १७१] आदि द्वारा (च) और (अन्यैः अपांक्तेयैः भुक्तम्) जो दूसरे पंक्ति में बैठने के अयोग्य ब्राह्मण हैं उनके द्वारा खाये गये अन्न को (वै) निश्चय से (तत् रक्षांसि भुञ्जते) उसे राक्षस खाते हैं, अर्थात् वह निष्फल रहता है ॥ १७० ॥

दाराग्निहोत्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते ।
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ॥ १७१ ॥

(यः) जो व्यक्ति (अग्रजे स्थिते) बड़े भाई के रहते हुए (दारा + अग्निसंयोगं कुरुते) उससे पहले विवाह और गृहस्थ के पंचयज्ञ आदि को करता है (सः परिवेत्ता विज्ञेयः) उसे 'परिवेत्ता' कहा जाता है (तु) और (पूर्वजः) उसका वह बड़ा भाई (परिविक्तिः) 'परिविक्ति' कहलाता है ॥ १७१ ॥

परिविक्तिः परिवेत्ता या च परिविद्यते ।
सर्वे ते नरकं यान्ति दातृयाजकपञ्चमाः ॥ १७२ ॥

(परिविक्तिः परिवेत्ता च या परिविद्यते) परिविक्ति, परिवेत्ता और जिस कन्या से विवाह करता है वह (दातृ-याजक-पञ्चमाः) कन्या को ब्याहने वाला और विवाह यज्ञ कराने वाला, ये पांचों (ते सर्वे नरकं यान्ति) सब के सब नरक में जाते हैं ॥ १७२ ॥

भ्रातुर्मृतस्य भार्यायां योऽनुरज्येत कामतः ।
धर्मेणापि नियुक्तायां स ज्ञेयो दिधिषूपतिः ॥ १७३ ॥

(मृतस्य भ्रातुः) मरे हुए भाई की (भार्यायाम्) पत्नी से (यः) जो (कामतः अनुरज्येत) कामवासना के वशीभूत होकर उससे संयोग करता है (अपि) चाहे (धर्मेण नियुक्तायाम्) नियोगधर्म के अनुसार नियुक्त होकर भी यदि वह संतानोत्पत्ति के बिना काम के वशीभूत होकर संयोग करता है (सः दिधिषूपतिः ज्ञेयः) उसे 'दिधिषूपतिः' कहा जाता है ॥ १७३ ॥

परदारेषु जायेते द्वौ सुतौ कुण्डगोलकौ ।
पत्यौ जीवति कुण्डः स्यान्मृते भर्तरि गोलकः ॥ १७४ ॥

(परदारेषु) पराई स्त्री से (कुण्डगोलकौ) 'कुण्ड' और गोलक ये दो प्रकार के पुत्र उत्पन्न होते हैं (पत्यौ जीवति कुण्डः) पति के जीते हुए जो दूसरे पति से सन्तान उत्पन्न होती है वह 'कुण्ड' संज्ञक कहलाती है (भर्तरि मृते गोलकः स्यात्) पति के मरने पर दूसरे पति से उत्पन्न सन्तान 'गोलक' कहाती है ॥ १७४ ॥

तौ तु जातौ परक्षेत्रे प्राणिनौ प्रेत्य चेह च ।
दत्तानि हव्यकव्यानि नाशयेते प्रदायिनाम् ॥ १७५ ॥

(परक्षेत्रे जातौ तौ प्राणिनौ तु) पराई स्त्री में उत्पन्न हुए वे दोनों प्राणी अर्थात् कुण्ड और गोलक (प्रदायिनाम्) दाताओं के द्वारा (दत्तानि हव्यकव्यानि) दिये गये हव्यकव्यों को (प्रेत्य च+इह नाशयेते) परलोक और इस लोक दोनों ही स्थानों पर नष्ट कर देते हैं, अतः उन्हें हव्य-कव्य न दे ॥ १७५ ॥

अपाङ्क्त्यो यावतः पाङ्क्त्यान् भुञ्जानाननुपश्यति ।
तावतां न फलं तत्र दाता प्राप्नोति बालिशः ॥ १७६ ॥

(अपाङ्क्त्यः) पंक्ति में बैठने के अयोग्य व्यक्ति (यावतः पाङ्क्त्यान् भुञ्जानान्+अनुपश्यति) जितने भी पंक्ति में बैठने के सुपात्र ब्राह्मणों को खाते हुए देख लेता है (तत्र) वहां (बालिशः दाता) मूर्खदाता (तावतां फलं न प्राप्नोति) उतने ही खाने वालों का फल प्राप्त नहीं कर पाता ॥ १७६ ॥

वीक्ष्यान्ध नवतेः काणः षष्टेः श्वित्री शतस्य तु ।
पापरोगी सहस्रस्य दातुर्नाशयते फलम् ॥ १७७ ॥

(वीक्ष्य) श्राद्ध में भोजन करते हुए ब्राह्मणों को देखकर (अन्धः नवतेः) अन्धा नब्बे के (काणः षष्टेः) काणा साठ के (तु) और (श्वित्री शतस्य) श्वेतकुष्ठी सौ के (पापरोगी सहस्रस्य) कुष्ठ आदि पापों से होने वाले रोगों का रोगी हजार ब्राह्मणों के (दातुः फलं नाशयते) जिमाने वाले दाता के फल को नष्ट अर्थात् निष्फल कर देता है ॥ १७७ ॥

यावतः संस्पृशेदङ्गैर्ब्राह्मणाञ्छूद्रयाजकः ।
तावतां न भवेद्दातुः फलं दानस्य पौर्तिकम् ॥ १७८ ॥

(शूद्रयाजकः) शूद्रों को यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण (यावतः ब्राह्मणान्) जितने ब्राह्मणों को (अङ्गैः संस्पृशेत्) अङ्गों से छूता है (दातुः) दाता को (तावतां दानस्य पौर्तिकं फलं न भवेत्) उतने ही ब्राह्मणों के दान का शुभ फल प्राप्त नहीं होता ॥ १७८ ॥

वेदविच्चापि विप्रोऽस्य लोभात् कृत्वा प्रतिग्रहम् ।
विनाशं व्रजति क्षिप्रमामपात्रमिवाम्भसि ॥ १७९ ॥

(वेदविद् विप्रः अपि) वेद का ज्ञाता विद्वान् भी (अस्य) इस शूद्रयाजक का (लोभात् प्रतिग्रहं कृत्वा) लोभ के कारण दान लेकर (अम्भसि आमपात्रम्+इव) जैसे

जल में मिट्टी का कच्चा घड़ा गल जाता है ऐसे (क्षिप्रं विनाशं व्रजति) शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाता है ॥ १७९ ॥

सोमविक्रयिणे विष्ठा भिषजे पूयशोणितम् ।
नष्टं देवलके दत्तमप्रतिष्ठं तु वार्धुषौ ॥ १८० ॥

(सोमविक्रयिणे दत्तं विष्ठा) सोम बेचने वाले को दिया गया दान विष्ठा [= मल] के तुल्य होता है (भिषजे पूयशोणितम्) वैद्य को दिया गया दान मवाद और खून के समान होता है (देवलके नष्टम्) पुजारी को दिया गया दान निष्फल (तु) और (वार्धुषौ अप्रतिष्ठम्) ब्याजखोर को दिया गया दान व्यर्थ होता है ॥ १८० ॥

यत्तु वाणिजके दत्तं नेह नामुत्र तद्भवेत् ।
भस्मनीव हुतं हव्यं तथा पौनर्भवे द्विजे ॥ १८१ ॥

(तु) और (वाणिजके दत्तम्) व्यापार करने वाले ब्राह्मण को दिया गया दान (तत् न + इह न + अमुत्र भवेत्) वह न इस लोक में फलदायक होता है, न परलोक में (तथा) वैसे ही (पौनर्भवे द्विजे) दूसरा पति करने वाली स्त्री से उत्पन्न ब्राह्मण को दिया गया दान (भस्मनि हुतं हव्यम् इव) राख में डाली गयी आहुति के समान निष्फल होता है ॥ १८१ ॥

इतरेषु त्वपाङ्क्तेषु यथोद्दिष्टेष्वसाधुषु ।
मेदोऽसृङ्मांसमज्जास्थि वदन्त्यन्नं मनीषिणः ॥ १८२ ॥

(इतरेषु तु + अपांक्त्येषु) दूसरे, पंक्ति में बैठने के अयोग्य व्यक्तियों (तु) और (यथोद्दिष्टेषु + असाधुषु) जो जो निकृष्ट ब्राह्मण गिना आये हैं उनको दिये गये (अन्नम्) श्राद्ध के अन्न को (मनीषिणः) मनीषी लोग (मेद + असृङ् + मांसमज्जा + अस्थि वदन्ति) मेदा, लहू, मांस, चरबी और हड्डी के समान कहते हैं अर्थात् वह अन्न इनके खाने के समान है, अतः उन्हें अन्न नहीं खिलाना चाहिए ॥ १८२ ॥

पाङ्क्तेय ब्राह्मण—

अपाङ्क्तधोपहता पङ्क्तिः पाव्यते यैर्द्विजोत्तमैः ।
तान्निबोधत कार्त्स्न्येन द्विजाग्र्यान् पङ्क्तिपावनान् ॥ १८३ ॥

(अपाङ्क्त—उपहता पंक्तिः) पंक्ति में न बैठने योग्य लोगों से दूषित की हुई पंक्ति (यैः द्विजोत्तमैः पाव्यते) जिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से पवित्र हो जाती है (तान् पङ्क्तपावनान् द्विजाग्र्यान्) उन पंक्ति को पवित्र करने वाले श्रेष्ठ द्विजों को (कार्त्स्न्येन निबोधत) पूर्ण रूप से जानो ॥ १८३ ॥

अग्र्याः सर्वेषु वेदेषु सर्वप्रवचनेषु च ।
श्रोत्रियान्वयजाश्चैव विज्ञेयाः पंक्तिपावनाः ॥ १८४ ॥

(सर्वेषु वेदेषु च सर्वप्रवचनेषु अग्र्याः) जो सब वेदों में और उनके प्रवचन करने में अथवा वेदांगों में पारंगत हैं, वे (च) तथा (श्रोत्रिय+अन्वयजाः एव) वेद-पाठियों के वंश में जन्म लेने वाले ब्राह्मण (पंक्तिपावनाः विज्ञेयाः) पंक्ति को पवित्र करने वाले समझने चाहिएँ ॥ १८४ ॥

त्रिणाचिकेतः पञ्चाग्निस्त्रिसुपर्णः षडङ्गवित् ।
ब्रह्मदेयात्मसन्तानो ज्येष्ठसामग एव च ॥ १८५ ॥
वेदार्थवित् प्रवक्ता च ब्रह्मचारी सहस्रदः ।
शतायुश्चैव विज्ञेया ब्राह्मणाः पंक्तिपावनाः ॥ १८६ ॥

(त्रिणाचिकेतः) अध्वर्यु वेद के भाग को पढ़ने तथा उसका व्रत करने वाले (पञ्चाग्निः) पंचमहायज्ञों को करने वाले (त्रिसुपर्णः) बह्वृच का वेदभाग पढ़ने तथा उसका व्रत करने वाले (षडङ्गवित्) वेद के छह अङ्गों [शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष] को जानने वाला (ब्रह्मदेयात्मसन्तानः) ब्रह्मविवाह की विधि से विवाहित व्यक्तियों की सन्तान (च) और (ज्येष्ठसामगः एव) सामवेद की गायन विद्या का विशेषज्ञ (वेदार्थवित्) वेदों के अर्थ का ज्ञाता (च प्रवक्ता) और वेदों का व्याख्यान करने वाला (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी (सहस्रदः) हजार गौओं का दानी (च) तथा (शतायुः एव) सौ वर्ष की आयु वाला (ब्राह्मणाः पंक्तिपावनाः विज्ञेयाः) इन ब्राह्मणों को पंक्ति को पवित्र करने वाला जानना चाहिए ॥ १८५, १८६ ॥

पूर्वेद्युरपरेद्युर्वा श्राद्धकर्मण्युपस्थिते ।
निमन्त्रयेत् त्र्यवरान्सम्यग्विप्रान् यथोदितान् ॥ १८७ ॥

(श्राद्धकर्मणि+उपस्थिते) श्राद्ध का समय आने पर (पूर्वेद्युः वा अपरेद्युः) पहले दिन अथवा उससे अगले दिन (यथोदितान्) जैसे ऊपर कहे हैं वैसे (त्र्यवरान् विप्रान्) तीन ब्राह्मणों को (सम्यक् निमन्त्रयेत्) सत्कारपूर्वक श्राद्ध में निमन्त्रित करे ॥ १८७ ॥

निमन्त्रितो द्विजः पित्र्ये नियतात्मा भवेत्सदा ।
न च छन्दांस्यधीयीत यस्य श्राद्धं च तद्भवेत् ॥ १८८ ॥

(पित्र्ये निमन्त्रितः द्विजः) श्राद्ध में निमन्त्रित किये जाने पर वह निमन्त्रित द्विज (सदा नियतात्मा भवेत्) पूर्णतः संयमी बनकर रहे (च) और (छन्दांसि न अधीयीत) उस समय वेदमन्त्रों का पाठ न करे (च) तथा (यस्य श्राद्धम्) जिसके यहां श्राद्ध हो (तत् भवेत्) वह भी इसी प्रकार इनका पालन करे ॥ १८८ ॥

निमन्त्रितान् हि पितर उपतिष्ठन्ति तान्द्विजान् ।
वायुवच्चानुगच्छन्ति तथासीनानुपासते ॥ १८९ ॥

(हि) क्योंकि (पितरः) पितर लोग (तान् निमन्त्रितान् द्विजान्) उन न्यौते हुए ब्राह्मणों के (उपतिष्ठन्ति) पास आते हैं (च) और (वायुवत् अनुगच्छन्ति) वायु

के समान पीछे-पीछे चलते हैं (तथा) वैसे ही (आसीनान्+उपासते) बैठे हुओं के साथ बैठे रहते हैं ॥ १८९ ॥

केतितस्तु यथान्यायं हव्यकव्ये द्विजोत्तमः ।
कथञ्चिदप्यतिक्रामन् पापः सूकरतां व्रजेत् ॥ १९० ॥

(यथान्यायं केतितः तु द्विजोत्तमः) यथोचित सत्कारपूर्वक निमन्त्रित किया हुआ ब्राह्मण (हव्यकव्ये) देवकर्म और पितृकर्म में (कथंचित्—अपि—अतिक्रामन्) थोड़ा-सा भी बुरा या नियमों से विरुद्ध आचरण करने पर (पापः सूकरतां व्रजेत्) वह पापी अगले जन्म में सूअर का जन्म पाता है ॥ १९० ॥

आमन्त्रितस्तु यः श्राद्धे वृषल्या सह मोदते ।
दातुर्यद् दुष्कृतं किञ्चित्तत्सर्वं प्रतिपद्यते ॥ १९१ ॥

(यः तु श्राद्धे आमन्त्रितः) और जो ब्राह्मण श्राद्ध में निमन्त्रित किये जाने पर (वृषल्या सह मोदते) शूद्र स्त्री के संग रमण करता है तो (दातुः यत् किंचित् दुष्कृतम्) दाता का जितना भी पाप है (तत् सर्वं प्रतिपद्यते) उस सबको वही प्राप्त करता है ॥ १९१ ॥

अक्रोधनाः शौचपराः सततं ब्रह्मचारिणः ।
न्यस्तशस्त्रा महाभागाः पितरः पूर्वदेवताः ॥ १९२ ॥

(पितरः) पितर लोग (अक्रोधनाः) क्रोध से रहित होते हैं, (शौचपराः) वे पवित्रता में तत्पर रहने वाले, (सततं ब्रह्मचारिणः) सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, (न्यस्तशस्त्राः) शस्त्रादि से रहित अर्थात् किसी को पीड़ा न पहुँचाने वाले, (महाभागाः) महान् सौभाग्य से युक्त और (पूर्वदेवताः) सबसे प्रथम देव हैं ॥ १९२ ॥

पितरों की उत्पत्ति—

यस्माद्युत्पत्तिरेतेषां सर्वेषामप्यशेषतः ।
ये च यैरुपचर्याः स्युर्नियमैस्तान्निबोधत ॥ १९३ ॥

(एतेषां सर्वेषां यस्मात्+उत्पत्तिः) इन पूर्वोक्त पितरों की जिस-जिस से उत्पत्ति हुई है (ये च यैः नियमैः उपचर्याः स्युः) और जो-जो पितर जिन-जिन व्यक्तियों के द्वारा जिन नियमों से सेवा किये जाने योग्य हैं (तान्) उन सब बातों को (अशेषतः निबोधत) भलीभांति सुनो ॥ १९३ ॥

मनोर्हैरण्यगर्भस्य ये मरीच्यादयः सुताः ।
तेषामृषीणां सर्वेषां पुत्राः पितृगणाः स्मृताः ॥ १९४ ॥

(हैरण्यगर्भस्य मनोः) हिरण्यगर्भ = ब्रह्मा के पुत्र मनु के (ये मरीच्यादयः सुताः) जो मरीचि आदि [दश १।३५] पुत्र हैं (तेषां सर्वेषाम् ऋषीणां पुत्राः) उन सब ऋषियों के जो पुत्र हैं वे (पितृगणाः स्मृताः) 'पितर' माने गये हैं ॥ १९४ ॥

विराट्सुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मृताः ।
अग्निष्वात्ताश्च देवानां मारीचा लोकविश्रुताः ॥ १९५ ॥

(विराट्सुताः सोमसदः) विराट् के पुत्र 'सोमसद्' (साध्यानां पितरः स्मृताः) साध्यों के पितर माने गये हैं (च) और (मारीचाः लोकविश्रुताः अग्निष्वात्ताः) मरीचि के लोकप्रसिद्धपुत्र 'अग्निष्वात्त' (देवानाम्) देवताओं के पितर हैं ॥ १९५ ॥

दैत्यदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम् ।
सुपर्णकिन्नराणां च स्मृता बर्हिषदोऽत्रिजाः ॥ १९६ ॥

(अत्रिजाः बर्हिषदः) अत्रि के पुत्र 'बर्हिषद्' (दैत्यदानव-यक्षाणाम्) दैत्य, दानव, यक्षों के (गन्धर्व-उरग-रक्षसाम्) गन्धर्व, सर्प-नाग, राक्षसों के (च) और (सुपर्ण-किन्नराणाम्) सुपर्ण और किन्नरों के (स्मृताः) पितर माने हैं ॥ १९६ ॥

सोमपा नाम विप्राणां क्षत्रियाणां हविर्भुजः ।
वैश्यानामाज्यपा नाम शूद्राणां तु सुकालिनः ॥ १९७ ॥

(सोमपा नाम विप्राणाम्) 'सोमपा' नामक पितर ब्राह्मणों के हैं (हविर्भुजः क्षत्रि-याणाम्) 'हविर्भुज्' क्षत्रियों के (आज्यपा नाम वैश्यानाम्) आज्यपा' नामक वैश्यों के (सुकालिनः तु शूद्राणाम्) सुकाली शूद्रों के पितर हैं ॥ १९७ ॥

सोमपास्तु कवेः पुत्रा हविष्मन्तोऽङ्गिरःसुताः ।
पुलस्त्यस्याज्यपाः पुत्रा वसिष्ठस्य सुकालिनः ॥ १९८ ॥

(सोमपाः तु कवेः पुत्राः) सोमपा कवि=भृगु के पुत्र हैं (हविष्मन्तः अङ्गिरः सुताः) हविर्भुज् अङ्गिरस् के पुत्र हैं (पुलस्त्यस्य+आज्यपाः पुत्राः) पुलस्त्य के पुत्र आज्यपा हैं (वसिष्ठस्य सुकालिनः) वसिष्ठ के पुत्र सुकाली हैं ॥ १९८ ॥

अग्निदग्धानग्निदग्धान् काव्यान् बर्हिषदस्तथा ।
अग्निष्वात्तांश्च सोम्यांश्च विप्राणामेव निर्दिशेत् ॥ १९९ ॥

(अग्निदग्ध-अनग्निदग्धान् काव्यान् तथा बर्हिषदः) अग्निदग्ध, अनग्निदग्ध, काव्य तथा बर्हिषद (च) और (अग्निष्वात्तान् च सौम्यान्) अग्निष्वात्त और सौम्य (विप्राणाम्+एव निर्दिशेत्) ब्राह्मणों के ही पितर माने गये हैं ॥ १९९ ॥

अनुशीलन : १९५-१९९ श्लोक-वर्णित पितरों के लक्षण एवं अर्थ ३।८२ श्लोक की समीक्षा में द्रष्टव्य हैं ।

य एते तु गणा मुख्याः पितृणां परिकीर्तिताः ।
तेषामपीह विज्ञेयं पुत्रपौत्रमनन्तकम् ॥ २०० ॥

(ये+एते पितृणां मुख्याः गणाः परिकीर्तिताः) जो ये पितरों के मुख्य गण [३। १९४-१९९] कहे गये हैं (तेषाम्+अपि) उनके भी (पुत्रपौत्रमनन्तकम्) अनन्त पुत्र-पौत्रों को (इह विज्ञेयम्) इस संसार में पितर समझना चाहिए ॥ २०० ॥

ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवमानवाः।
देवेभ्यस्तु जगत्सर्वं चरं स्थाण्वनुपूर्वशः॥ २०१॥

१६

(ऋषिभ्यः पितरः जाताः) [मरीचि आदि३। १६४] ऋषियों से पितर उत्पन्न हुए हैं (पितृभ्यः देवमानवाः) पितरों से देवता और मनुष्य उत्पन्न हुए हैं (तु) तथा (देवेभ्यः चरं स्थाणु सर्वं जगत् अनुपूर्वशः) देवताओं से चर-अचर सम्पूर्ण जगत् क्रमशः उत्पन्न हुआ है॥ २०१॥

राजतैर्भाजनैरेषामथो वा राजतान्वितैः।
वार्यपि श्रद्धया दत्तमक्षय्यायोपकल्पते॥ २०२॥

(राजतैः अथो वा राजतान्वितैः भाजनैः) चांदी के अथवा चांदीमिश्रित अन्य धातुओं से बने बर्तनों से (एषां श्रद्धया दत्तं वारि+अपि) इन पितरों को श्रद्धापूर्वक दिया गया जल भी (अक्षयाय+उपकल्पते) अक्षय सुख प्रदान करने वाला होता है॥ २०२॥

देवकर्म से पितृकर्म श्रेष्ठ—

देवकार्यादृ द्विजातीनां पितृकार्यं विशिष्यते।
दैवं हि पितृकार्यस्य पूर्वमाप्यायनं श्रुतम्॥ २०३॥

(द्विजातीनाम्) द्विजों के लिए (देवकार्यात् पितृकार्यं विशिष्यते) देवताओं के उद्देश्य से किये गये यज्ञ आदि देवकर्म की तुलना में पितरों के उद्देश्य से किया गया श्राद्ध आदि कर्म विशेष माना गया है (हि) क्योंकि (दैवं पूर्वं पितृकार्यस्य) देवकर्म पहले किये जाने के कारण पितृकार्य=पितरश्राद्ध का (आप्यायनं श्रुतम्) पूरक माना गया है॥ २०३॥

तेषामारक्षभूतं तु पूर्वं दैवं नियोजयेत्।
रक्षांसि हि विलुम्पन्ति श्राद्धमारक्षवर्जितम्॥ २०४॥

(तेषाम्+आरक्षभूतं तु) उन पितरों की रक्षा करने वाला होने के कारण (पूर्वं दैवं नियोजयेत्) पहले देवकार्य के अनुष्ठान का आयोजन करे (हि) क्योंकि (आरक्ष-वर्जितं श्राद्धम्) देवकार्य द्वारा अरक्षित पितृश्राद्ध कार्य को (रक्षांसि विलुम्पन्ति) राक्षस नष्ट कर देते हैं॥ २०४॥

देवकर्म और पितृश्राद्ध की विधियां—

दैवाद्यन्तं तदीहेत पित्राद्यन्तं न तद्भवेत्।
पित्राद्यन्तं त्वीहमानः क्षिप्रं नश्यति सान्वयः॥ २०५॥

(तत्) उस पितृश्राद्ध को (दैवाद्यन्तम् ईहेत) देवकार्य के पश्चात् ही करे (तत्) उसे (पित्राद्यन्तं न भवेत्) कभी पितृश्राद्ध के बाद नहीं करना चाहिए (पित्राद्यन्तं तु+ईहमानः) पितृश्राद्ध के अन्त में देवकार्य को करने वाला व्यक्ति (सान्वयः क्षिप्रं नश्यति) वंशसहित शीघ्र नष्ट हो जाता है॥ २०५॥

शुचि देशं विविक्तं च गोमयेनोपलेपयेत् ।
दक्षिणाप्रवणं चैव प्रयत्नेनोपपादयेत् ॥ २०६ ॥

[पितृश्राद्ध करने के लिए] (शुचि च विविक्तं देशम्) स्वच्छ-पवित्र और एकान्त स्थान को (गोमयेन+उपलेपयेत्) गोबर से लिपवावे (च) और (प्रयत्नेन दक्षिणाप्रवणम् एव उपपादयेत्) प्रयत्नपूर्वक उस स्थान को दक्षिण की ओर ढलवां रखता हुआ बनावे ॥ २०६ ॥

अवकाशेषु चोक्षेषु नदीतीरेषु चैव हि ।
विविक्तेषु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरः सदा ॥ २०७ ॥

(अवकाशेषु) खुले=भीड़रहित (उक्षेषु) और जल के सेचन से पवित्र (च नदीतीरेषु एव हि) और नदीतट (च) तथा (विविक्तेषु) एकान्त स्थानों पर (दत्तेन) दिये गये श्राद्ध से (पितरः सदा तुष्यन्ति) पितर सदा सन्तुष्ट होते हैं ॥ २०७ ॥

आसनेषूपकल्प्तेषु बर्हिष्मत्सु पृथक्पृथक् ।
उपस्पृष्टोदकान् सम्यग्विप्रांस्तानुपवेशयेत् ॥ २०८ ॥

(पृथक्-पृथक् उपकल्प्तेषु बर्हिष्मत्सु आसनेषु) पूर्वोक्त स्थानों पर सबके लिए अलग-अलग बिछाये कुशाओं से बने आसनों पर (उपस्पृष्ट-उदकान् तान् विप्रान्) जल से स्वच्छ हुए [हाथ-पैर धोने, स्नान करने आदि से] विद्वानों को (सम्यक्) सत्कार पूर्वक (उपवेशयेत्) बैठावे ॥ २०८ ॥

उपवेश्य तु तान्विप्रानासनेष्वजुगुप्सितान् ।
गन्धमाल्यैः सुरभिभिरर्चयेद् देवपूर्वकम् ॥ २०९ ॥

(तु) और फिर (तान् अजुगुप्सितान् विप्रान् आसनेषु उपवेश्य) उन अनिन्दित सुपात्र विद्वान् ब्राह्मणों को आसनों पर बिठाकर (सुरभिभिः गन्धमाल्यैः) सुगन्धियों से युक्त चन्दन, केसर आदि पदार्थों और मालाओं से (देवपूर्वकम् अर्चयेत्) देवकार्य में निमन्त्रित ब्राह्मणों के साथ पूजन करे ॥ २०९ ॥

तेषामुदकमानीय सपवित्रांस्तिलानपि ।
अग्नौ कुर्यादनुज्ञातो ब्राह्मणो ब्राह्मणैः सह ॥ २१० ॥

(ब्राह्मणः) श्राद्ध करने वाला द्विज (तेषाम्) उन ब्राह्मणों के अर्घ्य के साथ (उदकं सपवित्रान् तिलान्+अपि आनीय) जल, कुशाएं और तिलों को लाकर या एकत्र मिलाकर रखे (अनुज्ञातः) फिर उनसे आज्ञा पाकर (ब्राह्मणैः सह अग्नौ कुर्यात्) ब्राह्मणों के साथ बैठकर अग्नि में आहुति डाले—अग्निहोत्र करे ॥ २१० ॥

अग्नेः सोमयमाभ्यां च कृत्वाप्यायनमादितः ।
हविर्दानेन विधिवत् पश्चात्सन्तर्पयेत्पितॄन् ॥ २११ ॥

(आदितः) पहले (अग्नेः सोमयमाभ्यां च) अग्निदेवता, सोम और यमदेवता के लिये (हविर्दानेन आप्यायनं कृत्वा) आहुति देकर और इस प्रकार उनकी तृप्ति करके

(पश्चात्) उसके बाद (विधिवत् पितॄन्) विधि के अनुसार पितरों को संतृप्त करे ॥ २११ ॥

अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत् ।
यो ह्यग्निः स द्विजो विप्रैर्मन्त्रदर्शिभिरुच्यते ॥ २१२ ॥

(अग्नि+अभावे तु) यदि अग्नि का अभाव हो तो (विप्रस्य पाणौ+एव+उपपाददेत्) विद्वान् ब्राह्मण के हाथ पर पूर्वोक्त तीन आहुतियां रख दे (हि) क्योंकि ('यः अग्निः सः द्विजः मन्त्रदर्शिभिः विप्रैः उच्यते) 'जो अग्नि है वह ब्राह्मण ही है' अर्थात् 'अग्निदेवता के समान ही ब्राह्मण पवित्र एवं आदरणीय है' ऐसा मन्त्रद्रष्टा महर्षियों ने कहा है ॥ २१२ ॥

अक्रोधनान्सुप्रसादान्वदन्त्येतान्पुरातनान् ।
लोकस्याप्यायने युक्ताञ्छ्राद्धदेवान्द्विजोत्तमान् ॥ २१३ ॥

[मन्त्रद्रष्टा ऋषि] (अक्रोधनान् सुप्रसादान् पुरातनान् लोकस्य आप्यायने युक्तान् एतान् द्विजोत्तमान्) क्रोधरहित, प्रसन्नमुख, पुरातन या सर्वोच्च, संसार की उन्नति में संलग्न रहने वाले इन ब्राह्मणों को (श्राद्धदेवान् वदन्ति) 'श्राद्ध के देवता' कहते हैं ॥ २१३ ॥

अपसव्यमग्नौ कृत्वा सर्वमावृत्य विक्रमम् ।
अपसव्येन हस्तेन निर्वपेदुदकं भुवि ॥ २१४ ॥

(अग्नौ कृत्वा) पूर्वोक्त प्रकार अग्नि में आहुति देकर (विक्रमं सर्वम् अपसव्यम् आवृत्य) क्रमशः सब श्राद्ध के पदार्थों को दक्षिण भाग में सम्भालकर रखके (अपसव्येन हस्तेन) दायें हाथ से (भुवि उदकं निर्वपेत्) पिण्डदान रखने की भूमि पर जल छिड़के ॥ २१४ ॥

त्रींस्तु तस्माद्धविः शेषात्पिण्डान्कृत्वा समाहितः ।
औदकेनैव विधिना निर्वपेद्दक्षिणामुखः ॥ २१५ ॥

(तस्मात्+हविः शेषात्) उस हवन से बचे हुए भोज्य पदार्थ से (त्रीन् तु पिण्डान् कृत्वा) तीन पिण्ड बनाकर (समाहितः) एकाग्रचित्त होकर (दक्षिणामुखः) दक्षिण की ओर मुख करके (औदकेन विधिना एव निर्वपेद्) जल छिड़कने की विधि के अनुसार [३। २१४] ही भूमि पर [कुशाओं पर] रख दे ॥ २१५ ॥

न्युप्य पिण्डांस्ततस्तांस्तु प्रयतो विधिपूर्वकम् ।
तेषु दर्भेषु तं हस्तं निमृज्यात्लेपभागिनाम् ॥ २१६ ॥

(प्रयतः विधिपूर्वकं तान् पिण्डान् न्युप्य) सावधान हो विधिपूर्वक उन पिण्डों को कुशाओं पर रखकर (ततः) उसके बाद (लेपभागिनां तं हस्तं तेषु दर्भेषु निमृज्यात्)

हाथ में लगे अन्न को पितरों का भाग मानकर अपने हाथ को उन पिण्ड वाले कुशाग्रों से पोंछ दे ॥ २१६ ॥

आचम्योदक्परावृत्य त्रिरायम्य शनैरसून् ।
षड्ऋतूंश्च नमस्कुर्यात्पितॄनेव च मन्त्रवत् ॥ २१७ ॥

फिर यजमान (उदक् परावृत्य) उत्तर की ओर मुख करके (आचम्य) आचमन करके (शनैः+असून् त्रिः+आयम्य) धीरे-धीरे प्राणों को तीन बार नियन्त्रित करके अर्थात् तीन प्राणायाम करके (षड्ऋतून्) वसन्त आदि छह ऋतुओं को (च) और (पितॄन्) पितरों को (मन्त्रवत् नमस्कुर्यात्) मन्त्रपूर्वक ["ओं नमो वः पितरो रसाय" यजुः २ । ३२] नमस्कार करे ॥ २१७ ॥

उदकं निनयेच्छेषं शनैः पिण्डान्तिके पुनः ।
अवजिघ्रेच्च तान्पिंडान्यथान्युप्तान्समाहितः ॥ २१८ ॥

(पुनः) फिर (शेषम् उदकम्) लाकर रखे उस [३ । २१०] जल से शेष बचे जल को (पिण्डान्तिके शनैः निनयेत्) पिण्डों के समीप धीरे से डाल देवे (च) और फिर (समाहितः) एकाग्र होकर (यथान्युप्तान् तान् पिण्डान् अवजिघ्रेत्) जिस क्रम से वे पिण्ड रखे गये थे उसी क्रम से उन पिण्डों को सूंघे ॥ २१८ ॥

पिण्डेभ्यस्त्वल्पिकां मात्रां समादायानुपूर्वशः ।
तेनैव विप्रानासीनान्विधिवत्पूर्वमाशयेत् ॥ २१९ ॥

(अनुपूर्वशः) क्रमशः (पिण्डेभ्यः+तु+अल्पिकां मात्रां समादाय) सभी पिण्डों से थोड़ा-थोड़ा भाग लेकर (आसीनान् विप्रान्) बैठे हुए ब्राह्मणों को (विधिवत् पूर्वं तेन+एव आशयेत्) विधिपूर्वक पहले उसी भाग से भोज्यभाग खिलावे ॥ २१९ ॥

म्रियमाणे तु पितरि पूर्वेषामेव निर्वपेत् ।
विप्रवद्वाऽपि तं श्राद्धे स्वकं पितरमाशयेत् ॥ २२० ॥

(पितरि म्रियमाणे तु) पिता के जीवित होते हुए (पूर्वेषाम्+एव निर्वपेत्) पूर्वज दादा-पड़दादा आदि का श्राद्ध करे (अपि वा) अथवा (तं स्वकं पितरम्) उस अपने जीवित पितर को भी यदि श्राद्ध में निमन्त्रित करना चाहे तो (विप्रवत् आशयेत्) निमन्त्रित ब्राह्मणों के समान बुलाकर भोजन करावे ॥ २२० ॥

पिता यस्य निवृत्तः स्याज्जीवेच्चापि पितामहः ।
पितुः स नाम संकीर्त्य कीर्तयेत्प्रपितामहम् ॥ २२१ ॥

(यस्य पिता निवृत्तः स्यात्) जिसका पिता मर गया हो (च) और (पितामहः अपि जीवेत्) दादा अभी जीवित हो (सः) वह श्राद्धदाता (पितुः नाम संकीर्त्य) पहले पिता के नाम पिण्डदान देकर (प्रपितामहं कीर्तयेत्) फिर पड़दादा के नाम पिण्डदान करे ॥ २२१ ॥

पितामहो वा तच्छ्राद्धं भुञ्जीतेत्यब्रवीन्मनुः ।
कामं वा समनुज्ञातः स्वयमेव समाचरेत् ॥ २२२ ॥

(वा) अथवा ('पितामहः तत् श्राद्धं भुञ्जीत' इति मनुः अब्रवीत्) 'दादा ही उस श्राद्ध के अन्न को खाये' ऐसा मनु ने विधान किया है (वा) अथवा (समनुज्ञातः) दादा से आज्ञा पाकर (स्वयम्+एव कामं समाचरेत्) श्राद्धदाता पौत्र यजमान स्वयं इच्छानुसार श्राद्ध का भोजन करने वालों को चुनले ॥ २२२ ॥

तेषां दत्त्वा तु हस्तेषु सपवित्रं तिलोदकम् ।
तत्पिण्डाग्रं प्रयच्छेत स्वधैवामस्त्विति ब्रुवन् ॥ २२३ ॥

(तेषां हस्तेषु तु सपवित्रं तिल+उदकं दत्त्वा) उन ब्राह्मणों के हाथों में कुशाओं सहित तिलमिश्रित जल देकर ('एषां स्वधा अस्तु' इति ब्रुवन्) 'इनके लिए यह कल्याण-कारी हो' ऐसा कहते हुये [अर्थात् 'इदं पित्रे स्वधा अस्तु' कहकर पिता के लिये, 'इदं पितामहाय स्वधा अस्तु' कहकर दादा के लिये] (तत् पिण्डाग्रं प्रयच्छेत) वह निकाला हुआ पिण्ड का भाग [३।२१६] ब्राह्मणों को प्रदान करे ॥ २२३ ॥

पाणिभ्यां तूपसङ्गृह्य स्वयमन्नस्य वर्धितम् ।
विप्रान्तिके पितॄन्ध्यायञ्छनकैरुपनिक्षिपेत् ॥ २२४ ॥

फिर श्राद्धकर्त्ता (अन्नस्य वर्धितम्) अन्न के भरे पात्र को [स्वयं पाणिभ्याम् उपसंगृह्य) स्वयं अपने हाथों से पकड़कर (पितॄन् ध्यायन्) पितरों का मन ही मन ध्यान करते हुये (विप्रान्तिके) ब्राह्मणों के सामने (शनकैः+उपनिक्षिपेत्) धीरे से परोसे या रख दे ॥ २२४ ॥

उभयोर्हस्तयोर्मुक्तं यदन्नमुपनीयते ।
तद्विप्रलुम्पन्त्यसुराः सहसा दुष्टचेतसः ॥ २२५ ॥

(उभयोः हस्तयोः मुक्तम्) दोनों हाथों से रहित अर्थात् एक ही हाथ से (यत्+अन्नम्+उपनीयते) जो भोज्यान्न ब्राह्मणों के सामने रखा या दिया जाता है (तत्) उस अन्न को (दुष्टचेतसः असुरा सहसा प्रलुम्पन्ति) दुष्ट मन वाले राक्षस अचानक छीन लेते हैं अर्थात् वह भोज्यान्न पितरों के पास नहीं पहुँचता, अतः एक हाथ से भोजन नहीं देना चाहिए ॥ २२५ ॥

गुणांश्च सूपशाकाद्यान् पयो दधि घृतं मधु ।
विन्यसेत् प्रयतः पूर्वं भूमावेव समाहितः ॥ २२६ ॥

भक्ष्यं भोज्यं च विविधं मूलानि च फलानि च ।
हृद्यानि चैव मांसानि पानानि सुरभीणि च ॥ २२७ ॥

(पूर्वम्) पहले (समाहितः प्रयतः) सावधान होकर उमंग के साथ (सूप-शाक+आद्यान् पयः दधिः घृतं मधुः गुणान्) दाल-शाक आदि, दूध, घी, शहद आदि गुण-कारी

व्यञ्जनों को (विविधं भक्ष्यं च भोज्यम्) विविध भक्ष्यपदार्थ-लड्डू आदि भोज्य-खीर आदि (मूलानि च फलानि) मूली, जिमीकंद आदि मूल, आम आदि फल (च) और (हृद्यानि मांसानि) दिल को रुचिकर लगने वाले मांस (सुरभीणि च पानानि) तथा सुगन्धित पेय पदार्थ (भूमौ+एव विन्यसेत्) सामने भूमि पर [उनके पात्रों को] रख दे ॥ २२६, २२७ ॥

उपनीय तु तत्सर्वं शनकैः सुसमाहितः ।
परिवेषयेत प्रयतो गुणान् सर्वान् प्रचोदयन् ॥ २२८ ॥

(तत् सर्वम् उपनीय) उस उपयुक्त सब भोज्य सामग्री को पास लाकर (सुसमाहितः) सावधानी के साथ (प्रयतः) प्रसन्नतापूर्वक (सर्वान् गुणान् प्रचोदयन्) उनके गुणों को—विशेषताओं को कहते हुए (शनकैः परिवेषयेत) धीरे-धीरे परोसे ॥ २२८ ॥

नाश्रुमापातयेज्जातु न कुप्येन्नानृतं वदेत् ।
न पादेन स्पृशेदन्नं न चैतदवधूनयेत् ॥ २२९ ॥

भोजन परोसते समय (जातु) कभी भी (न+अश्रुम्+आपातयेत्) आंसू न गिरावे अर्थात् रोये नहीं (न कुप्येत्) न क्रोध करे (न+अनृतं वदेत्) न झूठ बोले (पादेन अन्नं न स्पृशेत्) पैर से भोज्यान्न या किसी अन्नपात्र को न छुये (न च+एतत्+अवधूनयेत्) और न कभी अन्न को पात्र में उछालकर डाले ॥ २२९ ॥

अश्रु गमयति प्रेतान् कोपोऽरीननृतं शुनः ।
पादस्पर्शस्तु रक्षांसि दुष्कृतीनवधूननम् ॥ २३० ॥

उस समय (अश्रु प्रेतान् गमयति) आंसू गिराना उस भोज्यान्न को भूत-प्रेतों के पास पहुंचा देता है (कोपः+अरीन्) क्रोध करना शत्रुओं के पास (अनृतं शुनः) झूठ बोलना कुत्तों के पास (पादस्पर्शः तु रक्षांसि) पैरों से स्पर्श करना राक्षसों के पास (अवधूननं दुष्कृतीन्) उछालना पापियों के पास श्राद्ध के अन्न को पहुँचा देता है, अतः ये क्रियाएं नहीं करनी चाहिए ॥ २३० ॥

यद्यद्रोचेत विप्रेभ्यस्तत्तदुद्यादमत्सरः ।
ब्रह्मोद्याश्च कथाः कुर्यात् पितॄणामेतदीप्सितम् ॥ २३१ ॥

(विप्रेभ्यः यत्+यत् रोचेत) ब्राह्मणों को जो-जो वस्तु रुचिकर लगे (तत्+तत् अमत्सरः दद्यात्) यजमान उस-उस वस्तु को दुःखरहित होकर दे दे (च) तथा (ब्रह्मोद्याः कथा कुर्यात्) परमात्मसम्बन्धी चर्चाएं—कथाएं करे (एतत् पितॄणाम् ईप्सितम्) यह सब पितरों को अच्छा लगता है ॥ २३१ ॥

स्वाध्यायं श्रावयेत्पित्र्ये धर्मशास्त्राणि चैव हि ।
आख्यानानीतिहासांश्च पुराणानि खिलानि च ॥ २३२ ॥

(पित्र्ये) पितरश्राद्ध में (स्वाध्यायं च धर्मशास्त्राणि) वेद और धर्मशास्त्रों को

(आख्यानानि + इतिहासान् पुराणानि च खिलानि श्रावयेत्) कथाओं, इतिहास, पुराणों तथा खिलसूक्तों [शिवसंकल्प, श्रीसूक्त आदि] को सुनाये अर्थात् सुनाने की व्यवस्था करे ॥ २३२ ॥

हर्षयेद् ब्राह्मणांस्तुष्टो भोजयेच्च शनैः शनैः ।
अन्नाद्येनासकृच्चैतान् गुणैश्च परिचोदयेत् ॥ २३३ ॥

(तुष्टः ब्राह्मणान् हर्षयेत्) स्वयं प्रसन्न होता हुआ ब्राह्मणों को भी प्रसन्न करे (च) और (शनैः शनैः भोजयेत्) धीरे-धीरे शान्तिपूर्वक खिलावे अर्थात् उतावला-पन या शीघ्रता न करे (अन्नाद्येन च गुणैः) भोज्यान्न के नाम से और उसके गुणों को कहकर (एतान् असकृत् परिचोदयेत्) इन ब्राह्मणों से बार-बार आग्रह करे ॥ २३३ ॥

व्रतस्थमपि दौहित्रं श्राद्धे यत्नेन भोजयेत् ।
कुतपं चासने दद्यात्तिलैश्च विकिरेन्महीम् ॥ २३४ ॥

(व्रतस्थम् + अपि दौहित्रम्) यदि ब्रह्मचारी हो तो धेवते को भी (यत्नेन श्राद्धे भोजयेत्) यत्नपूर्वक श्राद्ध में जिमावे (च) और (आसने कुतपं दद्यात्) बैठने के लिए नेपाली कंबल दे (च) तथा (महीं तिलैः विकिरेत्) उस स्थान पर तिल बिखेरदे ॥२३४॥

त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः ।
त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शौचमक्रोधमत्वराम् ॥ २३५ ॥

(श्राद्धे) श्राद्ध कर्म में (दौहित्रः कुतपः तिलाः त्रीणि पवित्राणि) धेवता, नेपाली कंबल और तिल, ये तीन पवित्र माने हैं (च) और (अत्र) इस श्राद्ध में ('शौचम् + अक्रोधम् + अत्वराम्' त्रीणि प्रशंसन्ति) पवित्रता रखना, क्रोध न करना, जल्दबाजी न करना, इन तीन बातों की प्रशंसा होती है ॥ २३५ ॥

अत्युष्णं सर्वमन्नं स्याद् भुञ्जीरंस्ते च वाग्यताः ।
न च द्विजातयो ब्रूयुर्दात्रा पृष्टा हविर्गुणान् ॥ २३६ ॥

(सर्वम् + अन्नम् अत्युष्णं स्यात्) सब भोज्यान्न अत्यन्त गर्म हों (च) और (ते वाग्यताः भुञ्जीरन्) वे ब्राह्मण मौन होकर भोजन करें (द्विजातयः) खाने वाले ब्राह्मण (दात्रा पृष्टा) श्राद्धदाता के पूछने पर भी (हविर्गुणान् न ब्रूयुः) भोज्यान्न के गुणों का वर्णन न करें ॥ २३६ ॥

पितरों को कौनसा अन्न प्राप्त नहीं होता—

यावदुष्णं भवत्यन्नं यावदश्नन्ति वाग्यताः ।
पितरस्तावदश्नन्ति यावन्नोक्ता हविर्गुणाः ॥ २३७ ॥

(यावत् अन्नम् उष्णं भवति) जब तक अन्न गर्म होता है (यावत् वाग्यताः अश्नन्ति) जब तक ब्राह्मण मौन होकर भोजन करते हैं (यावत् हविर्गुणाः न + उक्ता) जब

तक [खाने वालों के द्वारा] अन्न के गुणों का वर्णन नहीं किया जाता (पितरः तावत् अश्नन्ति) पितर लोग तभी तक अन्न को खाते हैं, अन्यथा वह अन्न पितरों के पास नहीं पहुँचता ॥ २३७ ॥

यद्वेष्टितशिरा भुङ्क्ते तद्वभुङ्क्ते दक्षिणामुखः ।
सोपानत्कश्च यद् भुङ्क्ते तद्वै रक्षांसि भुञ्जते ॥ २३८ ॥

(यत् वेष्टितशिरा भुङ्क्ते) जो शिर पर पगड़ी आदि बाँधकर भोजन करता है (यत् दक्षिणामुखः भुङ्क्ते) जो श्राद्ध के भोजन को दक्षिण की ओर मुख करके खाता है (यत् सोपानत्कः भुङ्क्ते) जो जूतों सहित भोजन करता है (तत् वै रक्षांसि भुञ्जते) उस अन्न को निश्चय से राक्षस खाते हैं अर्थात् वह पितरों के पास नहीं पहुंचता ॥२३८॥

श्राद्ध जिमाते समय सावधानियाँ—

चाण्डालश्च वराहश्च कुक्कुटः श्वा तथैव च ।
रजस्वला च षण्ढश्च नेक्षेरन्नश्नतो द्विजान् ॥ २३९॥

(चाण्डालः वराहः कुक्कुटः श्वा रजस्वला च षण्ढः) चाण्डाल, सूअर, मुर्गा, रजस्वला स्त्री और नपुंसक (अश्नतः द्विजान् न+ईक्षेरन्) खाते हुए ब्राह्मणों को न देखें या देख पायें ॥ २३९ ॥

होमे प्रदाने भोज्ये च यदेभिरभिवीक्ष्यते ।
दैवे कर्मणि पित्र्ये वा तद् गच्छत्ययथातथम् ॥ २४० ॥

(दैवे कर्मणि वा पित्र्ये) देवकर्म अथवा श्राद्धकर्म में (होमे प्रदाने च भोज्ये) हवन करने में, दान देने में और श्राद्ध खिलाने में (यत्+एभिः+अभिवीक्ष्यते) जो वस्तु इनके द्वारा देख ली जाती है (तत्+अयथातथं गच्छति) वह वस्तु फलहीन हो जाती है, वृथा जाती है ॥ २४० ॥

घ्राणेन सूकरो हन्ति पक्षवातेन कुक्कुटः ।
श्वा तु दृष्टिनिपातेन स्पर्शनावरवर्णजः ॥ २४१ ॥

(सूकरः घ्राणेन) सूअर सूंघने से (कुक्कुटः पक्षवातेन) मुर्गा पंखों की हवा से (श्वा दृष्टिनिपातेन) कुत्ता देखने से (अवरवर्णजः स्पर्शेन) निम्नवर्ण में उत्पन्न शूद्र स्पर्श करने से (हन्ति) श्राद्ध की वस्तु को फलहीन कर देता है ॥ २४१ ॥

खञ्जो वा यदि वा काणो दातुः प्रेष्योऽपि वा भवेत् ।
हीनातिरिक्तगात्रो वा तमप्यपनयेत् पुनः ॥ २४२ ॥

(खञ्जः) लंगड़ा (यदि वा काणः) अथवा यदि कोई काणा व्यक्ति (दातुः प्रेष्यः+अपि भवेत्) चाहे कोई श्राद्धदाता का नौकर हो (वा) अथवा (हीन-अतिरिक्त-गात्रः) छोटे या बड़े अथवा कम या अधिक अङ्गों वाला व्यक्ति श्राद्ध पर आ जाये तो (पुनः तम्+अपि+अपनयेत्) उसे भी वहां से दूर हटादे ॥ २४२ ॥

ब्राह्मणं भिक्षुकं वाऽपि भोजनार्थमुपस्थितम् ।
ब्राह्मणैरभ्यनुज्ञातः शक्तितः प्रतिपूजयेत् ॥ २४३ ॥

(भोजनार्थम्+उपस्थितं ब्राह्मणं वा भिक्षुकम् अपि) भोजन की इच्छा से आये हुए किसी अन्य ब्राह्मण और भिखारी का भी (ब्राह्मणैः+अभ्यनुज्ञातः) श्राद्ध में निमन्त्रित ब्राह्मणों की अनुमति लेकर (शक्तितः प्रतिपूजयेत्) यथाशक्ति सत्कार कर दे ॥ २४३ ॥

श्राद्ध में अन्य भाग—

सार्ववर्णिकमन्नाद्यं सन्नीयाप्लाव्य वारिणा ।
समुत्सृजेद् भुक्तवतामग्रतो विकिरन् भुवि ॥ २४४ ॥

(सार्ववर्णिकम्+अन्नाद्यम्) सब प्रकार के भोज्यान्न को (सन्नीय) लेकर (वारिणा आप्लाव्य) पानी से सानकर या उस पर पानी के छींटे देकर (भुक्तवताम्+अग्रतः) भोजन कर चुके ब्राह्मणों के सामने (भुवि विकिरन्) धरती पर बिखेरता हुआ (समुत्सृजेत्) छोड़ देवे ॥ २४४ ॥

असंस्कृतप्रतीतानां त्यागिनां कुलयोषिताम् ।
उच्छिष्टं भागधेयं स्याद्दर्भेषु विकिरश्च यः ॥ २४५ ॥

(यः दर्भेषु विकिरः उच्छिष्टम्) जो कुशासनों पर बिखेरा गया है वह जूठा अन्न (असंस्कृतप्रतीतानाम्) मरने पर जिन बच्चों का अग्निसंस्कार नहीं किया [५ । ६९] उन बालकों का तथा (कुलयोषितां त्यागिनाम्) कुलस्त्रियों का त्याग करने वालों का (भागधेयं) भाग होता है ॥ २४५ ॥

उच्छेषणं भूमिगतमजिह्मस्याशठस्य च ।
दासवर्गस्य तत्पित्र्ये भागधेयं प्रचक्षते ॥ २४६ ॥

(पित्र्ये) पितृश्राद्ध में (भूमिगतम् उच्छेषणम्) भूमि पर गिराहुआ झूठा अन्न (अजिह्मस्य च अशठस्य दासवर्गस्य) कुटिलतारहित और धूर्ततारहित दासवर्ग का (भागधेयं प्रचक्षते) भाग कहा जाता है ॥ २४६ ॥

पिण्डदान-सम्बन्धी विधान—

आसपिण्डक्रियाकर्म द्विजातेः संस्थितस्य तु ।
अदैवं भोजयेच्छ्राद्धं पिण्डमेकं तु निर्वपेत् ॥ २४७ ॥

(आसपिण्डक्रिया संस्थितस्य तु द्विजातेः) सपिंडीकरण क्रिया पर्यन्त मरे हुये द्विजाति का तो (अदैवं श्राद्धं भोजयेत्) देवकर्म के ब्राह्मणों से रहित श्राद्ध करना चाहिये (तु) और (एकं पिण्डं निर्वपेत्) केवल एक ही पिण्डदान करे ॥ २४७ ॥

सहपिण्डक्रियायां तु कृतायामस्य धर्मतः ।
अनयैवावृता कार्यं पिण्डनिर्वपणं सुतैः ॥ २४८ ॥

(धर्मतः) धर्मानुसार (अस्य) इस व्यक्ति की (सहपिण्डक्रियायां कृतायां तु) सपिण्डीकरण क्रिया करने पर तो (सुतैः) पुत्रों को चाहिए कि वे (अनया+एव+आवृता) इसी सम्पूर्ण रीति के अनुसार (पिण्डनिर्वपणं कार्यम्) पिण्डदान करें ॥२४८॥

श्राद्ध भोजन के बाद की विधियां—

श्राद्धं भुक्त्वा य उच्छिष्टं वृषलाय प्रयच्छति ।
स मूढो नरकं याति कालसूत्रमवाक्शिराः ॥ २४९ ॥

(यः) जो ब्राह्मण (श्राद्धं भुक्त्वा) श्राद्ध में जीमकर (उच्छिष्टं वृषलाय प्रयच्छति) झूठा भोजन शूद्र को देता है (सः मूढः) वह मूर्ख व्यक्ति (अवाक्शिराः) नीचे शिर किये हुए (कालसूत्रं नरकं याति) कालसूत्र नामक नरक में जाता है ॥२४९॥

श्राद्धभुग्वृषलीतल्पं तदहर्योऽधिगच्छति ।
तस्याः पुरीषे तन्मासं पितरस्तस्य शेरते ॥ २५० ॥

(श्राद्धभुक् यः) श्राद्ध में भोजन करने वाला जो व्यक्ति (तत्+अहः वृषली-तल्पम् अधिगच्छति) उस दिन शूद्रा स्त्री के साथ रमण करता है तो (तस्य पितरः) उसके पितर (तस्याः पुरीषे) उस शूद्रा की विष्ठा में (तत् मासं शेरते) एक मास तक सोते हैं ॥ २५० ॥

पृष्ट्वा स्वदितमित्येवं तृप्तानाचामयेत्ततः ।
आचान्तांश्चानुजानीयादभि भो रम्यतामिति ॥ २५१ ॥

भोजन कर चुकने पर (स्वदितम्+इति पृष्ट्वा) 'आप लोगों ने स्वादपूर्वक भोजन कर लिया है न' ? इस प्रकार पूछकर (ततः) उसके बाद (तृप्तान्+आचामयेत्) तृप्त हुए उन ब्राह्मणों को आचमन करावे (च) और (आचान्तान्) आचमन कर चुकने पर (भो अभिरम्यताम्+इति अनुजानीयात्) 'यहां आप आराम कीजिये' ऐसा कहे ॥ २५१ ॥

स्वधाऽस्त्वित्येव तं ब्रूयुर्ब्राह्मणास्तदनन्तरम् ।
स्वधाकारः परा ह्याशीः सर्वेषु पितृकर्मसु ॥ २५२ ॥

(तत्+अनन्तरम्) भोजन कर चुकने के पश्चात् (ब्राह्मणाः तं 'स्वधा अस्तु' इति ब्रूयुः) ब्राह्मण लोग उस यजमान को 'स्वधा अस्तु' यह कहकर आशीर्वाद दें (हि) क्योंकि (सर्वेषु पितृकर्मसु) सब पितृकर्मों में (स्वधाकारः परा आशीः) स्वधा कहना सबसे उत्तम आशीर्वाद है ॥ २५२ ॥

ततो भुक्तवतां तेषामन्नशेषं निवेदयेत् ।
यथा ब्रूयुस्तथा कुर्यादनुज्ञातस्ततो द्विजैः ॥ २५३ ॥

(तेषां भुक्तवताम्) उन ब्राह्मणों के भोजन कर चुकने पर (ततः) उसके बाद

(अन्नशेषं निवेदयेत्) श्राद्ध के शेष अन्न के बारे में उनसे निवेदन करे (ततः) तब (द्विजैः अनुज्ञातः) ब्राह्मणों से आज्ञा पाकर (यथा ब्रूयुः) जैसा वे कहें (तथा कुर्यात्) तदनुसार करे ॥ २५३ ॥

पित्र्ये स्वदितमित्येव वाच्यं गोष्ठे तु सुश्रुतम् ।
सम्पन्नमित्यभ्युदये दैवे रुचितमित्यपि ॥ २५४ ॥

यजमान को (पित्र्ये) पितृश्राद्ध में (स्वदितम्+इति+एव वाच्यम्) 'क्या आपने स्वादपूर्वक भोजन कर लिया ?' यह पूछना चाहिए (गोष्ठे तु सुश्रुतम्) गोष्ठी श्राद्ध में 'सुश्रुतम्' (अभ्युदये सम्पन्नम् इति) आभ्युदयिक श्राद्ध में 'सम्पन्नम्' (दैवे 'रुचितम्' इति+अपि) दैवश्राद्ध में 'रुचितम्' यह कहकर पूछना चाहिये ॥ २५४ ॥

अपराह्णस्तथा दर्भा वास्तुसम्पादनं तिलाः ।
सृष्टिर्मृष्टिर्द्विजाग्र्याश्च श्राद्धकर्मसु सम्पदः ॥ २५५ ॥

(अपराह्णः दर्भाः वास्तुसंपादनं तथा तिलाः) दोपहर के पश्चात् का समय, कुशाएं, घर की स्वच्छता तथा तिल, (सृष्टिः) दान देना, (मृष्टिः) [अन्नादि का विशेष विधि से] संस्कार (च) और (द्विजाग्र्याः) श्रेष्ठ ब्राह्मण, (श्राद्धकर्मसु संपदः) श्राद्ध कर्मों में ये संपत्तियां हैं ॥ २५५ ॥

दर्भाः पवित्रं पूर्वाह्णो हविष्याणि च सर्वशः ।
पवित्रं यच्च पूर्वोक्तं विज्ञेया हव्यसम्पदः ॥ २५६ ॥

(दर्भाः पवित्रं पूर्वाह्णः सर्वशः च हविष्याणि) कुशाएं, मन्त्र, दोपहर से पूर्व का समय और सब हवियां (यत् च पवित्रं पूर्वोक्तम्) और जो पहले श्लोक में पवित्र बातें कही हैं (हव्यसंपदः विज्ञेयाः) इन्हें देवकर्म की संपत्ति समझना चाहिए ॥ २५६ ॥

मुन्यन्नानि पयः सोमो मांसं यच्चानुपस्कृतम् ।
अक्षारलवणं चैव प्रकृत्या हविरुच्यते ॥ २५७ ॥

(मुन्यन्नानि) मुनियों के अन्न [नीवार आदि] (पयः सोमः) दूध, सोमलता का रस (च यत् अनुपस्कृतं मांसम्) और जो दुर्गन्धि तथा विकार से रहित मांस है वह (च) तथा (अक्षारलवणम्) सेंधा नमक (प्रकृत्या हविः+उच्यते) ये वस्तुएं स्वभाव से हवि के योग्य मानी गई हैं ॥ २५७ ॥

विसृज्य ब्राह्मणांस्तांस्तु नियतो वाग्यतः शुचिः ।
दक्षिणां दिशामाकाङ्क्षन् याचेतेमान्वरान्पितॄन् ॥ २५८ ॥

(तान् तु ब्राह्मणान् विसृज्य) उन श्राद्ध में निमन्त्रित ब्राह्मणों को विदा करके (नियतः वाग्यतः शुचिः) एकाग्रचित्त, मौन और पवित्र होकर (दक्षिणां दिशम्+आकाङ्क्षन्) दक्षिण दिशा की ओर मुख करके (पितॄन् इमान् वरान् याचेत) पितरों से इन वरों को मांगे ॥ २५८ ॥

दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः सन्ततिरेव च ।
श्रद्धा च नो मा व्यगमद्बहुदेयं च नोऽस्त्विति ॥ २५९ ॥

(नः) हमारे वंश में (दातारः वेदाः च संततिः एव अभिवर्धन्ताम्) दानी, वेदों का अध्ययन-अध्यापन तथा संतान इनकी सदा वृद्धि हो (च) और (नः श्रद्धा) हमारी श्रद्धा-भावना (मा व्यगमत्) कभी नष्ट न हो (च) और (नः बहुदेयम् अस्तु+इति) 'हमारे घर में दान देने के लिए बहुत धन-धान्य हो' इस प्रकार वर मांगे ॥ २५९ ॥

एवं निर्वपणं कृत्वा पिण्डांस्तांस्तदनन्तरम् ।
गां विप्रमजमग्निं वा प्राशयेदप्सु वा क्षिपेत् ॥ २६० ॥

(एवं निर्वपणं कृत्वा) इस प्रकार पिण्डदान करके (तत्+अनन्तरम्) उसके बाद (तान् पिण्डान्) उन दान किये पिण्डों को (गां विप्रं वा अजम्) गौ, ब्राह्मण या बकरे को (प्राशयेत्) खिला दे (वा) अथवा (अग्निं वा अप्सु क्षिपेत्) अग्नि या जल में फेंक दे ॥ २६० ॥

पिण्डनिर्वपणं केचित्परस्तादेव कुर्वते ।
वयोभिः खादयन्त्यन्ये प्रक्षिपन्त्यनलेऽप्सु वा ॥ २६१ ॥

(केचित्) कोई विद्वान् (परस्तात्+एव पिण्डनिर्वपणं कुर्वते) ब्राह्मणों के भोजन के पश्चात् ही पिण्डों को फेंकने का विधान करते हैं (अन्ये वयोभिः खादयन्ति) दूसरे कुछ विद्वान् पक्षियों को खिलाने को कहते हैं (अनले वा अप्सु प्रक्षिपन्ति) कुछ आग या पानी में फेंकने का विधान करते हैं ॥ २६१ ॥

पतिव्रता धर्मपत्नी पितृपूजनतत्परा ।
मध्यमं तु ततः पिण्डमद्यात् सम्यक्सुतार्थिनी ॥ २६२ ॥

(पितृपूजनतत्परा सुतार्थिनी पतिव्रता धर्मपत्नी) पितरों के पूजन में तत्पर, पुत्र की इच्छा करने वाली पतिव्रता धर्मपत्नी (ततः मध्यमं तु पिण्डं सम्यक् अद्यात्) उनमें से बीच के पिण्ड को श्रद्धापूर्वक खाये ॥ २६२ ॥

आयुष्मन्तं सुतं सूते यशोमेधासमन्वितम् ।
धनवन्तं प्रजावन्तं सात्त्विकं धार्मिकं तथा ॥ २६३ ॥

वह पिण्ड का भोजन करने वाली स्त्री (आयुष्मन्तम्) आयुष्मान् (यशो मेधासमन्वितम्) यश और बुद्धि से युक्त (धनवन्तं प्रजावन्तं सात्त्विकं तथा धार्मिकं सुतं सूते) धनवान्, संतानवान् सात्त्विक तथा धार्मिक पुत्र को जन्म देती है ॥ २६३ ॥

प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातिप्रायं प्रकल्पयेत् ।
ज्ञातिभ्यः सत्कृतं दत्त्वा बान्धवानपि भोजयेत् ॥ २६४ ॥

फिर (हस्तौ प्रक्षाल्य) दोनों हाथ धोकर (आचम्य) आचमन करके (ज्ञातिप्रायं

प्रकल्पयेत्) जातिवालों को भोजन करावे (ज्ञातिभ्यः सत्कृतं दत्त्वा) जातिवालों को सत्कारपूर्वक अन्न देकर (बान्धवान्+अपि भोजयेत्) अपने भाई तथा रिश्तेदारों को भी भोजन करावे ॥ २६४ ॥

उच्छेषणं तु यत्तिष्ठेद्यावद्विप्रा विसर्जिताः।
ततो गृहबलिं कुर्यादिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ २६५ ॥

(यावत् विप्राः विसर्जिताः) जब तक निमन्त्रित ब्राह्मण विदा न हो जायें (तावत् उच्छेषणं तु तिष्ठेत्) तब तक उनसे बचा हुआ भोजन ज्यों का त्यों रखा रहने दे (ततः गृहबलिं कुर्यात्) उसके बाद बलिवैश्वदेव करे तथा अन्य घर आदि के व्यक्तियों को भोजन करावे ॥ २६५ ॥

हविर्यच्चिररात्राय यच्चानन्त्याय कल्पते।
पितृभ्यो विधिवद्दत्तं तत्प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ २६६ ॥

(पितृभ्यः विधिवद् दत्तं हविः) पितरों के लिए विधिपूर्वक दी गई हवि (यत् चिररात्राय) जो बहुत काल तक के लिए फलदायक रहती है और (यत् आनन्त्याय कल्पते) जो अनंत तृप्ति के लिए होती है (तत्) उसे (अशेषतः प्रवक्ष्यामि) पूर्णरूप से कहता हूँ—॥ २६६ ॥

पितरों को तृप्तिदायक अन्न एवं मांस और तृप्ति की अवधि—

तिलैर्व्रीहियवैर्माषैरद्भिर्मूलफलेन वा।
दत्तेन मासं तृप्यन्ति विधिवत्पितरो नृणाम् ॥ २६७ ॥

(नृणां पितरः) मनुष्यों के पितर (तिलैः व्रीहियवैः माषैः+अद्भिः वा मूलफलेन विधिवत् दत्तेन) तिल, चावल, जौ, उड़द, जल और कन्दमूल, फलों को विधिपूर्वक देने से (मासं तृप्यन्ति) एक मास तक तृप्त रहते हैं ॥ २६७ ॥

द्वौ मासौ मत्स्यमांसेन त्रीन्मासान्हारिणेन तु।
औरभ्रेणाथ चतुरः शाकुनेनाथ पञ्च वै ॥ २६८ ॥

पितर (मत्स्यमांसेन द्वौ मासौ) मछली के मांस से दो महीने तक (हारिणेन तु त्रीन् मासान्) हिरण के मांस से तीन मास तक (अथ औरभ्रेण चतुरः) और मेंढ़े के मांस से चार मास तक (अथ) तथा (शाकुनेन वै पञ्च) पक्षियों के मांस से पांच महीने तक तृप्त रहते हैं ॥ २६८ ॥

षण्मासांश्छागमांसेन पार्षतेन च सप्त वै।
अष्टावेणस्य मांसेन रौरवेण नवैव तु ॥ २६९ ॥

(छागमांसेन षण्मासान्) बकरी के मांस से छह महीने (च) और (पार्षतेन सप्त) चित्रमृग के मांस से सात महीने (एणस्य मांसेन अष्टौ) काले मृग के मांस से

आठ महीने तक (रौरवेण नव एव तु) रुरु नामक मृग के माँस से नौ महीने तक पितर तृप्त रहते हैं ॥ २६९ ॥

दशमासांस्तु तृप्यन्ति वराहमहिषामिषैः ।
शशकूर्मयोस्तु मांसेन मासानेकादशैव तु ॥ २७० ॥

(वराह-महिष-आमिषैः दशमासांस्तु तृप्यन्ति) सूअर और भैंसे के मांस से दस मास तक पितर तृप्त रहते हैं (शशकूर्मयोः मांसेन एकादश मासान् एव) खरगोश और कछुए के मांस से ग्यारह मास तक पितर तृप्त रहते हैं ॥ २७० ॥

संवत्सरं तु गव्येन पयसा पायसेन च ।
वार्ध्रीणसस्य मांसेन तृप्तिर्द्वादशवार्षिकी ॥ २७१ ॥

(गव्येन पयसा च पायसेन संवत्सरं तु) गौ के दूध और उसकी खीर से एक वर्ष तक (वार्ध्रीणसस्य मांसेन) और वार्ध्रीणस बकरे के मांस से (द्वादशवार्षिकी तृप्तिः) बारह वर्ष तक पितरों की तृप्ति मानी है ॥ २७१ ॥ ※

कालशाकं महाशल्काः खड्गलोहामिषं मधु ।
आनन्त्यायैव कल्प्यन्ते मुन्यन्नानि च सर्वशः ॥ २७२ ॥

(कालशाकं महाशल्काः खड्ग-लोह-आमिषम्) कालशाक नामक शाकविशेष, कांटेदार मछली या काले बथुए का शाक, गेंडा, लाल बकरे का मांस (मधु) शहद (च) और (सर्वशः मुन्यन्नानि) सब प्रकार के मुनि-अन्नों से (आनन्त्याय+एव कल्प्यन्ते) अनन्त काल तक पितर तृप्त रहते हैं ॥ २७२ ॥

यत्किञ्चिन्मधुना मिश्रं प्रदद्यात् त्रयोदशीम् ।
तदप्यक्षयमेव स्याद्वर्षासु च मघासु च ॥ २७३ ॥

(वर्षासु मघासु) वर्षाकाल में मघा नक्षत्र में (त्रयोदशीम्) त्रयोदशी तिथि के दिन (यत् किंचित् मधुना मिश्रं प्रदद्यात्) जो कोई भी वस्तु मधु से मिश्रित करके दी जाये (तत्+अपि+अक्षयम्+एव स्यात्) वह वस्तु भी अक्षय तृप्ति देने वाली है ॥ २७३ ॥

अपि नः स कुले जायाद्यो नो दद्यात् त्रयोदशीम् ।
पायस मधुसर्पिर्भ्यां प्राच्छाये कुञ्जरस्य च ॥ २७४ ॥

[पितर लोग यह चाहा करते हैं कि–] (अपि नः कुले स जायात्) हमारे कुल में ऐसा कोई उत्पन्न हो (यः त्रयोदशीं तिथिम्) जो त्रयोदशी तिथि के दिन (च) तथा कुञ्जरस्य प्राक्छाये) हाथी की छाया जब पूर्वदिशा की ओर जाने लगे अर्थात् दोपहर

※ पानी पीते समय, लम्बे होने के कारण जिसके दोनों कान और जीभ जल का स्पर्श करते हों, जो क्षीणशक्ति हो, जिसका सफेद रंग हो, जिसकी अनेक संतानें हो चुकी हों; उस बूढ़े बकरे को 'वार्ध्रीणस' कहते हैं।

बाद के समय में (नः) हमारे लिए (मधुसर्पिभ्यां पायसं दद्याद्) शहद और घी से मिली हुई खीर श्राद्ध में दे ॥ २७४ ॥

यद्यद्ददाति विधिवत्सम्यक् श्रद्धासमन्वितः ।
तत्तत्पितृणां भवति परत्रानन्तमक्षयम् ॥ २७५ ॥

जो मनुष्य (श्रद्धासमन्वितः) श्रद्धा से युक्त होकर (विधिवत्) विधिपूर्वक (सम्यक् यद्+यद्+ददाति) अच्छी प्रकार जो-जो पदार्थ पितरों को देता है (तत्+तत् पितृणां परत्र+आनन्त्+अक्षयं भवति) वह सभी पितरों को परलोक में अनन्त और अक्षय तृप्ति देने वाला होता है ॥ २७५ ॥

कृष्णपक्षे दशम्यादौ वर्जयित्वा चतुर्दशीम् ।
श्राद्धे प्रशस्तास्तिथयो यथैता न तथेतराः ॥ २७६ ॥

(कृष्णपक्षे चतुर्दशीं वर्जयित्वा) कृष्णपक्ष में चतुर्दशी को छोड़कर (दशम्यादौ) दशमी से लेकर अमावस्या तक (तिथयः श्राद्धे यथा प्रशस्ताः) तिथियां श्राद्ध में जैसी श्रेष्ठ होती हैं (तथा न इतराः) वैसी अन्य तिथियां नहीं होतीं [प्रतिपदा से नवमी तक तथा चतुर्दशी] ॥ २७६ ॥

युक्षु कुर्वन्दिनर्क्षेषु सर्वान्कामान्समश्नुते ।
अयुक्षु तु पितॄन्सर्वान्प्रजां प्राप्नोति पुष्कलाम् ॥ २७७ ॥

(युक्षु दिन-ऋक्षेषु कुर्वन्) सम तिथियों [द्वितीया चतुर्थी, आदि] और सम नक्षत्रों [भरणी, रोहिणी, आर्द्रा आदि] में श्राद्ध को करने वाला द्विज (सर्वान् कामान् समश्नुते) सब मनोरथों को पूर्ण करता है (अयुक्षु तु सर्वान् पितॄन्) असम तिथियों [प्रतिपदा, तृतीया आदि] और असम नक्षत्रों [अश्विनी, कृत्तिका, मृगशिरा आदि] में पितरों का श्राद्ध करने वाला व्यक्ति (पुष्कलां प्रजां प्राप्नोति) बहुत-सी संतान प्राप्त करता है ॥ २७७ ॥

यथा चैवापरः पक्षः पूर्वपक्षाद्विशिष्यते ।
तथा श्राद्धस्य पूर्वाह्लादपराह्णो विशिष्यते ॥ २७८ ॥

(यथा चैव) जैसे (पूर्वपक्षात् अपरः पक्षः) पूर्वपक्ष अर्थात् शुक्लपक्ष से अपरपक्ष अर्थात् कृष्णपक्ष (विशिष्यते) विशेष होता है (तथा) वैसे ही (पूर्वाह्लात् अपराह्णः) दोपहर के पूर्व समय से दोपहर के बाद का समय (श्राद्धस्य विशिष्यते) श्राद्ध का अधिक फल देने वाला है ॥ २७८ ॥

प्राचीनावीतिना सम्यगपसव्यमतन्द्रिणा ।
पित्र्यमानिधनात्कार्यं विधिवद्भूषणेन ॥ २७९ ॥

(प्राचीनावीतिना) दाहिने कन्धे के ऊपर बायें काख के नीचे लटकते हुए यज्ञोपवीत पहन कर [२।३८] (अपसव्यम्+अतन्द्रिणा) अपसव्य और आलस्यरहित

होकर (विधिवत् दर्भपाणिना) विधिपूर्वक कुशा हाथ में लेकर (आनिधनात्) मृत्यु-पर्यन्त (सम्यक् नित्यं कार्यम्) श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करना चाहिए ॥ २७९ ॥

रात्रौ श्राद्धं न कुर्वीत राक्षसी कीर्तिता हि सा ।
सन्ध्ययोरुभयोश्चैव सूर्ये चैवाचिरोदिते ॥ २८० ॥

(रात्रौ श्राद्धं न कुर्वीत) रात के समय श्राद्ध न करे (हि) क्योंकि (सा राक्षसी कीर्तिता) रात को 'राक्षसी'=श्राद्ध का फल नष्ट करने वाली कहा है (च) और (उभयोः संध्ययोः एव) दोनों संध्याओं अर्थात् प्रातःकाल तथा सायंकाल (च) तथा (सूर्ये अचिरोदिते) सूर्य के निकलने के थोड़ी देर बाद तक भी अर्थात् दोपहर से पूर्व तक श्राद्ध न करे ॥ २८० ॥

त्रैमासिक श्राद्ध का विधान—

अनेन विधिना श्राद्धं त्रिरब्दस्येह निर्वपेत् ।
हेमन्तग्रीष्मवर्षासु पाञ्चयज्ञिकमन्वहम् ॥ २८१ ॥

प्रतिमास श्राद्ध न किये जा सकने पर (अनेन विधिना) इस उपर्युक्त विधि से (हेमन्त-ग्रीष्म-वर्षासु) हेमन्त, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओं में (अब्दस्य त्रिः इह श्राद्धं निर्वपेत्) वर्ष में तीन बार यहां पितरों का श्राद्ध करे (पाञ्चयज्ञिकम्+अनु+अहम्) पञ्चयज्ञों के अन्तर्गत आने वाले श्राद्ध को तो प्रतिदिन ही करे ॥ २८१ ॥

न पैतृयज्ञियो होमो लौकिकेऽग्नौ विधीयते ।
न दर्शेन विना श्राद्धमाहिताग्नेर्द्विजन्मनः ॥ २८२ ॥

(लौकिके+अग्नौ) लौकिक अग्नि में अर्थात् प्रतिदिन की यज्ञाग्नि में (पैतृयज्ञः होमः न विधीयते) पितरों का श्राद्ध सम्बन्धी यह विशेष यज्ञ नहीं किया जाता है (आहिताग्नेः द्विजन्मनः) और अग्निहोत्री ब्राह्मण को चाहिए कि वह (दर्शेन विना श्राद्धं न) अमावस्या के बिना श्राद्ध न करे ॥ २८२ ॥

यदैव तर्पयत्यद्भिः पितॄन्स्नात्वा द्विजोत्तमः ।
तेनैव कृत्स्नमाप्नोति पितृयज्ञक्रियाफलम् ॥ २८३ ॥

(द्विजोत्तमः) जो ब्राह्मण (स्नात्वा) स्नान करके (पितॄन् यत्+अद्भिः) तर्पयति) पितरों को जो जलदान से तृप्त करता है (तेन+एव) वह उसी से ही (कृत्स्नं पितृयज्ञ-क्रियाफलम् आप्नोति) सम्पूर्ण पितृश्राद्धकर्म के फल को प्राप्त कर लेता है ॥ २८३ ॥

पिता आदि की वसु आदि संज्ञाएँ—

वसून्वदन्ति तु पितॄन् रुद्रांश्चैव पितामहान् ।
प्रपितामहांस्तथादित्यान्श्रुतिरेषा सनातनी ॥ २८४ ॥

(पितॄन् तु वसून्) पितरों को वसु (च) और (पितामहान् रुद्रान्) पितामहों को रुद्र (तथा) और (प्रपितामहान् आदित्यान्) प्रपितामहों को आदित्य (वदन्ति) कहते हैं (एषा सनातनी श्रुतिः) यह सनातन श्रुति है ॥ २८४ ॥ (द० ल० पृ० २५६)

अनुशीलन : ११६ से २८४ तक श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—(१) ११७ वें श्लोक में गृहस्थी को 'शेषभुक्' होने के लिए कहा है और ११८ वें श्लोक में 'यज्ञशेषभुक्' होने के लिए कहा है। २८५ वें श्लोक में इन्हीं बातों का विकल्प रूप में कथन है। यह कहना चाहिए कि २८५ वां श्लोक इनका 'अर्थवाद' रूप है। बीच के इन श्लोकों ने उस पूर्वापर प्रसंग को भंग करके एकवाक्यात्मक वर्णन को तोड़ दिया है।

(२) ११७-११८ और २८५ वें श्लोक में अतिथि यज्ञ से सम्बन्धित प्रसंग है, जिसमें गृहस्थी को कैसा भोजन करना चाहिए यह स्पष्टीकरण है। इसके बीच में संबन्धियों की पूजा, राजा-स्नातक की पूजा [११६, १२०] बलिवैश्वदेव का विधान [१२१], पितृश्राद्ध का विधान [१२२-२८४] पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध है।

(३) १२२ वें श्लोक में "पितृयज्ञं तु निर्वर्त्य" कहकर नये सिरे से पितृश्राद्ध का प्रसंग शुरू किया गया है। यदि यह प्रसंग मौलिक होता तो प्रसंगक्रम की दृष्टि से पितृयज्ञ के प्रसंग [३।८१, ८२] के साथ होना चाहिए था, किन्तु ऐसा न होकर खण्डित क्रम में इसका वर्णन है। यह क्रम की असंगति इसे मौलिक सिद्ध नहीं करती। इस प्रकार इन प्रसंगविरोधों के आधार पर ये सभी ११६ से २८४ श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. **विषयविरोध**—६७ वें श्लोक में "**वैवाहिकेऽग्नौ कुर्वीत**···**पञ्चयज्ञविधानं च**" कहकर दैनिक पञ्चयज्ञों के वर्णन का संकेत किया है और समाप्तिसूचक "**एतत् यः अभिहितं सर्वं विधानं पाञ्चयज्ञिकम्**" श्लोक से भी यही सिद्ध है कि ६७ से २८६ श्लोकों का विषय केवल दैनिक पञ्चयज्ञों का विधान करना है। १२२ से २८४ श्लोकों में दैनिक पञ्चयज्ञों से भिन्न मासिक, त्रैमासिक आदि श्राद्धों का वर्णन है। यह वर्णन मनु के विषय-संकेत से बाह्य होने से विषयविरुद्ध है, अतः प्रक्षिप्त है।

३. **अन्तर्विरोध** : **मृतकश्राद्ध मनुविरुद्ध है**—इस प्रसंग में वर्णित विधानों के मनुस्मृति के अन्य विधानों से अनेक अन्तर्विरोध हैं—(१) १२२ से २८४ श्लोकों में मृतकश्राद्ध का विधान है। यह मान्यता मनुविरुद्ध है। मनु ने पितृयज्ञ के रूप में जीवितों का श्राद्ध और वह भी दैनिक रूप में विहित किया है [३।८०—८२] [विस्तृत रूप में द्रष्टव्य है ३।८५ पर अनुशीलन समीक्षा]। मनु के अनुसार पितृ या 'पितर' शब्द का अर्थ भी 'बुजुर्ग' 'पालक' है। देखिए ६।२८; २।१२६; [२। १५१] में 'पितृ' शब्द का प्रयोग 'बुजुर्गों' के लिये किया है। (२) दैनिक पितृयज्ञ या श्राद्ध घर पर विहित है जब कि इन श्लोकों में वर्णित श्राद्ध को वनों, नदीतीरों, एकान्त स्थानों [२०७] पर

करने का कथन है। यह भिन्नता मनु की व्यवस्था से विरुद्ध है। (३) मनु ने पितृयज्ञ को ही श्राद्ध माना है और उससे भिन्न कोई क्रिया पितृयज्ञ में नहीं मानी [८०-८२] जब कि इन श्लोकों में "पितृयज्ञं तु निर्वर्त्य" कहकर "पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धं कुर्यात् मासानुमासिकम्" [१२२] के विधान से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्णन करने वाला इस विधान को पितृयज्ञ से भिन्न क्रिया मानता है। यह अतिरिक्त पृथक् श्राद्ध का विधान मनु की व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। (४) पितृयज्ञ के प्रसंग में केवल अन्न, जल, फल-मूल से ही श्राद्ध करना कहा है [८२], जब कि इस प्रसंग में मांस से श्राद्ध करना अधिक फलदायक माना है [२६६–२७२]। (५) इस प्रसंग में अनेक श्लोकों में मांसभक्षण का विधान है [१२३, २२७, २५७, २६६–२७२]। यह मान्यता मनुस्मृति की मौलिक मान्यता से ही विरुद्ध है। मनु ने मांसभक्षण को पाप और मांसभक्षक को पापी कहा है [५। ४३–५१] और हिंसा करने वाले के लिये प्रायश्चित्तों का विधान किया है [३।६८–६९]। [विस्तृत समीक्षा ४।२६–२८ श्लोकों पर देखिये]। (६) मनु कर्त्ता को ही स्वयं फल को भोक्ता मानते हैं [४। २४०]। इस प्रसंग में श्राद्धकर्त्ता द्वारा पितरों का निस्तार [२२०–२२२], एक के श्राद्ध से सात पीढ़ी के वंशजों को पुण्यफल प्राप्ति [१४६], आदि कथन उक्त मान्यता के विरुद्ध हैं। (७) १३६, १३७, १५२–१५६, १६४–१६६, १८२ आदि श्लोकों में वर्णव्यवस्था को जन्मना मानने के संकेत हैं, जबकि मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं [१। ८८; २। १४३ (१६८), १२२–१२३ (१४७–१४८)]। उक्त श्लोकों में वर्णित कर्म ब्राह्मणों के नहीं हो सकते, यदि उनमें ये कर्म हैं, तो वे मनु की व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण नहीं कहला सकते। (८) २। ८१ [१०६] में वेदाध्ययन को सर्वदा पुण्यदायक माना है, जबकि इस प्रसंग में श्राद्ध में वेदपाठ निषिद्ध है [१८८]। [९] प्रथम अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति परमात्मा द्वारा पञ्चभूतों के माध्यम से मानी है [१। ६, १४–२०] जबकि इस प्रसंग में मरीचि आदि ऋषियों से चराचर जगत् की उत्पत्ति कही है, जो प्रकृतिविरुद्ध बात है [२०१]। (१०) १। ९१ में शूद्रों का कर्म द्विजों की सेवा करना कहा है, जबकि इस प्रसंग में शूद्रों का श्राद्ध के पदार्थों से स्पर्श करना भी निषिद्ध है [२४१]। १९७ में शूद्रों के पितर सुकाली माने हैं। जब शूद्रों के लिए श्राद्ध में स्पर्श तक का निषेध है तो शूद्रों के यहां कौन से ब्राह्मण श्राद्ध खायेंगे? यदि नहीं खाते हैं तो फिर शूद्रों के लिए श्राद्ध का विधान क्यों? (११) इस सम्पूर्ण प्रसंग में पितरों के लिए हव्य-कव्य आदि देने का विधान है किन्तु मनु के मत में जीवित व्यक्तियों को दिये जाने वाले भोज्य एवं हितार्थ देय वस्त्र, धन आदि दान 'हव्य-कव्य' कहलाते हैं। ४। ३०-३१ में देखिए मनु ने स्पष्टतः जीवित, धार्मिक विद्वानों को हव्य-कव्य देने का कथन किया है। यह सम्पूर्ण प्रसंग उक्त मान्यता के विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है।

इस प्रकार अनेक अन्तर्विरोधों के आधार पर यह सम्पूर्ण प्रसंग प्रक्षिप्त सिद्ध होता है। [देव, पितर आदि के विषय में विस्तृत विश्लेषण ३। ८२ की समीक्षा में देखिए]।

४. **अवान्तरविरोध**—इस प्रसंग में अनेक अवान्तरविरोध भी हैं, जिनसे यह ज्ञात होता है कि यह प्रसंग न तो किसी मनुसदृश विद्वान् की रचना है और न किसी एक व्यक्ति की रचना। यथा—(१) १३६–१३७ श्लोकों में वेदज्ञानरहित पुत्र को भी श्राद्ध में योग्य माना है और १४२–१४६ में वेदरहित को श्राद्ध के अयोग्य कहा है। (२) १२६ में देवकर्म में वेदहीन ब्राह्मण को जिमाने का निषेध है, लेकिन १४६ में कह दिया कि इस प्रकार की बातों की जांच-पड़ताल न करे। (३) सम्पूर्ण प्रसंग में अनेक स्थानों पर मांसभक्षण का विधान है [१२३, २२७, २५७, २६६-२७२] और १५२ में मांसविक्रेता ब्राह्मण को जिमाने के अयोग्य माना है। (४) १५१ में ब्रह्मचारी को श्राद्ध में जिमाने का निषेध है और १८६, १६२, २३४ में जिमाने का विधान है। यहाँ तक कि उसे 'पंक्तिपावन' तक कहा है। (५) १६६–१६७ श्लोकों में शूद्रादि सभी वर्णों के लिये श्राद्ध करना कहा है और २४१ आदि में शूद्र का स्पर्शनिषेध, शूद्र की दृष्टि से श्राद्ध के पुण्य का नष्ट होना आदि वर्णित है। (६) १६४–२०१ में मनु के वंशजों को ही पितर माना है और २२०–२२२ में अपने मृतपूर्वजों को। (७) १६६–१७३ तक श्लोकों में पशुओं के मांस से कई-कई मास, वर्ष और अनन्तकाल तक पितरों की तृप्ति होना बताया है; फिर मासिक [१२२], त्रैमासिक [२८१] आदि श्राद्ध करने की आवश्यकता ही क्या रह जाती है? (८) २७० में सूअर के मांस का श्राद्ध कराने से दस मास तक पितरों की तृप्ति मानी है और २४१ में सूअर के सूंघने से श्राद्ध का भोजन ही दूषित होना कहा है। (६) १३८ में मित्र को श्राद्ध में न जिमाने का विधान है और १४४ में जिमाने का। इस प्रकार अन्य अनेक अवान्तरविरोध भी इस प्रसंग में हैं, किन्तु-विस्तार-भय के कारण उन्हें यहाँ नहीं दर्शाया जा रहा है।

५. **शैलीगत आधार**—(१) १६४-२०१ श्लोकों में मनु के परवर्ती वंशजों का 'पितर' रूप में उल्लेख करना और १५० में 'मनुरब्रवीत्' तथा २२२ में 'अब्रवीत् मनुः' पद का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि ये श्लोक तथा इनसे सम्बद्ध अन्य यह प्रसंग मनु से भिन्न किसी परवर्ती व्यक्ति की रचना है, अतः स्पष्टतः प्रक्षिप्त है। (२) इस सम्पूर्ण प्रसंग की शैली अयुक्तियुक्त, निराधार एवं अतिशयोक्तिपूर्ण है। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं—(क) मित्र ब्राह्मण को जिमाने से श्राद्ध का फल न मिलना [१३८–१४१], (ख) अयोग्य ब्राह्मणों द्वारा खाया श्राद्ध राक्षसों को पहुंचना [१७०], (ग) अयोग्य ब्राह्मण और शूद्र आदि के द्वारा श्राद्ध खाते ब्राह्मणों को देख लेने मात्र से दाता का पुण्य नष्ट होना और श्राद्ध का फलहीन हो जाना [१७६, २३६–२४२], (घ) राक्षसों द्वारा श्राद्ध के फल को नष्ट करना [२०४] (ङ) अंधे ब्राह्मण द्वारा श्राद्ध खाते ब्राह्मणों को देखने पर नब्बे ब्राह्मणों के जिमाने का फल नष्ट होना, काणे से साठ का, कुष्ठी द्वारा सौ का, क्षयी द्वारा हजार का फल नष्ट होना [१७७], (च) एक हाथ द्वारा प्रदत्त अन्न ब्राह्मणों को न लगकर राक्षसों को लगना [२२५] आदि-आदि।

गृहस्थ के लिए दो ही प्रकार के भोजनों का विधान—

विघसाशी भवेन्नित्यं नित्यं वाऽमृतभोजनः ।
विघसो भुक्तशेषं तु यज्ञशेषं तथाऽमृतम् ॥ २८५ ॥ (८३)

गृहस्थी को चाहिए कि वह (नित्यं विघसाशी भवेत्) प्रतिदिन 'विघस' भोजन को खाने वाला होवे (वा) अथवा (अमृतभोजनः) 'अमृत' भोजन को खाने वाला होवे (भुक्तशेषं तु 'विघसः') अतिथि, मित्रों आदि सभी व्यक्तियों के खा लेने पर बचे भोजन को 'विघस' कहा जाता है [३ । ११६] (तथा) तथा (यज्ञशेषम् 'अमृतम्') यज्ञ में आहुति देने के बाद बचा भोजन 'अमृत' कहलाता है । [३ । ११७-११८] ॥ २८५ ॥

अनुशीलन : यज्ञशेष और शेषभुक् भोजन में अन्तर—यज्ञशेष और भुक्तशेष भोजन में एक अन्तर यह है कि 'भुक्तशेष' अन्न मीठे और लवण से युक्त कोई भी भोजन हो सकता है किन्तु 'यज्ञशेष' भोजन लवणरहित ही होता है । लवणयुक्त पक्वान्न की आहुति अग्निहोत्र में नहीं डाली जाती । यज्ञ में लवणयुक्त भोजन का मनु ने निषेध किया है [६ । १२] । गृहस्थ लवणयुक्त भोजन को बलिभाग निकालने पर और अतिथियों आदि के खाने के पश्चात् खाये । यही भुक्तशेष है । यही विघस है । यज्ञाहुति से अवशिष्ट लवणरहित भोजन यज्ञशेष और अमृत है ।

उपसंहार—

एतद्वोऽभिहितं सर्वं विधानं पाञ्चयज्ञिकम् ।
द्विजातिमुख्यवृत्तीनां विधानं श्रूयतामिति ॥ २८६ ॥(८४)

(एतत् वः) यह तुम्हें (सर्वं पाञ्चयज्ञिकं विधानम् अभिहितम्) सम्पूर्ण पञ्चयज्ञसम्बन्धी विधान कहा है । अब आगे (द्विजातिमुख्यवृत्तीनां विधानं श्रूयताम्) द्विजातियों को मुख्य आजीविका और जीवनचर्या के विधान को सुनो—॥ २८६ ॥

इति महर्षि-मनुप्रोक्तायां सुरेन्द्रकुमारकृतहिन्दीभाष्यसमन्वितायाम्
'अनुशीलन' समीक्षाविभूषितायाञ्च मनुस्मृतौ गृहस्थाश्रमे
समावर्तनविवाह-पञ्चयज्ञविधानाख्यस्तृतीयोऽध्यायः ॥

अथ चतुर्थोऽध्यायः

[हिन्दी-भाष्य-'अनुशीलन' समीक्षाभ्यां सहितः]

[गृहस्थान्तर्गत आजीविका एवं व्रत विषय]

[आजीविका ४। १ से ४। १२ तक]

आयु के द्वितीय भाग में गृहस्थी बनें—

चतुर्थमायुषो भागमुषित्वाऽऽद्यं गुरौ द्विजः।
द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत् ॥ १ ॥ (१)

(द्विजः) द्विज—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य (आद्यम्) पहले (आयुषः चतुर्थं भागम्) आयु के चौथाई भाग तक [कम से कम पच्चीस वर्ष पर्यन्त] (गुरौ उषित्वा) गुरु के समीप रहकर अर्थात् गुरुकुल में रहते हुए अध्ययन और ब्रह्मचर्यपालन करके (आयुषः द्वितीयं भागम्) आयु के दूसरे भाग में (कृतदारः) विवाह करके (गृहे वसेत्) घर में निवास करे ॥ १ ॥

अनुशीलन : विवाह की आयु के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन ३। ४ की समीक्षा में द्रष्टव्य है।

गृहस्थी की परपीड़ारहित जीविका हो—

अद्रोहेणैव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः।
या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥ २ ॥ (२)

(विप्रः) द्विज व्यक्ति (अनापदि) आपत्तिरहितकाल में (भूतानाम् अद्रोहेण+एव) दूसरे प्राणियों को जिससे किसी प्रकार की पीड़ा न पहुंचे (वा) अथवा (पुनः) ऐसी वृत्ति न मिलने पर बाद में (अल्पद्रोहेण) जिसमें प्राणियों को कम से कम पीड़ा हो ऐसी (या वृत्तिः) जो वृत्ति=आजीविका हो (तां समास्थाय जीवेत्) उसको अपनाकर जीवननिर्वाह करे ॥ २ ॥

धनसंग्रह जीवनयात्रा चलाने मात्र के लिए हो—

यात्रामात्रप्रसिद्ध्यर्थं स्वैः कर्मभिरगर्हितैः।
अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत धनसंचयम् ॥ ३ ॥ (३)

(स्वैः अगर्हितैः कर्मभिः) अपने अनिन्दित अर्थात् श्रेष्ठकर्मों से

(शरीरस्य अक्लेशेन) शरीर को अधिक कष्ट न देते हुए (यात्रामात्र-प्रसिद्ध्यर्थम्) केवल जीवनयात्रा को चलाने के उद्देश्य से ही [अर्थात् जिससे जीवन कष्टरहित रूप में चलता रहे और उसमें अधिक ऐश्वर्य भोग की कामना न हो] (धन-संचयं कुर्वीत) धन का संचय करे ॥ ३ ॥

जीविकाओं के भेद—

ऋतामृताभ्यां जीवेत्तु मृतेन प्रमृतेन वा ।
सत्यानृताभ्यामपि वा न श्ववृत्त्या कदाचन ॥ ४ ॥

(ऋत+अमृताभ्याम्) 'ऋत' या 'अमृत' से (मृतेन वा प्रमृतेन) 'मृत' या 'प्रमृत' से (वा) अथवा (सत्य+अनृताभ्याम्+अपि) 'सत्यानृत' जीविका से (जीवेत्) जीविका चलाये (श्ववृत्त्या कदाचन न) किन्तु श्ववृत्ति=दूसरे की सेवा करके उसके आश्रित रहते हुए चापलूसी पूर्वक जीवन बिताने की वृत्ति से कभी जीवन निर्वाह न करे ॥ ४ ॥

ऋतमुञ्छशिलं ज्ञेयममृतं स्यादयाचितम् ।
मृतं तु याचितं भैक्षं प्रमृतं कर्षणं स्मृतम् ॥ ५ ॥

(उञ्छ-शिलम् ऋतं ज्ञेयम्) उञ्छ=कटे हुए खेत में पड़े दाने जिनको अंगुलियों से बीना जाये उसे और शिल=कटे खेत में पड़ी रह जाने वाली बालियों को चुनकर जीविका चलाने को 'ऋत' समझना चाहिए (अयाचितम् अमृतं स्यात्) विना मांगे प्राप्त होने वाला धन 'अमृत' जीविका होती है (याचितं भैक्षं तु मृतम्) भिक्षा मांगकर जीविका करना 'मृत' और (कर्षणं प्रमृतं स्मृतम्) खेती करना 'प्रमृत' जीविका कही है ॥ ५ ॥

सत्यानृतं तु वाणिज्यं तेन चैवापि जीव्यते ।
सेवा श्ववृत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवर्जयेत् ॥ ६ ॥

(वाणिज्यं तु सत्यानृतम्) व्यापार को 'सत्यानृत' कहते हैं (तेन च+एव+अपि जीव्यते) इसके द्वारा भी जीविका चलायी जा सकती है (सेवा श्ववृत्तिः+आख्याता) दूसरे की सेवा करके उसके आश्रित रहते हुए चापलूसीपूर्वक जीवन बिताना 'श्ववृत्ति' कहलाती है (तस्मात्) वह कुत्ते जैसी वृत्ति है इसलिये (ताम्) उस आजीविका को (परिवर्जयेत्) छोड़ देवे ॥ ६ ॥

धान्यसंग्रही के भेद—

कुसूलधान्यको वा स्यात्कुम्भीधान्यक एव वा ।
त्र्यहैहिको वाऽपि भवेदश्वस्तनिक एव वा ॥ ७ ॥

चतुर्णामपि चैतेषां द्विजानां गृहमेधिनाम् ।
ज्यायान्परः परो ज्ञेयो धर्मतो लोकजित्तमः ॥ ८ ॥

द्विज (कुसूलधान्यकः वा स्यात्) चाहे अन्नभण्डार [=खत्ता] में धान्यसंग्रह करने वाला हो (वा) अथवा (कुम्भीधान्यकः+एव) मिट्टी के बृहदाकार घड़े में धान्य संग्रह करने वाला हो (वा अपि) अथवा (त्रि+अह+ऐहिकः) तीन दिन के भरण-पोषण के योग्य धान्यसंग्रह करने वाला हो (वा) अथवा (अश्वस्तनिकः एव भवेत्) केवल एक ही दिन के लिए धान्य रखने वाला हो [यह द्विज की इच्छा पर निर्भर है, किन्तु] (एषां चतुर्णाम् + अपि गृहमेधिनां द्विजानाम्) इन चारों प्रकार के गृहस्थी द्विजों में (परः परः ज्यायान् ज्ञेयः) बाद-बाद वाले को बड़ा या श्रेष्ठ समझना चाहिए (धर्मतः लोकजित्तमः) क्योंकि वह संयम अपरिग्रह आदि धर्मों के पालन से इस लोक को जीतने वाला है ॥ ७, ८ ॥

षट्कर्मको भवत्येषां त्रिभिरन्यः प्रवर्तते ।
द्वाभ्यामेकश्चतुर्थस्तु ब्रह्मसत्रेण जीवति ॥ ९ ॥

(एषाम् एकः षट्कर्म भवति) इनमें एक छः कर्मों से जीविका करने वाला होता है (अन्यः त्रिभिः प्रवर्तते) दूसरा तीन कर्मों से जीविका करता है (एकः द्वाभ्याम्) एक अर्थात् तीसरा दो कर्मों से (तु) और (चतुर्थः ब्रह्मसत्रेण जीवति) चौथा वेदाध्ययन की जीविका से ही जीता है ॥ ९ ॥

वर्तयंश्च शिलोञ्छाभ्यामग्निहोत्रपरायणः ।
इष्टीः पार्वणान्तीया केवला निर्वपेत्सदा ॥ १० ॥

(शिलोञ्छाभ्यां वर्तयन्) शिल और उञ्छ से जीविका करने वाला द्विज भी (अग्निहोत्रपरायणः) अग्निहोत्र करने में तत्पर रहे और (सदा) सदैव (केवलाः) सब (पार्वणान्तीयाः इष्टीः निर्वपेत्) पर्व और वर्ष के अन्त में होने वाले [दर्शपौर्णमास आदि] यज्ञों को करता रहे ॥ १० ॥

अनुशीलन : ४ से १० श्लोकों का यह प्रसंग निम्न 'आधारों' के आधार पर प्रक्षिप्त है—

१. **अन्तर्विरोध**—प्रस्तुत प्रसंग में कुछ वृत्तियों का उल्लेख है, और यह बताया गया है कि संचय की दृष्टि से कौन श्रेष्ठ है। ४ से १० श्लोक सभी परस्पर सम्बद्ध हैं। इस प्रसंग के वर्णन का मनुस्मृति की मान्यताओं से विरोध है और मौलिक व्यवस्थाओं से तालमेल नहीं बैठता—(१) १। ८७–९१ श्लोकों में चारों वर्णों के कर्मों का वर्णन है। उनमें कुछ कर्म वर्णों की आजीविकाएँ भी हैं [९। ३२५–३३३, ३३४, ३३५ (इस संस्करण में १०। १–३)]। कर्मों के आधार पर ही मनु ने वर्णों का विभाजन किया है। यहाँ सभी द्विजों के लिए पूर्वोक्त आजीविकाओं से भिन्न आजीविका की व्यवस्था देना और सभी के लिए आजीविका की समान व्यवस्था देना, पूर्वोक्त व्यवस्था तथा मान्यता से विरुद्ध है। (२) इन श्लोकों में 'सेवा' को भी एक द्विजातियों की [३। २८६] आजीविका माना है (४, ६) जबकि पूर्व व्यवस्था के अनुसार

'सेवा' द्विजातियों का नहीं अपितु शूद्र का कर्म है [१। ८७–९१; ९। ३३४–३३५]। अतः यह आधारभूत विरोध इस प्रसंग की प्रक्षिप्तता का सूचक है। (३) ९ वें श्लोक में गृहस्थी द्विजों के आजीविका के आधार पर चार वर्ग—छः कर्मों से आजीविका करने वाला, तीन कर्मों से, दो कर्मों से और एक कर्म से आजीविका करने वाला—बताये हैं। यह व्यवस्था भी १। ८७–९१ और ३। ३२५–३३५ (इसमें १०। १–३), श्लोकों के विरुद्ध है। इन श्लोकों में किसी भी वर्ण के व्यक्ति के लिये आजीविका हेतु छः कर्म और (वैश्य को छोड़कर) चार कर्म विहित नहीं हैं। (४) इन श्लोकों में द्विजों की एक वृत्ति 'याचित' अर्थात् 'भिक्षा मांगना' [४, ५] भी कही है। चूंकि यह गृहस्थियों का विषय है [३। २८६; ४। १] अतः ये विधान गृहस्थों के लिए ही माने जायेंगे। मनु ने गृहस्थ के लिए कहीं भी भिक्षा का विधान नहीं किया है, अपितु स्वयं घर में पकाने का विधान है और स्वयं न पकाकर दूसरों के भोजन का लालच करने वाले गृहस्थी की निन्दा की है [३। ६७; १०४]। भिक्षा का विधान केवल शेष तीन आश्रमों के लिए है [२।१५९–१६० (१८४–१८५); ६।५५, ५७], प्रत्युत वानप्रस्थी को भी केवल विशेष अवस्था में ही भिक्षा मांगने की छूट है [६। २७]। सामान्य अवस्था में उसके लिए भी स्वयं पकाकर खाने का विधान है [६। ५, ७, १२, १३]। इस प्रकार इन अन्तर्विरोधों के आधार पर यह ४—१० श्लोकों का प्रसंग प्रक्षिप्त सिद्ध होता है।

२. प्रसंगविरोध—२–३ श्लोकों में इस प्रसंग के प्रारम्भिक वर्णन से यह ज्ञात होता है कि मनु यहां 'आजीविका कैसी अपनानी चाहिए' केवल यही कहना चाहते हैं। आजीविकाओं का परिगणन नहीं, क्योंकि वह तो पहले कहा ही जा चुका [१। ८७–९१]। ११–१२ श्लोकों में भी यही वर्णन है। बीच के इन श्लोकों ने उस प्रसंग-क्रम को भंग कर दिया है। 'आजीविका कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं' इस चर्चा का प्रसंग तीसरे श्लोक के बाद ११ वें में है। अतः तीसरे से ११ वां ही प्रसंग की दृष्टि से सम्बद्ध है, शेष प्रक्षिप्त हैं।

शास्त्रविरुद्ध जीविका न हो—

न लोकवृत्तं वर्तेत वृत्तिहेतोः कथञ्चन।
अजिह्मामशठां शुद्धां जीवेद्ब्राह्मणजीविकाम्॥ ११॥ (४)

गृहस्थ (वृत्तिहेतोः) जीविका के लिये भी (लोकवृत्तं न वर्तेत) कभी शास्त्रविरुद्ध लोकाचार का वर्ताव न वर्ते, किन्तु जिसमें (अजिह्माम्+अशठां शुद्धाम्) किसी प्रकार की कुटिलता, मूर्खता, मिथ्यापन वा अधर्म न हो (ब्राह्मणजीविकां जीवेत्) उस वेदोक्त कर्मसम्बन्धी जीविका को करे ॥ ११॥ (सं० वि० १५१)

सन्तोष सुख का मूल है, असन्तोष दुःख का—

सन्तोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत् ।
सन्तोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपर्ययः ॥ १२ ॥ (५)

(सुखार्थी) सुख चाहने वाला व्यक्ति (परमं सन्तोषम् आस्थाय) अत्यन्त संतोष को धारण करके (संयतः भवेत्) संयत=अधिक धन के संग्रह की इच्छा न रखने वाला बने (हि) क्योंकि (संतोषमूलं सुखम्) संतोष सुख का आधार है (विपर्ययः) उससे उल्टा अर्थात् असंतोष (दुःखमूलम्) दुःख का आधार है ॥ १२ ॥

(स्नातक गृहस्थियों के व्रत) [४ । १३ से ४ । २५९ तक]

गृहस्थों के लिए सत्वगुणवर्धक व्रत—

अतोऽन्यतमया वृत्त्या जीवंस्तु स्नातको द्विजः ।
स्वर्गायुष्ययशस्यानि व्रतानीमानि धारयेत् ॥ १३ ॥ (६)

(अतः) इसलिए (स्नातकः द्विजः) स्नातक गृहस्थी द्विज (अन्यतमया) निर्धारित [१ । ८७–९१] वृत्तियों में से अपेक्षाकृत किसी श्रेष्ठ (वृत्त्या) आजीविका से (जीवन्) जीवननिर्वाह करते हुए (स्वर्ग-आयुष्य-यशस्यानि इमानि व्रतानि धारयेत्) सुख, आयु और यश देने वाले इन व्रतों को धारण करे—॥ १३ ॥

अनुशीलन : मनु स्वर्ग को सुख का पर्यायवाची मानते हैं। द्रष्टव्य ३ । ७९ पर समीक्षा।

गृहस्थों के लिये सत्वगुणवर्धक व्रत—

वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुर्यादतन्द्रितः ।
तद्धि कुर्वन् यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ १४ ॥ (७)

ब्राह्मणादि द्विज (वेदोदितं स्वकं कर्म) वेदोक्त अपने कर्म को (अतन्द्रितः नित्यं कुर्यात्) आलस्य छोड़के नित्य किया करें (तत् हि यथा-शक्ति कुर्वन्) उसको अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हुए (परमां गतिं प्राप्नोति) मुक्ति पर्यन्त पदार्थों को प्राप्त होते हैं ॥ १४ ॥ (सं० वि० १७७)

अधर्म से धनसंग्रह न करें—

नेहेतार्थान्प्रसङ्गेन न विरुद्धेन कर्मणा ।
न विद्यमानेष्वर्थेषु नात्यामपि यतस्ततः ॥ १५ ॥ (८)

गृहस्थ (प्रसंगेन अर्थान् न ईहेत) कभी किसी दुष्ट के प्रसंग से द्रव्य-संचित न करे (न विरुद्धेन कर्मणा) न विरुद्ध कर्म से (न विद्यमानेषु+अर्थेषु यतस्ततः) न विद्यमान पदार्थ होते हुए उनको गुप्त रखके अथवा दूसरे से छल करके और (न+आर्त्याम्+अपि) चाहे कितना ही दुःख पड़े तदपि अधर्म से द्रव्यसंचय कभी न करे ॥ १५ ॥ (सं० वि० १७७)

इन्द्रियासक्ति-निषेध—

इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः।
अतिप्रसक्तिं चैतेषां मनसा संनिवर्तयेत् ॥ १६ ॥ (९)

(सर्वेषु इन्द्रियार्थेषु कामतः न प्रसज्येत) इन्द्रियों के विषयों में काम से कभी न फंसे (च) और (एतेषाम् अतिप्रसक्तिम्) विषयों की अत्यन्त प्रसक्ति अर्थात् प्रसंग को (मनसा संनिवर्तयेत्) मन से अच्छे प्रकार दूर करता रहे ॥ १६ ॥ (सं० वि० १७७)

स्वाध्याय से कृतकृत्यता—

सर्वान्परित्यजेदर्थान्स्वाध्यायस्य विरोधिनः।
यथातथाऽध्यापयंस्तु सा ह्यस्य कृतकृत्यता ॥ १७ ॥ (१०)

(स्वाध्यायस्य विरोधिनः सर्वान् अर्थान् परित्यजेत्) जो स्वाध्याय और धर्मविरोधी व्यवहार वा पदार्थ हैं उन सब को छोड़ देवे (यथा तथा अध्यापयन् तु) जिस किसी प्रकार से विद्या को पढ़ाते रहना ही (सा हि+अस्य कृतकृत्यता) गृहस्थ को कृतकृत्य होना है ॥ १७ ॥ (सं० वि० १७८)

अनुशीलन : स्वाध्याय के विस्तृत अर्थ के लिए देखिए २।८२ [२।१०७] पर अनुशीलन।

वयसः कर्मणोऽर्थस्य श्रुतस्याभिजनस्य च।
वेषवाग्बुद्धिसारूप्यमाचरन्विचरेदिह ॥ १८ ॥

(वयसः कर्मणः+अर्थस्य श्रुतस्य च अभिजनस्य) अपने आयु, कर्म, धन, वेद और कुल के अनुसार (वेष-वाक्-बुद्धि-सारूप्यम् आचरन्) वेष, वाणी और बुद्धि का व्यवहार करता हुआ (इह) इस संसार में (विचरेत्) विचरण करे, रहे ॥ १८ ॥

अनुशीलन : १८ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. **प्रसंगविरोध**—यह श्लोक पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध है और उस पूर्वापर प्रसंग को भंग कर रहा है। १७ और १९ वें श्लोक में स्वाध्याय का प्रसंग है। बीच में 'किस प्रकार विचरण करना चाहिये' यह कथन असंगत है, अतः यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

२. **विषयविरोध**—यह प्रस्तुत विषय से भी विरुद्ध है। इस बात का 'सत्वगुण-वर्धक' होने से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही यह कोई 'व्रत' हो सकता है [विस्तृत विवेचन ४। ३६-३६ श्लोकों पर देखिए]।

बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च।
नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान्॥ १६॥ (११)

हे स्त्रीपुरुषो! तुम (धन्यानि आशु बुद्धिवृद्धिकराणि च हितानि शास्त्राणि) जो धर्म-धन और बुद्धचादि को अत्यन्त शीघ्र बढ़ाने हारे हित-कारी शास्त्र हैं उनको (च) और (वैदिकान् निगमान्) वेद के भागों की विद्याओं को (नित्यम् अवेक्षेत) नित्य देखा करो॥ १६॥ (सं० वि० १७८)

"जो शीघ्र बुद्धि, धन और हित को वृद्धि करने हारे शास्त्र और वेद हैं उनको नित्य सुनें और सुनावें, ब्रह्मचर्याश्रम में जो पढ़े हों उनको स्त्री-पुरुष नित्य विचारा और पढ़ाया करें।" (स० प्र० ६८)

यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति।
तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते॥ २०॥ (१२)

(पुरुषः) मनुष्य (यथा-यथा शास्त्रं समधिगच्छति) जैसे-जैसे शास्त्र का विचार कर उसके यथार्थ भाव को प्राप्त होता है (तथा-तथा विजा-नाति) वैसे वैसे अधिक जानता जाता है (च) और (अस्य विज्ञानं रोचते) इसकी प्रीति विज्ञान ही में होती जाती है॥ २०॥ (सं० वि० १७८)

"क्योंकि जैसे-जैसे मनुष्य शास्त्रों को यथावत् जानता है वैसे-वैसे उस विद्या का विज्ञान बढ़ता जाता, उसी में रुचि बढ़ती रहती है।"
(स० प्र० ६८)

पंचयज्ञों के पालन का निर्देश—

ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा।
नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत्॥ २१॥ (१३)

(ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं नृयज्ञं च पितृयज्ञम्) ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, बलिवैश्वदेवयज्ञ, अतिथियज्ञ और पितृयज्ञ इनको (सर्वदा यथाशक्ति न हापयेत्) सदा हो जहां तक हो कभी न छोड़े॥ २१॥

एतानेके महायज्ञान्यज्ञशास्त्रविदो जनाः।
अनीहमानाः सततमिन्द्रियेष्वेव जुह्वति॥ २२॥

(एके यज्ञशास्त्रविदः जनाः) कोई-कोई यज्ञशास्त्र के वेत्ता लोग (एतान् महा-

यज्ञान् अनीहमानाः) इन महायज्ञों को न करके (इन्द्रियेषु+एव सततं जुह्वति) पांच इन्द्रियों में ही सदा हवन करते हैं अर्थात् इन्द्रियों को विषयों में आसक्त नहीं होने देते ॥ २२ ॥

वाच्येके जुह्वति प्राणं प्राणे वाचं च सर्वदा ।
वाचि प्राणे च पश्यन्तो यज्ञनिर्वृत्तिमक्षयाम् ॥ २३ ॥

(एके) कोई-कोई (वाचि च प्राणे) वाणी और प्राण में ही (अक्षयां यज्ञनिर्वृत्तिं पश्यन्तः) यज्ञ के अक्षय फल का प्राप्त होना मानकर (सर्वदा) सदा ही (वाचि प्राणं च प्राणे वाचं जुह्वति) वाणी में प्राण का और प्राण में वाणी का हवन करते हैं अर्थात् प्राण और वाणी का संयम करते हैं ॥ २३ ॥

ज्ञानेनैवापरे विप्रा यजन्त्येतैर्मखैः सदा ।
ज्ञानमूलां क्रियामेषां पश्यन्तो ज्ञानचक्षुषा ॥ २४ ॥

(अपरे विप्राः) दूसरे कुछ विद्वान् (ज्ञानचक्षुषा) ज्ञान रूपी नेत्र से ही (एषां ज्ञानमूलां क्रियां पश्यन्तः) इन ज्ञानमूलक क्रियाओं की उत्पत्ति को देखते हुए (ज्ञानेन+एव एतैः मखैः यजन्ति) ज्ञान से ही इन पञ्चमहायज्ञों को करते हैं अर्थात् ब्रह्मज्ञान में ही तल्लीन रहते हैं ॥ २४ ॥

अनुशीलन : २२ से २४ श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—यह गृहस्थों के लिए कर्त्तव्यों का विधान करने का प्रसंग है। मनु की यह निश्चित एवं मौलिक मान्यता है कि प्रत्येक गृहस्थ को दैनिक पांच महायज्ञ अनिवार्य रूप से करने चाहिएँ [३। ६७—७२, ७५—११८]। यहां तक कि वानप्रस्थी को भी इन यज्ञों का पालन अनिवार्य कहा है [६। ४, ५, ७—१२]। इनसे पहले वाले श्लोकों में भी स्पष्ट निर्देश है—"**यथाशक्ति न हापयेत्**" अर्थात् 'जहां तक यत्न हो सके इन यज्ञों को न छोड़े।' इन श्लोकों में यज्ञों के विकल्प दिये हैं और कुछ शास्त्रवेत्ताओं के मत हैं। इन विकल्पों के वर्णन से यह अभिप्राय स्पष्ट हो रहा है कि उपर्युक्त यज्ञों के स्थान पर अमुक पद्धति भी अपनायी जा सकती है। ये विकल्प या भिन्न व्यवस्थाएं मनु की उक्त मान्यता एवं व्यवस्था के विरुद्ध हैं, अतः ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. **प्रसंगविरोध**—ये श्लोक पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध हैं। २१ वें श्लोक में पांच यज्ञों का विधान है और २५ वें श्लोक में तथा आगे उसकी अर्थवादरूप में व्याख्या है। इस पूर्वापर सम्बद्धता क्रम को इन श्लोकों ने भंग कर दिया है, अतः ये प्रसंगविरुद्ध होने से भी प्रक्षिप्त हैं।

३. **विषयविरोध**—यज्ञों का विधान और उनकी विधियों के विषय का वर्णन तृतीय अध्याय में है। यहां केवल कर्त्तव्यों या व्रतों का विषय है [१४, २५९]। इस

विषय में होम की भिन्नविधियां देना विषयविरुद्ध है। यदि ये विधियां मौलिक होतीं तो इनका वर्णन तृतीय अध्याय में ही विषयसम्मत कहा जा सकता था, क्योंकि मनु ने स्वयं विषयों का एक निश्चित क्रम बनाया हुआ है, अतः वे स्वयं अपने निश्चित विषयक्रम से बाहर नहीं जा सकते। इस प्रकार इन विकल्पों का वर्णन यहां मौलिक नहीं है।

अग्निहोत्र का विधान—

अग्निहोत्रं च जुहुयादाद्यन्ते द्युनिशोः सदा।
दर्शेन चार्धमासान्ते पौर्णमासेन चैव हि ॥ २५ ॥ (१४)

गृहस्थ (सदा) प्रतिदिन (द्यु-निशोः आद्यन्ते) दिन-रात के आदि और अंत में अर्थात् सायं प्रातः सन्धिवेलाओं में (अग्निहोत्रम्) अग्निहोत्र (जुहुयात्) करे (च) और (अर्धमासान्ते-दर्शेन) आधे मास के अन्त में दर्शयज्ञ अर्थात् अमावस्या का यज्ञ करे (च) तथा (एव हि पौर्णमासेन) इसी प्रकार मास पूर्ण होने पर पूर्णिमा के दिन पौर्णमास यज्ञ करे ॥ २५ ॥

सस्यान्ते नवसस्येष्ट्या तथर्त्वन्ते द्विजोऽध्वरैः।
पशुना त्वयनस्यादौ समान्ते सौमिकैर्मखैः ॥ २६ ॥

(द्विजः) द्विज को चाहिए कि वह (सस्यान्ते नवसस्येष्ट्या) अन्न पकने के बाद 'नवसस्येष्टि यज्ञ' (तथा ऋतु+अन्ते अध्वरैः) उसी प्रकार ऋतुओं की समाप्ति पर 'ऋतुयज्ञ' (अयनस्य आदौ तु पशुना) अयनों के आदि में 'पशुयज्ञ' (समान्ते सौमिकैर्मखैः) वर्ष के अन्त में अग्निष्टोम आदि यज्ञों को करे ॥ २६ ॥

नानिष्ट्वा नवसस्येष्ट्या पशुना चाग्निमान्द्विजः।
नवान्नमद्यान्मांसं वा दीर्घमायुर्जिजीविषुः ॥ २७ ॥

(दीर्घम्+आयुः जिजीविषुः अग्निमान् द्विजः) लम्बी आयु की कामना करने वाला अग्निहोत्री द्विज (नवसस्येष्ट्या च पशुना अनिष्ट्वा) 'नवसस्येष्टि यज्ञ' और 'पशुयज्ञ' किये बिना (नवं+अन्नं वा मांसं न अद्यात्) नये अन्न और मांस को न खाये ॥ २७ ॥

नवेनानर्चिता ह्यस्य पशुहव्येन चाग्नयः।
प्राणानेवात्तुमिच्छन्ति नवान्नामिषगर्धिनः ॥ २८ ॥

(हि) क्योंकि (नवेन पशुहव्येन अनर्चिताः) नये अन्न और नये पशुमांस से बिना पूजी हुई (अग्नयः) यज्ञाग्नियां (अस्य नवान्न आमिषगर्धिनः) इस नये अन्न और मांस को खाने की अभिलाषा रखने वाले व्यक्ति के (प्राणान्+एव+अत्तुम्+इच्छन्ति) प्राणों को ही खाना चाहती हैं ॥ २८ ॥

अनुशीलन : २६ से २८ श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. **अन्तर्विरोध : मांसभक्षण और पशुयज्ञ अनुविरुद्ध**—इन श्लोकों में दो मान्यताएं वर्णित हैं—एक तो—पशुयज्ञ करना अथवा यज्ञ में पशुमांस की आहुति देना और दूसरी—मांसभक्षण को उचित मानना। ये दोनों ही मान्यताएं मनु की मौलिक मान्यताओं के विरुद्ध हैं। यदि इन्हें मनुसम्मत कहा जायेगा तो मनुस्मृति की आधारभूत व्यवस्था ही खंडित हो जाती है। नीचे इस सम्बन्ध में मनु की कुछ मान्यताओं का उल्लेख किया जा रहा है जिनसे एकसाथ ही यह सिद्ध हो जायेगा कि (१) सर्वप्रकार की हिंसा या मांसभक्षण मनुविरुद्ध है, (२) पशुयज्ञ मनुविरुद्ध है, और (३) यज्ञ के उद्देश्य से पशुहिंसा करना भी मनुविरुद्ध है। यथा—(१) मनु ने गृहस्थियों और वानप्रस्थियों के लिए अनिवार्य रूप से पांच महायज्ञों का विधान किया है। इन यज्ञों के विधान का मुख्य उद्देश्य हिंसा की निवृत्ति ही है—

> पञ्चसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः।
> कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन्॥
>
> तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महर्षिभिः।
> पञ्च क्लृप्ताः महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम्॥ ३। ६८, ६९॥

जो व्यक्ति दैनिक जीवनचर्या में अज्ञानवश होने वाली छोटी-छोटी हिंसाओं की निवृत्ति के लिए भी प्रायश्चित्त का विधान करता है, जिसमें परप्राणीपीड़ा की भावना भी नहीं है और जो आजीविका भी ऐसी अपनाने का विधान करता है जिसमें किसी प्राणी को पीड़ा न पहुँचे [४। २], जो पशुओं की सवारी करते हुए उनको चाबुक भी इस प्रकार मारने के लिए कहता है जिससे वे संतप्त न हों [४। ६८], वह व्यक्ति पशुओं की हिंसा और मांसभक्षण का विधान कदापि नहीं कर सकता। यह सर्वथा असंभव है। आश्चर्य की बात तो यह है कि छोटी-छोटी हिंसाओं के प्रायश्चित्त के लिए अर्थात् उनके पाप की शुद्धि के लिए ही मनु पांच यज्ञों का विधान कर रहे हैं और फिर लोग यज्ञों में भी हिंसा करने को मनुसम्मत सिद्ध करना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो यज्ञों से पापशुद्धि ही क्या हुई?

इसके अतिरिक्त ५। ४८, ४९, ५१ में मनु ने सब प्रकार के मांसभक्षण का निषेध एवं निन्दा की है तथा मांसभक्षण में थोड़ा-सा भी सहयोग देने वाले को 'पापी' घोषित किया है—

> अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी।
> संस्कर्त्ता चोपहर्त्ता च खादकश्चेति घातकाः॥ ५। ५१॥

मनुस्मृति में अन्य अनेक स्थानों पर मांसभक्षण का निषेध है और हिंसक की निन्दा तथा अहिंसक की प्रशंसा एवं अहिंसा की प्रेरणा है—

(क) "वर्जयेत् मधुमांसं च प्राणिनां चैव हिंसनम्।" (२। १५२ [१७७])

(ख) "वर्जयेत् मधुमांसम्" (६। १४)

(ग) "हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासौ सुखमेधते।" (४। १७०)

(घ) "यो अहिंसकानि भूतानि हिनस्ति आत्मसुखेच्छया।
स जीवंश्च मृतश्चैव न क्वचित् सुखमेधते" । ५। ४५ ॥

(ङ) "अहिंस्रः दमदानाभ्यां जयेत् स्वर्गं तथाव्रतः।" (४। २४६)

(च) "विचरेत् नियतः नित्यं सर्वभूतानि अपीडयन्॥" (६। ५२)

(छ) "अहिंसया च भूतानां अमृतत्वाय कल्पते।" (६। ६०)

इन सभी प्रमाणों से यह सिद्ध है कि मनु सर्वप्रकार की हिंसा का निषेध और निन्दा करते हैं। तृतीय अध्याय के यज्ञ-प्रसंगों में मनु ने कहीं भी मांसयज्ञ का विधान नहीं किया है। और वानप्रस्थ के प्रसंग में तो मनु ने स्पष्टतः कह दिया है कि अन्नों से ही यज्ञ करे और वह भी 'मेध्य'=शुभ अन्नों से—

मुन्यन्नैः विविधैः मेध्यैः शाकमूलफलेन वा।
एतानेव महायज्ञान् निर्वपेत् विधिपूर्वकम्॥ ६। ५॥

इस प्रकार इन श्लोकों में प्रदर्शित मान्यता का मनु की मौलिक मान्यताओं के साथ विरोध है, अतः ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

(२) **वेदविरुद्ध : मांसभक्षण और पशुयज्ञ के विरोध में वेद के प्रमाण**—इस प्रसंग में मांसभक्षण की सिद्धि के लिए प्रक्षेपकर्त्ताओं ने यज्ञ की आड़ ली है। यज्ञों का विधान वेदों में है। अतः यहाँ वेदों के ही यज्ञसम्बन्धी प्रमाण प्रस्तुत किये जा रहे हैं जिनसे पता चलेगा कि अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए स्वार्थी लोगों ने मिथ्या ही यज्ञ और वेद को बदनाम किया है—

(क) 'अध्वर' शब्द ऋग्वेद में १। २३। १७॥ १। १३५। ७॥ १। ४४। १३॥ ३। २४। २॥ ७। ७२। ४॥ ८। ६। ८॥ यजुर्वेद में ३७। १९॥ ३। ११॥ २१। ४७ आदि अनेक स्थानों पर यज्ञार्थ में प्रयुक्त हुआ है। इस शब्द की निरुक्ति करते हुए ऋषि यास्क लिखते हैं—"अध्वर इति यज्ञनाम, ध्वरति हिंसाकर्मा तत्प्रतिषेधः" [नि० ३। १७॥ १। ७] अर्थात् 'अध्वर' यज्ञ का नाम है। 'ध्वर' हिंसार्थक धातु से बना है। जिसमें हिंसा न हो उसे अध्वर=यज्ञ कहते हैं। इस संज्ञा से स्पष्ट है कि यज्ञों में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती। यज्ञ के नाम पर पशुहिंसा करना स्वार्थी लोगों की उदरपूर्ति-हेतु कल्पना है।

(ख) यजुर्वेद को कर्मकाण्ड का वेद माना जाता है। उसके प्रथम मन्त्र में ही पशुओं की अहिंसा की कामना है—"**यजमानस्य पशून् पाहि**" [यजु १।१] अर्थात् 'यज्ञ करने वाले के पशुओं की रक्षा कीजिए।'

(ग) **मांसाहारियों को यज्ञ सम्पादन का अधिकार नहीं**—यज्ञों में मांसविधान की चर्चा तो बहुत दूर की बात है। वेदों में यज्ञ-विधान प्रसंगों में केवल यज्ञीय प्रवृत्ति के, अन्नाहारी (मांसाहारी नहीं) व्यक्तियों को ही यज्ञ करने का विधान है। निम्न वेदमन्त्र प्रमाणरूप में उल्लेखनीय है—

"**ऊर्जादः उत यज्ञियासः पञ्चजनाः मम होत्रं जुषध्वम्।**"

(ऋ० १०।५३।४)

अर्थात् केवल अन्नाहारी (मांसाहारी नहीं), और यज्ञीय प्रवृत्ति वाले पांचों प्रकार के (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण और निषाद) व्यक्ति यज्ञ-सम्पादन करें।

निरुक्तकार ने 'ऊर्ज' की व्युत्पत्ति और अर्थ दिये हैं—**ऊर्गिति अन्ननाम, ऊर्जयति इति सतः।**" [निरु० ३।२।७] अर्थात् 'ऊर्ज' अन्न को कहते हैं क्योंकि यह शरीर को प्राणशक्ति प्रदान करता है।

३. **शैलीगत आधार**—२७–२८ श्लोकों की शैली भी अयुक्तियुक्त है। नये अन्न या पशुमांस को यज्ञ में डाले बिना खाने से यज्ञाग्नि खाने वाले के प्राणों को कैसे खा जायेगी? उसका और खाने का क्या सम्बन्ध है? और फिर नया अन्न तो प्रतिवर्ष होता है किन्तु नये वर्ष के साथ नया मांस कैसे हुआ? इस प्रकार की शैली मनुसम्मत नहीं है।

अतिथिसत्कार का विधान—

आसनाशनशय्याभिरद्भिर्मूलफलेन वा।
नास्य कश्चिद्वसेद् गेहे शक्तितोऽनर्चितोऽतिथिः ॥२९॥ (१५)

(अस्य गेहे) इस गृहस्थी के घर में (कश्चित् अतिथिः) कोई भी अतिथि (शक्तितः) शक्ति के अनुसार (आसन+अशन शय्याभिः) आसन, भोजन, बिछौना आदि से (वा) अथवा (अद्भिः-मूल-फलेन) जल, कन्दमूल और फल आदि से (अनर्चितः न वसेत्) बिना सत्कार किये न रहे अर्थात् यथाशक्ति सब का सत्कार करना चाहिये ॥ २९ ॥

सत्कार के अयोग्य व्यक्ति—

पाखण्डिनो विकर्मस्थान्बैडालव्रतिकाञ्छठान्।
हैतुकान्बकवृत्तींश्च वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत् ॥ ३० ॥(१६)

(पाखण्डिनः) पाखण्डी (विकर्मस्थान्) वेदों की आज्ञा के विरुद्ध चलने वाले (बैडालव्रतिकान्) बिडालवृत्ति वाले [४। १९५] (शठान्) हठी (हैतुकान्) बकवादी (च) और (बकवृत्तीन्) बगुलाभक्त मनुष्यों का [४। १९६] (वाङ्मात्रेण+अपि न अर्चयेत्) वाणी से भी सत्कार नहीं करना चाहिए ॥ ३० ॥ (पू० प्र० १४३)

"किन्तु जो पाखण्डी, वेदनिन्दक, नास्तिक, ईश्वर वेद और धर्म को न मानें अधर्माचरण करने हारे हिंसक, शठ मिथ्याभिमानी, कुतर्की और बकवृत्ति अर्थात् पराये पदार्थ हरने वा बहकाने में बगुले के समान अतिथि वेषधारी बनके आवें उनका वचनमात्र से भी सत्कार गृहस्थ कभी न करे।" (सं० वि० १५०)

'(पाखंडी) अर्थात् वेदनिन्दक, वेदविरुद्ध आचरण करने हारे (विकर्मस्थ) जो वेदविरुद्ध कर्म का कर्त्ता मिथ्याभाषणादियुक्त, जैसे बिड़ाल छिप और स्थिर रहकर ताकता-ताकता झपट से मूषे आदि प्राणियों को मार अपना पेट भरता है, वैसे जनों का नाम बैडालवृत्ति (शठ) अर्थात् हठी, दुराग्रही, अभिमानी आप जाने नहीं, औरों का कहा माने नहीं (हैतुक) कुतर्की, व्यर्थ बकने वाले जैसे कि आजकल के वेदान्ती बकते हैं, हम ब्रह्म और जगत् मिथ्या है, वेदादि शास्त्र और ईश्वर भी कल्पित है, इत्यादि गपोड़ी हांकने वाले (बकवृत्ति) जैसे बक एक पैर उठा, ध्यानावस्थित के समान होकर झट मच्छी के प्राण हरके अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, वैसे आजकल के वैरागी और साखी आदि हठी दुराग्रही, वेदविरोधी हैं; ऐसों का सत्कार वाणीमात्र से भी न करना चाहिए।" (स० प्र० १०३)

सत्कार के योग्य व्यक्ति—

वेदविद्याव्रतस्नाताञ्छ्रोत्रियान्गृहमेधिनः ।
पूजयेद्धव्यकव्येन विपरीतांश्च वर्जयेत् ॥ ३१ ॥ (१७)

(वेदविद्याव्रतस्नातान्) वेदों के विद्वान्, ज्ञानी और जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके स्नातक बने हैं उनका, तथा (श्रोत्रियान् गृहमेधिनः) वेद-पाठी=वेदज्ञाता गृहस्थियों का (हव्यकव्येन) भोज्य पदार्थों और वस्त्रदान आदि से (पूजयेत्) सत्कार करे (विपरीतान् च वर्जयेत्) और जो इनसे विपरीत हैं उन्हें छोड़दे ॥ ३१ ॥

अनुशीलन : हव्य-कव्य शब्दों का विवेचन—हव्य-कव्य के सम्बन्ध में परवर्त्ती टीकाकारों—भाष्यकारों को पर्याप्त भ्रान्ति रही है। वे परवर्त्ती पौराणिक

रूढ़ार्थों के आधार पर इन्हें मृतक पितृश्राद्ध आदि के साथ जोड़ते हैं, मनुस्मृति में इनका अर्थ मृतकश्राद्ध आदि से सम्बन्धित नहीं है। वस्तुतः बात यह है कि मनु मृतकश्राद्ध को मानते ही नहीं। यह इस श्लोक से भी सिद्ध है। यहां स्पष्टतः जीवित विद्वानों को हव्य-कव्य देने का कथन कर रहे हैं [अन्य प्रमाण द्रष्टव्य हैं ३। ८१-८२ और ३।२८४ की समीक्षा में] मनुस्मृति में इनके धात्वनुसारी अर्थ हैं--

(क) 'हु दानादनयोः' (जुहो०) धातु से 'यत्' प्रत्यय के योग से हव्य शब्द बनता है। यज्ञप्रसंग में हव्य का अर्थ हवींषि=आहुतियां [निरु० ८।७] होता है, किन्तु व्यवहार में 'हव्यम्=अत्तव्यम् द्रव्यम्' 'दातव्यं दानादिकं वा'=धार्मिक विद्वानों [४।३०-३१] को भोज्य पदार्थों का भोजन आदि का दान 'हव्य' कहलाता है।

(ख) कव्य शब्द 'कवि' प्रातिपदिक से साध्वर्थ या हितार्थ में 'यत्' के योग से बनता है। कवि शब्द का अर्थ भी क्रान्तदर्शी=सूक्ष्मद्रष्टा विद्वान् होता है [द्रष्टव्य २।१२६ (२।१५१) पर अनुशीलन]। 'कवयः=क्रान्तप्रज्ञाश्च विद्वांसः, तेभ्यो हितानि कर्माणि कव्यानि" [ऋ० द० यजु० २।२९]। 'कव्यः=हितार्थं प्रदत्तं द्रव्यम्'=विद्वानों के हित के लिए दिये जाने वाले धन, वस्त्र आदि दान 'कव्य' कहलाते हैं।

(ग) किन्तु जहां 'हव्य-कव्य' का युग्म शब्द के रूप में प्रयोग होता है, वहां इसका समन्वित और विस्तृत अर्थ होता है--'विद्वानों को दान में दिये जाने वाले भोजन-छादन, उपहार आदि सम्बन्धी सभी पदार्थ।'

भिक्षा एवं बलिवैश्वदेव का विधान—

शक्तितोऽपचमानेभ्यो दातव्यं गृहमेधिना।
संविभागश्च भूतेभ्यः कर्त्तव्योऽनुपरोधतः॥ ३२॥ (१८)

(गृहमेधिना) गृहस्थी को (शक्तितः+अपचमानेभ्यः) अपने हाथ से जो पका नहीं सकते हैं, ऐसे ब्रह्मचारी, संन्यासी आदि को (दातव्यम्) अन्न देना चाहिए (च) और (अनुपरोधतः) जिससे परिवार के भरण-पोषण में बाधा न पड़े इस प्रकार (भूतेभ्यः संविभागः कर्तव्यः) प्राणियों—असहाय, विकलांगादि मनुष्यों तथा कुत्ता, पक्षी आदि के लिये भोजन का भाग भी निकालना चाहिए॥ ३२॥

भूख की अवस्था में राजा से धनग्रहण—

राजतो धनमन्विच्छेत्सीदन्स्नातकः क्षुधा।
याज्यान्तेवासिनोर्वाऽपि क्षत्रियत इति स्थितिः॥ ३३॥

(स्नातकः क्षुधा संसीदन्) स्नातक भूख से पीड़ित होता हुआ (राजतः) राजा से

(अपि वा) अथवा (याज्य+अन्तेवासिनः धनम्+अन्विच्छेत्) यजमान अथवा किसी शिष्य से धन मांगले (अन्यतः तु न इति स्थितिः) और किसी से नहीं मांगे, ऐसी मर्यादा है ॥ ३३ ॥

न सीदेत्स्नातको विप्रः क्षुधा शक्तः कथञ्चन ।
न जीर्णमलवद्वासा भवेच्च विभवे सति ॥ ३४ ॥

(स्नातकः विप्रः) स्नातक विद्वान् (क्षुधाशक्तः) भूख के वशीभूत होकर (कथंचन) कभी भी (न सीदेत्) दुःखी न हो (च) और (विभवे सति) धन होने पर (न जीर्णमलवत् वासा भवेत्) फटे-पुराने और मैले कपड़ों में न रहे ॥ ३४ ॥

अनुशीलन : ३३-३४ श्लोक निम्न कारणों से प्रक्षिप्त हैं—

१. **विषयविरोध**—प्रस्तुत विषय का संकेत देने वाले श्लोक ४। १३ और ४। २५९ हैं। इन दोनों श्लोकों में विषय का संकेत निम्न पदों द्वारा स्पष्ट और निश्चित होता है—

प्रारम्भ में—"**स्वर्ग-आयुष्य-यशस्यानि व्रतानि इमानि धारयेत्**" ॥ ४।१३ ॥

समाप्ति पर—"**स्नातकव्रतकल्पश्च सत्त्ववृद्धिकरः शुभः**" ॥ ४।२५९ ॥

इन पदों से इस अध्याय के १३ से २५९ श्लोकों का विषय यह निश्चित हुआ कि इनमें—

(क) ऐसे व्रतों का विधान होना चाहिए जो एक दृढ़ संकल्प के रूप में धारण किये जा सकते हों, और—

(ख) वे स्वर्ग, आयु तथा यशदायक हों, तथा—

(ग) **सत्वगुणवर्धक** हों अर्थात् सत्वगुण की वृद्धि से उनका सम्बन्ध होना चाहिये।

संक्षेप में प्रस्तुत विषय—'स्वर्ग-आयु-यश देने वाले **सत्वगुणवर्धक** व्रतों' का है।

अब यहाँ विचारणीय बात यह है कि '**सत्वगुण**' का क्या लक्षण माना जाये ? इसके उत्तर में मनु का ही श्लोक आधाररूप में स्वीकार किया गया है—

वेदाभ्यासः तपो ज्ञानं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
धर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्त्विकं गुणलक्षणम् ॥ १२।३१ ॥

अर्थात्—वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, शौच=शुद्धि, इन्द्रियसंयम, धर्मक्रियाओं का पालन, परमात्मा का या आत्मा का चिन्तन ये **सत्वगुण** के लक्षण हैं।

इस श्लोक में अन्य सभी बातें तो स्पष्ट हैं, 'धर्मक्रिया' शब्द पर कुछ और विचार करना अपेक्षित रह जाता है। धर्मक्रिया=धर्म के आचरण, धर्म के लक्षणों का वर्णन करने वाले श्लोकों से स्पष्ट हो जाते हैं—

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥ ६ । ९२ ॥

मनु ने १२ । ३८ में सत्वगुण को और स्पष्ट कर दिया है—

"**सत्त्वस्य लक्षणं धर्मः**" अर्थात्—'धर्म सत्वगुण का लक्षण है।

इस प्रकार प्रस्तुत विषय में मनु के इन श्लोकों को आधार बनाकर 'धर्मक्रिया' शब्द के अन्तर्गत मनु द्वारा प्रोक्त लक्षणों [१२। ३१], सभी धर्मलक्षणों [६ । ९२] धर्मों, जैसे—सदाचार [१ । १०८], अहिंसा [६ ५२, ६०; ४ । १७०, २४६], दान [४।२२७] आदि तथा धार्मिक कृत्यों, जैसे—पञ्चमहायज्ञ आदि का ग्रहण किया गया है। इन्हीं को **सत्वगुणवर्धक** माना जायेगा।

इस आधार पर यह निश्चित हुआ कि १३ से २५९ श्लोकों में ऐसे वर्णन वाले श्लोक विषयसम्मत माने जायेंगे जो व्रत हों अर्थात् एक दृढ़संकल्प रूप में जिनको धारण किया जा सके और जो स्वर्ग-आयु-यशोदायक, सत्वगुणवर्धक हों। इस कसौटी पर जो श्लोक पूरे नहीं उतरेंगे, इसका मतलब यह होगा कि वे मनु के विषय-संकेत के अनुसार नहीं हैं; अतः वे विषय-विरुद्ध हैं। इस आधार पर वे प्रक्षिप्त कहलायेंगे।

(१) ३३-४४ श्लोक विषयविरुद्ध हैं क्योंकि इनका 'सत्वगुण वर्धन' से और 'व्रतों' से कोई सम्बन्ध नहीं है।

२. **प्रसंगविरोध**—ये श्लोक पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध भी हैं। २१ वें श्लोक में पञ्चमहायज्ञों का विधान करके उसके अग्रिम श्लोकों में पंचमहायज्ञों के विस्तृत वर्णन का प्रसंग शुरू किया था। तदनुसार ३२ वें में बलिवैश्वदेवयज्ञ का वर्णन है और ३५ वें में स्वाध्याय का कथन होने से ऋषियज्ञ या ब्रह्मयज्ञ का निर्देश है। इस पूर्वापर यज्ञों के प्रसंग में स्नातक के क्षुधाकालीन कर्त्तव्यों का कथन करना अप्रासंगिक है। इस आधार पर भी ये श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं।

स्वाध्याय में तत्पर रहना—

वलृप्तकेशनखश्मश्रुर्दान्तः शुक्लाम्बरः शुचिः।
स्वाध्याये चैव युक्तः स्यान्नित्यमात्महितेषु च ॥ ३५ ॥ (१९)

(वलृप्त-केश-नख-श्मश्रुः) केश, नाखून और दाढ़ी कटवाता रहे (दान्तः) संयमी रहे (शुक्लाम्बरः) स्वच्छ वस्त्र धारण करे (शुचिः) शुद्धता रखे (च) और (नित्यं स्वाध्याये च आत्महितेषु युक्तः स्यात्) प्रतिदिन वेदों के स्वाध्याय और अपनी आत्मा की उन्नति में लगा रहे ॥ ३५ ॥

लाठी, कमण्डलु आदि का धारण—

वैणवीं धारयेद्यष्टिं सोदकं च कमण्डलुम्।
यज्ञोपवीतं वेदं च शुभे रौक्मे च कुण्डले ॥ ३६ ॥

(वैणवीं यष्टिं धारयेत्) बांस की लाठी धारण करे (च) और (सोदकं कमण्डलुम्) जलभरा कमंडलु (यज्ञोपवीतं वेदं च शुभे रौक्मे कुण्डले) यज्ञोपवीत, वेद तथा सुवर्ण से निर्मित सुन्दर कुंडल [=बाले] धारण करे ॥ ३६ ॥

त्याज्य बातें—

नेक्षेतोद्यन्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचन।
नोपसृष्टं न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम् ॥ ३७ ॥

(उद्यन्तम् अस्तं यन्तम् आदित्यं कदाचन न+ईक्षेत) उदय होते हुए, अस्त होते हुए सूर्य को कभी न देखे (न उपसृष्टं न वारिस्थं न नभसः मध्यं गतम्) न ग्रहण लगे, न जल में प्रतिबिम्ब वाले, न आकाश के बीच में गये सूर्य को देखे ॥३७॥

न लङ्घयेद्वत्सतन्त्रीं न प्रधावेच्च वर्षति।
न चोदके निरीक्षेत स्वं रूपमिति धारणा ॥ ३८ ॥

(वत्सतन्त्रीं न लङ्घयेत्) बछड़े के बाँधने की रस्सी को कभी न लांघे (च) और (वर्षति न प्रधावेत्) बरसते में कभी न दौड़े (स्वयं रूपम् उदके न निरीक्षेत) अपनी परछाई को पानी में न देखे (इति धारणा) ऐसी मान्यता है ॥ ३८ ॥

मृदं गां दैवतं विप्रं घृतं मधु चतुष्पथम्।
प्रदक्षिणानि कुर्वीत प्रज्ञातांश्च वनस्पतीन् ॥ ३९ ॥

(मृदं गां दैवतं विप्रं घृतं मधु चतुष्पथं च प्रज्ञातान् वनस्पतीन्) मिट्टी, गाय, देवस्थान, ब्राह्मण, घी, शहद, चौराहा और प्रसिद्ध अर्थात् पूज्य वृक्षों—पीपल, बड़ आदि को (प्रदक्षिणानि कुर्वीत) दायीं ओर रखके जाये ॥ ३९ ॥

अनुशीलन : ३६ से ३९ श्लोक प्रक्षिप्त हैं—

१. **विषय-विरोध**—ये सभी श्लोक विषयबाह्य हैं। इनका 'सत्वगुणवर्धन' से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही ये व्रत हैं। अतः विषय-विरोध के आधार पर ये प्रक्षिप्त हैं (विस्तृत जानकारी के लिए ४। ३३-३४ में 'विषय-विरोध' शीर्षक आधार की समीक्षा देखिए)।

२. **अन्तर्विरोध**—(१) २। २० [४५] में पृथक्-पृथक् वर्णों के लिए पृथक्-पृथक् वृक्षों की लाठियां विहित हैं, ३६ वें में बांस की लाठी का विधान उससे भिन्न होने के कारण विरुद्ध है। (२) २। २३ [४८], ७६ [१०१] श्लोकों में सूर्य-दर्शन का विधान और कथन है, ३७ वें में सूर्य-दर्शन का निषेध उसके विरुद्ध है।

३. **शैलीगत आधार**—३७—३९ श्लोकों की शैली रूढ़ और अयुक्तियुक्त है। इनमें वर्णित बातों का न तो कोई कारण है और न इनमें कोई बुद्धिसंगत कारण हो सकता है। ३९ वें में वर्णित बातें तो व्यावहारिक रूप में संभव ही नहीं है।

रजस्वलागमन-निषेध एवं उससे हानि—

नोपगच्छेत्प्रमत्तोऽपि स्त्रियमार्तवदर्शने।
समानशयने चैव न शयीत तया सह ॥ ४० ॥ (२०)

(प्रमत्तः+अपि) कामातुर होता हुआ भी (आर्तवदर्शने) मासिक धर्म के दिनों में (स्त्रियं न+उपगच्छेत्) स्त्री से सम्भोग न करे (च) और (तया सह समानशयने न शयीत) उसके साथ एक बिस्तर पर न सोये ॥ ४० ॥

रजसाऽभिप्लुतां नारीं नरस्य ह्युपगच्छतः।
प्रज्ञा तेजो बलं चक्षुरायुश्चैव प्रहीयते ॥ ४१ ॥ (२१)

(हि) क्योंकि (रजसा+अभिप्लुतां नारीं) रजस्वला स्त्री के (उपगच्छतः नरस्य) पास जाने वाले=संभोग करने वाले मनुष्य के (प्रज्ञा तेजः बलं चक्षुः च आयुः एव प्रहीयते) बुद्धि, तेज, बल, नेत्रज्योति और आयु, ये सब घटते हैं ॥ ४१ ॥

रजस्वलागमन-त्याग से लाभ—

तां विवर्जयतस्तस्य रजसा समभिप्लुताम्।
प्रज्ञा तेजो बलं चक्षुरायुश्चैव प्रवर्धते ॥ ४२ ॥ (२२)

(रजसा समभिप्लुतां तां विवर्जयतः) रज निकलती हुई अर्थात् उस रजस्वला स्त्री से संभोग न करने वाले (तस्य) उस मनुष्य के (प्रज्ञा तेजः बलं चक्षुः च आयुः एव प्रवर्धते) बुद्धि, तेज, बल, नेत्रज्योति और आयु ये सब बढ़ते हैं ॥ ४२ ॥

स्त्री को किन अवस्थाओं में न देखे—

नाश्नीयाद्भार्यया सार्धं नैनामीक्षेत चाश्नतीम्।
क्षुवतीं जृम्भमाणां वा न चासीनां यथासुखम् ॥ ४३ ॥

(भार्यया सार्धं न+अश्नीयात्) स्त्री के साथ एक थाली में भोजन न करे (च) और (एनाम् अश्नतीं न ईक्षेत) इसको खाते हुए न देखे (क्षुवतीम्) छींकती हुई को (जृम्भमाणाम्) जंभाई लेती हुई को (च) तथा (यथासुखम् आसीनां न) मनमाने आसन से सुखपूर्वक बैठी हुई को भी न देखे ॥ ४३ ॥

नाञ्जयन्तीं स्वके नेत्रे न चाभ्यक्तामनावृताम्।
न पश्येत्प्रसवन्तीं च तेजस्कामो द्विजोत्तमः ॥ ४४ ॥

(स्वके नेत्रे अञ्जयन्तीं) अपने नेत्रों में अञ्जन लगाती हुई को (अनावृताम्

अभ्यक्ताम्) नंगी होकर तैल लगाती हुई या नहाती हुई को (प्रसवन्तीम्) जब बच्चा उत्पन्न कर रही हो तब (तेजस्कामः द्विजोत्तमः न पश्येत्) तेज की कामना रखने वाला द्विज उसे न देखे ॥ ४४ ॥

मल-मूत्रादि त्याग में वर्ज्य बातें —

नान्नमद्यादेकवासा न नग्नः स्नानमाचरेत् ।
न मूत्रं पथि कुर्वीत न भस्मनि न गोव्रजे ॥ ४५ ॥

(एकवासा अन्नं न अद्यात्) एक वस्त्र पहने भोजन न करे (नग्नः स्नानं न आचरेत्) नंगा होकर स्नान न करे (पथि भस्मनि गोव्रजे मूत्रं न कुर्वीत) मार्ग में राख में, गौशाला में पेशाब न करे ॥ ४५ ॥

न फालकृष्टे न जले न चित्यां न च पर्वते ।
न जीर्णदेवायतने न वल्मीके कदाचन ॥ ४६ ॥
न ससत्त्वेषु गर्तेषु न गच्छन्नापि च स्थितः ।
न नदीतीरमासाद्य न च पर्वतमस्तके ॥ ४७ ॥

(न फालकृष्टे) न जुते हुए खेत में (न जले) न पानी में (न चित्याम्) न ईंटों के भट्टे या आवे में (न पर्वते) न पहाड़ पर (न जीर्ण देवायतने) न पुराने खण्डहर पड़े देवालय में (न कदाचन वल्मीके) न कभी दीमक की बंबी (=वमीठा) में (न ससत्वेषु गर्तेषु) न जीव रह रहे हों ऐसे बिलों में (न गच्छन्) न चलते हुए (न स्थितः) न खड़े हुए (न नदीतीरम्+आसाद्य) न नदी के किनारे पर (च) और (न पर्वतमस्तके) और न पहाड़ के शिखर पर पेशाब करे ॥ ४६,४७ ॥

वाय्वग्निविप्रमादित्यमपः पश्यंस्तथैव गाः ।
न कदाचन कुर्वीत विण्मूत्रस्य विसर्जनम् ॥ ४८ ॥

(तथैव) उसी प्रकार (वायु-अग्नि-विप्रम्+आदित्यम्+अपः गाः पश्यन्) वायु, अग्नि, ब्राह्मण, सूर्य, जल और गौ को देखते हुए (कदाचित् विट्-मूत्रस्य विसर्जनं न कुर्वीत) कभी भी मल-मूत्र का त्याग न करे ॥ ४८ ॥

तिरस्कृत्योच्चरेत्काष्ठलोष्ठपत्रतृणादिना ।
नियम्य प्रयतो वाचं संवीताङ्गोऽवगुण्ठितः ॥ ४९ ॥

(काष्ठ-लोष्ठ-पत्र-तृण-आदिना तिरस्कृत्य) लकड़ी, मिट्टी का ढेर, शाखा, घास आदि की ओट करके—छिपाकर (प्रयतः वाचं नियम्य) प्रयत्नपूर्वक वाणी पर संयम रखते हुए (अवगुण्ठितः) शरीर को कपड़े से ढककर (संवीताङ्गः) अङ्गों को = शरीर को इकट्ठा = संकुचित-सा करके (उच्चरेत्) मल-मूत्र का त्याग करे ॥ ४९ ॥

मूत्रोच्चारसमुत्सर्गं दिवा कुर्याद्बुधङ्मुखः ।
दक्षिणाभिमुखो रात्रौ संध्ययोश्च तथा दिवा ॥ ५० ॥

(दिवा तथा संध्ययोः) दिन में तथा दोनों संध्याओं में (उदङ्मुखः) उत्तर की ओर मुख करके (रात्रौ दक्षिण अभिमुखः) रात में दक्षिण की ओर मुख करके (मूत्र-उच्चार-समुत्सर्गं कुर्यात्) जिस किसी प्रकार सुख अनुभव करे उधर मुख करके मल-मूत्र का त्याग करे ॥ ५० ॥

छायायामन्धकारे वा रात्रावहनि वा द्विजः ।
यथासुखमुखः कुर्यात्प्राणबाधाभयेषु च ॥ ५१ ॥

(द्विजः) द्विज (रात्रौ वा अहनि) रात या दिन में (छायायाम्+अन्धकारे वा) बादलों की छाया हो जाने पर अथवा कुहरे आदि से अन्धेरा हो जाने पर (च) और (प्राण-बाधाभयेषु) चोर, सिंह आदि किसी कारण से प्राणबाधा का भय उपस्थित होने पर (यथासुखमुखः कुर्यात्) जिस किसी प्रकार सुख अनुभव करे उधर ही मुख करके मल-मूत्र त्याग करे ॥ ५१ ॥

प्रत्यग्नि प्रतिसूर्यं च प्रतिसोमोदकद्विजान् ।
प्रतिगां प्रतिवातं च प्रज्ञा नश्यति मेहतः ॥ ५२ ॥

(प्रति+अग्नि प्रतिसूर्यं प्रतिसोम+उदक-द्विजान् प्रतिगां च प्रतिवातम्) अग्नि के सामने, सूर्य के सामने, चन्द्रमा, जल, ब्राह्मण, गाय, हवा, इनकी ओर मुख करके (मेहतः) मल-मूत्र त्याग करने से (प्रज्ञा नश्यति) मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है ॥ ५२ ॥

विविध त्याज्य बातें—

नाग्निं मुखेनोपधमेन्नग्नां नेक्षेत च स्त्रियम् ।
नामेध्यं प्रक्षिपेदग्नौ न च पादौ प्रतापयेत् ॥ ५३ ॥

(अग्निं मुखेन न उपधमेत्) आग को कभी मुख से न फूंके (च) और (नग्नां स्त्रियं न+ईक्षेत) नंगी स्त्री को न देखे (अग्नौ अमेध्यं न प्रक्षिपेत्) अग्नि में कोई गन्दी वस्तु [विष्ठा आदि] न फेंके (च) और (पादौ न प्रतापयेत्) आग में पैरों को न सेके=तापे ॥ ५३ ॥

अधस्तान्नोपदध्याच्च न चैनमभिलङ्घयेत् ।
न चैनं पादतः कुर्यान्न प्राणबाधमाचरेत् ॥ ५४ ॥

(च) तथा इस आग को (अधस्तात्+न+उपदध्यात्) खाट आदि के नीचे न रखे (च) और (एनं न अभिलङ्घयेत्) इसे कभी न लांघे (न च+एनं पादतः कुर्यात्) और न इसे पैरों से स्पर्श करे—हटाये (प्राणबाधं न आचरेत्) कोई ऐसा काम न करे जिससे प्राणों का भय हो ॥ ५४ ॥

नाश्नीयात्संविवेलायां न गच्छेन्नापि संविशेत् ।
न चैव प्रलिखेद् भूमिं नात्मनोपहरेत्तृणम् ॥ ५५ ॥

(सन्धिवेलायाम्) संध्या के समय (न+अश्नीयात्) न खाये (न गच्छेत्) न कहीं रास्ते पर जाये (न संविशेत्) न सोये (च) और (न भूमिं प्रलिखेत्) न भूमि को कुरेदे (न+आत्मनः स्रजम् उपहरेत्) न अपने गले में पहनी माला को दूसरे को पहनावे ॥ ५५ ॥

नाप्सु मूत्रं पुरीषं वा ष्ठीवनं वा समुत्सृजेत् ।
अमेध्यलिप्तमन्यद्वा लोहितं वा विषाणि वा ॥ ५६ ॥

(अप्सु) जल में (मूत्रं पुरीषं ष्ठीवनं लोहितं वा विषाणि वा अन्यत् अमेध्यलिप्तम्) पेशाब, विष्ठा, थूक, खून, अथवा विष या अपवित्र वस्तु से लिपी कोई वस्तु (न समुत्सृजेत्) न फेंके ॥ ५६ ॥

नैकः सुप्याच्छून्यगेहे श्रेयांसं न प्रबोधयेत् ।
नोदक्याऽभिभाषेत यज्ञं गच्छेन्न चावृतः ॥ ५७ ॥

(शून्यगेहे एकः न सुप्यात्) सूने घर में अकेला न सोये (श्रेयांसं न प्रबोधयेत्) अपने से बड़े सोते हुए को न जगावे (उदक्यया न अभिभाषेत) रजस्वला से बातचीत न करे (च) और (अवृतः यज्ञं न गच्छेत्) बिना वरण किये ऋत्विज बनकर यज्ञ में न जाये ॥ ५७ ॥

अग्न्यागारे गवां गोष्ठे ब्राह्मणानां च संनिधौ ।
स्वाध्याये भोजने चैव दक्षिणं पाणिमुद्धरेत् ॥ ५८ ॥

(अग्नि+आगारे) अग्निशाला में (गवां गोष्ठे) गौशाला में (ब्राह्मणानां सन्निधौ) ब्राह्मणों के पास (स्वाध्याये) वेद के अध्ययन के समय (च) तथा (भोजने) भोजन में (दक्षिणं पाणिम्+उद्धरेत्) कपड़े से दाहिनी भुजा को बाहर रखे ॥ ५८ ॥

न वारयेद्गां धयन्तीं न चाचक्षीत कस्यचित् ।
न दिवीन्द्रायुधं दृष्ट्वा कस्यचिद् दर्शयेद् बुधः ॥ ५९ ॥

(धयन्तीं गां न वारयेत्) जल पीती गाय को न हटाये या रोके (च) और (कस्यचित् न आचक्षीत) न किसी से बताये (बुधः) बुद्धिमान् को चाहिए कि (दिवि) दिन में (इन्द्रायुधं दृष्ट्वा) इन्द्रधनुष को देखकर (कस्यचित् न दर्शयेत्) किसी को न दिखाये ॥ ५९ ॥

नाधार्मिके वसेद् ग्रामे न व्याधिबहुले भृशम् ।
नैकः प्रपद्येताध्वानं न चिरं पर्वते वसेत् ॥ ६० ॥

(अधार्मिके ग्रामे न वसेत्) आधर्मिकों के गांव में न रहे (न भृशं व्याधिबहुले) न ऐसे गांव में रहे जहां बहुत बीमारी फैली हो (एकः अध्वानं न प्रपद्येत) अकेला किसी निर्जन मार्ग पर न चले (पर्वते चिरं न वसेत्) पहाड़ पर बहुत समय तक न रहे ॥ ६० ॥

न शूद्रराज्ये निवसेन्नाधार्मिकजनावृते।
न पाखण्डिगणाक्रान्ते नोपसृष्टेऽन्त्यजैर्नृभिः ॥ ६१ ॥

द्विज (शूद्रराज्ये न निवसेत्) शूद्र के राज्य में न रहे (अधार्मिकजन+आवृते न) अधार्मिक लोगों से घिरे राज्य में भी न रहे (पाखण्डिगण+आक्रान्ते) पाखण्डियों के समूहों से घिरे (अन्त्यजैः नृभिः उपसृष्टे न) शूद्र या चाण्डाल लोगों से घिरे या भरे गाँव में भी न बसे ॥ ६१ ॥

न भुञ्जीतोद्धृतस्नेहं नातिसौहित्यमाचरेत्।
नातिप्रगे नातिसायं न सायं प्रातराशितः ॥ ६२ ॥

(उद्धृतस्नेहं न भुञ्जीत) जिसमें से चिकनायी निकाल ली है ऐसे पदार्थ को न खाये (अति+सौहित्यं न आचरेत्) बहुत अधिक न खावे (न+अतिप्रगे) न बहुत सवेरे (न+अतिसायम्) न बहुत शाम बीते खाये (प्रातः+आशितः सायं न) प्रातःकाल यदि बहुत खा लिया हो तो सायंकाल न खाये ॥ ६२ ॥

न कुर्वीत वृथा चेष्टां न वार्यञ्जलिना पिबेत्।
नोत्सङ्गे भक्षयेद्भक्ष्यान्न जातु स्यात्कुतूहली ॥ ६३ ॥

(वृथा चेष्टां न कुर्वीत) व्यर्थ की चेष्टाएँ न करे (अञ्जलिना वारि न पिबेत्) अंजलि से जल न पीये (भक्ष्यान् उत्सङ्गे न भक्षयेत्) खाने के पदार्थों को गोद में रखकर न खाये (जातु कुतूहली न स्यात्) कभी बिना प्रयोजन के किसी बात को जानने की इच्छा न रखे ॥ ६३ ॥

न नृत्येदथवा गायेन्न वादित्राणि वादयेत्।
नास्फोटयेन्न च क्ष्वेडेन्न च दन्तान्विरावयेत् ॥ ६४ ॥

(न नृत्येत् अथवा गायेत्) न नाचे और न गाये (वादित्राणि न वादयेत्) न बाजे बजाये (न+आस्फोटयेत्) न ताली बजाये (न क्ष्वेडेत्) न दाँत किड़किड़ावे (च) और (रक्तः न विरावयेत्) अनुरागभाव में मग्न होकर अभद्र शब्द न करे ॥ ६४ ॥

न पादौ धावयेत्कांस्ये कदाचिदपि भाजने।
न भिन्नभाण्डे भुञ्जीत न भावप्रतिदूषिते ॥ ६५ ॥

(कांस्ये भाजने कदाचित्+अपि पादौ न धावयेत्) कांसे के बर्तन में कभी पैर न धोये (भिन्नभाण्डे न भुञ्जीत) टूटे बर्तन में कभी न खाये (भावप्रतिदूषिते न) मन को प्रिय न लगने वाले बर्तन में भी भोजन न करे ॥ ६५ ॥

उपानहौ च वासश्च धृतमन्यैर्न धारयेत्।
उपवीतमलङ्कारं स्रजं करकमेव च ॥ ६६ ॥

(अन्यैः धृतं उपानहौ च वासः न धारयेत्) दूसरों द्वारा एकबार धारण किये गये जूते और वस्त्रों को धारण न करे (उपवीतम्+अलंकारं स्रजं च करकम्+एव)

यज्ञोपवीत, आभूषण, माला और कमण्डलु भी दूसरों के द्वारा धारण किये हुए धारण न करे ॥ ६६ ॥

अनुशीलन : ४३ से ६६ तक के श्लोक निम्न आधारों पर प्रक्षिप्त हैं—

१. **विषयविरोध**—४५ से ६६ श्लोक विषयबाह्य हैं। ये न तो व्रत ही हैं और न इनका **'सत्वगुणवर्धन'** से कोई सम्बन्ध है। अतः प्रक्षिप्त हैं, [विस्तृत विवेचन ४।३३–३४ श्लोकों पर द्रष्टव्य है **'विषयविरोध'** शीर्षक आधार]।

२. **अन्तर्विरोध**—(१) ४३ वें श्लोक में पत्नी के साथ खाने का निषेध है, जबकि ३। ११३, ११६ में साथ खाने का विधान है। (२) ४३–४४ श्लोकों में पत्नी को विभिन्न अवस्थाओं में न देखने का कथन है। जिस स्त्री के साथ सदा एकत्र रहना है, उसके साथ इस प्रकार की साधारण बातों का निषेध करना विरोधी बातें हैं; जो कि असंभव हैं। (३) ५५ और ६२ वें श्लोक में संधिवेलाओं में खाने का निषेध है, जब कि पञ्चयज्ञ संधिवेलाओं में ही किये जाते हैं और उनके बाद ही मनु ने भोजन करने का विधान किया है [३। ११६]। (४) ६१ वें श्लोक में **'शूद्रराजा'** की मान्यता मनु की व्यवस्था से मेल नहीं खाती, क्योंकि मनु कर्मणावर्णव्यवस्था मानते हैं। जो शूद्र है वह राजा नहीं है, और जो राजा है, वह वर्णव्यवस्था के अनुसार क्षत्रिय है। [१। ८७–९१]।

३. **शैलीगत आधार**—प्रायः सभी श्लोकों की शैली रूढ़ एवं अयुक्तियुक्त है। इनमें किसी बात के साथ कारण नहीं दर्शाया गया है, जहाँ दर्शाया भी है तो उसका कोई युक्तियुक्त सम्बन्ध नहीं है। मनु की शैली रूढ़ एवं अयुक्तियुक्त नहीं है।

सवारी किन पशुओं से न करे या करे—

नाविनीतैर्व्रजेद्धुर्यैर्न च क्षुद्व्याधिपीडितैः।
न भिन्नशृङ्गाक्षिखुरैर्न वालधिविरूपितैः ॥ ६७ ॥ (२३)

(अविनीतैः) बिना सिखाये हुए (क्षुद्-व्याधि-पीडितैः) भूख और रोग से पीड़ित (भिन्न-शृंग-अक्षि-खुरैः) जिनके सींग, नेत्र और खुर टूट गये हैं (वाल+अधिविरूपितैः) जिनकी पूंछ कटी या घायल हो, ऐसे (धुर्यैः न व्रजेत्) **जूए में जुतने वाले घोड़े, बैल आदि पशुओं पर चढ़कर न जाये** ॥ ६७ ॥

विनीतैस्तु व्रजेन्नित्यमाशुगैर्लक्षणान्वितैः।
वर्णरूपोपसंपन्नैः प्रतोदेनातुदन्भृशम् ॥ ६८ ॥ (२४)

(विनीतैः) सिखाये हुए (लक्षण+अन्वितैः) सुन्दर लक्षणों से युक्त (वर्ण-रूप+उपसपन्नैः) सुन्दर रंग-रूप से युक्त (आशुगैः) शीघ्रगामी पशुओं से (प्रतोदेन भृशम् अतुदन्) चाबुक की मार से बहुत पीड़ा न देता हुआ (व्रजेत्) सवारी करे ॥ ६८ ॥

बालसूर्यदर्शन आदि निषेध—

बालातपः प्रेतधूमो वर्ज्यं भिन्नं तथाऽऽसनम् ।
न छिन्द्यान्नखलोमानि दन्तैर्नोत्पाटयेन्नखान् ॥ ६९ ॥

(बालातपः) बालसूर्य की धूप (प्रेतधूमः) जलते हुऐ मुर्दे का धूआं (तथा) तथा (भिन्नम् आसनं वर्ज्यम्) फटा आसन इनको छोड़ देना चाहिए (नख-लोमानि न छिन्द्यात्) नाखून और रोमों को न तोड़े-फाड़े (नखान् दन्तैः न उत्पाटयेत्) नाखूनों को दांतों से न उखाड़े ॥ ६९ ॥

न मृल्लोष्टं च मृद्नीयान्न च्छिन्द्यात्करजैस्तृणम् ।
न कर्म निष्फलं कुर्यान्नायत्यामसुखोदयम् ॥ ७० ॥

(मृद्लोष्टं न मृद्नीयात्) मिट्टी के ढेले को हाथ से न मसले या फोड़े (करजैः तृणं न छिन्द्यात्) अंगुलियों से तिनकों को न तोड़े (निष्फलम् आयत्याम् असुख-उदयं कर्म न कुर्यात्) बिना प्रयोजन वाला और भविष्य में जिससे दुःख प्राप्त हो ऐसा कोई काम न करे ॥ ७० ॥

लोष्ठमर्दी तृणच्छेदी नखखादी च यो नरः ।
स विनाशं व्रजत्याशु सूचकोऽशुचिरेव च ॥ ७१ ॥

(लोष्ठमर्दी) ढेले को मलने वाला (तृणच्छेदी) तिनकों को तोड़ने वाला (नख-खादी) नाखूनों को दांतों से काटने वाला (सूचकः) चुगुलखोर (च) और (अशुचिः) अपवित्र रहने वाला (यः नरः) जो मनुष्य है (सः) वह (आशु विनाशं व्रजति) शीघ्र ही विनाश को प्राप्त होता है ॥ ७१ ॥

न विगर्ह्यं कथां कुर्याद्बहिर्माल्यं न धारयेत् ।
गवां च यानं पृष्ठेन सर्वथैव विगर्हितम् ॥ ७२ ॥

(विगर्ह्यं—कथां न कुर्यात्) उद्दण्डता से—बहसबाजी से बातें न करे (माल्यं बहिः न धारयेत्) माला को वस्त्रों के बाहर न पहने (च) और (गवां पृष्ठेन यानं सर्वथा+एव विगर्हितम्) गौओं की पीठ पर चढ़कर सवारी करना सर्वथा निन्दनीय काम है ॥ ७२ ॥

अद्वारेण च नातीयाद् ग्रामं वा वेश्म वावृतम् ।
रात्रौ च वृक्षमूलानि दूरतः परिवर्जयेत् ॥ ७३ ॥

(वृतं ग्रामं वा वेश्म) परकोटा से घिरे गांव या घर को (अद्वारेण न+अतीयात्) बिना द्वार वाले स्थान से कूद-फांद कर न जाये (रात्रौ) रात के समय (वृक्षमूलानि दूरतः परिवर्जयेत्) वृक्षों की जड़ों को दूर से छोड़कर जाये ॥ ७३ ॥

नाक्षैः क्रीडेत्कदाचित्तु स्वयं नोपानहौ हरेत् ।
शयनस्थो न भुञ्जीत न पाणिस्थं न चासने ॥ ७४ ॥

(अक्षैः कदाचित् तु न क्रीडेत्) जुआ कभी भी न खेले (उपानद्भौ स्वयं न हरेत्) जूते अपने हाथों में लेकर न चले (शयनस्थः न भुञ्जीत) सोते हुए=लेटे हुए कभी न खाये (न पाणिस्थम्) न हाथ पर खाने की वस्तु रखकर खाये (च) और (न आसने) न बैठने के आसन पर खाने की वस्तु रखकर खाये ॥ ७४ ॥

सर्वं च तिलसम्बद्धं नाद्यादस्तमिते रवौ।
न च नग्नः शयीतेह न चोच्छिष्टः क्वचिद् व्रजेत् ॥ ७५ ॥

(इह) इस लोक में (अस्तमिते रवौ) सूर्यास्त होने पर (सर्वं तिलसंबद्धं न+अद्यात्) तिल से बनी कोई भी वस्तु न खाये (नग्नः न शयीत) पलंग आदि पर कभी नंगा होकर न सोये (उच्छिष्टः क्वचिद् न व्रजेत्) झूठे मुंह-हाथ कहीं न जाये ॥ ७५ ॥

आर्द्रपादस्तु भुञ्जीत नार्द्रपादस्तु संविशेत्।
आर्द्रपादस्तु भुञ्जानो दीर्घमायुरवाप्नुयात् ॥ ७६ ॥

(आर्द्रपादस्तु भुञ्जीत) पैर धोकर भोजन करे (तु) किन्तु (आर्द्रपादः न संविशेत्) गीले पांव न सोये (आर्द्रपादः तु भुञ्जानः) पांव धोकर खाने वाला (दीर्घम्+(आयुः+अवाप्नुयात्) लम्बी आयु को प्राप्त करता है ॥ ७६ ॥

अचक्षुर्विषयं दुर्गं न प्रपद्येत कर्हिचित्।
न विण्मूत्रमुदीक्षेत न बाहुभ्यां नदीं तरेत् ॥ ७७ ॥

(अचक्षुः विषयं दुर्गं कर्हिचित् न प्रपद्येत) जो कभी आंखों से देखा न हो ऐसे किले में कभी न जाये (विण्मूत्रं न उदीक्षेत) विष्ठा और मूत्र को कभी न देखे (बाहुभ्यां नदीं न तरेत्) भुजाओं के सहारे से कभी नदी को पार करने का प्रयास न करे ॥ ७७ ॥

अधितिष्ठेन्न केशांस्तु न भस्मास्थिकपालिकाः।
न कार्पासास्थि न तुषान्दीर्घमायुर्जिजीविषुः ॥ ७८ ॥

(दीर्घम्+आयुः जिजीविषुः) लम्बी आयु चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह (केशान् भस्म+अस्थि-कपालिकाः कार्पासास्थि तुषान् न अधितिष्ठेत्) बाल, राख, हड्डी, ठीकरा, कपास की लकड़ी और भुस इन पर न बैठे ॥ ७८ ॥

अनुशीलन : ६६ से ७८ तक के श्लोक प्रक्षिप्त हैं—

१. **विषयविरोध**—ये सभी श्लोक विषयबाह्य हैं। इन श्लोकों में वर्णित बातें न तो व्रत हैं और न उनका 'सत्त्वगुण-वर्धन' से कोई सम्बन्ध है। इस आधार पर ये प्रक्षिप्त हैं। [विस्तृत विवेचन ३३–३४ श्लोकों पर द्रष्टव्य है।]।

२ **अन्तर्विरोध**—(१) ६६ वें में बालातप का निषेध है जब कि २। २३ [४८] ७६ [१०१] में प्रातःकालीन सूर्य के दर्शन आदि का विधान है। (२) ६६ वें में नाखून

काटने का निषेध है जब कि ४। ३५ में नाखून काटकर साफ रखने का विधान कर चुके हैं। (३) ७६ में पांव धोकर खाने की व्यवस्था दी है। जब कि २। २८ [५३] में केवल आचमन पूर्वक भोजन की व्यवस्था दी है।

३. **पुनरुक्ति**—७५ वें श्लोक का चतुर्थपाद २। ३१ [५६] के चतुर्थ पाद की ज्यों की त्यों पुनरावृत्ति है—"**न चोच्छिष्टः क्वचिद् व्रजेत्**"। यह अनावश्यक एवं अमौलिक है।

४. **शैलीगत आधार**—६६,७०,७२,७३,७५ ७८ श्लोकों की शैली रूढ़ है और ७१,७६, की अयुक्तियुक्त तथा अतिशयोक्तिपूर्ण है।

दुष्टों का संग न करे--

न संवसेच्च पतितैर्न चाण्डालैर्न पुल्कसैः।
न मूर्खैर्नावलिप्तैश्च नान्त्यैर्नान्त्यावसायिभिः॥ ७९॥ (२५)

सज्जनगृहस्थ लोगों को योग्य है कि (न पतितैः, न अन्त्यैः, न चांडालैः, न पुल्कसैः) जो पतित, दुष्टकर्म करने हारे हों न उनके, न **चांडाल**, न कंजर (न मूर्खैः न अवलिप्तैः च न अन्त्य+अवसायिभिः संवसेत्) न मूर्ख, न मिथ्याभिमानी, और न नीच निश्चय वाले मनुष्यों के साथ कभी निवास करें॥ ७९॥ (सं० वि० १७८)

शूद्र को उपदेश आदि का निषेध—

न शूद्राय मतिं दद्यान्नोच्छिष्टं न हविष्कृतम्।
न चास्योपदिशेद्धर्मं न चास्य व्रतमादिशेत्॥ ८०॥

(शूद्राय मतिम् उच्छिष्टं हविष्कृतं न दद्यात्) शूद्र को शिक्षा, **झूठा** भोजन और हवन का शेष भोजन या प्रसाद न दे (च) और (अस्य धर्मं न उपदिशेत्) इसको कभी धर्म का उपदेश न करे (च) तथा (अस्य व्रतं न आदिशेत्) इसको कभी व्रतों का उपदेश भी न करे॥ ८०॥

यो ह्यस्य धर्ममाचष्टे यश्चैवादिशति व्रतम्।
सोऽसंवृतं नाम तमः सह तेनैव मज्जति॥ ८१॥

(हि) **क्योंकि** (यः अस्य धर्मम्+आचष्टे) जो इस शूद्र को धर्म का उपदेश देता है (च) और (यः व्रतम् आदिशति) जो व्रत का उपदेश करता है (सः) वह उपदेश करने वाला (असंवृतं नाम तमः तेन सह एव मज्जति) 'असंवृत' नामक नरक में उस शूद्र के साथ ही जाकर डूबता है॥ ८१॥

न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्डूयेदात्मनः शिरः।
न स्पृशेच्चैतदुच्छिष्टो न च स्नायाद्विना ततः॥ ८२॥

(संहताभ्यां पाणिभ्याम् आत्मनः शिरः न कण्डूयेत्) दोनों हाथों से एकसाथ अपने सिर को न खुजलाये (च) और (एतत्+उच्छिष्टः न स्पृशेत्) सिर को झूठे हाथों से कभी न छुये (च) तथा (ततः विना न स्नायात्) सिर को पहले धोये बिना स्नान न करे ॥ ८२ ॥

केशग्रहान्प्रहारांश्च शिरस्येतान्विवर्जयेत् ।
शिरः स्नातश्च तैलेन नाङ्गं किञ्चिदपि स्पृशेत् ॥ ८३ ॥

(शिरसि केशग्रहान् च प्रहारान् एतान् विवर्जयेत्) सिर के बालों को पकड़कर लड़ना, और सिर में चोट मारना, इन बातों को छोड़ देवे (शिरः स्नातः तैलेन) सिर में तैल लगाकर (किंचिद्+अपि अङ्गं न स्पृशेत्) उन हाथों से किसी अंग को न छूये ॥ ८३ ॥

अक्षत्रिय राजा से दान का निषेध—

न राज्ञः प्रतिगृह्णीयादराजन्यप्रसूतितः ।
सूनाचक्रध्वजवतां वेशेनैव च जीवताम् ॥ ८४ ॥

(अराजन्य प्रसूतितः राज्ञः) जो क्षत्रिय से उत्पन्न न हुआ हो, ऐसे राजा से (न प्रतिगृह्णीयात्) दान न ले (सूना-चक्र ध्वजवतां च वेशेन एव जीवतां न) कसाई, कुम्हार, शराब बेचने वाले और वेष बदलकर जीविका करने वालों का भी दान न ले ॥ ८४ ॥

दशसूनासमं चक्रं दशचक्रसमो ध्वजः ।
दशध्वजसमो वेशो दशवेशसमो नृपः ॥ ८५ ॥

(दशसूनासमं चक्रम्) दशहत्या के समान चक्र अर्थात् कुम्हार, गाड़ी से जीविका करने हारे (दश चक्रसमः ध्वजः) दश चक्र के समान ध्वज अर्थात् धोबी, मद्य को निकाल कर बेचने हारे (दशध्वजसमः वेशः) दश ध्वज के समान वेश अर्थात् वेश्या, भंडुआ, भांड, दूसरे की नकल अर्थात् पाषाण मूर्तियों के पूजक (पुजारी) आदि, और (दश वेशसमः नृपः) दश वेश के समान अन्यायकारी राजा होता है, उनके अन्न आदि का अतिथि लोग कभी ग्रहण न करें ॥ ८५ ॥ (सं० वि० १५१)

दश सूनासहस्राणि यो वाहयति सौनिकः ।
तेन तुल्यः स्मृतो राजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः ॥ ८६ ॥

(यः सौनिकः) जो कसाई (दशसूनासहस्राणि वाहयति) दशहजार हत्याए करता है (राजा तेन तुल्यः स्मृतः) राजा को उसके समान समझा गया है (तस्य प्रतिग्रहः घोरः) उसका दान ग्रहण करना बड़ा भयानक है ॥ ८६ ॥

अक्षिप्रय राजा से दान लेने से नरकप्राप्ति—

यो राज्ञः प्रतिगृह्णाति लुब्धस्योच्छास्त्रवर्तिनः ।
स पर्यायेण यातीमान्नरकानेकविंशतिम् ॥ ८७ ॥

(यः) जो कोई (लुब्धस्य) लोभी (उत्+शास्त्रवर्तिनः) और शास्त्रों की मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाले (राज्ञः प्रति गृह्णाति) राजा का दान ग्रहण करता है वह (इमान् एकविंशतिं नरकान् पर्यायेण याति) इन इक्कीस नरकों में क्रम से जाता है—॥ ८७ ॥

तामिस्रमन्धतामिस्रं महारौरवरौरवौ ।
नरकं कालसूत्रं च महानरकमेव च ॥ ८८ ॥
संजीवनं महावीचिं तपनं सम्प्रतापनम् ।
संहातं च सकाकोलं कुड्मलं प्रतिमूर्तिकम् ॥ ८९ ॥
लोहशङ्कुमृजीषं च पन्थानं शाल्मलीं नदीम् ।
असिपत्रवनं चैव लोहदारकमेव च ॥ ९० ॥

(तामिस्रम्+अन्धतामिस्रं महारौरवरौरवौ) तामिस्र, अन्धतामिस्र, महारौरव और रौरव (नरकं कालसूत्रं च महानरकम्) कालसूत्रनरक और महानरक (संजीवनं महावीचिं तपनं संप्रतापनं संहातं सकाकोलं कुड्मलं प्रतिमूर्तिकम्) संजीवन, महावीचि, तपन, संप्रतापन, संहात, काकोल, कुड्मल, प्रतिमूर्तिक (लोहशंकुं च ऋजीषं पन्थानं शाल्मलीं नदीं असिपत्रवनं च लोहदारकम् एव) लोहशंकु, ऋजीष, पन्था, शाल्मली, वैतरणी नदी, असिपत्रवन और लोहदारक ये इक्कीस नरक हैं ॥ ८८–९० ॥

एतद्विदन्तो विद्वांसो ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः ।
न राज्ञः प्रतिगृह्णन्ति प्रेत्य श्रेयोऽभिकांक्षिणः ॥ ९१ ॥

(एतत् विदन्तः) इस बात को जानते हुए (प्रेत्य श्रेयः+अभिकांक्षिणः) परलोक में कल्याण चाहने वाले (ब्रह्मवादिनः विद्वांसः ब्राह्मणाः) ब्रह्मवेत्ता विद्वान् ब्राह्मण (राज्ञः न प्रतिगृह्णन्ति) राजा से दान नहीं लेते हैं ॥ ९१ ॥

अनुशीलन : ८० से ९१ श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—(१) ८०-८१ वें श्लोकों में शूद्र को विद्या, धर्म, व्रतोपदेश देने का निषेध और निन्दा है। यह मान्यता जन्मना वर्णव्यवस्था पर आधारित है और जन्मना वर्णव्यवस्था मनुविरुद्ध है [देखिये १। ९२—१०७ पर समीक्षा]। मनु की व्यवस्था के अनुसार वही शूद्र है जो पढ़-लिख नहीं पाता या बुद्धि की दृष्टि से अयोग्य है। मनु ने १०। १२६ में स्पष्ट कहा है "न धर्मात्प्रतिषेधनम्" अर्थात् शूद्र के लिए धर्मपालन का कोई निषेध नहीं है। इसी प्रकार २। २१३ [२३८] में "अन्यादपि परं

धर्मम्" कहकर शूद्रादि से भी धर्म की शिक्षा ग्रहण करने को कहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि धर्मपालन का शूद्र को कोई निषेध नहीं है। विवाह के अवसर पर यज्ञादि धर्मक्रियाओं का शूद्रों के लिए भी मनु ने द्विजों के समान ही विधान किया है। ४। २० में चारों वर्णों के लिए विवाहों का प्रसंग शुरु करके २८ वें में दैवविवाह का वर्णन यज्ञानुष्ठान पूर्वक है, वह शूद्र के लिए भी द्विजों के समान पालनीय है। इन बातों से सिद्ध होता है कि शूद्र को धर्म, उपदेश, व्रत आदि का निषेध मनुसम्मत नहीं है, अतः ये तीनों श्लोक प्रक्षिप्त हैं। (२) ८४ श्लोक में अक्षत्रिय से उत्पन्न राजा का दान न लेने का कथन है। यह मान्यता भी जन्मना वर्णव्यवस्था पर आधारित है, जो मनुविरुद्ध है [इसके लिए भी १। ९२—१०७ पर समीक्षा देखिए] मनु कर्मणावर्णव्यवस्था मानते हैं, अतः विधिवत् पढ़के कर्मानुसार बना प्रत्येक राजा क्षत्रिय है। इस आधार पर ८४ वाँ श्लोक तथा इससे सम्बद्ध अग्रिम ९१ तक के श्लोक प्रक्षिप्त हैं। (३) ८६ वें श्लोक में राजा के दान को निन्दनीय कहा है, जब कि १। ८९, ७। ७९, ८१, ८२ श्लोकों में राजा के लिए 'दान देना' विहित है।

(४) **नरक की कल्पना मनुविरुद्ध**—८१, ८७—९१ श्लोकों में इक्कीस नरक योनियों की गणना है और अक्षत्रिय राजा से दान लेने वाले को इन योनियों की प्राप्ति बतलायी है। मनु के मत में 'नरक' नाम की कोई योनि या स्थान विशेष नहीं है। यह मान्यता निम्न प्रमाणों के आधार पर मनुविरुद्ध सिद्ध होती है—

(क) नरक शब्द स्वर्ग का विपरीतार्थक है। मनु ने २। ३२ [२। ५७] में सुख और ३। ७९ में स्वर्ग शब्द का प्रयोग सुख और 'अक्षय सुख' के लिए किया है, और ९। २८ में "**दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ह**" कहकर 'वर्तमान जीवन के सुख' के अर्थ में किया है। इससे स्पष्ट है कि स्वर्ग के विपरीतार्थक शब्द 'नरक' का अर्थ कोई योनि या स्थानविशेष नहीं अपितु दुःख' ही है। निरुक्त में महर्षि यास्क ने भी 'नरक' शब्द की इसी रूप में निरुक्ति की है—"**नरकं न्यरकं नीचैर्गमनम् इति वा** अर्थात् दुःख, अधःपतन या अवनति का नाम नरक है [निरुक्त १। ३। ११]।

(ख) मनु ने मृत्यु के उपरान्त जीव की केवल दो अवस्थाएं मानी हैं—एक तो संसार में स्थावर-जंगम योनियों में जन्म [६। ६३, ७४, १२। ९, ३९–५२] या ब्रह्मप्राप्ति [४। १४९; ६। ८१; १२। ११६, १२५]। इससे भी यही स्पष्ट है कि मनु के मत में नरक नाम की कोई पृथक् योनि या स्थान नहीं है।

(ग) मनु ने १२। ९, ३९ से ५२ श्लोकों में मृत्यु के बाद जीव को उसके कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली योनियों की गणना की है। इस गणना में नरकयोनि का उल्लेख न होना भी यह सिद्ध करता है कि मनु 'नरक' को नहीं मानते। १२। ५२, ७४, ८१, श्लोकों में तो मनु ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में अपना मत व्यक्त किया है कि व्यक्ति कर्मों के अनुसार पूर्वोक्त योनियों में ही शरीर-धारण करके इसी संसार में सुख-दुःख भोगता है। अतः नरकों की कल्पना मनुविरुद्ध है। इस आधार पर उक्त श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

(५) ८१, ८७–९१ श्लोक इस प्रकार भी मनु की मान्यता के विरुद्ध हैं, क्यों कि मनु किसी एक ही कर्म से किसी एक योनि की प्राप्ति या निश्चय नहीं मानते, अपितु अनेक अच्छे-बुरे कर्मों के आधार पर उत्तम, मध्यम, अधम योनियों की प्राप्ति मानते हैं [१२। ३–९, ३९–५२]। इन श्लोकों में एक ही कर्म के आधार पर नरक की योनियों का निश्चय उक्त मान्यता के विरुद्ध है।

२. **वेदविरुद्ध**—८०–८१ श्लोकों में शूद्र के लिए यज्ञशेष भोजन और धर्म-क्रियाओं का निषेध वेद की मान्यता के विरुद्ध है। वेद में शूद्र को यज्ञ आदि धार्मिक क्रियाएँ करने का और साथ ही मन्त्र आदि श्रवण का विधान किया है। प्रमाणों के लिए देखिए २। ४२ और ९। ३३५ की 'वेदविरुद्ध' शीर्षक समीक्षाएँ।

३. **विषयविरोध**—८०–८३ श्लोक विषयबाह्य हैं। इनका न तो 'सत्वगुण-वर्धन' से कोई सम्बन्ध है और न ये व्रत हैं। इस आधार पर प्रक्षिप्त हैं [विस्तृत समीक्षा ४। ३३—३४ श्लोकों पर द्रष्टव्य है]।

४. **शैलीगत आधार**—८०—८१ श्लोकों की शैली पक्षपातपूर्ण एवं द्वेष-भावात्मक है। ८१, ८५, ८६—९१ की अयुक्तियुक्त एवं अतिशयोक्तिपूर्ण है। ८२-८३ श्लोकों की शैली रूढ़ है। मनु की शैली में ये त्रुटियां नहीं हैं।

ब्राह्ममुहूर्त में जागरण—

ब्राह्मे मुहूर्त्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत्।
कायक्लेशांश्च तन्मूलान्वेदतत्त्वार्थमेव च॥ ९२॥ (२६)

(ब्राह्मे मुहूर्त्ते बुध्येत) रात्रि के चौथे प्रहर अथवा चार घड़ी रात से उठे (धर्मार्थौ) आवश्यक कार्य करके धर्म और अर्थ (कायक्लेशान् च तन्मूलान्) शरीर के रोगों और उनके कारणों को (च) और (वेदतत्त्वार्थम् +एव अनुचिन्तयेत्) परमात्मा का ध्यान करे, कभी अधर्म का आचरण न करे॥ ९२॥ (स० प्र० १०४)

संध्योपासन आदि नित्यचर्या का पालन एवं उससे दीर्घायु की प्राप्ति—

उत्थायावश्यकं कृत्वा कृतशौचः समाहितः।
पूर्वां सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्स्वकाले चापरां चिरम्॥ ९३॥ (२७)

(उत्थाय) उठकर (आवश्यकं कृत्वा) दिनचर्या के आवश्यक शौच आदि कार्य सम्पन्न करके (कृतशौचः) स्नान आदि से स्वच्छ-पवित्र होकर (समाहितः) एकाग्रचित्त होकर (पूर्वां संध्यां जपन् चिरं तिष्ठेत्) प्रातः कालीन संध्योपासना करता हुआ देर तक बैठे (च) और (स्वकाले) उपयुक्त समय पर (अपराम्) सायंकालीन संध्या में भी चिरकाल तक उपासना करे॥९३॥

ऋषयो दीर्घसन्ध्यत्वाद्दीर्घमायुरवाप्नुयुः।
प्रज्ञां यशश्च कीर्तिं च ब्रह्मवर्चसमेव च॥ ९४॥ (२८)

(ऋषयः) मन्त्रार्थद्रष्टा ऋषियों ने (दीर्घसंध्यत्वात्) देर तक संध्योपासना करने के कारण (दीर्घम्+आयुः, प्रज्ञां, यशः, कीर्तिं, च ब्रह्मवर्चसम् अवाप्नुयुः) लम्बी आयु, बुद्धि, यश, प्रसिद्धि और ब्रह्मतेज को प्राप्त किया है ॥ ९४ ॥

अनुशीलन : दीर्घसन्ध्या से दीर्घ-आयु आदि की प्राप्ति—(१) गायत्री आदि वेदमन्त्रों का जप संध्या है [२।७९ (१०४)] और यह नैत्यिक यज्ञों एवं स्वाध्याय के अन्तर्गत आता है। स्वाध्याय से आयु, तेज-बल आदि की प्राप्ति २।८२ (१९७) में भी वर्णित है। तुलनार्थ द्रष्टव्य है।

(२) गायत्री आदि वेदमन्त्रों के मननपूर्वक दीर्घसन्ध्या=उपासना एवं ईश्वर से बुद्धि की प्रार्थना करने से बुद्धि की प्राप्ति होती है। वेदमन्त्रों के अनुसार आचरण से आयु की प्राप्ति, फिर श्रेष्ठआचरण से प्रसिद्धि एवं यश की प्राप्ति होती है। वेदमन्त्र पूर्वक मनन-चिन्तन, आचरण से ब्रह्मतेज बढ़ता है। मनुष्य वेद और ईश्वर के ज्ञान में समर्थ होता जाता है [२।५३ (७८)]। इस प्रकार दीर्घ सन्ध्या से श्लोकोक्त लाभ मिलते हैं।

(३) 'सन्ध्या' शब्द का अर्थ २।७७-७९ [१०३-१०५] श्लोकों में और उनकी समीक्षा में देखिए।

श्रावणी-उपाकर्म—

श्रावण्यां प्रौष्ठपद्यां वाऽप्युपाकृत्य यथाविधि।
युक्तश्छन्दांस्यधीयीत मासान्विप्रोऽर्धपञ्चमान् ॥ ९५ ॥

(श्रावण्याम् अपि वा प्रौष्ठपद्याम्) श्रावणी अथवा भाद्रपद पूर्णमासी को (यथाविधि उपाकृत्य) विधि अनुसार उपक्रम-अनुष्ठान करके (विप्रः) द्विज (अर्धपंचमान् मासान्) साढ़े चार मास तक (युक्तः) लग्नपूर्वक (छन्दांसि+अधीयीत) वेदों का स्वाध्याय करे ॥ ९५ ॥

पुष्ये तु छन्दसां कुर्याद्बहिरुत्सर्जनं द्विजः।
माघशुक्लस्य वा प्राप्ते पूर्वार्द्ध प्रथमेऽहनि ॥ ९६ ॥

(द्विजः) वेदपाठी द्विज (पुष्ये) पुष्य नक्षत्र में (वा माघशुक्लस्य प्रथमे+अहनि प्राप्ते) अथवा माघशुक्ल की प्रतिपदा को (पूर्वार्द्धे) दोपहर से पहले समय में (बहिः) बाहर अनुष्ठानपूर्वक (छन्दसाम् उत्सर्जनं कुर्यात्) वेदों के स्वाध्याय की समाप्ति करे अर्थात् उस विशेष स्वाध्याय की अवधि को पूर्ण करे ॥ ९६ ॥

यथाशास्त्रं तु कृत्वैवमुत्सर्गं छन्दसां बहिः।
विरमेत्पक्षिणीं रात्रिं तदेवैकमहर्निशम् ॥ ९७ ॥

(यथाशास्त्रं तु) शास्त्र में कही विधि के अनुसार (एवं बहिः छन्दसाम् उत्सर्गं कृत्वा) इस प्रकार बाहर अनुष्ठान में वेदों के स्वाध्याय की अवधि को समाप्त करके

(पक्षिणीं रात्रिम्) उत्सर्ग वाले दिन की रात को (तत्+एव+एकम् अहः+निशम्) उसी प्रकार अगले दिन और रात को (विरमेत्) वेदाध्ययन से आराम करे ॥ ९७ ॥

अत ऊर्ध्वं तु छन्दांसि शुक्लेषु नियतः पठेत् ।
वेदाङ्गानि च सर्वाणि कृष्णपक्षेषु सम्पठेत् ॥ ९८ ॥

(तु) और (अतः ऊर्ध्वम्) इसके पश्चात् (शुक्लेषु) शुक्लपक्ष के दिनों में (नियतः) नियमपूर्वक (छन्दांसि पठेत्) वेदों को पढ़े (च) तथा (कृष्णपक्षेषु) कृष्णपक्ष के दिनों में (सर्वाणि वेदाङ्गानि संपठेत्) सब वेदाङ्गों [शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, ज्योतिष और निरुक्त] को भलीभांति पढ़े ॥ ९८ ॥

नाविस्पष्टमधीयीत न शूद्रजनसन्निधौ ।
न निशान्ते परिश्रान्तो ब्रह्माधीत्य पुनः स्वपेत् ॥ ९९ ॥

(विस्पष्टं न अधीयीत) अस्पष्ट स्वर में वेदों को न पढ़े (न शूद्रजनसन्निधौ) न शूद्रों के पास (निशान्ते) रात के अन्तिम प्रहर में (ब्रह्म+अधीत्य) वेद पढ़कर (परिश्रान्तः) थककर भी (पुनः न स्वपेत्) फिर न सोवे ॥ ९९ ॥

यथोदितेन विधिना नित्यं छन्दस्कृतं पठेत् ।
ब्रह्म छन्दस्कृतं चैव द्विजो युक्तो ह्यनापदि ॥ १०० ॥

(यथा+उदितेन विधिना) शास्त्र में कही गई विधि के अनुसार (नित्यम्) प्रतिदिन (छन्दस्कृतं पठेत्) गायत्री का पाठ करे (च) और (अनापदि) आपत्तिरहित समय में (द्विजः) द्विज (युक्तः) लग्नपूर्वक (छन्दस्कृतं ब्रह्म एव) छन्दः पूर्वक वेद का भी पाठ करे ॥ १०० ॥

विविध अनध्यायों का विधान—

इमान्नित्यमनध्यायानधीयानो विवर्जयेत् ।
अध्यापनं च कुर्वाणः शिष्याणां विधिपूर्वकम् ॥ १०१ ॥

(अधीयानः) वेदाध्ययन करने वाला और (विधिपूर्वकं शिष्याणाम् अध्यापनं कुर्वाणः) विधिपूर्वक शिष्यों को वेद पढ़ाने वाला गुरु (नित्यम्) सदैव (इमान् अनध्यायान् विवर्जयेत्) इन अनध्यायों को करे अर्थात् वेदों का पढ़ना-पढ़ाना छोड़दे ॥ १०१ ॥

अनुशीलन : अध्याय और अनध्याय का स्वरूप एवं विवेचन स्वयं मनु ने वर्णित किया है। देखिए २। ७९-८२ [१०४-१०७] श्लोक।

कर्णश्रवेऽनिले रात्रौ दिवा पांसुसमूहने ।
एतौ वर्षास्वनध्यायावध्यायज्ञाः प्रचक्षते ॥ १०२ ॥

(रात्रौ कर्णश्रवे अनिले) रात में कानों को जिसकी आवाज सुनाई पड़े ऐसी हवा चल रही हो (दिवा पांसुसमूहने) दिन में धूलभरी हवा चल रही हो (वर्षासु) वर्षाकाल में (एतौ) इन दोनों स्थितियों को (अध्यायज्ञाः) अध्ययन की विधि के ज्ञाता (अनध्यायौ प्रचक्षते) अनध्याय का समय कहते हैं ॥ १०२ ॥

विद्युत्स्तनितवर्षेषु महोल्कानां च सम्प्लवे ।
आकालिकमनध्यायमेतेषु मनुरब्रवीत् ।। १०३ ।।

(विद्युत्-स्तनितवर्षेषु) जो बिजली चमकती हो और गरज-गरजकर वर्षा हो रही हो (च) और (महा+उल्कानां संप्लवे) बड़े-बड़े उल्कापात हो रहे हों तो (एतेषु) इन समयों में (मनुः) महर्षि मनु ने (आकालिकम्) उस दिन से अगले दिन उसी समय तक का (अनध्यायम् अब्रवीत्) अनध्याय कहा है ।। १०३ ।।

एतांस्त्वभ्युदितान्विद्याद्यदा प्रादुष्कृताग्निषु ।
तदा विद्यादनध्यायमनृतौ चाभ्रदर्शने ।। १०४ ।।

वर्षा ऋतु में (प्रादुष्कृत+अग्निषु) होम के लिये अग्नि प्रज्ज्वलित करते समय (यदा) जब (एतान् अभ्युदितान् विद्यात्) इन को प्रकट हुआ जाने अर्थात् जब बिजली कड़के, गरजे और वर्षा बरसे, (तदा) तब (अनध्यायं विद्यात्) अनध्याय जाने (च) किन्तु (अनृतौ) वर्षा से भिन्न ऋतुओं में (अभ्रदर्शने) बादल छा जाने पर ही अनध्याय जाने ।। १०४ ।।

निर्घाते भूमिचलने ज्योतिषां चोपसर्जने ।
एतानाकालिकान्विद्यादनध्यायानृतावपि ।। १०५ ।।

(ऋतौ+अपि) वर्षाऋतु में भी यदि (निर्घाते) आकाश में उत्पातसूचक शब्द हो तो (भूमिचलने) भूकम्प आया हो (च) और (ज्योतिषाम् उपसर्जने) ग्रहों के परस्पर संघर्ष होने पर (एतान्) इन समयों को (आकालिकान् अनध्यायान् विद्यात्) उस समय से अगले दिन उसी समय तक का अनध्याय समय जाने ।। १०५ ।।

प्रादुष्कृतेष्वग्निषु तु विद्युत्स्तनितनिःस्वने ।
सज्योतिः स्यादनध्यायः शेषे रात्रौ तथा दिवा ।। १०६ ।।

(प्रादुष्कृतेषु+अग्निषु) यदि प्रातःकाल होम की अग्नि प्रज्ज्वलित करते समय (विद्युत्-स्तनित-निःस्वने) बिजली कड़कने, बादल गरजने तथा वर्षा होने पर (सज्योतिः शेषे) सूर्य की ज्योति रहने तक (अनध्यायः स्यात्) अनध्याय होता है (रात्रौ) यदि रात्रि में होम की अग्नि प्रज्ज्वलित करते समय यही बातें हों तो (यथा दिवा) जैसे दिन में शाम तक, वैसे ही अगले सवेरे तक अनध्याय रहता है ।। १०६ ।।

नित्यानध्याय एव स्याद् ग्रामेषु नगरेषु च ।
धर्मनैपुण्यकामानां पूतिगन्धे च सर्वदा ।। १०७ ।।

(धर्मनैपुण्यकामानाम्) धर्म में निपुणता चाहने वाले लोगों का (ग्रामेषु पूतिगन्धे) गांवों और नगरों में बुरी गंध फैल जाने पर (सर्वदा नित्य+अनध्यायः एव स्यात्) प्रतिदिन पूर्णतः अनध्याय ही रहता है ।। १०७ ।।

अन्तर्गतशवे ग्रामे वृषलस्य च सन्निधौ ।
अनध्यायो रुद्यमाने समवाये जनस्य च ॥ १०८ ॥

(अन्तर्गतशवे ग्रामे) जहां गांव में कोई मुर्दा पड़ा हो (च) और (वृषलस्य सन्निधौ) शूद्र के पास (रुद्यमाने) जहां रोने की ध्वनि आ रही हो (च) तथा (जनस्य समवाये) जहां लोगों की बहुत भीड़ हो वहाँ (अनध्यायः) अनध्याय होता है ॥ १०८ ॥

उदके मध्यरात्रे च विण्मूत्रस्य विसर्जने ।
उच्छिष्टः श्राद्धभुक्चैव मनसाऽपि न चिन्तयेत् ॥ १०९ ॥

(उदके) जल में रहते हुए (च) और (मध्यरात्रे) आधी रात में (विण्मूत्रस्य विसर्जने) मल-मूत्र त्यागते समय (उच्छिष्टः) जूठे हाथ-मुंह (श्राद्धभुक्चैव) श्राद्ध में भोजन करते ही तुरन्त बाद (मनसा+अपि न चिन्तयेत्) मन से भी वेद का चिन्तन न करे ॥ १०९ ॥

प्रतिगृह्य द्विजो विद्वानेकोद्दिष्टस्य केतनम् ।
त्र्यहं न कीर्तयेद् ब्रह्म राज्ञो राहोश्च सूतके ॥ ११० ॥

(द्विजः) ब्राह्मण (विद्वान्) विद्वान् (एकोद्दिष्टस्य केतनं प्रतिगृह्य) एक ही ब्राह्मण को जिमाने के उद्देश्य से दिये गये निमन्त्रण को स्वीकार करके (राज्ञः) राजा के (च) और (राहोः) सूर्य-चन्द्र के ग्रहण के समय होने वाले (सूतके) सूतक में (त्रि+अहं ब्रह्म न कीर्तयेत्) तीन दिन तक वेद न पढ़े ॥ ११० ॥

यावदेकानुद्दिष्टस्य गन्धो लेपश्च तिष्ठति ।
विप्रस्य विदुषो देहे तावद् ब्रह्म न कीर्तयेत् ॥ १११ ॥

(विदुषः विप्रस्य देहे) विद्वान् ब्राह्मण के शरीर में (यावत्) जब तक (एकानुद्दिष्टस्य) एकोद्दिष्ट श्राद्ध की (गन्धः च लेपः) गन्ध या लेप (तिष्ठति) रहे (तावत्) तब तक (ब्रह्म न कीर्तयेत्) वेद को न पढ़े ॥ १११ ॥

शयानः प्रौढपादश्च कृत्वा चैवावसक्थिकाम् ।
नाधीयीतामिषं जग्ध्वा सूतकान्नाद्यमेव च ॥ ११२ ॥

(शयानः) लेटे हुए (च) और (प्रौढपादः) आसन पर पैर फैलाकर (च+एव) तथा (अवसक्थिकां कृत्वा) घुटनों को मोड़कर बैठने की मुद्रा बनाके अर्थात् उकड़ू बैठकर (आमिषं च सूतक+अन्नाद्यम्+एव जग्ध्वा) मांस और सूतक=जन्म-मृत्यु से उत्पन्न अशौच के अन्न को खाकर (न+अधीयीत) वेद न पढ़े ॥ ११२ ॥

नीहारे बाणशब्दे च संध्ययोरेव चोभयोः ।
अमावस्याचतुर्दश्योः पौर्णमास्यष्टकासु च ॥ ११३ ॥

(नीहारे) कोहरे के समय (च) और (बाणशब्दे) बाणों का शब्द होने पर (च) तथा (उभयोः संध्ययोः+एव) प्रातः, सायं दोनों संध्याओं में (च) और (अमावस्या-

चतुर्दश्यो: पौर्णमासी+अष्टकासु) अमावस्या, चतुर्दशी, पूर्णमासी, अष्टमी के दिन भी वेद नहीं पढ़ना चाहिए ॥ ११३ ॥

अमावस्या गुरुं हन्ति शिष्यं हन्ति चतुर्दशी ।
ब्रह्माष्टकापौर्णमास्यौ तस्मात्ताः परिवर्जयेत् ॥ ११४ ॥

(अमावस्या गुरुं हन्ति) अमावस्या गुरु को मार देती है (चतुर्दशी शिष्यं हन्ति) चतुर्दशी शिष्य को मारती है (अष्टक+पौर्णमास्यौ ब्रह्म) अष्टमी और पूर्णमासी वेद को ही नष्ट कर देती हैं (तस्मात्) इसलिए (ताः परिवर्जयेत्) उन्हें छोड़ देवे अर्थात् इन दिनों में वेद न पढ़ें ॥ ११४ ॥

पांसुवर्षे दिशां दाहे गोमायुविरुते तथा ।
श्वखरोष्ट्रे च रुवति पङ्क्तौ च न पठेद् द्विजः ॥ ११५ ॥

(पांसुवर्षे) धूलि वर्षा के समय (दिशां दाहे) दिशाओं में ज्वालाएँ उठ रही हों तब (तथा गोमायु विरुते) तथा गीदड़ों के रोने का शब्द सुनते समय (च) और (श्व-खर-उष्ट्रे रुवति) कुत्ता, गधा और ऊंट के रोने के शब्द के समय (च) तथा (पंक्तौ) जहाँ इनका झुण्ड या पंक्ति इकट्ठी बनी हुई हो वहाँ (द्विजः न पठेत्) द्विज वेद न पढ़े ॥११५॥

नाधीयीत श्मशानान्ते ग्रामान्ते गोव्रजेऽपि वा ।
वसित्वा मैथुनं वासः श्राद्धिकं प्रतिगृह्य च ॥ ११६ ॥

(श्मशानान्ते) श्मशान के पास में (ग्रामान्ते) गांव के पास में (वा) और (गोव्रजे+अपि) गौशाला में भी (मैथुनं वासः वसित्वा) मैथुन के समय का वस्त्र पहनकर (च) तथा (श्राद्धिकं प्रतिगृह्य) श्राद्ध के अन्न आदि पदार्थों का दान लेकर (न+अधीयीत) वेद न पढ़े ॥ ११६ ॥

प्राणि वा यदि वाऽप्राणि यत्किञ्चिच्छ्राद्धिकं भवेत् ।
तदालभ्याप्यनध्यायः पाण्यास्यो हि द्विजः स्मृतः ॥ ११७ ॥

(श्राद्धिकं यत् किंचित् प्राणि वा यदि वा+अप्राणि भवेत्) श्राद्धसम्बन्धी जो कोई भी पदार्थ चाहे वह जीव=गौ आदि हो अथवा अजीव—वस्त्र, पात्र आदि हो (तत् आलभ्य) उसे लेकर (अनध्यायः) अनध्याय ही होता है (हि) क्योंकि (द्विजः) ब्राह्मण को (पाणि+आस्यः) हाथ ही है मुख जिसका, ऐसा अर्थात् जिसके हाथ में दान चला गया तो समझना चाहिए कि वह भी श्राद्ध के अन्न की तरह मुख में जाकर पितरों के पास पहुंच गया, इस प्रकार की विशेषता वाला (स्मृतः) कहा है ॥ ११७ ॥

चौरैरुपप्लुते ग्रामे सम्भ्रमे चाग्निकारिते ।
आकालिकमनध्यायं विद्यात् सर्वाद्भुतेषु च ॥ ११८ ॥

(ग्रामे चौरैः+उपप्लुते) गांव में चोरों द्वारा कोई उपद्रव कर देने पर (संभ्रमे) घबराहट होने पर (च) और (अग्निकारिते) आग लगने पर (च) तथा (सर्व+अद्भु-

तेषु) सभी अद्भुत घटनाओं के घटने पर (आकालिकम्) उस समय से अगले दिन उसी समय तक के लिए (अनध्यायं विद्यात्) अनध्याय समझना चाहिए ॥ ११८ ॥

उपाकर्मणि चोत्सर्गे त्रिरात्रं क्षपणं स्मृतं ।
अष्टकासु त्वहोरात्रमृत्वन्तासु च रात्रिषु ॥ ११९ ॥

(उपाकर्मणि) वेदाध्ययन के प्रारम्भ का अनुष्ठान करते समय (च) और (उत्सर्गे) वेदाध्ययन का उत्सर्ग=विसर्जन करने पर (अष्टकासु तु) मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के बाद तीन अष्टमी तिथियों में (त्रिरात्रं क्षपणं स्मृतम्) तीन रात अर्थात् तीन दिन-रात का अनध्याय कहा है (च) और (ऋत्वन्तासु रात्रिषु अहोरात्रम्) ऋतुओं के अन्त की रात्रियों में एक दिन-रात का अनध्याय होता है ॥ ११९ ॥

नाधीयीताश्वमारूढो न वृक्षं न च हस्तिनम् ।
न नावं न खरं नोष्ट्रं नेरिणस्थो न यानगः ॥ १२० ॥

(अश्वं वृक्षं हस्तिनं नावं खरं उष्ट्रम् आरूढः) घोड़ा, वृक्ष, हाथी, नौका, गधा, ऊंट, इन पर चढ़कर (इरिणस्थः) बंजर भूमि पर बैठकर (यानगः) किसी सवारी पर जाता हुआ (न+अधीयीत) वेद न पढ़े ॥ १२० ॥

न विवादे न कलहे न सेनायां न सङ्गरे ।
न भुक्तमात्रे नाजीर्णे न वमित्वा न शुक्तके ॥ १२१ ॥
अतिथिं चाननुज्ञाप्य मारुते वाति वा भृशम् ।
रुधिरे च स्रुते गात्राच्छस्त्रेण च परिक्षते ॥ १२२ ॥

(विवादे) विवाद [बहसबाजी] हो जाने पर (कलहे) लड़ाई हो जाने पर (सेनायां संगरे) सेना के बीच में, युद्ध में (भुक्तमात्रे) खाने के एकदम बाद (अजीर्णे) अपच होने पर (वमित्वा) वमन होने पर (शुक्तके) खट्टी डकारों के समय (च) और (अतिथिम् अननुज्ञाप्य) अतिथि से बिना आज्ञा लिए (मारुते वा+अति वा भृशम्) तेज हवा चलने पर और चलते रहने पर (च) तथा (गात्रात् रुधिरे स्रुते) शरीर से खून निकलने पर (च) और (शस्त्रेण परिक्षते) हथियार से घायल होने पर वेद न पढ़े ॥१२१, १२२॥

सामध्वनावृग्यजुषी नाधीयीत कदाचन ।
वेदस्याधीत्य वाप्यन्तमारण्यकमधीत्य च ॥ १२३ ॥

(सामध्वनौ) जहां सामवेद की ध्वनि आ रही हो, वहाँ (कदाचन) कभी भी (ऋग्यजुषी न+अधीयीत) ऋग्वेद और यजुर्वेद को न पढ़े (वा) अथवा (वेदस्य अन्तम् अधीत्य) एक वेद को अन्त तक पढ़कर (च) और (आरण्यकम्+अधीत्य) वेद के एक भाग को अन्त तक पढ़कर दूसरे वेद और दूसरे भाग को उस दिन न पढ़े ॥१२३॥

ऋग्वेदो देवदैवत्यो यजुर्वेदस्तु मानुषः ।
सामवेदः स्मृतः पित्र्यस्तस्मात्तस्याशुचिर्ध्वनिः ॥ १२४ ॥

(ऋग्वेदः देवदैवत्यः) ऋग्वेद की देवता 'देव' हैं (तु) और (यजुर्वेदः मानुषः)

यजुर्वेद के देवता 'मनुष्य' हैं (सामवेदः पित्र्यः स्मृतः) सामवेद के देवता 'पितर' माने गये हैं (तस्मात् तस्य ध्वनिः अशुचिः) इसलिए उन दोनों वेदों की तुलना में सामवेद की ध्वनि अपवित्र है ॥ १२४ ॥

एतद्विदन्तो विद्वांसस्त्रयीनिष्कर्षमन्वहम् ।
क्रमशः पूर्वमभ्यस्य पश्चाद्वेदमधीयते ॥ १२५ ॥

(विद्वांसः) विद्वान् लोग (एतत् त्रयीनिष्कर्षं विदन्तः) इन तीनों वेदों के रहस्य को जानते हुए (अन्वहं क्रमशः पूर्वम् + अभ्यस्य) प्रतिदिन क्रमानुसार पहले-पहले वेद को पढ़कर (पश्चात्) बाद में (वेदम् + अधीयते) सामवेद का अध्ययन करते हैं ॥ १२५ ॥

पशुमण्डूकमार्जारश्वसर्पनकुलाखुभिः ।
अन्तरागमने विद्यादनध्यायमहर्निशम् ॥ १२६ ॥

(पशु-मण्डूक-मार्जार-श्व-सर्प-नकुल-आखुभिः अन्तरागमने) पशु, मेंढक, बिल्ली, कुत्ता, सांप, नेवला और चूहा इनके बीच से या सामने से निकल जाने पर (अहर्निशम् अनध्यायं विद्यात्) दिन-रात का अनध्याय, समझना चाहिए ॥ १२६ ॥

द्वावेव वर्जयेन्नित्यमनध्यायौ प्रयत्नतः ।
स्वाध्यायभूमिं चाशुद्धामात्मानं चाशुचिं द्विजः ॥ १२७ ॥

(च) और (द्विजः) द्विज (अशुद्धां स्वाध्यायभूमिम्) अशुद्ध स्वाध्यायस्थान को अर्थात् अशुद्ध स्वाध्यायस्थल होने पर वहां स्वाध्याय को (च) और (अशुचिम् आत्मानम्) अशुद्ध आत्मा और शरीर-मन को अर्थात् शरीर, मन, आत्मा जब अपवित्र हों तो उस समय स्वाध्याय को (नित्यं प्रयत्नतः वर्जयेत्) सदैव प्रयत्नपूर्वक छोड़ देवे, (द्वौ) ये दोनों (अनध्यायौ एव) 'अनध्याय' ही हैं ॥ १२७ ॥

अनुशीलन : ९५ से १२७ तक सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं। इनका प्रक्षेप निम्न आधारों के अनुसार सिद्ध होता है—

१. **अन्तर्विरोध : 'अनध्याय' मनुविरुद्ध**—(१) प्रतीत होता है कि वर्ष में साढ़े चार मास तक वेदाध्ययन करना, फिर उनका उत्सर्जन करना, बीच में विराम करना, शुक्ल पक्ष में वेदाध्ययन और कृष्ण पक्ष में वेदाङ्गों का अध्ययन करना, ये व्यवस्थाएँ मनु से परवर्ती काल की हैं, जब कि मनु द्वारा विहित व्यवस्थाओं में शिथिलता आ गई थी। इन व्यवस्थाओं का मनुप्रोक्त व्यवस्थाओं से तालमेल नहीं बैठता और विरोध आता है। यथा—(क) मनु ने वेदों का अध्ययन सभी द्विजों का आवश्यक और नैत्यिक कर्म माना है [१-८७—९०]। यदि पूर्वोक्त कर्मों का पालन कोई द्विज नहीं करता तो वह अपने वर्ण से पतित हो जाता है। विशेषरूप से वेदाभ्यास को छोड़ने वाला द्विज शूद्रकोटि में गिना जाता है—"**योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्। स जीवन्नेव शूद्रत्वं आशु गच्छति सान्वयः**" [२।१४३(१६८)](ख) मनु ने वेदाध्ययन को नैत्यिक दिनचर्या कहा है और इस पवित्र कार्य में कभी अनध्याय नहीं माना है—"**वेदो-**

पकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके। नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चैव हि" ॥ [२। ८० (१०५)] "नैत्यके नास्त्यनाध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम्। ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्याय वषट्कृतम्" ॥ [२। ८१ (१०६)] (ग) नैत्यिक वेदाध्ययन के विधायक अन्य प्रमाण भी द्रष्टव्य हैं—

(क) यः स्वाध्यायमधीते ऽब्दं विधिना नियतः शुचिः।
तस्य नित्यं क्षरत्येष पयो दधि घृतं मधु ॥ २।८२ ॥ (२।१०७)

(ख) आ हैव स नखाग्रेभ्यः परमं तप्यते तपः।
यः सहस्रमपि द्विजो ऽधीते स्वाध्यायं शक्तितोऽन्वहम् ॥ (२।१४२[१६७])

इसी प्रकार गृहस्थों के व्रतों में भी स्पष्ट निर्देश है—

(क) सर्वान् परित्यजेदर्थान् स्वाध्यायस्य विरोधिनः।
यथातथाध्यायंस्तु सा ह्यस्य कृतकृत्यता ॥ ४। १७॥

(ख) बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च।
नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान् ॥ ४। १९ ॥

(ग) "स्वाध्याये चैव युक्तः स्यात् नित्यम्" (४। ६४)

(घ) "स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यात्" (३। ७५)

इन प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनु प्रत्येक व्यक्ति के लिए वेदों का अध्ययन नित्यप्रति आवश्यक मानते हैं। मनु ने पांच महायज्ञों का जो प्रतिदिन विधान किया है, उनमें 'ब्रह्मयज्ञ' संध्योपासना और वेदाध्ययन का ही नाम है। इस प्रकार के प्रमाण मनुस्मृति में पर्याप्त मिलते हैं। ९५—१२७ श्लोकों में साढ़े चार मास वेद पढ़ना, फिर उनका उत्सर्जन गांव से बाहर करना, शुक्लपक्ष में वेद पढ़ना और कृष्णपक्ष में वेदाङ्गों को पढ़ना आदि जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वे पूर्णमान्यताओं से तालमेल नहीं रखतीं और विरुद्ध भी हैं। जब प्रतिदिन ही वेद पढ़ने का विधान है तो फिर उनका साढ़े चार मास तक पढ़ने के लिए प्रारम्भिक अनुष्ठान करना, फिर उत्सर्जन का अनुष्ठान करना आदि बातों का अवसर ही नहीं आता। अतः ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं। इस प्रसंग में कुछ और भी अन्तर्विरोध हैं—

(२) ९९, १०८ श्लोकों में शूद्र के पास वेद न पढ़ने का विधान 'शूद्र को वेद पढ़ने का विधान नहीं है' इस मान्यता पर आधारित है। यह मान्यता मनुविरुद्ध है और वेदविरुद्ध भी [इसके विस्तृत ज्ञान के लिए २। १४८–१४९ (१६९–१७४) श्लोकों पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक समीक्षा देखिये]।

(३) १०९—१११, ११७, १२४, श्लोकों में मृतकश्राद्ध की मान्यता है। यह भी मनुविरुद्ध है [इसके लिए ३। ११९—२८४ श्लोकों पर समीक्षा द्रष्टव्य है]।

(४) ११२ में सूतक की मान्यता है। सूतक का वर्णन मनुप्रोक्त नहीं सिद्ध होता

[इसके लिए द्रष्टव्य है ५। ५८—१०४ श्लोकों पर 'विषयविरोध' शीर्षक समीक्षा क्योंकि सूतकविधान इसी प्रसंग के ६१-६२ श्लोकों में आता है]।

(५) ११३ वें श्लोक में संध्याकालों में वेद न पढ़ने का कथन है, जबकि पांच-यज्ञों का विधान और संध्योपासना का विधान संध्याकालों में ही किया है [२। ७६—७८ (१०१-१०३), १५१ (१७६), ४। ९२—९४]।

(६) ११३—११४ वें श्लोकों में पर्वदिनों में वेदाध्ययन निषिद्ध है, जबकि ४। २५; ६। ९ में इन पर्वों के दिन विशेषयज्ञों को रचाने का विधान है, और यज्ञ वेदमन्त्रों द्वारा ही सम्पन्न होते हैं।

(७) ११६ वें श्लोक में श्मशान में वेद न पढ़ने का कथन है, जबकि ५। १६७ में अन्त्येष्टि कर्म यज्ञसम्पादन द्वारा विहित है, और यज्ञ में वेदमन्त्रों का उच्चारण होता है।

(८) ११२ वें में मांसभक्षण का वर्णन मनुविरुद्ध है [द्रष्टव्य—४। २६—२८ श्लोकों पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक समीक्षा]।

(९) १२३—१२५ श्लोकों में वेदों की ध्वनियों का परस्पर विरोध दर्शाना मनु के २। ७६—७८ [५१—५३] श्लोकों के विरुद्ध है। जब तीनों वेदों से एक-एक पाद निकालकर बनाया गया गायत्रीमन्त्र एकसाथ उच्चरित किया जा सकता है तो वेदों की ध्वनि में क्या आपत्ति है? मनु-अनुसार सभी वेद ईश्वरप्रोक्त हैं।

(१०) १०१ से १२६ श्लोकों में वेदों के अनध्यायों का ही विधान मनु के २। ७९—८१ [१०४—१०६] के विरुद्ध है। इन श्लोकों में मनु ने वेदाध्ययन में अनध्याय का निषेध किया है। इस प्रकार इन अन्तर्विरोधों के आधार पर ९५ से १२७ तक सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. **विषयविरोध**—(१) १०१ से १२७ श्लोक विषयबाह्य हैं। इनका 'सत्व-गुणवर्धन' से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ये व्रत हैं, अतः प्रक्षिप्त हैं [विस्तृत विवेचन ४। ३३—३४ पर द्रष्टव्य]। (२) ये श्लोक इसलिए भी विषयविरुद्ध हैं क्योंकि शिष्यों को वेदाध्यापन का विषय द्वितीय अध्याय का है [२। ४४—४८ (६६—७३), १३९ (१६४), १४०—१४१ (१६५—१६६), ३। १—२]। यहाँ गृहस्थियों के व्रतों का विषय है [४। १३]। अतः इस स्थान पर शिष्यों के अध्यापन-अनध्यापन, अध्याय-अनध्याय का वर्णन विषयविरुद्ध है। यह द्वितीय अध्याय में ही संगत कहा जा सकता था।

३. **वेदविरोध**—९९, १०८ श्लोकों की शूद्र के पास वेद न पढ़ने की मान्यता स्वयं वेदविरुद्ध है। वेद में शूद्र को यज्ञ करने और मन्त्रश्रवण का विधान है। प्रमाणार्थ द्रष्टव्य २। ४२ और ९। ३३५ की 'वेदविरोध' शीर्षक समीक्षाएँ।

४. **शैलीगत आधार**—(१) इस प्रसंग के १०३ वें श्लोक में 'मनुरब्रवीत्' पद

से स्पष्टतः यह मनुभिन्न व्यक्ति द्वारा प्रोक्त सिद्ध होता है। (२) इस प्रसंग के १०१ से १२७ श्लोकों की शैली रूढ़ि पर आधारित है। ११४ व १२४ की शैली अयुक्ति-युक्त है।

स्त्रीगमन में पर्वदिनों का त्याग करे—

अमावस्यामष्टमीं च पौर्णमासीं चतुर्दशीम्।
ब्रह्मचारी भवेन्नित्यमप्यृतौ स्नातको द्विजः॥ १२८॥(२९)

(स्नातकः द्विजः) गृहस्थ द्विज को चाहिये कि वह (ऋतौ अपि) ऋतु-काल होते हुए भी (अमावस्याम्+अष्टमीं पौर्णमासीं च चतुर्दशीम्) अमावस्या, अष्टमी, पूर्णिमा और चतुर्दशी के दिन (ब्रह्मचारी भवेत्) ब्रह्मचारी रहे॥ १२८॥

"जब ऋतुदान देना हो तब पर्व अर्थात् जो उन ऋतुदान १६ दिनों में पौर्णमासी, अमावस्या, चतुर्दशी वा अष्टमी आवे उस को छोड़ देवे। इनमें स्त्री-पुरुष रतिक्रिया कभी न करें।"

(संस्कारविधि गर्भाधान संस्कार प्रकरण।)

अनुशीलन: तुलनार्थ द्रष्टव्य है ३। ४५ श्लोक। वहाँ भी मनु ने पर्व दिनों में ऋतुदान का निषेध किया है।

खाने के बाद स्नान आदि का निषेध—

न स्नानमाचरेद् भुक्त्वा नातुरो न महानिशि।
न वासोभिः सहाजस्रं नाविज्ञाते जलाशये॥ १२९॥

गृहस्थ द्विज (भुक्त्वा) खाकर (आतुरः) रोगी होने पर (महानिशि) आधी रात के समय (अजस्रं वासोभिः सह) सभी कपड़ों को पहने हुए (अविज्ञाते जलाशये) जिसकी थाह आदि का ज्ञान न हो ऐसे तालाब या जलस्थान में (स्नानं न आचरेत्) स्नान न करे॥ १२९॥

देवतानां गुरोः राज्ञः स्नातकाचार्ययोस्तथा।
नाक्रामेत्कामतश्छायां वभ्रुणो दीक्षितस्य च॥ १३०॥

गृहस्थ द्विज (देवतानाम्) देवमूर्तियों की (गुरोः) गुरु की (राज्ञः) राजा की (तथा स्नातक+आचार्ययोः) तथा स्नातक और आचार्य की (वभ्रुणः) तेजस्वी व्यक्ति (च) और (दीक्षितस्य) यज्ञ में दीक्षित व्यक्ति की (छायाम्) छाया को (कामतः) जान-बूझकर (न आक्रामेत्) न लांघे॥ १३०॥

मध्यन्दिनेऽर्धरात्रे च श्राद्धं भुक्त्वा च सामिषम्।
सन्ध्ययोरुभयोश्चैव न सेवेत चतुष्पथम्॥ १३१॥

गृहस्थ द्विज (मध्यन्दिने) दोपहर के समय (च) और (अर्धरात्रे) आधी रात के

समय (च) तथा (सामिषं श्राद्धं भुक्त्वा) श्राद्ध का मांसयुक्त भोजन करके (च एव) और (उभयोः संध्ययोः) प्रातः तथा सायं दोनों संध्याकालों में (चतुष्पथं न सेवेत) चौराहे पर न जाये ॥ १३१ ॥

उद्वर्तनमपस्नानं विण्मूत्रे रक्तमेव च ।
श्लेष्मनिष्ठ्यूतवान्तानि नाधितिष्ठेत्तु कामतः ॥ १३२ ॥

गृहस्थ द्विज (उद्वर्तनम्+अपस्नानं विण्मूत्रे च रक्तम्+एव) उबटन का मल, स्नान का मल, मल-मूत्र और खून (श्लेष्मनिष्ठ्यूत-वान्तानि) खकार या पीक, थूक और वमन, इन पर (कामतः न+अधितिष्ठेत्) जानबूझकर न बैठे ॥ १३२ ॥

अनुशीलन : १२९—१३२ तक श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. विषयविरोध—इन श्लोकों में वर्णित बातें विषयबाह्य हैं। इनका 'सत्व-गुणवर्धन' से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ये व्रत कहला सकते हैं [विवेचन ४। ३३—३४ श्लोकों पर द्रष्टव्य है]।

२. अन्तर्विरोध—१३१ वें श्लोक में मृतकश्राद्ध की मान्यता और मांसभक्षण की मान्यता का वर्णन मनुविरुद्ध है, अतः यह श्लोक इस आधार पर भी प्रक्षिप्त है [इसके लिये देखिये क्रमशः ३। ११९ से २८४ और ४। २६—२८ श्लोकों पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक समीक्षा।]

परस्त्री-सेवन का निषेध एवं त्याज्य व्यक्ति—

वैरिणं नोपसेवेत सहायं चैव वैरिणः ।
अधार्मिकं तस्करं च परस्यैव च योषितम् ॥ १३३ ॥ (३०)

गृहस्थ द्विज (वैरिणम्) शत्रु (च) और (वैरिणः सहायं) शत्रु के सहायक (अधार्मिकं तस्करं च परस्य योषितम्) अधार्मिक, चोर, पराई स्त्री से (न सेवेत) मेलजोल न रखे अर्थात् परस्त्री-गमन न करे ॥ १३३ ॥

परस्त्री-सेवन से हानियाँ—

न ह्येतदनमनायुष्यं लोके किञ्चन विद्यते ।
यादृशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम् ॥ १३४ ॥ (३१)

गृहस्थ द्विज का (इह लोके) इस संसार में (पुरुषस्य अनायुष्यम् ईदृशं किंचन न हि विद्यते) पुरुष की आयु को घटाने वाला ऐसा कोई काम नहीं है (यादृशम्) जैसा कि (परदारा-उपसेवनम्) परस्त्रीगमन करना है ॥१३४॥

इन तीनों का अपमान न करे—

क्षत्रियं चैव सर्पं च ब्राह्मणं च बहुश्रुतम् ।
नावमन्येत वै मृष्युः कृशानपि कदाचन ॥ १३५ ॥

(भूत्णुः) अपनी उन्नति-समृद्धि चाहने वाला गृहस्थ द्विज (क्षत्रियं सर्पं च बहुश्रुतं ब्राह्मणम्) क्षत्रिय, सांप और अनुभवी एवं ज्ञानी ब्राह्मण, इनको (कृशान्+अपि) अपने से कमजोर की भी (कदाचन) कभी (न+अवमन्येत) अपमानित न करे ॥१३५॥

एतत्त्रयं हि पुरुषं निर्दहेदवमानितम्।
तस्मादेतत्त्रयं नित्यं नावमन्येत बुद्धिमान्॥ १३६॥

(हि) क्योंकि (एतत् त्रयम् अवमानितम्) ये तीनों अपमानित होने पर (पुरुषं निर्दहेत्) पुरुष को भस्म कर देते हैं (तस्मात्) इसलिए (बुद्धिमान्) बुद्धिमान् गृहस्थ द्विज को चाहिए कि वह (एतत् त्रयं नित्यं न+अवमन्येत) इन तीनों को अपमानित न करे॥ १३६॥

अनुशीलन—१३५—१३६ श्लोक प्रक्षिप्त हैं—

१. **विषयविरोध**—ये दोनों श्लोक विषयविरुद्ध हैं। इनमें वर्णित बातें न तो 'सत्वगुणवर्धन' से सम्बद्ध हैं और न ये व्रत ही कहे जा सकते हैं, अतः प्रक्षिप्त हैं। द्रष्टव्य ४। ३३–३४ पर समीक्षा]

२. **अन्तर्विरोध**—इन श्लोकों में अपमानित ब्राह्मण द्वारा व्यक्ति को बदले में भस्म किये जाने का भय प्रदर्शित है, जबकि २। १३७ [१६२] में मनु ने अपमान से अपमानित न होकर उसे अमृत के समान मानने के लिए ब्राह्मण को आदेश दिया है, और २। १३६ [१६१] में स्वयं दुःखी होकर भी दूसरे का मन न दुःखाने का आदेश है। उससे यह विरुद्ध वर्णन है, अतः दोनों श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

आत्महीनता की भावना मन में न लाये—

नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसमृद्धिभिः।
आमृत्योः श्रियमन्विच्छेन्नैनां मन्येत दुर्लभाम्॥ १३७॥ (३२)

गृहस्थ द्विज कभी (पूर्वाभिः+असमृद्धिभिः) प्रथम पुष्कल धनी होके पश्चात् दरिद्र हो जायें, उससे (आत्मानं न+अवमन्येत) अपने आत्मा का अपमान न करे कि 'हाय हम निर्धन हो गये' इत्यादि विलाप भी न करे, किन्तु (आमृत्योः) मृत्युपर्यन्त (श्रियम्+अन्विच्छेत्) लक्ष्मी को उन्नति में पुरुषार्थ किया करें, और (एनां दुर्लभां न मन्येत) लक्ष्मी को दुर्लभ न समझें॥ १३७॥ (सं० वि० १७८)

अनुशीलन : अभिप्राय यह है कि धन आदि के अभाव की स्थिति आने पर या आपत्तिकाल में मनुष्य को कभी अपने मन में आत्महीनता, निराशा, हताशा की भावना नहीं आने देनी चाहिए। अपितु इन बातों को त्यागकर सतत पुरुषार्थ

में प्रयत्नशील रहना चाहिए। यही मनुष्य जीवन की सफलता समृद्धि और उन्नति का आधार है।

सत्य तथा प्रियभाषण करे—

सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम्।
प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः॥ १३८॥ (३३)

(सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्) सदा प्रिय सत्य दूसरे का हितकारक बोले (अप्रियं सत्यं न ब्रूयात्) अप्रिय सत्य अर्थात् काणे को काणा न बोले (अनृत च प्रियं न ब्रूयात्) अनृत अर्थात् झूठ दूसरे को प्रसन्न करने के अर्थ न बोले ॥ १३८॥ (सं० प्र० ६७)

(एषः सनातनः धर्मः) यह सनातन धर्म है। (सं० वि० १७८)

"मनुष्य सदैव सत्य बोले और दूसरे का कल्याणकारक उपदेश कर, काणे को काणा, मूर्ख को मूर्ख आदि अप्रिय वचन उनके सम्मुख कभी न बोले और जिस मिथ्याभाषण से दूसरा प्रसन्न होता हो उसको भी न बोले, यह सनातन धर्म है॥" (सं० वि० १७८)

भद्र व्यवहार करे—

भद्रं भद्रमिति ब्रूयाद्भद्रमित्येव वा वदेत्।
शुष्कवैरं विवादं च न कुर्यात्केनचित्सह॥ १३९॥ (३४)

(भद्रं भद्रम्+इति ब्रूयात्) सदा भद्र अर्थात् सबके हितकारी वचन बोला करे (शुष्कवैरं विवादं च केनचित् सह न कुर्यात्) शुष्कवैर अर्थात् बिना अपराध किसी के साथ विरोध वा विवाद न करे (भद्रम्+इत्येव वा वदेत्) जो-जो दूसरे का हितकारी हो और बुरा भी माने तथापि कहे बिना न रहे॥ १३९॥ (स० प्र० ६७)

नातिकल्यं नातिसायं नातिमध्यन्दिने स्थिते।
नाज्ञातेन समं गच्छेन्नैको न वृषलैः सह॥ १४०॥

(न+अतिकल्यम्) न बहुत सवेरे (न+अतिसायम्) न बहुत शाम को (न+अतिमध्यंदिने स्थिते) न बिल्कुल दोपहर के समय (न+अज्ञातेन समम्) न किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ (न+एकः) न बिल्कुल अकेले (न वृषलैः सह) न शूद्रों के साथ (गच्छेत्) जाये॥ १४०॥

अनुशीलन—१४० वां श्लोक प्रक्षिप्त है—

१. **विषयविरोध**—यह विषयबाह्य है। इसका 'सत्वगुणवर्धन' से कोई सम्बन्ध

नहीं है और न यह व्रत हो सकता है [द्रष्टव्य ४ । ३३—३४ पर समीक्षा ।]

हीन, विकलांग आदि पर व्यंग्य न करे—

हीनाङ्गानतिरिक्ताङ्गान्विद्याहीनान्वयोऽधिकान् ।
रूपद्रव्यविहीनांश्च जातिहीनांश्च नाक्षिपेत् ॥ १४१ ॥ (३५)

(हीन+अङ्गान्) कम अंगों वालों या अपंगों पर (अतिरिक्त+अङ्गान्) अधिक अंगों वाले (विद्याहीनान्) मूर्ख (वय+अधिकान्) आयु में बड़े (च) और (रूप-द्रव्य-विहीनान्) रूप और धन से रहित (च) और (जातिहीनान्) अपने से निम्न वर्ण वाले इन पर (न आक्षिपेत्) कभी आक्षेप [=व्यंग्य या मजाक] न करे ॥ १४१ ॥

गाय आदि का उच्छिष्ट हाथ से स्पर्श निषेध—

न स्पृशेत्पाणिनोच्छिष्टो विप्रो गोब्राह्मणानलान् ।
न चापि पश्येदशुचिः सुस्थो ज्योतिर्गणान्दिवि ॥ १४२ ॥

(विप्रः) ब्राह्मण (उच्छिष्टः) झूठे मुँह-हाथ रहते हुए (पाणिना) अपने झूठे हाथ से (गो-ब्राह्मण-अनलान्) गौ, ब्राह्मण और आग, इनका (न स्पृशेत्) स्पर्श न करे (च) और (अशुचिः) अपवित्र होते हुए (सुस्थः अपि) स्वस्थ दशा में भी (दिवि ज्योतिर्गणान् न पश्येत्) द्युलोक में ग्रह-तारों को न देखे । १४२ ॥

स्पृष्ट्वैतानशुचिर्नित्यमद्भिः प्राणानुपस्पृशेत् ।
गात्राणि चैव सर्वाणि नाभिं पाणितलेन तु ॥ १४३ ॥

(अशुचिः) अपवित्र रहते हुए (एतान् स्पृष्ट्वा) इन—गौ, ब्राह्मण और आग को छूकर (नित्यम्) सदैव (प्राणान् सर्वाणि चैव गात्राणि) प्राणेन्द्रियों—आँख, नाक, आदि और शरीर के अन्य अंगों—शिर, हाथ, पैर आदि को (अद्भिः अनुस्पृशेत्) जल से स्पर्श करे (तु) और (नाभिं पाणितलेन) नाभि का हथेली से स्पर्श करे ॥ १४३ ॥

अनातुरः स्वानि खानि न स्पृशेदनिमित्ततः ।
रोमाणि च रहस्यानि सर्वाण्येव विवर्जयेत् ॥ १४४ ॥

(अनातुरः) स्वस्थ रहते हुए अर्थात् बिना किसी शारीरिक कष्ट के सामान्य अवस्था में (अनिमित्ततः) बिना प्रयोजन के (स्वानि खानि) अपनी इन्द्रियों को (न स्पृशेत्) न छूये (च) और (सर्वाणि+एव रहस्यानि रोमाणि) सब गुप्त स्थानों के रोमों को (विवर्जयेत्) न छूये ॥ १४४ ॥

अनुशीलन : १४२ से १४४ तक श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. **विषयविरोध**—इन श्लोकों का 'सत्वगुणवर्धन' से कोई सम्बन्ध नहीं है

और न ये व्रत ही हो सकते हैं, अतः विषयबाह्य होने से विषयविरुद्ध प्रक्षेप हैं, [विशेष द्रष्टव्य ४। ३३–३४ पर 'विषयविरोध' समीक्षा।]

२. **शैलीगत आधार**—१४२–१४३ श्लोकों की शैली रूढ़, अयुक्तियुक्त एवं निराधार है। गाय आदि को छूकर अंगस्पर्श से क्या शुद्धि हो जायेगी? वह तो धोने से होगी।

कल्याणकारी यज्ञ-संध्या आदि कार्य करे—

मंगलाचारयुक्तः स्यात्प्रयतात्मा जितेन्द्रियः।
जपेच्च जुहुयाच्चैव नित्यमग्निमतन्द्रितः॥ १४५॥(३६)

(मंगल+आचार+युक्तः) कल्याणकारी कार्यों में लगा रहने वाला या श्रेष्ठ आचरणवाला (प्रयतात्मा) उन्नति के लिए सदा प्रयत्नशील (जितेन्द्रियः) जितेन्द्रिय (स्यात्) रहे (च) और (नित्यम्) प्रतिदिन (अतन्द्रितः) आलस्यरहित होकर (जपेत्) जपोपासना करे (च एव) तथा (अग्निं जुहुयात्)अग्नि में हवन करे॥ १४५॥

यज्ञ-संध्या आदि कल्याणकारी कार्यों से लाभ—

मंगलाचारयुक्तानां नित्यं च प्रयतात्मनाम्।
जपतां जुह्वतां चैव विनिपातो न विद्यते॥ १४६॥ (३७)

(मंगल+आचार+युक्तानाम्) जो सदाकल्याणकारी कार्यों में लगे रहते हैं अथवा जो श्रेष्ठ आचारण का पालन करते हैं (च) और (नित्यं प्रयतात्मनाम्) जो सदा आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं (च) तथा (जपताम्) जो परमात्मा का जाप करते हैं (जुह्वताम्) जो हवन करते हैं, उनकी (विनिपातः) अवनति (न विद्यते) नहीं होती अर्थात् उनका जीवन पतन की ओर नहीं जाता॥ १४६॥

वेदाभ्यास परमधर्म है—

वेदमेवाभ्यसेन्नित्यं यथाकालमतन्द्रितः।
तं ह्यस्याहुः परं धर्ममुपधर्मोऽन्य उच्यते॥ १४७॥ (३८)

द्विज (नित्यम्) सदा (यथाकालम्) जितना भी अधिक समय लगा सके उसके अनुसार (अतन्द्रितः) आलस्यरहित होकर (वेदम्+एव+अभ्यसेत्) वेद का ही अभ्यास करे (हि) क्योंकि (तम् अस्य परं धर्मम् आहुः) उस वेदाभ्यास को इस द्विज का सर्वोत्तम कर्त्तव्य कहा है (अन्यः उपधर्मः उच्यते) अन्य सब कर्त्तव्य गौण हैं॥ १४७॥

वेदाभ्यास का कथन और उसका फल—

वेदाभ्यासेन सततं शौचेन तपसैव च।
अद्रोहेण च भूतानां जातिं स्मरति पौर्विकीम् ॥१४८॥ (३९)

मनुष्य (सततं वेदाभ्यासेन) निरन्तर वेद का अभ्यास करने से (शौचेन) आत्मिक तथा शारीरिक पवित्रता से (च) तथा (तपसा) तपस्या से (च) और (भूतानाम् अद्रोहेण) प्राणियों के साथ द्रोहभावना न रखते हुए अर्थात् अहिंसाभावना रखते हुए (पौर्विकीं जातिं स्मरति) पूर्वजन्म की अवस्था को स्मरण कर लेता है ॥ १४८ ॥

अनुशीलन : **योगदर्शन से जन्मज्ञान की पुष्टि**—योगदर्शनकार ने भी इस मान्यता को २।३९ सूत्र में वर्णित किया है। मनु ने वेदाभ्यास, अहिंसा शौच = अशुद्धिभाव से असंसर्ग, आदि द्वारा पूर्वजन्म एवं जन्मकारणों का बोध होना कहा है। इसी प्रकार योगदर्शन में भी है—

"अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथंता संबोधः ॥"

अपरिग्रह में अहिंसा, वेदादि श्रेष्ठ शास्त्रों तथा श्रेष्ठों की संगति, विषयों में अनासक्ति आदि बातें होती हैं। इन अपरिग्रह की बातों में स्थिरता होने से भूत और वर्तमान जन्मों एवं जन्मकारणों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है।

पौर्विकीं संस्मरञ्जातिं ब्रह्मैवाभ्यसते पुनः।
ब्रह्माभ्यासेन चाजस्रमनन्तं सुखमश्नुते ॥ १४९ ॥ (४०)

(पौर्विकीं जातिं संस्मरन्) पूर्वजन्म की अवस्था का स्मरण करते हुए (पुनः ब्रह्म+एव+अभ्यसते) फिर भी यदि वेद के अभ्यास में लगा रहता है तो (अजस्रं ब्रह्माभ्यासेन) निरन्तर वेद का अभ्यास करने से (अनन्तं सुखम्+अश्नुते) मोक्ष-सुख को प्राप्त कर लेता है ॥ १४९ ॥

अनुशीलन : इन्हीं भावों की तुलना के लिए द्रष्टव्य है १२। १०२ श्लोक।

धार्मिकचर्या की विविध बातें—

सावित्राञ्छान्तिहोमांश्च कुर्यात्पर्वसु नित्यशः।
पितृंश्चैवाष्टकास्वर्चेन्नित्यमन्वष्टकासु च ॥ १५० ॥

(पर्वसु) अमावस्या, पूर्णिमा आदि पर्वों में (नित्यशः) सर्वदा (सावित्रान् च शांन्तिहोमान् कुर्यात्) सावित्री देवता वाले (गायत्री मन्त्रादि) और अनिष्ट-निवृत्ति के लिए शान्ति-होमों को करे (च एव) तथा (अष्टकासु च अन्वष्टकासु)

अष्टमी तथा नवमी तिथियों में (नित्यम्) सदैव (पितॄन् अर्चेत्) पितरों का पूजन करे॥ १५० ॥

दूरादावसथान्मूत्रं दूरात्पादावसेचनम्।
उच्छिष्टान्ननिषेकञ्च दूरादेव समाचरेत्॥ १५१ ॥

(मूत्रम् आवसथात् दूरात्) मल-मूत्र आदि निवास स्थान से दूर ही करे (पाद+अवसेचनम् दूरात्) पैरों का धोना भी दूर ही करे (च) और (उच्छिष्ट+अन्न-निषेकम्) झूठे अन्न को फेंकना भी (दूरात्+एव समाचरेत्) दूर ही करे॥ १५१ ॥

मैत्रं प्रसाधनं स्नानं दन्तधावनाञ्जनम्।
पूर्वाह्ण एव कुर्वीत देवतानां च पूजनम्॥ १५२ ॥

(मैत्रम्) मलत्याग (प्रसाधनम्) शरीर-शृंगार (स्नानम्) स्नान (दन्तधावनम्) दातुन (अञ्जनम्) अंजन (च) और (देवतानां पूजनम्) देवपूजा आदि, ये (पूर्वाह्ण एव कुर्वीत) दिन के प्रथम प्रहर अर्थात् प्रातःकाल ही कर लेने चाहिएँ॥ १५२ ॥

दैवतान्यभिगच्छेत् धार्मिकांश्च द्विजोत्तमान्।
ईश्वरं चैव रक्षार्थं गुरूनेव च पर्वसु॥ १५३ ॥

(पर्वसु) पर्वों के दिनों में (रक्षार्थम्) अपनी रक्षा की कामना से (दैवतानि) देवस्थानों-पवित्र स्थानों (च) तथा (धार्मिकान् द्विजोत्तमान्) धार्मिक विद्वानों (ईश्वरं च गुरून्+एव) राजा तथा गुरुओं के पास (अभिगच्छेत्) जाया करे॥ १५३ ॥

अनुशीलन : १५० से १५३ तक श्लोक निम्न 'आधारों' पर प्रक्षिप्त हैं—

१. **विषयविरोध**—१५१—१५३ श्लोक विषयबाह्य होने से प्रक्षिप्त हैं। इनका 'सत्वगुणवर्धन' से और व्रतरूप होने से कोई सम्बन्ध नहीं है। [द्रष्टव्य ४। ३३—३४ पर समीक्षा]।

२. **अन्तर्विरोध**—(१) १५० वां श्लोक अष्टमी के दिन मृतकश्राद्ध का विधायक है, यह मान्यता मनुविरुद्ध है [देखिए ३। ११९–२८४ पर समीक्षा। (२) मनु ने पर्वों के दिन विशेष यज्ञों का विधान किया है [४। २५], देवताओं के दर्शनों के लिए जाने का नहीं। मनु के मत में ऐसे कोई देवता मान्य नहीं, वे तो होम को ही 'देवयज्ञ' कहते हैं [३। ७०]। अतः ये दोनों ही व्यवस्थाएँ मनुविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं।

वृद्धों का अभिवादन एवं स्वागत—

अभिवादयेद् वृद्धांश्च दद्याच्चैवासनं स्वकम्।
कृताञ्जलिरुपासीत गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात्॥१५४॥ (४१)

(वृद्धान्) सदाचारवृद्धों और वयोवृद्धों को (अभिवादयेत्) नमस्ते

अर्थात् उनका मान्य किया करे (स्वकम् आसनं च एव दद्यात्) जब वे अपने समीप आवें तब उठकर, मान्यपूर्वक अपने आसन पर बैठावे (च) और (कृत+अञ्जलिः+उपासीत) हाथ जोड़के आप समीप बैठे, पूछे वह उत्तर देवे (गच्छतः पृष्ठतः+अन्वियात्) और जब जाने लगें तब थोड़ी दूर पीछे-पीछे जाकर नमस्ते कर, विदा करे ॥ १५४ ॥ (सं० वि० १७६)

सदाचार की प्रशंसा एवं फल—

श्रुतिस्मृत्युदितं सम्यङ् निबद्धं स्वेषु कर्मसु।
धर्ममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ॥ १५५ ॥ (४२)

गृहस्थ सदा (अतन्द्रितः) आलस्य को छोड़कर (श्रुति-स्मृति+उदितम्) वेद और मनुस्मृति में वेदानुकूल कहे हुए (स्वेषु कर्मसु सम्यङ् निबद्धम्) अपने कर्मों में निबद्ध (धर्ममूलं सदाचारं निषेवेत) धर्म का मूल सदाचार अर्थात् जो सत्य और सत्पुरुष आप्त धर्मात्माओं का आचरण है, उसका सेवन सदा किया करें ॥ १५५ ॥ (सं० वि० १७६)

आचाराल्लभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः।
आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम् ॥१५६॥(४३)

(आचारात् हि आयुः) धर्माचरण से दीर्घायु (आचारात्+ईप्सिताः प्रजाः) आचार से उत्तम सन्तान (आचारात् अक्षय्यं धनम्) आचार से अक्षय धन (लभते) प्राप्त होता है (आचारः अलक्षणं हन्ति) धर्माचरण बुरे अधर्म-युक्त लक्षणों का नाश कर देता है ॥ १५६ ॥

"धर्माचरण ही से दीर्घायु, उत्तम प्रजा और अक्षय धन मनुष्य को प्राप्त होता है और धर्माचरण बुरे अधर्मयुक्त लक्षणों का नाश कर देता है।" (सं० वि० १७६)

"इसलिये मिथ्याभाषणादि रूप अधर्म को छोड़ जो धर्माचार अर्थात् ब्रह्मचर्य जितेन्द्रियता से पूर्ण आयु और धर्माचार से उत्तम प्रजा तथा अक्षय धन को प्राप्त होता है तथा जो धर्माचार में वर्त्तकर दुष्ट लक्षणों का नाश करता है उसके आचरण को सदा किया करे।" (स० प्र० १०७)

दुराचार से हानि—

दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः।
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥ १५७ ॥(४४)

(दुराचारः हि पुरुषः) जो दुष्टाचारी पुरुष है वह (लोके निन्दितः)

संसार में सज्जनों के मध्य में निन्दा को प्राप्त (दुःखभागी) दुःखभागी (च) और (सततं व्याधितः) निरन्तर व्याधियुक्त होकर (अल्पायुः+एव भवति) अल्पायु का भी भोगने हारा होता है ॥ १५७ ॥ (स० प्र० १०८)

"और जो दुष्टाचारी पुरुष होता है वह सर्वत्र निन्दित दुःखभागी और व्याधि से अल्पायु सदा हो जाता है।" (सं० वि० १७६)

सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः।
श्रद्दधानोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति ॥ १५८ ॥ (४५)

(यः) जो (सर्वलक्षणहीनः+अपि सदाचारवान्) सब अच्छे लक्षणों से हीन भी होकर सदाचारयुक्त (श्रद्दधानः) सत्य में श्रद्धा (च) और (अनसूयः) निन्दा आदि दोषरहित होता है (शतं वर्षाणि जीवति) वह सुख से सौ वर्ष पर्यन्त जीता है ॥ १५८ ॥ (सं० वि० १७६)

परवश कर्मों का त्याग—

यद्यत्परवशं कर्म तत्तद्यत्नेन वर्जयेत्।
यद्यदात्मवशं तु स्यात्तत्तत्सेवेत यत्नतः ॥ १५६ ॥ (४६)

मनुष्य (यत्-यत् परवशं कर्म) जो पराधीन कर्म हो (तत्-तत् यत्नेन वर्जयेत्) उस-उस को प्रयत्न से सदा छोड़े (तु) और (यत्-यत् आत्मवशं स्यात्) जो-जो स्वाधीन कर्म हो (तत्-तत् यत्नतः सेवेत) उस-उस का सेवन प्रयत्न से किया करे ॥ १५६ ॥ (सं० वि० १७६)

"जो-जो पराधीन कर्म हो उस-उस का प्रयत्न से त्याग और जो-जो स्वाधीन कर्म हो उस-उस का प्रयत्न के साथ सेवन करे।" (स० प्र० १०८)

सुख-दुःख का लक्षण—

सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्।
एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ १६० ॥ (४७)

क्योंकि (परवशं सर्वं दुःखम्) जितना परवश होना है वह सब दुःख, और (आत्मवशं सर्वं सुखम्) जितना स्वाधीन रहना है वह सब सुख कहाता है (एतत् समासेन सुखदुःखयोः लक्षणं विद्यात्) यही संक्षेप से सुख और दुःख का लक्षण जानो ॥ १६० ॥ (सं० वि० १८०)

"क्योंकि जो-जो पराधीनता है वह-वह सब दुःख और जो-जो स्वाधीनता है वह-वह सब सुख, यही संक्षेप से सुख और दुःख का लक्षण जानना चाहिए।" (स० प्र० १०८)

आत्मा के प्रसन्नताकारक कार्य ही करे—

यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात्परितोषोऽन्तरात्मनः ।
तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत् ॥ १६१॥(४८)

(यत् कर्म कुर्वतः) जिस कर्म के करने से (अस्य अन्तरात्मनः परितोषः स्यात्) मनुष्य की आत्मा को संतुष्टि एवं प्रसन्नता का अनुभव हो अर्थात् भय, शंका, लज्जा का अनुभव न हो (तत्-तत् प्रयत्नेन कुर्वीत) उस-उस कर्म को प्रयत्नपूर्वक करे (विपरीतं तु वर्जयेत्) जिससे संतुष्टि एवं प्रसन्नता न हो उस कर्म को न करे ॥ १६१ ॥

अनुशीलन : आत्मा के प्रसन्नताकारक कार्य किस प्रकार के होते हैं, इसके लिए विस्तृत विवेचन १ । १२५ [२ । ६] पर 'आत्मनस्तुष्टि' शीर्षक अनुशीलन देखिए ।

माता-पिता-आचार्यादि की हिंसा न करे—

आचार्यं च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुम् ।
न हिंस्याद् ब्राह्मणान्गाश्च सर्वांश्चैव तपस्विनः ॥१६२॥(४९)

(आचार्यं प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुं ब्राह्मणान् गाः च सर्वान् तपस्विनः) वेद को पढ़ाने वाला, वेद का प्रवचन करने वाला, पिता, माता, गुरु, ब्राह्मण, गाय और सभी तपस्वी इनको (न हिंस्यात्) प्रताड़ित न करे अर्थात् इनके प्रतिकूल आचरण न करे ॥ १६२ ॥

नास्तिकता, वेदनिन्दा आदि निषिद्ध कर्म—

नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम् ।
द्वेषं दम्भं च मानं च क्रोधं तैक्ष्ण्यं च वर्जयेत् ॥१६३॥ (५०)

(नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां कुत्सनम्) नास्तिकता, वेद की निन्दा और विद्वानों की निन्दा (द्वेषं दम्भं मानं क्रोधं च तैक्ष्ण्यं वर्जयेत्) द्वेष, पाखण्ड, अभिमान, क्रोध, उग्रता=तेजी इनको छोड़देवे ॥ १६३ ॥

शिष्य को केवल शिक्षार्थ ताड़ना करे—

परस्य दण्डं नोद्यच्छेत्क्रुद्धो नैव निपातयेत् ।
अन्यत्र पुत्राच्छिष्याद्वा शिष्ट्यर्थं ताडयेत्तु तौ ॥१६४॥ (५१)

(पुत्रात् वा शिष्यात् अन्यत्र) पुत्र और शिष्य से भिन्न (परस्य दण्डं न+उद्यच्छेत्) अन्य किसी व्यक्ति पर दण्डा न उठाये अर्थात् दण्डे से न मारे (क्रुद्धः एव न निपातयेत्) और क्रोधित होकर भी किसी को न मारे,

ताडना न करे, (तौ तु शिष्टयर्थं ताडयेत्) उन पुत्र और शिष्य को भी केवल शिक्षा देने के लिये ही ताड़ना करे ॥ १६४ ॥

"परन्तु माता, पिता तथा अध्यापक लोग ईर्ष्या, द्वेष से ताड़न न करें किन्तु ऊपर से भयप्रदान और भीतर से कृपादृष्टि रखें"।

(स० प्र० द्वितीय समु०)

ब्राह्मण की हिंसा से नरक—

ब्राह्मणायावगूर्यैव द्विजातिर्वधकाम्यया ।
शतं वर्षाणि तामिस्रे नरके परिवर्तते ॥ १६५ ॥

(द्विजातिः) द्विज व्यक्ति (वधकाम्यया) मारने की इच्छा से (ब्राह्मणाय+अवगूर्य+एव) ब्राह्मण पर केवल दंडा उठाने मात्र से ही (शतं वर्षाणि तामिस्रे नरके परिवर्तते) सौ वर्ष तक 'तामिस्र' नामक नरक में भटकता रहता है ॥ १६५ ॥

ताडयित्वा तृणेनापि संरम्भान्मतिपूर्वकम् ।
एकविंशतिमाजातीः पापयोनिषु जायते ॥ १६६ ॥

(मतिपूर्वकम्) जानबूझकर (संरम्भात्) क्रोधपूर्वक (तृणेन+अपि) तिनके से भी (ताडयित्वा) मारने से वह व्यक्ति (एकविंशतिम्+आजातीः) इक्कीस जन्मों तक (पापयोनिषु जायते) पापयोनियों [कुत्ता, बिल्ली आदि] में जन्म लेता है ॥ १६६ ॥

अयुध्यमानस्योत्पाद्य ब्राह्मणस्यासृगङ्गतः ।
दुःखं सुमहदाप्नोति प्रेत्याप्राज्ञतया नरः ॥ १६७ ॥

(अयुध्यमानस्य ब्राह्मणस्य) लड़ने की इच्छा से रहित ब्राह्मण के (अङ्गतः असृग् उत्पाद्य) किसी अङ्ग से [चोट मारकर] खून निकालने से (नरः अप्राज्ञतया) वह मनुष्य अपनी इस मूर्खता के कारण (प्रेत्य) परलोक में (सुमहत् दुःखम् आप्नोति) बड़ा भारी दुःख प्राप्त करता है ॥ १६७ ॥

शोणितं यावतः पांसून्संगृह्णाति महीतलात् ।
तावतोऽब्दानमुत्राऽसौ शोणितोत्पादकोऽद्यते ॥ १६८ ॥

(शोणितम्) ब्राह्मण के शरीर से निकला हुआ खून (महीतलात् यावतः पांसून् संगृह्णाति) पृथ्वी के जितने धूलिकणों को ग्रहण करता है अर्थात् जितने धूलिकण उस रक्त से भीगते हैं (शोणित+उत्पादकः) वह रक्त निकालने वाला (अमुत्र) परजन्मों में (तावतः+अब्दान्) उतने ही वर्षों तक (असौ:) अन्य हिंसक जीवों द्वारा (अद्यते) खाया जाता है ॥ १६८ ॥

न कदाचित् द्विजे तस्माद्विद्वानवगुरेदपि ।
न ताडयेत्तृणेनापि न गात्रात्स्रावयेदसृक् ॥ १६९ ॥

(तस्मात्) इसलिए (कदाचित् द्विजे न अवगुरेत्+अपि) कभी किसी ब्राह्मण पर दंडा भी न उठावे (तृणेन+अपि न ताडयेत्) तिनके से भी न मारे (गात्रात्+असृक् न स्रावयेत्) ब्राह्मण के शरीर से लहू न बहाये ॥ १६९ ॥

अनुशीलन : १६५ से १६९ तक के श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—(१) १६५ वें श्लोक में प्रदर्शित नरक की मान्यता मनुविरुद्ध है, अतः यह श्लोक प्रक्षिप्त है। शेष १६६—१६९ तक श्लोक इसके प्रक्षिप्त होने से स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि यह श्लोक उनका आधारभूत श्लोक है [नरक मनुविरोधी मान्यता है, इसके लिए विशेष समीक्षा ४।८०—९१ श्लोक पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक में देखिए]। (२) इन श्लोकों में एक कर्म द्वारा एक या विभिन्न नीच योनियों में जाने का कथन और निर्णय करना मनुविरुद्ध है। मनु अनेक कर्मों के आधार पर योनियों की प्राप्ति मानते हैं और वह भी उत्तम, मध्यम, अधम आधार पर किसी एक योनि का निश्चय नहीं देते [१२।३—९, ३९—५२]। इस आधार पर ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. **प्रसंगविरोध**—(१) ये श्लोक पूर्वापर प्रसङ्गविरुद्धहैं। १६४ में किसी को न मारने और हिंसा न करने का कथन है, १७० वें में हिंसाकर्त्ता का फल प्रदर्शित है। इस प्रकार १७० वां श्लोक १६४ से सम्बद्ध है या अर्थवादरूप है। उस सम्बद्धता को इन श्लोकों ने भंग कर दिया है। और बीच में केवल ब्राह्मण को न मारने का वर्णन, उसका फलकथन असंगत भी है। (२) ये श्लोक यदि मौलिक होते तो इन्हें प्रसंगक्रम की दृष्टि से १६२ वें से सम्बद्ध होना चाहिए था, क्योंकि उस श्लोक में कहा है—"**न हिंस्यात् ब्राह्मणान् गाश्च।**" उससे सम्बद्ध न होकर कुछ श्लोकों के पश्चात् पुनः उसी प्रसंग को शुरू करना असंगत है और यह इन्हें परवर्ती प्रक्षेप सिद्ध करता है।

३. **शैलीगत आधार**—इन सभी श्लोकों की शैली अयुक्तियुक्त एवं अतिशयोक्तिपूर्ण है। तिनके से मारने से ही इक्कीस पापयोनियों में जाना, जितने रुधिरकण ब्राह्मण के रक्त से भीगें उतने ही वर्षों तक कुत्तों द्वारा खाया जाना, आदि बातें प्रलापसदृश हैं। मरने के बाद जब अन्त्येष्टि होगी तो कुत्ते कहां से खायेंगे? इस निश्चय का भी क्या आधार है कि जितने कण रक्त से भीगे हैं उतने ही वर्ष उसको अन्य प्राणी खाते हैं? इस प्रकार की शैली मनुसदृश विद्वान् की नहीं है।

अधर्म-निन्दा एवं अधर्म से दुःखप्राप्ति—

अधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम्।
हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासौ सुखमेधते ॥ १७० ॥ (५२)

(यः अधार्मिकः नरः) जो अधार्मिक मनुष्य है (च) और (यस्य हि अनृतं धनम्) जिसका अधर्म से संचित किया हुआ धन है (च) और (यः

नित्यं हिंसारतः) जो सदा हिंसा में अर्थात् वैर में प्रवृत्त रहता है (असौ) वह (इह) इस लोक और परलोक अर्थात् परजन्म में (सुखं न एधते) सुख को कभी नहीं प्राप्त हो सकता ॥ १७० ॥ (सं० वि० १८०)

न सीदन्नपि धर्मेण मनोऽधर्मे निवेशयेत् ।
अधार्मिकाणां पापानामाशु पश्यन्विपर्ययम् ॥ १७१ ॥ (५३)

(अधार्मिकाणां पापानां आशु विपर्ययम्) अधार्मिक पापियों का [१७४ में वर्णित रूप में यदि पापों से उनकी उन्नति और समृद्धि हो गई है तो भी] शीघ्र ही उलटा विनाश होता है (पश्यन्) यह समझते हुए (धर्मेण सीदन्+अपि) धर्माचरण से कष्ट उठाता हुआ भी (अधर्मे मनः न निवेशयेत्) अधर्म में मन को न लगावे अर्थात् धर्म का ही पालन करता रहे ॥ १७१ ॥

नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव ।
शनैरावर्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि कृन्तति ॥ १७२ ॥ (५४)

मनुष्य निश्चय करके जाने कि (लोके) इस संसार में (गौः+इव) जैसे गाय की सेवा का फल दूध आदि शीघ्र प्राप्त नहीं होता वैसे ही (चरितः अधर्मः सद्यः न फलति) किये हुए अधर्म का फल भी शीघ्र नहीं होता (तु) किन्तु (शनैः कर्तुः आवर्तमानः) धीरे-धीरे अधर्मकर्त्ता के सुखों को रोकता हुआ (मूलानि कृन्तति) सुख के मूलों को काट देता है, पश्चात् अधर्मी दुःख ही दुःख भोगता है ॥ १७२ ॥ (सं० वि० १८०)

"किया हुआ अधर्म निष्फल कभी नहीं होता परन्तु जिस समय अधर्म करता है, उसी समय फल भी नहीं होता; इसलिए अज्ञानी लोग अधर्म से नहीं डरते तथापि निश्चय जानो कि वह अधर्माचरण धीरे-धीरे तुम्हारे सुख के मूलों को काटता चला जाता है।" (स० प्र० १०४)

यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत्पुत्रेषु नप्तृषु ।
न त्वेव तु कृतोऽधर्मः कर्तुर्भवति निष्फलः ॥ १७३ ॥ (५५)

(यदि न+आत्मनि) यदि अधर्म का फल कर्त्ता की विद्यमानता में न हो तो (पुत्रेषु) पुत्रों (पुत्रेषु न चेत् नप्तृषु) यदि पुत्रों के समय में न हो तो नातियों=पोतों के समय में अवश्य प्राप्त होता है (तु) किन्तु (न एव तु) यह कभी नहीं हो सकता कि (कर्तुः अधर्मः निष्फलः भवति) कर्त्ता का किया हुआ कर्म निष्फल होवे ॥ १७३ ॥ (सं० वि० १८०)

अनुशीलन : कर्मफल का भोक्ता कौन ? ४। २४० में कर्त्ता को

ही सुकृत-दुष्कृत का भोक्ता माना है, जबकि यहाँ किये हुए अधर्म का फल पुत्र-पौत्रों तक प्राप्त होना कहा है। इस प्रकार विरोध-सा प्रतीत होता है। किन्तु इनमें परस्परविरोध नहीं है। वहां व्यक्तिगत स्तर पर किये जाने वाले सुकृत-दुष्कृत का कर्त्ता को व्यक्तिगत रूप में ही भोक्ता माना है, जबकि यहाँ प्रसंग अधर्म पूर्वक भोगों के संग्रह का है ४।१७०—१७४]। व्यक्ति, हिंसा, अधर्म आदि से [४।१७०] यदि धनसंग्रह करता है और वह एकाएक समृद्ध होता हुआ भी दृष्टिगत होता है, किन्तु अन्ततः समूल विनाश के रूप में उसे फल भोगना पड़ता है [४।१७०]। अधर्म, हिंसा आदि से प्राप्त किये धन-भोगों के सेवन में जो-जो भी पुत्र-पौत्रादि पारिवारिक जन सम्मिलित होते हैं, वे भी उस अधर्म में भागीदार होने के कारण उसके फल को भोगते हैं। इसकी पुष्टि के लिए हिंसा के प्रसंग में मनु की मान्यता ५।५१ में देखिए। वहां हिंसा में किसी भी प्रकार भाग लेने वाले प्रत्येक आठ प्रकार के व्यक्तियों को अधर्मी=पापी माना है। इसी प्रकार सभी अधर्मों के कार्यों में समझना चाहिए। जब वह अधर्मी है तो उसके दुःखरूप फल का भी भागी होगा। किन्तु कर्त्ता के भोगने योग्य निजी फल को कोई नहीं बाँट सकता है। [४।२४०]। सब अपने-अपने फल के भोक्ता स्वयं होते हैं।

अधर्मेणैधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति।
ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति॥ १७४॥ (५६)

(तावत् अधर्मेण+एधते) जब अधर्मात्मा मनुष्य धर्म की मर्यादा छोड़ (जैसा तालाब के बंध को तोड़ जल चारों ओर फैल जाता है वैसे) मिथ्याभाषण, कपट, पाखण्ड अर्थात् रक्षा करने वाले वेदों का खण्डन, और विश्वासघात आदि कर्मों से पराये पदार्थों को लेकर, प्रथम बढ़ता है (ततः) पश्चात् (भद्राणि पश्यति) धनादि ऐश्वर्य से खान, पान, वस्त्र, आभूषण, यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है (सपत्नान् जयति) अन्याय से शत्रुओं को भी जीतता है (ततः) पश्चात् (समूलः तु विनश्यति) शीघ्र नष्ट हो जाता है, जैसे जड़ कटा हुआ वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे अधर्मी नष्ट हो जाता है॥ १७४॥ (स० प्र० १०४)

अनुशीलन : अधर्म दुःख का कारण है और धर्म सुख का कारण है। इस मान्यता की पुष्टि के लिए ६। ६४ श्लोक द्रष्टव्य है।

सत्यधर्म का पालन करे—

सत्यधर्मार्यवृत्तेषु शौचे चैवारमेत्सदा।
शिष्यांश्च शिष्याद्धर्मेण वाग्बाहूदरसंयतः॥ १७५॥ (५७)

इसलिए मनुष्यों को योग्य है कि (सत्यधर्म+आर्य-वृत्तेषु) सत्यधर्म और आर्य अर्थात् उत्तम पुरुषों के आचरणों (च) और (शौचे) भीतर-बाहर

की पवित्रता में (सदा आरमेत्) सदा रमण करें (वाक्+बाहु+उदर+संयतः च धर्मेण) अपनी वाणी, बाहू उदर को नियम और सत्यधर्म के साथ वर्त्तमान रखके (शिष्यान्-शिष्यात्) शिष्यों को सदा शिक्षा किया करें ॥ १७५ ॥ (सं० वि० १८०)

"जो वेदोक्त सत्यधर्म अर्थात् पक्षपातरहित होकर सत्य के ग्रहण और असत्य के परित्याग, न्यायरूप, वेदोक्त धर्मादि आर्य अर्थात् धर्म में चलते हुए के समान धर्म से शिष्यों को शिक्षा किया करें।" (स० प्र० १०४)

"सत्य, धर्म, आर्य अर्थात् आप्त पुरुषों के व्यवहार और शौच=पवित्रता ही में सदा गृहस्थ लोग प्रवृत्त रहें और सत्यवाणी भोजनादि के लोभ रहित हस्तपादादि की कुचेष्टा छोड़कर धर्म से शिष्यों और सन्तानों को उत्तम शिक्षा सदा किया करें।" (सं० वि० १५१)

धर्मवर्जित अर्थ-काम का त्याग—

परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ।
धर्मं चाप्यसुखोदर्कं लोकविक्रुष्टमेव च ॥ १७६ ॥ (५८)

(अर्थकामौ यौ धर्मवर्जितौ स्यातां परित्यजेत्) यदि बहुत-सा धन, राज्य और अपनी कामना अधर्म से सिद्ध होती हो तो भी अधर्म सर्वथा छोड़ देवें (च) और (धर्मम् अपि+असुखोदर्कम्) वेदविरुद्ध धर्माभास जिसके करने से उत्तरकाल में दुःख (च) और (लोकविक्रुष्टम् एव) संसार की उन्नति का नाश हो वैसा नाममात्र धर्म और कर्म कभी न किया करें ॥ १७६ ॥ (सं० वि० १५१)

"जो धर्म से वर्जित धनादिपदार्थ और काम हों उनको सर्वथा शीघ्र छोड़देवे और जो धर्माभास अर्थात् उत्तरकाल में दुःखदायक कर्म हैं और जो लोगों को निन्दित कर्म में प्रवृत्त करने वाले कर्म हैं उनसे भी दूर रहें।" (सं० वि० १८१)

अनुशीलन : (१) श्लोक में उक्त बातों को उदाहरणपूर्वक स्पष्ट किया जाता है—

(क) **धर्मवर्जित अर्थ**=जैसे—चोरी, डकैती, छल-कपट, हिंसा आदि से प्राप्त धन। ऐसा धन धर्मवर्जित है [द्रष्टव्य ४।२, ३, ११, १५ ॥ ८। ३०-३६]।

(ख) **धर्मवर्जितकाम**=जैसे—अतिविषयासक्ति [४। १६], परस्त्रीगमन [४। १३३—१३४], बाल्यकाल में विवाह [३। १—४], पर्वदिनों में या ऋतुकाल के बिना स्त्रीसमागम [३। ४५। ४। १२८] विधिरहित नियोग [९। ५९—६३] आदि कार्य धर्मविरुद्ध कामभावना के अन्तर्गत आते हैं।

(ग) **उत्तरकाल में असुखकारक धर्म** = जैसे— स्त्री-पुत्रों के रहते हुए सर्वस्व दान कर देना या अतितपस्या से शरीर को क्षीण करना [२।७५ (२।१००)] आदि बात धर्माभास हैं, जिनसे उत्तरकाल में दुःखप्राप्ति होती है।

(घ) **लोकदिक्कुष्ट धर्म** = काणे को काणा कहना, हीन को हीन कहना, आदि बातें सत्य होते हुए भी लोकनिन्दित एवं शिष्टधर्म के विरुद्ध हैं। मनु ने कहा है—'सत्य बोले किन्तु प्रिय सत्य बोले' [४।१३८]। अप्रिय बातें नहीं कहनी चाहिएँ [४।१४१]।

(२) **धर्म, अर्थ, काम का स्वरूप**— धर्म, अर्थ, काम के स्वरूप को समझने के लिए ७।२६ की समीक्षा देखिए।

चपलता का त्याग—

न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलोऽनृजुः।
न स्याद्वाक्चपलश्चैव न परद्रोहकर्मधीः॥ १७७॥ (५९)

(पाणि-पाद-चपलः न) हाथ-पैरों से चंचलता के कार्य न करे (नेत्र-चपलः न) आंखों से चंचलतायुक्त काम न करे (अनृजुः) कुटिलता न करे (वाक्-चपलः एव न) वाणी से चपलता न करे (च) और (परद्रोह-कर्मधीः न स्यात्) दूसरों की हानि या द्वेष के कर्मों में मन लगाने वाला न बने॥ १७७॥

येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः।
तेन यायात्सतां मार्गं तेन गच्छन्न रिष्यते॥ १७८॥(६०)

(येन+अस्य पितरः) जिस मार्ग से इसके पिता (पितामहाः याताः) पितामह चले हों (तेन यायात्) उस मार्ग में सन्तान भी चले, परन्तु (सतां मार्गम्) जो सत्पुरुष पिता, पितामह हों उन्हीं के मार्ग में चलें और जो पिता-पितामह दुष्ट हों तो उनके मार्ग में कभी न चलें (तेन गच्छन् न रिष्यते) क्योंकि उत्तम धर्मात्मा पुरुषों के मार्ग में चलने से दुःख कभी नहीं होता॥ १७८॥

विवाद न करने योग्य व्यक्ति—

ऋत्विक्पुरोहिताचार्यैर्मातुलातिथिसंश्रितैः।
बालवृद्धातुरैर्वैद्यैर्ज्ञातिसम्बन्धिबान्धवैः॥ १७९॥ (६१)
मातापितृभ्यां जामीभिर्भ्रात्रा पुत्रेण भार्यया।
दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत्॥ १८०॥(६२)

"(ऋत्विक्) यज्ञ का करने हारा (पुरोहित) सदा उत्तम चाल-चलन का शिक्षाकारक (आचार्य) विद्या पढ़ाने हारा (मातुल) मामा (अतिथि)

अर्थात् जिसकी कोई आने की निश्चित तिथि न हो (संश्रित) अपने आश्रित (बाल) बालक (वृद्ध) बूढ़े (आतुर) पीड़ित (वैद्य) आयुर्वेद का ज्ञाता (ज्ञाति) स्वगोत्रस्थ वा स्ववर्णस्थ (सम्बन्धी) श्वसुर आदि (बान्धव) मित्र (माता) माता (पिता) पिता (जामी) बहन (भ्राता) भाई (भार्या) स्त्री (दुहित्रा) पुत्री ❀ (दासवर्गेण) और सेवक लोगों से (विवादं न समाचरेत्) विवाद अर्थात् विरुद्ध लड़ाई-बखेड़ा कभी न करें ॥ १७९, १८० ॥

(स० प्र० १०४—१०५)

❀ (पुत्रेण) पुत्र के साथ.....

एतैर्विवादान्संत्यज्य सर्वपापैः प्रमुच्यते ।
एभिर्जितैश्च जयति सर्वाँल्लोकानिमान्गृही ॥ १८१ ॥

(गृही) गृहस्थी (एतैः विवादान् संत्यज्य) इनके साथ बहस या झगड़ा न करके (सर्वपापैः प्रमुच्यते) सब पापों से छूट जाता है (च एभिः जितैः) और इन्हें जीतकर अर्थात् अपने मधुर व्यवहार से इनके मनों को जीतकर (इमान् सर्वान् लोकान् जयति) इन सब लोकों को जीत लेता है ॥ १८१ ॥

आचार्यो ब्रह्मलोकेशः प्राजापत्ये पिता प्रभुः ।
अतिथिस्त्विन्द्रलोकेशो देवलोकस्य चर्त्विजः ॥ १८२ ॥

जामयोऽप्सरसां लोके वैश्वदेवस्य बान्धवाः ।
सम्बन्धिनो ह्यपां लोके पृथिव्यां मातृमातुलौ ॥ १८३ ॥

(आचार्यः ब्रह्मलोक+ईशः) आचार्य ब्रह्मलोक का स्वामी है (पिता प्राजापत्ये प्रभुः) पिता प्रजापति लोक का स्वामी है (तु) और (अतिथिः इन्द्रलोक+ईशः) अतिथि इन्द्रलोक का स्वामी (च) तथा (ऋत्विजः) ऋत्विज (देवलोकस्य) देवलोक का स्वामी है (जामयः अप्सरसां लोके) बहनें अप्सरा लोक की (बान्धवाः) मित्र आदि (वैश्वदेवस्य) वैश्वदेव लोक के (सम्बन्धिनः अपां लोके) सम्बन्धी वरुण लोक के (मातृमातुलौ पृथिव्याम्) माता-पिता और मामा पृथिवी लोक के स्वामी हैं ॥ १८२, १८३ ॥

आकाशेशास्तु विज्ञेया बालवृद्धकृशातुराः ।
भ्राता ज्येष्ठः समः पित्रा भार्या पुत्रः स्वका तनुः ॥ १८४ ॥

छाया स्वो दासवर्गश्च दुहिता कृपणं परम् ।
तस्मादेतैरधिक्षिप्तः सहेतासंज्वरः सदा ॥ १८५ ॥

(बाल-वृद्ध-कृश-आतुराः तु आकाश+ईशाः विज्ञेयाः) बालक, बूढ़े, कमजोर, बीमार व्यक्तियों को आकाश का स्वामी समझना चाहिए (ज्येष्ठः भ्राता पित्रा समः) बड़ा भाई पिता के समान है, (भार्या पुत्रः स्वका तनुः) स्त्री और पुत्र अपने

शरीर के समान हैं (च) तथा (दासवर्गः) सेवक-वर्ग (स्व-छाया) अपनी छाया के समान है (दुहिता परं कृपणम्) कन्या परम कृपा की पात्र है (तस्मात्) इस कारण (एतैः+अधिक्षिप्तः) इनसे तिरस्कृत होकर भी (असंज्वरः सदा सहेत) गुस्सा या बुरा न मानकर सदा सहन करता रहे ॥ १८४, १८५ ॥

अनुशीलन : १८१ से १८५ श्लोक प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**— (१) १८१ श्लोक में कहा है कि '१७९-१८० श्लोकोक्त व्यक्तियों से विवाद छोड़ देने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है।' यदि इतने से ही पापमुक्ति हो जाती है तो मनुस्मृति-विहित धर्म ही निरर्थक सिद्ध हो जाते हैं ! फिर उनके पालन की क्या आवश्यकता है ? (२) ११।२१०—२३२ में मनु ने पापों के लिए प्रायश्चित्तों का विधान किया है। इस श्लोक के कथन का उन श्लोकों की व्यवस्थाओं से विरोध है, अतः यह श्लोक प्रक्षिप्त है और शेष १८२—१८५ श्लोक क्योंकि इसी पर आधारित हैं, अतः ये भी स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं। (३) इन सभी श्लोकों में विभिन्न लोकों की गणना और उनकी प्राप्ति का कथन करना भी मनुविरुद्ध है। मनु मृत्यु के बाद जीव की दो ही गतियां मानते हैं— एक तो सांसारिक योनियों में जन्म [६।६३, ७४, १२।९, ३९—५२, ७४, ८१] या फिर ब्रह्मप्राप्ति [४। १४९, ६।८१, १२।११६, १२५]। अतः यह लोकों की प्राप्ति का वर्णन प्रक्षिप्त है।

२. **शैलीगत आधार**— इन श्लोकों में निर्दिष्ट व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न लोकों का स्वामी बतलाना भी अयुक्तियुक्त है। विवाद करने के साथ कोई पाप-पुण्य का भी सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार १८१—१८५ श्लोकों की शैली अयुक्तियुक्त है और १८१ वें की अतिशयोक्तिपूर्ण भी है।

प्रतिग्रह का लालच न रखे—

प्रतिग्रहसमर्थोऽपि प्रसंगं तत्र वर्जयेत् ।
प्रतिग्रहेण ह्यस्याशु ब्राह्मं तेजः प्रशाम्यति ॥१८६॥ (६३)

ब्राह्मण (प्रतिग्रहः समर्थः+अपि) दान लेने का अधिकारी होते हुए भी (तत्र प्रसंगं वर्जयेत्) दान-प्राप्ति में आसक्तिभाव अर्थात् उसीसे धनसंग्रह का लालच रखने की भावना को छोड़ दवे (हि) क्योंकि (प्रतिग्रहेण) दान लेने में आसक्ति रखने से (अस्य ब्राह्मं तेजः) इसका ब्राह्मतेज (आशु-प्रशाम्यति) शीघ्र शान्त होने लगता है ॥ १८६ ॥

प्रतिग्रह की विधियाँ—

न द्रव्याणामविज्ञाय विधिं धर्म्यं प्रतिग्रहे ।
प्राज्ञः प्रतिग्रहं कुर्यादवसीदन्नपि क्षुधा ॥ १८७ ॥ (६४)

(प्राज्ञः) बुद्धिमान् ब्राह्मण को चाहिए कि (द्रव्याणां प्रतिग्रहे धर्म्यं

विधिम् अविज्ञाय) द्रव्यों के दान लेने में धर्म की विधि को बिना जाने (क्षुधा अवसीदन्+अपि) भूख से पीड़ित होता हुआ भी (प्रतिग्रहं न कुर्यात्) दानग्रहण न करे ॥ १८७ ॥ ❀

अनुशीलन : दानग्रहण की धर्मविधि—इस श्लोक में प्रतिग्रहरूप में द्रव्यों को दान लेने की धर्मविधि क्या है, इसको समझने के लिए मनु की निम्न मान्यताएँ व प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकते हैं—

(१) १। ८८ में वेदाध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन में निरन्तर रत व्यक्ति को ही दान लेने का अधिकार दिया है। दान लेने के वे ही अधिकारी हैं, जो इन कार्यों को धर्म मानकर निरन्तर करते हैं; इस बात का निर्देश मनु ने स्थान-स्थान पर किया है [२। ७६–८१ (२। १०४—१०७), २। १४०—१४३ (२। १६५—१६८); ४। १७—२०, ३१, १४७, १४६, ११। २४५ ॥]। इस प्रकार धर्मविधि का एक भाग यह है कि अधिकारी ही दान लें।

(२) उपर्युक्त कार्यों में तल्लीन न रहने वाले व्यक्ति, वेद को एकबार पढ़कर उसका अभ्यास-मनन न करने वाले व्यक्ति, अतपस्वी, स्वभाव से छली-कपटी आदि दान लेने के अनधिकारी हैं [४। ३०, १६०—१६६ आदि]। अनधिकारियों को दिया गया दान निष्फल होता है और लेने वाले पापी होते हैं।

(३) अधर्मी और वेद, यज्ञ आदि से हीन व्यक्तियों से दान नहीं लेना चाहिए [२। १५८, १६० (२। १८३, १८५)।

(४) मनु द्वारा भक्ष्यरूप में विहित पदार्थ दान में ग्राह्य हैं। निषिद्ध अभक्ष्य मांस तामसिक आदि पदार्थ अग्राह्य हैं [५। ५—६, ४५—५१; ६। १४ आदि], और सांसारिक विषयों में फंसाने वाले पदार्थ भी अग्राह्य हैं [६। ५८, ५७, ५५, २६ आदि]। इन बातों को जानना 'प्रतिग्रह की धर्मविधि' का ज्ञान करना है।

हिरण्यं भूमिमश्वं गामन्नं वासस्तिलान्घृतम्।
प्रतिगृह्णन्नविद्वांस्तु भस्मीभवति दारुवत्॥ १८८ ॥

(हिरण्यं भूमिम्+अश्वं गाम्+अन्नं वासः तिलान् घृतम्) सोना, भूमि, घोड़ा, गौ, अन्न, वस्त्र, तिल और घी (अविद्वान् तु प्रतिगृह्णन्) अविद्वान् ब्राह्मण इनके दान को ग्रहण करके (दारुवत् भस्मी भवति) लकड़ी के समान जल जाता है ॥ १८८ ॥

हिरण्यमायुरन्नं च भूर्गौश्चाप्योषतस्तनुम्।
अश्वश्चक्षुस्त्वचं वासो घृतं तेजस्तिलाः प्रजाः ॥ १८९ ॥

❀ [प्रचलित अर्थ— द्रव्यों के दान लेने में उनकी धर्मयुक्त विधि (ग्राह्य देवता, प्रतिग्रहमन्त्र आदि) को बिना जाने भूख से पीड़ित होता हुआ भी बुद्धिमान् ब्राह्मण दान को न ले ॥ १८७ ॥]

(हिरण्यं च अन्नम् आयुः) सोना और अन्न आयु को (भूः च गौः अपि तनुम्) भूमि और गौ शरीर को (अश्वः चक्षुः) घोड़ा नेत्र को (वासः त्वचम्) वस्त्र त्वचा को (घृतं तेजः) घी तेज को (तिलाः प्रजाः) तिल संतान को (उषतः) जला देते हैं ॥१८९॥

अनुशीलन : १८८—१८९ श्लोक प्रक्षिप्त हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—(१) पूर्वापर श्लोक प्रतिग्रह लेने की धर्मविधि [१८७] और उसके अर्थवादरूप [१९० आदि] हैं, उनके बीच में कुछ वस्तुओं की गणना और उनका फल-वर्णन प्रसंगभङ्गक है। (२) १८७ में धर्मविधि के जानने का कथन है न कि वस्तुओं के दान लेने की हानि कहने का। अतः इन दोनों श्लोकों का १८७ के प्रसंग से कोई सम्बन्ध नहीं। इस प्रकार ये प्रसंगविरुद्ध प्रक्षेप हैं।

२. **अन्तर्विरोध**—मनु ने १। ८८ में दान लेने का अधिकार विद्वान् ब्राह्मणों को दिया है, जो वेदाध्ययन-अध्यापन में जीवन-यापन करते हों। अतः अविद्वान् द्वारा दान लेना उसके विरुद्ध है।

३. **शैलीगत आधार**—इनकी शैली भी अयुक्तियुक्त है। दान लेने और भस्म होने में कोई कार्यकारण सम्बन्ध नहीं है। अतिशयोक्तिपूर्ण कथन करना मनु की शैली नहीं है।

दान लेने के अनधिकारी तीन प्रकार के व्यक्ति—

अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिर्द्विजः।
अम्भस्यश्मप्लवेनेव सह तेनैव मज्जति ॥ १९० ॥(६५)

एक—(अतपाः) ब्रह्मचर्य-सत्यभाषणादि तपरहित, दूसरा—(अनधीयानः) बिना पढ़ा हुआ—तीसरा (प्रतिग्रहरुचिः) अत्यन्त धर्मार्थ दूसरों से दान लेने वाला, ये तीनों (अश्मप्लवेन अम्भसि इव) पत्थर की नौका से समुद्र में तैरने के समान (तेन सह एव मज्जति) अपने दुष्ट कर्मों के साथ ही दुःखसागर में डूबते हैं ॥ १९० ॥ (स० प्र० १०५)

अनुशीलन : 'अनधीयानः' की व्याख्या के लिए देखिए ४। १९२ की समीक्षा।

तस्मादविद्वान्बिभियाद्यस्मात्तस्मात्प्रतिग्रहात्।
स्वल्पकेनाप्यविद्वान्हि पङ्के गौरिव सीदति ॥ १९१ ॥

(तस्मात्) इसलिए (अविद्वान्) अविद्वान् (यस्मात्-तस्मात् प्रतिग्रहात् बिभियात्) सभी प्रकार के दान ग्रहण से डरे अर्थात् न ले (हि) क्योंकि (स्वल्पकेन+अपि) थोड़ा-सा भी दान लेने से (अविद्वान्) अविद्वान् व्यक्ति (पङ्के गौः+इव सीदति) कीचड़ में फंसी गौ के समान कष्ट पाता है ॥ १९१ ॥

अनुशीलन : १९१ वां श्लोक प्रक्षिप्त है—

१. **प्रसंगविरोध**—पूर्वापर श्लोकों में तीन प्रकार के व्यक्तियों को दान न देने का कथन है। १९० का ही वर्णन १९२ में पृथक् संज्ञा के रूप में है। इस प्रकार इनकी वाक्यात्मक संगति है। इस श्लोक ने उसे भंग कर दिया है, अतः प्रक्षिप्त है।

२. **अन्तर्विरोध**—इस आधार पर भी यह प्रक्षिप्त है [द्रष्टव्य ४। १८९ की अन्तर्विरोध समीक्षा]।

न वार्यपि प्रयच्छेत्तु बैडालव्रतिके द्विजे।
न बकव्रतिके विप्रे नावेदविदि धर्मवित्॥ १९२॥ (६६)

(धर्मवित्) धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि (बैडाल-व्रतिके द्विजे) 'बैडालव्रतिक' [=बिल्ली जैसे स्वभाव वाला ४। १९५] को (बकव्रतिके) 'बकव्रतिक' [=बगुले जैसे स्वभाव वाला ४। १९६] (विप्रे) ब्राह्मण को (अवेदविदि) वेद को न जानने-पढ़ने वाले ब्राह्मण को (वारि+अपि न प्रयच्छेत्) जल भी न दे॥ १९२॥

अनुशीलन : **तीन प्रकार के असम्मान्य व्यक्ति**—इस श्लोक में १९० में वर्णित व्यक्तियों को सादृश्यपरक दूसरी संज्ञाओं से वर्णित किया है, जैसे—अनधीयानः=अवेदवित्, अतपाः=सत्याचरण से रहित किन्तु द्विजनामधारी अर्थात् बकव्रतिक (ढोंगी), प्रतिग्रहरुचिः (प्रतिग्रह का लालची)=बैडालव्रतिक। आगे ४।१९५—१९६ आखिरी दो के लक्षण भी स्पष्ट कर दिये हैं। ये वेदानुसार आचरण के त्याग करने वाले हैं। इस प्रकार इस श्लोक में पुनरुक्ति न होकर उनके स्पष्ट गुणों के आधार पर पर्यायवाची संज्ञाएं दी हैं।

(२) 'अनधीयानः या अवेदवित्' का यहां अर्थ अविद्वान् नहीं है, अपितु उन व्यक्तियों से अभिप्राय है जो एक बार वेद पढ़कर उसका निरन्तर अध्ययन-अभ्यास, मनन-चिन्तन छोड़ देते हैं। ऐसे लोग वेदों के विद्वान् नहीं होते। मनु ने ब्राह्मणों को सदैव वेदों का स्वाध्याय-अभ्यास करते रहने का निर्देश दिया है [२। ७९—८१ (२१। १०४—१०७), २। १४०—१४३ (२। १६५—१६८), ४। १७—२०, १४७, १४९, ११। २४५ आदि] निरन्तर वेदाभ्यासी यजन-याजनशील, वेदाध्ययन-अध्यापन कराने वाले को ही मनु दान लेने का अधिकार देते हैं [१। ८८, ४। ३१]। अन्य शूद्रवत् होते हैं [२। १४३]।

(३) ४। ३० में भी इन व्यक्तियों और इस प्रकार के अन्य व्यक्तियों को भी दान-सम्मान न देने का कथन है।

त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाऽप्यर्जितं धनम्।
दातुर्भवत्यनर्थाय परत्रादातुरेव च॥ १९३॥ (६७)

(विधिना अर्जितं धनम् एतेषु त्रिषु दत्तं हि) जो धर्म से प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना है वह दान (दातुः अनर्थाय भवति) दाता का नाश इसी जन्म (च) और (आदातुः परत्र एव) लेने वाले का नाश परजन्म में करता है ॥ १९३ ॥ (स० प्र० १०५)

यथा प्लवेनोपलेन निमज्ज्युदके तरन्।
तथा निमज्जतोऽधस्तादज्ञौ दातृप्रतीच्छकौ॥ १९४॥ (६८)

(यथा उपलेन प्लवेन) जैसे पत्थर की नौका में बैठकर (उदके तरन् निमज्जति) जल में तरने वाला डूब जाता है (तथा) वैसे (अज्ञौ दातृ-प्रति +इच्छकौ) अज्ञानी दाता और गृहीता दोनों (अधस्तात् निमज्जतः) अधोगति अर्थात् दुःख को प्राप्त होते हैं ॥ १९४ ॥ (स० प्र० १०५)

बैडाल व्रतिक का लक्षण—

धर्मध्वजी सदा लुब्धश्छाद्मिको लोकदम्भकः।
बैडालव्रतिको ज्ञेयो हिंस्रः सर्वाभिसन्धकः॥१९५॥ (६९)

(धर्मध्वजी) धर्म कुछ भी न करे परन्तु धर्म के नाम से लोगों को ठगे (सदालुब्धः) सर्वदा लोभ से युक्त (छाद्मिकः) कपटी (लोकदम्भकः) संसारी मनुष्यों के सामने अपने बड़ाई के गपोड़े मारा करे (हिंस्रः) प्राणियों का घातक अन्य से वैरबुद्धि रखने वाला (सर्व+अभिसन्धकः) सब अच्छे और बुरों से भी मेल रखे उसको (बैडालव्रतिकः ज्ञेयः) बैडालव्रतिक अर्थात् बिड़ाल के समान धूर्त्त और नीच समझो ॥ १९५ ॥ (स० प्र० १०५)

अनुशीलन : इनका वर्णन ४। ३०, १९२ में भी द्रष्टव्य है।

बकव्रतिक का लक्षण—

अधोदृष्टिर्नैष्कृतिकः स्वार्थसाधनतत्परः।
शठो मिथ्याविनीतश्च बकव्रतचरो द्विजः॥ १९६॥ (७०)

(अधोदृष्टिः) कीर्त्ति के लिए नीचे दृष्टि रखे (नैष्कृतिकः) ईर्ष्यक, किसी ने उस का पैसा भर अपराध किया हो तो उसका बदला प्राण तक लेने को तत्पर रहे (स्वार्थसाधनतत्परः) चाहे कपट, अधर्म, विश्वासघात क्यों न हो अपना प्रयोजन साधने में चतुर (शठः) चाहे अपनी बात झूठी क्यों न हो परन्तु हठ कभी न छोड़े (मिथ्याविनीतः) झूठ-मूठ ऊपर से शील, सन्तोष और साधुता दिखलावे, उस को (बकव्रतचरः द्विजः) बगुले के समान नीच समझो ॥ १९६ ॥ (स० प्र० १०६)

अनुशीलन : बकव्रतिक व्यक्तियों की चर्चा और निन्दा ४। ३०, १९२ में भी द्रष्टव्य है।

ये बकव्रतिनो विप्रा ये च मार्जारलिङ्गिनः।
ते पतन्त्यन्धतामिस्रे तेन पापेन कर्मणा ॥ १९७ ॥

(ये बकव्रतिनः च ये मार्जारलिङ्गिनः विप्राः) जो बगुले के स्वभाव के और जो बिल्ली जैसे स्वभाव के ब्राह्मण विद्वान् हैं (ते) वे (तेन पापेन कर्मणा) उस पापयुक्त स्वभाव और कर्म के कारण (अन्धतामिस्रे पतन्ति) 'अन्धतामिस्र' नामक नरक में पड़ते हैं ॥ १९७ ॥

न धर्मस्यापदेशेन पापं कृत्वा व्रतं चरेत्।
व्रतेन पापं प्रच्छाद्य कुर्वन् स्त्रीशूद्रदम्भनम् ॥ १९८ ॥

(धर्मस्य+अपदेशेन) धर्म के बहाने से (पापं कृत्वा) पाप करके (स्त्रीशूद्रदम्भनं कुर्वन्) स्त्री-शूद्रों के समान पाखंड करता हुआ (व्रतेन पापं प्रच्छाद्य) व्रत से पाप को ढकने के लिए (व्रतं न चरेत्) प्रायश्चित्त व्रत न करे अर्थात् व्रत करने से मेरा पाप तो छूट जायेगा, यह मानकर धर्म की आड़ में पाप कार्य न करे और न व्रत का दिखावा करे ॥ १९८ ॥

प्रेत्येह चेदृशा विप्रा गर्ह्यन्ते ब्रह्मवादिभिः।
छद्मनाऽऽचरितं यच्च व्रतं रक्षांसि गच्छति ॥ १९९ ॥

(ईदृशाः विप्राः) ऐसे विद्वानों की (प्रेत्य+इह) परलोक और इस लोक में भी (ब्रह्मवादिभिः गर्ह्यन्ते) ब्रह्मवादी लोग निन्दा करते हैं (च) और (यत् व्रतं छद्मना+उपचरितम्) जो व्रत कपट से किया जाता है वह (रक्षांसि गच्छति) राक्षसों को पहुँचता है ॥ १९९ ॥

अलिङ्गी लिङ्गिवेषेण यो वृत्तिमुपजीवति।
स लिङ्गिनां हरत्येनस्तिर्यग्योनौ च जायते ॥ २०० ॥

(यः) जो व्यक्ति (अलिङ्गी) उन गुणों से युक्त न हो और (लिङ्गिवेषेन) दिखावे के रूप में उन गुणों का पाखंड करके (वृत्तिम्+उपजीवति) आजीविका चलाता है (सः) वह पाखण्डी व्यक्ति (लिङ्गिनाम् एनः हरति) जो वास्तविक पुरुष हैं उनके पाप का भागीदार होता है (च) और (तिर्यक्योनौ जायते) वह नीच योनियों में जन्म पाता है ॥ २०० ॥

अनुशीलन : १९७ से २०० तक के श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—(१) १९७ वें श्लोक में 'अन्धतामिस्र' नामक नरक में जाने

का कथन मनु की मान्यता के विरुद्ध है। मनु के मतानुसार नरक नामक कोई योनि या स्थानविशेष ही नहीं है [देखिए ४। ८०—९१ श्लोकों पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक में 'नरक' सम्बन्धी समीक्षा]। (२) १९९ वें श्लोक में व्रतों का राक्षसों को पहुँचना तथा २०० में दूसरों के पापों को लेने का कथन मनु के ४। २४० वें श्लोक के विरुद्ध है। उसमें कर्त्ता को स्वयं फलों का भोक्ता माना है। इन अन्तर्विरोधों के आधार पर परस्पर—सम्बद्ध ये चारों श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

दूसरों के स्नान किये जल में न नहाये—

परकीयनिपानेषु न स्नायाच्च कदाचन।
निपानकर्तुः स्नात्वा तु दुष्कृतांशेन लिप्यते॥ २०१॥ (७१)

(परकीयनिपानेषु कदाचन न स्नायात्) दूसरों के हौज या टब में कभी न नहाये (तु) क्योंकि (स्नात्वा) वहां नहाकर (निपानकर्तुः दुष्कृतांशेन लिप्यते) हौज या टब वाले की गन्दगी या बीमारी से नहाने वाला लिप्त हो जाता है अर्थात् उसकी बीमारियां लग जाती हैं॥ २०१॥ ❋

अनुशीलन : 'दुष्कृत' का यहाँ 'पाप' अर्थ अप्रासंगिक एवं अयुक्तियुक्त है। प्रसंगानुसार 'रोगकारक मल' अर्थ ही उचित है।

यानशय्यासनान्यस्य कूपोद्यानगृहाणि च।
अदत्तान्युपभुञ्जान एनसः स्यात्तुरीयभाक्॥ २०२॥

(अस्य) किसी व्यक्ति के (अदत्तानि) बिना दिये या बिना आज्ञा के (यान-शय्या+आसनानि च कूप+उद्यानगृहाणि) सवारी, पलंग, आसन, कूआं, बगीचा और घर, इनका (उपभुञ्जानः) प्रयोग करके (एनसः तुरीयभाक् स्यात्) उसके चौथे हिस्से के पाप का भागी होता है॥ २०२॥

अनुशीलन : २०२ वां श्लोक प्रक्षिप्त है—

१. **प्रसंगविरोध**—यह पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध है। २०१ में 'कहां नहीं नहाना चाहिए' यह वर्णन किया था २०३ में 'कहां नहाना चाहिए' यह कथन है। इस सम्बद्ध चर्चाक्रम को इस श्लोक ने भंग कर दिया है और प्रसंगभिन्न बातों का वर्णन किया है, अतः प्रक्षिप्त है।

२. **विषयविरोध**—यह विषयबाह्य श्लोक है। इसमें वर्णित बातों का 'स्तेय-

---

❋ [**प्रचलित अर्थ**—दूसरों के बनवाये हुए जलाशय (पोखरा, बावड़ी, कुआं आदि) में कभी स्नान न करे। और स्नान कर उक्त जलाशय बनवाने वाले के पाप के चौथाई भाग से (स्नान करने वाला मनुष्य) युक्त होता है॥ २०१॥]

गुणवर्धन' से कोई सम्बन्ध नहीं है और न यह व्रत कहा जा सकता है (द्रष्टव्य ४। ३३-३४ पर समीक्षा), अतः प्रक्षिप्त है।

किन जलों में स्नान करे—

नदीषु देवखातेषु तडागेषु सरःसु च।
स्नानं समाचरेन्नित्यं गर्तप्रस्रवणेषु च ॥ २०३ ॥ (७२)

(नदीषु) नदियों में (देवखातेषु) प्राकृतिक जलाशयों में (तडागेषु) तालाबों में (सरःसु) झरनों में (च) और (गर्तप्रस्रवणेषु) ऐसे गड्ढों में जिनका बहता पानी हो, बावड़ी आदि में (नित्यं स्नानं समाचरेत्) सदा स्नान करना चाहिए ॥ २०३ ॥

यम-सेवन की प्रधानता—

यमान्सेवेत सततं न नित्यं नियमान्बुधः।
यमान्पतत्यकुर्वाणो नियमान्केवलान्भजन् ॥ २०४ ॥ (७३)

(यमान् सततं सेवेत) यमों का सेवन नित्य करे (नित्यं नियमान् न) केवल नियमों का नहीं, क्योंकि (यमान् अकुर्वाणः) यमों को न करता हुआ और (केवलान् नियमान् भजन्) केवल नियमों का सेवन करता हुआ भी (पतति) अपने कर्त्तव्य से पतित हो जाता है, इसलिए यमसेवनपूर्वक नियम-सेवन नित्य किया करे ॥ २०४ ॥ (सं० वि० ८५)

अनुशीलन : (१) **यमसेवन के बिना पतन कैसे ?**—यहाँ मनु ने कहा है कि 'मनुष्य यमों का पालन न करके यदि नियमों के ही पालन में लगा रहे तो उसके पतित होने का भय रहता है।' क्योंकि यम मुख्यरूप से आत्मा से संबद्ध आचरण हैं, जबकि नियम प्रमुखतः बाह्याचरण हैं। केवल बाह्याचरणों के सेवन से व्यक्ति की आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती और न उसकी आत्मा में दृढ़ता रहती है। आत्मा से संबद्ध श्रेष्ठाचरणरूप यमों के पालन से मनुष्य वस्तुतः श्रेष्ठ बन जाता है। बाह्याचरण वाला व्यक्ति पाखण्ड भी कर सकता है, जबकि आत्मिक आचरण में पाखण्ड नहीं होता। इस प्रकार केवल नियमों के पालन के स्तर तक व्यक्ति के पतन की संभावना बनी रहती है।

(२) **यमों और नियमों की गणना एवं व्याख्या**—योगदर्शन २। ३०—४५ सूत्रों में इनकी गणना की गई है। यहां यमों और नियमों का संक्षेप से उल्लेख किया जाता है—

"**अहिंसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्य-अपरिग्रहाः यमाः।**" (योग० २।३०)

"(१) अहिंसा— अर्थात् सब प्रकार से, सब काल में, सब प्राणियों के साथ वैर छोड़ के प्रेम—प्रीति से वर्त्तना। (२) सत्य— अर्थात् जैसा अपने ज्ञान में हो वैसा ही

सत्य बोले, करे और माने। (३) अस्तेय—अर्थात् पदार्थवाले की आज्ञा के बिना किसी पदार्थ की इच्छा भी न करना। इसी को चोरी-त्याग कहते हैं। (४) ब्रह्मचर्य—अर्थात् विद्या पढ़ने के लिए बाल्यावस्था से लेकर सर्वथा जितेन्द्रिय होना और पच्चीसवें वर्ष से लेके अड़तालीस वर्ष पर्यन्त विवाह का करना; परस्त्री, वेश्या आदि का त्यागना; सदा ऋतुगामी होना, विद्या को ठीक-ठीक पढ़के सदा पढ़ाते रहना; और उपस्थ इन्द्रिय का सदा नियम करना। (५) अपरिग्रह— अर्थात् विषय और अभिमान आदि दोषों से रहित होना।" (ऋ० भा० भू० उपासना विषय)

"शौच-सन्तोष-तपः-स्वाध्याय-ईश्वरप्रणिधानानि नियमाः।" (योग० २।३२)

"(१) शौच—अर्थात् पवित्रता करनी। सो भी दो प्रकार की है—एक भीतर की और दूसरी बाहर की। भीतर की शुद्धि धर्माचरण, सत्यभाषण, विद्याभ्यास, सत्सङ्ग आदि शुभगुणों के आचरण से होती है और बाहर की पवित्रता जल आदि से शरीर, स्थान, मार्ग, वस्त्र, खाना-पीना आदि शुद्ध करने से होती है। (२) सन्तोष—जो सदा धर्मानुष्ठान से अत्यन्त पुरुषार्थ करके प्रसन्न रहना, और दुःख में शोकातुर न होना, किन्तु आलस्य का नाम सन्तोष नहीं है। (३) तप— जैसे सोने को अग्नि में तपाके निर्मल कर देते हैं, वैसे ही आत्मा और मन को धर्माचरण और शुभगुणों के आचरणरूप तप से निर्मल कर देना। (४) स्वाध्याय—अर्थात् मोक्षविद्याविषायक वेदशास्त्र का पढ़ना-पढ़ाना और ओंकार के विचार से ईश्वर का निश्चय करना-कराना, और (५) ईश्वरप्रणिधान—अर्थात् सब सामर्थ्य, सब गुण, प्राण, आत्मा और मन के प्रेमभाव से आत्मादि सत्य द्रव्यों का ईश्वर के लिए समर्पण करना।"

(ऋ० भा० भू० उपासना विषय)

अभक्ष्य भोजन—

[illegible]

अश्लीलमेतत्साधूनां यत्र जुह्वत्यमी हविः।
प्रतीपमेतद्देवानां तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥ २०६ ॥

(यत्र अमी हविः जुह्वति) जिसमें स्त्री और शूद्र आहुति डालते हैं (एतत्) वह यज्ञ (साधूनाम् अश्लीलम्) श्रेष्ठ लोगों की श्री का नाशक होता है (एतत् देवानां प्रतीपम्) और इस प्रकार का यज्ञ देवताओं के प्रतिकूल होता है (तस्मात्) [illegible] (तत् परिवर्जयेत्) उसे छोड़ दे॥ २०६॥

मत्तक्रुद्धातुराणां च न भुञ्जीत कदाचन ।
केशकीटावपन्नं च पदा स्पृष्टं च कामतः ॥ २०७ ॥

(च) और (मत्त-क्रुद्ध+आतुराणाम्) पागल, क्रोधी, रोगी, इनका (केश-कीट-अवपन्नम्) जिसमें बाल या कीड़े पड़ गये हों (च) और (पदा स्पृष्टम्) पैरों से छूआ हुआ भोजन (कामतः न भुञ्जीत) जानबूझकर न खाये ॥ २०७ ॥

भ्रूणघ्नावेक्षितं चैव संस्पृष्टं चाप्युदक्यया ।
पतत्रिणावलीढं च शुना संस्पृष्टमेव च ॥ २०८ ॥

(भ्रूणघ्ना+अवेक्षितम्) भ्रूणहत्यारे द्वारा देखा हुआ (च) और (उदक्यया संस्पृष्टम्) रजस्वला स्त्री द्वारा स्पर्श किया हुआ (च) तथा (पतत्रिणा+अवलीढम्) पक्षी का झूठा किया हुआ (च) और (शुना संस्पृष्टम्+एव) कुत्ते का छुआ भोजन भी न करे ॥ २०८ ॥

गवा घ्रात्रमुपाघ्रातं घृष्टान्नं च विशेषतः ।
गणान्नं गणिकाऽन्नं च विदुषा च जुगुप्सितम् ॥ २०९ ॥

(च) और (गवा उपाघ्रातम् अन्नम्) गाय के द्वारा सूंघा हुआ अन्न (विशेषतः घृष्टान्नम्) किसी व्यक्ति के लिए विशेषरूप से धोषित अर्थात् निश्चित किया हुआ अन्न (गणान्नम्) किसी समुदाय विशेष का अन्न (च) और (गणिका+अन्नम्) वेश्या का अन्न (च) तथा (विदुषां जुगुप्सितम्) विद्वानों द्वारा निन्दित अन्न भी न खाये ॥ २०९ ॥

स्तेनगायनयोश्चान्नं तक्ष्णोर्वार्धुषिकस्य च ।
दीक्षितस्य कदर्यस्य वद्धस्य निगडस्य च ॥ २१० ॥

(स्तेनगायनयोः) चोर और गाने वाले के (तक्ष्णोः वार्धुषिकस्य) बढ़ई और [illegible] (दीक्षितस्य कदर्यस्य वद्धस्य च निगडस्य) यज्ञ में दीक्षित, कंजूस और [illegible]

[illegible]

[illegible] (च) और (शुक्तम्) जिसमें खटास या खमीर उठ आया हो (पर्युषितम्) बासी (च) तथा (शूद्रस्य+उच्छिष्टम्+एव) शूद्र का झूठा अन्न न खाये ॥ २११ ॥

चिकित्सकस्य मृगयोः क्रूरस्योच्छिष्टभोजिनः ।
उग्रान्नं सूतिकाऽन्नं च पर्याचान्तमनिर्दशम् ॥ २१२ ॥

(चिकित्सकस्य) वैद्य का (मृगयोः) शिकारी और व्याध का (क्रूरस्य) निर्दयी

का (उच्छिष्टभोजिनः) झूठा खाने वाले का (उग्रान्नम्) उग्र स्वभाव वाले का अन्न (सूतिका+अन्नम्) प्रसूता का (पर्याचान्तम्) बहुतों के भोजन करते समय जहाँ कोई बीच में ही आचमन कर ले, उस अन्न को (च अनिर्दशम्) और मरणशौच के दश दिन होने से पूर्व किसी का अन्न न खाये ॥ २१२ ॥

अनर्चितं वृथामांसमवीरायाश्च योषितः ।
द्विषदन्नं नगर्यन्नं पतितान्नमवक्षुतम् ॥ २१३ ॥

(अनर्चितम्) बिना आदर के दिया गया अन्न (वृथामांसम्) यज्ञ के या देवताओं के उद्देश्य के बिना बनाया माँस (च) तथा (अवीरायाः योषितः) सन्तानहीन स्त्री का अन्न (द्विषत्+अन्नम्) वैरी का अन्न (नगरी+अन्नम्) नगराध्यक्ष का अन्न (पतित +अन्नम्) पतित का अन्न (अवक्षुतम्) जिस पर छींक दिया हो, उस अन्न को न खाये ॥ २१३ ॥

पिशुनानृतिनोश्चान्नं क्रतुविक्रयिणस्तथा ।
शैलूषतुन्नवायान्नं कृतघ्नस्यान्नमेव च ॥ २१४ ॥

(पिशुन+अनृतिनः अन्नम्) चुगलखोर तथा झूठे व्यक्ति का अन्न (तथा क्रतु-विक्रयिणः) तथा मूल्य लेकर यज्ञ करने वाले का अन्न (शैलूष-तुन्नवाय+अन्नम्) नट और जुलाहे का अन्न (च) और (कृतघ्नस्य+अन्नम्+एव) कृतघ्न=किये हुए उपकार को न मानने वाले का अन्न भी न खाये ॥ २१४ ॥

कर्मारस्य निषादस्य रङ्गावतारकस्य च ।
सुवर्णकर्तुर्वेणस्य शस्त्रविक्रयिणस्तथा ॥ २१५ ॥

(कर्मारस्य) लोहार का (निषादस्य) मछिहारे का (च) और (रङ्गावतारकस्य) नाटक खेलने वाले का (सुवर्णकर्तुः) सुनार का (वेणस्य) बाँस से आजीविका करने वाले का (तथा शस्त्रविक्रयिणः) तथा हथियार बेचने वाले का अन्न न खाये ॥ २१५ ॥

श्ववतां शौण्डिकानां च चैलनिर्णेजकस्य च ।
रञ्जकस्य नृशंसस्य यस्य चोपपतिर्गृहे ॥ २१६ ॥

(श्ववताम्) कुत्ते पालने वालों का (शौण्डिकानाम्) शराब बेचने वालों का (चैलनिर्णेजकस्य) धोबी का (रञ्जकस्य) रंगरेज का (नृशंसस्य) घातक का (च) और (यस्य गृहे उपपतिः) जिसके घर में जार रहता हो, उसका अन्न न खाये ॥ २१६ ॥

मृष्यन्ति ये चोपपतिं स्त्रीजितानां च सर्वशः ।
अनिर्दशं प्रेतान्नमतुष्टिकरमेव च ॥ २१७ ॥

(च) तथा (ये उपपतिं मृष्यन्ति) जो अपने घर में जार को रखते हैं (सर्वशः स्त्रीजितानाम्) जो सब प्रकार से स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं (अनिर्दशं प्रेतान्नम्) दश

दिन से पूर्व प्रेत वाले घर का अन्न (च) तथा (अतुष्टिकरम्+एव) मन को जो अत्र अरुचिकर लगे, उसको नहीं खाना चाहिए ॥ २१७ ॥

राजान्नं तेज आदत्ते शूद्रान्नं ब्रह्मवर्चसम् ।
आयुः सुवर्णकारान्नं यशश्चर्मावकर्तिनः ॥ २१८ ॥

(राजा+अन्नं तेजः आदत्ते) राजा का अन्न तेज को नष्ट करता है (शूद्र+अन्नं ब्रह्मवर्चसम्) शूद्र का अन्न ब्रह्मतेज को नष्ट करता है (सुवर्णकार+अन्नम् आयुः) सुनार का अन्न आयु को (चर्म+अवकर्तिनः यशः) चमार का अन्न यश को नष्ट करता है ॥ २१८ ॥

कारुकान्नं प्रजां हन्ति बलं निर्णेजकस्य च ।
गणान्नं गणिकान्नं च लोकेभ्यः परिकृन्तति ॥ २१९ ॥

(कारुक+अन्नं प्रजां हन्ति) कारीगर का अन्न सन्तान को मारता है (निर्णेजकस्य बलम्) धोबी का अन्न बल का नाश करता है (गणान्नं च गणिकान्नं लोकेभ्यः परिकृन्तति) समुदायविशेष का और वेश्या का अन्न उत्तम लोकों की प्राप्ति से वंचित कर देता है ॥ २१९ ॥

पूयं चिकित्सकस्यान्नं पुंश्चल्यास्त्वन्नमिन्द्रियम् ।
विष्ठा वार्धुषिकस्यान्नं शस्त्रविक्रयिणो मलम् ॥ २२० ॥

(चिकित्सकस्य अन्नं पूयम्) वैद्य का अन्न राद=विकृत रक्त (पुंश्चल्या तु अन्नम्+इन्द्रियम्) व्यभिचारिणी स्त्री का अन्न वीर्य (वार्धुषिकस्य अन्नं विष्ठा) ब्याजखोर का अन्न विष्ठा (शस्त्रविक्रयिणः मलम्) शस्त्र बेचने वाले का अन्न मल के समान है ॥ २२० ॥

य एतेऽन्ये त्वभोज्यान्नाः क्रमशः परिकीर्तिताः ।
तेषां त्वगस्थिरोमाणि वदन्त्यन्नं मनीषिणः ॥ २२१ ॥

(ये एते+अन्ये तु+अभोज्यान्नाः क्रमशः परिकीर्तिताः) ये जो और भी अभक्ष्य अन्न क्रमशः [४। २०५ से २२० तक] कहे हैं (तेषां तु अन्नम्) उनके अन्न को (मनीषिणः) विद्वान् लोग (त्वक्+अस्थि+रोमाणि वदन्ति) त्वचा, हड्डी और रोम के समान कहते हैं ॥ २२१ ॥

भुक्त्वाऽतोऽन्यतमस्यान्नममत्या क्षपणं त्र्यहम् ।
मत्या भुक्त्वाऽऽचरेत्कृच्छ्रं रेतो विण्मूत्रमेव च ॥ २२२ ॥

(अतः+अन्यतमस्य+अन्नम्+अमत्या भुक्त्वा) इनमें से किसी का भी अन्न अनजाने में खाकर (त्रि+अहं क्षपणम्) तीन दिन तक उपवास करे (मत्या भुक्त्वा) जानबूझकर खाकर (कृच्छ्रं चरेत्) 'कृच्छ्र' नामक प्रायश्चित्त करे (च) और (रेतः+विट्+मूत्रम्+एव) वीर्य, विष्ठा, मूत्र खाकर भी 'कृच्छ्र' व्रत करे ॥ २२२ ॥

नाद्याच्छूद्रस्य पक्वान्नं विद्वानश्राद्धिनो द्विजः।
आददीतामयेवास्मादवृत्तावेकरात्रिकम् ॥ २२३ ॥

(विद्वान् द्विजः) विद्वान् ब्राह्मण को चाहिये कि (अश्राद्धिनः शूद्रस्य पक्वान्नं न + अद्यात्) श्राद्ध के अनधिकारी का पका अन्न न खाये, किन्तु (अवृत्तौ) खाने के लिये कहीं भी कुछ न मिलने पर (अस्मात्) इस शूद्र से (एकरात्रिकम् आमम् + एव आददीत) एक रात भोजन करने योग्य कच्चे अन्न को ही ले ले ॥ २२३ ॥

श्रोत्रियस्य कदर्यस्य वदान्यस्य च वार्धुषेः।
मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्नमकल्पयन् ॥ २२४ ॥

(कदर्यस्य श्रोत्रियस्य) कंजूस वेदपाठी (च) और (वदान्यस्य वार्धुषेः) दानी ब्याजखोर के अन्न को (मीमांसित्वा) गुण-दोष विचार कर (देवाः) देवताओं ने (उभयम् अन्नं समम् अकल्पयन्) दोनों के अन्न को समान बताया है ॥ २२४ ॥

तान्प्रजापतिराहैत्य मा कृध्वं विषमं समम्।
श्रद्धापूतं वदान्यस्य हृतमश्रद्धयेतरत् ॥ २२५ ॥

किन्तु (प्रजापतिः तान् एत्य आह) ब्रह्मा उनके पास आकर बोले कि (विषमं समं मा कृध्वम्) असमान को समान मत बतलाओ (वदान्यस्य श्रद्धापूतम्) दानी ब्याजखोर का अन्न श्रद्धा से दिया गया होने के कारण पवित्र है तथा (अश्रद्धया + इतरम् हृतम्) अश्रद्धा से दिया गया कंजूस वेदपाठी का अन्न अपवित्र है, इस प्रकार दोनों अन्न समान नहीं हैं, अपितु श्रद्धा से दिया गया अन्न या दान श्रेष्ठ माना है ॥ २२५ ॥

श्रद्धा से दानकार्य करे—

श्रद्धयेष्टं च पूर्तं च नित्यं कुर्यादतन्द्रितः।
श्रद्धाकृते ह्यक्षये ते भवतः स्वागतैर्धनैः ॥ २२६ ॥

(अतन्द्रितः) आलस्य रहित होकर (श्रद्धया) श्रद्धा से (नित्यम्) सदा (इष्टम्) यज्ञादि का आयोजन (च) और (पूर्तम्) कूआ, तालाब आदि का निर्माण (कुर्यात्) करे (सु + आगतैः धनैः) ईमानदारी से कमाये धन से (श्रद्धाकृते ते) श्रद्धापूर्वक किये गये ये कार्य (अक्षये भवतः) अक्षय फल को देने वाले होते हैं ॥ २२६ ॥

अनुशीलन : २०५ से २२६ श्लोक निम्न 'आधारों' पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—(१) इस सम्पूर्ण प्रसंग के प्रारम्भिक या आधारभूत श्लोक २०५—२०६ हैं। २०५ में से **'न.....भुञ्जीत ब्राह्मणः क्वचित्'** कहकर यहां निषिद्ध भोजनों का प्रसंग शुरू किया गया है। ये दोनों श्लोक कई तरह से मनु की मान्यताओं से विरुद्ध हैं, यथा—(क) इन श्लोकों में अश्रोत्रिय के द्वारा प्रारम्भ किये

गये यज्ञ में जीमना निषिद्ध है। पहली बात तो यह है कि सम्पूर्ण मनुस्मृति में यज्ञों में जीमने का कहीं विधान नहीं है। हां, मृतकश्राद्ध के प्रसंग में देव और पितृयज्ञ में विधान है किन्तु वह मान्यता मनुविरुद्ध है। दूसरी बात यह है कि मनु की व्यवस्था के अनुसार यज्ञ कराना ब्राह्मणों का कर्त्तव्य है [१।८८]; और ब्राह्मण वही होता है जो वेदपाठी या अध्ययन-अध्यापन कर्मवाला हो। अतः अश्रोत्रिय द्वारा यज्ञ प्रारम्भ करने की व्यवस्था ही मनुसम्मत नहीं है। (ख) इनमें बहुतों को यज्ञ कराने वाले के यज्ञ में भी खाने का निषेध है। मनु ने यज्ञों का विधान सभी द्विजों के लिए किया है और इन्हें पुण्यदायक कृत्य माना है। अतः जो व्यक्ति इन्हें जितना अधिक करेगा मनु के मतानुसार वह उतना ही धर्म का पालन करने वाला माना जायेगा। अतः यह कल्पना भी मनुसम्मत नहीं है। (ग) स्त्री और नपुंसकों द्वारा आहुति दिए जाने वाले यज्ञ की निन्दा भी मनुसम्मत नहीं है। मनु ने यज्ञ का निषेध किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं किया है। स्त्रियों के लिए मनु ने स्पष्टतः यज्ञ का विधान किया है [देखिये २। ४१-४२ (६६–६७) पर समीक्षा]। अतः यह मान्यता भी मनुविरुद्ध है। इन अन्तर्विरोधों के आधार पर ये दोनों ही इस प्रसंग के आधारभूत श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। आधारभूत श्लोकों के प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाने पर शेष २०७–२२६ सभी श्लोक स्वतः प्रक्षेपान्तर्गत आ जाते हैं। इस प्रसंग में अन्य कुछ अन्तर्विरोध भी हैं—(२) २१०, २२०, २२४—२२६ श्लोकों में 'ब्याज देने वाले' व्यक्ति के अन्न को अभक्ष्य और निन्दनीय माना है, जबकि मनु ने ब्याज लेना वैश्यों का कर्म बताया है [१। ९०]। अतः मनु की व्यवस्था के अनुसार यह कार्य निन्द्य नहीं है। निन्द्य होने से ये श्लोक भी मनुसम्मत सिद्ध नहीं होते। (३) २१३ में मांसभक्षण का वर्णन मनुविरुद्ध है [देखिये ४। २६—२८ पर समीक्षा]। (४) २२३ में मृतकश्राद्ध का वर्णन भी मनु की मान्यता के विरुद्ध है (देखिए ३। ११९—२८४ पर 'अन्तर्विरोध शीर्षक)। (५) इस प्रसंग में विभिन्न जातियों का उल्लेख है, जैसे—२१४ में दर्जी का; २१५ में लुहार, सुनार का; २१८ में सुनार, चमार का आदि। मनु की वर्णव्यवस्था के अनुसार ये कोई जातियां नहीं हैं, अपितु वैश्य के कर्म है। और इस प्रसंग में इनके अन्न को निन्द्य कहना भी मनुविरुद्ध है। क्योंकि मनु वैश्यों की गणना द्विजों के अन्तर्गत करते हैं और उनके द्वारा किये जाने वाले ये कार्य आदरयोग्य हैं। जातियों के उल्लेख से यह प्रतीत होता है कि ये श्लोक मनु से परवर्ती हैं। अतः मनु की व्यवस्था से तालमेल नहीं खाते। इन अन्तर्विरोधों के आधार पर ये श्लोक तथा इनसे सम्बद्ध अन्य सभी पूर्वापर श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. **विषयविरोध**—२०५ से २२५ श्लोक विषयबाह्य हैं। ये न तो व्रत ही हैं और न इनका 'सत्वगुणवर्धन' के साथ कोई सम्बन्ध है। अपितु २०५—२०६ श्लोक तो सत्वगुणविरोधी हैं, अतः ये विषयविरोध के आधार पर प्रक्षिप्त हैं [विस्तृत जानकारी के लिए ४। ३३—३४ पर 'विषयविरोध' शीर्षक देखिये]।

३. **शैलीगत आधार**—इस प्रसंग में २१३, २१८, २१९—२२१ श्लोकों की शैली अयुक्तियुक्त एवं अतिशयोक्तिपूर्ण तथा अपशब्दात्मक है। यह शैली मनु की नहीं है।

दानधर्म के पालन का कथन—

दानधर्मं निषेवेत नित्यमैष्टिकपौर्तिकम्।
परितुष्टेन भावेन पात्रमासाद्य शक्तितः॥ २२७॥ (७४)

द्विज (पात्रम्+आसाद्य) सुपात्र को देखकर (परितुष्टेन भावेन) सात्त्विक अर्थात् निःस्वार्थ और निर्लोभ भाव से श्रेष्ठ कार्य के लिए [१२। २७—३७] (शक्तितः) शक्ति के अनुसार (नित्यम्) सदैव (ऐष्टिक-पौर्तिकम्) यज्ञों के आयोजन-सम्बन्धी और पौर्तिक=उपकारार्थ कूआ, तालाब आदि निर्माण-सम्बन्धी (दानधर्मं निषेवेत) दानधर्म का पालन करे अर्थात् दान दिया करे॥ २२७॥

यत्किंचिदपि दातव्यं याचितेनानसूयया।
उत्पत्स्यते हि तत्पात्रं यत्तारयति सर्वतः॥ २२८॥

(याचितेन) किसी के मांगने पर (यत्+किंचित्+अपि) जो कुछ थोड़ा-बहुत (अनसूयया दातव्यम्) ईर्ष्या या दुःखरहित होकर अवश्य देना चाहिए (हि) क्योंकि (तत् पात्रम् उत्पत्स्यते) दान लेने वालों में कभी तो ऐसा सुपात्र मिलेगा ही (यत् सर्वतः तारयति) जो सब दुःखों से पार कर देगा॥ २२८॥

वारिदस्तृप्तिमाप्नोति सुखमक्षय्यमन्नदः।
तिलप्रदः प्रजामिष्टां दीपदश्चक्षुरुत्तमम्॥ २२९॥

(वारिदः तृप्तिम्) जल का दाता संतुष्टि को (अन्नदः अक्षय्यं सुखम्) अन्न का दाता अक्षय सुख को (तिलप्रदः इष्टां प्रजाम्) तिल का दाता अभीष्ट संतान को (दीपदः उत्तमं चक्षुः) दीपक का दान देने वाला उत्तम आंख को (आप्नोति) प्राप्त करता है॥ २२९॥

भूमिदो भूमिमाप्नोति दीर्घमायुर्हिरण्यदः।
गृहदोऽग्र्याणि वेश्मानि रूप्यदो रूपमुत्तमम्॥ २३०॥

(भूमिदः भूमिम्) भूमि का दाता भूमि को (हिरण्यदः दीर्घम् आयुः) सोने का दाता लम्बी आयु को (गृहदः अग्र्याणि वेश्मानि) घरों का दाता सुन्दर घरों को (रूप्यदः उत्तमं रूपम्) चांदी का दाता उत्तम रूप को (आप्नोति) प्राप्त करता है॥ २३०॥

वासोदश्चन्द्रसालोक्यमश्विसालोक्यमश्वदः
अनड्वुदः श्रियं पुष्टां गोदो ब्रध्नस्य विष्टपम् ॥ २३१ ॥

(वासोदः चन्द्रसालोक्यम्) वस्त्र का दाता चन्द्रलोक को (अश्वदः अश्विसालोक्यम्) घोड़े का दाता अश्विनीकुमार लोक को (अनड्वुदः पुष्टां श्रियम्) बैल का दाता अत्यधिक लक्ष्मी को (गोदः ब्रध्नस्य विष्टपम्) गाय का दाता सूर्यलोक को पाता है ॥ २३१ ॥

यानशय्याप्रदो भार्यामैश्वर्यमभयप्रदः।
धान्यदः शाश्वतं सौख्यं ब्रह्मदो ब्रह्मसाष्टिताम् ॥ २३२ ॥

(यान-शय्याप्रदः भार्याम्) सवारी और पलंग का दाता पत्नी को (अभयप्रदः ऐश्वर्यम्) अभय का दाता ऐश्वर्य को (धान्यदः शाश्वतं सौख्यम्) धान्यों का दाता अनन्त सुख को (ब्रह्मदः ब्रह्मसाष्टिताम्) वेद का दाता ब्रह्मा की समानता को प्राप्त करता है ॥ २३२ ॥

अनुशीलन : २२८ से २३२ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—(१) २२८ वें श्लोक में दान लेने वाले के द्वारा 'दानदाता को तारना' यह मान्यता मनुविरुद्ध है। ४।२४० में मनु ने केवल कर्त्ता को ही अपने सुकृत और दुष्कृत कर्मों का भोक्ता माना है। तदनुसार ही अगला जन्म मिलता है [१२।३—६, ३९—५२, ७५]। अतः दूसरे कर्मों में दूसरा फलभोक्ता नहीं हो सकता। (२) २२९, २३२ श्लोकों में अन्न और धान्य के दान से अक्षय सुख की प्राप्ति होना कहा है। यदि केवल इतने मात्र से ही अक्षय सुख की प्राप्ति हो जायेगी तो फिर मनुस्मृति प्रोक्त सब धर्म और नैःश्रेयसकर कर्म ही व्यर्थ हो जाते हैं। मनु ने तो धर्मपालन और नैःश्रेयसकर कर्मों से ही अक्षय सुख की प्राप्ति मानी है [६।९७; १२।८२–१२६]। अतः यह कथन मनुविरुद्ध हैं। (३) २३१ में विभिन्न लोकों की प्राप्ति भी मनुविरुद्ध है। मनु मृत्यु के उपरान्त किसी लोक आदि की प्राप्ति नहीं मानते, अपितु संसार में पुनर्जन्म या मुक्ति, ये दो अवस्थाएं ही मानते हैं [६।६३, ७४, ८१; १२।११६, २२५]। इन अन्तर्विरोधों के आधार पर ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. **शैलीगत आधार**—इन सभी श्लोकों की शैली अयुक्तियुक्त, अतिशयोक्तिपूर्ण है। क्योंकि इनमें परिगणित पदार्थों का और उनके फलों का कोई सम्बन्ध नहीं है। और इस प्रकार तो प्रत्येक व्यक्ति इन लाभों को प्राप्त कर सकता है फिर अन्य धर्मों के पालन की क्या आवश्यकता रह जाती है? मनु की शैली में ये त्रुटियाँ नहीं होतीं।

वेद-दान की सर्वश्रेष्ठता—

सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते।
वार्यन्नगोमहीवाससस्तिलकाञ्चनसर्पिषाम् ॥ २३३ ॥ (७५)

(सर्वेषाम् एव दानानाम्) संसार में जितने दान हैं अर्थात् (वारि-अन्न-गो-मही-वासः-तिल-कांचन-सर्पिषाम्) जल, अन्न, गौ, पृथिवी, वस्त्र, तिल, सुवर्ण और घृतादि इन सब दानों से (ब्रह्मदानं विशिष्यते) वेदविद्या का दान अतिश्रेष्ठ है ॥ २३३ ॥ (स० प्र० ७६)

येन येन तु भावेन यद्यद्दानं प्रयच्छति ।
तत्तत्तेनैव भावेन प्राप्नोति प्रतिपूजितः ॥ २३४ ॥

दाता (येन येन तु भावेन) जिस-जिस कामना से (यत् यत् दानं प्रयच्छति) जो-जो दान देता है। (तत् तत्) उस-उस को (तेनैव भावेन) उसी भाव से (प्रतिपूजितः प्राप्नोति) आदरपूर्वक प्राप्त करता है ॥ २३४ ॥

योऽर्चितं प्रतिगृह्णाति ददात्यर्चितमेव च ।
तावुभौ गच्छतः स्वर्गं नरकं तु विपर्यये ॥ २३५ ॥

(यः अर्चितं प्रतिगृह्णाति) जो आदरपूर्वक दिए हुए को लेता है (च) और (अर्चितम्+एव ददाति) जो आदरपूर्वक देता है (तौ+उभौ) वे दोनों (स्वर्गं गच्छतः) स्वर्ग लोक को जाते हैं (विपर्यये तु नरकम्) निरादर से देने और लेने वाले तो नरक में जाते हैं ॥ २३५ ॥

न विस्मयेत तपसा वदेदिष्ट्वा च नानृतम् ।
नार्तोऽप्यपवदेद्विप्रान्न दत्त्वा परिकीर्तयेत् ॥ २३६ ॥

(तपसा न विस्मयेत) तप करके आश्चर्य न करे [कि मैंने इतनी कठिन तपस्या कर ली (इष्ट्वा अनृतं न वदेत्) यज्ञ करके झूठ न बोले (आर्तः+अपि विप्रान् न अपवदेत्) ब्राह्मणों से पीड़ित होता हुआ भी उन्हें बुरा न कहे (दत्त्वा न परिकीर्तयेत्) दान देकर अपनी बड़ाई न करे ॥ २३६ ॥

यज्ञोऽनृतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात् ।
आयुर्विप्रापवादेन दानं च परिकीर्तनात् ॥ २३७ ॥

(अनृतेन यज्ञः क्षरति) झूठ बोलने से यज्ञ का फल नष्ट हो जाता है (विस्मयात् तपः क्षरति) आश्चर्य करने से तप का फल (विप्र+अपवादेन आयुः) ब्राह्मणों की बुराई करने से आयु (च) और (परिकीर्तनात् दानम्) अपनी बड़ाई करने से दान का फल नष्ट हो जाता है ॥ २३७ ॥

अनुशीलन : २३४ से २३७ तक के श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. **विषयविरोध**—इन श्लोकों में वर्णित बातें न तो व्रत के अन्तर्गत ही मानी जा सकती हैं और न इनका 'सत्त्वगुणवृद्धिकर' के साथ कोई सम्बन्ध है, अतः ये विषय-

बाह्य होने के कारण 'विषयविरोध' के आधार पर प्रक्षिप्त हैं [विस्तृत विवेचन ४। ३३—३४ श्लोक पर 'विषयविरोध' शीर्षक में द्रष्टव्य है]।

२. **अन्तर्विरोध**—(क) २३४–२३५ श्लोकों के वर्णन में 'नरक प्राप्ति' का कथन करना मनु की मान्यता के विरुद्ध है। मनु नरक नामक स्थान या योनि विशेष को नहीं मानते [देखिए ४। ८७–९१ श्लोकों पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक में नरक सम्बन्धी समीक्षा]।(ख) २३६—२३७ श्लोकों में यज्ञ, तप आदि कर्मों के फल का नष्ट हो जाना विहित है। मनु के सिद्धान्तानुसार कर्मों का फल तो भोगने पर ही नष्ट हो सकता है। मनु कर्मों के अनुसार ही पुनर्जन्म की प्राप्ति मानते हैं [४। २४०; १२। ३—९, ३९—५२, ७४ आदि]। यदि इतनी छोटी बातों से ही इन धर्मकार्यों का फल नष्ट होना मान-लिया जाये तो इसका मतलब यह हुआ कि यज्ञादि धर्मकार्य उनकी अपेक्षा स्वल्प फल-वाले हैं! यह वर्णन मात्र काल्पनिक है। (ग) २३४ वें श्लोक में 'जिस भाव से जो दान करेगा वह उसी वस्तु को प्राप्त करेगा' यह मान्यता भी मनुसम्मत नहीं है। मनु दान आदि धर्मों से किन्हीं वस्तुओं की प्राप्ति नहीं, अपितु सुख की प्राप्ति होना मानते हैं। ४। २४२, २४६ में उन्होंने यह मान्यता दर्शायी है। उसके आधार पर ये श्लोक मनु-विरुद्ध हैं। इन अन्तर्विरोधों के आधार पर ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

३. **शैलीगत आधार**—इन सभी श्लोकों की शैली अयुक्तियुक्त एवं अति-शयोक्तिपूर्ण है। इनमें वर्णित बातों और उनके फलों का परस्पर कोई सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता, अतः ये मनुविरुद्ध हैं।

धर्मसंचय का विधान एवं धर्मप्रशंसा—

धर्मं शनैः सचिनुयाद्वल्मीकमिव पुत्तिकाः।
परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन्॥ २३८॥ (७६)

(पुत्तिका वल्मीकम्+इव) जैसे पुत्तिका अर्थात् दीमक वल्मीक अर्थात् बांबी को बनाती है वैसे (सर्वलोकानि+अपीडयन्) सब भूतों को पीड़ा न देकर (परलोक-सहायार्थम्) परलोक अर्थात् परजन्म के सुखार्थ (शनैः धर्मं संचिनुयात्) धीरे-धीरे धर्म का संचय करे॥ २३८॥

(स० प्र० १०६)

"जैसे दीमक धीरे-धीरे बड़े भारी घर को बना लेती है, वैसे मनुष्य परजन्म के सहाय के लिए सब प्राणियों को पीड़ा न देकर धर्म का संचय धीरे-धीरे किया करे।" (सं० वि० १८१)

अनुशीलन : यहाँ 'धीरे-धीरे' से अभिप्राय सावधानी पूर्वक धर्म-पालन करने से है। जैसे दीमक अपनी बांबी को बनाते हुए सावधानी बरतती है और उसे गिरने नहीं देती इसी प्रकार मनुष्य भी अपने को कभी धर्म से गिरने न दे। कहीं कोई अधर्म न हो जाये, इस बात की सावधानी रखे।

नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः।
न पुत्रदारा न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः॥ २३९॥ (७७)

(हि) क्योंकि (अमुत्र) परलोक में (न पिता-माता, न पुत्र-दारा न ज्ञातिः सहायार्थं तिष्ठतः) न माता, न पिता, न पुत्र, न स्त्री, न सम्बन्धी सहाय कर सकते हैं, किन्तु (केवलः धर्मः तिष्ठति) एक धर्म ही सहायक होता है॥ २३९॥ (स० प्र० १०६)

एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते।
एकोऽनुभुङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्॥ २४०॥ (७८)

(एकः जन्तुः प्रजायते एक+एव प्रलीयते) अकेला ही जीव जन्म और मरण को प्राप्त होता है (एकः सुकृतम् एकः+एव च दुष्कृतम् अनुभुङ्क्ते) एक ही धर्म के फल सुख और अधर्म के दुःखरूप फल को भोगता है॥२४०॥ (स० प्र० १०६)

अनुशीलन : **कर्मफल का भोक्ता कर्त्ता**—(१) इस श्लोक में व्यक्तिगत स्तर के सुकृत, दुष्कृत करने पर कर्त्ता को ही फल का भोक्ता माना है। किन्तु यदि उसके साथ अधर्म में और अधर्म से प्राप्त उसके भोगों, धर्मों में अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित होते हैं तो उस अधर्म का फल उनको भी प्राप्त होता है। मनु ने यह मान्यता अधर्म से धनसंग्रह के प्रसंग में [४। १७० में] स्पष्ट की है [४।१७३]। (द्रष्टव्य ४। १७३ पर भी इस विषयक अनुशीलन)। अभिप्राय यह है कि कर्त्ता के भोगने योग्य निजी फल को कोई दूसरा नहीं बांट सकता।

(२) सत्यार्थप्रकाश चतुर्थ समुल्लास में महर्षि दयानन्द ने २४० श्लोक के पश्चात् एक अन्य श्लोक भी उद्धृत किया है, जो प्रचलित पाठों में नहीं है। किन्तु महाभारत उद्योगपर्व ३३। ४७ में मिलता है।

श्लोक निम्न है—

एकः पापानि कुरुते फलं भुङ्क्ते महाजनः।

महाजन अर्थात् कुटुम्ब उसको भोगता है। भोगने वाले दोष-भागी नहीं होते किन्तु अधर्म का कर्त्ता ही दोष का भागी होता है॥ (स० प्र० चतुर्थ समु०)

यहाँ महर्षि दयानन्द ने अपराधकर्म की दृष्टि से कर्त्ता को ही दोषी माना है। दोषभागी होने के कारण वही उस अपराध में दण्डनीय होता है। कुटुम्ब आश्रित होता है, उसे पापकर्म से लायी कमाई का कभी ज्ञान नहीं होता तो कभी होता है। इस

प्रकार भोक्ता होते हुए भी कर्त्ता न होने के कारण कुटुम्ब उस अपराध कर्म में दोषी नहीं माना गया है। किन्तु व्यक्तिगत स्तर पर पाप फल की प्राप्ति में वह भागी अवश्य है। [४। १७०]।

मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्ठसमं क्षितौ।
विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति॥ २४१॥ (७९)

(मृतं शरीरं काष्ठलोष्ठसमं क्षितौ उत्सृज्य) जब कोई किसी का सम्बन्धी मर जाता है उसको ❀ मट्टी के ढेले के समान भूमि में छोड़कर, पीठ दे (बान्धवाः विमुखाः यान्ति) बन्धुवर्ग विमुख होकर चले जाते हैं, कोई उसके साथ जाने वाला नहीं होता, किन्तु (धर्मः+तम्+अनुगच्छति) एक धर्म ही उसका सङ्गी होता है॥ २४१॥ (स० प्र० १०६)

❀ (काष्ठ) लकड़ी और·····

तस्माद्धर्मं सहायार्थं नित्यं संचिनुयाच्छनैः।
धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्॥ २४२॥ (८०)

(तस्मात्) उस हेतु से (सहायार्थम्) परलोक अर्थात् परजन्म में सुख और जन्म के सहायार्थ (नित्यं धर्मं शनैः संचिनुयात्) नित्य धर्म का संचय धीरे-धीरे करता जाये (हि) क्योंकि (धर्मेण सहायेन) धर्म ही के सहाय से (दुस्तरं तमः तरति) बड़े-बड़े दुस्तर दुःखसागर को जीव तर सकता है॥ २४२॥ (स० प्र० १०७)

धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा हतकिल्बिषम्।
परलोकं नयत्याशु भास्वन्तं खशरीरिणम्॥ २४३॥ (८१)

(धर्मप्रधानम् पुरुषम्) किन्तु जो पुरुष धर्म ही को प्रधान समझता (तपसा हतकिल्बिषम्) जिसका धर्म के अनुष्ठान से कर्त्तव्य पाप दूर हो गया, उस को (भास्वन्तम्) प्रकाशस्वरूप (खशरीरिणम्) और आकाश

[illegible] ॥ २४३॥
(स० प्र० १०८)

उत्तमों की संगति करे—

उत्तमैरुत्तमैर्नित्यं सम्बन्धानाचरेत्सह।
निनीषुः कुलमुत्कर्षमधमानधमांस्त्यजेत्॥ २४४॥ (८२)

(कुलम्+उत्कर्षं निनीषुः) जो मनुष्य अपने कुल को उत्तम करना चाहे (अधमान्+अधमान् त्यजेत्) वह नीच-नीच पुरुषों का सम्बन्ध छोड़-

कर (नित्यम् उत्तमैः उत्तमैः सह सम्बन्धान् आचरेत्) नित्य अच्छे-अच्छे पुरुषों से सम्बन्ध बढ़ाता जावे ॥ २४४ ॥ (सं० वि० १८१) +

अनुशीलन : यहां उत्तम का अर्थ बड़ा नहीं है अपितु श्रेष्ठ है, और अधम का 'नीच'। यह अगले अर्थवादरूप श्लोक से भी सिद्ध है।

उत्तमानुत्तमान्गच्छन्हीनान्हीनांश्च वर्जयन्।
ब्राह्मणः श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शूद्रताम् ॥ २४५ ॥ (८३)

(ब्राह्मणः) ब्राह्मण (उत्तमान्-उत्तमान् गच्छन्) श्रेष्ठ-श्रेष्ठ व्यक्तियों से सम्बन्ध बढ़ाते हुए (च) और (हीनान्-हीनान वर्जयन्) नीच-नीच व्यक्तियों से सम्बन्धों को छोड़ते हुए (श्रेष्ठताम्+एति) और अधिक श्रेष्ठता को प्राप्त करता है (प्रत्यवायेन) इसके विपरीत व्यवहार करने से (शूद्रताम्) वह शूद्रता को प्राप्त हो जाता है ॥ २४५ ॥

अनुशीलन : २४५ में **ब्राह्मण शब्द से अभिप्राय**—इस श्लोक में 'ब्राह्मण' शब्द उपलक्षण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार अन्य वर्णों को भी श्रेष्ठता और शूद्रता प्राप्त होती है, यह अभिप्राय भी इस श्लोक में सन्निहित है। मनु की यह शैली है कि कहीं-कहीं छन्दपूर्त्यर्थ अथवा उपलक्षण रूप में उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग विस्तृत अर्थ के लिए करते हैं; यथा—प्राणायामों का विधान सबके लिए है, किन्तु ६।७० में सभी वर्णों के लिए ब्राह्मण शब्द का उपलक्षणरूप में प्रयोग है। इसी प्रकार ६।९१ में चारों आश्रमवासियों के लिए धर्म के लक्षणों का विधान करते हुए भी उसी प्रसङ्ग में ६।८८, ९४ श्लोकों में 'विप्र' शब्द का प्रयोग किया है, जो उपलक्षण रूप में है। २।१५ में भी ब्राह्मण शब्द का उपलक्षणात्मक प्रयोग है।

श्रेष्ठ स्वभाव वाला बनें—

दृढकारी मृदुर्दान्तः क्रूराचारैरसंवसन्।
अहिंस्रो दमदानाभ्यां जयेत्स्वर्गं तथाव्रतः ॥ २४६ ॥ (८४)

(दृढ़कारी) सदा दृढ़कारी (मृदुः) कोमल स्वभाव (दान्तः) जितेन्द्रिय (क्रूराचारैः+असंवसन्) हिंसक, क्रूर, दुष्टाचारी पुरुषों से पृथक् रहने हारा (तथाव्रतः) धर्मात्मा (दम-दानाभ्यां स्वर्गं जयेत्) मन को जीत और विद्यादि दान से सुख को प्राप्त होवे ॥ २४६ ॥ (स० प्र० १०७)

(अहिंस्रः) हिंसा के स्वभाव से रहित.....

+[**प्रचलित अर्थ**—वंश को उन्नत करने की इच्छा वाला सर्वदा (अपने से) बड़ों-बड़ों के साथ सम्बन्ध करे और (अपने से) नीचों-नीचों को छोड़ दे (उनसे सम्बन्ध न करे) ॥ २४४ ॥]

दान सम्बन्धी विविध बातें—

एधोदकं मूलफलमन्नमभ्युद्यतं च यत् ।
सर्वतः प्रतिगृह्णीयान्मधुश्रथाभयदक्षिणाम् ॥ २४७ ॥

(अभ्युद्यतम्) बिना मांगे मिले (एध+उदकम्) लकड़ी, जल (मूल-फलं च यत् अन्नम्) मूल, फल और जो अन्न हो उसको (मधु श्रथ+अभयदक्षिणाम्) शहद और अभयदान को (सर्वतः प्रतिगृह्णीयात्) सबसे ले ले ॥ २४७ ॥

आहृताभ्युद्यतां भिक्षां पुरस्तादप्रचोदिताम् ।
मेने प्रजापतिर्ग्राह्यामपि दुष्कृतकर्मणः ॥ २४८ ॥

(अप्रचोदिताम्) लेने वाले द्वारा स्वयं अथवा अन्य किसी के द्वारा प्रेरणा न की हुई (अभ्युद्यताम्) लाने वाले के द्वारा स्वयं लाकर (पुरस्तात् आहृतां भिक्षाम्) सामने रख दी गई भिक्षा (दुष्कृतकर्मणः अपि) बुरे कर्म करने वाले की भी (ग्राह्याम्) ग्रहण कर लेनी चाहिए (प्रजापतिः मेने) ऐसी ब्रह्मा जी की मान्यता है ॥ २४८ ॥

नाश्नन्ति पितरस्तस्य दश वर्षाणि पञ्च च ।
न च हव्यं वहत्यग्निर्यस्तामभ्यवमन्यते ॥ २४९ ॥

(यः) जो व्यक्ति (ताम्+अभि+अवमन्यते) उस भिक्षा को अपमानित करता है अर्थात् स्वीकार नहीं करता है (तस्य) उसके (पितरः) पितर (दश वर्षाणि च पञ्च) पन्द्रह वर्ष तक (न+अश्नन्ति) श्राद्ध के अन्न को नहीं खाते (च) और (अग्निः) यज्ञ की अग्नि (हव्यं न वहति) हवि को उन तक नहीं पहुंचाती ॥ २४९ ॥

शय्यां गृहान्कुशान्गन्धान्यः पुष्पं मणीन्दधि ।
धाना मत्स्यान्पयो मांसं शाकं चैव न निर्नुदेत् ॥ २५० ॥

(शय्यां गृहान् कुशान् गन्धान्+अपः पुष्पं मणीन् दधि धानाः मत्स्यान् पयः मांसं च शाकं) पलंग, घर, कुश, सुगन्धित पदार्थ, जल, फूल, मणियां, दही, धान्य, मछली, दूध, मांस और शाक इन पदार्थों को (न निर्नुदेत्) दान लेने से मना न करे ॥ २५० ॥

गुरून्भृत्यांश्चोज्जिहीर्षन्नर्चिष्यन्देवतातिथीन् ।
सर्वतः प्रतिगृह्णीयान्न तु तृप्येत्स्वयं ततः ॥ २५१ ॥

(गुरून्) माता-पिता आदि गुरुजनों (च) और (भृत्यान्) सेवकों का (उज्जिहीर्षन्) भरणपोषण करने के लिए (देवता+अतिथीन् अर्चिष्यन्) देवताओं और अतिथियों के पूजन के लिए (सर्वतः प्रतिगृह्णीयात्) सब से दान ग्रहण कर ले (तु) किन्तु (ततः) उस दान से (स्वयं न तृप्येत्) स्वयं तृप्त न हो अर्थात् उसे अपने उपयोग में न लाये ॥ २५१ ॥

गुरुषु त्वभ्यतीतेषु विना वा तैर्गृहे वसन् ।
आत्मनो वृत्तिमन्विच्छन्गृह्णीयात्साधुतः सदा ॥ २५२ ॥

(गुरुषु तु+अभ्यतीतेषु) माता-पिता आदि गुरुजनों की मृत्यु हो जाने पर (वा) अथवा (तैः बिना गृहे वसन्) उनसे अलग अकेले ही घर में रहते हुए (आत्मनः वृत्तिम्+अन्विच्छन्) अपनी आजीविका के लिए (साधुतः सदा गृह्णीयात्) श्रेष्ठ लोगों से सदा दान ग्रहण करले ॥ २५२ ॥

आधिकः कुलमित्रं च गोपालो दासनापितौ ।
एते शूद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत् ॥ २५३ ॥

(आधिकः) आधे में खेती करने वाला (कुलमित्रम्) कुल का मित्र (गोपालः) ग्वाला (दास-नापितौ) अपना सेवक और नाई (च) और (यः) जो (आत्मानं निवेदयेत्) स्वयं को सेवा के लिए अर्पण करदे (एते शूद्रेषु भोज्यान्नाः) इन शूद्रों के यहाँ भोजन कर लेना चाहिए ॥ २५३ ॥

यादृशोऽस्य भवेदात्मा यादृशं च चिकीर्षितम् ।
यथा चोपचरेदेनं तथात्मानं निवेदयेत् ॥ २५४ ॥

(अस्य) इस शूद्र की (यादृशः आत्मा भवेत्) जैसी कुलशील की स्थिति हो (च) और (यादृशं चिकीर्षितम्) जैसी इच्छा हो (च) तथा (यथा एनम् अपचरेत्) जिस प्रकार इस ब्राह्मण की सेवा करना चाहे (तथा) उसी प्रकार (आत्मानं निवेदयेत्) अपने को निवेदन कर दे अर्थात् सब बातें स्पष्ट करके स्वयं को सेवा के लिए अर्पण करदे ॥ २५४ ॥

अनुशीलन : २४७ से २५४ तक के श्लोक प्रक्षिप्त हैं—

१. **विषयविरोध**(१) इन श्लोकों में वर्णित बातें विषयबाह्य हैं। इनका न तो 'सत्वगुणवर्धन' विषय से कोई सम्बन्ध है और न ये व्रत ही कहला सकते हैं। अतः विषयविरोध के आधार पर सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं [विस्तृत विवेचन ४। ३३-३४ श्लोकों पर 'विषयविरोध' के अन्तर्गत द्रष्टव्य है]।

२. **अन्तर्विरोध**—(१) १। ८८, श्लोक में 'दान लेना' ब्राह्मण का कर्म निश्चित किया है, अतः वह सभी धर्मानुसारी वस्तुओं का दान ग्रहण कर सकता है। २४७—२५० श्लोकों में कुछ वस्तुओं का दान ग्रहण कर लेना या न लेने की व्यवस्था मनु की उक्त व्यवस्था से तालमेल नहीं खाती, अतः विरुद्ध है। (२) २४८ श्लोक में स्वयं लाकर दी गई भिक्षा को निषेध न करने का कथन है। भिक्षा तो अयाचित होती ही नहीं। याचित को ही भिक्षा कहते हैं। २। २३-२४ [४८-४९], २५-२६ [५०-५१], १५७-१६० [१८२-१८५] आदि श्लोकों में मनु ने याचित को ही भिक्षा कहा है, अतः इस श्लोक में अयाचितको भिक्षा कहना ही मनु की व्यवस्था के विरुद्ध है। (३) २। १६० [१८५] में बुरे लोगों से भिक्षा प्राप्त करना निषिद्ध है। २४८ में बुरे लोगों से भिक्षा प्राप्त करने के लिए कहना उसके विरुद्ध है। प्रजापति का नाम जोड़कर अपनी बात को प्रामाणिक बनाने की प्रवृत्ति इसके प्रक्षिप्त होने को और अधिक पुष्ट करती

है। (४) २६४ में मृत पितरों के श्राद्ध की मान्यता मनुविरुद्ध है [देखिए ३। ११६-२८४ पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक]। (५) २५० में मांसभक्षण का विधान मनु की मान्यता के विरुद्ध है [देखिए ४। २६--२८ श्लोकों पर टिप्पणी--'अन्तर्विरोध']। (६) २५३ में 'नापित' जाति की गणना मनु की कर्मणा वर्णव्यवस्था के विरुद्ध है। मनु केवल चार वर्णों को मानते हैं, अतः उनकी व्यवस्था में जातियों क वर्गीकरण नहीं है। सेवा करना शूद्रों का कार्य है और वे अपने सेवा-कार्यों में यथेच्छया परिवर्तन भी कर सकते हैं, अतः यह वर्णन उक्त मान्यता के विरुद्ध है [द्रष्टव्य १। ९२-११० पर समीक्षा]। २५४ में 'अस्य' तथा 'एनं' पद पूर्व श्लोक से सम्बद्ध हैं, इन अन्तर्विरोधों के आधार पर ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

झूठ बोलने वाला पापी है—

योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा सत्सु भाषते।
स पापकृत्तमो लोके स्तेन आत्मापहारकः ॥ २५५ ॥(८५)

(यः) जो व्यक्ति (अन्यथा सन्तम्+आत्मानम्) स्वयं अन्यथा होते हुए अपने आपको (सत्सु) सज्जनों में (अन्यथा भाषते) अन्यथा=कुछ का कुछ बतलाता है (सः) वह (लोके) लोके में (पापकृत्तमः) अति पापी माना जाता है, क्योंकि वह (आत्मा+अपहारकः स्तेनः) अपनी आत्मा का हनन करने वाला चोर है ॥ २५५ ॥

वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः।
तांस्तु यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयकृन्नरः ॥२५६॥ (८६)

(वाचि सर्वे अर्थाः नियताः) जिस वाणी में सब अर्थ=व्यवहार निश्चित हैं (वाङ्मूलाः) वाणी ही जिनका मूल और (वाग् विनिःसृताः) जिस वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं (यः नरः) जो मनुष्य (तां वाचं स्तेनयेत्) उस वाणी को चोरता अर्थात् मिथ्या भाषण करता है (सः सर्वस्तेयकृत्) वह जानो सब चोरी आदि पाप ही को करता है, इसलिए मिथ्याभाषण को छोड़के सदा सत्यभाषण ही किया करे ॥ २५६ ॥

"परन्तु यह भी ध्यान में रखे कि जिस वाणी में अर्थ अर्थात् व्यवहार निश्चित होते हैं, वह वाणी ही उनका मूल और वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं, उस वाणी को जो चोरता अर्थात् मिथ्याभाषण करता है, वह सब चोरी आदि पापों का करने वाला है।"

(स० प्र० १०७)

योग्य पुत्र में गृह-कार्यों का समर्पण—

महर्षिपितृदेवानां गत्वाऽऽनृण्यं यथाविधि।
पुत्रे सर्वं समासज्य वसेन्माध्यस्थमाश्रितः ॥ २५७ ॥ (८७)

(यथाविधि) उक्त विधि के अनुसार (महर्षि-पितृ-देवानाम् आनृण्यं गत्वा) व्यक्ति [ब्रह्मचर्य-पालन एवं अध्ययन-अध्यापन से] ऋषि-ऋण को [माता-पिता आदि बुजुर्गों की सेवा एवं सन्तानोत्पत्ति से] पितृ-ऋण को [यज्ञों के अनुष्ठान से] देवऋण को चुकाकर (सर्वं पुत्रे समासज्य) घर की सारी जिम्मेदारी पुत्र को सौंपकर [ततश्चात् वानप्रस्थ लेने से पूर्व जब तक घर में रहे तब तक] (माध्यस्थम्+आश्रितः) उदासीन भाव के आश्रित होकर अर्थात् सांसारिक मोह-माया के प्रति विरक्त भाव रखते हुए (वसेत्) घर में निवास करे ॥ २५७ ॥

अनुशीलन : महर्षि, देव, पितृ शब्दों की विस्तृत विशेष व्याख्या के ज्ञान के लिए ३। ८२ देखिये।

आत्मचिन्तन का आदेश एवं फल—

एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्ते हितमात्मनः।
एकाकी चिन्तयानो हि परं श्रेयोऽधिगच्छति ॥२५८॥ (८८)

(नित्यम्) प्रतिदिन (विविक्ते) एकान्त में बैठकर (एकाकी) अकेला अर्थात् स्वयं अपनी आत्मा में (आत्मनः हितं चिन्तयेत्) अपने कल्याण की बातों का चिन्तन करे (हि) क्योंकि (एकाकी चिन्तयानः) एकाकी चिन्तन करने वाला व्यक्ति (परं श्रेयः+अधिगच्छति) अधिकाधिक कल्याण को प्राप्त करता जाता है ॥ २५८ ॥

विषय का उपसंहार—

एषोदिता गृहस्थस्य वृत्तिर्विप्रस्य शाश्वती।
स्नातकव्रतकल्पश्च सत्त्ववृद्धिकरः शुभः ॥२५९॥ (८९)

(एषा) यह (गृहस्थस्य विप्रस्य) गृहस्थ द्विज की (शाश्वती वृत्तिः) नित्य की वृत्ति या दिनचर्या (उदिता) कही (च) और (सत्त्ववृद्धिकरः शुभः) सत्वगुण की वृद्धि करने वाला श्रेष्ठ (स्नातकव्रतकल्पः) स्नातक गृहस्थ के व्रतों के विधान को भी कहा ॥ २५९ ॥

अनेन विप्रो वृत्तेन वर्तयन्वेदशास्त्रवित्।
व्यपेतकल्मषो नित्यं ब्रह्मलोके महीयते ॥ २६० ॥ (९०)

(वेदशास्त्रवित् विप्रः) वेदशास्त्र का ज्ञाता द्विज (अनेन वृत्तेन वर्तयन्) इस जीविका या व्यवहार से वर्ताव करता हुआ (व्यपेतकल्मषः) पापरहित पुण्यजीवी होकर (नित्यं ब्रह्मलोके महीयते) सदा ब्रह्मलोक अर्थात् ब्रह्म में मग्न रहकर आनन्द को प्राप्त करता है ॥ २६० ॥

अनुशीलन : 'लोक दर्शने' धातु के अनुसार 'लोक' शब्द का 'दर्शन' या 'स्थान' अर्थ भी है। यहां ब्रह्मलोक का अर्थ ब्रह्मदर्शन अथवा परमात्मा में आश्रय प्राप्त करना = लीन होना है। मोक्ष में जीव परमात्मा के आश्रय में रहकर ब्रह्मानन्द को प्राप्त करते हैं।

इति महर्षिमनुप्रोक्तायां सुरेन्द्रकुमारकृतहिन्दीभाष्यसमन्वितायाम् अनुशीलन—
समीक्षाविभूषितायाञ्च मनुस्मृतौ गृहस्थवृत्ति-
व्रतात्मकश्चतुर्थोऽध्यायः ॥

अथ पञ्चमोऽध्यायः

[हिन्दीभाष्य-अनुशीलनसमीक्षाभ्यां सहितः]

(गृहस्थान्तर्गत-भक्ष्याभक्ष्य-देहशुद्धि-द्रव्यशुद्धि-स्त्रीधर्म-विषय)

[भक्ष्याभक्ष्य ५ । १ से ५ । ५६ तक]

ऋषियों का भृगु से प्रश्न—

श्रुत्वैतानृषयो धर्मान्स्नातकस्य यथोदितान् ।
इदमूचुर्महात्मानमनलप्रभवं भृगुम् ॥ १ ॥

(यथा+उदितान्) पूर्व कहे हुए (स्नातकस्य धर्मान् श्रुत्वा) स्नातक गृहस्थ के कर्त्तव्यों को सुनकर (ऋषयः) ऋषि लोग (महात्मानम्+अनलप्रभवं भृगुम्+ऊचुः) महात्मा, तेजस्वी महर्षि भृगु से यह बोले—॥ १ ॥

एवं यथोक्तं विप्राणां स्वधर्ममनुतिष्ठताम् ।
कथं मृत्युः प्रभवति वेदशास्त्रविदां प्रभो ॥ २ ॥

(प्रभो) हे प्रभो ! (एवं यथोक्तं स्वधर्मम्+अनुतिष्ठताम्) इस शास्त्र में कहे हुए अपने धर्मों का पालन करने वाले (वेदशास्त्रविदां विप्राणाम्) वेदशास्त्र के विद्वानों को (मृत्युः कथं प्रभवति) मृत्यु कैसे हो जाती है ? ॥ २ ॥

स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवो भृगुः ।
श्रूयतां येन दोषेण मृत्युर्विप्राञ्जिघांसति ॥ ३ ॥

(सः) वह (धर्मात्मा मानवः भृगुः तान् महर्षीन् उवाच) धर्मात्मा मनु के पुत्र भृगु उन ऋषियों से कहने लगे (येन दोषेण विप्रान् मृत्युः जिघांसति) जिस दोष के कारण विद्वानों को मृत्यु मार देती है, उन्हें (श्रूयताम्) सुनो— ॥ ३ ॥

अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात् ।
आलस्यादन्नदोषाच्च मृत्युर्विप्राञ्जिघांसति ॥ ४ ॥

(वेदानाम् अनभ्यासेन) वेदों का अभ्यास छोड़ देने से (च) और (आचारस्य वर्जनात्) सदाचार को छोड़ देने से (आलस्यात्) आलस्य के कारण (च अन्नदोषात्) और अन्न-दोष के कारण (मृत्युः विप्रान् जिघांसति) मृत्यु विद्वानों को मारना चाहती है ॥ ४ ॥

अनुशीलन : १—४ तक के श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. **शैलीगत आधार**—(१) वर्णन-शैली से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि इनमें ऋषि लोग भृगु से प्रश्न कर रहे हैं और भृगु उसका उत्तर दे रहे हैं। इस प्रकार ये श्लोक मनुप्रोक्त नहीं हैं। इसका संकलयिता कोई भृगु से भी भिन्न व्यक्ति है। (२) सम्पूर्ण मनुस्मृति में मनु की एक निश्चित शैली यह है कि वे जब भी किसी विषय या प्रसङ्ग को प्रारम्भ या समाप्त करते हैं तो उसके प्रारम्भ, समाप्ति अथवा दोनों स्थानों पर उसको कहने का संकेत करते हैं [१।१२०] (२।१), २।४३ (६८), ३।२८३ ४।२५६ आदि]। बीच में प्रश्नोत्तर शैली से वर्णन करना मनु की शैली नहीं है। ये चारों श्लोक मनु की शैली से भिन्नता रखते हैं।

२. **प्रसङ्गविरोध**—इन चारों श्लोकों का मनुस्मृति के अग्रिम भक्ष्याभक्ष्य सम्बन्धी श्लोकों से प्रसंग नहीं जुड़ता और न तालमेल बैठता है। (१) ५। २ में प्रश्न केवल वेदशास्त्रवेत्ताओं के लिए पूछा गया है, जब कि भक्ष्याभक्ष्य सम्बन्धी विधान सभी द्विजातियों के लिए किया जा रहा है, जैसे—"**अभक्ष्याणि द्विजातीनाम्**" [५। ५], "**स्नेहाक्तं द्विजातिभिः**" (५। २५)। (२) ५। २ में प्रश्न पूछा गया है कि 'स्वधर्म में स्थित वेदशास्त्रवेत्ताओं को मृत्यु कैसे मारती है? और उत्तर है—'अन्न आदि दोषों के कारण मृत्यु विप्रों को मारती है।' फिर आगे भक्ष्याभक्ष्य पदार्थों का वर्णन है। भक्ष्याभक्ष्य प्रसंग में वर्णित पदार्थों से और उनकी वर्णनशैली से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रसंग न तो इन चार श्लोकों से सम्बद्ध है, और न इनका उत्तर ही है। क्योंकि इस प्रसंग में भक्ष्याभक्ष्य पदार्थ मृत्युकारक अथवा जीवनदायक आधार पर विहित नहीं किये गये हैं अपितु सात्त्विक, तामसिक या राजसिक, पवित्रता और अपवित्रता, श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता तथा पाप और पुण्य के आधार पर भक्ष्य और अभक्ष्य माने हैं। प्रमाण के लिए पांचवां श्लोक पर्याप्त है—"**लशुनं गृंजनं चैव**····· **अभक्ष्याणि द्विजातीनाम्**" यहाँ तामसिकता के आधार पर निषेध है, और "**अमेध्य प्रभवाणि च**" यहाँ अपवित्रता के आधार पर। इनका मृत्युकारक रूप से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसी प्रकार इस प्रसंग में वर्णित पूर्व के दश दिनों का गौ का दूध, स्त्रीदूध, कांजी आदि पदार्थों का भी इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार प्रथम चार श्लोकों में वर्णित प्रश्नोत्तर के इस प्रसंग से कोई सम्बद्धता नहीं है और उसे दिखाया गया है इस प्रसंग के आधार रूप में। इस आधार के अनुसार ये चारों श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

३. **अवान्तरावरोध**—इन चारों श्लोकों में प्रदर्शित प्रश्न और उत्तर में भी परस्पर कोई संगति नहीं है, जिससे यह ज्ञात होता है कि ये श्लोक किसी विद्वान् की रचना नहीं हैं। (१) द्वितीय श्लोक में प्रश्न है—'स्वधर्म में स्थित देवताओं को मृत्यु कैसे मारती है?' उत्तर है—'वेदों के अनभ्यास से, आचार के त्याग से, आलस्य और अन्न के दोषों के कारण'। यहां विचारणीय यह है कि जो व्यक्ति शास्त्रोक्त स्वधर्म के

पालन में लगे हैं वे वेदों का अभ्यास, सदाचार का पालन भी अवश्य करेंगे और आलस्य तथा अभक्ष्य पदार्थों से दूर रहेंगे; यदि वे इन दोनों से युक्त हैं तो 'स्वधर्म में स्थित कैसे हुए। इसी प्रकार जो वेदशास्त्रों के वेत्ता हैं, वे वेदों का अभ्यास न करें यह कैसे हो सकता है? और यदि वेदाभ्यास ही नहीं करते तो वेदशास्त्रों के वेत्ता कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार प्रश्न और उत्तर परस्पर विरुद्ध हैं। (२) प्रश्न पूछा गया है—वेदशास्त्र-वेत्ताओं की मृत्यु कैसे होती है और उत्तर है—'अन्न आदि दोषों से।' क्या अन्न-दोष से रहित वेदशास्त्रवेत्ताओं की मृत्यु नहीं होती? इस प्रकार यह प्रश्न भी अपूर्ण है। यदि प्रश्न यह होता कि 'स्वधर्म में स्थित वेदवेत्ताओं की अकालमृत्यु क्यों हो जाती है?' तो भी कुछ उचित माना जा सकता था। इस प्रकार अवान्तर विरोध के कारण भी ये श्लोक मनुसदृश ऋषि द्वारा प्रोक्त प्रतीत नहीं होते।

विशेष—प्रतीत होता है कि मनु की शैली का 'विषय का संकेत देने वाला' मूल श्लोक इन श्लोकों को मिलाते समय हटा दिया गया और फिर वह लुप्त हो गया। १२ वें अध्याय के प्रारम्भ में भी ऐसा ही किया गया है। उस स्थान का मूल श्लोक कुछ प्रतियों में उपलब्ध है। वह इस बात का प्रमाण है कि लोगों ने मनुसंहिता को भृगुसंहिता के रूप में बदलने की भरसक कोशिश की है।

द्विजातियों के लिए अभक्ष्य पदार्थ—

लशुनं गृञ्जनं चैव पलाण्डुं कवकानि च।
अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवाणि च॥ ५॥ (१)

(लशुनं गृञ्जनं पलाण्डुं च कवकानि) लहसुन, सलगम, प्याज, कुकुरमुत्ता [छत्राक या कुम्हठा] (च) और (अमेध्यप्रभवाणि) अशुद्ध स्थान में होने वाले सभी पदार्थ (द्विजातीनाम् अभक्ष्याणि) द्विजातियों के लिये अभक्ष्य हैं॥ ५॥

"द्विज अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को मलीन, विष्ठा, मूत्रादि के संसर्ग से उत्पन्न हुए शाक फल-मूलादि न खाना।"

(स० प्र० २६५)

अनुशीलन : गृञ्जन का अर्थ शलगम—(१) यद्यपि 'गृञ्जन' शब्द का वर्तमान में 'गाजर' अर्थ प्रसिद्ध है, किन्तु प्राचीन काल में यह 'शलगम' के लिए रूढ़ रूप से प्रयुक्त होता था। धन्वन्तरि निघण्टु करवीरादि वर्ग ४। १० में गृञ्जन की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि 'गृञ्जन के मूल पर शिखा होती है, यह यवनों को बहुत प्रिय है, गोलवत् है, गांठदार मूल है। इसके अन्य नाम हैं—शिखाकन्द, कन्द, डिण्डीरमोदक। वह स्वाद में कटु, उष्ण और दुर्गन्ध युक्त है'—गृञ्जनं शिखिमूलं च यवनेष्टं च वर्तुलम्। ग्रन्थिमूलं शिखाकन्दं कन्दं डिण्डीरमोदकम्॥ गृञ्जनं कटुकोष्णं च दुर्गन्धं गुल्म—

नाशनम्।" ये लक्षण वर्तमान प्रसिद्ध पीत, रक्त या कृष्ण वर्ण और लम्बे आकार वाले गाजर में नहीं घटते।

(२) **परिगणित पदार्थों के अभक्ष्य होने में कारण**—इन पदार्थों को अभक्ष्य इस कारण माना गया है कि आयुर्वेद के अनुसार इनमें दुर्गुण की प्रमुखता है। ये सभी दुर्गन्धयुक्त पदार्थ हैं। लहसुन अत्यन्त राजसिक है, प्याज अत्यन्त तामसिक है, शलगम भी राजसिक है, छत्राक को दूषित पदार्थ माना गया है। मलिन और तामसिक-राजसिक भोजन से खाने वाले का मन भी वैसा ही बनता है। अतः ये निषिद्ध हैं। [अभक्ष्य पदार्थों का विधान ६। १४ में भी द्रष्टव्य है।]

लोहितान्वृक्षनिर्यासान्वृश्चनप्रभवांस्तथा।
शेलुं गव्यं च पेयूषं प्रयत्नेन विवर्जयेत्॥ ६॥

(लोहितान् वृक्षनिर्यासान्) लाल वृक्षों का गोंद (तथा वृश्चनप्रभवान्) तथा वृक्षों को काटने से निकलने वाला रस (शेलुम्) लसोड़े का फल (च गव्यं पेयूषम्) और गाय की पेवसी [=खीस] इन्हें (प्रयत्नेन विवर्जयेत्) प्रयत्नपूर्वक छोड़ देवे॥ ६॥

वृथा कृसरसंयावं पायसापूपमेव च।
अनुपाकृतमांसानि देवान्नानि हवींषि च॥ ७॥

(वृथा कृसर-संयावं च पायस-अपूपम्+एव) देवताओं के उद्देश्य के बिना बनाये गये तिलमिश्रित चावल, हलुवा, खीर, मालपूआ (अनुपाकृतमांसानि) मन्त्रों के उच्चारण से शुद्ध न किया हुआ मांस (देवान्नानि) देवताओं के भोग के पदार्थ (च) और (हवींषि) होम से पहले की हवि, इनको भी छोड़ देवे॥ ७॥

अनुशीलन : ६—७ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

अन्तर्विरोध—सातवें श्लोक में मांसभक्षण का वर्णन है। किसी भी प्रकार के मांस का भक्षण करना मनु की मान्यता के विरुद्ध है [विस्तृत जानकारी के लिए देखिए ४। २६—२८ श्लोकों पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक समीक्षा]। छठे श्लोक की 'विवर्जयेत्' क्रिया से सातवां श्लोक भी सम्बद्ध है। दोनों श्लोकों की सम्बद्धता के कारण दोनों श्लोक साथ के हैं। सातवां श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाने पर छठा स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाता है।

अनिर्दशाया गोः क्षीरमौष्ट्रमैकशफं तथा।
आविकं सन्धिनीक्षीरं विदस्सायाश्च गोः पयः॥ ८॥ (२)

(अनिर्दशायाः गोः क्षीरम्) ब्याई हुई गौ का पहले दश दिन का दूध (औष्ट्रम्) ऊंटनी का (तथा ऐकशफम्) तथा घोड़ी आदि का (आविकम्) भेड़ का (संधिनीक्षीरम्) सांड के संसर्ग को चाहने वाली गौ का दूध (च) और

(विवत्साया: गो: पय:) जिसका बछड़ा या बछिया मर गई हो उस गौ के दूध को भी छोड़ देवे। ['वर्ज्यानि' क्रिया अग्रिम श्लोक में है] ॥ ८ ॥

आरण्यानां च सर्वेषां मृगाणां माहिषं बिना।
स्त्रीक्षीरं चैव वर्ज्यानि सर्वशुक्तानि चैव हि ॥ ९ ॥ (३)

(माहिषं बिना) भैंस के दूध को छोड़कर (सर्वेषाम् आरण्यानां मृगाणाम्) सब जंगली पशुओं का दूध (च) और (स्त्रीक्षीरम्) स्त्री का दूध (वर्ज्यानि) वर्जित हैं (च+एव) तथा (सर्वशुक्तानि) सब प्रकार के खट्टे पदार्थ भी वर्जित हैं ॥ ९ ॥

भक्ष्य पदार्थ—

दधि भक्ष्यं च शुक्तेषु सर्वं च दधिसंभवम्।
यानि चैवाभिषूयन्ते पुष्पमूलफलैः शुभैः ॥ १० ॥ (४)

(शुक्तेषु) खट्टे पदार्थों में (दधि च सर्वं दधिसंभवम् भक्ष्यम्) दही और दही से बनने वाले सभी छाछ, मक्खन आदि पदार्थ खाने योग्य हैं (च) और (यानि) जितने पदार्थ (शुभैः) हितकारी या गुणकारक (पुष्प-मूल-फलैः अभिषूयन्ते) फूल, मूल, फलों से तैयार किये जाते हैं, वे भी खाने योग्य हैं ॥ १० ॥

अनुशीलन : श्रेष्ठ भक्ष्य पदार्थों का विधान ६। ७, १३ में भी द्रष्टव्य है—

क्रव्यादाञ्छकुनान्सर्वांस्तथा ग्रामनिवासिनः।
अनिर्दिष्टांश्चैकशफांष्टिट्टिभं च विवर्जयेत् ॥ ११ ॥

(क्रव्यादान्) कच्चा मांस खाने वाले गीध, चील आदि को (तथा सर्वान् ग्रामवासिनः शकुनान्) तथा सब गांव में रहने वाले कबूतर, चिड़िया, आदि पक्षियों को (अनिर्दिष्टान् एकशफान्) जिनका विधान नहीं किया है ऐसे एकखुर वाले गधा आदि को (च) और (टिट्टिभं विवर्जयेत्) टटिहरी पक्षी को छोड़ देवे ॥ ११ ॥

कलविङ्कं प्लवं हंसं चक्राह्वं ग्रामकुक्कुटम्।
सारसं रज्जुवालं च दात्यूहं शुकसारिके ॥ १२ ॥

(कलविङ्कं प्लवं हंसं चक्राह्वं ग्रामकुक्कुटं सारसं रज्जुवालं दात्यूहं च शुकसारिके) गोरैया, बत्तक, हंस, चकवा, गांव का मुर्गा, सारस, रज्जुवाल=जंगली मुर्गा, जलकौआ, तोता और मैना, इनको भी छोड़ दे ॥ १२ ॥

प्रतुदाञ्जालपादांश्च कोयष्टिनखविष्किरान्।
निमज्जतश्च मत्स्यादान् शौनं वल्लूरमेव च ॥ १३ ॥

(प्रतुदान्) चोंच से काटकर खाने वाले पक्षी 'कठफोड़ा' आदि (जालपादान्) जिनके पैर झिल्ली से जुड़े हों (कोयष्टि) कोहड़ा नामक पक्षी (नखविष्किरान्) खाने की वस्तुओं को नाखूनों से बिखेरकर खाने वाले तीतर आदि (च) और (निमज्जतः मत्स्यादान्) पानी में गोता लगाकर मछलियों को खाने वाले पक्षी (शौनम्) कसाई-खाने का मांस (च) तथा (वल्लूरम्) सूखा मांस—इनको भी न खाये ॥ १३ ॥

बकं चैव बलाकां च काकोलं खञ्जरीटकम् ।
मत्स्यादान्विड्वराहांश्च मत्स्यानेव च सर्वशः ॥ १४ ॥

(बकं बलाकां काकोलं खञ्जरीटकम्) बगुला, वत्तक, पहाडी कौआ, खंजन पक्षी इनके मांस को (च) और (मत्स्यादान्) मछली खाने वाले मगरमच्छ आदि विड्वराहान्) विष्ठा खाने वाले सूअर आदि (च) तथा (सर्वशः एव मत्स्यान्) सभी मछलियों के मांस को न खाये ॥ १४ ॥

यो यस्य मांसमश्नाति स तन्मांसाद उच्यते ।
मत्स्यादः सर्वमांसादस्तस्मान्मत्स्यान्विवर्जयेत् ॥ १५ ॥

(यः यस्य मांसम्+अश्नाति) जो जिसके मांस को खाता है (सः) वह (तत्) मांसादः+उच्यते) वह उसके मांस को खाने वाला कहाता है (मत्स्यादः) किन्तु मछलियों के मांस को खाने वाला (सर्वमांसादः) सर्वमांसभक्षी होता है (तस्मात्) इस कारण (मत्स्यान् विवर्जयेत्) मछलियों का मांस नहीं खाना चाहिए ॥ १५ ॥

पाठीनरोहितावाद्यौ नियुक्तौ हव्यकव्ययोः ।
राजीवान्सिंहतुण्डांश्च सशल्कांश्चैव सर्वशः ॥ १६ ॥

किन्तु (हव्य-कव्ययोः नियुक्तौ) हव्य और कव्य के लिए समर्पित (पाठीन-रोहितौ) पाठीन और रोहू मछलियां (आद्यौ) खा लेनी चाहिएँ (च) और (राजीवान् सिंहतुण्डान् सर्वशः सशल्कान् एव) राजीव, सिंहतुण्ड और सब काँटेदार मछलियों को भी इस विधि से खा लेना चाहिए ॥ १६ ॥

न भक्षयेदेकचरानज्ञातांश्च मृगद्विजान् ।
भक्ष्येष्वपि समुद्दिष्टान्सर्वान्पञ्चनखांस्तथा ॥ १७ ॥

(एकचरान्) अकेले विचरण करने वाले सांप आदि (अज्ञातान् मृग-द्विजान्) जिनके मांस के गुणदोषों का ज्ञान न हो ऐसे पशु तथा पक्षियों का (भक्ष्येषु+अपि समुद्दिष्टान्) भक्ष्य बताये गए पशुपक्षियों में भी जिनके गुणदोषों का ज्ञान न हो उन्हें (तथा सर्वान् पञ्चनखान्) तथा सब पञ्चनखों जैसे बन्दर, लंगूर आदि को न खाये ॥ १७ ॥

श्वावित्रं शल्यकं गोधां खड्गकूर्मशशांस्तथा ।
भक्ष्यान्पञ्चनखेष्वाहुरनुष्ट्रांश्चैकतोदतः ॥ १८ ॥

(श्वाविधं शल्यकं गोधां तथा खड्ग-कूर्म-शशान्) सेह या शाही नामक प्राणी, शल्यक, गोह, गेंडा, कछुआ और खरगोश इनको (पञ्चनखेषु) पांच नाखून वालों में (च) तथा (अनुष्ट्रान्) ऊंट को छोड़कर (एकतोदतः) एक ओर के दाँत वाले पशुओं को (भक्ष्यान् आहुः) खाने योग्य कहा है ॥ १८ ॥

छत्राकं विड्वराहं लशुनं ग्रामकुक्कुटम् ।
पलाण्डुं गृञ्जनं चैव मत्या जग्ध्वा पतेद् द्विजः ॥ १९ ॥

(छत्राकं विट्वराहं लशुनं ग्रामकुक्कुटम्) छत्राक =कुम्हठा, विष्ठा खाने वाला सूअर, लहसुन, गांव का मुर्गा (पलाण्डुं च गृञ्जनं मत्या जग्ध्वा) प्याज और सलगम को जानबूझकर खाने से (द्विजः पतेत्) द्विज पतित हो जाता है ॥ १९ ॥

अमत्यैतानि षड् जग्ध्वा कृच्छ्रं सान्तपनं चरेत् ।
यतिचान्द्रायणं वापि शेषेषूपवसेदहः ॥ २० ॥

(एतानि षट् अमत्या जग्ध्वा) ऊपर वर्णित इन छः वस्तुओं को अनजाने में खाकर (कृच्छ्रं सान्तपनं वा यतिचान्द्रायणं चरेत्) कष्टप्रद 'सान्तपन' [११ । २१२] अथवा 'यतिचान्द्रायण' [११ । २१८] नामक प्रायश्चित्त करे (अपि शेषेषु) और शेष बची वस्तुओं को खाकर (अहः उपवसेत्) एक दिन उपवास करे ॥ २० ॥

संवत्सरस्यैकमपि चरेत्कृच्छ्रं द्विजोत्तमः ।
अज्ञातभुक्तशुद्ध्यर्थं ज्ञातस्य तु विशेषतः ॥ २१ ॥

(द्विजोत्तमः) श्रेष्ठ द्विज (अज्ञातभुक्तशुद्ध्यर्थम्) अनजाने में खाई गई अभक्ष्य वस्तुओं की शुद्धि के लिए (संवत्सरस्य एकम्+अपि कृच्छ्रं चरेत्) वर्ष भर में एक 'कृच्छ्र' [११ । २११] प्रायश्चित्त ही कर ले [तो भी पर्याप्त है] (तु ज्ञातस्य) किन्तु जानबूझकर खाये हुए की शुद्धि के लिये (विशेषतः) विशेषरूप से कहे गये प्रायश्चित्तों को ही करे ॥ २१ ॥

यज्ञार्थं ब्राह्मणैर्वध्याः प्रशस्ता मृगपक्षिणः ।
भृत्यानां चैव वृत्त्यर्थमगस्त्यो ह्याचरत्पुरा ॥ २२ ॥

(ब्राह्मणैः) ब्राह्मणों को (यज्ञार्थम्) यज्ञ के लिये (प्रशस्ता मृगपक्षिणः) उत्तम पशुओं और पक्षियों को (वध्याः) मार लेना चाहिये (च) और (भृत्यानां वृत्त्यर्थम्) एव) सेवकों के पालन-पोषण के लिये मार लें (पुरा अगस्त्यः हि आचरत्) प्राचीन काल में महर्षि अगस्त्य ने भी ऐसा ही किया था ॥ २२ ॥

बभूवुर्हि पुरोडाशा भक्ष्याणां मृगपक्षिणाम् ।
पुराणेष्वपि यज्ञेषु ब्रह्मक्षत्रसवेषु च ॥ २३ ॥

(हि पुराणेषु+अपि यज्ञेषु च ब्रह्मक्षत्रसवेषु) क्योंकि पहले भी यज्ञों में और

ब्राह्मण क्षत्रियों के संयुक्त यज्ञानुष्ठानों में (भक्ष्याणां मृग-पक्षिणाम्) भक्ष्य कहे गये पशु और पक्षियों के (पुरोडाशाः बभूवुः) पुरोडाश—यज्ञ के लिये निर्मल अन्न या हविष्यान्न बने हैं ॥ २३ ॥

अनुशीलन : ११—२३ श्लोक निम्न प्रकार से प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—सभी प्रकार का मांसभक्षण और यज्ञों में मांस डालना मनु की मान्यता के विरुद्ध है, अतः ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं [विस्तृत जानकारी के लिये ४।२६—२८ श्लोकों पर समीक्षा देखिये 'अन्तर्विरोध' शीर्षक] ।

२. **प्रसंगविरोध**—ये श्लोक पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध हैं और पूर्वापर प्रसंग को भंग कर रहे हैं। १० वें श्लोक में दही और दही से बने पदार्थों के खान का विधान किया है और २४ वें में दही से बने पदार्थों में घृत और घृतनिर्मित पदार्थों के भक्षण का विधान है। बीच के मांसभक्षण सम्बन्धी वर्णन ने उस प्रसंग को भंग कर दिया है। इस प्रकार प्रसंगविरुद्ध होने के कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

यत्किंचित्स्नेहसंयुक्तं भोज्यं भोज्यमगर्हितम् ।
यत्पर्युषितमप्याद्यं हविःशेषं च यद्भवेत् ॥ २४ ॥ (५)

(अगर्हितम्) दोषरहित या अनिन्दित अर्थात् निन्दित मांस आदि भोजन [५। ४५—४६, ५१] से रहित और (यत् किंचित् भोज्य स्नेह-संयुक्तम्) जो कोई खाने की वस्तु चिकनाई अर्थात् घृत आदि से मिलाकर बनायी गयी हो (तत् पर्युषितम्+अपि) वह बासी भी (भोज्यम्) खा लेनी चाहिए (च) तथा (यत् हविः शेषं भवेत्) जो यज्ञ की हवि से बची खाद्य-वस्तु हो वह भी (आद्यम्) खा लेनी चाहिए ॥ २४ ॥

चिरस्थितमपि त्वाद्यमस्नेहाक्तं द्विजातिभिः ।
यवगोधूमजं सर्वं पयसश्चैव विक्रिया ॥ २५ ॥ (६)

(द्विजातिभिः) द्विजातियों को (यव-गोधूमजं सर्वम्) जौ और गेहूं से बने पदार्थ (च) तथा (पयसः विक्रिया एव) दूध के विकार से बने खोया, मिठाई आदि पदार्थ (अस्नेहाक्तम्) घृत आदि चिकनी वस्तु के मेल से न बने हों तो भी (चिरस्थितम्+अपि) देर से बने हुए भी (आद्यम्) खा लेने चाहिएं ॥ २५ ॥

मांसभक्षण की यज्ञीय विधि—

एतदुक्तं द्विजातीनां भक्ष्याभक्ष्यमशेषतः ।
मांसस्यातः प्रवक्ष्यामि विधिं भक्षणवर्जने ॥ २६ ॥

(एतत् द्विजातीनां भक्ष्य+अभक्ष्यम् अशेषतः उक्तम्) यह द्विजातियों का भक्ष्य और अभक्ष्य पूर्ण रूप से कहा (अतः) अब (मांसस्य भक्षणवर्जने विधिं प्रवक्ष्यामि) मांस के खाने और छोड़ने की विधि को कहूंगा—॥ २६ ॥

प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसं ब्राह्मणानां च काम्यया।
यथाविधि नियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये ॥ २७ ॥

मनुष्य (प्रोक्षितम्) मन्त्रों से पवित्र किया हुआ मांस (ब्राह्मणानां काम्यया) ब्राह्मणों की इच्छा हो तब (च) और (यथाविधि नियुक्तः) शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यज्ञ के लिए अर्पित मांस (च) और (प्राणानाम् अत्यये एव) प्राणों के संकट में पड़ जाने पर (मांसं भक्षयेत्) मांस खा ले ॥ २७ ॥

प्राणस्यान्नमिदं सर्वं प्रजापतिरकल्पयत्।
स्थावरं जङ्गमं चैव सर्वं प्राणस्य भोजनम् ॥ २८ ॥

(प्रजापतिः) प्रजापति ने (इदं सर्वं स्थावरं च जङ्गमम्) यह सब स्थावर [अन्न, शाक, फल आदि] और चर [पशु-पक्षी आदि] संसार (प्राणस्य+अन्नम्) जीव के खाने के लिए अन्न के रूप में और (सर्वं प्राणस्य भोजनम्) सब कुछ जीव के भोजन के लिए (अकल्पयत्) बनाया है ॥ २८ ॥

चराणामन्नमचरा दंष्ट्रिणामप्यदंष्ट्रिणः।
अहस्ताश्च सहस्तानां शूराणां चैव भीरवः ॥ २९ ॥

(अचराः चराणाम्) स्थावर घास, फल-फूल आदि खाद्य वस्तुएं चर प्राणियों के (अदंष्ट्रिणः दंष्ट्रिणाम्) दांत-जाड़ से रहित प्राणी दाँत-जाड़ वालों [व्याघ्र आदि] के (च) और (अहस्ताः) हाथ से रहित [मछली आदि] (सहस्तानाम्) हाथ वालों [मनुष्य आदि] के (च) तथा (भीरवः शूराणाम्) डरपोक बहादुरों के (अन्न) अन्न अर्थात् भक्ष्य हैं ॥ २९ ॥

नात्ता दुष्यत्यदन्नाद्यान्प्राणिनोऽहन्यहन्यपि।
धात्रैव सृष्टा ह्याद्याश्च प्राणिनोऽत्तार एव च ॥ ३० ॥

(अत्ता) खाने का अधिकारी मनुष्य (आद्यान् प्राणिनः) भक्ष्य प्राणियों को (अहनि+अहनि+अपि अदन्) प्रतिदिन खाते हुए भी (न दुष्यति) किसी पाप का भागी या दोषी नहीं होता (हि) क्योंकि (आद्याः प्राणिनः) खाने के लिए प्राणी (च) और (अत्तारः) उनको खाने वालों को (धात्रा एव सृष्टाः) परमात्मा ने ही बनाया है ॥ ३० ॥

यज्ञाय जग्धिर्मांसस्येत्येष दैवो विधिः स्मृतः।
अतोऽन्यथा प्रवृत्तिस्तु राक्षसो विधिरुच्यते ॥ ३१ ॥

(यज्ञाय मांसस्य जग्धिः) यज्ञ के लिए मांस का खाना (इति+एषः दैवविधिः स्मृतः) यह 'देवविधि' मानी गयी है (अतः+अन्यथा प्रवृत्तिः तु) इस से भिन्न विधि से मांस खाना तो (राक्षसः विधिः+उच्यते) 'राक्षसविधि' कही गयी है ॥ ३१ ॥

क्रीत्वा स्वयं वाऽप्युत्पाद्य परोपकृतमेव वा ।
देवान्पितॄंश्चार्चयित्वा खादन्मांसं न दुष्यति ॥ ३२ ॥

(क्रीत्वा) खरीदकर (वा) अथवा (स्वयम् अपि+उत्पाद्य) स्वयं मारकर मांस तैयार करके (वा) अथवा (परः+उपकृतम्) दूसरे के द्वारा भेंट किये गये (मांसम्) मांस को (देवान् च पितॄन् अर्चयित्वा खादन्) देवताओं और पितरों को अर्पण करके खाने से (न दुष्यति) मनुष्य दोषभागी नहीं होता ॥ ३२ ॥

नाद्यादविधिना मांसं विधिज्ञोऽनापदि द्विजः ।
जग्ध्वा ह्यविधिना मांसं प्रेत्य तैरद्यतेऽवशः ॥ ३३ ॥

(अनापदि) आपत्तिरहित काल में (मांसविधिज्ञः द्विजः) मांस खाने की विधि को जानने वाला द्विज (अविधिना) उक्त विधि के बिना (न+अद्यात्) मांस को न खाये (हि) क्योंकि (अविधिना मांसं जग्ध्वा) विधिरहित रूप से मांस खाकर (प्रेत्य) परलोकों में (तैः) उन खाये गये प्राणियों द्वारा (अवशः+अद्यते) बलात् खाया जाता है ॥ ३३ ॥

न तादृशं भवत्येनो मृगहन्तुर्धनार्थिनः ।
यादृशं भवति प्रेत्य वृथामांसानि खादतः ॥ ३४ ॥

(धनार्थिनः मृगहन्तुः) धन के लिए पशुओं को मारने वाले व्यक्ति को भी (तादृशम् एनः न भवति) वैसा पाप नहीं होता (यादृशम्) जैसा (वृथामांसानि खादतः) देवताओं के उद्देश्य के बिना मांस खाने वाले को (प्रेत्य) मरने के बाद होता है ॥ ३४ ॥

नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसं नात्ति मानवः ।
स प्रेत्य पशुतां याति संभवानेकविंशतिम् ॥ ३५ ॥

(यः मानवः) जो मनुष्य (यथान्यायं नियुक्तः तु मांसं न+अत्ति) यथाविधि श्राद्ध या मधुपर्क में समर्पित मांस को नहीं खाता है (सः) वह (प्रेत्य) मरकर (एकविंशतिं संभवान् पशुतां याति) इक्कीस जन्मों तक पशुओं का जन्म पाता है ॥ ३५ ॥

असंस्कृतान्पशून्मन्त्रैर्नाद्याद्विप्रः कदाचन ।
मन्त्रैस्तु संस्कृतानद्याच्छाश्वतं विधिमास्थितः ॥ ३६ ॥

(विप्रः) ब्राह्मण को चाहिए कि (कदाचन) कभी भी (मन्त्रैः असंस्कृतान् पशून् न+अद्यात्) मन्त्रों से पवित्र न किये गये पशुमांसों को न खाये (शाश्वतं विधिम्+

आस्थितः) सनातन विधि में आस्था रखकर (मन्त्रैः संस्कृतान् तु अश्नात्) मन्त्रों से पवित्र किये गये मांसों को ही खाये ॥ ३६ ॥

कुर्याद् घृतपशुं संगे कुर्यात्पिष्टपशुं तथा।
न त्वेव तु वृथा हन्तुं पशुमिच्छेत्कदाचन ॥ ३७ ॥

(संगे) पशुमांस खाने की अधिक इच्छा होने पर (घृतपशुं कुर्यात्) घी का पशु बनाकर खा ले (तथा) अथवा (पिष्टपशुं कुर्यात्) चून का ही पशु बनाकर खा ले (तु) किन्तु (कदाचन) कभी भी (वृथा एव) यज्ञादि उद्देश्य के बिना (पशुं हन्तुं न तु इच्छेत्) पशु को मारने की भी इच्छा न करे, फिर खाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता ॥ ३७ ॥

यावन्ति पशुरोमाणि तावत्कृत्वो हि मारणम्।
वृथापशुघ्नः प्राप्नोति प्रेत्य जन्मनि जन्मनि ॥ ३८ ॥

(वृथापशुघ्नः) यज्ञ-देवता आदि के बिना पशुओं को मारने वाला (प्रेत्य) मरकर (जन्मनि जन्मनि) जन्म-जन्मान्तरों में (यावन्ति पशुरोमाणि) जितने उस मारे गये पशु के रोम हैं (तावत्कृत्वा हि) उतनी ही बार (मारणं प्राप्नोति) मारा जाता है ॥ ३८ ॥

यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा।
यज्ञस्य भूत्यै सर्वस्य तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः ॥ ३९ ॥

(स्वयम्भुवा) ब्रह्मा ने (स्वयम्) स्वयं (पशवः) पशुओं को (यज्ञार्थम् एव सृष्टाः) यज्ञ के लिए ही बनाया (च) और (यज्ञः) यज्ञ (सर्वस्य भूत्यै) सब के कल्याण के लिए है (तस्मात्) इस कारण से (यज्ञे वधः+अवधः) यज्ञ में 'पशु आदि प्राणियों की हिंसा करना' अहिंसा ही है ॥ ३९ ॥

ओषध्यः पशवो वृक्षास्तिर्यञ्चः पक्षिणस्तथा।
यज्ञार्थं निधनं प्राप्ताः प्राप्नुवन्त्युत्सृतीः पुनः ॥ ४० ॥

(ओषध्यः) ओषधियाँ (पशवः) पशु (वृक्षाः) वृक्ष (तिर्यञ्चः) तिर्यक्योनि वाले साँप, कछुए आदि (तथा पक्षिणः) तथा पक्षी (यज्ञार्थं निधनं प्राप्ताः) यज्ञ के लिए मृत्यु को प्राप्त होकर (पुनः उत्सृतीः प्राप्नुवन्ति) फिर उद्धार या उत्तम योनि को प्राप्त करते हैं ॥ ४० ॥

मधुपर्के च यज्ञे च पितृदैवतकर्मणि।
अत्रैव पशवो हिंस्या नान्यत्रेत्यब्रवीन्मनुः ॥ ४१ ॥

(मधुपर्के यज्ञे पितृ-दैवत-कर्मणि) मधुपर्क में, यज्ञ में, श्राद्ध और देवकर्म में (अत्र+एव पशवः हिंस्याः) केवल इन्हीं स्थानों पर पशुओं की हिंसा करनी चाहिए (अन्यत्र न) और कहीं नहीं (इति मनुः अब्रवीत्) ऐसा मनु ने कहा है ॥ ४१ ॥

एष्वर्थेषु पशून्हिंसन्वेदतत्त्वार्थविद् द्विजः।
आत्मानं च पशुं चैव गमयत्युत्तमं गतिम् ॥ ४२ ॥

(वेदतत्त्वार्थवित्) वेद के रहस्य को जानने वाला (द्विजः) द्विज (एषु+अर्थेषु पशून् हिंसन्) ऊपरवर्णित इन अवसरों में पशुओं की हिंसा करके (आत्मानं च पशुम्) अपने को और पशु को (उत्तमां गतिं गमयति) उत्तम गति प्राप्त कराता है ॥ ४२ ॥

गृहे गुरावरण्ये वा निवसन्नात्मवान्द्विजः।
नावेदविहितां हिंसामापद्यपि समाचरेत् ॥ ४३ ॥

(गृहे गुरौ वा अरण्ये निवसन्) घर में, गुरु के यहां अथवा जंगल में रहते हुए (आत्मवान् द्विजः) आत्मा की उन्नति या पवित्रता चाहने वाला द्विज (आपदि+अपि) आपत्ति काल में भी (अवेदविहितां हिंसाम्) वेदविरुद्ध हिंसा को (न समाचरेत्) न करे ॥ ४३ ॥

या वेदविहिता हिंसा नियतास्मिंश्चराचरे।
अहिंसामेव तां विद्याद्वेदाद्धर्मो हि निर्बभौ ॥ ४४ ॥

(अस्मिन् चर+अचरे) इस चर-अचर संसार में (या हिंसा वेदविहिता नियता) जो हिंसा वेदों के विधानों द्वारा निश्चित की है (ताम् अहिंसाम्+एव विद्यात्) उसे अहिंसा ही समझना चाहिए (हि) क्योंकि (धर्मः) धर्म (वेदात् निर्बभौ) वेद से उत्पन्न हुआ है ॥ ४४ ॥

अनुशीलन : २६ से ४४ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—सभी प्रकार के मांसभक्षण की मान्यता और पशुयज्ञ का विधान सर्वथा मनु की मान्यता के विरुद्ध है; अतः ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं। (विस्तृत जानकारी के लिए ४। २६—२८ श्लोकों पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक समीक्षा देखिए)।

२. **प्रसंगविरोध**—५। २४–२५ श्लोकों में मांस आदि से रहित अनिन्दित भोजन करने का कथन किया है। तदनुसार ४५–४६, ५१ श्लोकों में मांस का भोजन निन्दित है और वह किस प्रकार निन्दित है, यह वर्णित किया गया है (इस प्रकार २४—२५ श्लोकों की ४५ वें श्लोक से प्रसंगगत सम्बद्धता है। इन श्लोकों में इनसे विरुद्ध निन्द्य भोजन का ही वर्णन किया है, जिससे प्रसंग भंग हो गया है। अतः ये श्लोक प्रसंगविरुद्ध प्रक्षेप हैं।

३. **शैलीगत आधार**—४१ वें श्लोक में **'अब्रवीत् मनुः'** पद से यह श्लोक मनु से भिन्न व्यक्ति द्वारा रचित सिद्ध होता है, अतः यह श्लोक प्रक्षिप्त है; और पूर्वापर प्रसंग मण्डन-खण्डन या वेद के नाम से मण्डनात्मक रूप में होने से पूर्णतः इससे सम्बद्ध है। अतः इसके प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाता है।

४. **अवान्तर विरोध**—आश्चर्य की बात तो यह है कि मांसभक्षण की सिद्धि

के लिए प्रक्षेप करने वाले व्यक्तियों ने ऐसी अन्धता से प्रक्षेप किये हैं कि उन्हें अपने पूर्वापर श्लोकों का भी ध्यान नहीं रहा। ये प्रक्षेप करने वाले भी अनेक व्यक्ति रहे हैं। इनकी परस्पर की बातों में भी अनेक विरोध हैं और मांससम्बन्धी सभी प्रमुख प्रसंगों में विरोधी विधान हैं। इनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी प्रसंग अप्रामाणिक हैं। मांसभक्षियों के जो मन में आया वैसा श्लोक बनाकर डाल दिया। मांसभक्षण की सिद्धि के लिए परलोक, पुण्य, यज्ञ, वेद, प्राचीन ऋषि, सबकी आड़ ली। अपने स्वार्थ के लिए यज्ञ और वेद को भी बदनाम और दूषित किया। अपनी बातों की सिद्धि के जो युक्तियाँ दी हैं वे अत्यन्त छिछली, हास्यास्पद, और स्वार्थपूर्ण हैं, जैसे—यज्ञ के लिए मांस खाना पुण्यदायक और देवताओं की विधि है, और यज्ञ के बिना अपनी शरीर-पुष्टि के लिए मांस खाना राक्षसों का कार्य है [५। ३१]। देवता और राक्षस में अन्तर कितनी आसानी से हो गया! इसी प्रकार निम्न अवान्तरविरोधों से कुछ ऐसी ही अन्य वच्चों जैसी बातें स्पष्ट हो जायेंगी—(१) ५। १४, १५ श्लोकों में मछलियों का खाना पूर्णतः निषिद्ध है, और १६ वें में निमन्त्रण में मछली खा लेने का विधान है। (२) ३। २६८ से २७२ श्लोकों में कहा है कि श्राद्ध में मछली का मांस खाने से दो महीने तक पितर तृप्त होते हैं, सूकर के मांस से दशमास, कछुए के मांस से ग्यारह मास, गेंडे के मांस से अनन्त वर्ष तक पितर तृप्त होते है, किन्तु ५। १८—१९ में इनका मांस न खाने का विधान है और कहा है कि इनका मांस खाने से द्विज पतित हो जाता है। (३) ५। २२ में कहा है कि स्त्री, सेवक आदि के पालन के लिए पशु-पक्षी मारने चाहिएँ और ५। ३८ में कहा है कि यज्ञ के बिना पशुओं को मारने वाला, जितने पशुओं को मारता है, उतने ही जन्म लेकर बदले में वह भी मारा जाता है। (४) ५। ११—१९ श्लोकों में कुछ पशुओं को भक्ष्य और कुछ को अभक्ष्य कहा है, जबकि ५। ३० में कहा है कि ब्रह्मा ने सारे पशु-पक्षियों को खाने के लिए रचा है। उनके खाने में मनुष्य दूषित नहीं होता।

इस प्रकार मांसभक्षण के सभी प्रसंग हास्यास्पद बातों से भरे हैं, जिनसे वे अप्रामाणिक और प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं।

५. **वेदविरोध**—इस प्रसंग में मांसभक्षण की सिद्धि के लिए प्रक्षेप करने वालों ने वेद की आड़ ली है और मांसभक्षण को वेदविहित माना है। स्वार्थी लोगों ने अपनी उदरपूर्ति के लिए झूठ ही वेदों को और यज्ञ को बदनाम करने का प्रयास किया है। '**वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति**' की आड़ लेकर उसे भोजन प्रकरण में लागू करके अपने आचरण को शास्त्रसम्मत सिद्ध करने की कोशिश की गई है। यह बात यहाँ लागू ही नहीं होती। यतोहि यहां भोजन का प्रसंग है और इसमें मांसविधान को वेद-सम्मत बताने के लिए इस युक्ति का प्रयोग किया गया है। मांसभक्षण अथवा यज्ञ में हिंसा का वेदों में स्पष्टरूप से निषेध किया है। यहां तक कि केवल अन्नाहारी (अर्थात् मांसाहारी नहीं) व्यक्तियों को यज्ञ करने का अधिकार दिया है। प्रमाणयुक्त विस्तृत विवेचन के लिए ५। २६—२८ की 'वेदविरोध' समीक्षा देखिए।

निन्दित भोजन मांस हिंसामूलक होने से पाप है—

योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया।
स जीवंश्च मृतश्चैव न क्वचित्सुखमेधते ॥ ४५ ॥ (७)

(यः) जो व्यक्ति (आत्मसुख+इच्छया) अपने सुख की इच्छा से (अहिंसकानि भूतानि) कभी न मारने योग्य प्राणियों की (हिनस्ति) हत्या करता है (सः) वह (जीवन् च मृतः) जीते हुए और मरकर भी (क्वचित् सुखं न एधते) कहीं भी सुख को प्राप्त नहीं करता ॥ ४५ ॥

अनुशीलन : ४५ वें श्लोक की प्रसंगसम्बद्धता पर विचार—५ । २४—२५ श्लोकों में 'अगर्हितम्' पद से अनिन्द्य भोजन का विधान किया है। मांस आदि का भोजन शास्त्र एवं लोक—दोनों द्वारा निन्दित है। उन श्लोकों की प्रसंगप्राप्त्यनुसार ४५—४९, ५१ श्लोकों में इस बात का वर्णन किया है कि—'मांस एक निन्दित भोजन है, और किस प्रकार वह निन्दित है।' इस प्रकार २४–२५ श्लोकों से ४५ वें श्लोक की प्रसंगसम्बद्धता सिद्ध होती है।

यो बन्धनवधक्लेशान्प्राणिनां न चिकीर्षति।
स सर्वस्य हितप्रेप्सुः सुखमत्यन्तमश्नुते ॥ ४६ ॥ (८)

(यः) जो व्यक्ति (प्राणिनां बन्धन-वध-क्लेशान् न चिकीर्षति) प्राणियों को बन्धन में डालने, वध करने, उनको पीड़ा पहुंचाने की इच्छा नहीं करता (सः) वह (सर्वस्य हितप्रेप्सुः) सब प्राणियों का हितैषी (अत्यन्तं सुखम्+अश्नुते) बहुत अधिक सुख को प्राप्त करता है ॥ ४६ ॥

यद्ध्यायति यत्कुरुते धृतिं बध्नाति यत्र च।
तदवाप्नोत्ययत्नेन यो हिनस्ति न किञ्चन ॥ ४७ ॥ (९)

(यः) जो व्यक्ति (किंचन न हिनस्ति) किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता वह (यत् ध्यायति) जिसका ध्यान करता है (यत् कुरुते) जिस काम को करता है (च) और (यत्र धृतिं बध्नाति) जहां धैर्ययुक्त मन को लगाता है (तत्) उसको (अयत्नेन) सुगमता से (अवाप्नोति) प्राप्त कर लेता है ॥ ४७ ॥

नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते क्वचित्।
न च प्राणिवधः स्वर्ग्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत् ॥ ४८ ॥(१०)

(प्राणिनां हिंसाम् अकृत्वा क्वचित् मांसं न उत्पद्यते) प्राणियों की हिंसा किये बिना कभी मांस प्राप्त नहीं होता (च) और (प्राणिवधः) जीवों

की हत्या करना (न स्वर्ग्यः) सुखदायक नहीं है (तस्मात्) इस कारण (मांसं विवर्जयेत्) मांस नहीं खाना चाहिए ॥ ४८ ॥

समुत्पत्तिं च मांसस्य वधबन्धौ च देहिनाम् ।
प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात् ॥ ४९ ॥ (११)

(च) और (मांसस्य समुत्पत्तिम्) मांस की उत्पत्ति जैसे होती है उसको (देहिनां वध-बन्धौ) प्राणियों की हत्या और बन्धन के कष्टों को (प्रसमीक्ष्य) देखकर (सर्वमांसस्य भक्षणात्) सब प्रकार के मांसभक्षण से (निवर्तेत) दूर रहे ॥ ४९ ॥

न भक्षयति यो मांसं विधिं हित्वा पिशाचवत् ।
स लोके प्रियतां याति व्याधिभिश्च न पीड्यते ॥ ५० ॥

(यः) जो मनुष्य (पिशाचवत्) राक्षस के समान (विधिं हित्वा) भक्ष्य-अभक्ष्य की विधि=नियमों को छोड़कर (मांसं न भक्षयति) अभक्ष्य मांस को नहीं खाता है (सः) वह (लोके प्रियतां याति) लोके में प्रेम को प्राप्त करता है (च) और (व्याधिभिः न पीड्यते) रोगों से पीड़ित नहीं होता ॥ ५० ॥

अनुशीलन : ५० वां श्लोक प्रक्षिप्त है—

१. **अन्तर्विरोध**—मनु की मान्यता के अनुसार सभी प्रकार का मांसभक्षण निषिद्ध और निन्दित है। इस श्लोक में 'विधि' शब्द द्वारा केवल विधिरहित मांस की निन्दा है, शेष न्याय से 'विधिपूर्वक' मांस का समर्थन है; अतः यह मान्यता मनुविरुद्ध है [विस्तृत समीक्षा ४। २६—२८ पर देखिए]।

२. **प्रसंगविरोध**—पूर्वापर प्रसंग सर्वप्रकार के मांसभक्षण के निषेध का है। ४९ वें "निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात्" कहा है और ५१ वें में मांसप्राप्ति से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों को पापी माना है। बीच में विधि और अविधि के आधार पर मांसभक्षण की निन्दा या प्रशंसा पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध है। अतः ५० वां श्लोक प्रक्षिप्त है।

३. **शैलीगत आधार**—इसकी शैली भी अयुक्तियुक्त है। 'विधिरहित मांस खाने वाला रोगों से पीड़ित होता है और विधिपूर्वक खाने वाला पीड़ित नहीं होता' यह कथन निराधार है। मांस के गुण यज्ञ में डालकर खाने से कदापि नहीं बदल सकते। इस प्रकार भी यह प्रक्षिप्त सिद्ध होता है।

मांसभक्षण-प्रसंग में आठ प्रकार के पापियों की गणना—

अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी ।
संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः ॥ ५१ ॥ (१२)

(अनुमन्ता) मारने की आज्ञा देने वाला (विशसिता) मांस को काटने,

वाला (निहन्ता) पशु को मारने वाला (क्रय-विक्रयी) पशुओं को मारने के लिए मोल लेने और बेचने वाला (संस्कर्त्ता) पकाने वाला (उपहर्त्ता) परोसने वाला (च) और (खादकः) खाने वाला (इति घातकाः) ये सब हत्यारे और पापी हैं ॥ ५१ ॥

"अनुमति=मारने की आज्ञा देने, मांस के काटने, पशु आदि के मारने, उनको मारने के लिए लेने और बेचने, मांस के पकाने, परोसने और खाने वाले, आठ मनुष्य घातक=हिंसक अर्थात् ये सब पापकारी हैं"।
(द० ल० गो० ४११)

अनुशीलन : जैसे हिंसा के पाप में आठ प्रकार के पापी होते हैं उसी प्रकार अन्य अधर्म के कार्यों में भी ये सब पापी होते हैं, और सभी को उसका फल मिलता है। इसकी सिद्धि के लिए ४। १७३ वाँ श्लोक प्रमाणरूप में द्रष्टव्य है।

स्वमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति।
अनभ्यर्च्य पितॄन्देवांस्ततोऽन्यो नास्त्यपुण्यकृत् ॥ ५२ ॥

(पितॄन्-देवान् अनभ्यर्च्य) पितरों और देवताओं को बिना पूजे (यः) जो व्यक्ति (परमांसेन) दूसरे प्राणियों के मांस से (स्वमांसं वर्धयितुम्+इच्छति) अपने मांस को बढ़ाना चाहता है (ततः+अन्यः अपुण्यकृत् न+अस्ति) उससे बढ़कर पापी कोई दूसरा नहीं है ॥ ५२ ॥

वर्षे वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत शतं समाः।
मांसानि च न खादेद्यस्तयोः पुण्यफलं समम् ॥ ५३ ॥

(यः) जो व्यक्ति (शत समाः) सौ वर्ष तक (वर्षे वर्षे+अश्वमेधेन यजेत) प्रतिवर्ष अश्वमेध यज्ञ करता है (च) और (यः) जो (मांसानि न खादेत्) मांस नहीं खाता (तयोः पुण्यफलं समम्) उन दोनों के पुण्य का फल बराबर होता है ॥ ५३ ॥

फलमूलाशनैर्मेध्यैर्मुन्यन्नानां च भोजनैः।
न तत्फलमवाप्नोति यन्मांसपरिवर्जनात् ॥ ५४ ॥

(मेध्यैः फल-मूल-अशनैः) पवित्र फल-मूल खाने से (च) और (मुनि+अन्नानां भोजनैः) नीवार आदि मुनियों के अन्न चावलादि खाने से भी (तत् फलं न अवाप्नोति) वह पुण्यफल नहीं प्राप्त होता (यत्) जो (मांसपरिवर्जनात्) मांस के छोड़ने से होता है ॥ ५४ ॥

मां सः भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम्।
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ५५ ॥

(इह अहं यस्य ५ पम् अदिम अमुत्र मां सः भक्षयिता) इस जन्म में मैं जिसके

मांस को खा रहा हूं परजन्म में 'माम् मुझे, सः=वह [मां+सः] खायेगा' (एतत् मांसस्य मांसत्वम्) यही मांस का मांसपन अर्थात् अभिप्राय या मांस खाने का फल (मनीषिणः प्रवदन्ति) विद्वान् लोग बतलाते हैं ॥ ५५ ॥

न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने।
प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ ५६ ॥

(न मांसभक्षणे दोषः) न मांस खाने में कोई दोष है (न मद्ये) न शराब पीने में (च) और (न मैथुने) न किसी के साथ मैथुन करने में ही बुराई है (एषा भूतानां प्रवृत्तिः) यह प्राणियों का स्वभाव ही है (तु) किन्तु (निवृत्तिः महाफला) इनका त्याग करना महान् फल देने वाला है। अतः इन्हें त्याग देना चाहिए ॥ ५६ ॥

अनुशीलन : ५२ से ५६ श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—(१) ५२ वां श्लोक विधिपूर्वक मांसभक्षण का विधायक है और ५६ वां सर्व प्रकार के मांसभक्षण का। मनु ने सब प्रकार से मांसभक्षण का निषेध किया है। मांसभक्षण तो क्या, उसमें सहयोगी भी दोषी हैं [५। ५१]। मनु-विरुद्ध मान्यता होने से ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं [विस्तृत समीक्षा ४। २६—२८ पर द्रष्टव्य है।] (२) इसी प्रकार मद्यविधान भी मनुविरुद्ध है। मनु ने "वर्जयेत् मधुमांसं च" [२। १५२ (१७७); ५। १४] कहकर मधु अर्थात् मद्य का स्पष्टतः निषेध किया है। (३) ५२ वें श्लोक में मृतकश्राद्ध की मान्यता के आधार पर मांसभक्षण का संकेत है। यह मान्यता भी मनुविरुद्ध है [देखिए ३। ११६ से २८४ श्लोकों पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक]। (इसी प्रकार किसी एक ही कर्म द्वारा परजन्म की योनि का निश्चय करना (५५) भी मनुविरुद्ध है। मनु अनेक कर्मों के आधार पर उत्तम, मध्यम, अधम योनियों की प्राप्ति मानते हैं [१२। ३—६, ४०—५२, ७३—७४]। इस प्रकार अनेक अन्तर्विरोधों के आधार पर ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. **शैलीगत आधार**—५३ वें श्लोक में सौ वर्ष तक के अश्वमेध यज्ञों के फल तथा मांस न खाने के फल की समानता का निश्चय करना, ५४ वें में मुन्यन्नों से भी बढ़कर मांस छोड़ने के फल का निश्चय करना आदि बातें निराधार एवं अयुक्तियुक्त तथा अतिशयोक्तिपूर्ण शैली की हैं। इनका ऐसा निश्चय न तो किसी मानदण्ड से संभव है और न सम्बद्धता है।

(गृहस्थान्तर्गत देहशुद्धि-विषय)
[५। ५७ से ५। ११० तक]

देहशुद्धिं प्रवक्ष्यामि द्रव्यशुद्धिं तथैव च।
चतुर्णामपि वर्णानां यथावदनुपूर्वशः ॥ ५७ ॥ (१३)

(चतुर्णाम्+अपि वर्णानाम्) अब मैं चारों वर्णों की (अनुपूर्वशः) क्रमशः [पहले] (देहशुद्धिम्) शरीर और शरीरसम्बन्धी शुद्धि [१०५—११०] (च) और [फिर] (तथा+एव) उसी प्रकार चारों वर्णों के लिए (द्रव्यशुद्धिम्) पात्र, वस्त्र आदि पदार्थों की शुद्धि [१११—१४६] को (प्रवक्ष्यामि) कहूंगा—॥ ५७ ॥ ❀

अनुशीलन : 'देहशुद्धिम्' पाठ मौलिक—इस श्लोक के प्रथम पाद में 'प्रेतशुद्धिम्' पाठ प्रचलित संस्करणों में प्रचलित है। इसके स्थान पर 'देहशुद्धिम्' पाठ होना चाहिये, ऐसा मनु की शैली और विषयविवेचन से संकेत मिलता है। प्रतीत होता है कि अन्य प्रक्षेपों के समान कालान्तर में जब प्रेत-जन्म आदि में शुद्धिक्रिया एक कर्मकाण्ड का रूप ले गयी, तब यह पाठभेद करके प्रेतादि विषयक श्लोक मिला दिये गये। इस पाठ की अमौलिकता और 'देहशुद्धिम्' पाठ की मौलिकता निम्न प्रमाणों एवं युक्तियों से सिद्ध होती है—

(क) मनु की यह शैली है कि वे जिस विषय का प्रारम्भ जिस विषयसंकेत से करते हैं, उसी संकेत से उसकी समाप्ति करते हैं [द्रष्टव्य ३। २८६ और ४। २५६॥ ८। १ और ६। २५०॥ १०। १३१ और ११। २६६ आदि], लेकिन यहां उस शैली से विपरीत विषय का प्रारम्भ प्रेतशुद्धि से दर्शाया गया है [५। ५७] और समाप्ति 'शारीरशुद्धि' से [५। ११०]। विषय-समाप्ति सूचक श्लोक के पदों से यह सिद्ध होता है कि यह 'शारीरशुद्धि' का विषय था न कि प्रेतशुद्धि का। अतः इस श्लोक में समानार्थक 'देहशुद्धि' शब्द ही मनुसम्मत सिद्ध होता है।

(ख) मनु ने इस प्रसंग का वर्णन भी देह [५। १०५], गात्र [५। १०६], शरीर [११०] आदि शब्दों से किया है, जो यह सिद्ध करता है कि यह वर्णन प्रेतविषयक नहीं अपितु देहशुद्धि-विषयक है।

(ग) प्रचलित पाठ के अनुसार यदि प्रेतशुद्धि पाठ को सही मानकर यहाँ इसी विषय का प्रसंग मान लिया जाये, तो यह आपत्ति आती है कि प्रेतशुद्धि-विषय में दन्तोत्पत्तिकालीन शुद्धि, सूतकशुद्धि, मन, आत्मा आदि की शुद्धि का वर्णन क्यों किया? प्रेत के मन और आत्मा होते ही नहीं। इस प्रकार विषयसंकेतक श्लोक में और वर्णन में तालमेल का न होना भी यह सिद्ध करता है कि प्रक्षेपों का समायोजन करने के लिये यह पाठभेद बाद में किया गया है। शैलीशृंखला में जुड़ाहुआ पाठ 'देहशुद्धिम्' ही है, और मन तथा आत्मा आदि शरीर से सम्बन्ध रखने वाले पदार्थ हैं। अतः इसी पाठ को मान्य पाठ के रूप में स्वीकार किया है।

❀ [**प्रचलित अर्थ**—प्रचलित संस्करणों में इस श्लोक के प्रथम पाद में 'देहशुद्धिम्' के स्थान पर 'प्रेतशुद्धिम्' पाठ ग्रहण करके निम्न अर्थ प्रचलित है—

"चारों वर्णों के प्रेतशुद्धि (मरणाशौच से शुद्धि) तथा द्रव्यशुद्धि (तैजसादि पदार्थों की शुद्धि) को क्रम से यथायोग्य कहूंगा॥ ५७॥]

अशुद्धि के समय—

दन्तजातेऽनुजाते च कृतचूडे च संस्थिते।
अशुद्धा बान्धवाः सर्वे सूतके च तथोच्यते॥ ५८॥

(दन्तजाते) बालक के दांत निकलते समय (च) और (अनुजाते) दांत निकलने के बाद (च) तथा (कृतचूडे) मुण्डन संस्कार करने के पीछे, (संस्थिते) मृत्यु हो जाने पर (सर्वे बान्धवाः अशुद्धाः) सब कुटुम्बी अशुद्ध हो जाते हैं (तथा च) और उसी प्रकार (सूतके उच्यते) पुत्रोत्पत्ति में भी अशुद्धि मानी जाती है॥ ५८॥

दशाहं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते।
अर्वाक् सञ्चयनादस्थ्नां त्र्यहमेकाहमेव वा॥ ५९॥

(सपिण्डेषु) एक उदर या कुटुम्ब के लोगों में(शावम्+आशौचम्) शव सम्बन्धी शुद्धि (दश+अहम् अस्थ्नां संचयनात् अर्वाक् त्रि+अहं वा एक+अहम्+एव विधीयते) दश दिन तक, या अस्थि चुनने से पहले तीन दिन तक, अथवा एक ही दिन की विहित की है॥ ५९॥

अनुशीलन : पिण्ड का अर्थ शरीर है। सपिण्ड का अर्थ है—'एक ही माता-पिता के शरीर से जन्म लेने वाले व्यक्ति अर्थात् भाई-बहन'।

सपिण्डता और समानोदक भाव—

सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते।
समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने॥ ६०॥

(सपिण्डता तु) सगापन तो (सप्तमे पुरुषे विनिवर्त्तते) सातवीं पीढ़ी में समाप्त हो जाता है (तु) और (समानोदकभावः) घनिष्ठपन (जन्म-नाम्नोः अवेदने) जन्म और नाम के ज्ञात न रहने पर छूट जाता है॥ ६०॥

अनुशीलन : 'समानोदकभावः' मूलार्थ में एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है—'एक जल का दूसरे जल में मिलकर एक हो जाना'। इसका अभिप्राय, 'घनिष्ठपन' के व्यवहार से है। घनिष्ठता रहते हुए ही जन्म और नाम आदि का ज्ञान रहता है, घनिष्ठता न रहने पर [illegible] जाता है।

यथेदं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते।
जननेऽप्येवमेव स्यान्निपुणं शुद्धिमिच्छताम्॥ ६१॥

(यथा) जैसे (इदं शावम्+आशौचं सपिण्डेषु विधीयते) यह मृतक-शुद्धि सपिण्डों के लिए विहित की है (एवम्) इसी प्रकार (निपुणं शुद्धिम्+इच्छताम्) भलीभांति शुद्धि चाहने वालों के लिए (जनने+अपि स्यात्) जन्म के समय भी होती है॥ ६१॥

सूतक और मृतक-सम्बन्धी विधान—

सर्वेषां शावमाशौचं मातापित्रोस्तु सूतकम् ।
सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः ॥ ६२ ॥

(शावम् + आशौचं सर्वेषाम्) मृतक-**आशौच** सब कुटुम्ब वालों के लिए है (सूतकं तु **मातापित्रोः**) किन्तु सूतक = पुत्रजन्म के समय की **अशुद्धि** तो केवल माता-पिता के लिए है, इनमें भी (सूतकम्) जन्म देने की अशुद्धि तो वस्तुतः (मातुः + एव स्यात्) माता की ही होती है (पिता उपस्पृश्य शुचिः) पिता तो [अशुद्धि के सम्पर्क में आने पर] जल से धोकर या स्नान करके ही शुद्ध हो जाता है ॥ ६२ ॥

निरस्य तु पुमाञ्छुक्रमुपस्पृश्यैव शुद्धयति ।
बैजिकादभिसम्बन्धादनुरुन्ध्यादघं त्र्यहम् ॥ ६३ ॥

(पुमान्) पुरुष (शुक्रं निरस्य) वीर्यपात करके (उपस्पृश्य + एव शुद्धयति) नहाने से ही शुद्ध हो जाता है (बैजिकात् + अभिसम्बन्धात्) परस्त्री में बैजिक सम्बन्ध अर्थात् गर्भस्थिति होने से (त्रि + अहम् अघम् अनुरुन्ध्यात्) तीन दिन तक पाप की शुद्धि करे ॥ ६३ ॥

समीपस्थ बान्धवों की शुद्धि की विधि तथा अवधि—

अह्ना चैकेन रात्र्या च त्रिरात्रैरेव च त्रिभिः ।
शवस्पृशो विशुध्यन्ति त्र्यहादुदकदायिनः ॥ ६४ ॥

(शवस्पृशः) मुर्दे को छूने वाले (एकेन अह्ना च रात्र्या) एक दिन और रात में (त्रिरात्रैः एव च त्रिभिः) और तीन को तीन से गुणा करने पर अर्थात् नौ, इस प्रकार दश दिन में (विशुद्धयन्ति) शुद्ध होते हैं (उदकदायिनः त्रि + अहात्) जलदान करने वाले तीन दिन में शुद्ध होते हैं ॥ ६४ ॥

गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन् ।
प्रेतहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुद्धयति ॥ ६५ ॥

(प्रेतस्य गुरोः) जब गुरु का प्राणान्त हो, तब मृतक शरीर जिसका नाम प्रेत है उसका (पितृमेधं समाचरन् शिष्यः) दाह करने हारा शिष्य (प्रेतहारैः समम्) प्रेतहार अर्थात् मृतक को उठाने वालों के साथ (तत्र दशरात्रेण शुद्धयति) दश वें दिन शुद्ध होता है ॥ ६५ ॥ (स० प्र० ३०)

अनुशीलन : महर्षि दयानन्द ने यह श्लोक प्रेत किसको कहते हैं, केवल उसका अर्थ दर्शाने के उद्देश्य से प्रयुक्त किया है। प्रश्नकर्त्ता की बात का उन्हीं की मान्यता से उत्तर दिया है। यहां शुद्धि प्रकरण नहीं है, अतः महर्षि जी की वहां इस श्लोक को प्रामाणिक मानने की भावना भी नहीं है।

रात्रिभिर्मासतुल्याभिर्गर्भस्रावे विशुद्धयति ।
रजस्युपरते साध्वी स्नानेन स्त्री रजस्वला ॥ ६६ ॥

(गर्भस्रावे) गर्भस्राव हो जाने पर (मासतुल्याभिः रात्रिभिः) जितने मासका गर्भ हो उतनी ही रात्रियों में स्त्री (विशुद्धयति) शुद्ध होती है (साध्वी रजस्वला) पतिव्रता रजस्वला स्त्री (रजसि + उपरते) रज बन्द हो जाने पर (स्नानेन) स्नान करने से शुद्ध हो जाती है ॥ ६६ ॥

नृणामकृतचूडानां विशुद्धिर्नैशिकी स्मृता ।
निर्वृत्तचूडकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥ ६७ ॥

(अकृतचूडानां नृणां विशुद्धिः) जिन बालकों का मुण्डन संस्कार नहीं हुआ है उनकी शुद्धि (नैशिकी स्मृता) एक रात में हो जाती है (तु) किन्तु (निर्वृत्तचूडकानां शुद्धिः) मुण्डन हो चुकने पर [मरने वालों की] शुद्धि (त्रिरात्रात् इष्यते) तीन रात में होती है ॥ ६७ ॥

ऊनद्विवार्षिकं प्रेतं निवप्युर्बान्धवा बहिः ।
अलंकृत्य शुचौ भूमावस्थिसंचयनादृते ॥ ६८ ॥

(बान्धवा) कुटुम्बीजन (ऊनद्विवार्षिकं प्रेतम् अलंकृत्य) दो वर्ष से कम आयु के बच्चे के शव को वस्त्रों में लपेटकर (बहिः) गांव के बाहर (शुचौ) शुद्ध स्थान में (अस्थिसंचयनात् ऋते) अस्थिसंचय की क्रिया के बिना (भूमौ निदध्युः) भूमि में गाड़ दें ॥ ६८ ॥

नास्य कार्योऽग्निसंस्कारो न च कार्योदकक्रिया ।
अरण्ये काष्ठवत्त्यक्त्वा क्षपेयुस्त्र्यहमेव च ॥ ६९ ॥

(अस्य) इस बालक की (अग्निसंस्कारः न कार्यः) अग्निसंस्कार की क्रिया नहीं करनी चाहिए (च) और (न उदकक्रिया कार्या) न जलदान क्रिया करनी चाहिए (अरण्ये काष्ठवत् त्यक्त्वा) जंगल में लकड़ी के समान छोड़कर अर्थात् गाड़कर (त्रि + अहम् + एव क्षपेयुः) तीन दिन तक आशौच मनावें ॥ ६९ ॥

नात्रिवर्षस्य कर्तव्या बान्धवैरुदकक्रिया ।
जातदन्तस्य वा कुर्युर्नाम्नि वापि कृते सति ॥ ७० ॥

(बान्धवैः) कुटुम्बियों को (अत्रिवर्षस्य उदकक्रिया न कर्तव्या) तीन वर्ष से कम आयु वाले बालक की जलदान क्रिया नहीं करनी चाहिए (जातदन्तस्य) दांत निकल जाने पर (वा) और (नाम्नि कृते सति अपि) नामकरण संस्कार करने पर मृत्यु होने के बाद-जलदान करे ॥ ७० ॥

सब्रह्मचारिण्येकाहमतीते क्षपणं स्मृतम् ।
जन्मन्येकोदकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥ ७१ ॥

(सब्रह्मचारिणि अतीते) सहपाठी ब्रह्मचारी के मरने पर (एक+अहं क्षपणं स्मृतम्) एक दिन की शुद्धि कही है (एक+उदकानां जन्मनि तु) समानोदकों [४।६०] के यहां जन्म होने पर (त्रिरात्रात् शुद्धिः इष्यते) तीन रात की शुद्धि कही गयी है ॥७१॥

स्त्रीणामसंस्कृतानां तु त्र्यहाच्छुद्धयन्ति बान्धवाः ।
यथोपतेनैव कल्पेन शुद्धयन्ति तु सनाभयः ॥ ७२ ॥

(असंस्कृतानां स्त्रीणां तु) जिनका वाग्दान हो चुका है किन्तु विवाह संस्कार नहीं हुआ है, ऐसी स्त्रियों की मृत्यु होने पर (बान्धवाः) पतिपक्ष के रिश्तेदार (त्रि—अहात् शुद्धयन्ति) तीन दिन में शुद्ध होते हैं (तु) और (सनाभयः) स्त्री के वंश के लोग (यथोक्तेन एव कल्पेन शुद्धयन्ति) इसी पूर्वोक्त विधान के अनुसार ही शुद्ध होते हैं ॥ ७२ ॥

अक्षारलवणान्नाः स्युर्निमज्जेयुश्च ते त्र्यहम् ।
मांसाशनं च नाश्नीयुः शयीरंश्च पृथक् क्षितौ ॥ ७३ ॥

(ते) वे बान्धव (त्र्यहम्) तीन दिन तक (अक्षारलवण+अन्नाः स्युः) समुद्री-नमक से रहित भोजन करें (च) और (निमज्जेयुः) नदी, तालाब आदि में डुबकी लगा-कर स्नान करें (च) तथा (मांस+अशनं न अश्नीयुः) मांस का भोजन न करें (च) और (क्षितौ पृथक् शयीरन्) धरती पर अलग-अलग सोयें ॥ ७३ ॥

सन्निधावेष वै कल्पः शावाशौचस्य कीर्तितः ।
असन्निधावयं ज्ञेयो विधिः सम्बन्धिबान्धवैः ॥७४॥

(एषः) यह (शाव+आशौचस्य कल्पः) मृतक-शुद्धि का विधान (सन्निधौ कीर्तितः) पास में रहने वालों के लिए कहा (असन्निधौ) दूर होने पर (संबन्धिबान्धवैः) सम्बन्धियों और कुटुम्बियों को (अयं विधिः ज्ञेयः) मृतकशुद्धि की यह विधि करनी या समझनी चाहिए ॥ ७४ ॥

विदेशस्थ बान्धवों की शुद्धि और अवधि—

विगतं तु विदेशस्थं शृणुयाद्यो ह्यनिर्दशम् ।
यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचिर्भवेत् ॥ ७५ ॥

(यः) जो बान्धव (विदेशस्थं विगतम् अनिर्दशं शृणुयात्) परदेश में गये की मृत्यु का समाचार दश दिन से पहले सुन ले तो (दशरात्रस्य यत् शेषं तावत्+एव+अशुचिः भवेत्) वह दश दिन पूरा होने में जितने दिन शेष हों उतने ही दिन तक अशुद्ध रहता है ॥ ७५ ॥

अतिक्रान्ते दशाहे च त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् ।
संवत्सरे व्यतीते तु स्पृष्ट्वैवापो विशुद्ध्यति ॥ ७६ ॥

(च) और (दश+अहे अतिक्रान्ते) दश दिन के बीत जाने पर (त्रिरात्रम्+अशुचिः भवेत्) तीन रात तक अशुद्ध रहता है (तु) और (संवत्सरे व्यतीते) एक वर्ष के बाद मृत्यु का समाचार सुनने पर (आपः स्पृष्ट्वा विशुद्धयति) केवल जल का स्पर्श करने से ही शुद्ध हो जाता है ॥ ७६ ॥

निर्दशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च ।
सवासा जलमाप्लुत्य शुद्धो भवति मानवः ॥ ७७ ॥

(मानवः) मनुष्य (ज्ञातिमरणं च पुत्रस्य जन्म निर्दशं श्रुत्वा) सम्बन्धी की मृत्यु और पुत्र के जन्म का समाचार दश दिन बीत जाने पर सुनकर (सवासा जलम्+आप्लुत्य शुद्धः भवति) वस्त्रसहित जल में स्नान करके शुद्ध हो जाता है ॥ ७७ ॥

बाले देशान्तरस्थे च पृथक् पिण्डे च संस्थिते ।
सवासा जलमाप्लुत्य सद्य एव विशुद्धयति ॥ ७८ ॥

(बाले देशान्तरस्थे) बालक के परदेश में रहते हुए (च) और (पृथक्पिण्डे) सपिण्ड से भिन्न व्यक्ति के (संस्थिते) मर जाने पर (सवासा जलम्+आप्लुत्य) वस्त्र-सहित जल में स्नान करके (सद्यः एव विशुद्धयति) शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है ॥ ७८ ॥

अन्तर्दशाहे स्यातां चेत्पुनर्मरणजन्मनी ।
तावत्स्यादशुचिर्विप्रो यावत्तस्यादनिर्दशम् ॥ ७९ ॥

(अन्तः दशः+अहे चेत्) दश दिन के अन्दर ही यदि (पुनः मरणजन्मनी स्याताम्) फिर मरण या जन्म हो जाये तो (विप्रः) द्विज (यावत् अनिर्दशं स्यात्) जब तक पहले वाली मृत्युशुद्धि या जन्मशुद्धि के दश दिन पूरे न हो जायें (तावत् अशुचिः स्यात्) तब तक अशुद्ध रहता है ॥ ७९ ॥

अन्य अशुद्धियों की विधि—

त्रिरात्रमाहुराशौचमाचार्ये संस्थिते सति ।
तस्य पुत्रे च पत्न्यां च दिवारात्रमिति स्थितिः ॥ ८० ॥

(आचार्ये संस्थिते सति) आचार्य की मृत्यु हो जाने पर (त्रिरात्रम् आशौचम् आहुः) तीन दिन का आशौच कहा है (च) और (तस्य पुत्रे च पत्न्याम्) उस आचार्य के पुत्र तथा पत्नी की मृत्यु पर (दिवारात्रम्+इति स्थितिः) एक दिन-रात का आशौच होता है, ऐसी मान्यता है ॥ ८० ॥

श्रोत्रिये तूपसंपन्ने त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् ।
मातुले पक्षिणीं रात्रिं शिष्यर्त्विग्बान्धवेषु च ॥ ८१ ॥

(तु) और (श्रोत्रिये उपसंपन्ने) वेदपाठी के मरने पर (त्रिरात्रम्+अशुचिः भवेत्) तीन दिन तक आशौच होता है (च) और (मातुले शिष्य-ऋत्विक्-बान्धवेषु)

मामा, शिष्य, ऋत्विज् और रिश्तेदारों के मरने पर (पक्षिणीं रात्रिम्) दो रात और उनके बीच एक दिन का आशौच होता है ॥ ८१ ॥

प्रेते राजनि सज्योतिर्यस्य स्याद्विषये स्थितः ।
अश्रोत्रिये त्वहः कृत्स्नमनूचाने तथा गुरौ ॥ ८२ ॥

मनुष्य (यस्य विषये स्थितः) जिसके राज्य में रहता हो ऐसे (राजनि प्रेते) राजा के मर जाने पर (सज्योतिः) यदि दिन में मरा हो तो सूर्यास्त तक और यदि रात में मरा हो तो सवेरे तारे छिपने तक आशौच रहता है (तु) और (अश्रोत्रिये) अवेद-पाठी (कृत्स्नम्+अनूचाने) सम्पूर्ण वेद-वेदांग जानने वाले (तथा गुरौ) तथा गुरु के मरने पर (अहः) एक दिन का आशौच रखे ॥ ८२ ॥

शुद्ध्येद्विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः ।
वैश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्ध्यति ॥ ८३ ॥

मृतक अशुद्धि में (विप्रः दश+अहेन शुद्ध्येत्) ब्राह्मण दश दिन में शुद्ध होता है (भूमिपः द्वादश+अहेन) क्षत्रिय बारह दिन में (वैश्यः पञ्चदश+अहेन) वैश्य पन्द्रह दिन में (शूद्रः मासेन शुद्ध्यति) शूद्र एक मास में शुद्ध होता है ॥ ८३ ॥

न वर्धयेदघाहानि प्रत्यूहेन्नाग्निषु क्रियाः ।
न च तत्कर्म कुर्वाणः सनाभ्योऽप्यशुचिर्भवेत् ॥ ८४ ॥

(अघ+अहनि न वर्धयेत्) अशुद्धि के दिनों को इससे [५ । ८३] अधिक न बढ़ाये (अग्निषु क्रियाः न प्रति+ऊहेत्) यज्ञ करना न छोड़े (तत् कर्म कुर्वाणः) इस यज्ञ कर्म को करने पर (सनाभ्यः+अपि+अशुचिः न भवेत्) सपिण्ड व्यक्ति भी अशुद्ध नहीं होता ॥ ८४ ॥

दिवाकीर्तिमुदक्यां च पतितं सूतिकां तथा ।
शवं तत्स्पृष्टिनं चैव स्पृष्ट्वा स्नानेन शुद्ध्यति ॥ ८५ ॥

(दिवाकीर्तिम् उदक्यां पतितं सूतिकां शवं च तत् स्पृष्टिनं स्पृष्ट्वा) चाण्डाल, रजस्वला, पतित, प्रसूता, शव और उस शव को छूने वाले इन सबको छूकर (स्नानेन एव शुद्ध्यति) स्नान करने से ही शुद्ध होता है ॥ ८५ ॥

आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदशुचिदर्शने ।
सौरान्मंत्रान्व्यथोत्साहं पावमानीश्च शक्तितः ॥ ८६ ॥

(अशुचिः दर्शने) यदि अपवित्र व्यक्तियों के दर्शन हो जायें तो (नित्यम्) सर्वदा (आचम्य) आचमन करके (प्रयतः) सावधान होकर (यथोत्साहम्) उत्साहपूर्वक (सौरान् मन्त्रान्) सूर्यसम्बन्धी मन्त्रों को ["उदुत्यं जातवेदसं देवं" (यजु० ३३ । ३१)

मन्त्र] (च) और (पावमानीः) पवित्र करने वाली ऋचाओं को ["पुनन्तु मा देवजनाः" आदि ऋ० ९। ६७। २७–३२] (शक्तितः जपेत्) यथाशक्ति जपे ॥ ८६ ॥

नारं स्पृष्ट्वास्थि सस्नेहं स्नात्वा विप्रो विशुद्ध्यति।
आचम्यैव तु निःस्नेहं गामालभ्यार्कमीक्ष्य वा ॥ ८७ ॥

(विप्रः) द्विज (नारं सस्नेहं अस्थि स्पृष्ट्वा) मनुष्य की गीली हड्डी को छूकर (स्नात्वा विशुद्ध्यति) स्नान करने से शुद्ध होता है (तु) और (निःस्नेहम्) सूखी हड्डी को छूकर (आचम्य) आचमन करने से ही (वा) अथवा (गाम्+आलभ्य) गौ को स्पर्श करने से (अर्कम्+ईक्ष्य) या सूर्य के दर्शन करने से ही शुद्ध हो जाता है ॥ ८७ ॥

आदिष्टो नोदकं कुर्यादाव्रतस्य समापनात्।
समाप्ते तूदकं कृत्वा त्रिरात्रेणैव शुद्ध्यति ॥ ८८ ॥

(आदिष्टो) ब्रह्मचारी (आव्रतस्य समापनात्) ब्रह्मचर्य व्रत के पूर्ण न होने तक (उदकं न कुर्यात्) जलदान क्रिया न करे (समाप्ते तु) व्रत समाप्त हो जाने पर (उदकं कृत्वा) जलदान देकर (त्रिरात्रेण+एव शुद्ध्यति) तीन दिन-रात में शुद्ध हो जाता है ॥ ८८ ॥

वृथासङ्करजातानां प्रव्रज्यासु च तिष्ठताम्।
आत्मनस्त्यागिनां चैव निवर्तेतोदकक्रिया ॥ ८९ ॥

(वृथा+संकरजातानां च प्रव्रज्यासु तिष्ठताम्) जो वृथा उत्पन्न हुए हैं अर्थात् जो धर्म-कर्म से हीन हैं और जो वर्णसंकर हैं उनकी तथा परिव्राजकों की (च) और (आत्मनः त्यागिनाम् एव) आत्महत्या करने वालों की (उदकक्रिया निवर्तेत) जलदान क्रिया न करे ॥ ८९ ॥

पाखण्डमाश्रितानां च चरन्तीनां च कामतः।
गर्भभर्तृद्रुहां चैव सुरापीनां च योषिताम् ॥ ९० ॥

(च) और (पाखण्डम्+आश्रितानाम्) जो स्त्रियां पाखण्ड रचती हैं (च) और (कामतः चरन्तीनाम्) इच्छानुसार विचरण करने वाली अर्थात् व्यभिचारिणी (गर्भ-भर्तृ-द्रुहाम्) गर्भपात और पति से द्रोह करने वाली (च) तथा (सुरापीनां योषिताम्) शराब पीने वाली—इन स्त्रियों की जलदान क्रिया नहीं करनी चाहिए ॥ ९० ॥

आचार्यं स्वमुपाध्यायं पितरं मातरं गुरुम्।
निर्हृत्य तु व्रती प्रेतान्न व्रतेन वियुज्यते ॥ ९१ ॥

(व्रती) ब्रह्मचारी (स्वम् आचार्यम् उपाध्यायं पितरं मातरं गुरुं प्रेतान् तु निर्हृत्य) अपने आचार्य, उपाध्याय, पिता, गुरु, इनके शवों को उठाकर (व्रतेन न वियुज्यते) व्रत से हीन नहीं होता ॥ ९१ ॥

दक्षिणेन मृतं शूद्रं पुरद्वारेण निर्हरेत् ।
पश्चिमोत्तरपूर्वैस्तु यथायोगं द्विजन्मनः ॥ ९२ ॥

(मृतं शूद्रं दक्षिणेन पुरद्वारेण) मृत शूद्र को नगर के दक्षिण द्वार से तथा (द्विजन्मनः) द्विजों के शवों को (यथायोगम्) क्रमशः (पश्चिम-उत्तर-पूर्वैः तु) पश्चिम द्वार से वैश्य को, उत्तर द्वार से क्षत्रिय को और पूर्व द्वार से ब्राह्मण को (निर्हरेत्) श्मशान में ले जाये ॥ ९२ ॥

न राज्ञामघदोषोऽस्ति व्रतिनां न च सत्रिणाम् ।
ऐन्द्रं स्थानमुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा ॥ ९३ ॥

(राज्ञां व्रतिनां च सत्रिणाम्) राजाओं को, ब्रह्मचारियों को, यज्ञ कराने वालों को (अघदोषः न अस्ति) मृतक-अशुद्धि नहीं लगती (हि) क्योंकि (ते) ये (ऐन्द्रं स्थानम् + उपासीनाः सदा ब्रह्मभूताः) इन्द्र के स्थान पर बैठे हुए सदा ब्रह्मरूप होते हैं ॥ ९३ ॥

राज्ञो माहात्मिके स्थाने सद्यःशौचं विधीयते ।
प्रजानां परिरक्षार्थमासनं चात्र कारणम् ॥ ९४ ॥

(माहात्मिके स्थाने) महान् या महत्त्वपूर्ण पद पर बैठने के कारण (राज्ञः) राजा की (सद्यः शौचं विधीयते) तत्काल ही शुद्धि हो जाती है (प्रजानां परिरक्षार्थम् + आसनम् अत्र कारणम्) प्रजाओं की रक्षा के लिए राजा का राजपद पर बैठना ही इस शीघ्र शुद्धि का कारण है ॥ ९४ ॥

डिम्बाहवहतानां च विद्युता पार्थिवेन च ।
गोब्राह्मणस्य चैवार्थे यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥ ९५ ॥

(च) और (डिम्ब + आहवहतानाम्) विद्रोह या दंगे में और युद्ध में मारे गयों की (विद्युता च पार्थिवेन) बिजली और राजा द्वारा दण्ड दिये जाने पर मरे हुओं की (च) और (गो-ब्राह्मणस्य अर्थे एव) गौ और ब्राह्मण के लिए मरे हुओं की (च) तथा (यस्य पार्थिवः इच्छति) जिसकी शुद्धि राजा चाहता है, उसकी भी तत्काल शुद्धि हो जाती है ॥ ९५ ॥

सोमाग्न्यर्कानिलेन्द्राणां वित्तेशाप्पत्योर्यमस्य च ।
अष्टानां लोकपालानां वपुर्धारयते नृपः ॥ ९६ ॥

(सोम-अग्नि-अर्क-अनिल-इन्द्राणां वित्त + अप्पत्योः च यमस्य) सोम = चन्द्रमा, अग्नि, सूर्य, वायु, इन्द्र, कुबेर, वरुण और यम (अष्टानां लोकपालानां वपुः नृपः धारयते) इन आठ लोकपालों के शारीरिक गुणों को राजा धारण करता है ॥ ९६ ॥

लोकेशाधिष्ठितो राजा नास्याशौचं विधीयते ।
शौचाशौचं हि मर्त्यानां लोकेशप्रभवाप्ययम् ॥ ९७ ॥

(राजा लोकेश+अधिष्ठितः) राजा लोकपालों के अंश या गुणों से संपन्न है (अस्य+अशौचं न विधीयते) इसलिए इसको अशौच नहीं लगता (हि) क्योंकि (मर्त्यानां शौच+अशौचं लोकेश-प्रभव+अव्ययम्) मनुष्यों का यह शौच और अशौच क्रमशः लोकपालों से उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, इस प्रकार उनके अंशों से युक्त होने के कारण राजा को अशुद्धि लग ही नहीं पाती ॥ ९७ ॥

उद्यतैराहवे शस्त्रैः क्षत्रधर्महतस्य च ।
सद्यः संतिष्ठते यज्ञस्तथाशौचमिति स्थितिः ॥ ९८ ॥

(आहवे) युद्ध में (उद्यतैः शस्त्रैः) लड़ने के लिए उठाये गये हथियारों से (च) और (क्षत्रधर्महतस्य) क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मरे सैनिक को (सद्यः यज्ञः संतिष्ठते) तत्काल यज्ञवाला श्रेष्ठ फल मिलता है (तथा+अशौचम्+इति स्थितिः) तथा उसे अशौच नहीं लगता, ऐसा निश्चय है ॥ ९८ ॥

विप्रः शुद्ध्यत्यपः स्पृष्ट्वा क्षत्रियो वाहनायुधम् ।
वैश्यः प्रतोदं रश्मीन्वा यष्टिं शूद्रः कृतक्रियः ॥ ९९ ॥

(कृतक्रियः विप्र. अपः स्पृष्ट्वा शुद्धयति) आशौच का क्रियाकर्म करके ब्राह्मण जल के स्पर्श से शुद्ध होता है (क्षत्रियः वाहन+आयुधम्) क्षत्रिय सवारी और शस्त्र को (वैश्यः प्रतोदं वा रश्मीन्) वैश्य चाबुक या लगाम को (शूद्रः यष्टिम्) शूद्र लकड़ी को स्पर्श करके शुद्ध होता है ॥ ९९ ॥

असपिण्डों की प्रेतशुद्धि—

एतद्वोऽभिहितं शौचं सपिण्डेषु द्विजोत्तमाः ।
असपिण्डेषु सर्वेषु प्रेतशुद्धिं निबोधत ॥ १०० ॥

(द्विजोत्तमाः) हे श्रेष्ठ द्विजो ! (एतत् सपिण्डेषु शौचम् अभिहितम्) यह सपिण्डों की मृतकशुद्धि कही (सर्वेषु असपिण्डेषु प्रेतशुद्धिं निबोधत) अब सब असपिण्डों की मृतकसम्बन्धी शुद्धि को सुनो—॥ १०० ॥

असपिण्डं द्विजं प्रेतं विप्रो निर्हृत्य बन्धुवत् ।
विशुद्ध्यति त्रिरात्रेण मातुराप्तांश्च बान्धवान् ॥ १०१ ॥

(विप्रः) ब्राह्मण (असपिण्डं प्रेतं द्विजं बन्धुवत् निर्हृत्य) असपिण्ड मृत ब्राह्मण को बन्धु के समान उठाकर (च) और (मातुः+आप्तान् बान्धवान्) माता के सगे बांधवों को उठाकर (त्रिरात्रेण विशुद्ध्यति) तीन रात में शुद्ध होता है ॥ १०१ ॥

यद्यन्नमत्ति तेषां तु दशाहेनैव शुद्ध्यति ।
अनदन्नन्नमश्नंश्च न चेत्तस्मिन्गृहे वसेत् ॥ १०२ ॥

(यदि तेषाम् अन्नम्+अत्ति) यदि प्रेत को ले जाने वाला उन मृतक के परिवार

वालों का अन्न खाता है तो (दश+अहेन+एव शुद्धयति) दश दिन में ही शुद्ध होता है (अनदन्+अन्नम्) यदि उनके अन्न को न खाता हो (न चेत् तस्मिन् गृहे वसेत्) और न उनके घर में रहता हो तो (अह्ना+एव) एक दिन में ही शुद्ध होता है ॥ १०२ ॥

अनुगम्येच्छया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव च ।
स्नात्वा सचेलः स्पृष्ट्वाऽग्निं घृतं प्राश्य विशुद्धयति ॥ १०३ ॥

(ज्ञातिं च अज्ञातिम् एव प्रेतम् इच्छया अनुगम्य) मनुष्य अपने वंश के और बिना वंश वाले प्रेत के पीछे इच्छापूर्वक जाकर (सचेलः स्नात्वा) कपड़ों सहित नहाकर अर्थात् उस समय धारण किये हुए उन वस्त्रों को भी धोकर और स्वयं नहाकर (अग्निं स्पृष्ट्वा) अग्नि का स्पर्श करके (घृतं प्राश्य) घी चाटकर (विशुद्धयति) शुद्ध हो जाता है ॥ १०३ ॥

न विप्रं स्वेषु तिष्ठत्सु मृतं शूद्रेण नाययेत् ।
अस्वर्ग्या ह्याहुतिः सा स्याच्छूद्रसंस्पर्शदूषिता ॥ १०४ ॥

(स्वेषु तिष्ठत्सु मृत विप्रं शूद्रेण न नाययेत्) अपने वर्ण या वंश वालों के होते मृत ब्राह्मण को शूद्रों से उठवाकर न ले जाये (हि) क्योंकि (शूद्रसंस्पर्शदूषिता सा आहुतिः अस्वर्ग्या स्यात्) शूद्र के स्पर्श से दूषित हुई वह शरीर की आहुति स्वर्ग में पहुँचाने वाली नहीं होती ॥ १०४ ॥

अनुशीलन : ५८ से १०४ तक के श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. **विषयविरोध**—प्रस्तुत विषय के प्रारम्भ का संकेत देने वाला श्लोक ५७ वाँ है और समाप्ति का संकेत देने वाला श्लोक ११० वां है। इन श्लोकों में दिये गये **"देहशुद्धिम्·····प्रवक्ष्यामि"** ' **एव शौचस्य वः प्रोक्तः शारीरस्य विनिर्णयः"** संकेतों के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि यह "शरीर और शरीर से सम्बन्धित मन, बुद्धि, आत्मा आदि की शुद्धि" को कहने का विषय है [इसकी पुष्टि के लिए ५। ५७ की समीक्षा भी पढ़िये]।

इस आधार पर इस विषय में वही श्लोक मौलिक माने जा सकते हैं जो इस विषयसंकेत से सम्बद्ध हों। अपने संकेत के अनुसार ही मनु ने १०५-१०६ श्लोकों में पहले भूमिका रूप में शुद्धिकारक पदार्थों की गणना की है, फिर १०९ में अशुद्ध शरीर की **'अद्भिः गात्राणि शुद्धयन्ति'** कहकर शुद्धि होना कहा है। क्रोध, लालच, अधर्माचरण आदि से मनुष्य के मन, बुद्धि, आत्मा आदि भी अशुद्ध हो जाते हैं, संकेतानुरूप शरीरसम्बन्धी इन अवयवों की शुद्धि भी कह दी है। इस प्रकार १०५ से ११० श्लोक विषयानुरूप हैं। इस बीच में ५८ से १०४ तक जितने श्लोक हैं, इनमें शरीर की शुद्धि का वर्णन न होकर आशौच मनाने की अवधि, सपिण्ड एवं असपिण्डों के आशौच की

विधि, सूतक-अशुद्धि, परदेश में रहने वालों की अशुद्धि आदि का वर्णन है, जो विषय-विरुद्ध है।

२. **अन्तर्विरोध : प्रेतशुद्धि का आडम्बर मनुविरुद्ध**—उपर्युक्त विषयसंकेत देने वाले श्लोकों के आधार पर मनु की एक मान्यता भी बन जाती है कि वे 'अशुद्धि के सम्पर्क से शरीरादि की अशुद्धि होना' ही मानते हैं और उसकी शुद्धि का उपाय है—"**अद्भिः गात्राणि शुद्ध्यन्ति**" [१०९] अर्थात् 'शरीर की शुद्धि जलों से होती है' आदि। ५८ से १०४ श्लोकों में जो भी कुछ वर्णित है, वह मनु की इस मान्यता से विरुद्ध है और न इससे तालमेल खाती है—(१) ५८ से ६० श्लोक, जिनमें सपिण्ड-असपिण्ड के भेद से प्रेतशुद्धि और अशुद्धि मानने की १–१० दिन तक की चार अवधि दर्शाकर उसको एक 'धार्मिककृत्य' के रूप में वर्णित किया है, वे मनु की उक्त मान्यता के विरुद्ध हैं। क्योंकि मनु केवल शरीर की अशुद्धि मानते हैं और वह सपिण्ड और असपिण्ड सबको समान रूप से होती है तथा उसकी अनेक दिनों की अवधि नहीं होती। शरीर अशुद्ध हुआ तो जल में धोने से वह शुद्ध हो गया। इस प्रकार इन श्लोकों की व्यवस्था मनु-सम्मत ही सिद्ध नहीं होती, अतः ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं। शेष श्लोक इन पर आधारित हैं, अतः आधारभूत श्लोकों के प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाने पर वे स्वतः प्रक्षिप्त कहलायेंगे। (२) ७४ से ८४ श्लोकों में परदेश में रहने वालों की शुद्धि कहना भी मनुविरुद्ध है। जब किसी अशुद्धि का सम्पर्क ही नहीं हुआ तो फिर उनके शरीर की अशुद्धि ही कहां हुई? (३) ८५-८७, १०३ श्लोकों में शूद्र को **अस्पृश्य** अर्थात् अपवित्र माना है। मनु ऐसा नहीं मानते। वे शूद्र को 'शुचिः' अर्थात् 'पवित्र' मानते हैं [९। ३३५]। अतः इन श्लोकों की मान्यता मनुविरुद्ध है।

३. **शैलीगत आधार**—५८ से १०४ श्लोकों की मान्यता है—'सपिण्ड, असपिण्ड के भेद से चार अवधियों के [५८—६०] अनुसार अशुद्धि मनाना'। यह अयुक्तियुक्त वर्णन है, क्योंकि मृतक के सम्पर्क से यदि शरीर की अशुद्धि मानी गयी है तो वह सपिण्ड-असपिण्डों की समान होगी और उसकी शुद्धि जल से हो जायेगी। इसके

हैं। अतः यह व्यवस्था ही अयुक्तियुक्त है। मनु की व्यवस्थाएं युक्तियुक्त होती हैं। इस विरोध के आधार पर भी ये श्लोक मनुसम्मत नहीं माने जा सकते।

४. **प्रसंगविरोध**—प्रसङ्गविरोध के आधार पर यदि इन श्लोकों को परखें तो ये सभी प्रसङ्गविरुद्ध सिद्ध होते हैं। ५७ वें और ११० वें श्लोक में 'शरीर और शरीर-सम्बन्धी अवयवों की अशुद्धि की शुद्धि' कथन करने का संकेत है। उनके अनुसार इस प्रसंग का क्रम इस प्रकार बनता है—

(क) शरीर एवं शरीर-सम्बन्धी अवयवों की अशुद्धि की शुद्धि कहने के विषय का संकेत [५७]—

(ख) फिर १०५ में भूमिका रूप में शुद्धिकारक पदार्थों का परिगणन—

(ग) फिर शरीर एवं शरीर-सम्बन्धी शुद्धियों का वर्णन [१०६–१०९], जो कि सर्व-सामान्य विधि के रूप में भावगाम्भीर्य से युक्त संक्षिप्त वर्णन है। इसमें शरीर-सम्बन्धी आत्मा, मन, बुद्धि, चरित्र की शुद्धि का उल्लेख है।

इस प्रकार मनु की मान्यता एवं विषय-संकेत [५७ तथा ११०] के अनुसार यह एक संगत क्रम बनता है। ५८ से १०४ श्लोकों ने उस क्रम को ही भंग कर दिया है और शरीरादि की शुद्धि से भिन्न अशुद्धि को 'धार्मिककृत्य' के रूप में मनाने की एक पृथक् पूर्वापर प्रसंग से भिन्न ही व्यवस्था विहित की है। शुद्धि की बात कहने के लिए पहले शुद्धिकारक पदार्थों का उल्लेख ही प्रासंगिक बनता है। इस आधार पर ५७ के बाद १०५ वां श्लोक प्रसंग की दृष्टि से सम्बद्ध सिद्ध होता है। शेष बीच के सभी श्लोक प्रसंग-विरुद्ध या प्रसंगभञ्जक होने के कारण प्रक्षिप्त हैं।

देह शुद्धिकारक पदार्थों की गणना—

ज्ञानं तपोऽग्निराहारो मृन्मनो वार्युपाञ्जनम्।
वायुः कर्मार्ककालौ च शुद्धेः कर्तॄणि देहिनाम् ॥ १०५ ॥ (१४)

(ज्ञानं तपः अग्निः+आहारः **मृद्मनः** वारि+उपाञ्जनं वायुः कर्म अर्ककालौ) ज्ञान, तप, अग्नि, आहार, मिट्टी, मन=विचार, जल, लेप करना, वायु, कर्म, सूर्य और काल (देहिनां शुद्धेः कर्तॄणि) ये प्राणियों की शुद्धि करने वाले पदार्थ हैं ॥ १०५ ॥

[illegible]

[illegible] मृद्वारिशुचिः शुचिः ॥ १०६ ॥ (१५)

(अर्थशौचं सर्वेषाम्+एव शौचानां परं स्मृतम्) जो धर्म ही से पदार्थों का संचय करना है वही सब पवित्रताओं में उत्तम पवित्रता अर्थात् (यः+अर्थे शुचिः सः शुचिः) जो अन्याय से किसी पदार्थ का ग्रहण नहीं करता वही पवित्र है, किन्तु (मृद्-वारि-शुचिः न शुचिः) जल, मृत्तिका आदि से जो पवित्रता होती है वह धर्म के सदृश उत्तम नहीं होती ॥ १०६ ॥

(सं० वि० १५२)

धर्माचरण से विविध चरित्र दोषों की शुद्धि—

क्षान्त्या शुद्धयन्ति विद्वांसो दानेनाकार्यकारिणः।
प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः॥ १०७॥ (१६)

(विद्वांसः क्षान्त्या) विद्वान् लोग क्षमा से (अकार्यकारिणः दानेन) दुष्टकर्मकारी सत्संग और विद्यादि शुभगुणों के दान से (प्रच्छन्नपापा जप्येन) गुप्त पाप करने हारे विचारसे त्यागकर (तपसा वेदवित्तमाः) और ब्रह्मचर्य तथा सत्यभाषणादि से वेदवित् उत्तम विद्वान् (शुध्यन्ति) शुद्ध होते हैं ॥ १०७ ॥ (सं० वि० १५२)

अनुशीलन : दान से शुद्धि—मनु ने ४। २३३ में कहा है—"**सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते।**" वेदादि से श्रेष्ठता की प्राप्ति होती है। इन मान्यताओं की पुष्टि के लिये द्रष्टव्य है ११। २२६ और ११। २२७ श्लोक। शुद्ध होने से यहां अभिप्राय पापभावना से रहित होने से है, पापफल के क्षीण होने से नहीं। द्रष्टव्य ११। २२७ पर एतद्विषयक अनुशीलन।

मृत्तोयैः शुद्धयते शोध्यं नदी वेगेन शुद्ध्यति।
रजसा स्त्री मनोदुष्टा संन्यासेन द्विजोत्तमः॥ १०८॥

(शोध्यं मृत्+तोयैः शुध्यते) मल आदि से दूषित वस्तु मिट्टी और जल से शुद्ध होती है (नदी वेगेन शुद्धयति) नदी बहती धारा से शुद्ध होती है (मनोदुष्टा स्त्री रजसा) मन से दूषित स्त्री रजस्वला होकर (द्विजोत्तमः संन्यासेन) ब्राह्मण संन्यास धारण करने से शुद्ध होता है॥ १०८॥

अनुशीलन : १०८ वां श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त है-

१. **शैली एवं विषय-विरोध**—१०८ वां श्लोक प्रक्षिप्त है—[विस्तृत जानकारी के लिए ५८ से १०४ श्लोकों की समीक्षा देखिए] मन से दूषित स्त्री रजस्वला होकर कैसे शुद्ध होगी, इसमें कोई कार्यकारण सम्बन्ध नहीं है। यह अयुक्तियुक्त शैली है।

शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि की शुद्धि—

अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्धयति।
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धयति॥ १०९॥ (१७)

(अद्भिः गात्राणि शुद्धयन्ति) जल से शरीर के बाहर के अवयव (**सत्येन** मनः) सत्याचरण से मन (विद्यातपोभ्यां भूतात्मा) विद्या और तप अर्थात् सब प्रकार के कष्ट भी सहके धर्म ही के अनुष्ठान करने से जीवात्मा (ज्ञानेन बुद्धिः शुद्धयति) ज्ञान अर्थात् पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के विवेक से बुद्धि दृढ़ निश्चय पवित्र होती है ॥ १०९॥ (स० प्र० २९)

"किन्तु जल से ऊपर के अङ्ग पवित्र होते हैं आत्मा और मन नहीं, मन तो सत्य मानने, सत्य बोलने और सत्य करने से शुद्ध और जीवात्मा विद्या, योगाभ्यास और धर्माचरण ही से पवित्र तथा बुद्धि-ज्ञान से ही शुद्ध होती है, जल मृत्तिकादि से नहीं" (सं० वि० १५२)

एष शौचस्य वः प्रोक्तः शारीरस्य विनिर्णयः।
नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धेः शृणुत निर्णयम् ॥ ११० ॥ (१८)

(एषः) यह (शारीरस्य शौचस्य विनिर्णयः) शरीर सम्बन्धी अर्थात् शरीर, मन, आत्मा की शुद्धि का निर्णय (वः प्रोक्तः) तुमसे कहा, अब (नानाविधानां द्रव्याणां शुद्धेः निर्णयं शृणुत) विभिन्न प्रकार के पदार्थों की शुद्धि का निर्णय सुनो—॥ ११० ॥

(द्रव्य-शुद्धि विषय)

[५।१११ से ५।१४६ तक]

पात्रों की शुद्धि का प्रकार—

तैजसानां मणीनां च सर्वस्याश्ममयस्य च।
भस्मनाऽद्भिर्मृदा चैव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः ॥१११॥ (१९)

(तैजसानाम्) तैजस पदार्थ अर्थात् चमकीले सोना आदि की (च) और (मणीनाम्) मणियों के पात्रों की (च) और (सर्वस्य+अश्ममयस्य) सब प्रकार के पत्थरों के पात्रों की (शुद्धिः) शुद्धि (मनीषिभिः) विद्वानों ने (भस्मना+अद्भिः च मृदा एव उक्ता) भस्म=राख, जल और मिट्टी से कही है ॥ १११ ॥

निर्लेपं काञ्चनं भाण्डमद्भिरेव विशुद्ध्यति।
अब्जमश्ममयं चैव राजतं चानुपस्कृतम् ॥११२॥ (२०)

(निर्लेपम्) जिसमें किसी चिकनाई, जूठन आदि का लेप न लगा हो ऐसा (काञ्चनम्) सोने का (भाण्डम्) पात्र, (अब्जम्) जल में उत्पन्न होने वाले मोती शंख आदि से बना पात्र (च) और (अश्ममयम्) पत्थरों के पात्र (अनुपस्कृतं राजतम्) चित्रकारी की खुदाई से रहित चांदी का पात्र (अद्भिः+एव विशुद्धयति) केवल जल से ही शुद्ध हो जाता है ॥ ११२ ॥

अनुशीलन : यहां 'निर्लेपम्' शब्द का सम्बन्ध प्रत्येक प्रकार के पात्र से है।

अपामग्नेश्च संयोगाद्धेमं रौप्यं च निर्बभौ।
तस्मात्तयोः स्वयोन्यैव निर्णेको गुणवत्तरः ॥ ११३ ॥

(हेमं च रौप्यम्) सोना और चांदी (अपां च अग्नेः संयोगात् निर्बभौ) जल और संयोग से उत्पन्न हुए हैं (तस्मात्) इसलिए (तयोः) उन दोनों पदार्थों से बने पात्रों की (निर्णेकः) शुद्धि (स्वयोन्या+एव) अपने उत्पत्तिस्थान अर्थात् जल और अग्नि अर्थात् राख या तपाने से ही (गुणवत्तरः) बहुत अच्छी होती है ॥ ११३ ॥

अनुशीलन : ११३ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. **अन्तर्विरोध**—स्वर्ण आदि की शुद्धि का उल्लेख १११ वें श्लोक में हो चुका है, इस श्लोक में पुनः भिन्न प्रकार से शुद्धि का उल्लेख अनावश्यक एवं विरुद्ध है।

२. **शैलीगत आधार**—इस श्लोक की वर्णनशैली अयुक्तियुक्त है। यहां जो कारण दर्शाया गया है, इसका शुद्धि से कोई सम्बन्ध नहीं है। यों तो सभी धातुएं अग्नि और जल के संयोग से निकली हैं फिर केवल चांदी और सोने को ही पृथक् से इस रूप में कहना अयुक्तिपूर्ण है।

ताम्रायःकांस्यरैत्यानां त्रपुणः सीसकस्य च।
शौचं यथार्हं कर्त्तव्यं क्षाराम्लोदकवारिभिः ॥ ११४ ॥(२१)

(ताम्र+अयः-कांस्य-रैत्यानां त्रपुणः च सीसकस्य शौचम्) तांबा, लोहा, कांसा, पीतल, रांगा और सीसा, इनके बर्तनों की शुद्धि (यथार्हम्) यथाआवश्यक (क्षार+अम्ल+उदक वारिभिः) राख, खट्टा पानी और जल से (कर्त्तव्यम्) करनी चाहिए ॥ ११४ ॥

द्रवाणां चैव सर्वेषां शुद्धिरुत्पवनं स्मृतम्।
प्रोक्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम् ॥ ११५ ॥ (२२)

(सर्वेषां द्रवाणाम्) सब घी, तेल आदि द्रव पदार्थों की (शुद्धिः) शुद्धि उत्पवनम्) छान लेने से (च) और (संहतानां प्रोक्षणम्) ठोस वस्तु जैसे लकड़ी को चौकी आदि की पोंछने से (च) तथा (दारवाणाम् तक्षणम्) लकड़ी के पात्रों की शुद्धि छीलने से (स्मृतम्) मानी है ॥ ११५ ॥

यज्ञ पात्रों की शुद्धि का प्रकार—

मार्जनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि।
चमसानां ग्रहाणां च शुद्धिः प्रक्षालनेन तु ॥ ११६ ॥ (२३)

(यज्ञकर्मणि) यज्ञ करते समय प्रयुक्त (यज्ञपात्राणाम्) यज्ञ के पात्रों (चमसानां च ग्रहाणां शुद्धिः) चमचों और कटोरों की शुद्धि (पाणिना मार्जनं तु प्रक्षालनेन) हाथ से रगड़कर मांजने और धोने से होती है ॥ ११६ ॥

अनुशीलन : यह शुद्धि चिकनाईरहित पात्रों की कही है।

चरूणां स्रुक्स्रुवाणां च शुद्धिरुष्णेन वारिणा।
स्फ्यशूर्पशकटानां च मुसलोलूखलस्य च॥ ११७॥ (२४)

[घृत आदि की चिकनाई लगे पात्रों की शुद्धि की विधि है—] (चरूणाम्) यज्ञ के लिए पाक बनाने के पात्र चरुस्थाली आदि (स्रुक्स्रुवाणाम्) स्रुक् और स्रुव नामक चम्मचविशेष पात्रों की (स्फ्य-शूर्प-शकटानाम्) स्फ्य=तलवार की आकृति का खदिर वृक्ष का बना खड्ग, शूर्प=छाज, शकट=यज्ञीयपदार्थ ढोने की गाड़ी (च) और (मुसल+उलूखलस्य च) मूसल और ऊखल आदि यज्ञीय पदार्थों की (शुद्धिः) शुद्धि (उष्णेन वारिणा) गर्म जल से धोने से होती है॥ ११७॥

अनुशीलन : यज्ञपात्रों का परिचय एवं विवरण—मनु ने यहां संकेतरूप में कुछ ही पात्रों का उल्लेख किया है। ब्राह्मणग्रन्थों और श्रौतसूत्र ग्रन्थों में अनेक यज्ञीय साधनों और यज्ञपात्रों का वर्णन आता है। श्लोकोक्त पात्रों का सामान्य परिचय इस प्रकार है—(१) स्रुक्—यद्यपि स्रुक् और स्रुवों के अनेक प्रकार हैं, किन्तु प्रमुखतः चार स्रुक् हैं—जुहूः, उपभृत्, ध्रुवा और अग्निहोत्रहवनी। (२) स्रुव—वैकङ्कत स्रुव और खादिर स्रुव दो प्रमुख हैं। (३) स्फ्य—खदिर वृक्ष की लकड़ी का बना २२ अंगुल लम्बा खड्ग। (४) शूर्प=पदार्थों की सफाई के लिए छाज। (५) शकट=यज्ञ का सामान ढोने की गाड़ी। (६) मुसल-उलूखल—ऊखल सामान्यतः पलाश का बना होता है और नाभि तक ऊंचाई वाला होता है। मूसल सामान्यतः शिर तक लम्बा खदिर का बना होता है। ये इच्छाप्रमाण में और अन्य वृक्ष के भी हो सकते हैं।

अन्य प्रमुख यज्ञपात्र और यज्ञोपयोगी पदार्थ हैं—(७) आज्यस्थाली, (८) पुरोडाशपात्री, (९) प्रणीता, (१०) शम्या, (११) स्रुतावदानम्, (१२) उपवेषः, (१३) मेकराकारकूर्चः, (१४) दृषत्, (१५) उपलः, (१६) षडवत्तम्, (१७) अभ्रिः, (१८) अधरारणिः, (१९) उत्तरारणिः, (२०) चात्रम्, (२१) प्रमन्थः, (२२) नेत्रम् अथवा रज्जुः, (२३) ओविली, (२४) इडापात्री, (२५) हविर्धानपात्री, (२६) यजमानपात्री, (२७) पत्नीपात्री, (२८) अन्तर्धानकटः, (२९) प्राशित्रहरणम्, (३०) कृष्णाजिनम्, (३१) यजमानासनम्, (३२) पत्न्यासनम्, (३३) ब्रह्मासनम्, (३४) होत्रासनम्, (३५) चमस, (३६) ग्रह, आदि-आदि।

अन्य वस्त्रादि पदार्थों की शुद्धि—

अद्भिस्तु प्रोक्षणं शौचं बहूनां धान्यवाससाम्।
प्रक्षालनेन त्वल्पानामद्भिः शौचं विधीयते॥ ११८॥(२५)

(बहूनां धान्यवाससां शौचम् अद्भिः प्रोक्षणम्) बहुत-से अन्नों और वस्त्रों की शुद्धि जल से पोंछने अर्थात् डुबाने मात्र से हो जाती है (तु) किन्तु (अल्यानाम्) कुछ अन्न एवं वस्त्रों की (शौचम्) शुद्धि (अद्भिः प्रक्षालनेन विधीयते) जल से मलकर धोने से होती है ॥ ११८ ॥

चैलवच्चर्मणां शुद्धिर्वैदलानां तथैव च ।
शाकमूलफलानां च धान्यवच्छुद्धिरिष्यते ॥ ११९ ॥ (२६)

(चर्मणां शुद्धिः चैलवत्) चमड़े के बर्तनों की शुद्धि वस्त्रों के समान होती है (वैदलानां तथैव) बांस के पात्रों की शुद्धि भी उसी प्रकार होती है (च) और (शाक-मूल-फलानां शुद्धिः धान्यवत् इष्यते) शाक, कन्दमूल और फलों की शुद्धि अन्नों के समान [५ । ११८] जल में धोने से होती है ॥ ११९ ॥

कौशेयाविकयोरूषैः कुतपानामरिष्टकैः ।
श्रीफलैरंशुपट्टानां क्षौमाणां गौरसर्षपैः ॥ १२० ॥ (२७)

(कौशेय+आविकयोः) रेशमी और ऊनी वस्त्रों की शुद्धि (ऊषैः) क्षारमिश्रित पदार्थों से (कुतपानाम्) कम्बलों की शुद्धि (अरिष्टकैः) रीठों से (अंशुपट्टानां श्रीफलैः) सन आदि से बने कपड़ों की शुद्धि बेलफलों से (क्षौमाणां गौरसर्षपैः) अलसी आदि की छाल से बने वस्त्रों=वल्कल वस्त्रों की शुद्धि सफेद सरसों से होती है ॥ १२० ॥

क्षौमवच्छङ्खशृङ्गाणामस्थिदन्तमयस्य च ।
शुद्धिर्विजानता कार्या गोमूत्रेणोदकेन वा ॥ १२१ ॥ (२८)

(शंख-शृङ्गाणां अस्थि-दन्तमयस्य शुद्धिः) शंख, सींग, हड्डी, दांत, इन से बने पदार्थों की शुद्धि (विजानता) बुद्धिमान् व्यक्ति को (क्षौमवत्) छाल=वल्कल से बने वस्त्रों के समान (वा) अथवा (गोमूत्रेण+उदकेन) गोमूत्र और पानी से (कार्या) करनी चाहिए ॥ १२१ ॥

प्रोक्षणात्तृणकाष्ठं च पलालं चैव शुध्यति ।
मार्जनोपाञ्जनैर्वेश्म पुनः पाकेन मृन्मयम् ॥ १२२ ॥ (२९)

(तृण-काष्ठं च पलालम्) घास, काष्ठ और पुआल से बना पदार्थ (प्रोक्षणात् शुद्ध्यति) जल में डुबाकर पोंछने से शुद्ध होता है (वेश्म) घर की शुद्धि (मार्जन+उपाञ्जनैः) धोने-बुहारने और लीपने से होती है (मृद्+मयं पुनः पाकेन) मिट्टी का पात्र या पदार्थ फिर आग में पकाने से शुद्ध होता है ॥ १२२ ॥

मद्यैर्मूत्रैः पुरीषैर्वा ष्ठीवनैः पूयशोणितैः ।
संस्पृष्टं नैव शुद्ध्येत पुनः पाकेन मृन्मयम् ॥ १२३ ॥ (३०)

(मद्यैः मूत्रैः पुरीषैः ष्ठीवनैः पूयशोणितैः) शराब, मूत्र, मल, थूक, राद, खून इनसे (संस्पृष्टं मृन्मयम्) लिपा हुआ मिट्टी का बर्तन (पुनः पाकेन नैव शुद्धयेत) फिर पकाने से भी शुद्ध नहीं होता ॥ १२३ ॥

संमार्जनोपाञ्जनेन सेकेनोल्लेखनेन च ।
गवां च परिवासेन भूमिः शुद्ध्यति पञ्चभिः ॥ १२४ ॥ (३१)

(संमार्जन+उपाञ्जनेन **सेकेन+उल्लेखनेन** च गवां परिवासेन पञ्चभिः) बुहारना, लीपना, छिड़काव करना या धोना, खुरचना और गौओं का निवास—इन पांच कामों से (भूमिः शुद्ध्यति) भूमि शुद्ध होती है ॥१२४॥

पक्षिजग्धं गवाघ्रातमवधूतमवक्षुतम् ।
दूषितं केशकीटैश्च मृत्प्रक्षेपेण शुद्ध्यति ॥ १२५ ॥

(पक्षिजग्धम्) पक्षी से खाया हुआ (गवा+आघ्रातम्) गौ के द्वारा सूंघा हुआ (अवधूतम्) पैर से छूआ हुआ (अवक्षुतम्) जिस पर किसी ने छींक दिया हो, वह पदार्थ (केशकीटैः दूषितम्) केश और कीटों से बिगड़ा हुआ पदार्थ (मृत्प्रक्षेपेण शुद्धयति) मिट्टी के डालने से शुद्ध होता है ॥ १२५ ॥

अनुशीलन—१२५ वां श्लोक निम्नप्रकार प्रक्षिप्त है—

१. **विषयविरोध**—११० वें और १४६ वें श्लोक के संकेतानुसार प्रस्तुत विषय 'दैनिक उपयोग में आने वाले बर्तन, वस्त्र आदि पदार्थों की शुद्धि' का है। इस श्लोक में उन पदार्थों से भिन्न वस्तुओं का वर्णन करना विषयविरुद्ध है।

२. **प्रसङ्गविरोध**—१२४ और १२६ श्लोकों में पूर्वापर प्रसङ्ग बाह्य उपयोग के पदार्थों की शुद्धि का है। इस श्लोक में भक्ष्य पदार्थों की शुद्धि का वर्णन पूर्वापर प्रसङ्ग-विरुद्ध है।

३. **शैलीगत आधार**—भक्ष्य पदार्थ मिट्टी फेरने मात्र से शुद्ध नहीं होते। इस प्रकार इसकी शैली भी निराधार-अयुक्तियुक्त है।

यावन्नापैत्यमेध्याक्ताद् गन्धो लेपश्च तत्कृतः ।
तावन्मृद्वारि चादेयं सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु ॥ १२६ ॥ (३२)

(यावत्) जब तक (अमेध्य+अक्तात्) अशुद्ध वस्तु से (तत्कृतः गन्धः च लेपः) उस अशुद्ध वस्तु की गन्ध और लेप [=लगा होना] (न अपैति) नहीं दूर हो जाता है (सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु) मिट्टी और जल से धोये जाने

वाले सब पदार्थों की शुद्धि के लिए उन्हें (तावत्) तबतक (मृद्+वारि आदेयम्) मिट्टी और जल से धोते रहना चाहिए ॥ १२६ ॥

शुद्ध और अशुद्ध वस्तुओं की गणना—

त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकल्पयत् ।
अदृष्टमद्भिर्निर्णिक्तं यच्च वाचा प्रशस्यते ॥ १२७ ॥

(देवाः) देवताओं ने (त्रीणि ब्राह्मणानां पवित्राणि अकल्पयन्) तीन प्रकार की वस्तुओं को ब्राह्मणों के लिए पवित्र कहा है—एक तो (अदृष्टम्) जिसकी अपवित्रता आंखों से न देखी गई हो (अद्भिः निर्णिक्तम्) जिसकी अपवित्रता की शङ्का होने पर जिस पर जल छिड़क दिया गया हो (च) और (यत् वाचा प्रशस्यते) जिसको वाणी के द्वारा ब्राह्मण लोग पवित्र कह दें ॥ १२७ ॥

आपः शुद्धा भूमिगता वैतृष्ण्यं यासु गोर्भवेत् ।
अव्याप्ताश्चेदमेध्येन गन्धवर्णरसान्विताः ॥ १२८ ॥

(यासु गोः वैतृष्ण्यं भवेत्) जिस पानी को पीकर गौ तृप्त हो जाये (च) और (अमेध्येन अव्याप्ताः) जिसमें कोई अपवित्र वस्तु [हड्डी, मांस, मल आदि] न पड़ी हो (गन्ध-वर्ण-रस-अन्विताः) जिनकी गन्ध, रङ्ग और स्वाद ठीक हो, ऐसे (भूमिगताः आपः शुद्धाः) भूमि में स्थित या भूमि पर बहने वाला पानी शुद्ध होता है ॥ १२८ ॥

नित्यं शुद्धः कारुहस्तः पण्ये यच्च प्रसारितम् ।
ब्रह्मचारिगतं भैक्ष्यं नित्यं मेध्यमिति स्थितिः ॥ १२९ ॥

(कारुहस्तः नित्यं शुद्धः) कारीगर का हाथ सदा शुद्ध होता है (च) और (यत् पण्ये प्रसारितम्) जो वस्तु बाजार में बेचने के लिए रखी गयी है (ब्रह्मचारिगतं भैक्ष्यम्) ब्रह्मचारी को प्राप्त भिक्षा, ये (नित्यं मेध्यम्) सदा पवित्र रहने वाली वस्तुएं हैं; (इति स्थितिः) ऐसी मान्यता है ॥ १२९ ॥

नित्यमास्यं शुचिः स्त्रीणां शकुनिः फलपातने ।
प्रस्रवे च शुचिर्वत्सः श्वा मृगग्रहणे शुचिः ॥ १३० ॥

(स्त्रीणाम् आस्यं नित्यं शुचिः) स्त्रियों का मुख सदा पवित्र होता है (फल-पातने शकुनिः) फल गिराने से पक्षियों का मुख पवित्र होता है अर्थात् वह फल अपवित्र नहीं होता जिसे पक्षी अपने मुख से काटकर गिराते हैं (च) और (प्रस्रवे वत्सः शुचिः) दूध दुहाते समय बछड़े का मुख पवित्र है अर्थात् बछड़े के द्वारा स्तनों से दूध पीने के बाद वह दूध अशुद्ध नहीं होता (मृगग्रहणे श्वा शुचिः) हिरण को पकड़ने में कुत्ते का मुख पवित्र है ॥ १३० ॥

अभिर्हतस्य यन्मांसं शुचिस्तन्मनुरब्रवीत् ।
क्रव्यादिभश्च हतस्यान्यैश्चण्डालाद्यैश्च वर्ष्मभिः ॥ १३१ ॥

(श्वभिः हतस्य) कुत्तों के द्वारा मारे हुए (च) तथा (क्रव्य+अद्भिः हतस्य) कच्चा मांस खाने वाले पशुओं द्वारा मारे हुए (च) और (अन्यैः चण्डाल+आद्यैः) अन्य चाण्डाल व्याध आदि द्वारा मारे हुए (दस्युभिः) राक्षसों द्वारा मारे हुए पशु का (यत् मांसम्) जो मांस है (तत् मनुः शुचि अब्रवीत्) उसे मनु ने पवित्र कहा है॥१३१॥

ऊर्ध्वं नाभेर्यानि खानि तानि मेध्यानि सर्वशः।
यान्यधस्तान्यमेध्यानि देहाच्चैव मलाश्च्युताः॥ १३२॥

(नाभेः ऊर्ध्वं यानि खानि) नाभि से ऊपर जितनी इन्द्रियां हैं (तानि सर्वशः मेध्यानि) वे सब शुद्ध हैं (यानि) जो (अधस्तात्) नाभि से नीचे की इन्द्रियां हैं वे (च) और (देहात् च्युताः मलाः) शरीर से निकलने वाले सभी मल (अमेध्यानि) अपवित्र हैं॥ १३२॥

मक्षिका विप्रुदच्छाया गौरश्वः सूर्यरश्मयः।
रजो भूर्वायुरग्निश्च स्पर्शे मेध्यानि निर्दिशेत्॥ १३३॥

(मक्षिका, विप्रुषः, छाया, गौ, अश्वः, सूर्यरश्मयः, रजः, भूः, वायुः च अग्निः) मधुमक्खी, उड़कर पड़ते जलकण, छाया, गौ, घोड़ा, सूर्य की किरणें, धूल, भूमि, वायु, अग्नि ये सब (स्पर्शे मेध्यानि निर्दिशेत्) स्पर्श करने में पवित्र होते हैं अर्थात् इनके स्पर्श से अपवित्रता नहीं होती॥ १३३॥

विण्मूत्रोत्सर्गशुद्ध्यर्थं मृद्वार्यादेयमर्थवत्।
दैहिकानां मलानां च शुद्धिषु द्वादशस्वपि॥ १३४॥

वसा शुक्रमसृङ्मज्जा मूत्रविट् घ्राणकर्णविट्।
श्लेष्माश्रुदूषिका स्वेदो द्वादशैते नृणां मलाः॥ १३५॥

(विण्मूत्र-उत्सर्ग-शुद्धयर्थम्) मल-मूत्र त्याग के बाद की शुद्धि के लिए (च) और दैहिकानां मलानां द्वादशसु+अपि शुद्धिषु) शरीर के मलों की बारह प्रकार की शुद्धि के लिए (अर्थवत्) आवश्यकता के अनुसार (मृत्+वारि+आदेयम्) मिट्टी और जल का उपयोग करना चाहिए। (नृणां द्वादश मलाः एते) मनुष्यों के बारह शारीरिक मल ये हैं—(वसा, शुक्रं, असृक्, मज्जा, मूत्र, विट्, घ्राण-कर्णविट्, श्लेष्मा, अश्रु, दूषिका, स्वेदः,) चर्बी, वीर्य, खून, मांस, मूत्र, विष्ठा, नाक और कान का मैल, थूक, आंसू, आंख का मैल और पसीना॥ १३४, १३५॥

एका लिङ्गे गुदे तिस्रस्तथैकत्र करे दश।
उभयोः सप्त दातव्या मृदः शुद्धिमभीप्सता॥ १३६॥

(शुद्धिम्+अभीप्सता) शुद्धि चाहने वाले व्यक्ति को (लिङ्गे एका) लिङ्ग पर एक बार (गुदे तिस्रः) गुदा पर तीन बार (तथा एकत्र करे दश) तथा शुद्धि में इनके

सम्पर्क में आने वाले बायें हाथ में दस बार (उभयोः सप्त) दोनों हाथों में सात-सात बार (मृदः दातव्या) मिट्टी से धोना चाहिये ॥ १३६ ॥

ब्रह्मचारी और संन्यासियों के लिए शुद्धि प्रकार—

एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम् ।
त्रिगुणं स्याद्वनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम् ॥ १३७ ॥

(एतत्) यह (शौचं गृहस्थानाम्) शुद्धि का विधान गृहस्थों के लिए है (ब्रह्मचारिणां द्विगुणम्) ब्रह्मचारियों को इससे दुगनी शुद्धि करनी चाहिए (वनस्थानां त्रिगुणं च) वानप्रस्थियों को तिगुनी (तु) और (यतीनां चतुर्गुणम्) संन्यासियों को चौगुनी शुद्धि करनी चाहिए ॥ १३७ ॥

विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों की शुद्धि का प्रकार—

कृत्वा मूत्रं पुरीषं वा खान्याचान्त उपस्पृशेत् ।
वेदमध्येष्यमाणश्च अन्नमश्नंश्च सर्वदा ॥ १३८ ॥

(मूत्रं वा पुरीषं कृत्वा) मूत्र या मल त्यागकर [शुद्धि के उपरान्त] (च) और वेदम्+अध्येष्यमाणः) वेद पढ़ना प्रारम्भ करने से पूर्व (च) तथा (अन्नम्+अश्नन्) भोजन के समय (सर्वदा) सदा (आचान्तः खानि उपस्पृशेत्) आचमन करके इन्द्रियों का स्पर्श करे ॥ १३८ ॥

त्रिराचामेदपः पूर्वं द्विःप्रमृज्यात्ततो मुखम् ।
शारीरं शौचमिच्छन् हि स्त्री शूद्रस्तु सकृत्सकृत् ॥ १३९ ॥

(शारीरं शौचम्+इच्छन् हि) शरीर की शुद्धि को चाहने वाला व्यक्ति (पूर्वं त्रिः+आचामेत्) पहले तीन बार आचमन करे (ततः मुखं द्विः प्रमृज्यात्) फिर दो बार मुख को धोये (तु) किन्तु (स्त्री-शूद्रः तु सकृत्-सकृत्) स्त्री और शूद्र तो एक-एक बार ही आचमन और मुखप्रक्षालन करें ॥ १३९ ॥

शूद्राणां मासिकं कार्यं वपनं न्यायवर्तिनाम् ।
वैश्यवच्छौचकल्पश्च द्विजोच्छिष्टं च भोजनम् ॥ १४० ॥

(न्यायवर्तिनां शूद्राणाम्) शास्त्रोक्त कर्त्तव्यों के अनुसार आचरण करने वाले शूद्रों का (वपनं मासिकं कार्यम्) मुण्डन प्रतिमास कराना चाहिए (च शौचकल्पः वैश्यवत्) और उनके जन्म-मरण-सूतक विधान भी वैश्य के समान मानने चाहिएं (च) और तथा (द्विजोच्छिष्टं भोजनम्) द्विजों द्वारा खाने से छोड़ा जूठा भोजन करना चाहिए ॥ १४० ॥

नोच्छिष्टं कुर्वते मुख्या विप्रुषोऽङ्गे पतन्ति याः ।
न श्मश्रूणि गतान्यास्यं न दन्तान्तरधिष्ठितम् ॥ १४१ ॥

(याः मुख्याः विप्रुषः+अङ्गे पतन्ति) जो मुख से निकलने वाली बूंदें हैं वे, तथा

(आस्यं गतानि श्मश्रूणि) मुख में गये दाढ़ी-मूंछ के बाल, (दन्त+अन्तः+अधिष्ठितम्) दांतों के भीतर लगा हुआ अन्न, ये (उच्छिष्टं न कुर्वंते) मनुष्य को जूठा या अपवित्र नहीं करते ॥ १४१ ॥

स्पृशन्ति बिन्दवः पादौ य आचामयतः परान् ।
भौमिकैस्ते समा ज्ञेया न तैराप्रयतो भवेत् ॥ १४२ ॥

(ये परान् आचामयतः) जो दूसरों को पानी पिलाते समय (बिन्दवः पादौ स्पृशन्ति) नीचे गिरने वाली जल की बूंदें पैरों को छूती हैं (ते भौमिकैः समा ज्ञेयाः) वे भूमि के जल के समान पवित्र समझनी चाहिएं (तैः+आप्रयतः न भवेत्) उनसे अपवित्र नहीं होता ॥ १४२ ॥

उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो द्रव्यहस्तः कथंचन ।
अनिधायैव तद्द्रव्यमाचान्तः शुचितामियात् ॥ १४३ ॥

(कदाचन) जो कभी (द्रव्यहस्तः उच्छिष्टेन संस्पृष्टः) कोई भक्ष्य पदार्थ अथवा अन्य कोई पदार्थ हाथ में लिए हुए हो और किसी जूठे मुंह-हाथ वाले व्यक्ति से छू जाये तो (तत् द्रव्यम् अनिधाय एव) वह द्रव्य नीचे रखे बिना अर्थात् हाथों में रखा हुआ (आचान्तः) आचमन करके ही (शुचिम्+इयात्) शुद्ध हो जाता है ॥ १४३ ॥

वान्तो विरिक्तः स्नात्वा तु घृतप्राशनमाचरेत् ।
आचामेदेव भुक्त्वान्नं स्नानं मैथुनिनः स्मृतम् ॥ १४४ ॥

(वान्तः तु विरिक्तः) वमन होने पर और दस्त लगने के बाद (स्नात्वा) स्नान करके (घृत-प्राशनम्+आचरेत्) घी को चाटकर शुद्ध हो जाता है (अन्नं भुक्त्वा एव आचामेत्) अन्न अर्थात् भोजन करते ही जो वमन हो जाये तो केवल आचमन ही करे (मैथुनिनः स्नानं स्मृतम्) मैथुन करने वाले को तो शुद्धि के लिए स्नान करना कहा है ॥ १४४ ॥

सुप्त्वा क्षुत्वा च भुक्त्वा च निष्ठीव्योक्त्वाऽनृतानि च ।
पीत्वापोऽध्येष्यमाणश्च आचामेत्प्रयतोऽपि सन् ॥ १४५ ॥

(सुप्त्वा क्षुत्वा भुक्त्वा निष्ठीव्य) सोने से उठने पर, छींककर, भोजन करके, थूककर (च) और (अनृतानि उक्त्वा) झूठ बोलकर (अपः पीत्वा च अध्येष्यमाणः) जल पीकर और वेद पढ़ने से पहले (प्रयतः+अपि सन् आचामेत्) किसी काम में व्यस्त होते हुए भी अर्थात् कार्य की शीघ्रता हो, तब भी अवश्य आचमन करे ॥ १४५ ॥

अनुशीलन : १२७ से १४५ श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. **विषयविरोध**—विषयसंकेत श्लोक ११० और १४६ के अनुसार प्रस्तुत

विषय द्रव्यों=बर्तन, वस्त्र आदि पदार्थों की शुद्धि करने के उपायों के वर्णन करने का है। इससे सम्बद्ध वर्णन ही यहां विषयसम्मत माने जा सकते हैं, इससे भिन्न विषयविरुद्ध कहलायेंगे। इन श्लोकों में न तो इस प्रकार के पदार्थों का वर्णन है और न शुद्धि का, अपितु क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध यह वर्णन किया गया है। अतः ये सभी श्लोक विषय-विरुद्ध होने के कारण प्रक्षिप्त हैं।

२. **प्रसंगविरोध**—द्रव्यों की शुद्धि का प्रसंग १११ वें श्लोक से प्रारम्भ हुआ है और १२६ वें श्लोक तक विभिन्न पदार्थों का वर्णन करके १२६ वें में शेष सभी पदार्थों के लिए सामूहिक रूप में यह विधान करके कि 'जब तक अशुद्ध पदार्थयुक्त वस्तु में से अशुद्ध पदार्थ की गन्ध और लेप दूर न हो जाये, तब तक उस वस्तु की शुद्धि के साधन मिट्टी और जल का प्रयोग करे, इसका उपसंहार कर दिया है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि मौलिक रूप से यह प्रसंग यहां समाप्त हो गया है। एक पूर्वप्रसंग के पूर्ण हो जाने के बाद पुनः उस सम्बन्ध के वर्णनों का प्रसंग प्रारम्भ करना प्रसंगविरुद्ध है। इस आधार पर १२७ से १४५ तक सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

३. **अन्तर्विरोध**—इन श्लोकों में वर्णित अनेक बातों का मनु की मान्यताओं से विरोध है—(१) १२७ में केवल ब्राह्मणों की वाणी से ही किसी वस्तु के पवित्र हो जाने का कथन १११—१२६ श्लोकों की व्यवस्थाओं के विरुद्ध है। इस प्रकार तो ये सब विधान निरर्थक हो जाते हैं। (२) १३०, १३१ श्लोकों में मांसभक्षण का उल्लेख मनु की मान्यता के विरुद्ध है। मनु ने सब प्रकार के मांसभक्षण को निषिद्ध माना है [विस्तृत जानकारी के लिए ४। २६-२८ श्लोकों पर अन्तर्विरोध शीर्षक आधार देखिए]। (३) १४० वें श्लोक में शूद्रों को द्विजों का जूठा भोजन खाने का विधान २। ३१ [५६] के विरुद्ध है। उसमें जूठा भोजन किसी को न देने का कथन है। इन अन्तर्विरोधों के आधार पर ये तथा इनसे सम्बद्ध अन्य सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

४. **शैलीगत आधार**—प्रायः इन सभी श्लोकों की शैली अयुक्तियुक्त एवं अतिशयोक्तिपूर्ण है। जैसे—कुछ उदाहरण (१) ब्राह्मणों द्वारा वाणी से 'शुद्ध' कह देने से ही वस्तु का शुद्ध होना [१२७] (२) बाजार में रखी प्रत्येक वस्तु का शुद्ध होना, कारीगर का हाथ सदा शुद्ध होना [१२९], (३) स्त्रियों का मुख सदा शुद्ध होना, कुत्तों से मारे गये पशु का मांस शुद्ध होना [१३०, १३१] (४) चालीस-चालीस तथा अट्ठाईस बार मिट्टी मलने से हाथों की शुद्धि का विधान [१३७] (५) जुलाब के बाद घृतभक्षण से शुद्धि होना [१४४] आदि सभी कथन मनु की शैली के विरुद्ध हैं। (६) १३१ वें में 'मनुरब्रवीत्' पद से यह श्लोक अन्योक्त सिद्ध होता है। इन शैलियों के आधार पर भी यह सम्पूर्ण प्रसंग प्रक्षिप्त है।

एष शौचविधिः कृत्स्नो द्रव्यशुद्धिस्तथैव च।
उक्तो वः सर्ववर्णानां स्त्रीणां धर्मान्निबोधत॥ १४६ ॥ (३३)

(एषः) यह (सर्ववर्णानां कृत्स्नः शौचविधिः) सब वर्णों के लिए सम्पूर्ण शरीर-शुद्धि (च) और (तथा+एव) उसी प्रकार (द्रव्यशुद्धिः) पदार्थों की शुद्धि (वः उक्तः) तुम्हें कही (स्त्रीणां धर्मान् निबोधत) अब स्त्रियों के धर्मों=कर्त्तव्यों को सुनो—॥१४६॥

(गृहस्थान्तर्गत पत्नीधर्म विषय)

[५। १४७ से ५। १६६ तक]

स्त्री-स्वतन्त्रता का निषेध—

बाल्या वा युवत्या वा वृद्धया वाऽपि योषिता।
न स्वातन्त्र्येण कर्तव्यं किञ्चित्कार्यं गृहेष्वपि॥ १४७॥

(बाल्या वा युवत्या वा वृद्धया अपि योषिता) बालिका, युवती अथवा वृद्धावस्था को प्राप्त स्त्री को भी (गृहेषु स्वातन्त्र्येण किंचित् कार्यं न कर्त्तव्यम्) स्वतन्त्र होकर अर्थात् पिता, पति, पुत्र आदि की आज्ञा लिये बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए॥ १४७॥

बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत्पाणिग्राहस्य यौवने।
पुत्राणां भर्तरि प्रेते न भजेत्स्त्री स्वतन्त्रताम्॥ १४८॥

स्त्री (बाल्ये पितुः वशे तिष्ठेत्) बचपन में पिता के अधीन रहे (यौवने पाणिग्राहस्य) युवावस्था में पति के अधीन (भर्तरि प्रेते पुत्राणाम्) पति के मरने पर पुत्रों के अधीन रहे (स्त्री स्वतन्त्रतां न भजेत्) स्त्री कभी स्वतन्त्र न रहे॥ १४८॥

अनुशीलन : १४७-१४८ श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. **विषयविरोध**—यहां मुख्यविषय विवाहित स्त्री-पुरुषों का चल रहा है। इसका संकेत विषय को प्रारम्भ करने वाले ४। १ और विषय की समाप्ति की सूचना देने वाले ५। १६९ श्लोक की "**द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत्**" से मिलता है। इसी गृहस्थों के मुख्य विषय के अन्तर्गत १४६ से १६५ श्लोकों में स्त्रियों के धर्मों का वर्णन है। प्रस्तुत अवान्तर विषय का संकेत देने वाले श्लोक ५।१४६ और ५।१६७ हैं। इन श्लोकों के निम्न पदों—"**स्त्रीणां धर्मान् निबोधत**" [१४६] "**एवं वृत्तां सवर्णां स्त्रीम्**" [१६७] पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत विषय केवल 'विवाहित स्त्रियों के धर्मों के वर्णन' का है। एक तो यह विषय ही केवल गृहस्थियों के कर्त्तव्यों का है और फिर इस प्रसङ्ग में "**एवं वृत्तां सवर्णां स्त्रीम्**" पदों से यह और भी स्पष्ट संकेत दे दिया है कि 'इस प्रकार का आचरण करने वाली सवर्णा भार्या को'।

इन श्लोकों में स्त्रियों के वही कर्त्तव्य बतलाये हैं जो पतिगृह में करणीय हैं। इन संकेतों एवं प्रमाणों से यही सिद्ध हुआ कि प्रस्तुत विषय 'पतिगृह में पालनीय स्त्रियों के कर्त्तव्यों' का है अथवा 'पति से सम्बद्ध कर्त्तव्यों' का है। इस वर्णन में इससे भिन्न वर्णन वाले श्लोक विषयविरुद्ध कहलायेंगे। (१) इस आधार पर १४७-१४८ श्लोक विषयविरुद्ध हैं क्योंकि इनमें विवाहित स्त्रियों के कर्त्तव्य न होकर विषयभिन्न वर्णन है। दोनों ही श्लोकों में बाला द्वारा घर में स्वतन्त्रतापूर्वक कोई कार्य न करने का उल्लेख और बाल्यावस्था में पिता के वश में रहने का कथन पति या पतिगृह से सम्बद्ध नहीं रखता। बाला का पतिगृह से क्या सम्बन्ध? यदि कोई कहे कि इनमें वर्णित अन्य दो बातों का पति से सम्बन्ध है, उसके साथ ही बाला का भी वर्णन कर दिया, तो यह युक्ति भी बुद्धिसङ्गत नहीं है। क्योंकि यह बात तो बाला क्या बालक के साथ भी लागू होती है और बाल्यावस्था में कौन बाला या बालक पूर्ण स्वतन्त्रता से कार्य करता है, या कर सकता है? अतः यह कथन ही अनावश्यक सिद्ध होता है, और न ही यह कोई 'विधान' बनता है। इससे यह संकेत मिलता है कि ये श्लोक किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मिलाये गये हैं, जो स्त्रियों को पुरुषों के सर्वथा अधीन रखने के पूर्वाग्रह से ग्रस्त था। मनु की मान्यताओं में इस प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं होता। (२) ये श्लोक इस लिए भी विषयविरुद्ध सिद्ध होते हैं कि यह विषय पति या पतिगृह से सम्बद्ध स्त्रियों के कर्त्तव्यों को बतलाने का है। इन श्लोकों में बतलायी गयी बातें कर्त्तव्य नहीं हैं, ये तो आदेश हैं और वे भी उग्रशैली में। अतः ये विषयसम्मत सिद्ध नहीं होते। इन विषयविरोधों के आधार पर ये दोनों ही श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. **अन्तर्विरोध—मनु की स्त्री-सम्बन्धी मान्यताएं**—(१) मनुस्मृति के विषय और प्रसङ्ग की शृङ्खला से आबद्ध (दूसरे शब्दों में इन्हें मौलिक श्लोक कह सकते हैं) श्लोकों से मनु की यह मान्यता स्पष्ट हो जाती है कि वे स्त्री और पुरुष में न तो कोई पक्षपातपूर्ण अन्तर करते हैं, न स्त्री को पुरुष की दासी या अधीनता में बंधी रहने वाली मानते हैं। वे दोनों को ही एक-दूसरे की भावनाओं का समान रूप से आदर करने वाली बातें कहते हैं, अपितु स्त्रियों को अधिक आदरपूर्वक रखने की बातें कहते हैं। नीचे कुछ श्लोक प्रमाणरूप में दिये जा रहे हैं, जिनसे इन बातों की पुष्टि होती है कि (अ) मनु की स्त्रियों के प्रति पक्षपातपूर्ण, दमनात्मक, अस्वतन्त्रतापूर्वक रखने की भावना नहीं है, अपितु समानता की भावना है। यथा—

(क) पितृभिः भ्रातृभिश्चैता·····पूज्या भूषयितव्याश्च (३।५५)

(ख) यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः। (३।५६)

(ग) तस्मादेताः सदा पूज्याः भूषणाच्छादनाशनैः। (३।५९)

(घ) संतुष्टो भार्यया भर्त्ता भर्त्रा भार्या तथैव च।
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्॥ (३।६०)

(आ) स्त्रियों पर बन्धन डालकर रखने की प्रवृत्ति की व्यर्थता का कथन और स्त्रियों द्वारा स्वयं अपने विवेक से ही अपने आचरण को बनाने का समर्थन—

(ङ) न कश्चिद् योषितः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम् । (९ । १०)

(च) अरक्षिता गृहे रुद्धाः पुरुषैराप्तकारिभिः ।
आत्मानमात्मनायास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः ॥ (९ । १२)

(इ) बिना किसी पक्षपात के, स्त्री-पुरुष दोनों को समानस्तर का मानते हुए मनु के स्त्री-पुरुषों को सुझाव, जिनसे स्त्री की पुरुष के पूर्ण अधीन रहने की मान्यता स्वतः खण्डित हो जाती है—

(छ) अन्योन्यस्य अव्यभिचारो भवेदामरणान्तिकः ।
एषः धर्मः समासेन ज्ञेयः स्त्रीपुंसयोः परः ॥ (९ । १०१)

(ज) तथा नित्यं यतेयातां स्त्रीपुंसौ तु कृतक्रियौ ।
यथा नाभिचरेतां तौ वियुक्तौ इतरेतरम् ॥ (९ । १०२)

(झ) प्रजनार्थं स्त्रियः सृष्टाः सन्तानार्थं च मानवाः ।
तस्मात्साधारणो धर्मः श्रुतौ पत्न्या सहोदितः ॥ (९ । ९६)

इन मान्यताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि १४७-१४८ श्लोकों में जो दमनात्मक आग्रह से प्रेरित होकर आज्ञा दी है, यह मनु की मान्यता नहीं हो सकती। यह मनु की व्यवस्थाओं के विरुद्ध है। (२) इन श्लोकों की अभिव्यक्तिशैली का ठीक अगले श्लोक १४९ से ही विरोध स्पष्ट दीखता है। १४९ वें श्लोक में मनु कोई आदेश या आज्ञा नहीं थोप रहे, अपितु स्त्रियों के लिए हितकारी बात को सुझाव रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस श्लोक में 'न इच्छेत्' अर्थात् 'स्वयं ही न चाहे' पद ध्यान देने योग्य है। 'न इच्छेत्' के कथन में और "न स्वातन्त्र्येण कर्त्तव्यं किंचित् कार्यम्" "न भजेत् स्त्री स्वतन्त्रताम्" में कितना अन्तर और विरोध है! ८।२८ से यह व्यक्त होता है कि स्त्रियों को स्वतन्त्र रहने का अधिकार है। अभिव्यक्ति की शैली ही इन दो मान्यताओं को भिन्न कर देती है। इस प्रकार इन मान्यताओं के आधार पर भी ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

(ई) मनु ने स्त्रियों को कहीं भी हीनभावना से नहीं देखा है, अपितु कहीं-कहीं तो पुरुषों से बढ़कर उन्हें सम्मान दिया है। कुछ उदाहरण देखिए—

(अ) स्त्री के लिए मार्ग छोड़ देना चाहिए—
"स्त्रियः पंथा देयः" [२ । ११३ (२ । १३८)]।

(ट) पत्नी से लड़ाई-झगड़ा नहीं करना चाहिए—
"भार्यया···विवादं न समाचरेत्" [४ । १८०]।

(ठ) पत्नी आदि पर झूठा दोषारोपण नहीं करना चाहिए और न अपशब्द

कहने चाहिएँ। यदि कोई ऐसा करे तो वह दण्डनीय है—मातरं पितरं जायाम्..... आक्षारयन् शतं दण्ड्यः [८। १८०]।

स्त्री के पिता, पति, पुत्र से अलग रहने से हानि की आशंका—

पित्रा भर्त्रा सुतैर्वापि नेच्छेद्विरहमात्मनः।
एषां हि विरहेण स्त्री गर्ह्ये कुर्यादुभे कुले॥ १४९॥ (३४)

(स्त्री) कोई भी स्त्री (पित्रा भर्त्रा वा सुतैः अपि) पिता, पति अथवा पुत्रों से (आत्मनः विरहं न इच्छेत्) अपना बिछोह=अलग रहने की इच्छा न करे (हि) क्योंकि (एषां विरहेण) इनसे अलग रहने से (उभे कुले गर्ह्ये कुर्यात्) यह आशंका रहती है कि कभी कोई ऐसी बात न हो जाये जिससे दोनों—पिता तथा पति के कुलों की निन्दा या बदनामी हो जाये। अभिप्राय यह है कि स्त्री को सर्वदा पुरुष की सहायता अपेक्षित रखनी चाहिए, उसके बिना उसकी असुरक्षा की आशंका बनी रहती है॥ १४९॥

पत्नी में कौन से गुण होने चाहिएँ—

सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया।
सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया॥ १५०॥ (३५)

स्त्री को योग्य है कि (सदा प्रहृष्टया) अतिप्रसन्नता से (गृहकार्येषु दक्षया) घर के कामों में चतुराई युक्त (सुसंस्कृत+उपस्करया) सब पदार्थों के उत्तम संस्कार, घर की शुद्धि (च) और (व्यये अमुक्तहस्तया भाव्यम्) व्यय में अत्यन्त उदार रहे। अर्थात् सब चीजें पवित्र और पाक इस प्रकार बनावे जो औषधरूप होकर शरीर वा आत्मा में रोग को न आने देवे। जो-जो व्यय हो उसका हिसाब यथावत् रखके पति आदि को सुना दिया करे। घर के नौकर-चाकरों से यथायोग्य काम लेवे, घर के किसी काम को बिगड़ने न देवे॥ १५०॥ (सं० प्र० ९६)

"स्त्री को योग्य है कि सदा आनन्दित होके चतुरता से गृहकार्यों में वर्तमान रहे तथा अन्नादि के उत्तम संस्कार, पात्र, वस्त्र, गृह आदि के संस्कार और घर के भोजनादि में जितना नित्य धन आदि लगे उस के यथायोग्य करने में सदा प्रसन्न रहे॥" (स० वि० १४८)

पति की सेवा-सुश्रूषा करे—

यस्मै दद्यात्पिता त्वेनां भ्राता वाऽनुमतेः पितुः।
तं शुश्रूषेत जीवन्तं संस्थितं च न लङ्घयेत्॥१५१॥(३६)

(पिता तु एनां यस्मै दद्यात्) पिता इस स्त्री को जिसे दे दे अर्थात् जिसके साथ विवाह करे (वा) अथवा (पितुः अनुमतेः भ्राता) पिता की सहमति से भाई जिससे विवाह कर दे (तं जीवन्तं शुश्रूषेत) उसके जीवित रहते हुए उसकी सेवा करे (च) और (संस्थितं न लङ्घयेत्) पति के रूप में साथ स्थित रहते हुए अवमानना, व्यभिचार आदि से उसका उल्लंघन न करे। अन्यार्थ में-मर जाने पर व्यभिचार से पतिव्रत-धर्म का उल्लंघन न करे ॥१५१॥*

अनुशीलन : 'संस्थित' शब्द का विवेचन—'सम्' पूर्वक 'स्था' धातु से 'क्त' प्रत्यय के योग से संस्थित शब्द बनता है। अन्य टीकाकारों ने इसका केवल रूढार्थ 'मरने पर' अर्थ किया है किन्तु वह उतना प्रासंगिक नहीं है, यतोहि—(१) यहां जीवित अवस्था में साथ-साथ रहते हुए स्त्री के कर्त्तव्यों के विधान का प्रसंग है। [५। १४६]। इस श्लोक में भी जीवित अवस्था का ही प्रसंग है। (२) और पति के मरने पर, आवश्यकता पड़ने पर मनु ने नियोग का विधान किया है [९। ५६–६३]। इस प्रकार इस भाष्य में किया अर्थ— 'पत्नी के रूप में साथ रहते हुए अवमानना आदि से और व्यभिचार आदि से पतिव्रत धर्म का उल्लंघन न करे' प्रासंगिक एवं मनुसम्मत है। (३) ९।७६,८१ श्लोकों में विशेष कारणों से और विदेशगमन में अधिक समय बीतने पर जीते जी स्त्री-पुरुष दोनों के लिए नियोग अथवा विवाह का विधान किया है। इस प्रकार प्रथम अर्थ अधिक मनुसम्मत प्रतीत होता है। यद्यपि 'पति के मर जाने पर पत्नी व्यभिचार से पतिव्रत धर्म का उल्लंघन न करे' यह अर्थ भी स्वीकार्य हो सकता है, किन्तु इसे नियोग या पुनर्विवाह निषेध के साथ नहीं जोड़ना चाहिए।

स्त्री पर विवाह के बाद पति का स्वामित्व—

मङ्गलार्थं स्वस्त्ययनं यज्ञश्चासां प्रजापतेः।
प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदानं स्वाम्यकारणम् ॥ १५२ ॥ (३७)

(विवाहेषु) विवाहों में (स्वस्त्ययनं च प्रजापतेः यज्ञः) जो स्वस्ति-पाठ [=शुभकामना के लिए मन्त्रपाठ] और प्रजापति-यज्ञ किया जाता है वह (आसां मङ्गलार्थं प्रयुज्यते) इनके कल्याण की भावना से ही किया जाता है (प्रदानं स्वाम्यकारणम्) विवाह में स्त्रियों को पति के लिए सौंप

* [प्रचलित अर्थ—पिता या पिता की अनुमति से भाई इस (स्त्री को) जिसके लिए दे अर्थात् जिसके साथ विवाह कर दे, (स्त्री) जीते हुए उस (पति) की सेवा करे, उसके मरने पर (भी व्यभिचार, उसके श्राद्ध आदि का त्याग तथा पारलौकिक कार्य के खण्डन से) उस पति का उल्लंघन न करे॥ १५१॥]

देना ही इन पर पति का अधिकार होने का कारण है अर्थात् जो विवाह संस्कारपूर्वक स्त्री को पति के लिए दे दिया जाता है, इस दान के पश्चात् ही उन पर पति का अधिकार होता है, उससे पूर्व नहीं ॥ १५२ ॥

अनृतावृतुकाले च मन्त्रसंस्कारकृत्पतिः ।
सुखस्य नित्यं दातेह परलोके च योषितः ॥ १५३ ॥

(अनृतौ च ऋतुकाले) ऋतुरहित काल में और ऋतुकाल में (इह च परलोके) इस लोक और परलोक में (योषितः) स्त्री का (मन्त्रसंस्कारकृत् पतिः) मन्त्रों द्वारा विहित संस्कार में वरण किया गया पति (योषितः नित्य सुखस्य दाता) स्त्री को सदा सुख देने वाला है ॥ १५३ ॥

विशीलः कामवृत्तो वा गुणैर्वा परिवर्जितः ।
उपचर्यः स्त्रिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥ १५४ ॥

(साध्व्या स्त्रिया) पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि वह (विशीलः) बुरे स्वभाव वाले (वा कामवृत्तः) अथवा स्वेच्छाचारी परस्त्री गमन करने वाले (वा) अथवा (गुणैः परिवर्जितः) गुणों से रहित (पतिः) पति की भी (सततं देववत् परिचर्यः) सदा देवों के समान सेवा- पूजा करे ॥ १५४ ॥

नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम् ।
पतिं शुश्रूषते येन तेन स्वर्गे महीयते ॥ १५५ ॥

(स्त्रीणां पृथक् यज्ञः न+अस्ति) स्त्रियों के लिए पति से भिन्न न कोई यज्ञ है (न व्रतं न उपोषणम् अपि) न कोई व्रत है और न कोई उपवास ही का विधान है (येन पतिं शुश्रूषते) जो वह पति की सेवा करती है (तेन) इसी कार्य से (स्वर्गे महीयते) स्वर्ग में जाकर आनन्द को प्राप्त करती है ॥ १५५ ॥

पाणिग्राहस्य साध्वी स्त्री जीवतो वा मृतस्य वा ।
पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेत्किञ्चिदप्रियम् ॥ १५६ ॥

(पतिलोकम्+अभीप्सन्ती साध्वी स्त्री) पतिलोक की चाहना करने वाली पतिव्रता स्त्री (जीवतः वा मृतस्य पाणिग्राहस्य) जीवित या मृत पति के प्रति (किंचित्+अप्रियं न+आचरेत्) कुछ भी अप्रिय अर्थात् जीवित अवस्था में उसकी इच्छा के विरुद्ध और मरने पर यश-नाशक आचरण न करे ॥ १५६ ॥

कामं तु क्षपयेद्देहं पुष्पमूलफलैः शुभैः ।
न तु नामापि गृह्णीयात्पत्यौ प्रेते परस्य तु ॥ १५७ ॥

(पत्यौ प्रेते) अपने पति के मर जाने पर (कामम्) चाहे (शुभैः पुष्प-मूल-फलैः देहं क्षपयेत्) श्रेष्ठ पुष्प, कन्दमूल, फल खाकर ही शरीर को मिटा दे (तु) किन्तु (परस्य नाम- अपि न गृह्णीयाद्) दूसरे पति का नाम भी न ले ॥ १५७ ॥

आसीतामरणात्क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी।
यो धर्म एकपत्नीनां काङ्क्षन्ती तमनुत्तमम् ॥ १५८ ॥

(यः एकपत्नीनां धर्मः तम्+अनुत्तमं काङ्क्षन्ती) जो पतिव्रता स्त्रियों का धर्म है, उस उत्तम धर्म की कामना करने वाली स्त्री (आमरणात्) [पति के मरने पर] मृत्युपर्यन्त (नियता) नियमपूर्वक (क्षान्ता) मन में शान्ति रखते हुए (ब्रह्मचारिणी आसीत्) ब्रह्मचारिणी रहे ॥ १५८ ॥

अनेकानि सहस्राणि कुमारब्रह्मचारिणाम्।
दिवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसंततिम् ॥ १५९ ॥

(विप्राणाम् अनेकानि सहस्राणि कुमारब्रह्मचारिणाम्) ब्राह्मणों में कई हजार कुमार ब्रह्मचारी हुए हैं जो (कुलसंततिम् अकृत्वा) सन्तानोत्पत्ति न करके ही (दिवं गतानि) स्वर्ग प्राप्त कर गये ॥ १५९ ॥

मृते भर्तरि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता।
स्वर्गं गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ १६० ॥

(यथा ते ब्रह्मचारिणः) जैसे वे ब्रह्मचारी बिना संतान उत्पन्न किये स्वर्ग को प्राप्त करगये इसी प्रकार (भर्तरि मृते) पति के मरजाने पर (साध्वी स्त्री) पतिव्रता स्त्री (अपुत्रा+अपि) पुत्ररहित होती हुई भी (ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता) ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई (स्वर्गं गच्छति) स्वर्ग में जाती है ॥ १६० ॥

अपत्यलोभाद्या तु स्त्री भर्तारमतिवर्तते।
सेह निन्दामवाप्नोति पतिलोकाच्च हीयते ॥ १६१ ॥

(या तु स्त्री) जो कोई स्त्री (अपत्यलोभात्) संतान के लालच से (भर्तारम्+अतिवर्तते) पति का उल्लंघन करती है अर्थात् किसी परपुरुष से सन्तान उत्पन्न करती है (सा) वह (इह) इस लोक में (निन्दाम्+अवाप्नोति) निन्दा को प्राप्त करती है (च) और (पतिलोकात्) पतिलोक से भी (हीयते) भ्रष्ट हो जाती है ॥ १६१ ॥

नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरिग्रहे।
न द्वितीयश्च साध्वीनां क्वचिद्भर्तोपदिश्यते ॥ १६२ ॥

(इह) इस संसार में (अन्य-उत्पन्ना च अन्यपरिग्रहे अपि प्रजा न अस्ति) दूसरे पुरुष से प्राप्त सन्तान और दूसरे की स्त्री में उत्पन्न सन्तान, सन्तान नहीं कहलाती (च) और (साध्वीनां द्वितीयः भर्ता क्वचित् न उपदिश्यते) पतिव्रता स्त्रियों के लिए दूसरा पति करने का विधान कहीं नहीं किया है ॥ १६२ ॥

अनुशीलन : १५३ से १६२ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. अन्तर्विरोध — इस प्रसंग में पति की अनावश्यक महिमा प्रदर्शित करके केवल

स्त्रियों के लिए ही सारे कर्तव्य निश्चित कर दिये हैं और पुरुष को सब तरह छूट कर दी है। यह एक पक्षीय आग्रहबद्ध वर्णन मनु की मान्यताओं से विरुद्ध पड़ता है। (१) १५३ में परलोक में भी पति को सुख देने वाला कहा है, जबकि मनुस्मृति का सिद्धान्त कर्मके आधार पर सुख-दुःख की प्राप्ति का है। किसी दूसरे के सहारे से अगला जन्म नहीं मिलता, अपितु अपने अच्छे-बुरे कर्मों के आधार पर ही अगला अच्छा या बुरा जन्म मिलता है। अपने कर्मों का जीव स्वयं भोक्ता है [देखिए ४। २४०, १२। ३, ८। २५, ३९—५२, ७४]। (२) १५४ में गुणहीन और परस्त्रीगामी पति को देवता मानकर पूजा करने का कथन है। मनुस्मृति में स्त्रियों और पुरुषों को समान व्यवहार का निर्देश है। किसी वर्ग के साथ पक्षपात की भावना नहीं है [देखिए ३।५५, ५६, ६०॥ ९। २८, १०१, १०२]। ९।१०१-१०२ में स्पष्ट कहा है कि स्त्री-पुरुष परस्पर ऐसा आचरण करें जिससे आपस में मतभेद या अलगाव का अवसर न आये। १५४ वां श्लोक इन उद्धृत श्लोकों से विरुद्ध है। (३) १५५ में स्त्रियों के लिए पृथक् से यज्ञ का निषेध किया है और पतिसेवा के अन्तर्गत ही सभी धर्मकार्यों को माना है। ९। २८ में कहा है—"**अपत्यं धर्मकार्याणि.....दाराधीनः**" अर्थात्—'सन्तानोत्पत्ति, यज्ञ आदि धर्मकार्य स्त्री के ही अधीन हैं'। ९।११ में भी "**शौचे धर्मेऽन्नपक्त्यां च**" अर्थात्—'घर की शुद्धि, धर्मानुष्ठान और भोजन पकाने में स्त्रियों को लगाये'। ९। ९६ में "**तस्मात्साधारणो धर्मः श्रुतौ पत्न्या सहोदितः**"। ३। ११८ में 'दम्पती के लिए यज्ञशेष भोजन का विधान, ये सभी प्रमाण धर्मकार्यों में स्त्रियों का भी स्वतन्त्र और समान अधिकार सिद्ध करते हैं। अन्य प्रमाण २। ४१-४२ [६६-६७]के अनुशीलन 'अन्तर्विरोध' शीर्षक पर द्रष्टव्य हैं। (४) १५६ में परजन्म में पतिलोक की कल्पना मनुसम्मत नहीं है। मनु मृत्यु के बाद दो ही गति मानते हैं या तो संसार में जन्म या मुक्ति [द्वादश अध्याय]। (५) १५७ से १६२ श्लोक, ९।५६ से ६३ तथा ७६ श्लोकों के विरुद्ध हैं। इनमें स्पष्ट शब्दों में नियोग विधि का विधान है। (६) १५३ से १६२ श्लोकों की मान्यताएँ मनुविरुद्ध हैं इसके ज्ञान के लिए ५। १४७-१४८ श्लोकों पर भी 'अन्तर्विरोध' शीर्षक समीक्षा द्रष्टव्य है। इन अन्तर्विरोधों के आधार पर ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

पूर्वपति को छोड़कर दूसरे श्रेष्ठ पति को अपनाने की निन्दा—

पतिं हित्वाऽपकृष्टं स्वमुत्कृष्टं या निषेवते।
निन्द्यैव सा भवेल्लोके परपूर्वेति चोच्यते॥ १६३॥ (३८)

[विवाह होने के बाद तुलनात्मक रूप में] किसी अच्छे व्यक्ति के मिलने की संभावना होने पर (या स्वम् अपकृष्टं पतिं हित्वा उत्कृष्टं पतिं निषेवते) जो स्त्री अपने निम्न कुल या गुणों वाले पति को छोड़कर उत्तम कुल या गुणों वाले पति का सेवन करती है (सा) वह (लोके निन्द्या+एव भवेत्) लोगों में निन्दा प्राप्त करती है (च) और (परपूर्वा+इति उच्यते) 'पहले यह दूसरे की पत्नी थी' यह उसके विषय में व्यंग्य किया जाता है॥ १६३॥

व्यभिचारात्तु भर्तुः स्त्री लोके प्राप्नोति निन्द्यताम्।
शृगालयोनिं प्राप्नोति पापरोगैश्च पीड्यते॥ १६४॥

(स्त्री भर्तुः व्यभिचारात् तु) स्त्री पति का उल्लंघन अर्थात् उस पति को छोड़ परपुरुष से संपर्क करने से (लोके) लोक में (निन्द्यतां प्राप्नोति) निंदा को ही प्राप्त करती है (शृगालयोनिं प्राप्नोति) और मरकर गीदड़ की योनि में जन्म पाती है (च) तथा (पापरोगैः पीड्यते) कुष्ठ आदि पापरोगों से पीड़ित होती है॥ १६४॥

अनुशीलन : १६४ वां श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त है—

१. **प्रसंगविरोध**—पूर्वापर प्रसंग इस श्लोक से टूट रहा है। १६३ में कहा है—एक पति को छोड़ उससे अच्छे पति को अपनाने पर लोक में उस स्त्री की निन्दा होती है और इस भाव की पूर्ति १६५ में कही है—जो मन, वाणी और शरीर से अपने पति के अनुकूल रहती है लोक में उसकी साध्वी के रूप में प्रशंसा होती है। बीच में स्त्री के व्यभिचार के फल का कथन असंगत है। जो आवश्यक फल था वह १६३ में ही कहा जा चुका है।

२. **शैलीविरुद्ध**—इसकी शैली निराधार और अपशब्दयुक्त है, जो मनु की शैली से विपरीत है।

३. **अन्तर्विरोध**—एक ही कर्म के फलरूप में शृगाल योनि का निर्णय और पापरोगों से पीड़ित होने का निर्णय मनु के सिद्धान्त से विरुद्ध है। मनु तो अनेक कर्मों से मिलकर किसी योनि की प्राप्ति मानते हैं [देखिए १२। ९, ३९-५२, ७४]
पति के अनुकूल आचरण से पत्नी अधिक सम्मान्य होती है—

पतिं या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता।
सा भर्तृलोकमाप्नोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते॥ १६५॥(३९)

(या) जो स्त्री (मनः-वाक्-देह-संयता) मन, वाणी और शरीर को संयम में रखकर (पतिं न+अभिचरति) पति के विरुद्ध आचरण नहीं करती (सा) वह (भर्तृलोकम्+आप्नोति) पतिलोक अर्थात् पति के हृदय में आदर का स्थान प्राप्त करती है (च) और (सद्भिः 'साध्वी'+इति उच्यते) श्रेष्ठ लोग उसको 'पतिव्रता या अच्छी पत्नी' कहकर प्रशंसा करते हैं॥ १६५॥ ❀

अनुशीलन : **'लोक' शब्द का विवेचन**—'लोकम्' शब्द 'लोकृ दर्शने' धातु से सिद्ध होता है। इस प्रकार इसका अर्थ 'दृष्टि', 'दर्शन' 'स्थान' भी है। यहां 'भर्तृ-लोकम् आप्नोति' मुहावरे के रूप में प्रयुक्त है, जिसका अर्थ है—'पतिव्रता स्त्री

❀ **प्रचलित अर्थ**—मन, वचन तथा काम से संयत रहती हुई जो स्त्री पति के विरुद्ध कोई कार्य (व्यभिचार आदि) नहीं करती है, वह पतिलोक को प्राप्त करती है तथा उसे सज्जन 'पतिव्रता' कहते हैं॥ १६५॥

पति के हृदय स्थान में बस जाती है या पति की दृष्टि में प्रिय, आदरणीय बन जाती है। यहां परलोक आदि का कोई प्रसंग नहीं है।

अनेन नारीवृत्तेन मनोवाग्देहसंयता।
इहाग्र्यां कीर्तिमाप्नोति पतिलोकं परत्र च ॥ १६६ ॥

जो (नारी) स्त्री (मनः+वाक्+देह-संयता) मन, वाणी और शरीर से संयम-पूर्वक रहकर (अनेन वृत्तेन) इस आचरण से रहती है वह (इह अग्र्यां कीर्तिम्+आप्नोति) इस लोक में उत्तम कीर्ति को प्राप्त करती है (च) और (परत्र पतिलोकम्) मरकर पतिलोक को प्राप्त करती है ॥ १६६ ॥

अनुशीलन : १६६ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. **अन्तर्विरोध**—मनु के मत में परलोक में पतिलोक नामक कोई स्थान या स्थिति विशेष नहीं है। वे या तो प्राणियों के रूप में पुनर्जन्म मानते हैं या मुक्ति। वे अनेक कर्मों से किसी जन्म की प्राप्ति मानते हैं, केवल एक पतिसेवा के आधार पर ही नहीं [देखिए—द्वादश अध्याय]।

२. **शैलीविरुद्ध**—जहां कहीं भी विषय के अन्त में मनु ने फलकथन कहा है वहां या तो उत्तम गति की प्राप्ति का फल बताया है अथवा ब्रह्म की प्राप्ति का फल [देखिए २। २४६, ४। २६०, ६। ८५, ९७, आदि], इनके अतिरिक्त मनु ने कोई फल नहीं कहा है। यह श्लोक मनु की फलकथन की शैली से भिन्न होने के कारण प्रक्षिप्त है।

३. **प्रसंगविरोध**—१६७ वें श्लोक के 'एवंवृत्तां' पद से यह संकेत मिलता है कि १६७ वां श्लोक स्त्री-धर्मविधान सम्बन्धी प्रसंग से सीधा जुड़ा है। १६६ वें में फलकथन से प्रसंग की समाप्ति हो जाती है और निरन्तरता नहीं रहती, जबकि 'एवं' शब्द निरन्तरता का द्योतक है। इस प्रकार यह श्लोक बीच में प्रसंग की निरन्तरता को तोड़ने के कारण प्रक्षिप्त सिद्ध हो रहा है।

स्त्री की मृत्यु पर यज्ञ से अग्निसंस्कार—

एवंवृत्तां सवर्णां स्त्रीं द्विजातिः पूर्वमारिणीम्।
दाहयेदग्निहोत्रेण यज्ञपात्रैश्च धर्मवित् ॥ १६७ ॥(४०)

(एवं वृत्तां सवर्णां स्त्रीम्) इस पूर्वोक्त आचरण का पालन करने वाली स्त्री को (पूर्वमारिणीम्) यदि वह पति से पहले ही मर जाये तो (धर्मवित्) धर्म का जानने वाला व्यक्ति (यज्ञपात्रैः) यज्ञपात्रों का प्रयोग करके (अग्निहोत्रेण दाहयेत्) अग्निहोत्र विधि से उसका दाहसंस्कार करे ॥ १६७ ॥

अनुशीलन : यज्ञपात्रों का परिचय एवं विवरण ५। ११७ की समीक्षा में देखिए।

भार्यायै पूर्वमारिण्यै दत्त्वाग्नीनन्त्यकर्मणि।
पुनर्दारक्रियां कुर्यात्पुनराधानमेव च ॥ १६८ ॥

(पूर्वमारिण्यै भार्यायै अन्त्यकर्मणि अग्नीन् दत्त्वा) अपने से पूर्व मरजाने वाली पत्नी का अन्त्येष्टि कर्म के द्वारा अग्नि में दाहसंस्कार करके (पुनः दारक्रियाम् कुर्यात्) फिर विवाह करे (च) और (पुनः आधानम्+एव) फिर पांच महायज्ञाग्नियों का आधान करे—पंचमहायज्ञ करे॥ १६८ ॥

अनुशीलन : १६८ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. **प्रसंगविरोध**—(१) प्रसंगसंकेतक श्लोक ५। १४६ के अनुसार उपसंहारात्मक श्लोक १६९ से पूर्व तक, यहां केवल-स्त्रियों के धर्मों के कथन का प्रसंग है। इस प्रसंग में पुरुषों के लिए विधान करना प्रसंगसंकेतक श्लोक के अनुसार प्रसंगविरुद्ध है। (२) ५। १४६ में प्रारम्भ किये स्त्रीधर्म-प्रसंग का समापन १६७ वें में **'एवं वृत्तां सवर्णां स्त्रीम्'** कहकर कर दिया है। ये शब्द यह संकेत करते हैं कि इसके पश्चात् इस-सम्बन्धी कोई वर्णन न होकर उपसंहार ही हो सकता है। प्रसंगसमाप्ति के पश्चात् पुनः प्रसंगविरुद्ध कथन असंगत है, इस प्रकार यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

उपसंहार—

अनेन विधिना नित्यं पञ्चयज्ञान्न हापयेत्।
द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत् ॥ १६९ ॥ (४१)

(अनेन विधिना) इस [४। १ से ५। १६८ तक] पूर्वोक्त विधि से रहते हुए (पञ्चयज्ञान् न हापयेत्) पंचयज्ञों को कभी न छोड़े और (आयुषः द्वितीयं भागम्) आयु के दूसरे भाग तक (कृतदारः) विवाह करके अर्थात् विवाहोपरान्त स्त्री-सहित (गृहे वसेत्) घर में निवास करे॥ १६९ ॥

इति महर्षि-मनुप्रोक्तायां सुरेन्द्रकुमारकृतहिन्दीभाष्य समन्वितायाम्, 'अनुशीलन' समीक्षाविभूषितायाञ्च मनुस्मृतौ गृहस्थान्तर्गत-भक्ष्या-भक्ष्य-देहशुद्धिद्रव्यशुद्धि-स्त्रीधर्मविधेयात्मकः पञ्चमोऽध्यायः॥

अथ षष्ठोऽध्यायः

[हिन्दीभाष्य-अनुशीलनसमीक्षाभ्यां सहितः]

(वानप्रस्थ-संन्यास-धर्म-विषय)

(वानप्रस्थ-विषय)

[६। १ से ६। ३२ तक]

वानप्रस्थ धारण करे—

एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः।
वने वसेत्तु नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः॥ १॥ (१)

(एवम्) पूर्वोक्त प्रकार (विधिवत् स्नातकः द्विजः) विधिपूर्वक ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या पढ़के समावर्त्तन के समय स्नानविधि करने हारा द्विज—ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य (विजितेन्द्रियः नियतः यथावत् गृहाश्रमे स्थित्वा) जितेन्द्रिय, जितात्मा होके, यथावत् गृहाश्रम करके (वने वसेत्) वन में बसे॥ १॥

(सं० वि० १९०)

"इस प्रकार स्नातक अर्थात् ब्रह्मचर्यपूर्वक गृहाश्रम का कर्त्ता द्विज अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गृहाश्रम में ठहरकर निश्चितात्मा और [illegible]

(२) वानप्रस्थ धारण में ब्राह्मणों के प्रमाण—वानप्रस्थ का विधान ब्राह्मण ग्रन्थों में और वेदों में विहित है। यहाँ तुलनार्थ शत० का० १४ का वचन प्रस्तुत है—

"ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य गृही भवेत्, गृही भूत्वा वनी भवेत् वनी भूत्वा प्रव्रजेत्।"
=ब्रह्मचर्याश्रम पूर्ण करके गृहस्थ बने, गृहस्थाश्रम को पूर्ण करके वानप्रस्थ बने, वानप्रस्थ आश्रम को पूर्ण करके संन्यासी बने।

(३) वेद का प्रमाण ६। २ पर उल्लिखित है।

वानप्रस्थ धारण का समय—

गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वलीपलितमात्मनः ।
अपत्यस्यैव चापत्यं तदाऽरण्यं समाश्रयेत् ॥ २ ॥ (२)

(गृहस्थः तु) गृहस्थ लोग (यदा) जब (आत्मनः वली-पलितं पश्येत्) अपनी देह का चमड़ा ढीला और श्वेत केश होते हुए देखें (च) और (अपत्यस्य+एव अपत्यम्) पुत्र का भी पुत्र हो जाये (तदा) तब (अरण्यं समाश्रयेत्) वन का आश्रय लेवें ॥ २ ॥ (सं० वि० १६०)

"परन्तु जब गृहस्थ शिर के केश श्वेत और त्वचा ढीली हो जाये और लड़के का लड़का भी हो गया हो तब वन में जाके बसे' ।

(स० प्र० १२४)

अनुशीलन : वानप्रस्थ धारण में वेद के प्रमाण—मनु ने ६ । २—४ श्लोकों में वेद के आधार पर विधान किये हैं। तुलनार्थ द्रष्टव्य है ऋग्वेद १० । ४ । ५ का वेदमन्त्र—

"कूचित् जायते सनयासु नव्यो,
वने तस्थौ पलितो धूमकेतुः ।"

अर्थात्—(कूचित्) जब किसी भी घर में (सनयासु नव्यः जायते) प्राचीन सन्ततियों अर्थात् अवस्थावृद्ध गृहस्थों में नवीन सन्तति पैदा हो जाये अर्थात् अपने पुत्र का भी पुत्र=पौत्र हो जाये, या (पलितः) पके केशों वाला हो जाये [६ । २ में वर्णित] तब (धूमकेतुः) धूमकेतुः=अग्नि अर्थात् अग्निहोत्र आदि सामग्री लेकर (वने तस्थौ) वन में प्रस्थान करे—वानप्रस्थ बन जाये [६ । ४ में वर्णित] "**वनर्गू=वनगामिनौ**" [निरु० ३ । १४] अकेला अथवा पति और पत्नी दोनों वनगामी=वानप्रस्थ बनें ॥

वानप्रस्थ धारण की विधि—

[illegible]

[illegible] आहार (च) और (सर्वम् एव परिच्छदम्) घर के सब पदार्थों को (संत्यज्य) छोड़के (पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य) पुत्रों में अपनी पत्नी को छोड़ (वा सह+एव) अथवा सङ्ग में लेके (वनं गच्छेत्) वन को जावे ॥ ३ ॥ (सं० वि० १६१)

"सब ग्राम के आहार और वस्त्र आदि सब उत्तमोत्तम पदार्थों को

छोड़ पुत्रों के पास स्त्री को रख वा अपने साथ लेके वन में निवास करे"। (स० प्र० १२४)

अग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चाग्निपरिच्छदम्।
ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः॥ ४॥ (४)

जब गृहस्थ वानप्रस्थ होने की इच्छा करे तब (अग्निहोत्रं च गृह्यम् अग्निपरिच्छदं समादाय) अग्निहोत्र को सामग्री-सहित लेके (ग्रामात् निःसृत्य) गांव से निकल (अरण्यं जितेन्द्रियः निवसेत्) जंगल में जितेन्द्रिय होकर निवास करे॥ ४॥ (सं० वि० १६१)

"साङ्गोपाङ्ग अग्निहोत्र को लेकर ग्राम से निकल दृढ़ेन्द्रिय होकर अरण्य में जाकर बसे"। (स० प्र० १२४)

वानप्रस्थ के लिए पञ्चयज्ञों का विधान—

मुन्यन्नैर्विविधैर्मेध्यैः शाकमूलफलेन वा।
एतानेव महायज्ञान्निर्वपेद्विधिपूर्वकम्॥ ५॥ (५)

(विविधैः मुन्यन्नैः) नाना प्रकार के सामा [=नीवार] आदि अन्न (मेध्यैः शाक-मूल-फलेन) सुन्दर-सुन्दर शाक, मूल, फल, फूल, कंदादि से (एतान्+एव महायज्ञान् विधिपूर्वकं निर्वपेत्) पूर्वोक्त [३। ७०॥ ६। ७–१२ में वर्णित] महायज्ञों को* करे॥ ५॥ (स० प्र० १२४)

* (विधिपूर्वकम्) पूर्वोक्त विहित विधि [३।६६-१०८ के] अनुसार···

वसीत चर्म चीरं वा सायं स्नायात्प्रगे तथा।
जटाश्च बिभृयान्नित्यं श्मश्रुलोमनखानि च॥ ६॥

(चर्म वा चीरं वसीत) मृगचर्म आदि और वस्त्रनिर्मित कपड़े पहने (प्रगे तथा सायं स्नायात्) प्रातःकाल तथा सायंकाल स्नान करे (च नित्यं जटाः श्मश्रु-लोम-नखानि बिभृयात्) और सदा सिर के बाल, दाढ़ी-मूंछ, लोम और नखों को रखे॥ ६॥

अनुशीलन : यह श्लोक निम्न आधार के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होता है—

१. प्रसङ्गविरोध—यह श्लोक पूर्वापर प्रसङ्ग के विरुद्ध है और उसे भङ्ग कर रहा है। ५ वें श्लोक में कहा है कि—"**एतान् एव महायज्ञान् निर्वपेत् विधिपूर्वकम्**" अर्थात् विधिपूर्वक इन (आगे वर्णित) यज्ञों को करे। इस श्लोक के संकेत के अनुसार आगे वानप्रस्थ के लिए विहित यज्ञों का ही विधान होना चाहिए और वह ७–१२ श्लोकों में है। सातवें श्लोक में अतिथि यज्ञ का विधान है। इस प्रकार इस श्लोक में ५ वें में संकेतित प्रसङ्ग के विरुद्ध वर्णन है और पूर्वापर प्रसङ्गक्रम को भङ्ग कर दिया है।

अतिथि-यज्ञ एवं पितृ-यज्ञ का विधान—

यद्भक्ष्यं स्यात्ततो दद्याद्बलिं भिक्षां च शक्तितः।
अम्मूलफलभिक्षाभिरर्चयेदाश्रमागतान् ॥७॥ (६)

(यत् भक्ष्यं स्यात्) जो भी खाने का पदार्थ हो [६।५] (ततः) उससे ही (बलिं दद्यात्) बलिवैश्वदेव यज्ञ करे (च शक्तितः भिक्षाम्) और यथाशक्ति भिक्षा भी दे (आश्रम+आगतान्) आश्रम में आये अतिथियों को (अप्+मूल-फल-भिक्षाभि) जल, कन्दमूल, फल आदि प्रदान करके (अर्चयेत्) उनका सत्कार करे ॥ ७ ॥

ब्रह्मयज्ञ का विधान—

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्दान्तो मैत्रः समाहितः।
दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ॥ ८ ॥ (७)

(स्वाध्याये) स्वाध्याय अर्थात् पढ़ने-पढ़ाने में (नित्ययुक्तः) नियुक्त (समाहितः) जितात्मा (मैत्रः) सब का मित्र (दान्तः) इन्द्रियों का दमनशील (दाता) विद्या आदि का दान देने हारा (सर्वभूत+अनुकंपकः) सब पर दयालु (अनादाता) किसी से कुछ भी पदार्थ न लेवे (नित्यं स्यात्) इस प्रकार सदा वर्तमान रहे ॥ ८ ॥ (स० प्र० १२५)

"वहां जङ्गल में वेदादि शास्त्रों को पढ़ने-पढ़ाने में नित्ययुक्त मन और इन्द्रियों को जीतकर यदि स्त्र-स्त्री भी समीप हो तथापि उससे सेवा के सिवाय विषय-सेवन अर्थात् प्रसंग कभी न करे, सब से मित्रभाव, सावधान, नित्य देने हारा और किसी से कुछ भी न लेवे, सब प्राणीमात्र पर अनुकंपा=कृपा रखने हारा होवे।" (सं० वि० १६१)

अग्निहोत्र का विधान—

वैतानिकं च जुहुयादग्निहोत्रं यथाविधि।
दर्शमस्कन्दयन्पर्व पौर्णमासं च योगतः ॥ ९ ॥ (८)

वानप्रस्थ (यथाविधि) पूर्वोक्त विधि के अनुसार (अग्निहोत्रम्) दैनिक यज्ञ-पञ्चमहायज्ञों को (च) और (वैतानिकम्) विशेष अवसरों पर किये जाने वाले (दर्शं च पौर्णमासं पर्व अस्कन्दयन्) अमावस्या और पूर्णिमा आदि पर्वों पर किये जाने पर्वयज्ञों को भी न छोड़ते हुए (योगतः जुहुयात्) निष्ठापूर्वक किया करे ॥ ९ ॥

अनुशीलन : 'वैतानिक' से अभिप्राय—'वैतानिक' शब्द से विस्तृत

अर्थात् विशेष अवसरों पर आयोजित होने वाले यज्ञों से अभिप्राय है। यज्ञों के साथ 'वैतानिक' शब्द का अन्यत्र भी प्रयोग मिलता है। ६। १० का वर्णन उक्त अर्थ की सिद्धि में प्रमाण है। द्रष्टव्य है ७। ७८–७९ और २। ११८ (२। १४३) श्लोकों के प्रयोग। २। ३ [२। २८] में भी ऐसे महायज्ञों का विधान है।

विशेष यज्ञों का आयोजन करे—

ऋक्षेष्टयाग्रयणं चैव चातुर्मास्यानि चाहरेत्।
तुरायणं च क्रमशो दक्षस्यायनमेव च॥ १०॥ (९)

(ऋक्षेष्टि) नक्षत्रयज्ञ (आग्रयणम्) नये अन्न का यज्ञ (च) और (चातुर्मास्यानि) चातुर्मास्य का यज्ञ (च) तथा (क्रमशः तुरायणं च दक्षस्यायनं एव आहरेत्) क्रमशः उत्तरायण और दक्षिणायन, इन अवसरों पर भी विशेष यज्ञों का आयोजन करे॥ १०॥

अनुशीलन : नक्षत्रों की गणना—(१) नक्षत्र परिवर्तन के समय भी विशेष या वृहत् यज्ञ का अनुष्ठान करे। नक्षत्र २७ हैं—'१. अश्विनी, २. भरणी, ३. कृत्तिका, ४. रोहिणी, ५. मृगशीर्ष, ६. आर्द्रा, ७. पुनर्वसु, ८. पुष्य, ९. आश्लेषा, १०. मघा, ११. पूर्वाफाल्गुनी, १२. उत्तराफाल्गुनी, १३ हस्त, १४. चित्रा, १५. स्वाति, १६. विशाखा, १७. अनुराधा, १८. ज्येष्ठा, १९. मूल, २०. पूर्वाषाढ़ा, २१. उत्तराषाढा २२. श्रवण, २३. धनिष्ठा, २४. शतभिषज्, २५. पूर्वाभाद्रपदा, २६. उत्तराभाद्रपदा, २७. रेवती।

(२) चातुर्मास्य यज्ञ—प्रत्येक चार महीने के पश्चात् अनुष्ठेय यज्ञ अर्थात् कार्तिक, फाल्गुन, और आषाढ़ के प्रारम्भ में।

(३) सूर्य की भूमध्यरेखा से उत्तर की ओर स्थिति, जो मकर से कर्क संक्रान्ति तक का काल है, उसे उत्तरायण कहते हैं।

(४) सूर्य की भूमध्यरेखा से दक्षिण की ओर स्थिति का समय दक्षिणायन कहलाता है। (अयन विषयक विस्तृत विवेचन १। ६७ की समीक्षा में द्रष्टव्य है)।

इन अवसरों पर विशेष यज्ञों का अनुष्ठान करे।

बलिवैश्वदेव यज्ञ का विधान—

वासन्तशारदैर्मेध्यैर्मुन्यन्नैः स्वयमाहृतैः।
पुरोडाशांश्चरूंश्चैव विधिवन्निर्वपेत्पृथक्॥ ११॥ (१०)

(वासन्त-शारदैः मेध्यैः स्वयम्+आहृतैः अन्नैः) वसन्त और शरद् ऋतु में प्राप्त होने वाले पवित्र और स्वयं लाये हुए नीवार आदि मुनि-अन्नों

से (पुरोडाशान् च चरून् विधिवत् पृथक् निर्वपेत्) पुरोडाश और चरु नामक यज्ञीय हव्यों को विधि अनुसार अलग-अलग तैयार करे ॥ ११ ॥

देवताभ्यस्तु तद्धुत्वा वन्यं मेध्यतरं हविः ।
शेषमात्मनि युञ्जीत लवणं च स्वयं कृतम् ॥ १२ ॥ (११)

(तत् मेध्यतरं वन्यं हविः देवताभ्यः हुत्वा) उस पवित्र, वन के अन्नों से निर्मित हवि को देवताओं [३ । ८४-९४] के लिये होम कर=आहुति देकर (शेषम्) शेष भोजन को (च) और (स्वयं कृतं लवणम्) अपने लिए बनाये गये लवणयुक्त पदार्थों को (आत्मनि युञ्जीत) अपने खाने के लिए प्रयोग में लाये ॥ १२ ॥

अनुशीलन : 'लवणशब्द-विवेचन'—यहां 'लवण' शब्द का अर्थ 'प्रत्येक लवणयुक्त भोजन' है। व्याकरणानुसार संसृष्ट अर्थ में लवण शब्द से "लवणाल्लुक्" [अ० ४ । ४ । २४] सूत्र द्वारा पूर्वप्राप्त ठक् प्रत्यय का लुक् हो जाता है, अतः 'लवण' शब्द ही रह जाता है, किन्तु उपर्युक्त रूप में अर्थ व्यापक रहता है।

पवित्र भोजन करे—

स्थलजौदकशाकानि पुष्पमूलफलानि च ।
मेध्यवृक्षोद्भवान्यद्यात्स्नेहांश्चफलसम्भवान् ॥ १३ ॥ (१२)

(स्थलज+औदक-शाकानि) भूमि और जल में उत्पन्न शाकों को (मेध्यवृक्ष+उद्भवानि पुष्प-मूल-फलानि) पवित्र वृक्षों से उत्पन्न होने वाले फूल, कन्दमूल और फलों को (च) और (फलसंभवान् स्नेहान्) फलों से प्राप्त होने वाले रसों, तैलों या अर्कों को (अद्यात्) खाये ॥ १३ ॥

अनुशीलन : भक्ष्य पदार्थों का विधान ५ । ८-१०, २४-२५ में भी द्रष्टव्य है।

अभक्ष्य पदार्थ—

वर्जयेन्मधु मांसं च भौमानि कवकानि च ।
भूस्तृणं शिग्रुकं चैव श्लेष्मातकफलानि च ॥ १४ ॥ (१३)

(मधु) मदकारी मदिरा, भांग आदि पदार्थ (मांसम्) सब प्रकार के मांस (च) और (भौमानि कवकानि) भूमि में उत्पन्न होने वाले कवक=छत्राक=कुकुरमुत्ता (च) और (भूस्तृणम्) भूतृण नामक [=शरवाण] शाकविशेष, (शिग्रुकम्) सफेद सहिंजन (च) और (श्लेष्मातकफलानि) लिसौड़े के फल (वर्जयेत्) इन्हें भोजन में वर्जित रखे अर्थात् न खाये ॥ १४ ॥

अनुशीलन : (१) यहां मधु का अर्थ 'मद्य अर्थात् नशा करने वाले मदिरा, भांग आदि पदार्थ' है। मांस के साथ पठित 'मधु' शब्द का अर्थ 'मदिरा' होता है। 'शहद' अर्थ इसलिए ग्रहण नहीं किया जा सकता क्योंकि मनु ने उसे भक्ष्य (२।४) माना है। प्रमाणयुक्त अर्थविवेचन २। १५२ [२। १७७] में देखिए।

(२) अभक्ष्य पदार्थों का वर्णन ५। ५ तथा २। १७७ में भी है। इन पदार्थों को सभी आश्रमवासियों के लिए अभक्ष्य माना है।

त्यजेदाश्वयुजे मासि मुन्यन्नं पूर्वसञ्चितम्।
जीर्णानि चैव वासांसि शाकमूलफलानि च ॥ १५ ॥ (१४)

(पूर्वसंचितं मुन्यन्नम्) पहले इकट्ठे किये हुए नीवार आदि मुनि-अन्नों को (च) और (जीर्णानि वासांसि) पुराने वस्त्रों को (च) और (शाक-मूल-फलानि) पूर्वसंचित शाक, कन्दमूल, फलों को (आश्वयुजे मासि त्यजेत्) आश्विन के महीने में छोड़ देवे अर्थात् नये ग्रहण करे ॥ १५ ॥

वानप्रस्थ ग्रामोत्पन्न पदार्थ न खाये—

न फालकृष्टमश्नीयादुत्सृष्टमपि केनचित्।
न ग्रामजातान्यार्तोऽपि मूलानि च फलानि च ॥ १६ ॥ (१५)

(फालकृष्टम्) हल से जोती हुई भूमि में उत्पन्न पदार्थों को (केनचित् उत्सृष्टम्+अपि) किसी के द्वारा दिये जाने पर भी (च) और (ग्रामजातानि मूलानि च फलानि) ग्राम में उत्पन्न किये गये मूल और फलों को (आर्त्तः+अपि न अश्नीयात्) भूख से पीडित होते हुए भी न खाये ॥ १६ ॥

अनुशीलन : **वानप्रस्थ के लिए ग्रामोत्पन्न वस्तुओं के निषेध में कारण**—वनस्थ के लिए ग्रामोत्पन्न वस्तुओं का निषेध इसलिए है कि उसकी गृहस्थ सदृश सुखासक्ति में प्रवृत्ति न हो। इस श्लोक का सम्बन्ध २६ वें से है, जो इस श्लोक के निषेध का कारणरूप वर्णन है। विशेष समीक्षा २६ वें श्लोक के अनुशीलन में देखिए।

अग्निपक्वाशनो वा स्यात्कालपक्वभुगेव वा।
अश्मकुट्टो भवेद्वापि दन्तोलूखलिकोऽपि वा ॥ १७ ॥

वानप्रस्थ (अग्निपक्व+अशनः) अग्नि में पकाकर खाने वाला हो (वा) अथवा (कालपक्वभुक्+एव) समय पर स्वयं पके फल आदि को खाने वाला (स्यात्) हो (वा) या (अश्मकुट्टः) पत्थर से कूटकर खाने वाला (वा) अथवा (दन्त+उलूखलिकः+अपि भवेत्) दांतों से चबाकर या ऊखल में कूटकर खाने वाला हो ॥ १७ ॥

सद्यः प्रक्षालको वा स्यान्माससञ्चयिकोऽपि वा।
षण्मासनिचयो वा स्यात्समानिचय एव वा ॥ १८ ॥

वानप्रस्थ (सद्यः प्रक्षालकः) एक दिन के लिए (वा) अथवा (मासंचयिकः

स्यात्) एक मास तक संचय करके रखने वाला (वा) अथवा (षण्मासनिचयः) छः महीने तक संचयकरके रखने वाला (वा) या (समानिचयः एव) एक वर्ष तक संचय करके रखने वाला (स्यात्) होवे ॥ १८ ॥

नक्तं वान्नं समश्नीयाद्दिवा वाऽऽहृत्य शक्तितः ।
चतुर्थकालिको वा स्यात्स्याद्वाप्यष्टमकालिकः ॥ १९ ॥

(शक्तितः अन्नम् आहृत्य) यथाशक्ति अन्न लाकर (नक्तं वा दिवा समश्नीयात्) रात या दिन में खाये (वा) वा (चतुर्थकालिकः) चौथे पहर में खाये (वा) अथवा (अष्टमकालिकः स्यात्) आठ पहर में एक बार ही खाये ॥ १९ ॥

चान्द्रायणविधानैर्वा शुक्लकृष्णे च वर्तयेत् ।
पक्षान्तयोर्वाऽप्यश्नीयाद्यवागूं क्वथितां सकृत् ॥ २० ॥

(वा) अथवा (शुक्ल-कृष्णे) शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष में (चान्द्रायणविधानैः वर्तयेत्) चान्द्रायण व्रत के अनुसार खाये [११। २१६] (वा) अथवा (पक्षान्तयोः क्वथितां यवागूं सकृत् अश्नीयात्) दोनों पक्षों के अन्त में पकी हुई लप्सी को एक-एक बार ही खाये ॥ २० ॥

पुष्पमूलफलैर्वाऽपि केवलैर्वर्तयेत्सदा ।
कालपक्वैः स्वयंशीर्णैर्वैखानसमते स्थितः ॥ २१ ॥

(अपि वा) अथवा (वैखानसमते स्थितः) वानप्रस्थ आश्रम में स्थित व्यक्ति (कालपक्वैः स्वयंशीर्णैः) अपने आप निश्चित समय पर पके हुए और स्वयं टूटकर गिरे हुए (केवलैः पुष्पमूलफलैः सदा वर्तयेत्) केवल फूल, कन्दमूल और फलों से ही सदा निर्वाह करे ॥ २१ ॥

विविध तपस्याओं का विधान—

भूमौ विपरिवर्तेत तिष्ठेद्वा प्रपदैर्दिनम् ।
स्थानासनाभ्यां विहरेत्सवनेषूपयन्नपः ॥ २२ ॥

(भूमौ विपरिवर्तेत) भूमि पर लेटे (वा) अथवा (दिनं प्रपदैः तिष्ठेत्) दिन में कुछ समय पैरों पर खड़ा रहे (स्थान+आसनाभ्याम्) कभी आसन पर बैठकर कभी उठकर (सवनेषु अपः उपयन्) प्रातः, सायं, दोपहर कालों में स्नान करता हुआ (विहरेत्) अपना समय बिताये ॥ २२ ॥

ग्रीष्मे पञ्चतपास्तु स्याद्वर्षास्वभ्रावकाशिकः ।
आर्द्रवासास्तु हेमन्ते क्रमशो वर्धयंस्तपः ॥ २३ ॥

(क्रमशः तपः वर्धयन्) वानप्रस्थी क्रमशः अपने तप को बढ़ाता हुआ (ग्रीष्मे पञ्च तपाः तु स्यात्) ग्रीष्म ऋतु में पञ्चाग्नियों में तपे (वर्षासु अभ्र-अवकाशिकः) वर्षा ऋतु

में बरसात में नग्न होकर बैठे (हेमन्ते आर्द्रवासा तु) हेमन्त ऋतु में गीले कपड़े धारण कर रखे ॥ २३ ॥

उपस्पृशंस्त्रिषवणं पितॄन्देवांश्च तर्पयेत् ।
तपश्चरंश्चोग्रतरं शोषयेद् देहमात्मनः ॥ २४ ॥

(त्रिषवणम् उपस्पृशन्) तीनों कालों में स्नान करके (पितॄन् च देवान् तर्पयेत्) पितरों और देवताओं का तर्पण करे (च) और (उग्रतरं तपं चरन् आत्मनः देहं शोषयेत्) कठोर तपस्या करते हुए अपने शरीर को सुखाये ॥ २४ ॥

अग्नीनात्मनि वैतानान्समारोप्य यथाविधि ।
अनग्निरनिकेतः स्यान्मुनिर्मूलफलाशनः ॥ २५ ॥

(यथाविधि वैतानान् अग्नीन्+आत्मनि समारोप्य) विधि-अनुसार वैतान सम्बन्धी अग्नियों को अपनी आत्मा में रखकर अर्थात् कठिन तपस्या से वानप्रस्थ की सिद्धि पाकर (अनग्निः) अग्नियों को त्यागकर-पकाने की क्रिया को छोड़कर (अनिकेतः) गृह को त्यागकर (मुनिः) मौन धारण करके (मूल-फल+अशनः स्यात्) मूल, फल खाकर रहे ॥ २५ ॥

अनुशीलन : १७ से २५ तक के श्लोक निम्न 'आधारों' के आधार पर प्रक्षिप्त हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—(१) यहां पूर्वापर प्रसंग वानप्रस्थी के भक्ष्याभक्ष्य सम्बन्धी विधानों का है। ये श्लोक उस प्रसंग से भिन्न तथा क्रमभञ्जक रूप में हैं। १३ वें श्लोक से वानप्रस्थ के भक्ष्याभक्ष्य का प्रसंग शुरू किया था। १४–१६ श्लोकों में वानप्रस्थी के लिए अभक्ष्य सम्बन्धी विधान विहित करते हुए १६ वें में पीड़ित अवस्था में भी ग्राम्य भक्ष्य पदार्थों को न खाने का विधान है, और २६ वें में ग्राम्य पदार्थों को क्यों नहीं खाना चाहिए उसका कारण बताया है। इस प्रकार भक्ष्याभक्ष्य के प्रसंग का पूर्ण हो जाने का संकेत मिलता है। प्रसंग के बाद तत्सम्बन्धी विकल्प होते हैं। वह विकल्प २७ वें में दिया है। फलादि प्राप्त न होने पर आर्त्त=पीड़ित अवस्था में वनवासियों से भिक्षा लाने की छूट है। इस वर्णन से यह ज्ञात होता है कि १६ वें के बाद उसके कारण को स्पष्ट करने वाला २६ वाँ तथा भक्ष्याभक्ष्य प्रसंग से सम्बद्ध विकल्प का वर्णन करने वाला २७ वाँ श्लोक होना चाहिए। बीच में इन श्लोकों ने उनके क्रम को भंग कर दिया है। इन श्लोकों में खाने के प्रकार [१७], संचय के विधान [१८], पुनः भक्ष्यपदार्थों का विधान [१९—२१], हठीय तपस्या [२२–२४] आदि बातों के वर्णन से २६–२७ वें श्लोकों का क्रम भंग हो गया है।

(२) वानप्रस्थ के लिए भक्ष्य-पदार्थों का वर्णन १३ वें श्लोक में किया है। भक्ष्य सम्बन्धी आवश्यक वर्णन पूरा करके १४–१६ में अभक्ष्य-सम्बन्धी विधानों का वर्णन

है। इससे यह संकेत मिलता है कि मनु को भक्ष्यसम्बन्धी जितना वर्णन अभीष्ट था, वह १३ वें में ही पूर्ण कर दिया, तभी उसके बाद अन्य विधानों का वर्णन शुरू किया है। १९–२१ और २५ श्लोकों में पुनः भक्ष्य-सम्बन्धी प्रसंग और वह भी १३ वें से क्षुद्र अंशों में मिलता-जुलता नये सिरे से प्रारम्भ है। एक ही प्रसंग में, एक प्रसंग समाप्त होने के बाद पुनः उन्हीं बातों का नये सिरे से प्रसंग प्रारम्भ करना अप्रासंगिक है, अतः यह प्रसंगविरुद्ध है।

(३) इसी प्रकार धान्यादि के संचय की चर्चा १५ वें में वर्णित है। बीच में अन्य विधान होकर पुनः १८ वें में संचय की चर्चा उठाना भी अप्रासंगिक है और यह इसे प्रक्षिप्त सिद्ध करता है।

२. **अन्तर्विरोध**—इस प्रसंग के सभी श्लोकों का मनु की पूर्वमान्यताओं से विरोध है—

(१) १८–१९ वें श्लोकों में एकदिन, एक मास, छः मास और एक वर्ष तक धान्यादि संचय के विकल्प दिए हैं, जबकि १५ वें में वर्षभर तक धान्यादि संचय रखने का संकेत है। ११ वें में वसन्त और शरद्ऋतु में अन्नों को संचय करने का कथन है। इस प्रकार संचय-सम्बन्धी संकेत पहले देने के पश्चात् पुनः १८ वें श्लोक में संचय-सम्बन्धी व्यवस्था की आवश्यकता भी नहीं है, और यह भिन्नता पूर्व श्लोकों से विरुद्ध है। अन्न-संग्रह में यह व्यवस्था लागू भी नहीं हो सकती। यतो हि नीवार आदि अन्न तो ऋतु-विशेष के समय ही उपलब्ध हो सकते हैं।

(२) १९ वें में भोजन के चार समय दिये हैं, जबकि ७, १२ श्लोकों से यह स्पष्ट विधान है कि बलि आदि निकालकर यज्ञों के बाद भोजन करे। १९ वें श्लोक में जो विधान किया है, यह कोई विधान ही नहीं बनता। दिन में चार बार खाना है तो व्यक्ति अपनी इच्छा से कभी भी खा सकता है। इस विधान से कोई नियम ही नहीं बनता। २० वें में अमावस्या-पूर्णिमा के दिन केवल एक बार लप्सी खाने का बन्धन है, जबकि पूर्व श्लोकों की व्यवस्थाओं में ऐसा कोई बन्धन न होकर विभिन्न पदार्थों को खाने की छूट है [५, ७, १२, १३]।

(३) २२–२५ श्लोकों में हठयुक्त तपस्या का विधान करते हुए शरीर को सुखाने के लिए कहा है। यह विधान मनुसम्मत नहीं है, क्योंकि मनु इसको तप ही नहीं मानते। मनु ने तो प्राणायाम, वेदाध्ययन, जितेन्द्रियता आदि को ही तप माना है। [२। १३९ (१६४), १४१ (१६६), १४२ (१६७), १५० (१७५), ६। ७०—७२]। इसके साथ-साथ मनु ने ऐसे तप का आदेश दिया है जिससे शरीर का क्षय या हानि न हो [२। ७५ (१००)]—"**अक्षिण्वन् योगतः तनुम्।**"

(४) २४ वें श्लोक में वानप्रस्थी को पितरों के तर्पण के लिए कहा है। मृतों तर्पण की मान्यता मनुविरुद्ध है। इसके लिए देखिए ३। ११९ से २८५ श्लोकों प

'अन्तर्विरोध' शीर्षक आधार। इस प्रकार इन अन्तर्विरोधों के आधार पर ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

३. **पुनरुक्ति**—एक ही प्रसंग में कुछ बातें पुनः कही गई हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं थी—(१) १३ वें में वानप्रस्थी को फल-मूल आदि खाने का विधान कर दिया है, किन्तु इस प्रसंग में २१ वें और २५ वें में पुनः वही विधान कर दिया। (२) २-३ में गृह को त्यागने का कथन कर दिया है, किन्तु २५ वें में फिर 'अनिकेतः स्यात्' कहकर गृह-त्याग का विधान किया है। इन पुनरुक्तियों से यह ज्ञात होता है कि इन श्लोकों का यह प्रसंग किसी अन्य द्वारा रचित है।

सांसारिक सुखों में आसक्ति न रखते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करे—

अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः।
शरणेष्वममश्चैव वृक्षमूलनिकेतनः॥ २६॥ (१६)

(सुखार्थेषु अप्रयत्नः) शरीर के सुख के लिए अतिप्रयत्न न करे, किन्तु (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी अर्थात् अपनी स्त्री साथ हो तथापि उससे विषयचेष्टा कुछ न करे (धराशयः) भूमि में सोवे (शरणेषु+अममः+च+एव) अपने वा स्वकीय पदार्थों में ममता न करे (वृक्षमूलनिकेतनः) वृक्ष के मूल में बसे॥ ॥ २६॥ (स० प्र० १२५)

अनुशीलन : २६ वें श्लोक की संगति का विवेचन—इस श्लोक की संगति १६ वें से है। उसमें सभी ग्रामोत्पन्न पदार्थों का ग्रहण न करने का आदेश है, चाहे कोई भेंट के रूप में भी लाया हो। इस श्लोक में उसका कारण प्रदर्शित है कि वनस्थ को सुख-सुविधाओं में ध्यान नहीं लगाना चाहिए। तभी वह मोह-ममता से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। ऐसा न करने पर विषयों की ओर प्रवृत्ति बढ़ती है। संन्यासी के प्रसंग में इस बात को दूसरे प्रकार से स्पष्ट किया है—**भैक्षे प्रसक्तो हि यतिर्विषयेष्वपि सज्जति** (६। ५५)

अर्थात्—भिक्षा के लालच में मन रखने वाला संन्यासी विषयों में भी फंस जाता है। यही धारणा १६ और २६ वें श्लोकों के मूल में है।

तपस्वियों के घरों से भिक्षा का ग्रहण—

तापसेष्वेव विप्रेषु यात्रिकं भैक्षमाहरेत्।
गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु॥ २७॥ (१७)

[अथवा] (तापसेषु+एव विप्रेषु) जो जंगल में पढ़ाने और योगाभ्यास करने हारे तपस्वी, धर्मात्मा विद्वान् लोग रहते हों (अन्येषु गृहमेधिषु द्विजेषु वनवासिषु) जो कि गृहस्थ वा वानप्रस्थ वनवासी हों, उनके घरों में से ही (भैक्षम्+आहरेत्) भिक्षा ग्रहण करे॥ २७॥ (सं० वि० १९१)

(यात्रिकम्) जीवनयात्रा चलाने योग्य.....

ग्रामादाहृत्य वाऽश्नीयादष्टौ ग्रासान्वने वसन्।
प्रतिगृह्य पुटेनैव पाणिना शकलेन वा ॥ २८ ॥

(वने वसन्) वन में रहते हुए [यदि वन में भिक्षा न मिले तो] (ग्रामात्) गांव से (पुटेन पाणिना वा शकलेन प्रतिगृह्य) दोनों हाथ अथवा सकोरा इनमें ग्रहण करके (आहृत्य) भिक्षा लाकर (अष्टौ ग्रासान् अश्नीयात्) केवल आठ ग्रास [=मुंह] भोजन करे ॥ २८ ॥

अनुशीलन : यह २८ वां श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त है—

१. **अन्तर्विरोध**— १६ वें श्लोक में पीड़ित अवस्था में भी वानप्रस्थ को गांव का अन्न, फल आदि लेने का स्पष्ट शब्दों में निषेध है। इस श्लोक में विकल्प रूप में गांव से भिक्षा प्राप्त करने का कथन करना उस श्लोक के विरुद्ध है। २७ वें श्लोक में वानप्रस्थी को विकल्प में भिक्षा का विधान किया है। वहाँ भी केवल वनवासी वानप्रस्थ आदि द्विजों के यहाँ से भिक्षा लेने का कथन है—"तापसेष्वेव विप्रेषु·····वनवासिषु" इस विधान से भी गांव की भिक्षा का निषेध है।

आत्मशुद्धि के लिए वेदमन्त्रों का मनन-चिन्तन—

एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विप्रो वने वसन्।
विविधाश्चौपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः ॥ २९ ॥ (१८)

(वने वसन्) इस प्रकार वन में बसता हुआ (एताः च+अन्याः दीक्षाः सेवेत) इन और अन्य दीक्षाओं का सेवन करे (च) और (आत्मसंसिद्धये) आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान के लिए (विविधाः औपनिषदीः श्रुतीः) नाना प्रकार की उपनिषद् अर्थात् ज्ञान और उपासना-विधायक श्रुतियों के अर्थों का विचार किया करे ॥ २९ ॥ (सं० वि० १९१)

अनुशीलन : यहां उपनिषद् से 'पुस्तकविशेष' अर्थ अभिप्रेत नहीं अपितु 'उपनिषद् विद्या' से अभिप्राय है।

ऋषिभिर्ब्राह्मणैश्चैव गृहस्थैरेव सेविताः।
विद्यातपोविवृद्ध्यर्थं शरीरस्य च शुद्धये ॥ ३० ॥ (१९)

(ऋषिभिः ब्राह्मणैः गृहस्थैः एव) ऋषियों, ब्राह्मणों और गृहस्थों ने भी (विद्या+तपः विवृद्ध्यर्थम्) विद्या और तप की वृद्धि के लिए (च) और (शरीरस्य शुद्धये) शरीर की शुद्धि के लिए (सेविताः) इन दीक्षाओं और श्रुतियों [६। २९] का सेवन किया है ॥ ३० ॥

अपराजितां वाऽऽस्थाय व्रजेद्दिशमजिह्मगः ।
आनिपाताच्छरीरस्य युक्तो वार्यनिलाशनः ॥ ३१ ॥

(शरीरस्य आनिपातात्) शरीर छूटने तक (वारि+अनिल+अशनः) जल और वायु का भक्षण करके रहता हुआ (युक्तः) योगसाधना में तत्पर रहकर (अपराजितां दिशम् आस्थाय) अपराजित दिशा में स्थित होकर अर्थात् मृत्यु अवस्था आने पर (अजिह्मगः व्रजेत्) शान्त-भाव से शरीर त्याग दे ॥ ३१ ॥

आसां महर्षिचर्याणां त्यक्त्वाऽन्यतमया तनुम् ।
वीतशोकभयो विप्रो ब्रह्मलोके महीयते ॥ ३२ ॥

(आसां महर्षिचर्याणाम् अन्यतमया तनुं त्यक्त्वा) इन महर्षियों की दिनचर्याओं का पालन करते हुए किसी एक दिनचर्या के अनुसार शरीर को छोड़ने से (वीतशोकभयः विप्रः) शोक और भय से रहित हुआ विद्वान् (ब्रह्मलोके महीयते) मुक्ति में जाकर आनन्द पाता है ॥ ३२ ॥

अनुशीलन : ३१-३२ श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. **प्रसङ्गविरोध**—मनु ने ३३ वें श्लोक में वानप्रस्थ के पश्चात् संन्यास लेने का विधान करते समय "**वनेषु च विहृत्य एवम्**" पदों का प्रयोग किया है। इस प्रकार 'वनों में विहार करके' इस निरन्तरता-बोधक क्रिया से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि इस श्लोक का प्रसङ्ग या सम्बन्ध ३० वें से जुड़ा हुआ है और बीच में समाप्ति-सूचक कोई वर्णन अभीष्ट नहीं है। ३१–३२ श्लोकों में वानप्रस्थ में रहते हुए शरीर त्याग करना, और उसका फलप्रदर्शन उक्त प्रयोग से सङ्गत सिद्ध नहीं होता। अतः प्रसङ्ग-वर्णन-सम्बद्धता को भङ्ग करने के कारण ये दोनों श्लोक प्रसङ्गविरुद्ध प्रक्षेप हैं।

२. **अन्तर्विरोध**—(१) ३१ वें श्लोक में वानप्रस्थी को केवल जल-वायु पर रहने के लिए कथन करना ६। ५, ७, ११, १२, श्लोकों के विरुद्ध है। इनमें अनेक भक्ष्य-पदार्थों का विधान है। (२) ३१ वें श्लोक में और ३२ वें श्लोक में व्यक्ति को मृत्युपर्यन्त वानप्रस्थी बने रहने का संकेत दिया है। यह ३३-३४ श्लोकों के विरुद्ध है। क्योंकि मनु ने निश्चित समयानुसार आश्रम परिवर्तन का विधान किया है और उसे सभी के लिए आवश्यक माना है। (३) ३१ वें श्लोक में 'अपराजित दिशा' में जाने का वर्णन मनु-प्रोक्त सिद्ध नहीं होता। यतोहि मनु तो केवल मुक्ति या ब्रह्म की शरण में जाने का कथन करते हैं [६।८१, ८५, ४। २६०, १२।११६, १२५]। इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग उनके वर्णन में नहीं मिलता।

(संन्यास-धर्म-विषय)

[६। ३३ से ६। ८५ तक]

संन्यास ग्रहण का विधान—

वनेषु च विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः।
चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा सङ्गान्परिव्रजेत्॥ ३३ ॥ (२०)

(एवं वनेषु आयुषः तृतीयं भागं विहृत्य) इस प्रकार जंगलों में आयु का तीसरा भाग अर्थात् अधिक से अधिक पच्चीस वर्ष अथवा न्यून से न्यून बारह वर्ष तक विहार करके (आयुषः चतुर्थं भागम्) आयु के चौथे भाग अर्थात् सत्तर वर्ष के पश्चात् (संगान् त्यक्त्वा) सब मोह आदि संगों को छोड़ कर (परिव्रजेत्) परिव्राजक अर्थात् संन्यासी हो जावे ॥ ३३ ॥

(सं० वि० १९८)

"इस प्रकार वन में आयु का तीसरा भाग अर्थात् पचासवें वर्ष से पचहत्तरवें वर्ष पर्यन्त वानप्रस्थ होके आयु के चौथे भागमें संगों को छोड़ के परिव्राट् अर्थात् संन्यासी होजावे"। (स० प्र० १२६)

अनुशीलन : **'परिव्राजक' की व्युत्पत्ति**—परिव्रजन करने से अभिप्राय परिव्राजक अर्थात् संन्यासी होने से है। **'परिव्रजति—इति परिव्राजकः'**=जो सांसारिक एषणाओं को त्यागकर लोकोपकार के लिए विचरण करे, वह परिव्राजक अर्थात् संन्यासी होता है। संन्यासी की परिभाषा ऋषि दयानन्द ने निम्न प्रकार की है—

"संन्यास-संस्कार उसको कहते हैं कि जो मोहादि आवरण, पक्षपात छोड़के, विरक्त होकर सब पृथिवी में परोपकारार्थ विचरे अर्थात् **"सम्यङ् न्यस्यन्त्यधर्माचरणानि येन वा सम्यङ् नित्यं सत्कर्मस्वास्ते उपविशति स्थिरीभवति येन स, संन्यासो विद्यते यस्य स संन्यासी।"** (सं० वि० संन्यास प्रकरण)

आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः।
भिक्षाबलिपरिश्रान्तः प्रव्रजन्प्रेत्य वर्धते॥ ३४॥

(हुतहोमः) जिसने सदा यज्ञ किये हैं ऐसा (भिक्षाबलि-परिश्रान्तः) भिक्षा और बलिवैश्वदेव यज्ञ से थका हुआ अर्थात् जो सदा से इन कर्मों को निभा रहा है (जितेन्द्रियः) जितेन्द्रिय द्विज (आश्रमात्+आश्रमं गत्वा) क्रमशः एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाकर (प्रव्रजन्) संन्यास लेकर (प्रेत्य वर्धते) मरकर परजन्म में उन्नति को ही प्राप्त करता है॥ ३४॥

ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्।
अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यधः॥ ३५॥

(त्रीणि ऋणानि अपाकृत्य) तीन ऋणों—ऋषि-ऋण, देवऋण, और पितृऋण को चुकाकर (मनः मोक्षे निवेशयेत्) मन को मोक्ष में लगाये (अनपाकृत्य तु) ऋणों को न चुकाकर (मोक्षं सेवमानः) मोक्ष को चाहने वाला व्यक्ति (अधः व्रजति) अधोगति को प्राप्त करता है॥ ३५॥

अनुशीलन : ३४–३५ श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—३४ वां श्लोक पुनरुक्त है, क्योंकि ३३ वें में जो क्रम बताया है उसका विकल्प ३८ वां श्लोक है।

१. **अन्तर्विरोध**—इस श्लोक में पूर्व के तीन आश्रमों के पालन किये बिना मोक्षप्राप्ति की इच्छा करने वाले की अधोगति कही है। यह मान्यता मनुविरुद्ध है। मनु ने ६।८८ में सभी आश्रमों को परम गति देने वाला कहा है, फिर अधोगति दायक कहना उसके विरुद्ध है। (२) ६। ३८-४१ श्लोकों में गृहस्थ से सीधा संन्यास लेने का कथन है, यह श्लोक उसके भी विरुद्ध है। (३) इसी प्रकार २। २४४ में ब्रह्मचर्याश्रम में रहते हुए ही ब्रह्मप्राप्ति होना स्वीकार किया है। इस श्लोक में तीन आश्रमों के बिना मोक्ष-प्राप्ति की इच्छा करने पर अधोगति की प्राप्ति कहना उसके भी विरुद्ध है।

अधीत्य विधिवद्वेदान्पुत्रांश्चोत्पाद्य धर्मतः।
इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञैर्मनो मोक्षे निवेशयेत्॥ ३६॥ (२१)

(विधिवत् वेदान् अधीत्य) विधिपूर्वक ब्रह्मचर्याश्रम से सब वेदों को पढ़कर (धर्मतः पुत्रान् च उत्पाद्य) और गृहाश्रमी होकर, धर्म से पुत्रोत्पत्ति कर (शक्तितः यज्ञैः इष्ट्वा) वानप्रस्थ में सामर्थ्य के अनुसार यज्ञ करके (मोक्षे मनः निवेशयेत्) मोक्ष में अर्थात् संन्यासाश्रम में मन को लगाये॥३६॥ (सं० वि० १९८)

अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा सुतान्।
अनिष्ट्वा चैव यज्ञैश्च मोक्षमिच्छन्व्रजत्यधः॥ ३७॥

(द्विजः) द्विज (वेदान् अनधीत्य) वेदों को न पढ़कर (तथा सुतान् अन्+उत्पाद्य) तथा पुत्रोत्पत्ति न करके (च) और (यज्ञैः अनिष्ट्वा) यज्ञों को न करके (मोक्षम्+इच्छन्) मोक्ष [संन्यास] चाहता हुआ (अधः व्रजति) अधोगति को प्राप्त करता है॥३७॥

अनुशीलन : ३७ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. **अन्तर्विरोध**—'पूर्व तीनों आश्रमों के पालन के बिना मोक्ष की इच्छा करने से 'अधोगति की प्राप्ति कहना' मनु की मान्यताओं के विरुद्ध है। इसके लिए ६। ३५ वें श्लोक पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक समीक्षा देखिए।

परमात्मा-प्राप्ति हेतु गृहाश्रम से भी संन्यास ले सकता है—

प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम्।
आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद् गृहात् ॥ ३८ ॥ (२२)

(प्राजापत्यां **सर्ववेदसदक्षिणाम्** इष्टिं निरूप्य) प्रजापति परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त प्राजापत्येष्टि कि जिसमें यज्ञोपवीत और शिखा का त्याग किया जाता है (अग्नीन् आत्मनि समारोप्य) आहवनीय, गार्हपत्य और दाक्षिणात्य संज्ञक अग्नियों को आत्मा में समारोपित करके (ब्राह्मणः गृहात् प्रव्रजेत्) ब्राह्मण गृहाश्रम से ही संन्यास लेवे ॥ ३८ ॥ (सं० वि० १९८)

"प्रजापति अर्थात् परमात्मा की प्राप्ति के अर्थ इष्टि अर्थात् यज्ञ करके उसमें यज्ञादि शिखाचिह्नों को छोड़ आहवनीयादि पांच अग्नियों को, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इन पांच प्राणों में आरोपण करके ब्राह्मण ब्रह्मवित् घर से निकलकर संन्यासी हो जावे ॥ ३९ ॥"

(स० प्र० १२८)

अनुशीलन : संन्यास वानप्रस्थ से और सीधे गृहस्थ से भी—यद्यपि संन्यासाश्रम में जाने का सामान्य क्रम वानप्रस्थ के पश्चात् ही है, जिसका विधान क्रमानुसार ६। ३३ में किया गया है। इस क्रम को अपनाकर मनुष्य सांसारिक निःसारता एवं उसके कष्टों को अनुभव कर लेता है और उसके 'काम' आदि विकार शान्त हो जाते हैं। उसमें वैराग्य के संस्कार उत्पन्न होने लगते हैं।

किन्तु विशेष स्थिति में सीधे ब्रह्मचर्य और गृहस्थ से भी संन्यास लेने का विधान ३८-४१ श्लोकों में किया है। जब व्यक्ति 'काम' आदि विकारों पर नियंत्रण कर लेता है और पूर्ण वैरागी बन जाता है, तो उस स्थिति में वानप्रस्थ से पूर्व भी संन्यास ग्रहण कर सकता है, अन्यथा नहीं [देखिए ६। ४१ पर अनुशीलन]। इन सभी श्लोकों में ये भाव स्पष्ट किये गये हैं।

इस प्रकार ३८-४१ श्लोक वैकल्पिक विशेष विधान हैं, इस कारण ६। ३३ से इनका विरोध नहीं आता।

यो दत्त्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं गृहात्।
तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ३९ ॥ (२३)

(यः सर्वभूतेभ्यः अभयं दत्त्वा) जो पुरुष सब प्राणियों को अभयदान सत्योपदेश देकर (गृहात् प्रव्रजति) गृहाश्रम से ही संन्यास ग्रहण कर लेता है (तस्य ब्रह्मवादिनः तेजोमया लोकाः भवन्ति) उस ब्रह्मवादी वेदोक्त सत्योपदेशक संन्यासी को मोक्ष-लोक और सब लोक-लोकान्तर तेजोमय (ज्ञान से प्रकाशमय) हो जाते हैं ॥ ३९ ॥ (सं० वि० १९९)

"जो सब भूत प्राणिमात्र को अभयदान देकर, घर से निकलके संन्यासी होता है, उस ब्रह्मवादी अर्थात् परमेश्वर-प्रकाशित वेदोक्त धर्म आदि विद्याओं के उपदेश करने वाले संन्यासी के लिए प्रकाशमय अर्थात् मुक्ति का आनन्दस्वरूपलोक प्राप्त होता है।" (स० प्र० १२६)

अनुशीलन : **संन्यासी द्वारा अभयदान**—संन्यासी में सब प्राणियों के प्रति निर्वैरता होती है, इस कारण वह सबको अभयदान देता है। यह अभयदान की प्रतिज्ञा ब्राह्मणग्रन्थों में भी इसी प्रकार विहित है—

"पुत्रैषणा वित्तैषणा लोकैषणा मया परित्यक्ता, मत्तः सर्वभूतेभ्योऽभयमस्तु।"
(शत० १४। ६। ४। १)

संसार में सन्तान-प्राप्ति, धन-प्राप्ति, प्रसिद्धि-प्राप्ति की ये तीन इच्छाएं ही प्रधान हैं। जिनके वशीभूत होकर व्यक्ति ईर्ष्या-द्वेष आदि में फंसता है। इनसे मुक्त होकर ही व्यक्ति वास्तव में संन्यासी बनता है। तब उनसे सब प्राणियों को अभय होता है।

यस्मादण्वपि भूतानां द्विजान्नोत्पद्यते भयम्।
तस्य देहाद्विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन॥ ४०॥ (२४)

(यस्मात् द्विजात्) जिस द्विज से (भूतानाम् अणु+अपि भयं न+उत्पद्यते) प्राणियों को थोड़ा-सा भी भय नहीं होता (तस्य) उसको (देहात् विमुक्तस्य) देह से मुक्त होने पर (कुतश्चन भयं न अस्ति) कहीं भी भय नहीं रहता॥ ४०॥

वैराग्य होने पर गृहस्थ या ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यासग्रहण—

आगारादभिनिष्क्रान्तः पवित्रोपचितो मुनिः।
समुपोढेषु कामेषु निरपेक्षः परिव्रजेत्॥ ४१॥ (२५)

(कामेषु समुपोढेषु निरपेक्षः) जब सब कामों को जीत लेवे और उनकी अपेक्षा न रहे (पवित्र+उपचितः) पवित्रात्मा और पवित्रान्तःकरण (मुनिः) मननशील हो जावे (आगारात्+अभिनिष्क्रान्तः) तभी गृहाश्रम से निकलकर (परिव्रजेत्) संन्यासाश्रम का ग्रहण करे अथवा ब्रह्मचर्य से ही संन्यास का ग्रहण करलेवे॥ ४१॥ (सं० वि० १६६)

अनुशीलन : **गृहस्थ से संन्यास**—३८-४१ श्लोकों में गृहस्थ से भी संन्यास लेने का वैकल्पिक विधान है। ब्रह्मचर्य या गृहस्थ या वानप्रस्थ से सीधा संन्यास लेने का विधान ब्राह्मणग्रन्थों में इसी प्रकार पाया जाता है, किन्तु वह विशेष अवस्था में है। इसे ऋषि दयानन्द ने निम्न प्रकार उद्धृत किया है—

"द्वितीय प्रकार—'यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रव्रजेद् वनाद् वा गृहाद् वा।' यह ब्राह्मण ग्रन्थ का वाक्य है।

अर्थ—जिस दिन दृढ़ वैराग्य प्राप्त होवे, उसी दिन, चाहे वानप्रस्थ का समय पूरा भी न हुआ हो, अथवा वानप्रस्थ आश्रम का अनुष्ठान न करके गृहाश्रम से ही संन्यासाश्रम ग्रहण करे, क्योंकि संन्यास में दृढ़ वैराग्य और यथार्थ ज्ञान का होना ही मुख्य कारण है।

तृतीय प्रकार—'**ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत्।**'

यह भी ब्राह्मण ग्रन्थ का वचन है। यदि पूर्ण अखण्डित ब्रह्मचर्य, सच्चा वैराग्य और पूर्ण ज्ञान-विज्ञान को प्राप्त होकर, विषयासक्ति की इच्छा आत्मा से यथावत् उठ जावे, पक्षपातरहित होकर सबके उपकार करने की इच्छा होवे, और जिसको दृढ़ निश्चय हो जावे कि मैं मरणपर्यन्त यथावत् संन्यास धर्म का निर्वाह कर सकूंगा, तो वह न गृहाश्रम करे, न वानप्रस्थाश्रम, किन्तु ब्रह्मचर्याश्रम को पूर्ण कर ही के संन्यासाश्रम को ग्रहण कर लेवे।" (सं० वि० संन्यास प्रकरण)

संन्यासी एकाकी विचरण करे—

एक एव चरेन्नित्यं सिद्धयर्थमसहायवान्।
सिद्धिमेकस्य संपश्यन्न जहाति न हीयते॥ ४२॥ (२६)

(एकस्य सिद्धिम् संपश्यन्) अकेले की ही मुक्ति होती है, इस बात को देखते हुए (सिद्धयर्थम्) मोक्षसिद्धि के लिए (असहायवान्) किसी के सहारे या आश्रय की इच्छा से रहित होकर (नित्यम्) सर्वदा (एकः+एव चरेत्) एकाकी ही विचरण करे अर्थात् किसी पुत्र-पौत्र, सम्बन्धी, मित्र आदि का आश्रय न ले और न उनका साथ करे, इस प्रकार रहने से (न जहाति न हीयते) न वह किसी को छोड़ता है, न उसे कोई छोड़ता है अर्थात् वह मोहरहित हो जाता है और मृत्यु के समय बिछुड़ने के दुःख की भावना समाप्त हो जाती है॥ ४२॥

निर्लिप्त भाव से गांवों में भिक्षा ग्रहण करे—

अनग्निरनिकेतः स्यात् ग्राममन्नार्थमाश्रयेत्।
उपेक्षकोऽसंकुसुको मुनिर्भावसमाहितः॥ ४३॥ (२७)

वह संन्यासी (अनग्निः) आहवनीयादि अग्नियों से रहित (अनिकेतः) और कहीं अपना स्वाभिमत घर भी न बांधे (अन्नार्थं ग्रामम् आश्रयेत्) और अन्न-वस्त्र आदि के लिए ग्राम का आश्रय लेवे (उपेक्षकः) बुरे मनुष्यों की उपेक्षा करता (असंकुसुकः) और स्थिरबुद्धि (मुनिः) मननशील होकर (भावसमाहितः) परमेश्वर में अपनी भावना का समाधान करता हुआ

(स्यात्) विचरे ॥ ४३ ॥ (सं० वि० १९९) ❀

अनुशीलन : **'अनग्निः' का अभिप्राय**—अनग्नि पद के प्रसङ्ग में महर्षि दयानन्द ने जो विशिष्ट टिप्पणी दी है, वह उल्लेखनीय है—

"इसी पद से भ्रान्ति में पड़के संन्यासियों का दाह नहीं करते और संन्यासी लोग अग्नि को नहीं छूते। यह पाप संन्यासियों के पीछे लग गया। यहां आहवनीय आदि संज्ञक अग्नियों को छोड़ना है, स्पर्श वा दाहकर्म छोड़ना नहीं है।" (सं० वि० १९९, संन्यास प्रकरण)

(२) प्रचलित टीकाओं में 'उपेक्षकः' का अव्यावहारिक, अयुक्तियुक्त अर्थ प्रचलित है।

कपालं वृक्षमूलानि कुचैलमसहायता।
समता चैव सर्वस्मिन्नेतन्मुक्तस्य लक्षणम्॥ ४४॥

(कपालम्) मिट्टी का बर्तन (वृक्षमूलानि) रहने के लिये वृक्षों की जड़ (कुचैलम्) अनाकर्षक वस्त्र या वल्कल (असहायता) किसी के आश्रित न होना (च) और (सर्वस्मिन् समता एव) सबमें समान दृष्टि (एतत्) ये (मुक्तस्य लक्षणम्) मुक्त व्यक्ति के लक्षण हैं॥ ४४॥

अनुशीलन : ४४ वां श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त है—

१. **प्रसंगविरोध**—(१) यहां संन्यासी या परिव्राजक के लिए विधानों का प्रसंग चल रहा है। 'मुक्त' का न तो यहां पूर्वापर रूप में कोई प्रसङ्ग है और न ही कोई चर्चा; अतः इस श्लोक में जो 'मुक्त' का लक्षण दिखाया है, यह प्रसङ्गविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है।

(२) इस प्रकार के लक्षण जब पूर्वापर प्रसङ्ग से असम्बद्ध होते हैं, तो प्रसङ्गक्रम की उपयुक्तता की दृष्टि से या तो वे प्रसंग के प्रारम्भ में ही होते हैं, या फिर अन्त में। यों ही कहीं भी उनका वर्णन कर देना उनकी अमौलिकता को प्रकट करता है।

जीवन-मरण के प्रति समदृष्टि—

नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्।
कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशं भृतको यथा॥ ४५॥ (२८)

(न जीवितम् अभिनन्देत) न तो अपने जीवन में आनन्द और (न

❀[**प्रचलित अर्थ**—लौकिक अग्नियों से रहित, गृह से रहित, शरीर में रोगादि होने पर भी चिकित्सा आदि का प्रबन्ध न करने वाला, स्थिर बुद्धि वाला, ब्रह्म का मनन करने वाला, और ब्रह्म में भी भाव रखने वाला संन्यासी भिक्षा के लिए ग्राम में प्रवेश करे॥ ४३॥]

मरणम् अभिनन्देत) न मृत्यु में दुःख माने, किन्तु (यथा) जैसे (भृतकः निर्देशम्) क्षुद्र भृत्य अपने स्वामी की आज्ञा की बाट देखता रहता है वैसे ही (कालम्+एव प्रतीक्षेत) काल और मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहे ॥ ४५ ॥ (स० वि० १९९)

अनुशीलन : काल की प्रतीक्षा कैसे ?—यहां स्वामी-भृत्य के उदाहरणपूर्वक काल की प्रतीक्षा से अभिप्राय यह है कि संन्यासी मृत्यु का भय अपने मन में न रखे, अपितु सृष्टिक्रम की व्यवस्थानुसार प्राप्त होने वाली मृत्यु को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करने के लिए तैयार रहे। योगदर्शन साधन पाद सूत्र ९ में मृत्यु के भय को 'अभिनिवेश' कहा है और उसे पंचक्लेशों में माना है—'स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः।" संन्यासी को यह भय या क्लेश नहीं होना चाहिए अपितु स्वामी की आज्ञा को सुनकर प्रसन्नता अनुभव करने वाले भृत्य के समान मृत्युरूपी ईश्वरीय नियम को स्वीकारकरके भयरहित प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए।

पवित्र एवं सत्य आचरण करे—

दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्।
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥ ४६ ॥ (२९)

(दृष्टिपूतं पादं न्यसेत्) जब सन्यासी मार्ग में चले तब इधर-उधर न देखकर नीचे पृथिवी पर दृष्टि रखके चले (वस्त्रपूत जलं पिबेत्) सदा वस्त्र से छानके जल पिये (सत्यपूतां वाचं वदेत्) निरन्तर सत्य ही बोले (मनःपूतं समाचरेत्) सर्वदा मन से विचारके सत्य का ग्रहण कर असत्य को छोड़ देवे ॥ ४६ ॥ (स० प्र० १२९)

"चलते समय आगे-आगे देखके पग धरे, सदा वस्त्र से छानकर जल पीवे, सबसे सत्य वाणी बोले अर्थात् सत्योपदेश ही किया करे, जो कुछ व्यवहार करे वह सब मन की पवित्रता से आचरण करे।" (सं० वि० १९९)

अपमान को सहन करे—

अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कञ्चन।
न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित् ॥ ४७ ॥ (३०)

(अतिवादान् तितिक्षेत) अपमानजनक वचनों को सहन करले (कंचन न+अवमन्येत) कभी किसी का अपमान न करे (च) और (इमं देहम्+आश्रित्य) इस शरीर का आश्रय लेकर अर्थात् अपने शरीर—मन, वाणी, कर्म से (केनचित् वैरं न कुर्वीत) किसी से वैर न करे ॥ ४७ ॥

क्रोध आदि न करे—

क्रुद्धयन्तं न प्रतिक्रुध्येदाक्रुष्टः कुशलं वदेत् ।
सप्तद्वारावकीर्णां च न वाचमनृतां वदेत् ॥ ४८ ॥ (३१)

(क्रुद्धयन्तं) जब कहीं उपदेश वा संवादादि में कोई संन्यासी पर क्रोध करे अथवा (आक्रुष्टः) निन्दा करे तो संन्यासी को उचित है कि (न प्रतिक्रुद्धयेत्) उस पर आप क्रोध न करे (कुशलं वदेत्) किन्तु सदा उसके कल्याणार्थ उपदेश ही करे (च) और (सप्तद्वार+अवकीर्णां वाचम्+अनृतां न वदेत्) एक मुख के, दो नासिका के, दो आंख के और दो कान के छिद्रों में बिखरी हुई वाणी को किसी मिथ्या कारण से कभी न बोले ॥ ४८ ॥ (स० प्र० १२६)

अनुशीलन : ४७-४८ श्लोकों के भावों की पुष्टि और तुलना के लिए २ । १३६-१३७ [२ । १६१-१६२] श्लोक भी द्रष्टव्य हैं। मनु ने वहां यही विचार प्रकट किये हैं। ६ । ५८ में भी इस मान्यता का कारण स्पष्ट किया है ।

आध्यात्मिक आचरण में स्थित रहे—

अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः ।
आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ४९ ॥ (३२)

(इह अध्यात्मरतिः+आसीन) इस संसार में आत्मनिष्ठा में स्थित (निरपेक्षः) सर्वथा अपेक्षारहित (निरामिषः) मांस, मद्य आदि का त्यागी (आत्मनः+एव सहायेन) आत्मा के सहाय से ही (सुखार्थी) सुखार्थी होकर (विचरेत्) विचरा करे और सबको सत्योपदेश करता रहे ॥ ४९ ॥
(सं० वि० १९९)

"अपने आत्मा और परमात्मा में स्थिर, अपेक्षारहित, मद्य-मांसादि-वर्जित होकर, आत्मा ही के सहाय से सुखार्थी होकर, इस संसार में धर्म और विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिए सदा विचरता रहे" (स० प्र० १२६)

भोजन पाने के लिए पाखण्ड न करे—

न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्गविद्यया ।
नानुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत कर्हिचित् ॥ ५० ॥

(उत्पात-निमित्ताभ्याम्) भूकम्प आदि उत्पात को बताकर या उसके भय से आतंकित करके और आंख का फड़कना आदि के फल बताकर (नक्षत्र+अङ्गविद्यया) राहु, केतु आदि ग्रह-तारों के शुभ-अशुभ फल बताकर, हस्तरेखा आदि देखकर (अनु-

शासन + वादाभ्याम्) धर्म का अनुशासन बताकर या वाद-विवाद आदि बातों से कहिं-चित् भिक्षां न लिप्सेत) कभी भिक्षा प्राप्त करने की इच्छा न करे ॥ ५० ॥

न तापसैर्ब्राह्मणैर्वा वयोभिरपि वा श्वभिः ।
आकीर्णं भिक्षुकैर्वाऽन्यैरागारमुपसंव्रजेत् ॥ ५१ ॥

(तापसैः ब्राह्मणैः वयोभिः श्वभिः अपि वा अन्यैः भिक्षुकैः) तपस्वियों, ब्राह्मणों, पक्षियों, कुत्तों और दूसरे भिक्षुकों से (आकीर्णम् आगारम्) भरे घर में (न उपसंव्रजेत्) भिक्षा न मांगे ॥ ५१ ॥

अनुशीलन : ५०-५१ दोनों श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—(१) ४९ और ५२ वें श्लोक पूर्वापर प्रसंग 'संन्यासी को किस प्रकार विचरण करना चाहिए' इस बात से सम्बद्ध हैं—"**विचरेत् इह**" [४९], "**विचरेत्-नियतः**" [५२]। यह कहना चाहिए कि इन दोनों श्लोकों के वाक्य परस्पर सम्बद्ध हैं। इन दोनों श्लोकों ने उस प्रसंग या सम्बद्धता को भंग कर दिया है, अतः ये प्रसंगविरुद्ध हैं। (२) इनमें 'भिक्षा किस-किस प्रकार नहीं मांगनी चाहिए' इससे सम्बन्धित निषेध हैं। भिक्षा मांगने का प्रसंग ५५ वें श्लोक में शुरू होता है, प्रसंग से पूर्व ही भिक्षा न मांगने का कथन करना अप्रासंगिक है। पहले विधिवाक्य आने पर ही 'निषेध वाक्य' आते हैं, विधान से पूर्व निषेध की कोई संगति ही नहीं है। अतः ये दोनों श्लोक प्रसंग-विरोध के आधार पर प्रक्षिप्त हैं।

२. **अन्तर्विरोध**—(१) मनु ने आजीविका के लिए स्पष्ट रूप से केवल एक काल की भिक्षा का विधान किया है [५५], फिर ५० वें श्लोक में वर्णित कार्यों से भिक्षा मांगने का कोई प्रश्न नहीं उठता। इसके साथ ही मनु ने संन्यासी को सब प्रकार के सङ्गों से (लोभ-मोह आदि से) बचने के लिए कहा है [३३, ५७], अब इन कार्यों का संन्यासी के लिए करना स्वतः निषिद्ध हो जाता है। इस प्रकार यह व्यवस्था मनु से तालमेल नहीं खाती। यह उस काल की परवर्ती रचना है जब संन्यासी वास्तव में संन्यासी नहीं रह गये थे और विभिन्न आडम्बरों से भिक्षासंग्रह करने लग गये थे। यह तालमेल न होना, विरोध का द्योतक है। (२) इसी प्रकार यों भी इस वर्णन का मनु की व्यवस्थाओं से तालमेल नहीं बैठता कि मनु ने आजीविकाओं के वर्णन में किसी भी वर्ण की आजीविकाएं नहीं दिखलायी हैं [१। ८७-९१, ९। ३२५-३३५ (१०। १-११)]। इस प्रकार ये विरुद्ध हैं। (३) ५१ वें श्लोक में यह कहना कि 'जिस घर में अन्य तपस्वी, ब्राह्मण, पक्षी, कुत्ते आदि विद्यमान हों वहां भिक्षा न मांगे' मनु की व्यवस्था के विरुद्ध है। मनु ने पशु-पक्षियों का भाग भी निकालने के लिए कहा है। साथ ही भिक्षा देने के लिए आदेश है और साथ ही सभी आये अतिथियों को भोजन देने का विधान है। जब तक गृहस्थ इनमें से दोनों या तीनों बातें पालन नहीं करता तो बलिवैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ पूर्ण नहीं होते [३। ९२, ९४, ९९, १०५, १०८, ११३ आदि]।

मुण्डनपूर्वक गेरुवे वस्त्र धारण करके रहे—

कल्पकेशनखश्मश्रुः पात्री दण्डी कुसुम्भवान्।
विचरेन्नियतो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ ५२ ॥ (३३)

(कल्पत-केश-नख-श्मश्रुः) केश, नख, दाढ़ी, मूंछ को छेदन करवावे (पात्री दण्डी कुसुम्भवान्) पात्र, दण्ड और कुसुम्भ आदि से रंगे हुए वस्त्रों को ग्रहण करके (नियतः) निश्चितात्मा (सर्वभूतानि+अपीडयन्) सब भूतों को पीड़ा न देकर (विचरेत्) सर्वत्र विचरे ॥ ५२ ॥

(स० प्र० १२६)

'सब शिर के बाल, दाढ़ी, मूंछ और नखों को समय-समय पर छेदन कराता रहे। पात्री, दण्डी और कुसुंभ के रंगे हुए* वस्त्रों को धारण किया करे। सब भूत=प्राणिमात्र को पीड़ा न देता हुआ दृढ़ात्मा होकर नित्य विचरा करे"। (सं० वि० १६६)

अतैजसानि पात्राणि तस्य स्युरव्रणानि च।
तेषामद्भिः स्मृतं शौचं चमसानामिवाध्वरे ॥ ५३ ॥

(तस्य पात्राणि अतैजसानि च निर्व्रणानि स्युः) इस संन्यासी के पात्र [सोना, चांदी आदि] धातुओं से बने न हों और टूटे-फूटे अथवा छिद्रादियुक्त न हों (तेषाम्) उन पात्रों की (अध्वरे चमसानाम्+इव) यज्ञ में जैसे चमचों की शुद्धि कही है वैसे (अद्भिः शौचं स्मृतम्) जल से ही शुद्धि मानी है ॥ ५३ ॥

अलाबुं दारुपात्रं च मृन्मयं वैदलं तथा।
एतानि यतिपात्राणि मनुः स्वायम्भुवोऽब्रवीत् ॥ ५४ ॥

(अलाबुं दारुपात्रं मृन्मयं तथा वैदलम्) तुम्बा, लकड़ी का बर्तन, मिट्टी से बना तथा बांस से बना (एतानि यतिपात्राणि) ये पात्र संन्यासियों के लिए (स्वायम्भुवः मनुः अब्रवीत्) स्वयम्भू के पुत्र मनु ने कहे हैं ॥ ५४ ॥

अनुशीलन : ५३–५४ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. **शैलीगत आधार**—५४ वें श्लोक में "मनुः स्वायंभुवोऽब्रवीत्" पद से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं—एक तो यह कि यह श्लोक मनु से भिन्न व्यक्ति द्वारा रचित है। दूसरी यह कि मनु से परवर्ती काल की रचना है। इस आधार पर यह श्लोक प्रक्षिप्त है। ५३ वां श्लोक इससे ही सम्बद्ध है, अतः वह इसके प्रक्षिप्त होने से स्वतः प्रक्षिप्त हो जाता है।

---

* "अथवा गेरू से रंगे वस्त्रों को पहने"। (सं० वि० २०१ पर टिप्पणी)

एक समय ही भिक्षा मांगे—

एककालं चरेद् भैक्षं न प्रसज्जेत विस्तरे।
भैक्षे प्रसक्तो हि यतिर्विषयेष्वपि सज्जति ॥ ५५ ॥ (३४)

संन्यासी (एककालं भैक्षं चरेत्) एक ही समय भिक्षा मांगे (विस्तरे न प्रसज्जेत) भिक्षा के अधिक विस्तार अर्थात् लालच में न पड़े (हि) क्योंकि (भैक्षे प्रसक्तः यतिः) भिक्षा के लालच में या स्वाद में मन लगाने वाला संन्यासी (विषयेषु+अपि सज्जति) विषयों में भी फंस जाता है ॥ ५५ ॥

विधूमे सन्नमुसले व्यंगारे भुक्तवज्जने।
वृत्ते शरावसम्पाते भिक्षां नित्यं यतिश्चरेत् ॥ ५६ ॥

(विधूमे सन्) जब घर में रसोई बनाने का धुआं उठना बन्द हो गया हो (अमुसले) जब मूसल की आवाज न आती हो (वि+अङ्गारे) जब भोजन पकाने वाली अग्नि बुझ गई हो (भुक्तवत्+जने) परिवार के लोगों ने जब खाना खा लिया हो (शरावसंपाते वृत्ते) खाने के बर्त्तन खाना खाकर डाल दिये हों, ऐसे समय (यतिः नित्यं भिक्षां चरेत्) संन्यासी सदा भिक्षा मांगे ॥ ५६ ॥

अनुशीलन : ५६ वां श्लोक प्रक्षिप्त है—

१. **प्रसंगविरोध**—पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध है। ५५ वें श्लोक में भिक्षा का विधान करके भिक्षा में यति को आसक्त न होने का कथन है। इसका अर्थवादरूप ५७ वां श्लोक है, जिसमें भिक्षाप्राप्ति पर प्रसन्न और भिक्षा-अप्राप्ति पर दुःखी न होने का वर्णन है; जो आसक्त न होने वाली बात का ही व्याख्या रूप है। ५६ वें श्लोक ने इस सम्बद्ध प्रसंग को भंग कर दिया है। अतः यह श्लोक इस आधार के अनुसार प्रक्षिप्त है।

२. **अन्तर्विरोध**—इस श्लोक में विहित विधान मनु की व्यवस्था के विरुद्ध है। इस श्लोक में यह कहा है कि यति तब घरों से भिक्षा मांगे जब घर के सभी व्यक्ति खा चुके हों और झूठे बर्तन अलग रख दिये हों, जब कि ३। ९४ में गृहस्थ को बलिवैश्वदेव यज्ञ करने के उपरान्त ही भिक्षा देने का विधान है और फिर अतिथियों को खिलाकर सबके बाद अर्थात् भिक्षा आदि दे चुकने के पश्चात् शेष भोजन को खाने का निर्देश है [३। ११६, ११७]। इस विरोध से स्पष्ट है कि यह श्लोक किसी मनु से भिन्न व्यक्ति की व्यवस्था है, अतः प्रक्षिप्त है।

भिक्षा न प्राप्त होने पर दुःख का अनुभव न करे—

अलाभे न विषादी स्यात्लाभे चैव न हर्षयेत्।
प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासङ्गाद्विनिर्गतः ॥ ५७ ॥ (३५)

(अलाभे विषादी न स्यात्) भिक्षा के न मिलने पर दुःखी न हो (च)

और (लाभे न हर्षयेत्) मिलने पर प्रसन्नता अनुभव न करे (मात्रासंगात् विनिर्गतः) अधिक-कम, अच्छी-बुरी भिक्षा की मात्रा का मोह न करके अर्थात् जैसी भी भिक्षा मिल जाये उसे ग्रहण करके (प्राणयात्रिकमात्रः स्यात्) केवल अपनी प्राणयात्रा को चलाने योग्य भिक्षा प्राप्त करता रहे ॥ ५७ ॥

प्रशंसा-लाभ आदि से बचे—

अभिपूजितलाभांस्तु जुगुप्सेतैव सर्वशः ।
अभिपूजितलाभैश्च यतिर्मुक्तोऽपि बद्ध्यते ॥ ५८ ॥ (३६)

(तु) और (अभिपूजितलाभान्) बहुत अधिक आदर-सत्कार से मिलने वाली भिक्षा या अन्य सभी लाभों से (सर्वशः एव जुगुप्सेत) सर्वथा उपेक्षा करते, क्योंकि (अभिपूजितलाभैः मुक्तः+अपि यतिः बद्ध्यते) बहुत अधिक आदर-सत्कार से प्राप्त होने वाली भिक्षा से अथवा लाभों से मुक्त संन्यासी भी विषयों के बन्धन में फंस जाता है ॥ ५८ ॥

इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखकर मोक्ष के लिए सामर्थ्य बढ़ाए—

अल्पान्नाभ्यवहारेण रहः स्थानासनेन च ।
ह्रियमाणानि विषयैरिन्द्रियाणि निवर्तयेत् ॥ ५९ ॥ (३७)

(विषयैः ह्रियमाणानि इन्द्रियाणि) विषयों से खिंचने वाली इन्द्रियों को (अल्प+अन्न+अभ्यवहारेण) थोड़ा भोजन करके (च) और (रहः स्थान+आसनेन) एकान्त स्थान में निवास करके (निवर्तयेत्) वश में करे ॥ ५९ ॥

इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च ।
अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ६० ॥ (३८)

(इन्द्रियाणां निरोधेन) इन्द्रियों को अधर्माचरण से रोक (रागद्वेष-क्षयेण) राग, द्वेष को छोड़ (च) और (भूतानाम् अहिंसया) सब प्राणियों से निर्वैर बर्त्तकर (अमृतत्वाय कल्पते) मोक्ष के लिए सामर्थ्य बढ़ाया करे ॥ ६० ॥ (स० प्र० १२९)

"जो संन्यासी बुरे कामों से इन्द्रियों के निरोध, राग-द्वेषादि दोषों के क्षय और निर्वैरता से सब प्राणियों का कल्याण करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है।" (सं० वि० १९९)

अनुशीलन : 'इन्द्रियनिरोध' में योग के प्रमाण—योगदर्शन के सूत्रों द्वारा इस श्लोक की व्याख्या को समझने में पर्याप्त सहायता मिलती है। "योगश्चित्त-

वृत्तिनिरोधः" [१।२] अर्थात् योग से इन्द्रियों के विषयों का निरोध होता है और यह निरोध "अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः [१।१२] अभ्यास-वैराग्य से सिद्ध होता है। "सुखानुशयी रागः" "दुःखानुशयी द्वेषः" [२।७, ८]=सुख की तृष्णा राग है, दुःख-विषय में क्रोध भावना द्वेष है। इनके त्याग से और "अहिंसा-प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः" [२।३५], अहिंसा सिद्धि से निर्वैरता प्राप्त करके व्यक्ति मोक्ष के लिए सामर्थ्य बढ़ाने में सफल होता है।

मनुष्य-जीवन की दुःखमय गति-स्थितियाँ और उनका चिन्तन—

अवेक्षेत गतीर्नृणां कर्मदोषसमुद्भवाः।
निरये चैव पतनं यातनाश्च यमक्षये॥ ६१॥ (३९)

(कर्मदोषसमुद्भवाः नृणां गतीः) कर्मों के दोष से होने वाली मनुष्यों की कष्टयुक्त बुरी गतियों (च) और (निरये पतनम्) कष्टों का भोगना (च) तथा (यमक्षये यातनाः) प्राणक्षय में मृत्यु के समय होने वाली पीड़ाओं को (अवेक्षेत) विचारे और विचारकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करे॥ ६१॥

विप्रयोगं प्रियैश्चैव संयोगं च तथाऽप्रियैः।
जरया चाभिभवनं व्याधिभिश्चोपपीडनम्॥ ६२॥ (४०)
देहादुत्क्रमणं चास्मात्पुनर्गर्भे च सम्भवम्।
योनिकोटिसहस्रेषु सृतीश्चास्यान्तरात्मनः॥ ६३॥ (४१)

(च) और (प्रियैः विप्रयोगम्) प्रियजनों से वियोग हो जाना (तथा अप्रियैः संयोगम्) तथा शत्रुओं से संपर्क होना और उससे फिर कष्टप्राप्ति होना (च) और (जरया अभिभवनम्) बुढ़ापे से आक्रान्त होना (च) तथा (व्याधिभिः उपपीडनम्) रोगों से पीड़ित होना (च) और (अस्मात् देहात्-+उत्क्रमणम्) फिर इस शरीर से जीव का निकल जाना (गर्भे पुनः संभवम्) गर्भ में पुनः जन्म लेना (च) और इस प्रकार (अस्य+अन्तरात्मनः) इस जीव का (योनिकोटिसहस्रेषु सृतीः) सहस्रों प्रकार की अर्थात् अनेकविध योनियों में आवागमन होना—इनको विचारे और इनके कष्टों को देखकर मुक्ति में मन लगावे॥ ६२, ६३॥

अधर्म से दुःख और धर्म से सुख-प्राप्ति—

अधर्मप्रभवं चैव दुःखयोगं शरीरिणाम्।
धर्मार्थप्रभवं चैव सुखसंयोगमक्षयम्॥ ६४॥ (४२)

(शरीरिणां दुःखयोगं अधर्मप्रभवम् एव) यह निश्चित है कि प्राणियों को सभी प्रकार के दुःख अधर्म से ही मिलते हैं (च) और (अक्षयं सुखसंयोगं

धर्मार्थप्रभवम् एव) अक्षयसुखों = मोक्ष की अवधि तक रहने वाले सुखों की प्राप्ति केवल धर्म कारण वाले कर्मों से ही होती है। इसको भी विचारे और तदनुसार धर्माचरण करे ॥ ६४ ॥

अनुशीलन : अधर्म से दुःख की प्राप्ति कैसे होती है इसका वर्णन ४। १७०-१७६ में द्रष्टव्य है।

योग से परमात्मा का प्रत्यक्ष करे—

सूक्ष्मतां चान्ववेक्षेत योगेन परमात्मनः।
देहेषु च समुत्पत्तिमुत्तमेष्वधमेषु च ॥ ६५ ॥ (४३)

(च) और (योगेन परमात्मनः सूक्ष्मताम्) योगाभ्यास से परमात्मा की सूक्ष्मता को (च) तथा (उत्तमेषु च अधमेषु देहेषु समुत्पत्तिम्) उत्तम तथा अधम शरीरों में जन्मप्राप्ति के विषय में (अन्वेक्षेत) विचार किया करे ॥६५॥

अनुशीलन : **योग की परिभाषा एवं योग से ईश्वर प्राप्ति**— योग-दर्शन में योग की परिभाषा और उससे परमात्मा की प्राप्ति इस प्रकार बतलायी है—

(क) **"योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः"** = चित्तवृत्तियों का निरोध करना योग है। [१। २]।

(ख) पुनः चित्तवृत्तियों के निरोध से समाधिसिद्धि होने पर **"तदा द्रष्टुःस्वरूपे अवस्थानम्"** [१। ३] = तब सबके द्रष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है। इसमें वेद का प्रमाण भी उल्लेखनीय है—

युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः।
अग्नेर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत् ॥ ऋ० १। ४। २ ॥

अर्थ—"(युञ्जानः) योग करने वाले मनुष्य (तत्त्वाय) तत्त्व अर्थात् ब्रह्मज्ञान के लिए (प्रथमं मनः) जब अपने मन को पहले परमेश्वर में युक्त करते हैं, तब (सविता) परमेश्वर उनकी (धियम्) बुद्धि को अपनी कृपा से अपने में युक्त कर लेता है। (अग्नेः ज्योति०) फिर वे परमेश्वर के प्रकाश को निश्चय करके (अध्याभरत्) यथावत् धारण करते हैं (पृथिव्याः) पृथिवी के बीच में योगी का यही लक्षण है।"

(ऋ० भू० उपासना विषय)।

दूषित आदि प्रत्येक अवस्था में धर्म का पालन आवश्यक—

दूषितोऽपि चरेद्धर्मं यत्र तत्राश्रमे रतः।
समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्गं धर्मकारणम् ॥ ६६ ॥ (४४)

(दूषितः + अपि धर्मं चरेत्) यदि संन्यासी को मूर्ख संसारी लोग निन्दा आदि से दूषित वा अपमान भी करें तथापि धर्म ही का आचरण करे

(यत्र तत्र+आश्रमे रतः) ऐसे ही अन्य ब्रह्मचर्याश्रमादि के मनुष्यों को करना उचित है (सर्वेषु भूतेषु समः) सब प्राणियों में पक्षपात रहित होकर समबुद्धि रखे, इत्यादि उत्तम काम करने ही के लिए संन्यासाश्रम का विधि है, किन्तु (लिङ्गं धर्मकारणं न) केवल दण्डादि चिह्न धारण करना ही धर्म का कारण नहीं है ॥ ६६ ॥ (सं० वि० १९९)

"कोई संसार में उसको दूषित वा भूषित करे तो भी जिस किसी आश्रम में वर्तता हुआ पुरुष अर्थात् संन्यासी सब प्राणियों में पक्षपातरहित होकर स्वयं धर्मात्मा और अन्यों को धर्मात्मा करने में प्रयत्न किया करे। और यह अपने मन में निश्चित जाने कि दण्ड, कमण्डलु और कषायवस्त्र आदि चिह्नधारण धर्म का कारण नहीं है, सब मनुष्यादि प्राणियों के सत्योपदेश और विद्यादान से उन्नति करना संन्यासी का मुख्य कर्म है" ॥

(स० प्र० १२९)

धर्माचरण के बिना बाहरी दिखावे से श्रेष्ठ फल नहीं—

फलं कतकवृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम्।
न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ ६७ ॥ (४५)

(यद्यपि कतकवृक्षस्य फलम्) यद्यपि निर्मली वृक्ष का फल (अम्बुप्रसादकम्) पीसके गदले जल में डालने से जल का शोधक होता है, तदपि (तस्य नामग्रहणात्+एव) बिना डाले उसके नाम कथन वा श्रवणमात्र से (वारि न प्रसीदति) उसका जल शुद्ध नहीं हो सकता ॥ ६७ ॥

(स० प्र० १२९)

"यद्यपि निर्मली वृक्ष का फल जल को शुद्ध करने वाला है तथापि उसके नामग्रहण मात्र से जल शुद्ध नहीं होता किन्तु उसको ले, पीस, जल में डालने ही से उस मनुष्य का जल शुद्ध होता है; वैसे नाममात्र आश्रम से कुछ भी नहीं होता किन्तु अपने-अपने आश्रम के धर्मयुक्त कर्म करने ही से आश्रमधारण सफल होता है, अन्यथा नहीं।" (सं० वि० १९९)

अनुशीलन : कतक वृक्ष के फल को हिन्दी में 'रीठा' कहते हैं।

संरक्षणार्थं जन्तूनां रात्रावहनि वा सदा।
शरीरस्याप्यये चैव समीक्ष्य वसुधां चरेत् ॥ ६८ ॥

(शरीरस्य+अप्यये एव) शरीर से पीड़ित होते हुए भी (जन्तूनां संरक्षणार्थम्) छोटे-छोटे प्राणियों की रक्षा के लिए (रात्रौ वा अहनि सदा) रात और दिन में सदा (वसुधां समीक्ष्य चरेत्) धरती पर देखकर अर्थात् उनकी हत्या न हो, यह ध्यान रखते हुए विचरण करे ॥ ६८ ॥

अह्ना रात्र्या च यान्जन्तून् हिनस्त्यज्ञानतो यतिः।
तेषां स्नात्वा विशुद्ध्यर्थं प्राणायामान्षडाचरेत् ॥ ६९ ॥

(यतिः) संन्यासी (अह्ना च रात्र्या) दिन और रात में (अज्ञानतः यान् जन्तून् हिनस्ति) अज्ञान से जिन प्राणियों की हत्या करता है (तेषां विशुद्ध्यर्थम्) उनकी शुद्धि के लिए (षट् प्राणायामान् आचरेत्) छः बार प्राणायाम करे ॥ ६९ ॥

अनुशीलन : ६८–६९ श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—(१) इन श्लोकों में वर्णित बातें मनु की व्यवस्था के अनुसार विधान ही नहीं बनतीं और न तालमेल बैठता है। इन श्लोकों में 'चलते समय होने वाली लघुप्राणियों की हिंसा के पाप से छूटने के लिए प्राणायाम करने के लिए' कहा है। यह संन्यासी का प्रायश्चित्त है। मनु ने ७०–७२ श्लोकों में प्राणायाम करना यति की दिनचर्या में ही विहित किया है। जब उसे प्रतिदिन प्राणायाम करने ही हैं, तो फिर पृथक् से उन द्वारा प्रायश्चित्त कैसा ? इसका अभिप्राय यह हुआ कि 'प्राणायाम' प्रायश्चित्त नहीं है। ७१–७२ श्लोकों में मनु ने प्राणायाम से इन्द्रियों के दोषों का निवारण माना है। इन श्लोकों में प्राणायाम से पापनिवृत्ति कहना मनु को उस मान्यता के विरुद्ध है।

२. **शैलीगत आधार**—(१) (क) पाप छूटने और प्राणायाम का कोई सम्बन्ध नहीं है, (ख) रात्रि के अन्धकार में कोई व्यक्ति कैसे लघुप्राणियों को देख सकता है ? इस प्रकार इन दोनों श्लोकों की शैली अयुक्तियुक्त है। (२) मनु की निश्चित की गई शैली के अनुसार प्रायश्चित्त का विधान ११ वें अध्याय में है, अतः यहां केवल एक ही बात का प्रायश्चित्त वर्णन उनकी शैली के अनुरूप न होने से मौलिक नहीं है।

३. **पुनरुक्ति**—६८ वें श्लोक में ४६ वें श्लोक के "दृष्टिपूतं न्यसेत् पादम्" पद की पुनरुक्ति मात्र है। इस पुनरुक्ति के आधार पर भी ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

प्राणायाम अवश्य करे—

प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवत्कृताः।
व्याहृतिप्रणवैर्युक्ता विज्ञेयं परमं तपः ॥ ७० ॥ (४६)

(ब्राह्मणस्य) ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्मवित् व्यक्ति या संन्यासी के द्वारा जो (विधिवत्) विधि के अनुसार (व्याहृति-प्रणवैः युक्ताः) प्रणव अर्थात् ओङ्कारपूर्वक और 'भूः, भुवः, स्वः' आदि सप्तव्याहृतियों के जप सहित [अनुशीलन में प्रदर्शित] (त्रयः+अपि) तीनों प्रकार के बाह्य, आभ्यन्तर, स्तम्भक, प्राणायाम अथवा न्यून से न्यून तीन प्राणायाम (कृताः) किये जाते हैं, (परमं तपः विज्ञेयम्) वह इसका परम=उत्तम तप होता है ॥ ७० ॥

"ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्मवित् संन्यासी को उचित है कि ओंकारपूर्वक सप्तव्याहृतियों से विधिपूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे परन्तु तीन से तो न्यून प्राणायाम कभी न करे। यही संन्यासी का परम तप है।" (स० प्र० १२६)

अनुशीलन : (१) प्राणायाम की विधि योगदर्शन में विहित है। १। २७-२८ में ओंकारपूर्वक ईश्वर जप का भी विधान है। यहां वही विधि व्यासभाष्य पर आधारित ऋषि दयानन्द के भाष्यसहित प्रस्तुत की जाती है। इस विधि को अपना कर उपासक अशुद्धिक्षय, ईश्वर-सिद्धि और बलपराक्रम की वृद्धि करे—

प्राणायाम का लक्षण—

(क) **तस्मिन् सति श्वास-प्रश्वासयोः गतिविच्छेदः प्राणायामः ॥ २। ४६ ॥**

'जो वायु बाहर से भीतर को आता है, उसको श्वास और जो भीतर से बाहर जाता है उसको प्रश्वास कहते हैं। उन दोनों के जाने-आने के विचार से रोके। नासिका को हाथ से कभी न पकड़े किन्तु ज्ञान से ही उनके रोकने को प्राणायाम कहते हैं।"

(ख) **प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ १। ३४ ॥**

"जैसे भोजन के पीछे किसी प्रकार से वमन हो जाता है, वैसे ही भीतर के वायु को बाहर निकालके सुखपूर्वक जितना बन सके उतना बाहर ही रोके। पुनः धीरे-धीरे भीतर लेके पुनरपि ऐसे ही करे। इसी प्रकार बारम्बार अभ्यास करने से प्राण उपासक के वश में हो जाता है और प्राण के स्थिर होने से मन, मन के स्थिर होने से आत्मा स्थिर हो जाता है। इन तीनों के स्थिर होने के समय अपने आत्मा के बीच में जो आनन्दस्वरूप, अन्तर्यामी व्यापक परमेश्वर है, उसके स्वरूप में मग्न हो जाना चाहिए। जैसे मनुष्य जल में गोता मारकर ऊपर आता है फिर गोता लगा जाता है, इसी प्रकार अपने आत्मा को परमेश्वर के बीच में बारम्बार मग्न करना चाहिए" (ऋ० भू० उपासना विषय)

(२) **प्राणायाम के भेद**—प्राणायाम के भेदों का वर्णन करते हुए योगदर्शन में प्रमुखरूप से प्रणायाम के तीन भेद माने हैं—

(ग) **स तु बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः ॥ २। ५०॥**

(घ) **बाह्याभ्यन्तरविषयापेक्षी चतुर्थः ॥ २। ५१ ॥**

वे मुख्य चार भेद हैं, बाह्य विषय=रेचक, आभ्यन्तर=पूरक और स्तम्भवृत्ति। ये देशकाल संख्यानुसार दीर्घ, सूक्ष्म होते हैं। चौथा भेद 'बाह्याभ्यन्तरविषयापेक्षी' है। इनकी विधि निम्न प्रकार है—

(१) **रेचक**=श्वास को भीतर से वमन के समान बाहर निकालना और उसे उसी स्थिति में रोकना=नियन्त्रण करना।

(२) **पूरक**=श्वास को बाहर से भीतर धारण करके उसी स्थिति में रोकना= नियन्त्रण करना।

(३) **स्तम्भक**=आते, जाते, जहां के तहां श्वास को रोकना या अन्दर रोके श्वास को बाहर निकलते समय पुनः पुनः रोकना, बाहर रोके श्वास को अन्दर आते समय पुनः पुनः रोकना आदि स्तम्भक प्राणायाम है।

(४) जैसा कि योगसूत्र में ही कहा गया है **'बाह्याभ्यन्तरविषयापेक्षी'** अर्थात् जब श्वास भीतर से बाहर को आवे, तब बाहर ही कुछ-कुछ रोकता रहे और जब बाहर से भीतर जावे तब उसको भीतर ही थोड़ा-थोड़ा रोकता रहे, यह चौथा भेद है। इसकी पृथक् गणना इस कारण है क्योंकि यह बाह्याभ्यन्तर पर आधारित है।

कोई-कोई बाह्य=रेचक और आभ्यन्तर=पूरक के साथ रोकना प्रक्रिया को नहीं मानते। यह विचार ठीक नहीं। इस प्रकार तो वे मात्र उच्छ्वास निःश्वास, प्रश्वास ही कहलायेंगे। प्राणायाम शब्द का अर्थ ही उनकी इस मान्यता को गलत सिद्ध कर देता है। आयाम का अर्थ है='प्रसार, विस्तार, फैलाव या नियन्त्रण' इस प्रकार प्राणायाम शब्द का अर्थ हुआ 'प्राण का विस्तार या नियन्त्रण' करना। प्राणायाम शब्द सभी भेदों के साथ संयुक्त है। अतः उनका अर्थ भी प्राणायाम शब्द के अर्थ को साथ जोड़कर करना चाहिए। जैसे=बाह्यप्राणायाम, आभ्यन्तरप्राणायाम, स्तम्भकप्राणायाम।

(३) **प्राणायाम मन्त्र**—

शास्त्रों में व्याहृतियों की गणना तीन और सात के रूप में मिलती है। ऋषि दयानन्द ने सात व्याहृतियों की गणना स्वीकार करके प्राणायाम की विधि प्रदर्शित की है, क्योंकि तीन व्याहृतियां उनके अन्तर्गत ही हो जाती हैं। उन्होंने व्याहृति और मन्त्र निम्न प्रकार दिये हैं—

"इस पवित्र आश्रम को सफल करने के लिए संन्यासी पुरुष विधिवत् योगशास्त्र की रीति से सात व्याहृतियों के पूर्व सात प्रणव लगाके जैसा कि प्राणायाम का मन्त्र लिखा है, उसको मन से जपता हुआ तीन भी प्राणायाम करे तो जानो अत्युत्कृष्ट तप करता है।" (सं० वि० १६६)

वह प्राणायाम मन्त्र इस प्रकार है—

"**ओं भूः, ओं भुवः, ओं स्वः, ओं महः, ओं जनः, ओं तपः, ओं सत्यम्।**"

इस रीति से कम से कम तीन और अधिक से अधिक इक्कीस प्राणायाम करे।"
(सं० वि० १५६)

प्राणायाम से इन्द्रियों के दोषों का क्षय—

दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः।
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥ ७१ ॥ (४७)

(हि) क्योंकि (यथा ध्मायमानानां धातूनां मलाः दह्यन्ते) जैसे अग्नि में तपाने और गलाने से धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं (तथा प्राणस्य निग्रहात्) वैसे ही प्राणों के निग्रह से (इन्द्रियाणां दोषाः दह्यन्ते) मन आदि इन्द्रियों के दोष भस्मीभूत हो जाते हैं ॥ ७१ ॥ (स० प्र० १२६)

अनुशीलन : प्राणायाम से दोषों का निवारण—इसमें योगदर्शन का प्रमाण भी है—

(क) **योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः** ॥ २ । २८ ॥

प्राणायाम भी योग का एक प्रमुख अंग है।

"जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। जब तक मुक्ति न हो तब तक उसके आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है।" (स० प्र० तृ० समु०)

"इसी प्रकार बारंबार अभ्यास करने से प्राण उपासक के वश में हो जाता है और प्राण के स्थिर होने से मन, मन के स्थिर होने से आत्मा भी स्थिर हो जाता है।"
(ऋ० भू० उपासना विषय)

(ख) **ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्** ॥ २ । ५२ ॥

प्राणायाम सिद्धि और प्राणायाम पूर्वक उपासना के पश्चात् आत्मा के ज्ञान को ढांपने वाला इन्द्रियों का दोष—अज्ञानरूपी जो आवरण है, वह नष्ट हो जाता है। और ज्ञान का प्रकाश धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। महर्षि दयानन्द ने इस विषय में लिखा है—

"प्राण अपने वश में होने से मन और इन्द्रियां भी स्वाधीन होते हैं। बल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव्र सूक्ष्मरूप हो जाती है कि जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है। इससे मनुष्य शरीर में वीर्य्यवृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम जितेन्द्रियता, सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर लेगा।"
(स० प्र० तृ० समु०)

प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार से दोषों का क्षय—

प्राणायामैर्दहेद्दोषान्धारणाभिश्च किल्बिषम्।
प्रत्याहारेण संसर्गान्ध्यानेनानीश्वरान्गुणान् ॥ ७२ ॥ (४८)

इसलिए संन्यासी लोग (प्राणायामैः दोषान्) प्राणायामों से दोषों को (धारणाभिः किल्बिषम्) धारणाओं से अन्तःकरण के मैल को (प्रत्याहारेण संसर्गान्) प्रत्याहार से संग से हुए दोषों (च) और (ध्यानेन+अनीश्वरान् गुणान्) ध्यान से अविद्या, पक्षपात आदि अनीश्वरता के दोषों को छुड़ाके पक्षपातरहित आदि ईश्वर के गुणों को धारण कर (दहेत्) सब दोषों को भस्म करदेवे ॥ ७२ ॥ (सं० वि० २००)

"इसलिए संन्यासी लोग नित्यप्रति प्राणायामों से आत्मा, अन्तःकरण और इन्द्रियों के दोष, धारणाओं से पाप, प्रत्याहार से संगदोष, ध्यान से अनीश्वरता के गुणों अर्थात् हर्ष, शोक और अविद्यादि जीव के दोषों को भस्मीभूत करें। (स० प्र० १३०)

अनुशीलन : धारणा और प्रत्याहार-विवेचन में योग के प्रमाण—श्लोक में उक्त बातों का सप्रमाण विवेचन योगदर्शन के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है—

१. प्राणायाम से इन्द्रियों के दोषों का दहन किस प्रकार होता है, यह ६।७१ की समीक्षा में विस्तार से स्पष्ट किया जा चुका है।

२. धारणाओं से अन्तःकरण के किल्विष अर्थात् बुराई को दूर करे। "**देशबन्धश्चित्तस्य धारणा**" (योग ३।१)="धारणा उसको कहते हैं कि मन को चंचलता से छुड़ाके नाभि, हृदय, मस्तक, नासिका और जीभ के अग्रभाग आदि देशों में स्थिर करके ओंकार का जप और उसका अर्थ जो परमेश्वर है उसका विचार करना।" (ऋ० भू० उपासनाविषय) अथवा बुराइयों को, दोषों को समझकर उनको छोड़ने के लिए व्रतों को धारण करना भी धारणा है।

"**किंच धारणासु च योग्यता मनसः।**" (योग० २।५३)=धारणाओं से मन में ज्ञान की योग्यता और विवेक बढ़ता है। जिससे बुराइयों का त्याग होता है। ['किल्विषम्' के अर्थ पर विशेष अनुशीलन ८।३१६ पर भी द्रष्टव्य है]।

३. प्रत्याहार के द्वारा संसर्गजन्य दोष को छोड़ें। "**स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः**"। योग० २।५४॥

"प्रत्याहार उसका नाम कि जब पुरुष अपने मन को जीत लेता है तब इन्द्रियों का जीतना अपने आप हो जाता है क्योंकि मन ही इन्द्रियों को चलाने वाला है।" (ऋ० भू० उपासनाविषय) परिणामस्वरूप इन्द्रियां अपने-अपने विषयों के संगों, अभिमान आदि दोषों से निवृत्त हो जाती हैं। प्रत्याहार से मन स्ववश में हो जाता है और इन्द्रियों पर दृढ़ वशीभूतता हो जाती है—

"**ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम्।**" योग २।५५॥

"तब वह मनुष्य जितेन्द्रिय होके जहां अपने मन को ठहराना वा चलाना चाहे उसी में ठहरा और चला सकता है। फिर उसको ज्ञान हो जाने से सदा सत्य में ही प्रीति हो जाती है, असत्य में कभी नहीं।" (ऋ० भू० उपासना-विषय)

योगदर्शन के व्यासभाष्य में भी अपरिग्रह को स्पष्ट करते हुए लिखा है—

"**विषयाणामर्जन-रक्षण-क्षय-सङ्ग-हिंसादोषदर्शनात् अस्वीकरणम् अपरिग्रहः।**" (योग २।२०)=विषयों में अर्जनदोष, रक्षणदोष, क्षयदोष, संगदोष तथा हिंसादोष देखने से उनका जो अस्वीकार अर्थात् त्याग है, वह अपरिग्रह कहा जाता है।

४. ध्यान से अनीश्वर गुणों अर्थात् अविद्या, अज्ञान आदि का त्याग करके ईश्वरीय गुणों को धारण करना। "तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्" (योग० ३।२) = "धारणा के पीछे उसी देश में ध्यान और आश्रय लेने के योग्य जो अन्तर्यामी व्यापक परमेश्वर है, उसके प्रकाश और आनन्द में, अत्यन्त विचार और प्रेम-भक्ति के साथ इस प्रकार प्रवेश करना कि जैसे समुद्र के बीच में नदी प्रवेश करती है। उस समय में ईश्वर को छोड़ किसी अन्य पदार्थ का स्मरण नहीं करना, किन्तु उसी अन्तर्यामी के स्वरूप और ज्ञान में मग्न हो जाना। इसी का नाम ध्यान है।"

(ऋ० भू० उपासना विषय)

५. 'किल्विषनाश' के लिए द्रष्टव्य ११। २२७ पर अनुशीलन और शब्दार्थ के लिए ८। ३१६ का अनुशीलन।

ध्यान से पदार्थ-ज्ञान—

उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयामकृतात्मभिः।
ध्यानयोगेन सम्पश्येद्गतिमस्यान्तरात्मनः॥ ७३॥ (४६)

(उच्च+अवचेषु भूतेषु) बड़े-छोटे प्राणी और अप्राणियों में (अकृतात्मभिः दुर्ज्ञेयाम् अस्य+अन्तरात्मनः गतिम्) जो अशुद्धात्माओं से देखने के योग्य नहीं है, उस अन्तर्यामी परमात्मा को गति अर्थात् प्राप्ति को (ध्यानयोगेन संपश्येत्) ध्यानयोग से ही संन्यासी देखा करे॥ ७३॥

(सं० वि० २००)

अनुशीलन : 'ध्यानयोग' के लिए ६। ७२ पर अनुशीलन संख्या ४ द्रष्टव्य है।

यथार्थ ज्ञान से कर्मबन्धन का विनाश—

सम्यग्दर्शनसम्पन्नः कर्मभिर्न निबद्ध्यते।
दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते॥ ७४॥ (५०)

(सम्यक् दर्शनसंपन्नः) जो संन्यासी यथार्थज्ञान वा षड्दर्शनों से युक्त है (कर्मभिः न निबद्ध्यते) वह दुष्टकर्मों से बद्ध नहीं होता (तु) और (दर्शनेन विहीनः) जो ज्ञान, विद्या, योगाभ्यास, सत्संग, धर्मानुष्ठान वा षड्दर्शनों से रहित विज्ञानहीन होकर संन्यास लेता है वह संन्यास पदवी और मोक्ष को प्राप्त न होकर (संसारं प्रतिपद्यते) जन्म-मरण रूप संसार को प्राप्त होता है॥ ७४॥ (सं० वि० २००)

अनुशीलन : दर्शन एवं ध्यानयोग विवेचन—(१) उपर्युक्त ७२-७३

श्लोकों में उक्त यथार्थ ज्ञान से ध्यानयोग की सिद्धि होने पर परमात्मा के दर्शन होते हैं और वह—

तत्र ध्यानजमनाशयम् ॥ योग० ४ । ६ ॥

जो ध्यानयोग से सिद्ध चित्त है वह यथार्थ ज्ञान से अनाशयम् = कर्मवासना और क्लेशवासना से रहित होता है। कर्मों से बद्ध नहीं होता। उसके कर्म दग्धबीज के समान होने से फिर फलोन्मुख नहीं होते। वही फिर मोक्ष की स्थिति में पहुंचता है।

(२) दर्शनों से यहां पुस्तकविशेष दर्शन-ग्रन्थों से अभिप्राय नहीं है, अपितु 'दर्शन विद्याओं' से अभिप्राय है। ईश्वर आदि तत्त्वों का प्रत्यक्ष ज्ञान करानेवाली विद्या को 'दर्शनविद्या' कहा जाता है।

अहिंसा आदि वैदिक कर्मों से परमात्मा पद की प्राप्ति—

अहिंसयेन्द्रियासङ्गैर्वैदिकैश्चैव कर्मभिः।
तपसश्चरणैश्चोग्रैः साधयन्तीह तत्पदम् ॥ ७५ ॥ (५१)

(अहिंसया) सब भूतों से निर्वैर (इन्द्रिय+असंगैः) इन्द्रियों के विषयों का त्याग (वैदिकैः कर्मभिः) वेदोक्त कर्म (च) और (उग्रैः तपश्चरणैः) अत्युग्र तपश्चरण से (इह) इस संसार में (तत्पदं साधयन्ति) मोक्षपद को पूर्वोक्त संन्यासी ही सिद्ध कर और करा सकते हैं, अन्य नहीं ॥ ७५ ॥

(स० प्र० १३०)

"और जो निर्वैर, इन्द्रियों के विषयों के बंधन से पृथक् वैदिक कर्माचरणों और प्राणायाम, सत्यभाषणादि उत्तम उग्र कर्मों से सहित संन्यासी लोग होते हैं, वे इसी जन्म इसी वर्तमान समय में परमेश्वर की प्राप्तिरूप पद को प्राप्त होते हैं, उनका संन्यास लेना सफल और धन्यवाद के योग्य है"। (स० प्र० २००)

अपवित्र शरीर का त्याग—

अस्थिस्थूणं स्नायुयुतं मांसशोणितलेपनम्।
चर्मावनद्धं दुर्गन्धिपूर्णं मूत्रपुरीषयोः ॥ ७६ ॥
जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्।
रजस्वलमनित्यं च भूतावासमिमं त्यजेत् ॥ ७७ ॥

(अस्थिस्थूणं स्नायुयुतं मांसशोणितलेपनं चर्मावनद्धं मूत्रपुरीषयोः दुर्गन्धिपूर्णम्) हड्डियों के ढांचेरूप, स्नायुरूपी रस्सी वाले, मांस और लहू से भरे, चमड़ी से ढके, मूत्र और विष्ठा की दुर्गन्धि से भरे (जराशोकसमाविष्टम्) वृद्धावस्था और शोक से युक्त

(रोगायतनम्) रोगों के घर (आतुरम्) भूख-प्यास आदि से पीड़ित होने वाले (रजस्वलम्) रजोगुणवाले या मिट्टीरूप (च) (अनित्यम्) नष्ट होने वाले (इमं भूत+आवासं त्यजेत्) इस महाभूतों के आश्रयस्थान अर्थात् शरीर को छोड़ देवे ॥ ७६, ७७ ॥

नदीकूलं यथा वृक्षो वृक्षं वा शकुनिर्यथा ।
तथा त्यजन्निमं देहं कृच्छ्राद् ग्राहाद्विमुच्यते ॥ ७८ ॥

(यथा वृक्षः नदीकूलम्) जैसे वृक्ष नदी के किनारे को (वा) अथवा (यथा शकुनिः वृक्षम्) जैसे पक्षी वृक्ष को बिना किसी दुःख और मोहके छोड़ देता है (तथा) वैसे ही (इमं देहं त्यजन्) इस शरीर को छोड़कर व्यक्ति (कृच्छ्रात् ग्राहात् विमुच्यते) दुःखरूपी मगरमच्छ से छूट जाता है अर्थात् उसे दुःख नहीं होता ॥ ७८ ॥

प्रियेषु स्वेषु सुकृतमप्रियेषु च दुष्कृतम् ।
विसृज्य ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनातनम् ॥ ७९ ॥

योगी (स्वेषु प्रियेषु सुकृतम्) अपने प्रियजनों में पुण्यों को (च) और (अप्रियेषु दुष्कृतम्) शत्रुओं में पाप को (विसृज्य) छोड़कर (ध्यानयोगेन सनातन ब्रह्म+अभ्येति) ध्यानयोग के द्वारा सनातन ब्रह्म=परमात्मा को प्राप्त कर लेता है ॥ ७९ ॥

अनुशीलन : ७६ से ७९ श्लोक निम्न 'आधारों' के आधार पर प्रक्षिप्त हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—(१) ये श्लोक पूर्वापर प्रसंग विरुद्ध हैं। पूर्वापर प्रसंग 'सङ्गों' से विमुक्त होकर निःस्पृह होनेके वर्णन का है। ७५ वें श्लोक में 'असङ्गः' पद से विषयों से निःस्पृह होने का कथन है, फिर ८० वें में सङ्गों से मुक्त होकर निःस्पृह होने का फल है और ८१ वें में "**त्यक्त्वा सङ्गान् शनैः शनैः**" पदों से इस बात का उपसंहार है। इस प्रकार ७५ वां श्लोक ८०-८१ से सम्बद्ध है और ८० वां श्लोक ७५ वें का 'अर्थवाद' है। इन श्लोकों ने उस प्रसंग को सम्बद्धता को भंग कर दिया है और इनमें जो वर्णन है, पूर्वापर रूप से असम्बद्ध है। (२) इन श्लोकों में जो शरीर त्यागने का वर्णन है, वह भी इसे अग्रिम प्रसंग से असम्बद्ध सिद्ध करता है। ८० वें श्लोक में निःस्पृह होने का फल बताते हुए इस जन्म और परजन्म में सुख का प्राप्त होना कहा है। यदि इन श्लोकों के अनुसार पहले ही शरीर त्याग का विधान उपयुक्त मान लिया जाये तो फिर 'इस जन्म में सुख-प्राप्ति' के फलकथन की क्या संगति है? इससे यह संकेत मिलता है कि ८० वें श्लोक से पूर्व शरीरत्याग का वर्णन मनु को अभीष्ट नहीं है। इस प्रकार का वर्णन प्रसंग के अन्त में आता है जो ८१-८२ में है। (३) यहां पूर्वापर स्थानों पर अभी यति के कर्त्तव्यों की समाप्ति से पूर्व ही उनकी फलप्राप्ति का कथन करना, जैसा कि ७८-७९ वें श्लोकों में दर्शाया गया है, यह असंगत है। इस प्रकार का फलकथन तो सब कर्त्तव्यों के पूर्ण होने पर ही करना संगत हुआ करता है, जो ८१-८२ में है भी। इस प्रकार ७८-७९

श्लोक और इनसे सम्बद्ध अन्य पूर्ववर्ती श्लोक अप्रासंगिक हैं। इन प्रसंगविरोधों के आधार पर ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. **अन्तर्विरोध**—(१) ६। ६६ में संन्यासी को सभी प्राणियों से समान भावना रखने वाला कहा है। वह राग-द्वेष से मुक्त होकर [६। ६०] एकाकी विचरण करता है [३३, ४२]। मनु का संन्यासी के लिए यही विधान है। ७९ वें श्लोक में संन्यासी के प्रियजन और शत्रुओं का वर्णन उस मान्यता के विरुद्ध है। जब मनु-द्वारा वर्णित रूप में व्यक्ति संन्यासी ही हो गया तो फिर प्रिय या शत्रु का प्रश्न ही नहीं उठता। (२) मनु ने ४। २४० में कर्त्ता को स्वयं कर्मफल का भोक्ता माना है। ७९ वें श्लोक में 'पति द्वारा अच्छे कर्मों को प्रियों के लिए छोड़ने तथा बुरे कर्मों को शत्रुओं के लिए छोड़ने' का वर्णन करना, उक्त मान्यता के विरुद्ध है। इस आधार पर ७९ वां श्लोक प्रक्षिप्त है। पूर्ववर्ती श्लोक क्योंकि प्रसंग की दृष्टि से उससे सम्बद्ध हैं, अतः वे इसके प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर स्वतः प्रक्षिप्त कहलायेंगे।

निःस्पृहता से सुख एवं मोक्षप्राप्ति—

यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः।
तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम्॥ ८०॥ (५२)

(यदा) जब संन्यासी (सर्वभावेषु भावेन निःस्पृहः भवति) सब पदार्थों में अपने भाव से निःस्पृह होता है (तदा) तभी (इह च प्रेत्य शाश्वतं सुखम्-+अवाप्नोति) इस लोक=इस जन्म और मरण पाकर परलोक और मुक्ति में परमात्मा को प्राप्त होके निरन्तर* सुख को प्राप्त होता है॥ ८०॥
(सं० वि० २००)

"जब संन्यासी सब भावों में अर्थात् पदार्थों में निस्पृह, कांक्षारहित और सब बाहर-भीतर के व्यवहारों में भाव से पवित्र होता है, तभी इस देह में और मरण पाके निरन्तर सुख को प्राप्त होता है।" (स० प्र० १३०)

परमात्मा में अधिष्ठान—

[illegible] (५२)

(अनेन विधना) इस विधि से (शनैः शनैः) धीरे-धीरे (सर्वान् संगान् त्यक्त्वा) सब संग से हुए दोषों को छोड़के (सर्व-द्वन्द्व-विनिर्मुक्तः) सब

---

* "निरन्तर शब्द का इतना ही अर्थ है कि मुक्ति के नियत समय के मध्य में दुःख आकर विघ्न नहीं कर सकता।" (सं० वि० २०२, टिप्पणी)

हर्ष-शोकादि द्वन्द्वों से विशेषकर निर्मुक्त होके (ब्रह्मणि+एव+अवतिष्ठते) विद्वान् संन्यासी ब्रह्म ही में स्थिर होता है ॥ ८१ ॥ (सं० वि० २००)

ध्यानिकं सर्वमेवैतद्यदेतदभिशब्दितम् ।
न ह्यनध्यात्मवित्कश्चित्क्रियाफलमुपाश्नुते ॥ ८२ ॥ (५४)

(यत्+एतत्+अभिशब्दितम्) यह जो कुछ पहले कहा गया है (एतत् सर्वम्+एव ध्यानिकम्) यह सब ही ध्यानयोग के द्वारा सिद्ध होने वाला है (अन्+अध्यात्मवित् कश्चित्) अध्यात्मज्ञान से रहित कोई भी व्यक्ति (क्रियाफलं न हि उपाश्नुते) उपर्युक्त कर्मों के फल को नहीं पा सकता ॥८२॥

अधियज्ञं ब्रह्म जपेदाधिदैविकमेव च ।
आध्यात्मिकं च सततं वेदान्ताभिहितं च यत् ॥ ८३ ॥

(अधियज्ञम्) यज्ञ-सम्बन्धी (च) और (आधिदैविकम्) देवता-सम्बन्धी (च) तथा (वेदान्त+अभिहितं यत् आध्यात्मिकम) वेदों में जो परमात्मा-सम्बन्धी वर्णन है ऐसे (ब्रह्म) वेदमन्त्रों को (सततं जपेत्) निरन्तर जाप किया करे ॥ ८३ ॥

अनुशीलन : ८३ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

प्रसंगविरोध—(१) यह श्लोक पूर्वापर प्रसंग को भंग कर रहा है। ८२ वें श्लोक में ध्यान को संन्यास का आधार बतलाते हुए उपसंहार किया था। इसी प्रकार ८४ में संन्यास का महत्त्व बतलाते हुए उपसंहार है। 'इदम्' शब्द के एकवचनात्मक प्रयोग से ८४ वां श्लोक ८२ वें से जुड़ता है और इस शब्द से 'संन्यास' अर्थ अभिप्रेत है। इस श्लोक ने इस संकेतित सम्बद्धता को भंग कर दिया है। अतः यह प्रसंगविरुद्ध है। (२) संन्यासाश्रम के विधानों के पूर्ण होने के बाद ८१ से ८५ श्लोकों में उसका उपसंहारपूर्वक फल-कथन है। यह प्रसंग ८१ से शुरू है। इस प्रसंग के बीच ८३ वें श्लोक में कर्त्तव्यों का विधान करना अप्रासंगिक है। यदि यह श्लोक मौलिक होता तो विधिवचनों के साथ कर्त्तव्यों के प्रसंग में ८१ वें श्लोक से पहले ही होता। यहां पूर्वापर प्रसंग से भिन्न वर्णन होने के कारण प्रसंगविरुद्ध है, अतः प्रक्षिप्त है।

इदं शरणमज्ञानामिदमेव विजानताम् ।
इदमन्विच्छतां स्वर्गमिदमानन्त्यमिच्छताम् ॥ ८४ ॥ (५५)

(इदम् अज्ञानां शरणम्) यही अज्ञानियों का शरण अर्थात् गौण-संन्यासियों और (इदम्+एव विजानताम्) यही विद्वान् संन्यासियों का (इदं स्वर्गम् इच्छताम्) यही सुख की खोज करने हारे, और (इदम्+आनन्त्यम्-

+इच्छताम्) यही अनन्त[1] सुख की इच्छा करने हारे मनुष्यों का आश्रय है" ॥ ८४ ॥ (सं० वि० २००)[2]

"जो विविदिषा अर्थात् जानने की इच्छा करके गौण संन्यास लेवे, वह भी विद्या का अभ्यास, सत्पुरुषों का संग, योगाभ्यास और ओंकार का जप और उसके अर्थ परमेश्वर का विचार भी किया करे।" (सं० वि० २००)

अनुशीलन : मोक्षसुख का आश्रय परमात्मा—(१) परमेश्वर मोक्ष सुख और अन्य सुख का आश्रय है, इसका विधायक एक वेदमन्त्र तुलनार्थ द्रष्टव्य है—

युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे। स्वर्ग्याय शक्त्या ॥ ऋ० १। ४। ३॥

अर्थ—"(वयम्) हम लोग (स्वर्ग्याय) मोक्षसुख के लिए (शक्त्या) यथायोग्य सामर्थ्य के बल से (देवस्य) परमेश्वर की सृष्टि में उपासना योग करके, अपने आत्मा को शुद्ध करें कि जिससे (युक्तेन मनसा) अपने शुद्ध मन से परमेश्वर के प्रकाशरूप आनन्द को प्राप्त हों।" (ऋ० भू० उपा० विषय)

(२) इसकी संगति वेद से नहीं अपितु परमात्मा से है। परमात्मा ही मोक्षसुख आदि के लिए शरण हो सकता है। टीकाकारों ने इसका जो वेदपरक अर्थ किया है वह प्रसंगानुकूल नहीं है। यहां प्रसंग परमात्मा की प्राप्ति का है।

उपसंहार—

अनेन क्रमयोगेन परिव्रजति यो द्विजः।
स विधूयेह पाप्मानं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ८५ ॥ (५६)

(अनेन क्रमयोगेन) इस क्रमानुसार संन्यास-योग से (यः द्विजः परिव्रजति) जो द्विज अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, संन्यास ग्रहण करता है (सः इह) वह इस संसार और शरीर में (पाप्मानं विधूय) सब पापों को छोड़-छुड़ाके (परं ब्रह्म+अधिगच्छति) परब्रह्म को प्राप्त होता है ॥ ८५ ॥
(सं० वि० २००)

एष धर्मोऽनुशिष्टो वो यतीनां नियतात्मनाम्।
वेदसंन्यासिकानां तु कर्मयोगं निबोधत ॥ ८६ ॥

---

१. "अनन्त इतना ही है कि मुक्ति-सुख के समय में अन्त अर्थात् जिसका नाश न होवे।" (सं० वि० २०२, टिप्पणी)

२. [प्रचलित अर्थ—वेदार्थ को नहीं जानने वालों के लिए यही वेद शरण (गति) है, (क्योंकि अर्थज्ञान के बिना भी वेदपाठ करने से पापक्षय होता है) और वेदार्थ जानने वालों के लिए स्वर्ग (तथा मोक्ष) चाहने वालों के लिए भी यही वेद शरण (गति) है ॥ ८४ ॥]

(एषः) यह (नियतात्मनां यतीनां धर्मः वः अनुशिष्टः) मन को वश में करने वाले संन्यासियों का धर्म तुमसे कहा, अब (वेदसंन्यासिकानां कर्मयोगं निबोधत) 'वेद-संन्यासियों' के कर्मों को सुनो ॥ ८६ ॥

अनुशीलन : ८६ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. **प्रसंगविरोध**—यह श्लोक प्रसंगविरुद्ध है। इसमें 'वेदसंन्यासियों' के कर्म कहने का संकेत किया है, जबकि इससे अग्रिम श्लोकों में आश्रमधर्म कहने के बाद उनका उपसंहार है। यदि यह श्लोक मौलिक होता तो इससे अगले ही श्लोक से 'वेदसंन्यासियों' के कर्मों का वर्णन प्रारम्भ होना चाहिए था। सारी मनुस्मृति में, संकेत के बाद ही वर्णन किया गया है, यह निश्चित शैली है। किन्तु यहां ऐसा नहीं है। इस प्रकार यह संकेत अप्रासंगिक है, अतः प्रक्षिप्त है।

२. **अन्तर्विरोध**—(१) मनु ने केवल चार आश्रम माने हैं [६। ८७]। उनका क्रमशः वर्णन करते हुए संन्यासाश्रम के कर्त्तव्य ३३ से ८५ श्लोकों में कहे जा चुके हैं। इस प्रकार चार आश्रम पूर्ण हुए। इस आधार पर 'वेदसंन्यासियों' की पृथक् कल्पना ही मनुविरुद्ध है। (२) यदि 'वेदसंन्यासिक' का अर्थ 'वेदविहित कर्मों को छोड़ने वाले व्यक्ति' किया जाये तो यह मान्यता मनु एवं सम्पूर्ण मनुस्मृति के ही विरुद्ध है। मनु ऐसे व्यक्ति को संन्यासी तो क्या 'द्विज' भी नहीं मानते, उसे शूद्रवत् कहते हैं [२। १४३ (१६८)]। वेद-विहित कर्मों को छोड़ना मनु की व्यवस्था के विरुद्ध है, क्योंकि उन्होंने वेद को ही अपनी स्मृति का आधार माना है। यह 'वेदोक्त कर्मों' को करने के मनु के आदेश के भी विरुद्ध है। [२। १ (२६), ४। १४]।

आश्रम-धर्मों की समाप्ति पर उपसंहार—

ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा।
एते गृहस्थप्रभवाश्चत्वारः पृथगाश्रमाः ॥ ८७ ॥ (५७)

(ब्रह्मचारी गृहस्थः वानप्रस्थः तथा यतिः) ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास (एते चत्वारः पृथक् आश्रमाः) ये चारों अलग-अलग आश्रम (गृहस्थप्रभवाः) गृहस्थाश्रम से ही उत्पन्न हुए हैं ॥ ८७ ॥

आश्रमधर्मों के पालन से मोक्ष की ओर प्रगति—

सर्वेऽपि क्रमशस्त्वेते यथाशास्त्रं निषेविताः।
यथोक्तकारिणं विप्रं नयन्ति परमां गतिम् ॥ ८८ ॥ (५८)

(एते सर्वे+अपि क्रमशः यथाशास्त्रं निषेविताः) ये सब क्रमानुसार शास्त्रोक्त विधानों के अनुसार पालन करने पर (यथा+उक्तकारिणं विप्रम्) कर्त्तव्यों का यथोक्त विधि से पालन करने वाले द्विज को (परमां गतिं नयन्ति) उत्तम गति को प्राप्त कराते हैं ॥ ८८ ॥

गृहस्थ की श्रेष्ठता—

सर्वेषामपि चैतेषां वेदस्मृतिविधानतः।
गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स त्रीनेतान्बिभर्ति हि ॥ ८९ ॥ (५९)

(वेद-स्मृतिविधानतः) वेदों और स्मृतियों में कहे अनुसार (एषां सर्वेषाम्+अपि) इन सब आश्रमों में (गृहस्थः श्रेष्ठः उच्यते) गृहस्थ सबसे दायित्वपूर्ण होने से श्रेष्ठ है (हि) क्योंकि (सः) वह (एतान् त्रीन् बिभर्ति) इन तीनों का ही भरण-पोषण करता है अर्थात् उत्पत्ति और जीवनयापन की दृष्टि से ये तीनों आश्रम गृहस्थाश्रम पर आश्रित हैं ॥ ८९ ॥

अनुशीलन : गृहस्थ कैसे तीन आश्रमों और सबका भरण-पोषण करता है, इसका कारणपूर्वक वर्णन ३।७८, ८० में वर्णित है। ३।७७ में इसको आधार बताया है।

गृहस्थ समुद्रवत् है—

यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्।
तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम् ॥ ९० ॥ (६०)

(यथा सर्वे नदी-नदाः सागरे संस्थितिं यान्ति) जैसे सब बड़े-बड़े नद और नदी सागर में जाकर स्थिर होते हैं (तथैव) वैसे ही (सर्वे आश्रमिणः) सब आश्रमी (गृहस्थे संस्थितिं यान्ति) गृहस्थ ही को प्राप्त होके स्थिर होते हैं ॥ ९० ॥ (सं० वि० १५०)

"जैसे नदी और बड़े-बड़े नद तब तक भ्रमते ही रहते हैं, जब तक समुद्र को प्राप्त नहीं होते। वैसे गृहस्थ ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते हैं। बिना इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता।" (स० प्र० १२२)

अनुशीलन : तुलना के लिए देखिए ३।७७ वां श्लोक।

चतुर्भिरपि चैवैतैर्नित्यमाश्रमिभिर्द्विजैः।
दशलक्षणको धर्मः सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ ९१ ॥ (६१)

(एतैः चतुर्भिः आश्रमिभिः द्विजैः) इसलिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासियों को योग्य है कि (प्रयत्नतः) प्रयत्न से (दशलक्षणकः धर्मः सेवितव्यः) दश लक्षणयुक्त निम्नलिखित धर्म का सेवन नित्य करें ॥ ९१ ॥ (स० प्र० १३०)

धर्म के दश लक्षण—

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥ ९२ ॥ (६२)

पहिला लक्षण–(धृति) सदा धैर्य रखना, दूसरा–(क्षमा) जो कि निन्दा-स्तुति मान-अपमान, हानि-लाभ आदि दुःखों में भी सहनशील रहना; तीसरा–(दम) मन को सदा धर्म में प्रवृत्त कर अधर्म से रोक देना अर्थात् अधर्म करने को इच्छा भी न उठे, चौथा–(अस्तेय) चोरी त्याग अर्थात् बिना आज्ञा वा छल-कपट, विश्वासघात वा किसी व्यवहार तथा वेदविरुद्ध उपदेश से पर-पदार्थ का ग्रहण करना चोरी, और इसको छोड़ देना साहूकारी कहाती है, पांचवां—(शौच) राग-द्वेष पक्षपात छोड़के भीतर और जल, मृत्तिका, मार्जन आदि से बाहर की पवित्रता रखनी, छठा—(इन्द्रियनिग्रह) अधर्माचरणों से रोककै इन्द्रियों को धर्म ही में सदा चलाना, सातवां—(धीः) मादक द्रव्य बुद्धिनाशक अन्य पदार्थ, दुष्टों का संग, आलस्य, प्रमाद आदि को छोड़के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन, सत्पुरुषों का संग, योगाभ्यास से बुद्धि बढ़ाना; आठवां—(विद्या) पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त यथार्थ ज्ञान और उनसे यथायोग्य उपकार लेना; सत्य जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा वाणी में वैसा कर्म में बर्तना, इससे विपरीत अविद्या है, नववां—(सत्य) जो पदार्थ जैसा हो उसको वैसा ही समझना, वैसा ही बोलना, वैसा ही करना भी; तथा दशवां—(अक्रोध) क्रोधादि दोषों को छोड़के शान्त्यादि गुणों को ग्रहण करना (धमलक्षणम्) धर्म का लक्षण है ॥ ९२ ॥ (स० प्र० १३१)

अनुशीलन : धर्म के लक्षणों की विशेष व्याख्या—संस्कार विधि में भी महर्षि दयानन्द ने इस श्लोक को उद्धृत करके इसका भाष्य किया है। वहां उन्होंने 'अहिंसा' को भी धर्म का लक्षण मानकर धर्म के ग्यारह लक्षण माने हैं। यहां वे उद्धृत किये जाते हैं—

"धर्म न्याय नाम, पक्षपात छोड़कर सत्य ही का आचरण और असत्य का सर्वदा परित्याग रखना, इस धर्म के ग्यारह लक्षण हैं—(अहिंसा) किसी से वैर बुद्धि करके उसके अनिष्ट करने में कभी न वर्त्तना, (धृतिः) सुख-दुःख, हानि-लाभ में भी व्याकुल होकर धर्म को न छोड़ना, किन्तु धैर्य से धर्म में ही स्थिर रहना, (क्षमा) निन्दा स्तुति मानापमान का सहन करके धर्म ही करना (दमः) मन को अधर्म से सदा हटाकर धर्म में ही प्रवृत्त रखना, (अस्तेयम्) मन, कर्म, वचन से अन्याय और अधर्म से पराये द्रव्य का स्वीकार न करना (शौचम्) रागद्वेषादि त्याग से आत्मा और मन को पवित्र और जलादि से शरीर को शुद्ध रखना, (इन्द्रियनिग्रहः) श्रोत्रादि बाह्य इन्द्रियों को अधर्म से हटाके धर्म ही में चलाना, (धीः) वेदादि सत्यविद्या, ब्रह्मचर्य, सत्संग करने और कुसंग, दुर्व्यसन, मद्यपानादि त्याग से बुद्धि को सदा बढ़ाते रहना (विद्या) जिससे भूमि से लेके परमेश्वर पर्यन्त का यथार्थ बोध होता है, उस विद्या को प्राप्त होना, (सत्यम्) सत्य मानना, सत्य

बोलना, सत्य करना, (अक्रोधः) क्रोधादि दोषों को छोड़कर शान्त्यादि गुणों का ग्रहण करना धर्म कहाता है. इसका ग्रहण और अन्याय पक्षपात सहित आचरण अधर्म जो कि हिंसा, वैरबुद्धि, अधैर्य, असहन, मन को अधर्म में चलाना, चोरी करना, अपवित्र रहना, इन्द्रियों को न जीतकर अधर्म में चलाना, कुसंग, दुर्व्यसन, मद्यपानादि से बुद्धि का नाश करना, अविद्या जो कि अधर्माचरण अज्ञान है उसमें फंसना, असत्य मानना, असत्य बोलना, क्रोधादि दोषों में फंसकर अधर्मी दुष्टाचारी होना, ये ग्यारह अधर्म के लक्षण हैं, इनसे सदा दूर रहना चाहिए ॥" (सं० वि० गृहाश्रम प्र०)

दश लक्षणात्मक धर्मपालन से उत्तम गति—

दश लक्षणानि धर्मस्य ये विप्रा समधीयते ।
अधीत्य चानुवर्तन्ते ते यान्ति परमां गतिम् ॥ ९३ ॥ (६३)

(धर्मस्य दशलक्षणानि) धर्म के दश लक्षणों का (ये विप्राः) जो द्विज (सम्+अधीयते) अध्ययन-मनन करते हैं (च) और (अधीत्य) पढ़कर-मनन करके (अनुवर्तन्ते) इनका पालन करते हैं (ते) वे (परमां गतिं यान्ति) उत्तम गति को प्राप्त करते हैं ॥ ९३ ॥

दशलक्षणकं धर्ममनुतिष्ठन्समाहितः ।
वेदान्तं विधिवच्छ्रुत्वा संन्यसेदनृणो द्विजः ॥ ९४ ॥

(दशलक्षणकं धर्मम्+अनुतिष्ठन्) दशलक्षणों वाले इस धर्म का पालन करते हुए (समाहितः) सावधान होकर (विधिवत् वेदान्तं श्रुत्वा) विधि के अनुसार उपनिषदों को सुनकर (अनृणः द्विजः) तीनों—देव, ऋषि और पितृऋणों से उऋण हुआ द्विज (संन्यसेत्) संन्यास धारण करे ॥ ॥ ९४ ॥

संन्यस्य सर्वकर्माणि कर्मदोषानपानुदन् ।
नियतो वेदमभ्यस्य पुत्रैश्वर्ये सुखं वसेत् ॥ ९५ ॥

(सर्वकर्माणि संन्यस्य) सब घर के कार्यों से मुक्त होकर (कर्मदोषान्+अपानुदन्) कर्मों से उत्पन्न दोषों को दूर करता हुआ (नियतः वेदम्+अभ्यस्य) नियम-पूर्वक वेद का अभ्यास करता हुआ (पुत्र-ऐश्वर्ये) पुत्र के द्वारा प्राप्त सुख-साधनों से (सुखं वसेत्) उसके आश्रय में सुखपूर्वक रहे ॥ ९५ ॥

एवं संन्यस्य कर्माणि स्वकार्यपरमोऽस्पृहः ।
संन्यासेनापहत्यैनः प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ ९६ ॥

(एवं कर्माणि संन्यस्य) इस प्रकार सब कार्यों को छोड़कर (स्वकार्यपरमः) अपने कर्त्तव्यों के पालन में लगा रहकर (अस्पृहः) सभी इच्छाओं से रहित होकर (संन्यासेन एनः अपहत्य) संन्यास से पाप को नष्ट करके (परमां गतिं प्राप्नोति) द्विज परम गति को प्राप्त कर लेता है ॥ ९६ ॥

अनुशीलन : ९४ से ९६ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—इन श्लोकों में दी गई व्यवस्था मनु की व्यवस्थाओं से विरुद्ध है—(१) ९४ वें श्लोक में धर्म के दश लक्षणों को सुनकर संन्यास लेने का कथन है। पहली बात तो यह है कि इन लक्षणों को सुनकर संन्यास ही क्या लेना? ये तो वे कर्त्तव्य हैं जिनका पालन ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, संन्यासी सभी को मृत्युपर्यन्त करना होता है। ६। ९१ में यह स्पष्ट शब्दों में ही कहा है, फिर उन्हें सुनकर संन्यास क्या लेना? यह श्लोक ९१ के विरुद्ध जाता है। दूसरी बात यह है कि मनु की व्यवस्था में इन चार आश्रमों से अलग ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, जो इनमें दिखायी है। मनु ने संन्यास का विधान ६। ३३—८५ में कर ही दिया है। अतः यह भिन्न प्रकार की व्यवस्था देना मनुविरुद्ध है। (२) मनु ने तो पिछले [३३—८५] श्लोकों में घर एवं सभी 'सङ्गों' (=साथ, मोह, लोभ आदि) को छोड़कर संन्यासी होने को कहा है। अतः इन श्लोकों में धर्म के लक्षण सुनकर संन्यास लेना, घर में रहने की व्यवस्था देना, ऐश्वर्य में रहना आदि बातें पिछले सभी विधानों के विरुद्ध हैं। संन्यासियों की बात तो दूर रही मनु ने तो वानप्रस्थ को भी घर-बार छोड़कर वन में चले जाने का आदेश दिया है [६। १—४]। इस प्रकार मनु की व्यवस्थाओं के विरुद्ध होने के कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

आश्रमधर्मों एवं ब्राह्मण धर्मों का उपसंहार—

एष वोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः।
पुण्योऽक्षयफलः प्रेत्य राज्ञां धर्मं निबोधत॥ ९७॥ (६४)

मनु जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियो! (एषः चतुर्विधः ब्राह्मणस्य धर्मः) यह चार प्रकार अर्थात् ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम करना ब्राह्मण का धर्म है (पुण्यः प्रेत्य अक्षयफलः) यहां वर्तमान में पुण्य-स्वरूप और शरीर छोड़े पश्चात् मुक्तिरूप अक्षय आनन्द का देनेवाला संन्यासधर्म है ॐ (राज्ञां धर्मं निबोधत) इसके आगे राजाओं का धर्म मुझसे सुनो—॥ ९७॥ (स० प्र० १३२)

ॐ (अभिहितः) वह कह दिया है.....

अनुशीलन : **ब्राह्मण शब्द का उपलक्षणात्मक प्रयोग**—इस श्लोक में ब्राह्मण शब्द का 'ब्राह्मण' अर्थ के साथ-साथ उपलक्षण रूप में प्रयोग है। १। १४४ [२। २५] श्लोक से वर्णाश्रम धर्मों का प्रारम्भ किया है। तदनुसार यहां तक ब्राह्मण वर्ण के सम्पूर्ण धर्म=धार्मिक तथा लौकिक कर्त्तव्य पूर्ण हो गये हैं और साथ-साथ द्विजों के चारों आश्रमों (द्वितीय अध्याय में ब्रह्मचर्याश्रम, तृतीय से पंचम में गृहस्थ और षष्ठ

में वानप्रस्थ और संन्यास) के धर्म भी [६।९१] पूर्ण हो गये हैं। इस प्रकार ब्राह्मण शब्द से क्षत्रिय और वैश्य भी ग्रहण होते हैं।

ब्राह्मण शब्द ग्रहण करने का एक विशेष अभिप्राय यह भी है कि सभी द्विज संन्यासाश्रम में आकर संन्यास के धर्मों को धारण करके ब्रह्मत्व प्राप्त करते हैं। ब्रह्म-प्राप्ति का एक ही उद्देश्य होने से उनके कर्त्तव्यों में कोई अन्तर नहीं रह जाता। अतः ब्राह्मण शब्द से ही उनका ग्रहण किया है। इन अध्यायों में विभिन्न स्थानों पर द्विज, विप्र शब्दों को ब्राह्मण के पर्यायवाची रूप में भी ग्रहण किया है, यथा २।१५, ६।९१, ९३, ९७ के भाव और शब्दों में प्रयोग है।

इति महर्षि-मनुप्रोक्तायां सुरेन्द्रकुमारकृतहिन्दी-भाष्यसमन्वितायाम् अनुशीलन-समीक्षाविभूषितायाञ्च मनुस्मृतौ वानप्रस्थसंन्यास-धर्मविषयकः षष्ठोऽध्यायः ॥

अथ सप्तमोऽध्यायः

[हिन्दीभाष्य-अनुशीलनसमीक्षाभ्यां सहितः]

(राजधर्म विषय)

[७। १ से ९। ३३६ तक]

राजा की नियुक्ति एवं सिद्धि (७। १ से ७। ३५ तक)—

राजधर्मान्प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेन्नृपः।
संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा॥ १॥ (१)

अब मनु जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण और चारों आश्रमों के व्यवहार कथन के पश्चात् (राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि) राजधर्मों को कहेंगे कि (यथावृत्तः नृपः भवेत्) जिस प्रकार का राजा होना चाहिए [७। ३६-९। ३२५] (च) और (तस्य यथा संभवः) जैसे उसका संभव= बनना (च) तथा (यथा परमा सिद्धिः) जैसे उसको परमसिद्धि प्राप्त होवे [७। १—३५] उसको सब प्रकार कहते हैं॥ १॥ (स० प्र० १३८)

राजा बनने का अधिकारी कौन ?

ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि।
सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम्॥ २॥ (२)

(ब्राह्मं संस्कारं प्राप्तेन क्षत्रियेण) जैसा परम विद्वान् ब्राह्मण होता है वैसा विद्वान्* सुशिक्षित होकर क्षत्रिय को योग्य है कि (अस्य सर्वस्य) इस सब राज्य की (परिरक्षणम्) रक्षा (यथान्यायं कर्तव्यम्) न्याय से यथावत् करे॥ २॥ (स० प्र० १३८)

* (यथाविधि) पूर्ण विधि के अनुसार अर्थात् उपनयन में दीक्षित होकर समावर्तनकाल तक ब्रह्मचर्य पालन करते हुए.....

राजा बनने की आवश्यकता—

अराजके हि लोकेऽस्मिन्सर्वतो विद्रुते भयात्।
रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमसृजत्प्रभुः॥ ३॥ (३)

(हि) क्योंकि (अराजके अस्मिन् लोके) राजा के बिना इस जगत् में (सर्वतः भयात् विद्रुते) सब ओर भय व्याकुलता फैल जाने के कारण (अस्य सर्वस्य रक्षार्थम्) इस सब समाज और राज्य की सुरक्षा के लिए (प्रभुः राजानम्+असृजत्) प्रभु ने 'राजा' पद को बनाया है अर्थात् राजा बनाने की प्रेरणा मानवों के मस्तिष्क में दी है ॥ ३ ॥

राजा के आठ विशिष्ट गुण—

इन्द्रानिलयमार्काणामग्नेश्च वरुणस्य च।
चन्द्रवित्तेशयोश्चैव मात्रा निर्हृत्य शाश्वतीः ॥ ४ ॥ (४)

यह सभेश राजा (इन्द्र) इन्द्र अर्थात् विद्युत् के समान शीघ्र ऐश्वर्यकर्त्ता (अनिल) वायु के समान सबको प्राणवत् प्रिय और हृदय की बात जानने हारा (यम) यम-पक्षपातरहित न्यायाधीश के समान वर्त्तने वाला (अर्काणाम्) सूर्य के समान न्याय धर्म विद्या का प्रकाशक, अंधकार अर्थात् अविद्या अन्याय का निरोधक (अग्नेः) अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने हारा (वरुणस्य) वरुण अर्थात् बांधने वाले के सदृश दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने वाला (चन्द्र-वित्तेशयोः) चन्द्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों को आनन्ददाता, धनाध्यक्ष के समान कोशों का पूर्ण करने वाला सभापति होवे ❀ ॥ ४ ॥ (स० प्र० १४०)

❀ (शाश्वतीः मात्रा निर्हृत्य च) इनकी स्वाभाविक मात्राओं= गुणों के अंशों का सार लेकर ईश्वर ने 'राजा' के व्यक्तित्व का निर्माण किया है। ('च' से पूर्वश्लोक के 'राजानम् असृजत्' क्रिया की अनुवृत्ति है)।

अनुशीलन : राजा के आठ विशिष्ट गुणों की व्याख्या—

(क) महर्षि मनु ने इस श्लोक में कहा है कि राजा को आठ विशिष्ट गुणों से युक्त होना चाहिए। जैसे निम्न आठ ईश्वरीय दिव्यशक्तियों का कार्य या स्वभाव है, वैसा ही राजा का स्वभाव और आचरण होना चाहिए। मनु ने ९। ३०३ से ३११ श्लोकों में स्वयं इन गुणों की व्याख्या की है, जो निम्न प्रकार है—

(१) इन्द्र [=वृष्टिकारक शक्ति] जैसे भरपूर जल बरसाकर जगत् को तृप्त करता है, वैसे राजा अपनी प्रजाओं को सुख-सुविधाएं, ऐश्वर्य प्रदान करे। उनकी कामनाओं को पूर्ण कर संतुष्ट रखे [९। ३०४]। इदि परमैश्वर्ये भ्वादि धातु से 'ऋजेन्द्राग्रवज्र' (उणादि २।२८) सूत्र से 'रन् प्रत्यय के योग से 'इन्द्र' शब्द सिद्ध होता है। 'इन्दते वा ऐश्वर्यकर्मणः" (निरुक्त १०।८]=ऐश्वर्यप्रदाता होने से इन्द्र कहलाता है। ७। ७ में इसके पर्यायवाची रूप में 'महेन्द्र' का प्रयोग है।

(२) **वायु**—जैसे सब प्राणियों, स्थानों में प्रविष्ट होकर विचरण करता है, उसी प्रकार राजा को अपने गुप्तचरों द्वारा सर्वत्र प्रविष्ट होकर सब स्थानों की, अपनी तथा शत्रु की प्रजाओं की बातों की जानकारी रखनी चाहिए [९।३०६]। [वायुः = वा गतिगन्धनयोः अदादि धातु **'क्वापाजि०'** (उणादि १।१) सूत्र से 'उः' 'प्रत्यय। **'वायुर्वातेर्वेतेर्वा स्याद् गतिकर्मणः'** [निरु० ११।५)]। ९।३०६ में 'मारुत' का प्रयोग है।

(३) **यम** [= ईश्वर की मारक या नियन्त्रक शक्ति] जैसे कर्मफल का समय आने पर प्रिय और शत्रु सबको धर्मपूर्वक अर्थात् न्यायानुसार दण्डित करता है या मारता है, उसी प्रकार राजा को भी अपराध करने पर प्रिय, शत्रु सभी प्रजाओं को न्यायपूर्वक दण्ड देना चाहिए और उनको अपने नियन्त्रण में रखना चाहिए [९।३०७]। ७।७ में मनु ने यम का 'धर्मराट्' पर्यायवाची ग्रहण किया है। धर्म अर्थात् न्यायपूर्वक शासन करने वाला 'धर्मराट्' होता है। ['यमु उपरमे' भ्वादि धातु से कर्त्तरि घञ्। **"यमः यच्छतीति सतः"** (निरु० १०।१९)]।

(४) **अर्क**=सूर्य जैसे अपनी किरणों द्वारा बिना संतप्त किये जलग्रहण करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजा को कष्ट और हानि पहुंचाये बिना [७।१२८-१२९] कर ग्रहण करे [९।३०५]। [अर्च - पूजायाम् भ्वादि धातु से **'कृदाधारार्चिकलिभ्यः कः'** (उणादि ३।४०) सूत्र से 'कः' प्रत्यय]। ९।३०५ में पर्यायवाची रूप में 'आदित्य' का प्रयोग है।

(५) **अग्नि**—जैसे अग्नि अशुद्धि का नाश करके शुद्धि करने वाली होती है और तेजयुक्त होती है, उसी प्रकार राजा अपराध, हानि एवं दुष्टता करने तथा प्रजा को पीड़ित करने वालों को प्रभावशाली ढंग से संतापित करने वाला एवं दण्ड से सुधारने वाला होवे [९।३१०]। [अगि-गतौ धातु से **"अङ्गेर्नलोपश्च"** (उणादि ४।५०) सूत्र से 'निः' प्रत्यय, नि लोप।]

(६) **वरुण**=जल जैसे अपने तरंग या भंवररूपी पाश में प्राणियों को फंसा लेता है, उसी प्रकार राजा अपराधियों और शत्रुओं को बन्धन या कारागार में डाले [९।३०८]। [वृञ्-वरणे स्वादि धातु से **कृवृदारिभ्य उनन्'** (उणादि ३।५३) सूत्र से 'उनन्' प्रत्यय]।

(७) **चन्द्र**—जैसे चन्द्र शीतलता प्रदान करता और पूर्णिमा के चांद को देखकर जैसे हृदय में प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार राजा प्रजाओं को शान्ति तथा प्रसन्नता प्रदान करने वाला होवे। उसे राजा के रूप में पाकर प्रजा को हर्ष का अनुभव हो [९।३०९]। [चदि आह्लादने दीप्तौ च भ्वादिधातु से **'स्फायितञ्चिवञ्चि०'** (उणादि २।१३) सूत्र से 'रक्' प्रत्यय।] ७।७ में 'सोम' पर्यायवाची है।

(८) **वित्तेश** अर्थात् धनाढ्य। ७।७ में कुबेर और ९।३११ में इसके पर्याय-

वाची के रूप में 'धरा' 'पृथ्वी' शब्दों का ग्रहण है। जैसे धरती या धनस्वामी परमेश्वर समान भाव से सब प्राणियों का पालन-पोषण करते हैं, उसी प्रकार राजा पक्षपातरहित होकर समानभाव से प्रजाओं का पुत्रवत् पालन करे [९। ३११]

(ख) वेद में राजा के आठ गुणों का वर्णन—

मनु के इस विधान का आधार वेद है। राजा के ये गुण भी वेदमन्त्रों के आधार पर ही वर्णित किये हैं। द्रष्टव्य है एक मंत्र—

सोमस्य राज्ञो वरुणस्य धर्मणि बृहस्पतेरनुमत्या उ शर्मणि।
तवाहमद्य मघवन्नुपस्तुतौ धातर्विधातः कलशां अभक्षयन्॥

(ऋ० १०। १६७। ३)

अर्थ—(राज्ञः सोमस्य वरुणस्यधर्मणि) राजा=अग्नि, सोम=चन्द्रमा, और वरुणस्य=जल के धर्म में (उ) तथा (बृहस्पतेः अनुमत्या शर्मणि) बृहस्पति=सूर्य, अनुमत्या=लक्ष्मी अर्थात् वित्तेश या धरा के आश्रय में (मघवन्! धात! विधात!) और हे इन्द्र! हे वायु! हे यम! (अहम् अद्य तव उपस्तुतौ) मैंने तुम्हारी उपस्तुति=सान्निध्य में रहकर, तुम्हारे गुणों का धारण करके (सोमकलशान् अभक्षयन्) ऐश्वर्य कलशों अर्थात् राज्यैश्वर्यों का सेवन किया है। अभिप्राय यह है कि इन गुणों के अंशों को धारण करके तदनुसार आचरण से राज्यसंचालन में सफलता प्राप्त की है।

राजा दिव्यगुणों के कारण प्रभावशाली—

यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नृपः।
तस्मादभिभवत्येष सर्वभूतानि तेजसा॥ ५॥ (५)

(यस्मात्) क्योंकि (एषां सुरेन्द्राणाम्) इन [७।४] शक्तिशाली इन्द्र आदि दिव्यशक्तियों के (मात्राभ्यः) सारभूत गुणरूपी अंश से (नृपः निर्मितः) 'राजा' पद को बनाया है (तस्मात्) इसीलिए (एषः) यह राजा (तेजसा) अपने तेज=शक्ति प्रभाव से (सर्वभूतानि अभिभवति) सब प्राणियों को वशीभूत एवं पराजित रखता है॥ ५॥

(एषः) जो (आदित्यवत्) सूर्यवत् प्रतापी (मनांसि) सबके बाहर और भीतर मनों को* (तपति) अपने तेज से तपाने हारा है (एनं भुवि) जिसको पृथिवी में (अभिवीक्षितुम्) कड़ी दृष्टि से देखने को (कश्चित्+अपि न शक्नोति) कोई भी समर्थ नहीं होता॥ ६॥ (स० प्र० १४१)

*(च चक्षूंषि) और देखने वालों की आंखों को·····

अनुशीलन : राजा में तेजस्विता, प्रभावशालिता आदि गुण होने चाहिएं। इन गुणों से युक्त होकर राजा सफल एवं प्रजाओं पर प्रभावी रहता है।

सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽर्कः सोमः स धर्मराट्।
स कुबेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः॥ ७॥ (७)

(सः) वह राजा (प्रभावतः) अपने प्रभाव=सामर्थ्य के कारण (अग्निः) अग्नि के समान दुष्टों=अपराधियों का विनाश करने वाला (च) और (वायुः) वायु के समान गुप्तचरों द्वारा सर्वत्र गतिशील होकर प्रत्येक स्थिति की जानकारी रखने वाला (अर्कः) सूर्य द्वारा किरणों से जलग्रहण करने के समान कष्टरहित कर=टैक्स ग्रहण करने वाला (सोमः) चन्द्रमा के समान शान्ति—प्रसन्नता देने वाला (धर्मराट्) न्यायानुसार दण्ड देने वाला (कुबेरः) ऐश्वर्यप्रद परमेश्वर के समान समभाव से प्रजा का पालन करने वाला (वरुणः) जलीय तरंगों या भंवरों के समान अपराधियों और शत्रुओं को बन्धनों या कारागार में डालने वाला और (सः) वही (महेन्द्रः) वर्षाकारक शक्ति इन्द्र के समान सुख-सुविधा का वर्षक=प्रदाता (भवति) है॥ ७॥

"और जो अपने से अग्नि, वायु, सूर्य, सोम, धर्म, प्रकाशक, धन-वर्द्धक, दुष्टों का बन्धनकर्त्ता, बड़े ऐश्वर्य वाला हो वही सभाध्यक्ष सभेश होने योग्य होवे।" (स० प्र० १४१)

अनुशीलन : इन शब्दों की व्याख्या मनु ने स्वयं की है। देखिए ७। ४ की समीक्षा तथा ९। ३०३—३११ श्लोक।

राजा की अवमानना न करें—

बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः।
महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति॥ ८॥

(भूमिपः बालः+अपि) राजा यदि बालक भी हो तो भी (मनुष्य+इति न+
[illegible]) [illegible] समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए (हि)
[illegible] (एषा महती देवता तिष्ठति) वह एक बड़ी देवी-
शक्ति विद्यमान है॥ ८॥

एकमेव दहत्यग्निर्नरं दुरुपसर्पिणम्।
कुलं दहति राजाग्निः सपशुद्रव्यसंचयम्॥ ९॥

(अग्निः) आग तो (दुरुपसर्पिणम्) असावधानी से उसके पास जाने वाले (एकं नरम् एव दहति) अकेले उस आदमी को ही जलाती है, किन्तु (राजाग्निः) राजा की

क्रोधाग्नि तो (सपशु-द्रव्य-संचयं कुलं दहति) पशु, सम्पत्ति-सहित सम्पूर्ण कुल को ही जला देती है ॥ ९ ॥

कार्यं सोऽवेक्ष्य शक्तिं च देशकालौ च तत्त्वतः ।
कुरुते धर्मसिद्ध्यर्थं विश्वरूपं पुनः पुनः ॥ १० ॥

(सः) वह राजा (कार्यं शक्तिं च देशकालौ) कार्य, शक्ति और देश तथा समय का (तत्त्वतः अवेक्ष्य) ठीक-ठीक विचार करके (धर्मसिद्ध्यर्थम्) धर्म की सिद्धि के लिए—धर्म=कानून का रक्षण एवं पालन कराने के लिए (पुनः पुनः विश्वरूपं कुरुते) बार-बार नाना प्रकार के रूप [७ । ७ में उक्त] धारण करता है ॥ १० ॥

यस्य प्रसादे पद्मा श्रीर्विजयश्च पराक्रमे ।
मृत्युश्च वसति क्रोधे सर्वतेजोमयो हि सः ॥ ११ ॥

(यस्य) जिस राजा के (प्रसादे) प्रसन्न होने में (पद्मा) लक्ष्मी (च) और (पराक्रमे विजयः) पराक्रम में विजय (च) और (क्रोधे मृत्युः वसति) क्रोध में मौत बसती है (सः) वह राजा (सर्वतेजोमयः हि) सर्वप्रकार के तेज से युक्त है ॥ ११ ॥

तं यस्तु द्वेष्टि संमोहात्स विनश्यत्यसंशयम् ।
तस्य ह्याशु विनाशाय राजा प्रकुरुते मनः ॥ १२ ॥

(तम्) उस राजा को (यः तु) जो भी कोई (संमोहात्) अज्ञानवश (द्वेष्टि) द्वेष करता है (सः) वह व्यक्ति (असंशयं विनश्यति) निःसंदेह विनाश को प्राप्त हो जाता है (हि) क्योंकि (राजा) राजा (तस्य विनाशाय) उसके विनाश के लिए (आशु मनः प्रकुरुते) शीघ्र ही मन लगाता है ॥ १२ ॥

अनुशीलन : ८-१२ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. प्रसंगविरोध—ये पाँच श्लोक पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध हैं। ७ वें श्लोक में राजा के विशेष गुण बताये हैं, और १३ वें में फिर यह कहा है कि 'इसलिए उसके द्वारा नियत धर्म का पालन करे।' इस प्रकार १३ वां श्लोक ७ वें से सम्बद्ध है, और ७ वें का भाव १३ वें में पूर्ण होता है। बीच में इन श्लोकों ने उस पूर्वापर प्रसंग की सम्बद्धता को भंग कर दिया है और राजा के स्वभाव से सम्बद्ध पूर्वापर प्रसंग से असम्बद्ध वर्णन किया है। अतः ये प्रसंगविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं।

२. अन्तर्विरोध—इन श्लोकों में राजा को उसके व्यक्तिगत स्वभाव के आधार पर लक्ष्मीदायक और मृत्युकारक वर्णित करते हुए उसके विनाशक रूप का वर्णन है। यह वर्णन मनु के वर्णन से मेल नहीं खाता। मनु व्यक्तिगत आधार पर नहीं, अपितु धर्म और अधर्म के आधार पर राजा को न्यायानुसार उचित दण्ड का विधान करते हैं

[७।२, १६, २६, २७, २८, ६, ३४६, ३०७, ३११], अनुचित दण्ड का निषेध करते हैं। [७। ४८, ५१] अतः ये मनु की मान्यताओं के विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं।

तस्माद्धर्मं यमिष्टेषु स व्यवस्येन्नराधिपः।
अनिष्टं चाप्यनिष्टेषु तं धर्मं न विचालयेत्॥ १३॥ (८)

(तस्मात्) इसलिए (सः नराधिपः) वह राजा (यं धर्मम्) जिस धर्म अर्थात् कानून का (इष्टेषु व्यवस्येत्) पालनीय विषयों में निर्धारण करे (च) और (अनिष्टेषु अपि अनिष्टम्) अपालनीय विषयों में जिसका निषेध करे (तं धर्मं न विचालयेत्) उस धर्म अर्थात् कानून का उल्लंघन न करे॥ १३॥

दण्ड की सृष्टि और उपयोग विधि—

तस्यार्थे सर्वभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजम्।
ब्रह्मतेजोमयं दण्डमसृजत्पूर्वमीश्वरः॥ १४॥ (९)

(तस्य+अर्थे) उस राजा के लिए (पूर्वम्) सृष्टि के प्रारम्भ में ही (ईश्वरः) ईश्वर ने (सर्वभूतानां गोप्तारम्) सब प्राणियों की सुरक्षा करने वाले (ब्रह्मतेजोमयम्) ब्रह्मतेजोमय अर्थात् शिक्षाप्रद और अपराधनाशक गुण वाले (धर्ममात्मजम्) धर्मस्वरूपात्मक (दण्डम्+असृजत्) दण्ड [=सजा] को रचा अर्थात् दण्ड देने की व्यवस्था का विधान किया॥ १४॥

तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च।
भयाद्भोगाय कल्पन्ते स्वधर्मान्न चलन्ति च॥ १५॥

(तस्य भयात्) उस दण्ड के भय से ही (सर्वाणि) सब (स्थावराणि च चराणि भूतानि) स्थावर और जङ्गम प्राणी (भोगाय कल्पन्ते) भोगों को भोगने के लिए समर्थ होते हैं (च) और (स्वधर्मात् न चलन्ति) अपने धर्म से विचलित नहीं होते॥ १५॥

अनुशीलन : १५ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. **विषयविरोध**—७। १, १४ श्लोकों के विषय-संकेत के अनुसार यहां राजा का धर्म विहित है और तदनुसार प्रजाओं के लिए दण्ड-विधान अभीष्ट है। ईश्वरीय दण्ड का वर्णन उक्त विषय के विरुद्ध है, अतः प्रक्षिप्त है।

२. **प्रसंगविरोध**—पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध है। पूर्वापर चर्चा राजा द्वारा प्रजा को दिये जाने वाले दण्ड एवं उसके प्रभाव की है। १४ वें श्लोक में "**तस्यार्थे**" कहकर स्पष्टतः राजा के लिए दण्ड का कथन विहित है, और १६ वें में स्पष्टतः "**अन्यायवर्तिषु**" पद का प्रयोग करके कहा है कि उसे अन्यायी प्रजाओं में करे। बीच में स्थावरों

के लिए दण्ड का वर्णन पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध है। १६ वें के "तम्" पद से भी इस श्लोक का प्रसंग १४ वें से जुड़ता है, १५ वें के फलप्रदर्शन से नहीं। अतः यह प्रक्षिप्त है।

तं देशकालौ शक्तिं च विद्यां चावेक्ष्य तत्त्वतः।
यथार्हतः संप्रणयेन्नरेष्वन्यायवर्तिषु ॥१६॥ (१०)

(देशकालौ शक्तिं च विद्याम्) देश, समय, शक्ति और विद्या अर्थात् अपराध के अनुसार उचित दण्ड का ज्ञान, इन बातों को (तत्त्वतः अवेक्ष्य) ठीक-ठीक विचार कर (अन्यायवर्तिषु) अन्याय का आचरण करने वाले (नरेषु) लोगों में (तम्) उस दण्ड को (यथार्हतः संप्रणयेत्) यथायोग्य रूप में प्रयुक्त करे॥ १६॥

दण्ड का महत्त्व—

स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः।
चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥१७॥ (११)

(सः दण्डः पुरुषः राजा) जो दण्ड है वही पुरुष, राजा (सः नेता) वही न्याय का प्रचारकर्त्ता (च) और (शासिता) सब का शासनकर्त्ता (सः) वही (चतुर्णाम्+आश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः) चार वर्ण और चार आश्रमों के धर्म का प्रतिभू अर्थात् जामिन् [=जिम्मेदार] है॥ १७॥ (स० प्र० १४१)

दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति।
दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्मं विदुर्बुधाः॥ १८॥ (१२)

वास्तव में (दण्डः सर्वाः प्रजाः शास्ति) दण्ड=दण्डविधान ही सब प्रजाओं पर शासन रखता है, (दण्डः+एव) दण्ड ही (अभिरक्षति) प्रजाओं की सब ओर से [दुष्टों आदि से] रक्षा करता है (सुप्तेषु) सोती हुई प्रजाओं में (दण्डः जागर्ति) दण्ड ही जागता रहता है अर्थात् प्रमाद और एकान्त में होने वाले अपराधों के समय दण्ड का ध्यान ही उन्हें भयभीत करके उनसे रोकता है, दण्ड का भय एक ऐसा भय है जो सोते हुए भी बना रहता है, इसीलिए (बुधाः) बुद्धिमान् लोग (दण्डं धर्मं विदुः) दण्ड= दण्डविधान को राजा का प्रमुख धर्म मानते हैं॥ १८॥

"वही दण्ड प्रजा का शासनकर्त्ता, सब प्रजा का रक्षक है। सोते हुए प्रजास्थ जनों में जागता है, इसीलिए बुद्धिमान् लोग दण्ड को ही धर्म कहते हैं।" (स० प्र० १४१)

"और जैसा विद्वान् लोग दण्ड ही को धर्म जानते हैं, वैसा सब लोग

जानें। क्योंकि दण्ड ही प्रजा का शासन अर्थात् नियम में रखने वाला, दण्ड ही सब का सब ओर से रक्षक, और दण्ड ही सोते हुओं में जागता है। चोरादि दुष्ट भी दंड ही के भय से पाप कर्म नहीं कर सकते" ॥

(सं० वि० १५२)

न्यायानुसार दण्ड ही हितकारी—

समीक्ष्य स धृतः सम्यक्सर्वा रञ्जयति प्रजाः।
असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः ॥ १९ ॥ (१३)

(सम्यक् समीक्ष्य धृतः) जो दण्ड अच्छे प्रकार विचार से धारण किया जाये तो (सः) वह (सर्वाः प्रजाः रञ्जयति) सब प्रजा को आनन्दित कर देता (असमीक्ष्य प्रणीतः तु) और जो बिना विचारे चलाया जाये तो (सर्वतः विनाशयति) सब ओर से राजा का विनाश कर देता है ॥ १९ ॥

(स० प्र० १४१)

यदि न प्रणयेद्राजा दण्डं दण्ड्येष्वतन्द्रितः।
शूले मत्स्यानिवापक्ष्यन्दुर्बलान्बलवत्तराः ॥ २० ॥

(यदि राजा) यदि राजा (अतन्द्रितः) आलस्य छोड़कर अर्थात् सावधानी से (दण्ड्येषु दण्डं न प्रणयेत्) दण्ड के अधिकारी अपराधियों में दण्ड का प्रयोग न करे तो (बलवत्तराः) अधिक शक्तिशाली लोग (दुर्बलान्) दुर्बल लोगों को (शूले मत्स्यान्+इव) जैसे लोहे की सींक में मछलियों को भूनते हैं ऐसे (अपक्ष्यन्) भून डालें अर्थात् जीवित ही न रहने देवें ॥ २० ॥

अद्यात्काकः पुरोडाशं श्वा च लिह्याद्धविस्तथा।
स्वाम्यं च न स्यात्कस्मिंश्चित्प्रवर्तेताधरोत्तरम् ॥ २१ ॥

और—(काकः पुरोडाशम् अद्यात्) कौवे पुरोडाश=यज्ञ के लिए निर्मित अन्न की आहुति को खा जायें अर्थात् धूर्त और बदमाश लोग श्रेष्ठों की सम्पत्ति को हड़पलें (च) तथा (श्वा हविः लिह्यात्) कुत्ते हवि को चाट जायें अर्थात् दुष्ट लोग सब धर्मों को नष्ट-भ्रष्ट कर दें (च) और (कस्मिंश्चित् स्वाम्यं न स्यात्) किसी का किसी चीज पर अधिकार न रहे (अधर+उत्तरं प्रवर्तेत) सब अस्तव्यस्त हो जाये=सब मर्यादायें भंग हो जायें ॥ २१ ॥

सर्वो दण्डजितो लोको दुर्लभो हि शुचिर्नरः।
दण्डस्य हि भयात्सर्वं जगद्भोगाय कल्पते ॥ २२ ॥

(सर्वः लोकः दण्डजितः) सब लोग दण्ड के वशीभूत होकर ही कर्त्तव्यों का पालन करते हैं (हि) क्योंकि (शुचिः नरः दुर्लभः) स्वाभाविक रूप से पवित्र अर्थात् ईमानदारी

से स्वयं ही कर्त्तव्यों का पालन करने वाले लोग दुर्लभ—विरले ही होते हैं (दण्डस्य हि भयात्) दण्ड के भय से ही (सर्वं जगत्) सब लोग (भोगाय कल्पते) कर्त्तव्यों को पालन करने के लिए और दण्डों को भोगने के लिए उद्यत होते हैं ॥ २२ ॥

देवदानवगन्धर्वा रक्षांसि पतगोरगाः ।
तेऽपि भोगाय कल्पन्ते दण्डेनैव निपीडिताः ॥ २३ ॥

(देव-दानव-गन्धर्वाः) देव, दानव, गन्धर्व (रक्षांसि पतग-उरगाः) राक्षस, पक्षी, सांप (ते+अपि) वे सब भी (दण्डेन+एव निपीडिताः) दण्ड के डर से भयभीत होकर ही (भोगाय कल्पन्ते) अपने भोगों को भोगने के लिए उद्यत होते हैं ॥ २३ ॥

अनुशीलन : २० से २३ तक श्लोक निम्नप्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. **विषयविरोध**—७ । १, १४ श्लोकों के अनुसार प्रस्तुत विषय राजा द्वारा प्रजाओं को दिये जाने वाले दण्ड और उसके परिणामों का है । २२, २३ वें श्लोकों में वर्णित जगत्, मछली, पक्षी, सर्प आदि राजा के विषयान्तर्गत नहीं आते । यहां ईश्वरीय दण्ड का कथन विषयविरुद्ध है, अतः प्रक्षिप्त है ।

२. **प्रसंगविरोध**—(१) २४ वां श्लोक १९ वें के 'असमीक्ष्य' का अर्थवादरूप है । श्लोक १८ में दण्ड का महत्त्व बतलाते हुए १९ में उसे विचार और न्यायपूर्वक देने का कथन है, और अविचारपूर्वक देनेसे २४ वें में उसकी हानियों का वर्णन है । इस प्रकार १९ और २४ वें श्लोक की वाक्यात्मक संगति है । बीच के २०-२३ श्लोकों ने उस प्रसंग को भंग कर दिया है, अतः ये मौलिक नहीं हैं । (२) दण्ड के अभाव में होने वाली अव्यवस्थाओं के वर्णन का प्रसंग १८ तक वर्णित हो चुका, पुनः १९ के बाद फिर उन्हीं का वर्णन उठाना प्रसंगविरुद्ध है । इस कारण भी ये मौलिक नहीं सिद्ध होते ।

दुष्येयुः सर्ववर्णाश्च भिद्येरन्सर्वसेतवः ।
सर्वलोकप्रकोपश्च भवेद्दण्डस्य विभ्रमात् ॥ २४ ॥ (१४)

(सर्ववर्णाः दुष्येयुः) बिना दण्ड के सब वर्ण दूषित (च) और (सर्वसेतवः भिद्येरन्) सब मर्यादाएँ छिन्न-भिन्न हो जायें (दण्डस्य विभ्रमात्) दण्ड के यथावत् न होने से (सर्वलोकप्रकोपः भवेत्) सब लोगों का प्रकोप [=आक्रोश] हो जावे ॥ २४ ॥ (स० प्र० १४१)

यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापहा ।
प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्साधु पश्यति ॥ २५ ॥ (१५)

(यत्र) जहां (श्यामः लोहिताक्षः पापहा) कृष्णवर्ण, रक्तनेत्र भयंकर पुरुष के समान पापों का नाश करने हारा (दण्डः चरति) दण्ड विचरता है (तत्र प्रजाः न मुह्यन्ति) वहां प्रजा मोह को प्राप्त न हो के आनन्दित होती

हैं (नेता साधु पश्यति चेत्) परन्तु जो दण्ड का चलाने वाला पक्षपातरहित विद्वान् हो तो ॥ २५ ॥ (स० प्र० १४१)

अनुशीलन : **दण्ड का आलंकारिक चित्र**—दण्ड का इस श्लोक में आलंकारिक वर्णन के आधार पर रेखाचित्र प्रस्तुत किया गया है। जैसे कोई काले रंग का और क्रोधयुक्त लाल आंखों वाला व्यक्ति भयकारी प्रतीत होता है, उसी प्रकार दण्ड भी भयकारक है, और अपराधियों-पापियों को क्रोधाग्नि में जला देने वाला होता है। उसके भयंकर रूप का ध्यान करके ही प्रजाएं अपने कर्त्तव्यों में प्रमाद नहीं करतीं। किन्तु वह तब है जब राजा पक्षपातरहित होकर अपराधियों को न्यायानुसार और अवश्य दण्डित करे।

दण्ड देने का अधिकारी राजा कौन—

तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्।
समीक्ष्यकारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थकोविदम् ॥ २६ ॥ (१६)

(तस्य संप्रणेतारं राजानम् आहुः) उस दण्ड को अच्छे प्रकार चलाने हारे उस राजा को कहते हैं कि (सत्यवादिनं समीक्ष्यकारिणम्) जो सत्यवादी, विचार ही करके कार्य का कर्त्ता (प्राज्ञम्) बुद्धिमान् विद्वान् (धर्म-काम-अर्थ-कोविदम्) धर्म, काम और अर्थ का यथावत् जानने हारा हो ॥२६॥ (सं० वि० १५२)

"जो उस दण्ड का चलाने वाला सत्यवादी, विचार के करने हारा, बुद्धिमान्, धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि करने में पण्डित राजा है, उसी को उस दण्ड का चलाने हारा विद्वान् लोग कहते हैं"। (स० प्र० १४२)

अनुशीलन : **धर्म, अर्थ और काम का स्वरूप**—धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष का शास्त्रों में बहुशः वर्णन आता है। यहां इन्हें कुछ विस्तार से स्पष्ट करना लाभप्रद रहेगा। इन्हें 'पुरुषार्थचतुष्टय' के नाम से भी जाना जाता है। धर्म-अर्थ-काम के वर्ग को 'त्रिवर्ग' कहते हैं।

(१) **धर्म का स्वरूप**—'धारणात् धर्मः' 'ध्रियते अनेन लोकः इति' व्युत्पत्तियों के अनुसार प्रत्येक धारण किया जाने वाले सदाचरण, श्रेष्ठ विधान या समाज-व्यवस्था को धर्म कहा जाता है। मनुस्मृतिकार मुख्यरूप से "यतो अभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः" (वैशे० १।१।२) अर्थात् जिसके आचरण करने से उत्तम सुख, आत्मिक-मानसिक-शारीरिक त्रिविध उन्नति और मोक्षसुख की प्राप्ति हो, उसको धर्म मानते हैं। विभिन्न श्लोकों में मनु ने इन मान्यताओं को स्पष्ट किया है [४। २३८, २३९, १५६, २४२, १७५, २२७ ॥६।९२॥ २।६ (१।१२८)] आदि। इस सम्बन्धी विस्तृत विवेचन १।२ की समीक्षा में देखिए।

(२) **काम**—कामनाओं की पूर्ति, कामविकारों की शान्ति, (जो धर्मपूर्वक हो)

(३) **अर्थ**—धन और सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, (जो धर्मपूर्वक हो)

(४) **मोक्ष**—जन्म-मरण के बन्धन से छुटकारा पाकर मुक्ति की स्थिति में रहना।

धर्म प्रत्येक स्थिति में स्वीकार्य और पालनीय होता है और मोक्षप्राप्ति भी सबका परम उद्देश्य है, किन्तु काम और अर्थ के विषय में छूट नहीं है, अपितु मनु ने उन्हें सीमित और विहितरूप में ही ग्राह्य माना है। वे ही अर्थ और काम ग्राह्य हैं जो धर्मानुकूल हैं, अन्य त्याज्य हैं—

(क) **"परित्येजदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ"**। ४। १७६॥

=धर्म से रहित अर्थ और काम असेवनीय हैं।

(ख) **"अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते।"** [१। १३२ (२। १३)]

=अर्थ और काम में आसक्ति न रखने वाले व्यक्ति को ही धर्म का ज्ञान एवं सिद्धि प्राप्त होती है।

(ग) अर्थसिद्धि के नियम—

नेहेतार्थान् प्रसंगेन न विरुद्धेन कर्मणा।
न विद्यमानेष्वर्थेषु नात्यर्थमपि यतस्ततः॥ ४। १५॥

(घ) कामसिद्धि की सीमाएं—

इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः।
अतिप्रसक्तिं चैतेषां मनसा संनिवर्तयेत्॥ ४। १६॥

धर्मानुकूल काम और अर्थ कौनसे हैं, इसकी मनु ने विभिन्न स्थानों पर चर्चा भी की है। अन्यत्र भी इस प्रकार की सीमाएं विहित हैं—

(ङ) काम-संतुष्टि के विषय में मनु ने प्रत्येक मनुष्य और राजा को जितेन्द्रिय रहते हुए कामसेवन का विधान किया है [७। ४४]। ऋतुकालाभिगामी होने का निर्देश है। ऐसे नियम का पालन करने वाला ब्रह्मचारी ही होता है [३। ४५, ५०]। अति-कामासक्ति का निषेध है, क्योंकि वह हानिकारक है [७। २७, ४८]। एक सीमा में ही कामसिद्धि होनी चाहिए।

(च) इसी प्रकार धन-ऐश्वर्य की प्राप्ति भी धर्मपूर्वक ही रखनी चाहिए। इस विषय में लालची न होने का निर्देश है [७। ४६], क्योंकि अर्थलालची व्यक्ति के धर्म आदि सब समूल नष्ट हो जाते हैं। अर्थ-शुचिता को मनु ने जीवन में आवश्यक माना है [५। १०६]। इसीलिए अर्थप्राप्ति के लिए साधारण व्यक्तियों की भी सीमा बांधी है, और कहा है कि वह संतोषपूर्वक दूसरे प्राणियों को किसी प्रकार की पीड़ा न पहुंचाते

हुए अर्थप्राप्ति करें [४। २, ३, ११, १२]। राजाओं के लिए भी अर्थसंग्रह के लिए समुचित निर्देश ७। १२७-१२९, १३९; ९। ३०५ में दिये हैं।

इन धर्मादि की सिद्धि के आवश्यक नियमों-विधानों के ज्ञाता को और तदनुसार आचरण करने वाले को 'धर्मकामार्थकोविद' कहा जाता है। इनकी प्राप्ति करना मनुष्य-जीवन का उद्देश्य है, और इनकी सिद्धि होना मनुष्य जीवन की सफलता और सुख का प्रतीक माना जाता है।

अन्यायपूर्वक दण्डप्रयोग राजा का विनाशक—

तं राजा प्रणयन्सम्यक् त्रिवर्गेणाभिवर्धते।
कामात्मा विषमः क्षुद्रो दण्डेनैव निहन्यते ॥ २७ ॥ (१७)

(तं सम्यक् राजा प्रणयन्) जो दण्ड को अच्छे प्रकार राजा चलाता है (त्रिवर्गेण+अभिवर्द्धते) वह धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि को बढ़ाता है और जो (कामात्मा) विषय में लंपट (विषमः) टेढ़ा, ईर्ष्या करने हारा (क्षुद्रः) क्षुद्र नीचबुद्धि न्यायाधीश राजा होता है (दण्डेन+एव निहन्यते) वह दण्ड से ही मारा जाता है ॥ २७ ॥ स० प्र० १४२)

अनुशीलन : **'विषमः' का अभिप्राय**—'विषमः' से इस श्लोक में 'न्याय में ईर्ष्या आदि के कारण असमान बर्ताव अर्थात् पक्षपात' करने से अभिप्राय है। पक्षपातयुक्त दण्डव्यवस्था होने से राजा का विनाश हो जाता है।

दण्डो हि सुमहत्तेजो दुर्धरश्चाकृतात्मभिः।
धर्माद्विचलितं हन्ति नृपमेव सबान्धवम् ॥ २८ ॥ (१८)

(दण्डः हि सुमहत् तेजः) दण्ड बड़ा तेजोमय है (अकृतात्मभिः दुर्धरः) उसको अविद्वान् अधर्मात्मा धारण नहीं कर सकता (धर्मात् विचलितं नृपम्+एव) तब वह दण्ड धर्म से रहित राजा ही का ❀ (हन्ति) नाश कर देता है ॥ २८ ॥ (स० प्र० १४२)

❀ (सबान्धवम्) कुलसहित.....

ततो दुर्गं च राष्ट्रं च लोकं च सचराचरम्।
अन्तरिक्षगतांश्चैव मुनीन्देवांश्च पीडयेत् ॥ २९ ॥

(ततः) उसके बाद वह दण्ड (दुर्गं राष्ट्रं च सचराचरं लोकम्) किला, देश और चराचर जगत् को (च) तथा (अन्तरिक्षगतान् मुनीन् च देवान्) अन्तरिक्ष में रहने वाले मुनियों और देवों को (पीडयेत्) नष्ट कर देता है ॥ २९ ॥

अनुशीलन : २९ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. **प्रसंगविरोध**—(१) पूर्वापर श्लोकों में राजा द्वारा प्रजा को दिये जाने वाले दण्ड की चर्चा है। २९ वें श्लोक में राजा से असम्बद्ध दण्ड का वर्णन पूर्वापर चर्चा से भिन्न होने के कारण प्रसंगविरुद्ध है। (२) श्लोकों में प्रयुक्त पदों से भी २८ और ३० श्लोकों की ही परस्परसम्बद्धता सिद्ध होती है। २८ वें में "**दण्डो हि सुमहत् तेजः**" प्रयोग है, तदनुसार ३० वें में "**सः असहायेन**·····" का प्रयोग है। बीच में २९ वें श्लोक ने इस भाषा की सम्बद्धता को भी भंग कर दिया है, और उसके "**तत**·····**पीडयेत्**" से ३० वें के प्रयोग का सम्बन्ध भी नहीं जुड़ता।

२. **विषयविरोध**—चराचर के पदार्थों पर दण्ड का प्रभाव राजा के विषयान्तर्गत नहीं है, यह ईश्वरीय दण्ड के प्रभाव का वर्णन विषय-विरुद्ध है (विस्तृत समीक्षा ७। २३ पर 'विषयविरोध' में देखिए)।

सोऽसहायेन मूढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना।
न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥ ३० ॥ (१९)

(असहायेन मूढेन) जो राजा उत्तम सहायरहित, मूढ़ (लुब्धेन) लोभी (अकृतबुद्धिना) जिसने ब्रह्मचर्यादि उत्तम कर्मों से विद्या और बुद्धि की उन्नति नहीं की (विषयेषु सक्तेन) जो विषयों में फंसा हुआ है (सः) उससे वह दण्ड (न्यायतः नेतुं न शक्यः) कभी न्यायपूर्वक नहीं चल सकता ॥३०॥ (सं० वि० १५३)

"क्योंकि जो आप्तपुरुषों के सहाय, विद्या, सुशिक्षा से रहित, विषयों में आसक्त मूढ़ है, वह न्याय से दण्ड को चलाने में समर्थ कभी नहीं हो सकता।" (स० प्र० १४२)

शुचिना सत्यसन्धेन यथाशास्त्रानुसारिणा।
प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥ ३१ ॥ (२०)

और (शुचिना) जो पवित्र (सत्यसन्धेन) सत्याचार और सत्पुरुषों का संगी (यथाशास्त्र+अनुसारिणा) यथावत् नीतिशास्त्र के अनुकूल चलने हारा (सुसहायेन) श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त (धीमता) बुद्धिमान् है (दण्डः प्रणेतुं शक्यते) वही न्यायरूपी दण्ड के चलाने में समर्थ होता है।

"इसलिए जो पवित्र, सत्पुरुषों का संगी, राजनीतिशास्त्र के अनुकूल चलने हारा, धार्मिक पुरुषों के सहाय से युक्त बुद्धिमान् राजा हो, वही इस दण्ड को धारण करके चला सकता है।" (सं० वि० १५३)

स्वराष्ट्रे न्यायवृत्तः स्याद् भृशदण्डश्च शत्रुषु।
सुहृत्स्वजिह्मः स्निग्धेषु ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः ॥ ३२ ॥

(स्वराष्ट्रे न्यायवृत्तः स्यात्) राजा अपने राज्य में न्याय के अनुसार दण्ड का प्रयोग करे (च) और (शत्रुषु भृशदण्डः) शत्रुओं में कठोर दण्ड का प्रयोग करे (स्निग्धेषु सुहृत्सु अजिह्मः) प्रिय मित्रों में सरल व्यवहार करे (ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः) ब्राह्मणों पर क्षमा का व्यवहार रखे ॥ ३२ ॥

अनुशीलन : ३२ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है —

१. **प्रसंगविरोध**—पूर्वापर ३१ और ३३ श्लोकों का प्रसंग राष्ट्र में न्यायानुसार, शास्त्रानुसार दण्ड देने के विधान का तथा उससे लाभप्राप्ति का है। बीच में 'शत्रुओं, मित्रों और ब्राह्मणों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए' यह वर्णन पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध है।

२. **अन्तर्विरोध**—(१) मनु ने राजनीतिशास्त्र के ७-९ अध्यायों में सर्वत्र न्यायानुसार, दण्ड एवं बर्ताव आदि करने का कथन किया है। इस श्लोक में ब्राह्मणों को जो क्षमा करने का कथन है वह उसके विपरीत है, अपितु अपराध करने पर ब्राह्मणों को अधिक दण्ड देने की व्यवस्था है। [८।३०६, ३३५-३३६; ७।१७-१८; ९।२४९, ३०७, ३११ आदि]। इस प्रकार अन्तर्विरोध के कारण यह श्लोक प्रक्षिप्त है। (२) ८। ३४७ से भी इसका स्पष्ट विरोध है, वहां मित्र आदि देखे बिना न्यायानुसार दण्ड और समानदृष्टि रखने का कथन है।

न्यायानुसार दण्डादि देने से राजा की यशोवृद्धि—

एवं वृत्तस्य नृपतेः शिलोञ्छेनापि जीवतः।
विस्तीर्यते यशो लोके तैलबिन्दुरिवाम्भसि ॥ ३३ ॥ (२१)

(एवं वृत्तस्य नृपतेः) इस प्रकार न्यायपूर्वक [१३-३१] दण्ड का व्यवहार करने वाले राजा का (शिलोञ्छेन अपि+जीवतः) शिल-उञ्छ से निर्वाह करने वाले अर्थात् धनहीन राजा का भी (यशः) यश (अम्भसि तैलबिन्दुः इव) जैसे पानी पर डालने से तेल की बूंद चारों ओर फैल जाती है ऐसे (लोके विस्तीर्यते) सम्पूर्ण जगत् में फैल जाता है ॥ ३३ ॥

अनुशीलन : काटने के बाद खेत में पड़ी बालियों को 'शिल' कहते हैं और पड़े रह गये दानों को 'उञ्छ' कहते हैं। 'शिल-उञ्छ से जीना' यह एक मुहावरा है, जिसका अभिप्राय धन या ऐश्वर्यहीन होना है। न्यायानुसार चलने वाला स्वल्प धन-सम्पत्ति वाला राजा भी यश पाता है। ७। १४८ में भी इसी भाव को एक मुहावरे के द्वारा व्यक्त किया है।

न्यायविरुद्ध आचरण से यशोनाश—

अतस्तु विपरीतस्य नृपतेरजितात्मनः।
संक्षिप्यते यशो लोके घृतबिन्दुरिवाम्भसि ॥ ३४ ॥ (२२)

(अतः तु विपरीतस्य) इस व्यवहार से विपरीत चलने वाले अर्थात् न्याय और सावधानीपूर्वक दण्ड का व्यवहार न करने वाले (अजितात्मनः नृपतेः) अजितेन्द्रिय राजा का (यशः) यश (अम्भसि घृतबिन्दुः + इव) जल में पड़े घी के समान (लोके संक्षिप्यते) लोक में कम होता जाता है ॥ ३४ ॥

राजा की नियुक्ति नामक विषय का उपसंहार—

स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषामनुपूर्वशः ।
वर्णानामाश्रमाणां च राजा सृष्टोऽभिरक्षिता ॥ ३५ ॥ (२३)

(स्वे स्वे धर्मे निविष्टानाम्) अपने-अपने धर्मों में संलग्न (अनुपूर्वशः सर्वेषां वर्णानां च आश्रमाणाम्) क्रमशः सब वर्णों और आश्रमों का (राजा अभिरक्षिता सृष्टः) राजा को 'सुरक्षा करने वाले के रूप में' बनाया है अर्थात् राजा के पद पर आसीन व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि वह सब वर्णस्थ और आश्रमस्थ व्यक्तियों को उनके धर्मों में प्रवृत्त रखे। समाज को धर्म अर्थात् नियम-व्यवस्था में चलाने के लिए ही राजा और राज्य की सृष्टि होती है ॥ ३५ ॥

अनुशीलन : राजा वर्णाश्रम धर्मों का रक्षक होना चाहिये—मनु के श्लोक में वर्णित मान्यता को यथावत् ग्रहण करते हुए कौटिल्य ने भी 'वर्ण-आश्रम-धर्मों और मर्यादाओं की रक्षा करना' राजा का प्रमुख कर्त्तव्य बतलाया है—

चतुर्वर्णाश्रमस्यायं लोकस्याचाररक्षणात् ।
नश्यतां सर्वधर्माणां राजधर्मप्रवर्तकः ॥ [प्र० ५६-५७ । अ० १]

राजा की जीवनचर्या और भृत्यों आदि की नियुक्ति सम्बन्धी विधान—

तेन यद्यत्सभृत्येन कर्त्तव्यं रक्षता प्रजाः ।
तत्तद्वोऽहं प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ ३६ ॥ (२४)

(तेन) उस राजा को (सभृत्येन) अपने अमात्य, मन्त्री आदि सहायकों सहित

(अनुपूर्वशः) क्रमशः (यथावत् प्रवक्ष्यामि) ठीक-ठीक कहूंगा— ॥ ३६ ॥

अनुशीलन : भृत्य से अभिप्राय—राजा की ओर से भरण-पोषण की अपेक्षा रखने वाले सभी व्यक्ति भृत्य होते हैं। 'भृत्यः=बिभर्तेः भृ-धातोः क्यप् तक् च'। इस प्रकार अमात्यों, मन्त्रियों से लेकर आधारण सेवक तक सभी कर्मचारी भृत्यवर्ग में आते हैं, द्रष्टव्य ७। २२६ श्लोक। अग्रिम सम्पूर्ण प्रसंग, जिसमें अमात्यों-

मन्त्रियों से लेकर साधारण सेवकादि की नियुक्ति का विधान है, भी इसी अर्थ का द्योतक है। इस विषय में ७। २२६ की समीक्षा भी द्रष्टव्य है।

राजा वेदवेत्ता आचार्यों की मर्यादा में रहे—

ब्राह्मणान्पर्युपासीत प्रातरुत्थाय पार्थिवः।
त्रैविद्यवृद्धान्विदुषस्तिष्ठेत्तेषां च शासने॥ ३७॥ (२५)

(पार्थिवः) राजा (प्रातः+उत्थाय) सबेरे उठकर [७। १४५ में वर्णित दिनचर्या को सम्पन्न करने के बाद] (त्रैविद्यवृद्धान् विदुषः ब्राह्मणान्) ऋक्, साम, यजु रूप त्रयीविद्या [१। २३॥ ११। २६४॥] में बढ़े-चढ़े अर्थात् पारंगत आचार्य, ऋत्विज् आदि [७। ४३॥ ७। ७८] विद्वान् ब्राह्मणों की (परि+उपासीत) अभिवादन आदि से सत्कार एवं शिक्षा के लिए संगति करे (च) और (तेषाम्) उन शिक्षक विद्वानों के (शासने तिष्ठेत्) निर्देशन और मर्यादा में अपना जीवन रखे॥ ३७॥

अनुशीलन : **राजा की जीवनचर्या और दिनचर्या**—(१) राजा के सम्पूर्ण जीवन के लिए जो विधान हैं, वे जीवनचर्या के अन्तर्गत आते हैं। ये विधान दैनन्दिन न होकर जीवन में आवश्यकतानुसार पालन किये जाते हैं। इस ७। ३७ श्लोक से लेकर ९। ३२५ तक इनका वर्णन है। ७। १४५-२२६ तक राजा की दैनिकचर्या का वर्णन है, जो विषय की दृष्टि से जीवनचर्या के अन्तर्गत आ जाती है [द्रष्टव्य ७। १४५ की समीक्षा]। वहां प्रतिदिन पालनीय कर्त्तव्य विहित हैं।

(२) **श्लोकार्थ पर विचार**—यहां यह विधान जीवनचर्या की दृष्टि से किया गया है। अतः उसी दृष्टि से प्रातः विद्वानों से शिक्षा ग्रहण करने का कथन है। किन्तु इसकी व्याख्या ७। १४५ की सहायता से पूर्ण होगी। वहां प्रथम पहर में उठकर पहले राजा को सन्ध्या, अग्निहोत्रादि आवश्यक दिनचर्या करने का विधान है, पुनः विद्वानों की सङ्गति का कथन है। इस प्रकार यहां उस श्लोक के अनुसार अर्थ लगाया गया है, जो मनुसम्मत है।

(३) **राजा की जीवनचर्या और कौटिलीय अर्थशास्त्र**—यद्यपि कौटिलीय अर्थशास्त्र में अन्य शास्त्रों के सार ग्रहण के साथ-साथ स्वतन्त्र चिन्तन भी है, किन्तु उसमें [illegible] का प्रमुख आधार मनु का शास्त्र रहा है। उसमें प्रथम प्रकरण के प्रथम तीन अध्यायों में वर्णाश्रम धर्मों का वर्णन और दण्ड की महिमा का कथन है। पुनः राजा की जीवनचर्या आदि का मनुस्मृति क्रम से उल्लेख है। वहां राजा की जीवनचर्या का कथन करते हुए कौटिल्य ने इन बातों पर निम्न प्रकार प्रकाश डाला है—"**वृद्धसंयोगेन प्रज्ञाम्**" [प्र० ३। अ० ६]।

"**मर्यादां स्थापयेदाचार्यानमात्यान् वा। य एनमपायस्थानेभ्यो वारयेयुः।**
[प्र० ३। अ० ६]

"पुरोहितम्·····कुर्वीत । तमाचार्यं शिष्यः, पितरं पुत्रो, भृत्यः स्वामिनमिव चानुवर्तेत" [प्र० ४ । अ० ८]।

अर्थात् विद्वान् पुरुषों की संगति में रहकर बुद्धि का विकास करे। आचार्य आदि गुरुजन और अमात्यवर्ग राजा की मर्यादा को निर्धारित करें। वे ही राजा को गलत कामों से रोकते रहें। जैसे आचार्य के निर्देशन में शिष्य, पिता के निर्देशन में पुत्र, स्वामी के निर्देशन में भृत्य चलता है, उसी प्रकार अपने ऋत्विक् के निर्देशन में राजा चले।

राजा शिक्षक वेदवेत्ताओं का आदर-सत्कार करे—

वृद्धांश्च नित्यं सेवेत विप्रान्वेदविदः शुचीन्।
वृद्धसेवी हि सततं रक्षोभिरपि पूज्यते ॥ ३८ ॥ (२६)

(च) और उन (शुचीन्) शुद्ध हृदयवाले (वेदविदः) वेद के ज्ञाता (वृद्धान् विप्रान्) ज्ञानतपस्या में बढ़े-चढ़े ब्राह्मणों की (नित्यं सेवेत) प्रतिदिन सेवा अर्थात् आदर-सत्कार करे (हि) क्योंकि (सततं वृद्धसेवी) सदैव ज्ञान आदि से बढ़े-चढ़े विद्वानों की सेवा करने वाला राजा (रक्षोभिः+अपि पूज्यते) राक्षसों द्वारा भी पूजा जाता है। अर्थात् मर्यादाओं-व्यवस्थाओं को भंग करने वाले पापकर्मकारी राक्षस भी उस राजा से भयभीत होकर वश में रहते हैं, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है! वे तो स्वतः वशीभूत रहेंगे। ३८ ॥

राजा वेदवेत्ताओं से अनुशासन की शिक्षा ले—

तेभ्योऽधिगच्छेद्विनयं विनीतात्मापि नित्यशः।
विनीतात्मा हि नृपतिर्न विनश्यति कर्हिचित् ॥ ३९ ॥ (२७)

(विनीत+आत्मा+अपि) विनयी अर्थात् अनुशासन-मर्यादाओं में रहने के स्वभाव वाला होते हुए भी राजा (तेभ्यः) उन [७ । ३७-३८] वेदवेत्ता गुरुजनों से (नित्यशः) प्रतिदिन (विनयम् अधिगच्छेत्) अनुशासन और मर्यादा की शिक्षा ग्रहण करे (हि) क्योंकि (विनीत+आत्मा नृपतिः) अनुशासन में रहने के स्वभाव वाला राजा (कर्हिचित् न विनश्यति) [स्वच्छन्द या उद्धत होकर अनर्थकारी कार्य न करने के कारण] कभी विनाश को प्राप्त नहीं करता ॥ ३९ ॥

अनुशीलन : राजा के अनुशासन-विषय में कौटिल्य का मत—आचार्य कौटिल्य ने इस विषय पर प्रकाश डालते हुए लिखा है—

(क) "विद्याविनीतो राजा हि प्रजानां विनये रतः।
अनन्यां पृथिवीं भुङ्क्ते सर्वभूतहिते रतः ॥" [प्र० २ । अ० ४]

अर्थात्-विद्यावान् और अनुशासन-मर्यादा में रहने वाला तथा प्रजाओं के हित में तत्पर राजा ही सम्पूर्ण पृथिवी का उपभोग करता है।

(ख) "**इन्द्रियजयस्य मूलं विनयः। विनयस्य मूलं वृद्धोपसेवा। वृद्धोपसेवाया विज्ञानम्।**" [चाण० सू० ५-७]

=इन्द्रियजय का मूल विनय अर्थात् अनुशासनबद्ध रहना है। अनुशासन का मूल वृद्धों की संगति और सेवा है और वृद्ध=पारंगत विद्वानों की संगति का मूल विशिष्ट ज्ञानार्जन करना है।

(ग) "**अविनीतस्वामिलाभात् अस्वामिलाभः श्रेयान्।**" [चा० सू० १४]

=विनयहीन=अनुशासन या मर्यादा में न रहने के स्वभाव वाले राजा की प्राप्ति की अपेक्षा राजा का न होना ही श्रेयस्कर है।

अनुशासनविहीन राजाओं के विनाश के उदाहरण—

बहवोऽविनयान्नष्टा राजानः सपरिच्छदाः।
वनस्था अपि राज्यानि विनयात्प्रतिपेदिरे॥ ४०॥

(अविनयात्) अनुशासित स्वभाव न होने के कारण (बहवः राजानः) बहुत से राजा (सपरिच्छदाः नष्टाः) कुल सहित विनष्ट हो गये, और (विनयात्) अनुशासित होने के कारण (वनस्थाः+अपि) वन में रहने वाले लोगों ने भी (राज्यानि प्रतिपेदिरे) राज्य प्राप्त कर लिये॥ ४०॥

वेनो विनष्टोऽविनयान्नहुषश्चैव पार्थिवः।
सुदासः पैजवनश्चैव सुमुखो निमिरेव च॥ ४१॥

(अविनयात्) अविनम्र=अनुशासनविहीन होने के कारण (वेनः) वेन (च) और (पार्थिवः नहुषः) राजा नहुष (विनष्टः) नष्ट हो गया (च) और (पैजवनः सुदासः सुमुखः च निमिः एव) पिजवन के पुत्र सुदास, सुमुख और नेमि नामक राजा भी नष्ट हो गये॥ ४१॥

अनुशासनप्रिय राजाओं की समृद्धि के उदाहरण—

पृथुस्तु विनयाद्राज्यं प्राप्तवान्मनुरेव च।
कुबेरश्च धनैश्वर्यं ब्राह्मण्यं चैव गाधिजः॥ ४२॥

(तु) और (विनयात्) विनम्रता के=अनुशासित आचरण के कारण (पृथुः च मनुः एव राज्यं प्राप्तवान्) पृथु और मनु ने राज्य प्राप्त किया (च) तथा (कुबेरः धन-ऐश्वर्यम्) कुबेर ने धन-ऐश्वर्य को (च) और (गाधिजः) गाधि के पुत्र विश्वामित्र ने (ब्राह्मण्यम् एव) ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया॥ ४२॥

अनुशीलन : ४०-४२ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. **शैलीगत आधार**—४०-४२ श्लोकों का यह एक प्रसंग है, जिसमें अविनय से राजाओं का विनाश और विनय से कुछ राजाओं की समृद्धि उदाहरणपूर्वक वर्णित हैं। ४२ वें श्लोक में मनु का भी उल्लेख है। स्पष्टतः यह मनु से भिन्न किसी अन्य की रचना है, जो परवर्ती होने से प्रक्षिप्त है। अन्य श्लोक इससे प्रसंग की दृष्टि से सम्बद्ध होने के कारण स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं।

राजा विद्वानों से विद्याएं ग्रहण करे—

त्रैविद्येभ्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीतिं च शाश्वतीम्।
आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वार्तारम्भांश्च लोकतः ॥४३॥(२८)

राजा और राजसभा के सभासद् तब हो सकते हैं कि जब वे (त्रैविद्येभ्यः) चारों वेदों की कर्म, उपासना, ज्ञान विद्याओं के जानने वालों से (त्रयीविद्याम्) तीनों विद्या (शाश्वतीं दण्डनीतिम्) सनातन दण्डनीति (आन्वीक्षिकीम्) न्यायविद्या (आत्मविद्याम्) आत्मविद्या अर्थात् परमात्मा के गुण-कर्म-स्वभावरूप को यथावत् जानने रूप ब्रह्मविद्या (च) और (लोकतः वार्तारम्भान्) लोक से वार्ताओं का आरम्भ (कहना और सुनना) सीखकर—सभासद् या सभापति हो सकें ॥ ४३ ॥ (स० प्र० १४४)

अनुशीलन : (१) **विद्याग्रहण के सम्बन्ध में कौटिल्य के विचार**—कौटिल्य ने इस मान्यता को स्पष्ट करते हुए लिखा है—

(क) **"वृत्तोपनयनस्त्रयीमान्वीक्षकीं च शिष्टेभ्यः, वार्तासमध्यक्षेभ्यः, दण्डनीतिं वक्तृप्रयोक्तृभ्यः श्रुतादि प्रज्ञोपजायते, प्रज्ञाया योगो, योगादात्मवत्तेति विद्यासामर्थ्यम्।"** [कौ० अर्थ० प्र० २। अ० ४]

=उपनयन के पश्चात् राजा शिष्ट [मनु० १२। १०९] अर्थात् सदाचारी वेदवेत्ताओं से त्रयीविद्या और न्यायविद्या को सीखे। विविध विभागीय अध्यक्षों से व्यापार और वक्ता-प्रयोक्ता विशेषज्ञों से दण्डनीति सीखे। क्योंकि शास्त्रादि श्रवण से बुद्धि का विकास होता है। उससे योग में रुचि और योग से आत्मबल प्राप्त होता है। यही विद्या का सुपरिणाम है।

(ख) **"वृद्धसेवाया विज्ञानम्। विज्ञानेन आत्मानं सम्पादयेत्। सम्पादितात्मा जितात्मा भवति।"** [चाण० सू० ८-९]

=वेदवेत्ता विद्वानों से विशेष विद्याज्ञान प्राप्त करके आत्मा की उन्नति करे। आत्मोन्नति से सम्पन्न ही जितेन्द्रिय हो सकता है।

(२) त्रयीविद्या सम्बन्धी विशेष विस्तृत ज्ञान के लिए द्रष्टव्य हैं १। २३॥ ११। २६४ श्लोक और उनकी समीक्षा।

जितेन्द्रिय राजा ही प्रजाओं को वश में रख सकता है—

इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेद्दिवानिशम् ।
जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजाः ॥ ४४ ॥ (२६)

जब सभासद् और सभापति (इन्द्रियाणां जये समातिष्ठेत्) इन्द्रियों को जीतने अर्थात् अपने वश में रखके सदा धर्म में वर्तें और अधर्म से हटें-हटाए रहें, इसलिए (दिवानिशं योगम्) रात-दिन नियत समय में योगाभ्यास भी करते रहें (हि) क्योंकि (जितेन्द्रियः) जो जितेन्द्रिय कि अपनी इन्द्रियों—जो मन, प्राण और शरीर प्रजा है इसको जीते बिना (प्रजाः वशे स्थापयितुं शक्नोति) बाहर की प्रजा को अपने वश में स्थापन करने को समर्थ कभी नहीं हो सकता ॥ ४४ ॥ (स० प्र० १४४)

अनुशीलन : **कौटिल्य द्वारा इन्द्रियजय पर प्रकाश**=मनु ने इन्द्रिय-जय अर्थात् जितेन्द्रियता को ही प्रधान रूप से राज्यवशीकरण का गुण माना है। राजा की शिक्षा-दीक्षा, अनुशासनाभ्यास आदि सभी बातों का उद्देश्य इन्द्रियजय होता ही है। इन सबका परस्पर सम्बन्ध है, जैसा कि श्लोक ३७, ३६, ४३ में और उनकी समीक्षा में दिखाया जा चुका है। कौटिल्य ने भी मनु के अनुसार इन्द्रियजय को सर्व-प्रमुख महत्त्व दिया है और अपने अर्थशास्त्र तथा सूत्र ग्रन्थ में प्रकाश डाला है—

(क) "**विद्याविनयहेतुरिन्द्रियजयः, कामक्रोधलोभमानमदहर्षत्यागात्कायः। कर्णत्वगक्षिजिह्वाघ्राणेन्द्रियाणां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धेष्वविप्रतिपत्तिरिन्द्रियजयः। शास्त्रानुष्ठानं वा कृत्स्नं हि शास्त्रमिदमिन्द्रियजयः। तद्विरुद्धवृत्तिरवश्येन्द्रियश्चातुरन्तोऽपि राजा सद्यो विनश्यति।**" [कौ० अर्थ० प्र० ३। अ० ५]

"**जितात्मा सर्वार्थैः संयुज्यते।**" [चा० सू० १०]

अर्थात्—विद्या और विनय का हेतु=उद्देश्य इन्द्रियजय है। अतः काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्ष के त्याग से इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। कान, त्वचा, नेत्र, जीभ और नासिका को उनके विषयों—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध में प्रवृत्त न होने देना ही इन्द्रियजय कहलाता है। अथवा संक्षेप में शास्त्रों में प्रतिपादित कर्त्तव्यों के सम्यक् अनुष्ठान को ही इन्द्रियजय कहते हैं। सारे शास्त्रों का मूल कारण इन्द्रियजय है। शास्त्रविहित कर्त्तव्यों के विपरीत आचरण करने वाला इन्द्रियलोलुप राजा सारी पृथिवी का अधिपति होता हुआ भी शीघ्र विनष्ट हो जाता है। जितेन्द्रिय राजा ही समस्त समृद्धियों को प्राप्त करता है।

(२) इन्द्रियजय का मनुप्रोक्त लक्षण २। ७३ [२। ९८] में देखिए।

वेद में भी स्पष्ट कहा है कि राजा जितेन्द्रिय अर्थात् ब्रह्मचारी रहकर ही

तपस्या से राष्ट्र की रक्षा कर सकता है—प्रजाओं को वश में कर सकता है। मनु ने उसी भाव को इस श्लोक में ग्रहण किया है—

"ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं विरक्षति ॥" अथर्व० ११। ५। ४॥

व्यसनों की गणना—

दश कामसमुत्थानि तथाष्टौ क्रोधजानि च।
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥ ४५ ॥ (३०)

दृढ़ोत्साही होकर (दश कामसमुत्थानि च अष्टौ क्रोधजानि) जो काम से दश [७। ४७] और क्रोध से आठ [७। ४८] (व्यसनानि) दुष्ट व्यसन (दुरन्तानि) कि जिनमें फंसा हुआ मनुष्य कठिनता से निकल सके उनको (यत्नेन विवर्जयेत्) प्रयत्न से छोड़ और छुड़ा देवे ॥ ४५ ॥

(स० प्र० १४४)

कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः।
वियुज्यतेऽर्थधर्माभ्यां क्रोधजेष्वात्मनैव तु ॥ ४६ ॥ (३१)

(हि) क्योंकि (महीपतिः) जो राजा (कामजेषु प्रसक्तः) काम से उत्पन्न हुए दश दुष्ट व्यसनों में फंसता है (अर्थ-धर्माभ्यां वियुज्यते) वह अर्थ अर्थात् राज्य-धन-आदि और धर्म से रहित हो जाता है। (तु) और (क्रोधजेषु) जो क्रोध से उत्पन्न हुए आठ बुरे व्यसनों में फंसता है (आत्मना एव) वह शरीर से भी रहित हो जाता है ॥ ४६ ॥ (स० प्र० १४४)

दश कामज व्यसन—

मृगयाऽक्षो दिवास्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः।
तौर्यत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गणः ॥ ४७ ॥ (३२)

काम से उत्पन्न हुए व्यसन गिनाते हैं·····(मृगया) मृगया [=शिकार] खेलना (अक्षः) अक्ष अर्थात् चोपड़ खेलना, जूआ खेलना आदि (दिवास्वप्नः) दिन में सोना (परिवादः) काम कथा वा दूसरों की निंदा किया करना (स्त्रियः) स्त्रियों का अतिसंग (मदः) मादक द्रव्य अर्थात् मद्य, अफीम, भांग, गांजा, चरस आदि का सेवन (तौर्य-त्रिकम्) गाना, बजाना, नाचना व नाच कराना सुनना और देखना [ये तीन बातें] (वृथाट्या) वृथा इधर-उधर घूमते रहना (दशक कामजः गणः) ये दश कामोत्पन्न व्यसन हैं ॥ ४७ ॥ (स० प्र० १४४)

अनुशीलन : 'तौर्यत्रिकम्', 'मृगया', 'स्त्रियः' शब्दों पर विशेष

विचार—(१) तूर्य=तुरही या वाद्य को कहते हैं, त्रिकम्—नाचना, गाना, बजाना इन तीन क्रियाओं के समूह को कहा जाता है। इस प्रकार तौर्यत्रिकम् का अर्थ 'वाद्यों के साथ नाचना, गाना, बजाना' होता है। (२) 'स्त्रियः' बहुवचन [७। ५० में भी] के प्रयोग से मनु अपनी उस मान्यता की ओर संकेत तथा उसकी पुष्टि कररहे हैं कि राजा को भी एक से अधिक स्त्रियों का सेवन नहीं करना चाहिए। एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए। (३) ("मृगं याति अनया सा मृगया, घञर्थे कः") पशुओं का पीछा करना अर्थात् शिकार करने की क्रिया।

क्रोधज आठ व्यसन—

पैशुन्यं साहसं द्रोह ईर्ष्यासूयार्थदूषणम्।
वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः॥ ४८॥ (३३)

क्रोध से उत्पन्न व्यसनों को गिनाते हैं—(पैशुन्यम्) पैशुन्य अर्थात् चुगली करना (साहसम्) बिना विचारे बलात्कार से किसी स्त्री से बुरा काम करना (द्रोहः) द्रोह रखना (ईर्ष्यां) ईर्ष्या अर्थात् दूसरे की बड़ाई वा उन्नति देखकर जला करना (असूया) असूया—दोषों में गुण गुणों में दोषारोपण करना (अर्थदूषणम्) अर्थदूषण अर्थात् अधर्मयुक्त बुरे कामों में धन आदि का व्यय करना (वाग् दण्डजम्) कठोर वचन बोलना और बिना अपराध के कड़ा वचन (च) वा (पारुष्यम्) विशेष दण्ड देना (अष्टकः-क्रोधजः+अपि गणः) ये आठ दुर्गुण क्रोध से उत्पन्न होते हैं॥ ४८॥

(स० प्र० १४४)

सभी व्यसनों का मूल लोभ—

द्वयोरप्येतयोर्मूलं यं सर्वे कवयो विदुः।
तं यत्नेन जयेल्लोभं तज्जावेतावुभौ गणौ॥ ४९॥ (३४)

और (एतयोः द्वयोः+अपि मूलं यं लोभम्) जो इन कामज और क्रोधज अठारह दोषों के मूल जिस लोभ को (सर्वे कवयः विदुः) सब विद्वान् लोग जानते हैं (तं यत्नेन जयेत्) उसको प्रयत्न से राजा जीते क्योंकि (तत्+जौ+एतौ+उभौ गणौ) लोभ ही से पूर्वोक्त अठारह और अन्य दोष भी बहुत से होते हैं॥ ४९॥ (सं० वि० १५३)

"जो सब विद्वान् लोग कामज और क्रोधजों का मूल जानते हैं कि जिससे ये सब दुर्गुण मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उस लोभ को प्रयत्न से छोड़े"। (स० प्र० १४५)

कामज और क्रोधज व्यसनों में अधिक कष्टदायक व्यसन—

पानमक्षाः स्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रमम्।
एतत्कष्टतमं विद्याच्चतुष्कं कामजे गणे॥ ५०॥ (३५)

(कामजे गणे) काम के व्यसनों में बड़े दुर्गुण, एक (पानम्) मद्य आदि अर्थात् मदकारक द्रव्यों का सेवन, दूसरा—(अक्षाः) पासों आदि से जूआ खेलना, तीसरा—(स्त्रियः एव) स्त्रियों का विशेष सङ्ग, चौथा—(मृगया) मृगया [=शिकार] खेलना (एतत्) ये ※(चतुष्कं कष्टतमं विद्यात्) चार महादुष्ट व्यसन हैं॥ ५०॥ (स० प्र० १४५)

※ (यथाक्रमम्) क्रम से पूर्व-पूर्व के अधिकाधिक·····

दण्डस्य पातनं चैव वाक्पारुष्यार्थदूषणे।
क्रोधजेऽपि गणे विद्यात्कष्टमेतत्त्रिकं सदा॥ ५१॥ (३६)

(च) और (क्रोधजे+अपि गणे) क्रोधजों में (दण्डस्य पातनम्) बिना अपराध दण्ड देना (वाक् पारुष्य+अर्थदूषणे) कठोर वचन बोलना और धन आदि का अन्याय में खर्च करना (एतत्-त्रिकं सदा कष्टं) ये तीन क्रोध से उत्पन्न हुए बड़े दुःखदायक दोष हैं+॥ ५१॥ (स० प्र० १४५)
+ (विद्यात्) ऐसा जाने।

सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रैवानुषङ्गिणः।
पूर्वं पूर्वं गुरुतरं विद्याद्व्यसनमात्मवान्॥ ५२॥ (३७)

(अस्य सप्तकस्य वर्गस्य) इस [५०-५१ में वर्णित] सात प्रकार के दुर्गुणों के वर्ग में (सर्वत्र+एव+अनुषङ्गिणः) जो सब स्थानों पर सब मनुष्यों में पाये जाते हैं (आत्मवान्) आत्मा की उन्नति चाहने वाला राजा (पूर्वं पूर्वं व्यसनं गुरुतरं विद्यात्) पहले-पहले व्यसन को अधिक कष्टप्रद समझे॥ ५२॥

"जो ये सात दुर्गुण दोनों कामज और क्रोधज दोषों में गिने हैं, इनमें से पूर्व-पूर्व अर्थात् व्यर्थ व्यय से कठोर वचन, कठोर वचन से अन्याय से दंड देना, इससे मृगया खेलना, इससे स्त्रियों का अत्यन्त सङ्ग, इससे जूआ अर्थात् द्यूत करना और इससे भी मद्यादि सेवन करना बड़ा दुष्ट व्यसन है"॥ (स० प्र० १४५)

व्यसन मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी—

व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते।
व्यसन्यधोऽधो व्रजति स्वर्यात्यव्यसनी मृतः॥ ५३॥ (३८)

(व्यसनस्य च मृत्योः च) व्यसन और मृत्यु में (व्यसनं कष्टम्+उच्यते) व्यसन को ही अधिक कष्टदायक कहा गया है, क्योंकि (व्यसनी) व्यसन में फंसा रहने वाला व्यक्ति (अधः अधः याति) दिन-प्रतिदिन दुर्गुणों और कष्टों में गिरता ही जाता है या अवनति को ही प्राप्त होता जाता है, किन्तु (अव्यसनी) व्यसन से रहित व्यक्ति (मृतः) मरकर भी (स्वर्याति) स्वर्ग=सुख को प्राप्त करता है अर्थात् उसे परजन्म में सुख मिलता है ॥५३॥

"इसमें यह निश्चय है कि दुष्ट व्यसन में फंसने से मर जाना अच्छा है क्योंकि जो दुष्टाचारी पुरुष है वह अधिक जियेगा तो अधिक-अधिक पाप करके नीच-नीच गति अर्थात् अधिक-अधिक दुःख को प्राप्त होता जायेगा और जो किसी व्यसन में नहीं फंसा वह मर भी जायेगा तो भी सुख को प्राप्त होता जायेगा। इसलिए विशेष राजा को और सब मनुष्यों को उचित है कि कभी मृगया और मद्यपान आदि दुष्टकामों में न फंसे और दुष्ट व्यसनों से पृथक् होकर धर्मयुक्त, गुण-कर्म-स्वभावों में सदा वर्तके अच्छे-अच्छे काम किया करें" (स० प्र० १४६)

मन्त्रियों की नियुक्ति—

मौलाञ्छास्त्रविदः शूरांल्लब्धलक्षान्कुलोद्भवान्।
सचिवान्सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान् ॥५४॥(३९)

(मौलान्) स्वराज्य-स्वदेश में उत्पन्न हुए (शास्त्रविदः) वेदादि शास्त्रों के जानने वाले (शूरान्) शूरवीर (लब्धलक्षान्) जिनके लक्ष्य और विचार निष्फल न हों, और (कुलोद्गतान्) कुलीन (परीक्षितान्) अच्छे प्रकार सुपरीक्षित (सप्त वा अष्टौ) सात वा आठ (सचिवान्) उत्तम, धार्मिक, चतुर मन्त्री (प्रकुर्वीत) करे ॥ ५४ ॥ (स० प्र० १४६)

"और जो अपने राज्य में उत्पन्न, शास्त्रों के जानने हारे, शूरवीर, जिनका विचार निष्फल न होवे, कुलीन, धर्मात्मा, स्वराज्यभक्त हों, उन सात या आठ पुरुषों को अच्छी प्रकार परीक्षा करके मन्त्री करे; और इन्हीं की सभा में आठवां वा नववां राजा हो। ये सब मिलके कर्त्तव्याकर्त्तव्य कामों का विचार किया करें"। (सं० वि० १५४)

"अपने राज्य और देश में उत्पन्न हुए, वेद वा शास्त्रों के जानने वाले, शूरवीर, कवि, गृहस्थ, अनुभवकर्त्ता, सात अथवा आठ धार्मिक बुद्धिमान् मन्त्री राजा को रखने चाहिएँ"। (पू० प्र० १११)

अनुशीलन : **नियुक्ति से पूर्व अमात्यों की परीक्षा विधि**—नियुक्ति से पूर्व अमात्यों की दृढ़ परीक्षा करनी चाहिए। अर्थशास्त्र में आचार्य कौटिल्य ने परीक्षा की प्रकट और गुप्त विधियां बतायी हैं—

(क) **प्रकटविधि**—नियुक्ति से पूर्व राजा प्रामाणिक, सत्यवादी एवं आप्तपुरुषों के द्वारा उनके निवासस्थान और उनकी आर्थिक स्थिति की जानकारी करे। सहपाठियों के माध्यम से उनकी योग्यता तथा शास्त्रीय प्रतिभा की, नये-नये कार्य सौंपकर उनकी बुद्धि, स्मृति और चतुरता की, व्याख्यानों एवं सभाओं द्वारा उनकी वाक्पटुता, प्रगल्भता और प्रतिभा की; आपत्ति प्रस्तुत करके उनके उत्साह, प्रभाव और सहनशक्ति की; व्यवहार से उनकी पवित्रता, मित्रता एवं दृढ़ स्वामिभक्ति की; सहवासियों एवं पड़ोसियों के माध्यम से उनके शील, बल, स्वास्थ्य, गौरव, अप्रमाद तथा स्थिरवृत्ति की जानकारी करे। उनके मधुरभाषी स्वभाव तथा द्वेषरहित स्वभाव की परीक्षा राजा स्वयं करे।

[कौ० अर्थ० प्र० ४। अ० ८]❀

(ख) **गुप्तविधि**—(१) धर्मोपधा—गुप्त धार्मिक उपायों से अमात्य के हृदय की पवित्रता की परीक्षा करना। (२) अर्थोपधा—गुप्त आर्थिक लोभ की बातों से, (३) कामोपधा—गुप्त कामसम्बन्धी आकर्षणों से, (४) भयोपधा—गुप्त भय आदि प्रदर्शित करके अमात्यों के हृदय की पवित्रता की परीक्षा करे।

गुप्तचरों द्वारा इतनी परीक्षाएं करने के पश्चात् ही उस व्यक्ति को यथायोग्य अमात्य कार्य पर नियुक्त किया जाना चाहिए।

कौटिल्य का मत है कि धर्मपरीक्षा में पवित्र सिद्ध अमात्यों को न्यायालय में, अर्थपरीक्षा में पवित्र को करसंग्रह और कोषसंरक्षण में, कामपरीक्षा में पवित्र को अन्तःपुर और विलासस्थानों में, तथा भयपरीक्षा में पवित्र को अङ्गरक्षक के रूप में नियुक्त करना चाहिए [कौ० अर्थ० प्र० ५। अ० ६]। ❀

❀ "तेषां जनपदमवग्रहं चाप्यतः परीक्षेत। समानविद्येभ्यः शिल्पं, शास्त्रचक्षुष्मतां च, कर्मारम्भेषु प्रज्ञां धारणिष्णुतां दाक्ष्यं च, कथायोगेषु वाग्मित्वं प्रागल्भ्यं प्रतिभानवत्त्वं च, आपद्युत्साहप्रभावौ क्लेशसहत्वं च, संव्यवहाराच्छौचं मैत्रतां दृढभक्तित्वं च, संवासिभ्यः शीलबलारोग्यसत्त्वयोगम्-अस्तब्धम्-अचापल्यं च, प्रत्यक्षतः संप्रियत्वम्-अवैरित्वं च।" [प्र० ४। अ० ८]

❀ "मन्त्रिपुरोहितसखः सामान्येष्वधिकरणेषु स्थापयित्वा अमात्यानुपधाभिः शोधयेत्। ·····तत्र धर्मोपधाशुद्धान् धर्मस्थीयकण्टकशोधनेषु स्थापयेत्, अर्थोपधाशुद्धान् समाहर्तृ-सन्निधातृ-निचयकर्मसु, कामोपधाशुद्धान् बाह्याभ्यन्तरविहाररक्षासु, भयोपधाशुद्धान् आसन्नकार्येषु राज्ञः। सर्वोपधाशुद्धान् मन्त्रिणः कुर्यात्। सर्वत्राशुचीन् खनिद्रव्यहस्तिवनकर्मान्तेषूपयोजयेत्।"

राजा को सहायकों की आवश्यकता में कारण—

अपि यत्सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम्।
विशेषतोऽसहायेन किंतु राज्यं महोदयम्॥ ५५॥ (४०)

(अपि) क्योंकि (विशेषतः+असहायेन) विशेष सहाय के बिना (यत् सुकरं कर्म) जो सुगम कर्म है (तत्+अपि) वह भी (एकेन दुष्करम्) एक के करने में कठिन हो जाता है (किन्तु) जब ऐसा है तो (महोदयं राज्यम्) महान् राज्य-कर्म एक से कैसे हो सकता है? इसलिए एक को राजा और एक की बुद्धि पर राज्य के कार्य्य को निर्भर रखना बहुत ही बुरा काम है॥ ५५॥ (स० प्र० १४६)

"क्योंकि सहायता बिना लिए साधारण काम भी एक को करना कठिन हो जाता है। फिर बड़े भारी राज्य का काम एक से कैसे हो सकता हैं? इसलिए एक को राजा बनाना और उसी की बुद्धि पर सारे काम का बोझ रखना बुद्धिमत्ता नहीं है"। (पू० प्र० १११)

मन्त्रियों के साथ मन्त्रणा करे—

तैः सार्धं चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिविग्रहम्।
स्थानं समुदयं गुप्तिं लब्धप्रशमनानि च॥५६॥ (४१)

इससे सभापति को उचित है कि (नित्यम्) नित्यप्रति (तैः सार्धम्) उन [७। ५४] राज्यकर्मों में कुशल विद्वान् मन्त्रियों के साथ (सामान्यम्) सामान्य करके किसी से (सन्धि-विग्रहम्) सन्धि=मित्रता, किसी से विग्रह=विरोध, (स्थानम्) स्थित समय को देखकर के चुपचाप रहना, अपने राज्य की रक्षा करके बैठे रहना (समुदयम्) जब अपना उदय अर्थात् वृद्धि हो तब दुष्ट शत्रु पर चढ़ाई करना (गुप्तिम्) मूल राज, सेना, कोश आदि की रक्षा (लब्धप्रशमनानि) जो-जो देश प्राप्त हों उस-उस में शान्ति-स्थापना, उपद्रव-रहित करना (चिन्तयेत्) इन छः गुणों का विचार नित्यप्रति किया करे॥ ५६॥ (स० प्र० १४६)

"महाराजा को उचित है कि मन्त्रियों समेत छः बातों पर विचार करे—१. मित्र, २. शत्रु में चतुरता, ३. अपनी उन्नति, ४. अपना स्थान, ५. शत्रु के आक्रमण से देश की रक्षा, ६. विजय किये हुए देशों की रक्षा, स्वास्थ्य आदि प्रत्येक विषय पर विचार करके यथार्थ निर्णय से जो कुछ अपनी और दूसरों की भलाई की बात विदित हो उसे करना"।

(पू० प्र० १११)

तेषां स्वं स्वमभिप्रायमुपलभ्य पृथक् पृथक्।
समस्तानां च कार्येषु विदध्याद्धितमात्मनः ॥ ५७ ॥ (४२)

(तेषाम्) उन सभासदों का (पृथक्-पृथक् स्वं स्वम्+अभिप्रायम् उपलभ्य) पृथक्-पृथक् अपना-अपना विचार और अभिप्राय को सुनकर (समस्तानां कार्येषु) सभी के द्वारा कथित कार्यों में (आत्मनः हितम्) जो कार्य अपना और अन्य का हितकारक हो (विदध्यात्) वह करने लगना❀ ॥ ५७ ॥ (स० प्र० १४७) (पूना० प्र १११ पर भी)

❀ अर्थात्—वही कार्य करे।

सर्वेषां तु विशिष्टेन ब्राह्मणेन विपश्चिता।
मन्त्रयेत्परमं मन्त्रं राजा षाड्गुण्यसंयुतम् ॥ ५८ ॥

(राजा) राजा (सर्वेषां तु विशिष्टेन विपश्चिता ब्राह्मणेन) सबसे प्रधान विद्वान् ब्राह्मण के साथ (षाड्गुण्यसंयुतम्) सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और आश्रय, इन छः विषयों [७। ५६, १६०] सहित (परमं मन्त्रं मन्त्रयेत्) अत्यन्त गूढ़ मन्त्रणाओं पर विचार करे ॥ ५८ ॥

नित्यं तस्मिन्समाश्वस्तः सर्वकार्याणि निःक्षिपेत्।
तेन सार्धं विनिश्चित्य ततः कर्म समारभेत् ॥ ५९ ॥

और (तस्मिन् नित्यं समाश्वस्तः) उस पर सदा विश्वास रखते हुए (सर्वकार्याणि निःक्षिपेत्) राज्य के सब कामों के भार को सौंप दे, और (तेन सार्धं विनिश्चित्य) उसके साथ ही पहले कोई निर्णय लेकर (ततः कर्म समारभेत्) फिर सब कामों को आरम्भ करे ॥ ५९ ॥

अनुशीलन : ५८—५९ श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—ये दोनों श्लोक पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध हैं। पूर्वापर श्लोकों का प्रसंग आवश्यकतानुसार अनेक मन्त्रियों की नियुक्ति और उन सभी के सहयोग से कार्य चलाने का है। बीच में एक ही ब्राह्मण से मन्त्रणा करना और केवल उसी की सलाह पर कार्य आरम्भ करना आदि वर्णन पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध है। ६० वें श्लोक के "**अन्यानपि प्रकुर्वीत**" पद स्पष्टतः इसे ५४–५७ श्लोकों से सम्बद्ध करता है। इन श्लोकों ने उस सम्बद्धता को भंग कर दिया है।

२. **अन्तर्विरोध**—(१) ५६ वें श्लोक में सन्धि, विग्रह, आदि की मन्त्रणा अनेक मन्त्रियों के साथ करने का स्पष्टतः विधान किया है और उन्हीं की सम्मति लेकर पुनः स्वयं निर्णय लेने का कथन है। इन श्लोकों में एक ब्राह्मण से विशेष मन्त्रणा, उसी पर सब राज्यभार सौंपना, उसी की सलाह से कार्य आरम्भ करना आदि व्यवस्थाएं उक्त

श्लोक के [५५ वें के] विरुद्ध हैं। (२) १४१ और २२६ श्लोकों में केवल रुग्णावस्था में ही अमात्यों पर राज्यभार सौंपने का निर्देश है, प्रतिदिन नहीं। इन श्लोकों में प्रतिदिन एक ही ब्राह्मण को कार्य सौंप देना उसी की सलाह से कार्य करना आदि बातें उनकी व्यवस्था के विरुद्ध हैं। (३) १४६, २१६ और उनके मध्यगत सभी श्लोकों में षाड्गुण्य की मन्त्रणा अनेक मन्त्रियों के साथ मिलकर करने का निर्देश है। इन श्लोकों की व्यवस्था उनके भी विरुद्ध है। इन अन्तर्विरोधों के आधार पर ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

आवश्यकतानुसार अन्य अमात्यों की नियुक्ति—

अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन्प्राज्ञानवस्थितान्।
सम्यगर्थसमाहर्तॄनमात्यान्सुपरीक्षितान् ॥ ६० ॥ (४३)

[आवश्यकता पड़ने पर] (अन्यान् अपि) अन्य भी (शुचीन्) पवित्रात्मा (प्राज्ञान्) बुद्धिमान् (अवस्थितान्) निश्चित बुद्धि (सम्यक्-अर्थ-समाहर्तॄन्) पदार्थों के संग्रह करने में अतिचतुर (सुपरीक्षितान्) सुपरीक्षित (अमात्यान् प्रकुर्वीत) मन्त्री करे ॥ ६० ॥ (स० प्र० १४७)

"इसी प्रकार अन्य भी राज्य और सेना के अधिकारी जितने पुरुषों से राज्यकार्य सिद्ध हो सके उतने ही पवित्र, धार्मिक विद्वान् चतुर, स्थिर बुद्धि पुरुषों को राज्यसामग्री के वर्धक नियत करे।"

(सं० वि० १५४)

यावद्भिरितिकर्तव्यता नृभिः।
तावतोऽतन्द्रितान्दक्षान्प्रकुर्वीत विचक्षणान् ॥ ६१ ॥ (४४)

❀ (यावद्भिः नृभिः इतिकर्त्तव्यता निवर्तेत) जितने मनुष्यों से कार्य्य सिद्ध हो सके (तावतः) उतने (अतन्द्रितान्) आलस्यरहित (दक्षान्) बलवान् और (विचक्षणान्) बड़े-बड़े चतुर प्रधान पुरुषों को (प्रकुर्वीत) अधिकारी अर्थात् नौकर करे ॥ ६१ ॥ (स० प्र० १४७)

❀ (अस्य) इस राजा का.....

अनुशीलन : 'इतिकर्त्तव्यता' का अभिप्राय—यहां 'इति' शब्द 'अथ' का विपरीतार्थक है। इसका अर्थ है 'पूर्णता' या 'समाप्ति'। इस प्रकार 'इतिकर्त्तव्यता' का अर्थ हुआ—'सभी राज्यकार्यों की पूर्णता'। जितने भी अमात्यों या अधिकारियों से राज्यसंचालन के कार्य पूर्णरूप से सम्पन्न हो सकें, उतनों की राजा नियुक्ति करले। पुनः उनके अधीन अन्य सहयोगी अधिकारियों, भृत्यों की नियुक्ति करे। यह अगले श्लोक में **'तेषामर्थे'** पद से उक्त है। अगले श्लोक की इससे वाक्यगत संगति है।

अमात्यों के सहयोगी अधिकारियों की नियुक्ति—

तेषामर्थे नियुञ्जीत शूरान्दक्षान्कुलोद्गतान् ।
शुचीनाकरकर्मान्ते भीरूनन्तर्निवेशने ॥ ६२ ॥ (४५)

[५४-६१ में वर्णित] (तेषाम्+अर्थे) इनके अधीन (शूरान्) शूरवीर (दक्षान्) बलवान् (कुलोद्गतान्) कुलोत्पन्न (शुचीन्) पवित्र भृत्यों को (आकरकर्मान्ते) बड़े-बड़े कर्मों में, और (भीरून्+अन्तर्निवेशने) भीरू= डरने वालों को भीतर के कर्मों में (नियुञ्जीत) नियुक्त करे ॥ ६२ ॥
(स० प्र० १४७)

प्रधान दूत की नियुक्ति—

दूतं चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम् ।
इङ्गिताकारचेष्टज्ञं शुचिं दक्षं कुलोद्गतम् ॥ ६३ ॥ (४६)

(कुलोद्गतम्) जो प्रशंसित कुल में उत्पन्न (दक्षम्) चतुर (शुचिम्) पवित्र (इङ्गित+आकार+चेष्टज्ञम्) हावभाव और चेष्टा से भीतर हृदय और भविष्यत् में होने वाली बात को जानने हारा (सर्वशास्त्रविशारदम्) सब शास्त्रों में विशारद=चतुर है (दूतम् एव प्रकुर्वीत) उस दूत को रक्खे ॥ ६३ ॥
(स० प्र० १४७)

"तथा जो सब शास्त्र में निपुण नेत्रादि के संकेत, स्वरूप तथा चेष्टा से दूसरे के हृदय की बात को जानने हारा, शुद्ध, बड़ा स्मृतिमान्, देश, काल जाननेहारा, सुन्दर, जिसका स्वरूप बड़ा, वक्ता और अपने कुल में मुख्य हो, उस और स्वराज्य और परराज्य के समाचार देने हारे अन्य दूतों को भी नियत करे।" (सं० वि० १५४)

श्रेष्ठ दूत के लक्षण—

अनुरक्तः शुचिर्दक्षः स्मृतिमान्देशकालवित् ।
वपुष्मान्वीतभीर्वाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते ॥ ६४ ॥ (४७)

वह ऐसा हो कि (अनुरक्तः) राज-काम में अत्यन्त उत्साह प्रीतियुक्त (शुचिः) निष्कपटी, पवित्रात्मा (दक्षः) चतुर (स्मृतिमान्) बहुत समय की बात को भी न भूलने वाला (देशकालवित्) देश और कालानुकूल वर्तमान का कर्त्ता (वपुष्मान्) सुन्दररूपयुक्त (वीतभीः) निर्भय, और (वाग्मी) बड़ा वक्ता (राज्ञः दूतः प्रशस्यते) वही राजा का दूत होने में प्रशस्त है ॥ ६४ ॥
(स० प्र० १४७)

अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे वैनयिकी क्रिया ।
नृपतौ कोशराष्ट्रे च दूते संधिविपर्ययौ ॥ ६५ ॥ (४८)

(अमात्ये दण्डः) अमात्य को दण्डाधिकार (दण्डे वैनयिकी क्रिया) दण्ड में विनय=अनुशासित क्रिया अर्थात् जिससे अन्यायरूप दण्ड न होने पावे (नृपतौ कोशराष्ट्रे) राजा के अधीन कोश और राष्ट्र (च) तथा सभा के अधीन सब कार्य, और (दूते संधिविपर्ययौ) दूत के अधीन किसी से मेल वा विरोध करना (आयत्तः) अधिकार देवे ॥ ६५ ॥ (स० प्र० १४८)

अनुशीलन : राजा और अमात्यों के कार्यों का विभाजन—राजा को राष्ट्र और राष्ट्रीय स्तर के कार्यविभाग सेना तथा कोश=खजाना आदि अपने सीधे नियन्त्रण में रखने चाहिएं। अमात्यों को दण्ड-न्याय आदि का अधिकार सौंप देवे और दण्डाधिकारियों को अनुशासन बनाये रखने या शिक्षा व्यवस्था आदि का अधिकार सौंपे। दूत के अधीन संधि और विरोध आदि की नीतियों का निर्धारण होना चाहिए। ये प्रधान अमात्य अपने-अपने विभागों का संचालन करें और राजा से सम्पर्क रखें। इस प्रकार कार्य सुचारु रूप से सम्पन्न होता है।

दूत के कार्य—

दूत एव हि संधत्ते भिनत्त्येव च संहतान् ।
दूतस्तत्कुरुते कर्म भिद्यन्ते येन मानवाः ॥ ६६ ॥ (४९)

(हि) क्योंकि (दूतः एव) दूत ही ऐसा व्यक्ति होता है जो (संधत्ते) शत्रु और अपने राजा का मेल करा देता है (च) और (संहतान् भिनत्ति+एव) मिले हुए शत्रुओं में फूट भी डाल देता है (दूतः तत् कर्म कुरुते) दूत वह काम कर देता है (येन मानवाः भिद्यन्ते) जिससे शत्रुओं के लोगों में भी फूट पड़ जाती है ॥ ६६ ॥

"दूत उसको कहते हैं जो फूट में मेल और मिले हुए दुष्टों को फोड़-तोड़ देवे, दूत वह कर्म करे जिससे शत्रुओं में फूट पड़े।" (स० प्र० १४८)

अनुशीलन : कौटिल्य के अनुसार दूत के कार्य—आचार्य कौटिल्य ने विस्तार से दूत के कार्यों का वर्णन किया है—

प्रेषणं सन्धिपालत्वं प्रतापो मित्रसंग्रहः ।
उपजापः सुहृद्भेदो दण्डगूढातिसारणम् ॥
बन्धुरत्नापहरणं चारज्ञानं पराक्रमः ।
समाप्तिमोक्षः दूतस्य कर्मयोगस्य चाश्रयः ॥ [प्र० ११। अ० १५]

अर्थात्—अपने राजा का संदेश दूसरे राजा के पास ले जाना और उसका

लाना, सन्धिभाव को बनाये रखना, अपने राजा के प्रताप को बनाना, अधिक से अधिक मित्र बनाना, शत्रु के पक्ष के पुरुषों को फोड़ना, शत्रु के मित्रों को उससे विमुख करना, कार्यरत अपने गुप्तचरों अथवा सैनिकों को आपत्ति से पूर्व निकाल लाना, शत्रु के बांधवों और रत्न आदि का अपहरण, शत्रुदेश में कार्यरत अपने गुप्तचरों के कार्य का निरीक्षण, समय पड़ने पर पराक्रम दिखाना, बन्धक रखे शत्रुबान्धवों को शर्त के आधार पर छोड़ना, दोनों राजाओं की भेंट आदि कराना, दूत के कार्य हैं ॥

स विद्यादस्य कृत्येषु निगूढेङ्गितचेष्टितः ।
आकारमिङ्गितं चेष्टां भृत्येषु च चिकीर्षितम् ॥६७॥ (५०)

(सः) वह दूत (अस्य) शत्रु-राजा के (कृत्येषु) असंतुष्ट या विरोधी लोगों में (च) और (भृत्येषु) राजकर्मचारियों में (निगूढ+इङ्गित+चेष्टितैः) गुप्त संकेतों एवं चेष्टाओं से (आकारम्) शत्रु राजा के आकार=भाव (इङ्गितम्) संकेत=हाव (चेष्टाम्) चेष्टा=प्रयत्न को तथा (चिकीर्षितम्) उसके अभिलषित कार्य, उसकी इच्छाओं को (विद्यात्) जाने ॥ ६७ ॥

अनुशीलन : (१) **कृत्य शब्द का राजनीतिपरक अर्थ**—यहां 'कृत्य' शब्द राजनैतिक योगरूढ़ि है। 'कृत्य' उन लोगों को कहते हैं जो, धन, स्त्री सम्पत्ति आदि के लोभ से अपने पक्ष में किये जा सकते हैं। कौटिल्य अर्थ शास्त्र में इनके चार भेद बतलाये हैं—

क्रुद्धलुब्धभीतावमानितस्तु परेषां कृत्याः । [कौ० अर्थ०-प्र० ८।अ० १२]

शत्रु राज्य के जो व्यक्ति अपने राजा पर क्रोध रखते हैं वे 'क्रुद्धकृत्य', जो लालची स्वभाव के हैं वे 'लुब्धकृत्य', जो डर के कारण दबे रहते हैं वे 'भीतकृत्य', और जो राजा से अपमानित किये गये हैं वे 'अपमानितकृत्य' कहलाते हैं। दूत का यह कर्म है कि उपर्युक्त लुब्ध और क्षुब्ध व्यक्तियों और कर्मचारियों से शत्रु राजा के गुप्त रहस्यों को जाने।

(२) **इङ्गित और आकार का अर्थ**—**'इंगितमन्यथावृत्तिः । आकृतिग्रहणमाकारः ।'** [कौ० अर्थ० प्र० १० । अ० १४]=स्वाभाविक क्रियाओं के विपरीत भिन्न चेष्टाएं 'इंगित' कहलाती हैं। चेष्टाओं को प्रकट करने वाले अंगों की आकृति 'आकार' कहलाती है।

बुद्ध्वा सर्वं तत्त्वेन पररा़जचिकीर्षितम् ।
तथा प्रयत्नमातिष्ठेद्यथाऽऽत्मानं न पीडयेत् ॥ ६८ ॥ (५१)

वह सभापति और सब सभासद् वा दूत आदि (तत्त्वेन) यथार्थ से (पररा़जचिकिर्षितम्) दूसरे विरोधी राजा के राज्य का अभिप्राय (बुद्ध्वा)

जानकर (तथा प्रयत्नम्+आतिष्टेत्) वैसा यत्न करे (यथा) कि जिससे (आत्मानं न पीडयेत) अपने को पीड़ा न हो ॥ ६८ ॥ (स० प्र० १४८)

राजा के निवास-योग्य देश—

जाङ्गलं सस्यसंपन्नमार्यप्रायमनाविलम् ।
रम्यमानतसामन्तं स्वाजीव्यं देशमावसेत् ॥ ६९ ॥ (५२)

राजा (जाङ्गलम्) जांगल प्रदेश=जहां उपयुक्त पानी बरसता हो, बाढ़ न आती हो, खुली हवा और सूर्य का पर्याप्त प्रकाश हो, धान्य आदि बहुत उत्पन्न होता हो (सस्यसंपन्नम्) हरा-भरा (आर्यप्रायम्) श्रेष्ठ लोगों का बाहुल्य (अनाविलम्) रोगरहित (रम्यम्) रमणीय (आनतसामन्तम्) विनम्रता का व्यवहार करने वाले निवासी (सु+आजीव्यम्) अच्छी आजीविकाओं से सम्पन्न जो हो (देशम्+आवसेत्) ऐसे देश में निवासस्थान करे ॥ ६९ ॥

छः प्रकार के दुर्ग—

धन्वदुर्गं महीदुर्गमब्दुर्गं वार्क्षमेव वा ।
नृदुर्गं गिरिदुर्गं वा समाश्रित्य वसेत्पुरम् ॥ ७० ॥ (५३)

(धन्वदुर्गम्) धन्वदुर्ग—मरुस्थल में बना किला जहां मरुभूमि के कारण जाना दुर्गम हो (महीदुर्गम्) महीदुर्ग—पृथिवी के अन्दर तहखाने या गुफा के रूप में बना किला या मिट्टी की बड़ी-बड़ी मेढों से घिरा हुआ (अप्+दुर्गम्) जलदुर्ग—जिसके चारों ओर पानी हो (वा) अथवा (वार्क्षम्) वृक्षदुर्ग—जो घने वृक्षों के वन से घिरा हो (नृदुर्गम्) नृदुर्ग—जो सेना से घिरा रहे, जिसके चारों ओर सेना का निवास हो (वा) अथवा (गिरिदुर्गम्) गिरिदुर्ग—पहाड़ के ऊपर बनाया पहाड़ों से घिरा किला (समाश्रित्य) बनाकर और उसका आश्रय करके (पुरं वसेत्) अपने निवास में रहे ॥७०॥

महर्षि दयानन्द ने 'धन्वदुर्गं' के स्थान पर 'धनुर्दुर्गम्' पाठ लेकर इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार किया है—

"इस लिए सुन्दर जंगल धन-धान्य युक्त देश में (धनुर्दुर्गम) धनुर्धारी पुरुषों से गहन (महीदुर्गम) मिट्टी से किया हुआ (अब्दुर्गम्) जल से घेरा हुआ (वार्क्षम्) अर्थात् चारों ओर वन (नृदुर्गम) चारों ओर सेना रहे (गिरिदुर्गम्) अर्थात् चारों ओर पहाड़ों के बीच में कोट बनाके इस के मध्य में नगर बनावे।" (स० प्र० १४८)

अनुशीलन : **कौटिलीय अर्थशास्त्र में चार प्रकार के दुर्ग**—कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में केवल चार दुर्गों का ही उल्लेख किया है—

(१) औदक=जलदुर्ग, (२) पार्वत=गिरिदुर्ग, (३) धान्वन=धन्वदुर्ग, (४) वनदुर्ग=वृक्षदुर्ग।

पर्वतदुर्ग की श्रेष्ठता—

सर्वेण तु प्रयत्नेन गिरिदुर्गं समाश्रयेत्।
एषां हि बाहुगुण्येन गिरिदुर्गं विशिष्यते॥ ७१ ॥ (५४)

राजा (सर्वेण तु प्रयत्नेन) सब **प्रकार** से प्रयत्न करके (गिरिदुर्गं समाश्रयेत्) 'पर्वतदुर्ग' का ही आश्रय करे—बनाकर रहे (हि) क्योंकि (बाहुगुण्येन) सब दुर्गों में अधिक विशेषताओं के कारण (गिरिदुर्गं विशिष्यते) पर्वतदुर्ग ही सर्वश्रेष्ठ है, **अतः** यह यत्न रखना चाहिए कि **'पर्वतदुर्ग'** ही **बन** सके ॥ ७१ ॥

त्रीण्याद्यान्याश्रितास्त्वेषां मृगगर्ताश्रयाऽप्सराः।
त्रीण्युत्तराणि क्रमशः प्लवङ्गमनरामराः॥ ७२ ॥

(एषाम्) इन पूर्वोक्त [७०] छः दुर्गों में (आद्यानि त्रीणि) आदि के तीन प्रकार के दुर्गों में (मृग-गर्ताश्रया'+अप्सराः) मृग, बिलों में रहने वाले चूहे आदि और जल-चर प्राणी मगरमच्छ आदि (आश्रिताः) रहते हैं, और (उत्तराणि त्रीणि) अगले तीनों में (क्रमशः) क्रमशः वृक्ष, नृ और गिरिदुर्ग में (प्लवङ्गम-नर+अमराः) वानर, मनुष्य और देवता निवास करते हैं ॥ ७२ ॥

यथा दुर्गाश्रितानेतान्नोपहिंसन्ति शत्रवः।
तथाऽरयो न हिंसन्ति नृपं दुर्गसमाश्रितम्॥ ७३ ॥

(यथा) जैसे (दुर्ग-आश्रितान्+एतान्) अपने-अपने दुर्ग में रहते हुए (शत्रवः न+उपहिंसन्ति) शत्रु-प्राणी इन्हें नहीं मार पाते हैं (तथा) वैसे ही (दुर्गसमाश्रितम् नरम्) दुर्ग के आश्रय में स्थित राजा को (अरयः न हिंसन्ति) शत्रु लोग नहीं मार पाते हैं ॥ ७३ ॥

अनुशीलन : ७२-७३ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—(१) इन श्लोकों में अलग-अलग दुर्गों में अलग-अलग प्राणियों का वास बतलाया है और मनुष्यों का वास केवल 'नृदुर्ग' में कहा है जबकि ७० वें श्लोक में सभी दुर्ग मनुष्यों के वास के लिए बताये जा रहे हैं (२) ७१ वें श्लोक में राजा के लिए गिरिदुर्ग का महत्त्व बताते हुए उसी में रहने का प्रयत्न करने का निर्देश है, जबकि

इन श्लोकों में 'गिरिदुर्ग' में देवताविशेषों का निवास माना है। इस अन्तर्विरुद्ध वर्णन के आधार पर ये दोनों श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. **प्रसङ्गविरोध**—७० वें में सभी दुर्गों की गणना की है और फिर ७१ वें में गिरिदुर्ग का महत्त्व वर्णित है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि रचयिता को अन्य दुर्गों का वर्णन अभीष्ट नहीं है। इस प्रकार इन श्लोकों में पुनः सभी दुर्गों का वर्णन मौलिक प्रतीत नहीं होता। "**त्रीणि आद्यानि**" पदों का प्रयोग भी इन श्लोकों को ७१ वें से सम्बद्ध सिद्ध नहीं करता। इनकी सम्बद्धता तभी मानी जा सकती थी, जब ये ७० वें के पश्चात् ही होते। इस प्रकार प्रसङ्गक्रम से टूटे होने के कारण भी ये प्रक्षिप्त हैं।

दुर्ग का महत्त्व—

एकः शतं योधयति प्राकारस्थो धनुर्धरः।
शतं दशसहस्राणि तस्माद् दुर्गं विधीयते॥ ७४॥ (५५)

(प्राकारास्थः) नगर के चारों ओर प्राकार=**प्रकोट** बनावे क्योंकि उस में स्थित हुआ (एकः धनुर्धरः) एक वीर धनुर्धारी शस्त्रयुक्त पुरुष (शतम्) सौ के साथ, और (शतं दशसहस्राणि) सौ दश हजार के साथ (योधयति) युद्ध कर सकते हैं (तस्मात् दुर्गं विधीयते) इसलिए अवश्य दुर्ग का बनाना उचित है॥ ७४॥ (स० प्र० १४८)

तत्स्यादायुधसंपन्नं धनधान्येन वाहनैः।
ब्राह्मणैः शिल्पिभिर्यन्त्रैर्यवसेनोदकेन च॥ ७५॥ (५६)

(तत्) वह दुर्ग (आयुध) शस्त्रास्त्र (धन-धान्येन वाहनैः) धन, धान्य, वाहन (ब्राह्मणैः) ब्राह्मण, जो पढ़ाने उपदेश करने हारे हों (शिल्पिभिः) कारीगर (यन्त्रैः) यन्त्र—नाना प्रकार की कला (यवसेन) चारा-घास (वा) और (उदकेन) जल आदि से (सम्पन्नं स्यात्) सम्पन्न अर्थात् परिपूर्ण हो॥ ७५॥ (स० प्र० १४८)

राजा का निवास-गृह—

तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेद् गृहमात्मनः।
गुप्तं सर्वर्तुकं शुभ्रं जलवृक्षसमन्वितम्॥ ७६॥ (५७)

(तस्य मध्ये) उसके मध्य में (जल-वृक्ष-समन्वितम्) जल, वृक्ष,-पुष्पादिक युक्त (गुप्तम्) सब प्रकार से रक्षित (सर्व+ऋतुकम्) सब ऋतुओं में सुखकारक (शुभ्रम्) श्वेतवर्ण (आत्मनः गृहम्) अपने लिए घर (सुपर्याप्तम्) जिसमें सब राजकार्य का निर्वाह हो वैसा (कारयेत्) बनवावे॥ ७६॥ (स० प्र० १४८)

राजा के विवाहयोग्य भार्या—

तदध्यास्योद्वहेद्भार्यां सवर्णां लक्षणान्विताम्।
कुले महति संभूतां हृद्यां रूपगुणान्विताम् ॥ ७७ ॥ (५८)

इतना अर्थात् ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़के यहां तक राज-काम करके पश्चात्* (रूपगुण+अन्विताम्) सौन्दर्यरूप गुणयुक्त (हृद्याम्) हृदय को अतिप्रिय (महति कुले संभूताम्) बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न (लक्षण+अन्विताम्) सुन्दर लक्षणयुक्त (सवर्णां भार्याम् उद्वहेत्) अपने क्षत्रिय कुल की कन्या जो कि अपने सदृश विद्यादि गुण-कर्म-स्वभाव में हो उस एक ही स्त्री के साथ विवाह करे। दूसरी सब स्त्रियों को अगम्य समझकर दृष्टि से भी न देखे ॥ ७७ ॥ (स० प्र० १४६)

* तत्+अध्यास्य=पूर्वोक्त राज भवन में निवास करके

पुरोहित का वरण एवं उसके कर्तव्य—

पुरोहितं च कुर्वीत वृणुयादेव चर्त्विजः।
तेऽस्य गृह्याणि कर्माणि कुर्युर्वैतानिकानि च ॥ ७८ ॥ (५९)

(पुरोहितं च ऋत्विजं वृणुयात् एव प्रकुर्वीत) पुरोहित और ऋत्विक् का स्वीकार इसलिए करे कि (ते) वे (गृह्याणि च वैतानिकानि अस्य कर्माणि कुर्युः) अग्निहोत्र और पशुेष्टि आदि सब राजघर के कर्मों को करें और आप सर्वदा राजकार्य में तत्पर रहे ॥ ७८ ॥ (स० प्र० १४६)

अनुशीलन : वैतानिक और गृह्य कर्म—यहां 'वैतानिक' शब्द का अर्थ विस्तृत अर्थात् लम्बे समय तक चलने वाले 'यज्ञों' से और 'गृह्य कर्मों' से घर के धार्मिक अनुष्ठानों और दैनिक पञ्चमहायज्ञों से अभिप्राय है। ७६ में श्लोक में वैतानिक यज्ञों को स्पष्ट कर दिया है। राजा को समयानुसार पञ्चमहायज्ञों के अतिरिक्त बृहत् यज्ञों का आयोजन भी करते रहना चाहिए। इन कार्यों के लिए पुरोहित या ऋत्विक् का वरण किया जाता है। २। ११८ [२। १४३] में ऋत्विक् का लक्षण करते हुए भी इन सभी यज्ञों की गणना की है, वही भाव इस श्लोक में है।

यजेत राजा क्रतुभिर्विविधैराप्तदक्षिणैः।
धर्मार्थं चैव विप्रेभ्यो दद्याद्भोगान्धनानि च ॥ ७९ ॥ (६०)

(राजा) राजा (आप्तदक्षिणैः विविधैः क्रतुभिः) बहुत दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों को (यजेत) किया करे (च) तथा (धर्मार्थम्) धर्म के लिए (विप्रेभ्यः) विद्वान् ब्राह्मणों को (भोगान् च धनानि दद्यात्) भोग्य वस्तुओं एवं धनों का दान करे ॥ ७९ ॥

सांवत्सरिकमाप्तैश्च राष्ट्रादाहारयेद्बलिम् ।
स्याच्चाम्नायपरो लोको वर्तेत पितृवन्नृषु ॥ ८० ॥ (६१)

+ (सांवत्सरिकं बलिम्) वार्षिक कर (आप्तैः आहारयेत्) आप्त पुरुषों के द्वारा ग्रहण करे (च) और जो सभापतिरूप राजा आदि प्रधान पुरुष हैं वे सब (आम्नायपरः) सभा-वेदानुकूल होकर ❀ (नृषु पितृवत् वर्तेत) प्रजा के साथ पिता के समान वर्त्तें ॥ ८० ॥ (स० प्र० १५०)

+ (राष्ट्रात्) राष्ट्र अर्थात् राज्यवासियों से.....
❀ (लोके) राज्य में.....

अनुशीलन : आप्त और बलि का विशेष अर्थ—'आप्त' और 'बलि' परम्परागत शास्त्रीय शब्द हैं। शास्त्रों में बहुप्रयोग के आधार पर इनके अपने विशेष अर्थ रूढ़ हो गये हैं—

(१) 'आप्तः' शब्द 'आप्लृ व्याप्तौ' (स्वादि) धातु से 'क्त' प्रत्यय के योग से बना है। अपने विषय में पूर्णतः व्याप्त अर्थात् व्यापक और प्रत्यक्ष ज्ञान रखने वाले धार्मिक व्यक्ति को 'आप्त' कहते हैं। राजा को प्रत्येक विभाग में मुख्य अधिकारी ऐसे आप्तपुरुष रखने चाहिएँ।

(२) बलि का अर्थ होता है—अन्न या भोजन आदि से यज्ञार्थ निकाला गया शेष भाग=अंश। जैसे बलिवैश्वदेव यज्ञ में भोजन का कुछ अंश प्राणियों के लिए निकाल कर रखा जाता है। यहां, राजा जो अन्न के छठे भाग के रूप में प्रजाओं से कर लेता है, उसे 'बलि' कहा गया है। कर के विभिन्न रूपों और उनके अन्तर को समझने के लिए देखिए ८। ३०७ पर अनुशीलन।

विविध विभागाध्यक्षों की नियुक्ति—

अध्यक्षान्विविधान्कुर्यात्तत्र तत्र विपश्चितः ।
तेऽस्य सर्वाण्यवेक्षेरन्नृणां कार्याणि कुर्वताम् ॥ ८१ ॥ (६२)

राजा (विविधान्) अनेक (विपश्चितः अध्यक्षान्) मेधावी, प्रतिभाशाली, योग्य विद्वान् अध्यक्षों को (तत्र तत्र) आवश्यकतानुसार विभिन्न विभागों में (कुर्यात्) नियुक्त करे (ते) वे विभागाध्यक्ष (अस्य) इस राजा के द्वारा नियुक्त (सर्वाणि) अन्य सब (कार्याणि कुर्वताम्) अपने अधीन कार्य करने वाले (नृणाम्) कर्मचारी लोगों का (अवेक्षेरन्) निरीक्षण किया करें ॥ ८१ ॥

"उस राज्यकार्य में विविध प्रकार के अध्यक्षों को सभा नियत करे। इनका यही काम है—जितने-जितने, जिस-जिस काम के राजपुरुष होवें,

नियमानुसार वर्त्तकर यथावत् काम करते हैं वा नहीं। जो यथावत् करें तो उनका सत्कार और जो विरुद्ध करें तो उनको यथावत् दण्ड दिया करे।"
(स० प्र० १५०)

अनुशीलन: (१) **कौटिल्य के अनुसार विभागाध्यक्ष**—आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र प्र० २२। अ० ६ से ५२। ३४ तक अध्यक्षप्रचार नामक अधिकरण में योग्यता, शक्ति, और परीक्षानुसार अनेक विभागाध्यक्षों और उपविभागाध्यक्षों का विधान किया है। अध्यक्षों के पदों का विभाजन; विभाग और कार्यानुसार होना चाहिए। कौटिल्य द्वारा परिगणित कुछ अध्यक्ष निम्न हैं—

१. सेनाध्यक्ष = सम्पूर्ण सेनाओं का निरीक्षक, २. कोशाध्यक्ष = खजाने का अध्यक्ष, ३. आकराध्यक्ष = खानों का अध्यक्ष, ४. अक्षपटलाध्यक्ष = आय-व्यय का महा-निरीक्षक, ५. कोष्ठगाराध्यक्ष = कोठारी, ६. आयुधगाराध्यक्ष = युद्ध-सामग्री का अधिकारी, ७. पण्याध्यक्ष = बाजार का नियन्त्रक अधिकारी, ८. कुप्याध्यक्ष = वन की वस्तुओं का अध्यक्ष, ९. स्वर्णाध्यक्ष = सोने-चांदी का अध्यक्ष, १०. लोहाध्यक्ष = लोहा आदि धातुओं का अध्यक्ष, ११. सीताध्यक्ष = कृषि विभाग या कर के रूप में एकत्रित धान्य का अध्यक्ष, १२. शुल्काध्यक्ष = चुंगी का अधिकारी, १३. पौतवाध्यक्ष = तोल-माप का नियन्त्रक अधिकारी, १४. मानाध्यक्ष = देश-काल के मानों का नियन्त्रक, १५. सूत्राध्यक्ष = वस्त्र या सूत व्यवसाय का अध्यक्ष, १६. सूनाध्यक्ष = वधस्थान का अधिकारी, १७. नगराध्यक्ष = नगर का प्रमुख अधिकारी, १८. नावाध्यक्ष = नौका परिवहन का अधिकारी, १९. गो-अध्यक्ष = गौ आदि दुधारू पशुओं का व्यवस्थापक अधिकारी, २०. अश्वाध्यक्ष = अश्वशाला का अधिकारी, २१. हस्ति-अध्यक्ष = हस्तिशाला का अधिकारी, २२. रथाध्यक्ष = रथसेना का अधिकारी, २३. पत्त्यध्यक्ष = पैदल सेना का अधिकारी २४. मुद्राध्यक्ष = मुद्रा-व्यवस्था का अधिकारी, २५. विविताध्यक्ष = चरागाह का अध्यक्ष २६. लवणाध्यक्ष = टकसाल का अधिकारी, २७. धर्माध्यक्ष = धर्म-निर्णायक अधिकारी।

(२) **विपश्चित् का अर्थ**—'विपश्चित्' 'प्रतिभाशाली मेधावी विद्वान्' को कहते हैं। निरुक्त ३। १५ में कहा है—"विपश्चित् मेधावी-नाम।" राजा योग्य, प्रतिभाशाली, मेधावी, विद्वानों को ही विविध विभागों में अध्यक्ष नियुक्त करे।

राजा स्नातक विद्वानों का सत्कार करे—

आवृत्तानां गुरुकुलाद्विप्राणां पूजको भवेत्।
नृपाणामक्षयो ह्येष निधिर्ब्राह्मोऽभिधीयते॥ ८२॥ (६३)

(नृपाणां ब्राह्मः एषः अक्षयः निधिः विधीयते) सदा जो राजाओं को वेद-प्रचाररूप अक्षय कोश है (गुरुकुलात् आवृत्तानां पूजकः भवेत्) इसके प्रचार के लिए कोई यथावत् ब्रह्मचर्य से वेदादि शास्त्रों को पढ़कर गुरुकुल

से आवे, उसका सत्कार, राजा और सभा यथावत् करें (विप्राणाम्) तथा उनका भी जिनके पढ़ाये हुए विद्वान् होवें। इस बात के करने से राज्य में विद्या की उन्नति होकर अत्यन्त उन्नति होती है ॥ ८२ ॥ (स० प्र० १५०)

न तं स्तेना न चामित्रा हरन्ति न च नश्यति ।
तस्माद्राज्ञा निधातव्यो ब्राह्मणेष्वक्षयो निधिः ॥ ८३ ॥

(तम्) उस अक्षयनिधि को (न स्तेनाः च न अमित्राः हरन्ति) न चोर और न शत्रु हर सकते हैं (च) तथा (न नश्यति) न कभी नष्ट होती है (तस्मात्) इसलिए (राज्ञा) राजा को (ब्राह्मणेषु + अक्षयः निधिः निधातव्यः) ब्राह्मणों में अक्षयनिधि स्थापित करनी चाहिए अर्थात् धन-धान्य आदि का दान देना चाहिए ॥ ८३ ॥

न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति कर्हिचित् ।
वरिष्ठमग्निहोत्रेभ्यो ब्राह्मणस्य मुखे हुतम् ॥ ८४ ॥

(ब्राह्मणस्य मुखे हुतम्) ब्राह्मणों के मुख में होमा गया पदार्थ अर्थात् ब्राह्मणों को दिया गया दान (अग्निहोत्रेभ्यः वरिष्ठम्) अग्निहोत्र करने से भी श्रेष्ठ फलदायक है, क्योंकि वह (न स्कन्दते) न तो व्यर्थ गिरता है (न व्यथते) न सूखता है (च) और (न विनश्यति) न कभी नष्ट होता है जबकि अग्निहोत्र में दिया गया आहुति रूपी दान कुछ व्यर्थ बिखर जाता है, कुछ सूख जाता है और कुछ जलकर नष्ट हो जाता है ॥ ८४ ॥

समममब्राह्मणे दानं द्विगुणं ब्राह्मणब्रुवे ।
प्राधीते शतसाहस्रमनन्तं वेदपारगे ॥ ८५ ॥

(अब्राह्मणे दानं समम्) ब्राह्मण वर्ण से भिन्न व्यक्ति को दान देने में समान फल मिलता है अर्थात् उस दान का न अच्छा और न बुरा फल मिलकर वह बराबर रहता है (ब्राह्मणब्रुवे) ब्राह्मण कहाने वाले मात्र व्यक्ति को दान देने से (द्विगुणम्) दुगुना फल (प्राधीते) पढ़ने वाले को देने से (शतसाहस्रम्) लाख गुणा (वेदपारगे) वेदों में पारंगत विद्वान् को दान देने से (अनन्तम्) अनन्त फल मिलता है ॥ ८५ ॥

पात्रस्य हि विशेषेण श्रद्धानतयैव च ।
अल्पं वा बहु वा प्रेत्य दानस्य फलमश्नुते ॥ ८६ ॥

(पात्रस्य हि विशेषेण) पात्र की विशेषता से अर्थात् दान लेने वाला जैसा जैसा सुपात्र है उसके अनुसार (च) और (श्रद्धानतया) श्रद्धा से दान देने पर (दानस्य) दान देने का (अल्पं वा बहु वा) थोड़ा-बहुत तो अवश्य ही (प्रेत्य) परलोक में (फलम् + अश्नुते) फल प्राप्त होता है ॥ ८६ ॥

अनुशीलन : ८३ से ८६ श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—(१) ८२ वें श्लोक में राजा के द्वारा गुरुकुल से आये स्नातकों

का सत्कार करने का निर्देश है, दानका नहीं। अतः उसके साथ जोड़कर ब्राह्मणों को दान देने और उसकी महिमा का वर्णन करने का प्रसंग असंगत है। (२) ब्राह्मणों को दान देने की चर्चा ७६ वें श्लोक में हो चुकी है। यदि उस सम्बन्ध में रचयिता को कुछ और कहना अभीष्ट होता, तो वे उसी श्लोक के बाद साथ ही इन बातों का वर्णन करते। किन्तु ऐसा न करके अगले श्लोक से भिन्न बातों की चर्चा शुरू की है जो यह संकेत देती है कि मनु को दान के विषय में जो कहना था वह ७६ वें श्लोक में ही पूर्ण कर दिया। एक प्रसङ्ग के पूर्ण होने के बाद कुछ ही अन्तर पर पुनः उसे प्रारम्भ करना प्रसङ्गविरुद्ध है। इस आधार पर ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. **अन्तर्विरोध**—(१) ८३-८४ श्लोकों में अग्निहोत्र से भी बढ़कर ब्राह्मणों को दान देने की महिमा कही है। यह मान्यता मनु के विरुद्ध है, यतोहि—(क) मनु के मत में दान देने से बढ़कर अग्निहोत्र है, क्योंकि उससे यह शरीर ब्रह्मप्राप्ति के योग्य बनता है [२। ३ (२८)]। (ख) दान को उतना अनिवार्य और आवश्यक नहीं माना है जितना स्थान-स्थान पर अग्निहोत्र करने को सबके लिए अनिवार्य और आवश्यक माना है [२। ३ (२८), ४४ (६६), ८०-८१ (१०५-१०६), ८३ (१०८), १६१ (१८६), ३। ६७–७६, ४। २१–२५, ५। १६६, ६। ४-११ आदि]। (ग) और फिर दान तो पञ्चयज्ञों का एक भाग मात्र है, जैसे भिक्षादान आदि [३। ६४]। जब दान अङ्ग और पञ्चयज्ञ अङ्गी हों तो स्वतः अग्निहोत्र की प्रमुखता सिद्ध होती है। इस प्रकार ये श्लोक मनु की मान्यता के विरुद्ध हैं। (२) ८५-८६ श्लोकों में पात्रों का वर्णन करते हुए 'अब्राह्मण' को भी दान लेने का पात्र सिद्ध किया है। यह मनु की आधारभूत मान्यता के ही विरुद्ध है। मनु ने केवल ब्राह्मण को ही दान लेने का अधिकारी घोषित किया है [१। ८८, १०। ७५-७६]। अन्य वर्णों को केवल दान देने मात्र का आदेश है। इन अन्तर्विरोधों के आधार पर ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

३. **शैलीगत आधार**—सभी श्लोकों की शैली अतिशयोक्तिपूर्ण है और ८५-८६ की अयुक्तियुक्त भी। क्योंकि दान का फल पात्र को देखकर नहीं, अपितु उसके उद्देश्य या उपयोग पर आधारित है। समान, द्विगुण, सहस्रगुण, आदि का निश्चय करना भी निराधार बात है। इस आधार पर भी ये मनुप्रोक्त सिद्ध नहीं होते।

युद्ध के लिए गमन तथा युद्धसम्बन्धी व्यवस्थाएँ—

समोत्तमाधमं राजा त्वाहूतः पालयन्प्रजाः।

न [illegible] ८७॥ (६४)

(प्रजाः पालयन् राजा) जब कभी प्रजा का पालन करने वाले राजा को (सम-उत्तम-अधमः आहूतः तु) अपने से तुल्य, उत्तम और छोटा संग्राम में आह्वान करे तो (क्षात्रं धर्मम्+अनुस्मरन्) क्षत्रियों के धर्म का स्मरण करके (संग्रामात् न निवर्तेत) संग्राम में जाने से कभी निवृत्त न

हो अर्थात् बड़ी चतुराई के साथ उनसे युद्ध करे, जिससे अपनी ही विजय हो ॥ ८७ ॥ (स० प्र० १५०)

संग्रामेष्वनिवर्तित्वं प्रजानां चैव पालनम् ।
शुश्रूषा ब्राह्मणानां च राज्ञां श्रेयस्करं परम् ॥ ८८ ॥

(संग्रामेषु+अनिवर्तित्वम्) संग्राम से न टलना (च) और (प्रजानां पालनम्) प्रजाओं का पालन करना (च) तथा (ब्राह्मणानां शुश्रूषा) ब्राह्मणों की सेवा करना (राज्ञां परं श्रेयस्करम्) ये बातें राजा के लिए परम कल्याणकारी हैं ॥ ८८ ॥

अनुशीलन : ८८ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त सिद्ध होता है—

१. **प्रसंगविरोध**—यह ८८ वां श्लोक पूर्वापरप्रसंग को भंग कर रहा है। पूर्वापर प्रसंग संग्राम से न लौटने का वर्णन करने का है। ८७ वें में संग्राम से न लौटने का कथन है, और ८९ में उसका फल वर्णित है। दूसरे शब्दों में ८७ वें में पराङ्मुख न होने का कथन है, और ८९ में अपराङ्मुख रहने का फलकथन है। इस प्रकार ८७ वें श्लोक का ८९ वां अर्थवाद रूप है, अतः ये परस्पर सम्बद्ध भी हैं। बीच के इस श्लोक ने उस सम्बद्धता को भंग कर दिया है और राजा के परम श्रेयस्कर कर्त्तव्यों का पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध वर्णन किया है। कोई यह कहे कि **"संग्रामेषु अनिवर्तित्वम्"** इसी प्रसंग से सम्बद्ध है, तो यह भी मान्य नहीं, क्योंकि ८७ और ८९ श्लोकों में इसी बात का तो वर्णन है। इस प्रकार प्रसंगविरुद्ध होने से यह प्रक्षिप्त है।

२. **अन्तर्विरोध**—इसमें राजा के श्रेयस्कर कर्मों का वर्णन करते हुए 'ब्राह्मणों की सेवा' भी राजाओं का एक मुख्य कर्म माना है। १। ८७; ७। १४४ श्लोकों के अनुसार क्षत्रिय-धर्म के अनुसार प्रजाओं का पालन करना ही क्षत्रिय का मुख्य धर्म है, वही उसके लिए श्रेयस्कर है। ब्राह्मणों की सेवा क्षत्रिय के लिए कोई अतिरिक्त कर्त्तव्य नहीं है, अतः यह कथन मनुसम्मत सिद्ध नहीं होता।

आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः ।
युध्यमानाः परं शक्त्या स्वर्गं यान्त्यपराङ्मुखाः ॥ ८९ ॥ (६५)

(आहवेषु) जो संग्रामों में+(अन्यः+अन्यं जिघांसन्तः) एक-दूसरे को हनन करने की इच्छा करते हुए (महीक्षितः) राजा लोग (परं शक्त्या अपराङ्मुखाः) जितना सामर्थ्य हो बिना डरे, पीठ न दिखा (युध्यमानाः) युद्ध करते हैं, वे (स्वर्गं यान्ति) सुख को प्राप्त होते हैं ॥

इससे विमुख कभी न हो किन्तु कभी-कभी शत्रु को जीतने के लिए उनके सामने छिप जाना उचित है। क्योंकि, जिस प्रकार से शत्रु को जीत सके वैसे काम करें। जैसे सिंह क्रोधाग्नि में सामने आकर शस्त्राग्नि

में शीघ्र भस्म हो जाता है, वैसे मूर्खता से नष्ट-भ्रष्ट न हो जावें ॥ ८९ ॥
(स० प्र० १५०)

+(मिथः) परस्पर.....

न कूटैरायुधैर्हन्याद्युध्यमानो रणे रिपून्।
न कर्णिभिर्नापि दिग्धैर्नाग्निज्वलिततेजनैः ॥ ९० ॥

(रणे रिपून् युध्यमानः) युद्ध में शत्रुओं को मारते हुए राजा (कूटैः आयुधैः) धोखा युक्त शस्त्रास्त्रों से [जैसे बाहर लकड़ी दीखती हो और अन्दर विषैला लोहे आदि का शस्त्र छिपा हो] (कर्णिभिः) कर्णी के आकार के बाणों से [जो आगे से नुकीले और मध्य से चौड़े होने के कारण शरीर में लगने के बाद निकलते नहीं] (दिग्धैः) विषबुझे बाणों से (अग्निज्वलित-तेजनैः अपि) और जिनका फलक अग्नि में तप रहा हो अर्थात् तपते बाणों से भी (न हन्यात्) न मारे ॥ ९० ॥

अनुशीलन : ९० वां श्लोक प्रक्षिप्त है—

१. **प्रसंगविरुद्ध**—यहाँ प्रस्तुत पूर्वापर प्रसंग 'किन-किन व्यक्तियों को परस्पर युद्ध करते समय नहीं मारना चाहिए' इससे सम्बद्ध है। किन्हीं हथियारों से न मारने का प्रसंग नहीं है। अतः बीच में हथियारों से न मारने का कथन पूर्वापर प्रसंग-विरुद्ध है अतः प्रक्षिप्त है।

युद्ध में किन को न मारे —

न च हन्यात्स्थलारूढं न क्लीबं न कृताञ्जलिम्।
न मुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम् ॥ ९१ ॥ (६६)

न सुप्तं न विसन्नाहं न नग्नं न निरायुधम्।
नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम् ॥ ९२ ॥ (६७)

नायुधव्यसनप्राप्तं नार्तं नातिपरिक्षतम्।
न भीतं न परावृत्तं सतां धर्ममनुस्मरन् ॥ ९३ ॥ (६८)

(न स्थल+आरूढम्) युद्ध समय में, न इधर-उधर खड़े, (न क्लीबम्) न नपुंसक, (न कृत+अञ्जलिम्) न हाथ जोड़े हुए, (न मुक्तकेशम्) न जिसके शिर के बाल खुल गये हों, (न आसीनम्) न बैठे हुए, (न 'तव अस्मि" इति वादिनम्) न "मैं तेरे शरण हूं" ऐसे+को, (न सुप्तम्) न सोते हुए, (न विसन्नाहम्) न मूर्छा को प्राप्त हुए, (न नग्नम्) न नग्न हुए (न निरायुधम्) न आयुध से रहित, (न+अयुध्यमानम्) न युद्ध न करते हुए देखने वाले को, (न परेण समागतम्) न शत्रु के साथी, (न+आयुध-व्यसन-प्राप्तम्) न आयुध के प्रहार से पीड़ा को प्राप्त हुए, (न आर्तम्) न दुःखी

(न+अतिपरिक्षतम्) न अत्यन्त घायल, (न भीतम्) न डरे हुए और (न परावृत्तम्) न पलायन करते हुए पुरुष को (सतां धर्मम्+अनुस्मरन्) सत्पुरुषों के धर्म का स्मरण करते हुए (हन्यात्) योद्धा लोग कभी मारें ॥
+(वादिनम्) कहते हुए—

"किन्तु उनको पकड़के, जो अच्छे हों उन्हें बन्दीगृह में रखदे और भोजन आच्छादन यथावत् देवे। और जो घायल हुए हों उनको औषध आदि विधिपूर्वक करे। न उनको चिढ़ावे, न दुःख देवे, जो उनके योग्य काम हो करावे। विशेष इस पर ध्यान रखे कि स्त्री, बालक, वृद्ध और आतुर तथा शोकयुक्त पुरुषों पर शस्त्र कभी न चलावे। उनमें लड़कों को अपने सन्तानवत् पाले और स्त्रियों को भी पाले, उनको अपनी बहन और कन्या के समान समझे कभी विषयासक्ति की दृष्टि से भी न देखे। जब राज्य अच्छे प्रकार जम जाये और जिनसे पुनः-पुनः युद्ध करने की शंका न हो उनको सत्कारपूर्वक छोड़कर अपने-अपने घर वा देश को भेजदेवे। और जिनसे भविष्यत् काल में विघ्न होना संभव हो उनको सदा कारागार में रखे ॥ ९१, ९२, ९३ ॥' (स० प्र० १५०)

युद्ध से पलायन करने वाला अपराधी होता है—

यस्तु भीतः परावृत्तः संग्रामे हन्यते परैः।
भर्तुर्यद् दुष्कृतं किंचित्तत्सर्वं प्रतिपद्यते ॥ ९४ ॥ (६९)

(यः तु) और जो (संग्रामे) युद्धक्षेत्र में (परावृत्तः) पीठ दिखाकर भाग जाये, अथवा (भीतः परैः हन्यते) डरकर भागता हुआ शत्रुओं के द्वारा मारा जाये, उसे (भर्तुः) राजा की ओर से प्राप्त होने वाला (यत् किंचित् दुष्कृतम्) जो भी कुछ दण्ड, अपराधीभाव व बुराई है (तत् सर्वं प्रतिपद्यते) उस सब का पात्र बनकर वह दण्डनीय होता है अर्थात् राजा के मन से उसकी श्रेष्ठता का प्रभाव समाप्त हो जाता है [९५] और राजा उसकी सुख-सुविधा को छीनकर दण्ड देता है ॥ ९४ ॥*

"और जो पलायन अर्थात् भागे और डराहुआ भृत्य शत्रुओं द्वारा मारा जाये वह उस स्वामी के अपराध का प्राप्त होकर दण्डनीय होवे।"
(स० प्र० १५०)

अनुशीलन : 'दुष्कृत' आदि पाप के पर्यायवाची शब्दों का अर्थ समझने के लिए द्रष्टव्य ८।३१६ पर अनुशीलन।

---

* **[प्रचलित अर्थ]**—युद्ध में डरकर विमुख जो योद्धा शत्रुओं से मारा जाता है; वह स्वामी का जो कुछ पाप है, उसे प्राप्त करता है ॥ ९४ ॥

यच्चास्य सुकृतं किंचिदमुत्रार्थमुपार्जितम्।
भर्ता तत्सर्वमादत्ते परावृत्तहतस्य तु ॥ ९५ ॥ (७०)

(च) और (यत् किंचित् अस्य सुकृतम्) जो उसकी प्रतिष्ठा है (अमुत्रार्थम्+उपार्जितम्) जिससे इस लोक और परलोक में सुख होने वाला था [९६, ९७ आदि] (तत् सर्वं भर्त्ता आदत्ते) उसको उसका स्वामी ले लेता है (परावृत्तहतस्य तु) जो भागा हुआ मारा जाये उसको कुछ भी सुख नहीं होता, उसका पुण्यफल नष्ट हो जाता और उस प्रतिष्ठा को वह प्राप्त होता है जिसने धर्म से यथावत् युद्ध किया हो ॥ ९५ ॥

(स० प्र० १५०)

रथाश्वं हस्तिनं छत्रं धनं धान्यं पशून्स्त्रियः।
सर्वद्रव्याणि कुप्यं च यो यज्जयति तस्य तत् ॥ ९६ ॥ (७१)

इस व्यवस्था को कभी न तोड़े कि (यः यत्) लड़ाई में जिस-जिस अमात्य वा अध्यक्ष ने (रथ+अश्वं हस्तिनं छत्रं धनं धान्यं पशून् स्त्रियः) रथ, घोड़े, हाथी, छत्र, धन, धान्य, गाय आदि पशु और स्त्रियां (च) तथा (सर्वद्रव्याणि) अन्य प्रकार के सब द्रव्य (कुप्यम्) और घी, तेल आदि के कुप्पे (जयति) जीते हों (तत् तस्य) वही उस-उस का ग्रहण करे ॥ ९६ ॥

(स० प्र० १५०)

जीते हुए धन से राजा को 'उद्धार' देना—

राज्ञश्च दद्युरुद्धारमित्येषा वैदिकी श्रुतिः।
राज्ञा च सर्वयोधेभ्यो दातव्यमपृथग्जितम् ॥ ९७ ॥ (७२)

(च) परन्तु सेनास्थ जन भी उन जीते हुए पदार्थों में से (उद्धारं राज्ञः दद्युः) सोलहवां भाग राजा को देवें (च) और (राज्ञा) राजा भी (सर्वयोधेभ्यः) सेनास्थ योद्धाओं को (अपृथक्जितम्) उस धन में जो सब ने मिलकर जीता हो (दातव्यम्) सोलहवां भाग देवे ॥

"और जो कोई युद्ध में मर गया हो उसकी स्त्री और सन्तान को उसका भाग देवे और उसको स्त्री तथा असमर्थ लड़कों का यथावत् पालन करे। जब उसके लड़के समर्थ हो जावें तब उनको यथायोग्य अधिकार देवे। जो कोई अपने राज्य की वृद्धि, प्रतिष्ठा, विजय और आनन्दवृद्धि की इच्छा रखता हो, वह इस मर्यादा का उल्लंघन कभी न करे" ॥ ९७ ॥

(स० प्र० १५०)

एषोऽनुपस्कृतः प्रोक्तो योधधर्मः सनातनः।
अस्माद्धर्मान्न च्यवेत क्षत्रियो घ्नन् रणे रिपून् ॥ ९८ ॥ (७३)

(एषः) यह [८७-९७] (अनुपस्कृतः) अनिन्दित (सनातनः) सर्वदा मान्य (योधधर्मः प्रोक्तः) योद्धाओं का धर्म कहा, (क्षत्रियः) क्षत्रिय व्यक्ति (रणे रिपून् घ्नन्) युद्ध में शत्रुओं को मारते हुए (अस्मात् धर्मात् न च्यवेत) इस धर्म से विचलित न होवे ॥ ९८ ॥

राजा द्वारा चिन्तनीय बातें—

अलब्धं चैव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्प्रयत्नतः।
रक्षितं वर्धयेच्चैव वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत् ॥ ९९ ॥ (७४)

राजा और राजसभा (अलब्धं च+एव लिप्सेत) अलब्ध की प्राप्ति की इच्छा (लब्धं प्रयत्नतः रक्षेत्) प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा करे (रक्षितं वर्धयेत्) रक्षित को बढ़ावें (च) और (वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत्) बढ़े हुए धन को वेदविद्या, धर्म का प्रचार, विद्यार्थी, वेदमार्गोपदेशक तथा असमर्थ अनाथों के पालन में लगावे ॥ ९९ ॥ (स० प्र० १५२)

एतच्चतुर्विधं विद्यात्पुरुषार्थप्रयोजनम्।
अस्य नित्यमनुष्ठानं सम्यक्कुर्यादतन्द्रितः ॥ १०० ॥ (७५)

(एतत् चतुर्विधम्) यह चार प्रकार का (पुरुषार्थप्रयोजनम्) राज्य के लिए पुरुषार्थ करने का उद्देश्य (विद्यात्) समझना चाहिए, राजा (अतन्द्रितः) आलस्य रहित होकर (अस्य नित्यं सम्यक् अनुष्ठानं कुर्यात्) इस उद्देश्य का सदैव पालन करता रहे ॥ १०० ॥

"इस चार प्रकार के पुरुषार्थ के प्रयोजन को जाने, आलस्य छोड़कर इसका भलीभांति नित्य अनुष्ठान करे।" (स० प्र० १५४)

अलब्धमिच्छेद्दण्डेन लब्धं रक्षेदवेक्षया।
रक्षितं वर्धयेद् वृद्ध्या वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत् ॥ १०१ ॥ (७६)

(दण्डेन अलब्धम्+इच्छेत्) दण्ड से अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा (अवेक्षया) नित्य देखने से (लब्धं रक्षेत्) प्राप्त की रक्षा (रक्षितं वृद्ध्या वर्धयेत्) रक्षित की वृद्धि अर्थात् ब्याजादि से बढ़ावे (वृद्धम्) और बढ़े हुए धन को पूर्वोक्त [९९] मार्ग में नित्य व्यय करे* ॥ १०१ ॥

(स० प्र० १५२)

* अर्थात् (पात्रेषु निःक्षिपेत्) सुपात्रों एवं योग्य कर्मों में व्यय करे।

"राजाधिराज पुरुष अलब्ध राज्य की प्राप्ति की इच्छा दण्ड से, और प्राप्त राज्य की रक्षा देखभाल करके, रक्षित राज्य और धन को व्यापार और ब्याज से बढ़ा और सुपात्रों के द्वारा सत्यविद्या और सत्यधर्म के प्रचार आदि उत्तम व्यवहारों में बढ़े हुए धन आदि पदार्थों का व्यय करके सबकी उन्नति सदा किया करें ।। (सं० वि० १५५)

नित्यमुद्यतदण्डः स्यान्नित्यं विवृतपौरुषः ।
नित्यं संवृतसंवार्यो नित्यं छिद्रानुसार्यरेः ॥ १०२ ॥ (७७)

राजा (नित्यम्+उद्यतदण्डः स्यात्) सदैव न्यायानुसार दण्ड का प्रयोग करने में तत्पर रहे, (नित्यं विवृतपौरुषः) सदैव पराक्रम दिखलाने के लिए तैयार रहे, (नित्यं संवृतसंवार्यः) सदैव राज्य के गोपनीय कार्यों को गुप्त रखे, (नित्यम् अरेः छिद्रानुसारी) सदैव शत्रु के छिद्रों=कमियों को खोजता रहे और उन त्रुटियों को पाकर अवसर मिलते ही अपने हित को चतुराई से पूर्ण कर ले ।। १०२ ।।

अनुशीलन : 'छिद्र' शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ ७। १०५ के अनुशीलन में द्रष्टव्य है।

नित्यमुद्यतदण्डस्य कृत्स्नमुद्विजते जगत् ।
तस्मात्सर्वाणि भूतानि दण्डेनैव प्रसाधयेत् ॥ १०३ ॥ (७८)

(नित्यम्+उद्यतदण्डस्य) जिस राजा के राज्य में सर्वदा दण्ड के प्रयोग का निश्चय रहता है तो उससे (कृत्स्नं जगत् उद्विजते) सारा जगत् भयभीत रहता है (तस्मात्) इसीलिए (सर्वाणि भूतानि) सब प्राणियों को (दण्डेनैव प्रसाधयेत्) दण्ड से साधे अर्थात् दण्ड के भय से अनुशासन में रखे ।। १०३ ।।

अमाययैव वर्तेत न कथंचन मायया ।
बुध्येतारिप्रयुक्तां च मायां नित्यं स्वसंवृतः ॥ १०४ ॥ (७९)

(कथंचन) कदापि (मायया न वर्तेत) किसी के साथ छल से न वर्ते (अमाययाएव) किन्तु निष्कपट होकर सबसे बर्ताव रखे (च) और (नित्यं स्वसंवृतः) नित्यप्रति अपनी रक्षा करके (अरिप्रयुक्तां मायां बुध्येत) शत्रु के किये हुए छल को जानके निवृत्त करे ।। १०४ ।। (स० प्र० १५२)

नास्य छिद्रं परो विद्याद्विद्याच्छिद्रं परस्य तु ।
गूहेत्कूर्म इवाङ्गानि रक्षेद्विवरमात्मनः ॥ १०५ ॥ (८०)

(परः अस्य छिद्रं न विद्यात्) कोई शत्रु अपने छिद्र अर्थात् निर्बलता को न जान सके (तु) और (परस्य छिद्रं विद्यात्) स्वयं शत्रु के छिद्रों को जानता रहे (कूर्म+इव+अङ्गानि) जैसे कछुआ अपने अंगों को गुप्त रखता

है वैसे (आत्मनः विवरं गूहेत् रक्षेत्) शत्रु के प्रवेश करने के छिद्र को गुप्त रखे ॥ १०५ ॥ (स० प्र० १५२)

अनुशीलन : (१) **छिद्र का अर्थ**—त्रुटि, कमजोरी, निर्बलता आदि ऐसी कमी जिससे शत्रु लाभ उठाकर स्वयं को हानि पहुँचा सके। **'छिनत्ति यत् तत् छिद्रम्=यूनत्वम्'**। **'छिधिर् द्वैधीकरणे'** धातु से **'स्फायितञ्जि···'**(उणादि २.१३) सूत्र से रक् प्रत्यय के योग से छिद्र शब्द सिद्ध होता है।

(२) **कौटिल्य द्वारा उद्धृत श्लोक**—मनु का यह श्लोक कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र प्रक० १०। अ० १४ में सामान्य पाठभेद के साथ उद्धृत किया है।

बकवच्चिन्तयेदर्थान्सिंहवच्च पराक्रमेत्।
वृकवच्चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत् ॥ १०६ ॥ (८१)

(बकवत् अर्थान् चिन्तयेत्) जैसे बगुला ध्यानावस्थित होकर मच्छी के पकड़ने की ताकता है वैसे अर्थसंग्रह का विचार किया करे, द्रव्यादि पदार्थ और बल की वृद्धि कर शत्रु को जीतने के लिए (सिंहवत् पराक्रमेत्) सिंह के समान पराक्रम करे (वृकवत् अवलुम्पेत) चीते के समान छिपकर शत्रुओं को पकड़े (च) और समीप में आये बलवान् शत्रुओं से (शशवत् विनिष्पतेत्) सुस्से [=खरगोश] के समान दूर भाग जाये और पश्चात् उनको छल से पकड़े ॥ १०६ ॥ (स० प्र० १५२)

एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः।
तानानयेद्वशं सर्वान्सामादिभिरुपक्रमैः ॥ ॥ १०७ ॥ (८२)

(एवं विजयमानस्य) इस प्रकार विजय करने वाले सभापति के राज्य में (ये परिपन्थिनः स्युः) जो परिपंथी अर्थात् डाकू-लुटेरे हों (तान्) उनको (साम+आदिभिः) साम=मिला देना, दाम=कुछ देकर, भेद=तोड़-फोड़ करके ❀ (वशम् आनयेत्) वश में करे ॥ १०७ ॥ (स० प्र० १५३)

❀ (उपक्रमैः) इन उपायों से·····

अनुशीलन : **परिपन्थिन् का व्याकरण**—'परिपन्थिन्,' शब्द **'छन्दसि परिपन्थिपरिपरिणौ पर्यवस्थातरि'** (अ० ५। २। ८९) सूत्र के अनुसार वेद में निपातन रूप है। पाणिनि के अनुसार वेद में ही निपातन है किन्तु साथ-साथ संस्कृत-साहित्य में भी यह प्रयोग इसी रूप में प्रचलित है। इसके 'शत्रु', 'चोर', 'डाकू', 'लुटेरा', 'कार्यों में रुकावट डालने वाला' आदि अर्थ हैं।

१०७, ११० श्लोकों में उक्त 'परिपंथी' शब्द का व्यापक अर्थ है। इससे उन डाकू, चोर, लुटेरों का भी ग्रहण है जो प्रजाओं के अतिरिक्त, राज्य के विकास में रोड़ा

अटका कर बाधा डालने वाले, विरोध करके अराजकता फैलाने वाले और राज्यापहरण के लिए षड्यन्त्र करके शत्रु की सहायता करने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति को राजा कठोरता से वश में करे।

यदि ते तु न तिष्ठेयुरुपायैः प्रथमैस्त्रिभिः।
दण्डेनैव प्रसह्यैतांश्छनकैर्वशमानयेत् ॥ १०८ ॥ (८३)

(यदि) यदि (ते) वे शत्रु डाकू, चोर आदि (प्रथमैः त्रिभिः उपायैः न तिष्ठेयुः तु) पूर्वोक्त साम, दाम, भेद इन तीन उपायों से शान्त न हों या वश में न आयें तो राजा (एतान्) इन्हें (दण्डेन+एव) दण्ड के द्वारा ही (प्रसह्य) बलपूर्वक (शनकैः वशम्+आनयेत्) सावधानीपूर्वक वश में लाये ॥ १०८ ॥

"और जो इनसे वश में न हों तो अतिकठिन दण्ड से वश में करे।"
(स० प्र० १५३)

सामादीनामुपायानां चतुर्णामपि पण्डिताः।
सामदण्डौ प्रशंसन्ति नित्यं राष्ट्राभिवृद्धये ॥ १०९ ॥

(पण्डिताः) पण्डित लोग (साम+आदीनां चतुर्णाम्+अपि उपायानाम्) साम आदि [साम, दाम, भेद, दण्ड] चारों उपायों में (नित्यं राष्ट्र-अभिवृद्धये) राष्ट्र की सतत-वृद्धि के लिए (साम-दण्डौ प्रशंसन्ति) साम और दण्ड की ही प्रशंसा करते हैं ॥ १०९ ॥

अनुशीलन : १०९ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. **प्रसंगविरोध**—यह श्लोक पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध है। पूर्व के १०७-१०८ श्लोकों में और पश्चात् के ११० वें श्लोक में 'परिपन्थियों को वश में करने और उन्हें विनष्ट कर देने की चर्चा है। इस प्रकार ११० वां श्लोक वाक्यक्रम की दृष्टि से १०८ वें से सम्बद्ध है। बीच में इस श्लोक ने उस सम्बद्धता को भङ्ग कर दिया है और साम-दण्ड की प्रशंसा का पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध वर्णन किया है। अतः प्रसंगविरुद्ध होने से यह प्रक्षिप्त है।

२. **अन्तर्विरोध**—इस श्लोक में साम आदि चार उपायों में केवल साम और दण्ड को ही प्रशंसनीय माना है। यह मान्यता मनुविरुद्ध है। क्योंकि मनु तो साम, दाम, दण्ड, भेद, चारों उपायों को प्रयोग करने योग्य मानकर उनका विधान करते हैं। जब विधान किया है तो वे मनु के मत में प्रशंसनीय भी हैं [७। ५६, १५९, १६०, १६१, १६४, १६७, १७०, १९८]। ठीक इससे पूर्व के १०७ वें श्लोक में पहले साम, दाम, भेद इन तीन उपायों का विधान है। इस अन्तर्विरोध के आधार पर भी यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

यथोद्धरति निर्दाता कक्षं धान्यं च रक्षति।
तथा रक्षेन्नृपो राष्ट्रं हन्याच्च परिपन्थिनः ॥ ११० ॥ (८४)

(यथा) जैसे (निर्दाता) धान्य का निकालने वाला (कक्षम् उद्धरति धान्यं च रक्षति) छिलकों को अलग कर धान्य की रक्षा करता अर्थात् टूटने नहीं देता है (तथा) वैसे (नृपः) राजा (परिपन्थिनः हन्यात्) डाकू-चोरों को मारे (च) और (राष्ट्रं रक्षेत्) राज्य की रक्षा करे ॥ ११० ॥

(स० प्र० १५३)

राजा प्रजा का शोषण न होने दे—

मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेक्षया।
सोऽचिराद् भ्रश्यते राज्याज्जीविताच्च सबान्धवः ॥१११॥(८५)

(यः राजा) जो राजा (मोहात् अनवेक्षया) मोह से, अविचार से (स्वराष्ट्रं कर्षयति) अपने राज्य को दुर्बल करता है (सः) वह (राज्यात्) राज्य से (च) और (सबान्धवः जीवितात्) बन्धुसहित जीने से पूर्व ही (अचिरात्) शीघ्र (भ्रश्यते) नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है ॥ १११ ॥

(स० प्र० १५३)

प्रजा के शोषण से हानि—

शरीरकर्षणात्प्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा।
तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्रकर्षणात् ॥ ११२ ॥ (८६)

(यथा) जैसे (प्राणिनां प्राणाः) प्राणियों के प्राण (शरीरकर्षणात् क्षीयन्ते) शरीरों को कृशित करने से क्षीण हो जाते हैं (तथा) वैसे ही (राष्ट्रकर्षणात्) प्रजाओं को दुर्बल करने से (राज्ञाम्+अपि प्राणाः) राजाओं के प्राण अर्थात् बलादि बन्धुसहित (क्षीयन्ते) नष्ट हो जाते हैं ॥ ११२ ॥

(स० प्र० १५३)

अनुशीलन : राष्ट्रकर्षण से अभिप्राय—श्लोक १११-११२ में राष्ट्र-कर्षण से अभिप्राय यह है कि डाकू-लुटेरों द्वारा या स्वयं राजा द्वारा, अन्य प्रजाजनों अथवा राजपुरुषों द्वारा किसी भी प्रकार से प्रजा का शोषण-उत्पीड़न होना। जिस प्रजा में शोषण-उत्पीड़न बढ़ जाता है, उस राजा का राज्य रूपी शरीर भी नष्ट हो जाता है।

राष्ट्र के नियन्त्रण के उपाय—

राष्ट्रस्य सङ्ग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत्।
सुसंगृहीतराष्ट्रो हि पार्थिवः सुखमेधते ॥ ११३ ॥ (८७)

इसलिए राजा (राष्ट्रस्य संग्रहे) राष्ट्र की सुव्यवस्था, नियन्त्रण एवं अभिवृद्धि के लिए (नित्यम्) सदैव (इदं विधानम् आचरेत्) इस निम्न वर्णित व्यवस्था [११४-१४४] को लागू करे (हि) क्योंकि (सुसंगृहीत-राष्ट्रः पार्थिवः) सुरक्षित, नियन्त्रित तथा सुव्यवस्थित राष्ट्र वाला राजा ही (सुखम्+एधते) सुखपूर्वक रहते हुए बढ़ता है--उन्नति करता है ॥ ११३ ॥

"इसलिए राजा और राजसभा राजकार्य की सिद्धि के लिए ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे राजकार्य यथावत् सिद्ध हो। जो राजा राज्य पालन में सब प्रकार तत्पर रहता है उसको सदा सुख बढ़ता है।"

(स० प्र० १५३)

नियन्त्रण केन्द्रों और राजकार्यालयों का निर्माण—

द्वयोस्त्रयाणां पञ्चानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम्।
तथा ग्रामशतानां च कुर्याद्राष्ट्रस्य संग्रहम् ॥ ११४ ॥ (८८)

इसलिए (द्वयोः त्रयाणां पञ्चानां मध्ये) दो, तीन और पांच गांवों के बीच में (गुल्मम्+अधिष्ठितम्) एक-एक नियन्त्रण केन्द्र या उन्नत राजकार्यालय बनाये (तथा ग्रामशतानाम्) इसी प्रकार सौ गांव तक कार्यालयों का निर्माण करे [जैसा कि ७। ११५-११७ में वर्णन है, उसके अनुसार] (च) और इस व्यवस्था के अनुसार (राष्ट्रस्य संग्रहं कुर्यात्) राष्ट्र को सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं वशीभूत रखे ॥ ११४ ॥

"इसलिए दो, तीन, पांच और सौ गांव के बीच में एक राज-स्थान रखके जिसमें यथायोग्य भृत्य और कामदार आदि राजपुरुषों को रखकर सब राज्यों के कार्यों को पूर्ण करे।" (स० प्र० १५३)

अवर अधिकारियों आदि की नियुक्ति—

ग्रामस्याधिपतिं कुर्याद्दशग्रामपतिं तथा।
विंशतीशं शतेशं च सहस्रपतिमेव च ॥ ११५ ॥ (८९)

(ग्रामस्य+अधिपतिं कुर्यात्) एक-एक ग्राम में एक-एक प्रधान पुरुष को रखे (तथा दशग्रामपतिम्) उन्हीं दश के ऊपर दूसरा (विंशति+ईशम्) उन्हीं बीस ग्रामों के ऊपर तीसरा (शत+ईशम्) उन्हीं सौ ग्रामों के ऊपर चौथा (च) और (सहस्रपतिम्+एव) उन्हीं सहस्र ग्रामों के ऊपर पांचवां पुरुष रखे।

अर्थात् जैसे आजकल एक ग्राम में एक पटवारी, उन्हीं दशग्रामों में एक थाना और दो थानों पर एक बड़ा थाना और उन पांच थानों पर एक तहसील और दस तहसीलों पर एक जिला नियत किया है" ॥ ११५ ॥
(स० प्र० १५३)

ग्रामदोषान्समुत्पन्नान्ग्रामिकः शनकैः स्वयम् ।
शंसेद् ग्रामदशेशाय दशेशो विंशतीशिने ॥ ११६ ॥ (९०)

इसी प्रकार प्रबंध करे और आज्ञा देवे कि (ग्रामिकः) वह एक-एक ग्रामों के पति (ग्रामदोषान् समुत्पन्नान्) ग्रामों में नित्यप्रति जो-जो दोष उत्पन्न हों उन-उनको (शनकैः स्वयम्) गुप्तता से (ग्रामदशेशाय) दशग्राम के पति को (शंसेत्) विदित कर दे, और (दशेशः) वह दश ग्रामाधिपति उसी प्रकार (विंशति+ईशिने) **बीस** ग्राम के स्वामी को **दशग्रामों** का वर्तमान [=की स्थिति] नित्यप्रति जनादेवे ॥ ११६ ॥ (स० प्र० १५३)

विंशतीशस्तु तत्सर्वं शतेशाय निवेदयत् ।
शंसेद् ग्रामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम् ॥ ११७ ॥ (९१)

(तु) और (विंशतीशः) बीस ग्रामों का अधिपति (तत् सर्वम्) बीस ग्रामों के वर्तमान को [=बीस ग्रामों की स्थिति को] (शतेशाय निवेदयेत्) **शतग्रामाधिपति** को नित्यप्रति निवेदन करे (शतेशः तु) वैसे सौ-सौ ग्रामों के पति (स्वयम्) आप (सहस्राधिपतिं, अर्थात् हजार ग्रामों के स्वामी को (शंसेत्) सौ-सौ ग्रामों के वर्तमान को प्रतिदिन जनाया करें ॥ ११७ ॥
(स० प्र० १५३)

अनुशीलन :

राज्यसंरक्षण के लिए मनुप्रोक्त नियन्त्रणकेन्द्र-कार्यालय-व्यवस्था-तालिका

१—केन्द्रीय कार्यालय राजधानी अर्थात् राजा का किला	(७।६९-७६)
२—प्रत्येक नगर में एक सचिवालय	(७।१२१)
३—सौ गांवों पर मुख्य कार्यालय	(७।११४-११७)
४—बीस गांवों पर कार्यालय	(,, ,,)
५—दश गांवों पर कार्यालय	(,, ,,)
६—पांच गांवों पर कार्यालय	(,, ,,)

७—दो गांवों पर फिर एक कार्यालय (,, ,,)

[अपने से ऊपर-ऊपर के कार्यालयों को प्रतिदिन की गतिविधियों से सूचित करें, (७। ११५–११७)]

यानि राजप्रदेयानि प्रत्यहं ग्रामवासिभिः।
अन्नपानेन्धनादीनि ग्रामिकस्तान्यवाप्नुयात् ॥ ११८ ॥

(ग्रामवासिभिः) ग्रामवासियों द्वारा (प्रत्यहम्) प्रतिदिन (यानि अन्न+पान+इन्धन+आदीनि राजप्रदेयानि) जो-जो अन्न, पेयवस्तु, ईन्धन आदि राजा को देय पदार्थ हैं (तानि) उन्हें (ग्रामिकः अवाप्नुयात्) गाँव का अध्यक्ष ग्रहण कर ले ॥ ११८ ॥

दशी कुलं तु भुञ्जीत विंशी पञ्च कुलानि च।
ग्रामं ग्रामशताध्यक्षः सहस्राधिपतिः पुरम् ॥ ११९ ॥

(दशी) दश ग्रामों का अधिपति (कुलं भुञ्जीत) एक 'कुल' की भूमि का अपने लिए उपयोग करे (च) और (विंशी) बीस गांव का स्वामी (पञ्चकुलानि) पाँच 'कुलों' की भूमि को (ग्रामशताध्यक्षः ग्रामम्) सौ ग्रामों का स्वामी एक 'गांव' को (सहस्राधिपतिः पुरम्) हजार गांवों का स्वामी एक 'नगर' को अपने लिए उपयोग करे ॥ ११९ ॥

अनुशीलन : कुल का अर्थ—'कुल' का यहां विशेष अभिप्राय है। हरीत स्मृति में दी गयी परिभाषा के अनुसार छह बैलों द्वारा एक साथ चलाये जाने वाले हल को 'मध्यम हल' कहा जाता है। ऐसे दो हलों अर्थात् बारह बैलों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को एक 'कुल' कहा जाता है।

११८–११९ श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—ये दोनों श्लोक पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध हैं। पूर्वापर श्लोकों का प्रसंग राज्यव्यवस्था के लिए अध्यक्षों की नियुक्ति और उनकी कार्य करने की प्रणाली का है। ११७ वें में 'सहस्रपति' तक की कार्यविधि का उल्लेख है, फिर "तेषां ग्राम्याणि कार्याणि" पदों के [illegible] सम्बद्ध है। इन दोनों श्लोकों ने उस सम्बद्धता और पूर्वापर प्रसंग को भंगकर दिया है। और इनमें कुछ अध्यक्षों की आजीविका का पूर्वापर-प्रसंग के विरुद्ध वर्णन है, अतः ये प्रक्षिप्त हैं।

२. **अन्तर्विरोध**—(१) मनु ने प्रजाओं से केवल राजा को ही कर लेने का विधान किया है [७। १२७–१३०]। इन श्लोकों में कुछ अध्यक्षों द्वारा अपने लिए पदार्थों के लेने का विधान उक्त व्यवस्था के विरुद्ध है (२) ७। १२५ में राज्य में नियुक्त

पुरुषों की जीविका निश्चित करने का विधान है, यह व्यवस्था उसके विरुद्ध है। (३) इस प्रकार की यह व्यवस्था मनुसम्मत नहीं लगती। क्योंकि इन श्लोकों में केवल कुछ अध्यक्षों के लिए ही आजीविका दर्शायी है, अन्य अमात्य आदि की जीविकाओं का वर्णन नहीं दिखाया। यह अपूर्णता भी इसे मनुभिन्न सिद्ध करती है। मनु ने तो सभी राजपुरुषों के लिए वेतन देने की एक व्यवस्था दर्शा दी है [७। १२५], जो सभी पर पूर्णरूप से लागू होती है। इन अन्तर्विरोधों के आधार पर भी ये मौलिक सिद्ध नहीं होते।

तेषां ग्राम्याणि कार्याणि पृथक्कार्याणि चैव हि।
राज्ञोऽन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पश्येदतन्द्रितः॥ १२०॥(९२)

(तेषाम्) उन पूर्वोक्त अध्यक्षों [११६-११७] के (ग्राम्याणि कार्याणि) गांवों से सम्बद्ध राजकार्यों को (च) और (पृथक् कार्याणि एव हि) अन्य भिन्न-भिन्न कार्यों को भी (राज्ञः+अन्यः स्निग्धः सचिवः) राजा का एक विश्वासपात्र प्रमुख मन्त्री [७। ५४] (अतन्द्रितः) आलस्यरहित होकर (पश्येत्) देखे॥ १२०॥

"और एक-एक, दश दश सहस्र ग्रामों पर दो सभापति वैसे करें जिनमें एक राजसभा में और दूसरा अध्यक्ष आलस्य छोड़कर सब न्यायाधीश राजपुरुषों के कामों को सदा घूमकर देखते रहें"। (स० प्र० १५३)

अनुशीलन : मनु ने विभिन्न श्लोकों में समुचित राज्य-संचालन के लिए तीन सभाओं की संरचना का तथा उनमें काम करने वाले अधिकारियों का कथन किया है। सुगमता के लिए उन्हें एकत्र स्थान पर अग्रिम तालिका के रूप में दिखाया जा रहा है। आजकल भी भारत में इसी प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है। अन्तर केवल इतना ही है कि उन्हें सभा न कहकर 'पालिका' कहा जाता है। आजकल तीन पालिकाएं राज्यसम्बन्धी व्यवस्थाओं को निपटाती हैं,

(१) [illegible] बनाने वाली परिषद्),

(२) कार्यपालिका (विधानों एवं नियमों को क्रियात्मक रूप देने वाले अधिकारी/कर्मचारियों का वर्ग),

(३) न्यायपालिका (न्याय करने वाले अधिकारी गण)। तालिका इस प्रकार है·

मनुप्रोक्त राज्यसंचालन के लिए सभा/मन्त्री/अधिकारी/कर्मचारी-प्रणाली (तालिका)

राजा [मुख्य राजसभाध्यक्ष, कोई भी विद्वान्, जितेन्द्रिय क्षत्रिय ७। २—७]

(१) राजसभा

[राज्य संचालन का कार्य, नीति निर्धारण]

१. ७-८ प्रमुख मन्त्री, आवश्यकतानुसार अधिक भी। (७। ५४-५७, ६०-६१)
२ अवर सचिव (७। ६०, ६१)
३. सहयोगी अधिकारी एवं दूताधिकारी (७। ६२, ६३, ६८)
४. विभागों के अध्यक्ष (७। ८१)
५. सहस्रग्रामप्रधान (७। ११५-११७)
६. शतग्रामप्रधान (,, ,,)
७. बीसग्रामप्रधान (,, ,,)
८. दशग्रामप्रधान (,, ,,)
९. एकग्रामप्रधान (,, ,,)
१० कर्मचारी गण (७।८१,१२०,१२२-१२५)

[ये सब एक प्रमुख मन्त्री के अधीन होंगे और प्रत्येक प्रमुख मन्त्री अपने-अपने विभागों तथा कर्मचारियों का निरीक्षणकरे,(७।१२०)]

(२) ब्रह्मसभा या न्यायसभा

[न्याय करने का कार्य ८। १, ११-२६]

१. राजा या राजा का अधिकृत विद्वान् मुख्य न्यायाधीश (८। १, ११)
२. वेदविद्याओं के ज्ञाता तीन विद्वान्
३. मुकद्दमोंके अनुसार उस-उस विषय के सलाहकार (८। १)

(३) धर्मनिर्णय सभा या विधानपरिषद्

[धर्म का निश्चय, धर्मसंशय में निर्णय देना १२। १०८, ११०, ११२, जिसमें दश और कम से कम तीन विद्वान् होते हैं]

क—दश सदस्यों की परिषद् व उसके सदस्य

१. ऋक्विद्या का ज्ञाता (१२। १११)
२. यजुर्विद्या का ज्ञाता (,,)
३. सामविद्या का ज्ञाता (,,)
४. कारण-अकारण का ज्ञाता विद्वान्=हेतुक (,,)
५. निरुक्त शास्त्र का ज्ञाता (,,)
६. धर्मशास्त्र का ज्ञाता (,,)
७. ब्रह्मचर्याश्रम का एक प्रतिनिधि विद्वान् (,,)
८. गृहस्थाश्रम का एक प्रतिनिधि विद्वान्
९. वानप्रस्थ आश्रम का एक प्रतिनिधि विद्वान् (,,)
०. न्यायशास्त्र का ज्ञाता, तर्क करने वाला विद्वान् (,,)

ख—तीन सदस्यों की परिषद्

१. ऋक्विद्या का ज्ञाता (१२। ११२)
२. यजुर्विद्या का ज्ञाता (,,)
३. सामविद्या का ज्ञाता (,,)

नगरों में सचिवालय का निर्माण—

नगरे नगरे चैकं कुर्यात्सर्वार्थचिन्तकम्।
उच्चैः स्थानं घोररूपं नक्षत्राणामिव ग्रहम् ॥ १२१ ॥ (९३)

राजा (नगरे नगरे) बड़े-बड़े प्रत्येक नगर में (एकम्) एक-एक (नक्षत्राणां ग्रहम् इव) जैसे नक्षत्रों के बीच में चन्द्रमा है इस प्रकार विशाल और देखने में प्रभावकारी (घोररूपम्) भयकारी अर्थात् जिसे देखकर या जिसका ध्यान करके प्रजाओं में नियमों के विरुद्ध चलने में भय का अनुभव हो (सर्व +अर्थचिन्तकम्) जिसमें सब राजकार्यों के चिन्तन और प्रजाओं की व्यवस्था और कार्यों के संचालन का प्रबन्ध हो ऐसा (उच्चैः स्थानम्) ऊंचा भवन अर्थात् सचिवालय (कुर्यात्) बनावे ॥ १२१ ॥

"बड़े-बड़े नगरों में एक-एक विचार करने वाली सभा का सुन्दर, उच्च और विशाल जैसा कि चन्द्रमा है, वैसा एक-एक घर बनावे। उसमें बड़े-बड़े विद्यावृद्ध कि जिन्होंने विद्या से सब प्रकार की परीक्षा की हो, वे बैठकर विचार किया करें। जिन नियमों से राजा और प्रजा की उन्नति हो वैसे-वैसे नियम और विद्या प्रकाशित किया करें"। (स० प्र० १५५)

राजकर्मचारियों के आचरण का निरीक्षण—

स तानपरिक्रामेत्सर्वानेव सदा स्वयम्।
तेषां वृत्तं परिणयेत्सम्यग्राष्ट्रेषु तच्चरैः ॥ १२२ ॥ (९४)

(सः) वह [७। १२० में वर्णित] सचिव=प्रमुख मन्त्री (तान् सर्वान् सदा स्वयम् अनुपरिक्रामेत्) उन निर्मित [७। १२१] सब सचिवालयों का सदा स्वयं घूम-फिरकर निरीक्षण करता रहे (च) और (राष्ट्रे) देश में (तत्+चरैः) अपने दूतों के द्वारा (तेषां वृत्तं परिणयेत्) वहां नियुक्त राजपुरुषों के आचरण की गुप्तरीति से जानकारी प्राप्त करता रहे ॥ १२२ ॥

"जो नित्य घूमने वाला सभापति हो उसके अधीन सब गुप्तचर और दूतों को रखे, जो राजपुरुष और भिन्न-भिन्न जाति के रहें, उन सब राज और प्रजा पुरुषों के सब दोष और गुण गुप्तरीति से जाना करे। जिनका अपराध हो उनको दंड और जिनका गुण हो उनकी प्रतिष्ठा सदा किया करे"। (स० प्र० १५५—१५६)

रिश्वतखोर कर्मचारियों पर दृष्टि रखे—

राज्ञो हि रक्षाधिकृताः परस्वादायिनः शठाः।
भृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजाः ॥ १२३ ॥ (९५)

(हि) क्योंकि (प्रायेण) प्रायः (राज्ञः रक्षाधिकृताः भृत्याः) राजा के द्वारा प्रजा की सुरक्षा के लिए नियुक्त राजसेवक (परस्वादायिनः) दूसरों के धन के लालची अर्थात् रिश्वतखोर और (शठाः) ठग या धोखा करने वाले (भवन्ति) हो जाते हैं (तेभ्यः) ऐसे राजपुरुषों से (इमाः प्रजाः रक्षेत्) अपनी प्रजाओं की रक्षा करे अर्थात् ऐसे प्रयत्न करे कि वे प्रजाओं के साथ या राज्य के साथ ऐसा बर्ताव न करपायें ॥ १२३ ॥

"राजा जिनको प्रजा की रक्षा का अधिकार देवे वे धार्मिक, सुपरीक्षित विद्वान्, कुलीन हों। उनके आधीन प्रायः शठ और परपदार्थ हरने वाले चोर-डाकुओं को भी नौकर रखके, उनको दुष्टकर्म से बचाने के लिए राजा के नौकर करके, उन्हीं रक्षा करने वाले विद्वानों के स्वाधीन करके उनसे इस प्रजा की रक्षा यथावत् करे"। (स० प्र० १५६)

रिश्वतखोर कर्मचारियों को दण्ड—

ये कार्यिकेभ्योऽर्थमेव गृह्णीयुः पापचेतसः।
तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात्प्रवासनम् ॥ १२४ ॥ (९६)

(पापचेतसः) पापी मन वाले (ये) जो रिश्वतखोर और ठग राजपुरुष (कार्यिकेभ्यः) यदि काम कराने वालों और मुकद्दमे वालों से (अर्थं गृह्णीयुः एव) फिर भी धन अर्थात् रिश्वत ले ही लें तो (तेषां सर्वस्वम्+आदाय) उनका सब कुछ अपहरण करके (राजा) राजा (प्रवासनम् कुर्यात्) उन्हें देश निकाला दे दे ॥ १२४ ॥

"जो राजपुरुष अन्याय से वादी-प्रतिवादी से गुप्त धन लेके पक्षपात से अन्याय करे उसका सर्वस्व हरण करके, यथायोग्य दण्ड देकर, ऐसे देश में रखे कि जहां से पुनः लौटकर न आ सकें। क्योंकि यदि उसको दण्ड न दिया जाये तो उसको देखके अन्य राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम करेंगे और दण्ड दिया जाये तो बचे रहेंगे।" (स० प्र० १५६)

कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण—

राजा कर्मसु युक्तानां स्त्रीणां प्रेष्यजनस्य च।
प्रत्यहं कल्पयेद्वृत्तिं स्थानं कर्मानुरूपतः ॥ १२५ ॥ (९७)

(राजा) राजा (कर्मसु युक्तानाम्) राजकार्यों में नियुक्त राजपुरुषों (स्त्रीणाम्) स्त्रियों (च) और (प्रेष्यजनस्य) सेवकवर्ग की (कर्म+अनुरूपतः) पद और काम के अनुसार (प्रत्यहम्) प्रतिदिन की (स्थानं वृत्तिं कल्पयेत्) कर्मस्थान और जीविका निश्चित कर दे ॥ १२५ ॥

"जितने से उन राजपुरुषों का योगक्षेम भलीभांति हो और वे भलीभांति धनाढ्य भी हों, उतना धन वा भूमि राज्य की ओर से मासिक वा वार्षिक अथवा एक बार मिला करे। और जो वृद्ध हों उनको भी आधा मिला करे, परन्तु यह ध्यान में रखे कि जब तक वे जियें तब तक वह जीविका बनी रहे पश्चात् नहीं। परन्तु इनके सन्तानों का सत्कार वा नौकरी उनके गुण के अनुसार अवश्य देवे। और जिसके बालक जब तक समर्थ हों और उनकी स्त्री जीती हो तो उन सब के निर्वाहार्थ राज की ओर से यथा-योग्य धन मिला करे। परन्तु जो उसकी स्त्री वा लड़के कुकर्मी हो जायें तो कुछ भी न मिले ऐसी नीति राजा बराबर रखे"। (स० प्र० १५६)

पणो देयोऽवकृष्टस्य षडुत्कृष्टस्य वेतनम्।
षाण्मासिकस्तथाच्छादो धान्यद्रोणस्तु मासिकः॥१२६॥(६८)

(अवकृष्टस्य पणः) निम्नस्तर के भृत्य को कम से कम एक पण और (उत्कृष्टस्य षट्) ऊंचे स्तर के भृत्य को छः पण (वेतनं देयः) वेतन प्रतिदिन देना चाहिए (तथा) तथा उन्हें (षाण्मासिकः आच्छादः) प्रति छः महीने पर ओढ़ने पहरने के वस्त्र [=वेशभूषा] (तु) और (मासिकः धान्यद्रोणः) एक महीने में एक द्रोण [६४ सेर] धान्य=अन्न, देना चाहिए॥ १२६॥

अनुशीलन : **कौटिल्य के अनुसार मन्त्रियों से सेवकों तक का भरण-पोषण व्यय**—आचार्य कौटिल्य ने अपने समय के मूल्यस्तर के अनुसार राजा के परिजनों से लेकर, मन्त्रियों, अमात्यों, अध्यक्षों, निम्नस्तरीय कर्मचारियों तक की भृति=भरण-पोषण व्यय या वेतन का निर्धारण किया है। कौटिल्य के अनुसार धन और भूमि दोनों ही भृति के रूप में प्रदान करनी चाहिएँ। भूमि के सम्बन्ध में यह शर्त रखी है कि उसे कोई बेच नहीं सकता, न गिरवी रख सकता है [प्रक० १७। अ० १]। उन्होंने भृति या वेतन का निर्धारण प्रमुखरूप से निम्न प्रकार किया है—

१. ऋत्विक्, आचार्य, मन्त्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, राजमाता, और रानी, इनको प्रतिवर्ष अड़तालीस हजार पण दिये जायें।

२. द्वारपाल, अन्तःपुर का अधिकारी, आयुधाध्यक्ष, समाहर्त्ता=कर संग्रह का अधिकारी, कोष्ठागाराध्यक्ष, इनको चौबीस हजार पण प्रतिवर्ष।

३. राजकुमार के भाई, उपसेनापति, व्यापाराध्यक्ष, नगराध्यक्ष, कृषि-अध्यक्ष आदि को एक हजार पण प्रतिवर्ष।

४. प्रथम श्रेणी के वास्तुकर्मविशेषज्ञ, हस्ति-अश्व-रथ-अध्यक्ष, दण्डाधिकारी आठ सौ पण वेतन प्रतिवर्ष।

इसी प्रकार सेना के विविध विभागीय अध्यक्षों को, सैन्य-शिक्षकों को दो दो हजार पण से आठ सौ पण प्रतिवर्ष। शिल्पी, आय-विभाग के कर्मचारी, क्लर्क, गुप्तचर, वैद्य, गायक, वादक, आदि को एक हजार पण से एक सौ बीस पण तक प्रतिवर्ष वेतन का विधान किया है [प्र० ६१। अ० ३]।

कर-ग्रहण सम्बधी व्यवस्थाएं—

क्रयविक्रयमध्वानं भक्तं च सपरिव्ययम्।
योगक्षेमं च संप्रेक्ष्य वणिजो दापयेत्करान् ॥ १२७ ॥ (६६)

(क्रय-विक्रयम्) खरीद और बिक्री (अध्वानम्) मार्ग की दूरी आदि (भक्तम्) भोजन (च) तथा (सपरिव्ययम्) भरण-पोषण का व्यय (च) और (योगक्षेमम्) लाभ वस्तु की प्राप्ति एवं सुरक्षा और जनकल्याण (संप्रेक्ष्य) इन सब बातों पर विचार करके (वणिजः करान् दापयेत्) राजा को व्यापारी से कर लेने चाहिएं ॥ १२७ ॥

यथा फलेन युज्येत राजा कर्त्ता च कर्मणाम्।
तथावेक्ष्य नृपो राष्ट्रं कल्पयेत्सततं करान् ॥१२८॥ (१००)

(यथा) जैसे (राजा) राजा (च) और (कर्मणां कर्त्ता) कर्मों का कर्त्ता राजपुरुष व प्रजाजन (फलेन युज्येत) सुखरूप फल से युक्त होवे (तथा) वैसे (अवेक्ष्य) विचार करके (नृपः) राजा तथा राज्यसभा (राष्ट्रे करान् सततं कल्पयेत्) राज्य में कर-स्थापन करे ॥ १२८ ॥(स० प्र० १५६)

यथाल्पाल्पमदन्त्याद्यं वार्योकोवत्सषट्पदाः।
तथाल्पाल्पो ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्राज्ञाब्दिकः करः ॥१२९॥(१०१)

(यथा) जैसे (वार्योकः-वत्स-षट्पदाः) जोंक, बछड़ा और भंवरा (अल्प+अल्पम् आद्यम् अदन्ति) थोड़े-थोड़े भोग्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं (तथा) वैसे (राज्ञा राष्ट्रात्) राजा प्रजा से (अल्पः+अल्पः) थोड़ा-थोड़ा (आब्दिकः करः गृहीतव्यः) वार्षिक कर लेवे ॥ १२९ ॥

(स० प्र० १५६)

पञ्चाशद्भाग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययोः।
धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा ॥ १३० ॥ (१०२)

(राजा) राजा को (पशु-हिरण्ययोः) पशुओं और सोने के लाभ में से (पञ्चाशत् भागः) पचासवां भाग, और (धान्यानां षष्ठः, अष्टमः वा द्वादशः एव आदेयः) अन्नों का छठा, आठवां या अधिक से अधिक बारहवां भाग ही लेना चाहिए ॥ १३० ॥

"जो व्यापार करने वाले वा शिल्पी को सुवर्ण और चांदी का

जितना लाभ हो उसमें से पचासवां भाग, चावल आदि अन्नों में छठा आठवाँ वा बारहवां भाग लिया करे, और जो धन लेवे तो भी उस प्रकार से लेवे कि जिसमे किसान आदि खाने-पीने और धन से रहित होकर दुःख न पावें।" (स० प्र० १६५)

आददीताथ षड्भागं द्रुमांसमधुसर्पिषाम्।
गन्धौषधिरसानां च पुष्पमूलफलस्य च ॥ १३१ ॥ (१०३)

(अथ) और (द्रुमांस-सर्पिषाम्) गोंद, मधु, घी (च) और (गन्ध-औषधि-रसानाम्) गंध, औषधि, रस (च) तथा (पुष्प-मूल-फलस्य) फूल, मूल और फल, इनका (षड्भागम् आददीत) छठा भाग कर में लेवे ॥१३१॥

पत्रशाकतृणानां च चर्मणां वैदलस्य च।
मृन्मयानां च भाण्डानां सर्वस्याश्ममयस्य च ॥ १३२ ॥ (१०४)

(च) और (पत्र-शाक-तृणानाम्) वृक्षपत्र, शाक, तृण (चर्मणां वैदलस्य चमड़ा, बांसनिर्मित वस्तुएं (मृण्मयानां भाण्डानाम्) मिट्टी के बने बर्तन (च) और (सर्वस्य अश्ममयस्य) सब प्रकार के पत्थर से निर्मित पदार्थ, इनका भी छठा भाग कर ले ॥ १३२ ॥

अनुशीलन: मनुप्रोक्त कर-व्यवस्थाएं सर्वप्राचीन एवं सर्वाधिक मान्य—मनु सर्वप्रथम समाजव्यवस्थाओं के प्रवर्तक थे। एक राजा के रूप में उन्होंने इन व्यवस्थाओं को लागू कर समाज को व्यवस्थित एवं संगठित किया। अन्य व्यवस्थाओं की तरह जिस कर-व्यवस्था का उन्होंने निर्धारण किया था, लगभग वैसी ही आज तक चलती आ रही है। इससे ज्ञात होता है कि मनु की व्यवस्थाओं और मनु-स्मृति की समाज में सर्वोच्च मान्यता थी। इसकी पुष्टि कौटिल्य अर्थशास्त्र के निम्न वचनों से होती है—

"मात्स्यन्याया अभिभूताः प्रजाः मनुं वैवस्वतं राजानं चक्रिरे। धान्य-षड्भागं पण्य-दशभागं हिरण्यं चास्य भागधेयं प्रकल्पयामासुः। तेन भृताः राजानः प्रजानां योग-क्षेमवहाः। तेषां किल्बिषं दण्डकरा हरन्ति, योगक्षेमवहाश्च प्रजानाम्।"

[प्रक० ८। अ० १२]

अर्थात्—'जैसे बड़ी मछली छोटी निर्बल मछली को खा जाती है, इसी प्रकार बलवान् लोगों ने निर्बलों का जीना मुश्किल कर दिया। इस अन्याय से पीड़ित हुई प्रजाओं ने अपनी सुरक्षा और कल्याण के लिए विवस्वान् के पुत्र मनु को अपना राजा नियुक्त किया। और तभी से प्रजाओं ने अपनी खेती की उपज का छठा भाग, व्यापार की आमदनी का दसवां भाग तथा कुछ सुवर्ण राजा को 'कर' के रूप में देना निश्चित कर दिया। इस कर को पाकर राजाओं ने प्रजाओं की सुरक्षा और कल्याण की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर स्वीकार की। इस प्रकार ये निर्धारित 'कर' और 'दण्ड'-व्यव-

स्थाएं प्रजाओं के कष्टों को निवारण करने और उनका कल्याण करने में सहायक सिद्ध होती हैं।

म्रियमाणोऽप्यादद्यान्न राजा श्रोत्रियात्करम्।
न च क्षुधाऽस्य संसीदेच्छ्रोत्रियो विषये वसन्॥ १३३॥

(म्रियमाणः+अपि राजा) मरने जैसी स्थिति में पहुंचा हुआ भी राजा (श्रोतियात् करं न आददीत) वेदपाठी विद्वान् से कर न ले (च) और (अस्य विषये वसन्) इसके राज्य में रहते हुए (श्रोत्रियः क्षुधा न संसीदेत्) कोई वेदपाठी भूख से न मरने पाये॥ १३३॥

यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति क्षुधा।
तस्यापि तत्क्षुधा राष्ट्रमचिरेणैव सीदति॥ १३४॥

(यस्य राज्ञः तु विषये) जिस राजा के राज्य में (श्रोत्रियः) वेदपाठी विद्वान् (क्षुधा सीदति) भूख से पीड़ित या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। (तस्य तत् राष्ट्रम् अपि) उसका वह देश भी (अचिरेण+एव क्षुधा सीदति) शीघ्र ही भूख अर्थात् दुर्भिक्ष से पीड़ित हो जाता है॥ १३४॥

श्रुतवृत्ते विदित्वाऽस्य वृत्तिं धर्म्यां प्रकल्पयेत्।
संरक्षेत्सर्वतश्चैनं पिता पुत्रमिवौरसम्॥ १३५॥

इसलिए (अस्य श्रुत-वृत्ते विदित्वा) इस विद्वान् के शास्त्रज्ञान और आचरण को जानकर (धर्म्यां वृत्तिं प्रकल्पयेत्) जीविका निश्चित कर दे (च) और (पिता औरसं पुत्रम्+इव) जैसे पिता अपने सगे पुत्र की रक्षा करता है वैसे ही (एनं सर्वतः संरक्षेत्) इस वेदपाठी की सब तरह से सुरक्षा करे॥ १३५॥

संरक्ष्यमाणो राज्ञो यं कुरुते धर्ममन्वहम्।
तेनायुर्वर्धते राज्ञो द्रविणं राष्ट्रमेव च॥ १३६॥

(राज्ञा संरक्ष्यमाणः) राजा के द्वारा सुरक्षित रहता हुआ वेदपाठी विद्वान् (अन्वहम्) प्रतिदिन (यं धर्मं कुरुते) जिस धर्म का पालन करता है (तेन) उस धर्म से (राज्ञः द्रविणम् आयुः वर्धते) राजा के धन, आयु बढ़ते हैं (च) और (राष्ट्रम्+एव) राष्ट्र की भी अभिवृद्धि होती है॥ १३६॥

अनुशीलन: १३३ से १३६ श्लोक निम्न 'आधारों' पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—ये श्लोक पूर्वापर प्रसंग-विरुद्ध हैं। पूर्वापर श्लोकों का प्रसंग व्यापारियों से किस प्रकार, किन वस्तुओं पर थोड़ा या बहुत कर लेने का है। बीच में श्रोत्रिय से कर न लेने का वर्णन करने वाले ये श्लोक उस प्रसंग को भंग कर रहे हैं, और इनका वर्णन भी अप्रासंगिक है। अतः इस आधार पर ये प्रक्षिप्त हैं।

२. **अन्तर्विरोध**—(१) १३५–१३६ श्लोकों में श्रोत्रिय की वृत्ति निश्चित करने का कथन ब्राह्मण के लिए नियत आजीविकाओं के विरुद्ध है। ब्राह्मण के लिए याजन, अध्यापन और दानग्रहण ये आजीविकायें कही हैं, वृत्ति लेना नहीं [१।८८; १०।७५,७६]। यदि वह ब्रह्मचारी है तो भिक्षा का विधान है [२।१५८-१६० (१८३-१८५)]। इन श्लोकों की व्यवस्था उक्त व्यवस्था के भी विरुद्ध है, अतः ये श्लोक तथा इनसे सम्बद्ध पूर्व के श्लोक इस आधार पर प्रक्षिप्त हैं।

३. **शैलीगत आधार**—१३४ और १३६ श्लोकों की शैली अतिशयोक्तिपूर्ण एवं अयुक्तियुक्त है। मनु की शैली इस प्रकार की त्रुटियों से युक्त नहीं है।

यत्किंचिदपि वर्षस्य दापयेत्करसंज्ञितम्।
व्यवहारेण जीवन्तं राजा राष्ट्रे पृथग्जनम्॥ १३७॥ (१०५)

(राष्ट्रे) राज्य में (व्यवहारेण जीवन्तं पृथक्जनम्) व्यापार से जीविका करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से (राजा) राजा (यत् किंचित्+अपि) जो कुछ भी (वर्षस्य करसंज्ञितम्) वार्षिक करके रूप में निर्धारित होता हो वह भाग (दापयेत्) राज्य के लिए दिलवाये अर्थात् ग्रहण करे॥ १३७॥

कारुकाञ्छिल्पिनश्चैव शूद्रांश्चात्मोपजीविनः।
एकैकं कारयेत्कर्म मासि मासि महीपतिः॥ १३८॥

(कारुकान्) कारीगर (शिल्पिनः) कलाकार (च) तथा (शूद्रान् आत्मोपजीविनः) ऐसे शूद्र जो सेवा न करके अपने आश्रित किसी कार्य से आजीविका करते हैं, उनसे (महीपतिः) राजा (मासि मासि) प्रत्येक मास में (एकं-एकं कर्म कारयेत्) एक-एक काम करवा ले अर्थात् कर न ले॥ १३८॥

अनुशीलन: १३८ वां श्लोक निम्न 'आधार' पर प्रक्षिप्त है—

१. **अन्तर्विरोध**—(१) १०।१२० वें श्लोक में कारीगरों, शिल्पियों, शूद्रों आदि से मुफ्त काम कराना केवल राजाकी आपत्कालीन स्थिति में ही विहित है। यहां मास-मास में एक-एक काम कराने का कथन उसके विरुद्ध है। (२) कारीगरी आदि कार्य वैश्यों के हैं और शूद्र भी यदि कोई आत्मोपजीविका अर्थात् अपने आपत्काल में अपने आश्रय का [१०।९९] कोई कारीगरी कोई साधन अपनाता है तो वह भी व्यापार में ही गिना जायेगा। ऐसे छोटे व्यापारियों से भी ७।१३७ में थोड़ा कर लेने का विधान है। यहां काम कराने का विधान उसके भी विरुद्ध है। इन अन्तर्विरोधों के आधार पर यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

करग्रहण में अतितृष्णा हानिकारक—

नोच्छिन्द्यादात्मनो मूलं परेषां चातितृष्णया।
उच्छिन्दन्ह्यात्मनो मूलमात्मानं तांश्च पीडयेत्॥१३९॥(१०६)

(अतितृष्णया) अतिलोभ से (आत्मनः) अपने ❀ (परेषां मूलम्) दूसरों के सुख के मूल को (न उच्छिन्द्यात्) उच्छिन्न अर्थात् नष्ट कदापि न करे (हि) क्योंकि जो+(मूलम् उच्छिन्दन्) व्यवहार और सुख के मूल का छेदन करता है वह (आत्मानं च तान् पीडयेत्) अपने और उन को पीड़ा ही देता है ॥ १३९ ॥ (स० प्र० १५६)

❀ (च) और·····

+ (आत्मनः) अपने·····

तीक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात्कार्यं वीक्ष्य महीपतिः ।
तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजा भवति संमतः ॥ १४०॥ (१०७)

(महीपतिः) जो महीपति (कार्यं वीक्ष्य) कार्य को देखकर (तीक्ष्णः च मृदुः एव स्यात्) तीक्ष्ण और कोमल भी होवे (तीक्ष्णः च एव) वह दुष्टों पर तीक्ष्ण (च) और (मृदुः एव) श्रेष्ठों पर कोमल रहने से (राजा संमतः भवति) अतिमाननीय होता है ॥ १४० ॥ (स० प्र० १५६)

रुग्णावस्था में प्रधान अमात्य को राजसभा का कार्य सौंपना—

अमात्यमुख्यं धर्मज्ञं प्राज्ञं दान्तं कुलोद्गतम् ।
स्थापयेदासने तस्मिन्निश्चिन्तः कार्यवीक्षणे नृणाम् ॥ १४१ ॥ (१०८)

(नृणां कार्यवीक्षणे खिन्नः) प्रजा के कार्यों की देखभाल करने में रुग्णता आदि के कारण अशक्त होने पर (तस्मिन् आसने) उस अपने आसन पर (धर्मज्ञम्) न्यायकारी धर्मज्ञाता (प्राज्ञम्) बुद्धिमान् (दान्तम्) जितेन्द्रिय (कुलोद्गतम्) कुलीन (अमात्यमुख्यम्) सबसे प्रधान अमात्य=मन्त्री को (स्थापयेत्) बिठा देवे अर्थात् रुग्णावस्था में प्रधान अमात्य को अपने स्थान पर राजकार्य संपादन के लिए नियुक्त करे ॥ १४१ ॥

एवं सर्वं विधायेदमितिकर्तव्यमात्मनः ।
युक्तश्चैवाप्रमत्तश्च परिरक्षेदिमाः प्रजाः ॥ १४२ ॥ (१०९)

(एवम्) इस प्रकार (सर्वम् इतिकर्त्तव्यं विधाय) सब राज्य का प्रबन्ध करके (युक्तः) सदा इसमें युक्त (च) और (अप्रमत्तः) प्रमाद रहित होकर (आत्मनः इमाः प्रजाः परिरक्षेत्) अपनी प्रजा का पालन निरन्तर करे ॥ १४२ ॥ (स० प्र० १५७)

विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्राद्भ्रियन्ते दस्युभिः प्रजाः ।
संपश्यतः सभृत्यस्य मृतः स न तु जीवति ॥१४३॥(११०)

(यस्य सभृत्यस्य संपश्यतः) जिस भृत्यसहित देखते हुए राजा के (राष्ट्रात्) राज्य में से (दस्युभिः विक्रोशन्त्यः प्रजाः ह्रियन्ते) डाकू लोग रोती, विलाप करती प्रजा के पदार्थ और प्राणों को हरते रहते हैं (सः मृतः) वह जानो भृत्य-अमात्यसहित मृतक है (न तु जीवति) जीता नहीं है और महादुःख पाने वाला है ॥ १४३ ॥ (स० प्र० १५७)

क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम्।
निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥१४४॥ (१११)

इसलिए (क्षत्रियस्य) राजाओं का (प्रजानाम्+एव पालनम्) प्रजा-पालन ही करना (परः धर्मः) परम धर्म है (निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा) और जो मनुस्मृति के सप्तमाध्याय में कर लेना लिखा है [७। १२७-१३२] और जैसा सभा नियत करे उसका भोक्ता राजा (धर्मेण युज्यते) धर्म से युक्त होकर सुख पाता है, इससे विपरीत दुःख को प्राप्त होता है। [७। ३०३-३०९] ॥ १४४ ॥ (स० प्र० १५७)

राजा के दैनिक कर्त्तव्य—

उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशौचः समाहितः।
हुताग्निर्ब्राह्मणांश्चार्च्यं प्रविशेत्स शुभां सभाम् ॥१४५॥(११२)

(पश्चिमे यामे उत्थाय) जब पिछली प्रहर रात्रि रहे तब उठ (कृत-शौचः) शौच और (समाहितः) सावधान होकर परमेश्वर का ध्यान (हुताग्निः) अग्निहोत्र (ब्राह्मणान् अर्च्यं) विद्वानों का सत्कार (च) और भोजन करके (शुभां सभां प्रविशेत्) भीतर सभा में प्रवेश करे ॥ १४५ ॥
(स० प्र० १५७)[1]

अनुशीलन : (१) **'ब्राह्मणान् अर्च्यं' का सही अभिप्राय**—प्रस्तुत श्लोक में राजा की नैत्यिकचर्या का वर्णन करते हुए 'ब्राह्मणान् च अर्च्यं' शब्दों का प्रयोग है। यहां कुछ टीका एवं भाष्यकार—'राजा प्रातःकाल ब्राह्मणों की पूजा करे'—यह अर्थ करते हैं, जो मनुसम्मत नहीं है। ब्राह्मण, वेदविद्याओं के विद्वानों को कहते हैं। इसके लिए सप्रमाण विवेचन १। ८८ पर द्रष्टव्य है। 'अर्च् पूजायाम्' से 'अर्च्यं' प्रयोग सिद्ध हुआ है। यहां अर्चा या पूजा का अर्थ 'सत्कार-सम्मान या अभिवादन' ही मनु को अभिप्रेत है। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ—'राजा प्रातःकाल उठकर विद्वानों का अभि-

१. [प्रचलित अर्थ—राजा रात्रि के अन्तिम प्रहरमें उठकर शौच (शौच, दन्त-धावन एवं स्नानादि नित्यकर्म) करके अग्नि में हवन और ब्राह्मणों की पूजा कर शुभ सभा (मन्त्रणागृह) में प्रवेश करे ॥ १४५ ॥]

वादन करे। इस प्रकार उनसे सम्मान-सत्कार का भाव रखे।' इस अर्थ की पुष्टि में इस धातु का मनु द्वारा अन्यत्र किया गया प्रयोग प्रमाण रूप में उल्लेखनीय है—

(क) गुरु के अभिवादन के लिए विधान करते हुए कहा है—
"**दूरस्थो न अर्चयेत् एनम्**"२। १७७ (२। २०२)

(ख) इसके पर्यायवाची रूप में अभिवादयेत् का प्रयोग है—
"**स्वान् गुरून् अभिवादयेत्**" २। १८० (२। २०५)

(ग) अभिवादन, सत्कार और सम्मान के अर्थ में निम्न प्रयोग भी द्रष्टव्य है—
"**आवृत्तानां गुरुकुलाद्विप्राणां पूजकः भवेत्।**" ७। ८२

(घ) अन्यत्र भी राजा द्वारा विद्वानों को अभिवादन आदि से सम्मान दिये जाने का निर्देश है—

"**राजास्नातकयोः चैव स्नातको नृपमानभाक्।**" २। ११४ (२। १३६)

अब प्रश्न उठता है कि प्रातःकाल राजा के समीप अभिवादनीय विद्वान् कौन हो सकते हैं? उत्तर है—ऋत्विज्, वेदविद्या आदि के प्रदाता विद्वान् जिनसे राजा को मनु ने दैनिक अग्निहोत्र आदि कराने का तथा विद्या ग्रहण करने का विधान किया है [७। ४३, ७८ आदि]। इस प्रकार इस भाष्य में किया गया श्लोकार्थ मनुसंगत है। [द्रष्टव्य ७। ४३, ७८ की समीक्षा भी।]

(२) **राजा की सामान्य दिनचर्या**—इस श्लोक से लेकर ७। २२५ तक मनु ने राजा की सामान्य दिनचर्या का दिग्दर्शन कराया है। थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ ऐसी ही दिनचर्या कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में प्रदर्शित की है। इसमें राजा सुविधा व देश-काल आदि के अनुसार परिवर्तन भी कर सकता है। तुलनात्मक रूप में दिनचर्या की तालिका इस प्रकार है—

मनु-प्रोक्त राजा की दिनचर्या

	कालविशेष	कालावधि	दिन के कार्य	श्लोक
१	रात्रि का अन्तिम याम (तीन घण्टे का समय) अष्टम याम	प्रात ४-७ तक	जागरण, नैत्यिक कार्य, संध्या-अग्निहोत्र, भोजन, आचार्य ऋत्विज् आदि विद्वानों की संगति, उनसे अध्ययन एवं स्वाध्याय।	७।३७, १४५॥
२	दिन का प्रथम याम	७–१०	प्रजासभा (दरबार) का आयोजन, उसमें प्रजा के कष्टों का श्रवण एवं समाधान। धर्मार्थकामों, राज्यमण्डल की प्रकृतियों, पञ्चवर्गों, षड्गुणों, दूतों और गुप्तचरों के करणीय कार्यों, युद्ध-सम्बन्धी योजनाओं पर मन्त्रियों–अमात्यों से गुप्त मन्त्रणा।	७।१४७—२१५॥
३	द्वितीय याम (मध्याह्न)	१०–१	शस्त्रास्त्रों का अभ्यास, तत्पश्चात् स्नान, भोजन विश्राम।	७।२१६—२२१॥
४	तृतीय याम	१–४	मुकद्दमों एवं राज्यसम्बन्धी कार्यों का चिन्तन।	७।२२१
५	चतुर्थ याम	४–७	सेनाओं, शस्त्रास्त्रों, युद्धवाहनों और तैयारियों का निरीक्षण।	७।२२२
६	पंचम याम (रात्रि संध्या काल)	७–१०	सायंकालीन नैत्यिक कार्य, संध्योपासना। गुप्तचरों, दूतों आदि के समाचार सुनना और उन्हें अग्रिम कर्त्तव्य समझाना। भोजन।	७।२२३ ७।२२४
७	षष्ठ याम (रात्रि)	१०–१	शयन	७।२२५
८	सप्तमयाम (रात्रि)	१–४		

कौटिल्य-प्रोक्त राजा की दिनचर्या

याम (पहर)	दिन के कार्य और उनकी निश्चित कालावधि
(रात्रि) अष्टम याम	जागरण, नैत्यिक, एवं शास्त्रीय कर्त्तव्य, गुप्तमन्त्रणापूर्वक गुप्तचरों को प्रेषित करना।
प्रथम याम	ऋत्विक्, आचार्य आदि की संगति, वैद्य से भेंट, रक्षाव्यवस्था और आय-व्यय-व्यवस्था की जानकारी।
द्वितीय याम (दिन)	पुरवासियों एवं जनपदवासियों के कार्यों पर विचार (राजदरबार), स्नान, भोजन, स्वाध्याय।
तृतीय याम	आय-व्यय की संभाल, विविध अधिकारियों की नियुक्ति आदि, मन्त्रिपरिषद् से परामर्श, गुप्तचरों के कार्यों का निश्चय।
चतुर्थ याम	स्वतन्त्रतापूर्वक विहार या मन्त्रणा, सेना तथा सैन्यसामग्री-निरीक्षण।
पंचम याम (संध्या)	सेनापति के साथ युद्धसम्बन्धी मन्त्रणा। संध्योपासना, गुप्तचरों के समाचार जानना, स्नान, भोजन।
षष्ठ, सप्तम याम (रात्रि)	शयन

[अर्थशास्त्र, प्रकरण १४। अ० २८]

सभा में जाकर प्रजा के कष्टों को सुने—

तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्द्य विसर्जयेत्।

विसृज्य च प्रजाः सर्वा मन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः॥ १४६॥ (११३)

(तत्र) उस [१४५ में वर्णित] सभा में जाकर (स्थितः) बैठकर या खड़े होकर (सर्वाः प्रजाः प्रतिनन्द्य) वहां आई हुई सब प्रजाओं की

समस्याओं, कष्टों का संतुष्टिकारक समाधान कर उन्हें प्रसन्न करके (विसर्जयेत्) भेज दे (च) और फिर (सर्वाः प्रजाः विसृज्य) सब प्रजाओं को विसर्जित करने के बाद (मन्त्रिभिः सह मन्त्रयेत्) मन्त्रियों (७।४५) के साथ राज्यव्यवस्था पर विचार-विमर्श करे ॥ १४६ ॥

"वहां खड़ा रहकर जो प्रजाजन उपस्थित हों उनको मान्य दे और उनको छोड़कर मुख्यमन्त्री के साथ राज्यव्यवस्था का विचार करे।"

(स० प्र० १५७)

राज्यसम्बन्धी मन्त्रणाओं के स्थान—

गिरिपृष्ठं समारुह्य प्रासादं वा रहोगतः।
अरण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावितः ॥ १४७ ॥ (११४)

(गतः) पश्चात् उसके साथ घूमने को चला जाये (गिरिपृष्ठं वा रहः प्रासादम्) पर्वत की शिखर अथवा एकान्त घर (वा) वा (अरण्ये निःशलाके) जंगल जिसमें एक शलाका भी न हो वैसे एकान्त स्थान में (समारुह्य) बैठकर (अविभावितः) विरुद्ध भावना को छोड़ (मन्त्रयेत्) मन्त्री के साथ विचार करे ॥ १४७ ॥ (स० प्र० १५७)

अनुशीलन : (१) **'निःशलाके अरण्ये' का अभिप्राय**—यहां 'निःशलाके अरण्ये' का प्रयोग लाक्षणिक या मुहावरे के रूप में किया गया है, जिसका अभिप्राय है—'ऐसा स्थान जहां तिनके के सदृश छोटे से छोटे प्राणी की या गुप्तमन्त्रणा-भेदक वस्तु की उपस्थिति की संभावना न हो।

(२) **मन्त्रणास्थल के सम्बन्ध में कौटिल्य के विचार**—आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में निःशलाकापन के भाव को प्रकारान्तर से सकारण व्यक्त करते हुए मन्त्रणास्थल के विषय में लिखा है—

"तदुद्देशः संवृतः कथानामनिःस्रावी पक्षिभिरप्यनालोक्यः स्यात्। श्रूयते हि शुकसारिकाभिर्मन्त्रो भिन्नः श्वभिश्च तिर्यग्योनिभिः।" [प्र० २०। १४]

=मन्त्रणास्थल अत्यन्त सुरक्षित और गोपनीय होना चाहिए। ऐसा जहां पक्षी तक भी न झांक सके (फिर मनुष्यों का तो प्रश्न ही नहीं)। क्योंकि, सुना जाता है कि पुराकाल में किसी राजा की गुप्त मन्त्रणा को तोता और मैना ने बाहर प्रकट कर दिया था। इसी प्रकार कुत्तों तथा अन्य पशु-पक्षियों के विषय में भी सुना जाता है।

मन्त्रणा की गोपनीयता का महत्त्व—

यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः।
स कृत्स्नां पृथिवीं भुङ्क्ते कोशहीनोऽपि पार्थिवः ॥१४८॥(११५)

(यस्य) जिस राजा के (मन्त्रम्) गूढ़ विचार (पृथक् जनाः समागम्य न जानन्ति) अन्य जन मिलकर नहीं जान सकते अर्थात् जिसका विचार गम्भीर, शुद्ध, परोपकारार्थ सदा गुप्त रहे (सः कोशहीनः+अपि पार्थिवः) वह धनहीन भी राजा (कृत्स्नां पृथिवीं भुङ्क्ते) सब पृथिवी का राज्य करने में समर्थ होता है॥ १४८॥ (स० प्र० १५८)

अनुशीलन : (१) **मन्त्र शब्द का राजनीतिपरक अर्थ**—'मन्त्र' शब्द के अर्थ पर यहां विशेष विचार अपेक्षित है। राजनीति के प्रसंग में 'मन्त्र' गोपनीय विचार-विमर्श को कहा जाता है। जिसमें गुप्त बातों पर रहस्यमय विचार किया जाये, वह मन्त्रणा कहलाती है। मन्त्र शब्द 'मत्रि गुप्तभाषणे'=गुप्त विचार करना अर्थ में, इस धातु से घञ् प्रत्यय के योग से सिद्ध हुआ है। निरुक्त में 'मन्त्राः—मननात्' कहकर निरुक्ति दी है। मनन करने के कारण राजनीति के रहस्यों को और वेद-मन्त्रों को मन्त्र कहते हैं।

(२) "कोशहीनोऽपि पार्थिवः" का प्रयोग मुहावरे के रूप में हुआ है। इसी प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति ७। ३३ में द्रष्टव्य है।

जडमूकान्धबधिरांस्तैर्यग्योनान्वयोतिगान्।
स्त्रीम्लेच्छव्याधितव्यङ्गान्मन्त्रकालेऽपसारयेत्॥ १४९॥

(जड-मूक-अन्ध-बधिरान्) मूर्ख, गूंगे, अन्धे, बहरे (तैर्यक्+योनान्) तिर्यक्-योनि के तोता-मैना आदि पक्षी (वयः+अतिगान्) बूढ़े (स्त्री-म्लेच्छ-व्याधितव्यङ्गान्) स्त्री, म्लेच्छ, विकलांगों वाले इनको (मन्त्रकाले+अपसारयेत्) मन्त्रणा के समय हटा दे॥ १४९॥

भिन्दन्त्यवमता मन्त्रं तैर्यग्योनास्तथैव च।
स्त्रियश्चैव विशेषेण तस्मात्तत्राहतो भवेत्॥ १५०॥

(अवमताः) कभी अपमानित कर देने पर ये (तथा) तथा (तैर्यक्+योनाः) तोता-मैना आदि (च) और (विशेषेण स्त्रियः एव) विशेषरूप से स्त्रियां (मन्त्रं भिन्दन्ति) गुप्त रहस्यों को प्रकट कर देते हैं (तस्मात्) इसलिये (तत्र आहतः भवेत्) उनको दूर हटाने का यत्न करे॥ १५०॥

अनुशीलन : १४९–१५० श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. **अन्तर्विरोध** – (१) इन दोनों श्लोकों में वर्णित व्यवस्था का मनु द्वारा पूर्व उक्त व्यवस्था से मेल नहीं बैठता। १४७ वें श्लोक में स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे स्थान में जाकर गुप्त मन्त्रणाएं करे जहां बिल्कुल शून्य, एकान्त हो और जहां तिनके के टुकड़े भर की उपस्थिति भी न हो। फिर वहां इन श्लोकों में उक्त प्राणियों के होने का स्वतः

प्रश्न नहीं उठता। अतः यह कथन ही अनावश्यक है। (२) दूसरी बात यह है कि मन्त्रणा के समय राजा के पास विकलांग, गूंगे, बहरों का जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। इस प्रकार कोई भी किसी को आने नहीं देता। (३) तीसरी बात यह है कि गूंगे, बहरों द्वारा मन्त्रणा कैसे सुनी और बतायी जायेगी? यदि कोई कहे कि शत्रु किन्हीं साधनों से सम्पन्न करके इनके द्वारा मन्त्रणा को जान सकता है, तो वह तो और भी अन्य अनेक प्रकार के व्यक्तियों द्वारा जान सकता है, फिर यहाँ केवल इन्हीं की गणना व्यर्थ है। इस प्रकार इन श्लोकों का वर्णन मनु की व्यवस्था से तालमेल नहीं खाता और अनावश्यक है।

२. प्रसंगविरोध—पूर्वापर प्रसंग गुप्तमन्त्रणा के फल एवं काल का है, अतः उसके मध्य में कुछ प्राणियों को हटाने का प्रसंग ही नहीं जुड़ता। मन्त्रण स्थान का प्रसंग १४७ वें में है। उसके साथ होने पर भी इन बातों का कुछ प्रासंगिक औचित्य माना जा सकता था, किन्तु उसके बाद मनु ने गुप्तमन्त्रणा का फल प्रदर्शित किया है। पुनः स्थान और वहां से किसी को हटाने आदि की चर्चा चलाना प्रसंगविरुद्ध है। इसी असम्बद्धता से यह संकेत मिलता है कि यह वर्णन मनु को अभीष्ट नहीं था। इस प्रकार प्रसंगक्रम के कारण भी ये प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं।

धर्म, काम, अर्थ-सम्बन्धी बातों पर चिन्तन करे—

मध्यंदिनेऽर्धरात्रे वा विश्रान्तो विगतक्लमः।
चिन्तयेद्धर्मकामार्थान्साधं तैरेक एव वा॥ १५१॥ (११६)

(मध्यंदिने) दोपहर के समय (वा) अथवा (विश्रान्तः विगतक्लमः) विश्राम करके थकान-आलस्यरहित होकर स्वस्थ व प्रसन्न शरीर और मन से (अर्धरात्रे) रात के किसी समय (धर्म-काम-अर्थान्) धर्म, काम और अर्थसम्बन्धी बातों को (तैः साधम्) उन मन्त्रियों के साथ मिलकर (वा) अथवा परिस्थिति विशेष में (एक एव) अकेले ही (चिन्तयेत्) विचारे॥ [चिन्तयेत् क्रिया का अन्वय १५८ तक चलता है]॥ १५१॥

अनुशीलन: (१) राजा द्वारा धर्म-काम-अर्थ पर चिन्तन—राजा को प्रसन्न मन से धर्म-काम-अर्थ सम्बन्धी बातों पर देश-काल-कार्य को देख कर अकेले अथवा अन्य मन्त्रियों के साथ प्रतिदिन विचार करना चाहिए। कौटिल्य ने भी कहा—

"देश-काल-कार्यवशेन स्वेकेन सह, द्वाभ्याम्, एको वा यथासामर्थ्यं मन्त्रयेत।"
[प्र० १०। अ० १४]

(२) धर्म, काम, अर्थ के स्वरूप पर विस्तृत विवेचन ७। २६ पर द्रष्टव्य है।

(३) 'अर्ध' शब्द का यहाँ 'एक भाग' अर्थ में प्रयोग है। संप्रविभाग अर्थ में

नहीं। जैसे 'नगरार्ध' का 'नगर का एक भाग' अर्थ है। उसी प्रकार यहां 'रात्रि के किसी भाग में' अर्थ है।

धर्म, अर्थ, काम में विरोध को दूर करे—

परस्परविरुद्धानां तेषां च समुपार्जनम्।
कन्यानां संप्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम् ॥ १५२ ॥ (११७)

(च) और (तेषां परस्परविरुद्धानां समुपार्जनम्) उस धर्म-अर्थ-काम में परस्पर विरोध आ पड़ने पर उसे दूर करना और उनमें अभिवृद्धि करना (च) और (कन्यानां कुमाराणां सम्प्रदानं च रक्षणम्) कन्याओं और कुमारों का गुरुकुलों में भेजना और उनकी सुरक्षा तथा विवाह व्यवस्था का भी विचार करे ॥ १५२ ॥

"राजा को योग्य है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त समय से उक्त समय तक ब्रह्मचर्य में रखके विद्वान् कराना। जो कोई इस आज्ञा को न माने तो उसके माता पिता को दण्ड देना अर्थात् राजा की आज्ञा से आठ वर्ष के पश्चात् लड़का वा लड़की किसी के घर में न रहने पावें। किन्तु आचार्यकुल में रहते हैं जब तक समावर्त्तन का समय न आवे तब तक विवाह न होने पावें"। (स० प्र० ७६)

दूतसंप्रेषण और गुप्तचरों के आचरण पर दृष्टि—

दूतसंप्रेषणं चैव कार्यशेषं तथैव च।
अन्तःपुरप्रचारं च प्रणिधीनां च चेष्टितम् ॥ १५३ ॥ (११८)

(च) और (दूतसंप्रेषणम्) दूतों को इधर-उधर भेजना (तथैव कार्यशेषम्) उसी प्रकार अन्य शेष रहे कार्यों को पूर्ण करना (च) तथा (अन्तःपुर-प्रचारम्) अन्तःपुर=महल के आन्तरिक आचरणों--गतिविधियों एवं स्थितियों (च) और (प्रणिधीनां चेष्टितम्) नियुक्त गुप्तचरों के आचरणों एवं गतिविधियों पर भी ध्यान रखे, विचार करे ॥ १५३ ॥

अष्टविध कर्म आदि पर चिन्तन—

कृत्स्नं चाष्टविधं कर्म पञ्चवर्गं च तत्त्वतः।
अनुरागापरागौ च प्रचारं मण्डलस्य च ॥ १५४ ॥ (११९)

(च) और (कृत्स्नम् अष्टविधं कर्म) सम्पूर्ण अष्टविध कर्म (च) तथा (पञ्चवर्गम्) पञ्चवर्ग की व्यवस्था (अनुरागौ) अनुराग=लगाव और अपराग=स्नेह का अभाव=द्वेष (च) तथा (मण्डलस्य प्रचारम्)

मण्डल की गतिविधि एवं आचरण [७। १५५–१५७ में वक्ष्यमाण] (तत्त्वतः) इन बातों पर ठीक ठीक चिन्तन करे ॥ १५४ ॥

अनुशीलन : (१) **अष्टविध कर्मों के विवाद का समाधान**—मनु ने इस श्लोक में राजा के अष्टविध कर्मों की गणना न करके केवल "**कृत्स्नं च अष्टविधं कर्म**' कहकर संकेतमात्र दिया है। भाष्यकारों ने इसकी व्याख्या में अपने-अपने मत देकर राजा के अष्टविध कर्म गिनाये हैं। इन कर्मों में मतभेद होने से यह बात विवादास्पद-सी बनगयी है और परवर्ती व्याख्याकार केवल अपने से पूर्ववर्ती व्याख्याकारों के मत देकर इस श्लोक की व्याख्या करके आगे चल देते हैं।

यहां विचारणीय बात यह है कि श्लोक ७।१४८-२२६ तक मनु ने राजा की दिनचर्या के अन्तर्गत गुप्तमन्त्रणा या मन्त्रिपरिषद् से मन्त्रणा करने योग्य विषयों का उल्लेख किया है [७। १४७-२१५]। इस प्रसंग में कुछ बातें स्पष्टतः कह दी हैं, इस श्लोक में केवल संख्या का उल्लेख कर दिया है। इसका अर्थ करते समय हम दो बातों पर ध्यान देंगे—(१) मन्त्रणा में परिगणित बातों से भिन्न अष्टविध बातें होनी चाहिएं, क्योंकि एक ही स्थान पर पुनरुक्ति का होना बुद्धिसंगत नहीं। (२) 'कृत्स्नम्' विशेषण अपना विशेष अर्थ देकर यह संकेत करता है कि ये अष्टविध कर्म राजा के समग्र कर्त्तव्य हैं। इनके आधार पर मनन से मनुस्मृति में ही अष्टविध कर्मों का उल्लेख पाया जाता है।

७। ३६ से १४४ तक श्लोकों में मनु ने 'भृत्यों सहित राजा के समग्र कर्त्तव्यों' का वर्णन किया है। दूसरे शब्दों में निष्कर्ष रूप में वह राजा की जीवनचर्या है; अतः कहा जा सकता है कि वही राजा के सम्पूर्ण अष्टविध कर्म हैं। जीवनचर्या के प्रसंग में पहले परिगणित होने के कारण यहां दिनचर्या के प्रसंग में उनका परिगणन नहीं किया। इस प्रकार राजा के अष्टविध कर्मों को मनुस्मृति से बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। वे निम्न प्रकार हैं—

(क) मनुप्रोक्त राजा के अष्टविध कर्म—

(१) आचार्य ऋत्विक् आदि वेदों के विद्वानों की संगति और उनसे शिक्षाग्रहण [७। ३७, ३९, ४३], (२) इन्द्रियजय और उससे व्यसनों से बचाव [७ ४४-५३], (३) मन्त्रियों, अमात्यों, दूतों, अध्यक्षों आदि की नियुक्ति और उनसे कार्यसम्पादन [७।५४-६८], (४) दुर्गनिर्माण [७। ६९-७७], (५) युद्ध के लिए प्रशिक्षित तथा सन्नद्ध रहना [७। ८७-१०६], (६) अपराधियों आदि को न्यायपूर्वक दण्डित करना और इस प्रकार प्रजा को शान्ति, समृद्धि, सुरक्षा प्रदान करना [७।१०७-१२४], (७) वेतन आदि देना [७। १२५-१२६], (८) करसंग्रह [७। १२७-१४२]।

(ख) 'उशनस् स्मृति' में राजा के अष्टविध कर्म ये गिनाये हैं—

"आदाने च विसर्गे च प्रैषनिषेधयोः।
पञ्चमे चार्थवचने व्यवहारस्य चेक्षणे॥
दण्डशुद्धयोस्तथा युक्तस्तेनाष्टगतिको नृपः।"

अर्थात्—राजा के अष्टविध कर्म ये हैं—१. आदान=करों का लेना, २. विसर्ग=कर्मचारियों को वेतन देना, ३. प्रैष=मन्त्री, राजदूत आदि को कार्यों पर भेजना, ४. निषेध=विरुद्ध कार्यों को न करना, ५. अर्थवचन=राजाज्ञा का पालन कराना, ६. व्यवहार का देखना—मुकद्दमों को निपटाना, ७. दण्ड=दण्डदेना, ८. शुद्धि—पापियों-अपराधियों को प्रायश्चित्त आदि से सुधारना।

(ग) मेधातिथि ने अष्टविध कर्म निम्न माने हैं—

१. नहीं किये कार्य का आरम्भ, २. आरम्भ किये कार्यों की समाप्ति, ३. पूर्ण किये कार्य का प्रसार, ४. कर्म के फलों का संग्रह करना, ५. साम, ६. दाम, ७. दण्ड, ८. भेद। अथवा—१. व्यापार का मार्ग, २. जल में सेतु बांधना, ३. दुर्ग बनाना, ४. किये हुए कार्य के संस्कारों का निर्णय, ५. हाथी पकड़ना, ६. खानों की प्राप्ति करना, ७. शून्यस्थान में प्रवेश, ८. काष्ठ के वनों को कटवाना।

(२) **'पञ्चवर्ग' से अभिप्राय**—(क) अर्थशास्त्र में आचार्य कौटिल्य ने मन्त्रणा के प्रसंग में 'पञ्चाङ्गमन्त्र' के नाम से पांच विचारणीय बातों का उल्लेख किया है। प्रतीत होता है कि इस प्रसंग में परम्परा से प्रचलित यही व्याख्यान पञ्चवर्ग से अभीष्ट है। यहां मनु ने भी मन्त्रणा प्रसंग में ही पञ्चवर्ग का उल्लेख किया है। पञ्च-अंग ये हैं—(१) कार्यों को आरम्भ करने का उपाय, (२) पुरुष और द्रव्यसम्पत्ति, (३) देश-काल का विभाग, (४) विघ्नों का प्रतीकार करना, (५) कार्यसिद्धि, ["कर्मणामारम्भोपायः, पुरुषद्रव्यसंपत्, देशकालविभागः, विनिपातप्रतीकारः, कार्यसिद्धिः-इति पञ्चाङ्गो मन्त्रः" प्रक० १०। अ० १४]।

(ख) कुल्लूकभट्ट ने निम्न पांच प्रकार के गुप्तचरों की व्यवस्था को 'पञ्चवर्ग' कहा है। किन्तु इस मान्यता में एक-दो आपत्तियां आती हैं—(१) १५३ वें श्लोक में समग्र रूप में गुप्तचरों के कार्यों की व्यवस्था का कथन हो चुका है, (२) परम्परागत रूप में शास्त्रों में केवल पांच ही नहीं, अपितु प्रमुख गुप्तचरों के अन्य वर्ग भी हैं। अतः कौटिल्यप्रोक्त 'पंचांग' इस प्रसंग में अधिक संगत लगता है। कुल्लूक द्वारा वर्णित पांच प्रकार के गुप्तचर निम्न हैं—

१. कापटिक (छल, कपट के व्यवहार से भेदों को जानने वाला), २. उदा-स्थित (संन्यासी या साधु के वेश में महान् व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध करके बैठाना और इस प्रकार गुप्त भेदों की जानकारी देने वाला), ३. कृषक (नकली किसान बनकर गुप्तचरी करने वाला), ४. वाणिजक (नकली व्यापारी के रूप वाला), ५. तापस व्यंजक (नकली तपस्वी के रूप वाला)।

(३) **अनुराग और अपराग**—अपनी और शत्रुराजा की प्रजाओं में तथा अन्य

राजाओं में अनुराग=कौन राजा से स्नेह रखने वाला है, और कौन अपराग=द्वेष रखने वाला है; इन पर विचार करना। इन्हीं दो तत्त्वों को कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में [प्रक० ८-९ में] कृत्य और अकृत्य पक्ष के रूप में वर्णित किया है। कृत्य जिनको किसी लालचवश राजा से तोड़ा-फोड़ा जा सके अर्थात् असंतुष्ट, अपरागी। ये प्रमुखरूप से क्रुद्ध, लुब्ध, भीत और अवमानित चार प्रकार के होते हैं [देखिए ७। ६७ की समीक्षा]। अकृत्य=जिनको फोड़ा न जा सके, संतुष्ट प्रजाजन, अनुरागी। स्वप्रजाजनों और शत्रुप्रजाजनों की भांति अन्य राजाओं के स्नेह और द्वेष पर भी राजा विचार करे।

(४) **मण्डल**— १५५ से १५७ श्लोकों में वर्णित प्रकृतियों को 'मण्डल' कहा जाता है। राजा इन सबकी गतिविधियों, स्थितियों, आचरणों पर गम्भीर रूप से विचार करे। अर्थशास्त्र [प्र० ९७। अ० २] में आचार्य कौटिल्य ने इन बहत्तर प्रकृतियों के मण्डल को चार प्रकृतिमण्डलों में बांटा है। उसका विवरण १५७ पर प्रदर्शित है।

राज्यमण्डल की विचारणीय चार मूल प्रकृतियां—

मध्यमस्य प्रचारं च विजिगीषोश्च चेष्टितम्।
उदासीनप्रचारं च शत्रोश्चैव प्रयत्नतः॥ १५५॥ (१२०)

(च) और (मध्यमस्य प्रचारम्) 'मध्यम' राजा के आचरण और गतिविधि तथा (विजिगीषोः चेष्टितम्) 'विजिगीषु' राजा के प्रयत्नों का (च) तथा (उदासीनप्रचारम्) 'उदासीन' राजा की स्थिति-गतिविधि [७। १५८] का (च) (शत्रोः एव) शत्रु [७। १५८] राजा के आचरण एवं स्थिति गतिविधि आदि का भी (प्रयत्नतः) प्रयत्नपूर्वक विचार करे अर्थात् विचार करके तदनुसार प्रयत्न भी करे=आचरण में लाये॥ १५५॥

अनुशीलन : मध्यम आदि चार मूल प्रकृतिरूप राजाओं के लक्षण— आचार्य कौटिल्य ने 'मण्डल' की प्रकृतियों की व्याख्या अपने अर्थशास्त्र [प्र० ९७] में करते हुए इन राजाओं के निम्न लक्षण बतलाये हैं—

(१) मध्यम—"**अरिविजिगीष्वोर्भूम्यनन्तरसंहतासंहतयोरनुग्रहसमर्थो निग्रहे चासंहतयोर्मध्यमः।**"=अरि और विजिगीषु राजाओं से भिन्न वह राजा जो उनकी संधि में संधि का समर्थक रहे और उनके विग्रह में विग्रह का समर्थक रहे, वह 'मध्यम' कहलाता है।

(२) विजिगीषु—"**राजा आत्मद्रव्यप्रकृतिसम्पन्नो नयस्याधिष्ठानं विजिगीषुः।**"=जो राजा आत्मसम्पन्न हो, अमात्य आदि द्रव्यप्रकृतियों से सम्पन्न [७। १५७] हो, नीति का आश्रय लेने वाला हो, ऐसा विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला राजा 'विजिगीषु' कहाता है।

(३) उदासीन—"अरिविजिगीषुमध्यानां बहिः प्रकृतिभ्यो बलवत्तरः संहतासंहतानामरिविजिगीषुमध्यमानामनुग्रहे समर्थो निग्रहे चासंहतानाम्, उदासीनः।"= अरि, विजिगीषु और मध्यम इनसे भिन्न राजा, जो शक्तिशाली मध्यम राजा से भी बलवान् हो, तथा अरि, विजिगीषु और मध्यम की संधि में संधि का समर्थक एवं उन तीनों के विग्रह में विग्रह का समर्थक 'उदासीन' आचरण वाला राजा कहलाता है। मनु के अनुसार विजिगीषु और शत्रु से परला=बाद की सीमा वाला राजा 'उदासीन' है [७।१५८]।

(४) शत्रु—मनु के अनुसार विजिगीषु राजा की सीमा से लगता हुआ [अनन्तरमरिं विद्यात् ७। १५८] राजा शत्रु होता है। कौटिल्य शत्रुओं के भेदोपभेद प्रदर्शित करते हुए लिखते हैं—"भूम्यनन्तरः प्रकृत्यमित्रः तुल्याभिजनः सहजः। विरुद्धो विरोधयिता वा कृत्रिमः।" विजिगीषु राजा की सीमा से लगा हुआ राजा और विजिगीषु के में वंश उत्पन्न समान दायभाग चाहने वाला राजा, ये दोनों 'सहजशत्रु' हैं। किसी कारण से विरोधी हो जाने वाला या किसी दूसरे को विरोधी बना देने वाला 'कृत्रिम शत्रु' कहलाता है।

राज्यमण्डल की विचारणीय आठ और मूलप्रकृतियां—

एताः प्रकृतयो मूलं मण्डलस्य समासतः।
अष्टौ चान्याः समाख्याता द्वादशैव तु ताः स्मृताः ॥१५६॥ (१२१)

(समासतः) संक्षेप में (एताः मण्डलस्य मूलं प्रकृतयः) ये चार [मध्यम, विजिगीषु, उदासीन और शत्रु] राज्यमण्डल की मूल प्रकृतियाँ=मूल रूप से विचारणीय स्थितियां या विषय हैं (च) और (अष्टौ अन्याः समाख्याताः) आठ मूल प्रकृतियां और कही गई हैं (ताः तु द्वादश एव स्मृताः) इस प्रकार वे कुल मिलाकर [४+८=१२] बारह होती हैं ॥ १५६ ॥

अनुशीलन : शेष आठ मूलप्रकृतिरूप राजाओं के लक्षण—'मण्डल' में मूलप्रकृतियां बारह हैं। इनमें से चार—मध्यम, विजिगीषु, उदासीन और शत्रु नामक प्रकृतियों का वर्णन १५५ वें श्लोक में हो चुका है। शेष आठ प्रकृति और हैं जिनकी गणना शायद अतिप्रसिद्धि के कारण मनु ने इस श्लोक में नहीं की है। कौटिल्य ने मनु के क्रम और विधानानुसार इन पर अपने अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला है। उनके अनुसार आठ प्रकृति निम्न हैं—

मित्रराजा—मनु के अनुसार शत्रु राजा की सीमा से लगता हुआ उसके बाद वाला राजा विजिगीषु का 'मित्र' होता है ["अरेरनन्तरं मित्रम्" ७। १५८]। कौटिल्य ने भी यही कहा है—"भूम्येकान्तरा मित्रप्रकृतिः।" [प्रक० ६७। अ० २]। (२) शत्रु का मित्र राजा, (३) मित्र का मित्र राजा, (४) शत्रुमित्र का भी मित्र राजा (५) पार्ष्णिग्राह (वह पृष्ठवर्ती राजा जो विजिगीषु द्वारा कहीं आक्रमण के लिए अपने राज्य

से जान के बाद पीछे से उसके राज्य पर आक्रमण कर देता है), (६) आक्रन्द (जो अपने मित्र राजा को किसी की सहायता करने से रोकता है या जिसकी राजधानी अपने राज्य के निकट लगती हो), (७) पार्ष्णिग्राहासार ('पार्ष्णिग्राह' को घेरकर रखने वाला या उस पर आक्रमण करने वाला राजा), (८) आक्रन्दासार—('आक्रन्द' राजा को घेरकर रखने वाला या उसपर आक्रमण करने वाला राजा। इन सभी राजाओं तथा इनकी स्थितियों पर राजा को हर समय ध्यान रखना चाहिए।

आचार्य कौटिल्य ने इनकी गणना निम्न प्रकार की है—

"तस्मात् मित्रम्, अरिमित्रम्, मित्रमित्रम्, अरिमित्रमित्रम्, चानन्तर्येण भूमीनां प्रसज्यते पुरस्तात्। पश्चात् पार्ष्णिग्राहः, आक्रन्दः, पार्ष्णिग्राहासारः, आक्रन्दासारः, इति।" [प्रक० ६७। अ० २]

राज्यमण्डल की प्रकृतियों के बहत्तर भेद—

अमात्यराष्ट्रदुर्गार्थदण्डाख्याः पञ्च चापराः।
प्रत्येकं कथिता ह्येताः संक्षेपेण द्विसप्ततिः ॥१५७॥(१२२)

(अमात्य-राष्ट्र-दुर्ग-अर्थ-दण्ड-आख्याः) मन्त्री, राष्ट्र, किला, कोष, दण्ड नामक (अपराः पञ्च) और पांच प्रकृतियां हैं (प्रत्येक कथिता हि एताः) पूर्वोक्त [१५५-१५६] बारह प्रकृतियों के साथ ये मिलकर अर्थात् पूर्वोक्त प्रत्येक बारहों प्रकृतियों के पांच-पांच भेद होकर इस प्रकार (संक्षेपेण द्विसप्ततिः) संक्षेप से कुल ७२ प्रकृतियां [=विचारणीय स्थितियां या विषय] हो जाती हैं। १२ पूर्व की और १२ के ५-५ भेद से ६० इस प्रकार १२×५=६०+१२=७२ हैं॥ १५७॥

अनुशीलन : बहत्तर प्रकृतियां—इन श्लोकों के अनुसार बारह मूल-प्रकृतियां हैं—१. विजिगीषु, २. मध्यम, ३. उदासीन, ४. शत्रु, ५. मित्रराजा, ६. मित्र का मित्रराजा, ७. शत्रु का मित्रराजा, ८. शत्रु के मित्र का मित्रराजा, ९. पार्ष्णिग्राह, १०. आक्रन्द, ११. पार्ष्णिग्राहासार, १२. आक्रन्दासार। पांच द्रव्य प्रकृतियां—१. मंत्री, २. राष्ट्र, ३. किला, ४. कोष, ५. दण्ड हैं। एक-एक मूल प्रकृति के पांच प्रकृतियों के साथ मिलकर पांच भेद हो जाते हैं अर्थात् एक मूलप्रकृति और पांच उसके भेद इस प्रकार एक मूलप्रकृति के छः भेद हुए। यथा, प्रथम मूलप्रकृति 'विजिगीषु' है। उसके छह भेद बनेंगे—१. विजिगीषु राजा, २. विजिगीषु मंत्री, ३. विजिगीषु राष्ट्र, ४. विजिगीषु किला, ५. विजिगीषु कोष, ६. विजिगीषु दण्ड। इसी प्रकार मिलकर अन्य मूल प्रकृतियों के भेद बनेंगे। इस प्रकार बारह प्रकृतियों के १२×६=७२ बहत्तर भेद होते हैं। कौटिल्य ने मूलप्रकृतियों में तीन-तीन का एक वर्ग बनाकर उनके साथ पांच प्रकृतियों को मिलाकर ३×५=१५+३=१८ का एक प्रकृतिमण्डल माना है। इस प्रकार चार प्रकृतिमण्डल का एक 'मण्डल' वर्णित किया है [अर्थशास्त्र प्रक० ६७]।

इस प्रकार राजा प्रत्येक मूलप्रकृति पर और फिर उनकी प्रत्येक द्रव्यप्रकृति (अमात्य आदि पांच) पर पूर्ण ज्ञान सहित विचार करे। विचार करके यथोचित उपाय करे और विघ्न आदि को दूर करे। पुनः विजयार्थ यात्रा करे।

शत्रु, मित्र और उदासीन की परिभाषा—

अनन्तरमरिं विद्यादरिसेविनमेव च।
अरेरनन्तरं मित्रमुदासीनं तयोः परम् ॥१५८॥ (१२३)

(अनन्तरम्) अपने राज्य के समीपवर्ती राजा को (च) और (अरिसेविनम्) शत्रुराजा की सेवा-सहायता करने वाले राजा को (अरिं विद्यात्) 'शत्रु' ही समझे (अरेः+अनन्तरं मित्रम्) अरि से भिन्न अर्थात् शत्रु से विपरीत आचरण करने वाले अर्थात् सेवा-सहायता करने वाले राजा को और शत्रुराजा की सीमा से लगे अगले राजा को 'मित्र' और (तयोः परम्) इन दोनों से भिन्न परवर्ती राजा को (उदासीनम्) जो न सहायता करे न विरोध करे, उसे 'उदासीन' राजा (विद्यात्) समझना चाहिए ॥ १५८ ॥

तान्सर्वानभिसंदध्यात्सामादिभिरुपक्रमैः।
व्यस्तैश्चैव समस्तैश्च पौरुषेण नयेन च ॥ १५९ ॥ (१२४)

(तान् सर्वान्) उन सब प्रकार के राजाओं को (साम+आदिभिः+उपक्रमैः) 'साम' आदि [साम, दाम, दण्ड, भेद] उपायों से (व्यस्तैः) एक-एक उपाय से (च) अथवा (समस्तैः) सब उपायों का एकसाथ प्रयोग करके (पौरुषेण) वीरता से (च) तथा (नयेन) नीति से (अभिसंदध्यात्) वश में रखे ॥ १५९ ॥

सन्धि, विग्रह आदि षड्गुणों का वर्णन—

संधिं च विग्रहं चैव यानमासनमेव च।
द्वैधीभावं संश्रयं च षड्गुणांश्चिन्तयेत्सदा ॥१६०॥ (१२५)

(सन्धिम्) सन्धि (विग्रहं यानम् आसनं द्वैधीभावं च संश्रयं) विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और संश्रय इन (षड्गुणान् एव) छः गुणों का भी (सदा चिन्तयेत्) राजा सदा विचार-मनन करे ॥ १६० ॥

अनुशीलन : (१) सुखपूर्वक रहने के लिए शत्रुराजा से कुछ ले-देकर मिलाप कर लेना या किसी राजा से मिलकर आक्रमण करने के लिए तैयार कर लेना 'सन्धि' है। (२) युद्ध, विरोध, तोड़फोड़ आदि पैदा करना 'विग्रह' है। (३) युद्ध के लिए चढ़ाई करना 'यान' कहलाता है। (४) शत्रु को घेरकर पड़े रहना या अपनी शक्ति की क्षीणता के कारण शत्रु राजाओं से छेड़छाड़ किये बिना चुपचाप भावी आक्रमण की ताक में पड़े रहना 'आसन' है। (५) अपनी विजय के लिए अपनी सेना को दो

भागों में विभक्त कर देना या शत्रु-सेना में विभाजन कर देना 'द्वैधीभाव' है। (६) किसी बलवान् राजा का आश्रय ग्रहण कर लेना 'संश्रय' है।

आसनं चैव यानं च संधिं विग्रहमेव च।
कार्यं वीक्ष्य प्रयुञ्जीत द्वैधं संश्रयमेव च ॥१६१॥ (१२६)

सब राजादि राजपुरुषों को यह बात लक्ष्य में रखने योग्य है जो (आसनम्) आसन=स्थिरता (यानम्) यान=शत्रु से लड़ने के लिए जाना (सन्धिम्) संधि=उनसे मेल कर लेना (विग्रहम्) दुष्ट शत्रुओं से लड़ाई करना (द्वैधम्) द्वैध=दो प्रकार की सेना करके स्वविजय कर लेना (च) और (संश्रयम्) संश्रय=निर्बलता में दूसरे प्रबल राजा का आश्रय लेना, ये छः प्रकार के कर्म (कार्यं वीक्ष्य प्रयुञ्जीत) यथायोग्य कार्य को विचारकर उसमें युक्त करना चाहिए ॥ १६१ ॥ (स० प्र० १५८)

संधि और उसके भेद—

संधिं तु द्विविधं विद्याद्राजा विग्रहमेव च।
उभे यानासने चैव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥१६२॥ (१२७)

(राजा) राजा, (सन्धि विग्रहं यान+आसने द्विविधः च संश्रयः) संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और संश्रय (द्विविधं तु) दो-दो प्रकार के होते हैं, उनको (विद्यात्) यथावत् जाने ॥ १६२ ॥ (स० प्र० १५८)

समानयानकर्मा च विपरीतस्तथैव च।
तदा त्वायतिसंयुक्तः संधिर्ज्ञेयो द्विलक्षणः ॥१६३॥ (१२८)

(तदा तु आयतिसंयुक्तः) तात्कालिक फल देने वाली और भविष्य में भी फल देने वाली (सन्धि) सन्धि [७। १६९] (द्विलक्षणः ज्ञेयः) दो प्रकार की समझनी चाहिए—१. (समानयानकर्मा) शत्रु राजा पर आक्रमण करने के लिए किसी अन्य राजा से मेल करके उसके साथ आक्रमण करना, (तथैव) उसी प्रकार २. (विपरीतः) पहले से विपरीत अर्थात् शत्रुराजा से आक्रमण न करने के लिए मेल करके कोई समझौता कर लेना [यह अपनी बल-स्थिति को देखकर उचित अवसर तक होता है ७। १६९] ॥ १६३ ॥ [1]

---

१. [प्रचलित अर्थ—सन्धि के दो भेद हैं—(१) समानयानकर्मा सन्धि और (२) असमानयानकर्मा सन्धि। तात्कालिक या भविष्य के लाभ की इच्छा से किसी दूसरे राजा से मिलकर यान (शत्रु पर चढ़ाई) करना 'समानधर्मा' नामक सन्धि है। तथा (२) तात्कालिक या भविष्य में लाभ की इच्छा से किसी राजा से 'आप इधर जाइये, मैं इधर जाता हूं' ऐसा कहकर पृथक्-पृथक् यान (शत्रु पर चढ़ाई) करना 'असमानधर्मा' नामक सन्धि है ॥ १६३ ॥]

"(सन्धिः) शत्रु से मेल अथवा उससे विपरीतता करे, परन्तु वर्तमान और भविष्यत् में करने के काम बराबर करता जाये; यह दो प्रकार का मेल कहाता है।" (स० प्र० १५८)

अनुशीलन : इस श्लोक में किया हुआ 'विपरीत' का अर्थ मनुसम्मत है, जो ७। १६६ से सिद्ध होता है। प्रचलित टीकाओं में किया गया अर्थ 'सन्धि' ही नहीं कहला सकता।

विग्रह और उसके भेद—

स्वयंकृतश्च कार्यार्थमकाले काल एव वा।
मित्रस्य चैवापकृते द्विविधो विग्रहः स्मृतः ॥१६४॥ (१२९)

(विग्रहः द्विविधः स्मृतः) विग्रह [७। १७०] दो प्रकार का होता है—(काले) चाहे युद्ध के लिए निश्चित किये समय में (वा) अथवा (अकाले एव) अनिश्चित किसी भी समय में (१) (कार्यार्थम्) कार्य की सिद्धि के लिए (स्वयंकृतः) स्वयं किया गया विग्रह (च) और [२] (मित्रस्य अपकृते) किसी के द्वारा मित्रराजा पर आक्रमण या हानि पहुंचाने पर मित्रराजा की रक्षा के लिए किया गया विग्रह ॥ १६४ ॥

"(विग्रह) कार्यसिद्धि के लिए उचित समय या अनुचित समय में स्वयं किया वा मित्र के अपराध करने वाले शत्रु के साथ विरोध दो प्रकार से करना चाहिये।" (स० प्र० १५८)

यान और उसके भेद—

एकाकिनश्चात्ययिके कार्ये प्राप्ते यदृच्छया।
संहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानमुच्यते ॥१६५॥ (१३०)

(आत्ययिके कार्ये प्राप्ते) अकस्मात् कोई कार्य प्राप्त होने में + (एकाकिनः) एकाकी (च) वा (मित्रेण संहतस्य) मित्र राजा के साथ मिलके शत्रु की ओर जाना [=बढ़ाई करना ७। १७१] (द्विविधं यानम् + उच्यते) यह दो प्रकार का गमन [=यान] कहाता है ॥ १६५ ॥ (स० प्र० १५८)

+ (यदृच्छया) स्वतन्त्रतापूर्वक.....

आसन और उसके भेद—

क्षीणस्य चैव क्रमशो दैवात्पूर्वकृतेन वा।
मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मृतमासनम् ॥१६६॥ (१३१)

❀ (क्रमशः) स्वयं किसी प्रकार क्रम से (क्षीणस्य एव) क्षीण हो जाये अर्थात् निर्बल हो जाये (च) अथवा (मित्रस्य अनुरोधेन) मित्र के रोकने से अपने स्थान में बैठे रहना (द्विविधम् आसनं स्मृतम्) यह दो प्रकार का आसन [७। १७२] कहाता है ॥ १६६ ॥ (स० प्र० १५८)

❀ (दैवात् वा पूर्वकृतेन) संयोग से अथवा पूर्वजन्म के पाप के कारण.....

द्वैधीभाव और उसके भेद—

बलस्य स्वामिनश्चैव स्थितिः कार्यार्थसिद्धये ।
द्विविधं कीर्त्यते द्वैधं षाड्गुण्यगुणवेदिभिः ॥१६७॥ (१३२)

(षाड्गुण्य-गुणवेदिभिः) षड्गुणों के महत्त्व को जानने वालों ने (द्वैधं द्विविधं कीर्त्यते) द्वैधीभाव [७। १७३] दो प्रकार का कहा है—(कार्यार्थसिद्धये) कार्य की सिद्धि के लिए १—(बलस्य स्थितिः) सेना के दो भाग करके एक भाग सेना को सेनापति के आधीन करना (च) और २—(स्वामिनः) सेना का एक भाग राजा द्वारा अपने आधीन रखना ॥ १६७ ॥

"कार्यसिद्धि के लिए सेना के दो विभाग करके विजय करना दो प्रकार का 'द्वैध' कहाता है।" (स० प्र० १५९)

संश्रय और उसके भेद—

अर्थसंपादनार्थं च पीड्यमानस्य शत्रुभिः ।
साधुषु व्यपदेशार्थं द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥१६८॥ (१३३)

(शत्रुभिः पीड्यमानस्य) शत्रुओं द्वारा पीड़ित होकर (अर्थसम्पादनार्थम्) अपने उद्देश्य की सिद्धि अथवा आत्मरक्षा के लिए किसी राजा का आश्रय लेना (च) और (व्यपदेशार्थं साधुषु) भावी हार या दुःख से बचने के लिए किसी श्रेष्ठ राजा का आश्रय लेना ये (द्विविधः संश्रयः स्मृतः) दो प्रकार का 'संश्रय' [७। १७४] कहलाता है ॥ १६८ ॥

"एक—किसी अर्थ की सिद्धि के लिए किसी बलवान् राजा वा किसी महात्मा की शरण लेना, जिससे शत्रु से पीड़ित न हो; दो प्रकार का आश्रय लेना कहाता है।" (स० प्र० १५९)

सन्धि का समय—

यदावगच्छेदायत्यामाधिक्यं ध्रुवमात्मनः ।
तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा संधिं समाश्रयेत् ॥१६९॥(१३४)

(यदा+अवगच्छेत्) जब यह जान ले कि (तदात्वे) इस समय युद्ध

करने से (अल्पिकां पीडाम्) थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी (च) और (आयत्याम्) पश्चात् [=भविष्य] में करने से (आत्मनः ध्रुवम् आधिक्यम्) अपनी वृद्धि और विजय अवश्य होगी (तदा संधिं समाश्रयेत्) तब शत्रु से मेल करके उचित समय तक धीरज रखे ॥ १६९ ॥ (स० प्र० १५९)

विग्रह का समय—

यदा प्रहृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतोभृशम् ।
अत्युच्छ्रितं तथाऽऽत्मानं तदा कुर्वीत विग्रहम् ॥ १७० ॥ (१३५)

(यदा सर्वाः प्रकृतीः) जब अपनी सब प्रजा वा सेना (भृशम्) अत्यन्त (प्रहृष्टाः) प्रसन्न (अत्युच्छ्रितम्) उन्नतिशील और श्रेष्ठ (मन्येत) जाने (तथा) वैसे (आत्मानम्) अपने को भी समझे (तदा विग्रहं कुर्वीत) तभी शत्रु से विग्रह=युद्ध कर लेवे ॥ १७० ॥ (स० प्र० १५९)

यान का समय—

यदा मन्येत भावेन हृष्टं पुष्टं बलं स्वकम् ।
परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिपुं प्रति ॥ १७१ ॥ (१३६)

(यदा स्वकं बलम्) जब अपने बल अर्थात् सेना को (हृष्टं पुष्टं भावेन मन्येत) हर्ष और पुष्टियुक्त प्रसन्न भाव से जाने (च) और (परस्य) शत्रु का बल (विपरीतम्) अपने से विपरीत निर्बल हो जावे (तदा रिपुं प्रति यायात्) तब शत्रु की ओर युद्ध करने के लिए जावे ॥ १७१ ॥

(स० प्र० १५९)

आसन का समय—

यदा तु स्यात्परिक्षीणो वाहनेन बलेन च ।
तदासीत प्रयत्नेन शनकैः सान्त्वयन्नरीन् ॥ १७२ ॥ (१३७)

(यदा) जब (बलेन वाहनेन) सेना, बल, वाहन से (परिक्षीणः स्यात्) क्षीण हो जाये (तदा) तब (अरीन् शनकैः प्रयत्नेन सान्त्वयन्) शत्रुओं को धीरे-धीरे प्रयत्न से शान्त करता हुआ (आसीत) अपने स्थान में बैठा रहे ॥ १७२ ॥ (स० प्र० १५९)

द्वैधीभाव का समय—

मन्येतारिं यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम् ।
तदा द्विधा बलं कृत्वा साधयेत्कार्यमात्मनः ॥ १७३ ॥ (१३८)

(यदा राजा) जब राजा (अरिं सर्वथा बलवत्तरं मन्येत) शत्रु को

अत्यन्त बलवान् जाने (तदा) तब (द्विधा बलं कृत्वा) द्विगुण। वा दो प्रकार की सेना करके (आत्मनः कार्यं साधयेत्) अपना कार्य सिद्ध करे ।। १७३ ।।
(स० प्र० १५६)

संश्रय का समय—

यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत् ।
तदा तु संश्रयेत्क्षिप्रं धार्मिकं बलिनं नृपम् ।। १७४ ।। (१३६)

(यदा) जब आप समझ लेवे कि अब (परबलानां तु गमनीयतमः भवेत्) शीघ्र शत्रुओं की चढ़ाई मुझ पर होगी (तदा तु) तभी (धार्मिकं बलिनं नृपं क्षिप्रं संश्रयेत्) किसी धार्मिक बलवान् राजा का आश्रय शीघ्र ले लेवे ।। १७४ ।। (स० प्र० १५६)

निग्रहं प्रकृतीनां च कुर्याद्योऽरिबलस्य च ।
उपसेवेत तं नित्यं सर्वयत्नैर्गुरुं यथा ।। १७५ ।। (१४०)

(यः) जो (प्रकृतीनाम) प्रजा और अपनी सेना (च) और शत्रु के बल का (निग्रहं कुर्यात्) निग्रह करे अर्थात् रोके (तं सर्वयत्नैः) उसकी सब यत्नों से (गुरुं यथा) गुरु के सदृश (नित्यम् उपसेवेत) नित्य सेवा किया करे ।। १७५ ।। (स० प्र० १५६)

यदि तत्रापि संपश्येद्दोषं संश्रयकारितम् ।
सुयुद्धमेव तत्रापि निर्विशङ्कः समाचरेत् ।। १७६ ।। (१४१)

(संश्रयकारितं यदि तत्र+अपि दोषं संपश्येत्) जिसका आश्रय लेवे उस पुरुष के कर्मों में दोष देखे तो (तत्र+अपि) वहाँ भी (सुयुद्धम्+एव) अच्छे प्रकार युद्ध ही को (निर्विशङ्कः समाचरेत्) निःशंक होकर करे ।।१७६।।
(स० प्र० १५६)

सर्वोपायैस्तथा कुर्यान्नीतिज्ञः पृथिवीपतिः ।
यथाऽस्याभ्यधिका न स्युर्मित्रोदासीनशत्रवः ।। १७७ ।। (१४२)

(नीतिज्ञः पृथिवीपतिः) नीति का जानने वाला पृथिवीपति राजा (यथा) जिस प्रकार (अस्य) इसके (मित्र-उदासीन-शत्रवः) मित्र, उदासीन =तटस्थ और शत्रु (अधिकाः न स्युः) अधिक न हों (तथा सर्व—उपायैः कुर्यात्) ऐसे सब उपायों से वर्ते ।। १७७ ।। (स० प्र० १६१)

आयतिं सर्वकार्याणां तदात्वं च विचारयेत् ।
अतीतानां च सर्वेषां गुणदोषौ च तत्त्वतः ।। १७८ ।। (१४३)

(सर्वकार्याणां तदात्वम) सब कार्यों का वर्तमान में कर्त्तव्य (च) और (आयतिम्) भविष्यत् में जो-जो करना चाहिए (च) और (अतीतानां सर्वेषाम्) जो-जो काम कर चुके, उन सबके (तत्त्वतः गुणदोषौ विचारयेत्) यथार्थता से गुण-दोषों को विचार करे। पश्चात् दोषों के निवारण और गुणों की स्थिरता में यत्न करे ॥ १७८ ॥ (स० प्र० १६१)

आयत्यां गुणदोषज्ञस्तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः।
अतीते कार्यशेषज्ञः शत्रुभिर्नाभिभूयते ॥ १७९ ॥ (१४४)

(आयत्यां गुणदोषज्ञः) जो राजा भविष्यत् अर्थात् आगे करने वाले कर्मों में गुण-दोषों का ज्ञाता (तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः) वर्त्तमान में तुरन्त निश्चय का कर्त्ता, और (अतीते कार्यशेषज्ञः) किये हुए कार्यों में शेष कर्त्तव्य को जानता है (शत्रुभिः न+अभिभूयते) वह शत्रुओं से पराजित कभी नहीं होता ॥ १७९ ॥ (स० प्र० १६१)

राजनीति का निष्कर्ष—

यथैनं नाभिसंदध्युर्मित्रोदासीनशत्रवः।
तथा सर्वं संविदध्यादेष सामासिको नयः ॥ १८० ॥ (१४५)

(सर्वं तथा विदध्यात्) सब प्रकार के राजपुरुष, विशेषसभापति राजा ऐसा प्रयत्न करें कि (यथा) जिस प्रकार (मित्र-उदासीन-शत्रवः) राजादि जनों के मित्र, उदासीन और शत्रु को वश में करके (न+अभिसंदध्युः) अन्यथा न करपावें, ऐसे मोह में न फंसे (एषः सामासिकः नयः) यही संक्षेप से नय अर्थात् राजनीति कहाती है ॥ १८० ॥ (स० प्र० १६१)

अनुशीलन : मित्र, उदासीन और शत्रु के लक्षण क्रमशः ७। २०६, २१०, २११ में देखिए।

आक्रमण के लिए जाना और व्यूहरचना आदि की व्यवस्था—

यदा तु यानमातिष्ठेदरिराष्ट्रं प्रति प्रभुः।
तदाऽनेन विधानेन यायादरिपुरं शनैः ॥ १८१ ॥ (१४६)

(प्रभुः) राजा (यदा) जब भी (अरिराष्ट्रं प्रति) शत्रु के राज्य पर (यानम्+आतिष्ठेत्) चढ़ाई करे (तदा) तब (अनेन विधानेन) इस निम्नलिखित विधि से (शनैः) सावधानीपूर्वक (अरिपुरं यायात्) शत्रु राष्ट्र पर चढ़ाई करे ॥ १८१ ॥

मार्गशीर्षे शुभे मासि यायाद्यात्रां महीपतिः।
फाल्गुनं वाऽथ चैत्रं वा मासौ प्रति यथाबलम् ॥ १८२ ॥

(महीपतिः) राजा को चाहिए कि (शुभे मार्गशीर्षे मासि) शुभ अर्थात् चढ़ाई के लिए उपयुक्त मार्गशीर्ष के महीने (अथ) और (फाल्गुनं वा चैत्रं मासौ) फाल्गुन अथवा चैत्र के महीने में (यथाबलम्) अपनी सेना और शक्ति के अनुसार (यात्रां प्रति यायात्) शत्रु की ओर विजययात्रा के लिए चढ़ाई करे ॥ १८२ ॥

अन्येष्वपि तु कालेषु यथा पश्येद् ध्रुवं जयम् ।
तदा यायाद्विगृह्यैव व्यसने चोत्थिते रिपोः ॥ १८३ ॥

(अन्येषु+अपि कालेषु) अन्य कालों में भी (यदा जयं ध्रुवं पश्येत्) जब अपनी विजय को निश्चित समझे (च) अथवा (रिपोः व्यसने उत्थिते) शत्रु के आपत्ति में फंसे होने पर या शत्रु के राज्य में कोई उपद्रव हुआ देखकर (तदा) ऐसे समय में (विगृह्य+एव यायात्) अपनी ओर से ही झगड़ा करके चढ़ाई शुरू कर दे ॥ १८३ ॥

अनुशीलन : १८२--१८३ श्लोक प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—(१) इनसे पूर्व इस प्रसंग के विधायक श्लोक से ही इन का विरोध है। १८१ वें में स्पष्टतः **"यदा तु यानमातिष्ठेत्"**.....**तदा**.....**यायात्"** शब्दों का प्रयोग है जो यह सिद्ध करता है कि जब भी राजा अपनी स्थिति को देखकर आक्रमण करने जाये यह उसके विचार पर है। फिर इन श्लोकों में मास का निश्चय करना उससे भिन्न और विरुद्ध विधान है। (२) ७। १७१ में भी कभी भी आक्रमण करने का आदेश है, ये श्लोक उसके भी विरुद्ध हैं। यह समझिए 'यान' नामक नीति के ही विरुद्ध हैं।

२. **प्रसंगविरोध**—१८१ वें श्लोक में प्रसंग का भी संकेत है। तदनुसार यह प्रसंग 'आक्रमणार्थ जाते समय कैसी व्यवस्था से जाना चाहिए' इस वर्णन का है। यही बात अग्रिम ७। १८४--२०७ से पुष्ट होती है। यहां समय निर्धारित करने का प्रसंग-विरुद्ध वर्णन है, अतः प्रक्षिप्त हैं।

३. **अवान्तरविरोध**—१८२ और १८३ में परस्पर भी अर्थात् अवान्तर विरोध भी है। १८२ में एक शुभ समय निश्चित किया है तो १८३ में कोई निश्चय ही नहीं : इस प्रकार भी ये मनुकृत सिद्ध नहीं होते।

कृत्वा विधानं मूले तु यात्रिकं च यथाविधि ।
उपगृह्यास्पदं चैव चारान्सम्यग्विधाय च ॥१८४॥ (१४७)

जब राजा शत्रुओं के साथ युद्ध करने को जावे तब (मूले विधानं तु) अपने राज्य की रक्षा का प्रबन्ध (च) और (यात्रिकम्) यात्रा की सब सामग्री (यथाविधि कृत्वा) यथाविधि करके (आस्पदम् एव उपगृह्य) सब सेना, यान, वाहन, शस्त्र, अस्त्र आदि पूर्ण लेकर (चारान् सम्यक् विधाय) सर्वत्र दूतों अर्थात् चारों ओर के समाचारों को देने वाले पुरुषों

को गुप्त स्थापन करके शत्रुओं की ओर युद्ध करने को जावे ॥ १८४ ॥
(स० प्र० १६१)

त्रिविध मार्ग का संशोधन करे—

संशोध्य त्रिविधं मार्गं षड्विधं च बलं स्वकम् ।
सांपरायिककल्पेन यायादरिपुरं शनैः ॥१८५॥ (१४८)

(त्रिविधं मार्गं संशोध्य) तीन प्रकार के मार्ग अर्थात् एक--स्थल=भूमि में दूसरा-जल=समुद्र वा नदियों में, तीसरा-आकाश मार्गों को शुद्ध बनाकर भूमिमार्ग में रथ, अश्व, हाथी, जल में नौका और आकाश में विमान आदि यानों से जावे (च) और (षड्विधम्) पैदल, रथ, हाथी, घोड़े शस्त्र और अस्त्र, खान-पान आदि सामग्री को यथावत् साथ ले (बलं स्वकम्) बलयुक्त पूर्ण (सांपरायिककल्पेन) किसी निमित्त को **प्रसिद्ध** करके (अरिपुरं शनैः यायात्) शत्रु के नगर के समीप धीरे धीरे जावे ॥ १८५ ॥
(स० प्र० १६१)[1]

अनुशीलन : **त्रिविध मार्ग का मनुसम्मत अर्थ**—प्रचलित टीकाओं में त्रिविध मार्ग का अर्थ—'जङ्गल, अनूप और आटविक किया है। यह मनुसम्मत सिद्ध नहीं होता, और सही भी नहीं है। इस प्रकार अर्थ करने से तीनों केवल भूमि के ही एक मार्ग के अन्तर्गत आ जाते हैं। इस भाष्य में दिया गया अर्थ मनुसम्मत है। इस की सिद्धि ६। १६२ से होती है। वहां स्थलयुद्ध और जल में जलयान आदि से युद्ध करने का वर्णन है। इस प्रकार त्रिविध मार्गों का 'स्थल, जल, आकाश मार्ग ही प्रासंगिक सिद्ध होता है। अनूप इसी के अन्तर्गत आ जाता है समुद्रीयानों की चर्चा ८।१५७, ४०६, ४०६ में भी आती है। उस काल में ये यान थे।

आक्रमण के समय शत्रु और शत्रुमित्र पर **विशेष** दृष्टि रखे—

शत्रुसेविनि मित्रे च गूढे युक्ततरो भवेद् ।
गतप्रत्यागते चैव स हि कष्टतरो रिपुः ॥ १८६ ॥ (१४९)

(शत्रुसेविनि गूढे मित्रे) जो भीतर से शत्रु से मिला हो और अपने साथ भी ऊपर से मित्रता रखे, गुप्तता से शत्रु को भेद देवे (गत-प्रत्यागते एव) उसके आने जाने में, उसके बात करने में (युक्ततरः भवेत्) अत्यन्त सावधानी रखे (हि) **क्योंकि** भीतर शत्रु ऊपर मित्र को (कष्टतरः रिपुः)

---

१. [**प्रचलित अर्थ**—जङ्गल, अनूप तथा आटविक भेद से तीन प्रकार के मार्गों को पेड़, लता, झाड़ी कंटक आदि कटवाने तथा नीची ऊंची भूमि को बराबर कराने से गमन के योग्य बनाकर और हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल सेना एवं कार्यकर्ता रूप छः प्रकार के बल (सेना) उचित **भोजन**-वस्त्र, मान-सत्कार एवं औषध आदि से शुद्ध कर यात्रा के योग्य विधान से धीरे-धीरे शत्रु के देश को प्रस्थान करे ॥ १८५ ॥]

बड़ा❋शत्रु समझना चाहिए ।। १८६ ।। (स० प्र० १६१)

❋ कष्टदायक.....

व्यूहरचनाएं—

दण्डव्यूहेन तन्मार्गं यायात्तु शकटेन वा।
वराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा ।। १८७ ।। (१५०)

+(दण्डव्यूहेन) दण्ड के समान सेना को चलावे (शकटेन) जैसा शकट अर्थात् गाड़ी के समान (वराह मकराभ्याम्) वराह जैसे सूअर एक दूसरे के पीछे दौड़ते जाते हैं कभी सब मिलकर झुण्ड हो जाते हैं वैसे; जैसे मगर पानी में चलते हैं वैसे सेना को बनावे (सूच्या वा गरुडेन वा) जैसे सूई का अग्रभाग सूक्ष्म पश्चात् स्थूल और उससे सूत्र स्थूल होता है वैसी शिक्षा से सेना को बनावे; नीलकण्ठ [=गरुड़] ऊपर नीचे झपट्टा मारता है इस प्रकार सेना को बनाकर (यायात्) लड़ावे ।। १८७ ।।

(स० प्र० १६१)

+(तत् मार्गम्) चढ़ाई करते समय मार्ग में.....

अनुशीलन: (१) जिनमें आगे बलाध्यक्ष हो, बीच में राजा, अन्त में सेनापति और उनके अगल-बगल एक-एक पंक्ति हाथी सवारों की, उन पंक्तियों के साथ एक पंक्ति घुड़सवारों की, फिर साथ में पदातियों की पंक्तियाँ; इस प्रकार दण्ड के समान तथा लम्बी पंक्ति के आकार में सेना की मोर्चाबन्दी को 'दण्डव्यूह' कहते हैं।

(२) गाड़ी के समान आगे से पतली और पीछे-पीछे अधिक फैलाववाली सेना की रचना को 'शकटव्यूह' कहा जाता है।

(३) आगे और पीछे के भागों में पतली, मध्यभाग में अधिक फैलाव वाली सेनारचना को 'वराहव्यूह' कहते हैं। इसमें सैनिक एक दल के पीछे एक दल बढ़ते जाते हैं, जैसे ही शत्रु उन्हें कम समझकर मुकाबला करता है, तो पिछली सेना झुण्ड बनाकर हमला कर देती है। उनके पीछे रक्षा के लिए तथा सावधानी के लिए हल्की सेनापंक्ति रहती है।

(४) जिसका अग्रभाग मोटा, मध्य का उससे अधिक लम्बाकार होते हुए भी विस्तृत हो और पृष्ठभाग पतला हो, उस सेना-रचना को 'मकरव्यूह' कहा जाता है।

(५) अग्रभाग से नुकीली और पृष्ठभाग से स्थूल एवं विस्तृत आकार वाली सेनारचना को 'सूचीव्यूह' कहते हैं।

(६) आगे का कुछ भाग नुकीला और उसके पीछे दो भागों में विस्तृतरूप में दूर तक फैली हुई सेना की संरचना को 'गरुडव्यूह' कहते हैं। इसमें अग्रपंक्ति जब शत्रु-

सेना से लड़ने लगती है, और शत्रुसेना भी जब सामने होकर संघर्ष करने लगती है,तो अगल-बगल में फैली सेना शत्रुसेना पर अगल-बगल से झपट्टा मारकर दबाने की कोशिश करती है।

यतश्च भयमाशङ्केत्ततो विस्तारयेद्बलम्।
पद्मेनैव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयम् ॥ १८८ ॥ (१५१)

(यतः भयम्+आशंकेत्) जिधर भय विदित हो (ततः) उसी ओर (बलं विस्तारयेत्) सेना को फैलावे (पद्मेन एव व्यूहेन) सब सेना के पतियों को चारों ओर रखके पद्मव्यूह अर्थात् पद्माकार चारों ओर से सेनाओं को रख के (स्वयं निविशेत) मध्य में आप रहे॥ १८८ ॥ (स० प्र० १६१)

अनुशीलन : कमल के पुष्प की तरह एक दल के पीछे दूसरे दल के रूप में चारों ओर गोलाकार रूप में सेना को खड़ा करना और मध्य में राजा या सेनापति का होना, इस मोर्चाबन्दी को 'पद्मव्यूह' कहा जाता है।

सेनापतिबलाध्यक्षौ सर्वदिक्षु निवेशयेत्।
यतश्च भयमाशङ्केत्प्राचीं च कल्पयेद्दिशम् ॥ १८९ ॥ (१५२)

(सेनापति-बलाध्यक्षौ) सेनापति और बलाध्यक्ष आज्ञा को देने और सेना के साथ लड़ने-लड़ाने वाले वीरों को (सर्वदिक्षु निवेशयेत्) आठों दिशाओं में रखें (यतः भयम्+आशंकेत्) जिस ओर से लड़ाई होती हो (तां प्राचीं दिशं कल्पयेत्) उसी ओर सब सेना का मुख रखे।

परन्तु दूसरी ओर भी पक्का प्रबंध रक्खे, नहीं तो पीछे वा पार्श्व से शत्रु की घात होने का सम्भव होता है ॥ १८९ ॥ (स० प्र० १६२)

अनुशीलन : (क) **"तां प्राचीं दिशं कल्पयेत्"** अर्थात् 'उसे ही पूर्वदिशा मान ले' यह एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है उसी दिशा को मुख्य मानकर उसी की ओर मुख कर लेना अर्थात् शक्ति लगाना।

गुल्मांश्च स्थापयेदाप्तान्कृतसंज्ञान्समन्ततः।
स्थाने युद्धे च कुशलानभीरूनविकारिणः ॥१९०॥ (१५३)

(गुल्मान्) जो गुल्म अर्थात् दृढ़स्तम्भों के तुल्य (आप्तान्) युद्धविद्या में सुशिक्षित, धार्मिक (स्थाने च युद्धे कुशलान्) स्थित होने और युद्ध करने में चतुर (अभीरून्) भयरहित (च) और (अविकारिणः) जिनके मन में किसी प्रकार का विकार न हो+उनको (समन्ततः स्थापयेत्) सेना के चारों ओर रखे॥ १९० ॥ (स० प्र० १६२)

+ (कृतसंज्ञान्) निश्चित संकेतों को समझने वाले.....

संहतान्योधयेदल्पान्कामं विस्तारयेद्बहून् ।
सूच्या वज्रेण चैवैतान्व्यूहेन व्यूह्य योधयेत् ॥१६१ (१५४)

(अल्पान् संहतान् योधयेत्) जो थोड़े पुरुषों से बहुतों के साथ युद्ध करना हो तो मिलकर लड़ावे (कामं विस्तारयेत् बहून्) और काम पड़े तो उन्हीं को झट फैला देवे, जब नगर, दुर्ग वा शत्रु की सेना में प्रविष्ट होकर युद्ध करना हो तब (सूच्या वज्रेण व्यूह्य) 'सूचीव्यूह' तथा 'वज्र-व्यूह' जैसा दुधारा खड्ग दोनों ओर युद्ध करते जायें और प्रविष्ट भी होते चलें, वैसे अनेक प्रकार के व्यूह अर्थात् सेना को बनाकर (योधयेत्) लड़ावे ॥ १६१ ॥ (स० प्र० १६२)

"जो सामने (शतघ्नी) तोप वा (भुशुण्डी) बन्दूक छूट रही हो तो 'सर्पव्यूह' अर्थात् सर्प के समान सोते-सोते चले जायें, जब तोपों के पास पहुँचे तब उनको मार वा पकड़ तोपों का मुख शत्रु की ओर फेर उन्हीं तोपों से वा बन्दूक आदि से उन शत्रुओं को मारें अथवा वृद्ध पुरुषों को तोपों के मुख के सामने घोड़ों पर सवार करा दौड़ावें और मारें, बीच में अच्छे-अच्छे सवार रहें, एकवार धावा कर शत्रु की सेना को छिन्न-भिन्न कर पकड़ लें अथवा भगा दें।" (स० प्र० षष्टसमु०)

अनुशीलन : जिस प्रकार दुधारी तलवार शरीर में नोक से घुसकर दोनों ओर से काटती जाती है, उसी प्रकार सेना की इस प्रकार मोर्चाबन्दी करना कि वह सामने लड़ती हुई शत्रु-सेना में प्रविष्ट होती जाये और अगल बगल भागों से दूसरी सेनापंक्तियां लड़ें तथा इस प्रकार रक्षा भी करें कि किसी बगल से घूमकर शत्रु घेर न ले, इस मोर्चाबन्दी को 'वज्रव्यूह' कहते हैं।

स्यन्दनाश्वैः समे युद्ध्येदनूपे नौद्विपैस्तथा ।
वृक्षगुल्मावृते चापैरसिचर्मायुधैः स्थले ॥१६२॥ (१५५)

(समे युध्येत् स्यन्दन+अश्वैः) जो समभूमि में युद्ध करना हो तो रथ, घोड़े और पदातियों से (अनूपे नौ-द्विपैः) जो समुद्र में युद्ध करना हो तो नौका और थोड़े जल में हाथियों पर (वृक्ष-गुल्म+आवृते) वृक्ष और झाड़ी में (चापैः) बाण (तथा) तथा (स्थले) स्थल बालू में (असि-चर्म+आयुधैः) तलवार और ढाल से युद्ध करें-करावें ॥ १६२ ॥ (स० प्र० १६२)

अनुशीलन :

मनुप्रोक्त युद्धनीति एवं उसके अंग-प्रत्यंग (तालिका)

१. युद्धनीति के आधार	२. युद्धार्थ सेना	३. सेना के अधिकारी
१. साम (७।१५९,१९८,२००)	१. पैदल-सेना (७।१८५,१९२)	१. राजा (मुख्य नायक)
२. दाम (,, ,,)	२. रथसवार सेना (,, ,,)	२. सेनापति (७। १८९)
३. भेद (,, ,,)	३. घुड़सवार सेना (,, ,,)	३. बलाध्यक्ष (,,)
४. दण्ड (,, ,,)	४. हाथीसवार सेना (,, ,,)	४. दूत (७।६३-६८)
५. सन्धि (७।१६०,१६२,१६३ १६९)	५. जल सेना (,, ,,)	
६. विग्रह (७ १६०,१६४,१७०।)	६. वायु सेना (,, ,-)	
७. यान (७।१६०,१६५,१७१)		
८. आसन (७।१६०,१६६,१७२)		
९. द्वैधीभाव (७।१६०,१६७, १७३)		
१०. संश्रय (७।१६०,१६८, १७४)		

	४. युद्ध में व्यूहरचना		५. शस्त्रास्त्र-संकेत-वर्णन	
	१. दण्डव्यूह	(७।१८७)	१. धनुष	(७।७४,१९२)
	२. शकटव्यूह	(,, ,,)	२. बाण	(७।९०,१९२)
	३. वराहव्यूह	(,, ,,)	३. तलवार	(७।१९२)
	४. मकरव्यूह	(,, ,,)	४. ढाल	(७।१९२)
	५. सूचीव्यूह	(,, ७।१९१)	५. कूटायुध	(७।९०)
	६. गरुडव्यूह	(,, ,,)	६. शक्ति	(८।३१५)
	७. पद्मव्यूह	(७।१८८)	७. वरुणपाश	(९।३०८)
	८. वज्रव्यूह	(७।१९१)	८. लौहदण्ड	(८।३१५)

कुरुक्षेत्रांश्च मत्स्यांश्च पञ्चालाञ्छूरसेनजान्।
दीर्घांल्लघूंश्चैव नरानग्रानीकेषु योजयेत्॥ १९३॥

(कुरुक्षेत्रान्) कुरुक्षेत्र-निवासी (मत्स्यान्) विराट् नामक प्रदेश-निवासी (पञ्चालान्) कान्यकुब्ज और अहिच्छत्र प्रदेश के निवासी (शूरसेनजान्) मथुरा प्रदेश के निवासी (दीर्घान् च लघून् एव नरान्) बड़े कद वाले अथवा छोटे कद वाले भी हों तो भी उन योद्धा नरों को (अग्र+अनीकेषु योजयेत्) सेना में सबसे अग्रभाग में नियुक्त करे॥ १९३॥

अनुपपत्तियाँ : १९३ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त सिद्ध होता है—

१. **प्रसंगविरोध**—यहाँ पूर्वापर प्रसंग युद्ध के सर्वसामान्य नियमों एवं उनके प्रकारों का है, किसी देश-विशेष के सैनिकों का या किसी देश-विशेष के लिए नहीं है। अतः यह श्लोक पूर्वापर प्रसंग-विरुद्ध है।

२. **अन्तर्विरोध**—(१) इस श्लोक में कुछ देशविशेषों के सैनिकों को सेना के अग्रभाग में रखने का निर्देश है। प्रश्न उठता है कि जिन देशों के पास ये सैनिक नहीं हैं वे इन्हें कहां से लायेंगे? इस प्रकार यह कोई विधान ही नहीं बनता। मनुस्मृति के विधान सभी देशों के सभी वर्णों के व्यक्तियों के लिए सर्वसामान्य रूप से विहित हैं। इनके साथ किसी क्षेत्रविशेष में सीमित करने वाली बात नहीं जोड़ी जा सकती है। १।१३९ [२।२०] में मनु ने स्वयं कहा है कि 'इन धर्मों की शिक्षा पृथ्वी पर स्थित समस्त देशों के मानव प्राप्त करें'। फिर यह स्मृति केवल इसी श्लोक में वर्णित देशों के लिए कैसे सीमित हो सकती है? इस अन्तर्विरोध के आधार पर यह श्लोक प्रक्षिप्त है। (२) इन देशों का विभाजन मनु से परवर्ती है [इसके लिए १। १३८ (२। १९) पर समीक्षा द्रष्टव्य है]। इस आधार पर भी यह श्लोक मनुप्रोक्त नहीं है।

सेना का उत्साहवर्धन—

प्रहर्षयेद्बलं व्यूह्य तांश्च सम्यक्परीक्षयेत्।
चेष्टाश्चैव विजानीयादरीन्योधयतामपि॥ १९४॥ (१५६)

(व्यूह्य बलं प्रहर्षयेत्) जिस समय युद्ध होता हो तो उस समय लड़ने वालों को उत्साहित और हर्षित करें, जब युद्ध बंद हो जाये तब जिससे शौर्य और युद्ध में उत्साह हो वैसे वक्तृत्वों [=वचनों] से सबके चित्त को खान-पान, अस्त्र-शस्त्र, सहाय और औषधादि से प्रसन्न रखे, व्यूह के बिना लड़ाई न करे, न करावे+(योधयताम्+अपि चेष्टाः विजानीयात्) लड़ती हुई अपनी सेना की चेष्टा को देखा करे कि (सम्यक् परीक्षयेत्) ठीक-ठीक लड़ती है वा कपट रखती है॥ १९४॥ (स० प्र० १६२)

+ (अरीन्) शत्रुओं से·····

शत्रुराजा को पीड़ित करने के उपाय—

उपरुध्यारिमासीत राष्ट्रं चास्योपपीडयेत्।
दूषयेच्चास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम्॥ १६५॥ (१५७)

किसी समय उचित समझे तो (अरिम् उपरुध्य आसीत) शत्रु को चारों ओर से घेरकर रोकरखे (च) और (अस्य राष्ट्रम् उपपीडयेत्) इसके राज्य को पीड़ित करे (अस्य) शत्रु के (यवस-अन्न-उदक-इन्धनम्) चारा, अन्न, जल और इन्धन को (सततं दूषयेत्) नष्ट दूषित कर दे॥ १६५॥
(स० प्र० १६२)

भिन्द्याच्चैव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा।
समवस्कन्दयेच्चैनं रात्रौ वित्रासयेत्तथा॥ १६६॥ (१५८)

शत्रु के (तडागानि) तालाब (प्राकार) नगर के प्रकोट (तथा परिखाः) और खाई को (भिन्द्यात्) तोड़-फोड़ दे (रात्रौ एनं वित्रासयेत्) रात्रि में उनको भय देवे (च) और (सम्+अवस्कन्दयेत्) जीतने का उपाय करे॥ १६६॥ (स० प्र० १६२)

शत्रुराजा के अमात्यों में फूट—

उपजप्यानुपजपेद् बुध्येतैव च तत्कृतम्।
युक्ते च दैवे युध्येत जयप्रेप्सुरपेतभीः॥ १६७॥ (१५९)

(उपजप्यान्) शत्रु के वर्ग के जिन अमात्य, सेनापति आदि में फूट डाली जा सके, उनमें (उपजपेत्) फूट डाल दे (च) और इस प्रकार (तत् कृतं बुध्येत) शत्रु राजा की योजनाओं की जानकारी ले ले (च) और (जयप्रेप्सुः) विजय का इच्छुक राजा इस प्रकार (अपेतभीः) भय छोड़कर (युक्ते दैवे) उचित अवसर पर (युध्येत) युद्ध-आक्रमण शुरू कर देवे॥१६७॥

साम्ना दानेन भेदेन समस्तैरथवा पृथक्।
विजेतुं प्रयतेतारीन्न युद्धेन कदाचन॥ १६८॥ (१६०)

(साम्ना) 'साम' से (दानेन) 'दाम' से (भेदेन) 'भेद' से (समस्तैः) इन सब उपायों से एकसाथ (अथवा) अथवा (पृथक्) अलग-अलग एक-एक से (अरीन् विजेतुं प्रयतेत) शत्रुओं को जीतने का प्रयत्न करे (कदाचन युद्धेन न) कभी पहले युद्ध से जीतने का यत्न न करे॥ १६८॥

अनित्यो विजयो यस्माद् दृश्यते युध्यमानयोः।
पराजयश्च सङ्ग्रामे तस्माद्युद्धं विवर्जयेत्॥ १६९॥

(यस्मात्) क्योंकि (संग्रामे युध्यमानयोः विजयः च पराजयः) युद्ध में लड़त

समय विजय और हार (अनित्यः दृश्यते) अनिश्चित होती हैं (तस्मात् युद्धं विवर्जयेत्) इसलिए युद्ध करना छोड़ देवे ॥ १९९ ॥

अनुशीलन : १९९ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगविरोध—(१) पूर्वापर १९८ व २०० श्लोकों में नीतिपूर्वक क्रमशः सामादि उपाय अपनाने का कथन है। अन्तिम उपाय युद्ध को अन्त में ही अपनाने का निर्देश है। इस प्रकार उक्त दोनों श्लोकों की वाक्यात्मक सम्बद्धता है। इस श्लोक के युद्धनिषेध वर्णन ने उस प्रसंग और सम्बद्धता को भंग कर दिया है। अतः प्रसंगभञ्जक प्रक्षेप है। (२) १८१ से यह युद्ध का ही प्रसंग प्रारम्भ हुआ है, जिसमें २०१ तक युद्धों के विधान हैं। इस प्रसंग के बीच युद्धवर्जन का कथन प्रसंगविरुद्ध है।

२ अन्तर्विरोध—१८१ से २०० श्लोकों तक मनु ने युद्ध करने का कथन किया है। यहां युद्ध से पराजय होने के भय से निवृत्त होने का कथन इन सभी श्लोकों के विरुद्ध है। इस आधार पर भी यह प्रक्षिप्त है।

त्रयाणामप्युपायानां पूर्वोक्तानामसम्भवे।
तथा युध्येत सम्पन्नो विजयेत रिपून्यथा ॥ २०० ॥ (१६१)

(पूर्वोक्तानां त्रयाणाम्+अपि+उपायानाम् असंभवे) पूर्वोक्त साम, दाम, भेद तीनों ही उपायों में से किसी से भी विजय की संभावना न रहने पर (सम्पन्नः) सब प्रकार से तैयारी करके (तथा युध्येत) इस प्रकार युद्ध करे (यथा) **जिससे** कि (रिपून् विजयेत) शत्रुओं पर विजय कर सके ॥ २०० ॥

राजा के विजयोपरान्त कर्तव्य—

जित्वा सम्पूजयेद् देवान्ब्राह्मणांश्चैव धार्मिकान्।
प्रदद्यात्परिहारांश्च ख्यापयेदभयानि च ॥ २०१ ॥ (१६२)

(जित्वा) विजय प्राप्त करके (धार्मिकान् देवान् ब्राह्मणान् एव) जो धर्माचरणवाले विद्वान् ब्राह्मण हों उनको ही (पूजयेत्) सत्कृत करे अर्थात् उनको अभिवादन करके उनका आशीर्वाद ले (च) और (परिहारान् प्रदद्यात्) जिन प्रजाजनों को युद्ध में हानि हुई है उन्हें क्षतिपूर्ति के लिए सहायता दे (च) तथा (अभयानि ख्यापयेत्) सब प्रकार के अभयों की घोषणा करा दे कि 'प्रजाओं को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दिया जायेगा अतः वे सब प्रकार से भय-आशंका-रहित होकर रहें' ॥ २०१ ॥

हारे हुए राजा से प्रतिज्ञापत्र आदि लिखवाना—

सर्वेषां तु विदित्वैषां समासेन चिकीर्षितम्।
स्थापयेत्तत्र तद्वंश्यं कुर्याच्च समयक्रियाम् ॥ २०२ ॥ (१६३)

(एषां सर्वेषाम्) विजित प्रदेश की इन सब प्रजाओं की (चिकीर्षितम्) इच्छा को (समासेन विदित्वा) संक्षेप से अर्थात् सरसरी तौर पर जानकर कि वे किसे अपना राजा बनाना चाहती हैं, या कोई और विशेष आकांक्षा हो उसे भी जानकर (तत्र) उस राजसिंहासन पर (तत् वंश्यम्) उस प्रदेश की प्रजाओं में से उन्हीं के वंश के किसी व्यक्ति को (स्थापयेत्) बिठा देवे (च) और (समय-क्रियाम् कुर्यात्) उससे सन्धिपत्र = शर्तनामा लिखा लेवे [कि अमुक कार्य तुम्हें स्वेच्छानुसार करना है, अमुक मेरी इच्छा से। इसी प्रकार अन्य कर, अनुशासन आदि से सम्बद्ध बातें भी उसमें हों]॥ २०२ ॥

प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्म्यान्ययोदितान्।
रत्नैश्च पूजयेदेनं प्रधानपुरुषैः सह ॥ २०३ ॥ (१६४)

(तेषां यथोदितान् धर्म्यान्) उन विजित प्रदेश की प्रजाओं या नियुक्त राजपुरुषों द्वारा कही हुई उनकी न्यायोचित [=वैध] बातों को (प्रमाणानि कुर्वीत) प्रमाणित कर दे अर्थात् प्रतिज्ञापूर्वक स्वीकार कर ले। अभिप्राय यह है कि उनकी न्यायोचित बातों को मान लेवे और जो अमान्य बातें हों उनको न माने (च) और (प्रधानपुरुषैः सह एनम्) प्रधान राजपुरुषों के साथ बन्दीकृत इस राजा का (रत्नैः पूजयेत्) उत्तम वस्तुयें प्रदान करते हुए यथायोग्य सत्कार रखे ॥ २०३ ॥

"जीतकर उनके साथ प्रमाण अर्थात् प्रतिज्ञा आदि लिखा लेवे और जो उचित समय समझे तो उसी के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा कर दे और उससे लिखा लेवे कि तुमको हमारी आज्ञा के अनुकूल अर्थात् जैसी धर्मयुक्त राजनीति है, उसके अनुसार चलके न्याय से प्रजा का पालन करना होगा, ऐसे उपदेश करे। और ऐसे पुरुष उनके पास रखे कि जिससे पुनः उपद्रव न हो। और जो हार जाये, उसका सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिलकर रत्न आदि उत्तम पदार्थों के दान से करे और ऐसा न करे कि जिससे उसको योगक्षेम भी न हो। जो उसको बन्दीगृह करे तो भी उसका सत्कार यथायोग्य रखे, जिससे वह हारने के शोक से रहित होकर आनन्द में रहे।" (स० प्र० १६४)

आदानमप्रियकरं दानं च प्रियकारकम्।
अभीप्सितानामर्थानां काले युक्तं प्रशस्यते ॥ २०४ ॥ (१६५)

क्योंकि (आदानम्+अप्रियकरम्) संसार में दूसरे का पदार्थ ग्रहण करना अप्रीति (च) और (दानं प्रियकारकम्) देना प्रीति का कारण है, और (काले युक्तम्) समय पर उचित क्रिया करना (अभीप्सितानाम्+अर्थानाम्)

उस पराजित के मनोवाञ्छित पदार्थों का देना (प्रशस्यते) बहुत उत्तम है ॥ २०४ ॥ (स० प्र० १६२)

सर्वं कर्मेदमायत्तं विधाने दैवमानुषे ।
तयोर्दैवमचिन्त्यं तु मानुषे विद्यते क्रिया ॥ २०५ ॥

(इदं सर्वं कर्म आयत्तम्) संसार के सब काम (दैव-मानुषे विधाने) दैव = भाग्य और मनुष्य के आधीन हैं (तयोः) उन दोनों में (दैवं तु अचिन्त्यम्) भाग्य तो अचिन्त्य अर्थात् अज्ञात होता है (मानुषे क्रिया विद्यते) मनुष्य के करने से कोई काम पूरा किया जा सकता है ॥ २०५ ॥

अनुशीलन : २०५ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. **प्रसंगविरोध**—यह श्लोक पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध है। पूर्व के २०२–२०४ श्लोकों में विजित राजा को बन्दी बनाकर रखने का सुझाव है और २०६ में उसका विकल्प है कि यदि बन्दी न बनावे तो उसे मित्र बनाकर उसे ही राज्यासन पर रखकर लौट आये। इस प्रकार पूर्वापर श्लोक की परस्पर सम्बद्धता को इस श्लोक ने भंग कर दिया है। इस वर्णित मानुष दैव कर्मों का यहां पूर्वापर प्रसंग से कोई सम्बन्ध भी नहीं है। इस प्रसंगविरोध के आधार पर यह प्रक्षिप्त है।

सह वाऽपि व्रजेद्युक्तः संधिं कृत्वा प्रयत्नतः ।
मित्रं हिरण्यं भूमिं वा संपश्यंस्त्रिविधं फलम् ॥२०६ ॥(१६६)

[यदि पूर्वोक्त कथनानुसार (७ । २०२–२०३) राजा को बन्दी न बनाकर उसके स्थान पर दूसरा राजा न बिठाकर उसे ही राजा रखे तो] (अपि वा) अथवा (सह युक्तः) उसी राजा के साथ मेल करके (प्रयत्नतः संधिं कृत्वा) बड़ी सावधानी पूर्वक उससे सन्धि करके अर्थात् सन्धिपत्र लिखाकर (मित्रं हिरण्यं वा भूमिं त्रिविधं फलं सम्पश्यन्) मित्रता, सोना अथवा भूमि की प्राप्ति होना, इन तीन प्रकार के फलों को देखकर अर्थात् इनकी उपलब्धि करके (व्रजेत्) वापिस लौट आये ॥ २०६ ॥

पार्ष्णिग्राहं च संप्रेक्ष्य तथाक्रन्दं च मण्डले ।
मित्रादथाप्यमित्राद्वा यात्राफलमवाप्नुयात् ॥ २०७ ॥ (१६७)

(मण्डले) अपने राज्य में (पार्ष्णिग्राहम्) 'पार्ष्णिग्राह' संज्ञक राजा [१५६] (तथा) तथा (आक्रन्दं संप्रेक्ष्य) 'आक्रन्द' संज्ञक राजा का [१५६] ध्यान रखके (मित्रात्+अथापि+अमित्रात्) मित्र अथवा पराजित शत्रु से (यात्राफलम्+अवाप्नुयात्) युद्धयात्रा का फल प्राप्त करे। अभिप्राय यह है कि अपने पड़ोसी राजाओं से सुरक्षा के लिए या उनको वश में

करने के लिए कौन से फल की अधिक उपयोगिता होगी, यह सोचकर शत्रु या मित्र से बड़ी-बड़ी फल मुख्यता से प्राप्त करे ॥ २०७ ॥

सच्चा मित्र सबसे बड़ी शक्ति—

हिरण्यभूमिसम्प्राप्त्या पार्थिवो न तथैधते।
तथा मित्रं ध्रुवं लब्ध्वा कृशमप्यायतिक्षमम् ॥ २०८ ॥ (१६८)

(पार्थिवः) राजा (हिरण्य-भूमि-सम्प्राप्त्या) सुवर्ण और भूमि की प्राप्ति से (तथा न एधते) वैसा नहीं बढ़ता (यथा) कि जैसे (ध्रुवम्) निश्चल प्रेमयुक्त (आयतिक्षमम्) भविष्यत् की बातों को सोचने और कार्य-सिद्ध करने वाले समर्थ मित्र (अपि कृशम्) अथवा दुर्बल मित्र को भी (लब्ध्वा) प्राप्त होके बढ़ता है ॥ २०८ ॥ (स० प्र० १६४)

प्रशंसनीय मित्र राजा के लक्षण—

धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव च।
अनुरक्तं स्थिरारम्भं लघुमित्रं प्रशस्यते ॥ २०९ ॥ (१६९)

(धर्मज्ञम्) धर्म को जानने (च) और (कृतज्ञम्) कृतज्ञ अर्थात् किये हुए उपकार को सदा मानने वाले (तुष्टप्रकृतिम्) प्रसन्न स्वभाव (अनुरक्तम्) अनुरागी (स्थिरारम्भम्) [=स्थिरतापूर्वक मित्रता या कार्य करने वाला] (लघुमित्रम्) लघु=छोटे मित्र को प्राप्त होकर (प्रशस्यते) प्रशंसित होता है ॥ २०९ ॥ (स० प्र० १६४)

कष्टकर शत्रु के लक्षण—

प्राज्ञं कुलीनं शूरं च दक्षं दातारमेव च।
कृतज्ञं धृतिमन्तं च कष्टमाहुरिरिं बुधाः ॥ २१० ॥ (१७०)

सदा इस बात को दृढ़ रखे कि कभी (प्राज्ञम्) बुद्धिमान् (कुलीनम्) कुलीन (शूरम्) शूरवीर (दक्षम्) चतुर (दातारम्) दाता (कृतज्ञम्) किये हुए को जाननेहारे (च) और (धृतिमन्तम्) धैर्यवान् पुरुष को (अरिम् कष्टम्+आहुः) शत्रु न बनावे क्योंकि जो ऐसे को शत्रु बनावेगा वह दुःख पावेगा ❀ ॥ २१० ॥ (स० प्र० १६४)

❀ (बुधाः) विचारशील विद्वानों का ऐसा मत है।

उदासीन के लक्षण—

आर्यता पुरुषज्ञानं शौर्यं करुणवेदिता।
स्थैर्यलक्ष्यं च सततमुदासीनगुणोदयः ॥ २११ ॥ (१७१)

उदासीन का लक्षण—(आर्यता) पुरुषज्ञानम्) जिसमें प्रशंसितगुण-युक्त अच्छे-बुरे मनुष्यों का ज्ञान (शौर्यम्) शूरवीरता (च) और (करुणवेदिता) करुणा भी (स्थौलल्लक्ष्यं सततम्) स्थूल लक्ष्य अर्थात् ऊपर-ऊपर की बातों को निरन्तर सुनाया करे (उदासीनगुणोदयः) वह उदासीन कहाता है ॥ २११॥ (स० प्र० १६५)

राजा द्वारा आत्मरक्षा सबसे आवश्यक—

क्षेम्यां सस्यप्रदां नित्यं पशुवृद्धिकरीमपि।
परित्यजेन्नृपो भूमिमात्मार्थमविचारयन् ॥ २१२ ॥ (१७२)

(नृपः) राजा (आत्मार्थम्) अपने राज्य की रक्षा के लिए (क्षेम्याम्) आरोग्यता से युक्त (सस्यप्रदाम्) धान्य-घास आदि से उपजाऊ रहने वाली (नित्यं पशुवृद्धिकरीम्) सदैव जहाँ पशुओं की वृद्धि होती हो, ऐसी भूमि को भी (अविचारयन्) बिना विचार किये (परित्यजेत्) छोड़ देवे अर्थात् विजयी राजा को देनी पड़े तो दे दे, उसमें कष्ट अनुभव न करे ॥ २१२ ॥

आपदर्थं धनं रक्षेद्दारान् रक्षेद्धनैरपि।
आत्मानं सततं रक्षेद्दारैरपि धनैरपि ॥ २१३ ॥ (१७३)

आपत्ति में पड़ने पर (आपत्+अर्थम्) आपत्ति से रक्षा के लिए (धनं रक्षेत्) धन की रक्षा करे, और (धनैः+अपि) धनों की अपेक्षा (दारान् रक्षेत्) स्त्रियों की अर्थात् परिवार की रक्षा करे (दारैः+अपि धनैः+अपि) स्त्रियों से भी और धनों से भी आत्मरक्षा करना सबसे आवश्यक है। यदि उसकी रक्षा नहीं हो सकेगी तो वह न परिवार की रक्षा कर सकेगा और न धन की न राज्य की ॥ २१३ ॥

सह सर्वाः समुत्पन्नाः प्रसमीक्ष्यापदो भृशम्।
संयुक्तांश्च वियुक्तांश्च सर्वोपायान्सृजेद् बुधः ॥ २१४ ॥(१७४)

(सर्वाः आपदः भृशं सह समुत्पन्नाः प्रसमीक्ष्य) सब प्रकार की आपत्तियां तीव्र रूप में और एकसाथ उपस्थित हुई देखकर (बुधः) बुद्धिमान् (संयुक्तान्) सम्मिलित रूप से और (वियुक्तान्) पृथक्-पृथक् रूप से अर्थात् जैसे भी उचित समझे (सर्व+उपायान् सृजेत्) सब उपायों को उपयोग में लावे ॥ २१४ ॥

उपेतारमुपेयं च सर्वोपायांश्च कृत्स्नशः।
एतत्त्रयं समाश्रित्य प्रयतेतार्थसिद्धये ॥ २१५ ॥ (१७५)

(उपेतारम्) उपेता=प्राप्त करनेवाला अर्थात् स्वयं (उपेयम्) उपेय=

प्राप्त करने योग्य अर्थात् शत्रु (च) और (सर्वं+उपायान्) सब विजय प्राप्त करने के साम, दाम, आदि उपाय (एतत् त्रयम्) इन तीन बातों को (कृत्स्नशः समाश्रित्य) सम्पूर्ण रूप से आश्रय करके अर्थात् विचार करके और अपनी क्षमता देखकर (अर्थसिद्धये प्रयतेत) राजा अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न करे, इन्हें बिना विचारे नहीं ॥ २१५ ॥

मन्त्रणा एवं शस्त्राभ्यास के बाद भोजनार्थ अन्तःपुर में जाना—

एवं सर्वमिदं राजा सह संमन्त्र्य मन्त्रिभिः ।
व्यायम्याप्लुत्य मध्याह्ने भोक्तुमन्तःपुरं विशेत् ॥२१६॥(१७६)

(एवम्) इस प्रकार (राजा) राजा (इदं सर्वम्) यह पूर्वोक्त [७। १४६—२१५] सब (मंत्रिभिः सह संमन्त्र्य) मन्त्रियों के साथ विचार-विमर्श करके (व्यायम्य) व्यायाम अर्थात् शस्त्रास्त्रों का अभ्यास करके (आप्लुत्य) स्नान करके फिर, (मध्याह्ने) दोपहर के समय (भोक्तुम्) भोजन करने के लिए (अन्तःपुरं विशेत्) अन्तःपुर अर्थात पत्नी आदि के निवास-स्थान में प्रवेश करे ॥ २१६ ॥

राजा सुपरीक्षित भोजन करे—

तत्रात्मभूतैः कालज्ञैरहार्यैः परिचारकैः ।
सुपरीक्षितमन्नाद्यमद्यान्मन्त्रैर्विषापहैः ॥ २१७ ॥ (१७७)

(तत्र) वहां अन्तःपुर में जाकर (आत्मभूतैः) गम्भीर प्रेम रखने वाले, विश्वासपात्र (कालज्ञैः) ऋतु स्वास्थ्य, अवस्था आदि के अनुसार भोज्य पदार्थों के खाने के समय को जानने वाले (अहार्यैः) शत्रुओं द्वारा फूट में न आने वाले (परिचारकैः) सेवकों=पाकशालाध्यक्षों, वैद्यों आदि के द्वारा (विषापहैः मन्त्रैः) विषनाशक युक्तियों या उपायों से (सुपरीक्षितम्) अच्छी प्रकार परीक्षा किये हुए (अन्नाद्यम्) भोजन को (अद्यात्) खाये ॥ २१७ ॥[1]

'भोजन सुपरीक्षित, बुद्धिबलपराक्रमवर्धक, रोगविनाशक, अनेक प्रकार के अन्न-व्यंजन-पान आदि सुगन्धित-मिष्टादि अनेक रसयुक्त उत्तम करे।" (स० प्र० षष्ठ समु०)

अनुशीलन : इस श्लोक में "कालज्ञैः" और 'विषापहैः मन्त्रैः' पदों

---

१. [प्रचलित अर्थ—वहां अन्तःपुर में अपने तुल्य, भोजन समय के ज्ञाता, किसी शत्रु आदि से फोड़कर अपने पक्ष में नहीं करने योग्य परिचारकों (पाचक आदि) से बनाये गये एवं परीक्षा किये गये अन्न आदि को विषनाशक मन्त्रों से (गारुडादि मन्त्रों को जपकर) भोजन करे ॥ २१७ ।]

पर किसी को भ्रान्ति न हो इसलिए इन पर विस्तृत प्रकाश डालना आवश्यक है। क्योंकि, आजकल ये शब्द और वाक्य अन्य अर्थों में रूढ हो गये हैं और टीकाकारों ने युक्ति-संगत अर्थ नहीं दिये हैं—

(१) **'कालज्ञ' का प्रासंगिक और मनुसम्मत अर्थ**—कालज्ञ का शब्दार्थ 'काल को जानने वाला' होता है, जो ज्योतिषी अर्थ में भी रूढ है, किन्तु यहां इसका यह अर्थ नहीं। शब्दकोशों में कालज्ञ का अर्थ—'किसी कार्य के उचित समय या अवसर को जानने वाला' भी मिलता है। संस्कृत-साहित्य में भी यह अर्थ प्रचलित है। यहां भी यही अर्थ है। फिर यहां प्रसंग भोजन का है, अतः भोजन के प्रसंग में ही उसका अर्थ बनेगा। इस प्रकार इस श्लोक में कालज्ञ का अर्थ—'स्वास्थ्य, अवस्था, ऋतु आदि के अनुसार भोज्य पदार्थों या भोजन के समय को जानने वाला' यह अर्थ है। यही उपयुक्त एवं प्रासंगिक है।

(२) **'विषापहैः मन्त्रैः' पदों के अर्थ पर विचार**—'मन्त्र' का अर्थ भी 'विचार' या 'युक्ति' एवं 'विचारात्मक उपाय' होता है। [देखिए ऋ० १। १५२। २; १। ६७। २ मन्त्रों पर ऋषि दयानन्द का भाष्य] इस प्रकार "विषापहैः मन्त्रैः" का इस श्लोक में किया गया अर्थ ही उचित एवं युक्तिसंगत है। अन्य टीकाओं का अर्थ बुद्धिगम्य एवं युक्ति-संगत नहीं है। केवल मन्त्रोच्चारण से विष दूर होना असंभव बात है।

(३) **कौटिल्य अर्थशास्त्र में राजा को भोजन-सम्बन्धी निर्देश**—मनु के समान कौटिल्य ने भी राजा को परीक्षित, सुरक्षा में निर्मित, विषादि से रहित और सुस्वादु भोजन करने का निर्देश दिया है। कौटिल्य के अनुसार राजा का भोजन एकान्त और सुरक्षित पाकशाला में तैयार होना चाहिए। वहां विष आदि की परीक्षा करने वाले वैद्य हों। वैद्यों एवं पाकशालाध्यक्ष द्वारा राजा के सामने स्वयं खाकर परीक्षित तथा अग्नि और पशु-पक्षियों के आगे डालकर परीक्षित भोजन, जलपान आदि राजा को करना चाहिए। वैद्यों को विभिन्न विषनाशक युक्तियों से भोजन की परीक्षा करनी चाहिए तथा विषमारक उपायों की तैयारी रखनी चाहिए। [प्रक० १६। अ० २०][1] कौटिल्य के इन वचनों से भी इस व्याख्या के किये अर्थों की पुष्टि होती है।

विषघ्नैरगदैश्चास्य सर्वद्रव्याणि योजयेत्।
विषघ्नानि च रत्नानि नियतो धारयेत्सदा॥ २१८॥

(च) और (अस्य) इस राजा के (सर्वद्रव्याणि) उपयोग में लाये जाने वाले सब पदार्थों में (विषघ्नैः अगदैः) विषनाशक औषधियां (योजयेत्) डाले (च) और राजा

---

१. "तस्मादस्य जाङ्गुलीविदो भिषजश्चात्तारः स्युः। भिषक् भैषज्यागारादास्वादविशुद्धमौषधं गृहीत्वा पाचकपोदकाभ्यामात्मना च प्रतिसृज्याग्नये राज्ञे प्रयच्छेत्। पानं पानीयं चौषधेन व्याख्यातम्।"

"गुप्ते देशे महानसिकः सर्वमास्वादबाहुल्येन कर्म कारयेत्। तद्राजा तथैव प्रति भुञ्जीत, पूर्वमग्नये वयोभ्यश्च बलिं कृत्वा।" [प्रक० १६। अ० २०]

(नियतः) आवश्यक रूप से (विषघ्नानि) विषों को नष्ट करने वाली (रत्नानि) मणियां या रत्न औषधियां (सदा धारयेत्) सदा धारण करे ॥ २१८ ॥

परीक्षिताः स्त्रियश्चैनं व्यजनोदकधूपनैः ।
वेषाभरणसंशुद्धाः सुसमाहिताः ॥ २१९ ॥

(च) और (वेष+आभरण-संशुद्धाः) वेशभूषा और आभूषणों से स्वच्छ (सुसमाहिताः) सावधानी रखने वाली (परीक्षिताः) परीक्षा ली हुई (स्त्रियः) स्त्रियां (एनम्) इस राजा की (व्यजन-उदक-धूपनैः) चंवर, जल और धूप आदि से (सुश्रूषेयुः) सेवा करें ॥ २१९ ॥

अनुशीलन : २१८—२१९ श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—(१) २१६–२१७ में राजा के परीक्षित भोजन की चर्चा है, फिर २२० में उसी प्रकार परीक्षित यान-आसन आदि के प्रयोग का कथन है। इस प्रकार २१६–२१७ और २२० की परस्पर प्रसंग सम्बद्धता है। इनके बीच रत्नधारण, स्त्रियों द्वारा सेवा, आदि का प्रसंग उस पूर्वापर सम्बद्धता को भंग कर रहा है। (२) २२० वें श्लोक में पठित 'एवम्' पद स्वतः ही इसकी प्रसंगसम्बद्धता २१७ से सिद्ध कर रहा है। जैसे भोजन आदि में परीक्षा, सुरक्षा, विश्वसनीयता आदि बातों की सावधानी बरते, ऐसे ही यान-आसन आदि में भी बरते। इस प्रकार २१७ से २२० की वाक्यात्मक एकता है। उसे इन श्लोकों ने भंग कर दिया है, अतः ये प्रसंगविरुद्ध प्रक्षेप हैं।

२. **अन्तर्विरोध**—(१) २१७ वें श्लोक में राजा को स्पष्टतः पुरुषसेवक रखने का कथन है, स्त्रीसेवकों का कथन नहीं। २१९ में स्त्रियों को सेवक रूप में रखने के वर्णन का, उसके साथ तालमेल नहीं है। (२) राजा के लिए प्रत्येक प्रकार की स्त्रियों का संग-सेवन [स्वस्त्री को छोड़कर] मनु ने निषिद्ध किया है [७। ४७, ५०, ७७,]। यह श्लोक उनके भी विरुद्ध है। (३) मनु ने द्वितीय से चतुर्थ अध्याय तक जो वेषभूषा तथा वस्त्रधारण आदि की व्यवस्थाएं दी हैं [२। ११, ३८-३९ ॥ ४। ३५ आदि] उनमें केवल यज्ञोपवीत ही सदाधार्य बतलाया है। यदि रत्न आदि धारणीय होते तो वहां उनका भी उल्लेख होता। यहां रत्न आदि धारण का कथन मनु की पूर्वोक्त व्यवस्थाओं से तालमेल नहीं खाता। वैसे भी रत्नधारण करने से उदरस्थ विष की निवृत्ति बुद्धिगम्य और युक्तिसंगत नहीं है। इस प्रकार २१८ वां श्लोक भी प्रक्षिप्त है।

खाद्य पदार्थों के समान अन्य प्रयोज्य साधनों में सावधानी—

एवं प्रयत्नं कुर्वीत यानशय्यासनाशने ।
स्नाने प्रसाधने चैव सर्वालंकारकेषु च ॥ २२० ॥ (१७८)

राजा (यान-शय्या-आसन-अशने) सवारी, सोने के साधन पलंग

आदि, आसन, भोजन (स्नाने च प्रसाधने) स्नान और शृंगार प्रसाधन उबटन आदि (च) और (सर्व+अलंकारकेषु) सब राजचिह्न जैसे अलंकार आदि साधनों में भी (एवं प्रयत्नं कुर्वीत) इसी प्रकार योग्य सेवकों द्वारा परीक्षा कराने की सावधानी बरते [जैसे २१७ श्लोक में उक्त भोजन में बरतने को कहा है] ॥ २२० ॥

अनुशीलन : **कौटिल्य द्वारा यान आदि के प्रयोग में सावधानी का निर्देश**—यतोहि राजा के विरुद्ध शत्रुओं द्वारा प्रतिपल षड्यन्त्र रचे जाते हैं, अतः राजा को प्रत्येक कार्य में सुरक्षार्थ सावधानी रखने का निर्देश है। कौटिल्य ने इस निर्देश को और विस्तारपूर्वक वर्णित किया है। उनके अनुसार दाढ़ी-मूंछ के उपयोग में आने वाले साधनों, वस्त्रों, राज-अलंकरणों, माल्यार्पण, स्नान, यान, आसन, पशु-वाहन आदि प्रत्येक की पहले विश्वसनीय सेवकों द्वारा राजा के सामने परीक्षा होनी चाहिए। कहीं उनमें विषप्रयोग या धोखा न हो। तत्पश्चात् राजा के प्रयोग में लाने चाहिएं।[1]

भोजन के बाद विश्राम और राज्यकार्यों का चिन्तन—

भुक्तवान्विहरेच्चैव स्त्रीभिरन्तःपुरे सह।
विहृत्य तु यथाकालं पुनः कार्याणि चिन्तयेत् ॥ २२१ ॥ (१७६)

(च) और [२१६-२१७ में कहे अनुसार] (भुक्तवान्) भोजन करके (अन्तःपुरे) अन्तःपुर = रनिवास में (स्त्रीभिः सह) पत्नी आदि पारिवारिक जन के साथ (विहरेत्) आमोद-प्रमोद या विश्राम करे (तु) और (विहृत्य) विश्राम करके (पुनः) तदनन्तर (यथाकालम्) यथासमय (कार्याणि चिन्तयेत्) कार्यों अर्थात् मुकद्दमों [८। १–८ में वर्णित] तथा ७। ५४–२१५ में वर्णित राज्यकार्यों पर विचार करे ॥ २२१ ॥[2]

अनुशीलन : **'स्त्रीभिः' पद से अभिप्राय**—इस श्लोक में 'स्त्रीभिः' शब्द का अर्थ प्रचलित टीकाओं में 'बहुपत्नियां या रानियां' किया है, जो मनुविरुद्ध है। यहां इस श्लोक में इसका अर्थ 'पत्नी आदि पारिवारिक स्त्रियां' या पारिवारिक जन है। इस की पुष्टि में निम्न प्रमाण दिये जाते हैं—

(१) मनु ने द्विजों के लिए और राजा के लिए स्पष्टतः एक पत्नी का विधान

---

१. "कल्पकप्रसाधकाः स्नानशुद्धवस्त्रहस्ताः समुद्रमुपकरणमन्तर्वंशिकहस्तादादाय परिवरेयुः। आत्मचक्षुषि निवेश्य वस्त्रमाल्यं दद्युः, स्नानानुलेपनप्रधर्षचूर्णवासस्नानीयानि स्ववक्षो बाहुषु च। एतेन परस्मादागतकं व्याख्यातम्।...मौलपुरुषाधिष्ठितं यानवाहनमारोहेत् नावं चाप्तनाविकाधिष्ठिताम्॥" [प्रक० १६। अ० २०]

२. [प्रचलित अर्थ—भोजन कर राजा रनिवास में रानियों के साथ विहार (क्रीड़ा आदि) करे तथा यथासमय फिर राजकार्यों का चिन्तन करे॥ २२१॥]

किया है—**उद्वहेतद्विजो भार्यां सवर्णां लक्षणान्विताम्**" [३। ४]। **तदध्यास्य उद्वहेद् भार्यां सवर्णां लक्षणान्विताम्** [७। ७७] और अन्यत्र यह आदेश दिया है कि पति-पत्नी कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे जीवन भर वियोग का अवसर आये [९। १०१, १०२]। इससे सिद्ध है कि मनु के मत में एक से अधिक स्त्रियों का विधान नहीं है।

(२) मनु ने एक से अधिक अर्थात् बहुत स्त्रियों का सेवन राजा के लिए स्पष्टतः निषिद्ध किया है। ७। ४७, ५० श्लोक द्रष्टव्य हैं।

(३) महर्षि दयानन्द ने भी इस श्लोक का भाव ग्रहण करते हुए सत्यार्थ प्रकाश में उपर्युक्त अर्थ ही ग्रहण किया है—"भोजन के लिए अन्तःपुर अर्थात् पत्नी आदि के निवास स्थान में प्रवेश करे (पृ० १६५)

इन प्रमाणों के आधार पर इस भाष्य का अर्थ मनुसम्मत है।

सैनिकों एवं शस्त्रादि का निरीक्षण—

अलंकृतश्च सम्पश्येदायुधीयं पुनर्जनम्।
वाहनानि च सर्वाणि शस्त्राण्याभरणानि च॥ २२२॥ (१८०)

(च) और (पुनः) फिर (अलंकृतः) कवच, **शस्त्रास्त्रों** [७। २२३ में भी] एवं राजचिह्नों, राजवेशभूषा आदि से सुसज्जित होकर (आयुधीयं) जनम्) शस्त्रधारी सैनिकों (च) और (वाहनानि) रथ, हाथी, घोड़े आदि वाहनों (सर्वाणि शस्त्राणि) सब प्रकार के शस्त्रास्त्रों—शस्त्रभण्डारों (च) और (आभरणानि) आभूषणों [धातुएं, रत्न आदि] और सुरक्षा-संभाल आदि का (संपश्येत्) निरीक्षण करे॥ २२२॥

अनुशीलन : महर्षि दयानन्द ने ७। १४५, १४६, २१६, २२१ और २२२ श्लोकों का संक्षेप में भाव ग्रहण किया है, जो इस प्रकार है—

"पूर्वोक्त प्रातःकाल समय उठ, शौचादि सन्ध्योपासन, अग्निहोत्र कर व करा, सभा में जा, सब भृत्य और सेनाध्यक्षों के साथ मिल उनको हर्षित कर नाना प्रकार की व्यूहशिक्षा अर्थात् कवायद कर-करा, सब घोड़े, हाथी, गाय आदि स्थान; शस्त्र और अस्त्र का कोश तथा वैद्यालय, धन के कोशों को देख सब पर दृष्टि नित्य-प्रति देकर जो कुछ उनमें खोट हों उनको निकाल, व्यायामशाला में जा व्यायाम करके भोजन के लिए 'अन्तःपुर' अर्थात् पत्नी आदि के निवास-स्थान में प्रवेश करे।"

(स० प्र० १६५)

संध्योपासना तथा गुप्तचरों और प्रतिनिधियों के सन्देशों को सुनना—

संध्यां चोपास्य शृणुयादन्तर्वेश्मनि शस्त्रभृत्।
रहस्याख्यायिनां चैव प्रणिधीनां च चेष्टितम्॥ २२३॥(१८१)

(च) और फिर (संध्याम् उपास्य) सायंकालीन संध्योपासना करके

(शस्त्रभृत्) शस्त्रास्त्र धारण किया हुआ राजा (अन्तर्वेश्मनि) महल के भीतर गुप्तचर गृह में (रहस्य+आख्यायिनाम्) राज्य के रहस्यमय समाचारों को लाने में नियुक्त गुप्तचरों (च) और (प्रणिधीनाम्) दूतों और गुप्तचराधिकारियों के (चेष्टितम्) कार्यों एवं समाचारों को (शृणुयात्) सुने ॥ २२३ ॥

अनुशीलन : यहां ७। १५३ की पुनरुक्ति नहीं है। वहां इन बातों की योजना पर मन्त्रणा का प्रसंग है। यहाँ योजनाबद्धरूप से नियुक्त अधिकारियों-गुप्तचरों की सूचनाएँ (रिपोर्टें) सुनने का कथन तथा राजा की सायंकालीन दिनचर्या है।

गुप्तचरों को समझाकर सायंकालीन भोजन के लिए अन्तःपुर में जाना—

गत्वा कक्षान्तरं त्वन्यत्समनुज्ञाप्य तं जनम्।
प्रविशेद्भोजनार्थं च स्त्रीवृतोऽन्तःपुरं पुनः ॥ २२४ ॥(१८२)

(तु) और फिर (तं जनम्) उन सब लोगों को (अन्यत् सम्+अनुज्ञाप्य) और आगे के लिए जो कुछ समझना-कहना है उस सबका आदेश देकर (पुनः) फिर (अन्तःपुरं गत्वा) अन्तःपुर में जाकर वहां (स्त्रीवृतः) स्त्री के साथ या द्वितीयार्थ में अंगरक्षिका स्त्रियों से सुरक्षित (कक्षान्तरं भोजनार्थं प्रविशेत्) भोजनशाला के कमरे में भोजन करने के लिए प्रवेश करे ॥२२४॥[1]

अनुशीलन : (१) 'स्त्रीवृतः' का मनुसम्मत अर्थ—प्रचलित टीकाओं में 'स्त्रीवृतः' का अर्थ 'दासियों से घिरा' किया गया है जो मनुविरुद्ध है—(१) मनु ने राजधर्म में कहीं भी राजा के लिए दासियों का विधान नहीं किया है। (२) पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों का संग निषिद्ध किया है [द्रष्टव्य ७। २२१ की समीक्षा], (३) ७। २०८, २२१ में भी इसी का प्रसंग है। वहां स्त्री का अर्थ पत्नी है। वह इस भाष्य के अर्थ का पोषक है।

यदि 'स्त्रीवृतः' का अर्थ अंगरक्षिका स्त्री-सैनिकों या अंगरक्षिका परिचारिकाओं से सुरक्षित' किया जाये, जैसा कि कौटिल्य का भी मत है; तो मनु से विरोध नहीं आता। किन्तु दासी अर्थ मनुसम्मत नहीं है।

(२) 'स्त्रीवृतः' की कौटिल्य के दृष्टिकोण से व्याख्या—आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राजा को आत्मरक्षा के लिए जो निर्देश दिये हैं, उनमें से इस श्लोक के सन्दर्भ में दो बातें उल्लेखनीय हैं। (१) कौटिल्य ने अनेक उदाहरण देकर बतलाया

---

१. [प्रचलित अर्थ—इसके बाद उन्हें विदाकर परिचारिकाओं (दासियों) से परिवृत होकर भोजन के लिए फिर अन्तःपुर में प्रवेश करे ॥ २२४ ॥]

है कि रानियों ने षड्यन्त्र की शिकार होकर बहुत-से राजाओं को मार डाला। अतः अपनी रानी के महल में भी राजा को एकाकी नहीं जाना चाहिए। साथ में प्रौढ़ अंगरक्षिका स्त्रियां होनी चाहिएँ। (२) **कौटिल्य** ने राजा को अन्तःकक्ष के समीप वाले दूसरे कक्षों में धनुर्धारी अंगरक्षिकाओं को रखने का विधान किया है। उसके बाद के कक्षों में पुरुष रक्षकों को रखने का निर्देश है। यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से है। इस प्रकार कौटिल्य के वर्णन के अनुसार 'स्त्रीवृतः' का अर्थ 'अंगरक्षिका शस्त्रधारी स्त्रियों से सुरक्षित' भी हो सकता है।[1]

रात्रिशयनकाल—

तत्र भुक्त्वा पुनः किंचित्तूर्यघोषैः प्रहर्षितः।
संविशेत्तु यथाकालमुत्तिष्ठेच्च गतक्लमः॥ २२५॥ (१८३)

(तत्र) वहां (भुक्त्वा) भोजन करके (पुनः) उसके पश्चात् (तूर्यघोषैः) प्रहर्षितः) शहनाई-तुरही आदि बाजों के संगीत से मन को प्रसन्न करके (संविशेत्) सो जाये (तु) और (गतक्लमः) विश्राम करके श्रान्तिरहित होकर (यथा-कालम् उत्तिष्ठेत्) **निश्चित** समय अर्थात् रात्रि के पिछले पहर ब्राह्म-मुहूर्त्त में [७। १४५] उठे॥ २२५॥

एतद्विधानमातिष्ठेदरोगः पृथिवीपतिः।
अस्वस्थः सर्वमेतत्तु भृत्येषु विनियोजयेत्॥ २२६॥ (१८४)

(अरोगः) स्वस्थ अवस्था में (पृथिवीपतिः) राजा (एतत् विधानम् +आतिष्ठेत्) इस पूर्वोक्त विधि से कार्यों को करे (अस्वस्थः) अस्वस्थ हो जाने पर (एतत् सर्वं तु) यह सब कार्यभार (भृत्येषु) पृथक्-पृथक् विभागों में नियुक्त प्रमुख मन्त्री आदि [७। ५४, १२०, १४१, ८।९-११] को (विनियोजयेत्) सौंप देवे॥ २२६॥

अनुशीलन : (१) **श्लोकवर्णन पर विचार**—यहां ७। १४१ आदि श्लोकों की पुनरुक्ति नहीं है। इस श्लोक का अभिप्राय यह है कि रुग्णावस्था आदि की स्थिति में अपने-अपने विभाग के प्रमुख अमात्यों या सभाओं के अधिकृत प्रमुखों को अपना कार्य निरीक्षण के लिए सौंप देवे, केवल एक को ही नहीं। यह राजा की संक्षेप में दिनचर्या या कार्यपद्धति है। पृथक्-पृथक् विभागों के प्रसंगानुसार यही पद्धति ७। ५४, ८१, १२०, १४१॥ ८। ९-११ श्लोकों में कही है। उस का इस श्लोक में उपसंहार है।

---

१. "अन्तर्गृहगतः स्थविरस्त्रीपरिशुद्धां देवीं पश्येत्। न काञ्चिदभिगच्छेत्।" [प्रक० १५। अ० १९] "शयनादुत्थितः स्त्रीगणैर्धर्मज्ञाभिः परिगृह्येत।" [प्रक० १६। अ० २०]

(२) **भृत्य शब्द के अर्थ पर विचार**--भृत्य शब्द का आजकल अधिक प्रचलित अर्थ 'नौकर' है। यह एक पक्ष में रूढ हो गया है। इस श्लोक में भृत्य से नौकर अर्थ की भ्रान्ति नहीं होनी चाहिए। यहां भृत्य से अभिप्राय उन सभी अधिकारियों-कर्मचारियों से है जो राजा के आश्रित मन्त्री से लेकर कर्मचारी तक हैं। भृत्य का अर्थ 'अमात्य' और 'मन्त्री' अर्थ भी है और संस्कृत-साहित्य में प्रचलित है। ७।३६-६२ श्लोकों के प्रसंग में भृत्य शब्द के अन्तर्गत मन्त्रियों, अमात्यों से लेकर निम्न कर्मचारी तक परिगणित हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी भृत्य और अमात्यों से लेकर कर्मचारी वर्ग एवं आचार्य और पुरोहित तक गृहीत हैं। [देखिए' 'भृत्यभरणीय' नामक ६१ वां प्रकरण।]

इति महर्षि-मनुप्रोक्तायां सुरेन्द्रकुमारकृतहिन्दीभाषाभाष्यसमन्वितायाम्
अनुशीलन-समीक्षाविभूषितायाञ्च मनुस्मृतौ राजधर्मात्मकः
सप्तमोऽध्यायः ॥

अथ अष्टमोऽध्यायः

[हिन्दीभाष्य-अनुशीलनसमीक्षाभ्यां सहितः]

(राजधर्मान्तर्गत व्यवहार-निर्णय)

[८।१ से ९।२५० पर्यन्त]

व्यवहारों अर्थात् मुकद्दमों के निर्णय के लिए राजा का न्यायसभा में प्रवेश —

व्यवहारान्दिदृक्षुस्तु ब्राह्मणैः सह पार्थिवः।
मन्त्रज्ञैर्मन्त्रिभिश्चैव विनीतः प्रविशेत्सभाम् ॥ १ ॥ (१)

(व्यवहारान्) व्यवहारों अर्थात् मुकद्दमों [८।४-७] को (दिदृक्षुः तु) देखने अर्थात् निर्णय करने का इच्छुक (पार्थिवः) राजा (ब्राह्मणैः) न्याय-ज्ञाता विद्वानों [८।११] (मन्त्रज्ञैः) सलाहकारों (च) और (मन्त्रिभिः) मन्त्रियों के (सह) साथ (विनीतः) विनीतभाव एवं वेश से [८।२] (सभां प्रविशेत्) राजसभा =न्यायालय [८।१२] में प्रवेश करे ॥ १ ॥

अनुशीलन : (१) **मन्त्रज्ञ और ब्राह्मण का विशेष अभिप्राय**—इस श्लोक में 'मन्त्रज्ञैः' से अभिप्राय मुकद्दमों में उस-उस विषय के सलाहकारों से है। 'मन्त्रिभिः' से अभिप्राय उस-उस विभाग के प्रमुख मन्त्रियों से या अमात्यों से है जो राजा द्वारा न्याय के लिए अधिकृत विद्वान् के रूप में नियुक्त किये जाते हैं [७।५४, ६०, ८।११]। 'ब्राह्मण' शब्द से यहां अभिप्राय वेदविद्या के ज्ञाता न्यायाधीश, श्रोत्रिय विद्वानों से है, जिनका वर्णन ब्रह्मसभा अर्थात् न्यायाधीश विद्वानों की सभा के रूप में ८।११ में आया है। ब्राह्मण से यहां यह भ्रान्ति नहीं होनी चाहिए कि वह ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति ही होना चाहिए। वेदों के प्रत्येक विद्वान् के लिए ब्राह्मण, विप्र आदि शब्दों का प्रयोग आता है [द्रष्टव्य ८।११ और १।८८ पर समीक्षा]। ब्राह्मण शब्द का प्रयोग यहां विशेषाभिप्राय से है। वह अभिप्राय यह है कि न्यायाधीश ब्रह्म अर्थात् वेदों के विशेषवेत्ता और धार्मिक गुणप्रधान विद्वान् अवश्य होने चाहिएं, इसीलिए ८।११ में 'वेदविदः' का प्रयोग किया है।

(२) **विनीत होने का उद्देश्य**—राजा को विनीत भाव एवं वेशभूषा से न्याया-लय में जाने के कथन का उद्देश्य यह है कि साक्षी आदि उसके कठोर भावों को देखकर

भयभीत न हों और बिना घबराहट के स्वाभाविक रूप से अपनी बात कह सकें। अगले ही श्लोक में इसी उद्देश्य से 'विनीत वेषाभरणः' पद का भी प्रयोग किया गया है।

(३) वेदमन्त्र में भी इसी प्रकार का वर्णन है। मनु ने उसी के अनुरूप व्यवस्था दी है—

श्रुधि श्रुत्कर्ण वह्निभिः, देवैरग्ने सयावभिः।
आ सीदन्तु बर्हिषि मित्रोऽअर्य्यमा प्रातर्यावाणोऽध्वरम् ॥

यजु० ३३। १५ ॥

भावार्थ—(श्रुत्कर्ण) प्रार्थी के वचन को सुनने वाले कानों से युक्त (अग्ने) अग्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वान् वा राजन्! (सयावभिः) साथ चलने वाले, (वह्निभिः) कार्य के निर्वाहक (देवैः) विद्वानों के साथ (अध्वरम्) हिंसारहित राज्यव्यवहार को [ऐसा मुकद्दमा जिसमें किसी के साथ अन्याय न हो] (श्रुधि) सुन। (प्रातर्यावाणः) प्रातः राजकार्यों को प्राप्त कराने वाले, (मित्रः) पक्षपात से रहित सबका मित्र और (अर्यमा) अर्य=वैश्य वा स्वामी जनों का मान करने वाला न्यायाधीश (बर्हिषि) आकाश के तुल्य विशाल सभा में (आसीदन्तु) विराजमान हों।

भावार्थ—सभापति राजा, सुपरीक्षित अमात्यजनों को स्वीकार करके, उनके साथ सभा में बैठकर, विवाद करने वालों के वचनों को सुनकर, यथार्थ न्याय करे।

(महर्षि-दयानन्दभाष्य)

न्यायसभा में मुकद्दमों को देखें—

तत्रासीनः स्थितो वाऽपि पाणिमुद्यम्य दक्षिणम्।
विनीतवेषाभरणः पश्येत्कार्याणि कार्यिणाम् ॥ २ ॥ (२)

(तत्र) वहां न्यायालय में (विनीत-वेष+आभरणः) विनीतावेशभूषा-आभूषणों से युक्त होकर (आसीनः अपि वा स्थितः) सुविधानुसार बैठकर अथवा खड़ा होकर (दक्षिणं पाणिम्+उद्यम्य) दाहिने हाथ को उठाकर (कार्यिणाम्) मुकद्दमे वालों के (कार्याणि) कार्यों=विवादों को (पश्येत्) देखे=निर्णय करे [७। १४६ में राजसभा में भी इसी प्रकार सुविधानुसार खड़े या बैठने की व्यवस्था का कथन है] ॥ २ ॥

अनुशीलन : मुहावरे पर विचार—इस श्लोक में 'दक्षिणं पाणिम् उद्यम्य' का एक मुहावरे के रूप में प्रयोग है। यह क्रिया 'अपनी बात कहना' या 'निर्णय देना' प्रारम्भ करने की 'प्रतीक' है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि जब तक निर्णय दे तब तक दायां हाथ उठाये रखे, अपितु यह है कि विवाद करते हुए लोगों को सुनकर अपनी बात या निर्णय कहते समय दायां हाथ उठाकर संकेत करे। जो सामने वाले लोगों के लिए इस बात का प्रतीक या संकेत होता है कि राजा या न्यायाधीश अब

अपनी बात कहना चाहते हैं। यह परम्परा आज भी प्रचलित है। बड़ी-बड़ी सभाओं में, श्रेणियों में, भीड़भरे न्यायालयों में बोलते हुए लोगों को चुप करने और अपनी बात कहने के लिए वक्ता हाथ उठाकर संकेत करता है। लोग चुप होकर उसकी बात को सुनने के लिए ध्यान लगाते हैं।

अठारह प्रकार के मुकद्दमे—

प्रत्यहं देशदृष्टैश्च शास्त्रदृष्टैश्च हेतुभिः।
अष्टादशसु मार्गेषु निबद्धानि पृथक्पृथक्॥ ३॥ (३)

सभा, राजा और राजपुरुष सब लोग (देशदृष्टैः च शास्त्रदृष्टैः च हेतुभिः) देशाचार और शास्त्रव्यवहार के हेतुओं से (अष्टादशसु मार्गेषु) निम्नलिखित अठारह [८।४–७] विवादास्पद मार्गों में❀ विवादयुक्त कर्मों का निर्णय (प्रति+अहम्) प्रतिदिन❀❀ किया करें।

और जो-जो नियम शास्त्रोक्त न पावें और उनके होने की आवश्यकता जानें, तो उत्तमोत्तम नियम बांधे कि जिससे राजा और प्रजा की उन्नति हो॥ ३॥ (स० प्र० १६६)

❀ (निबद्धानि) बांधे अर्थात् नियत किये गये.....

❀❀ (पृथक्-पृथक्) अलग-अलग.....

स० प्र० १७६ पर स्वामी जी ने पुनः श्लोक की प्रथम पंक्ति उद्धृत करके लिखा है—"जो नियम राजा और प्रजा के सुखकारक और धर्मयुक्त समझें, उन-उन नियमों को पूर्णविद्वानों की राज-सभा बांधा करे"।

अनुशीलन : 'पृथक्-पृथक्' पदों से यहां यह अभिप्राय है कि राजा—जो अठारह प्रकार के विवाद हैं उनमें पृथक्-पृथक् विवाद से सम्बन्धित विद्वानों, सलाहकारों और मन्त्रियों के साथ मिलकर, विचार करके निर्णय करे।

तेषामाद्यमृणादानं निक्षेपोऽस्वामिविक्रयः।
संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकर्म च॥ ४॥ (४)
वेतनस्यैव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः।
क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः॥ ५॥ (५)
सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दण्डवाचिके।
स्तेयं च साहसं चैव स्त्रीसंग्रहणमेव च॥ ६॥ (६)
स्त्रीपुंधर्मो विभागश्च द्यूतमाह्वय एव च।
पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्थितौ विदुः॥ ७॥ (७)

अठारह मार्ग ये हैं—(तेषाम्) उनमें १—(ऋणादानम्) किसी से

ऋण लेने-देने का विवाद [८। ४७-१७८], २—(निक्षेप) धरोहर अर्थात् किसी ने किसी के पास पदार्थ धरा हो और मांगे पर न देना [८।१७९-१९६], ३—(अस्वामिविक्रयः) दूसरे के पदार्थ को दूसरा बेच लेवे [८।१९७-२०५], ४—(संभूय च समुत्थानम्) मिल-मिलाके किसी पर अत्याचार करना [=व्यापार में अन्याय करना] [८। २०६-२११], ५—(दत्तस्य अनपकर्म च) दिये हुए पदार्थ को न देना [८। २१२-२१३], ६—(वेतनस्य+एव च+अदानम्) वेतन अर्थात् किसी की 'नौकरी' में से ले लेना या कम देना [८। २१४-२१७], ७—(संविदः च व्यतिक्रमः) प्रतिज्ञा से विरुद्ध बर्तना [८। २१८-२२१], ८—(क्रय-विक्रय+अनुशयः) क्रय-विक्रयानुशय अर्थात् लेन-देन में झगड़ा होना [८। २२२-२२८], ९—(स्वामि-पालयोः विवादः) पशु के स्वामी और पालने वाले का झगड़ा [८।२२९-२४४], १०—(सीमा-विवादधर्मः च) सीमा का विवाद [८। २४५-२६५], ११-१२—(पारुष्ये दण्ड-वाचिके) किसी को कठोर दण्ड देना [८। २७८-३००], कठोरवाणी का बोलना [८। २६६-२७७], १३—(स्तेयम्) चोरी-डाका मारना [८। ३०१-३४३], १४—(साहसम् एव) किसी काम को बलात्कार से करना [८। ३४४-३५१], १५—(स्त्रीसंग्रहणम् एव च) किसी की स्त्री वा पुरुष का व्यभिचार होना [८। ३५२-३८७], १६—(स्त्री-पुम्+धर्मः] स्त्री और पुरुष के धर्म में व्यतिक्रम होना [९। १-१०२], १७—(विभागः) विभाग अर्थात् दायभाग में वाद उठाना [९। १०३-२१९], १८—(द्यूतम्+आह्वयः+एव च) द्यूत अर्थात् जड़पदार्थ और [आह्वय]=समाह्वय अर्थात् चेतन को दाव में धरके जूआ खेलना [९। २२०-२५०], (अष्टादश+एतानि) ये अठारह प्रकार के (व्यवहारस्थितौ पदानि) परस्परविरुद्ध व्यवहार के स्थान हैं ॥ ४—७ ॥ (स० प्र० १६६)

एषु स्थानेषु भूयिष्ठं विवादं चरतां नृणाम्।
धर्मं शाश्वतमाश्रित्य कुर्यात्कार्यविनिर्णयम् ॥ ८ ॥ (८)

(एषु स्थानेषु) इन [८। ४—७] व्यवहारों में (भूयिष्ठं विवादं चरतां नृणाम्) बहुत से विवाद करने वाले पुरुषों के (कार्यविनिर्णयम्) न्याय को (शाश्वतं धर्मम् आश्रित्य) सनातन-धर्म का आश्रय करके (कुर्यात्) किया करे अर्थात् किसी का पक्षपात कभी न करे ॥ ८ ॥ (स० प्र० १६६)

राजा के अभाव में मुकद्दमों के निर्णय के लिए मुख्य न्यायाधीश विद्वान् की नियुक्ति—

यदा स्वयं न कुर्यात् नृपतिः कार्यदर्शनम्।
तदा नियुञ्ज्याद्विद्वांसं ब्राह्मणं कार्यदर्शने ॥ ९ ॥ (९)

(यदा) जब कभी [किसी विशेष कारण अथवा कार्य की अधिकता के कारण] (नृपतिः) राजा (स्वयं कार्यदर्शनम्) खुद मुकद्दमों का निरीक्षण एवं निर्णय (न कुर्यात्) न करे (तदा) तब (ब्राह्मणम् विद्वांसम्) धार्मिक वेदवेत्ता विद्वान् [८। ११] को (कार्यदर्शने) मुकद्दमों के निरीक्षण एवं निर्णय के लिए (नियुञ्ज्यात्) नियुक्त कर दे ॥ ९ ॥[1]

"धार्मिक विद्वानों को धर्मसभा-अधिकारी.....मान के सब प्रकार से उन्नति करें।" (स० प्र० षष्ठ समु०)

अनुशीलन : ब्राह्मण का अर्थ 'धार्मिक वेदवेत्ता न्यायाधीश' है। देखिए अगले श्लोक पर अनुशीलन।

मुख्य न्यायाधीश तीन विद्वानों के साथ मिलकर न्याय करे—

सोऽस्य कार्याणि संपश्येत्सभ्यैरेव त्रिभिर्वृतः।
सभामेव प्रविश्याग्र्यामासीनः स्थित एव वा ॥ १० ॥ (१०)

(सः) वह (त्रिभिः सभ्यैः वृतः) तीन अन्य सभा के सदस्यों [८।११] के साथ (सभां प्रविश्य) न्यायालय में जाकर (आसीनः वा स्थितः एव) बैठकर अथवा खड़ा होकर (अस्य) राजा के (कार्याणि) कामों को (संपश्येत्) भली प्रकार देखे ॥ १० ॥

अनुशीलन : न्यायप्रसंग में ब्राह्मण और ब्रह्मसभा से अभिप्राय—अग्रिम ८। ११ श्लोक में ब्रह्मसभा की परिभाषा की है। परिभाषा से पूर्व ९-१० श्लोकों में न्यायसभा के निर्माण का कथन है। इन श्लोकों में वर्णित विद्वानों से ८। ११ में वर्णित ब्रह्मसभा बनती है। ब्रह्मसभा का अर्थ—'वेदवेत्ता न्यायाधीश विद्वानों की सभा'। इसी प्रकार ९वें श्लोक में 'ब्राह्मण' शब्द का प्रयोग ब्राह्मण वर्ण के लिए नहीं है, अपितु इस विशेष अभिप्राय से है कि राजा द्वारा अधिकृत जो विद्वान् न्यायाधीश नियुक्त किया जाये वह विशेष रूप से सब वेदों का विद्वान् और धार्मिकगुण-प्रधान होना चाहिए। वेदवेत्ता न्यायाधीश विद्वानों की सभा होने के कारण ही ८। ११ में न्यायसभा को 'ब्रह्मसभा' कहा गया है। वहां स्पष्टतः 'वेदविदः' विशेषण भी उक्त अर्थ को पुष्ट करता है। इस प्रसंग में ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण वर्ण के लिए नहीं अपितु वेदवेत्ता न्यायाधीश विद्वानों के लिए है।

यहां यह शंका उठ सकती है कि ७। १४१ में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग न करके 'अमात्यप्रमुख' को अपने बाद कार्य सौंपने का वर्णन है। इसका उत्तर यह है कि वहां

---

१. [प्रचलित अर्थ—यदि राजा स्वयं विवादों (मुकद्दमों) का न्याय (फैसला) न करे तो उस कार्य को देखने के लिए विद्वान् ब्राह्मण को नियुक्त करे ॥ ९ ॥]

राजसभा संचालन के लिए सर्वप्रमुख मन्त्री को कार्य सौंपने का विधान है, और वह भी केवल रुग्णावस्था में। यहां ब्रह्मसभा अर्थात् न्यायसभा के लिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रसंग है। राजसभा के लिए प्रशासनिक गुणविशेषों वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी होता है, और न्याय के लिए न्यायगुणों की विशेष योग्यता वाला व्यक्ति। अतः उस श्लोक और इसका प्रसंग ही अलग है। दूसरी बात यह है कि यहां रुग्णावस्था में नियुक्ति का विधान नहीं है, अपितु अकेला राजा प्रत्येक कार्य नहीं कर सकता, समयाभाव आदि कारणों से अपने स्थान पर वह किसी भी अधिकृत विद्वान् को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करे—यहां यह अभिप्राय है। जितनी न्यायसभा होंगी, उसके अनुसार वे अनेक भी हो सकते हैं। [इस विषय पर १। ८८, ८। १ की समीक्षा—२ भी द्रष्टव्य है]। मनुस्मृति में सभी वर्ण के वेदवेत्ता विद्वानों के लिए ब्राह्मण, द्विज, विप्र आदि शब्दों का पर्यायवाची रूप में प्रयोग हुआ है [द्रष्टव्य ४। २४५ पर समीक्षा]।

ब्रह्मसभा (न्यायसभा) की परिभाषा—

यस्मिन्देशे निषीदन्ति विप्रा वेदविदस्त्रयः।
राज्ञश्चाधिकृतो विद्वान्ब्रह्मणस्तां सभां विदुः॥ ११॥ (११)

(यस्मिन्) जिस (देशे) स्थान में (वेदविदः) वेदों के ज्ञाता (त्रयः विप्राः) तीन विद्वान् (निषीदन्ति) बैठते हैं (च) और (राज्ञः अधिकृतः विद्वान्) एक राजा द्वारा नियुक्त उस विषय का वेदवेत्ता विद्वान् बैठता है (तां ब्रह्मणः सभां विदुः) उस सभा को 'ब्रह्मसभा' अर्थात् न्यायसभा कहते हैं॥ ११॥

मुकद्दमों के निर्णय में धर्म की रक्षा की प्रेरणा—

धर्मो विद्धस्त्वधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते।
शल्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः॥ १२॥ (१२)

(यत्र) जिस सभा में (अधर्मेण विद्धः धर्मः) अधर्म से घायल होकर धर्म (उपतिष्ठते) उपस्थित होता है (च अस्य शल्यं न कृन्तन्ति) जो उसका शल्य अर्थात् तीरवत् धर्म के कलंक को निकालना और अधर्म का छेदन नहीं करते अर्थात् धर्मी को मान, अधर्मी को दण्ड नहीं मिलता (तत्र) उस सभा में (सभासदः विद्धाः) जितने सभासद् हैं, वे सब घायल के समान समझे जाते हैं॥ १२॥ (स० प्र० १६६)

"अधर्म से धर्म घायल होकर जिस सभा में प्राप्त होवे उसके घाव को यदि सभासद् न पूर देवें तो निश्चय जानो कि उस सभा में सब सभासद् ही घायल पड़े हैं।" (सं० वि० १८४)

न्यायसभा में सत्य ही बोले और न्याय ही करे—

सभां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समञ्जसम् ।
अब्रुवन्विब्रुवन्वाऽपि नरो भवति किल्बिषी ॥ १३ ॥ (१३)

धार्मिक मनुष्य को योग्य है कि (सभां न प्रवेष्टव्यम्) सभा में कभी प्रवेश न करे (वा) और जो प्रवेश किया हो तो (समञ्जसम्) सत्य ही (वक्तव्यम्) बोले (नरः अब्रुवन्) जो कोई सभा में अन्याय होते हुए को देखकर मौन रहे (अपि वा) अथवा (विब्रुवन्) सत्य, न्याय के विरुद्ध बोले वह (किल्बिषी भवति) महापापी होता है ॥ १३ ॥ (स० प्र० १६७)

"मनुष्य को योग्य है कि सभा में प्रवेश न करे, यदि सभा में प्रवेश करे तो सत्य ही बोले। यदि सभा में बैठा हुआ भी असत्य बात को सुनके मौन रहे अथवा सत्य के विरुद्ध बोले वह मनुष्य अतिपापी है।"
(सं० वि० १८४)

अनुशीलन : 'किल्बिषम्' शब्द पर विशेष विचार ८ । ३१६ की समीक्षा में द्रष्टव्य है। पापी होने से यहां अभिप्राय दोषभागी एवं अपयशभागी होने से है।

अन्याय करने वाले सभासद् मृतकवत् हैं—

यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च ।
हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥ १४ ॥ (१४)

(यत्र) जिस सभा में (प्रेक्षमाणानाम्) बैठे हुए सभासदों के सामने (अधर्मेण हि धर्मः) अधर्म से धर्म (च) और (अनृतेन सत्यं) झूठ से सत्य का (हन्यते) हनन होता है (तत्र) उस सभा में (सभासदः हताः) सब सभासद् मरे से ही हैं ॥ १४ ॥ (सं० वि० १८५)

"जिस सभा में अधर्म से धर्म, असत्य से सत्य, सब सभासदों के देखते हुए मारा जाता है, उस सभा में सब मृतक के समान हैं; जानो उनमें कोई भी नहीं जीता।" (स० प्र० १६७)

मारा हुआ धर्म मारने वाले को ही नष्ट कर देता है—

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।
तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत् ॥ १५ ॥(१५)

(हतः धर्मः एव) मारा हुआ धर्म (हन्ति) मारने वाले का नाश, और (रक्षितः धर्मः) रक्षित किया हुआ धर्म (रक्षति) रक्षक की रक्षा करता है (तस्मात्) इसलिए (धर्मः न हन्तव्यः) धर्म का हनन कभी न करना, इस

डर से कि (हतः धर्मः) मारा हुआ धर्म (नः मा अवधीत्) कभी हमको न मार डाले ॥ १५ ॥ (स० प्र० १६७)

'जो पुरुष धर्म का नाश करता है, उसी का नाश धर्म कर देता है और जो धर्म की रक्षा करता है, उसकी धर्म भी रक्षा करता है, इस लिए मारा हुआ धर्म कभी हमको न मार डाले, इस भय से धर्म का हनन अर्थात् त्याग कभी न करना चाहिए।" (सं० वि० १८५)

धर्महन्ता वृषल कहाता है—

वृषो हि भगवान्धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलम् ।
वृषलं तं विदुर्देवास्तस्माद्धर्मं न लोपयेत् ॥ १६ ॥ (१६)

(यः) जो (भगवान् वृषः हि धर्मः) सब ऐश्वर्यों के देने और सुखों की वर्षा करने वाला धर्म है (तस्य हि+अलम् कुरुते) उसका लोप करता है (तम्) उसी को (देवाः) विद्वान् लोग (वृषलं विदुः) वृषल अर्थात् शूद्र और नीच जानते हैं (तस्मात्) इसलिए, किसी मनुष्य को (धर्मं न लोपयेत्) धर्म का लोप करना उचित नहीं ॥ १६ ॥ (स० प्र० १६७)

"जो सुख की वृद्धि करने हारा, सब ऐश्वर्य का दाता धर्म है, उसका जो लोप करता है, उसको विद्वान् लोग वृषल अर्थात् नीच समझते हैं ।" (स० वि० १-५)

धर्म ही परजन्मों में साथ रहता है—

एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः ।
शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति ॥ १७ ॥ (१७)

इस संसार में (एकः धर्मः एव सुहृद्) एक धर्म ही सुहृद् [=मित्र] है (यः) जो (निधने+अपि+अनुयाति) मृत्यु के पश्चात् भी साथ चलता है (अन्यत् सर्वं हि) और सब पदार्थ वा संगी (शरीरेण समं नाशं गच्छति) शरीर के नाश के साथ ही नाश को प्राप्त होते हैं अर्थात् सब संग छूट जाता है परन्तु धर्म का संग कभी नहीं छूटता ॥ १७ ॥ (स० प्र० १६७)

अन्याय से सब सभासदों की निन्दा—

पादोऽधर्मस्य कर्तारं पादः साक्षिणमृच्छति ।
पादः सभासदः सर्वान्पादो राजानमृच्छति ॥ १८ ॥ (१८)

राजसभा में पक्षपात से किये गये अन्याय का अधर्म (पादः) चौथाई (अधर्मस्य कर्त्तारम्) अधर्म के कर्त्ता को (पादः) चौथाई (साक्षिणम्) साक्षी को (ऋच्छति) प्राप्त होता है, और (पादः) चौथाई अंश (सर्वान् सभासदः)

शेष सब न्यायसभा के सदस्यों को तथा (पादः) चौथाई (राजानम्) राजा को (ऋच्छति) प्राप्त होता है अर्थात् उस बुराई की बदनामी सभी को प्राप्त होती है ॥ १८ ॥

"जब राजसभा में पक्षपात से अन्याय किया जाता है, वहां अधर्म के चार विभाग हो जाते हैं। उनमें से एक अधर्म के कर्त्ता, दूसरा साक्षी, तीसरा सभासदों और चौथा पाद अधर्मी सभा के सभापति राजा को प्राप्त होता है।" (स० प्र० १६७)

अनुशीलन : अधर्म शब्द से अभिप्राय—अधर्म शब्द से यहां अभिप्राय अन्याय या दोषभागी होने से है। ये सब इसी प्रकार अपयश के भागी बनकर बुराई को प्राप्त होते हैं। प्रजाएं इन सबकी निन्दा करती हैं। इस विषयक विस्तृत विवेचन ८। ३१६ पर द्रष्टव्य है।

राजा यथायोग्य व्यवहार से पापी नहीं कहलाता—

राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः।
एनो गच्छति कर्त्तारं निन्दार्हो यत्र निन्द्यते ॥ १९ ॥ (१९)

(यत्र) जिस सभा में (निन्दा+अर्हः निन्द्यते) निन्दा के योग्य की निन्दा, स्तुति के योग्य की स्तुति, दण्ड के योग्य को दण्ड और मान्य के योग्य का मान्य होता है, वहां (राजा च सभासदः) राजा और सब सभासद (अनेनाः+तु मुच्यन्ते) पाप से रहित और पवित्र हो जाते हैं (कर्त्तारम् एनः गच्छति) पाप के कर्त्ता ही को पाप प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ (स० प्र० १६७)

शूद्र धर्मप्रवक्ता न हो—

जातिमात्रोपजीवी वा कामं स्याद् ब्राह्मणव्रुवः।
धर्मप्रवक्ता नृपतेर्न तु शूद्रः कथञ्चन ॥ २० ॥

(जातिमात्र-उपजीवी) केवल जाति के आधार पर ही जीविका करने वाला अर्थात् जो कर्मों से ब्राह्मण नहीं है ऐसा (ब्राह्मणव्रुवः) अपने को ब्राह्मण कहने वाला व्यक्ति (कामम्) चाहे (नृपतेः) राजा का (धर्मप्रवक्ता स्यात्) धर्मवक्ता=न्यायकर्त्ता हो सकता है (तु) किन्तु (शूद्रः कथञ्चन न) शूद्र कभी भी और किसी अवस्था में भी न्यायकर्त्ता नहीं हो सकता ॥ २० ॥

यस्य शूद्रस्तु कुरुते राज्ञो धर्मविवेचनम्।
तस्य सीदति तद्राष्ट्रं पङ्के गौरिव पश्यतः ॥ २१ ॥

(यस्य राज्ञः) जिस राजा के यहां (शूद्रः धर्मविवेचनं कुरुते) शूद्र व्यक्ति धर्म=न्याय का विचार करता है (तत् राष्ट्रम्) उसका वह राज्य (तस्य पश्यतः) उसके देखते-देखते (पङ्के गौः+इव सीदति) कीचड़ में फंसी गौ के समान दुःखी होता है ॥ २१ ॥

यद्राष्ट्रं शूद्रभूयिष्ठं नास्तिकाक्रान्तमद्विजम् ।
विनश्यत्याशु तत्कृत्स्नं दुर्भिक्षव्याधिपीडितम् ॥ २२ ॥

(यत् राज्यम्) जो राज्य (शूद्रभूयिष्ठम्) शूद्रों की अधिकता वाला (नास्तिक-आक्रान्तम्) नास्तिकों से परिपूर्ण (अद्विजम्) द्विज वर्णों से रहित है (तत्) वह (कृत्स्नम्) पूरा राष्ट्र (आशु) शीघ्र ही (दुर्भिक्ष-व्याधि-पीडितम्) अकाल और रोगों से पीड़ित होकर (विनश्यति) नष्ट हो जाता है ॥ २२ ॥

धर्मासनमधिष्ठाय संवीताङ्गः समाहितः ।
प्रणम्य लोकपालेभ्यः कार्यदर्शनमारभेत् ॥ २३ ॥

राजा (धर्मासनम्) धर्मासन अर्थात् न्यायाधीश के आसन पर (अधिष्ठाय) बैठकर (संवीतांगः) शरीरांगों को ढककर (समाहितः) सावधान होकर (लोकपालेभ्यः) लोकपालों [७। १४] को प्रणाम करके (कार्यदर्शनम्+आरभेत्) मुकद्दमों को देखना प्रारम्भ करे ॥ २३ ॥

अनुशीलन : २०—२३ श्लोक इस प्रकार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—(१) पूर्वापर श्लोकों में 'धर्म-अधर्म के विवेचन की प्रेरणा एवं धर्म से लाभ अधर्म से हानि' के वर्णन का प्रसंग है। इस प्रसंग के बीच में 'धर्म का प्रवक्ता कौन हो' यह वर्णन अप्रासंगिक है, इससे प्रसंग भंग हो जाता है। (२) धर्म-प्रवक्ता का निर्णय ८।९-११ श्लोकों में विहित हो चुका है, १२ वें श्लोक से दूसरा प्रसंग प्रारम्भ हो जाता है। कहे हुए प्रसंग को पुनः प्रारम्भ करना भी असंगत है। अतः २०—२३ श्लोक प्रसंगविरुद्ध हैं।

२. **अन्तर्विरोध**—(१) २०—२२ श्लोकों में जन्मना जातीय आधार पर विधान किया है, यह मनुविरुद्ध है। मनुस्मृति कर्मणा वर्णव्यवस्था को मानती है [इसके लिए द्रष्टव्य है १।९२-१०१ श्लोकों पर 'अनुशीलन' समीक्षा] (२) ८।९-११ श्लोकों में स्पष्टतः वेदवेत्ता विद्वानों को 'धर्मप्रवक्ता' माना है, पुनः इन श्लोकों में जन्मना जाति के आधार पर 'धर्म-प्रवक्ता' का कथन करना उक्त श्लोकों के विरुद्ध है। प्रतीत होता है ये श्लोक परम्पराओं के विकृत होने के बाद रचकर मिलाये हैं, अन्यथा कुछ श्लोकों में पहले स्पष्ट विधान होने के बाद इनकी आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार अन्तर्विरोधों के आधार पर ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

३. **पुनरुक्ति**—२३ वें श्लोक में पुनरुक्ति है, क्योंकि ८।२ में यही कथन हो चुका है।पुनः उसी कथन की आवश्यकता नहीं है।

अर्थानर्थावुभौ बुद्ध्वा धर्माधर्मौ च केवलौ ।
वर्णक्रमेण सर्वाणि पश्येत्कार्याणि कार्यिणाम् ॥ २४ ॥

(अर्थ+अनर्थौ) अर्थ=मुकद्दमे की वास्तविक स्थिति तथा अनर्थ मिथ्यास्थिति

(च) और (धर्म+अधर्मौ) धर्म-अधर्म (केवलौ उभौ बुद्ध्वा) केवल इन दोनों पक्षों को अच्छी प्रकार जानकर अर्थात् पक्षपात रहित होकर (वर्णक्रमेण) वर्णों अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्रम से (कार्यिणाम्) मुकद्दमे वालों के (सर्वाणि-कार्याणि) सब मुकद्दमों को (पश्येत्) देखें=निर्णय करे ॥ २४ ॥

अनुशीलन : २४ वां श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त है।

१. **अन्तर्विरोध**—(१) मनु ने सम्पूर्ण मनुस्मृति में कहीं भी वर्णानुक्रम से सुविधा की व्यवस्था नहीं दी है। जहां इस प्रकार की कुछ बातें भी हैं, तो वे प्रक्षिप्त सिद्ध हुई हैं। इस श्लोक में यह पक्षपातपूर्ण व्यवस्था मनुविरुद्ध है। (२) कार्यों=मुकद्दमों का निर्णय करने का अन्यत्र भी कथन है लेकिन वहां इस प्रकार की व्यवस्था न होकर सर्वसामान्य व्यवस्था है [८।१,२,८,९,१०]। यह व्यवस्था उनसे भिन्न होनेसे प्रक्षिप्त है।

२. **प्रसंगविरोध**—यहां पूर्वापर प्रसंग १९ एवं २५ में निर्णय करने की विधि और सावधानी करने का है। कार्यों को देखने के कथन का प्रसंग ८। १–१० में एक-वार कहा जा चुका है। उसी कही हुई बात या उसी प्रसंग को पुनः कहना अनावश्यक एवं प्रसंगविरुद्ध है। अतः प्रक्षिप्त है।

निर्णय में हावभावों से मन की पहचान—

बाह्यांविभावयेल्लिङ्गैर्भावमन्तर्गतं नृणाम्।
स्वरवर्णेङ्गिताकारैश्चक्षुषा चेष्टितेन च ॥ २५ ॥ (२०)

न्यायकर्त्ता को (बाह्यैः) बाहर के (लिङ्गैः) चिह्नों से [वेशभूषा, चाल, शरीर की मुद्राएं, आदि के लक्षणों से] (स्वर-वर्ण-इङ्गित-आकारैः) स्वर—बोलते समय रुकना, घबराना, गद्गद् होना आदि से; वर्ण—चेहरे का फीका पड़ना, लज्जित होना आदि से; इङ्गित—मुकद्दमे के अभियुक्तों के परस्पर के संकेत, सामने न देख सकना, इधर उधर देखना आदि से; आकार—मुख, नेत्र आदि का आकार बनाना, कांपना, पसीना आना आदि (चक्षुषा) आंखों से [illegible] जमीन कुरेदना, सिर खुजलाना आदि से (नृणाम्) मुकद्दमे में शामिल लोगों के (अन्तर्गतं भावम्) मन के असली भावों को (विभावयेत्) भांप लेना—जान लेना चाहिये ॥ २५ ॥

आकारैरिङ्गितैर्गत्या चेष्टया भाषितेन च।
नेत्रवक्त्रविकारैश्च गृह्यतेऽन्तर्गतं मनः ॥ २६ ॥ (२१)

(आकारैः) आकारों से (इङ्गितैः) संकेतों से (गत्या) चाल से (चेष्टया)

चेष्टा=हरकत से (च) और (भाषितेन) बोलने से (च) तथा (नेत्र-वक्त्र-विकारैः) नेत्र एवं मुख के विकारों=हावभावों से (अन्तर्गतं मनः) मनुष्यों के मन का भीतरी भाव (गृह्यते) मालूम हो जाता है ॥ २६ ॥

बालधन की रक्षा—

बालदायादिकं रिक्थं तावद्राजाऽनुपालयेत् ।
यावत्स स्यात्समावृत्तो यावच्चातीतशैशवः ॥ २७॥ (२२)

(राजा) राजा (बाल-दाय+आदिकं रिक्थम्) बालक अर्थात् नाबालिग या अनाथ बालक की पैतृक सम्पत्ति और अन्य धन-दौलत की (तावत्) तब तक (अनुपालयेत्) रक्षा करे (यावत् सः) जबतक वह बालक (समावृत्तः स्यात्) समावर्तन संस्कार होकर अर्थात् गुरुकुल से स्नातक बनकर [३।१-२] आये (च) और (यावत्) जबतक वह (अतीतशैशवः) बालिग हो जाये ॥ २७ ॥

वन्ध्यादि के धन की रक्षा—

वन्ध्याऽपुत्रासु चैवं स्याद्रक्षणं निष्कुलासु च ।
पतिव्रतासु च स्त्रीषु विधवास्वातुरासु च ॥ २८ ॥ (२३)

(वन्ध्या+अपुत्रासु) बांझ और पुत्रहीन (निष्कुलासु) कुलहीन अर्थात् जिसके कुल में कोई पुरुष न रहा हो (पतिव्रतासु) पतिव्रता स्त्री अर्थात् पति के परदेशगमन आदि के कारण से जो स्त्री अकेली हो (विधवासु) विधवा (च) और (आतुरासु) रोगिणी (स्त्रीषु) स्त्रियों की सम्पत्ति की (रक्षणम्) रक्षा भी (एवम्) इसी प्रकार अर्थात् उनके समर्थ हो जाने तक [९।२९] (स्यात्) करनी चाहिए, इनकी रक्षा करना राजा का कर्त्तव्य है ॥ २८ ॥

जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः स्वबान्धवाः ।
ताञ्छिष्याच्चौरदण्डेन धार्मिकः पृथिवीपतिः ॥ २९ ॥ (२०)

(तासां जीवन्तीनाम्) उन [८।२८ में उक्त] जीती हुई स्त्रियों के (तत्) धन को (ये स्वबान्धवाः) जो उनके रिश्तेदार या भाई-बन्धु (हरेयुः) हर लें, कब्जा लें (तु) तो (धार्मिकः पृथिवीपतिः) धार्मिक राजा (तान्) उन व्यक्तियों को (चौरदण्डेन) चोर के समान दण्ड से (शिष्यात्) शिक्षा दे अर्थात् चोर के समान दण्ड देकर [८।३०१-३४३] उनको सही रास्ते पर लाये ॥ २९ ॥

प्रणष्टस्वामिकं रिक्थं राजा त्र्यब्दं निधापयेत् ।
अर्वाक् त्र्यब्दाद्धरेत्स्वामी परेण नृपतिर्हरेत् ॥ ३० ॥ (२५)

(प्रणष्टस्वामिकं रिक्थम्) मालिक से रहित धन अर्थात् लावारिस धन को (राजा) राजा (त्रि+अब्दम्) तीन वर्ष तक (निधापयेत्) सुरक्षित रखे (त्रि+अब्दात् अर्वाक् स्वामी हरेत्) तीन वर्ष से पहले यदि स्वामी आ जाये तो वह उसको ले ले [८।३१] (परेण नृपतिः हरेत्) उसके बाद उसे राजा ले ले ॥ ३० ॥

ममेदमिति यो ब्रूयात्सोऽनुयोज्यो यथाविधि ।
संवाद्य रूपसंख्यादीन्स्वामी तद् द्रव्यमर्हति ॥३१॥ (२६)

(यः) जो कोई ('मम+इदम्' इति ब्रूयात्) उस लावारिस धन को 'यह मेरा है' ऐसा कहे तो (सः यथाविधि अनुयोज्यः) उससे उचित विधि से पूछताछ करे अर्थात् धन की संख्या, रंग, समय पहचान आदि पूछे (रूप-संख्या+आदीन्) धन का स्वरूप, मात्रा आदि बातों को (संवाद्य) सही-सही बताकर हो (स्वामी तत् द्रव्यम्+अर्हति) स्वामी उस धन को लेने का अधिकारी होता है अर्थात् सही-सही पहचान बताने पर राजा उस धन को लौटा दे ॥ ३१ ॥

अवेदयानो नष्टस्य देशं कालं च तत्त्वतः ।
वर्णं रूपं प्रमाणं च तत्समं दण्डमर्हति ॥ ३२ ॥ (२७)

जो व्यक्ति (नष्टस्य) नष्ट हुए या खोये हुए धन का (देशं कालं वर्णं रूपं च प्रमाणम्) स्थान, समय, रंग, स्वरूप और मात्रा को (तत्त्वतः अवेदयानः) सही-सही बतलाकर सिद्ध नहीं कर पाता अर्थात् जो झूठ ही उस धन को हड़पने की कोशिश करता है तो वह (तत् समं दण्डम्+अर्हति) उस धन के बराबर दण्ड भुगतने का हकदार है अर्थात् उसे उतना ही दण्ड देना चाहिए ॥ ३२ ॥

आददीताथ षड्भागं प्रणष्टाधिगतान्नृपः ।
दशमं द्वादशं वाऽपि सतां धर्ममनुस्मरन् ॥ ३३ ॥ (२८)

किसी के (प्रणष्ट+अधिगतात्) नष्ट या खोये धन के प्राप्त होने पर उसमें से (नृपः) राजा (सतां धर्मम्+अनुस्मरन्) सज्जनों के धर्म का अनुसरण करता हुआ अर्थात् न्यायपूर्वक [धन के स्वामी की अवस्था को ध्यान में रखकर] (षड्भागं दशमम् अपि वा द्वादशम् आददीत) छठा, दशवाँ अथवा बारहवां भाग कर-रूप में ग्रहण करे ॥ ३३ ॥

'राजा द्वारा सुरक्षित धन' की चोरी करने पर दण्ड—

प्रणष्टाधिगतं द्रव्यं तिष्ठेद्युक्तैरधिष्ठितम् ।
यांस्तत्र चौरान्गृह्णीयात्तान् राजेभेन घातयेत् ॥ ३४ ॥ (२९)

(प्रणष्ट-अधिगतं द्रव्यम्) चुरा लेने के बाद प्राप्त किये गये धन को राजा (युक्तैः) योग्य रक्षकों के (अधिष्ठितं रक्षेत्) पहरे=सुरक्षा में रखे (तत्र) अगर उस पहरे में से भी चोरी करते हुए (यान् चौरान् गृह्णीयात्) जो चोर पकड़े जायें [चाहे वे पेशेवर चोर हों अथवा रक्षक राजपुरुष] (तान् राजा+इभेन घातयेत्) उन्हें राजा हाथी से कुचलवाकर मरवा डाले ॥ ३४ ॥

ममायमिति यो ब्रूयान्निधिं सत्येन मानवः ।
तस्यादद्यात् षड्भागं राजा द्वादशमेव वा ॥ ३५ ॥ (३०)

(निधिम्) चोरी से प्राप्त धन को (यः मानवः) जो मनुष्य ('अयं मम+इति' सत्येन ब्रूयात्) रंग, रूप, तोल, संख्या आदि की ठीक पहचान के द्वारा 'यह वास्तव में मेरा है' ऐसा सच-सच बतला दे तो (राजा) राजा (तस्य षड्भागं वा द्वादशम्+एव आदतीत) उस धन में से छठा या बारहवाँ-भाग कर के रूप में लेले और शेष धन उसके स्वामी को लौटा दे ॥ ३५ ॥

अनृतं तु वदन्दण्ड्यः स्ववित्तस्यांशमष्टमम् ।
तस्यैव वा निधानस्य संख्यायाल्पीयसीं कलाम् ॥ ३६ ॥ (३१)

(अनृतं तु वदन्) अगर कोई झूठ बोले अर्थात् किसी धन पर झूठा दावा करे या झूठ ही अपना बतलावे तो ऐसे अपराधी को (स्ववित्तस्य+अष्टमम्+अंशं दण्ड्यः) अपना कहे जाने वाले उस धन का आठवां भाग जुर्माना करे (वा) अथवा (संख्याय) हिसाब लगाकर (तस्य+एव निधानस्य अल्पीयसीं कलां) उस दावे वाले धन का कुछ भाग जुर्माना करे ॥ ३६ ॥

गड़े हुए धन का स्वामी ब्राह्मण—

विद्वांस्तु ब्राह्मणो दृष्ट्वा पूर्वोपनिहितं निधिम् ।
अशेषतोऽप्यादद्यात् सर्वस्याधिपतिर्हि सः ॥ ३७ ॥

(विद्वान् ब्राह्मणः तु) यदि विद्वान् ब्राह्मण (पूर्व+उप-निहितम्) कहीं पहले के रखे हुए (निधिम्) धन को (दृष्ट्वा) देखकर अर्थात् देख ले तो (अशेषतः+अपि+आददीत) उस सम्पूर्ण धन को ही ले ले अर्थात् राजा या अन्य व्यक्ति को उसका हिस्सा न दे (हि) क्यों कि (सः सर्वस्य अधिपतिः) ब्राह्मण सारे संसार का स्वामी है ॥ ३७ ॥

यं तु पश्येन्निधिं राजा पुराणं निहितं क्षितौ ।
तस्माद् द्विजेभ्यो दत्त्वार्धमर्धं कोशे प्रवेशयेत् ॥ ३८ ॥

(राजा) राजा (क्षितौ निहितं यं पुराणं निधिं पश्येत्) पृथ्वी में गड़े हुए किसी पुराने धन को देख ले अर्थात् प्राप्त कर ले (तु) तो (तस्माद् द्विजेभ्यः अर्धं दत्त्वा) उसमें

से आधा ब्राह्मणों को दान देकर (अर्धं कोशे प्रवेशयेत्) आधा अपने खजाने में जमा कर ले ॥ ३८ ॥

निधीनां तु पुराणानां धातूनामेव च क्षितौ ।
अर्धभाग्रक्षणाद्राजा भूमेरधिपतिर्हि सः ॥ ३९ ॥

(पुराणानां तु निधीनाम्) पुराने धनों या खजानों (च) और (क्षितौ धातूनाम् एव) पृथ्वी में प्राप्त होने वाली धातुओं की खानों का (रक्षणात् राजा अर्धभाक्) रक्षक होने के कारण राजा आधे भाग का अधिकारी है (हि) क्योंकि (सः भूमेः + अधिपतिः) राजा पृथ्वी का स्वामी है ॥ ३९ ॥

अनुशीलन : ३७ से ३९ श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—पूर्वापर श्लोकों में चोरी गये धन को देने की व्यवस्था का वर्णन है। उस प्रसंग को इन ३७ से ३९ श्लोकों ने भंग कर दिया है। गड़े हुए धन का पूर्वापर रूप से कोई प्रसंग नहीं है। अतः ये प्रक्षिप्त हैं।

२. **अन्तर्विरोध**—(१) इन श्लोकों में जातीय आधार पर ब्राह्मण को सबका अधिपति माना है, यह मनु की कर्मणा वर्णव्यवस्था के विरुद्ध है [द्रष्टव्य १।९२–१०१ पर 'अनुशीलन-समीक्षा']

(२) ब्राह्मण द्वारा किसी भी धन को देखकर 'कब्जा जताना' भी मनु की व्यवस्थाओं के विरुद्ध है। मनु ब्राह्मणों को अपने कर्मों से ही जीविका-उपार्जन करने और सन्तोष एवं त्यागपूर्वक जीवनयात्रा चलाने को कहते हैं [१। ८७, ४। २, ३, १२] इस प्रकार ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

दातव्यं सर्ववर्णेभ्यो राज्ञा चौरैर्हृतं धनम् ।
राजा तदुपयुञ्जानश्चौरस्याप्नोति किल्बिषम् ॥ ४० ॥

(चौरैः हृतं धनम्) चोरों के द्वारा चुराया गया धन [उन चोरों से प्राप्त करके या प्राप्त हो जाने पर] (राज्ञा) राजा को (सर्ववर्णेभ्यः दातव्यम्) सब वर्ण वालों को अर्थात् जिस वर्ण के व्यक्ति का वह धन है, उसी को दे देना चाहिए (राजा तत् + उपयुञ्जानः) राजा उस धन को अपने उपयोग में लाने पर (चौरस्य किल्बिषम् आप्नोति) चोर के अपराध का भागी होता है ॥ ४० ॥

जातिजानपदान्धर्मान्श्रेणीधर्मांश्च धर्मवित् ।
समीक्ष्य कुलधर्मांश्च स्वधर्मं प्रतिपादयेत् ॥ ४१ ॥

(धर्मवित्) धर्मज्ञ राजा (जाति-जानपदान् धर्मान्) जाति = वर्णों के धर्मों को और जानपद = देशधर्मों को (च) तथा (श्रेणीधर्मान्) वणिक्वृत्ति, कृषिवृत्ति आदि के

श्रेणीधर्मान् को (च) और (कुलधर्मान्) कुलों में प्रचलित परम्पराओं को (समीक्ष्य) देखकर (स्वधर्मं प्रतिपादयेत्) अपनी व्यवस्थाओं को लागू करे ॥ ४१ ॥

अनुशीलन : ४०-४१ वें श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—मनु ने धर्म-निर्णय के लिए कुल और जाति को कहीं आधार नहीं माना है। वे सर्वत्र धर्मशास्त्र, धर्म, सत्य को ही मुख्य रूप से आधार मानते हैं और साधारण मामलों में देश और काल को भी (८। ८, ४४, ४५, १२६)। यदि कुल और जाति को निर्णय का आधार मान लिया जाये तो फिर धर्मशास्त्र की क्या आवश्यकता रह जायेगी? कुलों के अपने-अपने धर्म प्रचलित हो जायेंगे! इस प्रकार इस श्लोक का उक्त श्लोकों से और मनुस्मृति के उद्देश्य से ही विरोध है, अतः यह श्लोक प्रक्षिप्त है। ४० वां श्लोक भी प्रक्षिप्त है, क्योंकि इससे पूर्व (८। ३३) कहा है कि जिसका धन है उसको दे दे, कुछ भाग राजा ले, यहां परस्पर विरुद्ध कथन है।

कर्त्तव्यों में संलग्न व्यक्ति सबके प्रिय—

स्वानि कर्माणि कुर्वाणा दूरे सन्तोऽपि मानवाः।
प्रिया भवन्ति लोकस्य स्वे स्वे कर्मण्यवस्थिताः ॥४२॥ (३२)

(स्वानि कर्माणि कुर्वाणाः) अपने-अपने कर्त्तव्यों को करते हुए और (स्वे-स्वे कर्मणि+अवस्थिताः) अपने-अपने कर्त्तव्य कर्मों में स्थित रहने वाले मानवाः) मनुष्य (दूरे सन्तः+अपि) दूर रहते हुए भी (लोकस्य प्रियाः भवन्ति) समाज के प्यारे अर्थात् लोकप्रिय होते हैं ॥ ४२ ॥

राजा या राजपुरुष विवादों को न बढ़ायें—

नोत्पादयेत्स्वयं कार्यं राजा नाप्यस्य पूरुषः।
न च प्रापितमन्येन ग्रसेदर्थं कथंचन ॥४३॥ (३३)

(राजा अपि+अस्य पुरुषः) राजा अथवा कोई भी राजपुरुष (स्वयं कार्यं न+उत्पादयेत्) स्वयं किसी विवाद को उत्पन्न न करें, और न बढ़ायें (च) और (अन्येन प्रापितम् अर्थम्) अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा बताये या प्राप्त कराये गये धन को (कथंचन) किसी भी स्थिति में (न ग्रसेत्) स्वयं हड़पने की इच्छा न करें [जबतक 'यह धन किसका है' यह सिद्ध न हो जाये और वह लावारिस (७। ३०) सिद्ध न हो जाये, तब तक राजा उसे अपने अधिकार में न ले और कोई राजपुरुष उसको बीच में ही हड़पने न पाये] ॥ ४३ ॥

अनुशीलन : श्लोक ८। २६ की ८। ४४ से प्रसंग की सम्बद्धता है। यहां ८। ७ तक १८ प्रकार के मुकद्दमों की गणना करके ८। ४५ तक 'सत्य-सही निर्णय

कैसे करें' मनु ने यह प्रसंग वर्णित किया है। संकेतित क्रमानुसार पहला मुकद्दमा भी ८। ४७ से प्रारम्भ होता है। इस बीच बालधन, स्त्रीधन, लावारिस धन नष्ट हुए धन आदि से सम्बन्धित बातें प्रसंगानुकूल नहीं हैं। इस प्रकार के शेष सभी विवाद मुकद्दमों के निर्णय के अन्त में ९। १५१ के पश्चात् वर्णित किये हैं। इनमें नष्ट या चोरी गये धन की चर्चाएँ हैं और चोरी-विवाद वाले ही दण्ड वर्णित हैं। प्रतीत होता है कि ये सभी श्लोक स्थानभ्रष्ट होकर यहां जुड़ गये हैं, ये चोरी-विवाद निर्णय (८। ३०१-३४३) के अन्तर्गत होने चाहियें।

श्लोक ८। २६ की ८। ४४ से प्रसंगगत सम्बद्धता भी है। इस आधार पर इन सबको प्रक्षिप्त कहने का आधार भी बन सकता है, पर क्योंकि इनमें कोई प्रक्षेप की प्रवृत्ति नहीं है। ये सर्वसामान्य आवश्यक विधान हैं। मनु की किसी मान्यता से विरोध नहीं है। शैली भी मनुसम्मत है। अतः हमने इन्हें प्रक्षिप्त नहीं माना है।

अनुमान प्रमाण से निर्णय में सहायता—

यथा नयत्यसृक्पातैर्मृगस्य मृगयुः पदम्।
नयेत्तथाऽनुमानेन धर्मस्य नृपतिः पदम् ॥ ४४॥ (३४)

(यथा) जैसे (मृगयुः) शिकारी (असृक्पातैः) खून के धब्बों से (मृगस्य पदं नयति) हिरण के स्थान को प्राप्त कर लेता है (तथा) वैसे ही (नृपतिः) राजा या न्यायकर्त्ता (अनुमानेन) अनुमान प्रमाण से (धर्मस्य पदम्) धर्म के तत्त्व अर्थात् वास्तविक न्याय का (नयेत्) निश्चय करे ॥४४॥

सत्यमर्थं च संपश्येदात्मानमथ साक्षिणः।
देशं रूपं च कालं च व्यवहारविधौ स्थितः ॥ ४५ ॥ (३५)

(व्यवहारविधौ स्थितः) मुकद्दमों का फैसला करने के लिए तैयार हुआ राजा (सत्यम् च अर्थम्) मुकद्दमे की सत्यता, न्याय-उद्देश्य (आत्मानम्) अपनी आत्मा के आन्तरिक निर्णय को (अथ साक्षिणः) और साक्षियों का (च) तथा (देशं रूपं च कालम्) देश, स्वरूप एवं समय को (सपश्येत्) अच्छी प्रकार देखे=विचार करे ॥ ४५ ॥

अनुशीलन : आत्मा के निर्णय का क्या अभिप्राय है, इसे समझने के लिए देखिए १। १२५ (२। ६) पर इस सम्बन्धी अनुशीलन।

सद्भिराचरितं यत्स्याद्धार्मिकैश्च द्विजातिभिः।
तद्देशकुलजातीनामविरुद्धं प्रकल्पयेत् ॥ ४६ ॥

(सद्भिः) श्रेष्ठ लोगों (च) और (धार्मिकैः द्विजातिभिः) धार्मिक विद्वानों ने (यत्+आचरितं स्यात्) जो आचरण किया है (देश-कुल-जातीनाम्+अविरुद्धम्) देश,

कुल तथा जाति के विरुद्ध जो न हो (तत्) उस व्यवहार के अनुसार (प्रकल्पयेत्) राजा निर्णय दे ॥ ४६ ॥

अनुशीलन : ४६ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. **अन्तर्विरोध**—मनु ने निर्णय का आधार धर्मशास्त्र, धर्म, सत्य को माना है और साधारण मामलों में देश, काल को भी (८।८, ४४-४५, १२६), किन्तु कुल, जाति को नहीं। पिछले ही श्लोक में सभी बातें स्पष्ट कही हैं, किन्तु फिर भी अगले श्लोक में प्रक्षेपक ने एक और विधान कर दिया। जिसमें देश के साथ कुल और जाति को भी जोड़ दिया। यदि कुल और जाति के आधार पर निर्णय किया जाये तो फिर इस धर्मशास्त्र की ही क्या आवश्यकता रह जायेगी ? इस प्रकार उक्त श्लोकों से तथा मनुस्मृति के उद्देश्य से इस श्लोक का विरोध है, अतः यह प्रक्षिप्त है।

१. ऋण लेने-देने के विवाद का न्याय (८।४७-१७८ तक)

ऋण का न्याय—

अधमर्णार्थसिद्ध्यर्थमुत्तमर्णेन चोदितः।
दापयेद्धनिकस्यार्थमधमर्णाद्विभावितम् ॥ ४७ ॥ (३६)

(अधमर्ण+अर्थसिद्ध्यर्थम्) अधमर्ण=कर्जदार से अपना धन वसूल करने के लिए (उत्तमर्णेन चोदितः) उत्तमर्ण=कर्ज देने वाले अर्थात् धनी की ओर से प्रार्थना करने पर राजा (धनिकस्य विभावितम् अर्थम्) धनी का वह लेख आदि से सिद्ध निश्चित किया हुआ धन (अधमर्णात् दापयेत्) कर्जदार से दिलवाये ॥ ४७ ॥

यैर्यैरुपायैरर्थं स्वं प्राप्नुयादुत्तमर्णिकः।
तैस्तैरुपायैः संगृह्य दापयेदधमर्णिकम् ॥ ४८ ॥

(उत्तमर्णिकः यैः+यैः+उपायैः स्वम्+अर्थं प्राप्नुयात्) कर्जदाता जिन-जिन उपायों से अपने धन को प्राप्त कर सके, राजा (तैः+तैः+उपायैः) उन-उन उपायों से (अधमर्णिकम्) कर्जदार को (संगृह्य) वश में करके (दापयेत्) धन दिलवाये ॥ ४८ ॥

धर्मेण व्यवहारेण छलेनाचरितेन च।
प्रयुक्तं साधयेदर्थं पञ्चमेन बलेन च ॥ ४९ ॥

(धर्मेण व्यवहारेण छलेन+आचरितेन) धर्म से, व्यवहार से, छल से, आचरित से (च) और (पञ्चमेन बलेन) पांचवें उपाय शक्ति से (प्रयुक्तम् अर्थम् साधयेत्) दिये हुए धन को प्राप्त कराये ॥ ४९ ॥

यः स्वयं साधयेदर्थमुत्तमर्णोऽधमर्णिकात्।
न स राज्ञाभियोक्तव्यः स्वकं संसाधयन्धनम् ॥ ५० ॥

(यः) जो (उत्तमर्णः) कर्जदाता (अधमर्णिकात्) कर्जदार से (स्वयम् अर्थं साधयेत्) स्वयं ही धन वसूल करता हो तो (स्वकं धनं संसाधयन्) अपने धन को वसूल करते हुए (सः) वह धनी (राज्ञा न अभियोक्तव्यः) राजा को नहीं रोकना चाहिए अर्थात् उसे वसूल करने दे ॥ ५० ॥

अनुशीलन : ४८ से ५० तक के श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—(१) पूर्वापर श्लोकों का प्रसंग न्यायालय में साहूकार द्वारा प्रार्थना करने की विधि का है।इस बीच 'किन-किन उपायों से धन दिलावे' आदि बातों का वर्णन असंगत है। (२) जब साहूकार न्यायालय में प्रार्थना करने के लिए आया हुआ है,तो वह न्यायालय के माध्यम से धन प्राप्त करेगा। ५० वें श्लोक में 'स्वयं धन वसूल करने देने' की बात का वर्णन इस सम्पूर्ण पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध है। जब वह न्यायालय में प्रार्थना कर रहा है, तो स्वयं धन वसूल करने का अवसर ही कहां रह जाता है ? (३) यहां केवल निर्णय देने का और दण्ड-व्यवस्था का प्रसंग है व्यवहार, छल आदि की बात कहना असंगत बातें हैं। (४) ४७ का ५२ वें श्लोक से प्रसंग जुड़ता है। बीच के श्लोकों से न्यायालय में की जाने वाली विधि भंग हो रही है। इस प्रकार ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. **अन्तर्विरोध**—इन श्लोकों में व्यवहार, छल आदि के द्वारा साहूकार का धन दिलाना, स्वयं धन वसूल करने देना आदि बातें मनु द्वारा विहित व्यवहार-निर्णय की इस सम्पूर्ण व्यवस्था से ही विरुद्ध हैं। इस व्यवस्था में विवाद उत्पन्न होने पर साक्षी आदि द्वारा राजा को धर्मयुक्त निर्णय देने का विधान है (८।८-९, ५२-१२२), इन श्लोकों में उक्त बातों का इस व्यवस्था में अवसर ही नहीं रहता।

अर्थेऽपव्ययमानं तु करणेन विभावितम्।
दापयेद्धनिकस्यार्थं दण्डलेशं च शक्तितः ॥ ५१ ॥ (३७)

[४७ वें में उक्त धन का] (करणेन विभावितम्) यदि लेख, साक्षी आदि साधनों से उस कर्ज का लिया जाना निश्चित हो जाये (तु) और (अर्थे+अपव्ययमानम्) कर्जदार कर्ज में लिये गये धन से मुकर जाये तो [राजा] (धनिकस्य+अर्थं दापयेत्) धनी का वह धन भी वापिस दिलवाये (च) और (शक्तितः दण्डलेशम्) उसकी शक्ति, धन आदि के अनुसार कुछ न कुछ दण्ड भी अवश्य करे ॥ ५१ ॥

ऋणदाता से ऋण के लेख आदि प्रमाणों को मांगना—

अपह्नवेऽधमर्णस्य देहीत्युक्तस्य संसदि।
अभियोक्ता विशेद्देश्यं करणं वाऽन्यदुद्दिशेत् ॥ ५२ ॥ (३८)

(संसदि) न्यायालय में ('देहि+इति'+उक्तस्य) न्यायाधीश के द्वारा 'धनी का धन दे दो' ऐसा कहने पर (अधमर्णस्य अपह्नवे) यदि कर्जदार कर्ज लेने से मुकरने की बात कहे तो (अभियोक्ता) मुकद्दमा करने वाला धनी (देश्यम्) प्रत्यक्षदर्शी साक्षी=गवाह को (दिशेत्) प्रस्तुत करे (वा) और (अन्यत् करणम् उद्दिशेत्) अन्य प्रमाण भी प्रस्तुत करे ॥ ५२ ॥

मुकद्दमों में अप्रामाणिक व्यक्ति—

अदेश्यं यश्च दिशति निर्दिश्यापह्नुते च यः ।
यश्चाधरोत्तरानर्थान्विगीतान्नावबुध्यते ॥ ५३ ॥ (३९)

अपदिश्यापदेश्यं च पुनर्यस्त्वपधावति ।
सम्यक्प्रणिहितं चार्थं पृष्टः सन्नाभिनन्दति ॥ ५४ ॥ (४०)

असंभाष्ये साक्षिभिश्च देशे संभाषते मिथः ।
निरुच्यमानं प्रश्नं च नेच्छेद्यश्चापि निष्पतेत् ॥ ५५ ॥ (४१)

ब्रूहीत्युक्तश्च न ब्रूयादुक्तं च न विभावयेत् ।
न च पूर्वापरं विद्यात्तस्मादर्थात्स हीयते ॥ ५६ ॥ (४२)

(यः) जो ऋणदाता १—(अदेश्यं दिशति) झूठे गवाह और गलत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे, (च) और २—(यः) जो (निर्दिश्य) किसी बात को प्रस्तुत करके या कहकर (अपह्नुते) उससे मुकरता है या टालमटोल करता है, ३—(यः) जो (विगीतान् अधर-उत्तरान्+अर्थात् न+अवबुध्यते) कही हुई अगली-पिछली बातों को नहीं ध्यान में रखता अर्थात् जिसकी अगली-पिछली बातों में मेल न हो, ४—(यः) जो (अपदेश्यम्+अपदिश्य पुनः अपधावति) अपने तर्कों को प्रस्तुत करके फिर उनको बदल दे—उनसे फिरजाये, ५—जो (सम्यक् प्रणिहितम् अर्थं पृष्टः सन्) पहले अच्छी प्रकार प्रतिज्ञापूर्वक कही हुई बात को न्यायाधीश द्वारा पुनः पूछने पर (न+अभिनन्दति) नहीं मानता, उसे पुष्ट नहीं करता, ६—(असंभाष्ये देशे साक्षिभिः मिथः संभाषते) जो एकान्त स्थान में जाकर साक्षियों के साथ घुलमिलकर चुप-चुप बात करे, ७—(निरुच्यमानं प्रश्नं न+इच्छेत्) जांच के लिए पूछे गये प्रश्नों को जो पसंद न करे, ८—(च यः+अपि निष्पतेत्) और जो इधर-इधर टलता फिरे (च) तथा ९—('ब्रूहि' इति+उक्तः न ब्रूयात्) 'कहो' ऐसा कहने पर कुछ न कह सके, १०—(च उक्तं न विभावयेत्) और जो कही हुई बात को सिद्ध न कर पाये, ११—(न पूर्वापरं विद्यात्) पूर्वापर बात को न समझे अर्थात् विचलित हो जाये, (सः तस्मात् अर्थात् हीयते)

वह उस प्रार्थना किये गये धन से हार जाता है अर्थात् न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति को हारा हुआ मानकर उसे धन न दिलावे ॥ ५३—५६ ॥

साक्षिणः सन्ति मेत्युक्त्वा दिशेत्युक्तो दिशेन्न यः ।
धर्मस्थः कारणैरेतैर्हीनं तमपि निर्दिशेत् ॥ ५७ ॥ (४३)

('मे साक्षिणः सन्ति' इति+उक्त्वा) पहले 'मेरे साक्षी हैं' ऐसा कहकर और फिर गवाही के समय न्यायाधीश के द्वारा ('दिश' इति+उक्तः) 'साक्षी लाओ' ऐसा कहने पर (यः न दिशेत्) जो साक्षियों को पेश न कर सके तो (धर्मस्थः) न्यायाधीश (एतैः कारणैः) इन कारणों के आधार पर भी (तम्+अपि हीनं निर्दिशेत्) मुकद्दमा दायर करने वाले को पराजित घोषित कर दे ॥ ५७ ॥

अभियोक्ता न चेद् ब्रूयाद्वध्यो दण्ड्यश्च धर्मतः ।
न चेत्त्रिपक्षात्प्रब्रूयाद्धर्मं प्रति पराजितः ॥ ५८ ॥ (४४)

(अभियोक्ता न चेत् ब्रूयात्) जो अभियोक्ता=मुकद्दमा करने वाला पहले मुकद्दमा दायर करके फिर अपने मुकद्दमे के लिए कुछ न कहे तो वह (धर्मतः) धर्मानुसार (वध्यः) सजा के योग्य (च) और (दण्ड्यः) जुर्माना [५६] करने योग्य है, इसी प्रकार यदि (त्रिपक्षात् न चेत् प्रब्रूयात्) तीन पखवाड़े अर्थात् डेढ़ मास तक अभियोगी अपनी सफाई में कुछ न कह सके तो (धर्मं प्रति पराजितः) धर्मानुसार=कानून के अनुसार वह हार जाता है ॥ ५८ ॥

यो यावन्निह्नुवीतार्थं मिथ्या यावति वा वदेत् ।
तौ नृपेण ह्यधर्मज्ञौ दाप्यौ तद् द्विगुणं दमम् ॥ ५९ ॥ (४५)

(यः) जो कर्जदार (यावत् अर्थं निह्नुवीत) जितने धन को छिपावे अर्थात् अधिक धन लेकर जितना कम बतावे (वा) अथवा जो कर्ज देने वाला (यावति मिथ्या वदेत्) जितना झूठ बोले अर्थात् कम धन देकर जितना ज्यादा बतावे (नृपेण) राजा (तौ अधर्मज्ञौ) उन दोनों झूठ बोलने वालों को (तत् द्विगुणं दमम् दाप्यौ) जितना झूठा दावा किया है, उससे दुगुने धन के दण्ड से दण्डित करे ॥ ५९ ॥

पृष्टोऽपव्ययमानस्तु कृतावस्थो धनैषिणा ।
व्यवरैः साक्षिभिर्भाव्यो नृपब्राह्मणसन्निधौ ॥ ६० ॥

(धनैषिणा कृतावस्थः) धन चाहने वाले=मुद्दई के द्वारा मुकद्दमा दायर करने पर (पृष्टः) और न्यायाधीश द्वारा कर्जदार से पूछने पर (अपव्ययमानः तु) यदि

वह मना कर दे अर्थात् यह कहे कि 'मैंने कोई कर्ज नहीं लिया या मैं देनदार नहीं हूं' तो उस स्थिति में अर्थी को (नृपब्राह्मणसन्निधौ) राजा द्वारा नियुक्त न्यायाधीश ब्राह्मण के सामने (त्र्यवरैः साक्षिभिः भाव्यः) कम से कम तीन साक्षियों के द्वारा अपना पक्ष प्रमाणित करना चाहिये ॥ ६० ॥

अनुशीलन : ६० वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

(१) **अन्तर्विरोध**—इस श्लोक में कम से कम तीन साक्षियों को प्रस्तुत करने का कथन न तो व्यावहारिक है और न मनुसम्मत। साक्षी तो समय, घटना और परिस्थिति के अनुसार कम-अधिक होते हैं [८।७३]। यही कारण है कि साक्षी-प्रसंग के श्लोकों में अन्यत्र कहीं भी मनु ने इस प्रकार की शर्त नहीं रखी है [८।४५, ५७, ६१, ६३ ६४, ६८—९१ आदि]। यहां उनसे भिन्न व्यवस्था होने से अन्तर्विरोध के कारण यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

साक्षी कौन हों—

यादृशा धनिभिः कार्या व्यवहारेषु साक्षिणः।
तादृशान्सम्प्रवक्ष्यामि यथावाच्यमृतं च तैः ॥ ६१ ॥ (४६)

(धनिभिः) साहूकारों अर्थात् धन देने वालों को (व्यवहारेषु) मुकद्दमों में (यादृशाः साक्षिणः कार्याः) जैसे साक्षी बनाने चाहियें (तादृशान्) उनको (च) और (तैः) उन साक्षियों को (यथा ऋतं वाच्यम्) जैसे सत्य बात कहनी चाहिए, उसे (सम्प्रवक्ष्यामि) अब आगे कहूँगा—॥ ६१ ॥

गृहिणः पुत्रिणो मौलाः क्षत्रविट्शूद्रयोनयः।
अर्थ्युक्ताः साक्ष्यमर्हन्ति न ये केचिदनापदि ॥ ६२ ॥

(गृहिणः) गृहस्थ (पुत्रिणः) पुत्र वाले (मौलाः) पहले से वहां निवास करने वाले (क्षत्र-विट्-शूद्रयोनयः) क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र व्यक्ति, (अर्थी+उक्ताः) धनी के कहने पर (साक्ष्यम्+अर्हन्ति) साक्षी हो सकते हैं, (अनापदि) आपत्तिरहित काल में (ये केचित् न) हर कोई साक्षी नहीं हो सकता ॥ ६२ ॥

अनुशीलन : यह ६२ वां श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त है—

१. **अन्तर्विरोध**—(१) ६३ वें श्लोक में साक्षियों की जो विशेषताएं कही हैं यह श्लोक उनसे भिन्न विशेषताएं दे रहा है। ये विशेषताएं साक्षी के श्रेष्ठ होने की द्योतक नहीं हो सकतीं, अतः ६३ वें श्लोक से भिन्नता होने के कारण यह श्लोक प्रक्षिप्त है (२) इस श्लोक में ब्राह्मण को इस व्यवस्था में परिगणित नहीं किया है, जबकि ६३ वें श्लोक में साक्ष्य के लिए सभी वर्णों का विधान है।

२. **प्रसंगविरोध**—६१ वें श्लोक की ६३ से सम्बद्धता है। ६१ वें में कहा है कि

'साक्षी कैसे होने चाहियें, अब मैं यह कहूँगा' और वे ६३ में वर्णित हैं। ६१ और ६३ में 'कार्याः' शब्द उन्हें परस्पर सम्बद्ध कर रहा है। ६२ में 'साक्षी कौन हो सकते हैं, कौन नहीं' यह कथन पूर्वापर श्लोकों की सम्बद्धता को भंग कर रहा है। अतः यह प्रसंगविरुद्ध प्रक्षेप है।

आप्ताः सर्वेषु वर्णेषु कार्याः कार्येषु साक्षिणः।
सर्वधर्मविदोऽलुब्धा विपरीतांस्तु वर्जयेत् ॥६३॥ (४७)

(सर्वेषु वर्णेषु) सब वर्णों में (आप्ताः) धार्मिक, विद्वान् निष्कपटी (सर्व-धर्मविदः) सब प्रकार धर्म को जानने वाले (अलुब्धाः) लोभरहित सत्यवादियों को (कार्येषु) न्यायव्यवस्था में (साक्षिणः कार्याः) साक्षी करे (विपरीतान् तु वर्जयेत्) इससे विपरीतों को कभी न करे ॥ ६३ ॥

(स० प्र० १६८)

अनुशीलन : साक्षी शब्द पर विचार—

साक्षी शब्द के अर्थ और व्युत्पत्ति से यह स्पष्ट होता है कि वस्तुतः साक्षी वही होता है जो उस बात या घटना का प्रत्यक्षद्रष्टा होता है। सहपूर्वक अक्षि से इनिः प्रत्यय अथवा साक्षात् अव्यय से **'साक्षाद्द्रष्टरि संज्ञायाम्'** [अष्टा० ५। २। ९१] से 'इनि' प्रत्यय होकर 'साक्षिन्' शब्द सिद्ध होता है। **साक्षिन्-यः साक्षात् कर्त्ता=साक्षात्द्रष्टा' यः सः साक्षी**। श्लोक में 'आप्ताः' विशेषण से भी इसी भाव की अभिव्यक्ति हुई है।

साक्षी कौन नहीं हो सकते—

नार्थसम्बन्धिनो नाप्ता न सहाया न वैरिणः।
न दृष्टदोषाः कर्तव्या न व्याध्यार्ता न दूषिताः ॥ ६४ ॥(४८)

(अर्थसम्बन्धिनः) धनी से ऋण आदि के लेने-देने का सम्बन्ध रखने वाले (न कर्त्तव्याः) साक्षी नहीं हो सकते (न आप्ताः) न घनिष्ठ=मित्रादि (न सहायाः) न सहायक—नौकर आदि, (न वैरिणः) न अभियोगी के शत्रु आदि, (न दृष्टदोषाः) जिसको साक्षी पहले झूठी सिद्ध हो चुकी है वे भी नहीं (न व्याधि+आर्ताः) न रोगग्रस्त, पीड़ित और (न दूषिताः) न अपराधी= सजा पाये और दूषित आचरण वाले अधर्मी व्यक्ति साक्षी हो सकते हैं ॥ ६४ ॥

न साक्षी नृपतिः कार्यो न कारुककुशीलवौ।
न श्रोत्रियो न लिङ्गस्थो न संघेभ्यो विनिर्गतः ॥ ६५ ॥

(नृपतिः) राजा को (कारुक-कुशीलवौ) कारीगर और नट-भाट आदि को (श्रोत्रियः) वेदपाठी को (लिङ्गस्थः) ब्रह्मचारी को (सङ्घेभ्यः विनिर्गतः) मोहमाया से

पृथक् हुए अर्थात् संन्यासी को भी (साक्षी न कार्यः) साक्षी नहीं बनाना चाहिए ॥ ६५ ॥

नाध्यधीनो न वक्तव्यो न दस्युर्न विकर्मकृत् ।
न वृद्धो न शिशुर्नैको नान्त्यो न विकलेन्द्रियः ॥ ६६ ॥

(अधि+अधीनः) पूर्णतः अधीन व्यक्ति नौकर आदि को (वक्तव्यः) लोकनिन्दित को (दस्युः) क्रूर कर्म करने वाले को (विकर्मकृत्) बुरे कर्म करने वाले को (वृद्धः) बूढ़े को (शिशुः) बालक को (एकः) एकाकी घूमने वाले को (अन्त्यः) नीच (विकलेन्द्रियः) अपाहिज को भी साक्षी न बनावे ॥ ६६ ॥

नार्तो न मत्तो नोन्मत्तो क्षुत्तृष्णोपपीडितः ।
न श्रमार्तो न कामार्तो न क्रुद्धो नापि तस्करः ॥ ६७ ॥

(न+आर्तः) न शोकग्रस्त को (न मत्तः) न नशे के आदी को (न+उन्मत्तः) न पागल को (न क्षुत्-तृष्णा+उपपीडितः) भूख-प्यास से सताये हुए को (न श्रमार्तः) न थके हुए को (न कामार्तः) न कामग्रस्त को (न क्रुद्धः) न क्रोधी (न तस्करः) न चोर को साक्षी बनावे ॥ ६७ ॥

अनुशीलन : ६५ से ६७ तक श्लोक निम्न आधारों पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—(१) ६५ वें श्लोक में कारीगर, नट आदि को साक्षी के लिए निषिद्ध किया है। प्रतीत होता है कि ये श्लोक उस समय के विधान हैं जब परम्पराएं विकृत होकर वर्णव्यवस्था जातिगत आधार पर होने लगी थी, क्योंकि कारीगर कोई भिन्नजाति नहीं, यह वैश्यों का ही कर्म है। जब वैश्य साक्षी के लिए उपयुक्त माने हैं (८।६३, ६८) तो कारीगर का पृथक् से निषेध करना इस व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। (२) ६६ वें श्लोक में अन्त्यज को साक्ष्य के लिए निषिद्ध किया है, जबकि ६८ वें में स्पष्ट विधान है। इस विरोध के कारण ये प्रक्षिप्त हैं।

२. **पुनरुक्ति**—६६–६७ श्लोकों में वर्णित प्रायः सभी व्यक्ति ६४ वें श्लोक के अन्तर्गत ही आ जाते हैं, जैसे 'व्याधिग्रस्त' में विकलेन्द्रिय, आर्त, मत्त, उन्मत्त, श्रमार्त, कामार्त आदि और 'दूषिताः दृष्टदोषाः' में दस्यु, विकर्मकृत्, अन्त्य, तस्कर आदि। इस प्रकार ये श्लोक ६४ वें की पुनरुक्ति ही हैं। कोई स्वतन्त्र और महत्त्वपूर्ण बात इनमें नहीं है।

विशेष प्रसंगों में साक्षी-विशेष—

स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः कुर्युर्द्विजानां सदृशा द्विजाः ।
शूद्राश्च सन्तः शूद्राणामन्त्यानामन्ययोनयः ॥६८॥(४६)

(स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः) स्त्रियों की साक्षी स्त्री, (द्विजानां द्विजाः) द्विजों के द्विज (शूद्राणां शूद्राः) शूद्रों के शूद्र (अन्त्यानाम्+अन्ययोनयः

कुर्युः) अन्त्यजों केअन्त्यजसाक्षी हों ॥ ६८ ॥ (स० प्र० १६९)
❀(सदृशः) सदृशबलवाले·····(सन्तः) साधुस्वभाव के·····

अनुशीलन : (१) साक्षीविशेषों के कथन का उद्देश्य—

पूर्वापर साक्षी-वर्णन सम्बन्धी श्लोकों से, और विशेषरूप से ८।६३, ६४, ६६, ७२ श्लोकों से यह स्पष्ट है कि साक्षी कोई भी हो सकता है। इस श्लोकों में जो विशेष साक्षियों का कथन है वह विशेष अभिप्राय से है। जैसे स्त्रियों के जो स्त्रीसम्बन्धी प्रसंग हैं, उनमें स्त्रियां ही ठीक साक्षी हो सकती हैं। इसी प्रकार द्विजों और शूद्रों के वर्णान्तर के जो निजी प्रसंग हैं, उनमें उसी वर्ण के साक्षी प्रामाणिक और सही सिद्ध हो सकते हैं। इस विशेष कथन का यही अभिप्राय है।

(२) **अन्त्यज कौन** ?—चारों वर्णों में जो दीक्षित नहीं होकर वर्णबाह्य रह जाते हैं, वे लोग अन्त्यज अर्थात् अन्त्यस्थानीय हैं।

ऐकान्तिक अपराधों में सभी साक्षी मान्य हैं—

अनुभावी तु यः कश्चित्कुर्यात्साक्ष्यं विवादिनाम्।
अन्तर्वेश्मन्यरण्ये वा शरीरस्यापि चात्यये ॥६९॥(५०)

(अन्त+वेश्मनि) घर के अन्दर एकान्त में हुई घटना में (वा) अथवा (अरण्ये) जंगल के एकान्त में हुई घटना में (अपि च) और (शरीरस्य अत्यये) रक्तपात आदि से शरीर के घायल हो जाने की अवस्था में (यः कश्चित् अनुभावी) जो कोई अनुभव करने वाला या देखने वाला हो वही (विवादिनाम्) विवाद करने वालों का (साक्ष्यं कुर्यात्) साक्षी हो सकता है, चाहे वह कोई भी हो ॥ ६९ ॥

स्त्रियाऽप्यसम्भवे कार्यं बालेन स्थविरेण वा।
शिष्येण बन्धुना वाऽपि दासेन भृतकेन वा ॥ ७० ॥

(स्त्रियाः+अपि+असम्भवे) उक्त स्थानों में स्त्री की विद्यमानता न होने पर (बालेन स्थविरेणवा शिष्येण बन्धुना दासेन अपिवा भृतकेन कार्यम्) बालक, बूढ़े, शिष्य, बन्धु, दास और नौकर को भी साक्षी देनी चाहिए ॥ ७० ॥

बालवृद्धातुराणां च साक्ष्येषु वदतां मृषा।
जानीयादस्थिरां वाचमुत्सिक्तमनसां तथा ॥ ७१ ॥

राजा (बाल-वृद्ध+आतुराणाम्) बालक, बूढ़े और दुःखी लोगों की (च) और (उत्सिक्तमनसाम्) अस्थिर मन वाले व्यक्तियों की (साक्ष्येषु मृषा वदताम्) साक्षी में झूठ बोलते हुए (अस्थिरां वाचं जानीयात्) अस्थिर वाणी को जान लेवे ॥ ७१ ॥

अनुशीलन : ७०–७१ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—(१) ६९ वें और ७२ वें श्लोक में साक्षियों की परीक्षा न करने का समान प्रसंग है। इस बीच अभाव में साक्षी व्यक्तियों का परिगणन और उनकी परीक्षा का कथन इस प्रसंग को भंग करने वाला है, अतः प्रसंगविरुद्ध है।

२. **अन्तर्विरोध**— (१) ७० वें श्लोक में यह ध्वनि है कि स्त्री की साक्षी आपत्काल में ही होती है, यह भावना ६८ वें श्लोक के विरुद्ध है। (२) ७० वें श्लोक में दासप्रथा की चर्चा है, यह मनुविरुद्ध है। मनु दास का अस्तित्व नहीं मानते, वे तो शूद्रवर्ण को स्वीकार करते हैं और उनका कार्य स्वेच्छया सेवाकार्य चुनना है [१।९१]। (३) ७१ वें श्लोक में बूढ़े, बालक, आदि की अस्थिर वाणी से उनकी गवाही की परीक्षा का कथन है, जबकि अन्य श्लोकों में सब ही के लिए यह निर्देश है [८। २५, २६, ७८]। फिर अलग से यह कथन अनावश्यक है। (४) जब ६९ वें श्लोक में एकान्त में प्रत्येक को साक्षी के लिए उपयुक्त स्वीकार किया है तो पुनः इन श्लोकों में अभाव-कालीन साक्षियों की गणना करना निरर्थक है, और उक्त श्लोक की भावना से विरुद्ध है। इस आधार पर ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

बलात्कार आदि कार्यों में सभी साक्षी हो सकते हैं—

साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसंग्रहणेषु च।
वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः॥ ७२॥ (५१)

(सर्वेषु साहसेषु) जितने बलात्कार के काम, (स्तेयसंग्रहणेषु च) चोरी व्यभिचार (वाक्दण्डयोः च पारुष्ये) कठोरवचन, दंडनिपातनरूप अपराध हैं (साक्षिणः न परीक्षेत) उनमें साक्षी की परीक्षा न करे और अत्यावश्यक भी समझें, क्योंकि ये काम सब गुप्त होते हैं॥ ७२॥ (स० प्र० १६९)

अनुशीलन : साक्षी-परीक्षा निषेध का कारण—

अभिप्राय यह है कि इनमें कोई भी प्रत्यक्षदर्शी गवाह प्रामाणिक हो सकता है। क्योंकि ये बातें गुप्तरूप से या एकान्त में होती हैं, अतः उत्तम आचरण या स्तर वाले व्यक्ति ही वहां उपस्थित हों, यह संभव नहीं।

साक्ष्यों में निश्चय—

बहुत्वं परिगृह्णीयात्साक्षिद्वैधे नराधिपः।
समेषु तु गुणोत्कृष्टान्गुणिद्वैधे द्विजोत्तमान्॥ ७३॥ (५२)

※ (साक्षिद्वैधे बहुत्वम्) दोनों ओर की साक्षियों में से बहुपक्षानुसार (समेषु तु गुणोत्कृष्टान्) तुल्य साक्षियों में उत्तम गुणी पुरुष की साक्षी के अनुकूल (गुणिद्वैधे द्विजोत्तमान्) और दोनों के साक्षी उत्तमगुणी और तुल्य

हों तो द्विजोत्तम अर्थात् ऋषि महर्षि और यतियों की साक्षी के अनुसार न्याय करे ॥ ७३ ॥ (स० प्र० १६६)

❀ (नराधिपः) राजा या न्यायाधीश·····

समक्षदर्शनात्साक्ष्यं श्रवणाच्चैव सिद्धचति ।
तत्र सत्यं ब्रुवःसाक्षी धर्मार्थाभ्यां न हीयते ॥ ७४ ॥ (५३)

(साक्ष्यं सिद्धचति) दो प्रकार से साक्षी होना सिद्ध होता है (समक्ष-दर्शनात्) एक—साक्षात् देखने (च) और (श्रवणात्) दूसरा - सुनने से (तत्र साक्षी सत्यं ब्रुवन्) जब सभा में पूछें तब जो साक्षी सत्य बोलें (धर्म+अर्थाभ्यां न हीयते) वे धर्महीन और दण्ड के योग्य न होवें और जो साक्षी मिथ्या बोलें वे यथायोग्य दण्डनीय हों ॥ ७४ ॥ (स० प्र० १६६)

साक्षी दृष्टश्रुतादन्यद्विब्रुवन्नार्यसंसदि ।
अवाङ्नरकमभ्येति प्रेत्य स्वर्गाच्च हीयते ॥ ७५ ॥ (५४)

(आर्यसंसदि) जो राजसभा वा किसी उत्तम पुरुषों की सभा में (साक्षी) साक्षी (दृष्ट-श्रुतात्+अन्यत् विब्रुवन्) देखने और सुनने से विरुद्ध बोले तो वह (अवाङ्नरकम्+अभ्येति) अवाङ्नरक=अर्थात् जिह्वा के छेदन से दुःखरूप नरक को वर्तमान समय में प्राप्त होवे (च) और (प्रेत्य स्वर्गात् हीयते) मरे पश्चात् सुख से हीन हो जाये ॥ ७५ ॥ (स० प्र० १६६)

यत्रानिबद्धोऽपीक्षेत शृणुयाद्वाऽपि किञ्चन ।
पृष्टस्तत्रापि तद् ब्रूयाद्यथादृष्टं यथाश्रुतम् ॥ ७६ ॥ (५५)

प्रत्यक्षदर्शी मनुष्य (अनिबद्धः+अपि) साक्षी के रूप में न बुलाये जाने पर भी [वादी वा प्रतिवादी के द्वारा] (यत्र किञ्चन ईक्षेत अपि वा शृणुयात्) जहाँ कुछ भी देखा या सुना हो (पृष्टः) न्यायाधीश के पूछने पर (तत्र+अपि) वहां (यथादृष्टं यथाश्रुतं तद् ब्रूयात्) जैसा देखा या सुना है, वैसा ही कह दे अर्थात् न्याय के लिए स्वयं साक्षीरूप में पहुंच जाये ॥ ७६ ॥

एकोऽनुबन्धस्तु साक्षी स्याद् बह्वयः शुच्योऽपि न स्त्रियः ।
स्त्रीबुद्धेरस्थिरत्वात्तु दोषैश्चान्येऽपि ये वृताः ॥ ७७ ॥

(अलुब्धः तु एकः साक्षी) लोभरहित यदि एक भी हो तो वह साक्षी ठीक (स्यात्) होता है। (स्त्रीबुद्धेः+अस्थिरत्वात् शुच्य बह्वयः स्त्रियः न) स्त्रियों के अस्थिर बुद्धि होने के कारण आत्मशुद्धि से युक्त हों और बहुत हों तो भी स्त्रियां साक्षी रूप में ठीक नहीं हैं (च) और (ये अन्ये दोषैः वृताः) जो कोई [चोरी आदि] दोषों से युक्त हैं, वे भी साक्षी नहीं हो सकते ॥ ७७ ॥

अनुशीलन : ७७ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. **प्रसंगविरोध**—यहां पूर्वापर प्रसंग साक्षी लेने की विधि का चल रहा है, बीच में स्त्री को साक्षी के लिए अनुपयुक्त कहना प्रसंगभञ्जक वर्णन है। (२) साक्षी के लिए कौन उपयुक्त है, कौन अनुपयुक्त, इस विधान का प्रसंग पहले (८। ६३-६४) आ चुका है। प्रसंग समाप्ति के पश्चात् पुनः नये सिरे से उस प्रसंग को कहना अप्रासंगिक है

२. **अन्तर्विरोध**—इस श्लोक में स्त्री को साक्षी के लिए निषिद्ध माना है, जबकि ६८वें श्लोक में उसे स्पष्टतः साक्षी माना है। उसके विरुद्ध होने से यह प्रक्षिप्त है।

३. **पुनरुक्ति**—इस श्लोक में 'निर्लोभ' गुण के आधार पर साक्षी को ठीक माना है। यह बात 'अलुब्धाः' शब्द से ६३ वें श्लोक में ही कह रखी है, अतः यह मात्र उसकी पुनरुक्ति ही है।

स्वाभाविक साक्ष्य ही ग्राह्य है—

स्वभावेनैव यद् ब्रूयुस्तद्ग्राह्यं व्यावहारिकम्।
अतो यदन्यद्विब्रूयुर्धर्मार्थं तदपार्थकम् ॥७८॥ (५६)

(तद् ग्राह्यम्) साक्षी के उस वचन को मानना (यत्) जो (स्वभावेन+एव व्यावहारिकं ब्रूयुः) स्वभाव ही से व्यवहारसम्बन्धी बोलें (अतः+अन्यत्+यत्+विब्रूयुः) और सिखाये हुए, इससे भिन्न जो-जो वचन बोलें (तत्) उस-उसको * (अपार्थकम्) न्यायाधीश व्यर्थ समझे ॥ ७८ ॥

(स० प्र० १६६)

* (धर्मार्थम्) सही न्याय के हेतु.....

साक्ष्य लेने की विधि—

सभान्तः साक्षिणः प्राप्तानर्थिप्रत्यर्थिसन्निधौ।
प्राड्विवाकोऽनुयुञ्जीत विधिना तेन सान्त्वयन् ॥७९॥ (५७)

(अर्थि-प्रत्यर्थिसन्निधौ) जब अर्थी=वादी और प्रत्यर्थी=प्रतिवादी के सामने (सभान्तः प्राप्तान् साक्षिणः) सभा के समीप प्राप्त हुए साक्षियों को (सान्त्वयन्) शान्ति पूर्वक (प्राड्विवाकः) न्यायाधीश और प्राड्विवाक् अर्थात् वकील या बैरिस्टर (तेन विधिना) इस प्रकार से (अनुयुञ्जीत) पूछें—॥ ७९ ॥ (स० प्र० १६६)

यद् द्वयोरनयोर्वेत्थ कार्येऽस्मिंश्चेष्टितं मिथः।
तद् ब्रूत सर्वं सत्येन युष्माकं ह्यत्र साक्षिता ॥८०॥ (५८)

हे साक्षि लोगो ! (अस्मिन् कार्ये) इस कार्य में (अनयोः द्वयोः मिथः चेष्टितम्) इन दोनों के परस्पर कर्मों में (यत् वेत्थ) जो तुम जानते हो (तत्) उस* को (सत्येन ब्रूत) सत्य के साथ बोलो (हि) क्योंकि (युष्माकम्) तुम्हारी (अत्र) इस कार्य में (साक्षिता) साक्षी है ॥ ८० ॥

(स० प्र० १६६)

*(सर्वम्) सब.....

सत्यं साक्ष्ये ब्रुवन्साक्षी लोकानाप्नोति पुष्कलान् ।
इह चानुत्तमां कीर्तिं वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥८१॥ (५६)

(साक्षी) जो साक्षी* (सत्यं ब्रुवन्) सत्य बोलता है (पुष्कलान् लोकान्+आप्नोति) वह जन्मान्तर में उत्तम जन्म, और उत्तम लोकान्तरों में जन्म को प्राप्त होके सुख भोगता है (इह च+अनुत्तमां कीर्तिम्) इस जन्म वा परजन्म में उत्तम कीर्ति को प्राप्त होता है (एषा वाक् ब्रह्मपूजिता) क्योंकि जो यह वाणी है वही वेदों में सत्कार और तिरस्कार का कारण लिखी है। जो सत्य बोलता है वह प्रतिष्ठित और मिथ्यावादी निन्दित होता है ॥ ८१ ॥ (स० प्र० १६६)

*(साक्ष्ये) साक्ष्य-व्यवहार में.....

साक्ष्येऽनृतं वदन्पाशैरभ्यते वारुणैर्भृशम् ।
विवशः शतमाजातीस्तस्मात्साक्ष्यं वदेदृतम् ॥ ८२ ॥

(साक्ष्ये+अनृतं वदन्) गवाही में झूठ बोलने वाला आदमी (भृशम्) प्रत्येक जन्म में (वारुणैः पाशैः बध्यते) वरुण-पाशों से बंध जाता है। (विवशः शतम्+आजातीः) और विवश होकर सौ जन्मों तक इसी प्रकार कष्ट भोगता रहता है (तस्मात्) इसलिए (साक्ष्यम् ऋतं वदेत्) साक्षी सत्य ही बोले ॥ ८२ ॥

अनुशीलन : ८२ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. **प्रसंगविरोध**—पूर्वापर श्लोकों में सत्यसाक्षी के लाभों का वर्णन चल रहा है, जिससे ज्ञात होता है कि ये दोनों श्लोक परस्पर सम्बद्ध हैं। बीच में अनृतभाषण के दण्ड का वर्णन करने से इनकी प्रसंगसम्बद्धता भंग हो गई है। अतः यह श्लोक प्रसंग-भञ्जक होने से प्रक्षिप्त है।

२. **शैलीगत आधार**—इस श्लोक में निराधार एवं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। सौ जन्म निश्चित करने और वरुणपाशों से बंधने की बात का कोई आधार नहीं है। मनु की शैली इस प्रकार निराधार एवं काल्पनिकता से युक्त नहीं है।

सत्येन पूयते साक्षी धर्मः सत्येन वर्धते।
तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सर्ववर्णेषु साक्षिभिः ॥ ८३ ॥ (६०)

(सत्येन साक्षी पूयते) सत्य बोलने से साक्षी पवित्र होता और (सत्येन धर्मः वर्धते) सत्य ही बोलने से धर्म बढ़ता है (तस्मात्) इस से (सर्ववर्णेषु) सब वर्णों में (साक्षिभिः) साक्षियों को (सत्यं हि वक्तव्यम्) सत्य ही बोलना योग्य है ॥ ८३ ॥ (स० प्र० १६६)

साक्षी आत्मा के विरुद्ध साक्ष्य न दे—

आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथाऽऽत्मनः।
माऽवमंस्थाः स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम् ॥८४॥ (६१)

(आत्मनः साक्षी आत्मा+एव हि) आत्मा का साक्षी आत्मा (तथा+आत्मनः गतिः+आत्मा) और आत्मा की गति आत्मा है, इसको जानके हे पुरुष! तू (नृणाम् उत्तमं साक्षिणम्) सब मनुष्यों का उत्तम साक्षी (स्वम्+आत्मानम्) अपने आत्मा का (मा+अवमंस्थाः) अपमान मत कर अर्थात् सत्यभाषण जो कि तेरे आत्मा, मन, वाणी में है वह सत्य, और जो इससे विपरीत है वह मिथ्या भाषण है ॥ ८४ ॥ (स० प्र० १६६)

अनुशीलन : 'आत्मा स्वयं आत्मा का साक्षी किस प्रकार होता है' इस पर विशेष-विस्तृत विचार के लिए देखिए १। १२५ [२। ६] पर 'आत्मनस्तुष्टि' सम्बन्धी अनुशीलन।

मन्यन्ते वै पापकृतो न कश्चित्पश्यतीति नः।
तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्वस्यैवान्तरपूरुषः ॥ ८५ ॥

(नः कश्चित् न पश्यति इति) 'हमें कोई नहीं देख रहा है' ऐसा (पापकृतः वै मन्यन्ते) पाप करने वाले समझते हैं (तु) किन्तु (तान्) उन्हें (देवाः) देवता [८। ८६ में वर्णित] (प्रपश्यन्ति) देखते हैं और (स्वस्य एव+अन्तरपूरुषः) उनका अपना अन्तरात्मा ही उनको देखता है ॥ ८५ ॥

द्यौर्भूमिरापो हृदयं चन्द्रार्कानिलयमानिलाः।
रात्रिः संध्ये च धर्मश्च वृत्तज्ञाः सर्वदेहिनाम् ॥ ८६ ॥

(द्यौः भूमिः+आपः हृदयम् चन्द्र-अर्क-अग्नि-यम-अनिलाः) आकाश, भूमि, जल, हृदय, चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि, यम, वायु (रात्रिः) रात्रि (च) और (संध्ये) दोनों संध्याकाल=प्रातःकाल एवं सायंकाल (च) और (धर्मः) धर्म, ये (सर्वदेहिनाम्) सब प्राणियों के (वृत्तज्ञाः) व्यवहार को जानने-देखने वाले हैं ॥ ८६ ॥

देवब्राह्मणसान्निध्ये साक्ष्यं पृच्छेदृतं द्विजान्।
उदङ्मुखान्प्राङ्मुखान्वा पूर्वाह्णे वै शुचिः शुचीन्॥ ८७॥

(शुचिः) शुद्ध-पवित्र हुआ न्यायकर्त्ता (पूर्वाह्णे) प्रातःकाल के समय में (देव-ब्राह्मण-सान्निध्ये) देवता और ब्राह्मणों के समीप (उदङ्मुखान् वा प्राङ्मुखान्) उत्तर या पूर्व की ओर मुख कराके (शुचीन् द्विजान्) शुद्ध-पवित्र हुए द्विजों से (ऋतं साक्ष्यं पृच्छेत्) ठीक-ठीक साक्षी पूछे॥ ८७॥

ब्रूहीति ब्राह्मणं पृच्छेत्सत्यं ब्रूहीति पार्थिवम्।
गोबीजकाञ्चनैर्वैश्यं शूद्रं सर्वैस्तु पातकैः॥ ८८॥

(ब्राह्मणं 'ब्रूहि' इति पृच्छेत्) ब्राह्मण को 'कहो' ऐसा पूछे ('सत्यं ब्रूहि'+ इति पार्थिवम्) 'सत्य बोलो' इस प्रकार क्षत्रिय से पूछे (गो-बीज-काञ्चनैः वैश्यम्) 'गौ, बीज, सोना चुराने से जो पाप होता है, वही पाप झूठी साक्षी से तुम्हें होगा' ऐसा कहकर वैश्य से पूछे (तु) और (सर्वैः पातकैः शूद्रम्) 'सब पाप लगेंगे जो झूठी साक्षी दोगे तो' ऐसा कहकर शूद्र से पूछे॥ ८८॥

ब्रह्मघ्नो ये स्मृता लोका ये च स्त्रीबालघातिनः।
मित्रद्रुहः कृतघ्नस्य ते ते स्युर्ऋतवो मृषा॥ ८९॥

(ब्रह्मघ्नः) ब्रह्महत्यारों को (स्त्री-बालघातिनः) स्त्रियों और बालकों के हत्यारों को (मित्रद्रुहः) मित्रद्रोही को (च) तथा (कृतघ्नस्य) कृतघ्न को (ये लोकाः स्मृताः) जो नरकलोकों की प्राप्ति मानी है (ते ते) वे सब (मृषा ब्रुवतः स्युः) झूठी साक्षी देने वाले को मिलते हैं॥ ८९॥

जन्मप्रभृति यत्किञ्चित्पुण्यं भद्र! त्वया कृतम्।
तत्ते सर्वं शुनो गच्छेद्यदि ब्रूयास्त्वमन्यथा॥ ९०॥

(भद्र) हे भद्र! (यदि त्वम्) यदि तू (अन्यथा ब्रूयाः) गलत या झूठ साक्षी देगा तो (जन्मप्रभृति) जन्म से लेकर अब तक (यत् किंचित् पुण्यं त्वया कृतम्) जो कुछ पुण्य तूने किया है (ते) तेरा (तत् सर्वम्) वह सब पुण्य (शुनः गच्छेत्) कुत्तों को मिलेगा, ऐसा पूछते समय साक्षी को कहे॥ ९०॥

अनुशीलन : ८५ से ९० तक के श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. **प्रसंगावरोध**—(१) पूर्वापर श्लोक ८४ एवं ९१ में आत्मा को आधार मानकर सत्य साक्षी देने का कथन है, जिससे इन दोनों श्लोकों की प्रसंग की दृष्टि से सम्बद्धता ज्ञात होती है। बीच के इन प्रसंगभिन्न श्लोकों ने उस प्रसंगसम्बद्धता को भंग कर दिया है, अतः ये श्लोक प्रसंगविरुद्ध हैं। (२) साक्षियों से न्यायकर्त्ता किस प्रकार प्रश्न करे यह प्रसंग ७६, ७८-८० श्लोकों में वर्णित हो चुका है और उसके पश्चात् सत्य-

साक्षी के महत्त्व का प्रसंग है। एक प्रसंग के समाप्त होने पर नये सिरे से पुनः ८७-९० श्लोकों में उसी प्रसंग को प्रारम्भ करना प्रसंगविरुद्ध है।

२. **अन्तर्विरोध**—न्यायाधीश राजा एवं विद्वानों द्वारा साक्षियों से प्रश्न पूछने की विधि ७९-८० श्लोकों में विहित कर दी है। यहां ८७-८८ में उससे भिन्न विधि का वर्णन किया है। पुनः भिन्न विधि को दर्शाना विरुद्धता है। अतः विरोध के कारण ये तथा इन पर आधारित ८९-९० श्लोक प्रक्षिप्त हैं। ८७ वें श्लोक में वर्णित विधि तो सम्भव भी नहीं, क्योंकि साक्षी तो न्यायाधीश की ओर मुंह करके साक्षी देते हैं।

३. **शैलीगत आधार**—शैली की दृष्टि से इन श्लोकों का वर्णन निराधार, अयुक्तियुक्त [८५, ८६, ८९, ९०], अतिशयोक्तिपूर्ण [८९, ९०] एवं अभद्र [९०] है। मनु की शैली में ये त्रुटियां नहीं हैं। ८५–८६ में जड़ वस्तुओं को द्रष्टा के रूप में स्वीकार किया है, जो बेतुकी बात है। ये प्राणियों के अच्छे और बुरे काम का निश्चय कैसे कर सकते हैं?

एकोऽहमस्मीत्यात्मानं यस्त्वं कल्याण ! मन्यसे।
नित्यं स्थितस्ते हृद्येष पुण्यपापेक्षिता मुनिः ॥९१॥ (६२)

(कल्याण) हे कल्याण की इच्छा करने हारे पुरुष ! (यत् त्वम्) जो तू (अहम् एकः अस्मि' इति) 'मैं अकेला हूँ' ऐसा (आत्मानं मन्यसे) अपने आत्मा में जानकर मिथ्या बोलता है सो ठीक नहीं है, किन्तु (एषः ते हृदि) जो दूसरा तेरे हृदय में (नित्यं पुण्यपापेक्षिता मुनिः स्थितः) अन्तर्यामीरूप से परमेश्वर पुण्य-पाप का देखने वाला मुनि स्थित है, उस परमात्मा से डरकर सदा सत्य बोला कर॥ ९१ ॥ (स० प्र० १६९)

यमो वैवस्वतो देवो यस्तवैष हृदि स्थितः।
तेन चेदविवादस्ते मा गङ्गां मा कुरून् गमः॥ ९२॥

(यः तव हृदि) जो तेरे हृदय में (एषः वैवस्वतः यमः देवः स्थितः) यह वैवस्वत परमात्मदेव स्थित है (तेन चेत् ते+अविवादः) उसके साथ यदि तेरा कोई विवाद नहीं है अर्थात् उससे मेल है तो (मा गङ्गाम् मा कुरून् गमः) [अपने पापों का प्रायश्चित्त करने के लिए या उन्हें दूर करने के लिए] गंगा या कुरुक्षेत्र को मत जाओ अर्थात् उसे इन स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं है॥ ९२॥

नग्नो मुण्डः कपालेन भिक्षार्थी क्षुत्पिपासितः।
अन्धः शत्रुकुलं गच्छेद्यः साक्ष्यमनृतं वदेत्॥ ९३॥

(यः अनृतं साक्ष्यं वदेत्) जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है वह (नग्नः मुण्डः क्षुत्-पिपासितः अन्धः) नंगा, सिर मुंडाए, भूखा-प्यासा और अन्धा होकर (कपालेन भिक्षार्थी)

खोपड़ी हाथ में लेकर भिखारी बनके (शत्रुकुलं गच्छेत्) शत्रुकुल में जाकर भीख मांगता है [परजन्म या इस जन्म में ही] ॥ ९३ ॥

अवाक्शिरास्तमस्यन्धे किल्बिषी नरकं व्रजेत् ।
यः प्रश्नं वितथं ब्रूयात्पृष्टः सन् धर्मनिश्चये ॥ ९४ ॥

(यः) जो (धर्मनिश्चये) धर्म का निर्णय करने के लिए (पृष्टः सन्) पूछने पर (प्रश्नं वितथं ब्रूयात्) प्रश्न का गलत या झूठ उत्तर दे तो वह (किल्बिषी) पापी (अवाक्-शिराः) नीचा मुंह किये (अन्धे तमसि नरकं व्रजेत्) महा अन्धकारमय नरक में जाता है ॥ ९४ ॥

अन्धो मत्स्यानिवाश्नाति स नरः कण्टकैः सह ।
यो भाषतेऽर्थवैकल्यमप्रत्यक्षं सभां गतः ॥ ९५ ॥

(यः) जो साक्षी (सभां गतः) न्यायालय में जाकर (अर्थवैकल्यम्+अप्रत्यक्षम् भाषते) सही बात को गलत अथवा अनदेखी को देखी हुई कहता है (सः नरः) वह मनुष्य (कण्टकैः सह मत्स्यान् अन्धः इव अश्नाति) कांटों समेत मछली को खाने वाले अन्धे के समान दुःखी होता है अर्थात् उसे परिणाम में प्राप्त होने वाला कष्ट दिखाई नहीं पड़ता, उस समय का सुख समझकर वह झूठ बोलता है ॥ ९५ ॥

अनुशीलन : ९२ से ९५ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१ **प्रसंगविरोध**—९१ और ९५ वें श्लोक की प्रसंग की सम्बद्धता है, क्योंकि इनमें आत्मा के आधार पर साक्ष्य का कथन है। बीच के श्लोकों ने उस प्रसंगसम्बद्धता को भंग कर दिया है, अतः ये प्रक्षिप्त हैं।

२. **अन्तर्विरोध**—(१) ९२ वें श्लोक में गंगा और कुरुक्षेत्र को तीर्थस्थान के रूप में माना है, जबकि मनु इस प्रकार किसी स्थान को तीर्थ के रूप में नहीं मानते। उन्होंने सर्वत्र निराकार ईश्वर के ध्यान का विधान किया है [२। ६९, ७६—७८, १०१—१०७, ६। ४९, ६०, ६५, ७३, ७४]। अतः यह श्लोक मनु की मान्यताओं के विरुद्ध है। (२) ९४ वें श्लोक में नरक का विधान है, यह मनुविरुद्ध है। मनु नरक नामक कोई स्थान-विशेष नहीं मानते [द्रष्टव्य ४। ८७-९१ पर 'अनुशीलन'] इस प्रकार ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

३. **शैलीगत आधार**—९३—९५ श्लोकों की शैली निराधार, अयुक्तियुक्त एवं अतिशयोक्तिपूर्ण है। मनु की शैली में ये त्रुटियाँ नहीं हैं।

यस्य विद्वान् हि वदतः क्षेत्रज्ञो नाभिशंकते ।
तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पुरुषं विदुः ॥ ९६ ॥(६३)

(यस्य वदतः) जिस बोलते हुए पुरुष का (विद्वान् क्षेत्रज्ञः) विद्वान्

अर्थात् शरीर का जानने हारा आत्मा (न+अभिशंकते) भीतर शंका को प्राप्त नहीं होता❋ (तस्मात्+अन्यम्) उससे भिन्न (देवाः) विद्वान् लोग (श्रेयांसं पुरुषं न विदुः) किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते ॥ ९६ ॥

(स० प्र० १६९)

❋ (लोके) जगत् में.....

अनुशीलन : आत्मा में किन बातों और कार्यों से शंका, भय आदि उत्पन्न होते हैं और किनसे नहीं' इस विषय पर विस्तृत विवेचन १। १२५ [२। ६] पर 'आत्मनस्तुष्टिः' शीर्षक अनुशीलन के अन्तर्गत देखिए।

यावतो बान्धवान् यस्मिन् हन्ति साक्ष्येऽनृतं वदन्।
तावतः संख्यया तस्मिंश्छणु सौम्यानुपूर्वशः ॥ ९७ ॥

(सौम्य) हे सौम्य ! (साक्ष्ये+अनृतं वदन्) साक्षी में झूठ बोलकर मनुष्य (यावतः बान्धवान्+यस्मिन् हन्ति) जितने बान्धवों को जिस झूठ को बोलकर मारता है अर्थात् मारने का फल प्राप्त करता है (तावत संख्यया तस्मिन् अनुपूर्वशः शृणु) उनकी गिनती उस-उस झूठ के अनुसार क्रमशः सुनो—॥ ९७ ॥

पञ्च पश्वनृते हन्ति दश हन्ति गवानृते।
शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते ॥ ९८ ॥

(पशु+अनृते पञ्च) पशु के विषय में झूठी साक्षी देकर पाँच को (हन्ति) मारने के पापफल को प्राप्त करता है (गौ+अनृते) गौ के विषय में (दश हन्ति) दश को मारता है (अश्व+अनृते शतं हन्ति) घोड़े के विषय में झूठ बोलने से सौ बान्धवों को मारता है (पुरुष+अनृते सहस्रं हन्ति) किसी मनुष्य के विषय में झूठी साक्षी देकर हजार बान्धवों को मारता है ॥ ९८ ॥

हन्ति जातानजातांश्च हिरण्यार्थेऽनृतं वदन्।
सर्वं भूम्यनृते हन्ति मा स्म भूम्यनृतं वदीः ॥ ९९ ॥

(हिरण्यार्थे+अनृत वदन्) सुवर्ण के विषय में झूठ बोलने पर (जातान् च अजातान् हन्ति) उत्पन्न हुए और अभी उत्पन्न न हुए पुत्रों को मारता है (भूमि+अनृते सर्वं हन्ति) भूमि के विषय में झूठ बोलने पर सबको ही मारने का फल पाता है, इस लिये (भूमि+अनृतम्) भूमि के विषय में झूठ (मा स्म वदीः) कभी मत बोलो ॥९९॥

अप्सु भूमिवदित्याहुः स्त्रीणां भोगे च मैथुने।
अब्जेषु चैव रत्नेषु सर्वेष्वदममयेषु च ॥ १०० ॥

(अप्सु) जलों के विषय में (भोगे च मैथुने) स्त्रियों के साथ भोग या मैथुन में (अब्जेषु च+ एव रत्नेषु) मोतियों आदि सब जल में प्राप्त रत्नों के विषय में (च)

और (सर्वेषु+अश्ममयेषु) सब पाषाणमय रत्नों के विषय में (भूमिवत् इति+आहुः) भूमि के समान ही फल कहा है ॥ १०० ॥

एतान्दोषानवेक्ष्य त्वं सर्वानेनृतभाषणे ।
यथाश्रुतं यथादृष्टं सर्वमेवाञ्जसा वद ॥ १०१ ॥

इसलिये (त्वम्) हे साक्षी मनुष्य तू (अनृतभाषणे) झूठ बोलने में (एतान् सर्वान् दोषान्+अवेक्ष्य) इन सब दोषों अर्थात् दुःखों को देखकर (यथाश्रुतम् यथादृष्टम्) जो जैसा सुना है, जो जैसा देखा है (सर्वम्+एव+अञ्जसा वद) वह सब ठीक-ठीक कहो ॥ १०१ ॥

गोरक्षकान्वाणिजिकांस्तथा कारुकुशीलवान् ।
प्रेष्यान्वार्धुषिकांश्चैव विप्रान् शूद्रवदाचरेत् ॥ १०२ ॥

(गोरक्षकान्) गो-पालक (वाणिजिकान्) वाणिज्य करने वाले (कारु-कुशीलवान्) कारीगर और नट (प्रेष्यान्) सेवक या दास (च) और (वार्धुषिकान्) ब्याज लेने वाले (विप्रान्) ब्राह्मणों के साथ, न्यायकर्त्ता (शूद्रवत्+आचरेत्) शूद्र की तरह आचरण करे ॥ १०२ ॥

तद्वदन्धर्मतोऽर्थेषु जानन्नप्यन्यथा नरः ।
न स्वर्गाच्च्यवते लोकाद्दैवीं वाचं वदन्ति ताम् ॥ १०३ ॥

(अर्थेषु) आगे कहे हुए विषयों में (जानन्+अपि) सही बात को जानते हुए भी (नरः) मनुष्य (धर्मतः) धर्मबुद्धि से अर्थात् भलाई के लिये (अन्यथा वदन्) झूठ बोलने पर भी (स्वर्गात् लोकात् न च्यवते) स्वर्गलोक से नहीं गिरता, क्योंकि (ताम् दैवीं वाचं वदन्ति) ऐसे वचनों को 'दैवीवाणी' कहा जाता है ॥ १०३ ॥

शूद्रविट्क्षत्रविप्राणां यत्रर्तोक्तौ भवेद्वधः ।
तत्र वक्तव्यमनृतं तद्धि सत्याद्विशिष्यते ॥ १०४ ॥

(यत्र) जिस विषय में (ऋत+उक्तौ) सत्य बोलने पर (शूद्र-विट्-क्षत्र-विप्राणाम् वधः भवेत्) शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय या किसी ब्राह्मण का प्राणवध होता हो (तत्र अनृतं वक्तव्यम्) वहां झूठ बोल देना चाहिए (हि) क्योंकि (तत्) वह झूठ बोलना (सत्यात् विशिष्यते) सत्य से अच्छा है ॥ १०४ ॥

वाग्दैवत्यैश्च चरुभिर्यजेरंस्ते सरस्वतीम् ।
अनृतस्यैनसस्तस्य कुर्वाणा निष्कृतिं पराम् ॥ १०५ ॥

(ते) वे झूठ बोलने वाले (तस्य अनृतस्य+एनसः) उस झूठ बोलने के पाप से (परां निष्कृतिं कुर्वाणाः) पूर्णतः छुटकारा प्राप्त करने के लिए (वाग् दैवत्यैः) 'वाग् देवता' वाली (चरुभिः) चरुओं=आहुतियों से (सरस्वतीं यजेरन्) सरस्वती का यजन करें ॥ १०५ ॥

कूष्माण्डैर्वापि जुहुयाद्घृतमग्नौ यथाविधि ।
उदित्यृचा वा वारुण्या तृचेनाब्दैवतेन वा ॥ १०६ ॥

(वा) अथवा (कूष्माण्डैः+अपि) कूष्मांडमंत्रों [यद्देवादेवहेडनम्०" यजु० २०।१४] से (यथाविधि अग्नौ घृतं जुहुयात्) विधिपूर्वक अग्नि में घृत की आहुति दे (वा) अथवा (उत्+इति+ऋचा वारुण्या) "उदुत्तमं वरुण पाशमस्मद्०" [यजु० १२।१२] इस वारुणी ऋचा से (वा) अथवा (आप्+दैवतेन तृचेन) जल देवता वाली "आपो हिष्ठा०" [यजु० ११ । ५०] आदि तीन ऋचाओं से घृत का हवन करे ॥ १०६ ॥

त्रिपक्षादब्रुवन्साक्ष्यमृणादिषु नरोऽगदः ।
तदृणं प्राप्नुयात्सर्वं दशबन्धं च सर्वतः ॥ १०७ ॥

(अगदः नरः) रोगरहित मनुष्य (ऋणादिषु) ऋण आदि लेन-देन के व्यवहारों में यदि (त्रिपक्षात् साक्ष्यम् अब्रुवन्) तीन पक्ष अर्थात् डेढ़ महीने तक साक्षी नहीं दे तो (तत् सर्वं ऋणं प्राप्नुयात्) साहूकार उस सब ऋण को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है (च) और (सर्वतः दशबन्धम्) सारे धन का दसवाँ हिस्सा दण्डरूप में राजा को भी देवे ॥ १०७ ॥

यस्य दृश्येत सप्ताहाद्व्युक्तवाक्यस्य साक्षिणः ।
रोगोऽग्निर्ज्ञातिमरणमृणं दाप्यो दमं च सः ॥ १०८ ॥

(यस्य साक्षिणः) जिस साक्षी के (उक्तवाक्यस्य) साक्षी देने के (सप्ताहात्) एक सप्ताह के भीतर (रोगः+अग्निः+ज्ञातिमरणम् दृश्येत) रोगोत्पत्ति होना, घर आदि में आग लगना, सम्बन्धी की मृत्यु होना आदि हो जाये तो भी (ऋणं दाप्यः) उससे ऋण लौटा लेना चाहिए (च) और (सः दमम्) वह व्यक्ति दण्ड का अधिकारी भी होता है ॥ १०८ ॥

साक्षी में शपथ दिलाने का कथन—

असाक्षिकेषु त्वर्थेषु मिथो विवदमानयोः ।
अविन्दंस्तत्त्वतः सत्यं शपथेनापि लम्भयेत् ॥ १०९ ॥

(मिथः विवदमानयोः) परस्पर झगड़ने वाले दो पक्षों में (असाक्षिकेषु अर्थेषु) यदि गवाह न हों तो ऐसे व्यवहारों में (सत्यं तत्त्वतः अविन्दन्) सच्चाई को ठीक-ठीक न जान पाने पर (शपथेन+अपि लम्भयेत्) शपथ दिलवाकर भी सत्य बात को जाने ॥ १०९ ॥

महर्षिभिश्च देवैश्च कार्यार्थं शपथाः कृताः ।
वसिष्ठश्चापि शपथं शेपे पैजवने नृपे ॥ ११० ॥

(महर्षिभिः च देवैः) महर्षियों और देवताओं ने भी (कार्यार्थम्) कार्यसिद्धि के लिए (शपथाः कृताः) शपथें की थीं—'कसमें खाई थीं' (वसिष्ठः अपि) ऋषि वसिष्ठ ने

भी (पैजवने नृपे) पिजवन के पुत्र सुदास राजा के सामने (शपथं शेपे) शपथ ली थी ॥ ११० ॥

न वृथा शपथं कुर्यात्स्वल्पेऽप्यर्थे नरो बुधः ।
वृथा हि शपथं कुर्वन्प्रेत्य चेह च नश्यति ॥ १११ ॥

(स्वल्पे+अपि अर्थे) छोटे से विषय में भी (बुधः नरः) समझदार मनुष्य (वृथा शपथं न कुर्यात्) मिथ्या शपथ न करे (हि वृथा शपथं कुर्वन्) क्योंकि मिथ्या शपथ करने पर वह मनुष्य (इह च प्रेत्य नश्यति) इस जन्म और परजन्म में भी विनाश को प्राप्त होता है ॥ १११ ॥

कामिनीषु विवाहेषु गवां भक्ष्ये तथेन्धने ।
ब्राह्मणाभ्युपपत्तौ च शपथे नास्ति पातकम् ॥ ११२ ॥

(कामिनीषु) स्त्रीसंभोग के विषय में, (विवाहेषु) विवाह-सम्बन्ध में (गवां भक्ष्ये) गौओं के चारे के विषय में (इन्धने) इन्धन के लिए (ब्राह्मण+अभ्युपपत्तौ) ब्राह्मण की रक्षा के विषय में अर्थात् इन लाभों की प्राप्ति के लिए (शपथे पातकं नास्ति) शपथ लेने में कोई पाप नहीं होता ॥ ११२ ॥

सत्येन शापयेद्विप्रं क्षत्रियं वाहनायुधैः ।
गोबीजकाञ्चनैर्वैश्यं शूद्रं सर्वैस्तु पातकैः ॥ ११३ ॥

(विप्रं सत्येन शापयेत्) ब्राह्मण को 'सत्य' के नाम से शपथ करावे (क्षत्रियं वाहन-आयुधैः) क्षत्रिय को वाहन और शस्त्रास्त्र की (वैश्यं गो-बीज-काञ्चनैः) वैश्य को गौ, बीज और सुवर्ण आदि की (शूद्रं सर्वैः पातकैः) शूद्र को 'सब पातकों' के नाम से शपथ करावे ॥ ११३ ॥

अग्निं वाहारयेदेनमप्सु चैनं निमज्जयेत् ।
पुत्रदारस्य वाप्येनं शिरांसि स्पर्शयेत्पृथक् ॥ ११४ ॥

(वा) अथवा (एनम्) साक्षी को (अग्निम् आहारयेत्) अग्नि खिलाये अग्निपरीक्षा करके देखे (च) और (अप्सु निमज्जयेत्) जल में गोता लगवावे (वा) अथवा (एनं पुत्रदारस्य शिरांसि पृथक् स्पर्शयेत्) इसे पुत्र और पत्नी के सिर को पृथक्-पृथक् स्पर्श कराके शपथ दिलवाये ॥ ११४ ॥

यमिद्धो न दहत्यग्निरापो नोन्मज्जयन्ति च ।
न चार्तिमृच्छति क्षिप्रं स ज्ञेयः शपथे शुचिः ॥ ११५ ॥

(यम्) जिसको (इद्धः अग्निः न दहति) जलती हुई अग्नि न जलावे (च) और (आपः न+उन्मज्जयन्ति) जल न डुबायें (च) तथा (क्षिप्रं न आर्तिम्+ऋच्छति) जो शीघ्र ही किसी बड़े कष्ट को न प्राप्त हो (सः शपथे शुचिः ज्ञेयः) वह शपथ के विषय में सच्चा समझना चाहिए ॥ ११५ ॥

वत्सस्य हृनिशस्तस्य पुरा भ्राता यवीयसा।
नाग्निर्ववाह रोमापि सत्येन जगतः स्पशः॥ ११६॥

(पुरा) प्राचीन काल में (वत्सस्य) ऋषि वत्स को (यवीयसा भ्राता अभिशस्तस्य) उसके छोटे भाई वैमात्र ने लांछन लगाया था [कि 'तू ब्राह्मण नहीं है, शूद्र की सन्तान है। इसकी शपथ के लिए उसकी अग्निपरीक्षा हुई थी] किन्तु अग्निपरीक्षा में (सत्येन) सच्चाई के कारण (जगतः स्पशः अग्निः रोमापि न ददाह) सारे जगत् के अच्छे-बुरे का ज्ञान रखने वाली अग्नि ने उसके एक रोम को भी नहीं जलाया॥ ११६॥

अनुशीलन : ६७ से ११६ श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—(१) ६७–१०१ श्लोकों में नरक और १०३–१०६ में स्वर्ग की मान्यता मनु के विरुद्ध है। मनु स्वर्ग-नरक नामक कोई पृथक् स्थान नहीं मानते [द्रष्टव्य ४। ८७—९१ श्लोकों पर अनुशीलन]। इन्हीं श्लोकों में एक व्यक्ति के कर्मों का अनेकों को भोक्ता माना है। यह मान्यता ४।२४० के विरुद्ध है। उसमें मनु ने कर्त्ता को ही भोक्ता माना है। (२) १०२ में वैश्य और शूद्र कर्म वाले व्यक्तियों को भी ब्राह्मण माना है जो मनु के विधान से विरुद्ध है [१। ८८]। प्रतीत होता है ये उस समय के मिलाये श्लोक हैं, जब कर्मणा वर्णव्यवस्था भंग होकर जन्मना प्रचलित हो चुकी थी। (३) पिछले सम्पूर्ण प्रसंग में सत्यसाक्षी देने के लिए प्रेरणा एवं विधान है [७४—७६, ८१–८४, ९१, ९६], किन्तु १०४–१०६ श्लोकों में कुछ अवसरों पर झूठी साक्षी की छूट है। (४) १०९–११६ श्लोकों में साक्षी के अभाव में शपथ कराने की बात कही है, जबकि ८। १८२ में साक्षी के अभाव में गुप्तचरों द्वारा जानकारी प्राप्त करने का निर्देश है। इस प्रकार शपथ मनुसम्मत नहीं है। (५) १०९—११६ में शपथ को भी न्याय का आधार माना है, जबकि ८। ५२ में केवल लिखा-पढ़ी और साक्षी को ही निर्णय का आधार कहा है। शपथ लेना मनुसम्मत नहीं है, क्योंकि मनु साक्षी भी विशेषगुण वालों को ही स्वीकार करते हैं [८। ६३] सब को नहीं। शपथ तो हर कोई उठा सकता है, अतः मनु के मतानुसार निर्णय में शपथ प्रामाणिक नहीं। इन अन्तर्विरोधों के कारण उक्त श्लोक प्रक्षिप्त हैं। शेष इन पर आधारित होने के कारण स्वयं प्रक्षिप्त कहलायेंगे। (६) १०९—११६ श्लोकों में शपथ की विधि मनुविरुद्ध है, क्योंकि मनु पहले ८।७९-८४ श्लोकों में 'साक्षी देने-पूछने की विधि' का वर्णन कर चुके हैं। वहां शपथ की कहीं गणना या उल्लेख नहीं है अपितु सत्य को ही साक्षी का आधार माना है। इन श्लोकों में साक्षी में उससे भिन्न व्यवस्था विरुद्ध होने से मनुसम्मत नहीं।

२. **शैलीगत आधार**—(१) १०९–११६ में शपथ के प्रसंग में मनु से परवर्ती सुदास, वसिष्ठ, वैमात्र, वत्स आदि व्यक्तियों का उल्लेख है। स्पष्ट है ये श्लोक परवर्ती काल की रचनाएं हैं। (२) इन सभी श्लोकों की शैली निराधार, अयुक्तियुक्त एवं अतिशयोक्तिपूर्ण है। ११४—११५ में अग्नि, जल आदि की परीक्षाएं दी हैं। अग्नि का

धर्म जलाना है। वह पवित्र और अपवित्र सभी को अवश्य ही जलायेगी। अग्नि आदि को पवित्र साक्ष्य का आधार मानना सर्वथा बेतुकी बातें हैं। इस आधार पर भी ये श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं।

३. **अवान्तर विरोध**—वैसे तो इन श्लोकों में पर्याप्त अवान्तर विरोध हैं, किन्तु १०४ और १०५ का अवान्तर विरोध तो उल्लेखनीय है। १०४ में सत्य से असत्य को श्रेष्ठ मानकर पाप नहीं माना है, और १०५—१०६ में उस असत्य को पाप मानकर शुद्धि तथा प्रायश्चित्त के लिए 'वाग्दैवत्य' मन्त्रों से यजन का कथन है। कैसी विरुद्ध और हास्यास्पद बात है? मनुसदृश ऋषि इस प्रकार का कथन कदापि नहीं कर सकते, अतः ये श्लोक अप्रामाणिक एवं प्रक्षिप्त हैं।

झूठी गवाही वाले मुकद्दमे पर पुनर्विचार—

यस्मिन्यस्मिन्विवादे तु कौटसाक्ष्यं कृतं भवेत्।
तत्तत्कार्यं निवर्तेत कृतं चाप्यकृतं भवेत् ॥११७॥ (६४)

(यस्मिन् यस्मिन् विवादे तु) जिस-जिस मुकद्दमे में (कौटसाक्ष्यं कृतं भवेत्) यह पता लगे कि झूठी या गलत साक्षी हुई है (तत्-तत् कार्यं निवर्तेत) उस-उस निर्णय को रद्द करके पुनः विचार करे, क्योंकि वह (कृतं च+अपि+अकृतं भवेत्) किया हुआ काम भी न किये के समान है ॥११७॥

असत्य साक्ष्य के आधार—

लोभान्मोहाद्भयान्मैत्रात्कामात्क्रोधात्तथैव च।
अज्ञानाद्बालभावाच्च साक्ष्यं वितथमुच्यते ॥११८॥ (६५)

(लोभात् मोहात् भयात् मैत्रात् कामात् क्रोधात् अज्ञानात् च बालभावात् साक्ष्यम्) जो लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध, अज्ञान और बालकपन से साक्षी देवे (वितथम्+उच्यते) वह सब मिथ्या समझी जावे॥ ११८॥ (स० प्र० १७१)

असत्य साक्ष्य में दोषानुसार दण्डव्यवस्था—

एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमनृतं वदेत्।
तस्य दण्डविशेषांस्तु प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः ॥११९॥ (६६)

(एषाम्) इन [८। ११८] लोभ आदि कारणों में से (अन्यतमे स्थाने) किसी कारण के होने पर (यः अनृतं साक्ष्यं वदेत्) जो कोई झूठी साक्षी देता है (तस्य) उसके लिए (दण्डविशेषान्) दण्डविशेषों को (अनुपूर्वशः) क्रमशः (प्रवक्ष्यामि) कहूँगा [८। १२०—१२२] ॥ ११९॥

"इनसे भिन्न स्थान में साक्षी झूठ बोले उसको वक्ष्यमाण अनेकविध दण्ड दिया करे।" (स० प्र० १७१)

लोभात्सहस्रं दण्ड्यस्तु मोहात्पूर्वं तु साहसम्।
भयाद्द्वौ मध्यमौ दण्डौ मैत्रात्पूर्वं चतुर्गुणम् ॥१२०॥(६७)

(लोभात् सहस्रं दण्डयः) जो लोभ से झूठी गवाही दे तो 'एक हजार पण' का दण्ड देना चाहिए (मोहात् पूर्वं साहसम्) मोह से देने वाले को 'प्रथम साहस', (भयात् द्वौ मध्यमौ दण्डौ) भय से देने पर दो 'मध्यम साहस' का दण्ड दे (मैत्रात्) मित्रता से झूठी गवाही देने पर (पूर्वं चतुर्गुणम्) 'प्रथम साहस' का चार गुना दण्ड देना चाहिए ॥ १२० ॥

"जो लोभ से झूठी साक्षी देवे तो उससे १५।।=) [पन्द्रह रुपये दश आने] दण्ड लेवे। जो मोह से झूठी साक्षी देवे उससे ३।।=)।। [तीन रुपये साढ़े चौदह आने] दण्ड लेवे। जो भय से मिथ्या साक्षी देवे उससे १५।।=) [पन्द्रह रुपये दश आने] दण्ड लेवे, और जो पुरुष मित्रता से झूठी साक्षी देवे उससे १५।।=) [पन्द्रह रुपये दश आने] दण्ड लेवे।" (स० प्र० षष्ठ समु० परोपकारिणी सभा प्रकाशन ३४ वां संस्करण)

कामाद्दशगुणं पूर्वं क्रोधात्तु त्रिगुणं परम्।
अज्ञानाद्द्वे शते पूर्णे बालिश्याच्छतमेव तु ॥१२१॥ (६८)

(कामात् दशगुणं पूर्वम्) काम से झूठी गवाही देने पर दशगुना 'प्रथम साहस' (क्रोधात् तु त्रिगुणं परम्) क्रोध से देने पर तिगुना 'उत्तम साहस' (अज्ञानात् द्वे शते पूर्णे) अज्ञान से देने पर दो सौ 'पण' और (बालिश्यात् शतम्+एव तु) बालकपन में देने से सौ 'पण' दण्ड होना चाहिए ॥१२१॥

"जो पुरुष कामना से मिथ्या साक्षी देवे उससे ३९—) [उनतालीस रुपये एक आना] दण्ड लेवे। जो पुरुष क्रोध से झूठी साक्षी देवे उससे ४६।।=) [छयालीस रुपये चौदह आने] दण्ड लेवे। जो पुरुष अज्ञानता से झूठी साक्षी देवे उससे ३=) [तीन रुपये दो आने] दण्ड लेवे, और जो बालकपन से मिथ्यासाक्षी देवे तो उससे १।।—) [एक रुपया नौ आने] दण्ड लेवे।' (स० प्र० उपर्युक्त संस्करण षष्ठ समु०)

अनुशीलन : (१) साहसदण्ड, उनका प्रमाण एवं अर्वाचीन मुद्राओं से तुलना-तालिका—

(क)— (श्लोक ८ । १३८ में वर्णित)

साहस नाम	पण	रुपये-आने में
१. प्रथम या पूर्वसाहस	२५०	३।।।=)।। तीनरुपये साढ़ेचौदह आने
२. मध्यम साहस	५००	७।।।—) सात रुपये तेरह आने
३. उत्तम या परसाहस	१०००	१५।।=) पन्द्रह रुपये दश आने

(ख)— १ पण का—१ पैसा

४ पैसे का—१ आना

१६ आने का / या / ६४ पण का } —१ रुपया

(२) झूठी साक्षियों में अर्थदण्ड एवं उनकी अर्वाचीन मुद्राओं से तुलना—तालिका—

(श्लोक ८ । १२०—१२१ में वर्णित)

	अपराध	वर्णित दण्डनाम	पण	रुपये-आने-पैसे
१	लोभ से झूठी साक्षी देने पर	हजार पण	१०००	१५।।=) [पन्द्रह रुपये दश आने]
२	मोह से झूठी साक्षी में	पूर्व साहस	२५०	३।।।=)।। [तीन रुपये साढ़े चौदह आने]
३	भय से झूठी साक्षी में	दो मध्यम साहस	१०००	१५।।=) [पन्द्रह रुपये दश आने]
४	मैत्री से झूठी साक्षी में	चार गुणा प्रथम साहस	१०००	१५।।= [पन्द्रह रुपये दश आने]
५	काम से झूठी साक्षी में	दश गुणा प्रथम साहस	२५००	३९—) [उनतालीस रुपये एक आना]
६	क्रोध से झूठी साक्षी में	तीन गुणा उत्तम साहस	३०००	४६।।।=) [छयालीस रुपये चौदह आने]
७	अज्ञान से झूठी साक्षी में	दो सौ पण	२००	३=) [तीन रुपये दो आने]
८	बालकपन से झूठी साक्षी में	सौ पण	१००	१।।—) [एक रुपया नौ आने]

एतानाहुः कौटसाक्ष्ये प्रोक्तान्दण्डान्मनीषिभिः ।
धर्मस्याव्यभिचारार्थमधर्मनियमाय च ॥ १२२ ॥ (६६)

(धर्मस्य+अव्यभिचारार्थम्) धर्म का लोप न होने देने के लिए (च) और (अधर्मनियमाय) अधर्म को रोकने के लिए (कौटसाक्ष्ये) झूठी या गलत गवाही देने पर (मनीषिभिः प्रोक्तान्) विद्वानों द्वारा विहित (एतान्-दण्डान्+आहुः) इन[६।११६-१२१] दण्डों को कहा है ॥ १२२ ॥

कौटसाक्ष्यं तु कुर्वाणांस्त्रीन्वर्णान्धार्मिको नृपः ।
प्रवासयेद्दण्डयित्वा ब्राह्मणं तु विवासयेत् ॥ १२३ ॥

(धार्मिकः नृपः) धार्मिक राजा (कौटसाक्ष्यं कुर्वाणान्) झूठी साक्षी देने वाले (त्रीन् वर्णान्) तीन वर्ण वालों—क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनको (दण्डयित्वा प्रवासयेत्) दण्ड देकर देश से निकालदे (तु) किन्तु (ब्राह्मणं विवासयेत्) ब्राह्मण को [विना दण्ड दिये] देशनिकाला ही देदे ॥ १२३ ॥

दश स्थानानि दण्डस्य मनुः स्वायंभुवोऽब्रवीत् ।
त्रिषु वर्णेषु यानि स्युरक्षतो ब्राह्मणो व्रजेत् ॥ १२४ ॥

(मनुः स्वायंभुवः) स्वायंभुव मनु ने (त्रिषु वर्णेषु यानि स्युः) क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन तीन वर्णों पर लागू होने वाले (दण्डस्य दश स्थानानि अब्रवीत्) दण्ड के दस स्थान बतलाये हैं [८। १२५ में] (ब्राह्मणः अक्षतः व्रजेत्) ब्राह्मण विना दण्ड के ही चला जाये ॥ १२४ ॥

उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तौ पादौ च पञ्चमम् ।
चक्षुर्नासा च कर्णौ च धनं देहस्तथैव च ॥ १२५ ॥

(उपस्थम्) उपस्थेन्द्रिय (उदरम्) पेट (जिह्वा) जीभ (हस्तौ) दोनों हाथ (च) और (पञ्चमम्) पांचवां स्थान (पादौ) दोनों पैर (चक्षुः) आंख (नासा) नाक (कर्णौ) दोनों कान (धनम्) धन (च) और (देहः) शरीर, ये दण्ड के दस स्थान हैं ॥ १२५ ॥

अनुशीलन : १२३ से १२५ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—(१) १२३ वें श्लोक में ब्राह्मण को दण्ड से सुरक्षित रखकर केवल देशनिकाला देने का कथन और अन्य वर्णों को सभी दण्ड देने का कथन पक्ष-पातपूर्ण है तथा मनु की मौलिक मान्यता के विरुद्ध है। मनु चारों वर्णों को दण्डनीय मानते हैं, अपितु समझदार और जिम्मेदार होने के कारण, अपराध करने पर, उत्तरोत्तर वर्ण को अधिक एवं अवश्य दण्डनीय मानते हैं (७। १७, ८। ३३५-३३८)।

२. **शैलीगत आधार**—(१) १२४-१२५ श्लोकों में "मनुः स्वायंभुवः अब्रवीत्"

पद स्पष्ट संकेत देते हैं कि ये श्लोक मनु से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति की रचनाएं हैं, अतः प्रक्षिप्त हैं। (२) १२३ की शैली में पक्षपात की भावना है।

दण्ड देते समय विचारणीय बातें—

अनुबन्धं परिज्ञाय देशकालौ च तत्त्वतः।
सारापराधौ चालोक्य दण्डं दण्ड्येषु पातयेत् ॥ १२६ ॥ (७०)

न्यायकर्त्ता (अनुबन्धम्) अपराधी का इरादा, षड्यन्त्र या बार-बार किये गये अपराध को (च) और (तत्त्वतः देशकालौ) सही रूप में देश और काल को (परिज्ञाय) जानकर (च) तथा (सार-अपराधौ) अपराधी की शारीरिक एवं आर्थिक शक्ति और अपराध का स्तर (आलोक्य) देख-विचार कर (दण्ड्येषु दण्डं पातयेत्) दण्डनीय लोगों को दण्ड दे ॥ १२६ ॥

"परन्तु जो-जो दण्ड लिखा है और लिखेंगे, जैसे—लोभ से साक्षी देने में पन्द्रह रुपये दश आने दण्ड लिखा है; परन्तु जो अत्यन्त निर्धन हो तो उससे कम, और धनाढ्य हो तो उससे दूना, तिगुना और चौगुना तक भी ले लेवे अर्थात् जैसा देश, जैसा काल और जैसा पुरुष हो उस का जैसा अपराध हो वैसा ही दण्ड करे।" (स० प्र० १७२)

अधर्मदण्डनं लोके यशोघ्नं कीर्तिनाशनम्।
अस्वर्ग्यं च परत्रापि यस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥ १२७ ॥ (७१)

(लोके अधर्मदण्डनम्) क्योंकि इस संसार में जो अधर्म से दण्ड करना है वह (यशोघ्नं कीर्तिनाशनम्) पूर्वप्रतिष्ठा और भविष्यत् में, और परजन्म में होने वाली कीर्ति का नाश करने हारा है (च) और (परत्र+अपि-अस्वर्ग्यम्) परजन्म में भी दुःखदायक होता है (तस्मात्) इसलिये (तत् परिवर्जयेत्) अधर्म-युक्त दण्ड किसी पर न करे ॥ १२७ ॥ (स० प्र० १७१)

अदण्ड्यान्दण्डयन् राजा दण्ड्यांश्चैवाप्यदण्डयन्।
अयशो महदाप्नोति नरकं चैव गच्छति ॥१२८॥(७२)

(राजा) जो राजा (दण्ड्यान् अदण्डयन्) दण्डनीयों को न दण्ड (अदण्ड्यान् दण्डयन्) अदंडनीयों को दण्ड देता है अर्थात् दण्ड देने योग्य को छोड़ देता और जिसको दण्ड देना न चाहिए उस को दण्ड देता है वह (महत् अयशः आप्नोति) जीता हुआ बड़ी निन्दा को (च) और (नरकम् एव गच्छति) मरे पीछे बड़े दुःख को प्राप्त होता है; इसलिए जो अपराध करे उसको सदा दण्ड देवे और अनपराधी को दण्ड कभी न देवे ॥ १२८ ॥

(स० प्र० १७१)

"जो राजा अनपराधियों को दण्ड देता और अपराधियों को दण्ड नहीं देता है, वह इस जन्म में बड़ी अपकीर्ति को प्राप्त होता और मरे पश्चात् नरक अर्थात् महादुःख को पाता है।" (स० वि० १५३)

वाग्दण्डं प्रथमं कुर्याद्धिग्दण्डं तदनन्तरम् ।
तृतीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम् ॥ १२९ ॥ (७३)

(प्रथमं वाक्+दण्डम्) प्रथम वाणी का दण्ड अर्थात् उसकी 'निन्दा' (तत्+अनन्तरम्) दूसरा (धिक्+दण्डम्) 'धिक्' दण्ड अर्थात् तुझको धिक्कार है, तूने ऐसा बुरा काम क्यों किया (तृतीयं धनदण्डम्) तीसरा—उससे धन लेना, और❀ (वधदण्डम्) 'वध' दण्ड अर्थात् उसको कोड़ा या बेंत से मारना वा शिर काट देना❀॥ १२९ ॥ (स० प्र० १७१)

❀ (अतः परम्) इस दण्ड से न सुधरे तो उसके पश्चात्.....

❀ (कुर्यात्) करे

वधेनापि यदा त्वेतान्निग्रहीतुं न शक्नुयात् ।
तदेषु सर्वमप्येतत्प्रयुञ्जीत चतुष्टयम् ॥१३०॥ (७४)

राजा (एतान्) इन अपराधियों को (यदा) जब (वधेन+अपि) शारीरिक दण्ड से भी (निग्रहीतुं न शक्नुयात्) नियन्त्रित न कर सके (तदा+एषु) तो इन पर (सर्वम्+अपि+एतत् चतुष्टयं प्रयुञ्जीत) सभी उपर्युक्त [८। १२९] चारों दण्डों को एकसाथ और तीव्ररूप में लागू कर देवे ॥ १३० ॥

लेन-देन के व्यवहार में काम आने वाले बाट और मुद्राएं—

लोकसंव्यवहारार्थं याः संज्ञाः प्रथिता भुवि ।
ताम्ररूप्यसुवर्णानां ताः प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ १३१ ॥ (७५)

अब मैं (ताम्र-रूप्य-सुवर्णानां या संज्ञाः) तांबा, चाँदी, सुवर्ण आदि की 'पण' आदि मुद्राएं और 'माष' आदि बाटों की संज्ञाएं (लोकव्यवहारार्थम्) मोल लेना-देना आदि लोकव्यवहार के लिए (भुवि प्रथिताः) जगत् में प्रसिद्ध हैं (ताः) इन सबको (अशेषतः प्रवक्ष्यामि) पूर्णरूप से कहता हूँ ॥ १३१ ॥

तोल के पहले मापक त्रसरेणु की परिभाषा—

जालान्तरगते भानौ यत्सूक्ष्मं दृश्यते रजः ।
प्रथमं तत्प्रमाणानां त्रसरेणुं प्रचक्षते ॥१३२॥ (७६)

(भानौ जालान्तरगते) सूर्य की किरणों के मकान की खिड़कियों के

अन्दर से प्रवेश करने पर [उस प्रकाश में] (यत् सूक्ष्मं रजः दृश्यते) जो बहुत छोटा रजकण (कण) दिखाई पड़ता है (तत्) वह (प्रमाणानां प्रथमम्) प्रमाणों=मापकों अर्थात् तोलने के बाटों में पहला प्रमाण है, और उसे ('त्रसरेणु' प्रचक्षते) 'त्रसरेणु' कहते हैं ॥ १३२ ॥

[महर्षि-दयानन्द ने इस श्लोक को 'त्रसरेणु' के लक्षण-प्रसंग में 'पूना प्रवचन' में पृष्ठ ८० पर उद्धृत किया है]

लिक्षा-राजसर्षप-गौरसर्षप की परिभाषा—

त्रसरेणवोऽष्टौ विज्ञेया लिक्षैका परिमाणतः।
ता राजसर्षपस्तिस्रस्ते त्रयो गौरसर्षपः ॥१३३॥ (७७)

[तोलने में] (परिमाणतः) माप के अनुसार (अष्टौ 'त्रसरेणवः') आठ 'त्रसरेणु' की (एका 'लिक्षा' विज्ञेया) एक 'लिक्षा' होती है और (ताः तिस्रः 'राजसर्षपः') उन तीन लिक्षाओं का एक 'राजसर्षप' (ते त्रयः गौरसर्षपः) उन तीन 'राजसर्षपों' का एक 'गौरसर्षप' होता है ॥ १३३ ॥

मध्ययव, कृष्णल, माष और सुवर्ण की परिभाषा—

सर्षपाः षट् यवो मध्यस्त्रियवं त्वेककृष्णलम्।
पञ्चकृष्णलको माषस्ते सुवर्णस्तु षोडश ॥१३४॥ (७८)

(षट् सर्षपाः मध्य-यवः) छः गौरसर्षपों का एक 'मध्ययव' परिमाण होता है (तु) और (त्रियवम् एक कृष्णलम्) तीन मध्ययवों का एक 'कृष्णल'=रत्ती (पञ्च-कृष्णलकः माषः) पाँच कृष्णलों=रत्तियों का एक 'माष' [सोने का] और (ते षोडश सुवर्णः) उन सोलह माषों का एक 'सुवर्ण' होता है ॥ १३४ ॥

पल, धरण, रौप्यमाषक की परिभाषा—

पलं सुवर्णाश्चत्वारः पलानि धरणं दश।
द्वे कृष्णले समधृते विज्ञेयो रौप्यमाषकः ॥ १३५ ॥ (७९)

(चत्वारः सुवर्णाः 'पलम्') चार सुवर्णों का एक 'पल' होता है (दश पलानि 'धरणम्') दश पलों का एक 'धरण' होता है (द्वे कृष्णले समधृते 'रौप्यमाषकः' विज्ञेयः) दो कृष्णल=रत्ती तराजू पर रखने पर उनके बराबर तोल का माप एक 'रौप्यमाषक' जानना चाहिए ॥ १३५ ॥

रौप्यधरण, राजतपुराण, कार्षापण की परिभाषा—

ते षोडश स्याद्धरणं पुराणश्चैव राजतः।
कार्षापणस्तु विज्ञेयस्ताम्रिकः कार्षिकः पणः ॥१३६॥ (८०)

(तेषोडश 'धरणं' स्यात्) उन सोलह रौप्यमाषकों का एक 'रौप्यधरण' तोल का माप होता है (च) और एक ('राजतः पुराणः') चाँदी का 'पुराण' नामक सिक्का होता है (ताम्रिकः कार्षिकः पणः) तांबे का कर्षभर अर्थात् १६ माषे वजन का 'पण' ('कार्षापणः' विज्ञेयः) 'कार्षापण' सिक्का समझना चाहिए ॥ १३६ ॥

रौप्यशतमान, निष्क की परिभाषा—

धरणानि दश ज्ञेयः शतमानस्तु राजतः।
चतुःसौवर्णिको निष्को विज्ञेयस्तु प्रमाणतः ॥ १३७ ॥ (८१)

(दश धरणानि) दश रौप्यधरणों का ('राजतः शतमानः' ज्ञेयः) एक चांदी का शतमान' जानें, और (प्रमाणतः) प्रमाणानुसार (चतुः सौवर्णिकः 'निष्कः' विज्ञेयः) चार सुवर्ण का एक 'निष्क' [= अशर्फी] जानना चाहिए ॥ १३७ ॥

अनुशीलन : (१) तोलने के प्रमाणों का विवेचन और तालिका—

(क) श्लोक १३२ से १३६ तक लेन-देन के व्यवहार में काम आने वाले तोल के प्रमाणों अर्थात् बाटों का वर्णन है। उनमें त्रसरेणु से कृष्णल = रत्ती (गुंजा) तक के प्रमाण भूमि में उत्पन्न पदार्थों पर आधारित थे। माप से धरण तक के सोने के और कृष्णल से रौप्यशतमान तक के चाँदी के बाट होते थे। तालिका के अनुसार उनका विवरण निम्न प्रकार है—

४ त्रसरेणु	=	१ लिक्षा		
३ लिक्षा	=	१ राजसर्षप (छोटी काली सरसों)		
३ राजसर्षप	=	१ गौरसर्षप (सफेद सरसों)		
६ गौरसर्षप	=	१ मध्ययव (न बड़ा, न छोटा जौ)		
३ मध्ययव	=	१ कृष्णल = गुंजा या रत्ती		
५ कृष्णल (रत्ती)	=	१ माष (सोने का) बना लगभग आने भर वजन)	सोने से निर्मित बाट	
१६ माष	=	१ सुवर्ण या कर्ष (लगभग रुपये भर वजन का		
४ सुवर्ण	=	१ पल (लगभग छटांक)		
१० पल	=	१ धरण		
२ कृष्णल रत्ती	=	१ रौप्यमाषक	चाँदी से निर्मित बाट	
१६ रौप्यमाषक	=	१ रौप्यधरण		
१० रौप्यधरण	=	१ रौप्यशतमान		

(ख) **कौटिल्य द्वारा वर्णित तोल-प्रमाण**—कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मनु के तोल-प्रमाणों को लगभग उसी रूप में उद्धृत किया है। उनसे मनुप्रोक्त प्रमाणों पर प्रकाश भी पड़ता है—

(अ) कौटिल्य के अनुसार सोने के तोलप्रमाणों में पांच रत्ती अथवा दस उड़द के दाने के बराबर एक सुवर्णमाषक होता है। सोलह सुवर्णमाष का एक सुवर्ण या एक कर्ष, और चार कर्ष का एक पल होता है।

(आ) चांदी के तोल प्रमाणों में अट्ठासी सफेद सरसों के परिणाम का एक रूप्यमाषक होता है। मनु के अनुसार २ कृष्णल या छत्तीस गौर सर्षप का रूप्यमाषक है। सोलह रूप्यमाषक का एक धरण होता है।[1]

(२) **मुद्राएं और उनकी तालिका**—

(क) मनु ने तोल के आधार पर ही अर्थ मुद्राओं का निर्माण [१३६-१३७] कहा है। मुद्राएं तांबा, चांदी और सोने की होती थीं। उनकी तालिका इस प्रकार है—

१६ रौप्यमाषक के बराबर वजन में = { १ राजतपुराण (चांदी की मुद्रा) / १ कार्षापण (तांबे की मुद्रा) }

४ सुवर्ण के समभार में (लगभग एक छटांक) = १ निष्क (सोने की अशर्फी)

(ख) **कौटिल्य द्वारा वर्णित मुद्राएं**—

आचार्य कौटिल्य ने चांदी और तांबे की मुद्राओं का उल्लेख करते हुए उनकी रचनाविधि भी बतलायी है। मनु ने भी कार्षापण के विषय में '**ताम्रिकः कार्षिकः पणः**' शब्दों का उल्लेख कर उसके रचनातत्त्व की ओर संकेत किया है। उसकी पूर्णविधि कौटिल्य ने दी है, जो इस प्रकार है—

(अ) चांदी के सिक्के, जिनको कौटिल्य ने 'पण' संज्ञा दी है, शायद वही मनु के अनुसार 'राजतपुराण' है। चांदी से बना होने के कारण संभवतः यही परकाल में रूप्यक और रुपैया का रूप धारण कर गया। कौटिल्य के अनुसार—लवणाध्यक्ष=टकसाल के अध्यक्ष को चाहिए कि वह पण, अर्धपण, पादपण और अष्टभागपण नामक चार चांदी के सिक्कों को विधिपूर्वक ढलवाये। एक पण १६ माष का होता है। उसमें ११ माष चांदी; ४ माष तांबा; तथा रांगा, लोहा, सीसा या अंजन में से कोई धातु १ माष हो। इसी अनुपात से छोटे सिक्कों में ये धातुएं डालें।

---

१. "धान्यमाषा दश सुवर्णमाषकः। पञ्च वा गुञ्जाः। ते षोडश सुवर्णः कर्षो वा। चतुष्कलं पलम्।"
"अष्टाशीतिगौरसर्षपा रूप्यमाषकः। ते षोडश धरणम्।"
[प्रक० ३५। अ० १९]

(आ) तांबे के सिक्के को कौटिल्य ने 'माषक' संज्ञा दी है। लेकिन वह भी १६ माषे का है, जिसे मनु ने 'कार्षापण' कहा है। इसके भी चार प्रकार के सिक्के बनते हैं—माषक, अर्धमाषक, पादमाषक (काकणी), अष्टभागमाषक (अर्धकाकणी)। इनमें माषक में ११ माष ताम्बा, ४ माष चांदी, और १ माष लोहा, सीसा, रांगा या अंजन में से कोई एक धातु होती है। इससे छोटे सिक्कों में इसी अनुपात से कम हो जाती है।[1]

पूर्व-मध्यम-उत्तमसाहस की परिभाषा—

पणानां द्वे शते सार्धे प्रथमः साहसः स्मृतः।
मध्यमः पञ्च विज्ञेयः सहस्रं त्वेव चोत्तमः ॥१३८॥ (८२)

(द्वे शते सार्धे पणानां प्रथमः साहसः स्मृतः) ढाई सौ पण का एक प्रथम 'साहस' माना है (पञ्च 'मध्यमः' विज्ञेयः) पाँच सौ पण का 'मध्यम साहस' समझना चाहिए (सहस्रं तु+एव उत्तमः) एक हजार पण का 'उत्तम साहस' होता है ॥ १३८ ॥

अनुशीलन : **पूर्व, मध्यम और उत्तम साहस की सीमा**—कौटिल्य के मतानुसार साहसों की सीमा एक निर्धारित संख्या में नहीं, अपितु एक साहस से दूसरे साहस तक की सारी संख्या उस साहस में परिगणित मानी गई है। उनके मतानुसार—२५० पण तक पूर्वसाहस, २५१ से ५०० पण तक मध्यम साहस, ५०१ से १००० पण तक उत्तम साहस माना जायेगा। आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इनको कुछ भेद के साथ इसी प्रकार प्रस्तुत किया है—"४८ से २०० पण तक प्रथम साहस, २०० से ५०० पण तक मध्यम साहस, ५०० से १००० पण तक उत्तम साहस का दण्ड कहलाता है।" दोषानुसार इस अवधि का कोई भी दण्ड हो सकता है।[2]

ऋणे देये प्रतिज्ञाते पंचकं शतमर्हति।
अपह्नवे तद् द्विगुणं तन्मनोरनुशासनम् ॥ १३९ ॥

(ऋणे देये प्रतिज्ञाते) कर्जदार के द्वारा मुकदमे में 'ऋण देना' स्वीकार कर लिए जाने पर (पंचकं शतम्+अर्हति) सैंकड़ा पर पांच पण दण्ड करना योग्य है (अपह्नवे) यदि कर्जदार झूठ बोले और बाद में ऋण देना सिद्ध हो जाये तो (तत् द्विगुणम्)

---

१. लवणाध्यक्षः चतुर्भागताम्रं रूप्यरूपं तीक्ष्णत्रपुसीसाञ्जनानामन्यतमबीजयुक्तं कारयेत् पणम्, अर्धपणं पादमष्टभागमिति। पादाजीवं ताम्ररूपं माषकमर्धमाषकं काकणीमर्धकाकणीमिति।" [प्रक० २८। अ० १२]

२. अष्टचत्वारिंशत्पणावरः षण्णवतिपरः पूर्वः साहसदण्डः।..... द्विशतावरः पञ्चशतपरः मध्यमः साहसदण्डः।.....पंचशतावरः सहस्रपरः उत्तमः साहसदण्डः।" [प्रक० ७४। अ० १७]

उसका दुगुना अर्थात् दशगुना दण्ड दे (तत् मनोः+अनुशासनम्) यही मनु की व्यवस्था है ॥ १३६ ॥

अनुशीलन : १३६ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. **अन्तर्विरोध**—यह दण्डविधान ८ । ५६ में विहित दण्ड-व्यवस्था से भिन्न है । उसके विरुद्ध होने के कारण प्रक्षिप्त है ।

२. **शैलीगत आधार**—"तत् मनोः अनुशासनम्" पदों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि यह श्लोक मनु से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रचित है, अतः परवर्ती होने से प्रक्षिप्त है ।

ऋण पर ब्याज का विधान—

वसिष्ठविहितां वृद्धिं सृजेद्वित्तविवर्धिनीम् ।
अशीतिभागं गृह्णीयान्मासाद्वार्धुषिकः शते ॥१४०॥ (८३)

(वसिष्ठविहिताम्) [दिए हुए ऋण पर] अर्थशास्त्र के विद्वान् द्वारा विहित (वित्तविवर्धिनीम्) धन को बढ़ाने वाली (वृद्धिम्) वृद्धि अर्थात् ब्याज को (सृजेत्) ले, किन्तु (वार्धुषिकः) ब्याज लेने वाला मनुष्य (शते अशीतिभागम्) सौ पर अस्सीवां भाग अर्थात् सवा रुपया सैकड़ा ब्याज (मासात्) मासिक (गृह्णीयात्) ग्रहण करे अर्थात् इससे अधिक ब्याज न ले [यह अधिक से अधिक की सीमा है[1]] ॥ १४० ॥

'सवा रुपये सैंकड़े से अधिक, चार आने से न्यून ब्याज न लेवे न देवे ।" (सं० वि० १७६ में टिप्पणी)

अनुशीलन : इस श्लोक में 'वसिष्ठ' शब्द को देखकर यह भ्रम होता है कि यह कोई वसिष्ठ नाम का व्यक्ति हुआ है और उसने ब्याज लेने की व्यवस्था निर्धारित की है, मनु ने उसी को यहां प्रामाणिक मानकर उद्धृत किया है । अनेक टीकाकार इस भ्रान्ति के शिकार हुए हैं और उन्होंने इसको 'नाम' मानकर 'वसिष्ठ ऋषि' यह अर्थ कर दिया है । इस शब्द का यहाँ 'अर्थशास्त्र के ज्ञाता विद्वान्' अर्थ है । इसकी पुष्टि में निम्न युक्तियां हैं—(१) मनु ने प्रसंगानुसार अन्यत्र भी उस-उस विषय के ज्ञाता विद्वानों को मूल्य, शुल्क आदि के निर्धारण में प्रमाण माना है, और स्वयं उनका निर्धारण स्वल्परूप में करके शेष उन्हीं पर छोड़ दिया है, जैसे—किराया निर्धारण के लिए ८ । १५७ में, शुल्कनिर्धारण के लिए ८ । ३९८ में उस विषय के विशेषज्ञों पर ही यह निर्धारण का काम छोड़ा है । इसी प्रकार यहां भी है, इसीलिए इस शब्द का उक्त अर्थ

---

१. [**प्रचलित अर्थ**—वसिष्ठ मुनि द्वारा प्रतिपादित धनवर्धक सूद ले, वह ऋण-द्रव्य का १/८० भाग हो अर्थात् सवा रुपया प्रतिशत मासिक सूद लेना चाहिए ॥१४०॥]

मनु-अभिप्रेत है। ८। १५७ में इस शब्द के पर्यायवाची रूप में **'अर्थवशिनः'** शब्द का प्रयोग है। इसका भी भाव वही है। (२) वेदादि में वसिष्ठ शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यथा—ऋ० १. ११२. ६ तथा ७. ३३. १३ में वसिष्ठ शब्द का अर्थ महर्षि दयानन्द ने यही किया है—**"यो वसति धनादि कर्मसु सोऽतिशयस्तम् उत्तमविद्वांसम्।"** इस आधार पर यहाँ उक्त अर्थ ही समीचीन एवं ग्राह्य है।

अर्थशास्त्रियों द्वारा ब्याज की व्यवस्था के निर्धारण का उल्लेख करते हुए मनु ने ब्याज की यह अधिकतम सीमा निर्धारित की है। इससे अधिक ब्याज ग्रहण नहीं करना चाहिए, इस उल्लेख से मनु का यही अभिप्राय है।

द्विकं शतं वा गृह्णीयात्सतां धर्ममनुस्मरन्।
द्विकं शतं हि गृह्णानो न भवत्यर्थकिल्बिषी॥ १४१॥

(वा) अथवा (सतां धर्मम्+अनुस्मरन्) श्रेष्ठों के धर्म को स्मरण करता हुआ अर्थात् श्रेष्ठों का आचरण मानता हुआ (द्विकं शतं गृह्णीयात्) दो रुपया सैंकड़ा मासिक ब्याज ले ले (द्विकं शतं हि गृह्णानः) दो रुपया सैंकड़ा ब्याज लेने पर (अर्थकिल्बिषी न भवति) धन के विषय में पाप का भागी नहीं होता॥ १४१॥

द्विकं त्रिकं चतुष्कं च पञ्चकं च शतं समम्।
मासस्य वृद्धिं गृह्णीयाद्वर्णानामनुपूर्वशः॥ १४२॥

ब्याज लेने वाला (वर्णानाम्+अनुपूर्वशः) वर्णों के क्रम से अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-क्रम के अनुसार क्रमशः (द्विकं त्रिकं चतुष्कं च पञ्चकं शतं मासस्य वृद्धिं गृह्णीयात्) दो रुपये सैंकड़ा, तीन रुपये सैंकड़ा, चार रुपये सैंकड़ा और पांच रुपये सैंकड़ा मासिक ब्याज ले॥ १४२॥

अनुशीलन : १४१—१४२ श्लोक प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—(१) मनु ने १४० वें श्लोक में सवा रुपया सैंकड़ा ब्याज की दर सभी के लिए समान रूप से निर्धारित की है। इन श्लोकों में दो रुपये से पांच रुपये तक ब्याज लेने का विधान करना और वर्णानुक्रम से ब्याज का विधान, ये दोनों ही विधान मौलिक व्यवस्था से विरुद्ध हैं, अतः ये प्रक्षिप्त हैं। (२) १४१ वें की भाषा ही यह बतलाती है कि यह परवर्ती रचना है। **'सतां धर्मम् अनुस्मरन्'** की दुहाई देना और **'न भवति अर्थकिल्बिषी'** का कथन रचयिता की हीनभावना को प्रकट करता है। (३) १५३ वें श्लोक में शास्त्रविरुद्ध ब्याज न लेने का कथन है और शास्त्रसम्मत ब्याज १४० वें में विहित है। इन श्लोकों में विहित विधान शास्त्रविरुद्ध होने से ये प्रक्षिप्त हैं।

लाभ वाली गिरवी पर ब्याज नहीं—

न त्वेवाधौ सोपकारे कौसीदीं वृद्धिमाप्नुयात्।
न चाधेः कालसंरोधान्निसर्गोऽस्ति न विक्रयः॥१४३॥ (८४)

(सोपकारे) उपकार अर्थात् साथ के साथ लाभ पहुंचाने वाली (आधौ) बंधक रखी धरोहर=गिरवी [जैसे भूमि, घर, गौ आदि] पर (कौसीदीं वृद्धिं न तु+एव आप्नुयात्) ब्याज रूप में प्राप्त धनवृद्धि बिल्कुल न ले (च) और (कालसंरोधात्) बहुत समय बीत जाने पर भी (आधेः) उस धरोहर को (न निसर्गः) रखने वाले के अधिकार से छुड़ाया नहीं जा सकता है अर्थात् रखने वाले की ही वह वस्तु रहेगी (न विक्रयः) न दूसरे को बेचा जा सकता है ॥ १४३ ॥

धरोहर-सम्बन्धी व्यवस्थाएँ (उन पर ऋण-ब्याज आदि की व्यवस्था)—

न भोक्तव्यो बलादाधिर्भुञ्जानो वृद्धिमुत्सृजेत् ।
मूल्येन तोषयेच्चैनमाधिस्तेनोऽन्यथा भवेत् ॥१४४॥(८५)

(बलात्) गिरवी को रखने वाला व्यक्ति जबरदस्ती (आधिः न भोक्तव्यः) किसी की धरोहर=गिरवी को उपयोग में न लाये (भुञ्जानः) यदि वह उस वस्तु को उपभोग में लाता है तो (वृद्धिम्+उत्सृजेत्) ब्याज को छोड़ देवे अथवा (एनं मूल्येन तोषयेत्) धरोहर रखने वाले व्यक्ति को उसका मूल्य देकर संतुष्ट करे (अन्यथा) ऐसा न करने पर (आधिः+स्तेनः भवेत्) 'धरोहर का चोर' कहलाएगा अर्थात् चोर के दण्ड का भागी होगा ॥ १४४ ॥

आधिश्चोपनिधिश्चोभौ न कालात्ययमर्हतः ।
अवहार्यौ भवेतां तौ दीर्घकालमवस्थितौ ॥१४५॥ (८६)

(आधिः) धरोहर=गिरवी (च) और (उपनिधिः) मुहरबन्द दी हुई अमानत (उभौ) ये दोनों (काल+अत्ययम्) समय की सीमा के (न अर्हतः) योग्य नही हैं अर्थात् इन पर कोई समय की सीमा लागू नहीं होती कि इतने दिनों के पश्चात् ये जब्त हो जायेंगी (तौ) ये (दीर्घकालम्+अवस्थितौ) लम्बे समय तक रहने के बाद भी (अवहार्यौ भवेताम्) लौटाने योग्य होती हैं ॥ १४५ ॥

संप्रीत्या भुज्यमानानि न नश्यन्ति कदाचन ।
धेनुरुष्ट्रो वहन्नश्वो यश्च दम्यः प्रयुज्यते ॥१४६॥ (८७)

(संप्रीत्या भुज्यमानानि) परस्पर प्रेमपूर्वक उपभोग में लायी जाती हुई वस्तुएं (धेनुः) गौ (वहन्) बोझ या सवारी आदि ढोने के लिए (उष्ट्रः) ऊंट (अश्वः) घोड़ा (च) और (यः) जो (दम्यः) हल आदि में जोता जाने वाला बैल आदि (प्रयुज्यते) उपभोग में लाया जाता है, वह (कदाचन न

नश्यन्ति) कभी भी अपने पूर्व स्वामी के स्वामित्व से नष्ट नहीं होते, और प्रयोग करने वाले के नहीं होते ॥ १४६ ॥

यत्किञ्चिद्दश वर्षाणि सन्निधौ प्रेक्षते धनी ।
भुज्यमानं परैस्तूष्णीं न स तल्लब्धुमर्हति ॥ १४७ ॥

(धनी) धन का स्वामी व्यक्ति (यत् किंचित्) जिस किसी वस्तु को (सन्निधौ) अपने सामने (दश वर्षाणि) दश वर्ष तक (परैः भुज्यमानम्) दूसरों के द्वारा उपभोग में लाये जाते हुए (तूष्णीं प्रेक्षते) चुपचाप देखता रहे अर्थात् न रोके-टोके न वापिस ले तो (सः) वह व्यक्ति (तत्+लब्धुं न अर्हति) उस वस्तु को पाने का अधिकारी नहीं रहता ॥ १४७ ॥

अजडश्चेदपोगण्डो विषये चास्य भुज्यते ।
भग्नं तद्व्यवहारेण भोक्ता तद् द्रव्यमर्हति ॥ १४८ ॥

(अजडः अपोगण्डः चेत्) यदि किसी वस्तु का स्वामी समझदार और बालिग हो और उसकी वस्तु (अस्य विषये भुज्यते) मालिक के देखते हुए या जानकारी में रहते उपभोग में लायी जाती है तो (तत् व्यवहारेण भग्नम्) वह वस्तु उसके अधिकार से नष्ट हो जाती है अर्थात् पूर्वस्वामी का हक नहीं रहता (भोक्ता तत् द्रव्यम्+अर्हति) भोगने वाला ही उस वस्तु का हकदार हो जाता है ॥ १४८ ॥

आधिः सीमा बालधनं निक्षेपोपनिधिः स्त्रियः ।
राजस्वं श्रोत्रियस्वं च न भोगेन प्रणश्यति ॥ १४९ ॥

(आधिः) बन्धकरूप में रखी धरोहर (सीमा) खेत, गांव आदि की सीमा (बालधनम्) बालक का धन (निक्षेपः) बिना मुहरबन्द धरोहर (उपनिधिः) मुहरबन्द धरोहर (स्त्रियः) स्त्रियां (राजस्वम्) राजधन (श्रोत्रियस्वम्) वेदपाठी का धन (भोगेन न प्रणश्यति) इनका भोग करने पर भी इन पर से पूर्वस्वामी का स्वामित्व नष्ट नहीं होता ॥ १४९ ॥

यः स्वामिनाननुज्ञातमाधिं भुङ्क्तेऽविचक्षणः ।
तेनार्धवृद्धिर्भोक्तव्या तस्य भोगस्य निष्कृतिः ॥ १५० ॥

(यः) जो (अविचक्षणः) नासमझ व्यक्ति (स्वामिना+अननुज्ञातम्) स्वामी के द्वारा बिना आज्ञा प्राप्त किये (आधिं भुङ्क्ते) बंधक का उपभोग करता है (तस्य भोगस्य निष्कृतिः) उस वस्तु के भोग कर लेने के बदले (तेन) धरोहर रखने वाले को (अर्धवृद्धिः+भोक्तव्या) आधा ब्याज ही लेना चाहिए आधा छोड़ देना चाहिए ॥ १५० ॥

अनुशीलन : १४७ से १५० श्लोक निम्न आधार के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—इन श्लोकों में दी हुई व्यवस्थाएं पूर्वविहित १४३—१४६ श्लोकों की व्यवस्थाओं से विरुद्ध हैं, अतः ये प्रक्षिप्त हैं। (१) १४७—१४८ में कुछ स्थितियों में धरोहर पर से स्वामी का अधिकार नष्ट होना माना है, जबकि १४३—१४६ श्लोकों में अधिकार कभी नष्ट न होने का स्पष्ट विधान है (२) पूर्व श्लोकों में जब यह कह दिया कि धरोहर को बिना भोगे अथवा भोग लेने पर किसी भी स्थिति में मूलस्वामी का अधिकार नष्ट नहीं होता, पुनः १४९ में कुछ वस्तुओं का अलग से विधान करने की आवश्यकता ही नहीं रहती, अतः यह विधान व्यर्थ है। (३) १४९ में स्त्री को भी धरोहर की वस्तु माना है, यह मनु की मान्यता से विरुद्ध है। सम्पूर्ण पूर्वापर प्रसंग को देखने से स्पष्ट होता है कि मनु केवल जड़ धन-सम्पत्ति एवं पशुओं को ही धरोहर की वस्तु मानते हैं [८। २७—३०, १४३, १४६]। पत्नी को एक ही व्यक्ति 'पति' की सङ्गिनी माना है [५। १५१, १६५]। (४) धरोहर को भोगने पर उसका ब्याज पूर्णरूप से छोड़ देने और क्षतिपूर्ति करने का विधान १४४ में दिया है। १५० वें में उससे विरुद्ध विधान है, अतः यह प्रक्षिप्त है।

दुगुने से अधिक मूलधन न लेने का आदेश—

कुसीदवृद्धिर्द्विगुण्यं नात्येति सकृदाहृता।
धान्ये सदे लवे वाह्ये नातिक्रामति पञ्चताम्॥ १५१॥ (८८)

(सकृत्+आहृता) एकबार लिए ऋण पर (कुसीदवृद्धिः) ब्याज की वृद्धि (द्विगुण्यं न+अत्येति) मूलधन दुगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। (धान्ये) अन्नादि धान्य (सदे) वृक्षों के फल (लवे) ऊन (वाह्ये) भारवाहक पशु बैल आदि (पञ्चतां न+अतिक्रामति) मूल से पांच गुने से अधिक नहीं होने चाहिएँ॥ १५१॥

"सवा रुपये सैंकड़े से अधिक चार आने से न्यून ब्याज न लेवे न देवे, जब दूना धन आ जाये उस से आगे कौड़ी न लेवे न देवे। जितना न्यून ब्याज लेवेगा उतना ही उस का धन बढ़ेगा और कभी धन का नाश और कुसन्तान उसके कुल में न होंगे"। (सं० वि० १७६ में टिप्पणी)

कृतानुसारादधिका व्यतिरिक्ता न सिद्धयति।
कुसीदपथमाहुस्तं पञ्चकं शतमर्हति॥ १५२॥

(कृतानुसारात्) परस्पर निश्चित हुए ब्याज से (अधिका व्यतिरिक्ता न सिद्धयति) अधिक ब्याज लेना ठीक नहीं है (पञ्चकं शतम्+अर्हति) अधिक से अधिक पांच रुपये सैंकड़ा तक ब्याज लिया जा सकता है (तं कुसीदपथम्+आहुः) इसी को ब्याज के लेन-देन का सही व्यवहार माना गया है॥ १५२॥

अनुशीलन : १५२ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. **अन्तर्विरोध**—(१) १४० वें श्लोक में सवा रुपये सैकड़ा ब्याज की एक दर निश्चित कर दी है। इस श्लोक में पाँच रुपये सैकड़े तक की छूट का कथन करना उसके विरुद्ध है, अतः प्रक्षिप्त है। (२) १५३ वें श्लोक में ब्याजसम्बन्धी सभी निषेधों का एक-साथ वर्णन है। वहाँ निश्चित हुए ब्याज से अधिक न लेने का कथन है। इस श्लोक में अग्रिम श्लोक की एक बात को ही वर्णित कर दिया है, जो अनावश्यक है।

२. **प्रसंगविरोध**—ब्याजदर के निर्धारण का प्रसंग १४० वें श्लोक में आ चुका है। उसके पश्चात् धरोहर का प्रसंग है। दूसरा प्रसंग आने के पश्चात् पुनः पहला ब्याज दर प्रसंग उठाना भी प्रसंगविरुद्ध है, इसलिए भी यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

कौन-कौन से ब्याज न ले—

नातिसांवत्सरीं वृद्धिं न चादृष्टां पुनर्हरेत्।
चक्रवृद्धिः कालवृद्धिः कारिता कायिका च या॥ १५३॥
(८६)

(अतिसांवत्सरीं वृद्धिं न हरेत्) एक वर्ष से अधिक समय का ब्याज एक बार में न ले (च) और (अदृष्टां पुनः न हरेत्) किसी कारण से एक बार छोड़े हुए ब्याज को फिर न मांगे (चक्रवृद्धिः) ब्याज पर लगाया हुआ ब्याज (कालवृद्धिः) मासिक, त्रैमासिक या ब्याज की किश्त देने के लिए निश्चित किये गये काल पर ब्याज लेकर अगले ब्याज की दर को बढ़ा देना (कारिता) कर्जदार की विवशता, विपत्ति आदि के कारण दबाव देकर शास्त्र में निश्चित सीमा से अधिक लिखाया या बढ़ाया गया ब्याज (कायिका) ब्याज के रूप में शरीर से बेगार करवाना या शरीर से काम कराके ब्याज उगाहना, ये ब्याज भी न ले॥ १५३॥

पुनः ऋणपत्रादि लेखन—

ऋणं दातुमशक्तो यः कर्तुमिच्छेत्पुनः क्रियाम्।
स दत्त्वा निर्जितां वृद्धिं करणं परिवर्तयेत्॥१५४॥(६०)

(यः) जो कर्जदार (ऋणं दातुम्+अशक्तः) निर्धारित समय पर ऋण न लौटा सकता हो और (पुनः क्रियां कर्तुम्+इच्छेत्) फिर आगे भी क्रिया=उस ऋण को जारी रखना चाहता हो तो (सः) वह (निर्जितां वृद्धिं दत्त्वा) उस समय तक के ब्याज को देकर (करणं परिवर्तयेत्) 'लेन-देन का कागज' नया लिख दे॥ १५४॥

अदर्शयित्वा तत्रैव हिरण्यं परिवर्तयेत्।
यावती संभवेद् वृद्धिस्तावतीं दातुमर्हति॥ १५५॥ (६१)

(अदर्शयित्वा) यदि कर्जदार ब्याज न दे सके तो (तत्र+एव हिरण्यं परिवर्तयेत्) ब्याज को मूलधन में जोड़कर उस सारे हिरण्य=धन का नया कागज लिख दे (यावती वृद्धिः संभवेत्) उस पर फिर जितना ब्याज बनेगा (तावतीं दातुम्+अर्हति) उतना उसे देना होगा ॥ १५५ ॥

चक्रवृद्धिं समारूढो देशकालव्यवस्थितः ।
अतिक्रामन्देशकालौ न तत्फलमवाप्नुयात् ॥ १५६ ॥ (९२)

(चक्रवृद्धिं समारूढः) उपर्युक्त [८।१५५] प्रकार से वार्षिक ब्याज को मूलधन में जोड़कर चक्रवृद्धि ब्याज लेने वाला व्यक्ति (देश-काल-व्यवस्थितः) देश और काल-व्यवस्था में बन्धकर ब्याज ले [देशव्यवस्था अर्थात् स्थान या देश की उपयुक्त व्यवस्था जैसे नकद राशि पर दुगुने से अधिक न ले; व्यापारिक अन्न, फल आदि पर पांच गुने से अधिक न ले; और सवा रुपये सैकड़े की अधिकतम सीमा तक जितना ब्याज जिस स्थान या देश में लिया जाता है उस व्यवस्था के अनुसार (८।१४०, १५१)। कालव्यवस्था—वर्ष के निर्धारित समय के बाद ही सूद को मूलधन में जोड़ना, पहले नहीं] (८।१५५) (देशकालौ अतिक्रामन्) देश, काल की व्यवस्था को भंग करने पर (तत् फलं न अवाप्नुयात्) ब्याज लेने वाला उस ब्याज को लेने का हकदार नहीं होता ॥ १५६ ॥

समुद्रयानों का किराया-भाड़ा निर्धारण—

समुद्रयानकुशला देशकालार्थदर्शिनः ।
स्थापयन्ति तु यां वृद्धिं सा तत्राधिगमं प्रति ॥ १५७ ॥(९३)

(समुद्रयानकुशलाः) समुद्रपार देशों तक व्यापार करने में चतुर और (देशकालार्थदर्शिनः) देश, काल के अनुसार अर्थशास्त्र के ज्ञाता विद्वान् (यां वृद्धिं स्थापयन्ति) जिस ब्याज या भाड़े का निश्चय करें (सा तत्र+अधिगमं प्रति) वही ब्याज या भाड़ा लाभप्राप्ति के लिए ठीक है [ऐसा समझना चाहिए] ॥ १५७ ॥

जमानती सम्बन्धी विधान—

यो यस्य प्रतिभूस्तिष्ठेद्दर्शनायेह मानवः ।
अदर्शयन्तं तं तस्य प्रयच्छेत्स्वधनादृणम् ॥ १५८ ॥ (९४)

(यः मानवः) जो व्यक्ति (यस्य) जिस कर्जदार का (इह दर्शनाय) महाजन के सामने या न्यायालय के सामने उपस्थित करने का (प्रतिभूः तिष्ठेत्) जमानती बने (अदर्शयन्) उस कर्जदार को उपस्थित न कर सकने

पर (तस्य ऋणम्) उसका लिया हुआ कर्ज (स्वधनात् प्रयच्छेत्) जमानती अपने धन से दे ।। १५८ ।।

प्रातिभाव्यं वृथादानमाक्षिकं सौरिकं च यत् ।
दण्डशुल्कावशेषं च न पुत्रो दातुमर्हति ।।१५९।। (९५)

(प्रातिभाव्यम्) जमानत के रूप में स्वीकार किया गया धन (वृथा-दानम्) व्यर्थ में देने के लिए कहा गया दान, या व्यर्थ अथवा कुपात्र को कहा गया दान (आक्षिकम्) जूआ-सम्बन्धी धन (च) और (यत् सौरिकम्) जो शराब-व्यय सम्बन्धी धन (च) तथा (दण्ड-शुल्क-अवशेषम्) राजा की ओर से दण्ड के रूप में किया गया जुर्माने का धन और कर, चुंगी आदि का धन (पुत्रः न दातुम्+अर्हति) पुत्र को नहीं देना चाहिए ।। १५९ ।।

दर्शनप्रतिभाव्ये तु विधिः स्यात्पूर्वचोदितः ।
दानप्रतिभुवि प्रेते दायादानपि दापयेत् ।। १६० ।। (९६)

(दर्शन-प्रातिभाव्ये तु) कर्जदार को उपस्थित करने का जमानती होने में तो (पूर्वचोदितः विधिः स्यात्) पहले [८।१५९ में] कही हुई विधि लागू होगी किन्तु (दान-प्रतिभुवि प्रेते) ऋण आदि देने का जमानती होकर [कि अगर कर्जदार नहीं देगा तो मैं दूंगा] पुनः जमानती के मर जाने पर (दायादान्+अपि दापयेत्) राजा जमानत के धन को उसके वारिस पुत्र आदिकों से भी दिलवाये ।। १६० ।।

अदातरि पुनर्दाता विज्ञातप्रकृतावृणम् ।
पश्चात्प्रतिभुवि प्रेते परीप्सेत्केन हेतुना ।। १६१ ।। (९७)

(अदातरि पुनः विज्ञातप्रकृतौ) अदाता जमानती की प्रतिज्ञा को ऋणदाता को जानकारी होने की स्थिति में अर्थात् यदि जमानती ने ऋण देने की जमानत नहीं ली है, किन्तु केवल ऋणी को ऋणदाता के सामने नियत समय पर उपस्थित करने की जमानत ली है, और जमानती की इस प्रतिज्ञा को ऋणदाता जानता भी है ऐसे (प्रतिभुवि प्रेते पश्चात्) जमानती के मर जाने के बाद (दाता केन हेतुना ऋणं परीप्सेत्) ऋणदाता किस कारण अर्थात् आधार पर [उसके पुत्रादि से] ऋण प्राप्त करने की इच्छा करेगा ? अर्थात् वह उसके पुत्र आदि से ऋण प्राप्त करने का हकदार नहीं है ।। १६१ ।।

निरादिष्टधनश्चेत्तु प्रतिभूः स्यादलंधनः ।
स्वधनादेव तद्दद्यान्निरादिष्ट इति स्थितिः ।।१६२।। (९८)

(चेत्) यदि (प्रतिभूः निरादिष्टधनः) ऋणी ने अपने जमानती को धन सौंप रखा हो (च) और (अलंधनः स्यात्) ऋणी ने जमानती से ऋण-दाता को वह धन लौटा देने की आज्ञा न दी हो तो ऐसी स्थिति में (निरादिष्टः) वह आज्ञा न दिया हुआ जमानती अथवा मरने पर जमानती का पुत्र (तत् स्वधनात्+एव दद्यात्) [ऋणदाता के मांगने पर] उसका धन अपने धन में से ही लौटा देवे (इति स्थितिः) ऐसी शास्त्रमर्यादा है ॥१६२॥

आठ प्रकार के व्यक्तियों से लेन-देन अप्रामाणिक है—

मत्तोन्मत्तार्ताध्याधीनैर्बालेन स्थविरेण वा।
असंबद्धकृतश्चैव व्यवहारो न सिद्धयति ॥१६३॥ (९९)

(मत्तः) नशे में ग्रस्त (उन्मत्तः) पागल (—आर्तः) शारीरिक रोगी (—आधि) मानसिक रूप से दुःखी या विपत्तिग्रस्त (—अधीनैः) अधीन रहनेवाले नौकर आदि से (बालेन) नाबालिग से (वा) अथवा (स्थविरेण) बहुत बूढ़े से (च) और (असंबद्धकृतः) सम्बद्ध व्यक्ति के पीछे से किसी अन्य व्यक्ति से किया गया (व्यवहार) लेन-देन (न सिद्धयति) प्रामाणिक अर्थात् मानने योग्य नहीं होता ॥ १६३ ॥

शास्त्र और नियमविरुद्ध लेन-देन अप्रामाणिक—

सत्या न भाषा भवति यद्यपि स्यात्प्रतिष्ठिता।
बहिश्चेद्भाष्यते धर्मान्नियतादव्यावहारिकात् ॥१६४॥(१००)

(भाषा) कोई भी बात या पारस्परिक प्रतिज्ञा (चेत्) यदि (धर्मात्) धर्मशास्त्र अर्थात् कानून में (नियतात् व्यावहारिकात्) निश्चित व्यवहार से (बहिः भाष्यते) बाह्य अर्थात् विरुद्ध की हुई है (यद्यपि प्रतिष्ठिता स्यात्) चाहे वह लेख आदि द्वारा प्रमाणित भी हो तो भी (सत्या न भवति) सत्य =प्रामाणिक या मान्य नहीं होती ॥ १६४ ॥

योगाधमनविक्रीतं योगदानप्रतिग्रहम्।
यत्र वाऽप्युपधिं पश्येत्तत्सर्वं विनिवर्तयेत् ॥१६५॥ (१०१)

(योग+आधमन—विक्रीतम्) छल-कपट से रखी हुई धरोहर और बेची हुई वस्तु (योगदान—प्रतिग्रहम्) छल-कपट से दी गयी और ली गई वस्तु (वा) अथवा (यत्र अपि+उपधिं पश्येत्) जिस-किसी भी व्यवहार में छल-कपट दिखायी पड़े (तत् सर्वं विनिवर्तयेत्) उस सब को रद्द या अमान्य घोषित कर दे ॥ १६५ ॥

कुटुम्बार्थ लिए गये धन को कुटुम्बी लौटायें—

गृहीता यदि नष्टः स्यात्कुटुम्बार्थं कृतो व्ययः ।
दातव्यं बान्धवैस्तत्स्यात्प्रविभक्तैरपि स्वतः ॥१६६॥(१०२)

(कुटुम्बार्थं व्ययः कृतः) यदि किसी व्यक्ति ने परिवार के लिए ऋण लेकर खर्च किया हो और (यदि गृहीता नष्टः स्यात्) यदि ऋण लेने वाले की मृत्यु हो गई हो तो (तत्) वह ऋण (बान्धवैः) उसके पारिवारिक सम्बन्धियों को (विभक्तैः+अपि) चाहे वे अलग-अलग भी क्यों न हो गये हों (स्वतः) अपने धन में से (दातव्यम् स्यात्) देना चाहिए ॥ १६६ ॥

कुटुम्बार्थेऽध्यधीनोऽपि यं व्यवहारं समाचरेत् ।
स्वदेशे वा विदेशे वा तं ज्यायान्न विचालयेत् ॥१६७॥(१०३)

(अधि+अधीनः+अपि) कोई अधीनस्थ व्यक्ति [पुत्र, पत्नी आदि] भी यदि (कुटुम्बार्थे) परिवार के भरण-पोषण के लिए (स्वदेशे वा विदेशे वा) स्वदेश वा विदेश में (यं व्यवहारम्+आचरेत्) जिस लेन-देन के व्यवहार को कर लेवे (ज्यायान्) घर का बड़ा=मुखिया आदमी (तं न विचालयेत्) उस व्यवहार को टालमटोल न करे अर्थात् उसे स्वीकार करके चुकता कर दे ॥ १६७ ॥

बलात् कराई गई सब बातें अमान्य—

बलादत्तं बलाद् भुक्तं बलाच्चापि लेखितम् ।
सर्वान्बलकृतानर्थानकृतान्मनुरब्रवीत् ॥ १६८ ॥

(बलात् दत्तम्) जबरदस्ती दी हुई वस्तु (बलात् भुक्तम्) जबरदस्ती उपभोग में लायी वस्तु (च+अपि) और (बलात् लेखितम्) जबरदस्ती लिखवाये गये कागज आदि (सर्वान् बलकृतान्+अर्थान्) सभी जबरदस्ती से किये गये कामों को (मनुः अकृतान् अब्रवीत्) मनु ने नहीं किये गये अर्थात् अमान्य कहा है ॥ १६८ ॥

त्रयः परार्थे क्लिश्यन्ति साक्षिणः प्रतिभूः कुलम् ।
चत्वारस्तूपचीयन्ते विप्र आढ्यो वणिङ् नृपः ॥ १६९ ॥

(साक्षिणः प्रतिभूः कुलम्) साक्षिलोग, जमानती, पारिवारिकजन (त्रयः परार्थे क्लिश्यन्ति) ये तीनों सदा दूसरों के लिए कष्ट उठाते हैं (तु) और (विप्रः आढ्यः वणिक् नृपः) ब्राह्मण, साहूकार=ऋणदाता, व्यापारी और राजा (चत्वारः उपचीयन्ते) ये चार दूसरों से समृद्ध होते हैं ॥ १६९ ॥

अनादेयं नादद्यात परिक्षीणोऽपि पार्थिवः ।
न चादेयं समृद्धोऽपि सूक्ष्ममप्यर्थमुत्सृजेत् ॥ १७० ॥

(परिक्षीणः+अपि पार्थिवः) धन से क्षीण हुआ भी राजा (अनादेयं न आददीत) न लेने योग्य अर्थात् अनुचित धन को न ले (समृद्धः+अपि) और धन से समृद्ध होते हुए भी (आदेयम्) लेने योग्य अर्थात् उचित (सूक्ष्मम्+अपि+अर्थं न उत्सृजेत्) थोड़े धन को भी न छोड़े ॥ १७० ॥

अनादेयस्य चादानादादेयस्य च वर्जनात् ।
दौर्बल्यं ख्याप्यते राज्ञः स प्रेत्येह च नश्यति ॥ १७१ ॥

(अनादेयस्य आदानात्) अनुचित धन के लेने से (च) और (आदेयस्य वर्जनात्) लेने योग्य उचित धन के छोड़ने से (राज्ञः दौर्बल्यं ख्याप्यते) राजा की दुर्बलता समझी जाती है (सः) और वह राजा [इस अधर्म के कारण] (इह च प्रेत्य नश्यति) इस जन्म में [अपयश के कारण] और परजन्म में [अधर्म फल के कारण] विनाश को प्राप्त होता है ॥ १७१ ॥

स्वादानाद्वर्णसंसर्गात्स्वबलानां च रक्षणात् ।
बलं संजायते राज्ञः स प्रेत्येह च वर्धते ॥ १७२ ॥

(स्व+आदानात्) उचित धन लेने से (वर्णसंसर्गात्) वर्णों के परस्पर ठीक सम्बन्ध रखने से (च) और (अबलानां रक्षणात्) निर्बलों की रक्षा करने से (राज्ञः बलं संजायते) राजा की शक्ति बढ़ती जाती है और (सः) वह (इह च प्रेत्य वर्धते) इस जन्म और परजन्म में समृद्धि को प्राप्त होता है ['तु' पादपूर्त्यर्थ है] ॥ १७२ ॥

तस्माद्यम इव स्वामी स्वयं हित्वा प्रियाप्रिये ।
वर्तेत याम्यया वृत्त्या जितक्रोधो जितेन्द्रियः ॥ १७३ ॥

(तस्मात्) इसलिए (स्वामी) राजा (यमः+इव) यमराज के समान (स्वयं प्रिय+अप्रिये हित्वा) अपने प्रिय तथा अप्रिय को त्यागकर (जितक्रोधः) क्रोध को जीतकर (जितेन्द्रिय) इन्द्रियों को वश में करके (याम्यया वृत्त्या) यम के सदृश समानभाव से (वर्तेत) वर्ताव करे ॥ १७३ ॥

यस्त्वधर्मेण कार्याणि मोहात्कुर्यान्नराधिपः ।
अचिरात्तं दुरात्मानं वशे कुर्वन्ति शत्रवः ॥ १७४ ॥

(यः तु नराधिपः) जो राजा (मोहात्) मोह से वशीभूत होकर (अधर्मेण) अधर्मपूर्वक (कार्याणि कुर्यात्) कार्य करता है (तं दुरात्मानम्) उस दुष्टात्मा राजा को (अचिरात्) शीघ्र ही (शत्रवः वशे कुर्वन्ति) शत्रु लोग वश में कर लेते हैं ॥ १७४ ॥

कामक्रोधौ तु संयम्य योऽर्थान्धर्मेण पश्यति ।
प्रजास्तमनुवर्तन्ते समुद्रमिव सिन्धवः ॥ १७५ ॥

(यः) जो राजा (कामक्रोधौ तु संयम्य) काम और क्रोध को त्यागकर (अर्थान्) मुकद्दमों को (धर्मेण) धर्म=न्याय के अनुसार (पश्यति) देखता है=निर्णय करता है

(तं) उस राजा को (सिन्धवः समुद्रम्+इव प्रजाः अनुवर्तन्ते) जैसे नदियाँ समुद्र का अनुगमन करती हैं, वैसे प्रजाएं भी उसका अनुगमन करती हैं ॥ १७५ ॥

यः साधयन्तं छन्देन वेदयेद्धनिकं नृपे ।
स राज्ञा तच्चतुर्भागं दाप्यस्तस्य च तद्धनम् ॥ १७६ ॥

(यः) जो कर्जदार (छन्देन साधयन्तम्) स्वेच्छा से धन वसूल करते समय (धनिकं नृपे निवेदयेत्) ऋणदाता धनी की राजा को शिकायत करे तो (राज्ञा सः तत् चतुर्भागं दाप्यः) राजा उस व्यक्ति को चतुर्थांश धन से दण्डित करे (च) और (तस्य तत् धनम्) उस धनी का सारा धन भी दिलवाये ॥ १७६ ॥

कर्मणाऽपि समं कुर्याद्धनिकायाधमर्णिकः ।
समोऽवकृष्टजातिस्तु दद्याच्छ्रेयांस्तु तच्छनैः ॥ १७७ ॥

(अधमर्णिकः) कर्जदार व्यक्ति यदि ऋण देने में असमर्थ हो (तु) और (समः+अवकृष्टजातिः) समान या निम्न जाति का हो तो (धनिकाय) धनिक के यहां (कर्मणा+अपि समं कुर्यात्) शरीर का काम करके भी ब्याज या ऋण को चुका दे (तु) किन्तु यदि वह (श्रेयान्) ऊँची जाति का है तो (तत्+शनैः दद्यात्) उस ऋण या ब्याज को थोड़ा-थोड़ा करके किश्तों में चुका दे ॥ १७७ ॥

अनुशीलन : १६८ से १७७ श्लोक निम्न आधार के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. **शैलीगत आधार**—१६८ वें श्लोक में **"मनुः अब्रवीत्"** पदों से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि यह रचना मनु से भिन्न परवर्ती व्यक्ति की है, अतः यह प्रक्षिप्त है। इसके प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर इस पर आधारित अन्य सभी श्लोक स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं।

२. **प्रसंगविरोध**—(१) पूर्वापर श्लोक में 'ऋण देने-लेने' का प्रसंग है। १६९ से १७५ श्लोकों में राजा के कर्त्तव्यों का उल्लेख किया है, जो यहाँ असंगत है। इस असंगति के कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं। (२) ऋण लेने-देने से सम्बन्धित सभी बातों का प्रसंग १६७ तक पूर्ण हो चुका है। प्रसंग-समाप्ति के पश्चात् १७६-१७७ में पुनः साहूकार और कर्जदार का प्रसंग चलाना प्रसंगविरुद्ध है। अतः इस आधार पर ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

३. **अन्तर्विरोध**—१७७ वें श्लोक में जो महाजन द्वारा ऋण के बदले काम कराने का कथन किया है, वह मनु की व्यवस्था से विरुद्ध है। यहाँ राजा के द्वारा निर्णय करने का प्रसंग है, न कि महाजन द्वारा स्वयं निर्णय लेने का। न्यायालय में प्रार्थना करने पर राजा निर्णय करके या तो धन दिलायेगा या उसे दण्ड देगा, और धन किस प्रकार लौटाना है, यह निर्णय भी राजा ही देगा [८। १९६]। इस आधार पर भी यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

अनेन विधिना राजा मिथो विवदतां नृणाम्।
साक्षिप्रत्ययसिद्धानि कार्याणि समतां नयेत्॥ १७८॥
(१०४)

(राजा) राजा (मिथः विवदतां नृणाम्) परस्पर झगड़ते हुए मनुष्यों के (साक्षि-प्रत्ययसिद्धानि कार्याणि) साक्षी और लेख आदि प्रमाणों से प्रमाणित मुकद्दमों को (अनेन विधिना) इस उपर्युक्त [८।६ से ८।१७७] विधि से (समतां नयेत्) सबसे बराबर न्याय करता हुआ निर्णय करे ॥ १७८॥

(२) धरोहर रखने के विवाद का निर्णय (१७९–१९६]

कुलजे वृत्तसंपन्ने धर्मज्ञे सत्यवादिनि।
महापक्षे धनिन्यार्ये निक्षेपं निक्षिपेद् बुधः॥ १७९॥ (१०५)

(बुधः) बुद्धिमान् व्यक्ति को चाहिए कि वह (कुलजे) कुलीन (वृत्त-सम्पन्ने) अच्छे आचरण वाले (धर्मज्ञे) धर्मात्मा (सत्यवादिनि) सत्यवादी (महापक्षे) विस्तृत व्यापार या बहुत परिवार वाले (आर्ये धनिनि) श्रेष्ठ धनवान् व्यक्ति के यहां (निक्षेपं निक्षिपेत्) धरोहर रखे ॥ १७९॥

यो यथा निक्षिपेद्धस्ते यमर्थं पुरुष मानवः।
स तथैव ग्रहीतव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः॥ १८०॥ (१०६)

(यः) जो धरोहर रखने वाला (मानवः) मनुष्य (यम्+अर्थम्) जिस धन को (यस्य हस्ते) जिस किसी के हाथ में (यथा निक्षिपेत्) जैसे अर्थात् मुहरबन्द या बिना मुहरबन्द, साक्षियों के सामने या एकान्त में, जैसी धन की मात्रा अवस्था आदि के रूप में रखे (सः) वह धन (तथा+एव) वैसी स्थिति के अनुसार ही (ग्रहीतव्यः) वापिस लेना चाहिए क्योंकि (यथा दायः तथा ग्रहः) जैसा देना वैसा ही लेना होता है [तुलनार्थ द्रष्टव्य ८।१९५] ॥ १८०॥

यो निक्षेपं याच्यमानो निक्षेप्तुर्न प्रयच्छति।
स याच्यः प्राड्विवाकेन तन्निक्षेप्तुरसन्निधौ॥ १८१॥
(१०७)

(यः) जो धरोहर रखने वाला (निक्षेप्तुः निक्षेपम्) धरोहर रखाने वाले के द्वारा अपनी धरोहर के (याच्यमानः) मांगने पर (न प्रयच्छति) नहीं लौटाता है तो [धरोहर रखाने वाले के द्वारा न्यायालय में प्रार्थना करने पर] (तत् निक्षेप्तुः+असन्निधौ) धरोहर रखाने वाले की अनुपस्थिति में या परोक्षरूप से (प्राड्विवाकेन सः याच्यः) न्यायाधीश उससे धरोहर मांगे

[८।१८२] अर्थात् धरोहर लौटाने के लिये उससे पूछताछ आदि करे। ॥ १८१ ॥

साक्ष्यभावे प्रणिधिभिर्वयोरूपसमन्वितैः।
अपदेशैश्च संन्यस्य हिरण्यं तस्य तत्त्वतः ॥ १८२ ॥ (१०८)

(साक्षी+अभावे) दिये गये धरोहर-धन को सिद्ध करने के लिए यदि साक्षी न हों [तो उसकी जांच-पड़ताल का एक उपाय यह है कि राजा] (वयः-रूप-समन्वितैः) समयानुसार अवस्था और विविध रूप बनाने की कला में चतुर (प्रणिधिभिः) गुप्तचरों के द्वारा (अपदेशैः) विभिन्न बहानों एवं तरीकों से (तत्त्वतः) जो नकली प्रतीत न हों अर्थात् ऐसी स्वाभाविक पद्धति से (तस्य) उस अभियोगी के यहां (हिरण्यं संन्यस्य) स्वर्ण आदि धरोहर आदि का धन रखवाकर फिर मांगे ॥ १८२ ॥

अनुशीलन : हिरण्य से विशेष अभिप्राय—

'हिरण्य' का प्रसिद्ध अर्थ स्वर्ण है। किसी भी अतिमूल्यवान् वस्तु को भी 'हिरण्य' कहा जाता है। यहां 'हिरण्य' रखकर परीक्षा करने की विधि बड़ी मनोवैज्ञानिक है। यतोहि लालची व्यक्ति महंगी वस्तु पर अधिक लालच प्रकट करेगा, जिससे उसकी भावना प्रकट हो जायेगी कि इसने इस प्रकार का अपराध किया है अथवा नहीं।

स यदि प्रतिपद्येत यथान्यस्तं यथाकृतम्।
न तत्र विद्यते किंचिद्यत्परैरभियुज्यते ॥ १८३ ॥ (१०९)

(सः) वह धरोहर लेने वाला अभियोगी व्यक्ति [अनेक बार, विभिन्न प्रकार के उपायों से परीक्षा करने के पश्चात्] (यदि यथान्यस्तं यथाकृतं प्रतिपद्येत्) यदि रखी हुई धरोहर को ईमानदारी से ज्यों का त्यों वापिस कर देता है तो (यत् परैः+अभियुज्यते) जो दूसरों के द्वारा उस पर अभियोग लगाया गया है (तत्र न किंचित् विद्यते) उसमें कुछ सच्चाई नहीं है, ऐसा समझना चाहिए ॥ १८३ ॥

तेषां न दद्याद्यदि तु तद्धिरण्यं यथाविधि।
उभौ निगृह्य दाप्यः स्यादिति धर्मस्य धारणा ॥ १८४ ॥ (११०)

(यदि तु) और अगर (तेषां तत् हिरण्यम्) उन गुप्तचरों द्वारा रखी गई स्वर्ण आदि धरोहर को (यथाविधि) ज्यों का त्यों (न दद्यात्) न लौटावे तो (उभौ निगृह्य) धरोहर रखाने वाले तथा गुप्तचरों द्वारा रखी

गई, उन दोनों धरोहरों को अपने वश में लेकर (दाप्यः स्यात्) धरोहर रखने वाले को दण्डित करे (इति धर्मस्य धारणा) ऐसा धर्मानुसार दण्ड-विधान है ॥१८४॥

निक्षेपोपनिधी नित्यं न देयौ प्रत्यनन्तरे।
नश्यतो विनिपाते तावनिपाते त्वनाशिनौ ॥ १८५ ॥ (१११)

(नित्यम्) कभी भी (निक्षेप+उपनिधी) बिना मुहरबन्द=गिरवी धरोहर और मुहरबन्द धरोहर (अनन्तरे प्रति) देने वाले से भिन्न निकटतम व्यक्ति को [चाहे वे पुत्र आदि ही क्यों न हों] (न देयौ) नहीं देनी चाहियें (तौ) ये (विनिपाते नश्यतः) देने वाले के मर जाने पर नष्ट हो जाती हैं अर्थात् लौटानी नहीं पड़तीं (तु) और (अनिपाते) जीवित रहते हुए (अनाशिनौ) कभी नष्ट नहीं होतीं ॥ १८५ ॥

स्वयमेव तु यो दद्यान्मृतस्य प्रत्यनन्तरे।
न स राज्ञा नियोक्तव्यो न निक्षेप्तुश्च बन्धुभिः ॥१८६॥(११२)

(मृतस्य अनन्तरे प्रति) धरोहर देने वाले के मरजाने पर उसके वारिसों को (यः स्वयम्+एव दद्यात्) जो व्यक्ति स्वयं ही धरोहर लौटा दे तो (सः) उस व्यक्ति पर (न राज्ञा) न तो राजा को (न निक्षेप्तुः बन्धुभिः) और न धरोहर रखाने वाले के उत्तराधिकारी बान्धवों को (नियोक्तव्यः) किसी प्रकार का दावा या संदेह करना चाहिए ॥ १८६ ॥

अच्छलेनैव चान्विच्छेत्तमर्थं प्रीतिपूर्वकम्।
विचार्य तस्य वा वृत्तं साम्नैव परिसाधयेत् ॥१८७॥ (११३)

(तम्+अर्थम्) यदि उस व्यक्ति के पास कुछ धन रह भी गया है तो उस धन को (अच्छलेन) छलरहित होकर (प्रीतिपूर्वकम्+एव) प्रेमपूर्वक ही (अनु+इच्छेत्) लेने की इच्छा करे (वा) और (तस्य वृत्तं विचार्य) उसके भलेपन को ध्यान में रखते हुए [कि उसने स्वयं ही कुछ धन लौटा दिया] (साम्ना+एव परिसाधयेत्) शान्तिपूर्वक या मेल-जोल से ही धन-प्राप्ति के काम को सिद्ध करले ॥ १८७ ॥

निक्षेपेष्वेषु सर्वेषु विधिः स्यात्परिसाधने।
समुद्रे नाप्नुयात्किञ्चिद्यदि तस्मान्न संहरेत् ॥ १८८ ॥(११४)

(एषु सर्वेषु निक्षेपेषु) उपर्युक्त सब प्रकार के बिना मुहरबन्द निक्षेपों में (परिसाधने) विवादों का निर्णय करने के लिए (विधिः स्यात्) यह विधि [८।१८२ आदि] कही गयी है और (समुद्रे) मोहरबन्द धरोहरों में (यदि

तस्मात् न हरेत्) यदि उसमें से धरोहर को तोड़कर रखने वाला कुछ नहीं लेता है तो (किञ्चित् न+आप्नुयात्) वह किसी दोष का भागी नहीं होता ॥ १८८ ॥

चौरैर्हृतं जलेनोढमग्निना दग्धमेव वा।
न दद्याद्यदि तस्मात्स न संहरति किञ्चन ॥१८९॥ (११५)

(तस्मात्) रखे हुए धरोहर में से (यदि सः किञ्चन न संहरति) यदि धरोहर लेने वाला कुछ नहीं लेता है और धरोहर (चौरैः हृतम्) चोरों के द्वारा चुरा ली जाये (जलेन+ऊढम्) जल में बह जाये (वा) या (अग्निना एव दग्धम्) आग से ही जल जाये तो (न दद्यात्) धरोहर लेने वाला धरोहर को न लौटाये ॥ १८९ ॥

निक्षेपस्यापहर्तारमनिक्षेप्तारमेव च ।
सर्वैरुपायैरन्विच्छेच्छपथैश्चैव वैदिकैः ॥ १९० ॥

(निक्षेपस्य+अपहर्तारम्) धरोहर का अपहरण करने वाले अर्थात् वापिस न लौटाने वाले का (च) और (अनिक्षेप्तारम्+एव) बिना दिये ही धरोहर मांगने वाले का (सर्वैः उपायैः) सब साम, दण्ड आदि उपायों से (च) और (वैदिकैः शपथैः) वैदिक शपथों से (अनु+इच्छेत्) निर्णय करे ॥ १९० ॥

अनुशीलन : १९० वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. **अन्तर्विरोध**—(१) इस श्लोक में धरोहर आदि का निर्णय शपथ और साम, दाम आदि उपायों से बताया है, जबकि पिछला सारा प्रसंग इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि विवादों का निर्णय लिखा-पढ़ी एवं साक्षियों से करना चाहिये (८ । ५२, ५७; ८ । ४४, ४५)। (२) शपथ को मनु ने कहीं सत्य या न्याय का आधार नहीं माना है । यदि शपथ को ही सत्य का आधार मान लिया जाये तो, यों तो सभी शपथ कर लेंगे ! इस तरह राजा को आकृति-संकेत आदि से लोगों के अन्तर्मन को जानने की (८ । २५, २६) आवश्यकता ही कहां रह जाती है ? मनु इस बात को सत्य का आधार नहीं मानते, इसलिए सच्चे, झूठे साक्षियों की परख की बात कहते हैं और साक्षियों के अभाव में वे गुप्तचरों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का विधान करते हैं (८ । १८२–१८४)। इस विरोध के कारण यह श्लोक प्रक्षिप्त है ।

यो निक्षेपं नार्पयति यश्चानिक्षिप्य याचते ।
तावुभौ चौरवच्छास्यौ दाप्यौ वा तत्समं दमम् ॥१९१॥(११६)

(यः) जो (निक्षेपं न+अर्पयति) धरोहर को वापिस नहीं लौटाता (च) और (यः) जो (अनिक्षिप्य याचते) बिना धरोहर रखे झूठ ही मांगता

है (तौ+उभौ) वे दोनों प्रकार के व्यक्ति (चौरवत् शास्यौ) चोर के समान दण्ड के भागी हैं (वा) अथवा (तत् समं दमं दाप्यौ) बताये गये धन के बराबर अर्थदण्ड के द्वारा दण्डनीय हैं ॥ १९१ ॥

निक्षेपस्यापहर्तारं तत्समं दापयेद्दमम् ।
तथोपनिधिहर्तारमविशेषेण पार्थिवः ॥ १९२ ॥

(पार्थिवः) राजा (निक्षेपस्य+अपहर्तारम्) धरोहर का अपहरण करने वाले अर्थात् वापिस न लौटाने वाले को (तत् समं दमं दापयेत्) उस धरोहर के बराबर का अर्थदण्ड करे (तथा) उसी प्रकार (अविशेषेण) समानरूप से उतना ही दण्ड (उपनिधिहर्तारम्) उपनिधि हरने वालों को भी दे ॥ १९२ ॥

अनुशीलन : १९२ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

पुनरुक्ति—१९१ वें श्लोक में निक्षेपहर्ता को समान दण्ड देने का विधान कर दिया है। उपनिधि का विधान भी उसी में अन्तर्भूत हो जाता है। १९२ में पुनः उस बात का कथन पुनरुक्तिमात्र है, अतः प्रक्षिप्त है।

उपधाभिश्च यः कश्चित्परद्रव्यं हरेन्नरः ।
ससहायः स हन्तव्यः प्रकाशं विविधैर्वधैः ॥ १९३ ॥
(११७)

(यः कश्चित् नरः) जो कोई मनुष्य (उपधाभिः) छल-कपटया जाल-साजी से (परद्रव्यं हरेत्) दूसरों का धन हरण करे (सः) राजा उसे (ससहायः) उसके सहायकों सहित (प्रकाशम्) जनता के सामने (विविधैः वधैः हन्तव्यः) विविध प्रकार के वधों [कोड़े या बेंत मारना, हाथ-पैर काटना आदि] से दण्डित करे ॥ १९३ ॥

निक्षेपो यः कृतो येन यावांश्च कुलसन्निधौ ।
तावानेव स विज्ञेयो विब्रुवन्दण्डमर्हति ॥१९४॥ (११८)

(कुलसन्निधौ) साक्षियों के सामने (येन) जिसने (यः च यावान् निक्षेपः कृतः) जो वस्तु और जितना धरोहर के रूप में रखा है (सः) वह (तावान्+एव विज्ञेयः) उतना ही समझना चाहिए अर्थात् धरोहर घटती या बढ़ती नहीं है (विब्रुवन्) उसके विरुद्ध कहने वाला भी (दण्डम्+अर्हति) दण्ड का भागी होता है ॥ १९४ ॥

मिथो दायः कृतो येन गृहीतो मिथ एव वा ।
मिथ एव प्रदातव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः ॥१९५॥ (११९)

(येन मिथः दायः कृतः) जिस व्यक्ति ने बिना साक्षियों के परस्पर ही सहमति से धरोहर या धन दिया है (वा) अथवा (मिथः एव गृहीतः) उसी प्रकार एकान्त में ग्रहण किया है उन्हें (मिथः एव प्रदातव्यः) उसी प्रकार एकान्त में लौटा देना चाहिए (यथा दायः तथा ग्रहः) क्योंकि जैसा देना वैसा ही लेना होता है [तुलनार्थ द्रष्टव्य ८। १८०] ॥ १९५ ॥

निक्षिप्तस्य धनस्यैवं प्रीत्योपनिहितस्य च ।
राजा विनिर्णयं कुर्यादक्षिण्वन्न्यासधारिणम् ॥१९६॥ (१२०)

(एवम्) इस प्रकार [८। १७९ से ८। १९५ तक] (निक्षिप्तस्य) धरोहर के रूप में रखे गये (च) और (प्रीत्या+उपनिहितस्य धनस्य) प्रेमपूर्वक उपनिधि आदि के रूप में रखे गये धन का (न्यासधारिणम् अक्षिण्वन्) जिससे धरोहर रखने वाले को किसी प्रकार की हानि न हो ऐसे (राजा विनिर्णयं कुर्यात्) राजा निर्णय करे ॥ १९६ ॥

(३) तृतीय विवाद 'अस्वामिविक्रय' का निर्णय—१९७–२०५

दूसरे की वस्तु बेच देना—

विक्रीणीते परस्य स्वं योऽस्वामी स्वाम्यसंमतः ।
न तं नयेत साक्ष्यं तु स्तेनमस्तेनमानिनम् ॥१९७॥(१२१)

(यः) जो मनुष्य (अस्वामी) किसी वस्तु का स्वामी नहीं होता हुआ भी (स्वामी+असंमतः) उस वस्तु के असली स्वामी की आज्ञा लिए बिना (परस्य स्वं विक्रीणीते) दूसरे की सम्पत्ति को बेच देता है (अस्तेनमानिनम्) चोर होते हुए भी स्वयं को चोर न समझने वाले (स्तेनं तम्) उस चोर व्यक्ति की (साक्ष्यं न नयेत) साक्षी या बातों को प्रामाणिक न माने ॥१९७॥

अवहार्यो भवेच्चैव सान्वयः षट्शतं दमम् ।
निरन्वयोऽनपसरः प्राप्तः स्याच्चौरकिल्बिषम् ॥१९८॥(१२२)

(अवहार्यः सान्वयः एव भवेत्) यदि इस प्रकार [८। १९७] सम्पत्ति को बेचने वाला वंश से स्वामी का उत्तराधिकारी हो तो (षट्शतं दमम्) राजा उस पर छह सौ पण दण्ड करे और यदि वह (निरन्वयः) स्वामी के वंश का न हो, तथा (अनपसरः) या कोई जबरदस्ती उस सम्पत्ति पर अधिकार करने वाला हो तो वह (चौरकिल्बिषं प्राप्तः स्यात्) चोर के दण्ड को [८। ३०१–३४३] प्राप्त करने योग्य होगा ॥ १९८ ॥

अस्वामिना कृतो यस्तु दायो विक्रय एव वा ।
अकृतः स तु विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थितिः ॥१९९॥ (१२३)

(अस्वामिना) वास्तविक स्वामी के बिना (यः तु दायः वा विक्रयः कृतः) जो कुछ भी देना या बेचना किया जाये (व्यवहारे यथा स्थितिः) व्यवहार के नियम के अनुसार (सः तु अकृतः विज्ञेयः) उस कार्य को 'न किया हुआ' ही समझना चाहिए ॥ १९९ ॥

सम्भोगो दृश्यते यत्र न दृश्येतागमः क्वचित् ।
आगमः कारणं तत्र न संभोग इति स्थितिः ॥२००॥ (१२४)

(यत्र सम्भोगः दृश्यते) जहां किसी वस्तु का उपभोग किया जाना देखा जाये (आगमः क्वचित् न दृश्यते) किन्तु उसका आगम=आने का साधन या स्रोत न दिखाई पड़े (तत्र) वहाँ (आगमः कारणम्) आगम= वस्तु की प्राप्ति के स्रोत या साधन के होने का प्रमाण मानना चाहिए (संभोगः न) उपभोग करना उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं है (इति स्थितिः) ऐसी शास्त्र-व्यवस्था है। अर्थात्—किसी वस्तु के उपभोग करने से कोई व्यक्ति उसका स्वामी नहीं बन जाता अपितु 'उचित प्राप्ति' को सिद्ध करने पर ही उसे उस वस्तु का स्वामी माना जा सकता है ॥ २०० ॥

विक्रयाद्यो धनं किञ्चिद् गृह्णीयात्कुलसन्निधौ ।
क्रयेण स विशुद्धं हि न्यायतो लभते धनम् ॥२०१॥ (१२५)

(यः) जो व्यक्ति (किञ्चित् विक्रयात्) किसी वस्तु को बेचकर (धनं गृह्णीयात्) धन प्राप्त करना चाहे तो वह (कुलसन्निधौ) साक्षियों या कुल के लोगों के बीच में (विशुद्धं क्रयेण हि) उस बेची जाने वाली वस्तु की खरीददारी को विशुद्ध प्रमाणित करके ही (न्यायतः धनं लभते) न्यायानुसार धन प्राप्त करने का अधिकारी होता है अर्थात् जिस वस्तु को वह बेच रहा है वह विशुद्ध रूप से उसकी है या उसने कानूनी तौर पर खरीद रखी है, यह बात सिद्ध करने पर ही वह उस बेची हुई वस्तु के धन को प्राप्त करने का अधिकारी है, अन्यथा नहीं। जो उसकी विशुद्ध खरीदारी को प्रमाणित नहीं कर सकता, वह न उस वस्तु को बेचने का हकदार है और न उसके विक्रय के धन को प्राप्त करने का ॥ २०१ ॥

अथ मूलमनाहार्यं प्रकाशक्रयशोधितः ।
अदण्ड्यो मुच्यते राज्ञा नाष्टिको लभते धनम् ॥२०२॥ (१२६)

(अथ मूलम्+अनाहार्यम्) अगर कोई वस्तु न लेने योग्य अर्थात्

अवैध सिद्ध होती है अर्थात् मूलरूप से वह कहाँ से आयी है और किस की है यह पता न हो और खरीददार ने उस वस्तु को (प्रकाश-क्रय-शोधितः) लोगों के सामने शुद्ध रूप से खरीददारी की है, तो ऐसी स्थिति में उस अवैध वस्तु का खरीददार (राज्ञा अदण्ड्यः मुच्यते) राजा के द्वारा दण्डनीय नहीं होता, राजा उसे छोड़ दे, और (नाष्टिकः धनं लभते) जिसका वह धन मूलरूप से है, उसे लौटा दे ॥ २०२ ॥

नान्यदन्येन संसृष्टरूपं विक्रयमर्हति ।
न चासारं न च न्यूनं न दूरेण तिरोहितम् ॥२०३॥ (१२७)

(अन्येन अन्यत् संसृष्टरूपम्) एक वस्तु में उससे मिलते-जुलते रङ्ग-रूप वाली कम कीमत वाली या खराब वस्तु मिलाकर (न विक्रयम्+अर्हति) नहीं बेची जा सकती (च) और (न असारम्) न बेकार वस्तु (न न्यूनम्) न तोल में कम (न दूरेण तिरोहितम्) न दूर से अस्पष्ट दिखने वाली वस्तु को बेचना प्रामाणिक है ॥ २०३ ॥

अनुशीलन : इस प्रकार से वस्तुओं का बेचना भी दूसरे की वस्तु बेचने के समान दण्डनीय है। और इस प्रकार मिलावट या धोखा करने वाला व्यक्ति भी चोर के समान दण्डनीय होता है [१९७-१९८] या ९। २८६-२८७ के अनुसार दोष देखकर दण्ड दे।

अन्यां चेद्दर्शयित्वा वोढुः कन्या प्रदीयते ।
उभे त एकशुल्केन वहेदित्यब्रवीन्मनुः ॥ २०४ ॥

(अन्यां दर्शयित्वा) किसी सुन्दर दूसरी कन्या को दिखाकर (वोढुः) वर को (अन्या चेत् कन्या प्रदीयते) अगर उससे भिन्न दूसरी कन्या ब्याह दी जाये (ते उभे) उन दोनों को (एकशुल्केन) एक कन्या के लिए निश्चित किये गये उसी मूल्य में (वहेत्) वर विवाह कर ले जाये (इति मनुः अब्रवीत्) ऐसा मनु ने कहा है ॥ २०४ ॥

नोन्मत्तायाः न कुष्ठिन्या न च या स्पृष्टमैथुना ।
पूर्वं दोषानभिख्याप्य प्रदाता दण्डमर्हति ॥ २०५ ॥

(उन्मत्तायाः) पागल (कुष्ठिन्या) कोढ़ी (च) और (या स्पृष्टमैथुना) जिसके साथ पहले मैथुन हो चुका है (पूर्वं दोषान्+अभिख्याप्य) ऐसी कन्या के दोषों को पहले बतलाकर (प्रदाता) जो वर को कन्या प्रदान करता है (दण्डं न+अर्हति) वह दण्डनीय नहीं होता ॥ २०५ ॥

अनुशीलन : २०४—२०५ श्लोक निम्न आधारों पर प्रक्षिप्त हैं।

१. **शैलीगत आधार**—२०४ श्लोकोक्त **'इति अब्रवीत् मनुः'** पदों द्वारा यह

श्लोक मनु से भिन्न किसी अन्य परवर्ती व्यक्ति की रचना सिद्ध होती है, अतः यह प्रक्षिप्त है। २०५ वां श्लोक इससे सम्बद्ध है, अतः इसके प्रक्षिप्त होने पर वह भी स्वतः प्रक्षिप्त बन जाता है।

२. **प्रसंगविरोध**—यहाँ १९७ से 'दूसरे की वस्तु को बेचने' के विवाद निर्णय का प्रसंग है। इससे कन्या को बदलने की चर्चा करना प्रचलित प्रसंग से विरुद्ध बात है, अतः ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

३. **अन्तर्विरोध**—इन श्लोकों के वर्णन से ध्वनित होता है कि इन श्लोकों का रचयिता कन्या को विक्रय की वस्तु मानता है। यह मान्यता मनु के विरुद्ध है। मनु ने बिना शुल्क के विवाहों का विधान किया है (३।५१—५४)। इस प्रकार शुल्क का प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) चतुर्थ विवाद 'सामूहिक व्यापार' का निर्णय [२०६-२११]

मिलजुलकर उन्नति या व्यापार करना—

ऋत्विग्यदि वृतो यज्ञे स्वकर्म परिहापयेत्।
तस्य कर्मानुरूपेण देयोंऽशः सह कर्तृभिः॥ २०६॥

(यदि यज्ञे वृतः ऋत्विक्) यदि यजमान के द्वारा यज्ञ में वरण किया हुआ ऋत्विक् [२।११८] (स्वकर्म परिहापयेत्) किसी कारण से अपने काम को पूरा नहीं करता तो (कर्म+अनुरूपेण तस्य) जितना उसने काम किया है उसके हिसाब से उसको और (सह कर्तृभिः) उसके सहयोगियों को (अंशः) उनका हिस्सा (देयः) देना चाहिए॥ २०६॥

दक्षिणासु च दत्तासु स्वकर्म परिहापयन्।
कृत्स्नमेव लभेतांशमन्येनैव च कारयेत्॥ २०७॥

(च) और यदि (दत्तासु दक्षिणासु) सारी दक्षिणा पहले दे देने पर (स्वकर्म परिहापयन्) फिर यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरा नहीं करता तो (कृत्स्नम्+एव

[illegible]

यस्मिन्कर्मणि यास्तु स्युरुक्ताः प्रत्यङ्गदक्षिणाः।
स एव ता आदद्दीत भजेरन्सर्व एव वा॥ २०८॥

(यस्मिन् कर्मणि) जिस कार्य में (याः तु प्रत्यङ्गदक्षिणाः उक्ताः स्युः) जो-जो प्रत्येक विभागानुसार दक्षिणाएं कही हैं (सः+एव) वह मुख्य व्यक्ति ही (ताः+आदद्दीत) उन सब को ले ले [और फिर कार्यानुसार अन्यों को बांट दे] (वा) अथवा (सर्वे

एव भजेरन्) सभी व्यक्ति पहले ही अपना हिस्सा निश्चित करलें [और फिर कार्य करें] ॥ २०८ ॥

रथं हरेत चाध्वर्युर्ब्रह्माधाने च वाजिनम् ।
होता वाऽपि हरेदश्वमुद्गाता चाप्यनः क्रये ॥ २०९ ॥

(आधाने) आधान कार्य में (अध्वर्युः रथं हरेत) 'अध्वर्यु' रथ को ले (ब्रह्मा वाजिनम्) 'ब्रह्मा' घोड़े को (होता अश्वम्) 'होता' घोड़े को (च) और (उद्गाता अनः क्रये) 'उद्गाता' सोमक्रय के लिए शकट=गाड़ी को (हरेत्) प्राप्त करे ॥ २०९ ॥

अनुशीलन : २०६—२०९ तक श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—प्रसंग-संकेतक श्लोक (८ । ४) के अनुसार यहां साझा व्यापार का प्रसंग है । इस प्रसंग में प्रत्येक साझे व्यापार से सम्बन्धित साधारण व्यवस्था है न कि पद-विशेष के आधार पर वस्तुओं के विभाजन की व्यवस्था । इन श्लोकों में केवल यज्ञ-कार्य में वस्तुओं के विभाजन का उल्लेख इस प्रसंग के अनुकूल नहीं है । (२) इससे उक्त चार श्लोकों में 'साझे व्यापार में विभाजन की व्यवस्था' का वर्णन न होने से इनकी सम्बद्धता है । इस प्रकार प्रसंगविरोध के आधार पर ये प्रक्षिप्त हैं ।

सर्वेषामर्धिनो मुख्यास्तदर्धेनार्धिनोऽपरे ।
तृतीयिनस्तृतीयांशाश्चतुर्थांशाश्च पादिनः ॥२१०॥ (१२८)

[अपने धनव्यय के अनुसार] (सर्वेषां मुख्याः अर्धिनः) सब साझीदारों में जो मुख्य हैं, वे कुल आय के आधे भाग को लें (अपरे अर्धिनः तत् अर्धेन) दूसरे नंबर के साझीदार उनसे आधा भाग ग्रहण करें (तृतीयिनः तृतीयांशाः) तीसरे नम्बर के साझीदार उन मुख्यों से एक तिहाई भाग लें (च) और (चतुर्थांशाः पादिनः) चौथे हिस्से के हिस्सेदार एक चौथाई हिस्सा लें । इस प्रकार साझे का व्यापार करें ॥ २१० ॥

[illegible] **कर्माणि कुर्वद्भिरिह मानवैः ।**
[illegible] (१२९)

(इह) इस संसार में (संभूय स्वानि कर्माणि कुर्वद्भिः मानवैः) मिलजुलकर अपने काम करने वाले मनुष्यों को (अनेन विधियोगेन) इस विधि के अनुसार (अंशप्रकल्पना कर्त्तव्या) आपस के भाग का बंटवारा करना चाहिए अर्थात् जिसका जितना साझे का अंश है तदनुसार ही लाभांश प्राप्त करना चाहिए ॥ २११ ॥

(५) पञ्चम विवाद 'दिये पदार्थ को न लौटाना' का निर्णय—(२१२-२०३)

दान की हुई वस्तु को लौटाना—

धर्मार्थं येन दत्तं स्यात्कस्मैचिद्याचते धनम् ।
पश्चाच्च न तथा तत्स्यान्न देयं तस्य तद्भवेत् ॥२१२॥ (१३०)

(येन) जिसने (कस्मैचित् याचते) किसी चंदा मांगने वाले को (धर्मार्थं धनं दत्तं स्यात्) धर्मकार्य के लिए धन दिया हो (च) और (पश्चात्) बाद में (तथा तत् न स्यात्) उस याचक ने जैसा कहा था वह काम नहीं किया हो तो (तस्य तत् न देयं भवेत्) उसको वह धन देने योग्य नहीं रहता अर्थात् वह धन उससे वापिस ले ले ॥ २१२ ॥

यदि संसाधयेत्तत्तु दर्प्पाल्लोभेन वा पुनः ।
राज्ञा दाप्यः सुवर्णं स्यात्तस्य स्तेयस्य निष्कृतिः ॥२१३॥ (१३१)

(पुनः) वापिस मांगने पर भी (दर्पात् वा लोभेन) अभिमान या लालचवश (यदि तत् संसाधयेत्) फिर भी उस धन को वह याचक मनमाने काम में लगाये अर्थात् वापिस न करे तो (राज्ञा) राजा (तस्य स्तेयस्य निष्कृतिः) उसके चोरीरूप अपराध की निवृत्ति के लिए (सुवर्णं दाप्यः स्यात्) एक 'सुवर्ण' [८ । १३४] के दण्ड से दण्डित करे, और धन भी दिलवाये ॥ २१३ ॥

(६) षष्ठ विवाद 'वेतन-आदान' का निर्णय—(२१४-२१७)

वेतन देने, न देने का विवाद—

दत्तस्यैषोदिता धर्म्या यथावदनपक्रिया ।
अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि वेतनस्यानपक्रियाम् ॥ २१४ ॥ (१३२)

(एषा) ये [८।२१२-२१३] (दत्तस्य) दिये हुए दान को (यथावत्+अनपक्रिया) ज्यों की त्यों न लौटाने की क्रिया (धर्म्या) धर्म के अनुसार (उदिता) कही ।

(अतः+ऊर्ध्वम्) इसके बाद अब (वेतनस्य+अनपक्रियाम्) वेतन न देने के विषय का (प्रवक्ष्यामि) वर्णन करूंगा ॥ २१४ ॥

भृतो नार्तो न कुर्याद्यो दर्पात्कर्म यथोदितम् ।
स दण्ड्यः कृष्णलान्यष्टौ न देयं चास्य वेतनम् ॥२१५॥ (१३३)

(यः) जो (भृतः) सेवक (अनार्तः) रोगरहित होते हुए भी (यथा-उदितं कर्म) यथा निश्चित काम को (दर्पात्) अहंकार के कारण (न कुर्यात्) न करे (सः अष्टौ कृष्णलानि दण्डयः) राजा उस पर आठ 'कृष्णल' [७।१३४] दण्ड करे (च) और (अस्य वेतनं न देयम्) उसे उस समय का वेतन न दे ॥ २१५ ॥

आर्तस्तु कुर्यात्स्वस्थः सन् यथाभाषितमादितः ।
स दीर्घस्यापि कालस्य तल्लभेतैव वेतनम् ॥ २१६ ॥ (१३४)

यदि सेवक (स्वस्थः सन्) स्वस्थ रहता हुआ (यथाभाषितम्+आदितः कुर्यात्) जैसा पहले कहा था या निश्चय हुआ था उसके अनुसार ठीक-ठीक काम करता रहे तो (सः) वह (आर्तः तु) बीमार होने पर भी (तत् दीर्घस्य कालस्य+अपि वेतनं लभेत) उस लम्बे समय के वेतन को पाने का अधिकारी होता है ॥ २१६ ॥

यथोक्तमार्तः सुस्थो वा यस्तत्कर्म न कारयेत् ।
न तस्य वेतनं देयमल्पोनस्यापि कर्मणः ॥ २१७ ॥

(आर्तः वा सुस्थः) रोगी हो या स्वस्थ हो (यः) जो सेवक (यथोक्तं कर्म न कारयेत्) निश्चित किये या कहे काम को न करे या न कराये तो (अल्प+ऊनस्य+अपि कर्मणः) यदि उस काम में से थोड़ा-सा भी काम बाकी छोड़ देता है तो (तस्य वेतनं न देयम्) उस पूरे ही काम का वेतन उसे नहीं देना चाहिए ॥ २१७ ॥

अनुशीलन : २१७ वाँ श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त है—

१. **अन्तर्विरोध**—२१६ वें श्लोक में ठीक काम करने वाले कर्मचारी को रुग्णकाल का वेतन देने का आदेश है, किन्तु २१७ में पूरा करने पर ही वेतन देने का आदेश दिया है, अन्यथा नहीं। २१६ से विरोध होने के कारण बाद का यह विधान प्रक्षिप्त है।

(७) सप्तम विवाद 'प्रतिज्ञा विरुद्धता' का निर्णय—[२१८–२२१]

कृत-प्रतिज्ञा से फिर जाना—

एष धर्मोऽखिलेनोक्तो वेतनादानकर्मणः ।
अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि धर्मं समयभेदिनाम् ॥ २१८ ॥ (१३५)

(एषः) यह [८।२१५–२१६] (वेतनअदानकर्मणः) वेतन न देने का (धर्मः) नियम (अखिलेन+उक्तः) पूर्णरूप से अर्थात् सभी के लिए कहा ।

(अतः ऊर्ध्वम्) इसके बाद अब (समयभेदिनाम्) की हुई प्रतिज्ञा

या व्यवस्था को तोड़ने वालों के लिए (धर्मम्) विधान (प्रवक्ष्यामि) कहूँगा ॥ २१८ ॥

यो ग्रामदेशसङ्घानां कृत्वा सत्येन संविदम् ।
विसंवदेन्नरो लोभात्तं राष्ट्राद्विप्रवासयेत् ॥ २१९ ॥(१३६)

(यः) जो (नरः) मनुष्य (ग्राम-देश-संघानाम्) गांव, देश या किसी समुदाय=कम्पनी आदि से (सत्येन संविदं कृत्वा) सत्यवचनपूर्वक प्रतिज्ञा, व्यवस्था, ठेका या इकरार करके (लोभात् विसंवदेत्) फिर लोभ के कारण उसे भंग कर देवे (तं राष्ट्रात् विप्रवासयेत्) राजा उसे राष्ट्र से बाहर निकाल दे ॥ २१९ ॥

निगृह्य दापयेच्चैनं समयव्यभिचारिणम् ।
चतुः सुवर्णान्षण्निष्कांश्छतमानं च राजतम् ॥ २२० ॥ (१३७)

(च) और (एनं समयव्यभिचारिणम्) इस प्रतिज्ञा या व्यवस्था को भंग करने वाले को [अपराध के स्तरानुसार] (निगृह्य) पकड़कर (चतुः सुवर्णान्) चार 'सुवर्ण' [८।१३४] (षट् निष्कान्) छह 'निष्क' [८।१३७] (राजतं शतमानम्) चाँदी का 'शतमान' [८।१३७] (दापयेत्) दण्ड दे। ॥ २२० ॥

एतद्दण्डविधिं कुर्याद्धार्मिकः पृथिवीपतिः ।
ग्रामजातिसमूहेषु समयव्यभिचारिणाम् ॥ २२१ ॥ (१३८)

(धार्मिकः पृथिवीपतिः) धार्मिक राजा (ग्राम-जाति-समूहेषु) गाँव, वर्ण और समुदाय-सम्बन्धी विषयों में (समय-व्यभिचारिणाम्) प्रतिज्ञा या व्यवस्था का भंग करने वालों पर (एतत्) यह उपर्युक्त [८।२१९–२२०] (दण्डविधिम्) दण्ड का विधान (कुर्यात्) लागू करे ॥ २२१ ॥

(८) अष्टम विवाद 'क्रय-विक्रय' का निर्णय—[२२२–२२८]

खरीद-बिक्री का विवाद—

क्रीत्वा विक्रीय वा किञ्चिद्यस्येहानुशयो भवेत् ।
सोऽन्तर्दशाहात्तद् द्रव्यं दद्याच्चैवाददीत वा ॥२२२॥ (१३९)

(किंचित् क्रीत्वा) किसी वस्तु को खरीदकर (वा) अथवा (विक्रीय) बेचकर (यस्य) जिस व्यक्ति को (इह+अनुशयः भवेत्) मन में पश्चात्ताप अनुभव हो (सः) वह (अन्तर्दशाहात्) दश दिन के भीतर (तत् द्रव्यम्)

उस यथावत् वस्तु को (दद्यात्) लौटा दे (वा) अथवा (आददीत एव) लौटा ले ॥ २२२ ॥

परेण तु दशाहस्य न दद्यान्नापि दापयेत् ।
आददानो ददच्चैव राज्ञा दण्ड्यः शतानि षट् ॥२२३॥ (१४०)

(तु) परन्तु (दश+अहस्य परेण) दश दिन के बाद (न दद्यात्) न तो वापिस दे (अपि न दापयेत्) और न वापिस ले इस अवधि के बीतने पर (आददानः) यदि कोई वापिस ले (च+एव) या (ददत्) वापिस दे तो (राज्ञा षट्शतानि दण्ड्यः) राजा उस पर छः सौ पण [८।१३६] का जुर्माना करे ॥ २२३ ॥

यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति ।
तस्य कुर्यान्नृपो दण्डं स्वयं षण्णवतिं पणान् ॥ २२४ ॥

(यः तु) जो व्यक्ति (दोषवतीं कन्याम्) किसी भी दोष से युक्त कन्या को (अनाख्याय) बिना दोष बताये अर्थात् धोखे से (प्रयच्छति) वर को देता है (तस्य) उस पर (नृपः) राजा (स्वयं षण्णवतिं पणान् दण्डं कुर्यात्) स्वयं छियानवे पण का दण्ड करे ॥ २२४ ॥

अकन्येति तु यः कन्यां ब्रूयाद् द्वेषेण मानवः ।
स शतं प्राप्नुयाद्दण्डं तस्या दोषमदर्शयन् ॥ २२५ ॥

(यः मानवः) जो मनुष्य (द्वेषेण) द्वेष के कारण (कन्यां तु अकन्या+इति ब्रूयात्) किसी कन्या को 'यह' कन्या नहीं है, ऐसा आक्षेप लगाये और (तस्याः दोषम्+अदर्शयन्) उसके किसी से संभोग आदि सम्बन्धों को सिद्ध न कर सके तो (सः शतं दण्डं प्राप्नुयात्) वह सौ पण दण्ड पाने योग्य है ॥ २२५ ॥

पाणिग्रहणिका मन्त्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः ।
नाकन्यासु क्वचिन्नृणां लुप्तधर्मक्रिया हि ताः ॥ २२६ ॥

(पाणिग्रहणिका मन्त्राः) विवाह-विषयक मन्त्र (कन्यासु+एव प्रतिष्ठिताः) कन्याओं के विवाह में उच्चारण करने के लिए ही विहित हैं (अकन्यासु क्वचित् न) क्षतयोनि स्त्रियों के लिए कहीं भी नहीं कहे (हि) क्योंकि (ताः लुप्तधर्मक्रियाः) वे क्षतयोनि स्त्रियां धर्म से पतित होती हैं ॥ २२६ ॥

पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियतं दारलक्षणम् ।
तेषां निष्ठा तु विज्ञेया विद्वद्भिः सप्तमे पदे ॥ २२७ ॥

(पाणिग्रहणिका मन्त्राः) विवाहविषयक मन्त्र ही (नियतं दारलक्षणम्) निश्चित-रूप से पत्नी होने के प्रमाण हैं (तेषां निष्ठा तु) उन मन्त्रों की पूर्णता या सिद्धि

(विद्वद्भिः सप्तमे पदे विज्ञेया) विद्वानों को सातवें पद के पूरा होने पर समझनी चाहिये उससे पूर्व विवाह-संस्कार पूर्ण नहीं माना जाता ॥ २२७ ॥

अनुशीलन : २२४–२२७ श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. **प्रसंगविरोध** : (१) प्रस्तुत प्रसंग 'खरीद-बिक्री के विवाद' का है। इस प्रसंग में कन्यादान का वर्णन करना असंगत है। (२) पूर्वापर २२३, २२८ श्लोकों में वस्तुओं की खरीद से सम्बन्धित व्यवस्था का वर्णन होने से श्लोकों की प्रसंगसम्बद्धता है। इन श्लोकों के भिन्न वर्णन ने उस क्रम को भंग कर दिया है। देखिए पूर्वापर श्लोक पश्चात्ताप अनुभव होने पर उस वस्तु के लौटाने से सम्बन्धित हैं। अतः बीच के श्लोक प्रसंग-भञ्जक होने से प्रक्षिप्त हैं।

२. **अन्तर्विरोध**—इन श्लोको क रचयिता की मान्यता कन्या को बिक्री की वस्तु मानने की प्रतीत होती है, जो मनुविरुद्ध है। मनु ने तो चार विवाहों को उचित माना है और इन सभी में शुल्क लेन-देने का स्पष्ट निषेध किया है [३-२०, २९-३४, ३९-४१ ५१-५४]

यस्मिन्यस्मिन्कृते कार्ये यस्येहानुशयो भवेत्।
तमनेन विधानेन धर्मे पथि निवेशयेत् ॥ २२८ ॥ (१४१)

(यस्मिन् यस्मिन् कार्ये कृते) जिस-जिस कार्य के करने पर (यस्य) जिस व्यक्ति को (इह+अनुशयः भवेत्) दिल में पश्चात्ताप अनुभव हो (तम्) उस व्यक्ति को राजा (अनेन विधानेन) इस उक्त [८।२२२—२२७] विधान के अनुसार (धर्मे पथि निवेशयेत्) धर्मयुक्त मार्ग पर स्थापित करे॥ २२८ ॥

(९) नवम विवाद 'पालक-स्वामी' का निर्णय—(२२९–१४४)

पशु-स्वामी और ग्वालों का विवाद—

पशुषु स्वामिनां चैव पालानां च व्यतिक्रमे।
विवादं सम्प्रवक्ष्यामि यथावद्धर्मतत्त्वतः ॥ २२९ ॥ (१४२)

अब मैं (पशुषु) पशुओं के विषय में (स्वामिनां च पालानां व्यतिक्रमे) पशु-मालिकों और चरवाहों में मतभेद हो जाने पर जो झगड़ा खड़ा हो जाता है (विवादम्) उस विवाद को (धर्मतत्त्वतः) धर्मतत्त्व के अनुसार (यथावत्) ठीक-ठीक (सम्प्रवक्ष्यामि) कहूँगा—॥ २२९ ॥

दिवा वक्तव्यता पाले रात्रौ स्वामिनि तद्गृहे।
योगक्षेमेऽन्यथा चेत्तु पालो वक्तव्यतामियात् ॥ २३० ॥(१४३)

(दिवा पाले वक्तव्यता) [स्वामी द्वारा पशु चरवाहे को सौंप दिये जाने पर] दिन में चरवाहे पर बुराई या दोष आयेगा [यदि पशु कोई नुकसान करता है या पशु का नुकसान होता है तो] (रात्रौ तद्गृहे स्वामिनि) रात को स्वामी के घर में पशुओं को सौंप देने पर स्वामी पर दोष आयेगा (अन्यथा) इसके अतिरिक्त (योगक्षेमे चेत् तु) यदि दिन-रात पूर्णतः पशु-सुरक्षा या देखभाल की जिम्मेदारी चरवाहे पर हो तो उस स्थिति में (पालः वक्तव्यताम्+इयात्) चरवाहा ही बुराई या दोष का भागी माना जायेगा ॥ २३० ॥

गोपः क्षीरभृतो यस्तु स दुह्याद्दशतो वराम् ।
गोस्वाम्यनुमते भृत्यः सा स्यात्पालेऽभृते भृतिः ॥२३१॥(१४४)

(यः तु गोपः क्षीरभृतः) जो चरवाहा स्वामी से वेतन न लेकर दूध लेता हो (सः भृत्यः दशतः वराम्) वह नौकर प्रथम दश गायों में जो श्रेष्ठ गाय हो उसका दूध (गोस्वामी+अनुमतेः दुह्यात्) गोस्वामी की अनुमति लेकर दुहलिया करे (अभृते पाले सा भृतिः स्यात्) भरण-पोषण का व्यय न लेने पर यह दूध ही चरवाहे का पारिश्रमिक है ॥ २३१ ॥

नष्टं विनष्टं कृमिभिः श्वहतं विषमे मृतम् ।
हीनं पुरुषकारेण प्रदद्यात्पाल एव तु ॥ २३२ ॥ (१४५)

(नष्टम्) यदि कोई पशु खो जाये (कृमिभिः विनष्टम्) कीड़ों के पड़ने से मरजाये (श्वहतम्) कुत्ते खा जायें (विषमे मृतम्) विपत्ति में फंसकर या ऊंचे-नीचे स्थानों में गिरने से मरजाये (पुरुषकारेण हीनम्) चरवाहे के द्वारा पुरुषार्थ न करने के कारण या उपेक्षा के कारण पशु नष्ट हो जाये तो (पालः एव प्रदद्यात्) चरवाहा ही उस पशु का देनदार है ॥ २३२ ॥

विघुष्य तु हृतं चौरैर्न पालो दातुमर्हति ।
यदि देशे च काले च स्वामिनः स्वस्य शंसति ॥२३३॥ (१४६)

(विघुष्य तु चौरैः हृतम्) यदि पशु को जबरदस्ती चोर ले जायें (च) और (यदि देशे च काले स्वामिनः स्वस्य शंसति) यदि चरवाहा देश-काल के अनुसार शीघ्र ही अपनी ओर से स्वामी को इसकी सूचना दे देता है तो (पालः दातुं न अर्हति) चरवाहा उस पशु का देनदार नहीं होता ॥ २३३ ॥

कर्णौ चर्म च बालांश्च बस्तिं स्नायुं च रोचनाम् ।
पशुषु स्वामिनां दद्यान्मृतेष्वङ्गानि दर्शयेत् ॥२३४॥ (१४७)

(पशुषु मृतेषु) पशुओं के स्वयं मरजाने पर चरवाहा उस पशु के

(कर्णौ) दोनों कान (चर्म) चमड़ा (बालान्) पूँछ आदि के बाल (बस्तिम्) मूत्रस्थान (स्नायुम्) नसें (रोचनाम्) चर्बी (अङ्गानि दर्शयेत्) इन चिह्नों को दिखा दे और (स्वामिनां दद्यात्) स्वामी को उसकी लाश सौंप दे ॥ २३४ ॥

अनुशीलन : चिह्नों के परिगणन से अभिप्राय—श्लोक में परिगणित चिह्नों को दिखाने का यह अभिप्राय है कि उन्हें देखकर स्वामी परीक्षण से यह समझले कि पशु स्वाभाविक मौत से मरा है। किसी लालच या बदले की भावना के कारण इसे विष आदि से मारा नहीं गया।

अजाविके तु संरुद्धे वृकैः पाले त्वनायति।
यां प्रसह्य वृको हन्त्यात्पाले तत्किल्बिषं भवेत् ॥२३५॥(१४८)

(अजा+अविके) बकरी और भेड़ (वृकैः संरुद्धे) भेड़ियों के द्वारा घेर लिए जाने पर (पाले तु अनायति) यदि चरवाहा उन्हें बचाने के लिए यत्न करने न आये तो (यां प्रसह्य वृकः हन्यात्) जिस बकरी या भेड़ को आक्रमण करके जबरदस्ती भेड़िया मार जाये तब (पाले तत् किल्बिषं भवेत्) चरवाहे पर उसका दोष होगा अर्थात् वही उसका देनदार होगा ॥ २३५ ॥

तासां चेदवरुद्धानां चरन्तीनां मिथो वने।
यामुत्प्लुत्य वृको हन्यान्न पालस्तत्र किल्बिषी ॥२३६॥ (१४९)

(तासां चेत्+अवरुद्धानाम्) चरवाहे ने यदि घेरकर बकरियों और भेड़ों को संभाल रखा है और उनके (वने मिथः चरन्तीनाम्) वन में झुण्ड बनाकर चरते समय (याम्+उत्प्लुत्य वृकः हन्यात्) जिस बकरी या भेड़ को एकाएक उछलकर भेड़िया मार जाये तो (तत्र पालः न किल्बिषी) वहाँ चरवाहा दोषी नहीं होता अर्थात् देनदार नहीं होता ॥ २३६ ॥

धनुःशतं परीहारो ग्रामस्य स्यात्समन्ततः।
शम्यापातास्त्रयो वाऽपि त्रिगुणो नगरस्य तु ॥२३७॥ (१५०)

पशुओं के बैठने व घूमने-फिरने के लिए (ग्रामस्य समन्तात्) गांव के चारों ओर (धनु शतम्) १०० धनुष अर्थात् चार सौ हाथ तक (वा) अथवा (त्रयः शम्यापाताः) तीन बार छड़ी फेंकने से जितनी दूर जाये वहां तक (अपि तु) और (नगरस्य त्रिगुणः) नगर में इससे तीन गुना (परीहारः) भूखण्ड (स्यात्) होना चाहिए ॥ २३७ ॥

तत्रापरिवृतं धान्यं विहिंस्युः पशवो यदि।
न तत्र प्रणयेद्दण्डं नृपतिः पशुरक्षिणाम् ॥२३८॥ (१५१)

(तत्र) उस पशुस्थान के पास (यदि अपरिवृतं धान्यं पशवः विहिंस्युः)

यदि बिना घेरा या बाड़ बांधे अन्नों को पशु नष्ट कर दें तो (नृपतिः) राजा (तत्र) उस विषय में (पशुरक्षिणां दण्डं न प्रणयेत्) चरवाहों को दण्ड न दे ॥ २३८ ॥

वृतिं तत्र प्रकुर्वीत यामुष्ट्रो न विलोकयेत् ।
छिद्रं च वारयेत्सर्वं श्वसूकरमुखानुगम् ॥२३९॥ (१५२)

(तत्र) उस पशुस्थान में (याम्+उष्ट्रः न विलोकयेत्) जिससे ऊंट उसके ऊपर से धान्य को न खा सके इतनी ऊंची (वृतिं कुर्यात्) बाड़ या घेरा बनाये (च) और उसमें (श्व-सूकर-मुख+अनुगम्) कुत्ते तथा सूअरों का मुंह जा सके ऐसे (सर्व छिद्रं वारयेत्) सब तरह के छिद्रों को न छोड़ या बन्द कर दे ॥ २३९ ॥

पथि क्षेत्रे परिवृते ग्रामान्तीयेऽथवा पुनः ।
सपालः शतदण्डार्हो विपालान्वारयेत्पशून् ॥२४०॥ (१५३)

(परिवृते) बाड़ से युक्त (पथि) पशुओं के आवागमन के रास्ते में (क्षेत्रे) खेतों में (अथवा) या (ग्राम+अन्तीये) गांव या नगर के समीप वाले पशुस्थानों में पशुओं द्वारा नुकसान पंहुचाने पर (सपालः शतदण्ड+अर्हः) चरवाहा सौ पण दण्ड का [८। १३६] भागी है (विपालान् पशून् वारयेत्) किन्तु यदि वे पशु यों ही घूमने वाले अर्थात् बिना पालक के हों तो उन्हें केवल वहां से हटा दे ॥ २४० ॥

क्षेत्रेष्वन्येषु तु पशुः सपादं पणमर्हति ।
सर्वत्र तु सदो देयः क्षेत्रिकस्येति धारणा ॥२४१॥ (१५४)

(अन्येषु क्षेत्रेषु तु पशुः) उपर्युक्त श्लोक [८। २४०] में वर्णित खेत आदि भिन्न स्थानों में यदि पशु नुकसान करदें तो (सपादं पणम्+अर्हति) सवा पण दण्ड होना चाहिए [चरवाहा या मालिक जिसकी देखरेख में वह नुकसान हुआ है उसको] (सर्वत्र तु) जहां अधिक या पूरा खेत ही नष्ट कर दिया हो तो (क्षेत्रिकस्य सदः देयः) उस खेत वाले को पूरा हर्जाना देना होगा (इति धारणा) ऐसी नियम की व्यवस्था है ॥ २४१ ॥

अनिर्दशाहां गां सूतो वृषान्देवपशूंस्तथा ।
सपालान्वा विपालान्वा न दण्डयान्मनुरब्रवीत् ॥ २४२ ॥

(अनिर्दशाहां सूतां गाम्) दश दिन के भीतर की ब्याई हुई गौ (वृषान्) सांड (तथा) तथा (देवपशून्) देवताओं के उद्देश्य अर्थात् यज्ञादि के लिए छोड़े गये पशु (सपालान् वा विपालान्) चाहे ये चरवाहे सहित खेत को चरजायें चाहे बिना

चरवाहे के (मनुः दण्डघान् न अब्रवीत्) मनु ने किसी को भी दण्ड न देने का विधान किया है ॥ २४२ ॥

क्षेत्रियस्यात्यये दण्डो भागाद्दशगुणो भवेत् ।
ततोऽर्धदण्डो भृत्यानामज्ञानात्क्षेत्रिकस्य तु ॥ २४३ ॥

(क्षेत्रियस्य + अत्यये) किसान के द्वारा लापरवाही बरतने के कारण जो नुकसान हुआ हो तो (भागात्) राजा को देय कर से (दशगुणः दण्डः भवेत्) दशगुना दण्ड उस पर होना चाहिए (क्षेत्रिकस्य + अज्ञानात् भृत्यानां तु) यदि किसान की जानकारी के बिना उसके नौकरों से खेत का नुकसान हो जाये तो किसान पर (ततः + अर्धदण्डः) उससे आधा अर्थात् पांच गुना दण्ड होना चाहिए ॥ २४३ ॥

अनुशीलन : २४२–२४३ श्लोक प्रक्षिप्त हैं—

१. **शैलीगत आधार**—२४२ वें श्लोक में **'मनु अब्रवीत्'** पदों से स्पष्टतः ज्ञात होता है कि यह श्लोक मनु से भिन्न किसी अन्य परवर्ती व्यक्ति की रचना है, अतः यह प्रक्षिप्त है। २४३ वां इससे सम्बद्ध होने पर स्वतः प्रक्षिप्त है।

२. **प्रसंगविरोध**—प्रस्तुत प्रसंग 'पशु द्वारा हानि करने पर किसका अपराध माना जाये' इस विषयक है। २४३ वां श्लोक इस प्रसंग से बाह्य होने के कारण प्रसंग-विरुद्ध है, अतः प्रक्षिप्त है।

एतद्विधानमातिष्ठेद्धार्मिकः पृथिवीपतिः ।
स्वामिनां च पशूनां च पालानां च व्यतिक्रमे ॥२४४॥ (१५५)

(धार्मिकः पृथिवीपतिः) धार्मिक राजा (स्वामिनां पशूनां च पालानां व्यतिक्रमे) स्वामी, पशु और चरवाहा इनमें कोई मतभेद या झगड़ा उपस्थित हो जाने पर (एतत् विधानम् + आतिष्ठेत्) उपर्युक्त [८ । २२९-२४३] विधान के अनुसार निर्णय करे ॥ २४४ ॥

(१०) सीमा-सम्बन्धी विवाद (२४५–२६५) और उसका निर्णय—

सीमां प्रति समुत्पन्ने विवादे ग्रामयोर्द्वयोः ।
ज्येष्ठे मासि नयेत्सीमां सुप्रकाशेषु सेतुषु ॥२४५॥ (१५६)

(द्वयोः ग्रामयोः) दो गांवों या दो समूहों का (सीमां प्रति विवादे समुत्पन्ने) सीमा-सम्बन्धी झगड़ा या मुकद्दमा खड़ा हो जाने पर (ज्येष्ठे मासि) ज्येष्ठ के महीने में (सेतुषु सुप्रकाशेषु) सीमा-चिह्नों के स्पष्ट दीखने

के बाद (सीमां नयेत्) सीमा का निर्णय करे [यह समय उन विवादों के लिए है जिनका वर्षा आदि अन्य कालों में निर्णय न हो सके] ॥ २४५ ॥

सीमावृक्षांश्च कुर्वीत न्यग्रोधाश्वत्थकिंशुकान् ।
शाल्मलीन्सालतालांश्च क्षीरिणश्चैव पादपान् ॥२४६॥ (१५७)

गुल्मान्वेणूंश्च विविधाञ्छमीवल्लीस्थलानि च ।
शरान्कुब्जकगुल्मांश्च तथा सीमा न नश्यति ॥२४७॥ (१५८)

(च) और सीमा को निश्चित करने के लिए राजा (सीमावृक्षान् कुर्वीत) सीमा को बतलाने के चिह्नरूप वृक्षों को लगवाये—(न्यग्रोध) बड़ (+अश्वत्थ) पीपल (—किंशुकान्) ढाक (शाल्मलीन्) सेमल (साल-तालान्) साल और ताड़वृक्ष (च) और (क्षीरिणः पादपान्+एव) दूध वाले अन्य वृक्षों को [जैसे—गूलर, पिलखन आदि] (गुल्मान्) झाड़वाले पौधों (विविधान् वेणून्) विविध प्रकार के बांसवृक्ष (शमी-वल्ली-स्थलानि) सेम की बेल तथा अन्य भूमि पर फैलने वाली लताएं (सरान्) सरकंडे या मूंज के झाड़ (च) और (कुब्जकगुल्मान्) मालती पौधे के झाड़ों को लगवाये (तथा सीमा न नश्यति) इस प्रकार करने से सीमा नष्ट नहीं होती—सुरक्षित रहती है ॥ २४६—२४७ ॥

तडागान्युदपानानि वाप्यः प्रस्रवणानि च ।
सीमासन्धिषु कार्याणि देवतायतनानि च ॥२४८॥ (१५९)

(तडागानि) तालाब (उदपानानि) कूएं (वाप्यः) बावड़ियां (प्रस्रवाणि) नाले (च) तथा (देवतायतनानि) देवस्थान=यज्ञशालाएं आदि (सीमासन्धिषु कार्याणि) सीमा के मिलने के स्थानों पर बनवाने चाहिएं ॥ २४८ ॥

उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालिङ्गानि कारयेत् ।
सीमाज्ञाने नृणां वीक्ष्य नित्यं लोके विपर्ययम् ॥२४९॥ (१६०)

अश्मनोऽस्थीनि गोबालांस्तुषान्भस्मकपालिकाः ।
करीषमिष्टकाङ्गारांश्छर्करा बालुकास्तथा ॥२५०॥(१६१)

यानि चैवं प्रकाराणि कालाद्भूमिर्न भक्षयेत् ।
तानि सन्धिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत् ॥२५१॥(१६२)

राजा (लोके) संसार में (सीमाज्ञाने) सीमा के विषय में (नृणाम्) मनुष्यों का (नित्यं विपर्ययं वीक्ष्य) सदैव मतभेद पाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखता हुआ (अन्यानि उपच्छन्नानि सीमालिङ्गानि कारयेत्)

दूसरे गुप्त सीमाचिह्नों को भी करवा दे; [जैसे—] (अश्मनः) पत्थर (अस्थीनि) हड्डियां (गोबालान्) गौ आदि पशुओं के बाल (तुषान्) तुस=चावलों के छिलके आदि (भस्म) राख (कपालिकाः) खोपड़ियां (करीषम्) सूखा गोबर (+इष्टक) ईंटें (+अंगारान्) कोयले (शर्करा) पत्थर की रोड़ियां=कंकड़ (तथा) तथा (वालुकाः) बालू रेत (च) और (यानि एवं प्रकाराणि) जितने भी इस प्रकार के पदार्थ हैं जिन्हें (कालात् भूमिः न भक्षयेत्) बहुत समय तक भूमि अपने रूप में न मिला सके (तानि) उनको (अप्रकाशानि) गुप्तरूप से अर्थात् जमीन में दबाकर (सीमायां कारयेत्) सीमास्थानों पर रखवादे ॥ २४९–२५१ ॥

एतैर्लिङ्गैर्नयेत्सीमां राजा विवदमानयोः ।
पूर्वभुक्त्या च सततमुदकस्यागमेन च ॥ २५२ ॥ (१६३)

(राजा) राजा (विवदमानयोः) सीमा के विषय में लड़ने वालों की (एतैः लिङ्गैः) इन [८। २४६–२५१] चिह्नों से (च) तथा (पूर्वभुक्त्या) पहले जो उसका उपभोग कर रहा हो, इस आधार पर (च) और (सततम्+उदकस्य+आगमेन) निरन्तर जल के प्रवाह के आगमन के आधार पर [कि पानी किस ओर से आता है आदि] (सीमां नयेत्) सीमा का निर्णय करे ॥ २५२ ॥

यदि संशय एव स्याल्लिङ्गानामपि दर्शने ।
साक्षिप्रत्यय एव स्यात्सीमावादविनिर्णयः ॥ २५३ ॥(१६४)

(यदि लिङ्गानाम्+अपि दर्शने) यदि सीमाचिह्नों के देखने पर भी (संशय एव स्यात्) संदेह रह जाये तो (साक्षीप्रत्यय एव) साक्षियों के प्रमाण से (सीमावाद-विनिर्णयः स्यात्) सीमाविषयक विवाद का निर्णय करे ॥ २५३ ॥

ग्रामीयककुलानां च समक्षं सीम्नि साक्षिणः ।
प्रष्टव्याः सीमालिङ्गानि तयोश्चैव विवादिनोः ॥२५४॥ (१६५)

राजा (ग्रामीयककुलानां च तयोः विवादिनोः समक्षम्) गाँवों के कुलीन पुरुषों और उन वादी-प्रतिवादियों के सामने (सीम्नि) सीमा-स्थान पर (साक्षिणः) साक्षियों से [८। ६२-६३] (सीमालिङ्गानि प्रष्टव्याः) सीमा-चिह्नों को पूछे ॥ २५४ ॥

ते पृष्टास्तु यथा ब्रूयुः समस्ताः सीम्नि निश्चयम् ।
निबध्नीयात्तथा सीमां सर्वांस्तांश्चैव नामतः ॥२५५॥(१६६)

राजा के द्वारा (पृष्टाः) पूछने पर अर्थात् जांच-पड़ताल करने पर (सीम्नि निश्चयम्) सीमा-निश्चय के विषय में (ते समस्ताः यथा ब्रूयुः) वे सब—साक्षी और गाँव के उपस्थित कुलीन पुरुष जैसे एकमत होकर कहें—स्वीकार कर लें (तथा सीमां निबध्नीयात्) राजा उसी प्रकार सीमा को निर्धारित करदे (च) और (तान् सर्वान् एव नामतः) उन उपस्थित सभी साक्षियों एवं पुरुषों के नामों को भी लिखकर रख ले [जिससे पुनः विवाद उपस्थित होने पर यह ज्ञात हो सके कि किन-किन लोगों के समक्ष या गवाही से यह निर्णय हुआ था] ॥ २५५ ॥

शिरोभिस्ते गृहीत्वोर्वीं स्रग्विणो रक्तवाससः ।
सुकृतैः शापिताः स्वैः स्वैर्नयेयुस्ते समञ्जसम् ॥ २५६ ॥

(ते) वे साक्षी (शिरोभिः उर्वीं गृहीत्वा) शिर पर मिट्टी रखकर (स्रग्विणः) गले में माला पहनकर (रक्तवाससः) लाल कपड़े पहनकर (स्वैः स्वैः सुकृतैः शापिताः) अपने-अपने पुण्यों की शपथ खाकर [कि यदि हम झूठ बोलेंगे तो हमारे अब तक किये सब पुण्य नष्ट हो जायें] (समञ्जसं नयेयुः) सीमा के विषय में स्पष्ट निर्णय दें ॥ २५६ ॥

यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाक्षिणः ।
विपरीतं नयन्तस्तु दाप्याः स्युर्द्विशतं दमम् ॥ २५७ ॥

(यथा+उक्तेन नयन्तः) ठीक ठीक ज्यों की त्यों बात कहने पर (ते सत्य साक्षिणः पूयन्ते) वे सच्चे साक्षी पवित्र अर्थात् निर्दोष होते हैं (तु) यदि (विपरीतं नयन्तः) झूठी गवाही दें तो (द्विशतं दमं दाप्याः स्युः) राजा उन पर दो सौ पण दण्ड करे ॥ २५७ ॥

अनुशीलन : २५६–२५७ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—साक्षियों से सम्बद्ध सभी नियम और व्यवस्थाओं का विधान गत साक्षीनिर्णय [८। ५७–१३०] प्रसंग में हो चुका है। इन श्लोकों में उनसे भिन्न व्यवस्था होने के कारण ये श्लोक मनुविरुद्ध हैं, अतः प्रक्षिप्त हैं।

इसी प्रकार साक्षियों की दण्ड-व्यवस्था भी वहां वर्णित है। यहाँ वर्णित दण्ड भी भिन्न होने के कारण विरुद्ध है। शपथ-पद्धति मनु-सम्मत नहीं है [इस विषय पर द्रष्टव्य है ८। ९७—११६ श्लोकों पर समीक्षा 'अन्तर्विरोध']।

साक्ष्यभावे तु चत्वारो ग्रामाः सामन्तवासिनः ।
सीमाविनिर्णयं कुर्युः प्रयता राजसन्निधौ ॥२५८॥ (१६७)

(साक्षी+अभावे) यदि सीमा-विषय में साक्षियों का भी अभाव हो

(तु) तो (सामन्तवासिनः चत्वारः ग्रामाः) समीपवर्ती चार गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति (राजसन्निधौ) राजा या न्यायाधीश के सामने (प्रयताः) पक्षपात-रहितभाव से (सीमाविनिर्णयं कुर्युः) सीमा का निर्णय करें अर्थात् सीमा निर्णय के विषय में अपना मत दें ॥ २५८ ॥

सामन्तानामभावे तु मौलानां सीम्नि साक्षिणाम् ।
इमानप्यनुयुञ्जीत पुरुषान्वनगोचरान् ॥ २५९ ॥

(सीम्नि साक्षिणाम्) सीमाविषयक साक्षियों के रूप में (सामन्तानां तु मौलानाम् अभावे) यदि समीपवर्ती गांववालों का और सीमा के मूलज्ञाता प्रतिष्ठित व्यक्तियों का अभाव हो तो (इमान् वनगोचरान् पुरुषान् अपि+अनुयुञ्जीत) राजा इन [आगे ८। २६०] वन में घूमने वाले पुरुषों से भी साक्षी के रूप में पूछताछ करे—॥ २५९ ॥

व्याधाञ्छाकुनिकान्गोपान्कैवर्तान्मूलखानकान् ।
व्यालग्राहानुञ्छवृत्तीनन्यांश्च वनचारिणः ॥ २६० ॥

(व्याधान्) शिकारियों से (शकुनिकान्) पक्षियों को मारने वालों से (गोपान्) चरवाहों से (कैवर्तान्) मछलियां मारकर आजीविका करने वालों से (मूलखानकान्) कन्द-मूल आदि खोदकर संग्रह करने वालों से (व्यालग्राहान्) सपेरों से (उञ्छवृत्तीन्) अन्नादि रूप पदार्थों को चुनकर जीविका चलाने वालों से (च) और (यान् वनचारिणः) दूसरे जो वन में विचरण करते हैं, उनसे सीमा के विषय में पूछे ॥ २६० ॥

ते पृष्टास्तु यथा ब्रूयुः सीमासन्धिषु लक्षणम् ।
तत्तथा स्थापयेद्राजा धर्मेण ग्रामयोर्द्वयोः ॥ २६१ ॥

(पृष्टाः तु) राजा के द्वारा पूछने पर (ते सीमासन्धिषु यथा लक्षणं ब्रूयुः) वे लोग गांवों की सीमाओं के मिलने के स्थानों पर जैसे चिह्न बतलावें (राजा तत् द्वयोः ग्रामयोः तथा) राजा उन दोनों गावों की सीमा को वैसे ही (धर्मेण स्थापयेत्) धर्मानुसार निश्चित करदे ॥ २६१ ॥

अनुशीलन : २५९ से २६१ श्लोक निम्न आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—(१) प्रथम बात तो यह है कि चार-चार ग्राम के व्यक्ति होने पर साक्षियों का अभाव नहीं हो सकता, फिर भी यदि अभाव हो तो मनुने गुप्तचरों द्वारा जानकारी प्राप्त करने का विधान किया है [८। १८२], अयोग्य साक्षियों द्वारा नहीं। (२) मनु ने साक्षी-प्रसंग में साक्षियों के जो गुण दिये हैं [८। ६३, ६४], ये साक्षी उस विधान के अनुरूप नहीं हैं। अपितु वहां 'न दूषिताः' [८। ६४] कहकर ऐसे दूषित आचरण वाले व्यक्तियों को साक्षी होने के लिए स्पष्ट निषेध किया है। अतः यह

व्यवस्था मनुप्रणीत नहीं हो सकती। इन आधारों के अनुसार ये श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं।

क्षेत्रकूपतडागानामारामस्य गृहस्य च।
सामन्तप्रत्ययो ज्ञेयः सीमासेतुविनिर्णयः ॥ २६२ ॥ (१६८)

(क्षेत्र-कूप-तडागानाम्+आरामस्य) खेत, कूआं तालाब, बगीचा (च) और (गृहस्य) घर की (सीमा-सेतु-विनिर्णयः) सीमा के चिह्न का निर्णय (सामन्त-प्रत्ययः ज्ञेयः) उस गांव के प्रतिष्ठित-धार्मिक निवासियों की साक्षियों के आधार पर करना चाहिए ॥ २६२ ॥

सामन्ताश्चेन्मृषा ब्रूयुः सेतौ विवदतां नृणाम्।
सर्वे पृथक्पृथग्दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम् ॥२६३॥ (१६९)

(नृणां सेतौ विवदताम्) दो ग्रामवासियों में परस्पर सीमासम्बन्धी विवाद उपस्थित होने पर (सामन्ताः चेत् मृषा ब्रूयुः) गांव के निवासी यदि झूठ या गलत कहें तो (राज्ञा) राजा (पृथक्-पृथक् सर्वे) उनमें से झूठ कहने वाले प्रत्येक को (मध्यमसाहसम् दण्ड्याः) 'मध्यमसाहस' [८। १३८] का दण्ड दे ॥ २६३ ॥

गृहं तडागमारामं क्षेत्रं वा भीषया हरन्।
शतानि पञ्च दण्ड्यः स्यादज्ञानाद् द्विशतो दमः ॥२६४॥(१७०)

(भीषया) यदि कोई भय दिखाकर (गृहं तडागम्+आरामं वा क्षेत्रं हरन्) घर, तालाब, बगीचा अथवा खेत को लेले, तो राजा उस पर (शतानि पञ्च दण्ड्यः) पाँच सौ पणों का दण्ड करे (अज्ञानात् द्विशतः दमः स्यात्) यदि अनजाने में अधिकार करले तो दो सौ पणों का दण्ड दे और उस अधिकृत वस्तु को भी लौटाये ॥ २६४ ॥

सीमायामविषह्यायां स्वयं राजैव धर्मवित्।
प्रदिशेद्भूमिमेतेषामुपकारादिति स्थितिः ॥ २६५ ॥ (१७१)

(सीमायाम्+अविषह्यायाम्) चिह्नों एवं साक्षियों आदि उपर्युक्त [८। २४५-२६३] उपायों से सीमा के निर्धारित न हो सकने पर (धर्मवित् राजा स्वयम् एव) न्याय का ज्ञाता राजा स्वयं ही (एतेषाम्+उपकारात्) वादी-प्रतिवादियों के उपकार अर्थात् हितों को ध्यान में रखकर (भूमि प्रदिशेत्) भूमि-सीमा को निश्चित करदे (इति स्थितिः) ऐसी शास्त्रव्यवस्था है ॥ २६५ ॥

(११) दुष्ट या कटुवाक्य बोलने-सम्बन्धी विवाद [२२६–२२७] और उसका निर्णय—

एषोऽखिलेनाभिहितो धर्मः सीमाविनिर्णये ।
अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि वाक्पारुष्यविनिर्णयम् ॥ २६६ ॥(१७२)

(एषः) यह [८ । २४५–२६५] (सीमा-विनिर्णये) सीमा के निर्णय करने के विषय में (धर्मः) न्यायविधान (अखिलेन+अभिहितः) पूर्णरूप से कहा ।

(अतः+ऊर्ध्वम्) इसके बाद अब (वाक्-पारुष्य-विनिर्णयम्) कठोर और दुष्टवचन बोलने पर निर्णय (प्रवक्ष्यामि) कहूँगा—॥ २६६ ॥

शतं ब्राह्मणमाक्रुश्य क्षत्रियो दण्डमर्हति ।
वैश्योऽप्यर्धशतं द्वे वा शूद्रस्तु वधमर्हति ॥ २६७ ॥

(ब्राह्मणम्+आक्रुश्य) ब्राह्मण को कठोर या दुष्ट वचन कहने पर (क्षत्रियः शतं दण्डम्+अर्हति) क्षत्रिय सौ पण दण्ड का भागी होता है (अपि वैश्यः अर्धशतं वा द्वे) और वैश्य डेढ़ सौ वा दो सौ पण (तु) और (शूद्रः वधम्+अर्हति) शूद्र शारीरिक दण्ड का भागी होता है ॥ २६७ ॥

पञ्चाशद् ब्राह्मणो दण्ड्यः क्षत्रियस्याभिशंसने ।
वैश्ये स्यादर्धपञ्चाशच्छूद्रे द्वादशको दमः ॥ २६८ ॥

(क्षत्रियस्य+अभिशंसने) क्षत्रिय को निन्दात्मक वचन कहने पर (ब्राह्मणः पञ्चाशद् दण्ड्यः) ब्राह्मण को पचास पण दण्ड देना चाहिए (वैश्ये अर्धपञ्चाशत् स्यात्) वैश्य को कहने पर पच्चीस पण, और (शूद्रे द्वादशकः दमः) शूद्र को कहने पर बारह पण दण्ड ब्राह्मण को देना चाहिए ॥ २६८ ॥

समवर्णे द्विजातीनां द्वादशैव व्यतिक्रमे ।
वादेष्ववचनीयेषु तदेव द्विगुणं भवेत् ॥ २६९ ॥

(समवर्णे द्विजातीनां व्यतिक्रमे) समानवर्ण वाले द्विजों में परस्पर कठोर वचन कहने पर (द्वादश+एव) बारह पण ही दण्ड होना चाहिए (अवचनीयेषु वादेषु) अत्यन्त निन्दनीय वचन कहने पर (तदेव द्विगुणं भवेत्) वही उक्त दण्ड [८ । २६७–२६९] दुगुना होगा ॥ २६९ ॥

एकजातिर्द्विजातींस्तु वाचा दारुणया क्षिपन् ।
जिह्वायाः प्राप्नुयाच्छेदं जघन्यप्रभवो हि सः ॥ २७० ॥

(एकजातिः तु) यदि शूद्र (द्विजातीन् दारुणया वाचा क्षिपन्) द्विजातियों को

अत्यन्त कठोर या दुष्ट वाणी में आक्षेप करे तो (जिह्वायाः छेदं प्राप्नुयात्) उसकी जीभ को काट देना चाहिए (हि) क्योंकि (सः जघन्यप्रभवः) वह शूद्र नीच से उत्पन्न है ॥ २७० ॥

नामजातिग्रहं त्वेषामभिद्रोहेण कुर्वतः ।
निक्षेप्योऽयोमयः शङ्कुर्ज्वलन्नास्ये दशाङ्गुलः ॥ २७१ ॥

(नाम-जातिग्रहं तु एषाम्) नाम और जाति का कथन करते हुए यदि शूद्र इन द्विजों को (अभिद्रोहेण कुर्वतः) द्रोहपूर्वक कठोर वचन कहे तो (ज्वलन् दश + अङ्गुलः) जलती हुई दश अंगुल लम्बी (अयोमयः शङ्कुः) लोहे की शलाका (आस्ये निक्षेप्यः) इस शूद्र के मुख में डाल देनी चाहिए ॥ २७१ ॥

धर्मोपदेशं दर्पेण विप्राणामस्य कुर्वतः ।
तप्तमासेचयेत्तैलं वक्त्रे श्रोत्रे च पार्थिवः ॥ २७२ ॥

(अस्य दर्पेण विप्राणां धर्मोपदेशं कुर्वतः) यदि शूद्र घमण्ड में आकर द्विजों को धर्म का उपदेश करे तो (पार्थिवः) राजा (तप्तं तैलं वक्त्रे श्रोत्रे आसेचयेत्) तपा हुआ तैल शूद्र के मुख और कानों में डलवादे ॥ २७२ ॥

अनुशीलन : २६७ से २७२ श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—(१) मनु की दण्डव्यवस्था भेदभावयुक्त या ईर्ष्या, द्वेष-भावना से युक्त नहीं है। वे निर्लिप्त एवं समभाव से सभी प्रजाजनों के लिए यथायोग्य, न्याययुक्त दण्ड का विधान करते हैं [९। ३०७, ३११; ७। २, १६, २७, ३०]। अपितु समझदार और जिम्मेदार होने के कारण उच्चवर्ण वालों को अधिक दण्ड देने का विधान करते हैं। [८।३३५—३३८, ३०६] इन श्लोकों में वर्णानुक्रम से अधिक दण्ड का विधान उक्त सभी मान्यताओं के विरुद्ध है। इस प्रसंग के २७३—२७५ श्लोकों में भी सबके लिए समान व्यवस्था है। इस प्रकार इस व्यवस्था में अन्तर्विरोध होने के कारण ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं। (२) २७० वें श्लोक में शूद्र को 'जघन्यप्रभवः' विशेषण देने से इन श्लोकों के रचयिता की मान्यता जन्मना वर्णव्यवस्था की सिद्ध होती है। यह मान्यता भी मनु-विरुद्ध है। मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं [द्रष्टव्य १। ९२—१०१ पर 'अनुशीलन']

२. **शैलीगत आधार**—इन सभी श्लोकों में और विशेषरूप से २७०—२७२ में शूद्र के प्रति आक्रोश एवं घृणात्मक भावना है, यह पक्षपात एवं दुराग्रह है। मनु की शैली निर्लिप्ततापूर्वक विधान करने की है, अतः यह शैली मनु की नहीं है। इस आधार पर भी ये श्लोक मनुप्रणीत सिद्ध नहीं होते।

श्रुतं देशं च जातिं च कर्म शारीरमेव च ।
वितथेन ब्रुवन्दर्पाद्दाप्यः स्याद् द्विशतं दमम् ॥२७३॥ (१७३)

कोई मनुष्य किसी मनुष्य के (श्रुतम्) विद्या (देशम्) देश (जातिम्) वर्ण (च शारीरम् एव कर्म) और शरीर-सम्बन्धी कर्म के विषय में (दर्पात्) घमण्ड में आकर (वितथेन ब्रुवन्) झूठी निन्दा अथवा गलत बात से अपमानित करे, उसे (द्विशतं दमं दाप्यः) दो सौ पण दण्ड देना चाहिए ॥ २७३ ॥

काणं वाऽप्यथवा खञ्जमन्यं वाऽपि यथाविधम् ।
तथ्येनापि ब्रुवन्दाप्यो दण्डं कार्षापणावरम् ॥२७४॥(१७४)

किसी (काणम्) काने को (अपि वा) अथवा (खञ्जम्) लंगड़े को (वा) अथवा (तथाविधम्+अपि) इसी प्रकार के अन्य विकलांगों को (तथ्येन+अपि ब्रुवन्) वास्तव में वैसा होते हुए भी किसी को काना, लंगड़ा आदि कहने पर (कार्षापणावरं दण्डं दाप्यः) कम से कम एक कार्षापण दण्ड करना चाहिए ॥ २७४ ॥

अनुशीलन : **अन्यत्र विधान से पुष्टि** —मनु ने ४। १४१ में विकलांग व्यक्तियों को कटुवचन या आक्षेपयुक्त वचन कहने का स्पष्टतः निषेध किया है। यहां उस विधान के विपरीत आचरण करने वालों के लिए दण्ड का विधान है।

मातरं पितरं जायां भ्रातरं तनयं गुरुम् ।
आक्षारयञ्छतं दाप्यः पन्थानं चाददद् गुरोः ॥२७५॥ (१७५)

(मातरं पितरं जायां भ्रातरं तनयं गुरुम्) माता, पिता, पत्नी, भाई, बेटा, गुरु इनको (आक्षारयन्) दोष लगाकर निन्दा करने पर (च) और (गुरोः) गुरु को (पन्थानम्+अददत्) रास्ता न देने पर (शतं दाप्यः) सौ पण दंड होना चाहिए ॥ २७५ ॥

अनुशीलन : **अन्यत्र विधान से पुष्टि**—मनु ने ४। १७६–१८० में इन व्यक्तियों से किसी प्रकार का विवाद, लड़ाई-झगड़ा न करने का विधान किया है। उस विधान को भंग करके कटुवचन या आक्षेपयुक्त वचन कहने पर यह दण्ड-विधान है।

ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां तु दण्डः कार्यो विजानता ।
ब्राह्मणे साहसः पूर्वः क्षत्रिये त्वेव मध्यमः ॥ २७६ ॥

(ब्राह्मण-क्षत्रियाभ्यां तु) ब्राह्मण और क्षत्रिय में परस्पर दुष्टवचन उपस्थित होने पर (विजानता) बुद्धिमान् राजा को चाहिए कि वह (ब्राह्मणे पूर्वः साहसः) ब्राह्मण पर पूर्वसाहस (तु) और (क्षत्रिये मध्यमः) क्षत्रिय पर मध्यम-साहस (दण्डः कार्यः) दण्ड करना चाहिए ॥ २७६ ॥

विट्शूद्रयोरेवमेव स्वजाति प्रति तत्त्वतः ।
छेदवर्जं प्रणयनं दण्डस्येति विनिश्चयः ॥ २७७ ॥

(विट्-शूद्रयोः) वैश्य-शूद्र की परस्पर (स्वजाति प्रति) अपनी जाति के प्रति निन्दापूर्वक कहा-सुनी होने पर (एवम्+एव) इसी प्रकार अर्थात् वैश्य को प्रथम साहस तथा शूद्र को मध्यम साहस [८। २७६ के अनुसार] का दण्ड करे (छेदवर्जं प्रणयन्) शूद्र की जीभ न काटे (इति दण्डस्य तत्त्वतः विनिश्चयः) ऐसा दण्ड का सही-सही निश्चय है ॥ २७७ ॥

अनुशीलन : २७६—२७७ श्लोक प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—इन श्लोकों में विहित दण्डव्यवस्था मनुसम्मत नहीं है। [द्रष्टव्य ८। २६७—२७२ पर 'अनुशीलन']

२. **अवान्तरविरोध**—प्रक्षिप्त श्लोकों में परस्पर भी विरोध है। २६७–२७२ श्लोकों में जो दण्ड-व्यवस्था दी है, इन श्लोकों की व्यवस्था उनसे मेल नहीं खाती। इससे प्रतीत होता है कि ये श्लोक भिन्न-भिन्न रचयिताओं के हैं।

(१२) दण्ड से घायल करने या मारने सम्बन्धी विवाद[२७८–३००] और उसका निर्णय—

एष दण्डविधिः प्रोक्तो वाक्पारुष्यस्य तत्त्वतः ।
अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि दण्डपारुष्यनिर्णयम् ॥२७८॥ (२७६)

(एषः) यह [८।२६७—२७७] (तत्त्वतः) ठीक-ठीक (वाक्पारुष्यस्य) कठोर वचन या दुष्ट वचन बोलने का (दण्डविधिः) दण्डविधान (प्रोक्तः) कहा (अतः+ऊर्ध्वम्) इसके पश्चात् अब (दण्डपारुष्यनिर्णयम्) कठोर दंड से घायल करना या मारना अथवा दंडे से कठोरतापूर्वक मारपीट करने पर निर्णय को (प्रवक्ष्यामि) कहूँगा ॥ २७८ ॥

येन केनचिदङ्गेन हिंस्याच्चेच्छ्रेष्ठमन्त्यजः ।
छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनम् ॥ २७९ ॥

(अन्त्यजः) शूद्र (येन केनचित्+अङ्गेन) जिस किसी अंग से (श्रेष्ठं हिंस्यात् चेत्) श्रेष्ठ अर्थात् द्विजों पर प्रहार करे तो (तत्+तत्+एव अस्य छेत्तव्यम्) राजा उसके उस-उस अङ्ग को ही कटवादे (तत् मनोः+अनुशासनम्) यही मनु का आदेश है ॥ २७९ ॥

पाणिमुद्यम्य दण्डं वा पाणिच्छेदनमर्हति ।
पादं तु प्रहरन्कोपात्पादच्छेदनमर्हति ॥ २८० ॥

(पाणिम्) हाथ (वा) अथवा (दण्डम् उद्यम्य) हाथ से डंडा उठाकर प्रहार करने पर (पाणिच्छेदनम्+अर्हति) शूद्र का हाथ कटवा देना चाहिए (कोपात्) क्रोधपूर्वक (पादेन प्रहरन्) पैर से प्रहार करने पर (पादच्छेदनम्+अर्हति) पैर काट देना चाहिए ॥ २८० ॥

सहासनमभिप्रेप्सुरुत्कृष्टस्यापकृष्टजः ।
कट्यां कृताङ्को निर्वास्यः स्फिचं वास्यावकर्तयेत् ॥ २८१ ॥

(अपकृष्टजः) यदि कोई शूद्र (उत्कृष्टस्य) अपने से श्रेष्ठ ब्राह्मण के (सहासनम्+अभिप्रेप्सुः) साथ एकसमान आसन पर बैठने की कोशिश करे तो (कट्यां कृताङ्कः निर्वास्यः) उसे कमर में दगवाकर देशनिकाला दे दे (वा) अथवा (अस्य स्फिचम्+अवकर्तयेत्) इसके एक चूतड़ को कतरवा दे ॥ २८१ ॥

अवनिष्ठीवतो दर्पाद् द्वावोष्ठौ छेदयेन्नृपः ।
अवमूत्रयतो मेढ्रमवशर्धयतो गुदम् ॥ २८२ ॥

शूद्र यदि ब्राह्मण का अपमान (दर्पात्) घमण्ड के कारण (अवनिष्ठीवतः) उस पर थूककर करे तो (नृपः) राजा, शूद्र के (द्वौ+ओष्ठौ छेदयेत्) दोनों ओठों को कटवा दे (अवमूत्रयतः) मूत्र फेंककर करे तो (मेढ्रम्) उसकी लिंगेन्द्रिय को, (अवशर्धयतः गुदम्) यदि अधोवायु के द्वारा करे तो गुदा को कटवा दे ॥ २८२ ॥

केशेषु गृह्णतो हस्तौ छेदयेदविचारयन् ।
पादयोर्दाढिकायां च ग्रीवायां वृषणेषु च ॥ २८३ ॥

यदि शूद्र ब्राह्मण को (केशेषु गृह्णतः) बालों से पकड़े तो राजा (अविचारयन् हस्तौ छेदयेत्) बिना विचारे शूद्र के दोनों हाथ कटवा दे, यदि (पादयोः) दोनों पैर (दाढिकायाम्) दाढ़ी (ग्रीवायाम्) गर्दन (च) और (वृषणेषु) अण्डकोशों को पकड़कर प्रहार करे तो भी दोनों हाथ कटवा दे ॥ २८३ ॥

त्वग्भेदकः शतं दण्ड्यो लोहितस्य च दर्शकः ।
मांसभेत्ता तु षण्निष्कान्प्रवास्यस्त्वस्थिभेदकः ॥ २८४ ॥

समान वर्ण वालों में मारकर (त्वक्भेदकः शतं दण्ड्यः) चमड़ी उखाड़ने वाले पर सौ पण दण्ड करे (च) और (लोहितस्य दर्शकः) खून निकाल देने वाले पर भी सौ पण दण्ड करे (मांसभेत्ता तु षट् निष्कः) मांसछेदन करने वाले को छह 'निष्क' [८।१३७] दण्ड करे, और (अस्थिभेदकः तु प्रवास्यः) हड्डी तोड़ने वाले को तो देशनिकाला ही दे दे ॥ २८४ ॥

वनस्पतीनां सर्वेषामुपभोगं यथा यथा ।
तथा तथा दमः कार्यो हिंसायामिति धारणा ॥ २८५ ॥

(सर्वेषां वनस्पतीनां यथा-यथा उपभोगम्) सब वृक्ष आदि वनस्पतियों का

जैसा-जैसा अधिक या कम उपयोग है, (हिंसायाम्) उनको नष्ट करने पर (तथा तथा दमः कार्यः) वैसा-वैसा ही दण्ड करे (इति धारणा) ऐसी शास्त्र-व्यवस्था है ॥ २८५ ॥

अनुशीलन : २७९ से २८५ श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—इन श्लोकों में वर्णित दण्डव्यवस्था मनु की पद्धति से मेल नहीं खाती [द्रष्टव्य ८। २६७—२७२ पर 'अनुशीलन']।इस विरोध के कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं। मनु की व्यवस्था शूद्र को नहीं, अपितु जो जितना अधिक जिम्मेदार है, उसको उतना ही अधिक दण्ड देने की है [८। ३३६—३३८], ये श्लोक तदनुसार नहीं हैं।

२. **शैलीगत आधार**—(१) इन श्लोकों की शैली भी मनु की तरह निर्लिप्त गम्भीर एवं समभावयुक्त न होकर पक्षपात, दुराग्रह एवं घृणापूर्ण है। इस कारण भी ये प्रक्षिप्त हैं। २७९ में **'मनोः अनुशासनम्'** पदों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि यह श्लोक मनुप्रणीत न होकर किसी दूसरे परवर्ती व्यक्ति की रचना है, अतः प्रक्षिप्त है। इसके प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर इससे सम्बद्ध और इस पर आधारित शेष २८०—२८५ श्लोक स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं।

३. **प्रसंगविरोध**—(१) २८६—२८८ श्लोकों में संक्षेप में समभाव से सम्पूर्ण दण्डपारुष्य की दण्डव्यवस्था कह दी है, जो मनु के विधानों के अनुकूल है। इस विधान का प्रसंग २८६ से ही प्रारम्भ होता है, यह श्लोकों की वर्णन-शैली से भी ज्ञात हो जाता है। उससे पूर्व भिन्न-भिन्न व्यवस्थाओं वाला यह प्रसंग असंगत है। इस आधार पर भी ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं। (२) प्रस्तुत प्रसंग 'प्राणियों पर कठोर दण्ड से ताड़ना करने' का है। २८५ का विषय इस प्रसंग का विषय नहीं है, अतः प्रसंगविरुद्ध है।

मनुष्याणां पशूनां च दुःखाय प्रहृते सति।
यथा यथा महद् दुःखं दण्डं कुर्यात्तथा तथा ॥२८६॥ (१७७)

(मनुष्याणां च पशूनाम्) मनुष्यों और पशुओं पर (दुःखाय प्रहृते सति) दुःख देने के लिए दण्ड से प्रहार करने पर (यथा यथा महत् दुःखम्) जैसा-जैसा अधिक कष्ट हो (तथा तथा दण्डं कुर्यात्) उसी के अनुसार अधिक-कम दण्ड करे ॥ २८६ ॥

अङ्गावपीडनायां च व्रणशोणितयोस्तथा।
समुत्थानव्ययं दाप्यः सर्वदण्डमथापि वा ॥२८७॥ (१७८)

(अंग+अवपीडनायाम्) किसी अंग के टूटने, कटने आदि पर (तथा) और (व्रण+शोणितयोः) घाव करने तथा रक्त बहाने पर (समुत्थानव्ययं दाप्यः) जब तक रोगी पहले जैसी अवस्था के रूप में ठीक न हो जाये तब

तक सम्पूर्ण औषध आदि का व्यय मारने वाले से दिलवाये (अथापि वा) और साथ ही (सर्वदण्डम्) उसे पूर्ण दण्ड भी दे ॥ २८७ ॥

द्रव्याणि हिंस्याद्यो यस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा ।
स तस्योत्पादयेत्तुष्टिं राज्ञे दद्याच्च तत्समम् ॥२८८॥ (१७६)

(यः) जो कोई (यस्य) जिस किसी के (ज्ञानतः अपि वा अज्ञानतः) जानकर अथवा अनजाने में (द्रव्याणि हिंस्यात्) वस्तुओं को नष्ट कर दे तो (सः) वह अपराधी (तस्य तुष्टिम्+उत्पादयेत्) उसके मालिक को वस्तु या धन आदि देकर संतुष्ट करे (च) तथा (तत् समम् राज्ञे दद्यात्) उसके बराबर दण्ड रूप में राजा को भी दे ॥ २८८ ॥

चर्मचार्मिकभाण्डेषु काष्ठलोष्टमयेषु च ।
मूल्यात्पञ्चगुणो दण्डः पुष्पमूलफलेषु च ॥ २८९ ॥

(चर्म-चार्मिकभाण्डेषु) चमड़ा, चमड़े के बर्तन (च) और (काष्ठ-लोष्टमयेषु) लकड़ी तथा मिट्टी के बर्तन (च) और (पुष्प-मूल-फलेषु) फूल, कन्द, फल आदि के नष्ट करने पर (मूल्यात् पञ्चगुणः दण्डयः) मूल्य से पांच गुना दण्ड राजा को देना चाहिए ॥ २८९ ॥

यानस्य चैव यातुश्च यानस्वामिन एव च ।
दशातिवर्तनान्याहुः शेषे दण्डो विधीयते ॥ २९० ॥

(यानस्य) रथ, गाड़ी आदि सवारी (च) और (यातुः) सारथी, गाड़ीवान् आदि (च) और (यानस्वामिनः एव) सवारी का मालिक (दश+अतिवर्तनानि+आहुः) इनके दश बार तक के अपराधों को दण्डनीय नहीं माना है (शेषे) किन्तु उसके बाद (दण्डः विधीयते) दण्डविधान किया गया है ॥ २९० ॥

छिन्ननास्ये भग्नयुगे तिर्यक्प्रतिमुखागते ।
अक्षभंगे च यानस्य चक्रभङ्गे तथैव च ॥ २९१ ॥

छेदने चैव यन्त्राणां योक्त्ररश्म्योस्तथैव च ।
आक्रन्दे चाप्यपैहीति न दण्डं मनुरब्रवीत् ॥ २९२ ॥

(छिन्ननास्ये) बैल की नथ टूट जाने पर (भग्नयुगे) रथादि का जूआ टूट जाने पर (तिर्यक्-प्रतिमुख+आगते) ऊंची-नीची भूमि पर रथादि के तिरछा हो जाने पर (अक्षभंगे) धुरा टूट जाने पर (तथैव यानस्य चक्रभङ्गे) उसी प्रकार रथादि का पहिया टूट जाने पर (च) और (यन्त्राणां छेदने एव) रथादि के अन्य यन्त्रों के टूट जाने पर (तथैव योक्त्ररश्म्योः) उसी प्रकार जोत और रास=रस्सी आदि टूट जाने पर ('अपैहि' इति+आक्रन्दे) 'हट जाओ' 'हट जाओ' ऐसा चिल्लाने पर यदि कोई नुकसान

होता है तो (दण्डं न) किसी को दण्ड नहीं होता (मनुः+अब्रवीत्) ऐसा मनु ने कहा है ॥ २६१–२६२ ॥

यत्रापवर्तते युग्मं वैगुण्यात्प्राजकस्य तु ।
तत्र स्वामी भवेद्दण्ड्यो हिंसायां द्विशतं दमम् ॥ २६३ ॥

(यत्र) जहां (प्राजकस्य) चलाने वाले की (वैगुण्यात्) अयोग्यता के कारण (युग्मम्+अपवर्तते) रथादि टेढ़े-तिरछे हो जाते हैं (हिंसायाम्) ऐसी स्थिति में कोई हिंसा होने पर (तत्र स्वामी द्विशतं दमं दण्ड्यः भवेत्) वहां [अयोग्य चालक रखने के कारण] स्वामी पर दो सौ पण दण्ड करना चाहिए ॥ २६३ ॥

प्राजकश्चेद्भवेदाप्तः प्राजको दण्डमर्हति ।
युग्यस्थाः प्राजकेऽनाप्ते सर्वे दण्ड्याः शतं शतम् ॥ २६४ ॥

(चेत्) यदि (प्राजक; आप्तः भवेत्) चालक कुशल एवं अनुभवी हो तो वहां (प्राजकः दण्डम्+अर्हति) चालक ही दण्ड के योग्य होता है [पूर्व श्लोक में उक्त दो सौ पण दण्ड] (अनाप्ते प्राजके) अकुशल एवं अनुभवरहित चालक के होने पर (सर्वे युग्यस्थाः शतं शतं दण्ड्याः) सब गाड़ीसवार सौ-सौ पण दण्ड से दण्डनीय होते हैं। [अयोग्य चालक द्वारा गाड़ी चलवाने के कारण] ॥ २६४ ॥

स चेत्तु पथि संरुद्धः पशुभिर्या रथेन वा ।
प्रमापयेत्प्राणभृतस्तत्र दण्डोऽविचारितः ॥ २६५ ॥

(सः चेत् तु) वह चालक यदि (पथि) मार्ग में (पशुभिः वा रथेन संरुद्धः) पशुओं अथवा रथ आदि से अवरोध होने पर रथादि चलावे (प्राणभृतः प्रमापयेत्) और किसी प्राणी को मार देवे तो (तत्र) उस स्थिति में (अविचारितः दण्डः) बिना विचारे अवश्य दण्ड दे ॥ २६५ ॥

मनुष्यमारणे क्षिप्रं चौरवत्किल्बिषं भवेत् ।
प्राणभृत्सु महत्स्वर्धं गोगजोष्ट्रहयादिषु ॥ २६६ ॥

(मनुष्यमारणे) चालक द्वारा किसी मनुष्य का वध होने पर (क्षिप्रं चौरवत् किल्बिषं भवेत्) शीघ्र ही उसे चोर के समान अपराधी समझकर दण्ड दे अर्थात् एक 'उत्तम साहस'=एक हजार पण से दण्डनीय होगा (गो-गज-उष्ट्र-हय-आदिषु महत्सु प्राणभृत्सु अर्धम्) गौ, हाथी, ऊंट, घोड़ा आदि बड़े पशुओं के मारने पर आधा अर्थात् पांच सौ पण दण्ड होगा ॥ २६६ ॥

क्षुद्रकाणां पशूनां तु हिंसायां द्विशतो दमः ।
पञ्चाशत्तु भवेद्दण्डः शुभेषु मृगपक्षिषु ॥ २६७ ॥

(क्षुद्रकाणां पशूनां तु हिंसायाम्) छोटे पशुओं की हिंसा होने पर (द्विशतः दमः) दो सौ पण दण्ड होना चाहिए (शुभेषु मृग-पक्षिषु) शुभ मृगादि और पक्षियों की हिंसा पर (पञ्चाशत् दण्डः भवेत्) पचास पण दण्ड होना चाहिए ॥ २६७ ॥

गर्दभाजाविकानां तु दण्डः स्यात्पञ्चमाषिकः।
माषिकस्तु भवेद्दण्डः श्वसूकरनिपातने॥ २९८॥

(गर्दभ+अजा+अविकानां तु) गधा, बकरी, भेड़ आदि के मरने पर (पञ्च-माषिकः दण्डः स्यात्) पांच 'माषे' चांदी का दण्ड होगा (श्व-सूकर-निपातने) कुत्ता, सूअर के मारने पर (माषिकः दण्डः भवेत्) चांदी का एक 'माषा' दण्ड चालक को होगा॥ २९८॥

भार्या पुत्रश्च दासश्च प्रेष्यो भ्राता च सोदरः।
प्राप्तापराधास्ताड्याः स्यू रज्ज्वा वेणुदलेन वा॥ २९९॥

(भार्या, पुत्रः, दासः, प्रेष्यः च सोदरः भ्राता) पत्नी, पुत्र, दास, नौकर और सगा भाई (प्राप्त+अपराधाः) इनके अपराध करने पर (रज्ज्वा वा वेणुदलेन) रस्सी या बांस की पतली छड़ी से (ताड्याः स्युः) इनकी ताड़ना करे॥ २९९॥

पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्गे कथञ्चन।
अतोऽन्यथा तु प्रहरन्प्राप्तः स्याच्चौरकिल्बिषम्॥ ३००॥

(शरीरस्य पृष्ठतः तु) किन्तु रस्सी आदि से शरीर के पृष्ठभाग=पीठ भाग पर ताड़ना करे (कथञ्चन उत्तमाङ्गे न) कभी भी उत्तमांगों=मुख आदि पर ताड़ना न करे (अतः+अन्यथा तु प्रहरन्) इससे भिन्न प्रकार से या स्थानों पर ताड़ना करने पर (चौरकिल्बिषं प्राप्यः स्यात्) चोर के दण्ड से दण्डनीय होगा॥ ३००॥

अनुशीलन : २८९ से ३०० तक श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. **शैलीगत आधार**—२९२ वें श्लोक में **"मनुः अब्रवीत्"** पदों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि यह श्लोक मनु से भिन्न किसी अन्य परवर्ती व्यक्ति द्वारा रचा हुआ है, अतः प्रक्षिप्त है। २९० से २९८ तक के सभी पूर्वापर श्लोक प्रसंगक्रम की दृष्टि से इससे सम्बद्ध और इस पर आधारित हैं। इस श्लोक के प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर अन्य सभी सम्बद्ध श्लोक स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं। इस आधार पर ये श्लोक मनुप्रणीत सिद्ध नहीं होते।

२. **प्रसंगविरोध**—(१) प्रस्तुत प्रसंग [८। २७८] 'प्राणियों पर जान-बूझकर कठोर दण्ड से आघात करने' का है न कि भूल से होने वाली दुर्घटनाओं का। इस प्रसंग में रथ, बैलगाड़ी आदि से होने वाली दुर्घटनाओं का विधान असंगत है। इस आधार पर प्रसंगबाह्य होने के कारण २९०—२९८ श्लोक प्रक्षिप्त हैं। (२) २८८ में सभी वस्तुओं की हानि का दण्ड एकसाथ कहकर प्रसंग को पूर्ण कर दिया है। इसके पश्चात् २८९ में कुछ वस्तुओं की पृथक् से पुनः व्यवस्था देना अनावश्यक एवं प्रसंगविरुद्ध है। वस्तुएँ तो अनेक हैं, यों तो सभी की हानि का दण्ड देना चाहिए था। इस प्रकार यह अपूर्ण विधान

है,जो मौलिक नहीं है। (३) इसी प्रकार २९९—३०० श्लोक भी प्रसंगबाह्य हैं। यहां उपर्युक्त दण्ड-व्यवस्था का प्रसंग है न कि ताड़न-विधि का।

३. **अन्तर्विरोध**—(१) २९९ वें में 'दास' शब्द का उल्लेख इन श्लोकों को परवर्ती एवं मनुविरुद्ध सिद्ध करता है। मनु दासप्रथा का कहीं विधान नहीं करते। वे तो शूद्र को सेवक के रूप में विहित करते हैं [१। ९१], जो अपनी इच्छानुसार किसी भी द्विजाति की सेवा कर सकता है [९। ३३४–३३५], बाध्य होकर नहीं। (२) ४। १६४ में पुत्र और शिष्य को छोड़ अन्य किसी की ताड़ना करने का निषेध है। इन श्लोकों में स्त्री, भृत्य आदि की ताड़ना करना उसके विरुद्ध है। स्त्री की ताड़ना करने का विधान मनु के उन सभी श्लोकों के भी विरुद्ध है, जहां स्त्री को आदर और समानता देने का कथन है। [३। ५५–६२; ९। १०, १०१, १०२]। (३) ताड़ना तो क्या मनु भार्या से लड़ने तक का निषेध करते हैं [४। १८०]। इनके विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं।

(१३) चोरी का विवाद (३०१–३४३) और उसका निर्णय

एषोऽखिलेनाभिहितो दण्डपारुष्यनिर्णयः।
स्तेनस्यातः प्रवक्ष्यामि विधिं दण्डविनिर्णये॥ ३०१॥ (१८०)

(एषः) यह [८। २७९–३००] (दण्डपारुष्यनिर्णयः) दण्डे से कठोर मारपीट का निर्णय (अखिलेन+अभिहितः) पूर्णरूप से कहा।

(अतः) इसके पश्चात् अब (स्तेनस्य दण्डविनिर्णये) चोर के दण्ड का निर्णय करने की (विधिं प्रवक्ष्यामि) विधि कहूंगा—॥ ३०१॥

चोरों के निग्रह से राष्ट्र की वृद्धि—

परमं यत्नमातिष्ठेत्स्तेनानां निग्रहे नृपः।
स्तेनानां निग्रहादस्य यशो राष्ट्रं च वर्धते॥ ३०२॥ (१८१)

(नृपः) राजा (स्तेनानां निग्रहे) चोरों को रोकने के लिए (परमं यत्नम्+आतिष्ठेत्) अधिक से अधिक यत्न करे, क्योंकि (स्तेनानां निग्रहात्) चोरों पर नियन्त्रण होने से (अस्य) इस राजा के (यशः च राष्ट्रं वर्धते) यश और राष्ट्र की वृद्धि होती है॥ ३०२॥

चोरों से प्रजा की रक्षा श्रेष्ठ कर्त्तव्य है—

अभयस्य हि यो दाता स पूज्यः सततं नृपः।
सत्रं हि वर्धते तस्य सदैवाभयदक्षिणम्॥ ३०३॥ (१८२)

(यः नृपः अभयस्य हि दाता) जो राजा प्रजाओं को अभय प्रदान करने वाला होता है अर्थात् जिस राजा के राज्य में प्रजाओं को चोर आदि से किसी प्रकार का भय नहीं होता (सः सततं पूज्यः) वह सदैव पूजित होता है —प्रजाओं की ओर से उसे सदा आदर मिलता है, और (तस्य) उसका (अभयदक्षिणं सत्रं हि) अभय की दक्षिणा देने वाला यज्ञ-रूपी राज्य (सदैव वर्धते) सदा बढ़ता जाता है ॥ ३०३ ॥

सर्वतो धर्मषड्भागो राज्ञो भवति रक्षतः ।
अधर्मादपि षड्भागो भवत्यस्य ह्यरक्षतः ॥ ३०४ ॥

(रक्षतः राज्ञः) रक्षा करने वाले राजा को (सर्वतः धर्मषड्भागः भवति) सबके धर्म का छठा भाग मिलता है (अरक्षतः) और रक्षा न करने पर (अस्य) इस राजा को (अधर्मात्+अपि षड्भागो भवति) सबके अधर्म का भी छठा भाग मिलता है ॥ ३०४ ॥

यदधीते यद्यजते यद्ददाति यदर्चति ।
तस्य षड्भागभाग्राजा सम्यग्भवति रक्षणात् ॥ ३०५ ॥

(यत्+अधीते) प्रजा का व्यक्ति जो भी पढ़ता है (यत् यजते) जो यज्ञ करता है (यद् ददाति) जो दान करता है (यत्+अर्चति) जो उपासना करता है (सम्यक् रक्षणात्) अच्छी प्रकार रक्षा करने के कारण (राजा तस्य षड्भागभाक् भवति) राजा उस सबके छठे भाग का भागी होता है ॥ ३०५ ॥

अनुशीलन : ३०४ और ३०५ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—इन श्लोकों के पूर्वापर ३०३ और ३०६ श्लोकों में राज्यरूपी यज्ञ का वर्णन होने से उनमें प्रसंग की सम्बद्धता है। उस सम्बद्धता को इन श्लोकों ने भंग कर दिया है। प्रसंगभञ्जक होने के कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. **अन्तर्विरोध**—इन श्लोकों में प्रजाजनों के धर्म, अधर्म तथा प्रत्येक कार्य में राजा का छठा भाग माना है। यह मान्यता ४। २४० के विरुद्ध है। उसमें कर्त्ता को अपने कर्मों का स्वयं भोक्ता माना है।

३. **शैलीगत आधार**—इन श्लोकों में छठे भाग के बटवारे का न तो कोई आधार है, न कोई युक्तिसंगत कथन। इनकी निराधार एवं अयुक्तियुक्त शैली होने से ये मनु-प्रणीत सिद्ध नहीं होते। मनु किसी निराधार एवं अयुक्तियुक्त बातका विधान नहीं करते।

रक्षन्धर्मेण भूतानि राजा वध्यांश्च घातयन् ।
यजतेऽहरहर्यज्ञैः सहस्रशतदक्षिणैः ॥ ३०६ ॥ (१८३)

(धर्मेण भूतानि रक्षन्) धर्मपूर्वक=न्याय पूर्वक प्रजाओं की रक्षा करता हुआ (च) और (वध्यान् घातयन्) दण्डनीय या वध के योग्य लोगों

को दण्ड या वध करता हुआ (राजा) राजा (अहः+अहः सहस्र-शत-दक्षिणैः यज्ञैः यजते) यह समझो कि प्रतिदिन हजारों-सैंकड़ों दक्षिणाओं से युक्त यज्ञों को करता है अर्थात् इतने बड़े यज्ञों जैसा पुण्यकार्य करता है ॥ ३०६ ॥

प्रजा की रक्षा किये बिना कर लेनेवाला राजा पापी होता है—

योऽरक्षन्बलिमादत्ते करं शुल्कं च पार्थिवः ।
प्रतिभागं च दण्डं च सः सद्यो नरकं व्रजेत् ॥ ३०७ ॥ (१८४)

(यः पार्थिवः) जो राजा (अरक्षन्) प्रजाओं की बिना रक्षा किये उनमें (बलिम्) छठा भाग अन्नादि (करम्) टैक्स (शुल्कम्) महसूल (प्रतिभागम्) चुंगी (च) और (दण्डम्) जुर्माना (आदत्ते) ग्रहण करता है (सः सद्यः नरकं व्रजेत्) वह शीघ्र ही दुःख को प्राप्त होता है अर्थात् प्रजाओं का ध्यान न रखने के कारण उनके असहयोग से किसी-न-किसी कष्ट से आक्रान्त हो जाता है ॥ ३०७ ॥

अनुशीलन : अन्न के छठे भाग को 'बलि' कहते हैं; प्रतिमास, छठे मास या वार्षिक रूप में लिया जाने वाला टैक्स 'कर'; व्यापारियों से लिया जाने वाला महसूल 'शुल्क'; फल, शाक आदि पर लिया जाने वाला शुल्क 'प्रतिभाग' तथा अपराध में किया जाने वाला जुर्माना 'दण्ड' कहलाता है।

अरक्षितारं राजानं बलिषड्भागहारिणम् ।
तमाहुः सर्वलोकस्य समग्रमलहारकम् ॥ ३०८ ॥ (१८५)

(अरक्षितारम्) प्रजाओं की रक्षा न करने वाले और (बलिषड्भाग-हारिणम्) 'बलि' के रूप में छठा भाग ग्रहण करने वाले (तं राजानम्) ऐसे राजा को (सर्वलोकस्य समग्रमलहारकम्+आहुः) सब प्रजाओं की सारी बुराइयों को ग्रहण करने वाला कहा है अर्थात् सभी प्रजाएँ ऐसे राजा की सभी प्रकार से बुराइयां करती हैं ॥ ३०८ ॥

अनपेक्षितमर्यादं नास्तिकं विप्रलुम्पकम् ।
अरक्षितारमत्तारं नृपं विद्यादधोगतिम् ॥ ३०९ ॥ (१८६)

(अनपेक्षितमर्यादम्) शास्त्रोक्त मर्यादा के अनुसार न चलने वाले (नास्तिकम्) वेद और ईश्वर में अविश्वास करने वाले (विप्रलुम्पकम्) लोभ आदि के वशीभूत (अरक्षितारम्) प्रजाओं की रक्षा न करने वाले, और (अत्तारम्) कर आदि का धन प्रजाओं के हित में न लगाकर स्वयं खा जाने वाले (नृपम्) राजा को (अधोगतिं विद्यात्) नीच समझना चाहिए

अथवा यह समझना चाहिए कि उसकी शीघ्र ही अवनति या पतन हो जायेगा ।। ३०९ ।।

अधार्मिकं त्रिभिर्न्यायैर्निगृह्णीयात्प्रयत्नतः ।
निरोधनेन बन्धेन विविधेन वधेन च ।।३१०।। (१८७)

इसलिए राजा (निरोधनेन) निरोध=कैद में बंद करना (बन्धेन) बन्धन=हथकड़ी, बेड़ी आदि लगाना (च) और (विविधेन वधेन) विविध प्रकार के वध=ताड़ना, अंगच्छेदन, मारना आदि (त्रिभिः न्यायैः) इन तीन प्रकार के उपायों से (प्रयत्नतः) यत्नपूर्वक (अधार्मिकं निगृह्णीयात्) चोर आदि दुष्ट अपराधी को वश में करे ।। ३१० ।।

निग्रहेण हि पापानां साधूनां संग्रहेण च ।
द्विजातय इवेज्याभिः पूयन्ते सततं नृपाः ।।३११।। (१८८)

(हि) क्योंकि (पापानां निग्रहेण) पापी=दुष्टों को वश में करने और दण्ड देने से (च) तथा (साधूनां संग्रहेण) श्रेष्ठ लोगों की सुरक्षा करने से (नृपाः) राजा लोग (द्विजातयः+इव+इज्याभिः सततं पूयन्ते) जैसे द्विजवर्ण वाले व्यक्ति यज्ञों से पवित्र होते हैं ऐसे ही पवित्र अर्थात् पुण्यवान् और निर्मल यशस्वी होते हैं ।। ३११ ।।

क्षन्तव्यं प्रभुणा नित्यं क्षिपतां कार्यिणां नृणाम् ।
बालवृद्धातुराणां च कुर्वता हितमात्मनः ।। ३१२ ।।

(आत्मनः हितं कुर्वता प्रभुणा) अपना कल्याण चाहने वाले राजा को चाहिए कि (क्षिपतां कार्यिणां बाल-वृद्ध+आतुराणां नृणाम्) आक्षेप करने वाले अभियोगकर्त्ताओं को बालक, वृद्ध और रोग-विपत्ति आदि से ग्रस्त लोगों को (नित्यं क्षन्तव्यम्) सदा क्षमा करदे ।। ३१२ ।।

यः क्षिप्तो मर्षयत्यार्तैस्तेन स्वर्गे महीयते ।
यस्त्वैश्वर्यान्न क्षमते नरकं तेन गच्छति ।। ३१३ ।।

(यः) जो राजा (आर्तैः क्षिप्तः मर्षयति) दुःखी लोगों के द्वारा आक्षेप करने पर उन्हें सहन कर लेता है (तेन स्वर्गे महीयते) उससे वह स्वर्ग में पूजित होता है (यः तु) और जो (ऐश्वर्यात् न क्षमते) अपने को शक्ति या समृद्धिशाली समझकर क्षमा नहीं करता (तेन नरकं गच्छति) उससे वह नरक को प्राप्त करता है ।। ३१३ ।।

अनुशीलन : ३१२, ३१३ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. प्रसंगविरोध—यहा पूर्वापर प्रसंग अपराधियों को दण्ड देने का है । इस के

बीच में वादी-प्रतिवादी आदि के आक्षेपयुक्त वचनों को क्षमा करने और उसके आधार पर स्वर्ग-नरक का वर्णन प्रसंगबाह्य है, अतः ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. **अन्तर्विरोध**—इन श्लोकों में राजा को स्वर्ग-नरक की प्राप्ति का कथन किया है। स्वर्ग-नरक नामक पृथक् लोक की मान्यता मनुविरुद्ध है [द्रष्टव्य ४।८७-९१ पर 'अनुशीलन'], इस आधार पर ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

३. **शैलीगत आधार**—इन श्लोकों में एक साधारण सी बात से स्वर्ग-नरक की प्राप्ति का कथन किया गया है। यह निराधार एवं अयुक्तियुक्त शैली है। मनु की शैली में ऐसी त्रुटियाँ नहीं हैं, अतः ये मनुप्रणीत नहीं हैं।

चोर की स्वयं प्रायश्चित्त की विधि—

राजा स्तेनेन गन्तव्यो मुक्तकेशेन धावता।
आचक्षाणेन तत्स्तेयमेवंकर्मास्मि शाधि माम् ॥३१४॥ (१८९)

[यदि चोर चोरी करने के बाद स्वयं उस अपराध को अनुभव कर लेता है तो उसके प्रायश्चित्त और उससे मुक्ति के लिए] (स्तेनेन) चोर को चाहिए कि वह (मुक्तकेशेन धावता) बाल खोलकर दौड़ता हुआ (तत् स्तेयम्+आचक्षाणेन) उसने जो चोरी की है उसको कहता हुआ 'कि मैंने अमुक चोरी की है, अमुक चोरी की है,' आदि (राजा गन्तव्यः) राजा के पास जाना चाहिए, और कहे कि (एवंकर्मा+अस्मि) 'मैंने ऐसा चोरी का काम किया है' 'मैं अपराधी हूं (मां शाधि) मुझे सजा दीजिए ॥ ३१४ ॥

अनुशीलन : प्रतीत होता है कि यह उस समय की स्वयं प्रायश्चित्त करने की परम्परा थी। चोर चोरी करने के पश्चात् यदि स्वयं यह अनुभव करता है कि मैंने यह बुरा कार्य किया है, और पकड़े जाने से पूर्व स्वयं ही उसका प्रायश्चित्त करना चाहता है, तो उसका यह तरीका है। सार्वजनिक रूप से अपने आपको चोर कहने पर और अपने आपको चोर के रूप में सबके तथा राजा के सामने प्रदर्शित करने पर बहुत बड़ा प्रायश्चित्त हो जाता है। स्वयं इस प्रकार प्रायश्चित्त करने वाले व्यक्ति द्वारा पुनः अपराध करने की संभावना नहीं रहती। और लोग भी यह मान लेते हैं कि जब इसने स्वयं ही सार्वजनिक रूप से अपने आपको चोर घोषित करके अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है और प्रायश्चित्त कर रहा तो इसे और दण्ड देने की आवश्यकता नहीं। इस श्लोक से तथा ८। ३१६ से यह ध्वनित होता है कि स्वयं इस प्रकार प्रायश्चित्त करने वाले व्यक्ति को राजा को क्षमा कर देना चाहिए। इस सबके बाद वह व्यक्ति दोषमुक्त मान लिया जाता है।

स्कन्धेनादाय मुसलं लगुडं वाऽपि खादिरम्।
शक्तिं चोभयतस्तीक्ष्णामायसं दण्डमेव वा ॥ ३१५ ॥ (१९०)

(स्कन्धेन मुसलम् अपि वा खादिरं लगुडम्) चोर को कन्धे पर मुसल अथवा खैर का दंड, (उभयतः तीक्ष्णां शक्तिम्) दोनों ओर से तेज धार-वाली बरछी (वा) अथवा (आयसं दण्डम् एव) लोहे का दण्ड ही रखकर [राजा के पास जाना चाहिए और कहे कि 'मैं चोर हूं, मुझे दण्ड दीजिए'] ॥ ३१५ ॥

अनुशीलन : इस श्लोक का पूर्व श्लोक के साथ सम्बन्ध है। ऊपर के श्लोक में दी हुई व्यवस्था के साथ इस श्लोक में कहे हुए विकल्पों में से चुनकर किसी एक व्यवस्था के अनुसार चोर को प्रायश्चित्त करना है।

दोषी को दण्ड न देने से राजा पापभागी होता है—

शासनाद्वा विमोक्षाद्वा स्तेनः स्तेयाद्विमुच्यते।
अशासित्वा तु तं राजा स्तेनस्याप्नोति किल्बिषम् ॥३१६॥ (१९१)

(शासनात्) सजा पाकर (वा) या (विमोक्षात्) [स्वयं प्रायश्चित्त करने के बाद] राजा के द्वारा क्षमा कर दिये जाने पर (स्तेनः) चोर (स्तेयात् विमुच्यते) चोरी के अपराध से मुक्त हो जाता है (तम् अशासित्वा तु) चोर को दण्ड न देने पर (राजा स्तेनस्य किल्बिषम् आप्नोति) राजा को चोर की निन्दा=बुराई मिलती है अर्थात् फिर प्रजाएं उस चोर के स्थान पर राजा को अधिक दोष देती हैं ॥ ३१६ ॥

अनुशीलन ; (१) रामायण में उद्धृत मनुस्मृति के श्लोक—यह श्लोक तथा ८। ३१८ वां श्लोक, दोनों कुछ पाठान्तर से वाल्मीकि रामायण में उद्धृत मिलते हैं। बालि का वध करने पर, बालि राम पर अधर्मपूर्वक वध करने का आक्षेप लगाता है। राम बालि के आक्षेपों का उत्तर देते हुए अपने आचरण को शास्त्रसम्मत सिद्ध करने के लिए मनु के निम्न श्लोकों को प्रमाणरूप में उद्धृत करते हैं।

यहां विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन श्लोकों के उद्धरण से मनुस्मृति का रचना-काल रामायण से पूर्व सिद्ध होता है। रामायण से पूर्व मनुस्मृति श्लोकबद्ध रूप में थी, यह रामायण में पठित 'श्लोकौ' शब्दों से ज्ञात होता है—"श्रूयते मनुना गीतौ श्लोकौ चरित्रवत्तलौ। गृहीतौ धर्मकुशलैस्तथा तच्चरितं मया॥" (किष्कि० १८। ३०)। उद्धृत श्लोक निम्न प्रकार हैं—

राजभिर्धृतदण्डाश्च कृत्वा पापानि मानवाः।
निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा॥
शासनाद्वापि मोक्षाद्वा स्तेनः पापात् प्रमुच्यते।
राज्ञा त्वशासन् पापस्य तदवाप्नोति किल्बिषम्॥ (किष्कि० १८।३१-३२)

(२) मनुस्मृति में 'किल्विषम्' 'दुष्कृतम्' 'एनः' 'पापम्' 'अधर्म' आदि शब्द स्थान-स्थान पर आते हैं। वहां इनसे ऐसे 'पाप' का अर्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए जो किसी दूसरे के किये का दूसरे को लग जाये। जहां-जहां ८। १३, १३५, १९८, ८। ३१६–३१७ आदि श्लोकों में इस शैली में वाक्यप्रयोग है या इस शब्द का प्रयोग है, वहां इसका अर्थ 'निन्दा' 'दोष' 'अधर्म' या 'बुराई' है। निरुक्तकार ने इसी अर्थ को व्युत्पत्ति से पुष्ट किया है—"**किल्विषम्=किल्मिषम्, कीर्तिमस्य मिनतीति**। अर्थात् जो कीर्ति का नाश करे वह 'किल्विष'=बदनामी, बुराई या दोष है। '**किल इर्वत्ये**' धातु से '**किलेर्वुक् च**' (उणादि० १। ५०) सूत्र से 'टिषच्' प्रत्यय के योग से 'किल्विष' शब्द सिद्ध होता है। अन्य स्थानों पर इसके पर्यायवाची रूप में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जो उपर्युक्त अर्थों को पुष्ट करते हैं, जैसे—'मलहारकम्' [८। ३०८], एनस्' [२।२; ८। १९], 'अधर्मः' [८। १८] आदि। ८। १९ में 'एनः' शब्द निन्दा अर्थ में प्रयुक्त है।

पापियों के संग से पाप—

अन्नादे भ्रूणहा मार्ष्टि पत्यौ भार्यापचारिणी।
गुरौ शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि किल्विषम् ॥३१७॥ (१९२)

(भ्रूणहा अन्नादे मार्ष्टि) भ्रूणहत्या करने वाला उसके यहां भोजन करने वाले को भी निन्दा का पात्र बना देता है अर्थात् जैसे भ्रूणहत्यारे को बुराई मिलती है वैसे ही उसके यहां अन्न खाने वाले को भी उसके कारण बुराई मिलती है (अपचारिणी भार्या पत्यौ) व्यभिचारी स्त्री की बुराई उसके पति को मिलती है (शिष्यः गुरौ) बुरे शिष्य की बुराई उसके गुरु को मिलती है (च) और (याज्यः) यजमान की बुराई उसके यज्ञ कराने वाले ऋत्विक् गुरु को मिलती है (स्तेनः किल्विषं राजनि) इसी प्रकार दण्ड न देने पर चोर की बुराई=निन्दा राजा को मिलती है ॥ ३१७ ॥

राजाओं से दण्ड प्राप्त करके निर्दोषता—

राजभिः कृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः।
निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ ३१८ ॥ (१९३)

(मानवाः पापानि कृत्वा) मनुष्य पाप=अपराध करके (राजभिः कृतदण्डाः तु) पुनः राजाओं से दण्डित होकर अर्थात् राजा द्वारा दिये गये दण्डरूप प्रायश्चित्त को करके (निर्मलाः) पवित्र=दोषमुक्त होकर (स्वर्गम्+आयान्ति) सुख को प्राप्त करते हैं (यथा सुकृतिनः सन्तः) जैसे अच्छे कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोग सुखी रहते हैं।अभिप्राय यह है कि प्रायश्चित्त करने पर उस पापरूप अपराध के संस्कार क्षीण हो जाते हैं और दोषी होने की

भावना नहीं रहती, उससे तथा पुनः श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्ति होने से मनुष्य सन्तों की तरह मानसिक शान्ति-सुख को प्राप्त करते हैं ॥ ३१८ ॥

अनुशीलन : स्वर्ग शब्द का अर्थ 'सुख' है। द्रष्टव्य ६ ।७६ पर अनुशीलन।

विभिन्न चोरियों की दण्डव्यवस्था—

यस्तु रज्जुं घटं कूपाद्धरेद्भिन्द्याच्च या प्रपाम् ।
स दण्डं प्राप्नुयान्माषं तच्च तस्मिन्समाहरेत् ॥३१९॥ (१९४)

(यः तु) जो व्यक्ति (कूपात्) कूए से (रज्जुं घटं हरेत्) रस्सी या घड़ा चुरा ले (च) और (यः) जो (प्रपां भिद्येत्) प्याऊ को तोड़े (सः) वह (माषं दण्डं प्राप्नुयात्) एक सोने का 'माषा' दण्ड का भागी होगा (च) तथा (तत् तस्मिन् समाहरेत्) वह सब सामान वहां लाकर दे ॥ ३१९ ॥

धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यधिकं वधः ।
शेषेऽप्येकादशगुणं दाप्यस्तस्य च तद्धनम् ॥ ३२० ॥ (१९५)

(दशभ्यः कुम्भेभ्यः अधिकं धान्यं हरतः) दश कुम्भ=बड़े घड़ों से अधिक धान्य=अन्नादि चुराने पर (वधः) चोर को शारीरिक दण्ड मिलना चाहिए (शेषे तु) दश कुम्भ तक धान्य चुराने पर (एकादशगुण दाप्यः) ग्यारह गुना जुर्माना करना चाहिए (तस्य तत् धनं च) और उस व्यक्ति का वह धन वापिस दिलवा दे ॥ ३२० ॥

तथा धरिममेयानां शतादभ्यधिके वधः ।
सुवर्णरजतादीनामुत्तमानां च वाससाम् ॥ ३२१ ॥ (१९६)

(तथा) इसी प्रकार (धरिममेयानाम्) धरिम=काँटे से, मेय=तोले जाने वाले (सुवर्ण-रजत+आदीनाम्) सोना, चाँदी आदि पदार्थों के १०० पल से अधिक चुराने पर (च) और (उत्तमानां वाससाम्) उत्तम कोटि के कपड़े (शतात्+अभ्यधिके) सौ से अधिक चुराने पर (वधः) शारीरिक दण्ड से दण्डित करे ॥ ३२१ ॥

पंचाशतस्त्वभ्यधिके हस्तच्छेदनमिष्यते ।
शेषे त्वेकादशगुणं मूल्याद्दण्डं प्रकल्पयेत् ॥ ३२२ ॥ (१९७)

(पंचाशतः तु+अभ्यधिके) [उपर्युक्त ८ । ३२१ वस्तुओं के] पचास से अधिक सौ तक चुराने पर (हस्तच्छेदनम्+इष्यते) हाथ काटने का दण्ड देना चाहिए (शेषे तु) पचास से कम चुराने पर राजा (मूल्यात् एका-

दशगुणं दण्डं प्रकल्पयेत्) मूल्य से ग्यारह गुना दण्ड करें और वह वस्तु वापिस दिलवाये ॥ ३२२ ॥

पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां च विशेषतः ।
मुख्यानां चैव रत्नानां हरणे वधमर्हति ॥ ३२३ ॥(१९८)

(कुलीनानां पुरुषाणाम्) कुलीन पुरुषों (च) और (विशेषतः नारीणाम्) विशेषरूप से स्त्रियों का (हरणे) अपहरण करने पर (च) तथा (मुख्यानाम् एव रत्नानाम्) मुख्य हीरे आदि रत्नों की चोरी करने पर (वधम्+अर्हति) शारीरिक दण्ड [ताड़ना से प्राणवध तक देना] चाहिए ॥ ३२३ ॥

महापशूनां हरणे शस्त्राणामौषधस्य च ।
कालमासाद्य कार्यं च दण्डं राजा प्रकल्पयेत् ॥३२४॥ (१९९)

(महापशूनाम्) हाथी, घोड़े आदि बड़े पशुओं के (शस्त्राणाम्) शस्त्रास्त्रों के (च) और (औषधस्य) ओषधियों के (हरणे) चुराने पर (कालं च कार्यम् आसाद्य) समय [=परिस्थिति] और चोरी के कार्य की गम्भीरता को देखकर (राजा दण्डं प्रकल्पयेत्) राजा चोर को दण्ड दे ॥ ३२४ ॥

गोषु ब्राह्मणसंस्थासु क्षुरिकायाश्च भेदने ।
पशूनां हरणे चैव सद्यः कार्योऽर्धपादिकः ॥ ३२५ ॥

(ब्राह्मणसंस्थासु गोषु) ब्राह्मण की गौओं के चुराने पर (च) और (क्षुरिकायाः भेदने) पशुओं के नाक छेदने पर (च) तथा (पशूनां हरणे) पशुओं के चुराने पर (सद्यः अर्धपादिकः कार्यः) चोर का आधा पांव कटवा देना चाहिए ॥ ३२५ ॥

सूत्रकार्पासकिण्वानां गोमयस्य गुडस्य च ।
दध्नः क्षीरस्य तक्रस्य पानीयस्य तृणस्य च ॥ ३२६ ॥
वेणुवैदलभाण्डानां लवणानां तथैव च ।
मृन्मयानां च हरणे मृदो भस्मन एव च ॥ ३२७ ॥
मत्स्यानां पक्षिणां चैव तैलस्य च घृतस्य च ।
मांसस्य मधुनश्चैव यच्चान्यत्पशुसम्भवम् ॥ ३२८ ॥
अन्येषां चैवमादीनां मद्यानामोदनस्य च ।
पक्वान्नानां च सर्वेषां तन्मूल्याद् द्विगुणो दमः ॥ ३२९ ॥

(सूत्र-कार्पास-किण्वानाम्) ऊन आदि का सूत, कपास, सुरा-बीज (गोमयस्य गुडस्य) गोबर, गुड़ (दध्नः) दही (क्षीरस्य) दूध (तक्रस्य) छाछ (पानीयस्य) जल (तृणस्य) तृण (वेणु-वैदल-भाण्डानाम्) बांस और बेंत के बने बर्तन (लवणानाम्) सभी प्रकार के नमक (मृन्मयानाम्) मिट्टी के बर्तन (मृदः भस्मनः एव) मिट्टी, भस्म (मत्स्यानां पक्षिणाम्) मछली, पक्षी (तैलस्य घृतस्य) तैल, घी (मांसस्य मधुनः) मांस,

मधु (च) और (यत्+अन्यत् पशुसंभवम्) जो कुछ पशु से उत्पन्न होने वाले पदार्थ—सींग, चमड़ा, दांत, हड्डी आदि (अन्येषां च एवम्+आदीनाम्) इसी प्रकार के दूसरे पदार्थ (मद्यानाम्+ओदनस्य) शराब, भात (सर्वेषां पक्वान्नानाम्) सभी पक्वान्नों के (हरणे) चुराने पर (तत् मूल्यात् द्विगुणः दमः) उस चुराई गई वस्तु के मूल्य से दुगुना दण्ड चोर पर होना चाहिये ॥ ३२६–३२९ ॥

पुष्पेषु हरिते धान्ये गुल्मवल्लीनगेषु च ।
अन्येष्वपरिपूतेषु दण्डः स्यात्पञ्चकृष्णलः ॥ ३३० ॥

(पुष्पेषु) फूल (हरिते धान्ये) हरे धान्य (गुल्म-वल्ली-नगेषु) गुल्म, बेल, वृक्ष (अपरिपूतेषु अन्येषु) बिना साफ किये धान्य के चुराने पर (पञ्चकृष्णलः दण्डः स्यात्) [८ । १३४ 'कृष्णल'] दण्ड करना चाहिए ॥ ३३० ॥

परिपूतेषु धान्येषु शाकमूलफलेषु च ।
निरन्वये शतं दण्डः सान्वयेऽर्धशतं दमः ॥ ३३१ ॥

(परिपूतेषु धान्येषु) साफ किए हुए धान्य (शाकमूल-फलेषु) शाक, मूल, फल (निरन्वये शतं दण्डः) [इनके चोरी करने पर] स्वामी का जो चुराने वाला सम्बन्धी न हो तो सौ पण दण्ड करना चाहिए (सान्वये+अर्धशतं दमः) यदि सम्बन्धी हो तो पचास पण दण्ड करना चाहिए ॥ ३३१ ॥

अनुशीलन : ३२५—३३१ श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—मनुष्यों का अपहरण, अन्न, धातु, वस्त्र आदि मुख्य वस्तुओं की सामूहिक रूप से कुछ दण्डव्यवस्था का विधान करके ३२४ वें श्लोक में अन्य सभी साधारण-विशेष वस्तुओं की दण्डव्यवस्था मनु ने राजा के विवेक पर ही छोड़ दी है। यह कहकर श्लोक को पूर्ण कर दिया है कि 'समय और कार्य के अनुसार राजा स्वयं दण्ड [illegible] यह कहने यह वाक्य न कहकर प्रत्येक दण्ड को स्वयं निर्धारित करते। अतः यह मानना पड़ेगा कि यहां दण्डव्यवस्था का यह प्रसंग पूर्ण हो गया है। इसके पश्चात् चोरी से सम्बन्धित विकल्पात्मक या सर्वसामान्य विधानों का वर्णन तो प्रासंगिक कहा जा सकता है, अन्य वर्णन नहीं। ३२५-३३१ श्लोकों में साधारण-साधारण वस्तुओं की दण्डव्यवस्था का उल्लेख किया है। प्रसंग की समाप्ति के पश्चात् पुनः उस प्रसंग को उठाना प्रसंगविरुद्ध है एवं मनुस्मृतिकार के संकेत के विरुद्ध भी है, अतः ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

१. **अन्तर्विरोध**—इन श्लोकों में अनेक साधारण वस्तुओं के साथ-साथ मछली

मांस, शराब आदि वस्तुओं की चोरी की दण्डव्यवस्था भी दी है, जो इन श्लोकों को मनु-प्रणीत सिद्ध नहीं करती, क्योंकि मनु चारों वर्णों के समाज में इन वस्तुओं का 'अस्तित्व' ही स्वीकार नहीं करते। जब उनके मत में ये वस्तुएं समाज में होनी ही न चाहिएँ तो फिर वे इनकी दण्डव्यवस्था का उल्लेख भी नहीं कर सकते [द्रष्टव्य ३।१२०-२८४; ४।२६-२८ पर 'अनुशीलन' में मांस, मद्य-सम्बन्धी समीक्षा] इस आधार पर भी ये श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं।

साहस और चोरी का लक्षण—

स्यात्साहसं त्वन्वयवत्प्रसभं कर्म यत्कृतम्।
निरन्वयं भवेत्स्तेयं हृत्वाऽपव्ययते च यत्॥ ३३२॥ (२००)

(अन्वयवत्) वस्तु के स्वामी के सामने (प्रसभं यत् कर्म कृतम्) बलात्कारपूर्वक जो चोरी, डाका, बलात्कार आदि कर्म किया जाता है ('साहसम्' स्यात्) वह साहस=डाका डालना या बलात्कार कार्य कहलाता है (निरन्वयम्) स्वामी के पीछे से छुपाकर किसी वस्तु को लेना (च) और (यत् हृत्वा+अपव्ययते) जो किसी वस्तु को [सामने या परोक्ष में] लेकर मुकरना या चुराकर भाग जाना है (स्तेयं भवेत्) वह 'चोरी' कहलाती है॥ ३३२॥

अनुशीलन : साहस और चोरी का लक्षण—कौटिल्य ने मनु के शब्दों को ग्रहण करके अपने अर्थशास्त्र में साहस और चोरी का लक्षण किया है—

"साहसम् अन्वयवत् प्रसभकर्म। निरन्वये स्तेयम् अपव्ययने च।"
[प्र० ७४। अ० १७]

यस्त्वेतान्युपक्लृप्तानि द्रव्याणि स्तेनयेन्नरः।
तमाद्यं दण्डयेद्राजा यश्चाग्निं चोरयेद् गृहात्॥ ३३३॥

(यः तु नरः) जो व्यक्ति (उपक्लृप्तानि एतानि द्रव्याणि) साफ करके अपने [illegible] [illegible]-३२९] वस्तुओं को (स्तेनयेत्) [illegible]

(राजा तम्+आद्यं दण्डयेत्) राजा उसको आद्य अर्थात् 'प्रथम साहस' का दण्ड दे।

अनुशीलन : यह श्लोक भी प्रसंगविरोध के आधार पर प्रक्षिप्त है विस्तृत विवेचन ३२५-३३१ श्लोकों पर 'अनुशीलन' में देखिए।

डाकू, चोरों के अंगों का छेदन—

येन येन यथाङ्गेन स्तेनो नृषु विचेष्टते।
तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः॥ ३३४॥ (२०१)

(स्तेनः) चोर (यथा) जिस प्रकार (येन येन+अङ्गेन) जिस-जिस अङ्ग से (नृषु) मनुष्यों में (विचेष्टते) विरुद्ध चेष्टा करता है (अस्य तत्-तत्+एव) उस-उस अंग को (प्रत्यादेशाय) सब मनुष्यों को शिक्षा के लिए (पार्थिवः हरेत्) राजा हरण अर्थात् छेदन करदे ॥ ३३४ ॥

(स० प्र० १७२)

माता-पिता, आचार्य आदि सभी राजा द्वारा दण्डनीय हैं—

पिताऽऽचार्यः सुहृन्माता भार्या पुत्रः पुरोहितः ।
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मे न तिष्ठति ॥३३५॥ (२०२)

(पिता आचार्यः सुहृत् माता भार्या पुत्रः पुरोहितः) चाहे पिता, आचार्य, मित्र, माता, स्त्री, पुत्र और पुरोहित क्यों न हो (यः स्वधर्मे न तिष्ठति) जो स्वधर्म में स्थित नहीं रहता (राज्ञः अदण्ड्यः नाम न) वह राजा का अदण्ड्य नहीं होता अर्थात् जब राजा न्यायासन पर बैठ न्याय करे तब किसी का पक्षपात न करे किन्तु यथोचित दण्ड देवे ॥ ३३५ ॥

(स० प्र० १७)

अपराध करने पर राजा को साधारण जन से सहस्रगुणा दण्ड हो—

कार्षापणं भवेद्दण्ड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः ।
तत्र राजा भवेद्दण्ड्यः सहस्रमिति धारणा ॥ ३३६ ॥ (२०३)

(यत्र) जिस अपराध में (अन्यः प्राकृतः जनः) साधारण मनुष्य पर (कार्षापणं दण्ड्यः भवेत्) एक पैसा दण्ड हो (तत्र) उसी अपराध में (राजा सहस्रं दण्ड्यः भवेत्) राजा को सहस्र पैसा दण्ड होवे अर्थात् साधारण मनुष्य से राजा को सहस्रगुणा दण्ड होना चाहिए* ।

मंत्री अर्थात् राजा के दीवान को आठ सौ गुणा, उससे न्यून को सात सौ गुणा, और उससे भी न्यून को छः सौ गुणा, इसी प्रकार उत्तर-उत्तर अर्थात् जो एक छोटे से छोटा भृत्य अर्थात् चपरासी है उसको आठ गुणे दण्ड से कम न होना चाहिए । क्योंकि यदि प्रजापुरुषों से राजपुरुषों को अधिक दण्ड न होवे तो राजपुरुष प्रजापुरुषों का नाश कर देवें; जैसे सिंह अधिक और बकरी थोड़े दण्ड से ही वश में आ जाती है, इसलिए राजा से लेकर छोटे से छोटे भृत्यपर्यन्त राजपुरुषों को अपराध में प्रजापुरुषों से अधिक दण्ड होना चाहिए ॥ ३३६ ॥ (स० प्र० १७२)

* (इति धारणा) ऐसी शास्त्र-व्यवस्था है ।

उच्चवर्ण के व्यक्तियों को अधिक दण्ड दे—

अष्टापाद्यं तु शूद्रस्य स्तेये भवति किल्बिषम् ।
षोडशैव तु वैश्यस्य द्वात्रिंशत्क्षत्रियस्य च ॥ ३३७ ॥ (२०४)

ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्णं वाऽपि शतं भवेत् ।
द्विगुणा वा चतुःषष्टिस्तद्दोषगुणविद्धि सः ॥३३८॥ (२०५)

वैसे ही (तत् दोषगुणवित् हि सः) जो कुछ विवेकी होकर (स्तेये) चोरी करे (शूद्रस्य तु अष्टापाद्यम्) उस शूद्र को चोरी से आठ गुणा (वैश्यस्य तु षोडश+एव) वैश्य को सोलह गुणा (क्षत्रियस्य द्वात्रिंशत्) क्षत्रिय को बत्तीस गुणा (ब्राह्मणस्य चतुः षष्टिः) ब्राह्मण को चौंसठ गुणा (अपि वा शतम्) वा सौ गुणा (वा) अथवा (द्विगुणा चतुः षष्टिः) एक सौ अट्ठाईस गुणा (किल्बिषं भवति) दण्ड होना चाहिए अर्थात् जिसका जितना ज्ञान और जितनी प्रतिष्ठा अधिक हो, उसको अपराध में उतना ही अधिक दण्ड होना चाहिए ॥ ३३७–३३८ ॥ (स० प्र० १७३)

अनुशीलन : **उच्चवर्णानुसार उच्चदण्ड**—उच्चवर्णानुसार उच्चदण्ड की व्यवस्था कौटिल्य तक यथावत् प्रचलित रही है। कौटिल्य ने भी अन्य वर्णों की तुलना में अपराध करने पर ब्राह्मण को अधिक दण्ड देने का विधान किया है—

"ब्राह्मणतश्चैषां ज्येष्ठ्य नियम्येत ।" [प्र० ६६ । अ० १०]
=मारना आदि अपराधों में यदि कोई ब्राह्मण सम्मिलित हो तो उसे अन्य वर्णस्थ जनों की अपेक्षा अधिक दण्डित किया जाये।

वानस्पत्यं मूलफलं दार्वग्न्यर्थं तथैव च ।
तृणं च गोभ्यो ग्रासार्थमस्तेयं मनुरब्रवीत् ॥ ३३९ ॥

(वानस्पत्यं मूलफलम्) वनस्पतियों के मूल, फल (अग्न्यर्थं दारु) यज्ञ के लिए समिधाओं की लकड़ी (तथैव) उसी प्रकार (गोभ्यः ग्रासार्थं तृणम्) गौओं को चराने के लिए घास लेने को (मनुः अस्तेयम्+अब्रवीत्) मनु ने चोरी नहीं माना है ॥ ३३९ ॥

योऽदत्तादायिनो हस्तात्सिप्सेत ब्राह्मणो धनम् ।
याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथैव सः ॥ ३४० ॥

(यः ब्राह्मणः) जो ब्राह्मण (अदत्तादायिनः हस्तात्) नहीं दी गई वस्तु को चुराने वाले के हाथ से (याजन-अध्यापनेन+अपि) चाहे यज्ञ कराने अथवा पढ़ाने की दक्षिणा के रूप में (धनं लिप्सेत) धन लेने की इच्छा करे तो (सः) वह ब्राह्मण (यथा स्तेनः तथैव) जैसे चोर है वैसा ही है अर्थात् वह भी चोर के समान दण्डनीय है ॥३४०॥

द्विजोऽध्वगः क्षीणवृत्तिर्द्वाविक्षू द्वे च मूलके ।
आददानः परक्षेत्रान्न दण्डं दातुमर्हति ॥ ३४१ ॥

(अध्वगः द्विजः) यात्रा करने वाले द्विज के पास यदि (क्षीणवृत्तिः) भोजन न रहे, और अपनी भूख मिटाने के लिए यदि वह (परक्षेत्रात् द्वौ + इक्षू च द्वे मूलके) दूसरे के खेत से दो गन्ने और दो मूली (आददानः) ले ले तो (दण्डं दातुं न अर्हति) वह दण्ड देने के योग्य नहीं होता ॥ ३४१ ॥

असंदितानां संदाता संदितानां च मोक्षकः ।
दासाश्वरथहर्ता च प्राप्तः स्याच्चोरकिल्बिषम् ॥ ३४२ ॥

(असंदितानां संदाता) दूसरे के खुले हुए पशुओं को अपने यहाँ बांधकर रखने वाला (च) और (संदितानां च मोक्षकः) किसी के बंधे हुए पशुओं को [चोरी के उद्देश्य से] खोलने वाला (च) तथा (दास + अश्व-रथ-हर्त्ता) दास, घोड़ा और रथ को चुराने वाला (चोरकिल्बिषं प्राप्तः स्यात्) चोर के अपराध और दण्ड का भागी होगा ॥ ३४२ ॥

अनुशीलन : ३३९ से ३४२ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. **शैलीगत आधार**—३३९ श्लोक में उक्त "**मनुः अब्रवीत्**" पदों से स्पष्टतः यह सिद्ध है कि यह श्लोक मनु से भिन्न किसी अन्य परवर्ती व्यक्ति की रचना है, अतः प्रक्षिप्त है शेष श्लोकों का यह प्रसंग इसी श्लोक पर आधारित होने से स्वतः प्रक्षिप्त कहलायेगा ।

२- **प्रसंगविरोध**—ये सभी श्लोक प्रसंगविरोध के आधार पर भी प्रक्षिप्त हैं। इसके लिए देखिए ३२५–३३१ श्लोकों पर 'अनुशीलन' में यह आधार।

अनेन विधिना राजा कुर्वाणः स्तेननिग्रहम् ।
यशोऽस्मिन्प्राप्नुयाल्लोके प्रेत्य चानुत्तमं सुखम् ॥ ३४३ ॥(२०६)

(राजा) राजा (अनेन विधिना) इस उपर्युक्त [८ । ३०२–३४२] विधि से (स्तेननिग्रहं कुर्वाणः) चोरों को नियन्त्रित एवं दण्डित करता हुआ (अस्मिन् लोके यशः) इस जन्म में या लोक में यश को (च) और (प्रेत्य) परजन्म में (अनुत्तमं सुखम्) अच्छे सुख को (प्राप्नुयात्) प्राप्त करता है ॥ ३४३ ॥

(१४) साहस = डाका, हत्या आदि बलात्कारपूर्वक किये गये अपराधों का निर्णय—[३४४—३५१]

ऐन्द्रं स्थानमभिप्रेप्सुर्यशश्चाक्षयमव्ययम् ।
नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकं नरम् ॥ ३४४ ॥ (२०७)

(ऐन्द्रं स्थानम्) राज्य के अधिकारी धर्म (च) और ❀ (यशः) ऐश्वर्य की (अभिप्रेप्सुः) इच्छा करने वाला (राजा) राजा (साहसिकं नरम्) बलात्कार काम करने वाले डाकुओं को (क्षणम्+अपि न+उपेक्षेत) दण्ड देने में एक क्षण भी देर न करे ॥ ३४४ ॥ (स० प्र० १७३)

❀ (अक्षयम्+अव्ययम्) न नष्ट होने वाले तथा न कम होने वाले.....

साहसी व्यक्ति चोर से अधिक पापी—

वाग्दुष्टात्तस्कराच्चैव दण्डेनैव च हिंसतः ।
साहसस्य नरः कर्त्ता विज्ञेयः पापकृत्तमः ॥३४५॥(२०८)

साहसिक पुरुष का लक्षण— (वाक्-दुष्टात्) जो दुष्ट वचन बोलने (तस्करात्) चोरी करने (दण्डेन एव हिंसतः) बिना अपराध के दण्ड देने वाले से भी (साहसस्य कर्त्ता नरः) साहस, बलात्कार काम करने वाला है (पापकृत्तमः विज्ञेयः) वह अतीव पापी, दुष्ट है ॥ ३४५ ॥ (स० प्र० १७३)

डाकू को दण्ड न देने वाला राजा विनाश को प्राप्त करता है—

साहसे वर्तमानं तु यो मर्षयति पार्थिवः ।
स विनाशं व्रजत्याशु विद्वेषं चाधिगच्छति ॥३४६॥ (२०९)

(यः पार्थिवः) जो राजा (साहसे वर्तमानं तु मर्षयति) साहस में वर्तमान पुरुष को न दण्ड देकर सहन करता है (सः आशु विनाशं व्रजति) वह राजा शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है (च) और (विद्वेषम्+अधिगच्छति) राज्य में द्वेष उठता है ॥ ३४६ ॥ (स० प्र० १७०)

मित्र या धन के कारण साहसी को क्षमा न करे—

न मित्रकारणाद्राजा विपुलाद्वा धनागमात् ।
समुत्सृजेत्साहसिकान्सर्वभूतभयावहान् ॥३४७॥(२१०)

(न मित्रकारणात् वा विपुलात् धन+आगमात्) न मित्रता, न पुष्कल धन की प्राप्ति से भी (राजा) राजा (सर्वभूतभय+आवहान् साहसिकान्) सब प्राणियों को दुःख देने वाले साहसिक मनुष्य को (समुत्सृजेत्) बंधन-छेदन किये बिना कभी न छोड़े ॥ ३४७ ॥ (स० प्र० १७३)

विद्रोहकाल में द्विजातियों को शस्त्रधारण का आदेश—

शस्त्रं द्विजातिभिर्ग्राह्यं धर्मो यत्रोपरुध्यते ।
द्विजातीनां च वर्णानां विप्लवे कालकारिते ॥ ३४८ ॥

आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च सङ्क्षरे ।
स्त्रीविप्राभ्युपपत्तौ च घ्नन्धर्मेण न दुष्यति ॥ ३४९ ॥

(यत्र) जहाँ कहीं (धर्मः उपरुध्यते) धर्मों में अवरोध पैदा हो गया हो (च) तथा (कालकारिते) किसी समय या परिस्थिति के प्रभाव के कारण (द्विजातीनां वर्णानां विप्लवे) द्विज वर्णों के बीच विद्रोह पैदा हो जाने पर (द्विजातिभिः शस्त्रं ग्राह्यम्) द्विजातियों को शस्त्र ग्रहण कर लेना चाहिए ॥ ३४८ ॥

और—(आत्मनः परित्राणे) आत्मरक्षा के लिए (च) तथा (दक्षिणानां सङ्क्षरे) धन-सम्पत्ति की लूट-पाट में (स्त्री-विप्र+अभ्युपपत्तौ) स्त्रियों और विद्वानों पर विपत्ति आने पर उनकी रक्षा के लिए (घ्नन्) हिंसा करने पर (धर्मेण न दुष्यति) धर्म से=कानून के अनुसार अपराधी नहीं होता ॥ ३४९ ॥

अनुशीलन : ३४८–३४९ श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—८ । ४–७ श्लोकों के संकेतानुसार यहां ३४४ श्लोक से डाका, हत्या आदि साहस के अपराधों के निर्णय का वर्णन है। इन श्लोकों के पूर्वापर श्लोकों में भी वही वर्णन है। बीच के इन श्लोकों में प्रचलित प्रसंग से भिन्न 'द्विजातियों द्वारा धर्मरोध और परस्पर विद्रोह की स्थिति में शस्त्र ग्रहण का विधान,' 'स्त्री तथा विप्र की रक्षार्थ शस्त्रधारण' आदि बातें प्रसंगविरुद्ध हैं। ये दोनों श्लोक एक क्रिया द्वारा सम्बद्ध हैं, अतः प्रथम के साथ द्वितीय भी प्रक्षिप्त ही घोषित होगा।

२. **अन्तर्विरोध**—धर्म का पालन कराना, धर्म का पालन न करने पर दण्ड देना, धर्म में आये अवरोधों को दूर करना और स्त्री, विप्र आदि सभी प्रजाजनों की रक्षा करना, ये राजा के कार्य विहित हैं। यदि द्विज स्वयं शस्त्र धारण करके अराजकता और धर्मविरोध आदि को दूर करने लगें तो इससे अराजकता ही बढ़ेगी। फिर राजा की क्या आवश्यकता रहेगी? [७। ३, १७, २४, ३५, १४३, १४४]। इस प्रकार ये दोनों श्लोक मनु की व्यवस्था के विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं। अगले श्लोक में इन भावों का स्वयमेव अन्तर्भाव हो जाता है।

आततायी को मारने में अपराध नहीं—

गुरुं वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम् ।
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् ॥३५०॥ (२११)

(गुरुं वा बाल-वृद्धौ वा) चाहे गुरु हो, चाहे पुत्र आदिक बालक हों, चाहे पिता आदि वृद्ध (ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्) चाहे ब्राह्मण और चाहे बहुत शास्त्रों का श्रोता क्यों न हो (आततायिनम्+आयान्तम्) जो धर्म को छोड़ अधर्म में वर्तमान, दूसरे को बिना अपराध मारने वाले हैं (अविचारयन्+

एव हन्यात्) उनको बिना विचारे मार डालना अर्थात् मारके पश्चात् विचार करना चाहिए ॥ ३५० ॥ (स० प्र० १७३)

नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन।
प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युमृच्छति ॥३५१॥ (२१२)

(आततायिवधे) दुष्ट-पुरुषों के मारने में (हन्तुः कश्चनः दोषः न भवति) हन्ता को पाप नहीं होता (प्रकाशं वा+अप्रकाशम्) चाहे प्रसिद्ध [=सबके सामने] मारे चाहे अप्रसिद्ध [=एकान्त में] (मन्युः तं मन्युं ऋच्छति) क्योंकि क्रोधी को क्रोध से मारना जानो क्रोध से क्रोध की लड़ाई है ॥ ३५१ ॥ (स० प्र० १७३)

[१५] स्त्री-संग्रहणसम्बन्धी विवाद [३५२–३८७] तथा उसका निर्णय—

परदाराभिमर्शेषु प्रवृत्तान्नृन्महीपतिः।
उद्वेजनकरैर्दण्डैश्छिन्नयित्वा प्रवासयेत् ॥३५२॥ (२१३)

(परदारा+अभिमर्शेषु प्रवृत्तान् नॄन्) [बलात्कार अथवा सहमति-पूर्वक] परस्त्रियों से व्यभिचार करने में संलग्न पुरुषों को (महीपतिः) राजा (उद्वेजनकरैः दण्डैः छिन्नयित्वा) व्याकुलता पैदा करने वाले [नाक, कान, हाथ आदि काटना, दागना आदि] दण्डों से अङ्ग-भंग करके (प्रवासयेत्) देश से निकाल दे ॥ ३५२ ॥

तत्समुत्थो हि लोकस्य जायते वर्णसंकरः।
येन मूलहरोऽधर्मः सर्वनाशाय कल्पते ॥ ३५३ ॥

(हि) क्योंकि (तत्समुत्थः) उस परस्त्री व्यभिचार से (लोकस्य वर्णसंकरः जायते) लोक में वर्णसंकरः=दोगला पुत्र पैदा होता है (येन) जिसके उत्पन्न होने पर (मूलहरः अधर्मः) धर्म के मूल को नष्ट करनेवाला अधर्म (सर्वनाशाय कल्पते) सर्वनाश करने में समर्थ होता है अर्थात् अधर्म के संस्कार वृद्धि एवं शक्ति को प्राप्त करते हैं ॥ ३५३ ॥

अनुशीलन : ३५३ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. **अन्तर्विरोध**—इस श्लोक में उक्त कारण युक्तियुक्त तथा मनु की व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। इसके वर्णन का पूर्व श्लोक के साथ तालमेल नहीं बैठता—(१) पूर्वश्लोक में व्यभिचार में प्रवृत्त सभी वर्ण के अपराधियों को दण्ड देने का कथन किया है। इस श्लोक में 'उसके कारण वर्णसंकर सन्तान का पैदा होना' कहा है। दोविभिन्न

वर्ण के व्यक्तियों के सम्बन्ध से उत्पन्न सन्तान को 'वर्णसंकर' कहते हैं, जबकि व्यभिचार एक वर्ण के व्यक्तियों में परस्पर भी हो सकता है और भिन्न वर्ण में भी। अतः उससे 'संकर' पुत्र की उत्पत्ति का कथन तो उचित प्रतीत होता 'वर्णसंकर' मात्र कहना उचित नहीं। क्या श्लोककार केवल भिन्न वर्णों के व्यभिचार को ही रोकना चाहता है, एक वर्ण में होने वाले को नहीं ? जबकि ऊपर वाले श्लोक में प्रत्येक के व्यभिचार के लिए दण्डव्यवस्था है। इस प्रकार ऊपर के कथन से इस श्लोक का तालमेल नहीं बैठता। अतः यह अन्यप्रोक्त है। (२) इस श्लोक में 'वर्णसंकर' को सर्वनाश में समर्थ और धर्म के मूल का हन्ता माना है। इससे यह विचार ध्वनित होता है कि 'वर्णसंकर' को धर्म अपने अनुसार नहीं ढाल सकता, वह धर्म को नष्ट करता है। यह भावना जन्मना वर्णव्यवस्था पर आधारित है। यह मनुविरुद्ध है, क्योंकि मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं। उनके मतानुसार एक वर्ण का व्यक्ति कर्मानुसार दूसरे वर्ण में दीक्षित हो सकता है [द्रष्टव्य १। ९२–१०१ पर 'अनुशीलन' और ४। २४५; २। १६८; ९। २२–२४; १०। ६५ श्लोक]। इस प्रकार विरोध के कारण यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

परस्य पत्न्या पुरुषः संभाषां योजयन् रहः।
पूर्वमाक्षारितो दोषैः प्राप्नुयात्पूर्वसाहसम् ॥३५४॥ (२१४)

(पूर्वं दोषैः आक्षारितः पुरुषः) जो व्यक्ति पहले परस्त्री-गमन-सम्बन्धी दोषों में अपराधी सिद्ध हो चुका है (रहः परस्य पत्न्या संभाषां योजयन्) यदि वह एकान्त स्थान में पराई स्त्री के साथ कामुक बातचीत की योजना में लगा मिले तो (पूर्वसाहसं प्राप्नुयात्) उसको 'पूर्वसाहस' [८। १३८] का दण्ड देना चाहिए ॥ ३५४ ॥

यस्त्वनाक्षारितः पूर्वमभिभाषेत कारणात्।
न दोषं प्राप्नुयात् किंचिन्न हि तस्य व्यतिक्रमः ॥३५५॥ (२१५)

(यः तु पूर्वम्+अनाक्षारितः) किन्तु जो पहले ऐसे किसी अपराध में अपराधी सिद्ध नहीं हुआ है, यदि वह (कारणात् अभिभाषेत) किसी उचित कारणवश बातचीत करे तो (किंचित् दोषं न प्राप्नुयात्) किसी दोष का भागी नहीं होता (हि) क्योंकि (तस्य न व्यतिक्रमः) वह कोई मर्यादा-भंग नहीं करता ॥ ३५५ ॥

परस्त्रियं योऽभिवदेत्तीर्थेऽरण्ये वनेऽपि वा।
नदीनां वाऽपि संभेदे स संग्रहणमाप्नुयात् ॥ ३५६ ॥

(यः) जो व्यक्ति (तीर्थे+अरण्ये वने+अपि वा नदीनां संभेदे) तीर्थस्थान, जंगल, छोटे वन अथवा नदियों के संगम स्थान पर (परस्त्रियम् अभिवदेत्) पराई स्त्री से बातचीत करे (सः) वह (संग्रहमण+आप्नुयात्) स्त्रीसंग्रहणम् के दोष का भागी होगा ॥ ३५६ ॥

अनुशीलन : ३५६ वाँ श्लोक प्रक्षिप्त है—

१. **अन्तर्विरोध**—३५४ और ३५५ श्लोकों में जो व्यवस्था दी है, इस श्लोक में उससे भिन्न व्यवस्था है। एकान्त में बातचीत करने पर कौन अपराधी माना जायेगा कौन नहीं, यह उनमें स्पष्ट रूप से वर्णित है। यहां सभी को 'संग्रहण' का दोषी ठहराना उनके विरुद्ध है। अतः प्रक्षिप्त है।

स्त्रीसंग्रहण की परिभाषा—

उपचारक्रिया केलिः स्पर्शो भूषणवाससाम्।
सहखट्वासनं चैव सर्वं संग्रहणं स्मृतम् ॥३५७॥ (२१६)

विषयगमन के लिए (उपचारक्रिया) एक-दूसरे को आकर्षित करने के लिए माला, सुगन्ध आदि शृंगारिक वस्तुओं का आदान-प्रदान करना (केलिः) विलासक्रीड़ाएं=छेड़खानी आदि (भूषणवाससां स्पर्शः) आभूषण और कपड़ों आदि का स्पर्श [शरीर-स्पर्श तो इसमें स्वतः ही परिगणित हो जाता है] (च) और (सह खट्वा+आसनम्) साथ मिलकर अर्थात् सट-कर खाट आदि पर बैठना और साथ सोना, सहवास करना (सर्वं संग्रहणं स्मृतम्) ये सब बातें 'संग्रहण'=विषयगमन में मानी गयी हैं ॥ ३५७ ॥

स्त्रियं स्पृशेददेशे यः स्पृष्टो वा मर्षयेत्तया।
परस्परस्यानुमते सर्वं संग्रहणं स्मृतम् ॥ ३५८ ॥

(यः स्त्रियम् अदेशे स्पृशेत्) यदि कोई पुरुष किसी परस्त्री को न छूने योग्य स्थानों स्तन, जघनस्थल, गाल आदि का स्पर्श करे (वा) अथवा (तया स्पृष्टः मर्षयेत्) स्त्री के द्वारा अस्पृश्य स्थानों को स्पर्श करने पर उसे सहन करे (परस्परस्य+अनुमते) परस्पर की सहमति से होने पर भी (सर्वं संग्रहणं स्मृतम्) यह सब 'संग्रहण' कहा गया है ॥ ३५८ ॥

अब्राह्मणः संग्रहणे प्राणान्तं दण्डमर्हति।
चतुर्णामपि वर्णानां दारा रक्ष्यतमाः सदा ॥ ३५९ ॥

(अब्राह्मणः) ब्राह्मणेतर व्यक्ति यदि (संग्रहणे) ब्राह्मण स्त्री के साथ संभोग करे तो (प्राणान्त दण्डम्+अर्हति) प्राणहरण का दण्ड मिलना चाहिए, क्यों कि (चतुर्णाम्+अपि वर्णानां दाराः सदा रक्ष्यतमाः) चारों वर्णों की स्त्रियां सदा रक्षा करने योग्य होती हैं ॥ ३५९ ॥

भिक्षुका वन्दिनश्चैव दीक्षिता कारवस्तथा।
संभाषणं सह स्त्रीभिः कुर्युरप्रतिवारिताः ॥ ३६० ॥

(भिक्षुकाः) भिक्षार्थी (वन्दिनः) चारण-भाट आदि (दीक्षिताः) ऋत्विज (तथा कारवः) तथा रसोइया ये (अप्रतिवारिताः स्त्रीभिः सह संभाषणं कुर्युः) बिना किसी

रुकावट के स्त्रियों के साथ बातचीत कर सकते हैं अर्थात् इनका बातचीत करना 'संग्रहण' दोष में नहीं आता ॥ ३६० ॥

न संभाषां परस्त्रीभिः प्रतिषिद्धः समाचरेत् ।
निषिद्धो भाषमाणस्तु सुवर्णं दण्डमर्हति ॥ ३६१ ॥

(प्रतिषिद्धः) स्वामी या अभिभावक द्वारा मना करने पर (परस्त्रीभिः संभाषां न समाचरेत्) परस्त्रियों के साथ बातचीत न करे (निषिद्धः भाषमाणः तु) मना करने पर यदि कोई बातचीत करे तो वह (सुवर्णं दण्डम् + अर्हति) एक 'सुवर्ण' दण्ड के योग्य है ॥ ३६१ ॥

नैष चारणदारेषु विधिर्नात्मोपजीविषु ।
सज्जयन्ति हि ते नारीर्निगूढाश्चारयन्ति च ॥ ३६२ ॥

(एषः) स्त्रियों के साथ संग्रहण दोष का यह विधान (चारणदारेषु आत्मोपजीविषु न) नाचने-गाने वालों की स्त्रियों और अपनी पत्नी की वेश्यावृत्ति पर जीविका चलाने वालों की स्त्रियों पर लागू नहीं होता, क्योंकि (ते हि नारीः सज्जयन्ति) वे तो अपनी स्त्रियों को स्वयं सजाते हैं (च) और (निगूढाः चारयन्ति) छुपकर संभोग के लिए भेजते हैं ॥ ३६२ ॥

किञ्चिदेव तु दाप्यः स्यात्संभाषां चाभिरावरन् ।
प्रैष्यासु चैकभक्तासु रहः प्रव्रजितासु च ॥ ३६३ ॥

(तु) तथापि (ताभिः) उन [८।३६२] स्त्रियों (च) और (प्रैष्यासु) दासियों (एकभक्तासु) किसी मंत में दीक्षित होकर विचरण करने वाली स्त्रियों (प्रव्रजितासु) वैरागिनों से (रहः संभाषाम् + आचरन्) एकान्त में बातचीत करने पर (किंचित् एव तु दाप्यः स्यात्) कुछ दण्ड तो अवश्य ही होना चाहिए ॥ ३६३ ॥

अकामा-सकामा कन्या के रोवन में दण्ड विधान—

योऽकामां दूषयेत्कन्यां स सद्यो वधमर्हति ।
सकामां दूषयंस्तुल्यो न वधं प्राप्नुयान्नरः ॥ ३६४ ॥

(यः तुल्यः नरः) जो समान वर्ण का पुरुष (अकामां कन्यां दूषयेत्) संभोगेच्छा से रहित कन्या को बलात् दूषित करे (सः सद्यः वधम् + अर्हति) वह शीघ्र ही प्राणवध करने योग्य है (सकामां दूषयन्) संभोगेच्छा वाली कन्या को अर्थात् सहमति रखने वाली कन्या को दूषित करने पर (वधं न प्राप्नुयात्) वध-दण्ड के योग्य नहीं है,॥ ३६४ ॥

कन्यां भजन्तीमुत्कृष्टं न किञ्चिदपि दापयेत् ।
जघन्यं सेवमानां तु संयतां वासयेद् गृहे ॥ ३६५ ॥

(उत्कृष्टं भजन्तीं कन्याम्) अपने से ऊंचे वर्ण वाले व्यक्ति के साथ संभोग करने

वाली कन्या को (किंचित्+अपि न दापयेत्) कुछ भी दण्ड न दे (जघन्यं सेवमानां तु) किन्तु यदि कोई कन्या अपने से नीच वर्ण के साथ संभोग करे तो (गृहे संयतां वासयेत्) घर में बंद करके रखे, जिससे वह किसी से मिल न सके ॥ ३६५ ॥

उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यो वधमर्हति ।
शुल्कं दद्यात्सेवमानः समामिच्छेत्पिता यदि ॥ ३६६ ॥

(उत्तमां सेवमानः जघन्यः तु) अपने से उत्तम वर्ण की कन्या से संभोग करने वाला पुरुष (वधम्+अर्हति) शारीरिक दण्ड के योग्य है (समां सेवमानः) समान वर्ण की कन्या से संभोग करने पर (यदि पिता इच्छेत्) यदि पिता स्वीकृति दे दे तो (शुल्कं दद्यात्) उसे उचित धन देकर उससे विवाह करले ॥ ३६६ ॥

अभिषह्य तु यः कन्यां कुर्याद्दर्पेण मानवः ।
तस्याशु कर्त्ये अङ्गुल्यौ दण्डं चार्हति षट्शतम् ॥ ३६७ ॥

(यः मानवः) जो पुरुष (दर्पेण) घमण्ड में आकर (अभिषह्य) बलात्कारपूर्वक (कन्यां कुर्यात्) किसी कन्या का कौमार्य भंग कर दे तो (तस्य आशु अङ्गुल्यौ कर्त्ये) उसकी शीघ्र ही राजा दो अंगुलियां कटवादे (च) और (षट्शतं दण्डम्+अर्हति) छह सौ पण दण्ड करे ॥ ३६७ ॥

सकामां दूषयंस्तुल्यो नाङ्गुलिच्छेदमाप्नुयात् ।
द्विशतं तु दमं दाप्यः प्रसंगविनिवृत्तये ॥ ३६८ ॥

(तुल्यः) समान वर्णवाला पुरुष (सकामां दूषयन्) संभोगेच्छा से युक्त कन्या को कौमार्य भंग करके दूषित करदे तो (अङ्गुलिच्छेदं न+आप्नुयात्) उसकी अंगुलियां न काटे (तु) अपि तु (प्रसंगविनिवृत्तये) भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए (द्विशतं दमं दाप्यः) उस पर दो सौ पण दण्ड करे ॥ ३६८ ॥

स्त्री द्वारा कौमार्य भंग करने पर दण्ड—

कन्यैव कन्यां या कुर्यात्तस्याः स्याद् द्विशतो दमः ।
शुल्कं च द्विगुणं दद्याच्छिफाश्चैवाप्नुयाद् दश ॥ ३६९ ॥

(या कन्या एव कन्यां कुर्यात्) कोई कन्या ही यदि किसी कन्या का कौमार्य भंग करदे (तस्याः द्विशतो दमः स्यात्) उसको दो सौ पण का दण्ड करे (च) और (द्विगुणं शुल्कं दद्यात्) उससे दुगुना अर्थात् चार सौ पण जुर्माना उस कन्या को दे (च) तथा (दश शिफाः आप्नुयात्) दश कोड़ों की मार का दण्ड भी दोषी कन्या को मिले ॥ ३६९ ॥

या तु कन्यां प्रकुर्यात्स्त्री सा सद्यो मौण्डयमर्हति ।
अङ्गुल्योरेव वा छेदं खरेणोद्वहनं तथा ॥ ३७० ॥

(या तु स्त्री कन्यां प्रकुर्यात्) यदि कोई महिला किसी कन्या का कौमार्य भंग कर दे तो (सा सद्यः मौण्डयम्+अर्हति) उसका शीघ्र सिर मुंडवा देना चाहिए (वा) या

(अङ्गुल्योः+एव छेदम्) दो अंगुलियां काट देनी चाहिएँ (तथा) तथा (खरेण+उद्वहनम्) उसको गधे पर बिठाकर घुमाना चाहिए ॥ ३७० ॥

अनुशीलन : ३५८ से ३७० तक के श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं।

१. **अन्तर्विरोध**—(१) ये सभी श्लोक मनु की मौलिक व्यवस्था के विरुद्ध हैं। मनु सभी अपराधियों के लिए निर्लिप्त एवं समभाव से दण्ड का विधान करते हैं [७।२, १६, ८।३४६, ९।३०७, ३११], अपितु समझदार एवं जिम्मेदार होने के कारण उच्चस्तरीय और उच्चवर्णीय व्यक्ति को अधिक दण्ड का विधान करते हैं। इन श्लोकों में उच्च-निम्न वर्ण के अनुसार क्रमशः कम और अधिक दण्ड का विधान करना मनु की उक्त व्यवस्था के विरुद्ध एवं पक्षपातभावयुक्त है। इस प्रसंग के ३५२–३५७, ३७१; ७२ श्लोकों को इनकी पुष्टि के लिये देखिये, उनमें मनु की शैली के अनुरूप सभी अपराधियों के लिए समान व्यवस्थाएं हैं। इस विरोध के कारण ये प्रक्षिप्त हैं।

(२) ३५८ श्लोक का विधान अनावश्यक है, क्योंकि ये बातें ३५७ के अन्तर्गत स्वतः समाहित हैं, अतः यह प्रक्षिप्त है।

(३) इन श्लोकों में भार्या से जीविका करने वाले लोगों, दासी स्त्रियों का उल्लेख है। मनुविहित व्यवस्था में इनका कहीं अस्तित्व नहीं है, न वे भार्या से जीविका को उचित मानते हैं और न दासीप्रथा को। वे सभी प्रकार के परस्त्री-पुरुष संभोग को दण्डनीय मानते हैं [८।३५२], और शूद्र को स्वेच्छया किसी भी द्विजाति की सेवा करने की स्वतन्त्रता देते हैं [१।९१, ९।३३४, ३३५]। इससे ज्ञात होता है कि ये परवर्ती स्मृत-परम्पराकालीन श्लोक हैं।

(४) ३५९, ३६४–३६५ श्लोक ८।३५२ से विरुद्ध हैं। सकामा हों या अकामा, मनु के मत में सभी व्यभिचारिणी हैं और वे दण्डनीय हैं।

(५) ३६६ वाँ श्लोक ३। ५१—५४ श्लोकों के विरुद्ध है। इन अन्तर्विरोधों के आधार पर ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं।

२. **प्रसंगविरोध**—३५२ से 'स्त्रीसंग्रहण' विवाद की सार्वजनीन दण्डव्यवस्था देकर ३५७ में स्त्रीसंग्रहण की परिभाषा दी है। इस प्रकार परिभाषा का देना प्रसंग-समाप्ति का संकेतक है। प्रसंगसमाप्ति के पश्चात् विकल्पात्मक या सम्बन्धित अवस्थाओं का विधान तो प्रासंगिक हो सकता है, अन्य नहीं। प्रसंगसमाप्ति के पश्चात् पुनः उस प्रसंग को भिन्नविधि से चलाना प्रसंगविरुद्ध है। अतः ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

दम्भपूर्वक व्यभिचार में प्रवृत्त होने पर स्त्री को दण्ड—

भर्तारं लङ्घयेद्या तु स्त्री ज्ञातिगुणदर्पिता।
तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ ३७१ ॥ (२१७)

(या तु स्त्री) जो स्त्री (ज्ञाति-गुण-दर्पिता) अपनी जाति, गुण के घमण्ड से (भर्तारं लङ्घयेत्) पति को छोड़ व्यभिचार करे (ताम्) उसको (बहुसंस्थिते संस्थाने श्वभिः राजा खादयेत्) बहुत स्त्री और पुरुषों के सामने जीती हुई कुत्तों से राजा कटवाकर मरवाडाले ॥ ३७१ ॥ (स० प्र० १७४)

दम्भपूर्वक व्यभिचार में प्रवृत्त होने वाले पुरुष को दण्ड—

पुमांसं दाहयेत्पापं शयने तप्त आयसे।
अभ्यादध्युश्च काष्ठानि तत्र दह्येत पापकृत् ॥ ३७२ ॥ (२१८)

(पापं पुमांसम्) उसी प्रकार अपनी स्त्री को छोड़के परस्त्री या वेश्यागमन करे उस पापी को (आयसे तप्त शयने) लोहे के पलंग को अग्नि से तपा लाल कर उस पर सुलाके ❀ जीते को (तत्र पापकृत् दह्येत) बहुत पुरुषों के सम्मुख भस्म करदेवे ॥ ३७२ ॥ (स० प्र० १७४)

❀ (काष्ठानि अभ्यादध्युः) लोग उस पर लकड़ियां रख दें (च) और.....

अनुशीलन : (१) ३७१–३७२ श्लोक 'प्रसंगविरोध' के आधार पर प्रक्षेपान्तर्गत इसलिए नहीं कहला सकते क्योंकि इनमें 'स्त्रीसंग्रहण' से सम्बन्धित विशेष स्थितियों की विशेष दण्ड-व्यवस्था है। अपने रूपसौन्दर्य एवं उच्चता के आधार पर अपने जीवनसंगी का तिरस्कार करते हुए दम्भपूर्वक जब कोई स्त्री या पुरुष पर-पुरुष-गमन या परस्त्रीगमन करे तो उनके लिये यह दण्डव्यवस्था है।

(२) यह दण्डव्यवस्था अत्यन्त कठोर है। वह इसलिये कि दंभी व्यक्ति अपने दंभ में आकर बलात् सभी मर्यादाओं का अतिक्रमण करता है और अपने हठ पर अडिग रहता है। ऐसे व्यक्ति व्यवस्थाओं को बड़ी लापरवाही से भङ्ग करते हैं और अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों का तिरस्कार करते हैं, अतः इनके लिए यह सार्वजनिक रूप से कठोर दण्ड-व्यवस्था विहित की है। महर्षि दयानन्द ने इस सम्बन्ध में छठे समु० में प्रश्नोत्तर रूप में प्रकाश डाला है, जो विवेचन की दृष्टि से उद्धरणीय है—

"(प्रश्न) जो राजा वा रानी अथवा न्यायाधीश वा उसकी स्त्री व्यभिचारादि कुकर्म करे तो उसको कौन दण्ड देवे ?

(उत्तर) सभा, अर्थात् उनको तो प्रजापुरुषों से भी अधिक दण्ड होना चाहिये।

(प्रश्न) राजादि उन से दण्ड क्यों ग्रहण करेंगे ?

(उत्तर) राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य है। जब उसी को दण्ड न दिया जाय और वह ग्रहण न करे तो दूसरे मनुष्य दण्ड को क्यों मानेंगे ? और जब सब प्रजा और प्रधान राज्याधिकारी और सभा धार्मिकता से दण्ड देना चाहें तो अकेला

राजा क्या कर सकता है ? जो ऐसी व्यवस्था न हो तो राजा प्रधान और सब समर्थ पुरुष अन्याय में डूबकर न्याय-धर्म को डुबाके सब प्रजा का नाश कर आप भी नष्ट हो जायें, अर्थात् उस श्लोक के अर्थ का स्मरण करो कि न्याययुक्त दण्ड ही का नाम राजा और धर्म है जो उसका लोप करता है उससे नीच पुरुष दूसरा कौन होगा ?

(प्रश्न) यह कड़ा दण्ड होना उचित नहीं, क्योंकि मनुष्य किसी अङ्ग का बनाने हारा वा जिलानेवाला नहीं है, ऐसा दण्ड नहीं देना चाहिए।

(उत्तर) जो इसको कड़ा दण्ड जानते हैं वे राजनीति को नहीं समझते, क्योंकि एक पुरुष को इस प्रकार दण्ड होने से सब लोग बुरे काम करने से अलग रहेंगे और बुरे काम को छोड़कर धर्ममार्ग में स्थित रहेंगे। सच पूछो तो यही है कि एक राई भर भी यह दण्ड सब के भाग में न आवेगा। और जो सुगम दण्ड दिया जाय तो दुष्ट काम बहुत बढ़कर होने लगें। वह जिसको तुम सुगम दण्ड कहते हो वह क्रोड़ों गुणा अधिक होने से क्रोड़ों गुणा कठिन होता है,क्योंकि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कर्म करेंगे तब थोड़ा-थोड़ा दण्ड भी देना पड़ेगा अर्थात् जैसे एक को मनभर दण्ड हुआ और दूसरे को पाव भर तो पाव भर अधिक एक मन दण्ड होता है तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में आध पाव बीस सेर दण्ड पड़ा, तो ऐसे सुगम दण्ड को दुष्ट लोग क्या समझते हैं ? जैसे एक को मन और सहस्र मनुष्यों को पाव-पाव दण्ड हुआ तो ६। सवा छः मन मनुष्य-जाति पर दण्ड होने से अधिक और यही कड़ा तथा वह एक मन दण्ड न्यून और सुगम होता है।"

वर्णानुसार दण्डव्यवस्था—

संवत्सराभिशस्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो दमः।
व्रात्यया सह संवासे चाण्डाल्या तावदेव तु ॥ ३७३ ॥

(संवत्सर+अभिशस्तस्य) एक वर्ष में ही पुनः दूसरी बार परस्त्रीगमन के दोष से दूषित होने वाले (दुष्टस्य) दुष्ट को (द्विगुणः दमः) दुगना दण्ड होना चाहिए (व्रात्यया) व्रात्या [१०। २०] और (चाण्डाल्या सह संवासे) चाण्डाली स्त्री [१०।२६-२७] के साथ संभोग करने पर भी (तावत्+एव तु) उतना ही दण्ड अर्थात् दुगुना दंड होना चाहिए ॥ ३७३ ॥

शूद्रो गुप्तमगुप्तं वा द्वैजातं वर्णमावसन्।
गु [illegible] ॥

(गुप्तं वा अगुप्तं द्वैजातं वर्णम्+आवसन्) सुरक्षित अथवा असुरक्षित द्विजवर्ण की स्त्री से संभोग करने वाले (शूद्रः) शूद्र को (अगुप्तम्) यदि असुरक्षिता से संभोग करे तो (अङ्ग-सर्वस्वैः) लिङ्गेन्द्रिय एवं सर्वस्व=धन आदि से (हीयते) रहित करदेना चाहिए, और (गुप्तं सर्वेण) सुरक्षिता से करने पर धन आदि तथा प्राणआदि से भी रहित करदेना चाहिये अर्थात् सर्वस्वहरण करके प्राणवध करदे ॥ ३७४ ॥

वैश्यः सर्वस्वदण्डः स्यात् संवत्सरनिरोधतः ।
सहस्रं क्षत्रियो दण्ड्यो मौण्ड्यं मूत्रेण चार्हति ॥ ३७५ ॥

(वैश्यः) यदि वैश्य किसी सुरक्षिता द्विज-स्त्री के साथ संभोग करे तो (संवत्सर-निरोधतः सर्वस्वदण्डः स्यात्) एक वर्ष की कैद के साथ-साथ सर्वस्वहरण के दण्ड से दण्डित होना चाहिए (क्षत्रियः) क्षत्रिय को ऐसा करने पर (सहस्रं दण्ड्यः) एक हजार पण दण्ड होना चाहिए (च) और (मूत्रेण मौण्ड्यं अर्हति) गधे के मूत्र से उसका सिर मुंडाना चाहिए ॥ ३७५ ॥

ब्राह्मणीं यद्यगुप्तां तु गच्छेतां वैश्यपार्थिवौ ।
वैश्यं पञ्चशतं कुर्यात्क्षत्रियं तु सहस्रिणम् ॥ ३७६ ॥

(यदि तु) यदि (वैश्यपार्थिवौ) वैश्य और क्षत्रिय (अगुप्तां ब्राह्मणीं गच्छेताम्) असुरक्षिता ब्राह्मणी से गमन करें तो (वैश्यः पञ्चशतम्) वैश्य को पांच सौ पण (तु क्षत्रियं सहस्रिणं कुर्यात्) और क्षत्रिय को एक हजार पण दण्ड करे ॥ ३७६ ॥

उभावपि तु तावेव ब्राह्मण्या गुप्तया सह ।
विप्लुतौ शूद्रवद्दण्ड्यौ दग्ध्व्यौ वा कटाग्निना ॥ ३७७ ॥

(तौ उभौ+अपि) यदि वे दोनों—वैश्य, क्षत्रिय (गुप्तया ब्राह्मण्या सह) सुरक्षिता ब्राह्मणी के साथ (विलुप्तौ) गमन करें तो (शूद्रवत् दण्ड्यौ) उन्हें शूद्र के समान दण्डित करे [८ । ३७४] (वा) अथवा (कटाग्निना दग्धव्यौ) तिनकों की आग में जला दे ॥ ३७७ ॥

सहस्रं ब्राह्मणो दण्ड्यो गुप्तां विप्रां बलाद् व्रजन् ।
शतानि पञ्च .दण्ड्यः स्यादिच्छन्त्या सह संगतः ॥ ३७८ ॥

(गुप्तां विप्रां बलात् व्रजन्) सुरक्षिता ब्राह्मणी के साथ बलात्कार करने पर (ब्राह्मणः सहस्रं दण्ड्यः) ब्राह्मण को एक हजार पण का दण्ड दे तथा (इच्छन्त्या सह संगतः) इच्छा वाली=सहमति वाली के साथ संभोग करने पर (पञ्चशतानि दण्ड्यः) पांच सौ पण दण्ड करे ॥ ३७८ ॥

मौण्ड्यं प्राणान्तिको दण्डो ब्राह्मणस्य विधीयते ।
इतरेषां तु वर्णानां दण्डः प्राणान्तिको भवेत् ॥ ३७९ ॥

(ब्राह्मणस्य) ब्राह्मण का (मौण्ड्यम्) मुण्डन करा देना ही (प्राणान्तिकः दण्डः विधीयते) प्राणवध दण्ड कहा जाता है (इतरेषां तु वर्णानाम्) ब्राह्मण से भिन्न अन्य वर्ण वालों को तो (प्राणान्तिकः दण्डः भवेत्) प्राणवध ही दण्ड होना चाहिए ॥ ३७९ ॥

न जातु ब्राह्मणं हन्यात्सर्वपापेष्वपि स्थितम् ।
राष्ट्रादेनं बहिः कुर्यात्समग्रधनमक्षतम् ॥ ३८० ॥

(सर्वपापेषु स्थितम् अपि ब्राह्मणम्) सब पापों में स्थित रहते हुए भी ब्राह्मण को

(जातु न हन्यात्) कदापि प्राणवध का दण्ड न दे (एनम्) बस इसे (समग्रधनम् + अक्षतं राष्ट्रात् बहिः कुर्यात्) समस्तधन सहित, शरीरहानि किये बिना देश से बाहर निकाल दे ॥ ३८० ॥

न ब्राह्मणवधाद् भूयानधर्मो विद्यते भुवि ।
तस्मादस्य वधं राजा मनसाऽपि न चिन्तयेत् ॥ ३८१ ॥

(ब्राह्मणवधात् + भूयान् + अधर्मः) ब्राह्मण-वध से अधिक पाप (भुवि न विद्यते) धरती पर दूसरा कोई नहीं है (तस्मात्) इसलिए (अस्य वधम्) ब्राह्मण के वध की बात (राजा मनसा + अपि न चिन्तयेत्) राजा मन में भी न सोचे ॥ ३८१ ॥

वैश्यश्चेत्क्षत्रियां गुप्तां वैश्यां वा क्षत्रियो व्रजेत् ।
यो ब्राह्मण्यामगुप्तायां तावुभौ दण्डमर्हतः ॥ ३८२ ॥

(चेत्) यदि (गुप्तां क्षत्रियां वैश्यः) सुरक्षिता क्षत्रिया से वैश्य (वा) अथवा (क्षत्रियः वैश्याम्) क्षत्रिय सुरक्षिता वैश्या से (व्रजेत्) गमन करे तो (अगुप्तायां ब्राह्मण्यां यः) असुरक्षिता ब्राह्मणी के गमन में जो दण्ड कहा है [८ । ३७६] (तौ + उभौ दंडम् + अर्हतः) उन्हें वही दंड देना चाहिए ॥ ३८२ ॥

सहस्रं ब्राह्मणो दण्ड्यो गुप्ते तु ते व्रजन् ।
शूद्रायां क्षत्रियविशोः साहस्रो वै भवेद्दमः ॥ ३८३ ॥

(गुप्ते ते तु व्रजन्) सुरक्षिता क्षत्रिय और वैश्या से गमन करने पर (ब्राह्मणः सहस्रं दण्डम्) ब्राह्मण को एक हजार पण दंड से (दाप्यः) दण्डित करना चाहिए। (क्षत्रियविशोः शूद्रायाम्) क्षत्रिय और वैश्य द्वारा सुरक्षिता शूद्रा से गमन करने पर (वै साहस्रः दमः भवेत्) उन्हें भी एक हजार पण दण्ड होना चाहिए ॥ ३८३ ॥

क्षत्रियायामगुप्तायां वैश्ये पञ्चशतं दमः ।
मूत्रेण मौण्ड्यमिच्छेत्तु क्षत्रियो दण्डमेव वा ॥ ३८४ ॥

(अगुप्तायां क्षत्रियायाम्) अरक्षिता क्षत्रिया से गमन करने पर (वैश्ये पञ्चशतं दमः) वैश्य को पांच सौ पण दंड करना चाहिए (क्षत्रियः) क्षत्रिय (इच्छेत् तु) चाहे तो (मूत्रेण मौण्ड्यम्) मूत्र से मुण्डन कराये (वा) अथवा (दण्डम् + एव) पांच सौ पण दण्ड करे ॥ ३८४ ॥

अगुप्ते क्षत्रियावैश्ये शूद्रां वा ब्राह्मणो व्रजन् ।
शतानि पञ्च दण्ड्यः स्यात्सहस्रं त्वन्त्यजस्त्रियम् ॥ ३८५ ॥

(अगुप्ते क्षत्रियावैश्ये वा शूद्रां व्रजन्) अरक्षिता क्षत्रिया वैश्या अथवा शूद्रा से गमन करने पर (ब्राह्मणः) ब्राह्मण को (पञ्च शतानि दण्ड्यः स्यात्) पांच सौ पण दण्ड करना चाहिए (तु) और (अन्त्यजस्त्रियम्) चांडाल की स्त्री से गमन करने पर (सहस्रम्) एक हजार पण दंड करना चाहिए ॥ ३८५ ॥

अनुशीलन : ३७३ से ३८५ तक श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं।

१. **अन्तर्विरोध**—(१) इन श्लोकों की दण्डव्यवस्था पक्षपातपूर्ण, जातीय आधार पर असमान दण्डव्यवस्था है, जो मनु की मौलिक दण्डव्यवस्था की पद्धति के विरुद्ध है, अतः ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं [विस्तृत विवेचन के लिए देखिए ३५८—३७० पर 'अन्तर्विरोध' समीक्षा]। (२) इन सभी श्लोकों में रक्षिता-अरक्षिता का भेद करके बहुविवाह का समर्थन किया है। यह भी मनु की मान्यता के विरुद्ध है। मनु प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही विवाह का विधान करते हैं [३। ४-५; ५। १६७-१६८]।

२. **प्रसंगविरोध**—एक प्रसंग की समाप्ति के पश्चात् पुनः उसी प्रसंग को प्रारम्भ करना प्रसंगविरुद्ध है। ये श्लोक भी इसी प्रकार प्रसंगविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं। विशेष देखिए ३५८—३७० पर 'प्रसंगविरोध' समीक्षा।

पांच महा-अपराधियों को वश में करने वाला राजा इन्द्र के समान प्रभावी—

यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक्।
न साहसिकदण्डघ्नौ स राजा शक्रलोकभाक् ॥३८६॥ (२१९)

(यस्य) जिस राजा के राज्य में (स्तेनः न+अस्ति) न चोर (न+अन्यस्त्रीगः) न परस्त्रीगामी (न दुष्टवाक्) न दुष्ट वचन का बोलने हारा (न साहसिकदण्डघ्नौ) न साहसिक डाकू और न दण्डघ्न अर्थात् राजा की आज्ञा का भंग करने वाला है (सः राजा शक्रलोकभाक्) वह राजा अतीव श्रेष्ठ है ॥ ३८६ ॥ (स० प्र० १७३)

अनुशीलन : महर्षि ने यहां 'शक्रलोकभाक्' पद का अभिप्रायार्थ ग्रहण किया है। जिन टीकाकारों ने 'शक्रलोक भाक्' का 'इन्द्रलोक में जाने वाला' या 'स्वर्ग में जाने वाला' अर्थ किया है वह उचित नहीं है। इस पद का अर्थ है कि वह राजा 'इन्द्र पद का अधिकारी' अर्थात् इन्द्र के समान श्रेष्ठ और शक्तिशाली राजा माना जाता है, वह इन्द्र के समान प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली हो जाता है। अगले श्लोक से भी इस अर्थ की पुष्टि हो जाती है।

एतेषां निग्रहो राज्ञः पञ्चानां विषये स्वके।
साम्राज्यकृत्सजात्येषु लोके चैव यशस्करः ॥३८७॥ (२२०)

(स्वके विषये) अपने राज्य में (एतेषां पञ्चानां निग्रहः) इन पांचों प्रकार के व्यक्तियों पर काबू रखने वाला (राज्ञः) राजा (सजात्येषु साम्राज्यकृत्) सजातीय अन्य राजाओं में साम्राज्य करने वाला अर्थात् राजाओं में शिरोमणि बन जाता है (च एव) और (लोके यशस्करः) लोक में यश प्राप्त करता ॥ ३८७ ॥

ऋत्विज और यजमान द्वारा एक-दूसरे को त्यागने पर दण्ड—

ऋत्विजं यस्त्यजेद्याज्यो याज्यं चर्त्विक्त्यजेद्यदि ।
शक्तं कर्मण्यदुष्टं च तयोर्दण्डः शतं शतम् ॥३८८॥(२२१)

(यः याज्यः) जो यजमान (कर्मणि शक्तं च अदुष्टम्) काम करने में समर्थ और श्रेष्ठ (ऋत्विजम्) पुरोहित को (त्यजेत्) छोड़ दे (च) और (याज्यं ऋत्विजः त्यजेत्) ऐसे ही यजमान को पुरोहित छोड़दे तो (तयोः) उन दोनों को (शतं-शतं दण्डः) सौ सौ पण दण्ड करना चाहिए ॥ ३८८ ॥

माता-पिता-स्त्री-पुत्र को छोड़ने पर दण्ड—

न माता न पिता न स्त्री न पुत्रस्त्यागमर्हति ।
त्यजन्नपतितानेतान्राज्ञा दण्ड्यः शतानि षट् ॥३८९॥ (२२२)

(न माता न पिता न स्त्री न पुत्रः त्यागम्+अर्हति) न माता, न पिता, न स्त्री और न पुत्र त्यागने योग्य होते हैं (अपतितान् एतान् त्यजन्) अपतित अर्थात् निर्दोष होते हुए जो इनको छोड़े तो (राज्ञा षट् शतानि दण्ड्यः) राजा के द्वारा उस पर छः सौ पण दंड किया जाना चाहिए ॥३८९॥

अनुशीलन : ३८८ और ३८९ श्लोक विषयविरोध के अन्तर्गत आते हुए भी प्रक्षिप्त प्रतीत नहीं होते। इन्हें स्थानभ्रष्ट समझना चाहिए, क्योंकि (१) इनका मनु की किसी मान्यता से विरोध नहीं है और न ये किसी अन्य आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं, (२) इस अध्याय में इनसे सम्बन्धित प्रसंग भी है। प्रतीत होता है कि ये श्लोक चौथे विवाद 'मिलकर उन्नति या व्यापार करना' (८। २०६–२११) विषय से खण्डित होकर स्थानभ्रष्ट हुए हैं।

आश्रमेषु द्विजातीनां कार्ये विवदतां मिथः ।
न विब्रूयान्नृपो धर्मं चिकीर्षन् हितमात्मनः ॥ ३९० ॥

(आश्रमेषु मिथः विवदताम्) ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आदि आश्रमों के विषय में परस्पर विवाद करने वाले (द्विजातीनां कार्ये) द्विजातियों के कार्यों में (आत्मनः हितं चिकीर्षन्) अपना हित चाहने वाला (नृपः) राजा (धर्मं न विब्रूयात्) धर्म का निर्णय न दे ॥ ३९० ॥

यथार्हमेतानभ्यर्च्य ब्राह्मणैः सह पार्थिवः ।
सान्त्वेन प्रशमय्यादौ स्वधर्मं प्रतिपादयेत् ॥ ३९१ ॥

(पार्थिवः) राजा (आदौ) पहले (एतान्) इन लोगों का (यथार्हम्+अभ्यर्च्य) यथायोग्य सत्कार करके (ब्राह्मणैः सह) ब्राह्मणों के साथ (सान्त्वेन प्रशमय्य) सान्त्वना-

युक्त बातों से इन्हें शान्त करके (स्वधर्मं प्रतिपादयेत्) अपने धर्म सम्बन्धी निर्णय का प्रतिपादन करे ॥ ३९१ ॥

प्रातिवेश्यानुवेश्यौ च कल्याणे विंशतिद्विजे ।
अहाँवभोजयन्विप्रो दण्डमर्हति माषकम् ॥ ३९२ ॥

(विंशतिद्विजे कल्याणे) जहां बीस ब्राह्मणों को भोजन कराना हो ऐसे किसी शुभ अवसर पर (अर्हो) योग्य (प्रतिवेश्य+अनुवेश्यौ अभोजयन् विप्रः) प्रतिवेशी= पड़ौसी और अनुवेशी=निकटवर्ती स्थान में रहने वाले ब्राह्मण को भोजन न कराने वाले द्विज को (माषकं दण्डम्+अर्हति) एक माषा दण्ड करना चाहिए ॥ ३९२ ॥

श्रोत्रियः श्रोत्रियं साधुं भूतिकृत्येष्वभोजयन् ।
तदन्नं द्विगुणं दाप्यो हिरण्यं चैव माषकम् ॥ ३९३ ॥

(श्रोत्रियः) यदि कोई श्रोत्रिय (साधुम् श्रोत्रियम्) किसी प्रतिवेशी या अनुवेशी सज्जन श्रोत्रिय को (भूतिकृत्येषु) मंगलकार्यों में (अभोजयन्) भोजन न कराये तो (तत् द्विगुणं अन्नं दाप्यः) उसको भोजन के दुगुणे अन्न का दण्ड दे (च) और (हिरण्यं माषकम्) एक माषा सोना दण्ड के रूप में ले ॥ ३९३ ॥

अन्धो जडः पीठसर्पी सप्तत्या स्थविरश्च यः ।
श्रोत्रियेषूपकुर्वंश्च न दाप्यः केनचित्करम् ॥ ३९४ ॥

(अन्धः) अंधा (जडः) जड़ (पीठसर्पी) पीठ पर लादकर ले जाये जाने योग्य अर्थात् पंगु (च) और (यः सप्तत्या स्थविरः) जो सत्तर वर्ष का बूढ़ा हो (च) तथा (श्रोत्रियेषु+उपकुर्वन्) श्रोत्रियों का उपकार करने वाले, इनसे (केनचित् करं न दाप्यः) किसी भी प्रकार का कर न लेवे ॥ ३९४ ॥

श्रोत्रियं व्याधितार्तौ च बालवृद्धावकिञ्चनम् ।
महाकुलीनमार्यं च राजा संपूजयेत्सदा ॥ ३९५ ॥

(श्रोत्रियं व्याधित+आर्तौ च) वेदपाठी, रोगी और दुःखी व्यक्ति (बाल-वृद्धौ+अकिञ्चनम्) बालक, वृद्ध, दरिद्र (महाकुलीनम्) उच्चकुल में उत्पन्न (च) और (आर्यम्) श्रेष्ठ आचरण वाला, इन सबका (राजा सदा सम्पूजयेत्) राजा सदैव आदर करे ॥ ३९५ ॥

धोबी और जुलाहे की व्यवस्था—

शाल्मलीफलके श्लक्ष्णे नेनिज्यान्नेजकः शनैः ।
न च वासांसि वासोभिर्निर्हरेन्न च वासयेत् ॥ ३९६ ॥

(नेजकः) धोबी (श्लक्ष्णे शाल्मलीफलके) चिकने सेमल के पटड़े पर (शनैः नेनिज्यात्) धीरे-धीरे कपड़े धोये (च) और (वासोभिः वासांसि न निर्हरेत्) किसी के

कपड़ों में दूसरे के कपड़े न मिलाये (च) और (न वासयेत्) न दूसरे को किसी के कपड़े पहनने को दे ॥ ३९६ ॥

तन्तुवायो दशपलं दद्यादेकपलाधिकम् ।
अतोऽन्यथा वर्तमानो दाप्यो द्वादशकं दमम् ॥ ३९७ ॥

(तन्तुवायः) कपड़ा बुनने वाला जुलाहा (दशपलम्) दस पल सूत ले [और मांडी आदि लगने के कारण बुनकर देते समय] (एकपलाधिकं दद्यात्) एक पल अधिक अर्थात् ग्यारह पल सूत दे (अतः अन्यथा वर्तमानः) इससे विपरीत बर्ताव करने पर राजा (द्वादशकं दमं दाप्यः) बारह पण दण्ड दे ॥ ३९७ ॥

अनुशीलन : ३९० से ३९७ श्लोक निम्न 'आधार' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. **विषयविरोध**—आठवें अध्याय के आरम्भ में अष्टम-नवम अध्यायों के १८ मुख्यविषयों का स्वयं मनु ने संकेत दिया है [८। ४–७]। उस निर्धारण के अनुसार आठवें अध्याय में पन्द्रहवें 'स्त्रीसंग्रहण' विषय तक वर्णन है, जो ३८७ श्लोक में समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात् सोलहवां 'स्त्री-पुरुष-धर्म' विषय है, जो नवम अध्याय के प्रथम श्लोक से प्रारम्भ होता है। इस बीच ये श्लोक बिना ही किसी विषय के हैं और संकेतित विषयक्रम के विरुद्ध हैं, अतः प्रक्षिप्त हैं।

२. **अन्तर्विरोध**—इन सभी श्लोकों का मनु की मान्यता से विरोध है, इसलिये भी ये प्रक्षिप्त हैं—(१) ३९०—३९१ श्लोक १२। १०८–११३ के विरुद्ध हैं। उनमें राजा द्वारा निर्धारित परिषद् द्वारा धर्मनिर्णय का आदेश है। (२) ३९२–३९३ की व्यवस्था मनु द्वारा कहीं भी स्वीकृत नहीं है। ब्राह्मणों को अपने कर्मों द्वारा उपार्जन करके जीवनयात्रा चलानी चाहिए, दूसरों के यहां भोजन करना निन्दनीय है, यही मनु का मत है [३। १०४; ४। ३; १०। ७५–७६]। (३) ३९४–३९५ के विधान की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि राजा को कमाने वालों से ही कर लेने का विधान है (८। ३०७]। (४) ३९५ में 'उत्तम कुल में जन्म' को आदर का स्थान माना है। मनु कुल के आधार पर नहीं अपितु गुणों के आधार पर आदर के योग्य मानते हैं [२। १३६–१३७, १५४]। (५) ३९६–३९७ में परवर्ती जातीय व्यवस्था है, जो मनुविरुद्ध है [१। ८७-९१ ॥ १। ११० की समीक्षा द्रष्टव्य]। इस आधार पर ये प्रक्षिप्त हैं।

विशेष—इन्हें स्थानभ्रष्ट इसलिए नहीं माना गया क्योंकि ये 'विषयविरोध' के साथ-साथ मनु की मान्यताओं के विरुद्ध भी हैं, और इस अध्याय में इनसे सम्बन्धित कोई प्रसंग भी नहीं है, जहां से ये स्थानभ्रष्ट हुए हों; अतः प्रक्षिप्त ही हैं।

व्यापार में शुल्क एवं वस्तुओं के भावों का निर्धारण—

शुल्कस्थानेषु कुशलाः सर्वपण्यविचक्षणाः ।
कुर्युर्घ यथापण्यं ततो विंशं नृपो हरेत् ॥ ३९८ ॥ (२२३)

(शुल्कस्थानेषु कुशलाः) शुल्क लेने के स्थानों के शुल्कव्यवहार में चतुर (सर्वपण्यविचक्षणाः) सब बेचने योग्य वस्तुओं के मूल्य-निर्धारित करने में चतुर व्यक्ति (यथापण्यं अर्घं कुर्युः) बाजार के अनुसार जो मूल्य निश्चित करें (ततः) उसके लाभ में से (नृपः विंशं हरेत्) राजा बीसवां भाग कर-रूप में प्राप्त करे ॥ ३९८ ॥

राज्ञः प्रख्यातभाण्डानि प्रतिषिद्धानि यानि च ।
तानि निर्हरतो लोभात्सर्वहारं हरेन्नृपः ॥ ३९९ ॥ (२२४)

(राज्ञः प्रख्यातभाण्डानि) राजा के प्रसिद्ध बरतन (च) और (यानि प्रतिषिद्धानि) जिन वस्तुओं का देशान्तर में ले जाना निषिद्ध घोषित कर दिया है (लोभात् तानि निर्हरतः) लोभवश उन्हें देशान्तर में ले जाने वाले का (नृपः) राजा (सर्वहारं हरेत्) सर्वस्व हरण करले ॥ ३९९ ॥

शुल्कस्थानं परिहरन्नकाले क्रयविक्रयी ।
मिथ्यावादी च संख्याने दाप्योऽष्टगुणमत्ययम् ॥ ४०० ॥ (२२५)

(शुल्कस्थानं परिहरन्) चुंगी के स्थान को छोड़कर दूसरे रास्ते से सामान ले जाने वाला (अकाले) असमय में अर्थात् रात आदि में गुप्तरूप से (क्रयविक्रयी) सामान खरीदने और बेचने वाला (च) और (संख्याने मिथ्यावादी) माप-तौल में झूठ बतलाने वाला, इनको (अष्टगुणम्+अत्ययं दाप्यः) मूल्य के आठ गुने दण्ड से दण्डित करे ॥ ४०० ॥

आगमं निर्गमं स्थानं तथा वृद्धिक्षयावुभौ ।
विचार्य सर्वपण्यानां कारयेत्क्रयविक्रयौ ॥ ४०१ ॥ (२२६)

(आगमं निर्गमं स्थानं तथा वृद्धिक्षयौ+उभौ) वस्तुओं के आयात निर्यात, रखने का स्थान, लाभवृद्धि तथा हानि (सर्वपण्यानां विचार्य) खरीद-बेचने की वस्तुओं से सम्बन्धित सभी बातों पर विचार करके (क्रय-विक्रयौ कारयेत्) राजा मूल्य निश्चित करके वस्तुओं का क्रयविक्रय कराये ॥ ४०१ ॥

पञ्चरात्रे पञ्चरात्रे पक्षे पक्षेऽथवा गते ।
कुर्वीत चैषां प्रत्यक्षमर्घसंस्थापनं नृपः ॥ ४०२ ॥ (२२७)

(पञ्चरात्रे-पञ्चरात्रे) पांच-पांच दिन (अथवा) या (पक्षे पक्षे गते) पन्द्रह-पन्द्रह दिन के पश्चात् (नृपः) राजा (एषां प्रत्यक्षम्) व्यापारियों के सामने (अर्घसंस्थापनं कुर्वीत) मूल्य का निर्धारण करे ॥ ४०२ ॥

तुला एवं मापकों की छह महीने में परीक्षा—

तुलामानं प्रतीमानं सर्वं च स्यात्सुलक्षितम् ।
षट्सु षट्सु च मासेषु पुनरेव परीक्षयेत् ॥ ४०३ ॥ (२२८)

(तुलामानम्) तराजू (च) और (प्रतीमानम्) प्रतिमान=बाट (सर्वं सुलक्षितं स्यात्) सब ठीक-ठीक रखने चाहिएँ और (षट्सु-षट्सु च मासेषु) छः-छः महीने में (पुनः+एव परीक्षयेत्) इनकी परीक्षा राजा करावे ॥ ४०३ ॥ (द० लॅ० सं० २०)

"मनुस्मृति में तो प्रतिमा शब्द करके रत्ती, छटांक, पाव, सेर और पंसेरी आदि तोल के साधनों का ग्रहण किया है, क्योंकि तुलामान अर्थात् तराजू और प्रतीमान वा प्रतिमा अर्थात् बाट इनकी परीक्षा राजा लोग छठे-छठे मास अर्थात् छः छः महीने में एक वार किया करें कि जिससे उनमें कोई व्यवहारी किसी प्रकार की छल से घट-बढ़ न कर सकें और कदाचित् कोई करे तो उसको दण्ड देवें।" (ऋ० भा० भू० ३०३–३०४)

"पक्ष-पक्ष में वा मास-मास में अथवा छटवें छटवें मास तुला की राजा परीक्षा करे.....तथा प्रतिमान अर्थात् प्रतिमा की परीक्षा अवश्य करे। राजा जिससे कि अधिक, न्यून प्रतिमा अर्थात् दुकान के बाट जितने हैं, उन्हीं का नाम प्रतिमा है।"

(द० शा० सं० ५० एवं ऋ० प० वि० ११)

नौका-व्यवहार में किराया आदि की व्यवस्थाएं—

पणं यानं तरे दाप्यं पौरुषोऽर्धपणं तरे ।
पादं पशुश्च योषिच्च पादार्धं रिक्तकः पुमान् ॥ ४०४ ॥(२२९)

(यानं तरे पणम्) नाव से पार उतारने में खाली गाड़ी का एक पण किराया ले (पौरुषः तरे) एक पुरुष द्वारा ढोये जाने वाले भार पर (अर्ध-पणं दाप्यः) आधा पण किराया ले (च) और (पशुः पादम्) पशु आदि को पार करने में चौथाई पण (च) तथा (योषित् रिक्तकः पुमान् पाद+अर्धम्) स्त्री और खाली मनुष्य से एक पण का आठवाँ भाग किराया लेवे ॥ ४०४ ॥

भाण्डपूर्णानि यानानि तार्यं दाप्यानि सारतः ।
रिक्तभाण्डानि यत्किञ्चित्पुमांसश्चापरिच्छदाः ॥४०५॥ (२३०)

(भाण्डपूर्णानि यानानि तार्यं सारतः दाप्यानि) वस्तुओं से भरी हुई

गाड़ियों को पार उतारने का किराया उनके भारी और हल्केपन के अनुसार देवे (रिक्तभाण्डानि) खाली बर्तन (च अपरिच्छदाः पुमाँसः) और निर्धन व्यक्ति (यत् किंचित्) इनका थोड़ा सा किराया ले लेवे ॥ ४०५ ॥

दीर्घाध्वनि यथादेशं यथाकालं तरो भवेत् ।
नदीतीरेषु तद्विद्यात्समुद्रे नास्ति लक्षणम् ॥ ४०६ ॥ (२३१)

(दीर्घ+अध्वनि) नदी का लम्बा रास्ता पार करने के लिए (यथा देशम्) स्थान के अनुसार [तेज बहाव, मन्द प्रवाह, दुर्गम स्थल आदि] (यथाकालम्) समय के अनुसार [सर्दी, गर्मी, रात्रि आदि] (तरः भवेत्) किराया निश्चित होना चाहिए (तत् नदीतीरेषु विद्यात्) यह नियम नदी-तट के लिए समझना चाहिए (समुद्रे नास्ति लक्षणम्) समुद्र में यह नियम नहीं है अर्थात् समुद्र में वहाँ की स्थिति के अनुसार किराया निश्चित करना चाहिए ॥ ४०६ ॥

"जो लम्बे मार्ग में समुद्र की खाड़ियां वा नदी तथा बड़े नदों में जितना लम्बा देश हो उतना कर स्थापन करे और महासमुद्र में निश्चित कर स्थापन नहीं हो सकता किन्तु जैसा अनुकूल देखे कि जिससे राजा और बड़े-बड़े नौकाओं के समुद्र में चलाने वाले दोनों लाभयुक्त हों वैसी व्यवस्था करे।" (स० प्र० १७५)

गर्भिणी तु द्विमासादिस्तथा प्रव्रजितो मुनिः ।
ब्राह्मणा लिङ्गिनश्चैव न दाप्यास्तारिकं तरे ॥ ४०७ ॥

(द्विमासादिः गर्भिणी) दो मास से अधिक गर्भ वाली स्त्री (तथा प्रव्रजितः मुनिः) तथा संन्यासी, वानप्रस्थ (लिङ्गिनः च ब्राह्मणाः) ब्रह्मचर्य में दीक्षित ब्रह्मचारी से (तरे तारिकं न दाप्याः) पार उतारने में किराया नहीं लेना चाहिये ॥ ४०७ ॥

अनुशीलन : ४०७ वां श्लोक निम्नप्रकार प्रक्षिप्त है—

१. **प्रसंगविरोध**—(१) यह श्लोक पूर्वापर श्लोकों के प्रसंग के विरुद्ध है। पूर्वापर श्लोकों में नाविकों और यात्रियों के मध्य सामान्य व्यापार-नियमों का उल्लेख है, किराये का नहीं। (२) किराये के विधान ४०५ तक वर्णित हो चुके हैं, पुनः उनका वर्णन प्रसंगविरुद्ध है। (३) ये विकल्प हैं। विकल्पों का कथन अन्त में ही प्रासंगिक होता है, मध्य में नहीं। मध्य में इनका वर्णन भी इन्हें प्रसंगविरोधी सिद्ध करता है।

यन्नावि किंचिद्दाशानां विशीर्येतापराधतः ।
तद्दाशैरेव दातव्यं समागम्य स्वतोंऽशतः ॥ ४०८ ॥ (२३२)

(दाशानाम् अपराधतः) मल्लाहों की गलती से (नावि यत् किञ्चित् विशीर्येत) नाव में जो कुछ यात्रियों को हानि हो जाये (तत् + दाशैः + एव) उसे मल्लाहों ने (समागम्य स्वतोंशतः दातव्यम्) मिलकर अपने-अपने हिस्से में से पूरा करना चाहिए ॥ ४०८ ॥

एष नौयायिनामुक्तो व्यवहारस्य निर्णयः ।
दाशापराधतस्तोये दैविके नास्ति निग्रहः ॥४०९॥(२३३)

(एषः) यह [८।४०४–४०८] (नौयायिनां व्यवहारस्य निर्णयः उक्तः) नाविकों के व्यवहार का निर्णय कहा है (दाशापराधतः तोये) मल्लाहों के अपराध से जल में नष्ट हुए सामान के मल्लाह देनदार हैं (दैविके निग्रहः नास्ति) दैवी विपत्ति के कारण [आंधी, तूफान आदि से] हुई हानि के मल्लाह देनदार नहीं हैं ॥ ४०९ ॥

अनुशीलन : श्लोक ३८८ से ४०९ श्लोकों में से ३९०–३९५ विभिन्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं। शेष श्लोकों ३८८, ३८९, ३९६, ३९८, ४०६, ४०८, ४०९ में कोई प्रक्षेप की प्रवृत्ति नहीं है और ये सर्वसामान्य विधान हैं। इनका मनु की किसी मान्यता से विरोध नहीं है, शैली भी मनुसम्मत है। अतः प्रसंगानुकूल न होने पर भी हमने इन्हें प्रक्षिप्त घोषित नहीं किया। प्रतीत होता है कि ये स्थानभ्रष्ट हो गये हैं। इन सभी श्लोकों में जो विषय है वह 'मिलकर उन्नति या व्यापार करना' [८। २०६–२११] विषय से सम्बन्धित है, अतः ये उसी प्रसंग से खण्डित हुए ज्ञात होते हैं।

वैश्य और शूद्र से उनके कर्म कराये—

वाणिज्यं कारयेद्वैश्यं कुसीदं कृषिमेव च ।
पशूनां रक्षणं चैव दास्यं शूद्रं द्विजन्मनाम् ॥ ४१० ॥

राजा (वैश्यम्) वैश्य से (वाणिज्यं कुसीदं कृषिं च पशूनां रक्षणम्) व्यापार, ब्याज की जीविका, कृषि, पशुपालन (च) और (शूद्रं द्विजन्मनां दास्यं कारयेत्) शूद्र से द्विजातियों की सेवा करवाये ॥ ४१० ॥

[illegible] ॥ ४११ ॥

(क्षत्रियं वैश्यं च वृत्तिकर्शितौ) क्षत्रिय और वैश्य यदि अपनी वृत्ति से अपना पोषण न कर सकें तो (ब्राह्मणः) ब्राह्मण (आनृशंस्येन) कृपापूर्वक (स्वानि कर्माणि कारयन्) उनके अपने काम करवाकर (बिभृयात्) उनका भरण-पोषण करे ॥ ४११ ॥

दास्यं तु कारयन् लोभाद् ब्राह्मणः संस्कृतान्द्विजान् ।
अनिच्छतः प्राभवत्वाद्राज्ञा दण्ड्यः शतानि षट् ॥ ४१२ ॥

(ब्राह्मणः) ब्राह्मण (प्राभवत्वात् लोभात्) यदि अपनी प्रभुता के कारण या लालच के कारण (संस्कृतान् द्विजान्) यज्ञोपवीत संस्कार में दीक्षित द्विजों से (अनिच्छतः दास्यं कारयेत्) उनकी इच्छा के बिना सेवा करवाये तो (राजा षट् शतानि) राजा को छह सौ पण दण्ड से उसको (दण्डयः) दण्डित करना चाहिए ॥ ४१२ ॥

शूद्र से दासता कराये—

शूद्रं तु कारयेद्दास्यं क्रीतमक्रीतमेव वा ।
दास्यायैव हि सृष्टोऽसौ ब्राह्मणस्य स्वयंभुवा ॥ ४१३ ॥

(क्रीतं वा अक्रीतम् + एव) खरीदकर लाया हुआ हो अथवा वेतन देकर रखा हो (शूद्रं तु दास्यं कारयेत्) शूद्र से तो सेवाकार्य ही कराये (हि) क्योंकि (स्वयंभुवा) ब्रह्मा ने (ब्राह्मणस्य दास्याय + एव हि असौ सृष्टः) ब्राह्मण की सेवा के लिए ही शूद्र को रचा है ॥ ४१३ ॥

न स्वामिना निसृष्टोऽपि शूद्रो दास्याद्विमुच्यते ।
निसर्गजं हि तस्यैतत् कस्तस्मात्तदपोहति ॥ ४१४ ॥

(शूद्रः) शूद्र (स्वामिना निसृष्टः + अपि) स्वामी के द्वारा छोड़ दिये जाने पर भी (दास्यात् न विमुच्यते) दासत्व से मुक्त नहीं होता (तत् तस्य निसर्गजं हि) दासपन का कार्य करना तो उसका स्वाभाविक कर्म है (तस्मात् तत् कः अपोहति) दासत्व से उसको कौन छुड़ा सकता है ? अर्थात् कोई नहीं ॥ ४१४ ॥

सात प्रकार के शूद्र दास—

ध्वजाहृतो भक्तदासो गृहजः क्रीतदत्रिमौ ।
पैत्रिको दण्डदासश्च सप्तैते दासयोनयः ॥ ४१५ ॥

१—(ध्वजाहृतः) युद्ध में जीतने से प्राप्त हुआ, २—(भक्तदासः) भोजन पाने आदि के लोभ से आया हुआ, ३—(गृहजः) दासी से उत्पन्न, ४,५—(क्रीतदत्रिमौ) मूल्य देकर खरीदा हुआ, किसी का दिया हुआ, ६—(पैत्रिकः) पिता-परम्परा से चला [illegible] इदानीं [illegible] = ऋण आदि चुकाने के लिए स्वीकार किया हुआ (एते सप्त दास-योनयः) ये सात प्रकार के दास होते हैं ॥ ४१५ ॥

भार्या पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः ।
यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम् ॥ ४१६ ॥

(भार्या पुत्रः च दासः) पत्नी, पुत्र और दास (त्रयः अधनाः स्मृताः) ये तीन धनरहित कहे गये हैं (ते यत् समधिगच्छन्ति) ये जो भी कुछ कमाते या इकट्ठा करते हैं (तत् धनं तस्य) वह धन उसका ही होता है (यस्य ते) जिस के ये होते हैं ॥ ४१६ ॥

विस्रब्धं ब्राह्मणः शूद्राद् द्रव्योपादानमाचरेत् ।
न हि तस्यास्ति किञ्चित्स्वं भर्तृहार्यधनो हि सः ॥ ४१७ ॥

(ब्राह्मणः) ब्राह्मण (विस्रब्धम्) निस्सन्देह (शूद्रात् द्रव्य+उपादानम्+आचरेत्) शूद्र से उसके धन को ले लेवे (हि) क्योंकि (तस्य स्वं किञ्चित् न अस्ति) उसका अपना धन कुछ भी नहीं है (सः हि भर्तृहार्यधनः) जो भी कुछ उसके पास है वह सब धन उसके स्वामी का है ॥ ४१७ ॥

वैश्यशूद्रौ प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत् ।
तौ हि च्युतौ स्वकर्मभ्यः क्षोभयेतामिदं जगत् ॥ ४१८ ॥

राजा (वैश्यशूद्रौ) वैश्य और शूद्र से (प्रयत्नेन) प्रयत्नपूर्वक (स्वानि कर्माणि कारयेत्) उनके अपने कर्त्तव्यों को करवाता रहे (हि) क्योंकि (तौ स्वकर्मभ्यः च्युतौ) इन दोनों के अपने कर्त्तव्यों को न करने से (इदं जगत् क्षोभयेताम्) ये इस सम्पूर्ण जगत् को विक्षुब्ध कर देंगे ॥ ४१८ ॥

अहन्यहन्यवेक्षेत कर्मान्तान्वाहनानि च ।
आयव्ययौ च नियतावाकरान्कोशमेव च ॥ ४१९ ॥

राजा (अहनि+अहनि) प्रतिदिन (कर्मान्तान्) कर्मों की समाप्तियों को (वाहनानि) हाथी, घोड़े आदि वाहनों को (नियतौ आयव्ययौ) नियत आय और व्यय (आकरान्) 'आकर' रत्नादिकों की खानें (च) और (कोशम्+एव) कोष=खजाने को (अवेक्षेत) देखा करे ॥ ४१९ ॥ (स० प्र० १७५)

एवं सर्वानिमान्राजा व्यवहारान्समापयन् ।
व्यपोह्य किल्बिषं सर्वं प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ ४२० ॥

(राजा) राजा (एवं सर्वान्+इमान् व्यवहारान्) इस प्रकार सब व्यवहारों को यथावत् (समापयन्) समाप्त करता-कराता हुआ (सर्वं किल्बिषं व्यपोह्य) सब पापों को छुड़ाके (परमां गतिं प्राप्नोति) परमगति=मोक्षसुख को प्राप्त होता है ॥ ४२० ॥ (स० प्र० १७५)

अनुशीलन : ४१० से ४२० तक श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षित हैं—

१. **विषयविरोध**—मनु द्वारा निर्धारित विषयों से बाह्य होने के कारण ये श्लोक विषयविरुद्ध हैं, अतः प्रक्षिप्त हैं, विस्तृत जानकारी के लिए देखिए ३९०-३९५ पर 'विषयविरोध' आधार पर समीक्षा ।

२. **प्रसंगविरोध**—मनु के स्वयंलिखित विषयसंकेतक श्लोकों [८।४-८] के अनुसार १८ व्यवहारों के निर्णय की समाप्ति ९।२५० वें श्लोक में होती है । व्यवहारों की समाप्ति से पूर्व ही ४१९-४२० श्लोकों से व्यवहार निर्णय की समाप्ति का और

उनके फल का कथन करना असंगत है। (२) वैश्य-शूद्रों के कर्मों का प्रसंग [९।३२६–३३५ (१०।१–१०)] में है, यहां ये प्रसंगविरुद्ध हैं।

३. **अन्तर्विरोध**—(२) ४१२-४१८ श्लोकों में दासप्रथा का उल्लेख है और उनसे बलात् काम कराने का विधान है। यह प्रथा मनु के विरुद्ध है। काम कराने के बदले मनु ने वेतन देने का विधान किया है [८।२१४-२१६]। मनु की व्यवस्था में दास का 'अस्तित्व' ही नहीं, जहां कहीं दास शब्द है भी तो उसका अर्थ सेवक है [४।१८०]। उन्होंने तो शूद्र वर्ण माना है और उसका सेवाकार्य निर्धारित किया है और वह भी बलात् नहीं अपितु शूद्र को किसी द्विजाति की स्वेच्छया सेवा करने का अधिकार दिया है [१।९१; ९। ३३४-३३५; १०।९९]। (२) ४१६ वां ५। १५० और ९। १०४ के विरुद्ध है। इन अन्तर्विरोधों के आधार पर भी ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

४. **शैलीगत आधार**—इन श्लोकों की शैली मनु की शैली की तरह निर्लिप्त एवं समभावयुक्त न होकर पक्षपात, दुराग्रह एवं घृणायुक्त है। इस आधार पर भी ये मनुप्रणीत सिद्ध नहीं होते। इन प्रक्षिप्त श्लोकों में ब्राह्मण को पथभ्रष्ट होने पर भी कोई दण्ड नहीं लिखा, अतः इन विसंगतियों के कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

विशेष—इन श्लोकों को स्थानभ्रष्ट न मानकर प्रक्षिप्त इसलिए माना है क्योंकि ये (१) 'विषयविरोध के साथ-साथ अन्य 'आधारों' पर भी प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं, (२) इस अध्याय में इन श्लोकों से सम्बद्ध कोई प्रसंग भी नहीं है, जहां से खण्डित मानकर इन्हें स्थानभ्रष्ट कहा जा सके।

इति महर्षि-मनुप्रोक्तायां सुरेन्द्रकुमारकृत हिन्दीभाषा-भाष्यसमन्वितायाम्
'अनुशीलन' समीक्षाविभूषितायाञ्च मनुस्मृतौ
राजधर्मात्मकोऽष्टमोऽध्यायः॥

अथ नवमोऽध्यायः

(हिन्दीभाष्य-'अनुशीलन'समीक्षाभ्यां सहितः)

(राजधर्मान्तर्गत व्यवहारनिर्णय)

[९।१ से ९।२५० तक]

(१६) स्त्री-पुरुष-धर्मसम्बन्धी विवाद और उसका निर्णय

(९।१ से १०२ तक)

पुरुषस्य स्त्रियाश्चैव धर्मे वर्त्मनि तिष्ठतोः।
संयोगे विप्रयोगे च धर्मान्वक्ष्यामि शाश्वतान् ॥ १ ॥ (१)

[अब मैं] (धर्मे वर्त्मनि तिष्ठतोः) धर्ममार्ग पर चलने वाले (स्त्रियाः च पुरुषस्य एव) स्त्री-पुरुष के (संयोगे च विप्रयोगे) संयोगकालीन=साथ रहने तथा वियोगकालीन=अलग रहने के (शाश्वतान् धर्मान् वक्ष्यामि) सदैव पालन करने योग्य धर्मों=कर्त्तव्यों को कहूंगा—॥ १ ॥

अस्वतन्त्राः स्त्रियः कार्याः पुरुषैः स्वैर्दिवानिशम्।
विषयेषु च सज्जन्त्यः संस्थाप्या आत्मनो वशे ॥ २ ॥

(स्वैः पुरुषैः) पति आदि आत्मीय जनों को चाहिए कि वे (दिवानिशम्) रात-दिन (स्त्रियः अस्वतन्त्राः कार्याः) स्त्रियों को स्वाधीन न रखें (विषयेषु सज्जन्त्यः अपि) आनन्दप्रद विषयों में लगी हों तब भी (आत्मनः वशे संस्थाप्याः) अपने वश में रखें ॥२॥

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने।
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति ॥ ३ ॥

(कौमारे पिता रक्षति) बचपन में स्त्री की रक्षा पिता करता है, (यौवने भर्त्ता रक्षति) युवावस्था में पति रक्षा करता है, (स्थविरे पुत्राः रक्षन्ति) बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करते हैं, (स्त्री स्वातन्त्र्यं न अर्हति) स्त्री स्वतन्त्र रहने योग्य नहीं है ॥ ३ ॥

अनुशीलन : २–३ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—ये स्त्रियों की स्वतन्त्रता के विरोधी व्यक्ति द्वारा प्रक्षेप

किये गये श्लोक हैं। मनु स्त्री की स्वतन्त्रता को बलपूर्वक समाप्त करने के पक्षधर नहीं हैं, निजी प्रसंगों में वे उन्हें उनके हित को दृष्टि में रखकर सुझाव-मात्र देते हैं। पति-पत्नी को समानस्तरीय मानकर मनु ने अनेक विधान किये हैं। उन श्लोकों की शैली भी ऐसी है जिसमें पति के साथ रहना न रहना पत्नी की इच्छा पर निर्भर माना गया है, यथा ९।१०१–१०२,९।९६, ९।१०,८।२८ मनु की भावनाओं के उदाहरण हैं। ये दोनों श्लोक मनु की अन्य मान्यताओं के विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं। [इस विषय पर विस्तृत अनुशीलन ५। १४७–१४८ पर द्रष्टव्य है।]

(स्त्री-पुरुष के संयोगकालीन दैनिक कर्त्तव्य)

स्त्री के प्रति कर्त्तव्यपालन न करने वाले पिता, पति, पुत्र निन्दा के पात्र—

कालेऽदाता पिता वाच्यो वाच्यश्चानुपयन्पतिः।
मृते भर्तरि पुत्रस्तु वाच्यो मातुररक्षिता॥ ४॥ (२)

(काले) विवाह की अवस्था में (अदाता) कन्या को न देने वाला अर्थात् विवाह न करने वाला (पिता वाच्यः) पिता निन्दनीय होता है (च) और (अनुपयन् पतिः) [विवाह-पश्चात् ऋतुदिनों के अनन्तर] संगम न करने वाला पति निन्दनीय होता है (भर्तरि मृते) पति की मृत्यु होने के बाद (मातुः+अरक्षिता पुत्रः वाच्यः) माता की [भरण-पोषण आदि से] रक्षा न करने वाला पुत्र निन्दनीय होता है॥ ४॥

थोड़े से कुसंग से भी स्त्रियों की रक्षा अवश्य करें—

सूक्ष्मेभ्योऽपि प्रसङ्गेभ्यः स्त्रियो रक्ष्या विशेषतः।
द्वयोर्हि कुलयोः शोकमावहेयुररक्षिताः॥ ५॥ (३)

(सूक्ष्मेभ्यः प्रसंगेभ्यः अपि) थोड़े कुसंग के अवसरों से भी (स्त्रियः विशेषतः रक्ष्याः) स्त्रियों की विशेषरूप से रक्षा करनी चाहिए (हि) क्योंकि (अरक्षिताः) अरक्षित स्त्रियां (द्वयोः कुलयोः शोकम्+आवहेयुः) दोनों कुलों=पति तथा पिता के कुलों को शोकसंतप्त कर देती हैं॥ ५॥

इमं हि सर्ववर्णानां पश्यन्तो धर्ममुत्तमम्।
यतन्ते रक्षितुं भार्यां भर्तारो दुर्बला अपि॥ ६॥ (४)

(सर्ववर्णानाम् इमम् उत्तमं धर्मं पश्यन्तः) सब वर्णों के इस पूर्वोक्त श्रेष्ठ धर्म को देखते हुए (दुर्बलाः भर्तारः अपि) दुर्बल पति भी (भार्यां रक्षितुं यतन्ते) कुसंगों से अपनी स्त्री की रक्षा करने के लिए यत्न करते हैं॥ ६॥

स्त्री पर ही परिवार की प्रतिष्ठा निर्भर—

स्वां प्रसूतिं चरित्रं च कुलमात्मानमेव च।
स्वं च धर्मं प्रयत्नेन जायां रक्षन्हि रक्षति ॥ ७ ॥ (५)

(प्रयत्नेन जायां रक्षन् हि) प्रयत्नपूर्वक अपनी स्त्री की कुसंगतिसे रक्षा करता हुआ अर्थात् संरक्षण में रखता हुआ व्यक्ति ही (स्वां प्रसूतिम्) अपनी सन्तान (चरित्रम्) आचरण (कुलं च आत्मानम्+एव) कुल और अपनी (च) तथा (स्वं धर्मम्) अपने धर्म की (रक्षति) रक्षा करता है अर्थात् स्त्री के कुसंग में पड़ जाने से सब ही कुछ बिगड़ जाता है, क्योंकि स्त्री ही सुख और धर्म का आधार है [९।२८] ॥ ७ ॥

जाया का लक्षण—

पतिर्भार्यां संप्रविश्य गर्भो भूत्वेह जायते।
जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ॥ ८ ॥ (६)

(पतिः भार्यां संप्रविश्य) पति वीर्यरूप में स्त्री में प्रवेश करके (गर्भः भूत्वा+इह जायते) गर्भ बनकर सन्तानरूप से संसार में उत्पन्न होता है (जायायाः तत्+हि जायात्वम) स्त्री का यही जायापन=स्त्रीपन है (यत्) जो (अस्यां पुनः जायते) इस स्त्री में सन्तानरूप से पति पुनः उत्पन्न होता है ॥ ८ ॥

अनुशीलन : जाया शब्द की सिद्धि और इसमें ब्राह्मण आदि के प्रमाण—'जाया' शब्द **जनी प्रादुर्भावे** (दिवा०) धातु से **'जनेर्यक्'** (उणादि ४।१११) सूत्र से 'यक्' प्रत्यय, स्त्रीलिङ्ग में टाप् प्रत्यय होने से सिद्ध होता है। **'जायते यस्यां सा जाया'** अथवा **'जायन्ते यस्याम् अपत्यानि सा जाया=पत्नी'**—जिसमें सन्तान उत्पन्न होती हैं वह 'जाया' कहलाती है। इस श्लोक में जाया की परिभाषा दी हुई है। यह परिभाषा पर्याप्त प्रचलित रही है। यथावत् भाव ऐतरेय ब्राह्मण ७।१३ की परिभाषा में द्रष्टव्य है—

(क) **"पतिर्जायां प्रविशति, गर्भो भूत्वा स मातरं तस्यां पुनर्नवो भूत्वा दशमे मासि जायते, तज्जाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः।"**

(ख) **"आभिर्वा अहमिदं सर्वं जनयिष्यामि यदिदं किञ्चेति तस्माज्जाया अभवंस्तज्जायानां जायात्वं यच्चासु पुरुषो जायते।"** (गो० ब्रा० पू० १।२)

(ग) निरुक्त में भी पुत्र को पति का आत्मारूप बताया है—

अङ्गादङ्गात् सम्भवसि हृदयादधिजायसे।
आत्मा वै पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम् ॥ [निरु० ३।१।४]

जैसा पति वैसी सन्तान—

यादृशं भजते हि स्त्री सुतं सूते तथाविधम् ।
तस्मात्प्रजाविशुद्धयर्थं स्त्रियं रक्षेत्प्रयत्नतः ॥ ९ ॥ (७)

(स्त्री यादृशं हि भजते) स्त्री जैसे पति का सेवन करती है (तथाविधं सुतं सूते) उसी प्रकार की सन्तान को उत्पन्न करती है (तस्मात्) इसलिए (प्रजाविशुद्धयर्थम्) सन्तान की शुद्धि के लिए (प्रयत्नतः स्त्रियं रक्षेत्) प्रयत्नपूर्वक स्त्री की कुसंग से रक्षा करे ॥ ९ ॥

स्त्रियों की रक्षा बलपूर्वक नहीं हो सकती—

न कश्चिद्योषितः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम् ।
एतैरुपाययोगैस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुम् ॥ १० ॥ (८)

(कश्चित्) कोई भी व्यक्ति (प्रसह्य) जबरदस्ती या दबाव के साथ (योषितः परिरक्षितुं न शक्तः) स्त्रियों की कुसंगों से रक्षा नहीं कर सकता (तु) किन्तु (एतैः+उपाययोगैः) इन आगे कहे उपायों में लगाने से (ताः परिरक्षितुं शक्याः) उनकी रक्षा की जा सकती है—॥ १० ॥

स्त्रियों को गृह एवं धर्मकार्यों में व्यस्त रखें—

अर्थस्य संग्रहे चैनां व्यये चैव नियोजयेत् ।
शौचे धर्मेऽन्नपक्त्यां च परिणाह्यस्य वेक्षणे ॥ ११ ॥(९)

(एनाम्) अपनी स्त्री को (अर्थस्य संग्रहे च व्यये) धन को संभाल और उसके व्यय की जिम्मेदारी में, (शौचे) घर एवं घर के पदार्थों की शुद्धि में, (धर्मे) धर्मसम्बन्धी [६ । ९३] अनुष्ठान=अग्निहोत्र, संध्या, स्वाध्याय आदि में, (अन्नपक्त्याम्) भोजन पकाने में, (च) और (परिणाह्यस्य वेक्षणे) घर की सभी वस्तुओं की देखभाल में (नियोजयेत्) लगायें ॥ ११ ॥

स्त्रियां आत्मनियन्त्रण से ही बुराइयों से बच सकती हैं—

अरक्षिता गृहे रुद्धाः पुरुषैराप्तकारिभिः ।
आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः ॥१२॥ (१०)

क्योंकि (आप्तकारिभिः पुरुषैः) विश्वसनीय पिता, माता, पति आदि पुरुषों द्वारा (गृहे रुद्धाः) घर में रोककर रखी हुई अर्थात् निगरानी में रखी जाती हुई स्त्रियां भी (असुरक्षिताः) असुरक्षित हैं=बुराइयों से बच नहीं पातीं (याः तु) जो तो (आत्मानम् आत्मना रक्षेयुः) अपनी रक्षा स्वयं करती हैं (ताः सुरक्षिताः) वस्तुतः वही [बुराई से] सुरक्षित रहती हैं ॥ १२ ॥

स्त्रियों के दूषण में छः कारण—

पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम् ।
स्वप्नोऽन्यगेहवासश्च नारीसंदूषणानि षट् ॥ १३ ॥ (११)

(पानम्) मद्य, भांग आदि मादक द्रव्यों का पीना, (दुर्जनसंसर्गः) दुष्टपुरुषों का संग, (पत्या च विरहः) पति-वियोग, (अटनम्) अकेली जहां-तहां व्यर्थ पाखंडी आदि के दर्शन-मिस से फिरती रहना, (च) और (स्वप्नः+अन्यगेहवासः) पराये घर में जाके शयन करना वा वास (षट् नारीसन्दूषणानि) ये छः स्त्री को दूषित करने वाले दुर्गुण हैं ॥ १३ ॥ (स० प्र० ११२)

स्त्रियों का स्वभाव-वर्णन—

नैता रूपं परीक्षन्ते नासां वयसि संस्थितिः ।
सुरूपं वा विरूपं वा पुमानित्येव भुञ्जते ॥ १४ ॥

(एताः न रूपं परीक्षन्ते) स्त्रियां न सुन्दर-असुन्दर रूप की परीक्षा करती हैं (आसां न वयसि संस्थितिः) ये न अवस्थाविशेष पर ध्यान रखती हैं (सुरूपं वा विरूपं वा) सुन्दर हो या असुन्दर हो ('पुमान्' इति+एव भुञ्जते) बस 'यह पुरुष है' इतना ही देखकर उसके साथ भोग कर लेती हैं ॥ १४ ॥

पौंश्चल्याच्चलचित्ताच्च नैस्नेह्याच्च स्वभावतः ।
रक्षिता यत्नतोऽपीह भर्तृष्वेता विकुर्वते ॥ १५ ॥

(पौंश्चल्यात्) पुरुष को देखते ही भोग की इच्छा होना, (चलचित्तात्) चंचल चित्तवाली होना, (नैस्नेह्यात्) स्थिर स्नेह का अभाव होना, (स्वभावतः) स्त्रियों की इन स्वाभाविक प्रवृत्तियों के कारण (यत्नतः रक्षिताः अपि) पतियों के द्वारा यत्नपूर्वक रक्षा की जाती हुई भी (एताः इह भर्तृषु विकुर्वते) ये स्त्रियां यहां जगत् में पतियों से विरुद्ध आचरण कर जाती हैं ॥ १५ ॥

एवं स्वभावं ज्ञात्वाऽऽसां प्रजापतिनिसर्गजम् ।
परमं यत्नमातिष्ठेत्पुरुषो रक्षणं प्रति ॥ १६ ॥

('प्रजापतिनिसर्गजम्' आसाम् एवं स्वभावं ज्ञात्वा) "परमात्मा ने स्त्रियों को स्वाभाविक रूप से ही ऐसा बनाया है" इनका ऐसा स्वभाव जानकर (पुरुषः रक्षणं प्रति) पुरुष इनकी रक्षा के लिए (परमं यत्नम्+आतिष्ठेत्) अधिक से अधिक यत्न करे ॥ १६ ॥

शय्याऽऽसनमलङ्कारं कामं क्रोधमनार्जवम् ।
द्रोहभावं कुचर्यां च स्त्रीभ्यो मनुरकल्पयत् ॥ १७ ॥

(शय्या+आसनम्+अलंकारम्) शय्या, आसन, आभूषण, (कामं क्रोधम्+

अनार्जवम्) काम, क्रोध, कुटिलता (द्रोहभावं च कुचर्याम्) द्रोह और निन्दित आचरण, ये (मनुः स्त्रीभ्यः+अकल्पयत्) मनु ने स्त्रियों के लिए ही बनाये हैं ॥ १७ ॥

नास्ति स्त्रीणां क्रिया मन्त्रैरिति धर्मे व्यवस्थितिः ।
निरिन्द्रिया ह्यमन्त्राश्च स्त्रीभ्योऽनृतमिति स्थितिः ॥ १८ ॥

('स्त्रीणां क्रिया मन्त्रैः न अस्ति') 'स्त्रियों की संस्कार आदि क्रियाएं मन्त्रपूर्वक नहीं होतीं, (इति धर्मे व्यवस्थितिः) यही धर्म में व्यवस्था है, (स्त्रियः) स्त्रियाँ (निरिन्द्रियाः) धर्मशास्त्र के ज्ञान से हीन (च) और (अमन्त्राः) वेदादि के मन्त्रों के अधिकार से हीन हैं, अतः वे (अनृतम्) झूठ का रूप हैं अर्थात् अपवित्र हैं, (इति स्थितिः) ऐसी मान्यता है ॥ १८ ॥

तथा च श्रुतयो बह्व्यो निगीता निगमेष्वपि ।
स्वालक्षण्यपरीक्षार्थं तासां शृणुत निष्कृतीः ॥ १९ ॥

(तथा च) स्त्रियों को व्यभिचारशील होने के कारण अपवित्र सिद्ध करने वाले (निगमेषु+अपि) वेदों में भी (स्वालक्षण्यपरीक्षार्थम् बह्व्यः श्रुतयः निगीताः) स्त्रियों के स्वभावानुरूप व्यभिचार की परीक्षा के लिए बहुत सी श्रुतियाँ कही हैं (तासां निष्कृतीः शृणुत) उनमें से एक प्रायश्चित्तरूप श्रुति सुनो—॥ १९ ॥

यन्मे माता प्रलुलुभे विचरन्त्यपतिव्रता ।
तन्मे रेतः पिता वृक्ताभित्यस्यैतन्निदर्शनम् ॥ २० ॥

[कोई पुत्र अपनी माता के व्यभिचार को जानकर कामना करता है—] ('यत् मे माता) जो मेरी माता (विचरन्ती+अपतिव्रता प्रलुलुभे) पराये घर में विचरण करती हुई पतिव्रत धर्म का त्याग कर परपुरुष की ओर आसक्त हुई है (तत् रेतः मे पिता वृक्ताम्') उस अशुद्ध रजोरूप वीर्य को मेरा पिता शुद्ध करे, (इति+एतत् निदर्शनम्) यह प्रायश्चित्त रूप श्रुति का एक उदाहरण है ॥ २० ॥

ध्यायत्यनिष्टं यत्किंचित्पाणिग्राहस्य चेतसा ।
तस्यैष व्यभिचारस्य निह्नवः सम्यगुच्यते ॥ २१ ॥

(चेतसा) मन से परपुरुषगमन की इच्छा करके स्त्री (पाणिग्राहस्य यत् किंचित् अनिष्टं ध्यायति) पति के लिए जो कुछ अहित सोचती है (तस्य व्यभिचारस्य एषः) उस व्यभिचार का यह (सम्यक् निह्नवः उच्यते) अच्छी प्रकार शुद्धि करने वाला मन्त्र कहा गया है ॥ २१ ॥

यादृग्गुणेन भर्त्रा स्त्री संयुज्येत यथाविधि ।
तादृग्गुणा सा भवति समुद्रेणेव निम्नगा ॥ २२ ॥

(स्त्री) स्त्री (यादृक् गुणेन भर्त्रा) जैसे अच्छे या बुरे गुणों वाले पति के साथ (यथाविधि संयुज्येत) विधिपूर्वक विवाहित होती है (सा तादृक् गुणा भवति) वह वैसे

ही गुणों वाली हो जाती है (समुद्रेण निम्नगा इव) जैसे समुद्र में मिलकर नदी उसी की तरह के जल के गुणों वाली हो जाती है ॥ २२ ॥

अक्षमाला वसिष्ठेन संयुताऽधमयोनिजा ।
शारङ्गी मन्दपालेन जगामाभ्यर्हणीयताम् ॥ २३ ॥

जैसी—(अधमयोनिजा अक्षमाला) नीच योनि से उत्पन्न हुई 'अक्षमाला' नामक स्त्री (वसिष्ठेन संयुता) 'वसिष्ठ' से विवाहित होने से तथा (शारङ्गी मन्दपालेन) 'शारङ्गी' नामक स्त्री 'मन्दपाल' ऋषि से विवाहित होकर (अर्हणीयतां जगाम) पूज्यता को प्राप्त हुई ॥ २३ ॥

एताश्चान्याश्च लोकेऽस्मिन्नपकृष्टप्रसूतयः ।
उत्कर्षं योषितः प्राप्ताः स्वैः स्वैर्भर्तृगुणैः शुभैः ॥ २४ ॥

(एताः) ये [९।२३में वर्णित] (च) तथा (अन्याः) इनसे भिन्न और भी (अपकृष्टप्रसूतयः योषितः) नीच योनि में उत्पन्न स्त्रियाँ (अस्मिन् लोके) इस संसार में (स्वैः स्वैः शुभैः भर्तृगुणैः) अपने-अपने पति के शुभ गुणों के कारण (उत्कर्षं प्राप्ताः) श्रेष्ठता को प्राप्त हुई हैं ॥ २४ ॥

अनुशीलन : १४–२४ श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्तहैं—

१. **विषयविरोध**—विषयसंकेतक ९।१ और ९।२५ श्लोकों से प्रस्तुत विषय स्त्रीपुरुष के दैनिक संयोगकालीन धर्मों के कथन का निश्चय होता है। ९। १४–२४ श्लोकों में स्त्रीपुरुष के संयोगकालीन कर्तव्यों का वर्णन न होकर केवल स्त्री-स्वभाव का निंदात्मक विश्लेषण है, जो विषयबाह्य है। इस प्रकार संकेतित विषय से भिन्न वर्णन होने से ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. **प्रसंगविरोध**—पुरुष द्वारा स्त्री की रक्षा करने का प्रसंग ९।११ तक पूर्ण हो चुका है और फिर १२–१३ में स्त्रियों के दूषण बतलाये हैं। १४–२४ श्लोकों में पुरुष को रक्षा के लिए कथन करने का यह नया प्रसंग पुनः प्रारम्भ कर दिया है। एक प्रसंग के समाप्त होने पर पुनः उस प्रसंग का प्रारम्भ करना प्रसंगविरुद्ध है, अतः ये सभी प्रक्षिप्त हैं।

३. **अन्तर्विरोध**—(१) इन श्लोकों में स्त्री को अनेक दुर्गुणों से युक्त दिखाकर उसे निन्द्य और अनृत का रूप सिद्ध किया है। यह स्त्रियों के प्रति मनु की मौलिक भावना के विरुद्ध है। मनु स्त्रियों को आदरयोग्य, समानस्तरीय, घर की शोभा एवं पवित्र मानते हैं [९।२६, २८, ९६, १०१, १०२, ३।५५–६३]। (२) १८ वें श्लोक में स्त्रियों को मन्त्रों का अधिकार न होने की मान्यता भी मनु-विरुद्ध है। मनु ने सभी धर्मकार्यों में स्त्री को आधार एवं पुरुष के समान अधिकारिणी कहा है [९।२८, ९६]। [विस्तृत विवेचन के लिए द्रष्टव्य २।६६ पर समीक्षा]। स्त्रियों के गर्भाधान से लेकर

सभी संस्कार यज्ञ और मन्त्रपूर्वक करने का विधान मनु ने किया है [२। १–८॥ ५। १६७॥]।

४. **शैलीगत आधार**—(१) १७ वें श्लोक में **'मनुः अकल्पयत्'** पदों से यह श्लोक तथा इससे सम्बद्ध १४–२४ श्लोकों को पूर्वापर प्रसंग मनु से भिन्न अन्य-रचित सिद्ध होता है। (२) २३–२४ श्लोकों में अक्षमाला-वसिष्ठ, शारङ्गी-मन्दपाल के विवाहों की चर्चा है। ये व्यक्ति मनु से परवर्ती हैं, अतः ये श्लोक भी परवर्ती हैं। (३) इन सभी श्लोकों में पूर्वाग्रहबद्धता पूर्वक निन्दात्मक वर्णन है। मनु की शैली इस प्रकार की नहीं है, वे गुण-दोष के अनुसार प्रशंसा-निन्दा दिखाते हैं। इस शैली के आधार पर भी ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

सन्तानोत्पत्ति-सबन्धी धर्म—

एषोदिता लोकयात्रा नित्यं स्त्रीपुंसयोः शुभा।
प्रेत्येह च सुखोदर्कान्प्रजाधर्मान्निबोधत ॥ २५ ॥ (१२)

(एषा) यह [९। १–२४] (स्त्रीपुसयोः नित्यं शुभा) स्त्री-पुरुषों के लिये सदा शुभ=कल्याणकारी (लोकयात्रा उदिता) लोकव्यवहार कहा, अब (प्रेत्य च इह सुखोदर्कान्) परजन्म और इस जन्म में परिणाम में सुखदायक (प्रजाधर्मान् निबोधत) सन्तानोत्पत्ति सम्बन्धी धर्मों को सुनो ॥ २५ ॥

स्त्रियाँ घर की लक्ष्मी हैं—

प्रजनार्थं महाभागाः पूजार्हा गृहदीप्तयः।
स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ २६ ॥ (१३)

हे पुरुषो! (प्रजनार्थं महाभागाः) सन्तानोत्पत्ति के लिए महा-भाग्योदय करने हारी (पूजार्हाः) पूजा के योग्य (गृहदीप्तयः) गृहाश्रम को प्रकाशित करती, सन्तानोत्पत्ति करने-कराने हारी (गेहेषु स्त्रियः) घरों में स्त्रियाँ हैं वे (श्रियः) श्री अर्थात् लक्ष्मीस्वरूप होती हैं (विशेषः कश्चन न अस्ति) क्योंकि लक्ष्मी, शोभा, धन और स्त्रियों में कुछ भेद नहीं है ॥ २६ ॥ (सं० वि० १४९)

अनुशीलन : **स्त्रियाँ लक्ष्मी रूप हैं**—मनु ने जो स्थान तथा महत्त्व स्त्रियों को दिया है, वही समस्त प्राचीन साहित्य में है। इन भावों की तुलना की दृष्टि से निम्न प्रमाण द्रष्टव्य हैं—

(क) **"श्रियं वा एतद्रूपं यत्पत्न्यः"** (शत० १३।२।६।७)

(ख) **"गृहा वै पत्न्यं प्रतिष्ठा"** (शत० ३।३।१।१०)

स्त्रियां लोकयात्रा का आधार हैं—

उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्।
प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्षं स्त्रीनिबन्धनम् ॥ २७ ॥ (१४)

हे पुरुषो ! (अपत्यस्य उत्पादनम्) अपत्यों की उत्पत्ति (जातस्य परिपालनम्) उत्पन्न का पालन करने आदि (लोकयात्रायाः प्रत्यहम्) लोक-व्यवहार को नित्यप्रति जो कि गृहाश्रम का कार्य होता है (स्त्री निबन्धनं प्रत्यक्षम्) उसका निबन्ध करने वाली प्रत्यक्ष स्त्री है ॥ २७ ॥ (सं वि० १४६)

घर का सुख स्त्री पर निर्भर है—

अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा।
दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ह ॥ २८ ॥ (१५)

(अपत्यम्) सन्तानोत्पत्ति (धर्मकार्याणि) धर्म-कार्य (उत्तमा शुश्रूषा रतिः) उत्तम सेवा और रति (तथा आत्मनः च पितृणां ह स्वर्गः) तथा अपना और पितरों का जितना सुख है वह सब (दाराधीनः) स्त्री ही के आधीन होता है ॥ २८ ॥ (सं० वि० १४६)

अनुशीलन : 'पितृणाम्' का यहां 'पिता–पितामह–प्रपितामह आदि वयोवृद्ध आदि व्यक्ति' यह अर्थ है। इस विषय पर विस्तृत समीक्षा २।१५१[२।१७६] और ३।८२ पर देखिए।

पतिं या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता।
सा भर्तृलोकमाप्नोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ॥ २९ ॥

(या) जो स्त्री (मनःवाक्देहसंयता पतिं न +अभिचरति) मन, वचन और शरीर को संयत रखती हुई पति का उल्लंघन नहीं करती (सा भर्तृलोकम् +आप्नोति) वह पतिलोकों=पति के सुखों को प्राप्त करती है (च) और (सद्भिः 'साध्वी' इति उच्यते) सज्जनों के द्वारा 'पतिव्रता' कही जाती है ॥ २९ ॥

[illegible]

प्राप्नोति) लोक में निन्दा को प्राप्त करती है (च) और (शृगालयोनिम् आप्नोति) गीदड़ की योनि को प्राप्त करती है (च) तथा (पापरोगैः पीड्यते) पापरोगों से पीड़ित होती है ॥ ३० ॥

अनुशीलन : २९–३० श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. **विषयविरोध**—९।२५ वें विषयसंकेतक श्लोक के अनुसार प्रस्तुत विषय सन्तानोत्पत्ति-सम्बन्धी धर्मों के कथन का है। इन श्लोकों में 'स्त्री के आचरण और

उसका फल' प्रदर्शित है, जो विषयबाह्य वर्णन है। इस विषयविरोध के आधार पर ये दोनों श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. **प्रसंगविरोध**—पूर्वापर[२८–३१] श्लोकों में पुत्र-सम्बन्धी प्रसंग है। बीच में 'स्त्री के आचरण और उसके फल' सम्बन्धी ये श्लोक प्रसंगभिन्न हैं तथा उसके भञ्जक हैं, अतः प्रक्षिप्त हैं।

३. **पुनरुक्ति**—ये दोनों ही श्लोक क्रमशः ५।१६५ और ५।१६४ की अक्षरशः पुनरुक्तियां हैं। इस आधार पर यहां ये प्रक्षिप्त हैं।

पुत्र पर अधिकार के सम्बन्ध में आख्यान—

पुत्रं प्रत्युदितं सद्भिः पूर्वजैश्च महर्षिभिः।
विश्वजन्यमिमं पुण्यमुपन्यासं निबोधत ॥ ३१ ॥ (१६)

(सद्भिः च पूर्वजैः महर्षिभिः) श्रेष्ठ व्यक्तियों तथा प्राचीन महर्षियों ने (पुत्रं प्रति) पुत्र के विषय में जो (विश्वजन्यं पुण्यम् उदितम्) सर्वजनहितकारी और पुण्यदायक विचार कहा (इमम् उपन्यासं निबोधत) इस 'शिक्षाप्रद विचार' को सुनो—॥ ३१ ॥

पुत्र पर अधिकार-सम्बन्धी मतान्तर—

भर्तुः पुत्रं विजानन्ति श्रुतिद्वैधं तु भर्तरि।
आहुरुत्पादकं केचिदपरे क्षेत्रिणं विदुः ॥ ३२ ॥ (१७)

('भर्तुः पुत्रम्' विजानन्ति) 'स्त्री के पति का ही पुत्र होता है' ऐसा माना जाता है (भर्तरि तु श्रुतिद्वैधम्) किन्तु पति के विषय में दो विचार हैं—(केचित् उत्पादकम् आहुः) कुछ लोग पुत्र उत्पन्न करने वाले को ही पुत्र [illegible] (अपरे क्षेत्रिणं विदुः) दूसरे कुछ लोग क्षेत्र अर्थात् [illegible]

स्त्री-पुरुष का क्षेत्र और बीज रूप में तुलना—

क्षेत्रभूता स्मृता नारी बीजभूतः स्मृतः पुमान्।
क्षेत्रबीजसमायोगात्सम्भवः सर्वदेहिनाम् ॥३३॥ (१८)

(नारी क्षेत्रभूता स्मृता) स्त्री को खेत के तुल्य माना है और (पुमान् बीजभूतः स्मृतः) पुरुष को बीज के तुल्य माना है (क्षेत्र-बीज-समायोगात्) खेत और बीज अर्थात् स्त्री और पुरुष के मिलने से (सर्वदेहिनां सम्भवः) सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है ॥ ३३ ॥

विशिष्टं कुत्रचिद्बीजं स्त्रीयोनिस्त्वेव कुत्रचित् ।
उभयं तु समं यत्र सा प्रसूतिः प्रशस्यते ॥ ३४ ॥

[प्राणियों की उत्पत्ति में] (कुत्रचित् बीजं विशिष्टम्) कहीं बीज की प्रधानता होती है (कुत्रचित् स्त्रीयोनिः तु+एव) कहीं स्त्रीयोनि की प्रधानता होती है (उभयं तु यत्र समम्) किन्तु जहां दोनों की समान रूप से श्रेष्ठता है (सा प्रसूतिः प्रशस्यते) वह सन्तान प्रशंसनीय होती है ॥ ३४ ॥

बीजस्य चैव योन्याश्च बीजमुत्कृष्टमुच्यते ।
सर्वभूतप्रसूतिर्हि बीजलक्षणलक्षिता ॥ ३५ ॥

(बीजस्य च एव योन्याः च) बीज और योनि=क्षेत्र में (बीजम्+उत्कृष्टम्+उच्यते) बीज को प्रधान कहा गया है (हि) क्योंकि (सर्वभूतप्रसूतिः) सब प्राणियों की उत्पत्ति (बीजलक्षण-लक्षिता) बीज के लक्षणों के अनुसार ही होती है ॥ ३५ ॥

यादृशं तूप्यते बीजं क्षेत्रे कालोपपादिते ।
तादृग्रोहति तत्तस्मिन्बीजं स्वैर्व्यञ्जितं गुणैः ॥ ३६ ॥

(काल-उपपादिते क्षेत्रे) समय पर जोते गये खेत में (यादृशं तु बीजम् उप्यते) जैसा बीज बोया जाता है (स्वैः गुणैः व्यञ्जितम्) अपने गुणों से युक्त वह बीज (तस्मिन् तादृक् रोहति) उस खेत में वैसा ही उत्पन्न होता है ॥ ३६ ॥

इयं भूमिर्हि भूतानां शाश्वती योनिरुच्यते ।
न त्व योनिगुणान्कांश्चिद्बीजं पुष्यति पुष्टिषु ॥ ३७ ॥

[जैसे—] (इयं भूमिः हि) यह भूमि ही (भूतानां शाश्वती योनिः+उच्यते) देहधारियों=कीट, वृक्ष, गुल्म, लता आदि की सदा से ही क्षेत्र=उत्पत्तिस्थान रही है, किन्तु (बीजम्) कोई भी बीज (कांश्चित् योनिगुणान् पुष्टिषु न पुष्यति) योनि=क्षेत्र के किन्हीं गुणों को अपनी पुष्टि=अंकुररचना आदि में धारण नहीं करता अर्थात् सभी बीजों की शरीररचना बीज के अनुसार ही होती है, भूमि के अनुसार नहीं। इस प्रकार बीज ही प्रधान होता है ॥ ३७ ॥

भूमावप्येकदेशे कालोप्तानि कृषीवलैः ।
नानारूपाणि जायन्ते बीजानीह स्वभावतः ॥ ३८ ॥

(भूमौ+अपि) भूमि में भी (कृषीवलैः) किसानों के द्वारा (एकदेशे) एक ही खेत में (काल-उप्तानि बीजानि) समय-समय पर बोये गये भिन्न-भिन्न बीज (स्वभावतः) अपने स्वभाव के अनुसार (नानारूपाणि जायन्ते) उन्हीं भिन्न-भिन्न रूपों में उत्पन्न होते हैं अर्थात् भूमि का एक रूप होने पर भी बीजों का एक रूप नहीं होता ॥ ३८ ॥

व्रीहयः शालयो मुद्गास्तिलामाषास्तथा यवाः ।
यथा बीजं प्ररोहन्ति लशुनानीक्षवस्तथा ॥ ३९ ॥

(व्रीहयः शालयः मुद्गाः तिलाः) साठी धान, चावल, मूंग, तिल (माषाः यवाः लशुना तथा ईक्षवः) उड़द, जौ, लहसुन और ईख (यथाबीजं प्ररोहन्ति) अपने बीज के अनुरूप ही उत्पन्न होते हैं अर्थात् खेत का एक रूप होते हुए भी बीज में विभिन्नता होती है ॥ ३९ ॥

अन्यक्षुप्तं जातमन्यदित्येतन्नोपपद्यते ।
उप्यते यद्धि तद्बीजं तत्तदेव प्ररोहति ॥ ४० ॥

('अन्यत्+उप्तम् अन्यत् जातम्' इति+एतत्) दूसरा बीज बोया गया हो और उससे दूसरा अंकुर पैदा हो गया हो ऐसा (न+उपपद्यते) कभी नहीं होता (यत् हि बीजम् उप्यते) जो बीज बोया जाता है (तत्+तत् एव प्ररोहति) वह बीज उस अपने ही अंकुर के रूप में उत्पन्न होता है ॥ ४० ॥

परस्त्री में सन्तानोत्पत्ति न करें—

तत्प्राज्ञेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना ।
आयुष्कामेन वप्तव्यं न जातु परयोषिति ॥ ४१ ॥

(तत्) वह बीज (प्राज्ञेन) बुद्धिमान् (विनीतेन) विनम्र (ज्ञानविज्ञानवेदिना) ज्ञान-विज्ञान के ज्ञाता (आयुष्कामेन) दीर्घायु चाहने वाले व्यक्ति को (जातु) कभी भी (परयोषिति न वप्तव्यम्) परस्त्री में नहीं बोना चाहिए अर्थात् परस्त्री से सम्पर्क कर व्यभिचार आदि द्वारा अपने वीर्यरूपी बीज को व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए ॥ ४१ ॥

अत्र गाथा वायुगीताः कीर्तयन्ति पुराविदः ।
यथा बीजं न वप्तव्यं पुंसा परपरिग्रहे ॥ ४२ ॥

(अत्र) इस परस्त्री बीजवपन के विषय में (पुराविदः) प्राचीन विद्वान् (वायु-गीताः कीर्तयन्ति) वायु का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि (पुंसा) पुरुष को (परपरिग्रहे) परस्त्री में (बीजं न वप्तव्यम्) बीज नहीं बोना चाहिए (यथा) जैसे वायु के द्वारा एक खेत से उड़ाकर दूसरे खेत में फेंका हुआ बीज उगने पर खेत के स्वामी का हो जाता है, बीज वाले का उस पर कोई अधिकार नहीं होता। उसी प्रकार परस्त्री में उत्पादित पुत्र भी उस स्त्री के पति का माना जाता है। उत्पन्नकर्ता का बीजवपन व्यर्थ जाता है ॥ ४२ ॥

नश्यतीषुर्यथा विद्धः खे विद्धमनुविद्धयतः ।
तथा नश्यति वै क्षिप्रं बीजं परपरिग्रहे ॥ ४३ ॥

(यथा) और जैसे (विद्धम्) एक शिकारी द्वारा बींधे गये (खे) मृग के घाव में (अनुविद्धयतः विद्धः इषुः नश्यति) बाद में बींधने वाले शिकारी के द्वारा फेंका हुआ बाण नष्ट हुआ माना जाता है (तथा) वैसे ही (परपरिग्रहे) दूसरे की स्त्री में (बीजम्) बोया हुआ बीज भी (क्षिप्रं नश्यति) तभी नष्ट हो जाता है ॥ ४३ ॥

पृथोरपीमां पृथिवीं भार्यां पूर्वविदो विदुः ।
स्थाणुच्छेदस्य केदारमाहुः शल्यवतो मृगम् ॥ ४४ ॥

(पूर्वविदः) प्राचीन इतिहास के ज्ञाता (इमां पृथिवीम्) इसी पृथ्वी को (पृथोः भार्यां विदुः) राजा पृथु की भार्या कहते हैं, क्योंकि (स्थाणुच्छेदस्य केदारम् + आहुः) जो ठूंठ आदि को काटकर भूमि को संवारते हैं उन्हीं की वह भूमि मानी जाती है, और (शल्यवतः मृगम्) पहले बींधने वाले शिकारी का मृग होता है ॥ ४४ ॥

एतावानेव पुरुषो यज्जायाऽऽत्मा प्रजेति ह ।
विप्राः प्राहुस्तथा चैतद्यो भर्ता सा स्मृताऽङ्गना ॥ ४५ ॥

(यत् जाया + आत्मा प्रजा ह) जो पत्नी, स्वयं पति और सन्तान हैं, (एतावान् + एव पुरुषः) इन तीनों से मिलकर पुरुष पूर्ण बनता है (इति विप्राः प्राहुः) ऐसा विद्वान् लोग कहते हैं (तथा) और (एतत्) यह मानते हैं कि (यः भर्ता सा अङ्गना स्मृता) जो पति है वही पत्नी है अर्थात् इन दोनों में कोई अन्तर नहीं है ॥ ४५ ॥

न निष्क्रयविसर्गाभ्यां भर्तुर्भार्या विमुच्यते ।
एवं धर्मं विजानीमः प्राक्प्रजापतिनिर्मितम् ॥ ४६ ॥

(निष्क्रयविसर्गाभ्यां भार्या भर्तुः न विमुच्यते) बेच देने या त्याग करने से पत्नी पति से अलग नहीं हो सकती (प्राक् प्रजापतिनिर्मितम् एवं धर्मं विजानीमः) पहले प्रजापति द्वारा बनाये गये इस धर्म को हम जानते-मानते हैं ॥ ४६ ॥

सकृदंशो निपतति सकृत्कन्या प्रदीयते ।
सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सकृत् ॥ ४७ ॥

(अंशः सकृत् निपतति) पुत्रादि के धन का विभाग एक बार ही होता है (कन्या सकृत् प्रदीयते) कन्या का दान अर्थात् विवाह एक बार ही होता है ('ददानि' इति सकृत् + आह) किसी वस्तु का दान एक बार ही होता है (सताम् एतानि त्रीणि सकृत्) सज्जनों के ये तीन कार्य एक बार ही हुआ करते हैं ॥ ४७ ॥

यथा गोऽश्वोष्ट्रदासीषु महिष्यजाविकासु च ।
नोत्पादकः प्रजाभागी तथैवान्याङ्गनासवपि ॥ ४८ ॥

(यथा) जैसे (गो + अश्व + उष्ट्र + दासीषु) गौ, घोड़ी, ऊंटनी, दासी में (च) और (महिषी + अजा + अविकासु) भैंस, बकरी, भेड़ में (उत्पादकः) सन्तान उत्पन्न करने वाला (प्रजाभागी न) सन्तान का अधिकारी नहीं होता (तथैव + अन्याङ्गनासु + अपि) वैसे ही परस्त्रियों में सन्तान उत्पन्न करने वाला भी उस सन्तान को पाने का अधिकारी नहीं होता ॥ ४८ ॥

अनुशीलन : ३४—४८ तक के श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं :—

१. **प्रसंगविरोध**—(१) ९।३१—३३ श्लोकों से यह एक नया प्रसंग प्रारम्भ किया गया है, जिसमें पुत्रोत्पादक दो प्रकार के व्यक्ति माने गये हैं; एक—विधिवत् विवाहित पति; दूसरा—परस्त्री में सन्तान उत्पन्न करने वाला विधिवत् अविवाहित व्यक्ति। इसमें जिज्ञासा उठायी गई है कि इनमें से 'पुत्र पर किसका अधिकार है ?' इसी प्रसंग को दूसरे शब्दों में प्रसंगसमाप्ति पर बीज और योनि की प्रधानता और अप्रधानता के रूप में कहा गया है [९।५६]। इस जिज्ञासा के दो प्रकार के उत्तर श्लोक ४९, ५२, ५३ में हैं। ३३ वें श्लोक में क्षेत्र और बीज का स्वरूप बताकर ४९ में अक्षेत्रियों को फल पर अनधिकार प्रदर्शित है। इस प्रकार प्रश्न-उत्तर की संगति की दृष्टि से ३३ वें श्लोक की ४९ वें श्लोक से प्रसंगसम्बद्धता है। बीच के ये श्लोक उस प्रसंग को भंग कर रहे हैं।

(२) यह प्रसंग तो है पुत्र पर अधिकार के निश्चय का, किन्तु ३४ वें श्लोक से एक नया भिन्न प्रसंग बीज और योनि की श्रेष्ठता का उठाया गया है, जो ४८ तक चलता है। यह संकेतित प्रसंग से भिन्न [९।३२—३३, ६५] होने के कारण प्रसंगबाह्य है, अतः प्रसंगविरुद्ध प्रक्षेप है।

२. **अन्तर्विरोध**—(१) ९। ३४—४८ श्लोकों के इस प्रसंग में कहीं बीज की समानता से सन्तान की श्रेष्ठता [३४], कहीं बीज की प्रधानता [३५ - ४२], कहीं योनि की प्रधानता [४३—४८] बतलायी है। ये सब मान्यताएं ४९, ५२, ५३ में वर्णित निर्णयों के विरुद्ध हैं। संकेतित जिज्ञासा और उत्तर के भी विरुद्ध हैं। ४९, ५२, ५३ श्लोकों में स्पष्टतः स्थितिवशात् बीजी और क्षेत्री के अधिकार का निर्णय दिया है; बीज और योनि की श्रेष्ठता का नहीं।

(२) इन श्लोकों में वर्णित वायु, मृग आदि [४२—४४], पुरुष की पूर्णता [४५], एक बार कन्यादान [४६—४७], पशुओं की प्रथा [४८] आदि उदाहरणों का मनुष्यों की प्रवृत्ति और परम्परा से मेल नहीं खाता और न उनका उस प्रकार वंश ही चलता या अपनाया जाता है। अतः इनका प्रस्तुत मुख्य कथन से तालमेल नहीं बैठता। इन अन्तर्विरोधों के आधार पर ये श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं।

परस्त्री में पुत्रोत्पत्ति करने पर पुत्र पर स्त्री का या स्त्री-स्वामी का अधिकार—

येऽक्षेत्रिणो बीजवन्तः परक्षेत्रप्रवापिणः।
ते वै सस्यस्य जातस्य न लभन्ते फलं क्वचित् ॥ ४९ ॥ (१९)

[९।३३ की व्यवस्था में] (ये+अक्षेत्रिणः बीजवन्तः) जो क्षेत्र-रहित हैं और बीज वाले हैं (परक्षेत्रप्रवापिणः) तथा दूसरे के क्षेत्र में अर्थात् परस्त्री में बीज को बोते हैं=सन्तान उत्पन्न करते हैं (ते वै) निश्चय से (क्वचित्) कहीं भी (जातस्य सस्यस्य फलं न लभन्ते) उत्पन्न हुये अन्न,

सन्तान आदि के फल को नहीं प्राप्त करते अर्थात् उस सन्तान पर स्त्री के पति का अधिकार होता है, बीज बोने वाले का नहीं ॥ ४९ ॥

यदन्यगोषु वृषभो वत्सानां जनयेच्छतम् ।
गोमिनामेव ते वत्सा मोघं स्कन्दितमार्षभम् ॥ ५० ॥

(यत्) जो (वृषभः) सांड (अन्यगोषु) दूसरे की गौओं में (वत्सानां शतं जनयेत्) सैंकड़ों बछड़े उत्पन्न कर दे, तो भी (ते वत्साः गोमिनाम् + एव) वे बछड़े गौओं के स्वामी के होते हैं (आर्षभं स्कन्दितं मोघम्) सांड का वीर्यसेचन करना व्यर्थ है, अर्थात् उसका फल नहीं मिलता ॥ ५० ॥

तथैवाक्षेत्रिणो बीजं परक्षेत्रप्रवापिणः ।
कुर्वन्ति क्षेत्रिणामर्थं न बीजी लभते फलम् ॥ ५१ ॥

(तथैव) उसी प्रकार (अक्षेत्रिणः) क्षेत्र के स्वामी न होते हुए (बीजं परक्षेत्र-प्रवापिणः) अपने बीज को दूसरे के क्षेत्र = स्त्री में बोते हैं (क्षेत्रिणाम् + अर्थं कुर्वन्ति) वे लोग क्षेत्रस्वामी का ही लाभ सिद्ध करते हैं (बीजी फलं न लभते) क्योंकि बीजवाला व्यक्ति उसके सन्तानरूपी फल को नहीं प्राप्त करता ॥ ५१ ॥

अनुशीलन : ५०—५१ श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं।

१. **अन्तर्विरोध**—५० वें की मान्यता ५२—५३ के विरुद्ध है, क्योंकि पशुप्रथा का मनुष्यों की वंशपरम्परा व ज्ञान-स्मरण परम्परा से तालमेल नहीं बैठता।

२. **प्रसंगविरोध**—४९ से ५२ का प्रसंग जुड़ता है। ४९ में परस्त्री में बीज-वपन करने के कारण का दिग्दर्शन है, उसका विकल्प ५२ में है। इन श्लोकों ने उस प्रसंग को भंग कर कर दिया है।

३. **पुनरुक्ति**—५१ वें श्लोक में ४९ की पुनरुक्तिमात्र है, अतः यह प्रक्षिप्त है। ५० वां इसका आधार होने के कारण इससे सम्बद्ध है, अतः ५१ वें के प्रक्षिप्त होने से वह भी प्रक्षिप्त है।

पुत्र पर स्त्री या स्त्री-स्वामी के अधिकार में कारण—

फलं त्वनभिसंधाय क्षेत्रिणां बीजिनां तथा ।
प्रत्यक्षं क्षेत्रिणामर्थो बीजाद्योनिर्गरीयसी ॥ ५२ ॥ (२०)

क्योंकि (क्षेत्रिणां तथा बीजिनाम्) खेतवालों अर्थात् पर पुरुष से सन्तान उत्पन्न करने वाली स्त्रियों में और बीजवालों अर्थात् परक्षेत्र अर्थात् परस्त्री में

संतान उत्पन्न करने वालों में (फलं तु अनभिसंधाय) फल के लेने के विषय में बिना निश्चय हुए 'कि इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला अन्न, सन्तान आदि फल किसका होगा' बीज-वपन करने पर (प्रत्यक्षं क्षेत्रिणाम्+अर्थः) वह स्पष्टरूप से क्षेत्रस्वामी का फल या उपलब्धि होती है; अर्थात् वह सन्तान स्त्री की ही होती है, क्योंकि (बीजात् योनिः गरीयसी) ऐसी स्थिति में बीज से योनि बलवती होती है ॥ ५२ ॥

समझौतापूर्वक पुत्रोत्पत्ति में पुत्र पर स्त्री-पुरुष दोनों का समानाधिकार—

क्रियाऽभ्युपगमात्त्वेतद्बीजार्थं यत्प्रदीयते ।
तस्येह भागिनौ दृष्टौ बीजी क्षेत्रिक एव च ॥ ५३ ॥ (२१)

(यत्) परन्तु यदि (क्रिया+अभ्युपगमात्) परस्पर मिलकर यह निश्चय करके कि इससे प्राप्त फल 'अमुक का' या दोनों का होगा [जैसे कि विवाह या नियोग में किया जाता है], इस समझौते के साथ (एतत् बीजार्थं प्रदीयते) जो खेत बीज बोने के लिये दिया जाता है अर्थात् स्त्री यदि समझौते के साथ किसी के लिए सन्तान उत्पन्न करती है तो उस अवस्था में (इह तस्य) इस लोक में उसके (बीजी च क्षेत्रिकः+एव भागिनौ दृष्टौ) बीजवाला और खेतवाला दोनों ही फल के अधिकारी देखे गये हैं ॥ ५३ ॥

ओघवाताहृतं बीजं यस्य क्षेत्रे प्ररोहति ।
क्षेत्रिकस्यैव तद्बीजं न वप्ता लभते फलम् ॥ ५४ ॥

(ओघ-वात+आहृतं बीजम्) पानी के वेग के साथ बहकर और वायु के द्वारा उड़ाकर लाया गया बीज (यस्य क्षेत्रे प्ररोहति) जिसके खेत में उगता है (तत् बीजं क्षेत्रिकस्य+एव) वह बीज खेत के स्वामी का ही होता है (वप्ता फलं न लभते) बीजवाला उसके फल को नहीं प्राप्त करता ॥ ५४ ॥

एष धर्मो गवाश्वस्य दास्युष्ट्राजाविकस्य च ।
विहङ्गमहिषीणां च विज्ञेयः प्रसवं प्रति ॥ ५५ ॥

(एषः धर्मः) यही नियम [९।४९–५४] (गो+अश्वस्य दासी+उष्ट्र+अजा+अविकस्य च विहङ्ग-महिषीणाम्) गौ, घोड़ी, दासी, ऊंटनी, बकरी, भेड़, पक्षी और भैंस, इनकी (प्रसवं प्रति विज्ञेयः) सन्तान के प्रति भी जानना चाहिए ॥ ५५ ॥

अनुशीलन : ५४–५५ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. अन्तर्विरोध—प्रसंगसंकेतक श्लोक ९। ३२, ३३ के अनुसार यहां पुत्र पर अधिकार बताने के निर्णयका वर्णन है, जिसे क्षेत्री-बीजी के उदाहरण [९।४९,५२,५३] द्वारा स्पष्ट किया गया है। इन श्लोकों में जल-वायु का उदाहरण [५४], पशु-प्रथा

का विधान [५५], उक्त कथन से बाह्य हैं, और न मनुष्य-परम्परा के अनुकूल घटित होते हैं, अतः मुख्य कथन के विरुद्ध होने से ये दोनों श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. **प्रसंगविरोध**—९।३२-३३ में जो जिज्ञासा उठायी थी, उसका उत्तर ४९, ५२, ५३ में दिया जा चुका है। आपत्काल में सन्तान का विधान—५३ के बाद पुनः पूर्व-प्रसंग की बातों को उठाना प्रसंगविरुद्ध है।

एतद्वः सारफल्गुत्वं बीजयोन्योः प्रकीर्तितम्।
अतः परं प्रवक्ष्यामि योषितां धर्ममापदि ॥५६॥ (२२)

(एतत्) [यह ९।३१-५५] (बीजयोन्योः सारफल्गुत्वम्) बीज और योनि को प्रधानता और अप्रधानता (वः प्रकीर्तितम्) तुमसे मैंने कही।

(अतः परम्) इसके बाद अब मैं (आपदि योषितां धर्मम्) आपत्काल में [सन्तानाभाव में] स्त्रियों के धर्म को प्रवक्ष्यामि कहूँगा—॥ ५६ ॥

बड़ी भाभी को गुरु-पत्नी के समान, छोटी को पुत्रवधू के समान माने—

भ्रातुर्ज्येष्ठस्य भार्या वा गुरुपत्न्यनुजस्य सा।
यवीयसस्तु या भार्या स्नुषा ज्येष्ठस्य सा स्मृता ॥५७॥ (२३)

(ज्येष्ठस्य भ्रातुः या भार्या) बड़े भाई की जो पत्नी होती है (सा अनुजस्य गुरुपत्नी) वह छोटे भाई के लिए गुरुपत्नी के समान होती है (तु या यवीयसः भार्या) और जो छोटे भाई की पत्नी है (सा ज्येष्ठस्य स्नुषा) वह बड़े भाई के लिए पुत्रवधू के समान (स्मृता) कही गयी है, अर्थात् भाइयों को भाई की पत्नी में उक्त प्रकार की पवित्र भावना रखनी चाहिए ॥ ५७ ॥

उनके साथ गमन में पाप—

ज्येष्ठो यवीयसो भार्यां यवीयान्वाग्रजस्त्रियम्।
पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥५८॥ (२४)

(ज्येष्ठः यवीयसः भार्याम्) बड़ा भाई छोटे भाई की स्त्री के साथ और (यवीयान्+अग्रज-स्त्रियम्) छोटा भाई बड़े भाई की स्त्री के साथ (अनापदि) आपत्तिकाल [=सन्तानाभाव] के बिना (नियुक्तौ+अपि गत्वा) नियोग-विधिपूर्वक भी यदि संभोग करें तो वे (पतितौ भवतः) पतित माने जाते हैं ॥ ५८ ॥

सन्तानाभाव में नियोग से सन्तानप्राप्ति—

देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ्नियुक्तया।
प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥५९॥ (२५)

(सन्तानस्य परिक्षये) पति से सन्तान न होने पर अथवा किसी भी प्रकार से सन्तान का अभाव होने पर (सम्यक् नियुक्तया स्त्रिया) ठीक-ढंग से [परिवार और समाज में विवाहवत् प्रसिद्धिपूर्वक] नियोग के लिए नियुक्त स्त्री को (देवरात् वा सपिंडात् वा) देवर—स्वजातीय या अपने से उत्तम वर्णस्थ पुरुष से अथवा पति की छः पीढ़ियों में पति के छोटे या बड़े भाई से (ईप्सिता प्रजा अधिगन्तव्या) इच्छित सन्तान प्राप्त कर लेनी चाहिए अर्थात् जितनी सन्तान अभीष्ट हो उतनी प्राप्त करले ॥ ५९ ॥

"सपिंड अर्थात् पति की छः पीढ़ियों में पति का छोटा वा बड़ा भाई, अथवा स्वजातीय तथा अपने से उत्तम जातिस्थ पुरुष से विधवा स्त्री का नियोग होना चाहिए। परन्तु जो वह मृतस्त्री-पुरुष और विधवा स्त्री सन्तानोत्पत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग होना उचित है और जब सन्तान का सर्वथा क्षय हो तब नियोग होवे।" (स० प्र० चतुर्थ समु०)

"मनुजी ने लिखा है कि (सपिण्ड) अर्थात् पति की छः पीढ़ियों में पति का छोटा वा बड़ा भाई अथवा स्वजातीय तथा अपने से उत्तम जातिस्थ पुरुष से विधवा स्त्री का नियोग होना चाहिए। परन्तु जो वह मृतस्त्री पुरुष और विधवा स्त्री सन्तानोत्पत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग होना उचित है। और जब सन्तान का सर्वथा क्षय हो तब नियोग होवे। जो आपत्काल अर्थात् सन्तानों की होने की इच्छा न होने में बड़े भाई की स्त्री से छोटे का और छोटे की स्त्री से बड़े भाई का नियोग होकर सन्तानोत्पत्ति हो जाने पर भी पुनः वे नियुक्त आपस में समागम करें तो पतित हो जायें। अर्थात् एक नियोग में दूसरे पुत्र के गर्भ रहने तक नियोग की अवधि है, इसके पश्चात् समागम न करें।" (स० प्र० चतुर्थ समु०)

अनुशीलन : (१) **नियोग की विधि**—नियोग के लिए 'नियुक्त करना' या 'नियोग की विधि' से अभिप्राय यह है कि जैसे समाज और परिवार में प्रसिद्धिपूर्वक विवाह होता है, उसी प्रकार नियोग भी होता है। इन्हीं के समक्ष पुत्र आदि प्राप्त करने के सम्बन्ध में निश्चय होते हैं। उस निश्चय के अनुसार चलना 'विधि' है और अन्यथा चलना 'विधि का त्याग' है। ऋषि दयानन्द ने इसी बात को प्रश्नोत्तररूप में स्पष्ट किया है—

"(प्रश्न) नियोग में क्या-क्या बात होनी चाहिए?

(उत्तर) जैसे प्रसिद्धि से विवाह, वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग। जिस प्रकार विवाह में भद्रपुरुषों की अनुमति और कन्या-वर की प्रसन्नता होती है वैसे नियोग में भी। अर्थात् जब स्त्री-पुरुष का नियोग होना हो तब अपने कुटुम्ब में पुरुष-स्त्रियों के सामने

'हम दोनों नियोग सन्तानोत्पत्ति के लिए करते हैं। जब नियोग का नियम पूरा होगा तब हम संयोग न करेंगे। जो अन्यथा करें तो पापी और जाति वा राज्य के दण्डनीय हों। महीने में एक बार गर्भाधान का काम करेंगे, गर्भ रहे पश्चात् एक वर्ष पर्य्यन्त पृथक् रहेंगे।" (स० प्र० चतुर्थ समु०)

(२) **देवर शब्द का अर्थ**—

मनुस्मृति या वैदिक साहित्य में देवर शब्द का प्रचलित—'पति का छोटा भाई' अर्थ न होकर विस्तृत अर्थ है। निरुक्त में 'देवर' शब्द की निरुक्ति निम्न दी है—

"देवरः कस्माद् द्वितीयो वर उच्यते ॥" (३। १५)

अर्थात्—"देवर उसको कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता है, चाहे छोटा भाई वा बड़ा भाई अथवा अपने वर्ण वा अपने से उत्तम वर्ण वाला हो। जिससे नियोग करे, उसी का नाम देवर है।" (म० दयानन्द, स० प्र० ११६)

आजकल यह केवल पति के छोटे भाई के अर्थ में रूढ़ हो गया है। इस रूढ़ि का कारण कदाचित् यह है कि स्त्री के विधवा हो जाने पर अधिकतर मृत-पति के छोटे भाई से ही उसका सम्बन्ध कर दिया जाता है। यह नियोगविधि का ही एक परिवर्तित रूप है। इस परम्परा से प्राचीन काल में नियोगप्रथा के अस्तित्व के संकेत मिलते हैं।

(३) **वेदों में नियोग का विधान**—

(क) उदीर्ष्व नार्यभिजीवलोकं गतासुमेतमुप शेष एहि।
हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभि सं बभूथ ॥

ऋ० । मं० १० । सू० १८ । मं० ८ ॥

अर्थ—"(नारि) विधवे तू (एतं गतासुम्) इस मरे हुए पति की आशा छोड़ के बाकी पुरुषों में से (अभि जीवलोकम्) जीते हुए दूसरे पति को (उपैहि) प्राप्त हो, और (उदीर्ष्व) इस बात का विचार और निश्चय रख कि जो (हस्तग्राभस्य दिधिषोः) तुम विधवा के पुनः पाणिग्रहण करने वाले नियुक्त पति के सम्बन्ध के लिए नियोग होगा तो (इदम्) यह (जनित्वम्) जना हुआ बालक उसी नियुक्त (पत्युः) पति का होगा और जो तू अपने लिये नियोग करेगी तो यह सन्तान (तव) तेरी होगी। ऐसे निश्चययुक्त (अभि सम्बभूथ) हो और नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे।"

(स० प्र० चतुर्थ समु०)

(ख) (प्रश्न) नियोग मरे पीछे ही होता है वा जीते पति के भी?

(उत्तर) जीते भी होता है—

अन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत् ॥ ऋ० मं० १० । सू० १०॥

जब पति सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि हे सुभगे! सौभाग्य की इच्छा करनेहारी स्त्री तू (मत्) मुझ से (अन्यम्) दूसरे पति की

(इच्छस्व) इच्छा कर क्योंकि अब मुझ से सन्तानोत्पत्ति की आशा मत कर। तब स्त्री दूसरे से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करे परन्तु उस विवाहित महाशय पति की सेवा में तत्पर रहे। वैसे ही स्त्री भी जब रोगादि दोषों से ग्रस्त होकर सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपने पति को आज्ञा देवे कि हे स्वामी ! आप सन्तानोत्पत्ति की इच्छा मुझसे छोड़ के किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कीजिए।

जैसा कि पाण्डु राजा की स्त्री कुन्ती और माद्री ने किया और जैसा व्यास जी ने चित्राङ्गद और विचित्रवीर्य के मरजाने के पश्चात् उन अपने भाइयों की स्त्रियों से नियोग करके अम्बिका में धृतराष्ट्र और अम्बालिका में पाण्डु और दासी में विदुर की उत्पत्ति की। इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण है।" (स० प्र० चतुर्थ० समु०)

नियोग में गमन-विधि—

विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निशि।
एकमुत्पादयेत्पुत्रं न द्वितीयं कथञ्चन ॥ ६० ॥

(विधवायां नियुक्तः तु) विधवा स्त्रीमें नियोग के लिए लगाया पुरुष (घृताक्तः) अपने शरीर में घी लगाकर (वाग्यतः) मौन होकर (निशि) रात्रि में (एकं पुत्रम्-उत्पादयेत्) संभोग करके एक पुत्र को ही उत्पन्न करे (न द्वितीयं कथंचन) दूसरा पुत्र कदापि उत्पन्न न करे ॥ ६० ॥

द्वितीयमेके प्रजननं मन्यन्ते स्त्रीषु तद्विदः।
अनिर्वृत्तं नियोगार्थं पश्यन्तो धर्मतस्तयोः ॥ ६१ ॥

(एके तद्विदः) कुछ इस नियोगविधि के ज्ञाता विद्वान् (अनिर्वृत्तं नियोगार्थं पश्यन्तः) 'एक पुत्र उत्पन्न करने से नियोग का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता' यह मानते हुए (स्त्रीषु) स्त्रियों में (द्वितीयं प्रजननं धर्मतः मन्यन्ते) दूसरे पुत्र को उत्पन्न करने को धर्मानुसार ठीक मानते हैं ॥ ६१ ॥

समीक्षा : ६०-६१ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—(१) इन श्लोकों में नियोग के द्वारा एक और दो पुत्रों की प्राप्ति के लिए क्रमशः विधान किया है। यह विधान ९।५९ के विरुद्ध है, क्योंकि उस श्लोक में नियोग के द्वारा इच्छित सन्तान प्राप्त करने का कथन है, उसमें कोई सीमा निर्धारित नहीं (२) इन श्लोकों में जो सन्तान की सीमा और नियोग को प्रदर्शित किया है, वह नियोग को अनुचित मानने की भावना को अभिव्यक्त करती है, यह मनु के विरुद्ध है [९।५६–५९]।

नियोग से पुत्र-प्राप्ति के बाद शरीर-सम्बन्ध नहीं—

विधवायां नियोगार्थे निर्वृत्ते तु यथाविधि।
गुरुवच्च स्नुषावच्च वर्तेयातां परस्परम् ॥ ६२ ॥(२६)

(यथाविधि) विधि अनुसार (विधवायां नियोगार्थे निर्वृत्ते तु) विधवा में नियोग के उद्देश्य पूर्ण हो जाने पर फिर (गुरुवत् च स्नुषावत् च परस्परं वर्तेयाताम्) बड़े भाई तथा छोटे भाई की स्त्री से क्रमशः गुरुपत्नी तथा पुत्रवधू के समान [९।५७] परस्पर बर्ताव करें ॥ ६२ ॥

नियुक्तौ यौ विधिं हित्वा वर्तेयातां तु कामतः ।
तावुभौ पतितौ स्यातां स्नुषागुरुतल्पगौ ॥ ६३ ॥(२७)

(नियुक्तौ यौ) नियोग के लिए नियुक्त बड़ा या छोटा भाई यदि (विधिं हित्वा) नियोग को विधि=व्यवस्था [समाज या परिवार में किये गये पूर्व निश्चयों] को छोड़कर (कामतः वर्तेयाताम्) काम के वशीभूत होकर संभोगादि करें (तु) तो (तौ+उभौ) वे दोनों (स्नुषागुरुतल्पगौ पतितौ स्याताम्) पुत्रवधूगमन और गुरुपत्नीगमन के अपराधी माने जायेंगे [९।५८] ॥ ६३ ॥

नियोगविधि का खण्डन—

नान्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः ।
अन्यस्मिन्हि नियुञ्जाना धर्मं हन्युःसनातनम् ॥ ६४ ॥

(द्विजातिभिः) द्विजातियों को चाहिए कि वे (विधवा नारी) विधवा स्त्री का (अन्यस्मिन् न नियोक्तव्या) देवर आदि अन्य पुरुष से नियोग न करावे (हि) क्यों कि (अन्यस्मिन् नियुञ्जाना सनातनं धर्मं हन्युः) दूसरे पुरुष से नियोग कराकर वे सनातन धर्म को नष्ट करते हैं ॥ ६४ ॥

नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीर्त्यते क्वचित् ।
न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥ ६५ ॥

(उद्वाहिकेषु मन्त्रेषु न क्वचित् नियोगः कीर्त्यते) विवाह-सम्बन्धी मन्त्रों में कहीं भी नियोग का कथन नहीं है, और (न विवाहविधौ पुनः विधवावेदनम्+उक्तम्) न विवाह-विधि में ही कहीं विधवा स्त्री का पुनः विवाह लिखा है ॥ ६५ ॥

[illegible]

(वेने राज्यं प्रशासति) राजा वेन के शासनकाल में (मनुष्याणाम्+अपि प्रोक्तः अयं पशुधर्मः) मनुष्यों के लिए विहित किया हुआ यह नियोग रूपी पशुधर्म (विद्वद्भिः द्विजैः विगर्हितः) विद्वान् द्विजों ने निन्दा के योग्य माना है ॥ ६६ ॥

स महीमखिलां भुञ्जन्राजर्षिप्रवरः पुरा ।
वर्णानां सङ्करं चक्रे कामोपहतचेतनः ॥ ६७ ॥

(पुरा) प्राचीन काल में (अखिलां महीं भुञ्जन्) सम्पूर्ण पृथ्वी का पालन करते हुए (सः राजर्षिप्रवरः) उस महाराजा वेन ने (काम+उपहतचेतनः) कामासक्ति के कारण नष्टबुद्धि होकर (वर्णानां सङ्करं चक्रे) वर्णों में सङ्करपन को फैला दिया ॥ ६७ ॥

ततः प्रभृति यो मोहात्प्रमीतपतिकां स्त्रियम् ।
नियोजयत्यपत्यार्थं तं विगर्हन्ति साधवः ॥ ६८ ॥

(ततः प्रभृति) राजा वेन के शासनकाल से (यः) जो व्यक्ति (प्रमीतपतिकां स्त्रियम् अपत्यार्थं नियोजयति) मृतपति वाली विधवा स्त्री का सन्तानप्राप्ति के लिए परपुरुष से नियोग करवाता है (तं साधवः विगर्हन्ति) उसकी सज्जन निन्दा करते हैं ॥ ६८ ॥

अनुशीलन : ६४–६८ श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—६४–६८ श्लोकों में पूर्वविहित [९।५६–६३] नियोग-व्यवस्था का निषेध और निन्दा है। मनुसे विरुद्ध मान्यता होने के कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं। यहां यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक है कि इन दोनों मान्यताओं में 'नियोग-व्यवस्था' मनु की मौलिक मान्यता है। इसमें निम्न पोषक प्रमाण हैं—(क) नियोग-विधान की मान्यता पूर्वविहित और आधारभूत है। (ख) विषयसंकेतक श्लोकों में इस प्रसंग को प्रारम्भ और समाप्त करने का संकेत है [९।५६ और ९। १०३]। ये श्लोक अपने पूर्वापर प्रसंगों से शृंखलावत् जुड़े हुए हैं, जो सिद्ध करते हैं कि यह मान्यता मौलिक है। (ग) ९। १४५–१४६ में नियोग से उत्पन्न पुत्र को दायभाग का पूर्ण अधिकार विहित है। यह भी इस मान्यता को मनुसम्मत सिद्ध करता है, और (घ) नियोग-विधि का त्याग करके उत्पादित पुत्र को धनाधिकार से ९।१४७ में वंचित किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनु नियोग को ही स्वीकार्य मानते हैं, नियोगत्याग को नहीं। (ङ) किसी बात के अस्तित्व के बाद ही उसका खण्डन हो सकता है। इस खण्डन से यह स्पष्ट है कि इससे पूर्व यह मान्यता प्रचलित थी, जैसा कि इन श्लोकों में ६६–६८ में स्वयं भी स्वीकार किया है। इस प्रकार नियोग की मान्यता पूर्ववर्ती और मौलिक है। नियोग-खण्डन की मान्यता परवर्ती और प्रक्षिप्त है।

२. **विषयविरोध**—विषय-संकेतक श्लोकों [९।५६,१०३] के निर्देशानुसार यह विषय स्त्रियों के लिए आपत्कालीन धर्मों और आपत्काल में सन्तानप्राप्ति का है। नियोग की मान्यता उस विषय से सम्बद्ध है, अतः मौलिक है। खण्डन की मान्यता का संकेतित विषय से कोई सम्बन्ध नहीं, अतः प्रक्षिप्त है।

३. **शैलीगत आधार**—६६–६७ श्लोकों में राजा वेन के समय नियोग के

विस्तार का कथन है। राजा वेन मनु से परवर्ती है, अतः ये श्लोक भी किसी व्यक्ति द्वारा रचकर मिलाये गये हैं।

सगाई के बाद पति की मृत्यु होने पर अन्य विवाह का विधान—

यस्या म्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः।
तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः॥ ६९॥ (२८)

(वाचा सत्ये कृते) वाग्दान=सगाई करने के बाद [और विवाह से पूर्व] (यस्याः कन्यायाः पतिः म्रियेत) जिस कन्या का पति मर जाये (ताम्) उस कन्या को (निजः देवरः) पति का छोटा भाई (अनेन विधानेन विन्देत) विवाह-विधान से प्राप्त कर ले॥ ६९॥

"जो अक्षतयोनि स्त्री विधवा हो जाये तो पति का निज छोटा भाई भी उससे विवाह कर सकता है।" (श्लोक की दूसरी पंक्ति उद्धृत करके यह उल्लेख है (स० प्र० ११७)

अनुशीलनम् : **श्लोक की मौलिकता का आधार**—यह श्लोक संकेतित [९।५६, १०३] विषय से सम्बद्ध है। विषयानुसार इसमें आपत्कालीन स्थिति में स्त्री का कर्त्तव्य विहित किया है।

यथाविध्यधिगम्यैनां शुक्लवस्त्रां शुचिव्रताम्।
मिथो भजेताप्रसवात्सकृत्सकृदृतौ॥ ७०॥

वह देवर (एनां यथाविधि+अधिगम्य) इसे विधिपूर्वक स्वीकार करके (शुक्लवस्त्राम्) सफेद वस्त्र धारण करने वाली (शुचिव्रताम्) पवित्र व्रतवाली उस कन्या के साथ (आप्रसवात्) गर्भधारण होने तक (सकृत्-सकृत्-ऋतौ मिथः भजेत) एक-एक बार प्रत्येक ऋतुकाल में संभोग करे॥ ७०॥

न दत्त्वा कस्यचित्कन्यां पुनर्दद्याद्विचक्षणः।
दत्त्वा पुनः प्रयच्छन्हि प्राप्नोति पुरुषानृतम्॥ ७१॥

(कस्यचित् कन्यां दत्त्वा) किसी को एकबार कन्यादान करके (विचक्षणः) बुद्धिमान् मनुष्य (पुनः न दद्यात्) पुनः दूसरे को न दे (दत्त्वा पुनः प्रयच्छन् हि) एक बार देकर पुनः दूसरे को देता हुआ वह व्यक्ति (पुरुषानृतं प्राप्नोति) 'पुरुषानृत' दोष को प्राप्त करता है॥ ७१॥

विधिवत्प्रतिगृह्यापि त्यजेत्कन्यां विगर्हिताम्।
व्याधितां विप्रदुष्टां वा छद्मना चोपपादिताम्॥ ७२॥

मनुष्य (विगर्हितां व्याधितां विप्रदुष्टां वा छद्मना उपपादिताम्) निन्दित आचरण वाली, व्याधिग्रस्त, व्यभिचारिणी और धोखा करके दी गई (कन्याम्) कन्या

को (विधिवत् प्रतिगृह्य अपि त्यजेत्) विधिपूर्वक व्याह करके भी छोड़ देवे अर्थात् छोड़ सकता है ॥ ७२ ॥

यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्यायोपपादयेत्।
तस्य तद्वितथं कुर्यात्कन्यादातुर्दुरात्मनः ॥ ७३ ॥

(यः तु) जो कोई कन्या का सम्बन्धी (दोषवतीं कन्याम् + अनाख्याय) किसी दोष से युक्त कन्या को उसके दोष को बिना बताये (उपपादयेत्) प्रदान कर दे तो (तस्य दुरात्मनः कन्यादातुः) उस दुरात्मा, कन्यादान करने वाले का (तत्) वह दान (वितथं कुर्यात्) व्यर्थ कर दे अर्थात् उस कन्या को वापिस लौटा दे ॥ ७३ ॥

अनुशीलन : ७०–७३ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. **विषयविरोध**—विषयसंकेतक श्लोकों ६।५६, १०३ के अनुसार यह विषय स्त्रियों के आपत्कालीन धर्मों और आपत्-काल में सन्तान-प्राप्ति का है। इन श्लोकों में देवर के लिए विधि [७०], पुनः कन्यादान न करना [७१], छल आदि से दी गई कन्या को लौटाना [७२–७३] आदि बातें संकेतित विषय से असम्बद्ध हैं, अतः मौलिक नहीं।

२. **प्रसंगविरोध**—६९ और ७४ श्लोकों में स्त्रियों के लिए आपत्काल के विधान हैं, जो परस्पर सम्बद्ध हैं। इन श्लोकों ने उस प्रसंग को भंग कर दिया है। इस प्रकार ये प्रक्षिप्त हैं।

३. **अन्तर्विरोध**—७१ वें श्लोक में पुनः कन्यादान अर्थात् पुनः विवाह का निषेध ९।६९, १७६ के विरुद्ध है। उनमें विशेष परिस्थितियों में स्पष्टतः पुनर्विवाह का विधान है। शेष श्लोक इससे प्रसंग की दृष्टि से सम्बद्ध हैं, अतः उसके प्रक्षिप्त सिद्ध होने से स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं।

स्त्री को जीविका देकर पुरुष प्रवास में जाये—

विधाय वृत्तिं भार्यायाः प्रवसेत्कार्यवान्नरः।
अवृत्तिकर्षिता हि स्त्री प्रदुष्येत्स्थितिमत्यपि ॥ ७४ ॥ (२९)

(कार्यवान् नरः) किसी आवश्यक कार्य के लिए परदेश में जाने वाला मनुष्य (भार्यायाः वृत्तिं विधाय प्रवसेत्) अपनी पत्नी की भरण-पोषण की जीविका देकर परदेश में जाये (हि) क्योंकि (अवृत्तिकर्षिता स्थितिमती + अपि स्त्री) जीविका के अभाव से पीड़ित हो शुद्ध आचरण वाली स्त्री भी (प्रदुष्येत्) दूषित हो सकती है ॥ ७४ ॥

अथवा अनिन्दित कलाओं से स्त्री जीविका कमाये—

विधाय प्रोषिते वृत्तिं जीवेन्नियममास्थिता।
प्रोषिते त्वविधायैव जीवेच्छिल्पैरगर्हितैः ॥ ७५ ॥ (३०)

(वृत्तिं विधाय प्रोषिते) जीविका का प्रबन्ध करके पति के परदेश

जाने पर (नियमम्+आस्थिता जीवेत्) स्त्री अपने पातिव्रत्य नियमों का पालन करती हुई जीवनयात्रा चलाये (अविधाय+एव तु प्रोषिते) यदि पति बिना जीविका का प्रबन्ध किये परदेश चला जाये तो (अगर्हितैः शिल्पैः जीवेत्) अनिन्दित शिल्पकार्यों [सिलाई करना, बुनना, कातना आदि] को करके अपनी जीवनयात्रा चलाये ॥ ७५ ॥

पति की प्रतीक्षा की अवधि और उसके पश्चात् नियोग—

प्रोषितो धर्मकार्यार्थं प्रतीक्ष्योऽष्टौ नरः समाः ।
विद्यार्थं षट् यशोऽर्थं वा कामार्थं त्रींस्तु वत्सरान् ॥७६॥(३१)

विवाहित स्त्री (नरः धर्मकार्यार्थं प्रोषितः) जो विवाहित पति धर्म के लिए परदेश गया हो तो (अष्टौ समाः) आठ वर्ष (विद्यार्थं वा यशः+अर्थं षट्) विद्या और कीर्ति के लिए गया हो तो छः (कामार्थं त्रीन् तु वत्सरान्) धनादि कामना के लिए गया हो तो तीन वर्ष तक (प्रतीक्ष्यः) बाट देखके पश्चात् नियोग करके सन्तोत्पत्ति कर ले। जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पति छूटजावे ॥ ७६ ॥ (स० प्र० ११६)

अनुशीलन : **नियोगव्यवस्था प्राचीनपरम्परागत एवं कौटिल्य द्वारा उसका समर्थन**—आचार्य कौटिल्य तक नियोग व्यवस्था प्रचलित एवं मान्यता प्राप्त रही है। उन्होंने प्र० ६०। अ० ४ में कारण प्रदर्शनपूर्वक विभिन्न नियोगों का विधान किया है [विस्तृत विवेचन भूमिका में 'नियोग-मान्यता' पर द्रष्टव्य है]।

संवत्सरं प्रतीक्षेत द्विषन्तीं योषितं पतिः ।
ऊर्ध्वं संवत्सरात्त्वेनां दायं हृत्वा न संवसेत् ॥ ७७ ॥

(द्विषन्तीं योषितं पतिः) अपने पति से द्वेषभाव रखने वाली स्त्री की उसका पति (संवत्सरं प्रतीक्षेत) एक वर्ष तक [सुधरने की] प्रतीक्षा करे (संवत्सरात् ऊर्ध्वं तु+एनाम्) एक वर्ष के पश्चात् इसको (दायं हृत्वा) आभूषण आदि छीनकर (न संवसेत्) अपने पास न रखे ॥ ७७ ॥

अतिक्रामेत्प्रमत्तं या मत्तं रोगार्तमेव वा ।
सा त्रीन्मासान्परित्याज्या विभूषणपरिच्छदा ॥ ७८ ॥

(या) जो स्त्री (प्रमत्तं मत्तं वा रोगार्तम् +एव अतिक्रामेत्) पागल, विक्षिप्त अथवा रोगपीड़ित होने पर अपने पति की अवहेलना करे (सा) उसे (विभूषणपरिच्छदा) आभूषण, वस्त्र आदि छीनकर (त्रीन् मासान् परित्याज्या) तीन मास तक छोड़ देवे ॥ ७८ ॥

उन्मत्तं पतितं क्लीबमबीजं पापरोगिणम् ।
न त्यागोऽस्ति द्विषन्त्याश्च न च दायापवर्तनम् ॥ ७९ ॥

(उन्मत्तं पतितंक्लीबम्+अबीजं पापरोगिणं द्विषन्त्याः) स्थायी पागल, पतित, नपुंसक, जिसका वीर्य न ठहरे, पापरोगी=कुष्ठ आदि से पीड़ित पति की उपेक्षा करने वाली स्त्री को (त्यागः न अस्ति) नहीं छोड़ा जा सकता (च) और (न दाय+अपवर्तनम्) न उससे धन छीना जा सकता है ॥ ७९ ॥

मद्यपाऽसाधुवृत्ता च प्रतिकूला च या भवेत् ।
व्याधिता वाऽधिवेत्तव्या हिंस्रार्थघ्नी च सर्वथा ॥ ८० ॥

(या) जो स्त्री (मद्यपा) शराब पीने वाली, (असाधुवृत्ता) दुराचार वाली, (प्रतिकूला) पति के प्रतिकूल आचरण करने वाली, (व्याधिता) व्याधिग्रस्त, (हिंस्रा) मारने वाली, (च) और (सर्वदा अर्थघ्नी) सदा धन को नष्ट करने वाली (भवेत्) हो तो (अधिवेत्तव्या) उसे छोड़कर दूसरा विवाह कर लेना चाहिए ॥ ८० ॥

अनुशीलन : ७७–८० श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. **विषयविरोध**—विषयसंकेतक श्लोकों ६।५६, १०३ के अनुसार यह विषय स्त्रियों के विधानों के लिए है। इसमें उनके आपत्कालीन कर्त्तव्य कहे हैं। इन श्लोकों में पुरुषों के लिए विधान विषयबाह्य होने से विषयविरुद्ध प्रक्षेप हैं।

२. **प्रसंगविरोध**—प्रसंग की दृष्टि से भी ७६ और ८१ सम्बद्ध हैं। ७६ वें श्लोक में स्त्री को निर्देश है कि इतने-इतने वर्ष प्रतीक्षा करके दूसरे पुरुष से सन्तान प्राप्ति करले और इसी प्रकार ८१ वें में पुरुष को प्रतीक्षा करके दूसरी स्त्री से संतान प्राप्ति करने का कथन है। इन श्लोकों के मध्य में दुर्गुणाधारित त्याग का कथन उस प्रसंग को भंग करता है। यह प्रसंग समयाधारित है, अतः परस्परसम्बद्ध है और एकवाक्यात्मक है।

पुरुष दूसरी स्त्री से सन्तानप्राप्ति कब करे—

वन्ध्याष्टमेऽधिवेद्याब्दे दशमे तु मृतप्रजा ।
एकादशे स्त्रीजननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी ॥ ८१ ॥ (३२)

(वन्ध्या+अष्टमे) वंध्या हो तो आठवें [विवाह से आठ वर्ष तक स्त्री का गर्भ न रहे] (मृतप्रजाः तु दशमे) सन्तान होकर मरजायें तो दशवें (स्त्रीजननी एकादशे अब्दे) जब-जब हो तब-तब कन्या ही होवें, पुत्र न हो तो ग्यारहवें वर्ष तक (तु) और (अप्रियवादिनी) जो अप्रिय बोलने वाली हो तो (सद्यः) सद्यः उस स्त्री को छोड़कर (अधिवेद्या) दूसरी स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करलेवे ॥ ८१ ॥ (स० प्र० चतुर्थ समु०)

या रोगिणी स्यात्तु हिता सम्पन्ना चैव शीलतः ।
सानुज्ञाप्याधिवेत्तव्या नावमान्या च कर्हिचित् ॥ ८२ ॥

(या रोगिणी स्यात्) जो स्त्री रोगिणी हो (तु) किन्तु (हिता च शीलतः

सम्पन्ना) पति की हितैषिणी और सुशील आचरण वाली हो (सा+अनुज्ञाप्य+अधिवेत्तव्या) पति उससे अनुमति लेकर दूसरा विवाह करले (च) और (कर्हिचित् न+अवमान्या) उसकी कभी अवमानना न करे॥ ८२॥

अधिविन्ना तु या नारी निर्गच्छेद्रुषिता गृहात्।
सा सद्यः संनिरोद्धव्या त्याज्या वा कुलसन्निधौ॥ ८३॥

(अधिविन्ना तु या नारी) [पूर्ववर्णित ९।८०–८१ अवस्था में] दूसरा विवाह करने पर जो स्त्री (रुषिता गृहात् निर्गच्छेत्) क्रोध में आकर घर से निकल जाये (सा सद्यः संनिरोद्धव्या) उसे तभी रोककर रखे (वा) अथवा (कुलसन्निधौ त्याज्या) उसके परिवारवालों के पास छोड़ आये॥ ८३॥

प्रतिषिद्धापि चेद्या तु मद्यमभ्युदयेष्वपि।
प्रेक्षासमाजं गच्छेद्वा सा दण्ड्या कृष्णलानि षट्॥ ८४॥

(या तु) जो स्त्री (प्रतिषिद्धा+अपि) पति के द्वारा निषेध करने पर भी (अभ्युदयेषु मद्यम् अपि) विवाह आदि उत्सवों में मद्यपान करे (वा) अथवा (प्रेक्षासमाजं गच्छेत्) नाचने आदि की जगह जाये (सा षट् कृष्णलानि दण्ड्या) उसे छह कृष्णल [८।१३४] सुवर्ण से दण्डित करे॥ ८४॥

यदि स्वाश्चापराश्चैव विन्देरन्योषितो द्विजाः।
तासां वर्णक्रमेण स्याज्ज्यैष्ठ्यं पूजा च वेश्म च॥ ८५॥

(यदि द्विजाः) यदि द्विजवर्ण वाले (स्वाः च+अपराः च+एव विन्देरन्) अपने वर्ण वाली स्त्रियों के साथ एकसाथ विवाह करलें तो (तासाम्) उन पत्नियों का (वर्णक्रमेण ज्यैष्ठ्यं पूजा च वेश्म स्यात्) वर्ण के क्रम से बड़प्पन, आदर, घर आदि होगा अर्थात् उत्तम वर्ण वाली को सबसे उत्तम उससे निम्न को उससे कम, इस प्रकार ये चीजें प्राप्त होंगीं॥ ८५॥

भर्तुः शरीरशुश्रूषां धर्मकार्यं च नैत्यकम्।
स्वा चैव कुर्यात्सर्वेषां नास्वजातिः कथञ्चन॥ ८६॥

(सर्वेषाम्) उन सब पत्नियों में (भर्तुः शरीरशुश्रूषाम्) पति की भोजन आदि से सेवा (च) और (नैत्यकं धर्मकार्यम्) प्रतिदिन के अग्निहोत्र आदि धार्मिक कार्य (स्वा एव कुर्यात्) पति की अपनी जाति की स्त्री ही करे (अस्वजातिः कथंचन न) विजातीय स्त्री ये कार्य कभी न करे॥ ८६॥

यस्तु तत्कारयेन्मोहात्सजात्या स्थितयाऽन्यया।
यथा ब्राह्मणचाण्डालः पूर्वदृष्टस्तथैव सः॥ ८७॥

(यः तु) जो पति (सजात्या स्थितया) सजातीय स्त्री के होते हुए (मोहात्) मोह के वशीभूत होकर (अन्यया तत् कारयेत्) विजातीय स्त्री से शरीर-सेवा आदि

कराये (सः) वह (यथा ब्राह्मणचाण्डालः तथैव) ब्राह्मणी में शूद्र पति से उत्पन्न 'ब्राह्मण-चांडाल' के समान (पूर्वदृष्टः) विद्वानों ने माना है ॥ ८७ ॥

अनुशीलन : ८२–८७ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. **विषयविरोध**—विषयसंकेतक श्लोकों ९।५६, १०३ के अनुसार यह विषय स्त्रियों के लिए है और इसमें उनके आपत्कालीन कर्त्तव्यविहित हैं। इन श्लोकों में पुरुषों द्वारा स्त्रियों के त्याग आदि का कथन विषयविरुद्ध होने से ये प्रक्षिप्त हैं।

२. **अन्तर्विरोध**—८५–८७ श्लोकों में परवर्ण की स्त्रियों से विवाह का विधान तथा बहुपत्नीप्रथा का वर्णन है। यह मान्यता मनुविरुद्ध है। मनु सवर्णा से विवाह का विधान करते हैं और एक ही पत्नी रखने का आदेश देते हैं [३।४–५॥७।७७,५०॥ ५।१६७॥ ९।१०१–१०२]। इस कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

उत्तम वर मिलने पर कन्या का विवाह शीघ्र करदें—

उत्कृष्टायाभिरूपाय वराय सदृशाय च।
अप्राप्तामपि तां तस्मै कन्यां दद्याद्यथाविधि ॥ ८८ ॥ (३३)

यदि माता-पिता कन्या का विवाह करना चाहें तो (उत्कृष्टाय+अभिरूपाय सदृशाय वराय) अति उत्कृष्ट, शुभगुण, कर्म, स्वभाव वाले कन्या के सदृश रूप-लावण्य आदि गुणयुक्त वर हो को चाहें (ताम् अप्राप्तां कन्याम्+अपि) वह कन्या माता की छह पीढ़ी के भीतर भी हो तथापि (तस्मै दद्यात्) उसी को कन्या देना, अन्य को न देना कि जिससे दोनों अति प्रसन्न होकर गृहाश्रम की उन्नति और उत्तम सन्तानों की उत्पत्ति करें ॥ ८८ ॥ (सं० वि० १०२)

गुणहीन पुरुष से विवाह न करें—

काममामरणात्तिष्ठेद् गृहे कन्यर्तुमत्यपि।
न चैवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित् ॥ ८९ ॥ (३४)

(कामम्) चाहे (आमरणात्) मरणपर्यन्त (कन्या) कन्या (गृहे) पिता के घर में (तिष्ठेत्) बिना विवाह के बैठी भी रहे (तु) परन्तु (गुणहीनाय) गुणहीन असदृश दुष्टपुरुष के साथ (एनां कर्हिचित् न प्रयच्छेत्) कन्या का विवाह कभी न करे ॥ ८९ ॥ (सं० वि० १०२)

पूना-प्रवचन में इस श्लोक को उद्धृत करते हुए महर्षि दयानन्द ने लिखा है—"इसी प्रकार मनु जो कहते हैं कि कन्या को मरने तक चाहे वैसी ही कुमारी रखो, परन्तु बुरे मनुष्य के साथ विवाह न करो।" (पृ० २१)

"चाहे लड़का-लड़की मरणपर्यन्त कुमार रहें परन्तु असदृश अर्थात्

परस्पर विरुद्ध-गुण-कर्म स्वभाव वालों का विवाह कभी न होना चाहिए।" (स० प्र० ८३)

कन्या स्वयंवर विवाह करे—

त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्यृतुमती सती।
ऊर्ध्वं तु कालादेतस्माद्विन्देत सदृशं पतिम्॥ ९०॥ (३५)

(कुमारी) कन्या (ऋतुमती सती) रजस्वला हो जाने पर (एतस्मात् कालात्+ऊर्ध्वम्) इस समय के बाद (त्रीणि वर्षाणि+उदीक्षेत) तीन वर्षों तक विवाह की प्रतीक्षा करे, तदनन्तर (सदृशं पतिं विन्देत) अपने योग्य पति का वरण करे॥९०॥

'जब कन्या विवाह करने की इच्छा करे तब रजस्वला होने के दिन से तीन वर्ष छोड़के चौथे वर्ष में विवाह करे।" (सं० वि० १०२, स० प्र० ८३)

स्वयंवर विवाह में पाप नहीं—

अप्रदीयमाना भर्तारमधिगच्छेद् यदि स्वयम्।
नैनः किञ्चिदवाप्नोति न च यं साऽधिगच्छति॥९१॥ (३६)

(अप्रदीयमाना) पिता आदि अभिभावक के द्वारा विवाह न करने पर (यदि स्वयं भर्तारम्+अधिगच्छेत्) जो कन्या यदि स्वयं पति का वरण करले तो (किंचित् एनः न अवाप्नोति) वह कन्या किसी पाप की भागी नहीं होती (च) और (न सा यम् अधिगच्छति) न उसे कोई पाप = दोष होता है जिस पति को यह वरण करती है॥ ९१॥

अलङ्कारं नाददीत पित्र्यं कन्या स्वयंवरा।
मातृकं भ्रातृदत्तं वा स्तेना स्याद्यदि तं हरेत्॥ ९२॥

(स्वयंवरा कन्या) स्वयंवर करने वाली कन्या (पित्र्यं मातृकं वा भ्रातृदत्तम् अलंकारं न+आददीत) पिता, माता अथवा भाई द्वारा दिये गये आभूषण आदि को न ले (यदि तं हरेत्) यदि आभूषण आदि को लेगी तो (स्तेना स्यात्) वह चोर कहलायेगी॥ ९२॥

पित्रे न दद्याच्छुल्कं तु कन्यामृतुमतीं हरन्।
स हि स्वाम्यादतिक्रामेदृतूनां प्रतिरोधनात्॥ ९३॥

(ऋतुमतीं कन्यां हरन्) ऋतुमती कन्या को ग्रहण करने वाला पति (पित्रे शुल्कं न दद्यात्) उसके पिताको कोई शुल्क न दे (हि) क्योंकि (ऋतूनां प्रतिरोधनात्) ऋतु-अवरोध के कारण (सः) वह कन्या का पिता (स्वाम्यात्+अतिक्रामेत्) उसके स्वामित्व से वंचित हो जाता है॥ ९३॥

त्रिंशद्वर्षोद्वहेत्कन्यां हृद्यां द्वादशवार्षिकीम्।
अष्टवर्षोऽष्टवर्षां वा धर्मे सीदति सत्वरः॥ ९४॥

(त्रिंशत्वर्षः) तीस वर्ष का युवक (द्वादशवार्षिकीं हृद्यां कन्यां उद्वहेत्) बारह वर्ष की हृदय को प्रिय लगने वाली कन्या से विवाह करे (वा) अथवा (अष्टवर्षः+अष्टवर्षाम्) चौबीस वर्ष का युवक आठ वर्ष की सुन्दर कन्या से विवाह करे (सत्वरः धर्मे सीदति) इससे शीघ्र विवाह करने वाला गृहस्थ धर्म में कष्ट पाता है॥ ९४॥

देवदत्तां पतिर्भार्यां विन्दते नेच्छयात्मनः।
तां साध्वीं बिभृयान्नित्यं देवानां प्रियमाचरन्॥ ९५॥

(पतिः) पति (देवदत्तां भार्यां विन्दते) देवों द्वारा प्रदत्त पत्नी को ही प्राप्त करता है (आत्मनः इच्छया न) अपनी इच्छा से किसी स्त्री को नहीं प्राप्त करता, इसलिए (देवानां प्रियम्+आचरन्) देवताओं को प्रिय करता हुआ पति (तां साध्वीम्) उस साधु आचरण वाली पत्नी को (नित्यं बिभृयात्) सदा भरण-पोषण आदि से सन्तुष्ट रखे॥ ९५॥

अनुशीलन: ९२ से ९५ श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—(१) वर्णक्रम से विवाह आदर-सत्कार, दायभागविभाजन आदि का कथन भी मनुविरुद्ध है, क्योंकि मनु ने सवर्णा स्त्री से विवाह का विधान किया है [३। ४; ७। ७० आदि]। (२) यदि गान्धर्व विधि से अन्यवर्ण में भी विवाह होता है तो वह विवाह भी मान्य विवाहों में परिगणित है, तब भी आदर-सत्कार में वर्णानुक्रम से भिन्नता रखने का प्रश्न नहीं उठता (३) इसी प्रकार ९२–९३ का ९०–९१ से, ९४–९५ का ३। १–५ श्लोकों से विरोध है। वहाँ युवावस्था में स्त्री के विवाह का विधान है।

२. **विषयविरोध**—विषयसंकेतक श्लोकों [९। १, १०३] के अनुसार यह विषय स्त्रियों के आपत्कालीन धर्मों के कथन का है। स्वयंवर विवाह करने वाली कन्या का पैतृक धन में अधिकार [९२], विवाह अवस्था [९३–९४] आदि बातों का वर्णन विषय से भिन्न वर्णन है, अतः विषयविरुद्ध है। इस आधार पर ९२ से ९५ श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

स्त्री पुरुष की अर्द्धांगिनी—

प्रजनार्थं स्त्रियः सृष्टाः सन्तानार्थं च मानवाः।
तस्मात्साधारणो धर्मः श्रुतौ पत्न्या सहोदितः॥९६॥ (३७)

(प्रजनार्थं स्त्रियः सृष्टाः) गर्भधारण करके सन्तानों की उत्पत्ति

करने के लिए स्त्रियों की रचना हुई है (च) और (सन्तानार्थं मानवाः) सन्तानार्थ गर्भाधान करने के लिए पुरुषों की रचना हुई है [दोनों एक दूसरे के पूरक होने के कारण] (तस्मात्) इसलिए (श्रुतौ) वेदों में (साधारणः धर्मः) साधारण से साधारण धर्मकार्य का अनुष्ठान भी (पत्न्या सह+उदितः) पत्नी के साथ करने का विधान किया है ॥ ९६ ॥

अनुशीलन : प्रत्येक धर्मकार्य पत्नी को सहभागिनी बनाकर करें—मनु ने इस श्लोक में पत्नी को पुरुष की पूरक और अर्धांगिनी का रूप माना है, और प्रत्येक धर्मकार्य उसके साथ हुए बिना पूर्ण नहीं माना गया है। समस्त प्राचीन साहित्य में पत्नी की यही मान्य स्थिति रही है। जब पत्नी को पुरुष का अर्धभाग रूप ही मान लिया तो दोनों की स्थिति समान है। उसमें कोई पक्षपात की भावना नहीं है—

(क) **"अर्धो वा ह वा एष आत्मनो यज्जाया, तस्माद्, यावज्जायां न विन्दते नैव तावत् प्रजायते असर्वो हि तावद् भवति, अथ यदैव जायां विन्दतेऽथ प्रजायते, तर्हि हि सर्वो भवति।"** (शत० ५। २। १। १०)

(ख) **"अर्धो अर्धो वा एष आत्मनः यत्पत्नी"** (तैत्ति० ३। ३। ५)

शुल्क से कन्या-विवाहविषयक खण्डन-मण्डन—

कन्यायां दत्तशुल्कायां म्रियेत यदि शुल्कदः।
देवराय प्रदातव्या यदि कन्याऽनुमन्यते ॥ ९७ ॥

(कन्यायां दत्तशुल्कायाम्) कन्या का विवाहशुल्क देने के बाद (यदि शुल्कदः म्रियेत) यदि विवाह से पूर्व ही शुल्क देने वाला वर मरजाये, तो (यदि कन्या अनुमन्यते) यदि कन्या की अनुमति हो तो उसका (देवराय प्रदातव्या) मरने वाले वर के छोटे भाई से विवाह कर देना चाहिए ॥ ९७ ॥

आददीत न शूद्रोऽपि शुल्कं दुहितरं ददत्।
शुल्कं हि गृह्णन्कुरुते छन्नं दुहितृविक्रयम् ॥ ९८ ॥

(शूद्रः+अपि) शूद्र भी (दुहितरं ददत्) कन्यादान करते हुए (शुल्कं न आददीत) वर से कन्या का शुल्क न ले [द्विजों द्वारा शुल्क लेने का तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता] (हि) क्योंकि (शुल्कं गृह्णन्) शुल्क लेताहुआ व्यक्ति (छन्नं दुहितृविक्रयं कुरुते) प्रच्छन्न रूप से कन्या को बेचता ही है, ऐसा समझना चाहिए ॥ ९८ ॥

एतत्तु न परे चक्रुर्नापरे जातु साधवः।
यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य दीयते ॥ ९९ ॥

(यत्+अन्यस्य प्रतिज्ञाय) यह कि एक को कन्या देने का वचन देकर (पुनः+अन्यस्य प्रदीयते) फिर वह दूसरे को दे दी जाये (एतत्) ऐसा (न परे साधवः चक्रुः)

न प्राचीन सज्जनों ने किया (न अपरे जातु) न वर्तमान में कोई करता है अर्थात् कन्या का दान एक को ही होता है पुनः कन्यादान=विवाह नहीं होता ॥ ९९ ॥

नानुशुश्रुम जात्वेतत्पूर्वेष्वपि हि जन्मसु।
शुल्कसंज्ञेन मूल्येन छन्नं दुहितृविक्रयम् ॥ १०० ॥

(जातु+एतत् न+अनुशुश्रुम) निश्चय से ऐसा हमने कभी नहीं सुना कि (पूर्वेषु+अपि हि जन्मसु) पहले युगों में भी (शुल्कसंज्ञेन मूल्येन) 'शुल्क' नामक मूल्य से (छन्नं दुहितृविक्रयम्) प्रच्छन्न रूप से किसी ने कन्या को बेचा हो ॥ १०० ॥

अनुशीलन : ९७ से १०० श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. **विषयविरोध**— विषयसंकेतक श्लोकों [९।१, १०३] के अनुसार यह विषय स्त्री के आपत्कालीन धर्मों के कथन करने का है। इन श्लोकों में देवर से विवाह [९७], शुल्क न लेने का कथन [९८–१००] विषय से भिन्न वर्णन है, अतः विषयविरुद्ध होने से ९७–१०० श्लोक प्रक्षिप्त हैं। यह वर्णन ९।६९; ३।५१–५४ में वर्णित भी हो चुका है अतः अनावश्यक है।

२. **प्रसंगविरोध**—पूर्वापर श्लोकों में [९६, १०१–१०३] विषय का उपसंहार करते हुए स्त्री-पुरुष को सदा साथ रहने और कभी भी वियुक्त न होने का कथन है। इन श्लोकों ने उस पूर्वापर प्रसंग को भंग करके अन्य बातों का वर्णन किया है, अतः ये श्लोक प्रसंगविरुद्ध प्रक्षिप्त हैं।

पति-पत्नी आमरण साथ रहें—

अन्योन्यस्याव्यभिचारो भवेदामरणान्तिकः।
एष धर्मः समासेन ज्ञेयः स्त्रीपुंसयोः परः ॥ १०१ ॥ (३८)

(आमरणान्तिकः) मरणपर्यन्त (अन्योन्यस्य+अव्यभिचारः भवेत्) पति-पत्नी में परस्पर किसी भी प्रकार के धर्म का उल्लंघन और विच्छेद न हो पाये (समासेन) संक्षेप में (स्त्रीपुंसयोः) स्त्री-पुरुष का (एषः परः धर्मः ज्ञेयः) यही साररूप मुख्य धर्म है ॥ १०१ ॥

बिछुड़ने के अवसर न आने दें—

तथा नित्यं यतेयातां स्त्रीपुंसौ तु कृतक्रियौ।
यथा नाभिचरेतां तौ वियुक्तावितरेतरम् ॥ १०२ ॥ (३९)

(कृतक्रियौ स्त्रीपुंसौ) विवाहित स्त्री-पुरुष (नित्यं तथा यतेयाताम्) सदा ऐसा यत्न करें कि (यथा तौ) जिस किसी भी प्रकार से (तौ) वे (इतरेतरम्) एक-दूसरे से (वियुक्तौ न+अभिचरेताम्) अलग न होवें= सम्बन्धविच्छेद न हो पाये ॥ १०२ ॥

[१७] दायभाग विवाद-वर्णन [९।१०३--२१९]

एष स्त्रीपुंसयोरुक्तो धर्मो वो रतिसंहितः।
आपद्यपत्यप्राप्तिश्च दायभागं निबोधत ॥ १०३ ॥ (४०)

(एषः) यह [९।१ से १०२ पर्यन्त] (स्त्रीपुंसयोः) स्त्री-पुरुष के (रति-संहितः धर्मः) रति=स्नेह या संयोग सहित [वियोगकाल के भी] धर्म (च) और (आपदि+अपत्यप्राप्तिः) आपत्काल में नियोगविधि से सन्तान-प्राप्ति [९।५६-६३] की बात (वः उक्तः) तुमसे कही।

(दायभागं निबोधत) दायभाग का विधान सुनो—॥ १०३ ॥

अलग होते समय दायभाग का बराबर विभाजन—

ऊर्ध्वं पितुश्च मातुश्च समेत्य भ्रातरः समम्।
भजेरन्पैतृकं रिक्थमनीशास्ते हि जीवतोः ॥ १०४ ॥ (४१)

(पितुः च मातुः ऊर्ध्वम्) पिता और माता के मरने के पश्चात् (भ्रातरः समेत्य) सब भाई एकत्रित होकर (पैतृकं रिक्थं समं भजेरन्) पैतृक सम्पत्ति को बराबर-बराबर बांट लें (जीवतोः ते हि अनीशाः) माता-पिता के जीवित रहते हुए वे उस धन के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। ॥ १०४ ॥

सम्मिलित रहने पर विभाजन का दूसरा विकल्प—

ज्येष्ठ एव तु गृह्णीयात्पित्र्यं धनमशेषतः।
शेषास्तमुपजीवेयुर्यथैव पितरं तथा ॥ १०५ ॥ (४२)

[अथवा सम्मिलित रूप में रहना हो तो] (पित्र्यं धनम्+अशेषतः ज्येष्ठः एव तु गृह्णीयात्) पिता के सारे धन को बड़ा पुत्र ही ग्रहण करले (शेषाः) और बाकी सब भाई (यथा+एव पितरम्) जैसे पिता के साथ रहते थे (तथा तम्+उपजीवेयुः) उसी प्रकार बड़े भाई के साथ रहकर

१

मातृधन का विधान १९२ से है।

ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः।
पितॄणामनृणश्चैव स तस्मात्सर्वमर्हति ॥ १०६ ॥

(ज्येष्ठेन जातमात्रेण) ज्येष्ठ पुत्र के उत्पन्न होते ही (मानवः पुत्री भवति) मनुष्य पुत्रवाला हो जाता है (च) और (पितॄणाम्+अनृणः) वह पितरों के ऋण से छूट जाता

है (तस्मात् सर्वम् + अर्हति) इस कारण बड़ा पुत्र पिता की सब सम्पत्ति पाने का अधिकारी है ॥ १०६ ॥

यस्मिन्नृणं संनयति येन चानन्त्यमश्नुते ।
स एव धर्मजः पुत्रः कामजानितरान्विदुः ॥ १०७ ॥

(यस्मिन् + ऋणं संनयति) जिसके उत्पन्न होने पर पिता पितृ-ऋण से छूट जाता है (च) और (येन + आनन्त्यम् + अश्नुते) जिससे मुक्ति को प्राप्त करता है (सः एव धर्मजः पुत्रः) वह बड़ा ही धर्म से उत्पन्न पुत्र है (इतरान् कामजान् विदुः) अन्य छोटे पुत्र तो कामवासना से उत्पन्न हैं, ऐसा मानते हैं ॥ १०७ ॥

अनुशीलन : १०६–१०७ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—ये श्लोक पूर्वापर प्रसंग को भंग कर रहे हैं। १०५ वें श्लोक में बड़े भाई को ही धनग्रहण करने का विकल्प है, और उस अवस्था में छोटे भाइयों को कैसे रहना चाहिए यह कथन १०८ वें में है। यह समझिए कि १०५ का वाक्य १०८ में पूर्ण होता है। इस बीच में ज्येष्ठ पुत्र की महिमा का कथन उस वाक्यक्रम को भंग कर रहा है। और यहां यह अनावश्यक एवं असंगत भी है। अतः प्रसंगविरुद्ध होने से ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. **अन्तर्विरोध**—(१) १०६ में महिमापूर्वक ज्येष्ठ पुत्र को ही सब धन का अधिकारी ठहराना १०४ के विरुद्ध है। मनु ने इस विकल्प को मुख्य नहीं अपितु द्वितीय-स्थानीय विकल्प माना है। (२) १०७ वें श्लोक में ज्येष्ठ पुत्र को धर्मज मानना, दूसरों को 'कामज' मानना भी मनु के विरुद्ध है। मनु ने अनेक पुत्रों की उत्पत्ति धर्मपूर्वक मानी है [६। ३६]।

बड़े भाई का छोटों के प्रति कर्त्तव्य—

पितेव पालयेत्पुत्रान्ज्येष्ठो भ्रातॄन्यवीयसः ।
पुत्रवच्चापि वर्तेरन्ज्येष्ठे भ्रातरि धर्मतः ॥ १०८ ॥ (४३)

[सम्मिलित रहते हुए] (ज्येष्ठः) बड़ा भाई (यवीयसः भ्रातॄन्) अपने छोटे भाइयों को (पिता + इव पुत्रान्) जैसे पिता अपने पुत्रों का पालन पोषण करता है ऐसे (पालयेत्) पाले (च) और (ज्येष्ठे भ्रातरि) छोटे भाई बड़े भाई में (धर्मतः) धर्म से (पुत्रवत् + अपि वर्तेरन्) पुत्र के समान बर्ताव करें अर्थात् उसे पिता के समान मानें ॥ १०८ ॥

ज्येष्ठः कुलं वर्धयति विनाशयति वा पुनः ।
ज्येष्ठः पूज्यतमो लोके ज्येष्ठः सद्भिरगर्हितः ॥ १०९ ॥

(ज्येष्ठः कुलं वर्धयति) बड़ा भाई ही कुल की उन्नति करता है (वा) अथवा

(पुनः विनाशयति) यदि बुरा होता है तो कुल को विनष्ट कर देता है (लोके ज्येष्ठः पूज्यतमः) संसार में बड़ा भाई पूज्य है और (सद्भिः+अगर्हितः) सज्जनों के द्वारा प्रशंसनीय है ॥ १०९ ॥

अनुशीलन : १०९ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. **प्रसंगविरोध**—पूर्वापर श्लोकों में बड़े और छोटे भाइयों के पारस्परिक व्यवहार का वर्णन है। इस श्लोक में ज्येष्ठ पुत्र की महिमा ने उस वर्णन-क्रम को भंग कर दिया है, अतः यह श्लोक प्रसंगविरुद्ध प्रक्षिप्त है। वैसे भी दायभाग विधान के प्रसंग में यह महिमात्मक श्लोक असंगत एवं अनावश्यक है।

छोटों का बड़े भाई के प्रति कर्त्तव्य—

यो ज्येष्ठो ज्येष्ठवृत्तिः स्यान्मातेव स पितेव सः।
अज्येष्ठवृत्तिर्यस्तु स्यात्सः संपूज्यस्तु बन्धुवत् ॥११०॥(४४)

किन्तु (यः ज्येष्ठः) जो बड़ा भाई (ज्येष्ठवृत्तिः स्यात्) बड़ों अर्थात् पिता आदि के समान बर्ताव करने वाला हो तो (सः पिता+इव, सः माता+इव संपूज्यः) वह पिता और माता के समान माननीय है (यः तु) और जो (अज्येष्ठवृत्तिः स्यात्) बड़ों अर्थात् पिता आदि के समान बर्ताव करने वाला न हो तो (सः तु बन्धुवत्) वह केवल भाई या मित्र की तरह ही मानने योग्य होता है ॥ ११० ॥

एवं सह वसेयुर्वा पृथग्वा धर्मकाम्यया।
पृथग्विवर्धते धर्मस्तस्माद्धर्म्या पृथक् क्रिया ॥ १११ ॥ (४५)

(एवम्) इस प्रकार (सह वसेयुः) सब भाई साथ मिलकर [९।१०५-११०] रहें (वा) अथवा (धर्मकाम्यया) धर्म की कामना से (पृथक्) अलग-अलग [९।१०४] रहें। (पृथक् धर्मः विवर्धते) पृथक-पृथक् रहने से धर्म का [सबके द्वारा अलग-अलग पञ्चमहायज्ञ आदि करने के कारण] विस्तार होता है (तस्मात्) इस कारण (पृथक् क्रिया धर्म्या) पृथक् रहना भी धर्मानुकूल है ॥ १११ ॥

इकट्ठे रहकर अलग होने पर 'उद्धार' अंश का विभाजन—

ज्येष्ठस्य विंश उद्धारः सर्वद्रव्याच्च यद्वरम्।
ततोऽर्धं मध्यमस्य स्यात्तुरीयं तु यवीयसः ॥ ११२ ॥ (४६)

[सम्मिलित रहते हुए अगर बड़े भाई छोटों का पालन-पोषण करें तो उसके बाद अलग होते हुए] (ज्येष्ठस्य विंशः उद्धारः) पिता के धन में से बड़े भाई का बीसवां भाग 'उद्धार' [=अतिरिक्त भागविशेष होता है]

(च) और (सर्वद्रव्यात् यत् वरम्) सब पदार्थों में से जो सबसे श्रेष्ठ पदार्थ हो वह भी (ततः+अर्धम) बड़े के 'उद्धार' से आधा उद्धार (मध्यमस्य) मझले भाई का अर्थात् चालीसवां भाग (तुरीयं तु यवीयसः स्यात्) चौथाई भाग अर्थात् अस्सीवां भाग सबसे छोटे भाई का 'उद्धार' होना चाहिए ॥ ११२ ॥

अनुशीलन : (१) **उद्धार-भाग का विभाजन**—'उद्धार' पैतृक सम्पत्ति में से पृथक् किये गये उस भाग को कहते हैं जिसका लाभ बड़े भाई को मिलता है, १०५—१११ श्लोकों की अनुवृत्ति के अनुसार यह 'उद्धार' तभी मिल सकता है जब बड़ा छोटों को पितृवत् पालन-पोषण करके बड़ा करे।

समझने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत है—मान लिया कि पैतृक सम्पत्ति ९६० रुपये है। उसमें बड़े भाई का बीसवां भाग (९६०÷२०=४८) ४८ रु० 'उद्धार' निकलेगा, मझले भाई का चालीसवां भाग (९६०÷४०=२४) २४ रु० होगा, छोटे भाई का अस्सीवां भाग (९६०÷८०=१२) १२ रु० 'उद्धार' होगा। 'उद्धार' का 'धन' बंटने के बाद शेष धन को सभी भाई बराबर बांट लेंगे, यथा –४८+२४+१२=८४, ९६०—८४=८७६, ८७६÷३=२९२, इस प्रकार २९२-२९२ रु० प्रत्येक के हिस्से में आये। इस विधि से बड़े भाई को २९२+४८=३४० रु०, उसमें मझले भाई को २९२+२४=३१६ रु० छोटे भाई को २९२+१२=३०४ रु० प्राप्त हुए।

(२) **उद्धार-भाग का विधान क्यों ?**—९। १०४ में पैतृक सम्पत्ति का समान विभाजन बतलाया है। इस श्लोक में उद्धार अंश के विभाजन के बाद समान-भाग का विभाजन है। यह विरोध प्रतीत होता है, किन्तु विरोध है नहीं। यह वर्णन विभाजन के द्वितीय विकल्प [१०५] के प्रसंगान्तर्गत है। यह तभी प्राप्त होता है जब बड़े भाई अपने से छोटों का पालन-पोषण करें। सम्मिलित रहते हुए पिता के समान छोटों के निर्माण में श्रम करें। इसी श्रम के परिणामस्वरूप बड़े को अलग होते समय यह अधिक भाग मिलता है क्योंकि उसने छोटों की अपेक्षा अधिक कष्ट उठाये होते हैं।

ज्येष्ठश्चैव कनिष्ठश्च संहरेतां यथोदितम्।
ज्येष्ठे ज्येष्ठकनिष्ठाभ्यां तेषां स्यान्मध्यमं धनम् ॥ ११३ ॥

(ज्येष्ठः च कनिष्ठः च) बड़ा भाई और छोटा भाई (यथा+उदितं संहरेताम्) [९। ११२ में] पूर्वोक्त विधि से अपना अपना 'उद्धार' ग्रहण करें (ज्येष्ठकनिष्ठाभ्यां ये अन्ये) बड़े और छोटे से भिन्न जितने मझले भाई हों (तेषां मध्यमं धनं स्यात्) उनका मध्यम भाग होना चाहिए ॥ ११३ ॥

सर्वेषां धनजातानामादद्यादग्र्यमग्रजः।
यच्च सातिशयं किञ्चिद्दशतश्चाप्नुयाद्वरम् ॥ ११४ ॥

(सर्वेषां धनजातानाम्) सभी प्रकार की धन-सम्पत्ति में से (अग्रजः) बड़ा भाई (अग्र्यम्+आददीत) सर्वश्रेष्ठ वस्तु को ले ले (च) और (यत् किंचित् सातिशयम्) जो कोई एक ही श्रेष्ठ वस्तु हो तो वह भी बड़े को मिल सकती है (च) तथा (दशतः वरम् आप्नुयात्) दश-दश गाय आदि पशुओं में से एक श्रेष्ठ पशु बड़ा भाई प्राप्त कर ले [बड़े भाई को यह अधिक धन अतिरिक्त रूप में देने का कथन है] ॥ ११४ ॥

उद्धारो न दशस्वस्ति संपन्नानां स्वकर्मसु ।
यत्किंचिदेव देयं तु ज्यायसे मानवर्धनम् ॥ ११५ ॥

(स्वकर्मसु संपन्नानाम्) छोटे भाइयों के अपने कर्म में समुचित रूप में संलग्न होते हुए (दशसु उद्धारः न अस्ति) बड़े भाई को दश पशुओं में एक श्रेष्ठ पशु उद्धार रूप में नहीं प्राप्त होगा (तु) किन्तु (ज्यायसे मानवर्धनम्) बड़े भाई का सम्मान बढ़ाने के लिए (यद् किंचित्+एव देयम्) उसे कुछ तो अधिक भाग देना चाहिए ॥ ११५ ॥

अनुशीलन : ११३–११५ श्लोक प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—(१) ११४ में सभी प्रकार की वस्तुओं में से श्रेष्ठ वस्तु लेने का कथन १०४ एवं ११२ के विरुद्ध है। उनमें सारे धन में से एक समान धन को लेने का कथन है। (२) ११५ वें की मान्यता ११२ वें के विधान के विरुद्ध है, अतः दोनों श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. **प्रसंगविरोध**—पूर्वापर ११६ वें श्लोक में उद्धार भाग निकालने का प्रसंग है। इन दोनों श्लोकों ने उससे भिन्न वर्णन द्वारा उसे भंग कर दिया है, अतः ये प्रसंग-विरुद्ध प्रक्षेप हैं। ११३ श्लोक में तथा ११६ में दो जगह उद्धार निकालने का कथन है। यह पुनरुक्त है। ११६ का कथन अधिक स्पष्ट है, अतः ११३ प्रक्षिप्त है।

एवं समुद्धृतोद्धारे समानंशान्प्रकल्पयेत् ।
उद्धारेऽनुद्धृते ह्येषामियं स्यादंशकल्पना ॥ ११६ ॥ (४७)

(एवम् समुद्धृत+उद्धारे) इस प्रकार [९। १२–११३] 'उद्धार' [=अतिरिक्त धनविशेष] के निकालने के बाद (समान्-अंशान् प्रकल्पयेत्) शेष धन को समान भागों में बांट लें (तु उद्धारे+अनुद्धृते) यदि 'उद्धार' पृथक् से नहीं निकालें तो (एषाम् अंशकल्पना इयं स्यात्) उन भाइयों के भाग का बंटवारा इस प्रकार करे ॥ ११६ ॥

सम्मिलित रहकर अलग होते हुए विभाजन की अन्य विधि—

एकाधिकं हरेज्ज्येष्ठः पुत्रोऽध्यर्धं ततोऽनुजः ।
अंशमंशं यवीयांस इति धर्मो व्यवस्थितः ॥११७॥ (४८)

(ज्येष्ठः एक-अधिकं हरेत्) बड़ा भाई 'एक अधिक' अर्थात् दो भाग

धन ग्रहण करे (तत्+अनुजः पुत्रः अध्यर्धम्) उससे छोटा भाई डेढ़ भाग ले (यवीयांसः अंशम्+अंशम्) छोटे भाई एक-एक भाग सम्पत्ति का ग्रहण करें (इति धर्मः व्यवस्थितः) यही धर्म की व्यवस्था है ॥ ११७ ॥

स्वेभ्योंऽशेभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रदद्युर्भ्रातरः पृथक् ।
स्वात्स्वादंशाच्चतुर्भागं पतिताः स्युरदित्सवः ॥११८॥(४९)

(भ्रातरः) सब भाई (कन्याभ्यः) अविवाहित बहनों के लिए पृथक् (चतुर्भागम्) पृथक्-पृथक् चतुर्थांश भाग (स्वेभ्यः प्रदद्युः) अपने भागों से देवें (स्वात् स्वात्+अंशात् अदित्सवः) अपने-अपने भाग से चतुर्थांश भाग न देने वाले भाई (पतिताः स्युः) पतित = दोषी और निन्दनीय माने जायेंगे ॥ ११८ ॥

अजाविकं सैकशफं न जातु विषमं भजेत् ।
अजाविकं तु विषमं ज्येष्ठस्यैव विधीयते ॥ ११९ ॥ (५०)

(अजा+अविकम् स+एकशफं विषमम्) बकरी, भेड़, एक खुरवाली घोड़ी आदि के विषम होने पर (न जातु भजेत्) उन्हें [बेचकर धनराशि के रूप में] विभाजित न करें (विषमम् अजाविकं तु) विषम रूप में बचे बकरी-भेड़ आदि पशु (ज्येष्ठस्य+एव विधीयते) बड़े भाई को ही प्राप्त होते हैं ॥ ११९ ॥

नियोग से उत्पन्न पत्नियों के अनुसार दाय-व्यवस्था—

यवीयाञ्ज्येष्ठभार्यायां पुत्रमुत्पादयेद्यदि ।
समस्तत्र विभागः स्यादिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ १२० ॥

(यदि यवीयान्) यदि छोटा भाई (ज्येष्ठभार्यायां पुत्रम्+उत्पादयेत्) बड़े भाई की स्त्री में 'नियोग' [९ । ५८–६२] से पुत्र उत्पन्न करे तो (तत्र) उस स्थिति में (समः विभागः स्यात्) उस पुत्र को अपने चाचा आदि के समान भाग होगा अर्थात् वह अपने असली पिता के सम्पूर्ण भाग का अधिकारी होगा किन्तु उद्धार भाग का नहीं (इति धर्मः व्यवस्थितः) ऐसी धर्म की व्यवस्था है ॥ १२० ॥

उपसर्जनं प्रधानस्य धर्मतो नोपपद्यते ।
पिता प्रधानं प्रजने तस्माद्धर्मेण तं भजेत् ॥ १२१ ॥

(उपसर्जनम्) गौणपुत्र अर्थात् जो नियोगविधि से छोटे भाई के द्वारा बड़े भाई की स्त्री में उत्पन्न हुआ है, वह (धर्मतः) धर्मानुसार (प्रधानस्य न+उपपद्यते) प्रधान-पुत्र अर्थात् अपने ही पिता से उत्पन्न पुत्र के पूर्ण उद्धारादि भाग का अधिकारी नहीं होता, क्योंकि (प्रजने प्रधानं पिता) सन्तानोत्पत्ति में पिता की ही अर्थात् बीज की ही

प्रधानता होती है (तस्मात्) इस कारण (धर्मेण तं भजेत्) धर्मानुसार समभाग को ही ले ले ॥ १२१ ॥

पुत्रः कनिष्ठो ज्येष्ठायां कनिष्ठायां च पूर्वजः ।
कथं तत्र विभागः स्यादिति चेत्संशयो भवेत् ॥ १२२ ॥

(ज्येष्ठायां कनिष्ठः पुत्रः) यदि बड़ी पत्नी से उत्पन्न पुत्र छोटा हो (च) और (कनिष्ठायां पूर्वजः) छोटी पत्नी से उत्पन्न पुत्र बड़ा हो (तत्र कथं विभागः स्यात्) उस स्थिति में कैसे बंटवारा होना चाहिए? (इति चेत् संशयः भवेत्) यदि ऐसा सन्देह हो तो—[उस सन्देह का समाधान आगे कहा है] ॥ १२२ ॥

एकं वृषभमुद्धारं संहरेत स पूर्वजः ।
ततोऽपरे ज्येष्ठवृषास्तदूनानां स्वमातृतः ॥ १२३ ॥

(सः पूर्वजः) पहली विवाहित स्त्री का पुत्र (एकं वृषभम्+उद्धारं संहरेत) एक बैल 'उद्धार' रूप में अधिक ग्रहण करे (ततः अपरे) उसके बाद दूसरे पुत्र (स्वमातृतः तत् ऊनानां ज्येष्ठवृषाः) अपनी माता के क्रम से जो छोटे हैं वे एक-एक बैल 'उद्धार' रूप में ले लें ॥ १२३ ॥

ज्येष्ठस्तु जातो ज्येष्ठायां हरेद्वृषभषोडशाः ।
ततः स्वमातृतः शेषा भजेरन्निति धारणा ॥ १२४ ॥

(ज्येष्ठायां जातः ज्येष्ठः तु) ज्येष्ठ माता से उत्पन्न आयु से भी ज्येष्ठ पुत्र (वृषभषोडशाः हरेत्) पन्द्रह गायों के साथ एक बैल ले (ततः शेषाः) उसके बाद शेष पुत्र (स्वमातृतः भजेरन्) अपनी माता के विवाहक्रमानुसार शेष धन को बांट लें (इति धारणा) ऐसी मान्यता है ॥ १२४ ॥

सदृशस्त्रीषु जातानां पुत्राणामविशेषतः ।
न मातृतो ज्यैष्ठ्यमस्ति जन्मतो ज्यैष्ठ्यमुच्यते ॥ १२५ ॥

(सदृशस्त्रीषु जातानां पुत्राणाम्) समानजातीय स्त्रियों में उत्पन्न पुत्रों में (अविशेषतः) जाति-सम्बन्धी विशेषता न होने से (मातृतः ज्यैष्ठ्यं न अस्ति) माता के ज्येष्ठत्व आधार पर पुत्रों का ज्येष्ठत्व नहीं होता अपितु (जन्मतः ज्यैष्ठ्यम्+उच्यते) जन्मक्रम से ही ज्येष्ठत्व माना जाता है ॥ १२५ ॥

जन्मज्येष्ठेन चाह्वानं सुब्रह्मण्यास्वपि स्मृतम् ।
यमयोश्चैव गर्भेषु जन्मतो ज्येष्ठता स्मृता ॥ १२६ ॥

(सुब्रह्मण्याम्+अपि) 'सुब्रह्मण्या' नामक ऋचाओं में भी (जन्मज्येष्ठेन आह्वानं स्मृतम्) जन्मक्रम की ज्येष्ठता को ही माना गया है (च) और (गर्भेषु यमयोः एव) गर्भ में एकसाथ जुड़वा पुत्र होने पर उनमें भी (जन्मतः ज्येष्ठता स्मृता) प्रथम जन्म लेने वाले को ज्येष्ठ कहा गया है ॥ १२६ ॥

अनुशीलन : १२० से १२६ श्लोक प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—(१) १२०–१२१ श्लोक १४५, १४६ की व्यवस्था के विरुद्ध हैं। (२) १२२–१२६ श्लोकों में एकसाथ बहुपत्नी रखने वाले व्यक्ति के धन-का वर्णन है। बहुपत्नी-प्रथा ही मनुविरुद्ध है [५।१६७, ७।७७], अतः उसके दायभाग का विधान मनुकृत हो ही नहीं सकता। इस प्रकार ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. **प्रसंगविरोध**—नियोग से उत्पन्न पुत्रों के दायभाग का प्रसंग सबके बाद १४५–१४७ श्लोकों में वर्णित है। प्रसंग से पूर्व वर्णित होने के कारण ये श्लोक प्रसंग-विरुद्ध प्रक्षेप हैं। और यहां अनावश्यक भी हैं क्योंकि ये बातें वहां वर्णित हैं।

पुत्रिका करने का उद्देश्य—

अपुत्रोऽनेन विधिना सुतां कुर्वीत पुत्रिकाम्।
यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्स्वधाकरम्॥ १२७॥ (५१)

(अपुत्रः) पुत्रहीन पिता ('अस्यां यत्+अपत्यं भवेत् तत् मम स्वधाकरं स्यात्') इस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह मुझे वृद्धावस्था में अन्न-भोजन आदि से पालन-पोषण करने वाला होगा और इस प्रकार सुख देने वाला होगा' (अनेन विधिना सुतां पुत्रिका कुर्वीत) ऐसा दामाद से कहकर कन्या को 'पुत्रिका' करे॥ १२७॥

अनुशीलन : (१) **'स्वधा' का मनुसम्मत अर्थ**—इस श्लोक में टीकाकार 'स्वधा' शब्द का श्राद्ध प्रसंग में पिण्डदान आदि अर्थ करते हैं, यह अर्थ मनु-सम्मत नहीं है। इस भाष्य में दिया गया अर्थ मनुसम्मत एवं प्रामाणिक है। उसमें निम्न प्रमाण एवं युक्तियां हैं—(क) मनु मृतकश्राद्ध नहीं मानते, अतः उस प्रसंग का अर्थ करना ही मनुविरुद्ध है [इसके लिए देखिए विस्तृत व्याख्यान ३। ८१, ८२ और २८४ पर]। (ख) निरुक्तकार ने स्वधा शब्द का अर्थ करते हुए लिखा है—"**स्वधा अन्ननाम**" [२। ७] "**स्वधा उदकनाम**" [१। १२], इनसे सिद्ध होता है कि 'स्वधाकार' का अर्थ हुआ 'अन्न-जलादि से पालन पोषण करने वाला, इस अर्थ की पुष्टि ३। ८२ से भी हो जाती है। (ग) 'स्व' स्वजनों को भी कहते हैं, **स्वान्=पितॄन् दधाति यया क्रियया सा स्वधा**' इस व्युत्पत्ति के आधार पर वृद्धावस्था में अन्न, जल, सेवा-सुश्रूषा आदि से सुख देना ही 'स्वधा' क्रिया कहलायेगी। (घ) पुत्रोत्पत्ति का भी व्यक्ति का यही उद्देश्य होता है कि वह कष्टों से बचाये, सुख दे, वृद्धावस्था में संभाले [द्रष्टव्य ९। १३८ श्लोक एवं उस पर समीक्षा]। (ङ) व्यक्ति को सबसे पहले यही इच्छा होती है कि उसकी सन्तान उसके लिए सुखदायी बने। इसीलिए पुत्रहीन व्यक्ति 'पुत्रिका' की विधि अपनाता है। इस प्रकार 'स्वधाकर' का उपर्युक्त अर्थ ही उपयुक्त है।

(२) **पुत्रिका धर्म**—पुत्रिका करने का अभिप्राय यह है कि जिस व्यक्ति का कोई पुत्र न हो किन्तु पुत्री हो, तो वह पुत्री का विवाह करते समय दामाद पक्ष वालों से

यह निश्चय कर लेता है कि इससे जो प्रथम पुत्र होगा उसे मैं गोद लूंगा। अर्थात् वह नाना की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होगा। ऐसे निश्चय को 'पुत्रिकाधर्म' कहते हैं।

अनेन तु विधानेन पुरा चक्रेऽथ पुत्रिकाम्।
विवृद्धयर्थं स्ववंशस्य स्वयं दक्षः प्रजापतिः॥ १२८॥

(पुरा) पुरातन काल में (स्ववंशस्य विवृद्धयर्थम्) अपने वंश की वृद्धि के लिये (स्वयं दक्षः प्रजापतिः) स्वयं दक्षप्रजापति ने भी (अनेन तु विधानेन) इस विधि से (पुत्रिकां चक्रे) 'पुत्रिका' की थी॥ १२८॥

ददौ स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश।
सोमाय राज्ञे सत्कृत्य प्रीतात्मा सप्तविंशतिम्॥ १२९॥

(सः) उस (प्रीतात्मा) प्रसन्न आत्मा वाले प्रजापति ने (सत्कृत्य) वस्त्र-आभूषण आदि से अलंकृत करके (धर्माय दश) धर्मराज को दस कन्याएं (कश्यपाय त्रयोदश) कश्यप की तेरह कन्याएं (सोमाय राज्ञे सप्तविंशतिम्) सोम राजा के लिए सत्ताईस कन्याएं दी थीं॥ १२९॥

अनुशीलन : १२८–१२९ श्लोक प्रक्षिप्त हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—१२७ और १३० श्लोकों की परस्पर वाक्यात्मक सम्बद्धता है। १३० वां श्लोक १२७ का अर्थवाद है। बीच के श्लोकों ने उस वाक्यगत सम्बद्धता को भंग कर दिया है। अतः प्रसंगभंजक होने के कारण ये श्लोक मौलिक नहीं हैं।

२. **शैलीगत आधार**—(१) दक्ष-प्रजापति की पौराणिक घटना का उल्लेख होने से ये दोनों श्लोक परवर्ती सिद्ध होते हैं, अतः परवर्ती व्यक्ति द्वारा रचित प्रक्षेप हैं। (२) प्रस्तुत प्रसंग के मनुप्रोक्त सभी श्लोकों की शैली विधानात्मक है, इन श्लोकों की ऐतिहासिक शैली इन्हें अन्यप्रोक्त सिद्ध करती है।

पुत्र के अभाव में सारे धन की पुत्री अधिकारिणी—

यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा।
तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धनं हरेत्॥ १३०॥ (५२)

(यथा+एव आत्मा तथा पुत्रः) जैसी अपनी आत्मा है वैसा ही पुत्र होता है, और (पुत्रेण दुहिता समा) पुत्र जैसी ही पुत्री होती है (तस्याम्+आत्मनि तिष्ठन्त्याम्) उस आत्मारूप पुत्री के रहते हुये (अन्यः धनं कथं हरेत्) कोई दूसरा धन को कैसे ले सकता है? अर्थात् पुत्र के अभाव में पुत्री ही धन की अधिकारिणी होती है॥ १३०॥

अनुशीलन : **पुत्र-पुत्री आत्मारूप**—निरुक्तकार ने दायभाग का विश्लेषण करते हुए मनु की मान्यता के अनुरूप पुत्र और पुत्री दोनों को दायभाग का

अधिकारी माना है। किसी प्राचीन ग्रन्थ के श्लोकों को उद्धृत करके यास्क ने मनु की इस मान्यता को निम्न श्लोकों द्वारा स्पष्ट किया है —

अङ्गादङ्गात्सम्भवसि हृदयादधि जायसे।
आत्मा वै पुत्र नामासि स जीव शरदः शतम्॥

अविशेषेण पुत्राणां दायो भवति धर्मतः।
मिथुनानां विसर्गादौ मनुः स्वायम्भुवोऽब्रवीत्॥ [निरु० ३।१।४]

अर्थात्—हे पुत्र! तू मेरे अंग-अंग से उत्पन्न हुआ है और मेरी आत्मा से प्रकट हुआ है, अतः तू पुत्र मेरी आत्मा का ही रूप है। तू सैकड़ों वर्षों तक जीये॥ धर्मानुसार पुत्र और पुत्री दोनों का समानभाव से दायभाग में अधिकार होता है—यह मान्यता सृष्टि के आदि में स्वायम्भुव मनु ने व्यक्त की है।

माता का धन पुत्रियों का ही होता है—

मातुस्तु यौतकं यत् स्यात्कुमारीभाग एव सः।
दौहित्र एव च हरेदपुत्रस्याखिलं धनम्॥ १३१॥(५३)

(मातुः तु यत् यौतकं स्यात्) माता का जो [विवाह आदि के अवसर पर निजी धन के रूप में पिता-भाई से प्राप्त] धन होता है (सः कुमारी-भागः एव) वह कन्या का ही भाग होता है (च) तथा (अपुत्रस्य अखिलं धनं दौहित्रः एव हरेत्) पुत्रहीन नाना के सम्पूर्ण धन को धेवता ही प्राप्त कर लेवे॥ १३१॥

दौहित्रो ह्यखिलं रिक्थमपुत्रस्य पितुर्हरेत्।
स एव दद्याद् द्वौ पिण्डौ पित्रे मातामहाय च॥ १३२॥

(अपुत्रस्य पितुः) दूसरे पुत्र के न होने पर अपने पिता का (अखिलं रिक्थम् हि) सब धन भी (दौहित्रः हरेत्) धेवता ही ले लेवे (सः एव) और वह (पित्रे च मातामहाय द्वौ पिण्डौ दद्यात्) अपने पिता तथा अपने नाना को पिण्ड देवे॥ १३२॥

पौत्रदौहित्रयोर्लोके न विशेषोऽस्ति धर्मतः।
तयोर्हि मातापितरौ सम्भूतौ तस्य देहतः॥ १३३॥

(लोके) संसार में (धर्मतः) धर्मानुसार (पौत्रदौहित्रयोः विशेषः न अस्ति) पोते और धेवते में कोई अन्तर नहीं है (हि) क्योंकि (तयोः मातापितरौ) उन दोनों के क्रमशः पिता तथा माता (तस्य देहतः सम्भूतौ) उस शरीर से उत्पन्न हुए हैं॥ १३३॥

अनुशीलन: १३२–१३३ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. **विषयविरोध**—प्रस्तुत विषय [९।१०३] दायभाग के वर्णन का है इसमें पिण्डदान का वर्णन विषयबाह्य है। पुत्र आदि का उद्देश्य कष्ट से बचाना है न कि

पिण्डदान देना [९।१३८ की समीक्षा द्रष्टव्य]। इसी प्रकार १२७ से नाना के धनसे सम्बद्ध प्रसंग है, अतः पिता के धन का वर्णन यहां अनभीष्ट है। इस प्रकार विषयविरुद्ध होने से १३२ वां श्लोक प्रक्षिप्त है, १३३ वां उस पर आधारित होने से वह भी प्रक्षिप्त है।

२. **शैलीगत आधार**—१३३ वें की शैली अयुक्तियुक्त है। यदि इतने कारण मात्र से भेद समाप्त हो जाता है तो १२७ वें में पृथक् से 'पुत्रिका' करने की क्या आवश्यकता रहती है। और इस प्रकार तो पुत्रों के साथ दौहित्र का भी दायभाग में आवश्यक अधिकार होना चाहिए! अयुक्तिपूर्ण शैली होने के कारण यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

पुत्रिका करने पर पुत्र होने की अवस्था में दायव्यवस्था -

पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनुजायते।
समस्तत्र विभागः स्याज्ज्येष्ठता नास्ति हि स्त्रियाः ॥१३४॥(५४)

(पुत्रिकायां कृतायां तु) 'पुत्रिका' कर लेने के बाद (यदि पुत्रः+अनुजायते) यदि किसी को पुत्र उत्पन्न हो जाये तो (तत्र समः विभागः स्यात्) उस स्थिति में उन दोनों को [धेवता और निजपुत्र को] धन का समान भाग मिलेगा (हि) क्योंकि (स्त्रियाः ज्येष्ठता न+अस्ति) स्त्री को ज्येष्ठत्व=बड़े पुत्र की भांति 'उद्धार' भाग नहीं प्राप्त होता। अतः धेवते को भी वह 'उद्धार' भाग नहीं प्राप्त होगा॥ १३४॥

अपुत्रायां मृतायां तु पुत्रिकायां कथञ्चन।
धनं तत्पुत्रिकाभर्ता हरेतैवाविचारयन् ॥ १३५ ॥

(कथञ्चन) किसी कारण (अपुत्रायां मृतायाम्) बिना पुत्र के ही 'पुत्रिका' के मरजाने पर (तत् पुत्रिकाभर्त्ता एव) उस पुत्रिका का पति ही (अविचारयन् धनं हरेत्) निश्चय से उस [श्वशुर] के धन को ले लेवे॥ १३५॥

अकृता वा कृता वाऽपि यं विन्देत्सदृशात्सुतम्।
पौत्री मातामहस्तेन दद्यात्पिण्डं हरेद्धनम् ॥ १३६ ॥

(कृता वा+अकृता वा+अपि) 'पुत्रिका' की गई हो अथवा न की गयी हो (सदृशात् सुतं विन्देत्) वह समान जातीय पति से जिस पुत्र को प्राप्त करे (तेन मातामहः पौत्री) उसी से पुत्रहीन नाना पुत्रवान् हो जाता है (दद्यात् पिण्डम्) वह दौहित्र अपने नाना को पिण्डदान करे और (धनं हरेत्) नाना के धन को प्राप्त कर लेवे ॥ १३६॥

पुत्रेण लोकाञ्जयति पौत्रेणानन्त्यमश्नुते।
अथ पुत्रस्य पौत्रेण ब्रध्नस्याप्नोति विष्टपम्॥ १३७ ॥

(पुत्रेण लोकान् जयति) पिता पुत्र से स्वर्गादि लोकों को प्राप्त करता है (पौत्रेण+आनन्त्यम्+अश्नुते) पोते से अनन्त सुख को प्राप्त करता है (अथ पुत्रस्य पौत्रेण) और पड़पोते से (अध्नस्य विष्टपम्+आप्नोति) सूर्यलोक को प्राप्त करता है॥ १३७॥

अनुशीलन : १३५–१३७ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—(१) १३५ वें श्लोक की मान्यता मनु द्वारा विहित 'पुत्रिका प्रक्रिया' से विरुद्ध है। पुत्रिका इसलिए की जाती है कि 'उससे जो पुत्र होगा वह मेरा सुखदायक बनेगा' [९।१२७]। अतः एव उसको नाना का धन मिलता है, किन्तु जब 'पुत्रिका' अपुत्रवती ही मर जाये तो वह प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसका आधार नष्ट हो जाता है, अतः भर्ता का धन-ग्रहण मनुसम्मत नहीं है। इस प्रकार का धन २११–२१२ की व्यवस्था के अनुसार भाई-बहनों को जाता है। अतः यह श्लोक विरुद्धमान्यता वाला होने से प्रक्षिप्त है। (२) १३६ की व्यवस्था १२७ के विरुद्ध है। इस प्रकार तो 'पुत्रिका' प्रक्रिया के विधान का कोई महत्त्व या आवश्यकता नहीं रहती। (३) १३७ वें श्लोक में सूर्यलोक आदि की प्राप्ति मनुविरुद्ध है। मनु ऐसा कोई पृथक् से स्थान नहीं मानते। वे केवल मुक्ति अवस्था को मानते हैं [२। २४९, ४। २६०, ६। ८१, ८५, ८८ आदि] और, मनु अपने कर्मों का कर्ता को ही भोक्ता मानते हैं। दूसरे के कर्मों से कोई स्वर्ग नहीं प्राप्त करता है [४। २४०]। इस प्रकार तो अच्छे कर्मों की आवश्यकता ही नहीं, पुत्रपौत्री वाली सारी दुनिया ही स्वर्ग में चली जायेगी।

२. **विषयविरोध**—प्रस्तुत विषय दायभाग-विधान का है, १३६ वें में पिण्ड-दान वर्णनविषयबाह्य है, अतः यह श्लोक विषयविरुद्ध है।

पुत्र का लक्षण—

पुंनाम्नो नरकाद्यस्मात्त्रायते पितरं सुतः।
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा॥ १३८॥ (५५)

(यः) जो (सुतः) पुत्र (पितरम्) माता-पिता को (पुम्नाम्नः नरकात्) 'पुम्=वृद्धावस्था आदि से उत्पन्न होने वाले दुःखों से (त्रायते) रक्षा करता है' (तस्मात्) इस कारण से (स्वयंभुवा स्वयमेव 'पुत्रः' इति प्रोक्तः) स्वयंभू ईश्वर ने वेदों में बेटे को 'पुत्र' संज्ञा से अभिहित किया है [द्रष्टव्य है—'सर्वेषां तु स नामानि·····वेदशब्देभ्य एवादौ····· निर्ममे" १। २३] ॥ १३८॥[1]

---

१. [**प्रचलित अर्थ**—जिस कारण पुत्र 'पुम्' नामक नरक से पितरों की रक्षा करता है। उस कारण से स्वयं ब्रह्मा ने उसे पुत्र कहा है॥ १३८॥]

अनुशीलन : पुत्र का अर्थ और उद्देश्य—इस श्लोक में मनु ने पुत्र शब्द की परिभाषा दी है। उस पर यहां विस्तार से विचार किया जाता है। इस परिभाषा से यह सिद्ध हो जाता है कि सांसारिक व्यक्तियों का पुत्रप्राप्ति का उद्देश्य यह होता है कि पुत्र, जीवन में, वृद्धावस्था में कष्ट से रक्षा करें और धन-अन्न-जल आदि से पालन-पोषण करें। इस परिभाषा से इस अध्याय में वर्णित उन सभी मान्यताओं का खण्डन हो जाता है जिनमें पिण्डदान श्राद्ध आदि के लिए पुत्रप्राप्ति मानी है। यहां प्रमाणों के साथ पुत्र शब्द का विवेचन प्रस्तुत किया जाता है—

'**पूञ् पवने**' (क्र्यादि) धातु से '**पुवो ह्रस्वश्च**' (उणादि ४।१६५) सूत्र से क्त्र प्रत्यय के योग से पुत्र शब्द सिद्ध होता है। इसकी निरुक्ति करते हुए ऋषि यास्क लिखते हैं—"**पुरु त्रायते' पितरणाद्वा, पुम्=नरकं ततस्त्रायत इति वा**" (२।११) अर्थात् सभी प्रकार से सुरक्षा करता है, पालन-पोषण करता है अथवा पुम् नरक=कष्ट को कहते हैं, उस वृद्धावस्था आदि के कष्ट से रक्षा करता है, इसलिए बेटे का 'पुत्र' नाम है। नरक किसे कहते हैं, इसका भी निरुक्तकार ने स्पष्टीकरण किया है, कहीं किसी को नरक नामक लोकविशेष की भ्रान्ति न हो जाये—"**नरकं न्यरकं नीचैर्गमनम्, नास्मिन् रमणं स्थानमस्पमप्यस्तीति वा**" (१।१०) अर्थात् नरक कष्टपूर्ण गति, अधःपतन को कहते हैं, इस कष्ट गति में थोड़ा-सा भी सुख-आराम का स्थान नहीं है। इस प्रकार कष्टपूर्ण स्थिति को नरक कहते हैं। पुत्र अपने पिता-माता आदि को उससे बचाता है ४।८८-९० श्लोकों में इक्कीस नरकों की गणना है। वहां 'पुम्' नामक कोई नरक परिगणित नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि 'पुम्' का नरक-विशेष अर्थ न होकर 'कष्टपूर्ण स्थिति' अर्थ ही मनुसम्मत है। तुलनार्थ गोपथब्राह्मण पू० १/२ की परिभाषा भी उल्लेखनीय है—

"**पुत्रः पुन्नाम नरकमनेकशतधारं तस्मात् त्रायति पुत्रः, तत्पुत्रस्य पुत्रत्वम्**"

नरक कोई पृथक् लोक नहीं होता। इस विषयक विस्तृत अनुशीलन ४।९१ पर द्रष्टव्य है। [महर्षि दयानन्द ने इस श्लोक को यजु० ८।५ के मन्त्रार्थ के पुत्रार्थप्रसंग में उद्धृत किया है।]

पौत्रदौहित्रयोर्लोके विशेषो नोपपद्यते।
दौहित्रोऽपि ह्यमुत्रैनं सन्तारयति पौत्रवत्॥ १३९॥

(लोके) संसार में (पौत्र-दौहित्रयोः विशेषः न+उपपद्यते) पोते और धेवते में कोई अन्तर नहीं सिद्ध होता (हि) क्योंकि (पौत्रवत्) पोते के समान (दौहित्रः अपि) धेवता भी नाना को (अमुत्र सन्तारयति) इस जन्म से सुखपूर्वक पार लगा देता है॥ १३९॥

मातुः प्रथमतः पिण्डं निर्वपेत्पुत्रिकासुतः।
द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तत्पितुः पितुः॥ १४०॥

(पुत्रिकासुतः) पुत्रिका का पुत्र (मातुः प्रथमतः पिण्डम्) अपनी माता को

पहला पिण्ड (तस्याः पितुः द्वितीयम्) अपनी माता के पिता अर्थात् नाना को दूसरा पिण्ड और (तत् पितुः पितुः) उसके नाना के पिता अर्थात् पड़नाना को (तृतीयम्) तीसरा पिण्डदान करे ॥ १४० ॥

अनुशीलन : १३९–१४० श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—(१) मनु कर्त्ता को ही कर्मों का भोक्ता मानते हैं [४।२४०] उनके मत से दूसरे के कर्मों से कोई स्वर्ग आदि को नहीं जाता। इस आधार पर १३९ की 'पार तारने' की मान्यता विरुद्ध है, अतः प्रक्षिप्त है। १४० वां इससे सम्बद्ध होने से प्रक्षिप्त है (२) पुत्र का उद्देश्य दुःख से बचाना है पिण्डदान आदि देना नहीं [९।१३८ समीक्षा द्रष्टव्य]।

२. **विषयविरोध**—प्रस्तुत विषय दायभाग विभाजन का है [९। १०३]। यहां पिण्डदान आदि का विधान विषयबाह्य वर्णन है, अतः १४० वां श्लोक विषय-विरुद्ध प्रक्षेप है।

दत्तकपुत्र के दायभाग का विधान—

उपपन्नो गुणैः सर्वैः पुत्रो यस्य तु दत्त्रिमः।
स हरेतैव तद्रिक्थं सम्प्राप्तोऽप्यन्यगोत्रतः ॥ १४१॥ (५६)

(यस्य तु दत्त्रिमः पुत्रः) जिसका 'दत्तक'=गोद लिया हुआ पुत्र (सर्वैः गुणैः उपपन्नः) सभी श्रेष्ठ या वर्णोचित पुत्रगुणों से [९। १३८] सम्पन्न हो, (अन्यगोत्रतः सम्प्राप्तः+अपि) चाहे वह दूसरे वंश का ही क्यों न हो (सः तत् रिक्थं हरेत+एव) वह उस गोद लेने वाले पिता के धन को निश्चित रूप से प्राप्त करता है ॥ १४१ ॥

गोत्ररिक्थे जनयितुर्न हरेद्दत्त्रिमः क्वचित्।
गोत्ररिक्थानुगः पिण्डो व्यपैति ददतः स्वधा ॥ १४२ ॥

(दत्त्रिमः) 'दत्तक' पुत्र (क्वचित्) कहीं भी (जनयितुः गोत्ररिक्थे न हरेत्) उत्पन्न करने वाले पिता के गोत्र और धन को नहीं प्राप्त करता (ददतः) गोद देने पर उसके (गोत्ररिक्थानुगः) गोत्र और धनसम्बन्धी (पिण्डः स्वधा व्यपैति) पिण्डदान और स्वधा-कार्य [उत्पादक पिता के लिए] समाप्त हो जाते हैं ॥ १४२ ॥

अनियुक्तासुतश्चैव पुत्रिण्यां देवरात्।
उभौ तौ नार्हतो भागं जारजातककामजौ ॥ १४३ ॥

(अनियुक्तासुतः च एव) अनियोग [९। ५९–६१] विधि से अन्यपुरुष द्वारा उत्पन्न पुत्र (च) और (पुत्रिण्यां देवरात् प्राप्तः) पुत्रवती होते हुए भी देवर से नियोग द्वारा प्राप्त पुत्र (तौ उभौ) ये दोनों (जारजातक-कामजौ) 'जारज'=व्यभिचार से उत्पन्न और 'कामज'=कामवासना के वशीभूत होकर उत्पन्न होने से (भागं न+अर्हतः) पितृधन के भागी नहीं होते ॥ १४३ ॥

नियुक्तायामपि पुमान्नार्यां जातोऽविधानतः।
नैवार्हः पैतृकं रिक्थं पतितोत्पादितो हि सः॥ १४४॥

(नियुक्तायां नार्याम् अपि) नियोग के लिए नियुक्त स्त्री में भी (अविधानतः जातः पुमान्) उचित विधि [विवाहवत् प्रसिद्ध करके नियोग] को छोड़कर उत्पन्न किया गया पुत्र (पैतृकं रिक्थं नैवार्हः) पितृधन का भागी नहीं होता (हि) क्योंकि (सः पतित+उत्पादितः) वह 'पतित' [९।६३] से उत्पन्न होता है॥ १४४॥

अनुशीलन : १४२–१४४ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—(१) १४२ वां श्लोक ३।८१–८२ के विरुद्ध है। श्राद्ध में पिण्डदान आदि मनुविरुद्ध है। [द्रष्टव्य ३।२८४ पर अन्तर्विरोध समीक्षा] अतः प्रक्षिप्त है। (२) १४३–१४४ परस्पर सम्बद्ध श्लोक हैं। इसमें पुत्रवती स्त्री द्वारा नियोग से पुनः पुत्र प्राप्ति करने पर उस पुत्र को धनभाग से रहित कहा है और 'वृथापुत्र' माना है। यह मान्यता ९।५९ के विरुद्ध है। उसमें मनु ने नियोग-विधि से इच्छानुसार सन्तान की प्राप्ति कही है।

२. **प्रसंगविरोध**—१४३–१४४ श्लोक प्रसंगविरुद्ध भी हैं। नियोगज पुत्रों के धनविभाग का विधिवाक्य या प्रसंग प्रारम्भ करने वाला श्लोक तो १४५ है। १४६ में धनग्रहण का विधान हुआ है, किन्तु इन श्लोकों में उससे सम्बद्ध निषेध पहले ही कर दिया। विधान से पूर्व निषेध होना असंगत है, अतः ये प्रसंगविरुद्ध हैं। और यदि ये मौलिक होते तो १४६ के पश्चात् होते। वहां इन्हीं से मिलते-जुलते भावों वाला एक और भी श्लोक है, उसके रहते इनकी वैसे भी आवश्यकता सिद्ध नहीं होती। किन्तु 'पुत्रवती द्वारा पुनः नियोग न करने' के आग्रह को शास्त्रसम्मत करने के लिए प्रक्षेपकार को ये श्लोक पहले ही मिलाने पड़े, क्योंकि १४७ से उसका अभिप्राय सिद्ध नहीं होता था।

नियोग से उत्पन्न क्षेत्रज पुत्र के दायभाग का विधान—

हरेत्तत्र नियुक्तायां जातः पुत्रो यथौरसः।
क्षेत्रिकस्य तु तद्बीजं धर्मतः प्रसवश्च सः॥ १४५॥ (५७)

(तत्र नियुक्तायां) विधिपूर्वक नियुक्त की हुई [नियोग] में (यथा औरसः जातः पुत्रः) जैसे औरस उत्पन्न हुआ क्षेत्रज पुत्र (हरेत्) पितृधन का भागी होता है; क्योंकि (यत् क्षेत्रिकस्य बीजम्) वह क्षेत्रिक =क्षेत्र स्वामी का ही बीज माना जाता है, यतोहि (सः धर्मतः प्रसवः) वह धर्मानुसार नियोग से [९।५९] उत्पन्न होता है॥ १४५॥

धनं यो बिभृयाद् भ्रातुर्मृतस्य स्त्रियमेव च।
सोऽपत्यं भ्रातुरुत्पाद्य दद्यात्तस्यैव तद्धनम्॥१४६॥ (५८)

(मृतस्य भ्रातुः) मरे हुए भाई के (धनं च स्त्रियम्+एव यः बिभृयात्) धन और स्त्री को जो भाई रक्षा करे (सः+अपत्यम्+उत्पाद्य) वह भाई की स्त्री में सन्तान उत्पन्न करके (भ्रातुः तत् धनं तस्यैव दद्यात्) भाई का वह प्राप्त सब धन उस पुत्र को ही दे देवे ॥ १४६ ॥

नियोगविधि के बिना उत्पन्न पुत्र दायभाग का अनधिकारी—

याऽनियुक्ताऽन्यतः पुत्रं देवराद्वाऽप्यवाप्नुयात् ।
तं कामजमरिक्थीयं वृथोत्पन्नं प्रचक्षते ॥१४७॥ (५९)

(या अनियुक्ता) जो स्त्री नियोगविधि [९।५९] के बिना (अन्यतः वा देवरात् अपि) अन्य सजातीय पुरुष से या देवर से भी (पुत्रम् अवाप्नुयात्) पुत्र प्राप्त करे (तम्) उस पुत्र को (कामजं वृथोत्पन्नम् अरिक्थीयम्) 'कामज'=कामवासना के वशीभूत होकर [९।५८, ६३] उत्पन्न किया गया, 'वृथोत्पन्न'=व्यर्थ में उत्पन्न और पितृधन का अनधिकारी (प्रचक्षते) कहते हैं ॥ १४७ ॥

अनुशीलन : १४७ श्लोक की प्रसंगसम्बद्धता पर विचार—१४७ वें श्लोक में नियोगविधि को त्यागकर प्राप्त किये गये पुत्र को 'वृथा-उत्पन्न' पुत्र की संज्ञा दी है। यह विधान विवाहित वा विधवा स्त्री के लिए है, अक्षतयोनि के लिए नहीं। अक्षतयोनि स्त्री के लिए इसमें अपवाद है। वह पुनर्विवाह कर सकती है और उससे उत्पन्न होने वाला पुत्र 'वैध' तथा पैतृक धन का अधिकारी माना जायेगा। इस भाव के अनुसार इस श्लोक का प्रसंग ९।१७६ से जुड़ता है।

अन्य वर्णों की स्त्रियों में उत्पन्न पुत्रों की दायभाग-व्यवस्था—

एतद्विधानं विज्ञेयं विभागस्यैकयोनिषु ।
बह्वीषु चैकजातानां नानास्त्रीषु निबोधत ॥ १४८ ॥

(एकयोनिषु) समान जाति वाली स्त्रियों में उत्पन्न पुत्रों के (विभागस्य) धनविभाजन का (एतत् विधानं विज्ञेयम्) यह विधान [९।१०३–१४७] समझना चाहिए। अब (नानास्त्रीषु बह्वीषु) अनेक जाति वाली बहुत सी स्त्रियों में (एकजातानां निबोधत) एक पति से उत्पन्न पुत्रों का धन विभाग सुनो—॥ १४८ ॥

ब्राह्मणस्यानुपूर्व्येण चतस्रस्तु यदि स्त्रियः ।
तासां पुत्रेषु जातेषु विभागेऽयं विधिः स्मृतः ॥ १४९ ॥

(यदि ब्राह्मणस्य) यदि ब्राह्मण की (आनुपूर्व्येण चतस्रः तु स्त्रियः) वर्णानुक्रम से ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वैश्या और शूद्रा ये चार पत्नियां हों तो (तासां जातेषु पुत्रेषु)

उनमें उत्पन्न पुत्रों में (विभागे+अयं विधिः स्मृतः) विभाजन के लिए निम्न नियम माना गया है ॥ १४९ ॥

कीनाशो गोवृषो यानमलङ्कारश्च वेश्म च ।
विप्रस्यौद्धारिकं देयमेकांशश्च प्रधानतः ॥ १५० ॥

(विप्रस्य) ब्राह्मणी में उत्पन्न पुत्र के लिए (कीनाशः गोवृषः) खेती करने वाला बैल (यानम्+अलंकारः च वेश्म) सवारी, आभूषण खेती और घर (औद्धारिकं देयम्) ये 'उद्धार' धन के रूप में देने चाहिएँ (च) और (प्रधानतः एकांशः) सबसे प्रधान होने के कारण सारे धन में से एक भाग देना चाहिए ॥ १५० ॥

त्र्यंशं दायाद्धरेद् विप्रो द्वावंशौ क्षत्रियासुतः ।
वैश्याजः सार्धमेवांशमंशं शूद्रासुतो हरेत् ॥ १५१ ॥

[पूर्व श्लोक के उद्धारभाग के निकालने पर शेष धन में से] (विप्रः त्रि+अंशं दायाद् हरेत्) ब्राह्मणी का पुत्र कुल पितृधन का तीन भाग ले ले (क्षत्रियासुतः द्वौ+अंशौ) क्षत्रिया का पुत्र दो भाग (वैश्याजः सार्धम् अंशं+एव) वैश्या से उत्पन्न पुत्र डेढ़ भाग (शूद्रासुतः अंशं हरेत्) शूद्रा में उत्पन्न पुत्र एक भाग ग्रहण करे ॥ १५१ ॥

सर्वं वा रिक्थजातं तद्दशधा परिकल्प्य च ।
धर्म्यं विभागं कुर्वीत विधिनाऽनेन धर्मवित् ॥ १५२ ॥

(वा) अथवा (तत् सर्वं रिक्थजातम्) उस सारे पितृधन को (दशधा परिकल्प्य) दश भागों में बांटकर (धर्मवित्) धर्म का ज्ञाता पुरुष (अनेन विधिना धर्म्यं विभागं कुर्वीत) इस निम्न विधि से धर्मयुक्त विभाग करे—॥ १५२ ॥

चतुरोंऽशान् हरेद्विप्रस्त्रीनंशान्क्षत्रियासुतः ।
वैश्यापुत्रो हरेद्द्वयंशमंशं शूद्रासुतो हरेत् ॥ १५३ ॥

उनमें से (विप्रः चतुरः+अंशान् हरेत्) ब्राह्मणी का पुत्र चार भाग पितृधन ग्रहण करे (क्षत्रियासुतः त्रीन्+अंशान्) क्षत्रिया का पुत्र तीन भागों को (वैश्यापुत्रः द्वि+अंशं हरेत्) वैश्या का पुत्र दो भाग ले (शूद्रासुतः अंशं हरेत्) शूद्रा का पुत्र एक भाग को ग्रहण करे ॥ १५३ ॥

यद्यपि स्यात्तु सत्पुत्रोऽप्यसत्पुत्रोऽपि वा भवेत् ।
नाधिकं दशमाद्दद्याच्छूद्रापुत्राय धर्मतः ॥ १५४ ॥

(यद्यपि) चाहे (सत्पुत्रः स्यात् अपि वा असत्-पुत्रः भवेत्) द्विजवर्ण की स्त्रियों में उत्पन्न पुत्र से ब्राह्मण पुत्रवान् हो अथवा पुत्रहीन हो किन्तु (धर्मतः) धर्मानुसार (शूद्रापुत्राय दशमात् अधिकं न दद्यात्) शूद्रा के पुत्र को दसवें भाग से अधिक धन ब्राह्मण-पिता न दे ॥ १५४ ॥

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्रापुत्रो न रिक्थभाक् ।
यदेवास्य पिता दद्यात्तदेवास्य धनं भवेत् ॥ १५५ ॥

(ब्राह्मण-क्षत्रिय-विशां शूद्रापुत्रः) ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य व्यक्ति से शूद्रा में उत्पन्न पुत्र (रिक्थभाक् न) कानूनी रूप से धन का भागी नहीं होता, अपितु (यत्+एव+अस्य पिता दद्यात्) अपनी इच्छा से जो कुछ इसका पिता दे देवे (तत्–तत्+एव+अस्य धनं भवेत्) वही इस शूद्रापुत्र का धन होता है ॥ १५५ ॥

समवर्णासु ये जाताः सर्वे पुत्राः द्विजन्मनाम् ।
उद्धारं ज्यायसे दत्त्वा भजेरन्नितरे समम् ॥ १५६ ॥

(समवर्णासु ये जाताः) समानवर्ण की स्त्रियों में उत्पन्न हुए (द्विजन्मनां सर्वे पुत्राः) द्विजातियों के सभी पुत्र (ज्यायसे उद्धारं दत्त्वा) बड़े भाई को 'उद्धार' भाग देकर (इतरे समं भजेरन्) शेष सब समान-समान भाग बांट लें ॥ १५६ ॥

शूद्रस्य तु सवर्णैव नान्या भार्या विधीयते ।
तस्यां जाताः समांशाः स्युर्यदि पुत्रशतं भवेत् ॥ १५७ ॥

(शूद्रस्य तु सवर्णा भार्या एव) शूद्र की तो अपने वर्ण की ही पत्नी होती है। (अन्या न विधीयते) उसके लिये अन्य वर्ण की भार्या का विधान नहीं है (यदि पुत्रशतं भवेत्) यदि शूद्र के सौ पुत्र भी हों तो (तस्यां जाताः सम+अंशाः स्युः) शूद्रा में उत्पन्न सभी पुत्रों का पितृधन में समान भाग होता है अर्थात् बड़े के लिए 'उद्धार' भाग नहीं होता ॥ १५७ ॥

बारह प्रकार के पुत्र—

पुत्रान्द्वादश यानाह नृणां स्वायंभुवो मनुः ।
तेषां षड् बन्धुदायादाः षडदायादबान्धवाः ॥ १५८ ॥

(स्वायंभुवः मनुः) स्वायंभुव मनु ने (नृणां यान् द्वादश पुत्रान्+आह) मनुष्यों के जो बारह प्रकार के [९। १५९—१७५] पुत्र कहे हैं (तेषां षड् बन्धु-दायादाः) उनमें छः [९। १५९] बान्धव दायाद=पितृधन के भागी होते हैं, तथा (षड्+अदायाद-बान्धवाः) पिछले छः [९। १६०] अदायाद=पितृधन के अनधिकारी होते हैं ॥१५८॥

दायभाग के अधिकारी छह पुत्र—

औरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः कृत्रिम एव च ।
गूढोत्पन्नोऽपविद्धश्च दायादा बान्धवाश्च षट् ॥ १५९ ॥

(औरसः क्षेत्रजः दत्तः कृत्रिमः गूढोत्पन्नः च अपविद्धः) 'औरस' [९।१६६], 'क्षेत्रज' [९।१६७] 'दत्तक' [९।१६८], 'कृत्रिम' [९।१६९], 'गूढोत्पन्न' [९।१७०]

और 'अपविद्ध' [९।१७१] (षट् दायादाः बान्धवाः च) ये छः प्रकार के पुत्र 'दायाद'= पितृधन के अधिकारी और बान्धव कहलाने योग्य होते हैं ॥ १५९ ॥

दायभाग के अनधिकारी छह पुत्र—

कानीनश्च सहोढश्च क्रीतः पौनर्भवस्तथा ।
स्वयंदत्तश्च शौद्रश्च षडदायादबान्धवाः ॥ १६० ॥

(कानीनः सहोढः क्रीतः पौनर्भवः स्वयंदत्तः च शौद्रः) 'कानीन' [९।१७२], [९।१७३] 'क्रीत' [९।१७४], 'पौनर्भव' [९।१७५], 'स्वयंदत्त' [९।१७७] और शूद्रापुत्र [९।१७८] (षड्+अदायादबान्धवाः) ये छः अदायाद=पितृधन के अनधिकारी होते हैं ॥ १६० ॥

यादृशं फलमाप्नोति कुप्लवैः सन्तरञ्जलम् ।
तादृशं फलमाप्नोति कुपुत्रैः सन्तरंस्तमः ॥ १६१ ॥

(कुप्लवैः जलं संतरन्) बुरी अर्थात् टूटी - फूटी नौका से जल को पार करते हुए (यादृशं फलम्+आप्नोति) मनुष्य जैसा फल प्राप्त करता है अर्थात् पानी में ही डूब जाता है (तमः संतरन् तादृशं फलम्) अन्धकार=दुःख को पार करते हुए वैसा ही फल मनुष्य (कुपुत्रैः आप्नोति) बुरे पुत्रों को उत्पन्न करके प्राप्त करता है अर्थात् दुःख में ही निमग्न हो जाता है ॥ १६१ ॥

यद्येकरिक्थिनौ स्यातामौरसक्षेत्रजौ सुतौ ।
यस्य यत्पैतृकं रिक्थं स तत् गृह्णीत नेतरः ॥ १६२ ॥

(यदि+एकरिक्थिनौ) यदि एक धनवाले पिता के (औरस-क्षेत्रजौ सुतौ स्याताम्) 'औरस' और 'क्षेत्रज' दोनों ही पुत्र हों तो (यस्य यत् पैतृकं रिक्थम्) जिसका पैतृक धन है (तत् स गृह्णीत) उसको वह 'औरस' पुत्र ही ग्रहण करे (इतरः न) दूसरा 'क्षेत्रज' पुत्र धन का अधिकारी नहीं होता ॥ १६२ ॥

एक एवौरसः पुत्रः पित्र्यस्य वसुनः प्रभुः ।
शेषाणामानृशंस्यार्थं प्रजीवनं प्रदापयेत् ॥ १६३ ॥

(पित्र्यस्य वसुनः प्रभुः) पिता के धन का स्वामी (एकः एव+औरसः पुत्रः) अकेला औरस पुत्र ही होता है, वह (शेषाणाम्+आनृशंस्यार्थम्) शेष भाइयों को कृपा करता हुआ (प्रजीवनं प्रदापयात्) जीवन चलाने के लिए अन्न-वस्त्रादि देता रहे ॥ १६३ ॥

षष्ठं तु क्षेत्रजस्यांशं प्रदद्यात्पैतृकाद्धनात् ।
औरसो विभजन्दायं पित्र्यं पञ्चममेव वा ॥ १६४ ॥

(औरसः) औरस पुत्र (पित्र्यं दायं विभजन्) पितृधन का विभाग करते हुए

(पैतृकात् धनात्) उस पैतृक धन से (क्षेत्रजस्य षष्ठं वा पञ्चमम्+एव प्रदद्यात्) क्षेत्रज पुत्र को छठा अथवा पांचवां ही भाग देवे ।। १६४ ।।

औरसक्षेत्रजौ पुत्रौ पितृरिक्थस्य भागिनौ ।
दशापरे तु क्रमशो गोत्ररिक्थांशभागिनः ।। १६५ ।।

(औरस-क्षेत्रजौ पुत्रौ) केवल 'औरस' और 'क्षेत्रज' पुत्र ही (पितृरिक्थस्य भागिनौ) पितृधन के भागी हैं (अपरे दश तु) शेष दूसरे दश प्रकार के पुत्र तो (क्रमशः गोत्र-रिक्थ-अंश-भागिनः) गोत्र के ही भागी होते हैं और पूर्वपुत्र के अभाव में क्रमानुसार धनांश के भागी होते हैं ।। १६५ ।।

औरस पुत्र का लक्षण—

स्वक्षेत्रे संस्कृतायां तु स्वयमुत्पादयेद्धि यम् ।
तमौरसं विजानीयात्पुत्र प्रथमकल्पितम् ।। १६६ ।।

(संस्कृतायां स्वक्षेत्रे तु) विवाह करके लायी हुई अपनी पत्नी में (यत्+हि स्वयं यम् उत्पादयेत्) जो पुरुष स्वयं जिस पुत्र को उत्पन्न करता है, (तं प्रथमकल्पितम्) उस प्रथमस्थानीय अर्थात् सर्वश्रेष्ठ (पुत्रम्) पुत्र को (औरसं विजानीयात्) 'औरस' पुत्र जानना चाहिए ।। १६६ ।।

क्षेत्रज पुत्र का लक्षण—

यस्तत्पजः प्रमीतस्य क्लीबस्य व्याधितस्य वा ।
स्वधर्मेण नियुक्तायां स पुत्रः क्षेत्रजः स्मृतः ।। १६७ ।।

(प्रमीतस्य क्लीबस्य वा व्याधितस्य) मरे हुए नपुंसक अथवा व्याधिग्रस्त पुरुष की (स्वधर्मेण नियुक्तायां तत्पजः यः) धर्मानुसार नियोग में नियुक्त स्त्री से उत्पन्न जो पुत्र होता है (सः पुत्रः क्षेत्रजः स्मृतः) वह पुत्र 'क्षेत्रज' कहलाता है ।। १६७ ।।

दत्रिम पुत्र का लक्षण—

माता पिता वा दद्यातां यमद्भिः पुत्रमापदि ।
सदृशं प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दत्रिमः सुतः ।। १६८ ।।

(माता वा पिता) माता अथवा पिता (यं सदृशं पुत्रम्) जिस सवर्ण पुत्र को (आपदि) अपनी या लेने वाले की आपत्कालीन स्थिति में (प्रीतिसंयुक्तम्) प्रेमपूर्वक और (अद्भिः) जल का संकल्प करके (दद्याताम्) दे देते हैं (सः सुतः दत्रिमः ज्ञेयः) वह पुत्र 'दत्रिम'=दत्तक जानना चाहिए ।। १६८ ।।

कृत्रिम पुत्र का लक्षण—

सदृशं तु प्रकुर्याद्यं गुणदोषविचक्षणम् ।
पुत्रं पुत्रगुणैर्युक्तं स विज्ञेयश्च कृत्रिमः ।। १६९ ।।

(गुण-दोष-विचक्षणम्) गुण-दोष को जानने वाले (पुत्रगुणैर्युक्तम्) पुत्रत्व के गुणों से युक्त (यं सदृशं पुत्रम्) जिस सवर्ण पुत्र को (प्रकुर्यात्) कोई मनुष्य पुत्र मान लेवे (सः कृत्रिमः विज्ञेयः) वह 'कृत्रिम' पुत्र माना जाता है ॥ १६९ ॥

अनुशीलन : दत्तक और कृत्रिम पुत्र में यह अन्तर है कि दत्तक पुत्र माता-पिता द्वारा दिया जाता है और कृत्रिम पुत्र अपनाने वाले के द्वारा स्वयं मान लिया जाता है।

गूढोत्पन्न पुत्र का लक्षण—

उत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः।
स गूढे गूढ उत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तल्पजः ॥ १७० ॥

(यस्य गृहे उत्पद्यते) जिसके घर में कोई पुत्र उत्पन्न हो जाता है (च) और (न ज्ञायेत सः कस्य) यह मालूम नहीं पड़ता कि वह किसके बीज से उत्पन्न है (स गृहे गूढः उत्पन्नः) वह घर में गूढ रूप से उत्पन्न हुआ पुत्र (यस्य तल्पजः तस्य स्यात्) जिसकी स्त्री से उत्पन्न है, उसी पति का वह 'गूढोत्पन्न' पुत्र है ॥ १७० ॥

अपविद्ध पुत्र का लक्षण—

मातापितृभ्यामुत्सृष्टं तयोरन्यतरेण वा।
यं पुत्रं परिगृह्णीयादपविद्धः स उच्यते ॥ १७१ ॥

(मातृ-पितृभ्याम्) माता और पिता द्वारा (वा) अथवा (तयोः + अन्यतरेण) माता-पिता में से किसी एक के द्वारा (उत्सृष्टं यं पुत्रं परिगृह्णीयात्) छोड़े हुए जिस पुत्र को जो ग्रहण करता है (सः अपविद्धः उच्यते) वह उस पुरुष का 'अपविद्ध'= परित्यक्त पुत्र कहाता है ॥ १७१ ॥

कानीन पुत्र का लक्षण—

पितृवेश्मनि कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रहः।
तं कानीनं वदेन्नाम्ना वोढुः कन्यासमुद्भवम् ॥ १७२ ॥

(पितृवेश्मनि कन्या तु) पिता के घर में रहती हुई कन्या (रहः यं पुत्रं जनयेत्) गुप्त रूप से जिस पुत्र को उत्पन्न करती है (तं नाम्ना कानीनं वदेत्) उस पुत्र को 'कानीन' कहते हैं (कन्यासमुद्भवं वोढुः) कन्या से उत्पन्न वह पुत्र उससे विवाह करने वाले पति का होता है ॥ १७२ ॥

सहोढ पुत्र का लक्षण—

या गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताज्ञाताऽपि वा सती।
वोढुः सः गर्भो भवति सहोढ इति चोच्यते ॥ १७३ ॥

(ज्ञाता वा अज्ञाता+अपि) जानकारी होते हुए अथवा बिना जानकारी की स्थिति में (या गर्भिणी सती संस्क्रियते) जो गर्भिणी कन्या के साथ विवाह किया जाता है (सः गर्भः वोढुः भवति) उस गर्भ से उत्पन्न वह पुत्र विवाह करने वाले पति का होता है (च) और वह (सहोढः इति उच्यते) 'सहोढ'='साथ ढोकर लाया हुआ' कहाता है॥ १७३॥

क्रीतपुत्र का लक्षण—

क्रीणीयात्स्वसदृशं स्वपत्यार्थं मातापित्रोर्यमन्तिकात्।
स क्रीतकः सुतस्तस्य सदृशोऽसदृशोऽपि वा॥ १७४॥

(अपत्यार्थम्) अपना पुत्र बनाने के लिए (सदृशः वा असदृशः+अपि) सवर्ण या असवर्ण (यम्) जिस पुत्र को (मातापित्रोः+अन्तिकात्) उसके माता-पिता के पास से (क्रीणीयात्) खरीदा जाता है (सः तस्य क्रीतकः सुतः) वह उस खरीदने वाले का 'क्रीत' पुत्र होता है॥ १७४॥

पौनर्भव पुत्र का लक्षण—

या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वेच्छया।
उत्पादयेत्पुनर्भूत्वा स पौनर्भव उच्यते॥ १७५॥

(या पत्या वा परित्यक्ता) जो पति के द्वारा छोड़ी गयी (वा) अथवा (विधवा) विधवा स्त्री (स्वेच्छया पुनर्भूत्वा उत्पादयेत्) अपनी इच्छा से दूसरे पुरुष को पति बनाकर पुत्र उत्पन्न करती है (सः पौनर्भवः उच्यते) उस पुत्र को 'पौनर्भव' कहते हैं।
॥ १७५॥

अनुशीलन : १४८ से १७५ श्लोक प्रक्षिप्त हैं। इनकी अधारानुसार समीक्षा १७७—१९१ श्लोकों पर समन्वित रूप में देखिए। ये सभी श्लोक अन्तर्विरोध, प्रसंगविरोध, विषयविरोध एवं शैलीगत 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं।

अक्षतयोनि के पुनर्विवाह का विधान—

सा चेदक्षतयोनिः स्याद्गतप्रत्यागताऽपि वा।
पौनर्भवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमर्हति॥ १७६॥ (६०)

(सा चेत्+अक्षतयोनिः स्यात्) वह स्त्री यदि 'अक्षत योनि=जिसका संभोगसम्बन्ध न हुआ हो, ऐसी हो (वा) चाहे वह (गत-प्रत्यागता+अपि) पति के घर गई-आई हुई भी हो, (सा) वह (पौनर्भवेन भर्त्रा) दूसरे पति के साथ (पुनः संस्कारम्+अर्हति) पुनः विवाह कर सकती है॥ १७६॥

"जिस स्त्री वा पुरुष का पाणिग्रहण मात्र संस्कार हुआ हो और

संयोग अर्थात् अक्षतयोनि स्त्री और अक्षतवीर्य पुरुष हो, उनका अन्य स्त्री वा पुरुष के साथ पुनर्विवाह होना चाहिए।" (स० प्र० ११२)

अनुशीलन : १७६ श्लोक की मौलिकता एवं प्रसंगसम्बद्धता में युक्तियां—(१) १७६ श्लोक मौलिक है और इसका प्रसंग ९।१४७ से जुड़ता है। १४७ में अनियोगज पुत्र को 'वृथोत्पन्न' कहकर उसे दायभाग का अनधिकारी घोषित किया है किन्तु अक्षतयोनि स्त्री के लिए वह नियम नहीं है, यह दर्शाने के लिए १७६ वां श्लोक अपवादरूप में विहित है। अक्षतयोनि स्त्री पुनर्विवाह कर सकती है और उससे जो सन्तान उत्पन्न होगी वह 'वैध' एवं दायभाग की अधिकारिणी होगी। यही इस श्लोक का अभिप्राय है। (२) यह श्लोक मौलिक है, प्रक्षिप्त इसलिए नहीं कहला सकता—(क) क्योंकि इसका पूर्वापर प्रक्षिप्त प्रसंग से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह पूर्वापर प्रसंग से भिन्न अपवादात्मक विधान है जिसका १४७ से सम्बन्ध है (ख) पूर्वापर प्रसंग विविध प्रकार के पुत्रों की परिभाषा का है। १७५ वें में 'पौनर्भव' पुत्र की परिभाषा और १७७ में 'स्वयंदत्त' की है। इस श्लोक में पुत्र-परिभाषा-प्रसंग न होकर अपवादात्मक विधान है (ग) इसका १७५ के 'पौनर्भव' शब्द के साथ भी कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि उसमें पौनर्भव' पुत्र के लिए कहा गया है और इसमें द्वितीय पति के लिए। इस प्रकार यह मौलिक विधान है।

स्वयंदत्त पुत्र का लक्षण—

मातापितृविहीनो यस्यक्तो वा स्यादकारणात्।
आत्मानं स्पर्शयेद्यस्मै स्वयंदत्तस्तु स स्मृतः॥ १७७॥

(यः माता-पितृ-विहीनः) जो माता-पिता से विहीन हो (वा) अथवा (अकारणात् त्यक्तः स्यात्) अकारण जिसे छोड़ दिया गया हो, वह (यस्मै आत्मानं स्पर्शयेत्) जिस पुरुष के लिये स्वयं को समर्पित कर दे (सः तु स्वयंदत्तः स्मृतः) वह उसका 'स्वयंदत्त' पुत्र कहलाता है॥ १७७॥

पारशव पुत्र का लक्षण—

यं ब्राह्मणस्तु शूद्रायां कामादुत्पादयेत्सुतम्।
स पारयन्नेव शवस्तस्मात्पारशवः स्मृतः॥ १७८॥

(ब्राह्मणः तु) ब्राह्मण (शूद्रायां कामात् यं सुतम्+उत्पादयेत्) शूद्रा में कामवश होकर जिस पुत्र को उत्पन्न करता है (सः पारयन्+एव शवः) वह जीते हुए भी मरे हुए के समान है (तस्मात् पारशवः स्मृतः) इसीलिए उसे 'पारशव' कहा जाता है। ॥ १७८॥

दास्यां वा दासदास्यां वा यः शूद्रस्य सुतो भवेत्।
सोऽनुज्ञातो हरेद्दंशमिति धर्मो व्यवस्थितः॥ १७९॥

(दास्यां वा दासदास्यां वा) दासी में या दास की दासी में (यः शूद्रस्य सुतः भवेत्) जो शूद्र से उत्पन्न पुत्र होता है (सः+अनुज्ञात) वह पिता से आज्ञा पाकर (अंशं हरेत्) अन्य पुत्रों के समान भाग ग्रहण कर ले (इति धर्मः व्यवस्थितः) ऐसी धर्म की व्यवस्था है ॥ १७९ ॥

क्षेत्रजादीन्सुतानेतानेकादश यथोदितान् ।
पुत्रप्रतिनिधीनाहुः क्रियालोपान्मनीषिणः ॥ १८० ॥

(यथा+उदितान्) पूर्ववर्णित [९।१५९–१७८] (एतान् क्षेत्रजादीन् एकादश-सुतान्) इन क्षेत्रज आदि ग्यारह प्रकार के पुत्रों को (क्रिया+अलोपान्) वंशचालन आदि क्रियाओं का लोप न हो, इसलिए (मनीषिणः) मनीषी लोग (पुत्रप्रतिनिधीन्+आहुः) पुत्रों का प्रतिनिधि मानते हैं ॥ १८० ॥

य एतेऽभिहिताः पुत्राः प्रसङ्गादन्यबीजजाः ।
यस्य ते बीजतो जातास्तस्य ते नेतरस्य तु ॥ १८१ ॥

(प्रसङ्गात्) औरस पुत्र के प्रसङ्ग में (अन्यबीजजाः) दूसरे के वीर्य से उत्पन्न (यः+एते पुत्राः+अभिहिताः) जो ये पुत्र कहे हैं (ते यस्य बीजतः जाताः) वे जिसके बीज से उत्पन्न होते हैं (ते तस्य) वे उसी के होते हैं (इतरस्य तु न) दूसरे अर्थात् क्षेत्र-स्वामी के नहीं ॥ १८१ ॥

भ्रातॄणामेकजातानामेकश्चेत्पुत्रवान्भवेत् ।
सर्वांस्तांस्तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरब्रवीत् ॥ १८२ ॥

(एकजातानां भ्रातॄणाम्) एक माता-पिता से उत्पन्न अर्थात् सगे भाइयों में (एक चेत् पुत्रवान् भवेत्) एक भाई भी यदि पुत्रवाला हो जाये (तेन पुत्रेण तान् सर्वान् पुत्रिणः) उस एक पुत्र से ही सब भाइयों को पुत्रवान् होना (मनुः+अब्रवीत्) मनु ने कहा है ॥ १८२ ॥

सर्वासामेकपत्नीनामेका चेत्पुत्रिणी भवेत् ।
सर्वास्तास्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवतीर्मनुः ॥ १८३ ॥

(सर्वासाम्+एकपत्नीनाम्) सब एक पति वाली स्त्रियों में (एका चेत् पुत्रिणी भवेत्) यदि एक स्त्री भी पुत्रवती हो जाये तो (तेन पुत्रेण ताः सर्वाः पुत्रवतीः मनुः प्राह) उस पुत्र से वे सभी स्त्रियां पुत्रवती हो जाती हैं, ऐसा मनु ने कहा है ॥ १८३ ॥

श्रेयसः श्रेयसोऽलाभे पापीयान् रिक्थमर्हति ।
बहवश्चेत्तु सदृशाः सर्वे रिक्थस्य भागिनः ॥ १८४ ॥

(श्रेयसः श्रेयसः+अलाभे) [पूर्वोक्त (९।१५९–१६०) बारह प्रकार के पुत्रों में] श्रेष्ठ-श्रेष्ठ पुत्र के अभाव में (पापीयान् रिक्थम्+अर्हति) हीन-हीन पुत्र पितृधन

का भागी होता है (बहवः चेत् तु सदृशाः) यदि सभी समान गुण वाले हों तो (सर्वे रिक्थस्य भागिनः) सभी पितृधन के समान भागी होते हैं ॥ १८४ ॥

न भ्रातरो न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः ।
पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं भ्रातर एव च ॥ १८५ ॥

(पितुः रिक्थहराः पुत्राः) पिता के धन के अधिकारी पुत्र ही होते हैं (न भ्रातर न पितरः) न तो सहोदर भाई अर्थात् चाचा, ताऊ आदि, भाई होते हैं और न पिता [अर्थात् पिता का पिता=दादा] ही, किन्तु (अपुत्रस्य रिक्थं पिता हरेत्) अपुत्र पुरुष के धन को पिता ले ले (च) और (भ्रातरः एव) सगे भाई भी ले लें । ॥ १८५ ॥

त्रयाणामुदकं कार्यं त्रिषु पिण्डः प्रवर्तते ।
चतुर्थः संप्रदातैषां पञ्चमो नोपपद्यते ॥ १८६ ॥

(त्रयाणाम्+उदकं कार्यम्) तीनों अर्थात् पिता, पितामह और प्रपितामह, इन तीनों को जलदान करना चाहिए (त्रिषु पिण्डः प्रवर्तते) इन तीनों को ही पिण्डदान करना चाहिए (चतुर्थः एषां सम्प्रदाता) चौथा व्यक्ति इनको देने वाला होता है । (पञ्चमः न+उपपद्यते) इनके साथ पाँचवें का कोई सम्बन्ध नहीं है ॥ १८६ ॥

सपिण्ड के अभाव में दाय के अधिकारी—

अनन्तरः सपिण्डाद्यस्तस्य यस्य धनं भवेत् ।
अत ऊर्ध्वं सकुल्यः स्यादाचार्यः शिष्य एव वा ॥ १८७ ॥

(यः सपिण्डात् अनन्तरः) जो सपिण्डों=वंशस्थों या रिश्तेदारों में निकट-निकट का व्यक्ति है (तस्य तस्य धनं भवेत्) वही-वही मृतक के धन का भागी होगा (अतः ऊर्ध्वम्) इसके बाद अर्थात् सपिण्ड व्यक्ति के न होने पर (सकुल्यः आचार्यः वा शिष्यः एव) सगोत्रीय निकट का आचार्य या शिष्य मृत व्यक्ति के धन का भागी होता है ॥ १८७ ॥

सर्वेषामप्यभावे तु ब्राह्मणा रिक्थभागिनः ।
त्रैविद्याः शुचयो दान्तास्तथा धर्मो न हीयते ॥ १८८ ॥

(सर्वेषाम्+अपि+अभावे तु) सभी [पुत्र, पत्नी, सपिण्ड आदि] उत्तराधिकारियों के अभाव में (त्रैविद्याः शुचयः दान्ताः ब्राह्मणाः) तीनों वेदों के विद्वान्, शुद्ध आत्मा वाले, जितेन्द्रिय ब्राह्मण ही (रिक्थभागिनः) मृत-व्यक्ति के धन के भागी होते हैं (तथा धर्मः न हीयते) इस प्रकार धर्म का लोप नहीं होता ॥ १८८ ॥

अहार्यं ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः
इतरेषां तु वर्णानां सर्वाभावे हरेन्नृपः ॥ १८९ ॥

(राज्ञाब्राह्मणद्रव्यं नित्यम् अहार्यम्) राजा को [निकट के व्यक्ति के अभाव में] ब्राह्मणों का धन कदापि ग्रहण न करना चाहिये (इति स्थितिः) ऐसी मान्यता है,

(सर्व+अभावे) सभी उत्तराधिकारियों के अभाव में (इतरेषां तु वर्णानाम्) ब्राह्मण से भिन्न अन्य वर्णों का ही धन (नृपः हरेत्) राजा ले सकता है ॥ १८९ ॥

संस्थितस्यानपत्यस्य सगोत्रात्पुत्रमाहरेत् ।
तत्र यद्रिक्थजातं स्यात्तत्तस्मिन्प्रतिपादयेत् ॥ १९० ॥

(अनपत्यस्य संस्थितस्य) सन्तानहीन पति के मर जाने पर (सगोत्रात् पुत्रम्+आहरेत्) स्त्री सगोत्र पुरुष से नियोग करके [९ । ५९–६१] पुत्र प्राप्त कर ले (तत् तत् रिक्थजातः स्यात्) उस स्थिति में मृत-पति का जो धन हो (तस्मिन् प्रतिपादयेत्) वह उस पुत्र को दे देवे ॥ १९० ॥

द्वौ तु यौ विवदेयातां द्वाभ्यां जातौ स्त्रिया धने ।
तयोर्यत्तस्य पित्र्यं स्यात्तत्स गृह्णीत नेतरः ॥ १९१ ॥

(द्वाभ्यां जातौ) दो पिताओं से उत्पन्न (द्वौ तु यौ स्त्रियाः धने विवदेयाताम्) दो पुत्र यदि स्त्री अर्थात् माता के धन के विषय में विवाद=झगड़ा करें तो (तयोः यत् यस्य पित्र्यं स्यात्) उनमें से जो जिसके पिता का धन हो (सः तत् गृह्णीत) वह उसे ही ग्रहण करे (इतरः न) दूसरे पिता से उत्पन्न पुत्र दूसरे का भाग न ले ॥ १९१ ॥

अनुशीलन : १४८ से १७५ तथा १७७–१९१ तक के सभी श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—(१) १४८–१७५, १७७–१९१ श्लोकों में अनेक वर्णों की बहुपत्नियों से उत्पन्न पुत्रों के दायभाग का वर्णन है। एकसाथ बहुविवाह की मान्यता ही मनुविरुद्ध है। मनु एक समय में एक ही स्त्री से विवाह की आज्ञा देते हैं और वह भी प्रधानरूप से सवर्णा से [५ । १६७]। मनु ने सर्वत्र एकवचन का प्रयोग करके एक ही पत्नी करने का भी संकेत दिया है [३ । ४–५; ७ । ७७]। (२) १५८–१७५, १७७–१८४, १९०–१९१ श्लोकों में वर्णित दायभाग जन्मना वर्णव्यवस्था से प्रभावित है। कुछ पुत्रों को दायभाग का अधिकारी नहीं माना और प्रथम पुत्र के रहते अन्य निम्नपुत्रों को अनधिकारी माना है। यह व्यवस्था भी मनुसम्मत नहीं है। मनु बीज को प्रधान मानते हैं [९ । ३३–५६], बीज की प्रधानता होने पर जिससे जो पुत्र हुआ वह उसी के स्तर की सन्तान होगी; उसमें उच्च-निम्न का क्या प्रश्न है? मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं [द्रष्टव्य १।१९२–१०७ पर समीक्षा]। कर्मणा वर्णव्यवस्था में सभी पुत्र कर्मानुसार समान हैं। इन श्लोकों में पुत्रों में अन्तर मनुसम्मत नहीं है। (३) १८५ वें श्लोक की व्यवस्था २११–२१२ के विरुद्ध है। (४) १८७-१८९ में ब्राह्मणों आदि के धनग्रहण का कथन ८ । ३० के विरुद्ध है, वहां राजा को धन ग्रहण का अधिकार कहा है। (५) १९०–१९१ में क्षेत्रज पुत्र के लिए दायभाग का निषेध ९ । १४५–१४६ के विरुद्ध है। (६) १५८–१७५, १७७–१८० आदि में वर्णित पुत्रों के भेद मनुसम्मत नहीं हैं। मनु ने दायभाग में केवल तीन प्रकार के पुत्रों की स्थिति

स्वीकार की है। वे हैं १. औरस [१०४–१३८], २. दत्तक [१४१], ३. नियोगज [१४५–१४७], अन्यभेद मनुविहित नहीं हैं।

२. **शैलीगत आधार**—१५८ वें श्लोक में "**आह स्वायंभुवः मनुः**" पदों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि यह श्लोक मनु से भिन्न किसी अन्य परवर्ती व्यक्ति द्वारा रचित है, अतः प्रक्षिप्त है। शेष १५९–१८४ श्लोक इसी पर आधारित हैं, इससे सम्बद्ध हैं, अतः इसके प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर वे स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जायेंगे।

३. **विषयविरोध**—१५८–१७५, १७७–१८४ श्लोकों में द्वादशविध पुत्रों का वर्णन है। १८६ में पिण्डदान का वर्णन है। यह वर्णन विषयसंकेतक श्लोकों [९।१०३, १२०] में प्रदर्शित विषय से बाह्य है। यहां विषय दायभाग-वर्णन का है, पुत्र-भेद प्रदर्शन का नहीं। इस प्रकार विषयविरुद्ध होने से ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

४. **प्रसंगविरोध**—(१) १५८–१७५, १७७–१८४ श्लोकों में पुत्रों के जो भेद बतलाये हैं वे यदि प्रसंग के प्रारम्भ में वर्णित होते, तभी प्रसंग-सम्मत कहे जा सकते थे। बीच में पुत्रों का वर्णन असंगत है, अतः प्रसंगविरुद्ध है। (२)। १८५–१८९ में दायभागके कुछ विकल्प दिये हैं। ये विकल्प प्रसंगसमाप्ति पर होते तो संगत माने जा सकते थे। अभी दायभाग का विधान शेष है, उससे पूर्व ही विकल्पों का वर्णन असंगत प्रतीत होता है। (३) १४७ की १७६ से विधानात्मक सम्बद्धता है [द्रष्टव्य १४७, १७६ पर अनुशीलन] बीच के श्लोकों ने उस प्रसंग को भंग कर दिया है।

५. **पुनरुक्ति**— १९०वें श्लोक में वर्णित बातें ९। १२०, १४५, १४६ में आ चुकी हैं। पुनः उसी बात को कहना पुनरुक्ति है, अतः यह प्रक्षिप्त है। १९१ वां इससे सम्बद्ध होने के कारण प्रक्षिप्त है।

[मातृधन का विभाग]

मातृधन को भाई-बहन बराबर बांट लें—

जनन्यां संस्थितायां तु समं सर्वे सहोदराः।
भजेरन्मातृकं रिक्थं भगिन्यश्च सनाभयः ॥१९२॥ (६१)

(जनन्यां संस्थितायां तु) माता के मर जाने पर (सर्वे सहोदराः च सनाभयः भगिन्यः) सब सगे भाई और सब सगी बहनें (मातृकं रिक्थं समं भजेरन्) माता के धन को बराबर-बराबर बांट लें ॥ १९२॥

यःस्तासां स्युर्दुहितरस्तासामपि यथार्हतः।
मातामह्या धनात्किंचित्प्रदेयं प्रीतिपूर्वकम् ॥ १९३ ॥ (६२)

(तासां याः दुहितरः स्युः) उन सगी बहनों की जो पुत्रियां हों (तासां+अपि यथार्हतः) उनको भी यथायोग्य (प्रीतिपूर्वकं माता-

मह्याः धनात् किंचित् प्रदेयम्) प्रेमपूर्वक नानी के धन में से कुछ देना चाहिए ॥ १९३ ॥

स्त्रीधन छः प्रकार का—

अध्यग्न्यध्यावाहनिकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि ।
भ्रातृमातृपितृप्राप्तं षड्विधं स्त्रीधनं स्मृतम् ॥१९४॥(६३)

(स्त्रीधनं षड्विधं स्मृतम्) स्त्रीधन छः प्रकार का माना गया है—१ (अधि—अग्नि) विवाहसंस्कार के समय दिया गया धन, २. (अधि+आवाहनिकम्) पति के घर लायी जाती हुई कन्या को प्राप्त हुआ पिता के घर का धन, ३. (प्रीति कर्मणि च दत्तम्) प्रसन्नता के किसी अवसर पर पति आदि के द्वारा दिया गया धन, ४. (भ्रातृ-मातृ-पितृ-प्राप्तम्) भाई से प्राप्त धन, ५. माता से प्राप्त धन, ६. पिता से प्राप्त धन ॥ १९४ ॥

अन्वाधेयं च यद्दत्तं पत्या प्रीतेन चैव यत् ।
पत्यौजीविति वृत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भवेत् ॥१९५॥(६४)

(यत् अन्वाधेयम्) जो अन्वाधेय अर्थात् विवाह के पश्चात् पिता या पति द्वारा दिया गया है, वह धन (च) और (यत् प्रीतेन पत्या दत्तम्) जो प्रीतिपूर्वक पति के द्वारा दिया गया धन है (वृत्तायाः) स्त्री के मरने पर (पत्यौ जीवति) और पति के जीवित रहते भी (तत्धनं प्रजायाः भवेत्) वह धन सन्तानों का ही होता है ॥ १९५ ॥

ब्राह्मादि विवाहों में स्त्रीधन का अधिकारी पति—

ब्राह्मदैवार्षगान्धर्वप्राजापत्येषु यद्वसु ।
अप्रजायामतीतायां भर्तुरेव तदिष्यते ॥ १९६ ॥ (६५)

(ब्राह्म-दैव-आर्ष-गान्धर्व-प्राजापत्येषु यत् वसु) ब्राह्म, आर्ष, गान्धर्व, प्राजापत्य विवाहों में जो स्त्री को धन प्राप्त हुआ है (अप्रजायाम्+अतीतायाम्) स्त्री के सन्तानहीन मर जाने पर (तत् भर्तुः+एव इष्यते) उस धन पर पति का ही अधिकार माना गया है ॥ १९६ ॥

आसुरादि विवाहों में स्त्रीधन के उत्तराधिकारी—

यत्त्वस्याः स्याद्धनं दत्तं विवाहेष्वासुरादिषु ।
अप्रजायामतीतायां मातापित्रोस्तदिष्यते ॥१९७॥ (६६)

(यत् तु अस्याः) और जो इस (आसुरादिषु विवाहेषु दत्तं धनं स्यात्) 'आसुर' आदि विवाहों में दिया गया धन हो (अप्रजायाम्+अतीतायाम्)

पत्नी के निःसन्तान मर जाने पर (तत् मातापित्रोः इष्यते) वह धन स्त्री के माता-पिता का हो जाता है ॥ १६७ ॥

स्त्रियां तु यद्भवेद्वित्तं पित्रा दत्तं कथंचन।
ब्राह्मणो तद्धरेत्कन्या तदपत्यस्य वा भवेत् ॥ १६८ ॥

(स्त्रियां तु यत् वित्तं पित्रा दत्तं भवेत्) स्त्री को जो पिता के द्वारा दिया गया धन हो, उसके मरने पर (तत् ब्राह्मणी-कन्या हरेत्) उसके धन को ब्राह्मणी स्त्री से उत्पन्न कन्या ले ले (वा तत् अपत्यस्य भवेत्) अथवा उसी की पुत्री को वह धन मिलेगा ॥ १६८ ॥

अनुशीलन : १६८ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. **अन्तर्विरोध**—इस श्लोक में बहुपत्नी-प्रथा की मान्यता है, यह मनुविरुद्ध है [५ । १६७-१६८]। अतः यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

स्त्रियाँ कुटुम्ब से छिपाकर धन न जोड़ें—

न निर्हारं स्त्रियः कुर्युः कुटुम्बाद् बहुमध्यगात्।
स्वकादपि च वित्ताद्धि स्वस्य भर्तुरनाज्ञया ॥१६९॥(६७)

(स्त्रियः) स्त्रियाँ (कुटुम्बात् बहुमध्यगात्) बहुत सदस्यों के कुटुम्ब से चुपके से धन ले-लेकर (निर्हारं न कुर्युः) अपने लिए धनसंग्रह और व्यय न करें (च) और (स्वकात् वित्तात् अपि हि) अपने धन में से भी (स्वस्य भर्तुः+अनाज्ञया) अपने पति की आज्ञा के बिना व्यय न करें ॥ १६९ ॥

पत्यौ जीवति यः स्त्रीभिरलंकारो धृतो भवेत्।
न तं भजेरन्दायादा भजमानाः पतन्ति ते ॥२००॥(६८)

(पत्यौ जीवति) पति के जीते हुए (स्त्रीभिः यः अलंकारः धृतः भवेत्) स्त्रियों ने जो आभूषण धारण किये हैं, [पति के मर जाने पर] (दायदाः तं न भजेरन्) माता-पिता के धन के अधिकारी पुत्र आदि [माता के जीवित रहते] उसको न बांटें (भजमानाः ते पतन्ति) यदि वे उन्हें लेते हैं तो 'पतित' =दोषी कहलाते हैं ॥ २०० ॥

धन के अनधिकारी विकलांग—

अनंशौ क्लीबपतितौ जात्यन्धबधिरौ तथा।
उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केचिन्निरिन्द्रियाः ॥ २०१ ॥ (६९)

(क्लीब-पतितौ) नपुंसक, (जाति+अन्ध-बधिरौ) जन्म से अन्धे और बहरे (उन्मत्त-जड़-मूकाः च) पागल, वज्रमूर्ख और गूंगे (च) और (ये

केचित् निरिन्द्रियाः) जो कोई किसी इन्द्रिय से पूर्ण विकलांग हैं और असमर्थ हैं (अनंशौ) ये लूले लगड़े आदि सब धन के हिस्सेदार नहीं होते, क्योंकि ये धन की सुरक्षा और उपयोग के अयोग्य होते हैं ॥ २०१ ॥

इन्हें भोजन छादन देते रहें—

सर्वेषामपि तु न्याय्यं दातुं शक्त्या मनीषिणा ।
ग्रासाच्छादनमत्यन्तं पतितो ह्यददद्भवेत् ॥२०२॥(७०)

किन्तु (मनीषिणा) बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिए कि (सर्वेषाम्+अपि शक्त्या) इन सबको यथाशक्ति (ग्रास+आच्छादनम्) भोजन, वस्त्र आदि (अत्यन्तम्) अनिवार्य रूप से (दातुम्) देना ही (न्याय्यम्) न्यायोचित है, (अददत् हि पतितः भवेत्) इस प्रकार न देने वाला 'पतित' माना जायेगा ॥ २०२ ॥

यद्यर्थिता तु दारैः स्यात्क्लीबादीनां कथंचन ।
तेषामुत्पन्नतन्तूनामपत्यं दायमर्हति ॥२०३॥ (७१)

(यदि क्लीबादीनां कथंचन दारैः अर्थिता स्यात्) यदि नपुंसक आदि इन पूर्वोक्तों को भी विवाह करने की इच्छा हो तो (तेषाम्+उत्पन्नतन्तूनाम्) इनके उत्पन्न 'क्षेत्रज'=नियोगज पुत्र आदि (अपत्यम्) सन्तान (दायम्+अर्हति) इनके धन को भागी होती है ॥ २०३ ॥

सम्मिलित रहते बड़े भाई के कमाये धन की व्यवस्था—

यत्किंचित्पितरि प्रेते धनं ज्येष्ठोऽधिगच्छति ।
भागो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपालिताः ॥ २०४ ॥

संयुक्त रूप से (पितरि प्रेते) पिता के मर जाने के पश्चात् (ज्येष्ठः) बड़ा भाई (यत् किंचित् धनम्+अधिगच्छति) जो कुछ पैतृक धन प्राप्त करता है (तत्र) उसमें (यदि विद्यानुपालिताः) यदि विद्यासम्पन्न हों तो (यवीयसां भागः) छोटे भाइयों का हिस्सा होता है, मूर्खों और अनपढ़ों का नहीं ॥ २०४ ॥

अविद्यानां तु सर्वेषामीहातश्चेद्धनं भवेत् ।
समस्तत्र विभागः स्यादपित्र्य इति धारणा ॥ २०५ ॥

संयुक्त रहते यदि (अविद्यानां तु सर्वेषाम्) बिना पढ़े-लिखे सब भाइयों के (ईहातः चेत् धनं भवेत्) प्रयत्नों [खेती, व्यापार आदि] से धन एकत्रित हुआ हो तो (तत्र अपित्र्यः समः विभागः स्यात्) उसमें पितृधन को छोड़कर बाकी धन में सबका समान भाग होगा (इति धारणा) ऐसी मान्यता है ॥ २०५ ॥

अनुशीलन : २०४–२०५ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—(१) इन श्लोकों में पैतृक सम्पत्ति में अनपढ़ों के भाग का निषेध, केवल पढ़े-लिखों का अधिकार, ये दोनों बातें पूर्वोक्त विधानों से भिन्न हैं और विरुद्ध हैं। पूर्वोक्त विभाजन के वर्णनों में इस प्रकार का कहीं निषेध नहीं है, द्रष्टव्य ९। १०४, १०५, ११२, ११६, ११७, १९२, २१८ आदि। (२) इससे पूर्व २०१–२०२ श्लोकों में धन के अनधिकारी व्यक्तियों की गणना की है। वहां अनपढ़ों का परिगणन नहीं है। जबकि वहां 'जड़' शब्द का प्रयोग है। इससे सिद्ध है कि यह विधान मौलिक नहीं। यदि 'अनपढ़' अनधिकारी होते तो वहीं इनका वर्णन होता। इस प्रकार अन्तर्विरोध के आधार पर ये प्रक्षिप्त हैं।

विद्याधनं तु यद्यस्य तत्तस्यैव धनं भवेत्।
मैत्र्यमौद्वाहिकं चैव माधुपर्किकमेव च ॥ २०६ ॥ (७२)

(विद्याधनम् मैत्र्यम् च औद्वाहिकं च माधुपर्किकम्+एव) विद्या के कारण प्राप्त, मित्र से प्राप्त, विवाह में प्राप्त और पूज्यता के कारण आदर सत्कार में प्राप्त (यत् यस्य धनम्) जो जिसका धन है (तत् तस्य+एव भवेत्) वह उसी का ही होता है ॥ २०६ ॥

भ्रातृणां यस्तु नेहेत धनं शक्तः स्वकर्मणा।
स निर्भाज्यः स्वकादंशात्किंचिद्दत्त्वोपजीवनम् ॥२०७॥(७३)

(भ्रातृणां यः तु स्वकर्मणा शक्तः) भाइयों में जो भाई अपने उद्योग से समृद्ध हो और (धनं न ईहेत) पितृधन का भाग न लेना चाहे तो (सः) उसको भी (स्वकात्+अंशात् किंचित् उपजीवनं दत्त्वा) अपने-अपने पितृधन के हिस्सों से कुछ धन देकर (निर्भाज्यः) अलग करना चाहिए, बिल्कुल बिना दिये नहीं ॥ २०७ ॥

अनुपघ्नन्पितृद्रव्यं श्रमेण यदुपार्जितम्।
स्वयमीहितलब्धं तन्नाकामो दातुमर्हति ॥ २०८ ॥ (७४)

(पितृधनम् अनुपघ्नन्) पितृ-धन को बिल्कुल भी उपयोग में न लाता हुआ यदि कोई पुत्र (श्रमेण यत्+उपार्जितम्) केवल अपने परिश्रम से धन उपार्जित करे तो (स्वयम्+ईहित-लब्धं तम्) अपने परिश्रम से संचित उस धन में से (दातुम् अकामः) किसी भाई को कुछ न देना चाहे तो (न अर्हति) न देवे अर्थात् देने के लिए वह बाध्य नहीं है ॥ २०८ ॥

पैतृकं तु पिता द्रव्यमनवाप्तं यदाप्नुयात्।
न तत्पुत्रैर्भजेत्सार्धमकामः स्वयमर्जितम् ॥ २०९ ॥ (७५)

(पिता तु) यदि कोई पिता (अन्+अवाप्तं पैतृकं द्रव्यम्) दायरूप में अप्राप्त पैतृक धन अर्थात् ऐसा धन जो है तो परम्परा से पैतृक, किन्तु किसी कारण से वह उसके पिता के अधिकार में नहीं रहा, इस कारण उसे पैतृक दायभाग के रूप में भी नहीं मिला, उसको (तत्+आप्नुयात्) यदि वह स्वयं अपने परिश्रम या उपाय से प्राप्त करले तो (तत् स्वयम्+अर्जितम् धनम्) उस स्वयं के परिश्रम से प्राप्त किये धन को [जैसे गिरवी रखा हुआ धन] (अकामः) यदि वह न चाहे तो (पुत्रैः सार्धम् न भजेत्) अपने पुत्रों में न बांटे अर्थात् ऐसा धन पिता के द्वारा स्वयं किये हुए धन जैसा है। उसका देना, न देना या विभाजन करना पिता की इच्छा पर निर्भर है। वह जैसा चाहे कर सकता है ॥ २०९ ॥

पुनः एकत्र होकर पृथक् होने पर उद्धार भाग नहीं—

विभक्ताः सह जीवन्तो विभजेरन्पुनर्यदि ।
समस्तत्र विभागः स्याज्ज्यैष्ठ्यं तत्र न विद्यते ॥२१०॥(७६)

सब भाई (विभक्ताः) एक बार विभाग का बंटवारा करके (सहजीवन्तः) फिर सम्मिलित होकर (यदि पुनः विभजेरन्) यदि फिर अलग होना चाहें तो (तत्र समः विभागः स्यात्) उस स्थिति में सबको समान भाग प्राप्त होगा (तत्र ज्यैष्ठ्यं न विद्यते) तब उसमें ज्येष्ठ भाई का 'उद्धार' भाग [९।११२-११५] नहीं होता ॥ २१० ॥

भाई के मरने पर उसके धन का विभाग—

येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो वा हीयेतांशप्रदानतः ।
म्रियेतान्यतरो वाऽपि तस्य भागो न लुप्यते ॥२११॥(७७)

(येषां ज्येष्ठः वा कनिष्ठः) जिन भाइयों में से बड़ा या छोटा भाई अंशप्रदानतः हीयेत) अपने भाग से वंचित रह जाये, (म्रियेत वा अन्यतरः अपि) मर जाये अथवा अन्य किसी गृहत्याग आदि कारण से भाग न लेवे तो (तस्य भागः न लुप्यते) उसका भाग नष्ट नहीं होता अर्थात् उसके पुत्र पत्नी आदि को प्राप्त होता है ॥ २११ ॥

सोदर्या विभजेरंस्तं समेत्य सहिताः समम् ।
भ्रातरो ये च संसृष्टा भगिन्यश्च सनाभयः ॥२१२॥ (७८)

[यदि पुत्र, स्त्री आदि न हों तो] (सहिताः सोदर्याः) सभी सगे भाई (च) और (ये संसृष्टाः भ्रातरः) जो सम्मिलित भाई (च) तथा (सनाभयः भगिन्यः) सब सगी बहनें हैं, वे (समेत्य) एकत्रित होकर (तं समं विभजेरन्) उस धन को समान-समान बांट लेवें ॥ २१२ ॥

कर्त्तव्यपालन न करने पर बड़े भाई को उद्धार भाग नहीं—

यो ज्येष्ठो विनिकुर्वीत लोभाद् भ्रातॄन् यवीयसः ।
सोऽज्येष्ठः स्यादभागश्च नियन्तव्यश्च राजभिः ॥ २१३॥ (७९)

(यः ज्येष्ठः) जो बड़ा भाई (यवीयसः भ्रातॄन् लोभात् विनिकुर्वीत) छोटे भाइयों को लोभ में आकर ठगे, पूरा भाग न दे तो (सः+अज्येष्ठः) उसे बड़े के रूप में नहीं मानना चाहिए (च) और (अभागः स्यात्) उसे बड़े भाई के नाम का 'उद्धार भाग' [९। ११२–११५] भी नहीं देना चाहिए (च) और (राजभिः नियन्तव्यः) वह राजा के द्वारा दण्डनीय होता है ॥ २१३ ॥

दायधन से वंचित लोग—

सर्व एव विकर्मस्था नार्हन्ति भ्रातरो धनम् ।
न चादत्त्वा कनिष्ठेभ्यो ज्येष्ठः कुर्वीत यौतकम् ॥ २१४ ॥ (८०)

(विकर्मस्थाः सर्वे+एव भ्रातरः) [जुआ खेलना, चोरी करना, डाका डालना आदि] बुरे कामों में संलग्न रहने वाले सभी भाई (धनं न+अर्हन्ति) धनभाग को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होते (च) और (कनिष्ठेभ्यः अदत्त्वा) छोटे भाइयों को बिना दिये=बिना बांटे (ज्येष्ठः यौतकं न कुर्वीत) बड़ा भाई अपने लिए पितृधन में से अलग से धन न ले ॥ २१४ ॥

पितृ-धन का विषम विभाजन न करे—

भ्रातृणामविभक्तानां यद्युत्थानं भवेत्सह ।
न पुत्रभागं विषमं पिता दद्यात्कथञ्चन ॥ २१५ ॥ (८१)

(अविभक्तानां भ्रातृणां यदि सह उत्थानं भवेत्) सम्मिलित रूप में रहते हुए सब भाइयों ने यदि साथ मिलकर धन इकट्ठा किया हो तो (पिता) पिता (कथञ्चन पुत्रभागं विषमं न दद्यात्) किसी भी प्रकार पुत्रों के भाग को विषम अर्थात् किसी को अधिक किसी को कम रूप में न बांटे, सभी को बराबर दे ॥ २१५ ॥

ऊर्ध्वं विभागाज्जातस्तु पित्र्यमेव हरेद्धनम् ।
संसृष्टास्तेन वा स्युर्विभजेत स तैः सह ॥ २१६ ॥ (८२)

(विभागात् ऊर्ध्वं जातः तु) धन का बंटवारा करके [पिता की जीवित अवस्था में ही] पुत्रों के अलग हो जाने पर यदि कोई पुत्र उत्पन्न

हो जाये तो (पित्र्यम्+एव धनं हरेत्) वह पिता के धन को लेले (वा) अथवा (ये तेन संसृष्टाः स्युः) जो कोई पुत्र पिता के साथ सम्मिलित रूप में रह रहे हों तो (सः तैः सह विभजेत) वह उन सबके समान भाग प्राप्त करे ॥ २१६ ॥

इकलौते सन्तानहीन पुत्र के धन का उत्तराधिकार—

अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्नुयात् ।
मातर्यपि च वृत्तायां पितुर्माता हरेद्धनम् ॥ २१७ ॥ (८३)

(अनपत्यस्य पुत्रस्य दायम्) सन्तानहीन और पत्नीहीन पुत्र के धन को (माता+अवाप्नुयात्) माता प्राप्त करे (च) और (मातरि+अपि वृत्तायाम्) माता मर गई हो तो (पितुः माता धनं हरेत्) पिता की माता अर्थात् दादी उसके धन को ले ले ॥ २१७ ॥

ऋणे धने च सर्वस्मिन्प्रविभक्ते यथाविधि ।
पश्चाद् दृश्येत यत्किञ्चित्तत्सर्वं समतां नयेत् ॥ २१८ ॥(८४)

(सर्वस्मिन् ऋणे च धने) पिता के सारे ऋण और धन का (यथाविधि प्रविभक्ते) विधिपूर्वक बंटवारा हो जाने पर (यत् किंचित् पश्चात् दृश्येत) यदि बाद में कुछ ऋण और धन के शेष रहने का पता लगे तो (तत् सर्वं समतां नयेत्) उस सबको भी समान रूप में बांट लें ॥ २१८ ॥

वस्त्रं पत्रमलंकारं कृतान्नमुदकं स्त्रियः ।
योगक्षेमं प्रचारं च न विभाज्यं प्रचक्षते ॥ २१९ ॥

(वस्त्रं पत्रम्+अलंकारम्) वस्त्र, वाहन, आभूषण (कृतान्नम्+उदकं स्त्रियः) पक्वान्न, जल, स्त्रियां (योगक्षेमं) कल्याणसाधक पुरोहित आदि (च) और (प्रचारम्) मार्ग, इनको (विभाज्यं न प्रचक्षते) बंटवारे के योग्य नहीं कहा है अर्थात् ये जिसके पास जैसे हों वैसे ही रहते हैं ॥ २१९ ॥

अनुशीलन : २१९ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. **अन्तर्विरोध**—(१) २१९ वां श्लोक पिछले दायभाग के विधानात्मक श्लोकों के विरुद्ध है, क्योंकि उनमें समस्त पैतृक सम्पत्ति का विभाजन करने का कथन है [९। १०४, २१८]। (२) इस श्लोक में स्त्रियों को अविभाज्य कहने से प्रतीत होता है कि श्लोककार दासियों की प्रथा को स्वीकार करता है। यह प्रथा भी मनु के विरुद्ध है। मनु दासदासी-प्रथा को नहीं मानते। वे केवल शूद्र को सेवक के रूप में स्वीकार करते हैं, वह भी उसकी इच्छा से [१। ९१, ९। ३३४—३३५, १०। ९९]। अतः यह प्रक्षिप्त है।

[१८] द्यूत-सम्बन्धी विवाद का निर्णय [२२०—२५०]

अयमुक्तो विभागो वः पुत्राणां च क्रियाविधिः ।
क्रमशः क्षेत्रजादीनां द्यूतधर्मं निबोधत ॥ २२० ॥ (८५)

(अयम्) यह [९ । १०३-२१९] (वः) तुमको (विभागः) दायभाग का विधान (च) और (क्षेत्रज+आदीनां पुत्राणां क्रियाविधिः) 'क्षेत्रज' आदि पुत्रों को [९ । १४५-१४७] धन का भाग देने की विधि (क्रमशः उक्तः) क्रमशः कही ।

अब (द्यूतधर्मं निबोधत) जूआ-सम्बन्धी विधान सुनो—॥ २२० ॥

राष्ट्रघातक जूआ आदि का पूर्ण निवारण—

द्यूतं समाह्वयं चैव राजा राष्ट्रान्निवारयेत् ।
राजान्तकरणावेतौ द्वौ दोषौ पृथिवीक्षिताम् ॥ २२१ ॥ (८६)

(राजा) राजा (द्यूतम्) जड़ वस्तुओं से बाजी लगाकर खेले जाने वाले 'जूआ' को (च) और (समाह्वयम्+एव) चेतन प्राणियों को दाव पर लगाकर खेले जाने वाले 'समाह्वय' नामक 'जूआ' को [२२३] (राष्ट्रात् निवारयेत्) अपने देश से समाप्त कर दे, क्योंकि (एतौ द्वौ दोषौ) ये दोनों बुराइयाँ (पृथिवीक्षितां राजान्तकरणौ) राजाओं के राज्य को नष्ट कर देने वाली हैं ॥ २२१ ॥

अनुशीलन : (१) **द्यूत से हानि**—इस श्लोक के भाव को समझने के लिए परवर्ती उदाहरण महाभारत के समय का दिया जा सकता है । द्यूत और समाह्वय के व्यसन के कारण पाण्डवों को अपनी इज्जत और राज्य सब कुछ लुटाना पड़ा था। परिणाम-स्वरूप कौरवों-पाण्डवों में भयंकर महाभारत-युद्ध हुआ, जिसमें कौरवों का विनाश हुआ और पाण्डवों को विभिन्न प्रकार के कष्ट उठाने पड़े ।

(२) **वेदों में जूए का निषेध**—वेदों में जूए की तीव्र शब्दों में निन्दा की है और निषेध किया है । ऋक् १० । ३४ सूक्त में जुआरी की दुर्दशा का दयनीय वर्णन है। इस सूक्त के १३ वें मन्त्र में आदेश है—

अक्षैर्मा दीव्यः=जूआ मत खेलो ।

जूआ एक तस्करी है—

प्रकाशमेतत्तास्कर्यं यद् देवनसमाह्वयौ ।
तयोर्नित्यं प्रतीघाते नृपतिर्यत्नवान्भवेत् ॥ २२२ ॥ (८७)

(यत् देवन-समाह्वयौ) ये जो 'जूआ' और 'समाह्वय' हैं (एतत्

प्रकाशं तास्कर्यम्) ये प्रत्यक्ष में होने वाली तस्करो=चोरी हैं (नृपतिः) राजा (तयोः प्रतीघाते) इनको समाप्त करने के लिये (नित्यं यत्नवान् भवेत्) सदा प्रयत्नशील रहे ॥ २२२ ॥

द्यूत और समाह्वय में भेद—

अप्राणिभिर्यत्क्रियते तल्लोके द्यूतमुच्यते ।
प्राणिभिः क्रियते यस्तु स विज्ञेयः समाह्वयः ॥ २२३ ॥ (८८)

(अप्राणिभिः यत् क्रियते) बिना प्राणियों अर्थात् जड़ [ताश, पासा, कौड़ी, गोटो आदि] वस्तुओं के द्वारा बाजी लगाकर जो खेल खेला जाता है (लोके तत् 'द्यूतम्' उच्यते) **लोक** में उसे 'द्यूत'=जूआ कहा जाता है और (यः तु) जो (प्राणिभिः क्रियते) चेतन प्राणियों [मनुष्य, मुर्गा, तीतर, बटेर, घोड़ा आदि] के द्वारा बाजी लगाकर खेला जाता है (सः 'समाह्वयः' विज्ञेयः) उसे 'समाह्वय' कहा जाता है ॥ २२३ ॥

द्यूतं समाह्वयं चैव यः कुर्यात्कारयेत वा ।
तान्सर्वान्घातयेद्राजा शूद्रांश्च द्विजलिङ्गिनः ॥ २२४ ॥ (८९)

(यः) जो मनुष्य (द्यूतं च समाह्वयम्+एव) 'जूआ' और 'समाह्वय' (कुर्यात् वा कारयेत) स्वयं खेले या दूसरों से खिलायें (राजा) राजा (तान् सर्वान्) उन सबको (च) और (द्विजलिङ्गिनः शूद्रान्) कपटपूर्वक द्विजों के वेश धारण करने वाले शूद्रों को (घातयेत्) शारीरिक दण्ड [ताड़ना, अंगच्छेदन] आदि दे ॥ २२४ ॥

कितवान्कुशीलवान्क्रूरान् पाखण्डस्थांश्च मानवान् ।
विकर्मस्थाञ्छौण्डिकांश्च क्षिप्रं निर्वासयेत्पुरात् ॥२२५॥(९०)

और (कितवान्) जुआरियों, (कुशीलवान्) असभ्य नाच-गानों से जीविका करने वाले, (क्रूरान्) क्रूर=अत्याचारी आचरण वाले, (पाखण्ड-स्थान्) ढोंग आदि रचकर रहने वाले, (विकर्मस्थान्) शास्त्रविरुद्ध बुरे कर्म करने वाले, (शौण्डिकान्) शराब बनाने-बेचने वाले (मानवान्) इन मनुष्यों को (पुरात् क्षिप्रं निर्वासयेत्) राजा अपने राज्य से जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दे ॥ २२५ ॥

अनुशीलन : **'कुशीलव' का अर्थ**—'कुशीलव' का विग्रह है **'कुत्सितं शीलम् 'कुशीलम्' कुशीलम् अस्य अस्ति सः कुशीलवः"** [मत्वर्थीय 'व' प्रत्यय] अर्थात् जिनका निन्दनीय स्वभाव और चेष्टाएं हैं, असभ्य या भौंडे ढंग के नाच गानों से जीविका

करने वाले या राज्य में इस बहाने से कोई अहितकर बात फैलाने वाले व्यक्तियों को 'कुशीलव' कहा जाता है।

एते राष्ट्रे वर्तमाना राज्ञः प्रच्छन्नतस्कराः।
विकर्मक्रियया नित्यं बाधन्ते भद्रिकाः प्रजाः ॥ २२६ ॥ (९१)

(एते प्रच्छन्न तस्कराः) ये [९।२२५] छुपे हुए तस्कर=चोर (राष्ट्रे वर्तमानाः) राज्य में रहकर (विकर्मक्रियया) गलत और बुरे कामों को कर-करके (नित्यम्) सदा (राज्ञः) राजाओं और (भद्रिकाः प्रजाः) सज्जन प्रजाओं को (बाधन्ते) हानि और दुःख पहुंचाते रहते हैं ॥ २२६ ॥

द्यूतमेतत्पुरा कल्पे दृष्टं वैरकरं महत्।
तस्माद् द्यूतं न सेवेत हास्यार्थमपि बुद्धिमान् ॥ २२७ ॥ (९२)

(एतत् द्यूतम्) यह 'जूआ' (पुराकल्पे महत् वैरकरं दृष्टम्) अब से पहले समय में भी महान् कष्ट एवं शत्रुता पैदा करने वाला देखा गया है (तस्मात्) इसलिए (बुद्धिमान्) बुद्धिमान् मनुष्य (हास्यार्थम्+अपि द्यूतं न सेवेत) हंसी-मजाक में भी 'जूआ' न खेले ॥ २२७ ॥

प्रच्छन्नं वा प्रकाशं वा तन्निषेवेत यो नरः।
तस्य दण्डविकल्पः स्याद्यथेष्टं नृपतेस्तथा ॥ २२८ ॥ (९३)

(प्रच्छन्नं वा प्रकाशं वा) छुपकर वा सबके सामने (यः नरः तत् निषेवेत) जो मनुष्य 'जूआ' खेले (तस्य दण्डविकल्पः) उसका दण्ड-विधान निश्चित नहीं है (नृपतेः यथेष्टं स्यात्) राजा की इच्छानुसार उसका दण्ड होता है अर्थात् जूआ असह्य दुष्कर्म है [२ १, २२४] उससे होने वाली हानि को देखकर राजा जो भी चाहे अधिक दण्ड दे दे ॥ २२८ ॥

क्षत्रविट्शूद्रयोनिस्तु दण्डं दातुमशक्नुवन्।

जुर्माने को धीरे-धीरे चुका दे अर्थात् ब्राह्मण से काम न कराये ॥ २२९ ॥

स्त्रीबालोन्मत्तवृद्धानां दरिद्राणां च रोगिणाम्।
शिफाविदलरज्वाद्यैर्विदध्यान्नृपतिर्दमम् ॥ २३० ॥

(स्त्री-बाल-उन्मत्त-वृद्धानाम्) स्त्रियों, बालक, पागल, वृद्ध, (दरिद्राणां च रोगिणाम्) गरीब और रोगी इनको (नृपतिः) राजा (शिफा-विदल-रज्जु+आद्यैः)

बेंत, बांस, रस्सी आदि से ताड़ना करके ही (दमं विदध्यात्) दण्ड दे अर्थात् इन पर अर्थदण्ड और कार्यदण्ड न करे ॥ २३० ॥

अनुशीलन : २२९–२३० श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. **विषयविरोध**—(१) विषयसंकेतक श्लोक ९ । २२० के अनुसार यहां विषय 'द्यूत-सम्बन्धी' विधानों का है । इन श्लोकों में उक्त सामान्य दण्डव्यवस्था उक्त-विषय के विरुद्ध है, अतः असंगत होने से ये दोनों श्लोक प्रक्षिप्त हैं । (२) २२९ वें श्लोक में अन्य वर्णों से काम करा लेना किन्तु ब्राह्मण से काम न कराने का कथन, पक्षपातपूर्ण दण्डव्यवस्था का द्योतक है, जबकि मनु सब के लिए पक्षपातरहित सर्वसामान्य समान दण्डों का विधान करते हैं [९ । ३०७, ३११]; अपितु ब्राह्मण को अधिक समझदार और जिम्मेदार होने से अधिक दण्ड देने का विधान करते हैं [८ । ३३८] । अतः यह पक्षपात पूर्ण व्यवस्था मनुविरुद्ध है ।

मुकद्दमों के अन्त में उपसंहार

रिश्वत लेकर अन्याय करने वालों को दण्ड—

ये नियुक्तास्तु कार्येण हन्युः कार्याणि कार्यिणाम् ।
धनोष्मणा पच्यमानास्तान्निःस्वान्कारयेन्नृपः ॥ २३१ ॥ (९४)

(कार्येषु नियुक्ताः तु ये) मुकद्दमों के कार्यों में राजा द्वारा लगाये गये जो अधिकारी-कर्मचारी (धन+उष्मणा पच्यमानाः) धन की गर्मी अर्थात् रिश्वत आदि के लालच में आसक्त होकर (कार्यिणां कार्याणि हन्युः) वादी-प्रतिवादियों के मुकद्दमों को बिगाड़ें (नृपः) राजा (तान् निःस्वान् कारयेत्) उनकी सारी संपत्ति छीन ले ॥ २३१ ॥

अनुशीलन : मुहावरे का प्रयोग और उसका अर्थ—धनोष्मणा पच्यमानाः' यह एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है 'धन के लालच में पड़ने वाले लोग' या 'रिश्वत हड़पने वाले' । ऐसे रिश्वतखोर व्यक्तियों की राजा सम्पत्ति छीन ले ।

[illegible] हन्याद् द्विट्सेवनस्तथा ॥ २३२ ॥ (९५)

(च) और (कूटशासनकर्तॄन्) राजा के निर्णयों को कपटपूर्वक लिखने वाले, (प्रकृतीनां दूषकान्) प्रकृति=प्रजा, मन्त्री, सेनापति आदि को [९ । २९४] रिश्वत आदि बुरे कार्यों में फंसाकर बिगाड़ने वाले, (स्त्री-बाल-ब्राह्मणघ्नान् च) स्त्रियों, बच्चों और विद्वानों को हत्या करने वाले, (तथा) तथा (द्विट्–सेविनः) शत्रु से मिलकर उसका भला करने वाले,

इनको (हन्यात्) वध से दण्डित करे अर्थात् इनको कठोर से कठोर और कष्टप्रद दण्ड देना चाहिए ॥ २३२ ॥

ठीक निर्णय को किसी दबाव या लालच में आकर न बदले—

तीरितं चानुशिष्टं च यत्र क्वचन यद्भवेत् ।
कृतं तद्धर्मतो विद्यान्न तद्भूयो निवर्तयेत् ॥ २३३ ॥ (९६)

(यत्र क्वचन) जहां किसी मुकद्दमे में (तीरितम्) ठीक निर्णय किया जा चुका हो (च) और (अनुशिष्टं भवेत्) किसी दण्ड का आदेश भी दिया जा चुका हो (धर्मतः तत् कृतं विद्यात्) धर्मपूर्वक किये उस निर्णय को पूरा हुआ जानना चाहिए (तत् भूयः न निवर्तयेत्) उस मुकद्दमे का पुनः निर्णय न करे [यह लोभ या ममत्व आदि के कारण अथवा अकारण निर्णय न बदलने का कथन है, कारण विशेष होने पर तो पुनः निर्णय का कथन किया गया है (८। ११७; ९। २३४)] ॥ २३३ ॥

अमात्यों और न्यायाधीशों को अन्याय करने पर दण्ड—

अमात्याः प्राड्विवाको वा यत्कुर्युः कार्यमन्यथा ।
तत्स्वयं नृपतिः कुर्यात्तान्सहस्रं च दण्डयेत् ॥ २३४ ॥ (९७)

(अमात्याः वा प्राड्विवाकः) मन्त्री अथवा न्यायाधीश (यत् कार्यम्+अन्यथा कुर्युः) जिस मुकद्दमे के निर्णय को गलत या अन्यायपूर्वक कर दें तो (तत्) उस मुकद्दमे के निर्णय को (नृपतिः) राजा (स्वयं कुर्यात्) स्वयं करे (च) और (तान्) अन्यायपूर्वक निर्णय करने वाले उन अधिकारियों को (सहस्रं दण्डयेत्) एक हजार पण [८। १३६] दण्ड से दण्डित करे ॥ २३४ ॥

पाँच महापातकी और उनको दण्ड—

ब्रह्महा च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः ।

(एते सर्वे नराः पृथक्) सुरापान करने वाले (स्तेयी) चोरी करने वाले (च) और (गुरुतल्पगः) गुरु की पत्नी से संभोग करने वाले (एते सर्वे नराः) ये सब मनुष्य (पृथक्) पृथक्-पृथक् (महापातकिनः ज्ञेयाः) महापातकी = महापापी समझने चाहियें ॥ २३५ ॥

चतुर्णामपि चैतेषां प्रायश्चित्तमकुर्वताम् ।
शारीरं धनसंयुक्तं दण्डं धर्म्यं प्रकल्पयेत् ॥ २३६ ॥

(प्रयश्चित्तम्+आकुर्वताम्) प्रायश्चित्त न करने पर (एतेषां चतुर्णाम्+अपि) इन चारों को ही राजा (धर्म्यम्) धर्मानुसार (धनसंयुक्तं शारीरं दण्डं प्रकल्पयेत्) धन-दण्डसहित शारीरिक दण्ड [९। २३७] देवे ॥ २३६ ॥

गुरुतल्पे भगः कार्यः सुरापाने सुराध्वजः ।
स्तेये च श्वपदं कार्यं ब्रह्महण्यशिराः पुमान् ॥ २३७ ॥

(गुरुतल्पे भगः कार्यः) गुरुपत्नी के साथ संभोग करने पर व्यभिचारी के माथे पर भग=योनि का चिह्न दगवा देना चाहिये (सुरापाने सुराध्वजः) शराब पीने वाले के माथे पर सुरापात्र का चिह्न (स्तेये श्वपदं कार्यम्) चोरी करने वाले के माथे पर कुत्ते के पंजे का चिह्न दगवा देना चाहिये (ब्रह्महणि+अशिराः पुमान्) ब्राह्मण की हत्या करने वाले के माथे पर सिरकटे मनुष्य का चिह्न दगवा देना चाहिये ॥ २३७ ॥

असम्भोज्या ह्यसंयाज्या असंपाठ्याविवाहिनः ।
चरेयुः पृथिवीं दीनाः सर्वधर्मबहिष्कृता ॥ २३८ ॥

ये सब (असम्भोज्याः) भोजन न कराने योग्य, (असंयाज्याः) यज्ञ आदि न कराने योग्य, (असंपाठ्याः) न पढ़ाने योग्य, (अविवाहिनः) विवाह न करने योग्य और (सर्वधर्मबहिष्कृताः) सभी धर्मकार्यों से बहिष्कृत किये हुए होकर (दीनाः पृथिवीं चरेयुः) बेसहारों की तरह पृथ्वी पर घूमें ॥ २३८ ॥

ज्ञातिसम्बन्धिभिस्त्वेते त्यक्तव्याः कृतलक्षणाः ।
निर्दया निर्नमस्कारास्तन्मनोरनुशासनम् ॥ २३९ ॥

(कृतलक्षणाः एते) चिह्नों से दागे हुए ये [९।२३७] व्यक्ति (ज्ञातिसम्बन्धिभिः त्यक्तव्याः) रिश्ते-नातेदारों द्वारा भी छोड़ दिये जाने चाहियें ये लोग (निर्दयाः) दया करने योग्य नहीं हैं (निर्नमस्काराः) और नमस्कार करने योग्य भी नहीं हैं (तत् मनोः +अनुशासनम्) यही मनु का आदेश है ॥ २३९ ॥

प्रायश्चित्तं तु कुर्वाणाः सर्ववर्णा यथोदितम् ।
[illegible] ललाटे स्युर्दाप्यास्तूत्तमसाहसम् ॥ २४० ॥

(सर्वा+[illegible]) से (प्रायश्चित्तं तु कुर्वाणाः) प्रायश्चित्त करने वाले (सर्ववर्णाः) सब वर्ण वालों को (राज्ञा ललाटे न+अङ्क्याः) राजा माथे पर दाग न लगवाये (तु) किन्तु (उत्तमसाहसं दाप्याः स्युः) उन्हें केवल 'उत्तमसाहस' [८। १३८] से दण्डित करे ॥ २४० ॥

आगःसु ब्राह्मणस्यैव कार्यो मध्यमसाहसः ।
विवास्यो वा भवेद्राष्ट्रात्सद्रव्यः सपरिच्छदः ॥ २४१ ॥

(सुब्राह्मणस्य) पूर्वोक्त [९। २३५] अपराधों को यदि कोई गुणवान् ब्राह्मण

अकामपूर्वक करे तो (मध्यमसाहसः आगः कार्यः) उस पर 'मध्यमसाहस' दण्ड करे (वा) और सकामपूर्वक करने वाले ब्राह्मण को (सपरिच्छदः) गृहवस्तुओं सहित (सद्रव्यः) धनसहित (राष्ट्रात् विवास्य भवेत्) राष्ट्र से निकाल देना चाहिए ॥ २४१ ॥

इतरे कृतवन्तस्तु पापान्येतान्यकामतः ।
सर्वस्वहारमर्हन्ति कामतस्तु प्रवासनम् ॥ २४२ ॥

(अकामतः एतानि) अकामपूर्वक पूर्वोक्त (पापानि कृतवन्तः इतरे तु) अपराधों को करने वाले इतर वर्णों अर्थात् क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों को (सर्वस्वहारम्+अर्हन्ति) सर्वस्व हरण का दण्ड देना चाहिए (तु कामतः) किन्तु सकामपूर्वक करने वालों को (प्रवासनम्) [सर्वस्वहरण के साथ] देशनिकाला भी देना चाहिए ॥ २४२ ॥

नाददीत नृपः साधुर्महापातकिनो धनम् ।
आददानस्तु तल्लोभात्तेन दोषेण लिप्यते ॥ २४३ ॥

(साधुः नृपः) श्रेष्ठ राजा (महापातकिनः धनं न+आददीत) महापातकियों का धन [दण्ड, कर आदि किसी भी रूप में] ग्रहण न करे (लोभात् तत् आददानः तु) लोभवश उनके धन को लेने पर (तेन दोषेण लिप्यते) उस-उस महापातक दोष से युक्त होता है ॥ २४३ ॥

अप्सु प्रवेश्य तं दण्डं वरुणायोपपादयेत् ।
श्रुतवृत्तोपपन्ने वा ब्राह्मणे प्रतिपादयेत् ॥ २४४ ॥

(तं दण्डम्) महापातकियों पर किये गये जुर्माने से प्राप्त धन को (अप्सु प्रवेश्य) जल में डालकर (वरुणाय+उपपादयेत्) वरुण देवता को अर्पित कर दे (वा) अथवा (श्रुतवृत्त+उपपन्ने ब्राह्मणे) शास्त्रों के विद्वान् और सदाचारी ब्राह्मण को (प्रतिपादयेत्) दे देवे ॥ २४४ ॥

ईशो दण्डस्य वरुणो राज्ञां दण्डधरो हि सः ।
ईशः सर्वस्य जगतो ब्राह्मणो वेदपारगः ॥ २४५ ॥

(हि) क्योंकि (वरुणः दण्डस्य ईशः) वरुण देवता दण्ड के धन का स्वामी है, इस कारण (सः) वह वरुण (राज्ञां दण्डधरः) राजाओं के दण्ड-धन को लेने का अधिकारी है और (वेदपारगः ब्राह्मणः) वेदों में पारंगत ब्राह्मण (सर्वस्य जगतः ईशः) सम्पूर्ण जगत् का स्वामी है, अतः वह भी दण्डधन को लेने का अधिकारी है ॥ २४५ ॥

यत्र वर्जयते राजा पापकृद्भ्यो धनागमम् ।
तत्र कालेन जायन्ते मानवा दीर्घजीविनः ॥ २४६ ॥

(यत्र) जिस देश में (राजा) राजा (पापकृद्भ्यः धन+आगमं वर्जयते) महा-

पातकियों से धनग्रहण नहीं करता (तत्र) उस राज्य में (मानवाः) मनुष्य (कालेन दीर्घजीविनः जायन्ते) समयानुसार उत्तरोत्तर दीर्घजीवी होते हैं ॥ २४६ ॥

निष्पद्यन्ते च सस्यानि यथोप्तानि विशां पृथक् ।
बालाश्च न प्रमीयन्ते विकृतं न च जायते ॥ २४७ ॥

(विशाम् उप्तानि सस्यानि) वैश्यों द्वारा बोये गये अन्नादि के बीज (यथा पृथक् निष्पद्यन्ते) ठीक-ठीक और पृथक्-पृथक् सभी उत्पन्न होते हैं (च) और (बालाः न प्रमीयन्ते) बालक नहीं मरते (च) तथा (विकृतं न जायते) किसी को कोई रोगविकार नहीं होता ॥ २४७ ॥

ब्राह्मणान्बाधमानं तु कामादवरवर्णजम् ।
हन्याच्चित्रैर्वधोपायैरुद्वेजनकरैर्नृपः ॥ २४८ ॥

(कामात्) जानबूझकर (ब्राह्मणान् बाधमानम्) ब्राह्मणों को बाधा = पीड़ा पहुँचाने वाले (अवरवर्णजम्) शूद्र को (नृपः) राजा (उद्वेजनकरैः) व्याकुलता पैदा करने वाले (चित्रैः वध+उपायैः हन्यात्) अनेक प्रकार के वध के उपायों से मार डाले ॥ २४८ ॥

अनुशीलन : २३५—२४८ श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. **विषयविरोध**—विषयसंकेत श्लोक ९ । २२० के अनुसार यहां 'द्यूत-सम्बन्धी' विधानों का विषय है और विषयसंकेतक श्लोक ८ । ७ तथा ९ । २५० से यह संकेतित है कि अठारह प्रकार के मुकद्दमों में यह अन्तिम मुकद्दमा है तथा इसके वर्णन के पश्चात् केवल उपसंहारात्मक श्लोकों का वर्णन [९ । २३१-२३४, २४९] ही संगत माना जा सकता है, अन्य नहीं। इन श्लोकों में द्यूतधर्म से तथा उपसंहार से बाह्य वर्णन है, अतः ये सभी श्लोक विषयविरुद्ध प्रक्षेप हैं। पूर्व वर्णित अपने-अपने विषयों में ही इन दण्डों का कथन करना संगत था। और विषयानुसार वहां-वहां इन सभी अपराधों की दण्ड-व्यवस्था मनु ने पहले कह भी दी है, अतः उनका यहां पुनःकथन वैसे भी अनावश्यक है। (२) ७—९ अध्यायों में राजा की दण्ड-व्यवस्था है, प्रायश्चित्त की नहीं। अतः २३६ में प्रायश्चित्त न करने पर ही दण्ड का विधान इस विषय के विरुद्ध है, राजा तो अपने नियमानुसार दण्ड देगा ही। और प्रायश्चित्तों का वर्णन ११ वें अध्याय में होना चाहिए था। इस प्रकार भी ये विषय-विरुद्ध हैं।

२. **प्रसंगविरोध**—२३४ और २५० श्लोकों में सभी १८ मुकद्दमों के पश्चात् उपसंहारात्मक वर्णन है। इन श्लोकों ने उस वर्णन-प्रसंग को भंग करके पूर्व आये प्रसंगों का बीच में पुनःवर्णन किया है। प्रसंगभञ्जक होने के कारण ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

३. **अन्तर्विरोध**—(१) इन श्लोकों का आधारभूत श्लोक २३५ वां है। इस

२३५ वें की मान्यता तत्तत् प्रसंगों में मनुविहित पूर्व मान्यताओं से मेल नहीं खाती। ८। ३८६ में विशिष्ट अपराधियों की गणना करते हुए मनु ने चोर, परस्त्रीगामी, दुष्टवाक्, लुटेरा और हत्यारा, इन व्यक्तियों को विशिष्ट अपराधी माना है। यहाँ विशिष्ट महापातकियों का परिगणन उनसे भिन्नरूप में है। वहां सर्वमान्य आधार पर विशिष्ट अपराधियों का परिगणन है, जब कि यहां व्यक्तिपरक [केवल ब्राह्मण और गुरु] आधार पर है, जो उचित नहीं है। (२) इन श्लोकों में उक्त दण्ड-व्यवस्था भी पूर्वविहित दण्ड-व्यवस्थाओं से भिन्न होने के कारण विरुद्ध है। [यथा—हत्या ८। २८६-२८८, परस्त्रीगामी ८। ३५२-३७२, मद्यपी ९। २२५]। (३) २४१-२४२, २४८ में पक्षपात-पूर्ण दण्ड-व्यवस्था है, जो ९। ३०७, ३११, ८। ३३५-३३८ की भावना एवं व्यवस्था के विरुद्ध है। (४) ३४३ - ३४७ श्लोकों की व्यवस्था उन पूर्वोक्त सभी श्लोकों के विरुद्ध है जिनमें अपराधियों पर जुर्माना करने, सर्वस्वहरण करने की राजा को आज्ञा दी है [८। २८८, ३२०, ३२२, ३३५-३३८] आदि।

४. **शैलीगत आधार**—२२९ वें श्लोक में "**तत् मनोः अनुशासनम्**" पदों से स्पष्ट है कि यह श्लोक मनु से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति की रचना है, अतः यह प्रक्षिप्त है और इसके प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर इससे सम्बद्ध यह सम्पूर्ण पूर्वापर प्रसंग स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाता है।

यावानवध्यस्य वधे तावान्वध्यस्य मोक्षणे।
अधर्मो नृपतेर्दृष्टो धर्मस्तु विनियच्छतः॥ २४९॥ (९८)

(अवध्यस्य वधे) अदण्डनीय को दण्ड देने पर (नृपतेः) राजा को (यावान्+अधर्मः दृष्टः) जितना अधर्म होना शास्त्र में माना गया है (तावान् वध्यस्य मोक्षणे) उतना ही दण्डनीय को छोड़ने में अधर्म होता है (विनियच्छतः तु धर्मः) न्यायानुसार दण्ड देना ही धर्म है॥ २४९॥

उदितोऽयं विस्तरशो मिथो विवदमानयोः।
अष्टादशसु मार्गेषु व्यवहारस्य निर्णयः॥ २५०॥ (९९)

(अयम्) यह [८। १ से ९। २४९ तक] (मिथः विवदमानयोः) परस्पर विवाद=झगड़ा करने वाले वादी-प्रतिवादियों के (अष्टादशसु मार्गेषु) अठारह प्रकार के (व्यवहारस्य निर्णयः) मुकद्दमों का निर्णय (विस्तरशः उदितः) विस्तारपूर्वक कहा॥ २५०॥

एवं धर्म्याणि कार्याणि सम्यक्कुर्वन्महीपतिः।
देशानलब्धांल्लिप्सेत लब्धांश्च परिपालयेत्॥ २५१॥ (१००)

(एवम्) इस पूर्वोक्त कही विधि के अनुसार (धर्म्याणि कार्याणि कुर्वन्) धर्मयुक्त कार्यों को करता हुआ (महीपतिः) राजा (अलब्धान्

देशान् लिप्सेत) अप्राप्त देशों को प्राप्त करने की इच्छा करे (च) और (लब्धान् परिपालयेत्) प्राप्त किये देशों का भलीभांति पालन करे ॥२५१॥

राजा द्वारा लोककण्टकों का निवारण—(९। २५२ से ३२५ तक)

सम्यङ् निविष्टदेशस्तु कृतदुर्गश्च शास्त्रतः।
कण्टकोद्धरणे नित्यमातिष्ठेद्यत्नमुत्तमम् ॥ २५२ ॥ (१०१)

राजा (सम्यक् निविष्टदेशः) अच्छे सस्यादिसम्पन्न देश का आश्रय करके (च) और वहां (शास्त्रतः कृतदुर्गः) शास्त्रानुसार विधि [७। ६९] से किला बनाकर (कण्टकोद्धरणे) अपने राज्य से कंटकों='प्रजा या शासन को पीड़ित करने वाले लोगों' को [२५६–२६०] दूर करने में (नित्यम् उत्तमं यत्नम्+आतिष्ठेत्) सदा अधिकाधिक यत्न करे ॥ २५२ ॥

अनुशीलन : **लोककण्टक से अभिप्राय**—समाज की व्यवस्था, सुख, शान्ति में अपराध और नियमविरुद्ध कार्य करके पीड़ा=बाधा पहुंचाने वाले लोग 'लोककण्टक' कहलाते हैं। लोककण्टक शब्द का अर्थ भी यही है—'लोगों को कांटे की तरह चुभकर पीड़ा देने वाले'। इनकी गणना ९।२५६–२६० में की है।

रक्षणादार्यवृत्तानां कण्टकानां च शोधनात्।
नरेन्द्रास्त्रिदिवं यान्ति प्रजापालनतत्पराः ॥ २५३ ॥ (१०२)

(आर्यवृत्तानां रक्षणात्) श्रेष्ठ आचरण वाले व्यक्तियों की रक्षा करने से (च) और (कण्टकानां शोधनात्) कण्टकों=कष्टदायक दुष्ट व्यक्तियों को दूर करने से (प्रजापालनतत्पराः नरेन्द्राः) प्रजाओं के पालन करने में तत्पर रहने वाले राजा (त्रिदिवं यान्ति) विस्तृत राज्य के उत्तम सुख को भोगते हैं ॥ २५३ ॥

अनुशीलन : **'त्रिदिवं यान्ति' मुहावरा**—'त्रिदिवं यान्ति' यह भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है 'त्रिदिवं प्राप्नुवन्ति'=तीनों लोकों के राज्य को प्राप्त करते हैं अर्थात् उनका राज्य दिन-प्रतिदिन बढ़ता जाता है। यह मुहावरा आजकल भी हिन्दी में इसी अर्थ में प्रचलित है।

अशासंस्तस्करान्यस्तु बलिं गृह्णाति पार्थिवः।
तस्य प्रक्षुभ्यते राष्ट्रं स्वर्गाच्च परिहीयते ॥ २५४ ॥ (१०३)

(यः तु पार्थिवः) जो राजा (तस्करान् अशासन्) चोर [९।२५७] आदि को नियन्त्रित-दण्डित न करता हुआ (बलिं गृह्णाति) प्रजाओं से कर आदि ग्रहण करता है (तस्य राष्ट्रं प्रक्षुभ्यते) उसके राष्ट्र में निवास करने वाली प्रजाएं क्षुब्ध होकर विद्रोह कर देती हैं (च) और वह (स्वर्गात् परिहीयते) राज्यसुख से क्षीण हो जाता है ॥ २५४ ॥

अनुशीलन : तस्कर का अर्थ और व्युत्पत्ति—'तस्कर' विशेष रूप से उस चोर को कहते हैं जो प्रकट और गुप्त प्रत्येक प्रकार की चोरी प्रत्यक्ष ठगी, जालसाजी अथवा लूट के रूप में करता है। जो धन को लूटने के लिए हर गलत उपाय को प्रयोग में लाने में विश्वास रखता है। निघंटु ३।२४ में कहा है—"तस्करः स्तेननाम"= चोर का नाम तस्कर है, कैसा चोर होता है वह? "**तस्करः तत्करो भवति। करोति यत् पापकमिति नैरुक्ताः। ततोतेर्वा स्यात्सन्ततकर्मा भवति अहोरात्रकर्मा वा**" [निरु० ३।१४] अर्थात् जो पापकर्मों में लगा रहता है, वह तस्कर कहलाता है। चोरी के कार्य का विस्तार करता है अथवा दिन में भी रात में भी समय और परिस्थिति के अनुरूप हर समय किसी न किसी चोरी करने के काम में लगा रहता है।

निर्भयं तु भवेद्यस्य राष्ट्रं बाहुबलाश्रितम्।
तस्य तद्वर्धते नित्यं सिच्यमान इव द्रुमः ॥२५५॥ (१०४)

(यस्य बाहुबलाश्रितम्) जिस राजा के बाहुबल=दण्डशक्ति के सहारे (राष्ट्रं निर्भयं तु भवेत्) राष्ट्र अर्थात् प्रजाएं [चोर आदि से] निर्भय रहती हैं (तस्य तत्) उसका वह राज्य (सिच्यमानः द्रुमः इव) सींचे गये वृक्ष की भाँति (नित्यं वर्धते) सदा बढ़ता रहता है॥ २५५॥

दो प्रकार के तस्कर—

द्विविधांस्तस्करान्विद्यात्परद्रव्यापहारकान्।
प्रकाशांश्चाप्रकाशांश्च चारचक्षुर्महीपतिः ॥२५६॥ (१०५)

(चारचक्षुः महीपतिः) गुप्तचर ही हैं नेत्र जिसके अर्थात् गुप्तचरों के द्वारा सब प्रजा का काम देखने वाला राजा (प्रकाशान् च+अप्रकाशान् परद्रव्य+अपहारकान्) प्रकट और गुप्त रूप से दूसरों के द्रव्यों को चुराने वाले (द्विविधान् तस्करान् विद्यात्) दोनों प्रकार के चोरों की जानकारी रखे॥ २५६॥

प्रकाशवञ्चकास्तेषां नानापण्योपजीविनः।
प्रच्छन्नवञ्चकास्त्वेते ये स्तेनाटविकादयः ॥२५७॥ (१०६)

(तेषाम्) उन दोनों प्रकार के चोरों में (नानापण्य-उपजीविनः प्रकाशवञ्चकाः) नाना प्रकार के व्यापारी जो देखते-देखते माप,तोल या मूल्य में हेराफेरी करके ठगते हैं वे 'प्रकट-चोर' हैं (ये) और जो (स्तेन-आटविकादयः) जंगल आदि में छिपे रहकर चोरी करने वाले हैं (ते) वे (प्रच्छन्नवञ्चकाः) 'गुप्तचोर' हैं॥ २५७॥

लोककण्टकों की गणना—

उत्कोचकाश्चौपधिका वञ्चकाः कितवास्तथा ।
मङ्गलादेशवृत्ताश्च भद्राश्चेक्षणिकैः सह ॥ २५८ ॥ (१०७)
असम्यक्कारिणश्चैव महामात्राश्चिकित्सकाः ।
शिल्पोपचारयुक्ताश्च निपुणाः पण्ययोषितः ॥ २५९ ॥ (१०८)
एवमादीन्विजानीयात्प्रकाशांल्लोककण्टकान् ।
निगूढचारिणश्चान्यानानार्यानार्यलिङ्गिनः ॥ २६० ॥ (१०९)

(उत्कोचकाः) रिश्वतखोर, (औपधिकाः) भय दिखाकर धन लेने वाले (वञ्चकाः) ठग, (कितवाः) 'जूआ' से धन लेने वाले, (मंगलादेश-वृत्ताः) 'तुम्हें पुत्र या धन प्राप्त होगी' इत्यादि मांगलिक बातों को कहकर धन लूटने वाले, (भद्राः) साधु-संन्यासी आदि भद्ररूप धारण करके धन ठगने वाले, (ईक्षणिकैः सह) हाथ आदि देखकर भविष्य बताकर धन ठगने वाले, (असम्यक् कारिणः महामात्राः) धन, वस्तु आदि लेकर गलत तरीकों से काम करने वाले उच्च राजकर्मचारी [मन्त्री आदि], (चिकित्सकाः) अनुचित मात्रा में धन लेने वाले या अयोग्य चिकित्सक (शिल्पोपचारयुक्ताः) अनुचित मात्रा में धन लेने वाले शिल्पी [चित्रकार आदि], (निपुणाः पण्ययोषितः) धन ठगने में चतुर वेश्याएं (एवम्+आदीन्) इत्यादियों को (च) और (अन्यान्) दूसरे जो (आर्यलिङ्गिनः निगूढचारिणः अनार्यान्) श्रेष्ठों का वेश या चिह्न धारण करके गुप्तरूप से विचरण करने वाले दुष्ट या बुरे व्यक्ति हैं, उनको (प्रकाशान् लोककण्टकान् विजानीयात्) प्रकट लोककण्टक=प्रजाओं को पीड़ित करने वाले चोर समझे ॥ २५८–२६० ॥

अनुशीलन : **औपधिक का अर्थ**—'औपधिक' का अर्थ 'किसी प्रयोजन से कोई जालसाजी रचकर भय दिखाकर धन लूटने वाला व्यक्ति' होता है। आजकल की भाषा में इन्हें ब्लैकमेल (भयादोहन) करने वाले कहते हैं।

तान्विदित्वा सुचरितैर्गूढैस्तत्कर्मकारिभिः ।
चारैश्चानेकसंस्थानैः प्रोत्साद्य वशमानयेत् ॥ २६१ ॥ (११०)

(तत् कर्मकारिभिः) जिस विषय में जानकारी प्राप्त करनी है वैसा ही कर्म करने में चतुर, (गूढैः) गुप्त रहने वाले (सुचरितैः) अच्छे आचरण वाले (अनेक संस्थानैः) अनेक स्थानों में नियुक्त (चारैः) गुप्तचरों के द्वारा (तान् विदित्वा) उन ठगों या लोककण्टकों को मालूम करके (च) और फिर (प्रोत्साद्य) उन्हें पकड़कर (वशम्+आनयेत्) अपने वश में करे,

कारागृह में रखे अर्थात् उन पर ऐसा नियन्त्रण रखे कि वे ये काम न कर पायें ॥ २६१ ॥

तेषां दोषानभिख्याप्य स्वे स्वे कर्मणि तत्त्वतः ।
कुर्वीत शासनं राजा सम्यक्सारापराधतः ॥ २६२ ॥ (१११)

(राजा) राजा (स्वे स्वे कर्मणि तत्त्वतः तेषां दोषान्+अभिख्याप्य) जो-जो उन्होने बुरा काम किया है भलीभांति उनके दोषों को घोषणा करके (सार अपराधतः) उनके बल और अपराध के अनुसार (सम्यक् शासनं कुर्वीत) न्यायोचित दण्ड से दण्डित करे ॥ २६२ ॥

नहि दण्डादृते शक्यः कर्तुं पापविनिग्रहः ।
स्तेनानां पापबुद्धीनां निभृतं चरतां क्षितौ ॥ २६३ ॥ (११२)

(स्तेनानाम्) प्रकट चोरों, (क्षितौ निभृतं चरताम्) पृथ्वी पर गुप्त-रूप से विचरण करने वाले चोरों या अन्य अपराधियों तथा (पापबुद्धीनाम्) पाप कर्म में बुद्धि रखने वालों के (पापविनिग्रहः) पापों पर रोक (दण्डात्+ऋते नहि कर्तुं शक्यः) दण्ड के बिना नहीं हो सकती, अतः दण्ड देने में कभी प्रमाद या शिथिलता न करे ॥ २६३ ॥

गुप्तचरों द्वारा किन स्थानों से अपराधियों का पता लगाये—

सभाप्रपापूपशालावेशमद्यान्नविक्रयाः ।
चतुष्पथाश्चैत्यवृक्षाः समाजाः प्रेक्षणानि च ॥ २६४ ॥ (११३)
जीर्णोद्यानान्यरण्यानि कारुकावेशनानि च ।
शून्यानि चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥ २६५ ॥ (११४)
एवंविधान्नृपो देशान्गुल्मैः स्थावरजङ्गमैः ।
तस्करप्रतिषेधार्थं चारैश्चाप्यनुचारयेत् ॥ २६६ ॥ (११५)

(सभा-प्रपा+अपूपशाला) सभाओं के आयोजन स्थल, प्याऊ, माल-पूआ आदि बेचने का स्थान [भोजनालय, हलवाइयों की दुकान आदि], वेश-मद्य-अन्न-विक्रयाः) बहुरूपी वेशभूषा, मद्य तथा अनाज बेचने का स्थान [मण्डी आदि], (चतुष्पथाः) चौराहे, (चैत्यवृक्षाः) प्रसिद्धवृक्ष जहां लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं, (समाजाः) सार्वजनिक स्थान, (प्रेक्षणानि) मनोरंजन के स्थान, (जीर्ण+उद्यान+अरण्यानि) पुराने बगीचे और जंगल, (कारुक+आवेशनानि) शिल्पगृह=संग्रहालय आदि (शून्यानि अगाराणि) सूने पड़े हुए घर, (वनानि च उपवनानि) वन और उपवन, (राजा) राजा (एवं-विधान् देशान्) ऐसे स्थानों में (तस्करप्रतिषेधार्थम्) चोरों के निवारण के

लिए (स्थावर-जङ्गमैः गुल्मैः) एक स्थान पर (पुलिस चौकी बनाकर) रहने वाले और गश्त लगाने वाले सिपाहियों के दलों को (च) और (चारैः) गुप्तचरों को (अनुचारयेत्) विचरण कराये या नियुक्त करे ।। २६४–२६६।।

तत्सहायैरनुगतैर्नानाकर्मप्रवेदिभिः ।
विद्यादुत्सादयेच्चैव निपुणैः पूर्वतस्करैः ॥ २६७ ॥ (११६)

(तत् सहायैः+अनुगतैः) उन चोर आदि के सहायकों और अनुगामियों से (नानाकर्मप्रवेदिभिः निपुणैः पूर्वतस्करैः) अनेक प्रकार के कर्मों को जानने वाले चतुर भूतपूर्व चोरों से भी (विद्यात्) चोरों का पता लगावे (च) और पता लगने पर उन्हें (उत्सादयेत्) दण्डित करे ।। २६७ ।।

भक्ष्यभोज्योपदेशैश्च ब्राह्मणानां च दर्शनैः ।
शौर्यकर्मापदेशैश्च कुर्युस्तेषां समागमम् ॥ २६८ ॥ (११७)

वे सहयोगी या गुप्तचर लोग (भक्ष्य-भोज्य-अपदेशैः) खाने के पदार्थों का लालच देकर (च) और (ब्राह्मणानां दर्शनैः) ब्रह्मवेत्ता विद्वानों के दर्शनों के बहाने (च) तथा (शौर्यकर्म-अपदेशैः) कोई शौर्यकर्म दिखाने के बहाने से (तेषां समागमं कुर्युः) उन चोर आदि को सिपाहियों से मिला दें, गिरफ्तार करादें ।। २६८ ।।

ये तत्र नोपसर्पेयुर्मूलप्रणिहिताश्च ये ।
तान्प्रसह्य नृपो हन्यात्सामित्रज्ञातिबान्धवान् ॥ २६९ ॥ (११८)

(ये) जो चोर और उनके सहयोगी (तत्र न+उपसर्पेयुः) उपर्युक्त स्थानों [२६८] पर न आवें (च) और (ये) जो चोर (मूलप्रणिहिताः) पकड़े जाने की शंका से सावधान होकर बचते रहें अर्थात् पकड़ में न-आवें तो (नृपः) राजा (समित्र-ज्ञाति-बान्धवान् तान्) मित्र, रिश्तेदार और बान्धवों सहित उन चोरों को (प्रसह्य) बलपूर्वक पकड़कर (हन्यात्) दण्डित करे ।। २६९ ।।

प्रमाण मिलने पर ही दण्ड दे—

न होढेन विना चोरं घातयेद्धार्मिको नृपः ।
सहोढं सोपकरणं घातयेदविचारयन् ॥ २७० ॥ (११९)

(धार्मिकः नृपः) धार्मिक राजा (होढेन विना) चोरी का माल आदि प्रमाणों के बिना (चोरं न घातयेत्) चोर को न मारे, किन्तु (सहोढं स+उपकरणम्) चोरी का माल, और सेंध मारने आदि के औजार आदि

प्रमाण उपलब्ध होने पर (अविचारयन् घातयेत्) अवश्य दण्डित करे ॥ २७० ॥

चोरों के सहयोगियों को भी दण्ड दे—

ग्रामेष्वपि च ये केचिच्चौराणां भक्तदायकाः ।
भाण्डावकाशदाश्चैव सर्वांस्तानपि घातयेत् ॥ २७१ ॥ (१२०)

(च) और (ग्रामेषु+अपि ये केचित्) गांवों में भी जो कोई (चौराणां भक्तदायकाः भाण्ड-अवकाशदाः) चोरों को भोजन देने वाले, बर्तन और स्थान-शरण देने वाले हों (तान् सर्वान् अपि घातयेत्) राजा उन सबको भी दण्डित करे ॥ २७१ ॥

राष्ट्रेषु रक्षाधिकृतान्सामन्तांश्चैव चोदितान् ।
अम्याघातेषु मध्यस्थाञ्छिष्याच्चौरानिव द्रुतम् ॥ २७२ ॥ (१२१)

राजा (राष्ट्रेषु रक्षाधिकृतान्) राज्य में रक्षा के लिए नियुक्त (च) और (सामन्तान् चोदितान्) सीमाओं पर नियुक्त राजपुरुषों को (अभ्याघातेषु मध्यस्थान्) यदि चोरी आदि के मामले में मिला हुआ पाये तो उनको भी (चौरान्+इव द्रुतं शिष्यात्) चोर के समान ही शीघ्रतापूर्वक दण्ड दे, शीघ्रतापूर्वक इसलिए जिससे प्रजाओं के मन में राजपुरुष होने के कारण छूट जाने का संदेह न पनपे ॥ २७२ ॥

यश्चापि धर्मसमयात्प्रच्युतो धर्मजीवनः ।
दण्डेनैव तमप्योषेत्स्वकाद्धर्माद्धि विच्युतम् ॥ २७३ ॥

(यः धर्मजीवनः) जो धर्म की आजीविका करने वाला अर्थात् वर्णों के धर्मों का उपदेश कर जीविका चलाने वाला ब्राह्मण (धर्मसमयात् प्रच्युतः) अपनी धर्ममर्यादा से भ्रष्ट हो जाये तो (स्वकात् धर्मात् विच्युतं हि तम्+अपि) अपने धर्म से भ्रष्ट हुए उस ब्राह्मण को भी (दण्डेन+एव शोषेत्) दण्ड से ही ताड़ना करे ॥ २७३ ॥

अनुशीलन : २७३ वां श्लोक प्रक्षिप्त है—

१. प्रसंगविरोध—यहां पूर्वापर-प्रसंग चोरों एवं चोरों के सहायकों आदि की दण्डव्यवस्था का है। इस बीच धर्म से भ्रष्ट ब्राह्मण के लिए दण्ड का कथन प्रसंगविरुद्ध है। अतः यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

सामूहिक हानि होने पर सहयोग न करने वाले को दण्ड—

ग्रामघाते हिताभङ्गे पथि मोषाभिदर्शने ।
शक्तितो नाभिधावन्तो निर्वास्याः सपरिच्छदाः ॥ २७४ ॥ (१२२)

(ग्रामघाते) चोर आदि के द्वारा गांव को लूटने के मौके पर (हिता-भङ्गे) नदियों के तोड़ने पर (पथि मोष-अभिदर्शने) रास्ते में चोर आदि से मुकाबला होने पर (शक्तितः न+अभिधावन्तः) यथाशक्ति दौड़कर रक्षा न करने वालों को (सपरिच्छदाः निर्वास्याः) गृहसामग्री सहित उस देश से निकाल देवे ॥ २७४ ॥

अनुशीलन : **हिता का अर्थ और व्युत्पत्ति**—'हिता' का अर्थ नदी है। 'हि गतौ वृद्धौ च' धातु से क्त प्रत्यय, स्त्रीलिङ्ग में टाप् से 'हिता' शब्द की सिद्धि होती है। 'हिन्वन्ति गच्छन्ति याः ताः नद्यः' इस विग्रह से बहने वाली-गति करने वाली हिता अर्थात् नदी होती है। नदियां सामूहिक उपकार करने के लिए होती हैं। इसलिए उनको तोड़ने वालो का सामूहिक रूप से ही विरोध करना चाहिए।

राज्ञः कोषापहर्तॄंश्च प्रतिकूलेषु च स्थितान्।
घातयेद्विविधैर्दण्डैररीणां चोपजापकान् ॥ २७५ ॥ (१२३)

(राज्ञः कोषहर्तॄन्) राजा के खजाने को चुराने वाले (च) और (प्रति-कूलेषु स्थितान्) राज्य के विरोधी कार्यों में संलग्न (च) तथा (अरीणाम् उपजापकान्) शत्रुओं को भेद देने वाले, इन्हें राजा और (विविधैः दण्डैः घातयेत्) विविध प्रकार के दण्डों से दण्डित करे ॥ २७५ ॥

विभिन्न अपराधियों को दण्ड—

संधिं छित्त्वा तु ये चौर्यं रात्रौ कुर्वन्ति तस्कराः।
तेषां छित्त्वा नृपो हस्तौ तीक्ष्णे शूले निवेशयेत् ॥ २७६ ॥ (१२४)

(ये तस्कराः) जो चोर (रात्रौ सन्धिं छित्त्वा) रात को सेंध मारकर (चौर्यं कुर्वन्ति) चोरी करते हैं (नृपः) राजा (तेषां हस्तौ छित्त्वा) उनके हाथ काटकर (तीक्ष्णे शूले निवेशयेत्) तेज शूली पर चढ़ादे ॥ २७६ ॥

अङ्गुलीर्ग्रन्थिभेदस्य छेदयेत्प्रथमे ग्रहे।
द्वितीये हस्तचरणौ तृतीये वधमर्हति ॥ २७७ ॥ (१२५)

राजा (ग्रन्थिभेदस्य) जेबकतरे चोर की (प्रथम ग्रहे) पहली बार पकड़े जाने पर (अङ्गुलीः छेदयेत्) अंगुलियां कटवादे (द्वितीये हस्तचरणौ) दूसरी बार पकड़े जाने पर हाथ-पैर कटवादे (तृतीये वधम्+अर्हति) तीसरी बार पकड़े जाने पर वध करने योग्य है ॥ २७७ ॥

अग्निदान्भक्तदांश्चैव तथा शस्त्रावकाशदान्।
संनिधातॄंश्च मोषस्य हन्याच्चौरमिवेश्वरः ॥ २७८ ॥ (१२६)

(ईश्वरः) राजा (मोषस्य अग्निदान् भक्तदान् शस्त्र-अवकाशदान्

च संनिधातृन्) चोरों को अग्नि, भोजन, शस्त्र, स्थान देने वाले और चोरी के माल को रखने वाले लोगों को भी (चौरम्+इव हन्यात्) चोर की तरह ही [९ । २७७ जैसे] दण्डित करे ॥ २७८ ॥

तडागभेदकं हन्यादप्सु शुद्धध्येन वा ।
यद्वाऽपि प्रतिसंस्कुर्याद् दाप्यस्तूत्तमसाहसम् ॥ २७९ ॥ (१२७)

राजा (तडागभेदकं हन्यात्) प्रजा के लिए बने तालाब आदि को तोड़ने वालों का वध करे (वा) अथवा (अप्सु शुद्धध्येन) जल में डुबोकर या साधारण तरीके से मारे (यद् वा+अपि) यदि (प्रतिसंस्कुर्यात्) तोड़े हुए को पुनः ठीक करवा दे तो (उत्तमसाहसं दाप्यः) 'उत्तमसाहस' का दण्ड [८ । १३८] करे ॥ २७९ ॥

कोष्ठागारायुधागारदेवतागारभेदकान् ।
हस्त्यश्वरथहर्तॄंश्च हन्यादेवाविचारयन् ॥ २८० ॥

राजा (कोष्ठागार-आयुधागार-देवतागार-भेदकान्) राज्य के अन्नभण्डारों, शस्त्रभण्डारों और यज्ञशालाओं को तोड़ने वालों का (हस्ती-अश्व-रथ-हर्तॄन् च) और हाथी, घोड़े, रथ चुराने वालों का (अविचारयन् हन्यात्+एव) बिना विचारे निश्चित रूप से वध ही करे ॥ २८० ॥

अनुशीलन : २८० वां श्लोक निम्नप्रकार प्रक्षिप्त है—

१. **प्रसंगविरोध**—यहां पूर्वापर प्रसंग तालाब-हानि से सम्बद्ध दण्डों का है। इस बीच में उससे भिन्न वर्णन असंगत एवं पूर्वापर २७९, २८१ श्लोकों के वर्णनक्रम का भञ्जक होने से यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

यस्तु पूर्वनिविष्टस्य तडागस्योदकं हरेत् ।
आगमं वाऽप्यपां भिद्यात्स दाप्यः पूर्वसाहसम् ॥ २८१ ॥ (१२८)

(यः तु) जो व्यक्ति (पूर्वनिविष्टस्य तडागस्य) किसी के द्वारा पहले बनाये गये तालाब का (उदकं हरेत्) पानी चुराले (वा) अथवा (अपाम्+आगमं भिद्यात्) जल आने का रास्ता तोड़दे (सः पूर्वसाहसं दाप्यः) उसे 'पूर्वसाहस' [८ । १३८] का दण्ड दे ॥ २८१ ॥

समुत्सृजेद्राजमार्गे यस्त्वमेध्यमनापदि ।
स द्वौ कार्षापणौ दद्यादमेध्यं चाशु शोधयेत् ॥ २८२ ॥ (१२९)

(यः तु) जो व्यक्ति (अनापदि) आपत्काल के बिना अर्थात् स्वस्थ अवस्था में (राजमार्गे) सड़क पर मुख्य रास्ते या गली पर (अमेध्यं समुत्सृजेत्) मल, मूत्र आदि डाले तो (सः द्वौ कार्षापणौ दद्यात्) उस पर दो

'कार्षापण' [८। १३६] दण्ड करे (च) और (आशु अमेध्यं शोधयेत्) तुरन्त उस गन्दगी को साफ करवाये ॥ २८२ ॥

आपद्गतोऽथवा वृद्धा गर्भिणी बाल एव वा ।
परिभाषणमर्हन्ति तच्च शोध्यमिति स्थितिः ॥ २८३ ॥ (१३०)

(आपद्गतः) कोई रोगी या आपत्तिग्रस्त व्यक्ति (वृद्धा गर्भिणी वा बालः) वृद्ध, गर्भवती या बालक राजमार्ग को गन्दा करें तो (परिभाषणम् न अर्हन्ति) उनको उसके न करने के लिए कहे या फटकार दे (च) और (तत् शोध्यम्) उसकी सफाई करावे (इति स्थितिः) ऐसी शास्त्रमर्यादा है ॥ २८३ ॥

चिकित्सकानां सर्वेषां मिथ्या प्रचरतां दमः ।
अमानुषेषु प्रथमो मानुषेषु तु मध्यमः ॥ २८४ ॥ (१३१)

(सर्वेषां चिकित्सकानाम्) सभी चिकित्सकों में (अमानुषेषु मिथ्या प्रचरताम्) पशुओं की गलत चिकित्सा करने वालों को (प्रथमः दमः) 'प्रथम-साहस' [८। १३८] का दण्ड करे और (मानुषेषु मध्यमः) मनुष्यों की गलत चिकित्सा करने पर 'मध्यम साहस' का दण्ड करे ॥ २८४ ॥

संक्रमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः ।
प्रतिकुर्याच्च तत्सर्वं पञ्च दद्याच्छतानि च ॥ २८५ ॥ (१३२)

(संक्रम-ध्वज-यष्टीनाम्) संक्रम अर्थात् रथ, उस रथ के ध्वजा की यष्टि जिसके ऊपर ध्वजा बांधी जाती है (च) और (प्रतिमानां भेदकः) प्रतिमा=छटांक आदिक बटखरे, जो इन तीनों को तोड़ डाले वा अधिक न्यून करदेवे (तत् सर्वं प्रतिकुर्यात्) उनको उससे राजा बनवा लेवे (च) और (पञ्चशतानि दद्यात्) जिसका जैसा ऐश्वर्य है, उसके योग्य दण्ड करे—जो दरिद्र होवे तो उससे पांच सौ पैसा राजा दण्ड लेवे; और जो कुछ धनाढ्य होवे तो पांच सौ रुपया उससे दण्ड लेवे; और जो बहुत धनाढ्य होवे उससे पांच सौ अशर्फी दण्ड लेवे। रथादिकों को उसी के हाथ से बनवा लेवे ॥ २८५ ॥ (द० शा० ५१, प० वि० १२)

अदूषितानां द्रव्याणां दूषणे भेदने तथा ।
मणीनामपवेधे च दण्डः प्रथमसाहसः ॥ २८६ ॥ (१३३)

(अदूषितानां द्रव्याणां दूषणे) अच्छी वस्तुओं में खराब वस्तुओं की मिलावट करके उन्हें दूषित करने पर (तथा) तथा (भेदने) अच्छी वस्तुओं

को बिगाड़ने पर (च) और (मणीनाम्+अपवेधे) मणि आदि रत्नों को तोड़ने-फोड़ने के अपराध में (प्रथमसाहसः दण्डः) 'प्रथमसाहस' [८। १३८] का दण्ड दे ॥ २८६ ॥

समैर्हि च विषमं यस्तु चरेद्वा मूल्यतोऽपि वा ।
समाप्नुयाद्दमं पूर्वं नरो मध्यममेव वा ॥ २८७ ॥ (१३४)

(यः तु) जो (नरः) मनुष्य (समैः) समानमूल्य वाली वस्तुओं के बदले (अपि वा मूल्यतः) अथवा सही मूल्य से (विषमं चरेत्) कम वस्तु देने का व्यवहार करे, (पूर्वं वा मध्यमम्+एव दमं समाप्नुयात्) 'पूर्वसाहस' या 'मध्यमसाहस' [८। १३८] दण्ड का भागी होता है ॥ २८७ ॥

बन्धनानि च सर्वाणि राजा मार्गे निवेशयेत् ।
दुःखिता यत्र दृश्येरन् विकृताः पापकारिणः ॥२८८॥ (१३५)

(राजा) राजा (सर्वाणि बन्धनानि) कारागार आदि (बन्धनगृह) (मार्गे निवेशयेत्) प्रधान मार्गों पर बनवावे (यत्र) जहां (दुःखिता विकृताः पापकारिणः दृश्येरन्) हथकड़ी, बेड़ी आदि से दुःखी हुए, बिगड़ी हुई हालत वाले अपराधी लोग दिखाई देते रहें [जिससे कि जनता के मन में अपराधों के प्रति भय की प्रेरणा उत्पन्न होती रहे] ॥ २८८ ॥

प्राकारस्य च भेत्तारं परिखाणां च पूरकम् ।
द्वाराणां चैव भङ्क्तारं क्षिप्रमेव प्रवासयेत् ॥२८९॥ (१३६)

राजा (प्राकारस्य भेत्तारम्) नगर के परकोटे को तोड़ने वाले (च) और (परिखाणां पूरकम्) नगर के चारों ओर की खाई को भरने वाले (च) तथा (द्वाराणां भक्तारम्) नगर-द्वारों को तोड़ने वाले व्यक्ति को (क्षिप्रम्+एव प्रवासयेत्) तुरन्त देशनिकाला दे दे ॥ २८९ ॥

अभिचारेषु सर्वेषु कर्तव्यो द्विशतो दमः ।
मूलकर्मणि चानाप्तेः कृत्यासु विविधासु च ॥ २९० ॥

(सर्वेषु अभिचारेषु) सब प्रकार के मारण उपाय करने पर (मूलकर्मणि अनाप्तेः) यदि वह व्यक्ति मरा न हो तो उस अवस्था में [मरने पर अन्य दण्ड है] (च) और (विविधासु कृत्यासु) विविध प्रकार के वशीकरण, उच्चाटन आदि द्वारा ठगी, धोखा आदि करने पर में (द्विशतः दमः कर्तव्यः) दो सौ पण दण्ड करना चाहिए ॥ २९० ॥

अबीजविक्रयी चैव बीजोत्कृष्टं तथैव च ।
मर्यादाभेदकश्चैव विकृतं प्राप्नुयाद्वधम् ॥ २९१ ॥

(अबीजविक्रयी) उत्पन्न होने की शक्ति से रहित बीजों को बेचने वाला (तथैव

बीजोत्कृष्टम्) उसी प्रकार खराब बीज को उत्तम कहकर बेचने वाला (च) और (मर्यादाभेदकः) सीमाओं को नष्ट करने वाला (विकृतं वधं प्राप्नुयात्) विकार करने वाले [हस्तच्छेदन आदि] दण्ड का अधिकारी होता है ॥ २९१ ॥

सर्वकण्टकपापिष्ठं हेमकारं तु पार्थिवः ।
प्रवर्तमानमन्याये छेदयेल्लवशः क्षुरैः ॥ २९२ ॥

(सर्वकण्टकपापिष्ठं हेमकारं तु) सभी लोककण्टकों में सर्वाधिक पापी सुनार को तो (पार्थिवः) राजा (अन्याये प्रवर्तमानम्) यदि वह सोना-चांदी आदि की चोरी, हेराफेरी आदि अन्याय करे तो (क्षुरैः लवशः छेदयेत्) छुरों से टुकड़े-टुकड़े करवा देवे ॥ २९२ ॥

सीताद्रव्यापहरणे शस्त्राणामौषधस्य च ।
कालमासाद्य कार्यं च राजा दण्डं प्रकल्पयेत् ॥ २९३ ॥

(सीताद्रव्य - अपहरणे) कृषि के हल आदि साधन चुराने पर (शस्त्राणाम् च औषधस्य) शस्त्रों और औषधियों के चुराने पर (राजा) राजा (कार्यं च कालम् + आसाद्य) कार्य की गम्भीरता और समय को देखकर (दण्डं प्रकल्पयेत्) दण्ड का निश्चय करे ॥ २९३ ॥

अनुशीलन : २९०-२९३ श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—२९० वें श्लोक का प्रसंग हत्या-विषय [८। २८६-२८८] में, २९१ श्लोक का प्रसंग मिलावट विषय [८।२०३] में, २९३ वें श्लोक का प्रसंग चोरी विषय [८।३०१-३३८] में वर्णित हो चुका है। यदि ये श्लोक मौलिक होते तो उसी प्रसंग में इनका कथन उपयुक्त था।पूर्वोक्त प्रसंग को पुनः कहना प्रसंगविरुद्ध है, अतः ये प्रक्षिप्त हैं।

२. **अन्तर्विरोध**—२९२ वां श्लोक जन्मना वर्णव्यवस्था पर आधारित है, जबकि मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं। मनु की व्यवस्था में 'स्वर्णकार' नामक जाति या व्यवसायी पृथक् से कोई नहीं है। यह कार्य वैश्यों का है [९।३२६, ३२९]। यह उस समय का परवर्ती प्रक्षेप है जब व्यवसाय के आधार पर जातियां बन गई थीं। इस प्रकार विरुद्ध होने से यह प्रक्षिप्त है।

३. **पुनरुक्ति**—२९३ वां श्लोक ३२४ की अधिकांशतः पुनरुक्तिमात्र है। अतः इस आधार पर भी प्रक्षिप्त है।

सात राजप्रकृतियां—

स्वाम्यमात्यौ पुरं राष्ट्रं कोशदण्डौ सुहृत्तथा ।
सप्त प्रकृतयो ह्येताः सप्ताङ्गं राज्यमुच्यते ॥ २९४ ॥ (१३७(

(स्वामी-अमात्यौ पुरं राष्ट्रं कोशदण्डौ सुहृत्) १-स्वामी, २-मन्त्री, ३-किला, ४-राष्ट्र, ५-कोश, ६-दण्ड और ७-मित्र (एताः सप्त प्रकृतयः) ये सात राजप्रकृतियां हैं (सप्ताङ्गं राज्यम्+उच्यते) इनसे युक्त होने से राज्य 'सप्ताङ्ग'=सात अङ्गों वाला कहलाता है ॥ २९४ ॥

सप्तानां प्रकृतीनां तु राज्यस्यास्य यथाक्रमम् ।
पूर्वं पूर्वं गुरुतरं जानीयाद्व्यसनं महत् ॥ २९५ ॥ (१३८)

(राज्यस्य+अस्य सप्तानां प्रकृतीनां तु) राज्य की इन सात प्रकृतियों में (यथाक्रमं पूर्वं पूर्वं व्यसनं महत् गुरुतरं जानीयात्) क्रमशः पहली-पहली प्रकृति-सम्बन्धी आपत्ति को बड़ी समझे [जैसे—राजा से कम मन्त्री पर आपत्ति, मन्त्री से कम किले पर आपत्ति आदि] ॥ २९५ ॥

सप्ताङ्गस्येह राज्यस्य विष्टब्धस्य त्रिदण्डवत् ।
अन्योन्यगुणवैशेष्यान्न किंचिदतिरिच्यते ॥ २९६ ॥ (१३९)

(इह) इसमें (त्रिदण्डवत्) तीन पायों पर स्थित तिपाई के समान (सप्ताङ्गस्य विष्टब्धस्य राज्यस्य) सात प्रकृतिरूपी अंगों पर स्थित इस राज्य में (अन्योन्यगुणवैशेष्यात्) सभी अंगों के अपनी-अपनी विशेषताओं से युक्त और परस्पर आश्रित होने के कारण (किंचित् न अतिरिच्यते) कोई अंग किसी से विशिष्ट या कम नहीं है अर्थात् अपने-अपने प्रसंग में सभी का विशेष महत्त्व है ॥ २९६ ॥

तेषु तेषु तु कृत्येषु तत्तदङ्गं विशिष्यते ।
येन यत्साध्यते कार्यं तत्तस्मिन् श्रेष्ठमुच्यते ॥ २९७ ॥ (१४०)

यतो हि (तेषु तेषु तु कृत्येषु) उन प्रकृतियों के अपने अपने कार्यों में (तत्-तत्+अङ्गं विशिष्यते) वह-वह प्रकृति-अंग विशेष है (यत् कार्यं येन साध्यते) जो कार्य जिस प्रकृति से सिद्ध होता है (तस्मिन् तत् श्रेष्ठम्+उच्यते) उसमें वही प्रकृति श्रेष्ठ मानी गई है। अर्थात् समयानुसार सभी प्रकृतियों की श्रेष्ठता है, अतः किसी को कम महत्त्वपूर्ण समझकर त्याज्य न समझें ॥ २९७ ॥

चारेणोत्साहयोगेन च क्रियया एव च कर्मणाम् ।
स्वशक्तिं परशक्तिं च नित्यं विद्यान्महीपतिः ॥ २९८ ॥ (१४१)

(चारेण) गुप्तचरों से (उत्साहयोगेन) सेना के उत्साह सम्बन्ध से (च) और (कर्मणां क्रियया) राज्यशक्ति-वर्धक नये-नये कार्यों के करने से

(महीपतिः) राजा (स्वशक्तिं च परशक्तिं नित्यं विद्यात्) अपनी शक्ति और शत्रु की शक्ति की सदा जानकारी रखे ॥ २९८ ॥

पीडनानि च सर्वाणि व्यसनानि तथैव च।
आरभेत ततः कार्यं संचिन्त्य गुरुलाघवम् ॥ २९९ ॥ (१४२)

(सर्वाणि पीडनानि) अपने तथा शत्रु के राज्य में आई सभी व्याधि, आपत्ति आदि पीड़ाओं को (तथैव व्यसनानि) तथा व्यसनों [७।४५-५३] के प्रसार को (च) और (गुरु-लाघवं संचिन्त्य) बड़े-छोटे अर्थात् अपने और शत्रु राजा में कौन कम-अधिक शक्तिशाली है (संचिन्त्य) इन बातों पर विचार करके (ततः कार्यम्+आरभेत) उसके पश्चात् राजा सन्धि-विग्रह आदि [७।१६०-२१०] कार्य को आरम्भ करे ॥ २९९ ॥

आरभेतैव कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः।
कर्माण्यारभमाणं हि पुरुषं श्रीर्निषेवते ॥ ३०० ॥ (१४३)

(श्रान्तः श्रान्तः) बार-बार हारा-थका हुआ भी राजा (कर्माणि पुनः-पुनः आरभेत एव) कार्यों को [७।१६०-२००] फिर-फिर अवश्य आरम्भ करे (हि) क्योंकि (कर्माणि+आरभमाणं हि पुरुषम्) कर्मों को आरम्भ करने वाले पुरुष को ही (श्रीः निषेवते) विजयलक्ष्मी प्राप्त होती है ॥ ३०० ॥

राजा के शासन में ही चार युग—

कृतं त्रेतायुगं चैव द्वापरं कलिरेव च।
राज्ञो वृत्तानि सर्वाणि राजा हि युगमुच्यते ॥ ३०१ ॥ (१४४)

(कृतं त्रेतायुगं द्वापरं च कलिः) सतयुग, त्रेतायुग द्वापरयुग और कलियुग (सर्वाणि राज्ञः वृत्तानि) ये सब राजा के ही आचार - व्यवहार विशेष हैं अर्थात् राजा जैसा राज्य को बनाता है उस राज्य में वैसा ही युग बन जाता है (राजा हि युगम्+उच्यते) वस्तुतः राजा ही 'युग' कहलाता है अर्थात् राजा ही युगनिर्माता है ॥ ३०१ ॥

कलिः प्रसुप्तो भवति स जाग्रद् द्वापरं युगम्।
कर्मस्वभ्युद्यतस्त्रेता विचरंस्तु कृतं युगम् ॥ ३०२ ॥ (१४५)

(प्रसुप्तः कलिः भवति) जब राजा सोता है अर्थात् राज्यकार्य में उपेक्षा बरतता है तो वह 'कलियुग' होता है, (सः जाग्रत् द्वापरं युगम्) जब वह जागता है अर्थात् राज्य कार्य को साधारणतः करता रहता है तो वह 'द्वापरयुग' है, और (कर्मसु+अभ्युद्यतः त्रेता) राज्य और प्रजा-हितकारी

कार्यों में जब राजा सदा उद्यत रहता है वह 'त्रेतायुग' है, (विचरन् तु कृतं युगम्) जब राजा सभी कर्त्तव्यों को तत्परतापूर्वक करे और अपनी प्रजा के दुःखों को जानने के लिए राज्य में तत्पर होते हुए उन्हें जानकर न्यायानुसार सुख प्रदान करने के लिए उद्यत रहे, राजा का यह सत्ययुग है ॥ ३०२ ॥

राजा के आठ रूप—

इन्द्रस्यार्कस्य वायोश्च यमस्य वरुणस्य च ।
चन्द्रस्याग्नेः पृथिव्याश्च तेजोवृत्तं नृपश्चरेत् ॥ ३०३ ॥ (१४६)

(नृपः) राजा (इन्द्रस्य+अर्कस्य वायोः यमस्य वरुणस्य चन्द्रस्य+अग्नेः पृथिव्याः तेजः वृत्तम् चरेत्) इन्द्र, सूर्य, वायु, यम, वरुण, चन्द्रमा, अग्नि, पृथिवी इनके तेजस्वी स्वभाव के अनुसार ही आचरण-व्यवहार करे [द्रष्टव्य ७ । ४—७] ॥ ३०३ ॥

अनुशीलन : अन्यत्र वर्णित भावों की पुष्टि—मनु ने सप्तमाध्याय में 'राजा में कौन-कौन से विशिष्ट गुण होने चाहिएँ' इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए भी इन गुणों का वर्णन किया है। मनु ने यह भाव वेदमन्त्रों से ग्रहण किया है। द्रष्टव्य हैं ७ । ४—७ श्लोक और उनकी समीक्षा में वेदमन्त्र ।

राजा का इन्द्ररूप आचरण—

वार्षिकांश्चतुरो मासान् यथेन्द्रोऽभिप्रवर्षति ।
तथाऽभिवर्षेत्स्वं राष्ट्रं कामैरिन्द्रव्रतं चरन् ॥ ३०४ ॥ (१४७)

(यथा+इन्द्रः वार्षिकान् चतुरः मासान्) जैसे इन्द्र [=वृष्टिकारक शक्ति] प्रत्येक वर्ष के श्रावण आदि चार मासों में (अभिप्रवर्षति) जल बरसाता है (तथा इन्द्रव्रतं चरन्) उसी प्रकार इन्द्र के व्रत को आचरण में लाता हुआ राजा (स्वं राष्ट्रं कामैः अभिवर्षेत्) अपने राष्ट्र को प्रजाओं की कामनाओं को पूर्ण करे, यही राजा का इन्द्रवत् आचरण है ॥ ३०४ ॥

राजा का सूर्यरूप आचरण—

अष्टौ मासान् यथाऽऽदित्यस्तोयं हरति रश्मिभिः ।
तथा हरेत् करं राष्ट्रान्नित्यमर्कव्रतं हि तत् ॥ ३०५ ॥ (१४८)

(यथा+आदित्यः) जैसे सूर्य (रश्मिभिः) अपनी किरणों से (अष्टौ मासान् तोयं हरति) आठ मास तक जलग्रहण करता है (तथा) उसी प्रकार राजा (राष्ट्रात् नित्यं करं हरेत्) राष्ट्र से कर ग्रहण करे (अर्कव्रतं हि तत्) यही राजा का 'अर्कव्रत' है ॥ ३०५ ॥

राजा का वायुरूप आचरण —

प्रविश्य सर्वभूतानि यथा चरति मारुतः ।
तथा चारैः प्रवेष्टव्यं व्रतमेतद्धि मारुतम् ॥ ३०६ ॥ (१४९)

(यथा मारुतः) जैसे वायु (सर्वभूतानि प्रविश्य) सब प्राणियों में प्रविष्ट होकर (चरति) विचरण करता है (तथा) उसी प्रकार (चारैः प्रवेष्टव्यम्) राजा को गुप्तचरों द्वारा सर्वत्र प्रवेश रखना चाहिए (एतत् हि मारुतं व्रतम्) यही राजा का 'मारुतव्रत' है ॥ ३०६ ॥

राजा का यमरूप आचरण—

यथा यमः प्रियद्वेष्यौ प्राप्ते काले नियच्छति ।
तथा राजा नियन्तव्याः प्रजास्तद्धि यमव्रतम् ॥ ३०७ ॥ (१५०)

(यथा यमः) जिस प्रकार यम=ईश्वर की नियामक शक्ति=(काले प्राप्ते) कर्मफल का समय आने पर (प्रियद्वेष्यौ नियच्छति) प्रिय और शत्रु सबको अपने वश में करके दण्डित करता है (राजा तथा प्रजाः नियन्तव्याः) राजा को उसी प्रकार अपराध करने पर प्रिय-शत्रु सभी प्रजाओं को न्यायपूर्वक पक्षपातरहित दण्ड देना चाहिए (तत् हि यमव्रतम्) यही राजा का 'यमव्रत' है ॥ ३०७ ॥

राजा का वरुणरूप आचरण—

वरुणेन यथा पाशैर्बद्ध एवाभिदृश्यते ।
तथा पापान्निगृह्णीयाद् व्रतमेतद्धि वारुणम् ॥ ३०८ ॥ (१५१)

(यथा) जिस प्रकार अपराधी मनुष्य (वरुणेन पाशैः बद्धः एव+अभिदृश्यते) वरुण के द्वारा पाशों से अर्थात् जलीय या समुद्र की तरंगों, भंवरोंरूपी बंधनों में फंसकर जैसे मनुष्य बंधा-जकड़ा हुआ दीखता है अर्थात् अवश्य बंध जाता है (तथा) उसी प्रकार राजा भी (पापान् (निगृह्णीयात्) पापियों=अपराधियों को सुधरने तक साम-दाम-दण्ड-भेद आदि से वश में करके या बन्धन में=कारागार में डाले रखे (एतत् हि वारुणं व्रतम्) यही राजा का 'वरुणव्रत' है ॥ ३०८ ॥

अनुशीलन : **वरुणपाश का अर्थ**—'वरुणपाश' के यद्यपि प्रसंगानुसार अनेक अर्थ होते हैं। यहां महाभूतादि दिव्यशक्तियों के गुणों से राजा के गुणों की तुलना की है, अतः यहां वरुण का जल अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। और जैसे जल की उत्ताल तरंगें या भंवर किसी वस्तु या व्यक्ति को वश में करके फंसा लेती हैं, उसी प्रकार विविध बन्धनों से राजा दुष्टों को वश में करे। यह वरुणपाश का आलंकारिक अभिप्राय है।

राजा का चन्द्ररूप आचरण—

परिपूर्णं यथा चन्द्रं दृष्ट्वा हृष्यन्ति मानवाः ।
तथा प्रकृतयो यस्मिन्स चान्द्रव्रतिको नृपः ॥ ३०९ ॥ (१५२)

(यथा) जिस प्रकार (परिपूर्णं चन्द्रं दृष्ट्वा मानवाः हृष्यन्ति) पूर्ण चन्द्रमा को देखकर मनुष्य प्रसन्न होते हैं (तथा) उसी प्रकार (यस्मिन् प्रकृतयः) जिस राजा को पाकर-देखकर उस द्वारा प्रदत्त सुखों से प्रजाएं स्वयं को हर्षित अनुभव करें (सः नृपः चान्द्रव्रतिकः) वह राजा का 'चन्द्रव्रत' है ॥ ३०९ ॥

राजा का अग्निरूप आचरण—

प्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्यं स्यात्पापकर्मसु ।
दुष्टसामन्तहिंस्रश्च तदाग्नेयं व्रतं स्मृतम् ॥ ३१० ॥ (१५३)

राजा (पापकर्मसु) पापियों में—पाप करने वालों के लिये (नित्यम्) सदैव (प्रतापयुक्तः तेजस्वी स्यात्) संतापित करने वाला और तेज से प्रभावित करने वाला होवे (च) और (दुष्टसामन्तहिंस्रः) दुष्ट मन्त्री आदि का मारने वाला होवे (तत्+आग्नेयं व्रतं स्मृतम्) यही राजा का 'आग्नेयव्रत' कहा है ॥ ३१० ॥

राजा का धरारूप आचरण—

यथा सर्वाणि भूतानि धरा धारयते समम् ।
तथा सर्वाणि भूतानि बिभ्रतः पार्थिवं व्रतम् ॥ ३११ ॥ (१५४)

(यथा) जिस प्रकार (धरा) धरती (सर्वाणि भूतानि समं धारयते) सब प्राणियों को समानभाव से धारण करती है (तथा) उसी प्रकार (सर्वाणि भूतानि बिभ्रतः) समान भाव से सभी प्राणियों को धारण-पोषण करने वाले राजा का (पार्थिवं व्रतम्) यह 'पार्थिव व्रत' होता है ॥ ३११ ॥

एतैरुपायैरन्यैश्च युक्तो नित्यमतन्द्रितः ।
स्तेनान्राजा निगृह्णीयात्स्वराष्ट्रे पर एव च ॥ ३१२ ॥ (१५५)

(राजा) राजा (एतैः+उपायैः च अन्यैः युक्तः) इन पूर्वोक्त उपायों तथा इनसे भिन्न जो और उत्तम उपाय हों उनसे युक्त होकर (नित्यम्—अतन्द्रितः) सदा आलस्यहीन रहता हुआ (स्वराष्ट्रे च परे+एव) अपने राष्ट्र में रहने वाले और दूसरे राष्ट्र से आकर चोरी करने वाले (स्तेनान् निगृह्णीयात्) चोरों को वश में करे ॥ ३१२ ॥

ब्राह्मण के क्रोध की उग्रता—

परामप्यापदं प्राप्तो ब्राह्मणान्न प्रकोपयेत् ।
ते ह्येनं कुपिता हन्युः सद्यः सबलवाहनम् ॥ ३१३ ॥

राजा (पराम्+आपदं प्राप्तः अपि) महाविपत्ति में पड़ जाने पर भी (ब्राह्मणान्

न प्रकोपयेत्) किसी कारण ब्राह्मणों को कुपित न करे (हि) क्योंकि (कुपिताः ते) क्रोध में आये हुए ब्राह्मण (सबल-वाहनम् एनं सद्यः हन्युः) बलवाली सेनाओं व वाहनों सहित राजा को तत्काल नष्ट कर देते हैं ॥ ३१३ ॥

यैः कृतः सर्वभक्ष्योऽग्निरपेयश्च महोदधिः ।
क्षयी चाप्यायितः सोमः को न नश्येत्प्रकोप्य तान् ॥ ३१४ ॥

(यैः) जिन ब्राह्मणों ने [क्रोधित अवस्था में शाप देकर] (अग्निः सर्वभक्ष्यः कृतः) अग्नि को सर्वभक्षी बना दिया (च) और (महोदधिः अपेयः) समुद्र को न पीने योग्य खारा पानी वाला बना दिया (आप्यायितः सोमः क्षयी) पूर्ण चन्द्रमा को क्षीण होने वाला बना दिया (तान् प्रकोप्य) उनको क्रोधित करके (को न नश्येत्) कौन नहीं नष्ट हो जायेगा ? अर्थात् सभी नष्ट हो जायेंगे ॥ ३१४ ॥

लोकानन्यान्सृजेयुर्ये लोकपालांश्च कोपिताः ।
देवान्कुर्युरदेवांश्च कः क्षिण्वंस्तान्समृध्नुयात् ॥ ३१५ ॥

(ये) जो ब्राह्मण (कुपिताः) क्रोध में आकर (अन्यान् लोकान् च लोकपालान् सृजेयुः) दूसरे लोकों और लोकपालों को रच देते हैं (देवान् अदेवान् कुर्युः) देवताओं को देवत्व से नष्ट कर देते हैं (तान् क्षिण्वन्) उन ब्राह्मणों को हानि पहुँचाकर (कः समृध्नुयात्) कौन समृद्धि प्राप्त कर सकता है ? अर्थात् कोई नहीं ॥ ३१५ ॥

यानुपाश्रित्य तिष्ठन्ति लोकाः देवाश्च सर्वदा ।
ब्रह्म चैव धनं येषां को हिंस्यात्ताञ्जिजीविषुः ॥ ३१६ ॥

(यान् उपाश्रित्य) जिनका सहारा लेकर (लोकाः च देवाः सर्वदा तिष्ठन्ति) लोक और देवता सदा टिके रहते हैं (च) और (येषां ब्रह्म एव धनम्) जिनका वेद ही धन है (जिजीविषुः) जीने की इच्छा वाला (कः तान् हिंस्यात्) कौन व्यक्ति उनको कष्ट पहुंचायेगा ? अर्थात् कोई नहीं ॥ ३१६ ॥

अविद्वांश्चैव विद्वांश्च ब्राह्मणो दैवतं महत् ।
प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाऽग्निर्दैवतं महत् ॥ ३१७ ॥

(अविद्वान् च विद्वान् च) अविद्वान् हो या विद्वान् हो (ब्राह्मणः महत् दैवतम्) ब्राह्मण महान् देवता है (यथा) जैसे (प्रणीतः च + अप्रणीतः अग्निः) शास्त्रविधि से प्रज्वलित की गई अग्नि और साधारण अग्नि (महत् दैवतम्) दोनों ही महान् देवता हैं ॥ ३१७ ॥

श्मशानेष्वपि तेजस्वी पावको नैव दुष्यति ।
हूयमानश्च यज्ञेषु भूय एवाभिवर्धते ॥ ३१८ ॥

(तेजस्वी पावकः) जैसे तेजस्वी अग्नि (श्मशानेषु + अपि न + एव दुष्यति)

श्मशान स्थान में भी अपवित्र नहीं होती (यज्ञेषु हूयमानः च) अपितु यज्ञों में आहुति देने पर (भूयः एव + अभिवर्धते) और अधिक वृद्धि को प्राप्त होती है ॥ ३१८ ॥

एवं यद्यप्यनिष्टेषु वर्तन्ते सर्वकर्मसु ।
सर्वथा ब्राह्मणाः पूज्याः परमं दैवतं हि तत् ॥ ३१९ ॥

(एवम्) उसी प्रकार (यद्यपि ब्राह्मणाः) यद्यपि ब्राह्मण लोग (अनिष्टेषु सर्वकर्मसु प्रवर्तन्ते) सभी बुरे कामों में प्रवृत्त होते हैं, तो भी (सर्वथा पूज्याः) वे सब स्थितियों में पूज्य ही हैं (हि) क्योंकि (तत् परमं दैवतम्) ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ देवता है ॥ ३१९ ॥

अनुशीलन : ३१७—३१९ श्लोकों को प्रक्षिप्त मानकर इन्हें उद्धृत करते हुए ऋषि दयानन्द ने लिखा है—

"सर्वसाधारण ब्राह्मणों से विमुख न हो जायें, इसलिए ऐसे-ऐसे श्लोक गढ़े गये।.....अग्नि के दृष्टान्त से प्रकट किया है कि ब्राह्मण चाहे विद्वान् हो या मूर्ख वह साक्षात् देवता है। प्राचीन ग्रन्थों में इस प्रकार के बनावटी श्लोक डालकर और नवीन रचनाएं करके ब्राह्मणों ने अपनी शक्ति बढ़ाई और मन्वादि स्मृतियों में भी अपने महत्त्व के वाक्य मिला दिये। .....यदि दुष्टाचरण वाले ब्राह्मण की कोई निन्दा करता, तो उसको ब्रह्मविरोधी कहकर उसकी हड्डी-हड्डी निकाल लेते थे" (पूना प्रवचन पृ० १३४)

क्षत्रस्यातिप्रवृद्धस्य ब्राह्मणान्प्रति सर्वशः ।
ब्रह्मैव सन्नियन्तृ स्यात्क्षत्रं हि ब्रह्मसंभवम् ॥ ३२० ॥

(क्षत्रस्य ब्राह्मणान् प्रति अतिप्रवृद्धस्य) क्षत्रिय यदि ब्राह्मणों से ऊपर होकर उन्हें पीड़ित करने लगें तो (सर्वशः ब्रह्म + एव संनियंतृ स्यात्) सब प्रकार से ब्राह्मण ही उनको दण्डित करे (हि) क्योंकि (क्षत्रं ब्रह्मसंभवम्) क्षत्रिय ब्राह्मण से उत्पन्न हैं ॥ ३२० ॥

अद्भ्योऽग्निर्ब्रह्मतः क्षत्रमश्मनो लोहमुत्थितम् ।
तेषां सर्वत्रगं तेजः स्वासु योनिषु शाम्यति ॥ ३२१ ॥

(अद्भ्यः + अग्निः) जल से अग्नि उत्पन्न हुई है (ब्रह्मतः क्षत्रम्) ब्राह्मण से क्षत्रिय (अश्मनः लोहम् + उत्थितम्) पत्थर से लोहा निकला है (तेषां सर्वत्रगं तेजः) इनका सब पर प्रभाव करने वाला तेज (स्वासु योनिषु शाम्यति) अपने-अपने उत्पत्ति-स्थानों को पाकर शान्त हो जाता है—प्रभावहीन हो जाता है ॥ ३२१ ॥

नाब्रह्म क्षत्रमृध्नोति नाक्षत्रं ब्रह्म वर्धते ।
ब्रह्म क्षत्रं च संपृक्तमिह चामुत्र वर्धते ॥ ३२२ ॥

(अब्रह्म क्षत्रं न ऋध्नोति) ब्राह्मण के बिना क्षत्रिय समृद्धि को नहीं प्राप्त कर

सकता और (न अक्षत्रं ब्रह्म वर्धते) न ही क्षत्रिय के बिना ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर सकता है (ब्रह्म च क्षत्रं संपृक्तम्) ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलकर ही (इह च+अमुत्र वर्धते) इस लोक और परलोक में वृद्धि को प्राप्त करते हैं ॥ ३२२ ॥

दत्त्वा धनं तु विप्रेभ्यः सर्वदण्डसमुत्थितम् ।
पुत्रे राज्यं समासृज्य कुर्वीत प्रायणं रणे ॥ ३२३ ॥

(सर्वदण्डसमुत्थितं धनम्) सब जुर्मानों से प्राप्त हुआ धन (विप्रेभ्यः दत्त्वा) ब्राह्मणों को दान देकर, और (पुत्रे राज्यं समासृज्य) पुत्र को राज्य सौंपकर (रणे प्रायणं कुर्वीत) राजा युद्ध में प्राणत्याग करे ॥ ३२३ ॥

अनुशीलन : ३१३ से ३२३ श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—इन श्लोकों का यह सम्पूर्ण प्रसंग अन्तर्विरोध के आधार पर प्रक्षिप्त है। (१) ३१३ में ब्राह्मण को अत्यन्त क्रोधी होना कहा है, जबकि १।१९, २७, ६।१६ में ब्राह्मण के लिए क्रोध सर्वथा त्याज्य कहा है। मनु के मत में ऐसे स्वभाव के व्यक्ति ब्राह्मण ही नहीं कहला सकते। (२) ३१४-३१६ में समुद्र, चन्द्रमा, लोकपालों आदि के निर्माता ब्राह्मणों को माना है, जबकि २।१६०, १७८; ४।१६३ में परमात्मा को ही इन पदार्थों का निर्माता कहा है। कोई मनुष्य इन पदार्थों का निर्माण करे, यह हास्यास्पद एवं मूर्खतापूर्ण वचन है (३) ३१७-३१९ में अविद्वान् और निन्दित कार्य करने वालों को भी ब्राह्मण माना है, यह मनु की मौलिक व्यवस्था के ही विरुद्ध है। मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं [द्रष्टव्य १। १०७ की समीक्षा] और निन्दित कर्मों एवं स्वकर्मत्याग से शूद्रत्वप्राप्ति मानते हैं [२।१०३; ४।२४५; १०।६५]। (४) ३२३ में जुर्माने का धन ब्राह्मणों को देने का कथन है, जबकि ७–९ तीनों अध्यायों में प्रत्येक जुर्माने का दण्ड राजा को लेने का कथन है। इस प्रकार ये श्लोक तथा इनसे सम्बद्ध इस प्रसंग के अन्य श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. **विषयविरोध**—विषयसंकेतक श्लोकों ९। २५२-२५३ से यहाँ 'लोककण्टकों के निवारण' का विषय है। ये श्लोक प्रचलित विषय के विरुद्ध हैं, अतः प्रक्षिप्त हैं।

३. **शैलीगत आधार**—इन सभी श्लोकों की शैली पक्षपात एवं अतिशयोक्ति-पूर्ण है। मनु की शैली में ये त्रुटियाँ नहीं हैं। इस प्रकार भी ये प्रक्षिप्त हैं।

एवं चरन् सदा युक्तो राजधर्मेषु पार्थिवः ।
हितेषु चैव लोकस्य सर्वान्भृत्यान्नियोजयेत् ॥ ३२४ ॥ (१५६)

(पार्थिवः) राजा (एवं चरन्) पूर्वोक्त [७।१ से ९।३१२] प्रकार से आचरण करता हुआ (सदा राजधर्मेषु युक्तः) सदा राजधर्मों में स्वयं संलग्न रहकर (सर्वान् भृत्यान् एव) सभी राजकर्मचारियों को भी (लोकस्य हितेषु नियोजयेत्) प्रजाओं के हित-सम्पादन में लगाये ॥ ३२४ ॥

वैश्य-शूद्रों के कर्त्तव्य—

एषोऽखिलः कर्मविधिरुक्तो राज्ञः सनातनः।
इमं कर्मविधिं विद्यात्क्रमशो वैश्यशूद्रयोः॥ ३२५॥ (१५७)

(एषः) यह [७। १ से ९। ३२४ तक] (राज्ञः सनातनः अखिलः कर्मविधिः उक्तः) राजा की सनातन और सम्पूर्ण कार्य करने की विधि कही।

अब (वैश्य-शूद्रयोः) वैश्यों और शूद्रों की (कर्मविधिं इमं विद्यात्) कर्त्तव्यों की विधि को इस आगे कहे अनुसार जानें—[उनका वर्णन अग्रिम अध्याय में है] ॥ ३२५॥

अनुशीलन : **नवम अध्याय के विभाजन पर विचार**—वर्तमान में उपलब्ध मनुस्मृतियों में नवम अध्याय में ३३६ श्लोक उपलब्ध होते हैं। सप्तम, अष्टम और नवम अध्याय के ३२५ श्लोक तक राजनीति का विषय है। मनुस्मृति का अध्याय-विभाजन भी प्रकरणानुसार हुआ है, किन्तु कुछ अध्यायों के विभाजन में विभाजनकर्त्ता द्वारा भूलें हुई हैं, प्रकरण को समझे बिना अध्याय-विभाजन कर दिया है [इस पर विस्तृत विवेचन सप्रमाण 'मनुस्मृति में अध्याय-विभाजन' शीर्षक में 'मनुस्मृति-अनुशीलन' में किया गया है]। इसी प्रकार इस अध्याय में भी भूल हुई है। राजधर्म विषय के साथ ९। ३२६ से ९। ३३६ श्लोक जिनमें वैश्य-शूद्रों के कर्त्तव्यों का वर्णन है, मिला दिये हैं। इनके साथ ही चातुर्वर्ण्य धर्म [२। १४४ (२। २५) से ९। ३३६ तक] समाप्त हो जाते हैं और फिर दशम अध्याय में चातुर्वर्ण्य धर्म का उपसंहार है। क्योंकि वैश्य-शूद्र धर्मवर्णन के ग्यारह श्लोकों के प्रकरण का कोई एक अध्याय उपयुक्त नहीं जंचता, अतः हमने इन श्लोकों को दशम अध्याय में उपसंहार-वर्णन के साथ सम्मिलित कर दिया है। ९।३२५ श्लोक के कथनानुसार यहीं इस राजधर्मात्मक अध्याय को समाप्त कर दिया है।

[नवम अध्याय के ३२६ से ३३६ श्लोक दशम अध्याय के अन्तर्गत देखिए]

इति महर्षि-मनुप्रोक्तायां सुरेन्द्रकुमारकृतहिन्दीभाषाभाष्यसमन्वितायाम्
अनुशीलन-समीक्षाविभूषितायाञ्च मनुस्मृतौ
राजधर्मात्मको नवमोऽध्यायः॥

अथ दशमोऽध्यायः

[हिन्दीभाष्य-अनुशीलनसमीक्षाभ्यां सहितः]

(चातुर्वर्ण्य-धर्मान्तर्गत-वैश्य-शूद्र के धर्म एवं चातुर्वर्ण्य धर्म का उपसंहार)

वैश्यों के कर्त्तव्य—

वैश्यस्तु कृतसंस्कारः कृत्वा दारपरिग्रहम्।
वार्तायां नित्ययुक्तः स्यात्पशूनां चैव रक्षणे ॥ ९।३२६ ॥ (१)

(कृतसंस्कारः) यज्ञोपवीत संस्कारपूर्वक शिक्षा समाप्ति के पश्चात्, समावर्तन के अनन्तर (वैश्यः) वैश्य (दारपरिग्रहं कृत्वा) विवाह करके (वार्तायां च पशूनां रक्षणे नित्ययुक्तः स्यात्) व्यापार में और पशुपालन में सदा लगा रहे ॥ ३२६ ॥

प्रजापतिर्हि वैश्याय सृष्ट्वा परिददे पशून्।
ब्राह्मणाय च राज्ञे च सर्वाः परिददे प्रजाः ॥ ९ । ३२७ ॥

(प्रजापतिः हि पशून् सृष्ट्वा वैश्याय परिददे) प्रजापति ने पशुओं को रचकर वैश्यों को सौंपा (च) और (सर्वाः प्रजाः) सब प्रजाओं को उत्पन्न करके (ब्राह्मणाय च राज्ञे) ब्राह्मण और क्षत्रिय को प्रजाएं सौंप दीं ॥ ३२७ ॥

न च वैश्यस्य कामः स्यान्न रक्षेयं पशूनिति।
वैश्ये चेच्छति नान्येन रक्षितव्याः कथंचन ॥ ९ । ३२८ ॥

('पशून् न रक्षेयम्' इति) 'मैं पशुओं की रक्षा नहीं करूंगा' ऐसी (वैश्यस्य कामः न स्यात्) वैश्य को इच्छा नहीं करनी चाहिए (च) और (वैश्ये इच्छति) वैश्य के द्वारा पशुपालन की इच्छा करते रहने पर (अन्येन कथंचन न रक्षितव्याः) अन्य वर्ण वालों को पशुपालन का कार्य नहीं करना चाहिए ॥ ३२८ ॥

अनुशीलन : ३२७-३२८ श्लोक प्रक्षिप्त हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—पूर्वापर प्रसंग वैश्यों के समग्र कर्त्तव्यों के वर्णन का चल रहा है। इस बीच 'प्रजापति द्वारा पशुओं की उत्पत्ति आदि का उद्देश्य' कथन प्रसंगभञ्जक एवं विरुद्ध है।

२. **शैलीगत आधार**—इन श्लोकों की वर्णनशैली से यह ज्ञात होता है कि ये

श्लोक उस परवर्ती काल की रचनाएं हैं जब वैश्यों में पशुपालन के प्रति अरुचि होने लगी। अन्यथा जब वैश्य के ही ये कर्म निर्धारित कर दिये हैं तो वे उनके द्वारा अवश्य करणीय हैं। उसमें प्रजापति का हवाला देने की और ३।३२८ के कथन की आवश्यकता ही नहीं रहती।

३. **अन्तर्विरोध**—३२८ वें श्लोक में यह कहना कि 'जब तक वैश्य पशुपालन करे तब तक अन्य वर्ण वाले यह कार्य न करें' मनु की व्यवस्था के विरुद्ध है। पशुपालन वैश्यों का ही कर्त्तव्य है [१।९०; ९।३२६], अन्यवर्णों का नहीं। यदि वे अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो उसका उपाय यह नहीं है कि उनको अन्य वर्ण करने लग जायें, अपितु वे राजा के द्वारा दण्डनीय होंगे [७।१७, ३५]। अतः इस आधार पर परस्पर सम्बद्ध ये दोनों श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

मणिमुक्ताप्रवालानां लोहानां तान्तवस्य च।
गन्धानां च रसानां च विद्यादर्घबलाबलम्॥ ९।३२९॥ (२)

वैश्य (मणि-मुक्ता-प्रवालानाम्) मणि, मोती, प्रवाल आदि के (लोहानाम्) लोहे आदि धातुओं के (च) और (तान्तवस्य) कपड़ों के (गन्धानां च रसानाम्) सुगन्धित कपूर, कस्तूरी आदि पदार्थों के और रस-रसायनों [पारा, नमक आदि] के (अघ-बल-अबलं विद्यात्) मूल्यों के कम-अधिक भावों को जानें॥ ३२९॥

बीजानामुप्तिवित्च स्यात्क्षेत्रदोषगुणस्य च।
मानयोगं च जानीयात्तुलायोगांश्च सर्वशः॥ ९। ३३०॥ (३)

वैश्य (बीजानाम्+उप्तिवित् स्यात्) सब प्रकार के बीजों को बोने की विधि को जानें (च) और (क्षेत्र-दोष-गुणस्य) खेतों के दोष-गुणों को जानें (च) तथा (मानयोगम्) तोलने के बाटों (च) और (तुलायोगान्) तराजुओं से सम्बद्ध (सर्वशः जानीयात्) सभी बातों की जानकारी रखें॥ ३३०॥

सारासारं च भाण्डानां देशानां च गुणागुणान्।
लाभालाभं च पण्यानां पशूनां परिवर्धनम्॥९।३३१॥ (४)

(भाण्डानां सार-असारम्) वस्तुओं के अच्छे-बुरेपन को (देशानां गुण-अवगुणान्) देशों के गुणों और दोषों को (च) और (पण्यानां लाभ-अलाभम्) बेची जाने वाली वस्तुओं की लाभ-हानि को, तथा (पशूनां परिवर्धनम्) पशुओं के संवर्धन के उपायों को वैश्य लोग जानें॥ ३३१॥

भृत्यानां च भृतिं विद्याद्भाषाश्च विविधा नृणाम्।
द्रव्याणां स्थानयोगांश्च क्रयविक्रयमेव च॥९।३३२॥ (५)

(भृत्यानां भृतिम्) नौकरों के वेतन, (नृणां विविधाः भाषाः) विविध देशों में रहने वाले लोगों की विभिन्न भाषाएँ (द्रव्याणां स्थान-योगान्) वस्तुओं के प्राप्तिस्थान तथा मिश्रण आदि की विधियाँ (च) और (क्रय-विक्रय+एव) खरीद बिक्री की विधि, इसको (विद्यात्) जानें ॥ ३३२ ॥

धर्मेण च द्रव्यवृद्धावातिष्ठेद्यत्नमुत्तमम् ।
दद्याच्च सर्वभूतानामन्नमेव प्रयत्नतः ॥ ९।३३३ ॥ (६)

वैश्य इस प्रकार [९।३२६-३३३] (धर्मेण) धर्मपूर्वक (द्रव्यवृद्धौ उत्तमं यत्नम्+आतिष्ठेत्) पदार्थों की वृद्धि के लिए अधिक से अधिक यत्न करे (च) और (सर्वभूतानां प्रयत्नतः अन्नम्+एव दद्यात्) सब प्राणियों को प्रयत्नपूर्वक अन्न उपजाकर देता रहे ॥ ३३३ ॥

विप्राणां वेदविदुषां गृहस्थानां यशस्विनाम् ।
शुश्रूषैव तु शूद्रस्य धर्मो नैश्श्रेयसः परः ॥ ९।३३४ ॥ (७)

(वेदविदुषां विप्राणाम्) वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों (यशस्विनां गृहस्थानाम्) यशस्वी गृहस्थियों की (शुश्रूषा+एव तु) सेवा करना ही (शूद्रस्य नैश्श्रेयसः परः धर्मः) शूद्र का कल्याणकारक उत्तम धर्म है ॥ ३३४ ॥

शूद्र को उत्कृष्ट वर्ण की प्राप्ति—

शुचिरुत्कृष्टशुश्रूषुर्मृदुवागनहंकृतः ।
ब्राह्मणाद्याश्रयो नित्यमुत्कृष्टां जातिमश्नुते ॥ ९।३३५ ॥ (८)

(शुचिः) शुद्ध-पवित्र [शरीर एवं मन से], (उत्कृष्टशुश्रूषुः) अपने से उत्कृष्ट वर्ण वालों की सेवा करने वाला, (मृदुवाक्) मधुरभाषी (अनहंकृतः) अहंकार से रहित (नित्यं ब्राह्मण+आदि-आश्रयः) सदा ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न शूद्र भी (उत्कृष्टां जातिम्+अश्नुते) उत्तम ब्रह्मजन्मान्तर्गत द्विजवर्ण को प्राप्त कर लेता है ॥ ३३५ ॥

अनुशीलन : (१) **शूद्र को उत्कृष्ट वर्ण की प्राप्ति**—इन श्लोकों के वर्णन से मनु की शूद्र के प्रति यह धारणा स्पष्ट हो जाती है कि वे शूद्र को हीन नहीं मानते अपितु पवित्र, उत्कृष्ट और उत्तम कर्मों से उच्चवर्ण प्राप्त करने का अधिकारी मानते हैं। यह मान्यता १०।६५ में भी वर्णित है : न पढ़ने के कारण ही व्यक्ति शूद्र कहाता है, जन्मना नहीं। यही मनु की मान्यता है। इस विषय पर विस्तृत विवेचन १।३१, ९१ पर तथा १।१०७ की अन्तर्विरोध समीक्षा में देखिए। १।९१ में शूद्र के के कर्म का वर्णन है।

(२) **वेदों में शूद्र को यज्ञ आदि का विधान**—ऋक्० १०।५३।४-५ में "पञ्चजनाः ममहोत्रं जुषध्वम्" कहकर शूद्र को भी यज्ञ करने का आदेश है। निरुक्त ३।२।७ में 'पञ्चजनाः' की व्याख्या में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निरामिष-भोजी निषाद की गणना की है [विस्तृत विवेचन भूमिका में शूद्र विषय में द्रष्टव्य है]।

एषोऽनापदि वर्णानामुक्तः कर्मविधिः शुभः।
आपद्यपि हि यस्तेषां क्रमशस्तान्निबोधत ॥ ९। ३३६ ॥

(एषः) यह (अनापदि) आपत्तिकाल न होने पर (वर्णानां शुभः कर्मविधिः उक्तः) सब वर्णों की शुभ कार्यविधि कही।

अब (तेषाम् आपदि+अपि यः) उन्हीं वर्ण वालों की आपत्कालीन जो कर्मविधि है (तत् क्रमशः निबोधत) उसको क्रमशः सुनो—॥ ३३६ ॥

अनुशीलन : यह श्लोक (९।३३६ वां श्लोक) निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त है।

१. **विषयविरोध**—(१) यद्यपि इस श्लोक में पूर्व अध्यायों की भांति वर्णित विषय की तथा अगले अध्याय के विषय का निर्देश किया गया है। किन्तु १० वें अध्याय में आपत्कालीन कार्यों का वर्णन न होने से यह श्लोक असंगत है। इस बात की पुष्टि दशमाध्याय के अन्तिम श्लोक (१०। १३१) से स्पष्ट रूप से हो रही है—

एष धर्मविधिः कृत्स्नश्चातुर्वर्ण्यस्य कीर्तितः।

अर्थात् दशमाध्याय में चारों वर्णों के सामान्य धर्म अथवा कर्त्तव्य धर्मों का ही विधान है।

(२) नवम-दशम अध्यायों की विषयवस्तु को देखकर यह स्पष्ट होता है कि चातुर्वर्ण्य-धर्मविधि के अन्तर्गत ही राजधर्म (क्षत्रियधर्म) का वर्णन नवमाध्याय में (९। ३२५ श्लोक तक) करके आगे दूसरे वर्णों के कर्मविधान किये हैं। इसलिये ही ९।३२५ में कहा है—

इमं कर्मविधिं विद्यात् कृत्स्नशो वैश्यशूद्रयोः।

अर्थात् राजधर्म का वर्णन करके अब वैश्य-शूद्रों के कर्मों का विधान आगे करेंगे। और इस चातुर्वर्ण्य कर्मविधि का ही उपसंहार १०। १३१ में किया है। अतः नवम-दशम अध्यायों का पृथक् से विभाग जिसने भी किया है, उसने विषयवस्तु का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा है।

(३) इन अध्यायों के वर्ण्य-विषय को ध्यान में रखकर चिन्तन करने से यह भी स्पष्ट होता है कि दोनों अध्यायों के विषय-समाप्ति का सूचक श्लोक १०।१३१ है। इससे नवमाध्याय के अन्तिम श्लोक को प्रक्षिप्त मानने से मनु के विषयनिर्देशक श्लोक का जो अभाव खटकता है, वह भी नहीं रहता। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जन्ममूलक वर्णव्यवस्था के प्रचलित होने के बाद किसी ने इन श्लोकों का बड़ी चतुरता से मिश्रण किया है। नवम-अध्याय के अन्त में विषय का निर्देश करके दशमाध्याय के १३० श्लोक में विषय की समाप्ति की सूचना देते हुए लिख दिया है—

एते चतुर्णां वर्णानामापद्धर्माः प्रकीर्तिताः।
यान् सम्यगनुतिष्ठन्तो व्रजन्ति परमां गतिम्॥

यदि इस श्लोक को सत्य माना जाये तो १०। १३१ वाँ श्लोक निरर्थक है और १२६ वें श्लोक में अगले अध्याय के विषय का निर्देश न होने से यह श्लोक मनु की शैली का नहीं है।

२. **अन्तर्विरोध**—(१) १०।१३० श्लोक में कहा है कि इन आपद्धर्मों को अनुष्ठान करते हुए सब वर्णों के मनुष्य परमगति=मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। यदि आपद्धर्मों के अनुष्ठान से मोक्ष-प्राप्ति सम्भव है, तो सामान्य धर्मों का क्या फल होगा? अतः यह अतिशयोक्तिपूर्ण अर्थवाद मनु की शैली से विरुद्ध है और यदि आपद्धर्म को मनुप्रोक्त माना जाये, तो आपद्धर्म की परिभाषा क्या होगी? और वह कितने समय तक मानी जाये? और यह भी विचारना होगा कि क्या ये आपद्धर्म व्यावहारिक भी हैं या नहीं? आपद्धर्म में पड़कर ब्राह्मण वैश्य के कृषि आदि कर्म बिना साधनों के कैसे कर सकेगा? और कृषि का फल तो तुरन्त नहीं मिलता, क्या तब तक वह आपत्काल में पड़ा हुआ भूखा ही रहेगा? और यदि खेती आदि साधनों को जुटा लेता है, तो आपद्धर्म ही क्या रहा? उपनिषद् में[1] आपद्धर्म का एक उदाहरण दिया गया है कि ऋषि ने आपत्काल में झूठा अन्न तो खालिया किन्तु झूठा जल नहीं पिया। अतः आपत्काल को दीर्घकालीन मानकर कृषि आदि कार्यों की बात जन्ममूलक वर्णव्यवस्था को स्पष्ट करती है। और यह मान्यता मनु की नहीं है। मनु ने कर्मानुसार वर्णव्यवस्था मानी है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा शूद्र की आजीविका का भार वैश्य के ऊपर होता है। अकालादि की दशा में धान्यादि के अभाव में यह आपत्ति आ सकती है, अथवा शत्रु के हमला करने पर आजीविका का कष्ट हो सकता है। उस दशा में ब्राह्मण भी कृषि आदि कार्य कैसे कर सकेगा? [द्रष्टव्य १। १०७ पर कर्मणावर्णव्यवस्था विषयक समीक्षा]।

(२) दशमाध्याय में वर्णों के आपत्कालीन कर्मों का कथन मानना ठीक नहीं है। क्योंकि उनमें आपत् शब्द नहीं है, अतः स्पष्ट है कि इस अध्याय में चारों वर्णों के कर्मों के अन्तर्गत वैश्य व शूद्र के कर्मों का ही वर्णन किया गया है कि इन कर्मों को आजीविका के लिये करे और इनको धर्म मानकर। और चातुर्वर्ण्य धर्म से भिन्न वर्णसंकरों के कार्यों को तो कथमपि आपद्धर्म नहीं माना जा सकता। प्रतीत यह होता है ६। ३२५ पर

---

१. **मद्रचीहतेषु कुरुष्वाटिक्या सह जाययोषस्तिहं चाक्रायण इभ्यग्रामे प्रद्राणक उवास। स हेभ्यं कुल्माषान्खादन्तं बिभिक्षे तं होवाच॥ नेतोऽन्ये विद्यन्ते यच्च ये य इम उपनिहिता इति॥ एतेषां मे देहीति होवाच।.....न वा अजीविष्यमिममन्नखादन्निति होवाच कामो म उदपानमिति॥** (छान्दो० १ अ० १० खं०) अर्थात् उषस्ति चाक्रायण ने प्राणों की रक्षा के लिये उच्छिष्ट अन्न को मांगकर तो खा लिया, किन्तु जूठा जल नहीं लिया, क्यों कि जल का अभाव नहीं था।

यह अध्याय समाप्त हो गया। आगे के श्लोक शेष अध्याय के साथ सम्बन्धित हैं। आपद् धर्म का वर्णन प्रक्षेप है। वर्णव्यवस्था तो जीविका के आधार पर है और उसका आपद्धर्म दशमाध्याय में 'शूद्रो ब्राह्मणतामेति' श्लोक में है, शेष श्लोक प्रक्षेप किये गये हैं।

वेदोपदेश का अधिकार ब्राह्मण को है—

अधीयीरंस्त्रयो वर्णाः स्वकर्मस्था द्विजातयः।
प्रब्रूयाद् ब्राह्मणस्त्वेषां नेतराविति निश्चयः॥ १०। १॥

(त्रयः द्विजातयः वर्णाः) तीनों द्विजाति वर्ण—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य (स्वकर्मस्थाः) अपने-अपने कर्मों के पालन में स्थित रहते हुए (१।८७-९१] (अधीयीरन्) वेद पढ़ें (ब्राह्मणः एषां प्रब्रूयात्) ब्राह्मण इन वर्णों को वेदों का प्रवचन करे (इतरौ न) अन्य वर्ण (क्षत्रिय-वैश्य) वेद-प्रवचन न करें (इति निश्चयः) ऐसा निश्चय है॥ १॥

सर्वेषां ब्राह्मणो विद्याद् वृत्त्युपायान् यथाविधि।
प्रब्रूयादितरेभ्यश्च स्वयं चैव तथा भवेत्॥ १०। २॥

(ब्राह्मणः) ब्राह्मण (यथाविधि) यथोक्तविधि से [१।८७-९१] (सर्वेषां वृत्त्युपायान् विद्यात्) सभी वर्णों के जीविका-उपायों को जाने (च) और (इतरेभ्यः प्रब्रूयात्) अन्य वर्णों को उनका उपदेश करे (च) और (स्वयम् एव तथा भवेत्) स्वयं भी नियमानुसार वैसा ही आचरण करे॥ २॥

वैशेष्यात्प्रकृतिश्रैष्ठ्यान्नियमस्य च धारणात्।
संस्कारस्य विशेषाच्च वर्णानां ब्राह्मणः प्रभुः॥ १०। ३॥

(वैशेष्यात्) विशेष गुणों वाला होने के कारण (प्रकृतिश्रैष्ठ्यात्) स्वभाव की श्रेष्ठता के कारण (नियमस्य धारणात्) धर्मनियमों को अधिकतापूर्वक धारण करने के कारण (च) और (संस्कारस्य विशेषात्) यज्ञोपवीत संस्कार के सब वर्णों से पूर्व होने की विशेषता के कारण [२। ३७–३८ इस संस्करण में २। ११–१३] (वर्णानां ब्राह्मणः प्रभुः) वर्णों में ब्राह्मण वर्ण प्रमुख है॥ ३॥

अनुशीलन: १०।१–३ श्लोक निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—अध्ययन-अध्यापन विषय के २। २१३–२१७ [२।२३८–२४२] श्लोकों में यह स्पष्ट कहा है कि विद्या की प्राप्ति ब्राह्मण से भिन्न गुरु से भी करनी चाहिए। किन्तु यहाँ १०। १ श्लोक में उससे विरुद्ध बात कही है कि ब्राह्मण से भिन्न वर्णों को पढ़ाने का अधिकार ही नहीं है। यद्यपि पठन-पाठन का कार्य ब्राह्मण का ही मनु ने माना है, पुनरपि मनु ने दूसरे वर्णों को भी आवश्यकता पड़ने पर निषेध नहीं किया है। १०। २–३ श्लोक प्रथम श्लोक से सम्बद्ध होने से मनु की मान्यता से विरुद्धता के कारण प्रक्षिप्त हैं।

२. **विषयविरोध**—ब्राह्मण के धर्मों का वर्णन मनु ने छठे अध्याय में किया है और वहां स्पष्ट कहा है—

एष वोऽभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः। (मनु० ६।९७)

और सातवें, आठवें व नवमाध्यायों में राजधर्म का वर्णन किया है। और नवमाध्याय के ९। ३२५ श्लोक में राजधर्म (क्षत्रियधर्म) विषय का उपसंहार करते हुए कहा है—

एषोऽखिलः कर्मविधिरुक्तो राज्ञः सनातनः।
इमं कर्मविधिं विद्यात् क्रमशो वैश्यशूद्रयोः॥

इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के धर्मों का कथन करके वैश्य व शूद्र के धर्मों का कथन किया जायेगा। और इस चातुर्वर्ण्य धर्म का उपसंहार दशमाध्याय की समाप्ति पर मनु ने किया है—

एष धर्मविधिः कृत्स्नश्चातुर्वर्ण्यस्य कीर्तितः।

अतः इस चातुर्वर्ण्य-धर्म के बीच में अन्य विषय का वर्णन करना असंगत है। और ९। ३२५ श्लोक के अनुसार वैश्य-शूद्र के धर्मों का वर्णन यहाँ होना चाहिए। इनके बीच में ब्राह्मण का जो अर्थवादात्मक वर्णन यहाँ किया गया है, वह विषय-विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है।

३. **प्रसंगविरोध**—मनु ने चारों वर्णों के पृथक्-पृथक् धर्मों का वर्णन करते हुए १०।४ में कहा है कि वर्ण चार ही होते हैं, पांचवां नहीं। इसलिए हमने चारों वर्णों के धर्मों का वर्णन किया है। यहां शूद्र के धर्मों के बाद पुनः ब्राह्मण की श्रेष्ठता या प्रशंसा करना प्रसंगविरुद्ध है।

वर्ण चार ही हैं—९।३३५ का १०।४ से उपसंहारात्मक प्रसंग सिद्ध होता है। धर्मों का कथन प्रारम्भ करते समय भी चार वर्णों का ही कथन किया है [१। १४४ (२।२५)]। इसका यह भी संकेत है कि अब और कोई वर्ण नहीं रहता जिसके धर्मों का कथन करना शेष हो।

ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः।
चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पञ्चमः॥ १०।४ (९)

[आर्यों के समाज में] (ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यः) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य (त्रयः वर्णाः द्विजातयः) ये तीन वर्ण विद्याध्ययन-रूपी दूसरा जन्म प्राप्त करने वाले [२।१४६-१४८, इस संस्करण में २।१२१-१२३] हैं, अतः द्विज कहलाते हैं (चतुर्थः एकजातिः शूद्रः) चौथा विद्याध्ययनरूपी दूसरा जन्म (द्विजजन्म) न होने के कारण एकजाति=एक जन्म वाला, ब्रह्मजन्म से रहित शूद्र वर्ण है (नास्ति तु पञ्चमः) पांचवां कोई वर्ण नहीं है॥ ४॥

अनुशीलन: (१) **वर्ण चार हैं**—(क) मनु ने यहां चार वर्णों की मान्यता अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में उद्घोषित की है। मनुस्मृति में अन्यत्र वर्णनात्मक रूप में चार वर्णों का ही वर्णन है। चार वर्णों की दीक्षा से रहित अन्य सभी व्यक्ति दस्यु हैं

[१०।४५] अन्य वर्णसंकर आदि संज्ञक कोई वर्ण नहीं। इस श्लोक की पुष्टि के लिए मनुस्मृति के निम्न श्लोक भी द्रष्टव्य है—१।३१, ८७–९१।३।२०॥ ५।५७॥ ७।६८॥ १०।४५, ६५, १३१॥ १२।९७ आदि।

२. **चार वर्णों में शास्त्रीय प्रमाण**—अन्यत्र शास्त्रग्रन्थों में भी चार वर्णों का ही उल्लेख आता है। इन चार वर्णों से शेष व्यक्ति आर्येतर हैं जिन्हें निषाद, असुर, राक्षस आदि विभिन्न वर्गकृत नामों से अभिहित किया जाता है—

(क) "ऊर्जादः उत यज्ञियासः पञ्चजनाः मम होत्रं जुषध्वम्।"

(ऋक् १०।५३।४)

"पञ्चजनाः—चत्वारो वर्णाः, निषादः पञ्चम इति औपमन्यवः।"

(निरु० ३।२।७)

चार वर्ण=ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इनसे भिन्न पांचवें निषादजन, ये वेदोक्त पांच प्रकार के मनुष्य हैं।

(ख) "चत्वारो वर्णाः। ब्राह्मणो राजन्यो वैश्यः शूद्रः"

(श० ब्रा० ५।५।४।९)

"चत्वारो वै पुरुषा ब्राह्मणो राजन्यो वैश्यः शूद्रः॥"

(मैत्रा० सं० ४।४।६)

वर्णसंकरों का वर्णन—

सर्ववर्णेषु तुल्यासु पत्नीष्वक्षतयोनिषु।
आनुलोम्येन सम्भूता जात्या ज्ञेयास्त एव ते॥ १०।५॥

(सर्ववर्णेषु) सब चारों वर्णों में (तुल्यासु अक्षतयोनिषु) सवर्णा, अक्षतयोनि, विवाहित पत्नियों में (आनुलोम्येन संभूता) वर्णानुक्रम से अर्थात् ब्राह्मण से ब्राह्मणी में उत्पन्न, क्षत्रिय से क्षत्रिया में उत्पन्न, इस क्रम से उत्पन्न हुई सन्तानें (जात्या ते+एव ज्ञेयाः) जन्म में वे उसी जाति की समझनी चाहिएँ॥ ५॥

स्त्रीष्वनन्तरजातासु द्विजैरुत्पादितान्सुतान्।
सदृशानेव तानाहुर्मातृदोषविगर्हितान्॥ १०।६॥

(अन्तरजातासु स्त्रीषु) दूसरे निम्न वर्णों की स्त्रियों में (द्विजैः+उत्पादितान् सुतान्) द्विजों के द्वारा उत्पन्न की गई सन्तानों को (मातृदोषविगर्हितान्) [निम्न वर्ण होने के कारण] माता के दोष से निन्दित होते हुए भी (सदृशान्+एव आहुः) पिता की जाति का ही मानते हैं॥ ६॥

भिन्न वर्ण से उत्पन्न 'अपसद' सन्तानें—

अनन्तरासु जातानां विधिरेष सनातनः।
द्व्येकान्तरासु जातानां धर्म्यं विद्यादिमं विधिम्॥ १०।७॥

(अनन्तरासु जातानाम्) दूसरे निम्न वर्णों की स्त्रियों में उत्पन्न सन्तानों की (एषः सनातनः विधिः) यह सनातन विधि है (द्वि-एक-अन्तरासु जातानाम्) दो और एक वर्ण के अन्तर वाली स्त्रियों में उत्पन्न सन्तानों की [जैसे ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न, क्षत्रिय से शूद्रा में उत्पन्न] (धर्म्यं विधिम् इमं विद्यात्) धर्मानुकूल विधि को इस प्रकार जानो ॥ ७ ॥

ब्राह्मणाद्वैश्यकन्यायामम्बष्ठो नाम जायते ।
निषादः शूद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥ १० । ८ ॥

(ब्राह्मणात् वैश्यकन्यायाम् जायते) ब्राह्मण से वैश्या में जो सन्तान उत्पन्न होती है (अम्बष्ठः नाम) वह 'अम्बष्ठ' कहाती है और (शूद्रकन्यायाम्) ब्राह्मण से शूद्रा में जो सन्तान उत्पन्न होती है (निषादः) वह 'निषाद' कहाती है (यः पारशवः + उच्यते) जिसे 'पारशव' भी कहा जाता है ॥ ८ ॥

क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां क्रूराचारविहारवान् ।
क्षत्रशूद्रवपुर्जन्तुरुग्रो नाम प्रजायते ॥ १० । ९ ॥

(क्षत्रियात् शूद्रकन्यायाम्) क्षत्रिय से शूद्रा में उत्पन्न सन्तान (क्षत्र-शूद्र-वपुः जन्तुः) क्षत्रिय और शूद्र के शरीर से उत्पन्न हुई यह (क्रूर-आचार-विहारवान्) क्रूर-आचार-व्यवहार वाली होने से (उग्रः प्रजायते) 'उग्र' नाम वाली होती है ॥ ९ ॥

विप्रस्य त्रिषु वर्णेषु नृपतेर्वर्णयोर्द्वयोः ।
वैश्यस्य वर्णे चैकस्मिन्षडेतेऽपसदाः स्मृताः ॥ १० । १० ॥

(विप्रस्य त्रिषु वर्णेषु) ब्राह्मण से निम्न तीन वर्णों में उत्पन्न हुई सन्तानें (नृपतेः द्वयोः वर्णयोः) क्षत्रिय से निम्न दो वर्णों में उत्पन्न (च) और (वैश्यस्य एकस्मिन् वर्णे) वैश्य के द्वारा निम्न एक वर्ण शूद्रा में उत्पन्न सन्तान (एते षड् 'अपसदाः' स्मृताः) ये छः प्रकार की सन्तानें 'अपसद' = निकृष्ट मानी गयी हैं ॥ १० ॥

क्षत्रियाद्विप्रकन्यायां सूतो भवति जातितः ।
वैश्यान्मागधवैदेहौ राजविप्राङ्गनासुतौ ॥ १० । ११ ॥

(क्षत्रियात् विप्रकन्यायां जातितः सूतः भवति) क्षत्रिय से ब्राह्मण-कन्या में उत्पन्न सन्तान 'सूत' कहलाती है (वैश्यात्) वैश्य से (राजविप्राङ्गना-सुतौ मागध-वैदेहौ) क्षत्रिय और ब्राह्मण कन्या में उत्पन्न सन्तान क्रमशः 'मागध' और 'वैदेह' कहाती है ॥ ११ ॥

शूद्रादायोगवः क्षत्ता चण्डालश्चाधमो नृणाम् ।
वैश्यराजन्यविप्रासु जायन्ते वर्णसंकराः ॥ १० । १२ ॥

(शूद्रात्) शूद्र से (वैश्य-राजन्य-विप्रासु) वैश्या, क्षत्रिया और ब्राह्मणी में

क्रमशः (आयोगवः क्षत्ता नृणाम् अधमः चण्डालः वर्णसंकराः जायन्ते) 'आयोगव' 'क्षत्ता' और मनुष्यों में नीच 'अधम' नामक वर्णसंकर पैदा होते हैं ॥ १२ ॥

एकान्तरे त्वानुलोम्यादम्बष्ठोग्रौ यथा स्मृतौ ।
क्षत्तृवैदेहकौ तद्वत्प्रातिलोम्येऽपि जन्मनि ॥ १० । १३ ॥

(आनुलोम्यात्) अनुलोम क्रम से (एकान्तरे) एक वर्ण के अन्तर वाली स्त्री [१० । ८] में उत्पन्न सन्तान (अम्बष्ठ उग्रौ यथा स्मृतौ) 'अम्बष्ठ' और उग्र' जैसे कहे हैं (तत्-वत्) उसी प्रकार (प्रातिलोम्ये + अपि जन्मनि) प्रतिलोम क्रम से उत्पन्न होने वाले (क्षत्तृ-वैदेहकौ) 'क्षत्ता' और वैदेह' [१० । ११] माने हैं अर्थात् ये सब समान स्तर के हैं ॥ १३ ॥

पुत्रा येऽनन्तरस्त्रीजाः क्रमेणोक्ता द्विजन्मनाम् ।
तानन्तरान्मनस्तु मातृदोषात्प्रचक्षते ॥ १० । १४ ॥

(द्विजन्मनां ये) द्विजातियों से जो (क्रमशः अन्तरस्त्रीजाः पुत्राः उक्ताः) क्रमशः अनन्तर स्त्रियों में—एक वर्ण के अन्तर वाली स्त्री में उत्पन्न, दो वर्ण के अन्तर वाली स्त्री में उत्पन्न, पुत्र कहे हैं (तान् + अनन्तर नाम्नः तु मातृदोषात् प्रचक्षते) उन अनन्तर सन्तानों को मातृदोष प्रधानता के कारण माता की जाति का ही माना है ॥ १४ ॥

ब्राह्मणादुग्रकन्यायामावृतो नाम जायते ।
आभीरोऽम्बष्ठकन्यायामायोगव्यां तु धिग्वणः ॥ १० । १५ ॥

(ब्राह्मणात् + उग्रकन्यायाम्) ब्राह्मण से उग्रकन्या में (आवृतः नाम जायते) 'आवृत' नामक सन्तान उत्पन्न होती है (अम्बष्ठकन्यायाम् + आभीरः) ब्राह्मण से अम्बष्ठकन्या में 'आभीर' सन्तान (तु) और (आयोगव्यां धिग्वणः) ब्राह्मण से आयोगव कन्या में 'धिग्वण' नामक सन्तान उत्पन्न होती है ॥ १५ ॥

आयोगवश्च क्षत्ता च चण्डालश्चाधमो नृणाम् ।
प्रातिलोम्येन जायन्ते शूद्रादपसदास्त्रयः ॥ १० । १६ ॥

(प्रातिलोम्येन शूद्रात्) प्रतिलोम क्रम से अर्थात् शूद्र से उच्चवर्ण की स्त्री में (आयोगवः क्षत्ता च नृणाम् अधमः चण्डालः जायन्ते) क्रमशः 'आयोगव' 'क्षत्ता' और मनुष्यों में नीच 'चण्डाल' उत्पन्न होते हैं (त्रयः अपसदाः) ये तीनों प्रकार की सन्तानें शूद्र से भी नीच हैं ॥ १६ ॥

वैश्यान्मागधवैदेहौ क्षत्रियात्सूत एव तु ।
प्रतीपमेते जायन्ते परेऽप्यपसदास्त्रयः ॥ १० । १७ ॥

प्रतिलोम क्रम से (वैश्यात् मागध-वैदेहौ) वैश्य से उच्च वर्ण वाली स्त्री में उत्पन्न सन्तानें क्रमशः 'मागध' और 'वैदेह' (क्षत्रियात् सूतः एव) क्षत्रिय से ब्राह्मणी

में उत्पन्न 'सूत' नामक सन्तान (एते प्रतीपं जायन्ते) ये प्रतिलोम क्रम से उत्पन्न होने वाली (त्रयः अपसदाः) तीनों नीच मानी गई हैं ॥ १७ ॥

जातो निषादाच्छूद्रायां जात्या भवति पुक्कसः ।
शूद्राज्जातो निषाद्यां तु स वै कुक्कुटकः स्मृतः ॥ १ । १८ ॥

(निषादात् शूद्रायां जातः) 'निषाद' से शूद्रा में उत्पन्न सन्तान (जात्या पुक्कसः भवति) जाति से 'पुक्कस' कहाती है (शूद्रात् निषाद्यां जातः तु) शूद्र से निषाद कन्या में **उत्पन्न** सन्तान (कुक्कुटकः स्मृतः) 'कुक्कुट' संज्ञक होती है ॥ १८ ॥

क्षत्तुर्जातिस्तथोग्रायां श्वपाक इति कीर्त्यते ।
वैदेहकेन त्वम्बष्ठ्यामुत्पन्नो वेण उच्यते ॥ १० । १९ ॥

(तथा) उसी प्रकार (क्षत्तुः उग्रायां जातः) **क्षत्ता** से **उग्रकन्या** में उत्पन्न पुत्र (**श्वपाकः**+इति कीर्त्यते) 'श्वपाक' नामक होता है (वैदेहकेन तु अम्बष्ठ्याम्+**उत्पन्नः**) वैदेह से **अम्बष्ठकन्या** में उत्पन्न सन्तान (वेण उच्यते) 'वेण' संज्ञक कहाती है ॥ १९ ॥

द्विजातयः सवर्णासु जनयन्त्यव्रतांस्तु यान् ।
तान्सावित्रीपरिभ्रष्टान्व्रात्यानिति विनिर्दिशेत् ॥ १० । २० ॥

(द्विजातयः) द्विजवर्ण वाले (सवर्णासु) सवर्ण स्त्रियों में (यान् अव्रतान् जनयन्ति) जिन यज्ञोपवीत संस्कार से हीन रहने वाले पुत्रों को जन्म देते हैं (सावित्री-परिभ्रष्टान् तान्) सावित्री से पतित रहने वाले उन पुत्रों को (व्रात्यान्+इति विनिर्दिशेत्) 'व्रात्य' संज्ञक कहा जाता है ॥ २० ॥

व्रात्यात्तु जायते विप्रात्पापात्मा भूर्जकण्टकः ।
आवन्त्यवाटधानौ च पुष्पधः शैख एव च ॥ १० ॥ २१ ॥

(व्रात्यात् विप्रात्) 'व्रात्य' संज्ञक ब्राह्मण से सवर्णा में (भूर्जकण्टकः पापात्मा जायते) 'भूर्जकण्टक' नामक पापी सन्तान उत्पन्न होती है। देशभेद से इसके (आवन्त्य वाटधानौ पुष्पधः च शैख) 'आवन्त्य' 'वाटधान' 'पुष्पध' और 'शैख' ये चार और भेद हैं ॥ २१ ॥

झल्लो मल्लश्च राजन्याद् व्रात्यात् लिच्छिविरेव च ।
नटश्च करणश्चैव खसो द्रविड एव च ॥ १० । २२ ॥

(राजन्यात् व्रात्यात्) **क्षत्रिय व्रात्य** से सवर्णा में **उत्पन्न** पुत्रों के सात नाम **होते हैं** —(**झल्लः मल्लः लिच्छिविः** नटः करणः खसः च द्रविडः) 'झल्ल' 'मल्ल' 'लिच्छिवि' 'नट' 'करण' 'खस' और द्रविड़ ॥ २२ ॥

वैदेयात्तु जायते व्रात्यात्सुधन्वाचार्य एव च ।
कारुषश्च विजन्मा च मैत्रः सात्वत एव च ॥ १० । २३ ॥

(वैश्यात् व्रात्यात्) व्रात्य वैश्य से सवर्णा में (सुधन्वाचार्यः कारुषः विजन्मा मैत्रः च सात्वत एव) 'सुधन्वाचार्य' 'कारुष' 'विजन्मा' 'मैत्र' और 'सात्वत' संज्ञक सन्तान उत्पन्न होती हैं। [एक ही सन्तान के देशभेद से ये पृथक्-पृथक् नाम हैं] ॥२३॥

वर्णसंकरों की उत्पत्ति में कारण—

व्यभिचारेण वर्णानामवेद्यावेदनेन च।
स्वकर्मणां च त्यागेन जायन्ते वर्णसंकराः॥ १०। २४॥

(वर्णानां व्यभिचारेण) वर्णों में परस्पर व्यभिचार होने से (अवेद्या वेदनेन) एक गोत्र वाली अगम्या स्त्री से विवाह करने से (च) और (स्वकर्मणां त्यागेन) अपने शास्त्रविहित कर्त्तव्यों को छोड़ने से (वर्णसंकराः जायन्ते) 'वर्णसंकर' सन्तानें उत्पन्न होती हैं॥ २४॥

संकीर्णयोनियों का वर्णन—

सङ्कीर्णयोनयो ये तु प्रतिलोमानुलोमजाः।
अन्योन्यव्यतिषक्ताश्च तान् प्रवक्ष्याम्यशेषतः॥ १०। २५॥

अब (प्रतिलोम-अनुलोमजाः) प्रतिलोम और अनुलोम सम्बन्ध से (अन्योन्य-व्यतिषक्ताः) परस्पर मिश्रण होने से (संकीर्णयोनयः) जो संकीर्ण योनियां उत्पन्न होती हैं (तान् अशेषतः प्रवक्ष्यामि) उन्हें पूर्ण रूप से कहूंगा—॥ २५॥

सूतो वैदेहकश्चैव चण्डालश्च नराधमः।
मागधः क्षत्तृजातिश्च तथाऽयोगव एव च॥ १०। २६॥
एते षट् सदृशान्वर्णाञ्जनयन्ति स्वयोनिषु।
मातृजात्यां प्रसूयन्ते प्रवरासु च योनिषु॥ १०। २७॥

(सूतः वैदेहः नराधमः चण्डालः) १ सूत, २. वैदेह, ३. नीच चण्डाल, (मागधः क्षत्तृजातिः च अयोगवः) ४. मागध, ५. क्षत्ता, ६. अयोगव (एते षट्) ये छः वर्ण-संकर (स्वयोनिषु सदृशान् वर्णान् जनयन्ति) अपनी वर्ण वाली स्त्रियों में अपने ही वर्ण की सन्तानों को उत्पन्न करते हैं (प्रवरासु योनिषु) अपने से श्रेष्ठ जाति की स्त्रियों में उत्पन्न [illegible] ये हीन वर्ण हैं॥ २६, २७॥

[illegible]
आनन्तर्यात्स्वयोन्यां तु तथा बाह्येष्वपि क्रमात्॥ १०। २८॥

(यथा) जिस प्रकार (त्रयाणां वर्णानाम्) तीनों वर्णों—ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में से (द्वयोः अस्य आत्मा जायते) दो वर्णों—क्षत्रिय और वैश्य में से उत्पन्न सन्तान इस ब्राह्मण की अपनी आत्मा ही उत्पन्न होती है अर्थात् अपनी ही जाति की होती है, (स्वयोन्यां तु) वह सन्तान ऐसी ही होती है जैसी सवर्णा में उत्पन्न सन्तान; (तथा बाह्येषु क्रमात् आनन्तर्यात्) उसी प्रकार इतर बाह्य वर्णों में प्रतिलोम क्रम के

अन्तर [वैश्य तथा क्षत्रिय से क्रमशः क्षत्रिया तथा ब्राह्मणी में] उत्पन्न सन्तान भी द्विज' ही होती हैं ॥ २८ ॥

ते चाऽपि बाह्यान्सुबहूंस्ततोऽप्यधिकदूषितान् ।
परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगर्हितान् ॥ १० । २९ ॥

(ते च+अपि) वे अयोगव [१०।१२] आदि वर्णसंकर वाले पुरुष (ततः+अपि+अधिकदूषितान्) अपने से भी अधिक दूषित, (बाह्यान्) समाज से बहिष्कृत और (विगर्हितान्) निन्दनीय सन्तानों को (परस्परस्य दारेषु जनयन्ति) परस्पर जाति की स्त्रियों में उत्पन्न करते हैं ॥ २९ ॥

यथैव शूद्रो ब्राह्मण्यां बाह्यं जन्तुं प्रसूयते ।
तथा बाह्यतरं बाह्यश्चातुर्वर्ण्ये प्रसूयते ॥ १० ॥ ३० ॥

(तथा) जैसे (शूद्रः) शूद्र (ब्राह्मण्यां बाह्यं जन्तुं प्रसूयते) ब्राह्मणी में निन्दित 'चाण्डाल' पुत्र [१० । १२] को उत्पन्न करता है (तथा) उसी प्रकार (बाह्यः) वह 'चण्डाल' भी (चातुर्वर्ण्ये बाह्यतरं प्रसूयते) चार वर्णों की स्त्रियों में अपने से भी नीचतम सन्तान को उत्पन्न करता है ॥ ३० ॥

प्रतिकूलं वर्तमाना बाह्या बाह्यतरान्पुनः ।
हीना हीनान्प्रसूयन्ते वर्णान्पञ्चदशैव तु ॥ १० । ३१ ॥

(बाह्याः) बाह्य अयोगव आदि (प्रतिकूलं वर्तमानाः) प्रतिलोम विधि से (पुनः) पुनः चारों वर्णों की स्त्रियों में (हीनाः हीनान्) और अपने निम्न वर्ण की स्त्रियों में (पञ्चदश+एव बाह्यतरान् वर्णान् प्रसूयन्ते) पन्द्रह प्रकार के अपने वर्ण वाले नीचतम पुत्रों को उत्पन्न करते हैं ॥ ३१ ॥

प्रसाधनोपचारज्ञमदासं दासजीवनम् ।
सैरिन्ध्रं वागुरावृत्तिं सूते दस्युरयोगवे ॥ १० । ३२ ॥

(दस्युः अयोगवे सूते) दस्यु पुरुष [१० । ४५] 'अयोगव' स्त्री में जो सन्तान उत्पन्न करता है (सैरिन्ध्रम्) वह 'सैरिन्ध्र' संज्ञक होती है और वह (प्रसाधन-उपचारज्ञम्) केश-प्रसाधन में चतुर होती है (अदासं दासजीवनम्) दास न होते हुए भी दास जैसा जीवन बिताती है (वागुरावृत्तिम्) तथा हरिण आदि का वध करके जीविका चलाती है ॥ ३२ ॥

मैत्रेयकं तु वैदेहो माधूकं संप्रसूयते ।
नृन्प्रशंसत्यजस्रं यो घण्टाताडोऽरुणोदये ॥ १० । ३३ ॥

(वैदेहः मैत्रेयकं माधूकं संप्रसूयते) वैदेह जाति वाला पुरुष 'अयोगव' कन्या में 'मैत्रेयक'' संज्ञक मधुरभाषी पुत्र को उत्पन्न करता है (यः) जो (अरुणोदये घण्टाताडः)

प्रातःकाल घण्टा आदि बजाकर (अजस्रं नृन् प्रशंसति) सदा राजा आदि बड़े लोगों की प्रशंसा करके जीविका चलाता है ॥ ३३ ॥

निषादो मार्गवं सूते दासं नौकर्मजीविनम् ।
कैवर्तमिति यं प्राहुरार्यावर्तनिवासिनः ॥ १० । ३४ ॥

(निषादः नौकर्मजीविनं) 'निषाद' जातीय पुरुष अयोगव कन्या में नाव से जीविका चलाने वाले (दासं मार्गवं सूते) 'दास' या 'मार्गव' संज्ञक सन्तान को उत्पन्न करता है (यम्) जिसको (आर्यावर्तनिवासिनः कैवर्तम्+इति प्राहुः) आर्यावर्त के निवासी कैवर्त = मल्लाह के नाम से पुकारते हैं ॥ ३४ ॥

मृतवस्त्रभृत्सु नारीषु गर्हिताऽन्नाशनासु च ।
भवन्त्यायोगवीष्वेते जातिहीनाः पृथक् त्रयः ॥ १० । ३५ ॥

(मृतवस्त्रभृत्सु) मृतकों के वस्त्र अर्थात् कफन आदि पहनने वाली (च) और (गर्हित+अन्न+अशनासु) निन्दित और झूठा अन्न खाने वाली (आयोगवीषु नारीषु) आयोगव जाति की स्त्रियों में (एते जातिहीनाः त्रयः पृथक् भवन्ति) ये हीनजाति वाली सन्तानें—सैरिन्ध्र मैत्रेय, मार्गव, पृथक्-पृथक् उत्पन्न [१०।३२-३४] होती हैं ॥३५॥

कारावरो निषादात्तु चर्मकारः प्रसूयते ।
वैदेहिकादन्ध्रमेदौ बहिर्ग्रामप्रतिश्रयौ ॥ १० । ३६ ॥

(निषादात् तु) निषाद से वैदेह स्त्री में (कारावरः चर्मकारः प्रसूयते) 'कारावर' संज्ञक चमार जाति की सन्तान उत्पन्न होती है (वैदेहिकात्+अन्ध्र-मेदौ) वैदेहिक से कारावर कन्या और निषाद कन्या में क्रमशः 'अन्ध्र' और 'मेद' संज्ञक सन्तान उत्पन्न होती हैं (बहिः-ग्रामप्रतिश्रयौ) जो गांव से बाहर निवास करती हैं ॥ ३६ ॥

चण्डालात्पाण्डुसोपाकस्त्वक्सारव्यवहारवान् ।
आहिण्डिका निषादेन वैदेह्यामेव जायते ॥ १०।३७ ॥

(चाण्डालात्) 'चण्डाल' जाति के पुरुष से (त्वक-सार-व्यवहारवान्) बांसों के व्यापार से जीविका चलाने वाली (पाण्डुसोपाकः) 'पांडुसोपाक' संज्ञक सन्तान उत्पन्न होती है, और (निषादेन वैदेह्याम् आहिण्डिका जायते) निषाद से वैदेह-स्त्री में 'आहिण्डिका' नामक सन्तान होती है ॥ ३७ ॥

चण्डालेन तु सोपाको मूलव्यसनवृत्तिमान् ।
पुक्कस्यां जायते पापः सदा सज्जनगर्हितः ॥ १०।३८ ॥

(चण्डालेन पुक्कस्यां सोपाकः पापः जायते) चण्डाल के द्वारा पुक्कसी स्त्री में 'सोपाक' संज्ञक पापी सन्तान उत्पन्न होती है, (मूलव्यसनवृत्तिमान्) राजाज्ञा से लोगों को फांसी की सजा देने की जीविका करने वाला यह जल्लाद (सदा सज्जन-गर्हितः) सज्जनों द्वारा सदा निन्दित माना गया है ॥ ३८ ॥

निषादस्त्री तु चण्डालात्पुत्रमन्त्यावसायिनम् ।
श्मशानगोचरं सूते बाह्यानामपि गर्हितम् ॥ १० । ३९ ॥

(चण्डालात् निषादस्त्री तु) चण्डाल से निषादस्त्री (अन्त्यावसायिनं पुत्रं सूते) 'अन्त्यावसायी' पुत्र को उत्पन्न करती है जो (श्मशानगोचरम्) श्मशान कार्यों से जीविका करता है और (बाह्यानाम् + अपि गर्हितम्) निकृष्ट जातियों में भी निकृष्ट है ॥ ३९ ॥

संकरे जातयस्त्वेताः पितृमातृप्रदर्शिताः ।
प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितव्या स्वकर्मभिः ॥ १० । ४० ॥

(संकरे पितृ-मातृ-प्रदर्शिताः एता जातयः) वर्णसंकरों में पिता-माता के आधार पर वर्णित इन जातियों को (स्वकर्मभिः) इनके कार्यों से (प्रच्छन्नाः वा प्रकाशाः) गुप्त अथवा पूछकर प्रकट रूप से जान लेना चाहिए ॥ ४० ॥

सजातिजानन्तरजाः षट् सुता द्विजधर्मिणः ।
शूद्राणां तु सधर्माणः सर्वेऽपध्वंसजा स्मृताः ॥ १० । ४१ ॥

(सजातिजाः + अनन्तरजाः) द्विजों में सवर्णा स्त्री से उत्पन्न और अपने से बाद के वर्ण वाली स्त्रियों में उत्पन्न [यथा-ब्राह्मण से ब्राह्मणी में क्षत्रिय से क्षत्रिया में वैश्य से वैश्या में उत्पन्न पुत्र तीन, और ब्राह्मण से क्षत्रिया तथा वैश्या में, क्षत्रिय से वैश्या में उत्पन्न तीन, इस प्रकार छह] (षट् सुताः द्विजधर्मिणः) ये छः प्रकार के पुत्र द्विजधर्मों वाले हैं (सर्वे + अपध्वंसजाः) शेष सभी प्रतिलोमविधि से उच्चवर्ण की स्त्रियों उत्पन्न पुत्र (शूद्राणां सधर्माणः स्मृताः) शूद्र जैसे धर्म वाले माने गये हैं ॥ ४१ ॥

तपोबीजप्रभावैस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे ।
उत्कर्षं चापकर्षं च मनुष्येष्विह जन्मतः ॥ १० । ४२ ॥

(ते) वे वर्णसंकरता से उत्पन्न सन्तानें (तपः-बीज-प्रभावैः) तपस्या करने से और उत्तम बीज के प्रभाव से (युगे युगे) सभी समयों में (इह मनुष्येषु) इस संसार के मनुष्यों में (जन्मतः उत्कर्षं च + अपकर्षं गच्छन्ति) जाति से श्रेष्ठ और नीच हो जाती हैं ॥ ४२ ॥

धर्म-पालन न करने से शूद्रता को प्राप्त जातियां—

शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः ।
वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणादर्शनेन च ॥ १० । ४३ ॥

(इमाः क्षत्रियजातयः) ये [१० । ४४] क्षत्रिय जातियां (क्रियालोपात्) धार्मिक क्रियाओं के त्याग करने से (च) और (ब्राह्मण-अदर्शनेन) ब्राह्मणों के उपदेशों को न मानने के कारण [प्रायश्चित्त आदि के आदेश-उपदेश] (लोके शनकैः वृषलत्वं गताः) लोक में धीरे-धीरे शूद्रता को प्राप्त हो गईं ॥ ४३ ॥

पौण्ड्रकाश्चौड्रद्रविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः ।
पारदाः पह्लवाश्चीनाः किराता दरदाः खशाः ॥ १० ॥ ४४

वे हैं—(पौण्ड्रकाः औड्र-द्रविडाः काम्बोजाः यवनाः शकाः) पौण्ड्रक, औड्र, द्रविड़, काम्बोज, यवन, शक (पारदाः पह्लवाः चीनाः किरातः दरदाः खशाः) पारद, पह्लव, चीन, किरात, दरद और शक, [ये पहले क्षत्रिय जातियां थीं] ॥ ४४ ॥

अनुशीलन : १०।५ से १०।४४ तक के श्लोक निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त हैं—

१. **विषयविरोध**—(१०।१-३) श्लोकों के अनुशीलन में सोद्धरण यह स्पष्ट किया है कि इस अध्याय में वैश्य व शूद्र वर्णों का वर्णन करके उपसंहार किया गया है। और यह बात १०।४ तथा १०।४५ तथा १०।१३१ श्लोकों से स्पष्ट है किन्तु इन में चारों वर्णों से भिन्न वर्णसंकरों, संकीर्ण जातियों तथा चण्डलादि का वर्णन किया गया है।

२. **प्रसंगविरोध**—१०।४ श्लोक में चारों वर्णों की बात कहकर इनसे भिन्न वर्णों का निषेध किया है और १०।४५ में चारों वर्णों से भिन्न म्लेच्छ भाषा बोलने वालों को दस्यु कहा है। इनके बीच में वर्ण-संकरों व वर्णसंकर-सन्तानों का वर्णन प्रसंगविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है।

३. **अन्तर्विरोध**—(१) मनु की यह मौलिक मान्यता है कि वर्णव्यवस्था का आधार कर्म है, जन्म नहीं [द्रष्टव्य १।३१, ८७-९१, १०७ श्लोक एवं समीक्षा] इसी लिये १०।४ में कहा है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं बन सकता है, वह विद्या का जन्म न होने से एकजाति=एक जन्मवाला ही कहलाता है, द्विजन्मा नहीं। यदि वर्णव्यवस्था का आधार जन्म होता तो द्विजाति और एकजाति का भेद निरर्थक ही हो जाता है। और इन श्लोकों में जन्म के आधार पर समस्त वर्णन किया गया है। अतः मनु की मान्यता से विरुद्ध है। और मनु ने चारों वर्णों के विवाहों के विषय में स्पष्ट कहा है—

उद्वहेत द्विजो भार्यां सवर्णां लक्षणान्विताम् (मनु० ३।४)

अर्थात् द्विज सवर्णा स्त्री के साथ ही विवाह करें। और

उद्वहेद् भार्यां सवर्णां लक्षणान्विताम् (७।७७)

अर्थात् विवाह के अर्थ द्विजों के लिए सवर्णा स्त्रियों का होना ही विहित है। परन्तु (१०।५ में) अनुलोम्य विवाह (१०।१३ में) प्रातिलोम्य विवाहों से उत्पन्न सन्तानों का वर्णन किया गया है, जिसमें असवर्णा स्त्रियों से उत्पन्न सन्तानों का वर्णन किया गया है। यह मनु से विरुद्ध मान्यता है।

(२) इन श्लोकों में [१०।२४ इत्यादि में] स्पष्ट कहा है—वर्णसंकर कौन और

कैसे होते हैं ? और [१०।३६ में] चर्मकारादि उपजातियों का वर्णन किया गया है। एवं १०।४३ में क्षत्रिय वर्ण का वृषलत्व-प्राप्ति का कारण लिखा है। जिससे स्पष्ट है कि जिस समय जन्म के आधार पर वर्णों को माना जाने लगा और चर्मकारादि उपजातियाँ बन गईं, उस समय में किसी ने इन श्लोकों का प्रक्षेप किया है। मनु की मान्यता में आर्यों के चार ही वर्ण होते हैं और इनसे भिन्न दस्यु होते हैं [१०।४५]। इस शास्त्र में चारों वर्णों के धर्मों का ही कथन है, दस्युओं के नहीं। अतः यह वर्णसंकरादि का वर्णन प्रसंगविरुद्ध, अन्तर्विरोधादि दोषयुक्त होने के कारण प्रक्षिप्त है।

(४) मनु ने (९।३५ में) बीज की उत्कृष्टता से उत्तम सन्तान मानी है और ९।२६-२७ श्लोकों में स्त्रियों को पूजनीय गृहदीप्ति आदि कहकर प्रशंसा की है। परन्तु १०।१७, २५ श्लोकों में द्विजों की स्त्रियों को भी निन्दनीय कहा गया है और सन्तान में दोष का कारण बीज को न मानकर माता को माना है। यह मनु के विधान के विरुद्ध है।

४. **शैलीगत आधार**—मनुस्मृति में मनु की शैली विधानात्मक है, ऐतिहासिक नहीं। परन्तु इन श्लोकों की शैली ऐतिहासिक है। इस विषय में निम्नलिखित कुछ उद्धरण देखिये—

कैवर्तमिति यं प्राहुरार्यावर्तनिवासिनः ॥ (१०।३४)

शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः ॥ वृषलत्वं गता लोके०। (१०।४३)

पौण्ड्रकाश्चौड्रद्रविडाः काम्बोजाः यवनाः शकाः ॥ (१०।४४)

द्विजैरुत्पादितान् सुतान् सदृशान् एव तानाहुः ॥ (१०।६)

अतः इस ऐतिहासिक शैली से स्पष्ट है कि वर्णव्यवस्था में दोष आने पर जन्ममूलक जब भिन्न-भिन्न उपजातियां प्रसिद्ध हो गईं, उस समय इन श्लोकों का प्रक्षेप होने से मनु से बहुत परवर्ती काल के ये श्लोक हैं।

५. **अवान्तर-विरोध**—(१) १२ वें श्लोक में वर्णसंकरों की उत्पत्ति का जो कारण लिखा है, २४ वें श्लोक में उससे भिन्न कारण ही लिखे हैं। (२) ३२ वें श्लोक में सैरन्ध्र की आजीविका केश-प्रसाधन लिखी है। ३३ वें में मैत्रेय की आजीविका घण्टा बजाना या चाटुकारता लिखी है और ३४ वें में मार्गव की आजीविका नाव चलाना लिखी है। किन्तु ३५ वें में इन तीनों की आजीविका मुर्दों के वस्त्र पहनने वाली और झूठन) खाने वाली लिखी है। (३) ३६, ४९ श्लोकों में कारावर जाति का और धिग्वण जाति का चर्मकार्य बताया है। जब कि कारावर निषाद की सन्तान है और धिग्वण ब्राह्मण की। (४) ४३ वें में क्रियालोप=कर्मों के त्याग से क्षत्रिय-जातियों के भेद लिखे हैं और २४ वें में भी स्ववर्ण के कर्मों के त्याग को ही कारण माना है परन्तु १२वें में

एक वर्ण के दूसरे वर्ण की स्त्री के साथ अथवा पुरुष के साथ-सम्पर्क से वर्णसंकर उत्पत्ति लिखी है। यह परस्पर विरुद्ध कथन होने से मनुप्रोक्त कदापि नहीं हो सकता।

चारों वर्णों से भिन्न व्यक्तियों की संज्ञा—

मुखबाहूरुपज्जानां या लोके जातयो बहिः।
म्लेच्छवाचश्चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥१०।४५॥ (१०)

(लोके) लोक में (मुख-बाहु+उरु-पद्-जानाम्) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों से (बहिः) श्रेष्ठ कर्त्तव्यपालन न करने के कारण बहिष्कृत या इनमें अदीक्षित (या जातयः) जो जातियां हैं (म्लेच्छ-वाचः च आर्यवाचः) चाहे वे म्लेच्छभाषाएं बोलती हैं या आर्यभाषाएं (ते सर्वे) वे सब (दस्यवः स्मृताः) 'दस्यु' कहलाती हैं ॥ ४५ ॥

महर्षि दयानन्द ने इस श्लोक की द्वितीय पंक्ति उद्धृत करके लिखा है—"जो आर्यावर्त देश से भिन्न हैं, वे दस्यु देश और म्लेच्छदेश कहाते हैं॥" (स० प्र० २२५)

अनुशीलन : (१) श्लोक के प्रसंग पर विचार—१०।४ के पश्चात् वर्णनक्रम में १०। ४५ की सम्बद्धता सिद्ध होती है, क्योंकि चौथे श्लोक में मनु द्वारा विहित समाज में चार वर्णों का अस्तित्व भूमिका रूप में बतलाया है और कहा है कि पांचवां कोई वर्ण नहीं है। अब वर्णों में अदीक्षित या बहिष्कृत जो व्यक्ति रह गये हैं, उन्हें किसके अन्तर्गत माना जाये? यह बतलाना प्रासंगिक था। उसे ४५ वें श्लोक में वर्णित किया है कि शेष व्यक्ति 'दस्यु' हैं।

(२) दस्यु से अभिप्राय—वेदों में और प्राचीन संस्कृत-साहित्य में 'दस्यु' शब्द का पर्याप्त प्रयोग आता है। यहां मनु ने स्पष्ट किया है कि दस्यु कौन है। वेदों में मनुष्यों के दो वर्ग उक्त हैं—'आर्य'=श्रेष्ठ और 'दस्यु'=अश्रेष्ठ। मनु ने यहां बताया है कि आर्यों के चार वर्णों से बाह्य अर्थात् वर्णाश्रम धर्मों में अदीक्षित [१०।५७] धर्म का पालन न करके अधर्माचरण करने वाले चारों वर्णों से अवशिष्ट सभी लोग दस्यु हैं। दस्यु शब्द का अर्थ और व्युत्पत्ति भी इनके इसी आचरण पर प्रकाश डालते हैं—'दसु-उपक्षये' धातु से 'यजिमनिशुन्धिदसिजनिभ्यो युच्' (उणादि ३।२०) से युच् प्रत्यय के योग से 'दस्यु' शब्द बनता है। निरुक्त ७।२३ में इसकी व्युत्पत्ति है—"दस्यु दस्यतेः क्षयार्थात्...उपदासयति कर्माणि"=दस्यु वह है जो शुभकर्मों से क्षीण है, या शुभकर्मों में बाधा डालता है।

अपसदों और अपध्वंसजों के कर्म—

ये द्विजानामपसदा ये चापध्वंसजाः स्मृताः।
ते निन्दितैर्वर्तयेयुर्द्विजानामेव कर्मभिः ॥ १० । ४६ ॥

(द्विजानां ये अपसदाः) द्विजों में जो 'अपसद' [१०।१०] = उच्चवर्ण के पिता से निम्न वर्ण की स्त्री में उत्पन्न सन्तानें हैं (च) और (ये अपध्वंसजाः स्मृताः) जो अपध्वंसज = उच्चवर्ण की स्त्रियों में निम्न वर्ण के पिता से उत्पन्न सन्तानें हैं (ते) वे सब (द्विजानाम्+एव निन्दितैः कर्मभिः वर्तयेयुः) द्विजों के लिए निन्दित अर्थात् निषिद्ध निम्नकोटि के कामों से अपनी जीविका करें ॥ ४६ ॥

सूतानामश्वसारथ्यमम्बष्ठानां चिकित्सनम् ।
वैदेहकानां स्त्रीकार्यं मागधानां वणिक्पथः ॥ १० । ४७ ॥

(सूतानाम्+अश्वसारथ्यम्) 'सूतों' का कर्म रथ हांकना, (अम्बष्ठानां चिकित्सनम्) 'अम्बष्ठों' का कर्म चिकित्सा करना, (वैदेहकानां स्त्रीकार्यम्) वैदेहकों का अन्तःपुर की रक्षा करना (मागधानां वणिक्पथः) 'मागधों' का काम वाणिज्य में सहयोग देना है ॥ ४७ ॥

मत्स्यघातो निषादानां त्वष्टिस्त्वायोगवस्य च ।
मेदान्ध्रचुञ्चुमद्गूनामारण्यपशुहिंसनम् ॥ १० । ४८ ॥

(निषादानां मत्स्यघातः) 'निषादों' का कर्म मछलियां मारना (आयोगवस्य तष्टिः) आयोगवों का बढ़ई गिरि, (मेद+अन्ध्रचुञ्चुमद्गूनाम्) मेद, अन्ध्र, चुञ्चु मद्गु इनका कर्म (आरण्यपशुहिंसनम्) जंगली पशुओं की हिंसा करना है ॥ ४८ ॥

क्षत्रुग्रपुक्कसानां तु बिलौकावधबन्धनम् ।
धिग्वणानां चर्मकार्यं वेणानां भाण्डवादनम् ॥ १० । ४९ ॥

(क्षत्-उग्र-पुक्कसानाम्) क्षत्ता, उग्र और पुक्कसों का कार्य (बिलौकावधबन्धनम्) बिल में रहने वाले जानवरों को पकड़ना-मारना है, (धिग्वणानां चर्मकार्यम्) धिग्वणों का कार्य चमड़े की वस्तुएं बनाना और (वेणानां भाण्डवादनम्) 'वेणों' का कार्य विविध-प्रकार के बाजे बजाना है ॥ ४९ ॥

चैत्यद्रुमश्मशानेषु शैलेषूपवनेषु च ।
वसेयुरेते विज्ञाता वर्तयन्तः स्वकर्मभिः ॥ १० । ५० ॥

(एते) ये वर्णसंकर (चैत्यद्रुम-श्मशानेषु) प्रसिद्धवृक्षों के नीचे, श्मशानभूमियों के पास, (शैलेषु+उपवनेषु) पहाड़ों में, वन-उपवनों में (स्वकर्मभिः वर्तयन्तः) अपने कर्मों से जीविका करते हुए और (विज्ञानाः) जानकारी में रहते हुए (वसेयुः) रहें ॥५०॥

चण्डालश्वपचानां तु बहिर्ग्रामात्प्रतिश्रयः ।
अपपात्राश्च कर्तव्या धनमेषां श्वगर्दभम् ॥ १० । ५१ ॥

(चण्डाल-श्वपचानां तु प्रतिश्रयः ग्रामात् बहिः) 'चण्डालों' और 'श्वपचों' का निवास भी गांव से बाहर-दूर होना चाहिये (च) और इन्हें (अपपात्राः कर्तव्याः) निन्दित पात्रों से युक्त कर देना चाहिए, (एषां धनं श्व-गर्दभम्) इनका धन कुत्ते और गधे हैं ॥ ५१ ॥

वासांसि मृतचेलानि भिन्नभाण्डेषु भोजनम् ।
काष्णायसमलंकारः परिव्रज्या च नित्यशः ॥ १० । ५२ ॥

(मृतचेलानि वासांसि) मरे हुए व्यक्ति के ये वस्त्र पहनें, (भिन्नभाण्डेषु भोजनम्) टूटे-फूटे बर्तनों में भोजन करें (अलंकार, काष्णायसम्) इनके आभूषण लोहे के बने हों, (च) और (नित्यशः परिव्रज्या) ये सदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहें ॥ ५२ ॥

न तैः समयमन्विच्छेत्पुरुषो धर्ममाचरन् ।
व्यवहारो मिथस्तेषां विवाहः सदृशैः सह ॥ १० । ५३ ॥

(धर्मम् + आचरन् पुरुषः) धार्मिक व्यक्ति (तैः) उन चण्डालों और श्वपचों के साथ (समयं न अन्विच्छेत्) किसी प्रकार का सम्बन्ध न रखे (तेषां व्यवहारः मिथः) उनका सभी प्रकार का व्यवहार परस्पर ही हो और (सदृशैः सह विवाहः) समान जाति वालों के साथ विवाह करें ॥ ५३ ॥

अन्नमेषां पराधीनं देयं स्याद्भिन्नभाजने ।
रात्रौ न विचरेयुस्ते ग्रामेषु नगरेषु च ॥ १० । ५४ ॥

(एषाम् अन्नं पराधीनम्) इनका भोजन दूसरों के भरोसे पर हो और वह (भिन्नभाजने देयं स्यात्) टूटे बर्तनों में देना चाहिए (ते) वे (रात्रौ) रात के समय (ग्रामेषु च नगरेषु न विचरेयुः) गांवों और नगरों में न घूमें ॥ ५४ ॥

दिवा चरेयुः कार्यार्थं चिह्निता राजशासनैः ।
अबान्धवं शवं चैव निर्हरेयुरिति स्थितिः ॥ १० । ५५ ॥

(दिवा) दिन में भी (राजशासनैः चिह्निता) राजा की ओर से दिये गये चिह्न को अंकित करके (कार्यार्थं चरेयुः) केवल काम के लिए घूमें (च) और (अबान्धवं शवं निर्हरेयुः) लावारिस लाशों को उठाने का काम करें (इति स्थितिः) यह शास्त्रव्यवस्था है ॥ ५५ ॥

वध्यांश्च हन्युः सततं यथाशास्त्रं नृपाज्ञया ।
वध्यवासांसि गृह्णीयुः शय्याश्चाभरणानि च ॥ १० । ५६ ॥

(च) और (यथाशास्त्रं नृप + आज्ञया) शास्त्रानुसार राजा की आज्ञा से (वध्यान् हन्युः) वध्य लोगों को मारें अर्थात् जल्लाद का काम करें (च) तथा (वध्यवासांसि शय्या + आभरणानि गृह्णीयुः) वध किये लोगों के कपड़े, पलंग, आभूषण आदि ले लें ॥ ५६ ॥

अनुशीलन : १०।४६ से १०।५५ तक श्लोक निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त हैं—

१. **विषय-विरुद्ध**—१०।१३१ श्लोक के अनुसार इस अध्याय का विषय 'चातु-

वर्ण्यधर्म' है। किन्तु इनमें वर्णसंकरों से उत्पन्न सूतादि के कार्यों का वर्णन किया गया है। अतः यह चातुर्वर्ण्य-धर्म-विषय न होने से विषय-विरुद्ध वर्णन है। १०। ५१ में तो चण्डाल आदि के कार्यों का वर्णन किया गया है, जो चातुर्वर्ण्य विषय से सर्वथा ही बाह्य है।

२. **अन्तर्विरोध**—(क) महर्षि-मनु ने कर्मानुसार वर्णव्यवस्था मानी है, जन्म से नहीं। कर्मानुसार उच्चवर्ण में उत्पन्न व्यक्ति निम्न वर्ण का और निम्न वर्ण का व्यक्ति उच्चवर्ण का हो सकता है। एतदर्थ १। ८७–९१, १। ३१, २। १६८, ४। २४५, तथा १०। ६५ श्लोक द्रष्टव्य हैं। किन्तु इन [४६–५६] श्लोकों में जन्म को आधार मानकर अम्बष्ठ, वैदेह, मागधादि के कार्य दिखाये हैं [विशेष विवेचन १।८८–९१, १०७ पर द्रष्टव्य]।

(ख) मनु की मान्यता के अनुसार सभी प्रकार की हिंसा करना महापाप है। मांसभक्षणादि कार्यों को मनु ने राक्षसों का भोजन माना है। परन्तु १०। ३२, ४८, ४९, श्लोकों में अन्य पशुओं की हिंसा, बिलों में रहने वाले प्राणियों को मारना और मछली मारना आदि को आजीविका माना है। अतः यह मनुविरुद्ध है [इस विषयक विशेष विवेचन द्रष्टव्य ४। २६–२८ पर]।

(ग) १०। ४६ श्लोक में निम्नवर्णों को निन्दित कर्मों से आजीविका करने का वर्णन किया है और उन निन्दित कर्मों को द्विजों के ही कर्म माना है। जैसे व्यापार करना मागधों का कार्य [१०। ४७ में] लिखा है। क्या जो द्विजों के कर्म हैं, वे निन्दित हो सकते हैं अथवा द्विजों के कर्मों को निन्दनीय कहा जा सकता है? व्यापार जैसे वैश्य के कार्य को निन्दित बताना मनु की मान्यता के विरुद्ध है।

(घ) मनु की मान्यता के अनुसार मानव-समाज को चार वर्णों में विभक्त किया गया है, और जो इनसे भिन्न हैं उन्हें अनार्य (दस्यु) (१०। ४५ में) कहा है। इस आधार पर वर्णसंकरादि से उत्पन्न अनेकों वर्ग मानना मनुसम्मत नहीं हो सकता।

(ङ) मनु ने शूद्र को आर्य-वर्ण माना है और ९। ३३५ में उसे शुचिः=पवित्र (स्पृश्य) तथा उसे उत्तमगति पाने का अधिकारी बताया है। किन्तु यहाँ शूद्र को घृणित, निन्दनीय तथा अस्पृश्य [१०। ५३] बताकर उसके साथ सम्पर्क करने का भी निषेध किया है। यह मनु की मान्यता के विरुद्ध है। क्योंकि शूद्र का कार्य द्विजों की सेवा करना है। क्या बिना सम्पर्क के ही सेवा कार्य हो सकता है? [द्रष्टव्य ९।३३५ पर समीक्षा]।

३. **शैलीगत आधार**—इस आधार पर भी ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं। देखिए १०। १० पर यह समीक्षा। १०। ४५ में ब्राह्मणादि चारों वर्णों से भिन्न व्यक्तियों को मनु ने 'दस्यु' कहा है। उसके बाद दस्युओं के विषय में कथन करना ही संगत हो सकता है, जो कि १०। ५७–५८ श्लोकों में किया गया है। इनके बीच में वर्णसंकर सन्तानों

तथा चण्डालादि के कार्यों का वर्णन प्रसंग-विरुद्ध है। एकवर्णनात्मक संगति सम्बद्धता को भंग कर रहा है। अतः प्रक्षिप्त हैं।

दस्यु अर्थात् अनार्य की पहचान उसके कार्य देखकर करें—

वर्णापेतमविज्ञातं नरं कलुषयोनिजम्।
आर्यरूपमिवानार्यं कर्मभिः स्वैर्विभावयेत् ॥१०।५७॥ (११)

(वर्ण-अपेतम्) वर्णों की दीक्षा से रहित अथवा वर्णों से बहिष्कृत (आर्यरूपम्+इव+अनार्यम्) श्रेष्ठ रहन सहन और स्वभाव का दिखावा करने वाले किन्तु वास्तव में श्रेष्ठलक्षणों से रहित अनार्य (कलुषयोनिजम्) [कलुषयोनौ=दुष्टयोनौ जायते इति कलुषयोनिजः तम्] दुष्टसंस्कारों वाले व्यक्ति से उत्पन्न दुष्टसंस्कारी या दुष्टप्रवृत्ति वाले (स्वैः कर्मभिः विभावयेत्) उसके अपने कर्मों से पहचान ले अर्थात् जो श्रेष्ठ कर्मों को न करता हो और अश्रेष्ठ कर्मों को करता हो, वह अनार्य है [जैसा कि अगले श्लोक में वर्णित है[1]] ॥ ५७ ॥

अनुशीलन : अनार्य और उसके लक्षण—(१) मनु ने प्रत्येक व्यक्ति को किसी-न-किसी वर्ण की दीक्षा ग्रहण कर उत्तम धर्मानुकूल आचरण का पालन करने का कथन किया है। कुछ व्यक्ति इतने दुष्टसंस्कारों के होते हैं कि उनकी धर्माचरण में रुचि नहीं बनती। वे किसी भी वर्ण की दीक्षा को स्वीकार नहीं करते ['वर्णापेतम्'], उनमें स्वभावगत अश्रेष्ठता, कठोरता, निर्दयता होती है और धार्मिक क्रियाओं के प्रति उपेक्षा भावना रहती है। ऐसे व्यक्ति ही अनार्य या दस्यु हैं। दुष्टसंस्कारयुक्त व्यक्तियों से उत्पन्न होने वाले दुष्टसंस्कारी व्यक्तियों=कलुषयोनिजों या दस्युओं में ये संस्कार इतने प्रबल हो जाते हैं कि वे किसी-न किसी रूप में प्रकट होकर उसकी पहचान करा देते हैं। ४।४१-४२ में मनु ने दुष्ट कर्मों से दुष्टसंस्कारी सन्तानों की उत्पत्ति की ओर संकेत किया है। वही कलुषयोनिज या दस्यु होते हैं—

[illegible]

(२) इस श्लोक में उच्च-निम्न जातिपरक अर्थ करना मनुसम्मत नहीं है। यहां स्पष्टतः सभी ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख है जो आर्यरूप में अनार्य होते हैं, दुष्टोत्पन्न होने से दुष्ट गुण-कर्म स्वभाव वाले होते हैं। चाहे वे किसी भी वर्ण में हों 'कलुषयोनिज' ही कहलायेंगे।

---

१. **प्रचलित अर्थ**—वर्णभ्रष्ट (हीन वर्ण वाले), अप्रसिद्ध, नीच जाति से उत्पन्न, देखने में सज्जन (उच्च जाति वाले किन्तु वास्तव में) नीच जाति वाले मनुष्य को उसके कर्मों (बर्तावों) से जानना चाहिये ॥५७॥

अनार्यों-दस्युओं के लक्षण—

अनार्यता निष्ठुरता क्रूरता निष्क्रियात्मता।
पुरुषं व्यञ्जयन्तीह लोके कलुषयोनिजम् ॥ १०। ५८ ॥ (१२)

(अनार्यता) अश्रेष्ठ व्यवहार (निष्ठुरता) स्वभाव की कठोरता (क्रूरता) निर्दयता (निष्क्रियात्मता) धार्मिक क्रियाओं [यज्ञ आदि] के प्रति उपेक्षाभाव=न करने की भावना, ये लक्षण (लोके) लोक में (पुरुषं कलुषयोनिजं व्यञ्जयन्ति) पुरुष के दुष्टप्रवृत्ति या अनार्य होने को सूचित करते हैं कि यह आर्यवर्णों के अन्तर्गत नहीं है, क्योंकि ये आर्यों के लिए निषिद्ध हैं[1] ॥ ५८ ॥

अनुशीलन : (१) १०।५६ में यह बतलाने पर कि वर्णों से बहिष्कृत या अदीक्षित व्यक्ति दस्यु हैं, चाहे वे आर्यभाषा बोलने वाले हों अथवा म्लेच्छभाषा-भाषी। अब उनकी पहचान का वर्णन करना प्रासंगिक था, वह १०। ५७–५८ में किया है। इस प्रकार ४५वें के पश्चात् वर्णनक्रम की सम्बद्धता की दृष्टि से १०। ५७-५८ श्लोक उपयुक्त जंचते हैं।

(२) इन श्लोकों से मनु की यह मान्यता स्पष्ट एवं सिद्ध हो जाती है कि मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं।

पित्र्यं वा भजते शीलं मातुर्वोभयमेव वा।
न कथंचन दुर्योनिः प्रकृतिं स्वां नियच्छति ॥ १०। ५९ ॥ (१३)

(दुर्योनिः) बुरे जीवन वाला या बुरे माता पिता से उत्पन्न व्यक्ति (पित्र्यं वा मातुः शीलम्) पिता अथवा माता के स्वभाव को (वा उभयम्+एव) अथवा दोनों के ही स्वभाव को (भजते) अवश्य धारण किये होता है, और वे (स्वां प्रकृतिं कथंचन न नियच्छति) अपने स्वभाव को किसी प्रकार नियन्त्रित नहीं कर सकते अर्थात् उनका वह बुरा स्वभाव किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाता है। [अतः उससे बुरे व्यक्ति का ज्ञान कर

कुले मुख्येऽपि जातस्य यस्य स्याद्योनिसंकरः।
संश्रयत्येव तच्छीलं नरोऽल्पमपि वा बहु ॥ १०। ६० ॥

(मुख्ये कुले अपि जातस्य) उत्तम कुल में उत्पन्न मनुष्य भी (यस्य योनिसंकरः

---

१. प्रचलित अर्थ—इस लोक में अनार्यता, निष्ठुरता, क्रूरता, क्रिया (यज्ञ-सन्ध्यावन्दनादि कार्य—)हीनता, ये सब नीच जाति में उत्पन्न पुरुष को मालूम करा देती हैं अर्थात् इन गुणों से युक्त मनुष्य को नीच जाति वाला जानना चाहिये ॥ ५८ ॥

स्यात्) जो वर्णसंकर होता है तो (नरः) वह मनुष्य (अल्पम्+अपि वा बहु) थोड़ा या बहुत (तत् शीलं संश्रयति+एव) अपने उत्पादक के स्वभाव को अवश्य ग्रहण करता है ॥ ६० ॥

यत्र त्वेते परिध्वंसाज्जायन्ते वर्णदूषकाः ।
राष्ट्रिकैः सह तद्राष्ट्रं क्षिप्रमेव विनश्यति ॥ १० । ६१ ॥

(यत्र तु एते परिध्वंसाः वर्णदूषकाः जायन्ते) जिस देश में वर्णों को दूषित करने वाले ये वर्णसंकर अधिकता से उत्पन्न होते हैं (तत् राष्ट्रम्) वह देश (राष्ट्रिकैः सह) वहां के निवासियों सहित (क्षिप्रम्+एव विनश्यति) शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ॥ ६१ ॥

ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा देहत्यागोऽनुपस्कृतः ।
स्त्रीबालाभ्युपपत्तौ च ब्राह्मानां सिद्धिकारणम् ॥ १० । ६२ ॥

(ब्राह्मणार्थे वा गवार्थे) ब्राह्मणों के लिये अथवा गौरक्षा के लिए (स्त्री-बाल-अभ्युपपत्तौ वा) स्त्री, बालक की रक्षा के लिए (अनुपस्कृतः देहत्यागः) बिना किसी कामना के देह का बलिदान कर देना (ब्राह्मानां सिद्धिकारणम्) इन वर्णसंकरों के लिए सिद्धिदायक माना गया है अर्थात् इन कार्योंसे इनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है ॥६२॥

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
एतं सामासिकं धर्मं चातुर्वर्ण्येऽब्रवीन्मनुः ॥ १० । ६३ ॥

(अहिंसा+सत्यम्+अस्तेयं+शौचम्+इन्द्रियनिग्रहः) अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, पवित्रता, इन्द्रियसंयम (चातुर्वर्ण्ये सामासिकम् एतं धर्मं मनुः अब्रवीत्) चारों वर्णों के लिए संक्षेप में यह धर्म मनु ने कहा है ॥ ६३ ॥

शूद्रायां ब्राह्मणाज्जातः श्रेयसा चेत्प्रजायते ।
अश्रेयान् श्रेयसीं जातिं गच्छत्यासप्तमाद् युगात् ॥ १० । ६४ ॥

(ब्राह्मणात् शूद्रायां जातः) ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न सन्तान [यदि कन्या हो और वह] (श्रेयसा चेत् प्रजायते) यदि ब्राह्मण से विवाह कर कन्या उत्पन्न करे तो इस प्रकार (आसप्तमात् युगात्) तो सातवीं पीढ़ी में उत्पन्न होने वाली सन्तान (अश्रेयान् श्रेयसीं जातिं गच्छति) निम्न जाति से उच्च जाति को प्राप्त कर लेती है ॥ ६४ ॥

[illegible] : [illegible] श्लोक निम्नकारणों से प्रक्षिप्त हैं—

१. **प्रसंगविरुद्ध**—१०।४५ में चारों वर्णों से भिन्न मनुष्यों को दस्यु कहकर १०। ५७-५८ श्लोकों में दस्युओं की कर्माधारित पहचान बतायी है। मुख्य विषय चातुर्वर्ण्य-धर्म का होने से मनु ने १०। ६५ में चारों वर्णों के विषय में कहा है कि चारों वर्णों का आधार भी कर्म ही है। उच्चवर्ण का व्यक्ति कर्मानुसार निम्नवर्ण का और निम्नवर्ण का व्यक्ति उच्चवर्ण का हो सकता है। इस चातुर्वर्ण्य-धर्मविषय के कर्मप्रसंग के मध्य में १०।६१ आदि श्लोकों में वर्णदूषकों का वर्णन प्रसंगविरुद्ध है।

२. **अन्तर्विरोध**—(१) मनु की मान्यता **कर्मानुसार** वर्णव्यवस्था की है[द्रष्टव्य १।१०७ समीक्षा] किन्तु यहाँ १०।५९-६० में जन्ममूलक सिद्ध करने के लिये जन्म की उत्कृष्टता दिखाई गई है।

(२) मनु ने सवर्णों में विवाह को उत्कृष्ट माना है। [३।४ ॥ ७।७७ ॥] किन्तु यहाँ १०। ६४ में वर्ण-संकर ब्राह्मण का विवाह शूद्रा के साथ मानकर उससे उत्पन्न सन्तान का वर्णन किया है, यह सवर्णविवाह की मान्यता से विरुद्ध है। यदि ऐसी सन्तान होती भी है, तो वह कर्मणा वर्ण को अपनाकर उसी वर्ण की कहलायेगी, और उसी जन्म में, क्योंकि मनु कर्म के आधार पर ही वर्ण मानते हैं।

(३) १०।६१ श्लोक में कहा है कि वर्णसंकर-सन्तान राष्ट्रघातक होती है। किन्तु १०। ६२ में कहा है कि यदि वर्णसंकर से उत्पन्न सन्तान ब्राह्मण और गायों आदि की रक्षा के लिये शरीर त्याग कर देवें, तो इन्हें सिद्धि=स्वर्गादि उत्तमगति प्राप्त हो जाती है। क्या जो राष्ट्र-घातक हैं, वे राष्ट्र के लिये अपना बलिदान कर सकते हैं? मनु ने उत्तम कर्मों से उत्तम गति मानी है, किन्तु यहां निन्दित कर्म करने वालों को देह-त्याग करने से ही सिद्धि लिखी है। यह परस्पर विरोधी होने से मनु की मान्यता नहीं है और मनु ने लिखा है—

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ (मनु० २।२८)

अर्थात् ब्राह्मण का शरीर जन्म से नहीं बनता, किन्तु यज्ञादि श्रेष्ठ कार्यों के करने से बनता है। किन्तु यहां १०।६४ में कहा है कि सात पीढ़ी के बाद ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न सन्तान उत्तम वर्ण वाली बन जाती है। यह जन्म-मूलक वर्ण-व्यवस्था मनुसम्मत नहीं हो सकती। यह बात अयुक्तियुक्त भी है कि जन्म के आधार पर सात पीढ़ियों में सन्तान उत्कृष्ट वर्ण में बिना कर्म के दीक्षित हो सकती है। मनु की मान्यता के अनुसार तो संस्कारों के करने और धर्मों के पालन से उसी जन्म में व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता है। [१०। ६५]

३. **शैलीविरोध**—मनु के समस्त धर्मशास्त्र में प्रत्येक प्रकरण के प्रारम्भ तथा उपसंहार का अवश्य निर्देश किया है, और मनु ने विषय के विरुद्ध कुछ नहीं कहा है। किन्तु यहां चातुर्वर्ण्य-विषय में वर्ण-संकर का विषय-विरुद्ध वर्णन किया गया है। मनु ने अपना नाम लेकर कहीं प्रवचन नहीं किया। किन्तु यहाँ (१०। ६३ में) प्रक्षेप करने वाले ने अपनी मिथ्या बातों को मनु से प्रमाणित कराने के लिये '**अब्रवीन्मनुः**' इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया है। जिस से स्पष्ट है कि ये श्लोक मनु से भिन्न किसी दूसरे व्यक्ति ने बनाकर मिलाये हैं।

कर्मानुसार वर्ण-परिवर्तन—

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम्।
क्षत्रियाज्जातमेवं तु विद्याद्वैश्यात्तथैव च ॥ १०। ६५ ॥ (१४)

[श्रेष्ठ–अश्रेष्ठ कर्मों के अनुसार ही—]

(शूद्रः ब्राह्मणताम्+एति) शूद्र ब्राह्मण (च) और (ब्राह्मणः शूद्रताम्+एति) ब्राह्मण शूद्र हो जाता है अर्थात् गुणकर्मों के अनुकूल ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण रहता है तथा जो ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के गुण वाला हो तो वह क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो जाता है। वैसे शूद्र भी मूर्ख हो तो वह शूद्र रहता और जो उत्तम गुणयुक्त हो तो यथायोग्य ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो जाता है (क्षत्रियात् जातम्+एवं तु तथैव वैश्यात् विद्यात्) वैसे ही क्षत्रिय और वैश्य के विषय में भी जान लेना ॥ ६५ ॥

(ऋ० भा० भू० ३१३)

"उत्तम गुण-कर्म-स्वभाव से जो शूद्र है वह वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, और वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण, तथा क्षत्रिय ब्राह्मण, वर्ण के अधिकार और कर्मों को प्राप्त होता है। वैसे ही नीच कर्म और गुणों से जो ब्राह्मण है वह क्षत्रिय, वैश्य शूद्र और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तथा वैश्य, शूद्र वर्ण के अधिकार और कर्मों को प्राप्त होता है॥" (सं० वि० १०६)

"जो शूद्रकुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान गुण, कर्म, स्वभाव वाला हो तो वह शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो जाय, वैसे ही जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यकुल में उत्पन्न हुआ हो और उसके गुण कर्म स्वभाव शूद्र के सदृश हों तो वह शूद्र हो जाय, वैसे क्षत्रिय, वैश्य के कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण वा शूद्र के समान होने से ब्राह्मण और शूद्र भी हो जाता है। अर्थात् चारों वर्णों में जिस-जिस वर्ण के सदृश जो-जो पुरुष वा स्त्री हो वह-वह उसी वर्ण में गिनी जावे।"

(स० प्र० ८७)

ऋषि ने पूना प्रवचन में इस श्लोक को उद्धृत करके कहा है—

"शूद्र ब्राह्मण हो जाता है और ब्राह्मण भी शूद्र हो जाता है।" इस मनु के वाक्य का भी विचार करना चाहिए।" (पृ० २०)

अनुशीलन: (१) १०। ५७–५८ में कर्मानुसार म्लेच्छ व्यक्तियों की पहचान बतलाकर १०। ६५ में कर्मानुसार वर्ण का परिवर्तन हो जाना कहा है अर्थात् कर्मानुसार अनार्य व्यक्ति की पहचान तो होती ही है, कर्म के आधार पर उच्च-निम्न वर्ण वाले के वर्ण का परिवर्तन भी हो सकता है। इस प्रकार १०। ५७–५८ के पश्चात् सम्बद्धता की दृष्टि से १०। ६५ वाँ प्रासंगिक है।

(२) **कर्मणा वर्णव्यवस्था का अतिस्पष्ट विधान**—मनु ने इस श्लोक में अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में वर्णव्यवस्था को कर्मों पर आधारित माना है। इस मान्यता के सम्बन्ध

में अन्य विवेचन २। ३१, ८७–९१; १०७, ११। ११४ श्लोकों में और उनकी समीक्षा में देखिये।

(३) **श्लोक की पुष्टि में प्रमाण**—प्राचीन काल में कर्मानुसार वर्णव्यवस्था प्रचलित थी। इसके अनेक प्रमाण और उदाहरण मिलते हैं। आपस्तम्ब धर्मसूत्र १। ५। १०–११ में इसी मान्यता को स्पष्ट किया है—

"धर्मचर्य्यया जघन्यो वर्णः पूर्वं पूर्वं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ ॥ १ ॥

अधर्मचर्य्यया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ ॥ २ ॥

धर्माचरण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम-उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है और वह उसी वर्ण में गिना जावे कि जिस-जिस के योग्य होवे ॥ १ ॥

वैसे अधर्माचरण से पूर्व अर्थात् उत्तम वर्णवाला मनुष्य अपने से नीचे-नीचे वाले वर्ण को प्राप्त होता है और उसी वर्ण में गिना जावे ॥ २ ॥"

(स० प्र० चतुर्थ समु०)

(४) **वर्ण-परिवर्तन का उदाहरण**—ऐतरेय ब्राह्मण २।१९ में कवष-ऐलूष नामक व्यक्ति की एक घटना वर्णित है, जो वर्ण-परिवर्तन का ज्वलन्त प्रमाण है। जन्मना निम्न जाति का व्यक्ति ऋषित्व के कारण ऋषियों में परिगणित होकर उच्च-वर्णस्थ कहलाया—

"ऋषयो वै सरस्वत्यां सत्रमासत ते कवषमैलूषं सोमादनयन्, दास्याः पुत्रः कितवोऽब्राह्मणः कथं नो मध्ये दीक्षिष्टेति।...स बहिर्धन्वोदूढ पिपासया वित्त एतदपोनप्त्रीयमपश्यत्—'प्रदेवत्रा ब्रह्मणे गातुरेतु' इति ॥"

अर्थात्—'ऋषि लोगों ने सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में भाग लेने के लिए आये हुए कवष ऐलूष को ऋषियों ने सोम से वञ्चित कर दिया। यह सोचकर कि यह दासीका पुत्र, कपट-आचरण वाला, अब्राह्मण किस प्रकार हमारे मध्य दीक्षित हो गया है! (यज्ञसे बाहर निकाल देने पर) वह कवष-ऐलूष पिपासा से संतप्त हुआ बाहर जंगल में चला गया। वहां उसने 'अपोनप्त्र' देवता वाले सूक्त का 'अर्थदर्शन किया' फिर ऋषियों ने वेदार्थद्रष्टा होने के कारण उसे पुनः अपने मध्य बुला-कर यज्ञ में दीक्षित कर लिया।

यह सूक्त ऋक्० १०। ३० वां है और वेद में इस सूक्त पर इसी ऋषि का नाम उल्लिखित है। इस ऋषि-द्वारा दृष्ट अन्य १०। ३१–३४ सूक्त भी हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि सूक्तों पर लिखित ऋषि उन-उन सूक्तों के अर्थद्रष्टा हैं।

बीज और क्षेत्र की श्रेष्ठता में निर्णय—

अनार्यायां समुत्पन्नो ब्राह्मणात्तु यदृच्छया।
ब्राह्मण्यामप्यनार्यात्तु श्रेयस्त्वं क्वेति चेत्भवेत् ॥ १० ॥ ६६ ॥

(ब्राह्मणात् यदृच्छया) ब्राह्मण से,इच्छापूर्वक (अनार्यायां समुत्पन्नः)आर्येतर स्त्री में उत्पन्न सन्तान और (अनार्यात् ब्राह्मण्याम्+अपि) अनार्य व्यक्ति से ब्राह्मणी में उत्पन्न सन्तान,(क्व श्रेयस्त्वं चेत् भवेत्) इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है?यदि ऐसी शंका हो जाये तो [अगले श्लोक में उत्तर है] ॥ ६६ ॥

जातो नार्यामनार्यायामार्याद्आर्यो भवेद् गुणैः।
जातोऽप्यनार्यादार्यायामनार्य इति निश्चयः ॥ १० । ६७ ॥

(आर्यात् अनार्यायां नार्यां जातः) आर्य से आर्येतर स्त्री में उत्पन्न हुई सन्तान (गुणैः आर्यः भवेत्) गुणयुक्त होने से आर्य है, और (अनार्यात्+आर्यायां जातः)अनार्य व्यक्ति से आर्या स्त्री में उत्पन्न सन्तान (अनार्यः) गुणहीन होने से अनार्य है (इति निश्चयः) यह निर्णय है ॥ ६७ ॥

तावुभावप्यसंस्कार्याविति धर्मो व्यवस्थितः।
वैगुण्याज्जन्मनः पूर्वं उत्तरः प्रतिलोमतः ॥ १० । ६८ ॥

(तौ+उभौ+अपि) वे दोनों ही सन्तानें (असंस्कार्यौ) यज्ञोपवीत संस्कार के योग्य नहीं हैं (इति धर्मः व्यवस्थितः) ऐसी धर्मव्यवस्था है, क्योंकि (पूर्वः जन्मनः वैगुण्यात्) पहला निन्दित योनि से उत्पन्न है और (उत्तरः प्रतिलोमतः) दूसरा प्रतिलोम से उत्पन्न है अर्थात् निन्दित बीज से उत्पन्न है ॥ ६८ ॥

सुबीजं चैव सुक्षेत्रे जातं सम्पद्यते यथा।
तथार्याज्जात आर्यायां सर्वं संस्कारमर्हति ॥ १० । ६९ ॥

(यथा) जिस प्रकार (सुक्षेत्रे सुबीजं जातं सम्पद्यते) अच्छे क्षेत्र में बोया गया अच्छा बीज श्रेष्ठ पौधे के रूप में बनता है (तथा) उसी प्रकार (आर्यात् आर्यायां जातः) आर्य वर्ण से उसी आर्या वर्ण में उत्पन्न हुई सन्तान (सर्वं संस्कारम्+अर्हति) सभी संस्कारों की अधिकारिणी होती है ॥ ६९ ॥

बीजमेके प्रशंसन्ति क्षेत्रमन्ये मनीषिणः।
बीजक्षेत्रे तथैवान्ये तत्रेयं तु व्यवस्थितिः ॥ १० । ७० ॥

(एके बीजं प्रशंसन्ति) कुछ विद्वान् बीज की प्रशसा करते हैं (अन्ये मनीषिणः क्षेत्रम्) दूसरे मनीषी लोग क्षेत्र को श्रेष्ठ मानते हैं (तथा) वैसे ही (अन्ये) कुछ (बीजक्षेत्रे) बीज और क्षेत्र दोनों को समान रूप से श्रेष्ठ मानते हैं (तत्र+इयं व्यवस्थितिः) उस संदेहात्मक स्थिति में ऐसी शास्त्रव्यवस्था है—॥ ७० ॥

अक्षेत्रे बीजमुत्सृष्टमन्तरैव विनश्यति।
अबीजकमपि क्षेत्रं केवलं स्थण्डिलं भवेत् ॥ १० । ७१ ॥

(अक्षेत्रे उत्सृष्टं बीजम्) ऊषर खेत में बोया गया बीज (अन्तरा+एव विनश्यति) फल से पूर्व ही नष्ट हो जाता है और (अबीजकं क्षेत्रम्+अपि) बीज के बिना

उत्तम खेत भी (केवलं स्थण्डिलं भवेत्) केवल मिट्टी मात्र रह जाता है, अतः दोनों ही श्रेष्ठ एवं प्रधान हैं ॥ ७१ ॥

यस्माद्बीजप्रभावेण तिर्यग्जा ऋषयोऽभवन् ।
पूजिताश्च प्रशस्ताश्च तस्माद्बीजं प्रशस्यते ॥ १० । ७२ ॥

(यस्मात्) क्योंकि (तिर्यक्जा ऋषयः) तिर्यक्योनि में उत्पन्न होकर भी [ऋष्यशृंग आदि] कुछ ऋषि (बीजप्रभावेण) उत्तम बीज के प्रभाव से (पूजिताः च प्रशस्ताः अभवन्) पूज्य और श्रेष्ठ कहलाये (तस्मात् बीजं प्रशस्यते) इसलिए बीज को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है ॥ ७२ ॥

अनार्यमार्यकर्माणमार्यं चानार्यकर्मिणम् ।
सम्प्रधार्याब्रवीद्धाता न समौ नासमाविति ॥ १० । ७३ ॥

(आर्यकर्माणम् + अनार्यम्) आर्य वर्णों के कर्म करने वाले अनार्य (च) और (अनार्यकर्मिणम् आर्यम्) अनार्यों के कर्म करने वाले आर्य, ये (न समौ न + असमौ) न तो समान हैं और न असमान हैं (इति संप्रधार्य धाता अब्रवीत्) ऐसा निश्चय ब्रह्मा ने किया है अर्थात् न तो दूसरे वर्णों के कर्म करने से और न अपने वर्ण के कर्मों के त्याग से वर्णपरिवर्तन हो सकता है ॥ ७३ ॥

अनुशीलन : १० । ६६ से १० । ७३ तक के श्लोक निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त हैं—

१. **विषय-विरोध**—इस अध्याय के अन्तिम श्लोक से स्पष्ट है कि इस अध्याय का विषय चातुर्वर्ण्य-धर्मों का वर्णन करना है। किन्तु इसमें वर्णसंकरों का (जो कि चारों वर्णों के अन्तर्गत न होने से बाह्य हैं) वर्णन किया गया है और बीज की उत्कृष्टता बताई गयी है। अतः यह विषय-विरुद्ध वर्णन है।

२. **अन्तर्विरोध**—(क) महर्षि-मनु ने शूद्र को भी आर्य वर्ण माना है [१० । ४, ४५, १।८८–९१]। मनु की मान्यता में मनुष्यों के दो ही भेद हैं—आर्य और दस्यु। और चारों वर्णों से भिन्न जो मनुष्य हैं, वे १० । ४५ के अनुसार दस्यु हैं। अतः शूद्र भी आर्य वर्ण हैं। परन्तु १० । ६६ और १० । ७३ में शूद्र को 'अनार्य' शब्द से कथन किया गया है, अतः यह विरुद्ध है।

(ख) मनु ने द्विजों में सवर्ण-विवाह को माना है [३।४,१२] परन्तु यहां १० । ७८ में ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न सन्तान का कथन करने से स्पष्ट है कि यहां असवर्ण-विवाह को भी माना गया है, जो कि मनु की मान्यता से विरुद्ध है [इस विषय पर विशेष समीक्षा द्रष्टव्य ३ । ४, ११–१९ पर]।

(ग) मनु की मान्यता में वर्णव्यवस्था कर्ममूलक है, जन्म-मूलक नहीं। परन्तु

१०। ६८ तथा १०। ७३ में जन्ममूलक वर्ण-व्यवस्था को ही माना गया है और वर्णों को अपरिवर्तनीय माना गया है, यह १६। ६५ के कथन से विरुद्ध है

(घ)—**महर्षि** मनु ने 'ऋषि' शब्द को देव, पितर, आदि की भाँति मनुष्यों का ही भेद माना है। इसलिए मनु ने [१२। ४६ में] ऋषि, देव, पितर, तथा साध्यों को द्वितीय सात्त्विकगति वाले माना है। मनु के पास [१।१] महर्षि जिज्ञासा लिये आए थे, जिनके उत्तर में मनु ने वर्णाश्रमधर्म का उपदेश किया। तिर्यक् योनि पशु-पक्षी आदि की है। जैसे—**'तिर्यक्त्वं तामसा नित्यम्०'** (१२। ४०) यहाँ पर मनु ने मनुष्यों से भिन्न पशुपक्षी आदि की योनियों को ही तिर्यक् कहा है। अतः स्पष्ट है कि ऋषि और तिर्यक् योनि पृथक्-पृथक् हैं। किन्तु यहाँ कहा है—

तिर्यग्जा ऋषयोऽभवन्॥ (१०। ७२)

अर्थात् तिर्यक् = पशुपक्षी योनि में उत्पन्न होकर बीज के प्रभाव से ऋषि हो गये। क्या यह सम्भव है कि तिर्यक् योनि वाला ऋषि बन जाये? क्या इस प्रकार स्वयं योनि बदलने में मानव का सामर्थ्य है? क्या दूसरी योनि हो सकती है, क्या पशुपक्षी बीज प्रभाव से ऋषि बन सकते हैं? अतः यह कथन सृष्टि-नियम के विरुद्ध होने से सर्वथा मिथ्या है। मनु सदृश आप्तपुरुष ऐसा मिथ्या प्रवचन कभी नहीं कर सकते [इस विषय पर विशेष विवेचन द्रष्टव्य है ३२–४१ पर]।

३. **शैली-विरोध**—मनु की वर्णन-शैली विधानात्मक है। परन्तु **'तिर्यग्जा ऋषयोऽभवन्'** (१०। ७२) यह ऐतिहासिक शैली है, अतः मनु की नहीं है। और १०। ७३ में कहा है कि—**'अब्रवीद् धाता'** अर्थात् यह निश्चय ब्रह्मा ने किया है। यह भी मनु की शैली नहीं है। क्योंकि मनुस्मृति-धर्मशास्त्र मनुप्रोक्त है, ब्रह्मा द्वारा नहीं।

ब्राह्मण की आजीविका के कर्म—

ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था ये स्वकर्मण्यवस्थिताः।
ते सम्यगुपजीवेयुः षट् कर्माणि यथाक्रमम्॥ १०। ७४॥

(ब्रह्मयोनिस्थाः ये ब्राह्मणाः) ब्रह्मप्राप्ति के उद्देश्य में स्थित ब्राह्मणों को (स्व-स्व कर्मणि + अवस्थिताः) अपने-अपने कर्मों में संलग्न रहते हुए (यथाक्रमं षट् कर्माणि सम्यक् उपजीवेयुः) क्रमानुसार छः कर्मों के अनुसार जीवन चलाना चाहिए॥ ७४॥

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा।
दानं प्रतिग्रहश्चैव षट्कर्माण्यग्रजन्मनः॥ १०। ७५॥

(अध्यापनम् + अध्ययनम्) अध्यापन, अध्ययन, (यजनं तथा याजनम्) यज्ञ-करना तथा कराना, (दानं च प्रतिग्रहः) दान देना और दान लेना, (अग्रजन्मनः षट् कर्माणि) ब्राह्मण के ये छः कर्म हैं॥ ७५॥

षण्णां तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका ।
याजनाध्यापने चैव विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः ॥ १० । ७६ ॥

(षण्णां तु कर्मणाम्) इन छः कर्मों में (याजन-अध्यापने च विशुद्धात् प्रतिग्रहः) यज्ञ कराना, वेद-अध्यापन, और श्रेष्ठ व्यक्तियों से दान लेना (त्रीणि कर्माणि अस्य जीविका) ये तीन कर्म ब्राह्मण की जीविकाएं हैं ॥ ७६ ॥

क्षत्रिय और वैश्य के कर्म—

त्रयो धर्मा निवर्तन्ते ब्राह्मणात्क्षत्रियं प्रति ।
अध्यापनं याजनं च तृतीयश्च प्रतिग्रहः ॥ १० । ७७ ॥

(ब्राह्मणात् क्षत्रियं प्रति) ब्राह्मण से क्षत्रियों के (अध्यापनं याजनं च तृतीयः प्रतिग्रहः) अध्यापन, यज्ञ कराना और तीसरा दान लेना, (त्रयः धर्माः निवर्तन्ते) ये कर्त्तव्य कर्म निवृत्त हो जाते हैं अर्थात् क्षत्रियों को ये नहीं करने होते ॥ ७७ ॥

वैश्यं प्रति तथैवैते निवर्तेरन्निति स्थितिः ।
न तौ प्रति हि तान्धर्मान्मनुराह प्रजापतिः ॥ १० । ७८ ॥

(तथैव) उसी प्रकार (एते) ये पूर्वोक्त तीनों कर्म (वैश्यं प्रति निवर्तेरन्) वैश्य को भी नहीं करने चाहिएं (इति स्थितिः) ऐसी शास्त्रव्यवस्था है (प्रजापतिः मनुः) प्रजापति मनु ने (तौ प्रति तान् धर्मान् न आह) उन क्षत्रियों और वैश्यों के लिए ये तीनों धर्म वर्जित कहे हैं ॥ ७८ ॥

शस्त्रास्त्रभृत्त्वं क्षत्रस्य वणिक्पशुकृषिर्विशः ।
आजीवनार्थं धर्मस्तु दानमध्ययनं यजिः ॥ १० । ७९ ॥

(क्षत्रस्य-शस्त्र-अस्त्रभृत्त्वम्) क्षत्रिय के शस्त्रास्त्र धारण करना, और (विशः वणिक् पशु-कृषिः) वैश्य के व्यापार, पशु-पालन और कृषिकार्य, (आजीवनार्थम्) ये आजीविकाएँ हैं, तथा (दानम्+अध्ययनं यजिः) दान देना, अध्ययन करना और यज्ञ करना (धर्मः) दोनों वर्णों के धर्म हैं ॥ ७९ ॥

वर्णों के प्रमुख कार्य—

वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य च रक्षणम् ।
वार्ता कर्मैव वैश्यस्य विशिष्टानि स्वकर्मसु ॥ १० । ८० ॥

(ब्राह्मणस्य वेदाभ्यासः) ब्राह्मण का वेदाभ्यास करना-कराना, (क्षत्रियस्य रक्षणम्) क्षत्रिय का रक्षा करना, (वैश्यस्य वार्ताकर्म+एव) वैश्य का व्यापार करना (स्वकर्मसु विशिष्टानि) अपने-अपने कर्मों में प्रधान कर्म हैं ॥ ८० ॥

आपत्काल में ब्राह्मण की जीविका—

अजीवंस्तु यथोक्तेन ब्राह्मणः स्वेन कर्मणा ।
जीवेत्क्षत्रियमधर्मेण स ह्यस्य प्रत्यनन्तरः ॥ १० । ८१ ॥

(ब्राह्मणः तु) ब्राह्मण यदि (यथोक्तेन स्वेन कर्मणा अजीवन्) पूर्वोक्त [१०। ७५–७६] अपने कर्मों से जीवन-निर्वाह न कर सके तो (क्षत्रियधर्मेण जीवेत्) क्षत्रिय के कामों [१०। ७६] को करके जीवन को चलावे (हि) क्योंकि (सः अस्य प्रति+अनन्तरः) वह क्षत्रिय कर्म ही ब्राह्मण का समीपवर्ती वैकल्पिक कर्म है ॥ ८१ ॥

उभाभ्यामप्यजीवंस्तु कथं स्यादिति चेद्भवेत् ।
कृषिगोरक्षमास्थाय जीवेद्वैश्यस्य जीविकाम् ॥ १० । ८२ ॥

(उभाभ्याम्+अपि अजीवन् तु) यदि कभी दोनों वर्णों (ब्राह्मण व क्षत्रिय) के कार्यों से भी जीवन चलाना मुश्किल हो जाये तो (कथं स्यात्? इति चेत् भवेत्) कैसे करें? यदि यह शंका उठे तो (कृषि-गोरक्षम्+आस्थाय) केवल कृषि और गोरक्षा का कार्य करते हुए (वैश्यस्य जीविकां जीवेत्) इन वैश्य की जीविकाओं को अपनाकर जीवन चलाये ॥ ८२ ॥

वैश्यवृत्त्यापि जीवंस्तु ब्राह्मणः क्षत्रियोऽपि वा ।
हिंसाप्रायां पराधीनां कृषिं यत्नेन वर्जयेत् ॥ १० । ८३ ॥

(वैश्यवृत्त्या+अपि जीवन् तु) वैश्य वृत्ति से जीविका चलाते हुए (ब्राह्मणः वा क्षत्रियः) ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय (हिंसाप्रायां पराधीनां कृषिम्) हिंसा-प्रधान और पराधीन खेती के कार्य को (यत्नेन वर्जयेत्) यत्नपूर्वक छोड़ देवे, न करे ॥ ८३ ॥

कृषिं साध्विति मन्यन्ते सा वृत्तिः सद्विगर्हिता ।
भूमिं भूमिशयांश्चैव हन्ति काष्ठमयोमुखम् ॥ १० । ८४ ॥

(कृषिं साधु+इति मन्यन्ते) कुछ लोग कृषि को श्रेष्ठ मानते हैं किन्तु (सा वृत्तिः सद् विगर्हिता) यह जीविका सज्जनों द्वारा निन्दित है, क्योंकि (अयोमुखं काष्ठम्) खेती करते समय लोहे के फलक वाला काष्ठ अर्थात् हल (भूमिं च भूमिशयान् हन्ति) भूमि और भूमि में रहने वाले जीवों की हत्या कर देता है ॥ ८४ ॥

इदं तु वृत्तिवैकल्यात् त्यजतो धर्मनैपुणम् ।
विट्पण्यमुद्धृतोद्धारं विक्रेयं वित्तवर्धनम् ॥ १० । ८५ ॥

(वृत्तिवैकल्यात्) जीविका के अभाव में (धर्मनैपुणम् तु त्यजतः) धर्मनिष्ठा को छोड़ते हुए ब्राह्मण क्षत्रियों को (विट्पण्यम्+उद्धृत+उद्धारम्) वैश्यों के द्वारा बेचने पर लाभ देने वाली (इदं वित्तवर्धनं विक्रेयम्) ये निम्न धनवर्धक वस्तुयें बेचकर जीविका चलानी चाहिए— ॥ ८५ ॥

सर्वान् रसानपोहेत कृतान्नं च तिलैः सह ।
अश्मनो लवणं चैव पशवो ये च मानुषाः ॥ १० । ८६ ॥

(सर्वान् रसान्) सब रस, (कृतान्नं तिलैः सह) पक्वान्न, तिल, (अश्मनः लवणं पशवः च मानुषाः) पत्थर, नमक, पशु और दास-दासी मनुष्य, इन्हें न बेचें ॥ ८६ ॥

सर्वं च तान्तवं रक्तं क्षाणक्षौमाविकानि च ।
अपि चेत्स्युररक्तानि फलमूले यथौषधीः ॥ १० । ८७ ॥

(रक्तं सर्वं तान्तवम्) रंगे हुए सब प्रकार के कपड़े (च क्षाणम्) और सन, (क्षौम+आविकानि) रेशम और ऊन के कपड़े, (अपि च अरक्तानि स्युः) चाहे ये बिना रंगे हों तो भी न बेचें (फल-मूले तथा+औषधीः) फल, मूल तथा औषधियां भी न बेचें ॥ ८७ ॥

अपः शस्त्रं विषं मांसं सोमं गन्धांश्च सर्वशः ।
क्षीरं क्षौद्रं दधि घृतं तैलं मधु गुडं कुशान् ॥ १० । ८८ ॥

(अपः शस्त्रं विषं मांसं, सोमं च सर्वशः गन्धान्) जल, सब शस्त्र, विष, मांस, सोमरस एवं सब प्रकार की सुगन्धित वस्तुएं (क्षीरं क्षौद्रं दधि घृतं तैलं मधु गुडं कुशान्) दूध, मोम, दही, घी, तैल, शहद, और कुशा इनको भी न बेचें ॥ ८८ ॥

आरण्यांश्च पशून्सर्वान्दंष्ट्रिणश्च वयांसि च ।
मद्यं नीलं च लाक्षां च सर्वांश्चैकशफांस्तथा ॥ १० । ८९ ॥

(सर्वान् आरण्यान् दंष्ट्रिणः च पशून्) सब प्रकार के जंगली और दांतों से खाने वाले सिंह-बाघ आदि पशु, (च) और (वयांसि) पक्षी (मद्यं नीलं लाक्षाम्) मदिरा, नील, लाख, तथा (सर्वान् एकशफान्) सब एक खुर वाले घोड़ा आदि पशु, इनको भी न बेचें ॥ ८९ ॥

कामयुत्पाद्य कृष्यां तु स्वयमेव कृषीवलः ।
विक्रीणीत तिलान्शूद्रान्धर्मार्थमचिरस्थितान् ॥ १० । ९० ॥

(कृषीवलः) खेती करने वाला ब्राह्मण (कामम्) इच्छा होने पर (कृष्यां तिलान् उत्पाद्य) कृषि में यदि तिल पैदा करे तो (शूद्रान् विक्रीणीत) वह उन्हें शूद्रों को बेच दे, या फिर (अचिरस्थान् धर्मार्थम्) बहुत दिनों तक उन्हें न रखकर यज्ञ आदि धर्मकार्य के लिए दे दे ॥ ९० ॥

भोजनाभ्यञ्जनाद्दानाद्यदन्यत्कुरुते तिलैः ।
कृमिभूतः श्वविष्ठायां पितृभिः सह मज्जति ॥ १० । ९१ ॥

(भोजनात् अभ्यञ्जनात् दानात्) खाने, उबटन के रूप में मलने और दान देने के सिवाय (तिलैः यत्+अन्यत् कुरुते) तिलों से जो कोई अन्य कार्य-सम्पादन करता है, वह (पितृभिः कृमिभूतः सह श्वविष्ठायां मज्जति) पितरों सहित कीड़ा बनकर कुत्ते की विष्ठा में पड़ा रहता है ॥ ९१ ॥

सद्यः पतति मांसेन लाक्षया लवणेन च ।
त्र्यहेण शूद्रो भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात् ॥ १० । ९२ ॥

(च लाक्षया लवणेन) और, लाक्षा तथा नमक बेचने से (मांसेन) मांस बेचने

से (सद्यः पतति) तुरन्त पतित हो जाते हैं, तथा (क्षीरविक्रयात् ब्राह्मणः) दूध बेचने से ब्राह्मण (त्रि+अहेन शूद्रः भवति) तीन दिन में शूद्र बन जाता है ॥ ९२ ॥

इतरेषां तु पण्यानां विक्रयादिह कामतः ।
ब्राह्मणः सप्तरात्रेण वैश्यभावं नियच्छति ॥ १० । ९३ ॥

(इतरेषां पण्यानां कामतः विक्रयात्) अन्य निषिद्ध [१०।८६–८९) वस्तुओं के इच्छापूर्वक बेचने से (ब्राह्मणः सप्तरात्रेण वैश्यभावं नियच्छति) ब्राह्मण सात रात में वैश्यत्व को प्राप्त हो जाता है ॥ ९३ ॥

रसा रसैर्निमातव्या न त्वेव लवणं रसैः ।
कृतान्नं चाकृतान्नेन तिला धान्येन तत्समाः ॥ १० । ९४ ॥

(रसाः रसैः निमातव्या) रसों को रसों से ही बदलकर लेना चाहिए (न तु लवणं रसैः) किन्तु नमक को किसी रस से नहीं बदलना चाहिये (कृतान्नं अकृतान्नेन) पक्वान्नों को कच्चे अन्नों से बदलना चाहिए (तिलाः तत्समाः धान्येन) तिलों को उनके बराबर धान्य से बदलना चाहिए ॥ ९४ ॥

आपत्काल में क्षत्रिय की आजीविका के कर्म—

जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्यनयं गतः ।
न त्वेवं ज्यायसीं वृत्तिमभिमन्येत कर्हिचित् ॥ १० । ९५ ॥

(राजन्यः) क्षत्रिय (सर्वेण+अपि+अनयं गतः) सब प्रकार से असमर्थ होता हुआ (एतेन जीवेत्) इसी [१०।८२] कृषि और गोरक्षा कर्म से जीविका चलाये (तु) किन्तु (कर्हिचित्) कभी (ज्यायसीं वृत्तिं न अभिमन्येत) अपने उच्च वर्ण की वृत्ति [अध्यापन, याजन, दान लेना] को ग्रहण न करे ॥ ९५ ॥

यो लोभादधमो जात्या जीवेदुत्कृष्टकर्मभिः ।
तं राजा निर्धनं कृत्वा क्षिप्रमेव प्रवासयेत् ॥ १० । ९६ ॥

(यः) जो (जात्या अधमः) निम्न वर्ण वाला (लोभात्) लोभवश होकर उत्कृष्टकर्मभिः जीवेत्) अपने से उच्चवर्ण के कर्मों से जीविका करे तो (राजा) राजा (तं निर्धनं कृत्वा क्षिप्रम् == एव प्रवासयेत्) उसको धनहीन करके देश से शीघ्र निकाल दे ॥ ९६ ॥

वरं स्वधर्मो विगुणो न पारक्यः स्वनुष्ठितः ।
परधर्मेण, जीवन् हि सद्यः पतति जातितः ॥ १० । ९७ ॥

(विगुणः स्वधर्मः वरम्) स्वल्प गुण वाला अपना धर्म भी श्रेष्ठ है (पारक्यः स्वनुष्ठितः न) दूसरे का अच्छा धर्म भी श्रेष्ठ नहीं है (हि) क्योंकि (परधर्मेण जीवन्) दूसरे के धर्म से जीविका करनेवाला मनुष्य (जातितः सद्यः पतति) अपने वर्ण से तत्काल पतित हो जाता है ॥ ९७ ॥

आपत्काल में वैश्य की आजीविका के कर्म—

वैश्योऽजीवन्स्वधर्मेण शूद्रवृत्त्यापि वर्तयेत् ।
अनाचरन्नकार्याणि निवर्तेत च शक्तिमान् ॥ १० । ९८ ॥

(वैश्यः स्वधर्मेण अजीवन्) वैश्य अपने कर्मों से जीविका चलाने में असमर्थ होने पर (अकार्याणि अनाचरन्) निन्दित कार्यों को न करता हुआ (शूद्रवृत्त्या + अपि वर्तयेत्) शूद्र की वृत्ति से जीविका चलाये (च) और (शक्तिमान् निवर्तेत) समर्थ होते ही उस वृत्ति का त्याग करदे ॥ ९८ ॥

आपत्काल में शूद्र की आजीविका के कर्म—

अशक्नुवंस्तु शुश्रूषां शूद्रः कर्तुं द्विजन्मनाम् ।
पुत्रदारात्ययं प्राप्तो जीवेत्कारुककर्मभिः ॥ १० । ९९ ॥

(शूद्रः) शूद्र (द्विजन्मनां शुश्रूषां कर्तुं अशक्नुवन् तु) द्विजों की सेवा करके जीविका चलाने में असमर्थ हो जाये, और (पुत्र-दारात्ययं प्राप्तः) स्त्री-पुत्र आदि के अभाव में पीड़ित होने लगे तो (कारुक-कर्मभिः जीवेत्) कारीगरी के कार्यों से वह अपनी जीविका चला ले ॥ ९९ ॥

यैः कर्मभिः प्रचरितैः शुश्रूष्यन्ते द्विजातयः ।
तानि कारुककर्माणि शिल्पानि विविधानि च ॥ १० । १०० ॥

(यैः कर्मभिः प्रचरितैः) जिन कर्मों के करने से (द्विजातयः शुश्रूष्यन्ते) द्विजातियों की सेवा या हित होवे (तानि कारुककर्माणि) उन कारीगरी के कामों को (च) और (विविधानि शिल्पानि) विविध प्रकार के शिल्पकार्यों को शूद्र करे ॥ १०० ॥

वैश्यवृत्तिमनातिष्ठन्ब्राह्मणः स्वे पथि स्थितः ।
अवृत्तिकर्षितः सीदन्निमं धर्मं समाचरेत् ॥ १० । १०१ ॥

(स्वे पथि स्थितः ब्राह्मणः) अपने धर्ममार्ग पर स्थित ब्राह्मण (अवृत्तिकर्षितः) जीविका के अभाव से (सीदन्) पीड़ित हुआ-हुआ भी (वैश्यवृत्तिम् + अनातिष्ठन्) वैश्यवृत्ति का अवलम्बन न करता हुआ (इमं धर्मं समाचरेत्) इन निम्न धर्मों का पालन करे ॥ १०१ ॥

सर्वतः प्रतिगृह्णीयाद् ब्राह्मणस्त्वनयं गतः ।
पवित्रं दुष्यतीत्येतद्धर्मतो नोपपद्यते ॥ १० । १०२ ॥

(अनयंगतः ब्राह्मणः) जीविका-अभाव की आपत्ति में पड़ा हुआ ब्राह्मण (सर्वतः प्रतिगृह्णीयात्) सबसे [नीच और उत्तम सब से] दान लेले (पवित्रं दुष्यति + इति + एतत्) पवित्र वस्तु कभी दूषित होती है, यह बात (धर्मतः न + उपपद्यते) धर्मानुसार नहीं सिद्ध होती ॥ १०२ ॥

नाध्यापनाद्याजनाद्वा गर्हिताद्वा प्रतिग्रहात् ।
दोषो भवति विप्राणां ज्वलनाम्बुसमा हि ते ॥ १० । १०३ ॥

(ते) वे ब्राह्मण (ज्वलन-अम्बु-समा) अग्नि और जल के समान पवित्र हैं, अतः (विप्राणाम्) ब्राह्मणों को (गर्हितात् अध्यापनात् याजनात् वा प्रतिग्रहात्) निन्दितों को पढ़ाने, यज्ञ कराने अथवा उनसे दान लेने से (दोषः न भवति) कोई अपवित्रता नहीं होती अर्थात् ब्राह्मण सर्वथा पवित्र रहते हैं ॥ १०३ ॥

जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः ।
आकाशमिव पङ्केन न स पापेन लिप्यते ॥ १० । १०४ ॥

(जीवित+अत्ययम्+आपन्नः) जीविका के अभाव में प्राणसंकट में ग्रस्त (यः) जो ब्राह्मण (यतः ततः अन्नम्+अत्ति) जहां-तहां से भी अर्थात् नीच से भी यदि अन्न लेकर खा लेता है तो (आकाशम्+इव पङ्केन) जैसे आकाश कीचड़ से लिप्त नहीं होता ऐसे ही (सः पापेन न लिप्यते) वह पाप से लिप्त नहीं होता ॥ १०४ ॥

अजीगर्तः सुतं हन्तुमुपासर्पद् बुभुक्षितः ।
न चालिप्यत पापेन क्षुत्प्रतीकारमाचरन् ॥ १० । १०५ ॥

(बुभुक्षितः अजीगर्तः) भूख से पीड़ित हुआ ऋषि अजीगर्त (सुतं हन्तुम्+उपासर्पत्) अपने पुत्र शुनःशेप को मारने के लिए तैयार हुआ था (क्षुत् प्रतीकारम्+आचरन्) भूख की निवृत्ति के लिए इस प्रकार का आचरण करने पर भी वह (पापेन न अलिप्यत) पाप से लिप्त नहीं हुआ ॥ १०५ ॥

श्वमांसमिच्छन्नार्तोऽत्तुं धर्माधर्मविचक्षणः ।
प्राणानां परिरक्षार्थं वामदेवो न लिप्तवान् ॥ १० । १०६ ॥

(धर्म+अधर्म-विचक्षणः) धर्म-अधर्म के विशेष ज्ञाता (वामदेवः) वामदेव ऋषि (आर्तः) भूख से पीड़ित होकर (श्व-मांसम् अत्तुम् इच्छन्) कुत्ते के मांस को खाने की इच्छा करते हुए भी (प्राणानां परिरक्षार्थं न लिप्तवान्) प्राणों की रक्षा के लिए ऐसा करने के कारण पाप से लिप्त नहीं हुए ॥ १०६ ॥

भरद्वाजः क्षुधार्तस्तु सपुत्रो विजने वने ।
बह्वीर्गाः प्रतिजग्राह वृधोस्तक्ष्णो महातपाः ॥ १० । १०७ ॥

(विजने वने सपुत्रः महातपाः भरद्वाजः) निर्जन वन में पुत्रसहित निवास करने वाले महातपस्वी भरद्वाज मुनि ने (वृधोः तक्ष्णोः बह्वीः गाः प्रतिजग्राह) 'वृधु' नामक बढ़ई से बहुत-सी गायें दानरूप में ग्रहण कर लीं अर्थात् नीच से दान लेकर भी वे पाप से लिप्त नहीं हुए ॥ १०७ ॥

क्षुधार्तश्चात्तुमभ्यागाद्विश्वामित्रः श्वजाघनीम् ।
चण्डालहस्तादादाय धर्माधर्मविचक्षणः ॥ १० । १०८ ॥

(धर्म + अधर्म-विचक्षणः) धर्म-अधर्म के विशेषज्ञाता (विश्वामित्रः) विश्वामित्र ऋषि ने (क्षुधार्तः) भूख से पीड़ित होने पर (चण्डालहस्तात् श्वजाघनीम् + आदाय) चण्डाल के हाथ से कुत्ते की जङ्घा का मांस लेकर (अत्तुम् + अभ्यागात्) खाने को उद्यत हुए थे [किन्तु फिर भी वे पाप से लिप्त नहीं हुए] ॥ १०८ ॥

दान का लोभ निन्दनीय—

प्रतिग्रहाद्याजनाद्वा तथैवाध्यापनादपि ।
प्रतिग्रहः प्रत्यवरः प्रेत्य विप्रस्य गर्हितः ॥ १० । १०९ ॥

(प्रतिग्रहात् याजनात् तथैव + अध्यापनात् + अपि) निन्दित दान लेने से, यज्ञ कराने से और अध्यापन से (प्रतिग्रहः प्रत्यवरः) दान लेना सबसे निकृष्ट काम है, (विप्रस्य प्रेत्य गर्हितः) यह ब्राह्मण के लिए परलोक में भी दुःख का कारण माना है ॥ १०९ ॥

याजनाध्यापने नित्यं क्रियेते संस्कृतात्मनाम् ।
प्रतिग्रहस्तु क्रियते शूद्रादप्यन्त्यजन्मनः ॥ १० । ११० ॥

क्योंकि (याजन-अध्यापने) यज्ञ कराना और अध्यापन ये काम तो (नित्यम्) सदा (संस्कृत + आत्मनां क्रियेते) यज्ञोपवीत संस्कार से युक्त व्यक्तियों के ही किये जाते हैं (तु) किन्तु (प्रतिग्रहः) दान तो (अन्त्यजन्मनः शूद्रात् + अपि क्रियते) निकृष्ट जन्म वाले शूद्र से भी लिया जाता है, अतः तीनों कर्मों में यह निकृष्ट है ॥ ११० ॥

जपहोमैरपैत्येनो याजनाध्यापनैः कृतम् ।
प्रतिग्रहनिमित्तं तु त्यागेन तपसैव च ॥ १० । १११ ॥

(याजन-अध्यापनैः कृतम् + एनः) निन्दितों के यहाँ यज्ञ कराने और अध्यापन से लगा हुआ पाप तो (जपैः होमैः + अपैति) जप और हवन करने से नष्ट हो जाता है (तु) किन्तु (प्रतिग्रहनिमित्तं त्यागेन च तपसा एव) निन्दित दान लेने से लगा हुआ पाप तो उस वस्तु के त्याग से और तपरूपी प्रायश्चित्त से नष्ट होता है ॥ १११ ॥

शिलोञ्छमप्याददीत विप्रोऽजीवन्यतस्ततः ।
प्रतिग्रहाच्छिलः श्रेयांस्ततोऽप्युञ्छः प्रशस्यते ॥ १० । ११२ ॥

(अजीवन् विप्रः) जीविका में असमर्थ होने पर ब्राह्मण (यतः + ततः शिल + उञ्छम् + अपि + आददीत) जहां-कहीं से शिल = काटने के बाद खेत में बची रह जाने वाली बालें, और उञ्छ = काटने के बाद खेत में पड़े रह जाने वाले दाने, इन्हें बीनकर भी जीविका चला ले, क्योंकि (प्रतिग्रहात् शिलः श्रेयः) दान लेने से 'शिल' बीनकर जीविका चलाना अच्छा है, और (ततः उञ्छः अपि प्रशस्यते) उससे तो 'उञ्छ' से जीविका करना भी अच्छा है ॥ ११२ ॥

सीदद्भिः कृच्छ्रमिच्छद्भिर्धनं वा पृथिवीपतिः।
याच्यः स्यात्स्नातकैर्विप्रैरदित्संस्त्यागमर्हति ॥ १०। ११३॥

(स्नातकैः विप्रैः) स्नातक विद्वानों को (सीदद्भिः) कष्टपीड़ित अवस्था में (कृच्छ्रं धनं वा इच्छद्भिः) भोजन-वस्त्र, धान्य-धन की इच्छा होने पर (पृथिवीपतिः याच्यः स्यात्(राजा से भी धन मांग लेना चाहिए (अदित् सन् त्यागम्+अर्हति) दान देने की इच्छा न रखने वाले राजा से मांगना छोड़ दें, पुनः न मांगें ॥ ११३ ॥

अकृतं च कृतात्क्षेत्राद्गोरजाविकमेव च।
हिरण्यं धान्यमन्नं च पूर्वं पूर्वमदोषवत् ॥ १०। ११४॥

(कृतात् क्षेत्रात् अकृतम्) जोते-बोये खेत से बिना जोती बोई भूमि, (गोः+अजा+अविकम्+एव च) गौ, बकरी भेड़ और (हिरण्यं धान्यम्+अन्नम्) सोना, धान्य, अन्न, (पूर्वं पूर्वम्+अदोषवत्) इनमें पूर्व-पूर्व का दान कम दोष वाला है अर्थात् दान में यथाशक्ति पूर्व-पूर्व की वस्तुएँ ही लेनी चाहिएँ ॥ ११४ ॥

धर्मानुकूल सात आय—

सप्त वित्तागमा धर्म्या दायो लाभः क्रयो जयः।
प्रयोगः कर्मयोगश्च सत्प्रतिग्रह एव च ॥ १०। ११५॥

(सप्त वित्तागमाः धर्म्याः) सात धन-प्राप्ति के साधन धर्मानुकूल माने गये हैं—१. (दायः) पैतृकधन, २. (लाभः) लाभरूप में प्राप्त धन, ३. (क्रयः) खरीदा हुआ, ४. (जयः) विजय में प्राप्त, ५. (प्रयोगः) ब्याज आदि से प्राप्त, ६. (कर्मयोगः) परिश्रम से कमाया गया, ७. (च सत्प्रतिग्रहः एव) और केवल श्रेष्ठ दान ॥ ११५ ॥

दश आजीविकायें—

विद्या शिल्पं भृतिः सेवा गोरक्ष्यं विपणिः कृषिः।
धृतिर्भैक्ष्यं कुसीदं च दश जीवनहेतवः ॥ १०। ११६॥

(दश जीवनहेतवः) दस जीवन-निर्वाह के हेतु माने गये हैं—१. (विद्या) अध्यापन, २. (शिल्पम्) कारीगरी ३. (भृतिः) वेतनप्राप्ति, ४. (सेवा) सेवा करना, ५. (गोरक्ष्यम्) गौ आदि पशुओं की रक्षा, ६. (विपणिः) व्यापार, ७. (कृषिः) खेतीकार्य, ८. (धृतिः) शिल उञ्छ आदि से संतोषपूर्वक जीवन बिताना, ९. (भैक्ष्यम्) भिक्षाप्राप्ति; १०. (च कुसीदम्) और ब्याजप्राप्ति ॥ ११६ ॥

ब्राह्मण और क्षत्रिय ब्याज न ले—

ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि वृद्धिं नैव प्रयोजयेत्।
कामं तु खलु धर्मार्थं दद्यात्पापीयसेऽल्पिकाम् ॥ १०। ११७॥

(ब्राह्मणः वा क्षत्रियः अपि) ब्राह्मण और क्षत्रिय (वृद्धिं नैव प्रयोजयेत्) ब्याज पर धन न दे (कामं तु) यदि ब्याज पर धन देना भी चाहे तो (धर्मार्थं खलु) केवल

किसी धर्मकार्य के लिए (अल्पिका पापीयसे दद्यात्) थोड़े ब्याज पर पापी — चण्डाल आदि को दे दे॥ ११७॥

अनुशीलन : १०। ७४–११७ ये सभी श्लोक निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त हैं—

१. **विषय-विरोध**—नवमाध्याय के उपसंहार में मनु ने लिखा है—

एषोऽखिलः कर्मविधिरुक्तो राज्ञः सनातनः।
इमं कर्मविधिं विद्यात् क्रमशो वैश्यशूद्रयोः॥ (९। ३२५)

अर्थात् चातुर्वर्ण्यधर्म के अन्तर्गत यह समस्त क्षत्रिय के धर्मों का वर्णन किया है और अब क्रम से वैश्य व शूद्र के कर्मों का विधान करेंगे। और दशमाध्याय के अन्तिम श्लोक में भी यही कहा है—

एष धर्मविधिः कृत्स्नश्चातुर्वर्ण्यस्य कीर्तितः॥

अर्थात् चारों वर्णों के धर्मों का विधान सम्पूर्णता से कहा गया। इन दोनों श्लोकों से इस अध्याय के विषय का निर्देश स्पष्ट है। किन्तु यहाँ ७४ से ८३ श्लोकों में ब्राह्मण की आजीविका के कर्मों का विधान, ९५ में क्षत्रिय की आजीविका के, ९८ में वैश्य की और ९९ में शूद्र की आजीविका के कर्मों का विधान विषय-निर्देशक श्लोकों से विरुद्ध है। उस क्रम में वैश्य के ९।३२६ से ९।३३३ श्लोकोंमें और शूद्र के ९।३३४–३३५ श्लोकों में कर्मों का विधान कर चुके हैं। मनु ने (१०।४ में) चातुर्वर्ण्य-धर्मों की समाप्ति पर यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वर्ण चार ही हैं, इनसे भिन्न पांचवां वर्ण कोई नहीं है। अतः प्रतिपाद्य विषय के समाप्त होने पर पुनः उसका प्रकारान्तर से इसलिए कथन करना कि जन्म-मूलक उपजातियों से इनका सम्बन्ध जोड़ा जा सके, यह सर्वथा अनुचित है। यह मनुप्रोक्त नहीं हो सकता, क्योंकि मनु एक विषय का प्रतिपादन एकत्र ही कर देते हैं।

२. **शैलीविरोध**—इन श्लोकों की शैली मनुसम्मत नहीं है। जैसे—(क) ७८ वें श्लोक में कहा है—'**मनुराह प्रजापतिः।**' इससे स्पष्ट है कि ये श्लोक मनु से भिन्न किसी व्यक्ति ने मनु के नाम से बनाए हैं।

(ख) ९१–९३ श्लोकों की शैली अतिशयोक्तिपूर्ण, घृणायुक्त, भयप्रदर्शनात्मक और रूढ़ होने से मनुप्रोक्त नहीं है। जैसे—९१ में पितरों के साथ कीड़ा बनकर कुत्ते की विष्ठा में पड़े रहना, १०३ में नमक व मांस बेचने से तुरन्त पतित होना, और दूध बेचने से ब्राह्मण का तीन दिन में शूद्र हो जाना, और निषिद्ध वस्तुओं के विक्रय से ब्राह्मण [१०४ में] सात रातों में वैश्य बन जाता है।

(ग) और १०६ वें श्लोक में कहा है कि कोई निम्न वर्ण का व्यक्ति उच्चवर्ण की आजीविका न करे, यह भी मनु की मान्यता के विरुद्ध भयप्रदर्शन मात्र ही किया है। यदि किसी वर्ण का व्यक्ति निम्नवर्ण के कार्य कर सकता है तो उच्चवर्ण के कर्मों

पर प्रतिबन्ध क्यों ? मनु ने १० । ६५ वें श्लोक में 'शूद्रो ब्राह्मणतामेति' इत्यादि कह-कर शूद्र को ब्राह्मण और ब्राह्मण को कर्महीन होने पर शूद्र स्पष्ट रूप से माना है । अतः उच्चवर्ण के कर्मों पर प्रतिबन्ध की बात मनुप्रोक्त नहीं है । यह सब जन्माश्रित वर्ण-व्यवस्था की मान्यता का ही प्रभाव है ।

(घ) और १०५–१०८ श्लोकों की शैली विध्यात्मक न होकर ऐतिहासिक और अयुक्तियुक्त है । यह शैली मनु की नहीं है । जैसे—अजीगर्त्त भूख से पीड़ित होकर पुत्र-हत्या करने के लिए तैयार होकर भी पाप-ग्रस्त न हुआ [११६] । वामदेव ने भूख से पीड़ित होकर कुत्ते के मांस को खाने की इच्छा की और पाप-ग्रस्त न हुआ [११७] । भरद्वाज बढ़ई से दान में गायें लेकर भी पाप-ग्रस्त न हुआ [११८] और विश्वामित्र भूखा होने पर चण्डाल के हाथ से कुत्ते का मांस खाने को उद्यत हुए और पाप-ग्रस्त न हुए । ये सभी उदाहरण ऐतिहासिक शैली के होने से मनुप्रोक्त नहीं हैं । और ये अजी-गर्तादि सभी व्यक्ति मनु से परवर्ती हैं, फिर मनु उनके उदाहरण कैसे दे सकते थे ? मनु तो सृष्टि के आदि में हुए हैं ।

(ङ) और १० । १०४ में कहा है कि जैसे कीचड़ से आकाश लिप्त नहीं होता, वैसे ब्राह्मण पाप से लिप्त नहीं होता । यह अयुक्तियुक्त व पक्षपातपूर्ण होने से मनुप्रोक्त नहीं हो सकता ।

३. **अन्तर्विरोध**—(१) ८२ वें श्लोक में कहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय की वृत्ति से जीविका न चला सके तो वैश्यवृत्ति के गोरक्षा और कृषि करके जीविका चलाये । किन्तु ८३–८४ श्लोकों में कृषि की निन्दा करके ब्राह्मण को कृषिकर्म करने का निषेध कर दिया है, और व्यापार करने का विधान कर दिया है ।

(२) ८८–८९ श्लोकों में मद्य-मांसादि के विक्रय का निषेध किया है । मनु की मान्यता में मद्यमांसादि राक्षसों का भोजन है और मांस के विक्रेता को भी मनु ने घातक=पापी [५ । ५२ में] कहा है । इससे स्पष्ट है कि मांसादि का विक्रय करना वैश्य के कर्मों में मनु नहीं मानते । फिर यह निषेधात्मक समस्त विधान परवर्ती समय का है कि जब मद्य-मांसादि का सेवन बढ़ने से विक्रय होने लगा था ।

(३) १०१–१०७ श्लोकों में ब्राह्मणों के लिए निन्दित दानादि लेने का विधान किया गया है, जबकि अन्यत्र [४ । १९१–१९४ में] सर्वत्र विशुद्ध दान लेने का कथन है । १०४–१०८ श्लोकों में मांस-भक्षण को उचित बताया है, जब कि मनु ने आपत्काल में भी हिंसा करने का [५ । ५१, ५ । ४३ में] निषेध किया है ।

(४) १०६ श्लोक में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के लिए ब्याज पर धन देने की छूट दी है, जबकि १० । ८२ में ब्याज कार्य को ठीक नहीं माना है । १२०से १२८ तक के श्लोकों में ऐसी बातें लिखी हैं कि जो १०१–१०८ तक श्लोकों में कही बातों का विरोध कर रही हैं ।

(५) १०।७४–८२ तक, १०।९५, १०।९८, और १०।९९ श्लोकों में विशेष रूप से वैकल्पिक ऐसी व्यवस्थायें दी गई हैं कि यदि चारों वर्णों के व्यक्ति अपने अपने वर्ण के कार्यों से आजीविका न चला सकें तो अपने-अपने से निम्न वर्णों के वृत्ति-कर्मों से आजीविका कर सकते हैं। इन व्यवस्थाओं को देखकर ही प्रायः व्याख्याकारों ने इनमें आपत्कालीन वर्णों के कर्म मानकर व्याख्यायें की हैं। किन्तु इन व्यवस्थाओं पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि ये प्रक्षेप किसी जन्ममूलक वर्णव्यवस्था के मानने वाले ने किए हैं। इस विषय में कतिपय आपत्तियाँ इस प्रकार हैं—

(क) इन श्लोकों में कहा गया है कि यदि ब्राह्मणादि वर्ण अपने यथोक्त कर्मों से आजीविका न चला सकें तो ब्राह्मण क्षत्रियधर्म=शस्त्रास्त्र धारण करके प्रजा की रक्षा करके अथवा वैश्य के धर्मों=कृषि और व्यापार करके आजीविका चलावे। इसी प्रकार दूसरे वर्ण भी करें। इन बातों को पढ़कर ही इस अध्याय को आपद्धर्म का माना जाने लगा। किन्तु यह मान्यता मनु की कदापि नहीं है। क्योंकि मनु ने गुण, कर्म, स्वभाव से वर्णव्यवस्था को माना है, जन्ममूलक नहीं। और जो गुण, कर्म, स्वभाव से सच्चा ब्राह्मण है, वह आजीविका न चला सके, यह बात मिथ्या है। हाँ! जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर यथार्थ में ब्राह्मण के कर्म नहीं करता, वह अवश्य ऐसी दशा को प्राप्त हो सकता है। जैसे कोई योग्य चिकित्सक है, उसके भूखे मरने का प्रश्न ही नहीं उठता। और यदि उसका पुत्र चिकित्सा करना नहीं जानता तो उसके लिए आजीविका का प्रश्न उठ सकता है। इसी प्रकार इन श्लोकों का मिश्रण किसी जन्म-मूलक वर्णव्यवस्था के पक्षपाती ने किया है, जो यह मानते हैं कि ब्राह्मण के घर जन्म लेने वाला ही ब्राह्मण होता है, चाहे वह विद्यादि गुणों वाला हो या नहीं।

(ख) यदि कोई ऐसी बात कहे कि ये तो आपद्धर्म कहे हैं, यह बात भी सत्य नहीं है। क्योंकि आपद्धर्म की यहाँ कोई परिभाषा नहीं की है? आपद्धर्म कितने समय तक होता है? यह निर्धारण भी कोई नहीं कर सकता। और दुर्जनतोषन्याय से मान भी लिया जाये कि आपत्ति तो हरेक मनुष्य पर आ सकती है, तो यहाँ विचार करना चाहिए कि आपत्ति का क्या स्वरूप है? क्या ऐसी स्थिति को आपत्ति माना जाए, जिसमें ब्राह्मण ब्राह्मण के योग्य कार्य न कर सके? ऐसी स्थिति दो प्रकार से आ सकती है—(१) एक अत्यधिक रुग्ण दशा आदि के कारण अथवा (२) ब्राह्मण के कर्मों की योग्यता न रखने के कारण। यदि रोगादि के कारण ऐसी दशा हुई है, तब तो वह क्षत्रिय या वैश्य के कर्म भी कैसे कर सकेगा? और यदि वह अयोग्य है, तो मनु की कर्ममूलक-वर्णव्यवस्था के अनुसार वह ब्राह्मण ही नहीं है। और जो ऐसी दशा में है कि भूखा मर रहा है, क्या वह क्षत्रिय या वैश्य के कर्मों को बिना साधनों के कर सकता है?

(ग) मनु ने वर्णव्यवस्था का आधार कर्म माना है। द्रष्टव्य १।१०७ की समीक्षा। जो व्यक्ति पढ़-लिखकर भी कर्मों से हीन है, वह भी ब्राह्मणादि द्विजों में परिगणित नहीं

किया जा सकता। मनु की मान्यता के अनुसार द्विजों की वर्णव्यवस्था का निर्धारण विद्या-समाप्तिपर आचार्य[1] करता है। आचार्य विद्यार्जन के समय विद्यार्थी के गुणों, कर्मों तथा स्वभावों को जानकर ही वर्णों का निर्धारण करता है। जिसका गुण, कर्म व स्वभाव ब्राह्मण का है, क्या वह आपत्ति के समय अपने गुण, कर्म स्वभाव को बदलकर दूसरे वर्णों के कार्य कर सकता है? ब्राह्मणवृत्ति का मनुष्य क्षत्रियवृत्ति के कार्य अथवा वैश्यवृत्ति के कार्य कैसे कर सकता है? अतः ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्णों के कार्य से आजीविका कर लेवे, यह वैकल्पिकव्यवस्था किसी जन्म-मूलक वर्ण-व्यवस्था को मानने वाले मनुष्य की बुद्धि की उपज है, मनु की नहीं। इसी प्रकार १०। ९५ में क्षत्रिय के लिए वैश्यवृत्ति के कार्यों की व्यवस्था, १०।९८ में वैश्य वर्ण के लिए शूद्र वृत्ति के कार्यों की व्यवस्था और १०।९९ में शूद्र के लिए शिल्पकार्यों की वैकल्पिक व्यवस्थायें परवर्ती होने से प्रक्षिप्त हैं। ब्राह्मण की भाँति क्षत्रियादि का आपत्-काल क्या हो सकता है? क्या प्रजापालन करने में असमर्थ क्षत्रिय वैश्य के कृषि, और व्यापारादि करने में असमर्थ वैश्य शूद्र के कार्य कर सकता है? यदि आजीविका का ही केवल आपत्काल होता है, तो सब वर्णों को वैश्यके कर्म करने का ही अधिकार दे देना चाहिए! क्योंकि आजीविका के लिए धनार्जन का यही सर्वोत्तम उपाय है।

(घ) मनु के अनुसार जो ब्राह्मणादि तीनों वर्णों में दीक्षित न हो सके, वह शूद्र हो सकता है, जन्म से नहीं। ऐसा व्यक्ति शारीरिक श्रम करके (द्विजों की सेवा करके) आजीविका कर सकता है। उसके लिए (आपत्कालीन) यह वैकल्पिक व्यवस्था बताना बिल्कुल ही असंगत है कि वह कारुकर्म=शिल्पकर्म करके जीविका चला लेवे। शूद्र के आपत्काल से क्या अभिप्राय है? यदि यह कहो कि वह रोगादि से पीड़ित दशा में आपद्ग्रस्त होता है, तब तो वह शिल्पकर्म भी कैसे करेगा? अतः स्पष्ट है कि जन्म-मूलक वर्णव्यवस्था के प्रचलित होने पर ऐसी दशा उत्पन्न हुई कि जो व्यक्ति शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ है, किन्तु द्विजों का सेवाकार्य करने में असमर्थ है, क्योंकि उसके गुण कर्म, स्वभाव शूद्र जैसे नहीं है, तब किसी ने यह वैकल्पिक व्यवस्था लिखी है कि वह शिल्पकर्म से आजीविका कर लेवे। किन्तु यह मान्यता मनुसम्मत न होने से मौलिक नहीं है।

(ङ) मनु जी ने आर्यों को चार वर्णों में विभक्त करके स्पष्ट लिखा है—

'चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पञ्चमः।' (मनु० १०।४)

अर्थात् मनुष्य-समाज के ब्राह्मणादि चार ही वर्ण हैं, पांचवां कोई नहीं। किन्तु यहां प्रक्षेपक ने मनु की इस मान्यता के विरुद्ध जन्ममूलक जो बढ़ई, सुनारादि उपजातियां बन गई थीं, उनके आधार पर लिखा है कि शूद्र कारुकर्म=शिल्पकर्म करके

---

१. आचार्यस्त्वस्य यां जातिं विधिवद् वेदपारगः।
उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या साजरामरा॥ (मनु० २। १४८)

आजीविका करे। ये उपजातियाँ मनु की मान्यता के विरुद्ध तथा बहुत ही परवर्ती होने से प्रक्षिप्त हैं।

(च) मनु ने इस शास्त्र में शिल्पकर्म को वैश्यवर्ण के कार्यों में अन्तर्निहित किया है, कारुक=शिल्पीनामक कोई पृथक् विभाग नहीं किया है। परन्तु इस शिल्पकर्म को चारों वर्णों से भिन्न उपजातियों का कर्म बताकर प्रक्षेपक ने स्वयं अपना भेद (परवर्ती होने से) प्रक्षिप्त सिद्ध कर दिया है। क्योंकि प्रक्षेपक के समय सुनार, कुम्हार, धोबी आदि उपजातियाँ बन चुकी थीं।

४. **पुनरुक्त एवं क्रमविरोध**—इन श्लोकों में पुनरुक्त और क्रमविरुद्ध बातें पर्याप्त रूप में कहीं हैं जिससे ये श्लोक मनुप्रोक्त कदापि नहीं हो सकते। जैसे—

(क) ७४–८२ श्लोकों में ब्राह्मण की आजीविका के लिए अनेक वैकल्पिक विधान किए हैं (जिनमें परस्पर विरोधी बातें भी हैं)। और १०। १०१ में कहा है कि ब्राह्मण जीविका के अभाव में 'इमं धर्मं समाचरेत्' अर्थात् अगले श्लोकों में कहे अनुसार जीविका करे। यदि ये मनुप्रोक्त श्लोक होते तो क्रमशः एकत्र होते। शूद्र की आजीविका के बाद पुनः ब्राह्मण-वृत्ति की बात उठाना असंगत है।

राजा के आपत्कालीन कर्म—

चतुर्थमाददानोऽपि क्षत्रियो भागमापदि।
प्रजा रक्षन्परं शक्त्या किल्बिषात्प्रतिमुच्यते॥ १०। ११८॥

(क्षत्रियः) राजा (आपदि) आपत्काल में (चतुर्थम्+आददानः+अपि) धान्य आदि का चतुर्थ भाग भी कर के रूपमें ग्रहण करता हुआ, और (परं शक्त्या प्रजा रक्षन्) पूर्णशक्ति से प्रजाओं की रक्षा करता हुआ (किल्बिषात् प्रतिमुच्यते) दोषी या बुराई के योग्य नहीं होता॥ ११८॥

स्वधर्मो विजयस्तस्य नाहवे स्यात्पराङ्मुखः।
शस्त्रेण वैश्यान्रक्षित्वा धर्म्यमाहारयेद् बलिम्॥ १०। ११९॥

(तस्य विजयः स्वधर्मः) राजा का विजय प्राप्त करना धर्म है, (आहवे पराङ्-मुखः न स्यात्) उसे कभी युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए, और (शस्त्रेण वैश्यान् रक्षित्वा) शस्त्र से वैश्यों की रक्षा करता हुआ (धर्म्यं बलिम्+आहारयेत्) धर्मपूर्वक कर ग्रहण करे॥ ११९॥

धान्येऽष्टमं विशां शुल्कं विंशं कार्षापणावरम्।
कर्मोपकरणाः शूद्राः कारवः शिल्पिनस्तथा॥ १०। १२०॥

आपत्तिकाल में राजा को (विशाम्) वैश्यों से (धान्ये+अष्टमम्) धान्य आदि का आठवाँ भाग, और (विंशं कार्षापणावरम्) सोने-चांदी आदि का बीसवां-भाग कर लेना चाहिए (तथा शिल्पिनः कारवः शूद्राः कर्मोपकरणाः) तथा शिल्पी और कारीगर शूद्रों से काम करवा लेना चाहिए॥ १२०॥

अभाव अवस्था में शूद्र के कर्त्तव्य—

शूद्रस्तु वृत्तिमाकाङ्क्षन्क्षत्रमाराधयेद्यदि ।
धनिनं वाप्युपाराध्य वैश्यं शूद्रो जिजीविषेत् ॥ १० । १२१ ॥

(वृत्तिम्+आकांक्षन् शूद्रः) अभाव से पीड़ित होकर जीविका चाहता हुआ शूद्र (क्षत्रम्+आराधयेत्) किसी क्षत्रिय की सेवा कर ले (वा) अथवा (शूद्रः) वह शूद्र (धनिनं वैश्यम्+आराध्य जिजीविषेत्) धनवान् वैश्य की सेवा करके जीविका चला ले ॥ १२१ ॥

स्वर्गार्थमुभयार्थं वा विप्रानाराधयेत्तु सः ।
जातब्राह्मणशब्दस्य सा ह्यस्य कृतकृत्यता ॥ १० । १२२ ॥

(सः) वह शूद्र (स्वर्गार्थम्) स्वर्ग-प्राप्ति के लिए (वा) अथवा (उभयार्थम्) स्वर्ग और जीविका, दोनों की प्राप्ति के लिए (विप्रान्+आराधयेत्) ब्राह्मणों की सेवा करे। (जातब्राह्मणशब्दस्य) क्योंकि वह ब्राह्मणों की सेवा के लिए ही उत्पन्न हुआ है (सा हि+अस्य कृतकृत्यता) ब्राह्मणों की सेवा से ही वह कृतकृत्य होता है ॥ १२२ ॥

विप्रसेवैव शूद्रस्य विशिष्टं कर्म कीर्त्यते ।
यदतोऽन्यद्धि कुरुते तद्भूयस्यस्य निष्फलम् ॥ १० । १२३ ॥

(विप्र-सेवा+एव शूद्रस्य विशिष्टं कर्म कीर्त्यते) ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों का प्रधान कर्म कहा है (अतः+अन्यत् हि यत् कुरुते) इसके अतिरिक्त वह जो भी काम करता है (तत् अस्य निष्फलं भवति) उसका वह सब निष्फल जाता है ॥ १२३ ॥

प्रकल्प्या तस्य तैर्वृत्तिः स्वकुटुम्बाद्यथार्हतः ।
शक्तिं चावेक्ष्य दाक्ष्यं च भृत्यानां च परिग्रहम् ॥ १० । १२४ ॥

(तैः) ब्राह्मणों को चाहिए कि (शक्तिम्) काम करने की शक्ति (दाक्ष्यम्) कार्यचातुर्य (च) और (भृत्यानां परिग्रहम्+अवेक्ष्य) नौकरों का निर्वाह आदि देखकर (स्वकुटुम्बात् यथार्हतः तस्य वृत्तिः प्रकल्प्या) अपने कुटुम्ब से उस शूद्र की जीविका निर्धारित कर दे ॥ १२४ ॥

उच्छिष्टमन्नं दातव्यं जीर्णानि वसनानि च ।
पुलाकाश्चैव धान्यानां जीर्णाश्चैव परिच्छदाः ॥ ॥ १० । १२५ ॥

उस शूद्र को (उच्छिष्टम्+अन्नम्) झूठा अन्न, (जीर्णानि वसनानि) पुराने कपड़े (धान्यानां पुलाकाः) धान्यों के पुआल (च) और (जीर्णाः परिच्छदाः) पुरानी गृहवस्तुएं, (दातव्यम्) ये सब देने चाहिएं ॥ १२५ ॥

न शूद्रे पातकं किंचिन्न च संस्कारमर्हति ।
नास्याधिकारो धर्मेऽस्ति न धर्मात्प्रतिषेधनम् ॥ १० । १२६ ॥

(शूद्रे किञ्चित् पातकं न अस्ति) शूद्र के लिए कुछ भी पातक कार्य नहीं है, (संस्कारं न अर्हति) वह यज्ञोपवीत आदि संस्कारों के योग्य नहीं है (धर्मे अस्य+अधिकारः न अस्ति) किसी धर्मकार्य में इसका अधिकार नहीं है (च) और (धर्मात् प्रतिषेधनं न) धर्मकार्य करने का निषेध भी नहीं है ॥ १२६ ॥

धर्मेप्सवस्तु धर्मज्ञाः सतां वृत्तमनुष्ठिताः ।
मन्त्रवर्ज्यं न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्नुवन्ति च ॥ १० । १२७ ॥

(धर्म+ईप्सवः धर्मज्ञाः) धर्मकार्य करने के इच्छुक, धर्म को जानने वाले, (सतां वृत्तम्+अनुष्ठिताः) श्रेष्ठों के आचरण का पालन करने वाले शूद्र (मन्त्रवर्ज्यं न दुष्यन्ति) मन्त्ररहित यज्ञ आदि धर्मकार्य करने पर पतित नहीं होते (च) अपितु (प्रशंसां प्राप्नुवन्ति) प्रशंसा को प्राप्त करते हैं ॥ १२७ ॥

यथा यथा हि सद्वृत्तमातिष्ठत्यनसूयकः ।
तथा तथेमं चामुं च लोकं प्राप्नोत्यनिन्दितः ॥ १० । १२८ ॥

(अनसूयकः) दूसरों की निन्दा न करने वाला शूद्र (यथा यथा हि सद्वृत्तम्+आतिष्ठति) जैसे-जैसे श्रेष्ठ आचरण करता जाता है (तथा-तथा) वैसे वैसे (अनिन्दितः) प्रशंसित होकर (इमं च अमुं लोकं प्राप्नोति) इस लोक और स्वर्गलोक को प्राप्त करता है ॥ १२८ ॥

शक्तेनापि हि शूद्रेण न कार्यो धनसंचयः ।
शूद्रो हि धनमासाद्य ब्राह्मणानेव बाधते ॥ १० । १२९ ॥

(शक्तेन+अपि शूद्रेण) समर्थ होते हुए भी शूद्र को (धनसंचयः न कार्यः) धनसंग्रह नहीं करना चाहिए (हि) क्योंकि (शूद्रः धनम्+आसाद्य) शूद्र धन को प्राप्त करके (ब्राह्मणान्+एव बाधते) ब्राह्मणों को ही पीड़ित करता है ॥ १२९ ॥

अनुशीलन : ये सभी (१० । ११८–१२९) श्लोक निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—(क) मनु ने ९।३२५ तक में क्षत्रिय-कर्मों का विधान किया है, उसके बाद वैश्य व शूद्र के कर्मों का प्रसंग है। किन्तु यहाँ क्षत्रिय के कर्मों का पुनर्वर्णन अप्रासंगिक है। इसी प्रकार शूद्र की वृत्ति तथा कर्म का वर्णन भी प्रथम कर चुके हैं, फिर नये ढंग से उसका वर्णन करना असंगत है। (ख) और यदि वर्णन करने की कोई आवश्यकता थी तो सभी वर्णों का क्रमशः करते ! किन्तु यहां क्षत्रिय के बाद शूद्र का वर्णन करना पुनरुक्त, असंगत तथा क्रमविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है।

२. **अन्तर्विरोध**—(क) १२१–१२३ श्लोकों में यह वर्णन है कि शूद्र का ब्राह्मणों की सेवा करना ही परम धर्म है, किन्तु विशेष परिस्थिति में क्षत्रिय और वैश्य के यहां भी आजीविका कर सकता है। यह व्यवस्था मनु की मान्यता से विरुद्ध और पक्षपातपूर्ण होने से मान्य नहीं हो सकती। क्योंकि मनु ने [१ । ९६, ९।३३४–३३५]

द्विजन्मा = ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य तीनों वर्णों की सेवा करना ही शूद्र का धर्म माना है। (ख) और १०। १२७ में शूद्रों के लिए मन्त्रवर्ज्य यज्ञों का विधान मनु से विरुद्ध है। इस विषय में २। १७२ पर टिप्पणी द्रष्टव्य है। (ग) और १०। १२७ में शूद्र के लिए झूठा अन्न तथा फटे पुराने वस्त्रों को देने का विधान भी शूद्रों के प्रति घृणा भावना प्रकट करता है। परन्तु मनु ने शूद्र को ९। ३३५ में पवित्र तथा उत्कृष्ट वर्ण को प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार दिया है। अतः मनु के संविधान में सम्मान का आधार गुण, कर्म व स्वभाव है, और किसी भी व्यक्ति के प्रति घृणा-भावना के लिए मनु के शास्त्र में कोई स्थान नहीं है। इस सम्बन्ध में १। ९१ पर अनुशीलन द्रष्टव्य है। (घ) मनु ने राजा के लिए ७। १३०–१३२ श्लोकों में कर-विधान किया है कि कर किससे और किस प्रकार लेवे। पुनः यहां १०। ११८–१२० श्लोकों में कर का विधान करना पुनरुक्त होने से निरर्थक है। इन्हें आपत्कालीन विधान भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहां कहे विभिन्न कर-विधानों से यहाँ कुछ भी विशेष नहीं कहा गया है। मनु ने कर विधान वर्णानुसार न करके केवल व्यापारादि कुछ आय के साधनों पर किया है, किन्तु यहाँ (१०। १२० में) शूद्रों से कर के रूप में काम कराने का विधान उससे विपरीत है। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सब प्रजा की रक्षा करे। उसमें ब्राह्मणादि सभी वर्ण आ जाते हैं। परन्तु १०। ११९ में कहा है कि वैश्यों की रक्षा करके बलि = कर ग्रहण करे। क्या आपत्काल में दूसरे वर्णों की रक्षा नहीं करनी चाहिए? (ङ) १०। ११८ में कहा है कि क्षत्रिय प्रजा की रक्षा नहीं करता हुआ पाप से छूट जाता है यह भी मनु की मान्यता से विरुद्ध है। प्रजा की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है, किन्तु जो दुष्कर्म क्षत्रिय भी करता है, तो उसका फल उसे अवश्य मिलता है।

३. **शैलीगत आधार**—इन श्लोकों में शूद्र के विषय में जो वर्णन किया गया है, उसकी शैली पक्षपातपूर्ण, घृणास्पद, दुराग्रहवृत्ति को प्रकट करने के कारण मनुसम्मत नहीं है

एते चतुर्णां वर्णानामापद्धर्माः प्रकीर्तिताः।
यान् सम्यगनुतिष्ठन्तो व्रजन्ति परमां गतिम् ॥ १०। १३० ॥

(एते) ये [इस दशमाध्याय में] (चतुर्णां वर्णानाम् + आपत्-धर्माः प्रकीर्तिताः) चारों वर्णों के आपत्कालीन धर्म कहे हैं, (यान् सम्यक् अनुतिष्ठन्तः) इनका सम्यक् पालन करते हुए चारों वर्णों के व्यक्ति (परमां गतिं व्रजन्ति) उत्तम गति को प्राप्त करते हैं ॥ १३० ॥

अनुशीलन : १०। १३० वां श्लोक निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त है—

१. **शैलीविरोध**—मनु की यह शैली है कि वे किसी विषय की समाप्ति पर पूर्व विषय का उपसंहार तथा अग्रिम विषय का निर्देश अवश्य करते हैं। इस श्लोक में इस शैली का अभाव है और १०। १३१ में पूर्व विषय का उपसंहार तथा अगले का निर्देश भी होने से यह श्लोक मौलिक है, १०। १३० वां श्लोक नहीं।

२. **अन्तर्विरोध**—(१) किसी परवर्ती प्रक्षेपक ने आपत्कालीन धर्मों के नाम से परवर्ती जन्म-मूलक वर्णव्यवस्था के आधार पर इन श्लोकों का मिश्रण किया है। क्यों कि 'आपत्काल' का अभिप्राय यह कदापि नहीं होता कि दूसरे वर्णों के कर्मों को ही करने लग जाये? और ब्राह्मण कर्म करने वाला व्यक्ति क्षत्रिय या वैश्य के कर्म कैसे कर सकता है? (२) 'आपद्धर्म' का क्या अभिप्राय है, वह कितने समय के लिए होता है, यह इन श्लोकों में कहीं नहीं लिखा है। जिससे स्पष्ट है कि ये आपद्धर्म-नाम के श्लोक मौलिक नहीं हैं दशमाध्याय में कुछ श्लोकों को छोड़कर आपद्धर्म है भी नहीं। इसमे तो अधिकतर वर्णों की उत्पत्ति तथा उनके कार्यों का वर्णन है, जिन्हें कोई भी आपद्धर्म नहीं मान सकता। अतः १०। १३० तथा ९। ३३६ दोनों ही श्लोक परवर्ती प्रक्षिप्त हैं।

३. **विषय-विरोध**—१०। १३१ श्लोक में स्पष्ट कहा है कि 'चातुर्वर्ण्य-धर्म' विषय का ही इस अध्याय में कथन किया गया है, आपद्धर्मों का नहीं। अतः आपद्धर्म का वर्णन विषय-विरुद्ध है।

एष धर्मविधिः कृत्स्नश्चातुर्वर्ण्यस्य कीर्तितः।
अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तविधिं शुभम् ॥१०।१३१॥ (१५)

(एषः) [१। १ से १०। १३० तक] (चातुर्वर्ण्यस्य) चारों वर्णों के व्यक्तियों का (कृत्स्नः) सम्पूर्ण (धर्मविधिः कीर्तितः) धर्म-विधान कहा है। (अतः परम्) इसके बाद अब (शुभं प्रायश्चित्तविधिं प्रवक्ष्यामि) शुभ प्रायश्चित्त की विधि को कहूँगा—॥ १३१ ॥

इति महर्षि-मनुप्रोक्तायां सुरेन्द्रकुमारकृत-हिन्दीभाषा-भाष्यसमन्वितायाम् 'अनुशीलन' समीक्षाविभूषितायाञ्च मनुस्मृतौ चातुर्वर्ण्यधर्मान्तर्गत-वैश्य-शूद्रधर्मात्मको दशमोऽध्यायः ॥

अथ एकादशोऽध्यायः

[हिन्दीभाष्य-अनुशीलनसमीक्षाभ्यां सहितः]

[प्रायश्चित्त-विषय]

(११ । ४४ से २६५ तक)

दान एवं यज्ञसम्बन्धी विधान—

सान्तानिकं यक्ष्यमाणमध्वगं सर्ववेदसम् ।
गुर्वर्थं पितृमात्रर्थं स्वाध्यायार्थ्युपतापिनः ॥ १ ॥
नवैताꣳस्नातकान्विद्याद् ब्राह्मणान्धर्मभिक्षुकान् ।
निःस्वेभ्यो देयमेतेभ्यो दानं विद्याविशेषतः ॥ २ ॥

१. (सान्तानिकम्) सन्तानार्थ विवाह का इच्छुक, २. (यक्ष्यमाणम्) यज्ञ करने का इच्छुक, ३. (अध्वगम्) मार्ग में चलने वाला, ४. (सर्ववेदसम्) सर्वस्व दान में देने वाला, ५–७ (गुर्वर्थं पितृमात्रर्थम्) गुरु, पिता, माता के लिए धन चाहने वाला ८. (स्वाध्यायार्थी) पढ़ने का इच्छुक, ९. (उपतापिनः) रोगी या आपद्ग्रस्त (एतान् नव स्नातकब्राह्मणान्) इन नौ स्नातक ब्राह्मणों को (धर्मभिक्षुकान् विद्यात्) धर्म-भिक्षुक समझे, और (एतेभ्यः) इन्हें (निःस्वेभ्यः) धनाभाव होने पर (विद्याविशेषतः) विद्या-विशेष को देखकर (दानं देयम्) [कम-अधिक, उत्कृष्ट-निम्न] दान देना चाहिए ॥ १–२ ॥

एतेभ्यो हि द्विजाग्रेभ्यो देयमन्नं सदक्षिणम् ।
इतरेभ्यो बहिर्वेदि कृतान्नं देयमुच्यते ॥ ३ ॥

(एतेभ्यः द्विज-अग्रेभ्यः) इन नौ ब्राह्मण स्नातकों को (सदक्षिणम्+अन्नं देयम्) वेदी अर्थात् चौके में बुलाकर पक्वान्न देना चाहिए, और (इतरेभ्यः) अन्य ब्राह्मणों को (बहिः वेदिः कृतान्नं देयम्+उच्यते) वेदि के बाहर पक्वान्न देने का विधान है ॥ ३ ॥

सर्वरत्नानि राजा तु यथार्हं प्रतिपादयेत् ।
ब्राह्मणान्वेदविदुषो यज्ञार्थं चैव दक्षिणाम् ॥ ४ ॥

(राजा तु) राजा को (वेदविदुषः ब्राह्मणान्) वेद के विद्वान् ब्राह्मणों को

(सर्वरत्नानि) सब प्रकार के रत्न (च) और (यथार्थं दक्षिणाम्) यज्ञ के लिए दक्षिणा रूप में धन (यथार्हं प्रतिपादयेत्) यथाशक्ति, दान में देने चाहिए ॥ ४ ॥

कृतदारोऽपरान्दारान्भिक्षित्वायोऽधिगच्छति ।
रतिमात्रं फलं तस्य द्रव्यदातुस्तु संततिः ॥ ५ ॥

(कृतदारः यः) एक बार विवाहित जो ब्राह्मण (भिक्षित्वा) भिक्षा में धन लेकर (अपरान् दारान् अधिगच्छति) दूसरा विवाह करता है (तस्य रतिमात्रं फलम्) उसे मात्र संभोग का ही फल मिलता है, क्योंकि (सन्ततिः तु द्रव्यदातुः) उस स्त्री में उत्पन्न सन्तान तो धन देने वाले की होती है ॥ ५ ॥

धनानि तु यथाशक्ति विप्रेषु प्रतिपादयेत् ।
वेदवित्सु विविक्तेषु प्रेत्य स्वर्गं समश्नुते ॥ ६ ॥

जो मनुष्य (वेदवित्सु विविक्तेषु विप्रेषु) वेद के वेत्ता, गृहत्यागी विद्वानों को (यथाशक्ति धनानि प्रतिपादयेत्) यथाशक्ति धनादि का दान करता है, वह (प्रेत्य स्वर्गं समश्नुते) मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त करता है ॥ ६ ॥

सोमयज्ञ का विधान—

यस्य त्रिवार्षिकं भक्तं पर्याप्तं भृत्यवृत्तये ।
अधिकं वापि विद्येत स सोमं पातुमर्हति ॥ ७ ॥

(यस्य भृत्यवृत्तये) जिसके पास परिवार के पालन-पोषण के लिए (त्रिवार्षिकं पर्याप्तं भक्तम्) तीन वर्ष तक पर्याप्त रहने वाला अन्न है (वा-अपि) अथवा (अधिकं विद्येत) इससे अधिक है (सः) वही व्यक्ति (सोमं पातुम्+अर्हति) सोम पीने अर्थात् सोमयज्ञ करने का अधिकारी है ॥ ७ ॥

अतः स्वल्पीयसि द्रव्ये यः सोमं पिबति द्विजः ।
स पीतसोमपूर्वोऽपि न तस्याप्नोति तत्फलम् ॥ ८ ॥

(अतः स्वल्पीयसि द्रव्ये) इससे [११ । ७] कम अन्न होने पर (यः द्विजः सोमं पिबति) जो द्विज सोमयज्ञ करता है (सः) वह (पीतसोमपूर्वः+अपि तस्य फलं न आप्नोति) पहले किये हुए सोमयज्ञ सहित उसके फल को प्राप्त नहीं करता ॥ ८ ॥

शक्तः परजने दाता स्वजने दुःखजीविनि ।
मध्वापातो विषास्वादः स धर्मप्रतिरूपकः ॥ ९ ॥

(शक्तः) जो दान देने में संलग्न व्यक्ति (स्वजने दुःखजीविनि) अपने परिवार वालों के दुःखित रहते हुए (परिजने दाता) दूसरों को दान देता है, उसका दान (मध्वापातः विष+आस्वादः) पहले शहद के समान मीठा और बाद में विष के समान कड़वा है, और (सः) वह (धर्मप्रतिरूपकः) धर्म का पाखण्डी है ॥ ९ ॥

भृत्यानामुपरोधेन यत्करोत्यौर्ध्वदेहिकम् ।
तद्भवत्यसुखोदर्कं जीवतश्च मृतस्य च ॥ १० ॥

जो मनुष्य (भृत्यानाम्+उपरोधेन) स्त्री-पुत्र आदि पालनीय जनों को पीड़ा में रखकर (और्ध्वदेहिकं करोति) परलोक-सुख की भावना से दान आदि करता है (तत्) वह दान (जीवतः च मृतस्य) जीवित अवस्था में और मृत्यु के बाद में भी (असुखोदर्कं भवति) दुःखदायक सिद्ध होता है ॥ १० ॥

यज्ञार्थं बलात् भी धन लावे—

यज्ञश्चेत्प्रतिरुद्धः स्यादेकेनाङ्गेन यज्वनः ।
ब्राह्मणस्य विशेषेण धार्मिके सति राजनि ॥ ११ ॥
यो वैश्यः स्याद्बहुपशुर्हीनक्रतुरसोमपः ।
कुटुम्बात्तस्य तद् द्रव्यमाहरेद्यज्ञसिद्धये ॥ १२ ॥

(चेत्) यदि (यज्वनः) किसी यज्ञ करने वाले का (विशेषेण ब्राह्मणस्य) विशेषतः ब्राह्मण का (एकेन+अङ्गेन) एक अङ्ग के अभाव में [धनाभाव में] (यज्ञः प्रतिरुद्धः स्यात्) यज्ञ पूर्ण होने से रह जाये तो (धार्मिके राजनि सति) धार्मिक राजा के होते हुए (यः) जो (हीनक्रतुः+असोमपः बहुपशुः वैश्यः स्यात्) यज्ञादि न करने वाला, सोमयज्ञ से हीन और बहुत पशु-सम्पत्ति वाला वैश्य होवे (तस्य कुटुम्बात्) उसके परिवार=घर से (यज्ञसिद्धये तत् द्रव्यम्+आहरेत्) यज्ञ की पूर्णता के लिए [बलात् भी] धन ले आवे ॥ ११-१२ ॥

आहरेत्त्रीणि वा द्वे वा कामं शूद्रस्य वेश्मनः ।
न हि शूद्रस्य यज्ञेषु कश्चिदस्ति परिग्रहः ॥ १३ ॥

(द्वे वा त्रीणि) दो या तीन अङ्गों से यदि यज्ञ पूरा न हो पा रहा हो तो (शूद्रस्य वेश्मनः कामम् आहरेत्) शूद्र के घर से इच्छानुसार धन [बलात् भी] ले आवे (हि) क्योंकि (शूद्रस्य यज्ञेषु परिग्रहः न अस्ति) शूद्र का यज्ञों से कोई सम्बन्ध नहीं है ॥ १३ ॥

योऽनाहिताग्निः शतगुरयज्वा च सहस्रगुः ।
तयोरपि कुटुम्बाभ्यामाहरेदविचारयन् ॥ १४ ॥

(यः) जो मनुष्य (शतगुः अनाहिताग्निः) सौ गौओं का स्वामी होते हुए भी पञ्चयज्ञ आदि न करता हो (च) और (सहस्रगुः अयज्वा) हजार गौओं का स्वामी होते हुए भी बड़े यज्ञ न करता हो (तयोः+अपि कुटुम्बाभ्याम्) उनके घर से भी (अविचारयन् आहरेत्) बिना विचारे बलात् धन ले आवे ॥ १४ ॥

आदाननित्याच्चादातुराहरेदप्रयच्छतः ।
तथा यज्ञोऽस्य प्रथते धर्मश्चैव प्रवर्धते ॥ १५ ॥

(आदाननित्यात्) सर्वदा दान लेने वाले (च) और (अदातुः) स्वयं कभी दान न देने वाले (अप्रयच्छतः) और मांगने पर भी दान न देने वाले ब्राह्मण के घर से (आहरेत्) बलपूर्वक धन ले आवे (तथा) इस प्रकार करने से (अस्य) धन लाने वाले का (यशः प्रथते) यश बढ़ता है (च) और (धर्मः एव प्रवर्धते) धर्म की भी वृद्धि होती है ॥ १५ ॥

भूखा व्यक्ति कहीं से भोजन प्राप्त कर ले—

तथैव सप्तमे भक्ते भक्तानि षडनश्नता।
अश्ववस्तनविधानेन हर्तव्यं हीनकर्मणः ॥ १६ ॥

जिसको (भक्तानि षड्+अनश्नता) छः जून = भोजन-समय अर्थात् तीन दिन भोजन न मिला हो (तथैव सप्तमे भक्ते) और उसी प्रकार यदि सातवें जून भी भोजन न मिले तो (हीनकर्मणः) नीच कर्म करने वाले मनुष्य के यहां से भी (अश्ववस्तन-विधानेन हर्तव्यम्) एक दिन का भोजन चोरी या बलपूर्वक भी ले आवे ॥ १६ ॥

खलात्क्षेत्रादगाराद्वा यतो वाऽप्युपलभ्यते।
आख्यातव्यं तु तत्तस्मै पृच्छते यदि पृच्छति ॥ १७ ॥

पूर्वोक्त [११। १६] अवस्था में (खलात् क्षेत्रात्+अगारात् वा यतः अपि+उपलभ्यते) खलिहान से, खेत से, घर से अथवा जहां कहीं से भी भोज्यान्न मिलता है, ले आवे (यदि पृच्छति) यदि धान्यस्वामी पूछता है कि—'तूने चोरी क्यों की ? तो (तस्मै पृच्छते) उसके पूछने पर (तत् आख्यातव्यम्) अपनी स्थिति को बता दे कि 'मैं तीन दिन से भूखा हूं' ॥ १७ ॥

ब्राह्मणस्वं न हर्तव्यं क्षत्रियेण कदाचन।
दस्युनिष्क्रिययोस्तु स्वमजीवन् हर्तुमर्हति ॥ १८ ॥

किन्तु पूर्वोक्त अवस्था में [११। १६-१७] (क्षत्रियेण ब्राह्मणस्वं कदाचन न हर्तव्यम्) क्षत्रिय को ब्राह्मण का धन कभी नहीं लाना चाहिए (तु) परन्तु (अजीवन्) जीने की अवस्था मुश्किल होने पर क्षत्रिय (दस्यु-निष्क्रिययोः) वर्णों से बहिष्कृत और धर्मक्रियाओं में उपेक्षाभाव रखने वाले ब्राह्मणों के यहां से (हर्तुम्+अर्हति) बलपूर्वक धन ला सकता है ॥ १८ ॥

दुष्टों से धन छीनकर श्रेष्ठों को देने में पुण्य—

योऽसाधुभ्योऽर्थमादाय साधुभ्यः सम्प्रयच्छति।
स कृत्वा प्लवमात्मानं सन्तारयति ताबुभौ ॥ १९ ॥

(यः) जो मनुष्य (असाधुभ्यः अर्थम्+आदाय) दुष्ट लोगों से धन छीनकर (साधुभ्यः सम्प्रयच्छति) श्रेष्ठ लोगों को देता है (सः) वह (आत्मानं प्लवं कृत्वा) अपने

को नौका के समान बनाकर (तौ+उभौ सन्तारयति) उन दोनों को अर्थात् जिसका धन लाया गया है और जिसको दिया है, उनको दुःख से पार उतार देता है ॥ १९ ॥

यद्धनं यज्ञशीलानां देवस्वं तद्विदुर्बुधाः।
अयज्वनां तु यद्वित्तमासुरस्वं तदुच्यते ॥ २० ॥

(यज्ञशीलानां यत् धनम्) प्रतिदिन यज्ञ वालों का जो धन है (तत् बुधाः देवस्वं विदुः) उसको विद्वान् लोग 'देवताओं का धन' कहते हैं, और (अयज्वनां यत् वित्तम्) यज्ञ न करने वालों का जो धन है (तत् आसुरस्वम् उच्यते) उसको 'असुरों का धन' कहते हैं ॥ २० ॥

भूख से पीड़ित ब्राह्मण की राजा जीविका आदि निश्चित कर दे—

न तस्मिन्धारयेद्दण्डं धार्मिकः पृथिवीपतिः।
क्षत्रियस्य हि बालिश्याद् ब्राह्मणः सीदति क्षुधा ॥ २१ ॥

(धार्मिकः पृथिवीपतिः) धार्मिक राजा (तस्मिन्) उस बलपूर्वक धन लाने वाले [११।१९] को (दण्डं न धारयेत्) दण्डित न करे (हि) क्योंकि (क्षत्रियस्य बालिश्यात्) राजा की मूर्खता के कारण ही (ब्राह्मणः क्षुधा सीदति) ब्राह्मण भूख से पीड़ित होता है अर्थात् वस्तुतः ब्राह्मण को भोजनादि देना राजा का दायित्व है, यदि इसे कोई अन्य व्यक्ति चोरी आदि के द्वारा पूरा करता है, तो राजा उसे यह समझकर दण्ड न दे कि वह 'तेरे दायित्व को पूरा कर रहा है' ॥ २१ ॥

तस्य भृत्यजनं ज्ञात्वा स्वकुटुम्बान्महीपतिः।
श्रुतशीले च विज्ञाय वृत्तिं धर्म्यां प्रकल्पयेत् ॥ २२ ॥

(महीपतिः) राजा (तस्य भृत्यजनं ज्ञात्वा) उस भूख से पीड़ित ब्राह्मण के परिवार को देखकर (च) और (श्रुत-शीले विज्ञाय) उसकी विद्या एवं स्वभाव को जानकर, तदनुसार (धर्म्यां वृत्तिं प्रकल्पयेत्) उसकी धर्मयुक्त जीविका निश्चित कर दे ॥ २२ ॥

कल्पयित्वाऽस्य वृत्तिं च रक्षेदेनं समन्ततः।
राजा हि धर्मषड्भागं यस्मात्प्राप्नोति रक्षितात् ॥ २३ ॥

(च) और (अस्य वृत्तिं कल्पयित्वा) इसकी जीविका नियत करके (एनं समन्ततः रक्षेत्) इसकी सब भांति रक्षा करे (हि) क्योंकि (रक्षितात्) उस ब्राह्मण की रक्षा करने से (राजा यस्मात् धर्मषड्भागं प्राप्नोति) राजा उसके धर्म के छठे भाग के पुण्य को प्राप्त करता है ॥ २३ ॥

शूद्र से भिक्षा नहीं—

न यज्ञार्थं धनं शूद्राद्विप्रो मिक्षेत कर्हिचित्।
यजमानो हि भिक्षित्वा चण्डालः प्रेत्य जायते ॥ २४ ॥

(विप्रः) ब्राह्मण (यज्ञार्थम्) यज्ञ के लिए (शूद्रात् कर्हिचित् न भिक्षेत) शूद्र से कभी भी भिक्षा न मांगे (हि) क्योंकि (भिक्षित्वा) शूद्र से भिक्षा मांगकर (यजमानः) यज्ञ करने वाला ब्राह्मण (प्रेत्य चण्डालः जायते) मरकर 'चण्डाल' बनता है ॥ २४ ॥

यज्ञ के धन को स्वार्थ के लिए प्रयोग करने वाला पापी—

यज्ञार्थमर्थं भिक्षित्वा यो न सर्वं प्रयच्छति ।
स याति भासतां विप्रः काकतां वा शतं समाः ॥ २५ ॥

(यज्ञार्थम् + अर्थं भिक्षित्वा) यज्ञ के लिए धन की भिक्षा लेकर (यः सर्वं न प्रयच्छति) जो सारे धन को यज्ञार्थ नहीं देता है (सः) वह (विप्रः) ब्राह्मण (शतं समाः भासतां वा काकतां याति) सौ वर्ष पर्यन्त गिद्ध या कौवे का जन्म पाता है ॥ २५ ॥

देवस्वं ब्राह्मणस्वं वा लोभेनोपहिनस्ति यः ।
स पापात्मा परे लोके गृध्रोच्छिष्टेन जीवति ॥ २६ ॥

(यः) जो मनुष्य (देवस्वं वा ब्राह्मणस्वम्) देवताओं के धन अथवा ब्राह्मणों के धन को (लोभेन + उपहिनस्ति) लोभवश अपने लिए प्रयोग करता है (सः पापात्मा) वह पापी (परे लोके) अगले जन्म में (गृध्र-उच्छिष्टेन जीवति) गिद्धों की झूठन खाकर जीता है ॥ २६ ॥

इष्टिं वैश्वानरीं नित्यं निर्वपेदब्दपर्यये ।
कल्पतानां पशुसोमानां निष्कृत्यर्थमसंभवे ॥ २७ ॥

मनुष्य (कल्पतानां पशुसोमानाम् + असंभवे) शास्त्रविहित पशुयज्ञों के न करने पर (निष्कृत्यर्थम्) उसके प्रायश्चित्त हेतु (अब्दपर्यये) नववर्ष के आरम्भ में (नित्यं वैश्वानरीम् इष्टिं निर्वपेत्) सदा वैश्वानर यज्ञ किया करे ॥ २७ ॥

अनापत् काल में आपत्काल के धर्मों का फल नहीं—

आपत्कल्पेन यो धर्मं कुरुतेऽनापदि द्विजः ।
स नाप्नोति फलं तस्य परत्रेति विचारितम् ॥ २८ ॥

(यः द्विजः) जो द्विज (अनापदि) अनापत् काल में (आपत्कल्पेन धर्मं कुरुते) आपत्काल के समान धर्मकार्यों को करता है (सः) वह (परत्र) परजन्म में (तस्य फलं न + आप्नोति) उसके फल को नहीं प्राप्त करता है (इति विचारितम्) यह विचारी हुई बात है ॥ २८ ॥

विश्वैश्च देवैः साध्यैश्च ब्राह्मणैश्च महर्षिभिः ।
आपत्सु मरणाद्भीतैर्विधिः प्रतिनिधिः कृतः ॥ २९ ॥

(विश्वैः देवैः साध्यैः ब्राह्मणैः च महर्षिभिः) सभी देवताओं, साध्यों, ब्राह्मणों और महर्षियों ने (मरणाद् भीतैः) मृत्यु के डर से डरकर (आपत्सु विधिः प्रतिनिधिः

कृतः) आपत्काल में ही मुख्यविधान के स्थान पर प्रतिनिधि धार्मिक कार्य किये हैं अर्थात् अनापत्काल में नहीं ॥ २९ ॥

प्रभुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वर्तते ।
न सांपरायिकं तस्य दुर्मतेर्विद्यते फलम् ॥ ३० ॥

(यः) जो मनुष्य (प्रभुः प्रथमकल्पस्य) समर्थ होते हुए भी अनापत् काल में, प्राथमिक रूप से विहित धर्मकार्यों को न करके (अनुकल्पेन वर्तते) गौण अर्थात् आपत्काल के धर्मकार्यों को करता है (तस्य दुर्मतेः) उस दुष्टबुद्धि मनुष्य को (तस्य सांपरायिकं फलं न विद्यते) उस धर्मकार्य का परलोक में प्राप्तव्य अभ्युदय रूप और पापनाश रूप फल नहीं मिलता ॥ ३० ॥

ब्राह्मण अपराधियों को स्वयं दण्ड दे—

न ब्राह्मणोऽवेदयेत किंचिद्राजनि धर्मवित् ।
स्ववीर्येणैव तान्हिंस्यान्मानवानपकारिणः ॥ ३१ ॥

(धर्मवित् ब्राह्मणः) धर्म का ज्ञाता ब्राह्मण (किंचित्) किसी के किसी अपराध को (राजनि न अवेदयेत) राजा से न कहे, किन्तु (तान् अपकारिणः मानवान्) उन बुरा करने वाले मनुष्यों को (स्ववीर्येण+एव शिष्यात्) अपनी शक्ति से ही दण्डित करे ॥ ३१ ॥

स्ववीर्याद्राजवीर्याच्च स्ववीर्यं बलवत्तरम् ।
तस्मात्स्वेनैव वीर्येण निगृह्णीयादरीन्द्विजः ॥ ३२ ॥

(स्ववीर्यात् च राजवीर्यात्) [ब्राह्मण के लिए] अपनी शक्ति और राजा की शक्ति की तुलना में (स्ववीर्यं बलवत्तरम्) अपनी शक्ति ही अधिक बलवती है (तस्मात्) इसीलिए (द्विजः) ब्राह्मण (स्वेन+एव वीर्येण) अपनी ही शक्ति से (अरीन् निगृह्णीयात्) शत्रुओं को वश में करे ॥ ३२ ॥

श्रुतीरथर्वाङ्गिरसीः कुर्यादित्यविचारयन् ।
वाक्शस्त्रं वै ब्राह्मणस्य तेन हन्यादरीन् द्विजः ॥ ३३ ॥

ब्राह्मण (अथर्वा-आङ्गिरसीः श्रुतीः अविचारयन् कुर्यात्) अथर्ववेद में अङ्गिरा के द्वारा कही हुई ऋचाओं को अपनी आपत्ति को दूर करने के लिए शत्रुओं पर प्रयोग करे, यतो हि (ब्राह्मणस्य वै वाक्शस्त्रम्) ब्राह्मण का वाणी ही शस्त्र है, इसलिए (द्विजः) ब्राह्मण (तेन अरीन् हन्यात्) उससे शत्रुओं को मारे ॥ ३३ ॥

क्षत्रियो बाहुवीर्येण तरेदापदमात्मनः ।
धनेन वैश्यशूद्रौ तु जपैर्होमैर्द्विजोत्तमः ॥ ३४ ॥

(क्षत्रियः आत्मनः आपदम्) क्षत्रिय अपनी आपत्ति को (बाहुवीर्येण तरेत्)

बाहुबल से दूर करे, और (वैश्यशूद्रौ तु धनेन) वैश्य तथा शूद्र धन की सहायता से, एवं (द्विजोत्तमः) ब्राह्मण (जपैः होमैः) जपों एवं यज्ञों से आपत्तियों को दूर करे ॥ ३४ ॥

विधाता शासिता वक्ता मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ।
तस्मै नाकुशलं ब्रूयान्न शुष्कां गिरमीरयेत् ॥ ३५ ॥

(ब्राह्मणः) ब्राह्मण (विधाता) धर्मों का विधान करने वाला, (शासिता) शिष्य आदि को शिक्षा देने वाला, (वक्ता) वेदादि का प्रवचन करने वाला और (मैत्रः उच्यते) सबका मित्र=हितैषी होता है, इसलिए (तस्मै अकुशलं न ब्रूयात्) उसको बुरा वचन नहीं कहना चाहिए, तथा (न शुष्कां गिरम्+ईरयेत्) न रूखी वाणी बोलनी चाहिए ॥ ३५ ॥

यज्ञ के अनधिकारी लोग—

न वै कन्या न युवतिर्नाल्पविद्यो न बालिशः ।
होता स्यादग्निहोत्रस्य नार्तो नासंस्कृतस्तथा ॥ ३६ ॥

(न वै कन्या, न युवतिः, न+अल्पविद्यः, न बालिशः) न तो कन्या, न युवती, न थोड़ा पढ़ा हुआ, न मूर्ख, (न+आर्तः तथा न+असंस्कृतः) न रोगी, न संस्कारों से हीन व्यक्ति (अग्निहोत्रस्य होता स्यात्) यज्ञ करें ॥ ३६ ॥

नरके हि पतन्त्येते जुह्वन्तः स च यस्य तत् ।
तस्माद्वैतानकुशलो होता स्याद्वेदपारगः ॥ ३७ ॥

(एते) ये [११ । ३६] (च) तथा (यस्य तत् जुह्वन्तः सः) जिसका हवन करते हैं वे (नरके हि पतन्ति) नरक में जाते हैं (तस्मात्) इसलिए (वैतानकुशलः) यज्ञकर्म के ज्ञाता और (वेदपारगः) वेदों के विद्वान् को ही (होता स्यात्) यज्ञ करने वाला होना चाहिए ॥ ३७ ॥

प्राजापत्यमवस्वाऽश्वमग्न्याधेयस्य दक्षिणम् ।
अनाहिताग्निर्भवति ब्राह्मणो विभवे सति ॥ ३८ ॥

(विभवे सति ब्राह्मणः) धन होने पर भी जो ब्राह्मणः (अग्न्याधेयस्य) अग्निहोत्र में (प्राजापत्यम् अश्वं दक्षिणाम् अदत्त्वा) प्रजापति देवता वाली अश्व की दक्षिणा नहीं देता, वह (अनाहिताग्निः भवति) यज्ञ के फल को नहीं प्राप्त करता ॥ ३८ ॥

पुण्यान्यन्यानि कुर्वीत श्रद्दधानो जितेन्द्रियः ।
न त्वल्पदक्षिणैर्यज्ञैर्यजेतेह कथञ्चन ॥ ३९ ॥

(श्रद्दधानः जितेन्द्रियः) [धनाभाव होते हुए] श्रद्धालु, जितेन्द्रिय मनुष्य (अन्यानि पुण्यानि कुर्वीत) दूसरे पुण्यदायक कार्य कर ले (तु) परन्तु (इह कथंचन) इस संसार में रहते हुए कभी भी (अल्पदक्षिणैः यज्ञैः न यजेत) कम दक्षिणा वाले यज्ञ न करवाये ॥ ३९ ॥

इन्द्रियाणि यशः स्वर्गमायुः कीर्तिं प्रजाः पशून् ।
हन्त्यल्पदक्षिणो यज्ञस्तस्मान्नाल्पधनो यजेत् ॥ ४० ॥

क्योंकि (अल्पदक्षिणः यज्ञः) कम दक्षिणा वाला यज्ञ (इन्द्रियाणि, यशः, स्वर्गम् +आयुः, कीर्तिं, प्रजाः, पशून् हन्ति) इन्द्रियों, प्रसिद्धि, स्वर्ग, आयु, मरने के बाद का यश, सन्तान और पशुओं को नष्ट कर देता है (तस्मात्) इस कारण (अल्पधनः न यजेत्) थोड़े धन वाले को कभी यज्ञ नहीं कराना चाहिए ॥ ४० ॥

अग्निहोत्र्यपविध्याग्नीन्ब्राह्मणः कामकारतः ।
चान्द्रायणं चरेन्मासं वीरहत्यासमं हि तत् ॥ ४१ ॥

(अग्निहोत्री ब्राह्मणः) जो अग्निहोत्री ब्राह्मण=(कामकारतः) जानबूझकर (अग्नीन्+अपविध्य) अग्निहोत्र नहीं करता, वह (मासं चान्द्रायणं चरेत्) एक मास तक चान्द्रायण व्रत [११।२१६] करे (हि) क्योंकि (तत् वीरहत्यासमम्) वह अग्निहोत्र का त्यागना पुत्रहत्या के समान कार्य है ॥ ४१ ॥

ये शूद्रादधिगम्यार्थमग्निहोत्रमुपासते ।
ऋत्विजस्ते हि शूद्राणां ब्रह्मवादिषु गर्हिताः ॥ ४२ ॥

(ये) जो ऋत्विक् (शूद्रात् अर्थम् अधिगम्य) शूद्र से धन लेकर (अग्निहोत्रम्+उपासते) यज्ञ करते कराते हैं (ते हि शूद्राणाम् ऋत्विजः) वे शूद्रों के 'ऋत्विज्' कहलाते हैं और (ब्रह्मवादिषु गर्हिताः) वेदपाठियों में निन्दित होते हैं ॥ ४२ ॥

तेषां सततमज्ञानां वृषलाग्न्युपसेविनाम् ।
पदा मस्तकमाक्रम्य दाता दुर्गाणि संतरेत् ॥ ४३ ॥

(वृषल-अग्नि-उपसेविनाम्) शूद्रों से धन लेकर अग्निहोत्र करने-कराने वाले (सततम्+अज्ञानाम्) उन महा अज्ञानियों के (मस्तकं पदा आक्रम्य) मस्तक पर पैर रखकर (दाता दुर्गाणि संतरेत्) दान देने वाला शूद्र दुःखों को पार कर जाता है अर्थात् उस यज्ञ का पुण्यफल शूद्र को ही मिलता है ॥ ४३ ॥

अनुशीलन : ११।१ से ४३ श्लोक तक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—(१) पूर्वापर प्रसंग से विरुद्ध होने के कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं। १०।१३१ में प्रायश्चित्त का प्रसंग प्रारम्भ हुआ था और वह क्रम ११।४४ से जुड़ता है तथा इसी श्लोक से यह प्रसंग आगे चलता है। इस बीच में आने वाले इन १–४३ श्लोकों ने उस प्रसंग को भंगकर दिया है, अतः ये प्रसंगविरुद्ध हैं। (२) १०।१३१ से ११।१ की तथा ११।४४ से ११।४३ श्लोक की प्रसंग की दृष्टि से कोई संगति नहीं जुड़ती। यह असंगति भी इन्हें प्रसंगविरुद्ध सिद्ध करती है।

२. **अन्तर्विरोध**—(१) १। ८८ ॥ ७।७६, ८२, ८३ ॥ १०। ७५–७६, आदि

श्लोकों में सभी ब्राह्मणों को समान रूप से दान लेने का अधिकार विहित हो चुका है। 'दान लेना' ब्राह्मणमात्र का विहित कर्त्तव्य उक्त है, फिर यहां कुछ ही ब्राह्मणों को [१–२] धर्मभिक्षु की संज्ञा देकर दान का विधान करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। १–४,६ श्लोकों में यह विशिष्ट और भिन्नव्यवस्था—जैसे—कुछों को वेदी के अन्दर बुलाकर दान देना कुछ को वेदी से बाहर आदि पूर्वोक्त व्यवस्था से भिन्न होने से विरुद्ध है। (२) ५ वें श्लोक में द्वितीय विवाह का विधान ५।१६७–१६८ में उक्त 'एक समय में एक ही विवाह' के विधान से विरुद्ध है। (३) १०।७६।। ११।१९४ श्लोकों में ब्राह्मणों के लिए श्रेष्ठ व्यक्तियों से ही दान लेने का निर्देश है, अश्रेष्ठों से दान लेने पर प्रायश्चित्त का विधान है। १६, १९ श्लोकों में अश्रेष्ठों के धन लेने का विधान और १३–१६, १९ श्लोकों में अपराध विधि द्वारा धनग्रहण करने का विधान उक्त श्लोकों के विरुद्ध है। (४) मनुस्मृति के यज्ञप्रसंगों—२।६९, १०५, १०८।। ३। ६७–११८, २८५–२८६।। ४।२१–२५।।६।४–१२ में कहीं भी सोमयज्ञ और वैश्वानरयज्ञ का विधान मनु ने नहीं किया है। वहां अप्रासंगिक रूप से उनका उल्लेख और गलत-ठीक सब विधियों से उनका सम्पादन करने का कथन आदि बातें भिन्नव्यवस्था होने के कारण विरुद्ध हैं। (५) ३७ वें में नरक की मान्यता मनुविरुद्ध है [देखिए ४।९१।। १२।७५–८० श्लोकों पर समीक्षा] (६) थोड़े धन से यज्ञ न करने का विधान [श्लोक ७, ८] भी मनुसम्मत नहीं है। मनु ने तो ६।५,११ में दीवार आदि से भी यज्ञ करने का निर्देश दिया है। (७) २।१०५–१०६ श्लोकों में यज्ञ जैसे कर्म को सर्वदा-सर्वथा पुण्य-दायक माना है, यहां ८, ३८–४० श्लोकों में अल्पधन वाले और अल्पदक्षिणा वाले यज्ञों से हानि का कथन उनके विरुद्ध है। (८) ३६–३७ में कन्या, स्त्री आदि के लिए यज्ञ का निषेध ९।२८, ९६, ११ श्लोकों के विरुद्ध है। जिन श्लोकों में स्त्रियों के लिए सभी प्रकार के धर्मकार्यों का पुरुषों के समान विधान किया है। (९) २७ वें श्लोक में पशुयज्ञ का विधान मनु के विरुद्ध विधान है। मनु सर्वहिंसाविरोधी हैं। [देखिए ४।२६ –२८ पर समीक्षा]। (१०) ब्राह्मणों को ११–१७, १९–२१ श्लोकों में चोरी से और बलपूर्वक धन लेने का विधान २।१६१।। ८।३०२, ३३२, ३३५–३३८, ३४४–३५१ श्लोकों के विरुद्ध है। इनमें ब्राह्मण के लिए किसी को पीड़ा आदि न देने का निर्देश है और चोरी तथा साहसकर्म करने पर अधिक दण्ड का विधान है। (११) ३१–३२ श्लोकों में ब्राह्मण को आदेश दिया है कि वह अपराधी के विषय में राजा से न कहकर अपने सामर्थ्य से ही उसे दण्ड दे। यह कथन सप्तम, अष्टम, नवम अध्यायों के विधानों से विरुद्ध है। जहां दण्ड देने का अधिकारी केवल राजा को ही माना है। इस प्रकार इस प्रसंग के अनेक श्लोक मनुविरोधी सिद्ध हो रहे हैं, अतः यह सारा प्रसंग ही प्रक्षिप्त है क्योंकि सभी श्लोक परस्पर सम्बद्ध हैं।

३. **विषयविरोध**—१०।१३१ श्लोक में मनु ने अग्रिम विषय—प्रायश्चित्त-विधि का वर्णन करने का संकेत किया है और यह विषय ११।४४ से प्रारम्भ होकर ११।२६४ तक चलता है। इस बीच १–४३ श्लोकों में प्रायश्चित्त विषय से भिन्न दान

के अधिकारी, यज्ञ के विधान आदि प्रसंगों का वर्णन विषयविरुद्ध है। यहां प्रायश्चित्त से सम्बद्ध वर्णन ही विषयानुकूल कहलायेगा। जो ४४ वें से प्रारम्भ होता है।

४. **शैलीगत आधार**—(१) मनु की शैली किसी भी विषय या प्रसंग को प्रारम्भ करने से पूर्व उसका संकेत देने की है। वे प्रसंग के प्रारम्भ, अन्त अथवा दोनों स्थानों पर विषय या प्रसंग का संकेत देते हैं। इन ४३ श्लोकों के प्रसंग का प्रारम्भ या अन्त में कोई संकेत नहीं है, अतः ये मनु की शैली के श्लोक न होकर प्रक्षिप्त हैं। (२) इस प्रसंग के अधिकांश श्लोकों की शैली मनु की नहीं है, जैसे—३, ७, ८, १६, २०, २३, २४, २५, २६, २८, ३०, ३७, ४०, ४३ श्लोकों की शैली निराधार है। १२–१६, २१–२३, ३१–३२, ३५, ४२–४३ श्लोकों की पक्षपातपूर्ण, १३, १६, २४, ३७, ४१, ४३ की द्वेषपूर्ण और १२–१६, ३८–३६ की शर्तपूर्ण तथा २४–२६, ३७ की अप्रत्यक्ष भयप्रदर्शन की शैली है। मनु की शैली में ये त्रुटियां नहीं हैं। अधिकांश श्लोकों की शैली मनु-विरुद्ध होने के कारण यह सारा प्रसंग ही प्रक्षिप्त है। क्योंकि शेष श्लोक भी इन शैलीविरुद्ध श्लोकों से सम्बद्ध हैं।

५. **अवान्तरविरोध**—१३, १६, १८, १६ श्लोकों में शूद्र और नीच व्यक्ति का धन यज्ञ के लिए श्रेष्ठ और स्वीकार्य कहा है, जबकि २४, ४२, ४३, श्लोकों में इनका धन यज्ञार्थ अस्वीकार्य और अशुभ माना है। इस प्रकार यह प्रसंग परस्पर विरोधी होने के कारण प्रक्षिप्त है।

[प्रायश्चित्त-सम्बन्धी-विधान]

प्रायश्चित्त कब किया जाता है—

अकुर्वन्विहितं कर्म निन्दितं च समाचरन्।
प्रसक्तश्चेन्द्रियार्थेषु प्रायश्चित्तीयते नरः ॥ ४४ ॥ (१)

(विहितं कर्म अकुर्वन्) शास्त्र में विहित कर्मों [यज्ञोपवीत संस्कार वेदाभ्यास (११।१६१–१६२), संध्योपासन, यज्ञ आदि] को न करने पर, (च) तथा (निन्दितं समाचरन्) शास्त्र में निन्दित माने गये कार्यों [बुरे कर्मों से धनसंग्रह (११।१६३) मद्यपान, हिंसा आदि] को करने पर (च) और (इन्द्रियअर्थेषु प्रसक्तः) इन्द्रिय-विषयों में अत्यन्त आसक्त होने [काम, क्रोध, मोह में आसक्त होने] पर (नरः प्रायश्चित्तीयते) मनुष्य प्रायश्चित्त [४७] के योग्य होता है ॥ ४४ ॥

अकामतः कृते पापे प्रायश्चित्तं विदुर्बुधाः।
कामकारकृतेऽप्याहुरेके श्रुतिनिदर्शनात् ॥ ४५ ॥ (२)

(बुधाः) कुछ विद्वान् (अकामतः कृते पापे प्रायश्चित्तं विदुः) अज्ञान-

वश किये गये पाप में प्रायश्चित्त करने को कहते हैं (एके) और कुछ विद्वान् (श्रुतिनिदर्शनात्) वेदों में उल्लेख होने के कारण (कामकारकृते+ अपि आहुः) जानकर किये गये पाप में भी प्रायश्चित्त करने को कहते हैं ॥ ४५ ॥

अनुशीलन : यजु० ३६।१२ में प्रायश्चित्त का उल्लेख हुआ है—

"निष्कृत्यै स्वाहा प्रायश्चित्त्यै स्वाहा भेषजाय स्वाहा ।"

अर्थात्—"(निष्कृत्यै) निवारण के लिए (स्वाहा) सत्यक्रिया, (प्रायश्चित्त्यै) पापनिवारण के लिए (स्वाहा) सत्यक्रिया और (भेषजाय) सुख के लिए (स्वाहा) सत्य क्रिया का सदा प्रयोग करें।" (महर्षि दया० भाष्य)

अकामतः कृतं पापं वेदाभ्यासेन शुध्यति ।
कामतस्तुकृतं मोहात्प्रायश्चित्तैः पृथग्विधैः ॥ ४६ ॥ (३)

(अकामतः कृतं पापम्) अनिच्छापूर्वक किया गया पाप (वेदाभ्यासेन शुध्यति) वेदाभ्यास, तदनुसार बार-बार चिन्तन-मनन, आचरण से शुद्ध होता है—पाप की भावना नष्ट होकर आत्मा पवित्र होती है (मोहात् कामतः तु कृतम्) आसक्ति से इच्छापूर्वक किया गया पाप [पापफल नहीं] (पृथक्-विधैः प्रायश्चित्तैः) अनेक प्रकार के प्रायश्चित्तों के [११।२११-२२६] करने से शुद्ध होता है ॥ ४६ ॥

प्रायश्चित्त का अर्थ—

प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते ।
तपोनिश्चयसंयुक्तं प्रायश्चित्तमिति स्मृतम् ॥ ४७ ॥ (४)

('प्रायः' नाम तपः प्रोक्तम्) 'प्रायः' तप को कहते हैं और ('चित्तं' निश्चयः उच्यते) 'चित्त' निश्चय को कहते हैं (तपः-निश्चयसंयुक्तं 'प्रायश्चित्तम्' इति स्मृतम्) तप और निश्चय का संयुक्त होना ही 'प्रायश्चित्त' कहलाता है ॥ ४७ ॥

अनुशीलन : प्रायश्चित्त का अर्थ और उद्देश्य—'प्रायश्चित्त' शब्द प्राय-चिति पदों से समास में **'पारस्कर प्रभृतीनि च संज्ञायाम्'** (अष्टा० ६।१।१५७) से सुट् आगम के योग से सिद्ध हुआ है। **तपादि साधनपूर्वकं किल्बिषनिवारणार्थं चित्तम् निश्चयम् प्रायश्चित्तम्'**। 'जब व्यक्ति किसी निन्दनीय या अकर्तव्य कार्य को करके मन में उसके करने के प्रति खिन्नता अनुभव करता है, तब वह उसके दण्ड रूप में स्वयं तप =कष्टसहन करता हुआ यह निश्चय करता है कि पुनः मैं यह पाप नहीं करूंगा।'

यह प्रायश्चित्त कहलाता है। ऐसा करने से मन में खिन्नता का भार नहीं रहता। जैसे कोई व्यक्ति किसी को अचानक गलत बात कह जाये और कहने के बाद उसे दुःख अनुभव हो, तो वह खेद प्रकट करता है। इससे उसके मन में खिन्नता नहीं रहती और आगे वैसा न करने के लिए सावधान हो जाता है। इसी प्रकार प्रायश्चित्त से पाप क्षीण नहीं होता, अपितु पाप-भावना क्षीण होती है [द्रष्टव्य ११। २२७ पर समीक्षा]। पुनः वह उस पाप को न करने के लिए निश्चय करता है और सावधान रहता है [११।२२९-२३०]। प्रायश्चित्त से मनुष्य की पापवृद्धि रुक जाती है और वह धर्म की ओर उन्मुख होता जाता है।

बुरे कर्मों से शरीरविकार—

इह दुश्चरितैः केचित्केचित्पूर्वकृतैस्तथा।
प्राप्नुवन्ति दुरात्मानो नरा रूपविपर्ययम् ॥ ४८ ॥

(केचित् दुरात्मानः नराः) कुछ दुराचरण वाले लोग (इह दुश्चरितैः) इस जन्म के बुरे कर्मों के कारण (तथा केचित् पूर्वकृतैः) तथा कुछ लोग पहले जन्म के बुरे कर्मों के कारण (रूपविपर्ययम्) विकृत अङ्ग-आकृति आदि को (प्राप्नुवन्ति) प्राप्त करते हैं ॥ ४८ ॥

सुवर्णचौरः कौनख्यं सुरापः श्यावदन्तताम्।
ब्रह्महा क्षयरोगित्वं दौश्चर्म्यं गुरुतल्पगः ॥ ४९ ॥

(सुवर्णचौरः कौनख्यम्) सोना चुराने वाला खराब नाखूनों वाला होता है (सुरापः श्यावदन्तताम्) शराब पीने वाला काले दांतों वाला, (ब्रह्महा क्षयरोगित्वम्) ब्राह्मण की हत्या करने वाला तपेदिक का रोगी, और (गुरुतल्पगः दौश्चर्म्यम्) गुरु-पत्नीगामी चर्म के विकार वाला होता है ॥ ४९ ॥

पिशुनः पौतिनासिक्यं सूचकः पूतिवक्त्रताम्।
धान्यचौरोऽङ्गहीनत्वमतिरेक्यं तु मिश्रकः ॥ ५० ॥

(पिशुनः पौतिनासिक्यम्) चुगलखोर दुर्गन्धयुक्त नासिका वाला, (सूचकः पूतिवक्त्रताम्) झूठे दोष कहने वाला, दुर्गन्धयुक्त मुख वाला (धान्यचौरः अङ्गहीनत्वम्) धान्यचोर किसी अङ्ग से रहित, और (मिश्रकः आतिरेक्यम्) मिलावट करने वाला अधिक अङ्गवाला होता है ॥ ५० ॥

अन्नहर्त्ताऽऽमयावित्वं मौक्यं वागपहारकः।
वस्त्रापहारकः श्वैत्र्यं पङ्गुतामश्वहारकः ॥ ५१ ॥

(अन्नहर्त्ता आमयावित्वम्) अन्नचोर मन्दाग्निरोगी, (वाक्+अपहारकः मौक्यम्) बिना पढ़ाये चोरी से पढ़ने या सुनने वाला गूंगा, (वस्त्र+अपहारकः

श्वैत्यम्) कपड़ों का चोर सफेद कोढ़ का रोगी, और (अश्वहारकः पङ्गुताम्) घोड़ा चुराने वाला लंगड़ा होता है ॥ ५१ ॥

एवं कर्मविशेषेण जायन्ते सद्विगर्हिताः ।
जडमूकान्धबधिरा विकृताकृतयस्तथा ॥ ५२ ॥

(एवम्) इस प्रकार (कर्मविशेषेण) कर्मभेद के आधार पर (सद्-विगर्हिता) श्रेष्ठों में निन्दित (जड-मूक-अन्धबधिराः तथा विकृत-आकृतयः जायन्ते) मूर्ख, गूंगे अन्धे, बहरे तथा बिगड़ी हुई आकृति वाले लोग पैदा होते हैं ॥ ५२ ॥

अनुशीलन : ११ । ४८ से ५२ तक के श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—इन श्लोकों में प्रदर्शित परिणामों का मनु के अन्य वर्णन से विरोध है—(१) परजन्म के एक ही परिणाम का निश्चय कर देना अथवा किसी भी एक कर्म के आधार पर भविष्य में एक ही फल का निर्णय देने की पद्धति मनु की नहीं है। वे तो सात्त्विक, राजसिक और तामसिक कर्मों के आधार ही फल मानते हैं और वह भी अनेक कर्मों से [१२ । २४–५२, ७३–७४]। (२) यह बारहवें अध्याय में कर्मफल के अन्तर्गत आने वाला प्रसंग है, लेकिन वहां इन फलों का या फल मिलने की ऐसी पद्धति का कोई वर्णन वा संकेत नहीं है। (३) ४९ में श्लोक में ब्रह्महत्यारा आदि पातकों का उल्लेख इन श्लोकों को परवर्ती सिद्ध कर रहा है, क्योंकि यह चार महा-पातकियों का वर्गीकरण मौलिक न होकर परवर्ती है [देखिए—११।५४–१९० श्लोकों पर समीक्षा]।

२. **शैलीगत आधार**—इन चारों श्लोकों की शैली निराधार एवं अयुक्तियुक्त है। मनु की शैली में ये त्रुटियाँ नहीं हैं। ४८ वां श्लोक इन प्रक्षिप्त श्लोकों से सम्बद्ध होने से प्रक्षिप्त है।

प्रायश्चित्त क्यों करना चाहिए—

चरितव्यमतो नित्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये ।
निन्द्यैर्हि लक्षणैर्युक्ता जायन्तेऽनिष्कृतैनसः ॥ ५३ ॥ (५)

[४६–४७ में वर्णित लाभ होने से] (अतः) इसलिए (विशुद्धये) संस्कारों की शुद्धि के लिए (नित्यं प्रायश्चित्तं चरितव्यम्) सदा [बुरा काम होने पर] प्रायश्चित्त करना चाहिए, (हि) क्योंकि (अनिष्कृत-एनसः) पाप-शुद्धि किये बिना मनुष्य (निन्द्यैः लक्षणैः युक्ताः जायन्ते) निन्दनीय लक्षणों से युक्त हो जाते हैं या मरकर पुनर्जन्म में होते हैं ॥ ५३ ॥

महापातकों का वर्णन—

ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमः ।
महान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्चापि तैः सह ॥ ५४ ॥

(ब्रह्महत्या, सुरापानं, स्तेयं, गुरु-अङ्गनागमः) ब्रह्महत्या, मद्यपान, चोरी और गुरुपत्नीगमन, (महान्ति पातकानि + आहुः) ये चार महापातक कहलाते हैं (च) और (तैः सह संसर्गः अपि) इनके साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध रखना, ये भी महापातक हैं ॥ ५४ ॥

महापातकों के समान कर्म—

अनृतं च समुत्कर्षे राजगामि च पैशुनम् ।
गुरोश्चालीकनिर्बन्धः समानि ब्रह्महत्यया ॥ ५५ ॥

(समुत्कर्षे अनृतम्) अपनी उन्नति करने के लिए असत्याचरण (राजगामि पैशुनम्) राजा से चुगलखोरी करना, (च) और (गुरोः अलीकनिर्बन्धः) गुरु से झूठ बोलना, ये (ब्रह्महत्यया समानि) ब्रह्महत्या के समान पातक हैं ॥ ५५ ॥

ब्रह्मोज्झता वेदनिन्दा कौटसाक्ष्यं सुहृद्वधः ।
गर्हितानाद्ययोर्जग्धिः सुरापानसमानि षट् ॥ ५६ ॥

(ब्रह्म-उज्झता, वेदनिन्दा) वेदों का त्याग, वेदों की निन्दा (कौटसाक्ष्यं सुहृद्-वधः) झूठी गवाही देना, मित्र की हत्या करना, (गर्हित-अनाद्ययोः जग्धिः) निन्दित और अभक्ष्य पदार्थों का खाना, ये (षट् सुरापानसमानि) छह मद्यपान के समान पातक हैं ॥ ५६ ॥

निक्षेपस्यापहरणं नराश्वरजतस्य च ।
भूमिवज्रमणीनां च हरणस्तेयसमं स्मृतम् ॥ ५७ ॥

(निक्षेपस्य + अपहरणम्) धरोहर को हड़पना, (नर-अश्व-रजतस्य-भूमि-वज्र-मणीनां च) मनुष्य, घोड़ा, चांदी, भूमि, हीरा और मणियों का अपहरण करना (हरण-स्तेयसमं स्मृतम्) सुवर्णचोरी के समान हैं ॥ ५७ ॥

रेतः सेकः स्वयोनीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च ।
सख्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु गुरुतल्पसमं विदुः ॥ ५८ ॥

(स्वयोनीषु अन्त्यजासु सख्युः च पुत्रस्य स्त्रीषु रेतः सेकः) अपनी सगी बहन, कुमारी, चण्डाली, मित्र और पुत्र की पत्नी से संभोग करना, ये (गुरुतल्पसमं विदुः) गुरुपत्नीगमन के समान पातक हैं ॥ ५८ ॥

उपपातकों का वर्णन—

गोवधोऽभाज्यसंयाज्यपारदार्यात्मविक्रयाः ।
गुरुमातृपितृत्यागः स्वाध्यायाग्न्योः सुतस्य च ॥ ५९ ॥

(गोवधः+अयाज्यसंयाज्य-पारदार्य-आत्मविक्रयाः) गोहत्या, यज्ञ कराने के अयोग्यों के यहां यज्ञ कराना, परस्त्रीगमन, अपनी आत्मा को बेचना, (गुरु-मातृ-पितृ-त्यागः) गुरु, माता, पिता को छोड़ देना, (च) और (स्वाध्याय-अग्न्योः सुतस्य) स्वाध्याय, अग्निहोत्र, बेटे को छोड़ देना, [ये उपपातक हैं] ॥ ५९ ॥

परिवित्तिताऽनुजेऽनूढे परिवेदनमेव च ।
तयोर्दानं च कन्यायास्तयोरेव च याजनम् ॥ ६० ॥

(परिवित्तिता+अनुजे+अनूढे) परिवित्ति=वह बड़ा भाई जिससे पहले उसके छोटे भाई ने विवाह कर लिया हो (च) और (परिवेदनम्+एव) परिवेत्ता =बड़े भाई से पूर्व विवाह करने वाला छोटा भाई [३।१७१] (तयोः कन्यादानं च तयोः याजनम्) इन दोनों को कन्या देना और इनके यहां यज्ञ कराना ॥ ६० ॥

कन्यायाः दूषणं चैव वार्धुष्यं व्रतलोपनम् ।
तडागारामदाराणामपत्यस्य च विक्रयः ॥ ६१ ॥

(कन्यायाः दूषणम्) कौमार्य भंग करके कन्या को दूषित कर देना, (वार्धुष्यम्) ब्याज कमाना, (व्रतलोपनम्) ब्रह्मचर्य आदि व्रत को नष्ट करना, (तडाग-आराम-दाराणाम् च अपत्यस्य विक्रयः) तालाब, बगीचा, स्त्री और पुत्र को बेचना ॥ ६१ ॥

व्रात्यता बान्धवत्यागो भृत्याध्यापनमेव च ।
भृत्या चाध्ययनादानमपण्यानां च विक्रयः ॥ ६२ ॥

(व्रात्यता) व्रात्य होना [२।३९], (बान्धवत्यागः) सम्बन्धियों को त्यागना, (भृत्या+अध्यापनम्+एव) वेतन लेकर पढ़ाना, (भृत्या अध्ययन+आदानम्) वेतन देकर पढ़ना (च) और (अपण्यानां विक्रयः) न बेचने योग्य पदार्थों को बेचना ॥६२॥

सर्वाकरेष्वधीकारो महायन्त्रप्रवर्तनम् ।
हिंसौषधीनां स्त्र्याजीवोऽभिचारो मूलकर्म च ॥ ६३॥

(सर्व-आकरेषु+अधीकारः) सभी खानों पर अधिकार करना, (महायन्त्र-प्रवर्तनम्) बड़े-बड़े यन्त्रों का प्रारम्भ करना, (ओषधीनां हिंसा) ओषधियों को नष्ट करना, (स्त्र्याजीवः) स्त्री से परपुरुष-संभोग, नृत्य आदि कराकर जीविका चलाना, (अभिचारः) मारण आदि कर्म रचना, (च) और (मूलकर्म) वशीकरण करना ॥६३॥

इन्धनार्थमशुष्काणां द्रुमाणामवपातनम् ।
आत्मार्थं च क्रियारम्भो निन्दितान्नादनं तथा ॥ ६४ ॥

(इन्धनार्थम्) इन्धन के लिए (अशुष्काणां द्रुमाणाम्+अवपातनम्) हरे पेड़ों को काटना (आत्मार्थं क्रिया-आरम्भः) प्रत्येक कार्य अपने स्वार्थ की सिद्धि के उद्देश्य से करना (तथा निन्दित-अन्न-अदनम्) तथा निन्दित अन्न खाना ॥ ६४ ॥

अनाहिताग्निता स्तेयमृणानामनपक्रिया।
असच्छास्त्राधिगमनं कौशीलव्यस्य च क्रिया॥ ६५॥

(अन-आहिताग्निता स्तेयम्+ऋणानाम्+अनपक्रिया) यज्ञ करने में उपेक्षा-भाव, चोरी करना, ऋण लेकर न लौटाना, (असत्-शास्त्र-अधिगमनम्) मिथ्या शास्त्रों को पढ़ना, (च) और (कौशीलव्यस्य क्रिया) नाच-गान-वाद्य का काम करना॥ ६५॥

धान्यकुप्यपशुस्तेयं मद्यपस्त्रीनिषेवणम्।
स्त्रीशूद्रविट्क्षत्रवधो नास्तिक्यं चोपपातकम्॥ ६६॥

(धान्य-कुप्य-पशु-स्तेयम्) धान्य, तांबा आदि धातु और पशुओं की चोरी करना, (मद्यप-स्त्रीनिषेवणम्) शराबी स्त्री के साथ संभोग करना, (स्त्री-शूद्र-विट्-क्षत्र-वधः) स्त्री, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय की हत्या करना, (च) और (नास्तिक्यम्) नास्तिक-भाव (उपपातकम्) ये सब [११।५९–६६] उपपातक कहलाते हैं॥ ६६॥

जातिभ्रंशकारक कर्म—

ब्राह्मणस्य रुजः कृत्वा घ्रातिरघ्रेयमद्ययोः।
जैह्म्यं च मैथुनं पुंसि जातिभ्रंशकरं स्मृतम्॥ ६७॥

(ब्राह्मणस्य रुजः कृत्वा) ब्राह्मण को पीड़ा पहुंचाना (अघ्रेयमद्ययोः घ्रातिः) न सूंघने योग्य वस्तुओं और मद्य को सूंघना, (जैह्मयम्) कुटिलता (च) और (पुंसि मैथुनम्) पुरुष के साथ मैथुन करना, ये (जातिभ्रंशकरं स्मृतम्) जातिभ्रष्ट करने वाले कर्म हैं॥ ६७॥

वर्णसंकर बनाने वाले कर्म—

खराश्वोष्ट्रमृगेभानामजाविकवधस्तथा।
संकरीकरणं ज्ञेयं मीनाहिमहिषस्य च॥ ६८॥

(खर-अश्व-उष्ट्र-मृग-इभानाम्+अजा-अविक-वधः) गधा, घोड़ा, ऊंट, मृग, हाथी, बकरी, भेड़ की हत्या करना (तथा मीन-अहि-महिषस्य च) तथा मछली, सांप और भैंस इनकी हत्या करना, (संकरीकरणं ज्ञेयम्) ये वर्णसंकर बनाने वाले कर्म हैं॥ ६८॥

अपात्र करने वाले कर्म—

निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिज्यं शूद्रसेवनम्।
अपात्रीकरणं ज्ञेयमसत्यस्य च भाषणम्॥ ६९॥

(निन्दितेभ्यः धन-आदानम्) निन्दित व्यक्तियों से धन लेना, (वाणिज्यम्) व्यापार करना, (शूद्रसेवनम्) शूद्र की सेवा करना, (च) और (असत्यस्य भाषणम्) झूठ बोलना, ये (अपात्रीकरणं ज्ञेयम्) अपात्र करने वाले कर्म हैं॥ ६९॥

मलिन करने वाले कर्म—

कृमिकीटवयोहत्या मद्यानुगतभोजनम् ।
फलैधःकुसुमस्तेयमधैर्यं च मलावहम् ॥ ७० ॥

(कृमि-कीट-वयः+हत्या) छोटे कीड़े, बड़े कीड़े, पक्षी इनकी हत्या करना, (मद्य अनुगत-भोजनम्) मद्य के साथ लाये हुए पदार्थ को खाना, (फल-एधः-कुसुम-स्तेयम्) फल, लकड़ी, फूलों की चोरी (च) और (अधैर्यम्) उग्रता करना, ये (मल-आवहम्) मलिन करने वाले कर्म हैं ॥ ७० ॥

महापातकों और उपपातकों के प्रायश्चित्त—

एतान्येनांसि सर्वाणि यथोक्तानि पृथक्पृथक् ।
यैर्यैर्व्रतैरपोह्यन्ते तानि सम्यङ् निबोधत ॥ ७१ ॥

(एतानि सर्वाणि एनांसि) ये सब [११ । ५४–७०] पाप (पृथक्-पृथक् यथा +उक्तानि) पृथक्-पृथक् और सही-सही कहे, अब (यैः यैः व्रतैः+अपोह्यन्ते) जिन-जिन प्रायश्चित्तों से ये पाप नष्ट होते हैं (तानि सम्यक् निबोधत) उन्हें अच्छी प्रकार सुनो—॥ ७१ ॥

ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त—

ब्रह्महा द्वादशसमाः कुटीं कृत्वा वने वसेत् ।
भैक्षाशी आत्मविशुद्ध्यर्थं कृत्वा शवशिरोध्वजम् ॥ ७२ ॥

(ब्रह्महा) ब्रह्महत्यारा (आत्मविशुद्ध्यर्थम्) अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए (शवशिरः ध्वजं कृत्वा) कटे हुए सिर का चिह्न अंकित करके या उस चिह्न की पताका रखते हुए (भैक्षाशी) भिक्षा मांगकर रहते हुए (द्वादशसमाः) बारह वर्ष तक (वने) वन में (कुटीं कृत्वा वसेत्) कुटिया बनाकर रहे ॥ ७२ ॥

लक्ष्यं शस्त्रभृतां वा स्याद्विदुषामिच्छयाऽऽत्मनः ।
प्रास्येदात्मानमग्नौ वा समिद्धे त्रिरवाक्शिराः ॥ ७३ ॥

(वा) अथवा ब्रह्महत्यारा (आत्मनः इच्छया) अपनी हार्दिक इच्छा से (शस्त्र-भृतां विदुषां लक्ष्यं स्यात्) शस्त्रधारी विद्वानों का निशाना बन जाए अर्थात् स्वयं उनके सामने जाकर अपने को नष्ट कर ले (वा) अथवा (समिद्धे अग्नौ) जलती हुई आग में (त्रिः+अवाक्शिराः) तीन बार नीचे को सिर करके (आत्मानं प्रास्येत्) अपने को फेंके [इस प्रकार या तो जलकर मर जायेगा, यदि बचा भी रहेगा तो उसका प्राय-श्चित्त पूर्ण हो जाएगा] ॥ ७३ ॥

यजेत वाऽश्वमेधेन स्वर्जिता गोसवेन वा ।
अभिजिद्विश्वजिद्भ्यां च त्रिवृताग्निष्टुताऽपि वा ॥ ७४ ॥

(वा) अथवा (अश्वमेधेन स्वर्जिता गोसवेन अभिजित्-विश्वजिद्भ्यां त्रिवृता

अपि वा अग्निष्टुता यजेत) अश्वमेध, स्वर्जित्, गोसव, अभिजित्, त्रिवृत् या अग्निष्टुत् यज्ञ करे ॥ ७४ ॥

जपन्नाऽन्यतमं वेदं योजनानां शतं व्रजेत् ।
ब्रह्महत्याऽपनोदाय मितभुङ् नियतेन्द्रियः ॥ ७५ ॥

(वा) अथवा (ब्रह्महत्या+अपनोदाय) ब्रह्महत्या के पाप को दूर करने के लिए (मितभुङ् जितेन्द्रियः) स्वल्पाहारी और जितेन्द्रिय होकर (अन्यतमं वेदं जपन्) किसी एक वेद का जप करता हुआ (योजनानां शतं व्रजेत्) सौ कोस पैदल चले ॥ ७५ ॥

सर्वस्वं वेदविदुषे ब्राह्मणायोपपादयेत् ।
धनं वा जीवनायालं गृहं वा सपरिच्छदम् ॥ ७६ ॥

(वा) अथवा (सर्वस्वम्) अपनी धन-सम्पत्ति (वेदविदुषे ब्राह्मणाय उपपादयेत्) वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को दान में दे दे (वा) अथवा (जीवनाय+अलं धनम्) किसी ब्राह्मण को जीवनपर्यन्त जीने के लिए पर्याप्त धन या (सपरिच्छदं गृहम्) सब वस्तुओं से युक्त घर दान में दे ॥ ७६ ॥

हविष्यभुग्वाऽनुसरेत्प्रतिस्रोतः सरस्वतीम् ।
जपेद्वा नियताहारस्त्रिर्वै वेदस्य संहिताम् ॥ ७७ ॥

(वा) अथवा (हविष्यभुक्) हविष्य अन्न—नीवार आदि खाता हुआ (प्रतिस्रोतः सरस्वतीम् अनुसरेत्) किसी प्रसिद्ध स्रोत से चलकर सरस्वती नदी के समाप्ति-स्थान तक जाये (वा) या (नियताहारः वै) थोड़ा भोजन करके रहते हुए (वेदस्य संहितां त्रिः जपेत्) वेद की किसी संहिता का तीन बार जप करे ॥७७॥

कृतवापनो निवसेद् ग्रामान्ते गोव्रजेऽपि वा ।
आश्रमे वृक्षमूले वा गोब्राह्मणहिते रतः ॥ ७८ ॥

(वा) अथवा (गो-ब्राह्मणहिते रतः) गौओं और ब्राह्मणों के हित में लगा (कृतवापनः) सिर मुंडाकर (ग्रामान्ते गोव्रजे आश्रमे वा वृक्षमूले निवसेत्) गांव के पास, गोशाला, आश्रम या वृक्ष के नीचे [१२ वर्ष तक] निवास करे ॥ ७८ ॥

ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा सद्यः प्राणान्परित्यजेत् ।
मुच्यते ब्रह्महत्याया गोप्ता गोब्राह्मणस्य च ॥ ७९ ॥

(वा) अथवा (ब्राह्मणार्थे गवार्थे) ब्राह्मण और गौ की रक्षा के लिए (सद्य प्राणान् परित्यजेत्) [उन पर किसी आपत्ति का अवसर आने पर] तत्काल अपने प्राणों की बाजी लगा दे (च) और (गो-ब्राह्मणस्य गोप्ता) [इस प्रकार जीवित रह जाने पर भी] वह गौ, ब्राह्मण का रक्षक मनुष्य (ब्रह्महत्यायाः मुच्यते) ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है ॥ ७९ ॥

त्रिवारं प्रतिरोद्धा वा सर्वस्वमवजित्य वा ।
विप्रस्य तन्निमित्ते वा प्राणालाभे विमुच्यते ॥ ८० ॥

(वा) अथवा [चोरों-डाकुओं द्वारा ब्राह्मण के यहां धन चुराने के अवसर पर] (त्रिवारं प्रतिरोद्धा) तीन बार ब्राह्मण के धन को चोरों से बचाने वाला, (वा) या (सर्वस्वम्+अवजित्य) चुरा लेने पर सारे धन को उनसे जीतकर लौटा लाने वाला (वा) अथवा (विप्रस्य तन्निमित्ते प्राणालाभे) ब्राह्मण के प्रयोजन के लिए प्राणों को न्यौछावर करने वाला (विमुच्यते) ब्रह्महत्या के पाप से छूट जाता है ॥ ८० ॥

एवं दृढव्रतो नित्यं ब्रह्मचारी समाहितः ।
समाप्ते द्वादशे वर्षे ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ ८१ ॥

(एवम्) इस प्रकार [११ । ७२–८०] (नित्यं दृढव्रतः) सदा व्रत को दृढ़ता से पालन करता हुआ, (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचर्य से रहता हुआ, (समाहितः) एकाग्रचित्त रहता हुआ ब्रह्महत्यारा (द्वादशे वर्षे समाप्ते) बारह वर्ष पूर्ण होने पर (ब्रह्महत्यां व्यपोहति) ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है ॥ ८१ ॥

शिष्ट्वा वा भूमिदेवानां नरदेवसमागमे ।
स्वमेनोऽवभृथस्नातो हयमेधे विमुच्यते ॥

(वा) अथवा (हयमेधे) अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर (भूमिदेवानां नरदेव-समागमे) राजाओं के और ब्राह्मणों के एकत्रित होने पर (स्वम्+एनः शिष्ट्वा) अपने पाप को कहकर (अवभृथस्नातः) अवभृथस्नान=यज्ञ-समाप्ति पर किये जाने वाले स्नान को करने के पश्चात् (विमुच्यते) ब्रह्महत्या के पाप से छूट जाता है ॥८२॥

धर्मस्य ब्राह्मणो मूलमग्रं राजन्य उच्यते ।
तस्मात्समागमे तेषामेनो विख्याप्य शुद्ध्यति ॥ ८३ ॥

(धर्मस्य मूलं ब्राह्मणः) धर्म के मूल ब्राह्मण होते हैं, और (अग्रं राजन्यः उच्यते) धर्म के अग्रभाग क्षत्रिय-राजा होते हैं (तस्मात्) इसी कारण (तेषां समागमे) उनके एकत्र होने पर, ब्रह्महत्यारा (एनः विख्याप्य शुद्ध्यति) अपने पाप को प्रसिद्ध करके शुद्ध हो जाता है ॥ ८३ ॥

ब्राह्मणः सम्भवेनैव देवानामपि दैवतम् ।
प्रमाणं चैव लोकस्य ब्राह्मश्चैव हि कारणम् ॥ ८४ ॥

(ब्राह्मणः सम्भवेन+एव) ब्राह्मण उत्पत्तिकाल अर्थात् जन्म से ही (देवा-नाम्+अपि दैवतम्) देवताओं का भी बड़ा देवता है (च) और (लोकस्य प्रमाणम्) लोक अर्थात् मनुष्यों का प्रमाणरूप है, (हि अत्र ब्रह्म एव कारणम्) क्योंकि इसमें वेद ही कारण है ॥ ८४ ॥

तेषां वेदविदो ब्रूयुस्त्रयोऽप्येनः सुनिष्कृतम् ।
सा तेषां पावनाय स्यात्पवित्रा विदुषां हि वाक् ॥ ८५ ॥

(तेषां त्रयः वेदविदः) उन ब्राह्मणों में तीन वेद के वेत्ता ब्राह्मण (अपि+एनः सुनिष्कृतं ब्रूयुः) जो भी पापों का प्रायश्चित्त कहें (सा तेषां पावनाय स्यात्) वही प्रायश्चित्त उनको पवित्र करने वाला है (हि) क्योंकि (विदुषां वाक् पवित्रा) विद्वानों की वाणी पवित्र होती है ॥ ८५ ॥

अतोऽन्यतममास्थाय विधिं विप्रः समाहितः ।
ब्रह्महत्याकृतं पापं व्यपोहत्यात्मवत्तया ॥ ८६ ॥

(अतः) इसीलिए (विप्रः) ब्राह्मण आदि पापकर्त्ता (समाहितः) सावधान होकर (अन्यतमं विधिम्+आस्थाय) उपर्युक्त विधियों में से किसी एक प्रायश्चित्त-विधि को अपनाकर (आत्मवत्-तया) आत्मशुद्धि करके (ब्रह्महत्याकृतं पापं व्यपोहति) ब्रह्महत्या के पाप से छूट जाता है ॥ ८६ ॥

हत्वा गर्भमविज्ञातमेतदेव व्रतं चरेत् ।
राजन्यवैश्यौ चेजानावात्रेयीमेव च स्त्रियम् ॥ ८७ ॥

(अविज्ञातं गर्भम्) अनजाने में गर्भ को, (इजानौ राजन्यवैश्यौ) यज्ञ करते हुए क्षत्रिय वैश्यों को, (च) और (आत्रेयीम्+एव स्त्रियम्) रजस्वला स्त्री को (हत्वा) मारने के बाद (एतत्+एव व्रतं चरेत्) यही ब्रह्महत्या वाले प्रायश्चित्त करे ॥ ८७ ॥

उक्त्वा चैवानृतं साक्ष्ये प्रतिरुध्य गुरुं तथा ।
अपहृत्य च निःक्षेपं कृत्वा च स्त्रीसुहृद्वधम् ॥ ८८ ॥

(साक्ष्ये अनृतं उक्त्वा) गवाही में झूठ बोलकर (तथा गुरुं प्रतिरुध्य) और गुरु पर मिथ्या दोष लगाकर (निक्षेपम् अपहृत्य) धरोहर को हड़पकर (च) और (स्त्री-सुहृद्वधं कृत्वा) स्त्री तथा मित्र की हत्या करके भी उपर्युक्त प्रायश्चित्त करे ॥ ८८ ॥

इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम् ।
कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिर्न विधीयते ॥ ८९ ॥

(अकामतः द्विजं प्रमाप्य) अनिच्छापूर्वक ब्राह्मण की हत्या करने पर (इयं विशुद्धिः+उदिता) यह पाप-शुद्धि कही है, (कामतः ब्राह्मणवधे) इच्छापूर्वक ब्रह्म-हत्या करने पर (निष्कृतिः न विधीयते) उसका कोई प्रायश्चित्त नहीं होता अर्थात् वह पाप प्रायश्चित्तों से भी शुद्ध नहीं होता ॥ ८९ ॥

सुरापान का प्रायश्चित्त—

सुरां पीत्वा द्विजो मोहादग्निवर्णां सुरां पिबेत् ।
तया स काये निर्दग्धे मुच्यते किल्बिषात्ततः ॥ ९० ॥

(द्विजः) ब्राह्मण (मोहात्) मोहवश (सुरां पीत्वा) मद्यपान करके (अग्निवर्णां सुरां पिबेत्) आग के समान तपती शराब पीये (तया काये निर्दग्धे) उस तपती शराब से उसका मुख-गला आदि जलने पर (सः ततः किल्बिषात् मुच्यते) वह उस मद्यपान के पाप से मुक्त हो जाता है ॥ ९० ॥

गोमूत्रमग्निवर्णं वा पिबेदुदकमेव वा ।
पयो घृतं वाऽऽमरणाद् गोशकृद्रसमेव वा ॥ ९१ ॥

(वा) अथवा (अग्निवर्णं गोमूत्रम् उदकं पयः घृतं वा गोशकृत्रसम्) तपते हुए गोमूत्र, जल, दूध, घी अथवा गोबर के रस को (आमरणात् पिबेत्) जब तक मर न जाये तब तक पीये ॥ ९१ ॥

कणान्वा भक्षयेदब्दं पिण्याकं वा सकृन्निशि ।
सुरापानापनुत्त्यर्थं बालवासा जटी ध्वजी ॥ ९२ ॥

(वा) अथवा (सुरापान-अपनुत्त्यर्थम्) शराब पीने के पाप से छूटने के लिए (बालवासा जटी ध्वजी) बालों से बने वस्त्र पहनकर, जटाएं धारण करके, सुरापात्र का चिह्न या ध्वजा रखते हुए (अब्दम्) एक वर्ष पर्यन्त (निशि सकृत्) रात के समय एक बार (कणान् वा पिण्याकम्) चावल के कणों को चुगकर वा तिल की खल (भक्षयेत्) खाये ॥ ९२ ॥

सुरां वै मलमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते ।
तस्माद् ब्राह्मणराजन्यौ वैश्यश्च न सुरां पिबेत् ॥ ९३ ॥

(अन्नाना वै मलं सुराम्) अन्नों के मल को 'सुरा' कहते हैं (च) और (मलं पाप्मा उच्यते) 'मल' 'पाप' को कहते हैं (तस्मात्) इस कारण अर्थात् सुरापान, पाप को ही पीना है, अतः (ब्राह्मण-राजन्यौ च वैश्यः) ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य (सुरां न पिबेत्) शराब न पीयें ॥ ९३ ॥

गौडी पैष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा ।
यथैवैका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमैः ॥ ९४ ॥

(गौडी, पैष्टी च माध्वी) गौडी = गुड़ से बनी, पैष्टी = आटे से बनी, माध्वी = महुए से बनी, (त्रिविधा सुरा विज्ञेया) ये तीन प्रकार की सुरा होती है। यथा + एव + एका तथा सर्वाः) जैसी एक है वैसी ही सब हैं अर्थात् सब बराबर हैं, अतः (द्विजोत्तमैः न पातव्याः) द्विजातियों को ये नहीं पीनी चाहिएं ॥ ९४ ॥

यक्षरक्षःपिशाचान्नं मद्यं मांसं सुराऽऽसवम् ।
तद् ब्राह्मणेन नात्तव्यं देवानामश्नता हविः ॥ ९५ ॥

(मद्यं मांसं सुरा + आसवम्) मद्य, मांस, सुरा आसव, ये (यक्ष-रक्षः-पिशाच-अन्नम्) यक्षों, राक्षसों और पिशाचों के खाने की वस्तुएं हैं, (देवानां हविः अश्नता

ब्राह्मणेन) देवताओं की हवि अर्थात् यज्ञशेष जैसा पवित्र भोजन करने वाले द्विजवर्ग को (तत् न+अत्तव्यम्) ये वस्तुएं नहीं खानी चाहिएँ ॥ ९५ ॥

अमेध्ये वा पतेन्मत्तो वैदिकं वाऽप्युदाहरेत् ।
अकार्यमन्यत्कुर्याद्वा ब्राह्मणो मदमोहितः ॥ ९६ ॥

क्योंकि (मदमोहितः ब्राह्मणः मत्तः) शराब के नशे में मतवाला हुआ ब्राह्मण शराब पीकर (अमेध्ये वा पतेत्) या तो गन्दगी में गिरेगा, (वा वैदिकम्+उदाहरेत्) अथवा वेदवाक्यों को बकेगा (वा) अथवा (अन्यत् अकार्यं कुर्यात्) और दूसरे न करने योग्य बुरे कार्य करेगा [इस कारण शराब नहीं पीनी चाहिए] ॥ ९६ ॥

यस्य कायगतं ब्रह्म मद्येनाप्लाव्यते सकृत् ।
तस्य व्यपैति ब्राह्मण्यं शूद्रत्वं च स गच्छति ॥ ९७ ॥

(यस्य कायगतं ब्रह्म) जिसका शरीर में निवास करने वाला जीवात्मा (सकृत् मद्येन+आप्लाव्यते) एक बार भी यदि शराब में डूब जाता है अर्थात् जो ब्राह्मण एक बार भी शराब पी लेता है (तस्य ब्राह्मण्यं व्यपैति) उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है (च) और (सः शूद्रत्वं गच्छति) वह शूद्र बन जाता है ॥ ९७ ॥

सुवर्ण-चोरी का प्रायश्चित्त—

एषा विचित्राऽभिहिता सुरापानस्य निष्कृतिः ।
अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि सुवर्णस्तेयनिष्कृतिम् ॥ ९८ ॥

(एषा) यह [११ । ९०–९७] (सुरापानस्य विचित्रा निष्कृतिः अभिहिता) शराब पीने की अनेक प्रकार की पापशुद्धि कही, (अतः+ऊर्ध्वम्) अब इसके बाद (सुवर्णस्तेयनिष्कृतिं प्रवक्ष्यामि) सोने की चोरी का प्रायश्चित्त कहूंगा—॥ ९८ ॥

[illegible] तु अभिगम्य)
[illegible] (अपनी चोरी को बतलाकर कहे कि
('भवान् माम् अनुशास्तु' इति) 'आप मुझे दण्ड दें' ॥ ९९ ॥

गृहीत्वा मुसलं राजा सकृद्धन्यात्तु तं स्वयम् ।
वधेन शुद्ध्यति स्तेनो ब्राह्मणस्तपसैव तु ॥ १०० ॥

तब (राजा मुसलं गृहीत्वा) राजा मुसल लेकर (स्वयं सकृत् हन्यात्) उसे एक बार मारे, इस प्रकार (वधेन) शारीरिक दण्ड से या इस स्थिति में मर भी जाने से (स्तेनः शुद्ध्यति) चोर शुद्ध हो जाता है (तु) किन्तु (ब्राह्मणः तपसा+एव) ब्राह्मण तप से ही शुद्ध हो जाता है अर्थात् ब्राह्मण को न मारे ॥ १०० ॥

तपसाऽपनुनुत्सुस्तु सुवर्णस्तेयजं मलम् ।
चीरवासा द्विजोऽरण्ये चरेद् ब्रह्महणो व्रतम् ॥ १०१ ॥

(सुवर्णस्तेयजं मलं तपसा+अपनुनुत्सु तु द्विजः) सोने की चोरी के पाप को प्रायश्चित्त रूपी तप से दूर करने की इच्छा वाला द्विज (चीरवासा) पुराने वस्त्रों को धारण करता हुआ (अरण्ये ब्रह्महणः व्रतं चरेत्) वन में जाकर ब्रह्महत्या वाला प्रायश्चित्त [११ । ७२] करे ॥ १०१ ॥

गुरुस्त्री-गमन का प्रायश्चित्त—

एतैर्व्रतैरपोहेत पापं स्तेयकृतं द्विजः ।
गुरुस्त्रीगमनीयं तु व्रतैरेभिरपानुदेत् ॥ १०२ ॥

(द्विजः एतैः व्रतैः) द्विज व्यक्ति उपर्युक्त व्रतों से [११ । ९९–१०१] (स्तेयकृतं पापम् अपोहेत) सुवर्ण-चोरी के पाप को दूर करे, (गुरुस्त्रीगमनीयं तु एभिः व्रतैः अपानुदेत्) गुरुस्त्रीगमन के पाप को इन निम्न वर्णित [१०३–१०६] व्रतों से दूर करे— ॥ १०२ ॥

गुरुतल्प्यभिभाष्यैनस्तप्ते स्वप्यादयोमये ।
सूर्मीं ज्वलन्तीं स्वाश्लिष्येन्मृत्युना स विशुद्ध्यति ॥ १०३ ॥

(गुरुतल्पी) गुरु की पत्नी से संभोग करने वाला व्यक्ति (एनः अभिभाष्य) अपने पाप को बतलाकर (तप्ते अयोमये स्वप्यात्) तपते हुए लोहे के पलंग पर सो जाय अथवा (ज्वलन्तीं सूर्मीं सु+आश्लिष्येत्) जलती हुई लोहे की स्त्रीमूर्ति को आलिङ्गनबद्ध करले, इस प्रकार (मृत्युना) मृत्यु होने से (सः विशुद्ध्यति) वह शुद्ध होता है ॥ १०३ ॥

स्वयं वा शिश्नवृषणावुत्कृत्याधाय चाञ्जलौ ।
नैर्ऋतीं दिशमातिष्ठेदानिपातादजिह्मगः ॥ १०४ ॥

[illegible] अपने लिङ्ग और अण्डकोश स्वयं काटकर (च) और (अञ्जलौ आधाय) उन्हें अंजलि में रखकर (अजिह्मगः) कुटिल भावना का त्याग करके (आनिपातात्) जब तक मरकर भूमि में न गिरजाये तब तक (नैर्ऋतीं दिशम्+आतिष्ठेत्) नैर्ऋत दिशा की ओर चलता रहे ॥ १०४ ॥

खट्वाङ्गी चीरवासा वा श्मश्रुलो विजने वने ।
प्राजापत्यं चरेत्कृच्छ्रमब्दमेकं समाहितः ॥ १०५ ॥

(वा) अथवा (खट्वाङ्गी) 'खट्वाङ्ग'=खाट के चिह्न से युक्त ध्वजा को धारण किये हुये, (चीरवासा) पुराने वस्त्र पहने (श्मश्रुलः) जटाएं रखे (विजने वने) निर्जन वन में जाकर (समाहितः) एकाग्र होकर (एकम् अब्दं प्राज्यापत्यं कृच्छ्रं चरेत्) एक वर्ष तक 'प्राजापत्य' नामक [११ । २११] कृच्छ्रव्रत को करे ॥ १०५ ॥

चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यस्येन्नियतेन्द्रियः ।
हविष्येण यवाग्वा वा गुरुतल्पापनुत्तये ॥ १०६ ॥

(वा) अथवा (गुरुतल्पापनुत्तये) गुरुस्त्रीगमन के पाप की शुद्धि के लिए (नियतेन्द्रियः) जितेन्द्रिय होकर, (हविष्येण वा यवाग्वा) हविष्यान्न वा लपसी खाते हुए (त्रीन् मासान् चान्द्रायणम् अभ्यस्येत्) तीन मास तक 'चान्द्रायण' व्रत [११। २१६–२२०] करे ॥ १०६ ॥

उपपातकियों के प्रायश्चित्त—

एतैर्व्रतैरपोहेयुर्महापातकिनो मलम् ।
उपपातकिनस्त्वेवमेभिर्नानाविधैर्व्रतैः ॥ १०७ ॥

(महापातकिनः) महापातकी लोग (एतैः व्रतैः मलम् अपोहेयुः) इन पूर्वोक्त [११। ७२–१०६] प्रायश्चित्तों से अपने पापों को दूर करें, और (उपपातकिनः तु) उपपातकी लोग [११। ५९–६६] (एभिः नानाविधैः व्रतैः एवम्) निम्नवर्णित अनेक-प्रकार के व्रतों से इस प्रकार अपने पापों को दूर करें— ॥ १०७ ॥

उपपातकसंयुक्तो गोघ्नो मासं यवान्पिबेत् ।
कृतवापो वसेद्गोष्ठे चर्मणा तेन संवृतः ॥ १०८ ॥

(उपपातकसंयुक्तः गोघ्नः) उपपातक से संयुक्त गो-हत्यारा (कृतवापः) मुण्डन कराकर (तेन चर्मणा संवृतः) गौ के चमड़े को ओढ़े रहकर (यवान् पिबेत्) यवों = जौ को पीता हुआ (मासं गोष्ठे वसेत्) एक मास तक गोशाला में निवास करे ॥ १०८ ॥

चतुर्थकालमश्नीयादक्षारलवणं मितम् ।
गोमूत्रेणाचरेत्स्नानं द्वौ मासौ नियतेन्द्रियः ॥ १०९ ॥

इसके बाद (द्वौ मासौ) दो मास तक (नियतेन्द्रियः) जितेन्द्रिय होकर (गोमूत्रेण स्नानम् आचरेत्) गोमूत्र से स्नान करता हुआ (चतुर्थकालं मितम् अक्षारलवणम् अश्नीयात्) चौथे काल में थोड़ा एवं खटाई-नमक से रहित भोजन करे [एक बार खाकर तीन जून = भोजन समय न खाये इस प्रकार चौथे काल भोजन करे] ॥ ११० ॥

दिवाऽनुगच्छेद् गास्तास्तु तिष्ठन्नूर्ध्वं रजः पिबेत् ।
शुश्रूषित्वा नमस्कृत्य रात्रौ वीरासनं वसेत् ॥ ११० ॥

(दिवा ताः तु गाः + अनुगच्छेत्) दिन में उन गौशाला की गौओं के पीछे जाये, (तिष्ठत् + ऊर्ध्वं रजः पिबेत्) उनके रुकने पर उनके पीछे रुककर चलने से उठने वाली धूल का पान करे, (शुश्रूषित्वा) उनकी सेवा करके (रात्रौ नमस्कृत्य वीरासनं वसेत्) रात में उन्हें नमस्कार करके वीरासन से बैठा रहे ॥ ११० ॥

तिष्ठन्तीष्वनुतिष्ठेत्तु व्रजन्तीष्वप्यनुव्रजेत् ।
आसीनासु तथाऽऽसीनो नियतो वीतमत्सरः ॥ १११ ॥

(नियतः वीतमत्सरः) नियमानुसार प्रतिदिन, क्रोधरहित होकर (तिष्ठन्तीषु +अनुतिष्ठेत्) उन गौओं के खड़ा होने पर खड़ा हो जाये, (व्रजन्तीषु+अपि+अनुव्रजेत्) चलने पर उनके पीछे चले, (तथा) उसी प्रकार (आसीनासु आसीनः) उनके बैठने पर बैठजाये ॥ १११ ॥

आतुरामभिशस्तां वा चौरव्याघ्रादिभिर्भयैः ।
पतितां पङ्कलग्नां वा सर्वोपायैर्विमोचयेत् ॥ ११२ ॥

(आतुराम्) रोगी (वा) अथवा (चौर-व्याघ्र-आदिभिः भयैः अभिशस्ताम्) चोर, बाघ आदि के भय से डरी हुई (वा) अथवा (पतिताम्) गिरी हुई, अथवा (पङ्कलग्नाम्) कीचड़ में फंसी हुई गौ को (सर्व-उपायैः विमोचयेत्) सब उपायों से छुड़ाये ॥ ११२ ॥

उष्णे वर्षति शीते वा मारुते वाति वा भृशम् ।
न कुर्वीतात्मनस्त्राणं गोरकृत्वा तु शक्तितः ॥ ११३ ॥

(उष्णे, वर्षति वा शीते) अत्यधिक गर्मी, वर्षा व सर्दी होने पर (वा मारुते भृशं वाति) तेज आँधी चलने पर (शक्तितः) यथाशक्ति (गोः अत्राणं कृत्वा) गौ की रक्षा बिना किये (आत्मनः न कुर्वीत) अपनी रक्षा न करे अर्थात् गौ की ही रक्षा करे ॥ ११३ ॥

आत्मनो यदि वाऽन्येषां गृहे क्षेत्रेऽथवा खले ।
भक्षयन्तीं न कथयेत्पिबन्तं चैव वत्सकम् ॥ ११४ ॥

(आत्मनः यदि वा+अन्येषाम्) अपना या दूसरे के (गृहे क्षेत्रे अथवा खले) घर, खेत या खलिहान में (भक्षयन्तीं च पिबन्तं वत्सकम्) चारा खाती हुई और दूध पीते हुए बछड़े को (न कथयेत्) न हटाये ॥ ११४ ॥

अनेन विधिना यस्तु गोघ्नो गामनुगच्छति ।
स गोहत्याकृतं पापं त्रिभिर्मासैर्व्यपोहति ॥ ११५ ॥

(यस्तु गोघ्नः) जो गोहत्यारा (अनेन विधिना गाम्+अनुगच्छति) इस पूर्वोक्त विधि [११ । १०८–११४] से गौओं की सेवा करता है (सः) वह (त्रिभिः मासैः) तीन मास के अन्दर (गोहत्याकृतं पापं व्यपोहति) गोहत्या के किये पाप को नष्ट कर देता है ॥ ११५ ॥

वृषभैकादशा गाश्च दद्यात्सुचरितव्रतः ।
अविद्यमाने सर्वस्वं वेदविद्भ्यो निवेदयेत् ॥ ११६ ॥

इस प्रकार (सुचरितव्रतः) अच्छी प्रकार व्रत करने के बाद वह (वृषभएकादशाः-

गाः वेदविद्भ्यः दद्यात्) एक सांड और दश गायें वेद के विद्वान् ब्राह्मण को दान में देवे (अविद्यमाने) इनके न होने पर (सर्वस्वं निवेदयेत्) अपना अन्य सब धन ब्राह्मणों को दान कर दे ॥ ११६ ॥

एतदेव व्रतं कुर्युरुपपातकिनो द्विजाः ।
अवकीर्णिवर्ज्यं शुद्ध्यर्थं चान्द्रायणमथापि वा ॥ ११७ ॥

(अवकीर्णिवर्ज्यम्) 'अवकीर्णी' नामक [११ । १२०] पापी को छोड़कर (उपपातकिनः द्विजाः) शेष उपपातकी द्विज [११ । ५९–६०] (शुद्धयर्थम्) अपनी पापशुद्धि के लिए (एतत् + एव व्रतं कुर्युः) यही गौहत्या वाला प्रायश्चित्त [११ । १०८–११५] करें (वा) अथवा (चान्द्रायणम् + अथ + अपि) 'चान्द्रायण' [११।२१६–२१९] व्रत को करें ॥ ११७ ॥

अवकीर्णी का प्रायश्चित्त—

अवकीर्णी तु काणेन गर्दभेन चतुष्पथे ।
पाकयज्ञविधानेन यजेत निर्ऋतिं निशि ॥ ११८ ॥

(अवकीर्णी तु) अवकीर्णी [११ । १२०] पुरुष (काणेन गर्दभेन) काणे गधे पर चढ़कर (चतुष्पथे) चौराहे पर जाकर वहां (पाकयज्ञ-विधानेन) पाकयज्ञविधि से (निशि निर्ऋतिं यजेत) रात के समय 'निर्ऋति' नाम देवता के उद्देश्य से यज्ञ करे ॥ ११८ ॥

हुत्वाऽग्नौ विधिवद्धोमानन्ततश्च समेत्यृचा ।
वातेन्द्रगुरुवह्नीनां जुहुयात्सर्पिषाऽऽहुतीः ॥ ११९ ॥

(विधिवत् अग्नौ होमान् हुत्वा) विधि के अनुसार अग्नि में हवन करके (अन्ततः) उसके बाद ('समा' इति ऋचा) 'समासिञ्चन्तु मरुतः··· ·····'इस मन्त्र से (वात-इन्द्र-गुरु-वह्नीनां सर्पिषा + आहुतीः जुहुयात्) वायु, इन्द्र, गुरु तथा अग्नि के उद्देश्य से घी की आहुति देकर हवन करे ॥ ११९ ॥

कामतो रेतसः सेकं व्रतस्थस्य द्विजन्मनः ।
अतिक्रमं व्रतस्याहुर्धर्मज्ञा ब्रह्मवादिनः ॥ १२० ॥

(व्रतस्थस्य द्विजन्मनः) ब्रह्मचर्यावस्था में रहने वाला जो द्विज (कामतः रेतसः सेकम्) इच्छापूर्वक किसी स्त्री से संभोग करता है (धर्मज्ञाः ब्रह्मवादिनः) धार्मिक ब्रह्मवेत्ता लोग उसके इस कार्य को (व्रतस्य अतिक्रमम् आहुः) 'व्रत का अतिक्रमण करना' मानते हैं, यही व्यक्ति 'अवकीर्णी' होता है ॥ १२० ॥

मारुतं पुरुहूतं च गुरुं पावकमेव च ।
चतुरो व्रतिनोऽभ्येति ब्राह्मं तेजोऽवकीर्णिनः ॥ १२१ ॥

(अवकीर्णिनः व्रतिनः ब्राह्मं तेजः) संभोग से व्रत को भंग करने वाले व्रतदीक्षित

द्विज का ब्राह्मतेज =ब्रह्मचर्यकाल में अर्जित तेज (मारुतं पुरुहूतं गुरुं च पावकम्+एव चतुरः अभ्येति) वायु, इन्द्र, गुरु और अग्नि इन चारों के पास चला जाता है अर्थात् उसका अर्जित तेज नष्ट हो जाता है।। १२१ ।।

एतस्मिन्नेनसि प्राप्ते वसित्वा गर्दभाजिनम् ।
सप्तागारांश्चरेद्भैक्षं स्वकर्म परिकीर्तयन् ।। १२२ ।।

(एतस्मिन्+एनसि प्राप्ते) इस 'अवकीर्णी' पाप के करने पर (गर्दभ+अजिनं वसित्वा) गधे की खाल ओढ़कर (स्वकर्म परिकीर्तयन्) अपने कर्म को बतलाते हुए (सप्त+आगारान् भैक्षं चरेत्) सात घरों से प्रतिदिन भिक्षा मांगे ।। १२२ ।।

तेभ्यो लब्धेन भैक्षेण वर्तयन्नेककालिकम् ।
उपस्पृशंस्त्रिषवणं त्वब्देन स विशुद्धयति ।। १२३ ।।

और (तेभ्यः लब्धेन भैक्षेण) उन घरों से प्राप्त भिक्षा को लेकर (एककालिकं वर्तयन्) एक समय भोजन करता हुआ, और (त्रिषवणम्+उपस्पृशन् तु) प्रतिदिन तीन समय स्नान करता हुआ (सः) वह 'अवकीर्णी' (अब्देन विशुद्धयति) एक वर्ष में शुद्ध हो जाता है।। १२३ ।।

जातिभ्रंशकर कर्मों का प्रायश्चित्त—

जातिभ्रंशकरं कर्म कृत्वाऽन्यतममिच्छया ।
चरेत्सान्तपनं कृच्छ्रं प्राजापत्यमनिच्छया ।। १२४ ।।

(इच्छया) इच्छापूर्वक (अन्यतमं जातिभ्रंशकरं कर्म कृत्वा) किसी जातिभ्रंशकर [११ । ६७] कर्म को करके (सान्तपनं कृच्छ्रं चरेत्) 'सान्तपन' नामक [११। २१२] कृच्छ्र व्रत को करे, और (अनिच्छया प्राजापत्यम्) अनिच्छापूर्वक इनको करने पर 'प्राजापत्य' [११। २११] व्रत करे।। १२४ ।।

अपात्र और वर्णसंकर करने वाले कर्मों का प्रायश्चित्त—

सङ्करापात्रकृत्यासु मासं शोधनमैन्दवम् ।
मलिनीकरणीयेषु तप्तः स्याद्यावकैस्त्र्यहम् ।। १२५ ।।

(सङ्कर-अपात्र-कृत्यासु) संकर बनाने वाले [११।६८] और अपात्र करने वाले [११।६९] कर्मों में से किसी कर्म को करके (मासम्+ऐन्दवं शोधनम्) एक मास तक चान्द्रायण व्रत [११।२१६–२२०] करने से शुद्धि होती है, और (मलिनीकरणीयेषु) मलिन [११।७०] करने वाले कर्मों को करके (त्र्यहं यावकैः तप्तः स्यात्) तीन दिन गर्म लपसी खाये ।। १२५ ।।

क्षत्रिय आदि के वध का प्रायश्चित्त—

तुरीयो ब्रह्महत्यायाः क्षत्रियस्य वधे स्मृतः ।
वैश्येऽष्टमांशो वृत्तस्थे शूद्रे ज्ञेयस्तु षोडशः ।। १२६ ।।

(क्षत्रियस्य वधे) क्षत्रिय की हत्या करने पर (ब्रह्महत्यायाः तुरीयः स्मृतः) ब्रह्महत्या का चौथा भाग अर्थात् तीन वर्ष तक ब्रह्महत्या का [११।७२–८०] प्रायश्चित्त करे (वृत्तस्थे वैश्ये अष्टमांशः) कर्त्तव्यों में संलग्न वैश्य के वध करने पर आठवां भाग अर्थात् डेढ़ वर्ष तक ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त करे (शूद्रे तु षोडशः ज्ञेयः) शूद्र के वध पर सोलहवां भाग अर्थात् नौ मास तक ब्रह्महत्या वाला प्रायश्चित्त करे ॥ १२६ ॥

अकामतस्तु राजन्यं विनिपात्य द्विजोत्तमः ।
वृषभैकसहस्रा गा दद्यात्सुचरितव्रतः ॥ १२७ ॥

(अकामतः तु राजन्यं विनिपात्य) अनिच्छापूर्वक क्षत्रिय का वध करके (द्विजोत्तमः) ब्राह्मण (सुचरितव्रतः) अच्छी तरह व्रत का पालन करने के बाद (वृषभ-एकसहस्राः गाः दद्यात्) साँड सहित एक हजार गायों का दान ब्राह्मणों में करे ॥ १२७ ॥

त्र्यब्दं चरेद्वा नियतो जटी ब्रह्महणो व्रतम् ।
वसन् दूरतरे ग्रामाद् वृक्षमूलनिकेतनः ॥ १२८ ॥

(वा) अथवा (नियतः) जितेन्द्रिय होकर, (जटी) जटायें धारण किया हुआ, (ग्रामात् दूरतरे वृक्षमूलनिकेतनः वसन्) गाँव से दूर किसी पेड़ के नीचे निवास करता हुआ (त्रि+अब्दं ब्राह्मणः व्रतं चरेत्) तीन वर्ष तक ब्रह्महत्या वाला प्रायश्चित्त करे॥ १२८ ॥

एतदेव चरेदब्दं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमः ।
प्रमाप्य वैश्यं वृत्तस्थं दद्याच्चैकशतं गवाम् ॥ १२९ ॥

(वृत्तस्थं वैश्य प्रमाप्य) कर्त्तव्यों का ठीक से पालन करने वाले वैश्य का अनिच्छापूर्वक वध करके (द्विजोत्तमः) ब्राह्मण (एतत्+एव प्रायश्चित्तम्+अब्दं चरेत्) इसी [११।१२८] प्रायश्चित्त को एक वर्ष तक करे (च) और (गवाम् एकशतं दद्यात्) सौ गौओं का दान करे ॥ १२९ ॥

एतदेव व्रतं कृत्स्नं षण्मासान् शूद्रहा चरेत् ।
वृषभैकादशा वापि दद्याद्विप्राय गाः सिताः ॥ १३० ॥

(शूद्रहा) शूद्र की हत्या करने वाला द्विज (एतत्+एव कृत्स्नं व्रतम्) इसी सम्पूर्ण प्रायश्चित्त [११।१२८] को (षण्मासान् चरेत्) छह मास तक करे (अपि वा) और (वृषभ एकादशाः सिताः गाः) एक सांड सहित दश सफेद गायें (विप्राय दद्यात्) ब्राह्मण को दान में देवे ॥ १३० ॥

अन्य पशु-पक्षी-कीट आदि के वधों का प्रायश्चित्त—

मार्जारनकुलौ हत्वा चाषं मण्डूकमेव च ।
श्वगोधोलूककाकांश्च शूद्रहत्याव्रतं चरेत् ॥ १३१ ॥

(मार्जार-नकुलौ चाषं मण्डूकं श्व-गोधा उलूक-काकान् च हत्वा) बिल्ली,

नेवला, नीलकण्ठ, मेंडक, कुत्ता, गोह, उल्लू और कौआ, इनकी हत्या करने पर (शूद्र-हत्याव्रतं चरेत्) शूद्र-हत्या वाला [११। १३०] प्रायश्चित्त करे॥ १३१॥

पयः पिबेत्त्रिरात्रं वा योजनं वाऽध्वनो व्रजेत्।
उपस्पृशेत्स्रवन्त्यां वा सूक्तं वाऽब्दैवतं जपेत्॥ १३२॥

(वा) अथवा (त्रिरात्रं पयः पिबेत्) तीन दिन-रात केवल दूध पीकर रहे, (वा) या (योजनम् अध्वनः व्रजेत्) एक कोस तक पैदल चले, (वा) अथवा (स्रवन्त्याम्+उपस्पृशेत्) बहती नदी में स्नान करे (वा) अथवा (अप्दैवतं सूक्तं जपेत्) जलदेवता वाले सूक्त ['आपो हिष्ठाः मयो भुवस्ता·····' (ऋ० १०।९) आदि मन्त्रों] का जाप करे॥ १३२॥

अभ्रिं काष्णायसीं दद्यात्सर्पं हत्वा द्विजोत्तमः।
पलालभारकं षण्ढे सैसकं चैकमाषकम्॥ १३३॥

(द्विजोत्तमः) ब्राह्मण (सर्पं हत्वा) सांप को मारकर (काष्णायसीम्+अभ्रिम्) काले लोहे से बनी छड़ (दद्यात्) दान करे, (षण्ढे पलालभारकम्) नपुंसक को मारकर एक गाड़ी पुआल, (च) और (एकमाषकं सैसकम्) एक माशा सीसा ब्राह्मण को दान करे॥ १३३॥

घृतकुम्भं वराहे तु तिलद्रोणं तु तित्तिरौ।
शुके द्विहायनं वत्सं क्रौञ्चं हत्वा त्रिहायनम्॥ १३४॥

(वराहे) सूअर को मारने पर (घृतकुम्भम्) एक घी से भरा घड़ा, (तित्तिरौ तु तिलद्रोणम्) तीतर की हत्या करने पर एक द्रोण=१५ सेर तिल, (शुके द्विहायनं वत्सम्) तोते को मारकर दो वर्ष का बछड़ा, और (क्रौञ्चं हत्वा त्रिहायनम्) क्रौंच पक्षी को मारकर तीन वर्ष का बछड़ा ब्राह्मण को दान में देवे॥ १३४॥

हत्वा हंसं बलाकां च बकं बर्हिणमेव च।
वानरं श्येनभासौ च स्पर्शयेद् ब्राह्मणाय गाम्॥ १३५॥

(हंसं बलाकां बकं बर्हिणं वानरं श्येन-भासौ च हत्वा) हंस, छोटा बगुला, बगुला, मोर, बन्दर, बाज और मुर्गा, इनको मारकर (ब्राह्मणाय गां स्पर्शयेत्) ब्राह्मण को एक गाय दान में सौंपे॥ १३५॥

वासो दद्याद्धयं हत्वा पञ्च नीलान्वृषान्गजम्।
अजमेषावनड्वाहं खरं हत्वैकहायनम्॥ १३६॥

(हयं हत्वा वासः) घोड़े को मारकर कपड़ा, (गजं पञ्च नीलान्वृषान्) हाथी को मारकर पांच नीले बैल, (अजमेषौ खरं हत्वा) बकरी, भेड़, गधा इनको मारकर (एक हायनम् अनड्वाहं दद्यात्) एक वर्ष का बैल दान करे॥ १३६॥

क्रव्यादांस्तु मृगान्हत्वा धेनुं दद्यात्पयस्विनीम् ।
अक्रव्यादान्वत्सतरीमुष्ट्रं हत्वा तु कृष्णलम् ॥ १३७ ॥

(क्रव्यादान् मृगान् हत्वा) मांस खाने वाले शेर, बाघ आदि पशुओं को मारकर (पयस्विनीं धेनुं दद्यात्) दूध वाली एक गाय का दान करे, (अक्रव्यादान् वत्सतरीम्) मांस न खाने वाले हिरण आदि पशुओं को मारकर एक बड़ी बछिया, (उष्ट्रं तु हत्वा कृष्णलम्) और ऊंट को मारकर एक कृष्णल=रत्ती [८ । १३४] सोना दान करे ॥ १३७ ॥

जीतकामुंकबस्तावीन्पृथग्दद्याद्विशुद्धये ।
चतुर्णामपि वर्णानां नारीर्हत्वाऽनवस्थिताः ॥ १३८ ॥

(चतुर्णाम्+अपि वर्णानाम्) चारों वर्णों की (अनवस्थिताः नारीः हत्वा) धर्म पर न चलने वाली व्यभिचारिणी आदि स्त्रियों की हत्या करके (विशुद्धये) उस पापशुद्धि के लिये (पृथक् जीनकामुंकबस्तावीन् दद्यात्) वर्णक्रम से क्रमशः चमड़े का कुप्पा, धनुष, बकरी और भेड़, दान में दे ॥ १३८ ॥

दानेन वधनिर्णेकं सर्पादीनामशक्नुवन् ।
एकैकशश्चरेत्कृच्छ्रं द्विजः पापापनुत्तये ॥ १३९ ॥

(सर्प-आदीनां वधनिर्णेकम्) सर्प आदि के वध का निवारण (दानेन अशक्नुवन्) पूर्वोक्त [११ । १३३–१३८] दान से करने में असमर्थ होने पर (द्विजः) द्विज (पाप-अपनुत्तये) पाप-निवृत्ति के लिए (एकैकशः कृच्छ्रं चरेत्) एक पाप के लिए एक-एक कृच्छ्र व्रत करे ॥ १३९ ॥

अस्थिमतां तु सत्त्वानां सहस्रस्य प्रमापणे ।
पूर्णे चानस्थ्नां तु शूद्रहत्याव्रतं चरेत् ॥ १४० ॥

(अस्थिमतां तु सत्त्वानाम्) हड्डी वाले छोटे जीवों में (सहस्रस्य प्रमापणे) एक हजार की हत्या करने पर (च) और (अनस्थ्नां पूर्णे अनसि) बिना हड्डी वाले गाड़ी भर छोटे जीवों की हत्या करने पर (शूद्रहत्याव्रतं चरेत्) शूद्रहत्या [११ । १३०] का प्रायश्चित्त करे ॥ १४० ॥

किञ्चिदेव तु विप्राय दद्यादस्थिमतां वधे ।
अनस्थ्नां चैव हिंसायां प्राणायामेन शुद्ध्यति ॥ १४१ ॥

(अस्थिमतां वधे) हड्डी वाले क्षुद्र-जन्तुओं का वध करने पर (विप्राय किञ्चित्+एव तु दद्यात्) ब्राह्मण को कुछ ही दान करे (च) और (अनस्थ्नां हिंसायां प्राणायामेन शुद्ध्यति) बिना हड्डी वाले क्षुद्रजन्तुओं की हत्या करने पर प्राणायाम से ही शुद्धि हो जाती है ॥ १४१ ॥

फलदानां तु वृक्षाणां छेदने जप्यमृक्शतम् ।
गुल्मवल्लीलतानां च पुष्पितानां च वीरुधाम् ॥ १४२ ॥

(फलदानां तु वृक्षाणाम्) फल देने वाले आम, सेव आदि वृक्षों के, (गुल्म-वल्लीलतानाम्) झाड़, पेड़ों के साथ चढ़ने वाली लताएं और भूमि पर फैलने वाली लताएं, (च) और (पुष्पितानां वीरुधाम्) फूल वाले पेड़, इनके काटने पर (ऋक् शतं जप्यम्) एक सौ बार गायत्री मन्त्र का जप करे ॥ १४२ ॥

अन्नाद्यजानां सत्त्वानां रसजानां च सर्वशः ।
फलपुष्पोद्भवानां च घृतप्राशो विशोधनम् ॥ १४३ ॥

(अन्नाद्यजानां सर्वशः रसजानां च फल-पुष्प-उद्भवानां सत्त्वानाम्) अन्नों, में उत्पन्न तथा सब रसों, फलों और फूलों में उत्पन्न होने वाले कीड़ों का वध करके (घृतप्राशः विशोधनम्) घी चाटने से शुद्धि हो जाती है ॥ १४३ ॥

कृषिजानामनोषधीनां जातानां च स्वयं वने ।
वृथालम्भेऽनुगच्छेद्गां दिनमेकं पयोव्रतः ॥ १४४ ॥

(कृषिजानां च वने स्वयं जातानाम् ओषधीनाम्) कृषि के साथ [सांठी आदि], और जंगल में स्वयं उत्पन्न होने वाली [ब्राह्मी] ओषधियों को (वृथालम्भे) व्यर्थ नष्ट करने पर (एकं दिनं पयोव्रतः) एक दिन केवल दूध ही पीते हुए रहकर (गाम् अनु-गच्छेत्) गौ की सेवा करे ॥ १४ ॥

अभक्ष्य-भक्षण का प्रायश्चित्त—

एतैर्व्रतैरपोह्यं स्याद्वेनो हिंसासमुद्भवम् ।
ज्ञानाज्ञानकृतं कृत्स्नं शृणुतान्नाद्यभक्षणे ॥ १४५ ॥

(ज्ञान-अज्ञानकृतं हिंसासमुद्भवं कृत्स्नम् एनः) ज्ञान या अज्ञान से की गई हिंसा से होने वाले सब पापों को (एतैः व्रतैः + अपोह्यं स्यात्) इन पूर्वोक्त [११ । १००–१४४] व्रतों से नष्ट करना चाहिये । अब (अनाद्य-भक्षणे शृणुत) अभक्ष्य पदार्थों के खाने पर किये जाने वाले प्रायश्चित्तों को सुनो— ॥ १४५ ॥

अज्ञानाद्वारुणीं पीत्वा संस्कारेणैव शुद्ध्यति ।
मतिपूर्वमनिर्देश्यं प्राणान्तिकमिति स्थितिः ॥ १४६ ॥

(अज्ञानात् वारुणीं पीत्वा) अज्ञान से वारुणी मदिरा को पीकर (संस्कारेण एव शुद्ध्यति) पुनः संस्कार [११ । १५१] करने से शुद्ध हो जाता है, और (मतिपूर्वम्) जानबूझकर पीने पर (अनिर्देश्यं प्राणान्तिकम् + इति स्थितिः) निश्चय ही मरकर ही शुद्धि होती है, ऐसी शास्त्रव्यवस्था है ॥ १४६ ॥

अपः सुराभाजनस्था मद्यभाण्डस्थितास्तथा ।
पञ्चरात्रं पिबेत्पीत्वा शङ्खपुष्पीभृतं पयः ॥ १४७ ॥

(सुराभाजनस्थाः तथा मद्यभाण्डस्थिताः अपः पीत्वा) सुरा पीने के बर्तन का तथा शराब बनाने के घड़े का पानी पीकर (पञ्चरात्रं शङ्खपुष्पीश्रृतं पयः पिबेत्) पांच रात तक शंखपुष्पी बूटी मिलाकर औटाया हुआ दूध पीये ॥ १४७ ॥

स्पृष्ट्वा दत्त्वा च मदिरां विधिवत्प्रतिगृह्य च ।
शूद्रोच्छिष्टाश्च पीत्वापः कुशवारि पिबेत्त्र्यहम् ॥ १४८ ॥

(मदिरां स्पृष्ट्वा च दत्त्वा च विधिवत् प्रतिगृह्य) मदिरा को स्पर्श करके या देकर अथवा विधि पूर्वक लेकर (च) और (शूद्र-उच्छिष्टाः अपः पीत्वा) शूद्र का झूठा पानी पीकर (त्र्यहं कुशवारि पिबेत्) तीन दिन तक कुश=डाभ उबाला हुआ पानी पीये ॥ १४८ ॥

ब्राह्मणस्तु सुरापस्य गन्धमाघ्राय सोमपः ।
प्राणानप्सु त्रिराचम्य घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥ १४९ ॥

(सोमपः ब्राह्मणः) सोमयज्ञ करने वाला ब्राह्मण (सुरापस्य गन्धम्+आघ्राय) शराब पीये हुए के मुख की गन्ध सूंघकर (प्राणान् अप्सु त्रि+आचम्य) प्राणायाम पूर्वक तीन आचमन करके (घृतं प्राश्य विशुद्धयति) फिर घी चाटने से शुद्ध हो जाता है ॥ १४९ ॥

अज्ञानात्प्राश्य विण्मूत्रं सुरासंस्पृष्टमेव च ।
पुनः संस्कारमर्हन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥ १५० ॥

(विट्-मूत्रं सुरासंस्पृष्टम्+एव अज्ञानात् प्राश्य) मल, मूत्र और शराब से छूआ हुआ अन्नादि भोज्य पदार्थ अज्ञान से खा लेने पर (त्रयः द्विजातयः वर्णाः) तीनों द्विजाति वर्ण (पुनः संस्कारम्+अर्हन्ति) पुनः संस्कार करने से ही शुद्ध होते हैं ॥ १५० ॥

वपनं मेखला दण्डो भैक्षचर्या व्रतानि च ।
निवर्तन्ते द्विजातीनां पुनः संस्कारकर्मणि ॥ १५१ ॥

(द्विजातीनां पुनः संस्कारकर्मणि) पूर्वोक्त [११ । १५०] अवस्था में प्रायश्चित्त करते समय द्विजातियों के पुनः संस्कार करने में (वपनं मेखला दण्डः च भैक्षचर्या व्रतानि) मुण्डन, मेखला, दण्ड, भिक्षा मांगना, ये व्रत (निवर्तन्ते) नहीं किये जाते हैं ॥ १५१ ॥

अभोज्यानां तु भुक्त्वान्नं स्त्रीशूद्रोच्छिष्टमेव च ।
जग्ध्वा मांसमभक्ष्यं च सप्तरात्रं यवान्पिबेत् ॥ १५२ ॥

(अभोज्यानाम् अन्नं भुक्त्वा) जिनका अन्न नहीं खाना चाहिए [४ । २०५–२२०] उनका अन्न खाकर (च) और (स्त्री-शूद्र-उच्छिष्टम्+एव) स्त्रियों तथा

शूद्रों का झूठा अन्न खाकर (च) तथा (अभक्ष्यं मांसं जग्ध्वा) अभक्ष्य मांस को खाकर मनुष्य (सप्तरात्रं यवान् पिबेत्) सात रात तक केवल सत्तू पीकर रहे ॥ १५२ ॥

शुक्तानि च कषायांश्च पीत्वा मेध्यान्यपि द्विजः ।
तावद्भवत्यप्रयतो यावत्तन्न व्रजत्यधः ॥ १५३ ॥

(द्विजः) द्विज (मेध्यानि शुक्तानि च कषायान् अपि पीत्वा) पवित्र कांजी आदि खट्टी वस्तुएं और कसैले पदार्थों को पीकर (तावत्+अप्रयतः भवति) तब तक अपवित्र ही रहता है (यावत् तत् अधः न व्रजति) जब तक वह पीया हुआ पदार्थ पचकर मलरूप में बाहर नहीं निकल जाता है ॥ १५२ ॥

विड्वराहखरोष्ट्राणां गोमायोः कपिकाकयोः ।
प्राश्य मूत्रपुरीषाणि द्विजश्चान्द्रायणं चरेत् ॥ १५४ ॥

(विड्वराह-खर-उष्ट्राणां गोमायोः कपि-काकयोः) ग्राम्य सूअर, गधा, ऊंट, गीदड़, बन्दर, कौआ, इनके (मूत्रपुरीषाणि प्राश्य) मूत्र-मल को खा लेने पर (द्विजः चान्द्रायणं चरेत्) द्विजः चान्द्रायण व्रत [११ । २१६–२२०] करे ॥ १५४ ॥

शुष्काणि भुक्त्वा मांसानि भौमानि कवकानि च ।
अज्ञातं चैव सूनास्थमेतदेव व्रतं चरेत् ॥ १५५ ॥

(शुष्कानि मांसानि) सूखे हुए मांस, (भौमानि कवकानि) भूमि में उत्पन्न होने वाले छत्राक, (अज्ञातं च सूनास्थं भुक्त्वा) अज्ञात और कसाईखाने का मांस खाकर (एतत्+एव व्रतं चरेत्) यही [१५४ का] व्रत करे ॥ १५५ ॥

क्रव्यादसूकरोष्ट्राणां कुक्कुटानां च भक्षणे ।
नरकाकखराणां च तप्तकृच्छ्रं विशोधनम् ॥ १५६ ॥

(क्रव्याद-सूकर-उष्ट्राणां कुक्कुटानां नर-काक-खराणां भक्षणे) मांसभक्षी पशुओं, सूअर, ऊंट, मुर्गा, मनुष्य, कौआ और गधा, इनका मांस खाने पर (तप्तकृच्छ्रं विशोधनम्) तप्तकृच्छ्र व्रत [११ । २१४] से शुद्धि होती है ॥ १५६ ॥

मासिकान्नं तु योऽश्नीयादसमावर्तको द्विजः ।
स त्रीण्यहान्युपवसेदेकाहं चोदके वसेत् ॥ १५७ ॥

(यः असमावर्तकः द्विजः) जो ब्रह्मचर्याश्रम में स्थित द्विज (मासिक+अन्नम्-अश्नीयात्) मासिक श्राद्धादि के अन्न को खा ले तो (सः त्रीणि=अहानि+उपवसेत्) वह तीन दिन उपवास करे (च) और (एक+अहम् उदके वसेत्) एक दिन केवल पानी पीकर रहे ॥ १५७ ॥

ब्रह्मचारी तु योऽश्नीयान्मधु मांसं कथंचन ।
स ब्रह्मचर्या प्राकृतं कृच्छ्रं व्रतशेषं समापयेत् ॥ १५८ ॥

(यः ब्रह्मचारी) जो ब्रह्मचारी (कथंचन) किसी प्रकार (मधुमांसम् अश्नीयात्) मधु=मद्य या मांस का भक्षण कर ले तो (सः प्राकृतं कृच्छ्रं कृत्वा) वह प्राजापत्य व्रत [११। २११] को करके (व्रतशेषं समापयेत्) अपने शेष ब्रह्मचर्य काल को पूरा करे॥ १५८॥

बिडालकाकाखूच्छिष्टं जग्ध्वा श्वनकुलस्य च।
केशकीटावपन्नं च पिबेद् ब्रह्मसुवर्चलाम्॥ १५९॥

(बिडाल-काक-आखु-उच्छिष्टम्) बिल्ली, कौआ, चूहा, इनके झूठे अन्न को, (च) और (श्व-नकुलस्य) कुत्ते तथा नेवले के झूठे अन्न को, (च) और (केश-कीट-अवपन्नं जग्ध्वा) केश-कीट पड़े अन्न को खाकर (ब्रह्मसुवर्चलां पिबेत्) ब्रह्मसुवर्चला बूटी का क्वाथ पीये॥ १५९॥

अभोज्यमन्नं नाश्नव्यमात्मनः शुद्धिमिच्छता।
अज्ञानभुक्तं तूत्तार्यं शोध्यं वाप्याशु शोधनैः॥ १६०॥

(आत्मनः शुद्धिम् + इच्छता) अपनी शुद्धि चाहने वाले मनुष्यों को (अभोज्यम् + अन्नं न अश्नव्यम्) अभक्ष्य अन्न नहीं खाना चाहिए, (अज्ञानभुक्तं तु + उत्तार्यम्) यदि अज्ञानता से खाया गया है तो वमन कर देना चाहिए (वा) या (आशु शोधनैः शोध्यम्) शीघ्र शुद्धिकारक उपायों से शुद्धि कर लेनी चाहिए॥ १६०॥

चोरी का प्रायश्चित्त—

एषोऽनाद्यावनस्योक्तो व्रतानां विविधो विधिः।
स्तेयदोषापहर्तॄणां व्रतानां श्रूयतां विधिः॥ १६१॥

(एषः) यह [११। १४६–१६०] (अनाद्य-अदनस्य) अभक्ष्य पदार्थों के खाने पर (व्रतानां विधिः विविधः उक्तः) प्रायश्चित्तों की अनेक विधियां कहीं। अब (स्तेय-दोष-अपहर्तॄणां व्रतानां विधिः श्रूयताम्) चोरी के दोष को दूर करने वाले प्रायश्चित्तों की विधियां सुनो—॥ १६१॥

धान्यान्नधनचौर्याणि कृत्वा कामाद् द्विजोत्तमः।
स्वजातीयगृहादेव कृच्छ्राब्देन विशुध्यति॥ १६२॥

(द्विजोत्तमः) ब्राह्मण (स्वजातीयगृहात् + एव) किसी ब्राह्मण के घर से ही (कामात् धान्य-अन्न-धन-चौर्याणि कृत्वा) इच्छापूर्वक धान्य, अन्न तथा धन की चोरी करके (कृच्छ्र-अब्देन विशुद्धयति) एक वर्ष तक कृच्छ्रव्रत [११। २११] करते रहने से शुद्ध होता है॥ १६२॥

मनुष्याणां तु हरणे स्त्रीणां क्षेत्रगृहस्य च।
कूपवापीजलानां च शुद्धिश्चान्द्रायणं स्मृतम्॥ १६३॥

(मनुष्याणां स्त्रीणां क्षेत्र-गृहस्य च कूप-वापी-जलानां हरणे) मनुष्य, स्त्री,

क्षेत्र, घर और कूआ, बावड़ी का पानी, इनकी चोरी करने पर (चान्द्रायणं शुद्धिः स्मृतम्) चान्द्रायण व्रत [११। २१६–२२०] से ही शुद्धि मानी है॥ १६३॥

द्रव्याणामल्पसाराणां स्तेयं कृत्वाऽन्यवेश्मतः।
चरेत्सांतपनं कृच्छ्रं तन्निर्यात्यात्मशुद्धये॥ १६४॥

(अन्यवेश्मतः अल्पसाराणां स्तेयं कृत्वा) दूसरे के घर के थोड़े मूल्य की वस्तुओं की चोरी करके (आत्मशुद्धये) अपनी शुद्धि के लिए (तत् निर्यात्य) पहले उन्हें लौटाकर पुनः (सांतपनं कृच्छ्रं चरेत्) सांतपन कृच्छ्र व्रत [११।२१२] करे॥ १६४॥

भक्ष्यभोज्यापहरणे यानशय्यासनस्य च।
पुष्पमूलफलानां च पञ्चगव्यं विशोधनम्॥ १६५॥

(भक्ष्य-भोज्य-अपहरणे) खाने योग्य लड्डू आदि, भोज्य खीर आदि के चुराने पर (च) और (यान-शय्या-आसनस्य पुष्प-मूल-फलानां च) सवारी, पलंग, आसन, फूल, मूल और फल, इनकी चोरी करने पर (पञ्चगव्यं विशोधनम्) पञ्चगव्य [गाय का दूध, घी, मूत्र, गोबररस और दही से बनने वाली औषध] पीने से शुद्धि होती है॥ १६५॥

तृणकाष्ठद्रुमाणां च शुष्कान्नस्य गुडस्य च।
चेलचर्मामिषाणां च त्रिरात्रं स्यादभोजनम्॥ १६६॥

(तृण-काष्ठ-द्रुमाणां शुष्क-अन्नस्य गुडस्य चेल-चर्म-मिषाणां च) तिनकाघास, लकड़ी, पेड़, सूखा अन्न, गुड़, कपड़ा, और चमड़ा मांस, इनकी चोरी करने पर (त्रिरात्रम् अभोजनं स्यात्) तीन रात तक उपवास करे॥ १६६॥

मणिमुक्ताप्रवालानां ताम्रस्य रजतस्य च।
अयःकांस्योपलानां च द्वादशाहं कणान्नता॥ १६७॥

(मणि-मुक्ता-प्रवालानां ताम्रस्य रजतस्य अयः-कांस्य-उपलानां च) मणियां, मोती, मूंगा, तांबा, चांदी, लोहा, कांसा और पत्थर, इनकी चोरी करने पर (द्वादश + अहं कण-अन्नता) बारह दिन तक कण चुग-चुगकर खाये॥ १६७॥

कार्पासकौटजीर्णानां द्विशफैकशफस्य च।
पक्षिगन्धौषधीनां च रज्ज्वाश्चैव त्र्यहं पयः॥ १६८॥

(कार्पास-कौट-जीर्णानां द्विशफ-एक शफस्य पक्षि-गन्ध-औषधीनां च रज्ज्वाः एव) कपास, रेशम, ऊन, दो खुर वाले पशु गाय-भैंस आदि, एक खुर वाले पशु घोड़ा-गधा आदि, पक्षी, गन्ध, औषधियां और रस्सी, इनकी चोरी करने पर (त्र्यहं पयः) तीन दिन केवल दूध पीकर रहे॥ १६८॥

अगम्या-गमनीय का प्रायश्चित्त—

एतैव्रतैरपोहेत पापं स्तेयकृतं द्विजः।
अगम्यागमनीयं तु व्रतैरेभिरपानुदेत् ॥ १६९ ॥

(द्विजः) द्विज (एतैः व्रतैः स्तेयकृतं पापं अपोहेत) इन [११।१६२–१६८] व्रतों से चोरी करने से उत्पन्न पाप को दूर करे। (अगम्या-गमनीयं तु) सम्भोग न करने योग्य स्त्री से सम्भोग करने से उत्पन्न पापों को (एभिः व्रतैः+अपानुदेत्) इन निम्न [११।१७०–१७८] प्रायश्चित्तों से दूर करे॥ १६९॥

गुरुतल्पव्रतं कुर्याद्रेतः सिक्त्वा स्वयोनिषु।
सख्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु कुमारीष्वन्त्यजासु च ॥ १७० ॥

(स्वयोनीषु सख्युः-पुत्रस्य स्त्रीषु कुमारीषु+अन्त्यजासु च) अपनी सगी बहन मित्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी, कुमारी, चण्डाली, इनसे (रेतः सिक्त्वा) संभोग करके (गुरुतल्पव्रतं कुर्यात्) गुरुपत्नीगमन वाला प्रायश्चित्त [११।१०३–१०६] करे॥१७०॥

पैतृष्वसेयीं भगिनीं स्वस्रीयां मातुरेव च।
मातुश्च भ्रातुस्तनयां गत्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ १७१ ॥

(पैतृष्वसेयीं मातुः भगिनीं स्वस्रीयां एव, मातुः भ्रातुः तनयां गत्वा) बूआ की बेटी, मौसी की बेटी, और मामा की बेटी इनसे संभोग करके (चान्द्रायणं चरेत्) चान्द्रायण व्रत [११।२१६–२२०] करे॥ १७१॥

एतास्तिस्रस्तु भार्यार्थे नोपयच्छेत् बुद्धिमान्।
ज्ञातित्वेनानुपेयास्ताः पतति ह्युपयन्नधः ॥ १७२ ॥

(बुद्धिमान्) बुद्धिमान् मनुष्य (एताः तिस्रः तु भार्यार्थे न+उपयच्छेत्) उक्त तीन कन्याओं [११।१७१] को पत्नी के रूप में न स्वीकार करे, क्योंकि (ताः ज्ञातित्वेन +अनुपेयाः) वे बांधव होने से विवाह करने योग्य नहीं हैं, (उपयन् हि अधः पतति) इनसे विवाह करने वाला मनुष्य नरक में जाता है॥ १७२॥

अमानुषीषु पुरुष उदक्यायामयोनिषु।
रेतः सिक्त्वा जले चैव कृच्छ्रं सान्तपनं चरेत् ॥ १७३

(अमानुषीषु) मनुष्य से भिन्न जाति की भैंस, घोड़ी, गाय आदि में (उदक्यायाम्) रजस्वला स्त्री में, और (अयोनिषु) योनि से भिन्न स्थान मुख, गुदा आदि में (रेतः सिक्त्वा) वीर्यक्षरण करके अर्थात् इनमें संभोग करके (च) और (जले एव) जल में वीर्यक्षरण करके (सांतपनं कृच्छ्रं चरेत्) सांतपनं कृच्छ्र व्रत [११।२१२] करे॥ १७३॥

मैथुनं तु समासेव्य पुंसि योषिति वा द्विजः।
गोयानेऽप्सु दिवा चैव सवासाः स्नानमाचरेत् ॥ १७४॥

(पुंसि मैथुनं समासेव्य) पुरुष के साथ मैथुन करके (च) और (गोयानेऽप्सु च दिवा स्त्रीषिति) बैलगाड़ी में, जल में और दिन में स्त्री के साथ मैथुन करके (द्विजः सवासाः स्नानम्+आचरेत्) द्विज वस्त्रसहित स्नान करे ॥ १७४ ॥

चण्डाल-अन्त्यस्त्रियो गत्वा भुक्त्वा च प्रतिगृह्य च ।
पतत्यज्ञानतो विप्रो ज्ञानात्साम्यं तु गच्छति ॥ १७५ ॥

(चण्डाल-अन्त्य-स्त्रियः) चण्डाल और अन्य नीच वर्णों की स्त्रियों के साथ (गत्वा) संभोग करके, (भुक्त्वा) साथ खाकर (च) और (प्रतिगृह्य) उनसे दान लेकर, (अज्ञानात् विप्रः पतति) अज्ञानपूर्वक इन कामों को करने से ब्राह्मण 'पतित' हो जाता है और (ज्ञानात् साम्यं गच्छति) ज्ञानपूर्वक करने से उनके समान जाति वाला हो जाता है ॥ १७५ ॥

विप्रदुष्टां स्त्रियं भर्ता निरुध्यादेकवेश्मनि ।
यत्पुंसः परदारेषु तच्चैनां चारयेद् व्रतम् ॥ १७६ ॥

(विप्रदुष्टां स्त्रियम्) व्यभिचारिणी स्त्री को (भर्त्ता एकवेश्मनि निरुध्यात्) पति एक घर में रोककर रखे, और (यत् परदारेषु पुंसः) जो परस्त्रीगमन में पुरुष का प्रायश्चित्त विहित है (तत् व्रतम् एनां चारयेत्) वही प्रायश्चित्त इसी स्त्री से कराये ॥ १७६ ॥

सा चेत्पुनः प्रदुष्येत्तु सदृशेनोपयन्त्रिता ।
कृच्छ्रं चान्द्रायणं चैव तदस्याः पावनं स्मृतम् ॥ १७७ ॥

(सदृशेन-उपयन्त्रिता) सजातीय पुरुष के साथ दूषित हुई (सा) वह स्त्री (चेत् पुनः प्रदुष्येत्) यदि फिर संभोग करके दूषित हो जाये तो (अस्याः कृच्छ्रं चान्द्रायणम्+एव पावनं स्मृतम्) इस स्त्री के लिए कृच्छ्र चान्द्रायण व्रत [११। २१२, २१६–२२०] ही शुद्धिकारक माना गया है ॥ १७७ ॥

यत्करोत्येकरात्रेण वृषलीसेवनाद् द्विजः ।
तद्भैक्षभुग्जपन्नित्यं त्रिभिर्वर्षैर्व्यपोहति ॥ १७८ ॥

(द्विजः) द्विज (वृषलीसेवनात् यत् एकरात्रेण करोति) चण्डाली से संभोग करके जो एक ही रात में पाप कमाता है (तत्) वह (त्रिभिः वर्षैः) तीन वर्षों तक (नित्यं भैक्षभुक्जपन् व्यपोहति) प्रतिदिन भिक्षा का भोजन खाने और जप करने से दूर हो जाता है ॥ १७८ ॥

पतितों से संसर्ग का प्रायश्चित्त—

एषा पापकृतामुक्ता चतुर्णामपि निष्कृतिः ।
पतितैः सम्प्रयुक्तानामिमाः शृणुत निष्कृतीः ॥ १७९ ॥

(एषा) यह [११। १२६–१७८] (चतुर्णां पापकृतां निष्कृतिः उक्ताः) चार

प्रकार [हिंसा, अभक्ष्यभक्षण, चोरी और अगम्या से संभोग] के पाप कर्मों की शुद्धि कही। अब (पतितैः सम्प्रयुक्तानाम् इमाः निष्कृतीः शृणुत=) पतितों के सम्पर्क से उत्पन्न पापों की निम्न-वर्णित शुद्धियाँ सुनो—॥ १७९ ॥

संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्।
याजनाध्यापनाद्योनान्न तु यानासनाशनात् ॥ १८० ॥

(पतितेन सह) पतित व्यक्ति के साथ मिलकर (याजन+अध्यापन-यौनात्) यज्ञ कराने, पढ़ाने और विवाह सम्बन्ध करने से (संवत्सरेण पतति) एक वर्ष में पतित हो जाता है, (तु) किन्तु (यान+आसन+अशनात् न) साथ सवारी करने बैठने और खाने से पतित नहीं होता ॥१८०॥

यो येन पतितेनैषां संसर्गं याति मानवः।
स तस्यैव व्रतं कुर्यात्तत्संसर्गविशुद्धये ॥ १८१ ॥

(एषाम्) इन पतितों में (येन पतितेन यः मानवः संसर्गं याति) जिस पतित के साथ जो मनुष्य संसर्ग करता है (सः) वह (तत्संसर्गविशुद्धये) उस संसर्गजन्य पाप की शुद्धि के लिए (तस्य एव व्रतं कुर्यात्) उन्हीं पतितों वाला प्रायश्चित्त करे ॥ १८१ ॥

पतितस्योदकं कार्यं सपिण्डैर्बान्धवैर्बहिः।
निन्दितेऽहनि सायाह्ने ज्ञात्यृत्विग्गुरुसन्निधौ ॥ १८२ ॥

(पतितस्य+उदकम्) पतित व्यक्ति की जलदानक्रिया (सपिण्डैः बान्धवैः) सगे बान्धवों को (बहिः) गांव के बाहर, (निन्दिते+अहनि) निन्दित तिथि नवमी आदि में, (सायाह्ने) सायंकाल, (ज्ञाति-ऋत्विक्-गुरु-सन्निधौ) बान्धवों, ऋत्विक् और गुरु के समक्ष (कार्यम्) करनी चाहिये ॥ १८२ ॥

दासी घटमपां पूर्णं पर्यस्येत्प्रेतवत्पदा।
अहोरात्रमुपासीरन्नशौचं बान्धवैः सह ॥ २८३ ॥

(अपां पूर्णं घटम्) जल से भरे घड़े को (दासी पदा प्रेतवत् पर्यस्येत्) दासी अपने पैर से प्रेत की तरह अर्थात् दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ठोकर मारकर गिरादे [यही पतितों के लिए जलदान की विधि है] और सब सपिण्ड (बान्धवैः सह) सभी बान्धवों के साथ (अहोरात्रम् अशौचम् उपासीरन्) एक दिन-रात तक अशौच मनावें ॥ १८३ ॥

निवर्तेरंश्च तस्मात्तु सम्भाषणसहासने।
दायास्यस्य प्रदानं च यात्रा चैव हि लौकिकी ॥ १८४ ॥

(तस्मात् तु) उस महापातकी से (सम्भाषण-सह-आसने) बात-चीत करना, एक आसन पर बैठना, (दायास्यस्य प्रदानं च लौकिकी एव यात्रा) धन भाग देना और लोकव्यवहार, इन सबको (निवर्तेरन्) न करें ॥ १८४ ॥

ज्येष्ठता च निवर्तेत ज्येष्ठावाप्यं च यद्धनम् ।
ज्येष्ठांशं प्राप्नुयाच्चास्य यवीयान्गुणतोऽधिकः ॥ १८५ ॥

उस महापातकी का (ज्येष्ठता निवर्तेत) यदि वह बड़ा भाई है तो बड़ापन का अधिकार समाप्त हो जाता है (च यत् ज्येष्ठौ+आप्यं धनम्) और जो ज्येष्ठ को 'उद्धार' धन [६।११२] प्राप्त होता है, वह भी न मिलेगा, (च) और (अस्य गुणतः +अधिकः यवीयान् ज्येष्ठांशं प्राप्नुयात्) इसका गुणवान् छोटा भाई उस 'उद्धार' भाग को प्राप्त करेगा ॥ १८५ ॥

प्रायश्चित्ते तु चरिते पूर्णकुम्भमपां नवम् ।
तेनैव सार्धं प्रास्येयुः स्नात्वा पुण्ये जलाशये ॥ १८६ ॥

(प्रायश्चित्ते तु चरिते) पतित के प्रायश्चित्त कर लेने पर, बान्धव लोग (तेन +एव सार्धं पुण्ये जलाशये स्नात्वा) उसके साथ शुद्ध जलाशय में स्नान करके (पूर्ण-कुम्भम्+अपां नवं प्रास्येयुः) जल से पूर्ण नये घड़े को वहीं पर फेंक दें ॥ १८६ ॥

स त्वप्सु तं घटं प्रास्य प्रविश्य भवनं स्वकम् ।
सर्वाणि ज्ञातिकार्याणि यथापूर्वं समाचरेत् ॥ १८७ ॥

(सः) वह प्रायश्चित्त किया हुआ (तं घटम्+अप्सु प्रास्य) उस घड़े को जल में फेंकने के पश्चात् (स्वकं भवनं प्रविश्य) अपने घर में प्रवेश करके (सर्वाणि ज्ञाति-कार्याणि) सब जाति-सम्बन्धी कार्यों को (यथापूर्वं समाचरेत्) पूर्ववत् करे ॥ १८७ ॥

एतदेव विधिं कुर्याद्योषित्सु पतितास्वपि ।
वस्त्रान्नपानं देयं तु वसेयुश्च गृहान्तिके ॥ १८८ ॥

(पतितासु योषित्सु अपि) पतित हुई स्त्रियों के साथ भी (एतत्+एव विधिं कुर्यात्) वही प्रायश्चित्त विधि [११। १८२–१८७] करे, (गृहान्तिके वसेयुः) वे स्त्रियाँ घर के समीप ही रहें, और (वस्त्र-अन्न-पानं देयम्) उन्हें वस्त्र, अन्न, पीने की वस्तुएँ देते रहें ॥ १८८ ॥

एनस्विभिरनिर्णिक्तैर्नार्थं किंचित्समाचरेत् ।
कृतनिर्णेजनांश्चैव न जुगुप्सेत कर्हिचित् ॥ १८९ ॥

(अनिर्णिक्तैः एनस्विभिः सह) प्रायश्चित्त नहीं किये हुए पापकर्त्ताओं के साथ (किंचित् अर्थं न आचरेत्) किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए (च) और (कृतनिर्णेजनान् कर्हिचित् न जुगुप्सेत) प्रायश्चित्त किये हुओं से कभी घृणा न करे—उनकी निन्दा न करे ॥ १८९ ॥

बालघ्नांश्च कृतघ्नांश्च विशुद्धानपि धर्मतः ।
शरणागतहन्तॄंश्च स्त्रीहन्तॄंश्च न संवसेत् ॥ १९० ॥

(बालघ्नान् कृतघ्नान् शरणागतहन्तॄन्) बालकों के हत्यारे, कृतघ्न, शरणा-

गतों के हत्यारे, स्त्रियों के हत्यारे, इनके (धर्मतः विशुद्धान्+अपि) धर्मानुसार शुद्ध हो जाने पर भी (न संवसेत्) इनसे संसर्ग न करे ॥ १६० ॥

अनुशीलन : ११। ५४ से १६० तक सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं। इनके 'आधार' निम्नलिखित हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—महापातक एवं उपपातकों के वर्गीकरण और प्रायश्चित्त-निश्चय का यह प्रसंग मौलिक सिद्ध नहीं होता। इस प्रसंग का पूर्वोक्त मनुस्मृति की व्यवस्थाओं से तालमेल न होकर अनेक प्रकार से विरोध है—

(१) यहां चार प्रकार के अपराधियों को विशिष्ट अपराधी मानकर 'महापातकी' की संज्ञा दी है किन्तु हत्या प्रसंग [८। २७८–३००] में ब्रह्मयज्ञ का, चोरी-प्रसंग में [८।३०१-३४३] स्वर्ण की चोरी का, परस्त्रीगमन प्रसंग में [८।३५२–३८७] गुरुपत्नीगामी का पृथक् से विशिष्ट अपराधी के रूप में कोई उल्लेख नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि यह विभाजन मनु का मौलिक नहीं है। यदि यह विभाजन मौलिक होता तो उक्त प्रसंगों में इनके लिए विशिष्ट दण्ड की व्यवस्था होती।

(२) ८। ३८६ में विशिष्ट अपराधियों की गणना करते हुए चोर, परस्त्रीगामी, दुष्टवाक्, लुटेरा और हत्यारा, इन व्यक्तियों को भी समाविष्ट किया है, और राजा को इन पर विशेष नियन्त्रण रखने का आदेश है। यहाँ चार महापातकियों का परिगणन उक्त श्लोक से भिन्न है और अपराध के आधार पर विभाजन न करके व्यक्तिपरक आधार लिया है, जैसे—परस्त्रीगमन में अपराध का आधार न लेकर केवल गुरुपत्नी-गामी को ही विशिष्ट अपराधी माना है। हत्यारा मात्र होना आधार न मानकर केवल ब्रह्महत्यारे को और प्रत्येक चोर को नहीं, अपितु केवल स्वर्ण की चोरी करने वाले को ही महापातकी माना है। यह विभाजन पिछले विभाजन से पृथक् है और इसकी आधार पद्धति भी भिन्न है।

(३) यहां स्वर्णचोर को महापातकी और रजत आदि चुराने वाले को उपपातकी मानकर दोनों के लिए भिन्न-भिन्न दण्डों की व्यवस्था दी है, जबकि ८। ३२१–३२२ में इनकी चोरी को समान मानकर समान दण्ड की व्यवस्था है। और यहाँ दोनों के दण्ड में कोई संतुलन न होकर दिन-रात का अन्तर है। स्वर्णचोर के लिए बारह वर्ष तक ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त करने का आदेश है [११। १०१]; और रजत, मोती आदि चुराने वाले के लिए केवल बारह दिन चावल खाकर रहने का विधान है! [११। १६७]। एक स्थान पर तो दोनों को समान स्तर का चोर माना है और दूसरे स्थान पर रजत चोर को अत्यन्त सामान्य चोर मानकर उसके लिए दण्ड भी नाम-मात्र है!

(४) (क) २१० से २२६ श्लोकों में मनु ने प्रायश्चित्त के व्रत बतलाते हुए कहा है कि इन उपायों से पापियों को शुद्धि करें; किन्तु ७२ से १०४, १०८ से ११६'

११८ से १२३, १२६ से १३८, १४० से १५३, १५६, १६०, १६५, १६७, १६८, १७०, १७२, १७४, १७५, १७८, १८२ से १८८ श्लोकों में प्रायश्चित्त के लिए जिन व्रत या विधियों का कथन है, वे उक्त व्रतों से भिन्न हैं। मनु के अनुसार तो उन्हीं व्रतों में से प्रायश्चित्त के लिए व्रत निश्चित किये जाने चाहियें थे। यह भिन्नता मनु के विधान से विरुद्ध है, और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विहित है।

(ख) ९० में सुरा पीने का प्रायश्चित्त सुरापान से बताया है। क्या कभी पाप से ही पाप की निवृत्ति होती है? यह ऋषि-विहित विधान नहीं हो सकता।

(५) २२६ से २३३ श्लोकों से यह स्पष्ट है कि प्रायश्चित्त मृत्युकारक नहीं होना चाहिए। वह ऐसा होना चाहिए जिससे मनुष्य शेष जीवन में पुनः उस पाप को न करे। आगे आने वाले समय में अपराधों की ओर से सावधान रहने के लिए और किये हुए अपराध पर पश्चात्ताप करने के लिए प्रायश्चित्त होता है, यह उक्त श्लोकों से सिद्ध है। इस प्रसंग में महापातकियों को मृत्यु के रूप में [७३, ७९, ८९, ९०, ९१, १००, १०३, १०४, १४६] प्रायश्चित्त विहित है, जो मनु की व्यवस्था से विरुद्ध है।

(६) ५६ वें श्लोक में झूठी साक्षी को सुरापान के समान महापातक मानकर ८८ वें श्लोक में उसका प्रायश्चित्त ब्रह्महत्या का ही प्रायश्चित्त कहा है, जबकि ८।११९ से १२२ श्लोकों में झूठी साक्षी के अपराध में कुछ आर्थिक दण्ड ही विहित है। उसमें और इस दण्ड में दिन-रात की असमानता है। ८।११९–१२२ श्लोकों में झूठी साक्षी का महापातक के रूप में कोई विशिष्ट रूप से उल्लेख न होना भी यह सिद्ध करता है कि यहाँ यह विभाजन मनुकृत नहीं है।

(७) इसी प्रकार धरोहर हड़पने के अपराध के प्रायश्चित्त में और अष्टम अध्याय में विहित दण्ड में भी पर्याप्त असमानता है और न वहां इस अपराध का महापातक के रूप में उल्लेख है [११।५७, ८८॥८।१७९–१९६]।

(८) ६२ वें श्लोक में द्रव्य लेकर पढ़ाना उपपातक माना है, जबकि २।१४१ में इस प्रकार के अध्यापक को 'उपाध्याय' संज्ञा देकर द्रव्य लेकर पढ़ाने के विधान का संकेत है। २।१०९ में तो स्पष्ट शब्दों में 'द्रव्यदाता' को पढ़ाने का कथन है।

(९) हत्या-अभियोग के प्रसंग [८।२७८–३००] में मनु ने सभी व्यक्तियों के लिए एक-जैसा विधान किया है और उनकी दण्डव्यवस्था भी समान है। यहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-हत्या के लिए कम-अधिक प्रायश्चित्त का विधान उस व्यवस्था-पद्धति से भिन्न है तथा भेदभावपूर्ण है।

(१०) इस प्रसंग में अनेक स्थानों पर प्रायश्चित्त में दान देने का विधान है। ७९ वें श्लोक में तो स्पष्ट आदेश है कि अपना सर्वस्व ब्राह्मण को दान देने से ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। यह मनु-मत के विपरीत है। मनु ने ब्राह्मणों को केवल सत्प्रतिग्रह लेने का ही विधान किया है [२।१९०॥४।१९०], असत्प्रतिग्रह

निषिद्ध ही नहीं अपितु निन्दित माना है, और इसी अध्याय में असत्प्रतिग्रह लेने वालों के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया है [१९३–१९६]। इससे स्पष्ट है कि अपराधी लोगों से ब्राह्मणों को दान लेने का अधिकार नहीं है, अतः इस प्रसंग में वर्णित सम्पूर्ण दानविधि अमौलिक है।

(११) ९। २२५ में शराबी के लिए केवल 'देशनिकाला' दण्ड का विधान है और यहाँ मृत्युकारक प्रायश्चित्त [९०, ९१, १४६] विहित है। दोनों व्यवस्थाओं में पर्याप्त अन्तर और विरोध है। इस प्रकार ये अन्तर्विरोध इस सम्पूर्ण प्रसंग को अमौलिक और प्रक्षिप्त सिद्ध करते हैं।

२. **अवान्तरविरोध**—इस प्रसंग में पातकों के विभाजन तथा उनकी दण्ड-व्यवस्था में पुनरुक्तियां, असंतुलन, परस्परविरुद्धता और अत्यधिक विशृंखलता है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह प्रसंग न तो मौलिक है और न किसी एक व्यक्ति द्वारा रचित है तथा न किसी विद्वान् व्यक्ति द्वारा रचित है। इस प्रसंग में निम्न त्रुटियां हैं—

(१) ५४ वें श्लोक में मद्यपान को महापातक माना है, और ६६ वें श्लोक में मद्यप की गणना उपपातकियों में है।

(२) दण्डों के विकल्पों में अत्यधिक असमानता है, जो बुद्धिसंगत प्रतीत नहीं होती; जैसे—(क) ९०, ९१, १४६ श्लोकों में मदिरा पीने पर मृत्यु द्वारा ही शुद्धि मानी है, और ९२ वें श्लोक में उसके विकल्प में एक वर्ष तक चावल पर रहना ही विहित है। (ख) ७३ वें श्लोक में ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त मृत्यु विहित है, और ८२–८३ में अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों और राजा के समक्ष अपना पाप कहकर स्नान कर लेना मात्र ब्रह्महत्या को दूर करने वाला प्रायश्चित्त कहा है। (ग) गुरुस्त्रीगामी के लिए १०३, १०४ श्लोकों में मृत्यु का प्रायश्चित्त बताया है, और १०६ में केवल तीन मास तक हविष्य और नीवार से चान्द्रायणव्रत करने से उक्त महापातक की शुद्धि मान ली। इस प्रकार इन विकल्पों में कोई संतुलन और तालमेल नहीं है।

(३) ५५ वें श्लोक में असत्यभाषण को महापातक मानकर ब्रह्महत्या के समान माना, है और ६९ वें श्लोक में असत्यभाषण को साधारण-सा अपराध 'अपात्रीकरण' माना है।

(४) ५६ वें श्लोक में 'वेदनिन्दा' को महापातक माना है, जबकि ६६ वें श्लोक में 'नास्तिकता' को उपपातक माना है। मनु के मत में वेदनिन्दा ही नास्तिकता है ["नास्तिको वेदनिन्दकः" (२। ११)]।

(५) ५५–५७ श्लोकों में अनेक अपराधों को महापातकों के समान गिना है किन्तु महापातकों के प्रायश्चित्त-विधान प्रसंग [८६ से १०६] में उनका प्रायश्चित्त वर्णित नहीं है, वे हैं—अपनी उन्नति के लिए झूठ बोलना, राजा के सामने चुगली

करना, वेदत्याग, वेदनिन्दा, निन्दित तथा अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण, मनुष्य, घोड़ा, चांदी, भूमि, वज्र और मणियों की चोरी।

(६) इसी प्रकार कुछ अपराधों को महापातकों के प्रसंग [५४–५८] में नहीं गिना, किन्तु इनके प्रसंग में उनका प्रायश्चित्त विहित है; वे हैं—गर्भपात, यज्ञ करते हुए क्षत्रिय और वैश्य की हत्या, रजस्वला स्त्री की हत्या एवं स्त्री-हत्या [८७–८८]।

(७) ६६ वें श्लोक में स्त्री-हत्या को उपपातक माना है, किन्तु ८८ वें श्लोक में उसे महापातक मानकर स्त्री-हत्यारे के लिए ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त विहित है।

(८) ५६ वें श्लोक में निन्दित और अभक्ष्य पदार्थों के भक्षण को महापातक के समान माना है और ६४ वें श्लोक में उपपातक माना है।

(९) ५७ वें श्लोक में मनुष्य, घोड़ा, चांदी आदि की चोरी को महापातक के समान माना है और उनका प्रायश्चित्त अत्यन्त साधारण कहा है [१६३, १६७]। आश्चर्य की बात तो यह है कि स्वर्ण की चोरी करने पर तो ब्रह्महत्या का बारह वर्ष तक प्रायश्चित्त है और मनुष्यों तथा स्त्रियों की चोरी करने पर केवल चान्द्रायणव्रत ही प्रायश्चित्त माना है [१६३]। इसी श्लोक में मनुष्यों और स्त्रियों की चोरी तथा कूयें और बावड़ी के जल की चोरी को भी समान माना है !

(१०) एक ही प्रसंग में तीन स्थानों पर [५७, ६५, ६६] चोरी का परिगणन किया गया है; जो अनावश्यक है।

(११) वेदत्याग, वेदपाठ-त्याग, निन्दा और नास्तिकता, जो कि मनु के विचार में एक नास्तिकता के अन्तर्गत ही आते हैं [२। ११], उनका इस प्रसंग में तीन बार उल्लेख है [५६, ५९, ६६]।

(१२) इसी प्रकार उपपातकों के एक ही प्रसंग में अग्निहोत्र-त्याग के अपराध का दो बार परिगणन है [५९, ६५]।

(१३) इसी प्रकार परस्त्रीगमन, कन्यादूषण, व्रतलोप, स्त्रीसेवन आदि एक ही प्रकार की बातों का केवल उपपातक प्रसंग में ही तीन बार उल्लेख है, [५९. ६१, ६६]।

(१४) कन्यादूषण को ५८ में महापातकों के अन्तर्गत गिना है, और ६१ मे उपपातकों के अन्तर्गत।

(१५) पातकों के परिगणन-क्रम में और उनके प्रायश्चित्त वर्णन-क्रम में ताल-मेल नहीं है। गणना के अनुसार महापातकी, उनके संसर्गियों के प्रायश्चित्त, उपपातकी जातिभ्रंशकर, संकरीकरण, अपात्रीकरण, मलावह, इस क्रम से प्रायश्चित्त विधान होना चाहिए, किन्तु इसमें अत्यधिक विशृंखलता है और संसर्गियों के लिए सबसे अन्त में फल-विधान किया है। १२६ से १७९ श्लोकों का वर्णन परिगणन क्रम के आधार पर १२४ से पूर्व होना चाहिए था। फलकथन का प्रसंग इतना विशृंखलित है कि परि-

गणनक्रम के अनुसार उसमें बहुत कम प्रायश्चित्त क्रमबद्धरूप से मिलते हैं। ५४ वें श्लोक से तो यह संकेत मिलता है कि केवल महापातकियों का संसर्ग ही महापातक है, किन्तु संसर्गों का प्रयश्चित्त सभी अपराधों के बाद देकर सभी अपराधियों के संसर्ग को पातक का रूप दे दिया है।

(१६) स्त्री-वध को उपपातकों के अन्तर्गत माना है, और उसका प्रायश्चित्त महापातकों के समान महापातकों के प्रसंग में दिया है [६६, ८८]।

(१७) असंतुलन का अत्यधिक आश्चर्यपूर्ण उदाहरण १३१ वां श्लोक है, जिसमें शूद्र के जीवन को बिलाव, नेवला, मेंढक, कुत्ता, उल्लू आदि के समानस्तर का मानकर इन सबकी हत्या पर एक ही प्रायश्चित्त विहित किया है।

(१८) एक अपराध का एक स्थान पर ही प्रायश्चित्त होना चाहिए, किन्तु इस प्रसंग में एक ही अपराध का कई-कई स्थानों पर प्रायश्चित्त विहित है और वह भी भिन्न-भिन्न। जैसे—(क) सर्पहत्या को 'संकरीकरण' पाप मानकर १२५ वें में चान्द्रायणव्रत उसका प्रायश्चित्त विहित है। पुनः १३३, १३६ में उससे भिन्न प्रायश्चित्तों का विधान है। (ख) घोड़ा, हाथी, भेड़, गधा आदि की हत्या का ६८, १२५ में भी प्रायश्चित्त है, और १३६ में भी। (ग) मद्य के साथ के पदार्थों के भक्षण का प्रायश्चित्त ७०, १२५ में भी है, और उससे भिन्न १४७–१४६ में भी। (घ) फल आदि की चोरी का प्रायश्चित्त ७०, १२५ में भी है, और उससे भिन्न १६५ में भी। इन सभी की गणना दो-दो बार पृथक्-पृथक् अपराधों के नाम से की गई है, जो किसी एक रचयिता द्वारा असम्भव है।

(१६) १६० वें श्लोक में कहा है कि—कृतघ्न, शरणागत के हत्यारे यदि प्रायश्चित्त भी कर चुके हों तो भी इनके साथ व्यवहार न करे, जबकि इन दोनों अपराधों का पिछले पातकों में कहीं भी उल्लेख नहीं है।

(२०) प्रायश्चित्तविधान प्रसंग में मनु की शैली में चार प्रसंग प्रारम्भ किये हैं, वे हैं—१२६–१४५ में हिंसाजन्य पापों का प्रायश्चित्त, १४६–१६० में अभक्ष्यभक्षण का, १६१–१६८ में चोरी का, १६६–१७८ में अगम्यागमन का प्रायश्चित्त कहा है, और इन चारों प्रसंगों की समाप्ति का संकेत १७६ में है, किन्तु अपराधगणना प्रसंग में इस क्रम या नाम से इन प्रसंगों का परिगणन कहीं नहीं है।

३. **प्रसंगविरोध**—प्रायश्चित्त-विषयक प्रसंग का संकेत देने वाला श्लोक ४४ वां है। इसमें स्पष्ट शब्दों में तीन बातों का संकेत दिया है—

(क) विहित कर्मों को न करने पर,

(ख) निन्दित कर्म करने पर, और—

(ग) इन्द्रियविषयों में आसक्त होने पर अर्थात् आलस्य, कामवासना आदि में पड़ने से मनुष्य प्रायश्चित्त का पात्र होता है।

उक्त श्लोकों में जो संकेत दिये हैं, अग्रिम प्रसंग में इनके आधार पर वर्णन नहीं है; जबकि मनु की शैली के अनुसार संकेत-श्लोक के अनुसार ही अग्रिम वर्णन होना चाहिए। अग्रिम प्रसंग को ध्यानसे देखने से वह दो भिन्न प्रसंगोंमें विभाजित हुआ प्रतीत होता है। पहला प्रसंग ५४ से १९० श्लोक तक है, और दूसरा १९१ से २०९ श्लोक तक। पहले प्रसंग की समाप्ति का संकेत १७९ में दिया है और फिर अपराधियोंके संसर्ग करने वालों के लिए विधान है, और १८९–१९० में इस प्रथम प्रसग का उपसंहार है।

अब यहां विचारणीय बात यह है कि जब अपराधों के प्रायश्चित्त का एक प्रसंग समाप्त हो गया तो पुनः १९१ से प्रायश्चित्त वर्णन प्रारम्भ करने का क्या तुक था? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि यह द्वितीय प्रसंग ही मौलिक है और प्रथम प्रसंग प्रक्षिप्त है। इसमें निम्न युक्तियां हैं—

(१) प्रथम प्रसंग [५४–१९० तक] अनेक आधारों पर अमौलिक और प्रक्षिप्त सिद्ध हो रहा है और शैली की दृष्टि से भी मनु-प्रोक्त नहीं लगता।

(२) यह प्रथम प्रसंग संकेत-श्लोक ४४ के अनुसार नहीं है। उसका प्रारम्भ भी मनु की शैली में नहीं है। मनु की शैली के अनुसार, पातकों की गणना से पूर्व उसको कहने का संकेत होना चाहिए था।

(३) द्वितीय प्रसंग मनु के संकेत-श्लोक ४४ वें के अनुसार नहीं है। इस प्रसंग में १९१ वां श्लोक "**अकुर्वन् विहितं कर्म**" का दिग्दर्शन है। १९२–१९६ श्लोक "**निन्दितं च समाचरन्**" के और २०३ श्लोक "**प्रसक्तश्चेन्द्रियार्थेषु**" का दिग्दर्शन है। शेष सभी अपराधों का प्रायश्चित्त शक्ति और काल के आधार पर करने के लिए संकेत करके [२०९] इस प्रसंग को संक्षेप में समाप्त कर दिया है।

(४) १९२ वें श्लोक के शब्द इस बात को सिद्ध करते हैं कि मनु ने इस प्रसंग को संक्षेप में वर्णित करके समाप्त किया है, और ५४ से १९० श्लोकों के विस्तृत वर्णन का मौलिकता से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस श्लोक में मनु ने सभी विकर्मस्थ (निन्दित या व्यवस्था-विरुद्ध कर्म करने वाले) लोगों के लिए एक ही पद द्वारा—"**प्रायश्चित्तं चिकीर्षन्ति विकर्मस्थास्तु ये द्विजाः**" कहकर सामान्य विधान कर दिया है। यदि मनु को एक-एक अपराध की गणना का और उसके विस्तृत प्रायचित्त वर्णन का अभीष्ट होता तो वे एक ही पद में सभी व्यक्तियों को और सभी निन्दित कर्मों को एकत्र समाहृत नहीं करते। इस श्लोक से यही सिद्ध है कि प्रथम प्रसंग अमौलिक है और द्वितीय प्रसंग मौलिक है।

इस प्रकार प्रसंगविरोध के आधार पर यह प्रसंग असंगत सिद्ध होता है। प्रसंगानुसार ५३ वें श्लोक के पश्चात् १९१ वां श्लोक होना चाहिए। बीच के ये सभी श्लोक अप्रासंगिक हैं।

४. **शैलीगत आधार**—सम्पूर्ण प्रसंग में महापातक एवं उपपातक तथा अन्य

पातकों के विभाजन और उनकी दण्ड-व्यवस्था में अत्यधिक विशृंखलता तथा असंतुलन-युक्त शैली है। इनका विभाजन भी निराधार है। इसी प्रकार इस प्रसंग की वर्णनशैली अतिशयोक्तिपूर्ण, निराधार और अयुक्तियुक्त है। मनु की शैली में ये त्रुटियां नहीं हैं। अतः यह प्रसंग प्रक्षिप्त है।

व्रात्यों का प्रायश्चित्त—

येषां द्विजानां सावित्री नानूच्येत यथाविधि।
तांश्चारयित्वा त्रीन्कृच्छ्रान्यथाविध्युपनाययेत्॥१९१॥ (६)

(येषां द्विजानां सावित्री) जिन द्विजों का यज्ञोपवीत संस्कार (यथाविधि) उचित समय [इस संस्करण में २। ११–१३] पर (न+अनूच्येत) नहीं हुआ हो, (तान्) उनको (त्रीन् कृच्छ्रान् चारयित्वा) तीन कृच्छ्र व्रत [११। २१२] कराके (यथाविधि+उपनाययेत्) विधिपूर्वक उनका उपनयन संस्कार कर देना चाहिए॥ १९१॥

निन्दित कर्म करने वालों का प्रायश्चित्त—

प्रायश्चित्तं चिकीर्षन्ति विकर्मस्थास्तु ये द्विजाः।
ब्रह्मणा च परित्यक्तास्तेषामप्येतदादिशेत्॥ १९२॥ (७)

(विकर्मस्थाः तु ये द्विजाः) अपने धार्मिक कर्त्तव्यों का त्याग कर देने और निन्दित कर्म करने पर जो उपनयनयुक्त द्विज (प्रायश्चित्तं चिकीर्षन्ति) प्रायश्चित्त करके अपने को शुद्ध करना चाहते हैं (च) और (ब्रह्मणा परित्यक्ताः) वेदादि के त्यागने पर जो प्रायश्चित्त करके शुद्ध होना चाहते हैं (तेषाम्+अपि+एतत्+आदिशेत्) उन्हें भी पूर्वोक्त व्रत [११। १९१] करने को कहें॥ १९२॥

[illegible]

[illegible] (यत् धनम्+अर्जयन्ति) जो धन इकट्ठा करते हैं (तस्य उत्सर्गेण) उस धन के लौटाने, (च) और उसके बाद (तपसा जप्येन एव शुद्धयन्ति) तप और जप [११। १९४–१९६] करने से शुद्ध होते हैं॥ १९३॥

जपित्वा त्रीणि सावित्र्याः सहस्राणि समाहितः।
मासं गोष्ठे पयः पीत्वा मुच्यतेऽसत्प्रतिग्रहात्॥ १९४॥

ब्राह्मण (समाहितः) एकाग्र होकर (त्रीणि सहस्राणि सावित्र्याः जपित्वा) तीन हजार गायत्री मन्त्र जपकर, और (गोष्ठे मासं पयः पीत्वा) गोशाला में रहते हुए एक

मास तक गौ के दूध पर रहकर (असत् प्रतिग्रहात् मुच्यते) निन्दित दान लेने के अपराध से मुक्त होता है ॥ १९४ ॥

उपवासकृशं तं तु गोव्रजात्पुनरागतम् ।
प्रणतं प्रति पृच्छेयुः साम्यं सौम्येच्छसीति किम् ? ॥ १९५ ॥

(उपवासकृशं गोव्रजात् पुनः+आगतम्) केवल दूध लेने के उपवास से दुर्बल हुए, गोशाला से वापस लौटे, (तं प्रणतं प्रति पृच्छेयुः) उस प्रायश्चित्तकर्त्ता विनम्र ब्राह्मण से अन्य ब्राह्मण पूछें कि ('सौम्य ! किं साम्यम्+इच्छसि' इति) 'हे सौम्य ! क्या हम लोगों के समान होना चाहते हो ?' ॥ १९५ ॥

सत्यमुक्त्वा तु विप्रेषु विकिरेद्यवसं गवाम् ।
गोभिः प्रवर्तिते तीर्थे कुर्युस्तस्य परिग्रहम् ॥ १९६ ॥

(विप्रेषु सत्यम्+उक्त्वा तु) वह प्रायश्चित्त करके लौटने वाला ब्राह्मण उनके प्रश्न के उत्तर में 'हां मैं आगे निन्दित उपायों से धनसंग्रह नहीं करूंगा' इस प्रकार सत्य प्रतिज्ञा करके, फिर (गवां यवसं विकिरेत्) गौओं के आगे चारा डाले, ब्राह्मण फिर (गोभिः प्रवर्तिते तीर्थे तस्य परिग्रहं कुर्युः) गौओं के बैठने के स्थान या आने-जाने के मार्ग पर उसका पुनः ग्रहण [=जाति में मिलाना] करें ॥ १९६ ॥

अनुशीलन : ये चार (१०।१९३—१९६) श्लोक निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—(१) १० । १९१ वें श्लोक में यज्ञोपवीत-संस्कार से हीन द्विजों के लिए तीन कृच्छ्र व्रतों का विधान प्रायश्चित्तरूप में किया है। और १९२ वें श्लोक में भी **'एतदादिशेत्'** कहकर उन्हीं का संकेत किया है। केवल ब्राह्मण की शुद्धि के उपायों का कथन प्रसंगविरुद्ध है। (२) १९२ से सभी व्यक्तियों के सभी विकर्मों या कर्मों के अपालन का कथन हो गया है। अतः यहां ब्राह्मण के कर्मों की गणना की

[illegible]—जब 'द्विज' शब्द से मनु का अभिप्राय ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य तीनों वर्णों का ग्रहण होता है, और द्विजों के प्रायश्चित्त से ब्राह्मण का भी प्रायश्चित्त हो जाता है, तो पृथक् से ब्राह्मण के लिए एक नवीन विधान करना मौलिक नहीं कहा जा सकता। और ब्राह्मण के लिए यदि पृथक् व्यवस्था की गई है, तो फिर क्रम से क्षत्रियादि के लिए भी पृथक् व्यवस्था होनी चाहिये थी। और यदि पृथक् वर्णों के लिए मनु को प्रायश्चित्त विधान अभीष्ट होता तो द्विजों की सामान्य व्यवस्था किस के लिए होगी ? यदि ब्राह्मण [१९३] जप, तप से शुद्ध हो जाता है तो कृच्छ्रव्रतों की ब्राह्मण के लिए आवश्यकता नहीं है ? अतः ये दोनों विधान परस्पर समन्वय के बिना विरोधी हो जायेंगे।

३. **पुनरुक्त**—मनु ने ११।२२५–२२६ श्लोकों में गायत्री आदि मन्त्रों के जप से द्विजों की शुद्धि मानी है। और २२७ में तप आदि साधन भी लिखे हैं। फिर यहां ब्राह्मण के लिए [१९३–१९४] जप, तप से शुद्धि का विधान पुनरुक्त होने से मान्य नहीं हो सकता। और जप-तप से भिन्न=यज्ञ करना, अहिंसादि का पालन करना [२२२] अपने दोष को कहने और वेदाभ्यासादि करना [२२७], क्या ब्राह्मण के लिए इनकी आवश्यकता नहीं है? अतः द्विजों के प्रायश्चित्त से ब्राह्मण का पृथक् प्रायश्चित्त विधान पुनरुक्त एवं पक्षपातपूर्ण है।

४. **शैलीविरोध**—१९४ वें में कहा है कि ब्राह्मण प्रायश्चित्त के लिए गोशाला में जाकर एक मास तक दूध पीये, और १९६ में कहा है कि गायों के आने-जाने का स्थान तीर्थ होता है, वहां जाकर ब्राह्मण की शुद्धि होती है। इस प्रकार की अयुक्तियुक्त एवं पक्षपातपूर्ण बातें मनुप्रोक्त कदापि नहीं हो सकतीं। गाय के दूध में बहुत गुण हैं, और गायों की सेवा करना उत्तम कार्य है, परन्तु गायें जिस स्थान पर बैठती हैं, अथवा जिस स्थान से आती-जाती हैं, उस स्थान को तीर्थ=शुद्धि का स्थान मानना पौराणिक कल्पना होने से मिथ्या है।

अन्य विविध प्रायश्चित्त—

व्रात्यानां याजनं कृत्वा परेषामन्त्यकर्म च।
अभिचारमहीनं च त्रिभिः कृच्छ्रैर्व्यपोहति॥ १९७॥

(व्रात्यानां याजनम्) व्रात्यों का यज्ञ, (परेषाम्+अन्त्यकर्म) परायों अर्थात् अन्त्यजों का अन्त्येष्टि कर्म, (अभिचारं च अहीनं कृत्वा) मारण, मोहन, उच्चाटन आदि अभिचार कर्म, और 'अहीन' नामक यज्ञ करके (त्रिभिः कृच्छ्रैः व्यपोहति) तीन कृच्छ्र व्रतों [११। २११] से शुद्ध होता है। १९७॥

शरणागतं परित्यज्य वेदं विप्लाव्य च द्विजः।
संवत्सरं यवाहारस्तत्पापमपसेधति॥ १९८॥

(शरणागतं परित्यज्य) शरणागत का त्याग करके (च) और (वेदं विप्लाव्य) वेद पढ़ने के अनधिकारी को वेद पढ़ाकर (संवत्सरं यवाहारः) एक वर्ष तक जौ का भोजन करने पर (तत् पापम्+अपसेधति) उस पाप को दूर करता है॥ १९८॥

श्वसृगालखरैर्दष्टो ग्राम्यैः क्रव्याद्भिरेव च।
नराश्वोष्ट्रवराहैश्च प्राणायामेन शुध्यति॥ १९९॥

(श्व-सृगाल-खरैः ग्राम्यैः क्रव्याद्भिः नर-अश्व-उष्ट्र-वराहैः च दष्टः) कुत्ता, गीदड़, गधा, गांव के मांसभक्षी पशु बिल्ली आदि, मनुष्य, घोड़ा, ऊंट और सूअर के काटने पर (प्राणायामेन शुद्धयति) मनुष्य प्राणायाम करने से शुद्ध हो जाता है॥१९९॥

षष्ठान्नकालता मासं संहिताजप एव वा।
होमाश्च सकला नित्यमपाङ्क्त्यानां विशोधनम् ॥ २००॥

(अपाङ्क्त्यानां विशोधनम्) पंक्तिबाह्य [३।१५०–१६६] मनुष्यों की शुद्धि (मासं षष्ठ-अन्न-कालता) एक मास तक छठे जून = भोजन समय भोजन करने से (वा) अथवा (संहितजपः) एक संहिता का जप करने से (च) और (नित्यं सकलाः होमाः) प्रतिदिन सभी पञ्चयज्ञों के करने से होती है ॥ २०० ॥

उष्ट्रयानं समारुह्य खरयानं तु कामतः।
स्नात्वा तु विप्रो दिग्वासाः प्राणायामेन शुध्यति ॥ २०१ ॥

(विप्रः) द्विज (कामतः) इच्छापूर्वक (खरयानम्) गधा-गाड़ी (च) और (उष्ट्रयानं समारुह्य) ऊंटगाडी पर चढ़कर, और (दिग्वासाः स्नात्वा) नंगे होकर स्नान करके (प्राणायामेन शुद्धयति) प्राणायाम करने से शुद्ध होता है ॥ २०१ ॥

विनाद्भिरप्सु वाप्यार्तः शारीरं सन्निवेश्य च।
सचैलो बहिराप्लुत्य गामालभ्य विशुध्यति ॥ २०२ ॥

(आर्तः) रोगी मनुष्य (विना+अद्भिः वा अप्सु अपि) जल के बिना अथवा जल में (शारीरं सन्निवेश्य) शरीर से उत्पन्न मल-मूत्र करके (बहिः सचैलः आप्लुत्य) गांव से बाहर वस्त्रसहित स्नान करके (गाम्+आलभ्य विशुद्धयति) गौ का स्पर्श करने से शुद्ध होता है ॥ २०२ ॥

अनुशीलन : १९७ से २०२ श्लोक प्रसंगविरोध, विषयविरोध, अन्तर्विरोध एवं शैलीगत आधार पर प्रक्षिप्त हैं। इनकी समीक्षा ११।२०४–२०८ श्लोकों पर एकत्र रूप में देखिये।

वेदोक्त कर्मों के त्याग का प्रायश्चित्त—

वेदोदितानां नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे।
स्नातकव्रतलोपे च प्रायश्चित्तमभोजनम् ॥ २०३ ॥ (८)

(वेदोक्तानां नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे) वेदोक्त नैत्यिक [अग्निहोत्र, संध्योपासन आदि] कर्मों के न करने पर (च) और (स्नातकव्रतलोपे) ब्रह्मचर्यावस्था में व्रतों [भिक्षाचरण आदि] के न करने पर (अभोजनं प्रायश्चित्तम्) एक दिन उपवास रखना ही प्रायश्चित्त है ॥ २०३ ॥

अनुशीलन : तुलनार्थ द्रष्टव्य है २। १९५ [२ ।२२०] श्लोक।

ब्राह्मण को फटकारने और मारने पर प्रायश्चित्त—

हुङ्कारं ब्राह्मणस्योक्त्वा त्वङ्कारं च गरीयसः।
स्नात्वाऽनश्नन्नहः शेषमभिवाद्य प्रसादयेत् ॥ २०४ ॥

(ब्राह्मणस्य हुङ्कारं उक्त्वा) ब्राह्मण को 'हूँ ऊं ऊं·····'शब्दोच्चारण से फटकार कर, (गरीयसः त्वम्-कारम्) बड़ों को 'तू' कहकर (स्नात्वा) स्नान करके (शेषम् अहः अनश्नन्) शेष दिन में बिना खाये रहे और (अभिवाद्य प्रसादयेत्) उन्हें अभिवादनपूर्वक प्रसन्न करे ॥ २०४ ॥

ताडयित्वा तृणेनापि कण्ठे बाऽऽबध्य वाससा ।
विवादे वा विनिर्जित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत् ॥ २०५ ॥

(तृणेन+अपि ताडयित्वा) ब्राह्मण को निम्न वर्णस्थ द्विज तिनके से भी मारकर (वा) या (कण्ठे वाससा+आबध्य) गले में कपड़ा डाल खींचकर (वा) अथवा (विवादे विनिर्जित्य) विवाद में जीतकर (प्रणिपत्य प्रसादयेत्) उसके चरणों में नमस्कार करके प्रसन्न करे ॥ २०५ ॥

अवगूर्य त्वब्दशतं सहस्रमभिहत्य च ।
जिघांसया ब्राह्मणस्य नरकं प्रतिपद्यते ॥ २०६ ॥

मनुष्य (ब्राह्मणस्य जिघांसया) ब्राह्मण को मारनेकी इच्छा से (अवगूर्य+तु अब्दशतम्) दंडा उठाकर सौ वर्ष तक (च) और (अभिहत्य सहस्रम्) दंडा मारकर एक हजार वर्ष तक (नरकं प्रतिपद्यते) नरक में पड़ा रहता है ॥ २०६ ॥

शोणितं यावतः पांसून्संगृह्णाति महीतले ।
तावन्त्यब्दसहस्राणि तत्कर्ता नरके वसेत् ॥ २०७ ॥

(शोणितम्) मारने पर ब्राह्मण के शरीर से निकला हुआ खून (महीतले) धरती पर पड़कर (यावतः पांसून् संगृह्णाति) जितने धूलिकणों को गीला करता है (तावन्ती+अब्दसहस्राणि) उतने ही हजार वर्ष तक (तत्कर्त्ता नरके वसेत्) मारने वाला नरक में रहता है ॥ २०७ ॥

अवगूर्य चरेत्कृच्छ्रमतिकृच्छ्रं निपातने ।
कृच्छ्रातिकृच्छ्रौ कुर्वीत विप्रस्योत्पाद्य शोणितम् ॥ २०८ ॥

(विप्रस्य अवगूर्य) ब्राह्मण को मारने की इच्छा से दण्डा उठाकर (कृच्छ्रं चरेत्) कृच्छ्र व्रत [११।२११] करे, (निपातने अतिकृच्छ्रम्) मारने पर अतिकृच्छ्र व्रत [११।१२३] करे, और (शोणितम् उत्पाद्य कृच्छ्र-अतिकृच्छ्रौ कुर्वीत) रक्त बहाकर कृच्छ्र और अतिकृच्छ्र दोनों व्रत करे ॥ २०८ ॥

अनुशीलन : ११।२०४ से २०८ तक के श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—संकेतश्लोक ११।४४ के अनुसार इस प्रसंग के १९१-१९२, २०३ श्लोक ही मौलिक एवं प्रासंगिक सिद्ध होते हैं, शेष अप्रासंगिक हैं। [देखिए ५४ से १९० श्लोकों पर प्रसंगविरुद्ध समीक्षा]।

२. **विषयविरोध**—इस प्रसंग के १९८, १९९–२०२, २०४ श्लोकों के वर्णन ४४ श्लोक में निर्दिष्ट विषय के अनुरूप न तो पाप हैं और न पापरूप में पूर्ववर्णित हैं। अतः विषयाविरुद्ध होने से ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

३. **अन्तर्विरोध**—(१) १९८–२०२, २०४, २०५–२०७ श्लोकों में विधियां २१० से २२६ श्लोकों के अन्दर वर्णित विधियों से भिन्न हैं, अतः यह विरुद्ध वर्णन है। (२) २०५ से २०८ के प्रसंग में नरक का वर्णन मनु-विरुद्ध है। नरक की मान्यता मनु-सम्मत नहीं है [देखिए ४। ८७–९१ श्लोकों पर समीक्षा]।

४. **शैलीगत आधार**—२०२ की रूढ शैली है, २०५–२०८ की शैली पक्षपात-पूर्ण, अयुक्तियुक्त एवं निराधार अतिशयोक्तिपूर्ण है। मनु की शैली में ये त्रुटियां नहीं हैं।

अविहित कर्मों के लिए प्रायश्चित्त-निर्णय—

अनुक्तनिष्कृतीनां तु पापानामपनुत्तये।
शक्तिं चावेक्ष्य पापं च प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत् ॥ २०९ ॥ (९)

(अनुक्तनिष्कृतीनां तु पापानाम्) जिनका प्रायश्चित्त नहीं कहा है ऐसे अपराधों के (अपनुत्तये) दोष को दूर करने के लिए (शक्तिं च पापम् अवेक्ष्य) प्रायश्चित्तकर्त्ता की शक्ति और अपराध को देखकर (प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत्) प्रायश्चित्त का निर्णय कर लेना चाहिए ॥ २०९ ॥

प्रायश्चित्तों का परिचय-वर्णन—

यैरभ्युपायैरेनांसि मानवो व्यपकर्षति।
तान्वोऽभ्युपायान्वक्ष्यामि देवर्षिपितृसेवितान् ॥२१०॥ (१०)

(मानवः) मनुष्य (यैः+अभ्युपायैः) जिन उपायों से (एनांसि व्यपकर्षति) पापों=अपराधों को [पापफलों को नहीं] दूर करता है, अब मैं (देव-ऋषि-पितृ-सेवितान्) विद्वानों, ऋषियों=तत्त्वज्ञानियों और पिता आदि वयोवृद्ध व्यक्तियों द्वारा सेवित (तान् अभ्युपायान् वः वक्ष्यामि) उन उपायों को तुमसे कहूँगा—॥ २१० ॥

अनुशीलन: (१) मनु ने यहां देव=विद्वानों, ऋषियों, पितरों द्वारा सेवित-विहित प्रायश्चित्तों का विधान किया है [११। २११–२२५] मनुस्मृति में अनेक स्थानों पर देव-ऋषि-पितरों की मान्यताओं का उल्लेख आता है [२। १२६–१३१ (२। १५१–१५६) आदि]। परम्परागतरूप में ये प्रचलित रहे हैं। देव-ऋषि-पितर शब्दों के अर्थ को समझने के लिए विशेष विवेचन ३। ८१–८२ पर देखिए।

(२) 'एनः' के अर्थ पर २। २ [२। २७] के अनुशीलन में प्रकाश डाला गया है। वहां द्रष्टव्य है।

(३) यह व्रतों के प्रसंग को प्रारम्भ करने का कथन करने के लिए प्रसंग-संकेतक श्लोक है।

(४) व्रतों से पाप-फल की निवृत्ति नहीं अपितु पापकर्म अर्थात् पापभावना नष्ट होती है। देखिए सप्रमाण अनुशीलन—११। २२७ पर।

प्राजापत्य व्रत की विधि—

त्र्यहं प्रातस्त्र्यहं सायं त्र्यहमद्यादयाचितम्।
त्र्यहं परं च नाश्नीयात्प्राजापत्यं चरन्द्विजः ॥२११॥ (११)

(प्राजापत्यं चरन् द्विजः) 'प्राजापत्य' नामक व्रत का पालन करने वाला द्विज (त्रि+अहं प्रातः) पहले तीन दिन प्रातःकाल ही, (त्रि+अहं सायम्) फिर तीन दिन केवल सायंकाल, (त्रि+अहम् अयाचितम् अद्यात्) उसके पश्चात् तीन दिन बिना मांगे जो मिले उसका ही भोजन करे (च) और (परं त्रि+अहं न अश्नीयात्) उसके बाद फिर तीन दिन उपवास रखे। [यह प्राजापत्य व्रत है] ॥ २११ ॥

अनुशीलन : योगदर्शन में 'कृच्छ्र' आदि व्रतों का उद्देश्य—मनुस्मृति में चित्त की अशुद्धि को दूर करने के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया है। इसकी पुष्टि योगदर्शन और उसके व्यासभाष्य में की गई है—"**कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः**" अर्थात् तप के द्वारा शरीर और इन्द्रियों की अशुद्धि दूर होकर शरीर रोगरहित और चित्त आदि इन्द्रियाँ निर्मल होती हैं [२।४३]।

२। ३२ सूत्र के भाष्य में तप की व्याख्या में कृच्छ्र, चान्द्रायण आदि व्रतों को भी परिगणित किया है—"**व्रतानि चैषां यथायोगं कृच्छ्र-चान्द्रायण-सान्तपनादीनि।**" अर्थात् तप के अन्तर्गत कृच्छ्रव्रत, चान्द्रायणव्रत, सान्तपनव्रत आदि व्रत भी आते हैं। इनका शरीर की अनुकूलता के अनुसार पालन करना चाहिए।' इस प्रकार व्रतों से मानसिक पाप की अशुद्धि क्षीण होती है।

कृच्छ्र सान्तपन व्रत की विधि—

गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्।
एकरात्रोपवासश्च कृच्छ्रं सांतपनं स्मृतम् ॥ २१२ ॥ (१२)

क्रमशः एक-एक दिन (गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधिः सर्पिः कुश+उदकम्) गोमूत्र, गोबर का रस, गोदूध, गौ के दूध का दही, गोघृत और कुशा =दर्भ से उबला जल, इनका भोजन करे (च) और (एकरात्र+उपवासः) फिर एक दिन-रात का उपवास रखे, यह (कृच्छ्रं-सांतपनं स्मृतम्) 'कृच्छ्र सांतपन' नामक व्रत है॥ २१२॥

अतिकृच्छ्र व्रत की विधि—

एकैकं ग्रासमश्नीयात्त्र्यहाणि त्रीणि पूर्ववत् ।
त्र्यहं चोपवसेदन्त्यमतिकृच्छ्रं चरन्द्विजः ॥ २१३ ॥ (१३)

(अतिकृच्छ्रं चरन् द्विजः) 'अतिकृच्छ्र' नामक व्रत को करने वाला द्विज (पूर्ववत्) पूर्व विधि [११ । २११] के अनुसार (त्रि+अहाणि त्रीणि) तीन दिन केवल प्रातःकाल, तीन दिन केवल सायंकाल, तीन दिन बिना मांगे प्राप्त हुआ (एक-एकं ग्रासम्+अश्नीयात्) एक-एक ग्रास भोजन करे (अन्त्यं त्रि+अहं च+उपवसेत्) और अन्तिम तीन दिन उपवास रखे। [यह 'अतिकृच्छ्र' व्रत है] ॥ २१३ ॥

तप्तकृच्छ्र व्रत की विधि—

तप्तकृच्छ्रं चरन्विप्रो जलक्षीरघृतानिलान् ।
प्रतित्र्यहं पिबेदुष्णान्सकृत्स्नायी समाहितः ॥ २१४ ॥ (१४)

(तप्तकृच्छ्रं चरन् विप्रः) 'तप्तकृच्छ्र' व्रत को करने वाला द्विज (उष्णान् जल-क्षीर-घृत-अनिलान् प्रतित्र्यहं पिबेत्) गर्म पानी, गर्मदूध, गर्म घी और वायु प्रत्येक को तीन-तीन दिन पीकर रहे, और (सकृत्स्नायी) एक बार स्नान करे, तथा (समाहितः) एकाग्रचित्त रहे ॥ २१४ ॥

अनुशीलन : इस श्लोक में 'वायु पीना' एक मुहावरा है जिसको आजकल 'हवा के सहारे जीना' रूप में भी प्रयोग करते हैं इसका अर्थ—'बिना कुछ खाये पीये रहना' है अर्थात् अन्तिम तीन दिन बिना कुछ खाये-पीये रहे।

पराककृच्छ्र व्रत की विधि—

यतात्मनोऽप्रमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम् ।
पराको नाम कृच्छ्रोऽयं सर्वपापापनोदनः ॥ २१५ ॥

(यतात्मनः+अप्रमत्तस्य) 'जितेन्द्रिय और सावधानीपूर्वक रहते हुए (द्वादश अहम्+अभोजनम्) बारह दिन तक भोजन न करना' (अयं पराकः नाम कृच्छ्रः) यह 'पराक' नामक कृच्छ्रव्रत है, (सर्वपाप अपनोदनः) यह सब पापों के संस्कारों की शुद्धि करने वाला है ॥ २१५ ॥

अनुशीलन : यह (११ । २१५ वाँ) श्लोक निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त है—

१. **प्रसंगविरोध**—११ । १६१ वें श्लोक में तीन कृच्छ्र व्रतों का निर्देश किया है। और उनका विधान २१२ से २१४ श्लोकों में किया गया है। और २१५ वें श्लोक में उनसे भिन्न-पराक कृच्छ्र व्रत का विधान किया है, यह पूर्वोक्त निर्देश से संगत नहीं है।

और पूर्वोक्त कृच्छ्र व्रतों से इस पराक कृच्छ्र में समानता भी नहीं है। क्योंकि उन व्रतों में बिल्कुल भोजन का परित्याग नहीं किया है, किन्तु इसमें निरन्तर १२ दिन के भोजन का निषेध करना अव्यावहारिक है। प्रायश्चित्त का अभिप्राय या उद्देश्य विशुद्धि है, जीवन समाप्त करना नहीं। अतः तीन कृच्छ्रों से भिन्न, असंगत, उनसे भिन्न प्रकार का तथा प्रायश्चित्तके उद्देश्य से हीन होने से 'पराककृच्छ्र' मनुप्रोक्त नहीं है।

२. **अन्तर्विरोध**—प्रायश्चित्त का उद्देश्य संस्कारों को शुद्ध करना और भविष्य में फिर उस त्रुटि को न करना है, पापों को समाप्त करना नहीं है। क्योंकि मनु की मान्यता यह है कि कृत पापों का फल अवश्य मिलता है। किन्तु इस श्लोक में कहा है कि 'पराककृच्छ्र' व्रत से सब पापों का नाश होता है। यह कथन मनुप्रोक्त नहीं हो सकता। और यह बात प्रायश्चित्त के उद्देश्य से भिन्न होने से मान्य नहीं हो सकती।

चान्द्रायण व्रत की विधि—

एकैकं ह्रासयेत्पिण्डं कृष्णे शुक्ले च वर्धयेत्।
उपस्पृशंस्त्रिषवणमेतच्चान्द्रायणं स्मृतम्॥ २१६॥ (१५)

[पूर्णिमा के दिन पूरे दिन में १५ ग्रास भोजन करके फिर] (कृष्णे एक-एकं पिण्डं ह्रासयेत्) कृष्णपक्ष में एक-एक ग्रास भोजन प्रतिदिन कम करता जाये, [इस प्रकार करते हुए अमावस्या को पूर्ण उपवास रहेगा, फिर शुक्लपक्ष-प्रतिपदा को पूरे दिन में एक ग्रास भोजन करके] (शुक्ले वर्धयेत्) शुक्लपक्ष में एक-एक ग्रास भोजन पूरे दिन में बढ़ाता जाये, इस प्रकार करते हुए (त्रिषवणम्+उपस्पृशन्) तीन समय स्नान करे, (एतत् चान्द्रायणं स्मृतम्) यह 'चान्द्रायण' व्रत कहाता है॥ २१६॥

यवमध्यम चान्द्रायणव्रत की विधि—

एतमेव विधिं कृत्स्नमाचरेद्यवमध्यमे।
शुक्लपक्षादिनियतश्चरंश्चान्द्रायणं व्रतम्॥ २१७॥ (१६)

(यवमध्यमे) यवमध्यम विधि में अर्थात् जैसे जौ मध्य में मोटा होता है, आगे-पीछे पतला; इस विधि के अनुसार (चान्द्रायणं चरन्) 'यवमध्यम चान्द्रायण व्रत' करते हुए, व्यक्ति (शुक्ल-पक्ष-आदि-नियतः) शुक्लपक्ष को पहले करके (एतम्+एव कृत्स्नं विधिम्) इसी पूर्वोक्त [११।२१६] सम्पूर्ण विधि को (आचरेत्) करे अर्थात् शुक्लपक्ष से प्रारम्भ करके प्रथम दिन से एक-एक ग्रास भोजन बढ़ाता जाये, पूर्णिमा को पूर्ण भोजन करे। फिर कृष्णपक्ष के प्रथम दिन से एक-एक ग्रास घटाता जाये और अमावस्या के दिन निराहार रहे॥ २१७॥

यति चान्द्रायण व्रत की विधि—

अष्टावष्टौ समश्नीयात्पिण्डान्मध्यंदिने स्थिते।
नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणं चरन् ॥ २१८ ॥

(यतिचान्द्रायणं व्रतं चरन्) 'यतिचान्द्रायण' व्रत को करने वाला व्यक्ति (नियतात्मा) जितेन्द्रिय रहकर, (हविष्याशी) हविष्य भोजन करता हुआ (मध्यंदिने अष्टौ+अष्टौ पिण्डान् समश्नीयात्) मध्याह्न काल में [एक मास तक] आठ-आठ ग्रास भोजन किया करे॥ २१८ ॥

शिशुचान्द्रायण व्रत की विधि—

चतुरः प्रातरश्नीयात्पिण्डान्विप्रः समाहितः।
चतुरोऽस्तमिते सूर्ये शिशुचान्द्रायणं स्मृतम् ॥ २१९ ॥

(विप्रः) द्विज (समाहितः) व्रत में सावधान रहता हुआ (चतुरः पिण्डान् प्रातः अश्नीयात्) चार ग्रास प्रातःकाल खाये, और (चतुरः सूर्ये अस्तमिते) चार सूर्यास्त होने पर सायंकाल को खाये, (शिशुचान्द्रायणं स्मृतम्) यह शिशुचान्द्रायण व्रत है ॥ २१९ ॥

अनुशीलन : ये दो (११। २१८–२१९) श्लोक निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—इन दोनों श्लोकों में चान्द्रायण व्रत से भिन्न बात कही है। चान्द्रायण व्रत में चन्द्र के न्यून व पूर्ण होने की भाँति भोजन की न्यूनाधिक मात्रा होती है। जैसे-जैसे चन्द्रमा घटता-बढ़ता है, वैसे-वैसे भोजन भी न्यूनाधिक करना होता है। किन्तु यहाँ उससे असंबद्ध बात कही गयी है कि मध्याह्न में आठ-आठ ग्रास खावे अथवा प्रातः सायं चार-चार ग्रास खावे। और दिन में प्रातः, सायं आदि समयों से चन्द्र का कोई सम्पर्क नहीं होता, अतः इन्हें चान्द्रायण कहना भी उचित नहीं। परवर्ती किसी प्रक्षेपक ने इन्हें नामसाम्य से ही मिलाया है।

यथाकथंचित्पिण्डानां तिस्रोऽशीतीः समाहितः।
मासेनाश्नन्हविष्यस्य चन्द्रस्येति सलोकताम् ॥ २२० ॥

द्विज (समाहितः) एकाग्र रहकर (यथाकथंचित्) जैसे भी हो सके उसी प्रयत्न को करके (मासेन हविष्यस्य पिण्डानां तिस्रः अशीतीः अश्नन्) एक मास में तीन अस्सी अर्थात् ८०×३=२४० ग्रास अर्थात् प्रतिदिन आठ ग्रास खाकर यदि रहता है वह (चन्द्रस्य सलोकताम् एति) चन्द्रलोक को प्राप्त कर लेता है ॥ २२० ॥

एतद्व्रतास्तथादित्या वसवश्चाचरन्व्रतम्।
सर्वाकुशलमोक्षाय मरुतश्च महर्षिभिः ॥ २२१ ॥

(रुद्राः आदित्याः वसवः मरुतः महर्षिभिः) रुद्रों, आदित्यों, वसुओं तथा मरुतों

ने महर्षियों के साथ (एतत् व्रतं सर्व-अकुशलमोक्षाय आचरन्) यह व्रत सब पापों के नाश के लिए किया था ॥ २२१ ॥

अनुशीलन : २२०–२२१ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—(१) श्लोक २२६ से यह स्पष्ट है कि ये प्रायश्चित्त की विधियाँ अपराधों की शुद्धि के लिए हैं न कि परलोकीय स्थितियों की प्राप्ति के लिए। इन श्लोकों में 'चन्द्रलोक की प्राप्ति' के उद्देश्य का कथन मनु से भिन्न उद्देश्य है और २२६ वें श्लोक के उद्देश्यसंकेत के भी विरुद्ध है। (२) और फिर, पुनर्जन्म या मुक्ति के अतिरिक्त मनु के मत में अन्य कोई लोक या स्थितिविशेष नहीं है, जहाँ मरकर जीव जायें। मनु ने सारी मनुस्मृति में यही दो स्थितियाँ मानी हैं। चन्द्रलोक की कल्पना मनुविरुद्ध है। २२१ वाँ श्लोक इससे सम्बद्ध है, अतः साथ ही वह भी प्रक्षिप्त है।

व्रत-पालन के समय यज्ञ करें—

महाव्याहृतिभिर्होमः कर्त्तव्यः स्वयमन्वहम्।
अहिंसासत्यमक्रोधमार्जवं च समाचरेत् ॥ २२२ ॥ (१७)

प्रायश्चित्तकाल में (अन्वहम्) प्रतिदिन (स्वयम्) प्रायश्चित्तकर्त्ता को स्वयं (महाव्याहृतिभिः होमः कर्त्तव्यः) महाव्याहृतियों [भूः, भुवः, स्वः आदियुक्त मन्त्रों से] हवन करना चाहिए (च) और (अहिंसा-सत्यम्-अक्रोध-आर्जवं समाचरेत्) अहिंसा, सत्य, क्रोधरहित रहना, कुटिलता न करना, इन बातों का पालन करे ॥ २२२ ॥

अनुशीलन : **महाव्याहृतियुक्त होममन्त्र**—महाव्याहृतियों से युक्त कुछ प्रसिद्ध मन्त्र निम्न हैं, जो यज्ञ में आज भी आहुतिदान के लिए प्रयुक्त होते हैं—

(क) अग्निप्रज्वलित करने का मन्त्र—

ओं भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा।
तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे ॥ यजु० ३।५ ॥

(ख) घृताहुति मन्त्र—

ओं भूरग्नये स्वाहा। इदमग्नये–इदं न मम ॥१॥ ओं भुवर्वायवे स्वाहा। इदं वायवे–इदं न मम ॥२॥ ओं स्वरादित्याय स्वाहा। इदमादित्याय–इदं न मम ॥३॥ ओं भूर्भुवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा। इदमग्निवाय्वादित्येभ्यः इदं न मम ॥४॥

(सं० वि० सामान्यप्रकरण)।

(ग) अन्य हैं ऋक्० ६।६६।१६–२१॥१०।१२१।१०॥ और 'गायत्री मन्त्र' [श्लोक २।५३ (२।७८) की समीक्षा में उद्धृत] आदि।

त्रिरह्नस्त्रिर्निशायां च सर्वासां जलमाविशेत्।
स्त्रीशूद्रपतितांश्चैव नाभिभाषेत कर्हिचित्॥ २२३॥

(त्रिः+अह्नः च त्रिः निशायाम्) तीन बार दिन में और तीन बार रात में (सवासा स्नानम्+आचरेत्) वस्त्रसहित स्नान करे (च) और (स्त्री-शूद्र-पतितान् एव कर्हिचित् न+अभिभाषेत) स्त्री, शूद्र और पतितों से कभी बातचीत न करे॥ २२३॥

स्थानासनाभ्यां विहरेदशक्तोऽधः शयीत वा।
ब्रह्मचारी व्रती च स्याद् गुरुदेवद्विजार्चकः॥ २२४॥

तथा दिन-रात (स्थान-आसनाभ्यां विहरेत्) बैठा रहे या खड़ा रहे (वा) अथवा (अशक्तः अधः शयीत) अशक्त होने पर भूमि पर लेट जाये, (और) (ब्रह्मचारी, व्रती, गुरु, देव-द्विज-अर्चकः स्यात्) ब्रह्मचारी, व्रती रहे, गुरु, देव और ब्राह्मणों की पूजा करे॥ २२४॥

अनुशीलन : २२३–२२४ श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—ये श्लोक पूर्वापर प्रसंग से विरुद्ध होने से प्रक्षिप्त हैं। २२२ वें श्लोक में सावित्रीपूर्वक यज्ञ करने का कथन है और २२५ वें में उसी बात को पूरा करते हुए कहा है कि 'सावित्री का जप भी करे'। बीच में उस प्रसंग को तोड़कर विभिन्न बातों का विधान अप्रासंगिक है।

२. **शैलीगत आधार**—(१) २२५ वें श्लोक में 'च' शब्द का प्रयोग भी यह सिद्ध करता है कि इस श्लोक का सम्बन्ध २२२ वें से है। क्योंकि, वहाँ सावित्री के द्वारा होम का विधान है और यहाँ 'सावित्रीं च जपेत्' उस अर्थ की अनुवृत्तिपूर्वक उसके जाप का विधान है। (२) २२३ वें श्लोक की शैली पक्षपातपूर्ण है, इसमें ऊँच-नीच भावना के आधार पर स्त्री, शूद्र आदि से बात न करने का वर्णन है। मनु की शैली में यह त्रुटि नहीं है।

३. **अन्तर्विरोध**—स्त्री, शूद्र आदि को अपवित्र मानकर उनके साथ प्रायश्चित्त काल में बात न करने का विधान स्पष्टतः परवर्ती प्रक्षेप है। यह उस समय का प्रक्षेप है जब इन्हें हीन और अपवित्र माना जाने लगा। मनु ने तो स्त्री और शूद्र को सेवा का कार्य सौंपा है और उस रूप में प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति के साथ सम्बन्ध रहता है। अतः मनु की व्यवस्था के अनुसार ये हीन नहीं हैं। और, स्त्री को तो मनु ने पवित्र तथा प्रत्येक धर्मकार्य में सहभागिनी कहा है [९।११, २६, २८, ९६], फिर उसके साथ तो पृथकता या हीनता का प्रश्न ही नहीं आता।

व्रत-पालन के समय गायत्री आदि का जप करें—

सावित्रीं च जपेन्नित्यं पवित्राणि च शक्तितः।
सर्वेष्वेव व्रतेष्वेवं प्रायश्चित्तार्थमादृतः॥२२५॥ (१८)

प्रायश्चित्तकर्त्ता प्रायश्चित्तकाल में (नित्यम्) प्रतिदिन (शक्तितः) शक्ति के अनुसार अधिक से अधिक (सावित्रीं च पवित्राणि जपेत्) सावित्री=गायत्री मन्त्र और 'पवित्र करने की प्रार्थना' वाले मन्त्रों का जप करे, (एवम्) ऐसा करना (सर्वेषु+एव व्रतेषु) सभी व्रतों में (प्रायश्चित्तार्थम्+आहुः) प्रायश्चित्त के लिए उत्तम माना गया है ॥ २२५ ॥

अनुशीलन : (१) पवित्रताकारक मन्त्र—मन को दुर्गुणों से हटाकर पवित्र करने की भावना वाले कुछ मन्त्र निम्न हैं—

(क) **ओं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव।**
यद् भद्रन्तन्न आ सुव ॥ यजु० ३० । ३ ॥

अर्थ—"हे (सवितः) सकल जगत् के उत्पत्तिकर्त्ता, समग्र ऐश्वर्ययुक्त (देव) शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर! आप कृपा करके (नः) हमारे (विश्वानि) सम्पूर्ण (दुरितानि) दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुःखों को (परा, सुव) दूर कर दीजिए (यत्) जो (भद्रम्) कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं (तत्) वह सब हमको (आ, सुव) प्राप्त कीजिए।" (सं० वि० ईश्वरस्तुति० प्रकरण)।

(ख) शिवसंकल्पसूक्त के मन्त्र **"ओं यज्जाग्रतो दूरमुदैति०"** आदि यजु० ३४ । १–६ ॥

(ग) गायत्री मन्त्र अर्थसहित [देखिए २ । ५३ (२ । ७८) पर उद्धृत]

इत्यादि 'दुर्गुणों को दूर कर सद्गुणों को धारण करने की भावना वाले' मन्त्रों का जप प्रायश्चित्त में करे।

मानस पापों के प्रायश्चित्त की विधि—

एतैर्द्विजातयः शोध्या व्रतैराविष्कृतैनसः।
अनाविष्कृतपापांस्तु मन्त्रैर्होमैश्च शोधयेत् ॥ २२६ (१९)

(आविष्कृत-एनसः द्विजातयः) जिनका पाप क्रियारूप में प्रकट हो गया है, ऐसे द्विजातियों को (एतैः व्रतैः शोध्याः) इन पूर्वोक्त [११।२११–२२५] व्रतों से शुद्ध करें, और (अनाविष्कृतपापान् तु) जिनका पाप क्रिया रूप में प्रकट नहीं हुआ है अर्थात् अन्तःकरण में ही पाप-भावना उत्पन्न हुई है, ऐसों को (मन्त्रैः च होमैः शोधयेत्) मन्त्र-जपों [११।२२५] और यज्ञों से शुद्ध करें अर्थात् मानसिक पापों की शुद्धि [पाप-फलों की नहीं] जपों एवं यज्ञों=संध्योपासन-अग्निहोत्र आदि से होती है ॥ २२६ ॥

अनुशीलन : तुलनार्थ निम्न ५ । १०७ श्लोक भी द्रष्टव्य है—

क्षान्त्या शुद्ध्यन्ति विद्वांसो दानेनाकार्यकारिणः।
प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥

पांच कर्मों से प्रायश्चित्त में पापभावना से मुक्ति–

ख्यापनेनानुतापेन तपसाऽध्ययनेन च।
पापकृन्मुच्यते पापात्तथा दानेन चापदि ॥ २२७ ॥ (२०)

(ख्यापनेन) अपनी त्रुटि और उसके लिए दुःख अनुभव करते हुए सर्वसाधारण के सामने किये हुए अपने दोष को कहने से [११।२२८] (अनुतापेन) पश्चात्ताप करने से [११।२२९–२३२] (तपसा) व्रतों [११।२११–२२५, २३३] की साधना से, (अध्ययनेन) वेदाभ्यास से [११।२४५–२४६] (पापकृत् पापात् मुच्यते) पाप करने वाला [पाप-फल से नहीं अपितु] पाप-भावना से रहित हो जाता है (तथा) और (आपदि) आपद्-ग्रस्त व्याधि, जरा आदि से पीड़ित अवस्था में अपराध होने पर (दानेन) प्रायश्चित्त-हेतु सत्संग और परोपकारार्थ दान देने से भी पापभावना समाप्त होकर निष्पापता आती है ॥ २२७ ॥[1]

अनुशीलन : (१) प्रायश्चित्त से पाप-फल से नहीं पापभावना से मुक्ति—(क) प्रायश्चित्त के इस प्रसंग में यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि प्रायश्चित्त से किये हुए पाप का फल क्षीण नहीं होता अपितु पाप-भावना नष्ट होती है और आगे वह पाप नहीं किया जाता। प्रायश्चित्त करने वाला व्यक्ति किये हुए पाप-कर्म पर पश्चात्ताप का अनुभव करता है, उसके दण्ड के रूप में तपश्चरण करता है। यही मान्यता प्रायश्चित्त की परिभाषा वाले ११।२३० और ११।२३२ श्लोक से सिद्ध होती है। और, दूसरा मनु का प्रमाण यह है कि मनु किये हुए अधर्म के फल को किसी अवस्था में निष्फल नहीं मानते—

"न त्वेव कृतोऽधर्मः कर्तुर्भवति निष्फलः।" ४।१७३ ॥

(ख) इन प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रचलित टीकाओं में जो प्रत्येक श्लोक पर 'पाप से छूट जाना' आदि मान्यता वाले अर्थ किये हैं, वे मनुसम्मत नहीं हैं।

इस भाष्य में जहाँ-जहाँ भी 'पाप से छूटना' आदि अर्थ किये हैं उनका अभिप्राय 'पापफल से छूटना नहीं' अपितु 'पापभावना से छूटना' है। इस मान्यता की पुष्टि के लिए ११।२३० के अनुशीलन में देखिए महर्षि दयानन्द की मान्यता।

(२) इस मान्यता की तुलना—तुलनार्थ द्रष्टव्य है ५।१०७ श्लोक का पद—'दानेनाकार्यकारिणः (शुद्धयन्ति)"।

---

१. [प्रचलित अर्थ—अपने आपको सर्वसाधारण में कहने, पश्चात्ताप करने से, कठिन तपश्चरण से, अध्ययन (वेदादि पाठ, जप आदि) से, और (इन सब कर्मों की शक्ति नहीं रहने पर) दान करने से पापी मनुष्य पाप से छूट जाता है ॥ २२७॥]

(३) **आपत्काल में दान द्वारा पापभावना से मुक्ति पर विचार**—श्लोक में आपत्काल में पापभावना से मुक्ति के लिए दान देने का विधान किया है। यह सत्संग, विद्या आदि शुभगुणों का और परोपकारार्थ धन के दान का विधान है। मनु ने स्वयं कहा है—"सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते"=संसार में जितने दान हैं, उनमें वेद और ईश्वर-विद्या का दान और श्रेष्ठ गुणों का दान सर्वोत्तम है [४।२३३]। धन को श्रेष्ठ पात्र के लिए परोपकारभावना से देना, धन का दान कहलाता है। अन्य भावना से दिया गया धन 'दान' नहीं होता [४।१८७–१९६]। मनु ने ४।२२७ में दान के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मनुष्य सुपात्र को सात्त्विक भाव से समाज के परोपकार के लिए दान दे। इसके साथ-साथ संध्या-यज्ञ-जप आदि भी करे। अब प्रश्न उठता है कि आपत्काल क्या है? इसका स्पष्ट-सा उत्तर यह है कि इस प्रसंग में विहित व्रतों को जब व्यक्ति करने में वास्तव में असमर्थ हो जाता है, जैसे अतिव्याधि, अतिजरा आदि की अवस्था में, तब वह व्यक्ति दान की विधि को अपनाये। यह भी एक तप का भेद है। इस दानव्रत के साथ अन्य मन्त्रजप, होम आदि की विधि अन्य व्रतों के समान ही करे।

सबके सामने अपना अपराध कहने से पापभावना से मुक्ति—

यथा यथा नरोऽधर्मं स्वयं कृत्वाऽनुभाषते।
तथा तथा त्वचेवाहिस्तेनाधर्मेण मुच्यते॥ २२८॥ (२१)

(अधर्मं कृत्वा) अधर्मयुक्त आचरण करके (नरः) मनुष्य (यथा-यथा स्वयम् अनुभाषते) जैसे-जैसे अपने पाप को लोगों से कहता है (तथा तथा अहिः त्वचा+इव) वैसे-वैसे सांप की केंचुली के समान (तेन+अधर्मेण मुच्यते) उस अधर्म से—अपराध-जन्य संस्कार से मुक्त होता जाता है और लोगों में उसके प्रति अपराधी होने की भावना समाप्त होती जाती है॥ २२८॥

अनुताप करने से पाप-भावना से मुक्ति—

यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कर्म गर्हति।
तथा तथा शरीरं तत्तेनाधर्मेण मुच्यते॥ २२९॥ (२२)

और, (तस्य मनः यथा यथा) उसका मन=आत्मा जैसे-जैसे (दुष्कृतं कर्म गर्हति) किये हुए पाप-अपराध को धिक्कारता है [कि मैंने यह बुरा कार्य किया है.....आदि] (तथा तथा तत् शरीरम्) वैसे-वैसे उसका शरीर (तेन अधर्मेण मुच्यते) उस अधर्म-अपराध से मुक्त-निवृत्त होता जाता है अर्थात् बुरे कर्म को बुरा मानकर उसके प्रति ग्लानि होने से शरीर और मन बुरे कार्य करने से निवृत्त होते जाते हैं॥ २२९॥

तपपूर्वक पुनः पाप न करने के निश्चय से पापभावना से मुक्ति—

कृत्वा पापं हि संतप्य तस्मात्पापात्प्रमुच्यते ।
नैवं कुर्यात्पुनरिति निवृत्त्या पूयते तु सः ॥२३०॥ (२३)

मनुष्य (पापं हि कृत्वा) पाप=अपराध करके (संतप्य) और उसके लिए पश्चात्ताप करके (तस्मात् पापात् प्रमुच्यते) उस पाप-कर्म से छूट जाता है [पाप-फल से नहीं] अर्थात् उस पाप को करने में पुनः प्रवृत्ति नहीं करता, और (पुनः एवं न कुर्यात्) फिर कभी इस प्रकार का कोई पाप नहीं करूंगा (इति निवृत्त्या) इस प्रकार निश्चय करने के बाद पापों से निवृत्ति होने से (सः तु पूयते) वह व्यक्ति पवित्राचरण वाला बन जाता है ॥ २३० ॥[1]

अनुशीलन : इस श्लोक को पूना-प्रवचन में (पृ० ६३-६४) ऋषि-दयानन्द ने उद्धृत किया है—"अब कोई ऐसी शंका निकाल ले कि पूर्वकृत पापों का दण्ड जीव को बिना भोगे छुटकारा नहीं मिल सकता यह हमारा मत है, तो फिर पश्चात्ताप का कुछ भी उपयोग नहीं है क्या ? इसका उत्तर यह है कि पश्चात्ताप से पापक्षय नहीं होता, परन्तु आगे पाप करना बन्द हो जाता है।"

कर्मफलों पर चिन्तन करने से पाप-भावना से मुक्ति—

एवं संचिन्त्य मनसा प्रेत्य कर्मफलोदयम् ।
मनोवाङ्मूर्त्तिभिर्नित्यं शुभं कर्म समाचरेत् ॥ २३१ ॥ (२४)

(प्रेत्य कर्मफल-उदयम्) 'मरकर कर्मों का फल अवश्य मिलेगा' (मनसा एवं संचिन्त्य) मन में इस विचार को, रखते हुए मनुष्य (मनः-वाक्-मूर्त्तिभिः) मन, वाणी और शरीर से (नित्यं शुभंकर्म समाचरेत्) सदा शुभ कार्य करे ॥ २३१ ॥

पाप-भावना से मुक्ति चाहने वाला पुनः पाप न करे—

अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात्कृत्वा कर्म विगर्हितम् ।
तस्माद्विमुक्तिमन्विच्छन्द्वितीयं न समाचरेत् ॥ २३२ ॥ (२५)

(अज्ञानात् यदि वा ज्ञानात्) अज्ञान से अथवा जानबूझकर (विगर्हितं कर्म कृत्वा) निन्दित कर्म करके (तस्मात् विमुक्तिम्+अन्विच्छन्) मनुष्य उस पाप-प्रवृत्ति से छुटकारा पाने के लिए (द्वितीयं न समाचरेत्)

---

१. **प्रचलित अर्थ**—पापी मनुष्य पापकर्म करके उसके लिए अनुताप (पछतावा) कर पाप से छूट जाता है तथा 'फिर मैं ऐसा निन्दित कर्म नहीं करूंगा' इस प्रकार संकल्प रूप से उसका त्याग कर वह पवित्र हो जाता है ॥ २३० ॥

दुबारा पाप न करे [तभी पाप-प्रवृत्ति से छुटकारा मिल सकता है, अन्यथा नहीं।] ॥ २३२ ॥

तप तब तक करें जब तक मन में प्रसन्नता आ जाये—

यस्मिन्कर्मण्यस्य कृते मनसः स्यादलाघवम् ।
तस्मिंस्तावत्तपः कुर्याद्यावत्तुष्टिकरं भवेत् ॥ २३३ ॥ (२६)

(यस्मिन् कर्मणि कृते) जिस कर्म के करने पर (अस्य मनसः अलाघवं स्यात्) मनुष्य के मन में जितना दुःख पश्चात्ताप अर्थात् असन्तोष एवं अप्रसन्नता होवे (तस्मिन्) उस कर्म में (यावत् तुष्टिकरं भवेत्) जितना तप करने से मन में सुप्रसन्नता एवं संतुष्टि हो जावे (तावत् तपः कुर्यात्) उतना ही तप करे, अर्थात् किसी पाप के करने पर मनुष्य के मन में जब तक ग्लानिरहित पूर्ण संतुष्टि एवं प्रसन्नता न हो जाए तब तक स्वेच्छा से तप करता रहे ॥ २३३ ॥

तप की महिमा—

तपोमूलमिदं सर्वं दैवमानुषकं सुखम् ।
तपोमध्यं बुधैः प्रोक्तं तपोऽन्तं वेददर्शिभिः ॥ २३४ ॥

(दैव-मानुषकम् इदं सर्वं सुखम्) इस संसार में देवताओं और मनुष्यों के सब सुखों का (तपः मूलम्) तप ही मूल है (तपः मध्यम्) तप ही मध्यभाग है अर्थात् तप से ही सुख स्थिर होता है, और (तपः+अन्तम्) तप से ही अन्त है अर्थात् तप से ही सुख लक्ष्य तक पहुंचता है, ऐसा (वेददर्शिभिः बुधैः प्रोक्तम्) वेदवेत्ता विद्वानों ने कहा है ॥ २३४ ॥

ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः क्षत्रस्य रक्षणम् ।
वैश्यस्य तु तपो वार्ता तपः शूद्रस्य सेवनम् ॥ २३५ ॥

(ब्राह्मणस्य तपः 'ज्ञानम्') ब्राह्मण का तप 'ज्ञान' है (क्षत्रस्य तपः 'रक्षणम्') क्षत्रिय का तप 'रक्षा करना' है, (वैश्यस्य तपः 'वार्ता') वैश्य का तप 'व्यापार' है और (शूद्रस्य 'सेवनम्' तपः) शूद्र का 'सेवा करना' तप है ॥ २३५ ॥

ऋषयः संयतात्मानः फलमूलानिलाशनाः ।
तपसैव प्रपश्यन्ति त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥ २३६ ॥

(संयत-आत्मानः फल-मूल-अनिल-अशनाः ऋषयः) संयम रखने वाले फल, मूल एवं वायु का भक्षण करके रहने वाले ऋषि लोग (तपसा+एव) तप से ही (सचराचरं त्रैलोक्यं प्रपश्यन्ति) चर-अचर सहित तीनों लोकों को प्रत्यक्ष करते हैं ॥ २३६ ॥

ओषधान्यगदो विद्या दैवी च विविधा स्थितिः ।
तपसैव प्रसिध्यन्ति तपस्तेषां हि साधनम् ॥ २३७ ॥

(ओषधानि+अगदः विद्या दैवी च विविधा स्थितिः) ओषधियाँ, आरोग्य,

विद्या और देवत्व प्राप्ति की विविध स्थितियाँ, ये (तपसा + एव प्रसिद्धयन्ति) तप से ही प्राप्त होती हैं, और (तेषां तपः हि साधनम्) उनका तप ही साधक कारण है ।। २३७ ।।

यद् दुस्तरं यद् दुरापं यद् दुर्गं यच्च दुष्करम् ।
सर्वं तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम् ।। २३८ ।।

(यत् दुस्तरम्) जो भी कठिनता से पार करने योग्य कार्य है, (यत् दुरापम्) जो कठिनता से प्राप्त होने योग्य कार्य या उद्देश्य है, (यत् दुर्गम्) जो दुर्गम कार्य है, (यत् दुष्करम्) जो कठिनता से करने योग्य कार्य है, (सर्वं तु तपसा साध्यम्) वह सब तप से ही सिद्ध हो सकता है, और (तपः हि दुरतिक्रमम्) तप का अतिक्रमण किसी भी कार्य में नहीं हो सकता अर्थात् तप की कम-अधिक रूप में प्रत्येक कार्य में आवश्यकता पड़ती है ।। २३८ ।।

महापातकिनश्चैव दोषाश्चाकार्यकारिणः ।
तपसैव सुतप्तेन मुच्यन्ते किल्बिषात्ततः ।। २३९ ।।

(महापातकिनः) महापातकी (च) और (दोषाः) अपराधी (अकार्यकारिणः) निन्दित-निषिद्ध कर्म करने वाले (ततः किल्बिषात्) उस पाप से (सुतप्तेन तपसा एव मुच्यन्ते) अच्छी प्रकार किये गये तप से छूट जाते हैं ।। २३९ ।।

कीटाश्चाहिपतङ्गाश्च पशवश्च वयांसि च ।
स्थावराणि च भूतानि दिवं यान्ति तपोबलात् ।। २४० ।।

(कीटाः अहिः पतङ्गाः पशवः वयांसि) कीट-पतंग, सांप, पतंगे, पशु, पक्षी (च) और (स्थावराणि भूतानि) स्थावर वृक्ष-लता आदि जीव (तपः बलात् दिवं यान्ति) तपस्या के बल से ही स्वर्ग को पाते हैं ।। २४० ।।

यत्किञ्चिदेनः कुर्वन्ति मनोवाङ्मूर्तिभिर्जनाः ।
तत्सर्वं निर्दहन्त्याशु तपसैव तपोधनाः ।। २४१ ।।

(जनाः) मनुष्य (मनः-वाक्-मूर्तिभिः) मन, वाणी और शरीर से (यत् किञ्चित् + एनः) जो कुछ पाप करते हैं (तपोधनाः तपसा + एव) तपस्वी लोग तप से ही (तत् सर्वं आशु निर्दहन्ति) उन सब पापों को शीघ्र भस्म कर लेते हैं ।। २४१ ।।

तपसैव विशुद्धस्य ब्राह्मणस्य दिवौकसः ।
इज्याश्च प्रतिगृह्णन्ति कामान्संवर्धयन्ति च ।। २४२ ।।

(तपसा + एव) तप से ही (दिवौकसः) देवता लोग (विशुद्धस्य ब्राह्मणस्य इज्याः प्रतिगृह्णन्ति) विशुद्ध ब्राह्मण के यज्ञों को ग्रहण करते हैं (च) और (कामान् संवर्धयन्ति) उनके मनोरथों को बढाते हैं ।। २४२ ।।

प्रजापतिरिदं शास्त्रं तपसैवासृजत्प्रभुः ।
तथैव वेदानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ।। २४३ ।।

(तपसा+एव प्रभुः प्रजापतिः) तप से ही समर्थ हुए प्रजापति ने (इदं शास्त्रम्+असृजत्) इस शास्त्र की रचना की (तथैव) उसी प्रकार (ऋषयः) ऋषि लोगों ने भी (तपसा वेदाः प्रतिपेदिरे) तप से वेदों की सृष्टि की ॥ २४३ ॥

इत्येतत्तपसो देवा महाभाग्यं प्रचक्षते ।
सर्वस्यास्य प्रपश्यन्तस्तपसः पुण्यमुत्तमम् ॥ २४४ ॥

(अस्य सर्वस्य) इस समस्त संसार के प्राणियों की (तपसः उत्तमं पुण्यं प्रपश्यन्तः) तप से ही उत्तम पुण्यों की प्राप्ति को देखकर (देवाः) देव अर्थात् विद्वान् लोग (तपसः इति+एतत् महाभाग्यं प्रचक्षते) तप के इस [११। २३४–२४३] माहात्म्य का कथन करते हैं ॥ २४४ ॥

अनुशीलन : २३४ से २४४ श्लोक निम्न आधार के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—(१) २२७ वें श्लोक में अगले वर्णन का संकेत करके अग्रिम श्लोकों में तदनुसार क्रमशः एक-एक बात का वर्णन है। उस श्लोक के क्रम के अनुसार २३३वें श्लोक में 'तप' का विधान होने पर 'वेदाध्ययन' का विधान प्रासंगिक तौर पर होना चाहिए। यह २४५ वें श्लोक में है। अतः २३३ के पश्चात् २४५ वां श्लोक क्रमबद्ध है, शेष प्रक्षिप्त हैं। (२) इन श्लोकों में प्रायश्चित्ताभिमुख या प्रायश्चित्त से सम्बन्धित तप का वर्णन न होकर सर्वसामान्य तप की महिमा है, जब कि प्रसंग यहाँ केवल प्रायश्चित्त-सम्बन्धी तप का है। जैसे—इस प्रसंग में ब्राह्मण का तप ज्ञान आदि के कहने तथा तप से तिर्यक्योनियों की श्रेष्ठजन्म-प्राप्ति वर्णन से कोई सम्बन्ध नहीं है। (३) इस सर्वसामान्य तपवर्णन प्रसंग की इस प्रकार भी प्रायश्चित्त प्रसंग से कोई संगति सिद्ध नहीं होती कि २१० से २२६ श्लोकों में कहे गये व्रत ही प्रायश्चित्त के लिए तप माने हैं; उनसे भिन्न तप प्रायश्चित के लिए ग्राह्य नहीं हैं। २३३ वें श्लोक में उन्हीं तपों को करने का कथन है। फिर, शेष श्लोकों में भिन्न तप का कथन और उसकी महिमा स्वतः असंगत सिद्ध हो जाती है। अतः यह ११ श्लोकों का प्रसंग प्रक्षिप्त है।

२. **शैलीगत आधार**—(१) यह प्रसंग मनु की शैली के विरुद्ध है। जैसे कि २४४ वें श्लोक में स्वयं इस प्रसंग में स्वीकार किया है कि 'ये तप की महिमा बतलायी है,' यह महिमा-वर्णन की शैली मनु की नहीं है। यह एक विधानशास्त्र है, इसमें महिमा के रूप में नहीं अपितु विध्यात्मक रूप में विधान होते हैं, भाषा भी विध्यात्मक होती है। इसके साथ ही मनु की शैली इस प्रकार की है कि वे किसी बात की लाभ-हानि सामान्यतः तो कह जाते हैं किन्तु उसका विस्तृत प्रसंग नहीं छेड़ते जैसे कि यहाँ यह महिमा का प्रसंग है। यह प्रसंग मनु का न होकर प्रक्षिप्त है। (२) इस प्रसंगमें

२४० की शैली निराधार, अयुक्तियुक्त और अतिशयोक्तिपूर्ण है। मनु की शैली में ये कमियाँ नहीं हैं।

वेदाभ्यासादि से पाप-भावनाओं का क्षय—

वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्त्या महायज्ञक्रिया क्षमा।
नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि ॥ २४५ ॥ (२७)

(अन्वहं शक्त्या वेदाभ्यासः) प्रतिदिन वेद का अधिक-से-अधिक अध्ययन-मनन (महायज्ञक्रियाः) पञ्चमहायज्ञों का अनुष्ठान, (क्षमा) तप-सहिष्णुता, ये क्रियायें (महापातकजानि+अपि पापानि) बड़े पापों से उत्पन्न पापभावनाओं या दुःसंस्कारों को भी (नाशयन्ति) नष्ट कर देती हैं ॥ २४५ ॥

वेदज्ञानाग्नि में पाप-भावना विनष्ट होती है—

यथैधस्तेजसा वह्निः प्राप्तं निर्दहति क्षणात्।
तथा ज्ञानाग्निना पापं सर्वं दहति वेदवित् ॥ २४६ ॥ (२८)

(यथा वह्निः तेजसा) जैसे अग्नि अपने तेज से (प्राप्तम् एधः क्षणात् निर्दहति) समीप आये काष्ठ आदि इंधन को तत्काल जला देती है (तथा) वैसे ही (वेदवित्) वेद का ज्ञाता (ज्ञान-अग्निना सर्वं पापं दहति) वेद-ज्ञान रूपी अग्नि से सब आने वाली [पाप-फलों को नहीं] पाप-भावनाओं को जला देता है—पापसंस्कारों को भस्म कर देता है ॥ २४६ ॥

अनुशीलन :—इन्हीं भावों की तुलना के लिए १२। १०१ श्लोक भी द्रष्टव्य है। मनु ने वहाँ भी इसी मान्यता को प्रकट किया है।

(१) **ज्ञान से मुक्ति में सांख्यदर्शन का प्रमाण**—मनु ने ११।२६३–२६५ श्लोकों में भी इस मान्यता की पुष्टि की है कि 'वेदों का वेत्ता विद्वान् वेदज्ञान से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है।' १२।८३, ८५, १०४ में भी वेदाभ्यास और परमात्मज्ञान को मुक्ति का साधन माना है। सांख्यदर्शन में भी इस मान्यता का उल्लेख है—

ज्ञानान् मुक्तिः ३। २३ ॥

अर्थात् वेदज्ञान और परमात्मज्ञान से जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाती है।

गुप्त पापों का प्रायश्चित्त—

इत्येतदेनसामुक्तं प्रायश्चित्तं यथाविधि।
अत ऊर्ध्वं रहस्यानां प्रायश्चित्तं निबोधत ॥ २४७ ॥

(इति+एतत्) यह (एनसां प्रायश्चित्तं यथाविधि उक्तम्) पापों का प्रायश्चित्त विधि सहित कहा (अतः ऊर्ध्वम्) अब इसके पश्चात् (रहस्यानां प्रायश्चित्तं निबोधत) गुप्त पापों का प्रायश्चित्त सुनो—॥ २४७ ॥

सव्याहृतिप्रणवकाः प्राणायामास्तु षोडश ।
अपि भ्रूणहणं मासात्पुनन्त्यहरहः कृताः ॥ २४८ ॥

(सव्याहृतिप्रणवकाः षोडश प्राणायामाः) महाव्याहृतियों [भूः भुवः स्वः] सहित ओंकार का जप और सोलह प्राणायाम (अहरहः मासात् कृताः) प्रतिदिन एक मास तक करने से वे (भ्रूणहणम् + अपि पुनन्ति) भ्रूणहत्यारे को भी पवित्र कर देते हैं ॥ २४८ ॥

अनुशीलन : व्याहृतियुक्त प्राणायाम-मन्त्र और प्राणायाम की विधि ६।७० के अनुशीलन में देखिए ।

कौत्सं जप्त्वाप इत्येतद्वासिष्ठं च प्रतीत्यृचम् ।
माहित्रं शुद्धवत्यश्च सुरापोऽपि विशुध्यति ॥ २४९ ॥

(कौत्सम् 'आपः' इति + एतत्) कौत्स ऋषि वाले "अपः नः शोशुचदघम्"··· ·····" [ऋक्० म०१ । सू० ९७] सूक्त को, (वासिष्ठं 'प्रति' इति + ऋचम्) वसिष्ठ ऋषि वाली "प्रतिस्तोमेभिरुषसं वसिष्ठाः" [ऋक्० म० ७ । सू० ८०] इस ऋचा वाले सूक्त को, ('माहित्रं' च 'शुद्धवत्यः') 'माहित्र'—"महित्रीणामवोऽस्तु" [ऋक्० १०। १८५] और 'शुद्धवती'—"एतोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धम्·····"[ऋक्० ८ । ९५ ७-९] इन सूक्तों को [एक मास तक प्रतिदिन सोलह-सोलह बार प्राणायाम पूर्वक ११। २४८] (जप्त्वा) जपकर (सुरापः + अपि विशुद्धयति) शराब पीने वाला भी शुद्ध हो जाता है ॥ २४९ ॥

सकृज्जप्त्वास्य वामीयं शिवसंकल्पमेव च ।
अवहृत्य सुवर्णं तु क्षणाद्भवति निर्मलः ॥ २५० ॥

(सुवर्णं तु अवहृत्य) सोने की चोरी करके [वह व्यक्ति] (अस्य वामीयं च शिवसंकल्पम् + एव) 'अस्य वामीय' सूक्त [ऋक्० १ म० । १६४ सू०] और 'शिवसंकल्प' नामक सूक्त ["यज्जाग्रतो दूर-मुदैति····· (यजु० ३४ । १-६)···"] को (सकृत् जप्त्वा) [एक मास तक] प्रतिदिन एक-एक बार जपकर (क्षणात् निर्मलः भवति) तत्काल शुद्ध हो जाता है ॥ २५० ॥

हविष्पान्तीयमभ्यस्य नतमंह इतीति च ।
जपित्वा पौरुषं सूक्तं मुच्यते गुरुतल्पगः ॥ २५१ ॥

(गुरुतल्पगः) गुरुपत्नीगामी पुरुष ('हविष्पान्तीयम्' 'नतमंह' 'इति' च इति अभ्यस्य) 'हविष्पान्तीय' सूक्त ['हविष्पान्तमजरं स्वर्विदि' (ऋक्० १० । ८८)] और 'नतमंह' सूक्त ["नतमंहो न दुरितम्" [ऋ० ८ । १२६] अथवा "इति वा इति मे मनः"··· [ऋक्० १० । ११९] को जपकर (च) तथा (पौरुषं सूक्तं जपित्वा) 'पुरुष सूक्त' ["सहस्रशीर्षा पुरुषः·····"[ऋक्० १० । ९०] को एक मास तक जपकर (मुच्यते) पाप से छूट जाता है ॥ २५१ ॥

एनसां स्थूलसूक्ष्माणां चिकीर्षन्नपनोदनम् ।
अवेत्यृचं जपेदब्दं यत्किञ्चेदमितीति वा ॥ २५२ ॥

(स्थूल सूक्ष्माणाम् एनसाम् अपनोदनं चिकीर्षन्) इनसे [११।२४८-२५१] भिन्न अन्य बड़े और छोटे पापों की शुद्धि चाहने वाला मनुष्य ('अव' इति च 'यत्किञ्चेदम्' इति ऋचं वा) "अव ते हेळो वरुण नमोभिः" [ऋक्० १।२४।१४] इस अथवा "यत्किञ्चेदं वरुण दैव्ये जने" [ऋक्० ७।८६।५] इस ऋचा को (अब्दं जपेत्) एक वर्ष तक जपे ॥ २५२ ॥

प्रतिगृह्याप्रतिग्राह्यं भुक्त्वा चान्नं विगर्हितम् ।
जपंस्तरत्समन्दीयं पूयते मानवस्त्र्यहात् ॥ २५३ ॥

(अप्रतिग्राह्यं प्रतिग्राह्य) अग्राह्य वस्तुओं एवं दान को लेकर (विगर्हितं च अन्नं भुक्त्वा) निन्दित अन्न को खाकर (मानवः) मनुष्य (तरत्समन्दीयं जपन्) 'तरत्समन्दी धावति·····" ऋचा वाले सूक्त [ऋक्० ९।५८] को जपकर (त्रि+अहात् पूयते) तीन दिन में पवित्र हो जाता है ॥ २५३ ॥

सोमारौद्रं तु बह्वेना मासमभ्यस्य शुध्यति ।
स्रवन्त्यामाचरन्स्नानमर्यम्णामिति च तृचम् ॥ २५४ ॥

(बहु-एनाः) बहुत पाप किया हुआ मनुष्य (सोमारौद्रं तु) "सोमारुद्रा धारयेथामसुर्यम्" [ऋक्० ६।७४] इस ऋचा वाले सूक्त को (च अर्यमणम् इति तृचम्) और "अर्यमणं वरुणं मित्रं·····" [ऋक्० ४।२।४] इन तीन ऋचाओं को (स्रवन्त्यां स्नानम्+आचरन्) बहती नदी में स्नान करके (मासम्+अभ्यस्य शुध्यति) एक मास तक जप करके शुद्ध हो जाता है ॥ २५४ ॥

अब्दार्धमिन्द्रमित्येतदेनस्वी सप्तकं जपेत् ।
अप्रशस्तं तु कृत्वाप्सु मासमासीत भैक्षभुक् ॥ २५५ ॥

(एनस्वी) कोई भी पाप करने वाला मनुष्य ('इन्द्रम्' इति+एतत् सप्तकम् अब्द-अर्धं जपेत्) "इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निम्" इन सात ऋचाओं को [ऋक्० १।१०।६] छह मास तक जपे, और (अप्सु अप्रशस्तं कृत्वा) जल में मल-मूत्र आदि गन्दगी डालकर (मासं भैक्षभुक् आसीत) एक मास तक भिक्षा मांगकर खाये ॥ २५५ ॥

मन्त्रैः शाकलहोमीयैरब्दं हुत्वा घृतं द्विजः ।
सुगुर्वप्यपहन्त्येनो जप्त्वा वा नम इत्यृचम् ॥ २५६ ॥

(द्विजः) द्विज मनुष्य (शाकलहोमीयैः मन्त्रैः अब्दं घृतं हुत्वा) शाकलहोमीय ["देवकृतस्यैनसो···" इत्यादि आठ मन्त्र । यजु० ८।१३] मन्त्रों से एक वर्ष तक घृत से हवन करके (वा) अथवा ('नमः' इति ऋचं जप्त्वा) "नमः इन्द्रश्च·····" इस ऋचा का एक वर्ष पर्यन्त जप करके (सुगुरु+अपि+एनः हन्ति) बड़े से बड़े पाप को भी भस्म कर देता है ॥ २५६ ॥

अनुशीलन : शाकलहोमीय मन्त्र—कात्यायन श्रौतसूत्र १०।८६ के अनुसार यजु० ८।१३ "देवकृतस्यैनसो अवयजनमसि" मन्त्र से लेकर "वयं हि त्वा प्रयति यज्ञे" [२।२०] मन्त्र तक आठ मन्त्र शाकलहोमीय माने गये हैं।

महापातकसंयुक्तोऽनुगच्छेद्गाः समाहितः।
अभ्यस्याब्दं पावमानीर्भैक्षाहारो विशुध्यति ॥ २५७ ॥

(महापातकसंयुक्तः) महापातक से युक्त मनुष्य (समाहितः) व्रत में सावधान रहता हुआ (अब्दं गाः अनुगच्छेत्) एक वर्ष पर्यन्त गौओं की सेवा करे, इस प्रकार (भैक्षाहारः पावमानीः अभ्यस्य विशुद्धयति) भिक्षा मांगकर भोजन करता हुआ और "यः पावमानीरध्येति·····" [ऋक्० ९। ६७। ३१-३२] ऋचाओं का प्रतिदिन अभ्यास करता हुआ शुद्ध होता है ॥ २५७ ॥

अरण्ये वा त्रिरभ्यस्य प्रयतो वेदसंहिताम्।
मुच्यते पातकैः सर्वैः पराकैः शोधितस्त्रिभिः ॥ २५८ ॥

(वा) अथवा (त्रिभिः पराकैः शोधितः) तीन 'पराक कृच्छ्र' व्रतों [११। २१५] से शुद्ध होकर (अरण्ये) वन में (प्रयतः) सावधानीपूर्वक (वेदसंहिताम् त्रिः+अभ्यस्य) वेदसंहिता का तीन बार अभ्यास करके (सर्वैः पातकैः मुच्यते) सब पापों से मुक्त हो जाता है ॥ २५८ ॥

त्र्यहं तूपवसेद्युक्तस्त्रिरह्नोऽभ्युपयन्नपः।
मुच्यते पातकैः सर्वैस्त्रिर्जपित्वाऽघमर्षणम् ॥ २५९ ॥

(त्रि+अहम् उपवसेत्) मनुष्य, तीन दिन उपवास रखे, और (त्रिः+अह्नः अपः अभ्युपयन्) उस काल में तीन बार स्नान करते हुए (अघमर्षणं त्रिः जपित्वा) अघमर्षण सूक्त ["ऋतञ्च सत्यञ्च·····" [ऋक्० १०। १९०] आदि] का तीन बार दिन में जप करके (सर्वैः पातकैः मुच्यते) सब पापों से मुक्त हो जाता है ॥ २५९ ॥

यथाश्वमेधः क्रतुराट् सर्वपापापनोदनः।
तथाऽघमर्षणं सूक्तं सर्वपापापनोदनम् ॥ २६० ॥

(यथा क्रतुराट् अश्वमेधः) जैसे सब यज्ञों का राजा अश्वमेधयज्ञ (सर्वपाप-अपनोदनः) सब पापों को नष्ट करने वाला है (तथा) उसी प्रकार (अघमर्षणं सूक्तं सर्वपाप-अपनोदनम्) 'अघमर्षण सूक्त' [ऋक्० १०। १९०] भी सब पापों को नष्ट करने वाला है ॥ २६० ॥

हत्वा लोकानपीमांस्त्रीनश्नन्नपि यतस्ततः।
ऋग्वेदं धारयन्विप्रो नैनः प्राप्नोति किंचन ॥ २६१ ॥

(इमान् त्रीन् लोकान् हत्वा) इन तीनों [पृथ्वी, आकाश, द्युलोक] लोकों की हत्या करके अर्थात् बहुत सारी हत्याएं करके भी, तथा (यतः ततः अश्नन्+अपि) इधर

उधर निषिद्ध स्थानों पर भोजन करके भी, तथा (विप्रः ऋग्वेदं धारयन्) ब्राह्मण ऋग्वेद को धारण करने पर (किंचन एनः न प्राप्नोति) किसी भी पाप से लिप्त नहीं होता ॥ २६१ ॥

ऋक्संहितां त्रिरभ्यस्य यजुषां वा समाहितः ।
साम्नां वा सरहस्यानां सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ २६२ ॥

मनुष्य (समाहितः) एकाग्रचित्त होकर (ऋक्संहिताम्) ऋग्वेद को, (या) वा (यजुषाम्) यजुर्वेद को, (वा) अथवा (सरहस्यानां साम्नाम्) उपनिषदों सहित सामवेद को (त्रिः+अभ्यस्य) तीन बार जपकर (सर्वपापैः प्रमुच्यते) सब पापों से छूट जाता है ॥ २६२ ॥

अनुशीलन : ११। २४७ से २६२ श्लोक तक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. **प्रसंगविरोध**— (१) ये श्लोक पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध हैं। २४६ वें श्लोक में उपमापूर्वक 'वेदवित्' का उल्लेख किया था और २६३—२६४ श्लोकों में उपमा और 'वेदवित्' की परिभाषा दी है। क्रम के अनुसार २४६ के पश्चात् २६३ वाँ श्लोक होना संगतसिद्ध होता है। ये श्लोक उस प्रसंग को तोड़ रहे हैं, अतः प्रक्षिप्त हैं। (२) २२७ वें श्लोक में जिस वर्णन का संकेत दिया है। उसके क्रम से 'वेदाध्ययन' का वर्णन ही यहाँ प्रासंगिक है। ये रहस्यों का प्रायश्चित्त उस श्लोक के अनुसार असंगत है, 'वेदाध्ययन' सम्बन्धी २४५, २४६, २६३, २६४ श्लोक ही प्रासंगिक है, और २२७ श्लोक के संकेत के अनुसार हैं। (३) इस प्रक्षिप्त प्रसंग के अन्तिम श्लोक २६२ से २६३ की कोई संगति भी नहीं जुड़ती, क्योंकि २६३-२६४ में 'त्रिवृत् वेद' और 'वेदवित्' का लक्षण है, जब कि २६२ और उससे पूर्व के श्लोकों में रहस्यांगों सहित वेदों का वर्णन है।

२. **विषयविरोध**—४४ वें श्लोक में मनु ने प्रायश्चित्त विषय का संकेत दिया है। उसके अनुसार रहस्य पापों के प्रसंग का कोई संकेत नहीं मिलता। अर्थ के अनुसार यदि इन्हें गुप्त-पाप भी मान लिया जाये तो भी इनकी संगति नहीं बैठती। क्योंकि, प्रत्येक विधान के साथ प्रकट पाप की भाषा-शैली का प्रयोग हुआ है जो यह सिद्ध करता है कि यहाँ प्रकट पापों के प्रायश्चित्त का ही विषय है, रहस्यों का नहीं। स्पष्टता के लिए २२६ वें श्लोक में मनु ने "**व्रतैरापृच्छतेनसः**" पद का प्रयोग किया है। इस प्रकार यह रहस्य पापों का वर्णन [२४७-२६२] विषयविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है।

३. **शैलीगत-आधार**—इस सम्पूर्ण प्रसंग की शैली निराधार एवं अतिशयोक्तिपूर्ण है, यथा—"**क्षणाद्भवति निर्मलः**" [२५०] "**पूयते मानवस्त्र्यहात्**" [२५३] आदि।

४. **अन्तर्विरोध**—(१) इस प्रसंग में रहस्यों का प्रायश्चित्त कहा है, जब कि

इस प्रायश्चित्त प्रसंग में 'रहस्य' संज्ञा से किन्हीं पापों का उल्लेख नहीं है। अतः यह कल्पना मनुविरुद्ध है।

(२) विषय के अनुसार जिस प्रकार के पापों का प्रायश्चित्त मनु को अभीष्ट था, उनको प्रकट और अप्रकट रूप देकर प्रकट पापों के प्रायश्चित्त की विधि २१० से २२६ श्लोकों में विहित की है, और अप्रकट पापों की शुद्धि "**मन्त्रैर्होमंश्च**" से २२६ में कहकर उस प्रसंग को वहीं समाप्त कर दिया है। अतः यहां रहस्य नाम से पुनः उल्लेख करना और उनकी भिन्न विधियां निश्चित करना मनुविरुद्ध है।

(३) इस प्रसंग में रहस्य-पापों का उल्लेख करके कहीं तो जप से शुद्धि मानी है और कहीं कृच्छ्र आदि व्रतों से। इससे स्पष्ट है कि यह प्रसंग भिन्न व्यवस्थाओं का प्रसंग है जो २१० से २२६ के अन्तर्गत विहित व्यवस्थाओं से विरुद्ध है।

(४) यहां केवल जप आदि से ही पाप से मुक्ति मानी है, जब कि पिछले प्रसंग में ख्यापन, अनुतापन, तप और वेदाध्ययनपूर्वक पुनः अपराध न करने के संकल्प से पाप की शुद्धि मानी है। इस विधि में विरोध है [२२७-२३३]।

(५) २६१ वें श्लोक में कहा है कि वेदज्ञ को तीन लोकों का वध करने पर भी पाप नहीं लगता। मनु के अनुसार ब्राह्मण सभी वेदज्ञ होते हैं और यह प्रायश्चित्त उनके लिए भी विहित है। अतः उक्त धारणा निराधार एवं मनुविरोधी है।

वेदज्ञान-रूपी तालाब में पापभावना का डूबना—

यथा महाह्रदं प्राप्य क्षिप्तं लोष्टं विनश्यति।
तथा दुश्चरितं सर्वं वेदे त्रिवृति मज्जति ॥२६३॥ (२९)

(यथा) जैसे (क्षिप्तं लोष्टम्) फेंका हुआ ढेला (महाह्रदं प्राप्य विनश्यति) बड़े तालाब में गिरकर पिघलकर नष्ट हो जाता है (तथा) उसी प्रकार (त्रिवृति वेदे) तीन विद्याओं वाले वेदों के ज्ञान में (सर्वं दुश्चरितं मज्जति) सब बुरे आचरण नष्ट हो जाते हैं॥ २६३॥

वेदवित् का लक्षण—

ऋचो यजूंषि चान्यानि सामानि विविधानि च।
एष ज्ञेयस्त्रिवृद्वेदो यो वेदैनं स वेदवित् ॥२६४॥ (३०)

(ऋचः) ऋचाएँ (यजूंषि) यजुष् मन्त्र (च) और (अन्यानि विविधानि सामानि) इनसे भिन्न सामवेद के अनेक मन्त्र (एषः त्रिवृत् वेदः ज्ञेयः) यह तीनों 'त्रिवृत्वेद' जानना चाहिए, (यः एनं वेद सः वेदवित्) जो इस त्रिवृत्वेद=त्रयीविद्या अर्थात्, सभी वेदों को जानता है, वही वस्तुतः 'वेदवेत्ता' है॥ २६४॥

अनुशीलन : त्रयीविद्या का अभिप्राय एवं अन्यत्र वर्णन—मनु ने

तीन वेदरूप त्रयीविद्या का वर्णन १। २३ और १२। १११-११२ में भी किया है।

मीमांसा दर्शन में—जहां अर्थव्यवस्था के साथ-साथ पादव्यवस्था भी है अर्थात् जो मन्त्र अर्थानुसार छन्दोबद्ध हैं, वे ऋक्मन्त्र कहे गए हैं। जो इन विशेषताओं के साथ गाये भी जा सकते हैं, वे साममन्त्रऔर शेष गद्यरूप यजुष्मन्त्र हैं। इस प्रकार चारों वेद त्रयीविद्यारूप हैं। सूत्र हैं—**तेषामृग् यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था। गीतिषु सामाख्या। शेषे यजुः शब्दः॥** २। १। ३५-३७॥ कहीं-कहीं ज्ञान-कर्म-उपासनापरक मन्त्रों के आधार पर भी चारों वेदों को त्रयीविद्यारूप माना गया है।

ईश्वर भी एक ज्ञेय वेद है—

आद्यं यत्त्र्यक्षरं ब्रह्म त्रयी यस्मिन्प्रतिष्ठिता।
स गुह्योऽस्त्रिवृद्वेदो यस्तं वेद स वेदवित्॥ २६५॥ (३१)

और, (यत् त्रि+अक्षरम् आद्यं ब्रह्म) जो तीन अक्षरों वाले प्रमुख नाम 'ओम्' से उच्चरित होने वाला सबका आदिमूल परमेश्वर है, (यस्मिन् त्रयी प्रतिष्ठिता) जिसमें तीनों वेदविद्याएँ प्रतिष्ठित हैं, (सः अग्र्यः गुह्यः त्रिवृत्वेदः) वह भी एक गुप्त अर्थात् अदृश्य-सूक्ष्म 'त्रिवृत्वेद' है; (यः तं वेद सः वेदवित्) जो उसको जानता है, वह 'वेदवेत्ता' कहलाता है॥ २६५॥

अनुशीलन : अन्यत्र वर्णन—मनु ने 'ओम्' का वर्णन २। ५१ (२। ७६) में किया है। इसके अतिरिक्त १। ३॥ १। २३ और १२। ९४, १११-११२ श्लोकों में भी वेद को ईश्वररचित घोषित किया है।

इस श्लोक में 'ओम्' नाम वाच्य परमेश्वर को स्वयं एक वेद का रूप माना है क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञाता है। वही वेदों का रचयिता है। इसका उल्लेख मनु १। २३ में करचुके हैं। इस सम्बन्धी वेदों के प्रमाणों के लिए देखिए उस श्लोक पर अनुशीलन। उस सूक्ष्म-निराकार परमात्मा को वेदवेत्ता ही जान सकते हैं और जो उस परमेश्वर का साक्षात् कर लेता है वही वास्तविक 'वेदवेत्ता' है।

प्रायश्चित्त विषय का उपसंहार—

एष वोऽभिहितः कृत्स्नः प्रायश्चित्तस्य निर्णयः।
निःश्रेयसं धर्मविधिं विप्रस्येमं निबोधत॥ २६६॥ (३२)

(एषः) यह [११। ४४-२६५ तक] (वः) तुम्हें (प्रायश्चित्तस्य कृत्स्नः निर्णयः अभिहितः) प्रायश्चित्त का सम्पूर्ण [अपराध, उनका प्रायश्चित्त एवं प्रायश्चित्तविधि] निर्णय कहा।

अब (विप्रस्य इमं निःश्रेयसं धर्मविधिम्) ब्राह्मण के इस [१२। १-१२५] मोक्ष के धर्मविधान अर्थात् कर्मविधान को (निबोधत) सुनो—॥२६६॥

इति महर्षि-मनुप्रोक्तायां सुरेन्द्रकुमारकृत हिन्दी-भाषाभाष्य-समन्वितायाम्
'अनुशीलन' समीक्षाविभूषितायाञ्च मनुस्मृतौ प्रायश्चित्त-
विषयात्मक एकादशोऽध्यायः॥

अथ द्वादशोऽध्यायः

[हिन्दी-भाष्य 'अनुशीलन' समीक्षाभ्यां सहितः]

(कर्मफल-विधान एवं निःश्रेयस कर्मों का वर्णन)

[१२ । ३ से ११६ तक]

ऋषियों का भृगु से प्रश्न—

चातुर्वर्ण्यस्य कृत्स्नोऽयमुक्तो धर्मस्त्वयानघ ।
कर्मणां फलनिर्वृत्तिं शंस नस्तत्त्वतः पराम् ॥ १ ॥

(अनघ !) हे पापरहित भृगु ! (त्वया चातुर्वर्ण्यस्य अयं कृत्स्नः धर्मः उक्तः) आपने चारों वर्णों के सम्पूर्ण धर्म कहे, अब (नः) हमें (कर्मणां परां फलनिर्वृत्तिं तत्त्वतः शंस) कर्मों की परमार्थरूप-फलप्राप्ति तात्त्विक रूप से कहिए ॥ १ ॥

भृगु का ऋषिओं को उत्तर—

स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवो भृगुः ।
अस्य सर्वस्य शृणुत कर्मयोगस्य निर्णयम् ॥ २ ॥

(सः धर्मात्मा मानवः भृगुः) उस धर्मात्मा मनुपुत्र भृगु ने (तान् महर्षीन् उवाच) उन प्रश्नकर्त्ता महर्षियों से कहा कि अब आप (अस्य सर्वस्य कर्मयोगस्य निर्णयं शृणुत) इस सब कर्मों के निर्णय को सुनिये ॥ २ ॥

अनुशीलन : १-२ इन श्लोक निम्न आधारों पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. **शैलीगत आधार**—(१) इन श्लोकों में महर्षियों द्वारा भृगु से प्रश्न और भृगु द्वारा उनका उत्तर देने का वर्णन होने से स्पष्टतः ये मनुप्रोक्त नहीं हैं, अपितु, भृगु से भी परवर्ती किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रचकर संकलित किये गये हैं । (२) मनुस्मृति की शैली इन श्लोकों से मेल नहीं खाती । मध्य में वह प्रश्नोत्तररूप में नहीं है । प्रारम्भ में एक बार जिज्ञासा प्रकट की गई है और पुनः उसका उत्तर है [१ । २–४] । सम्पूर्ण ग्रंथ में यह शैली है कि मध्य में प्रश्न न होकर एक प्रचलित विषय को समाप्त करके अग्रिम विषय का मनु स्वयं संकेत करते हैं : [१ । १४४; ३ । २८६; ४ । २५९, ६ । १, ९७; ७ । १, आदि] । इस प्रकार ये शैली के आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं ।

२. **अन्तर्विरोध**—१ । २–४ श्लोकों में महर्षियों द्वारा मनु से प्रश्न पूछना और मनु द्वारा उनका उत्तर देना, इस बात को सिद्ध करते हैं कि मनुस्मृति मनुप्रोक्त है। इन श्लोकों में भृगु से प्रश्नोत्तर के वर्णन से इसे भृगुप्रोक्त सिद्ध करने का प्रयास किया गया है, जो उक्त श्लोकों के विरुद्ध है। इस अन्तर्विरोध के आधार पर भी ये प्रक्षिप्त हैं। [विशेष टिप्पणी द्रष्टव्य १। ११९ पर]।

प्रतीत होता है कि मौलिक विषयसंकेतक श्लोक ११। २६६ को निकालकर किसी भृगु-अनुयायी ने इन श्लोकों को मिला दिया। ११। २६६ के रूप में रखा गया श्लोक कुछ प्राचीन पुस्तकों में अब भी उपलब्ध है। मनुस्मृति की शैली के अनुरूप होने से यही श्लोक मौलिक है। १२। ८२, ११६ श्लोकों का इस श्लोक से मेल भी खाता है।

त्रिविध कर्मों का और त्रिविध गतियों का कथन—

शुभाशुभफलं कर्म मनोवाग्देहसंभवम्।
कर्मजा गतयो नृणामुत्तमाधममध्यमाः ॥ ३ ॥ (१)

(मनः-वाक्-देहसंभवं कर्म) मन, वचन और शरीर से किये जाने वाले कर्म (शुभ-अशुभ-फलम्) शुभ-अशुभ फल को देने वाले होते हैं, (कर्मजा नृणाम्) और उन कर्मों के अनुसार मनुष्यों की (उत्तम-अधम-मध्यमाः गतयः) उत्तम, मध्यम और अधम ये तीन गतियाँ=जन्मावस्थाएँ होती हैं ॥ ३ ॥

मन कर्मों का प्रवर्तक—

तस्येह त्रिविधस्यापि त्र्यधिष्ठानस्य देहिनः।
दशलक्षणयुक्तस्य मनो विद्यात्प्रवर्तकम् ॥ ४ ॥ (२)

(इह) इस विषय में (देहिनः मनः) मनुष्य के मन को (तस्य त्रिविधस्य+अपि त्रि+अधिष्ठानस्य दशलक्षणयुक्तस्य) उस उत्तम, मध्यम, अधम भेद से तीन प्रकार के; मन, वचन, क्रिया भेद से तीन आश्रय वाले और दशलक्षणों [१२। ५-७] से युक्त कर्म का (प्रवर्तकं विद्यात्) प्रवृत्त करनेवाला जानो ॥ ४ ॥

त्रिविध मानसिक बुरे कर्म—

परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्।
वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधं कर्म मानसम् ॥ ५ ॥ (३)

(त्रिविधं मानसं कर्म) मानसिक कर्मों में से तीन मुख्य अधर्म हैं (परद्रव्येषु+अभिध्यानम्) परद्रव्यहरण अथवा चोरी [का विचार] (मनसा+अनिष्टचिंतनम्) लोगों का बुरा चिन्तन करना, मन में द्वेष

करना, ईर्ष्या करना, (वितथ+अभिनिवेशः) वितथाभिनिवेश अर्थात् मिथ्या निश्चय करना ॥ ५ ॥ (उपदेश मञ्जरी ३४)

चतुर्विध वाचिक बुरे कर्म—

पारुष्यमनृतं चैव पैशुन्यं चापि सर्वशः ।
असंबद्धप्रलापश्च वाङ्मयं स्याच्चतुर्विधम् ॥ ६ ॥ (४)

(वाङ्मयं चतुर्विधं स्यात्) वाचिक अधर्म चार हैं—(पारुष्यम्) पारुष्य अर्थात् कठोरभाषण । सब समय, सब ठौर मृदुभाषण करना, यह मनुष्यों को उचित है । किसी अन्धे मनुष्य को 'ओ अंधे' ऐसा कहकर पुकारना निस्सन्देह सत्य है परन्तु कठोर भाषण होने के कारण अधर्म है । (अनृतं च+एव) अनृत-भाषण अर्थात् झूठ बोलना, (पैशुन्यं च+अपि) पैशुन्य अर्थात् चुगली करना, (असम्बद्ध प्रलापः) असम्बद्धप्रलाप अर्थात् जानबूझकर [लांछन या बुराई बनाकर] बात को उड़ाना ॥ ६ ॥

(उपदेश मञ्जरी० ३४)

त्रिविध शारीरिक बुरे कर्म—

अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाविधानतः ।
परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं स्मृतम् ॥ ७ ॥ (५)

(शारीरं त्रिविधं स्मृतम्) शारीरिक अधर्म तीन हैं—(अदत्तानाम् +उपादानम्) चोरी (हिंसा च+एव) हिंसा अर्थात् सब प्रकार के क्रूर कर्म, ❀ (परदारोपसेवा) रंडीबाजी वा व्यभिचारादि कर्म करना ॥ ७ ॥

(उपदेशमञ्जरी० ३४)

❀ (अविधानतः) शास्त्रविरुद्ध रूप में करना [शास्त्र में कुछ हिंसाएं विहित हैं, जैसे—आपत्काल में आततायी की हिंसा (८ । ३४८-३५१), हिंस्रपशु की हिंसा, [युद्ध में शत्रुओं की हिंसा आदि] ।.....

जैसा कर्म उसी प्रकार उसका योग—

मानसं मनसैवायमुपभुङ्क्ते शुभाशुभम् ।
वाचा वाचाकृतं कर्म कायेनैव च कायिकम् ॥ ८ ॥ (६)

(अयम्) यह जीव (मानसं शुभ+अशुभं कर्म मनसा+एव) मन से जिस शुभ वा अशुभ कर्म को करता है उसको मन, (वाचाकृतं वाचा) वाणी से किये को वाणी, (च कायिकं कायेन+एव) और शरीर से किये को शरीर से (उपभुङ्क्ते) सुख-दुःख को भोगता है ॥ ८ ॥

(स० प्र० नवम समु०)

शरीरजैः कर्मदोषैर्याति स्थावरतां नरः ।
वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसैरन्त्यजातिताम् ॥ ९ ॥ (७)

(नरः) जो नर (शरीरजैः कर्मदोषैः स्थावरतां याति) शरीर से चोरी, परस्त्रीगमन, श्रेष्ठों को मारने आदि दुष्ट कर्म करता है, उसको वृक्ष आदि स्थावर का जन्म, (वाचिकैः पक्षिमृगताम्) वाणी से किये पापकर्मों से पक्षी और मृग आदि तथा (मानसैः अन्त्यजातिताम्) मन से किये दुष्टकर्मों से चंडाल आदि का शरीर मिलता है ॥ ९ ॥

(स० प्र० नवम समुल्लास)

त्रिदण्डी की परिभाषा—

वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथैव च ।
यस्यैते निहिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते ॥ १० ॥

(वाक्-दण्डः मनोदण्डः तथा कायदण्डः) वाग्दण्ड, मनोदण्ड और शरीरदण्ड (एते यस्य बुद्धौ निहिताः) ये तीन दण्ड जिसकी बुद्धि में स्थित हैं (सः 'त्रिदण्डी' इति + उच्यते) वह वस्तुतः 'त्रिदण्डी'=तीनों को दमन करने वाला अर्थात् संन्यासी कहलाता है ॥ १० ॥

त्रिदण्डमेतन्निक्षिप्य सर्वभूतेषु मानवः ।
कामक्रोधौ तु संयम्य ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ ११ ॥

(काम-क्रोधौ संयम्य) काम और क्रोध को रोककर (मानवः) जो मनुष्य (एतत्) इन [१२ । १०] (त्रिदण्डं सर्वभूतेषु निक्षिप्य) तीन दण्डों का सब प्राणियों में व्यवहार करता है (ततः सिद्धिं नियच्छति) वह उस व्यवहार से सिद्धि को प्राप्त कर लेता है ॥ ११ ॥

क्षेत्रज्ञ और भूतात्मा—

योऽस्यात्मनः कारयिता तं क्षेत्रज्ञं प्रचक्षते ।
यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुधैः ॥ १२ ॥

(यः + अस्य + आत्मनः कारयिता) जो इस आत्मा को कर्मों में प्रवृत्त करता है (तं क्षेत्रज्ञं प्रचक्षते) उसको 'क्षेत्रज्ञ' कहा जाता है, और (यः कर्माणि करोति) जो कर्मों को करता है (बुधैः सः भूतात्मा उच्यते) विद्वान् उसे 'भूतात्मा' कहते हैं ॥ १२ ॥

फल का अनुभवकर्त्ता जीवात्मा—

जीवसंज्ञोऽन्तरात्माऽन्यः सहजः सर्वदेहिनाम् ।
येन वेदयते सर्वं सुखं दुःखं च जन्मसु ॥ १३ ॥

(सर्वदेहिनाम् अन्यः) सब प्राणियों का शरीर से भिन्न (जीवसंज्ञकः सहजः

अन्तरात्मा) 'जीव' नामक स्वाभाविक आत्मा है अर्थात् जीवात्मा है (येन जन्मसु) जो प्रत्येक जन्म में (सर्वं सुखं च दुःखं वेदयते) सब सुख और दुःख को अनुभव करता है ॥ १३ ॥

तावुभौ भूतसंपृक्तौ महान्क्षेत्रज्ञ एव च ।
उच्चावचेषु भूतेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठतः ॥ १४ ॥

(भूतसंपृक्तौ तौ+उभौ महान् च क्षेत्रज्ञः) पञ्चभूतों से मिले हुए वे दोनों 'महान्' और 'क्षेत्रज्ञ' (उच्चावचेषु भूतेषु स्थितं तम्) बड़े-छोटे सब प्राणियों में स्थित उस परमात्मा को (व्याप्य तिष्ठतः) आश्रित करके रहते हैं ॥ १४ ॥

असंख्या मूर्तयस्तस्य निष्पतन्ति शरीरतः ।
उच्चावचानि भूतानि सततं चेष्टयन्ति याः ॥ १५ ॥

(तस्य शरीरतः) उस परमात्मा के शरीर से (असंख्याः मूर्तयः निष्पतन्ति) असंख्य जीव निकलते हैं (याः) जो (उच्च-अवचानि भूतानि सततं चेष्टयन्ति) बड़े-छोटे सभी प्राणियों को कर्मों में प्रवृत्त कराते हैं ॥ १५ ॥

पञ्चभ्य एव मात्राभ्यः प्रेत्य दुष्कृतिनां नृणाम् ।
शरीरं यातनार्थीयमन्यदुत्पद्यते ध्रुवम् ॥ १६ ॥

(दुष्कृतिनां नृणाम्) बुरे कर्म करने वाले मनुष्यों का (प्रेत्य) मरकर (यातनार्थः) फलस्वरूप यातनाओं को भुगतने के लिए (अयम्+अन्यत् शरीरम्) इस संसार में दूसरा शरीर (पञ्चभ्यः एव मात्राभ्यः ध्रुवम् उत्पद्यते) पञ्चतन्मात्राओं से, निश्चित रूप से उत्पन्न होता है ॥ १६ ॥

तेनानुभूय ता यामीः शरीरेणेह यातनाः ।
तास्वेव भूतमात्रासु प्रलीयन्ते विभागशः ॥ १७ ॥

(तेन शरीरेण) उस शरीर से (इह) इस संसार में (ताः यामीः यातनाः अनुभूय) मृत्यु-सम्बन्धी यातनाओं को भोगकर वे (तासु+एव भूतमात्रासु) उन्हीं महाभूतों कीतन्मात्राओंमें (विभागशः प्रलीयन्ते) यथायोग्य लीन हो जाते हैं। १७ ॥

सोऽनुभूयासुखोदर्कान्दोषान् विषयसङ्गजान् ।
व्यपेतकल्मषोऽभ्येति तावेवोभौ महौजसौ ॥ १८ ॥

(सः) वह प्राणी (विषयसङ्गजान् असुखोदर्कान् दोषान् अनुभूय) रूप, स्पर्श आदि विषयों के संसर्ग से उत्पन्न दुःख-पूर्ण पापफलों को भोगकर, (व्यपेतकल्मषः) निष्पाप होकर, (तौ+उभौ महौजसौ अभ्येति) उन दोनों महापराक्रमी 'महत्' और 'परमात्मा' का आश्रय करता है ॥ १८ ॥

तौ धर्मं पश्यतस्तस्य पापं चातन्द्रितौ सह ।
याभ्यां प्राप्नोति संपृक्तः प्रेत्येह च सुखासुखम् ॥ १९ ॥

(तौ) वे दोनों महत् और परमात्मा (अतन्द्रितौ) तत्परतापूर्वक (सह) मिलकर (तस्य धर्मं च पापं पश्यतः) जीव के धर्म और पाप को देखते हैं। (याभ्यां सम्पृक्तः) जिनसे युक्त होकर वह जीव (इह च प्रेत्य सुख-असुखं प्राप्नोति) इस जन्म और परजन्म में सुख-दुःख को प्राप्त करता है॥ १९॥

यदाचरति धर्मं स प्रायशोऽधर्ममल्पशः।
तैरेव चावृतो भूतैः स्वर्गे सुखमुपाश्नुते॥ २०॥

(यत् सः प्रायशः धर्मम्) यदि वह जीव अधिक धर्म का (च) और (अल्पशः अधर्मम् आचरति) थोड़ा अधर्म का आचरण करता है तो (तैः एव भूतैः आवृतः) उन पञ्चमहाभूत आदि से युक्त होकर (स्वर्गे सुखम्+उपाश्नुते) स्वर्ग में सुख भोगता है॥ २०॥

यदि तु प्रायशोऽधर्मं सेवते धर्ममल्पशः।
तैर्भूतैः स परित्यक्तो यामीः प्राप्नोति यातनाः॥ २१॥

(यदि तु) और यदि (प्रायशः अधर्मम् अल्पशः धर्मं सेवते) अधिक अधर्म और थोड़ा धर्म का आचरण करता है तो (सः) वह जीव (तैः भूतैः परित्यक्तः) उन पञ्च-भूतों से छूटकर अर्थात् मरकर (यामीः यातनाः प्राप्नोति) यम-यातनाओं को भोगता है॥ २१॥

यामीस्ता यातनाः प्राप्य स जीवो वीतकल्मषः।
ताभ्येव पञ्च भूतानि पुनरप्येति भागशः॥ २२॥

(ताः यामीः यातनाः प्राप्य) उन यम-सम्बन्धी यातनाओं को भोगकर (वीतकल्मषः सः जीवः) निष्पाप हुआ वह जीव (तानि+एव पञ्चभूतानि पुनः भागशः अप्येति) उन्हीं पञ्चभूतों को पुनः यथायोग्य रूप से प्राप्त करता है अर्थात् मानव-जन्म को पा लेता है॥ २२॥

एता दृष्ट्वाऽस्य जीवस्य गतीः स्वेनैव चेतसा।
धर्मतोऽधर्मतश्चैव धर्मे दध्यात्सदा मनः॥ २३॥

मनुष्य को चाहिए कि (स्वेन+एव चेतसा) अपने मन से स्वयं (अस्य जीवस्य धर्मतः च अधर्मतः एताः गतीः दृष्ट्वा) इस जीव की धर्म-अधर्म से प्राप्य गतियों को देख-विचारकर (सदा धर्मे मनः दध्यात्) सदा धर्म में मन लगावे॥ २३॥

अनुशीलन : १०—२३ श्लोक निम्न आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. **विषयविरोध**—११। २६६, १२। ३-४, ५१, ८२ श्लोकों में उक्त वचनों के अनुसार प्रस्तुत विषय कर्मफलविधान का है। १०—११ श्लोकों में त्रिदण्डों का वर्णन इस विषय से बाह्य होने के कारण विरुद्ध है, अतः ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. **प्रसंगविरोध**—१२। ३-४, ५१ श्लोकों के वर्णन से मनु ने प्रस्तुत प्रसंग का एक निश्चित क्रम नियत कर दिया है। वह यह कि यह प्रसंग कर्मफलविधान का है, उस प्रसंगक्रम में पहले त्रिविध कर्मों का वर्णन और फिर त्रिविध गतियों का वर्णन होगा। तदनुसार ५–६ श्लोकों में त्रिविध कर्मों का वर्णन है, और २४–५१ में त्रिविध-गतियों के आधार एवं उनका वर्णन है। १०-२३ श्लोकों ने संकेतित चर्चा से भिन्न चर्चाओं का वर्णन करके उस नियत प्रसंग को भंग कर दिया है। इन श्लोकों में वर्णित आत्मा आदि का विवेचन या गतियाँ पूर्वापर प्रसंग से मेल नहीं खातीं। अतः ये सभी श्लोक प्रसंगभञ्जक होने से प्रसंगविरुद्ध हैं, इस प्रकार प्रक्षिप्त हैं।

३. **अन्तर्विरोध**—(१) १५ वें श्लोक का वर्णन १।६-१६, १९ आदि इन सभी श्लोकों के विरुद्ध है, जिनमें परमात्मा द्वारा प्रकृति और आत्मा के संयोग से प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन किया है। (२) २०–२२, २७ श्लोकों में स्वर्ग और नरक लोकों का वर्णन मनु की मान्यता के विरुद्ध है। मनु 'स्वर्ग' सुख का नाम और नरक, दुःख का नाम मानते हैं, पृथक् लोकविशेष नहीं मानते। [३। ७९; ६। २८]। इसी कारण १२। ३९–५१, ७४ श्लोकों में इसी लोक में योनियों की प्राप्ति का कथन है। इस प्रकार ये श्लोक अन्तर्विधान के आधार पर प्रक्षिप्त हैं, शेष श्लोक इनसे सम्बद्ध होने के कारण इनके प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जायेंगे।

प्रकृति के आत्मा को प्रभावित करने वाले तीन गुण—

सत्त्वं रजस्तमश्चैव त्रीन्विद्यादात्मनो गुणान्।
यैर्व्याप्येमान्स्थितो भावान्महान्सर्वानशेषतः ॥ २४ ॥ (८)

(सत्त्वं रजः च तमः एव त्रीन् आत्मनः गुणान् विद्यात्) सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों को [आत्मा को प्रभावित करनेवाले] प्रकृति के गुण समझें, (महान्) महत्तत्त्व=प्रकृति का प्रथम विकार [१। १४] (यैः) जिन इन तीन गुणों से (अशेषतः) बिना किसी पदार्थ को छोड़े (इमान् सर्वान् भावान् व्याप्य स्थितः) इन समस्त प्रकृति के कार्यरूप पदार्थों को व्याप्त करके स्थित है ॥ २४ ॥

अनुशीलन : 'आत्मा' शब्द का अर्थ प्रकृति भी होता है। यहाँ यही अर्थ प्रासंगिक है। इस अर्थ से सम्बन्धित विस्तृत विवेचन १। १५ पर द्रष्टव्य है।

जिस गुण की प्रधानता, वैसी ही आत्मा—

यो यदेषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते।
स तदा तद्गुणप्रायं तं करोति शरीरिणम् ॥ २५ ॥ (९)

(यः गुणः एषां देहे) जो गुण इन जीवों के देह में (साकल्येन+अति-

रिच्यते) अधिकता से वर्तता है (सः तदा तं शरीरिणम्) वह गुण उस जीव को (तद्गुणप्रायं करोति) अपने सदृश कर लेता है ॥ २५ ॥

(स० प्र० नवम समु०)

सत्त्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्वेषौ रजः स्मृतम् ।
एतद्व्याप्तिमदेतेषां सर्वभूताश्रितं वपुः ॥ २६ ॥ (१०)

(सत्त्वं ज्ञानम्) जब आत्मा में ज्ञान हो तब सत्त्व, (अज्ञानं तमः) जब अज्ञान रहे तब तम, (रागद्वेषौ रजः स्मृतम्) और जब राग-द्वेष में आत्मा लगे तब रजोगुण जानना चाहिए (एतेषां सर्वभूताश्रितं वपुः एतत् व्याप्तिमत्) ये तीन प्रकृति के गुण सब संसारस्थ पदार्थों में व्याप्त होकर रहते हैं ॥ २६ ॥ (स० प्र० नवम समु०)

आत्मा में सत्वगुण प्रधानता की पहचान—

तत्र यत्प्रीतिसंयुक्तं किंचिदात्मनि लक्षयेत् ।
प्रशान्तमिव शुद्धाभं सत्त्वं तदुपधारयेत् ॥ २७ ॥ (११)

उसका विवेक इस प्रकार करना चाहिए कि (तत्र आत्मनि यत् किंचित् प्रीतिसंयुक्तम्) जब आत्मा में प्रसन्नता (प्रशान्तम्+इव शुद्धाभं लक्षयेत्) मन प्रसन्न प्रशान्त के सदृश शुद्धभानयुक्त वर्ते (तत्+उपधारयेत् सत्त्वम्) तब समझना कि सत्त्वगुण प्रधान और रजोगुण तथा तमोगुण अप्रधान हैं ॥ २७ ॥ (स० प्र० नवम समु०)

आत्मा में रजोगुण प्रधानता की पहचान—

यत्तु दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः ।
तद्रजो प्रतिपं विद्यात्सततं हारि देहिनाम् ॥ २८ ॥ (१२)

❋ (यत् तु आत्मनः) जब आत्मा और मन (दुःखसमायुक्तम्+अप्रीतिकरम्) दुःखसंयुक्त प्रसन्नतारहित विषय में (सततं हारि) इधर-उधर गमन आगमन में लगे (तत् विद्यात् रजः) तब समझना कि ❋ रजोगुण प्रधान, सत्त्व-गुण और तमोगुण अप्रधान है ॥ २८ ॥ (स० प्र० नवम समु०)

❋ (देहिनाम्) प्राणियों के.....

❋ (प्रतिपम्) सत्वगुण का विरोधी.....

आत्मा में तमोगुण की प्रधानता की पहचान—

यत्तु स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्तं विषयात्मकम् ।
अप्रतर्क्यमविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत् ॥ २९ ॥ (१३)

(यत् तु मोहसंयुक्तं स्यात्) जब मोह अर्थात् सांसारिक पदार्थों में फंसा हुआ आत्मा और मन हो, (अव्यक्तम्) जब आत्मा और मन में कुछ विवेक न रहे, (विषयात्मकम्) विषयों में आसक्त, (अप्रतर्क्यम्) तर्क-वितर्क रहित, (अविज्ञेयम्) जानने के योग्य न हो, (तत्+उपधारयेत् तमः) तब निश्चय समझना चाहिए कि इस समय मुझ में तमोगुण प्रधान, और सत्त्व गुण तथा रजोगुण अप्रधान है ॥ २९ ॥ (स० प्र० नवम समु०)

त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां यः फलोदयः ।
अग्र्यो मध्यो जघन्यश्च तं प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ ३० ॥ (१४)

अब (यः) जो (च+एतेषां त्रयाणाम्+अपि अग्र्यः मध्यः च जघन्यः फलोदयः) इन तीनों गुणों का उत्तम, मध्यम और निकृष्ट फलोदय होता है (तम् अशेषतः प्रवक्ष्यामि) उसको पूर्ण भाव से कहते हैं ॥ ३० ॥

(स० प्र० नवम समु०)

सत्वगुण को प्रत्यक्ष कराने वाले लक्षण—

वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
धर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्त्विकं गुणलक्षणम् ॥ ३१ ॥ (१५)

जो (वेदाभ्यासः तपः ज्ञानम्) वेदों का अभ्यास, धर्मानुष्ठान, ज्ञान की वृद्धि (शौचम्+इन्द्रियनिग्रहः) पवित्रता की इच्छा, इन्द्रियों का निग्रह (धर्मक्रिया च आत्मचिन्ता) धर्मक्रिया और आत्मा का चिन्तन होता है (सात्त्विकं गुणलक्षणम्) यही सत्त्वगुण का लक्षण है ॥ ३१ ॥

(स० प्र० नवम समु०)

रजोगुण के लक्षण—

आरम्भरुचिताऽधैर्यमसत्कार्यपरिग्रहः ।
विषयोपसेवा चाजस्रं राजसं गुणलक्षणम् ॥ ३२ ॥ (१६)

जब रजोगुण का उदय, सत्त्वगुण और तमोगुण का अन्तर्भाव होता है तब (आरम्भ-रुचिता) आरम्भ में रुचिता, (अधैर्यम्) धैर्यत्याग (असत्कार्यपरिग्रहः) असत् कर्मों का ग्रहण, (अजस्रं विषय-उपसेवा) निरन्तर विषयों की सेवा में प्रीति होती है (राजसं गुणलक्षणम्) तभी समझना कि रजोगुण प्रधानता से मुझ में वर्त रहा है ॥ ३२ ॥ (स० प्र० नवम समु०)

तमोगुण के लक्षण—

लोभः स्वप्नोऽधृतिः क्रौर्यं नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता ।
याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम् ॥३३॥ (१७)

जब तमोगुण का उदय और [शेष] दोनों का अन्तर्भाव होता है, तब (लोभः) अत्यन्त लोभ अर्थात् सब पापों का मूल बढ़ता, (स्वप्नः) अत्यन्त आलस्य और निद्रा, (अधृतिः) धैर्य का नाश, (क्रौर्यम्) क्रूरता का होना (नास्तिक्यम्) नास्तिक्य अर्थात् वेद और ईश्वर में श्रद्धा का न रहना, (भिन्नवृत्तिता) भिन्न-भिन्न अन्तःकरण की वृत्ति (च) और (प्रमादः) एकाग्रता का अभाव, (याचिष्णुता) और किन्हीं व्यसनों में फंसना होवे, तब (तामसं गुणलक्षणम्) तमोगुण का लक्षण विद्वान् को जानने योग्य है ॥ ३३ ॥ (स० प्र० नवम समु०)

त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां त्रिषु तिष्ठताम् ।
इदं सामासिकं ज्ञेयं क्रमशो गुणलक्षणम् ॥ ३४ ॥ (१८)

(त्रिषु तिष्ठताम्) तीनों कालों [भूत, भविष्यत् और वर्तमान] में विद्यमान रहने वाले (एतेषां त्रयाणाम्+अपि गुणानाम्) इन तीनों गुणों के (गुणलक्षणं क्रमशः) 'गुणलक्षण' को कमशः (सामासिकम् इदं ज्ञेयम्) संक्षेप में इस प्रकार [१२। ३५-३८] समझें ॥ ३४ ॥

(स० प्र० नवम समु०)

तमोगुणी कर्म की संक्षिप्त परिभाषा—

यत्कर्म कृत्वा कुर्वंश्च करिष्यंश्चैव लज्जति ।
तज्ज्ञेयं विदुषा सर्वं तामसं गुणलक्षणम् ॥ ३५ ॥ (१९)

(यत् कर्म कृत्वा) जब अपना आत्मा जिस कर्म को करके, (कुर्वन्) करता हुआ (च) और (करिष्यन्+एव लज्जति) करने की इच्छा से लज्जा, शंका और भय को प्राप्त होवे (तत् ज्ञेयं सर्वं तामसं गुणलक्षणम्) तब जानो कि मुझ में प्रवृद्ध तमोगुण है ॥ ३५ ॥ (स० प्र० नवम समु०)

रजोगुणी कर्म की संक्षिप्त परिभाषा—

येनास्मिन्कर्मणा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम् ।
न च शोचत्यसंपत्तौ तद्विज्ञेयं तु राजसम् ॥३६॥ (२०)

(येन कर्मणा) जिस कर्म से (अस्मिन् लोके) इस लोक में जीवात्मा (पुष्कलां ख्यातिम्+इच्छति) पुष्कल प्रसिद्धि चाहता, (असंपत्तौ न शोचति) दरिद्रता होने में भी चारण, भाट आदि को [अपनी प्रसिद्धि के लिए] दान देना नहीं छोड़ता, (तत् विज्ञेयं तु राजसम्) तब समझना कि मुझ में रजोगुण प्रबल है ॥ ३६ ॥ (स० प्र० नवम समु०)

सत्वगुणी कर्म की संक्षिप्त परिभाषः—

यत्सर्वेणेच्छति ज्ञातुं यन्न लज्जति चाचरन्।
येन तुष्यति चात्माऽस्य तत्सत्त्वगुणलक्षणम् ॥ ३७ ॥ (२१)

और जब मनुष्य का आत्मा (सर्वेण ज्ञातुम्+इच्छति) सब से जानने को चाहे, गुण ग्रहण करता जाये, (यत् च आचरन् न लज्जति) अच्छे कामों में लज्जा न करे (च) और (येन अस्य आत्मा तुष्यति) जिस कर्म से आत्मा प्रसन्न होवे अर्थात् धर्माचरण ही में रुचि रहे (तत् सत्त्व-गुणलक्षणम्) तब समझना कि मुझ में सत्त्वगुण प्रबल है ॥ ३७ ॥

(स० प्र० नवम समु०)

तीनों गुणों के प्रधान उद्देश्य व पारस्परिक श्रेष्ठता—

तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते।
सत्त्वस्य लक्षणं धर्मः श्रैष्ठ्यमेषां यथोत्तरम् ॥ ३८ ॥ (२२)

(तमसः लक्षणं कामः) तमोगुण का लक्षण काम, (रजसः तु+अर्थः) रजोगुण का अर्थसंग्रह की इच्छा, (सत्त्वस्य लक्षणं धर्मः) सत्त्वगुण का लक्षण धर्मसेवा करना है, (एषां यथोत्तरं श्रैष्ठ्यम्) परन्तु तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्त्वगुण श्रेष्ठ है ॥ ३८ ॥ (स०प्र० नवम समु०)

येन यस्तु गुणेनैषां संसारान्प्रतिपद्यते।
तान्समासेन वक्ष्यामि सर्वस्यास्य यथाक्रमम् ॥ ३९ ॥ (२३)

(एषाम्) इन तीन गुणों में (येन गुणेन) जिस गुण से (यः तु) जो मनुष्य (संसारान् प्रतिपद्यते) जिस सांसारिक गति को प्राप्त करता है (तान्) उन सबको (अस्य सर्वस्य यथाक्रमं समासेन वक्ष्यामि) समस्त संसार के क्रम से, संक्षेप से कहूँगा ॥ ३९ ॥

"अब जिस-जिस गुणों से, जिस-जिस गति को जीव प्राप्त होता है, उस-उस [illegible] लिखते हैं।" (स० प्र० नवम समु०)

तीन गुणों के आधार पर तीन गतियाँ— .

देवत्वं सात्त्विका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः।
तिर्यक्त्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः ॥ ४० ॥ (२४)

(सात्त्विकाः देवत्वम्) जो मनुष्य सात्त्विक हैं वे देव अर्थात् विद्वान्, (राजसाः मनुष्यत्वम्) जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम मनुष्य, (च) और (तामसाः तिर्यक्त्वम्) जो तमोगुणयुक्त होते हैं वे नीचगति को (यान्ति)

प्राप्त करते हैं, (इति+एषा त्रिविधा गतिः) इस प्रकार यह त्रिविध गति है ॥ ४० ॥ (स० प्र० नवम समु०)

अनुशीलन : देव शब्द के अर्थज्ञान एवं देवकोटि के व्यक्तियों के विषय में विस्तृत जानकारी के लिए २।१५१ पर 'देव' विषयक अनुशीलन द्रष्टव्य है।

तीन गतियों के कर्म, विद्या के आधार पर तीन गौण गतियाँ—

त्रिविधा त्रिविधैषा तु विज्ञेया गौणिकी गतिः।
अधमा मध्यमाऽग्र्या च कर्मविद्या विशेषतः ॥ ४१ ॥ (२५)

(एषा त्रिविधा) ये तीन प्रकार की [सत्त्व, रज, तम] गतियाँ (कर्मविद्या विशेषतः) कर्म और विद्या की विशेषताओं के आधार पर प्रत्येक की पुनः (अधमा, मध्यमा च अग्र्या) अधम, मध्यम और उत्तम भेद से (त्रिविधा गौणिकी गतिः विज्ञेया) तीन-तीन प्रकार की गौण गतियाँ होती हैं [१०।४२-५०] ॥ ४१ ॥

तीन गतियों के तीन-तीन भेद और तदनुसार जन्मावस्थाओं के फल

तामस गतियों के तीन भेद—

स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः सर्पाश्च सकच्छपाः।
पशवश्च मृगाश्चैव जघन्या तामसी गतिः ॥४२॥(२६)

(जघन्या तामसी गतिः) जो अत्यन्त तमोगुणी हैं वे (स्थावराः) स्थावर वृक्षादि [१।४६-४९] (कृमिकीटाः मत्स्याः सर्पाः सकच्छपाः पशवश्च मृगाः) कृमि, कीट, मत्स्य, सर्प, कच्छप, पशु और मृग के जन्म को प्राप्त होते हैं ॥ ४२ ॥ (स० प्र० नवम समु०)

हस्तिनश्च तुरंगाश्च शूद्रा म्लेच्छाश्च गर्हिताः।
सिंहा व्याघ्रा वराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः ॥ ४३ ॥ (२७)

(मध्यमा तामसी गतिः) जो मध्यस तमोगुणी हैं वे (हस्तिनः तुरंगाः) हाथी, घोड़ा, (शूद्राः म्लेच्छाः निन्दिताः) शूद्र, म्लेच्छ, निन्दित कर्म करने हारे, (सिंहाः व्याघ्राः वराहाः) सिंह, व्याघ्र, वराह अर्थात् सूकर के जन्म को प्राप्त होते हैं ॥ ४३ ॥ (स० प्र० नवम समु०)

चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुषाश्चैव दाम्भिकाः।
रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसीषूत्तमा गतिः ॥ ४४ ॥ (२८)

(तामसीषु उत्तमा गतिः) जो उत्तम तमोगुणी हैं वे (चारणाः सुपर्णाः दाम्भिकाः पुरुषाः) चारण=जो कि कवित्त, दोहा आदि बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं, सुन्दर पक्षी, दाम्भिक पुरुष अर्थात् अपने सुख के लिए अपनी प्रशंसा करने हारे, (रक्षांसि पिशाचाः) राक्षस जो हिंसक, पिशाच =अनाचारी अर्थात् मद्य आदि के आहारकर्त्ता और मलिन रहते हैं वह उत्तम तमोगुण के कर्म का फल है ॥ ४४ ॥ (स० प्र० नवम समु०)

अनुशीलन : राक्षस और पिशाच शब्दों पर विस्तृत विवेचन ३।३३-३४ की समीक्षा में देखिये।

राजस गतियों के तीन भेद—

झल्ला मल्ला नटाश्चैव पुरुषाः शस्त्रवृत्तयः।
द्यूतपानप्रसक्ताश्च जघन्या राजसी गतिः ॥ ४५ ॥ (२९)

(जघन्या राजसी गतिः) जो अधम रजोगुणी हैं वे (झल्लाः) झल्ला अर्थात् तलवार आदि से मारने वा कुदार आदि से खोदने हारे, (मल्लाः) मल्ला अर्थात् नौका आदि के चलाने वाले, (नटाः) नट, जो बांस आदि पर कला, कूदना, चढ़ना-उतरना आदि करते हैं, (शस्त्रवृत्तयः पुरुषाः) शस्त्र-धारी भृत्य, (च) और (मद्यपानप्रसक्ताः) मद्य पीने में आसक्त हों, ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल है ॥ ४५ ॥ (स० प्र० नवम समु०)

राजानः क्षत्रियाश्चैव राज्ञां चैव पुरोहिताः।
वादयुद्धप्रधानाश्च मध्यमा राजसी गतिः ॥ ४६ ॥ (३०)

(मध्यमा राजसी गतिः) जो मध्यम रजोगुणी होते हैं वे (राजानः क्षत्रियाः) राजा, क्षत्रियवर्णस्थ, (राज्ञां पुरोहिताः) राजाओं के पुरोहित, (वादयुद्धप्रधानाः) वाद-विवाद करने वाले-दूत, प्राड्विवाक=वकील, बैरिस्टर, युद्धविभाग के अध्यक्ष के जन्म पाते हैं ॥ ४६ ॥

(स० प्र० नवमसमु०)

गन्धर्वा गुह्यका यक्षा विबुधानुचरा
तथैवाप्सरसः सर्वा राजसीषूत्तमा गतिः ॥ ४७ ॥ (३१)

(राजसीषु उत्तमा गतिः) जो उत्तम रजोगुणी हैं वे (गंधर्वाः) गंधर्व=गाने वाले, (गुह्यकाः) गुह्यक=वादित्र बजाने वाले, (यक्षाः) यक्ष= धनाढ्य, (विबुधा अनुचराः) विद्वानों के सेवक, (तथा+एव सर्वाः अप्सरसः) और अप्सरा अर्थात् जो उत्तम रूप वाली स्त्री का जन्म पाते हैं ॥ ४७ ॥

(स० प्र० नवमसम०)

अनुशीलन : गन्धर्व शब्द पर विस्तृत प्रामाणिक विवेचन ३।३२ की समीक्षा में द्रष्टव्य है।

सात्त्विक गतियों के तीन भेद—

तापसा यतयो विप्रा ये च वैमानिका गणाः।
नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सात्त्विकी गतिः ॥४८॥ (३२)

(तापसाः) जो तपस्वी, (यतयः) यति, संन्यासी, (विप्राः) वेदपाठी, (वैमानिका गणाः) विमान के चलाने वाले, (नक्षत्राणि) ज्योतिषी, (च) और (दैत्याः) दैत्य अर्थात् देहपोषक मनुष्य होते हैं उनको (प्रथमा सात्त्विकी गति) प्रथम सत्त्वगुण के कर्म का फल जानो ॥ ४८ ॥[1]

(स० प्र० नवम समु०)

अनुशीलन : ४८ वें श्लोक के प्रचलित अर्थ में अशुद्धि—टीकाकारों ने इस श्लोक में आये 'नक्षत्र' शब्द का जड़ नक्षत्र विशेष अर्थ किया है, जो मनु की मान्यता के विरुद्ध है। १२। २३, २५, ३५, ३७, ४०, ५१ श्लोकों के अनुसार इन श्लोकों में जीव की गतियों का निरूपण किया गया है, जड़ वस्तुओं का नहीं। नक्षत्र कोई योनिविशेष नहीं हैं। वे तो जड़ पदार्थ हैं, अतः यह अर्थ सही नहीं है। इस भाष्य में किया गया लाक्षणिक अर्थ 'ज्योतिषी' अर्थात् 'नक्षत्र-विज्ञान का वेत्ता' अर्थ मनु-सम्मत है। यहाँ लक्षणा शब्दशक्ति से ही अर्थ की निष्पत्ति होगी।

यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतींषि वत्सराः।
पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्त्विकी गतिः ॥ ४९ ॥ (३३)

(द्वितीया सात्त्विकी गतिः) जो मध्यम सत्त्वगुणयुक्त होकर कर्म करते हैं वे जीव (यज्वानः) यज्ञकर्त्ता, (ऋषयः देवाः) वेदार्थवित् विद्वान्, (वेदाः ज्योतींषि वत्सराः) वेद, विद्युत् आदि और काल-विद्या के ज्ञाता, (पितरः) रक्षक, ज्ञानी (च) और (साध्याः) साध्य=कार्यसिद्धि के लिए सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते हैं ॥ ४९ ॥

(स० प्र० नवम समु०)[2]

अनुशीलन : ४९ वें श्लोक के प्रचलित अर्थ में अशुद्धि—

---

१. [प्रचलित अर्थ—तपस्वी (वानप्रस्थ), यति (संन्यासी-भिक्षु), ब्राह्मण, वैमानिक गण, नक्षत्र और दैत्य, जघन्य सात्त्विकी गतियाँ हैं ॥ ४८ ॥]

२. [प्रचलित अर्थ—यज्वा (विधिपूर्वक अनुष्ठान किये हुए), ऋषि, देव, वेद (इतिहास-प्रसिद्ध शरीरधारी वेदाभिमानी देवविशेष), ज्योति (ध्रुव आदि), वर्ष (इतिहास प्रसिद्ध शरीरधारी संवत्सर), पितर (सोमप आदि), और साध्य (देव-योनि-विशेष); ये मध्यम सात्त्विकी गतियाँ हैं ॥ ४९ ॥]

(१) टीकाकारों ने 'ज्योतींषि' का 'ध्रुव तारे' आदि अर्थ किया है, यह १२।२३, २५, ३५, ३७, ४०, ५१ श्लोकों के संकेत के विरुद्ध है। जड़ वस्तु की कोई योनिविशेष नहीं होती। यह प्रसंग जीवों की योनियों का है। इसका लाक्षणिक अर्थ 'विद्युत् आदि के ज्ञाता' ही संगत है।

(२) देव, साध्य और पितरों की पृथक् योनिविशेष की कल्पना कपोलकल्पित है। मनु के मत में देव और पितर मनुष्यों के ही स्तरविशेष हैं [इस विषयक विस्तृत विवेचन २।१५१ (२।१७६) की समीक्षा में द्रष्टव्य है,] साध्यविषयक समीक्षा १।२२ पर द्रष्टव्य है]।

ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मो महानव्यक्तमेव च।
उत्तमां सात्त्विकीमेनां गतिमाहुर्मनीषिणः॥ ५०॥ (३४)

(उत्तमां सात्त्विकीं गतिम्) जो उत्तम सत्त्वगुणयुक्त होके उत्तम कर्म करते हैं वे (ब्रह्मा) ब्रह्मा=सब वेदों का वेत्ता, (विश्वसृजः) विश्वसृज=सब सृष्टिक्रम विद्या को जानकर विविध विमानादि यानों को बनाने हारे, (धर्मः) धार्मिक, (महान् च अव्यक्तम्+एव) सर्वोत्तम बुद्धियुक्त और अव्यक्त के जन्म और प्रकृतिवशित्व सिद्धि को प्राप्त होते हैं॥ ५०॥

(स० प्र० नवमसमु०)[1]

अनुशीलन: (१) ५० वें श्लोक के प्रचलित अर्थ में अशुद्धि—(१) इस श्लोक में टीकाकारों द्वारा 'ब्रह्मा' और 'विश्वसृजः' से मरीचि आदि केवल ब्रह्मा से कुछ व्यक्तियों का ग्रहण करना मनुसम्मत नहीं है। चतुर्मुख ब्रह्मा की कल्पना निराधार है। इसी प्रकार मरीचि आदि भी 'विश्वसृजः' नहीं हैं। सृष्टि-स्रष्टा तो केवल ईश्वर को बताया है [१।६, १४-१५, १६, २२, ३३॥]। ये तीनों पूर्व श्लोक में ऋषि-कोटि के ही अन्तर्गत आ जाते हैं। मनुस्मृति में इनसे सम्बद्ध प्रसंग अनेक आधारों पर प्रक्षिप्त सिद्ध होता है [१।११-१३, ३२-४१, ५०, ५१ की समीक्षा]। इनका अर्थ 'ब्रह्मा=सब वेदों का वेत्ता' और विश्वसृजः=सब सृष्टि को जानकर विविध विमानादि यानों को बनाने हारे' यही संगत है। (२) इसी प्रकार 'धर्म' 'महान्' और 'अव्यक्त' ये अमूर्त्त और जड़ पदार्थ हैं, इनकी कोई योनिविशेष नहीं होती। यहां केवल जीवों की योनियों के वर्णन का प्रसंग है, अतः इनके लाक्षणिक अर्थ ही प्रसंग-सम्मत हैं।

(२) **प्रकृतिवशित्व सिद्धि का विवेचन**—अव्यक्त 'मूल प्रकृति' को कहते हैं।

---

१. [प्रचलित अर्थ—ब्रह्मा (चतुर्मुख), विश्वस्रष्टा (मरीचि आदि), (शरीर-धारी) धर्म, महान्, अव्यक्त (सांख्यप्रसिद्ध दो तत्त्वविशेष); इनको विद्वान् उत्तम सात्त्विक गतियां कहते हैं॥ ५०॥]

अव्यक्त से यहाँ अभिप्राय उन योगी जनों से है जो 'प्रकृतिवशित्व' की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे योगी उत्तम सात्त्विक गति को प्राप्त होते हैं।

प्रकृति वशित्वसिद्धि का वर्णन योगदर्शन में आया है—

"ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च।" [विभूति० ४८]

अर्थात्—इन्द्रियजय सिद्धि होने पर पुनः इन्द्रियों की विषयग्रहणवृत्ति में संयम करने से, मन के समान इन्द्रियों में गतिशीलता=स्फूर्ति और शक्ति आना, शरीर की अपेक्षा के बिना सूक्ष्म और दूरस्थ विषयों के ज्ञान की प्राप्ति और प्रधानजय=प्रकृति के विकारों को वश में करना; ये तीन सिद्धियाँ योगी को प्राप्त हो जाती हैं।

प्रधानजय ही प्रकृतिवशित्व सिद्धि है। इसकी सिद्धि पर योगी प्राकृतिक विकारों से अबाधित रहकर कार्य कर सकता है। योगदर्शन में इस सिद्धि को 'मधु-प्रतीका' कहा है, जिसका अर्थ है 'मोक्षानन्द की प्रतीकरूप' सिद्धि। इसके बाद योगी मोक्षप्राप्ति की स्थिति में पहुंच जाता है।

एष सर्वः समुद्दिष्टस्त्रिप्रकारस्य कर्मणः।
त्रिविधस्त्रिविधः कृत्स्नः संसारः सार्वभौतिकः॥ ५१॥ (३५)

(त्रिप्रकारस्य कर्मणः) मन, वचन, शरीर के भेद से तीन प्रकार के कर्मों का (त्रिविधः) सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण नामक तीन प्रकार का फल, तथा (त्रिविधः) फिर उनकी उत्तम, मध्यम, अधम भेद से तीन-तीन गतियों वाले (सार्वभौतिकः कृत्स्नः संसारः) सर्वभूतयुक्त सम्पूर्ण संसार की उत्पत्ति का (एषः सर्वः समुद्दिष्टः) यह पूर्ण वर्णन किया॥ ५१॥

(स० प्र० नवम समु०)

विषयों में आसक्ति से और अधर्मसेवन से दुःखरूप जन्मों की प्राप्ति—

इन्द्रियाणां प्रसंगेन धर्मस्यासेवनेन च।
पापान् संयान्ति संसारानविद्वांसो नराधमाः॥ ५२॥ (३६)

(इन्द्रियाणां प्रसंगेन) जो इन्द्रियों के वश होकर विषयी (धर्मस्य+असेवनेन) धर्म को छोड़कर अधर्म करने हारे (अविद्वांसः) अविद्वान् हैं (नराधमाः पापान् संसारान् संयान्ति) वे मनुष्यों में नीच जन्म, बुरे-बुरे दुःखरूप जन्म को पाते हैं॥ ५२॥ (स० प्र० नवम समु०)

कर्मानुसार जीव को योनियों की प्राप्ति—

यां यां योनिं तु जीवोऽयं येन येनेह कर्मणा।
क्रमशो याति ओकेऽस्मिंस्तत्तत्सर्वं निबोधत॥ ५३॥

(अयं जीवः) यह जीव (इह) इस संसार में (येन येन कर्मणा) जिस-जिस कर्म

से (अस्मिन् लोके यां यां योनिं याति) इस संसार की जिस-जिस योनि=जन्म को प्राप्त करता है (तत् तत् सर्वं क्रमशः निबोधत) उस सबको क्रमशः सुनो-— ॥ ५३ ॥

बहून्वर्षगणान्घोरान्नरकान्प्राप्य तत्क्षयात् ।
संसारान्प्रतिपद्यन्ते महापातकिनस्त्विमान् ॥ ५४ ॥

(महापातकिनः) महापातकी [११।५४[मनुष्य (बहून्-वर्षगणान् घोरान् नरकान् प्राप्य) अनेक वर्षसमूहों तक भयंकर नरकों को पाकर (तत् क्षयात्) पापों के उपभोग रूप क्षीणता के अनन्तर (इमान् संसारान् प्रतिपद्यन्ते) संसार में निम्न योनियों को प्राप्त करते हैं— ॥ ५४ ॥

श्वसूकरखरोष्ट्राणां गोजाविमृगपक्षिणाम् ।
चण्डालपुक्कसानां च ब्रह्महा योनिमृच्छति ॥ ५५ ॥

(ब्रह्महा) ब्रह्महत्यारा (श्व-सूकर-खर-उष्ट्राणां गो-अजा-अवि-मृग-पक्षिणां चण्डालपुक्कसानाम्) कुत्ता, सूअर, गधा, ऊंट, गौ, बकरी, भेड़, मृग, पक्षी, चण्डाल [१०।१६] और पुक्कस [१०।१८], (योनिम्+ऋच्छति) इन योनियों को प्राप्त करता है ॥ ५५ ॥

कृमिकीटपतङ्गानां विड्भुजां चैव पक्षिणाम् ।
हिंस्राणां चैव सत्त्वानां सुरापो ब्राह्मणो व्रजेत् ॥ ५६ ॥

(सुरापः ब्राह्मणः) सुरा पीने वाला ब्राह्मण (कृमि-कीट-पतङ्गानां विड्भुजां च पक्षिणाम्) कृमि, कीट, पतङ्ग, विष्ठा खाने वाले पक्षी कौवे आदि, (च) और हिंस्राणां सत्त्वानाम्) हिंसक शेर आदि पशु, इनकी (व्रजेत्) योनि को प्राप्त करता है ॥ ५६ ॥

लूताहिसरटानां च तिरश्चां चाम्बुचारिणाम् ।
हिंस्राणां च पिशाचानां स्तेनो विप्रः सहस्रशः ॥ ५७ ॥

(स्तेनः विप्रः) चोर ब्राह्मण (लूता-अहि-सरटानां तिरश्चाम् अम्बुचारिणां पिशाचानाम्) मकड़ी, सांप, गिरगिट, तिर्यक् जन्तुओं की, मगर आदि जलचर जीव, हिंसक स्वभाव के पिशाच आदि की (सहस्रशः) योनियों में हजारों बार जन्म लेता है ॥ ५७ ॥

तृणगुल्मलतानां च क्रव्यादां दंष्ट्रिणामपि ।
क्रूरकर्मकृतां चैव शतशो गुरुतल्पगः ॥ ५८ ॥

(गुरुतल्पगः) गुरुपत्नी-गामी (तृण-गुल्म-लतानां क्रव्यादां दंष्ट्रिणां च क्रूरकर्म-कृताम्) घास, झाड़ीदार पौधे, बेल, कच्चे मांस को खाने वाले, दाढ़ वाले बाघ आदि, और क्रूर कर्म करने वाले, इनकी योनियों में (शतशः) सैंकड़ों बार जन्मता है ॥ ५८ ॥

हिंस्रा भवन्ति क्रव्यादाः कृमयोऽभक्ष्यभक्षिणः ।
परस्परादिनः स्तेनाः प्रेताग्त्यस्त्रीनिषेविणः ॥ ५९ ॥

(हिंस्राः क्रव्यादाः भवन्ति) हिंसक मनुष्य कच्चे मांस खाने वाले बाघ आदि की योनि को प्राप्त करते हैं, (अभक्ष्यभक्षिणः कृमयः) अभक्ष्य भोजन करने वाले कृमि बनते हैं, (स्तेनाः) चोर (परस्पर-आदिनः) आपस में एक दूसरे को खाने वाले सांप-नेवला आदि बनते हैं, और (अन्त्यस्त्रीनिषेविणः प्रेताः) चण्डाल आदि नीचों की स्त्री से संभोग करने वाले प्रेत बनते हैं ॥ ५९ ॥

संयोगं पतितैर्गत्वा परस्यैव च योषितम् ।
अपहृत्य च विप्रस्वं भवति ब्रह्मराक्षसः ॥ ६० ॥

(पतितैः संयोगं कृत्वा) पतित लोगों के साथ संसर्ग करने पर (परस्य एव योषितम्) परस्त्री के साथ संसर्ग करके, (च) और (विप्रस्वम् अपहृत्य) ब्राह्मण के धन को चुराने पर (ब्रह्मराक्षसः भवति) मनुष्य ब्रह्मराक्षस का जन्म पाता है ॥ ६० ॥

मणिमुक्ताप्रवालानि हृत्वा लोभेन मानवः ।
विविधानि च रत्नानि जायते हेमकर्तृषु ॥ ६१ ॥

(मानवः) मनुष्य (लोभेन) लोभ के वशीभूत होकर (मणिमुक्ता-प्रवालानि च विविधानि रत्नानि) मणि, मोती, प्रवाल=मूंगा और अन्य रत्न (हृत्वा) चुराकर (हेमकर्तृषु जायते) सुनार का जन्म पाता है ॥ ६१ ॥

धान्यं हृत्वा भवत्याखुः कांस्यं हंसो जलं प्लवः ।
मधु दंशः पयः काको रसं श्वा नकुलो घृतम् ॥ ६२ ॥

मनुष्य (धान्यं हृत्वा आखुः) धान्य चुराकर परजन्म में चूहा, (कांस्यं हंसः) कांसा चुराकर हंस, (जलं प्लवः) जल चुराकर मेंढक, (मधु दंशः) शहद चुराकर डांस, (पयः काकः) दूध चुराकर कौआ, (रसं श्वा) रस चुराकर कुत्ता, (घृतं नकुलः) घी चुराकर नेवला (भवति) बनता है ॥ ६२ ॥

मांसं गृध्रो वपां मद्गुस्तैलं तैलपकः खगः ।
चोरीवाकस्तु लवणं बलाका शकुनिर्दधि ॥ ६३ ॥

(मांसं गृध्रः) मांस चुराकर गीध, (वपां मद्गुः) चर्बी चुराकर 'मद्गु' नामक जलचर पक्षी, (तैलं तैलपकः खगः) तेल चुराकर 'तैलपक' नामक पक्षी, (लवणं चोरीवाकः) नमक चुराकर 'चोरीवाक' नामक पक्षी, (दधि बलाका शकुनिः) दही चुराकर बगुला पक्षी परजन्म में बनता है ॥ ६३ ॥

कौशेयं तित्तिरिर्हृत्वा क्षौमं हृत्वा तु दर्दुरः ।
कार्पासतान्तवं क्रौञ्चो गोधा गां वागुदो गुडम् ॥ ६४ ॥

(कौशेयं हृत्वा तित्तिरिः) रेशम के वस्त्र को चुराकर तीतर, (क्षौमं हृत्वा दर्दुरः) अतसी आदि से बने वस्त्र चुराकर बड़ा मेंढक, (कार्पासतान्तवं क्रौञ्चः)

कपास के वस्त्र चुराकर क्रौंच पक्षी, (गां गोघा) गौ चुराने वाला गोह, और (गुडं वाग्गुदः) गुड़ चुराने वाला परजन्म में वाग्गुद=चमगीदड़ पक्षी बनता है ॥ ६४ ॥

छुच्छुन्दरिः शुभान्गन्धान् पत्रशाकं तु बर्हिणः ।
श्वावित्कृतान्नं विविधमकृतान्नं तु शल्यकः ॥ ६५ ॥

(शुभान् गन्धान् छुच्छुन्दरिः) श्रेष्ठ सुगन्धों को चुराने वाला छछुन्दर, (पत्रशाकं तु बर्हिणः) पत्तों वाले शाक चुराकर मोर, (कृतान्नं श्वावित्) पक्वान्न को चुराने वाला सेंह [=कांटेदार शरीर वाला एक पशु], (विविधम् अकृतान्नं तु शल्यकः) अनेक प्रकार के कच्चे अन्न चुराकर झाऊ चूहा परजन्म में बनता है ॥ ६५ ॥

बको भवति हृत्वाऽग्निं गृहकारी हृयुपस्करम् ।
रक्तानि हृत्वा वासांसि जायते जीवजीवकः ॥ ६६ ॥

मनुष्य (अग्निं हृत्वा बकः) अग्नि को चुराकर बगुला, (उपस्करं गृहकारी भवति) गृहोपयोगी वस्तुओं को चुराकर गीली मिट्टी से घर बनाने वाला लोहनी नामक कीड़ा होता है, और (रक्तानि वासांसि हृत्वा) रंगे हुए कपड़ों की चोरी करने वाला (जीवजीवकः जायते) चकोर पक्षी बनता है ॥ ६६ ॥

वृको मृगेभं व्याघ्रोऽश्वं फलमूलं तु मर्कटः ।
स्त्रीमृक्षः स्तोककः वारि यानान्युष्ट्रः पशूनजः ॥ ६७ ॥

(मृगेभं वृकः) हाथी नामक पशु को चुराकर भेड़िया, (अश्वं व्याघ्रः) अश्व को चुराकर बाघ, (फलमूलं मर्कटः) फल-मूल को चुराकर बन्दर, (स्त्रीम्+ऋक्षः) स्त्री को चुराकर भालू, (वारि स्तोककः) जल चुराने वाला चातक, (यानानि+उष्ट्रः) वाहनों को चुराने वाला ऊंट, (पशून्+अजः) पशुओं को चुराने वाला बकरा बनता है ॥ ६७ ॥

यद्वा तद्वा परद्रव्यमपहृत्य बलान्नरः ।
अवश्यं याति तिर्यक्त्वं जग्ध्वा चैवाहुतं हविः ॥ ६८ ॥

(नरः) मनुष्य (यत्-वा तत्-वा परद्रव्यं बलात् अपहृत्य) जो कोई भी वस्तु अर्थात् साधारण से साधारण वस्तु भी बलात् लेकर, (च) और (अहुतं हविः जग्ध्वा) बिना आहुति दिये-हवन किये भोजन करके (अवश्यं तिर्यक्त्वं याति) अवश्य तिर्यक् योनि में जाता है ॥ ६८ ॥

स्त्रियोऽप्येतेन कल्पेन हृत्वा दोषमवाप्नुयुः ।
एतेषामेव जन्तूनां भार्यात्वमुपयान्ति ताः ॥ ६९ ॥

(स्त्रियः अपि+एतेन कल्पेन) स्त्रियाँ भी इसी प्रकार (हृत्वा) चोरी करके (दोषम्+अवाप्नुयुः) दोषी बनती हैं, और (ताः) वे (एतेषाम्+एव जन्तूनां भार्यात्वम्+उपयान्ति) इन्हीं प्राणियों की पत्नियाँ बनती हैं ॥ ६९ ॥

स्वेभ्यः स्वेभ्यस्तु कर्मभ्यश्च्युता वर्णा ह्यनापदि ।
पापान्संसृत्य संसारान्प्रेष्यतां यान्ति शत्रुषु ॥ ७० ॥

(वर्णाः) चारों वर्ण वाले (अनापदि) बिना आपत्तिकाल के (स्वेभ्यः स्वेभ्यः कर्मभ्यः च्युताः) अपने-अपने कर्मों को त्यागकर (पापान् संसारान् संसृत्य) पापी योनियों में जन्म लेकर, फिर (शत्रुषु प्रेष्यतां यान्ति) शत्रुओं के यहाँ दास बनते हैं ॥ ७० ॥

वान्ताश्युल्कामुखः प्रेतो विप्रो धर्मात्स्वकाच्च्युतः ।
अमेध्यकुणपाशी च क्षत्रियः कटपूतनः ॥ ७१ ॥

(स्वकात् धर्मात् च्युतः विप्रः) अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ ब्राह्मण (वान्ताशी + उल्कामुखः प्रेतः) वमनभक्षी और ज्वाला के मुख वाला प्रेत बनता है, (च) और (क्षत्रियः) अपने धर्म से भ्रष्ट क्षत्रिय (अमेध्य-कुणपाशी कटपूतनः) गन्दगी और शव को खाने वाला 'कटपूतन' नामक कीड़ा बनता है ॥ ७१ ॥

मैत्राक्षज्योतिकः प्रेतो वैश्यो भवति पूयभुक् ।
चैलाशकश्च भवति शूद्रो धर्मात्स्वकाच्च्युतः ॥ ७२ ॥

(वैश्यः) धर्म से भ्रष्ट वैश्य (पूयभुक् मैत्राक्षज्योतिकः प्रेतः भवति) पीप खाने वाला 'मैत्राक्षज्योतिक' नामक प्रेत बनता है, (च) और (स्वकात् धर्मात् च्युतः) अपने धर्म से भ्रष्ट (शूद्रः) शूद्र (चैलाशकः भवति) 'चैलाशक' नामक प्रेत बनता है ॥ ७२ ॥

अनुशीलन : ५३ से ७२ श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—(१) ये श्लोक पूर्वापर प्रसंगविरुद्ध हैं। ५२ वें श्लोक में इन्द्रियों को विषयों में लगाने से पापयुक्त होने की बात कही थी और ७३ वें श्लोक में उसी बात को पूरा करते हुए कहा गया है कि **'विषयी जैसे-जैसे** विषयों का सेवन करते हैं वैसे ही उनमें उनकी रुचि बढ़ती जाती है।' ७४ वें श्लोक में इसी बात को पूर्ण किया है। बीच में इन श्लोकों ने उस वाक्यक्रम-प्रसंग को भंग कर दिया है, और अप्रासंगिक वर्णन किया है।

(२) ५३ वें श्लोक की न तो ५२ वें से ही कोई संगति जुड़ती है और न इस प्रसंग के अन्तिम श्लोक ७२ वें की ७३ वें से कोई संगति है। इस प्रकार भी ये ५३ से ७२ श्लोक प्रसंगविरुद्ध सिद्ध होते हैं।

२. **अन्तर्विरोध**—(१) ३९–५१ श्लोकों के प्रसंग से ५३–७२ श्लोकों के इस प्रसंग की व्यवस्थाओं का विरोध है। पूर्व प्रसंग में सत्त्व, रज और तम की अधिकता के आधार पर योनियों का निर्णय है, जबकि यहाँ एक-एक कर्म के आधार पर एक-एक योनि का निर्णय दिया है। (२) मनु किसी एक ही कर्म के आधार पर किसी

योनि की प्राप्ति नहीं मानते अपितु अनेक कर्मों के अनुसार मानते हैं [१२।७४]। इस आधार पर भी इन श्लोकों की व्यवस्थाएँ विरुद्ध हैं। (३) इस प्रसंग के आधार रूप श्लोक ५३-५४ हैं। इनमें जीव द्वारा नरक-योनियों में जाने का वर्णन है, जो मनु की मौलिक मान्यता के विरुद्ध है [देखिए ४।८७-९१ श्लोकों पर अन्तर्विरोध समीक्षा]। इस प्रकार अन्तर्विरोध के आधार पर आधारभूत श्लोकों के प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाने पर, इन पर आधारित शेष [५५–७२] सारा प्रसंग स्वतः प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाता है। इसी अन्तर्विरोध के अन्तर्गत ५९, ७१, ७२ श्लोक भी, जिनमें कि प्रेतयोनियों की चर्चा है, प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। इस प्रकार अन्तर्विरोध के आधार पर ५३ से ७२ श्लोकों का यह सम्पूर्ण प्रसंग प्रक्षिप्त है।

३. **शैलीगत आधार**—(१) ५३ से ७२ श्लोक तक के इस सम्पूर्ण प्रसंग की शैली निराधार, निन्दायुक्त-अतिशयोक्तिपूर्ण और अप्रत्यक्ष भयप्रदर्शन की शैली है। यह मनु की शैली नहीं है, क्योंकि मनु की शैली में ये प्रवृत्तियाँ नहीं हैं। (२) वर्णन-शैली से भी ये श्लोक परवर्ती काल की रचनाएँ सिद्ध होती हैं। कुछ वर्णनों का मनु के वर्णन से तालमेल नहीं बैठता। ५३ से ७२ श्लोक तक के प्रसंग में ६१ वें श्लोक में मणि-मुक्ता आदि चुराने वाले व्यक्ति को सुनार की योनि में जन्म होना बताया है। मनु की वर्णव्यवस्था में सुनार नाम की कोई जाति नहीं है। [१।८७-९१]। अपितु, स्वर्ण, मणि, मुक्ता आदि से सम्बन्धित कार्य वैश्य का बताया है [९।३२९॥ १०।९८-९९ इनमें शिल्पकार्य वैश्य का सिद्ध है]। इससे स्पष्ट है कि परवर्ती काल में जब विभिन्न जातियों का प्रचलन हुआ तब यह श्लोक रचकर मिलाया गया और इससे सम्बद्ध पूर्वापर शेष प्रसंग भी साथ ही मिलाया गया। इस प्रकार यह प्रसंग परवर्ती काल का प्रक्षेप है। (३) ५५–६० श्लोकों में महापातकियों के उल्लेखपूर्वक फलकथन भी इसके परवर्ती होने का संकेत देता है क्योंकि ब्रह्महत्या, गुरुपत्नीगमन आदि के आधार पर महापातक और महापातकियों का वर्गीकरण मौलिक न होकर परवर्ती है।

[देखिए ११।५४-१९० श्लोकों पर समीक्षा]।

विषयों के सेवन से पाप-योनियों की प्राप्ति—

यथा यथा निषेवन्ते विषयान्विषयात्मकाः।
तथा तथा कुशलता तेषां तेषूपजायते॥ ७३॥ (३७)

(विषयात्मकाः) विषयी स्वभाव के मनुष्य (यथा-यथा विषयान् निषेवन्ते) जैसे-जैसे विषयों का सेवन करते हैं (तथा तथा) वैसे-वैसे (तेषु तेषां कुशलता+उपजायते) उन विषयों में उनकी आसक्ति अधिक बढ़ती जाती है॥ ७३॥

तेऽभ्यासात्कर्मणां तेषां पापानामल्पबुद्धयः।
संप्राप्नुवन्ति दुःखानि तासु तास्विह योनिषु॥ ७४॥ (३८)

फिर (ते अल्पबुद्धयः) वे मन्दबुद्धि मनुष्य (तेषां पापानां कर्मणाम्

+अभ्यासात्) उन विषयों से उत्पन्न पापकर्मों को बारम्बार करते हैं, और उनके कारण पुनः (तासु-तासु योनिषु) पापकर्मों से प्राप्त होने वाली उन-उन योनियों में अर्थात् जिस पाप से योनि प्राप्त होती है [१२। ३९-५१] उसे प्राप्त करके (इह) इसी संसार में (दुःखानि प्राप्नुवन्ति) दुःखों को भोगते हैं ॥ ७४ ॥

पापियों को प्राप्त होने वाले दुःख—

तामिस्रादिषु घोरेषु नरकेषु विवर्तनम् ।
असिपत्रवनादीनि बन्धनच्छेदनानि च ॥ ७५ ॥

पापी मनुष्य (उग्रेषु तामिस्रादि नरकेषु विवर्तनम्) घोर तामिस्र आदि नरकों में आवागमन के चक्कर काटते रहते हैं (च) और (असिपत्रवन-आदीनि बन्धन-छेदनानि) 'असिपत्रवन' आदि नरकों में बन्धन, छेदन आदि दुःखों को प्राप्त होते हैं ॥ ७५ ॥

त्रिविधाश्चैव संपीडाः काकोलूकैश्च भक्षणम् ।
करम्भबालुकातापान्कुम्भीपाकांश्च दारुणान् ॥ ७६ ॥

वे (विविधाः संपीडाः) अनेक प्रकार की पीड़ाओं को भोगते हैं, (च) और उन्हें (काक-उलूकैः भक्षणम्) कौवे तथा उल्लू खाते हैं, (करम्भ-बालुका-तापान् च दारुणान् कुम्भीपाकान्) वे तपते बालू में संताप और भयंकर कुम्भीपाक नरक को प्राप्त होते हैं ॥ ७६ ॥

संभवांश्च वियोनीषु दुःखप्रायासु नित्यशः ।
शीतातपाभिघातांश्च विविधानि भयानि च ॥ ७७ ॥

वे (नित्यशः दुःखप्रायासु) सदा दुःखपूर्ण, (वियोनीषु संभवाः) निन्दित योनियों में जन्मते हैं, (च) और (शीत-आतप-अभिघातान् विविधानि भयानि) सर्दी, गर्मी की पीड़ाओं और विविध प्रकार के भयों को प्राप्त करते हैं ॥ ७७ ॥

असकृद्गर्भवासेषु वासं जन्म च दारुणम् ।
बन्धनानि च काष्ठानि परप्रेष्यत्वमेव च ॥ ७८ ॥

वे पापी मनुष्य (गर्भवासेषु असकृत् वासम्) गर्भों में बार-बार निवास, (दारुणं जन्म) कष्टमय जन्म, (काष्ठानि बन्धनानि) कठोर यातनायें, (च) और (परप्रेष्यत्वम्+एव) दूसरों के दास होना आदि दुःख पाते हैं ॥ ७८ ॥

बन्धुप्रियवियोगांश्च संवासं चैव दुर्जनैः ।
द्रव्यार्जनं च नाशं च मित्रामित्रस्य चार्जनम् ॥ ७९ ॥

(च) और (बन्धु-प्रियवियोगान्) बान्धवों और प्रियजनों का वियोग, (दुर्जनैः सह संवासः) दुष्टों के साथ निवास, (द्रव्य-अर्जनं च नाशम्) धनसंग्रह के प्रयासों का

कष्ट और उसका नाश, (मित्र-अमित्रस्य-अर्जनम्) कष्ट से मित्र-प्राप्ति और शत्रुओं की वृद्धि आदि दुःखों को प्राप्त करते हैं ॥ ७६ ॥

जरां चैवाप्रतीकारां व्याधिभिश्चोपपीडनम् ।
क्लेशांश्च विविधांस्तांस्तान्मृत्युमेव च दुर्जयम् ॥ ८० ॥

(च) और (अप्रतीकारां जराम्) असाध्य वृद्धावस्था, (व्याधिभिः उपपीडनम्) व्याधियों से कष्ट, (तान्-तान् विविधान् क्लेशान्) अनेक प्रकार के क्लेश (च) और (दुर्जयं मृत्युम्) अनिवार्य मृत्यु-दुःख को प्राप्त करते हैं ॥ ८० ॥

अनुशीलन : ७५ से ८० श्लोक निम्न प्रकार से प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—(१) पूर्वापर [७४ एवं ८१ में] प्रसंग अच्छे-बुरे कर्मों का साधारण रूप में फलकथन का है, और उसकी परस्पर सम्बद्धता भी दृष्टिगत होती है। ७५–८० श्लोकों में विशेष दुःखों एवं योनियों की प्राप्ति का वर्णन पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध एवं उसको भंग करने वाला है। (२) ७५ का ७४ से और ८० वें श्लोक का ८१ से प्रसंग नहीं जुड़ता। यह आधार भी इन्हें प्रसंगभञ्जक और पूर्वापर प्रसंग-विरुद्ध सिद्ध करता है। (३) अच्छे-बुरे कर्मों के फल और गतियों के वर्णन का प्रसंग गत ३६-५१ श्लोकों में वर्णित हो चुका है। उस प्रसंग के समाप्त होने पर पुनः दुःख-प्राप्ति वर्णन का प्रसंग शुरू करना भी इसको असंगत सिद्ध करता है। इस प्रकार प्रसंगविरोध के आधार पर ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. **अन्तर्विरोध**–(१) यहां ७४ वें श्लोक का "**तासु तासु इह योनिषु**" चरण विशेष ध्यान देने योग्य है। इसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि पापाचरण करने वाले तदनुरूप उन-उन योनियों में इस संसार में ही जन्म ग्रहण करते हैं, और उन योनियों का वर्णन ३६–५१ में हो चुका है। पुनरपि अग्रिम श्लोकों में नरक आदि में जाने का विरुद्ध वर्णन किया गया है। यह प्रक्षेपकर्त्ता की अन्धता का द्योतक है। (२) इस प्रसंग का आधार-श्लोक ७५ वां है, जिसमें तामिस्र, असिपत्रवन आदि नरकों के प्राप्त होने का कथन है। नरक नामक पृथक् लोक की मान्यता मनु-विरुद्ध है [इसके लिए द्रष्टव्य है ४। ८७–६१ पर समीक्षा]। इस श्लोक के प्रक्षिप्त सिद्ध होने पर इस पर आधारित शेष सभी श्लोक स्वतः प्रक्षिप्त कहलायेंगे। इस प्रकार अन्तर्विरोध के आधार पर भी यह सम्पूर्ण प्रसंग प्रक्षिप्त है।

आसक्ति-निरासक्ति के अनुसार फलप्राप्ति—

यादृशेन तु भावेन यद्यत्कर्म निषेवते ।
तादृशेन शरीरेण तत्तत्फलमुपाश्नुते ॥ ८१ ॥ (३६)

मनुष्य (यादृशेन तु भावेन) जैसी अच्छी या बुरी भावना से और उनमें वैसी दृढ़ आसक्ति या निरासक्ति है उसके अनुसार (यत्यत् कर्म

निषेवते) जैसा अच्छा या बुरा कर्म करता है, (तादृशेन शरीरेण) वैसे-वैसे ही शरीर पाकर (तत्तत् फलम्+उपाश्नुते) उन कर्मों के फलों को भोगता है ॥ ८१ ॥

अनुशीलन : श्लोकार्थ पर विचार— इस श्लोक के अर्थ को समझने के लिए ६। ८० श्लोक सहायक है—"**यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निस्पृहः। तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम्।**" =जब व्यक्ति सब पदार्थों में अपने भाव से निःस्पृह हो जाता है तो वह लौकिक और मोक्षसुख को प्राप्त करता है। इसी आधार पर यहाँ वर्णन है। जो व्यक्ति जितनी दृढ़ स्पृहा=आसक्ति या निःस्पृहा=अनासक्ति से कर्म-सेवन करेगा, उसे उसी के अनुसार कम-अधिक अच्छा-बुरा फल मिलेगा।

निःश्रेयसकर कर्मों का वर्णन—

एष सर्वः समुद्दिष्टः कर्मणां वः फलोदयः।
निःश्रेयसकरं कर्म विप्रस्येदं निबोधत ॥ ८२ ॥ (४०)

(एषः) यह [१२। ३-८१] (कर्मणां फलोदयः) कर्मों के फल का उद्भव (सर्वः) सम्पूर्ण रूप में (वः समुद्दिष्टः) तुमसे कहा।

अब (विप्रस्य) विद्वानों या ब्राह्मण आदि द्विजों के (निःश्रेयसकरं कर्म निबोधत—) मोक्षदायक कर्मों को सुनो ॥ ८२ ॥

छह निःश्रेयसकर कर्म—

वेदाभ्यासस्तपोज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः।
धर्मक्रियाऽऽत्मचिन्ता च निःश्रेयसकरं परम् ॥ ८३ ॥ (४१)

(वेदाभ्यासः, तपः, ज्ञानम्, इन्द्रियाणां संयमः, धर्मक्रिया, च आत्मचिन्ता) वेदों का अभ्यास [१२। ९४-१०३], तप=व्रतसाधना [१२। १०४], ज्ञान=सत्यविद्याओं की प्राप्ति [१२। १०४], इन्द्रियसंयम [१२। ९२], धर्मक्रिया=धर्मपालन एवं यज्ञ आदि धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान और आत्मचिन्ता=परमात्मा का ज्ञान एवं ध्यान, ये छः (निःश्रेयसकरं परम्) मोक्ष प्रदान करने वाले सर्वोत्तम कर्म हैं ॥ ८३ ॥[1]

अनुशीलन : श्लोक में पाठभेद—उपलब्ध संस्करणों में इस श्लोक के तृतीय पाद में "अहिंसा गुरुसेवा च" पाठ मिलता है। यह पाठभेद किया गया है जो

---

१. प्रचलित अर्थ—इस श्लोक के तृतीय पाद में 'धर्मक्रिया आत्मचिन्ता च' के स्थान पर प्रचलित संस्करणों में **,,अहिंसा गुरुसेवा च**" पाठ मिलता है। तदनुसार प्रचलित अर्थ इस प्रकार है—(उपनिषद् के सहित) वेद का अभ्यास, (प्राजापत्य आदि) तप, (ब्रह्मविषयक) ज्ञान, इन्द्रियों का संयम, अहिंसा और गुरुजनों की सेवा; ये ब्राह्मणों के लिए श्रेष्ठ मोक्षसाधक छः कर्म हैं ॥ ८३ ॥]

मनुस्मृति के अनुरूप नहीं है। यहां "धर्मक्रियाऽऽत्मचिन्ता च" पाठ ही उपयुक्त है। इसकी पुष्टि में निम्न प्रमाण हैं —

(१) ८३ वें श्लोक में निःश्रेयस कर्मों की परिगणना है, परिगणना के बाद छह कर्मों से सम्बन्धित व्याख्यान ८५–११५ श्लोकों में है। इस व्याख्यान में 'अहिंसा' और 'गुरुसेवा' का कहीं उल्लेख नहीं है, अपितु 'आत्मज्ञान' और 'धर्मक्रिया' का है। श्लोकार्थ में तत्तत् वर्णन वाले श्लोकों की संख्या दे दी है।

(२) मनु ने सात्त्विक कर्मों को ही निःश्रेयस कर्म माना है। इस श्लोक में अन्य सभी कर्म तो वही हैं, केवल दो में पाठभेद कर दिया है। सात्त्विक कर्मों का वर्णन १२। ३१ में है। वही पाठ यहां ग्रहण करना मनुसम्मत है, क्योंकि वही कर्म मनु-मत से सर्वश्रेष्ठ हैं और वही मुक्तिदायक हो सकते हैं। अतः प्रस्तुत पाठ सही है।

आत्म-ज्ञान का वर्णन

सर्वेषामपि चैतेषां शुभानामिह कर्मणाम्।
किंचिच्छ्रेयस्करतरं कर्मोक्तं पुरुषं प्रति॥ ८४॥

(एषां सर्वेषाम्+अपि शुभानां कर्मणाम्) इन [१२। ८३] सब श्रेष्ठ कर्मों में (इह) इस लोक में (पुरुषं प्रति) मनुष्य के लिए (किंचित् श्रेयस्करतरं कर्म उक्तम्) कुछ श्रेष्ठ एक कर्म माना है॥ ८४॥

अनुशीलन : ८५ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. **प्रसंगविरोध**—८५ वें श्लोक के "सर्वेषाम् अपि चैतेषाम्" पदों से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि वह श्लोक ८३ से सम्बद्ध है। ८३ में छः कर्मों का वर्णन है और ८५ से उन सभी में श्रेष्ठ का प्रथम रूप से वर्णन है, और इस श्लोक से पूर्वापर श्लोकों की सम्बद्धता भंग हो रही है। अतः प्रक्षिप्त है।

२. **शैलीगत आधार**—८४ के वर्णन से ही यह अनावश्यक प्रतीत होता है, क्योंकि यही बातें ८५ वें श्लोक में उक्त हैं।

आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ कर्म है—

सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम्।
तद्ध्यग्र्यं सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः॥८५॥ (४२)

(एषां सर्वेषाम्+अपि) इन सब [१२। ८३] कर्मों में (आत्मज्ञानं परं स्मृतम्) 'परमात्मज्ञान' सर्वश्रेष्ठ कर्म माना है, (तत्+हि सर्वविद्यानाम् अग्र्यम्) यह सब विद्याओं में सर्वप्रमुख कर्म है (ततः अमृतं प्राप्यते) इससे मुक्ति प्राप्त होती है॥ ८५॥

अनुशीलन : इसी मान्यता को मनु ने ६। ८१, ८२, ८४ में वर्णित किया है। तुलनार्थ द्रष्टव्य हैं।

'अमृत' शब्द के अर्थज्ञान के लिए १२। १०४ श्लोक पर अनुशीलन देखिए।

प्रवृत्त-निवृत्त कर्मों का वर्णन—

षण्णामेवां तु सर्वेषां कर्मणां प्रेत्य चेह च।
श्रेयस्करतरं ज्ञेयं सर्वदा कर्म वैदिकम्॥ ८६॥

(एषां सर्वेषां षण्णां कर्मणाम्) इन सभी छः कर्मों से (वैदिकं कर्म) वैदिक कर्म को (इह च प्रेत्य) इस लोक और परलोक में (सर्वदा श्रेयस्करतरं ज्ञेयम्) सदा अधिक कल्याणकारी समझना चाहिए॥ ८६॥

वैदिके कर्मयोगे तु सर्वाण्येतान्यशेषतः।
अन्तर्भवन्ति क्रमशस्तस्मिंस्तस्मिन्क्रियाविधौ॥ ८७॥

(वैदिके कर्मयोगे) वैदिक-कर्मसमूह में (एतानि सर्वाणि) ये सभी छः कर्म (तस्मिन्-तस्मिन् क्रियाविधौ) वेद में उक्त तत्तत् कर्म की क्रिया-सम्बन्धी विधि में (अशेषतः) सम्पूर्णरूप में (क्रमशः) क्रमानुसार (अन्तर्भवन्ति) अन्तर्भूत हो जाते हैं॥ ८७॥

सुखाभ्युदयिकं चैव नैःश्रेयसिकमेव च।
प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम्॥ ८८॥

(वैदिकं कर्म द्विविधम्) वैदिक-कर्म दो प्रकार के हैं-(सुख-आभ्युदयिकं 'प्रवृत्तम्') सुख प्रदान करने वाले 'प्रवृत्तकर्म' (च) और (नैःश्रेयसिकं 'निवृत्तम्') मुक्ति प्रदान करने वाले 'निवृत्तकर्म'=निष्काम कर्म॥ ८८॥

इह वामुत्र वा काम्यं प्रवृत्तं कर्म कीर्त्यते।
निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु निवृत्तमुपदिश्यते॥ ८९॥

(इह वा अमुत्र) इस लोक या परलोक में (काम्यम्) इच्छापूर्वक किया गया काम (प्रवृत्तं कर्म कीर्त्यते) 'प्रवृत्तकर्म' कहलाता है, और (ज्ञानपूर्वं तु निष्कामम्) ज्ञानपूर्वक निष्काम भावना से युक्त होकर जो कर्म किया जाता है वह (निवृत्तम् उपदिश्यते) 'निवृत्तकर्म' कहाता है॥ ८९॥

प्रवृत्तं कर्म संसेव्य देवानामेति साम्यताम्।
निवृत्तं सेवमानस्तु भूतान्यत्येति पञ्च वै॥ ९०॥

मनुष्य (प्रवृत्तं कर्म संसेव्य) प्रवृत्त कर्म को करके (देवानां साम्यताम्+एति) देवों की समानता पाता है, और (निवृत्तं सेवमानः) निवृत्त कर्म करके (वै) निश्चित रूप से (पञ्चभूतानि+अत्येति) पञ्चभूतों का अतिक्रमण कर जाता है अर्थात् जन्म-मरण के बन्धन से छूटकर मुक्ति प्राप्त कर लेता है॥ ९०॥

अनुशीलन : ८६ से ९० श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं—

१. **प्रसंगविरोध**—पूर्वापर प्रसंग आत्मज्ञान से सम्बन्धित है। बीच में उस प्रसंग को भंग करके वैदिक-कर्म का प्रसंग उठाना असंगत है। इस असंगति के आधार पर ये ८६ से ९० तक सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं।

२. **विषयविरोध**—८२ वें श्लोक में **नैश्श्रेयसकर** कर्मों का विषय प्रारम्भ किया था फिर उस प्रसंग में प्रवृत्त-निवृत्त कर्मों का विवेचन विषयविरुद्ध है। ६८ वें श्लोक में पूर्वापर प्रसंग को तोड़कर अलग से प्रवृत्त-निवृत्त कर्मों का विषय प्रारब्ध है।

३. **अवान्तरविरोध**—८६ में श्लोक में कहा है कि इन पूर्वोक्त छः कर्मों से वैदिक कर्म ही श्रेष्ठ हैं और फिर अगले ही ८७ वें श्लोक में कह दिया कि ये सभी छह कर्म वैदिककर्मयोग के अन्तर्गत हैं। ये ही सभी वैदिक हैं तो पूर्व श्लोक में वैदिक-कर्म को उत्कृष्ट और पृथक् से वैदिक कहने की क्या **आवश्यकता** थी? इस प्रकार दोनों ही श्लोकों में विरोध आता है।

४. **अन्तर्विरोध**—८३ वें श्लोक में मनु द्वारा उक्त सभी कर्म वैदिक या वेदोक्त ही हैं। इन श्लोकों में वैदिक-कर्म को पृथक् से श्रेष्ठ कहना या उसका इस रूप में पुनः उल्लेख करना, इन श्लोकों की खण्डनात्मक भावना का द्योतक है। स्पष्ट है कि यह किसी का भिन्न मत है, अतः मनुविरुद्ध होने से प्रक्षिप्त है। यहाँ इस वर्णन की आवश्यकता भी सिद्ध नहीं होती।

सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि।
समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति॥ ९१॥ (४३)

(सर्वभूतेषु आत्मानम्) सब चराचर पदार्थों एवं प्राणियों में परमात्मा की व्यापकता को (च) और (आत्मनि) परमात्मा में (सर्वभूतानि) सब पदार्थों एवं प्राणियों के आश्रय को (समं पश्यन्) समानभाव से देखता हुआ अर्थात् यथार्थ ज्ञानपूर्वक सर्वत्र परमात्मा की स्थिति का अनुभव कर सर्वदा उसी का ध्यान करता हुआ (आत्मयाजी) परमात्मा का उपासक मनुष्य (स्वाराज्यम्+अधिगच्छति) परमात्मसुख अर्थात् मोक्ष को प्राप्त कर लेता है॥ ९१॥

अनुशीलन : (२) 'स्वाराज्यम्' का अर्थ—'**स्वप्रकाशेन शक्त्या वा चराचरं जगत् राजयति प्रकाशयति सः स्वराट्=ब्रह्म**=जो अपने प्रकाश या बल से समस्त चराचर जगत् को प्रकाशित=उत्पन्न करता है, वह परमात्मा। अथवा '**स्वप्रकाशेन राजते प्रकाशते इति स्वराट्=ब्रह्म, तस्य भावः स्वाराज्यम्=ब्रह्मत्वम्**'=जो स्वप्रकाश से प्रकाशित होता है वह ब्रह्म=परमात्मा है। स्वराट् का भाव 'स्वाराज्य=ब्रह्मत्व प्राप्ति' है अर्थात् मुक्ति को प्राप्त हो जाना।

(२) **श्लोक की वेदमन्त्र से तुलना**—श्लोकोक्त मान्यता का आधार वेद है। इस पर निम्न मन्त्र से प्रकाश पड़ता है, तुलनार्थ द्रष्टव्य है—

यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद् विजानतः।
तत्र कः मोहः कः शोकऽएकत्वमनुपश्यतः॥ यजु० ४०।७॥

अर्थ—"(यस्मिन्) जिस परमात्मा, ज्ञान-विज्ञान अथवा धर्म के विषय में (विजानतः) सम्यक् ज्ञाता जन के लिए (सर्वाणि) सब (भूतानि) प्राणी (आत्मा) अपने आत्मा के समान (एव) ही (अभूत्) होते हैं; (तत्र) उस परमात्मा में विराजमान (एकत्वम्) परमात्मा के एकत्व को (अनुपश्यतः) ठीक-ठीक योगाभ्यास के द्वारा साक्षात् देखने वाले योगी जन को (कः) क्या (मोहः) मोह और (कः) क्या (शोकः) क्लेश (अभूत्) होता है॥" [यजु० भाष्य ऋ० दया०]

भाव यह है कि वह विद्वान् शोक-मोह आदि से ऊपर उठकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है।

इस भाव की तुलना के लिए १२। ११९, १२५ श्लोक एवं उन पर अनुशीलन भी द्रष्टव्य है।

(३) **आत्मयाजी की व्युत्पत्ति एवं अर्थ**—'आत्मनि यष्टुं शीलमस्य इति अर्थात् जो परमात्मा में यजनशील है, उसकी संगति एवं उसका ध्यान करता है। परमात्मा के उस उपासक को 'आत्मयाजी' कहते हैं।

(२) इन्द्रियसंयम का वर्णन

आत्मज्ञान, इन्द्रियसंयम का कथन और इनसे जन्मसाफल्य—

यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः।
आत्मज्ञाने शमे च स्याद्वेदाभ्यासे च यत्नवान्॥९२। (४४)

(द्विजोत्तमः) श्रेष्ठ द्विज (यथोक्तानि+अपि कर्माणि परिहाय) उसके लिए विहित यज्ञ आदि कर्मों को [संन्यासी अवस्था में] छोड़कर [३। ३४, ४३] भी (आत्मज्ञाने शमे च वेदाभ्यासे यत्नवान् स्यात्) परमात्मज्ञान, इन्द्रिसंयम [२। ९८-७५] और वेदाभ्यास=वेद के चिन्तन-मनन में प्रयत्नशील अवश्य रहे अर्थात् इनको किसी भी अवस्था में न छोड़े॥ ९२॥

एतद्धि जन्मसाफल्यं ब्राह्मणस्य विशेषतः।
प्राप्यैतत्कृतकृत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा॥ ९३॥ (४५)

(एतत् हि) ये [१२। ९२] तीनों कर्म द्विजों के, (विशेषतः ब्राह्मणस्य जन्मसाफल्यम्) विशेष रूप से ब्राह्मण के जन्म को सफल बनाने वाले हैं। (द्विजः) द्विज व्यक्ति (एतत् प्राप्य हि कृतकृत्यः भवति) इनका पालन

करके ही कर्त्तव्यों की पूर्णता प्राप्त करता है, (अन्यथा न) इनके बिना नहीं ॥ ९३ ॥

अनुशीलन : ब्राह्मण को विशेष रूप से इसलिए कहा गया है क्योंकि ब्राह्मण के जीवन का प्रमुख उद्देश्य ही परमात्मा-प्राप्ति होता है।

(३) वेदाभ्यास का वर्णन

वेद सबका चक्षु है—

पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम्।
अशक्यं चाप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः ॥ ९४ ॥ (४६)

(पितृ-देव-मनुष्याणाम्) पितृ-संज्ञक रक्षक और पालक पिता आदि, विद्वान् और अन्य मनुष्यों का (वेदः सनातनं चक्षुः) वेद सनातन नेत्र= मार्गप्रदर्शक है, (च) और वह (अशक्यम्) अशक्य अर्थात् जिसे कोई पुरुष नहीं बना सकता, इस लिए अपौरुषेय है, (च) तथा (अप्रमेयम्) अनन्त सत्यविद्याओं से युक्त है, (इति स्थितिः) ऐसी निश्चित मान्यता है ॥९४॥

अनुशीलन : १। ३, २३ में भी वेद को अपौरुषेय, अप्रमेय कहा गया है।

वेदविरुद्ध-शास्त्र अप्रामाणिक—

या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः।
सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥९५॥ (४७)

(याः स्मृतयः वेदबाह्याः) जो ग्रन्थ वेदबाह्य, (याः च काः च कुदृष्टयः) कुत्सित पुरुषों के बनाये, संसार को दुःखसागर में डुबोने वाले हैं, (ताः सर्वाः निष्फलाः) वे सब निष्फल (प्रेत्य तमोनिष्ठाः हि स्मृताः) असत्य, अन्धकाररूप इस लोक और परलोक में दुःखदायक हैं ॥ ९५ ॥

(स० प्र० एकादश समु०)

उत्पद्यन्ते व्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्।
तान्यर्वाक्कालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥ ९६ ॥ (४८)

(यानि+अतः अन्यानि कानिचित् उत्पद्यन्ते) जो इन वेदों से विरुद्ध ग्रन्थ उत्पन्न होते हैं (तानि+अर्वाक् कालिकतया व्यवन्ते) वे आधुनिक होने से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, (निष्फलानि च अनृतानि) उनका मानना निष्फल और झूठा है ॥ ९६ ॥ (स० प्र० एकादश समु०)

अनुशीलन : अर्वाक् काल से अभिप्राय—यहां वेदविरुद्ध ग्रन्थों के आधुनिक होने से अभिप्राय यह है कि वेदों की मान्यताएँ प्राचीनतम एवं सनातन हैं,

किन्तु वेदविरुद्ध ग्रन्थों की मान्यताएँ परवर्ती हैं, और वे सत्य न होने से, बनती हैं, फिर नष्ट हो जाती हैं। वेदों की मान्यताओं की तरह सनातन नहीं। ईश्वरीय ज्ञान होने से वेदों की मान्यताएँ सनातन हैं।

वेद से वर्ण, आश्रम, लोक, काल आदि का ज्ञान—

चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक्।
भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात्प्रसिध्यति॥ ९७॥ (४९)

(चातुर्वर्ण्यम्) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण और इनकी व्यवस्था, (त्रयः लोकाः) पृथ्वी, आकाश एवं द्युलोक अर्थात् समस्त भूमण्डल के लोक, ग्रह आदि, (चत्वारः आश्रमाः पृथक्) ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास, इन चारों के पृथक्-पृथक् विधान, (च भूतं भव्यं भविष्यम्) और भूत, भविष्यत्, वर्तमान सभी कालों की विद्या, (सर्वं वेदात् प्रसिद्धयति) ये सब वेदों से ही प्रसिद्ध, प्रकट और ज्ञात होती हैं अर्थात् इन सब व्यवस्थाओं और विद्याओं का ज्ञान वेदों के द्वारा ही होता है॥ ९७॥

"चार वर्ण, चार आश्रम, भूत, भविष्यत् और वर्तमान आदि की सब विद्या वेदों से ही प्रसिद्ध होती हैं।" (ऋ० भा० भू० वेदविषय)

अनुशीलन : मनु ने यही मान्यता १।२१ में वर्णित की है। तुलनार्थ प्रस्तुत है—**"सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक्। वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे॥**

पञ्चभूत आदि सूक्ष्म शक्तियों का ज्ञान वेदों से—

शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमः।
वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसूतिगुणकर्मतः॥ ९८॥ (५०)

(शब्दः स्पर्शः रूपं रसः पञ्चमः गन्धः) शब्द, स्पर्श, रूप, रस और पञ्चम गन्ध, ये (प्रसूति-गुण-कर्मतः) उत्पत्ति, गुण और कार्य के ज्ञानरूप से (वेदात्+एव प्रसूयन्ते) वेदों से ही प्रसिद्ध=विज्ञात होते हैं अर्थात् इन तत्त्वशक्तियों का उत्पत्तिज्ञान, इनके गुणों का ज्ञान, इनकी उपयोगिता का ज्ञान और उत्पन्न समस्त जड़-चेतन संसार का ज्ञान-विज्ञान, वेदों से प्राप्त होता है॥ ९८॥

वेद सुखों का साधन है—

बिभर्ति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम्।
तस्मादेतत्परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम्॥ ९९॥ (५१)

(सनातनं वेदशास्त्रम्) यह जो सनातन वेदशास्त्र है सो (सर्वभूतानि बिभर्ति) सब विद्याओं के दान से सम्पूर्ण प्राणियों का धारण और सब सुखों को प्राप्त कराता है, (तस्मात् एतत् परं मन्ये) इस कारण से [मनु आदि] हम लोग उसको सर्वथा उत्तम मानते हैं, और इसी प्रकार मानना भी चाहिए, (यत्) क्योंकि (जन्तोः अस्य साधनम्) सब जीवों के सब सुखों का साधन यही है ॥ ९९ ॥ (ऋ० भा० भू० वेदविषय-विचार)

वेदवेत्ता ही सफल राजा, सेनापति व न्यायाधीश हो सकता है—

सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च ।
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति ॥ १०० ॥ (५२)

(सेनापत्यम्) सब सेना (च) और (राज्यम्) सेनापतियों के ऊपर राज्याधिकार, (दण्डनेतृत्वम्+एव) दंड देने की व्यवस्था के सब कार्यों का आधिपत्य, (च) और (सर्वलोक-आधिपत्यम्) सब के ऊपर वर्तमान सर्वोपरि राज्याधिकार, इन चारों अधिकारों में (वेदशास्त्रवित्+अर्हति) सम्पूर्ण वेदशास्त्रों में प्रवीण, पूर्ण विद्या वाले, धर्मात्मा, जितेन्द्रिय, सुशील जनों को स्थापित करना चाहिए अर्थात् मुख्य सेनापति, मुख्य राज्याधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, और प्रधान राजा, ये चार सब विद्याओं में पूर्ण विद्वान् होने चाहिएँ ॥ १०० ॥ (स० प्र० षष्ठ समु०)

"जो वेदशास्त्रविद्, धर्मात्मा, जितेन्द्रिय, न्यायकारी और आत्मा के बल से युक्त पुरुष होवे उसी को सेना, राज्य, दण्डनीति और प्रधान पद का अधिकार देना, अन्य क्षुद्राशयों को नहीं।"

(सं० वि० गृहाश्रम प्र०)

अनुशीलन : यहां 'वेदशास्त्रवित् अर्हति' का अर्थ 'वेदशास्त्र का ज्ञाता ही उसके योग्य हो सकता है' यह है। ऋषि दयानन्द ने इसे प्रेरणार्थक रूप में निरूपित किया है। राज्य-संचालन वाली मान्यता की तुलना के लिए ७। २ द्रष्टव्य है तथा 'दण्डनेतृत्व' की तुलनार्थ—७। ३१। वहाँ वेद शास्त्रवेत्ता को ही इसके योग्य माना है।

वेदज्ञानाग्नि से कर्म दोषों का नाश—

यथा जातबलो वह्निर्दहत्यार्द्रानपि द्रुमान् ।
तथा दहति वेदज्ञः कर्मजं दोषमात्मनः ॥ १०१ ॥ (५३)

(यथा) जैसे (जातबलः वह्निः) धधकती हुई आग (आर्द्रान् द्रुमान्

अपि दहति) गीले वृक्षों को भी जला देती है (तथा) उसी प्रकार (वेदज्ञः) वेदों का ज्ञाता विद्वान् (आत्मनः कर्मजं दोषं दहति) अपने कर्मों से उत्पन्न होने वाले संस्कार-दोषों को जला देता है अर्थात् वेदज्ञान रूपी अग्नि से दुष्ट संस्कारों को मिटाकर आत्मा को पवित्र रखता है ॥ १०१ ॥

अनुशीलन : तुलनार्थ द्रष्टव्य हैं ११ । २४५, २४६, २६३ । वहाँ भी यही मान्यता है । अनुशीलन द्रष्टव्य—११।२२७ ॥

वेदज्ञान से परमगति की ओर प्रगति—

वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन् ।
इहैव लोके तिष्ठन्स ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ १०२ ॥ (५४)

(वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः) वेदशास्त्र के अर्थतत्त्व का ज्ञाता विद्वान् (यत्र-तत्र+आश्रमे वसन्) किसी भी आश्रम में रहता हुआ, (इह+एव लोके तिष्ठन्) इसी वर्तमान जन्म मे ही (ब्रह्मभूयाय कल्पते) ब्रह्मप्राप्ति के लिए अधिकाधिक समर्थ हो जाता है ॥ १०२ ॥

अनुशीलन : इसी मान्यता की पुष्टि के लिए तुलनार्थ द्रष्टव्य है ४ । १४९ श्लोक ।

अज्ञेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठा ग्रन्थिभ्यो धारिणो वराः ।
धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः ॥ १०३ ॥

(अज्ञेभ्यः ग्रन्थिनः श्रेष्ठाः) अनपढ़ों से ग्रन्थों को पढ़ने वाले श्रेष्ठ हैं, (ग्रंथिभ्यः धारिणः वराः) पढ़ने वालों से ग्रंथों को स्मरण करने वाले श्रेष्ठ हैं, (धारिभ्यः ज्ञानिनः श्रेष्ठाः) स्मरण करने वालों से अर्थों को जानने वाले श्रेष्ठ हैं, और (ज्ञानिभ्यः व्यवसायिनः) ज्ञानियों से पढ़े हुए को आचरण में लाने वाले श्रेष्ठ हैं ॥ १०३ ॥

अनुशीलन : १०३ वाँ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. **प्रसंगविरोध**—यह श्लोक यहाँ अप्रासंगिक एवं अनावश्यक प्रतीत हो रहा है । यहाँ पूर्वप्रसंग निःश्रेयस कर्मों के वर्णन में वेद-ज्ञान के महत्त्ववर्णन का है । इस श्लोक में सर्वसाधारण ग्रन्थों के अध्ययन या उत्तरोत्तर श्रेष्ठता का वर्णन है, जिसकी पूर्वप्रसंग से कोई संगति नहीं है । कोई यह माने कि ये बातें वेद से सम्बन्धित हैं, तो यह विचार भी उपयुक्त नहीं जंचता, क्योंकि न तो इसमें वेद का उल्लेख है, और न यहाँ इस चर्चा की आवश्यकता, और मनु ने वेदों का साधारण ग्रंथों के रूप में कहीं भी उल्लेख नहीं किया है ।

(४-५) तप और विद्या का वर्णन

तप से पापभावना का नाश और विद्या से अमृतप्राप्ति—

तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम्।
तपसा किल्बिषं हन्ति विद्ययाऽमृतमश्नुते॥ १०४॥ (५५)

(विप्रस्य) विप्र के लिए (तपः च विद्या) तप=श्रेष्ठव्रतों का धारण और साधना, और विद्या=सत्यविद्याओं का ज्ञान, ये दोनों (परं निश्श्रेयसकरम्) उत्तम मोक्षसाधक हैं. वह विप्र (तपसा किल्बिषं हन्ति) तप से पापभावना को नष्ट करता है, और (विद्यया+अमृतम्+अश्नुते) वेदादि सत्यविद्या के यथार्थ ज्ञान से अमरता=मोक्ष को प्राप्त करता है॥ १०४॥

अनुशीलन: (१) पापभावना का विनाश—श्रेष्ठव्रतों के धारण से और प्राणायाम आदि तपों के पालन से आत्मा की पापभावना या अशुद्धि का क्षय होता है। इसकी पुष्टि में अन्यत्र वर्णित मान्यताएँ निम्न श्लोकों में द्रष्टव्य हैं। ६। ७०-७२॥ ११। २२७।

(२) अमृत का अर्थ—'मृङ् प्राणत्यागे' तुदादि धातु से 'क्तः' प्रत्यय के योग से और नञ् समास में 'अमृतम्' शब्द सिद्ध होता है, जिसका जन्म-मृत्यु से रहित अर्थात् मोक्षसुख अर्थ होता है। मनुष्य वेद आदि सत्यविद्या के यथार्थ ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मोक्षसुख को इसलिए अमृत कहा जाता है कि जब तक मुक्ति-सुख का समय रहता है, तब तक यह सुख नष्ट नहीं होता, बीच में दुःख आकर इसे नष्ट नहीं करता। यजु० ४०। १४ में यह वाक्य यथावत् आता है—"**विद्ययाऽमृतमश्नुते।**"

(६) धर्म का वर्णन

धर्मज्ञान के लिए त्रिविध प्रमाणों का ज्ञान—

प्रत्यक्षं चानुमानं च शास्त्रं च विविधागमम्।
त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मशुद्धिमभीप्सता॥ १०५॥ (५६)

(धर्मशुद्धिम्+अभीप्सता) धर्म के वास्तविक तत्त्व को जानने के अभिलाषी मनुष्य को (प्रत्यक्षम् अनुमानं च विविधागमं शास्त्रम्) प्रत्यक्ष-प्रमाण, अनुमान-प्रमाण और वेद एवं विविध वेदमूलक शास्त्र-प्रमाण, (त्रयं सुविदितं कार्यम्) इन तीनों का अच्छी प्रकार ज्ञान प्राप्त करना चाहिए॥ १०५॥

अनुशीलन: तीन प्रमाण और उनके लक्षण—प्रत्यक्ष, अनुमान

और शास्त्र या शब्द-प्रमाणों को समझने के लिए यहाँ उन पर विस्तार से प्रकाश डाला जा रहा है। स० प्र० प्रथम समुल्लास में ऋषि दयानन्द ने न्यायदर्शन के सूत्रों को उद्धृत करके इनकी विस्तृत और गम्भीर व्याख्या की है। यहाँ वही उद्धृत की जाती है—

(१) प्रत्यक्ष प्रमाण—

"इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् ॥"

न्याय० ॥ अध्याय १ । आह्निक १ । सूत्र ४ ॥

"जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के साथ अव्यवहित अर्थात् आवरणरहित सम्बन्ध होता है, इन्द्रियों के साथ मन का और मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, परन्तु जो व्यपदेश्य अर्थात् संज्ञासंज्ञी के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है वह-वह ज्ञान न हो। जैसे किसी ने किसी से कहा कि 'तू जल ले आ' वह लाके उसके पास धरके बोला कि 'यह जल है' परन्तु वहाँ 'जल' इन दो अक्षरों की संज्ञा लाने वा मंगवाने वाला नहीं देख सकता है। किन्तु जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है, और जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है, वह शब्द-प्रमाण का विषय है। 'अव्यभिचारि' जैसे किसी ने रात्रि में खम्भे को देखके पुरुष का निश्चय कर लिया, जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुषज्ञान नष्ट होकर स्तम्भज्ञान रहा, ऐसे विनाशी ज्ञान का नाम व्यभिचारी है। 'व्यवसायात्मक' किसी ने दूर से नदी की बालू को देख के कहा कि 'वहाँ वस्त्र सूख रहे हैं, जल है वा और कुछ है' 'वह देवदत्त खड़ा है वा यज्ञदत्त' जब तक एक निश्चय न हो तब तक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है किन्तु जो अव्यपदेश्य, अव्यभिचारि और निश्चयात्मक ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं।"

(२) अनुमान प्रमाण—

"अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतो दृष्टञ्च ॥"

न्याय० ॥ अ० १ । आ० १ । सू० ५ ॥

"जो प्रत्यक्षपूर्वक अर्थात् जिसका कोई एक देश वा सम्पूर्ण द्रव्य किसी स्थान वा काल में प्रत्यक्ष हुआ हो उसका दूर देश से सहचारी एक देशके प्रत्यक्ष होने से अदृष्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं। जैसे पुत्र को देखके पिता, पर्वतादि में धूम को देखके अग्नि, जगत् में सुख-दुःख देखके पूर्वजन्म का ज्ञान होता है। वह अनुमान तीन प्रकार का है। एक 'पूर्ववत्' जैसे बादलों को देख के वर्षा, विवाह को देख के सन्तानोत्पत्ति, पढ़ते हुए विद्यार्थियों को देखके विद्या होने का निश्चय होता है, इत्यादि जहां-जहां कारण को देखके कार्य का ज्ञान हो वह 'पूर्ववत्'। दूसरा 'शेषवत्' अर्थात् जहां कार्य को देखके कारण का ज्ञान हो। जैसे नदी के प्रवाह की बढ़ती देखके ऊपर हुई वर्षा का, पुत्र को देखके पिता का, सृष्टि को देखके अनादि कारण

का तथा कर्त्ता ईश्वर का और पाप-पुण्य के आचरण देखके सुख-दुःख का ज्ञान होता है, इसी को 'शेषवत्' कहते हैं। तीसरा 'सामान्यतोदृष्ट', जो कोई किसी का कार्य कारण न हो परन्तु किसी प्रकार का साधर्म्य एक-दूसरे के साथ हो जैसे कोई भी बिना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता वैसे ही दूसरों का भी स्थानान्तर में जाना बिना गमन के कभी नहीं हो सकता। अनुमान शब्द का अर्थ यही है कि अनु अर्थात् **'प्रत्यक्षस्य पश्चान्मीयते ज्ञायते येन तदनुमानम्'** जो प्रत्यक्ष के पश्चात् उत्पन्न हो जैसे धूम के प्रत्यक्ष देखे बिना अदृष्ट अग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता।"

(३) **शास्त्र अर्थात् शब्द-प्रमाण—**

"आप्तोपदेशः शब्दः।" (न्याय १।१।७)

"जो आप्त अर्थात् पूर्ण विद्वान्, धर्मात्मा, परोकार-प्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, जितेन्द्रिय पुरुष जैसा अपने आत्मा में जानता हो और जिससे सुख पाया हो उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो अर्थात् जितने पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है। जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं, उन्हीं को शब्द-प्रमाण जानो।"

शब्द-प्रमाण अर्थात् वेद और वेदमूलक शास्त्रों का वर्णन मनु ने धर्ममूलों में भी किया है। इस विषयक विवेचन १।१२५ [२।६] की समीक्षा में 'वेद' और 'स्मृति' शीर्षकों के अन्तर्गत देखिये।

इन प्रमाणों और वेदादि शास्त्रों से धर्म के वास्तविक रूप का निश्चय होता है, अन्यथा नहीं। अगले श्लोक में इसी मान्यता का कथन है।

वेदानुकूल तर्क से धर्मज्ञान—

आर्षं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राऽविरोधिना।
यस्तर्केणानुसंधत्ते सः धर्मं वेद नेतरः॥१०६॥ (५७)

(यः) जो मनुष्य (आर्षं च धर्मोपदेशम्) वेद और ऋषिविहित धर्मोपदेश [१।१२५ (२।६)] अर्थात् धर्मशास्त्र का (वेदशास्त्र-अविरोधिना तर्केण अनुसंधत्ते) वेदशास्त्र के अनुकूल तर्क के द्वारा अनुसंधान करता है (सः धर्मं वेद न+इतरः) वही धर्म के तत्त्व को समझ पाता है, अन्य नहीं॥ १०६॥

अनुशीलन : तर्क से अभिप्राय—यहाँ तर्क से अभिप्राय है प्रमाणों और वेदों के अनुकूल सत्यनिश्चय करना। इनसे विरुद्ध बातें तर्क नहीं हैं। विरुद्ध बातें कुतर्क हैं। मनु के मतानुसार तर्क के आधार पर वेद निर्भ्रान्त हैं, अतः वेदोक्त-धर्म भी खरे हैं। फलस्वरूप उन पर तर्क की आवश्यकता नहीं रहती। जो कोई तर्क का नाम लेकर वेदों का खण्डन करता है वह तर्क नहीं, अपितु कुतर्क करता है, और ऐसा व्यक्ति नास्तिक है। [द्रष्टव्य १।१३० (२।११) की समीक्षा भी]।

नैःश्रेयसमिदं कर्म यथोदितमशेषतः।
मानवस्यास्य शास्त्रस्य रहस्यमुपदिश्यते ॥ १०७ ॥

(इदम्) यह (अशेषतः) पूर्णरूप से (नैःश्रेयसं कर्म यथा + उदितम्) निःश्रेयस कर्म यथावत् कहे। अब (अस्य मानवस्य शास्त्रस्य) इस मनुरचित शास्त्र का (रहस्यम् + उपदिश्यते) रहस्य बताया जाता है ॥ १०७ ॥

अनुशीलन : १०७ वाँ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. **प्रसंगविरोध**—(१) प्रचलित प्रसंग का संकेत देने वाला श्लोक ८३ वाँ है। यहां उसमें वर्णित नैःश्रेयस कर्मों का वर्णन किया जा रहा है। उसी प्रसंग में १०५ वें श्लोक से 'धर्मक्रिया' का वर्णन प्रारम्भ हुआ है और यह ११५ तक चलता है। बीच में उस पूर्वापर वर्णन से भिन्न वर्णन होने के कारण यह श्लोक अनावश्यक एवं अप्रासंगिक है।

(२) मनु ने नैःश्रेयस कर्मों का प्रसंग प्रारम्भ करने का संकेत ८२ वें श्लोक में दिया था और उसकी समाप्ति का संकेत ११६ वें श्लोक में है। इस श्लोक में अपूर्ण प्रसंग के बीच में ही नैःश्रेयस कर्मों के प्रसंग की समाप्ति का संकेत देना भी इसे असंगत सिद्ध करता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे बलात् प्रसंग को परिवर्तित करना चाहा है। क्योंकि, अगले विषय का इस श्लोक में जो संकेत है वह भी गलत है। अगले श्लोकों में धर्मनिर्णय की विधि के उपाय वर्णित हैं, जब कि इस श्लोक में 'मानवमात्र के रहस्य' को कहने का संकेत है। इस आधार पर भी यह प्रक्षिप्त सिद्ध होता है।

(३) वर्णनक्रम की नैरन्तर्य-शैली भी इस बात की द्योतक है कि यहाँ कोई प्रसंग नहीं बदला गया है। अतः इस श्लोक की यहाँ आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। इस प्रकार भी यह प्रसंग में बाधक है।

१. **शैलीगत आधार**—(१) "**मानवस्य शास्त्रस्य**" (मनुरचित शास्त्र) पद से स्पष्ट है कि यह मनुप्रोक्त श्लोक नहीं है। (२) मूलरूप में मनुस्मृति शास्त्र न होकर प्रवचन थे, यह इसकी शैली से सिद्ध होता है। प्रत्येक प्रसंगके प्रारम्भ में 'श्रूयताम्' 'निबोधत' आदि क्रियाओं का प्रयोग इसको मूलरूप में 'प्रवचन' ही प्रमाणित करता है और १। १-४ श्लोकों में ऋषियों का मनु के पास आकर अपनी जिज्ञासा रखना और मनु द्वारा 'श्रूयताम्' कहकर उनकी जिज्ञासा का उत्तर देना [१। २–४] भी उक्त युक्ति में विशिष्ट प्रमाण है।

अविहित धर्मों का विधान शिष्टविद्वान् करें—

अनाम्नातेषु धर्मेषु कथं स्यादिति चेद्भवेत्।
यं शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुः स धर्मः स्यादशङ्कितः ॥ १०८ ॥ (५८)

(अनाम्नातेषु धर्मेषु कथं स्यात् ? इति चेत् भवेत्) जो धर्मयुक्त

व्यवहार, मनुस्मृति आदि में प्रत्यक्ष न कहे हों, यदि उनमें शंका होवे तो तुम (यं शिष्टाः ब्राह्मणाः ब्रूयुः) जिसको शिष्ट, [१०६] आप्त विद्वान् कहें (सः अशंकितः धर्मः स्यात्) उसी को शंकारहित कर्त्तव्य-धर्म मानो ॥ १०८ ॥ (सं० वि० गृहाश्रम प्र०)

शिष्ट विद्वानों की परिभाषा—

धर्मेणाधिगतो यैस्तु वेदः सपरिबृंहणः ।
ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः ॥ १०६ ॥ (५६)

शिष्ट सब मनुष्यमात्र नहीं होते किन्तु (यैः तु धर्मेण सपरिबृंहणः वेदः अधिगतः) जिन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य और धर्म से साङ्गोपाङ्ग वेद पढ़े हों, और जो (श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः) श्रुतिप्रमाण और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों ही से विधि का निषेध करने में समर्थ, धार्मिक, परोपकारी हों (ते शिष्टाः ब्राह्मणाः ज्ञेयाः) वे ही शिष्ट पुरुष होते हैं ॥ १०६ ॥

(सं०वि० गृहा० प्र०)

तीन या दश विद्वानों की धर्मनिर्णायक परिषद्—

दशावरा वा परिषद्यं धर्मं परिकल्पयेत् ।
त्र्यवरा वापि वृत्तस्था तं धर्मं न विचालयेत् ॥ ११० ॥ (६०)

(दशावरा वृत्तस्था वा त्रि+अवरा परिषद्) न्यून से न्यून दश विद्वानों अथवा बहुत न्यून हों तो तीन विद्वानों की सभा (यं धर्मं परिकल्पयेत्) जैसी व्यवस्था करे, (तं धर्मं न विचालयेत्) उस धर्म अर्थात् व्यवस्था का उल्लंघन कोई भी न करे ॥ ११० ॥ (स० प्र० षष्ठ समु०)

"गृहस्थ लोग छोटों, बड़ों वा राजकार्यों के सिद्ध करने में कम से कम दश अर्थात् ऋग्वेदज्ञ, यजुर्वेदज्ञ, सामवेदज्ञ, हैतुक (नैयायिक), तर्ककर्त्ता, नैरुक्त=निरुक्तशास्त्रज्ञ, धर्माध्यापक, ब्रह्मचारी, स्नातक और वानप्रस्थ विद्वानों अथवा अतिन्यूनता करे तो तीन वेदवित् (ऋग्वेदज्ञ, यजुर्वेदज्ञ और सामवेदज्ञ) विद्वानों की सभा से कर्त्तव्याकर्त्तव्य, धर्म और अधर्म का जैसा निश्चय हो, वैसा ही आचरण किया करें।"

(सं० वि० गृहाश्रम प्र०)

"वैसे शिष्ट न्यून से न्यून दश पुरुषों की सभा होवे अथवा बड़े विद्वान् तीनों की ही सभा हो सकती है। जो सभा से धर्म-कर्म निश्चित हों, उनका भी आचरण सब लोग करें।" (सं० वि० गृहाश्रम प्र०)

धर्मपरिषद् के दश सदस्य —

त्रैविद्यो हैतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्मपाठकः ।
त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वे परिषत्स्याद्दशावरा ॥ १११ ॥ (६१)

(दशावरा स्यात्) उन दशों में इस प्रकार के विद्वान् होवें— (त्रैविद्यः) तीन वेदों के विद्वान् (हैतुकः) चौथा हैतुक अर्थात् कारण-अकारण का ज्ञाता, (तर्की) पांचवां—तर्की=न्यायशास्त्रवित्, (नैरुक्तः) छठा—निरुक्त का जानने हारा, (धर्मपाठकः) सातवां—धर्मशास्त्र-वित् (त्रयः च पूर्वे आश्रमिणः) आठवां—ब्रह्मचारी, नववां-गृहस्थ, और दशवां—वानप्रस्थ, इन महात्माओं की (परिषत् स्यात्) सभा होवे ॥ १११ ॥
(सं० वि० गृहाश्रम प्र०)

अनुशीलन : त्रयी विद्या—ऋक्, यजुः साम और अथर्व—ये चारों वेद त्रयीविद्या रूप कहलाते हैं। इस विषयक विस्तृत विवेचन ११। २६५ के अनुशीलन में द्रष्टव्य है।

"इस सभा में चारों वेद, न्यायशास्त्र निरुक्त, धर्मशास्त्र आदि के वेत्ता विद्वान् सभासद् हों परन्तु वे ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ हों, तब वह सभा कि जिसमें दश विद्वानों से न्यून न होने चाहिएँ।" (स० प्र० षष्ठ समु०)

धर्मपरिषद् के तीन सदस्य—

ऋग्वेदविद्यजुर्विच्च सामवेदविदेव च ।
त्रयवरा परिषज्ज्ञेया धर्मसंशयनिर्णये ॥ ११२ ॥(६२)

(च) तथा (ऋग्वेदवित् यजुर्वेदवित् च सामवेदवित्+एव) ऋग्वेद-वित्, यजुर्वेदवित् और सामवेदवित् (त्रि+अवरा धर्मसंशयनिर्णये परिषत् ज्ञेया) इन तीनों विद्वानों की भी सभा धर्मसंशय अर्थात् सब व्यवहारों के निर्णय के लिए होनी चाहिए ॥ ११२ ॥ (सं० वि० गृहाश्रम प्र०)

"और जिस सभा में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जानने वाले तीन सभासद हो के व्यवस्था करें उस सभा की कीहुई व्यवस्था का भी कोई उल्लंघन न करे॥" (स० प्र० षष्ठ समु०)

वेद का एक विद्वान् भी असंख्य मूर्खों से धर्मनिर्णय में प्रमाण है—

एकोऽपि वेदविद्धर्मं यं व्यवस्येद् द्विजोत्तमः ।
स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामयुतायुतैः ॥ ११३ ॥ (६३)

(एकः अपि वेदवित्) यदि एक अकेला सब वेदों का जानने हारा

द्विजों में उत्तम संन्यासी (यं धर्मं व्यवस्येत्) जिस धर्म की व्यवस्था करे (सः परः धर्मः विज्ञेयः) वही श्रेष्ठ धर्म है, (अज्ञानाम् अयुतैः उदितः न) अज्ञानियों के सहस्रों, लाखों, करोड़ों मिलके जो कुछ व्यवस्था करें, उनको कभी न मानना चाहिए ॥ ११३ ॥ (स० प्र० षष्ठ समु०)

"द्विजों में उत्तम अर्थात् चतुर्थाश्रमी संन्यासी, अकेला भी जिस धर्मव्यवहार के करने का निश्चय करे, वही कर्त्तव्य परम धर्म समझना किन्तु अज्ञानियों के सहस्रों, लाखों और करोड़ों पुरुषों का कहा हुआ धर्म-व्यवहार कभी न मानना चाहिए।" (स० वि० गृहाश्रम प्र०)

धर्मपरिषद् का सदस्य कौन नहीं हो सकता—

अव्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम् ।
सहस्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥ ११४ ॥ (६४)

(अव्रतानाम्) जो ब्रह्मचर्य, सत्यभाषण आदि व्रत (अमन्त्राणाम्) वेदविद्या वा विचार से रहित, (जातिमात्र-उपजीविनाम्) जन्ममात्र से शूद्रवत् वर्तमान है, (सहस्रशः समेतानाम्) उन सहस्रों मनुष्यों के मिलने से भी (परिषत्त्वं न विद्यते) सभा नहीं कहाती ॥ ११४ ॥

(स० प्र० षष्ठ समु०)

अनुशीलन : जाति का अर्थ जन्म—मनुस्मृति में जाति शब्द 'जन्म' अर्थ में प्रयुक्त है, अतः यहाँ जाति का अर्थ जन्म ही है। यहाँ ऐसे व्यक्तियों का धर्म-परिषद् में निषेध किया है जो जन्म के आधार पर अपने को श्रेष्ठ समझते हों, उत्तम वर्ण होने का अभिमान करते हों किन्तु गम्भीरता और विधिपूर्वक जिन्होंने विद्याग्रहण न की हो। इसकी पुष्टि के लिए १। १२३ [२। १४८] का अनुशीलन द्रष्टव्य है।

मूर्खों द्वारा निर्णीत धर्म से पापवृद्धि का भय—

यं वदन्ति तमोभूता मूर्खा धर्ममतद्विदः ।
तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वक्तॄननुगच्छति ॥ ११५ ॥ (६५)

(तमोभूताः मूर्खाः) तमोगुण अर्थात् अविद्या से युक्त, मूर्ख (अतद्विदः) वेदोक्त धर्मज्ञान से शून्य जन (यं धर्मं वदन्ति) जिस धर्म का उपदेश करते हैं, (तत् पापम्) वह धर्मरूप में अधर्मरूप पाप (शतधा भूत्वा) सौ गुणा होकर अथवा सैकड़ों रूपों में फैलकर (तत्+वक्तॄन्+अनुगच्छति) उन वक्ताओं को लगता है अर्थात् उससे सैकड़ों पाप फैलते हैं और उनको बुराई वक्ताओं को मिलती है ॥ ११५ ॥

"जो अविद्यायुक्त, मूर्ख, वेदों के न जानने वाले मनुष्य जिस धर्म को कहें, उसको कभी न मानना चाहिए, क्योंकि सैकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं ॥ (स० प्र० षष्ठ समु०

अनुशीलन : मूर्खों द्वारा विहित धर्म से हानि— वेदादि शास्त्र और प्रमाणादि में अपारंगत मूर्ख व्यक्तियों द्वारा कथित धर्म वस्तुतः धर्म नहीं होता। क्योंकि वे धर्म के स्वरूप के ज्ञाता नहीं होते। अधर्म को धर्म के रूप में विहित करने से सैकड़ों प्रकार की अविद्याएँ, भ्रान्तियाँ, पनपती हैं, फिर उनसे पाप की वृद्धि होती है। इस प्रकार समाज रसातल को चला जाता है। उस समाज की स्थिति संस्कृतप्रसिद्ध उक्ति वाली होती है—'अन्धेनैव नीयमानाः यथान्धाः' अन्धे के सहारे उसके पीछे चलने वाले जैसे उसके साथ ही गर्त्त में गिरते हैं, वैसे मूर्खों के पीछे चलने वाले मूर्खता, अज्ञानान्धकार आदि से ग्रस्त होकर अवनति को प्राप्त होते हैं।

निःश्रेयस कर्मों का उपसंहार—

एतद्वोऽभिहितं सर्वं निःश्रेयसकरं परम्।
अस्मादप्रच्युतो विप्रः प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ ११६ ॥ (६६)

(एतत्) यह [१२। ८३–११५] (परं निःश्रेयसकरं सर्वं वः अभिहितम्) मोक्ष देने वाले सर्वोत्तम कर्मों का पूर्ण विधान तुम से कहा, (विप्रः) विद्वान् द्विज (अस्मात्+अप्रच्युतः) इसको बिना छोड़े पालन करता हुआ (परमां गतिं प्राप्नोति) उत्तम गति अर्थात् मुक्ति को प्राप्त कर लेता है ॥ ११६ ॥

एवं स भगवान्देवो लोकानां हितकाम्यया।
धर्मस्य परमं गुह्यं ममेदं सर्वमुक्तवान् ॥ ११७ ॥

(एवम्) इस प्रकार (सः भगवान् देवः) उन भगवान् मनु देवता ने (लोकानां हितकाम्यया) लोगों के हित के लिए (धर्मस्य सर्वं परमं गुह्यम्) धर्म का सब अत्यन्त गोपनीय रहस्य (मम उक्तवान् इदम्) मुझ से जो कहा था, वह यही है ॥ ११७ ॥

अनुशीलन : ११७ वाँ श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. **शैलीगत आधार**—ग्रन्थों के प्रारम्भिक श्लोक १। २–४ की वर्णन-शैली से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि मनु से ही ऋषियों ने प्रश्न किये हैं और मनु ही उनका उत्तर देते हैं। इस श्लोक में भृगु द्वारा स्वयंप्रोक्त होने का कथन उस कथन से विरुद्ध है [इसके विस्तृत विवेचन के लिए द्रष्टव्य है भूमिका में शैलीगत आधार]। यह किसी भृगु-अनुयायी द्वारा रचकर मिलाया गया श्लोक है, जो प्रक्षिप्त है।

२. **प्रसंग-विरोध**—प्रस्तुत प्रसंग निःश्रेयस कर्मों के वर्णन का है। ११६ वें श्लोक में निःश्रेयस कर्मों के वर्णन की समाप्ति का संकेत किया है, फिर उनसे सम्बन्धित उपसंहारात्मक वर्णन है। अभी वर्णन पूरा हुआ ही नहीं है कि इस श्लोक में धर्मोपदेश के पूर्ण होने का कथन कर दिया। इस प्रकार निःश्रेयस कर्मों के वर्णन और उपसंहार के बीच में प्रसंगभिन्न वर्णन होने से और मध्य में ही समाप्ति-सूचक वाक्य

होने से यह प्रसंगविरुद्ध असंगत श्लोक है, अतः प्रक्षिप्त है।
ईश्वरद्रष्टा अधर्म में मन नहीं लगाता—

सर्वमात्मनि सम्पश्येत्सच्चासच्च समाहितः।
सर्वं ह्यात्मनि संपश्यन्नाधर्मे कुरुते मनः ॥११८॥ (६७)

(समाहितः) जो सावधान पुरुष (असत् च सत् च सर्वम्) असत्कारण और सत्कार्यरूप जगत् को (आत्मनि संपश्येत) आत्मा अर्थात् सर्वव्यापक परमेश्वर में देखे, (अधर्मे मनः न कुरुते) वह कभी अपने मन को अधर्मयुक्त नहीं कर सकता, (हि) क्योंकि (सर्वम् आत्मनि संपश्यन्) वह परमेश्वर को सर्वज्ञ जानता है ॥ ११८ ॥ (द० ल० भ्रा० नि० १९६)

अनुशीलन : सर्वत्र परमात्मा के अनुभव-ज्ञान से अधर्मनिवृत्ति—यह सम्पूर्ण संसार प्रकट और अप्रकटरूप है। कार्यरूप में यह प्रकट है और कारणरूप में अप्रकट है। परमात्मा सम्पूर्ण संसार में व्याप्त रहता है। जो व्यक्ति सदा इस बात का अनुभव करता है, वह किसी भी स्थान पर और किसी भी समय में अधर्म नहीं करता; क्योंकि वह जानता है कि मुझे प्रत्येक स्थान और समय में सर्वव्यापक परमात्मा देख रहा है। इस प्रकार की अनुभूति एवं ज्ञान से मनुष्य अधर्म से दूर रहता है।

परमेश्वर ही सबका निर्माता, फलदाता और उपास्य है—

आत्मैव देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम्।
आत्मा हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम् ॥११९॥ (६८)

(आत्मा+एव सर्वाः देवताः) आत्मा अर्थात् परमेश्वर ही सब व्यवहार के पूर्वोक्त देवताओं को रखनेवाला, (सर्वम्+आत्मनि+अवस्थितम्) और जिसमें सब जगत् स्थित है, वही सब मनुष्यों का उपास्यदेव तथा (एषां शरीरिणां कर्मयोगं जनयति) सब जीवों को पाप-पुण्य के फलों का देने हारा है ॥ ११९ ॥ (द० ल० भ्रा० नि १९६)

महर्षि द्वारा आंशिक या केवल प्रमाण रूप में यह श्लोक निम्न अन्य स्थानों पर उद्धृत है-(१) द० ल० भ्रा० नि० १७२, (२) द० ल० वे० ख० २४, (३) द० शा० ५३, (४) ऋ० प० वि० १३, (५) ल० वे० अंक १२५।

अनुशीलन : (१) परमात्मा ही सब देवताओं का देवता—ईश्वर सबसे प्रमुख देव है। अन्य सभी देवताओं का वही रचयिता है। उन देवताओं के वर्णन से भी परमात्मा का ग्रहण होता है। इस विषय पर निरुक्त में प्रकाश डाला गया है—

"महाभाग्याद्देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते। एकस्यात्मनो अन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति।...आत्मा सर्वं देवस्य देवस्य।" [७। ४]

अर्थात्—महान् ऐश्वर्यशाली होने के कारण उसी परमात्मा की ही विभिन्न रूपों में स्तुति की जाती है। शेष सभी देव उस परमात्मा के ही द्वारा प्रकाशित या दिव्य-गुणयुक्त हैं। वही सबका रचयिता है। वही परमात्मा ही सब देवों का देवता है।

(२) **परमात्मा के आश्रय में ही समस्त जगत् स्थित है**—इस विषय में अनेक वेदमन्त्रों में प्रकाश डाला गया है। द्रष्टव्य है १।६; १२।१२४, १२५ श्लोक पर

(३) **अन्यत्र वर्णन**—परमात्मा ही जीवों को कर्मों से संयुक्त करके उन्हें फल प्रदान करता है। इस विषय में मनु ने १।२६–३० श्लोकों में भी प्रकाश डाला है।

इन्द्रियों में आकाश आदि का ध्यान—

खं सन्निवेशयेत्खेषु चेष्टनस्पर्शनेऽनिलम्।
पक्तिदृष्टयोः परं तेजः स्नेहेऽपो गां च मूर्तिषु ॥ १२० ॥
मनसीन्दुं दिशः श्रोत्रे क्रान्ते विष्णुं बले हरम्।
वाच्यग्निं मित्रमुत्सर्गे प्रजने च प्रजापतिम् ॥ १२१ ॥

(खेषु खम्) नासिका आदि शरीर के छिद्रों में आकाश को, (चेष्टन-स्पर्शने अनिलम्) चेष्टा तथा शरीररूप शारीरिक वायु में वायु को, (पक्ति-दृष्टयोः परं तेजः) उदर तथा नेत्रों के तेज में तेज को, (स्नेहे+अपः) शरीर के जल में जल को (च) और (मूर्तिषु गाम्) शरीर के पार्थिव भागों में पृथ्वी को, (मनसि+इन्दुम्) मन में चन्द्रमा को, (श्रोत्रे दिशः) कानों में दिशाओं को, (क्रान्ते विष्णुम्) चरणों में विष्णु को, (बले हरम्) बल में शिव को, (वाचि+अग्निम्) वाणी में अग्नि को, (उत्सर्गे मित्रम्) गुदा में मित्र को (प्रजने च प्रजापतिम्) शिश्न में प्रजापति को व्याप्त समझकर (संनिवेशयेत्) ध्यान लगाये ॥ १२०-१२१ ॥

अनुशीलन : १२०-१२१ श्लोक निम्न 'आधारों' के अनुसार प्रक्षिप्त हैं—

१. **अन्तर्विरोध**—इन श्लोकों में वर्णित ध्यानविधि, आकाश, वायु, चन्द्रमा, विष्णु आदि का ध्यान, मनु की मान्यता से न तो तालमेल खाता है और न मनुसम्मत है। मनु केवल एक निराकार परमात्मा के ध्यान और उपासना का विधान करते हैं, विष्णु, चन्द्रमा आदि का नहीं। वे आत्मा में परमात्मा के ध्यान का विधान करते हैं, शरीरांगों में नहीं। ये श्लोक मनु के उन सभी श्लोकों से विरुद्ध हैं, जिनमें मनु ने एक निराकार परमात्मा का आत्मा में ध्यान करने का कथन किया है [२।१००–१०४; ६।६५, ७२-७४; १२।८५, ९१, ११८, ११९, १२२, १२५ आदि]। इस आधार पर ये प्रक्षिप्त हैं।

२. **प्रसंगविरोध**—पूर्वापर ११९, १२२ श्लोकों में निराकार परमात्मा का

स्वरूप-विषयक वर्णन है। इन श्लोकों ने विभिन्न उपासनाओं का वर्णन करके उस प्रसंग को भंग कर दिया है। इस प्रकार ये प्रसंग विरुद्ध प्रक्षेप हैं।

परम सूक्ष्म परमात्मा को जानें—

प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि।
रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम्॥ १२२॥ (६६)

(सर्वेषां प्रशासितारम्) जो सबको शिक्षा देने हारा, (अणोः+अपि अणीयांसम्) सूक्ष्म से सूक्ष्म, (रुक्माभम्) स्वप्रकाशस्वरूप, (स्वप्नधी-गम्यम्) समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है, (तं परं पुरुषं विद्यात्) उसको परम पुरुष जानना चाहिए॥ १२२॥ (स० प्र० प्रथम समु०)

महर्षि द्वारा अपने ग्रन्थों में यह श्लोक निम्न स्थानों पर प्रमाण या पदांश के रूप में उद्धृत किया गया है—

(१) द० शा० ५३, (२) उपदेश-मञ्जरी ५२, (३) द० ल० वेदांक १२६, (४) ऋ० प० वि० १३, (५) द० ल० भ्रा० नि० १६६, (६) ऋ० भा० भू० १११।

अनुशीलन: (१) परमात्मा के स्वरूप एवं गुणों का वर्णन—मनु ने इस श्लोक में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए उसे सूक्ष्मातिसूक्ष्म, स्वप्रकाश-ज्ञानस्वरूप कहा है। वही परमात्मा सबका ज्ञानदाता या शिक्षक है। इसी भाव को मनु ने १। २१ में दूसरे प्रकार से वर्णित किया है।

यह सूक्ष्म परमात्मा ही जानने या मानने योग्य है, अन्य नहीं। यह समाधि के द्वारा अर्थात् योगाभ्यास से जाना जा सकता है।

(२) श्लोक की वेदमन्त्रों से तुलना—इस श्लोक में वर्णित ईश्वर के स्वरूप, गुण एवं प्राप्तव्य विधि तथा प्रेरणा का आधार वेद के मन्त्र ही हैं। निम्न मन्त्रों को देखकर प्रतीत होता है कि यह श्लोक उनका साररूप है—

(क) **स पर्य्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्।**
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्
व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः॥ यजु० ४०। ८॥

अर्थ—"हे मनुष्यो! जो ब्रह्म (शुक्रम्) शीघ्रकारी, सर्वशक्तिमान्, (अकायम्) स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से रहित है, (अव्रणम्) छिद्ररहित एवं जिसके दो टुकड़े नहीं हो सकते (अस्नाविरम्) नाड़ी आदि के बन्धन से रहित है (शुद्धम्) अविद्या आदि दोषों से रहित होने से सदा पवित्र है, (अपापविद्धम्) जो कभी भी पाप से युक्त, पाप करने वाला और पाप से प्रेम करने वाला नहीं है, वह (परि+अगात्) सर्वत्र व्यापक

है, जो (कविः) सर्वज्ञ, (मनीषी) सब जीवों की मनोवृत्तियों को जानने वाला, (परिभूः) दुष्ट-पापियों का तिरस्कार करने वाला, (स्वयम्भूः) अनादिस्वरूप वाला, जिसकी संयोग से उत्पत्ति और वियोग से विनाश नहीं होता, जिसके माता-पिता कोई नहीं और जिसका गर्भवास, जन्म, वृद्धि और क्षय नहीं होते हैं; वह परमात्मा (शाश्वतीभ्यः) सनातन, अनादिस्वरूप वाली, अपने स्वरूप की दृष्टि से उत्पत्ति और विनाश से रहित (समाभ्यः) प्रजा के लिए (याथातथ्यतः) यथार्थता से (अर्थान्) वेद के द्वारा सब पदार्थों का (व्यदधात्) अच्छी तरह से उपदेश करता है। (सः) वह परमात्मा ही तुम्हारे लिए उपासना करने योग्य है।" [ऋ० दयानन्दयजुःभाष्य]।

(ख) **वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्।**
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय॥ यजु० ३१।१८

अर्थ—"हे जिज्ञासु! मैं जिस (एतम्) इस पूर्वोक्त (महान्तम्) महान् गुणों से युक्त (आदित्यवर्णम्) सूर्य के प्रकाश के तुल्य जिसका स्वरूप है, उस स्वप्रकाश स्वरूप परमात्मा को (तमसः) अज्ञान वा अन्धकार से (परस्तात्) परे वर्तमान स्वस्वरूप से पूर्ण (वेद) जानता हूं। (तमेव) उसी को (विदित्वा) जानकर आप (मृत्युम्) दुःखदायक मृत्यु को (अति+एति) लांघते हो; (अन्यः) इससे भिन्न (पन्थाः) मार्ग (अयनाय) अभीष्ट स्थान मोक्ष के लिए (न विद्यते) नहीं है।"

[यजु० भाष्य ऋ० दयानन्द]

परमात्मा के अनेक नाम—

एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम्।
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्॥ १२३॥ (७०)

(एतम् एके) इस परमात्मा [१२।१२२] को (एके) कोई (अग्निम्) 'अग्नि', (अन्ये प्रजापतिं मनुम्) कोई प्रजापति परमात्मा को 'मनु' (एके इन्द्रम्) कोई 'इन्द्र', (परे प्राणम्) कोई 'प्राण', (अपरे शाश्वतं ब्रह्म) दूसरे कोई शाश्वत 'ब्रह्म', (वदन्ति) कहते हैं॥ १२३॥

"स्वप्रकाश होने से 'अग्नि', विज्ञानस्वरूप होने से 'मनु', सबका पालन करने और परमैश्वर्यवान् होने से 'इन्द्र', सबका जीवनमूल होने से 'प्राण', और निरन्तर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम 'ब्रह्म' है।"

(स० प्र० प्रथम समु०)

महर्षि द्वारा प्रमाण रूप में अन्यत्र उद्धृत—(१) प० वि० १३, (२) द० ल० भ्रा० नि० १९६, (३) उपदेशमञ्जरी ५२, (४) द० शा० ५३; (५) द० ल० वेदांक १२६।

अनुशीलन : (१) परमात्मा के गौण नाम और उनके अर्थ—मनु

ने परमेश्वर का सबसे मुख्य नाम 'ओ३म्' माना है [२। ४९—५३]। यहाँ उसी 'ओ३म्' पदवाच्य परमात्मा के कुछ अन्य गौण नामों का उल्लेख किया है। इन नामों से भी उसी सूक्ष्म, सर्वान्तर्यामी, सर्वप्रकाशक परमात्मा [१२। १२२] का बोध होता है। नीचे इनकी व्युत्पत्ति प्रदर्शित की जा रही है, जिससे इन शब्दों के परमात्मपरक अर्थ का ज्ञान होता है। इसके साथ-साथ इनसे परमात्मा के स्वरूप एवं गुणों पर भी प्रकाश पड़ता है—

१. **अग्नि**—'अञ्चु गतिपूजनयोः' या 'अग-अगि गतौ' धातुओं से अग्नि शब्द सिद्ध होता है। गति के तीन अर्थ होते हैं—ज्ञान, गमन और प्राप्ति। पूजन का अर्थ सत्कार है। **'योऽञ्चति, अञ्च्यते, अगत्यङ्क्तेति सोऽयमग्निः'** अर्थात् जो ज्ञानस्वरूप, सर्वज्ञ, जानने योग्य, प्राप्त करने योग्य और पूजा के योग्य है, उसको 'अग्नि' कहते हैं। वह परमात्मा का नाम है। ब्राह्मणग्रन्थों में कहा है—**"आत्मा एव अग्निः"** [शत० ६।७।१।२०], **"अग्निरेव ब्रह्म"** [शत० १०।४।१।५]।

२. **मनु**—'मन् ज्ञाने' अथवा 'मनु अवबोधने' धातुओं से मनु शब्द सिद्ध होता है। **'यो मन्यते, ज्ञायते, अवबुध्यते स मनुः,**=जो विज्ञानरूप और ज्ञान करने योग्य है, इस कारण ईश्वर का नाम 'मनु' है।

३. **प्रजापति**—प्रजा और पति दो पदों में समास होकर 'प्रजापति' शब्द बनता है। **'प्रजायाः पतिः=पालकः, रक्षकः प्रजापतिः'**—प्रजाओं का पालक और रक्षक होने से परमात्मा का नाम 'प्रजापति' है। निरुक्त में भी यही व्युत्पत्ति है—**'प्रजापतिः पाता वा पालयिता वा'** =प्रजापति रक्षक और पालक होता है। ब्राह्मण-ग्रन्थों में कहा है—**"ब्रह्म वै प्रजापतिः"** [शत० १३।६।२।८], **"प्रजापतिर्हि आत्मा"** [शत० ६।२।२।१२]।

४. **इन्द्र**—'इदि परमैश्वर्ये' धातु से **ऋज्रेन्द्रा०**··· (उणादि० २। २८) सूत्र से रन् प्रत्यय के योग से 'इन्द्र' शब्द सिद्ध होता है। **'इन्दति परमैश्वर्यवान् भवति स इन्द्रः'**—जो अखिल ऐश्वर्ययुक्त है, इस कारण परमात्मा का नाम इन्द्र है। **'इन्दतेर्वा ऐश्वर्यकर्मणः"** [निरु० १०। ८]। **"यो ह खलु वाव प्रजापतिः स उ वावेन्द्रः"** (तै० १।२।२५]।

५. **प्राण**—प्र पूर्वक 'अन् प्राणने' धातु से 'प्राण' शब्द सिद्ध होता है। **प्राणनात् प्राणः**—सबका जीवनमूल होने से जीवनरक्षक होने से ईश्वर का नाम प्राण है। **"प्राणापानौ देवः =ब्रह्मः"** [गो० १।२।११]।

६. **ब्रह्म**—**'बृहि वृद्धौ'** धातु से **'बृहेर्नोऽच्च'** (उणादि० ४। १४६) सूत्र से मनिन् प्रत्यय होकर ब्रह्म शब्द सिद्ध होता है। **'योऽखिलं जगत् निर्माणेन बृंहयति वर्द्धयति स ब्रह्मः**,—जो सम्पूर्ण जगत् को रचकर बढ़ाता है, इस कारण ईश्वर का नाम

ब्रह्म है। निरुक्त के अनुसार–"ब्रह्म परिबृढं सर्वतः" [निरु० २। ८]–सर्वोच्च, सबसे बड़ा, सर्वव्यापक, सबसे शक्तिशाली होने से ईश्वर का नाम 'ब्रह्म' है।

(२) **वेद मन्त्रों में ईश्वर के गौण नामों का वर्णन**—वेदमन्त्रों में ईश्वर के अनेक गौण नामों का उल्लेख आता है। श्लोक का भाव इन मन्त्रों पर आधारित प्रतीत होता है—

(क) इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यस्स सुपर्णो गरुत्मान्।
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ ऋक् १।१६४।४६।

अर्थात्–परमात्मा एक है। एक होते हुए भी विद्वान् लोग भिन्न-भिन्न गुणों के कारण उसे भिन्न-भिन्न नामों से सम्बोधित करते हैं, जैसे–इन्द्र=ऐश्वर्यशाली, मित्र=सबके द्वारा प्रीति करने योग्य, वरुण=वरणीय, अग्नि=ज्ञानस्वरूप एवं पूजा के योग्य, दिव्य,=तेजःस्वरूप एवं अद्भुतगुणयुक्त, सुपर्ण=उत्तम पालन और पूर्णकर्म-युक्त, गरुत्मान्=महान् स्वरूप एवं बलवाला, यम=न्यायकारी, मातरिश्वा=वायु के समान अनन्त बल वाला। ये सभी परमात्मा के नाम हैं।

(ख) तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुः तदु चन्द्रमाः।
तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म ताऽआपः सः प्रजापतिः ॥ यजु० ३२। १ ॥

अर्थात्–वह सूक्ष्म, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक परमात्मा ज्ञानस्वरूप और पूज्य होने से 'अग्नि' कहलाता है, प्रलयकाल में सबको ग्रहण करने वाला होने से वही 'आदित्य' है, अनन्त बलवान् होने से 'वायु', आनन्दस्वरूप एवं आह्लादक होने से 'चन्द्रमा', शुद्ध-स्वभाव होने से 'शुक्र', सबसे महान् होने से 'ब्रह्म', सर्वत्र व्यापक होने से 'आपः' और सब प्रजाओं का स्वामी एवं पालक होने से वही परमात्मा 'प्रजापति' कहलाता है।

सर्वान्तर्यामी परमात्मा ही संसार को चक्रवत् चलाता है—

एषः सर्वाणि भूतानि पञ्चभिर्व्याप्य मूर्तिभिः।
जन्मवृद्धिक्षयैर्नित्यं संसारयति चक्रवत् ॥ १२४॥(७१)

(एषः) यह परमात्मा (पञ्चभिः मूर्तिभिः सर्वाणि भूतानि व्याप्य) पञ्च महाभूतों से सब प्राणियों को युक्त करके अर्थात् उनकी उत्पत्ति करके और उनमें व्याप्त रहकर (जन्मवृद्धि-क्षयैः नित्यं चक्रवत् संसारयति) उत्पत्ति, वृद्धि और विनाश करते हुए सदा चक्र की तरह संसार को चलाता रहता है॥ १२४॥

अनुशीलन : **अन्यत्र वर्णन**—निराकार, सूक्ष्म परमात्मा इस संसार का उत्पत्ति-वृद्धि और विनाशकर्त्ता है। यह मान्यता १। ५७, ८० श्लोकों में वर्णित है। तुलनार्थ द्रष्टव्य है।

(२) उपर्युक्त स्वरूप वाला परमात्मा जगत् का उत्पत्ति-प्रलयकर्त्ता और

उसमें वेदों, उपनिषदों के प्रमाण—वेदों और उपनिषदों में वर्णित मान्यता को ग्रहण करके मनु ने यहाँ प्रस्तुत किया है। इस जगत् के उत्पत्ति-वृद्धि-प्रलयकर्ता परमात्मा का स्वरूप १२। १२२–१२३ श्लोकों में प्रदर्शित किया है। वही इस संसार का निर्माण-संहार करने वाला है, कोई अन्य नहीं। इस विषय में वेदों और उपनिषद् के प्रमाण भी द्रष्टव्य हैं—

(क) इयं विसृष्टिर्यत आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न।
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद॥

ऋ०। मं० १०। सू० १२६। मं० ७॥

हे (अङ्ग) मनुष्य! जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो धारण और प्रलयकर्त्ता है, जो इस जगत् का स्वामी, जिस व्यापक में यह सब जगत् उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय को प्राप्त होता है, सो परमात्मा है। उसको तू जान और दूसरे को सृष्टिकर्त्ता मत मान॥

(ख) हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्।
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम॥

ऋ०। मं० १०। सू० १२१। मं० १॥

हे मनुष्यो! जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का आधार और जो यह जगत् हुआ है और होगा, उसका एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत् की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था, और जिसने पृथिवी से लेके सूर्यपर्यन्त जगत् को उत्पन्न किया है, उस परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति किया करें॥

(ग) पुरुषऽएवेदꣳ सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्।
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति॥

यजुः। अ० ३१। मं० २॥

हे मनुष्यो! जो सब में पूर्ण पुरुष और जो नाशरहित कारण और जीव का स्वामी जो पृथिव्यादि जड़ और जीव से अतिरिक्त है; वही पुरुष इस सब भूत, भविष्यत् और वर्तमानस्थ जगत् को बनाने वाला है॥

(घ) यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति।
यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म॥

तैत्तिरीयोपनि० ३। १॥

जिस परमात्मा की रचना से ये सब पृथिव्यादि भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे जीते और जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं; वह ब्रह्म है। उसके जानने की इच्छा करो॥

(ङ) जन्माद्यस्य यतः॥ वेदान्त अ० १। सूत्र० २॥

जिससे इस जगत् का जन्म, स्थिति और प्रलय होता है; वही ब्रह्म जानने योग्य है। (स० प्र० अष्टम समु०)

अन्य मन्त्र १। ६ के अनुशीलन में भी द्रष्टव्य हैं।

समाधि से ईश्वर एवं मोक्ष-प्राप्ति—

एवं यः सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना।
स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम्॥ १२५॥ (७२)

(एवम्) इसी प्रकार समाधियोग से (यः) जो मनुष्य (सर्वभूतेषु आत्मानं पश्यति) सब प्राणियों में परमेश्वर को देखता है (सः आत्मना सर्वसमताम्+एत्य) वह सबको अपने आत्मा के समान प्रेमभाव से देखता है (परं पदं ब्रह्म अभ्येति) वही परमपद जो ब्रह्म-परमात्मा है उसको यथावत् प्राप्त होके सदा आनन्द को प्राप्त होता है॥ १२५॥

(द० ल० आ० नि० १९६)

अनुशीलन : सब प्राणियों में आत्मवत् भाव एवं परमात्मदर्शन से मुक्ति—मनु ने यह मान्यता एवं भाव वेदों से यथावत् रूप में ग्रहण किया है। तुलनार्थ एवं अर्थस्पष्टीकरण के लिए निम्न मन्त्र द्रष्टव्य है—

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति॥ यजु० ४०। ६॥

अर्थ—(यः) जो मनुष्य (आत्मन्नेव) आत्मा अर्थात् परमात्मा में तथा अपने आत्मा के सदृश (सर्वाणि भूतानि) समस्त जीव और जगत् के जड़ पदार्थों को (अनुपश्यति) अनुकूलता से, अथवा धर्माचरण और योगाभ्यास आदि से देखता है (च) और (सर्वभूतेषु) समस्त प्राणियों और प्रकृतिस्थ पदार्थों में (आत्मानम्) सर्वत्र व्याप्त परमात्मा को देखता है (ततः) ऐसे सम्यक्दर्शन के बाद (न विचिकित्सति) वह संशय को प्राप्त नहीं होता अर्थात् संशयरहित होकर निर्भ्रम ज्ञान से परमात्म-पद=मोक्ष को प्राप्त कर लेता हैं। उसे संसार और परमात्म-ज्ञान के विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहता।

इस शास्त्र के अध्ययन का फल—

इत्येतन्मानवं शास्त्रं भृगुप्रोक्तं पठन्द्विजः।
भवत्याचारवान्नित्यं यथेष्टां प्राप्नुयाद्गतिम्॥ १२६॥

(इति+एतत् भृगुप्रोक्तं मानवं शास्त्रं पठन्) इस भृगु द्वारा प्रोक्त मनु-रचित शास्त्र=मनुस्मृति को पढ़ने वाला (द्विजः) द्विज (नित्यम् आचारवान् भवति) सदा आचारवान् रहता है, और (यथेष्टां गतिं प्राप्नुयात्) इच्छित गति को प्राप्त करता है॥ १२६॥

अनुशीलन : १२६ वां श्लोक निम्न प्रकार प्रक्षिप्त है—

१. शैलीगत आधार—(१) १।२–४ श्लोकों की वर्णनशैली से यह शास्त्र मनुरचित एवं मनुप्रोक्त सिद्ध होता है। इस श्लोक में इसे भृगुप्रोक्त कहना असंगत है [इस सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन के लिए द्रष्टव्य है भूमिका में 'शैलीगत आधार' पर विवेचन]। इस प्रकार यह प्रक्षिप्त है। (२) सम्पूर्ण मनुस्मृति की यह शैली है कि किसी भी विषय का उपसंहार करते समय तदनुसार आचरण करने का श्रेष्ठ फल दर्शाया गया है, पढ़ने का नहीं। मनुस्मृति की शैली के अनुसार एक उपसंहार १२५ वें श्लोक में हो चुका, १२६ वें में न तो पुनः उपसंहार की आवश्यकता रह जाती है और न पढने का फल दिखाना मनु की शैली के अनुरूप है। इस प्रकार यह श्लोक प्रक्षिप्त है।

इति हरयाणाप्रान्तीयगुरुकुलझज्जरेऽधीतविद्येन, तत्र भवतामाचार्यभगवान्-
देवानामन्तेवासिना, हरयाणाप्रान्तान्तर्गतरोहतकमण्डले 'मकड़ौली'
नाम्नि ग्रामे लब्धजन्मना, श्रीमहर्षिदयानन्दसरस्वतीनयेन,
सुरेन्द्रकुमारेण कृतं मनुस्मृतेः हिन्दी-भाष्यम्, प्रक्षिप्त-
श्लोकानुसन्धानयुताऽथ च विविधविषयविमर्श-
सम्पन्ना 'अनुशीलन' नामिका समीक्षा च
पूर्तिमगात् ॥

॥ समाप्तश्चायं ग्रन्थः ॥

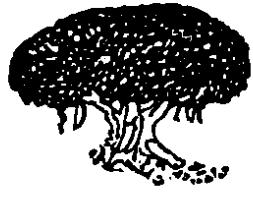

मनुस्मृतिश्लोकानामुभयपंक्ति-अनुक्रमणिका

आवश्यक निर्देश—

१. इस अनुक्रमणिका में श्लोकों की प्रथम पंक्ति (प्रथमार्ध) बड़े टाइप में दी गयी है और द्वितीयपंक्ति (द्वितीयार्ध) छोटे टाइप में है।

२. इस ग्रन्थ में द्वितीय अध्याय के पहले २५ श्लोक विषय के आधार पर पहले अध्याय में जोड़ दिये गये हैं। इस प्रकार प्रथम अध्याय के अन्त में २५ श्लोक बढ़ गये हैं और द्वितीय के कम हो गये हैं। किन्तु अनुक्रमणिका में प्रचलित पाठों के अनुसार ही श्लोक-संख्या दी गई है। प्रथम और द्वितीय अध्याय में वह प्रचलित संख्या श्लोकों के अन्त में बृहत्कोष्ठक में दी गई है। अनुक्रमणिका का मिलान करते समय इन दोनों अध्यायों में बृहत्कोष्ठक की संख्या देखें।

३. इसी प्रकार नवम अध्याय के अन्त के ११ श्लोक दशम अध्याय के प्रारम्भ में जोड़े गये हैं। उन पर अनुक्रमणिका में अध्याय श्लोक-संख्या नवम की ही उल्लिखित है। उन्हें दशम अध्याय में देखें। दशम अध्याय में भी प्रचलित श्लोकसंख्या श्लोकों के बाद बृहत्कोष्ठक में दी गई है। अनुक्रमणिका की संख्या उसी से मिलायें।

पंक्ति-पूर्वभाग	अध्याय/श्लोक	पंक्ति-पूर्वभाग	अध्याय/श्लोक
अंशमंशं यवीयांसः	९।११७	अकृत्वा भैक्षचरणं	२।१८७
अकन्येति तु यः कन्यां	८।२२५	अक्रव्यादान्वत्सतरीं	११।१३७
अकामतः कृतं पापम्	११।४६	अक्रोधनाः शौचपराः	३।१९२
अकामतः कृते पापे	११।४५	अक्रोधनान्सुप्रसादान्	३।२१३
अकामतस्तु राजन्यम्	११।१२७	अक्लेशेन शरीरस्य	४।३
अकामस्य क्रिया काचिद्	२।४	अक्षभङ्गे च यानस्य	८।२९१
अकारं चाप्युकारं च	२।७६	अक्षमाला वसिष्ठेन	९।२३
अकारणपरित्यक्ता माता	३।१५७	अक्षरं दुष्करं ज्ञेयं	२।८४
अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते	२।१२५	अक्षारलवणाग्नाः स्युः	५।७३
अकार्यमन्यत्कुर्याद्वा	११।९६	अक्षारलवणां चैव	३।२५७
अकुर्वन् विहितं कर्म	११।४४	अक्षेत्रे बीजमुत्सृष्टम्	१०।७१
अकृतः स तु विज्ञेयः	८।१९९	अगम्यागमनीयं तु	११।१६९
अकृतञ्च कृतात् क्षेत्रात्	१०।११४	अगारदाही गरदः	३।१५८
अकृता वा कृता वापि	९।१३६		

अगुप्तमङ्गसर्वस्वैः	८।३७४	अज्ञातं चैव सूनाख्यं	११।१५५
अगुप्ते क्षत्रियावैश्ये	८।३८५	अज्ञातभुक्तशुद्ध्यर्थम्	५।२१
अग्नि वाहारयेदेनम्	८।११४	अज्ञानभुक्तं तूत्तार्यम्	११।१६०
अग्निदग्धानदग्धान्	३।१९९	अज्ञानात् प्राश्य विण्मूत्रम्	११।१५०
अग्निदान् भक्तदांश्चैव	९।२७८	अज्ञानाद् द्वेशते पूर्णं	८।१२१
अग्निपकाशनो वा स्यात्	६।१७	अज्ञानाद् बालभावाच्च	८।११८
अग्निवापुरविभ्यस्तु	१।२३	अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात्	११।२३२
अग्निष्वात्ताश्च देवानां	३।१९५	अज्ञानाद्वारुणीं पीत्वा	११।१४६
अग्निष्वात्ताश्च सौम्याश्च	३।१९९	अज्ञेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठाः	१२।१०३
अग्निहोत्रं च जुहुयात्	४।२५	अज्ञो भवति वै बालः	२।१५३
अग्निहोत्रं समादाय	६।४	अज्येष्ठवृत्तिर्यस्तु स्यात्	९।११०
अग्निहोत्र्यपविध्याग्नीन्	११।४१	अण्डजाः पक्षिणः सर्पाः	१।४४
अग्नीनात्मनि वैतानान्	६।२५	अण्ड्यो मात्रा विनाशिन्यः	१।२७
अग्नीन्धनं भैक्षचर्याम्	२।१०८	अत ऊर्ध्वं तु छन्दांसि	४।९८
अग्नेः सोमयमाभ्यां च	३।२११	अत ऊर्ध्वं त्रयोऽप्येते	२।३९
अग्नेः सोमस्य चैवादौ	३।८५	अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि दण्ड	८।२७८
अग्नौ कुर्यादनुज्ञातः	३।२१०	अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि धर्म	८।२१८
अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यक्	३।७६	अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि वाक्	८।२६६
अग्न्यागारे गवां गोष्ठे	४।५८	अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि वेतन	८।२१४
अग्न्यभावे तु विप्रस्य	३।२१२	अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि सुवर्ण	११।९८
अग्न्याधेयं पाकयज्ञान्	२।१४३	अत ऊर्ध्वं रहस्यानां	११।२४७
अग्र्याः सर्वेषु वेदेषु	३।१८४	अत ऊर्ध्वं सकुल्यः	९।१८७
अग्र्यो मध्यो जघन्यश्च	१२।३०	अतः परं प्रवक्ष्यामि प्राय	१०।१३१
अघं स केवलं भुङ्क्ते	३।११८	अतः परं प्रवक्ष्यामि योषितां	९।५६
अङ्गावपीडनायां च	८।२८७	अतः स्वल्पीयसि द्रव्ये	११।८
अङ्गुलीग्रन्थिभेदस्य	९।२७७	अतपास्त्वनधीयानः	४।१९०
अङ्गुल्योरेव वा छेदं	८।३७०	अतस्तु विपरीतस्य	७।३४
अङ्गुष्ठमूलस्य तले	२।५९	अतिक्रमं व्रतस्याहुः	११।१२०
अचक्षुर्विषयं दुर्गं	४।७७	अतिक्रान्ते दशाहे च	५।७६
अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य	१।३	अतिक्रामन्देशकालौ	८।१५६
अचिरात्तं दुरात्मानं	८।१७४	अतिक्रामेत् प्रमत्तं या	९।७८
अच्छलेनैव चान्विच्छेद्	८।१८७	अतिथिं चाननुज्ञाप्य	४।१२२
अजडश्चेदपोगंडो	८।१४८	अतिथिभ्योऽग्र एवैतान्	३।११४
अजमेषावनड्वाहं	११।१३६	अतिथिस्त्वन्द्रलोकेशः	४।१८२
अजाविके तु संरुद्धे	८।२३५	अतिप्रसक्तिं चैतेषां	४।१६
अजाविकं तु विषमं	९।११८	अतिवादांस्तितिक्षेत	६।४७
अजाविकं सैकशफम्	९।११९	अतीतानां च सर्वेषां	७।१७८
अजिह्मामशठां शुद्धां	४।१११	अतीते कार्यशेषज्ञः	७।१७९
अजीगर्तः सुतं हन्तुम्	१०।१०५	अतैजसानि पात्राणि	६।५३
अजीवंस्तु यथोक्तेन	१०।८१	अतोऽन्यतममास्थाय	११।८६
अज्ञं हि बालमित्याहुः	२।१५३	अतोऽन्यतमया वृत्त्या	४।१३

अतोऽन्यथा तु प्रहरन्	८।३००	अथस्तान्नोपदध्याच्च	४।५४
अतोऽन्यथा प्रवृत्तिस्तु	५।३१	अधार्मिकाणां पापानां	४।१७१
अतोऽन्यथा वर्तमानः	८।३६७	अधार्मिको नरो यो हि	४।१७०
अतो यदन्यद्विभजेयुः	८।७८	अधार्मिकं तस्करं च	४।१३३
अतोऽर्थान्न प्रमाद्यन्ति	२।२१३	अधार्मिकं त्रिभिर्न्यायैः	८।३१०
अत्युच्छ्रितं तथाऽऽत्मानं	७।१७०	अधिकं वापि विद्येत	११।७
अत्युल्बणं सर्वमन्नं स्याद्	३।२३६	अधितिष्ठेन्न केशांस्तु	४।७८
अत्र गाथा वायुगीताः	९।४२	अधियज्ञं ब्रह्म जपेत्	६।८३
अत्रैव पशवो हिंस्याः	५।४१	अधिविन्ना तु या नारी	९।८३
अथ पुत्रस्य पौत्रेण	९।१३७	अधीत्य चानुवर्तन्ते	६।९३
अथ मूलमनाहार्यं	८।२०२	अधीत्य विधिवद्वेदान्	६।३६
अदण्ड्यान् दण्डयन्राजा	८।१२८	अधीयीरंस्त्रयो वर्णाः	१०।१
अदण्ड्यो मुच्यते राज्ञा	८।२०२	अधीष्व भो इति ब्रूयात्	२।७३
अदत्तानामुपादानं	१२।७	अधोदृष्टिर्नैष्कृतिकः	४।१९६
अदत्तान्युपभुञ्जानः	४।२०२	अध्यक्षान्विविधान् कुर्म्यात्	७।८१
अदत्त्वा तु य एतेभ्यः	३।११५	अध्यग्न्यध्यावाहनिकं	९।१९४
अदर्शयन्स तं तस्य	८।१५८	अध्यात्मरतिरासीनः	६।४९
अदर्शयित्वा तत्रैव	८।१५५	अध्यापनमध्ययनं···	
अदातरि पुनर्दाता	८।१६१	···दानं प्रतिग्रहं चैव	१।८८
अदीयमाना भर्त्तारम्	९।९१	अध्यापनमध्ययनं···	
अदूषितानां द्रव्याणाम्	९।२८६	···दानं प्रतिग्रहश्चैव	१०।७५
अदृष्टमद्भिर्निर्णिक्तं	५।१२७	अध्यापनं च कुर्वाणः	४।१०१
अदेश्यं यश्च विशति	८।५३	अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः	३।७०
अदैवं भोजयेच्छ्राद्धं	३।२४७	अध्यापनं याजनं च	१०।७७
अद्भिरेव द्विजाग्र्याणां	३।३५	अध्यापयन्गुरुसुतो	२।२०८
अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति	५।१०९	अध्यापयामास पितॄन्	२।१५१
अद्भिस्तु प्रोक्षणं शौचम्	५।११८	अध्येष्यमाणं तु गुरुः	२।७३
अद्भ्यो गन्धगुणा भूमेः	१।७८	अध्येष्यमाणस्त्वाचान्तः	२।७०
अद्भ्योऽग्निर्ब्रह्मतः क्षत्रम्	९।३२१	अनंशौ क्लीबपतितौ	९।२०१
अद्यात् काकः पुरोडाशं	७।२१	अनग्निरनिकेतः स्याद्	६।४३
अद्रोहेण च भूतानां	४।१४८	अनग्निरनिकेतः स्यान्मुनि	६।२५
अद्रोहेणैव भूतानां	४।[illegible]	अनडुहः श्रियं पुष्टां	४।२३१
अद्वारेण च नातीयात्	४।७३	अनदन्नन्नमश्नैव न	५।१०२
अधमर्णार्थसिध्यर्थम्	८।४७	अनधीत्य द्विजो वेदान्	६।३७
अधमा मध्यमाग्र्या च	१२।४१	अनध्यायो हृद्यमाने	४।१०८
अधर्मदण्डनं लोके	८।१२७	अनन्तरः सपिण्डाद्यः	९।१८७
अधर्मप्रभवं चैव	६।६४	अनन्तरमरिं विद्याद्	७।१५८
अधर्मादपि षड्भागः	८।३०४	अनन्तरासु जातानाम्	१०।७
अधर्मेण च यः प्राह	२।१११	अनपत्यस्य पुत्रस्य	९।२१७
अधर्मेणैधते तावत्	४।१७४	अनपाकृत्य मोक्षं तु	६।३५
अधर्मो नृपतेर्दृष्टः	९।२४९	अनपेक्षितमर्यादं	८।३०९

अनभ्यर्च्य पितॄन्देवान् ५।५२
अनभ्यासेन वेदानां ५।४
अनर्चितं वृथा मांसं ४।२१३
अनस्थ्नां चैव हिंसायां ११।१४१
अनाचरन्नकार्याणि १०।९८
अनातुरः सप्तरात्रं २।१८७
अनातुरः स्वानि खानि ४।१४४
अनाहृतास्तु यस्यैते २।२३४
अनादेयं नाददीत ८।१७०
अनादेयस्य चादानात् ८।१७१
अनाम्नातेषु धर्मेषु १२।१०८
अनारोग्यमनायुष्यं २।५७
अनार्यता निष्ठुरता १०।५८
अनार्यमार्यकर्माणम् १०।७३
अनार्यायां समुत्पन्नः १०।६६
अनाविष्कृतपापांस्तु १२।२२६
अनाहिताग्नितां स्तेयम् ११।६५
अनाहिताग्निर्भवति ११।३८
अनिच्छतः प्राभवत्वात् ८।४१२
अनित्यं हि स्थितो यस्मात् ३।१०२
अनित्यो विजयो यस्माद् ७।१९९
अनिधायैव तद्द्रव्यं ५।१४३
अनिन्दितैः स्त्रीविवाहैः ३।४२
अनियुक्तासुतश्चैव ९।१४३
अनिर्दशाया गोः क्षीरं ५।८
अनिर्दशाहां गां सूतो ८।२४२
अनिर्देशं च प्रेतान्नं ४।२१७
अनिर्दिष्टांश्चैकशफान् ५।११
अनिर्वृत्तं नियोगार्थं ९।६१
अनिष्टं चाप्यनिष्टेषु ७।१३
अनिष्ट्वा चैव यज्ञैश्च ६।३७
अनीहमानाः सततं ४।२२
अनुकल्पस्त्वयं ज्ञेयः ३।१४७
अनुक्तनिष्कृतीनान्तु ११।२०९
अनुगम्येच्छया प्रेतम् ५।१०३
अनुद्वेगकरा नृणां २।४७
अनुपघ्नन् पितृद्रव्यम् ९।२०८
अनुपाकृतमांसानि ५।७
अनुबन्धं परिज्ञाय ८।१२६
अनुभावी तु यः कश्चित् ८।६९
अनुमन्ता विशसिता ५।५१
अनुरक्तं स्थिरारम्भं ७।२०९
अनुरक्तः शुचिर्दक्षः ७।६४
अनुरागापरागौ च ७।१५४
अनुव्रज्या च शुश्रूषा २।२४१
अनुष्णाभिरफेनाभिः २।६१
अनृतस्यैनसस्तस्य ८।१०५
अनृतावृतुकाले च ५।१५३
अनृतं च समुत्कर्षे ११।५५
अनृतं तु वदन्दण्ड्यः ८।३६
अनेकानि सहस्राणि ५।१५९
अनेन क्रमयोगेन परिव्रजति ६।८५
अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा २।१६४
अनेन तु विधानेन ९।१२८
अनेन नारीवृत्तेन ५।१६६
अनेन विधिना नित्यम् ५।१६९
अनेन विधिना यस्तु ११।११५
अनेन विधिना राजा कुर्वाणः ८।३४३
अनेन विधिना राजा मिथो ८।१७८
अनेन विधिना श्राद्धं ३।२८१
अनेन विधिना सर्वान् ६।८१
अनेन विधियोगेन ८।२११
अनेन विप्रो वृत्तेन ४।२६०
अन्तःपुरप्रचारं च ७।१५३
अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते १।४९
अन्तरप्रभवाणां च १।२
अन्तरागमने विद्याद् ४।१२६
अन्तर्गतशवे ग्रामे ४।१०८
अन्तर्दशाहे स्यातां चेत् ५।७९
अन्तर्भवन्ति क्रमशः १२।८७
अन्तर्वेश्मन्यरण्ये वा ८।६९
अन्धो जडः पीठसर्पी ८।३९४
अन्धो मत्स्यानिवाश्नाति ८।९५
अन्धः शत्रुकुलं गच्छेत् ८।९३
अन्नपानेन्धनादीनि ७।११८
अन्नमेषां पराधीनम् १०।५४
अन्नहर्तॄंऽमयाविस्वम् ११।५१
अन्नादेभ्रूणहा मार्ष्टि ८।३१७
अन्नाद्यजानां सत्त्वानाम् ११।१४३
अन्नाद्येनासकृच्चैतान् ३।२३३

अन्त्यादपि परं धर्मं	२।२३८	अपि भ्रूणहणं मासात्	११।२४८
अन्नं चैव यथाशक्ति	३।९९	अपि यत्सुकरं कर्म	७।५५
अन्यत्र पुत्राच्छिष्याद्वा	४।१६४	अपुण्यं लोकविद्विष्टं	२।५७
अन्यदुप्तं जातमन्यत्	९।४०	अपुत्रायां मृतायान्तु	९।१३५
अन्यस्मिन्हि नियुञ्जाना	९।६४	अपुत्रोऽनेन विधिना	९।१२७
अन्यानपि प्रकुर्वीत	७।६०	अपुष्पाः फलवन्तो ये	१।४७
अन्यां चेद् दर्शयित्वाऽन्या	८।२०४	अपूजितं तु तद् भुक्तं	२।५५
अन्ये कलियुगे नृणां	१।८५	अपः शस्त्रं विषं मांसम्	१०।८८
अन्ये कृतयुगे धर्माः	१।८५	अपः सुरामाजनस्थाः	११।१४७
अन्येषां चैवमादीनां	८।३२९	अप्रजायामतीतायां भर्तु	९।१९६
अन्येष्वपरिपूतेषु	८।३३०	अप्रजायामतीतायां माता	९।१९७
अन्वेष्वपि तु कालेषु	७।१८३	अप्रणोद्योऽतिथिः सायं	३।१०५
अन्योन्यगुणवैशेष्यात्	९।२९६	अप्रतर्क्यमविज्ञेयं तम	१२।२९
अन्योन्यव्यतिषक्ताश्च	१०।२५	अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तं	१।५
अन्योन्यस्याव्यभिचारः	९।१०१	अप्रमोदात्पुनः पुंसः	३।६१
अन्वाधेयञ्च यद् वसु	९।१९५	अप्रयत्नः सुखार्थेषु	६।२६
अप एव ससर्जादौ	१।८	अप्रशस्तं तु कृत्वाप्सु	११।२५५
अपत्यं धर्मकार्याणि	९।२८	अप्राणिभिर्यत् क्रियते	९।२२३
अपत्यलोभाद्या तु स्त्री	५।१६१	अप्राप्तामपि तां तस्मै	९।८८
अपत्यस्यैव चापत्यं	९।२	अप्सु प्रविश्य तं दण्डम्	९।२४४
अपदिश्यापदेश्यं च	८।५४	अप्सु प्राश्य विनष्टानि	२।६४
अपदेशैश्च संन्यस्य	८।१८२	अप्सु भूमिरवित्याहुः	८।१००
अपपात्राश्च कर्तव्या	१०।५१	अबान्धवं शवं चैव	१०।५५
अपराजितां वास्थाय	६।३१	अबीजकमपि क्षेत्रं	१०।७१
अपराह्णस्तथा धर्माः	३।२५५	अबीजविक्रयी चैव	९।२९१
अपसव्यमग्नौ कृत्वा	३।२१४	अब्जमश्ममयं चैव	५।११२
अपमव्येन हस्तेन	३।२१४	अब्जेषु चैव रत्नेषु	८।१००
अपह्नवे तद् द्विगुणं	८।१३९	अभवार्धमिन्द्रमित्येतत्	११।२५५
अपह्नवेऽधमर्णस्य	८।५२	अब्राह्मणादध्ययनं	२।२४१
अपहृत्य च निःक्षेपं	११।८८	अब्राह्मणाः संग्रहणे	८।३५९
अपहृत्य च विप्रस्वं	१२।६०	अब्रुवन्विब्रुवन्वापि	८।१३
अपहृत्य सुवर्णं तु	११।२५०	अभक्ष्याणि द्विजातीनां	५।५
अपाङ्क्तदाने यो दातुः	३।१६९	अभयस्य हि यो दाता	८।३०३
अपाङ्क्तेयैर्यदन्यैश्च	३।१७०	अभिचारमहीनं च	११।१९७
अपाङ्क्तयोपहता पङ्क्तिः	३।१८३	अभिचारेषु सर्वेषु	९।२९०
अपाङ्क्तयो यावतः	३।१७६	अभिजिद्विश्वजिदभ्यां वा	११।७४
अपात्रीकरणं ज्ञेयं	११।६९	अभिपूजितलाभांस्तु	६।५८
अपामग्नेश्च संयोगात्	५।११३	अभिपूजितलाभैश्च	६।५८
अपां समीपे नियतः	२।१०४	अभियोक्तादिशेद्देश्यं	८।५२
अपिचेत्स्युररक्तानि	१०।८७	अभियोक्ता न चेद् ब्रूयात्	८।५८
अपि नः स कुले जायात्	३।२७४	अभिवादनशीलस्य	२।१२१

अभिवादयेद् वृद्धांश्च	४।१५४	अरक्षितारं राजानं	८।३०८
अभिवादात्परं विप्रः	२।२२२	अरक्षितारमत्तारं	८।३०६
अभिशस्तस्य षण्ढस्य	४।२११	अरण्ये काष्ठवत्स्थित्वा	५।६६
अभिहृत्य तु यः कन्यां	८।३६७	अरण्ये निःशलाके वा	७।१४७
अभीप्सितानामर्थानां	७।२०४	अरण्ये वा त्रिरभ्यस्य	११।२५८
अभोज्यमन्नं नात्तव्यम्	११।१६०	अराजके हि लोकेऽस्मिन्	७।३
अभोज्यान्नान्तु भुक्त्वान्नम्	११।१५२	अरेरनन्तरं मित्रं	७।१५८
अभ्यङ्गमञ्जनं चाक्ष्णोः	२।१७८	अरोगाः सर्वसिद्धार्थाः	१।८३
अभ्यञ्जन स्नापनं च	२।२११	अर्थ एवेह वा श्रेयः	२।२२४
अभ्यस्याब्दं पावमानीः	११।२५७	अर्थकामेष्वसक्तानां	२।१३
अभ्याघातेषु मध्यस्थान्	९।२७२	अर्थसम्पादनार्थं च	७।१६८
अभ्यादध्युश्च काष्ठानि	९।३७२	अर्थस्य संग्रहे चैनां	९।११
अभ्रि काष्णायसीं दद्यात्	११।१३३	अर्थानर्थावुभौ बुद्ध्वा	८।२४
अमत्यैतानि षट् जग्ध्वा	५।२०	अर्थेऽपव्ययमानं तु	८।५१
अमन्त्रिका तु कार्येयं	२।६६	अर्थ्युक्ताः साक्ष्यमर्हन्ति	८।६२
अमाय्यमुख्यं धर्मज्ञं	७।१४१	अर्घभाग्रक्षणाद्राजा	८।३६
अमात्यराष्ट्रदुर्गार्थं	७।१५७	अर्घेन नारी तस्यां सः	१।३२
अमात्याः प्राड्विवाको वा	९।२३४	अर्वाक्त्र्यब्दाद्धरेत्स्वामी	८।३०
अमात्ये दण्ड आयत्तो	७।६५	अर्वाक् सञ्चयनादस्थ्नां	५।५६
अमानुषीषु पुरुषः	११।१७३	अर्हणं तत्कुमारीणां	३।५४
अमानुषेषु प्रथमः	९।२८४	अर्हत्तमाय विप्राय	३।१२८
अमायैव वर्तेत	७।१०४	अर्हयेन्मधुपर्केण	३।११६
अमावस्या गुरुं हन्ति	४।११४	अर्हाविभोजयन्विप्रो	८।३६२
अमावास्याचतुर्दश्योः	४।११३	अलब्धं चैव लिप्सेत	७।९६
अमावास्यामष्टमीं च	४।१२८	अलब्धमिच्छेद्दण्डेन	७।१०१
अमित्रादपि सद्वृत्तं	२।२३६	अलाबुं दारुपात्रं च	६।५४
अमृतस्येव चाकाङ्क्षेत्	२।१६२	अलाभे त्वन्यगेहानां	२।१८४
अमेध्यकुणपाशी च	१२।७१	अलाभे न विषादी	६।५७
अमेध्यलिप्तमन्यद्वा	४।५६	अलिङ्गी लिङ्गिवेषेण	४।२००
अमेध्ये वा पतेन्मत्तः	११।९६	अलङ्कारं नादद्यात	९।९२
अम्भस्यश्मप्लवेनेव	४।१९०	अलंकृतश्च सम्पश्येत्	७।२२२
अम्मूलफलभिक्षाभिः	६।७	अलंकृत्य शुचौ भूमौ	५।६८
अयःकांस्योपलानां च	११।१६७	अलङ्कृत्य सुतादानं	३।२८
अयज्वनां तु यद्वित्तं	११।२०	अल्पान्माल्यव्यहारेण	६।५९
अयमुक्तो विभागो वः	९।२२०	अल्पोऽप्येवं महान्वापि	३।५३
अयशो महदाप्नोति	८।१२८	अल्पं वा बहु वा प्रेत्य	७।८६
अयाज्ययाजनैश्चैव	३।६५	अल्पं वा बहु वा यस्य	२।१४९
अयुक्तं तु पितृन्सर्वान्	३।२७७	अवकाशेषु चोक्षेषु	३।२०७
अयुध्यमानस्योत्पाद्य	४।१६७	अवकीर्णिवर्ज्यं शुध्यर्थं	११।११७
अयं द्विजैर्हि विद्वद्भिः	९।६६	अवकीर्णी तु काणेन	११।११८
अरक्षिता गृहे यद्धाः	९।१२	अवगूर्य चरेत् कृच्छ्रम्	११।२०८

अवगूर्य त्वब्दशब्दम्	११।२०६	अश्वस्तनविधानेन	११।१६
अवजिघ्रेच्च तान्पिण्डान्	३।२१८	अष्टकासु त्वहोरात्रं	४।११९
अवनिष्ठीवतो दर्पाद्	८।२८२	अष्टादशसु मार्गेषु व्यवहार	९।२५०
अवमूत्रयतो मेढ्रं	८।२८२	अष्टादशसु मार्गेषु निबद्ध	८।३
अवश्यं याति तिर्यक्त्वं	१२।६८	अष्टानां लोकपालानां	५।९६
अवहार्य्यो भवेच्चैव	८।१९८	**अष्टापाद्यं तु शूद्रस्य**	८।३३७
अवदार्यौ भवेतां तौ	८।१४५	**अष्टावष्टौ समश्नीयाद्**	११।२१८
अवाक्शिरास्तमस्यन्धे	८।९४	अष्टाविमान्समासेन	३।२०
अवाङ् नरकमभ्येति	८।७५	अष्टावेणस्य मांसेन	३।२६९
अवाच्यो दीक्षितो नाम्ना	२।१२८	अष्टौ चान्याः समाख्याताः	७।१५६
अविद्यमाने सर्वस्वं	११।११६	**अष्टौ मासान् यथादित्यः**	९।३०५
अविद्यानान्तु सर्वेषाम्	९।२०५	**असकृद्गर्भवासेषु**	१२।७८
अविद्वांश्चैव विद्वांश्च	९।३१७	असच्छास्त्राधिगमनं	११।६५
अविद्वांसमलं लोके	२।२१४	असन्निधावयं ज्ञेयो	५।७४
अविन्दंस्तत्त्वतः सत्यं	८।१०९	**असपिण्डा च या मातुः**	३।५
अविलुप्तब्रह्मचर्यो	३।२	असपिण्डेषु सर्वेषु	५।१००
अवृत्तिकर्षितः सीदन्	१०।१०१	**असपिण्डं द्विजं प्रेतं**	५।१०१
अवृत्तिकर्षिता हि स्त्री	९।७४	असमीक्ष्य प्रणीतस्तु	७।१९
अवेक्षेत गतीर्नृणाम्	६।६१	असम्बद्धकृतश्चैव	८।१६३
अवेत्यृचं जपेदब्दं	११।२५२	असम्बद्धप्रलापश्च	१२।६
अवेदयानो नष्टस्य	८।३२	**असम्भोज्या ह्यसंयाज्याः**	९।२३८
अव्यङ्गाङ्गीं सौम्यनाम्ना	३।१०	**असम्यक्कारिणश्चैव**	९।२५९
अव्याप्ताश्चेदमेध्येन	५।१२८	असवर्णास्तु सम्पूज्याः	२।२१०
अव्रतानाममन्त्राणाम्	१२।११४	असवर्णास्वयं ज्ञेयो	३।४३
अव्रतैर्यद्द्विजैर्भुक्तं	३।१७०	**असाक्षिकेषु त्वर्थेषु**	८।१०९
अशक्नुवंस्तु शुश्रूषाम्	१०।९९	असावहमिति ब्रूयात्	२।१३०
अशक्यं चाप्रमेयं च	१२।९४	असिपत्रवनं चैव	४।९०
अशासंस्तस्करान् यस्तु	९।२५४	असिपत्रवनादीनि	१२।७५
अशासित्वा तु तं राजा	८।३१६	असूयकाय मां मा दाः	२।११४
अशीतिभागं गृह्णीयात्	८।१४०	**असौ नामाहमस्मीति**	२।१२२
अशुद्धा बान्धवाः सर्वे	५।५८	**असंख्या मूर्त्तयस्तस्य**	१२।१४
अशेषतोऽप्याददीत	८।३७	**असंदितानां संदाता**	८।३४२
अश्मकुट्टो भवेद्वापि	६।१७	**असंभाष्ये साक्षिभिश्च**	८।५५
अश्मनो लवणं चैव	१०।८६	असंश्रवे चैव गुरोः	२।२०३
अश्मनोऽस्थीनि गोवालान्	८।२५०	**असंस्कृतप्रमीतानां**	३।२४५
अश्रेयान् श्रेयसीं जातिं	१०।६४	**असंस्कृतान्पशून्मन्त्रैः**	५।३६
अश्रोत्रिये त्वहः कृत्स्नं	५।८२	**अस्थिमतान्तु सत्त्वानाम्**	११।१४०
अश्रोत्रियो पिता यस्य	३।१३६	**अस्थिस्थूणं स्नायुयुतम्**	६।७६
अश्रोत्रियो वा पुत्रः स्यात्	३।१३६	अस्मादप्रच्युतो विप्रः	१२।११६
अश्लीकमेतत्साधूनां	४।२०६	अस्माद्धर्मान्न च्यवेत	७।९८
अश्वश्चक्षुस्त्वचं वासो	४।१८९	**अस्मिन् धर्मोऽखिलेनोक्तः**	१।१०७

अस्य नित्यमनुष्ठानं ७।१०० आख्यानानीतिहासांश्च ३।२३२
अस्य सर्वस्य शृणुत १२।२ आगःसु ब्राह्मणस्यैव ९।२४१
अस्त्रं गमयति प्रेतान् ३।२३० आगमं निगमं स्थानम् ८।४०१
अस्वतन्त्राः स्त्रियः कार्याः ९।२ आगमं वाप्यपां भिद्यात् ९।२८१
अस्वर्ग्यं च परत्रापि ८।१२७ आगमः कारणं तत्र ८।२००
अस्वर्ग्या ह्याहुतिः सा स्यात् ५।१०४ आगारादभिनिष्क्रान्तः ६।४१
अस्वस्थः सर्वमेतत्तु ७।२२६ आचक्षाणेन यस्तेयं ८।३१४
अस्वामिना कृतो यस्तु ८।१९९ आचम्य प्रयतो नित्यं जपेद् ५।८६
अहन्यहन्यवेक्षेत ८।४१९ आचम्य प्रयतो नित्यमुभे २।२२२
अहस्तत्रोदयनं १।६७ आचम्यैव तु निःस्नेहं ५।८७
अहस्ताश्च सहस्तानां ५।२९ आचम्योदक्परावृत्य ३।२१७
अहार्यं ब्राह्मणद्रव्यम् ९।१८९ आचान्तांश्चानुजानीयाद् ३।२५१
अहिंसया च भूतानां ६।६० आचामेदेव भुक्त्वान्नं ५।१४४
अहिंसयेन्द्रियासङ्गैः ६।७५ आचारः परमो धर्मः १।१०८
अहिंसयैव भूतानां २।१५९ आचारमग्निकार्यं च २।६९
अहिंसा गुरुसेवा च १२।८३ आचारश्चैव साधूनां २।६
अहिंसामेव तां विद्यात् ५।४४ आचारहीनः क्लीबश्च ३।१६५
अहिंसासत्यमक्रोधं ११।२२२ आचाराद्धनमक्षय्यं ४।१५६
अहिंसा सत्यमस्तेयम् १०।६३ आचाराद्विच्युतो विप्रः १।१०९
अहिंस्रो दमदानाभ्यां ४।२४३ आचाराल्लभते ह्यायुः ४।१५६
अहुतं च हुतं चैव ३।७३ आचारेण तु संयुक्तः १।१०९
अहोरात्रमुपासीरन् ११।१८३ आचार्यपुत्रः शुश्रूषुः २।१०९
अहोरात्रे विभजते १।६५ आचार्यश्च पिता चैव २।२२५
अहं प्रजाः सिसृक्षुस्तु १।३४ आचार्यस्त्वस्य यां जातिं २।१४८
अह्ना चैकेन रात्र्या च ५।६४ आचार्ये तु खलु प्रेते २।२४७
अह्ना रात्र्या च याज्यन्तून् ६।६९ आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः २।२२६
अर्हणं तत्कुमारीणां ३।५४ आचार्यो ब्रह्मलोकेशः ४।१८२
अर्हविभोजयन्विप्रो ८।३९२ आचार्यं च प्रवक्तारं ४।१६२
आ आचार्यं स्वमुपाध्यायम् ५।९१
आकारमिङ्गितं चेष्टां ७।६७ आच्छाद्य चार्चयित्वा च ३।२७
आकारैरिङ्गितैर्गत्या ८।२६ आजीवनार्थं धर्मस्तु १०।७९
आकालिकमनध्यायमेतेषु ४।१०३ आततायिनमायान्तं ८।३५०
आकालिकमनध्यायं विद्यात् ४।११८ आतुरामभिशस्तां वा ११।११२
आकाशमिव पंकेन १०।१०४ आत्मज्ञाने शमे च स्यात् १२।९२
आकाशात्तु विकुर्वाणात् १।७६ आत्मनश्च परित्राणे ८।३४९
आकाशेशास्तु विज्ञेयाः ४।१८४ आत्मनस्त्यागिनां चैव ५।८९
आकाशं जायते तस्मात् १।७५ आत्मनो यदि वाऽन्येषां ११।११४
आकीर्णं भिक्षुकैर्वाऽन्यैः ६।५१ आत्मनो वृत्तिमन्विच्छन् ४।२५२
आक्रन्दे चाप्यदेहीति ८।२९२ आत्मन्यन्तर्दधे भूयः १।५१
आक्षारयञ्छतं दाप्यः ८।२७५ आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ६।३८
आख्यातव्यं तु तत्तस्मै ११।१७ आत्मानमात्मना यस्तु ९।१२
आत्मनैव सहायेन ६।४९

आत्मानं च पशुं चैव ५।४२
आत्मानं सततं रक्षेत् ७।२१३
आत्मानं स्पर्शयेद्यस्मै ९।१७७
आत्मार्थं च क्रियारम्भः ११।६४
आत्मा हि जनयत्येषां १२।११९
आत्मैव देवताः सर्वाः १२।११९
आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी ८।८४
आददानस्तु तल्लोभात् ९।२४३
आददानो ददच्चैव ८।२२३
आददानः परक्षेत्रात् ८।३४१
आददीत न शूद्रोऽपि ९।९८
आददीत यतो ज्ञानं २।११७
आददीताथ षड्भागं द्रुमांस ७।१३१
आददीताथ षड्भागं प्रणष्ट ८।३३
आददीताममेवास्माद् ४।२२३
आदाननित्याच्चादातुः ११।१५
आदानमप्रियकरं ७।२०४
आदित्याज्जायते वृष्टिः ३।७६
आदिष्टो नोदकं कुर्यात् ५।८८
आदेश्यं यश्च दिशति ८।५३
आद्यास्यस्य गुणं त्वेषां १।२०
आद्यं यत्तस्यक्षरं ब्रह्म ११।२६५
आद्याविंशात्क्षत्रबन्धोः २।३८
आधिश्चोपनिधिश्चोभौ ८।१४५
आधिः सीमा बालधनं ८।१४९
आध्यात्मिकं च सततं ६।८३
आनन्तर्यात्स्वयोन्यां तु १०।२८
आनन्त्यायैव कल्प्यन्ते ३।२७२
आनिपाताच्छरीरस्य ६।३१
आनुलोम्येन सम्भूताः १०।५
आनृण्यं कर्मणा गच्छेत् ९।२२९
आनृशंस्याद् ब्राह्मणस्य १।१०१
आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां ७।४३
आपत्कल्पेन यो धर्मम् ११।२८
आपत्सु मरणाद्भीतैः ११।२९
आपदर्थं धनं रक्षेत् ७।२१३
आपद्गतोऽथवा वृद्धा ९।२८३
आपद्धर्मं च वर्णानां १।११६
आपद्यपत्यप्राप्तिश्च ९।१०३
आपद्यपि हि घोरायां २।११३
आपद्यपि हि यस्तेषां ९।३३६
आपो नारा इति प्रोक्ता १।१०
आपः शुद्धा भूमिगताः ५।१२८
आप्तः शक्तोऽर्थदः साधुः २।१०९
आप्ताः सर्वेषु वर्णेषु ८।६३
आभीरोऽम्बष्ठकन्यायां १०।१५
आभ्यः कुर्याद् देवताभ्यः ३।८४
आमन्त्रितस्तु य श्राद्धे ३।१९१
आमृत्योः श्रियमन्विच्छेत् ४।१३७
आर्यांति सर्वकार्याणां ७।१७८
आयत्यां गुणदोषज्ञः ७।१७९
आयव्ययौ च नियतौ ८।४१९
आयुर्विप्रापवादेन ४।२३७
आयुष्कामेन वप्तव्यं ९।४१
आयुष्मन्तं सुतं सूते ३।२६३
आयुष्मान्भव सौम्येति २।१२५
आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङ्क्ते २।५२
आयुः सुवर्णकारान्नं ४।२१८
आयोगवश्च क्षत्ता च १०।१६
आरण्यानां च सर्वेषां ५।९
आरण्यांश्च पशून् सर्वान् १०।८९
आरभेत ततः कार्यं ९।२९९
आरभेतैव कर्माणि ९।३००
आरम्भरुचिताऽधैर्यम् १२।३२
आर्तस्तु कुर्यात्स्वस्थः ८।२१६
आर्द्रपादस्तु भुञ्जानः ४।७६
आर्द्रपादस्तु भुञ्जीत ४।७६
आर्द्रवासास्तु हेमन्ते ६।२३
आर्धिकः कुलमित्रं च ४।२५३
आर्यता पुरुषज्ञानं ७।२११
आर्यरूपमिवानार्यं १०।५७
आर्षे गोमिथुनं शुल्कं ३।५३
आर्षं धर्मोपदेशं च १२।१०६
आर्षेढाजः सुतस्त्रीस्त्रीन् ३।३८
आलस्यादन्नदोषाच्च ५।४
आवन्त्यवाटधानौ च १०।२१
आविकं सन्धिनीक्षीरं ५।८
आवृत्तानां गुरुकुलात् ७।८२
आशासते कुटुम्बिभ्यः ३।८०
आश्रमादाश्रमं गत्वा ६।३४
आश्रमे वृक्षमूले वा ११।७८
आश्रमेषु द्विजातीनां ८।३९०
आषोडशाद्ब्राह्मणस्य २।३८

आसनावसथौ शय्याम्	३।१०७
आसनासनशय्याभिः	४।२६
आसनेषूपकल्पेषु	३।२०८
आसनं चैव यानं च	७।१६१
आसपिण्डक्रियाकर्म	३।२४७
आसमाप्तेः शरीरस्य	२।२४४
आसमावर्तनात्कुर्यात्	२।१०८
आसमुद्रात्तु वै पूर्वात्	२।२२
आसां महर्षिचर्याणाम्	६।३२
आसीत गुरुणा सार्धं	२।२०४
आसीतामरणात्क्षान्ता	५।१५८
आसीदिदं तमोभूतं	१।५
आसीनस्य स्थितः कुर्याद्	२।१९६
आसीनासु तथाऽऽसीनः	११।१११
आस्यतामिति चोक्तः सन्	२।१९३
आहरेत् त्रीणि वा द्वे वा	११।१३
आहरेद्यावदर्थानि	२ १८२
आहवेषु मिथोऽन्योऽन्यं	७।८९
आहिण्डिका निषादेन	१०।३७
आहुरुत्पादकं केचित्	९।३२
आहूय दानं कन्याया	३।२७
आहूताभ्युद्यतां भिक्षां	४।२४८
आ हैव स नखाग्रेभ्यः	२।१६७

इ

इङ्गिताकारचेष्टज्ञं	७।६३
इच्छयाऽन्योन्यसंयोगः	३।३२
इज्याश्च प्रतिगृह्णन्ति	११।२४२
इतरानपि सख्यादीन्	३।११३
इतरे कृतवन्तस्तु	९।२४२
इतरेभ्यो बहिर्वेदि	११।५
इतरेषान्तु पण्यानाम्	१०।९३
इतरेषां तु वर्णानां दण्डः	८।३७९
इतरेषां तु वर्णानामितरे	३।३५
इतरेषां तु वर्णानां सर्वा	९।१८९
इतरेषु तु शिष्टेषु	३।४१
इतरेषु स्वपाङ्क्त्येषु	३।१८२
इतरेषु ससन्ध्येषु	१।७०
इतरेष्वागमाद्धर्मः	१।८२
इत्येतत्तपसो देवाः	११।२४४
इत्येतदेनसा युक्तम्	११।२४७
इत्येतन्मानवं शास्त्रम्	१२।१२६
इवन्तु वृत्तिवैकल्यात्	१०।८५
इदमन्विच्छतां स्वर्गं	६।८४
इदमूचुर्महात्मानं	५।१
इदं यशस्यमायुष्यं	१।१०६
इदं शरणमज्ञानाम्	६।८४
इदं शास्त्रमधीयानः	१।१०४
इदं शास्त्रं तु कृत्वाऽसौ	१।५८
इदं सामासिकं ज्ञेयं	१२।३४
इदं स्वस्त्ययनं श्रेष्ठं	१।१०६
इन्धनार्थमशुष्काणाम्	११।६४
इन्द्रमेके परे प्राणं	१२।१२३
इन्द्रस्यार्कस्य वायोश्च	९।१०३
इन्द्रानिलयमार्काणाम्	७।४
इन्द्रान्तकाप्पतीन्दुम्य	३।८७
इन्द्रियाणि यशः स्वर्गम्	११।४०
इन्द्रियाणां जये योगं	७।४४
इन्द्रियाणां तु सर्वेषां	२।९९
इन्द्रियाणां निरोधेन	६।६०
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषम्	२।९३
इन्द्रियाणां प्रसंगेन धर्मस्य	१२।५२
इन्द्रियाणां विचरतां	२।८८
इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु	४।१६
इमानप्यनुयुञ्जीत	८।२५९
इमान्नित्यमनध्यायान्	४।१०१
इमं धर्मविधिं विद्यात्	९।३२५
इमं लोकं मातृभक्त्या	२।२३३
इमं हि सर्ववर्णानाम्	९।६
इयं भूमिर्हि भूतानाम्	९।३७
इयं विशुद्धिरुदिता	११।८९
इष्टिं वैश्वानरीं नित्यम्	११।२७
इष्टीः पार्वायणान्तीयाः	४।१०
इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञैः	६।३६
इह कीर्तिमवाप्नोति	२।९
इह चानुत्तमां कीर्तिं	८।८१
इह चामुत्र वा काम्यम्	१२।८९
इह दुश्चरितैः केचित्	११।४८
इहाग्र्यां कीर्तिमाप्नोति	५।१६६
इहैव लोके तिष्ठन्तः	१२।१०२
इहैवास्ते तु सा लोके	३।१४१
ईशो दण्डस्य वरुणः	९।२४५

ईशः सर्वस्य जगतः ९।२४५
ईश्वरं चैव रक्षार्थं ४।१५३
ईश्वरः सर्वभूतानां १।९९

उ

उक्तो वः सर्ववर्णानां ५।१४६
उक्त्वा चैवानृतं साक्ष्ये ११।८८
उग्रान्नं सूतिकान्नं च ४।२१२
उच्चावचानि भूतानि १२।१५
उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेया ६।७३
उच्चावचेषु भूतेषु स्थितं १२।१४
उच्चैःस्थानं घोररूपं ७।१२१
उच्छिन्दन् ह्यात्मनो मूलं ७।१३९
उच्छिष्टमन्नं दातव्यम् १०।१२५
उच्छिष्टान्ननिषेकञ्च ४।१५१
उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टः ५।१४३
उच्छिष्टमन्नं भागधेयं स्यात् ३।२४५
उच्छिष्टः श्राद्धभुक्चैव ४।१०९
उच्छीर्षणंके श्रियं कुर्याद् ३।८९
उच्छेषणं तु यत्तिष्ठेत् ३।२६५
उच्छेषणं भूमिगतं ३।२४६
उत्तमाङ्गोद्भवाज्ज्येष्ठाद् १।९३
उत्तमानुत्तमान्गच्छन् ४।२४५
उत्तमां सेवमानस्तु ८।३६६
उत्तमां सात्त्विकीमेतां १२।५०
उत्तमेषूत्तमं कुर्याद् ३।१०७
उत्तमैरुत्तमैर्नित्यं ४।२४४
उत्तिष्ठेत्प्रथमं चास्य २।१९४
उत्कर्षं योषितः प्राप्ताः ९।२४
उत्कर्षं चापकर्षं च १०।४२
उत्कोचकाश्चौपाधिकाः ९।२५८
उत्कृष्टायाभिरूपाय ९।८८
उत्थाय पश्चिमे यामे ७।१४५
उत्थायावश्यकं कृत्वा ४।९३
उत्पत्तिरेव विप्रस्य १।९८
उत्पत्तिव्यञ्जकः पुण्यः २।६८
उत्पत्स्यते हि तत्पात्रं ४।२२८
उत्पद्यते गृहे यस्य ९।१७०
उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च १२।९६
उत्पादकब्रह्मदात्रोः २।१४६
उत्पादनमपत्यस्य ९।२७
उत्पादयति सावित्र्या २।१४८
उत्पादयेत्पुनर्भूत्वा ९।१७५
उत्सादनं च गात्राणां २।२०९
उदकुम्भं सुमनसः २।१८२
उदके मध्यरात्रे च ४।१०९
उदकं निनयेच्छेषं ३।२१८
उदङ्मुखान्प्राङ्मुखान्वा ८।८७
उदासीनप्रचारं च ७।१५५
उदितेऽनुदिते चैव २।१५
उदितोऽयं विस्तरशः ९।२५०
उदित्यृचा वा वारुण्या ८।१०६
उद्धारेऽनुद्धृते त्वेषां ९।११६
उद्धारो न दशस्वस्ति ९।११५
उद्धारं ज्यायसे दत्त्वा ९।१५६
उद्धृते दक्षिणे पाणौ २।६३
उद्भिज्जाः स्थावराः सर्वे १।४६
उद्यतैराहवे शस्त्रैः ५।२८
उद्बबर्हात्मनश्चैव १।१४
उद्वर्तनमपस्नानं ४।१३२
उद्वहेत द्विजो भार्यां ३।४
उद्वेजनकरैर्दण्डैः ८।३५२
उन्मत्तजडमूकाश्च ९।२०१
उन्मत्तोऽन्धश्च वर्ज्याः स्युः ३।१६१
उन्मत्तं पतितं क्लीवम् ९।७९
उपगृह्यास्पदं चैव ७।१८४
उपचर्यः स्त्रियः साध्व्याः ५।१५४
उपचारक्रियाकेलिः ८।३५७
उपच्छन्नानि चान्यानि ८।२४९
उपजप्यानुपजपेद् ७।१९७
उपधाभिश्च यः कश्चित् ८।१९३
उपनीय गुरुः शिष्यं २।६९
उपनीय तु तत्सर्वं ३।२२८
उपनीय तु यः शिष्यं २।१४०
उपपन्नो गुणैस्सर्वैः ९।१४१
उपपातकसंयुक्तः ११।१०८
उपपातकिनस्त्वेवं ११।१०७
उपरुन्ध्यारिमासीत ७।१९५
उपवासकृशं तन्तु ११।१९५
उपवीतमलङ्कारं ४।६६
उपवेश्य तु तान्विप्रान् ३।२०९
उपसर्जनं प्रधानस्य ९।१२१

उपसेवेत तं नित्यं ७।१७५
उपस्थमुदरं जिह्वा ८।१२५
उपस्थितं गृहे विद्याद् ३।१०३
उपस्पृशेत्स्रवन्त्यां वा ११।१३२
उपस्पृशंस्त्रिषवणं पितॄन् ६।२४
उपस्पृशंस्त्रिषवणं मे ११।२१६
उपस्पृशं स्त्रिषवणं त्व ११।१२३
उपस्पृश्य द्विजो नित्यं २।५३
उपस्पृष्टोदकात्सम्यक् ३।२०८
उपाकर्मणि चोत्सर्गे ४।११६
उपाध्यायान्दशाचार्य २।१४५
उपानहौ च वासश्च ४।६६
उपासते ये गृहस्था: ३।१०४
उपांशु: स्याच्छतगुण: २।८५
उपेक्षकोऽसंकुसुको ६।४३
उपेत्तारमुपेयं च ७।२१५
उप्यते यद्धि तद्बीजं ९।४०
उभयोर्ह्यस्तयोर्मूत्रं ३।२२५
उभयो: सप्त दातव्या: ५।१३६
उभयं तु समं यत्र ९।३४
उभाभ्यामप्यजीवँस्तु १०।८२
उभावपि तु तावेव ८।३७७
उभावपि हि तौ धर्मौ २।१४
उभे त एक शुल्केन ८।२०४
उभे यानासने चैव ७।१६२
उभौ तौ नार्हतो भागं ९।१४३
उभौ निगृह्य दाप्य: स्यात् ८।१८४
उल्कानिर्घातकेतूंश्च १।३८
उष्ट्रयानं समारुह्य ११।२०१
उष्णे वर्षति शीते वा ११।११३

ऊ

ऊनद्विवार्षिकं प्रेतं ५।६८
ऊर्ध्वं तु कालादेतस्मात् ९।९०
ऊर्ध्वं नाभेर्मेध्यतर: १।९२
ऊर्ध्वं नाभेर्यानि खानि ५।१३२
ऊर्ध्वं पितुश्च मातुश्च ९।१०४
ऊर्ध्वं प्राणा ह्युत्क्रामन्ति २।१२०
ऊर्ध्वं विभागाज्जातस्तु ९।२१६
ऊर्ध्वं संवत्सरात्त्वेनां ९।७७
ऊष्मणश्चोपजायन्ते १।४५

ऋ

ऋक्संहितां त्रिरभ्यस्य ११।२६२
ऋक्षेष्ठाग्रयणं चैव ६।१०
ऋग्वेदविद् यजुर्विच्च १२।११२
ऋग्वेदो देवदैवत्य: ४।१२४
ऋग्वेदं धारयन्विप्र: ११।२६१
ऋचो यजूंषि चान्यानि ११।२६४
ऋजवस्ते तु सर्वे स्यु: २।४७
ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य ६।३५
ऋणे देये प्रतिज्ञाते ८।१३९
ऋणे धने च सर्वस्मिन् ९।२१८
ऋणं दातुमशक्तो य: ८।१५४
ऋतमुञ्छशिलं ज्ञेयं ४।५
ऋतामृताभ्यां जीवेत्तु ४।४
ऋतुकालाभिगामी स्यात् ३।४५
ऋतु: स्वाभाविक: स्त्रीणां ३।४६
ऋत्विक्पुरोहिताचार्यै: ४।१७९
ऋत्विग्यदि वृतो यज्ञे ८।२०६
ऋत्विजस्ते हि शूद्राणां ११।४२
ऋत्विजं यस्त्यजेद् याज्य: ८।३८८
ऋषयो दीर्घसन्ध्यत्वात् ४।९४
ऋषयश्चक्रिरे धर्मं २।१५४
ऋषय: पितरो देवा: ३।८०
ऋषय: संयतात्मान: ११।२३६
ऋषिभिर्ब्राह्मणैश्चैव ६।३०
ऋषिभ्य: पितरो जाता: ३।२०१
ऋषियज्ञं देवयज्ञं ४।२१

ए

एक एव चरेन्नित्यम् ६।४२
एक एव सुहृद्धर्मो ८।१७
एक एवौरस: पुत्र: ९।१६३
एककालं चरेद्भैक्षम् ६।५५
एकजातिर्द्विजातींस्तु ८।२७०
एकदेशं तु वेदस्य २।१४१
एकमप्याशयेद्विप्रं ३।८३
एकमुत्पादयेत्पुत्रं ९।६०
एकमेव तु शूद्रस्य १।९१
एकमेव दहत्यग्नि: ७।९
एकरात्रोपवासश्च ११।२१२

एकरात्रं तु निवसन्	३।१०२	एतदेव व्रतं कृत्स्नम्	११।१३०
एकविंशतिमाजातीः	४।१६६	एतदेव व्रतं कुर्युः	११।११७
एकस्तान्मन्त्रवित्प्रीतः	३।१३१	एतद्दण्डविधिं कुर्यात्	८।२२१
एकाकिनश्चात्ययिके	७।१६५	एतद्देशप्रसूतस्य	२।२०
एकाकी चिन्तयानो हि	४।२५८	एतद्धि जन्मसाफल्यम्	१२।९३
एकाकी चिन्तयेन्नित्यं	४।२५८	एतद्धि मत्तोऽधिजगे	१।५९
एकाक्षरं परं ब्रह्म	२।८३	एतद्वृत्तास्तथावृत्थाः	११।२२१
एकादशेन्द्रियाण्याहुः	२।८९	एतद्विदन्तो विद्वांसो ब्राह्मणा	४।९१
एकादशे स्त्रीजननी	९।८१	एतद्विदन्तो विद्वांसस्त्रयी	४।१२५
एकादशं मनो ज्ञेयं	२।९९	एतद्विद्यात्समासेन	४।१६०
एकाधिकं हरेज्ज्येष्ठः	९।११७	एतद्विधानमातिष्ठेद्धार्मिकः	८।२४४
एकान्तरे त्वानुलोम्यात्	१०।१३	एतद्विधानमातिष्ठेदरोगः	७।२२६
एकापायेन वर्तन्ते	१।७०	एतद्विधानं विज्ञेयम्	९।१४८
एकालिङ्गे गुदे तिस्रः	५।१३६	एतद्वोऽभिहितं शौचम्	५।१००
एकैकमपि विद्वांसं	३।१२९	एतद्वोऽभिहितं सर्वं निःश्रेयस	१२।११६
एकैकशश्चरेत्कृच्छ्रं	११।१३९	एतद्वोऽभिहितं सर्वं विधानं	३।२८६
एकैकशो युगानां तु	१।६८	एतद्वोऽयं भृगुः शास्त्रं	१।५९
एकैकं कारयेत्कर्म	७।१३८	एतद्वः सारफल्गुत्वम्	९।५६
एकैकं ग्रासमश्नीयात्	११।२१३	एतद् द्वादशसाहस्रं	१।७१
एकैकं ह्रासयेत् पिण्डम्	११।२१६	एतद्व्याप्तिमदेतेषां	१२।२६
एकोऽनुभुङ्क्ते सुकृतं	४।२४०	एतन्मांसस्य मांसत्वं	५।५५
एकोऽपि वेदविद्धर्मम्	१२।११३	एतमेके वदन्त्यग्निम्	१२।१२३
एकोऽलुब्धस्तु साक्षी स्यात्	८।७७	एतमेव विधिं कृत्स्नम्	११।२१७
एकोऽहमस्मीत्यात्मानं	८।९१	एतयर्चा विसंयुक्तः	२।८०
एकं गोमिथुनं द्वे वा	३।२९	एतस्मिन्नेनसि प्राप्ते	११।१२२
एकं वृषभमुद्धारम्	९।१२३	एता दृष्ट्वाऽस्य जीवस्य	१२।२३
एकः प्रजायते जन्तुः	४।२४०	एतानाकालिकान्विद्याद्	४।१०५
एकः शतं योधयति	७।७४	एतानाहुः कौटसाक्ष्ये	८।१२२
एकः शयीत सर्वत्र	२।१८०	एतानि मान्यस्थानानि	२।१३६
एतत्कष्टतमं विद्यात्	७।५०	एतानि यतिपात्राणि	६।५४
एतच्चतुर्विधं प्राहुः	२।१२	एतानेके महायज्ञान्	४।२२
एतच्चतुर्विधं विद्यात्	७।१००	एतानेव महायज्ञान्निर्वपेत्	६।५
एतच्छौचं गृहस्थानाम्	५।१३७	एतान् दोषानवेक्ष्य त्वं	८।१०१
एतत्तु न परे चक्रुः	९।९९	एतान्द्विजातयो देशान्	२।२४
एतत्त्रयं समाश्रित्य	७।२१५	एतान्यपि सतां गेहे	३।१०१
एतत्त्रयं हि पुरुषं	४।१३६	एतान्येनांसि सर्वाणि	११।७१
एवमक्षरमेतां च	२।७८	एतान्विगर्हिताचारान्	३।१६७
एतवन्तस्तु गतयः	१।५०	एतावानेव पुरुषः	९।४५
एतदुक्तं द्विजातीनां	५।२६	एतांश्चान्यांश्च लोकेऽस्मिन्	९।२४
एतदेव चरेदब्दम्	११।१२९	एतांश्चान्यांश्च सेवेत	६।२९
एतदेव विधिं कुर्यात्	११।१८७	एतास्तिस्रस्तु भार्यार्थे	११।१७२

एतांस्त्वभ्युदितान्विद्यात्	४।१०४	एवं प्रयत्नं कुर्वीत	७।२२०
एताः प्रकृतयो मूलं	७।१५६	एवं यथोक्तं विप्राणां	५।२
एते गृहस्थप्रभवाः	६।८७	एवं यज्ञप्यनिष्टेषु	९।३१९
एते चतुर्णां वर्णानाम्	१०।१३०	एवं यः सर्वभूतानि	३।९३
एतेभ्यो हि द्विजाग्रेभ्यः	१०।३	एवं यः सर्वभूतेषु	१२।१२५
एते मनूंस्तु सप्तान्यान्	१।३६	एवं विजयमानस्य	७।१०७
एते राष्ट्रे वर्त्तमानाः	९।२२६	एवं विधान् नृपो देशान्	९।२६६
एते शूद्रेषु भोज्यान्नाः	४।२५३	एवं वृत्तस्य नृपतेः	७।३३
एते षट् सदृशान् वर्णान्	१०।२७	एवं वृत्तां सवर्णां स्त्रीम्	५।१६७
एतेषामेव जन्तूनां	१२।६९	एवं स जाग्रत्स्वप्नाभ्यां	१।५७
एतेषामेव वर्णानां	१।९१	एवं संन्यस्य कर्माणि	६।९६
एतेषां निग्रहो राज्ञः	८।३८७	एवं स भगवान्देवः	१२।११७
एतेष्वविद्यमानेषु	२।२४८	एवं समुधृतोद्धारे	९।११६
एते सर्वे पृथग्जेयाः	९।२३५	एवं सम्यग्घविर्हुत्वा	३।८७
एतैरुपाययोगैस्तु	९।१०	एवं सर्वमिदं राजा	७।२२६
एतैरुपायैरन्यैश्च	९।१२३	एवं सर्वं विधायेदम्	७।१४२
एतैर्द्विजातयः शोध्याः	११।२२६	एवं सर्वं स सृष्ट्वेदं	१।५१
एतैर्लिङ्गैर्नयेत्सीमां	८।२५२	एवं सर्वानिमान् राजा	८।४२०
एतैर्विवादान्संत्यज्य	४।१८१	एवं सह वसेयुर्वा	९।१११
एतैर्व्रतैरुपोहेत। अगम्यागं	११।१६९	एवं संचिन्त्य मनसा	११।२३१
एतैर्व्रतैरुपोहेत। गुरुस्त्री	११।१०२	एवं स्वभावं ज्ञात्वाऽसौ	९।१६
एतैर्व्रतैरुपोहेयुः	११।१०७	एष ज्ञेयस्त्रिवृद्वेदः	११।२६४
एतैर्व्रतैरुपोह्यं स्यात्	११।१४५	एष दण्डविधिः प्रोक्तो	८।२७८
एतौ वर्षास्विनध्यायौ	४।१०२	एष धर्मविधिः कृत्स्नः	१०।१३१
एतं सामासिकं धर्मं	१०।६३	एष धर्मोऽखिलेनोक्तो	८।२१८
एधोदकं मूलफलं	४।२४७	एष धर्मो गवाश्वस्य	९।५५
एनसां स्थूलसूक्ष्माणाम्	११।२५२	एष धर्मो ह्यनुशिष्टो वा	६।८६
एनस्विभिरनिर्णिक्तैः	११।१८९	एष धर्मः परः साक्षाद्	२।२३७
एनो गच्छति कर्तारं	८।१९	एष धर्मः समासेन	९।१०१
एभिर्जितैश्च जयति	४।१८१	एष नीयायिनामुक्तो	८।४०९
एवमाचारतो दृष्ट्वा	१।११०	एष प्रोक्तो द्विजातीनां	२।६८
एवमादीन् विजानीयात्	९।२६०	एष ब्रह्मर्षिदेशो वै	२।१९
एवमेतैरिदं सर्वं	१।४१	एष वै प्रथमः कल्पः	३।१४७
एवं कर्मविशेषेण	११।५२	एष वोऽभिहितो धर्मो	६।९७
एवं गृहाश्रमे स्थित्वा	६।१	एष वोऽभिहितः कृत्स्नः	११।२६६
एवं चरति यो विप्रः	२।२४९	एष शौचविधिः कृत्स्नः	५।१४६
एवं चरन् सदा युक्तः	९।३२४	एष शौचस्य वः प्रोक्तः	५।११०
एवं दृढव्रतो नित्यम्	११।८१	एष सर्वः समुद्दिष्टः कर्मणां	१२।८२
एवं धर्मं विजानीमः	९।४६	एष सर्वः समुद्दिष्टस्त्रिप्रकारस्य	१२।५१
एवं धर्म्याणि कार्याणि	९।२५१	एष सर्वाणि भूतानि	१२।१२४
एवं निर्वपणं कृत्वा	३।२६०	एष स्त्रीपुंसयोरुक्तः	९।१०३

एष धर्मस्य वो योनिः २।२५
एषा पापकृतामुक्ता ११।१७६
एषामन्यतमे स्थाने ८।११६
एषामन्यतमो यस्य ३।१४६
एषा विचित्राभिहिता ११।१८
एषां हि बाहुगुण्येन ७।७१
एषां हि विरहेण स्त्री ५।१४६
एषु स्थानेषु भूयिष्ठं ८।८
एषोऽखिलेनाभिहितो दण्ड ८।३०१
एषोऽखिलेनाभिहितो धर्मः ८।२६६
एषोऽखिलः कर्मविधिः ६।३२५
एषोदिता गृहस्थस्य ४।२५६
एषोदिता लोकयात्रा ६।२५
एषो नाद्यादनस्योक्तः ११।१६१
एषोऽनापदि वर्णानाम् ६।३३६
एषोऽनुपस्कृतः प्रोक्तो ७।६८
एष्वर्थेषु पशूंहिंसन् ५।४२

ऐ

ऐन्द्रं स्थानमभिप्रेप्सुः ८।३४४
ऐन्द्रं स्थानमुपासीना ५।६३

ओ

ओषधातागतं बीजम् ६।५४
ओषध्यः पशवो वृक्षाः ५।४०
ओषध्यः फलपाकान्ताः १।४६
ओंकारपूर्विकास्तिस्रः २।८१

औ

औदकेनैव विधिना ३।२१५
औरभ्रिको माहिषिकः ३।१६६
औरभ्रेणाथ चतुरः ३।२६८
औरसक्षेत्रजौ पुत्रौ ६।१६५
औरसो विभजन्दायं ६।१६४
औरसः क्षेत्रजश्चैव ६।१५६
औषधान्यगदो विद्या ११।२३७

अं

अंशमंशं यवीयांसः ६।११७

क

कटधां कृताङ्को निर्वास्य ८।२८१
कणान् वा भक्षयेद्दध्नः ११।६२
कण्टकोद्धरणे नित्यं ६।२५२
कण्डनी चोदकुम्भश्च ३।६८
कथं तत्र विभागः स्यात् ६।१२२
कथं मृत्युः प्रभवति ५।२
कथञ्चिदप्यतिक्रामन् ३।१६०
कन्यानां संप्रदानं च ७।१५२
कन्याप्रदानमभ्यर्च्य ३।३०
कन्याप्रदानं विधिवद् ३।२६
कन्याप्रदानं स्वाच्छन्द्यात् ३।३१
कन्याया दूषणं चैव ११।६१
कन्यायां दत्तशुल्कायाम् ६।६७
कन्यां भजन्तीमुत्कृष्टं ८।३६५
कन्यैव कन्यां याकुर्यात् ८।३६६
कपालं वृक्षमूलानि ६।४४
करम्भबालुकातापान् १२।७६
करीषमिष्टकारांश्च ८।२५०
कर्णजवेऽनिले रात्रौ ४।१०२
कर्णौ चर्म च बालांश्च ८।२३४
कर्णौ तत्र पिधातव्यौ २।२००
कर्मचेष्टास्वहः कृष्णः १।६६
कर्मजा गतयो नृणां १२।३
कर्मणां च विवेकार्थं १।२६
कर्मण्यपि समं कुर्यात् ८।१७७
कर्मणां फलनिर्वृत्तिं १२।१
कर्मदण्डस्तु लोकान्त्रीन् १२।३
कर्मस्वभ्युद्यतस्त्रेता ६।३०२
कर्माण्यारभमाणं हि ६।३००
कर्मात्मनां च देवानां १।२२
कर्मारस्य निषादस्य ४।२१५
कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैषां २।६१
कर्मोपकरणाः शूद्राः १०।१२०
कलविङ्कं प्लवं हंसं ५।१२
कलिः प्रसुप्तो भवति ६।३०२
कल्पयित्वास्य वृत्तिञ्च ११।२३
कव्यानि चैव पितरः १।६५
कस्मिंश्चिदपि वृत्तान्ते ३।१४
काणं वाप्यथवा खञ्जम् ८।२७४
कामतोऽज्ञानतो वापि ६।६०
कामकारकृतेऽप्याहुः ११।४५
कामक्रोधौ तु संयम्य ततः १२।११

कामक्रोधौ तु संयम्य योऽर्थान्	८।१७५	कालमासाद्य कार्यं च राजा	९।२९३
कामजेषु प्रसक्तो हि	७।४६	कालमेव प्रतीक्षेत	६।४५
कामतस्तु कृतं मोहात्	११।४६	**कालशाकं महाशाल्काः**	३।२७२
कामतस्तु प्रवृत्तानां	३।१२	**कालेऽदाता पिता वाच्यः**	९।४
कामतो ब्राह्मणवधे	११।८९	काले प्राप्तस्त्वकाले वा	३।१०५
कामतो रेतसः सेकम्	११।१२०	**कालं कालविभक्तीश्च**	१।२४
काममभ्यर्थितोऽश्नीयाद्	२।१८९	किञ्चिच्छ्रेयस्करतरं	१२।८४
काममामरणात् तिष्ठेत्	९।८९	**किञ्चिदेव तु दाप्यः स्यात्**	८।३६३
काममुत्पाद्य कृष्यान्तु	१०।९०	**किञ्चिदेव तु विप्राय**	११।१४१
कामात्मता न प्रशस्ता	२।२	**कितवान्कुशीलवान्क्रूरान्**	९।२२५
कामात्मा विषमः क्षुद्रः	७।२७	**किन्नरान्वानरान्मत्स्यान्**	१।३६
कामाद्दशगुणं पूर्वं	८।१२१	**कीटाश्चाहिपतंगाश्च**	११।२४०
कामाद्धि स्कन्दयन् रेतो	२।१८०	**कीनाशो गोवृषो यानम्**	९।१५०
कामान्माता पिता चैनं	२।१४७	कुटुम्बात्तस्य तद् द्रव्यं	११।१२
कामिनीषु विवाहेषु	८।११३	**कुटुम्बार्थेऽध्यधीनोऽपि**	८।१६७
कामं क्रोधं च लोभं च	२।१७८	कुतपं चासने दद्यात्	३।२३४
कामं तु क्षपयेद्देहम्	५।१५७	कुबेरश्च धनैश्वर्यं	७।४२
कामं तु खलु धर्मार्थं	१०।११७	**कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च**	२।१९
कामं तु गुरुपत्नीनां	२।२१६	**कुरुक्षेत्रांश्च मत्स्यांश्च**	७।१९३
कामं वा समनुज्ञातः	३।२२२	कुरुते धर्मसिध्यर्थं	७।१०
कामं श्राद्धेऽर्चयेन्मित्रं	४।१४४	कुर्यादध्ययने यत्नं	२।१९१
काम्यो हि वेदाधिगमः	२।२	कुर्यादन्यत्र वा कुर्यात्	२।८७
कायक्लेशांश्च तन्मूलान्	४।९२	**कुर्यादहरहः श्राद्धं**	३।८२
कायत्रैदशिकाभ्यां वा	२।५८	**कुर्यात् घृतपशुं सङ्के**	५।३७
कायमङ्गुलिमूलेऽग्रे	२।५९	कुर्युरर्धं यथापण्यं	८।३९८
कारावरो निषादात्तु	१०।३६	कुर्वन्ति क्षेत्रिणामर्थं	९।५१
कारुकाच्छिल्पिनश्चैव	७।१३८	कुर्वीत चैषां प्रत्यक्षं	८।४०२
कारुकान्नं प्रजां हन्ति	४।२१९	कुर्वीत शासनं राजा	९।२६२
कारुषश्च विजन्मा च	१०।२३	**कुलजे वृत्तसम्पन्ने**	८।१७९
कार्पासकीटजोर्णानाम्	११।१६८	कुलसंख्यां च गच्छन्ति	३।६६
कार्पासतान्तवं क्रौञ्चः	१२।६४	कुलान्यकुलतां यान्ति	३।६३
कार्पासमुपवीतं स्यात्	२।४४	कुलान्याशु विनश्यन्ति	३।६५
कार्यं वीक्ष्य प्रयुञ्जीत	७।१६१	कुलान्यैव नयन्त्याशु	३।१५
कार्यं सोऽवेक्ष्य शक्तिं च	७।१०	कुले महति सम्भूतां	७।७७
कार्यः शरीरसंस्कारः	२।२६	**कुले मुख्येऽपि जातस्य**	१०।६०
कार्षापणस्तु विज्ञेयः	८।१३६	कुलं दहति राजाग्निः	७।९
कार्षापणं भवेद्दण्ड्यो	८।३३६	**कुविवाहैः क्रियालोपैः**	३।६३
काष्णैरौरवबास्तानि	२।४१	कुशीलवोऽवकीर्णी च	३।१५५
काष्णायसमलङ्कारः	१०।५२	कुसीदपथमाहुस्तं	८।१५२
कालपक्वैः स्वयं शीर्णैः	६।२१	**कुसीदवृद्धिद्विगुण्यं**	८।१५१
कालमासाद्य कार्यं च दण्डं	८।३२४	**कुसूलधान्यको वा स्यात्**	४।७

कुह्वै चैवानुमत्यै च	३।८६	केशान्तः षोडशे वर्षे	२।६५
कूटशासनकर्तृश्च	९।२३२	केशेषु गृह्णतो हस्तौ	८।२८३
कूपवापीजलानां च	११।१६३	कैवर्तमिति यं प्राहुः	१०।३४
कूष्माण्डैर्वापि जुहुयात्	८।१०६	कोष्ठागारायुधागार	९।२८०
कृच्छ्रातिकृच्छ्रौ कुर्वीत	११।२०८	कौटसाक्ष्यं तु कुर्वाणम्	८।१२३
कृच्छ्रं चान्द्रायणं चैव	११।१७७	कौत्सं जप्त्वाऽप इत्येतत्	११।२४९
कृतज्ञं धृतिमन्तं च	७।२१०	कौशेयाविकयोरूपैः	५।१२०
कृतदारोऽपरान् दारान्	१०।५	कौशेयं तित्तिरिर्हृत्वा	१२।६४
कृतनिर्णेजनांश्चैव	११।१८९	क्रमतः पूर्वमभ्यस्य	४।१२५
कृतबुद्धिषु कर्तारः	१।९७	क्रमशो याति लोकेऽस्मिन्	१२।५३
कृतवापनो निवसेत्	११।७८	क्रमशः क्षेत्रजादीनां	९।२२०
कृतवापो वसेद्गोष्ठे	११।१०८	क्रयविक्रयमध्वानं	७।१२७
कृताक्षुसारादधिका	६।१५२	क्रयविक्रयानुशयः	८।५
कृतान्नं चाकृतान्नेन	१०।९४	क्रयेण स विशुद्धं हि	८।२०१
कृताञ्जलिरुपासीत	४।१५४	क्रव्यादसूकरोष्ट्राणाम्	११।१५६
कृते त्रेतादिषु ह्येषा	१।८३	क्रव्यादान्छाकुनान्सर्वान्	५।११
कृतोपनयनस्यास्य	२।१७३	क्रव्यादांस्तु मृगान् हत्वा	११।१३७
कृतं तद्धर्मतो विद्यात्	९।२३३	क्रव्याद्भिश्च हतस्यान्यैः	५।१३१
कृतं त्रेतायुगं चैव	९।३०१	क्रियाऽभ्युपगमात्त्वेतत्	९।५३
कृत्वा पापं हि सन्तप्य	११।२३०	क्रीडन्निवैतत् कुरुते	१।८०
कृत्वा मूत्रं पुरीषं वा	५।१३८	क्रीणीयाद् यस्त्वपत्यार्थम्	९।१७४
कृत्वा विक्रीय वा किञ्चित्	८।१२२	क्रीत्वा विक्रीय वा किंचित्	८।२२२
कृत्वा विधानं मूले तु	९।१८४	क्रीत्वा स्वयं वाऽप्युत्पाद्य	५।३२
कृत्वैतद् बलिकर्मैवं	३।९४	क्रुद्धयन्तं न प्रतिक्रुद्ध्येत्	६।४८
कृत्स्नमेव लभेतांशं	८।२०७	क्रूरकर्मकृतां चैव	१२।५८
कृत्स्नं चाष्टविधं कर्म	७।१५४	क्रोधजेऽपि गणे विद्यात्	७।५१
कृमिकीटपतंगानाम्	११।७०	क्लृप्तकेशनखश्मश्रुर्दान्तः	४।३५
कृमिकीटपतङ्गाश्च	१।४०	क्लृप्तकेशनखश्मश्रुः पात्री	६।५२
कृमिकीटवयो हत्या	१२।५६	क्लृप्तानां पशुसोमानां	११।२७
कृमिभूतः श्वविष्ठायां	१०।९१	क्लेशांश्च विविधांस्तांस्तान्	१२।८०
कृषिगोरक्षमास्थाय	१०।८२	क्षत्तुर्जातस्तथोग्रायाम्	१०।१९
कृषिजीवी श्लीपदी च	३।१६५	क्षत्तृवैदेहकौ तद्वत्	१०।१३
कृषिं साध्विति मन्यन्ते	१०।८४	क्षत्रविट्शूद्रयोनिस्तु	९।२२९
कृष्णपक्षे दशम्यादौ	३।२७६	क्षत्रशूद्रवपुर्जन्तुः	१०।९
कृषिजानामोषधीनाम्	११।१४४	क्षत्रस्यातिप्रवृद्धस्य	९।३२०
कृष्णसारस्तु चरति	२।२३	क्षत्रियस्य तु मौर्वी ज्या	२।४२
केतितस्तु यथान्यायं	३।१९०	क्षत्रियस्य परो धर्मः	७।१४४
केशकीटावपन्नं च पदा	४।२०७	क्षत्रियस्य हि बालिश्याद्	११।२१
केशकीटावपन्नं च पिबेद्	११।१५९	क्षत्रियो बाहुवीर्येण	११।३४
केशग्रहान्प्रहारांश्च	४।८३	क्षत्रियं चैव वैश्यश्च	८।४११
केशान्तिको ब्राह्मणस्य	२।४६	क्षत्रियं चैव सर्पं च	४।१३५

क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायाम् १०।६
क्षत्रियाज्जातमेवं तु १०।६५
क्षत्रियाद् विप्रकन्यायाम् १०।११
क्षत्रियायामगुप्तायाम् ८।३८४
क्षत्रुग्रपुक्कसानान्तु १०।४६
क्षन्तव्यं प्रभुणा नित्यं ८।३१२
क्षयी चाप्ययितः सोमः ६।३१४
क्षय्यामयाव्यपस्मारि ३।७
क्षरन्ति सर्वा वैदिक्यः २।८४
क्षान्त्या शुद्ध्यन्ति विद्वान्सः ५।१०७
क्षीणस्य चैव क्रमशो ७।१६६
क्षीरं क्षौद्रं दधिघृतं १०।८८
क्षुद्रकाणां पशूनां तु ८।२६७
क्षुधार्तश्चात्तुमभ्यागात् १०।१०८
क्षुवतीं जृम्भमाणां च ४।४३
क्षेत्रकूपतडागानाम् ८।२६२
क्षेत्रजादीन् सुतानेतान् ६।१८०
क्षेत्रबीजसमायोगात् ६।३३
क्षेत्रभूता स्मृता नारी ६।३३
क्षेत्रिकस्य तु तद्बीजं ६।१४५
क्षेत्रिकस्यैव तद्बीजं ६।५४
क्षेत्रियस्यात्यये दण्डो ८।२४३
क्षेत्रेष्वन्येषु तु पशुः ८।२४१
क्षेत्रं हिरण्यं गामश्वं २।२४६
क्षेम्यां सस्यप्रदां नित्यं ७।२१२
क्षौमवच्छ्लक्ष्णकृष्णानाम् ५।१२१

ख

खञ्जो वा यदि वा काणः ३।२४२
खट्वाङ्गी चीरवासा वा ११।१०५
खराश्वोष्ट्रमृगेभानाम् ११।६८
खलात् क्षेत्रादगाराद् वा ११।१७
खानि चैव स्पृशेदद्भिः २।६०
खं सन्निवेशयेत्तेषु १२।१२०
ख्यापनेनानुतापेन ११।२२७

ग

गणान्नं गणिकान्नं च लोकेभ्यः ४।२१६
गणान्नं गणिकान्नं च विदुषा ४।२०६
गतप्रत्यागते चैव ७।१८६
गत्वा कक्षान्तरं त्वन्यत् ७।२२४
गन्धमाल्यैः सुरभिभिः ३।२०६
गन्धर्वा गुह्यका यक्षाः १२।४७
गान्धर्वो राक्षसश्चैव धर्म्यौ ३।२६
गन्धानां च रसानां च ६।३२६
गन्धौषधिरसानां च ७।१३१
गर्दभाजाविकानां तु ८।२६८
गर्भभर्तृद्रुहां चैव ५।६०
गर्भदिकादशे राज्ञः २।३६
गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वीत २।३६
गर्भिणी तु द्विमासादिः ८।४०७
गर्भिणीत्वथवा स्यात्तां ११।७
गर्हितानाद्ययोर्जग्धिः ११।५६
गवा चान्नमुपाघ्रातं ४।२०६
गवां च परिवासेन ५।१२४
गवां च यानं पृष्ठेन ४।७२
गात्राणि चैव सर्वाणि ४।१४३
गान्धर्वो राक्षसश्चैव ३।२१
गान्धर्वः स तु विज्ञेयो ३।३२
गार्भैर्होमैर्जातकर्म २।२७
गां विप्रमजमग्निं वा ३।२६०
गिरिपृष्ठं समारुह्य ७।१४७
गुच्छगुल्मं तु विविधं १।४८
गुणांश्च सूपशाकाद्यान् ३।२२६
गुप्तं सर्वतुकं शुभ्रं ७।७६
गुरुणाऽनुमतः स्नात्वा ३।४
गुरुतल्पव्रतं कुर्यात् ११।१७०
गुरुतल्पे भगः कार्यः ६।२३७
गुरुतल्पाभिमार्ज्यनैः ११।१०३
गुरुदारेषु कुर्वीत २।२१७
गुरुदारे सपिण्डे वा २।२४७
गुरुपत्नी तु युवतिः २।२१२
गुरुपत्न्या न कार्याणि २।२११
गुरुपुत्रेषु चार्येषु २।२०७
गुरुमातृपितृत्यागं ११।५६
गुरुराहवनीयस्तु २।२३१
गुरुवच्च स्नुषायच्च ६।६२
गुरुवत्प्रातिपूज्याः स्युः २।२१०
गुरुशुश्रूषया त्वेवं २।२३३
गुरुषु त्वभ्यतीतेषु ४।२५२
गुरुस्त्रीगमनीयं तु ११।१०२
गुर्वं वा बालवृद्धौ वा ८।३५०

गुरुभृत्यांश्चोज्जिहीर्षन् ४।२५१
गुरोः कुले न भिक्षेत २।१८४
गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु ५।६५
गुरोर्गुरौ सन्निहिते २।२०५
गुरोर्यत्र परीवादः २।२००
गुरोश्चालीकनिर्बन्धः ११।५५
गुरोस्तु चक्षुर्विषये २।१९८
गुरौ वसन्सञ्चिनुयाद् २।१६४
गुरौ शिष्यश्च याज्यश्च ८।३१७
गुर्वर्थं पितृमात्रर्थं ११।१
गुल्मवल्लीलतानां च ११।१४२
गुल्मांश्च स्थापयेदाप्तान् ७।१९०
गुल्मान्वेणूंश्च विविधान् ८।२४७
गूढोत्पन्नोऽविद्धश्च ९।१५९
गूहेत्कूर्म इवाङ्गानि ७।१०५
गृहं तडागमारामं ८।२६४
गृहदोऽग्र्याणि वेश्मानि ४।२३०
गृहमेधिषु चान्येषु ६।२७
गृहसंवेशको दूतो ३।१६३
गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः ६।८९
गृहस्थस्तु यदा पश्येत् ६।२
गृहस्थेनैव धार्यन्ते ३।७८
गृह्णंश्चुल्कं हि लोभेन ३।५१
गृहिणः पुत्रिणो मौलाः ८।६२
गृहीत्वा मुसलं राजा ११।१००
गृहे गुहावरण्ये वा ५।४३
गोत्रारिक्थानुगः पिण्डो ९।१४२
गोत्ररिक्थे जनयितुः ९।१४२
गोपः क्षीरमृतो यस्तु ८।२३१
गोबीजकाञ्चनैर्वैश्यं शूद्रं ८।११३
गोबीजकाञ्चनैर्वैश्यं शूद्रं ८।८८
गोब्राह्मणस्य चैवार्थे ५।९५
गोभिः प्रवर्तिते तीर्थे ११।१९६
गोभिरश्वैश्च यानैश्च ३।६४
गोमिनामेव ते वत्साः ९।५०
गोमूत्रमग्निवर्णं वा ११।९१
गोमूत्रेणाचरेत्स्नानं ११।१०९
गोमूत्रं गोमयं क्षीरम् ११।२१२
गोयानेऽप्सु दिवा चैव ११।१७४
गोरक्षकान् वाणिजिकान् ८।१०२
गोवधोऽयाज्यसंयाज्य ११।५९
गोऽश्वोष्ट्रयानप्रासाद २।२०४
गोषु ब्राह्मणसंस्थासु ८।३२५
गोस्वाम्यनुमते भृत्यः ८।२३१
गौडी पैष्टी च माध्वी च ११।९४
ग्रहीता यदि नष्टः स्यात् ८।१६६
ग्रामघाते हिताज्ञप्तौ ९।२७४
ग्रामजातिसमूहेषु ८।२२१
ग्रामक्षोभान्समुत्पन्नान् ७।११६
ग्रामस्याधिपतिं कुर्य्यात् ७।११५
ग्रामादरण्यं निःसृत्य ६।४
ग्रामाद्बहृत्य वाहनीयात् ६।२८
ग्रामीयककुलानां च ८।२५४
ग्रामेष्वपि च ये केचित् ९।२७१
ग्रामं ग्रामशताध्यक्षः ७।११९
ग्रासाच्छादनमत्यन्तं ९।२०२
ग्रीष्मे पंचतपास्तु स्यात् ६।२३

घ

घातयेद्विविधैर्दण्डैः ९।२७५
घृतकुम्भं वराहे तु ११।१३४
घोरेऽस्मिन्भूतसंसारे १।५०
घ्राणेन सूकरो हन्ति ३।२४१

च

चक्रवृद्धिं समारूढो ८।१५६
चक्रवृद्धिः कालवृद्धिः ८।१५३
चक्रिणो दशमीस्थस्य २।१३८
चक्षुर्नासा च कर्णौ च ८।१२५
चण्डालपुक्कसानां च १२।५५
चण्डालश्वपचानान्तु १०।५१
चण्डालहस्तादादाय १०।१०८
चण्डालात् पाण्डुसोपाकः १०।३७
चण्डालान्त्यस्त्रियो गत्वा ११।१७५
चण्डालेन तु सोपाकः १०।३८
चतुरो ब्राह्मणस्याद्यान् ३।२४
चतुरो व्रतिनोऽभ्येति ११।१२१
चतुरोऽस्तमिते सूर्ये ११।२१९
चतुर्रोशान् हरेद् विप्रः ९।१५३
चतुरः प्रातरश्नीयात् ११।२१९
चतुर्णामपि चैतेषां द्विजा ४।८
चतुर्णामपि चैतेषां प्रायश्चित्तं ९।२३६

चतुर्णामपि वर्णानां दारा ८।३५६
चतुर्णामपि वर्णानां नारी ११।१३८
चतुर्णामपि वर्णानां प्रेत्य ३।२०
चतुर्णामपि वर्णानामाचा १।१०७
चतुर्णामपि वर्णानां यथा ५।५७
चतुर्णामाश्रमाणां च ७।१७
चतुर्थं एकजातिस्तु १०।४
चतुर्थकालमश्नीयात् १०।१०६
चतुर्थकालिको वा स्यात् ६।१६
चतुर्थमाददानोऽपि १०।११८
चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा ६।३३
चतुर्थमायुषो भागमुषित्वा ४।१
चतुर्थे मासि कर्तव्यं २।३४
चतुर्थः सम्प्रदातॄणां ६।१८६
चतुर्भिरपि चैवैतैः ६।६१
चतुर्भिरितरैः सार्धं ३।४६
चतुष्पथाश्चैत्यवृक्षाः ६।२६४
चतुष्पात्सकलो धर्मः १।८१
चतुःसुवर्णन्यूनिष्कान् ८।२२०
चतुःसौवर्णिको निष्को ८।१३७
चत्वारस्तूपक्षीयन्ते ८।१६६
चत्वारि तस्य वर्धन्ते २।१२१
चत्वार्याहुः सहस्राणि १।६६
चन्द्रवित्तेशयोश्च ७।४
चन्द्रस्याग्नेः पृथिव्याश्च ६।३०३
चमसानां ग्रहाणां च ५।११६
चराणामन्नमचरा ५।२६
चरितव्यमतो नित्यं ११।५३
चरूणां लुक्लुवाणां च ५।११७
चरेत्सांतपनं कृच्छ्रं तन्नि ११।१६४
चरेत्सान्तपन कृच्छ्रं प्राजा ११।१२४
चरेयुः पृथिवीं दीनाः ६।२३८
चर्मचार्मिकमाण्डेषु ८।२८६
चर्मविनद्धं दुर्गन्धि ६।७६
चाक्षुषश्च महातेजा १।६२
चाण्डालश्च वराहश्च ३।२३६
चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाः १२।६७
चातुर्वर्ण्यस्य कृत्स्नोऽयम् १२।१
चान्द्रायणविधानैर्वा ६।२०
चान्द्रायणं चरेन्मासं ११।४१
चान्द्रायणं वा त्रीन् मासान् ११।१०६
चारणाश्च सुपर्णाश्च १२।४४
चारैणोत्साहयोगेन ६।२६८
चारैश्चानेकसंस्थानैः ६।२६१
चिकित्सकस्य मृगयोः ४।२१२
चिकित्सकानां सर्वेषाम् ६।२८४
चिकित्सकान्देवलकान् ३।१५२
चिन्तयेद्धर्मकामार्थान् ७।१५१
चिरस्थितमपि त्वार्द्रं ५।२५
चीरवासा द्विजाऽरण्ये ११।१०१
चीरीवाकस्तु लवणं १२।६३
चूडाकर्मद्विजातीनां २।३५
चेलचर्मामिषाणां च ११।१६६
चेष्टाश्चैव विजानीयात् ७।१६४
चैत्यद्रुमश्मशानेषु १०।५०
चैलवच्चर्मणां शुद्धिः ५।११६
चैलाशकश्च भवति १२।७२
चोदितो गुरुणा नित्यं ३।१६१
चोरैरुपप्लुते ग्रामे ४।११८
चौरिकानृतमायाभिः १।८२
चौरैर्हृतं जलेनोढम् ८।१८६

छ

छत्राकं विड्वराहं च ५।१६
छद्मनाऽऽचरितं यच्च ४।१६६
छायायामन्धकारे वा ४।५१
छाया स्वो दासवर्गश्च ४।१८५
छिद्रं च वारयेत्सर्वं ८।२३६
छिन्ननास्ये भग्नयुगे ८।२६१
छुच्छुन्दरिः शुभान् गन्धान् १२।६५
छेत्तव्यं तत्तदेवास्य ८।२७६
छेदनेचैव यन्त्राणाम् ८।२६२

ज

जगतश्च समुत्पत्तिं १।१११
जग्ध्वा मांसमभक्ष्यं च ११।१५२
जग्ध्वा हविर्विधिना मांसं ५।३३
जघन्यं सेवमानां तु ८।३६५
जटाश्च बिभृयान्नित्यं ६।६
जटिलं चानधीयानं ३।१५१
जडमूकान्धबधिरान् ७।११६
जडमूकान्धबधिराः ११।५२

जननेऽप्येवमेव स्यात् ५।६१
जनन्यां संस्थितायान्तु ९।१९२
जनयित्वा सुतं तस्यां ३।१७
जन्मज्येष्ठेन चात्मानम् ९।१२६
जन्मन्येकोदकानां तु ५।७१
जन्मप्रभृति यत्किञ्चित् ८।९०
जन्मवृद्धिक्षयैर्नित्यं १२।१२४
जपतां जुह्वतां चैव ४।१४६
जपन् वाऽन्यतमं वेदम् ११।७५
जपस्तरत्समन्दीयं ११।२५३
जपहोमैरपैत्येनः १०।१११
जपित्वा त्रीणि सावित्र्याः ११।१९४
जपित्वा पौरुषं सूक्तं ११।२५१
जपेच्च जुहुयाच्चैव ४।१४५
जपेद्वा नियताहारः ११।७७
जपोऽहुतो हुतो होमः ३।७४
जप्येनैव तु संसिध्येत् २।८७
जरया चाभिभवनं ६।६२
जराशोकसमाविष्टम् ६।७७
जरां चैवाप्रतीकाराम् १२।८०
जाङ्गलं सस्यसम्पन्नम् ७।६९
जातदन्तस्य वा कुर्युः ५।७०
जातब्राह्मणशब्दस्य १०।१२२
जातिजानपदान्धर्मान् ८।४१
जातिभ्रंशकरं कर्म ११।१२४
जातिमात्रोपजीवी वा ८।२०
जातो नार्यामनार्यायाम् १०।६७
जातो निषादाच्छूद्रायाम् १०।१८
जातोऽप्यनार्यादार्यायां १०।६७
जानन्नपि हि मेधावी २।११०
जानीयादस्थिरां वाचं ८।७१
जामयोऽप्सरसां लोके ४।१८३
जामयो यानि गेहानि ३।५८
जायन्ते दुर्विवाहेषु ३।४१
जायायास्तद्धि जायात्वं ९।८
जालान्तरगते भानौ ८।१३२
जिघांसया ब्राह्मणस्य ११।२०६
जितेन्द्रियो हि शक्नोति ७।४४
जित्वा सम्पूजयेद् देवान् ७।२०१
जिह्वायाः प्राप्नुयाच्छेदं ८।२७०
जीनकामुं कबस्तार्वीन् ११।१३८
जीर्णानि चैव वासांसि ६।१५
जीर्णोद्यानान्यरण्यानि ९।२६५
जीवन्तीनां तु तासां ये ८।२९
जीवसंज्ञोऽन्तरात्माऽन्यः १२।१९
जीवितात्ययमापन्नः १०।१०४
जीवेत्क्षत्रियधर्मेण १०।८१
जीवेदेतेन राजन्यः १०।९५
जैह्मं च मैथुनं पुंसि ११।६७
ज्यायान्परः परो ज्ञेयो ४।८
ज्यायांसमनयोर्विद्याद् ३।१३७
ज्येष्ठ एव तु गृह्णीयात् ९।१०५
ज्येष्ठः कुलं वर्धयति ९।१०९
ज्येष्ठः पूज्यतमो लोके ९।१०९
ज्येष्ठता च निवर्तेत ११।१८५
ज्येष्ठश्चैव कनिष्ठश्च ९।११३
ज्येष्ठस्तु जातो ज्येष्ठायाम् ९।१२४
ज्येष्ठस्य विंश उद्धारः ९।११२
ज्येष्ठांशं प्राप्नुयाच्चास्य ११।१८५
ज्येष्ठेन जातमात्रेण ९।१०६
ज्येष्ठे मासि नयेत्सीमां ८।२४५
ज्येष्ठो यवीयसो भार्याम् ९।५८
ज्योतिरुत्पद्यते भास्वत् १।७७
ज्योतिषश्च विकुर्वाणात् १।७८
ज्ञातिस्वेनानपेयास्ताः ११।१७२
ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा ३।३१
ज्ञातिभ्यः सत्कृतं दत्त्वा ३।२६४
ज्ञातिसम्बन्धिभिस्त्वेते ९।२३९
ज्ञाननिष्ठा द्विजाः केचित् २।१३४
ज्ञाननिष्ठेषु कव्यानि १।१३५
ज्ञानमूलां क्रियामेषां ४।२४
ज्ञानाज्ञानकृतं कृत्स्नं ११।१४५
ज्ञानेनैवापरे विप्राः ४।२४
ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि ३।१३२
ज्ञानं तपोऽग्निराहारो ५।१०५

झ

झल्ला मल्ला नटाश्चैव १२।४५
झल्लो मल्लश्च राजन्यात् १०।२२

ञ

ञिन्माहषहतानां च ५।९५

त

त एव हि त्रयो लोकाः २।२३०
त एव हि त्रयो वेदाः २।२३०
तच्चामिषेण कर्तव्यं ३।१२३
तज्ज्ञेयं विदुषा सर्वं १२।३५
तडागभेदक हन्यात् ९।२७९
तडागान्युदपानानि ८।२४८
ताडागारामदाराणां ११।६१
ततो गृहबलिं कुर्याद् ३।२६५
ततो दुर्गं च राष्ट्रं च ७।२९
ततोऽपरे ज्येष्ठवृषाः ९।१२३
ततो भुक्तवतां तेषां ३।२५३
ततोऽर्धदण्डो भृत्यानां ८।२४३
ततोऽर्धं मध्यमस्य स्यात् ९।११२
ततस्तथा स तेनोक्तः १।६०
ततःप्रभृति यो मोहात् ९।६८
ततः सपत्नाञ्जयति ४।१७४
ततः स्वमातृतः शेषाः ९।१२४
ततः स्वयम्भूर्भगवान् १।६
तत्तत्कार्यं निवर्तेत ८।११७
तत्तत्तेनैव भावेन ४।२३४
तत्तत्पितॄणां भवति ३।२७५
तत्तथा वोऽभिधास्यामि १।४२
तत्तथा स्थापयेद्राजा ८।२६१
तत्तदेव हरेत्तस्य ८।३३४
तत्तद्वोऽहं प्रवक्ष्यामि ७।३६
तत्तन्निवेदयेत्तेभ्यो २।२३६
तत्ते सर्वं शुनो गच्छेत् ८।९०
तत्पर्युषितमप्याद्यं ५।२४
तत्पापं शतधा भूत्वा १२।११५
तत्पिण्डाग्रं प्रयच्छेत ३।२२३
तत्पुण्यफ[illegible]ति
तत्प्रयत्नेन कुर्वीत ४।१६१
तत्प्राज्ञेन विनीतेन ९।४१
तत्समुत्थो हि लोकस्य ८।३५३
तत्सर्वं निर्दहन्त्याशु ११।२४१
तत्सर्वमाचरेद्युक्तो ३।२२३
तत्सहायैरनुगतैः ९।२६७
तत्स्यादायुधसम्पन्नं ७।७५
तत्स्वयं नृपतिः कुर्यात् ९।२३४
तत्र कालेन जायन्ते ९।२४६
तत्र भुक्त्वा पुनः किञ्चित् ७।२२५
तत्र यत्प्रीतिसंयुक्तम् १२।२७
तत्र यद् ब्रह्मजन्मास्य ३।१७०
तत्र यद्रिक्थजातं स्यात् ९।१९०
तत्र ये भोजनीयाः स्युः १।१२४
तत्र राजा भवेद्दण्ड्यः ८।३३६
तत्र वक्तव्यमनृतं ८।१०४
तत्र विद्या न वक्तव्या २।११२
तत्र सत्यं ब्रुवन्साक्षी ८।७४
तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः ७।१४६
तत्र स्वामी भवेद्दण्ड्यः ८।२९३
तत्रात्मभूतैः कालज्ञैः ७।२१७
तत्रापरिवृतं धान्यं ८।२३८
तत्रासीनः स्थितो वाऽपि ८।२
तत्रास्य माता सावित्री २।१७०
तथा गुरुगतां विद्यां २।२१८
तथा गृहस्थमाश्रित्य ३।७७
तथा ग्रामशतानां च ७।११४
तथाऽघमर्षणं सूक्तं ११।२६०
तथा च श्रुतयो बह्व्यः ९।१९
तथा चारैः प्रवेष्टव्यं ९।३०६
तथा ज्ञानाग्निना पापं १२।२४६
तथा तथा कुशलता १२।७३
तथा तथा त्वचेवाहिः ११।२२८
तथा तथा दमः कार्यः ८।२८५
तथा तथा विजानाति ४।२०
तथा तथा शरीरं तत् ११।२२९
तथा तथेमं चामुं च १०।१२८
तथा त्यजन्निमं देहं ६।७८
तथा दहति वेदज्ञः १२।१०१
तथा [illegible]रितं सर्वं ११।२६३
[illegible]
तथा नश्यति वै क्षिप्रं ९।४३
तथा नित्यं यतेयाताम् ९।१०२
तथा निमज्जतोऽधस्तात् ४।१९४
तथाऽनृचे हविर्दत्त्वा ३।१४२
तथा पापान्निगृह्णीयाद् ९।३०८
तथा प्रकृतयो यस्मिन् ९।३०९
तथा प्रयत्नमातिष्ठेत् ७।६८
तथा बाह्यतरं बाह्यः १०।३०
तथाऽभिवर्षेत्स्वं राष्ट्रं ९।३०४

तथा मित्रं ध्रुवं ७।२०८
तथा यशोऽस्य प्रथते ११।१५
तथा युद्धेत सम्पन्नः ७।२००
तथा रक्षेन्नृपो राष्ट्रं ७।११०
तथारयो न हिंसन्ति ७।७३
तथा राज्ञा नियन्तव्याः ९।३०७
तथा राज्ञामपि प्राणाः ७।११२
तथार्याज्जात आर्यायां १०।६९
तथाल्पाल्पो ग्रहीतव्यः ७।१२९
तथावेक्ष्य नृपो राष्ट्रं ७।१२८
तथा श्राद्धस्य पूर्वाह्णाद् ३।२७८
तथा सर्वं संविदध्यात् ७।१८०
तथा सर्वाणि भूतानि ९।३११
तथा हरेत्करं राष्ट्रात् ९।३०५
तथेदं यूयमप्यद्य १।११९
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते ६।७१
तथैव वेदानृषयः ११।२४३
तथैव सप्तमे भक्ते ११।१६
तथैवाक्षेत्रिणो बीजम् ९।५१
तथैवाप्सरसः सर्वाः १२।४७
तथैवाश्रमिणः सर्वे ६।९०
तथोपनिधिहर्तारं ४।१९२
तथ्येनापि ब्रुवन्दाप्यः ८।२७४
तदण्डमभवद्धैमं १।९
तदध्यास्योद्वहेद्भार्यां ७।७७
तदन्नं द्विगुणं दाप्यः ८।३९३
तदप्यक्षयमेव स्यात् ३।२७३
तदधिकं पादिकं वा ३।१
तदवाप्नोत्ययत्नेन ५।४७
तदा तु संश्रयेत्क्षिप्रं ७।१७४
तदा त्वायतिसंयुक्तः ७।१६३
तदात्वे चाल्पिकां पीडां ७।१६९
तदा द्विषां बलं कृत्वा ७।१७०
तदा नियुञ्ज्याद्विद्वांसं ८।९
तदाऽनेन विधानेन ७।१८१
तदाऽयं सर्वभूतात्मा १।५४
तदा यायाद्विगृह्यैव ७।१८३
तदालभ्याप्यनभ्यायः ४।११७
तदा विद्यादनभ्यायं ४।१०४
तदाविशन्ति भूतानि १।१८
तदासीत प्रयत्नेन ७।१७२
तदा सुखमवाप्नोति ६।८०
तदित्यृचोऽस्याः सावित्र्याः २।७७
तदेकसप्ततिगुणं १।७९
तदेषु सर्वमप्येतत् ८।१३०
तद्धनं प्राप्नुयात्सर्वं ८।१०७
तद्दाशैरेव दातव्यं ८।४०८
तद् ब्राह्मणेन नात्तव्यं ११।९५
तद् ब्रूत सर्वं सत्येन ८।८०
तद्देशकुलजातीनां ८।४६
तद्ग्रथं सर्वविद्यानां १२।८५
तद्धि कुर्वन् यथाशक्ति ४।१४
तद्भवत्यसुखोदर्कं ११।१०
तद्भैक्षभुगजपन्नित्यं ११।१७८
तद्रजो प्रातिपं विद्यात् १२।२८
तद्वदन्धर्मतोऽर्थेषु ८।१०३
तद्विप्रलुम्पन्त्यसुराः ३।२२५
तद्विसृष्टः स पुरुषो १।११
तद्वै युग्मसहस्रान्तं १।७३
तद्वः सर्वं प्रवक्ष्यामि ३।२२
तनुलोमकेशदशनां ३।१०
तन्तुवायो दशपलम् ८।३९७
जन्मे रेतः पिता वृक्तां ९।२०
तपत्यादित्यवच्चैव ७।६
तपश्चरंश्चोग्रतरं ६।२४
तपसश्चरणैश्चोग्रैः ६।७५
तपसा किल्बिषं हन्ति १२।१०४
तपसापनुनुत्सुस्तु ११।१०१
तपसैव प्रपश्यन्ति ११।२३६
तपसैव प्रसिध्यन्ति ११।२३७
तपसैव विशुद्धस्य ११।२१२
तपसैव सुतप्तेन ११।२३९
तपस्तप्त्वाऽसृजद्यं तु १।३३
तपोनिश्चयसंयुक्तं ११।१०७
तपोबीजप्रभावैस्तु १०।४२
तपोमध्यं बुधैः प्रोक्तं ११।२३४
तपोमूलमिदं सर्वम् ११।२३४
तपो वाचं रतिं चैव १।२५
तपो विद्या च विप्रस्य १२।१०४
तपोविशेषैर्विविधैः २।१६५
तपः परं कृतयुगे १।८६
तपः परं स्वाध्यायनिष्ठाश्च ३।१३४
तप्तकृच्छ्रं चरन् विप्रः ११।२१४

तप्तमासेचयेत्तैलं ८।२७२
तमनेन विधानेन ८।२२८
तमपीह गुरुं विद्यात् २।४६
तमसा बहुरूपेण १।४६
तमसो लक्षणं कामः १२।३८
तमाद्य दण्डयेद्राजा ८।३३३
तमाहुः सर्वलोकस्य ८।३०८
तमोऽयं तु समाश्रित्य १।५५
तमोरसं विजानीयात् ६।१६६
तया स काये निर्दग्धे ११।६०
तयोरन्यतरः प्रैति २।१११
तयोरपि कुटुम्बार्थं ११।१४
तयोरेवान्तरं गिर्योः २।२२
तयोर्दानं च कन्यायाः ११।६०
तयोर्दैवमचिन्त्यं तु ७।२०५
तयोर्नित्यं प्रतीघाते ६।२२२
तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् २।२२८
तयोर्यद्यस्य पित्र्यं स्यात् ६।१६१
तयोर्हि मातापितरौ ६।१३३
तस्करप्रतिषेधार्थं ६।२६६
तस्माच्छरीरमित्याहुः १।१७
तस्मात्तयोः स्वयोन्यैव ५।११३
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः ६।१३८
तस्मात्प्रजाविशुध्यर्थं ६।६
तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं ८।८३
तस्मात्समागमे तेषां ११।८३
तस्मात्सर्वाणि भूतानि ७।१०३
तस्मात्साधारणो धर्मः ६।६६
तस्मात्स्वेनैव वीर्येण ११।३२
तस्मादभिभवत्येषः ७।५
तस्मादविद्वान्बिभियात् ४।१६१
तस्मादस्मिन्सदा युक्तो १।१०८
तस्मादस्य वधं राजा ८।३८१
तस्मादेतत्त्रयं नित्यं ४।१३६
तस्मादेतत्परं मन्ये १२।६६
तस्मादेताः सदा पूज्याः ३।५६
तस्मादेतैरधिक्षिप्तः ४।१८५
तस्माद् घृतं न सेवेत ६।२२७
तस्माद् द्विजेभ्यो दत्त्वार्थं ८।३८
तस्माद्धर्मो न हन्तव्यः ८।१५
तस्माद्धर्मं यमिष्टेषु ७।१३
तस्माद्धर्मं सहायार्थं ४।२४२
तस्माद् ब्राह्मणराजन्यौ ११।६३
तस्मान्न देवाः श्रेयांसं ८।६६
तस्मान्मेध्यतमं त्वस्य १।६२
तस्माद्यथा इव स्वामी ८।१७३
तस्माद्युग्मासु पुत्रार्थी ३।४८
तस्माद्राज्ञा निधातव्यः ७।८३
तस्माद्विमुक्तिमन्विच्छन् ११।२३२
तस्माद्वेदानकुशलः ११।३७
तस्मिञ्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा १।६
तस्मिन्देशे य आचारः २।१८
तस्मिन्नण्डे स भगवान् १।१२
तस्मिन् युक्तस्यैति नित्यं ३।१२७
तस्मिंस्तावत्तपः कुर्यात् ११।२३३
तस्मिन्स्वपति सुप्ते तु १।५३
तस्मै नाकुशलं ब्रूयात् ११।३५
तस्मै मां ब्रूहि विप्राय २।११५
तस्मै हव्यं न दातव्यं ३।१६८
तस्य कर्मविवेकार्थं १।१०२
तस्य कर्मानुरूपेण ८।२०६
तस्य कुर्यान्नृपो दण्डं ८।२२४
तस्य तद्वर्धते नित्यं ६।२५५
तस्य तद्धितमं कुर्यात् ६।७३
तस्य तावच्छती संध्या १।६६
तस्य तेजोमया लोकाः ६।३६
तस्य दण्डविकल्पः स्यात् ६।२२८
तस्य दण्डविशेषांस्तु ८।११६
तस्य देहाद्विमुक्तस्य ६।४०
तस्य नित्यं क्षरत्येष २।१०७
तस्य पुत्रे च पत्न्यां च ५।८०
तस्य प्रक्षुभ्यते राष्ट्रं ६।२५४
तस्य प्रेत्य फलं नास्ति ३।१३६
तस्य मृत्युजनं ज्ञात्वा ११।२२
तस्य मध्ये सुपर्याप्तं ७।७६
तस्य तावच्छती (१।३८)१।६६
तस्य व्यपैति ब्राह्मण्यं ११।६७
तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिन् २।१६
तस्य षड्भागभाग्राजा ८।३०५
तस्य सर्वाणि भूतानि ७।१५
तस्य सीदति तद्राष्ट्रं ८।२१
तस्य सोऽहर्निशस्यान्ते १।७४
तस्य ह्याशु विनाशाय ७।१२

तस्याददीत षड्भागं ८।३५
तस्यापि तत्क्षुधा राष्ट्रं ७।१३४
तस्याप्यन्नं यथाशक्ति ३।१०८
तस्यामात्मनि तिष्ठत्यां ६।१३०
तस्यार्थे सर्वभूतानां ७।१४
तस्याशु कर्त्रे अङ्गुल्यौ ८।३६७
तस्याहुः संप्रणेतार ७।२६
तस्यां चैव प्रसूतस्य ३।१६
तस्यां जाताः समांशाः स्युः ६।१५७
तस्यां त्वरोचमानायां ३।६२
तस्याः पुरीषे तन्मांसं ३।२५०
तस्येह त्रिविधस्यापि १२।४
तस्येह भागिनौ दृष्टौ ६।५३
तस्यैव वा विधानस्य ८।३६
तस्यैष व्यभिचारस्य ६।२१
तस्योत्सर्गेण शुध्यन्ति ११।१६३
ताडयित्वा तृणेनापि कण्ठे ११।२०५
ताडयित्वा तृणेनापि संरम्भात् ४।१६६
ताडगुणा सा भवति ६।२२
ताडनोहति तत्तस्मिन् ६।३६
ताडशं फलमाप्नोति ६।१६१
ताडशान्सम्प्रवक्ष्यामि ८।६१
ताडशेन शरीरेण १२।८१
तानननन्तरनाम्नस्तु १०।१४
तानब्रवीदृषीन्सर्वान् १।६०
तानानयेद्वशं सर्वान् ७।१०७
तानि कारुककर्माणि १०।१००
तानि कृत्याहतानीव ३।५८
तानि निर्हरतो लोभान् ८।३६६
तानि सन्धिषु सीमायां ८।२५१
तानि सम्यक् प्रवक्ष्यामि २।८६
तान्निबोधत कात्स्न्र्येन ३।१८३
तान्प्रजापतिराहैत्य ४।२२५
तान्प्रसह्य नृपो हन्यात् ६।२६६
तान्प्राज्ञोऽहमिति ब्रूयात् २।१२३
तान्यवक्किालिकतया १२।६६
तान्येव पञ्च भूतानि १२।२२
तान् विदित्वा सुचरितैः ६।२६१
तान्वोऽभ्युपायान्वक्ष्यामि ११।२१०
ताञ्छिष्याच्चौरदण्डेन ८।२६
तान्समासेन वक्ष्यामि १२।३६
तान्सर्वानभिसंदध्यात् ७।१५६
तान्सर्वान्घातयेद्राजा ६।२२४
तान्सावित्रीपरिभ्रष्टान् १०।२०
तान्हव्यकव्ययोर्विप्रान् ३।१५०
तापसा यतयो विप्राः १२।४८
तापसेष्वेव विप्रेषु ६।२७
ताभिः सार्धमिदं सर्वं १।२७
ताम्यां स शकलाभ्यां च १।१३
तामनेन विधानेन ६।६६
तामिस्रमन्धतामिस्रं ४।८८
तामिस्रादिषु चाप्रेषु १२।७५
ताम्ररूप्यसुवर्णानां ८।१३१
ताम्रायःकांस्यरैत्यानाम् ५।११४
ता यदस्यायनं पूर्वं १।१०
ता राजसर्षपस्तिस्रः ८।१३३
तावतां न फलं तत्र ३।१७६
तावतां न भवेद्दातुः ३।१७८
तावतो ग्रसते प्रेत्य ३।१३३
तावतोऽतन्द्रितान्दक्षान् ७।६१
तावतोऽब्दानमुत्रान्यैः ४।१६८
तावतः संख्यया तस्मिन् ८।६७
तावत्यब्दसहस्राणि ११।२०७
तावद्भूवत्यप्रयतो ११।१५३
तावन्मृद्वारि चादेयं ५।१२६
तावत्स्वादशुचिर्विप्रो ५।७६
तावानेव स विज्ञेयः ८।१६४
तावुभावप्यसंस्कार्यौ १०।६८
तावुभौ गच्छतः स्वर्गं ४।२३५
तावुभौ चौरवच्छास्यौ ८।१६१
तावुभौ पतितौ स्यातां ६।६३
तावुभौ भूतसंपृक्तौ १२।१४
तासामाद्याश्चतस्रस्तु ३।४७
तासां क्रमेण सर्वासां ३।६६
तासां चैवरुद्धानां ८।२३६
तासां पुत्रेषु जातेषु ६।१४६
तासां वर्णक्रमेण स्यात् ६।८५
तास्येव भूतयोनिषु १२।१७
तिरस्कृत्योच्चरेत्काष्ठं ४।४६
तिर्यक्त्वं तामसा नित्यं १२।४०
तिलप्रदः प्रजामिष्टां ४।२२६
तिलैर्वीहियवैर्माषैः ३।२६७

तिष्ठन्तीष्वनुतिष्ठेत्तु	११।१११	**तेषामद्भिः स्मृतं शौचं**	६।५३
तीक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात्	७।१४०	**तेषामनुपरोधेन**	२।२३६
तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव	७।१४०	तेषामपीह विज्ञेयं	३।२००
तीरितं चानुशिष्टञ्च यत्र	९।२३३	**तेषामर्थे नियुञ्जीत**	७।६२
तीर्थं तद्व्यकव्यानां	३।१३०	**तेषामाद्यमृणादानं**	८।४
तुरायणं च क्रमशः	६।१०	**तेषामारक्षभूतं तु**	३।२०४
तुरीयो ब्रह्महत्यायाः	११।१२६	**तेषामिदं तु सप्तानां**	१।१९
तुलामानम्प्रतीमानम्	८।४०३	तेषामुत्पन्नतन्तूनां	९।२०३
तृणकाष्ठद्रुमाणाञ्च	११।१६६	**तेषामुदकमानीय**	३।२१०
तृणगुल्मलतानां च	१२।५८	तेषामृषीणां सर्वेषां	३।१९४
तृणानि भूमिरुदकं	३।१०१	**तेषां ग्राम्याणि कार्म्याणि**	७।१२०
तृणं च गोभ्यो ग्रासार्थं	८।३३९	तेषां छित्वा नृपो हस्तौ	९।२७६
तृतीयं धनदण्डं तु	८।१२९	**तेषां तु समवेतानां**	२।१३९
तृतीयं यज्ञदीक्षायां	२।१६९	तेषां त्वगस्थिरोमाणि	४।२२१
तृतीयिनस्तृतीयांशः	८।२१०	**तेषां त्ववयवान्सूक्ष्मान्**	१।१६
तै च स्वा चैव राज्ञश्च	३।१३	**तेषां त्रयाणां शुश्रूषा**	२।२२९
ते चापि ब्राह्मान् सुबहून्	१०।२९	**तेषां दत्त्वा तु हस्तेषु**	३।२२२
ते तमर्थमपृच्छन्त	२।१५२	**तेषां दोषानभिख्याप्य**	९।२६२
तेन चेदविवादस्ते	८।९२	**तेषां न दद्याद्यदि तु**	८।१८४
तेन तुल्यः स्मृतो राजा	४।८६	तेषां निष्ठा तु विज्ञेया	८।२२७
तेन तै प्रेत्य पशुतां	३।१०४	तेषां वृत्तं परिणयेत्	७।१२२
तेन यद्यत्समृत्येन	७।३६	**तेषां वेदविदो ब्रूयुः**	११।८५
तेन यायात्सतां मार्गं	४।१७८	तेषां षड्बन्धुदायादा.	९।१५८
तेन सार्धं विनिश्चित्य	७।५९	**तेषां सततमज्ञानाम्**	११।४३
तेनानुभूयता यामीः	१२।१७	तेषां सर्वत्रगं तेजः	९।३२१
तेनायुर्वर्धते राज्ञः	७।१३६	तेषां सर्वस्वमादाय	७।१२४
तेनार्धवृद्धिर्मोक्तव्या	८।१५०	तेषां स्नात्वा विशुद्धयर्थं	६।६९
तेनास्य क्षरति प्रज्ञा	२।९९	**तेषां स्वं स्वमभिप्रायम्**	७।५७
ते निन्दितैर्वर्तयेयुः	१०।४६	**तेषु तेषु तु कृत्येषु**	९।२९७
तेनैव कृत्स्नमाप्नोति	३।२८३	**तेषु दर्भेषु तं हस्तं**	३।२१६
तेनैव विप्रानासीनान	३।२१९	**तेषु सम्यग्वर्तमानः**	२।५
तेनैव सार्धं प्रास्येयुः	११।१८६	**ते षोडश स्याद्धरणं**	८।१३६
ते पतन्त्यन्धतामिस्रं	४।१९७	**तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु**	२।२२८
तेऽपि भोगाय कल्पन्ते	७।२३	तेष्वेव नित्यं शुश्रूषां	२।२३५
ते पृष्टास्तु यथा ब्रूयुः समस्ताः	८।२५५	**ते सम्यगुपजीवेयुः**	१०।७४
ते पृष्टास्तु यथा ब्रूयुः सीमासन्धिषु	८।२६१	ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये	२।१०
तेऽभ्यासात् कर्मणां तेषाम्	१२।७४	तेऽस्य गृह्याणि कर्माणि	७।७८
तेऽभ्योऽधिगच्छेद्विनयं	७।३९	तेऽस्य सर्वाण्यवेक्षेरन्	७।८१
तेभ्यो लब्धेन भक्षेण	११।१२३	**ते ह्यनं कुपिता हन्युः**	९।३१३
ते वै सस्यस्य जातस्य	९।४९	**तैजसानां मणीनां च**	५।१११
ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः	१२।१०९	तैरेव चावृतो भूतैः	१२।२०

तैर्भूतैः स परित्यक्तः १२।२१
तैः सार्धं चिन्तयेन्नित्यं ७।५६
तैस्तैरुपायैः संगृह्य ८।४८
तौ तु जातौ परक्षेत्रे ३।१७५
तौ धर्मं पश्यतस्तस्य १२।१६
तौ नृपेण ह्यधर्मज्ञौ ८।५६
तौत्रिकं वृथाट्या च ७।४७
तौ हि च्युतौ स्वकर्मभ्यः ८।४१८
तं कालेन वदेन्नाम्ना ६।१७२
तं कामजमरिषड्वर्गीयं ६।१४७
तं चेदभ्युदियात्सूर्यः २।२२०
तं देवनिर्मितं देशं २।१६
तं देशकालौ शक्तिं च ७।१६
तं प्रतीतं स्वधर्मेण ३।३
तं मां वित्तास्य सर्वस्य १।३३
तं यत्नेन जयेल्लोभं ७।४६
तं यस्तु द्वेष्टि संमोहात् ७।१२
तं राजा निर्धनं कृत्वा १०।६६
तं राजा प्रणयन् सम्यक् ७।२७
तं शुश्रूषेत जीवन्तं ५।१५१
तं हि स्वयम्भूः स्वादास्यात् १।६४
तं ह्यस्याहुः परं धर्म ४।१४७
तां ब्रूयाद्भवतीत्येवं २।१२६
तां विवर्जयतस्तस्य ४।४२
तांश्चारयित्वा त्रीन्कृच्छ्रान् ११।१६१
तां श्वभिः खादयेद्राजा ८।३७१
तां साध्वीं बिभृयान्नित्यं ६।६५
तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति ८।८५
तांस्तु यः स्तेनयेद्वाचं ४।२५६
त्यजन्पतितानेतान् ८।३८६
त्यजेदाश्वयुजे मासि ६।१५
त्रपु सीसं तथा लोहम् १०।२
त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वे १२।१११
त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां त्रिषु १२।३४
त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां यः १२।३०
त्रयाणामप्युपायानां ७।२००
त्रयाणामुदकं कार्यम् ६।१८६
त्रयोदशी च शेषास्तु ३।४७
त्रयो धर्मा निवर्तन्ते १०।७७
त्रयं सुविदितं कार्यं १२।१०५
त्रयः परार्थे क्लिश्यन्ति ८।१६६
त्रसरेणवोऽष्टौ विज्ञेया ८।१३३
त्रिगुणं स्याद्वनस्थानां ५।१३७
त्रिणाचिकेतः पञ्चाग्निः ३।१८५
त्रिदण्डमेतन्निक्षिप्य १२।११
त्रिपक्षादब्रुवन् साक्ष्यम् ८।१०७
त्रिपदा चैव सावित्री २।८१
त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः २।७७
त्रिरहस्त्रिर्निशायां च ११।२२३
त्रिराचामेदपः स्वानि चैव २।६०
त्रिराचामेदपः शारीरम् ५।१३६
त्रिरात्रमाहुराशौचम् ५।८०
त्रिवारं प्रतिरोद्धा वा ११।८०
त्रिविधा त्रिविधैषा तु १२।४१
त्रिविधस्त्रिविधः कृत्स्नः १२।५१
त्रिवृता ग्रन्थिनैकेन २।४३
त्रिंशत्कला मुहूर्तः स्यात् १।६४
त्रिंशद्वर्षोद्वहेत् कन्याम् ६।६४
त्रिषु वर्णेषु यानि स्युः ८।१२४
त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि ४।१६३
त्रिष्वग्रमाद्यन्तेषु २।२३२
त्रिष्वेतेष्विति कृत्यं हि २।२३७
त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति ३।२३५
त्रीणि देवाः पवित्राणि ५।१२७
त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत ६।६०
त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि ३।२३५
त्रीण्याद्यान्याश्रितस्त्वेषां ७।७२
त्रीण्युत्तराणि क्रमशः ७।७२
त्रींस्तु तस्माद्विजिःशेषान् ३।२१५
त्रैविद्यवृद्धान्विदुषः ७।३७
त्रैविद्याः शुचयो दान्ताः ६।१८८
त्रैविद्येभ्यस्त्रयीं विद्याम् ७।४३
त्रैविद्योहैतुकस्तर्की १२।१११
त्वङ्मेदकः शतं दण्ड्यो ८।२८४
त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य १।३
त्र्यब्दपूर्वं श्रोत्रियाणां २।१३४
त्र्यब्दं चरेद् वा नियतः ११।१२८
त्र्यवरा परिषज्ज्ञेया १२।११२
त्र्यवरा वापि वृत्तस्थाः १२।११०
त्र्यवरैः साक्षिभिर्भव्यः ८।६०
त्र्यंशं दायाद्धरेद् विप्रः ६।१५१
त्र्यष्टवर्षोऽष्टवर्षां वा ६।६४

त्र्यहेण शूद्रो भवति	१०।९२	दशमासांस्तु तृप्यन्ति	३।२७०
त्र्यहैहिको वाऽपि भवेत्	४।७	दशलक्षणको धर्मः	६।९१
त्र्यहं चोपवसेदन्त्यं	११।२१३	दशलक्षणकं धर्मम्	६।९४
त्र्यहं तूपवसेद् युक्तः	११।१५९	दशलक्षणयुक्तस्य	१२।४
त्र्यहं न कीर्तयेद् ब्रह्म	४।११०	दशलक्षणानि धर्मस्य	६।९३
त्र्यहं परं च नाश्नीयात्	११।२११	दशसूनासमं चक्रं	४।८५
त्र्यहं प्रातस्त्र्यहं सायम्	११।२११	दश सूनासहस्राणि	४।८६
द		दश स्थानानि दण्डस्य	८।१२४
दक्षिणां दिशमाकाङ्क्षन्	३।२५८	दशातिवर्तनान्याहुः	८।२९०
दक्षिणाप्रवणं चैव	३।२०६	दशापरे तु क्रमशः	९।१६५
दक्षिणाभिमुखो रात्रौ	४।५०	दशाब्दाख्यं पौरसख्यं	२।१३४
दक्षिणासु च दत्तासु	८।२०७	दशावरा वा परिषद्यम्	१२।११०
दक्षिणेन मृतं शूद्रम्	५।९२	दशाहं शावमाशौचं	५।५९
दण्डव्यूहेन तन्मार्गं	७।१८७	दशी कुलं तु भुञ्जीत	७।११९
दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वाः	७।१८	दस्युनिष्क्रिययोस्तु स्वं	११।१८
दण्डशुल्कावशेषं च	८।१५९	दह्यन्ते ध्मायमानानाम्	६।७१
दण्डः सुप्तेषु जागर्ति	७।१८	दातव्यं बान्धवैस्तत् स्यात्	८।१६६
दण्डस्य पातनं चैव	७।५१	दातव्यं सर्ववर्णेभ्यो	८।४०
दण्डस्य हि भयात्सर्वं	७।२२	दाता नित्यमनादाता	६।८
दण्डेनैव तमप्योषेत्	९।२७३	दातारो नोऽभिवर्धन्तां	३।२५९
दण्डेनैव प्रसह्यैतान्	७।१०८	दातुर्भवत्यनर्थाय	४।१९३
दण्डो हि सुमहत्तेजो	७।२८	दातुर्यद् दुष्कृतं किञ्चिद्	३।१९१
दत्तस्यैषोदिता धर्म्या	८।२१४	दातुन्प्रतिग्रहीतुश्च	३।१४१
दत्तानि हव्यकव्यानि	३।१७५	दानधर्मं निषेवेत	४।२२७
दत्तेन मासं तृप्यन्ति	३।२६७	दानप्रतिभुवि प्रेते	८।१६०
दत्त्वा धनं तु शिष्येभ्यः	९।२२३	दानेन वधनिर्णेकम्	११।१३९
दत्त्वा पुनः प्रयच्छन्हि	९।७१	दानं प्रतिग्रहं चैव	१।८८
ददौ स दश धर्माय	९।१२९	दानं प्रतिग्रहश्चैव	१०।७४
दद्याच्च सर्वभूतानां	९।३३३	दापयेद्धनिकस्यार्थं दण्ड	८।५१
दधि मक्ष्यं च भुक्तेषु	५।१०	दापयेद्धनिकस्यार्थमध	८।४७
दध्नः क्षीरस्य तक्रस्य	८।३२६	दायाद्यस्य प्रदानं च	११।१८४
दन्तजातेऽनुजाते च	५।५८	दाराग्निहोत्रसंयोगं	३।१७४
दर्भाः पवित्रं पूर्वाह्णे	३।२५६	दाराधिगमनं चैव	१।११२
दर्शनप्राप्तिमाप्ये तु	८।१६०	दाराधीनस्तथा स्वर्गः	९।२८
दर्शनेन विहीनस्तु	६।७४	दासापराधतस्तोये	८।४०९
दर्शमस्कन्दयन्पर्व	६।९	दासवर्गस्य तत्पित्र्ये	३।२४६
दर्शेन चार्धमासान्ते	४।२५	दासाश्वस्यहर्ता च	८।३४२
दश कामसमुत्थानि	७।४५	दासीघटमपां पूर्णम्	११।१८३
दश ध्वजसमो वेशो	४।८५	दास्यन्तु कारयेल्लोभात्	८।४१२
दश पूर्वान्परान्वंश्यान्	३।३७	दास्यायैव हि सृष्टोऽसौ	८।४१३
दशमं द्वादशं वापि	८।३३	दास्यां वा दासदास्यां वा	९।१७९

दाहयेदग्निहोत्रेण ५।१६७
दिवाकीर्तिमुदक्यां च ५।८५
दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो ३।९०
दिवा चरेयुः कार्यार्थम् १०।५५
दिवानुगच्छेद् गास्तास्तु ११।११०
दिवा वक्तव्यता पाले ८।२३०
दिवं गतानि विप्राणां ५।१५९
दीक्षितस्य कदर्यस्य ४।२१०

दीप्यमानः स्ववपुषा २।२३२
दीर्घाध्वनि यथादेशं ८।४०६
दीर्घोल्लघूंश्चैव नरान् ७।१९३
दुःखभागी च सततं ४।१५७
दुखं सुमहदाप्नोति ४।१६७
दुःखिता यत्र दृश्येरन् ९।२८८
दुदोह यज्ञसिद्धयर्थं १।२३
दुराचारो हि पुरुषो ४।१५७
दुष्टसामन्तहिंस्रश्च ९।३१०
दुष्येयुः सर्ववर्णाश्च ७।२४
दुहित्रा दासवर्गेण ४।१८०
दूत एव हि संधत्ते ७।६६
दूतं चैव प्रकुर्वीत ७।६३
दूतं संप्रेषणं चैव ७।१५३
दूतस्तत्कुरुते कर्म ७।६६
दूरस्थो नार्चयेदेनं २।२०२
दूरादावसथान्मूत्रं ४।१५१
दूरादाहृत्य समिधः २।१८६
दूरादेव परीक्षेत ३।१३०
दूषयेच्चास्य सततं ७।१९५
दूषितं केशकीटैश्च ५।१२५
दूषितोऽपि चरेद् धर्मं ६।६६
दृढकारी मृदुर्दान्तः ४।२४६
दृष्टिपूतं न्यसेत् पादम् ६।४६
दृष्ट्वा हृष्येत् प्रसीदेच्च २।५४
देवकार्याद् द्विजातीनां २।२०३
देवताऽतिथिभृत्यानां ३।७२
देवतानां गुरौ राज्ञः ४।१३०
देवताभ्यस्तु तद् हुत्वा ६।१२
देवताभ्यर्चनं चैव २।१७६
देवत्वं सात्त्विका यान्ति १२।४०
देवदत्तां पतिर्भार्याम् ९।९५

देवदानवगन्धर्वा ७।२३
देवब्राह्मणसान्निध्ये ८।८७
देवराद् वा सपिण्डाद् वा ९।५९
देवराय प्रदातव्या ९।९७
देवस्वं ब्राह्मणस्वं वा ११।२६
देवानृषीन्मनुष्यांश्च ३।११७
देवान्कुर्युरदेवांश्च ९।३१५
देवान्देवनिकायांश्च १।३६
देवान्पितॄंश्चार्चयित्वा ५।३२
देवाश्चैतान्समेत्योचुः २।१५२
देवेभ्यस्तु जगत्सर्वं ३।२०१
देशधर्मांञ्जातिधर्मान् १।११८
देशानलब्धांल्लिप्सेत ९।२५१
देशं रूपं च कालं च ८।४५
देहशुद्धिं प्रवक्ष्यामि ५।५७
देहाद्उत्क्रमणं चास्मात् ६।६३
देहेषु च समुत्पत्तिं ६।६५
दैत्यदानवयक्षाणां ३।१९६
दैवकर्मणि युक्तो हि ३।७५
दैवतान्यभिगच्छेत्तु ४।१५३
दैवपित्र्यातिथेयानि ३।१८
दैवाद्यन्तं तदीहेत ३।२०५
दैविकानां युगानां तु १।७२
दैवे कर्मणि पित्र्ये वा ३।२४०
दैवे राज्यहनी वर्षं १।६७
दैवे हविषि पित्र्ये वा ३।१६९
दैवोढाजः मृतश्चैव ३।३८
दैवं हि पितृकार्यस्य २।२०३
दैहिकानां मलानां च ५।१३४
दोषो भवति विप्राणां १०।१०३
दौर्बल्यं ख्याप्यते राज्ञः ८।१७१
दौहित्र एव च हरेत् ९।१३१
दौहित्रोऽपि ह्यमुत्रैनं ९।१३९
दौहित्री ह्यखिलं रिक्थम् ९।१३२
दौहित्रं विट्पतिं बन्धुं ३।१४८
द्यूतपानप्रसक्ताश्च १२।४५
द्यूतमेतत् पुरा कल्पे ९।२२७
द्यूतं च जनवादं च २।१७९
द्यूतं समाह्वयं चैव यः ९।२२४
द्यूतं समाह्वयं चैव राजा ९।२२१
द्यौर्भूमिरापो हृदयं ८।८६
द्रव्याणां चैव सर्वेषां ५।११५

द्रव्याणामल्पसाराणाम्	११।१६४
द्रव्याणां स्थानयोगांश्च	९।३३२
द्रव्याणि हिंस्याद्यो यस्य	८।२२८
द्रव्यार्जनं च नाशं च	१२।७९
द्रोहभावं कुचर्यां च	९।१७
द्वन्द्वैरयोजयेच्चैमाः	१।२६
द्वयोरप्येतयोर्मूलं	७।४९
द्वयोस्त्रयाणां पञ्चानां	७।११४
द्वयोर्हि कुलयोः शोकं	९।५
द्वापरे यज्ञमेवाहुः	१।८६
द्वाभ्यामेकञ्चतुर्थंस्तु	४।९
द्वाराणां चैव भंक्तारं	९।२८९
द्वावेव वर्जयेन्नित्यं	२।१२७
द्विकं त्रिकं चतुष्कं च	८।१४२
द्विकं शतं वा गृह्णीयाद्	८।१४१
द्विकं शतं हि गृह्णानो	८।१४१
द्विगुणा वा चतुःषष्टिः	८।३३८
द्विजातय इवेज्याभिः	८।३११
द्विजातयः सवर्णासु	१०।२०
द्विजातिप्रवरो विद्वान्	३।१६७
द्विजातिमुख्यवृत्तीनां	३।२८६
द्विजातीनां च वर्णानां	८।३४८
द्विजोऽध्वगः क्षीणवृत्तिः	८।३४१
द्वितीयमायुषो भागं	५।१६९
द्वितीयमायुषो भागं	४।१
द्वितीयमेके प्रजनम्	९।६१
द्वितीये हस्तचरणौ	९।२७७
द्वितीयं तु पितुस्तस्याः	९।१४०
द्विधा कृत्वाऽऽत्मनो देहं	१।३२
द्विविधं कीर्त्यते द्वैधं	७।१६७
द्विविधांस्तस्करान् विद्यात्	९।२५६
द्विशतं तु दमः कार्यः	८।३६८
द्विषता हि हविर्भुक्तं	३।१४४
द्विषदन्नं नगर्यन्नं	४।२१३
द्वे कृष्णले समधृते	८।१३५
द्वेषं दम्भं च मानं च	४।१६३
द्वैधीभावं संश्रयं च	७।१६०
द्वौ तु यौ विवदेयाताम्	९।१९१
द्वौ दैवे पितृकार्ये त्रीन्	३।१२५
द्वौ मासौ मत्स्यमांसेन	३।२६८
द्व्येकान्तरासु जातानां	१०।७

ध

धनवन्तं प्रजावन्तं	३।२६३
धनानि तु यथाशक्ति	११।६
धनिनं वाऽप्युपाराध्य	१०।१२१
धनुःशतं परीहारो	८।२३७
धनुःशराणां कर्ता च	३।१६०
धनेन वैश्यशूद्रौ तु	११।३४
धनोष्मणा पच्यमानाः	९।२३१
धनं तत्पुत्रिकाभर्ता	९।१३५
धनं यो बिभृयाद् भ्रातुः	९।१४६
धनं वा जीवनायालं	११।७६
धन्यं यशस्यमायुष्यं	३।१०६
धन्वदुर्गं महीदुर्गम्	७।७०
धरणानि दश ज्ञेयः	८।१३७
धर्म एव हतो हन्ति	८।१५
धर्मक्रियाऽऽत्मचिन्ता च	१२।८३
धर्मक्रियाऽऽत्मचिन्ता च	१२।३१
धर्मज्ञं च कृतज्ञं च	७।२०९
धर्मतोऽधर्मतश्चैव	१२।२३
धर्मध्वजो सदाः लुब्धः	४।१९५
धर्मनैपुण्यकामानां	४।१०७
धर्मप्रधानं पुरुषं	४।२४३
धर्मप्रवक्ता नृपतेः	८।२०
धर्ममूलं निषेवेत	४।१५५
धर्मस्थः कारणैरेतैः	८।५७
धर्मस्य परमं गुह्यं	१२।११७
धर्मस्य ब्राह्मणो मूलमू	११।८३
धर्मस्याव्यभिचारार्थं	८।१२२
धर्माद्विचलितं हन्ति	७।२८
धर्मार्थप्रभवं चैव	६।६४
धर्मार्थं चैव विप्रेभ्यो	७।७९
धर्मार्थं येन दत्तंस्यात्	८।२१२
धर्मार्थाविरुध्यते श्रेयः	२।२२४
धर्मार्थौ यत्र न स्यातां	२।११२
धर्मासनमधिष्ठाय	८।२३
धर्मेण च द्रव्यवृद्धाः	९।३३३
धर्मेण व्यवहारेण	८।४९
धर्मेण हि सहायेन	४।२४२
धर्मेणाधिगतो यैस्तु	१२।१०९
धर्मेणापि नियुक्तायां	३।१७३
धर्मैप्सवस्तु धर्मज्ञाः	१०।१२७
धर्मोपदेशं दर्पेण	८।२७२

धर्मो विशुद्धस्त्वधर्मेण ८।१२
धर्मं चाप्यसुखोदर्कं ४।१७६
धर्मं जिज्ञासमानानां २।१३
धर्मं शनैः सञ्चिनुयाद् ४।२३८
धर्मं शाश्वतमाश्रित्य ८।८
धर्म्यं विभागं कुर्वीत ९।१५२
धात्रैव सृष्टा ह्याद्याश्च ५।३०
धाना मत्स्यान्पयो मांसं ४।२५०
धान्यकुप्यपशुस्तेयम् ११।१६६
धान्यचौरोऽङ्गहीनत्वं ११।५०
धान्यदः शाश्वतं सौख्यं ४।२३२
धान्यानामष्टमो भागः ७।१३०
धान्यान्नधनचौर्याणि ११।१६२
धान्येऽष्टमं विशां शुल्कम् १०।१२०
धान्ये सदे लवे बाह्ये ८।१५१
धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो ८।३२०
धान्यं वासांसि वाशाकं २।२४६
धान्यं हृत्वा भवत्याखुः १२।६२
धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठाः १२।१०३
धिग्वणानां चर्मकार्यं १०।४९
धीर्विद्या सत्यमक्रोधः ६।९२
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयम् ६।९२
धृतिर्भैक्ष्यं कुसीदं च १०।११६
धेनुरुष्ट्रो वहन्नश्वो ८।१४६
ध्यानयोगेन संपश्येत् ६।७३
ध्यानिकं सर्वमेवैतत् ६।८२
ध्यायत्यनिष्टं यत् किञ्चित् ९।२१
ध्रियमाणे तु पितरि ३।२२०
ध्वजाहृतो भक्तदासः ८।४१५

न

न कथञ्चन दुर्योनिः १०।५९
न कदाचन कुर्वीत ४।४८
न कदाचिद् द्विजे तस्मात् ४।१६९
न कन्यायाः पिता विद्वान् ३।५१
न कर्णिभिर्नापि दिग्धैः ७।९०
न कर्म निष्फलं कुर्याद् ४।७०
न कश्चिद् योषितश्शक्तः ९।१०
न कार्पासास्थि न तुषान् ४।७८
न कुर्याद् गुरुपुत्रस्य २।२०९
न कुर्वीत वृथा चेष्टां ४।६३
न कुर्वीतात्मनस्त्राणं ११।११३
न कूटैरायुधैर्हन्यात् ७।९०
नक्तं चान्नं समश्नीयात् ६।१९
नक्षत्राणि च दैत्याश्च १२।४८
नगरे नगरे चैकं ७।१२१
नग्नो मुण्डः कपालेन ९।९३
न ग्रामजातान्यार्तोऽपि ६।१६
न च क्षुधास्य संसीदेत् ७।१३३
न च छन्दांस्यधीयीत ३।१८८
न च तत्कर्म कुर्वाणः ५।८४
न च द्विजातयो ब्रूयुः ३।२३६
न च नग्नः शयीतेह ४।७५
न च पूर्वापरं विद्यात् ८।५६
न च प्राणिवधः स्वर्ग्यः ५।४८
न च प्रापितमन्येन ८।४३
न च योनिगुणान्कांश्चित् ९।३७
न च वासांसि वासोभिः ८।३९६
न च वैश्यस्य कामः स्यात् ९।३३८
न च शोचत्यसम्पत्तौ १२।३६
न च स्वं कुरुते कर्म १।५५
न च हन्यात्स्थलारूढं ७।९१
न च हव्यं वहत्यग्निः ७।९१
न चातिमृच्छति क्षिप्रं ८।११५
न चादत्त्वा कनिष्ठेभ्यः ९।२१४
न चादेयं समृद्धोऽपि ८।१७०
न चाधेः कालसंरोधात् ८।१४३
न चानिसृष्टो गुरुणा २।२०५
न चापि पश्येदशुचि ४।१४२
न चालिप्यत पापेन १०।१०५
न चासारं न च न्यूनं ८।२०३
न चास्योपदिशेद्धर्मं ४।८०
न चेत्त्रिपक्षात्प्रब्रूयात् ८।५८
न चेमं देहमाश्रित्य ६।४७
न चैनं पादतः कुर्याद् ४।५४
न चैनं भुवि शक्नोति ७।६
न चैनं प्रलिखेद् भूमिं ४।५५
नचैवात्यशनं कुर्यात् २।५६
नचैवात्राशयेत्कञ्चिद् ३।८३
नचैवास्यानुकुर्वीत २।१९९
नचैवैनां प्रयच्छेत्तु ९।८९
नचोत्पातनिमित्ताभ्यां ६।५०

नचोदके निरीक्षेत	४।३८	न दोषं प्राप्नुयात्किंचित्	८।३५५
न छिन्द्यान्नखलोमानि	४।६९	न दृष्टदोषाः कर्त्तव्याः	८।६४
न जातु कामः कामानां	२।९४	न द्रव्याणामविज्ञाय	४।१८७
न जातु ब्राह्मणं हन्यात्	८।३८०	न द्वितीयश्च साध्वीनां	५।१६२
नजीर्णदेवायतने	४।४६	न धर्मस्यापदेशेन	४।१९८
न जीर्णमलवद्वासा	४।३४	न नदीतीरमासाद्य	४।४७
नटश्च करणश्चैव	१०।२२	न नामग्रहणादेव	६।६७
न तत्पुत्रैः भंजेत्सार्धं	९।२०९	न नावं न खरं नोष्ट्रं	४।१२०
न तत्फलमवाप्नोति	५।५४	न निवर्तेत संग्रामात्	७।८७
न तत्र प्रणयेद्दण्डं	८।२३८	न निर्वपति पञ्चानां	३।७२
न तत्र विद्यते किञ्चित्	८।१८३	न निर्हारं स्त्रियः कुर्युः	९।१९९
न तथैतानि शक्यन्ते	२।९६	न निशान्ते परिश्रान्तः	४।९९
न तस्मिन् धारयेद्दण्डं	११।२१	न निष्क्रयविसर्गाभ्याम्	९।४६
न तस्य निष्कृतिः शक्या	२।२२७	न नृत्येदथवा गायेत्	४।६४
न तस्य वेतनं देयं	८।२१७	न पश्यहिप्रेष्यनाभ्नीं	।३।९
न ताडयेत्तृणेनापि	४।१६९	न पश्येत्प्रसवन्तीं च	४।४४
न तादृशं भवत्येनो	५।३४	न पाणिपादचपलः	४।१७७
न तापसैर्ब्राह्मणैर्वा	६।५१	न पादेन स्पृशेदग्निं	२।२२९
न तिष्ठति तु यः पूर्वां	२।१०३	न पादौ धावयेत्कांस्ये	४।६५
न तु नामापि गृह्णीयात्	५।१५७	न पाखण्डिगणाक्रान्ते	४।६०
न तेन वृद्धो भवति	२।१५६	न पुत्रदारा न ज्ञातिः	३।२३९
न तैरभ्यननुज्ञातो	२।२२९	न पुत्रभागं विषमं	९।२१५
न तैः सम्भयमन्विच्छेत्	१०।५३	न पूर्वं गुरवे किञ्चित्	२।२४५
न तौ प्रतिहि तान्धर्मान्	१०।७८	न पैतृयज्ञियो होमः	३।२८२
न तं नयेत साक्ष्यं तु	८।१९७	न फालकृष्टमश्नीयात्	६।१६
न तं भजेरन्दायादाः	९।२००	न फालकृष्टे न जले	४।४६
न तं स्तेना न चामित्राः	७।८३	न बकव्रतिके विप्रे	४।१९२
न त्यागोऽस्ति द्विषन्त्याश्च	९।७९	न विक्रयान्नृपो धर्मं	८।३९०
न त्वल्पदक्षिणैर्यज्ञैः	११।३९	न ब्राह्मणक्षत्रिययोः	३।१४
न त्वेव ज्यायसीं वृत्तिं	१०।९५	न ब्राह्मणवधाद् भूयान्	८।३८१
न त्वेव तु कृतोऽधर्मः	४।१७३	न ब्राह्मणस्य त्वतिथिः	३।११०
न त्वेव तु वृथा हन्तुं	५।३७	न ब्राह्मणो वेदयेत	११।३१
नत्वेवाधो सोपकारे	८।१४३	न ब्राह्मणं परीक्षेत	३।१४९
न दत्त्वा कस्यचित् कन्याम्	९।७१	न भक्षयति यो मांसं	५।५०
न दद्याद्यदि तस्मात्सः	८।१८९	न भक्षयेदेकचरान्	५।१०
न दर्शेन विना श्राद्धं	३।२८२	न भिन्नभाण्डे भुञ्जीत	४।६५
न दिवीन्द्रायुधं दृष्ट्वा	४।५९	न भिन्नशृङ्गाक्षिखुरैः	४।६७
नदीकूलं यथा वृक्षो	६।७८	न भीतं न परावृत्तं	७।९३
नदीतीरेषु तद्विद्यात्	८।४०६	न भुक्तमात्रे नाजीर्णे	४।१२१
नदीनां वापि संभेदे	८।३५६	न भुञ्जीतोद्धृतस्नेहं	४।६२
नदीषु देवखातेषु	४।२०३	न भोक्तव्यो बलादार्तिः	८।१४४

न भोजनार्थं स्वे विप्रः	३।१०६	न वृथा शपथं कुर्य्यात्	८।१११
न भ्रातरो न पितरः	९।१८५	न वृद्धो न शिशुर्नैको	८।६६
न माता न पिता न स्त्री	८।३८९	न शक्यो न्यायतो नेतुं	७।३०
न मातृतो ज्येष्ठ्यमस्ति	९।१२५	न शूद्रराज्ये निवसेत्	४।६१
न मांसभक्षणे दोषः	५।५६	न शूद्राय मतिं दद्यात्	४।८०
न मित्रकारणाद्राजा	८।३४७	न शूद्रे पातकं किञ्चित्	१०।१२६
न मुक्तकेशं नासीनं	७।९१	न शोचन्ति तु यत्नैता	३।५७
न मूर्खैर्नाविलिप्तैश्च	४।७९	न श्मश्रूणि गतान्यास्यं	५।१४१
न मूत्रं पथि कुर्वीत	४।४५	नश्यतीवृर्यथा विद्वः	४।४३
न मृल्लोष्टं च मृद्नीयात्	४।७०	नश्यतो विनिपाते तौ	८।१८५
न यज्ञार्थं धनं शूद्रात्	११।२४	नश्यन्ति हव्यकव्यानि	३।९७
नयेत्तथाऽनुमानेन	८।४४	न श्रमार्त्तो न कामार्त्तो	८।६७
नरकाकलराणां च	११।१५६	न श्राद्धे भोजयेन्मित्रं	३।१३८
नरके हि पतन्त्येते	११।३७	न श्रोत्रियो न लिङ्गस्थो	८।६५
नरकं कालसूत्रं च	४।८८	नष्टं देवलके दत्तं	३।१८०
न राज्ञः प्रतिगृह्णन्ति	४।९१	नष्टं विनष्टं कृमिभिः	८।२३२
न राज्ञः प्रतिगृह्णीयात्	४।८४	न स राजा नियोक्तव्यः	८।१८६
न राज्ञामघदोषोऽस्ति	५।९३	न स राज्ञाऽभियोक्तव्यः	८।५०
नराश्वोष्ट्रवराहैश्च	११।१९९	न ससत्त्वेषु गर्तेषु	४।४७
नरेन्द्रास्त्रिदिवं यान्ति	९।२५३	न साक्षी नृपतिः कार्य्यो	८।६५
नक्षत्रवृक्षनदीनाम्नीं	३।९	न साहसिकदण्डघ्नो	८।३८६
न लङ्घयेद्वत्सतन्त्रीं	४।३८	न सीदन्नपि धर्मेण	४।१७१
न लोकवृत्तं वर्तेत	४।११	न सीदेत्स्नातको विप्रः	४।३४
न वर्धयेदघाहानि	५।८४	न सुप्तं न विसन्नाहं	७।९२
नवान्नमद्यान्मांसं च	४।२७	न सभायां परस्त्रीभिः	८।३६१
न वारयेद् गां धयन्तीं	४।५९	न संवसेच्च पतितैः	४।७९
न वार्यपि प्रयच्छेत्तु	४।१९२	न संसर्गं व्रजेत्साद्धिः	११।४७
न वासोभिः सहाजस्रं	४।१२९	न संहताभ्यां पाणिभ्यां	४।८२
न विगर्ह्यं कथां कुर्यात्	४।७२	न सांपरायिकं तस्य	११।३०
न विण्मूत्रमुदीक्षेत	४।७७	न स्कन्दते न व्यथते	७।८४
न विद्यमानेष्वर्थेषु	४।१५	न स्नानमाचरेद् भुक्त्वा	४।१२९
न विप्रदुष्टभावस्य	२।९७	न स्पृशेच्चैतदुच्छिष्टो	४।८२
न विप्रं स्वेषु तिष्ठत्सु	५।१०४	न स्पृशेत्पाणिनोच्छिष्टः	४।१४२
न विप्रान्नृपो धर्मं	८।३९०	न स्याद्वाक्यफलश्चैव	४।१७७
न विवादे न कलहे	४।१२१	न स्वर्गाच्च्यवते लोकात्	८।१०३
न विवाहविधावुक्तं	९।६५	न स्वातन्त्र्येण कर्तव्यं	५।१४७
न विस्मयेत तपसा	४।२३६	न स्वामिना निसृष्टोऽपि	८।४१४
नवेनानर्चिता ह्यस्य	४।२८	न हायनैर्न पलितैः	२।१५४
न वै कन्या न युवतिः	११।३६	न हि तस्यास्ति किञ्चिदस्वं	८।४१७
नवैतान् स्नातकान् विद्यात्	१०।२	न हि दण्डाद् ऋते शक्यः	९।२६२
न वै स्वयं तदश्नीयात्	३।१०६	न हि शूद्रस्य यज्ञेषु	११।१३

न हि हस्तावसृग्दिग्धौ ३।१३२
न हिंस्याद् ब्राह्मणान्नाग्निश्च ४।१६२
न हीदृशमनायुष्यं ४।१३४
न होडेन विना चौरम् ९।२७०
न हृष्यति ग्लायति वा २।९८
न ह्यनध्यात्मवित्कश्चित् ६।८२
न ह्यस्मिन्युज्यते कर्म २।१७१
नाकन्यासु क्वचिन्नृणां ८।२२६
नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां ५।४८
नाक्रामेत्कामतश्छायां ४।१३०
नाक्षैः क्रीडेत्कदाचित्तु ४।७४
नागान्सर्पान्सुपर्णांश्च १।३७
नाग्निर्ददाह रोमापि ८।११६
नाग्निं मुखेनोपधमेत् ४।५३
नाङ्कया राज्ञा ललाटे स्युः ९।२४०
नाज्ञातेन समं गच्छेत् ४।१४०
नाञ्जयन्ती स्वके नेत्रे ४।४४
नाततायिवधे दोषो ८।३५१
नातत्तायिवधे दोषो ८।३५१
नातादृष्यत्यवन्नाद्यान् ५।३०
नातिकल्यं नातिसायं ४।१४०
नातिप्रगे नाति सायं ४।६२
नातिसांवत्सरीं वृद्धिं ८।१५३
नात्मानमवमन्येत ४।१३७
नात्रिवर्षस्य कर्तव्या ५।७०
नादद्यात् नृपः साधुः ९।२४३
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति ८।३३५
नाद्याच्छ्राद्धस्य पक्वान्नं ४।२२३
नाद्यादविधिना मांसं ५।३३
नाधर्मश्चरितो लोके ४।१७२
नाधर्मेणागमः कश्चित् १।८१
नाधार्मिके वसेद् ग्रामे ४।६०
नाधिकं दशमादद्यात् ९।१५४
नाधीयीत श्मशानान्ते ४।११६
नाधीयीतामिषं जग्ध्वा ४।१११
नाधीयीताश्वमारूढः ४।१२०
नाध्यधीनो न वक्तव्यो ८।६६
नाध्यापनाद् याजनाद् वा १०।१०३
नाना रूपाणि जायन्ते ९।३८
नानाविधानां द्रव्याणां ५।११०
नानिष्ट्वा नवसस्येष्ट्या ४।२७
नानुरोधोऽस्त्यनध्याये २।१०५
नानुशासनवादाभ्यां ६।५०
नानुशुश्रुम जात्वेतत् ९।१००
नान्नमद्यादेकवासा ४।४५
नान्यदन्येन संसृष्टः ८।२०३
नान्यस्मिन् विधवा नारी ९।६४
नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह ५।१६२
नापृष्टः कस्यचिद् ब्रूयात् २।११०
नाप्सु मूत्रं पुरीषं वा ४।५६
नाब्रह्म क्षत्रमृध्नोति ९।३२२
नाब्राह्मणे गुरौ शिष्यः २।२४२
नाभिनन्देत मरणम् ६।४५
नाभिवाद्यः स विदुषा २।१२६
नाभिव्याहारयेद् ब्रह्म २।१७२
नामजातिग्रहं त्वेषाम् ८।२७१
नामधेयस्य ये केचित् २।१२३
नामधेयं दशम्यां तु २।३०
नामुत्र हि सहायार्थं ४।२३९
नामेध्यं प्रक्षिपेदग्नौ ४।५३
नाम्नां स्वरूपभावो हि २।१२४
नायन्त्रितस्त्रिवेदोऽपि २।११८
नायुधव्यसनप्राप्तं ७।९३
नायुध्यमानं पश्यन्तं ७।९२
नारं स्पृष्ट्वास्थि सस्नेहं ५।८७
नारिं न मित्रं यं विद्यात् ३।१३८
नारी यानानि वस्त्रं वा ३।५२
नारुन्तुदः स्यादार्तोऽपि २।१६१
नार्तेनाप्यवमन्तव्या २।२२५
नार्तो न मत्तो नोन्मत्तो ८।६७
नार्तोऽप्यपवदेद्विप्रान् ४।२३६
नार्थसम्बन्धिनो नाप्ता ८।६४
नालोमिकां नातिलोमां ३।८
नावमन्येत वै भूष्णुः ४।१३५
नाविनीतैर्व्रजेद् धुर्यैः ४।६७
नाविस्पष्टमधीयीत ४।९९
नावेदविहितां हिंसां ५।४३
नाशयन्त्याशु पापानि ११।२४५
नाश्नन्ति पितरस्तस्य ४।२४९
नाश्नन्ति पितृदेवास्तत् ३।१८
नाश्नीयाद्भार्यया सार्धं ४।४३
नाश्नीयात्सन्धिवेलायां ४।५५
नाश्रोत्रियतते यज्ञे ४।२०५

नासीनो न च भुञ्जानो २।१९५
नास्तिक्यं वेदनिन्दां च ४।१६३
नास्ति स्त्रीणां क्रिया मन्त्रैः ९।१८
नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो ५।१५५
नास्फोटयेन्न च क्ष्वेडेत् ४।६४
नास्य कश्चिद्वसेद् गेहे ४।२९
नास्य कार्योऽग्निसंस्कारः ५।६९
नास्य छिद्रं परो विद्यात् ७।१०५
नास्याधिकारो धर्मेऽस्ति १७।१२६
नास्त्रमापातयेज्जातु ३।२२९
निक्षिप्तस्य धनस्यैव ८।१९६
निक्षेपस्यापहरणम् ११।५७
निक्षेपस्यापहर्तारं तत्समम् ८।१९२
निक्षेपस्यापहर्तारं निक्षेप्तारम् ८।१९०
निक्षेपेष्वेषु सर्वेषु ८।१८८
निक्षेपोपनिधी नित्यं ८।१८५
निक्षेपो यः कृतो येन ८।१७४
निक्षेप्योऽयोमयः शङ्कुः ८।२७१
निगूढचारिणश्चान्यान् ९।२६०
निगृह्य दापयेच्चैनं ८।२२०
निग्रहेण हि पापानाम् ८।३११
निग्रहं प्रकृतीनां च ७।१७५
नित्यमास्यं शुचि स्त्रीणाम् ५।१३०
नित्यमुद्धृतपाणिः स्यात् ५।१९३
नित्यमुद्यतदण्डस्य ७।१०३
नित्यमुद्यतदण्डः स्यात् ७।१०२
नित्यं तस्मिन्समाश्वस्तः ७।५९
नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत ४।१९
नित्यं शुद्धः कारुहस्तः ५।१२९
नित्यं संवृतसंवार्यः ७।१०२
नित्यं स्थितस्ते हृद्येषः ८।९१
नित्यं स्नात्वा शुचिः कुर्यात् २।१७६
नित्यानध्याय एव स्यात् ४।१०७
निधीनां तु पुराणानां ८।३९
निनीषुः कुलमुत्कर्षं ४।२४४
निन्दितेभ्यो धनादानम् ११।६९
निन्दितेऽहनि सायाह्ने ११।१८२
निन्दितैर्निन्दिता नृणां ३।४२
निन्द्यास्वष्टासु चान्यासु ३।५०
निन्द्यैर्हि लक्षणैर्युक्ता ११।५३
निन्द्यैव सा भवेल्लोके ५।१६३
निपानकर्तुः स्नात्वा तु ४।२०१
निबध्नीयात्तथा सीमां ८।२५५
निमज्जतश्च मत्स्यादान् ५।११३
निमन्त्रयेत व्यवरान् ३।१८७
निमन्त्रितान् हि पितरः ३।१८९
निमन्त्रितो द्विजः पित्र्ये ३।१८८
निमेषा दश चाष्टौ च १।६४
निम्लोचेद्वाप्यविज्ञानात् २।२२०
नियतात्मा हविष्याशी ११।२१८
नियतो वेदमभ्यस्य ६।९५
नियम्य प्रयतो वाचमभि २।१८५
नियम्य प्रयतो वाचं संवी ४।४९
नियम्य प्राञ्जलिस्तिष्ठेद् २।१९२
नियुक्तस्तु यथान्यायं ५।३५
नियुक्तायामपि प्रभान् ९।१४४
नियुक्तौ तौ विधिं हित्वा ९।६३
नियोजयत्यपत्यार्थं ९।६८
निरन्वयं भवेत्स्तेयं ८।३३२
निरन्वये शतं दण्डः ८।३३१
निरन्वयोऽनपसरः ८।१९८
निरये चैव पतनं ६।६१
निरस्य तु पुमाञ्छुक्रम् ५।६३
निरादिष्टधनश्चैतत् ८।१६२
निरिन्द्रिया ह्यमन्त्राश्च ९।१८
निरुच्यमानां प्रश्नं च ८।५५
निरोधनेन बन्धेन ८।३१०
निषति भूमिचलने ४।१०५
निर्दया निर्नमस्काराः ९।२३९
निर्दिष्टफलभोक्ता हि ७।१४४
निर्देशं ज्ञातिमरणम् ५।७७
निर्भयस्तु भवेद्यस्य ९।२५५
निर्मलाः स्वर्गमायान्ति ८।३१८
निर्लेपं काञ्चनं भाण्डम ५।११२
निर्वर्तेतास्य यावद्भिः ७।६१
निवृत्तचूडकानां तु ५।६७
निह्नुत्य तु व्रती प्रेतात् ५।९१
निवर्तन्ते द्विजादीनां ११।१५१
निवर्त्तेरंश्च तस्मात्तु ११।१८४
निवेद्य गुरवेऽश्नीयात् २।५१
निवृत्तं सेवमानस्तु १२।९०
निःश्रेयसकरं कर्म १२।८२
निःश्रेयसं कर्मणां च १।११७

निःश्रेयसं धर्मविधिं	११।२६६
निषादस्त्री तु चण्डालात्	१०।३९
निषादो मार्गवं सूते	१०।३४
निषादः शूद्रकन्यायां	१०।८
निषिद्धो भाषमाणस्तु	८।३६१
निषेकादिश्मशानान्तः	२।१६
निषेकादीनि कर्माणि	२।१४२
निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु	१२।८९
निष्पद्यन्ते च सस्यानि	९।२४७
निसर्गजं हि तत्तस्य	८।४१४
निस्तारयति दुर्गाच्च	३।९८
निःश्रेयसकरं कर्म	१२।८२
निःस्वेभ्यो देयमेतेभ्यः	११।२
नीचं शय्यासनं चास्य	२।१९८
नीहारे बाणशब्दे च	४।११३
नृणामकृतशूद्धानाम्	५।६७
नृदुर्गं गिरिदुर्गं वा	७।७०
नृपतौ कोशराष्ट्रे च	७।६५
नृपाणामक्षयो ह्येषः	७।८२
नृयज्ञं पितृयज्ञं च	४।२१
नृन्प्रशंसत्यजस्रं य	१०।३३
नेक्षेतोद्यन्तमादित्यं	४।३७
नेत्रवक्त्रविकारैश्च	८।२६
नेहेतार्थान्प्रसङ्गेन	४।१५
नैकग्रामीणमतिथिं	३।१०३
नैकः प्रपद्येताध्वानं	४।६०
नैकः सुप्याच्छून्यगेहे	४।५७
नैता रूपं परीक्षन्ते	९।१४
नैतैरपूतैर्विधिवद्	२।४०
नैत्यके नास्त्यनध्यायः	२।१०६
नैनं ग्रामेऽभिनिम्लोचेत्	२।२१९
नैनः किञ्चिदवाप्नोति	९।९१
नैर्ऋतीं दिशमातिष्ठेत्	११।१०४
नैवं कुर्यां पुनरिति	११।२३०
नैवाहं पैतृकं रिक्थं	९।१४४
नैष चारणदारेषु	८।३६२
नैःश्रेयसमिदं कर्म	१२।१०७
नोच्छिन्द्यादात्मनो मूलं	७।१३९
नोच्छिष्टं कस्यचिद्दद्यात्	२।५६
नोच्छिष्टं कुर्वते मुख्याः	५।१४१
नोत्पादकः प्रजाभागी	९।४८
नोत्पादयेत्स्वयं काम्यं	८।४३
नोत्सङ्गे भक्षयेद्भृत्यान्	४।६३
नोदक्याऽभिभाषेत	४।५७
नोदाहरेदस्य नाम	२।१९९
नोद्वहेत्कपिलां कन्यां	३।८
नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु	९।६५
नोन्मत्तायां न कुष्ठिन्यां	८।२०५
नोपगच्छेत्प्रमत्तोऽपि	४।४०
नोपयच्छेत तां प्राज्ञः	३।११
नोपसृष्टं न वारिस्थं	४।३७
नोपेक्षेत क्षणमपि	८।३४४
न्यस्तशस्त्रा महाभागा	३।१९२
न्युप्य पिण्डान्ततस्तांस्तु	३।२१६

प

पक्तिदुष्टधोः परं तेजः	१२।१२०
पक्वान्नानां च सर्वेषां	८।३२९
पक्षान्तयोर्वाप्यृतीयात्	६।२०
पक्षिगन्धौषधीनां च	११।१६८
पक्षिणां पोषको यश्च	३।१६२
पक्षिजग्धं गवाघ्रातम्	५।१२५
पञ्चकृष्णलको मासः	८।१३४
पञ्च क्लृप्ता महायज्ञा	३।६९
पञ्च पञ्चनखे हन्ति	८।९८
पञ्चभ्य एव मात्राभ्यः	१२।१६
पञ्चयज्ञविधानं च	३।६७
पञ्चरात्रे पञ्चरात्रे	८।४०२
पञ्चरात्रं पिबेत्पीत्वा	११।१४७
पञ्चसूना गृहस्थस्य	३।६८
पञ्चानां तु त्रयो धर्म्याः	३।२५
पञ्चानां त्रिषु वर्णेषु	२।१२७
पञ्चाशतस्त्वभ्यधिके	८।३२२
पञ्चाशत्तु भवेद् दण्डः	८।२९७
पञ्चाशद्ब्राह्मणो दण्ड्यः	८।२६८
पञ्चाशद्भाग आदेयो	७।१३०
पञ्चैतान्यो महायज्ञान्	३।७१
पञ्चैतान्विस्तरो हन्ति	३।१२६
पणानां द्वे शते सार्धे	८।१३८
पणो देयोऽवकृष्टस्य	७।१२६
पणं यानं तरे दाप्यं	८।४०४
पतत्यज्ञानतो विप्रः	११।१७५

पतस्त्रिणावलीढं च ४।२०८
पतितस्योदकं कार्यम् ११।१८२
पतितां पङ्कुलग्नां वा ११।११२
पतितैः संप्रयुक्तानां ११।१७९
पतितो भवतो गत्वा ९।५८
पतिलोकमभीप्सन्ती ५।१५६
पतिव्रता धर्मपत्नी ३।२६२
पतिव्रतासु च स्त्रीषु ८।२८
पतिसेवा गुरौ वासः २।६७
पतिं या नाभिचरति लोके ५।१६५
पतिं या नाभिचरतिलोकाना ९।२९
पतिं शुश्रूषते येन ५।१५५
पतिं हित्वाऽपकृष्टं स्वं ५।१६३
पतिर्भार्यां सम्प्रविश्य ९।८
पतीन्प्रजानामसृजं १।३४
पत्यौ जीवति कुण्डः स्यात् ३।१७४
पत्यौ जीवति यः स्त्रीभिः ९।२००
पत्यौ जीवति वृत्तायाः ९।१९५
पत्रशाकतृणानां च ७।१३२
पथि क्षेत्रे परिवृते ८।२४०
पदान्यष्टादशैतानि ८।७
पदा मस्तकमाक्रम्य ११।४३
पद्मेन चैव व्यूहेन ७।१८८
पयो घृतं वाऽऽमरणाद् ११।९१
पयोमूलफलैर्वाऽपि ३।८२
पयः पिबेत् त्रिरात्रं वा ११।१३२
परकीयनिपानेषु ४।२०१
परदाराभिमर्शेषु ८।३५२
परदारेषु जायेते ३।१७४
परदारोपसेवा च १२।७
परद्रव्येष्वभिध्यानम् १२।५
परधर्मेण जीवन्हि १०।९७
परपत्नी तु या स्त्री स्यात् २।१२९
परमं यत्नमातिष्ठेत्पुरुषो ९।१६
परमं यत्नमातिष्ठेत् स्तेनानाम् ८।३०२
परलोकं नयत्याशु ४।२४३
परलोकसहायार्थं ४।२३८
परस्परस्य दारेषु १०।२९
परस्परविरुद्धानां ७।१५२
परस्परस्यानुमते ८।३५८
परस्परादिनः स्तेनाः १२।५९
परस्य दण्डं नोद्यच्छेत् ४।१६४
परस्य पत्न्या पुरुषः ८।३५४
परस्य विपरीतं च ७।१७१
परस्त्रियं योऽभिवदेत् ८।३५६
पराको नाम कृच्छ्रोऽयं ११।२१५
पराङ्मुखस्याभिमुखो २।१९७
पराजयश्च संग्रामे ७।१९९
परामप्यापदं प्राप्तः ९।३१३
परितुष्टेन भावेन ४।२२७
परित्यजेदर्थकामौ ४।१७६
परित्यजेन्नृपो भूमिं ७।२१२
परिप्लुतेषु धान्येषु ८।३३१
प रेपूर्णं यथा घन्द्रम् ९।३०९
परिभाषणमर्हन्ति ९।२८३
परिभोक्ता कृमिर्भव ति २।२०१
परिवेत्ता स विज्ञेयः ३।१७१
परिवित्तिताऽनुजेऽनूढे ११।६०
परिवित्तिः परिवेत्ता ३।१७८
परिवेषयत प्रयतो ३।२२९
परीक्षिताः स्त्रियश्चैनं ७।२१२
परोवादात्करो भवति २।२०१
परेण तु दशाहस्य ८।२२३
पर्याप्तभोगा धर्मिष्ठा ३।४०
पर्ववर्जं व्रजेच्चैनां ३।४५
पलं सुवर्णाश्चत्वारः ८।१३५
पलाण्डुं गृञ्जनं चैव ५।१९
पलालभारकं षष्ठे ११।१३३
पवित्रं दुष्यतीत्येतत् १०।१०२
पवित्रं यच्च पूर्वोक्तं ३।२५६
पशवश्च मृगाश्चैव जघन्या १२।४२
पशवश्च मृगाश्चैव व्याला १।४३
पशुना त्वयनस्यादौ ४।२६
पशुमण्डूकमार्जारं ४।१२६
पशुषु स्वामिनां चैव ८।२२९
पशुषु स्वामिनां दद्यात् ८।२३४
पशून्मृगान्मनुष्यांश्च १।३९
पशूनां रक्षणं चैव ८।४१०
पशूनां रक्षणं दानं १।९०
पशूनां हरणे चैव ८।३२५
पश्चाच्च न तथा तत्स्यात् ८।२१२
पश्चाद् दृश्येत यत्किञ्चित् ९।२१८

पश्चात्प्रतिभुवि प्रेते	८।१६१	पितापुत्रौ विजानीयाद्	२।१३५
पश्चिमां तु समासीनो मलं	८।१०२	पिता प्रधानं प्रजने	९।१२१
पश्चिमां तु समासीनः सम्यग्	२।१०१	पितामहो वा तच्छ्राद्धं	३ २२२
पश्चिमोत्तरपूर्वेस्तु	५।९२	पिता यस्य निवृत्तः स्यात्	२।२२१
पाकयज्ञविधानेन	११।११८	पिता रक्षति कौमारे	९।३
पाखण्डगणधर्मांश्च	१।११८	पिता वै गार्हपत्योऽग्निः	२।२३१
पाखण्डमाश्रितानां च	५।९०	पितां हरेदपुत्रस्य	९।१८५
पाखण्डिनो विकर्मस्थान्	४।३०	पितुर्भगिन्यां मातुश्च	५।१३३
पाठीनरोहितावाद्यौ	५।१६	पितुः स नाम सङ्कीर्त्य	३।२२१
पाणिग्रहणसंस्कारः	३।४३	पितृदेवमनुष्याणाम्	१२।९४
पाणिग्रहणिका मन्त्राः कन्यास्वेव	८।२२६	पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः	३।५५
पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियतं	८।२२७	पितृभ्यो बलिशेषं तु	३।९१
पाणिग्राहस्य साध्वी स्त्री	५।१५६	पितृभ्यो विधिवद् दत्तं	३।२६६
पाणिभ्यां तूपसंगृह्य	३।२२४	पितृयज्ञं तु निर्वर्त्य	३।१२२
पाणिमुद्यम्य दण्डं वा	८।२८०	पितृवेश्मनि कन्या तु	९।१७२
पात्रस्य हि विशेषेण	७।८६	पितृणामनृणश्चैव	९।१०६
पादयोर्दाढिकायां च	८।२८३	पितृणां तस्य तृप्तिः स्यात्	३।१४६
पादस्पर्शस्तु रक्षांसि	३।२३०	पितृणां मासिकं श्राद्धं	१।१२३
पादेन प्रहरन्कोपात्	८।२८०	पितृन्श्राद्धैश्च नृनन्नैः	३।८१
पादोऽधर्मस्य कर्तारं	८।१८	पितृ इचैवाष्टकास्वचेत्	४।१५०
पादं पशुश्च योषिच्च	८।४०४	पितेव पालयेत् पुत्रान्	९।१०८
पादः सभासदान्सर्वान्	८।१८	पित्राद्यन्नं त्वीहमानः	३।२०५
पानमक्षाः स्त्रियश्चैव	७।५०	पित्रा भर्त्रा सुतैर्वापि	५।१४९
पानं दुर्जनसंसर्गः	९।१३	पित्रा विवदमानश्च	३।१५९
पापकृन्मुच्यते पापात्	११।२२७	पित्रे न दद्याच्छुल्कन्तु	९।९३
पापरोगी सहस्रस्य	३।१७७	पित्र्यमानिधनात्कार्यं	३।२७९
पापरोग्यभिशस्तश्च	३।१५९	पित्र्ये कर्मणि तु प्राप्ते	३।१४९
पापान् संयान्ति संसारान्	१२।५२	पित्र्ये रात्र्यहनी मासः	१।६६
पापान्संसृत्य संसारान्	१२।७०	पित्र्ये स्वदितमित्येव	३।२५४
पायसं मधुसर्पिर्भ्यां	३।२७४	पित्र्यं वा भजते शीलम्	१०।५९
पायूपस्थं हस्तपादं	२।९०	पिशुनानृतिनोश्चान्नं	४।२१४
पारदाः पल्लवाश्चीनाः	१०।४४	पिशुनः पौतिनासिक्यम्	११।५०
पारुष्यमनृतं चैव	१२।६	पीडनानि च सर्वाणि	९।२९९
पाणिग्राहं च संप्रेक्ष्य	७।२०१	पीत्वापोऽध्येष्यमाणश्च	५।१४५
पांसुवर्षे दिशां दाहे	४।११५	पुक्कस्यां जायते पापः	१०।३८
पिण्डनिर्वपणं केचित्	३।२६१	पुण्यान्यन्यानि कुर्वीत	११।३९
पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धं	३।१२२	पुण्ये तिथौ मुहूर्ते वा	२।३०
पिण्डेभ्यस्त्वल्पिकां मात्रां	३।२१९	पुण्योऽक्षयफलः प्रेत्य	६।९७
पितरश्चैव साध्याश्च	१२।४९	पुत्रका इतिहोवाच	२।१५१
पितरस्तावदश्नन्ति	३।२३७	पुत्रदारस्य वाप्येनं	८।११४
पिताऽऽचार्यः सुहृन्माता	८।३३५	पुत्रदारात्ययं प्राप्तः	१०।९९

पुत्रप्रतिनिधीनाहुः	९।१८०	पूर्णे चानस्यनस्थ्नां तु	११।१४०
पुत्रवच्चापि वर्तेरन्	९।१०८	पूर्वभुक्त्या च सततं	८।२५२
पुत्राणां भर्तरि प्रेते	५।१४८	पूर्वमाक्षारितो दोषैः	८।३५४
पुत्रान् द्वादश यानाह	९।१५८	पूर्वाह्ण एव कुर्वीत	४।१५२
पुत्रा येऽनन्तरस्त्रीजाः	१२।१४	पूर्वं दोषानभिख्याप्य	८।२०५
पुत्रिकायां कृतायान्तु	९।१३४	पूर्वं पूर्वं गुरुतरं जानी	९।२९५
पुत्रेण लोकान् जयति	९।१३७	पूर्वं पूर्वं गुरुतरं विद्या	७।५२
पुत्रे राज्यं समासृज्य	९।३२३	पूर्वां सन्ध्यां जपंस्तिष्ठन्नैशमेनो	२।१०२
पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य	६।३	पूर्वां सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत् सावित्रीम्	२।१०१
पुत्रे सर्वं समासज्य	४।२५७	पूर्वां सन्ध्यां जपंतिष्ठेत् स्वकाले	४।९३
पुत्रं पुत्रगुणैर्युक्तं	९।१६९	पूर्वेद्युरपरेद्युर्वा	३।१८७
पुत्रं प्रत्युदितं सद्भिः	९।३१	पृथक्पृथग्वा मिश्रौ वा	३।२६
पुत्रः कनिष्ठो ज्येष्ठायाम्	९।१२२	पृथग्विवर्धते धर्मः	९।१११
पुनः संस्कारमर्हन्ति	११।१५०	पृथिवीमपि चैवेमां	१।१०५
पुनर्दारक्रियां कुर्यात्	५।१६८	पृथुस्तु दिनगाद्राज्यं	७।४२
पुनाति पंक्तिं वंश्यांश्च	१।१०५	पृथोरपीमान्पृथिवीम्	९।४४
पुम्नाम्नो नरकाद् यस्मात्	९।१३८	पृष्टस्तत्रापि तद्ब्रूयात्	८।७६
पुमान्पुंसोऽधिके शुक्रे	३।४९	पृष्टोऽपव्ययमानस्तु	८।६०
पुमांसं दाहयेत् पापं	८।३७२	पृष्ट्वा स्वदितमित्येवं	३।२५१
पुराणेष्वपि यज्ञेषु	५।२३	पृष्ठतस्तु शरीरस्य	८।३००
पुरुषं व्यऽजयन्तीह	१०।५८	पृष्ठवास्तुनि कुर्वीत	३।९१
पुरुषस्य स्त्रियाश्चैव	९।१	पैतृकन्तु पिता द्रव्यम्	९।२०९
पुरुषाणां कुलीनानां	८।३२३	पैतृष्वसेयीं भगिनीम्	११।१७१
पुरोडाशांश्चरूंश्चैव	६।११	पौत्रको दण्डदासश्च	८।४१५
पुरोहितं च कुर्वीत	७।७८	पैलवौदुम्बरौ वैश्यौ	२।४५
पुलस्त्यस्याज्यपाः पुत्राः	३।१९८	पैशाचश्चासुरश्चैव	३।२५
पुलाकाश्चैव धान्यानां	१०।१२५	पैशुन्यं साहसं द्रोह	७।४८
पुष्कलं फलमाप्नोति	३।१२९	पौण्ड्रकाश्चौड्रद्रविडाः	१०।४४
पुष्पमूलफलानां च	११।१६५	पौत्रदौहित्रयोर्लोके न	९।१३३
पुष्पमूलफलैर्वापि	३।२१	पौत्रदौहित्रयोर्लोके विशेषः	९।१३९
पुष्पिणः फलिनश्चैव	१।४७	पौत्री मातामहस्तेन	९।१३६
पुष्पेषु हरिते धान्ये	८।३३०	पौनर्भवश्च काणश्च	३।१५५
पुष्ये तु छन्दसां कुर्यात्	४।९६	पौनर्भवेन भर्त्रा सा	९।१७६
पूजयित्वा ततः पश्चाद्	३।११७	पौष्किकीं संस्मरञ्जातिं	४।१४९
पूजयेदशनं नित्यं	२।५४	पौंश्चल्याच्चलचित्ताच्च	९।१५
पूजयेद्धव्यकव्येन	४।३१	प्रकल्प्या तस्य तैर्वृत्तिः	१०।१२४
पूजितं ह्यशनं नित्यं	२।५५	प्रकाशमेतत् तास्कर्यम्	९।२२२
पूजिताश्च प्रशस्ताश्च	१०।७२	प्रकाशवऽकास्तेषाम्	९।२५७
पूज्या भूषयितव्याश्च	३।५५	प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा	८।३५१
पूयं चिकित्सकस्यान्नं	४।२२०	प्रकाशांश्चाप्रकाशांश्च	९।२५६
पूर्णविंशतिवर्षेण	२।२१२		

प्रकृत्यान्नं यथाशक्ति	३।११३	प्रतिग्रहाच्छिलः श्रेयान्	१९।११२
प्रक्षालनेन त्वल्पानां	५।११८	**प्रतिग्रहाद् याजनाद् वा**	१०।१०९
प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य	३।२६४	प्रतिग्रहेण ह्यस्याशु	४।१८६
प्रचेतसं वसिष्ठं च	१।३५	प्रतिग्रहं पिबेदुष्णान्	११।२१४
प्रच्छन्नपापा जप्येन	५।१०७	प्रतिपूज्य यथान्यायं	१।११
प्रच्छन्नवञ्चकास्त्वेते	९।२५७	प्रतिबुद्धश्च सृजति	१।७४
प्रच्छन्नं वा प्रकाशं वा	९।२२८	प्रतिभागं च दण्डं च	८।३०७
प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा	१०।४०	प्रातिभाव्यं वृथादानम्	८।१५९
प्रजनार्थं महाभागाः	९।२६	प्रतिरोद्धा गुरोश्चैव	३।१५३
प्रजनार्थं स्त्रियः सृष्टाः	९।९६	**प्रतिवातेऽनुवाते च**	२।२०३
प्रजानां परिरक्षार्थं	५।९४	**प्रतिश्रवणसम्भाषे**	२।१९५
प्रजानां रक्षणं दानं	१।८९	**प्रतिषिद्धापि चेद्या तु**	९।८४
प्रजापतिरिदं शास्त्रम्	११।२४३	प्रतिषेधत्सु चाधर्मान्	२।२०६
प्रजापतिर्हि वैश्याय	९।३२७	प्रतीपमेतद् देवानां	४।२०६
प्रजा रक्षन्परं शक्त्या	१०।११८	प्रतीपमेते जायन्ते	१०।१७
प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति	७।२५	**प्रतुदाञ्जालपादांश्च**	५।१३
प्रजास्तमनुवर्तन्ते	८।१७५	प्रत्यक्षं क्षेत्रिणामर्थः	९।५२
प्रजेप्सिताधिगन्तव्या	९।५९	**प्रत्यक्षं चानुमानञ्च**	१२।१०५
प्रज्ञा तेजो बल···प्रवर्धते	४।४२	प्रत्यगेव प्रयागाच्च	२।२१
प्रज्ञा तेजो बलं···प्रहीयते	४।४१	**प्रत्यग्निं प्रतिसूर्यं च**	४।५२
प्रज्ञां यशश्च कीर्तिं च	४।९४	प्रत्यहं कल्पयेद् वृत्तिं	७।१२५
प्रणतं प्रति पृच्छेयुः	११।१९५	**प्रत्यहं देशदृष्टैश्च**	८।३
प्रणम्य तु शयानस्य	२।१९७	प्रत्यहं लोकयात्रायाः	९।२७
प्रणम्य लोकपालेभ्यः	८।२३	प्रत्याहारेण संसर्गान्	६।७२
प्रणष्टस्वामिकं रिक्थम्	८।३०	प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां	२।१२०
प्रणष्टाधिगतं द्रव्यं	८।३४	प्रत्युद्गम्य त्वाव्रजतः	२।१९६
प्रणीताश्चाप्रणीताश्च	९।३१७	प्रत्युवाचार्च्य तान्सर्वान्	१।४
प्रणेतुं शक्यते दण्डः	७।३१	प्रत्येकं कथिता ह्येताः	१।१५७
प्रतापयुक्तस्तेजस्वी	९।३१०	प्रथमं तत्प्रमाणानां	८।१३२
प्रतिकुर्याच्च तत्सर्वं	९।२८५	प्रथमेऽब्दे तृतीये वा	२।३५
प्रतिकूलं वर्तमाना	१०।३१	**प्रथिता प्रेतकृत्येषु**	३।१२७
प्रतिगां प्रतिवातं च	४।५२	प्रदक्षिणं परीत्याग्निं	२।४८
प्रतिगृह्णन्विद्वांस्तु	४।१८८	प्रदक्षिणानि कुर्वीत	४।३९
प्रतिगृह्य द्विजो विद्वान्	४।११०	प्रदद्यात्परिहारांश्च	७।२०१
प्रतिगृह्य पुटेनैव	६।२८	प्रदिशेद् भूमिमेतेषां	८।२६५
प्रतिगृह्याप्रतिग्राह्यम्	११।२५३	प्रपितामहास्तथादित्यान्	३।२८४
प्रतिगृह्योप्सितं दण्डं	२।४८	प्रब्रूयाद् ब्राह्मणस्वेषां	१०।१
प्रतिग्रहनिमित्तं च	१०।१११	प्रब्रूयादितरेभ्यश्च	१०।२
प्रतिग्रहसमर्थोऽपि	४।१८६	**प्रभुः प्रथमकल्पस्य**	११।३०
प्रतिग्रहस्तु क्रियते	१०।११०	प्रमदा ह्युत्पथं नेतुं	२।२१४
प्रतिग्रहः प्रत्यवरः	१०।१०९	प्रमाणं चैव लोकस्य	११।८४

प्रमाणानि च कुर्वीत ७।२०३
प्रमापयेत्प्राणभृतः ८।२९५
प्रमाप्य वैश्यं वृत्तस्थं ११।१२९
प्रयुक्तं साधयेदर्थं ८।४९
प्रयुज्यते विवाहेषु ५।१५२
प्रयुञ्जानोऽग्निशुश्रूषां २।२४८
प्रयोगः कर्मयोगश्च १०।११५
प्रवर्तमानमन्याये ९।२९२
प्रवासयेद्दण्डयित्वा ८।१२३
प्रविशेद्भोजनार्थं च ७।२२४
प्रविश्य सर्वभूतानि ९।३०६
प्रवृत्तं कर्म संसेव्य १२।९०
प्रवृत्तं च निवृत्तं च १२।८८
प्रवृत्तिरेषा भूतानां ५।५६
प्रशान्तमिव शुद्धाभं १२।२७
प्रशासितारं सर्वेषाम् १२।१२२
प्रष्टव्या सीमलिङ्गानि ८।२५४
प्रसक्तश्चेन्द्रियार्थेषु ११।४४
प्रसमीक्ष्य निवर्तेत ५।४९
प्रसह्य कन्याहरणं ३।३३
प्रस्रवे च शुचिर्वत्सः ५।१३०
प्रसाधनोपचारज्ञम् १०।३२
प्रहर्षयेद्बलं शूरान् ७।१९४
प्राकारस्य च भेत्तारम् ९।२८९
प्राक्कूलान्पर्युपासीनः २।७५
प्राङ्नाभिवर्धनात्पुंसः २।२९
प्राचीनावीतिना सम्यक् ३।२७९
प्राजकश्चेद्भवेदाप्तः ८।२९४
प्राजापत्यमदः स्वाख्यम् ११।३८
प्राजापत्यं चरेत्कृच्छ्रं ११।१०५
प्राजापत्यां निरूप्येष्टिम् ६।३८
प्राज्ञं कुलीनं शूरं च ७।२१०
प्राज्ञः प्रतिग्रहं कुर्यात् ४।१८७
प्राड्विवाकोऽनुयुञ्जीत ८।७९
प्राणभृत्सु महत्स्वर्धं ८।२९६
प्राणयात्रिकमात्रः स्यात् ६।५७
प्राणस्यान्नमिदं सर्वं ५।२८
प्राणानप्सु त्रिरायम्य ११।१४९
प्राणानेवात्तुमिच्छन्ति ४।२८
प्राणानां परिरक्षार्थं १०।१०६
प्राणायामा ब्राह्मणस्य ६।७०
प्राणायामैर्बृहेद् दोषान् ६।७२
प्राणायामैस्त्रिभिः पूतः २।७५
प्राणिभिः क्रियते यस्तु ९।२२३
प्राणि वा यदि वाऽप्राणि ४।११७
प्रातिभाव्यं वृथादानं ८।१५९
प्रातिलोम्येन जायन्ते १०।१६
प्रातिवेश्यानुवेश्यौ च ८।३९२
प्रादुष्कृतेष्वग्निषु तु ४।१०६
प्राधीते शतसाहस्रं ७।८५
प्रापणात्सर्वकामानां २।९५
प्राप्तापराधास्ताड्याः स्युः ८।२९९
प्राप्नुवन्ति दुरात्मानः ११।४८
प्राप्यैतत्कृतकृत्यो हि १२।९३
प्रायश्चित्तमकुर्वाणो २।२२१
प्रायश्चित्तं चिकीर्षन्ति ११।१९२
प्रायश्चित्तन्तु कुर्वाणाः ९।२४०
प्रायश्चित्तीयतां प्राप्य ११।४७
प्रायश्चित्ते तु चरिते ११।१८६
प्रायोनाम तपः प्रोक्तम् ११।४७
प्राश्य मूत्रपुरीषाणि ११।१५४
प्रास्येदात्मानमग्नौ वा ११।७३
प्रियं च नानृतं ब्रूयात् ४।१३८
प्रिया भवन्ति लोकस्य ८।४२
प्रियेषु स्वेषु सुकृतम् ६।७९
प्रेक्षासमाजं गच्छेद्वा ९।८४
प्रेतनिर्यातकश्चैव ३।१६९
प्रेतशुद्धिं प्रवक्ष्यामि (वेहशुद्धिं) ५।५७
प्रेतहारैः समं तत्र ५।६५
प्रेते राजनि स ज्योतिः ५।८२
प्रेत्येह च सुखोदर्कान् ९।२५
प्रेत्येह चेदृशा विप्रा ४।१९९
प्रेष्यान्वार्धुषिकांश्चैव ८।१०२
प्रेष्यो ग्रामस्य राज्ञश्च ३।१५३
प्रैष्यासु चैकभक्तासु ८।३६३
प्रोक्षणं संहतानां च ५।१२२
प्रोक्षणात्तृणकाष्ठं च ५।१२२
प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसं ५।२७
प्रोषिते त्वविधायैव ९।७५
प्रोषितो धर्मकार्यार्थम् ९।७६

फ

फलदानान्तु वृक्षाणाम् ११।१४२
फलन्त्यनुयुगं लोके १।८४
फलन्त्वनभिसंधाय ९।५२
फलपुष्पोद्भवानां च ११।१४३
फलमूलाशनैर्मेध्यैः ५।५४
फलं कतकवृक्षस्य ३।६७
फलैधःकुसुमस्तेयं ११।७०
फाल्गुनं वाऽथ चैत्रं वा ७।१८२

ब

बको भवति हुत्वाग्निम् १२।६६
बकं चैव बलाकां च ५।१४
बकवच्चिन्तयेदर्थान् ७।१०६
बन्धनानि च काष्ठानि १२।७८
बन्धनानि च सर्वाणि ९।२८८
बन्धुप्रियवियोगांश्च १२।७९
बभूवुर्हि पुरोडाशा ५।२३
बलवानिन्द्रियग्रामः २।२१५
बलवाञ्जायते वायुः १।७६
बलस्य स्वामिनश्चैव ७।१६७
बलाद्धृतं बलाद् भुक्तं ८।१६८
बलं सञ्जायते राज्ञः ८।१७२
बहवश्चेत्तु सदृशाः ९।१८४
बहवोऽविनयान्नष्टा ७।४०
बहिश्चेद्भाष्यते धर्मान् ८।१६४
ब्रह्मीर्गाः प्रतिजग्राह १०।१०७
ब्रह्मीषु चैकजातानां ९।१४८
बहुत्वं परिगृह्णीयात् ८।७३
बहून् वर्षगणान् घोरान् १२।५४
बालघ्नांश्च कृतघ्नांश्च ११।१९०
बालदायादिकं रिक्थं ८।२७
बालया वा युवत्या वा ५।१४७
बालवृद्धातुराणां च कुर्वता ८।३१२
बालवृद्धातुराणाञ्च साक्ष्येषु ८।७१
बालवृद्धातुरैर्वैद्यैः ४।१७९
बालातपः प्रेतधूमः ४।६९
बालाश्च न प्रमीयन्ते ९।२४७
बाले देशान्तरस्थे च ५।७८
बालोऽपि नावमन्तव्यो ७।८
बालोऽपि विप्रो वृद्धस्य २।१५०
बालः समानजन्मा वा २।२०८
बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत् ५।१४८
बाह्यं विभावयेल्लिङ्गैः ८।२५
बिडालकाकाखूच्छिष्टम् ११।१५९
बिभर्ति सर्वभूतानि १२।९९
बिभृयादानृशंस्येन ७।४११
बीजकाण्डरुहाण्येव १।४८
बीजक्षेत्रं तथैवान्ये १०।७०
बीजमेके प्रशंसन्ति १०।७०
बीजस्य चैव योन्याश्च ९।३५
बीजानामुप्तिविच्च स्यात् ९।३३०
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः १।९६
बुद्धिवृद्धिकराण्याशु ४।१९
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैषां २।९१
बुद्ध्वा च सर्वं तत्त्वेन ७।६८
बुध्येतारिप्रयुक्तां च ७।१०४
बैजिकं गार्भिकं चैनो २।२७
बैजिकादभिसम्बन्धात् ५।६३
बैडालव्रतिको ज्ञेयो ४।१९५
ब्रह्मक्षत्रियविड्योनिः २।८०
ब्रह्म क्षत्रं च सम्पृक्तं ९।३२२
ब्रह्मघ्नो ये स्मृता लोका ८।८९
ब्रह्मणा च परित्यक्ताः ११।१९२
ब्रह्मणो ग्रहणं चैव २।१७३
ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यात् २।७४
ब्रह्मचारिगतं भैक्ष्यं ५।१२९
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च ६।८७
ब्रह्मचारी तु योऽन्नीयात् ११।१५८
ब्रह्मचारी भवेन्नित्यं ४।१२८
ब्रह्मचारी व्रती च स्याद् ११।२२४
ब्रह्मचार्यहरेद् भैक्षं २।१८३
ब्रह्मचार्यैव भवति ३।५०
ब्रह्म चैव धनं येषां ९।३१६
ब्रह्म छन्दस्कृतं चैव ४।१००
ब्रह्म जन्म हि विप्रस्य २।१४६
ब्रह्म तेजोमयं दण्डं ७।१४
ब्रह्मदेयात्मसंतानो ३।१८५
ब्रह्मद्विट् परिवित्तिश्च ३।१५४
ब्रह्म यस्त्वननुज्ञातं २।११६
ब्रह्मवर्चसकामस्य २।३७
ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रा ३।३९
ब्रह्मवास्तोष्पतिभ्यां तु ३।८९

ब्रह्महत्याकृतं पापं ११।८६
ब्रह्महत्यापनोदाय ११।७५
ब्रह्महत्या सुरापानम् ११।५४
ब्रह्महा क्षयरोगित्वं ११।४६
ब्रह्महा च सुरापश्च ६।२३५
ब्रह्महा द्वादश समाः ११।७२
ब्रह्माञ्जलिकृतोऽध्याप्यो २।७०
ब्रह्माभ्यासेन चाजस्रं ४।१४६
ब्रह्मारम्भेऽवसाने च २।७१
ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मः १२।५०
ब्रह्माष्टकापौर्णमास्यौ ४।११४
ब्रह्माहृतिहुतं पुण्यं २।१०६
ब्रह्मैव सन्नियन्तृ स्यात् ६।३२०
ब्रह्मोज्झता वेदनिन्दा ११।५६
ब्रह्मोद्यश्च कथाः कुर्याद् ३।२३१
ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्रा ६।१५५
ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां तु ८।२७६
ब्राह्मणस्तु सुरापस्य ११।१४६
ब्राह्मणस्त्वनधीयानः ३।१६८
ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः ८।३३८
ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानम् ११।२३५
ब्राह्मणस्य रुजः कृत्वा ११।६७
ब्राह्मणस्य विशेषेण ११।११
ब्राह्मणस्यानुपूर्व्येण ६।१४५
ब्राह्मणस्यैव कर्मैतत् २।१६०
ब्राह्मणस्वं न हर्तव्यम् ११।८
ब्राह्मणाक्षत्रकन्यायाम् १०।१५
ब्राह्मणाद्याश्रयो नित्य ६।३३५
ब्राह्मणाद् वैश्यकन्यायाम् १०।८
ब्राह्मणान्पर्युपासीत ७।३७
ब्राह्मणान् बाधमानस्तु ६।२४८
ब्राह्मणान्वेदविदुषः ११।४
ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्थाः १०।७४
ब्राह्मणाभ्युपपत्तौ च ८।११२
ब्राह्मणाय च राज्ञे च ६।३२७
ब्राह्मणायावगूर्यैव ४।१६५
ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा हत्यागो १०।६२
ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा स्द्यः ११।७६
ब्राह्मणा लिङ्गिनश्चैव ८।४०७
ब्राह्मणी तद्धरेत् कन्या ६।११८
ब्राह्मणीं यद्यगुप्तान्तु ८।३७६
ब्राह्मणे चानानूचाने २।२४२
ब्राह्मणेषु च विद्वांसः १।६७
ब्राह्मणे साहसः पूर्वः ८।२७६
ब्राह्मणैरभ्यनुज्ञातः ३।२४३
ब्राह्मणैः शिल्पिभिर्यन्त्रैः ७।७५
ब्राह्मणो जायमानो हि १।६६
ब्राह्मणो बैल्वपालाशः २।४५
ब्राह्मणं कुशलं पृच्छेत् २।१२७
ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं १।३१
ब्राह्मणं दशवर्षं तु २।१३५
ब्राह्मणं भिक्षुकं वापि ३।२४३
ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि १०।११७
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः १०।४
ब्राह्मणः श्रेष्ठतामेति. ४।२४५
ब्राह्मणः सप्तरात्रेण १०।६३
ब्राह्मणः सम्भवेनैव ११।८४
ब्राह्मण्यामप्यनार्यात्तु १०।६६
ब्राह्मदैवार्षगान्धर्व ६।१६६
ब्राह्ममेकमहर्जेयं १।७२
ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता २।१५०
ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य १।६८
ब्राह्मादिषु विवाहेषु ३।३६
ब्राह्मान्यौनांश्च सम्बन्धान् २।४०
ब्राह्मीपुत्रः सुकृतकृत् ३।३७
ब्राह्मेण विप्रस्तीर्थेन २।५८
ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत ४।६२
ब्राह्मैर्योनैश्च सम्बन्धै ३।१५७
ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः ३।२१
ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं ७।२
ब्राह्यं हुतं द्विजाग्र्यार्चा ३।७४
ब्राह्यं हुतं प्राशितं च ३।७३
ब्रूहीति ब्राह्मणं पृच्छेत् ८।८८
ब्रूहीत्युक्तश्च न ब्रूयात् ८।५६

भ

भक्षयन्तीं न कथयेत् ११।११४
भक्ष्यभोज्यापहरणे ११।१६५
भक्ष्यभोज्योपदेशैश्च ६।२६८
भक्ष्यान्पञ्चनखेष्वाहुः ५।१८
भक्ष्याभक्ष्यं च शौचं च १।११३
भक्ष्येष्वपि समुद्दिष्टान् ५।१७

भक्ष्यं भोज्यं च विविधं	३।२२७	**भुञ्जीयातां ततः पश्चात्**	३।११६
भगवन्सर्ववर्णानां	१।२	**भूतं भव्यं भविष्यं च**	१२।९७
भग्नं तदव्यवहारेण	८।१४८	**भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः**	१।९६
भजेरन्पैतृकं रिक्थं	९।१०४	**भूतिकामैर्नरैर्नित्यं**	३।५९
भजेरन्मातृकं रिक्थं	९।१९२	**भूमाऽप्येककेदारे**	९।३८
भद्रं भद्रमिति ब्रूयात्	४।१३९	**भूमिदो भूमिमाप्नोति**	४।२३
भयाद्भोगाय कल्पन्ते	७।१५	भूमिवज्रमणीनां च	११।५७
भयाद् द्वौ मध्यमौ दण्डौ	८।१२०	भूमि भूमिशयांश्चैव	१०।८४
भरद्वाजः क्षुधार्तस्तु	१०।१०७	**भूमौ विपरिवर्त्तेत**	६।२२
भर्ता तत्सर्वमादत्ते	७।९५	भूस्तृणं शिग्रुकं चैव	६।१४
भर्तारं लङ्घयेद् या तु	८।३७१	**मृतकाध्यापको यश्च**	३।१५६
भर्तुर्यद् दुष्कृतं किंचित्	७।९४	**मृतो नार्त्तो न कुर्य्याद्यो**	२।२१५
भर्तुः पुत्रे विजानन्ति	९।३२	**भृत्या चाध्ययनादान**	११।६२
भर्तुः शरीरशुश्रूषाम्	९।८६	**भृत्यानामुपरोधेन**	११।१०
भवत्पूर्वं चरेद् भैक्षं	२।४९	**भृत्यानां च भृतिं विद्यात्**	९।३३२
भवत्याचारवान्नित्यं	१२।१२६	भृत्यानां चैव वृत्त्यर्थं	५।२२
भवन्त्यायोगवीष्वेते	१०।३५	**भृत्या भवन्ति प्रायेण**	७।१२३
भवन्मध्यं तु राजन्यः	२।४९	**भक्षाद्यात्मविशुद्ध्यर्थं**	११।७२
भव्यं गव्यं च पेयूषं	५।६	**भैक्षेण वर्तयेन्नित्यं**	२।१८८
भस्मनाऽद्भिर्मृदा चैव	५।१११	**भैक्षेण व्रतिनो वृत्तिः**	२।१८८
भस्मनीव हुतं हव्यं	३।१८१	**भैक्षे प्रसक्तो हि यतिः**	६।५५
भस्मीभूतेषु विप्रेषु	३।९७	**भोजनाभ्यञ्जनाद् दानात्**	१०।९१
भागो यवीयसां तत्र	९।२०४	**भोजनार्थं हि ते शंसन्**	३।१०९
भाण्डपूर्णानि यानानि	८।४०५	**भोजयेत्सह भृत्यैस्तौ**	३।११२
भाण्डावकाशदाश्चैव	९।२११	**भोजयेत्सुसमृद्धोऽपि**	३।१२५
भार्या पुत्रश्च दासश्च त्रय एव	८।४१६	**भोभवत्पूर्वकं त्वेनं**	२।१२८
भार्या पुत्रश्च दासश्च प्रेष्यो	८।२९९	**भोः शब्दं कीर्तयेदन्ते**	२।१२४
भार्यायै पूर्वमारिण्यै	५।१६८	**भौमिकैस्ते समा ज्ञेया**	५।१४२
भिक्षामप्युदपात्रं वा	३।९६	**भ्रातरो ये च संसृष्टाः**	९।२१२
भिक्षावलि रिश्रान्तः	६।३४	**भ्राता ज्येष्ठः समः पित्रा**	४।१८४
भिक्षां च भिक्षवे दद्यात्	३।९४	**भ्रातुर्ज्येष्ठस्य भार्यायाम्**	९।५७
भिक्षुका बन्दिनश्चैव	८।३६०	**भ्रातुर्भार्योपसंग्राह्या**	२।१३२
भिक्षेत भिक्षां प्रथमं	२।५०	**भ्रातुर्मृतस्य भार्यायां**	३।१७३
भिन्दन्त्यवमता मन्त्रं	७।१५०	**भ्रातृमातृपितृप्राप्तं**	९।१९४
भिन्द्याच्चैव तडागानि	७।१९६	**भ्रातृणामविभक्तानाम्**	९।२१५
भुक्तवत्सु च विप्रेषु	३।१११	**भ्रातृणामेकजातानाम्**	९।१८२
भुक्तवत्स्वथ विप्रेषु	३।११६	**भ्रातॄणां यस्तु नेहेत**	९।२०७
भुक्तवान् विहरेच्चैव	७।२२१	**भ्रामरी गण्डमाली च**	३।१६१
भुक्त्वा चोपस्पृशेत्सम्यक्	२।५३	**भ्रूणघ्नावेक्षितं चैव**	४।२०८
भुक्त्वाऽतोऽन्यतमस्यान्नं	४।२२२		
भुज्यमानं परैस्तूष्णीं	८।१४७		

म

मक्षिका विप्रुषश्छाया	५।१३३	**मनोर्हैरण्यगर्भस्य**	३।१९४
मङ्गलाचारयुक्तानां	४।१४६	मनोवाग्देहजैर्नित्यं	१।१०४
मङ्गलाचारयुक्तः स्यात्	४।१४५	मनोवाङ्मूर्तिभिर्नित्यं	११।२३१
मङ्गलादेशवृत्ताश्च	९।२५८	मन्त्रज्ञैर्मन्त्रिभिश्चैव	८।१
मङ्गलार्थं स्वस्त्ययनम्	५।१५२	**मन्त्रतस्तु समृद्धानि**	३।६६
मङ्गल्यं दीर्घवर्णान्तं	२।३३	मन्त्रयेत्परमं मन्त्रं	७।५८
मङ्गल्यं ब्राह्मणस्य स्यात्	२।३१	मन्त्रवत्प्राशनं चास्य	२।२९
मणिमुक्ताप्रवालानां ताक्ष्यस्य	११।१६७	मन्त्रवज्यं न दुष्यन्ति	१०।१२७
मणिमुक्ताप्रवालानां लोहानाम्	९।३२९	मन्त्रसम्पूजनार्थं तु	३।१३७
मणिमुक्ताप्रवालानि	१२।६१	मन्त्रैस्तु संस्कृतानद्यात्	५।३६
मणीनामपवेधे च	९।२८६	**मन्त्रैः शाकलहोमीयैः**	११।२५६
मतिपूर्वमनिर्देश्यं	११।१४६	**मन्यन्ते वै पापकृतो**	८।८५
मत्तक्रुद्धातुराणां च	४।२०७	**मन्येतारिं यदा राजा**	७।१७३
मत्तोन्मत्तार्तिध्यधीनैः	८।१६३	**मन्वन्तराण्यसंख्यानि**	१।८०
मत्या भुक्त्वाऽऽचरेत्कृच्छ्रं	४।२२२	**ममायमिति यो ब्रूयात्**	८।३५
मत्स्यघातो निषादानाम्	१०।४८	**ममेदमिति यो ब्रूयात्**	८।३१
मत्स्यादः सर्वमांसादः	५।१५	**मरीचिमत्र्यङ्गिरसौ**	१।३५
मत्स्यादान्विड्वराहांश्च	५।१४	**मरुद्भ्य इति तु द्वारि**	३।८८
मत्स्यानां पक्षिणां चैव	८।३२८	मर्यादाभेदकश्चैव	९।२९१
मद्यपाऽसाधुवृत्ता च	९।८०	मलिनीकरणीयेषु	११।१२५
मद्यैर्मूत्रैः पुरीषैर्वा	५।१२३	**महती देवता ह्येषा**	७।८
मद्यं नीलिं च लाक्षां च	१०।८९	महतोप्येनसो मासात्	२।७९
मधु दंशः पयः काकः	१२।६२	**महर्षिपितृदेवानां**	४।२५७
मधुपर्के च यज्ञे च	५।४१	**महर्षिभिश्च देवैश्च**	८।११०
मधुपर्केण सम्पूज्यौ	३।१२०	महाकुलीनमार्यं च	८।२९५
मध्यन्दिनेऽर्धरात्रे च	४।१३१	**महान्तमेव चात्मानं**	१।१५
मध्यन्दिनेऽर्धरात्रे वा	७।१५१	महान्ति पातकान्याहुः	११।५४
मध्यमस्य प्रचारं च	७।१५५	**महान्त्यपि समृद्धानि**	३।६
मध्यमं तु ततः पिण्डं	३।२६२	महापक्षे धनिन्यार्ये	८।१७९
मध्यमः पञ्च विज्ञेयः	८।१३८	**महापशूनां हरणे**	८।३२४
मध्ये व्योमदिशश्चाष्टौ	१।१३	**महापातकसंयुक्तः**	११।२५७
मध्वापीतो विषास्वादः	११।९	**महापातकिनश्चैव**	११।२३९
मनश्चावयवैः सूक्ष्मैः	१।१८	महाभूतादि वृत्तौजाः	१।९
मनसश्चाप्यहंकारं	१।१४	महायज्ञविधानं च	१।११२
मनसोग्नुं दिशः श्रोत्रे	१२।१२१	**महायज्ञैश्च यज्ञैश्च**	२।२८
मनः सृष्टिं विकुरुते	१।७५	**महाव्याहृतिभिर्होमः**	११।२२२
मनुमेकाग्रमासीनं	१।१	मागधः क्षत्रजातिश्च	१०।२९
मनुष्यमारणे क्षिप्रं	८।२९९	माघशुक्लस्य वा प्राप्ते	४।९९
मनुष्याणामपि प्रोक्तः	९।६६	**मातर पितरं जायां**	८।२७५
मनुष्याणां तु हरणे	११।१६३	**मातरं वा स्वसारं वा**	२।५०
मनुष्याणां पशूनां च	८।२८६	मातर्यपि च वृत्तायां	९।२१७

माता पिता वा दद्याताम्	९।१६८	मित्रध्रुग्द्यूतवृत्तिश्च	३।१६०
मातापितृभ्यामुत्सृष्टम्	९।१७१	मित्रस्य चानुरोधेन	७।१६६
मातापितृभ्यां जामीभिः	४।१८०	मित्रस्य चैवापकृते	७।१६४
मातापितृविहीनो यः	९।१७७	मित्रादथाप्यमित्राद्वा	७।२०७
माता पृथिव्या मूर्तिस्तु	२।२२६	मित्रं हिरण्यं भूमिं वा	७।२०६
मातामहं मातुलं च	३।१४८	मिथ एव प्रदातव्यः	८।१६५
मातामह्या धनाद्किञ्चित्	९।१६३	**मिथो दत्तः कृतो येन**	८।१६५
मातुरग्रेऽधिजननं	२।१६६	मिथो भेदनाप्रसवात्	९।७०
मातुलांश्च पितृव्यांश्च	२।१३०	मिथ्यावादी च संख्याने	८।४००
मातुले पक्षिणी रात्रिं	५।८१	मीमांसित्वोभयं देवाः	४।२२४
मातुश्च भ्रातुस्तनयां	११।१७१	**मुखबाहूरुपज्जानां या**	१०।४५
मातुस्तु यौतकं यत् स्यात्	९।१३१	मुखबाहूरुपज्जानां पृथक्	१।८७
मातुः प्रथमतः पिण्डम्	९।१४०	मुख्यानां चैव रत्नानां	८।३२३
मातृकं भ्रातृदत्तं वा	९।९२	मुच्यते पातकैः सर्वैः पराकैः	१२।२५८
मातृजात्यां प्रसूयन्ते	१०।२७	मुच्यते पातकैः सर्वैस्त्रिभिर्जै	११।२५९
मातृवद् वृत्तिमातिष्ठेद्	२।१३३	मुच्यते ब्रह्महत्यायाः	११।७९
मातृष्वसा मातुलानी	२।१३१	**मुञ्जालाभे तु कर्तव्याः**	२।४३
मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा	२।२१५	**मुण्डो वा जटिलो वा स्यात्**	२।२१९
मानयोगं च जानीयात्	९।३३०	**मुन्यन्नानि पयः सोमः**	३।२५७
मानवस्यास्य शास्त्रस्य	१२।१०७	**मुन्यन्नैर्विविधैर्मेध्यैः**	६।५
मानसं मनसैवायम्	१२।८	मूत्रेण मौण्ड्यमिच्छेत्तु	८।३८३
मारुतं पुरुहूतं च	११।१२१	**मूत्रोच्चारसमुत्सर्गं**	४।५०
मार्गशीर्षे शुभे मासि	७।१८२	मूलकर्मणि चाप्तेः	९।२९०
मार्जनोपाञ्जनैर्वेश्म	५।१२२	मूल्यात्पञ्चगुणो दण्डः	८।२८९
मार्जनं यज्ञपात्राणाम्	५।११६	मूल्येन तोषयेच्चैनं	८।१४४
मार्जारनकुलौ हत्वा	११।१३१	**मृगयाऽक्षो दिवास्वप्नः**	७।४७
माऽवमंस्थाः स्वमात्मानं	८।८४	**मृतवस्त्रभृत्सु नारीषु**	१०।३५
मापिकस्तु भवेद्दण्ड्यः	८।२९८	मृते भर्तरि पुत्रस्तु	९।१४
मासस्य वृद्धिं गृह्णीयात्	८।१४२	**मृते भर्तरि साध्वी स्त्री**	५।१६०
मासिकान्नं तु योऽश्नीयात्	११।१५७	**मृत्तोयैः शुद्ध्यते शौच्यम्**	५।१०८
मासेनाश्नन्हविष्यस्य	११।२२०	मृतं तु याचितं भैक्षं	४।५
मासं गोष्ठे पयः पीत्वा	११।१९४	**मृतं शरीरमुत्सृज्य**	४।२४१
माहित्रं शुद्धवत्यश्च	११।२४९	मृत्युश्च वसति क्रोधे	७।११
मांसमक्षयिताऽमुत्र	५।५५	**मृदं गां दैवतं विप्रं**	४।३९
मांसभैक्षं तु षण्मिष्कान्	८।२८४	मृन्मयानां च भाण्डानां	७।१३२
मांसस्य मधुनश्चैव	८।३२८	मृन्मयानां च हरणे	८।३२७
मांसस्यातः प्रवक्ष्यामि	५।२६	**मृष्यन्ति ये चोपपत्तिं**	४।२१७
मांसं गृध्रो वपां शुद्गुः	१२।६३	**मेखलामजिनं दण्डं**	२।६४
मांसानि च न खादेद्यः	५।५३	मेदान्ध्रचुञ्चुमद्गूनां	१०।४८
मांसाशनं च नाश्नीयुः	५।७३	मेदोमृङ्मांसमज्जास्थि	३।१८२
मित्रद्रुहः कृतघ्नस्य	८।८९	मेध्यवृक्षोद्भवान्यद्यात्	६।१३

मेने प्रजापतिः स्त्रीषां ४।२४८
मैत्रं प्रसाधनं स्नानं ४।१५२
मैत्राक्ष्यज्योतिकः प्रेतः १२।७२
मैत्र्यकन्तु वंदेहः १०।३३
मैत्र्यमौद्वाहिकं चैव ६।२०६
मैथुनं तु समासेव्य ११।१७४
मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः ७।१११
मौञ्जी त्रिवृत्समा श्लक्ष्णा २।४२
मौण्ड्यं प्राणान्तिको दण्डः ८।३७६
मौलाञ्छास्त्रविदः शूरान् ७।५४
म्रियमाणोऽन्यादद्यात् ७।१३३
म्रियेतान्यतरो वापि ६।२११
म्लेच्छवाचश्चार्यवाचः १०।४५

य

य आवृणोत्यवितथं २।१४४
य एते तु गणा मुख्याः ३।२००
य एतेऽन्ये त्वभोज्यान्नाः ४।२२१
य एतेऽभिहिताः पुत्राः ६।१८१
यक्षरक्षःपिशाचान्नम् ११।९५
यक्षरक्षःपिशाचांश्च १।३७
यक्ष्मी च पशुपालस्य ३।१५४
यच्च सातिशयं किञ्चित् ६।११४
यच्चास्य सुकृतं किञ्चित् ७।९५
यच्छेषं दशरात्रस्य ५।७५
यजतेऽहरहर्यज्ञैः ८।३०६
यजमानो हि भिक्षित्वा ११।२४
यजेत राजा क्रतुभिः ७।७९
यजेत वाऽश्वमेधेन ११।७४
यज्ञशिष्टाशनं ह्येतत् ३।११८
यतश्च भयमाशङ्केत्प्राचीं ७।१८९
यज्ञश्च भूत्यै सर्वस्य ५।३९
यज्ञश्चेत् प्रतिरुद्धः स्यात् ११।११
यज्ञाय जग्धिर्मांसस्य ५।३१
यज्ञार्थमर्थं भिक्षित्वा ११।२५
यज्ञार्थं निधनं प्राप्ताः ५।४०
यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः ५।३९
यज्ञार्थं ब्राह्मणैर्वध्याः ५।२२
यज्ञे तु वितते सम्यक् ३।२८
यज्ञोऽनृतेन क्षरति ४।२३७
यज्ञोपवीतं वेदं च ४।३६
यजमान ऋषयो देवाः १२।४९

यतश्च भयमाशङ्केत् ७।१७९
यतन्ते रक्षितुं भार्यां ९।६
यतश्च भयमाशङ्केत्ततो ७।१८८
यतात्मनोऽप्रमत्तस्य ११।२१५
यतिचान्द्रायणं वापि ५।२०
यत्करोत्येकरात्रेण ११।१८८
यत्कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात् ४।१६१
यत् कर्म कृत्वा कुर्वंश्च १२।२५
यत् किञ्चित् पितरि प्रेते ९।२०४
यत्किञ्चित्स्नेहसंयुक्त ५।२४
यत्किञ्चिदपि दातव्यं ४।२२८
यत्किञ्चिदपि वर्षस्य ७।१३७
यत्किञ्चिदेनः कुर्वन्ति ११।२४१
यत्किञ्चिदेव देयं तु ९।११५
यत्किञ्चिद्दशवर्षाणि ८।१४७
यत्किञ्चिन्मधुना मिश्रं ३।२७३
यत्तत्कारणमव्यक्तं १।१३
यत्तु दुःखसमायुक्तम् १२।२८
यत्तु वाणिजके दत्तं ३।१८१
यत् स्यान्मोहसंयुक्तम् १२।२९
यत्ते समधिगच्छन्ति ८।४१९
यत्तत्स्वस्याः स्याद्धनं दत्तम् ९।१९७
यत्नेन भोजयेच्छ्राद्धे ३।१४५
यत्पर्युषितमप्याद्यं ५।२४
यत्पुण्यफलमाप्नोति ३।९५
यत्पुंसः परदारेषु ११।१७६
यत्प्राग्द्वादशमाद्रात्रं १।७९
यत्सर्वेणेच्छति ज्ञातुम् १२।३७
यस्मिन् कर्मण्यस्य कृते ११।२३३
यत्र त्वेते परिध्वंसात् १०।६१
यत्र धर्मो ह्यधर्मेण ८।१४
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते ३।५६
यत्र वर्जयते राजा ९।२४६
यत्र वाप्युपधिं पश्येत् ८।१६५
यत्र श्यामो लोहिताक्षो ७।२५
यत्र स्युः सोऽत्र मानार्हः २।१३७
यत्रानिबद्धोऽपीक्षेत ८।७६
यत्रापवर्तते युग्यं ८।२९३
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते ३।५६
यथर्तुलिङ्गानृतवः १।३०
यथाकथञ्चित् पिण्डानाम् ११।२२०
यथाकर्म तपोयोगात् १।४१

यथा काष्ठमयो हस्ती	२।१५७	यथाऽस्याभ्यधिका न स्युः	७।१७७
यथा खनन्खनित्रेण	२।२१८	यथेदमुक्तावाऽछास्त्रं	१।११६
यथा गोऽश्वोष्ट्रदासीषु	९।४८	यथेदं शावमाशौचं	५।६१
यथा चाज्ञे फलं दानं	२।१५८	यथेरिणे बीजमुप्त्वा	११।१४२
यथा चैवापरः पक्षः	३।२७८	यथैधस्तेजसा वह्निः	११।२४६
यथा चोपचरेदेनं	४।२५४	यथैनः नाभिसंदध्युः	७।१८०
यथा जातबलो वह्निः	१२।१०१	यथैव शूद्रो ब्राह्मण्याम्	१०।३०
यथातथाऽध्यापयँस्तु	४।१७	यथैवात्मा तथा पुत्रः	९।१३०
यथा त्रयाणां वर्णानाम्	१०।२८	यथैवैका तथा सर्वाः	११।९४
यथा दुर्गाश्रितानेतान्	७।७३	यथोक्तकारिणं विप्रं	६।८८
यथा नदीनदाः सर्वे	६।९०	यथोक्तमार्तः सुस्थो वा	८।२१७
यथा नयत्यसृक्पातैः	८।४४	यथोदितान्यपि कर्माणि	१२।९२
यथा नाभिचरेतां तौ	९।१०२	यथोक्तेन नयन्तस्ते	८।२५७
यथा प्लवेनौपलेन	४।१९४	यथोक्तेनैव कल्पेन	५।७२
यथा फलेन युज्येत	७।१२८	यथोदितेन विधिना	४।१००
यथा बीजं न वप्तव्यं	९।४२	यथोद्धरति निर्दाता	७।११०
यथा बीजं प्ररोहन्ति	९।३९	यदतोऽन्यद्धि कुरुते	१०।१२३
यथा ब्राह्मणचाण्डालः	९।८७	यदधीते यद्यजते	८।३०५
यथा ब्रूयुस्तथा कुर्याद्	३।२५३	यदन्यगोषु वृषभः	९।५०
यथा महाह्रदं प्राप्य	११।२६३	यदन्यस्य प्रतिज्ञाय	९।९९
यथा मित्रं ध्रुवं लब्ध्वा	७।२०८	यदपत्यं भवेदस्यां	९।१२७
यथा यथा नरो धर्मम्	११।२२८	यदाणुमात्रिको भूत्वा	१।५६
यथा यथा निषेवन्ते	१२।७३	यदा तु यानमातिष्ठेत्	७।१८१
यथा यथा मनस्तस्य	११।२२९	यदा तु स्यात्परिक्षीणो	७।१७२
यथा यथा महद् दुःखं	८।२८९	यदा परबलानां तु	७।१७४
यथा यथा हि पुरुषः	४।२०	यदा प्रहृष्टा मन्येत	७।१७०
यथा यथा हि सद्वृत्तम्	१०।१२८	यदा भावेन भवति	६।८०
यथा यमः प्रियद्वेष्यौ	९।३०७	यदा मन्येत भावेन	७।१७१
यथार्हतः संप्रणयेद्	७।१६	यदाधगच्छेदायत्याम्	७।१६९
यथाहमेतामन्यूढां	८।३९१	यदा स देवो जागर्ति	१।५२
यथाल्पमदन्त्याद्यं	७।१२९	यदा स्वपिति शान्तात्मा	१।५२
यथा वायुं समाश्रित्य	३।७७	यदा स्वयं न कुर्य्यात्तु	८।९
यथाविधि नियुक्तस्तु	५।२७	यदि तत्रापि संपश्येत्	७।१७६
यथाविध्यधिगम्यैनाम्	९।७०	यदि तु प्रायशोऽधर्मम्	१२।२१
यथाशास्त्रं तु कृत्वैवं	४।९७	यदि ते तु न तिष्ठेयुः	७।१०८
यथाश्रुतं यथादृष्टं	८।१०१	यदि त्वतिथिधर्मेण	३।१११
यथाऽश्वमेधः क्रतुराट्	११।२६०	यदि त्वात्यन्तिकं वासं	२।२४३
यथा षण्ढोऽफलः स्त्रीषु	२।१५८	यदि देशे च काले च	८।२३३
यथा सर्वाणि भूतानि	९।३११	यदि न प्रणयेद्राजा	७।२०
यथा संकल्पितांश्चैव	२।५	यदि नात्मनि पुत्रेषु	४।१७३
यथासुखमुखः कुर्याद्	४।५१	यदि संशय एव स्यात्	८।२५३

यदि संसाधयेत्तत्तु ८।२१३
यदि स्त्री यज्ञवरजः २।२२३
यदि स्वाश्चापराश्चैव ९।८५
यदि हि स्त्री न रोचेत ३।६१
यदेतत्परिसङ्ख्यातं १।७१
यदेव तर्पयत्यद्भिः ३।२८३
यदेवास्य पिता दद्यात् ९।१५५
यद्गर्हितेनार्जयति ११।१९३
यद् दुस्तरं यद् दुरापं ११।२३८
यद् द्वयोरनयोर्वेत्थ ८।८०
यद्धनं यज्ञशीलानाम् ११।२०
यद्ध्यायति यत्कुरुते ५।४७
यद्दूरस्थं स्यात्ततो दद्यात् ६।७
यद्यत्परवशं कर्म ४।१५९
यद्यदात्मवशं तु स्यात् ४।१५९
यद्यद्वदति विधिवत् ३।२७५
यद्यद्धि कुरुते किंचित् २।४
यद्यद्रोचेत विप्रेभ्यः ३।२३१
यद्यन्नमत्ति तेषां तु ५।१०२
यद्यपि स्यात्तु सत्पुत्रः ९।१५४
यद्यर्थिता तु दारैः स्यात् ९।२०३
यद्यस्य विहितं कर्म २।१५४
यद्यस्य सोऽदधात्सर्गे १।२९
यद्याचरति धर्मं सः १२।२०
यद्येवरिक्थिनौ स्याताम् ९।१६२
यद्राष्ट्रं शूद्रभूयिष्ठं ८।२२
यद् वा तद् वा परद्रव्यम् १२।६८
यद्वापि प्रतिसंस्कुर्यात् ९।२७९
यद्वोच्छिष्टशिरा भुङ्क्ते ३।२३८
यन्नाम्नि किञ्चिद्वाशानां ८।४०८
यन्मूत्र्यवयवाः सूक्ष्माः १।१७
यस्मै माता प्रलुलुभे ९।२०
यमयोश्चैव गर्भेषु ९।१२६
यमान्पतत्यकुर्वाणो ४।२०४
यमान्सेवेत सततं ४।२०४
यस्मिञ्छो न दहत्यग्निः ८।११५
यमेव तु शुचिं विद्यात् २।११५
यमो वैवस्वतो देवो ८।९२
ययास्योद्विजते वाचा २।१६१
यवगोधूमजं सर्वं ५।२५
यवीयसस्तु या भार्या ९।५७
यवीयाञ्ज्येष्ठमार्यायाम् ९।१२०
यशोऽस्मिन्प्राप्नुयाल्लोके ८।३४३
यश्चाधरोत्तरानर्थान् ८।५३
यश्च विप्रोऽनधीयानः २।१५७
यज्ञवापि धर्मसमयात् ९।२७३
यश्चैतान्प्राप्नुयात्सर्वान् २।९५
यस्तकेंणानुसधत्ते १२।१०९
यस्तल्पजः प्रमीतस्य ९।१६७
यस्तु तत् कारयेन्मोहात् ९।८७
यस्तु दोषवतीं ··· उपपादयेत् ९।७३
यस्तु दोषवतीं ··· प्रयच्छति ८।२२४
यस्तु पूर्वनिविष्टस्य ९।२८१
यस्तु भीतः परावृतः ७।९४
यः तु रज्जुं घटं कूपात् ८।३१९
यस्त्वधर्मेण कार्याणि ८।१७४
यस्त्वनाक्षारितः पूर्वं ८।३५५
यस्त्वेतान्युपकल्पन्तानि ८।३३३
यस्मात्त्रयोऽप्याश्रमिणः ३।७८
यस्मादण्वपि भूतानां ६।४०
यस्मादेषां सुरेन्द्राणाम् ७।५
यस्मादुत्पत्तिरेतेषां ३।१९३
यस्माद् बीजप्रभावेण १०।७२
यस्मिन् कर्माणि यास्तु स्युः ८।२०८
यस्मिन् कर्मण्यस्य कृते ११।२३३
यस्मिञ्जिते जितावेतौ २।९२
यस्मिन् देशे निषीदन्ति ८।११
यस्मिन्नेव कुले नित्यं ३।६०
यस्मिन्नृणं सन्नयति ९।१०७
यस्मिन्यस्मिन्कृते कार्ये ८।२२८
यस्मिन्यस्मिन् विवाहे तु ८।११७
यस्मै दद्यात्पिता त्वेनाम् ५।१५१
यस्य कायगतं ब्रह्म ११।९७
यस्य तेजोमया लोकाः ६।३९
यस्य ते बीजतो जाताः ९।१८१
यस्य त्रिवार्षिकं भक्तम् ११।७
यस्य दृश्येत सप्ताहात् ८।१०८
यस्य प्रसादे पद्मा श्रीः ७।११
यस्य मन्त्रं न जानन्ति ७।१४८
यस्य मित्रप्रधानानि ३।१३९
यस्य यत्पैतृकं रिक्थं ९।१६२
यस्य राज्ञस्तु विषये ७।१३४

यस्य वाङ्मनसी शुद्धे	२।१६०	**या पत्या वा परित्यक्ता**	९।१७५
यस्य विद्वान् हि वदतः	८।९६	यामिष्यां प्राप्नोति संपृक्तः	१२।१९
यस्य शूद्रस्तु कुरुते	८।२१	**यामीस्ता यातनाः प्राप्य**	१२।२२
यस्य स्तेनः पुरे नास्ति	८।३८६	यामुत्प्लुत्य वृको हन्यात्	८।२३६
यस्या म्रियेत कन्यायाः	९।६९	**या रोगिणी स्यात्तु हिता**	९।८२
यस्यास्तु न भवेद् भ्राता	३।११	यावती संभवेद् वृद्धिः	८।१५५
यस्यास्येन सदाश्नन्ति	२।९५	**यावतो ग्रसते ग्रासान्**	३।१३३
यस्यैते निहिता बुद्धौ	१२।१०	**यावतो बान्धवान्यस्मिन्**	८।९७
यस्त्वैश्वर्यान्न क्षमते	८।३१३	**यावतः संस्पृशेदङ्गैः**	३।१७८
या गर्भिणी संस्क्रियते	९।१७३	**यावत्त्रयस्ते जीवेयुः**	२।२३५
याचिष्णुता प्रमादश्च	१२।३३	यावत्स स्यात्समावृत्तः	८।२७
याच्यः स्यात्स्नातकैर्विप्रैः	१०।११३	**यावदुष्णं भवत्यन्नं**	३।२३७
याजनाध्यापनाद्योनात्	११।१८०	**यावदेकानुदिष्टस्य**	४।१११
याजनाध्यापने चैव	१०।७६	यावन्तश्चैव यैश्चान्नैः	३।१२४
याजनाध्यापनेनापि	८।२४०	**यावन्ति पशुरोमाणि**	५।३८
याजनाध्यापने नित्यम्	१०।११०	**यावन्मातृपितृमेध्याक्तात्**	५।१२९
याजयन्ति च ये पूगान्	३।१५१	**यावानवध्यस्य वधे**	९।२४९
याज्यान्तेवासिनोर्वापि	४।३३	या वृत्तिस्तां समास्थाय	४।२
या तु कन्यां प्रकुर्यात् स्त्री	८।३७०	**या वेदबाह्याः स्मृतयः**	१२।९५
यात्रामात्रप्रसिद्ध्यर्थं	४।३	**या वेदविहिता हिंसा**	५।४४
यादृग्गुणेन भर्त्रा स्त्री	९।२२	**यासां नाददते शुल्कं**	३।५४
यादृशा धनिभिः कार्य्या	८।६१	**यास्तासां स्युर्दुहितरः**	९।१९३
यादृशेन तु भावेन	१२।८१	यां प्रसह्य वृको हन्यात्	८।२३५
यादृशोऽस्य भवेदात्मा	४।२५४	**यां यां योनिं तु जीवोऽयम्**	१२।५३
यादृशं तूप्यते बीजम्	९।३६	यांस्तत्र चौरान्गृह्णीयात्	८।३४
यादृशं पुरुषस्येह	४।१३४	युक्तः परिचरेदेनं	२।२४२
यादृशं फलमाप्नोति	९।१६१	युक्तश्चैवाप्रमत्तश्च	७।१४२
यादृशं भजते हि स्त्री	९।९	**युक्तश्छन्दांस्यधीयीत**	४।९५
यादृशं भवति प्रेत्य	५।३४	युक्ते च दैवे युध्येत	७।१९७
यानशय्याप्रदो भार्यां	४।२३२	**युक्षु कुर्वन्दिनक्षेषु**	३।२७७
यानशय्यासनान्यस्य	४।२०२	**युगपत्तु प्रलीयन्ते**	१।५४
यानस्थ चैव यातुश्च	८।२९०	**युग्मासु पुत्रा जायन्ते**	३।४८
यानासनस्थश्चैवैनं	२।२०२	युग्यस्था: प्राजकेऽनाप्ते	८।२९४
यानि चैवं प्रकाराणि कालाद्	८।२५१	युध्यमानाः परं शक्त्या	७।८७
यानि चैव प्रकाराणि स्थलजा	१।४४	**ये कार्मिकेभ्योऽर्थमेव**	८।१२४
यानि चैवाभिपद्यन्ते	५।१०	**येऽक्षेत्रिणो बीजवन्तः**	९।५९
या नियुक्ताऽन्यतः पुत्रम्	९।१४७	ये च वैरुपचर्याः स्युः	३।१९३
यानि राजप्रदेयानि	**७।११८**	**ये तत्र नोपसर्पेयुः**	९।२६९
यानुपाश्रित्य तिष्ठन्ति	९।३१६	ये द्विजानामपसदाः	१०।४६
यान्यधस्तान्यमेध्यानि	५।१३२	**येन केनचिदंगेन**	८।२७९
यान् सम्यगनुतिष्ठन्ति	१०।१३०	येन तुष्यति चात्मास्य	१२।३७

येन मूलहरो धर्मः ८।३५३
येन यत्साध्यते कार्यं ९।२९७
येन यस्तु गुणेनैषाम् १२।३९
येन येन तु भावेन ४।२३४
येन येन यथाङ्गेन ८।३३४
येन वेदयते सर्वं १२।११३
येनास्मिन् कर्मणा लोके १०।३६
येनास्य पितरो याता ४।१७८
ये नियुक्तास्तु कार्येण ९।२३१
येऽन्ये ज्येष्ठकनिष्ठाभ्यां ९।११३
ये पतन्त्यन्धतामिस्रे ४।१९७
ये पाकयज्ञाश्चत्वारः २।८६
ये वकव्रतिनो विप्रा ४।१९७
ये शूद्रादभिगम्यार्थम् ११।४२
येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो वा ९।२११
येषां तु यादृशं कर्म १।४२
येषां द्विजानां सावित्री ११।१९१
ये स्तेनपतितक्लीबाः ३।१५
यैरभ्युपायैरेनांसि ११।२१०
यैर्यैरुपायैरर्थं स्वं ८।४८
यैर्यैर्नैरपोह्यन्ते ११।७१
यैर्व्याप्येमान्स्थितो भावान् १२।२४
यैः कर्मभिः प्रचरितैः १०।१००
यैः कृतस्सर्वभक्ष्योऽग्निः ९।३१४
योऽकामां दूषयेत्कन्यां ८।३६४
योगक्षेमं च सम्प्रेक्ष्य ७।१२७
योगक्षेमं प्रचारं च ९।२१९
योगक्षेमेऽन्यथा चेत्तु ८।२३०
योगाधमनविक्रीतं ८।१६५
यो ग्रामदेशसङ्घानां ८।२१९
यो ज्येष्ठो ज्येष्ठवृत्तिः स्यात् ९।११०
यो ज्येष्ठो विनिकुर्वीत ९।२१३
यो दण्डो यच्च वसनं १।१७४
योऽदत्तादायिनो हस्तात् ८।३४०
यो दत्त्वा सर्वभूतेभ्यः ६।३९
यो धर्म एकपत्नीनां ५।१५८
योऽधीतेऽहन्यहन्येतान् २।८२
योऽध्यापयति वृत्त्यर्थं २।१४१
योऽनधीत्य द्विजो वेदं २।१६८
यो न वेत्त्यमिवादस्य २।१२६
योऽनाहिताग्निः शतगुः ११।१४
योनिकोटिसहस्रेषु ६।६३
यो निक्षेपं नार्पयति ८।१९१
यो निक्षेपं याच्यमानो ८।१८१
योऽन्यथा सन्तमात्मानं ४।२५५
यो बन्धनवधक्लेशान् ५।४६
यो ब्राह्मणमगुप्तायां ८।३८२
यो भाषतेऽर्थवैकल्यं ८।९५
यो यथा निक्षिपेद्धस्ते ८।१८७
यो यदीयो गुणो देहे १२।२५
यो यस्य धर्म्यो वर्णस्य ३।२२
यो यस्य प्रतिभूस्तिष्ठेत् ८।१५८
यो यस्य मांसमश्नाति ५।१५
यो यस्यैषां त्रिवाहानां ३।३९
यो यावन्निह्नुवीतार्थं ८।५९
यो येन पतितेनैषाम् ११।१८१
यो यो यावतिथश्चैषां १।२०
योऽरक्षन् बलिमादत्ते ८।३०७
यो राज्ञः प्रतिगृह्णाति ४।८७
योऽर्चितं प्रतिगृह्णाति ४।२३५
योऽर्थे शुचिर्हि स शुचिः ५।१०६
यो लोभादधमो जात्या १०।९६
योऽवमन्येत ते मूले २।१११
यो वै युवाप्यधीयानः २।१५६
यो वैश्यः स्याद् बहुपशुः ११।१२
योऽसाधुभ्योऽर्थमादाय ११।१९
योऽसावतीन्द्रियग्राह्यः १।७
योऽस्यात्मनः कारयिता १२।१२
योऽहिंसकानि भूतानि ५।४५
यो ह्यग्निः स द्विजो विप्रैः ३।२१२
यो ह्यस्य धर्ममाचष्टे ४।८१
यं तु कर्मणि यस्मिन्सः १।२८
यं तु पश्येन्निधिं राजा ८।३८
यं पुत्रं परिगृह्णीयात् ९।१७१
यं ब्राह्मणस्तु शूद्रायाम् ९।१७८
यं मातापितरौ क्लेशं २।२२७
यं वदन्ति तमोभूता १२।११५
यं शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुः १२।१०८
यः करोति वृतो यस्य २।१४३
यः करोति तु कर्माणि १२।१२
यः कश्चित्कस्यचिद्धर्मः २।७
यः क्षिप्तो मर्षयत्यार्तैः ८।३१३

यः प्रश्नं वितथं ब्रूयात्	८।९४
यः सङ्गतानि कुरुते	३।१४०
यः साधयन्तं छन्देन	८।१७६
यः स्वाध्यपि द्विजोऽधीते	२।१६७
यः स्वयं साधयेदर्थम्	८।५०
यः स्वाध्यायमधीतेऽब्दं	२।१०७
यः स्वामिनाननुज्ञातं	८।१५०
र	
रक्तानि हृत्वा वासांसि	१२।६६
रक्षणादार्यवृत्तानाम्	९।२५३
रक्षन्ति स्थविरे पुत्राः	९।३
रक्षन्धर्मेण भूतानि	८।३०६
रक्षार्थमस्य सर्वस्य	७।३
रक्षांसि च पिशाचाश्च ताम	१२।४४
रक्षांसि च पिशाचाश्च मनु	१।४३
रक्षांसि च विलुम्पन्ति	३।२०४
रक्षितं वर्धयेच्चैव	७।९९
रक्षितं वर्धयेद् वृद्धया	७।१०१
रक्षिता यत्नतोऽपीह	९।१५
रजसाभिप्लुतां नारीं	४।४१
रजसा स्त्री मनोदुष्टा	५।१०८
रजस्युपरते साध्वी	५।६६
रजस्वलमनित्यं च	६।७७
रजस्वला च षण्ढश्च	३।२३९
रजो भूर्वायुरग्निश्च	५।१३३
रञ्जकस्य नृशंसस्य	४।२१६
रतिमात्रं फलं तस्य	११।५
रत्नैश्च पूजयेदेनं	७।२०३
रथाश्वं हस्तिनं छत्रं	७।९६
रथं हरेत चाध्वर्युः	८।२०९
रम्यमानतसामन्तं	७।९९
रसा रसैर्निमातव्याः	१०।९४
रहस्यरक्षायिनां चैव	७।२२३
राक्षसं क्षत्रियस्यैकं	३।२५
राजतैर्भाजनैरेषां	३।२०२
राजतो धनमन्विच्छेत्	४।३३
राजधर्मान्प्रवक्ष्यामि	७।१
राजभिः कृतदण्डास्तु	८।३१८
राजन्यान्धोर्द्विविशे	२।६५
राजन्यवैश्ययोस्त्वेवं	२।९०
राजन्यवैश्यौ चेज्जानी	११।८७
राजत्विक्स्नातकगुरुम्	३।११९
राजस्वं श्रोत्रियस्वं च	८।१४९
राजस्नातकयोश्चैव	२।१३९
राजा कर्मसु युक्तानां	७।१२५
राजा च श्रोत्रियश्चैव	३।१२०
राजा तदुपयुञ्जानः	८।४०
राजानः क्षत्रियाश्चैव	१२।४६
राजान्तकरणावेतौ	९।२२१
राजान्नं तेज आदत्ते	४।२१८
राजा भवत्यनेनास्तु	८।१९
राजा विनिर्णयं कुर्यात्	८।१९६
राजा स्तेनेन गन्तव्यो	८।३१४
राजा हि धर्मषड्भागं	११।२३
राजीवान्सिहतुण्डांश्च	५।१६
राज्ञश्च दद्युरुद्धारम्	७।९७
राज्ञश्च धर्ममखिलं	१।११४
राज्ञश्चाधिकृतो विद्वान्	८।११
राज्ञः कोषापहर्तृंश्च	९।२७५
राज्ञः प्रख्यातभाण्डानि	८।३९९
राज्ञा च सर्वयोधेभ्यः	७।९७
राज्ञा दाप्यः सुवर्णं स्यात्	८।२१३
राज्ञोऽन्यः सचिवः स्निग्धः	७।१२०
राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे	२।३७
राज्ञो माहारिमके स्थाने	५।९४
राज्ञो वनानि सर्वाणि	९।३०१
राज्ञो हि रक्षाधिकृताः	७।१२३
रात्रिभिर्मासतुल्याभिः	५।६६
रात्रिं च तावतीमेव	१।७३
रात्रिः सन्ध्ये च धर्मज्ञ	८।८६
रात्रिः स्वप्नाय भूतानां	१।६५
रात्रौ च वृक्षमूलानि	४।७३
रात्रौ न विचरेयुस्ते	१०।५४
रात्रौ श्राद्धं न कुर्वीत	३।२८०
राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं	७।११३
राष्ट्रादेनं बहिः कुर्यात्	८।३८०
राष्ट्रिकैः सह तद्राष्ट्रं	१०।६१
राष्ट्रेषु रक्षाधिकृतान्	७।२७२
रिक्तभाण्डानि यानानि	८।४०५
रुक्मभं स्वप्नधीगम्यं	१२।१२२
रुधिरे च स्रुते गात्रात्	४।१२२
रूपद्रव्यविहीनांश्च	४।१४१

रूपसत्त्वगुणोपेताः ३।४०
रेतः सिक्त्वा जले चैव ११।१७३
रेतः सेकः स्वयोनीषु ११।५८
रोगोऽग्निर्जातिमरणं ८।१०८
रोमाणि च रहस्यानि ४।१४४

ल

लक्ष्यं शस्त्रभृतां वा स्यात् ११।७३
ललाटसंमितो राज्ञः २।४६
लशुनं गृञ्जनं चैव ५।५
लाभालाभं च पण्यानां ९।३३१
लूताहिसरटानां च १२।५७
लोकसंव्यवहारार्थं ८।१३१
लोकस्याप्यायने युक्तान् ३।२१३
लोकानन्यान् सृजेयुर्ये ९।३१५
लोकानां तु विवृद्ध्यर्थं १।३१
लोकेशाधिष्ठितो राजा ५।९७
लोभात्सहस्रं दण्ड्यस्तु ८।१२०
लोभान्मोहाद्भयान्मैत्रात् ८।११८
लोभः स्वप्नोऽधृतिः क्रौर्यम् १२।३३
लोष्टमर्दी तृणच्छेदी ४।७१
लोहशङ्कुमयीषं च ४।९०
लोहितान्वृक्षनिर्यासान् ५।६
लौकिकं वैदिकं वापि २।११७

व

वणिक्पथं कुसीदं च १।९०
वत्सस्य ह्यभिशस्तस्य ८।११६
वधेन शुध्यति स्तेनः ११।१००
वधेनापि यदा त्वेतान् ८।१३०
वध्यवासांसि गृह्णीयुः १०।५६
वध्यांश्च हन्युः सततम् १०।५६
वनस्था अपि राज्यानि ७।४०
वनस्पतिभ्य इत्येवं ३।८८
वनस्पतीनां सर्वेषाम् ८।२८५
वने वसेत्तु नियतो ६।१
वनेषु च विहृत्यैवम् ६।६३
वन्ध्यापुत्रासु ८।२८
वन्ध्याऽष्टमेऽधिवेद्याब्दे ९।८१
वपनं मेखला दण्डः ११।१५१
वपुष्मान्वीतभीर्वाग्मी ७।६४
वयसः कर्मणोऽर्थस्य ४।१८
वयोभिः खादयत्यन्ये ३।२६१
वराहमकराभ्यां वा ७।१८७
वरिष्ठमग्निहोत्रेभ्यः ७।८४
वरुणेन यथा पाशैः ९।३०८
वरं स्वधर्मो विगुणः १० ९७
वर्जयेन्मधु मांसं च गन्धं २।१७७
वर्जयेन्मधु मांसं च भौमानि ६।१४
वर्णक्रमेण सर्वाणि ८।२४
वर्णरूपोपसम्पन्नैः ४।६८
वर्णानामाश्रमाणां च ७।३५
वर्णानां सङ्करं चक्रे ९।६७
वर्णानां सान्तरालानां २।१८
वर्णापेतमविज्ञातम् १०।५७
वर्णं रूपं प्रमाणं च ८।३२
वर्तयंश्च शिलोञ्छाभ्यां ४।१०
वर्तेत याभ्यया वृत्त्या ८।१७३
वर्षे वर्षेऽश्वमेधेन ५।५३
वशाऽपुत्रासु चैवं स्यात् ८।२८
वशे कृत्वेन्द्रियग्रामं २।१००
वसन् दूरतरे ग्रामात् ११।१२८
वसनस्य दशा ग्राह्या ३।४४
वसा शुक्रमसृङ्मज्जा ५।१३५
वसित्वा मैथुनं वासः ४।११६
वसिष्ठविहितां वृद्धिं ८।१४०
वसिष्ठश्चापि शपथं ८।११०
वसीत चर्म चीरं वा ६।६
वसीरन्नानुपूर्व्येण २।४१
वसून्वदन्ति तु पितॄन् ३।२८४
वसेयुरेते विज्ञानाः १०।५०
वस्त्रं पत्रलङ्कारम् ९।२१९
वस्त्रान्नपानं देयं तु ११।१८८
वस्त्रापहारकःश्वैत्र्यं ११।५१
वाक् चैव मधुरा श्लक्ष्णा २।१५९
वाक्शस्त्रं वै ब्राह्मणस्य ११।३३
वाग्दण्डजं च पारुष्यं ७।४८
वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये ८।७२
वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः १२।१०
वाग्दण्डं प्रथमं कुर्यात् ८।१२९
वाग्दुष्टात्तस्कराच्चैव ८।३४५
वाग्वैखर्यश्च चतुर्भिः ८।१०५
वाचा वाचाकृतं कर्म १२।८

वाचिकैः पक्षिमृगतां	१२।९
वाचि प्राणे च पश्यन्तो	४।२३
वाच्यग्निं मित्रमुत्सर्गे	१२।१२१
वाच्यर्था नियताः सर्वे	४।२५६
वाच्येके जुह्वति प्राणं	४।२३
वाणिज्यं कारयेद् वैश्यं	८।४१०
वातेन्द्रगुरुवह्नीनां	११।११९
वादयुद्धप्रधानाश्च	१२।४६
वादेष्ववचनीयेषु	८।२६९
वानरं श्येनभासौ च	१०।१३५
वानस्पत्यं मूलफलं	८।३३९
वान्ताश्युल्कामुखः प्रेतः	१२।७१
वान्तो विरक्तः स्नात्वा तु	५।१४४
वायसानां कृमीणां च	३।९२
वायुः कर्मार्ककालौ च	५।१०५
वायुवच्चानुगच्छन्ति	३।१८९
वायोरपि विकुर्वाणात्	१।७७
वाय्वग्निविप्रमादित्यं	४।४८
वारिदस्तृप्तिमाप्नोति	४।२२९
वार्ता कर्मैव वैश्यस्य	१०।८०
वार्तायां नित्ययुक्तः स्यात्	९।३२६
वार्ध्रीणसस्य मांसेन	३।२७१
वार्यन्नगोमहीवासः	४।२३३
वार्यपि श्रद्धया दत्तं	३।२०२
वर्षिकांश्चतुरो मासान्	९।३०४
वासन्तशारदैर्मेध्यैः	६।११
वासांसि मृतचेलानि	१०।५२
वासो दद्याद्धयं हत्वा	११।१३६
वासोदश्चन्द्रसालोक्यं	४।२३१
वाहनानि च सर्वाणि	७।२२२
विकर्मक्रियया नित्यं	९।२२६
विकर्मस्थाञ्छौण्डिकांश्च	९।२२५
विक्रयाद्यो धनं किंचित्	८।२०१
विक्रीणीत तिलाञ्छूद्रान्	१०।९०
विक्रीणीते परस्य स्वं	८।१९७
विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्रात्	७।१४३
विगतं तु विदेशस्थम्	५।७५
विघसाशी भवेन्नित्यं	३।२८५
विघसो भुक्तशेषं तु	३।२८५
विघुष्य तु हृतं चौरः	८।२३३
विचरेन्नियतो नित्यं	६।५२
विचार्य तस्य वा वृत्तं	८।१८७
विचार्य सर्वपण्यानां	८।४०१
विजेतुं प्रयतेतारीन्	७।१९८
विट्पण्यमुद्धृतोद्धारं	१०।८५
विट्शूद्रयोरेवमेव	८।२७७
विट्शूद्रयोस्तु तानेव	३।२३
विड्वराहखरोष्ट्राणाम्	११।१५४
विण्मूत्रोत्सर्गसिद्ध्यर्थम्	५।१३४
वितथाभिनिवेशश्च	१२।५
वितथेन ब्रुवन्दर्पात्	८।२७३
वित्तं बन्धुर्वयः कर्म	२।१३६
विदुषा ब्राह्मणेनेदं	१।१०३
विदुषे दक्षिणां दत्त्वा	३।१४३
विद्ययैव समं कामं	२।११३
विद्यागुरुष्वेतदेव	२।२०७
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा	५।१०९
विद्यातपोविवृद्ध्यर्थं	६।३०
विद्यातपःसमृद्धेषु	३।९८
विद्यादुत्सादयेच्चैव	९।१६९
विद्याधनं तु यद् यस्य	९।२०६
विद्या ब्राह्मणमेत्याह	२।११४
विद्यार्थं षड् यशोऽर्थं वा	९।७६
विद्या शिल्पं भृतिः सेवा	१०।११६
विद्युतोऽशनिमेघांश्च	१।३८
विद्युत्स्तनितवर्षेषु	४।१०३
विद्वद्भिः सेवितः सद्भिः	२।१
विद्वांस्तु ब्राह्मणो दृष्ट्वा	८।३७
विधवायां नियुक्तस्तु	९।६०
विधवायां नियोगार्थे	९।६२
विधाता शासिता वक्ता	११।३५
विधाय प्रोषिते वृत्तिम्	९।७५
विधाय वृत्तिं भार्यायाः	९।७४
विधियज्ञाज्जपयज्ञः	२।८५
विधिवत् प्रतिगृह्यापि	९।७२
विधिवद् ग्राहयामास	१।५८
विधिवद्वन्दनं कुर्यात्	२।२१६
विधूमे सन्नमुसले	६।५६
विनश्यत्याशु तत्कृत्स्नं	८।२२
विनाद्भिरप्सु वाप्यार्त्तः	११।२०२
विनाशं व्रजति क्षिप्रं	३।१७९
विनीतवेषाभरणः	८।२

विनीतात्मा हि नृपतिः ७।३६
विनीतैस्तु व्रजेन्नित्यं ४।६८
विन्यसेत्प्रयतः पूर्वं ३।२२६
विपणेन च जीवन्तो ३।१५२
विपरीतं नयन्तस्तु ८।२५७
विप्रदुष्टां स्त्रियं भर्त्ता ११।१७६
विप्रयोगं प्रियैश्चैव ६।६२
विप्रवद्धाऽपि तं श्राद्धे ३।२२०
विप्रसेवैव शूद्रस्य १०।१२२
विप्रस्य तन्निमित्ते वा ११।८०
विप्रस्य त्रिषु वर्णेषु १०।१०
विप्रस्य विदुषो देहे ४।१११
विप्रस्यौद्धारिकं देयं ९।१५०
विप्रः शुद्धयेयुः स्पृष्ट्वा ५।९९
विप्राणां ज्ञानतो ज्यैष्ठ्यं २।१५५
विप्राणां वेदविदुषाम् ९।३३४
विप्रान्तिके पितॄन् ध्यायन् ३।२२४
विप्राः प्राहुस्तथा चैतत् ९।४५
विप्रोष्य तूपसङ्ग्राह्या २।१३२
विप्रोष्य पादग्रहणं २।२१७
विप्लुतौ शूद्रवद्दण्ड्यौ ८।३७७
विभक्ताः सह जीवन्तः ९।२१०
विभागधर्मं द्यूतं च १।११५
विमुखा बान्धवा यान्ति ४।२४१
वियुज्यतेऽर्थधर्माभ्यां ७।४६
विरमेत्पक्षिणीं रात्रिं ४।९७
विराट्सुताः सोमसदः २।१९५
विवशः शतमाजातीः ८।८२
विवादं सम्प्रवक्ष्यामि ८।२२९
विवादे वा विनिर्जित्य ११।२०५
विवास्यो वा भवेद्राष्ट्रात् ९।२४१
विविक्तेषु च तुष्यन्ति ३।२०७
विविधानि च रत्नानि १२।६१
विविधानि च शिल्पानि २।२४०
विविधाश्चैव संपीडाः १२।७६
विविधाश्चौपनिषदीः ६।२९
विवृद्धयर्थं स्ववंशस्य ९।१२८
विंशतीशस्तु तत्सर्वं ७।११७
विंशतीशं शतेशं च ७।११५
विशिष्टं कुत्रचिद् बीजम् ९।३४
विशीलः कामवृत्तो वा ५।१५४
विशुध्यति त्रिरात्रेण ५।१०१
विशेषतोऽसहायेन ७।५५
विश्वजन्यामिमं पुण्यं ९।३१
विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो ढलि ३।९०
विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो धन्व ३।८५
विश्वैश्च देवैः साध्यैश्च ११।२९
विघ्नैरगदैश्चास्य ७।२१८
विषघ्नानि च रत्नानि ७।२१८
विषयाणां ग्रहीतॄणि १।१५
विषयेषु च सज्जन्तः ९।२
विषयेषु प्रजुष्टानि २।९६
विषयेष्वप्रसक्तिश्च १।८९
विषयोपसेवा चाजस्रं १२।३२
विषादप्यमृतं ग्राह्यं २।२३९
विष्ठा वार्धुषिकस्यान्नं ४।२२०
विसंवदेन्नरो लोभात् ८।२१९
विसृज्य च प्रजाः सर्वाः ७।१४६
विसृज्य ध्यानयोगेन ६।७९
विसृज्य ब्राह्मणास्तांस्तु ३।२५८
विस्तीर्यते यशो लोके ७।३३
विस्रब्धं ब्राह्मणः शूद्रात् ८।४१७
विहङ्गमहिषीणां च ९।५५
विहृत्य तु यथाकालं ७।२२१
वीक्ष्यान्धो नवते: काणः ३।१७७
वीतशोकभयो विप्रो ६।३२
वृकवच्चावलुम्पेत ७।१०६
वृको मृगेभं व्याधोऽश्वम् १२।६७
वृक्षगुल्मावृते चापैः ७।१९२
वृत्तिं तत्र प्रकुर्वीत ८।२३९
वृत्ते शरावसम्पाते ६।५६
वृत्तीनां लक्षणं चैव १।११३
वृथा कृसरसंयावं ५।७
वृथा पशुघ्नः प्राप्नोति ५।३८
वृथालम्भेऽनुगच्छेद्गां ११।१४४
वृथा सङ्कररजातानाम् ५।८९
वृथा हि शपथं कुर्वन् ८।१११
वृद्धसेवी हि सततं ७।३८
वृद्धांश्च नित्यं सेवेत ७।३८
वृषभैकसहस्रा गा ११।१२७
वृषभैकादशा गाश्च ११।११६
वृषभैकादशा वापि ११।१३०
वृषलत्वं गता लोके १०।४३

वृषलं तं विदुर्देवाः	८।१६	वैगुण्याज्जन्मनः पूर्वः	१०।६८
वृषलीफेनपीतस्य	३।१६	वैणवीं धारयेद्यष्टिं	४।३६
वृषो हि भगवान् धर्मः	८।१६	वैतानिकं च जुहुयात्	६।६
वेणुवैदलभाण्डानां	८।३२७	वैदिके कर्मयोगे तु	१२।८७
वेतनस्यैव चादानं	८।५	वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैः	२।२६
वेदतत्त्वार्थविदुषे	३।६६	वैदेहकानां स्त्रीकार्यं	१०।४७
वेदत्रयान्निरदुहद्	२।७६	वैदेहकेन त्वम्बष्ठ्यां	१०।६
वेदप्रदानाच्चार्यं	२।१७१	वैदेहिकादन्धमेतौ	१०।३६
वेदमध्येष्यमाणश्च	५।१३८	वैरिणं नोपसेवेत	४।१३३
वेदमेव सदाभ्यस्येत्	२।१६६	वैवाहिको विधिः स्त्रीणां	२।६७
वेदमेवाभ्यसेन्नित्यं	४।१४७	वैवाहिकेऽग्नौ कुर्वीत	३।६७
वेदयज्ञैरहीनानां	२।१८३	वैशेष्यात् प्रकृतिश्रेष्ठ्यात्	१०।३
वेदविच्चापि विप्रोऽस्य	३।१७६	वैश्यराजन्यविप्रासु	१०।१२
वेदविद्याव्रतस्नातान्	४।३१	वैश्यच्छौचकल्पश्च	५।१४०
वेदवित्सु विविक्तेषु	११।६	वैश्यवृत्तिमनातिष्ठन्	१०।१०१
वेदशब्देभ्य एवादौ	१।२१	वैश्यवृत्त्यापि जीवंस्तु	१०।८३
वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः	१२।१०२	वैश्यशूद्रापचारं च	१।११६
वेदसंन्यासिकानां तु	६।८६	वैश्यशूद्रावपि प्राप्तौ	३।११२
वेदस्याधीत्य वाप्यन्तं	४।१२३	वैश्यशूद्रौ प्रयत्नेन	८।४१८
वेदाङ्गानि च सर्वाणि	४।९८	वैश्यशूद्रौ सखा चैव	३।११०
वेदादेव प्रसूयन्ते	१२।९८	वैश्यश्चेत् क्षत्रियां गुप्ताम्	८।३८२
वेदानधीत्य वेदौ वा	३।२	वैश्यस्तु कृतसंस्कारः	९।३२६
वेदान्तं विधिवच्छ्रुत्वा	६।९४	वैश्यस्य तु तपो वार्ता	११।२३५
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रि	१२।८३	वैश्यस्य धनसंयुक्तं	२।३१
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शौचम्	१२।३१	वैश्यस्य पुष्टिसंयुक्तं	२।३२
वेदाभ्यासेन सततं	४।१४८	वैश्यस्य वर्णे चैकस्मिन्	१०।१०
वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्त्या	११।२४५	वैश्याजः सार्धमेवांशं	९।१५१
वेदाभ्यासो ब्राह्मणस्य	१०।८०	वैश्यात्तु जायते व्रात्यात्	१०।२३
वेदाभ्यासो हि विप्रस्य	२।१६६	वैश्याद् मागधवैदेहौ	१०।१७
वेदार्थवित्प्रवक्ता च	३।१८६	वैश्यानां धान्यधनतः	२।१५५
वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च	२।९७	वैश्यानामाज्यपा नाम	३।१९७
वेदोक्तमायुर्मर्त्यानां	१।८४	वैश्यान्मागधवैदेहौ रा०	१०।११
वेदोऽखिलो धर्ममूलं	२।६	वैश्यापुत्रो हरेद् द्व्यंशं	९।१५३
वेदोदितं स्वकं कर्म	४।१४	वैश्ये चेच्छति नान्येन	९।३२८
वेदोदितानां नित्यानाम्	११।२०३	वैश्येऽप्यर्धशतं द्वे वा	८।२६७
वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये	२।१०५	वैश्येऽष्टभांशो वृत्तस्थे	११।१२६
वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तव्यः	२।१६५	वैश्ये स्यादर्धपञ्चाशत्	८।२६८
वेदः स्मृतिः सदाचारः	२।१२	वैश्योऽजीवन् स्वधर्मेण	१०।९८
वेनो विनष्टोऽविनयात्	७।४१	वैश्योऽद्भिः प्राशिताभिस्तु	२।६२
वेषवाग्बुद्धिसारूप्यं	४।१८	वैश्यं क्षेमं समागम्य	२।१२७
वेषाभरणसंशुद्धाः	७।२१९	वैश्यं पञ्चशतं कुर्यात्	८।३७५

वैश्यम्प्रति तथैवेते १०।७८
वैश्यः पञ्चदशाहेन ५।८३
वैश्यः प्रतोदं रश्मींश्च ५।९९
वैश्यः सर्वस्वदण्डः स्यात् ८।३७५
वैश्यदेवस्य सिद्धस्य ३।८४
वैश्वदेवे तु निर्वृत्ते ३।१०८
वैश्वदेवं हि नामैतत् ३।१२१
वोढुः स गर्भो भवति ९।१७३
व्यत्यस्तपाणिना कार्यं २।७२
व्यपेतकल्मषो नित्यं ४।२६०
व्यपेतकल्मषोऽभ्येति १२।१८
व्यपोह्य किल्बिषं सर्वं ८।४२०
व्यभिचारात्तु भर्तुः स्त्री ५।१६४
व्यभिचारात्तु भर्तुः स्त्री ९।३०
व्यभिचारेण वर्णानाम् ११।२४
व्यवहारान्दिदृक्षुस्तु ८।१
व्यवहारेण जीवन्तं ७।१३७
व्यवहारो मिथस्तेषां १०।५३
व्यसनस्य च मृत्योश्च ७।५३
व्यसनानि दुरन्तानि ७।४५
व्यसन्यर्थोऽर्थो व्रजति ७।५३
व्यस्तैश्चैव समस्तैश्च ७।१५९
व्याधाञ्छाकुनिकान् गोपान् ८।२६०
व्याधिता वाऽधिवेत्तव्या ९।८०
व्याधितां विप्रदुष्टां वा ९।७२
व्यायम्याप्लुत्य मध्याह्ने ७।२१६
व्यालग्राहानुञ्छवृत्तीन् ८।२६०
व्याहृतिप्रणवैर्युक्ता ६।७०
व्रतचर्योपचारं च १।१११
व्रतवद् देवदैवत्ये २।१८९
व्रतस्थमपि दौहित्रं ३।२३४
व्रतानि यमधर्मांश्च २।३
व्रतेन पापं प्रच्छाद्य ४।१९८
व्रात्यता बान्धवत्यागः ११।६२
व्रात्यया सह संवासे ८।३७३
व्रात्यात्तु जायते विप्रात् १०।२१
व्रात्यानां याजनं कृत्वा ११।१९७
व्रीहयश्शालयो मुद्गाः ९।३९

श

शक्तं कर्मण्यदुष्टं च ८।३८८
शक्तः परजने दाता १।१९
शक्तितो नाभिधावन्तः ९।२७४
शक्तितोऽपचमानेभ्यः ४।३२
शक्ति चोभयतस्तीक्ष्णां ८।३१५
शक्ति चावेक्ष्य दाक्ष्यं च १०।१२४
शक्तिं चावेक्ष्य पापं च ११।२०९
शक्तेनापि हि शूद्रेण १०।१२९
शठो मिथ्याविनीतश्च ४।१९६
शणसूत्रमयं राज्ञः २।४४
शतमश्वानृते हन्ति ८।९८
शतानि पञ्च दण्ड्यः स्यात्सहस्रं ८।३८५
शतानि पञ्च दण्ड्यः स्यादज्ञा ८।२६४
शतानि पञ्च दण्ड्यः स्यादिच्छ ८।३७८
शतायुश्चैव विज्ञेया ३।१८६
शतं दशसहस्राणि ७।७४
शतं ब्राह्मणमाक्रुश्य ८।२६७
शतं वर्षाणि तामिस्रे ४।१६५
शत्रुमेविनि मित्रे च ७।१८६
शनकैस्तु क्रियालोपात् १०।४३
शनैरावर्तमानस्तु ४।१७२
शब्दः स्पर्शश्च रूपञ्च १२।९८
शम्यापातास्त्रयो वाऽपि ८।२३७
शयनस्थो न भुञ्जीत ४।७४
शयानः प्रौढपादश्च ४।११२
शय्याऽऽसनमलङ्कारं ९।१७
शय्यासनस्थश्चैवैनं २।११९
शय्यासनेऽध्याचरिते २।११९
शय्यां गृहान्कुशान्गन्धान् ४।२५०
शरणागतहृत् च ११।१९०
शरणागतं परित्यज्य ११।१९८
शरणेष्वममश्चैव ६।२६
शरान्कुब्जकगुल्मांश्च ८।२४७
शरीरकर्षणात्प्राणाः ७।११२
शरीरजैः कर्मदोषैः १२।९
शरीरस्यात्यये चैव ६।६८
शरीरेण समं नाशं ८।१७
शरीरं चैव वाचं च २।१९२
शरीरं यातनार्थीयं १२।१६
शरः क्षत्रियया ग्राह्यः ३।४४
शर्मवद् ब्राह्मणस्य स्यात् २।३२
शल्यं चास्य न कृन्तन्ति ८।१२

शवं तत्स्पृष्टिनं चैव	५।८५
शवस्पृशो विशुध्यन्ति	५।६४
शशकूर्मयोस्तु मांसेन	३।२७०
शस्त्रास्त्रभृत्त्वं क्षत्रस्य	१०।७९
शस्त्रेण वैश्यान् रक्षित्वा	१०।११९
शस्त्रं द्विजातिभिर्ग्राह्यं	८।३४८
शंसेद् ग्रामशतेशस्तु	७।११७
शंसेद् ग्रामदशेशाय	७।११६
शाकमूलफलानां च	५।११९
शाखान्तगमथाध्वर्यु	३।१४५
शारङ्गी मन्दपालेन	९।२३
शारीरं धनसंयुक्तं	९।२३६
शारीरं शौचमिच्छद्भि	५।१३९
शाल्मलीन्सालतालांश्च	८।२४६
शाल्मलीफलके श्लक्ष्णे	८।३९६
शासनाद्वा विमोक्षाद्वा	८।३१६
शिफाविदलरज्ज्वाद्यैः	९।२३०
शिरःस्नातश्च तैलेन	४।८३
शिरोभिस्ते गृहीत्वोर्वी	८।२५६
शिलानप्युञ्छतो नित्यं	३।१००
शिलोञ्छमप्याददीत	१०।११२
शिल्पेन व्यवहारेण	३।६४
शिल्पोपचारयुक्ताश्च	९।२५९
शिष्ट्वा वा भूमिदेवानाम्	११।८२
शिष्यांश्च शिष्याद्धर्मेण	४।१७५
शिष्येण बन्धुना वापि	८।७०
शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं	१।१०३
शीतातपाभिघातांश्च	१२।७७
शुके द्विहायन वत्सं	११।१३४
शुक्तं पर्युषितं चैव	४।२११
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
शुक्लपक्षादिनियतः	११।२१७
शुचिना सत्यसन्धेन	७।३१
शुचिरुत्कृष्टशुश्रूषुः	९।३३५
शुचिं देशं विविक्तं च	३।२०६
शुचीनाकरकर्मान्ते	७।६२
शुचौ देशे जपञ्जप्यं	२।२२२
शुद्धिर्विजानता कार्या	५।१२१
शुद्ध्येद्विप्रो दशाहेन	५।८३
शुनां च पतितानां च	३।९२
शुभाशुभफलं कर्म	१२।३
शुल्कसंज्ञेन मूल्येन	९।१००
शुल्कस्थानं परिहरन्	८।४००
शुल्कस्थानेषु कुशलाः	८।३९८
शुल्कं च द्विगुणं दद्यात्	८।३६९
शुल्कं दद्यात्सेवमानः	८।३६६
शुल्कं हि गृह्णन्कुरुते	९।९८
शुश्रूषा ब्राह्मणानां च	७।८८
शुश्रूषित्वा नमस्कृत्य	११।११०
शुश्रूषैव तु शूद्रस्य	९।३३४
शुष्कवैरं विवादं च	४।१३९
शुष्काणि भुक्त्वा मांसानि	११।१५५
शूद्रन्तु कारयेद् दास्यं	८।४१३
शूद्रविट्क्षत्रविप्राणाम्	८।१०४
शूद्रशिष्यो गुरुश्चैव	३।१५६
शूद्रस्तु यस्मिन्कस्मिन्वा	२।२४
शूद्रस्तु वृत्तिमाकाङ्क्षन्	१०।१२१
शूद्रस्य तु सवर्णैव	९।१५७
शूद्राणां तु सधर्माणः	१०।४१
शूद्राणां मासिकं कार्यम्	५।१४०
शूद्राज्जातो निषाद्यां तु	१०।१८
शूद्रादायोगवः क्षत्ता	१०।१२
शूद्रायां क्षत्रियविशीः	८।३८३
शूद्रायां ब्राह्मणाज्जातः	१०।६४
शूद्रावेदी पतत्यत्रैः	३।१६
शूद्राश्च सन्तः शूद्राणां	८।६८
शूद्रां शयनमारोप्य	३।१७
शूद्रेण हि समस्तावद्	२।१७२
शूद्रैव भार्या शूद्रस्य	३।१३
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
शूद्रो हि धनमासाद्य	१०।१२९
शूद्रो ब्राह्मणतामेति	१०।६५
शून्यानि चाप्यगाराणि	९।२६५
शूले मत्स्यानिवापक्ष्यन्	७।२०
शृगालयोनिं प्राप्नोति	५।१६४
शृगालयोनिं चाप्नोति	९।३०
शेलुं गव्यं च पेयूषं	५।६
शेषमात्मनि युञ्जीत	६।१२
शेषाणामानृशंस्या	९।१६३

शेषास्तमुपजीवेयुः ९।१०५
शेषे त्वेकादशगुणं ८।३२२
शेषेऽप्येकादशगुणं ८।३२०
शैलूषतुन्नवायान्नं ४।२१४
शोणितं यावतः पांसून् ४।१६८
शोणितं यावतः पांसून् ११।२०७
शोचन्ति जामयो यत्र ३।५७
शौचं यथार्हं कर्त्तव्यं ५।११४
शौचाशौचं हि मर्त्यानां ९।९७
शौचे धर्मेऽन्नपक्त्यां च ९।११
शौचेप्सुः सर्वदाचामेत् २।६१
शौनकस्य सुतोत्पत्त्या ३।१६
शौर्यकर्मापदेशैश्च ९।२६८
श्मशानगोचरं सूते १०।३९
श्मशानेष्वपि तेजस्वी ९।३१८
श्रद्दधानोऽनसूयश्च ४।१५८
श्रद्दधानः शुभां विद्यां २।२३८
श्रद्धयेष्टं च पूर्तं च ४।२२६
श्रद्धाकृते ह्यक्षये ते ४।२२६
श्रद्धा च नो मा व्यगमद् ३।२५९
श्रद्धापूतं वदान्यस्य ४।२२५
श्राद्धभुग्वृषलीतल्पं ३।२५०
श्राद्धं भुक्त्वा य उच्छिष्टं ३।२४९
श्राद्धे प्रशस्तातिथयो ३।२७६
श्रावण्यां प्रौष्ठपद्यां वा ४।९५
श्रियं प्रत्यङ्मुखो भुङ्क्ते २।५२
श्रीकामो वर्जयेन्नित्यं ४।६९
श्रीफलैरंशुपट्टानां ५।१२०
श्रुतवृत्ते विदित्वाऽस्य ७।१३५
श्रु[illegible] वा ९।[illegible]
श्रुतशील च विज्ञाय ११।२२
श्रुतं देशं च जातिं च ८।२७३
श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान् २।८
श्रुतिद्वैधं तु यत्र स्यात् २।१४
श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयः २।१०
श्रुतिस्मृत्युदितं धर्मं २।९
श्रुतिस्मृत्युदितं सम्यङ् ४।१५५
श्रुतीरथर्वाङ्गिरसीः ११।३३
श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च २।९८
श्रुत्वैतानृषयो धर्मान् ५।१
श्रूयतां येन दोषेण ५।३
श्रेयस्करतरं ज्ञेयं १२।८६
श्रेयसः श्रेयसोऽलाभे ९।१८४
श्रेयःसु गुरुवद्वृत्तिं २।२०७
श्रैष्ठ्येनाभिजनेनेदं १।१००
श्रोत्रं त्वक्चक्षुषी जिह्वा २।९०
श्रोत्रियस्य कदर्यस्य ४।२२४
श्रोत्रियान्वयजाश्चैव ३।१८४
श्रोत्रियायैव देयानि ३।१२८
श्रोत्रिये तूपसंपन्ने ५।८१
श्रोत्रियेषूपकुर्वंश्च ८।३९४
श्रोत्रियं व्याधितार्त्तां च ८।३९५
श्रोत्रियः श्रोत्रियं साधुं ८।३९३
श्लेष्मनिष्ठ्यूतवान्तानि ४।१३२
श्लेष्माश्रु दूषिका स्वेदो ५।१३५
श्वक्रीडी श्येनजीवी च ३।१६४
श्वखरोष्ट्रे च रुवति ४।११५
श्वगोधोलूककाकांश्च ११।१३१
श्ववतां शौण्डिकानां च ४।२१६
श्वभिर्हतस्य यन्मांसम् ५।१३१
श्वमांसमिच्छन्नार्त्तोऽत्तुं १०।१०६
श्वशृगालखरैर्दष्टः ग्राम्यै ११।१९९
श्वसूकरखरोष्ट्राणाम् १२।५५
श्वावित्कृतान्नं विविधं १२।६५
श्वाविधं शल्यकं गोधां ५।१८
श्वा तु दृष्टिनिपातेन ३।२४१

ष

षट्कर्मैको भवत्येषां ४।९
षट्त्रिंशदाब्दिकं चर्यं ३।१
षट्सु षट्सु च मासेषु ८।४०३
षड् ऋतूंश्च नमस्कुर्याद् ३।२१७
षडानुपूर्व्या विप्रस्य ३।२३
षण्णान्तु कर्मणामस्य १०।७६
षण्णामेषान्तु सर्वेषाम् १२।८६
षण्मासनिचयो वा स्यात् ६।१८
षण्मासांश्छागमांसेन ३।२६९
षष्ठं तु क्षेत्रजस्यांशम् ९।१६४
षष्ठान्नकालता मांसम् ११।२००
षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि २।३४
षाण्मासिकस्तथाच्छादः ७।१२६
षोडशैव तु वैश्यस्य ८।३३७

स	
स एव ता प्रादद्दीत	८।२०८
स एव दद्याद् द्वौ पिण्डौ	९।१३२
स एव धर्मजः पुत्रः	९।१०७
सकलं सरहस्यं च	२।१४०
सकामां दूषयंस्तुल्यः	८।३६८
सकामां दूषयंस्तुल्यो न वधं	८।३६४
स कुबेरः स वरुणः	७।७
सकृज्जल्पित्वास्य वामीयम्	११।२५०
स कृत्वा प्राकृतं कृच्छ्रं	११।१५८
स कृत्वा प्लवमात्मानं	११।१९
स कृत्स्नां पृथिवीं भुङ्क्ते	७।१४८
सकृदंशो निपतति	९।४७
सकृदाह ददानीति	९।४७
स क्रीतकः सुतस्तस्य	९।१७४
सख्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु कुमारी	११।१७०
सख्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु गुरु	११।५८
स गच्छति परं स्थानं	३।९३
स गच्छत्यञ्जसा विप्रो	२।२४४
स गच्छत्युत्तमस्थानं	२।२४९
स गुह्योऽग्निस्त्रिवृद्वेदः	११।२६५
स गृहे गूढमुत्पन्नः	९।१७०
स गृहेऽपि वसेन्नित्यं	३।७१
स गोहत्याकृतं पापं	११।११५
सचिवान्सप्त चाष्टौ वा	७।५४
स चेत्तु पथि संरुद्धः	८।२९५
सचैलो बहिराप्लुत्य	११।२०२
सजातिजानन्तरजाः	१०।४१
स जीवन्नेव शूद्रत्वं	२।१६८
स जीवंश्च मृतश्चैव	५।४५
सज्जयन्ति हि ते नारीः	८।३६२
सज्योतिः स्यादनध्यायः	४।१०६
स ज्ञेयो यज्ञियो देशो	२।२३
स तथैव ग्रहीतव्यः	८।१८०
स तदा तद्गुणप्रायं	१२।२५
स तदेव स्वयं भेजे	१।२८
स तस्यैव व्रतं कुर्यात्	११।१८१
स तस्योत्पादयेत्तुष्टिं	८।२८८
स तानुपरिक्रामेत्	७।१२२
स तानुवाच धर्मात्मा । अस्य	१२।२
स तानुवाच धर्मात्मा । श्रूयतां	५।३
स तैः पृष्टस्तथा सम्यक्	१।४
सत्कृत्यान्न यथाशक्ति	३।११३
सत्क्रियां देशकालौ च	३।१२६
सत्यधर्मार्यवृत्तेषु	४।१७५
सत्यपूतां वदेद्वाचं	६।४६
सत्यमर्थं च संपश्येत्	८।४५
सत्यमुक्त्वा तु विप्रेषु	११।१९६
सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयात्	४।१३८
सत्यं साक्ष्ये ब्रुवन् साक्षी	८।८१
सत्या न भाषा भवति	८।१६४
सत्यानृतं तु वाणिज्यं	४।६
सत्यानृताभ्यामपि वा	४।४
सत्येन पूयते साक्षी	८।८३
सत्येन शापयेद्विप्रं	८।११३
सत्रं हि वर्धते तस्य	८।३०३
स त्रीण्यहान्युपवसेत्	११।१५७
स त्वप्सु तं घटं प्राप्य	११।१८७
सत्त्वस्य लक्षणं धर्मः	१२।३८
सत्त्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानम्	१२।२६
सत्त्वं रजस्तमश्चैव	१२।२४
स दण्डं प्राप्नुयान्मासं	८।३१९
स दण्ड्यः कृष्णलान्यष्टौ	८।२१५
स दत्त्वा निर्जितां वृद्धिं	८।१५४
सदा प्रहृष्टया भाव्यम्	५।१५०
स दीर्घस्यापि कालस्य	८।२१६
सदृशान्तु प्रकुर्याद् यम्	९।१६९
सदृशं प्रीतिसंयुक्तं	९।१६८
सदृशस्त्रीषु जातानाम्	९।१२५
सदृशानेव तानाहुः	१०।६
सद्भिराचरितं यत्स्यात्	८।४६
सद्यः पतति मांसेन	१०।९२
सद्यः प्रक्षालको वा स्यात्	६।१८
सद्यः सन्तिष्ठते यज्ञः	५।९८
स द्वौ कार्षापणौ दद्यात्	९।२८२
स नाप्नोति फलं तस्य	११।२८
स निर्भज्यः स्वकादंशात्	९।२०७
सन्जीवनं महावीचि	४।८९
सञ्जीवयति चाजस्रं	१।५७
सन्तुष्टो भार्यया भर्त्ता	३।६०
सन्तोषं परमास्थाय	४।१२
सन्तोषमूलं हि सुखं	४।१२
सन्त्यज्य ग्राम्यमाहारम्	६।३

सन्धिं च विग्रहं चैव ७।१६०
सन्धिं छित्त्वा तु ये चौर्यम् ९।२७६
सन्धिं तु द्विविधं विद्यात् ७।१६२
सन्ध्ययोरुभयोश्चैव ४।१३१
सन्ध्ययोरुभयोश्चैव सूर्य ३।२८०
सन्ध्ययोर्वेदविद्विप्रो २।७८
सन्ध्यां चोपास्य शृणुयात् ७।२२३

सन्निधावेव वै कल्यः ५।७४
सन्नियम्येन्द्रियग्रामं २।१७५
सन्निवेश्यात्ममात्रासु १।१६
स पर्यटेण यातीमान् ४।८७
स पापकृत्तमो लोके ४।२५५
स पापस्त्वा परे लोके ११।२६
स पापिष्ठो विवाहानां ३।३४
स पारयन्नेव शवः ९।१७८
सपालः शतदण्डार्हः ८।२४०
सपालान्वा विपालान्वा ८।२४२
सपिण्डता तु पुरुषे ५।६०
स पीतसोमपूर्वोऽपि ११।८
सप्तकस्यास्य वर्गस्य ७।५२
सप्तगाराञ्चरेद्भैक्षं ११।१२२
सप्तद्वारावकीर्णां च ६।४८
सप्त प्रकृतयो ह्येताः ९।२९४
सप्त वित्तागमा धर्म्याः १०।११५
सप्ताङ्गस्येह राज्यस्य ९।२९६
सप्तानां प्रकृतीनान्तु ९।२९५
स प्रेत्य पशुतां याति ५।३५
स ब्रह्मचारिण्येकाहम् ५।७१
स ब्रह्म परमभ्येति २।८२
स ब्रह्महत्यासंयुक्तो २।११६
समाप्तः साक्षिणः प्राप्तान् ८।७९
समाप्रपापूपशाला ९।२६४
समामेव प्रविश्याग्र्यां ८।१०
सभां वा न प्रवेष्टव्यं ८।१३
स भुञ्जानो न जानाति ३।११५
समक्षदर्शनात्साक्ष्यं ८।७४
समता चैव सर्वस्मिन् ६।८४
सममब्राह्मणे दानं ७।८५
समवर्णासु ये जाताः ९।१५६
समवर्णे द्विजातीनां ८।२६९

समवस्कन्दयेच्चैनं ७।१९६
समस्तत्र विभागः स्याज्ज्यैष्ठ्य ९।१३४
समस्तत्र विभागः स्याज्ज्यैष्ठ्य ९।२१०
समस्तत्र विभागः स्यादपित्र्य ९।२०५
समस्तत्र विभागः स्यादिति ९।१२०
समस्तानां च कार्येषु ७।५७
स महीमखिलां भुञ्जन् ९।६७
स माता स पिता ज्ञेयः २।१४४
समानयानकर्मा च ७।१६३
समानशयने चैव ४।४०
समानोदकभावस्तु ५।६०
समाप्ते तूदकं कृत्वा ५।८८
समाप्ते द्वादशे वर्षे ११।८१
समाप्नुयाद् दमं पूर्वं ९।२८७
समाविशति संसृष्टः १।५६
समाहृत्य तु तद्भैक्षं २।५१
समीक्ष्यकारिणं प्राज्ञं ७।२६
समीक्ष्य कुलधर्मांश्च ८।४१
समीक्ष्य स धृतः सम्यक् ७।१९
समुत्थानव्ययं दाप्यः ८।२८७
समुद्रयानकुशलाः ८।१५७
समुद्रयायी बन्दी च ३।१५८
समुद्रे नाप्नुयात्किंचित् ८।१८८
समुत्पत्तिं च मांसस्य ५।४९
समुपोढेषु कामेषु ६।४१
समुत्सृजेत्साहसिकान् ८।३४०
समुत्सृजेद् भुक्तवतां ३।२४४
समुत्सृजेद् राजमार्गे ९।२८२
स मूढो नरकं याति ३।२४९
समेऽप्युमान्नुस्त्रियौ वा ३।४९
समेषु तु गुणोत्कृष्टान् ८।७३
सर्माह विषमं दरतु ९।२८७
समोत्तमाधमे राजा ७।८७
समोऽवकृष्टजातिस्तु ८।१७७
समं पश्यन्नात्मयाजी १२।९१
समः सर्वेषु भूतेषु ६।६६
सम्पन्नमित्यभ्युदये ३।२५४
सम्प्रधार्यात्रिवीद्धाता १०।७३
सम्बन्धिनो ह्यपां लोके ४।१८३
सम्भवश्च यथा तस्य ७।१
सम्भवश्चास्य सर्वस्य २।२५

सम्भवांश्च वियोनीषु	१२।७७	सर्वलोकाधिपत्यं च	१२।१००
सम्भावयति चान्नेन	२।१४२	**सर्ववर्णेषु तुल्यासु**	१०।५
सम्भाषणं सह स्त्रीभिः	८।३६०	सर्वस्य तपसो मूलं	१।११०
सम्भूतिं तस्य तां विद्यात्	२।१४७	**सर्वस्यास्य तु सर्गस्य**	१।८७
सम्भूय च समुत्थानं	८।४	**सर्वस्यास्य प्रपश्यन्तः**	११।२४४
सम्भूय स्वानि कर्माणि	८।२११	सर्वस्यास्य ययान्यायं	७।२
सम्भोगो दृश्यते यत्र	८।२००	सर्वस्यैवास्य सर्गस्य	१।९३
सम्भोजनी साभिहिता	३।१४१	सर्वस्वहारमर्हन्ति	९।२४२
सम्मानाद् ब्राह्मणो नित्यं	२।१६२	**सर्वस्वं वेदविदुषे**	११।७६
सम्मार्जनोपाञ्जनेन	५।१२४	**सर्वं कर्मेश्वरायत्तं**	७।२०५
सम्यक् प्रणिहितं चार्थं	८।५४	**सर्वं च ताम्रवं रक्तम्**	१०।८७
सम्यगर्थसमाहर्तॄन्	७।६०	**सर्वं च तिलसम्बद्धं**	४।७५
सम्यग्दर्शनसम्पन्नः	६।७४	सर्वं च दंशमशकं	१।४०
सम्यङ् निविष्टदेशस्तु	९।२५२	सर्वं तु तपसा साध्यं	११।२३८
		सर्वं तु समवेक्ष्येदं	२।८
स यदि प्रतिपद्येत	८।१८३	सर्वं सुकृतमादत्ते	३।१००
स याच्यः प्राड्विवाकेन	८।१८१	**सर्वं परवशं दुःखं**	४।१६०
स याति भासतां विप्रः	११।२५	सर्वं भूम्यनृते हन्ति	८।९९
सरस्वतीदृषद्वत्योः	२।१७	**सर्वं वापि चरेद् ग्रामं**	२।१८५
स राजा पुरुषो दण्डः	७।१७	**सर्वं वा रिक्थजातं तत्**	९।१५२
स राजा तच्चतुर्भागं	८।१७६	सर्वं शृणुत तं विप्राः	३।३६
सरितः सागराञ्छैलान्	१।२४	**सर्वं स्वं ब्राह्मणस्येदं**	१।१००
सर्व एव विकर्मस्थाः	९।२१४	सर्वं ह्यात्मनि संपश्यन्	१२।११८
सर्वकण्टकपापिष्ठम्	९।२९२	**सर्वाकरेष्वधीकारः**	११।६३
सर्वतो धर्मषड्भागो	८।३०४	सर्वाकुशलमोक्षाय	११।२२१
सर्वतः प्रतिगृह्णीयात्	१०।१०२	सर्वाणि ज्ञातिकार्याणि	११।१८७
सर्वतः प्रतिगृह्णीयान्न तु	४।२५१	**सर्वान्परित्यजेदर्थान्**	४।१७
सर्वतः प्रतिगृह्णीयान्मध्य	४।२४७	सर्वान्बिलकृतानर्थान्	८।१६८
सर्वत्र तु सदो देयः	८।२४१	**सर्वान् रसानपोहेत**	१०।८६
सर्वथा ब्राह्मणा पूज्याः	९।३१९	सर्वान्संसाधयेदर्थान्	२।१००
सर्वथा वर्तते यज्ञः	२।१५	**सर्वासामेकपत्नीनाम्**	९।१८३
सर्वद्रव्याणि कुप्यं च	७।९६	सर्वास्ना निष्कलाः प्रेत्य	१२।९५
सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तः	६।८१	सर्वास्तांस्तेन पुत्रेण	९।१८३
सर्वधर्मविदोऽलुब्धा	८।६३	सर्वांस्तांस्तेन पुत्रेण	९।१८२
सर्वभूतप्रसूतिर्हि	९।३५	**सर्वेण तु प्रयत्नेन**	७।७१
सर्वभूतमयोऽचिन्त्यः	१।७	**सर्वेतस्याहता धर्माः**	२।२३४
सर्वभूतेषु चात्मानम्	१२।९१	सर्वे ते जपयज्ञस्य	२।८६
सर्वमात्मनि सम्पश्येत्	१२।११८	सर्वे ते नरकं यान्ति	३।१७२
सर्वरत्नानि राजा तु	११।४	सर्वेऽपि क्रमशस्त्वेते	६।८८
सर्वलक्षणहीनोऽपि	४।१५८	सर्वे पृथक्पृथङ्नाम्नां	८।२६३
सर्वलोकप्रकोपश्च	७।२४	**सर्वेषां तु विदित्वैषां**	७।२०२

सर्वेषां तु विशिष्टेन ७।५८
सर्वेषां तु स नामानि १।२१
सर्वेषां ब्राह्मणो विद्यात् १०।२
सर्वेषां शावमाशौचम् ५।६२
सर्वेषान्धनजातानाम् ६।११४
सर्वेषामपि चैतेषाम् शुभानां १२।८४
सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञानं १२।८५
सर्वेषामपि चैतेषां वेदस्मृति ६।८६
सर्वेषामपि तु न्याय्यम् ६।२०२
सर्वेषामप्यभावे तु ६।१८८
सर्वेषामधिनो मुख्याः ८।२१०
सर्वेषामेव दानानां ४।२३३
सर्वेषामेव शौचानाम् ५।१०६
सर्वेष्वेव व्रतेष्वेवं ११।२२५
सर्वैरुपायैरन्विच्छेत् ८।१६०
सर्वो दण्डजितो लोको ७।२२
सर्वोपायैस्तथा कुर्य्यात् ७।१७७
सर्वपाः षट् यवो मध्यः ८।१३४
स लिङ्गिनां हरत्येनः ४।२००
स लोके प्रियतां याति ५।५०
सवर्णाग्रे द्विजातीनां ३।१२
सवासा जलमाप्लुत्य शुद्धो ५।७७
सवासा जलमाप्लुत्य सद्यः ५।७८
स विज्ञेयः परो धर्मो १२।११३
स विद्यादस्य कृत्येषु ७।६७
स विधूयेह पाप्मानं ६।८५
स विनाशं व्रजत्याशु विद्वेषं ८।३४
स विनाशं व्रजत्याशु सूचका ४।७१
स वै सर्वमवाप्नोति २।१६०
सव्याहृतिप्रणवकाः ११।२४८
सव्येन सव्यः स्प्रष्टव्यः २।७२
सव्ये प्राचीन आवीती २।६३
स शतं प्राप्नुयाद् दण्डं ८।२२५
स शूद्रवद् बहिष्कार्यः २।१०३
स सन्धार्यः प्रयत्नेन ३।७६
स सर्वसमतामेत्य १२।१२५
स **सर्वस्य हितप्रेप्सुः** ५।४६
स सर्वोऽभिहितो वेदे २।७
ससहायः स हन्तव्यः ८।१६३
सस्यान्ते नवसस्येष्टया ४।२६
स साधुभिर्बहिष्कार्यो २।११
स स्वर्गाच्च्यवते लोकात् ३।१४०
सहखट्वासनं चैव ८।३५७
सह द्यावापृथिव्योश्च ३।८६
सह पिण्डक्रियायां तु ३।२४८
स हरेतैव तद्वित्थं ६।१४१
सह वाऽपि व्रजेद् यत्र ७।२०६
सह सर्वाः समुत्पन्नाः ७।२१४
सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य २।७६
सहस्रशः समेतानां १२।११४
सहस्रं क्षत्रियो दण्ड्यः ८।३७५
सहस्रं तु पितृन्माता १।१४५
सहस्रं ब्राह्मणो दण्डं ८।३७८
सहस्रं ब्राह्मणो दण्ड्यः ८।३८३
सहस्रं हि सहस्राणां ३।१३१
सहासनमभिप्रेप्सुः ८।२८१
स हि धर्मार्थमुत्पन्नो १।९८
स हि स्वाम्यादतिक्रामेत् ९।९३
सहोढं सोपकरणं ९।२७०
सहोभौ चरतां धर्मं ३।३०
साक्षिणः सन्ति मेत्युक्त्वा ८।५७
साक्षिप्रत्यय एव स्यात् ८।२५३
साक्षिप्रत्ययसिद्धानि ८।१७८
साक्षिग्रहणविधानं च १।१५
साक्षी दृष्टश्रुतादन्यत ८।७५
साक्ष्यभावे तु चत्वारो ८।२५८
साक्ष्यभावे प्रणिधिभिः ८।१८२
साक्ष्येऽनृतं वदन् पाशैः ८।८२
सा चेत् पुनः प्रवुध्येत्तु ११।१७७
सा चेदक्षतयोनिः स्यात् ९।१७६
सा तेषां पावनाय स्यात् ११।८५
सा त्रीन्मासान्परित्याज्या ९।७८
साधुषु व्यपदेशार्थं ७।१६८
साध्यानां च गणं सूक्ष्मं १।२२
साऽनुज्ञाप्याधिवेत्तव्या ९।८२
सान्तानिकं यक्ष्यमाणम् ११।१
सान्त्वेन प्रशमय्यादौ ८।३९१
सांपरायिककल्पेन ७।१८५
सा प्रशस्ता द्विजातीनां ३।५
सा भर्तृलोकमाप्नोति ५।१६५
सा भर्तृलोकानाप्नोति ९।२९
सामदण्डौ प्रशंसन्ति ७।१०९

सामध्वनावृग्यजुषी	४।१२३	**सुखं ह्यवमतः शेते**	२।१६३
सामन्तप्रत्ययो ज्ञेयः	८।२६२	**सुखाभ्युदयिकं चैव**	१२।८८
सामन्तानामभावे तु	८।२५६	सुगुर्वप्यपहत्येनः	१२।२५६
सामन्ताश्चेन्मृषा ब्रूयुः	८।२६३	सुदाः पैजवनश्चैव	७।४१
सामवेदः स्मृतः पित्र्यः	४।१२४	सुपरीक्षितमन्नाद्यं	७।२१७
सामादीनामुपायानां	७।१०९	सुपर्णकिन्नराणां च	३।१९६
साम्ना दानेन भेदेन	७।१९८	**सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा**	३।३४
साम्नां वा सरहस्यानां	११।२६२	**सुप्त्वा क्षत्वा च भुक्त्वा च**	५।१४५
साम्राज्यकृत्सजात्येषु	८।३८७	**सुबीजं चैव सुक्षेत्रे**	१०।६९
सायम्प्रातश्च जुहुयाद्	२।१८६	सुयुद्धमेव तन्नापि	७।१७६
सायं त्वन्नस्य सिद्धस्य	३।१२१	सुरापानापनुत्त्यर्थं	११।९२
सारसं रज्जुवालं च	५।१२	**सुरां पीत्वा द्विजो मोहात्**	११।९०
सारापराधौ चालोक्य	८।१२६	**सुरा वै मलमन्नानाम्**	११।९३
सारासारं च भाण्डानाम्	९।३३१	सुरूपं वा विरूपं वा	९।१४
सार्ववर्णिकमन्नाद्यं	३।२४४	सुवर्णकर्तुर्वैणस्य	४।२१५
सांवत्सरिकमाप्तैश्च	७।८०	**सुवर्णचौरः कौनख्यं**	११।४९
सावित्रान्द्यान्तिहोमांश्च	४।१५०	सुवर्णरजतादीनां	८।३२१
सावित्रीं च जपेन्नित्यम्	११।२२५	**सुवर्णस्तेयकृद्विप्रः**	११।९९
सावित्रीपतिता व्रात्या	२।३९	**सुवासिनीः कुमारीश्च**	३।११४
सावित्रीमप्यधीयीत	२।१०४	सुसंगृहीतराष्ट्रो हि	७।११३
सावित्रीमात्रसारोऽपि	२।११८	सुसंस्कृतोपस्करया	५।१५०
सावित्र्यास्तु परं नास्ति	२।८३	सुहृत्स्वजिह्मः स्निग्धेषु	७।३२
सा सद्यः सन्निरोद्धव्या	९।८३	**सूक्ष्मतां चान्ववेक्षेत**	६।६५
साहसस्य नरः कर्त्ता	८।३४५	सूक्ष्माभ्यो मूर्तिमात्राभ्यः	१।१९
साहसे वर्तमानं तु	८।३४६	**सूक्ष्मेभ्योऽपि प्रसंगेभ्यः**	९।५
साहसेषु च सर्वेषु	८।७२	सूच्या वज्रेण चैवैतान्	७।१९१
सिद्धिमेकस्य संपश्यन्	६।४२	सूतकं मातुरेव स्यात्	५।६२
सिंहा व्याघ्रा वराहाश्च	१२।४३	**सूतानामश्वसारथ्यम्**	१०।४७
सीताद्रव्यापहरणे	९।२९३	**सूतो वैदेहकश्चैव**	१०।२६
सीदद्भिः कुप्यमिच्छद्भिः	१०।११३	**सूत्रकार्पासकिण्वानां**	८।३२६
सीमाज्ञाने नृणां वीक्ष्य	८।२४९	सूनाचक्रध्वजवतां	४।८४
सीमायामविषह्यायां	८।२६५	सूर्मीं ज्वलन्तीं स्वाश्लिष्येत्	११।१०३
सीमाविनिर्णयं कुर्युः	८।२५८	**सूर्येण ह्यभिनिर्मुक्तः**	२।२२१
सीमाविवादधर्मश्च	८।९	सृष्टवन्तः प्रजाः स्वाः स्वाः	१।६१
सीमावृक्षांश्च कुर्वीत	८।२४६	सृष्टिर्मृष्टिर्द्विजाश्चग्रथः	३।२५५
सीमासन्धिषु कार्याणि	८।२४८	सृष्टिं ससर्ज चैवेमां	१।२५
सीमां प्रति समुत्पन्ने	८।२४५	**सेनापतिबलाध्यक्षौ**	७।१८९
सुकृतैः शापिताः स्वैः स्वैः	८।२५६	**सेनापत्यं च राज्यं च**	८।१००
सुखस्य नित्यं दातेह	५।१५३	सेवा श्ववृत्तिराख्याता	४।६
सुखं चरति लोकेऽस्मिन्	२।१६३	**सेवेतेमांस्तु नियमान्**	२।१७५
सुखं चेहेच्छता नित्यं	३।७९	सेह निन्दामवाप्नोति	५।१६१

		संयोगं पतितैर्गत्वा	१२।६०
सैरिन्ध्रं वागुरावृत्तिं	१०।३२	**संरक्ष्यमाणो राज्ञा यं**	७।१३६
सोऽग्निर्भवति वायुश्च	७।७	**संरक्षणार्थं जन्तूनाम्**	६।६८
सोऽचिराद् भ्रश्यते राज्यात्	७।१११	संरक्ष्येत्सर्वतश्चैनं	७।१३५
सोऽज्येष्ठः स्यादभागश्च	९।२१३	**संवत्सरप्रतीक्षेत**	९।७७
सोदर्या विभजेरँस्तम्	९।२१२	**संवत्सरस्यैकमपि**	५।२१
सोऽनुज्ञातो हरेदंशं	९।१७९	संवत्सराभिशस्तस्य	८।३७३
सोऽनुभूयासुखोदर्कान्	१२।१८	**संवत्सरेण पतति**	११।१८०
सोऽन्तर्दशाहाहृतद् द्रव्य	८।२२२	संवत्सरे व्यतीते तु	५।७६
सोऽपत्य भ्रातुरुत्पाद्य	९।१४६	**संवत्सरं तु गव्येन**	३।२७१
सोपानत्कश्च यत् भुङ्क्ते	३।२३८	संवत्सरं यवाहारः	१।९८
सोऽभिध्याय शरीरात्स्वात्	१।८	संवाद्य रूपसंख्यादीन्	८।३११
सोमपा नाम विप्राणां	३।१९७	सविभागश्च भूतेभ्यः	४।३२
सोमपास्तु कवेः पुत्राः	३।१९८	संविशेत् यथाकालं	७।२२५
सोमविक्रयिणं विष्ठा	३।१८०	**संशोध्य त्रिविधं मार्गं**	७।१८५
सोमाग्न्यर्कानिलेन्द्राणाम्	५।९६	संश्रयस्येव तच्छीलं	१०।६०
सोमाय राज्ञे सत्कृत्य	९।१२९	**संसारगमनं चैव**	१।११७
सोमारौद्रन्तु बह्वृचा	११।२५४	संसारान्प्रतिपद्यन्ते	१२।५४
सोऽसंवृतं नाम तमः	४।८१	संसृष्टास्तेन वा ये स्युः	१।२१६
सोऽसहायेन मूढेन	७।३०	संस्कर्ता चोपहर्ता च	५।५१
सोऽस्य कार्याणि संपश्येत्	८।१०	संस्कारस्य विशेषाच्च	१०।३
सौरान्मंत्रान्यथोत्साह	५।८६	संस्कारार्थं शरीरस्य	२।६६
सङ्कीरापात्रकृत्यासु	११।१२५	**संस्थितस्यानपत्यस्य**	९।१९०
संकरीकरणं ज्ञेयं	११।६८	संस्पृष्टं नैव शुध्येत	५।१२३
संकरे जातयस्त्वेताः	१०।४०	संहतस्य च मित्रेण	७।१६५
संकल्पमूलः कामो वै	२।३	**संहतान्योधयेदल्पान्**	७।१९१
सङ्कीर्णयोनयो ये तु	१०।२५	संहत्य हस्तावध्येयं	२।७१
संक्रमध्वजयष्टीनाम्	९।२८५	संहतं च सकाकोलं	४।८९
संक्षिप्यते यशो लोके	७।३४	**स्कन्धेनादाय मुसलं**	८।३१५
संग्रामेष्वनिवर्तित्वं	७।८८	**स्तेनगायनयोश्चान्नं**	४।२१०
सन्निधातृश्च मोषस्य	९।२७८	स्तेनस्यातः प्रवक्ष्यामि	८।३०१
संनियम्य तु तान्येव	२।९३	स्तेनानां निग्रहादस्य	८।३०२
संन्यस्य सर्वकर्माणि	६।९५	स्तेनानां पापबुद्धीनां	९।२६३
संन्यासेनापहर्त्यनः	६।९६	स्तेनान्राजा निगृह्णीयात्	९।३१२
संपश्यतः सभृत्यस्य	७।१४३	स्तेयं च साहसं चैव	८।६
संपूज्या गुरुपत्नीवत्	२।१३१	स्तेयदोषापहर्तॄणां	११।१६१
संप्राप्ताय त्वतिथये	३।९९	स्तेये च तत्पद कार्यं	९।२३७
संप्राप्नुवन्ति दुःखानि	१२।७४	**स्त्रियं स्पृशेददेशे यः**	८।३५८
सप्रीत्या भुज्यमानानि	८।१४६	स्त्रियश्चैव विशेषेण	७।१५०
संयमे यत्नमातिष्ठेत्	२।८८	स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु	९।२६
संयुक्ताश्च वियुक्ताश्च	७।२१४	स्त्रिया क्लीबेन च हृते	४।२०५
संयोगे विप्रयोगे च	९।१	**स्त्रियान्तु यद् भवेद् वित्तम्**	९।१९८

स्त्रियां तु रोचमानायां	३।६२	स्नात्वाऽर्कमर्चयित्वा त्रिः	२।१८१
स्त्रियाप्यसम्भवे कार्य्यं	८।३०	स्नात्वा सचैलः स्पृष्ट्वाऽग्निं	५।१०३
स्त्रियोऽप्येतेन कल्पेन	१२।६६	स्नानं समाचरेन्नित्यं	४।२०३
स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या	२।२४०	स्नास्यस्तु गुरुणाऽऽज्ञप्तः	२।२४५
स्त्रीक्षीरं चैव वर्ज्यानि	५।६	स्नाने प्रसाधने चैव	७।२२०
स्त्रीणामसंस्कृतानान्तु	५।७२	**स्पृशन्ति बिन्दवः पादौ**	५।१४२
स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्भं	२।१७६	**स्पृष्ट्वा दत्त्वा च मदिराम्**	११ १४८
स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः कुर्युः	८।६८	**स्पृष्ट्वैतानशुचिर्नित्यं**	४।१४३
स्त्रीणां सुखोमसङ्करं	२।३३	**स्पृशन्पूर्षशकटानां च**	५।११७
स्त्रीधनानि तु ये मोहात्	३।५२	**स्यन्दनाश्वैः समे युद्धेत्**	७।१६२
स्त्रीधर्मयोगं तापस्यं	१।११४	स्याच्चाम्नायपरो लोको	७।८०
स्त्रीपुंधर्मो विभागश्च	८।७	**स्यात् साहसं त्वन्वयवत्**	८।३३२
स्त्रीबालब्राह्मणघ्नांश्च	६।२३२	स्रग्विणं तल्प आसीनं	३।३
स्त्रीबालाभ्युपपत्तौ च	१०।६२	स्रवत्यनोऽकृतं पूर्वं	२।७४
स्त्रीबालोन्मत्तवृद्धानाम्	६।२३०	स्रवन्त्यामाचरन्स्नानं	११।२५४
स्त्रीबुद्धेरस्थिरत्वात्तु	८।७७	**स्रोतसां भेदको यश्च**	३।१६३
स्त्रीमृक्षः स्तोकको वारि	१२।६७	स्वकर्म ख्यापयन्न्यायात्	११।६६
स्त्रीम्लेच्छव्याधितव्यङ्गान्	७।१४६	स्वकर्मणां च त्यागेन	१०।२४
स्त्रीविप्राभ्युपपत्तौ च	८।३०६	स्वकर्मभ्यो निवर्तन्ते	१।५३
स्त्रीशूद्रपतिताश्चैव	११।२२३	स्वकादपि च वित्ताद्धि	६।१६६
स्त्रीशूद्रविट्क्षत्रवधः	११।६६	**स्वक्षेत्रे संस्कृतायान्तु**	६।१६६
स्त्रीष्वनन्तरजातासु	१०।६	स्वजातीयगृहादेव	११।१६२
स्त्रीसम्बन्धे दशैतानि	३।६	स्वदेशे वा विदेशे वा	८।१६७
स्थलजौदकशाकानि	६।१३	स्वधनादेव तद् दद्यात्	८।१६२
स्थाणुच्छेदस्य केदारं	६।१४४	स्वधर्मेण नियुक्तायां	६।१६७
स्थानासनाभ्यां विहरेत्सवनेषु	६।२२	**स्वधर्मो विजयस्तस्य**	१०।११६
स्थानासनाभ्यां विहरेदशक्तः	११।२२४	स्वधाकारः परा ह्याशीः	३।२५२
स्थाने युद्धे च कुशलान्	७।१६०	**स्वधास्त्वित्येव तं ब्रूयुः**	३।२५२
स्थानं समुदयं गुप्तिं	७।५६	**स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी**	२।१८१
स्थापयन्ति तु यां वृद्धिं	८।१५७	स्वप्नोऽन्यगेहवासश्च	६।१३
स्थापयेत्तत्र तद्द्रव्यं	७।२०२	**स्वभाव एष नारीणां**	३।२१३
स्थापयेदासने तस्मिन्	७।१४१	**स्वभावेनैव यद् ब्रूयुः**	८।७८
स्थावरं जङ्गमं चैव	५।२८	**स्वमांसं परमांसेन**	५।५२
स्थावराणि च भूतानि	११।२४०	स्वमेनोऽवभृथस्नातः	११।८२
स्थावराः कृमिकीटाश्च	१२।४२	**स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते**	१।१०१
स्थौल्लक्ष्म्यं च सततं	७।२११	स्वयमीहितलब्धं तत्	६।२०८
स्नातकव्रतकल्पश्च	४।२५६	**स्वयमेव तु यो दद्यात्**	८।१८६
स्नातकव्रतलोपे च	११।२०३	स्वयमेवात्मनो ध्यानात्	१।१२
स्नातस्य च राज्ञश्च	२।२३८	**स्वयंकृतश्च कार्य्यार्थम्**	७।१६४
स्नात्वा तु विधिदृष्टेन	११।२०१	स्वयंदत्तश्च शौद्रश्च	६।१६०
स्नात्वाऽऽतुरः शुचिर्नद्याः	११।२०४	**स्वयं वा शिश्नवृषणौ**	११।१०४

स्वरवर्णेङ्गिताकारैः ८।२५
स्वराष्ट्रे न्यायवृत्तः स्यात् ७।३२
स्वर्गायुष्ययशस्यानि ४।१३
स्वर्गार्थमुभयार्थं वा १०।१२२
स्वर्गं गच्छत्यपुत्रोऽपि ५।१६०
स्वल्पकेनाप्यविद्वान्हि ४।१६१
स्ववीर्याद्राजवीर्याच्च ११।३२
स्वयोर्येनैव ताड्यिरन् ११।३१
स्वशक्तिं परशक्तिं च ९।२९८
स्वा चैव कुर्यात्सर्वेषां ९।८६
स्वात्स्वादंशाच्चतुर्भागं ९।११८
स्वादानाद्वर्णसंसर्गा ८।१७२
स्वाध्यायभूमिं चाशुद्धां ४।१२७
स्वाध्याये चैव युक्तः स्याद् ४।३५
स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैः २।२८
स्वाध्यायेनार्चयेदृषीन् ३।८१
स्वाध्याये नित्य युक्तः स्याद् दान्तो ६।८
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्दैवे ३।७५
स्वाध्याये भोजने चैव ४।५८
स्वाध्यायं श्रावयेत्पित्र्ये ३।२३२
स्वानि कर्माणि कुर्वाणा ८।४२
स्वानि स्वान्यभिपद्यन्ते १।३०
स्वामिनां च पशूनां च ८।२४४
स्वां प्रसूतिं चरित्रं च ९।७
स्वाम्यमात्यौ पुरं राष्ट्रम् ९।२९४
स्वाम्यं च न स्यात्कस्मिंश्चित् ७।२१
स्वायम्भुवस्यास्य मनोः १।६१
स्वायम्भुवाद्याः सप्तैते १।६३
स्वायंभुवो मनुर्धीमान् १।१०२
स्वारोचिषश्चोत्तमश्च १।६२
स्वालक्षण्यपरीक्षार्थं ९।१९
स्वेदजं दंशमशकं १।४५
स्वेभ्योऽंशेभ्यस्तु कन्याभ्यः ९।११८
स्वेभ्यः स्वेभ्यस्तु कर्मभ्यः १२।७०
स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां ७।३५
स्वे स्वेऽन्तरे सर्वमिदं १।६३
स्वं च धर्मं प्रयत्नेन ९।७
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् २।२०

ह

हत्वा गर्भमविज्ञातम् ११।८७
हत्वा छित्त्वा च भित्त्वा च ३।३३
हत्वा लोकानपीमांस्त्रीन् ११।२६१
हत्वा हंसं बलाकां च ११।१३५
हन्ति जातानजातांश्च ८।९९
हन्त्यल्पदक्षिणो यज्ञः ११।४०
हन्यते प्रेक्षमाणानां ८।१४
हन्याच्चित्रैर्वधोपायैः ९।२४८
हरेत्तत्र नियुक्तायाम् ९।१४५
हर्षयेद् ब्राह्मणांस्तुष्टः ३।२३३
हविर्दानेन विधिवद् ३।२११
हविर्यच्चरराज्याय ३।२६६
हविषा कृष्णवर्त्मेव २।९४
हविष्यभुग्वाऽनुसरेत् ११।७७
हविष्यान्तीयमभ्यस्य ११।२५१
हविष्येण यवाग्वा वा ११।१०६
हव्यकव्याभिवाह्याय १।९४
हन्यानि तु यथान्यायं ३।१३५
हस्तिगोऽश्वोष्ट्रदमकः ३।१६२
हस्तिनश्च तुरंगाश्च १२।४३
हस्त्यश्वरथहर्तृंश्च ९।२८०
हितेषु चैव लोकस्य ९।३२४
हिमवद्विन्ध्ययोर्मध्यं २।२१
हिरण्यभूमिसंप्राप्त्या ७।२०८
हिरण्यं धान्यमन्नं च १०।११४
हिरण्यं भूमिमश्वं गां ४।१८८
हिरण्यमायुरन्नं च ४।१८९
हिंसाप्रायां पराधीनां १०।८३
हिंसारतश्च यो नित्यं ४।१७०
हिंसौषधीनां स्त्र्याजीवः ११।६३
हिंस्राणां च पिशाचानां १२।५७
हिंस्राणां चैव सत्त्वानां १२।५६
हिंस्रा भवन्ति क्रव्यादाः १२।५९
हिंस्राहिंस्रे मृदुक्रूरे १।२९
हिंस्रो वृषलवृत्तिश्च ३।१६४
ह्रियमाणानि विषयैः ६।५९
हीनक्रियं निष्पुरुषं ३।७
हीनजातिस्त्रियं मोहात् ३।१५
हीनाङ्गानतिरिक्ताङ्गान् ४।१४१
हीनातिरिक्तगात्रो वा ३।२४२
हीनान्नवस्त्रवेषः स्यात् २।१९४
हीनाहीनान्प्रसूयन्ते १०।३१
हीनं पुरुषकारेण ८।२३२

हुङ्कारं ब्राह्मणस्योक्त्वा	११।२०४	हेमन्तशीष्मवर्षासु	३।२८१
हुताग्निर्ब्राह्मणांश्चार्च्य	७।१४५	हैतुकान्वकवृत्तींश्च	४।३०
हुत्वाऽग्नौविधिवद्होमान्	११।११६	होता वापि हरेदश्वं	८।२०६
हूयमानश्च यज्ञेषु	६।३१८	होता स्यादग्निहोत्रस्य	११।३६
हृदयेनाभ्यनुज्ञातः	२।१	होमाश्च सकला नित्यं	११।२००
हृद्गाभिःपूयते विप्रः	२।६२	**होमे प्रदाने भोज्ये च**	३।२४०
हृद्यानिचैव मांसानि	३।२२७	होमो दैवो बलिर्भौतो	३।७०

□

इति मनुस्मृतिश्लोकानामुभयपंक्ति-अनुक्रमणिका

मनुस्मृति– शब्दसूची

अंशः ८.२०६; ९.४७; २११
अंशकल्पना ९.११६
अंशप्रकल्पना ८.२११
अंशम् ८.३६, २०७; ९.११७., १५१, १५३, १६४, १७९
अंशाः ९.१५७
अंशात् ९.११८, २०७
अंशान् ९.१५३
अंशुपट्टानाम् ५.१२०
अंशेभ्यः ९.११८
अंशौ ९.१५१
अकन्या ८.२२५
अकन्यासु ८.२२६
अकर्म ५.८७
अकामतः २.१५६ [१८१]; ९.२४२; ११.४५, ४६, ८९, १२७
अकामता १.१२१ [२.२]
अकामस्य १.१२३ [२.४]
अकामाम् ८.३६४
अक्षरः २.१०० [१२५]
अक्षरगणात् ९.१७७
अक्षरम् २.५१ [७६]
अक्षरेण परित्यक्तता ३.१५७ ५१
अकार्यकारिणः ५.१०७; ११.२३९
अकार्यम् ११.९६
अकार्याणि १०.९८
अकाले ३.१०५; ७.१६४; ८.४००
अकुलताम् ३.६३
अकुशलम् ११.३५
अकृतात्मभिः ७.२८
अकृतान् ८.१६८
अकृतान्नेन १०.९४
अकृतचूडानाम् ५.६७
अकृतबुद्धिना ७.३०
अकृतान् ५.१२६
अक्रव्यादान् ११.१३०
अक्रूरम् २.८ [३३]
अक्रोधः १.१२२, ६.९२
अक्रोधना ३.१९२
अक्रोधनान् ३.२१३
अक्रोधम् ३.२३५
अक्षक्षेशेन ४.३
अक्ष० ७.४७
अक्षतः ८.१२४
अक्षतम् ८.३८०
अक्षतयोनिः ९.१७६
अक्षतयोनिषु १०.५
अक्षत्रम् ९.३२२
अक्षभंगे ८.२९२
अक्षमाला ९.२३
अक्षयः ७.८२, ८३
अक्षयफलः ६.९७
अक्षयम् ३.७९, २७३, २७५; ६.६४; ८.३४४
अक्षयाम् ४.२३
अक्षयाय ३.२०२
अक्षये ४.२२६
अक्षय्यम् ४.१५६, २२९
अक्षरम् २.५३ [७८], २.५९ [८४]; ११.२६५
अक्षाः ७.५०
अक्षारलवणः ५.७३
अक्षारलवणम् ३.२५७
अक्षेत्रिणः ९.४९, ५१
अक्षेत्रे १०.७१
अक्षैः ४.७४
अक्ष्णोः २.१५३ [१७८]
अखिलः १.१२५ [२.६]; ९.३२५
अखिलम् १.५९, ११४; ९.१३१, १३२
अखिलाम् ९.६७
अखिले ८.३०१
अखिलेन १.१०७; ८.२१८, २६६
अगदः ८.१०७; ११.२३७
अगदैः ७.२१८
अगर्हितः ९.१०९
अगर्हितम् ५.२४
अगर्हितैः ४.३; ९.७५
अगस्त्यः ५.२२
अगारम् ६.५१
अगारदाही ३.१५८
अगाराणि ९.२६५
अगारात् ११.१७
अगुप्तान् ३.२२
अगुप्तम् ८.३७४, ३७४
अगुप्ताम् ८.३७६
अगुप्तायाम् ८.३८२, ३८४
अगुप्ते ८.३८५
अग्नयः २.२०५ [२३०]; ३.१०३; ४.२८
अग्नि० १.२३
अग्निः २.२०६ [२३१]; ३.२१२; ४.५८, २४९; ५.९६, १०५, १३३; ६.४, १७, ४३; ७.७, ९; ८.१०८, ११५, ११६; ९.३१४, ३१७, ३२१
अग्निकार्यम् २.४४ [६९]
अग्निकारिते ४.११८
अग्निज्वलितः ७.९०
अग्नित्रेता २.२०६ [२३१]
अग्निदग्धान् ३.१९९
अग्निदान् ९.२७८
अग्निना ८.१८९
अग्निम् २.२३ [४८], १६२ [१८६]; ३.२६०; ४.५३, १४५; ५.१०३; ८.११४, ३३३; १२.६६, १२१, १२३
अग्निपरिक्रयया २.४२
अग्निमान् ३.१२२; ४.२७
अग्निवर्णाम् ११.९०, ९१
अग्निशुश्रूषाम् २.२२३ [२४८]
अग्निषु ४.१०४, १०६; ५.८४
अग्निष्टुत् ११.७४
अग्निष्टोमादिकम् २.११८ [१४३]
अग्निष्वात्ताः ३.१९५
अग्निष्वात्तान् ३.१९९
अग्निषु ४.१०४, १०६; ५.८४
अग्निसंयोगम् ३.१७१

अग्निसंस्कारः ५.६९
अग्निहोत्रपरायणः ४.१०
अग्निहोत्रम् ४.२५; ६.४, ९; ११.४२
अग्निहोत्रस्य ११.३६
अग्निहोत्री ११.४१
अग्निहोत्रेण ५.१६७
अग्निहोत्रेभ्यः ७.८४
अग्नीन् ५.१६८; ६.२५, ३८; ११.४१
अग्नीन्धनम् २.८३ [१०८]
अग्ने ३.८५, २१२; ५.११३; ७.४; ९.३०३
अग्नौ ३.६७, ७६, ८४, २१०, २१४, २८२; ४.५३; ८.१०६; ११.७३, ११९
अग्न्यभावे ३.२१२
अग्न्यर्थम् ८.३३९
अग्न्याधेयम् २.११८ [१४३]
अग्न्याधेयस्य ११.३८
अग्रजः ९.११४
अग्रजन्मनः १.१३९ [२.२०]; ३.१३; १०.७५
अग्रजस्त्रियम् ९.५८
अग्रजे ३.१७१
अग्रम् ११.८३
अग्रेदिधिषूपतिः ३.१६०
अघ० ५.८४
अघदोषः ५.९३
अघमर्षणम् ११.२५९, २६०
अघम् ३.११८
अघेयमद्ययोः ११.६७
अङ्कनि ८.२३४
अङ्ग० ८.२८७
अङ्गतः ४.१६७
अङ्गना ९.४५
अङ्गम् ४.८३; ९.२९७
अङ्गविद्यया ६.५०
अङ्गसर्वस्वैः ८.३७४
अङ्गहीनत्वम् ११.५०
अङ्गानि ७.१०५
अङ्गान् ४.१४१
अङ्गारान् ८.२५०
अङ्गारे ६.५६
अङ्गिरः ३.१९८
अङ्गिरसः १.३५
अङ्गुलि० ८.३६८; ९.२७७
अङ्गुलिमूले २.३४ [५९]
अङ्गुल्योः ८.३७०
अङ्गुल्यौ ३६७
अङ्गुष्ठमूलस्य २.३४[५९]
अङ्गे ५.१४१
अङ्गेन ८.२७९, ३३४; ११.११
अङ्गैः ३.१७८
अचक्षुः ४.७७
अचराः ५.२९
अचरे ५.४४
अचिरस्थितान् १०.९०
अच्छलेन ८.१८७
अजः १२.६७
अजडः ८.१४८
अजम् ३.२६०
अजमेधौ ११.१३६
अजरामरा २.१२३ [१४८]
अजा ३.६; ८.२९८; ९.४८, ५५, ११९; १०.११४; १२.५५
अजातान् ८.९९
अजाविकवधः ११.६८
अजाविके ८.२३५
अजितात्मनः ७.३४
अजिनम् २.३९ [६४]
अजिह्मः ७.३२
अजिह्मगः ६.३१; ११.१०४
अजिह्मस्य ३.२४६
अजिह्माम् ४.११
अजीगर्तः १०.१०५
अजीर्णे ४.१२१
अजीवन् १०.८१, ८२
अजुगुप्सितान् ३.२०९
अज्ञः २.१२८ [१५३]
अज्ञम् २.१२८ [१५३]
अज्ञातभुक्तशुद्ध्यर्थम् ५.२१
अज्ञातम् ११.१५५
अज्ञाता ९.१७३
अज्ञातान् ५.१७
अज्ञातिम् ५.२०३
अज्ञातेन ४.१४०
अज्ञान० ११.१६०
अज्ञानतः ६.६९; ८.२८८; ११.१७५
अज्ञानम् १२.२६
अज्ञानात् ८.११८, १२१, २४३, २६४; ११.१४६, १५०; ११.२३२
अज्ञानात् ६.८४; ११.४३; १२.११३
अज्ञे २.१३३ [१५८]
अज्ञेभ्यः १२.१०३
अज्ञौ ४.२९४
अज्येष्ठः ९.२१३
अज्येष्ठवृत्तिः ९.१०
अञ्जनम् २.१५३ [१७८]; ४.१५२
अञ्जयन्तीम् ४.४४
अञ्जलिः ४.१५४
अञ्जलिना ४.६३
अञ्जलौ ११.१०४
अञ्जसा २.२१९ [२४४]; ८.१०१
अटनम् ९.१३
अणीयांसम् १२.१२२
अणुः ३.५१; ६.४०
अणुमात्रिकः १.५६
अणोः १२.१२२
अण्डजाः १.४४
अण्डम् १.१२
अण्डे १.१२
अण्ड्यः १.२७
अतन्द्रितः २.४८ [७३]; २.५७ [८२], २६१ [१८६]; ४.१४, १४५, १४७, १५५, २२६; ७.२०, १००, १२०; ८.३१२
अतन्द्रितान् ७.६१
अतन्द्रितौ १२.१९
अतपाः ४.१९०
अतिकल्पम् ४.१४०

अतिकृच्छ्रम् ११.२०८, २१३
अतिक्रमम् ११.१२०
अतिक्रमेण ३.६३
अतिगान् ७.१४९
अतितृष्णया ७.१३९
अतिथयः ३.८०
अतिथये ३.९९
अतिथिः ३.७२, १०२, १०५, १०८, ११०, १३०; ४.२९, १७९, १८२
अतिथिधर्मिणौ ३.११२
अतिथिधर्मेण ३.१११
अतिथिपूजनम् ३.७०, १०६
अतिथिभ्यः ३.११४
अतिथिम् ३.९४, १०३, १०६; ४.१२२
अतिथीन् ४.२५१
अतिपरिक्षतम् ७.९३
अतिप्रगे ४.६२
अतिप्रसक्तिम् ४.१६
अतिभोजनम् २.३२ [५७]
अतिमध्यंदिने ४.१४०
अतिलोमाम् ३.८
अतिवर्तनानि ८.२९०
अतिवादान् ६.४७
अतिसायम् ४.६२, १४०
अतिसांवत्सीम् ८.१५३
अतीतशैशवः ८.२७
अतीतानाम् ७.१७८
अतीतायाम् ९.१९६, १९७
अतीते ७.१७९
अतुष्टिकरम् ४.२१७
अतैजसानि ६.५३
अत्ता ५.३०
अत्तारः ५.३०
अत्तारम् ८.३०९
अत्ययम् ८.१४५, ४००; १०.१०४
अत्यये ५.२७; ८.६९, २४३
अत्यशनम् २.३१
अत्युच्छ्रितम् ७.१७०
अत्युष्णम् ३.२३६
अत्राजम् ११.११३
अत्रिजाः ३.१९६
अत्रिम् १.३५
अत्रिवर्षस्य ५.७०
अत्रेः ३.१६
अत्वराम् ३.२३५
अथर्वांगिरसीः ११.३३
अदण्ड्यः ८.२०२
अदण्ड्यान् ८.१२८
अदत्तादायिनः ८.३४०
अदत्तानाम् १२.७
अदातरि ८.१६१
अदाता ९.४
अदातुः ४.१९३
अदाणादबान्धवाः ९.१५८, १६०
अदासम् १०.३२
अदित्सन् १०.११३
अदित्सवः ९.११८
अदुष्टम् ८.३८८
अदूषितानाम् ९.२८६
अदृष्टाम् ८.१५३
अदेवान् ९.३१५
अदेश्यम् ८.५३
अदैवम् ३.२४७
अदोषवत् १०.११४
अद्भिः २.२८ [५३], ३५ [६०], ३६ [६१], ३७ [६२]; ३.३५, २६७, २८३; ४.१४३; ५.५५, १०९, १११, ११२, ११८, १२७, १३१; ६.५३; ९.१६८; ११.२०२
अद्भिर्मूलफलेन ४.२९
अद्भुतेषु ४.११८
अद्यः १.७८; ३.८८; ९.३२१
अद्रंष्टिनः ५.२९
अद्रोहेण ४.२, १४८
अद्वारेण ४.७३
अद्विजम् ८.२२
अद्यः २.३४ [५९]; ६.३५, ३७; ७.५३; ११.१५३, १७२, २२४
अद्यःशय्याम् २.८३ [१०८]
अद्यनाः ४१६
अद्यम: ३.२१, ३४, १००, १०.१२, १६, ९६, १२.३
अद्यमयोनिजा ९.२३
अद्यमर्ण ८.४७
अद्यमर्णस्य ८.५२
अद्यमर्जात् ८.४७
अद्यमर्णिकः ८.१७७
अद्यमर्णिकम् ८.४८
अद्यमर्णिकृत् ८.५०
अद्यमाः १२.४१, ५२
अद्यमान् ४.२४४
अद्यमेषु ६.६५
अद्यरः ७.२१
अद्यरोत्तरम् ७.२१
अद्यरोत्तरान् ८.५३
अद्यर्मः १.२९; ४.१७२, १७३; ६.६४; ८.१२२, ३५३; ९.२४९; १०.१०६, १०८; १२.२०
अद्यर्मज्ञौ ८.५९
अद्यर्मतः १२.२३
अद्यर्मदण्डनम् ८.१२७
अद्यर्मम् ११.२२८; १२.२१
अद्यर्मस्य ८.१८
अद्यर्मात् २.१८१ [२०६]; ८.३०४
अद्यर्मे ४.१७१; १२.११
अद्यर्मेण १.८१; २.८६ [१११]; ८.१२, १५, १७४; ११.२२८, २२९
अद्यर्मौ १.२६
अद्यर्म्यौ ३.२५
अद्यार्मिकः ४.१७०
अद्यार्मिकजनः ४.६१
अद्यार्मिकम् ४.१३३; ८.३१०
अद्यार्मिकाणाम् ४.१७१
अद्यार्मिके ४.६०
अधिकः ११.१८५
अधिकदूषितान् १०.२९
अधिकम् १.९५; ८.३२०; ९.१५४; ११.७

अधिकाः ७.१७७; ८.१५२
अधिकाङ्गीम् ३.८
अधिकान् ४.१४१
अधिकारः १.१३५ [२।१६]; १०.१२६
अधिकृतः ८.११
अधिके ३.४९, ४९; ८.३२१
अधिपतिः ८.३७, ३९
अधिपतिम् ७.११५
अधियज्ञम् ६.८३
अधिविन्ना ९.८३
अधिष्ठानस्य १२.४
अधिष्ठितम् ८.३४
अधीकारः ११.६३
अधीनः ८.६६, १६३
अधीयानात् २.९१ [११६]
अधृतिः १२.३३
अधैर्यम् १२.३२
अधोगतिम् ३.१७, ५२; ८.३०९
अधोदृष्टिः ४.१९६
अध्यक्षान् ७.८१
अध्यग्नि ९.१९४
अध्यधीनः ८.१६७
अध्ययन० ११.६२
अध्ययनम् १.८८, ८९, ९०; २.२१६ [२४१]; १०.७५, ७९
अध्ययने २.१६६ [१९१]
अध्ययनेन ११.२२७
अध्यर्धम् ९.११७
अध्याचरिते २.९४ [११९]
अध्यात्मरतिः ६.४९
अध्यात्मविद् ६.८२
अध्यापकः ३.१५६
अध्यापनम् १.८८; ३.७०; १०.७५, ७७
अध्यापनात् १०.१०३, १०९; ११.१८०
अध्यापनेन ८.३४०
अध्यायज्ञाः ४.१०२
अध्यायाहनिकम् ९.१९४
अध्येष्यमाणः २.४५ [७०]
अध्येष्यमाणम् २.४८ [७३]
अध्वगः ८.३४१
अध्वगम् ११.१
अध्वनः ११.१३२
अध्वनि ८.४०५
अध्वरे ६.५३
अध्वरैः ४.२६
अध्वर्युः ८.२०९
अध्वर्युम् ३.१४५
अध्वानम् ४.६०; ७.१२७
अनंशौ ९.२०१
अनः ८.२०९
अनग्निः ६.२५
अनग्निदग्धान् ३.१९९
अनग्निदूषिताः २.२२ [४७]
अनघः १२.१
अनड्वुदः ४.२३१
अनड्वाहम् ११.१३६
अनडुत् ५.१०२
अनधीयानः २.१३२ [१५७]; ३.१६८
अनधीयानम् ३.१५१
अनध्ययेन ३.६३
अनध्यायः ४.१०६, १०७, १०८, ११७
अनध्याय० २.८१ [१०६]
अनध्यायम् ४.१०३, १०४, ११८, १२६
अनध्यायवषट्कृतम् २.८१ [१०६]
अनध्यायान् ४.१०१, १०५
अनध्याये २.८० [१०५]
अनध्यायौ ४.१०२, १२७
अननुज्ञातम् २.९१ [११६]
अननूचाने २.२१७ [२४२]
अनन्तम् ४.१४९; ७.८५
अनन्तरः ९.१८७; १०.१४, ८१
अनन्तरजाः १०.४१
अनन्तरम् १.१३८ [२।१९]; ३.२५२, २६०; ७.१५८, ८.१२९
अनन्तरस्त्रीजाः १०.१४
अनन्तरास् १०.७
अनन्तरे ८.१८५, १८६
अनपकर्म ८.४
अनपक्रिया ८.२१४; ११.६५
अनपक्रियाम् ८.२१४
अनपत्यस्य ९.१९०, २१७
अनपसरः ८.१९८
अनपेक्षितमर्यादम् ८.३०९
अनभ्यनुज्ञातः २.२०४, २२९
अनभ्यासेन ५.४
अनयम् १०.९५, १०२
अनर्चितः ३.१००
अनर्चितम् ४.२१३
अनर्थाय ४.१९३
अनर्हान् ३.१५०
अनलप्रभवम् ५.१
अनले ३.२६१
अनवाप्तम् ९.२०९
अनवेक्षया ७.१११
अनशनता ११.१६
अनशनम् ३.१०५
अनस्थनाम् ११.१४०, १४१
अनसूयः ४.१५८
अनसूयकः १०.१२८
अनसूयया १.९१; ४.२२८
अनसि ११.१४०
अनहंकृतः ९.३३५
अनाक्षारितः ८.३५४
अनाख्याय ८.२२४; ९.७३
अनाज्ञया ९.१९९
अनातुरः २.१६२ [१८७]; ४.१४४
अनादाता ८.६
अनादृताः २.२०९ [२३४]
अनादेयम् ८.१७०
अनादेयस्य ८.१७१
अनाद्यभक्षणे ११.१४५
अनाद्यादनस्य ११.१६१
अनापदि ४.२; ४.१००; ५.३३; ८.६२; ९.५८, २८२, ३३६; ११.२८; १२.७०
अनाप्तेः ९.२९०
अनामयम् २.१०२ [१२७]

अनाम्नातेषु १२.१०८
अनायुष्यम् २.३२ [५७]; ४.१३४
अनारोग्यम् २.३२ [५७]
अनार्जवम् ९.१७
अनार्तः ८.२१५
अनार्यः १०.६७
अनार्यकर्मिकम् १०.७३
अनार्यता १०.५८
अनार्यम् १०.५७, ७३
अनार्यात् १०.६६, ६७
अनार्यान् ९.२६०
अनार्यायाम् १०.६६, ६७
अनाविलम् ७.६९
अनाविष्कृतः ११.२२६
अनावृताम् ४.४४
अनाशिनी ८.१८५
अनाहिताग्निः ११.१४; ३८
अनाहिताग्नित्व ११.६५
अनिकेतः ६.२५
अनिक्षेप्तारम् ८.१९०
अनिच्छतः ८.४१२
अनिच्छया ११.१२४
अनिन्द्या ३.४२
अनिपते ८.१८५
अनिबद्धः ८.७६
अनिमित्ततः ४.१४४
अनियुक्ता ९.१४७
अनियुक्तासुतः ९.१४३
अनिर्णिक्तैः ११.१८९
अनिर्दशम् ४.२१२, २१७; ५.७५, ७९
अनिर्दशायाः ५.८
अनिर्दशाहाम् ८.२४२
अनिर्दिष्टान् ५.११
अनिर्देश्यम् ११.१४६
अनिर्वृत्तम् ९.६१
अनिल० ५.९६; ६.३१; ७.४
अनिलम् १२.१२०
अनिले ४.१०२
अनिष्कृतैनसः ११.५३
अनिष्ट १२.५
अनिष्टम् ७.१३; ९.२१
अनिष्टेषु ७.१३; ९.३१९
अनिसृष्टः २.१८० [२०५]
अनीकेषु ७.१९३
अनीशाः ९.१०४
अनीश्वरान् ६.७२
अनुकम्पकः ६.८
अनुकल्पः ३.१४७
अनुकल्पेन ११.३०
अनुक्तनिष्कृतीनाम् ११.२०९
अनुगतैः ९.२६७
अनुचराः १२.४७
अनुजः ९.११७
अनुजस्त्र्यं ९.५७
अनुजाते ५.५८
अनुजे ११.६०
अनुतापेन ११.२२७
अनुत्तमम् ५.१५८; ८.३४३
अनुत्तमाम् २.२१७ [२४२]; ८.८१
अनुद्वृते ९.११६
अनुद्वेगकराः २.२२ [४७]
अनुपरोधेन २.११ [२३६]
अनुपस्कृतः ७.९८; १०.६२
अनुपस्कृतम् ३.२५७; ५.११२
अनुपाकृतमांसानि ५.७
अनुपूर्वशः १.१०२; २.६४ [८९], ६६ [९१]; ३.३९, २०१, २१९; ५.५७; ७.३५, ३६; ८.९७, ११९, १४२
अनुबन्धम् ८.१२६
अनुभावी ८.६९
अनुमतः ३.४
अनुमतेः ५.१५१; ८.२३१, ३५८
अनुमत्यै ३.८६
अनुमन्ता ५.५१
अनुमानम् १२.१०५
अनुमानेन ८.४४
अनुमातिकम् ३.१२२
अनुरक्तः ७.६४
अनुरक्तम् ७.२०९
अनुरागपरागौ ७.१५४
अनुकूपतः १.८५; ७.१२५
अनुकूपेषु ८.२०६
अनुरोधः २.८० [१०५]
अनुरोधेन ७.१६६
अनुलोमजाः १०.२५
अनुवाते २.१७८ [२०३]
अनुविद्धघतः ९.४३
अनुवेश्यसी ८.३९२
अनुव्रज्या २.२१६ [२४१]
अनुव्रज्याम् ३.१०७
अनुशयः ८.५, २२२, २२८
अनुशासन ६.५०
अनुशासनम् २.१३४ [१५९]; २३९, २७९; ९.२३९
अनुशिष्टः ६.८६
अनुशिष्टम् ९.२३३
अनुषङ्गिणः ७.५२
अनुष्ठान् ५.१८
अनुष्ठानम् ७.१००
अनुष्ठितः ३.१४७
अनुज्ञाभिः २.३६ [६१]
अनुसारिणा ७.३१
अनूचानः २.१२९ [१५४]
अनूढे ११.६०
अनूपे ७.१९२
अनृचः २.१३३ [१५८]
अनृचाम् ३.१३१
अनृचे ३.१४२
अनृचः ६.९४; ९.१०६
अनृत० १, ८२
अनृतभाषणे ८.१०१
अनृतम् ३.२२९, २३०; ४.१३८, १७०, २३६; ८.३६, ८२, ९३, ९७, ९९; ८.१०४, ११९; ९.१८; ११.५५, ८८; १२.६
अनृतवादिनः ३.५१
अनृतस्य ८.१०५
अनृतानि ५.१४५, १२.९६
अनृताभ्याम् ४.४
अनृताम् ६.४८
अनृतिनः ४.२१४
अनृते १.२९, ८.९८, ९९

अनृतेन ४.२३७; ८.१४
अनृतौ ४.१०४, १०५; ५.१५३
अनेक० ९.२६१
अनेकानि ५.१५९
अनेनाः ८.१९
अनेड्कृतम् २.४९ [७४]
अन्तः १.४९, ५१; ५.७९, १४१; ६.६३, ७३; ८.६९; १२.८७
अन्तःपुरप्रचारम् ७.१५३
अन्तःपुरम् ७.२१६, २२४
अन्तःपुरे ७.२२१
अन्तकः ३.८७
अन्ततः २.३७ [६२]; ३.८६; ११.११९
अन्तम् १.७३; ४.१२३; ११.२३४
अन्तरजातासु १०.६
अन्तरप्रभवाणाम् १.२
अन्तरपुरुषः ८.८५
अन्तरम् १.१३६ [२.१७], १४१ [२.२२]
अन्तरात्मनः ४.१६१
अन्तरात्मा १२.१३
अन्तरालानाम् १.१३७ [२.१८]
अन्तरिक्षगतान् ७.२९
अन्तर्गतम् ८.२५, २६
अन्तर्गतशवे ४.१०८
अन्तर्दशाहात् ८.२२२
अन्तर्निवेशने ७.६२
अन्तर्वेश्मनि ७.२२३
अन्ताः १.५०
अन्तिकम् २.१७२ [१९७]; ३.१
अन्तिके २.१७७ [२०२]
अन्ते १.७४; २.४९ [७४], ९९ [१२४], २.१०० [१२५]; ४.२६
अन्तेवासिनः ४.३३
अन्त्यः ८.६६
अन्त्यकर्म ११.१९७
अन्त्यकर्मणि ५.१६८
अन्त्यजः ८.२७९
अन्त्यजन्मनः १०.११०
अन्त्यजातितान् १२.९
अन्त्यजासु ११.५८, १७०
अन्त्यजैः ४.६१
अन्त्यपर्वतनाभिकम् ३.९
अन्त्यम् ११.२१३
अन्त्ययोनयः ८.६८
अन्त्यस्त्रियम् ८.५९; ८.३८५
अन्त्यात् २.२१३ [२३८]
अन्त्यानाम् ८.६८
अन्त्यावसायिनाम् १०.३९
अन्त्यावसायिभिः ४.७९
अन्त्यैः ४.७९
अन्धः ३.१६१, १७७; ७.१४९; ८.९३, ९५, ३९४
अन्धकारे ४.५१
अन्धतामिस्रम् ४.८८
अन्धतामिस्रे ४.१९७
अन्धबधिरौ ९.२०१
अन्धा ३.१४१
अन्धे ८.९४
अन्धचक्षुः १०.४८
अन्धजेवी १०.३६
अन्य० २.१६९ [१९४]; ४.२३३; ६.४३, ५९; ७.११८; १०.३५
अन्नदः ४.२२९
अन्नदोषात् ५.४
अन्ननिषेकम् ४.१५१
अन्नपक्त्याम् ९.११
अन्नप्राशनम् २.९ [३४]
अन्नम् २.२६ [५१], २८ [५३]; ३.७६, ९९, १०८, ११३, ११८, १८२, २२५, २२९, २३६, २३७, ४.२७, ४५, १८८, १८९, २०९, २१०, २१२, २१३, २१४, २१८, २१९, २२०, २२१, २२२, २२४, २४७; ५.२८, २९, १०२, १३८, १४४; ६.१९; ८.३९३; ९.३३३; १०.५४, १०४, ११४, १२५; ११.३, १५२, १५७, १६०, २५३
अन्नशेषम् ३.२५३
अन्नस्य ३.१२१, २२४
अन्नहर्त्ता ११.५१
अन्नादिदायिनाम् ३.१०४
अन्नादी २.१६३ [१८८]
अन्नादे ८.३१७
अन्नाद्यजानाम् ११.१४३
अन्नाद्यम् ३.२४४; ४.११२; ७.२१७
अन्नाद्येन ३.८२, २३३
अन्नानाम् ५.५४; ११.९३
अन्नेन २.११७ [१४२]; ३.७८
अन्यैः ३.८१, १२४; ६.११
अन्यगेहवासः ९.१३
अन्यगेहानाम् २.१५९ [१८४]
अन्यगोव्रतः ९.१४१
अन्यगोषु ९.५०
अन्यतमः ३.१४६; ११.१२४
अन्यतमम् ११.७५, ८६
अन्यतमया ४.१३; ६.३२
अन्यतमस्य ४.२२२
अन्यतमे ८.११९
अन्यतरः २.८६ [१११]; ९.२११
अन्यतरेण ९.१७१
अन्यपरिग्रह ५.१६२
अन्यबीजजाः ९.१८१
अन्यथा ९.८७
अन्यवेश्मतः ११.१६४
अन्यंपनासु ९.४८
अन्यायवर्तिषु ७.१६
अन्यायै ९.२९२
अन्यायेन २.८५ [११०]
अन्यासु ३.५०
अन्योत्पन्ना ५.१६२
अन्योन्यव्यतिषक्तानाम् १०.२५
अन्योन्यसंयोगः ३.३२
अन्वयज्ञाः ३.१८४

अन्वयवत् ८.३३२
अनृवष्टकासु ४.१५०
अन्वहम् २.१४२ [१६७], १५८ [१८३], १९२ [२१७]; ३.७८, ८४, १२५; ७.१३६; ११.२४५, २२२
अन्वाधेयम् ९.१९५
अन्वाहार्यम् ३.१२३
अन्वितैः ४.६८
अपः १.८; २.३५ [६०]; ४.४८, २५०; ५.९९, १३९, १४५; ६.२२; १०.८८; ११.१४७, १४८
अपकर्षम् १०.४२
अपकारिणः ११.३१
अपकृते ७.१६४
अपकृष्टः ९.२४
अपकृष्टजः ८.२८१
अपकृष्टम् ५.१६३
अपक्षमानेभ्यः ४.३२
अपचारिणी ८.३१७
अपत्यानाम् ११.६२
अपत्यतया ३.१६
अपत्यप्राप्तिः ९.१०३
अपत्यम् ६.२; ९.२८, १२७, १४६, २०३
अपत्यलोभात् ५.१६१
अपत्यविक्रयी ३.५१
अपत्यस्य ६.२; ९.२७, १९८; ११.६१
अपत्यार्थम् ९.६८, १७४
अपतितान् ८.३८९
अपतिव्रता ९.२०
अपदेशेन ४.१९८
अपदेशैः ८.१८२
अपदेश्यम् ८.५४
अपध्वंसजाः १०.४१, ४६
अपनोदनम् ११.२५२
अपपात्राः १०.५१
अपयतः ११.१५३
अपराङ्-मुखाः ७.८९
अपराजितास् ६.३१
अपराधतः ८.४०८, ४०९
अपराधाः ८.२९९
अपराम् ४.९३
अपराह्णः ३.२५५, २७८
अपरिच्छदाः ८.४०५
अपरिपूतेषु ८.३३०
अपरिव्रतम् ८.२३८
अपवादेन ४.२३७
अपविद्धः ९.१५९, १७१
अपव्ययमानः ८.६०
अपव्ययमानम् ८.५१
अपसदाः १०.१०, १६, १७, ४६
अपसव्यम् ३.२१४
अपसव्यमतन्द्रिता ३.२७९
अपसव्येन ३.२१४
अपस्नानम् ४.१३२
अपस्मारि ३.७
अपहरणम् ११.५७
अपहर्तारम् ८.१९०, १९२
अपहर्तृणाम् ११.१६१
अपहारकः ४.२५५; ११.५१
अपहारिषु २.६३ [८८]
अपह्नवे ८.५२, ५३, १३९
अपांवत० ३.१८३
अपाङ्क्तदाने ३.१६९
अपाङ्क्त्याम् ११.२००
अपाङ्क्त्येषु ३.१८२
अपाङ्क्तेयान् ३.१६७
अपाङ्क्तेयैः ३.१७०
अपाङ्क्त्यः ३.१७६
अपात्रकृत्यासु ११.१२५
अपात्रीकरणम् ११.६९
अपाम् १.१३; २.७९ [१०४]; ४.१८३; ५.११३; ९.२८१; ११.१८३, १८६
अपार्चयेत् १.७०
अपार्चकम् ८.७८
अपुण्यकृत् ५.५२
अपुण्यम् २.३२ [५७]
अपुत्रः ९.१२७
अपुत्रस्य ९.१३२, १८५
अपुत्रा ५.१६०
अपुत्राम् ९.१३५
अपुत्रासु ८.२८
अपुत्रान् ३.४९
अपुष्पः १.४७
अपूतैः २.१५ [४०]
अपूपशाला ९.२६४
अपृथक्जितम् ७.९७
अपोगण्डः ८.१४८
अप्पति० ३.८७
अप्पत्यौः ५.९६
अप्रकाशम् ८.३५१
अप्रकाशानाम् ९.२५६
अप्रजाम् ९.१९७
अप्रणीतः ९.३१७
अप्रणोद्यः ३.१०५
अप्रतर्क्यम् १२.२९
अप्रतिपूजिताः ३.५८
अप्रतिवारिताः ८.३६०
अप्रतीकाराम् १२.८०
अप्रत्यक्षम् ८.९५
अप्रमत्तः ७.१४२
अप्रमादिने २.९० [१११]
अप्रमाद्यन् २.२०७ [२३२]
अप्रमेयम् १२.९४
अप्रमेयस्य १.३
अप्रमोदात् ३.६१
अप्रशस्तम् ११.२५५
अप्रज्ञतया ४.१६७
अप्राणि ४.११७
अप्राणिभिः ९.२२३
अप्रियकरम् ७.२०४
अप्रियम् ४.१३८; ५.१५६
अप्रियवादिनी ९.८१
अप्रिये ९.१७३
अप्रियेषु ६.७९
अप्रियैः ६.६२
अप्रीतिकरम् १२.२८
अप्सरसः १.३७; १२.४७
अप्सरसाम् ४.१८३
अप्सराः ७.७२
अप्सु २.३९ [६४]; ३.८८, २६०, २६१; ४.५६; ८.१००, ११४; ९.२४४, २७९; ११.१४९, १७४, १८७,

२०२, २५५
अफलः २.१३३ [१५८], १३३ [१५८]
अफलम् २.१३३ [१५८]
अफलाः २.१३३ [१५८], २०९ [२३४]; ३.५६
अफेनाधिः २.३६ [६१]
अबलानाम् ८.१७२
अबान्धवम् १०.५५
अबीजकम् १०.७१
अबीजम् ९.७९
अबीजविक्रयी ९.२९१
अबुद्धयः ३.१०४
अब्जम् ५.११२
अब्जेषु ८.१००
अब्यवर्ये ११.२७
अब्दम् २.८२ [१०७]; ११.९२, १२८, १२९, २५२, २५६, २५७
अब्दशतम् ११.२०६
अब्दसहस्राणि ११.२०७
अब्दस्य ३.२८१
अब्दात् ४.१६८
अब्दार्धम् ११.२५५
अब्दूर्णम् ७.७०
अब्धे २.१० [३५], ११ [३६]; ९.८१
अब्धेन ११.१२३, १६२
अब्धौ वतम् ११.१३२
अब्राह्मणः ८.३५९
अब्राह्मणात् २.२१६ [२४१]
अब्राह्मणे २.२१७ [२४२]; ७.८५
अभक्ष्यभक्षिणः १२.५९
अभक्ष्यम् ५.२६; १२.५२
अभक्ष्याणि ५.५
अभक्ष्यभक्षिणम् ४.२४७, ३०३
अभयप्रदः ४.२३२
अभयम् ४.२२४; ६.३९
अभयस्य ८.३०३
अभयानि ७.२०१
अभरणानि १०.५६
अभावः ९.२१३
अभावे ८.१८२, २५८, २५९; ९.१८८, १८९
अभिकांक्षिणः ४.९१
अभिघातान् १२.७७
अभिचारः ११.६३
अभिचारम् ११.१९७
अभिचारेषु ९.२९०
अभिजनस्य ४.१८
अभिजनेन १.१००
अभिजित् ११.७४
अभिद्रोहेण ८.२७१
अभिधानवत् २.८ [३३]
अभिनिर्वृत्तः २.१९६ [२२१]
अभिनिवेशः १२.५
अभिप्रायम् ७.५७
अभिमन्तारम् १.१४
अभिमर्शेषु ८.३५२
अभिमुखः २.१७२ [१९७]
अभिमुखम् २.१६८ [१९३]
अभियोक्ता ८.५२, ५८
अभिरक्षिता ७.३५
अभिरूपम् ३.१४४
अभिरूपाय ९.८८
अभिवादन० २.९६ [१२१]
अभिवादनम् २.१९२ [२१७]
अभिवादने २.९९ [१२४], १०० [१२५]
अभिवादनैः २.१८५ [२१०]
अभिवादम् २.९८ [१२३]
अभिवादयन् २.९७ [१२२]
अभिवादस्य २.१०१ [१२६]
अभिवादात् २.९७ [१२२]
अभिवादाभ्याम् २.९५ [१२०]
अभिशस्तः ३.१५९
अभिशस्तस्य ४.२११; ८.११६, ३७३
अभिशस्तात् २.१६० [१८५]
अभिसन्धकः ४.१९५
अभिसम्बन्धात् ५.६३
अभीप्सितानाम् ७.२०४
अभृते ८.२३१
अभोजनम् ११.१६६, २०३, २१५
अभोज्यम् ११.१६०
अभोज्यानाम् ११.१५२
अभोज्यान्नः ४.२२१
अभ्यक्तानाम् ४.४४
अभ्यंगम् २.१५३ [१७८]
अभ्यञ्जनम् २.१८६ [२११]
अभ्यञ्जनात् १०.९१
अभ्यतीतेषु ४.२५२
अभ्यधिके ८.३२२
अभ्यनुज्ञातः ३.२४३
अभ्यर्थ्य ३.३०
अभ्यर्चितः २.१६४ [१८९]
अभ्यवहारेण ६.५९
अभ्यस्य २.५४ [७९]; ६.९५; ११.२५४, २५७, २५८, २६२
अभ्याघातेषु ९.२७२
अभ्यासः १२.३१
अभ्यासात् १२.७४
अभ्युदये ३.२५४
अभ्युदयेषु ९.८४
अभ्युदितः २.१९६ [२२१]
अभ्युदितान् ४.१०४
अभ्युद्यियात् २.१९४ [२१९]
अभ्युपपत्तौ ८.३४९; १०.६२
अभ्युपायान् ११.२१०
अभ्युपायैः ११.२१०
अभ्र ६.२३
अभ्रदर्शने ४.१०४
अभ्रिम् ११.१३३
अमत्या ४.२२२; ५.२०
अमत्सरः ३.२३१
अमन्त्रम् ३.१२१
अमन्त्रवित् ३.१३३
अमन्त्राणाम् १२.११४
अमन्त्रात् ९.१८
अमन्त्रान् ३.१२९
अमन्त्रिका २.४१
अमम: ६.२६
अमरलोकताम् १.१२४ [२.५]

अमराः ७.७२
अमात्यः ७.१५७
अमात्यमुख्यम् ७.१४१
अमात्याः ९.२३४
अमात्यान् ७.६०
अमात्ये ७.६५
अमानुषीषु ११.१७३
अमानुषेषु ९.२८४
अमायया २.२६ [५१]; ७.१०४
अमावस्या ४.११४
अमावस्याचतुर्दश्योः ४.११३
अमावस्यायाम् ४.१२८
अमितौजस् १.१६, ३६
अमितौजाः १.४
अमित्रस्य १२.७९
अमित्राः ७.८३
अमित्रात् २.२१४ [२३९]; ७.२०७
अमुक्तहस्तया ५.१५०
अमुत्र ३.१८१; ४.१६८, २३९; ५.५५; ९.३२२; १२.८९
अमुत्रार्थम् ७.९५
अमुत्रैः ९.१३९
अमुसले ६.५६
अमृतत्वाय ६.६०
अमृतभोजनः ३.२८५
अमृतम् २.२१४ [२३९]; ३.२८५; ४.५; ८.६१; १२.८५, १०४
अमृतस्य २.१३७ [१६२]
अमृताभ्याम् ४.४
अमेध्य ५.१२६; १२.७१
अमेध्यप्रभवाणि ५.५
अमेध्यम् ४.५३; ९.२८२
अमेध्यलिप्तम् ४.५६
अमेध्यात् २.२१४ [२३९]
अमेध्यानि ५.१३२
अमेध्ये ११.९६
अमेध्येन ५.१२८
अम्बष्ठः १०.८, १३
अम्बष्ठकन्यायां १०.१५
अम्बष्ठ्याम् १०.१९
अम्बष्ठानाम् १०.४७
अम्बु ६.६७
अम्बुचारिणाम् १२.५७
अम्भसि ३.१७९; ४.१९०; ७.३३, ३४
अम्लं० ५.११४
अयः ५.११४
अयःकांस्योपलानाम् ११.१६७
अयज्वनाम् ११.२०
अयज्वा ११.१४
अयत्नेन ५.४७
अयथातथम् ३.२४०
अयनम् १.१०
अयनस्य ४.२६
अयन्त्रितः २.९३ [११८]
अयशाः ८.१२८
अयाज्ययाजनैः ३.६५
अयाज्यसंयाज्य ११.५९
अयुक् ३.२७७
अयुग्मासु ३.४८
अयुतैः १२.११३
अदृश्यमानम् ७.९२
अयुध्यमानस्य ४.१६७
अयोगवः २०.२६
अयोगवस्य १०.४८
अयोगवे १०.३२
अयोगुडान् ३.१३३
अयोनिषु ११.१७३
अयोमयः ८.२७१
अयोमये ११.१०३
अयोमुखम् १०.८४
अरक्षितारम् ८.३०८, ३०९
अरण्यम् २.७९ [१०४]; ६.२, ४
अरण्ये ५.४३, ६९; ७.१४७; ८.६९, ३५६; ११.१०१, २५८
अरयः ७.७३
अराक्षसान् ३.२३
अराजके ७.३
अराजन्यप्रसूतितः ४.८४
अरिक्थीयम् ९.१४७
अरिपुरम् ७.१८१, १८५
अरिप्रयुक्तानाम् ७.१०४
अरिम् ३.१४४; ७.१५८ १७३, १९५, २१०
अरिराष्ट्रम् ७.१८१
अरिष्टकैः ५.१२०
अरिसेविनम् ७.१५८
अरीणाम् ९.२७५
अरीन् ३.२३०; ७.१९४, १९८; ११.३२, ३३
अरुंतुदः २.१३६ [१६१]
अरुणोदये १०.३३
अरेः ७.१०२, १५८
अरोगः ७.२२६
अरोगाः १.८३
अरोचमानायाम् ३.६२
अर्कः ५.९६; ७.७
अर्ककक्षासौ ५.१०५
अर्कम् २.१५६ [१८१]
अर्कव्रतम् ९.३०५
अर्कस्य ९.३०३
अर्कीणाम् ७.४
अर्थः २.१९९ [२२४]; ७.६०, १५७; ८.१४१; ९.५२; १२.३८, १०२
अर्थकामेषु १.१३२ [२.१३]
अर्थकामौ ४.१७६
अर्थदौ ९.८०
अर्थचिन्तकम् ७.१२१
अर्थतः २.८४ [२०९]
अर्थदूषणम् ७.४८
अर्थदूषणे ७.५१
अर्थधर्माभ्याम् ७.४६
अर्थम् १.२६, ३१, ८७, १०२, ३९८; २.१२७ [१५२;] ६.३०, ४३, ६९; ७.१२४, २१३; ८.४३, ४५, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५४, ५९, १७०, १८०, १८७; ९.५१, ७६; ११.१९, २५, १८९
अर्थवत् ५.१३४

अर्चयित् १.३
अर्चयैकल्यम् ८.९५
अर्चयौचम् ५.२०६
अर्थसम्भवनार्थम् ७.१६८
अर्थसम्बन्धिनः ८.६४
अर्थस्य ४.१८, ९.११
अर्थसिद्धयर्थम् ८.४७
अर्थसिद्धये ७.२१५
अर्थाः ४.२५६
अर्थात् ८.५६
अर्थान् २.७५ [१००]; ४.१५, १७; ७.१०६; ८.५३, १६८, १७५
अर्थानर्थौ ८.२४
अर्थानाम् ७.२०४
अर्थानि २.१५७ [१८२]
अर्थाभ्याम् ८.७४
अर्थिता ९.२०३
अर्थिनः ८.२१०; १२.२ [३७]
अर्थिप्रत्यर्थिसन्निधौ ८.७९
अर्थी ८.६२
अर्थे ५.९८, १०६; ७.१४, ६२; ८.५२
अर्थेषु १.१२९ [२.१०]; ४.१५; ५.४२; ८.१०३, १०९
अर्धः ८.२६८
अर्धखण्डः ८.२४३
अर्धपञ्चमान् ४.९५
अर्धपञ्चमम् ८.४०४
अर्धपाविकः ८.३२५
अर्धबलाबलम् ९.३२९
अर्धभाक् ८.३९
अर्धम् ८.३८, २९६, ३९८, ४०४; ९.११२; ११.२५५
अर्धमासान्ते ४.२५
अर्धरात्रे ४.१३१; ७.१५१
अर्धवृद्धिः ८.१५०
अर्धशतम् ८.२६७, ३३१
अर्धसंस्थापनम् ८.४०२
अर्धानाम् १.२७
अर्धिकम ३.१
अर्धिनः ८.२१०
अर्धेन १.३२; ८.२१०
अर्यजनम् ११.२५४
अर्शसम् ३.७
अर्हः ८.१९
अर्हजम् ३.५४
अर्हणीयताम् ९.२३
अर्हत्तमाय ३.१२८
अर्हौ ८.३९२
अलक्षणम् १.५; ४.१५६
अलङ्कारः ९.१००, १५०; १०.५२
अलङ्कारम् ४.६६; ९.१७, ९२, २१९
अलङ्कारेषु ७.२२०
अलङ्कृतः ७.२२२
अलब्धम् ७.९९, १०१
अलब्धान् ९.२५१
अलाघवम् ११.२३३
अलाबुम् ६.५४
अलाभे २.१५९ [१८४]; ६.५७; ९.१८४
अलिङ्गी ४.२००
अलीकनिर्बन्धः ११.५५
अलुब्धः ८.७७
अलुब्धाः ८.६३
अलोक्याम् २.१३६ [१६१]
अलोपान् ९.१८०
अलोमिकम् ३.८
अल्पः ३.५३; ६.५९; (अल्प०) ७.१२९; ८.२१७
अल्पदक्षिणः ११.४०
अल्पदक्षिणैः ११.३९
अल्पद्रोहेण ४.२
अल्पधनः ११.४०
अल्पधनानि ३.६६
अल्पबुद्धयः १२.७४
अल्पम् २.१२४ [१४९]; ७.८६, १२९; १०.६०
अल्पविद्यः ११.३६
अल्पशः १२.२०, २१
अल्पसाराणाम् ११.१६४
अल्पानाम् ५.११८
अल्पान् ७.१९१
अल्पायुः ४.१५७
अल्पिकाम् ३.२१९; ७.१६९; १०.११७
अल्पीयसीम् ८.३६
अल्पे ३.४९
अवकाशेषु ३.२०७
अवकीर्णिनः ११.१२१
अवकीर्णी ३.१५५; ११.११८
अवकीर्णीवर्ज्यम् ११.११७
अवकीर्णीव्रतम् २.१६२ [१८७]
अवकृष्टजातिः ८.१७७
अवकृष्टस्य ७.१२६
अवक्षुतम् ४.२१३; ५.१२५
अवगुण्ठितः ४.४९
अवगूर्य ११.२०६, २०८
अवगूर्यम् ४.१६५
अवचनीयेषु ८.२६९
अवचानि २.३८
अवचेषु ६.७३
अवद्यः ५.३९
अवधूतम् ५.१२५
अवधूनम् ३.२३०
अवध्यस्य ९.२४९
अवनिष्ठीवतः ८.२८२
अवनेजनम् २.१८४ [२०९]
अवपीडनायाम् ८.२८७
अवभृथस्नातः ११.८२
अवमंस्थाः ८.८४
अवमतः २.१३८ [१६३]
अवमताः ७.१५०
अवमन्ताः २.१३८ [१६३]
अवमानस्य २.१३७ [१६२]
अवमानितम् ४.१३६
अवमूत्रयतः ८.२८२
अवयवाः १.१७
अवयवान् १.१६
अवयवैः १.१८
अवरजः २.१९८ [२२३]
अवरवर्णजः ३.२४१
अवरवर्णजम् ९.२४८
अवरा १२.११०, ११२

अवरात् २.२१३ [२३८]
अवरान् ३.२३
अवरुद्धानाम् ८.२३६
अवलिप्तैः ४.७९
अवशः ५.३३
अवशिष्टम् ३.११६
अवसथिथकम् ४.११२
अवसाने २.४६ [७१]
अवसायिभिः ४.७९
अवस्थितान् ७.६०
अवाक्शिराः ३.२४९; ९.९४; ११.७३
अवाङ्नरकम् ८.७५
अवि० ३.६; १२.५५
अविकम् ९.११९, १०.११४
अविकस्य ९.५५
अविकानाम् ८.२९८
अविकारिणः ७.१९०
अविकासु ९.४८
अविचक्षणः ३.११५; ८.१५०
अविचारितः ८.२९५
अविजानताम् ३.९७
अविज्ञातम् १०.५७; ११.८७
अविज्ञानात् २.१९५ [२२०]
अवितथम् २.११९ [१४४]
अविद्यमाने ११.११६
अविद्यमानेषु २.२२३ [२४८]
अविद्यानाम् ९.२०५
अविद्वान् ४.२८८, १९१; ९.३१७
अविद्वांसः १२.५२
अविद्वांसम् २.१८९ [२१४]
अविधानतः ९.१४४
अविधाय ९.७५
अविधिना ५.३३, ३३
अविनयात् ७.४०, ४१
अविनीतैः ४.६७
अविभक्तानाम् ९.२१५
अविभावितः ७.१४७
अविरुद्धम् ८.४६
अविरोधिना १२.१०६
अविलुप्तः २.२२४ [२४९]
अविलुप्त ब्रह्मचर्यः ३.२
अविवादः ८.९२
अविवाहिनः ९.२३८
अविशोधतः ९.१२५
अविशोधेन ८.१९२
अविषह्यायाम् ८.२६५
अवीरायाः ४.२१३
अवृतः ४.५७
अवृत्तिकर्षितः १०.१०१
अवृत्तौ ४.२२३
अवेक्षायाः ७.१०१
अवेदविदि ४.२९२
अवेदविहिताम् ५.४३
अवेद्या १०.२४
अव्यङ्गाङ्गीम् ३.१०
अव्यभिचारः ९.१०१
अव्यभिचारार्थम् ८.१२२
अव्ययः १.५७
अव्ययम् १.१८, ८.३४४
अव्ययाः २.५६ [८१]
अव्ययात् २.१९
अव्यसनीः ७.५३
अव्रणाः २.२२ [४७]
अव्रतानाम् १२.११४
अव्रतान् १०.२०
अव्रतैः ३.१७०
अशक्तः ८.१५४; ११.२२४
अशक्यम् १२.९४
अशङ्कितः १२.१०८
अशठस्य ३.२४६
अशठम् ४.११
अशनम् २.२९ [५४], ३० [५५]; ३.११८
अशनशय्याभिः ४.२९
अशनासु १०.३५
अशनिं १.३८
अशनैः ३.५९
अशासनम् ९.२५७
अशिराः ९.२३७
अशीतिभागम् ८.१४०
अशुचिः ४.७२, १२४, १४२, १४३; ५.७५, ७६, ७९, ८२, ८४, ८६
अशुचिम् ४.१२७
अशुद्धा ५.५८
अशुद्धाम् ४.१२७
अशुभ० १२.३
अशुभम् १२.८
अशुश्रूषताम् ११.६४
अशौचतः २.५९; २.४१; ३.१२४, १६९, १९३, २६६; ५.२६; ८.३७, १३१; ९.१०५; १०.२५; १२.२४, ३०, ८७, २०७
अशौचम्ः ५.९८
अश्नतः ३.२३९
अश्नता ११.९५
अश्नतीम् ४.४३
अश्नन् ११.२६१
अश्मः ६.१७
अश्मनः ८.२५०; ९.३२१; १०.८६
अश्मप्लवेन ४.१९०
अश्ममयम् ५.११२
अश्ममयस्य ५.१११; ७.१३२
अश्ममयेषु ८.१००
अश्रद्धया ४.२२५
अश्राद्धिनः ४.२२३
अश्रु० ५.१३५
अश्रेयान् ३.१३६
अश्रोत्रियतते ४.२०५
अश्रोत्रिये ५.८२
अश्लीलम् ४.२०६
अश्व० २.१७९ [२०४] (अश्वः); ३.१६२; ४.१८९; ५.१३३; ८.९८, १४६, ३४२; ९.४८;
अश्वत्थः ८.२४६
अश्वतः ४.२३१
अश्वम् २.२२१ [२४६]; ४.१२०, १८८; ७.९६; ८.२०९; ११.३८; १२.६७
अश्वमेधः ११.२६०
अश्वमेधेन ५.५३; ११.७४
अश्वस्तन० ११.१६

अश्वस्तनिकः ४.७
अश्वसारथ्यम् १०.४७
अश्वस्य ९.५५
अश्वहारकः ११.५२
अश्विसालोक्यम् ४.२३१
अश्वैः ३.६४; ७.१९२
अष्टकः ४.११४; ७.४८
अष्टकासु ४.११३, ११९, १५०
अष्टगुणम् ८.४००
अष्टमांशः ११.१२६
अष्टवर्षम् ९.९४
अष्टापाद्यम् ८.३३७
अष्टविधम् ७.१५४
असंकुसुकः ६.४३
असंख्याः १२.१५
असंख्यानि १.८०
असंदितानाम् ८.३४२
असंवृतम् ४.८१
असंशयम् २.६८ [९३]; ७.१२
असंभवे २.१७८, [२०३]
असंस्कार्यौ १०.६८
असंस्कृतः ११.३६
असंस्कृतप्रतीतानाम् ३.२४५
असंस्कृताः २.१४ [३९]
असंस्कृतान् ५.३६
असंस्कृतानाम् ५.७२
असक्तानाम् १.१३२ [२.९३]
असमोत्रा ३.५
असौः ६.७५
असच्छास्त्रः ११.६५
असज्जरः ४.१८५
असत् ११.१९४; १२.११
असत्कार्यः १२.३२
असत्पुत्रः ९.१५४
असत्यस्य ११.६९
असद् १.११, १४, ७४
असपिण्डम् ५.१०१
असपिण्डा ३.५
असपिण्डेषु ५.१००
असमावर्तकः ११.१५७
असमिध्य २.१६२ [१८७]
असमृद्धिभिः ४.१३७
असयौ १०.७३
असम्पत्तौ १२.३६
असम्बद्धः १२.६
असम्बद्धकृतः ८.१६३
असम्भवे २.१६० [१८५]; ७.२००; ८.७०; ११.२७
असवर्णाः २.१८५ [२१०]
असवर्णासु ३.४३
असहायता ६.४४
असहायेन ७.३०, ५५
असाक्षिकेषु ८.१०९
असाधुभ्यः ११.१९
असाधुवृत्ता ९.८०
असापुष ३.१८२
असिचर्म० ७.१९२
असिपत्रवनम् ४.९०; १२.७५
असुख ४.७०; १२.१८
असुखोदर्कम् ४.१७६; ११.१०
असुराः ३.२२५
असुरान् १.३७
असून् ३.२१७
असूयकाय २.८९ [११४]
असूया ७.४८
असृक् ३.१८२; ४.१६९; ५.१३५
असृक्पातैः ८.४४
असृग् ४.१६७
असृग्विस्रावी ३.१३२
असेवया २.७१ [९६]
असोमपः ११.१२
अस्तम् ४.३७
अस्तमिते ४.७५
अस्तेनमानिनम् ८.१९७
अस्तेयम् ६.९२; १०.६३
अस्थ्नाम् ५.५९
अस्थिः ३.१८२; ४.२२१; ५.८७; ६.७६
अस्थिकपालाः ४.७८
अस्थिवन्तमयस्य ५.१२१
अस्थिशेवकः ८.२८४
अस्थिमताम् ११.१४०, १४१
अस्थिरत्वात् ८.७७
अस्थिराम् ८.७१
अस्थिसंचयात् ५.६८
अस्थीनि ८.२५०
अस्नेहाक्तम् ५.२५
अस्तमिते ११.२१९
अस्रम् ३.२२९, २३०
अस्वजाति ९.८६
अस्वतन्त्राः ९.२
अस्वर्ग्यम् २.३२ [५७]; ८.१२७
अस्वर्ग्या ५.१०४
अस्वस्थ ७.२२६
अस्वामिना ८.१९९
अस्वामिविक्रयः ८.४
अस्वामी ८.१९७
अहः १.६५, ६६, ६७, ७२, ७३, ७४; २.१५७ [१८२], १५७ [१८२]; ३.८२, २५०; ४.७, १००; ५.२०, ८२; ८.३०६; ११.२०४, २२३
अहंकारम् १.१४
अहनि १.६६; २.५७ [८२], १०७ [१३२]; ४.५१, ९६; ५.३०; ६.६८; ८.४१९; ११.१८९
अहम् ११.१५७, १६७, २११, २१३, २५९
अहरहः ११.२४८
अहर्निशम् ४.९७, १२६
अहर्निशस्यान्ते १.७४
अहस्ताः ५.२९
अहस्य १.६८; ८.२२३
अहात् ११.२५३
अहानि ५.८४; ११.१५७, २१३
अहार्यः ७.२१७
अहिः २.५४ [७९]; ११.२२८, २४०; १२.५७
अहिंसक्तानि ५.४५
अहिंसया २.१३४ [१५९]; ६.६०, ७५

अहिंस्रः ४.२४६
अहिंस्रे १.२९
अहिंसा १०.६३; ११.२२२
अहिंसाम् ५.४४
अहिण्डिका १०.३७
अहितान् ३.२० [११]
अहिप्रेष्यनाम्नीम् ३.९
अहीनम् ११.१९७
अहीनानाम् २.१५८ [१८३]
अहुतः ३.७४
अहुतम् ३.७३
अहे ५.७६
अहेन १०.९२
अहो १.६४, ६५
अहोभिः ३.४६
अहोरात्रम् ४.११९; ११.१८३
अहोरात्रविदः १.७३
अह्नः ११.२५९
अह्ना ५.६४, १०२; ६.६९
आकरकर्मान्ते ७.६२
आकरान् ८.४१९
आकाङ्क्षन् ३.२५८
आकारः ७.६३
आकारम् ७.६७
आकारैः ८.२६
आकालिकम् ४.१०३, ११८
आकालिकान् ४.१०५
आकाशः ४.१८४
आकाशम् २.७५; १०.१०४
आकाशात् १.७६
आकाशे ३.९०
आक्रन्दम् ७.२०७
आक्षारलवणम् ११.१०९
आक्षारितः ८.३५५
आक्षिकम् ८.१५९
आखुः १२.६२
आखुच्छिष्टम् ११.१५९
आखुभिः ४.१२६
आख्याः ७.१५७
आख्यानानि ३.२३२
आख्यायिनाम् ७.२२३
आगः ९.२४१
आगतमन्यवः २.१२७ [१५२]
आगते ८.२९१
आगमः १.८१; ८.२००
आगमम् ८.४०१; ९.२४६, २८१; १२.१०५
आगमात् १.८२; ८.३४७
आगमेन ८.२५२
आगारात् ६.४१
आगारान् ११.१२२
आगारे ४.५८
आग्नेयम् ९.३१०
आग्रयणम् ६.१०
आङ्गिरसः २.१२६ [१५१]
आचतुर्विंशतेः २.१३ [३८]
आचान्तः ५.१३८, १४३
आचान्तान् ३.२५१
आचारः १.१०७, १०८, १२५ [२.६], १३७ [२।१८]; २.१६८ [१९३]; ४.१४५, १४६, १५६
आचारतः १.११०
आचारम् १.११०; २.४४ [६९]
आचारवान् १२.१२६
आचारस्य ५.४
आचारहीनः ३.१०५
आचार्यः २.१२० [१४५], १२३ [१४८], १४५ [१७०], २०० [२२५], २०१ [२२६]; ४.१८२; ८.३३५; ९.१८७
आचार्यपुत्रः २.८४ [१०९]
आचार्यम् २.११५ [१४०], १४६ [१७१]; ४.१६२; ५.९१
आचार्ययोः ४.१३०
आचार्यस्य २.१६६ [१९१], २०३ [२२८]
आचार्याणाम् २.१२० [१४५]
आचार्ये २.२२२ [२४७]; ५.८०
आचार्यैः ४.१७९
आचारात् १.१०९; ४.१५६
आचारान् ३.१६७
आचार्येण १.१०९
आच्छादः ७.१२६
आच्छादन० ३.५९
आच्छादनम् ९.२०२
आजातीः ४.१६६
आजीवनार्थम् १०.७९
आजीव्यम् ७.६९
आज्ञप्तः २.२२० [२४५]
आज्ञया १०.५६
आज्यपाः ३.१९८
आज्यपानाम् ३.१९७
आढ्यः ८.१६९
आततायिनाम् ८.३५०
आततायिवधे ८.३५१
आतप० १२.७७
आतिरेक्यम् ११.५०
आतुरः ४.१२९, १७९
आतुरम् ६.७७
आतुराणाम् ४.२०७; ८.७१, ३१२
आतुराम् ११.११२
आतुरासु ८.२८
आत्मकम् १.११, १४, ७४; १२.२९
आत्मकारणात् ३.११८
आत्मचिन्ता १२.३१, ८३
आत्मज्ञानम् १२.८५
आत्मज्ञाने १२.९२
आत्मता १०.५८
आत्मनः १.१२, १४, ३२, १२५ [२।६६], १३१ [२।१२]; २.१५० [१७५], १५५ [१८०], २०१ [२२६], २२३ [२४८]; ३.७२, ११५; ४.५५, ८२, २५२, २५८; ५.८९, १४९; ६.२, २४, ४९, ६३, ७३; ७.५७, ७६, १०५, १३९, १४२, १६९, १७३; ८.८४, ३१२, ३४९, ३९०; ९.२, २८, ९५; २२.३४, ७३, ११३, ११४, १६०, २१५; १२.१२, २४, २८, १०१

आत्मना ७.४६; ९.१२; १२.१२५
आत्मनि १.५१; ४.१७३; ६.१२, २५, ३८; ९.१३०; १२.२७, ९१, ११८, ११९
आत्मभिः ६.७३
आत्मभूतैः ७.२१७
आत्ममात्रासु १.१६
आत्मयाजी १२.९१
आत्मवत् १२.८६
आत्मवशम् ४.१५९, १६०
आत्मवान् १.१०८; ५.४३; ७.५२
आत्मविक्रया ११.५९
आत्मविशुद्ध्यर्थम् ११.७२
आत्मशुद्धये ११.१६४
आत्मसंसिद्धये ६.२९
आत्मसुख० ५.४५
आत्महितेषु ४.३५
आत्मा १.५२, ५४; ४.२५४, २५५; ७.३९; ८.८४; ९.४५, १३०; १०.२८; १२.३७, ११९
आत्मानम् १.१५; २.३५ [६०]; ३.३७; ४.१२७, २५३; २५४; २५५; ५.४२; ७.६८, १३९, १७०, २१३; ८.४५, ८४, ९२; ९.७, १२, १७७; ११.१९, ७३; २२.९२, १२५
आत्मार्थम् ७.२१२; ११.६४
आत्मोपजीविनः ७.१३८
आत्मोपजीविषु ८.३६२
आत्यन्तिकम् २.२१७ [२४२], २१८ [२४३]
आत्ययिके ७.१६५
आत्रेयीम् ११.८७
आदाननित्यात् ११.१५
आदानम् ७.२०४; ८.५
आदानात् ८.१७१
आदिकम् ८.२७
आदितः १.३४, ५८, ७८, ९४; २.४४ [६९]; ३.२११; ८.२१६
आदित्यः ९.३०५
आदित्यम् ३.७६; ४.३७, ४८
आदित्यवत् ७.६
आदित्याः ११.२२१
आदित्यात् ३.७६
आदित्यान् ३.२८४
आदिभिः १.२६; ३.१७०; ७.१०७, १५९
आदिषु १.८३; ३.३९; ८.२९६; १२.७५
आदिष्टी ५.८८
आदीनाम् ७.१०९; ८.३२१, ३२९; ९.२२०
आदीनि ७.११८
आदीन् १.५८; ८.३१; ९.२६०
आदृतः ७.१५०
आदृताः २.२०९ [२३४]
आदेयम् ८.१७०
आदेयस्य ८.१७१
आदौ १.२१, ७१; २.४९ [७४]; ३.८५; ४.२६, ८.३९१
आद्यन्ते ४.२५
आद्यम् ७.१२९; ८.३३३; ११.२६५
आद्याः १.५०, ६३; ३.४७; ५.३०
आद्याद्यस्य १.२०
आद्यान् ३.२४, २२६; ५.३०; ७.७२
आद्याश्रयः ९.३३५
आद्यैः ५.१३१; ९.२३०
आधमन० ८.१६५
आधानम् ५.१६८
आधाने ८.२०९
आधिः ८.१४४, १४५, १४९, १६३
आधिक्यम् ७.१६९
आधिदैविकम् ६.८३
आधिपत्यम् १२.१००
आधिम् ८.१५०
आधेः ८.१४३
आधौ ८.१४३
आध्यात्मिकम् २.९२ [११७]; ६.८३
आनतसामन्तम् ७.६९
आनन्तम् ३.२७५
आनन्तर्यात् १०.२८
आनन्तयम् ६.८४; ९.१०७, १३७
आनन्तयाय ३.२६६, २७२
आनिधनात् ३.२७९
आनिपातात् ११.१०४
आनुपूर्व्या ३.२३
आनुपूर्व्येण २.१६ [४१]; ९.१४९
आनुलोम्यात् १०.१२
आनुलोम्येन १०.५
आनृण्यम् ४.२५७; ९.२२९
आनृशंस्यम् ३.५४, ११२
आनृशंस्यात् १.१०१
आनृशंस्यार्थम् ९.१६३
आनृशंस्येन ८.४११
आन्वाहिकीम् ३.६७
आन्वीक्षिकीम् ७.४३
आपः १.१०, ७८; ५.७६, १२८; ८.८६, ११५; ११.२४९
आपत्कल्पेन ११.२८
आपत्काले २.२१६ [२४१]
आपत्सु ११.२९
आपदः ७.२१४
आपदम् ९.३१३; ११.३४
आपदर्थम् ७.२१३
आपदि २.१५ [४०], २.८८ [११३]; ३.१४; ५.४३; ९.५६, १०३, १६८, ३३६; १०.११८; ११.२२७
आपद्गतः ९.२८३
आपद्धर्मम् १.११६
आपद्धर्माः १०.१३०
आप्तः २.८४ [१०९]; ८.२९३; ९.१४३
आप्तकारिभिः ९.१२
आप्तदक्षिणैः ७.७९
आप्ताः ८.८३

आप्तान् ५.१०१; ७.१९०
आप्तैः ७.८०
आप्दैवतेन ८.१०६
आप्यम् ११.१८५
आप्यायनम् ३.२०३, २११
आप्यायने ३.२१३
आप्यायितः ९.३१४
आप्रयतः ५.१४२
आप्रसवात् ९.७०
आप्लाव्य ३.२४४
आब्धिकः ७.१२९
आब्धिकम् ३.१
आभरणः ७.२१९; ८.२
आभरणानि ७.२२२
आभीरः १०.१५
आभ्यः ३.८४
आमन्त्रितः ३.१९१
आमपात्रम् ३.१७९
आमम् ४.२२३
आमयावी ३.७; ११.५१
आमरणात् ५.१५८; ९.८९; ११.९१
आमरणान्तिकः ९.१०१
आमिषम् ४.११२
आमिषेण ३.१२३
आमृत्योः ४.१३७
आमौञ्जिबन्धनात् २.१४६ [१७१]
आम्नायपरः ७.८०
आयतिम् ७.१७८
आयतिसंयुक्तः ७.१६३
आयतिक्षमम् ७.२०८
आयत्तम् ७.२०५
आयत्याम् ४.७०; ७.१६९, १७९
आयनम् ६.१०
आयव्ययौ ८.४१९
आयसम् ८.३१५
आयसे ८.३७२
आयुः १.८३, ८४; २.९६ [१२१]; ४.२७, ४१, ४२, ७६, ७८, ९४, १५६, १८९, २१८, २३०, २३७, ७.१३६; ११.४०
आयुधः ७.७५
आयुधम् ५.९९
आयुधव्यसनप्राप्तम् ७.९३
आयुधागार ९.२८०
आयुधीयम् ७.२२२
आयुधैः ७.९०, २९२
आयुषः १.८३; ४१; ५.१६९; ६.३३
आयुष्मान् २.१०० [१२५]
आयुष्यकामेन ९.४१
आयुष्यमन्तम् ३.२६३
आयुष्यम् १.१०६; २.२७ [५२]; ३.१०६
आयोगवः १०.१२, १६
आयोगवीषु १०.३५
आयोगव्याम् १०.१५
आरक्षमूलम् ३.२०४
आरक्षवर्जितम् ३.२०४
आरण्यकम् ४.१२३
आरण्यपशु० १०.४८
आरण्यान् १०.८९
आरण्यानाम् ५.९
आरभमाणम् ९.३००
आरम्भरुचिता १२.३२
आरामम् ८.२६४
आरामस्य ८.२६२
आरोग्य २.१०२ [१२७]
आर्कदर्शनात् २.७६ [१०१]
आर्जवम् ११.२२२
आर्तवदर्शने ४.४०
आर्तवे ३.४८
आर्त्तः २.१३६ [१६१]; ४.२३६; ६.२६; ८.६७, १६३, २१६, २१७; १०.१०६; ११.३६; २०२
आर्त्तम् ७.९३
आर्त्ताः ८.६४
आर्त्तिम् ८.११५
आर्त्तेन २.२०० [२२५]
आर्त्तैः ८.३१३
आर्त्तौ ८.३९५
आर्त्त्याम् ४.१५
आर्द्रपादः ४.७६, ७६
आर्द्रपादस्तु ४.७६
आर्द्रवासा ६.२३
आर्द्रान् १२.१०१
आर्धिकः ४.२५३
आर्यः १०.६७
आर्यकर्माणम् १०.७३
आर्यता ७.२११
आर्यप्रायम् ७.६९
आर्यम् ८.३९५; १०.७३
आर्यरूपम् १०.५७
आर्यलिङ्गिनः ९.२६०
आर्यवाचः १०.४५
आर्यविप्रहितः २.१४ [३९]
आर्यवृत्तानाम् ९.२५३
आर्यवृत्तेषु ४.१७५
आर्यसंसदि ८.७५
आर्यात् १०.६७, ६९
आर्यायाम् १०.६७, ६९
आर्यावर्तम् १.१४१ [२.२२]
आर्ये ८.१७९
आर्येषु २.१८२ [२०७]
आर्षः ३.२१, २९
आर्षभम् ९.५०
आर्षम् १२.१०६
आर्षे ३.५३
आर्षोद्भवः ३.३८
आलभ्य ५.८७
आलस्यात् ५.४
आवन्त्यवारधानौ १०.२१
आवरणे ३.१६३
आवश्यकम् ४.९३
आवसथात् ४.१५१
आवसथी ३.१०७
आवहनीयः २.२०६ [२३१]
आवहान् ८.३४७
आवासम् ६.७७
आविक० २.१९ [४४]
आविकम् ५.८
आविकयोः ५.१२०
आविकानि २.१६ [८१], १०.८७, ३

आविध्वस्ततैनसः ११.२२६
आवीति २.३८ [६३]
आवृतः १०.१५; १२.२०
आवृतम् ४.७३
आवृता ३.२४८
आवृते ४.६१; ७.१९२
आवृत्तानाम् ७.८२
आवृत्तिकर्षिता ९.७४
आवेशनानि ९.२६५
आव्रतस्य ५.८८
आशरीरविमोक्षणात् २.२१८ [२४३]
आशिषः १.८४
आशीः ३.२५२
आशीर्वाद० २.८ [३३]
आशुः २.१४३ [१६८]; ३.१५, ५७, ६५; ४.१९, ७१, १७१, १८६, २४३; ७.१२; ८.२२, ३४६, ३६७; ९.२८२; ११.१६०, २४१, २४५
आशुगैः ४.६८
आशौचम् ५.५९, ६१, ६२, ८०, ९७
आशौचस्य ५.७४
आश्मनः ३.७८; ६.७
आश्मनम् ६.३४
आश्माः २.२०५ [२३०]; ३.७७; ६.८७; १२.९७
आश्मानाम् ७.१७, ३५
आश्मनात् ६.३४
आश्रमिणः ३.७८; ६.९०; १२.१११
आश्रमिभिः ६.९१
आश्रमे ३.५०; ६.६६; ११.७८; १२.१०२
आश्रमेषु ८.३९०
आश्रयात् १.१३० [२.११]
आश्रितः ४.२५७
आश्रितानाम् ५.९०
आश्वयुजे ६.१५
आषोडशात् २.१३ [३८]
आसनः २.१९० [२१५]; ३.९९, १०७; ४.२९
आसनमाश्रम् ९.३००
आसनम् २.१७३ [१९३]; ४.६९, १५४; ५.९४; ७.१६०, १६१, १६६; ८.३५७; ९.१७
आसनस्थः २.१७७ [२०२]
आसनानि ४.२०२
आसनाभ्याम् ६.२२
आसने २.९४ [११९]; ३.२३४; ४.७४; ७.१४२
आसनेन ६.५९
आसनेषु ३.२०८, २०९
आसपिण्डक्रिया ३.२४७
आसप्तमात् १०.६४
आसमावर्तनात् २.८३, १०८
आसवम् १२.९५
आसारम् ८.२०३
आसीनः ११.१११
आसीनस्य २.१७१ [१९६]
आसीनान् ३.१८१, २१९
आसीनास् ११.१११
आसुरः ३.२१, २५, ३२
आसुरम् ३.२४
आसुरस्वम् ११.२०
आसुरादिषु ९.१९७
आस्थिता ९.७५
आस्पदम् ७.१८४
आस्यम् ५.१३०, १४१
आस्यात् १.९४
आस्ये ८.२७१, २९१
आस्येन १.९५
आहवे ५.९८; १०.११९
आहवेषु ७.८९
आहारः ५.१०५
आहारम् ६.२
आहारेण ६.७२
आहिताग्नेः ३.२८२
आहुतम् १२.६८
आहुतिः ३.७६; ५.१०४
आहुतीः ११.११९
आह्वानम् ९.१२६
इक्षुः ८.३४
इङ्गितः ७.६३, ६७
इङ्गितम् ७.६७
इङ्गितैः ८.२६
इच्छतो ४.१९४
इच्छद्भिः १०.११३
इच्छन्त्या ८.३७८
इच्छया ३.३२; ५.१०३; ७.१६५; ९.९५; १०.६६; ११.७३, १२४
इज्यागी ११.८७
इज्य १.८९, ९०
इज्यया २.३ [२८]
इज्याः ११.२४२
इज्याभिः ८.३११
इतरस्य ९.१८१
इतराः ३.२७६
इतरान् ३.११३; ९.१०७
इतरे १.१०१; ९.१५६, २४२
इतरेतरक्षम्यया ३.३५
इतरेतरम् ९.१०२
इतरेभ्यः १०.२; ११.३
इतरेषाम् ३.३५; ८.३७९; ९.१८९; १०.९३
इतरेषु १.७०, ८२; ३.४१, १८२
इतरैः ३.४६
इतरौ १०.१
इतिकर्त्तव्यम् ७.१४२
इतिहासान् ३.२३२
इद्धः ८.११५
इन्द्रम० ७.११८
इन्द्रजये ३.१२२
इन्द्रुभ्यः ३.८७
इन्दुम् १२.१२१
इन्द्रः ३.८७; ७.४; ९.३०४
इन्द्रधनूंषि १.३८
इन्द्रम् ११.२५५; १२.१२३
इन्द्रलोकेशः ४.१८२
इन्द्रव्रतम् ९.३०४
इन्द्रस्य ९.३०३
इन्द्राणाम् ५.९५
इन्द्रायुधम् ४.५९
इन्द्रिय० २.१६७ [१९२]; ६.७५

इन्द्रियग्रामः २.१९० [२१५]
इन्द्रियग्रामम् २.७५ [१००], १५० [१७५]
इन्द्रियनिग्रहः ६.९२; १०.६३; १२.३१
इन्द्रियम् २.७४ [९९]; ४.२२०
इन्द्रियाणाम् २.६३ [८८], ६८ [९३], ७४ [९९]; ६.६०, ७१; ७.४४; १२.५२, ८३
इन्द्रियाणि १.१५; २.६४ [८९]; ६.५९; ११.४०
इन्द्रियार्थेषु ४.१६; ११.४४
इन्द्रियेषु ४.२२
इन्द्रियार्थम् ११.६४
इन्धने ८.११२
इरिचस्थः ४.१२०
इषुः ९.४३
इष्टकः ८.२५०
इष्टाम् ४.२२९
इष्टिम् ६.३८; ११.२७
इष्टीः ४.१०
इष्टेषु ७.१३
ईजानिकैः ९.२५८
ईक्षवः ९.३९
ईप्सवः १०.१२७
ईप्सितम् २.२३ [४८]
ईप्सिता ४.१५६
ईप्सुभिः ३.५५
ईरिणे २.८८ [११३]; ३.१४२
ईर्ष्या ७.४८
ईशः ७.११५; ९.२४५, २४५
ईशाः ४.१८४
ईशेन ७.११६
ईश्वरः १.९९; ७.१४; ९.२७८
ईश्वरम् १.१४; ४.१५३
ईहिततलक्ष्यम् ९.२०८
उक्थरम् २.५१ [७६]
उक्षेषु ३.२०७
उग्रः ६.२४; १०.९, १२.११३
उग्रकन्यायाम् १०.१५
उग्रान्नम् ४.२१२
उग्रायाम् १०.१९
उग्रेषु १२.७५
उग्रैः ६.७५
उग्रौ १०.१३
उच्चावचानि १.३८; १२.१५
उच्चावचेषु ६.७३; १२.१४
उच्चैः ७.१२१
उच्छिष्टः २.३१ [५६]; ४.७५, ८२, १०९, १४२, १५१
उच्छिष्टभोजिनः ४.२१२
उच्छिष्टभोजने २.१८४ [२०९]
उच्छिष्टम् २.३१ [५६]; ३.२४९, २४५; ४.८०, २११; ५.१४१; १०.१२५
उच्छिष्टेन ५.१४३
उच्छीर्षके ३.८९
उच्छेषणम् ३.२४६, २६५
उञ्छः १०.१११
उञ्छतः ३.१००
उञ्छम् १०.१११
उञ्छवृत्तीम् ८.२६०
उञ्छशिलम् ४.५
उतथ्यतनयस्य ३.१६
उत्कर्षम् ४.२४४; ९.२४; १०.४२
उत्कृष्टः १०.९६
उत्कृष्टम् ५.१६३; ८.३६५; ९.३५
उत्कृष्टवेदने ३.४४
उत्कृष्टशुश्रूषु ९.३३५
उत्कृष्टस्य ७.१२६; ८.२८१
उत्कृष्टाम् ९.३३५
उत्कृष्टाय ९.८८
उत्तमम् १.१२८[२.९]; २.२४४[२४९]; ३.१०७
उत्तमेषु ९.२५८
उत्तमः १.६२; ८.१३८; १२.११३
उत्तमम् १.१२८ [२.९]; २.२४४ [२४९]; ३.१०६; ४.२२९, २३०; ५.४२; ६.९; ८.८४; ९.२५२, ३३३; ११.२४४
उत्तमर्चः ८.५०
उत्तमर्चिकः ८.४८
उत्तमर्चेन ८.४७
उत्तमसाहसम् ९.२४०, २७९
उत्तमाः १.३३; ३.१२; ९.२८; १२.४४, ४७, ९२
उत्तमांगे ८.३००
उत्तमाङ्गोद्भवात् १.९३
उत्पत्तिः १.९८; ३.१९३
उत्तमानाम् ८.३२१
उत्तमानुत्तमान् ४.२४५
उत्तमाम् ८.३६६; १२.५०
उत्तमेषु ३.१०७; ६.६५
उत्तमैः ४.२४४
उत्तरः १०.६८
उत्तरम् २.२४ [४९] १११ [१३६]; १२३८
उत्तरार्धि ७.७२
उत्थानम् ९.२१५
उत्पत्तिः १.९८; ३.१९
उत्पत्तिम् ६.६५
उत्पत्तिव्यञ्जकः २.४३ [६८]
उत्पवम् २.१८९ [२१४]
उत्पन्नः ९.१७०; १०.१९
उत्पन्नातन्तूनाम् ९.२०३
उत्पवनम् ५.११५
उत्पात० ६.५०
उत्पातकः २.१२१ [१४६]; ९.४८
उत्पातकम् ९.३२
उत्पातनम् ९.२७
उत्पादितान् १०.६
उत्संगे ४.६३
उत्सर्गम् ४.९७
उत्सर्गे ४.११९; १२.१२१

उत्सर्गेन ११.१९३
उत्सवेषु ३.५९
उत्साहयोगेन ९.२९८
उत्सिक्तमनसाम् ८.७१
उत्सृतीः ५.४०
उत्सृष्टम् ९.१७१; १०.७१
उदक० ४.५२; ५.११४
उदकक्रिया ५.६९, ७०, ८९
उदकदायिनः ५.६४
उदकम् २.७४ [९९]; ३.१०१, २१०, २१४, २१८, २२३; ४.२४७; ५.८८; ९.१८६, २१९, २८१; ११.९१, १८२
उदकस्य ८.२५२
उदकानू ३.२०८
उदकुम्भः ३.६८
उदकुम्भम् २.१५७ [१८२]
उदके ३.९९; ४.३८, १०९, १९४; ११.१५७
उदकेन ३.८२; ५.१२१; ७.७५
उदक् ३.२१७
उदक्यया ४.५७, २०८
उदक्याम् ५.८५
उदक्यायाम् ११.१७३
उदयनम् १६७
उदङ्मुखः २.२७ [५२], ३६ [६१], ४५ [७०], ४.५०
उदङ्मुखान् ८.८७
उदपात्रम् ३.९६
उदपानानि ८.२४८
उदयम् ४.७०
उदरः ४.१७५
उदरम् ८.१२५
उदर्कान् १२.१८
उदासीनगुणोदयः ७.२११
उदासीनप्रचारम् ७.१५५
उदासीनम् ७.१५८
उदितः ९.९६
उदितम् ९.११३
उदिता ९.२५
उदितान् ९.१८०
उदियात् २.१९५ [२२०]
उदृणयनम् १.६७
उदृणाता ८.२०९
उद्धतदण्डः ७.१०२
उद्धतदण्डस्य ७.१०३
उद्धृतस्नेहम् ४.६२
उद्धृतोद्धारम् १०.८५
उद्धृतधाभिः २.१६८ [१९३]
उद्धृतस्नेहम् ४.८२
उद्धारः ९.११२, ११५
उद्धारम् ७.९७, ९.१२३, १५६; १०.८५
उद्धारे ९.११६
उद्भिज्जाः १.४६
उद्यतैः ५.९८
उद्यन्तम् ४.३७
उद्यमानम् १.७५
उद्यान० ९.२६५
उद्यानगृहाणि ४.२०२
उद्वर्तनम् ४.१३२
उद्वहनम् ८.३७०
उद्वाहकर्मणि ३.४३
उद्वाहिकेषु ९.६५
उद्वेजनकरैः ८.३५२; ९.२४८
उन्मत्तः ३.१६१; ८.६७, १६३; ९.२३०
उन्मत्तजडमूकान् ९.२०१
उन्मत्तम् ९.७९
उन्मत्तायाः ८.२०५
उपकरणम् ९.२७०
उपकरात् ८.२६५
उपक्रमैः ७.१०७, १५९
उपक्लृप्तानि ८.३३३
उपक्लृप्तेषु ३.२०८
उपचर्या ३.१९३
उपचारक्रिया ८.३५७
उपचारम् १.१११, ११६
उपचारवत्तम् १०.३२
उपचितः ६.४१
उपजापकान् ९.२७५
उपजीवनम् ९.२०७
उपजीविनाम् १२.११४
उपतापिनः १.११
उपदिशत्तु २.१८१ [२०६]
उपदिष्टम् २.१६५ [१९०]
उपदेशम् १२.१०६
उपधर्मः २.२१२ [२३७]; ४.१४७
उपधाभिः ८.१९३
उपधीन् ८.१६५
उपनायनम् २.११ [३६]
उपनिधिः ८.१४५, १४९, १८५
उपनिधिहर्तारम् ८.१९२
उपनिहितस्य ८.१९६
उपन्यासम् ९.३१
उपपतिः ३.१५५; ४.२१६
उपपतिम् ४.२१७
उपपातकम् ११.६६
उपपातकसंयुक्तः ११.१०८
उपपातकिनः ११.१०७, ११७
उपपीडितः ८.६७
उपभोगम् ८.२८५
उपभोगेन २.६९ [९४]
उपरोधेन ११.१०
उपलेन ४.१९४
उपवनानि ९.२६५
उपवासः ११.२१२
उपवासकृशम् १९.२९५
उपवाससमा २.१६३ [१८८]
उपवीतम् २.१९ [४४], ३९ [६४]; ४.६६
उपवीती २.३८ [६३]
उपसंग्रहणम् २.४७ [७२]
उपसन्पन्नैः ४.६८
उपसर्जनम् ९.१२१
उपसर्जने ४.१०५
उपसेवितम् ४.३७
उपसेवमा ३.६४
उपसेवा ७.१२; १२.३२
उपसेविनाम् ११.४३

उपस्करः ३.६८
उपस्करम् १२.६६
उपस्करया ५.१५०
उपस्थम् ८.१२५
उपस्पृष्ट० ३.२०८
उपहतचेतनः ९.६७
उपहता ३.१८३
उपहर्ता ५.५१
उपांशुः २.६० [८५]
उपाकर्मणि ४.११९
उपाञ्जनम् ५.१०५
उपाञ्जनेन ५.१२४
उपाञ्जनैः ५.१२२
उपावानम् ७.१२; ८.४१७
उपाध्यायः २.११६ [१४१]
उपाध्यायम् ५.९१
उपाध्यायान् २.१२० [१४५]
उपानत् २.१५३ [१७८]
उपानही ४.६६, ७४
उपायतोगैः ९.१०
उपायानाम् ७.१०९, २००.
उपायान् १०.२
उपायैः ७.१०८, १७७; ८.४८, १९०; ९.२४८, ३१२
उपासनाम् ३.१०७
उपासीनाः ५.९३
उपेक्षकः ६.४३
उपेतारम् ७.२१५
उपेयम् ७.२१५
उपेक्षेषु ६.४१
उल्लेखनम् ५.१५५
उप्तम् ९.४०
उत्पिपित् ९.३३०
उभयात्मकम् २.६७ [९२]
उभयोदतः १.३९, ४३
उरु० १.३१, ८७
उरुपञ्चानाम् १०.४५
उर्वीम् ८.२५६
उलूककाकनाम् ११.१३१
उलूकैः १२.७६
उलूखलस्य ५.११७
उलूखलिकः ६.१७
उलूखले ३.८८
उल्क० १.३८
उल्कानाम् ४.१०३
उल्कामुखः १२.७१
उल्लेखेन ५.१२४
उष्ट्रः ३.१६२; ८.१४६, २३९, २६९; ९.४८, ५५; १२.६७
उष्ट्रम् ४.१२०; ११.१३७
उष्ट्रयान० २.१७९ [२०४]
उष्ट्रयानम् ११.२०१
उष्ट्राणाम् १२.५५
उष्णम् ३.२३७
उष्णान् ११.२१४
उष्णे ११.११३
उष्णेन ५.११७
ऊनद्विवार्षिकम् ५.६८
ऊनस्य ८.२१७
ऊनानाम् ९.१२३
ऊर्जम् २.३० [५५]
ऊर्ध्वम् १.९२; २.१४ [३९], ९५ [१२०]; ३.१६९; ४.९८; ५.१३२; ८.२१४, २१८, २६६, २७८; ९.७७, ९०, १०४, १८७, २२६; ११.९८, ११०, २४७
ऊर्ध्ववृतम् २.१९ [४४]
ऊषरे २.८७ [११२]
ऊषैः ५.१२०
ऊष्मणः १.४५
ऋक् १.२३; ११.१४२
ऋक्संहिताम् ११.२६२
ऋक्षः १२.६७
ऋक्षविप्रावनात् २.७६ [१०१]
ऋक्षेष्टि ६.१०
ऋग्यजुषी ४.१२३
ऋग्वेदम् ४.१२४; ११.२६१
ऋग्वेदवित् ११.११२
ऋचः २.५२ [७७]; ११.२६४
ऋचम् २.१५६ [१८९]; ३.१४५; ११.२४९, २५२, २५६
ऋचा २.५५ [८०]; ८.१०६; ११.११९
ऋजवः २.२२ [४७]
ऋजीषम् ४.९०
ऋजुना ३.९३
ऋणम् ८.१०७, १०८, १५४, १५८, १६१; ९.१०७
ऋणादानम् ८.४
ऋणादिषु ८.१०७
ऋणानाम् ११.६५
ऋणानि ६.३५
ऋणे ८.१३९; ९.२१८
ऋत० ४.४; ८.१०४
ऋतम् २.२७ [५२]; ४.५; ८.८२, ८७
ऋतु १.३०; ३.४६; ४.२६
ऋतुकालाभिगामी ३.४५
ऋतुकाले ५.१५३
ऋतुपर्यये १.३०
ऋतुमती ९.९०
ऋतुमतीम् ९.९३
ऋतूनाम् ९.९३
ऋती ४.१२८
ऋत्वन्तासु ४.११९
ऋत्विक् २.११८ [१४३]; ३.११९, १४८; ४.१७९; ८.२०६, ३८८; ११.१८२
ऋत्विजः २.१०५ [१३०]; ४.१८२; ७.७८, ८.३८८; ११.४२
ऋत्विजे ३.२८
ऋषयः १.५; २.१२९ [१५४]; ३.८०; ४.९४; १०.७२; ११.२३६, २४३; १२.४९
ऋषिभ्यः ३.२०१
ऋषिभिः २.९९ [१२४]; ६.३०
ऋषियज्ञम् ४.२१
ऋषिवत् २.१६४ [१८९]
ऋषीणाम् ३.१९४
ऋषीन् १.६०; ३.८१, ११७
एकखलिकम् ११.१२३

एककृष्णलम् ८.१३४
एककेदारे ९.३८
एकग्रामीणम् ३.१०३
एकचरान् ५.१७
एकजातानाम् ९.१४८, १८२
एकजातिः ८.२७०; १०.४
एकतोदतः ५.१८
एकदेशम् २.११६ [१४१]
एकपत्नीनाम् ९.१८३; ५.१५८
एकपलाधिकम् ८.३९७
एकभक्तासु ८.३६३
एकमाषकम् ११.१३३
एकयोनिषु ९.१४८
एकरात्रः ११.२१२
एकरात्रम् ३.१०२
एकरात्रिकम् ४.२२३
एकरात्रेण ११:१७८
एकरिक्थिनी ९.१६२
एकवासा ४.४५
एकवेश्मनि ३.१४१; ११.१७६
एकशफम् ९.११९
एकशफाम् ५.११; १०.८९
एकशुल्केन ८.२०४
एकहायनम् ११.१३६
एकांशः ९.१५०
एकाकिनः ७.१६५
एकाकी ४.२५८
एकाक्षरम् २.५८ [८३]
एकाग्रम् १.१
एकादशगुणम् ८.३२०, ३२२
एकाधिकम् ९.११७
एकानुद्दिष्टस्य ४.१११
एकान्तरे १०.१३
एकान्ते २.३६ [६१]
एकाहम् ५.५९, ७१
एकैकशः ११.१३८
एकोदकानाम् ५.७१
एकोद्दिष्टस्य ४.११०
एणस्य ३.२६९
एधः ११.२४६
एनः ९.९६; ११.८२, ८५, २४१, २५६, २६१; ५.३४; ८.१९; १०.१११; ११.८३, १०३, १४५
एनम् ११.२६४
एनसः २.५४ [७९]; ३.३७; ८.१०५
एनसाम् ११.२४७; २५२
एनसि ११.१२२
एनस्विभिः ११.१८९
एनस्वी ११.२५५
एनांसि ११.७१, २१०
एवंकर्मा ८.३१४
एवंविधान ९.२६६
ऐकशफम् ५.८
ऐन्दनम् ११.१२५
ऐन्द्रम ५.९३; ८.३४४
ऐश्वर्यम् ४.२३२
ऐश्वर्यात् ८.३१३
ऐश्वर्ये ६.९५
ऐष्टिकपौर्तिकम् ४.२२७
ऐहिकः ४ ७
ओंकारपूर्विकाः २.५६ [८१]
ओंकारम् २.५० [७५].
ओघवात् ९.५४
ओदनस्य ८.३२९
ओषध्यः १.४६; ५.४०
ओषधीनाम् ११.६३, १४४
ओष्ठौ ८.२८२
औजसः १.३६
औजसाम् १.१६, १९
औड्र १०.४४
औदक० ६.१३
औदकानि १.४४
औदकेन ३.२१५
औदुम्बरी २.२० [४५]
औद्धारिकम् ९.१९०
औद्वाहिकम् ९.२०६
औपधिकाः ९.२५८
औपनायनिकः २.४३ [६८]
औपनिषदीः ६.२९
औरभ्रिकः ३.१६६
औरभ्रेण ३.२६८
औरसः ९.१४५, १५९, १६३, १६४
औरसक्षेत्रजौ ९.१६२; १६२
औरसम् ७.१३५; ९.१६६
और्ध्वदेहिकम् ११.१०
औषधस्य ८.३२४; ९.२९३
औषधानि ११.२३७
औषधीः १०.८७
औष्ट्रम् ५.८
कक्षम् ७.११०
कक्षान्तरम् ७.२२४
कच्छपाः १.४४
कटपूतनः १२.७१
कटाग्निना ८.३७७
कटेषु २.१७९ [२०४]
कट्याम् ८.२८१
कणान् ११.९२
कणान्नता ११.१६७
कण्टकानाम् १.११५; ९.२५३
कण्टकैः ८.९५
कण्टकोद्धरणे ९.२५२
कण्ठनाभिः २.३७ [६२]
कण्ठसज्जने २.३८ [६३]
कण्ठे ११.२०५
कण्डनी ३.६८
कतकवृक्षस्य ६.६७
कथा ३.२३१
कथाम् ४.७२
कदर्यस्य ४.२२४
कनिष्ठः ९.११३, १२२, २११
कनिष्ठायाम् ९.१२२
कनिष्ठेभ्यः ९.२१४
कन्या ८.२०४, ३६७, ३६९; ९.४७, ८९, ९२, ९७९ १७२, १८९; ११.३६
कन्यादातुः ९.७३
कन्यादानम् ३.३५
कन्यादूषकः ३.१६४
कन्यानाम् ७.१५२
कन्याप्रदानम् ३.२९, ३० ३१

कन्याभ्यः ९.११८
कन्याम् ३.८; ८.२२४, २२५, ३६४, ३६५, ३६७, ३६९, ३७०; ९.७१, ७२, ७३, ८८, ९३, ९४
कन्यायाः ३.२७, ३२, ५१; ९.६९; ११.६०, ६१
कन्यायाम् ९.९७
कन्यायै ३.३१
कन्यासमुद्भवम् ९.१७२
कन्यासु ८.२२६
कन्याहरणम् ३.३३
कपालम् ६.४४
कपालिका ८.२५०
कपालेन ८.९३
कपिकाकयोः ११.१५४
कपिलाम् ३.८
कमण्डलुम् २.३९ [६४]; ४.३६
करः ७.१२९
करकम् ४.६६
करजैः ४.७०
करजः १०.२२
करजम् ८.५२, १५४
करजेन ८.५१
करम् ७.१३३; ८.३०७, ३९४; ९.३०५
करम्भः १२.८६
करसंज्ञितम् ७.१३७
करान् ७.१२७, १२८
करीषम् ८.२५०
करुणवेदिता ७.२११
ककरे ५.१३६
कर्णश्रवे ४.१०२
कर्णिभिः ७.९०
कर्णौ २.१७५ [२००]; ८.१२५, २३४
कर्तव्यता ७.६१
कर्तव्यौ ३.२५
कर्ता २.१२५ [२०४]; ३.१६० ७.१२८; ८.३४५; १२.२०७
कर्तारः १.९७
कर्तारम् ८.१८, १९
कर्तुः ४.१७२, १७३
कर्तृभिः ८.२०६
कर्तृषु १.९७; १२.६१
कर्तृणि ५.१०५
कर्म० १, ४२, ५५, ६६, ९१, १०२, ११७; २.१११ [१३६], १४६ [१७१], १६५ [१९०], १६५ [१९०]; ३.२८, ६७, २४७; ४.१४, ७०, १५९, १६१; ५.८४, २०५; ६.६१, ९५; ७.५५, ५९, ६६, १२५, १३८, १५४; ८.२०६, २१५, २१७, २७३, ३३२; १०.१२३; ११.४४, १२४, २२९, २२१, २३२; १२.३, ५, ८, ३५, ५८, ८१, ८२, ८४, ८६, ८८, ८९, ९०, १०७
कर्मकरिभिः ९.२६१
कर्मजम् १२.१०१
कर्मजाः १२.३
कर्मणः ४.१८; ८.२१७; १२.५१
कर्मणा ४.१५, १९७; ८.१७७; ९.२२९; १०.८१; ११.१९३; १२.३६, ५३
कर्मणाम् १.२६, ६५, ८४, १०७, ११७; ३.६५; ७.१२८; ९.२९८; १०.७६; ११.२०३; १२.१, ७४, ८२, ८४, ८६
कर्मणि १.२८; २.१६४ [१८९]; ३.७५, १४९, २४०; ८.४२, २०८, ३८८; ९.२६२; ११.२३३
कर्मतः १२.९८
कर्मदोषैः १.१०४; १२.९
कर्मनिष्ठा ३.१३४
कर्मफलोदयम् ११.२३१
कर्मभिः १.२ [२६], १८; ४.३; ६.७४, ७५; १०.४६, ५७, ९६, १००
कर्मभ्यः १.५३; २.४३ [६८]; ६.८६; १२.७०, ११९
कर्मयोगः १.१२१ [२.२]; १०.११५
कर्मयोगम् २.४३ [६८]; ६.८६; १२.११९
कर्मयोगे १२.८७
कर्मविद्या १२.४१
कर्मविधिः ९.३२५, ३३६
कर्मविधिम् ९.३२५
कर्मविशेषेण ११.५२
कर्मसु ४.१५५; ७.१२५; ९.३०२
कर्महेतुना १.४९
कर्माणि १.२१, ३०, ८७; २.११७ [१४२]; ६.९५, ९६; ७.७८; ८.४२, २११, ४११ ४१८; ९.३००; १०.७४, ७५, ७६; १२.१२, ९२
कर्मात्मनाम् १.२२
कर्मात्मानः १.५३
कर्मान्तान् ८.४१९
कर्मारस्य ४.२१५
कर्मेन्द्रियाणि २.६६ [९१]
कर्मैः १०.८०
कर्मोपकरणाः १०.१२०
कलविङ्कम् ५.१२
कलहे ४.१२१
कला १.६४, ६४
कलाभृतम् २.१०९ [१३४]
कलाम् २.६१ [८६]; ८.३६
कलिः ९.३०१, ३०२
कलियुगे १.८५
कलुषयोनिजम् १०.५७, ५८
कलौ १.८६
कल्पः ३.१४७; ५.७४
कल्पे ९.२२७
कल्पेन ५.७२; १२.६९
कल्मषः १२.१८, २२
कल्याणः ८.९१
कल्याणम् ३.६०
कल्याणे ८.३९२
कवकानि ५.५; ६.१४; १२.१५५
कवयः ३.२४; ७.४९
कविः २.१२६ [१५१]

कथे: ३.१९८
कव्य० १.९४
कव्यानि १.९५; ३.१३२, १३५
कश्यपाय ९.१२९
कषायान् ११.१५३
कष्टतमम् ७.५०
कष्टतरः ७.१८६
कष्टम् ७.५१, ५३, २१०
कांक्षन् २.२१७ [२४२]
कांस्यम् १२.६२
कांस्यरैत्यानाम् ५.११४
कांस्ये ४.६५
काकः ७.२९; ११.१५९; १२.६२, ७६
काकताम् ११.२५
काकोलम् ५.१४
काञ्चन० ४.२३३
काञ्चनम् २.२१४ [२३९]; ५.११२
काणः ३.१५५, १७७, २४२
काणम् ८.२७४
काणेन ११.११८
काण्ड० १.४६, ४८
कानीनः ९.१६०
कानीनम् ९.१७२
कामः १.१२२ [२.३]; २.६९ [९४]; ९.६७, ३२८; १२.११; १२.३८
कामकारतः ११.४१
कामकारकृते ११.४५
कामक्रोधशानुगम् २.१८९ [२१४]
कामक्रोधौ ८.१७५
कामचारतः २.१९५ [२२०]
कामजः ७.४७
कामजम् ९.१४७
कामजान् ९.१०७
कामजैः ७.५०
कामजेषु ७.४६
कामतः ३.१२, १७३; ४.१६, १३०, १३२, २०७; ५.९०; ९.६३, २४२; १०.९३; ११.४६, ८९, १२०, २०१
कामम् १.२५; २.८८ [११३]; २.१५३ [१७८], १६४ [१८९], १९१ [२१६]; ३.१११, १४४, २२२; ५.१५७; ७, १९१; ८.२०; ९.१७, ८९; १०.९०, ११७; ११.१३
कामवृत्तः ५.१५४
कामसम्भवः ३.३२
कामसमुत्थानि ७.४५
कामस्य १.१२३ [२.४] २.१२२ [१४७],
कामात् १५५ [१८०]; ८.११८, १२१; ९.१७८, २४८; ११.१६२
कामात्मता १.१२१ [२.२]
कामात्मा ७.२७
कामान् १.१२४ [२.५]; ३.२७७; ११.२४२
कामानाम् २.६९ [९४]
कामार्तः ८.६७
कामार्थम् ९.७६
कामार्थी २.१९९ [२२४]
कामिनीषु ८.११२
कामे ११.९०
कामेषु ६.४१
कामैः ९.३०४
काम्बोजाः १०.४४
काम्यम् १२.८९
काम्यया ५.२७; १२.११७
कायक्लेशान् ४.९२
कायमतम् ११.९७
कायत्रैदशिकाभ्याम् २.३३ [५८]
कायदण्डः १२.१०
कायम् २.३४ [५९]
कायिकम् १२.८
कायिका ८.१५३
कायिकाम् ८.३१२
कायेन १२.८
कायोढ़ाजः ३.३८
कारवः ८.३६०; १०.१२०
कारणम् १.११; ५.९४; ८.२००; ११.८४
कारणात् ८.३५५
कारणैः ८.५७
कारावरः १०.३६
कारिजः ९.२५९
कारिता ८.१५३
कारुककर्मभिः १०.९९
कारुककर्माणि १०.१००
कारुककुशीलवौ ८.६५
कारुकान् ७.१३८
कारुकान्नम् ४.२१९; ९.२६५
कारुकुशीलवान् ८.१०२
कारुजः १०.२३
कारुहस्तः ५.१२९
कार्स्न्येन ३.१८३
कार्षाप० १२.६४
कार्षापणवैटजीर्णानाम् ११.१६८
कार्षापणम् २.१९ [४४]
कार्षापणादिषः ४.७८
कार्यतत्त्वार्थवित् १.३
कार्यदर्शनम् ८.९, २३
कार्यदर्शनि ८.९
कार्यम् २.४७ [७२]; १३४ [१५९]; ३.८०, २४८, २७९; ५.१४०, १४७; ७.१०, १४०, १६१, १७३; ८.४३, ७०, ११७, १८६, २३४, २३७, २९३, ३२४; ९.२९९; ११.१८२; १२.२ [३७], १०५
कार्यवान् ९.७४
कार्यविनिर्णयम् ८.८
कार्यशेषम् ७.१५३
कार्यशेषज्ञः ७.१७९
कार्याणाम् १.११४
कार्याणि २.१८६ [२११]; ७.८१, १२०, २२१; ८.२, १०, २४, १७४, १७८, २४८; ९.२३१, २५१
कार्यार्थम् ७.१६४; ८.११०;

१०.५५
अर्थार्थसिद्धये ७.१६७
अर्थिकेभ्यः ७.१२४
अर्थिनाम् ८.२, २४; ९.२३१
अर्थे ७.१६५; ८.८०, २२८, ३९०
अर्थेक्षणे ७.१४१
अर्थेषु ९.२३१
अर्थेषु ७.५७; ८.६३
अर्धपिचः ८.१३६
अर्धपिचम् ८.३३६
अर्धपिचावरम् ८.२७४; १०.१२०
अर्धपिची ९.२८२
अर्धिकः ८.१३६
अर्ध्वशरीरवधास्तानि २.१६ [४१]
अर्ण्यायसम् १०.५२
अर्ण्यायसीम् ११.१३३
अलसकरिते ८.३४८
अलज्ञैः ७.२१७
अलपक्वभुक् ६.१७
अलपक्वैः ६.२१
अलम् १.२४, ५१; ६.४५, ५५; ८.३२, ४५, ३२४; ९.२९३
अलविभक्तीन् १.२४
अलबुद्धिः ८.१५३
अलशाकम् ३.२७२
अलसंरोधात् ८.१४३
अलसूत्रम् ३.२४९; ४.८८
अलस्य ८.२१६
अलात् ८.२५१; ९.९०
अलिकैः ६.१९, १९
अलिकतया १२.९६
अले १.५१; २.५५ [८०]; ३.१०५; ७.१६४, २०४; ८.२३३, ४००; ९.४, ३०७
अलेन ९.२४६
अलेषु ७.१८३
अलोपपादिते ९.३६
अलोप्तानि ९.३८
अव्यान् ३.१९९
अष्ठम् १०.८४
अष्ठमयः २.१३२ [१५७]
अष्ठलोष्टः ४.२४१
अष्ठलोष्ठ० ४.४९
अष्ठलोष्ठमयेषु ८.२८९
अष्ठवत् ५.६९
अष्ठा १.६४
अष्ठानि ८.३७२; १२.७८
किंशुकान् ८.२४६
कितवः ३.१५९
कितवम् ३.१५१
कितवाः ९.२५८
कितवान् ९.२२५
किन्नरान् १.३९
किराताः १०.४४
किल्बिषम् ६.७२; ८.४०, २३५, २९६, ३००, ३१६, ३१७, ३३७, ३४२, ४२०; १२.१०८
किल्विषात् ३.९८; १०.११८; ११.९०, २३९
किल्विषी ८.१३, ९४, १४२, २३६
कीट० १.४०; २.१७६ [२०१]; १२.५६
कीटाः ११.२४०; १२.४२
कीनाशः ९.१५०
कीर्तितम् १.४२
कीर्तिनाशनम् ८.१२७
कीर्तिम् १.१२८ [२९]; ४.९४; ५.१६६; ८.८१; ११.४०
कुक्कुटः ३.२३९, २४२
कुक्कुटकः १०.१८
कुक्कुटानाम् ११.१५६
कुचर्याम् ९.१७
कुचेलम् ६.४४
कुञ्जरस्य ३.२७४
कुटीम् ११.७२
कुटुम्बात् ९.१९९; ११.१२
कुटुम्बाभ्याम् ११.१४
कुटुम्बार्थम् ८.१६६
कुटुम्बार्थे ८.१६७
कुटुम्बिभ्यः ३.८०
कुटुम्बे ३.११२
कुड्मलम् ४.८९
कुणपाशी १२.७१
कुण्डः ३.१७४
कुण्डगोलकौ ३.१५६, १७४
कुण्डले ४. ३६
कुण्डाशी ३.१५८
कुतपम् ३.२३४
कुतपस्तिलाः ३.२३५
कुतपानाम् ५.१२०
कुतूहली ४.६३
कुत्सनम् ४.१६३
कुवृष्ट्यः १२.९५
कुलखी ३.१५३
कुपिता ९.३१३
कुपुत्रैः ९.१६१
कुप्यम् ७.९६; १०.११३
कुप्लवैः ९.१६१
कुबेरः ७.७, ४२
कुब्जकुरुम्बान् ८.२४७
कुम्भीधान्यकः ४.७
कुम्भीपाकम् १२.७६
कुरुभ्यः ८.३२०
कुमारब्रह्मचारिणाम् ५.१५९
कुमाराणाम् ७.९५२
कुमारीः ३.११४; ९.९०
कुमारीणाम् ३.५४
कुमारीभागः ९.१३१
कुमारीषु ११.५८, १७०
कुलक्षेत्रम् १.१३८ [२.१९]
कुलक्षेत्रात् ७.१९३
कुलगोत्रे ३.१०९
कुलजे ८.१७९
कुलधर्मान् १.११८, ८.४१
कुलम् ३.५७, ६२; ४.२४४; ७.९१ ११९; ८.१६९; ९.१०९
कुलमित्रम् ४.२५३
कुलयोः ९.५
कुलयोषितानाम् ३.२४५
कुलसंख्याम् ३.६६
कुलसंततिम् ५.१५९

कुलसन्निधौ ८.१९.४, २०१; ९.८३
कुलानि ३.७, १५, ६३, ६५, ६६
कुलीनम् ७.२१०
कुलीनानाम् ८.३२३
कुले २.९ [३४], १५९ [१८४], २१८ [२४३]; ३.६०, २७४; ५.१४९; ७.७७; १०.६०
कुलोद्गतम् ७.६३, १४१
कुलोद्गतान् ७.६२
कुलोद्भवान् ७.५४
कुविवाहैः ३.६३
कुशलः ८.३९८
कुशलता १२.७३
कुशलम् २.१०२ [१२७]; ६.४८
कुशवारि ११.१४८
कुशान् २.१५७ [१८२]; ४.२५०; १०.८८
कुशारमन्तकबल्वजैः २.१८, [४३]
कुशीलवः ३.१५५
कुशीलवान् ९.२२५
कुशोदकम् ११.२१२
कुष्ठि ३.७
कुष्ठिन्या ३.७
कुसीदपथम् ८.१५२
कुसीदम् १.९०; ८.४१०; १०.११६
कुसीदवृद्धिः ८.१५१
कुसुमस्तेयम् ११.७०
कुसुम्भवान् ६.५२
कुसूलधान्यकः ४.७
कुष्ठी ३.८६
कूटकारकाः ३.१५८
कूटशासनकर्तृन् ९.२३२
कूटैः ७.९०
कृप० ४.२०२
कृपयापीजलानाम् ११.१६३
कृपात् ८.३१९
कृमि ७.१०५
कृमम् ६.७८
कृष्णाजैः ८.१०६
कृच्छ्रः ११.१६२, २१५
कृच्छ्रम् ४.२२२; ५.२०, २१; ११.१०५, १२४, १३९, १५८, १६४, १७३, १७७, २०८, २१२
कृच्छ्रात् ६.७८
कृच्छ्रातिकृच्छ्रौ १२, २०८
कृच्छ्रान् ११.१९१
कृच्छ्रैः ११.१९७
कृतकृत्यः १२.९३
कृतकृत्यता ४.१७; १०.१२२
कृतक्रियः ५.९९
कृतक्रियौ ९.१०२
कृतघ्नस्य ४.२१४; ८.८९
कृतघ्नान् ११.१९०
कृतचूडे ५.५८
कृतजम् ७.२०१, २१०
कृतदण्डः ८.३१८
कृतदारः ४.१; ५.१६९; ११.५
कृतदुर्गः ९.२५२
कृतनिर्णेजनान् ११.१८९
कृतबन्धुयः १.९७
कृतबुद्धिषु १.९७
कृतम् ९.३०१, ३०२
कृतयुगे १.८५, ८६
कृतलक्षणाः ९.२३९
कृतजापः ११.१०८
कृतजापान् ११.७८
कृतशौचः ४.९३; ७.१४५
कृतसंज्ञान् ७.१९०
कृतसंस्कारः ९.३२६
कृता ९.१३६
कृताङ्कः ८.२८१
कृताञ्जलिम् ७.९१
कृतात् १०.११४
कृतानुसारात् ८.१५२
कृतान्नम् ९.२१९; १०.८६, ९४; ११.३; १२.६५
कृतायाम् ९.१३४
कृतावस्थः ८.६०
कृते १.८१; ९.६९
कृतोपनयनः २.८३ [१०८]
कृतोपनयनस्य २.१४८ [१७३]
कृत्यासु ९.२९०
कृतस्याहतानि ३.५८
कृत्येषु ७.६७; ९.२९७
कृत्रिमः ९.१५९, १६९
कृत्स्नः २.१४० [१६५], ५.१४६; १०.१३१; ११.२६६; १२.५१
कृत्स्नम् ३.२८३; ५.८२, ७.१०३, १५४; ८.२२, २०७; ११.१३०, १४५
कृत्स्नशः ७.२१५
कृत्स्नाम् १.९०५; ७.१४८
कृपणम् ४.१८५
कृमयः १२.५९
कृमिः १.४०; २.१७६ [२०१]; १२.४२, ५६
कृमिकीटवयः ११.७०
कृमिभिः ८.२३२
कृमिभूतः १०.९१
कृमीणाम् ३.९२
कृशम् ७.२०८
कृशान् ४.१३५
कृषिः १०.११६
कृषिगोरक्षम् १०.८२
कृषिजानाम् ११.१४४
कृषिजीवी ३.१६५
कृषिम् १.९०; ८.४१०; १०.८३, ८४
कृषीवलः १०.९०
कृषीवलैः ९.३८
कृष्णः १.६६
कृष्णपक्षे ३.२७६
कृष्णपक्षेषु ४.९८
कृष्णलम् ११.१३७
कृष्णलानि ८.२१५; ९.८४
कृष्णले ८.१३५
कृष्णवर्त्मा २.६९ [९४]
कृष्णसारः १.१४२ [२.२३]
कृष्णे ६.२०; ११.२१६

कृष्या ३.६४
कृष्याम् १०.९०
कृसरसंयावम् ५.७
केतनम् ४.११०
केतितः ३.१९०
केतून् १.३८
केदारम् ९.४४
केलिः ८.३५७
केवलः ४.२३९
केवलम् २.१७४ [१९९]; ३.५४, ११८; १०.७१
केवलाः ४.१०
केवलान् २.७० [९५]; ४.२०४
केवलैः ३.६४; ६.२१
केवलौ ८.२४
केशः ४.३५; ६.५२
केशकीटावपन्नम् ११.१५९
केशकीटैः ५.१२५
केशग्रहान् ४.८३
केशान् ४.७८
केशान्तः २.४० [६५]
केशान्तिकः २.२१ [४६]
केशानाम् २.१८६ [२११]
केशेषु ८.२८३
कैवर्तनम् १०.३४
कैवर्तान् ८.२६०
कोटि० ६.६३
कोपः ३.२३०
कोपात् ८.२८०
कोयष्टि ५.१३
कोशदण्डौ ९.२९४
कोशराष्ट्रे ७.६५
कोशस्य १.९९
कोशहीनः ७.१४८
कोशे ८.३८
कोषम् ८.४१९
कोषहर्तॄन् ९.२७५
कोष्ठागार० ७.२८०
कौत्सम् ११.२४९
कौनख्यम् ११.४९
कौमारे ९.३
कौशीलव्यः ११.६५
कौशेय ५.१२०
कौशेयम् १२.६४
कौसीदीम् ८.१४३
क्रतुभिः ७.७९
क्रतुम् १.३५
क्रतुराट् ११.२६०
क्रतुविक्रयिणः ४.२१४
क्रमणम् ६.६३
क्रमशः १.६८; ३.१२; ६.१०, २३, ३४, ८८; १६५, २२०, ३३६; १२.५३, ८७
क्रमयोगम् १.४२
क्रमयोगेन २.१३९ [१६४]; ६.८५
क्रमागतः १.१३७ [२.१८]
क्रमात् १०.२८
क्रमेण २.१४८ [१७३]; ३.६९; १०.१४
क्रयः १०.११५
क्रयविक्रयम् ७.१२७; ८.५; ९.३३२
क्रयविक्रयी ५.५१; ८.४००
क्रयविक्रयौ ८.४०१
क्रयेण ८.२०१
क्रव्यः ५.१३१
क्रव्याद् ११.१५६
क्रव्याद्भिः ११.१९९,
क्रव्यादाः १२.५९
क्रव्यादान् ५.११; ११.१३७; १२.५८
क्रान्ते १२.१२१
क्रियया २.५५ [८०]; ९.२९८
क्रिया १.१२३ [२.४]; २.२०९ [२३४]; ३.५६, ८४; ६.८२; ७.६५, २०५; ९.१८, ५३, १११, १८०; ११.६५; १२.३१
क्रियाम् ४.२४; ८.१५४
क्रियारम्भः ११.६४
क्रियालोपात् १०.४३
क्रियालोपैः ३.६३
क्रियाविधिः ९.२२०
क्रियाविधौ १२.८७
क्रित ९.१६०
क्रीतकः ९.१६०
क्रीतम् ८.४१३
क्रुद्धः ४.१६४; ८.६७
क्रूरकर्म० १२.५८
क्रूरता १०.५८
क्रूरस्य ४.२१२
क्रूराचारविहारवान् १०.९
क्रूराचारैः ४.२४६
क्रूरान् ९.२२५
क्रूरे १.२९
क्रोधजः ७.४८
क्रोधजानि ७.१४५
क्रोधजे ७.५१
क्रोधजेषु ७.४६
क्रोधम् १.२५; २.१५३ [१८७]; ४.१६३; ९.१७
क्रोधात् ८.११८, १२१
क्रोधे ७.११
क्रोधौ १२.११
क्रौञ्चः १२.६४
क्रौञ्चम् ११.१३४
क्रौर्यम् १२.३३
क्लीबः ३.१६५
क्लीबपतितौ ९.२०१
क्लीबम् ७.९१; ९.७९
क्लीबस्य ९.१६७
क्लीबाः ३.१५०
क्लीबादीनाम् ९.२०३
क्लीबेन ४.२०५
क्लृप्तः ४.३५; ६.५२
क्लृप्ताः ३.६९
क्लृप्तानाम् ११.२७
क्लेशम् २.२०२ [२२७]
क्लेशान् १२.८०
क्षणम् ८.३४४
क्षणात् ११.२४६, २५०
क्षतृवैदेहकौ १०.१३
क्षत्ता १०.१२, १६
क्षत्तुः १०.१९
क्षत्रजातिः १०.२६
क्षत्रधर्महतस्य ५.९८

क्षत्रबन्धुम् २.१०२ [१२७]
क्षत्रबन्धोः २.१३ [३८]
क्षत्रम् ९.३२०, ३२१, ३२२; १०.१२१
क्षत्रवधः ११.६६
क्षत्रविट्शूद्रयोनयः ८.६२
क्षत्रविट्शूद्रयोनिः ९.२२९
क्षत्रशूद्रवपुः १०.९
क्षत्रस्य ३.२३, २६; ९.३२०; १०.७९; ११.२३५
क्षत्रियः २.२० [४५], २.५५ [८०]; ३.१११; ५.९९; ७.९८; ८.२६७, ३७५, ३८२, ३८३, ३८४; १०.४, ८१, ८३, ११७, ११८; ११.३४; १२.७१
क्षत्रियजातयः १०.४३
क्षत्रियम् १.३१; ४.१३५; ८.११३, ३७६, ४११; १०.७७
क्षत्रियया ३.४४
क्षत्रियस्य १.८९; २.६ [३१], १७ [४२]; ३.२४; ७.१४४; ८.२६८, ३३७; १०.८०; ११.२१, १२६
क्षत्रिया १२.४६
क्षत्रियाणाम् २.१३० [१५५]; ३.१९७
क्षत्रियात् १०.९, ११, १७, ६५
क्षत्रियाम् ८.३८२
क्षत्रियायाम् ८.३८४
क्षत्रियावैश्ये ८.३८५
क्षत्रियासुतः ९.१५१, १५३
क्षत्रिये ८.२७६
क्षत्रियेण ७.२; ११.१८
क्षत्रुग्रपुक्कसानाम् १०.४९
क्षपणम् ४.११९, २२२; ५.७१
क्षपा १.६८
क्षमा ६.९२; ११.२४५
क्षमान्वितः ७.३२
क्षयरोगित्वम् ११.४९
क्षयात् १२.५४
क्षयी ९.३१४
क्षयेण ६.६०
क्षयैः १२.१२४
क्षात्रम् ७.८७
क्षान्त्या ५.१०७
क्षारः ५.११४
क्षिण्वन् ९.३१५
क्षितौ ४.२४१; ५.७३; ८.३८, ३९; ९.२६३
क्षिपताम् ८.३१२
क्षिप्तः ८.३१३
क्षिप्रनिश्चयः ७.१७९
क्षुत् ८.९३; १०.१०५
क्षुत्तृष्णाः ८.६७
क्षुद्रः ७.२७
क्षुद्रकाणाम् ८.२९७
क्षुद्रव्याधिपीड़ितैः ४.६७
क्षुधा ७.१३३, १३४; ४.३३, १८७; ११.२१
क्षुधार्तः १०.१०७, १०८
क्षुधाशक्तः ४.३४
क्षुरैः ९.२९२
क्षुवतीम् ४.४३
क्षीणवृत्तिः ८.३४१
क्षीणस्य ७.१६६
क्षीणे ३.४९
क्षीरभृतः ८.२३१
क्षीरम् ५.८; १०.८८; ११.२१२
क्षीरविक्रयात् १०.९२
क्षीरस्य ८.३२६
क्षीरिणः ८.२४६
क्षेत्रकूपतडागानाम् ८.२६२
क्षेत्रगृहस्य ११.१६३
क्षेत्रजः ९.१५९, १६७, २२०
क्षेत्रजस्य ९.१६४
क्षेत्रजादीन् ९.१८०
क्षेत्रज्ञः ८.९६; १२.१४
क्षेत्रज्ञम् १२.१२
क्षेत्रदोषगुणस्य ९.३३०
क्षेत्रबीजसमायोगात् ९.३३
क्षेत्रभूता ९.३३
क्षेत्रम् २.२२१ [२४६]; ८.२६४; १०.७०, ७१
क्षेत्रात् १०.११४; ११.१७
क्षेत्रिकः ९.५३
क्षेत्रिकस्य ८.२४१, २४३; ९.५४, १४५
क्षेत्रिणम् ९.३२
क्षेत्रिणाम् ९.५१, ५२
क्षेत्रे ८.२४०; ९.३६, ५४; ११.११४
क्षेत्रेषु ८.२४१
क्षेमम् २.१०२ [१२७]
क्षेम्याम् ७.२१२
क्षौद्रम् १०.८८
क्षौम० १०.८७
क्षौमम् १२.६४
क्षौमवत् ५.१२१
क्षौमाणाम् ५.१२०
खगः १२.६३
खञ्जः ३.२४२
खञ्जम् ८.२७४
खञ्जरीटकम् ५.१४
खट्वा ८.३५७
खट्वाङ्गी ११.१०५
खड्गकूर्मशशान् ५.१८
खड्गलोहामिषम् ३.३७२
खनित्रेण २.१९३ [२१८]
खम् १२.१२०
खरः २.१७६ [२०१]; १२.५५
खरम् ४.१२०; ११.१३६
खरयानम् ११.२०१
खराश्वोष्ट्रमृगेभानाम् ११.६८
खरेण ८.३७०
खरोष्ट्राणाम् ११.१५४
खलात् ११.१७
खले ११.११४
खशरीरिणम् ४.२४३
खशाः १०.४४
खसः १०.२२
खादकः ५.५१
खादिरम् ८.३१५
खानि २.२८ [५३], ३५

[६०]: ४.१४४; ५.१३२, १३८
खिन्नः ७.१४१
खिलानि ३.२३२
खे ९.४३
खेषु १२.१२०
ख्यातिम् १२.३६
ख्यापनेन ११.२२७
गङ्गायाम् ८.९२
गजः ८.२९६
गजम् ११.१३६
गत्वा १.११८; ७.४७; ४८
गमम् १.२२
गमाः ३.२००; १२.४८
गमाभ्यन्तरः ३.१५४
गमानाम् ३.१६४
गमान् १.३७
गमान्नम् ४.२०९, २१९
गमिकान्नम् ४.२०९, २१९
गमे ७.५०, ५१
गमौ २.६७ [९२]; ७.४९
गन्धमाली ३.१६१
गतक्लमः ७.२२५
गतप्रत्यागता ९.७६
गतम् १.१००
गतयः १.५०; १२.३
गतिः २.१७४ [१९९]; ८.८४; १२.४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९
गतिम् १.११०; २.२१७ [२४२]; ४.१४; ५.४२; ६.७३, ८८, ९३, ९६; ८.४२०; १०.१३०; १२.५०, ११६, १२६
गतीः ६.६१; १२.२३
गत्या ८.२६
गन्धः १.७६, ७८; ४.१११; ५.१२६; १२.९८
गन्धम् २.१५२ [१७७]; ११.१४९
गन्धमाल्यैः ३.२०९
गन्धर्व० १.३७
गन्धर्वाः १२.४७
गन्धर्वैरप्सरोभिश्च ३.१९६
गन्धवर्णरसान्विताः ५.१२८
गन्धान् ४.२५०; १०.८८; १२.६५
गन्धानाम् ९.३२९
गन्धौषधिरसानाम् ७.१३१
गमनीयतमः ७.१७४
गरदः ३.१५८
गरीयः २.१११ [१३६]
गरीयसः ११.२०४
गरीयसी २.१०८ [१३३], २०६ [२३१]; ९.५२
गरीयान् २.१२१ [१४६]
गरुडेन ७.१८७
गर्तप्रस्रवणेषु ४.२०३
गर्तेषु ४.४७
गर्दभ० ८.२९८
गर्दभाजिनम् ११.१२२
गर्दभेन ४.४७
गर्भः ९.८, १७३
गर्भम् ११.८७
गर्भभर्तृदुहाम् ५.९०
गर्भवासेषु १२.७८
गर्भस्रावे ५.६६
गर्भात् २.११ [३६], गर्भाष्टमे २.११ [३६]
गर्भिणी ३.११४; ८.४०७; ९.१७३, २८३
गर्भे ६.६३
गर्भेषु ९.१२६
गर्हणाम् २.५५ [८०]
गर्हितम् १०.३९
गर्हिताः १२.४३
गर्हितात् १०.१०३
गर्हितानाद्ययोः ११.५६
गर्हितेन ११.१९३
गर्हणे ५.१४९
गवा ३.३; ४.२०९; ५.५२५
गवाम् ४.५८, ७२; ५.१२५; ८.११२; ११.१२९, १९६
गवार्थे १०.६२; ११.७९
गवि २.१३३ [१५८]
गव्यम् ५.६
गव्येन ३.२७१
गाः ४.४८, १६२; १०.१०७; ११.११०, ११६, १२६, १३०, २५७
गात्रः ३.२४२
गात्रात् ४.१२२, १६९
गात्राणाम् २.१८४ [२०९]
गात्राणि ४.१४३; ५.१०९
गात्रोत्सादनम् २.१८६ [२११]
गाथा ९.४२
गाधिजः ७.४२
गान्धर्वः ३.२१, २६, ३२
गामू २.२२१ [२४६], ९५, २६०; ४.३९, ५९, १८८; ५.८७; ८.२४२; ११.११५, १३५, १४४, २०२; १२.६४, १२०
गार्हिकम् २.२ [२७]
गार्हैः १.२ [२७]
गार्हपत्यः २.२०६ [२३१]
गिरम् ११.३५
गिरिदुर्गम् ७.७०, ७१
गिरिपृष्ठम् ७.१४७
गिर्योः १.१४१
गीतवादनम् २.१५३
गुच्छ १.४८
गुडम् १०.८८; १२.६४
गुडस्य ८.३२६; ११.१६६
गुणः (गुण०) १.२०, ७६, ११७; ३.२२, ३६; ८.३७१; १२.२५, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३७, ९८
गुणतः ११.१८५
गुणदोषज्ञः ७.१७९
गुणदोषविचक्षणम् ९.१६९
गुणदोषौ १.१०७; २.१८७ [२१२]; ३.२२; ७.१७८
गुणप्रियम् १२.२५
गुणम् १.२०, ७५, ७७, ७९
गुणवत्तरः ५.११३
गुणवन्ति २.११२ [१३७]

गुणवैविध्यम् ७.१६७
गुणवैशेष्यात् ९.२९६
गुणहीनाय ९.८९
गुणाः १.७८ ; ९.२२
गुणागुणान् ९.३३१
गुणानाम् १२.३०, ३४
गुणान् ३.२२६, ३२८; ६.७२; १२.२४
गुणान्विते २.५ [३०]; २२२ [२४७]
गुणिद्वेषे ८.७३
गुणेन ९.२२; १२.३९
गुणैः २.६०[८५]; ३.२३३; ५.१५४; ९.३६, १४१; १०.६७
गुणोत्कृष्टान् ८.७३
गुरुम् ८.२८२
गुरुं ८.१३६
गुप्तम् ७.७६; ८.३७४, ३७७
गुप्तये १.९४, ९९
गुप्तान् ८.३७८, ३८२
गुप्ति० १.८७
गुप्तिम् ७.५६
गुप्ते ८.३८३
गुरवे २.२६ [५१], २२० [२४५], २२१ [२४६]
गुरुः २.४४ [६९], ४८ [७३], ११७ [१४२], २०६ [२३१]; ३.११०, १५६; ११.५९
गुरुकुलात् ७.८२
गुरुगताम् २.१९३ [२१८]
गुरुणा २.१६६ [१९१], १७८ [२०३], १७९ [२०४], १८० [२०५], २२० [२४५]; ३.४
गुरुतरम् ७.५२; ९.२९५
गुरुतल्पगः ९.२३५; ११.४९, २५१; १२.५८
गुरुतल्पव्रतम् ११.१६९
गुरुतल्पसमम् ११.५८
गुरुतल्पापनुत्तये ११.१०६
गुरुतल्पी ११.१०३
गुरुतल्पे ९.२३७
गुरुदारे २.२२२ [२४७]
गुरुदारेषु २.१९२ [२१७]
गुरुदेवद्विजार्चकः ११.२२४
गुरून् २.१०५ [१३०]; १८० [२०५]; ४.१५३, २५५
गुरुपत्न्या २.१८६ [२११]
गुरुपत्नी २.१८७ [२१२] ९.५७
गुरुपत्नीनाम् २.१९१ [२१०]
गुरुपत्नीवत् २.१०६ [१३१]
गुरुपुत्रस्य २.१८४ [२०१]
गुरुपुत्रे २.२२२ [२४७]
गुरुपुत्रेषु २.१८२ [२०७]
गुरुभार्यायां २.१०६ [१३१]
गुरुम् २.१२४ [१४९], २१९ [२४४]; ३.१४८; ४.११४, १६२; ५.९१; ७.१७५; ८.२७५, ३५०; ११.८८, १२१
गुरुयोषितः २.१८५ [२१०]
गुरुलाघवम् ९.२९९
गुरुवत् २.१८० [२०५], १८२ [२०७], १८३ [२०८], १८५ [२१०], २२२ [२४७]; ९.६२
गुरुशुश्रूषया २.२०८ [२३३]
गुरुषु ४.२५२
गुरुसन्निधौ २.१६९ [१९४], १७३ [१९८]; ११.१८२
गुरुसुतः २.१८३ [२०८]
गुरुस्त्रीगमनीयम् ११.१०२
गुरोः २.४६ [७१], ४७ [७२], ८३ [१०८], १५९ [१८४], १६७ [१९२], १६८ [१९३], १७३ [१९८], १७५ [२००], १७८ [२०३], १८० [२०५], १८२ [२०७], २१६ [२४१], २१८ [२४३]; ३.९५, १५३, १५७; ४.१३०; ५.६५; ८.२७५; ११.५५
गुरौ २.४२, १३९ [१६४], १५० [१७५], १८० [२०५], २१७ [२४२]; ३.१; ४.१; ५.४३, ८२; ८.३१७
गुर्वङ्गनागमः ११.५४
गुर्वर्थम् २.२२० [२४५]; ११.१
गुल्म० १२.५८
गुल्मम् १.४८; ७.११४
गुल्मवल्लीनगेषु ८.३३०
गुल्मवल्लीलतानाम् ११.१४२
गुल्मानू ७.१९०; ८.२४७
गुल्मैः ९.२६६
गुह्यः ११.२६५
गुह्यकः १२.४७
गुह्यम् १२.११७
गूढः ९.१७०
गूढे ७.१८६
गूढैः ९.२६१
गूढोत्पन्नः ९.१५९
गृहजनम् ५.५, १९
गृहः १२.६३
गृहोच्छिष्टेन ११.२६
गृहकारी १२.६६
गृहकार्येषु ५.१५०
गृहजः ८.४१५
गृहदः ४.२३०
गृहदीप्तयः ९.२६
गृहबलिम् ३.२६५
गृहम् ३.१११, ११३; ७.७६; ८.२६४; ११.७६
गृहमेधिनः ४.३१
गृहमेधिना ३.३२, १०५
गृहमेधिनाम् ३.६९; ४.८
गृहमेधिषु ६.२७
गृहसंवेशकः ३.१६३
गृहस्थः ३.११७, ६.८७, ८९
गृहस्थमाश्रित्य ३.७७
गृहस्थस्य ३.६७; ४.२५९
गृहस्थाः ३.१०४
गृहस्थानाम् ५.१३७; ९.३३४

गृहस्थाश्रमम् ३.२
गृहस्थे ६.९०
गृहस्थेन ३.७८
गृहस्थैः ६.३०
गृहस्य ८.२६२
गृहात् २.९ [३४]; ३.३३, ४.२५०; ६.३८, ३९; ८.३३३; ९.८३; ११.१६२
गृहान्तिके ११.१८८
गृहार्थः २.४२
गृहाश्रमे ६.१
गृहिणः ८.६२
गृही २.२०७ [२३२]; ३.६७, ७८, ९५; ४.१८१
गृहे ३.७१, १०३, १०५, ११०, १५५; ४.१, २१६, २५२; ५.४३, १०२, १६९; ८.२३०, ३६५; ९.१२, ८९, १७०; ११.११४
गृहेभ्यः २.१५८ [१८३]
गृहेषु ५.१४७
गृह्यम् ३.५१
गृह्यम् ६.४
गृह्याः ३.११७
गृह्याणि ७.७८
गृह्ये ३.८४
गेहानि ३.५८
गेहे ३.१०१; ४.२९; ९.२६
गोः २.१३३ [१५८], १७९ [२०४]; ३.६, १६२; ४.२३३; ५.८, ८; ८.२९६; १०.११४; ११.७९, ११३; १२.५५
गोघ्नः ११.१०८, ११५
गोत्ररिक्थानुगः ९.१४२
गोत्ररिक्थांशभागिनः ९.१६५
गोत्ररिक्थे ९.१४२
गोवः ४.२३१
गोधा १२.६४
गोधाम् ५.१८
गोधः ८.२३१
गोपान् ८.२६०
गोपालः ४.२५३
गोप्ता ११.७९
गोप्तारम् ७.१४
गोबालान् ८.२५०
गोबीजकाञ्चनैः ८.८८, ११३
गोब्राह्मणस्य ५.९५
गोब्राह्मणहिते ११.७८
गोब्राह्मणानलान् ४.१४२
गोभिः ३.६४; ११.१९६
गोभ्यः ८.३३९
गोमयम् ११.२१२
गोमयस्य ८.३२६
गोमयेन ३.२०६
गोमायुः ४.११५
गोमायोः ११.१५४
गोमिथुनम् ३.२९, ५३
गोमृत्रम् ११.९१, २१२
गोमूत्रेण ५.१२१; ११.१०९
गोयाने ११.१७४
गोरक्षकान् ८.१०२
गोरक्ष्यम् १०.११६
गोलकः ३.१७४
गोवधः ११.५९
गोवृषः ९.१५०
गोव्रजात् ११.१९५
गोव्रजे ४.४५, ११६; ११.७८
गोशकृत् २.१५७ [१८२]
गोशकृतरसम् ११.९१
गोषु ८.३२५
गोष्ठे ३.२५४; ४.५८; ११.१०८, १९४
गोसवेन ११.७४
गोस्वामी ८.२३१
गोहत्याकृतम् ११.११५
गौः ३.१४१; ४.१७२, १८९, १९१; ५.१२८, १३३; ८.२१, ९८; ९.४८, ५५
गौडी ११.९४
गौणिकी १२.४१
गोमिनाम् ९.५०
गौरवेण २.१२० [१४५]
गौरसर्षपः ८.१३३
गौरसर्षपैः ५.१२०
ग्रन्थिनः १२.१०३
ग्रन्थिना २.१८ [४३]
ग्रन्थिभ्यः १२.१०३
ग्रन्थिभेदस्य ९.२७७
ग्रहः ८.१८०, १९५
ग्रहजम् २.१४८ [१७३]
ग्रहजान्तिकम् ३.१
ग्रहम् ७.१२१
ग्रहाणाम् ५.११६
ग्रहान् १.२४
ग्रहे ९.२७७
ग्राम० ६.१६
ग्रामकुक्कुटम् ५.१२, १९
ग्रामघाते ९.२७४
ग्रामजातिसमूहेषु ८.२२१
ग्रामदोशाय ७.११६
ग्रामदेशसंघानाम् ८.२१९
ग्रामदोषान् ७.११६
ग्रामप्रतिभयी १०.३६
ग्रामम् २.१६० [१८५]; ४.७३; ६.४३; ७.११९
ग्रामयाजिकृते ४.२०५
ग्रामयोः ८.२४५, २६१
ग्रामवासिनः ५.११
ग्रामवासिभिः ७.११८
ग्रामशताध्यक्षः ७.११९
ग्रामशतानाम् ७.११४
ग्रामसन्धिषु ८.२६१
ग्रामस्य ३.१५३; ७.११५; ८.२३७
ग्रामाः ८.२५८
ग्रामात् ६.४, २८; १०.५१; ११.१२८
ग्रामान्तीये ८.२४०
ग्रामान्ते ४.११६; ११.७८
ग्रामिकः ७.११६, ११८
ग्रामीयककुलानाम् ८.२५४
ग्रासे २.१९४ [२१९]; ४.६०, १०८, ११८
ग्रासेषु ४.१०७; ९.२७१; १०.५४
ग्राम्यम् ६.३
ग्राम्याणि ७.१२०

ग्राम्यैः ११.१९९
ग्रास० ९.२०२
ग्रासम् ११.२१३
ग्रासान् ३.१३३; ६.२८
ग्रासार्थम् ८.३३९
ग्राहात् ६.७८
ग्राह्यम् ८.७८
ग्राह्यौ २.४६ [७१]
ग्रीष्मे ६.२३
ग्रीषायाम् ८.२८३
ग्लानिम् १.५३
घटम् ८.३१९; ११.१८३, १८७
घण्टाताडः १०.३३
घातकः ५.५१
घृष्टान्नम् ४.२०९
घृतकुम्भम् ११.१३४
घृतपशुम् ५.३७
घृतप्राशः ११.१४३
घृतप्राशनम् ५.१४४
घृतबिन्दुः ७.३४
घृतम् २.८२ [१०७]; ३.२२६; ४.३९, १८८, १८९; ५.१०३; ८.१०६; १०.८८; ११.९१, १४९, २५६; १२.६२
घृतस्य ८.३२८
घृतावतः ९.६०
घोरः ४.८६
घोररूपम् ७.१२१
घोरान् १२.५४
घोरायाम् २.८८ [११३]
घोरे १.५०
घ्राणकर्णविट् ५.३५
घ्राणेन ३.२४१
चक्रभङ्गे ८.२९१
चक्रम् ४.८५
चक्रवत् १२.१२४
चक्रवृद्धि ८.१५३
चक्रवृद्धिम् ८.१५६
चक्राह्वयम् ५.१२
चक्रिणः २.११३ [१३८]
चक्रे ९.१२८
चक्षुः २.१७३ [१९८]; ४.४१, ४२, १८९ २२९; ८.१२५; १२.९४
चक्षुषः २.६५ [९०]
चक्षुषा ८.२५
चक्षुषि ७.६
चण्डालः १०.१२, १६, २६, ५१, १०८; ११.२४; १२.५५
चण्डालात् १०.३७, ३९
चण्डालान्त्यस्त्रियः ११.१७५
चण्डालेन १०.३८
चतुरः ३.२३, २४; ९.३०४; ११.१२१, २१९
चतुर्गुणम् ५.१३७; ८.१२०
चतुर्थम् ३.२० [११]
चतुर्थकालम् ११.१०९
चतुर्थाशाः ८.२१०
चतुर्थे २.९ [३४]
चतुर्दशी ४.११४
चतुर्दशीम् ३.२७६; ४.१२८
चतुर्भागम् ८.१७६; ९.११८
चतुष्कम् ७.५०; ८.१४२
चतुष्टयम् ८.१३०
चतुष्पथम् ४.३९, १३१
चतुष्पथाः ९.२६४
चतुष्पथे ११.११८
चतुष्पात् १.८१
चन्द्र० ७.४
चन्द्रम् ९.३०९
चन्द्रस्य ९.३०३; ११.२२०
चन्द्रसालोकयम् ४.२३१
चन्द्रार्कनियमानिलाः ८.८६
चमसानाम् ५.११६; ६.५३
चरजाः १२.४४
चरणैः ६.७५
चरम् ३.२०१
चराचरम् १.५७, ६३; ३.७५; ५.४४
चराणाम् ५.२९
चराणि ७.१५
चरिता ४.१७२
चरिते ११.१८६
चरिष्णुः १.५६
चरित्रम् १.१३९ [२।२०]; ९.७
चरुणाम् ५.११७
चरुम् ६.११
चरुभिः ८.१०५
चरैः ७.१२२
चर्म २.१४९ [१७४]; ४.२१८; ६.६; ८.२३४, २८९
चर्मकरः १०.३६
चर्मकार्यम् १०.४९
चर्मणा ११.१०९
चर्मणाम् ५.११९; ७.१३२
चर्ममयः २.१३२ [१५७]
चर्माणि २.१६ [४१]
चर्मावनद्धम् ६.७६
चर्याणाम् ६.३२
चलचित्तात् ९.१५
चाक्षुषः १.६२
चाण्डालः ३.२३९; ५.१३१; ९.८७
चाण्डालैः ४.७९
चाण्डाल्या ८.३७३
चातुर्मास्यानि ६.१०
चातुर्वर्ण्यस्य १०.१३१
चातुर्वर्ण्ये १०.३०, ६३
चान्द्रव्रतिकः ९.३०९
चान्द्रायणः ६.२०
चान्द्रायणम् ११.४१, १०६, ११७, १५४, १६३, १७१, १७७; २१६, २१७
चापैः ७.१९२
चारचक्षुः ९.२५६
चारणचारेषु ९.३६२
चारान् ७.१९४
चारेण ९.२९८
चारैः ९.२६१, २६६, ३०६
चार्मिकभाण्डेषु ८.२८९
चाषम् ११.१३१
चिकित्सकस्य ४.२१२, २२०
चिकित्सकाः ९.२५९
चिकित्सकानाम् ९.२९४
चिकित्सकान् ३.१५२
चित्रम् ११.४७

खियः ९.२४८
खित्याम् ४.४६
खिरम् १.४४; ४.६०, ९३
खिरराज्ञाय ३.२६६
खिरस्थितम् ५.२५
खिल्लता १०.५५
खीनाः १०.४४
खीरम् ६.६
खीरवासा ११.१०१, १०५
खुल्ली ३.६८
खूडाकर्म २.१० [३५]
खेतसा ९.२१; १२.२३
खेलचर्माभिघाताम् ११.१६६
खेष्टया ८.२६
खेष्टव्यम् ७.६३
खेष्टाः ७.१९४
खेष्टाम् ७.६७
खेष्टायै १.६५
खेष्टासु १.६६
खेष्टितम् २.१७४ [१९९]; ७.२२३; ८.८०
खेष्टितेन ८.२५
खेष्टितैः ७.६७
खैत्यद्रुमः १०.५०
खैत्यवृक्षः ९.२६४
खैत्रम् ७.१८२
खैलनिर्भेजकस्य ४.२१६
खैलवत् ५.११९
खैलाशकः १२.७२
खोदितान् ९.२७२
खोरीवाकः १२.६३
खौरः ८.३००, ३४२
खौरकिल्बिषम् ८.१९८
खौरवण्डेन ८.२९
खौरम् ९.२७०, २७८
खौरवत् ८.१९१, २९६
खौरव्याजाविधिः ११.११२
खौरस्य ८.४०
खौराणाम् ९.२७१
खौरान् ८.३४; ९.२७२
खौरिकः १.८२
खौरैः ४.११८; ८.४०, १८९, २३३
खौर्यम् ९.२७६
खौलमौञ्जीनिबन्धनैः २.२ [२७]
ख्युताः ५.१३२
ख्युतौ ८.४१८
छद्मना ४.१९९; ९.७२
छन्दसाम् ९.९६, ९७
छन्दस्कृतम् ४.१००
छन्दांसि ३.१८८; ४.९५, ९८
छन्देन ८.१७६
छन्दोगम् ३.१४५
छन्नम् ९.९८, १००
छत्रधारणम् २.१५३ [१७८]
छत्रम् ७.९६
छत्राकम् ५.१९
छत्रोपानहभासनम् २.२२१ [२४६]
छलेन ८.४९
छागमासेन ३.२६९
छादिमकः ४.१९५
छाया ४.१८५; ५.१३२
छायाम् ४.१३०
छायायाम् ४.५१
छिद्रम् ७.१०५; ८.२३९
छिद्रानुसारी ७.१०२
छुच्छुन्दरी १२.६५
छुरिकायाः ८.३२५
छेदम् ८.२७०, ३६८, ३७०
छेदने ८.२९२
छेदवर्जम् ८.२७७
जंगमम् १.४१; ५.२८
जगत् १.५२; ३.२०१; ७.२२, १०३; ८.४१८
जगतः १.१००; ८.११६; ९.२४५
जगतीगतम् १.१००
जघन्यः ८.२७०, ३६६; १२.३०
जघन्यम् ८.३६५
जघन्या १२.४२, ४५
जटाः ६.६
जटिलः २.१९४ [२१९]
जटिलम् ३.१५१
जटी ११.९२, १२८
जडः ८.३९४
जडमूकान्धबधिरा ७.१४९; ११.५२
जडवत् २.८५ [११०]
जनः ८.३३६
जनने ५.६१
जनन्याम् ९.१९२
जनम् ७.२२२, २२४
जनवादम् २.१५४ [१७९]
जनस्य ४.१०८
जनाः १.७३, १०१; ४.२२; ११.२४१
जने ६.५६
जन्तुः ४.२४०; १०.९
जन्तुम् १०.३०
जन्तूनाम् ६.६८; १२.६९
जन्तून् ६.६९
जन्तोः १२.९९
जन्म० ५.७७; १२.७८, ९३, १२४
जन्मज्येष्ठेन ९.१२६
जन्मतः २.१३० [१५५]; ९.१२५, १२६; १०.४२
जन्मनः २.१२५ [१५०]; १०.६८
जन्मनाम्नोरवेदेन ५.६०
जन्मनि १.४२; ५.३८, ७१; १०.१३
जन्मप्रभृति ८.९०
जन्मस् ९.१००; १२.२३
जपः ३.७४; १०.१११
जपजप्यान् ७.१९७
जपतामु ४.१४६
जपम् २.५३ [७८], ७६ [१०१], ७७ [१०२], १९५ [२२०], १९७ [२२२]
जपयज्ञः २.६० [८५]
जपयज्ञस्य २.६१ [८६]
जपैः ११.३४
जप्यम् २.१९७ [२२२]; ११.१४२

जघ्येन २.६२ [८७]; ५.१०७; ११.१९३
जघः १०.११५
जघ्रेप्सुः ७.१९७
जघम् ७.१८३
जघे ७.४४
जरया ६.६२
जरा ६.७७
जराम् १२.८०
जरायुजा १.४३
जलक्षीरघृतानिलम् ११.२१४
जलम् ५.७८; ६.४६; ९.१६१; ११.२२३; १२.६२
जलमाप्लुत्य ५.७७
जलवृक्षसमन्वितम् ७.७६
जलाशये ४.१२९; ११.१८६
जले ४.४६; ११.१७३
जलेन ८.१८९
जाङ्गलम् ७.६९
जातः ९.२१६
जातकर्मः २.४ [२९], २.२ [२७]
जातबन्तस्य ५.७०
जातबलः १२.१०१
जातब्राह्मण० १०.१२२
जातमात्रेज ९.१०६
जातयः १.४८; १०.४०, ४५
जातस्य ९.२७, ४९; १०.६०
जात्या १०.५; १०.१८
जातानाम् ९.१२५; १०.७; ११.१४४
जातान् ८.९९
जाति० ९.२०१
जातिजानपदान् ८.४१
जातितः १०.११, २७
जातिताम् ९.१२
जातिधर्मान् १.११८
जातिभ्रंशकरम् ११.६७, १२४
जातिमात्रोपजीवी ८.२०; १२.११४
जातिम् २.१२३ [१४८]; ४.१४८, १४९; ८.२७३; ९.३३५; १०.६४
जातिहीनाः १०.३५
जातिहीनान् ४.१४१
जातु ९.४१
जातेषु ९.१४९
जातौ ३.१७५; ९.१९१
जामयः ३.५७, ५८; ४.१८३
जामिभिः ४.१८०
जाया ९.४५
जायात्वम् ९.८
जायाम् ८.२७५; ९.७
जायायाः ९.८
जारजातकलक्षणम् ९.१४३
जालान्तरगते ८.१३२
जालपादान् ५.९३
जिघांसया ११.२०६
जिजीविषुः ४.२७
जितक्रोधः ८.१७३
जिते २.६७ [९२]
जितेन्द्रियः २.४५ [७०,] ७३ [९८]; ४.१४५; ६.१, ३४; ७.४४; ८.१७३; ११.३९, ७५
जितैः ४.१८१
जिती २.६७ [९२]
जिह्वा २.६५ [९०]; ८.१२५
जिह्वायाः ८.२७०
जीवकर्मकृबस्तावीनू ११.१३८
जीर्णः ४.४६; ९.२६५
जीर्णमलवत् ४.३४
जीर्णा: १०.१२५
जीर्णानि ६.१५; १०.१२५
जीवः १२.२२, ५३
जीवजीविकः १२.६६
जीवतः ११.१०
जीवनहेतवः १०.११६
जीवनाय ११.७६
जीवन् ५.४५; १०.८३
जीवन्तम् ७.१३७
जीवन्तीनाम् ८.२९
जीवसंज्ञकः १२.९३
जीवस्य १२.२३
जीविका १०.७६, १०४
जीविकाम् १०.८२
जुम्भमाणाम् ४.४३
जैह्म्यम् ११.६७
ज्ञातयः ३.५४, ११०
ज्ञातस्य ५.२१
ज्ञाता ९.१७३
ज्ञाति० ४.१७९, २३९; ११.१८२
ज्ञातिकार्याणि ११.१८७
ज्ञातिकुलबन्धुषु २.१५९
ज्ञातिगुणवर्पिता ८.३७१
ज्ञातित्वेन ११.१७२
ज्ञातिप्रायम् ३.२६४
ज्ञातिभ्यः ३.३१, २६४
ज्ञातिम् ५.१०३
ज्ञातिमरणम् ५.७७; ८.१०८
ज्ञातिसम्बन्धिभिः ९.२३९
ज्ञातिसम्बन्धियोषितः २.१०७ [१३२]
ज्ञानचक्षुषा १.१२७ [२१८]; ४.२४
ज्ञानतः २.१३० [१५५]; ८.२८८
ज्ञानदः २.८४ [१०९]
ज्ञाननिष्ठाः ३.१३४
ज्ञाननिष्ठेषु ३.१३५
ज्ञानपूर्वम् १२.८९
ज्ञानम् १.८६; २.९२; ५.१०५; ११.२३५; १२.२६, ३१, ८३
ज्ञानमूलाम् ४.२४
ज्ञानविज्ञानवेदिना ९.४१
ज्ञानाग्निना ११.२४६
ज्ञानाज्ञानकृतम् ११.१४५
ज्ञानात् ११.१७५, २३२
ज्ञानिनः १२.१०३
ज्ञानिभ्यः १२.१०३
ज्ञानेन २.७१ [९६], १२६ [१५१]; ३.७८; ४.२४; ५.१०९
ज्ञानोत्कृष्टाय ३.१३०
ज्या २.१७ [४

ज्यायस्याम् २.१०८ [१३३]
ज्यायसीम् १०.९५
ज्यायसे ९.११५
ज्यायांसम् २.९७ [१२२]; ३.१३७
ज्यायान् ४.८; ८.१६७
ज्येष्ठः ३.७८; ४.१८४; ९.५८, १०५, १०८, १०९, ११०, ११३, ११७, १२४, २०४, २११, २१३, २१४
ज्येष्ठकनिष्ठाभ्याम् ९.११३
ज्येष्ठता ९.१२६, १३४, ११.१८५
ज्येष्ठभार्यायाम् ९.१२०
ज्येष्ठवृत्तिः ९.११०
ज्येष्ठवृषाः ९.१२३
ज्येष्ठसामगाः ३.१८५
ज्येष्ठस्य ९.५७, ११२, ११९
ज्येष्ठांशम् ११.१८५
ज्येष्ठायाम् ९.१२२, १२४
ज्येष्ठे ८.२४५; ९.१०८
ज्येष्ठेन ९.१०६
ज्येष्ठी ११.१८५
ज्यैष्ठ्यम् २.१३० [१५५]; ९.८५, १२५, २१०
ज्यैष्ठ्यात् १.९३
ज्योतिः १.७७
ज्योतिर्गजानु ४.१४२
ज्योतिषः १.७८
ज्योतिषाम् ४.१०५
ज्योतींषि १.३८; १२.४९
ज्वलनाम्बुसमा १०.१०३
ज्ञस्य १०.२२
ज्ञस्याः १२.४५
टिट्टिभम् ५.११
डिम्भाहवहतानाम् ५.९४
तक्षकम् ५.११५
तक्ष्णोः ४.२१०; १०.१०७
तक्रस्य ८.३२६
तडागभेदकम् ९.२७९
तडागम् ८.२६४
तडागस्य ९.२८१
तडागानि ७.१९६; ८.२४८
तडागारामः ११.६१
तडागेषु ४.२०३
तत्त्वतः ७.१०, १६, १५४, १७८; ८.३२, १२६, २७७, २७८; ८.१८२; ९.२६२; १२.१, १०२
तत्त्वेन ७.६८
तत्परः ४.१९६
तथ्येन ८.२७४
तदात्वम् ७.१७८
तदात्वे ७.१६९, १७९
तद्व्रतः ३.४५
तद्विदः ९.६१
तनयम् ८.२७५
तनयाम् ११.१७१
तनुः २.३ [२८], ७५ [१००]; ४.१८४, १८९
तनुम् ६.३२
तनुलोमकेशवशनाम् ३.१०
तन्तुवायः ८.३९७
तन्मूलान् ४.९२
तपः १.२५, ३३, ३४, ४१, ८६, ९४; २.५८ [८३], १४१ [१६६], १४१ [१६६], १३९ [१६४], १४२ [१६७], २०३ [२२८], २०४ [२२९]; ३.१३४; ४.२३७; ५.१०५; ६.२३, २४, ३०, ७०; ११.४७, २३३, २३४, २३५, २३७, २३८, २४०; १२.३१, ८३, १०४
तपनम् ४.८९
तपसः १.११०; ६.७५, ११.२४४
तपसा ४.१४८, २३६, २४३, ५.१०७; १०.१११; ११.१००, १०१, १९३, २२७, २३६, २३७, २३८, २३९, २४१, २४२, २४३; १२.१०४
तपस्विनः ४.१६२
तपांसि २.७२ [९७]; तपोधनाः ११.२४१
तपोनिष्ठाः ३.१३४
तपोबीजप्रभावैः १०.४२
तपोविशेषैः २.१४० [१६५]
तप्तः ८.३७२; ११.१२५
तप्तकृच्छ्रम् ११.१५६, २१४
तप्तम् ८.२७२
तप्ते ८.३७२; ११.१०३
तमः १.५, ५५; ४.८१, २४२; ९.१६१; १२.२४, २६, २९, ९५
तमम् १.९२
तमसः १२.३८
तमसा १.४९
तमसि ८.९४
तमोनुदः १.६
तमोभूताः १२.११५
तरः १.९२; ८.४०६
तरत्समन्दीयम् ११.२५३
तरे ८.४०४, ४०७
तर्की १२.१११
तर्केण १२.१०६
तर्पणम् ३.७०
तर्पयः ३.३
तल्पजः ९.१६७, १७०
तल्पैः १०.४८
तले २.३४ [५९]; तपोवृद्धयर्थम् २.१५० [१७५]
तस्करः ८.६७
तस्करप्रतिषेधार्थम् ९.२६६
तस्करम् ४.१३३
तस्कराः ९.२७६
तस्करात् ८.३४५
तस्करान् ९.२५४, २५६
ताडयाः ८.२९९
तान्तवम् १०.८७; १२.६४
तान्तवस्य ९.२२९
तापस्यम् १.११४
तापसाः १२.४८
तापसेषु ६.२७
तापसैः ६.५१
तामान् १२.७६
तामसः १.६२
तामसम् १२.३३, ३५

तामसाः १२.४०
तामसि १२.४२, ४३
तामसीषु १२.४४
तामिस्रम् ४.८८
तामिस्रे ४.१६५
ताम्रः ५.११४
ताम्ररूप्यसुवर्णानाम् ८.१३१
ताम्रस्य ११.१६७
तान्त्रिकः ८.१३६
तामिस्रः १२.७५
तारिकम् ८.४०७
तार्क्ष्यम् ८.४०५
तावान् ८.१९४
तास्कर्ष्यम् ९.२२२
तित्तिरौ ११.१३४
तिथयः ३.२७६
तिथौ २.५ [३०]
तिरश्चाम् १२.५७
तिरोहितम् ८.२०३
तिर्यक् ८.२९१; १२.६८
तिर्यक्जाः १०.७२
तिर्यक्त्वम् १२.४०
तिर्यक्योनौ ४.२००
तिर्यञ्चः ५.४०
तिलः ३.२२३; ४.२३३
तिलक्षोदम् ११.१३४
तिलप्रदः ४.२२९
तिलसम्बद्धम् ४.७५
तिलाः ३.२५५; ४.१८९; ९.३९; १०.९४
तिलान् ३.२१०; ४.१८८; १०.९०
तिलैः ३.२३४, २६७ १०.८६, ९१
तित्तिरिः १२.६४
तीक्ष्णः ७.१४०
तीक्ष्णम् ८.३१५
तीक्ष्णे ९.२७६
तीर्थम् २.३४ [५९]; ३.१३०
तीर्थे ८.३५६; ११.१९६
तीर्थेन २.३३ [५८], ३६ [६१]
तीरितम् ९.२३३
तुरंगाः १२.४३
तुरायणम् ६.१०
तुरीयः ११.१२६
तुरीयभाक् ४.२०२
तुरीयम् ९.११२
तुलामानम् ८.४०३
तुलायोगान् ९.३३०
तुल्यः ४.८६; ८.३६४
तुल्यासु १०.५
तुषान् ४.७८; ८.२५०
तुष्टः ३.२३३
तुष्टप्रकृतिम् ७.२०९
तुष्टिकरम् ११.२३३
तुष्टिम् ८.२८८
तुष्टेषु २.२०३ [२२८]
तूर्यघोषैः ७.२२५
तूष्णीम् ८.१४७
तृचम् ११.२५४
तृणेन ८.१०६
तृण १.४८; १२.५८
तृणकाष्ठद्रुमाणाम् ११.१६६
तृणकाष्ठम् ५.१२२
तृणच्छेदी ४.७१
तृचम् ४.७०; ६.१४; ८.३३९
तृणस्य ८.३२६
तृणाग्निः ३.१६८
तृणाग्नि ३.१०१
तृणेन ४.१६६, १६९; ११.२०५
तृतीयांशाः ८.२१०
तृतीयिनः ८.२१०
तृप्यान् ३.२५१
तृप्तिः ३.१४६, २७१
तृप्तिम् ४.२२९
तेजः ४.४१, ४२, १८६, १८९, २१८; ७.२८; ९.३०३, ३२१; ११.१२१; १२.१२०
तेजनैः ७.९०
तेजसः १.३६, ६३
तेजसा ७.५
तेजसाम् ११.२४६
तेजस्कामः ४.४४
तेजस्वी ९.३१०, ३१८
तेजोभयाः ६.३९
तेजोमूर्तिः ३.९३
तैक्ष्ण्यम् ४.१६३
तैजसाम् ५.११
तैर्यग्योनाः ७.१४९, १५०
तैलपकः १२.६३
तैलबिन्दुः ७.३३
तैलम् ८.२७२; १०.८८; १२.६३
तैलस्य ८.३२८
तैलिकः ३.१३८
तैलेन ४.८३
तोयम् ९.३०५
तोये ८.४०९
तोयैः ५.१०८
तौर्यत्रिकम् ७.४७
त्यक्तताग्निः ३.१५३
त्यागः २.७२ [९७]
त्यागम् ८.३८९; १०.११३
त्यागिनाम् ३.२४५; ५.८९
त्यागेन १०.२४, १११
त्रपुणः ५.११४
त्रय्याम् २.२०४ [२२९]
त्रयी ११.२६५
त्रयीनिष्कर्षम् ४.१२५
त्रयीविद्याम् ७.४३
त्रयोदशी ३.२७३
त्रयोदशीम् ३.२७४
त्रसरेणवः ८.१३३
त्रसरेणुम् ८.१३२
त्रिकम् २.५४ [७९]; ७.५१; ८.१४२
त्रिगुणः ८.२३७
त्रिगुणम् ५.१३७; ८.१२१
त्रिणाचिकेतः ३.१८५
त्रिदण्डम् ११.१२
त्रिदण्डवत् ९.२९६
त्रिदण्डी १२.१०
त्रिविधम् ९.२५३
त्रिविधीकसः १.९५
त्रिपदा २.५६ [८१]
त्रिपक्षात् ८.५८, १०७

त्रिधि: २.१८ [४३], ५० [७५]
त्रियवम् ८.१३४
त्रिरात्रम् ४.११९; ५.७६, ८०, ८१; ११.१३२, १६६
त्रिरात्रात् ५.६७, ७१, ८८, १०१
त्रिरात्रै: ५.६४
त्रिवर्ग: २.१९९ [२२४]
त्रिवर्गेण ७.२७
त्रिवारम् ११.८०
त्रिवार्षिकम् ११.७
त्रिविधम् १२.५; ७.१२, १८५, २०६
त्रिविधस्य १२.४
त्रिविधा ११.९४
त्रिवृता २.१८ [४३]
त्रिवृति ११.२६३
त्रिवृत् २.१९ [४४]; ११.७४, २६४
त्रिवृत्वेद: ११.२६५
त्रिवृत्समा २.१७ [४२]
त्रिवेद: २.९३ [११८]
त्रिंशत्वर्ष: ९.९४
त्रिषवणम् ६.२४; ११.१२३, २१६
त्रिषु २.२०३ [२२८]
त्रिसुपर्ण: ३.१८५
त्रिहायनम् ११.१३४
त्रेता १.८३; ९.३०२
त्रेतायाम् १.८५, ८६
त्रेतायुगम् ९.३०१
त्रैलोक्यम् ११.२३६
त्रैविद्य: १२.१११
त्रैविद्यवृद्धान् ७.३७
त्रैविद्या: ९.१८८
त्रैविद्येन २.३ [२८]
त्रैविद्येभ्य: ७.४३
त्रैवेदिकम् १.३
त्र्यब्दपूर्वम् २.१०९ [१३४]
त्र्यब्दम् ८.३०
त्र्यब्दात् ८.३०
त्र्यवरान् ३.१८७
त्र्यवरै: ८.६०
त्र्यष्टवर्ष: ९.९४
त्र्यहम् ४.२२२; ५.५९, ६३; ६९, ७३; ११.१२५, १४८, १६८
त्र्यहात् ५.६४, ७२
त्वक् २.६५ [९०]; ४.२२१
त्वक्भेदक: ८.२८४
त्वक्सारव्यवहारान् १०.३७
त्वचम् ४.१८९
त्वचा २.५४ [७९]; ११.२२८
त्वङ्मांसरम् ११.२०४
त्वंश: १२.६२
त्वंशम् १.४०; ४५
त्वंष्ट्रिण: १०.८९
त्वंष्ट्रिणाम् ५.२९; १२.५८
दक्ष: ७.६४; ९.१२८
दक्षम् ७.६३
दक्षया ५.१५८
दक्षस्य ६.१०
दक्षान् ७.६१, ६२
दक्षिण: २.४७ [७२], २०६ [२३१]
दक्षिणत: ३.९१; ८.२, ३०३
दक्षिणम् ४.५८
दक्षिणा ३.१४१
दक्षिणानाम् ८.३४९
दक्षिणाग्रवणम् ३.२०६
दक्षिणाग्निमुख: ४.५०
दक्षिणामुख: २.२७ [५२]; ३.२१५, २३८
दक्षिणाम् ३.१४३, २५८; ६.३८; ११.४, ३८
दक्षिणायनम् १.६७
दक्षिणास् ८.२०७
दक्षिणे २.३८ [६३]
दक्षिणेन २.४७ [७२]; ५.९२
दक्षिणै: ८.३०६
दण्ड: २.१४९ [१७४]; २१० [४६]; ७.१७, १८, २५, २८, ३१, ६५; ८.२४३, २७६, २९०, २९५, २९७, २९८, ३०१, ३३०, ३३१, ३७५, ३७९, ३८८; ११.१५१; १२.१०, १००
दण्डजम् ७.४८
दण्डजित: ७.२१
दण्डवास: ८.४१५
दण्डधर: ९.२५५
दण्डनीतिम् ७.४३
दण्डपारुष्यम् ८.२७८
दण्डम् २.२३ [४८], ३९ [६४]; ४.१६४; ७.१४, १८; ७.२०; ८.३२, १२६, १२९, १९४, २०५, २२४, २२५, २३८, २६७, २७४, २८०, २८६, २८७, २९२, २९३, ३०७, ३१५, ३१९, ३२२, ३२४, ३४१, ३५९, ३६१, ३६७, ३८२, ३८३, ३८४, ३९२; ९.२२९; २३६, २४४, २९३; ११.२१
दण्डलेशम् ८.५१
दण्डव्यूहेन ७.१८७
दण्डवाचिके ८.६
दण्डविकल्प: ९.२२८
दण्डविधि: ८.२७८
दण्डविधिम् ८.२२१
दण्डनिर्णये ८.३०१
दण्डविशेषान् ८.११९
दण्डशुल्कावशेषम् ८.१५९
दण्डस्य ७.२२, २४, ५१; ८.१२४, २७७; ९.२४५
दण्डात् ९.२६३
दण्डान् २.२० [४५]; ८.१२२
दण्डी ६.५२
दण्डे ७.६५
दण्डेन ७.२३, २७, १०१, १०३, १०८; ८.३४५; ९.२७३
दण्डै: ८.३५२; ९.२७५
दण्ड्य ८.१२०
दत्त: ९.१५९
दत्तशुल्कायाम् ९.९७

दत्त्रिमः ९.१४१, १४२; १६८
दधिः २.८२ [१०७]; ३.२२६; ४.२५०; ५.१०; १०.८८; ११.२१२; १२.६३
दधिसम्भवम् ५.१०
दध्नः ८.३२६
दन्तः ५.१४१; ६.१७
दन्तजाते ५.५८
दन्तधावनम् ४.१५२
दन्तैः ४.६९
दमः ६.९२; ८.२६४, २६८, २८५, २९७, ३२९, ३३१, ३६९, ३७३, ३८३, ३८४; ९.२८४
दमकः ३.१६२
दमदानाभ्याम् ४.२४६
दमम् ८.५९, १०८, १९१, १९२, १९८, २५७, २७३, २९३, ३६८, ३९७; ९.२३०, २८७
दम्पती ३.१६
दम्भम् ४.१६३
दरदाः १०.४४
दरिद्राणाम् ९.२३०
दर्दुरः १२.६४
दर्पात् ८.२१३, २१५, २७३, २८२
दर्पिता ८.३७१
दर्पेण ८.२७१, ३६७
दर्भपाणिना ३.२७९
दर्भाः ३.२५५, २५६
दर्भेषु ३.२१६, २४५
दर्शकः ८.२८४
दर्शनप्रतिभाव्ये ८.१६०
दर्शनसम्पन्नः ६.७४
दर्शने ५.८६, ८.२५३
दर्शनेन ६.७४
दर्शनैः ९.२६८
दर्शम् ६.९
दर्शेन ३.२८२
दशकुलानि ३.६
दशगुणः ८.२४३
दशगुणम् ८.१२१
दशग्रामपतिम् ७.११५
दशचक्रसमः ४.८५
दशध्वजसमः ४.८५
दशपलम् ८.३९७
दशबन्धम् ८.१०७
दशमासान् ३.२७०
दशमीस्थस्य २.११३ [१३८]
दशम्यादौ ३.२७६
दशम्याम् २.५ [३०]
दशरात्रयः ३.४७
दशरात्रस्य ५.७५
दशरात्रेण ५.६५
दशवर्षम् २.११० [१३५]
दशवेशसमः ४.८५
दशसूनासमम् ४.८५
दशसूनासहस्राणि ४.८६
दशा ३.४४
दशाङ्गुलः ८.२७१
दशाब्दाख्यम् २.१०९ [१३४]
दशावरा १२.११०, १११
दशाहम् ५.५९
दशाहे ५.७९
दशाहेन ५.८३, १०२
दशी ७.११९
दशेशः ७.११६
दस्यवः १०.४५
दस्युः ८.६६; १०.३२
दस्युनिष्क्रिययोः ११.१८
दस्युभिः ५.१३१; ७.१४३
दाक्ष्यम् १०.१२४
दाढिकायाम् ८.२८३
दाता ३.१४२, १७६; ५.१५३; ६.८; ८.३०३; ११.९, ४३
दातारः ३.२५९
दातारम् ७.२१०
दातुः ३.१६९, १७७, १७८, १९१, २४२; ४.१९३
दातृ ४.१९४
दातृभिः ३.९७, १२८
दातृयाजकः ३.१७२
दातॄन् ३.१४२
दात्यूहम् ५.१२
दात्रा ३.२३६
दानधर्मम् ४.२२७
दानप्रतिभुवि ८.१६०
दानम् १.८६, ८८, ८९, ९०; २.१३३ [१५८]; ३.२७; ४.२३४, २३७; ७.८५, २०४; १०.७५, ७९; ११.२, ६०
दानस्य ३.१७८; ७.८६
दानात् १०.९१
दानानाम् ४.२३३
दानेन ५.१०७; ११.१३९, २२७
दान्तः ४.३५, २४६; ६.८
दान्तम् ७.१४१
दान्ताः ९.१८८
दाप्यः ८.२१३
दाप्यानि ८.४०५
दाप्यौ ८.५९, १९१
दामेन ७.१९८
दाम्भिकः ३.१५९
दाम्भिकस्य ४.२११
दाम्भिकाः १२.४४
दायः ८.१८०, १९५, १९९; ९.७९; १०.११५
दायभागम् ९.१०३
दायम् ९.७७, १६४, २०३, २१७
दायात् ९.१५१
दायादाः ९.१५८, १५९, २००
दायादान् ८.१६०
दारकर्मणि ३.५, १२
दारक्रियाम् ५.१६८
दारपरिग्रहम् ९.३२६
दारलक्षणम् ८.२२७
दारवाणाम् ५.११५
दारा० १.११२; ३.१७१
दाराः ८.३५९, ४०९
दाराधीनः ९.२८
दारान् ७.२१३; ११.५
दाराणाम् ११.६१
दारु० ८.३३९

दारुणम् १२.७८
दारुणया ८.२७०
दारुणान् १२.७६
दारुपात्रम् ६.५४
दारुवत् ४.१८८
दारेषु १०.२९
दारैः ७.२१३; ९.२०३
दाश० ८.४०९
दाशानाम् ८.४०८
दासीः ८.४०८
दासः ८.२९९, ३४२, ४१६
दासजीवनम् १०.३२
दासदास्याम् ९.१७९
दासनापितौ ४.२५३
दासम् १०.३४
दासयोनयः ९.४१५
दासवर्गः ४.१८५
दासवर्गस्य ३.२४६
दासवर्गेण ४.१८०
दासेन ८.७०
दासी ९.५५; ११.१८३
दासीषु ९.४८
दास्यम् ८.४१०, ४१२, ४१३
दास्यात् ८.४१४
दास्याम् ९.१७९
दास्याय ८.४१३
दिग्दैः ७.९०
दिग्वासाः ११.२०१
दिधिषूपतिः ३.१७३
दिनम् २.१९५; ६.२२; ११.१४४
दिनर्क्षेषु ३.२७७
दिवम् १.१३; ४.१५९; ११.२४०
दिवा ४.५०, १०२, १०६; ६.१९, ८.२३०; १०.५५; ११.११०, १७४
दिवाकीर्तिम् ५.८५
दिवाकृतम् २.७७ [१०२]
दिवाचरेभ्यः ३.९०
दिवानिशम् ७.४४; ९.२
दिवारात्रम् ५.८०
दिवास्वप्नः ७.४७
विधि २.२०७ [२३२]; ४.५९, १४२
दिवौकसः ११.२४२
दिशः १.१३; ८.५७; १२.१२१
दिशम् ७.१८९; ११.१०४
दिशाम् ३.२५८; ४.११५
दीक्षा ६.२९
दीक्षितः २.१०३ [१२८]
दीक्षितस्य ४.१३०, २१०
दीक्षिताः ८.३६०
दीनाः ९.२३८
दीपद ४.२२९
दीर्घकालम् ८.१४५
दीर्घजीविनः ९.२४६
दीर्घम् ४.२७, ७६, ७८, ९४, २३०
दीर्घवर्जान्तम् २.८ [३३]
दीर्घसंध्यत्वात् ४.९४
दीर्घस्य ८.२१६
दीर्घाध्वनि ८.४०६
दीर्घान् ७.१९३
दुःख० १.२६, ४९; १२.२८, ७७
दुःखजीविनि ११.९
दुःखभागी ४.१५७
दुःखमूलम् ४.१२
दुःखम् ४.१६०, १६७; ८.२८६; १२.१३
दुःखयोगम् ६.६४
दुःखानि १२.७४
दुःखाय ८.२८६
दुःखिता ९.२८८
दुरतिक्रमम् ११.२३८
दुरन्तानि ७.४५
दुराचारः ४.१५७
दुरात्मनः ९.७३; ११.४८
दुरात्मनाम् ८.१७४
दुरापम् ११.२३८
दुरुपसर्पिणम् ७.९
दुर्गः ७.१५७
दुर्गन्धिम् ६.७६
दुर्गम् ४.७७; ७.२९, ७४; ११.२३८
दुर्गसमाश्रितम् ७.७३
दुर्गाणि ११.४३
दुर्गात् ३.९८
दुर्गाश्रितान् ७.७३
दुर्जनसंसर्गः ९.१३
दुर्जनैः १२.७९
दुर्जयम् १२.८०
दुर्जेयाम् ६.७६
दुर्धरः ७.२८
दुर्बलम् ३.१५१
दुर्बलाः ९.६
दुर्बलान् ७.२०
दुर्बलेन्द्रियैः ३.७९
दुर्भिक्ष० ८.२२
दुर्मतेः ११.३०
दुर्योनिः १०.५९
दुर्लभः ७.२१
दुर्लभाम् ४.१३७
दुर्विवाहेषु ३.४१
दुश्चरितम् ११.२६३
दुश्चरितैः ११.४८
दूषयन् ९.२३२
दुष्करम् २.५९ [८४]; ७.५५; ११.२३८
दुष्कृतात् २.२१३ [२३८]
दुष्कृतकर्मणः ४.२४८
दुष्कृतम् ३.१९१; ४.२४०; ६.७९; ७.९४; ११.२२९
दुष्कृतांशेन ४.२०१
दुष्कृतिनाम् १२.१६
दुष्कृतीम् ३.२३०
दुष्टचेतसः ३.२२५
दुष्टवाक् ८.३८६
दुष्टसामन्तः ९.३१०
दुष्टस्य ८.३७३
दुष्येयुः ७.२४
दुस्तरम् ४.२४२; ११.२३८
दुहितरः ९.१९३
दुहितरम् ९.९८
दुहिता ४.१८५; ९.१३०
दुहितृविक्रयम् ९.९८, १००

दुहित्रा २.१९० [२.५]; ४.१८०
दूतः ३.१६३; ७.६४, ६६
दूतम् ७.६३
दूतसम्प्रेषणम् ७.१५३
दूते ७.६५
दूरतः ४.७३
दूरतरे ११.१२८
दूरस्थः २.१७७ [२०२]
दूरस्थस्य २.१७२ [१९७]
दूरात् २.१६१ [१८६]; ३.१३०; ४.१५१
दूरे ८.४२
दूरेण ८.२०३
दूषणम् २.१८८ [२।३]; ११.६१
दूषणे ९.२८६
दूषिका ५.१३५
दूषितः ६.६६
दूषितम् ५.१२५
दूषिता: ८.६४
दृढकारी ४.२४६
दृढव्रतः ११.८१
दृतेः २.७४ [९९]
दृषद्वती १.१३६ [२.१७]
दृष्टदोषाः ८.६४
दृष्ट्योः १२.१२०
दृष्टभूतात् ८.७५
दृष्टिनिपातेन ३.२४१
दृष्टिपूतम् ६.४६
देवः १.५२; ८.९२; १२.९४, ११७
देवकार्यात् ३.२०३
देवक्षत्रेषु ४.२०३
देवताः ३.५६, ७२; ११७; ४.२५१; ७.८; १२.११९
देवतागारः ९.२८०
देवतानाम् ४.१३०, १५२, १६३
देवताभ्यः ३.८४; ६.१२
देवताऽभ्यर्चनम् २.१५१ [१७६]
देवतायतनानि ८.२४८
देवत्वम् १२.४०
देवदत्ताम् ९.९५
देवदानवगन्धर्वाः ७.२३
देवदैवत्यः ४.१२४
देवदैवत्ये २.१६४ [१८९]
देवनद्योः १.१३६ [२।१७]
देवनसमाह्वयौ ९.२२२
देवनिकायान् १.३६
देवपशून् ८.२४२
देवपूर्वकम् ३.२०९
देवब्राह्मणसान्निध्ये ८.८७
देवमानवाः ३.२०१
देवयज्ञम् ४.२१
देवरः ९.६९
देवरात् ९.५९, १४७
देवराय ९.९७
देवरैः ३.५५
देवर्षिः २.१५१ [१७६]
देवर्षिपितृसेवितान् ११.२१०
देवलकान् ३.१५२
देवलके ३.१८०
देवलोकस्य ४.१८२
देववत् २.२०७ [२३२]; ५.१५४
देवस्वम् ११.२०, २६
देवाः २.१२७ [१५२]; १३१ [१५६]; ३.८०; ४.२२४; ५.१२७; ८.१६, ८५, ९६; ९.३१६; ११.२४४; १२.४९
देवानाम् १.२२, ७१; ३.१९५; ४.२०६, २५७; ९.९५; ११.८४, ९५; १२.९०
देवान् १.३६; २.१२७ [१५२]; ३.८१; ५.३२, ५२; ६.२४; ७.२९, २०१; ९.३१५
देवान्नानि ५.७
देवायतने ४.४६
देवेभ्यः ३.८५, ९०, २०१
देवैः ८.११०; ११.२९
देशः १.१३८ [२।१९], १.१३९ [२।२०], १४२ [२।२३]
देशकरलिवित् ७.६४
देशकालव्यवस्थितः ८.१५६
देशकालार्थदर्शिनः ८.१५७
देशकाली ३.१२६; ७.१०, १६; ८.१२६, १५६
देशकुलजातीनाम् ८.४६
देशदृष्टैः ८.३
देशधर्मान् १.११८
देशम् १.१३६ [२।१७]; ३.२०६; ७.६९; ८.३२, ४५, २७३
देशानाम् ९.३३१
देशान् १.१४३ [२।२४]; ९.२५१, २६६
देशान्तरस्थे ५.७८
देशे १.१३७ [२।१८]; २.१९७ [२२२]; ८.११, ५५, २३३, ३५८
देशयम् ८.५२
देहः ५.१५७; ८.१२५; १२.३
देहजैः १.१०४
देहतः ९.१३३
देहत्यागः १०.६२
देहम् १.३२; २.२२३ [२४८]; ६.२४, ४७, ७८
देहसंयता ५.१६६; ९.२९
देहात् ५.१३२; ६.४०, ६३
देहिनः १.३०; १२.४
देहिनाम् ५.४९, १०५; १२.१३, २८
देहे ४.१११; १२.२५
देहेषु ६.६५
दैत्यदानवः ३.१९६
दैत्याः १२.४८
दैवः [illegible]
दैवकर्मणि ३.७५
दैवतम् ४.३९
दैवतम् ९.३१७, ३१७, ३१९; ११.८४
दैवतैः ८.१०५
दैवतानि ४.१५३
दैवतेन ८.१०६
दैवपित्र्यातिथेयानि ३.२८

दैवम् २.३४ [५९]; ३.२८, २०३, २०४; ७.२०५
दैवमानुषम् ११.२३४
दैवमानुषे ७.२०५
दैवविधिः ५.३१
दैवात् ७.१६६
दैवाद्यन्तम् ३.२०५
दैविकम् १.७९
दैविकानाम् १.७२
दैविके १.६५, ८.४०९
दैवी ११.२३७
दैवीम् ८.१०२
दैवे १.६७; ३.७५, १२५, १२९, १४९, १६९, २४०, २५४; ७.१९७
दैवोढजः ३.३८
दैहिकानाम् ५.१३४
दोषः १.११७; ५.५६; ६.६१; १०.१०३; ८.३५१; ११.१६१
दोषगुणविद् ८.३३८
दोषम् २.६८ [९३]; ७.१७६; ८.२२५, ३५५; १२.६९, १०१
दोषवतीम् ८.२२४; ९.७३
दोषाः ६.७१; ११.२३९
दोषान् ६.७२, ९५; ८.१०१, २०५; ९.२६२; १२.१८
दोषेण ५.३; ९.२४२
दोषैः ८.७७, ३५४
दोषौ ९.२२१
दौर्बल्यम् ८.१७१
दौश्चर्म्यम् ११.४९
दौहित्रः ३.२३५; ९.१३१, १३८, १३९
दौहित्रम् ३.१४८, २३४
दौहित्रयोः ९.१३३
द्युनिशोः ४.२५
द्यूतप्रवर्तकम् ९.२२०
द्यूतपानप्रसक्तता ११.४५
द्यूतम् १.११५; २.१५४ [१७९]; ८.७; ९.२२१, २२३, २२७
द्यूतवृत्तिः ३.१६०
द्यौः ८.८६
द्रव्याणाम् ५.११५
द्रविडः १०.२२, ४४
द्रविणम् ७.१३६
द्रव्यशुद्धिषु ५.१२६
द्रव्यहस्तः ५.१४३
द्रव्याणाम् १.११३; ४.१८७; ५.११०; ९.२८६, ३३२; ११.१६४
द्रव्याणि ८.२८८, ३३३
द्रव्ये ११.८
द्रव्येषु १२.५
द्रव्य० ८.४१७; १२.७९
द्रव्यवान् ११.५
द्रव्यम् ५.१४३; ८.३१, ३४, १४८, २२२; ९.२०९; ११.१२
द्रव्यवृद्धौ ९.३३३
द्रव्यशुद्धिः ५.१४६
द्रव्यशुद्धिम् ५.५७
द्रुतम् ९.२७२
द्रुमः ९.२५५
द्रुमांसमधुसमर्पिषाम् ७.१३१
द्रुमाणाम् ११.६४
द्रुमान् १२.१०१
द्रोहः ७.४८
द्रोहभावम् ९.१७
द्रुह्य० ६.८१
द्रुह्यैः १.२६
द्वादश्याम् २.५ [३०]
द्वादशाहम् ११.२१५
द्वादशाहेन ५.८३
द्वादशे २.११ [३६]
द्वापरम् ९.३०१, ३०२.
द्वापरे १.८५, ८६
द्वाराणाम् ९.२८९
द्वारि ३.८८
द्विकम् ८.१४१,१४२
द्विगुणः ८.३२९, ३७३
द्विगुणम् ५.१३७; ७.८५; ८.५९, १३९, २६९, ३९३
द्विगुणाः ८.३३८
द्विजः १.३३; १०८, १३० [२.११]; २.२८ [५३], ३८ [६३], ५४ [७९], ८३ [१०८], ११५ [१४०], १३९ [१६४], १४२ [१६७], १४३ [१६८], १५६ [१८१]; ३.४, ८३, ९५, १४०, १८८, २१२; ४.१, १३, २६, २७, ५१, ९६, १००, ११०, ११५, ११७, १२७, १२८, १९०, १९६, २२३; ५.१९, ३३, ४२, ४३; ६.१, ३७, ८५, ९४; ८.३४१; ११.८, २८, ३२, ९०, १०१, १०२, १३९, १५४, १५७, १५९, १६९, १७४, १७८, १९८, २११, २१३, २५६; १२.९२, ९३, ११३, १२६
द्विजकर्मणः २.७८ [१०३]
द्विजग्रहिणः १०.४१
द्विजन्मनः ३.२८२; ५.९२; ११.१२०
द्विजन्मना २.१४० [१६५]
द्विजन्मनाम् १.२ [२६]; ८.४१०; ९.१५६; १०.१४, ९९
द्विजम् ३.१३८; ५.१०१; ११.८९
द्विजसिद्धिङ्गनः ९.२२४
द्विजस्य २.१४४ [१६९]
द्विजाः ३.१३४; ८.६८; ९.८५; ११.११७, १९२
द्विजाग्रेभ्यः ११.३
द्विजाग्र्या ३.२५५
द्विजाग्र्यार्चा ३.७४
द्विजाग्र्याणाम् ३.३५
द्विजाग्र्यान् ३.१८३
द्विजात् ६.४०
द्विजातयः १.१४३ [२.२४] ३.१५, २३६; ८.३११; १०.१, ४, २०, १००; ११.१५०, २२६
द्विजातिः ४.१६५; ५.१६७
द्विजातिप्रवरः ३.१६७

द्विजातिभिः ५.२५; ८.४६, ३४८; ९.६४
द्विजातिमुख्यवृत्तीनाम् ३.२८६
द्विजातीनाम् २.१० [३५], ४३ [६८]; ३.५, १२, २०३; ५.५, २६; ८.२६९, ३४८, ३९०; ११.१५१
द्विजातीन् ८.२७०
द्विजातेः ३.२४७
द्विजाद्यमान् ३.१६७
द्विजानाम् २.२ [२७]; ४.८; ८.६८; १०.४६; ११.१९१
द्विजान् ३.१८९, २३९; ४.५२; ८.८७, ४१२
द्विजे ३.१८१; ४.१६९, १९२; ८.३९२
द्विजेभ्यः ८.३८
द्विजेषु ६.२७
द्विजैः ३.१४१, १७०, २५३; ६.९१; ९.६६; १०.६
द्विजोच्छिष्टम् ५.१४०
द्विजोत्तमः २.२४ [४९], १४१ [१६६]; ३.१९०, २८३; ४.४४; ५.२१, १०८; ११.३४, १२७, १२९, १३३, १६२
द्विजोत्तमाः ३.१२४; ५.१००
द्विजोत्तमान् ३.२१३; ४.१५३; ८.७३
द्विजोत्तमैः ३.१८३; ११.९४
द्विट् ९.२३२
द्विधा ७.१७३
द्विषैः ७.१९२
द्विमासादिः ८.४०७
द्विलक्षणः ७.१६३
द्विविधः ७.१६२, १६४, १६८
द्विविधम् ७.१६२, १६५, १६६, १६७
द्विविधान् ९.२५६
द्विशफैक० ११.१६८
द्विषत् ४.२१६
द्विषता ३.१४४
द्विषन्त्याः ९.७९
द्विषन्तीम् ९.७७
द्विहायनाम् ११.१३४
द्वेषः १.१२० [२.१]; ६.६०
द्वेषम् ४.१६३
द्वेषेण ८.२२५
द्वैगुण्यम् ८.१५१
द्वैजातम् ८.३७४
द्वैधम् ७.१६१, १६७
द्वैधीभावम् ७.१६०
द्व्यधिके २.४० [६५]
द्व्येकान्तरासु १०.७
धन० ८.३४७; ९.२४६
धनचौर्यजि ११.१६२
धनजातानाम् ९.११४
धनदण्डम् ८.१२९
धनधान्यतः २.१३० [१५५]; ३.६
धनधान्येन ७.७५
धनम् ४.३३, १५६, १७०, १९३; ७.९६, २१३; ८.४०, ५०, १२५, १७६, २०१ २०२, २१२, ३२०, ३४०, ४१६; ९.१०५, ११३, १३०, १३१, १३५, १३६, १५५, १८७, १९५, १९७, २०४, २०५, २०६, २०७, २१४, २१६, २१७, २४३, ३१६, ३२३; १०.५१, १२९; ११.२०, २४, ७६, १८५, १९३
धनसंचयः १०.१२९
धनसंचयम् ४.३
धनसंगृहीतम् २.६ [३१]; ९.२३६
धनस्य ८.१९६
धनवन्तः ३.४०
धनवन्तम् ३.२६३
धनात् ९.१६४, १९३
धनादानम् ११.६९
धनानि ७.७९; ११.६
धनार्थिनः ५.३४
धनिकम् ८.१७६
धनिकस्य ८.४७, ५१
धनिकाय ८.१७७
धनिनम् १०.१२१
धनिनि ८.१७९
धनिभिः ८.६१
धनी ८.१४७
धनुःशतम् ८.२३७
धनुःशराणाम् ३.१६०
धनुर्धरः ७.७४
धने ९.१९१, २१८; १०.११३
धनेन ११.३४
धनैः ३.१३८; ४.२२६; ७.२१३, २१३
धनैश्वर्यम् ७.४२
धनैषिणा ८.६०
धनोत्पन्ना ९.२३१
धन्यन्तरये ३.८५
धन्यम् ३.१०६
धन्यानि ४.१९
धन्यवर्गम् ७.७०
धयन्तीम् ४.५९
धरजम् ८.१३५, १३६
धरजानि ८.१३७
धरा ६.२६; ९.३११
धरिममेयानाम् ८.३२१
धर्मः १.२६, २९, ८१, ८२, ९८, ९९, १०७, १०८, १२० [२.१], १२६ [२.७], १२९ [२.१०]; २.१९९ [२२४], २१२ [२३७] २१५ [२४०]; ३.२७, २९, ३१, २६५; ४.१३८, २३९, २४१; ५.४४, १५८; ६.८६, ९१, ९२, ९७, १४४; ८.६, ७, १२, १४, १५, १६, १७, ७४, ८३, ८६, २१८, २६६, ३४८, ३८१; ९.५५, ९६, १०१, १०३, १११, ११७, १२०, १७९, १८८, २४९, ३३४, १०.६८, ७९, १०६, १०८, १२७; ११.१५; १२.१, ३१, ३८, ५०, १०६, १०८, ११२, ११३

धर्मकाम्यया ९.११
धर्मकामार्थकोविदम् ७.२६
धर्मकामार्थान् ७.१५१
धर्मकारणम् ६.६६
धर्मकार्यम् ९.८६
धर्मकार्याणि ९.२८
धर्मकार्यार्थम् ९.७६
धर्मक्रिया १२.३१, ८३
धर्मजः ९.१०७
धर्मजीवनः ९.२७३
धर्मज्ञम् ७.१४१, २०९
धर्मज्ञाः १०.१२७; ११.१२०
धर्मज्ञानम् १.१३२ [२।१३]
धर्मज्ञे ८.१७९
धर्मतः १.९३; २.१० [३५], २० [४५], ८४ [१०९]; ३.२९, १३१, २४८; ४.८; ६.३६; ८.५८, १०३; ९.६१, १०८, १२१, १३३, १४५, १५४, २३३; १०.१०२; ११.१९०; १२.२३
धर्मतत्त्वतः ८.२२९
धर्मध्वजी ४.१९५
धर्मनिश्चये ८.९४
धर्मनैपुण्यकामानाम् ४.१०७
धर्मनैपुण्यम् १०..८५
धर्मपत्नी ३.२६२
धर्मप्रतिरूपकः ११.९
धर्मप्रधानम् ४.२४३
धर्मप्रवक्ता ८.२०
धर्मपाठकः १२.१११
धर्मभिक्षुकान् ११.२
धर्मम् १.११४, ११५, १२८ [२।९], १३२ [२।१३], २.१२९ [१५४], १३४ [१५९], १९२, [२१७], २०४ [२२९], २१३, [२३८], ३.२८, ३०; ४.८०, ८१, १४७, १७६, २३८, २४२, ६.६६, ९४, ९७; ७.१३, १८, ८७, ९३, १३६; ८.८, १६, ३३, ५८, १४१, २१८, ३९०, ९.६, ७, ४६, ५६, ६४, १०.५३, ६३, १०१; ११.२८; १२.१९, २०, २१, १०६, ११०, ११३, ११५
धर्ममूलम् १.१२५ [२।६]; ४.१५५
धर्मराट् ७.७
धर्मवर्जितौ ४.१७६
धर्मवित् २.३६ [६१], १०३, [१२८], २२० [२४५], ३.१४९; ४.१९२; ५.१६७; ८.४१, २६५; ९.१५२; ११.३१
धर्मविधिः १०.१३१
धर्मविधिम् ११.२६६
धर्मविवेचनम् ८.२१
धर्मशास्त्रम् १.१२९ [२।१०]
धर्मशास्त्राणि ३.२३२
धर्मशुद्धिम् १२.१०५
धर्मषड्भागः ८.३०४
धर्मषड्भागम् ११.२३
धर्मसमयात् ९.२७३
धर्मसिद्ध्यर्थम् ७.१०
धर्मस्थः ८.५७
धर्मस्य १.९८, ११०, १३१ [२।१२], १४४ [२।२५], ४.१९८; ६.९३; ७.१७; ८.४४, १२२, १८४; ११.८३, १२.५२, ११७
धर्माः १.८५; २.२०९ [२३४]; १०.७७
धर्मात् १.२; ७.२८, ९८; ८.१६४; ९. २७३; १०.१२६ १२.७१, ७२
धर्मात्मजम् ७.१४
धर्मात्मा २.१२; ५.३
धर्माधर्मौ ८.२४
धर्मान् १.११८, १४४ [२।२५]; ५.१, १४६; ८.४१; ९.१; १०.७८
धर्माय ९.१२९
धर्मार्थ० ६.१२९
धर्मार्थम् ७.७९; ८.७८, २१२; १०.९०, ११७
धर्मार्थौ २.८७ [११२], २.१९९ [२२४]; ४.९२
धर्मासनम् ८.२३
धर्मिष्ठा ३.४०
धर्मे ७.३५; ८.२२८; ९.१, ११, १८, ९४; १०.१२६; १२.२३
धर्मेण ३.१७३; ४.१७१, १७५, २४२; ७.१४४; ८.४९, १७५, २६१, ३०६, ३३३, ३४९; ९.१२१; १०.८१; १२.१०९
धर्मेप्सवः १०.१२७
धर्मेषु १२.१०८
धर्मोपदेशम् ८.२७२
धर्मौ १.१३३ [२।१४]
धर्म्यः ३.२२
धर्म्यम् ४.१८७; ९.१५२, २३६; १०.७, ११९
धर्म्या ३.२५; ८.२१४; ९.१११; १०.११५
धर्म्याणि ९.२५१
धर्म्यान् ३.२३; ७.२०३
धर्म्याम् ७.१३५; ११.२२
धर्म्यौ ३.२६
धाता १०.७३
धातूनाम् ६.७१; ८.३९
धात्रा ५.३०
धानाः ४.२५०
धान्यकुप्य० ११.६६
धान्यचौरः ११.५०
धान्यदः ४.२३२
धान्यद्रोणः ७.१२६
धान्यम् २.२२१ [२४६], ७.९६, ११०; ८.२३८, ३२०, १०.११४; १२.६३
धान्यवत् ५.११९
धान्यवाससाम् ५.११८
धान्यानाम् ७.१३०; १०. १२५
धान्यान्न० १२.१६२
धान्ये ८.१५१, ३३०; १०.१२०

धान्येन १०.९४
धान्येषु ८.३३१
धारणा ४.३८; ८.१८४, २४१, २८५, ३३६; ९.१२४, २०५
धारणात् १.९३; १०.३
धारणाभिः ६.७२
धारिभ्यः १२.१०३
धार्मिकः २.८४ [१०९]; ८.२९, १२३, २२१, २४४, ९.२७०
धार्मिकम् ३.२६३; ७.१७४; ११.२१
धार्मिकान् ४.१५३; ७.२०१
धार्मिके ११.११
धार्मिकैः ८.४६
धिग्बलः १०.१५
धिग्बलानाम् १०.४९
धीः ६.९२ ; १२.१२२
धीमता ७.३१
धीमान् १.१०२
धुर्यैः ४.६७
धृतिः ६.९२; १०.११६
धृतिमन्तम् ७.२१०
धृतिम् ५.४७
धेनुः ८.१४६
धेनून् ११.१३७
ध्मायमानानाम् ६.७१
ध्यानम् १२.५
ध्यानयोगेन ६.७३, ७९
ध्यानात् १.१२
ध्यानिकम् ६.८२
ध्यानेन ६.७२
ध्यायान् ३.२२४
ध्रियमाणे ३.२२०
ध्रुवम् ३.६०: ७.१६९, १८३, २०८; १२.१६
ध्वजः ४.८५
ध्वजम् ११.७२
ध्वजाहृतः ८.४१५
ध्वजी ११.९२
नकुलः ४.१२६; १२.६२
नक्तञ्चारिभ्यः ३.९०
नग्नाः १.४४
नक्षत्र ६.५०
नक्षत्राणाम् ७.१२१
नक्षत्राणि १.२४; १२.४८
नक्षत्रे २.५ [३०]
नक्षत्रैः ३.१६२
नखाः ४.३५; ६.५२
नखखादी ४.७१
नखलोमानि ४.६९
नखविक्किरान् ५.१३
नखाग्रेभ्यः २.१४२ [१६७]
नखानि ६.६
नखान् ४.६९
नगरस्य ८.२३७
नगरी ४.२१३
नगरे ७.१२१
नगरेषु ४.१०७; १०.५४
नग्नः ४.५४, ७५; ८.९३
नग्नम् ७.९२
नग्नाम् ४.५३
नटः १०.२२
नटाः १२.४५
नतमंह ११.२५१
नदाः ६.९०
नदी ५.१०८; ६.७८, ९०
नदीतीरम् ४.४७
नदीतीरेषु ३.१०७; ८.४०६
नदीनाम् ८.३५६
नदीम् ४.७७, ९०
नदीषु ४.२०३
नप्तृषु ४.१७३
नभसः ४.३७
नमः ११.२५६
नमस्कार० ९.२३९
नयः ७.१८०
नयेन ७.२५९
नरः १.१०; २.७३ [९८], १९३ [२१८]; ३.५१, २४९; ४.१६७, १७०, २५६; ७.२२; ८.२३, १९३, २१९, ३६४; ९.१२, ७४,७६,२२८, २८७; १०.११, ४४, ६०, २२८; १२.६८
नरकम् २.९१ [११६]; ३.१७२; ४.८८, २३५; ८.९४, १२८, ३०७, ३१३; ११.१५६, २०६
नरकात् ९.१३८
नरकान् ४.८७; १२.५४
नरके ४.१६५; ११.३७, २०७
नरकेषु १२.७५
नरदेवसमागमे ११.८२
नरम् ७.९; ८.३४४; १०.५७
नररूपेण ७.८
नरस्य ४.४१
नराः १.९६; ९.२३५; ११.४८; १२.५२
नराणाम् २.१८८ [२१३]; ३.९७
नराधमः १०.२६
नराधिपः ७.१३; ८.७३, १७४
नरान् ७.१९३
नराश्वरजतस्य ११.५७
नराश्वोष्ट्रवराहैः ११.१९९
नरेन्द्राः ९.२५३
नरेषु १.९६; ७.१६
नरैः ३.५९
नर्तनम् २.१५३ [१७८]
नर्मवृक्षनदीनाम्नीम् ३.९
नव ४.२७; ११.२
नवतेः ३.१७७
नवतस्येष्ट्या ४.२७, २७
नवान्नाभिषवार्द्धिनः ४.२८
नवेन ४.२८
नष्टम् ३.१८०; ८.२३२
नष्टस्य ८.३२
नहुषः ७.४१
नागान् १.३७
नानाकर्म ९.२६७
नानापण्योपजीविनः ९.२५७
नानारूपाणि ९.३८
नानाविधानाम् ५.११०
नानाविधैः ११.१०७
नानास्त्रीषु ९.१४८

नाजिम् ४.१४३
नाजिवर्धनात् २.४ [२९]
नाभेः १.९२; ५. १३२
नाम २.६७ [१२२], १३२, [१५७], १७४ [१९९], ३.१२१, १२७, १९७, २२१; ४.८१; ५.१५७; ६.६७; ८.३३५; १०.८, ९, १५; ११. ४७, २१५
नामजातिग्रहम् ८.२७१
नामतः ८.२५५
नामधेयम् २.५ [३०]
नामधेयस्य २.९८ [१२३] ११.४८; १२.५२
नामा २.९७ [१२२]
नामानि १.२१
नाम्नः २.९९ [१२४], १०० [१२५]; ९.१३८; १०.१४
नाम्ना २.१०३ [१२८]; ९.१७२
नाम्नाम् २.९९ [१२४]
नाम्नि ५.७०
नारदम् १.३५
नारम् ५.८७
नाराः १.१०
नारायणः १.१०
नारिम् ३.१३८
नारी १.३२; ३.५२; ५.१६६; ८.३६२; ९.३३, ६४, ८३; ११.१३८
नारीणाम् २.१८८ [२१३]; ८.३२३
नारीम् ४.४१
नारीषु १०.३५
नारीसम्भूषणानि ९.१३
नार्यः ३.५६
नार्याम् ९.१४४; १०.६७
नाशम् ४.१२०
नाशि ८.४०८
नाशम् ८.१७; १२.७९
नाष्टिकः ८.२०२
नासा ८.१२५
नासान्तिकः २.२१ [४६]
नासिक्य २.६५ [९०]
नास्तिकम् ८.३०९
नास्तिकवृत्तयः ३.१५०
नास्तिक्यम् ४.१६३; ११.६६; १२.३३
नास्तिक्येन ३.६५
नास्तिकाक्रान्तम् ८.२२
नास्तिकः १.१३० [२.११]
निःशाखे ७.१४७
निःश्रेयसम् १.१०६, ११७; ११.२६६
निःश्रेयस्करम् १२.८२, ८३, १०४, १०६
निःस्नेहम् ५.८७
निःस्वान् ९.२३१
निःस्वेभ्यः २.११
निकेतनः ६.२६
निक्षेपः ८.४, १४९, १८५, १९४
निक्षेपम् ८.१७९, १८१, १९१; ११.८८
निक्षेपस्य ८.१९०, १९२, १९६; ११.५७
निक्षेपेषु ८.१८८
निक्षेप्तुः ८.१८१, १८६
निखिलम् १.१२७ [२.८]
निगडस्य ४.२१०
निगमान् ४.१९
निगमेषु ९.१९
निगूढ० ७.६७
निगूढचारिणः ९.२६०
निगूढाः ८.३६२
निग्रहः ६.९२; ८.३८७, ४०९; १२.३१
निग्रहम् ७.१७५
निग्रहात् ८.३०२
निग्रहे ८.३०२
निग्रहेण ८.३११
निघ्ने ८.१७
निधानस्य ८.३६
निधिः ७.८२, ८३
निधिम् ८.३५, ३७, ३८
निधिपाय २.९० [११५]
निधिनाम् ८.३९
निन्दकः २.१७६ [२०१]
निन्दा २.१७५ [२००]; ८.१९
निन्दाम् ५.१६१
निन्दितः ३.१६५
निन्दिता ३.४२, ४७
निन्दितान्न० ११.६४
निन्दितेभ्यः ११.६९
निन्दितैः ३.४२; १०.४६
निन्द्या ५.१६३
निन्द्याम् ३.४२
निन्द्यासु ३.५०
निन्द्यैः ११.५३
निपातेन ११.२०८
निपातकर्तुः ४.२०१
निषीदिता ७.२३
निपुणम् ५.६१
निपुणाः ९.२५९
निपुणैः ९.२६७
निमित्तम् १०.१११
निमित्ताभ्याम् ६.५०
निमित्ते ११.८०
निमन्त्रिताम् ३.१८९
निमिः ७.४१
निमेषा १.६४
निम्नगा ९.२२
नियतः २.७९ [१०४], ८२ [१०७], ३.२५८; ४.९८; ५.४४; ६.१, ४, ५२, ८६, ९५; ७.२१८; ११.१११, १२८
नियतब्रह्मचारिणम् २.९० [११५]
नियतम् ८.२२७
नियता ४ २५६; ५.१५८
नियतात् ८.१६४
नियतात्मनाम् ६.८६
नियतात्मा ३.१८८; ११.२१८
नियताहारा ११.७७
नियतेन्द्रियः १ .१०६, १०९
नियती ८.४१९

नियमस्य १०.३
नियमाः २.७२ [९७]
नियमान् २.१५० [१७५], २०४
नियमाय ८.१२२
नियमैः ३.१९३
नियमम् ९.७५
नियम्य २.१६० [१८५], १६७ [१९२]
नियुक्तया ९.५९
नियुक्ताः ९.२३१
नियुक्तायाम् ३.१७३; ९.१४४, १४५, १६७
नियुक्ती ५.१६; ९.५८, ६३
नियुञ्जानाः ९.६४
नियोगः ९.६५
नियोगात् १.४१
नियोगार्थे ९.६२
निरन्वयः ८.१९८
निरन्वयम् ८.३३२
निरन्वये ८.३३१
निरपेक्षः ६.४१, ४९
निरये ६.६१
निरस्य ५.६३
निराकृतिः ३.१५४
निरादिष्टः ८.१६२
निरादिष्टधनः ८.१६२
निराभिषः ६.४९
निरायुधम् ७.९२
निरिन्द्रियाः ९.१८, २०१
निरोधतः ८.३७५
निरोधनेन ८.३१०
निरोधेन ६.६०
निर्ऋतिम् ११.११८
निर्णयम् ८.४०१
निर्यति० १.३८
निर्यति ४.१०५
निर्जिताम् ८.१५४
निर्णयः ८.३०१, ४०९; ९.२५०; ११.२६६
निर्णयम् २.१२; ५.११०; ८.२७८
निर्णये १२.११२
निर्णिक्तम् ५.१२७
निर्णेकः ५.११३
निर्णेजकस्य ४.२१९
निर्दयाः ९.२३९
निर्दशम् ५.७७
निर्दाता ७.११०
निर्दिष्टफलभोक्तता ७.१४४
निर्देशम् ६.४५
निर्धनम् १०.९६
निर्नमस्काराः ९.२३९
निर्भयम् ९.२५५
निर्भये १.१३
निर्मितम् ९.४६
निर्मलः ११.२५०
निर्मलाः ८.३१८
निर्लेपम् ५.११२
निर्वपणम् ३.२६०
निर्विशङ्कम् ७.१७६
निर्वृतचूडकर्मणाम् ५.६७
निर्वृत्तिम् १२.१
निर्व्रणानि ६.५३
निर्हारम् ९.१९९
निशः ९.६९
निशाम् २.२५ [५०]
नित्य० ४.१०७
नित्यकालम् २.३३ [५८], २.४८ [७३]
नित्यम् ६.८
नित्ययुक्तः ३.७५; ९.३२६
नित्या २.१८१ [२०६]
नित्यानाम् ११.२०३
नित्यशः २.७१ [९६], ४.१५०; ७.३९; १०.५२, १२.७७
निवर्शनम् ९.२०
निवेशे २.१७२ [१९७]
निघ्नम् ५.४०
निवृत्त्या ११.२३०
निवृत्तिः ५.५६
निवृत्तेः ९.६२
निविष्टदेशः ९.२५२
निविष्टानाम् ७.३५
निवीती २.३८ [६३]
निशान्ते ४.९९
निशायाम् ११.२२३
निशि ९.६०, ११.९२, ११८
निश्चयः १०.१, ६७; ११.४७
निश्चयम् ८.२५५
निश्चयसंयुतम् ११.४७
निश्चलन्दः ३.७
निश्वासोपहतस्य ३.१९
निषादः १०.८, ३४
निषादस्त्री १०.३९
निषादस्य ४.२१५
निषादात् १०.१८, ३६
निषादानाम् १०.४८
निषादेन १०.३७
निषिद्धः ८.३६१
निषिद्धाम् १०.१८
निषेकादिः २.१३५ [२.१६] २.१ [२.२६]
निषेकादीनि २.११७ [२४२]
निष्कः ८.१३७, २८४
निष्क्रमणः २.९ [३४]
निष्क्रयविसर्गाभ्याम् ९.४६
निष्क्रयाद्यता १०.५८
निष्क्रयम् ८.२२०
निष्क्रयम् १२.८९
निष्क्रयात् ८.२८
निष्कृतिः २.२०२ [२२७]; ३.१९; ८.१५०, २१३; ११.८९, ९८, १७९
निष्कृतिम् ८.१०५
निष्कृतीः ९.१९; ११.१७९
निष्कृत्यर्थम् ३.६९; ११.२७
निष्ठा ८.२२७; १२.९५
निष्ठुरता १०.५८
निष्पुरुषम् ३.७
निष्फलः ४.१७३
निष्फलम् ३.१४४; ४.७०; १०.१२३
निष्फलाः १२.९५, ९६
निसर्गः ८.१४३
निसर्गजम् ८.४१४; ९.१६
निसृष्टः ८.४१४

निहन्ता ५.५१
निह्नवः ९.२१
नीचम् २.१७३ [१९८]
नीतिज्ञः ७.१७७
नीलान् ११.१३६
नीलिम् १०.८९
नीहारे ४.११३
नृणानाम् ५.६७
नृणाम् १.८५; २.२२ [४७], २०२ [२२७], ३.१२, ४२, २६७; ५.१३५; ६.६१; ७.८१, १४१; ८.८, २५, ८४, १७८, २२६, २४९, २६३, ३१२; ९.१५८, ३३२; १०.१२, १६; १२.१६
नृतम् २.१५४ [१७९]
नृवुर्णम् ७.७०
नृपः १.७; ४.८५; ५.९६; ७.५, ३९, ७३, ११०, १२८, २१२; ८.३३, १२३, १६९, २२४, २८२, ३०२, ३०३, ३९०, ३९८, ३९९, ४०२; ९.१८९, २३१, २४३, २४८, २६६, २६९, २७०, २७६, ३०३, ३०९; १०.५६
नृपतिः ८.९, ३०, ४४, ६५, २३८; ९.२२२, २३०, २३४
नृपतेः ७.३३, ३४; ८.२०; ९.२२८, २४९; १०.१०
नृपती ७.६५
नृपब्राह्मणसान्निधौ ८.६०
नृपमानभाक् २.११४ [१३९]
नृपम् ७.२८, १७४; ८.३०९
नृपाः ८.३११
नृपाणाम् ७.८२
नृपे ८.११०, १७६
नृपेण ८.५९
नृभिः ४.६१; ७.६१
नृयज्ञः ३.७०
नृयज्ञम् ४.२१
नृशंसस्य ४.२१६
नृशंसा ३.४१
नृषु ७.८०; ८.३३४
नृषु ३.८१; ८.३५२; १०.३३
नेजकः ८.३९६
नेता ७.१७, २५
नेतृत्वम् १२.१००
नेत्रचपलः ४.१७७
नेत्रवक्त्रविकारैः ८.२६
नेत्रे ४.४४
नेनिज्यात् ८.३९६
नैः श्रेयसम् १२.१०७
नैः श्रेयसः ९.३३४
नैः श्रेयसिकम् १२.८८
नैत्यकम् २.७९ [१०४] ९.८६
नैत्यके २.८० [१०५], ८१ [१०६]
नैरुक्तः १२.१११
नैर्ऋतीम् ११.१०४
नैवार्हः ९.१४४
नैशम् २.७७ [१०२]
नैशिकी ५.६७
नैष्कृतिकः ४.१९६
नैस्नेह्यात् ९.१५
नौ ७.१९२
नौकर्मजीविनम् १०.३४
नौयायिनाम् ८.४०९
न्यग्रोधः ८.२४६
न्यस्तशस्त्राः ३.१९२
न्यायतः ७.३०; ८.२०१
न्यायम् १.१
न्यायवर्तिनाम् ५.१४०
न्यायवृत्तः ७.३२
न्यायैः ८.३१०
न्याय्यम् २.१२७ [१५२]; ९.२०२
न्यासधारिणम् ८.१९६
न्यूनम् ८.२०३
पचित० १२.१२०
पचितम् ३.६७
पचतानाम् ८.३२९
पचान्नम् ४.२३३
पक्षः ३.२८७
पक्षयोः १.६६
पक्षजातेन ३.२४१
पक्षान्तयोः ६.२०
पक्षि० १२.९
पक्षिगन्धौषधीनाम् ११.१६८
पक्षिजग्धम् ५.१२५
पक्षिणः १.४४; ५.४०
पक्षिणाम् ३.१६२; ८.३२८; १२.५५, ५६
पक्षिणीम् ४.९७; ५.८१
पक्षी ३.९
पक्षे ८.४०२
पङ्क्तिपावनाः ३.१८४, १८६
पङ्क्तिपावनान् ३.१८३
पङ्क्तिम् १.१०५
पङ्क्तौ ४.११५
पङ्कलग्नाम् ११.११२
पङ्केन ४.१९१; ८.२१
पङ्क्तेन १०.१०४
पङ्क्तौ ११.५१
पञ्चकम् ८.१३९, १५२
पञ्चकुलानि ७.११९
पञ्चकृष्णलः ८.३३०
पञ्चकृष्णलकः ८.१३४
पञ्चगव्यम् ११.१६५
पञ्चगुणः ८.२८९
पञ्चतपाः ५.२३
पञ्चदशाहेन ५.८३
पञ्चनखान् ५.१७
पञ्चनखेषु ५.१८
पञ्चभिः २.१८ [४३]
पञ्चमहायज्ञान् ३.७१
पञ्चमासिकः ८.२९८
पञ्चमे १२.२ [३७]
पञ्चयज्ञविधानम् ३.६७
पञ्चयज्ञान् ३.७३; ५.१६९
पञ्चरात्रम् ११.१४७
पञ्चरात्रे ८.४०२
पञ्चवर्गम् ७.१५४
पञ्चाग्निः ३.१८५
पञ्चाग्नीन् ३.१००
पञ्चाख्यम् २.१०९ [१३४]
पञ्चालाः १.१३८ [२.१९].

पञ्चालान् ७.१९३
पणः ७.१२६; ८.१३६
पणम् ८.२४१, ४०४
पणानाम् ८.१३८
पण्डिताः ७.१०९
पण्ययोषितः ९.२५९
पण्ये ५.१२९
पण्यानाम् ९.३३१; १०.९३
पतङ्गाः ११.२४०
पतङ्गानाम् १२.५६
पतङ्गान ९.४०
पतगोरगाः ७.२३
पतत्रिणा ४.२०८
पतिः ५.१५३, १५४; ९.८ ६९, ७७, ९५
पतितम् ५.८५; ९.७९
पतितस्य ११.१८२
पतितानाम् ३.९२
पतितान्नम् ४.२१३
पतितासु ११.१८८
पतितेन ११.१८०, १८१
पतितैः ३.१५७; ४.७९; ११.१७९
पतितौ ९.५८, ६३
पतिभिः ३.५५
पतिम् ५.१५५, १६३, १६५; ९.२९, ९०
पतिलोकम् ५.१५६, १६६
पतिलोकवृत् ५.१६१
पतिव्रता ३.२६२
पतिव्रतासु ८.२८
पतिसेवा २.४२
पतीनू १.३४
पत्न्याः ८.३५४; ९.९६
पत्न्याम् ५.८०
पत्नी ३.१२१
पत्नीषु १०.५
पत्या ९.१३, १७५, १९५
पत्यौ ३.१७४; ५.१५७, ८.३१७; ९.१९५, २००
पत्रम् ९.२१९
पत्रशाकतृणानाम् ७.१३२
पत्रशाकम् १२.६५
पदम् ६.७५; ८.४४; १२.१२५
पदा ४.२०७; ११.४३, १८३
पदानि ८.७
पदे ८.२२७
पद्भ् १.८७
पद्मा ७.११
पद्मेन ७.१८८
पथम् १.९०
पथा ३.९३
पथि ४.४५; ८.२२८, २४०, २.९५; ९.२७४; १०.१०१
पन्था २.११३ [१३८]
पन्थानम् ४.९०; ८.२७५
पयः २.८२ [१०७]; ३.८२, २२६, २५७; ४.२५०; ५.८; ११.९१, १३२, १४७, १६८, १९४; १२.६२
पयसः ५.२५
पयसा ३.२७१
पयस्विनीम् ११.१३७
पयोव्रतः ११.१४४
परः १.२०, १४२ [२।२३], २१२ [२३७]; ४.८; ५.३२; ७.१०५, १४४; ९.१०१, ३१२, ३३४; १२.७८, ११३
परकीयनिषदनेषु ४.२०१
परक्षेत्रप्रवापिणः ९.४९, ५१
परक्षेत्रात् ८.३४१
परक्षेत्रे ३.१७५
परजने ११.९
परत्र ३.२७५; ४.१९३; ५.१६६; ११.२८
परत्राणि ८.१२७
परदाराः ८.३५२; १२.७
परदारेषु ११.१७६
परद्रोहकर्मधीः २.१३६ [१६१]; ४.१७७
परदारेषु ३.१७४
परदारोपसेवनम् ४.१३४
परद्रव्य ९.२५६
परद्रव्यम् ८.१९३; १२.६८
परद्रव्येण १०.९७
परपत्नी २.१०४ [१२९]
परपरिग्रहे ९.४२, ४३
परपाकम् ३.१०४
परपूर्वा ५.१६३
परपूर्वापतिः ३.१६६
परबलानाम् ७.१७४
परमः १.१०८; ६.९६
परमम् १.१३२ [२।१३]; २.१४२ [१६७], १६९ [१९४]; ४.१२; ६.७०; ७.५८; ८.३०२; ९.१६, ३१९; १२.११७
परमांसेन ५.५२
परमा ७.१
परमात्मनः ६.६५
परमाम् ४.१४; ६.८८, ९३, ९६; ८.४२०; १०.१३०; १२.११६
परमेष्ठी १.८०; २.५२ [७७]
परयोषिति ९.४१
परराजधिकीर्षितम् ७.६८
परस्त्रियम् ८.३५६
परस्त्रियः ८.३६१
परस्परविरुद्धानाम् ७.१५२
परस्य २.१५३ [१७८], १५४ [१७९]; ४.१३३, १६४; ५.१५७; ७.१०५, १७१; ८.१५४, १९७; १२.६०
परस्वादायिनः ७.१२३
परलोक० ४.२३८
परलोकम् ४.२४३
परलोके ५.१५३
परवशम् ४.१५९, १६०
परवशितम् ९.२९८
परा ३.२५२
पराकः ११.२१५
पराक्रमः १.५१
पराक्रमे ७.११
पराकैः ११.२५८
पराङ्गमुखः ३.१७० [१९५]; १०.११९
पराङ्गमुखस्य २.१७२ [१९७]

पराजयः ७.१९९
पराधीनम् १०.५४
पराधीनाम् १०.८३
परान् ३.३७; ५.१४२; ११.५
परम् ८.१०५; ९.३१३; १२.१
परार्थे ८.१६९
परावरान् १.१०५; ३.३८
परावृत्तः ७.९४
परावृत्तम् ७.९३
परावृत्तहतस्य ७.९५
परिकीर्तनात् ४.२३७
परिकीर्तितः १.९२
परिक्षये ९.५९
परिक्षीणः ७.१७२; ८.१७०
परिखाः ७.१९६
परिखाणाम् ९.२८९
परिग्रहः ११.१३
परिग्रहम् १०.१२४;११.१९६
परिच्छदम् ६.२, ४
परिच्छदाः १०.१२५
परिचारकैः ७.२१७
परिजाह्यस्य ९.११
परितुष्टेन ४.२२७
परितोषः ४.१६१
परित्राजे ८.३४९
परिध्वंसात् १०.६१
परिपन्थिनः ७.१०७, ११०
परिपालनम् ९.२७
परिपूतेषु ८.३३१
परिपूर्णम् ९.३०९
परिप्लवजम् ९.२८३
परिभोक्ता २.१७६ [२०१]
परिभ्रष्टान् १०.२०
परिमाजतः ८.१३३
परिरक्षणम् ७.२
परिवर्जितः ५.१५७
परिवादः ७.४७
परिवादम् २.१५४ [१७९]
परिवासेन ५.१२४
परिविक्तिः ३.१५४, १७१, १७२
परिविक्तिता ११.६०
परिवेत्ता ३.१५४, १७०, १७१, १७२
परिवेदनम् ११.६०
परिषत् १२.११०, १११, ११२
परिषत्त्वम् १२.११४
परिसंख्यया १.७२
परिसंख्यातम् १.७१
परिसंवत्सरात् ३.११९
परिसाधने ८.१८८
परिहारान् ७.२०१
परीक्षणम् १.११७
परीक्षार्थम् ९.१९
परीक्षिता ७.२१९
परीक्षितान् ७.५४
परीवादः २.१७५ [२००]
परीवादात् २.१७६ [२०१]
परीहारः ८.२३७
परे ९.९९; १०.१७; ११.२६; १२.१२३
परेण ७.९२; ८.३०, २२३
परेषाम् ११.१९७
परैः ७.९४; ८.१४७, १८३
परोक्षम् २.१७४ [१९९]
पर्याचान्तम् ४.२१२
पर्याप्तभोगाः ३.४०
पर्याप्तम् ११.७
पर्युपासीनः २.५० [७५]
पर्युषितम् ४.२११; ५.२४
पर्व ६.९
पर्वते ४.४६, ६०
पर्वतमस्तके ४.४७
पर्वश्राद्धम् ३.४५
पर्वसु ४.१५०, १५३
पलम् ८.१३५
पलाण्डुम् ५.५, १९
पलानि ८.१३५
पलालभारकम् ११.१३३
पलालम् ५.१२२
पलितम् २.१३१ [१५६]; ६.२
पलितैः २.१२९ [१५४]
पवित्रम् ३.२५६; १०.१०२
पवित्रा ११.८५
पवित्राणि ३.२३५; ५.१२७; ११.२२५
पवित्रैः २.५० [७५]
पवित्रोपचितः ६.४१
पशवः १.४३; ५.३९, ४०, ४१; ८.२३८; १०.८६, ११.२४०; १२.८२
पशुः ४.१२६; ८.९८, २४१, ४०४
पशुकृषिः १०.७९
पशूनाम् ३.१०४; ५.३५
पशुधर्मः ९.६६.
पशुना ४.२६, २७
पशुपालः ३.१५४
पशुभिः ८.२९५
पशुम् ५.३७, ४२
पशुरज्जिनाम् ८.२३८
पशुरोमाणि ५.३८
पशुवृद्धिकरीम् ७.२१२
पशुषु ८.२२९, २३४
पशुसम्भवम् ८.३२८
पशुसोमानाम् ११.२७
पशुस्तेयम् ११.६६
पशुहव्येन ४.२८
पशुहिरण्ययोः ७.१३०
पशुहिंसनम् १०.४८
पशूनाम् १.९०; ८.२४४, २८६, २९७, ३२५, ४१०; ९.३२६, ३३१
पशून् १.३९; ५.३६, ४२; ७.९६; ८.२४०; ९.३२७, ३२८; १०.८९; ११.४०; १२.६७
पश्चिमात्समुद्रात १.१४१ [२।२२]
पश्चिमाम् २.७६ [१०१], ७७ [१०२], ७८ [१०३]
पश्चिमे ७.१४५
पश्चिमोत्तरपूर्वैः ५.९२
पक्त्वा १०.४४
पाकयज्ञविधानेन ११.११८
पाकयज्ञाः २.६१ [८६]

पात्रेषु ७.९९, १०१
पात्रः ४.१५१; ८.१८, ४०४
पात्रग्रहणम् २.१९२ [२१७]
पात्रच्छेदनम् ८.२८०
पात्रतः १.३१; ३.८९; ४.५४
पात्रदानम् ८.२४६
पात्रम् २.५२ [७७]; ६.४६; ८.४०४
पात्रयोः २.१८४ [२०९], १८७ [२१२] ८.२८३
पात्रशः १.८२, ८३
पात्रस्पर्शः ३.२३०
पात्रात् २.७४ [९९]
पात्रिकम् ३.१
पात्रिनः ८.२१०
पात्रेण ३.२२९; ८.२८०
पात्रौ २.४६ [७१]; ४.५३, ६५; ५.१४२; ८.१२५
पान० ७.११८
पानम् ७.५०; ९.१३
पानानि ३.२२७
पानीयस्य ८.३२६
पापः ३.१९०; १०.३८
पापकर्मसु ९.३१०
पापकारिणः ९.२८८
पापकृत० ८.३७२; ११.२२७
पापकृतः ८.८५
पापकृत्तमः ४.२५५; ८.३५४
पापकृत्ताम् ११.१७९
पापकृब्भ्यः ९.२४६
पापचेतसः ७.१२४
पापबुद्धीनाम् ९.२६३
पापम् ४.१९८; ८.३७२, ११.४६, ८६, १०२, ११५, १६९, १९८, २०९, २३०, २४६; १२.१९, ११५
पापयोनिषु ४.१६६
पापरोगिणम् ९.७९
पापरोगिणाम् ३.९२
पापरोगी ३.१५९, १७६
पापरोगैः ५.१६४; ९.३०
पापविनिग्रहः ९.२६३
पाकयज्ञान् २.११८ [१४३]
पाकेन ५.१२२, १२३
पाखण्ड० १.११८
पाखण्डम् ५.९०
पाखण्डस्थान् ९.२२५
पाखण्डिगणान् ४.६१
पाखण्डिनः ४.३०
पाङ्क्त्याम् ३.१७६
पाङ्क्तयाज्ञिकम् ३.२८१, २८६
पाङ्क्तयाज्ञिके ३.८३
पाठीनरोहितौ ५.१६
पाण्डुसोपाकः १०.३७
पाणिग्रहण० ३.४३
पाणिग्रहणस्य ५.१५६
पाणिग्रहणिकैः ८.२२६, २२७
पाणिग्राहस्य ५.१४८; ९.२१
पाणिच्छेदनम् ८.२८०
पाणितलेन ४.१४३
पाणिनः ४.१४२; ५.११६; ६.२८
पाणिपादचपलः ४.१७७
पाणिभ्याम् ३.२२४; ४.८२
पाणिम् ४.५८; ८.२, २८०
पाणिस्थम् ४.७४
पाणौ २.३८ [६३]; ३.२१२
पाण्यास्यः ४.११७
पातकम् ८.११२; १०.१२६
पातकानि ११.५४
पातकैः ८.८८, ११३, ११.२५८, २५९
पातनम् ७.५१
पात्रम् ४.२२७, २२८
पात्रस्य ७.८६
पात्राणि ६.५३
पात्री ६.५२
पापहा ७.२५
पापः ३.५२
पापात् ९.३०८; ११.२२७, २३०
पापात्मा १०.२१; ११.२६
पापानाम् ४.१७१; ८.३११; ११.२०९; १२.७४
पापानि ८.३१८; ९.२४२; ११.२४५
पापनुत्तये ११.१३९
पापान् ११.२२६; १२.५२, ७०
पापिष्ठः ३.३४
पापिष्ठम् ९.२९२
पापीयसे १०.११७
पापीयान् ९.१८४
पापे ११.४५
पापेन ४.१९७; १०.१०४, १०५
पाप्मा ११.९३
पाप्मानम् ६.८५
पायसम् ३.२७४
पायसापूपम् ५.७
पायसेन ३.२७१
पायूपस्थम् २.६५ [९०]
पायवादीनि २.६६
पारक्यः १०.९७
पारक्यम् २.२११ [२३६]
पारदाः १०.४४
पारदार्य० ११.५९
पारदार्यं० १.१३७ [२।१८]
पारशवः ९.१७८; १०.८
पारुष्य० ७.५१; ८.३०१
पारुष्यम् ७.४८; १२.६
पारुष्ये ८.६, ७२
पार्थिवः ५.९५; ७.३७, ४१, ११३, १४८, २०८; ८.१, १७०, १९२, २७२, ३०७, ३३४, ३४६, ३६१; ९.२५४, २९२, ३११
पार्थिवम् ८.८८; ९.३११
पार्थिवेन ७.५१
पार्वनाग्नीयाः ४.१०
पार्वतेन ३.२६९
पार्ष्ण्यग्राहम् ७.२०७
पालः ८.२३०, २३२, २३३, २३६
पालनम् ७.८८, १४४
पालानाम् ८.२२९, २४४
पाले ८.२३०, २३१, २३५
पावकः ९.३१८
पावकम् २.१६२ [१८७]; ११.१२१

पावनः २.१ [२६]
पावनम् ११.१७७
पावनाय ११.८५
पावमानीः ५.८६; ११.२५७
पावितः २.५० [७५]
पाशैः ८.८२; ९.३०८
पांसुवर्षे ४.११५
पांसुसमूहने ४.१०२
पांसून ४.१६८; ११.२०७
पिङ्गलाम् ३.८
पिण्डः ९.१८६, १४२
पिण्डनिर्वपणम् ३.२४८, २६१
पिण्डम् ३.२४७, २६२; ९.१३६, १४०; ११.२१६
पिण्डाग्रम ३.२२३
पिण्डानाम् ११.२२०
पिण्डान् ३.२१५, २१६, २१८, २२३, २६०; ११.२१८, २१९
पिण्डान्तिके ३.२१८
पिण्डान्वाहार्यकम् ३.१२२
पिण्डेभ्यः ३.२१९
पिण्डौ ९.१३२
पिण्याकम् ११.९२
पितरः १.९५; ३.८०, १८९, १९२, १९५, २०१, २०७, २३७, २५०, २६७; ४.१७८, २४९; ९.१८५; १२.४९
पितरम् २.१४६ [१७१]; ३.२२०; ४.१६२; ५.९१; ८.२७५; ९.१०५, १३८
पितरि ३.२२०; ९.२०४
पिता २.११० [१३५], ११९ [१४४], १२० [१४५], १२१ [१४६], १२२ [१४७], १२५ [१५०], १२८ [१५३], १४५ [१७०], २०० [२२५], २०१ [२२६] २०६ [२३१]; ३.११, ५१, १३६, १३७, २२१, ४.१८२; ५.६२, १५१, ७.१३५; ८.३३५, ३६६, ३८९; ९.३, ४, २०, १०८, ११०, १२१, १५५, १६८, १८५, २०९, २१५
पितापुत्री २.११० [१३५]
पितामहः १.९; ३.२२१, २२२
पितामहाः ४.१७८
पितामहान् ३.२८४
पितामाता ४.२३९
पितुः ३.३, ५, १४८, १५१, २२१; ९.१०४, १३२, १४०, १८५, २१७
पितुर्भगिन्याम् २.१०८ [१३३]
पितृ० ४.२५७, १२.९४
पितृकर्मसु ३.२५२
पितृकार्यम् ३.२०३
पितृकार्यस्य ३.२०३
पितृकार्ये ३.१२५
पितृगणाः ३.१९४
पितृणाम् १.३७; ९.२०६
पितृतर्पणम् २.१५१ [१७६]; ३.७४
पितृद्रव्यम् ९.२०८
पितृदेवाः ३.१८
पितृदैवतकर्मणि ५.४१
पितॄन् ६.२४
पितृपूजनतत्पराः ३.२६२
पितृभक्त्या २.२०८ [२३३]
पितृभ्यः ३.८२, ९१, २०१, २६६
पितृभिः ३.५५; १०.९१
पितृमातृप्रदर्शिताः १०.४०
पितृमात्रर्थम् ११.१
पितृमेधम् ५.६५
पितृयज्ञः ३.७०
पितृयज्ञम् ३.१२२; ४.२१
पितृयज्ञक्रियाफलम् ३.२८३
पितृरिक्थस्य ९.१६५
पितृवत् ७.८०
पितृवेश्मनि ९.१७२
पितृव्यान् २.१०५ [१३०]
पितृष्वसा २.१०६ [१३१]
पितृणाम् ३.७२, १२३, १४६, २०८, २३१, २७५; ९.२८
पितॄन् २.१२० [१४५], १२६ [१५१]; ३.३७, ८१, ११७, २११, २१७, २२४, ३.२५८ २७७, २८३, २८४; ४.१५०; ५.३२, ५२
पित्र्यर्थे ३.८३
पित्र्या ३.१५९; ४.१८४; ५.१४९; ९.१९८
पित्र्याद्यन्तम् ३.२०५
पित्रे ९.९३, १३२
पित्र्यः ४.१२४; ९.२०५
पित्र्यम् २.३४ [५९]; ३.१२७, २७९; ९.९२, १०५, १६४, १९१, २१६; १०.५९
पित्र्यस्य ९.१६३
पित्र्ये १.६६; २.१६४ [१८९]; ३.१२९, १४९, १६९, १८८, २३२, २४०, २४६, २५४
पिशाचाः १.४३; १२.४४
पिशाचान् १.३७
पिशाचवत् ५.५०
पिशाचानाम् १२.५७
पिशुनः ३.१६१; ४.२१४; ११.५०
पिष्टपशुम् ५.३७
पीठसर्पी ८.३९४
पीडनम् ६.६२
पीडनानि ९.२९९
पीडाम् ७.१६९
पीडितम् ८.२२
पीड्यमानस्य ७.१६८
पुण्ये २.५ [३०]; ११.१८६
पुण्यैः १.२ [२६]
पीतसोमपूर्वः ११.८
पुक्कसः १०.१८
पुक्कसानाम् १२.५५
पुक्कस्याम् १०.३८
पुटेन ६.२८
पुण्यः २.४३ [६८]; ६.९७
पुण्यपापेक्षिता ८.९१

पुण्यफलम् ३.९५; ५.५३
पुण्यम् १.७३; २.८१ [१०६]; ८.९०; ९.३१; ११.२४४
पुण्यानि ११.३९
पुत्रः ३.१३६; ४.१८४; ८.१५९, २९९, ३३५, ३८९, ४.१६; ९.४, १०७, ११७, १२२, १३०, १३४, १३८, १४१, १४५, १६३, १६७
पुत्रकाः २.१३६ [१५१]
पुत्रगुर्णैर्युक्तम् ९.१६९
पुत्रदारम् ४.२३९
पुत्रदारस्य ८.११४
पुत्रदारात्ययम् १०.९९
पुत्रपौत्रमनन्तकम् ३.२००
पुत्रप्रतिनिधीन् ९.१८०
पुत्रभागम् ९.२१५
पुत्रम् ७.१३५; ९.३१, ३२, ६०, १२०, १४७, १६६, १६८, १६९, १७१, १७२, १९०; १०.३९
पुत्रवत् ९.१०८
पुत्रवती ९.१८३
पुत्रवान् ९.१८२
पुत्रशतम् ९.१५७
पुत्रस्य ५.७७, १३१, १३७, २१७; ११.५८, १७०
पुत्राः ३.३९, ४८, १९४, १९८; ९.३, १५६, १८१, १८५; १०.१४
पुत्राचार्यः ३.१६०
पुत्राणाम् ५.१४८; ९.१२५, २२०
पुत्रात् ४.१६४
पुत्रान् ६.३६; ९.१०८, १५८
पुत्रार्थी ३.४८
पुत्रिका ४.२३८; ९.१२८, १३५
पुत्रिकाधर्मशङ्कया ३.११
पुत्रिकाम् ९.१२७
पुत्रिकायाम् ९.१३४, १३५
पुत्रिकासुतः ९.१४०
पुत्रिणः ८.६२; ९.१८२
पुत्रिणी ९.१८३
पुत्रिण्या ९.१४३
पुत्री ९.१०६
पुत्रे ४.२५७; ५.८०; ९.३२३
पुत्रेण ४.१८०; ९.१३०, १३७, १८२, १८३
पुत्रेषु ४.१७३; ६.२; ९.१४९
पुत्रैः ६.९५; ९.२०९
पुत्री ९.१६५
पुम् ९.१३८
पुमांसः ४.४०५
पुमांसम् ३.६१; ८.३७२
पुमान् ३.४९; ५.६३; ८.४०४; ९.१४, ३३, १४४, २३७
पुरद्वारेण ५.९२
पुरम् ७.७०, ११९; ९.२९४
पुराणः ८.१३६
पुराणम् ८.३८
पुराणानाम् ८.३९
पुराणानि ३.२३२
पुराणेषु ५.२३
पुरात् ९.२२५
पुरातनान् ३.२१३
पुराविदः ९.४२
पुरीषम् ४.५६; ५.१३८
पुरीषयोः ६.७६
पुरीषैः ५.१२३
पुरुषः १.११, ३२, ३३, ९२; ४.२०, १५७; ७.१७, ८.४३, ९८, ३५४; ९.१६, ४५; १०.५३; ११.१७३
पुरुषकारेण ८.२३२
पुरुषज्ञानम् ७.२११
पुरुषम् ४.१३६, २४३; ८.९६; ९.३००; १०.५८; १२.८४, १२२
पुरुषस्य २.२१२[२३७]; ४.४ [१३४]; ९.१
पुरुषाः १२.४४, ४५
पुरुषाणाम् १.१९; ८.३२३
पुरुषानृतम् ९.७१
पुरुषान् ८.२५९
पुरुषार्थप्रयोजनम् ७.१००
पुरुषे ५.६०
पुरुषैः ९.२, १२
पुरुहूतम् ११.१२१
पुरे ८.३८६
पुरोडाशम् ७.२१
पुरोडाशाः ५.२३
पुरोडाशान् ६.११
पुरोहितः ४.१७९; ८.३३५
पुरोहितम् ७.७८
पुरोहिताः १२.४६
पूर्वापरम् ८.५६
पुलस्त्यस्य १.३५
पुलस्त्यस्य ३.१९८
पुलहम् १.३५
पुलाकाः १०.१२५
पुलकैः ४.७९
पुंश्चल्या ४.२११, २२०
पुष्कलम् ३.१२९
पुष्कलान् ८.८१
पुष्कलाम् ३.२७७; १२.३५
पुष्टम् ७.१७१
पुष्टाम् ४.२३१
पुष्टिषु ९.३७
पुष्टिसंयुक्तम् २.७ [३२]
पुष्प० १.४६; ६.१३, २१
पुष्पमूलफलस्य ७.१३१
पुष्पमूलफलानाम् ११.१६५
पुष्पमूलफलेषु ८.२८९
पुष्पमूलफलैः ५.१०, १५७
पुष्पम् ४.२५०
पुष्पिणः १.४७
पुष्पितानाम् ११.१४२
पुष्पेषु ८.३३०
पुष्पे ४.९६
पुंसः २.४ [२९]; ३.४९, ६१; ११.१७६
पुंसा ९.४२
पुंसि ११.६७, १७४
पूजान् ३.१५१
पूजकः ७.८२
पूजा ९.८५
पूजार्हा ९.२६
पूज्यतमः ९.१०९
पूज्याः ३.५५
पूतः २.५० [७५]
पूतिनन्धे ४.१०७

पूतिवक्त्रताम् ११.५०
पूयभुक् १२.७२
पूयम् ४.२२०
पूयशोणितम् ३.१८०
पूयशोणितैः ५.१२३
पूरकम् ९.२८९
पूर्णकुम्भम् ११.१८६
पूर्णम् ६.७६; ८.३३८; ११.१८३
पूर्णविंशतिवर्षेण २.१८७ [२१२]
पूर्णे ८.१२१; ११.१४०
पूर्तम् ४.२२६
पूर्वः ८.३७, २७६
पूर्वकम् २.१०३ [१२८]
पूर्वकृतेन ७.१६६
पूर्वकृतैः ११.४८
पूर्वचोदितः ८.१६०
पूर्वचोदितौ ३.२६
पूर्वजः २.२०० [२२५]; ३.१७१; ९.१२२, १२३
पूर्वजैः ९.३१
पूर्वतस्करैः ९.२६७
पूर्वदृष्टः ९.८७
पूर्वदेवताः ३.१९२
पूर्वनिविष्टस्य ९.२८१
पूर्वपक्षात् ३.२७८
पूर्वभुक्त्या ८.२५२
पूर्वमारिणीम् ५.१६७
पूर्वमारिण्यै ५.१६८
पूर्वम् २.२४ [४९], ३५ [६०], ४९ [७४], ९२ [११७], १५९ [१८४], २२० [२४५]; ३.९४, ११५, २०३, २०४, २१९, २२६; ४.१२५; ५.१३९; ७.१४, ७.५२; ८.१२०, १२१, २०५, ३५४, ३५५; ९.२८७, २९५; १०.६८, ११४
पूर्ववत् ११.२१३
पूर्वविदः ९.४४
पूर्वशः १.२, २७
पूर्वसाहसम् ८.३५४; ९.२८१
पूर्वाक्षरः २.१०० [१२५]
पूर्वात्समुद्रात् १.१४१ [२.२२]
पूर्वान् ३.३७
पूर्वाभिः ४.१३७
पूर्वाम् २.७६ [१०१], ७७ [१०२[, ७८ [१०३]; ४.९३
पूर्वाह्ण ३.२५६
पूर्वाह्णात् ३.२७८
पूर्वाह्णे ४.९६, १५२
पूर्वाह्णे ८.८७
पूर्वे १२.१११; २.६४ [८९]
पूर्वेद्युः ३.१८७
पूर्वेषाम् ३.२२०
पूर्वैः ९.१००
पूर्वोक्तम् ३.२५६
पूर्वोक्तानाम् २.१६० [१८५]
पृथक्पिण्डे ५.७८
पृथक्विधैः ११.४६
पृथग्जनम् ७.१३७
पृथग्जनाः ७.१४८
पृथिव्याः २.२०१ [२२६]; ९.३०३
पृथिव्याम् १.९९, १३९ [२.२०]; ४.१८३
पृथिवीक्षिताम् ९.२२१
पृथिवीपतिः ७.१७७, २२६; ८.२९, २२१; २४४; १०.११३; ११.२१
पृथिवीम् १.१०५; ७.१४८; ९.४४, २३८
पृथुः ७.४२
पृथोः ९.४४
पृष्ठतः ४.१५४
पृष्ठवास्तुनि ३.९१
पृष्ठेन ४.७२
पेयूषम् ५.६
पेषणी ३.६८
पैजवनः ७.४१
पैजवाने ८.११०
पैतृकम् ९.१०४, १४४, १६२, २०९
पैतृकात् ९.१६४
पैतृयज्ञः ३.२८२
पैतृष्वसेयीम् ११.१७१
पैत्रिकः ८.४१५
पैत्रेव० २.२० [४५]
पैशाचः ३.२१, २५, ३४
पैशाची ३.१४१
पैशुनम् ११.५५
पैशुन्यम् ७.४८; १२.६
पैष्टी १९.९४
पोषकः ३.१६२
पौण्ड्रकः १०.४४
पौतिनासिक्यम् ११.५०
पौत्रदौहित्रयोः ९.१३३, १३९
पौत्रवत् ९.१३९
पौत्री ९.१३६
पौत्रेण ९.१३७
पौरश्चल्यात् ९.१५
पौनर्भवः ३.१५५; ९.१६०, १७५
पौनर्भवे ३.१८१
पौनर्भवेन ९.१७६
पौरस्त्यम् २.१०९ [१३४]
पौरुषः ८.४०४
पौरुषम् ११.२५१
पौरुषेण ७.१५९
पौर्णमासम् ६.९
पौर्णमासी ४.११३
पौर्णमासीम् ४.१२८
पौर्णमासेन ४.२५
पौर्णमास्यौ ४.११४
पौर्तिकम् ३.१७८
पौर्विकीम् ४.१४८, १४९
प्रकरस्य १२.५१
प्रकराणि १.४४; ८.२५१
प्रकराक्षयशोधितः ८.२०२
प्रकराम् ८.१९३, ३५१; ९.२२२, २२८
प्रकारावञ्चकाः ९.२५७
प्रकाराः १०.४०
प्रकाराणि ८.२५१
प्रकाराम् ९.२५६, २६०
प्रकृतयः ७.१५६; ९.२९४, ३०९
प्रकृतिम् १०.५९
प्रकृतिश्चेष्ठ्यात् १०.३
प्रकृतीः ७.१७०

प्रकृतीनाम् ७.१७५; ९.२३२, २९५
प्रकृत्या ३.२५७
प्रक्षालकः ६.१८
प्रक्षालनेन ५.११८
प्रख्यातभाण्डानि ८.३९९
प्रगे ६.६
प्रच्छन्नतस्कराः ९.२२६
प्रच्छन्नपापाः ५.१०७
प्रच्छन्नम् ९.२२८
प्रच्छन्नवञ्चकाः ९.२५७
प्रच्छन्नाः १०.४०
प्रचारम् ७.१५४, १५५; ९.२१९
प्रचेतसम् १.३५
प्रजनम् ३.६१; ९.६१
प्रजनार्थम् ९.२६, ९६
प्रजने ९.१२५; १२.१२१
प्रजाः १.८, २५, २६, ३४, ६१; ३.४२, ७६; ४.१५६, १८९; ५.१६२; ७.१८, १९, २५, ३६, ४४, ८७, १२३, १४२, १४३, १४६; ८.१७५; ९.२२६, ३०७, ३२७; १०.११८; ११.४०
प्रजाधर्मान् ९.२५
प्रजानाम् १.३४, ८९; ५.९४; ७.८८, १४४
प्रजापतयः ३.८६
प्रजापतिः २.५१ [७६], ५२ [७७], ५९ [८४]; ४.२२५, २४८; ५.२८; ९.१६, ४६, १२८, ३२७; १०.७८, ११.२४३
प्रजापतिम् १२.१२१, १२३
प्रजापतेः २.२०१ [२२६]; ५.१५२
प्रजापालननत्परः ९.२५३
प्रजाभागः ९.४८
प्रजाम् ३.२७७; ४.२१९, २२९
प्रजायाः ९.१९५
प्रजावन्तम् ३.२६३
प्रजाविशुद्धयर्थम् ९.९
प्रजीवनम् ९.१६३
प्रजुष्टानि २.७१ [९६]
प्रज्ञा २.७४ [९९]; ४.४१, ४२, ५२
प्रज्ञातान् ४.३९, ४९
प्रज्ञाम् ४.९४
प्रणतम् ११.१९५
प्रणयनम् ८.२७७
प्रणयैः ६.७०
प्रणष्ट० ८.३३
प्रणष्टस्वामिकम् ८.३०
प्रणष्टाधिगतम् ८.३४
प्रणिधिभिः ८.१८२
प्रणिधीनाम् ७.१५३, २२३
प्रतानाः १.४८
प्रतापयुक्तः ९.३१०
प्रतिकूलम् १०.३१
प्रतिकूला ९.८०
प्रतिकूलेषु ९.२७५
प्रतिगाम् ४.५२
प्रतिग्रहः ४.८६, १८६; १०.७५, ७६, ७७, १०९, ११०, १११
प्रतिग्रहम् १.८८; ३.१७९; ४.१८७; ८.१६५
प्रतिग्रहरुचिः ४.१९०
प्रतिग्रहात् ४.१९१; १०.१०३, १०९, ११२; ११.१९४
प्रतिग्रहीतृन् ३.१४३
प्रतिग्रहे ४.१८७
प्रतिग्रहेण ४.१८६
प्रतिज्ञाते ८.१३९
प्रतिज्ञाय ९.९९
प्रतिज्ञाहम् ११.२१४
प्रतिनिधिः ११.२९
प्रतिपम् १२.२८
प्रतिपूज्याः २.१८५ [२१०]
प्रतिबुद्धः १.७४
प्रतिभागम् ८.३०७
प्रतिभाव्यम् ८.१५९
प्रतिभुवि ८.१६१
प्रतिभूः ७.१७; ८.१५८, १६२, १६९
प्रतिमुखः ८.२९१
प्रतिमूर्तिकम् ४.८९
प्रतिरोद्धा ३.१५३
प्रतिलोम० १०.२५
प्रतिलोमतः १०.६८
प्रतिलोम्ये १०.१३
प्रतिवातम् ४.५२
प्रतिवाते २.१७८
प्रतिश्रयः १०.५१
प्रतिश्रवणसंभावे २.१७० [१९५]
प्रतिष्ठम् ३.१८०
प्रतिष्ठाप्यानि ३.१३५
प्रतिष्ठिता ८.१६४, २२६; ११.२६५
प्रतिषिद्धः ८.३६१
प्रतिषिद्धाः ९.८४
प्रतिषिद्धानि ८.३९९
प्रतिषेधत्सु २.१८१ [२०६]
प्रतिषेधनम् १०.१२६
प्रतिसूर्यम् ४.५२
प्रतिसोम० ४.५२
प्रतिस्रोतः ११.७७
प्रतीकारम् १०.१०५
प्रतीतम् ३.३
प्रतीपम् ४.२०६; १०.१७
प्रतीमानम् ८.४०३
प्रतीमानाम् ९.२८५
प्रत्तवान् ५.१३
प्रतोदः ३.४४
प्रतोदम् ५.९९
प्रतोदेन ४.६८
प्रत्यक्ष० १२.१०९
प्रत्यक्षम् ८.४०२; [illegible], ८२; १२.१०४
प्रत्यग् १.१४० [२।२१]
प्रत्यग्निम् ४.५२
प्रत्यङ्मुखदक्षिणाः ८.२०८
प्रत्यङ्मुखः २.२७ [५२]
प्रत्यभिवादनम् २.१०१ [१२६]
प्रत्ययसिद्धानि ८.१७८
प्रत्यवरः १०.१०९

प्रत्यवायेन ४.२४५
प्रत्यहम् ३.६९; ७.११८, १२५; ८.३; ९.२७
प्रत्याहवशाय ८.३३४
प्रत्युत्था २.९४ [११९]
प्रत्युद्वितम् ९.३१
प्रत्येकम् ७.१५७
प्रथमकल्पस्य ११.३०
प्रथमकल्पितम् ९.१६६
प्रथमम् २.२५ [५०], १६९ [१९४]
प्रथमसाहसः ९.२८६
प्रथमसाहसः ९.२८६
प्रथमा १२.४८
प्रथमे २.१० [३५]
प्रथिता ३.१२७; ८.१३१
प्रदक्षिजम् २.२३ [४८], ३.८७
प्रदक्षिजानि ४.३९
प्रदाता ८.२०५
प्रदाने ३.१४७, २४०
प्रदायिनाम् ३.१५७
प्रधानतः ९.१५०
प्रधानपुरुषैः ७.२०३
प्रधानम् ९.१२१
प्रधानस्य ९.१२१
प्रधानाः १२.४६
प्रधानानि ३.१८
प्रपदैः ६.२२
प्रपाम् ८.३१९
प्रपितामहम् ३.२२१
प्रपितामहानु ३.२८४
प्रभम् १.९
प्रभवाः ६.८७
प्रभायः १.८४
प्रभावतः ७.७
प्रभावेण १०.७२
प्रभुः १.२२, २८, ३२, ९१, ९३; ४.१८२; ७.३, १८१, ९.१६३; १०.३; ११.३०, २४३
प्रभुणा ८.३१२
प्रभृति ९.६८
प्रभो १.३; ५.२
प्रमत्तः ४.४०
प्रमत्तम् ९.७८
प्रमत्तस्य ११.२१५
प्रमत्ताम् ३.३४
प्रमदा २.१८९ [२१४]
प्रमदासु २.१८८ [२१३]
प्रमाणतः २.२१ [४६]; ८.१३७
प्रमाणम् १.६८, १३२ [२।१३]; ८.३२; ११.८४
प्रमाणानि ७.२०३
प्रमादः १२.३३
प्रमाणके ११.१४०
प्रमीतपतिकम् ९.६८
प्रमीतस्य ९.१६७
प्रमृतम् ४.५
प्रमृतेन ४.४
प्रयतः २.१५८ [१८३], १६० [१८५], १९७ [२२२]; ३.२१६, २२६, २२८; ४.४९; ५.८६, १४५; ११.२५८
प्रयत्नतः ३.१२३, १४९, १६६; ६.९१; ७.९९, १५५, २०६; ८.३१०; ९.९, ३३३
प्रयत्नम् ७.६८, २२०
प्रयत्नेन ३.७९, २०६; ४.१६१; ५.६; ७.४५, ७.७१, १७२; ८.४१८; ९.७
प्रयता ८.२५८
प्रयतात्मनाम् ४.१४६
प्रयतात्मा ४.१४५
प्रयाणात् १.१४० [२।२१]
प्रयुक्तम् ८.४९
प्रयोगः १०.११५
प्रयोज्या २.१३४ [१५९]
प्ररोहिणः १.४६
प्रलापः १२.६
प्रवक्तारम् ४.१६२
प्रवक्ष्यम् २.४९ [७४]
प्रवरः ९.६७
प्रवरासु १०.२७
प्रवासानि १२.६१
प्रवासनम् ७.१२४; ९.२४२
प्रवास्यः ८.२८४
प्रविजयते ९.२१८
प्रविभागः १.६६
प्रवृत्ताम् ८.३५२
प्रवृत्तानाम् ३.१२
प्रवृत्तिः ५.३१, ५६
प्रवेदिविः ९.२६७
प्रव्रज्यासु ५.८९
प्रव्रजितः ८.४०७
प्रव्रजितासु ८.३६३
प्रशंसाम् १०.१२७
प्रशस्ता १.१२१ [२।२], ३.१२, ४७, २७६; ५.२२
प्रशस्तानाम् २.१५८ [१८३]
प्रशस्तेन ३.१२३
प्रशान्तम् १२.२७
प्रशासितारम् १२.१२२
प्रश्नम् ८.५५, ९४
प्रश्नविधानम् १.११५
प्रसक्ता १२.४५
प्रसक्तिः १.८९
प्रसङ्गम् ४.१८६
प्रसङ्गनिवर्तये ८.३६८
प्रसङ्गात् ९.८१
प्रसङ्गेन २.६८ [९३]; ४.१५; १२.५२
प्रसङ्गेभ्यः ९.५
प्रसभम् ८.३३२
प्रसवः ९.१४५
प्रसवम् ९.५५
प्रसवे ३.२२
प्रसाधकम् ६.६७
प्रसाधे ७.११
प्रसाधनः १०.३२
प्रसाधनम् २.१८६ [२११]; ४.१५२
प्रसाधने ७.२२०
प्रसुप्तः १.७४
प्रसूतयः ९.२४
प्रसूतस्य ३.१९
प्रसूतिः ९.३४, ३५; १२.९८
प्रसूतिम् ९.७
प्रस्खलिषि ८.२४८
प्रस्रवे ५.१३०
प्रहृष्टया ५.१५०

प्रहासम् ४.८३
प्रहृतम् ३.७३
प्राक्कूलान् २.५० [७५]
प्राक्छाये ३.२७४
प्राक्करः ७.१९६
प्राक्करस्य ७.७४
प्राक्करस्य ९.२८९
प्राकृतः ८.३३६
प्राकृतम् ११.२५८
प्राङ् २.३६ [६१]
प्राङ्मुखः २.२६ [५१], २७ [५२]
प्राङ्मुखान् ८.८७
प्राड्विवाकः ८.७९; ९.२३४
प्राड्विवाकेन ८.१८१
प्राचीनावीतिना ३.२७९
प्राचीने २.३८ [६३]
प्राचीम् ७.१८९
प्राजकः ८.२९३
प्राजकस्य ८.२९३
प्राजके ८.२९३
प्राजापत्यः ३.२१, ३०
प्राजापत्यम् ११.३८, १०५, १२४, २११
प्राजापत्याम् ६.३८
प्राजापत्ये ४.१८२
प्राणः २.९८ [१२३]; ३.११; ४.१८७; ७.२६
प्राणम् ७.१४१, २१०
प्राणान् ७.६०
प्राणेन ९.४१
प्राञ्जलिः २.१६७ [१९२]
प्राणबाधम् ४.५४
प्राणबाधाभयेषु ४.५१
प्राणभृतः ८.२९५
प्राणभृत्सु ८.२९६
प्राणम् ४.२३; १२.१२३
प्राणयात्रिमात्रः ६.५७
प्राणस्य ५.२८; ६.७१
प्राणा २.९५ [१२०]; ७.११२
प्राणानाम् ५.२७; १०.१०६
प्राणान् ४.२८, १४३; ११.७९, १४९
प्राणान्तम् ८.३५९
प्राणान्तिकः ८.३७९
प्राणान्तिकम् ११.१४६
प्राणायामः २.५८ [८३]
प्राणायामाः ६.७०; ११.२४८
प्राणायामान् ६.६९
प्राणायामेन ११.१४१, १९९, २०१
प्राणायामैः २.५० [७५]; ६.७२
प्राणालाभे ११.८०
प्राणि० ४.११७
प्राणिनः १.९६; ५.३०
प्राणिनाम् १.२२; २.१५२ [१७७]; ५.४६, ४८; ७.११२
प्राणिनी ३.१७५
प्राणिभिः ९.२२३
प्राणिवधः ५.४८
प्राणे ४.२३
प्रातिलोम्येन १०.१६
प्रातिवेश्यानुवेश्यौ ८.३९२
प्रादुष्कृतः ४.१०४
प्रादुष्कृतेषु ४.१०६
प्रापणात् २.७० [९५]
प्रापितम् ८.४३
प्राप्ते ३.१४९; ७.२
प्राभवत्यात् ८.४१२
प्रायः ११.४७
प्रायणम् ९.३२३
प्रायशः १२.२०, २१
प्रायश्चित्त १.११६; ११.४४
प्रायश्चित्तम् २.१९६ [२२१]; ९.२३६, २४०; ११.४५, ४७, ५३, १२९, १९२, २०३, २०९, २४७
प्रायश्चित्तविधिम् १०.१३१
प्रायश्चित्तस्य ११.२६६
प्रायश्चित्तार्धम् ११.२२५
प्रायश्चित्ते ११.१८६
प्रायश्चित्तैः ११.४६
प्रायासु १२.७७
प्रायेण ७.१२३
प्रार्थितम् ३.७३, ७४
प्रार्थिताभिः २.३७ [६२]
प्रासादम् ७.१४२
प्रासादस्तरेषु २.१७९ [२०४]
प्रिय० ३.११९; ८.१७३
प्रियकारकम् ७.२०४
प्रियताम् ५.५०
प्रियद्वेष्यौ ९.३०७
प्रियम् १.१३१ [२.१२]; २.२०३ [२२८]; ४.१३८; ९.९५
प्रियवियोगान् १२.७९
प्रियहिते २.२१० [२३५]
प्रियेषु ६.७९
प्रियैः ६.६२
प्रीतः ३.१३१
प्रीतात्मा १.६०; ९.१२९
प्रीतिः १२.२७
प्रीतिकर्मणि ९.१९४
प्रीतिपूर्वकम् ८.१८७; ९.१९३
प्रीतिम् २.२२१ [२४६]; ३.८२
प्रीतिसंयुक्तम् ९.१६८
प्रीतेन ९.१९५
प्रीत्या ८.१९६
प्रेक्षकाणि ९.२०४
प्रेक्षकालम्भम् २.१५४ [१७९]
प्रेक्षमाणानाम् ८.१४
प्रेक्षासमाजम् ९.८४
प्रेतः १२.७१, ७२
प्रेतकृत्या ३.१२७
प्रेतधूमः ४.६९
प्रेतनिर्यातकः ३.१६६
प्रेतम् ५.६८, १०१, १०३
प्रेतवत् ११.१८३
प्रेतशुद्धिम् ५.५७, १००
प्रेतस्य ५.६४
प्रेतहारैः ५.६५
प्रेताग्नम् ४.२१७
प्रेतान् ३.२३०; ५.९१; १२.५९
प्रेते २.२२२ [२४७]; ५.८२, १४८, १५७; ८.१६०, १६१; ९.२०४
प्रेष्य० ३.२४२; ८.२९९

प्रेष्यजनस्य ७.१२५
प्रेष्यत्वम् १२.७८
प्रेष्यसंयुतम् २.७ [३२]
प्रेष्यान् ८.१०२
प्रेष्यान् ८.३६३
प्रोक्षणम् ५.११५
प्रोक्षणात् ५.१२२
प्रोक्षितम् ५.२७
प्रोषिताः ९.७६
प्रोषिते ९.७५
प्रौढपादः ४.११२
प्रौष्ठपद्याम् ४.९५
प्लवः १२.६२
प्लवम् ५.१२; ११.१९
प्लवेन ४.१९४
प्लुतः २.१०० [१२५]
प्लवङ्गम० ७.७२
फल० १.४६, ६.७, १३, २५, ९७; ११.१४२; १२.१, ६७, ८२
फलपाकान्ताः १.४६
फलपातेन ५.१३०
फलपुष्पैर्द्रुमाणाम् ११.१४३
फलभाक् १.१०९
फलभागिनः ३.१४३
फलम् २.१३५ [१६०]; ३.१२९, १३९, १४२, १७६, १७७, १७८; ५.५४; ६.६७, ८२; ७.८६, २०६; ८.१५६; ९.४९, ५१, ५२, ५४, १६१; ११.५, ८, २८, ३०; १२.३, ८१
फलमूलानिलाशनाः ११.२३६
फलमूलाशनैः ५.५४
फलवन्तः १.४७
फलानि ३.२२७; ६.१३, १४, १५, १६
फलिनः १.४७
फलेन ६.५; ७.१२८
फली: ३.८२; ६.२१
फलैधः ११.७०
फलोदयः ३.१६९; १२.३०
फाल: ६.१६
फालकृष्टे ४.४६
फाल्गुनम् ७.१८२
फलमूले १०.८७
बकः १२.६६
बकम् ५.१४; ११.३५
बकवत् ७.१०६
बकवृत्तीनाम् ४.३०
बकव्रतचरः ४.१९६, १९७
बकव्रतिके ४.१९२
बद्धस्य ४.२१०
बधिरान् ७.१४९
बन्धी ३.१५८
बन्धिनः ८.३६०
बन्धन० १२.७५
बन्धनम् १०.४९
बन्धनवधक्लेशान् ५.४६
बन्धनानि ९.२२८; १२.७८
बन्धुः २.१११ [१३६], ९.१५८; १२.७९
बन्धुना ८.७०
बन्धुभिः २.१२९ [१५४]; ८.१८६
बन्धुम् ३.१४८
बन्धुवत् ५.१०१; ९.११०
बन्धेन ८.३१०
बभ्रूणः ४.१३०
बर्हिषम् ११.१३५; १२.६५
बर्हिषः ३.१९६, १९९
बर्हिष्मत्सु ३.२०८
बलकृतान् ८.१६८
बलम् २.३० [५५], ९६ [१२१]; ४.४१, ४२, २१९; ७.१७०, १७३, १८५, १८८, १९४; ८.१७१; ११.२४०
बलवत्तरम् ७.१७३; ११.३२
बलवत्तराः ७.२०
बलवान् २.१९० [२१५]; १.७६
बलस्य ७.१६७
बलाक्ष १२.६३
बलाक्षम् ५.१४; ११.१३५
बलात् ८.१४४, १६८, ३७८; १२.६८
बलान्वितम् २.६ [३१]
बलार्धिनः २.१२ [३७]
बलिः ३.७०, ७४
बलिकर्म ३.९४
बलिकर्मणा ३.८१
बलिनम् ७.१७४
बलिम् ३.८७, ८९, ९०, ९१, १०८, १२१; ६.७, ३४; ७.८०; ८.३०७, ३०८; ९.२५४; १०.११९
बलिशेषम् ३.९१
बले १२.१२१
बलेन ७.१७२; ८.४९
बस्तिम् ८.२३४
बहिष्क्रियाः २.७८ [१०३]
बहुकल्याणम् ३.५५
बहुत्वम् ८.७३
बहुदेयम् ३.२५९
बहुपशुः ११.१२
बहुपुष्पफलोपगाः १.४६
बहुमध्यगात् ९.१९९
बहुरूपेण १.४९
बहुश्रुतम् ४.१३५; ८.३५०
बहुसंस्थिते ८.३७१
बहूनाम् ५.११८
बह्वयः ८.७७; ९.१९
बह्वीः १०.१०७
बह्वीषु ९.१४८
बह्वेनाः ११.२५४
बाणशब्दे ४.११३
बाध्यमानम् ९.२४८
बान्धवत्यागः ११.६२
बान्धवाः ३.५२; ४.१८३, २४१; ५.५८, ६८, ७२; ९.१५९
बान्धवान् ३.२६४; ५.१०१; ८.९७
बान्धवैः ४.१७९; ५.७०; ८.१६६; ११.१८२, १८३
बालः २.१२५ [१५०], १२८ [१५३], १८३ [२०८]; ४.१७९; ७.८; ९.२३०, २३२, २८३
बालघ्नान् ११.१९०
बालवाय० ८.२७
बालघ्नम् ८.१४९

बालभावात् ८.११८
बालम् २.१२८ [१५३]
बालया ५.१४७
बालवासा ११.९२
बालवृद्धः ८.७१, ३१२
बालवृद्धौ ८.३५०, ३९५
बालवृद्धकृशातुराः ४.१८४
बालाः ९.२४७
बालात् २.२१४ [२३९]
बालातपः ४.६९
बालान् ८.२३४
बालिशः ३.१७६; ११.३६
बालिश्यात् ८.१२१; ११.२१
बालुकः ८.२५०; १२.७६
बाले ५.७८
बालेन ८.७०, १६३
बाल्ये ५.१४८
बाहु० १.३१, ८७; ४.१७५
बाहुगुण्येन ७.७१
बाहुबलाश्रितम् ९.२५५
बाहुभ्याम् ४.७७
बाहुवीर्येण ११.३४
बाह्यः १०.३०
बाह्यम् १०.३०
बाह्यतरम् १०.३०
बाह्यतरान् १०.३१
बाह्याः १०.३१
बाह्यान् १०.२९
बाह्यानाम् १०.३९, ६२
बाह्येषु १०.२८
बाह्यैः ८.२५
बिडालः ११.१५९
बिम्बः ५.१४२
बिन्दुः ७.३३
बिलौकसवधः १०.४९
बीज० १.४६, ४८; १०.७२
बीजक्षेत्रे १०.७०
बीजतः ९.१८१
बीजभूतः ९.३३
बीजम् १.८, ५६; २.८७ [११२]; ३.१४२; ९.३४, ३५, ३६, ३७, ३९, ४०, ४२, ४३, ५१, ५४, १४५; १०.७०, ७१, ७२
बीजयोन्योः ९.५६
बीजलक्षण० ९.३५
बीजवन्तः ९.४९
बीजस्य ९.३५
बीजात् ९.५२
बीजानाम् ३.३०
बीजानि ९.३८
बीजार्थम् ९.५३
बीजिनाम् ९.५२
बीजी ९.५१, ५३
बीजोत्कृष्टम् ९.१९१
बुद्धिः १.१०६; २.१६७ [१९२]; ५.१०९
बुद्धिजीविनः १.९६
बुद्धिमत्सु १.९६
बुद्धिमान् ४.१३६; ९.२२७; ११.१७२
बुद्धिवृद्धिकराणि ४.१९
बुद्धिसारूप्यम् ४.१८
बुद्धीन्द्रियाणि २.६६ [९१]
बुद्धौ १२.१०
बुधः ४.५९, २०४; ७.२१४; ८.१११
बुधाः १.१४१ [२.२२], ३.१२३; ७.१८, २१०; ११.२०, ४५
बुधैः ३.१०९; ११.२३४; १२.१२
बुभुक्षितः १०.२०५
बैजिकम् २.२ [२७]
बैजिकात् ५.६३
बैडालवृत्तिकः ४.१९५
बैडालवृत्तिके ४.१९२
बैल्वपालाशौ २.२० [४५]
ब्रध्नस्य ४.२३१, ९.१३७
ब्रह्मः १.२३; २.५५ [८०], ५७ [८२], ५८ [८३], ५९ [८४], ९१ [११६], १४७, [१७२]; ४.९९, १००, ११०, १११, ११४, १४९, ६.७९, ८३, ८५; ९.३१६, ३२०, ३२२; ११.८४, ९७, २६५; १२.६०, १२३, १२५
ब्रह्मघ्नः ८.८९
ब्रह्मचर्यम् २.२२४ [२४९]
ब्रह्मचर्ये ५.१६०
ब्रह्मचारिगतम् ५.१२९
ब्रह्मचारिणः २.१६ [४१]; ३.९९२; ५.१६०
ब्रह्मचारिणाम् ५.१३७
ब्रह्मचारिणी ५.१५८
ब्रह्मचारिणे ३.९४
ब्रह्मचारी २.१५० [१७५], १५६ [१८१], १५८ [१८३]; ३.५०, १८६; ४.१२८, ६.२६, ८७; ११.८१, १५८, २२४
ब्रह्मजन्मः २.१४५ [१७०], १२१ [१४६]
ब्रह्मणः १.९३; २.४९ [७४], ५६ [८१], १४८ [१७३], २०१ [२२६], २१९ [२४४]; ८.११
ब्रह्मणाः २.११९ [१४४]; ११.१९२
ब्रह्मणि ६.८१
ब्रह्मतः ९.३२१
ब्रह्मतेजोमयम् ७.१४
ब्रह्मदः २.१२१ [१४६]; ४.२३२
ब्रह्मदानम् ४.२३३
ब्रह्मदायहरम् ३.३
ब्रह्मदात्रोः २.१२१ [१४६]
ब्रह्मदेयात्मसन्तानः ३.१८५
ब्रह्मद्विट् ३.१५४
ब्रह्मधर्मद्विषः ३.४१
ब्रह्मपूजिता ८.८१
ब्रह्मभूतः ५.९३
ब्रह्मभूयाय १.९८; १२.१०२
ब्रह्मयज्ञः ३.७०
ब्रह्मयोनिः १०.७४
ब्रह्मर्षिदेशः १.१३८ [२.१९]
ब्रह्मलोकम् २.२०८ [२३३]
ब्रह्मलोके ४.२६०; ६.३२
ब्रह्मलोकेशः ४.१८२
ब्रह्मवर्चसकामस्य २.१२ [३७]
ब्रह्मवर्चसम् ४.९४, २१८

ब्रह्मवर्चस्विनः ३.३९
ब्रह्मवादिनः ४.९१; ६.३९; ११.१२०
ब्रह्मवादिना २.८८ [११३]
ब्रह्मवादिभिः ४.१९९
ब्रह्मवादिषु ११.४२
ब्रह्मवास्तोष्पतिभ्याम् ३.८९
ब्रह्मवेदिनः १.९७
ब्रह्मसम्भवम् ९.३२०
ब्रह्मसत्रम् २.८१ [१०६]
ब्रह्मसत्रेण ४.९
ब्रह्मसाष्टिताम् ४.२३२
ब्रह्मसुवर्चलाम् ११.१५९
ब्रह्मस्तेयसंयुक्तः २.९१ [११६]
ब्रह्महणः ११.१०१, १२८
ब्रह्महणि ९.२३७
ब्रह्महत्यया ११.५५
ब्रह्महत्या ११.५४, ७५, ८६
ब्रह्महत्याम् ११.८१
ब्रह्महत्यायाः ११.७९, १२६
ब्रह्महा ९.४९, ७२, २३५; १२.५५
ब्रह्मक्षत्रसवेषु ५.२३
ब्रह्मा १.९, ११, ५०; ८.२०९; १२.५०
ब्रह्माञ्जलिः २.४६ [७१]
ब्रह्माञ्जलिकृतः २.४५ [७०]
ब्रह्माधिगमिकम् २.१३९ [१६४]
ब्रह्माध्यासेन ४.१४९
ब्रह्मारम्भे २.४६ [७१]
ब्रह्मावर्तम् १.१३६ [२.१७]
ब्रह्मावर्तात् १.१३८ [१.१९]
ब्रह्माहुतिहुतम् २.८१ [१०६]
ब्रह्मोज्झता ११.५६
ब्रह्मोद्धाः ३.२३१
ब्राह्मः ३.२१, २७, ३९; ७.८२
ब्राह्मणः १.९३, १००, १०४; २.१५ [४०], २० [४५], ६२ [८७], ११० [१३५], १३७ [१६२]; ३.१७, ६३, ८४, ९३, १००, १०२, १६८, २१०; ४.२०५, २४५; ६.३८; ८.३७, ११२, १२४, २६८, ३४०, ३७८, ३८३, ४११, ४१२, ४१७; ९.८७, १७८, २४५, ३१७, ३३५; १०.१, २, ३, ४, ६५, ८१, ८३ ९२, ९३, १०१, १०२, ११७; ११.२१, ३१, ३५, ३८, ४१, ६७, ८३, ८४, ९६, १००, १४९
ब्राह्मणत्रान् ९.२३२
ब्राह्मणजीविकाम् ४.११
ब्राह्मणताम् १०.६५
ब्राह्मणक्षत्रियविशाम् ९.१५५
ब्राह्मणक्षत्रिययोः ३.१४
ब्राह्मणक्षत्रियाभ्याम् ८.२७६
ब्राह्मणद्रव्यम् ९.१८९
ब्राह्मणद्रुहः ८.२०
ब्राह्मणद्रुहे ७.८५
ब्राह्मणम् १.३१; २.८९ [११४]; २.१०२ [१२७], ११० [१३५]; ३.१३०, १४९, २४३; ४.१३५; ८.९, ८८, १२३, २६७, ३५०, ३८०
ब्राह्मणराजन्यौ ११.९३
ब्राह्मणवधात् ८.३८१
ब्राह्मणवधे ११.८९
ब्राह्मणसंस्थासु ८.३२५
ब्राह्मणसम्पदः ३.१२६
ब्राह्मणस्य १.६८, १००, १०१; २.७ [३२], ११ [३६], १३ [३८], २१ [४६], ४० [६५], १६५ [१९०]; ३.२४, ११०; ४.१६७; ६.२, ३१, ७०, ९७; ७.८४; ८.३३८, ३७९, ४१३; ९.१४९; १०.८०; ११.११, ३३, ७९, २०४, २०६, २३५, २४२; १२.९३
ब्राह्मणस्वम् ११.१८; २६
ब्राह्मणाः १.९६, ९९, १०१; ३.१८६, २५२; ४.९१; ८.४०७; ९.१८८, ३१९; १०.७४; ११.१९३; १२.५६, १०८, १०९
ब्राह्मणात् ९.३१३; १०.८, १५, ६४, ६६, ७७
ब्राह्मणावसथिन १०.४३
ब्राह्मणानाम् १.८८; ४.५८; ५.२७, १२७; ७.८८; ९.२६८
ब्राह्मणान् ३.१७८, २३३, २५८; ४.१६२; ७.३७, १४५, २०१; ९.२४८, ३२०; १०.१२९; ११.४
ब्राह्मणाय ३.९६; ४.१६५; ९.३२७; ११.७६, १३५
ब्राह्मणार्थे १०.६२; ११.७९
ब्राह्मणी ९.१९८
ब्राह्मणीम् ८.३७६
ब्राह्मणे २.२१७ [२४२]; ८.२७६; ९.२४४
ब्राह्मणेन १.१०३; २.२०० [२२५]; ७.५८; ११.९५
ब्राह्मणेषु १.९७; ७.३२, ८३
ब्राह्मणैः १.३०; ३.२१०, २४३; ५.२२; ६.५१; ७.७५; ८.१, ३९१; ११.२९
ब्राह्मण्यम् ७.४२; ११.९७
ब्राह्मण्या ८.३७७
ब्राह्मण्यात् ३.१७
ब्राह्मण्याम् ८.३८२; १०.३०, ६६
ब्राह्मदैवार्षगान्धर्व-प्राजापत्येषु ९.१९६
ब्राह्मम् १.७२, ७३; २.३४ [५९]; ४.१८६; ७.२; ११.२१
ब्राह्मयुयम् ३.७३, ७४
ब्राह्मस्य २.१२५ [१५०]
ब्राह्मान् २.१५ [४०]
ब्राह्मीः २.३
ब्राह्मीपुत्रः ३.३७
ब्राह्मे ४.९२
ब्राह्मेण २.३३ [५८]
ब्राह्मैः ३.१५७
भक्तदान० ९.२७८
भक्तदायकः ९.२७१

भक्तम् ७.१२७; ११.७
भक्तदासः ८.४१५
भक्तानि ११.१६
भक्ते ११.१६
भक्षणवर्जने ५.२६
भक्षणात् ५.४९
भक्षणे ११.१५६
भक्ष्यभोज्यापदेशैः ९.२६८
भक्ष्यभोज्यापहरणे ११.१६५
भक्ष्यम् ३.२२७
भक्ष्याणाम् ५.२३
भक्ष्यान् ४.६३; ५.१८
भक्ष्याभक्ष्यम् ५.२६
भक्ष्येषु ५.१७
भगः ९.२३७
भगवन् १.२
भगवान् १.६; १२; ८.१६; १२.११७
भगिनी २.१०४ [१२९]
भगिनीम् २.२५ [५०]; ११.१७१
भगिन्यः ९.१९२, २१२
भग्नम् ८.१४८
भग्नयुगे ८.२९१
भङ्क्तारम् ९.२८९
भद्र० ८.९०
भद्रकास्यै ३.८९
भद्रम् ४.१३९
भद्राः ९.२५८
भद्राणि ४.१७४
भद्रिकाः ९.२२६
भयः ६.३२
भयम् ६.४०; ७.१८८, १८९
भयात् ७.३, १५, २२; ८.११८, १२०
भयानि १२.७७
भयैः ११.११२
भरद्वाजः १०.१०७
भर्तरि ३.१४८, १६०, १७४; ९.४, ३२
भर्ता ३.६०; ५.१६२; ७.९५; ९.३, ६, ४५, १३५; ११.१७६
भर्तारम् ५.१६१; ८.३७१; ९.९१
भर्तुः ५.१६४; ७.९४; ९.३०, ३२, ४६, ८६, १९६, १९९
भर्तृपुत्रैः ९.२४
भर्तृलोकम् ५.१६५; ९.२९
भर्तृषु ९.१५
भर्तृहार्यधनः ८.४१७
भर्त्रा ३.६०; ५.१४९; ९.२२, १७६
भवतः २.६७ [९२]; ९.५८
भवति! २.१०४ [१२९]
भवत् २.१०३ [१२८]
भवनम् ६.६२; ११.१८७
भवान् ११.९९
भविष्यम् १२.९७
भव्यम् १२.९७
भस्म० ४.७८; ८.२५०
भस्मनः ८.३२७
भस्मना ५.११
भस्मनि ३.१६८, १८१; ४.४५
भस्मी ४.१८८
भस्मीभूतेषु ३.९७
भागः ७.१३०; ९.२११, २०४
भागधेयम् ३.२४५, २४६
भागम् ४.१; ५.१६९; ६.३३; ९.१४३; १०.११८
भागशः १२.२२
भागात् ८.२४३
भागिनः ९.१८४
भागिनी ९.५३, १६५
भाजने ४.६५
भाजनैः ३.२०२
भाण्डपूर्णानि ८.४०५
भाण्डम् ५.११२
भाण्डवादनम् १०.१४९
भाण्डानाम् ७.१३२; ७.३३१
भाण्डावकाशदाः ९.२७१
भानौ ८.१३२
भारिणः २.११३ [१३८]
भार्यया ३.६०, ११३; ४.४३, १८०
भार्या ३.१३, १४, ६०, १०३; ४.१८४; ८.२९९, ३१७, ४१६; ९.४६, ५७, १५७
भार्यात्वम् १२.६९
भार्याम् ३.४; ४.२३२; ६.२; ७.७७; ८.३३५; ९.६, ८, ४४, ५८, ९५
भार्यायाः ९.७४
भार्यायाम् ३.१७३
भार्यायै ५.१६४
भार्यार्थे ११.१७२
भावसमाहितः ६.४३
भावप्रतिदूषिते ४.६५
भावम् ८.२५
भावान् १२.२४
भावेन ४.२२७, २३४; ६.८०; ७.१७१; १२.८१
भावेषु ६.८०
भाषणम् ११.६९
भाषमाणः ८.३६१
भाषा ८.१६४; ९.३९, ३३२
भाषित० २.१७४ [१९९]
भाषितेन ८.२६
भासताम् ११.२५
भास्करम् २.२३ [४८]
भास्वत् १.७७
भास्वन्तम् ४.२४३
भिक्षवे ३.९४
भिक्षा ३.९४; ६.३४
भिक्षाभिः ६.७
भिक्षाम् २.२५ [५०]; ३.९५, ९६; ६.७, ५०, ५६
भिक्षार्थी ८.९३
भिक्षुकम् ३.२४३
भिक्षुकाः ८.३६०
भिक्षुकैः ६.५१
भिनत्ति ७.६६
भिन्नभाजने १०.५४
भिन्नभाण्डे ४.६५
भिन्नभाण्डेषु १०.५२

भिन्नम् ४.६९
भिन्नवृत्तिता १२.३३
भिन्नभृंगाक्षिशुरैः ४.६७
भिषजे ३.१८०
भीतः ७.९४
भीतम् ७.९३
भीतैः ११.२९
भीरवः ५.२९
भीरून् ७.६२
भीषजनाभिकम् ३.९
भीषया ९.२६४
भुक्तमात्रे ४.१२१
भुक्तवत्सु ३.११
भुक्तशेषम् ३.२८५
भुज्यमानानि ८.१४६
भुञ्जानः २.१७० [१९५]
भुञ्जानम् ३.१७६
भुवः २.५१ [७६]
भुवि २.१९१ [२१६]; ३.९२, २१४, २४४; ७.६; ८.१३१, ३८१
भू: २.५१; ४.१८९; ५.१३३; ६.१४
भूतमात्रासु १२.१७
भूतम् १.७, ९५; १२.९७
भूतयज्ञम् ४.२१
भूतसंसारे १.५०
भूत्यै ५.३९
भूतात्मा ५.१०९; १२.१२
भूतानाम् १.४२, ६५, ९६, ९९; २.१३४ [१५९]; ४.२, १४८; ५.५६; ६.४०, ६०
भूतानि १.१६, १८; ३.८०, ८१; ५.४५; ७.१५, १०३; ८.३०६; ९.३७, ३११; ११.२४०; १२.१५, २२, ९०, ९१, ९९, १२४
भूतान् ६.५२
भूताशासम् ६.७७
भूतिकामैः ३.५९
भूतेभ्यः ३.९०; ४.३२; ६.३९
भूतेषु ६.६६, ७३; १२.११, १४, ९१, १२५
भूतैः १२.२०, २१
भूमि १.७८; ३.१०१; ५.१२४, ७.२०८; ८.८६, ९९, २५१; ९.३७; ११.५७
भूमिगतम् ३.२४६
भूमिगताः ५.१२८
भूमिचलने ४.१०५
भूमिदः ४.२३०
भूमिदेवानाम् ११.८२
भूमिपः २.३७ [६२]; ५.८३; ७.८
भूमिपम् २.११० [१३५]
भूमिम् १.१३; ४.५५, १८८, २०६, २३०; ८.१००, २६५; १०.८४
भूमिशयान् १०.८४
भूमेः ८.३९
भूमौ ३.२२६; ५.६८; ६.२२; ९.३८
भूयः १.५१; २.६९ [९४]; १२.१४
भूयान् ८.३८१
भूयांसि २.११२ [१३७]
भूयिष्ठम् ८.८
भूरिः १.३६, ६३
भूर्जकण्टकः १०.२१
भूषण० ३.५९
भूषणवाससाम् ८.३५७
भूष्णुः ४.१३५
भृगुः १.३५, ५९, ६०; ५.३; १२.२, १२६
भृगुम् १.३२, ३५; ५.१
भृगोः ३.१६
भृतः ८.२१५
भृतकः ६.४५
भृतकाध्यापकः ३.१५६
भृतकाध्यापितः ३.१५६
भृतकेन ८.७०
भृतिः ८.२३१; १०.११६
भृतिकृत्येषु ८.३९३
भृतिम् ९.३३२
भृत्यः ८.२३१
भृत्यजनम् ११.२२
भृत्यवृत्तये ११.७
भृत्याः ७.१२३; ११.६२
भृत्यानाम् ३.७२; ५.२२; ८.२४३; ९.३३२; १०.१२४; ११.१०
भृत्यान् ४.२५१; ९.३२४
भृत्येषु ३.११६; ७.६७, २२६
भृत्यै ३.११२
भृशदण्डः ७.३२
भृशम् ४.६०, ६८, १२२; ७.१७०, २१४; ८.८२; ११.११३
भेत्तारम् ९.२८९
भेदकः ३.१६३; ९.२८५
भेदकम् ९.२८०
भेदने ८.३२५; ९.२८६
भेदेन ७.१९८
भैक्षचरणम् २.१६२ [१८७]
भैक्षचर्या ११.१५१
भैक्षचर्याम् २.८३ [१०८]
भैक्षभुक् ११.१७८, २५५
भैक्षम् २.२३ [४८], २४ [४९], २६ [५१], १५७ [१८२], १५८ [१८३]; ४.५; ६.२७, ५५; ११.१२२
भैक्षाशी ११.७२
भैक्षाहारः ११.२५७
भैक्षे ६.५५
भैक्षेण २.१६३ [१८८], ११.१२३
भैक्ष्यम् ५.१२९; १०.११६
भोक्तव्य ८.१५०
भोगान् ७.७९
भोगाय ७.१५, २२, २३
भोगे ८.१००
भोगेन ८.१४९
भोजनम् ५.२४, १४०; १०.५२
भोजनात् १०.९१
भोजनार्थम् ३.१०९; २२४, २४३
भोजनीयाः ३.१२४
भोजने ४.५८
भोजनैः ५.५४

भोज्यम् ३.२२७; ५.२४
भोज्यान्नाः ४.२५३
भोज्ये ३.२४०
भोजावः २.९९ [१२४]
भ्रातरः ९.१०४, ११८, १८५, २१२, २१४
भ्रातरम् ८.२७५
भ्रातरि ९.१०८
भ्राता २.२०० [२२५], २०१ [२२६]; ३.११; ४.१८४; ५.१५१; ८.११६, २९९
भ्रातुः ३.१७३; ९.५७, १४६; ११.१७१
भ्रातुर्भार्या २.१०७ [१३२]
भ्रातृणाम् ९.१८२, २०७, २१५
भ्रातृदत्तम् ९.९२
भ्रातृभिः ३.५५
भ्रातृभातृपितृप्राप्तम् ९.१९४
भ्रातृन् ९.१०८, २१३
भ्रात्रा ४.१८०
भ्रामरी ३.१६१
भ्रूणघ्ना ४.२०८
भ्रूणहत्यम् ११.२४८
भ्रूणहा ८.३१७
मकराभ्याम् ७.१८७
मकरम् २.५१ [७६]
मक्षिकः १.४०, ४५
मक्षिका ५.१३३
मक्षान् २.११८ [१४३]
मक्षीः ४.२४, २६
मघासु ३.२७३
मङ्गलम् २.९ [३४]
मङ्गलाचार० ४.१४५, १४६
मङ्गलादेशवृत्ताः ९.२५८
मङ्गलार्थम् ५.१५२
मङ्गल्यम् २.६ [३१], ८ [३३]
मज्जा ३.१८२; ५.१३५
मणिभुक्ताप्रवाल० ९.३२९; ११.१६७; १२.६१
मणीन् ४.२५०
मणीनाम् ५.१११; ९.२८६
मण्डलस्य ७.१५४, १५६
मण्डले ७.२०७
मण्डूक० ४.१२६
मण्डूकम् ११.१३१
मतिपूर्वकम् ४.१६६
मतिपूर्वम् ११.१४६
मतिम् ४.८०
मत्कुणम् १.४०, ४५
मत्तः ८.६७, ११.९६
मत्तक्रुद्धः ४.२०७
मत्तम् ९.७८
मत्ताम् ३.३४
मत्या ४.२२२; ५.१९
मत्सरी २.१७६ [२०१]
मत्स्यघातः १०.४८
मत्स्यमांसेन ३.२६८
मत्स्याः १.४४, १३८ [२.१९]; १२.४२
मत्स्यादः ५.१५
मत्स्यादान् ५.१३
मत्स्यान् १.३९; ४.२५०; ५.१४, १५, ७.२०, १९३
मत्स्यानाम् ८.३२८
मत्स्यानि ८.९५
मद्यः ७.४७
मदमोहितः ११.९६
मदिराम् ११.१४८
मद्गुः १२.६३
मद्गूनाम् १०.४८
मद्यपः ३.१५९; ११.६६
मद्यपा ९.८०
मद्यभाण्डस्थिताः ११.१४७
मद्यम् ९.८४, ८९; ११.९५
मद्यानाम् ८.३२९
मद्यानुगतभोजनम् ११.७०
मद्ये ५.५६
मद्येन ११.९७
मधीः ५.१२३
मधुः २.८२ [१०७], १५२ [१७७]; ३.२२६, २७२; ४.३९, २४७; ६.१४; १०.८८; ११.१५८; १२.६२
मधुनः ८.३२८
मधुना ३.२७३
मधुपर्के ५.४१
मधुपर्केण ३.११९, १२०
मधुरा २.१३४ [१५९]
मधुसर्पिर्भ्याम् ३.२७४
मध्यंदिने ४.१३१; ७.१५१; ११.२१८
मध्यदेशः १.१४० [२.२१]
मध्यमः ८.१३८, २७६; ९.२८४
मध्यमम् २.२०८ [२३३]; ३.२६२; ९.११३
मध्यमस्य ७.१५५; ९.११२
मध्यमु १.१४० [२.२१]; २.२४ [४९]; ४.३७; ११.२३४
मध्यमा १२.३, ४१, ४३, ४६
मध्यमी ८.१२०
मध्ययवः ८.१३४
मध्यरात्रिः ४.१०९
मध्यसाहसः ९.२४१
मध्यसाहसम् ८.२६३
मध्यस्थान० ९.२७२
मध्याह्ने ७.२१६
मध्ये १.१३, ७.७६, ११४
मध्यः १२.३०
मध्यापातः ११.९
मनः १.१४, १८, ५३, ७४, ७५, १०४; २.६७ [९२], ७५ [१००], १९८ [२२३]; ४.१७१; ५.१०५, १०९, १६६; ७.१२; ८.२६; ११.२२९; १२.२३, ११८
मनःपूतम् ६.४६
मनवः १.६१, ६३
मनसः १.१४; ११.२३३
मनसा ४.१६, १०९; ८.३८१; ११.२३१; १२.५
मनसि १२.१२१
मनांसि २.१६७ [१९२]; ७.६
मनीषिणः १.१७; २.६४ [८९]; ३.१८२; ४.२२१;

५.५५; ९.१८०; १०.७०; १२.५०
मनीषिणा ९.२०२
मनीषिभिः १.१३३ [२.१४], २.१६५ [१९०]; ५.१११, ८.१२२
मनुः १.३६, १०२, ११८, ११९; ३.१५०, २२२, ४.१०३; ५.४१, १३१, ६.५४; ७.४२; ८.१२४, १६८, २०४, २४२, २९२, ३३९; ९.१७, १५८, १८२, १८३; १०.६३, ७८
मनुना १.६० १.१२६ [२.७], ३.३६
मनुम् १.१; १२.१२३
मनुष्यः ७.८
मनुष्यत्वम् १२.४०
मनुष्यमारणे ८.२९६
मनुष्याः १.४३
मनुष्याणाम् ८.२८६; ९.६६, ११.१६३; १२.९४
मनुष्यान् १.३९, ८१; ३.११७
मनुष्येषु १०.४२
मनोः १.६१; ३.१९४; ६.३५, ३६; ८.१३९, २७९; ९.२३९; १२.३, ४
मनोदण्डः १२.१०
मनोदुष्टा ५.१०४
मनोवचनकर्मभिः २.२११ [२३६]
मनोवाक् ९.२९
मनोवाग्देहसंयता ५.१६५
मनोवाङ्मूर्तिभिः ११.२३१, २४१
मनोहरम् २.८ [३३]
मन्त्रयन्ते ७.१४९
मन्त्रज्ञैः ८.१
मन्त्रतः ३.६५, ६६
मन्त्रदः २.१२८ [१५३]
मन्त्रदम् २.१२८ [१५३]
मन्त्रदर्शिभिः ३.२१२
मन्त्रम् ७.५८, १४८, १५०
मन्त्रवत् २.४ [२९], २.३९ [६४]; ३.२१७
मन्त्रवर्जम् १०.१२७
मन्त्रविद् ३.१३१
मन्त्रसंस्कारकृत ५.१५३
मन्त्रसम्पूजनार्थम् ३.१३७
मन्त्राः ८.२२६, २२७
मन्त्रान् ५.८६
मन्त्रिभिः ७.१४६, २१६; ८.१
मन्त्रेषु ९.६५
मन्त्रैः १.१३५ [२.१६], ५.३६; ७.२१७; ९.१८, २२६, २५६
मन्थपात्रेण ९.२३
मन्युम् ८.३५१
मन्वन्तरम् १.७९
मन्वन्तराणि १.८०
मरणजन्मनी ५.७९
मरणम् ६.४५
मरणात् ११.२९
मरीच्यः १.५८
मरीच्यादयः १.५६; ३.१९४
मरीचिम् १.३५
मरुतः ११.२२१
मरुद्भ्यः ३.८८
मर्कटः १२.६७
मर्त्यानाम् १.८४; ५.९७
मर्यादाभेदकः ९.२९१
मलम् २.७७ [१०२], ४.२२०; ११.९३, १०१, १०७
मलाः ५.१३२, १३५; ६.७१
मलानाम् ५.१३४
मलावहम् ११.७०
मलिनीकरणीयेषु ११.१२५
मल्लः १०.२२
मल्लाः १२.४५
मशकम् १.४५
मस्तकम् ११.४३
महतः २.५४ [७९]; ३.९८
महता २.१९६ [२२१]
महति ७.७७
महती ७.८
महत् ३.६६; ८.१२८, २८६; ९.२९५, ३१७, ३२७
महत्सु ८.२९६
महर्षयः १.१
महर्षिः १.४, ६०; ४.२५७; ६.३२
महर्षिभिः ३.६९; ८.११०; ९.३१; ११.२९, २२१
महर्षीन् १.४, ३४, ३६; ५.३; १२.२
महाकुलीनम् ८.३९५
महातपाः १०.१०७
महातेजा १.६२
महात्मनाम् ५.१
महात्मनि १.५४
महात्मभिः १.४, ४१
महात्मानः १.६२
महाद्युतिः १.८७
महानरकम् ४.८८
महानिशि ४.१२९
महान् २.१२९ [१५४]; ३.५३; १२.१४, २४, ५०
महान्तम् १.१५
महान्ति १.१८; ३.६; ११.५४
महापथे ९.१७९
महापशूनाम् ८.३२४
महापातकजानि ११.२४५
महापातकसंयुक्ता ११.२५७
महापातकिनः ९.२३५, २४३; ११.१०७, २३९; १२.५४
महाफलम् ३.१२८
महाफला ५.५६
महाभाग्यम् ११.२४४
महाभागाः ३.१९२; ९.२६
महाभूत० १.६
महाभोगा ९.२५९
महायज्ञक्रिया ११.२४५
महायज्ञविधानम् १.११२
महायज्ञाः ३.६९
महायज्ञान् ४.२२; ६.५
महायज्ञैः २.३ [२८]

महायन्त्रप्रवर्तनम् ११.६३
महारौरवरौरवौ ४.८८
महावीचिम् ४.८९
महाव्याहृतयः २.५६ [८१]
महाव्याहृतिभिः ११.२२२
महाशल्कः ३.२७२
महाह्रदम् ११.२६३
महिषी ९.४८
मही ४.२३३
महीक्षिता ७.८९
महीतलात् ४.१६८
महीतले ११.२०७
महीदुर्गम् ७.७०
महीपतिः ७.४६, १३८, १४०, १८२; ८.३५२; ९.२९८; ११.२२
महीम् ३.१३४; ९.६७
महेन्द्रः ७.७
महोदधिः ९.३१४
महोदयम् ७.५५
महौजसः १.६१
महौजसौ १२.१८
मागध १०.११, २६
मागधवैदेहौ १०.१७
मागधानाम् १०.४७
माघशुक्लस्य ४.९६
मातरम् २.२५ [५०]; ४.१६२; ५.९१; ८.२७५
मातरि ९.२१७
माता २.१०८ [१३३], ११९ [१४४], १२० [१४५], १२१ [१४७], १४५ [१७०], २०० [२२५], २०१ [२२६], २०६ [२३१]; ८.३३५, ३८९; ९.२०, ११०, १६८, २१७
मातापितरौ २.२०२ [२२७]; ९.१३३
मातापितृभ्याम् ४.१८०; ९.१७१
मातापितृविहीनः ९.१७७
मातापित्रा ३.१५७
मातापित्रोः ५.६२; ९.१७४, १९७
मातामहः ९.१३६
मातामहम् ३.१४८
मातामहाय ९.१३२
मातामह्याः ९.१९३
मातुः २.२५ [५०], १०८ [१३३], १४४ [१६९]; ३.५; ५.६२, १०१; ९.४, १०४, १३१; १०.५९; ११.१७१, १७९
मातुलः ४.१७९
मातुलम् ३.१४८
मातुलात् २.१०५ [१३०]; ३.११९
मातुलानी २.१०६ [१३१]
मातुले ५.८१
मातृकम् ९.९२, १९२
मातृजात्याम् १०.२७
मातृतः ९.१२५
मातृदोष० १०.६
मातृदोषात् १०.१४
मातृपितृत्यागः ११.५९
मातृभक्त्या २.२०८ [२३३]
मातृभातृली ४.१८३
मातृवत् २.१०८ [१३३]
मातृष्वसा २.१०६ [१३१]
मात्रा १.२७; २.९० [२१५]; ७.४
मात्राभ्यः १.१९; ७.५; १२.१६
मात्रासंगात् ६.५७
मात्रासु १.१६
माधुपर्किकम् ९.२०६
माधूकम् १०.३३
माध्यस्थम् ४.२५७
माध्वी ११.९४
मानम् २.१८३ [२०८]; ४.१६३
मानयोगम् ९.३३०
मानवः १.१२८ [२.९]; ३.१४०; ५.३, ३५, ७७; ८.३५, १५८, १८०, २२५, ३६७; ९.१०६; ११.१८१, २१०, २५३; १२.२, ११.६१
मानवम् १२.१२६
मानवर्धनम् ९.११५
मानवस्य १२.१०७
मानवाः १.१३९ [२.२०]; ७.६६; ८.४२, ३१८; ९.९६, २४६, ३०९
मानवान् ९.२२५; ११.३१
मानवैः ८.२११
मानसः २.६० [८५]
मानसम् १२.५, ८
मानसैः १२.९
मान्यार्हः २.११२ [१३७]
मानुष० १.६५; ४.१२४
मानुषाः १०.८६
मानुषे ७.२०५
मानुषेषु ९.२८४
मान्यस्थानानि २.११ [१३६]
माय्यौ २.११४ [१३९]
मायया ७.१०४
मायाधिः १.८२
मायाम् ७.१०४
मारणम् ५.३८
मारीचाः ३.१९५
मारुतः ९.३०६
मारुतम् ९.३०६; ११.१२१
मारुते ४.१२२; ११.११३
मार्गम् ४.१७८; ७.१८५, १८७
मार्गवम् १०.३४
मार्गशीर्षे ७.१८२
मार्गे ९.२८८
मार्गेषु ८.३; ९.२५०
मार्जन० ५.१२२
मार्जनम् ५.११६
मार्जारः ४.१२६
मार्जारनकुलौ ११.१३१
मार्जारलिलिङ्घनः ४.१९७
मास्यम् २.१५२ [१७७]; ४.७२
माषः ८.१३४
माषकम् ८.३९२, ३९३
माषम् ८.३१९
माषिकः ८.२९८
मासैः ३.२६७
मांसः ३.१८२; ६.७६
मांसत्यम् ५.५५

मांसपरिवर्जनात् ५.५४
मांसभक्षणे ५.५६
मांसभेत्ता ८.२८४
मांसम् २.१५२ [१७७]; ३.२५०, २५७, २६७; ४.२७, २५०; ५.१५, २७, ३२, ३३, ३५, ४८, ५०, ५५, १३१; ६.१४; १०.८८; ११.९५, १५२, १५८, २५४; १२.६३
मांसविक्रयिणः ३.१५२
मांसविधिज्ञः ५.३३
मांसस्य ५.२६, ३१, ४९, ५५; ९.३२९
मांसात् ५.१५
मांसानि ३.२२७; ५.५३; ११.१५५
मांसाशनम् ५.७३
मांसेन ३.२६९, २७०, २७१; १०.९२
मासः १.६६; ३.१२२; ६.१८, १८
मासतुल्याभिः ५.६६
मासम् ११.४१, १०८, १२५, १९४, २५६
मासस्य ८.१४२
मासात् २.५४ [७९]; ८.१४०; ११.२४८
मासान् ३.२६८, २७०; ४.९५; ९.७८, ३०४, ३०५; ११.१०६
मासि २.९ [३४], ९ [३४]; ६.१५; ७.१८२; ८.२४५
मासिकः ७.१२६; ११.१५७
मासिकम् ३.१२३; ५.१४०
मासिमासि ७.१३८
मांसेन ५.८३; ११.२२०
मासेषु ८.४०३
मासैः ११.११५
मासौ ३.२६८; ७.१८२; ११.१०९
माहात्म्यके ५.९४
माहिषम् ५.९
माहिषिकः ३.१६६
माहिषम् ११.२४९
मितभुक् ११.७५
मितम् ११.१०९
मित्र० १२.७९
मित्रक्षत्रात् ८.३४७
मित्रद्रुहः ८.८९
मित्रध्रुक् ३.१६०
मित्रप्रधानानि ३.१३९
मित्रम् ३.१३८, १४४; ७.१५८, २०६, २०८; १२.१२१
मित्रस्य ७.१६४, १६६
मित्रात् ७.२०७
मित्रे ७.१८६
मित्रेण ७.१६५
मित्रोदासीनशत्रवः ७.१७७, १८०
मिथ्या ८.५९; ९.२८४
मिथ्यावादी ८.४००
मिथ्याविनीतः ४.१९६
मिश्रकः ११.५०
मिश्रम् ३.२७३
मिश्री ३.२६
मीनाहिमहिषस्य ११.६८
मीमांसित्वा ४.२२४
मुण्डकेशम् ७.९१
मुण्डकेशेन ८.३१४
मुण्डम् ३.२२५
मुण्डस्य ६.४४
मुण्डाम् १२.६१
मुखबाहूरुपज्जानाम् १.३१; १०.४५
मुखबाहूरुपादतः १.८७
मुखम् १.९२; २.३५ [६०], ५६ [८१], १६७ [१९२]; ५.१३९
मुखे ७.८४
मुखेन ४.५३
मुख्याः ३.२००; ५.१४१; ८.२१०
मुख्यानाम् ८.३२३
मुख्ये १०.६०
मुञ्जालाभे २.१८ [४३]
मुण्डः २.१९४ [२१९]; ८.९३
मुद्गाः ९.३९
मुनयः १.११०
मुनिः १.५९; ५.५४; ६.२५, ४१, ४३; ९.९१, ४०७
मुनीनाम् १.५८; ७.२९
मुन्यन्नम् ६.१५
मुन्यन्नानि ३.२५७, २७२
मुन्यन्नैः ६.५
मुसलः ३.८८; ५.११७; ८.३१५; ११.१००
मुहूर्तः १.६४
मुहूर्ते २.५ [३०]; ४.९२
मूकः ७.१४९
मूढः ३.२४९
मूढेन ७.३०
मूत्र० ५.१३५; ६.७६
मूत्रपुरीषाणि ११.१५४
मूत्रम् ४.४५, ५६; १५१, २२२; ५.१३८; ८.३७५, ३८४
मूत्रैः ५.१२३
मूत्रोच्चारसमुत्सर्गम् ४.५०
मूर्खाः १२.११५
मूर्खैः ४.७९
मूर्तयः १२.१५
मूर्तिः० १.१९
मूर्तितः १.५५
मूर्तिम् १.१७, ५६
मूर्तिभिः १२.१२४
मूर्तिषु १२.१२०
मूर्तिः १.९८; २.२०१ [२२६]
मूल्यविवर्धनात् १.१७
मूल० ३.८२; ६.५, ७, १३, १५, २१, २५, २६
मूलकर्म ११.६३
मूलकर्मणि ९.२९०
मूलके ८.३४१
मूलखानखनम् ८.२६०
मूलप्रणिहिताः ९.२६९
मूलफलम् ४.२४७; ८.३३९
मूलफलेन ३.२६७
मूलम् १.११०; ७.४९, १३९, १५६; ८.२०२; ११.८३,

२३४; १२.६७
मूलव्यसनवृत्तिमान् १०.३८
मूलहरः ८.३५३
मूलानि ३.२२७; ४.१७२; ६.१६, ४४
मूले १.१३० [२।११]; ७.१८४
मूल्यतः ९.२८७
मूल्यात् ८.२८९, ३२२, ३२९
मूल्येन ८.१४४; ८.१००
मृगः १.१४२ [२.२३], २.१३२ [१५७]; १२.५५
मृगगर्ताश्रयाः ७.७२
मृगग्रहणे ५.१३०
मृगताम् १२.९
मृगद्विजान् ५.१७
मृगपक्षिणः ५.२२
मृगपक्षिषु ८.२९७
मृगम् ९.४४
मृगया ७.४७, ५०
मृगयुः ८.४४
मृगयोः ४.२१२
मृगस्य ८.४४
मृगहन्तुः ५.३४
मृगाः १.४३; १२.४२
मृगाणाम् ५.९
मृगान् १.३९; ११.१३७
मृगेभम् १२.६७
मृण्मयानाम् ७.१३२
मृतचेलानि १०.५२
मृतप्रजा ९.८१
मृतवस्त्रभृत्सु १०.३५
मृतस्य ३.१७३; ५.१५६; ८.१८६; ९.१४६; ११.१०
मृतायाम् ९.१३५
मृते ५.१६०; ९.४
मृतेन ४.४
मृतं ५.१०५, १०८, १२२, १२६, १३४
मृत्तिका २.१५७ [१८२]
मृतप्रक्षेपेण ५.१२५
मृत्युः ५.२, ३, ४; ७.११
मृत्युना ११.१०३
मृत्युम् १२.८०
मृत्योः ७.५३
मृदः ५.१३६; ८.३२७
मृदम् ४.३९
मृद्भा ५.११२
मृदुः १.२९; ४.२४६; ७.१४०
मृदुवाक् ९.३३५
मृद्लोष्टम् ४.७०
मृद्वङ्गीम् ३.१०
मृन्मयम् ५.१२२, १२३; ६.५४
मृन्मयानाम् ८.३२७
मृषा ३.५३; ८.७१, ८९, २६३
मृष्टः ३.२५५
मेखला २.१७ [४२], १४९ [१७४]; ११.१५१
मेखलाम् २.३९ [६४]
मेघान् १.३७
मेढ्रम् ८.२८२
मेढ्रः ३.१८२; १०.४८
मेधावी २.८५ [११०]
मेधासमन्वितम् ३.२६३
मेध्यः १.९२; ६.१२, १३
मेध्यम् ५.१२९
मेध्यानि ५.१३२, १३३; ११.१५३
मेध्यैः ५.५४; ६.५, ११
मेहतः ४.५२
मैत्रः २.६२ [८७]; ६.८; १०.२३; ११.३५
मैत्रम् ४.१५२
मैत्रात् ८.११८, १२०
मैत्राक्षज्योतिकः १२.७२
मैत्रेयकम् १०.३३
मैत्र्यम् ९.२०६
मैथुनम् ४.११६; ११.६७, १७४
मैथुनिनः ५.१४४
मैथुने ३.५; ५.५६; ८.१००
मैथुन्यः ३.३२
मोक्षकः ८.३४२
मोक्षणे ९.२४९
मोक्षम् १.११४; ६.३५, ३७
मोक्षे ६.३५, ३६
मोघम् ९.५०
मोघस्य ९.१७८
मोघाभिरक्षिनि ९.२७४
मोह० १२.२९
मोहात् ३.१५, ५२, ९७, १४०; ७.१११; ८.११८, १२०, १७४; ९.६८, ८७; ११.४६, ९०
मौक्ष्यम् ११.५१
मौञ्जिबन्धनचिह्नितम् २.१४५ [१७०]
मौञ्जिबन्धने २.१४४ [१६९]
मौञ्जी २.१० [४२]
मौण्ड्यम् ८.३८४, ३७०, ३७५, ३७९
मौनात् २.५८ [८३]
मौर्वी २.१७ [४२]
मौसाः ८.६२
मौलानाम् ८.२५९
मौलान् ७.५४
म्लियमाणः ७.१३३
म्लेच्छ० ७.१४९
म्लेच्छदेशः १.१४२ [२।२३]
म्लेच्छवाचः १०.४५
म्लेच्छैः १२.४३
यक्ष० १.३७
यक्षरक्षःपिशाचान्नम् ११.९५
यक्षाः १२.४७
यक्षाणाम् ३.१९६
यक्ष्मी ३.१५४
यक्ष्यमाणम् १.११
यजतिक्रिया २.५९ [८४]
यजनम् १.८८; १०.७५
यजमानः ११.२४
यजिः १०.७९
यजुः १.२३
यजुर्वेदः ४.१२४
यजुर्वेदवित् १२.११२
यजुषाम् ११.२६२
यजुषि ११.२६४
यज्ञः १.१३४ [२।१५]; ३.१२०; ४.२३७; ५.३९,

९८, १५२, १५५; ११.११, ४०
यज्ञकर्मणि २.१८३ [२०८]; ३.१२०; ५.११६
यज्ञवीलायाम् २.१४४ [१६९]
यज्ञनिवृत्तिम् ४.२३
यज्ञपात्राणाम् ५.११६
यज्ञपात्रैः ५.१६७
यज्ञम् १.२२, ८६; ४.५७
यज्ञशास्त्रविदः ४.२२
यज्ञशिष्टाशनम् ३.११८
यज्ञशीलानाम् ११.२०
यज्ञशेषम् ३.२८५; ५.३९, ४१; ८.२०६
यज्ञसिद्धये ११.१२
यज्ञसिद्ध्यर्थम् १.२३
यज्ञाः १.१२२ [२।३]; २.७२ [९७]
यज्ञाय ५.३१
यज्ञार्थम् ५.२१, ३९, ४०; ११.४, २४, २५
यज्ञियःदेशः १.१४२ [२।२३]
यज्ञे ३.२८; ४.२०५; ५.३९, ४१; ८.२०६
यज्ञेषु ५.२३; ९.३१८; ११.१३
यज्ञैः २.३ [२८]; ६.३६, ३७; ८.३०६; ११.३९
यज्ञोपवीतम् ४.३६
यज्वनः ११.११
यज्वानः १२.४९
यतयः १२.४८
यतिः ६.५५, ५६, ५८, ६९, ८७
यतिचान्द्रायणम् ५.२०, ११.२१८
यतिपात्राणि ६.५४
यतीनाम् ५.१३७; ६.८६
यत्नतः ३.१३५; ४.१५९, ९.१५
यत्नम् २.६३ [८८], १६६, ८.३०२; ९.१६, २५२
यत्नवान् ९.२२२
यत्नेन ३.१४५, २३४, ४.१५९; ७.४९; १०.८३
यथाकर्म १.४१
यथाकालम् २.१४ [३९], २.४१; ४.१४७; ७.२२१, २२५; ८.४०६
यथाकृतम् ८.१८३
यथाक्रमम् २.४१; ३.२; ७.५०; ९.२९५; १०.७४
यथादृष्टम् ८.७६
यथान्यायम् ३.१३५, १९० ; ५.३५; ७.२
यथान्यृप्तान् ३.२१८
यथापण्यम् ८.३९८
यथापूर्वम् १२.१८७
यथाबलम् ७.१८२
यथाभाषितम् ८.२१६
यथायोग्यम् ५.९२
यथार्हतः ७.१६; ९.१९३; १०.१२४
यथार्हम् ५.११४; ११.४
यथाविधम् ८.२७४
यथाविधि २.२३ [४८], ११७ [१४२]; ३.४, ६७, ८१; ४.८५, २५७; ५.२७; ६.२५; ७.२, १८४; ८.३१, १०६, १८४; ९.२२, ६२, ७०, ८८, २१८; १०.२; ११.१९१, २४७
यथावृत्तः ७.१
यथाशक्ति ३.११३; ४.१४, २१; ११.६
यथाशास्त्रम् २.४५ [७०]; ४.९७; ७.३१; १०.५६
यथासुखम् ४.४३
यथासुखमुखः ४.५१
यथेष्टम् ९.२२८
यथेष्टासनः २.१७३ [१९८]
यथोक्तेन ५.७२
यथोत्साहम् ५.८६
यथोदितम् ९.२४०
यथोदितान् ३.१८७; ५.१; ७.२०३
यथोदितेन ४.१००
यथोद्दिष्टेषु ३.१८२
यन्ता २.६३ [८८]
यन्त्राणाम् ८.२९२
यन्त्रैः ७.७५
यमक्षये ६.६१
यमधर्माः १.१२२ [२।३]
यमयोः ९.१२६
यमवतम् ९.३०७
यमस्य ५.९६; ९.३०३
यमान् ४.२०४
यवगोधूमजम् ५.२५
यवनाः १०.४४
यवमध्यमे ११.२१७
यवसम् ११.१९६
यवसान्नोदकेन्धनम् ७.१९५
यवसेन ७.७५
यवाः ९.३९
यवागूम् ६.२०
यवाग्वा ११.१०६
यवान् ११.१०८, १५२
यवाहारः ११.१९८
यवीयसः २.१०५ [१३०]; ९.५७, ५८, १०८, ११२, २१३
यवीयसा ८.११६
यवीयसाम् ९.२०४
यवीयांसः ९.११७
यवीयान् २.१०३ [१२८]; ९.५८, १२०; ११.१८५
यशः २.९६ [१२१]; ३.६६, २६३; ४.९४, २१८; ७.३३, ३४; ८.३०२, ३४३, ३४४; ९.७६; ११.१५, ४०
यशस्करः ८.३८७
यशस्यम् १.१०६; २.२७ [५२]; ३.१०६
यशस्विनः ३.४०
यशस्विनाम् ९.३३४
यशोघ्नम् ८.१२७
यष्टिम् ४.३६; ५.९९
यावितेन ४.२२४
यावित्पुता १२.३३
याचकः ३.१६४

याजन० ८.३४०
याजनकः ३.१६५
याजनम् १.८८; १०.७५, ७७; ११.१९७
याजनात् १०.१०३, १०९; ११.१८०
याजनाध्यापने १०.७६, ११०
याजनाध्यापनैः १०.१११
याज्य० ४.३३; ८.३१७, ३८८
याज्यम् ८.३८८
याज्यौ ३.१४८
यातनाः ६.६१; १२.१७, २१, २२
यातनार्थः १२.१६
यातुः ८.२९०
यात्रा ११.१८४
यात्राफलम् ७.२०७
यात्रामात्रप्रसिद्धयर्थम् ४.३
यात्राम् ७.१८२
यात्रिकम् ६.२७; ७.१८४
यान० २.१७७ [२०२]
यानगः ४.१२०
यानम् ४.७२; ७.१६०, १६१, १६५, १८१; ८.४०४; ९.१५०
यानशय्या ४.२०२
यानशय्याप्रदः ४.२३२
यानशय्यासनस्य ११.१६५
यानशय्यासनाशने ७.२१०, २२०
यानस्य ८.२९०, २९१
यानस्वामिनः ८.२९०
यानानि ३.५२; ८.४०५; १२.६७
यानासनाशनात् ११.१८०
यानासने ७.१६२
यानैः ३.६४
यामी १२.१७, २१, २२
यामे ७.१४५
याम्यया ८.१७३
यावकैः ११.१२५
यावतिथः १.२०
यावन्तः ३.१२४
यावान् ८.१९४
युक्तः ७.१४२, २०६
युक्ततरः ७.१८६
युक्तस्य १२.४
युक्ता ६.७०; ११.५३
युक्तानाम् ४.१४६; ७.१२५
युक्तान् ३.२१३
युक्ते ७.१९७
युक्तैः ८.३४
युक्षु ३.२७७
युग० १.७३, ८५
युगम् १.६९, ७१, ७९, ८४; ९.३०१, ३०२
युगात् १०.६४
युगानाम् १.६८, ७२
युगे १.८१, ८६; १०.४२
युग्मम् ८.२९३
युग्मासु ३.४८
युग्यस्थाः ८.२९३
युद्धम् ७.१९९
युद्धाचार्यः ३.१६२
युद्धे ७.१९०
युद्धेन ७.१९८
युवतीनाम् २.१९१ [२१६]
युवत्या ५.१४७
युवतिः २.१८७ [२१२]; ११.३६
युधा २.१३१ [१५६], १९० [२१६]
यूका १.४०, ४५
यूनः २.९५ [१२०]
योक्त्र० ८.२९२
योग० ८.१६५
योगक्षेमम् ७.१२७; ९.२१९
योगक्षेमे ८.२३०
योगतः २.७५ [१००]; ६.९
योगदान० ८.१६५
योगम् ७.४४
योगात् १.४१
योगेन ६.६५
योजनम् ११.१३२
योजनानाम् ११.७५
योद्यधर्मः ७.९८
योनाः ७.१५०
योनान् ७.१४९
योनिः १.१४४ [२।२५]; २.५५ [८०]; ६.६३; ९.३७, ५२
योनिगुणान् ९.३७
योनितः २.१०४ [१२९]
योनिम् १२.५३, ५५
योनिषु ९.३२१; १०.२७; १२.७४
योनिसंकरः १०.६०
योनौ २.१२२ [१४७]
योन्याः ९.३५
योषितः ४.२१३; ५.१५३; ९.१०, २४, ८५
योषितम् ४.१३३; ९.७७ १२.६०
योषिता ५.१४७
योषिताम् ५.९०; ९.५६
योषिति ११.१७४
योषित ८.४०४
योषित्सु ११.१८८
यौतकम् ९.१३१, २१४
यौनात् ११.१८०
यौनान् २.१५ [४०]
यौनैः ३.१५७
यौवने ५.१४८; ९.३
रक्तः ४.६४
रक्तम् ४.१३२; १०.८७
रक्तवाससः ८.२५६
रक्तानि १२.६६
रक्षः १.३७
रक्षणम् १.८९, ९०; ९.१६; १०.८०; ११.२३५
रक्षणात् ८.३९, ३०५; ९.२५३
रक्षणे ९.३२६
रक्षांसि १.४३; ३.१७०, २०४, २३०, २३८; ४.१९९; ७.२३; १२.४४
रक्षाधिकृतान् ९.२७२
रक्षार्थम् ४.१५३; ७.३

रक्षासमन्वितम् २.७ [३२]
रक्षोभिः ७.३८
रङ्गावतारकस्य ४.२१५
रज: ५.१३३; ८.१३२; ११.११०; १२.२४, २६, २८
रजतस्य ११.१६७
रजसः १२.३८
रजसा: ४.४२; ५.१०८
रजसाभिसंप्लुताम् ४.४१
रजसि ५.६६
रजस्वलम् ६.७७
रजस्वला ३.२३९; ५.६६
रज्जुः ९.२३०
रज्जुम् ८.३१९
रज्जुबालम् ५.१२
रज्ज्वा ८.२९९; ११.१६८
रज्जुकस्य ४.२१६
रजे ७.९०, ९८; ९.३२३
रति ९.२८
रतिकाम्यया ३.४५
रतिमात्रम् ११.५
रतिम् १.२५
रतिसंहितः ९.१०३
रत्नानाम् ८.३२३
रत्नानि २.२१५ [२४०]; ७.२१८; १२.६१
रत्नेषु ८.१००
रत्नैः ७.२०३
रथः ७.९६; ९.२८०
रथम् ८.२०९
रथहर्ता ८.३४२
रथेन ८.२९५
रम्यम् ७.६९
रवि० १.२३
रवौ ४.७५
रश्मयः ८.२९२
रश्मिभिः ९.३०५
रश्मीन् ५.९९
रसः १.७८; १२.९८
रसजानाम् ११.१४३
रसम् १२.६२
रसविक्रयी ३.१५९
रसाः १०.९४
रसानाम् ९.३२९
रसान् २.१५२ [१७७]; १०.८६
रसैः १०.९४, ९४
रहः ३.३४; ६.५९; ८.३५४, ३६३; ९.१७२
रहस्य० ७.२२३
रहस्यम् १२.१०७
रहस्यानाम् ११.२४७
रहस्यानि ४.१४४
रहोगतः ७.१४७
राक्षसः ३.२१, २६, ३३; ५.३१; १२.६०
राक्षसम् ३.२४
राक्षसी ३.२८०
रागः ६.६०
रागद्वेषौ १२.२६
रात्रिभिः १.१२० [२१२]
राजगामि ११.५५
राजतः ४.३३; ८.१३६, १३७
राजतम् ५.११२; ८.२२०
राजतान्वितैः ३.२०२
राजतैः ३.२०२
राजधर्मान् ७.१
राजधर्मेषु ९.३२४
राजनि ५.८२; ८.३१७, ११.११, ३१
राजन्य: २.२४ [४९]; ३.११०; १०.९५; ११.८३
राजन्यबन्धोः २.४० [६५]
राजन्यम् ११.१२७
राजन्यविप्रासु १०.१२
राजन्यवैश्ययोः २.१६५ [१९०]
राजन्यवैश्यौ ११.८७
राजन्यात् १०.२२
राजप्रदेयानि ७.११८
राजभिः ८.३१८; ९.२१३
राजमार्गे ९.२८२
राजयक्ष्मा ३.७
राजर्षि ९.६७
राजविप्राङ्गना १०.११
राजवीर्यात् ११.३२
राजशासनैः १०.५५
राजसन्निधौ ८.२५८
राजसम् १२.३२, ३६
राजसर्षपः ८.१३३
राजसाः १२.४०
राजसी १२.४५, ४६
राजसीषु १२.४७
राजस्नातकयोः २.११४ [१३९]
राजस्वम् ८.१४९
राज्यम् ७.४२, ५५; ८.२२; ९.६६, २९४, ३२३; १२.१००
राज्यस्य ९.२९५, २९६
राज्यात् ७.१११
राज्यानि ७.४०
राजा ३.६४, ११९, १२०; ४.८६, २१८; ५.९७; ७.१२, १७, २०, २७, ३५, ५८, ७९, ८७, १११, १२४, १२५, १२८, १३३, १३७, १४०, १४४, १६२, १७३, २१६; ८.१९, २७, ३०, ३४, ३५, ३८, ३९, ४०, ४३, १२८, १७८, १९६, २५२, २६१, २६५, ३०५, ३०६, ३१४, ३१६, ३२४, ३३३, ३३६, ३४३, ३४४, ३४७, ३७१, ३८१, ३८६, ३९५, ४२०; ९.२२१, २२४, २४६, २६२, २८८, २९३, ३०१, ३१२; १०.९६; ११.४, २३, १००
राजाग्निः ७.९
राजानः ७.४०; १२.४६
राजानम् ७.३, २६; ८.१८, ३०८, ११.९९
राजान्तकरणी ९.२२१
राजीवानु ५.१६
राज्ञः १.११४; २.७ [३२], ११ [३६], १२ [३७], १९ [४४], २१ [४६], ११३ [१३८]; ३.१३, १५३; ४.८४,

८७, ९१, ११०, १३०; ५.९४, ७.६४, ९७, १२०, १२३, १३४, १३६, ८.११, २१, १७१, १७२, ३०४, ३३५, ३८७, ३९९; ९.२२६, २७५, ३०१, ३२५
राज्ञा ७.८३, ९७, १२९, १३०, १३६; ८.४०, ५०, १७६, १८६, २०२, २१३, २२३, २६३, ३८९, ४१२ ९.१८९, २४०, ३०७
राज्ञाम् ५.९३; ६.९७; ७.८८, ११२, २४५; १२.४६
राज्ञे ८.२८८; ९.१२९, ३२७
रात्रम् १.६४
रात्रयः ३.४६
रात्रिः १.६५, ६६, ६७; ८.८६
रात्रिभिः ५.६६
रात्रिम् १.७२, ७३; ४.९७, ५.८१
रात्रिषु ३.४८, ५०; ४.११९
रात्रे १.६५
रात्री ३.२८०; ४.५०, ५१, ७३, १०२, १०६; ६.६८; ७.१९६; ८.२३०; ९.२७६; १०.५४; ११.११०
राम्या ५.६४; ६.६९
राष्ट्रः ७.१५७
राष्ट्रकर्षणात् ७.११२
राष्ट्रम् ७.२९, ११०, १२८, १३४, १३६, १९५; ८.२१, ३०२; ९.२५४, २५५, २९४, ३०४; १०.६१
राष्ट्रस्य ७.११४
राष्ट्रात् ७.८०, १२९, १४३, ८.२१९, ३८०; ९.२४१, ३०५
राष्ट्रान् ९.२२१
राष्ट्राभिवृद्धये ७.१०९
राष्ट्रिकैः १०.६१
राष्ट्रे ७.१२२, १३७; ९.२२६
राष्ट्रेषु ९.२७२
राहोः ४.११०
रिक्थकः ८.४०४
रिक्थजाण्डानि ८.४०५
रिक्थजातम् ९.१५२, १९०
रिक्थभाक् ९.१५५
रिक्थभागिनः ९.१८८
रिक्थम् ८.२७, ३०; ९.१०४, १३२, १४१, १६२, १८४, १८५, १९२
रिक्थस्य ९.१८४
रिक्थहराः ९.१८५
रिपुः ७.१८६
रिपुम् ७.१७१
रिपून् ७.९०, ९८, २००
रिपोः ७.१८३
रुक्मस्तेय० ११.५७
रुक्माणम् १२.१२२
रुचितम् ३.२५४
रुचिता १२.३२
रुजः ११.६७
रुद्राः ११.२२१
रुद्रान् ३.२८४
रुधिरे ४.१२२
रुधिरेण ३.१३२
रूपगुण० १.७७; ७.७७
रूपद्रव्यविहीनान् ४.१४१
रूपम् ४.३८, २३०; ८.३२, ४५; ९.१४; १२.९८
रूपविपर्ययम् ११.४८
रूपसत्त्वगुण० ३.४०
रूपसंख्या ८.३१
रूप्यवः ४.२३०
रेतः २.१५५ [१८०], ४.२२२; ९.२०; ११.५८, १७०; १७३
रेतसः ११.१२०
रैवतः १.६२
रोगः ८.१०८
रोगायतनम् ६.७७
रोगार्तम् ९.७८
रोगिणः २.११३ [१३८]; ३.११४
रोगिणाम् ९.२३०
रोगिणी ९.८२
रोगिणीम् ३.८
रोचनाम् ८.२३४
रोचमानायाम् ३.६१
रोम ८.११६
रोमशः ३.७
रोमाणि ४.२२१, १४४
रोहितः १.३८
रौक्मे ४.३६
रौप्यमाषकः ८.१३५
रौप्यम् ५.११३
रौरवेण ३.२६९
लक्षण ४.६८; ७.७७; १२.४
लक्षणकः ६.९१
लक्षणकम् ६.९४
लक्षणम् १.२३, ११२, ११३, १३१ [२।१२]; ४.१६०; ६.४४, ९२; ८.२६१, ४०६; १२.३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३७, ३८
लक्षणानि ६.९३
लक्षणान्विताम् ३.४
लक्षिता ९.३५
लक्ष्यम् ११.७३
लगुडम् ८.३१५
लघुमित्रम् ७.२०९
लघुवासा २.४५ [७०]
लघून् ७.१९३
लतानाम् १२.५८
लशुनम् ५.५; ११९
लशुनाः ९.३९
लब्धप्रशमनानि ७.५६
लब्धलक्ष्यान् ७.५४
लब्धान् ९.२५१
लब्धेन ११.१२३
ललाटसंमितः २.२१ [४६]
ललाटे ९.२४०
लवणम् ६.१२; १०.८६, ९४; १२.६३
लवणानाम् ८.३२७
लवणेन १०.९२
लवशः ९.२९२

लवे ८.१५१
लाक्षया १०.९२
लाक्षाम् १०.८९
लाभः १०.११५
लाभान् ६.५८
लाभालाभम् ९.३३१
लाभे ६.५७
लाभैः ६.५८
लिक्षा ८.१३३
लिङ्गम् ६.६६
लिङ्गस्थः ८.६५
लिङ्गानाम् ८.२५३
लिङ्गानि १.३०
लिङ्गात्र: ८.४०७
लिङ्गानाम् ४.२००
लिङ्गेवेषेन ४.२००
लिङ्गे ५.१३६
लिङ्गैः ८.२५, २५२
लिप्तिछविः १०.२२
लुप्तधर्मक्रिया ८.२२६
लुब्धः ४.१९५
लुब्धस्य ४.८७
लुब्धेन ७.३०
लूता १२.५७
लेपः ४.१११; ५.१२६
लेपभागिनाम् ३.२१६
लोकः १.९; २.८५ [११०]; ७.२२
लोककष्टकान् ९.२६०
लोकजित्तमः ४.८
लोकतः ७.४३
लोकदम्भकः ४.१९५
लोकपालानाम् ५.९६
लोकपालेभ्यः ८.२३
लोकम् २.२०८ [२३३]; ७.२९, १०.१२८
लोकयात्रा ९.२५
लोकयात्रायाः ९.२७
लोकविक्रुष्टम् ४.१७६
लोकविद्विष्टम् २.३२ [५७]
लोकविभुताः ३.१९५
लोकवृत्तम् ४.११
लोकव्यवहारार्थम् ८.१३१
लोकस्य ३.२१३; ८.४२, ३५३; ९.३२४; ११.८४
लोकः २.२०५ [२३०]; ६.३९; ८.८९; ९.३१६; १२.९७
लोभात् ३.१४०; ८.१०३
लोभनाम् १.३१; १२.११७
लोभान् २.२०७ [२३२]; ४.१८१; ८.८१; ९.१३७, ३१५; ११.२६१
लोकपालान् ९.३१५
लोके १.११, ८४; २.१३८ [१६३], १८९ [२१४]; ३.१४१; ४.१३४, १५७, १७२, १८३, २५५; ५.५०, १६३, १६४; ७.३, ३३, ३४, ८०; ८.९६, १२७, २४९, ३४३, ३८७; ९.२४, ३०, १०९, १३३, १३९, २२३; १०.४३, ४५, ५८; ११.२६; १२.३६, ५३, १०२
लोकेभ्यः ४.२१९
लोकशः ५.९७
लोकेशप्रभवः ५.९७
लोभः १२.३३
लोभम् २.१५३ [१७८]; ७.४९
लोभात् ३.१७९; ८.११८, १२०, २१९, ३९९, ४१२; ९.२१३, २४२; १०.९६
लोभेन ३.५१; ८.२१३; ११.२६; १२.६१
लोमः ६.६
लोष्टम् ११.२६३
लोष्टमर्दी ४.७१
लोहदारकम् ४.९०
लोहम् ९.३२१
लोहशंकुम् ४.९०
लोहानाम् ९.३२९
लोहितम् ४.५६
लोहितस्य ८.२८४
लोहिताक्षः ५.६
लोहितान् ५.६
लौकिकम् २.९२ [११७]
लौकिकी ३.१२७; ११.१८४
लौकिके ३.२८२
वक्ता ११.३५
वक्तृत्वम् १२.११५
वचनम् १.१
वजेत् ७.१९१
वज्रकः ९.२५८
वणिक् १.९०; ८.१६९; १०.७९
वणिजः ७.१२७
वत्सः ५.१३०; ७.१२९
वत्सकम् ११.११४
वत्सतन्त्रीम् ४.३८
वत्सतरीम् ११.१३७
वत्सम् ११.१३४
वत्सरम् १.१२
वत्सराः १२.४९
वत्सरान् ९.७६
वत्सस्य ८.११६
वदान्यस्य ४.२२४, २२५
वधः ५.३९; ८.१०४, ३२०; ९.२४८
वधदण्डम् ८.१२९
वधनिर्वेकम् ११.१३९
वधबन्धौ ५.४९
वधम् ८.३२३, ३६४, ३६६, ३८१; ९.२९१
वधे ९.२४९; ११.१२६, १४१
वधेन ८.१३०; ११.१००
वधैः ८.१९३
वध्यस्य ९.२४९
वध्यवासांसि १०.५६
वध्यान् १०.५६
वनस्थाः ७.४०
वनस्थानाम् ५.१३७
वनस्पतयः १.४७
वनस्पतिभ्यः ३.८८
वनस्पतीन् ४.३९
वनानि ९.२६५
वने ८.३५६; १०.१०७; ११.१४४

वन्ध्या ८.२८; ९.८१
वपनम् ५.१४०; ११.१५१
वपाम् १२.६३
वपुः १२.२६
वपुष्मान् ७.६४
वयः ७.१४९
वयसः ४.१८
वयसि ९.१४
वयांसि ११.२४०
वयोरूपसमन्वितैः ८.१८२
वरम् १०.९७
वरस्य ३.३२
वराः ३.१२; १२.१०३
वराट् ३.२९
वराय ९.८८
वराह० ७.१८७
वराहाः १२.४३
वराहे ११.१३४
वरिष्ठम् ७.८४
वरुणम् ९.२४५
वरुणाय ९.२४४
वर्गस्य ७.५२
वर्जनात् ८.१७१
वर्णः १.१४४ [२।१५]
वर्णक्रमेण ८.२४; ९.८५
वर्णदूषकाः १०.६१
वर्णम् ८.३२, ३७४
वर्णयोः १०.१०
वर्णरूप० ४.६८
वर्णसंकरः ८.३५३
वर्णसंकराः १०.१२, २४
वर्णसंसर्गात् ८.१७२
वर्णस्य ३.२२
वर्णाः १०.१, ११.१५०; १२.७०
वर्णानाम् १.२, ९१, १०७, ११६, १३७ [२।१८]; ३.२० [११], ३५; ५.५७; ७.३५; ८.१४२, ३४८, ३५९, ३७९; ९.६७, १८९, ३३६; १०.३, २४, २८, १३०; ११.१३८
वर्णान् ८.१२३; १०.२७, ३१
वर्णापितम् १०.५७
वर्जेषु ८.६३, १२४; १०.१०
वर्तमानः ८.३९७
वर्तमानम् ८.३४६
वर्तमानाः १०.३१
वर्त्मनि ९.१
वर्धनणानु १२.५४
वर्धम् १.६७
वर्धस्य ७.१३७
वर्धानाम् १.६९
वर्धणि ८.१४७; ९.९०
वर्धासु ४.१०२
वर्षे ५.५३; ११.८१
वर्षैः ११.१७८
वल्मीके ४.४६
वल्लूरम् ५.१३
वल्ल्यः १.४८
वशम् ७.१०७, १०८; ९.२६१
वशे ७.४४; ८.१७४
वंशयम् ७.२०२
वंशयाः १.६१
वशयान् १.१०५; ३.३७
वसन् २.१५० [१७५]
वसनम् २.१४९ [१७४]
वसनस्य ३.४४
वसनानि १०.१२५
वसवः ११.२२१
वसा ५.१३५
वसिष्ठः ८.११०
वसिष्ठम् १.३५
वसिष्ठविहिताम् ८.१४०
वसिष्ठस्य ३.१९८
वसिष्ठेन ९.२३
वसु ९.१९६
वसुनः ९.१६३
वस्त्रम् ३.५२
वस्त्रान्नपानम् ११.१८८
वह्निनः ११.२४६; १२.१०१
वाक् १.१०४; २.६५ [९०], १३४ [१५९]; ३.१०१; ४.१७५, २५६; ५.१६६; ७.४८, ५१; ८.८१, १०५, १२९; ११.५१, ८५; १२.३, १०
वाक्चपलः ४.१७७
वाक्दण्डयोः ८.७२
वाक्पारुष्यविनिर्णयम् ८.२६६
वाक्पारुष्यस्य ८.२७८
वाक्शस्त्रम् ११.३३
वाग्गुदः १२.६४
वाग्दुष्टः ३.१५६
वाग्दुष्टात् ८.३४५
वाग्मी ७.६४
वाग्यतः ३.२५८; ९.६०
वाग्यताः ३.२३६, २३७
वागुरावृत्तिम् १०.३२
वाङ्मनसी २.१३५ [१६०]
वाङ्मयम् १२.६
वाङ्मात्रेण ४.३०
वाङ्मूलाः ४.२५६
वाचम् १.२५; २.१६० [१८५], १६७ [१९२]; ४.२३, ४९, २५६; ६.४६, ४८; ८.७०, १०३
वाचा २.१३६ [१६१]; ३.३०; ५.१२७; ८.२७०; ९.६९; १२.८,
वाचाटाम् ३.८
वाचि ४.२३, २५६; १२.१२१
वाचिकैः १२.९
वाजिनम् ८.२०९
वाजिनाम् २.६३ [८८]
वाटखदिरौ २.२० [४५]
वाणिजके ३.१८१
वाणिज्यिकम् ८.१०२
वाणिज्यम् ४.६; ८.४१०; ११.६९
वाति ४.१२२; ११.११३
वातेन्द्रगुरुवह्नीनाम् ११.११९
वादयुद्धः १२.४६
वादाभ्याम् ६.५०
वादिनम् ७.९१
वादित्राणि ४.६४
वादेषु ८.२६९
वानप्रस्थः ६.८७
वानरम् ११.१३५

वानरान् १.३९
वानस्पत्यम् ८.३३९
वान्तः ५.१४४
वान्ताशी ३.१०९; १२.७१
वाप्यः ८.२४८
वामीयम् ११.२५०
वाय्वग्नीनाम् ३.९२
वायु० १.२३, ७६; ५.१०५, (वायुः) १३३; ७.७
वायुगीताः ९.४२
वायुभूतः २.५७ [८२]९
वायुभूम् ३.७७
वायुवत् ३.१८९
वायोः १.७७
वाय्वग्निविप्रम् ४.४८
वारि २.१९३ [२१८]; ३.२०२; ४.६३, १९२, २३३; ५.१०५; ६.३१, ६७; १२.६७
वारिणा ३.२४४; ५.११७
वारिदः ४.२२९
वारिधिः ५.११४
वारिस्थम् ४.३७
वारुणम् १.३०८
वारुणीम् ११.१४६
वारुणैः ८.८२
वारुण्या ८.१०६
वार्क्षम् ७.७०
वार्ता १०.८०; ११.२३५
वार्तायाम् ९.३२६
वार्धुष्यम् ११.६१
वार्धुषिकः ३.१५३; ८.१४०
वार्धुषिकस्य ४.२१०, २२०
वार्धुषिकान् ८.१०२
वार्धुषेः ४.२२४
वार्धुषौ ३.१८०
वार्ध्रीणस्य ३.२७१
वार्योकः ७.१२९
वार्षिकान् ९.३०४
वार्षिकी ३.२७१
वालधिविरूपितैः ४.६७
वासः ४.६६, ११६, १८८, १८९, २३३; ११.१३६
वासन्त० ६.११
वासम् २.२१७ [२४२], २१८ [२४३]; १२.७८
वाससा ११.२०५
वाससाम् ८.३२१
वासांसि २.२२१ [२४६]; ६.१५; ८.३९६; १०.५२; १२.६६
वासा ३.३४
वासिष्ठम् ११.२४९
वासोदः ४.२३१
वासोभिः ४.१२९; ८.३९६
वास्तुमध्ये ३.८९
वास्तुसम्पावनम् ३.२५५
वाहन० ५.९९
वाहनानि ७.२२२; ८.४१९
वाहनायुधैः ८.११३
वाहनेन ७.१७२
वाहनैः ७.७५
वाहये ८.१५१
विंशतीशः ७.११७
विंशम् १०.१२०
विंशी ७.११९
विकर्मकृत् ८.६६
विकर्मक्रियया ९.२२६
विकर्मस्थाः ९.२१४; ११.१९२
विकर्मस्थान ४.३०; ९.२२५
विकलेन्द्रियः ८.६६
विकृतम् ९.२४७, २९१
विकृतः ९.२८८
विकृताकृतयः ११.५२
विकिरः ३.२४५
विक्रमम् ३.२१४
विक्रयः ३.५३, ५४; ८.१४३, १९९; ११.६१, ६२
विक्रयात् ८.२०१; १०.९३
विक्रिया ५.२५
विगतक्लमः ७.१५१
विगतम् ५.७५
विगुणः १०.९७
विग्रहः ७.१६४
विग्रहम् ७.१६०, १६१, १६२, १७०
विधसः ३.२८५
विधसाशी ३.२८५
विधुध्य ८.२३३
विचक्षणः ९.७१; १०.१०६, १०८
विचक्षणान् ७.६१
विचित्रा ११.९८
विजने १०.१०७; ११.१०५
विजन्मा १०.२३
विजयः ७.११, १९९; १०.११९
विजयमानस्य ७.१०७
विजानता ५.१२१; ८.२७६
विजानताम् ६.८४
विजिगीषोः ७.१५५
विज्ञातप्रकृती ८.१६१
विज्ञानम् ४.२०
विज्ञानात् १०.५०
विट् २.५५ [८०]; ३.२३; ४.२२२; ५.१३५; ११.६६
विट्पण्यम् १०.८५
विट्पतिम् ३.१४८
विट्वराहान् ५.१४
विट्शूद्रयोः ८.२७७
विड्भुजाम् १२.५६
विड्वराहः ११.१५४
विड्वराहम् ५.१९
विण्मूत्रम् ४.७७; ११.१५०
विण्मूत्रस्य ४.४८, १०९
विण्मूत्रे ४.१३२
विण्मूत्रोत्सर्ग० ५.१३४
वितथ० १२.५
वितथम् ८.९४, ११८; ९.७३
वितथेन ८.२७३
वित्तः १.३३; ५.९६
वित्तम् २.११२ [१३६]; ९.१९८; ११.२०
वित्तवर्द्धनम् १०.८५
वित्तविवर्धिनीम् ८.१४०
वित्तागमः १०.११५
वित्तात् ९.१९९
वित्तेन २.१२९ [१५४]
वित्तेशयोः ७.४

विदलः ९.२३०
विदूषः ४.१११; ७.३७
विदूषा १.१०३; २.१०१ [१२६]; ४.२०९; १२.३५
विदूषाम् ११.७३, ८५;
विदुषे ३.१४३
विदेशस्थम् ५.७५
विदेशे ८.१६७
विद्वांसः १.९७; ४.९१, १२५; ५.१०७
विद्वांसम् २.१८९ [२१४] १९० [२१५]; ३.१२९; ८.९
विद्वेषम् २.८६ [१११]; ८.३४६
विद्यया ८.८८ [११३]; १२.१०४
विद्यमानेषु ४.१५
विद्या २.८७ [११२], ८९ [११४], ९६ [१२१], १११ [१३६], २१५ [२४०]; ६.३०, ९२; १०.११६; ११.२३७; १२.१०४
विद्यापुरुषम् २.१८१ [२०६]
विद्यातपः ३.९८
विद्यातपोभ्याम् ५.१०९
विद्याधनम् ९.२०६
विद्यानाम् १२.८५
विद्यानुपलितः ९.२०४
विद्याम् २.१९३ [२१८], २१३ [२३८]; ७.१६
विद्यार्थम् ९.७६
विद्याविशेषतः ११.२
विद्याहीनान् ४.१४१
विद्युतः १.३८
विद्युत्स्तनितनिःस्वने ४.१०६
विद्युत्स्तनितवर्षेषु ४.१०३
विद्युता ५.९५
विद्युत्स्थ १.९७
विद्वद्भिः १.१२० [२.१]; ८.२२७; ९.६६
विद्वान् १.१२७ [२.८]; २.६३ [८८]; ३.५१, १६७; ४.११०, १६९, २२३; ८.११, ३७, ९६; ९.३१७
विद्वत् १.४०; १२.६
विद्वत्वा ९.६४, १७५
विद्यवायाम् ९.६०
विद्यवावेदनम् ९.६५
विद्यवास्तु ८.२८
विद्याता ११.३५
विद्यानतः ६.८९; १२.७
विद्यानम् ३.२८६; ७.११३, १८४, २२६; ८.२४४; ९.१४८
विद्यानस्य १.३
विद्याने ७.२०५
विद्यानेन ७.१८१; ८.२२८; ९.६९, १२८; ११.१६
विद्यानैः ६.२०
विधिः १.१३५ [२.१६]; २.४२ [६७], ४३ [६८], ३.३०, ४३; ५.३१, ७४; ६.९; ८.१६०, १८८; ९.१४९; १०.७; ११.१६१
विधिज्ञः ८.३६२
विधिना २.८२ [१०७]; ३.२१५, २८१; ४.१००, १९३; ५.१६९; ६.८१; ८.८९, १७८, ३४३; ९.१२७, १५२; ११.११५
विधिपूर्वकम् २.१४८ [१७३]; ३.९६, ९९, २१६; ४.१०१; ६.५
विधिपूर्वम् ३.८४
विधिम् १.१११, ११६; २.७९ [१०४]; ४.१८७; ५.२६, ३६, ५०; ८.३०१; ९.६३; १०.७; ११.८६, १८८, २१७
विधियज्ञसमन्विताः २.६१ [८६]
विधियज्ञात् २.६० [८५]
विधियोगेन ८.२११
विधिवत् १.५८; २.१५ [४०], १२३ [१४८], १९१ [२१६]; ३.२९, ९४, ९५, १४३, २११, २१९, २६६, २६७, २७५, २७९; ६.१, ११, ३६, ७०, ९४; ९.७२; ११.११९, १४८
विधुक्षये ३.१२७
विधूमे ६.५६
विधेः ११.२९
विनयम् ७.३९
विनयात् ७.४०, ४२
विनश्यात् १.१४० [२.२१]
विनष्टानि २.२९ [६४]
विनाशम् ३.१७९; ४.७१; ८.२४६
विनाशाय ७.१२
विनाशिन्यः १.२७
विनिपाते ८.१८५
विनिर्गतः ८.६५
विनिर्गमः ५.११०
विनिर्णयम् १.११४; ८.१९६
विनिन्द्य० १.१४० [२.२१]
विनिश्चयः ८.२७७
विनीतः ७.३९; ८.१
विनीतवेषः ८.२
विनीतेन ९.४१
विनीतैः ४.६८
विपणिः १०.११६
विपणेन १०.१५२
विपर्ययः ३.४९; ४.१२
विपर्ययम् ४.१७१; ८.२४९
विपर्यये ४.२३५
विपरीतः ७.१६३
विपरीतम् ४.१६१; ७.१७१; ८.२५७
विपरीतस्य ७.३४
विपरीतान् ४.३१; ८.६३
विपश्चितः २.१८८ [२१३]; ७.८१
विपश्चिता ७.५८
विप्रः १.१०९; २.३३ [५८], ३७ [६२], ५३ [७८], ९३ [११८], ९७ [१२२], १०० [१२५], १०१ [१२६], ११७ [१४२], १२५ [१५०], १३२ [१५७], १३३ [१५८], २१९ [२४४], २२४ [२४९]; ३.१०९, १२२, १७९, २२५;

४.२, ३४, ९५, १४२, २३७, २६०; ५.३६, ७९, ८३, ८७, ९९, १०१; ६.२९, ३२; ८.१६९, ३९२; ९.१५१, १५३, २२९; १०.११२; ११.२४, २५, ८६, ९९, १७५, २०१, २१४, २१९, २६१; १२.५७, ७१, ११६

विप्रकन्यायाम् १०.११

विप्रदुष्टभावस्य २.७२ [९७]

विप्रदुष्टाम् ९.७२; ११.१७६

विप्रमुखाग्निषु ३.९८

विप्रम् ३.८३, १०३, २६०; ४.३९; ५.१०४; ६.८८; ८.११३

विप्रयोगम् ६.६२

विप्रयोगे ९.१

विप्रलुम्पकम् ८.३०९

विप्रवत् ३.२२०

विप्रस्य १.९८; २.१७ [४२], १९ [४४], १२१ [१४६], १४१ [१६६]; ३.२३, २१२; ४.१११, २५९; ९.१५०; १०.१०, १०९; ११.८०, २०८, २६६; १२.२, ३७, ८२, १०४

विप्रसेवा १०.१२३

विप्रस्वम् १०.६०

विप्राः ३.३६, २६५; ४.२४, १९७, १९९; ६.९३; ८.११, ४२; ९.४५; १२.४८

विप्राणाम् २.१३० [१५५]; ३.९७, १९९; ५.२, १५९; ७.८२; ८.२७२; ९.३३४; १०.१०३

विप्रात् १०.२१

विप्रान् ३.१५०, १८७, २०८, २०९, २१९; ४.२३६; ५.३, ४; ७.३८; ८.१०२; १०.१२२

विप्रान्तिके ३.२२४

विप्राम् ८.३७८

विप्राय २.९० [११५]; ३.१२८; ११.१३०, १४१

विप्रुषः ५.१३३, १४१

विप्रे ४.१९२

विप्रेभ्यः ३.१३१; ७.७९; ९.३२३

विप्रेषु ३.९७, १११, ११६; ६.२७; ११.६, १९६

विप्रैः ३.२१२; १०.११३

विप्लवे ८.३४८

विप्लवान् ८.२४२

विप्लुतान् ८.३४७

विफलान् ८.२४०

विबुधाः १२.४७

विभक्तीनाम् १.२४

विभक्तैः ८.१६६

विभवे ४.३४; ११.३८

विभागमात् ७.२४

विभागः ८.७; ९.१२०, १२२, १३४, २०५, २१०, २२०

विभागधर्मः १.११५

विभागम् ९.१५२

विभागशः १२.१७

विभागस्य ९.१४८

विभागात् ९.२१६

विभागे ९.१४९

विभावितम् ९.४७, ५१

विभूषणपरिच्छदा ९.७८

विमुक्तस्य ६.४०

विमुक्तिम् ११.२३२

विमुखाः ४.२४१

विमोक्षात् ८.३१६

वियुक्तान् ७.२१४

वियुक्ती ९.१०२

वियोनिषु १२.७७

विरहः ९.१३

विरहम् ५.१४९

विरहेण ५.१४९

विराजम् १.३२

विराट् १.३२, ३३

विराट्सुताः ३.१९५

विरामः २.४८ [७३]

विरिक्तः ५.१४४

विरुद्धेन ४.१५

विरूपम् ९.१४

विरोधिष्णुः १.७७

विरोधिनः ४.१७

विवत्सायाः ५.८

विवरम् ७.१०५

विवशः ५.८२

विवस्वतसुतः १.६२

विवादः ८.५, ६

विवादम् ४.१३९, १८०; ८.८, २२९, २४५

विवादान् ४.१८१

विवादिनाम् ८.६९

विवादिनोः ८.२५४

विवादे ४.१२१; ८.११७; ११.२०५

विवास्य ९.२४१

विवाहः १०.५३

विवाहविधौ ९.६५

विवाहानाम् १.११२; ३.३४, ३६

विवाहेषु ३.३९; ५.१५२; ८.११२; ९.९७

विवाहौ ३.२६

विविक्तः २.१९० [२१५]

विविक्तम् ३.२०६

विविक्ते ४.२५८

विविक्तेषु ३.२०७; ११.६

विविधः ११.१६१; १२.१०५

विविधम् १.४८, ११७; ३.२२७; १२.६५

विविधाः १.८; ६.२९; ९.३३२; ११.२३७; १२.७६

विविधान् १.३९; ७.८१; ८.२४७; १२.८०

विविधानि २.२१५ [२४०]; १०.१००; ११.२६४; १२.६१, ७७

विविधासु ९.२९०

विविधेन ८.३१०

विविधैः २.१४० [१६५]; ६.५; ७.७९; ८.१९३; २७५

विवृतपीरुषः ७.१०२

विबुद्धार्थम् १.३१; ९.१२८
विवेकः १.२६, १०२
विशः २.११ [३६], १३ [३८], २१ [४६]; ३.१३; ८.३८३; १०.७९
विशसिता ५.५१
विशाम् ९.२४७; १०.१२०
विशिष्टः २.६० [८५]
विशिष्टम् ९.३४; १०.१२३
विशिष्टानि १०.८०
विशिष्टेन ७.५८
विशीलः ५.१५४
विशुद्धम् ८.२०१
विशुद्धये ११.५३, १३८, १८१
विशुद्धस्य ११.२४२
विशुद्धात् १०.७६
विशुद्धान् ११.१९०
विशुद्धिः ५.६७; ६.६९; ११.८९
विशेषः ९.२६, १३३, १३९
विशेषतः २.२०० [२२५]; ४.२०९; ५.२१; ७.५५; ८.३२३; ९.५; १२.४१, ९३
विशेषात् १०.३
विशेषेण ७.८६, १५०; ११.११
विश्वजन्यम् ९.३१
विश्वजित् ११.७४
विश्वरूपम् ७.१०
विश्वसृज् १२.५०
विश्वामित्रः १०.१०८
विश्वेभ्यः ३.८५, ९०
विश्वैः ११.२९
विषण्णानि ७.२१८
विषदैः ७.२१८
विषमः ७.२७
विषमम् ४.२२५; ९.११९, २१५, २८७
विषमानि १.२४
विषमे ८.२३२
विषम् १०.८८
विषय० १२.१८, २९, ३२
विषयम् ४.७७
विषयाणाम् १.१५
विषयात्मकः १२.७३
विषयान् १२.७३
विषये २.१७३ [१९८]; ५.८२; ७.१३३, १३४; ८.१४८, ३८७
विषयेषु १.८९; २.६३, ७१ [९६]; ६.५५; ७.३०; ९.२
विषयैः ६.५९
विषयाणि ४.५६
विषात् २.१३७ [१६२], २१४ [२३९]
विषादी ६.५७
विषापहैः ७.२१७
विषास्वादः ११.९
विष्टपम् ४.२३१; ९.१३७
विष्टब्धस्य ९.२९६
विष्ठा ३.१८०; ४.२२०
विष्णुम् १२.१२१
विसन्नाहम् ७.९२
विस्तरः ३.१२६
विस्तरशः ९.२५०
विस्तरे ३.१२५; ६.५५
विस्पष्टम् ४.९९
विस्पष्टार्थम् २.८ [३३]
विस्मयात् ४.२३७
विस्रब्धम् ८.४१७
विहङ्गमहीपिजाम् ९.५५
विहङ्गमान् १.३९
विहायसि २.१६१ [१८६]
विहितम् २.१४९ [१७४]; ११.४४
विहीनः ६.७४
वीत० ६.३२; १२.२२
वीतभीः ७.६४
वीतमत्सरः ११.११
वीरहत्याससमम् ११.४१
वीरासनम् ११.११०
वीरुधाम् ११.१४२
वीर्यतः २.१३० [१५५]
वीर्यवत्तमाः २.८९ [११४]
वीर्येण ११.३२
वेक्षणे ९.११
वेगेन ५.१०८
वेणः १०.१९
वेणस्य ४.२१५
वेणानाम् १०.४९
वेणुदलेन ८.२९९
वेणून् ८.२४७
वेतनम् ७.१२६; ८.२१५, २१६, २१७
वेतनस्य ८.५, २१४
वेतनादानकर्मणः ८.२१८
वेदः १.२१, २५ [२.६], १२९ [२.१०], १३१ [२.१२]; २.१४० [१६५]; ३.६३; ६.८६, ८९; ११.२६४, २६५; १२.३१, ९४, ९९, १००, १०२, १०६, १०९
वेदज्ञः १२.१०१
वेदज्ञैः २.१५८ [१८३]
वेदतत्त्वार्थम् ४.९२
वेदतत्त्वार्थवित् ५.४२
वेदतत्त्वार्थविदुषे ३.९६
वेदत्रयात् २.५१, [७६]
वेददर्शिभिः ११.२३४
वेदनिन्दकः १.१३० [२.११]; ३.१६१
वेदनिन्दा ११.५६
वेदनिन्दाम् ४.१६३
वेदनेन १०.२४
वेदपारगः २.१२३ [१४८]; ३.१३६; ९.२४५; ११.३७
वेदपारगम् ३.१३०, १४५
वेदपारगे ७.८५
वेदपुण्येन २.५३ [७८]
वेदप्रवादात् २.१४६ [१७१]
वेदफलम् १.१०९
वेदबाह्याः १२.९५
वेदम् २.११५ [१४०], १४१ [१६६], १४३ [१६८]; ३.२; ४.३६, १२५, १४७; ५.१३८; ६.९५; ११.७५, १९८
वेदवित् २.५३ [७८]; ३.१७९; ११.२६४, २६५;

१२.११३
वेदवित्तमाः ५.१०७
वेदवित्सु ११.६
वेदविदः ७.३८; ८.११; ११.८५, २४६
वेदविदुषः ११.४
वेदविदुषाम् ९.३३४
वेदविदुषे ११.७६
वेदविदुभ्यः ११.११६
वेदविद्याव्रतस्नातान् ४.३१
वेदविहिता ५.४४
वेदशास्त्रवित् ४.२६०
वेदशास्त्रविदाम् ५.२
वेदसंहिताम् ११.२५८
वेदस्य २.११६ [१४१]; ४.१२३; ११.७७
वेदांगानि २.११६ [१४१]; ४.९८
वेदाः २.७२ [९७], २०५ [२३०]; ३.२५९; १२.४९
वेदात् ५.४४; १२.९७, ९८
वेदाधिगमः १.१२१ [२।२]
वेदानाम् ५.४
वेदान् ३.२; ६.३६, ३७; ११.२४३
वेदान्तः ६.८३
वेदान्तम् ६.९४
वेदान्तोपगतम् २.१३५ [१६०]
वेदार्थवित् ३.१८६
वेदाभ्यासः २.१४१ [१६६]; १०.८०; ११.२४५; १२.८३
वेदाभ्यासे १२.९२
वेदाभ्यासेन ४.१४८; ११.४६
वेदि ११.३
वेदे १.८४, १२६ [२।७]; २.१४७ [१७२]; ११.२६३
वेदेभ्यः २.५२, [७७]
वेदेषु ३.१८४
वेदोदितम् ४.१४
वेदोदितानाम् ११.२०३
वेदोपकरणे २.८०, [१०५]
वेदौ ३.२
वेनः ७.४१
वेने ९.६६
वेशाः ४.८५
वेशमद्यान्नविक्रया ९.२६४
वेशेन ४.८४
वेशम ४.७३; ५.१२२; ९.८५, १५०
वेश्मनः ११.१३
वेश्मनि ८.६९
वेश्मानि ४.२३०
वेश्यः २.१६९ [१९४]; ७.२१९
वेश्यागु ४.१८
वेष्टितशिराः ३.२३८
वैरयानसमते ६.२१
वैगुण्यात् ८.२९३; १०.६८
वैजलव्रतिकान् ४.३०
वैजयीम् ४.३६
वैणवैदलभाण्डानाम् ८.३२७
वैतानान् ६.२५
वैतानकुशलः ११.३७
वैतानिकम् ६.९
वैतानिकानि ७.७८
वैतृष्ण्यम् ५.१२८
वैदलम् ६.५४
वैदलस्य ७.१३२
वैदलानाम् ५.११९
वैदिकः १.१२१ [२।२]; २.४२
वैदिकम् २.९२ [११७]; ११.९६; १२.८६, ८८
वैदिकान् ४.१९
वैदिकी १.१३४ [२।१५]; ७.९७
वैदिके १२.८७
वैदिकैः २.१ [२६]; ६.७५; ८.१९०
वैधिक्यः २.५९ [८४]
वैधेहः १०.३३
वैधेहकः १०.२६
वैधेहकानाम् १०.४७
वैधेहिकात् १०.३६
वैधेहकेन १०.१९
वैधेही १०.११
वैधेह्याम् १०.३७
वैणैः ४.१७९
वैनयिकी ७.६५
वैमानिकाः १२.४८
वैरकम् ९.२२७
वैरम् ६.४७
वैरिणः ४.१३३; ८.६४
वैरिणम् ४.१३३
वैवस्वतः ८.९२
वैवाहिकः २.४२
वैवाहिके ३.६७
वैशेष्यात् १०.३
वैश्यः १.११६; २.२० [४५], २४ [४९], ३७ [६२]; ५.८३, ९९; ८.२६७, ३७५, ३८२; ९.३२६, ३२८; १०.४, १२.९८; ११.१२, ९३; १२.७२
वैश्यकन्यया ३.४४
वैश्यकन्यायाम् १०.८
वैश्यपार्थिवौ ८.३७६
वैश्यभावम् १०.९३
वैश्यम् १.३१; २.१०२ [१२७]; ८.८८, ११३, ३७६, ४१०, ४११; १०.७८, १२१; ११.१२९
वैश्यवत् ५.१४०
वैश्यवृत्ता १०.८३
वैश्यवृत्तिम् १०.१०१
वैश्यशूद्रयोः ३.२४; ९.३२५
वैश्यशूद्रौ ३.११०, ११२; ८.४१८; ११.३४
वैश्यस्य १.९०; २.६ [३१], ७ [३२], १२ [३७], १७ [४२], १९ [४४], ४० [६५]; ८.३३७; ९.३२८; १०.१० ८०, ८२; ११.२३५
वैश्याजः ९.१५१
वैश्यात् १०.२३, ६५, ११९
वैश्यानाम् २.१३० [१५५]; ३.१९७
वैश्यान् १०.११, १७

वैश्यापुत्रः ९.१५३
वैश्याम् ८.३८२
वैश्याय ९.३२७
वैश्ये ८.२६८, ३८४; ११.१२६
वैश्वदेवम् ३.८३, १२१
वैश्वदेवस्य ३.८४; ४.१८३
वैश्वदेवे ३.१०८
वैश्वानरीम् ११.२७
व्यूह्य ७.१९१
व्रीहियवैः ३.२६७
शंसितव्रतः १.१०४
शकटेन ७.१८७
शकलाभ्याम् १.१३
शकलेन ६.२८
शक्राः १०.४४
शकुनान् ५.११
शकुनि ५.१३०; ६.७८, १२.६३
शकुनिकान् ८.२६०
शक्तितः २.८४ [१०९]. ९.२०७; ११.९
शक्तितः २.१४२ [१६७] ३.३१, ७१, २४३; ४.२९, ३२, २२७; ५.८६; ६.७, १९, ३६; ८.५१; ९.२७४; ११.११३, २२५
शक्तितान् १०.९८
शक्तिम् ७.१०, १६; ८.३१५; १०.१२४; ११.२०९
शक्तेन १०.१२९
शक्त्या २.२२० [२४५]; ७.८९; ९.२०२; १०.११८; ११.२४५
शक्रलोकभाक् ८.३८६
शङ्कुः ८.२७१
शङ्खपुष्पीश्रुतम् ११.१४७
शङ्खभृंगाणाम् ५.१२१
शठ ४.१९६
शठः ७.१२३
शठान् ४.३०
शणतान्तवी २.१७ [४२]
शणसूत्रमयम् २.१९ [४४]
शतगुः ११.१४
शतगुणः २.६० [८५]
शतवण्डः ८.२४०
शतमानः ८.२४०
शतमानम् ८.२२०
शतवर्षम् २.११० [१३५]
शतायुः ३.१८६
शतेशः ७.११७
शतेशाय ७.११७
शत्रवः ७.७३; ८.१७४
शत्रुकुलम् ८.९३
शत्रुभिः ७.१६८, १७९
शत्रुम् ७.३२; १२.७०
शत्रुसेविनी ७.१८६
शत्रोः ७.१५५
शनकैः ३.९२, २२४, २२८; ७.१०८, ११६; ७.१७२; १०.४३
शनैः ३.२१७, २१८
शपथम् ८.११०, १११
शपथाः ८.११०
शपथे ८.११२, ११५
शपथेन ८.१०९
शपथैः ८.१९०
शफस्य ११.१६८
शब्दः १२.९८
शब्दम् १.७५; २.९९ [१२४]; ११.१०५
शब्दस्य १०.१२२
शब्देभ्यः १.२१
शमीबल्लीस्थलानि ८.२४७
शमे १२.९२
शम्याघाताः ८.२३७
शयनम् ३.१७
शयनस्थः ४.७४
शयने ८.३७२
शयानः २.१७० [१९५
शयानस्य २.१७२ [१९७]
शय्या २.९४ [११९], १७३ [१९८]; ९.१७; १०.५६
शय्याम् ३.१०७; ४.२५०
शय्यासनस्थः २.९४ [११९]
शरः ३.४४
शरघम् ६.८४
शरजागतम् ११.१९८
शरजागतहन्तृन् ११.१९०
शरजेषु ६.२६
शराव० ६.५६
शरीरकर्षणात् ७.११२
शरीरजैः १२.९
शरीरतः १२.१५
शरीरम् १.१७;२.१६७ [१९२]; ४.२४१; ११.२०२, २२९; १२.१६
शरीरशुश्रूषाम् ९.८६
शरीरसंस्कारः १.२ [२६]
शरीरस्य २.४१, २१९ [२४४]; ४.३; ६.३०; ३१, ६८; ८.६९, ३००
शरीरात् १.८
शरीरिजः १.५३
शरीरिजम् १२.२५
शरीरिजाम् १.८४; ६.६४; १२.११९
शरीरेण ८.१७; १२.१७, ८१
शर्करा ८.२५०
शर्मवत् २.७ [३२]
शर्वरी १.६६
शल्यकः १२.६५
शल्यकम् ५.१८
शल्यम् ८.१२
शल्यवतः ९.४४
शवः ९.१७८
शवम् ५.८५; १०.५५
शवशिरः ११.७२
शवस्पृशः ५.६४
शशकूर्मयोः ३.२७०
शशवत् ७.१०६
शस्त्रम् ८.३४८
शस्त्रविक्रयिणः ४.२१५, २२०
शस्त्रभृताम् ११.७३
शस्त्रभृत् ७.२२३
शस्त्रम् १०.८८
शस्त्रवृत्तयः १२.४५
शस्त्राणाम् ८.३२५; ९.२९३

शस्त्राणि ७.२२२
शस्त्रावकाशकान् ९.२७८
शस्त्रास्त्रभृताम् १०.७९
शस्त्रेण ४.१२२; १०.११९
शस्त्रैः ५.९८
शाक मूलफलानाम् ५.११९
शाक मूलफलेन ६.५, १५
शाक मूलफलेषु ८.३३१
शाकम् २.२२१ [२४६], २५०
शाकलहोमीयैः ११.२५६
शाकानि ६.१३
शाकुनेन ३.२६८
शाखान्तगतम् ३.१४५
शाज० १०.८७
शाजक्षौम० २.१६ [४१]
शान्तात्मा १.५२
शान्तिहोमान् ४.१५०
शारङ्गी ९.२३
शारदैः ६.११
शारीरम् ५.१३९; ८.२७३; ९.२३६; १२.७
शारीरस्य ५.११०
शालयः ९.३९
शाल्मलीन् ८.२४६
शाल्मलीफलके ८.३९६
शाल्मलीम् ४.९०
शावम् ५.५९, ६१, ६२
शावाशौचस्य ५.७४
शाश्वतः १.१०७
शाश्वतम् १.१३, ११२; २.१२१ [१४६], २१९. [२४४]; ४.२३२; ५.३६; ६.८०; ८.८; १२.१२३
शाश्वतान् १.११८; ९.१
शाश्वतीः १.९८; ३.१४६; ४.२५९; ७.४; ९.३७
शाश्वतीम् ७.४३
शासनम् ९.२६२
शासनात् ८.३१६
शासने ७.३७
शास्त्र० १.१३० [२.११]; १२.१००; १२.१०२, १०६
शास्त्रतः ९.२५२
शास्त्रवृष्टैः ८.३
शास्त्रम् १.५८, ५९, १०२, १०४, ११९, ४.२०; ६.८८; ११.२४३; १२.९४, ९९, १०५, १२६
शास्त्रवर्तिनः ४.८७
शास्त्रविदः ७.५७
शास्त्रस्य १२.१०७
शास्त्राणि ४.१९
शास्त्रे १.११८, १३५ [२.१६]
शिखाजटः २.१९४ [२१९]
शिग्रुकम् ६.१४
शिक्षाः ८.३६९; ९.२३०
शिरः २.३५ [६०], १३१ [१५६]; ४.८२, ८३
शिरसि ४.८३
शिरांसि ८.११४
शिरोधि ८.२५६
शीलः १०.११२
शिलान् ३.१००
शिलाफलकनौषु २.१७९ [२०४]
शिलोञ्छाभ्याम् ४.१०
शिलोञ्छेन ७.३३
शिल्पम् १०.११६
शिल्पानि २.२१५ [२४०]; १०.१००
शिल्पिनः ७.१३८; १०.१२०
शिल्पिभिः ७.१७५
शिल्पेन ३.६४
शिल्पैः ९.७५
शिल्पोपचारयुक्ताः ९.२५९
शिवसंकल्पम् ११.२५०
शिशुः २.१२६ [१५१] १२७ [१५२]; ८.६६
शिशुधान्नायणम् ११.२१९
शिशोः २.९ [३४]
शिश्नवृषणौ ११.१०४
शिष्टसम्मताः ३.३९
शिष्टाः १२.१०८, १०९
शिष्टेषु ३.४१
शिष्टैरपरिग्रहम् ४.१६४
शिष्यः २.१८३ [२०८]; २१७ [२४२]; ५.६५; ८.३१७; ९.१८७
शिष्यम् २.४४ [६९], ११५ [१४०]; ४.११४
शिष्यर्त्विग्बान्धवेषु ५.८१
शिष्यानाम् ४.१०१
शिष्यात् ४.१६४, १७५; ८.२९; ९.२७२; ११.३१
शिष्यान् ४.१७५
शिष्येण ८.७०
शिष्येभ्यः १.१०३
शिशातप० १२.७७
शीते ११.११३
शीर्षे: ६.२१
शीलतः ६.८२
शीलम् १०.५९, ६०
शुकसारिके- ५.१२
शुक्ले ११.१३४
शुक्लके ४.१२१
शुक्लम् ४.२११
शुक्लानि २.१५२ [१७७]; ११.१५३
शुक्लेषु ५.१०
शुक्रम् २.१५६ [१८१]; ५.६३, १३५
शुक्रे ३.४९
शुक्लः १.६६; ६.२०
शुक्लपक्षादिनियतः ११.२१७
शुक्लवस्त्राम् ९.७०
शुक्लाम्बरः ४.३५
शुक्ले ११.२१६
शुक्लेषु ४.९८
शुचयः ९.१८८
शुचिः १.७६; २.८४ [१०९], २६ [५१] ८२ [१०७], १५१, [१७६]; ३.२५८; ४.३५; ५.६२, १०६, १३०, १३१; ७.२२; ७.६४; ८.८७, ११५; ९.३३५
शुचिना ७.३१
शुचिम् २.९० [११५];

३.२०६; ५.१४३; ७.६३
शुचिव्रताम् ९.७०
शुचीन् ७.३८, ६०, ६२; ८.८७
शुजौ २.१९७ [२२२]; ५.६८
शुच्यः ८.७७
शुद्धः ५.७७, १२९
शुद्धये ६.३०
शुद्धवत्यः ११.२४९
शुद्धवधेन ९.२७९
शुद्धाः ५.१२८
शुद्धाम् ४.११
शुद्धिः ५.६७, ७१, १११, ११५, ११६, ११७, ११९, १२१; ११.१६३
शुद्धिम् १.११३; ५.६१, १३६; १२.१६०
शुद्धिषु ५.२३४
शुद्धे २.१३५ [१६०]; ५.१०५, ११०
शुद्धयतः ३.१३२
शुद्धयर्थम् ११.११७
शुनः ३.२३०; ८.९०
शुना ४.२०८
शुनाम् ३.९२
शुभः ४.२५९; ९.३३६
शुभम् २.८७ [११२]; १०.१३१; ११.२३१
शुभम् ७.७६
शुभा ९.२५
शुभान् १२.६५
शुभानाम् १२.८४
शुभाम् २.२१३ [१३८]; ७.१४५
शुभाशुभम् १२.३.८
शुभे ४.३६; ७.१८२
शुभेषु ८.२९७
शुभैः ५.१०, १५७; ९.३४
शुल्कदः ९.९७
शुल्कम् ३.५१, ५३, ५४; ३०७, ३६६, ३६९; ९.९३, ९८; १०.१२०
शुल्कसंज्ञेन ९.१००
शुल्कस्थानम् ८.४००
शुल्कस्थानेषु ८.३९८, ४००
शुश्रूषा २.२०४ [२२९], २१६ [२४१]; ७.८८; ९, २८, ३३४
शुश्रूषाम् १.९१; २.८७ [११२], २१० [२३५], १०.९९
शुश्रूषुः २.८४ [१०९], १९३
शुष्कवैरम् ४.१३९
शुष्कान्नेन ११.१५५
शुष्कान्नस्य ११.१६६
शुष्कम् ११.३५
शूकर० १२.५५
शूद्रः १.११६, १४३ [२।२४]; २.३७ [६२], १०१ [१२६], ११२ [१३७]; ४.२१८; ५.८३, ९९; ८.२०, २१, ३७४, ४१४, ९.९८; १०.४, ३०, ६५, ९९, १२१, १२९; ११.६६; १२.७२
शूद्रकन्याम् १०.८, ९
शूद्रजनसन्निधौ ४.९९
शूद्रताम् ३.१५; ४.२४५; १०.६५
शूद्रत्वम् २.१४३ [१६८]; ११.९७
शूद्रभूयिष्ठम् ८.२२
शूद्रम् १.३१; २.१०२ [१२७]; ५.९२; ८.८८, ११३, ४१०, ४१३
शूद्रया ३.४४
शूद्रयाजकः ३.१७८
शूद्रयोः ३.२३
शूद्रराज्ये ४.६१
शूद्रवत् २.७८ [१०३]; ८.१०२, ३७७
शूद्रविट्क्षत्रविप्राणाम् ८.१०४
शूद्रवृत्त्या १०.९८
शूद्रशिष्य० ३.१५६
शूद्रसंस्पर्शदूषिता ५.१०४
शूद्रसेवनम् ११.६९
शूद्रस्य १.९१; २.७ [३२]; ३.१३; ४.२११, २२३; ६.२; ८.२६७, ३३७; ९.१५७, १७९, , ३३४; १०.१२३; ११.१३, २३५
शूद्रहत्याव्रतम् ११.१३१, १४०
शूद्रहा ११.१३०
शूद्राः ३.१३, १४; ८.६८; १०.१२०; १२.४३
शूद्राणाम् २.१३० [१५५]; ३.१९७; ५.१४०; ८.६८; १०.४१; ११.४२
शूद्रात् ८.४१७; १०.१२, १६, १८, ११०; ११.२६, ४२
शूद्रान् ७.१३८; ९.२२४; १०.९०
शूद्रापत्यैः ३.६४
शूद्रापुत्रः ९.१५५
शूद्रापुत्राय ९.१५४
शूद्राम् ३.१७; ८.३८५
शूद्राय ४.८०
शूद्रायाम् ८.३८३; ९.१७८; १०.१८, ६४
शूद्रासुतः ९.१५१, १५३
शूद्रावेदी ३.१६
शूद्रे ८.२६८; १०.१२६; ११.१२६
शूद्रेण २.१४७ [१७२]; ५.१०४, १२९
शूद्रेषु ४.२५३
शूद्रोच्छिष्टा ११.१४८
शून्यगेहे ४.५७
शून्यानि ९.२६५
शूरम् ७.२१०
शूरसेनकः १.१३८ [२।१९]
शूरसेनजान् ७.१९३
शूराणाम् ५.२९
शूरान् ७.५४, ६२
शूले ७.२०; ९.२७६
शोलुम् ५.६
शोवधिः २.८९ [११४]
शोवभुक् ३.११७
शोवम् ३.२१८; ५.७५;

६.१२; १२.२०४
शेषाः ३.४७; ९.१०५, १२४
शेषान्नम् १.१०२; ९.१६३
शेषात् ३.२१५
शेषे ४.१०६; ८.२९०, ३२०, ३२२
शेषेषु ५.२०।
शैक्षाः १०.२१
शैलान् १.२४
शैलूषवत्तुन्नवायः ४.२१४
शोक० ६.३२, ७७
शोकम् ९.५
शोणित० ४.१६८; ६.७६
शोणितम् ४.१६८; ११.२०७, २०८
शोधनम् १.११५; ११.१२५
शोधनात् ९.२५३
शोधनैः ११. १६०
शोध्यम् ५.१०८
शौच० ५.९७
शौचकल्पः ५.१४०
शौचपराः ३.१९२
शौचम् १.११३; २.४४ [६९], २१५ [२४०]; ३.१२६, २३५; ५.९४, १००, ११४, ११८, १३७, १३९; ६.५३, ९२; १०.६३; ११.१८३; १२.३१
शौचविधिः ५.१४६
शौचस्य ५.११०
शौचानाम् ५.१०६
शौचे ४.१७५; ९.११
शौचेन ४.१४८
शौचेप्सुः २.३६ [६१]
शौण्डिकान् ९.२२५
शौण्डिकानाम् ४.२१६
शौद्रः ९.१६०
शौनकस्य ३.१६
शौनम् ५.१३
शौर्यकर्मापदेशैः ९.२६८
शौर्यम् ७.२११
श्मशानगोचरम् १०.३९
श्मशानान्तः १.१३५ [२।१६]
श्यामः ७.२५
श्मशानान्ते ४.११६
श्मशानेषु ९.३१८; १०.५०
श्मश्रु: ४.३५; ६.६, ५२
श्मश्रुलः ११.१०५
श्मश्रूणि ५.१४१
श्यावदन्तकः ३.१५३
श्यावदन्तताम् ११.४९
श्येनजीवी ३.१६४
श्येनभासौ ११.१३५
श्रद्धधानः २.२१३ [२३८]; ४.१५८; ११.३९
श्रद्धया ३.२०२; ४.२२६
श्रद्धा ३.२५९
श्रद्धाकृते ४.२२६
श्रद्धानतया ७.८६
श्रद्धापूतम् ४.२२५
श्रद्धासमन्वितः ३.२७५
श्रमम् २.१४३ [१६८]
श्रमार्तः ८.६७
श्रमेण ९.२०८
श्रवणात् ८.७४
श्रवणौ २.११९ [१४४]
श्राद्धकर्मणि ३.१८७
श्राद्धकर्मसु ३.२५५
श्राद्धकल्पम् १.११२
श्राद्धदेवान् ३.२१३
श्राद्धभुक् ३.२५०; ४.१०९
श्राद्धभिन्नः ३.१४०
श्राद्धम् ३.१२२, १२३, १३८, १४६, १८८, २०४, २२२, २४७, २४९, २८०, २८१, २८२; ४.१३१
श्राद्धस्य ३.२७८
श्राद्धानि ३.१३९
श्राद्धिकम् ४.११६, ११७
श्राद्धे ३.१३८, १४४, १४५, १५१, १९१, २२०, २३४, २३५, २७६
श्राद्धेन ३.१४०
श्राद्धेषु ३.१३९
श्राद्धैः ३.८१
श्रावण्याम् ४.९५
श्रियः ९.२६
श्रियम् २.२७ [५२]; ४.१३७, २३१
श्रियै ३.८९
श्रीः ७.११; ९.३००
श्रीफलैः ५.१२०
श्रुतम् ८.२७३
श्रुतयः ९.१९
श्रुतवृत्त० ९.२४४
श्रुतवृत्ते ७.१३५
श्रुतशीले ११.२२
श्रुतस्य २.१२४ [१४९]; ४.१८
श्रुतिः १.१०८, १२८ [२।९], १२९ [२।१०], १३२ [२।१३] १३३ [२।१४], १३४ [२।१५]; ३.२८४; ४.१५५; ७.९७; १२.१०९
श्रुतिचोदनात् २.१० [३५], १४४ [१६९]
श्रुतिद्वैधम् ९.३२
श्रुतिनिदर्शनात् ११.४५
श्रुतिप्रामाण्यतः १.१२७ [२।८]
श्रुतिशीलवते ३.२७
श्रुतीः ६.२९; ११.३३
श्रुतोपक्रियया २.१२४ [१४९]
श्रुतौ ९.९६
शृगालयोनिम् ५.१६४; ९.३०
श्रेणीधर्मान् ८.४१
श्रेयः २.१३४ [१५९], १९८ [२२३], १९९ [२२४]; ४.९१, २५८
श्रेयःसु २.१८२ [२०७]
श्रेयसः ९.१८४
श्रेयसा २.९४ [११९]; १०.६०
श्रेयस्करतरम् १२.८४, ८६
श्रेयस्करम् ७.८८
श्रेयस्त्वम् १०.६६
श्रेयांसः ४.५७
श्रेयांसम् ८.९६
श्रेयान् ८.१७७; १०.११२
श्रेयसीम् १०.६४

श्रेष्ठः ८.८९
श्रेष्ठताम् ४.२४५
श्रेष्ठम् १.१०६; ८.२७९; ९.२९७
श्रेष्ठ्यः १.९६; १२.१०३
श्रैष्ठ्यम् १२.३८
श्रैष्ठ्यात् १०.३
श्रैष्ठ्येन १.१००
श्रोत्रम् २.६५ [९०]
श्रोत्रादीनि २.६६ [९१]
श्रोत्रियः [३.१२०, १३७, १८४; ७.१३३, १३४; ८.६५, ३९३
श्रोत्रियम् ८.३९३, ३९५
श्रोत्रियस्त्वम् ८.१४९
श्रोत्रियस्य ४.२२४
श्रोत्रियानाम् २.१०९ [१३४]
श्रोत्रियात् १०.१३३
श्रोत्रियान् ४.३१
श्रोत्रियाय ३.१२८
श्रोत्रिये ५.८९
श्रोत्रियेषु ८.३९४
श्रोत्रे ८.२७१; १२.१२१
श्लक्ष्णा २.१७ [४२], १३४ [१५९]
श्लक्ष्णे ८.३९६
श्लेष्मनिष्ठ्यूतवान्तानि ४.१३२
श्लेष्मणा ५.१३५
श्लेष्मातकः ६.१४
श्लीपदी ३.१६५
श्वक्रीडी ३.१६४
श्वखरोष्ट्रे ४.११५
श्वगर्दभम् १०.५१
श्वगृध्रैः ३.११५
श्वगोधा ११.१३१
श्वजायनीम् १०.१०८
श्वनकुलस्य ११.१५९
श्वपचानाम् १०.५१
श्वपचाम् ३.९२
श्वपदम् ९.२३५
श्वपाकः १०.११९
श्वभिः ५.१३१; ६.५१; ८.३७१
श्वमांसम् १०.१०६
श्ववताम् ४.२१६
श्वविष्ठायाम् १०.९१
श्ववृत्तिः ४.६
श्ववृत्त्या ४.४
श्वभ्रूः २.१०६ [१३१]
श्वशृगालखरैः ११.१९९
श्वसूरः ३.११९
श्वसूरम् ३.१४८
श्वसुरान् २.१०५ [१०३]
श्वसूकरनिपातेन ८.२९८
श्वसूकरमुख० ८.२३९
श्वहतम् ८.२३२
श्वा २.१७६ [२०१]; ३.२३९, २४१; ५.१३०; ७.२१; १२.६२
श्वावित् १२.६५
श्वाविधम् ५.१८
श्विवित्रि ३.७
श्विवित्री ३.१६१, १७७
श्वैत्र्यम् ११.५७
षट्कर्म० ४.९
षट्पदा ७.१२९
षड्ऋतून् ३.२१७
षड्गुणान् ७.१६०
षडङ्गवित् ३.१८५
षड्भागः ८.३०४
षड्भागम् ७.१३१; ८.३३, ३५, ३०५
षड्भागहारिणम् ८.३०८
षड्विधम् ७.१८५; ९.१९४
षण्ढः २.१३३ [१५८]; ३.२३९
षण्ढस्य ४.२११
षण्ढे ११.१३३
षण्मासान् ३.२६९; ११.१३०
षष्ठान्नकालता ११.२००
षष्ठे २.१२ [३७]
षाड्गुण्यसंयतम् ७.५८
षाड्गुण्य० ७.१६७
षाण्मासिकः ७.१२६
षोडशीम् २.६१ [८६]
षोडशे २.४० [६५]
षष्ठीवनम् ४.५६
षष्ठीवनैः ५.१२३
संकरजातानाम् ५.८९
संकरीकरणम् ११.६८
संकरे १०.४०
संकल्पजः १.१२२ [२.३]
संकल्पम् २.११५ [१४०]
संकल्पमूलः १.१२२ [२.३]
संकल्पसम्भवा १.१२२ [२.३]
संकल्पितान् १.१२४ [२.५]
संकीर्णयोनयः १०.२५
संकीर्णानाम् १.११६
संक्षेपेण ७.१५७
संक्रमध्वजयष्टीनाम् ९.२८५
संख्याने ८.४००
संख्याय ८.३६
संगतः ८.३७८
संग्रहः ३.१३८
संग्रहणम् ८.३५६, ३५७, ३५८
संग्रहणे ८.३५९
संग्रहम् ७.११४
संग्रहे ७.११३; ९.११
संग्रहेण ८.३११
संग्रामात् ७.८७
संग्रामे ७.९४, १९९
संग्रामेषु ७.८८
संगान् ६.३३, ८१
संगे ५.३७
संगेभ्यः ८.६५
संचयनात् ५.५९
संजीवनम् ४.८९
संज्ञा १.४९; ८.१३१
संततिः ३.२५९; ११.५
संदाता ८.३४२
संविदानाम् ८.३४२
संध्ययोः ४.५०
संध्ये ८.८६
संध्योपासनम् २.४४ [६९]
संनिधातृन् ९.२७८
संन्यस्य ६.९५, ९६; ८.१८२
संन्यासम् १.११४
संन्यासिकानाम् ६.८६
संन्यासेन ५.१०८; ६.९६

संपीड्य: १२.७६
संप्रजेतारम् ७.२६
संप्रतापनम् ४.८९
संप्रीत्या ३.११३; ८.१४६
संप्लवे ४.११८
संभावनम् ८.३६०
संभावा ८.३६३
संभावाम् ८.३६१, ३५४
संभृतिम् २.१२२ [१४७]
संभेदे ८.३५६
संमार्जन० ५.१२४
संमोहात् ७.१२
संयतात्मान: ११.२३६
संयताम् ८.३६५
संयम: १२.८३
संयमे २.६३ [८८]
संयम्य २.७५ [१००]; १२.११
संयुक्तान् ७.२१४
संयोगम् ६.६२, ६४; १२.६०
संयोगात् ५.११३
संयोगे ९.१
संरक्ष्यमाण: ७.१३६
संरम्भात् ४.१६६
संवत्सर: ८.३७३, ३७५
संवत्सरम् ३.२७१; ९.७७; ११.१९८
संवत्सरस्य ५.२१
संवत्सरात् ९.७७
संवत्सरे ५.७६
संवत्सरेण ११.१८०
संवासे ८.३७३
संविद: ८.५
संविदम् ८.२१९
संविभाग: ४.३२
संविताङ्ग: ४.४९; ८.२३
संवृतसंवार्य: ७.१०२
संशय: २.६२ [८७]; ८.२५३; ९.१२२; १२.११२
संशय: ७.१६८
संसदि ८.५२
संसर्ग: ९.१३; ११.५४, १८१
संसर्गान् ६.७२
संसार० १.११७; १२.५१
संसारम् ६.७४
संसारान् १२.३९, ५२, ५४, ७०
संसारे १.५०
संसृष्ट: १.५६
संसृष्टरूपम् ८.२०३
संस्कर्त्ता ५.५१
संस्कार० २.४२; ३.४३
संस्कारकर्मणि ११.१५१
संस्कारम् ७.२; ९.१७६; १०.६९, १२६; ११.१५०
संस्कारविधिम् १.१११
संस्कारस्य १०.३
संस्कारार्थम् २.४१
संस्कारेण ११.१४६
संस्कृतात्मा २.१३९ [१६४] १०.११०
संस्कृतान् ५.३६; ८.४१२
संस्कृतायाम् ९.१६६
संस्था १.२१
संस्थाने ८.३७१
संस्थानै: ९.२६१
संस्थितस्य ३.२४७; ९.१९०
संस्थितायाम् ९.१९२
संस्थिति: ९.१४
संस्थिते ५.५८
संस्पृष्ट: ५.१४३
संस्पृष्टम् ५.१२३
संहतस्य ७.१६५
संहतान् ७.६६, १९१
संहताभ्याम् ४.८२
संहातम् ४.८९
संहार: १.८०
संहिताजप: ११.२००
संहिताम् ११.७७
सकच्छपा: १२.४२
सकल: १.८१
सकला: १२.२००
सकलकोलम् ४.८९
सकामाम् ८.३६४, ३६८
सकृत्य: ९.१८७
सकृत्स्नायी ११.२१४
सकृतेन ७.३०
सखा ३.११०
सख्यया ८.९७
सख्यावीन् ३.११३
सखु: ११.५८, १७०
सगोत्रात् ९.१९०
संडकर: ११.१२५
संडकरम् ९.६७
संडकरे ८.३४९
सङ्गजानु १२.१८
सङ्गतानि ३.१४०
सङ्गरे ४.१२१
सचराचरम् ७.२९; ११.२३६
सचिव: ७.१२०
सचिवान् ७.५४
सचैल: ५.१०३; ११.२०२
सजातिजा: १०.४१
सजात्या ९.८७
सजास्थेषु ८.३८७
सज्जमगर्हित: १०.३८
सज्योति: ४.१०६; ५.८२
सताम् २.१९२ [२१७]; ३.१०१, ११८; ४.१७८; ७.९३; ८.३३, १४१; ९.४७; १०.१२७
सती ९.९०, १७३
सत् १.११, १४, ७४; १०.८४; १२.११८
सत्करम् ३.१३७
सत्करेषु ३.५९
सत्कृतम् ३.२६४
सत्क्रियाम् ३.१२६
सत्पुत्र: ९.१५४
सत्प्रतिग्रह: १०.११५
सत्यधर्म: ४.१७५
सत्यपूताम् ६.४६
सत्यम् च १.८१; २.५८ [८३] ४.१३८; ६.९२; ८.१४, ४५, ७४, ८१, ८३, ८८, १०९; १०.६३; ११.१९६, २२२
सत्यवादिनम् ७.२६
सत्यवादिनि ८.१७९
सत्यसन्धेन ७.३१
सत्यसाक्षिण: ८.२५७
सत्या २.१२३ [१४८]; ८.१६४

सत्यात् ८.१०४
सत्यानृत० ४.४, ६
सत्ये ९.६९
सत्येन ५.१०९; ८.३५, ८०, ८३, ११३, ११६, २१९
सत्यच: २.२२ [४७]
सद: ८.२४१
सदक्षिणम् ११.३
सदाचार: १.१३१ [२।१२], १३७ [२।१८]
सदाचारम् ४.१५५
सदाचारवान् ४.१५८
सदे ८.१५१
सदृशस्त्रीषु ९.१२५
सदृशि: १.१२० [२।१]; ३.१४७, १६५; ५.१६५; ८.४६; ९.२९, ३१, १०९
सदृम २.२१९ [२४४]
सद्वध्य: ९.२४१
सद्विगर्हिता ११.५२
सद्विगर्हितै: ३.४६
सद्वृत्तम् २.२१४ [२३९]; १०.१२८
सधर्माज: १०.४१
सन्ध० १२ ३७
सन्धम् १२.२४, २६, २७
सन्धवृद्धिकर: ४.२५९
सन्धस्य १२.३८
सन्धानाम् ११.१४०, १४३; १२.५६
सन्सु ४.२५५
सन्त्रम् ८.३०३
सन्त्रिणाम् ५.९३
सनातन: १.७; ४.१३८; ७.९८; ९.६४, ३२५; १०.७
सनातनम् १.२२, २३; ६.७९; १२.९४, ९९
सनातनी ३.२८४
सनाभय: ५.७२; ९.१९२, २१२
सनाभ्य: ५.८४
सन्धिम् ७.१६०, १६१, १६२, १६९, २०६; ९.२७६
सन्धिविग्रहम् ७.५६
सन्धिविपर्ययौ ७.६५
सन्धिवेलायाम् ४.५५
सन्धिषु ८.२४८, २५१
सन्तम् ४.२५५
सन्तानस्य ९.५९
सन्तानार्थम् ९.९६
सन्तुष्ट: ३.६०
सन्तोषम् ४.१२
सन्तोषमूलम् ४.१२
सन्धि: ७.१६३
सन्धिनीक्षीरम् ५.८
सन्ध्ययो: २.५३ [७८]; ३.२८०; ४.११३, १३१
सन्ध्यांश: १.६९
सन्ध्या १.६९
सन्ध्याम् २.७६ [१०१], ७७ [१०२]; ४.९३; ७.२२३
सन्ध्ये २.१९७ [२२२]
सन्निहिते २.१८० [२०५]
सपत्नान् ४.१७४
सपरिच्छद: ९.२४१
सपरिच्छदम् ११.७६
सपरिच्छदा: ७.४०; ९.२७४
सपरिवृंहण: १२.१०९
सपरिव्ययम् ७.१२७
सपवित्रम् ३.२२३
सपवित्रान् ३.२१०
सपशुद्रव्यसंचयम् ७.९
सपादम् ८.२४१
सपाल: ८.२४०
सपालान् ८.२४२
सपिण्डता ५.६०
सपिण्डात् ९.५९, १८७
सपिण्डे २.२२२ [२४७]
सपिण्डेषु ५.५९, ६१, १००
सपिण्डै: ११.१८२
सपुत्र: १०.१०७
सप्तकम् ११.२५५
सप्तकस्य ७.५२
सप्तत्या ८.३९४
सपद्वारावकीर्णाम् ६.४८
सप्तरात्रम् २.१६२ [१८७]; ११.१५२
सप्तरात्रेण १०.९३
सप्ताङ्गम् ९.२९४
सप्ताङ्गस्य ९.२९६
सप्ताहात् ८.१०८
सबलवाहनम् ९.३१३
सबान्धव: ७.१११
सबान्धवम् ७.२८
सब्रह्मचारिणी ५.७१
सभा ८.९५
सभान्त० ९.७९
सभाप्रपा० ९.२६४
सभाम् ७.१४५; ८.१, १०.११, १३
सभासद: ८.१२, १४, १८, १९
सभृत्यस्य ७.१४३
सभृत्येन ७.३६
सभ्यै: ८.१०
समक्षदर्शनात् ८.७४
समक्रम् ८.२५४
समग्रधनम् ८.३८०
समग्रमलहारकम् ८.३०८
समञ्जसम् ८.१३, २५६
समता ६.४४
समताम् ८.१७८; ९.२१८; १२.१२५
समतिक्रमे ११.२०३
समधिसुप्ताम् ४.४२
समम् ३.१०७; ८.३२; ९.१०४, १९२, २१२, ३११; ११.५७
समय: १.१३४ [२।१५]
समयक्रियाम् ७.२०२
समयभेदिनाम् ८.२१८
समयम् १०.५३
समयव्यभिचारिणम् ८.२२०, २२१
समर्थम् ४.१८६
समवर्णासु ९.१५६
समवर्णे ८.२६९
समवाये ४.१०८
समवेतानाम् २.११४ [१३९]
समस्तयो: ३.८५
समस्ता ८.२५५
समस्तानाम् ७.५७
समस्तै: ७.१५९

समाख्याता ७.१५६
समानतम् ७.९२
समानमम् ९.२६८
समानमे ११.८३
समाजाः ९.२६४
समादेयानि २.२१५ [२४०]
समानंशान् ९.११६
समानजन्मा २.१८३ [२०८]
समानयानकर्मा ७.१६३
समानशयने ४.४०
समानि १.२४; ११.५५
समानोदकभावः ५.६०
समान्ते ४.२६
समापनात् ५.८८
समाप्तिकम् ३.१४५
समाप्ते २.२१९ [२४४]; ५.८८; ११.८१
समाम् ८.३६६
समावृतः ३.४; ८.२७
समाश्वस्तः ७.५९
समासतः १.६८, ८९; ७.१५६
समासीनः २.७७ [१०२]
समासेन १.१४४ [२।२५]; ३.२०; ४.१६०; ७.२०२; ९.१०१; १२.३९
समाहर्तृन् ७.६०
समाहृत्वयः ९.२२१, २२३
समाहृत्वयम् ९.२२४
समीक्ष्यकारिणम् ७.२६
समिदाधानम् २.१५१ [१७६]
समिद्धे ११.७३
समिधः २.१६१ [१८६]
समित्रज्ञातिबान्धवान् ९.२६९
समुत्कर्षे ११.५५
समुत्पत्तिम् ५.४९
समुदयम् ७.५६
समुद्दिष्टान् ५.१७
समुद्धृते ९.११६
समुद्रम् ८.१७५
समुद्रयानकुशलाः ८.१५७
समुद्रयायी ३.१५८
समुद्रान् १.१४१ [२।२२]
समुद्रे ८.१८८, ४०६
समुद्रेण ९.२२
समूलः ४.१७४
समृद्धः ८.१७०
समृद्धानि ३.६, ६६
समृद्धेषु ३.९८
समेतानाम् १२.११४
समेषु ८.७३
समैः ९.२८७
समोत्तमाधमैः ७.८७
समौ १०.७३
सम्पदः ३.२५५
सम्पन्नः ७.२००
सम्पन्नम् ३.२५४; ७.७५
सम्पन्ना ९.८२
सम्पन्नानाम् ९.११५
सम्पूर्णः १.१०९
सम्प्रजाता ९.१८६
सम्प्रदानम् ७.१५२
सम्प्रयुक्तान् ११.१७९
सम्बन्धा २.१०४ [१२९]
सम्बन्धान् २.१५ [४०]; ४.२४४
सम्बन्धिनः ४.१८३
सम्बन्धिबान्धवैः ५.७४
सम्बन्धी ४.१७९
सम्बन्धैः ३.१५७
सम्भवः ९.३३
सम्भवम् १२.३
सम्भवान् ५.३५
सम्भवे २.२०२ [२२७]
सम्भवेन ११.८४
सम्भाषणसहासने ११.१८४
सम्भूतौ ९.१३३
सम्भोगः ८.२००
सम्भोजनी ३.१४१
सम्मानात् २.१३७ [१६२]
सरःसु ४.२०३
सरटानाम् १२.५७
सरस्वती १.१३६ [२।१७]
सरस्वतीम् ८.१०५; ११.७७
सरहस्य० २.१४० [१६५]
सरहस्यम् २.११५ [१४०]
सरहस्यानाम् ११.२६२
सरान् ८.२४७
सरितः १.२४
सर्गः १.८०
सर्गस्य १.८७, ९३
सर्गे १.२९
सर्पः ४.१२६
सर्पम् ४.१३५; ११.१३३
सर्पाः १.४४; १२.४२
सर्पादीनाम् ११.१३९
सर्पान् १.३७
सर्पिः ११.२१२
सर्पिषा ११.११९
सर्पिषाम् ४.२३३
सर्वकण्टकः ९.२९२
सर्वकर्मसु ९.३१९
सर्वकामानाम् २.७० [९५]
सर्वक्रयाणाम् ७.१७८
सर्वक्रयाणि ७.५९
सर्वजन्तवः ३.७७
सर्वज्ञानमयः १.१२६ [२.७]
सर्वतेजसमयः ७.११
सर्वदण्डः ९.३२३
सर्वदण्डम् ८.२८७
सर्वद्रव्याणि ७.९६, २१८
सर्वद्रव्यात् ९.११२
सर्वविक्षुः ३.८७; ७.१८९
सर्वदेहिनाम् ८.८६; ९.३३
सर्वधर्मबहिष्कृताः ९.२३८
सर्वधर्मविदः ८.६३
सर्वनाशाय ८.३५३
सर्वपण्यविचक्षणाः ८.३९८
सर्वपण्यानाम् ८.४०१
सर्वपापः ११.२१५
सर्वपापापनोदनः ११.२६०
सर्वपापापनोदनम् ११.२६०
सर्वपापेषु ८.३८०
सर्वपापैः ४.१८१; ११.२६२
सर्वप्रयत्नेन ३.१८४
सर्वभक्ष्यः ९.३१४
सर्वभूत० ९.३५
सर्वभूतकृत् १.१८
सर्वभूतभय० ८.३४७

सर्वभूतात्मा १.५४
सर्वभूतानाम् ७.१४; ९.३३३
सर्वभूतानि ३.९३; ४.२३४; ७.५; ९.३०६
सर्वभूतानुकम्पकः ६.८
सर्वभूताश्रितम् १२.२६
सर्वमांसस्य ५.४९
सर्वमांसादः ५.१५
सर्वयत्नैः ७.१७५
सर्वयोद्येभ्यः ७.९०
सर्वरत्नानि ११.४
सर्वर्तुकम् ७.७६
सर्वलक्षणहीनः ४.१५८
सर्वलोक० १२.१००
सर्वलोकप्रकोपः ७.२४
सर्वलोकस्य ८.३०८
सर्ववर्णाः ७.२४; ९.२४०
सर्ववर्णानाम् १.२; ५.१४६; ९.६
सर्ववर्णेभ्यः ८.४०
सर्ववर्णेषु ८.८३; १०.५
सर्वविक्रयी २.९३ [११८]
सर्ववेदसदक्षिणाम् ६.३८
सर्ववेदसम् १.२१
सर्वशास्त्रविशारदम् ७.६३
सर्वशुक्लानि ५.९
सर्वसेतवः ७.२४
सर्वस्वहारम् ९.२४२
सर्वहारम् ८.३९९
सर्वाकरेषु ११.६३
सर्वाकुशलमोक्षाय ११.२२१
सर्वात्मभूतये ३.९१
सर्वेण ८.३७४
सर्वोपायान् ७.२१४; २१५
सर्वोपायैः ११.११२
सर्वपाः ८.१३४
सलोकताम् ११.२२०
सवनेषु ६.२२
सवर्णः ३.१२
सवर्णाः २.१०७ [१३२]; २.१८५ [२१०]; ९.१५७
सवर्णाम् ३.४; ५.१६७; ७.७७
सवर्णास् ३.४३; १० २०
सवासा ५.७७, ७८; ११.१७४
सवासाम् ११.२२३
सव्यः २.४७ [७२]
सव्याहृतिप्रणवकाः ११.२४८
सव्ये २.३८ [६३]
सव्येन २.४७ [७२]
सशल्कान् ५.१६
सशुद्धाः ७.२१९
ससंतानानि ३.१५
ससत्त्वेषु ४.४७
ससन्ध्यांशेषु १.७०
सन्ध्येषु १.७०
ससहायः ८.१९३
सस्नेहम् ५.८७
सस्यप्रदाम् ७.२१२
सस्यसम्पन्नम् ७.६९
सस्यानि ९.२४७
सस्यान्ते ४.२६
सहजः १२.१३
सहस्रावामृधिव्योः ३.८६
सहपिण्डक्रियायाम् ३.२४८
सहस्तानाम् ५.२९
सहस्रकृतवः २.५४ [७९]
सहस्रगुः ११.१४
सहस्रदः ३.१८६
सहस्रपतये ७.१७
सहस्रपतिम् ७.११५
सहस्राधिपतिः ७.११९
सहायम् ४.१३३
सहायाः ८.६४
सहायार्थम् ४.२३८, २३९, २४२
सहायेन ४.२४२; ६.४९
सहायैः ९.२६७
सहासनम् ८.२८१
सहितान् ९.२१२
सहेतानाम् ५.११५
सहोढः ९.१६०, १७३
सहोढम् ९.२७०
सहोदराः ९.१९२
सक्थस्येन १२.२५
सक्थ्यम् ८.६२, ६८, ६९, ७४; ८.८२, ८७, ९३, १०७, ११८, ११९, १९७
साक्ष्ये ८.८१, ८२, ९७; ११.८८
साक्ष्येषु ८.७१
साक्षात् २.२१२ [२३७]
साक्षि० १.११५; ८.१७८
साक्षिणः ८.४५, ५७, ६१, ६३, ७२, ७९, १०८, १६९, २५४
साक्षिप्रत्यय० ८.२५३
साक्षिभम् ८.१८, ८४
साक्षिभाम् ८.२५९
साक्षिता ८.८०
साक्षिद्वैधे ८.७३
साक्षिभिः ८.५५, ६०, ८३
साक्षी ८.६५, ७४, ७५, ७७, ८१, ८३, ८४, १८२, २५८
सागरान् १.२४
सागरे ६.९०
साङ्गतिकम् ३.१०३
सातिशयम् ९.११४
सात्वतः १०.२३
सात्त्विकम् ३.२६३; १२.३१
सात्त्विकः १२.४०
सात्त्विकी १२.४८, ४९
सात्त्विकीम् १२.५०
साधन० ४.१९६
साधनम् ११.२३७; १२.९९
साधवः ९.६८, ९९
साधारणः ९.९६
साधुः २.८४ [१०९], १६८ [१९३]; ७.२५; ९.२४३; १०.८४
साधुतः ४.२५२
साधुभ्यः ११.१९
साधुभिः १.१३० [२.११]
साधुम् ८.२९३
साधुषु २.५५ [८०]; ७.१६८
साधूनाम् १.१२५ [२.६]; ४.२०६; ८.३११
साध्यम् ११.२३८
साध्याः १२.४९
साध्यानाम् १.२२; ३.१९५
साध्यैः ११.२९

साध्वी ५.६६, १५६, १६०, १६५; ९.२९
साध्वीनाम् ५.१६२
साध्वीम् ९.९५
साध्व्याः ५.१५४
सानुबेभ्यः ३.८७
सान्तपनम् ५.२०; ११.१२४, १६४, १७३, २१२
सान्तरालानाम् १.१३७ [२.१८]
सान्तानिकम् ११.१
सान्त्वेन ८.३९१
सान्वयः २.१४३ [१६८]; ३.२०५; ८.१९८
सान्वये ८.३३१
सांपरायिककल्पेन ७.१८५
साप्तपौरुषी ३.१४६
साफल्यम् १२.९३
साम० १.२३; ७.१०७, १०९, १५९
सामवेदी ७.१०९
सामध्वनी ४.१२३
सामन्तप्रत्ययः ८.२६२
सामन्तवासिनः ८.२५८
सामन्ताः ८.२६३
सामन्तानाम् ८.२५९
सामन्तान् ९.२७२
सामवेदः ४.१२४
सामवेदवित् १२.११२
सामान्यम् ७.५६
सामासिकः ७.१८०
सामासिकम् १०.६३; १२.३४
सामिषम् ४.१३१
साम्ना ७.१९८; ८.१८७
साम्नाम् ११.२६२
साम्परायिकम् ११.३०
साम्यताम् १२.९०
साम्यम् ११.१७५, १९५
साम्राज्यकृत् ८.३८७
साम्वत्सरिकम् ७.८०
सायम् २.१६१ [१८६]; ३.१०५, १२१; ४.६२; ६.६; ११.२११
सायाह्ने ११.१८२
सारतः ८.४०५
सारफल्गुत्वम् ९.५६
सारसम् ५.१२
सार्धम् १.२७; ९.२०९
सार्धे ८.१३८
सार्वभौतिकः १२.५१
सार्ववर्णिकम् ३.२४४
सारापराधतः ९.२६२
सारापराधौ ८.१२६
सारासारम् ९.३३१
सालतालान् ८.२४६
सावित्रान् ४.१५०
सावित्री २.१३ [३८], ५६ [८१], १४५ [१७०]; १०.२०; ११.१९१
सावित्रीपतिताः २.१४ [३९]
सावित्रीम् २.७६ [१०१], ७९ [१०४]; ११.२२५
सावित्रीमात्रसारः २.९३ [११८]
सावित्र्याः २.५२ [७७], ५८ [८३], १२३ [१४८]; ११.१९४
साहसः ८.१३८, २७६
साहसम् ७.४८; ८.६, १२०, ३३२
साहसिकदण्डघ्नौ ८.३८९
साहसिकम् ८.३४४
साहसिकान् ८.३४७
साहसे ८.३४६
साहसेषु ८.७२
साहस्र० १.७९
साहस्रम् १.७१
साहस्रस्य ८.३४५
सिंहतुण्डान् ५.१६
सिंहवत् ७.१०६
सिंहाः १२.४३
सिताः ११.१३०
सिद्धयर्थम् ६.४२
सिद्धस्य ३.८४, १२१
सिद्धानि ८.१७८
सिद्धार्थाः १.८३
सिद्धिः ७.१
सिद्धिकारणम् १०.६२
सिद्धिम् २.६८ [९३], ७२ [९७]; ६.४२; १२.११
सिन्धवः ८.१७५
सिसृक्षया १.७५
सिसृक्षुः १.८, ३४
सीताहव्य ९.२९३
सीवदृणिः १०.११३
सीमा ८.६, १४९, २४६, २४७, २४८
सीमाम् ८.२४५, २५२, २५५
सीमायाम् ८.२५१, २६५
सीमालिङ्गानि ८.२४९, २५४
सीमाविनिर्णयम् ८.२५८
सीमाविनिर्णये ८.२६६
सीमाविवादविनिर्णयः ८.२५३
सीमासेतुविनिर्णयः ८.२६२
सीमाज्ञाने ८.२४९
सीम्नि ८.२५४, २५५, २५९
सीसकस्य ५.११४
सुकरम् ७.५५
सुकालिनः ३.१९७, १९८
सुकृतकृत् ३.३७
सुकृतम् ३.१००; ४.२४०; ६.७९; ७.९५
सुकृतिनः ८.३१८
सुकृतैः ८.२५६
सुक्षेत्रे १०.६९
सुख० १.२६, ४९; ६.६४; १२.८८
सुखदुःखयोः ४.१६०
सुखम् १.५४, १२८ [२१९]; २.१३८ [१६३] ३.७९; ४.१२, १४९, १६०, १७०, २२९; ५.४५, ४६; ६.८०, ९५, ७.११३; ८.३४३; ११.२३४; १२.१३, २०
सुखस्य ५.१५३
सुखार्थी ४.१२; ६.४९
सुखार्थेषु ६.२६
सुखासखम् १२.१९
सुखोदर्कम् ९.२५
सुखोदयम् २.८ [३३]
सुगन्धः ११.२५६

सुचरितव्रतः १२.११६, १२७
सुचरितैः ९.२६१
सुतः १.६२; ३.३८; ९.१३८, १६८, १७४, १७९
सुतप्तेन ११.२३९
सुतम् ३.१७, २६३; ९.९; १३६, १७८; १०.१०५
सुतस्य ११.५९
सुताः ३.४१, १९४, १९८; १०.४१
सुतादानम् ३.२८
सुतान् ६.३७; ९.१८०; १०.६
सुताम् ९.१२७
सुतार्थिनी ३.२६२
सुते ३.२६३; ९.९
सुतैः २.३ [२८]; ३.२४८; ५.१४९
सुतोत्पत्त्या ३.१६
सुतौ ३.१७४; ९.१६२; १०.११
सुदाः ७.४१
सुदश्चरम् १.३४
सुधन्वाचार्यः १०.२३
सुनिष्कृतम् ११.८५
सुनृता ३.१०२
सुपरीक्षितम् ७.२१७
सुपरीक्षितान् ७.६०
सुपर्णकिन्नराणाम् ३.१९६
सुपर्णाः १२.४४
सुपर्णान् १.३७
सुपर्याप्तम् ७.७६
सुप्ताम् ३.३४
सुप्तेषु ७.१८
सुप्रकाशेषु ८.२४५
सुप्रसादान् ३.२१३
सुबीजम् १०.६९
सुब्रह्मण्यास् ९.१२६
सुब्रह्मण्यस्य ९.२४१
सुभगे २.१०४ [१२९]
सुभाषितम् २.२१४ [२३९], २१५ [२४०]
सुमनसः २.१५७ [१८२]
सुमहत् ४.१६७; ७.२८
सुमुखः ७.४१
सुयन्त्रितः २.९३ [११८]
सुयुद्धम् ७.१७६
सुरक्षिताः ९.१२
सुरभिभिः ३.२०९
सुरभीणि ३.२२७
सुरा ११.९४, ९५
सुराध्वजः ९.२३७
सुरापः ९.२३५; ११.४९, २४९; १२.५६
सुरापस्य ११.१४९
सुरापानम् ११.५४
सुरापानसमानि १२.५६
सुरापानस्य ११.९८
सुरापानापनुत्त्यर्थम् ११.९२
सुरापाने ९.२३७
सुरापीनाम् ५.९०
सुराभाजनः ११.१४७
सुराम् ११.९०, ९०, ९३
सुरासंस्पृष्टम् ११.१५०
सुरूपम् ९.१४
सुरेन्द्राणाम् ७.५
सुलक्षितम् ८.४०३
सुवर्णः ८.१३४; ११.९८
सुवर्णकर्त्तुः ४.२१५
सुवर्णकारः ४.२१८
सुवर्णचौरः ११.४९
सुवर्णम् ८.२१३, ३६१; ११.२५०
सुवर्णरजत० ८.३२१
सुवर्णस्तेयकृत् ११.९९
सुवर्णस्तेयजम् ११.१०१
सुवर्णाः ८.१३५
सुवर्णान् ८.२२०
सुवासिनीः ३.११४
सुविदितम् १२.१०५
सुश्रुतम् ३.२५४
सुसंगृहीतराष्ट्रः ७.११३
सुसंगतः २.१६४ [१९३]
सुसंस्कृत० ५.१५०
सुसमाहिताः ७.२१९
सुसमृद्धः ३.१२५
सुसहायेन ७.३१
सुहृत् ८.१७, ३३५; ९.२९४
सुहृत्सु ७.३२
सुहृद्वधः ११.५६
सूकरः ३.२४१
सूकरताम् ३.१९०
सूकरोष्ट्राणाम् ११.१५६
सूक्तम् १२.१३२, २५१, २६०
सूक्ष्मः १.७
सूक्ष्मताम् ६.६५
सूक्ष्मम् १.२२; ८.१३२, १७०
सूक्ष्माः १.१७
सूक्ष्मान् १.१६
सूक्ष्माभ्यः १.१९
सूक्ष्मेभ्यः ९.५
सूक्ष्मैः १.१८
सूचकः ४.७१; ११.५०
सूच्या ७.१८७, १९१
सूतः १०.११, १७, २६
सूतकः ४.११२
सूतकम् ५.६२
सूतके ४.११०; ५.५८
सूतानाम् १०.४७
सूताम् ८.२४२
सूतिका ४.२१२
सूतिकाम् ५.८५
सूते १०.३२, ३४, ३९
सूत्रकार्पासकिण्वानाम् ८.३२६
सूत्रम् २.१४९ [१७४]
सूनवः १.१०
सूना ३.६८
सूनाचक्र० ४.८४
सूनादोषैः ३.७१
सूनास्थम् ११.१४५
सूपशाकः ३.२२६
सूर्मीम् ११.१०२
सूर्यः २.१९४, २१९, १९५ [२२०]
सूर्यरश्मयः ५.१३३
सूर्ये ३.२८०; ११.२१९
सूर्येण २.१९६ [२२१]

सूर्योढः ३.१०५
सूर्य्यः १.६५
सृतीः ६.६३
सृष्टः ८.४१३
सृष्टम् १.४१
सृष्टाः ५.३९; ९.९६
सृष्टिः १.७८; ३.२५५
सृष्टिम् १.२५, ७५
सेकः ११.५८
सेकम् ११.१२०
सेकेन ५.१२४
सेतुषु ८.२४५
सेतौ ८.२६३
सेनापतिबलाध्यक्षौ ७.१८९
सेनायाम् ७.१२१
सेवा ४.६; १०.११६
सैनापत्यम् १२.१००
सैरिन्ध्रम् १०.३२
सैसकम् ११.१३३
सोदकम् ४.३६
सोदरः ८.२९९
सोदर्याः ९.२१२
सोपकारे ८.१४३
सोपकः १०.३८
सोपनत्कः ३.२३८
सोमः ३.२४७; ५.९६; ७.७; ९.३१४
सोमपः ११.१४९
सोमपा ३.१९७, १९८
सोमम् १०.८८; ११.७, ८
सोमयमाभ्याम् ३.२११
सोमविक्रयणे ३.१८०
सोमविक्रयी ३.१५८
सोमसदः ३.१९५
सोमस्य ३.८५
सोमाय ९.१२९
सोमारौद्रम् ११.२५४
सौख्यम् ४.२३२
सौत्रिकम् २.१९ [४४]
सौनिकः ४.८६
सौमिकः ४.२६
सौम्य० २.१०० [१२५]; ८.९७
सौम्यदर्शनाः २.२२ [४७]
सौम्यनाम्नीम् ३.१०
सौम्यान् ३.१९९
सौम्ये ११.१९५
सौरान् ५.८६
सौरिकम् ८.१५९
सौवर्णिकः ८.१३७
सौहित्यम् ४.६२
स्कन्धितम् ९.५०
स्कन्धेन ८.३१५
स्तेन० ३.१५०; ४.२५५; ८.१४४, ३१६, ३१७, ३३४, ३४०, ३८६; ११.१००; १२.५७
स्तेनआटविकावयः ९.२५७
स्तेनगायनयोः ४.२१०
स्तेननिग्रहम् ८.३४३
स्तेनम् ८.१९७
स्तेनस्य ८.३०१, ३१६
स्तेनाः ७.८३; ९.९२; १२.५९
स्तेनानाम् ८.३०२; ९.२६३
स्तेनान् ९.३१२
स्तेनेन ८.३१४
स्तेय ११.१६१
स्तेयकृतम् ११.१०२, १६९
स्तेयनिष्कृतम् ११.९८
स्तेयम् ८.६, ३१४, ३३२, ३३९; ११.५४, ६५, १६४
स्तेयसंग्रहणेषु ८.७२
स्तेयस्य ८.३१३
स्तेयात् ८.३१६
स्तेयी ९.२३५
स्तेये ८.३३७; ९.२३७
स्तोकाकः १२.६७
स्त्रियः २.९८ [१२३], १५२ [१७७], २१५ [२४०]; ३.४८, ५०, ११४; ७.४७, ५०, ९६, १५०, २१९; ८.६८, ७७, १४९; ९.२, ५, २६, ९६, १४९, १९९, २१९; १२.६९
स्त्रियम् ३.१०, ४८; ४.४०, ५३; ८.३५८; ९.९, ६८, १४६; ११.८७, १७६
स्त्रियाः २.११३ [१३८], १७७ [२०२]; ३.४९; ४.२०५; ५.१५४; ८.७०; ९.१, ५९, १३४, १९१
स्त्रियाम् ३.६२; ९.१९८
स्त्रियौ ३.४९
स्त्री २.१०४ [१२९], १९८ [२२३]; ३.४९, ६१; ५.६६, १०८, १४८, १४९, १५६, १६०, १६१, १६४; ७.१४९; ८.३७०, ३७१, ३८९; ९.३, ९, २२, ३०, ७४, २३०, २३२; ११.६६; १२.५९
स्त्रीकार्यम् १०.४७
स्त्रीक्षीरम् ५.९
स्त्रीगः ८.३८६
स्त्रीजननी ९.८१
स्त्रीजितानाम् ४.२१७
स्त्रीणाम् २.८ [३३], ४१, ४२, १५४ [१७९]; ३.४६; ५.७२, १३०, १४६, १५५; ७.१२५; ८.६८, १००; ९.१८; ११.१६३
स्त्रीधनम् ९.१९४
स्त्रीधनानि ३.५२
स्त्रीधर्मयोगम् १.११४
स्त्रीनिबन्धनम् ९.२७
स्त्रीनिषेवकम् ११.६६
स्त्रीन् ८.१२३
स्त्रीपुंसयोः १.११५; ९.२५, १०१, १०३
स्त्रीपुंसौ ९.१०२
स्त्रीपुम् ८.७
स्त्रीबालः १०.६२
स्त्रीबालघातिनः ८.८९
स्त्रीबुद्धेः ८.७७
स्त्रीभिः ७.२२१; ८.३६०; ९.२००
स्त्रीभ्यः ९.१७, १८
स्त्रीम् ५.१६७; १२.६७
स्त्रीयोनिः ९.३४
स्त्रीरत्नम् २.२१३ [२३८]
स्त्रीविप्रः ८.३४९
स्त्रीविवाहान् ३.२० [११]
स्त्रीविवाहैः ३.४२

स्त्रीवृत्तः ७.२२४
स्त्रीशूद्रः ५.१३९
स्त्रीशूद्रदम्भनम् ४.१९८
स्त्रीशूद्रपतितान् ११.२२३
स्त्रीशूद्रोच्छिष्टम् ११.१५२
स्त्रीषु २.१३३ [१५८]; ८.३८; ९.६१; १०.६; १२.५८, १७०
स्त्रीसंग्रहणम् ८.६
स्त्रीसम्बन्धे ३.६
स्त्रीसुहृद्वधम् ११.८८
स्त्रीहन्तृन् ११.१९०
स्त्र्यजीवः ११.६३
स्थण्डिलम् १०.७१
स्थलज० ६.१३
स्थलजानि २.४४
स्थलारूढम् ७.९१
स्थले ७.१९२
स्थविरः २.९५ [१२०]; ८.३९४
स्थविरम् २.१३१ [१५६]
स्थविरे ९.३
स्थविरेण ८.७०, १६३
स्थाणुः ३.२०१
स्थाणुच्छेदस्य ९.४४
स्थान० ६.२२, ५९
स्थानम् १.१३; २.२२४ [२४९]; ३.९३; ७.५६, १२१, १२५; ८.३४४, ४०१
स्थानयोगान् ९.३३२
स्थानानि ८.१२४
स्थानासनाभ्याम् ११.२२४
स्थाने ५.९४; ७.१९०; ८.११९
स्थानेषु ८.८
स्थावर० १.४१
स्थावरजङ्गमैः ९.२६६
स्थावरताम् १२.९
स्थावरम् १.४०; ५.२८
स्थावराः १.४६; १२.४२
स्थावराणि ७.१५; ११.२४०
स्थास्नु ११.५६
स्थितया ९.८७
स्थितिः २.१९९ [२२४]; ३.१२०; ४.३३; ५.८०, १२९; ७.१६७; ८.१६२, १९९, २०० २६५; ९.१८, १८९, २८३; १०.५५, ७८; १२.१४६, २३७; १२.९४
स्थितिमती ९.७४
स्थिरारभ्यम् ७.२०९
स्थूणम् ६.७६
स्थूलसूक्ष्माणाम् ११.२५२
स्थौललक्ष्यम् ७.२११
स्नातकः २.११४ [१३९], ४.१३, ३३, ३४, १२८, १३०, २०३; ६.१
स्नातकगुरून् ३.११९
स्नातकपार्थिवौ २.११४ [१३९]
स्नातकब्राह्मणान् ११.२
स्नातकव्रतकल्पः ४.२५९
स्नातकस्य १.११३; २.११३ [१३८]; ५.१
स्नातकैः १०.११३
स्नानम् ४.४५, १२९, १५२, २०३; ५.९३, १४४, ११.१०९, १७४, २५४
स्नानस्य १.१११
स्नानासनविहारवान् २.२२३ [२४८]
स्नाने ७.२२०
स्नानेन ५.६६, ८५
स्नापन० २.१८४ [२०९]
स्नायु० ६.७६
स्नायुम् ८.२३४
स्नास्यन् २.२२० [२४५]
स्निग्धः ७.१२०
स्निग्धेषु ७.३२
स्नुषा ९.५७
स्नुषागमनुरुतल्पगौ ९.६३
स्नुषाम् ९.६२
स्नेहसंयुक्तम् ५.२४
स्नेहान् ६.१३
स्नेहे १२.१२०
स्पर्श० १.७६; ८.३५७; १२.९८
स्पर्शे ५.१३३
स्पर्शेन ३.२४१; १२.१२०
स्पशः ८.११६
स्पृष्टमैथुना ८.२०५
स्पृष्टाभिः २.३७ [६२]
स्पृष्टिनम् ५.८५
स्फिचम् ८.२८१
स्फ्यशूर्पशकटानाम् ५.११७
स्मार्तः १.१०८
स्मृतः २.४२, २०६ [२३१]
स्मृतयः १२.९५
स्मृताः ३.४६
स्मृतिः १.१२८ [२.९], १२९ [२.१०], १३१ [२.१२]; ४.१५५; ६.८९
स्मृतिभाक् ७.६४
स्मृतिशीले १.१२५ [२.६]
स्मृतौ ३.२५, २६
स्रग्विणः ८.२५६
स्रग्विणम् ३.३
स्रग्वी २.१४२ [१६७]
स्रजम् ४.५५, ६६
स्रष्टारम् १.३३
सप्तसुवाणाम् ५.११७
स्रुते ४.१२२
स्रोतसाम् ३.१६३
स्वकम् ३.२२०; ४.१४, १५४; ७.१७१, १८५; ८.५०; ११.१८७
स्वकर्म ८.२०६, २०७; ११.९९, १२२
स्वकर्मणा ९.२०७
स्वकर्मणाम् १०.२४
स्वकर्मणि १०.७४
स्वकर्मभ्यः ८.४१८
स्वकर्मभिः १०.४०, ५०
स्वकर्मस्थाः १०.१
स्वकर्मसु २.१५८ [१८३]; ९.११५; १०.८०
स्वकृत् ९.१९९, २०७, २७३; १२.७१, ७२
स्वकृतम् ४.१८४
स्वकार्यः ६.९६
स्वकाले ४.९३
स्वकुटुम्बात् १०.१२४

स्वकुटुम्बात् ११.२२
स्वके ४.४४; ८.३८७
स्वक्षेत्रे ९.१६६
स्वगुणेन २.६७ [९२]
स्वजने ११.९
स्वजातिम् ८.२७७
स्वजातीयः ११.१६२
स्वतन्त्रताम् ५.१४८
स्वतोंशतः ८.४०८
स्वदारनिरतः ३.४५
स्वदितम् ३.२५१, २५४
स्वदेशे ८.१६७
स्वधनात् ९.१५८, १६२
स्वधर्मः १०.९७, ११९
स्वधर्मम् ५.२; ८.४१, ३९१
स्वधर्मस्य २.१२५ [१५०]
स्वधर्मात् ७.१५
स्वधर्मे १.१२७ [२।८]; ८.३३५
स्वधर्मेण ३.३; ९.१६७; १०.९८
स्वधाकरम् ९.१२७
स्वधाकरः ३.२५२
स्वधानिनयनात् २.१४७ [१७२]
स्वनुष्ठितः १०.९७
स्वप्नः ९.१३; १२.३३, १२२
स्वप्नाभ्याम् १.५७
स्वप्नाय १.६५, ६६
स्वप्ने २.१५६ [१८१]
स्वबन्धुषु २.१८२ [२०७]
स्वबान्धवाः ८.२९
स्वभावः २.१८८ [२।३]
स्वभावतः १.१५२ [२।२३]; ९.१५, ३८
स्वभावम् ९.१६
स्वभावेन ८.७८
स्वमातृतः ९.१२३, १२४
स्वमांसम् ५.५२
स्वमूर्तिमान् २.५७ [८२]
स्वयंदत्तः ९.१७७, १६०
स्वयम्भुवः १.३
स्वयम्भुवा १.९२; ५.३९; ८.४१३; ८.१३८
स्वयम्भूः १.६, ९४
स्वयंवराः ९.९२
स्वयेच्छया ९.१७५
स्वयोन्या ५.११३
स्वयोन्याम् १०.२८
स्वयोनिषु २.१११ [१३४], १८१ [२०६]; १०.२७; ११.५८; ११.१७०
स्वरवर्णेङ्गितकारैः ८.२५
स्वराष्ट्रम् ७.१११
स्वराष्ट्रे ७.३२; ९.३१२
स्वरूपभावः २.९९ [१२४]
स्वर्गः ९.२८
स्वर्गम् ३.१८, ७९; ४.२३५, २४६; ५.१६०; ६.८४; ७.८९; ८.३१८; ११.६, ४०
स्वर्गात् ३.१४०; ८.७५, १०३; ९.२५४
स्वर्गायुष्ययशस्यानि ४.१३
स्वर्गार्थम् १०.१२२
स्वर्गे ५.१५५; ८.३१३; १२.२०
स्वर्ग्यः ५.४८
स्वर्ग्यम् ३.१०६
स्वर्जिता ११.७४
स्वल्पीयसि ११.८
स्वल्पे ८.१११
स्वल्पेन २.१०९ [१३४]; ४.१९१
स्ववपुषा २.२०७ [२३२]
स्ववंशस्य ९.१२८
स्ववित्तस्य ८.३६
स्ववीर्यम् ११.३२
स्ववीर्यात् ११.३२
स्ववीर्येण ११.३१
स्वशक्तितम् ९.२९८
स्वसरि २.१०८ [१३३]
स्वसारम् २.२५ [५०]
स्वस्त्ययनम् १.१०६; ५.१५२
स्वस्थः ८.२१६
स्वस्य १.१३१ [२।१२], २.९९; ८.८५, २३३; ९.१९९
स्वस्रा २.१९० [२।५]
स्वस्रीयम् ३.१४८
स्वस्रीयाम् ११.१७१
स्वागतैः ४.२२६
स्वात् १.८, ९४; ९.११८
स्वातन्त्र्यम् ९.३
स्वातन्त्र्येण ५.१४७
स्वाध्यानात् ८.१७२
स्वाध्यायः २.१४२ [१६७]
स्वाध्यायनिष्ठ ३.१३४
स्वाध्यायभूमिम् ४.१२७
स्वाध्यायम् २.८२ [१०७]; ३.२३२
स्वाध्यायस्य ४.१७
स्वाध्यायार्थी ११.१
स्वाध्याये २.८० [१०५]; ३.७५; ४.३५, ५८; ८.६
स्वाध्यायेन २.३ [२८]; ३.८१
स्वानि १.३०; ४.१४४; ८.४२, २११, ४११, ४१८
स्वान् २.१८० [२०५]
स्वाभाविकः ३.४६
स्वामिनः ७.१६७; ८.२३३
स्वामिना ८.१५०, ४१४
स्वामिनाम् ८.२२९, २३४, २४४
स्वामिनी ८.२३०
स्वामिपालयोः ८.५
स्वामी ८.३०, ३१, १७३, १९७, २९३
स्वामृ ९.७; १०.५९
स्वाम्यकारणम् ५.१५२
स्वाम्यम् ७.२१
स्वाम्यमात्यौ ९.२९४
स्वाम्यात् ९.९३
स्वायम्भुवः १.६१, ६३, १०२; ६.५४; ८.१२४; ९.१५८
स्वायम्भुवस्य १.६२, ६३
स्वाराज्यम् १२.९१
स्वारोचिषः १.६२
स्वार्थ० ४.१९६
स्वालक्षण्यपरीक्षा० ९.१९
स्वास्तु ९.३२१
स्विष्टकृते ३.८६

स्वेदः ५.१३५
स्वेदजम् १.४५
स्वेद १०.८१; ११.३२; १२.२३
स्वेभ्यः ९.११८; १२.७०
स्वेषु ३.११६; ४.१५५ ५.१०४; ६.७९
हंसः १२.६२
हंसम् ११.१३५; १२.५
हंसवारणगामिनीम् ३.१०
हतकिल्बिषम् ४.२४३
हतस्य ५.१३१
हत्या ११.७०
हय० ८.२९६
हयमेधे ११.८२
हयम् ११.१३६
हरम् १२.१२१
हरिद्वेन ३.२६८
हरिते ८.३३०
हर्तृन् ९.२८०
हविः ३.१४२, १४४, २१५, २५७, २६६; ४.२०६; ६.१२; ७.२१; ११.९५; १२.६८
हविःशेषम् ५.२४
हविर्गुणाः ३.२३७
हविर्गुणान् ३.२३६
हविर्वहनि ३.२११
हविर्भुजः ३.१९७
हविष्कृतम् ४.८०
हविष्यान्नीयम् ११.२५१
हविष्यन्तः ३.१९८
हविष्यभुक् ११.७७
हविष्यस्य ११.२२०
हविष्यासि ११.२१८
हविष्येक- ११.१०६
हविषा २.६९ [९४]
हविषि ३.१६९
हविषु ३.१३९
हविष्यानि ३.२५६
हवींषि ३.१३२, १३९; ५.७
हव्यकव्य० १.९४
हव्यकव्ये ३.१९०
हव्यकव्ययोः ३.१३०, १४७, १५०, १५२; ५.१६
हव्यकव्यानि ३.९७, १२८, १७५
हव्यकव्येन ४.३१
हव्यकव्येषु ३.१३३
हव्यम् ३.१६८, १८१; ४.२४९
हव्यसम्पदः ३.२५६
हव्यानि १.९५; ३.१३५
हस्तचरणौ ९.२७७
हस्तच्छेदनम् ८.३२२
हस्तपादम् २.६५ [९०]
हस्तम् ३.२१६
हस्तयोः ३.२२५
हस्तात् ८.३४०; १०.१०८
हस्ति० ३.१६२
हस्तिनः १२.४३
हस्तिनम् ४.१२०; ७.९६
हस्ती २.१३२ [१५७]; ९.२८०
हस्ते ८.१८०
हस्तेन ३.२१४
हस्तेषु ३.२२३
हस्ती २.४६ [७१]; ३.१३२, २६४; ८.१२५, २८३; ९.२७६
हायनैः २.१२९ [१५४]
हारि १२.२८
हास्यार्थम् ९.२२७
हिंसनम् २.१५२ [१७७]
हिंसा ४.१७०; ५.४४; ११.६३; १२.७
हिंसाप्रायाम् १०.८३
हिंसाम् ५.४३, ४८
हिंसायाम् ८.२८५, २९३, २९७; ११.१४१
हिंसासमुद्भवम् ११.१४५
हिंस्रः १.२९; ३.१६४; ४.१९५; ९.३१०
हिंस्रा ९.८०
हिंस्राः १२.५९
हिंस्रानाम् १२.५६, ५७
हितः ३.२०; १२.११७
हितप्रेप्सुः ५.४६
हितम् २.८३ [१०८], १८१ [२०६]; ४.२५८; ७.५७; ८.३१२, ३९०
हिता ९.६२
हितानि ४.१९
हिताभङ्गे ९.२७४
हितेषु २.१६६ [१९१]; ९.३२४
हिमवद् १.१४० [२.२१]
हिरण्यदः ४.२३०
हिरण्यमधुसर्पिषाम् २.४ [२९]
हिरण्यम् २.२२१ [२४६]; ४.१८८, १८९; ७.२०६, २०८; ८.१५५; १८२, १८४, ३९३;
हिरण्यार्थे ८.९९
हीन० २.१६९ [१९४]
हीनकृतः ११.१२
हीनक्रियम् ३.७
हीनजातिस्त्रियम् ३.१५
हीनम् ३.१०७; ८.५७, २३२
हीनाः १०.३१
हीनातिरिक्तः ३.२४२
हीनानि ३.६५
हीनान् ४.१४१; १०.३१
हीनान्हीनान् ४.२४५
हीने ३.१०७
हुङ्कारम् ११.२०४
हुतः ३.७४
हुतम् ३.७३, ७४, १८१
हुताग्निः ७.१४५
हुते ४.२०५
हृदयम् ८.८६
हृदयेन १.१२० [२.१]
हृदि ८.९१, ९२
हृद्गाभिः २.३७ [६२]
हृद्याम् ७.७७; ९.९४
हृद्यानि ३.२२७
हृष्टम् ७.१७१
हेतवः १२.१०९
हेतुशास्त्र० १.१३० [२.११]
हेतुना १.४९; ८.१६१
हेतुभिः ८.३

हेमकर्तृषु	१२.६१	हैरण्यगर्भस्य	३.१९४	होमान्	११.११९
हेमकारम्	९.२९२	होढेन	९.२७०	होमे	३.२४०
हेमन्तशीष्मवर्षासु	३.२८१	होता	८.२०९; ११.३६, ३७	होमैः	२.२ [२७], ३ [२८]; ३.८१; १०.१११; ११.३४, २२६
हेमन्ते	६.२३	होमः	३.७०, ७४, ८४; ६.३४; ११ २२२		
हैतुकः	५२.१११	होममन्त्रेषु	२.८० [१०५]	ह्रासा	१.८५
हैतुकान्	४.३०	होमः	११ २००	ह्रियमाणानि	६.५९

स्वाध्याय के लिए मनुस्मृति का प्रक्षेप रहित संस्करण–

विशुद्ध मनुस्मृति

–डॉ. सुरेन्द्रकुमार आचार्य

१. निर्धारित मानदण्डों के आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध हुए श्लोकों से रहित, मौलिक श्लोकों का संस्करण।

२. मनु के मौलिक आदेशों-उपदेशों का प्रसंगबद्ध वर्णन होने से स्वाध्यायशील व्यक्तियो के लिए परम-उपयोगी। प्रमुख प्रकरणों का उल्लेख।

३. पदार्थ टीका एवं मनुप्रसंगसम्मत अर्थ।

४. विशिष्ट व विवादास्पद स्थलों पर शास्त्रप्रमाणों एव अन्तःसाक्ष्य सहित 'अनुशीलन' समीक्षा।

५. महर्षि दयानन्द कृत अर्थ एवं भावार्थ सहित।

६. विस्तृत भूमिका तथा उसमें मनुस्मृति का नया मूल्यांकन।

७. विषय सूची, उभयपंक्ति श्लोकानुक्रमणिका सहित।

८. कपड़े की बहुत बढ़िया जिल्द, बढ़िया कागज। **लागत मात्र**

मूल्य ६० ०० रुपये।